

## मिताक्षरा भाषा टीका सहित ॥

यह पुस्तक सम्पूर्ण धर्मशास्त्रों का शिरोमणि है जिसमें आचारकांड, व्यवहारकांड और प्रायश्चित्त-  
नामक तीन कांड हैं जिनसे गृहस्थादिचारों आश्रम और ब्राह्मणादि चारों वर्गों के सम्पूर्ण कर्म  
और राजसम्बन्धी कार्योंमें दायभागदि व्यवहारोंमें वादी प्रतिवादियों के धर्मशास्त्र सम्बन्धी  
न अंगमुकुटमोंकी व्यवस्था वर्णित है ॥

इस यन्त्रालयमें जिनने प्रकारकी महाभारतें छपी हैं उनकी सूची नीचे लिखी है ॥

### महाभारत वार्त्तिक ॥

कि सम्पूर्ण पुराणोंमें श्रेष्ठ है जिसको पंचमवेद भी कहते हैं जिसमें आदि १ सभा २ वन ३  
४ उद्योग ५ भीष्म ६ द्रोण ७ कर्ण ८ शल्य ९ सौप्तिक १० विशोक ११ स्त्री १२ शांति १३  
१४ अश्वमेध १५ आश्रमवासिक १६ मुशल १७ स्वर्गारोहण १८ और हरिवंशपर्व १९  
तयो आगरापुर पीपलमंडी निवासि चौरासियागौड़ वंशावतंस प्रधान पंडित कालीचरणर्ज  
साध्यापक केनिंगकालेज लखनऊने संस्कृत महाभारतसे प्रत्यक्षरका भाषामें उल्था किया है  
पृथक् २ पर्व भीखरीदारोंको मिलसके हैं—यह पुस्तकभी अवश्यही अवलोकन करनी चाहिये ॥

### महाभारतदर्पण काशीनरेश कृत ॥

काशीनरेश की आज्ञानुसार गोकुलनाथादिक कवीश्वरों ने अनेक प्रकारके ललितछन्दों  
हर्ष और उन्नीसवें हरिवंशको निर्माण किया—यह पुस्तक सर्वपुराण और वेदकासार है  
लोग इसविचित्र मनोहर पुस्तकको पंचमवेद बताते हैं क्योंकि पुराणान्तर्गत कोई कथा  
रस और वेदस्थित धर्माचारकी कोई बात इससे छूट नहीं गई मानों यह पुस्तक वेद र  
गेरूप है—अनुमान ६० वर्षके भीते कि कलकत्तेमें यह पुस्तक छपी थी उस समय यह प  
अलभ्य होगई थी कि अन्तमें मनुष्य ५०) रु० देनेपर राजीये पर नहीं मिलती थी पहले  
१२ ई० में इस छापेखाने में छपी थी और कीमत बहुत सस्ती याने वाजिबी १२) थे  
शनेका दस्तूर है ॥

य दूसरीबार डबलपैका बड़ेहरफोंमें छपी गई जिसको अवलोकन करनेवालोंने बहुतही  
रखा है—और सौदागरी के दस्तूर इतने भी कीमत में किरायत होगी है पैमाना १२  
रुई रान् १८=४ ई० २५६८ रुफे कीमत १०) पुस्तक। इन महाभारतके भागनीचे लिखे  
र अलग २ भी मिलते हैं ॥

दिले भागमें ( १ ) आदिपर्व ( २ ) भीष्मपर्व ( ३ ) वनपर्व रुफे ५२० जुत्र ३२ वर्क ६ कीमत =  
इसके भागमें ( ४ ) विशाटपर्व ( ५ ) उद्योगपर्व ( ६ ) भीष्मपर्व ( ७ ) द्रोणपर्व रुफे ४०२ ज

# मिताक्षरा स० के परिच्छेदों का सूचीपत्र ॥

परिच्छेदाना नामानि	पृष्ठ	पंक्ति	परिच्छेद	परिच्छेदानानामानि
समानिरूपण नाम प्रथमः परिच्छेदः	१०१	१६	३३	सात्त्विकचक्रभेदे जयपराजयभेद परिच्छेदः
ध्यमज्ञ र विषयो द्वितीयः परिच्छेदः	१०३	१	३४	कूटसाक्ष्यदंडासत्य प्रतिषेधयोः परिच्छेदः
चाक्ष्यान विषयेतृतीयः परिच्छेदः				इति साक्ष्य प्रकरणम्
भाषापाद नामक चतुर्थः परिच्छेदः	१०६	२०	३५	लेख्यपत्रविधाने परिच्छेदः
उत्तर पाद प्रक्रिया विषये पंचम परिच्छेदः				इति लेख्यविधि प्रकरणम्
क्रिया माध्य मिदुपाद षष्ठः परिच्छेदः	२००	१०	३६	दिव्य मातृकालक्षणिकः परिच्छेदः
व्यवहार मातृका विषये षष्ठम परिच्छेदः	२१६	१५	३७	तुलाख्यदिव्येष्टप्रकार परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकाख्य प्रकरणम्	२३१	२४	३८	अग्नि नामकदिव्यस्य परिच्छेदः
प्रथम नियोग निषेधानिये परिच्छेदः	२३०	१६	३९	उदकाख्यदिव्याविधि परिच्छेदः
प्रति सुव्याख्य विषये षष्ठम, परिच्छेदः	२४६	१	४०	विपदिव्यस्य विधान परिच्छेदः
क्रिया पदांशपरि दशमः परिच्छेदः	२५०	१०	४१	कोशनामक दिव्यस्य परिच्छेदः
उत्तरदिनेन विनयः अर्थ इति परिच्छेदः	२५४	१०	४२	उपदिध्याना सर्वेषां परिच्छेदः
दश दीप नक्षत्रांशपदे परिच्छेदः				इति दिव्य शपथादीनां प्रकरणम्
युगपचारव्यभिचारी परिच्छेदः	२६३	१०	४३	दाय विभागे स्वत्य निरूपण परिच्छेदः
सुषण विषय निर्णय चारुच्छेदः	२८५	२	४४	नीदतिपतरि विभाग परिच्छेदः
सनाप यः दीनाम धिक् र क्षने परिच्छेदः				इति जीवतिपितरिविभागप्रकरणम्
इति व्यवहारमातृकान्यतिभिपूत्ररथम्	२८३	३	४५	पितरिप्रे तेपुत्रविभागोनाम परिच्छेदः
साक्ष्यपाद साधनप्रमाद्य निदर्शन परिच्छेदः	३००	११	४६	अग्निभाज्यधन विभाग निषेध परिच्छेदः
दुषा, प्रमाददुष्टादिदशपरिच्छेदः परिच्छेदः	३१०	१६	४७	पैतामह धनविभाग परिच्छेदः
सन्निभ परिच्छेदः प्रभाये परिच्छेदः	३२३	२०	४८	विभक्तजसुतविभागे परिच्छेदः
साक्ष्यार्थं अनिष्टे दिग्भेदे परिच्छेदः	३२६	२३	४९	असंस्कृत भ्रातृभगिनां सस्कारे परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	३३१	२०	५०	विजातीय मातृक भिन्नपुत्राणां परिच्छेदः
नाना रीतिनाम परिच्छेदः परिच्छेदः	३३३	६	५१	विभाग शेषधनविभागे परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, नापु	३३६	२६	५२	दूयःमुष्यायण पुत्रस्य दायत्वे परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	३६१	०	५३	द्वादश पुत्राणां मुष्य गौण भेदे परिच्छेदः
पर्याय रीतिनाम परिच्छेदः	३६२	१०	५४	द्वादश पुत्राणां दायक्रमे परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्				इति सपुत्र मृत पितृ पितामहयोर्धन
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः				विभागप्रकरणम्
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्	३६०	३	५५	दत्तकाद्यपुत्राणां पुनर्यवस्था परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	४०१	१०	५६	इति दत्तकार्दानां दायधिकारप्रकरणम्
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्	४३३	१	५७	अपुत्रमृतस्य धनविभागे परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	४०३	०	५८	पत्न्यादे नामनुवादे परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्	४०५	२०	५९	अपुत्राणां क्वचिदुपयुक्तेः पत्न्यादे परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	४०६	११	६०	मृतधनिनः प्रवृत्त सुतदायाधिकार परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्	४०७	११	६१	इत्यपुत्रमृतपुत्रस्य धनदायाधिकारप्र०
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	४०८	१	६२	निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्	४०९	१	६३	निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः	४१०	१	६४	इति दत्तकार्दानां दायधिकारप्रकरणम्
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्				दत्तकार्दानां दायधिकारप्रकरणम्
निरागत सौ परागत विषये परिच्छेदः				इति दत्तकार्दानां दायधिकारप्रकरणम्
इति व्यवहारमातृकान्यभिभागभाष्यं, पुत्ररथम्				इति दत्तकार्दानां दायधिकारप्रकरणम्



पृष्ठ	पंक्ति	परिच्छेद	परिच्छेदाना नामानि	पृष्ठ	पंक्ति	परिच्छेद	परिच्छेदानानामानि
५३१	७४	६३	इतिसमस्तदायभागमपात्तिपूकरणम्	६४८	२०	७५	दूनसमाह्वय विवादे परिच्छेदः
५३६	२८	६४	सीमा निर्णायक चिह्न प्रदर्शन परिच्छेदः	७५४	२८	७६	इतिदूतसमाह्वयपूकरणम्
५४३	७	६५	सीमा चिह्नाभावे निर्णयोपाय परिच्छेदः				याकूप रूपांशुवादे परिच्छेदः
५४६	११	६६	सीमाज्ञातृचिह्नयोरभावेनिर्णयप्रकारपरिच्छेदः	६६६	२	७७	इतिवाक्पारुष्यविवादपूकरणम्
			गृहादि सीमास्थपिपूर्वविधेरतिदेश परिच्छेदः				दंडपारुष्यनामकविवाद परिच्छेदः
			इतिसीमाविवादपूकरणम्				इतिदंडपारुष्यविवादपूकरणम्
५५६	१४	६७	पशुव्यतिक्रमे स्थामिपालदंडविधि परिच्छेदः	६६७	३०	७८	साहसनामविवादे परिच्छेदः
५६३	१४	६८	पशुनष्टे मृतेस्वामिपालविवाद परिच्छेदः	७७२	२३	७९	उपसाहसरूपकुपमार्गां परिच्छेदः
			इतिपशुव्यतिक्रमवादपूकरणम्				इतिसाहसांपसाहसयोः पूकरणम्
५६६	२१	६९	अस्वामिविक्रयविवादे परिच्छेदः	७७४	१	८०	विक्रीयासंप्रदानविवादे परिच्छेदः
			इत्यस्वामिविक्रयपूकरणम्				इतिविक्रीयासंप्रदानपूकरणम्
५८०	२९	७०	दानविवादे देयदेयादिलक्षणभेद परिच्छेदः	७७४	६	८१	संभूयसमुत्थानकर्माणिविवाद परिच्छेदः
			इतिदानविवादपूकरणम्				इतिसंभूयसमुत्थानपूकरणम्
५८४	१	७१	क्रीतानुयय विवादन मक परिच्छेदः	७७७	१२	८२	चौर्यविवादे स्तेयनामक परिच्छेदः
			इतिक्रीतानुययव्यवहारपूकरणम्				इतिचौर्यविवादपूकरणम्
६०२	१६	७२	सेवाधर्म विवादे अभ्युपेयाशुश्रूषा परिच्छेदः	७८०	१८	८३	परस्त्रीसंग्रहणाख्यविवाद परिच्छेदः
			इतिसेवाधर्मविवादपूकरणम्				इतिपरस्त्रीसंग्रहणपूकरणम्
६२०	१०	७३	सविद्वयतिक्रमनाम विवाद परिच्छेदः	७८८	८	८४	नृपाश्रय विधिष्यत्रहाराणां परिच्छेदः
			इतिसविद्वयतिक्रमाख्यपूकरणम्				इतिपूकीर्णसंब्रंजवादिपूकरणम्
६३५	२८	७४	वेतनादानविवादे परिच्छेदः				इतिव्यवहाराध्यायस्यानुक्रमणिकासमाप्ता
			इतिवेतनादानपूकरणम्				

मिताक्षरा स० का आशयपृष्ठांक सूचीपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	आशयः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयः
१	१८	सभानिरूपणम्	१३	१५	अनाह्वानयोग्याः
३	१०	सभासद लक्षणम्	१३	१०	अनाह्वान योग्याः
४	१	सभ सदा सङ्घा	१४	२२	आसेध प्रकारः ( घेरना—फकडना )
४	१२	नियुक्ता नियुक्त सभासदभेदः	१४	२०	अनासेध्याः
५	५	सभाया वर्गिजन प्रवेशः	१६	१५	भाषा पादनामक चतुर्थ परिच्छेदः ( ४ )
५	१०	सभायाअनुकल्पः	१६	१८	प्रत्यर्चिन्यागते लेख्यादि कर्तव्यता
६	५	प्राड्विवाक लक्षणम्	१८	२	हीनपत्नीलक्षणं—सचपचविधिः
७	१२	सभ्या ना दमः	१८	२२	अर्थिभाषा लेख्यलक्षण ( इजहार मुद्दं )
८	११	व्यवहार विषयो द्वितीयः परिच्छेद ( २ )	२०	२७	पञ्चाभास विवेकः
८	१३	व्यवहार स्वरूपम्	२१	२	अनादेय व्यवहाराणा विवेकः
८	२५	व्यवहारस्य द्वै विध्यम्	२३	१३	अनादेय व्यवहाराणा पुनर्विवेकः
९	१३	व्यवहारस्य अष्टादश भेदाः	२३	१०	अर्थिस्याने तत्पुत्रपौत्रादयोप्यगोक्रता.
१०	२८	व्यवहारः स्वयमेव राजानोऽपि दत्तः	२३	२२	अर्थिस्याने प्रतिनिधि र्पिभवति
१०	३१	एकेन वादिना वा बहुभिर्व्यवहारः	२४	६	अर्थिभाषा गोधन प्राड्विवाकः फुयांत
१२	१४	आह्वानविषयस्मृतौपरिच्छेदः ( ३ )	२४	२६	अर्थि भाषा गोधनं च उत्तर दर्शनात्प्रागेव
१२	३१	कार्यार्थिनिप्र-नप्रकारः	२५	५	उत्तर पाद प्रक्रिया विषये पचम परिच्छेदः ( ५ )
१३	२	प्रत्यर्चिनअह्वानप्रकारः	२५	८	प्रत्यर्चिन उत्तर लेखनम्

# मिताक्षरा स० का आशयपृष्ठांक सूचीपत्र ।

	आशयाः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः
	मोषाधिकृत्य निवृत्ति कथनम्	१८५	१८	आग्रहवादः तस्य शान्तिश्च
	मोषाधिकृत्य-यस्य उपाधि निवृत्तिः	१८०	०	सादिभावित वाक्यपरीक्षा
१४	गोव्याधिभोगे वृत्तिर्न देया- मोषकारे द्वापिर्तोष	१८८	३१	वादिनाऽवलघितक्रियायावलावलघिवेकः
४	प्राज्यन्तर दान प्रीतिः	१८०	६	निरर्थक्याख्या
३२	म्यापरत्रगम द्विप्रथम्याधिः स्पर्शकारः	१८१	२०	निरर्थकनतम्
३	दाधेरपिपुनरार्थ प्रथमः	१८३	१	कूटवाचिदण्डासत्यप्रतिषेधापवादानां परिच्छेदः (३४)
३१	धरित्र प्रथमक सत्यकार द्रव्ययोश्च प्रथमा	१८३	३	कूटवाचिणा दड.
३५	मोक्त्यग्या निर्णयमाः	१८४	२१	नास्मात्पत्ते दंडव्यवस्था
	आद्ये प्रयोक्तव्ये न निरर्थकेऽयमर्थे वा प्रथमप्रथा	१८६	२१	सादयमगीकृत्यादानेदड.
३५	भोग्याधो प्रमाणात् प्रथमः	१८०	१४	सात्य दत्ताप्यन्यथा कथने दड्यः
११	प. नभोग्याधिनिवयमाः	१८०	१६	परमात्ति समीप रहोनगतव्यम्
	<b>इतिमन्वपदपर्यादानं प्राधिगिभि</b>	१८०	३०	क्रिक्रहातिणामनृतप्रचनेऽधिकारः
	<b>प्रकरणं नवमम्</b>	१८८	११	प्रस यस्यपुनः प्रायश्चित्त करणम्
	निरोधोप निरोधव्यवस्था परिच्छेदः (३८)			<b>उति सादय प्रकरणं नवमम्</b>
३३	उपाधिः स्वकृपाः	१८८	२८	लेखप्रमाणापेताया पत्रविधानपरिच्छेदः (३५)
३४	निरोधोपानध्यारुपदाने निवृत्ताः	१८०	४	नेय लणम्
३	निरोधोपाना यः स्वकृपाः	१८०	२०	नेयस्य द्वैप्रियम्
३	प्राज्यन्तर सार्थक प्रमाणात् परिच्छेदः	१८१	१	निरोधोपानम्
	<b>इतिनिरोधोपनिध्यादिप्रकरणं नवमम्</b>	१८२	१	निरोधोपानप्रतिषिन्ना

# मिताक्षरा स० का आशयपृष्ठांक सूचीपत्र

७

पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः
२२२	२६	तुलाकारि पुरुषस्य तोलनविधानम्	२५४	१०	उपदिव्यानासर्वेषापरिच्छेदः (४२)
२२४	२४	घटविधौ देवाद्यावाहन पूजनच	२५४	१५	तण्डुलचर्वणविधिः उपदिव्येषु
२२६	१०	घटविधौ पूजाद्यनुक्रम कथनम्	२५५	५	तप्तमापविधिः उपदिव्येषु
२२७	१४	तुलाया घट पूजनम्	२५६	१६	धर्माधर्मपुत्तलविधिरूपदिव्येषु
२२८	११	तुलाकारि पुरुषस्य तुलाया पुनरारोहणम्	२५७	२२	शपयसामान्यानाविधिरूपदिव्येषु
२२८	२१	शुद्धच्यशुद्धि ज्ञानाय पुरुषा नियोक्तव्याः	२५७	२५	शपय समान्यानाकर्तुः शुद्धिविवेकः
२३०	१	तुनाहूढस्य शुद्धच्यशुद्धि ज्ञानोपायः	२५८	२३	अशुद्धपुरुषाणाविपत्कालाविधिः
२३१	५	तुलार्थे घटशाला च कर्तव्या	२६२	१८	दिव्यकारिणादण्डहेतुः
२३१	२४	अग्निनामक दिव्यस्य प्रकार परिच्छेदः (३८)			इतिदिव्यशपथादीनांप्रकरणमेकादशम्
२३१	२८	अग्निकारि पुरुषस्य करसंस्कारः	२६३	१६	दायविभागस्वत्वनिरूपणपरिच्छेदः (४३)
२३३	४	अग्नेः प्रार्थना करण मन्त्रः	२६२	३०	दायत्वेसम्बन्धद्वैविध्यम्
२३४	२	अग्निप्राडुविवाकोप्यभि मन्त्रयेत्	२६६	३	दायविभागस्यस्वरूपकथनम्
२३४	२४	तप्तलोहपिण्डस्य हस्तयोर्न्यास विधिः	२६७	१४	दायोद्विविधः
२३५	७	सप्तपद मडलाना परिमानम्	२६७	२२	विभागलक्षणम्
२३७	१७	अग्नि कारिणः शुद्धच्यशुद्धि ज्ञानम्	२६८	१५	स्वत्वनिरूपणम्
२३८	१८	उदकाख्य दिव्यविधान परिच्छेदः (३९)	२६९	१०	स्वत्वलौकिकमेव
२३८	२२	उदकदिव्ये जल निमज्जन विधिः	२७५	८	सप्तवित्तागमाधर्ग्याः
२३८	३०	उदकदिव्ये वरुण पूजनम्	२७५	१८	क्विविभागात्स्वत्वस्वत्वाद्विभागोवा
२३९	१४	उदकस्य स्थानानि	२७५	२८	अधिभाज्यधनप्रसङ्गः
२४१	१	उदककारिणः शुद्धच्यशुद्धिज्ञानम्	२७६	१५	प्रीतिदानप्रसङ्ग
२४२	७	उदकदिव्ये धनुषः पूजन परिमानच	२७७	९	पुत्रादीनाजन्मनैवस्वत्वम्भवति
२४२	२४	उदक दिव्ये वाणक्षेत्रे पुरुषलक्षणम्	२७९	२४	स्यावरधने स्वार्जिते प्यस्वातच्यम्
२४३	१९	वाणप्रक्षेपस्यावसरनिषेधः	२८०	२२	स्यावरोपि क्वचित्स्वातच्य भवति
२४५	४	उदकदिव्यस्य प्रयोगक्रमः	२८१	३	धरित्री गमने पटनियमाः
२४६	२	विपनामकदिव्येविपभक्षणपरिच्छेदः (४०)	२८३	२	वैशेषिक स्वत्वव्यवस्था ज्ञानम्
२४६	६	विपभक्षणमन्त्रविधानम्	२८५	२	जीवति पितरि विभाग प्रकार परिच्छेदः (४४)
२४६	१६	विपस्य सप्तवेगानापरोक्षा	२८५	८	पितृकृत विभागः
२४७	२	विपदिव्येष्विवपूजनमप्यवश्यं कर्तव्यम्	२८५	२१	विपम विभागानां नियमाः
२४८	२१	विपन्तुसोदृग्न्देयम्	२८६	१५	विभागकाल नियमाः
२४८	२७	विपस्यदानकालः	२८७	७	वागदेश व्यवस्था रूपम्
२४८	३०	दिव्यकारिकुहूनादिभ्योरक्षणीयः	२८८	२७	पत्नीनापुत्रसमाश्रित्वम्
२४९	११	विपन्तुसुपरोक्ष्यरक्षणीयम्	२९१	६	अनोहमान समर्थ पुत्रस्य विभाग नियमः
२४९	२१	भक्षणानन्तरचिकित्साकार्या	२९१	१८	क्वचित्पितृ कृतोपि विभागो नियत्यः
२४९	३०	भक्षितुः शुद्धच्यशुद्धिज्ञानम्	२९२	३	अन्तकालिक शिवा विपयः
२५०	११	विपदिव्ये प्रयोगक्रमः			इतिजीवतिपितरि विभाग प्रकरण द्वादशम् ॥
२५०	१७	कोशनामकदिव्यस्यपरिच्छेदः (४१)	२९३	३	पितरिप्रेते पुत्रविभागोनाम परिच्छेदः (४५)
२५०	२१	कोशाख्यदिव्येदेवत्वानविधानम्	२९३	६	भ्रातृणा मृतेपितरि विभागः
२५१	२	कोशेदेवविशेषस्यत्वानोदकनियमः	२९३	२८	विभाग प्रकाराणांक्रमः
२५१	१३	कोशकरणकार्यविशेषेषु	२९४	१५	उद्धार विभाग नियमः
२५१	२१	कोशपानदानेवर्ज्यपुरुषाः	२९६	१७	उद्धारविभागः सप्रतिनानुष्टेयोभ्रातृभिः
२५२	४	कोशपानप्रकारः	२९७	१६	विपम विभागोपिनापितृकर्तव्यः
२५२	१२	कोशपानकर्तुः शुद्धिपरिज्ञानम्	२९८	२८	दायत्वे न्यायविशेषः



पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः
३०६	२५	पूर्वोक्तानियमानामनुवादः	४०१	१४	वानप्रस्थादीनां धनाधिकारिणः
३०३	४	दत्तकविधौफलादेशः	४०३	०	अपुत्र सृष्टीना धनग्रहणेऽधिकारिणः
३०३	१६	दत्तकविधौवीरमित्रोदयस्यनिर्मलव्याख्या	४०४	५	सृष्टिस्तु पित्रादिभिर्भवतिनचान्यैः
३०५	५	नदप्रडितोक्ति परिहारसभावना	४०४	२६	सोदरासोदरभ्रातृसंसर्गव्यवस्था
३६०	३	दत्तकौरससमवाये भागविशेषवाक्यानि	४०६	१५	सृष्ट धनस्य पुनर्विभागः
३६०	१५	क्रौतिकपुत्र व्यवस्थासन्नेपः	४०८	३	क्लोवाद्यानिरंशकाः
३६२	३०	दत्तकविषये उक्तद्वै विध्यस्यनैर्मल्यम्	४०८	१६	क्लोवादयो विभागोत्तरनिजदोषविनाशे भगिनः
३६५	१४	द्वित्रिमपुत्र व्यवस्थासन्नेपः	४०८	३०	क्लोवादीनामौरसादि पुत्रभागः
३६६	२४	द्वित्रिमपुत्रे मैथिल देशविशेषः	४०८	३०	क्लोवादि निरशकाना दुहितृपत्न्योश्चभरणम्
३६७	१०	शेषपुत्राणा सामान्यनिर्णयः	४०९	२०	मृतधनिनः प्रपौत्रसुतदायाधिकारपरिच्छेदः (५६)
३६८	२८	पुत्रप्रतिनिधीना न्यायविशेषः	४०४	२४	प्रपौत्रसुतदायाधिकारे फलादेशः
		इतिदत्तकादिपुत्राणांदायाधिकारप्रकरणंचतुर्दशम्	४०६	०	प्रपौत्रसुत दायाधिकारे विवेकः
४०१	१०	अपुत्रस्यविभक्तासंसृष्टिनोमृतस्यधनाधिकारपरिच्छेदः(५६)			इसपुत्रमृतपुरुषस्य धनेदायाधिकार प्रकरण पंचदशम् १५ ॥
४०१	२३	अपुत्रस्य धनेदायाधिकारक्रमः			स्त्रीधनसंज्ञक द्रव्य विवेके परिच्छेदः (६०)
४०२	५	पत्न्या सर्वधन ग्रहणेऽधिकारः	४६३	११	स्त्रीधनस्यस्वरूपनिरूपणम्
४०६	३१	दुहितृणामधिकारः	४६३	१४	स्त्रीणास्यावरोपि स्वधनेस्वातन्त्र्यम्
४१२	१५	दौहित्राणामधिकारः	४६०	४	स्त्रीधनत्वेकचिदपवाद विशेषः
४१५	२२	मातापित्रोरधिकारः	४६०	१६	उपधियोग दत्तदानादि निवर्तनम्
४१७	५	भ्रातृ णामधिकारः	४६०	२५	स्त्रीधनखादनेव्ययकरणेवाभक्त्रादीनामधिकाराभावः
४१६	३०	भ्रातृपुत्राणामधिकारः	४६६	१४	परहस्तास्यतधनेपिकिचित्स्त्रीधनत्वंकचित्
४२०	२४	भ्रातृ पौत्राणामधिकारः	४६६	२५	स्त्रीधनस्यतन्मृताया विभागपरिच्छेदः (६१)
४२२	२०	पितृदौहित्रभ्रातृ दौहित्रयोरधिकाराभावविवेकः	५०१	५	संततिवत्याःस्त्रीधनस्यविभागस्वरूपम्
४२०	२६	गोत्रज्ञेषु मिताक्षरादिग्रथानासदर्भः	५०१	२६	वांगदेशेसंततिवत्याःस्त्रीधनदायक्रमः
४२४	०	गोत्रज्ञेषुसापिण्डश्चोदाहरणम्	५०४	२०	अनपत्यस्त्रीधने सपत्नीदुहितृगधिकारः
४२५	४	गोत्रज्ञेषु सरलसपिण्डवक्रसपिण्डयोर्भेदः	५०५	६	अनपत्यस्त्रीधनेऽटविवाहभेदादाधिकारिणः
४२५	१०	गोत्रज्ञ शब्दानुसारेणमृतधनिनःपितामहादीनामधिकार	५०५	२६	वांगेऽनपत्यस्त्रीधनदायक्रमः विशेषः
४२५	२८	गोत्रज्ञ शब्दानुसारेण संदेहस्यसमाधानम्	५०६	३०	मृतकन्यायाधनस्यविभाग स्वरूपम्
४२६	२२	समानोदकानामधिकार विचारः	५१०	२४	स्त्रियाजोवत्यामपिधनग्रहणेभर्तुःकचिदाधिकारः
४२०	३०	वन्धूनामधिकार व्यवस्था	५११	२५	अधिवेदनिकधनलक्षणम्
४२८	१५	आचार्यादीनामधिकारविचारः	५१३	६	इति स्त्रीधन विभाग प्रकरण षोडशम् १६ ॥
४२६	२६	सगोत्रानामधिकार विचारः	५१५	२४	दायविभाग शेष व्यवहाराणा परिज्ञान परिच्छेदः(६२)
४३१	१२	सपिण्डत्वे वांगदेशीयाना व्यवस्था			पुत्रेभ्योविभक्त मपिधन पित्राकचिद्ग्रह्यः
४३३	१	पत्न्यादुक्ताधिकारिणा मनुवादत्वे परिच्छेद (५०)	५१०	१	एक मातृक भिन्न पितृक पुत्रयोर्विभागः
४३३	६	पत्न्या अधिकारस्यानुवादः	५१०	४	चिरा द्दृ श्यतरगपुनरागतस्य विभागप्राप्तिः
४५०	२८	पत्न्या अप्राप्तधनाया अपिधर्मः	५१६	५	स्वस्वजाति देशव्यवृत्त नियम प्राधान्यम्
४५१	०	दुहितृणामधिकारस्यानुवादः	५१६	१६	अविभक्तभ्रात्रादि प्रधान कृताधिकारभोगनैरपेक्ष्यम्
४६१	१	दौहित्राणामधिकारस्यानुवादः	५२२	११	विभक्तभ्रात्रादि कृत्यस्य विवेकः
४६२	२८	मातापित्रोरधिकारस्यानुवादः	५२४	४	विभक्ता विभक्त संदेहनिर्णयः
४६६	६	भ्रातृ णामधिकारस्यानुवादः	५२४	१८	इति दायविभाग शेष व्यवहार प्रकरणसप्तदशम्
४६७	२८	भ्रातृ पुत्रपौत्रयोरनुवादेचर्मात्रम्	५२०	१०	इति समस्त दायभाग मात्र प्रकरणम्
४६८	०	गोत्रजानामधिकारस्यानुवादः			
४७१	८	सर्वेषामधिकारिणा कचिदुनग्रहणस्यापवादेपरिच्छेदः(५८)			

मिताक्षरा स० का आशयपट्टांक सूचीपत्र ।

पृष्ठ पक्ति।

आशयाः

पृष्ठ पक्ति

आशयाः

पृष्ठ पक्ति।	आशयाः	पृष्ठ पक्ति	आशयाः
५३१	४ संनानिर्णयवचनप्रदर्शन परिच्छेदः (६३)	१६६	२१ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६६)
५३२	० संनानिध्यादानार्णय प्रारंभः	१६६	२६ अस्वामिचिन्तयलक्षणम्
५३३	१२ चतुर्थधर्मो मा न्नपानि	१६०	१ अस्वामिधनस्यक्रेतापिचोरितुल्यः
५३४	२० भूवादस्य पद्धतयः	१६०	१६ नाटिकः क्रेतारप्राप्यकिमुयात्
५३५	१० सीमायाः पञ्चविध चिह्नानि	५००	२६ नाटिक स्वाम्यभियुक्तं क्रेत्रायत्कर्तव्यम्
५३६	१० सामनादि समूह लक्षणम्	५०१	११ मूलपुत्पा नयनेक्रेत्रे जालोदेयः
५३७	२० सं. मां रक्षनाभायेनदिन्ये शानिर्णयकरव परिच्छेदः (६४)	५०१	२३ असमाहरियनिक्रेतुक्रेताक्रयशोधयेत्
५३८	१ मिमांसादिभि र्निर्णयोपायः	५०२	१० नाटिकः स्वप्राप्त्यर्थं किमुयात्
५३९	१६ सीमायाः सास्यादि निवहनः	५०२	२८ अस्थामि चिन्तय व्यपस्याया क्रमः
५४०	२१ मष्टयोमाज्ञानोपायः	५०२	३ राज पुत्रप्राप्तनष्टापहृत द्रव्यनिधेपेराज्ञोरक्षणभागविशेषः
५४१	१० मिमांसादिभि र्णयप्रश्नाः	५०३	१० अस्वामि चिन्तय व्यपस्याया क्रमः
५४२	१४ दृष्टया त्यादीना ण्यप्रकारः	५०३	२८ अस्थामि चिन्तय व्यपस्याया क्रमः
५४३	० सामाक्षा ण्णयप्रश्नाः	५०४	३ राज पुत्रप्राप्तनष्टापहृत द्रव्यनिधेपेराज्ञोरक्षणभागविशेषः
५४४	१० धर्माभावे शानिर्णयपरिच्छेदः (६५)	५०४	१४ द्रव्यनिधेपेराज्ञोरक्षणभागविशेषः
५४५	१० नञादि र्णयप्रश्नाः	५०५	१६ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६७)
५४६	२३ राज इतनुनाधिपकारः	५०५	२२ इति अस्वामिचिन्तयपूकरणम् २०
५४७	१५ राज इतनुने शानिर्णयपरिच्छेदः	५०५	२१ दानविवादे देयादेयादि लक्षण भेद परिच्छेदः (६०)
५४८	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६६)	५०६	५ दत्ता प्रदानिक वादस्वरूपम्
५४९	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६७)	५०६	५ दानमार्गचतुर्विधो भवति
५५०	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६८)	५०६	१६ दानकृत्तुवा विरोधेन कर्तव्यम्
५५१	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (६९)	५०६	१६ अत्रप्रयेसति सर्वस्य दानन सिद्धयति
५५२	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७०)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५५३	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७१)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५५४	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७२)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५५५	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७३)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५५६	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७४)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५५७	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७५)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५५८	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७६)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५५९	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७७)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५६०	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७८)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५६१	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (७९)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५६२	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (८०)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५६३	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (८१)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५६४	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (८२)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्
५६५	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (८३)	५०७	३ नुत्तुभरण योग्याधिक द्रव्यदानाधिकारः
५६६	१५ अस्वामिचिन्तयविवादेपरिच्छेदः (८४)	५०७	७ अद्वैत द्रव्याणामष्ट विधत्वम्

## मिताक्षरा स० का आशयपृष्ठांक सूचीपत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयाः
६०२	२७	सेवकः पचविधो भवति तेषामध्ये	६२५	१६	समुहिभिः परस्परद्वे पेनवित्तयकरणेदडः
६०२	२८	कर्मकरसेवकप्रचतुर्विधः	६२६	६	मर्मोद्घाटकादीनादडः
६०३	३	पचमसेवकोदासः पचदशविधः	६२६	११	दुर्गादिनिवास्यध्यक्षानानिस्तृष्टार्थत्वकर्तव्यम्
६०३	४	चतुःकर्म करणालक्षणानि	६२७	१	अध्यक्षानामधिकारप्रसंगः
६०४	३०	शुश्रूषाकर्मणाद्वै विध्यशुभाशुभरूपम्	६२७	६	गणद्रव्यविनाशकादीनाविसर्जनम्
६०५	१५	मोच्यामोच्य दासानानियमाः	६२७	१२	पृथग्गणानाभेदकारयितुर्दडः
६०६	२	पचदशदासानालक्षणानि	६२७	२६	ग्रामजातिसमूहेष्वपि सविद्व्यतिक्रमेदण्डः
६०७	१४	ब्राह्मणस्यदासत्वनास्ति	६२६	१	समूहानां सत्कारादिप्रकारनियमाः
६०७	१५	दासत्वन्न वर्णानामानुलोभ्येनैव	६२६	१२	अध्यक्षैर्मासिकादिप्राग्धनविभक्तव्यम्
६०७	२५	सन्यासभ्रष्टस्यदासत्व नियमविशेषः	६३०	४	राजप्रसादाद्यपियथाशतोविभक्तव्यम्
६१०	५	समवर्णस्यापिदासत्वसंभवति	६३१	५	गणेषु प्रविष्टानि रस्तयोः प्रसादाद्यधिकारविवेकः
६१०	८	ब्राह्मणस्यसमवर्णपिदासत्वनियमाः	६३१	२१	राजकार्यचित्तकानालक्षणानि
६१०	१६	दासस्यस्वामिनः कर्तव्यतानियमाः	६३१	२३	श्रेण्यादिषु उक्तविधेरतिदेशः
६१०	३१	ब्राह्मणप्रतिबलाद्दासत्व कारयितुर्दण्डः	६३२	४	राजापि स्वदत्तवचनपरिपालयेत्
६११	७	शूद्रस्यदासत्वपक्षेनियमः	६३२	२८	कार्यचित्तकेषु हेयोपादेयत्व राजैव
६११	८	दासाभासमोक्षेराज्ञोऽधिकारः	६३३	१२	पाखण्डादिसमूहेपुराज्ञाकथवर्तितव्यम्
६११	१५	परदासस्यापिदासकरणनिषेधः	६३५	३	सवित्तसुविशवासाद्यैलेख्यकोशपानादीनाविधानम्
६११	२२	मुख्यदासानामपिदासत्वनिवृत्तिहेतुः			<b>इतिसविद्व्यतिक्रमाख्यप्रकरणम् २४ ॥</b>
६१५	२४	गृहजातदासानाप्रसंगः	६३५	२८	वेतनादानविवादेपरिच्छेदः ( ७४ )
६१७	३	मृतदासधनेतस्वामिनोऽधिकारः	६३६	१	वेतनादानविवादस्वरूपम्
६१७	६	दास्या अपिदासत्व विमोक्षहेतुः	६३६	६	वेतनदानेस्वामिनियमः
६१७	१२	दासदास्योर्दासत्वविमोक्षविधिः	६३६	१५	गृहीतागृहीतवेतनेन कर्मत्यागेद्विगुणसमवापरावर्त्यम्
६१७	२४	दासीविशेषायाविक्रतुर्दडः	६३६	३१	कच्चिद्वलादपिकर्मकारयितव्यः
६१७	३०	कुलवत्याविक्रयणेदासीकरणेचर्दडः	६३७	२०	रीगाद्यार्तवैतनिकस्यकर्मकरणेनियमः
६१८	८	वालधात्रयादिभोगेदडः	६३८	३	स्वीकृतावाध्रकर्माकरणेदण्डादिनियमाः
६१८	१२	अन्तेवासिनामशिव्यादिकर्मकरधर्माः	६३८	१२	स्वामिदोषेष्वेवकर्माकरणेविशेषः
६१८	२३	अन्तेवासिप्रसंगेशिल्पकर्मलक्षणानि	६३८	२२	अनिश्चितभूतिकारिणोभूतिनियमाः
६१९	२	अन्तेवासिनवर्तनकालनियमः	६४०	१	अनाज्ञप्तस्वच्छन्दकारिणाभूतिनियमाः
६१९	२५	अन्तेवासिनः कृतकालमध्येपिनिवर्तनम्	६४०	१६	अनेकभृत्यकार्यभूतिनियमाः
६१९	३०	शिव्यादिताडनप्रकारनियमः	६४१	२०	भारवाहादीनाकृतहानिदानभाटकनियमाः
		<b>इतिसवाधर्मविवादप्रकरणम् २३ ॥</b>	६४४	१३	गृहपात्रयानादिगृहीत्वानवर्तनेपिभाटकदेयम्
६२०	१०	सविद्व्यतिक्रमाख्यविवादपरिच्छेदः ( ७३ )	६४४	२५	परभूमिवासभाटकनियमाः
६२०	१३	सविद्व्यतिक्रमस्यस्वरूपम्	६४५	१३	वेण्यादिक्रभाटकनियमाः
६२०	२५	सविद्विपयेराज्ञः प्रवन्धः	६४५	२३	अधिकर्मकृतभूतकयोः कर्मवेतनयोर्नियमाः
६२०	३१	सवित्कर्मणिनियोज्यपुरुषाणालक्षणम्	६४६	२४	सर्वभूतज्ञानामुत्तमतादिव्यवस्था
६२१	२१	सवित्कर्मसुनियुक्तैर्यत्कर्तव्यम्	६४७	११	भूतज्ञानाशक्तिभक्त्यानुकूल्येनापित्रैविध्यम्
६२२	१	सवित्कृतराजनियुक्तसमुदायकर्माणि	६४७	२६	अधिकर्मकृत स्वस्थाधिकारयोर्विशेषः
६२२	६	ग्राम श्रेण्यादिसामान्यसमुदायानाकर्माणि			<b>इतिवेतनादानप्रकरणम् २५ ॥</b>
६२३	१४	सवित्समयातिक्रमादौदण्डः	६४८	२०	द्यूतसमाह्वयव्याख्याविवादेपरिच्छेदः ( ७५ )
६२३	२७	समयक्रियापत्रेस्वीकृतकर्माणानियमः	६४९	१	द्यूतसमाह्वयस्वरूपम्
६२४	२८	समयपत्रेधर्म्याक्रिया उदाहरणत्वेहि	६४८	१३	द्यूतसमाह्वयकारिणो वृत्तिज्ञानम्
६२५	६	विचारकालेयुक्तायुक्तत्रुत्वेनियमदण्डौ	६५०	१४	प्रसिद्धुर्त मडलनियमाः





पृष्ठ	पंक्ति	आशयः	पृष्ठ	पंक्ति	आशयः
०१८	०५	विक्रीतस्य पुनर्विक्रयणच	०६२	१०	परदासाश्वरथादिहर्ताचौरः
०१९	१८	अप्रयच्छतीविक्रेतुर्हानिः	०६३	६	साधिभिच्चौरस्यशूलेनिवेशनम्
०२०	१८	अहेतुकपुनर्विक्रयणे दण्डः	०६३	१५	ग्रन्थिभेदकादिचौराणामगुलिच्छेदः
०२१	१५	अदत्तमूल्यपण्यस्य व्यवहार व्यवस्था	०६३	२०	चौर्यदोषज्ञचौराणां व्यवस्था
०२२	१	सत्यकारद्रव्यस्य व्यवहारः (वयाना सार्द्ध)	०६४	९	द्रव्यपरिमणादिभेदेनापिदण्डभेदाः
०२३	३	अनुशयोपि वणिग्भिर्नैवकर्तव्यः	०६४	२०	द्रव्याविशेषेणापिदण्डभेदाः
		<b>इति विक्रीयासंप्रदानविवादप्रकरणम् ३० ॥</b>	०६४	२९	कुलीनस्त्रीपुरुषहरणरत्नहरणेचवधः
०२४	९	सभूय समुत्थानकर्माणं विवादपरिच्छेदः (८१)	०६४	३१	सामान्यस्त्रीपुरुषपर्यकन्यायाश्चहरणेदण्डभेदाः
०२४	२१	सभूयसमुत्थानस्य स्वरूपम्	०६५	४	कन्याहरणेवधदण्डः
०२६	१०	अनेकसमुदायिवणिगादीनां लाभालाभनियमाः	०६५	९	उत्तमपुरुषस्त्रीहरणेदण्डविशेषः
०२८	२२	सभूय समुदायिनां परस्पर कर्तव्यता	०६५	१३	महापश्वादिहरणेदण्डभेदाः
०३०	१	विनाशितद्रव्यदाने समुदायिनां नियमाः	०६५	३०	क्षुद्रद्रव्याणां स्वल्पहरणेदण्डभेदाः
०३०	३०	राजकरदानादि प्रासंगिक नियमाः	०६०	१	स्यावरकल्पोपरचितद्रव्याणां चौर्यदण्डः
०३२	५	राजकराणां नाम लक्षणानि	०६०	१४	गृहाभ्यन्तरादग्निचोरयतोपिदण्डः
०३४	२०	जलमार्गे राजशुल्क नियमाः	०६०	३०	पुष्पहरितधान्याद्यपहारदण्डः
०३०	३१	राज कारापेक्षायामपवादाः	०६८	०	खलिहानादौपरिपूतधान्याद्यपहारदण्डः
०४०	१५	जलमार्गे कृतहानिरपिनाविक्रदाशैर्देया	०६८	१५	चौर्यैःपिक्वचिदपवादः
०४०	२४	परदेशमृत व्यापारिधन प्रसंगः	०६८	२०	पथिकादीनां चेतनात्स्वल्पापहारेणदण्डः
०४३	८	कस्यचित्समुदायिनो लाभहानिः	०६९	३	पथिकलुठकादिचौराणादण्डभेदाः
०४४	१	समुदायि ऋत्विगादिष्वपि विधेरतिदेशः	०६९	२१	वणिगादिप्रकाशचौरविशेषाणादण्डाः
०४४	०	ऋत्विगादीनां समुत्थाने लाभांशविधिः	०७१	९	चौरोपकारकारिणादडाः
०४६	२९	कृषिकर्म समुत्थानस्य विधानम्	०७१	२२	चौरस्यचौर्यधनस्यवालोपकादीनादंडाः
०४०	२०	शिल्पिनां समुत्थानप्रसंगः	०७२	६	चौरस्योपेक्षाकारिणश्चदंडाः
०४८	२२	नर्तकादीनां समुत्थानविशेषः	०७२	२४	चौर्येणसहस्राहसकर्मप्रवृत्तानादडाः
०४८	२८	चौराणां समुत्थान प्रसंगः	०७२	२५	मनुष्यमारणादौचौरस्यदंडविशेषः
		<b>इति सभूय समुत्थान प्रकरणम् ३१ ॥</b>	०७४	२२	स्त्रीणामपिसाहसविशेषकर्तृत्वदंडः
०५०	१२	चौर्यविवादेस्तेयनामकरिच्छेदः (८२)	०७५	१	पतिल्यादिस्त्रीणां वृषभैः प्रमापणम्
०५०	१६	चौर्य लक्षणम्	०७५	२०	अविज्ञातकर्तृकहननेहृतज्ञानोपायः
०५१	८	द्विविधचौराणां ज्ञानोपायः	०७०	३	ग्रामादिदाहकानादंडविशेषः
०५२	१४	चौर्यविषये लोपत्रपरीक्षणम् (खोज)			<b>इतिचौरविवादप्रकरणम् ३२ ॥</b>
०५३	०	चौरितद्रव्याणां स्वरूप भेदाः	०७०	१८	परस्त्रीसंग्रहणाख्यविवादेपरिच्छेदः (८३)
०५३	२६	चौराणां विशेषभेदाः	०७०	२४	परस्त्री संग्रहणस्य त्रैविध्यम्
०५६	१	चौर्यकाया गृहीतैर्निजात्माशोध्यः	०७८	१०	अनुरागज स्त्रीसंग्रहण च त्रिविधम्
०५६	३	चौराणां दण्डविधानम्	०७९	२५	परस्त्रीसंग्रहणकर्तृ ज्ञानोपायः
०५०	२४	ब्राह्मणादि चौराणामकनव्यवस्था	०८०	१३	परपत्यासहाभिभाषण दण्डः
०५८	१६	महापातकानां लक्षणानि	०८१	२९	निवारितस्त्री पुंसयोः संग्रहणेदण्डः
०५९	१५	चौरादर्शनेऽपहृतद्रव्यप्राप्त्युपायः	०८२	२३	भित्तुकादयोऽप्रतिवारिताः सहवदेभ्यः
०५९	१०	ग्रामपतिनाचौर धनयोरर्पणकार्यम्	०८४	३	संग्रहणे वर्षभेद दण्डाः
०६०	१४	सामतमार्गपालादिभिश्चधनचौरयोर्देयता	०८५	२४	आर्यस्त्रीगमने लिगोद्धारः
०६१	४	वदिष्टाहादिचौरभेदाद्विन्दणदण्डाः	०८६	२५	गुरुतल्पगदण्ड विशेषः
०६१	२५	दण्डनल्पनायाउपायः	०८७	२०	कन्याहरणेद्रुषणे वा दण्डविशेषः
०६२	४	राजकोटदेवस्थानादिभेदकानां वधः	०८०	२०	कन्याहरण व्यवस्थाया दुराग्रहनिवृत्तिः
०६२	११	हास्येनापिपरपयुग्मांचयेद्रव्येद्रासोपि चौरः	०८१	२४	सत्यासत्यदोषैःस्त्रीद्रुषणे दण्डः





## मिताक्षरा सटीक ॥

### व्यवहाराध्याय ॥

#### द्वितीय काण्ड ॥

धनादिव्यवहर्तृणां व्यवहारांगदर्शनम् । भेषजं परमं प्रोक्तं द्वन्द्वजामयनाशनम् १ ॥  
 राज्ञां च विदुषां चैव ते पांसुसर्गिणामपि । जीवनभूषणसम्यक्प्रतिष्ठानकरम्परम् २ ॥  
 अतः सर्वेषु भूतेषु स्वायुःक्षेमविधायकम् । व्यवहारसमालोच्य भाषया चानुवाच्यते ३ ॥

( तदेवेति शेषं योज्यम् )

अर्थः०—धनजन पशु आदि सर्व पदार्थों के व्यवहर्ता लोगोंको व्यवहारांग शास्त्र का देखना विचारना पढ़ना समुझना यह काम उनके द्वन्द्वजनाम कलहसे उत्पन्न हुये आमयउपद्रवों का नाश करनेवाला परमभेषज उपाय विशेषकर कहा है जैसे वातपित्त आदि विकारोंके द्वन्द्वकहिये मिलापसे उत्पन्न हुये नानारोगोंको नाश करनेवाला भेषज परमरसरूप औषध प्रसिद्ध होता है १ इनके सिवाय राजाओंको और ज्ञानवान् विद्वानोंको पुनि उन्हीं राजाओं वा विद्वानोंके संसर्गिजनोंको भी सम्यक् आयुका दृढ़ करनेवाला जीवनरूप तथा भूषणरूप और अधिक स्थितिका करनेवाला उत्कृष्टपद विख्यात है २ इस हेतुसे व्यवहारांग शास्त्रको सभी प्राणी मात्रमें धन आयुनाम जीवन वृद्धि और क्षेम नाम कल्याण अर्थात् शरीर और हस्तगत लब्धस्वपदार्थकी रक्षाका विस्तार करनेवाला भली विधिसे विचारिकै पुनि वही व्यवहारभाषासे अनुवादरूप उल्था करते हैं कि सबके काम आवै ॥

तत्रादौ न्यायसभानिरूपणम् ॥

व्यवहारान्नृपः पश्येद्विद्वद्भिर्ब्राह्मणैस्सह । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः १ ॥

अक्ष०—नृपति क्रोध से बचाहुआ विद्वान् ब्राह्मणों के साथ धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहारों को देखै १ ॥

अभि०—जो कि आचाराध्याय संबंधी राजधर्म प्रकरणमें

राजाको प्रजापालन करना परम धर्मकहाहै वहदुष्ट निग्रहविना किंतु दुष्टोंको ताड़न शासन आदि दंडदेनेविना नहीं होसक्ता और दुष्टोंका यथार्थ परिज्ञानभी व्यवहारके देखे विना नहीं होसक्ता इसलिये नित्यंप्रति इस व्यवहाराध्याय रूपधर्मशास्त्रके पाठ को विद्वानोंसाथ विचारै-इसमें विद्वानोंका बहुवचन इसहेतुसे कहा कि व्यवहार संबंधी पदोंके निर्णयमें एकहीकी बुद्धिसे यथार्थनिश्चय दुर्लभहोता किन्तु कईकेहोनेमें किसी की दृष्टिकिसीविशेष लक्ष्यपर किसीकी द्वितीयपर जासक्ती इससेअच्छा निर्णयहोजाता है परन्तु प्रधानता इस विचारमें राजाकीहीरही किन्तु विद्वान्ब्राह्मण उसके साथ में कहे-और क्रोधलोभों से बुद्धिचंचल होकर विकृतहोजाती फिर यथार्थन्यायपर जमती नहीं इससेइन्हें वचातारहे १ ॥

अधि०-व्यवहार किसको कहते और कितनेप्रकारका होता और किसरीतिसे निर्णय कियाजाता है इसीवातके समुझनेको यह द्वितीयखंड व्यवहाराध्याय आरंभ करतेहैं-जोवात या जावस्तु अन्यकेविरोध और अपने संबंधसे कहिकर किसीराज-सभामें निवेदन करीजाय उसके निर्णयको अंत्यक्रिया पर्यंत ( व्यवहार ) कहते परन्तु मूलवाक्य में व्यवहारोंको देखे यह बहुवचन कहा तिसकी संभवता यद्यपि अनेक व्यवहारों परघटतीहै तथापि शास्त्रवक्ताने एकही व्यवहारके अनेकलक्षण दर्शानेके लियेयह बहुवचन कियाहै ( दृष्टान्त ) यथा-क्षेत्रआदि कोईधन जिसकोकोई अपना वतलाता और दूसराकहताहै कि इसकानहीं मेराहै और प्रमाण अपना २ दोनोंप्र-फटकरते हैं इसदशामें तीसराकोई अन्यहेतु खड़ाकरके उसीवस्तुसे दोनोंको कच्चा करताहै अथवाही मालूम कि यथार्थमें क्यावातहै इत्यादि एकहीमें अनेकभेद निर्णय कर्तव्यहै यह शास्त्रवक्ता का सिद्धांतहै-भूतवाक्यमें ( धर्मशास्त्रानुसारेण ) अर्थात् धर्मशास्त्रके अनुसार व्यवहारोंको देखे यहकहाथा तिसकायह सिद्धांतनहींहै कि धर्म शास्त्रमें जो लिखाहो सोईकरै और कुछनहीं किन्तु लिखेहुयेसे न्यूनाधिक वर्त्तावाभी करै वहसिद्धांतहै परन्तु न्यूनाधिकमेंभी उसकेअनुसार कहिये अनुरूपकरै अर्थात् प्रातिकूल उसकेनकरै ( भला ) वे कौनसीदिशाहैं कि जिनमेंशास्त्रसे न्यूनाधिक वर्त्तावाहो पर उत्तम प्रातिकूल नहींहोनेपावे ( ऐनी ) वे दशाहैं कि जिनमेंलिखेहुयेसे भिन्नव्यवहारोंकी आरम्भतनाहो सो बहुधाऐसी दशांशममयके अतिक्रमसे होजातीहैं किन्तु लिखीहुई मर्यादनी मनी मयदिन एकसीनहींरहनी और जब ममयकेआधीन उनमेंकुछ पल-त्रयाहोजाता अथवा उनमेंअधिक आपरतीहैं तब उनप्रवर्तितसमयकी नवीनमर्यादों को मानयित्तम कहतेहैं और उनकांनी मानधिकधर्म कहतेहैं कि जो अनेकशिष्टोंकी संमतिसे आरंभित करीजाता है क्योंकि संनतिकोनी समयकहते हैं इसलिये जो समयमें उत्पन्नहुये वे मानयित्त कहलाये परन्तु अभी जो कालरूपसमयसे उत्पन्नहुये

सामयिक बतलायेथे तिनका और इनकाभी लक्षणदोनोंका एकहै कुछअंतर नहीं क्योंकि जो कालरूपीसमयसे पलटावाहोता अथवा वृद्धिहोतीहै वहभी बिनासज्जन संमतिके नहींहोता-अब इसविषयके प्रमाणमध्ये जो स्मृतिप्रमाण है सो लिखते हैं क्योंकि धर्मभी कईभाँतिके होतेहैं और थोड़ाबहुत पालनसभीका यथायोग्य उचित होताहै-तथाच(निजधर्माविरोधेनयस्तुसामयिकोभवेत् । सोपियत्नेनसंरक्ष्यो धर्मोराजकृ तश्चयः)अर्थात्-अपने जातीधर्मके अविरोध पूर्वयत्नसे वहधर्मभी पालनीयहै कि जो शास्त्रकेसिवाय सामयिकधर्म कोईसा प्रवर्तितहो और वहभी कि जो राजाका नियत किया धर्महो अर्थात् समयकेराजाने प्रजाके परमकल्याणके हेतुसे कोई अधिकरीति नियतकरीहो १ ॥

श्रुताध्ययनसंपन्नाधर्मज्ञाःसत्यवादिनः । राज्ञासभासदःकार्यारिपौमित्रेचयेसमाः २ ॥

अक्ष०-राजाको सभासद ऐसेनियत करनेचाहिये जो शत्रु और मित्रमेंभी समान बुद्धिहों श्रुताध्ययन लक्षणसे सम्पन्नहों धर्मशास्त्रज्ञहों सत्यवचन शीलहों २ ॥

अभि०-राजाको ऐसे करनेचाहिये अर्थात् जिसकिसी सभासदमें जब कदाचित् किसी लक्षणकी न्यूनता देखै तब दानमानसत्कार आदि या जिस किसी प्रकारसे उचितजानै उसके गुणोंकी समृद्धि करतारहै किंतु यही नियम नहींहै कि उक्त लक्षण वाले सभासद नियतहोचुके फिर उनकी चौकसाई से कुछ कामनहीं क्योंकि बहुधा मनुष्योंकी प्रकृति सर्वकाल एकसी नहींरहती इसलिये राजाको सदाही इस उपायमें समुद्यत रहना चाहिये २ ॥

अधि०-कात्यायनजी के वाक्यसे सभासदों में द्विजोत्तमकी मुख्यता पाई जातीहै- यथा ( सतुसभ्यैःस्थिरैर्युक्तःप्राज्ञैर्मौलैर्द्विजोत्तमैः । धर्मशास्त्रार्थकुशलैरर्थशास्त्रविशार दैः ) अर्थात्-वह राजा ऐसे सभ्यजनोंसे युक्त परितृप्त होकर विचारकरै जो स्थिरहों किंतु अभी कुछ कहा और पीछे बात बदलगये ऐसेनहों-प्राज्ञहों किंतु थोथरी बुद्धि- वाले नहों-मौलहों जिनके लक्षण बहुधा आचाराध्यायमें बर्णन होचुकेहैं ( द्विजोत्तम ) हों किंतु ( द्विजोत्तमसंज्ञा ) यद्यपि मुख्यतासे ब्राह्मणोंकी होतीहै क्योंकि द्विजातियों में उत्तमहों सो द्विजोत्तम तथापि द्विजोत्तम वेभीहोते हैं जो त्रैवर्णिक अपने २ वर्णमें विद्यादिगुण सम्पन्न कुलाचारसे उत्तमहों देशकालकी अपेक्षा सभासद होनेके अधि- कारीहोते हैं परन्तु शूद्रका अधिकार इसमें नहीं-धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रसे भी नि- पुणहों क्योंकि जो केवल धर्म शास्त्रज्ञहोंगे उनसे अर्थकी हानिहोगी जो केवल अर्थ शास्त्र जानेंगे उनसे धर्मकी हानिहोगी और धर्मअर्थ दोनोंका परस्पर सम्बन्ध मिला होताहै इसलिये जो दोनों विधिमें कुशलहों वे सभासद कियेजायँ-वहस्पतिने इनकी संख्याका भी नियम कियाहै-यथा(लोकवेदज्ञधर्मज्ञाःसप्तपञ्चत्रयोपिवा । यत्रोपविष्टावि

प्राःस्युःसायज्ञसदृशीसभा ) अर्थात्-लोकाचार वेद धर्मशास्त्र इनके जाननेवाले सात या पांच अथवा तीन जहां जिस सभामें इसप्रकारके इतने विप्र बैठें वही सभा यज्ञ सभाके समानहोतीहै-यद्यपि इसमें विप्रोंका अधिकार कहा और ( यस्मिन्देशेनिषी दन्ति विप्रावेदविदस्त्रयः ) इस वाक्यसे मनुजीनेभी विप्रोंका अधिकार प्रकट कियाहै परन्तु यह नियमकेवल पारलौकिकादि धर्मोंके निर्णयमध्ये समंजसहै और जहांराज-धर्मसम्बन्धी व्यवहारोंके सभासदकहे तहाँ त्रैवर्णिकमात्रसे अपेक्षाहै उनमें यहविप्र संख्या अन्यसभासदोंसे अधिक अर्थात् अन्यसाधारणोंके होनेपरभी सभामें इतने इसप्रकारके विप्रोंकाहोना अवश्यभावसे संभवितहै पर यह सिद्धांतनहीं है कि केवल इतनेविप्रहों और कोईनहो-जिनब्राह्मणोंका चर्चा पहलेश्लोकमें आयाथा वे अनियुक्तब्राह्मण राजाकोविचार समय अपनेसाथ लेनेकहेथे और जिनकाचर्चा इसदूसरे श्लोकमें कियागया वे अपने अधिकारपदोंपर नियुक्तहुये सभासद वर्णन किये हैं सोई इसकाभेद कात्यायनजीके अत्रोक्तवाक्यसे स्पष्टहुआजाता है-यथा (सप्राड्विवा कःसामात्यःसब्राह्मणपुरोहितःससभ्यःप्रेक्षकोराजास्वर्गेतिष्ठतिधर्मतः)अर्थात्-कात्यायनत्रयपि ने साधारणभावसे राजसभाओं का यह डौलवर्णन किया है कि जो राजा अपने प्राड्विवाक सहित अमात्यांसहित ब्राह्मणोंसहित पुरोहितसाथ सभ्यजनोंसाथ अपने प्राड्विवाक सहित अमात्यांसहित ब्राह्मणोंसहित पुरोहितसाथ सभ्यजनोंसाथ धर्मसे व्यवहारोंकी प्रेक्षाकरनेवाला होताहै वह जानोंस्वर्गमें बैठाहुआ न्यायकरता है किंतु इनसर्भीको इकट्ठाकरके सबकेसन्मुख धर्मका निर्णयकरै परोक्षमेंनहीं-इसमें यह संदेशपरहा कि जो ब्राह्मण अनियुक्त कहेगये उनको राजसभासे क्या अपेक्षा और अधिकारहै तहाँ यह स्मृतिप्रमाणहै कि चाहे नियुक्तहो या अनियुक्तहोवे परन्तु जो धर्मज्ञहों वहसभी ऐसेस्थलपर कहनेके अधिकारी होतेहैं-तथाच (नियुक्तोवाऽनियुक्तो वाधमेज्ञोवक्तुमर्हति) तहाँइसवार्ताकी यहमर्यादाहै कि जब नियुक्तोंके यथावत् कहते हुयेभी राजाकुछ अन्यथाकरताहो जिससे अनर्थ वा अन्यायकी संभावना प्रत्यक्षदेख परतोहो या आगे पीछे सूचितहो तब ऐसीदशामें अनियुक्तोंकोभी राजाके निवारण करनेकी धर्मकेअनुसार कहनेकाअधिकारहै अन्यथावेभी दोषी होतेहैं-तथाच कात्यायनः (अन्यापेनापितयांतयेनुयानिसभानदःनेपितद्वागिनस्तस्माद्बोधनीयःसतैर्नृपः) अर्थात्-अन्यापने भी उस राजाके चलतेहुये जो २ सभासद उसकी अनुमतिमें दंड-ताहरतेहैं वे भी उस अधर्मके नागीहोने निमकारण से वह राजा उन सभासदों वा अनियुक्तोंकरके सममान्य बोध्यहै-सभासदोंके सिवाय अनियुक्तोंको भी दोष उसी अधर्मकेअनुसार कहनेके अधिकारहै और फिर भी राजा अन्यथाकरे तो उनको दोषनहीं-इसविषये मनुने यह कहाहै कि वा तो मनुने जावे नहीं पर जो जावे तो जो ठीकहो

सोईकहे क्योंकि गये पीछे जानिकर न कहनेसे भी पुरुष दोषीहोताहै और विशेष बनावटकर विरुद्धकहनेसे भी दोषीहोताहै-इसी दूसरे मूल श्लोक चौथे चरणमें (रिपौ मित्रेच) इसमें जो (च) शब्दआया इसके हेतु गर्भित आशयसे लोक रंजनके अर्थ कुछेक वणिग्जनोंसे भी सभाको अधिष्ठितकरना चाहिये-यही कात्यायनजीने कहाहै-यथा(कुलशीलवयोवृत्तचित्तवद्विरमत्सरैः। वणिग्भिःस्यात्कतिपयैःकुलभूतैरधिष्ठितम्) अर्थात्-अच्छेकुलोंमें उत्पन्नहुये कुछेक वणिकजाती लोगों से सभा अधिष्ठित कर्तव्य है परंतु उन लोगोंमें यह लक्षण भी अवश्यहोनेचाहिये किंतु अपने कुलके अनुरूप जिनका शील स्वभावहो अवस्थासे पूरेहों वृत्त चरित्र आचरणों से भी शुद्धहों धनवान्हों मत्सरता चुगुली चाई आदि कुलक्षणोंसे भी रहितहों २ ॥

अथानुकल्पः ॥

अपश्यताकार्यवशाद्व्यवहारान्नृपेणतु । सभ्यैस्सहनियोक्तव्योब्राह्मणःसर्वधर्मवित् ३ ॥

अक्ष०-कार्यवशाहोने से व्यवहारोंको न देखतेहुये राजाकरके सर्वधर्मोंका विज्ञाता ब्राह्मण एक सभ्यों सहित नियुक्त कर्तव्यहै ३ ॥

अभि०-यह अनुकल्प उसका कहतेहैं कि जो पहले दो श्लोकोंसे राजाको व्यवहार देखने कहेगये-क्योंकि-जब राजा कामोंकी बहुतायतसे अन्यकार्योंमें व्यग्रहोकर व्यवहारोंको न देखसक्ताहो तब उस राजाको यह कर्तव्यहोताहै कि अपने पूर्वोक्त सभासदों करके सहित एक सर्वधर्मोंका जाननेवाला ब्राह्मण राजसभा में नियुक्तकरै और उसके द्वारा व्यवहारोंका भुगतानकरावै ॥

अधि०-(सर्व धर्मवित्) यह विशेषण कहनेसे यह सिद्धांतहै कि केवल शास्त्रमात्रके अभ्यासवाला न हो अर्थात् धर्मशास्त्रोक्त धर्मोंके सिवाय सामयिक धर्मोंका भी विचार वा निरूपणकरनेमें समर्थहो-तिसमें भी कात्यायनजीके कहेहुये गुण अधिकहोने चाहिये-यथा(दांतंकुलीनिमध्यस्थमनुद्वेगकरंस्थिरम् । परत्रभीरुंधर्मिष्ठमुद्युक्तक्रोधवर्जितम्) अर्थात् (दांत) जोजितेन्द्रियहो कुलसंपन्नहो (मध्यस्थ) जोउदासीन मध्यम प्रकृतिवाला किंतु किसीसे विरोध या अधिकतर प्रीति भी न रखताहो अनुद्वेगकर जो अपने चित्तको या औरोंके चित्तको उद्वेग पैदा न करताहो (स्थिर) जो अपने मुहँसे कहे वाक्यपर सदैव एकसा स्थिर सावधान अंगीकृत बनारहताहो(परत्रभीरु) जो परलोकसे डरताहो धर्मिष्ठहो (उद्युक्त) जो अपने अधिकारमें निरंतरलगा रहकर उपाय करताहो इन बातोंके होनेपर भी क्रोधी न हो तिसको राजा उस व्यवहार दर्शनमें नियुक्तकरै-और यही अनुकल्प राजा अपने बड़े २ मुहालोंमें या देशोंमें भी जहाँ उचितहोता तहाँ करताहै क्योंकि राजा अपने आप केवल राजधानीमें व्यवहार देखसक्ताहै-ऐसे ब्राह्मणके न मिलने या किसी प्रकारकी असंभवतामें उक्त गुण

प्राःस्युःसायज्ञसदृशीसभा ) अर्थात्-लोकाचार वेद धर्मशास्त्र इनके जाननेवाले सात या पांच अथवा तीन जहां जिस सभामें इसप्रकारके इतने विप्र बैठें वही सभा यज्ञ सभाके समानहोतीहै-यद्यपि इसमें विप्रोंका अधिकार कहा और ( यस्मिन्देशेनिषी दन्ति विप्रावेदविदस्त्रयः ) इस वाक्यसे मनुजीनेभी विप्रोंका अधिकार प्रकट कियाहै परन्तु यह नियमकेवल पारलौकिकादि धर्मोंके निर्णयमध्ये समंजसहै और जहांराज-धर्मसम्बन्धी व्यवहारोंके सभासदकहे तहां त्रैवर्णिकमात्रसे अपेक्षाहै उनमें यहविप्र संख्या अन्यसभासदोंसे अधिक अर्थात् अन्यसाधारणोंके होनेपरभी सभामें इतने इसप्रकारके विप्रोंकाहोना अवश्यभावसे संभवितहै पर यह सिद्धांतनहीं है कि केवल इतनेविप्रहों और कोईनहो-जिनब्राह्मणोंका चर्चा पहलेश्लोकमें आयाथा वे अनियुक्तब्राह्मण राजाकोविचार समय अपनेसाथ लेनेकहेथे और जिनकाचर्चा इसदूसरे श्लोकमें कियागया ये अपने२ अधिकारपदोंपर नियुक्तहुये सभासद वर्णन किये हैं सोई इसकाभेद कात्यायनजीके अग्रोक्तवाक्यसे स्पष्टहुआजाता है-यथा (सप्राड्विवा कःसामात्यःसब्राह्मणपुरोहितः।ससभ्यःप्रेक्षकोराजास्वर्गोतिष्ठतिधर्मतः)अर्थात्-कात्यायनऋषि ने साधारणभावसे राजसभाओं का यह डौलवर्णन किया है कि जो राजा अपने प्राड्विवाक सहित अमात्योंसहित ब्राह्मणोंसहित पुरोहितसाथ सभ्यजनोंसाथ धर्मसे व्यवहारोंकी प्रेक्षाकरनेवाला होताहै वह जानोंस्वर्गमें बैठाहुआ न्यायकरता है किंतु इनसभीको इकट्ठाकरके सबकेसन्मुख धर्मका निर्णयकरै परोक्षमेंनहीं-इसमें यह संदेहशेषरहा कि जो ब्राह्मण अनियुक्त कहेगये उनको राजसभासे क्या अपेक्षा और अधिकारहै तहां यह स्मृतिप्रमाणहै कि चाहै नियुक्तहो या अनियुक्तहोवे परन्तु जो धर्मज्ञहों वहसभी ऐसेस्थलपर कहनेके अधिकारी होतेहैं-तथाच (नियुक्तोवाऽनियुक्तो वाधर्मज्ञोवक्तुमर्हति) तहांइसवार्ताकी यहमर्यादाहै कि जब नियुक्तोंके यथावत् कहते हुयेभी राजाकुछ अन्यथाकरताहो जिस्से अनर्थ वा अन्यायकी संभावना प्रत्यक्षदेख परतीहो या आगे पीछे सूचितहो तब ऐसीदशामें अनियुक्तोंकोभी राजाके निवारण करनेको धर्मकेअनुसार कहनेकाअधिकारहै अन्यथावेभी दोषी होतेहैं-तथाच कात्यायनः (अन्यायेनापितंयांतंयेनुयांतिसभासदः।तेपितद्वागिनस्तस्माद्बोधनीयःसतैर्नृपः ) अर्थात्-अन्यायसे भी उस राजाके चलतेहुये जो २ सभासद उसकी अनुमतिमें दृढताकरतेहैं वे भी उस अधर्मके भागीहोते तिसकारण से वह राजा उन सभासदों वा अनियुक्तोंकरके समुभ्राने योग्यहै-सभासदोंके सिवाय अनियुक्तोंको भी दोष उसी अवस्थामें लगताहै कि वे जानतेहुये राजाको अन्यथाकरनेदेवै किंतु वे आप राजाको शुभ उक्तियोंसे निवारणकरै और फिर भी राजा अन्यथाकरै तौ उनको दोषनहीं-इसीलिये मनुने यह कहाहै कि या तौ सभामें जावै नहीं पर जो जावै तौ जो ठीकहो



सोईकहे क्योंकि गये पीछे जानिकर न कहनेसे भी पुरुष दोषीहोताहै और विशेष बनावटकर विरुद्धकहनेसे भी दोषीहोताहै-इसी दूसरे मूल श्लोक चौथे चरणमें ( रिपौ मित्रेच ) इसमें जो ( च ) शब्दआया इसके हेतु गर्भित आशयसे लोक रंजनके अर्थ कुल्लेक वणिग्जनोंसे भी सभाको अधिष्ठितकरनाचाहिये-यही कात्यायनजीने कहाहै- यथा(कुलशीलवयोवृत्तचित्तवद्विरमत्सरैः । वणिग्भिःस्यात्कतिपयैःकुलभूतैरधिष्ठितम् ) अर्थात्-अच्छेकुलोंमें उत्पन्नहुये कुल्लेक वणिक्जाती लोगों से सभा अधिष्ठित कर्तव्य है परंतु उन लोगोंमें यह लक्षण भी अवश्यहोनेचाहिये किंतु अपने कुलके अनुरूप जिनका शील स्वभावहो अवस्थासे पूरेहों वृत्त चरित्र आचरणों से भी शुद्धहों धनवान्हों मत्सरता चुगुली चाई आदि कुलक्षणोंसे भी रहितहों २ ॥

अथानुकल्पः ॥

अपश्यताकार्यवशाद्व्यवहारान्नृपेणतु । सम्यैस्सहनियोक्तव्योब्राह्मणःसर्वधर्मवित् ३ ॥

अक्ष०-कार्यवशाहोने से व्यवहारोंको न देखतेहुये राजाकरके सर्वधर्मोंका विज्ञाता ब्राह्मण एक सभ्यों सहित नियुक्त कर्तव्यहै ३ ॥

अभि०-यह अनुकल्प उसका कहतेहैं कि जो पहले दो श्लोकोंसे राजाको व्यवहार देखने कहेगये-क्योंकि-जब राजा कामोंकी बहुतायतसे अन्यकार्योंमें व्यग्रहोकर व्यवहारोंको न देखसक्ताहो तब उस राजाको यह कर्तव्यहोताहै कि अपने पूर्वोक्त सभासदों करके सहित एक सर्वधर्मोंका जाननेवाला ब्राह्मण राजसभा में नियुक्तकरै और उसके द्वारा व्यवहारोंका भुगतानकरावै ॥

अधि०-(सर्व धर्मवित्) यह विशेषण कहनेसे यह सिद्धांतहै कि केवल शास्त्रमात्रके अभ्यासवाला न हो अर्थात् धर्मशास्त्रोक्त धर्मोंके सिवाय सामयिक धर्मोंका भी विचार वा निरूपणकरनेमें समर्थहो-तिसमें भी कात्यायनजीके कहेहुये गुण अधिकहोने चाहिये-यथा(दांतकुलीनंमध्यस्थमनुद्वेगकरंस्थिरम् । परत्रभीरुंधर्मिष्ठमुद्युक्तंक्रोधवर्जितम् )अर्थात् (दांत) जोजितेन्द्रियहो कुलसंपन्नहो (मध्यस्थ) जोउदासीन मध्यम प्रकृतिवाला किंतु किसीसे विरोध या अधिकतर प्रीति भी न रखताहो अनुद्वेगकर जो अपने चित्तको या औरोंके चित्तको उद्वेग पैदा न करताहो (स्थिर) जो अपने मुहँसे कहे वाक्यपर सदैव एकसा स्थिर सावधान अंगीकृत बनारहताहो(परत्रभीरु) जो परलोकसे डरताहो धर्मिष्ठहो (उद्युक्त) जो अपने अधिकारमें निरंतरलगा रहकर उपाय करताहो इन बातोंके होनेपर भी क्रोधी न हो तिसको राजा उस व्यवहार दर्शनमें नियुक्तकरै-और यही अनुकल्प राजा अपने बड़े २ मुहालोंमें या देशोंमें भी जहाँ उचितहोता तहाँ करताहै क्योंकि राजा अपने आप केवल राजधानीमें व्यवहार देखसक्ताहै-ऐसे ब्राह्मणके न मिलने या किसी प्रकारकी असंभवतामें उक्त गुण

विशिष्ट क्षत्रीको या वैश्यकोही नियुक्तकरै पर शूद्रको नहीं-सोई कात्यायनजीने कहा है-यथा(ब्राह्मणोयत्रनस्यात्तुक्षत्रियत्रयत्रयोजयेत् । वैश्यंवाधर्मशास्त्रज्ञंशूद्रंयत्नेनवर्जयेत्) अर्थात्जहाँ-ब्राह्मणऐसानहोतहां ऐसेगुणवाले क्षत्रियको लगावै या ऐसेगुणवाले धर्मशास्त्रके ज्ञाता वैश्यकोही लगावै परंतु जहाँतकहोसकै शूद्रको यत्नसे बचावै-यहअनुकल्पित पुरुष जिसकाचर्चा इसतीसरे श्लोकसेअबतकहोरहा (प्राड्विवाक)पद नाम से विख्यातहोताहै यही प्राड्विवाक दूसरी अधिकोक्तिमें कात्यायनजीकेवाक्यमेंगिनती हुआथा और यथार्थसे लौकिकप्रचार में जिसको मातहत हाकिम कहतेहैंकि जोमुख्य हाकिमकाअधोवर्ती-दूसरा तद्वत्होताहै फिरचाहै ठेठराजा केहीनिकटकामकरै या राजा के स्थापितकिये किसीमुख्य हाकिमके नीचे कामकरै इसका नियमनहीं-परन्तु इसवार्ताके लिये यहीनियमनहींहै किजबराजा अन्यकामोंमें व्यग्रहो तभी ऐसा प्राड्विवाक ढूँढै या नियतकरै किन्तु सदैवही ऐसा प्राड्विवाक प्रत्येक राजसभामें इसलिये नियत रहताहै कि नजानै राजा या मुख्यहाकिम किसदिन किसकार्यमें व्यग्रहो या दोदिनको कहींजानाचाहै या रोगादिचिंतासे दरबारमें नजानाचाहै तबउसका प्रतिस्थानी होकर प्राड्विवाक सबकामोंका संसाधन करै और सदैवउसके सन्मुख रहकर आज्ञाके अनुकूल साधनकरै-इसीलिये नारदजीके कथनसेइस प्राड्विवाकमेंकुछ अधिकप्रधानता पाईजाती है-तथाचनारदः(धर्मशास्त्रंपुरस्कृत्य प्राड्विवाकमतेस्थितः । समाहितमतिःपश्येद्व्यवहाराननुक्रमात्)अर्थात् राजाको सभामेंयह उचितहै कि धर्मशास्त्रको आगेरख कर और प्राड्विवाक पदवाच्य पुरुषके मतमें स्थितहुआ आप अपनीमतको समाहित कियेहुये यथोक्तक्रमसे व्यवहारोंको देखै यहनारद ऋषिनेकहा-परन्तु यहशंका नहींकरनी कि उलटाराजा उसकेमतमें आधीनहुआ फिरवह अधोवर्ती या मातहत क्योंकर कहलाया-इसका यह सिद्धांतहै कि जबराजा या मुख्य हाकिमने थोड़ेदिनसे अधिकार पाया और प्राड्विवाक उसकाप्राचीन है कि वह सारे कामधंधोंमें निपुणहै तबराजा यामुख्य हाकिमको उसीका मतलेकर कामकरना चाहिये क्योंकि वहसभी बातोंकाभेदहै तथापिकुछ सर्वोत्कृष्ट आज्ञादेनेका अधिकारी वह राजा परनहीं होसक्ता वरनअन्य साधारणों परभी राजाके अभिप्राय और प्रमाणपूर्वक होताहै-यद्यपि इस प्राड्विवाक पदवाच्य पुरुषको सरकारी उल्था उसूल धर्मशास्त्र नामकमें हाकिमआला अर्थात् मुख्यहाकिम निश्चित किया है और यद्यपि यथार्थ में एकप्रकारसे वहभी ठीकहोसक्ता है और न कोई उसलेखमें किन्तु कहसक्ताहै तथापि किसीरकीबुद्धि इसवातपर अधिकजमतीहै किवह हाकिममातहत अर्थात् अधोवर्ती कहलासक्ता है इसकेआगे जोकुछहो विवेकीआप समुझें और इस्से निचलेलेखसे मिलावें-इसके सिवाय जहांराजा या मुख्य हाकिमभी बहुकालका अधिकारीहो उसदशामेंभी प्राड्वि-

विवाकसे इसलिये संमतलिया जाता है कि राजा बहुधा देश वा नगरके आचरणोंका समक्ष भेद नहीं होता और प्राड्विवाक प्रत्येक मनुष्योंके भी आचरणोंसे समक्ष या समक्षवत् भेद होते हैं इसलिये राजा जैसे दूरदेशस्थ पर सेनाको चाररूपी चक्षुसे देखता है तैसे ही प्राड्विवाक द्वारा प्रजाके यथावत् आचरणोंसे समक्षवत् भेद हो सकता है (अर्थि प्रत्यर्थिनौ पृच्छतीति प्राट् तयोर्वचनविरुद्धम विरुद्धं च सभ्यैः सह विविनक्ति विवेचयतीति विवाकः-प्राट् चासौ विवाकश्चेति प्राड्विवाकः) अर्थात् प्राड्विवाक इसको इसलिये कहते हैं कि अर्थी और प्रत्यर्थी दोनोंसे वृत्तांत उनका पूंछता है तब तो इसकी (प्राट्) संज्ञा होती है फिर इन्हीं दोनोंके विरुद्ध या अविरुद्ध वचनोंको सभासदों सहित विवेचन करता तब इसकी (विवाक) संज्ञा होती है फिर यही दोनों संज्ञामिलकर (प्राड्विवाक) यह यौगिकी संज्ञा हो जाती है-सोई स्मृत्यंतर में यह वाक्य है कि (विवादानुगतं पृष्ट्वा सभ्यस्तत्प्रयत्नतः। विचारयति येनासौ प्राड्विवाकस्ततः स्मृतः) अर्थ इसका भी वही है जो ऊपर अभी कह चुके ३ ॥ अथ सभ्यदमः ॥

रागात् लोभाद्वाद्यापि स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथक् पृथग्दंड्या विवादाद् द्विगुणं दमम् ४ ॥

अक्ष०- रागसे या लोभसे अथवा भयसे ही स्मृति विरुद्ध आदि करनेवाले सभ्यजन पृथक् २ दंड देने योग्य हैं-विवादसे दूना दंड ४ ॥

अभि०- प्राड्विवाक आदि पूर्वोक्त सभासद कदाचित् रजोगुण वृत्तिसे निरंकुश हुये (राग) नाम अतिस्नेहसे या लोभकी अपेक्षासे अथवा किसीसे भय संत्रासके हेतुसे (स्मृत्यपेत) अर्थात् स्मृतिसे विरुद्ध खिलाफ कानून करने लगे और आदि शब्दके अभिप्रायसे आचार विरुद्ध या देशविरुद्ध आदि करने लगे तब राजा उनको भिन्न २ एक २ को विवादसे दूना दंड करे अर्थात् उनके विरुद्ध करनेसे विवादकी पराजय में जो कुछ किसीको दंड या फिर मुकद्दमा खड़ा होने से धनहानि हुई हो उससे दूना दंड उनपर करे यह सिद्धांत है अर्थात् यह सिद्धांत नहीं है कि जितनेकी नालिश हुई हो उस धनसे दूना दंड करे क्योंकि जो यही सिद्धांत होता तो केवल धनके अभियोगों में दंड हो सक्ता किंतु परस्त्रीसंग्रह आदिके अभियोग जिनमें धनका वाद नहीं उनमें दंड न होता उन विरुद्धकारियोंको इसलिये वही सिद्धांत ठीक है कि जो अर्थी प्रत्यर्थी दोमेंसे किसीको भी विरुद्ध पराजय के हेतुसे हानि हुई हो उससे दूना-और केवल राग लोभ भय इन्हींके हेतुमें द्विगुण दंड कहने से अज्ञानमोह चित्तभ्रम आदि अन्यसाधारण दशाओंमें यह दंड सभ्यों योग्य नहीं निश्चित है ४ ॥

अधि०- गौतमजीके वाक्यसे राजाकी पदवीसबसे अधिक है परब्राह्मणों से नहीं तथापि इस वाक्यसे ब्राह्मणजुर्माना योग्य नहीं यह सिद्धांत नहीं है क्योंकि वह बड़प्पन ब्राह्मणकी प्रशंसा विषयपर आरूढ़ है-और जो कि गौतम सूत्रमें यह आज्ञा है कि ब्रा-

ह्यणोंकी अपेक्षामें राजाछःबातोंसे बचता रहे-अर्थात् उन छे बातोंसे ब्राह्मणकोवचावे एक तौ (देहदंड) मारपीट आदि (बंधन) कैद (धनदंड) जुर्माना आदि बहिःकरणदेश निकाला (परिवाद) निरादरकरना (परिहार)त्याग अर्थात् अपनेदरबारसे निकालदेना-ब्राह्मण इनछःबातोंके योग्य नहीं सो यहबाक्य सभी ब्राह्मणसेसंबंध नहींरखता किंतु इसबाक्यसे उसब्राह्मणकी अपेक्षा है जो बहुश्रुतहो लोकचर्यामें निपुणहो वेद और वेदांगभी जानताहो वाको बाक्य इतिहास पुराण इनमें कुशलहो और इनसभीबातों के आराधनमें तत्परभीहो औरइन्हींद्वारा जीवन बृत्तिभीरखताहो अर्थात् व्यापारया परसेवाआदि से संबंध जिसकोनहो और ४८ संस्कारोंसे संयुक्तहो तीन कर्मोंमें अभिरतहो षट्कर्मवानहो वर्तमान समय और देशके आचारका विज्ञाताहो तिसब्राह्मणसे अपेक्षाहै कुछ ब्राह्मण जातिमात्रसे अपेक्षा नहींहै ४ ॥

अथव्यवहारविषयोनामद्वितीयःपरिच्छेदः २ ॥

इसपरिच्छेदमें नालिशका प्रकार बर्णनहोगा ॥

स्मृत्याचारव्यपेतेनमार्गेणाधर्षितःपरैः । आवेदयतिचेद्राज्ञेव्यवहारपदंहितत् ५ ॥

अक्ष०—स्मृति या समयकेआचार विरुद्ध मार्गसे परजनोंकरके आधर्षितजोकोई राजापर आवेदन करताहै वही आवेदन व्यवहार पदहोताहै ५ ॥

अभि०—धर्मशास्त्रके विरुद्ध या लोकाचार समयाचार कुलाचार देशाचारके विरुद्धमार्गसेपरजनों करके अवमान कियाहुआ जबकोईकुछराजापास या प्राड्विवाकपास जाकरनिंदापूर्वक विज्ञापन करताहै तभीवह विज्ञापनमात्र उसका कहना व्यवहारका पदकहताहै इसीको मुकदमाकहते हैं (क्योंकि उसमेंप्रतिज्ञा उत्तर संशयहेतु परामर्श प्रमाणनिर्णय प्रयोजन इतनीबातोंके व्यवहारकापद कहिये विषयस्थान भूत निश्चित होताहै इसलिये उसकोव्यवहारपद कहते हैं ) यहव्यवहार पदका सामान्यलक्षण कहागया किंतुइसके विशेष लक्षण नीचे कहतेहैं ५ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त व्यवहारपद राजद्वारमेंप्रवेश करनेको(अभियोग)कहतेहैं इसीका नाम नालिश दायरकरनाभी प्रसिद्ध है नालिशकरनेवालेको अर्थी और अभियोक्ता भी कहते हैं परन्तु (अभियोग) दो प्रकारका होताहै एक तो शंकाभियोग जोदुर्जनों के संसर्गसे भविष्यत् भयकी शंकामात्रसे कियाजाय-दूसरा तत्त्वाभियोग जो साक्षात् साहस चौर्यादि उपद्रवोंके प्रकटहोनेपर कियाजाय यहीप्रमाण नारदजी ने कहा है-यथा(अभियोगस्तुविज्ञेयःशंकातत्त्वाभियोगतः । शंकाऽसतांतुसंसर्गात्तत्त्वंहोदाभिदर्शनात्)अर्थात् इसकाऊपर कहचुके ( होदालोपत्रलिंगमितियावत् तेनदर्शनंसाक्षाद्वादर्शनं होदाभिदर्शनं )-अभियोग पद नालिशका वाचक है जिसके दो भेदऊपर कहे गये कि एक शंकाभियोग दूसरा तत्त्वाभियोग इनमें से यह तत्त्वाभियोग नाम

की नालिश दीवानी फ़ौजदारी के भेद से दो प्रकार की होती है अर्थात् अनन्त-रोक्त तत्त्वाभियोग दो प्रकार का होता है एक तौ प्रतिषेधात्मक दूसरा विध्यात्मक ( प्रतिषेधात्मक उसे कहते हैं कि जो काम करना चाहिये उसके न करने पर कोई अभियोक्ता बने जैसे किसी ने यह कहकर नालिश करी कि मुझ से अमुक ने हिरण्य आदि अमुक पदार्थ लिया अब देता नहीं या यह कहकर कि अमुक वस्तु जो न्याय पर्वक इसको मुझे देदनी चाहिये देता नहीं यह दशा दीवानी से सम्बन्ध रखती है ) विध्यात्मक उसे कहते हैं कि जो बात न करनी चाहिये उसके करतेहुये कोई अभियोक्ता बने जैसे किसीने यह कहकर अभियोग किया कि मेरा क्षेत्र आदि अमुक पदार्थ यह छीनता है या अमुक भौतिका अन्याय करता है अथवा किया तौ यह दशा फ़ौजदारीसे संबंध रखती है ) यही प्रमाण कात्यायनजी ने कहा है-यथा (न्यायंस्वनेच्छते कर्तुमन्याय्यं वा करोति यः) अर्थात्-अपने न्यायनाम कर्तव्य काम करनेको इच्छानहीं करता अथवा जो अन्याय करता है इनदोनों पर अभियोग नाम नालिश करीजावे तौ यथा क्रमसे प्रतिषेधाभियोग और विध्याभियोग अर्थात् (नालिश) दीवानी और नालिश फ़ौजदारी कहलावै-वही अभियोग जिसके यह दोभेद कियेगये तिसके इन्हीं दोभेदोंसे अठारह भेद होते हैं कि जो मनुजीने कहे थे-यथा (तेषामाद्यमृणादाननिःक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । संभूयचसमुत्थानंदत्तस्यानपकर्मच ॥ वेतनस्यैवचादानसंविदश्चव्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयोविवादःस्वामिपालयोः ॥ सीमाविवादधर्मश्चपारुष्येदंडवाचिके । स्तेयंचसाहसंचैवस्त्रीसंग्रहणमेवच ॥ स्त्रीपुंधर्मोविभागश्चद्यूतमाहूयएवच । पदान्यष्टादशैतानिव्यवहारस्थिताविह) अर्थात्-उनमें सबसे पहला ( ऋणादान ) पद अर्थात् ऋणके देनेलेनेका अभियोग २ ( निःक्षेप ) अर्थात् अपने धनका औरोंके पास विश्वास्तासे धरोहर सौंपना इसीको भाषान्तर से अमानत कहते हैं चाहै किसी कामके लिये सौंपाजाय तौभी यही बात है ३ ( अस्वामिविक्रय ) जो किसी वस्तुको उस वस्तुके स्वामीने न वेंचाहो किसी अनधिकारीने विक्रयकियाहो तिसकी नालिश ४ ( संभूयसमुत्थान ) अर्थात् वह विवाद जो वणिक् आदि अनेक साभी होकर किसी व्यापारको करें और उसमें झगड़ा उठै ५ ( दत्तानपकर्म ) अर्थात् जो वस्तु किसीको योग्यरीतिसे वचनद्वारा या पत्रद्वारा देनीकही वह पीछे किसी अयोग्यरीतिसे न देनीचाहै या देचुके पीछेही अपात्रवृद्धि वा क्रोधादिहेतुसेलेलेनी तिसकाविवाद और इसीका द्वितीयस्वरूप यह है कि जो वस्तु किसीके देनेके निमित्तसे विश्वास पात्रको सौंपाजाय और वह उसको नहीं देवै या कुछ कमकरके देवै इसीको भाषान्तर से खयानत कहते हैं ६ ( वेतनादान ) अर्थात् कर्मकरोंकी भृति मजूरी आदिका न देना तिसका झगड़ा ७ ( संविद्व्यतिक्रम ) अर्थात् जिस वार्तामें परस्पर यह संमतिहोगईहो कि अमुक अवधिपर ऐसाकरेंगे उस

वाञ्छदह का पूरा नकरना किन्तु व्यवस्थित नियम का अतिक्रम करदेना तिसकी नालिश ८ ( क्रयविक्रयानुशय ) अर्थात् क्रय अथवा विक्रय करीहुई बस्तुको न्यूनाधिक मूल्य आदि या बस्तुको बदल कर देदेने आदि से पश्चात्ताप करके जो कोई उसके फेरने फिरवाने की नालिश करै तिस व्यवहार पदको क्रय विक्रयका अनुशय कहतेहैं इसीको भाषांतरसे बैअ और खरीदकी तन्सीख कहते हैं ९ ( स्वामिपालविवाद ) अर्थात् स्वामी और सेवक नौकर आदिका परस्पर भगड़ा १० ( सीमाविवाद ) अर्थात् धरती ग्राम क्षेत्र स्थान आदिकी सीमा पर भगड़ा होकर जो नालिश दायर हो ११ ( वाक्-पारुष्य ) विवाद जो गाली गुफ्तार कोसाकरीहोनेपर नालिश करीजाय १२ ( दण्डपा-रुष्य ) विवाद ताड़ना पीटना आदि ( यहदोनोंग्यारहवें बारहवेंविवादभाषांतरसे ( हम लह ) और ( इज्जालय हैसियत उफ्री के ) नामसे अदालतों में प्रसिद्धहैं ) १३ ( स्तेय विवाद ) अर्थात् चोरी का मुकद्दमह १४ ( साहस ) अर्थात् किसीपर प्रबलता करनी या प्रबलता से धनखीनलेना आदि इसीको भाषांतरमें ( सरकहविल्जब्र ) और ( अमूर जब्र ) कहते हैं १५ ( स्त्रीसंग्रहण ) परस्त्री का संग्रह आदि इसीको ( मुकद्दमहजिना ) कहते हैं १६ ( स्त्रीपुंधर्म ) विवाद अर्थात् स्त्री और पति के परस्पर जो उनके उचित धर्मोंके मध्ये भगड़ा होकर नालिश करीजाय १७ ( विभाग ) पद अर्थात् पैतृकादि धनोंके विभाग मध्ये जो विवाद हो इसीको ( आईनविरासत ) कहते हैं १८ ( द्यूत ) और ( समाहूय ) अर्थात् जुएका खेलना जो पाँसोंसेहोताहै सोतौद्यूत और समाहूय उसप्रकारके जुआको कहतेहैं जो पशुपक्षी आदिजीवोंकी लड़ाईद्वारा बाजीबदीजातीहैं-संसारके सारेमुकद्द-मात इनअठारह भेदोंके आश्रयभूतहैं-ये अठारह भी साध्यकर्मके भेदसे बहुतहोजाते हैं जैसानारदजीनेकहाहै कि ( एषामेवप्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरंशतम् । क्रियाभेदान्मनुष्या णांशतशाखोनिगद्यते ) अर्थात्-इनअठारहभेदोंका औरभी प्रभेदप्रथम १०८ फिरइनमें से भी एकएकके सैकरों भेदहोतेहैं क्योंकि मनुष्योंकी क्रियाभेदकेहेतुसे व्यवहारपदका अभियोग सैकरोंशाखावाला कहलाताहै ( किंतु क्रियाभेदकी अपेक्षामें इसकी शाखा-ओंका संख्यानियमभी नहींहोसक्ता ) और यहबात जो मूलश्लोकमें योगीश्वरनेकही कि ( आवेदयति ) अर्थात् राजापासजाकर कहताहै इस्से यह आशयभी दर्शायाहै कि वह अभियोक्ता आपहीजाकर विज्ञापनकरै अर्थात् राजप्रेरितनहीं या राजाके हाकिम आदि किसी अन्यपुरुषकी प्रेरणासे नहींनालिशकरै-राजाकी अपेक्षामें मनुने यहकहा है-यथा ( नोत्पादयेत्स्वयंकार्यं राजावाप्यस्यपुरुषः । नचप्रापितमन्येनग्रसेतार्थं कथंचन ) अर्थात्-राजा या राजाकाकोई अधिकारी पुरुष आपही किसीअर्थी या प्रत्यर्थीसे अभियोगरूप कार्य न खड़ाकरवावै और यहभी कि जो आपही वे कुछ मुकद्दमालावै तो उसकेन्यायकी उपेक्षाभी न करनीचाहिये-और भी मूलश्लोकमें ( आधार्षितः परैः )



यह परजनोंका बहुवचन जो किया इस्से यह सिद्धांत दर्शाया कि एक अभियोक्ताका व्यवहार प्रतिपक्षी एक या दो या कईकेभी साथहोताहै इसीप्रकार एक प्रतिपक्षीपर भी अभियोक्ता एक या दो या कईकेभी नालिशहोतीहै किन्तु कुछ यही नियमनहीं है कि दोनोंतरफ एकही एकप्रतिपक्षीहो तब नालिशहो अन्यथा न हो अर्थात् जिस अभियोक्ताने तीन चार साभियोंकेनामसे एकसाथ धनदियाहोगा तौ अवश्य उनके नामसे एकसाथ नालिशकरैगा-या-जिसको तीन चारने मिलकर माराहो वह अवश्य उन सबकेनामसे एकसाथ अभियोगकरैगा-यह योगीश्वरने सामान्य मूलमर्यादा कही है ऐसेही जिन कईसाभियोंने अपने साभेकेधनमेंसे जिस किसी एकहीको ऋणदि-याहोगा तौ अवश्य उस एकहीकेनामसे वे कईसाभीमिलकर नालिशकरैंगे इसलिये यहसामान्य मूलमर्यादा योगीश्वरने (परैर्द्वर्षितः) इसपदसे प्रकटकरीहै (अभियोक्ता-मुद्दई) (अभियुक्त-मुद्दाअलेह) (अभियोग-मुद्दा) यहनाम सबलोकमें प्रसिद्धहै-और जोकि नारदजीकेवाक्यसे एक अभियोक्ताकाविवादपद बहुतोंकेसाथहो तौ राजद्वारमें अनादेयकहाहै सो वहवात भिन्नकार्योंकेविषयपर कहीहै इसलिये वहवार्ता यहाँपर योगीश्वरकी कहीहुई सामान्य मूलमर्यादासे अपेक्षानहींरखतीहै-यथा (एकस्यबहुभिः सार्द्धस्त्रीणांप्रेष्यजनस्यच । अनादेयोभवेद्वादोधर्मविद्विरुदाहतः) अर्थात्-नारदने यह कहाहै कि एकअर्थीकाअभियोग अनेकप्रत्यर्थीकेसाथ या स्त्रियोंका परस्परवादहो या प्रेष्यजनकावादहो तौ ये वादअनादेयहै धर्मज्ञोंने यहकहाहै-सो इसवचनका यह सिद्धांतहै कि जिसअभियोक्ताका देनलेन भिन्न २ कईपुरुषोंकेसाथहो और वह सबके नाम इकट्ठीनालिश एकसाथकरै तब राजाको नामंजूरकरनीचाहिये (दूसरादृष्टांत) इसी का जैसे किसीस्त्रीने अपनेपतिआदिकाधन स्थावर जिसपर वह पतिआदिके अभावमें परिग्रहवतीहुईहो परन्तु स्त्रीत्वसे दानयाविक्रयकरनेकाअधिकार उसकोनहींथा उसी स्थावरधनको उसने भिन्न भिन्न अनेकमनुष्योंकेहाथ विक्रय अथवा दान करदिया इसपीछे कोईउसधनका अधिकारीहोनेसे अयोग्य क्रय विक्रयकी नालिश या अयोग्य दानकीनालिशकरनाचाहै और उनसबकेनाम एकसाथनालिशकरै जिनकेपास वह धनपहुँचाहो तौ यह अनादेय व्यवहारहै इसको राजा अस्वीकारकरै पर जो जुदीर नालिशकरै तौ फिर आदेयहै अनादेयनहीं (तीसरादृष्टांत) इसीका जैसे किसीक्रेताने अनेकविक्रेताओंसे भिन्नवस्तु मोललीहों और सबकेनाम अनुशयका अभियोग एक साथकरै तौ अनादेयहै भिन्न २करै तौ आदेयहै-इसीप्रकार फौजदारीकेभीद्वंद्वमें (दृष्टांत) समुभ्लेना जैसे एकअभियोक्ता कईमनुष्योंसे भिन्न २समयपर और भिन्न २हेतुसे लड़ाहो वह सबकेनाम एकसाथ नालिशकरै तौ अनादेयहै भिन्न २करै तौ आदेयहै (एकस्यबहुभिस्सार्द्धम् ) इसपदके ऊपरयह सबदृष्टांत कहेगये उसदशामें किजब अ-

भियोक्ता एकहो-और यदि अभियोक्ता कईहों अभियुक्त प्रतिपक्षी एकहो इसदशामें यह ( दृष्टांत ) है कि जैसे किसीसाहूकारका देवालानिकलाउसपर भिन्न २ अनेक मनुष्यों कारुपयालेनाथा वेसभीमिलकर एकसाथ उसकेनाम नालिश करेंतौ अनादेयव्यवहार है यदि अपनी २ भिन्न २ करेंतौ फिर ( आदेय ) है स्त्रियोंका परस्परबाद इसहेतुसे अनादेय कहाकि स्त्रियोंको विशेषकर कुलस्त्रीको जैसे और बहुधाबातों का अधिकार नहींतैसे-ही अदालत में जाकरलड़ने भगड़ने काभी निषेधहै किंतु उनकेजाती वारिसोंद्वारा अभियोग हो तौ वहभी आदेयहै परजोकोई विष साहसआदि विकटदशा उत्पन्नहो तौ वह जुदीबातहै-ऐसेही प्रेष्यजनधावक आदिका बादभी एकव्यर्थ बातमें गिनती है परन्तु यदि साधारण भावोंसेहो क्योंकि इसमेंभी जब साहस चौख्यादि उपद्रवोंका संपर्कहो तौ वहबात जुदीहै अन्यथा कुछ यह सिद्धांत नहींहै कि स्वामी और सेवक-मात्रका विवादराजा सुनै नहीं क्योंकि स्वामिपालका विवादभी पूर्वोक्त अष्टादशपदों में गिनती होचुकाहै इस लिये यह प्रेष्यजन का चर्चा एक भिन्नदशापर आरूढ़ है इसपांचवीं अधिकोक्तिका शेष आशय नीचे तृतीय परिच्छेदमें भिन्नवर्णनहोगा ५ ॥

अथाज्ञानविषयोनाम तृतीयःपरिच्छेदः ॥

इस परिच्छेदमें हुकुमनामा और तलवीकीप्रक्रिया कहते हैं ॥

यद्यपि इस परिच्छेदमें योगीश्वरका मूल श्लोक नहीं है क्योंकि द्वितीय परिच्छेद-मध्ये पंचम अधिकोक्ति का शेष आशयइसमें लिखेंगे इस हेतुसे कि यह वार्ताउरसे भिन्नहै तथापि समस्या उसीअधिकोक्तिके मूलपंचमश्लोक तीसरेचरणसे लीजायगी सो देखौ नीचेके लेखसे ( आवेदयति-राज्ञे ) यह तीसरा चरण पांचवें श्लोकमें जो कहाथा इसीके ध्वन्यर्थ लक्षणसे यहभी दर्शायाहै कि आवेदन के समय राजा करके पँखा हुआ अर्थी विनीत वेषहोकरआधीनीसाथ निवेदन करै किंतु विकृत आकारसे नहीं-इस पीछे जो उसका आवेदन कियाहुआ राजाठीक समुझै तौ मुद्रा ( अर्थात् मुहरपरवानाआदि भेजकर समयोचित रीति)से प्रत्यर्थीका आज्ञानकरै परअकल्पादि कोंको नहीं बुलावै इत्यादि कई बातों का प्रकार योगीश्वर ने नहीं कहा सो इसलिये कि यहवातें इसकामके प्रयोजन सेही सिद्ध होकर आपसे आप जानी जाती हैं क्योंकि जब आगे छठे श्लोकमें प्रत्यर्थी के सन्मुख अर्थी का निवेदन दूसरा कर लिखवाना कहा तौ इससे प्रत्यक्ष प्रतीत हुआ कि प्रत्यर्थी का बुलाना आवश्यकहै और बुलाना भी उसी दशामें आवश्यक होसक्ताहै कि जब अर्थी का निवेदन ठीक समुझा जाकर प्रत्यर्थी पर बुलाने की योग्यता पाईजावे ऐसेही अकल्पआदि सबों के लक्षणसे उनकीयोग्यता जानीजाती है यहाँ ( अकल्प ) रोगी को कहते हैं-परंतु स्मृत्यंतर में इनवातों का व्यवहार स्पष्टरूप से कहा है-यथा ( कालेकार्यार्थिनंपृच्छेद्गृणंतपुर



तःस्थितम् । किंकार्यैकाचतेपीडामामैपीत्रूहिमानव ॥ केनकस्मिन्कदाकस्मात्पृच्छेदेवं  
सभागतम् । एवंपृष्टःसयद्ब्रूयात्ससभ्यैत्राह्मणैःसह ॥ विमृश्यकार्येन्याय्यंचेदाङ्गानार्थ  
मतःपरम् । मुद्रांवानिःक्षिपेत्तस्मिन्पुरुषंवासमादिशेत् ॥ अकल्पवालस्थविरविषमस्थ  
क्रियाकुलान् । कार्यातिपातिव्यसनिनृपकार्योत्सवाकुलान् ॥ मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तान्भृत्या  
न्नाङ्गानयेन्नृपः । नहीनपक्षांयुवतिकुलेजातांप्रसूतिकाम् ॥ सर्ववर्णोत्तमांकन्यांताज्ञाति  
प्रभुकाःस्मृताः । तदधीनकुटुंबिन्यःस्वरिण्योगणिकाश्चयाः ॥ निष्कुलायाश्चपतितास्ता  
सामाङ्गानमिष्यते । कालंदेशंचविज्ञायकार्याणांचवलावले ॥ अकल्पादीनपिशनैर्यानि  
राङ्गानयेन्नृपः । ज्ञात्वाभियोगंयेपिस्युर्वेनेप्रव्रजितादयः ॥ तानप्याङ्गानयेद्राजागुरुका  
र्येष्वकोपयन् ) अर्थात्-सूचितकालपरआयेहुये पुकारूकार्यार्थीको सभामें पहुँचेहुये  
सन्मुखस्थितहुये अपनीदशा कहतेहुयेको इसप्रकारपूँछै क्या तेराकार्यहै क्या तुमको  
पीड़ाहुई हे मनुष्य तू डरौमत अपनावृत्तांतकहो किसने तुमको दुःखदिया और किस  
दिन या किसवक्त ऐसाकिया और किसहेतुसे तेरेसाथ ऐसाकिया-ऐसे पूँछाहुआ वह  
अर्थी जोकुछकहे सोसबसभ्यजनों और ब्राह्मणोंसाहितराजा अथवा प्राड्विवाकशोचि  
विचारिके यदि उसवार्त्ताको न्यायकरनेयोग्यसमुभे तो इसकेपीछे प्रत्यर्थीके आङ्गानके  
निमित्तसे एकमुद्रा अर्थात् इत्तलाअनामामुहरी उसअर्थीकेहवालेकरै अथवा उचित  
समुभेतौ किसी उहदेदार पुरुषको उसकेसाथ जानेकी आज्ञादेवे-तहाँइतने पुरुषोंको  
राजा नहीं बुलावै-एकतौ ( अकल्प ) जो अतिरोगीहो ( बालक ) जो असमर्थ वा अ-  
ज्ञानहो ( स्थविर ) जो अतिबूढ़ाहो-विषमस्थ जो किसीप्रकारकी विषमदशा या दारुण  
संकटमें फँसाहो ( क्रियाकुल ) जोधन संबंधी यजन पूजन आदिमें तत्परहो या किसी  
प्रबल हानिलाभ संबंधीकार्यकी क्रियामें व्याकुलफँसाहो ( कार्यातिपाती ) जिसकाहाजिर  
नहोना उसीके निमित्तमें हानिकारकहो ( व्यसनी ) जिसके कोईमौतका व्यसन या अ-  
ग्निदाह आदि दैवकृत उपद्रवहो ( नृपकार्यकुल ) जो राजाके किसीउत्कृष्ट कार्यमें व्यग्र  
होरहाहो ( उत्सवाकुल ) जो तेउहार आदि या विवाह आदि किसी बड़ेउत्सवमेंसंव्यग्र  
होरहाहो ( मत्त ) जो मदसे युक्तहो-इसको भाषांतरमें वदमुस्तभी कहतेहैं ( उन्मत्त ) जिस  
को भूतादि बाधाते चित्तविकृति लक्षणवाले उन्मादकी बीमारीहो किन्तु सिड़ीदीवान  
जो प्रसिद्ध है ( प्रमत्त ) जिसको चित्त विभ्रमरूप असावधानीका रोगहो यथा जोकाम  
कर्तव्यहै तिसकोअकर्तव्य समुभकर नकरै और अकर्तव्यको कर्तव्यसमुभकरकरने  
लगे किन्तु आधा सिड़ी यहभी होताहै इसीको सँवहटभी भाषामें कहतेहैं ( आर्त ) जे  
किसी तीव्ररोग या बुढ़ापा यद्वापुत्र वियोग आदिसे अतिशोक संयुक्त पीडामें विवश  
हो ( भृत्य ) जो सेवकआदि भरणीय वर्गमें गिनतीहों अर्थात् किसीके आधीनहोंइतने  
लोगोंको राजानहीं बुलावै-और ( हीनपक्षायुवती ) युवा अवस्थाकी स्त्री जिसकेपति य

कौईपक्षी न हो उसकोभी नहींबुलावै (कुलेजाता) जोबड़ेप्रतिष्ठित कुलकी होचाहै किसी  
 अवस्थावालीहो उसको नहींबुलावै (प्रसूतिका) जिसकेहाल संतान प्रसूतहुआहोचाहै  
 वह किसी कुलकीहो उसकोभी नहीं (सर्ववर्णोत्तमांकन्यां) सभीवर्णों में किसीवर्णकी जो  
 उत्तम कन्यारूप यौवन आदिसे संपन्नहो उसकोभी नहींबुलावै क्योंकि ये सब स्त्रियां  
 ज्ञातिप्रभुका कहलातीहैं अर्थात् इनके ज्ञातीलोग पुरुष जो वारिसहों वेहीप्रभु और  
 वेही इनके बदले उत्तरदेनेके अधिकारी होतेहैं (अथवा) जो इसप्रकारके पुरुषभीनहों  
 तौ अभी वर्णन करीहुई स्त्रियोंके आधीन जो कुटुंबिनी बड़ीबूढ़ीहों जिनके अवलंबसे  
 उनकी रक्षाहोतीहो या वे स्त्रियाँ जो निजकुटुंबमें मुखियाहों जिनके ऊपर उस कुटुंबका  
 भारहो तिनका आज्ञान करना उचितहै और उनकाभी किजो (स्वैरिणी) अर्थात् स्वे-  
 च्छाचारमें दुर्नामहों-और (गणिका) वेश्याआदि (निष्कुला) जो कुलहीन अर्थात् कुल  
 मेंसे निकाली गईहों-और (पतिता) जो जातिसे परिच्युत करीगईहों इनस्त्रियोंका आ-  
 ज्ञान होसक्ताहै इसके सिवाय कालकी आवश्यकता या देशकी परिपाटी या कार्योंका  
 बलाबल विशेषतासे जानकर कि वहउपद्रव और दोष कितनागाढ़है जिसमेंविना  
 बुलाये काम नहींचलता तब सवारीद्वारा धीरेधीरेले आनेकी आज्ञापूवक उनबीमारों  
 आदिको भी राजा बुलवालेवे-इसके सिवाय नालिशका अभियोग जानिकर जोकोई  
 प्रत्यर्थी संन्यासी आदि बनिकर भी वनमें जारमेहों उनको भी राजा बड़े २ कार्योंमें  
 अभियोगकी आवश्यकता जानिकर बुलवावै पर ऐसीरीतिसे बुलवावै जिस्से उनको  
 कोपनहीं दिलवावै और न आपउनपर कोपकरै (बड़े २कार्योंमें) यह बड़ेका विशेषण  
 देनेसे यहसिद्धांतहै किजो प्रत्यर्थी तुच्छ कार्योंके अभियोगसे भयकरके संन्यासीआ-  
 दि भेषलेकर वनमें छिपाहो उसके बुलवानेसे उपेक्षाकरै क्योंकि जिसने थोड़ीबातपर  
 घरछोड़कर वनसेवनकिया उसने आपहीदंड पालिया इसलिये उसका बुलवानाव्यर्थ  
 है-इसीकार्यके संबंधसे आसेध व्यवस्थाभी नारदजीने स्पष्टरूपसे कही और उसमें  
 मुद्दईको निज आप अपनी स्वाधीनता प्रकटकरीहै कि वह मुद्दाअलेहको गिरफ्तार  
 करसक्ताहै आसेधघेरने रोकनेको कहतेहैं-यथा(वक्तव्येथे ह्यतिष्ठंतमुत्क्रामंतंचतद्वचः।  
 आसेधयेद्विवादार्थी यावदाज्ञानदर्शनम् ॥ स्थानासेधःकालकृतः प्रवासात्कर्मणस्तथा ।  
 चतुर्विधःस्यादासेधोनासिद्धस्तं विलंघयेत् ॥ आसेधकालआसिद्धआसेधंयोतिवर्तते ।  
 सविनेयोन्यथाकुर्वन्नासेद्धादंडभागभवेत् ॥ नदीसंतारकांतारदुर्देशोपप्लवादिषु । आसिद्ध  
 स्तंपरासेधमुत्क्रामन्नापशध्नुयात् ॥ निर्वेष्टुकामोरोगातोयियक्षुर्व्यसनेस्थितः । अभियुक्त  
 स्तथान्येतराजकार्योद्यतस्तथा ॥ गवांप्रचारेगोपालाःसस्याचायेकृषीवलाः।शिल्पिनश्चा  
 पितृकालमायुधीयाश्चविग्रहे) अर्थात् नालिशहोनेपर जबतक मुद्दाअलेह अदालतमें  
 इज्जहारोंको नहींबुलायागया इसबीचमें मुद्दईकेसन्मुख जो कहनेयोग्य अर्थ प्रयोजन

की वातमें खड़ा न होता हो और भागनेका विचार करता हो या मुद्दईकी वातको उछालता वा उल्लाँघता हो तो ऐसे प्रत्यर्थीको अर्थी अपने आपरोकै या राजद्वारसे आसेध करवा देवै क्योंकि उसके भग जाने वा लुक जानेकी शंका है-आसेध भी चार प्रकारका होता है किंतु एक तो (स्थानासेध) अर्थात् प्रत्यर्थीका स्थान घेरकर चौकसाई करी जाय जिस्से वह निकलने नहीं पावै दूसरा (कालकृत-आसेध) जो कालके मयोगसे किसी जघे पकड़ जाय या जिस्से वह इतनी अवधिताई कि जब तक विवादका निपटारा हो जाय हवालातमें रक्खा जाय या उतने दिनोंकी जमानत लेकर जानेका निषेध किया जाय-तीसरा (प्रवासासेध) अर्थात् विदेशको जाने नहीं पावै-चौथा (कर्मका-आसेध) अर्थात् मुकद्दमेके निपटारा भीतर निज उद्यमका कोई ऐसा कर्म न करने पावै जिसके प्रारंभसे अदालतकी उपस्थिति न कर सकै इन चार भौतिके आसेधोंमेंसे किसी आसेधसे जो प्रत्यर्थी उचित समय पर (आसिद्ध) अर्थात् धिरा हो तो उस आसेधको विलौघै नहीं क्योंकि आसेधके समयपर आसिद्ध हुआ प्रत्यर्थी यदि आसेधको उल्लाँघता है किंतु छोड़ भागता है वह उस मुख्य मुकद्दमाके सिवाय दण्ड देने योग्य होता है-और अन्यथा करता हुआ आसेध भी दण्डभागी होता है अर्थात् आसेध करवानेवाला यदि अनुचित रीतिसे आसेध करै या करवावै तो वह भी दण्डपावै-परन्तु-जो कोई नदी के उतरते हुये घेरा जाय जहां प्राणोंका सन्देह हो या वनमें घेरा जाय जहां पहुँचना दुर्गम हो या किसी दुर्देशस्थान पर घेरा जाय जहां कुछ अधिक पीड़ाकी सम्भावना हो या किसी प्रबल उपद्रव आदिमें फँसा हुआ घेरा जाय जहां अधिक विपत्तिका सम्भव है इन स्थानोंमें धिरा हुआ उस पराये आसेधको उल्लाँघता हुआ अपरार्थी नहीं होसक्ता अर्थात् ऐसे भगोड़ा को दण्ड न देना चाहिये केवल गिरफ्तारीमात्र इन दशाओं के पश्चात् युक्तिसे कर लेनी चाहिये-और भी (निर्वेपुकामः) अर्थात् जो विवाह करनेपर उद्यत हुआ बरातलिये जाता हो या (रोगार्त) जो रोगों से अति पीड़ित हो या (वियक्षु) जो यजन पूजन यज्ञादि कुछ करनेपर उद्यत हो या किसी व्यसन विपत्ति में फँसा हो तथैव जो और किसीकी नालिश करके पहलेसे अभियुक्त हो और उरसे निपटारा नहीं पाया हो तथैव जो राजसेवक होनेसे या और किसी हेतुसे राजकार्यमें समुद्यत हो या गौओं के चराते समय गोपाल हों या किसान लोग जो खेती बोनै आदि क्रियामें तत्पर हों या शिल्पी अर्थात् कारीगर लोग जो अपने शिल्पकार्य में तत्पर हों और जो लोग सिपाही आदि विग्रह समय शस्त्र बाँधे हों इनका भी ऐसे समयपर तत्काल उन कामोंकी हानि करिके गिरफ्तार करना अनुचित है और यदि ऐसे समयपर आसेध करते हुये वे भागें या आसेधकारियोंको ही मार भगावें तो इसके पलटे दण्डयोग्य नहीं हैं अर्थात् इतने लोगोंकी गिरफ्तारी ऐसे समयपर न मुद्दईकी ओरसे होसक्ती है न राजा वा हाकिम

उनको तलबकरसक्ताहै-गिरफ्तारी अर्थात् राजाकीआज्ञासे अवरोध हवालात हिरा-सतमें रहना इसीको इसग्रन्थमें (आसेध) कहा अकल्प आदि जिनके बुलानेका नि-  
षेध पहलेकियाथा वे अपने पुत्र भ्रातृ आदि किसीको भेजेंगे या और किसी सुहृद्  
सम्बन्धी नातेदार मित्र आदिको भेजसक्ते हैं सो पुत्रादिक सुहृद् परार्थवादी नहीं  
कहलाते हैं-तथाच नारदः (योनभ्रातानचपितानपुत्रोननियोगकृत् । परार्थवादीदंड्यः  
स्याद्व्यवहारेषुविब्रुवन्) अर्थात् जो पुरुष अर्थी वा प्रत्यर्थीका न भाईहै न पिता  
है न पुत्रहै और न उनका नियोगी अर्थात् वकील मुख्तार भी नहींहै ऐसा पुरुष  
पराये व्यवहारोंमें यदि बोलता या विरुद्ध कुछ कहता है वह परार्थवादी कहलाता  
और इसीअपराधसे दण्ड देने योग्य होताहै-इसलिये उन अकल्पादिकों के भेजेहुये  
उनके पुत्रादिक या और कोई सुहृद् जो अदालत में आवें तो उन्हीं के प्रति स्थानी  
समुभकर परार्थवादियोंमें गिनती उन्हें न करनाचाहिये (अथ प्रत्यर्थिनिमुद्रालेख्य  
पुरुषाणामन्यतमेनानीते किंकुर्यादित्यतआह) अर्थात् प्रत्यर्थीको चपरासियों में से  
किसी करके लेआनेपर क्या करना चाहिये इसलिये नीचेके श्लोक वा परिच्छेद से  
भाषापादकी व्यवस्था कहतेहैं भाषापाद ( अर्थात् इजहार मुद्दई ) ५ ॥

अथभाषापादोनाम चतुर्थःपरिच्छेदः ४ ॥

इस परिच्छेदमें मुद्दई के इजहारदावेकी प्रक्रियाकहतेहैं ॥

प्रत्यर्थिनोऽग्रतोलेख्यंयथावेदितमर्थिना । समामासतदर्द्वाहर्नामजात्यादिचिह्नितम् ६ ॥

अक्ष०-प्रत्यर्थी के आगे भी लिखवाना चाहिये (जैसा) अर्थीने आवेदित किया  
संवत्, मास, पक्ष, वार, नाम, जाति आदिसे चिह्नित ६ ॥

अभि०-जब कि आवेदन समय पहिलेही अर्थीके वचन लिखचुकेथे तो फिर  
दुसराकर प्रत्यर्थीके सन्मुख लिखवानाव्यर्थ है इस पिष्टपेषणसे क्या सिद्धि इसका  
अभिप्राय उत्तरार्द्ध से प्रकट करतेहैं कि पहले आवेदन समय केवल कार्यमात्र सा-  
धारण भावसे लिखाथा इसलिये प्रत्यर्थीके सन्मुख संवत्सर केनामसे वर्षोंका प्रमाण  
महीने का नाम पक्षकानाम वारादिन संयुक्त जिसमें उसदावे की विनाय प्रारम्भ हुई  
हो तबसे लेकर दावेके दिनतक मध्य अवधि सहित लिखवानाचाहिये इसीकर्मको  
इजहार लेना कहतेहैं इस इजहार पत्रमें अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंके नाम जाति और  
आदि शब्दसे उनके विशेषण विख्याति प्रसिद्धि उपनाम और वह द्रव्य जिसपर  
विवादहुआ हो द्रव्यकी संख्यामान परिमाण स्थान बेला क्षमालिंग आदि सबलक्ष-  
णोंके चिह्न देनेचाहिये इसकीविशेष व्यवस्था नीचे अधिकोक्तिमें देखौ ६ ॥

अभि०-(जैसा) आवेदन समय अर्थीने पहिले जो कुछ कहाहो (तैसाही) अर्थात्  
उससे कुछ अन्यथा नहीं प्रत्यर्थीके सन्मुखलिखवावे क्योंकि अन्यथा वादित्वसे व्य-

वहाराका भंग संभाव्य होता और वह अन्यथा वादीर्भा पाँचप्रकारके हीनों में गिनती होताहै-यथाह नारदः(अन्यवादीक्रियाद्वेषीनोपस्थातानिरुत्तरः । आहूतव्यपलायी चहीनःपंचविधःस्मृतः) अर्थात्-एकतौ ( अन्यवादी ) या अन्यथावादी जो पहलेकुछ और कहै पीछे या बीचमें कुछ और कहनेलगे-दूसरा ( क्रियाद्वेषी ) जो साक्षीलोगोंके लिखवायेहुये साक्ष्य मध्येभुक्ति युक्ति शपथ आदिक्रियाओंकोदोष लगावै और इसी हेतुसे उनके साथ या सभ्यजनों केही साथ द्वेषप्रकटकरै और वहभी क्रियाद्वेषी कहलावताहै जो अपने मुकदमहकी क्रियाको अपनेआप किसीप्रकारसे दूषितकरै अर्थात् जानिवूझकर अपनेमुकदमहको विगाड़े-तीसरा ( अनुपस्थाता ) जो अपने मुकदमाके निर्णय सम्बन्धीउचित समयपर उपस्थित नहो तौ इसी गैरहाजिरसेहीन कहलावै-चौथा ( निरुत्तर ) जो अपने व्यवहार वादमें प्रयोजन सिद्धिका उत्तर न देवै या निपट चुपकाखड़ा रहै वह लाजवाब होनेसेहीन कहलावै-पाँचवाँ आहूत ( प्रपलायी ) या आहूत व्यपलायी कहीजो उचित समयपर बुलानेसेभी भागा फिरै आवै नहीं या निपट रूपोश होजावै तौ यह भी इसदोषके हेतुसेहीन कहलावै (हीन) अर्थात् मंद नीच अधम निंद्य चाहै अर्थी या प्रत्यर्थी दोमेंसे कोई हीन हो वह किसीदशामें हीनताकी अधिकतासे संभव हो तौ अपने व्यवहार पदसेभी च्युतहोजाताहै किंतु जो (अर्थी) हीनहो तौ उसका दावा खारिज होकर पराजय होजातीहै कदाचित् (प्रत्यर्थी) हीन हुआ तौ उसपर विना प्रमाण वा सबूतके दावा डिगरी होकर पराजय रूढ़ होतीहै-यद्यपि ये पाँचौ एकसेएक अधिकहै तथापि ( अन्यवादी ) जो पहलाहीनगिना गया वह सबसे अधिकतर हीन होताहै-तद्यथा-पूर्ववादंपरित्यज्ययोऽन्यमालंबतेपुनः वादसंक्रमणाज्ज्ञेयोहीनवादीसवैनरः ) अर्थात्-अपने पहले वादको निपट छोड़कर पीछे जो कोई अन्यकथन पर आरूढ़ होजाताहै वह मनुष्यवादके बदलनेसे निश्चयात्मक हीनवादी जाननाचाहिये-इसीलिये वाचक पुरुषकी भाषा ऐसीहोनीचाहिये सो कहतेहैं-यथा(अर्थवद्धर्मसंयुक्तंपरिपूर्णमनाकुलम् । साध्यवद्वाचकपदंप्रकृतार्थानुवांधिच । प्रसिद्धमविरुद्धंचनिश्चितंसाधनेक्षमम् । संक्षिप्तंनिखिलार्थंचदेशकालाविरोधिच । वर्ष तुमासपक्षाहोवेलादेशप्रदेशवत् । स्थानावसथसाध्याख्यजात्याकारवयोर्युतम् । साध्य प्रमाणसंख्यावदात्मप्रत्यर्थिनामवत् । परात्मपूर्वजानेकराजनामभिरंकितम् । क्षमालिं गात्मपीडावत्कथिताहर्तृदायकम् । यदावेदयतेराज्ञेतद्भाषेत्यभिधीयते) अर्थात्-इनश्लोकों में कहीहुई इतनी बातोंके लक्षणसे संयुक्त जो कुछ वार्तापद अर्थी अपने मुखे राजापर इजहारों समय आवेदन करैहै सो भाषा पाद कहलाताहै ( भाषा पक्ष इत्यर्थांतरं ) इसी भाषा पादको ( इजहारदावे ) कहते हैं इस भाषा पादके लक्षण यथाक्रमसे समुभौ कि-वाचक पुरुषका वार्तापद प्रथम तो अर्थवालाहो कि-

निरर्थ वा निष्प्रयोजन पद न हो-( धर्मसंयुक्त ) हो किंतु कोईवात अधर्म मार्गसे छल प्रपंचकी न हो-( परिपूर्ण ) हो किंतु अधकच्ची न हो-अनाकुलहो किंतु जिसके पूर्वापर कथनमें विरोध न हो-( साध्यवत् ) हो किंतु मुख्य प्रयोजनकी साध्यता जिसमें प्रकट होतीहो-( प्रकृतार्थानुबन्धी ) हो किंतु जिसमें पूर्व बर्णित अर्थ प्रयोजनसे अनुबंधपाया जाताहो-( प्रसिद्ध ) हो किंतु गूलरका फूल जैसा अप्रसिद्धहोता है तैसा पद न हो-( अविरुद्ध ) हो किंतु द्रव्य संख्या नामजाति समय आदि चिह्नोंसे विरुद्ध न हो-( निश्चित ) हो किंतु अनिश्चित संदिग्ध पद न हो-( साधनमेंक्षम ) हो किंतु मुख्य प्रयोजनका साधन करनेमें वह पद समर्थहो अर्थात् ऐसा न हो जिसकी साधना राजा या किसीकी भी सत्तासे न होसकीहो सिद्धांत यह कि वहवात असली सबतको पहुँच सक्तीहो-( संक्षिप्त ) हो किंतु असंक्षेप अतिविस्तारवान् इतिहासवत् न हो ( निखिलार्थ ) भीहो किंतु जिसमें निःशेषप्रयोजन पायाजावै ऐसाहो अर्थात् ऐसापद न हो जिसका प्रयोजन सुननेवालोंकी समुझमें कुछ आवै कुछ न आवै-देशकालका अविरोधीभी हो किंतु जिसदेशमें या जिसकालमें नालिशका अभियोगहुआ उसदेश या उसकालका विरोधीपद न हो-वर्ष ऋतु मास पक्ष दिन बेरा देश प्रदेश स्थान आवसथ साध्याख्या जाति आकार वयस् इनसेयुक्तहो साध्यकाप्रमाण साध्यकीसंख्या अपनेनामसे प्रत्यर्थीकेनामसेभी बापदादे परदादेकेनामों तथा वर्त्तमानसे पहले कईराजोंके नामोंसे अंकितहो-( क्षमालिंग ) सेभीयुक्तहो किंतु इतनी या इतने कालतक मैंनेक्षमा या धीरज किया-( आत्मपीडावत् ) अर्थात् इतनीपीडा या इतनीहानि मुझकोपहुँची-( कथितआहर्षदायकभी ) हो अर्थात् उसवस्तुके मुख्यसंग्रहीता या प्रतिग्रहीता और दाता इनकेनामों का कथन जिसमेंसंयुक्तहो-इत्यादि यथोचित सर्वलक्षण संपन्नवचन जो कुछअर्थीराजा पर प्रत्यर्थीके सन्मुख आवेदन करताहै सो सब उसकी भाषा कहलातीहै इसी भाषा को अर्थीतरसे प्रतिज्ञापक्ष भी कहतेहैं इसीको या बन भाषासे लौकिक प्रचारमें इज्जहारदावी-या-फौजदारीका अभियोगहो तो इज्जहार इल्जाम् भी कहतेहैं परंतु प्रत्यर्थी के इज्जहारोंको भाषा पाद नहीं कहते ( उत्तरपाद ) कहतेहैं-इस बातमें बहुधा नामों की समस्या मात्र जो लिखीगई उनमें किसी २ का विशेष बोधहोना आवश्यक है- तथाच-( देश-के शब्दसे एक मुल्क यथा मध्यदेश या पंजाब आदि यह पता लिखवानाचाहिये ) ( प्रदेश-उसके अंतर्गत जिलअक्रा नाम ) यथा जिले बनारस ) ( स्थान-उस जिलाके अंतर्गत जिस नगरमें स्थानहो तिसका नाम यथा निवासी विजया नगरका ) ( आवसथ-ठेठ उसटोला या मुहल्ला या पुर आदि लघु ग्राम नाम जहाँ उस नगरके अंतर्गत या उसके समीपयासंबंधमें अर्थी वा प्रत्यर्थी का गृह क्षेत्र आदि प्रसिद्धहो ) ( साध्याख्या-साध्यकर्मका नाम जिसपर नालिशका अभियोग कियाहो



यथा अमुकनामकाखेत या भैंस घोड़ा आदि जो कुछ धन हो) जाति और आकार-कहिये शरीरका डौल लघुदीर्घभेद वा गौरवर्णादि वा एकाक्ष आदि लक्षणोंसे और वयस् कहिये बालकयुवा आदि वा बपोंके परिमाणसे यह सब लिखना चाहिये इसीको लौकिक में हुलिया कहते हैं) (साध्यकर्मका प्रमाण-जैसे इतनी मापका खेत या मकान या दुशाला आदि जो कुछ हो) साध्यकर्मकी संख्या-यथा दो दुशाले वा चार घोड़े वा पाँच किते खेतके वा तीन हवेली इत्यादि और उसके मूल्यकी भी संख्या लिखवानी चाहिये)-संवत्सर का विशेषण लिखवाना यद्यपि सभी व्यवहारों में नहीं आवश्यक होता तथापि आधि प्रतिग्रह क्रय इत्यादि व्यवहारों अर्थात् रहेन् हिवेह वैअ्र या कुबूलियत शरैय आदि स्थावर व्यवहारोंके निर्णयमें विशेषकर आवश्यक होता है-यथा ( आधौ प्रतिग्रह क्रीते पूर्वात्तु वलवत्तरा) अर्थात् (आधि) नाम रहेन् (प्रतिग्रह) नाम दानपत्र हिवेह नामा (क्रय) नाम वैअ्र स्थावर धनकी इन दशाओंमें पहिली व्यवस्था अधिकतर बलवान् समुभी जाती है अर्थात् जिसके पास वह स्थावर धन पहले पहुँचा हो वह पिछलेकी अपेक्षा बलवान् है सो यह पहली पिछली दशा भी संवत्सरकी संख्या बिना नहीं निश्चित हो सकती है-व्यापारादि अर्थके व्यवहारमें भी इसलिये आवश्यक होता है कि जब किसी ने एक संवत्सर में जितनी संख्याका द्रव्य जो कुछ किसीसे लिया और उसी संवत्सरके भीतर उद्धार कर दिया-फिर-अन्य संवत्सरमें वही द्रव्य उसी संख्यासे उसी ग्रहीताने उसीसे लिया पर अवकी वार उद्धार नहीं किया वरन माँगने पर भी कहने लगे कि हाँठीक तुभसे लिया पर वह द्रव्य मैंने उद्धार कर दिया और अमुकामुक मनुष्यों के सन्मुख प्रत्यर्पण किया वे साक्षी हैं तब ऐसे संदिग्ध स्थल पर संवत्सरके विशेषणोंसे व्यवहार निर्णय होता है कि वह द्रव्य तूने अमुक संवत्सरमें लिया और प्रत्यर्पण भी उसी संवत्सरमें देवदत्त यज्ञदत्त के सन्मुख कर दिया पर यह द्रव्य जो तूने द्वितीय संवत्सरमें लिया वह किसके सन्मुख प्रत्यर्पण किया इत्यादि व्यवहारोंके हेतुसे संवत्सरके साथ मासादिक लक्षण भी जोड़ने चाहिये-देश वा स्थान आदि लक्षण विशेषकर स्थावर धनोंके व्यवहारमें उपयुक्त होते हैं किंतु यह स्मृति इसमें प्रमाण है कहते हैं-यथा (देशश्चैव तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च । जातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च । पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्त्तनम् । स्थावरेषु विवादिषु दशैतानि निवेशयेत् ) अर्थात्-स्थावर धनोंके विवादिषु यह दश लक्षण विशेष कर प्रवेश करै एक तौ (देशलक्षण) यथा मध्यदेश आदि पूर्वोक्तीतिसे-दूसरा स्थान लक्षण यथा बनारस आदि पत्तन यद्वा जनपदमें वह स्थावर हो तौ विजयानगर आदि कसबा परन्तु इसके साथमें बनारस आदि प्रदेश अर्थात् जिल्लाका भी नाम होना चाहिये-तीसरा (सन्निवेशलक्षण) वह कि जहाँ ठेठ उस स्थावर धनकी स्थिति हो उस भूमिका प्रसिद्धनामचा है मुहल्लाकी या ग्रामकी या बाह्यभूमिकी विख्यातिसे प्रकट होसकता

या नदीनालाआदि चिह्नोंसे या इसप्रकारसे कि उसअपेक्षितस्थावर धनकेपूर्वपश्चिमादि अमुकामुक दिशामें अमुकामुकस्थावर जो अमुक नामोंसे प्रसिद्धहैं यद्वा अमुकामुक प्रतिवासियोंके गृह क्षेत्र आदि उसकेओर पासमें प्रसिद्धहैं-चौथा (जातिलक्षण) ब्राह्मण वैश्य आदि अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंकी अपेक्षामें पाँचमा ( संज्ञालक्षण ) यथा देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम दोनोंके-ठठा (अधिवासलक्षण) अर्थात् दोनों के निवासस्थानों के नाम जहाँ वे रहते हों और जहाँके पूर्वकाल में रहनेवाले प्रसिद्धहों सोभी लिखना चाहिये किंतु यह अधिवास लक्षणभी उसीरीति से लिखना चाहिये जैसे स्थावरकी अपेक्षासे देश स्थानआदि ऊपर कहचुकेहैं-सातमा ( प्रमाणलक्षण) अर्थात् उसभूमिके निवर्तनोंकी संख्यासे परिमाण यथा बीघे विस्वे आदि लौकिकमें तथा निवर्तनभीवी-सवासदोनों ओरसे मपीहुई धरतीका नाम है-आठमा (क्षेत्रनामलक्षण) अर्थात् जिस खेतका जो नाम प्रसिद्धहो सोभी लिखना चाहिये-यथा-( शालिक्षेत्र ) धानकाखेत या (क्र) मुकक्षेत्र सुपारी के वृक्षोंवालाखेत ( कृष्णभूमं ) कालीमृद्दीवाली वा दलदलवाली धरती पांडुभूम पिंडोरवाली धरती इत्यादि औरभी जानौ- नवमा (पितृपैतामहनाम ) किन्तु अर्थी प्रत्यर्थी दोनों के पिता और पितामहकानाम लिखना चाहिये-दशमा लक्षण ( पूर्वराजानुकीर्त्तन ) अर्थात् वर्त्तमान से पहले तीन राजाओंका बर्णन इसप्रकारसे कि यही स्थावर धनपहले अमुकराजाके समयमें अमुकदातासे अमुकमनुष्य को मिलाया उसने अमुकसे खरीदा या उसके बापदादे से चलाआया उसवक्तभी उसीके परिग्रह में वर्त्तमानथा तिस पीछे अमुकराजाके भी समयमें उसीके परिग्रह में वर्त्तमानथा या उसके परिग्रहसे दूसरे के परिग्रहमें अमुकहेतुसे होगयाथा इत्यादि व्यवस्था सब लिखनीचाहिये-इस अधिकोक्तिमें उपलक्षित किये हुये वर्ष मास आदि यहांतक सभीलक्षण जो २ बर्णन कियेगये तिनकायह सिद्धांत नहीं है किसभी व्यवहारों में सभी बातें लिखीजावें अर्थात् जिसव्यवहारमें जितनीबातोंके लिखनेसेप्रयोजन की सिद्धिसंभवहो उतनी बातें लिखनी चाहिये यहंतात्पर्यहै ६ ॥

ऊपर जो पक्षलक्षण निश्चित कियेगये वे सब इज्जहारदावे अर्थात् भाषा पाद में आवश्यक हैं परन्तु यदि उनमें से कोई लक्षणजो आवश्यक होने परभी न संयुक्त हो तो वह भाषापाद अर्थात् इज्जहारदावा इज्जहारदावेकी केवल ( तकलीद ) है- अर्थात् केवल पक्षवत् अब भासमान अनुकरणकीसीभांति प्रतीतहोता है-इसलिये उसमें आपही ( पक्षाभासत्व ) सिद्धहोजाताहै इसी हेतुसे योगीश्वरने पक्षाभासों की प्रशंसा पिष्टपेपण समुभ्रकर भिन्नभावसे नहींलिखी-परन्तु-अन्यआचार्यों ने विशेष कर रूपटूरूपसे कहीहै सोसवनीचेके अभिप्रायार्थ वा अधिकोक्ति मेंदेखो ॥



अब अनादेय व्यवहारोंका बोधकराते हैं ॥

अप्रसिद्धनिरावाधंनिरर्थनिष्प्रयोजनम् । असाध्यंवाविरुद्धंवापक्षाभासंविवर्जयेत् ७ ॥

अक्ष०—अप्रसिद्ध-निरावाध-निरर्थ-निष्प्रयोजन-असाध्य-विरुद्ध-पक्षाभास-इनको अवश्य वर्जितकरै ७ ॥

अभि०—अनादेय व्यवहार वहकि जो मुक्कदमा कोईपेशकरै और उसकी अयोग्यता समुझकर राजा नहीं लेवै किंतु उसीसमय न लेनेके लक्षण पहिंचानकर ना मंजूर करै इसलिये ( अनादेय ) के लक्षणकहते हैं कि एकतौ ( अप्रसिद्ध ) वस्तुका अभियोग जैसेकिसीने यह नालिशकरी कि मेरा शशत्रिषाण खरहाका सींगउसने लिया अब देतानहीं तौ यह नालिश राजाको न लेनीचाहिये क्योंकि खरगोशका सींग संसारमें किसीनेदेखा और सुनाभीनहीं फिर उसका क्यासबूत और किस लिये उसकेसाधनमें उपायकरना चाहिये इत्यादि और भी अप्रसिद्धमात्र का अनुमान करलेना ऐसेही ( निरावाध )का दृष्टांत जैसे किसीने यह नालिशकरी कि मेरे घरके दीपके फैलेहुये उर्जीतेसे वह अपनेघरमें कामधंधा करताहै उसको निषेधकिया जावै तौयहभीवात असंगत है क्योंकि दीपका प्रकाश राजा नहीं रोकसक्ता या उसको निजघरमें चलने फिरनेका निषेधनहीं करसक्ता और न इसवातसे दीपकवालेकी कुछहानिहै इसलिये यह अभियोग भी अनादेयमें गिनतीकरै-ऐसेही (निरर्थ) का दृष्टांत यथा क. च. ट. त. प. ज. ड. द. ग. व. इत्यादि समस्यामात्र से बिना नामकी वस्तुका अभियोग प्रवेश करै कि धेरीएक तकारादि वा ककारादि वस्तुउसनेछीनली दिलवानी चाहिये तौ यह भी अनादेयहै-ऐसेही (निष्प्रयोजन) का दृष्टांत जैसे यह देवदत्त मेरे घरके निकट उच्चस्वरसे पढ़ताहै यामिष्ट स्वरसेगाता है निषेध कियाजावै तौयहबात भी निष्प्रयोजन होनेसे अनादेय है ( असाध्य )का दृष्टांत यथा देवदत्तने मुझपर भौंह मटकाकर उपहासकिया या अभिमानकी दृष्टिसे देखकर मुझको न्यूनसमुझा उसपर दंड कियाजावै इत्यादि और बातेंभी असाध्य जानकर अनादेय व्यवहारमें समुझनी क्योंकि भौंहका मटकाना यद्यपि सत्यभाव उसने कियाहोगा और एकप्रकारके अपराधोंमें गिनती भी है तथापि अति अल्पकाल में मटकजाने से उसकाकोई साक्षीभी नहीं होसक्ता किंतुदूरसे मटकाने और स्वल्पकालके हेतुसे कोईसाक्षी नहीं देखसक्ता फिर साक्षियोंके प्रमाण वा सबूतविना क्योंकर उसव्यवहारकी साधनाकरी जावै किउसने भ्रमंग इसपरकिया या अभिमान दृष्टिमारी इसलिये साधना के अभावसे असाध्य जानिकर अनादेयमें गिनतीकरै- (विरुद्ध) का दृष्टांत जैसे इसगूंगाने मुझेगालियां दीं वा अभिशाप किया तौ यह इसलिये विरुद्धनालिशहै कि जब गूंगा बोल नहीं सक्ता फिर क्योंकर उसने गालीदीहोंगी इत्यादि और बातेंभी विरुद्धअथवा पुरराष्ट्र आदि

से विरुद्ध अनुमान करके अनादेयमें गिनतीकरनी ( पक्षाभास ) कौभी वर्जितकरै इसके लक्षणपहले लिखचुके हैं औ जहांतक अनादेयत्वके लक्षण पायेजायँ वे भी सब दशायें पक्षाभासमें गिनतीहैं ७ ॥

अधि०— ऊपर कहेहुये अनादेयोंका निषेधकुछ व्यवहार मार्गसेनहीं कियागया किन्तु आपही उनके स्वाभाविक लक्षणसे निराकरण संसिद्धहै-अर्थात्-व्यवहार मार्गसे अनादेयों का निषेध अबकरतेहैं यथा(राज्ञाविवर्जितोयश्चयश्चपौरविरोधकृत् । राष्ट्रस्यवासमस्तस्यप्रकृतीनांतथैवच ॥ अन्येवायेपुरग्राममहाजनविरोधकाः।अनादेयास्तु तेसर्वेव्यवहाराःप्रकीर्तिताः)अर्थात् जो व्यवहारपद पहले किसीराजाने अपनी सभासे अनादेय निश्चित करिकै विवर्जित नामनामंजूर या खारिजकियाहो या जिसमें और किसी भाँतिकीरुकावट वा निषेध राजद्वारसे हुआहो वह प्रत्येकराजाके सन्मुख अनादेयहै-औरवहभी कि जो सारे पौरजनों का विरोध कारकहो-अथवा समस्त राज्यका विरोधीहो-या राज्यकी प्रकृतियों का विरोधीहो-अथवा अन्यव्यवहार येपुर ग्राममहाजनोंके विरोधकहों वे सभी अनादेय कहलाते हैं-सिद्धांत यहकि यद्यपियेव्यवहारसच्चे और श्रवण करने योग्यहों तथापि जिनसे प्रबल विरोधकी उत्पत्ति संभवहो या पहले से विरोधी कहलातेहों तौ नहीं लेने और सुन्ने चाहिये इसका नाम निषेधहै ( अनादेय व्यवहार-मुक्कद्दमा नाकाबिलसमाञ्जत ) परंतु इनके उपलक्षण से अनेक पद संकीर्ण व्यवहारों को अनादेयत्व नहीं सिद्धहोता और यद्यपि ( अनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षोत्त सिद्धयति)अर्थात्-इस वाक्यने यहकहाहै कि अनेक पदोंसे घिराहुआ पूर्वपक्ष सिद्धनहीं होता-तिसमें जो अनेक पदका अर्थ अनेक वस्तुसे आरोपितसमुझाजाय सोभी नहीं संभवहै क्योंकि अनेक वस्तुसे संकीर्ण व्यवहार लेने और सुन्ने में दोष नहीं बल्कि योग्यता पाईजातीहै (दृष्टांत) जैसे इसने मेरा हिरण्य बस्त्र रूपया आदि हरलिया तौ यह व्यवहार अनेक वस्तुसे भराहुआ होनेपरभी पूर्वापर के सिद्धांतसे कोई भाँति अनादेय नहीं होसक्ता-कदाचित् ऋणादान आदि कई भाँति के व्यवहार पदोंका संकर संकीर्णत्व मानिकर पक्षाभास व्यवस्था समुझाजाय सोभी नहीं क्योंकि ऋणादानदि पदोंके भी संकीर्ण व्यवहार आगे वर्णन किये जायँगे ( दृष्टांत ) यथा इसनेमेरे रूपये व्याजू लिये और सुवर्ण इसके हाथमें मैंने निःक्षेपकिया किन्तु धरोहर से सौंपा औरमेरा खेत यहअन्यायसे छीनताहै या छीनलियाये तीनमुक्कद्दमे एकसाथ मिलेहुये प्रवेशहुये तौ संकीर्ण होनेसे पक्षाभासमें गिनती नहीं होसक्ते इत्यादि और भी इसी लक्षण के संकरवाले जो मुक्कद्दमे दायरहों उनकेलिये पक्षत्व सिद्धहोताहै-अर्थात्-उस पूर्वोक्त वाक्यसे सिद्धांत यह निकलताहै कि अनेक पदोंके संकरवाले मुक्कद्दमह का निर्णय तहक्रीकात एक समय नहीं होती ( सिद्धांत ) यह मालूम होजाय

कि इस व्यवहारमें कई वस्तुका दावाहै तब ऐसे स्थलपर सबका साधन एकसाथ नहीं किया जाता किन्तु क्रियाभेदके हेतुसे व्यवहार यथा क्रमसे आगे पीछे निर्णय होता है— इसीकी दृढ़ता और प्रमाणता कात्यायनजी के वाक्यसे होती है— यथा (बहुप्रतिज्ञंयत्कार्यं व्यवहारे सुनिश्चितम् । कामंतदपि गृहीत्याद्राजा तत्त्वबुभुत्सया) अर्थात् जिस हेतुसे यह सिद्धांत ऊपर प्रकट हो चुका कि अनेक मुकदमों में जिस व्यवहारमें मिश्रित हों उसका पूर्व पक्ष (युगपत्) एक साथ नहीं सिद्ध हो सकता इसलिये राजा उस व्यवहार को कि जिसके कार्यमें बहुतसी प्रतिज्ञाओं अर्थात् कई मुकदमातका संकर हो तौ उसका तत्व जानने और निपटारा करने की अपेक्षासे अपनी इच्छाके अनुसार ग्रहण करे (इच्छाके अनुसार अर्थात् जैसा क्रम आगे पीछे मध्ये राजाकी इच्छामें आवै तैसेही क्रमके अनुसार उसका साधन करे) परंतु उसी अवस्थामें कि जो व्यवहारमें सुनिश्चित कहिये व्यवहार मार्गसे आदेय भी हो किन्तु जो अनादेय वादमें गिनती हो तौ नहीं— अनादेयके लक्षण यद्यपि ऊपर कहे गये परंतु यहाँपर नारदजीके वाक्यसे कुछ विशेष लक्षण कहते हैं - यथा ( एकस्य बहुभिः सार्द्धस्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाहतः ) अर्थात्— एक पक्षका वाद बहुतों के साथ हो या परस्पर स्त्रियों का विवाद हो या प्रेष्यजन का वाद हो तौ वह वाद राजाको अनादेय है यह धर्मज्ञोंने कहा था— इसलिये ऐसे व्यवहार पदोंको लेना अस्वीकार करै— इस वार्ताकी विशेष व्यवस्था दृष्टांत सहित पाँचवीं अधिकोक्तिके मध्यमें लिख चुके हैं देख लो (अर्थी) के उपलक्षणमें कदाचित् किसी हेतुसे उसके पुत्र पौत्रादि भी अर्थीवत् अंगीकार हैं परस्पर एकार्थत्वकी मुख्यतासे— अथवा किसी हेतुसे नियुक्त किया हुआ नियोगी भी तद्वत् अंगीकार है क्योंकि जब नियोगी उचित मर्यादासे किसी कार्यके अभियोगमें नियुक्त किया जाता है तब अर्थीके प्रतिरूप हो जाता है इसीलिये नियोगीको प्रतिनिधि भी कहते हैं (नियोगी-प्रतिनिधि अर्थात्-मुख्तारकार) तथा च धर्मः (अर्थिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिप्रहितोऽपि वा । यो यस्यार्थविवदते तयोर्जयपराजयो) अर्थात्— अर्थीकानियुक्त किया हुआ मुख्तार अथवा प्रत्यर्थीका लगाया हुआ नियोगी यह दोनों प्रतिनिधि जो जिसके लिये विवाद करता है उन्हीं दोनोंकी जयपराजय होती है किन्तु प्रतिनिधियोंकी जय अथवा पराजय जो कुछ राजसभामें धर्मके अनुसार हो जावै वही जयपराजय उनके मूलस्वामियोंकी निश्चित है— अन्यच्च (दैवे पित्र्ये च वाणिज्ये राजद्वारे विशेषतः । यद्विदध्यात्प्रतिनिधिस्तन्नियंतुः कृतिर्भवेत्) अर्थात् देवकर्म पूजापाठ तीर्थव्रत यज्ञादिमें और पित्र्यकर्म श्राद्धादिमें वाणिज्यकर्म व्यापारादिमें और राजद्वारमें विशेषतासे यह धर्म है कि जो कुछ मूलस्वामीकी ओरसे उसका प्रतिनिधिकरै सो सबकराधरा उसके नियंता मूलस्वामीका करनाधरना ठहरै और उसीके हानिलाभमें गिनती हो— इसलिये यह प्रतिज्ञा भी उन दोनोंके परस्पर

पहले लिखी जाकर प्रमाण हो जानी उचित है कि मैं इस नियोगीको अपनी ओरसे अमुक अभियोगमें नियुक्त करता हूँ इसके करे धरे को सब अपना कृत्य स्वीकार करूँगा-ऊपर व्यवहारोंका अनादेयत्व न लेना जो वर्णन किया था सो आवेदन समय पर नहीं किन्तु आवेदन प्रवेश हो जाने पीछे अर्थके इजहारोंसमय अनादेयत्वके लक्षण समुभकर अस्वीकार करना कहा है-और यद्यपि आवेदन समय भी राजाको यह स्वाधीनता है कि शशविषाण वा दीपक प्रकाश आदि प्रत्यक्ष अनादेयोंको तत्काल वर्जित करे कुछ इज्जहारोंकी आवश्यकता नहीं है तथापि इसलिये इज्जहारोंके पीछे अस्वीकार करना कहा है कि न जाने कोई अधिक हेतु उसमें पाया जाय-इसीलिये भाषापादनामक अर्थके इज्जहार लिखनेमध्ये कात्यायनजीने यह विशेष मर्यादा कही है-यथा (पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं प्राड्विवाकोऽभिलेखयेत् । पांडुलेखेन फलकेततः पत्रे विशोधितम्) अर्थात् पूर्वपक्षके इज्जहार अर्थकी स्वाभाविक बोलचालमें उच्चारण किये हुये जैसा वह मुखसे कहता जावे तैसा ही काष्ठ आदिकी पट्टी पर खडियाकी लेखनीसे प्राड्विवाक साधारण भाव सब लिखवावे या अपने हाथसे लिखे तिस पीछे विशोधित करिके कागद पर चढ़ावे किन्तु यदि शोधन समय अनादेयत्वके लक्षण पाये जायँ तौ फिर शोधन करने या पत्रारूढ़ करने की कुछ आवश्यकता नहीं तत्कालनालिशनामंजूर करे और जो आदेयत्व समुभा जाय तौ फिर शोधन करना केवल इतना आवश्यक है कि जो अर्थने उलटी टेढ़ी वाणीसे लिखवाया हो तौ लिखने पढ़ने की रीतिसे शब्दोंकी शृंखला बाँध कर क्रमसे लिखलेना जिस्से निर्णय और विचारके समय अच्छा समुभ्रमें आवै परन्तु यह सिद्धांत नहीं है कि उसके कथन में से कोई वात न्यून अधिक अपनी ओरसे करे-अथवा किसी बिरले अभियोगमें उस भाषापादके पूर्वलेखमें कोई वार्त्ता निपट असंगत हो और सभापतिकी शुभसंमतिमें आवश्यक उचित समुभा जाय तौ अर्थसे फिर उच्चारण करवा कर शोधन कर देवे तब कागद पर लिखे इसमें अर्थको भी अधिकार पाया जाता है कि वह अपने इज्जहार दावे में भूलीचूकी वात की तरमीम् फिर करवा सक्ता है (तरमीम्) अर्थात् न्यून अधिक रीतिसे शोधन-पर शोधन करना या करवाना कुछ निर्विकल्पनियम नहीं है-और आवश्यकता की दशा में भी यह शोधन तभी तक संभाव्य है कि जब तक उत्तर न लिखा जावे-तथा चना-रदः (शोधयेत् पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम् । अवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत्) अर्थात् पूर्ववाद भी तब तक शोधन करा सक्ता है जब तक उत्तर पत्रका दर्शन न हो किन्तु उत्तरसे आक्रांत प्रतिरुद्धका शोधन बंद हो क्योंकि फिर पीछेके शोधनसे अनवस्था प्रकट होती है-कदाचित् पूर्वपक्षके शोधन हुये बिना उत्तर दिलवाने अथवा और किसी असावधानी आदि प्रबल हेतुसे यदि कोई सा अन्याय प्रत्यक्ष प्रकट हुआ हो तौ फिर भी राजाको अधिकार है कि जिन सभासदोंका दोष इस वार्त्तामें पाया जाय तिन

को वह दंड जो राग लोभ आदि दशाओंमें चौथे श्लोक मूलसे कहचुकेहैं सो देकर और फिर दुसराकर प्रतिज्ञा पूर्व नयेसिरेसे उस व्यवहारका प्रवर्त्तनकरवावै ७ ॥

अवनीचेके परिच्छेदमें यहवात प्रकटहोगी कि अत्रोक्तरीतिसे शोधनकिया हुआ इज्हारदावा जब कागद पर लिखजावै तिस पीछे क्या करनाचाहिये ॥

अथ उत्तर पाद नाम पंचमः परिच्छेदः ॥

इस परिच्छेदमें प्रत्यर्थीके इज्हार अर्थात् जवाबदावे की प्रक्रिया कहीजायगी ॥

श्रुतार्थस्थोत्तरंलेख्यं पूर्वावेदकसन्निधौ ८ ॥ अप्टमस्यपूर्वावेदोयम् ॥

अक्ष०—( श्रुतार्थ ) नाम प्रत्यर्थी तिसका उत्तर लिखवानाचाहिये प्रथम आवेदन कर्ताके समीप सन्मुख ८ ॥

अभि०—प्रत्यर्थीको श्रुतार्थ इस्से कहा कि उसने भाषा पादका अर्थ कहिये प्रयोजन लिखतेहुये अपने सन्मुख सुनाहै अब अपना उत्तर यथावत् लिखवासकैगा-इसके इज्हारोंको उत्तर इसलिये कहा कि पूर्व पक्षवालेसे उत्तर कालमें इसको कहनापरता है-यथार्थ भावसे उत्तर उस वार्त्ताका नामहै कि जो पूर्व पक्षका निराकरण करसकै ( इसका आशय समुभौ नीचे अधिकोक्तिमें ) ८ ॥

अधि०—अत्रोत्तरलक्षणं यथा ( पक्षस्यव्यापकंसारमसंदिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्य मित्ये तदुत्तरं तद्विदोविदुः ) अर्थात्-उत्तरके जाननेवाले चतुरलोग उत्तर इसको कहतेहैं कि जो पूर्व पक्षका ( व्यापक ) हो किंतु भाषा पादका निराकरणकरदेनेमें समर्थहो-सारहो किंतु न्याय करनेयोग्यहो न्यायसे बाह्य न हो ( असंदिग्ध ) हो किंतु जिसमें कोईसा संदेह न उठसक्ताहो अथवा संदेहरूपसे कहाजावै-( अनाकुल ) हो किंतु पूर्वापरके जोड़तोड़से विरुद्ध न हो-( अव्याख्यागम्य ) हो किंतुसमुझनेमें अप्रसिद्ध पदोंके प्रयोगसे या दुश्चिह्न विभक्तियोंके समास अध्याहारसे अथवा अन्यदेशी बोलीके अभिधानसे व्याख्या करनी न परै तत्काल बिना व्याख्याकेही बोध जिसका होसकै वह उत्तर श्रेष्ठहोताहै-वही उत्तर चार प्रकारकाहोता है यदि यथार्थ सच्चे भावसे दियाजाय-तथाचकात्यायनः( सत्यमिथ्योत्तरंचैवप्रत्यवस्कंदनंतथा । पूर्वन्यायविधिश्चैव मुत्तरंस्याच्चतुर्विधम् ) अर्थात्-उनचारोंके ये चारनाम और उपनाम हैं ॥

सत्यउत्तर १	मिथ्याउत्तर २	प्रत्यवस्कंदन ३	पूर्वन्यायविधि ४
संप्रतिपत्ति ।	अपह्नवोत्तर ।	कारणोत्तर ।	प्राङ्न्याय ।
स्वीकारता ।	निह्नवकरना ।	कारण ।	पूर्वजितः ।
इक्रवाल ।	इनकार ।	उज्जरस्त्रास ।	उज्जरफैसलेसाबिक्र ।

इनचारोंके भिन्न २ लक्षणयथा ( साध्यस्यसत्यवचनं प्रतिपत्तिरुदाहता ) अर्थात् साध्यकार्यके निमित्तमें प्रत्यर्थीका सत्यवचन उत्तरहो तौ वही संप्रतिपत्ति या प्रति-

पत्ति उत्तर कहलाता है इसीको लौकिकमें ( इकबालदावी ) कहते हैं (दृष्टांत) यथा किसीने नालिशकरी कि मेरे सौरूपया यह धरावताहै उसने उत्तरदिया कि सत्यहै मैं इसके सौरूपया धरावताहूँ १-दूसरामिथ्या उत्तर उसे कहते हैं जहां प्रत्यर्थी उत्तर देवै कि मुझपर कुछनहीं इसका चाहिये यह झूठाहै इस उत्तरमें दोनोंवात हैं चाहै अर्थी सच्चाथा और इसने झूठा कहदिया अथवा यथार्थ में उसके रूपये नहीं थे झूठी नालिश करनेसे झूठाथा और प्रत्यर्थीने अपने सच्चापनसे उसको झूठा कहा तौ १ इस उत्तरकानाम मिथ्या यद्दानिह्व या अपह्व कहलाताहै इसीको (इनकार दावी)कहते हैं-तथाचकात्यायनः ( अभियुक्तोऽभियोगस्ययदिकुर्यादपह्वम् । मिथ्यात तुविजानीयादुत्तरंव्यवहारतः ) अर्थात्-अभियुक्त जो प्रत्यर्थीहै सो यदि अपने ऊपर किये गये अभियोगका अपह्व अपलापकरै सच्चनहीं बतावै तौ उस उत्तरको व्यवहार मार्गसे मिथ्यारूपमें जानै-यह मिथ्योत्तर भी चार प्रकारका होताहै-यथा ( मिथ्यै तन्नाभिजानामितदातत्रनसन्निधिः । अजातश्चास्मितत्कालइतिमिथ्याचतुर्विधम् ) अर्थात्-एकतौ यह कि जबसाफझूठ बतावै-एक यह कि मैं इसवातको निपट जानता-हीनहीं कैसे रूपये क्यावातहै एकयह कि उसवक्त जबका यहचर्चा करताहै या उस जघे जहाँ रूपये दियेलिये बतलाताहै मेरीसमीपताभी नहींथी मैंउसदिन थाहीनहीं अमुकदेशांतरको गयाथा उसजघे जानेआनेकाभी मेरावास्तानहीं एकयह कि मैंउस कालमें पैदाही न हुआथा मेराजन्मही तब नथा या तबतक मैंइसदेशमें वसताभी न था पीछेआकर बसाहूँ यहचारभेद केवल एक मिथ्योत्तरके कहे २-तीसराप्रत्यवस्कंदनउत्तर-यथाहनारदः ( अर्थिनालिखितोयोर्यःप्रत्यर्थीयदितंतथा । प्रपद्यकारणंब्रू यात्प्रत्यवस्कंदनंस्मृतम् ) अर्थात्-अर्थी ने जोकुछ अर्थ अपना लिखावा लिखवाया उसपरयदि प्रत्यर्थी पहुँचकर उसीतरहका कोईसा कारण बतलावै तब उसकारणोत्तरकोही प्रत्यवस्कंदन भी कहते हैं दृष्टांत यथा हाँ सत्यहै यह वात सौरूपया मैंने इससे लिये थे परन्तु उद्धार कर दिये अब कुछ नहीं चाहिये दूसरा (दृष्टांत)जैसे प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया कि हाँ ठीक है यह अमुकधन इसके पिताने मुझको दियाथा परन्तु प्रतिग्रहद्वारा दिया था यह कारणहै इसीको ( उज्जरखास ) कहते हैं ३-चौथा प्राङ्गन्यायोत्तरउसे कहते हैं जहाँ मुद्दाअलेह ऐसा कहे कि जिसप्रयोजन से इसने मुझपर नालिशकरी तिसमें यह पहलेही व्यवहारमार्गसे पराजित होचुका है-सोई कात्यायनजी ने इसका प्रकारभी कह दिया है-यथा ( आचारेणावसन्नोपिपुनर्लेखयते यदि । सोभिधेयोजितःपूर्वप्राङ्गन्यायस्तुसउच्यते ) अर्थात्-जो मुद्दई अपने आचार कहिये अदालतके कर्तव्य अमलसे विकृत हुआ अवसन्न होकर परिच्युत हुआहो और वही फिरकभी उसवार्ताको लिखवावै तौ वहमुद्दई पूर्वजित कहलाता है और



उसीको प्राङ् न्यायभी कहतेहैं सिद्धांत इसका यह कि जिसअर्थी ने एक अभियोग पहले कभीराजद्वारमें प्रवेश कियाहो और वह खारिजहो चुकाहो अथवा उसकेविपरीत फैसल होचुकाहो उसीवार्त्ताको फिर अदालतमें प्रवेशकरै तब उसके प्रत्यर्थीको उत्तर पादनामक जवाब दावेमें यही उत्तर लिखवाना चाहिये कि इसवार्त्तामध्येपहले अमुक समयपर न्यायहोचुकाहै इसीलिये इसउत्तरको पूर्वन्यायविधि कहते हैं और इसीको ( उजरफैसलेसाविक्र ) भी भाषांतरसे कहतेहैं-इसप्रकार उत्तरदेनेके लक्षण स्थित होनेमें जो जो प्रत्यर्थी जहाँकहीं उत्तरके लक्षणोंसे रहित होतेहैं वे सब उत्तरवत् अवभासमान होनेसे उत्तराभास कहलाने लगतेहैं अर्थात् प्रयोजनके अभिप्राय से आपही उनकाउत्तराभासत्व सिद्धहोजाताहै इसलिये योगीश्वरने उत्तराभासोंऔर पक्षाभासोंके भिन्न लक्षण नहीं दर्शाये-परन्तु-स्मृत्यंतरमेंस्पष्टरूपसेकहेहैं-यथा (संदिग्धमन्यत्प्रकृतादत्यल्पमातिभूरिच । पक्षैकदेशव्याप्यन्यत्तथानैवोत्तरंभवेत् ॥ यद्व्यस्तपदमव्यापिनिगूढार्थतथाकुलम् । व्याख्यागम्यमसारंचनोत्तरंस्वार्थसिद्धये) अर्थात्-एकतौ ( संदिग्ध ) उत्तर संदेहका भराहुआ यथा सौ सुवर्ण इसने लिये यहकहने पर सच्चहै मैंनेलिये पर जानै सौ सुवर्ण या सौमाषलिये अथवा यों कहे कि हाँ सौसुवर्ण अर्थात् सौमाषसुवर्ण मुझपर चाहिये इस व्यंगतासे कहे तौभी संदिग्ध उत्तरमें गिनतीहै-दूसरा ( प्रकृतान्यत् ) उत्तर जो प्रकृत प्रयोजनसे भिन्नहो जैसे सौसुवर्णके अभियोग में उत्तर देवै कि इसके सौ पण धराताहूँ-तीसरा ( अत्यल्प ) उत्तर जो अति स्वल्प होने से प्रयोजनका आशय प्रकट न करता हो अथवा इसप्रकारसे कि सौकी नालिश में पंचाश या पांच धराताहूँ-चौथा ( अतिभूरि ) उत्तर जो अति लम्बी चौड़ी कथाके प्रकार से कहाजाय अथवा इसप्रकारसे कि सौकी नालिश में सौ क्या इसके दोसौ धराताहूँ-पाँचवां ( पक्षैकदेशव्यापी ) उत्तर जो अभियोग सम्बन्धी पक्षमात्रकी दशवातों में से किसी एक देश व्यापिनी बातका उत्तर दियाजाय जैसे हिरण्य वस्त्र पशु आदि अनेक वस्तुकी मिलीहुई नालिश में उत्तर देवै कि सोना मैंने लिया है और कुछ उत्तरनहीं छठा ( व्यस्तपद ) उत्तर जैसे ऋणदानके अभियोग में पदांतर से उत्तर देना दृष्टांत यथा किसीने सौसुवर्णकी नालिश करी वहउत्तर देवै कि इस ने मुझेपीटाहै-सातवां ( अव्यापी ) उत्तर जिसमें देशस्थानआदि लक्षणोंका विशेषणव्याप्त नहो दृष्टांत जैसे मुद्दईने लिखवाया कि मध्यदेश सम्बंधिनी बाराणसीपुरीमें पूर्व दिशा में अमुकनामका खेत इसने हरलिया वह उत्तर देवै कि हां खेतमैंनेहरा पर औरकुछ पता नहीं बतावै-आठवां ( निगूढार्थ ) उत्तर जैसे किसीने सौसुवर्णकी नालिश करी वह उत्तर देवै क्यामैंही ऋणधराताहूँ इस निगूढवचनकी अर्थध्वनि यह सूचनाकरतीहै कि प्राङ्विवाक वाअर्थी वा सभ्यजनभी औरोंका ऋणधराते हैं-नववां ( आकुल ) उत्तर

जो पर्वापर संबंधसे विरुद्धहो जैसे सौसुवर्णके अभियोग में उत्तर देवै किसत्य मैंनेसौ सुवर्ण इसके लिये पर धरावतानहीं-दशवां (व्याख्यागम्य) उत्तर जो दुर्दिलष्ट विभक्ति समास अध्याहार के अभिधानसे कहाजाय अथवा अदेशभाषाके अभिधानसे कहा जाय-जैसे-किसीपर सौसुवर्णकी नालिश उसके बापके ऋणमध्येहुईहो और मुद्दाअ-लेह जवाबदावेमें उत्तर लिखवावै जिसकोयथार्थ यहउत्तर लिखवाना चाहिये था कि मुझे मेरे बापने सौ सुवर्णका ऋणलेने मध्येसंबोध नहींकिया इसउत्तर के प्रतिस्थान बनावटके साथ ऐसा लिखवावै कि (गृहीतशतवचनात्सुवर्णानांपितुर्नजानामि) अत्रगृहीतशतस्यपितुर्वचनात्सुवर्णानांशतंगृहीतमिति नजानामीत्यर्थः-अर्थात् ऋणसंबोधन के अनुसार लेनेवाले सौके मेरेबापके मैं सुवर्णकी अपेक्षा कुछनहीं जानता-इसबनावटका सिद्धांत यह कि सौ सुवर्णलेनेवाले पिताके बचनद्वारा मैंयह नहींजानता कि सौ सुवर्णपिताने लियेथे या नहीं-ग्यारहवां (असार) उत्तर जोन्यायसे विरुद्धहोजैसे किसीने नालिश करी कि इसने सौ सुवर्ण मुझसे व्याज लिये उनका व्याज तौ देदिया पर मूल नहीं दिया इसके मध्येवहउत्तरदेवै कि सत्य मैंने व्याज दियापरमूल इस्से नहीं लिया तौ यहवाक्य न्यायसे विरुद्ध है क्योंकि जो मूलनहीं लेता तौ व्याज क्यों देता इन ग्यारहप्रकारकेउत्तरोंमेंसे कोईसाभीउत्तर उसकास्वार्थसिद्धि योग्यनहीं है अर्थात् इसप्रकारके औरभी अनेकउत्तर सबअनुत्तरमें गिनतीहैं-औरभी इनउत्तरोंके श्लोकों के अंतमें (नोत्तरंस्वार्थसिद्धये) इसमें उत्तरशब्द यह एकबचनके निर्देशपूर्वकहनेसे कईउत्तरोंका संकरभावदूरकियाहै तहाँ सत्य १ मिथ्या २ कारण ३ पूर्वन्याय ४ इन पूर्वोक्त चारो या तीनिहीकासंकरभावसमुभना (संकर अर्थात् उत्तरोंकामिलाप) सोई कात्यायनजीनेकहाहै-यथा(पक्षैकदेशेयत्सत्यमेकदेशेचकारणम् । मिथ्याचैवेकदेशेचसंकरात्तदनुत्तरम् ) अर्थात्-पक्षमात्रके एकदेशकहिये एकभागमें सत्यउत्तरकादेना कि हाँ यहवस्तुमैंने लीहै-और उसीपक्षमात्रके एकभागमें कारणोत्तरकादेना कि हाँ यह वस्तु मैंनेलीथी पर देदी अथवा ऋणकी रीति से नहींली प्रतिग्रहद्वारापाईथी-पुनि उसीपक्षमात्रके एकओर मिथ्योत्तरका देना कियह वस्तु निपटभूँठहै मैंने नहींली-यह तीन उत्तरों का संकरहोने से अनुत्तर में गिनती है-तथापि-उन्हीं कात्यायनजी ने अनुत्तरत्व मध्ये कुछ विशेष हेतु कहाहै-तथा (नचैकस्मिन्विवादेतुक्रियास्याद्वादिनो द्वयोः । नचार्थसिद्धिरुभयोर्नचैकत्रक्रियाद्वयम् ) अर्थात्-एक विवाद में दोनों बा-दियों की (क्रिया) न होवे अर्थात् दोनों के प्रमाण वा सबूत मध्ये व्यवहार क्रिया न करीजावे(किन्तु एकही से कि जिसपर उचित हो सबूत मांगाजाय ) और दोनों की अर्थ सिद्धि भी नहीं किन्तु एकही की उचित है और ( यदि दोनों की क्रिया अवश्यही करनी परै तौ ) एकत्र एकजघे नहीं (अर्थात् एकसाथ नहीं किन्तु आगे



पीछे कर्तव्यहैं-इसीलिये अब संकरोत्तरोंकीक्रिया साधनमध्ये दृष्टान्तोंसहित व्यवस्था कहते हैं और यह भी प्रकट करते हैं कि अमुकामुक सूरतोंमें संकरोत्तर भी उत्तरत्व में गिनती हैं अनुत्तरत्वमें नहीं-क्योंकि-मिथ्योत्तर कारणोत्तर इनदोनोंका संकर मिश्री भावहोनेमें अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंकोही क्रिया पहुंचती है अर्थात् यह आग्रह करसक्ते हैं कि ऐसी दशामें दोनोंका सबूतलेना चाहिये-तद्यथा ( मिथ्याक्रियापूर्ववादेकारणेप्रतिवादिनि)अर्थात्-जो प्रत्यर्थी मिथ्याउत्तरदेवै तो उसमिथ्योत्तरका सबूत प्रमाण पूर्ववादीसे लेना चाहिये और जो उसने कारण उत्तरदिया होवै तो उसकारणोत्तरका सबूत प्रमाण उसी प्रतिवादीसे लेना चाहिये-सो यह दोनों बातें एकही व्यवहारमें विरुद्ध हैं क्योंकि अभी ऊपर कात्यायनजी के वाक्यसे कहचुके हैं कि एकविवादमें दोनों वादियोंकी क्रिया न होवे इसलिये इसकासिद्धांत केवल इतनाहै कि जिस अभियोग में प्रतिवादी मिथ्योत्तर देवै तिसमें पूर्ववादीका सबूतलेवै जिसमुकदमेमें कारणोत्तर देवै तिसमें उसी प्रतिवादीका सबूतलेवै किंतु यह भिन्न व्यवहारकी व्यवस्थाकही है-और ऊर्द्धोक्त एकही व्यवहारमें दोनों के विरुद्ध भावका दृष्टांत यथा इसने सुवर्ण और सौरूपयेभी लिये इस एकही अभियोगमें यदि प्रत्यर्थी उत्तर दोभांतिके देवै कि सोना मैंने नहीं लिया यह मिथ्योत्तरहुआ और सौरूपये मैंने लिये थे पर उद्धारकर दियेयह कारणोत्तरहुआ सो यह दोनों विरुद्धहैं और इसीसेअनुत्तरमें गिनती हैं-जहां कारणोत्तर पूर्वन्यायोत्तर इनदोनोंका मिश्रीभावहो तहां प्रत्यर्थीकीही दोनों क्रिया हो सक्ती हैं अर्थात् मुद्दाअलेहकोही दोनों बातका सबूत प्रवेश करनाचाहिये इसवार्ता में यह वाक्यभी प्रमाणहै कि ( प्राङ्न्यायकारणोक्तौतु प्रत्यर्थीनिर्दिशेत्क्रियाम् ) अर्थात्-जो प्रत्यर्थी प्राङ्न्यायोत्तर और कारणोत्तर प्रवास करै तो वही इन दोनों की प्रमाण क्रियाभी दर्शावै-दृष्टांत जैसे प्रत्यर्थी कहे कि सोना मैंने लिया परन्तु देदिया और चाँदी वा रूपके मध्ये इसने पहले भी मुझपर नालिशकरीथी उसमें अर्थीका अभियोग स्वारिज होचुका है परन्तु यह बात इसलिये विरुद्ध है कि प्राङ्न्याय का प्रमाण जयपत्रसे अथवा पहलान्याय करने वालोंसेहोगा और कारणोत्तरका प्रमाण उसको साक्षियों से अथवा दस्तावेज आदि लेख्य पत्रों से देनाहोगा-ऐसेही जिस उत्तरपादमें तीनि उत्तरोंका संकरहो उसका कथन करते हैं जैसे किसीने नालिशकरी कि इसनेसौसुवर्ण और सौरूपये और वस्त्रभीलियेहैं इसअभियोगमें प्रत्यर्थीउत्तरदेवै कि सोना मैंने नहींलिया और चाँदीलीथी परन्तु देदीथी और वस्त्रों मध्येपहलेइसने नालिशकरीथी उसमें हारचुकाहै तो यह उत्तरभी अनुत्तरत्वमें गिनतीहै-ऐसेही जहां चारों भांतिका संकरहो तहांभी अनुत्तरत्व समझलेना-परन्तु इनका अनुत्तरत्व उस दशामें समुझना चाहिये कि जो एकसाथ एकसमय सब उत्तरोंका संकर भाव कर-

## मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

३०

दियाजावै और जबतक उन उत्तरोंका प्रमाण प्रत्यर्थी के कथनानुसार पूरी सिद्धिको न पहुँचलेवै अर्थात् जिस २ उत्तरका प्रमाण प्रत्यर्थी देताजावै उसीको उत्तर में गिनती करना चाहिये क्योंकि जो निपट अनुत्तरमें गिनती कियेजायँ तौ फिर संकर भावकी नालिशमें उत्तरोंकाभी संकरभाव हुये बिना उत्तरपाद सिद्धहोना दुर्लभ हो- जाय इसलिये यह सिद्धान्त है कि क्रमसे उनको कहना चाहिये क्रमसे कथन करने में उत्तरत्वमेंही गिनती होसके हैं क्रमकीसंस्था अर्थी या प्रत्यर्थी या दोनों या सभा सदां वा हाकिमोंकी भी इच्छाके अनुसार होसकीहै-जिसदशामें दोकारण अर्थात् दो उजूर मिलेहों उनदोमेंसे जो एकप्रभूतार्थ विषयहो उसकानिर्णय प्रथम करना चाहिये तिसपीछे उसका कि जो पहलेकी अपेक्षा तुच्छहो-परन्तु जिस उत्तरपादके लेख में संप्रतिपत्ति अर्थात् दावेकी स्वीकारताहो और उसकेसाथ किसी कारणभूत उत्तरांतर का भी संकरहो तब ऐसी दशामें उस उत्तरांतरकेही आश्रयभूत व्यवहारका निर्णय नियतहोगा क्योंकि संप्रतिपत्तिमें निर्णयकी अपेक्षा नहीं है-यही प्रमाण हारीतने भी कहाहै-यथा ( मिथ्योत्तरंकारणंचस्यातामेकत्रचेदुभे । सत्यंचापिसहान्येनतत्रग्राह्यं किमुत्तरम् ) अर्थात्-यह प्रश्नहै कि यदि मिथ्योत्तर और कारणोत्तर दोनों इकट्ठे प्रवेश कियेजायँ अथवा सत्योत्तर के साथ कोई दूसरा कारण प्रवेश किया जाय तिनमें किसकी क्रिया प्रथम होनीचाहिये इसमें क्या उत्तरहै यहकहकर उन्हीं हारीत ने यह कहा कि ऐसा पूँछाजाय तौ यह उत्तर देना चाहिये कि ( यत्प्रभूतार्थविषयं यत्रवास्यात्क्रियाफलं । उत्तरंतत्रतज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोन्यथा ) संकीर्णं भवतीतिशेषः ऐ च्छिकःक्रमो भवतीत्यर्थः-अर्थात् इसका यह उत्तरहै कि उन दोमें से जो एक विषय प्रभूतार्थ हो किंतु उसवादमें प्रबल समुभाजाय अथवा जिसके आधीन क्रियाका फल प्रकट होसकाहो उसीका निर्णय प्रथम भिन्नवत् करना चाहिये और जो उनदोनों बातोंके परस्पर इसकथनके अनुसार अन्तर नहो किंतु कोई और भांतिका डौल प्र- तीत होताहो तौ फिर किसीअन्यप्रकारसे अर्थी प्रत्यर्थी आदिकिसीकी इच्छाकेअनु- रूप क्रम नियतकरना चाहिये-(प्रभूतार्थ)कादृष्टांत जैसे किसीनेनालिशकरी कि इसने मुझसे सौसुवर्ण और सौरूपये और वस्त्रभी लियेथे इस अभियोगमें यदि प्रत्यर्थी ती निभांतिके ऐसेउत्तरदेवे सुवर्ण मैंने लियेथे रूपयेनहींलिये कपड़ेलियेथे पर उद्धारकर दिये तौ इसदशामें मिथ्योत्तर जो सौरूपयेका न लेना उसनेकहा सो प्रभूतार्थ विषय निश्चित हुआ क्योंकि सुवर्णका सत्योत्तर दिया उसमें निर्णयकी अपेक्षा नहीं रही और वस्त्रोंका लेना तथा उद्धार करदेना कहताहै इसलिये यह थोड़ीबात है इसका निर्णय पीछे से उद्धारकरदेने मध्ये होनाचाहिये क्योंकि लेना तौ वह आपही कहचुका परन्तु रूपये मध्ये जो निपट इनकारकरी यह बहुत बड़ीबातहै चाहे भूँठ हो या सच

हो पर इसीका निर्णय पहले कर्तव्य है और इसके निर्णयमें अर्थाका प्रमाण वा सबूत सब लेना चाहिये कि तूने किसप्रकारसे या किसकेसन्मुख दियेथे क्योंकि (मिथ्याक्रिया पूर्ववादे) इसन्यायसे पूर्ववादीपर क्रिया आवश्यक है-इस पीछे वस्त्र विषयका निर्णय जो कर्तव्य है तिसमें उसनेकारण उत्तर दियाथा इसलिये (कारणे प्रतिवादिनि) इस न्यायसे प्रतिवादीका प्रमाण वा सबूत सबलेना चाहिये कि तूने किसप्रकारसे और किसके सन्मुख उद्धार करदियेथे-ऐसेही जहां मिथ्योत्तर और प्राङ्न्यायोत्तर इनदोनों का संकर भाव हो अथवा कारणोत्तर और प्राङ्न्यायोत्तर इनदोनोंका संकर हो उसमें भी समुभलेना दृष्टांत-यथा-उसी पूर्वोक्त अभियोग में जिसमें तीन वस्तुका दावा ऊपरकहाथा उसमें प्रत्यर्था दोप्रकारके उत्तरदेवै कि सोना और चाँदी ये दोनों मैंने लियेथे देऊँगा परन्तु वस्त्रमैंने नहीं लिये अथवा लियेथे देदिये यह कारण बतलावै अथवा पूर्व न्याय बतलावै कि उन वस्त्रों मध्ये पहलेभी मुझपर इसने नालिश करीथी उसमें हारचुका इसदशामें यद्यपि संप्रतिपत्ति अर्थात् स्वीकारता उत्तरका विषय बहुत बड़ाहै क्योंकि सोना चाँदी दो वस्तुमें सत्योत्तर उसनेदिया तथापि इस प्रभूतार्थका निर्णय आवश्यक नहीं क्योंकि स्वीकारतामें प्रमाण और सबूतकी तहक्रीकात करना व्यर्थ है इसलिये पहले मिथ्योत्तरका निर्णय अथवा कारणोत्तरका या पूर्वन्यायका जैसा मुकदमे काडौल हो उसके अनुसार करना चाहिये-जहाँ मिथ्योत्तर और कारणोत्तर दोनों एकही पक्षसे अर्थात् एकही इल्जामसे सम्बन्धित कियेजायँ-दृष्टांत जैसे कोई मुद्दईसींगा बनिकर किसीको यह दोष लगावै कि यह गायमेरी है अमुक समयपर खोइगई थी अबइसके घरमें देखपाई मुद्दआअलेह यहउत्तरदेवै कि इसका कथन भूँठहै क्योंकि जिसकालमें खोगई बतलाताहै उससे पहले मेरेघरउपस्थितथी या यहकहे कि मेरेघर उत्पन्नहुई इसहेतुसे यहभूँठहै तौ यहउत्तरपादअनुत्तर मेंगिनती नहींहोसक्ता क्योंकि यहउत्तरदावेदारका पक्षनिराकरण करनेमेंसमर्थ है और यहकेवलमिथ्योत्तरनहींहै क्योंकि इसमेंकारणोत्तरका उपन्यासहुआहै परन्तुयहकारणोत्तरभीनहींहै क्योंकि इसमें प्रत्यर्थीने दावेकाकोईअंश अपनेऊपर स्वीकार नहींकिया जिसकेसाथ कारणका लक्षणपायाजाय इसलिये इसको सकारण मिथ्योत्तर अर्थात् कारणकरकेसहित मिथ्योत्तरकहना चाहिये और इसमेंप्रमाण वा सबूतमध्येक्रियापहले प्रतिवादीकी चाहिये क्योंकि जब प्रतिवादी कोईसा कारणबतलावै तब (कारणेप्रतिवादिनि) इसन्यायसे उसीपर तहक्रीकात उचितहोतीहै-शंका-क्योंजी (मिथ्याक्रियापूर्ववादे) इसन्यायसे पूर्ववादीकीही तहक्रीकात क्योंनहोनी चाहिये क्योंकि उसनेमिथ्योत्तरभी इसप्रकारसेदिया था कि यहसींगा अपनीगाय बतलाताहै सो यहकथनइसका मिथ्याहै तहां इसशंकाका यह समाधान है कि वह मिथ्योत्तरकी मर्यादा केवल शुद्ध-

मिथ्योत्तरसे सम्बन्धित है और यहांपर सकारण मिथ्योत्तर है-इससमाधानके खण्डन करनेको कदाचित् यहतर्कना खड़ीकरीजाय कि जैसे वहमर्यादा केवल शुद्धमिथ्योत्तर से अपेक्षारखती है तैसेही (कारणेप्रतिवादिनि) यहमर्यादाभी शुद्धकारणसे सम्बन्धित होनी चाहिये क्योंकि यहांपर मिथ्योत्तरसहित कारणोत्तर है इसमेंक्योंकर प्रतिवादीके जिम्मेतहकीकृत रक्खीगई तौ इसखण्डनका यहमंडन है कि यहखण्डन इसहेतुसे व्यर्थ है कि कोईभी कारणोत्तर ऐसानहींहोता जिसको शुद्धकारणोत्तर कहसकें क्योंकि कारणोत्तर प्रत्येकअवस्थामें मिथ्यासहचरित रूपसेआता है किन्तु सदैवही कारणके साथमें मिथ्याका संसर्ग बनारहता है-अर्थात् कारणोत्तरका यहस्वरूप है कि उसमेंसाधारणभावसे कुछस्वीकारताहोती है और कुछअस्वीकारता जिसेमिथ्योत्तर या इन्कारभी कहतेहैं-दृष्टांत-जैसे सौरूपयेकेलेनेमध्ये स्वीकारकिया कि सत्य मैंनेलियेथे सौ रूपये परन्तु अवधरावतानहीं इसके क्योंकि उद्धारकरचुका यह अस्वीकारके लक्षणसे मिथ्योत्तरभी स्वीकारताके साथहीमें लगादियाजाय तौ यह उद्धारकरदेना उसनेकारण प्रकटकिया परन्तु स्वीकार और अस्वीकार दोनोंमिलकर कारणबना इसलिये शुद्ध कारण किसीदशामें भी नहीं होसक्ता और जो कि इसदृष्टांतमें किसी अंशकी पूरी स्वीकारतानहीं अर्थात् स्वीकारकियेपीछे उसमेंकारण प्रकटकरिके अस्वीकारकरदिया इसलिये यह अस्वीकार शुद्धमिथ्योत्तरमें गिनती नहींहोसक्ता जो (मिथ्याक्रियापूर्व वादे) इसन्यायसे पूर्ववादीसींगा पुरुषकीक्रिया साधनकरीजाय-अर्थात् उसपूर्ववादी सींगाके प्रतिवादीने गऊअपनीहोने का कारण प्रकट किया कि मेरेघरकी बड़ियाथी अबगायहुई या यह कि इसके बतलायेहुये समयसे पहलेमेरेघर विद्यमानथी इसलिये यह भूँठा है तौ इसप्रकारसे यह सकारण मिथ्योत्तर कहलाया इसलिये पूर्ववादी की तहकीकृत अयोग्य है-अगर वहशुद्ध मिथ्योत्तर इसप्रकारसे कहदेता कि यह भूँठा है और कुछकारण उसमेंनहींलगाता तौ फिर (मिथ्याक्रिया पूर्ववादे) इसन्यायसे उस पूर्ववादीसींगाकी तहकीकृत करीजाती कि तूक्योंकर अपनीबतलाता है इसबातका प्रमाण वा सबूत अपना प्रवेशकर यहविशेषता इसमेंप्रत्यक्ष है इसलिये शंका करनेका अवसर नहीं है-इसवार्ताको हारीतने स्पष्टभावसे कहा है-यथामिथ्याकारणयोर्वापि ग्राह्यं कारणमुत्तरम्-अर्थात् मिथ्योत्तर और कारणोत्तर ये दोनों जहांइकट्टेहों तबदोनोंमेंसे कारणोत्तर ग्राह्य है किन्तु कारणोत्तरका निर्णय जिसपरन्यायसे पहुँचताहो उसकी तहकीकृत पहले करनी चाहिये-जहाँ मिथ्योत्तर और प्राङ्न्यायोत्तर ये दोनों एकपक्षमें व्याप्तहों अर्थात् दावेकी संपूर्णवस्तुसे सम्बन्धित कियेजायँ दृष्टांतजैसे सौरूपयेकी नालिशमें प्रत्यर्थी उत्तरदेवे कि यह अर्थी भूँठकहता है इसवार्ता में पहले इसने नालिशकरी थी उसमें हारचुका है तब ऐसीदशामेंभी पहले प्रतिवादीकीही क्रियासाधनहोगी क्योंकि(प्राङ्-

न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत् क्रियाम् )-अर्थात्-पूर्वन्यायोत्तर और कारणोत्तर दोनों के मिलाप में प्रत्यर्थी अपना सबूतदेवे यहमर्याद कईवारपहलेभी निश्चित हो चुकी है और यथार्थआशय इसका यह कि जो किसी जवाबदावेमें मिथ्योत्तर के साथकारणोत्तर या पूर्वन्यायोत्तर भी प्रवेशकियाजाय तौ मुदाअल्लेह को सबूत दाखिल करना चाहिये और हाकिमों कोभी उसी की तहकीकात पहले करना चाहिये-क्योंकि-कोई अवस्था ऐसी नहीं जिसमें केवल शुद्धपूर्वन्यायकी तर्कना होसकै अर्थात् शुद्ध पूर्वन्याय प्रवेशहोही नहींसक्ता और न उसको उत्तर कहसक्तेहैं किंतुवह प्रवेशकरभी दियाजाय तौ अनुत्तरमें गिनतीहै-संप्रतिपत्ति अर्थात् सत्योत्तरका होना यहएक यथार्थ उत्तर पादहोताहै क्योंकि जोवस्तु प्रमाणोंसे सिद्ध करनेकेलिये नालिशके दावे में लिखीगई उसकी ठीक स्वीकारता करलेनेसे उसके प्रमाण वा सबूतकी आवश्यकता नहींरहती है-जब कदाचित् किसी अभियोगमें कारण और प्राङ्गन्याय इनदोनोंका संकर अर्थात् मिश्रीभावहो ( दृष्टांत ) यथा सौरूपये इसने लियेथे यह नालिश करीजाय और प्रतिवादी अपने उत्तरमें रूपये लेनेकी स्वीकारताकरै कि हाँ सत्य मैंनेलियेथे सौरूपये इस्से परन्तु उद्धारभी करदिये थे यह कारणोत्तर हुआ और यह भी कहे कि इन रूपयों की नालिश इसने पहलेभी मुझपर करीथी तहाँ इसीकारण से मुद्दई हारचुका कि मैंरूपये इसकेउद्धार करचुका था यहप्राङ्गन्यायोत्तर हुआ इसप्रकारसे जब दोनोंउत्तरका संकरभावहो तबउस प्रतिवादीको यहस्वाधीनता है कि वहअपनी रुचिके अनुकूल इनदोमें से चाहै तिसउत्तरका प्रमाण वा सबूत पहले देवै चाहैतिसका पीछे देवै-परन्तु-कदाचित्भी किसी अवस्थामें ऐसा नहीं हो सक्ता कि एकहीव्यवहारमें वादी और प्रतिवादी दोनों एकसाथ एकसमयपरअपने २ कारणोंकी क्रियासाधन करवावै यह सिद्धांतरूप निर्णय निश्चित है ८ ॥ आठवें मूल श्लोकका पहला अद्वापूराहुआ दूसरा अद्वा निचले परिच्छेदमें समुभौ ८ ॥

अथक्रियापादवासाध्यसिद्धपादनामकयोर्द्वयोर्विषयेषष्ठःपरिच्छेदः ॥

इसछठेपरिच्छेदमें मुकद्दमहका सबूतऔरतजर्वाजकाप्रकार वर्णन कियाजायगा ॥

ततोर्थील्लिखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ८ ॥

अक्ष०-तिसपीछे अर्थी प्रतिज्ञात अर्थकासाधन शीघ्र लिखवावै ८ ॥

अभि०-तिस पीछे अर्थात् पूर्वोक्तरीतोंसे उत्तर पत्र प्रवेश होजाने पीछे शीघ्रही विलंबको न करताहुआ (अर्थी-अर्थसाधनकरवानेवाला) अर्थात् जिसपर उसभगडालू वस्तुका प्रमाण देनाउचित ठहराहो वहीअपने प्रतिज्ञात अर्थका साधन लिखवावै अर्थात् जिस अर्थकी अपेक्षा में प्रतिज्ञा पहले दद करचुकाहो तिसका साधन

कहिये प्रमाण किंतु सबत जोकुछउसकेपास विद्यमानहो चाहे लिखावटसे या साक्षि-  
योंसे या और किसीरीतिसे देसक्ताहो सो लिखवावै ८ ॥

अधि०—ऊपर अभिप्रायार्थ में और मूलमेंभी इस वार्त्तामध्ये यह कहागया कि  
शीघ्रही लिखवावै इससे यह प्रमाण पायागया कि उत्तर पाद नामक जवाब दावेके  
दाखिल करनेमें काल विलंबभी विरले अवसरपर अंगीकार किया है सोभी आगे  
वर्णन होगा-क्योंकि-जवाबदावे की अपेक्षा में इतनी प्रेरणा नहीं है कि वह सौगम्य  
बिना प्रवेश कियाजाय-जैसा कि इसजगह प्रमाण वासबूत लिखवाने की दशामें प्रे-  
रणा प्रत्यक्ष है-इसलिये-इस वार्त्ता का अभिप्राय यह प्रतीतहोताहै कि विरले समय  
पर इसरीतिके अनुसार कि (जब कोई वार्त्ता एकप्रकारपरकही गईहो तो अनुकरण  
उसका दूसरेप्रकारपर नहीं होसक्ता है) दावेका जवाबदाखिल करनेमें किसीआव-  
श्यकता से कुछ विलंबभी उचित है-यह शिक्षा जो ऊपरमूल और अर्थोंमेंभी कही  
गई कि अर्थीही प्रतिज्ञातार्थ का साधनलिखवावै तो इसकथनसे अर्थी उसीको नहीं  
समुझना कि जिसने पहले अर्थ का अभियोग प्रत्यर्थीपर कियाहो अर्थात् यहांपर  
इस कथनसे दोनोंमें से कोई एक अर्थी या प्रत्यर्थीही अर्थीसमुझाजासक्ताहै क्योंकि  
इस दशामें जिस किसीका (अर्थ) कहिये साध्य प्रयोजन प्रबल हो वही अर्थी है और  
वही अपने प्रतिज्ञात अर्थका साधन कहिये प्रमाण लिखवावै-इसलिये- जब किसी  
अभियोगमें पूर्वन्याय उत्तर प्रवेश किया जाय तब उसी पूर्वन्यायका प्रमाण वा स-  
बूत देनाउचितहै और इसीहेतुसे वह पूर्वन्याय जो है सोई साध्यकर्म निश्चित हुआ  
इसलिये इस दशामें प्रत्यर्थी अर्थी ठहरा क्योंकि वह अपने हानि लाभकी दृष्टिसे  
पूर्वन्यायका सबूत देना चाहताहै इसलिये वही अपने पूर्वन्यायरूप प्रतिज्ञातार्थका  
प्रमाण देवै-ऐसेही जहां-कारणोत्तर प्रवेशहुआ हो तहांवह कारणोत्तरही साध्य अर्थ  
कहलाताहै क्योंकि उसकी साधना वा सबूत बिना मुकद्दमेका निपटारा नहीं होसक्ता  
इसलिये उस कारणोत्तरका वादी जो प्रत्यर्थी है सोई अर्थी कहलाताहै और उसी  
को अपने कारणोत्तर रूप प्रतिज्ञात अर्थका प्रमाण लिखवाकर क्रिया साधन कर-  
वानी चाहिये-ऐसेही मिथ्योत्तर जहां प्रवेश हुआहो तहां पूर्ववादी जो है सोई अर्थी  
निश्चितहै और वही अपने अर्थका साधन रूप प्रमाण लिखवावै क्योंकि ( मिथ्या  
क्रिया पूर्ववादे ) यहन्याय निश्चित होचुकाहै-तथैव (अर्थीही लिखवावै ) इस कथन  
से निर्विकल्प यह सिद्धांतहै कि जिसकिसीको अपनी किसी वार्त्ताका निश्चित करना  
या करवाना अभिवांचितहै वही अर्थी कहलावैगा और वही उसका सबूत भी लिख-  
वावैगा कोई औरदूसरा नहीं-इसीहेतुसे-जहाँ संप्रतिपत्ति उत्तर प्रवेश हुआहो तहाँ  
किसी वार्त्ताका प्रमाणों से दृढ़करना आवश्यक नहीं रहता और न दोनों पक्षियों में



से किसीको कुछदावा शेष रहताहै वरन किसीको किसी प्रमाणके प्रवेश करनेकी भी अपेक्षा नहीं रहतीहै और इतनेमेंही वह व्यवहारभी सिद्धहोकर समाप्त होजाताहै— इसवार्त्ताको (हारीतने) स्पष्टभाव से कहाहै-यथा-प्राङ्न्यायकारणोक्तौतु प्रत्यर्था निर्दिशेत् क्रियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादीतु प्रतिपत्तौनसाभवेत् ) अर्थात् जिस व्यवहारके उत्तरमें कारण अथवा पूर्वन्याय प्रवेशहुआहो उसमें क्रियाका निर्देश प्रत्यर्था करवावै जिसमें मिथ्योत्तर प्रवेश हुआहो उसमें पूर्ववादीही क्रियाका निर्देश करवावै परवह क्रिया प्रतिपत्तिमें अर्थात् दावे के इकवाल में न होनी चाहिये क्योंकि उसमें किसी बातका निर्णय करना आवश्यक नहीं रहता ८ तौ फिर क्याहोना या करना चाहिये अब यह कहते हैं ८ ॥

तत्सिद्धौसिद्धिमाप्नोतिविपरीतमतोऽन्यथा ९ नवमस्यपूर्वाद्धौयं

अक्ष०—उसकी सिद्धिमें सिद्धिको पावताहै इससे अन्यथा ही तौ विपरीतहै ९ ॥

अभि०—(तत्सिद्धौ) अर्थात् पूर्वोक्त प्रमाण चाहे कोई सनद लिखावटसे हो चाहे मुखाग्र किसी साक्षी आदि के द्वारा प्रवेश किया हो तिसकी सिद्धि में किन्तु उसकी सचावट करदेने में (सिद्धि-आप्नोति) सचावट पहुँचानेवाला कोई एक पक्षी सिद्धिको पावताहै अर्थात् जय लक्षणा सिद्धि जिस्से उसकी अपेक्षा के अनुकूल मुकद्दमेका निपटारा होताहै और जो वह ऐसी सचावट न देसकै अपने प्रयोजन मध्ये तौ फिर पराजयको पहुँचता किन्तु नालिशके अभियोगसे हारजाताहै कि जिस्से उसका दावा भूँठ होजाताहै ९ नवमेका पहला अद्धा इसपरिच्छेदमें आया दूसरा अद्धा नीचेके परिच्छेदमें समुभौ ९ ॥

अथव्यवहारमातृकाप्रदर्शनोनामसप्तमःपरिच्छेदः ७ ॥

इस परिच्छेदमें पूर्ववर्णित आशयों का तत्त्वसार वर्णन होगा ॥

चतुष्पाद्व्यवहारोयंविवादेपुप्रदर्शितः ९ नवमस्योत्तराद्धौयं ॥

अक्ष०—यह पूर्वोक्त व्यवहार विवादों मध्ये चारपादका प्रदर्शित कियाहै ९ ॥

अभि०—मुकद्दमह के व्यवहार का रूप डौल जैसा कुछ होताहै सो सब छठे परिच्छेद तकवर्णन होचुका अब उसीका उपसंहार संक्षेप रूपसे दर्शाते हैं कि (व्यवहारों को राजादेखै ) यह बात आचाराध्याय संबंधी राजधर्म प्रकरण में कहीथी सोई यह व्यवहार इस प्रकारसे जैसा २ अवतक वर्णन कियागया चार पादवाला होता है अर्थात् उस व्यवहार के चार अंश कल्पना भिन्न २ करिकै ऋणादानादि विवादों में प्रदर्शित कियाहै ९ ॥

अधि०—यहाँपर पूर्वोक्त व्यवहार के चार पाद बतलाये तिनका यह लक्षणहै कि छठाश्लोक चतुर्थ परिच्छेदमें यहकहाथा कि अर्थीकी भाषाप्रत्यर्था के सन्मुख लिख-

३६ मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।  
 वानी चाहिये उस भाषाके लिखने या लिखवाने मध्ये जो २ कुछ मर्यादें वहाँपर कही गईं बस वही भाषा व्यवहारका पहलापाद कहलाता है १-पूर्वार्द्ध आठवांश्लोक पांचवें परिच्छेद में यह कहाथा कि प्रत्यर्थी से उत्तर लिखवाना चाहिये उस उत्तर के लिखने या लिखवाने मध्ये जो २ कुछ मर्यादें वहाँपर कही गईं बस वही उत्तर व्यवहार का दूसरापाद कहलाता है २-उत्तरार्द्ध आठवांश्लोक छठे परिच्छेदमें यह कहा गयाथा कि अर्थी शीघ्रही अपने प्रतिज्ञात अर्थका साधन लिखवावै बस वही क्रिया व्यवहारका तीसरापाद कहलाता है ३-पूर्वार्द्धनववां श्लोकछठे परिच्छेद में यह कहा गया कि उसतीसरे पादवाली क्रियाकी सिद्धिमें मुक़द्दमहकी जयहोती है और असिद्धिमें पराजयवस इसीको साध्यसिद्धनाम चौथापाद कहते हैं ४ - तथैव इनके नाम और उपनाम सबयहाँपर दर्शाते हैं ॥

पहलापाद ।	दूसरापाद ।	तीसरापाद ।	चौथापाद ।
भाषापाद ।	उत्तरपाद ।	क्रियापाद ।	साध्यसिद्धपाद ।
इजहारदावी ।	जवाबदावी ।	सबूतदावी ।	तजवीजदावी ।
दर्जेइजहार ।	दर्जेजवाब ।	दर्जेसबूत ।	दर्जेतजवीज ।

इसवार्तामध्ये यहबाक्यभी प्रमाणहै-यथा(परस्परमनुष्याणांस्वार्थविप्रतिपत्तिषु। वाक्यान्त्यायाद् व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः॥ भाषोत्तरक्रियासाध्यसिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः। आक्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादभिधीयते) अर्थात्-व्यवहार नाम मुक़द्दमा उसको कहते हैं जिसकेद्वारा-वाक्य और न्यायके अनुकूल उनभगड़ाओं का व्यवस्थान नाम निपटारा निश्चित कियाजाय जो परस्पर मनुष्यों के स्वार्थ विप्रतिपत्तिमें अर्थात् अपने अर्थकी असिद्धिमें उठखड़े होते हैं-इस व्यवहारके चारपाद अर्थात् भाषा १ उत्तर २ क्रिया ३ साध्यसिद्धि ४ इनके यथाक्रमकी आरुत्तियों से आक्षिप्त कियाहुआ चारअंश वाला व्यवहार चतुष्पात् कहलाता है-परन्तु-संप्रतिपत्ति उत्तर अर्थात् दावेकी स्वीकारता रूपउत्तर प्रवेशहोनेमें प्रमाण वा सबूत पेशकरनेकी आवश्यकता नहीं है और न दावेका साधन कहिये सावित करनाहोता है इसलिये क्रियापाद नामक तीसरापाद नहीं रहता है वरन इसी हेतुसे साध्यसिद्धि नामक चौथापाद भी नहीं होसकता इसलिये इस अवस्थामें व्यवहारके दोहीपाद होते हैं अर्थात् एकतो भाषापाद दूसरा उत्तरपाद यहदोनों रहजाते हैं और इन्हींदोनोंसे व्यवहारकी संपूर्ण सिद्धि होजाती है-उत्तरपाद अर्थात् जवाबदावा दाखिलहोजाने पीछे सभ्यजनों अर्थात् हाकिमोंका इसवार्तामध्ये परामर्श लक्षणमें विचारकरना और निर्णयपूर्वक निश्चय करना कि प्रमाण वा सबूत का प्रवेशकरना अर्थीप्रत्यर्थी इनदोनोंमें से यथार्थ किसकेऊपर आरूढ़ है-सोयह विचार और निर्णयका करना कोईएसी वार्तानहीं है कि व्यवहारका यहभी एक भिन्नपाद



समुभाजाय क्योंकि योगीश्वरने ऐसा नहीं कहा और इसहेतुसे भी नहीं कि इस वार्ताके निर्णय वा निश्चित करनेमें दोनोंमेंसे किसीपक्षी को अधिकार नहीं है कि वे आपही निश्चित करलेवें किन्तु हाकिमोंको अधिकारहै कि वे जिसपर उचितसमुझें न्यायके अनुकूल उसीपक्षीसे ( वजेहसबूत ) दाखिल करवावें तिसपीछे चतुर्थपाद संबन्धी मर्यादासे मुकदमह की जय पराजय परदृष्टिकरें यह सिद्धांतहै-मुकदमहका वृत्तांत इसप्रकारसे पूर्णहुआ-यहांतक जो जो कुछकई परिच्छेदोंसे वर्णनहुआ इसका नाम ( व्यवहारमातृका ) कहतेहैं क्योंकि इनमातृकाओंके विना व्यवहारकी सिद्धि नहीं होसक्ती है इसलिये इनकाजिज्ञास्य याद राखना फलदायक है ॥

इतिव्यवहारमातृका ६ ॥

अथप्रत्यभियोगनिषेधानिषेधोनामअष्टमःपरिच्छेदः

इसआठवें परिच्छेद में तत्रारुज इलजामूका निषेध और अनिषेध वर्णनहोगा अर्थात् जो कोई मुद्दाअलेह अपनेपर लगायेगये अपराधका-निपटारा कियेविना मुद्दई पर अपराध उसके बदलेमें लगाकर खड़ाकरै तिसका निषेध और अनिषेध भी इस परिच्छेदमें कहाजायगा ॥

अभियोगमनिस्तीर्यनैनप्रत्यभियोजयेत् । अभियुक्तंचनान्येननोक्तंविप्रकृतिनयेत् १० ॥

अक्ष०— अभियोगको न पारउतरकर नइसको प्रत्यभियोजनकरै-अभियुक्तको भी और करकेनहीं-कहेहुये को विप्रकृतितक न पहुँचावै १० ॥

अभि०— यहविशेष वार्ता प्रत्यर्थी के प्रतिकही जातीहै कि ( अभियोग ) नाम अपराध जो अपनेपर किसीने लगायाहो अर्थात् किसी अर्थीने किसीबातकी नालिश अपने पर करीहो तिसको पार न उतरकर अर्थात् निपटारा न करवाकर इस अपने अभियोक्ता कहिये मुद्दईको ( न प्रत्यभियोजयेत् ) अर्थात् नालिशकेबदले में उसपरभी किसी बातका अपराध लगाकर न खड़ाकरै किन्तु इसबातका अधिकारहीइसको नहींहै-अब अभियोक्ताके प्रतिकहतेहैं कि ( अभियुक्त ) जो किसीअभियोक्ताके अभियोगमें फँसा हो तिसकोभी किसी और अभियोक्ता करके न फँसानाचाहिये अर्थात् जबतक एक मुद्दईसे मुद्दाअलेह अपना छुटकारा न करिपावै तबतक दूसरा मुद्दई उसपर कोई नालिश न करै और इसीसेयह सिद्धांतभीहै कि वही मुद्दई जिसने एक नालिश पहलेसे किसी अपराधीपर लगाकरखीहो वह दूसरा अपराध उसीअपराधीपरनहीं लगासक्ता-और अभियोक्ता अर्थात् मुद्दई इसबातका अधिकारी नहींहै कि अपनीनालिशमें जो कुछवार्ता लिखचुका या कहचुका उसमेंसे कोई बात मिटावै या बदलै किन्तु किसी और प्रकारसे कहनेलगै १० ॥

अधि०—उपर यह कहागया कि मुद्दाअलेह जबतक अपनेऊपर लगेहुये अपराध

से छुटकारा न करसके तबतक मुद्दईपर कोई अपराध न लगावै अर्थात् लगाने का अधिकार उसको नहीं है-इसवार्ताकी अपेक्षा प्रत्यर्थीकी ओरसे यद्यपि प्रत्यवस्कंदन अर्थात् कारणोत्तर का प्रवेश करना या पूर्वन्यायोत्तरका कि जिसका चर्चा पंचम परिच्छेदमें बहुधा आचुका है वह भी एकप्रकारसे (प्रत्यभियोग) रूपनिश्चित है और वहांपर उसका प्रवेश करना उचित समुभागाया है वरन यहां पर प्रत्यभियोग करने का निषेध लिखा गया परन्तु वह बात दूसरी है और यह बात कुछ और है क्योंकि वहां पर अपने अपराधका प्रहार करना संभव समुभूकर प्रत्यवस्कंदन का प्रवेश करना उचित है-इसहेतुसे-निश्चित हुआ कि यहांपर उसप्रकारके प्रत्यभियोगका निषेध है कि जिसके करने से अपने ऊपर लगेहुये अपराधकी निर्मलता न होसकी हो-और भी चौथे चरणमें यह बात जो कही गई कि ( नोक्तंविप्रकृतिं नयेत् ) अर्थात् अभियोक्ताने पहले अपने आवेदन समय जो कुछ लिखवाया अथवा कहा हो उसको भाषाकालमें अर्थात् इजहारदावे में किसी तरह विपरीत न उच्चारणकरै और न उसमें कोई बात घटावै या छिपावै किंतु इसवार्ता मध्ये यह प्रमाण है कि जो वस्तु जिसरूप से आवेदन समय निवेदन करी हो वह वस्तु उसीरूपसे भाषाकालमें भी लिखवानी चाहिये अन्यथा नहीं ( शंका ) भला जब छठे मूल श्लोकमें कह चुके थे कि प्रत्यर्थीके सन्मुख भी लिखवाना चाहिये जैसा उसने आवेदन समय पहले कहा हो तौ फिर किस लिये यहां दशवें श्लोक चौथेपादमें दुसराकर पिसेहुयेकोपीसा कि अपनेपहले कहे हुयेको बदलै नहीं या घटावै नहीं अर्थात् यह पिष्टपेषण व्यर्थ है ( समाधान ) सुनो व्यर्थ नहीं है छठे श्लोकमें यह सिद्धांत कहाथा कि आवेदन समय जो वस्तु जैसेरूप से कही हो भाषाकालमें भी उसीप्रकार कहनी चाहिये अर्थात् एकहीपदमें वस्त्वंतरन करदेवै ( दृष्टांत ) जैसे आवेदन समय यह कहाथा कि इसने सौरूपयेव्याजूलिये और भाषाकालमें प्रत्यर्थीके सन्मुख यह कहनेलगै कि इसने सौ कपड़े व्याजूलिये अथवा सौ रूपयेके कपड़े व्याजूलिये तौ यह वस्त्वंतर होगया क्योंकि सौ १०० कापद यहां भाषाकालमें भी बनारहा परन्तु वस्तु जो रूपयेथे उनके बदले सौ कपड़े कहदिये यह वस्तुका अन्तर हुआ ऐसा न कहना चाहिये यह निषेध वहांपर कियाथा कदाचित् मुद्दई ऐसाकरै तौ वह हीनवादी निश्चित होकर मुकद्दमा खारिज होजावै अथवा दण्डयोग्य होता है-और यहां दशवें श्लोक चौथेपादमें यह सिद्धांत है कि एकवस्तुमें भी पदांतर न होनेपावै ( दृष्टांत ) जैसे आवेदन समय यह कहाथा कि इसने सौरूपये मुभूसे व्याजूलिये अब देतानहीं परन्तु भाषाकालमें प्रत्यर्थी के सन्मुख यह कहनेलगै कि इसने सौ रूपये प्रबलतासे हरलिये तौ यह एकवस्तुमें पदांतर होगया क्योंकि वस्तु जो सौ रूपये कहेथे वही भाषाकालमें भी उच्चारणकिये परन्तु आवेदन समय व्याजु कहेथे

## मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

यहांपर प्रबलतासे हरलिये कहनेलगा यह पदांतरहै कदाचित् ऐसा करै तौ यह .. हीनवादी होकर दण्डयोग्य होगा-इसलिये यह पुनरुक्ति नहीं है क्योंकि वहांपर व-स्त्वंतर गमनका निषेधकियाथा यहांपर पदांतर गमनका निषेधहै-इसवार्ताको नारद ने स्पष्टरूपसे कहदियाहै-यथा ( पूर्ववादंपरित्यज्ययोऽन्यमालंबतेपुनः । वादसंक्रमणा ज्ञेयोहीनवादीसर्वेतरः ) अर्थात्-पहले आवेदन समयके उच्चारण किये वादको छोड़कर जो कोईवादी भाषाकालमें अन्य वादपर आरूढ़ होजाताहै वह अपनेवादके बदलने से हीनवादी कहलाता-और हीनवादी का मुकदमा खारिजहोना चाहिये और उसपर दंड अर्थात् जुर्मानाभी होनाचाहिये-परन्तु-इसकथनसे हीनवादीअपने नालिश कियेहुये मुख्य धनसेभी निर्विकल्प हानिनहीं पासक्ता-इसलिये सिद्धांत इस वार्तासे केवल इतनाहै कि अर्थीप्रत्यर्थी दोनोंकाप्रमाद शोधन करनेकेलिये यहदशवें श्लोकमात्रका सारा उपदेश लिखागया कुछमुख्यधनकी सिद्धि या असिद्धिका विषय यहनहीं-इसीलिये एकआज्ञा यहभी बीसवें श्लोकमें आगेकहेंगे कि राजा सर्ववस्तुके तत्त्वरूप निर्णयसे भूलचूक आदि प्रमादसे उत्पन्नहुये छल्लोंको निकालकर दीवानी व फौजदारी व्यवहारोंका ठीकठीक निपटाराकरै-सो यहवार्ताभी अर्थ व्यवहारमेंअर्थात् दीवानी संबंधी धनकी नालिशोंमें समुझनी चाहिये कि भूलचूक आदि होजानेसे मु-हूर्इपर केवल जुर्माना करनाचाहिये परमुख्य मुकदमा उसका न्यायकेअनुसार फैसल करै किन्तु खारिज न करदेना चाहिये -परन्तु क्रोधसे उत्पन्नहुये व्यवहारों अर्थात् फौजदारीके मुकदमात प्रमाद गफलत आदि होजानेमें मुख्य मुकदमाभी खारिजहो जाताहै-यही नारदने कहाहै-यथा(सर्वेष्वर्थविवादेषुवाक्छल्लेनावसीदति । परस्त्रीभूम्यृ णादानेशास्योप्यर्थान्नहीयते)अर्थात्क्रोधादि व्यवहारोंको छोड़कर और सभीप्रकारके धनके विवाद व्यवहारोंमें वाणीमात्रके छल उत्पन्नहोने और प्रमादनाम गफलतकेभी उत्पन्नहोनेपर अपने मुकदमासे पराजयनहींहोता किंतु मुकदमा फैसल होनेपरन्याय के अनुसार जोकुछहोनाहो सोहोगा इसवाक्छल्लके अपराधमें केवल दंडमात्र उचित है इसलिये पिछले आधेश्लोकसे उदाहरण इसका कहतेहैं कि परस्त्रीका वहकानाया संग्रह करलेना इस मुकदमहमें और भूमि अर्थात् मिलकियतके मुकदमहमें और ऋणके मुकदमहमें वाक्छल्ल अथवा प्रमाद आदि अपराध करनेवाला अर्थी जैसे दंड्य होताहै परन्तु मुख्य धनसे परिच्युत नहीं किया जासक्ता ऐसेही औरभी धन सम्बन्धी विवादोंमें समुझलेना केवल धन विवाद कहनेसे यह सिद्धांत प्रकट हुआ किंतु क्रोधादि विवाद अर्थात् फौजदारीके व्यवहारमें प्रमाद अथवा वाक्छल्ल करने वाला दंडके सिवाय अपने प्रयोजनसे भी परिच्युत कियाजाताहै (दृष्टांत) जैसे इसने मेरे शिरपर लात मारी यह आवेदन समय लिखवाया और भाषाकालमें प्रत्यर्थीके

सन्मुख्यों कहनेलगे कि मेरे पैरोंपर चोटमारी अथवा ऐसे कहे कि हाथसे या पांवसे माराथा इत्यादि प्रमादरूपसे कहनेवाला मुद्दई केवल दंडकेही योग्य नहीं किंतु मु-  
कदमहको भी बिना फ़ैसल किये हारगया १० ॥ इसी दशवें श्लोक दूसरे पादमें जो  
यह कहाथा कि अपने अपराधका निपटारा किये बिना अभियोक्तापर किसी बातका  
अपराध न खड़ा करै इस बातका (मपवाद) नीचे ११ श्लोकमें कहते हैं इसलिये  
कि विष शस्त्रादि विकट दशाओंमें प्रत्यभियोगभी मुद्दाअलेह करसक्ताहै १० ॥

कुर्यात्प्रत्यभियोगंचकलहेसाहसेषुच ११ (एकादशस्यपूर्वाद्धौयम्)

अक्ष०—प्रत्यभियोगभी कलहमें और साहस कर्मोंमें करै ११ ॥

अभि०—(कलह) में अर्थात् कलह दो प्रकारकी होती है एक तौ बाणीसे दुर्वचन  
कहना जिसको वाक्पारुष्य कहते हैं दूसरी कलह जो कर्मद्वारा करीजाय यथा ताड़-  
न पीटन आदि जिसको दंड पारुष्य कहते हैं (इनमें पहली कलहको भाषांतरसे अ-  
मलबेजाकौली और दूसरीको अमलबेजा फ़ेअली कहते हैं) इन दोनों मेंसे कोई  
कलह उठीहो तिस दशामें अथवा (साहसेषु) अर्थात् विषदेना शस्त्र मारना आदि  
कर्म जिनसे प्राणोंकी हानि होगई या होजानी संभव हो तिनके होनेमें या होनेकी  
संभवतामें यदि प्रत्यभियोग करनेका संभव हो तौ अपने ऊपर कियेगये अभियोग  
का निपटारा हुये बिना भी अपने अभियोक्तापर (प्रत्यभियोग) करै अर्थात् दोषके  
बदलेमें दोष लगावै ११ ॥ यह ग्यारहवें श्लोकका पूर्वार्द्ध है ॥

अधि०—(शंका) भला यहांपर कलह और साहस कर्मोंकी दशामें प्रत्यभियोग  
लगानाभी उचित समुझागया कि जिसका निषेध पहले दशवें श्लोक में होचुकाथा  
परन्तु यहांपर दशवीं अधिकोक्तिमें प्रत्यवस्कंदन उत्तरकीअपेक्षासे नीचेयह निर्वाहभी  
करदियाहै कि उसप्रकारके प्रत्यभियोगकानिषेधहै जिसके करनेसे अपनेऊपरलगेहुये  
अपराधकी निर्मलता न होसक्तीहो-इसलिये यहांपरभी शंकारूपआग्रहंखड़ा होताहै  
कि जब यहांपर दोषके बदले में दोषलगाना कहातौ यहभी एक दूसरीनालिश उसके  
बदलेमें निश्चित हुई और इसके प्रभावसे अपने ऊपर लगेहुये दोषकी निर्मलताभी  
नहींहोसक्ती और इसीहेतुसे यह प्रत्यभियोग अनुत्तरमेंभी गिनतीहोसक्ताकिन्तु अपने  
ऊपर लगेहुयेदोषका उत्तर नहींकहलासक्ता और इसकेसिवाय जब दूसरी नालिश  
निश्चितहुई तब दोनानालिशोंका व्यवहार समाअत्रत एकसाथ एकसमयहोना निपट  
असंभवहै-इसलिये यहांपरभी प्रत्यभियोग अनुचित देखपरताहै (समाधान) ठीकहै  
जो शंकाकरी वहभी यथार्थहै परन्तु यहांपर एकसाथ एकसमय व्यवहार प्रवृत्तहोने  
केलिये प्रत्यभियोगका उपदेशनही है-हाँ-इसलिये है कि अपनेको होनेवाले दण्डमें  
न्यूनताहोजाय अथवा अधिक दण्डकी निवृत्ति होजाय-दृष्टांत-जैसे किसीपर यह

नालिशहुईहो कि इसनेमुझेमारा अथवा दुर्वचनकहे इसकेबदले मुदाअलेह इसप्रकार से प्रत्यभियोग लगावै कि इसने मुझेपहलेमारा या पहले दुर्वचनकहे तिसपीछे मैंने और यहीबातउसकी प्रमाण वा सबूतको पहुँचजावै तो प्रत्यभियोग करनेवालेको दण्डथोडाहो इसवार्तामें नारदजीका यहवाक्यप्रमाणहै कि (पूर्वमाक्षारमेद्यस्तुनियतं स्यात्सदोषभाक् । पश्चाद्यःसौप्यसत्कारीपूर्वेतुविनयोगुरुः) अर्थात्-जो पहलेवारकरता है वह अधिक अपराधीहोताहै और जो पीछेकरताहै वहभी दोषी है परन्तु जिससे पहलेआरम्भहुआ वह अधिक दण्डकाभागीहोगा-और जो दोनोंका परस्पर एकसाथ द्वन्द्वहुआहो तिसव्यवहारमें इसअगले वाक्यसे वर्तावाकियाजायगा-यथा (पारुष्ये साहसेवापियुगपत्संप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेन्नलभ्येतविनयःस्यात्समस्तयोः) अर्थात्- (पारुष्य)दोप्रकारका वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य इनदोनोंप्रकारकी कलहमें और (साहस) नाम विषशस्त्रआदिके उपद्रवमें दोनोंपरस्पर एकसाथ प्रवृत्तहुयेहों अर्थात् उसने उसको और उसने उसको मारापीटाहो उनदोनोंकेदोषमें विशेषता नहींपाई जाय कि किसने किसको अधिकमारा या किसने पहलेवारकियाथा तब ऐसी दशामें दोनोंको बराबर दंडहोनाचाहिये-इसलिये इसमें यह सिद्धांतहै कि यद्यपि अदालतमें एकसाथ दो व्यवहारोंकी प्रवृत्ति असंभवहै तथापि कलह और साहसआदि विवादों में प्रत्यभियोगहोनाउचितहै परंतु वही प्रत्यभियोग ऋणादि धन संबंधी विवादोंमें अनुचितहै इसलिये शंका करनेका कोई अवसरही नहींहै ११ ॥

यह ग्यारहवेंका पहला अर्द्धा पूराहुआ दूसरा अर्द्धानीचेके परिच्छेदमें ॥

अथसप्तम्यसभानां कर्तव्यतयाद्वयोः प्रतिभूग्राह्यइत्याज्ञाविषयो नाम नवमः परिच्छेदः ६।

इस नववें परिच्छेदमें सभासदों वा हाकिमों और पंचोंको वर्तावा जो-

मुकद्दमहकी मध्यदशामें जमानत मध्ये कर्तव्यहै सो वर्णनहोगा ॥

उभयो प्रतिभूग्राह्यः समर्थः कार्यनिर्णये ११ ॥

अक्ष०-दोनोंका प्रतिभूलेना चाहिये जो कार्य निर्णयमें समर्थहो ॥

अभि०-कार्यनिर्णयमें समर्थहो अर्थात् निर्णयके कार्यमें समर्थहो इसका अभिप्राय यह कि अर्थात् प्रत्यर्थात् दोनोंके सर्व विवादोंमें जो कुछ निर्णय पीछेसे कियाजाय और उस निर्णयकी अपेक्षासे जो कुछकार्य कर्तव्यहो अर्थात् दोमेंसे किसीपर मुख्य धन या दंडधन राजद्वारमें देना निर्णयहुआहो जिसको वह न देसक्ताहो तिसकेबदले जो कोई देसकनेमें समर्थ विख्यातहो ऐसा (प्रतिभू) अर्थात् जामिन् एक एक दोनोंकी ओरसे या एकही दोनोंकीओरसे अथवा एकहीपर संभवहो तो एकहीकी आरस हाकिमों या पंचोंको कि जिनके आधीन वह मुकद्दमहहो लेनाचाहिये कि जिसके हेतुसे

प्रतिभूदेनेवालेको किसी तरहकी रोक टोक तबतक न रहे और हाकिमों या पंचोंको उनके चलेजाने आदिका खटका न रहे ११ ॥

अधि०—कदाचित् ऐसा जामिन् वे न देसक्तेहों तौ अर्थी और प्रत्यर्थी दोनोंकी रखवालीके लिये आदिमी तैनातकरनेचाहिये और उन आदिमियों की वेतन मज्जदूरी रोज रोज उन दोनोंसे दिलवानीचाहिये-इस वार्तामध्ये कात्यायनजीका यहवाक्य भी प्रमाणहै-यथा(अथचेत्प्रतिभूर्नास्तिकार्ययोग्यस्तुवादिनोः । संरक्षितोदिनस्थां तेदद्याद्भृत्यायवेतनम्)अर्थात्-जो वादीका या प्रतिवादीका कार्यके योग्य प्रतिभू न हो तौ वह हवालातमें संरक्षित रहकर सायंकालमें उस रक्षाकरनेवाले भृत्यको मज्जदूरी देवै- ( प्रतिभूःप्रतिभवतितत्कार्यंचतद्भवतीतिप्रतिभूः ) ११ ॥ इस परिच्छेदमें केवल ग्यारहका उत्तरार्द्ध पूराहुआ जिसमें जमानतकी मर्याद कही गई अब उस निर्णयकार्यका चर्चा निचले परिच्छेदमें कहतेहैं जिसकेमध्ये प्रतिभूलेनाचाहिये ११ ॥

अथऋणादानविषयिकविवादेक्रियापादसंबन्धिविचारोनामदशमःपरिच्छेदः १० ॥  
इस दशवें परिच्छेदमें ऋणसंबन्धी मुकद्दमातकी तजवीज जो हाकिमों को करनी चाहिये बर्णन होगी ॥

निहनवेभावितोदद्याद्धनंराज्ञेचतत्समम् । मिथ्याभियोगीद्विगुणमभियोगाद्धनंवहेत् १२ ॥

अक्ष०—निह्वव केहोनेमें भावित करायाहुआ प्रत्यर्थी प्रकृतधन अर्थीको देवै और उसीके समान राजाकोभी-मिथ्याभियोगी अर्थी अभियोग धनसे दूना भरै १२ ॥

अभि०—यदि प्रत्यर्थी निह्वव अर्थात् अपह्ववकरै किंतु अर्थीकरके निवेदन किये हुये धनसे मिथ्योत्तर द्वारा इनकार प्रवेशकरै और इसदशामें अर्थी अपनेसाक्षियों अथावा लिखापढ़ी आदिकी सनदोंद्वारा वहीधन प्रमाणको पहुंचाकर प्रत्यर्थीसे अंगीकार करावै तौ प्रत्यर्थीवहधन अर्थीकोदेवै और उसीधन के समान अपह्वव का दंडभीराजाको देवै-और जो अर्थीही प्रमाण वा सबूत न पहुंचासकै तौ वह मिथ्याभियोगी अर्थात् भूँठी नालिश करनेवालाकहलावै और इसीहेतु से यह मिथ्याभियोगीअर्थी (मभियोग)से अर्थात् जितनेकी नालिशकरीहोउसधनसे दूनाधनमिथ्याभियोगके अपराधसे राजाको भरै-और यही न्यायउसदशामेंभी युक्तकरना चाहिये कि जब मुद्दाअलेहने कारणोत्तर अथवा पूर्वन्यायोत्तर प्रवेश कियाहो सो इसका व्यौरा नीचे अधिकोक्तिमें देखौ १२ ॥

अधि०—जहां मुद्दई अपने दावेमें किसीयथार्थवार्ताको छिपावै और मुद्दाअलेह उसके जवाबदावेमें कारणोत्तर अथवापूर्वन्यायोत्तर प्रवेश करिकै प्रमाणको पहुंचादेवै तौ इसदशामेंभी मुद्दई अपह्वववादी या मिथ्याभियोगी ठहरा और इसीहेतुसे राजा को उसधनसे दूना दंडदेवै जितनेकी भूँठी नालिशउसने करीथी-अथवा-जो प्रत्यर्थी



अपने प्रवेश कियेहुये कारणोत्तर का पूर्वन्यायोत्तरका प्रमाण वा सबूत न पहुँचासकै तो वही अपह्नववादी या मिथ्याभियोगी कहलावे और मुद्दईका वहरूपया उद्धार करै कि जितनेकी नालिश मुद्दईने करीथी इस पीछे उसीरूपयेसे दूना दंड राजाको भी मिथ्याभियोग या अपह्नववादके अपराधसे देवे-परन्तु-जहांप्रत्यर्थीने (सं प्रतिपत्ति) उत्तर दिया अर्थात् इकवालादेका कियाहो उमदशामें राजदंडकी अपेक्षा नहीं है केवल वहीधन मुद्दईका उद्धार करै जिसकी नालिश उसपर हुईहो-इस परिच्छेद में कहीहुई मर्याद जुर्माने मध्ये केवल ऋण सम्बन्धी अभियोगों से सम्बन्ध रखती है क्योंकि अन्यप्रकारके व्यवहार पदोंका जहां जहां वर्णन आगेहोगा तहां उनके साथही उन अपराधोंका दण्डभी कहादियाहै दूसरे यह बात कि अन्य व्यवहारोंमें जहां धनकी नालिश नहीं तहां यह मर्याद इसप्रकारसे भी असंभवहै कि जब धनकी नालिश नहीं तौ फिर किस धनसे या कितनी संख्यासे दूना दण्डदिया अथवा लिया जाय इसलिये यह मर्याद सभी अभियोगोंसे अपेक्षा नहींरखती किंतु केवल ऋणादानके अभियोगोंसे संबन्धितहै-यद्यपि (राज्ञाधर्मणिकोदाप्यः) इत्यादि पाठवाला ४३ का श्लोक जो आगे आवेगा उसमें यह आशय है कि राजा ऋणी से जुर्माने मध्ये इतना रूपयालेवे और वह दशा ऋणादानके अभियोगसे संबन्ध भी रखती है परंतु उसमें इतना अन्तरहै कि उसका वर्णन विशेषतासे उसी जघेपीछे किया जायगा उसवातसे अपेक्षा इसमेंनहींहै-अथवा इस परिच्छेदकी ऊर्ध्वोक्त मर्याद अर्थात् अनुवादसे सर्व व्यवहारों में भी संबन्धित होसकी है अर्थात् इसीबारहवें श्लोकका अर्थ जो ऊपर अक्षरार्थ आदिमें कहागया उसके आशयसे केवल ऋणादानके व्यवहारोंसे वह मर्याद संबन्धितभी होचुकी परन्तु जो सभी व्यवहारोंसे संबन्धित किया चाहै तौ इसप्रकारसे अर्थ लगानाचाहिये-कि-प्रत्यर्थी के अपह्नव उत्तर देने में यदि अर्थी अपने साक्षी आदि प्रमाणोंसे उसपर अपने दावेका सबूत पहुँचादेवे जिससे प्रत्यर्थी अपह्नव वादी ठहरै (यहांतकतौ अर्थीवहीहै जो पहले लिखागयाथा अबइस्से आगे योंसमुभूना चाहिये) कि प्रत्यर्थी यदि अपह्नववादी ठहरै और वह अभियोगधन संबन्धी नहींहै तौ राजाको (तत्समं-धनंदद्यात्) अर्थात् उसके समान धनदंडदेवे जो उसीव्यवहारपदकी व्यवस्थामें उस अपराधकी अपेक्षासे जहाँतहां अपने २ स्थलमें कहाहै (राज्ञेच) इस पदके अंतमें जो (च) शब्दहै सो अब धारण अर्थमें समुभूना चाहिये-इसीप्रकार उत्तरार्द्धमें लगाना चाहिये कि यदि अभियोक्ता अभियोगका प्रमाण वा सबूत कुछ न देसकै तौ वह मिथ्याभियोगी ठहरकर इसअपराधसे राजाको (धनंदंडद्विगुणंदद्यात्) अर्थात् धन कहिये नगद रूपया दंडमध्ये दूनादेवे उस परिमाणसे दूना कि जिसद्वन्द्वकी वहनालिशहो और उसीद्वन्द्वके व्यवहारपदकी पराजय

होनेमें जितना दंड जहाँकहीं अपनेस्थानपरलिखाहो-ऐसेही इस अर्थांतरअनुवाद में भी कारणोत्तर और पूर्वन्यायोत्तर उसीप्रकार अपनी बुद्धिसे युक्तकरलेनेचाहिये जैसे इसी अधिकोक्ति के प्रारम्भ में ऋणादानकी अपेक्षा से लिखचुके हैं क्योंकि बारबार लिखने से विस्तार होताहै १२ ॥

अथसाहसादिविवादिषु तत्कालएवोत्तर पादप्रवेशोनाम एकादशः परिच्छेदः ११ ॥

इसग्यारहवेंपरिच्छेदमें यहमर्यादकहीजायगी कि साहसआदि विशेष विवादों में प्रत्यर्थी की ओर से तत्कालउत्तर प्रविष्टहोनाचाहिये अर्थात् बिलम्बसेनहीं ॥

साहसस्तेयपारुष्यगोऽभिशापात्ययेस्त्रियाम् । विवादयेत्सद्यएवकालोऽन्यत्रेच्छयास्मृतः १३ ॥

अक्ष०-साहस स्तेय पारुष्य गऊ अभिशाप अत्यय इनमें और स्त्रियोंके मुकद्द-महमें शीघ्रहीविवादकरावै अन्यत्रइच्छासे कालभी कहाहै १३ ॥

अभि०-जोकि छठेपरिच्छेदमें उत्तरार्द्धआठवें मूलश्लोकसे यहआज्ञादीथी कि मुद्दाअलेहकीओरसे जवाबदावी दाखिलहोजानेपर मुद्दई अपने (प्रतिज्ञात) नाम प्रतिज्ञाकियेहुये अर्थकासाधन अर्थात् प्रमाण वा सबूत जोकुछदेनाचाहताहो सो सबशीघ्रही दाखिलकरै किन्तु लिखवाने या दाखिलकरने में बिलम्बनकरै-तौ-इस आज्ञासे यहसिद्धांतपायागया कि मुद्दाअलेहकीओरसे जवाबदावी दाखिलकरने में कुछेकबिलम्बभी किसीआवश्यकतासे उचितहै अर्थात् तत्कालकीप्रेरणा उसकेलिये नहींहै-क्योंकि-पाँचवेंपरिच्छेदमें पूर्वार्द्ध अष्टमश्लोकसे जवाबदावेकी प्रक्रियाकहीगई तहाँपर मुद्दाअलेहकेलिये शीघ्रदाखिलकरनेकी आज्ञानहींलिखी किन्तु सामान्य भावसे यहकहाहै कि (श्रुतार्थस्योत्तरंलेख्यं) इसलिये अब उससिद्धांतरूप आज्ञामें (अपवाद) अर्थात् झूटभी इसी १३ के श्लोकसे कहतेहैं-कि-एकतौ साहसकर्माकाअ-भियोग जिसमें विषदेने या शस्त्रमारनेआदिकाभगड़ाहो-२ स्तेय चोरीकामुकद्दमा-३ पारुष्यस्थान वाक्पारुष्य अथवा दण्डपारुष्यकामुकद्दमा इसवाक्पारुष्य और दण्डपारुष्यमें वहमुकद्दमाभीसमुझनेचाहिये जो किसीकीजाति अथवा प्रतिष्ठातक हानिपहुँचाईगईहो-४ (गो) अर्थात् दूधवालीगौकाभगड़ा-५ (अभिशाप) अर्थात् क-लंक दोष पातक जो किसीपरलगायागयाहो जिस्से उसकीजाति अथवा धर्ममेंविरो-धआवै तिसकाअभियोग-६ (अत्यय) अर्थात् किसीकेप्राण अथवा धनकाविनाशकर-नेपर केवल उद्यतहोना तिसकीनालिश (इस अत्ययपदको भाषान्तरसेतकदीम हम लह) कहतेहैं इसलिये कि अबतक वह विनाशकियानहींगया किन्तु करनेपरउद्यत होकर कदमूरकवागया-७ (स्त्रियां) अर्थात् स्त्रीसम्बन्धीभगड़ोंकामुकद्दमा इसके दो भेदहैं एकतौ कुलवतीस्त्री दूसरा दासीका-तहाँ कुलस्त्रीकामुकद्दमा उसके चारित्र वा प्रतिष्ठामध्ये और दासियोंकेमुकद्दमे माल या मालकियतके-इन अभियोगों में (सद्यः)



नाम शीघ्रही प्रत्यर्थीसे उत्तर दिलवावै किन्तु इनमें कालविलम्ब अनुचित है और अन्यत्र नाम अन्य विवादों में किजो इनसेभिन्नहों उनमें मुदाअलेहकीओरसे उत्तर देनेका काल इच्छाके आधीन अर्थात् अर्थी या प्रत्यर्थी या सभासद या सभापति इनकी इच्छाके अनुसार आवश्यकतासे विलम्बितहोसक्ताहै १३ ॥

अथ असत्यवादित्वादिदुष्टलक्षणप्रदर्शनोनामद्वादशःपरिच्छेदः १२ ॥

इसवारहवेंपरिच्छेदमें वे लक्षणकहेजायँगे जिनसे मुदाअलेह और गवाहोंका भूँठापन पहिंचानाजाय ॥

देशादेशांतरंयातिसृक्किणीपरिलेढिच । ललाटस्विद्यतेचास्यमुखंवैवर्ग्यमेतिच १४ ॥

परिशुष्यत्स्वलदाक्योविरुद्धं बहुभापते । वाक्चक्षुःपूजयतिनोतथोष्ठौनिर्भुजत्यपि १५ ॥

स्वभावाद्विकृतिंगच्छेन्मनोवाक्कायकर्मभिः । अभियोगेचसाक्ष्येवादुष्टःसपरिकीर्तितः १६ ॥

ऐक्यार्थस्त्रयाणांसह—अभियोगमें या गवाहीमें मुदाअलेह अथवा कोई गवाह इससे जब अदालत कोई बात बूझै उस समय मनसे या वाणीसे या कायासे या कर्मसे विकृतिको प्राप्त होजाय परन्तु वह विकृतिभी स्वभाव से उत्पन्न हुईहो अर्थात् भय आदि हेतुओं से न उत्पन्न हुईहो तौ वहमुदाअलेह अथवा गवाह अभियोग में या गवाही में दुष्ट कहलाता और दुष्ट कहने से सिद्धांतहै मिथ्याभियोगी और भूँठी साक्षी देनेवाला-इसलिये इनकी ( विकृति ) नाम विकारके सर्वलक्षण भिन्न २ चौदहवें और पंद्रहवें दो श्लोकों से कहते हैं और यह पहला आशययहाँतक सोलहवेंसे कहागया-एक यह लक्षणहैकि ( देशादेशांतरंयाति ) अर्थात् जो मनुष्यकहीं एक ठिकाने थँभता नहीं विचला फिरताहै २ ( सृक्किणी-परिलेढी ) अर्थात् ओष्ठोंपर्यंत जीभसे चाटनेवाला या रगड़नेवाला ( यह दोनों बातें कर्मविकारमें गिनती हैं ) ३ ( अस्य-ललाटं स्विद्यते ) अर्थात् माथेपर पसीना जिसके आवै ४ ( मुखंवैवर्ग्यमेति ) अर्थात् मुखजिसका विवर्णत्व नाम पांडुत्व सुफेदीले आवै अथवा सूखासा होजाय(यह दोनों बातें कायाके विकार में गिनती हैं ) ५ ( परिशुष्यत्स्वलदाक्यः ) अर्थात् गद्गद वाणी से गलापकड़ते हुयेउलटे सुलटे वाक्य जिसके मुहँसे निकलें ६ ( विरुद्धं-बहुभापते ) अर्थात् बहुधा पूर्वा पर से विरुद्ध वचन बोलै किन्तु जिसकी पहली कहीहुई बातसे पिछली बातका जोड़ तोड़न मिलसकै (यह दोनोंबातें वाणीके विकारमें गिनती हैं ) ७ ( वाक्चक्षुःपूजयतिनो ) अर्थात् जो विरानी कही या पूँछीहुई बातका प्रति वचन उत्तर न देसकै और जब कोई उसके सन्मुख निहारै तौ उसके सन्मुख आंख न मिलासकै-( यह दोनों बातें मनके विकारका रूपहैं)-८ ( ओष्ठौनिर्भुजति ) अर्थात् जो मनुष्य ओठोंको टेढ़े करके तोड़ै मरोरै-(यह बातभी कायाके विकारमें गिनी है जिसके दो लक्षण ऊपर कहचुके हैं)१४ । १५ । १६ ॥

अधिकोक्तिस्त्रयाणांसह—ऊपर जो लक्षणकहेगये सो केवल दोषकी संभावनामात्र समुभ्लेनेके लियेकहे हैं अर्थात् कुछयही नियम नहीं है कि जिसमें वे लक्षण पायेजायँ वह निर्विकल्पदोषीठहरै क्योंकि वे विकारदोप्रकारकेहोते हैं एकतौ नैमित्तिक जो भय आदिहेतुसे अर्थात् हाकिमआदिके घुड़कने या अपने गार्हस्थ्यसंबंधी गुप्त शोकमोहसे अथवा ये कुलक्षण जिसकी प्रकृतिमें बालपनसे पड़ेचलेआतेहों तौ इनप्रकारों के विकारप्रकाशहोनेमें दोषीनहींठहरसक्ता और-दूसरेविकार जो स्वभावसेउत्पन्नहों अर्थात् मुकद्दमासंबंधी अपराधकेस्वभावसेघबड़ाकर तत्कालउत्पन्नहोजायँ उनसेउसका दोष प्रकट होसक्ता है परन्तु यह क्योंकर जानाजाय कि इसमें ये कुलक्षण स्वाभाविक या नैमित्तिकहुये किंतु इसबातका पहिंचानना बहुत कठिनहै-अथवा-कोईविवेकी यथार्थ भावसे पहिंचानभी सकै कि ये विकार इसमें स्वाभाविक पैदाहुये-तथापि उसकी पराजय संबंधी कार्य नहीं करना चाहिये किन्तु जय पराजय जोकुछ न्यायके अनुकूलहोनाहो सोईहोगा क्योंकि मरतेहुये रोगीके असाध्य लक्षण देखकर कोईभी उसके मृतकार्य संबंधी क्रिया कर्मनहीं करने लगताहै-हाँ-केवल इतना समुभ्लेते हैं कि इसके अब असाध्य लक्षण प्रकट होनेलगे अवश्य मरनेहारहै फिरचाहै बचभी जावै-ऐसेही-इस मुद्दाअलेह अथवा गवाहके विकार देखकर केवल इतना अनुमान होजाता है कि इसकी पराजय होनेवालीहै फिर चाहै उसकी पराजयके पलटे जयहो जावै परन्तु हाकिम आदि किसीको यहयोग्यता नहीं है कि उनविकारोंकोही देखकर उसकी पराजयवाला कामकरै वरन जहाँतक संभवताहो जैसे रोगीकी असाध्यता प्रकट होनेपरभी चिकित्सा किये जातेहैं तैसेही उसकी यथार्थ निर्मलतापर दृष्टि बनी रखवै १४।१५।१६ ॥

संदिग्धार्थस्वतंत्रोयःसाधयेद्यश्चनिःपतेत् । नवाहूतोवदेकिंचिद्धीनोदंड्यश्चसस्मृतः १७ ॥

अक्ष०—जोकोई संदिग्ध अर्थको स्वतंत्र साधनकरै-और जोभागै या जो बुलाया हुआ कुछ न कहै-वह पुरुषहीन और दंड्यभी कहाहै १७ ॥

अभि०—(संदिग्धअर्थ) वह कि जिसधनको ऋणी अपने ऊपर देना अंगीकार न करताहो तिसको विना सबूत जोकोई धनी आदि स्वतंत्र आपही अपने अस्तित्यार से ऋणीको घेर बाँधकर साधनकरै अर्थात् प्रबलतासेअंगीकार करावै तौ वह धनी इसअपराध में अदालतसे हीन और दंड्यभी होताहै अर्थात् फिरचाहै यह मुकद्दमा उसका सच्चाहोतौभी वह उसधनकी ओरसे पराजयपावै और जुर्मानाभी अपराधके समान देनेका अधिकारीहोगा-और जोकोई ऋणी जिसपर नालिश दायरहुईहो और उसने आपही संप्रतिपत्ति उत्तर देकर मुद्दईकादावा अपने ऊपरदेनाअंगीकार करलिया हो-अथवा उसनेसंप्रतिपत्ति उत्तर तौनहींदियापर मुद्दईके प्रमाणोंसेउसपरदावा सच्चा

होगयाहो इसदशा में मुद्दईका धन उद्धार करना या उद्धार करनेका मार्ग निकालना उसपर योग्यथा परन्तु वह (निःपतेत्) अर्थात् ऐसाकिये बिना भागजावै या छिपजावै तौवहभी पूर्ववत् हीन औरदंड्यभीहोता है-और जोकोई प्रत्यर्था जिसपर नालिशहो-नेके हेतुसे राजाने बुलायाहो वह अदालत में जाकर कुछभी नहीं बोलै निपट गूंगा वनिजाय तौवहभी पूर्ववत् हीन और दंड्यभी होताहै १७ ॥

अधि०- इसी परिच्छेदमें पहले तीनश्लोकोंद्वारा जो पुरुष अभियोग और साक्ष्य में विकारोंकरके दुष्ट बतलायेगये और पीछेसे अधिकोक्तिमें उनके निर्विकल्प दोषी होनेका निषेधभी कियागया किन्तु उनके लिये कुछ हीनता अथवा दंड भी नहींकहा इसलिये कहीं उनकेसमान इनकोभी हीन परिज्ञान मात्रमें गिनतीनहीं करना किंतुये दंड्यभी कहेहैं-कदाचित् दंड्यकहनेसे भी यह समुभाजाय किजैसा दशवैमूल श्लोक की अधिकोक्तिमें नारदका वाक्यहै कि सभीअर्थ विवादों अर्थात् धनके अभियोगों में मुद्दई किसीवाक् बलरूप भूलचूकसे यद्यपि दंडपानेका भागीहोता है पर अपने मुख्यधनसे जहांतक सबूत पहुँचासकै हानिनहीं पासक्ता-तैसाही यहांभी १७ के श्लोकमें सिद्धांतहोगा सौनहीं क्योंकियहांपर दंड्यकेसिवायहीनभी कहदियाहै (हीन) अर्थात् अपने मुख्यधनसे भी हाथधोवैठना किंतु मुकद्दमह से पराजय होजानी यह सिद्धांतहै और दंड जुर्माना इसके उपरांत होगा १७ ॥

अथयुगपत्पारस्पर्याभियोगविषयोनामत्रयोदशःपरिच्छेदः १३ ॥

इसतेरहवें परिच्छेदमें उस नालिशका बर्णनहोगा जिसमें दोनोंअर्थी और दोनोंप्रत्य र्थी निश्चित हों अर्थात् जोदोनोंवादी परस्पर दोनोंओरसे एकहीवस्तु पर और एकहीकालमें अभियोग लगावें तिनका विशेष इसमें कहेंगे ॥

साक्षिपभयतःसत्सुसाक्षिणःपूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेऽधरीभूतेभवंत्युत्तरवादिनः १८ ॥

अक्ष०-दोनोंओरसे साक्षियोंके होनेमें साक्षीपूर्ववादीके-पूर्वपक्षके गिरजानेमें उत्तर वादीके होतेहैं १८ ॥

अभि०-जहांएकही कालमें दोनों भगडालू भाषावादी बनकर किसी धर्माधिका-री यद्वाराजाके पासजाकर आवेदन करें तिसका ( उदाहरण ) जैसे किसीने कोईखेत प्रतिग्रह द्वारापाया और कुछकाल उसपर परिग्रहवान् बनारहकर पीछे किसी आव-श्यकता से कुटुंबसहित देशांतरको चलागया-तिसपीछे किसीदूसरेनेभी उसीखेतको प्रतिग्रह द्वारापाया और कुछकाल परिग्रहवान् होकर देशांतरको चलागया-और पीछेकिसी कालांतरमें दोनों एकसाथ या कुछ आगेपीछे आपहुँचे औरपरस्पर दोनों में भगडाउठा किमेराखेत वह कहतातेरानहीं मेराहै ऐसाविवादकरतेहुये दोनों किसी धर्माधिकारी पासपहुँचे इनमें किसकीक्रिया पहलेसाधन करनी चाहिये इसअपेक्षासे

१८ के श्लोकमें कहतेहैं कि-यदिदोनों दावीदारोंके साक्षीसाक्ष्य देनेपर उद्यतहों तौ पूर्ववादीके साक्षियोंका इजहार लेनाचाहिये-परन्तु-जो पूर्ववादीका पक्षही अधरीभूत होजाय अर्थात् उसकापक्ष गिरजानेसे दावाउसका नामञ्जूर होजाय तौ वहीगवाह द्वितीय भाषावादी के होजायँगे ( यहांपर पूर्ववादी अथवा पूर्वदावीदार उसको नहीं समुझना जिसने राजद्वारमें पहलेजाकर दावा पेशकियाहो अर्थात् पूर्ववादी या पूर्व दावीदार उसको कहनाचाहिये जोअपना (परिग्रह)नाम कब्जा उसखेतपर प्रतिग्रह द्वारा पहलेसे बतलाता हो और जिसका कब्जा पीछेहुआ हो सोउत्तरवादी कहलाताहै तिसकेसाक्षी पहलेनहीं पूँछने यहसिद्धांत है-पूर्वपक्ष अधरहोजानेका अभिप्राय यहकि-जब उत्तरवादी अपने इजहारोंसे पूर्ववादी की भाषाको इसप्रकारसे प्रमाण करै कि सत्यहै यहवात इसनेइसखेतका प्रतिग्रह पहलेपाया और इसीका परिग्रहभी पहले उसपर हुआथा परन्तुयहीखेत राजानेइससे मोललेकर मुझको दानकरदिया या उसराजासे किसी और ने प्रतिग्रह द्वारापाया फिर उस्से मैंनेलिया-इसदशामें यदि पूर्ववादी अपना सबूतदेने में ढालापरजाय जिस्सेउत्तरवादी का यह कथनसच्चा प्रतीतहोनेलगै तौ फिर पूर्ववादीका दावा नामञ्जूर होगा और गवाह उसकेनहीं सुनेजायँगे क्योंकि उसकापक्षअधरीभूतहोकरगिरगयाकिन्तुसाधनकरनेयोग्यनहींरहा- इसलियेअबउत्तरवादीके गवाहसुनेजायँगे(यहबिब्याख्यानइसआशयकाठीकरहै) १८

अधि०-यद्यपि सर्व साधारण व्यवहारोंमें सर्वत्र यह मर्यादाहै और बहुधा पहलेसे वर्णन भी होताचलाआताहै कि प्रत्यर्थी मिथ्योत्तर प्रवेशकरै तबतौ पूर्ववादीके साक्षी सुननेचाहिये-और जो पूर्वन्यायअथवा कारणोत्तर प्रवेशकरै तिसके हेतुसे पूर्वपक्षअधरहोजानेमें पूर्ववादीका दावानामञ्जूरहोकर उसी उत्तर वादीके गवाह सुनेजायँ- परन्तु-यह मर्याद इस पारस्पर्यव्यवहारसे संबंधितकरना ठीक नहींहै (इसलियेकदाचित् कोई यह शंकाकरनाचाहै कि इन दोनों वादियोंमेंसे यह निश्चितहोजानेपर भी कि उसखेतपर जिसका कब्जापहलेहुआहो उसको पूर्ववादी अर्थात् मुद्दई कल्पितकरिके दूसरेसे उत्तरलेनाचाहियेफिर क्या हेतुहै कि इस व्यवहारसे वह मर्याद संबंधित नहींहोसक्ती ) इसका यह हेतुहै कि उस मर्यादके लिये यहभी आवश्यकहै जैसापीछे कहीं उसके साथमें चर्चाहोचुकाहै कि उत्तर प्रवेशहोजाने पीछे अर्थी शीघ्रही अपने प्रतिज्ञात अर्थका साधन अर्थात् प्रमाण लिखवावै अगर यहाँपर उस मर्यादसे अपेक्षाहोती तौ इसकाभी कुछचर्चाकियाजाता-परन्तु पूर्ववादी के साक्षी पहले सुने जाने मध्ये नारदने भी स्पष्टभावसे कहाहै-यथा ( मिथ्याक्रियापूर्ववादेकारणेप्रतिवादिनि । प्राङ्न्यायविधिमिद्धौतुजयपत्रंक्रियाभवेत् ) अर्थात्-मिथ्या उत्तरमें पूर्ववादीके गवाहों आदि क्रियाहोनीचाहिये-कारणोत्तर में प्रतिवादीके-प्राङ्न्यायोत्तरमें उसी प्राङ्न्याय

का जयपत्र जो प्रत्यर्थी के पास हो तिसका प्रवेशकरना क्रिया है कुछ गवाहों की भी जरूरत नहीं रहती-यह साधारणव्यवहारोंकी मर्याद कहकर पीछे से इस व्यवहारमध्ये यह कहा है नारदने कि (द्वयोर्विवादतोरर्थे द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेद्युस्तस्य साक्षिणः) अर्थात्-जिस एकही अर्थमें दोनोंके भगड़ते हुये और दोनोंके साक्षी होते हुये जिसका पूर्वपक्ष हो उसीके गवाह सुने जावें-इस कथनसे नारदने इस व्यवहारको अन्य व्यवहारोंसे विलक्षण जानिकर भिन्नरूपसे वर्णन किया और इसीसे जुदी मर्यादा इसकी नियत करी गई १८ ॥

अथ सपण व्यवहार विषयो नाम चतुर्दशः परिच्छेदः १४ ॥

इस चौदहवें परिच्छेदमें पणसहित व्यवहार अर्थात् जिसमें हारजीतकी होड़ वदी गई हो तिसका वर्णन होगा ॥

सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत् । दंडं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च १९ ॥

अक्ष०—यदि विवाद सपण होवै तिसमें हारे हुये पक्षीपर दंड और अपना पण और धनीको धन भी दिलवावै १९ ॥

अभि०—जब कोई विवाद नाम व्यवहार सपण अर्थात् पणसहित हो किंतु जिसमें होड़ वदी गई हो तिसमें जब होड़ वदनेवाला व्यवहार हारै तब हीनदोषका दंड जो कुछ पूर्वोक्तरीतोंसे उसपर उचित होकर ठहरै सो और अपना पण भी अर्थात् जो कुछ होड़ वदी हो सो भी उसहीनपर दिलवावै अर्थात् राजा आप लेवै और जो वह पराजित पुरुष प्रत्यर्थी हो तौ उससे धनीनाम अर्थीका धन भी अर्थीको दिलवावै १९ ॥

अधि०—जिस व्यवहारमें एकपक्षीकोपमें भरकर यह प्रतिज्ञा करै कि जो इस विवादमें दूसरा पक्षी अथवा कोई मुझे पराजित कर सकै तौ मैं एकसौ पण व्यवहार धनसे अधिक भरोंगा और दूसरा पक्षी कुछ भी होड़ नहीं बदै तहाँ भी व्यवहार प्रवर्तित होता है अर्थात् यही नियम नहीं है कि दोनोंपक्षी होड़ बदै तभी उस व्यवहारकी प्रक्रिया साधन करी जाय-परंतु-इसमें उसमें इतना भेद है कि जो ऐसे व्यवहारमें पणप्रतिज्ञावादी जिसने होड़ वदी थी वही हीन हो जावै तौ वह दंडके सिवाय अपना पण भी देवै-और जो उसका दूसरा पक्षी हारै जिसने होड़ नहीं वदी थी तौ वह केवल हीनदोषका दंड देवै किंतु होड़ नहीं क्योंकि होड़वाचक पणशब्दमें यह विशेषण है कि अपना पण देवै अर्थात् उसने अपने मुखसे पण किया हो सोईदे कुछ दूसरेका कहना इसमें नहीं अपेक्षित है-इसी हेतु से-जिस व्यवहारमें एकपक्षी सौपणकी होड़ बदै दूसरा केवल पचासपणकी बदै तिसमें भी जो कोई मुकदमा हारै सो अपने मुखसे बदाहुआ देवै अर्थात् पचासवाला पचास और सौवाला हारै तौ सौपण देवै ( सपणश्चेद्विवादः स्यात् ) अर्थात् जो ( पणसहित विवाद हो ) इस प्रतिज्ञासे यह सिद्धांत निश्चित हुआ कि पणके बिना भी व्यवहार सिद्ध

होता है किन्तु यही नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यवहारमें पणहुये विना व्यवहारकी सिद्धि न होसकै १६ ॥

अथ सभापत्यादिधर्माधिकारिणामधिकारविषयोनामपंचदशःपरिच्छेदः १५ ॥

इसपंद्रहवेंपरिच्छेदमें वे मर्यादें कहीजायेंगी जिनमें ठेठअदालतकी काररवाईमध्ये राजाअथवासभापति आदि धर्माधिकारियों का अधिकार जानाजाय कि उनको क्या आचरण करना चाहिये ॥

छलनिरस्यभूतेनव्यवहारान्नयेन्नृपः । भूतमप्यनुपन्यस्तंहीयतेव्यवहारतः २० ॥

अक्ष०—राजा छल निकालकर भूतरूपसे व्यवहारोंको देखै- अनुपन्यस्त भूतभी व्यवहारसेहीन होताहै २० ॥

अभि०—राजाआदि धर्माधिकारी को यहकर्तव्य है कि प्रमाद आदि से उत्पन्नहुये छलप्रपञ्चोंको ( निरस्य ) नामनिकालकर अर्थात् उत्तर विशेष दृष्टि न रखकर(भूतेन) वस्तुतत्त्वानुसारेण अर्थात् वास्तवसे यथार्थ दशाकेअनुसार अपनी धर्मज्ञता साथ आचरणकरताहुआ व्यवहारोंको देखभालकर (नयेदन्त) अर्थात् पारलगावे किन्तु निपटारातक पहुँचावे -परन्तु- अनुपन्यस्त भूतभी अर्थात् जो वास्तवसे ठीकठीक यथार्थ दशा जिसव्यवहार की निश्चित न होसकै अथवा राजसभाकी मर्यादोंसे भी प्रमाणको न पहुँचै तौ परिणाम इसकायहीहै कि वहअर्थीहो चाहे प्रत्यर्थीहो व्यवहार मार्ग अर्थात् साक्षीआदि प्रकारोंसे हीनहोजाता किन्तु जोअर्थीहुआ तौ अपनेअर्थ की सिद्धिको न पहुँचा और प्रत्यर्थी हुआ तौ पराजय को पहुँचा- इसलिये राजाको उचितहै कि मुकद्दमाके वास्तवसे यथार्थ दशाओंके अनुकूल फैसलाकरै २० ॥

अधि० — ऊपरकहीहुई वार्ताकी सिद्धिकेलिये ससभ्यसभापतिको सामआदि उपायों सेऐसायत्न करनाचाहिये जिस्से अर्थीप्रत्यर्थी दोनोंसत्यबोलें जो यथार्थ वास्तवजाना जाय और इसदशामें यहभीयोग्य है कि साक्षियोंकी अपेक्षा विनाभी और अन्यप्रमाणोंके पहुँचेविनाभी मुकद्दमाका निर्णयहोकर फैसलाकरदियाजाय -परन्तु- यह बात कि सभीव्यवहारोंमें भूतानुसरण की रीतिसे फैसलानहींहोसक्ता क्योंकि सभीअर्थीप्रत्यर्थी सत्यनहींबोलसक्ते और न वास्तवसे यथार्थ दशापरदृष्टि पहुँचसक्तीहै इसलिये जब यहवास्तवदशा असम्भवहो तब साक्षी आदि प्रमाणों के प्रकारसे निर्णयकरना चाहिये यह(अनुकल्पहै) औरवह वास्तवदशा तत्त्वरूपहै सो मुख्यहै-सोई यहशास्त्रसे भी प्रमाणहै कि(भूतच्छूलानुसारित्वात् द्विगतिःसमुदाहृतः । भूतंतत्त्वार्थयुक्तंयत्प्रमाणाभिहितंछलम् ) अर्थात् भूतानुसारित्व से और छलानुसारित्वसे व्यवहार दोगति बालाकहलाता जैसापहलेसे दोनोंप्रकार वर्णनहोचुकेहैं तिनमें भूतानुसारीव्यवहारवह कहलाता जिसमें वास्तवसे तत्त्ववार्ता प्रकटकराजाय और उसीकेअनुसार फैसलाभी



कियाजाय और दूसरा छलानुसारी व्यवहार वह कि जिसमें तत्त्ववार्ताके प्रकट न होने से साक्षीआदि प्रमाणों द्वारा निर्णय किया जाय- इनमें भूतानुसारी व्यवहार मुख्य और छलानुसारी उसका अनुकल्प है क्योंकि छलानुसारीमें जब साक्षीआदि प्रमाणोंसे निर्णय किया जाता तब कभीतौ यथार्थ निर्णय होसक्ता और कभीकभी साक्षी आदि प्रमाणोंके व्यभिचारसे यथार्थ निर्णय नहीं होसक्ता २० ॥ अवनचेके श्लोकमें इसी वीसवें श्लोक उत्तरार्द्धका उदाहरण स्पष्ट भावसे कहते हैं ॥

निहनुते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वनृपेणार्थनग्राह्यस्त्वनिवेदितः २१ ॥

अक्ष०—लिखेहुये अनेक अर्थके निहव करनेसे एकदेशमें विभावित किया हुआ राजा करके सब धन दिलवाने योग्य है -पर अनिवेदित ग्राह्य नहीं है २१ ॥

अभि०—इसके पहले बीसके श्लोकमें उत्तरार्द्धसे यह कहा था कि (भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः) अर्थात् जो यथार्थवार्तासभाकी आचरणसम्बन्धी मर्यादोंसे प्रमाण को न पहुँचै तौ मुकद्दमा सिद्ध न होगा- सो इसवार्ताका उदाहरण अब कहते हैं-कि-जिस व्यवहारके दावेमें अर्थीने अनेक अर्थ सोनाचाँदी वस्त्र आदि लिखेहों और प्रत्यर्थी उसके उत्तरमें निहव नाम अपहव करै अर्थात् इनकारी उत्तर देवै कि मुझ पर कुछ भी इसका नहीं चाहिये और इसदशामें अर्थी उसपर कोई एकदेश कहिये एक वस्तु उनमेंसे सोना या जो कुछ अपने साक्षी आदि प्रमाणोंद्वारा सबूतको पहुँचावै या किसी प्रकार उससे अंगीकार करावै तौ फिर उसका सभीधन चाँदी आदि जो कुछ उसने पहले लिखवाया हो राजा प्रत्यर्थीसे दिलावै परन्तु अनिवेदित नहीं दिलावै अर्थात् जो पीछे अर्थी यह कहने लगे कि एक अमुक वस्तु और भी लिखवानी रह गई जो पहले मैं भूल गया था तौ यह नहीं दिलानी २१ ॥

अधि०—यह बात भी कुछ निर्विकल्प नियमसे निर्णीत नहीं करी गई है कि सब अनेक धनोंमेंसे किसी एकधनकी अपेक्षा प्रत्यर्थीका भूँठानिश्चित होना अन्यधनोंकी अपेक्षा भी वह भूँठा निर्विकल्प है-और यह भी-कि अर्थी एकधनकी अपेक्षा सच्चा निकला इससे सभीधनोंकी अपेक्षा वह सच्चा है-वरन-योगीश्वरने इस कथनसे यह सिद्धांत रक्खा है कि तर्कापर नाम संभावना प्रत्ययके आश्रय होता हुआ राजा उसे सब धन दिलवावै क्योंकि उस व्यवहारका यथार्थ रूप तौ जानानहीं जाता और इस हेतुसे किसी विवादका निपटारा न करना यह भी कोई धर्म नहीं है इसलिये इसन्यायसे निपटारा करै कि यदि एक बातमें अर्थी सच्चा है तौ दूसरी बातमें भी उसके सच्चे होनेकी संभावना देख परती है ऐसेही प्रत्यर्थी यदि एक बातमें भूँठा ठहरा तौ दूसरीमें भी भूँठा होना संभवित है-इस प्रकार-धर्मशास्त्रके आशयसे तर्कवाक्यके अनुसार निर्णय करनेमें यथार्थ से अन्यथा भी व्यवहार का निपटारा होजाय तौ भी व्यवहार

दर्शी अर्थात् हाकिमअदालत किसीप्रकार दोषभागी नहीं होसकतेहैं-क्योंकि-इसमें गौतम का वाक्यभी प्रमाणहै कि-यथार्थ वस्तु या यथार्थ वार्ता जो प्रपंचोंसे गूढ़हो तिसको साक्षात् प्रकाश करनेकेलिये तर्कवाक्य जो है सो एकपूरा उपायनियत किया गयाहै तिसका आश्रय लेकर जहां जैसा अवरहो तैसा निपटारा करै-यह कहकर पीछेसे गौतमने यह भी कहाहै कि ऐसी दशाओंमें राजा और आचार्यभी यद्यपि कोई व्यवहार विपरीत निर्णय को पहुँचे पर यह दोनों अनिद्यहैं इनको कोई दोष नहीं लगता-और ऊपर कहीहुई यह मर्याद कि अनेक वस्तुओंकी नालिशमें साफ़ इनकार करनेवाले प्रत्यर्थीपर एक अंश कोईसा उन वस्तुओंमेंसे प्रमाणको पहुँचा-याजाय जिस्से वह उस अंशकीअपेक्षा भूँठाठहरै तौ इससे यहसिद्धांत नहीं समुक्त-नाचाहिये कि उससे प्रत्यर्थीका केवल वचन अस्वीकार कियाजाय क्योंकि उसमेंस्पष्ट यह लिखाहै कि एक अंश उसपर प्रमाणको पहुँचै तौ सभी धन राजा उसपर दिल-वावै-और यद्यपि कात्यायन का यह वाक्यहै कि(अनेकार्थाभियोगोपियावत्संसाधयेद्ध नी । साक्षिभिस्तावदेवासौलभतेसाधितंधनम्) अर्थात्-जिसनालिशमें अनेक अर्थोंका अभियोग हो उसमें अर्थी वहीधन पावैगा कि जो २ वस्तु साक्षियों अथवा और किसी प्रमाणसे सम्यक् साधन करसकै-सो यह मर्याद उस व्यवहारसे सम्बन्ध रखती है कि जिसमें पिता आदि किसी स्वर््यातने ऋण लियाहो और पुत्रादिकोंपर नालिश करीजाय-तहां ऐसी दशामें यह मर्यादभी निर्विकल्पहै जब किसी पुत्रादिक पर पिता आदिके लियेहुये ऋण मध्ये अनेक अर्थोंका अभियोगहो और पुत्रादिक प्रत्यर्थी उसके उत्तरमें यह कहें कि मैं जानता नहीं मेरे पिता या पितामहने यह धन इससे लियाथा या नहीं तौ ऐसी इनकारसे वह अपह्ववादी नहीं ठहरसक्ता-और जो उस प्रत्यर्थीपर पूर्वोक्त रीतिके अनुसार एक अंश कोई सा किसी प्रमाणसे साबित होजा-वै जिस्से वह भूँठाठहरै तथापि भूँठा नहीं कहलासक्ता और भूँठबोलनेका अप-राधी भी निश्चित नहीं होसक्ता क्योंकि वह ऋणठेठ उसके हाथका लिया नहींहै इस से नहीं मालूम कि वह उस एक अंशकाभी भेदूथा या नहीं-इसहेतुसे सर्वथा निश्चित हुआ कि जो मर्यादा इस २३के मूल श्लोकमें कहीगई सो इसकात्यायनजीके वाक्य से अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि यहकात्यायनजी का वाक्य अपह्ववाद्यमें गिनती नहीं है और इसीहेतुसे इसमें तर्कापर नाम संभावना प्रत्यय भी नहीं संबंधितहोसक्तीजो अपह्ववाद्यमें कहीगई-इसलिये यहकात्यायनजीका वाक्य सामान्यविषयपर आरूढ़ और अज्ञानोत्तरमें वर्तमान है और निह्वोत्तर संबंधी मर्याद जो इसी २३ के मूल श्लोकमें कहीगई वह विशेष शास्त्रमें गिनती और मिथ्योत्तर में वर्तमानहै (शंका) कात्यायनजीने यह भी कहाहै कि (ऋणादिषुविवादेपुस्थिरप्रायेषुनिश्चितम् । ऊनेवा



प्यधिकेशार्थे प्रोक्तेसाध्यं न सिद्ध्यति ) अर्थात्-ऋणादि व्यवहार जो स्थिरप्रायहों उनमें यह मर्याद है कि दावेके मुख्य धनसे न्यून अथवा अधिक धन कहा जाय अर्थात् साक्षियों अथवा और किसी प्रकारसे कोई एक अंश प्रमाण को पहुँचै या उससे कुछ अधिक प्रमाण को पहुँचै जितने का दावा अर्थीने किया था तौ वह दावा यथावत् प्रमाणको पहुँचा निश्चित नहीं होता अर्थात् वह कुलदावा असिद्ध समुभा जायगा- तौ फिर किसी प्रकारसे भी एक अंशके प्रमाण होजानेपर सबधन सिद्ध हुआ नहीं समुभा जासक्ता जैसा इसी २१ के श्लोक में वर्णन हो चुका है ( समाधान ) यद्यपि कात्यायनके उक्त वाक्यका अभिप्राय यह यथार्थ है कि जब कुलदावेकी सिद्धिकी आवश्यकता में उस दावेका एकही अंश गवाहों या और किसी प्रकारसे सिद्धिको पहुँचै अथवा दावेसे अधिक सिद्धिको पहुँचै तौ इस बातके कुलदावेका सिद्ध होना योग्यता में नहीं आसक्ता-तौ भी-इस कथनकी विशेषता से कि वह दावा निश्चितरूपसे सिद्ध हुआ नहीं समुभाजाता अर्थात् अनिश्चितरूपसे समुभाजाता किंतु उसमें संदेह शेष रहजाता है इसलिये उसके और भी प्रमाण वा सबूतोंपर ध्यान धरना चाहिये (पुनः शंका) कात्यायनजीका वाक्य जो ऊपर शंकाके हेतुसे लिखा गया उसमें कहीं भी इस बातकी समस्या नहीं है कि उसके और भी प्रमाण वा सबूतोंपर ध्यान करना चाहिये (समाधान) ठीक है उस वाक्यमें यह सिद्धांत नहीं पायाजाता परन्तु अभी योगीश्वर के बीसवें मूल श्लोकमें पूर्वार्द्धसे कह चुके हैं कि छलके ऊपरसे दृष्टिको निवृत्त करिके वास्तव रूपसे राजा निपटाराकरै इसलिये राजा को यह उचित है कि यद्यपि इसमें न्यून अथवा अधिक धन सावित होजाने का छल भी देखपरा तथापि उस छलकी और ध्यान न रखकर उस विवाद व्यवहारके अन्य प्रमाणोंको ढूँढ़ै-परन्तु यह मर्याद साहस आदि फौजदारी के विवादोंमें नहीं है अर्थात् फौजदारीके मुकद्दमातमें अगर उस दोषका एक अंशभी उन गवाहोंसे प्रमाणको पहुँचै कि जो गवाह संपूर्ण दोषके प्रमाणहेतु से प्रविष्ट हुयेहों तौ इसदशमें वह संपूर्ण दोष प्रमाण को पहुँचा समुभा जायगा-क्योंकि साहस आदि फौजदारीके विवादोंकी सिद्धि उतनेही प्रमाणसे होजाती है ॥ इसीवार्तामें कात्यायनका यह वाक्यभी प्रमाण है कि (साध्यार्थी शोपि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत् । स्त्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परिकीर्तितम् ) अर्थात्-एकतौ परस्त्री संग और साहस विषशस्त्र आदि और चोरी इन मुकद्दमातमें जो गवाह दिये गये हों उनके द्वारा उसीसाध्य दोषका कोई एक अंशभी कहकर सिद्ध किया जाय तौ वह सकलसाध्य दोष सिद्ध हुआ समुभाजाना उचित है ( शंका ) भला यह सब सिद्धांत ठीक है और समुभे गये परन्तु एक यह बड़ी शंका खड़ी होती है कि एक तौ योगीश्वर का यही इक्कीसवां मूलश्लोक जिसमें अनेक अर्थोंकी लिखी हुई नालिशमें एक अंश

के सिद्ध होजानेपर सबधन दिलवाना धर्म मर्यादा कही-दूसरा इसी अधिकोक्ति में कात्यायन ऋषिकावाक्य जिसमें अनेक अर्थोंकी नालिशमें जितना अर्थ अर्थोसिद्ध करवासकै उतनाही दिलवायाजाय किन्तु सब नहीं यह भी धर्ममर्यादा कही-तौ फिर इन दोनोंके होनेमें परस्पर विरोधहुआ और उससे उसकाबाध उस्सेउसका बाध उत्पन्नहोनेसे दोनोंकी अप्रमाणता क्यों न होजानी चाहिये अर्थात् यह दोनों वाक्य प्रमाणकरिबे योग्यनहींरहे फिर विषय व्यवस्था क्याचीजहै जिसका सहारा लेकर निर्वाह करतेहो कि वह वाक्य उस दशामें और यह अमुकदशामें प्रामाण्य होसक्ता है इस निर्वाहके सहारासे दोनोंका विरोध नहीं शांत होसक्ता-इसका समाधान आगे २२ के श्लोकमें यथावत् और विस्तार सहित उसकी अधिकोक्ति पर्यंत देखौ २१ ॥

स्मृत्योर्विरोधेन्यायस्तुबलवान्व्यवहारतः । अर्थशास्त्रात्तुबलवद्धर्मशास्त्रमितिस्थितिः २२ ॥

अक्ष०—दो स्मृतियों के विरोधमें व्यवहार करके न्याय बलवान् है (परन्तु) अर्थशास्त्रसे धर्मशास्त्र बलवान् यह मर्यादाहै २२ ॥

अभि०—जहां धर्मशास्त्रकी दो स्मृतियों अर्थात् दो वाक्यों में परस्पर विरोध आताहो तहां उस विरोधके परिहार के लिये विषय व्यवस्थापन आदि में उत्सर्ग और अपवाद आदि लक्षणवाला न्याय जो है सोई बलवान् कहिये अतिसमर्थ है अर्थात् जब धर्मसंबंधी दो वाक्यों के परस्पर विरोध हों तब उन प्रत्येकपर भिन्न भिन्न ध्यान लगाकर विरोध उनका शांत करना चाहिये और जो वाक्य उन में से सामान्यशास्त्र या विशेषशास्त्रकी तर्कना से अथवा और किसी यथावत् हेतुसे अधिकतर अपेक्षा रखताहो सर्वथा वहीप्रमाण करिबे योग्य होताहै (कदाचित् यह पूँछाजाय कि वह न्याय जिसकी चर्चाहोरही है अथवा यह अधिकतर अपेक्षा जिसका चर्चा इसी उपरली पंक्तिमें हुआ किस रीतिसे जानाजाय इसका प्रत्यय कहना चाहिये) सो कहते हैं-कि व्यवहारतः व्यवहारसे और वृद्धव्यवहारसे अर्थात् वर्तमान व्यवहारके स्वरूपसे और पूर्वकालीन वृद्धों के सुपरीक्षित व्यवहार मार्गसे अन्वय और व्यतिरेक लक्षणके द्वारा समुभा जाताहै-इस हेतुसे जिस विरोध दशाका चर्चा चलाआताहै उसमें विषय व्यवस्थाही ठीकहै अर्थात् उस विरोधमें मर्यादोंको भिन्न भिन्न एक एक पर संबंधित करना चाहिये जैसा पहले कहचुके हैं और इसीप्रकार औरभी सब दशाओंमें अधिकारहै कि जिन विशेष दशाओंसे वे विषय व्यवस्था विकल्प आदिकी मर्यादें संबंधित होसक्तीहों उनसे संबंधित करीजायँ-परन्तु इसीप्रकारसे सर्वत्र इसवातका प्रसंग करनेमें एक अपवादभी कहते हैं-अर्थात्-दो वाक्योंके विरोध मध्ये जो मर्यादें सर्व साधारण भावसे यहांपर कही गई तिसमें एक झूटभी कियेदेने हैं क्योंकि सर्वत्र ऐसा नियम नहीं होसक्ता (अपवाद-झूट-)अर्थात्

(इस्तस्नाय) सो यह बात इसी श्लोकमूलके दूसरे अर्द्धसे कहते हैं कि-अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान् है यह एक मर्यादा परिनियमित है-अर्थात्-धर्मशास्त्र के अंतर्गत आचाराध्यायमें राजनीति प्रकरणभी आयाथा उसीको अर्थशास्त्र कहते हैं और अर्थशास्त्र धर्मशास्त्रकी अपेक्षामें तुच्छ समुभागयाहै उशनानेभी अर्थशास्त्र को तुच्छ वर्णन कियाहै यद्यपि उन्हीं आचार्योंने धर्मशास्त्र कहा उन्हीं ने अर्थशास्त्र भी कहा इसलिये दोनोंके स्वरूपमें कुछ भेद नहीं प्रतीत होता क्योंकि आचाराध्यायके अंतमें राजनीति प्रकरणके देखनेवाले सिद्धांतको समुभे विना यही जानसक्ते हैं कि यहभी धर्मशास्त्रहै तथापि धर्मशास्त्रकी प्रधानता और अर्थशास्त्रकी अप्रधानतासे धर्मशास्त्र बलवान् है क्योंकि धर्मशास्त्रकी प्रधानता इस व्यवहाराध्यायके प्रारम्भमें पहलेही श्लोकसे प्रदर्शित होचुकी है कि राजा व्यवहारोंको धर्मशास्त्रके अनुसार देखै किंतु अर्थशास्त्रके अनुसार नहीं-इस हेतुसे जिस किसी वार्त्तामें ऐसे दो वाक्योंसे विरोध आवै कि उनमें एक धर्मशास्त्रका और एक अर्थशास्त्रका हो तहां धर्मशास्त्रकी प्रधानतासे अर्थशास्त्रका बाध होजाताहै अर्थात् नतौ उसके लिये विषय व्यवस्था और न उसमें कुछ विकल्प होसक्ताहै २२ ॥

अधि० -कोई पूँछे कि इस वार्त्तामें क्या उदाहरणहै तिसका (दृष्टांत) कहते हैं-यथा गुरुंवाबालवृद्धौवाब्राह्मणंवाबहुश्रुतम् । आततायिनमायांतहन्यादेवाविचारयन् ॥ नाततायिवधेदोषो हंतुर्भवतिकथन । प्रच्छन्नंवाप्रकाशंवामन्युस्तंमन्युमृच्छति(तथा)आततायिनमायांतमपिवेदांतंगरणे । जिघांसंतंजिघांसीयान्नतत्रब्रह्महाभवेत्) इत्यादि अर्थशास्त्रके अनेक वाक्यहैं-अर्थात्-अर्थशास्त्रमें इन वाक्योंसे यह आज्ञाहै कि गुरु या बालक या बूढ़ा या बहुश्रुत ब्राह्मणभी आततायी बनिकर किसीको मारनेपर उद्यत होकर सन्मुख आवै तौ उसको शोच विचार किये बिनाभीमारडालै तौ वह दोषीनहीं ठहर सक्ता-क्योंकि आततायीके वध करने में हंताको कोई दोष नहीं होता-वरन यह विशेषता कि उस आततायीका वह क्रोध जिसके द्वारा मारने आयाथा चाहे प्रच्छन्न अर्थात् गुप्तहो चाहे प्रकाशमान प्रत्यक्षहो परन्तु क्रोधका प्रतिकारक्रोध होताहैतथा-कदाचित्-रणमें कोई आततायी बनिकर सन्मुख आवै चाहे वह वेदांतपारगभी हो पर मारनेकी इच्छाकरते हुयेको मारनेका उपाय आपभीकरै तौ इसकर्मसेब्रह्महत्याका दोषी नहीं होता-इत्यादि औरभी अनेक वाक्य जानो सो यहसब दृष्टांत अर्थशास्त्र के हैं-और-धर्मशास्त्रमें ब्रह्मवधके पायश्चित्तको रूपडौल कहकर पीछे यह कहाहै कि-इयंविशुद्धिरुदिताप्रमाप्याकामतोद्विजम् । कामतोब्राह्मणवधेनिष्कृतिर्नविधीयते ) अर्थात्-यह (विशुद्धि) नामप्रायश्चित्त जोकहा सो उसदशामें किजो कामनाविना किसी धोखेसे ब्राह्मणकोमारडालै क्योंकि कामनासेचाहकर ब्राह्मणकावधकरनेमें (निष्कृति)

नामप्रायश्चित्तनहींकहा अर्थात् इसपातकसे वहपातकी किसीप्रकारसेभी शुद्धनहीं होसक्ता-इत्यादि औरभी नानाभाँतिके अनेकवाक्य धर्मशास्त्रमेंप्रसिद्धहैं-तौ प्रत्यक्ष इनदोनोंप्रकारोंमें परस्परविरोधहै परंतु इनमेंधर्मशास्त्रकी आज्ञाबलवानहै और अर्थशास्त्रकी उसकेआगे निर्बलहै यहमर्यादाठीक-परन्तु-पहलेसे जिसबलाबल के विचारकाचर्चा यहाँपर विरोधमध्ये चलाआताहै कि भिन्न २ दोनोंपरध्यानकरे और अन्वय तथा व्यतिरेकद्वारासमुझै सो इनदोनोंकेविरोधमें उसअन्वय और व्यतिरेक की अपेक्षानहींहै-यही उस (अपवादनामभूठ) कास्वरूपहै-क्योंकि-यह दोनोंप्रकारके वाक्य जो ऊपरदृष्टांतसेकहेगये कुछएकहीप्रयोजनसे सम्बन्धितनहींहैं किन्तु विषय दोनोंकाभिन्नहै इसलिये विरोधभी इनमेंनहींकहसके और विरोधकेअभावसे इनके परस्पर बलाबलकेविचारकीभी आवश्यकतानहींहै कि इनमें अन्वय और व्यतिरेक लगाजाय(शंका)भलाफिरक्याइसबातसे सिद्धिपाईगई किन्तु इनदोनोंदृष्टांतोंका लिखनाभी इसजगहपर तुषकण्डनवतहोगया जबकि यहाँपर धर्मशास्त्रकाचर्चाहै और उसीके दोवाक्योंमें विरोधआवे तहाँअन्यय और व्यतिरेकलगानाचाहिये तौ फिर उसकेसाथमें अर्थशास्त्रकादृष्टांतभी न देनाचाहिये औरभी यहशंकाहै कि जबदोनों काविषय भिन्नसमुझागया तौफिर अपनेअवसरपर अर्थशास्त्रभीबलवानहोगा और इसीअधिकोक्तिकेप्रारम्भमें दो तीनकेइलोक जो अर्थशास्त्रकेदृष्टांतसे लिखचुकेहैं वे भी अपनेअवसरमेंबलवानहै अर्थात् जोकुछ भावार्थउनमेंकहागयाहै सो सबसच्चाहै और उसीप्रकारबर्तावाभी कर्तव्यहोगा तौफिर धर्मशास्त्रकीबलवानता कहाँरही क्योंकि जहाँ केवल धर्मशास्त्रकेविषयपरचर्चाहोगा तहाँ उसकीबलवानतासमुझीजायगी अन्यथा अपने २ घरकेसभीराजाहैं किन्तु जैसा यहअपनेविषयपरबलवानहै-तैसा वह अर्थशास्त्रभी अपनेविषयपरबलवानहै फिरविशेषताइसमें क्यारही(समाधान)सुनौ अपने२घरकेसभीराजानहीं और धर्मशास्त्रमेंयहविशेषताहै कि इसी अधिकोक्तिकेप्रारम्भमें दो तीनकवाक्य अर्थशास्त्रके (गुरुं वा बालवृद्धौ वा ) इत्यादि लिखे गये सो इसलियेनहींहैं कि गुरु अथवा बालकवृद्धेआदि जो अत्यंतअवध्यपसिद्धहैं तिनकावधकरडालै किन्तु इसलियेहैं कि जोवार्ता अबआगेलिखकरदर्शातेहैं तिसका अर्थवाद अर्थात् दृढ़ता उनवाक्योंसेपाईजाय यहसिद्धांतहै-यथा(शस्त्रं द्विजातिभिर्याह्यं धर्मोयत्रोपरुद्धयते)अर्थात्-जहाँधर्मकाउपरोधनामअनुरोधआततायियोंकरकेहोताहो तहाँ उसधर्मकीरक्षाहेतुसे ब्राह्मणोंकोभी शस्त्रवांधने उचित हैं ( यहसम्पूर्णवार्ताकह कर पीछेयहभीकहागयाहै कि ) आत्मनश्चपरित्राणेदक्षिणानांचसंगरे । स्त्रीविपाभ्य वपत्तौचन्नन्धर्मेणनदण्डभाक्-अर्थात्-जो मनुष्य अपनेशरीरकी रक्षा अथवा दक्षिणा आदि सामग्री जो यज्ञ पूजन आदिकेलिये संग्रहकरीहुई विनाशहुई जातीहो तिस

की रक्षा या युद्ध में या स्त्री और ब्राह्मणों के प्राणवचाने में उचित मर्यादा से आत-  
 तायाकावध करडालें तौ वह दंडभागी नहीं होसक्ता-सो-इस बातकी प्रमाणता के  
 निमित्त से वह पूर्वोक्त वाक्य कहे हैं कि जब गुरु आदि जो निपट अवध्य हैं उनका  
 भी आततायी होजानेपर सन्मुख आनेसे वधकरना कहाहै तौ फिर अन्य साधारण  
 आततायियों के वध करने में क्या संदेह अर्थात् अवश्यही उनका वध उचित है  
 (यह सिद्धांत है) परन्तु यह सिद्धांत नहीं है कि वे गुरु आदि उनवाक्यों के अनु-  
 सार निर्विकल्प मारडालेजायँ-और इस सिद्धांतका प्रमाण जो कोई ढूँढाचाहै तौ  
 कहीं दूरजाकर ढूँढनेकी अपेक्षा नहीं किंतु उन्हीं वाक्यों से यह सिद्धांत प्रत्यक्ष है  
 अर्थात् उनतीनश्लोकों मेंसे पहला वाक्य जो दो श्लोकोंका है उसमें (गुरुंवा  
 बालवृद्धौवाब्राह्मणंवावहुश्रुतम्) इसप्रकार (वा) शब्दका प्रयोग जो बारम्बार  
 सब के साथकियाहै) और (आततायिनमायांतमपिवेदांतगंरणे) इस दूसरे वाक्य  
 में (अपि) शब्दका प्रयोग वेदांतगपुरुष के साथ किया है तिसके अभिप्राय से  
 प्रत्यक्ष वह सिद्धांत प्रतीत होताहै कि गुरु आदिका निर्विकल्प वध करना नहीं  
 कहा किंतु केवल साधारण आततायी के वधकरनेमध्ये दृढता करीहै-औरयहीदृढता  
 सुमंतु के वाक्यसे भी दृढतर प्रत्यक्ष है-यथा-(नाततायिवधेदोषोऽन्यत्रगोब्राह्मणात्)  
 अर्थात्-आततायीके वधकरने में दोष नहीं है परन्तु गोब्राह्मण से अन्यत्र किंतु जो  
 गऊ आततायी पनकरै दृष्टांत जैसे किसीके पेटमेंसींग मारै तौ उसगऊका वधकरने  
 में दोष लगताहै ऐसेही ब्राह्मणकेभी-जब कि साधारण ब्राह्मण मात्रके लिये सुमंतुने  
 निषेध करदिया तौ फिर गुरुआदि और वेदांत पारग आदिका वधक्योंकर संभव  
 है-और मनुकेभी इसवाक्यसे इनका वधनहीं निश्चित होता-यथा (आचार्यचप्रवक्ता  
 रंमातरंपितरंगुरुम् । नहिंस्याद्ब्राह्मणान्गाश्रसर्वांश्चैवतपस्विनः) अर्थात्-मनुनेयहकहा  
 है कि-आचार्यको वक्ताको माताको पिताको गुरुको ब्राह्मणोंको और सभीप्रकार के  
 तपस्वियों कोभी इनकोकभी नहीं मारै और न किसीप्रकारकी पीड़ादेवै-कदाचित्-इस  
 वाक्यमें यह (शंका)करीजाय कि मनुने यह नहीं इसमें कहा कि वे आचार्यआदि आत-  
 तायी बनिकर सन्मुख अपनेको मारनेआवें तब न मारै किंतु सामान्यभावसे यह कहाहै  
 कि उनको मारै नहीं तौ इससामान्यता से यह सिद्धांत प्रकट होताहै कि जो आत-  
 तायी बनिकर मारनेआवें तौ फिर मार देवै सो इसशंका का (समाधान) यहीहै कि  
 मनुका यह वाक्य उसदशामें अर्थवान् होसक्ताहै कि यद्यपि इसमें आततायी बनि-  
 कर चढ़आनेकी चर्चानहीं है तथापि उसका अर्थ उसीदशासे सम्बन्धित कियाजाय  
 जो दशागुरु आदिके आततायी होजानेपर उनकावध करनेमें निषेधकरीगई हो-क्यों  
 कि-जो ऐसानहीं कियाजाय तौ फिर मनुकायह वाक्यही निरर्थक होजाय अर्थात् जब

धर्मशास्त्रोंमें सामान्यभावसे हिंसामात्रका प्रतिषेध घंटाघोषवत् प्रसिद्ध है चाहे किसी प्राणीकी हिंसाहो उसमें दोष अवश्य होता है परन्तु जो वेही प्राणी आततायी बनिकर आवें तब उनकी हिंसा करनेसे दोष अपनेको नहीं लगता यह सिद्धांत ठीक है-तौ फिर आचार्य आदि जो देवकल्प होते हैं तिनके लिये यह कथन अनुचित है कि सामान्यभाव की दशामें उनको न मारै पर आततायी बनिकर चढ़ि आवें तौ उनको भी मार डालै किंतु इस कथनसे उनका गुरुत्व यद्वा देवकल्पत्व भी फिर कहारहा जैसे अन्य प्राणी तैसे वे भी ठहर गये और जब सबके समान ठहरे तौ फिर उनके लिये जुदा वाक्य भी कहनेकी आवश्यकता नहीं थी जोकि सामान्यभावसे हिंसामात्र का प्रतिषेध सबके लिये हो चुका था वही वाक्य इनके लिये भी ठीक था क्योंकि जुदा वाक्य सामान्य और विशेष व्यवस्था पर कहा जाता है इसलिये मनुके भी वाक्यमें सिद्धांतरूप अर्थ यही है कि जो आचार्य आदि कोई आततायी भी हो जायें तौ भी उनकी हिंसा न करनी चाहिये- और भी-उन्हीं पूर्वोक्त तीनों श्लोकमेंसे बीचका श्लोक जिसका पहला अर्द्ध यह कहा था कि ( नाततायिवधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन ) अर्थात् आततायीके वध करनेमें हंता को कुछ दोष नहीं होता-सो यह वाक्य भी ब्राह्मण आदि देवकल्प शरीरोंके सिवाय अन्य साधारण प्राणियोंके विषय पर घटता है-क्योंकि-इसमें केवल आततायीका चर्चा किया है और आततायीमुख्यतासे छः प्रकारके प्रसिद्ध हैं-यथा (अग्निदोगरदश्चैव शस्त्र पाणिर्दनापहः। क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिनः ) अर्थात्-आग लगानेवाला-विष देनेवाला-हाथमें शस्त्र लेकर मारनेवाला-धरती खीन लेनेवाला-स्त्री हर लेनेवाला-यह छः प्रकारके आततायी कहलाते हैं-इनके सिवाय और प्रकारके भी आततायी होते हैं और उनमें कोई २ इनमेंका भी गिनती आजाता है-यथा ( उद्यतासिर्विषाग्निश्च शापोद्यत करस्तथा । अथर्वणेन हंता च पिशुनश्चापिराजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च रंध्रान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ) अर्थात्-एकतौ-तलवार उद्यत करनेवाला-विष देनेवाला-अग्नि देनेवाला-ऊँचा हाथ उठाकर शाप देनेवाला-अथर्व वैदोक्त मंत्र यंत्रादिकोंके अभिचारया इन्द्रजाल आदि कर्मसे मारनेवाला-राजामें पिशुनता अर्थात् उसकी जासूसी करके भेद उड़ानेवाला-भार्यातिक्रमकारी अर्थात् छिनरापुरुष-सभी सज्जनोंके छिद्र ढूँढ़ने में तत्पर होनेवाला-ऐसेही इनको आदि लेकर और भी इस प्रकारके कुमार्गी जो संसारमें प्रसिद्ध हों तिनसभीको आततायी समुभौ यह सब सामान्यतासे आततायी दर्शाये गये और इन्हींके निमित्तमें वह बात कही गई है कि आततायीका वध करनेवाला दोषी नहीं ठहर सक्ता-तौ फिर-पूर्वोक्त गुरु या आचार्य और ब्राह्मण आदि जो देवकल्प शरीर होते हैं कदाचित् आततायी भी हो जायें तब उस दशामें जिसके मारने पर उद्यत हुये हों वह अपने प्राण आदि की



रक्षाके लिये उनका सामना अर्थात् मुक्ताविला करिके उन्हें निवारण करै हटावै या शांत करै तब तौ दोषी नहीं होता क्योंकि इतना करने का अधिकारहै इसलिये कि इतना किये बिना वे नजानें क्या कुछ अनर्थ कर डालें परंतु हिंसा उनकी नहीं करै और न करने का विचार मनमें करै यह सिद्धांतहै-कदाचित् इसपरभी-वे ब्राह्मण आदि अवध्य आततायी जिनके मारने का विचार अपने मनमें नहीं था परंतु निवारण करते हुये प्रमाद गफलत आदिसे विपत्ति को प्राप्त होजायँ अर्थात् निवारण करनेवाले के हाथसे हिंसित हो जायँ तौ फिर इसका बहुत बड़ा प्रायश्चित्त नहीं किन्तु थोड़ा प्रायश्चित्त करनेमें इस अपराध का शोधन होजाताहै परंतु राजदंड थोड़ाभी उसके लिये नहीं कहा यह सर्व था निश्चितहै-जबकि सर्वथा यह सिद्धांत निश्चित हुआ जो इसी २२ की अधिकोक्तिके प्रारंभसे यहाँ तक वर्णन किया गया जिसके उदाहरण के दृष्टांत मध्ये धर्मशास्त्र और अर्थ शास्त्रके वाक्य जो विरोधता की दृष्टिसे कथन किये गये परंतु उनमें परस्पर विरोधता नहीं पाई गई अर्थात् दोनों का एकही आशय ठहरा-तौ फिर-इस अधिकोक्तिके लेखसे यहाँ तक कोईसी सिद्धि अब तक न पाई गई अर्थात् इस उदाहरणका इतना सबलेख यहाँ तक व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा-इसलिये यह आवश्यक है कि अब दूसरा उदाहरण इसमें कहना चाहिये जिसे उस पूर्वोक्त विरोधता का दृष्टांत समुभाजाय-सो अब कहते हैं-यथा ( हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वराय तः । अतोयतेतत्प्राप्तौ-इत्यर्थशास्त्रे ) अर्थात्-हिरण्य सुवर्ण आदि धन और धरती इन दोलाभोंसे भी मित्र लाभ अधिक श्रेष्ठ होताहै इसलिये नवीन मित्रकी प्राप्तिमें यत्न करै-यह वाक्य अर्थ शास्त्रकाहै अर्थात् आचाराध्यायके अंतमें राजनीति प्रकरण संबंधी ३५१ श्लोकमें कहाहै-और-दूसरा यह वाक्य धर्मशास्त्रका कि जो इसी व्यवहाराध्याय के प्रारंभमें प्रथम श्लोक जिसका भावार्थ यह कहाहै कि-राजा व्यवहारों को धर्मशास्त्रके अनुसार क्रोध लोभसे वचता हुआ देखै-सो इन दोनों वाक्योंमें परस्पर कहीं २ किसी विषय पर विरोध होताहै ( दृष्टांत ) जैसे पूर्वोक्त समस्त रीतोंके अनुसार चारपादवाला व्यवहार अदालत में प्रवर्त मान होनेपर जब राजा अथवा हाकिम अदालत अर्थशास्त्रके अनुसार यह बात शोचै कि इन दोवादियों में से एक पक्षी जो समर्थ और मित्र बनाने के योग्यहै तिसको मित्र बनावे तौ एक नवीन मित्रकी प्राप्ति होजाय क्योंकि मित्रकी प्राप्ति धन और धरती के भी लाभसे अधिक श्रेष्ठ होतीहै और उसके लिये यत्न करना भी कहाहै-परंतु-वह उसीदशामें मित्र बनसक्ता है कि जब उसको इस मुकदमह में दुर्लभ जय सुलभ कर दीजावै तौ फिर जिताना उसका धर्मशास्त्रके अनुसार नहीं ठहरा क्योंकि जब न्यायके अनुकूल उसकी पराजय होनेवाली थी और वही पराजय उसकी धर्मशास्त्रके अनुसार ठहर सकती थी तिसके



बदले अपने स्वार्थ से उपायों द्वारा उसे जिताना ठहरा तो दूसरे की व्यर्थ पराजय धर्मसे विपरीत करीगई-और जो दूसरे की जयकराना शोचा जिसकी न्यायके अनुकूल अवश्यही जयहोनेवाली हो तो इस दशामें धर्मशास्त्र का अनुसरण हुआ परंतु मित्रलाभ न हो सका क्योंकि वह दूसरा पक्षी प्रथम तो मित्र बनाने योग्य नहीं और दूसरे जब उसने अपना सच्चा व्यवहार न्यायके अनुकूल जीता तो फिर राजापर मित्रता किस हेतुसे पालन करेगा-तब-ऐसे स्थल पर अर्थशास्त्रकी अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान है अर्थात् यद्यपि उस पक्षीको मित्र बना लेने से अपना परम कल्याण संभव है तथापि इस बातपर दृष्टि अर्थशास्त्रके अनुसार न करनी चाहिये क्योंकि धर्मशास्त्र उससे बलवान है तिसके अनुसार दृष्टि करनी चाहिये जिस्से न्यायके अनुकूल जिस किसीकी जय पराजय होनेवाली हो सोई हो अन्यथा कुछ न होसकै-इसीलिये-जहाँ धर्म और अर्थ का सन्निपात होने में जो कोई धर्मशास्त्रकी अपेक्षा करिके अर्थशास्त्रपर आरूढ़ होजावै तिसके लिये आपस्तम्ब ऋषिने एक बड़ा छिष्ट प्रायश्चित्त प्रदर्शित किया है जिसकी अवधि द्वादश १२ वर्षोंकी कही है २२ ॥

अथ चात्राभियोगसंसाधनकार्ये सर्वसाधारणप्रमाणनिदर्शनो नाम षोडशः परिच्छेदः १६ ।  
इह सोलहवें परिच्छेदमें छठे परिच्छेदकी अपेक्षासे मुकद्दमहके साधनमध्ये सर्वसाधारण प्रमाण जो आवश्यक हैं उनके भेद कहे जायेंगे ॥

प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चोत्कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते २३ ॥

अक्ष०—लिखितं १ भुक्तिः २ साक्षिणः ३ यह तीन प्रमाण कहे हैं इनमें से किसी के भी न होनेमें दिव्योंमें से किसी एकको कहते हैं २३ ॥

अभि०—जो कि छठे परिच्छेदमें (ततोऽर्थालेखयेत्सद्यः) इत्यादिवाक्यसे यह कह चुके हैं कि मुद्दई अपने प्रतिज्ञात अर्थ का साधन अर्थात् प्रमाण शीघ्रही लिखवावै तहांपर यह आग्रह करसक्ते हैं कि वह प्रमाण किस प्रकार का होगा - इसलिये अब उसका स्वरूप कथन करते हैं कि- ( प्रमाण ) वह कहाता है जिसके ज्ञानमात्रके सम्बन्धसे कोई बात या पदार्थ या व्यवहार अपनी मुख्य प्रमाणताको पहुँचै अथवा फैसल किया जाय-सो वह प्रमाण दो प्रकार का होता है एक (मानुषी) दूसरा (दैवी) फिर इनमें से मानुषी प्रमाण भी तीन भाँतिका होता है एक तो (लिखित) लिखावटसे कोई दस्तावेज सनद जो उसके पास हो दूसरा (भुक्ति) भोग अर्थात् परिग्रह या कब्जा जिसको कहते हैं तीसरा प्रमाण (साक्षी) लोग जिन्होंने उस दशाको देखा अथवा सुना हो यह तीनों प्रकारका प्रमाण प्राचीन महर्षियोंके कहा गया है- इनमें से लिखित प्रमाण भी दो भाँतिका होता है किन्तु एक तो (शासन) अर्थात् सरकारी सनद जिनके लक्षण पहले कहे गये हैं दूसरे (चीरक) अर्थात् घरूदस्तावेजात जो परस्पर सन्तुष्य अपने हितहेतु से लिखवाले हैं इनके लक्षण आगे कहे जायेंगे - दूसरा

(भुक्ति) नामका प्रमाण इसका लक्षणकेवल उपभोगसे अपेक्षित है-तीसरा साक्षियोंका प्रमाण है सो साक्षियोंके लक्षण आगेकहे जायँगे-वितर्क- यदि लिखित और साक्षी इनदोनोंका प्रमाण इसअभिप्रायसे ठीकसमुभाजाय कि दस्तावेजें अर्थात् लिखावटें इसहेतुसेठीकहैं कि उनकालिखाहुआ आशयजिज्ञासे उच्चारणहोसक्ताहै और गवाहों की शहादत इसहेतुसे यथार्थ है कि उनकाकथन औरोंके कान में सुनपरताहै परन्तु (भुक्ति)अर्थात् कब्जामेंयहकोई विशेषण नहींदेखपरता तौफिर कब्जेका प्रमाण व्यर्थहै-समज्ञा-सुनौ (भुक्ति) भी कितनेही विशेषणोंकरके युक्तहोतीहुई प्रमाणमेंगिनती है क्योंकि (ऋष) और उसमिलिकयत कीयथार्थ(दशा)जिसपर भगड़ा है और योग्यताका (सम्बन्ध)इत्यादिलक्षणजो(स्वत्व)हेतुक प्रसिद्धहोतेहैं तिनकोव्यभिचारसेरहितअर्थात् असत्य प्रपञ्चकेबिना अनुमानकरतीहुई वहभुक्ति प्रमाणमें गिनतीहोतीहै अथवाअनुपपद्यमानहो तौ अनुमानसे कल्पनाकरतीहुई अर्थात्पत्तिमें अन्तर्भाव होनेसे प्रमाण मेंआजातीहै (अर्थात्पत्ति-अर्थात्उक्तसे अनुक्तका आक्षेपकरलाना)-अवश्लोक मूलके उत्तरार्द्धका आशयकहाजाताहै कि- इनतीनोंकेहेहुये लिखित आदिप्रमाणोंमें से जब कोईभीप्रमाण उपस्थितनहोसकै तब(दिव्य)प्रमाणोंमेंसे किजिनके स्वरूपभेद आगेकहेंगे कोईएकप्रमाण जोजाति यादेश या काल अथवाद्रव्य आदिकारणोंसे अपेक्षारखताहो अङ्गीकार करनाचाहिये परन्तुइस वाक्यसे यहसिद्धान्तहै कि जबमानुष्य प्रमाणोंका निपटअभावहोजाय तबदिव्य प्रमाणोंपर दृष्टिकरनी चाहिये क्योंकि दिव्यप्रमाणोंका स्वरूप और उनकी प्रमाणता केवल शास्त्रसेही जानीजातीहै किन्तु लोक प्रत्यय उनमेंनहीं २३ ॥

अधि०-इस वार्तामें इसीलिये यह मर्याद भी निश्चितहै किजहाँ तेरहवें परिच्छेदके अनुसारदो भगड़ालू परस्पर विवादसे एकसाथ और एकही कालमें किसी धर्माधिकारी के पास नालशी हुयेहों उनमें एक तौ मानुषी प्रमाणों को देसक्ता हो दूसरा दैवी प्रमाणोंका अवलंबलेताहो तहाँ मानुषीवाले का प्रमाण हाकिम स्वीकारकरै और उसीकी क्रियाभी पहले साधनकरै-इस वार्तामें कात्यायन का वाक्य यह प्रमाणहै कि (यद्येकोमानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयात्तुदैविकीमा।मानुषींतत्र गृह्णीयान्नातुदैवीं क्रियां नृपः) अर्थात् जब एक तौ मानुषी क्रियावाले दूसरा दैवीकहे तहाँ राजामानुषीको ग्रहणकरै दैवीको अस्वीकार करै-इसकेसिवाय जिस मुकद्दमहमें पुरानहीं परथोड़ावहुतभी मानुषी प्रमाण उपस्थितहो तिसमेंभीदैवी प्रमाणोंपरदृष्टिनहीं करनीचाहिये(दृष्टान्त)यथाकिसी नेनालिश करीकि सौरूपयाइसवृद्धिसे अर्थात् इतनेव्याजकी स्वीकारतासे इसनेलिये अबदेतानहींइसकेउत्तर पादमेंमुद्दाअलेह अपह्वकरै किन्तु निपट नकारखींचै और इसदशामें रूपयालेनेदेनेकी अपेक्षासे गवाहमौजूदहों परन्तु वेगवाह या और कोई

रूपयेकीसंख्याऔर बृद्धिकापरिमाण नहींजानतेहों इसीहेतुसेकोईपक्षी यहकहनेलगे कि इसवार्ताकोदिव्य प्रमाणोंसे साबितकरूँगा तबऐसीदशापर पन्द्रहवें परिच्छेद में इक्कीसकेश्लोकद्वाराकहीहुई इसमर्यादाके अनुसार कि यदिएकसे अधिकअनेक दावे लिखेहुयोंसेअपह्लवहो-इत्यादि-(एकदेशविभावितन्याय)सेसंख्या और वृद्धिभी जोकुछ मुद्दईनेलिखवाईहो सबसिद्धसमुभीजाती है इसलिये इसदशामें भी दिव्यप्रमाणोंका अवकाशनहींहै-यहीकात्यायनजीनेकहाहै कि (यद्येकदेशव्याप्तापिक्रियाविद्येतमानुषी । साग्राह्यानतुपूर्णापिदैविकीवदतांनृणाम्) अर्थात्-जो मानुषी क्रिया एकदेशव्यापिनीभी विद्यमान हो तौ वहीग्राह्यहोतीहै और दैविकी क्रियाकहनेवाले मनुष्योंकी परिपूर्णभी नहीं ग्राह्य होती अर्थात् जो कोई पक्षी यहकहे कि इसविवादका संपूर्ण अंगदैवी क्रियासे साधनकरना मैं चाहताहूँ तौभी हाकिम अंगीकार न करै-और जो कि यहवाक्य है कि ( गूढसाहसिकानांतुप्राप्तदिव्यैःपरीक्षणम् ) अर्थात् जब कदाचित् गूढ साहसिक जो छिपकर कोई क्रूरकर्म साहस भावसेकरें तिनकी परीक्षा दिव्यप्रमाणों से करनी हो-सोभी उसदशामें कि जब मानुष प्रमाणोंका निपट अभावहो-और यद्यपि नारदने यह मर्याद कहीहै कि(अरण्येनिर्जनेरात्रावंतर्वेऽमनिसाहसे। न्यासापह्लवनेचैव दिव्यासंभवतिक्रिया) अर्थात्-वनमेंया निर्जन स्थान शून्यभूमि जहां कोई मनुष्यनहो अथवा रात्रिमें या घरके भीतर कोई साहस कर्महुआ हो कि जिसका मुकद्दमा फौजदारी से सम्बन्धितहो तिसमें और न्यासधनके अपह्लवमें अर्थात् धरोहर या सौंपे हुये धनके अभियोगमें मुद्दाअलेहनकारखींचै तिसमें भी दिव्य प्रमाणोंवाली क्रिया होनी संभवितहै-सोभी मानुष प्रमाणोंके अभावमें संभवितहै-इसलिये निश्चितहुआ कि यह मर्याद सर्वसाधारण भावसे नियतहै कि जबतक मानुषी प्रमाण मिलसक्ता हो तबतक दैवी प्रमाणपर दृष्टि न करै क्योंकि इसके मध्ये जो अपवाद अर्थात् छूट भी निश्चितहुई है तिसका चर्चा आगे किया जायगा (अपवाद अर्थात् इस्तसनाय) साहसवाद जो विष शस्त्रादि उपद्रवोंसे होतेहैं और दण्डपारुष्यवाद जो दण्डाआदि से ताड़न करनेपर होतेहैं बल्कि सभी उनकार्योंमें कि जो प्रबलतासे उत्पन्न होतेहैं तिनके उपद्रव उठने पश्चात् जो कुछ काल भी प्रकांत होगयाहो जिस्से उनकी तहकीकत यथार्थ में कठिनता देख परतीहो तब उसदशामें साक्षियोंसेभी दिव्यप्रमाण का आचरण करवानाचाहिये यह नियम इसका कहागया-तथैव-कहीं लेख्यादिकों काभी नियमदेखपरताहै-यथा(पूगश्रेणीगणादीनांयास्थितिःपरिकीर्तिता । तस्यास्तुसा धनंलेख्यंनदिव्यंनचसाक्षिणः)-अर्थात्-(पूग)नाम थोक और (श्रेणी) अर्थात् वे जातें जो हलवाई आदि पेशेवालोंकी अपने २ कामकेनामसे प्रसिद्धहैं और (गण) अर्थात् समूह उन मनुष्यों के कि जो एकही किसीकामको अनेक जातों के मनुष्य करते हैं

इत्यादि और भी सब समुभलेने इनकी जो (स्थिति) कहिये दृढमर्यादा अपने काम की अपेक्षा चलीआती और विख्यात है तिसका साधन अर्थात् प्रमाण जब किसी विवाद में लेनापरै तौ लेख्यपत्र जोहैं सोईठीकहैं न तौ इसमें दिव्य प्रमाण की आवश्यकता और न साक्षियोंकी-इसीप्रकार-जो विवादएकद्वार अथवामार्ग सड़कआदि के बनाने या निकसा पैठीमध्येहो या जलवाहमोरी आदि के बनाने मध्ये हो तिसमें (भुक्ति)नामका प्रमाण जोहैं सोई बड़ा और बलवान् है नतौ दिव्य और न साक्षीदो मेंसे कोईकाम नहींआता-तथाहि- ( द्वारमार्गक्रियाभोगजलवाहादिषुक्रिया । भुक्तिरे वन्तुगुर्वीस्यान्नदिव्यंनचसाक्षिणः )-अर्थइसका ऊपरहोचुका-अब साक्षियोंकी बलवत्ता प्रकट करतेहैं-यथा(दत्तादत्तेऽथभृत्यानांस्वामिनांनिर्णयेसति । विक्रयादानसंबंधेक्रीत्वा धनमनिच्छति । द्यूतेसमाह्वयेचैवविवादेसमुपास्थिते । साक्षिणःसाधनंप्रोक्तंनदिव्यंनच लेख्यकम् )-अर्थात्-जब कदाचित् उन अभियोगों का निर्णय करना हो जिनमें सेवकों और स्वामियोंके परस्पर भगड़ा मासिक आदिके देने या नदेने मध्ये उठाहो या विक्रय करीहुई वस्तुका मूल्य उरसे लेनेके संबंधसे कि जो वस्तुको खरीद कर मूल्य देनेकी इच्छा नहीं करता हो तिस विवाद में या द्यूतकर्म जो पाशों सेहोता है और समाह्वय कर्मजो पशुपक्षी आदि जीवों द्वारा वाजीवदी जाती है इनमें भगड़ा उठाहो-इन सभी अभियोगों में केवल साक्षी लोगों का प्रमाण मुख्य कहा है नतौ इनमें दिव्य और न लेख्य पत्रोंसे कुछ कामहै २३ ॥

अथद्वयोःप्रमाणसद्भावेकस्यजयपराजयौ-इतिहेतुनापूर्वापरयोःकार्ययोः कस्यबली-यस्त्वामितिविवेकोनामसप्तदशः परिच्छेदः १७ ॥

इहसत्रहर्वे १७ परिच्छेदमें यहव्यवस्था वर्णन होगी कि जबदोनों पक्षियों का प्रमाण सच्चा हो तब किसकी जय और किसकी पराजय होनी चाहिये इसलिये उन के पहलेपीछे कामकी अपेक्षासे बलवत्ता समुभी चाहिये ॥

सर्वेष्वर्थविवादेपुबलवत्युत्तराक्रिया । आधौप्रतिग्रहेक्रीतेपूर्वातुबलवत्तरा २४ ॥

अक्ष०-सभी अर्थ विवादों में बलवत्ता होतीहै उत्तर क्रिया पर ( आधि )में(प्रतिग्रह) में (क्रीत) में पूर्व क्रिया अधिक बलवान् होतीहै २४ ॥

अभि०-यहाँपर पहले यह प्रश्नहै कि जब साक्षी आदि प्रमाणके आधीन व्यवहार की जय पराजय ठहरी जैसा ऊपरसे कहते चले आतेहैं तौ फिर जहाँ ऐसी दशा उपस्थित हो कि दोनों पक्षी अपना २ प्रमाण दें और वह दोनों के प्रमाण ऐसे दृढ प्रतीत होतेहों जिनके परस्पर बलाबल का विवेक भी नहोसक्ता हो कि इनमें किसका प्रमाण प्रबल या किसका निर्बलहै तब किसकी जय और किसकी पराजय होनी चाहिये यह वार्ता अब कहते हैं कि-ऋण संबंधी आदि सभी धन विवादों में इन दोमें

६४ मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

जिसे सकी काल भेदसे उत्तर क्रिया निश्चित हो सो बलवान् है ( क्रिया ) अर्थात् काम जो पीछे हुआ हो तिसका वादी जय पावे और पहला काम यद्यपि प्रमाणों से सिद्ध भी हुआ हो पर उसका वादी पराजित होजाताहै (दृष्टांत) यथा दो विवादियोंमें से एकने यह प्रमाण पहुँचाया कि इसने ऋणकी रीतिसे रूपया लिया और धरावताहै दूसरेने यह प्रमाण पहुँचाया कि वह रूपया उद्धार करदिया गया इसलिये अब नहीं धरावता तब इन दोनोंमें से उद्धार कर देने के प्रमाण वाला जीतैगा क्योंकि उसका उद्धार करना उत्तर कालमें निश्चितहै और देनेवाले का प्रमाण इसलिये निर्बलहै कि वह देना पूर्वकालमें निश्चितहै इससे वह पराजित होगा-ऐसेही दूसरा (दृष्टांत) यथा किसीने सौरूपये किसीसे ऋण लिये और लेते समय एक रूपया सैकरा का ब्याज ठहरा परंतु कुछ दिनों पीछे किसी हेतुसे दोरूपया सैकरा का ब्याज उसने देना स्वीकार किया और दोनों पक्षी अपना २ प्रमाण इस प्रकारसे प्रविष्ट करें कि ऋणी उस पहली स्वीकारतासे १) सैकराका साधन करवावे और धनी उसकी पिछली स्वीकारतासे २) सैकराकी साधना सिद्ध करदेवे तहां २) सैकरा नियम बलवान् है क्योंकि वह उत्तर कालमें ठहराथा और वह १) सैकराका नियम इसलिये निर्बलहै कि पूर्वकालमें ठहराथा-क्योंकि इस वार्त्ताके लिये यह नियमहै कि उत्तरकाल संबंधी काम यदि पूर्वकाल संबंधी कामका बाधक न हो तौ वह आपही अनुप पन्न होताहै-इस मर्यादकी अपेक्षासे एक ( अपवाद ) भी उत्तरार्द्ध मूलश्लोक से कहतेहैं कि यद्यपिसभी अर्थ विवादोंमें उत्तरक्रिया बलवान् कहीगई-परन्तु-( आधि ) नाम गहनेधरीहुई के विवाद में और (प्रतिग्रह ) नामदान करीहुईके विवादमें और (क्रीत) नाम खरीदीहुईके विवाद में पूर्वकाल कीहीक्रिया अधिकतर बलवान् होती है ( दृष्टांत ) यथा किसी ने एक खेत किसीके पास कुछरूपया लेकर गहनेरक्खा और पीछे उसीखेतको किसीदूसरे धनीकेपास कुछरूपया लेकर रेहनकिया और कदाचित् यही विवाद अदालत में पहुँचा तहांदोनोंने अपने २ प्रमाणका साधनकरदिया किंतुयह निश्चितहोगया कि सत्यभाव इसकेपास गिरवीहै और इसकेपासभी यहखेत गिरवी है और उसखेतकी मालियत इतनी है कि विक्रय करनेसेभी एकहीके रूपये उद्धारहोसक्ते हैं तहां जिस के पास पहले रक्खागया उसीकी जय होगी यहतौ (आधि) विषयका दृष्टांतहै इसी के अनुसार (प्रतिग्रह) और (क्रय) के विषयमें समुझना अर्थात् इन तीनोंबातके विवादोंमें उत्तर क्रिया नहीं बलवान् है यह (अपवाद) उस पूर्वोक्त मर्यादाका कहागया (अपवाद-अर्थात्-इस्तसनाय) २४ ॥

अधि० - (वितर्क) भला जब एकके पास जो धरती गिरवी होचुकी तौ फिर गिरवी धरनेवालेका (स्वत्व) अर्थात् मालियत तबतक असत्य है कि जबतक छूटकर उसके

पास नहीं आवें फिर क्योंकर वह दूसरेके पास रहे न करसक्ताहै इसीप्रकार दानकरी हुई और बेचीहुईभी वस्तुका पुनर्दान या पुनर्विक्रय नहीं होसक्ता इसलिये यह मर्यादाही कहनी व्यर्थ है-सोनहीं-किंतु यहांपर यह सिद्धांत अभिप्रेतहै कि जब कोई मनुष्य अस्वत्वकी दशामेंभी ऐसा व्यर्थ पुनराधान या पुनर्दान या पुनर्विक्रय करता है तहां पहला बलवान् होता इसलिये यह वाक्य न्याय मूलहै अनर्थक नहीं किंतु इसमें वितर्कही अनुचितहै २४ ॥

अथ भूमेर्भोगपरिग्रह विषयिक प्रभाव विवेके नाम अष्टादशः परिच्छेदः १८ ॥

इस अठारहवें परिच्छेदमें धरतीके भोग अर्थात् परिग्रहका विवेक वर्णनहोगा जिसे यह जानाजाय कि वह कब्जा उसका धरतीपर अपनी तासीर अर्थात् प्रभावमें सच्चाहै या नहीं ॥

पश्यतोऽब्रुवतोभूमेर्हानिर्विंशतिवार्षिकी । परेणभुज्यमानायाधनस्यदशवार्षिकी २५ ॥

अक्ष०—देखतेहुये न कहतेहुये पराये करके भुज्यमान भूमिकी विंशति वार्षिकी हानिधनकी दश वार्षिकी २५ ॥

अभि०—सोलहवें परिच्छेदमें चर्चा कियेहुयेके अनुसार-कितनेही विशेषणों करके युक्त भुक्तिकी अप्रमाणता दर्शातेहुये किसी एक भुक्तिमें कार्यांतर कहते हैं अर्थात् कब्जाका एक और भी प्रभाव प्रकट करते हैं-कि-जिस मनुष्यसे कोई भी संबंध जिस धरतीसे या धरतीके स्वामीसे न हो ऐसे किसी अन्य पुरुषको जो कोई स्वामी अपनी धरतीपर बीसवर्षतक भोग परिग्रहवान् बनारखकर आप देखते हुये भी इस अवधिके भीतर कभी स्वामित्व अपना प्रकट न करै कि यह धरती मेरी है तुम्हे इस प्रकारसे नभोगनी चाहिये तौ उस धरतीसे स्वामित्व उसका जाता रहताहै इसीको विंशति वार्षिकी हानि उपभोग निमित्तसे कहते हैं-इसीप्रकार हाथी घोड़ा आदि अन्य अस्थावर धनोंको यदि बिना टोके बखोरे दश वर्षोंतक भोगने देवै तौ उनसेभी स्वामित्व जाता रहताहै यह दशवार्षिकी हानि कहलाती है-और इस वार्त्तामध्ये कुछ इस बातका नियम नहीं है कि वह उपभोक्ता पुरुष स्वामीके देखतेहुये अपनाभी स्वामित्व प्रकट करै या न करै २५ ॥

अधि०—ऊपर कहीहुई मर्यादामें यह आग्रह खड़ाहोताहै कि यह नियम इस हेतु से ठीक नहीं देखपरता कि देखतेहुये निषेध न करनेसे स्वामीका स्वामित्व नहीं जा सक्ता क्योंकि दानकरी हुई या विक्रय करीहुई वस्तुसे स्वामीका स्वामित्व जातारहताहै तब यह बात लोकमेंभी संविदित होजाती है कि अमुकवस्तु अमुक उसके धनी ने विक्रय करडाली अथवा दान कर दीन्हीं-परन्तु-दान और विक्रय के समान उस अन्यके उपभोगवाली वस्तुसे स्वामित्व उसका निषेध न करनेसेभी नहीं निवृत्त हो



सक्ता क्योंकि उसका कोई चिह्न लोकमें भी नहीं विदित होसक्ता कि अमुक धनीका परिग्रह अमुक हेतुसे उसके अमुक धनसे जातारहा और अमुक उपभोक्तासे संबंधित होगया इसीप्रकार शास्त्रमेंभी भोग परिग्रहका नियम कुछ अनुमानसे या उपभोग मात्रसे नहीं निश्चित है-तौ फिर निश्चितहुआ कि बीसवर्ष के उपभोग से मिलिक्यतका हक्क उपभोक्ताको नहीं प्राप्तहुआ और इससेभी कि वह उपभोग केवल स्वामित्वका प्रमाण है इसलिये उरसे वह वार्ता उत्पन्न नहीं होती कि जिस प्रमेय वस्तु का प्रमाण देना अभिवाञ्छित है-इसके सिवाय विरासत बपौती आदि हेतु जिनसे स्वत्व वा स्वामित्व पैदा होता है उनमें उपभोग अर्थात् कब्जा गिनती में नहीं है किंतु उन हेतुओंकी परिसंख्याभी इसप्रकारसे गौतमने कही है-कि-एकतौ बपौती ( रिक्थ ) अर्थात् दाय मिलनेसे-दूसरे मूल्यदेकर ( क्रय ) करनेसे-तीसरे ( संविभाग ) अर्थात् हिस्साबाँटनेसे-चौथे ( परिग्रह ) अर्थात् शूरत्वकी प्रवलतासे अपने परिग्रहनाम कब्जेमें करिपानेसे-पाँचवें ( अधिगम ) अर्थात् साक्षात्कार किसी दैवयोगसे प्राप्तहोजानेमें स्वामीकहलाताहै-इन पाँचप्रकारोंके सिवाय तीनप्रकारवर्ण भेदसे और हैं अर्थात् ब्राह्मणको प्रतिष्ठा आदिकेद्वारा किसीसे लाभहुआहो और क्षत्रीको विजयद्वारा लाभहुआहो और वैश्य तथा शूद्रको अपने परिश्रम आदि किसी व्यापारमें लाभहुआहो-यह आठकारणधनोंके स्वत्व प्रकटकरनेमें हेतुरूप गौतमजीने कहे परंतु इनमें गौतमने भोग या उपभोगका चर्चा नहींकिया कि वह उपभोगभी स्वत्वका हेतुजानाजाता-इसलिये यह कथन अयुक्तहै कि यह पच्चीसवाँ मूलवाक्य योगीश्वरका बीसवर्षके उपभोगसे स्वत्व या स्वामित्वकाहेतु प्रकटकरताहै-और जो कि स्वत्वके और स्वत्वके हेतुओंके भी कारण सबलोकहीमें प्रसिद्धहोते हैं क्योंकि यह सब संसारीवार्ता हैं इसलिये इनका अनुमानकरना केवल शास्त्रसेही अयुक्तहै-यह वार्ता विभाग प्रकरणमें अच्छे निर्णयपूर्वक वर्णनकरीजायगी परंतु गौतमका यह बचन जिसमें आठहेतु स्वत्व या स्वामित्वके कहेगये केवल शिक्षामात्रके नियमसे कहाहै-और भीयह बड़ाविरोधहै सो इसअगलेवाक्यपरध्यानकरनाचाहिये-यथा (अनागमंच योभुंक्तेवहून्यब्दशतान्यपि । चौरदंडेनतंपापदंडयेत्पृथिवीपतिः) अर्थात्-जो कोई पुरुष (अनागम) अर्थात् विनालेख्यपत्र आदि किसी सनदके या अपने यथार्थ स्वामित्व बिना भोगताहै चाहै अनेकसैकरो वर्षतक भोगिचुकाहो तथापि उसपापीको पृथिवी पाल वह दंडदेवै जो चोरोंको दियाजाताहै-तौ फिर बीसवर्षके अनागम भोगवाला क्योंकर अपना स्वामित्व सिद्धकरसक्ताहै क्योंकि यहाँ तौ शतधावर्षोंके भी उपभोग से स्वामित्व नहीं पैदाहुआ बल्कि चौरदंड इसकेलिये कहागया तौ फिर केवल बीस वर्षके उपभोक्ताको अवश्यही चौरदंडहोनाउचितहै-और इसमें यह आग्रह भी खड़ा



करना व्यर्थ है कि वह बीसवर्षोंका अनागम उपभोग धनीके देखतेहुये और निषेधके न करतेहुये प्रत्यक्षभावमें कहागया-और यह शतधावर्षोंका अनागम उपभोग धनीके परोक्षभावमें समुभकर दोनोंवाक्योंमें परस्पर विरोध नहीं आसक्ता सो नहीं क्योंकि यह शतधावर्षोंके अनागम भोगवाला वाक्य दोनोंदशापर आरूढ़ है किंतु चाहै उसने धनीके प्रत्यक्षभोगकियाहो चाहै परोक्षभावमें कियाहो दोनोंदशामें दंडहोसक्ताहै सो यह दोनोंदशा इसहेतुसे निश्चितहुई कि (अनागमंतुयोभुंक्ते) इत्यादि इस वाक्यमें कोईसी विशेषता नहीं कही कि प्रत्यक्षभोगै या परोक्षभोगै और इस पच्चीसवें मूल श्लोकमें स्पष्ट विशेषताकहीहै कि (पश्यतोऽब्रुवतः) अर्थात् देखतेहुये विनाटोके बखोरे भोगनेदेवै तौ इस दशामेंविरोध इनमें अवश्य निश्चितहुआ क्योंकि इसवाक्य ने बीसहीवर्षके उपभोगसे विराना स्वामित्वपैदाकरदिया और उस वाक्यने शतधा वर्षोंके उपभोगमें भी दंडदेना बतलाया-और-कात्यायनके भी इस अत्रोक्तवाक्यसे यही मर्यादपाईजातीहै-यथा (नोपभोगेवलंकार्यमाहर्त्रात्सुतेनवा । पशुस्त्रीपुरुषा दीनामितिधर्मोव्यवस्थितः) अर्थात्-पशु और स्त्री दासी आदि और पुरुष गुलाम आदि इनको जो कोई अपने परिग्रहमें अयोग्यरीतिसे लायाहो तौ उस आहर्ता या आहर्ताके पुत्रको इनके उपभोग मध्ये बल न करनाचाहिये किंतु यह परिग्रह उसका निर्मूल है यह सनातनधर्मकी दृढ़ मर्याद है-इसके सिवाय (समक्ष) प्रत्यक्ष भोगकी दशा में भी जबतक उपभोक्ता कोईसी हानि न करताहो तबतक हानिसमुभलेनी असंभव है-अर्थात्-यदि कोई शतधावर्षों के समक्षभोग या विंशतिवर्ष के समक्षभोगसे यह समुभै कि उस धरती से निपटहानि मुख्य स्वामी की होजायगी सो नहीं और यहभी एक व्यर्थ कल्पना न करनी चाहिये कि इस्से पहले सत्रहवें परिच्छेद में आधि १ प्रतिग्रह २ क्रय ३ इन तीनों प्रकारके व्यवहारों में पूर्व क्रियाकी प्रबलतासे (अपवाद) नाम छूट करीगईथी कि इन तीनों में पूर्वकालकी ही क्रिया प्रधान है कदाचित् इस आशयसे अत्रोक्त धरती के विषयमें बीसवर्ष के उपभोगवाली और धनकेविषयमें दशवर्षकेउपभोगवाली उत्तरकाल क्रियाकीप्रबलतादर्शाते हैं-क्योंकि-उनतीनोंमेंयथार्थभावसे उत्तरकालक्रियाउत्पन्नहोही नहींसक्ती अर्थात् वे काम-हीफिरदुसराकरनहींहोसके कारणइसकायह कि यद्यपि अपनाधन (आधि) नामरेहन् करदेने या दानकरदेने या विक्रयकरदेनेमें प्रत्येकमनुष्यकोस्वाधीनताहै परन्तु जो धनएकवारगिरवीरक्खागया या दानकरदियागया या बेंचदियागया उनमें उसका स्वामित्वनहींपहुँचता कि वह फिर दुसराकरऐसाकरसकै इसलिये इनमें पूर्वकाल कीही क्रियाबलवान् और प्रधानभी उसपरिच्छेदमेंहोचुकीहै-कदाचित्-कोईउसवस्तु कोदेवै या लेवै कि जिसमें दाताकास्वामित्व न हो तौ इसदशामें दोनोंकोहीदण्डहोना

कहा है-यथा (अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । उभौ तौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम् ) अर्थात्-जो वस्तु देने योग्य नहीं उसको जो कोई किसी से लेता है और जो कोई अदेयको देता है यह दोनों पुरुष चोरोंके समान शासनीय और उत्तमसाहसनामका जुमाना दिलवाने योग्य होते हैं-और भी-कदाचित् इस बिनशति वर्षवाले मूलवचनको (आधि) प्रतिग्रह क्रय इन तीनोंकी मर्यादसे असम्बन्धित रखना अभिप्रेत होता तो वह अपवाद जो इससे अगले २६ के श्लोकमूलमें (आधिसीमोपनिक्षेप) इत्यादि कहा है और इसी मूलवाक्यसे सम्बन्धित है असम्बन्धित हो जाता-इसलिये-इसपच्चीसवें मूलश्लोकसे यह सिद्धांत प्रकट होता है कि बीसवर्षीवाली भूमि अथवा दशवर्षीवाले अन्यधनोंसे मुख्यस्वामीका स्वामित्व नहीं जासक्ता अर्थात् हानिकहना यह ठीक नहीं और न उस भूमि अथवा धनके मध्ये अदालत में व्यवहार खड़ा करनेका हक नष्ट होता है-किन्तु इसवार्ता मध्ये नारदका भी यह वाक्य है कि (उपेक्षां कुर्वतस्तस्य तूष्णीं भूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्ध्यति ) अर्थात्-टोकने बखोरनेकी उपेक्षा करते हुये चुपके होकर बैठ रहते हुये पूर्वोक्तकालके वितीत हो जानेपर उसका व्यवहार सिद्ध नहीं होता-इस कथनसे नारदने (उपेक्षाके लिंगाभावमें व्यवहार हानिकही कुछ वस्तुके अभावमें नहीं) अर्थात्-जब उपेक्षा करनेका कोई हेतुरूप (लिंग) नाम चिह्न न पाया जाय तब तो उस उपेक्षासे व्यवहारकी हानि होसक्ती है पर जायदादके अपने कब्जेमें न रहनेसे व्यवहारकी हानि नहीं होती-ऐसे ही-मनुने भी केवल व्यवहारद्वारा भंग होना दर्शाया है पर वस्तुद्वारा नहीं-यथा (अजडश्चेद्दण्डो विषयश्चास्य भुंज्यते । भग्नं तद् व्योहारेण भोक्ता तद्धनमर्हति ) अर्थात्-जब धनकामालिक (अजड) अर्थात् सिड़ी आदिलक्षणोंसे विकल बुद्धि न हो किन्तु सावधान हो और (अपौगण्ड) अर्थात् १५ वर्षसे न्यून अवस्थाकान हो ऐसी दशापर उसकी धरती आदि कोई धन विरानेपरिग्रहमें ऐसे स्थलपर हो जहाँ वह देखभी सक्ता हो और ऐसी यथोचित व्यवस्थापर वह देखने या टोकने आदिसे उपेक्षा करे तो उस धनका स्वामी व्यवहारमार्गसे पराजय पाता है और वह द्वितीय उपभोक्ता पुरुष उस धनके योग्य होता अर्थात् उसीके कब्जेमें रहेगा-यथार्थमें मनुने भी व्यवहारमार्गसे पराजय वतलाई कुछ वास्तवसे पराजय नहीं कही-सो यह व्यवहारभंग भी उस दशामें होता है कि जब अभियुक्त मुदा अलेह जो उपभोक्ता है वह अदालतमें ऐसे कहने लगे कि यह मुद्दई मेरा न तो विकल बुद्धि है न बालक है अपौगण्ड भी नहीं अर्थात् तरुणादि अवस्था सम्पन्न सर्वथा सावधान है सन्मुख इसके बीसवर्षसे वरावरमें परिग्रहवान् चला आता हूँ यदि इसकी जायदाद मेरे परिग्रहमें अयोग्यरीतिसे आ गई थी तो फिर इतनी बड़ी अवधि तक यह क्योंकर चुपकारहा या रहसक्ता इसलिये यह भूँठा है जायदाद इसकी नहीं अगर इसकी होती तो कभी तो कुछ कहता या निषेध करता और मैं इस बातकी

प्रमाण तामें बहुतसे साक्षी देसक्ताहूँ इसदशा में यद्यपि बहुधालोग जानते हैं कि मुद्दई भूँठा नहीं सच्चामालिक है तथापि इसकथनसे यह निरुत्तर होजाताहै परन्तु इसप्रकार प्रत्युत्तरनदेसकनेपर भी मुद्दईका मुकदमा तत्वानुसरण की रीतिसेवास्तव द्वारा निर्णीत होसक्ता है क्योंकि ऐसे संदिग्ध व्यवहारके निर्णय मध्ये योगीश्वर याज्ञवल्क्यजी बीसवेंमूल श्लोकद्वारा मर्यादा कहचुके हैं कि राजा ब्रह्मको दूरकरिके वस्तुके स्वरूपसे निपटारा करै-और भी यहकल्पना नहीं करनी चाहिये कि जब न वस्तुकी हानिठहरी न अदालत में जाकर व्यवहारकी हानिठहरी तौ फिर केवल इतनी बात आवश्यकहै कि दूसरेकीउपभोगदशामें चुपकारहना अनुचितहै अर्थात् कुछ न कुछ उसको रोकटोक कियेजावै क्योंकि इतनाकिये बिना केवल व्यवहार हानि होजानेकी शंकाहै तिसके निवारणकेहेतुसे चुपका न रहै यह उपदेश किया होगा सो भी नहीं क्योंकि जो यहीउपदेश अभिप्रेत होता तौ फिर बीसवर्षोंकी अवधि नियत करना निरर्थकथा किसलिये कि यदि कोई मनुष्य किसीऐसेकाल विलंब तककेवल परिग्रहवान् बनारहे जो विलंबअन्य मनुष्योंको यादरहसक्ताहो तौ इसबात से कोई कारणऐसा नहीं दिखाई देता कि जिस्से हानि होसक्तीहो-कदाचित्-यह कथन आरोपित कियाजाय कि यह बीस वर्षोंकी अवधि केवल इसअग्रोक्त कात्यायनके वचनानुसार इसलिये नियत हुईहोगी कि बीसवर्षों के उपरांत बीस वर्षोंकी अवधिवाले दस्तावेजिक पत्रोंकी निर्दोषता होजाती है-तथाचकात्यायनः ( शक्तस्यसन्निधावर्थोयस्यलेख्येनभुज्यते । विंशतिवर्षाण्यतिक्रांतंतत्पत्रंदोषवर्जितम् ) अर्थात्-जो मनुष्य किसीसमर्थ और यथार्थ धनीके सन्मुख उसकी जायदादपर उसीकी लिखितं दस्तावेज यथोचित के द्वारा बीस वर्षोंतक परिग्रहवान् बनारहे तौ इस अवधिके उपरांत वह दस्तावेजिकपत्र उसका दोष वर्जितकहलाता अर्थात् फिर उसपत्रमें कोई दोष नाम एतराज पकड़नहीं आरोपित होसक्ती और इसीहेतु से उपभोक्ता का हक सावित होजाता है-इसप्रयोजन से बीस वर्षें नियत हुईहोंगी कि जोकोई दस्तावेजबीस वर्षोंकी अवधिपूर्वक लिखीगईहो उसकेमध्ये कोई पकड़ बीस वर्षोंके उपरांत नहीं सुनीजायगी सो यह कथनभी व्यर्थ है-क्योंकि-जब यहीप्रमाण सामान्य भावसेमाना जाय तौ फिर आधि और सीमाआदिके विवादों में भी बीसके उपरांत पत्रोंकी निर्दोषता कहनी चाहिये और इसके सिवाय वहअपवादभी व्यर्थ हुआ जाताहै कि-जो अग्रोक्त कात्यायन के वचनोंसे प्रकट है-यथा(अथविंशतिवर्षाणिआधिर्भुक्तःसुनिश्चितः । तेनलेख्येनतत्सिद्धिलेख्यदोषविवर्जिता ) तथा(सीमाविवादेनिर्णीतेसीमापत्रं विधीयते । तस्यदोषाःप्रवक्तव्यायावद्वर्षाणिविंशतिः)अर्थात्- कात्यायन यह कहते हैं कि-जब रेहनकरी हुई वस्तु यथार्थ आधिपत्रके द्वारा सुनिश्चित बीसवर्षोंतकभोगी

## मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

तौ उसीलेख्यपत्रसे उस आधिकी सिद्धिहोजाती है अर्थात् ऐसाभोग आगे को व्यवस्थित रहना चाहिये परन्तु यह प्रतिज्ञाहै कि यदि लेख्यदोषोंसे रहित हो प्रर्थात् उस दस्तावेजकी अपेक्षा कोईपकड़ आरोपित न होसकी हो-बस यहीप्रतिज्ञासमें (अपवाद) अर्थात् छूट इस्तस्नाय कहीगई और (सुनिश्चित) अर्थात् उसलेख्यपत्रमें बीस वर्षोंका नियमभी निश्चित कियागयाहो-तथा-सीमाका विवाद निर्णय होजाने पीछे एकसीमापत्र जिसमें सरहदोंका ब्योराहो लिखदेनाचाहिये और जोकुछ अशुद्धताके दोष उसमें रहगये हों उनकी अपेक्षा बीसबरसके भीतरपकड़ प्रवेशहोसकीहै किंतु बीसवर्षें पूरी होजानेपर वह अशुद्धताही शुद्धतामें गिनतीहोगी-और यही मर्याद उसभोगसे भी ठीक संबंधित है किजो दशवर्षोंका परिग्रह अस्थावरधनोंकी अपेक्षासे कहाहै इसलिये-अबइस पच्चीसवें मूलश्लोक का अर्थही अन्यप्रकारसे कि जो सत्यार्थ और सिद्धांतरूपहो सो कहतेहैं कि-उक्तभूमि और उक्तअस्थावरधनोंकी फलहानि कहीहै नतौ मुख्यवस्तुकी हानि और न अदालतमें व्यवहारकी हानि अभिप्रेतहै अर्थात् उसभूमिआदि स्थावरसे या हाथी घोड़ा आदि अन्यअस्थावरधनोंसे जोकुछलाभ या बढ़वारी किसीप्रकारसे उसअवधिमें फलहुआ हो उसके मिलनेका अधिकार जातारहता है पर नालिशकरने का अधिकार नहींजाता और न मुख्यधनसे स्वामित्व जातारहताहै-यथार्थसिद्धांत इसकायह है कि यदिमुख्यस्वामी बीसबरसके उपरांत अपना क्षेत्र उपभोक्तासे लेलेनाचाहै तबक्षेत्र तौ न्यायानुसार उससे पासक्ताहै परन्तुयदि उस अवधिके भीतरकभी लाभकी अपेक्षासे मांगना या कोईतरह की कहासुनी करने में निरन्तर उपेक्षाकरतारहा हो तौ अपने इसअप्रतिपेधरूप अपराधसे और इसवचनके प्रमाणसे लाभादिकफलोंकोनहीं पासक्ताहै-ऐसे ही-यदिस्वामीके परोक्षमें उसकाउपभोग रहाहो तौबीसवर्षोंके उपरांतभी लाभादिक फलोंको पासक्ताहै क्योंकि न पासकनेकी व्यवस्थामें ( पश्यतः ) यहवचन प्रमाणहो चुकाहै-ऐसेही-यदि उसका उपभोग तौस्वामीके प्रत्यक्षभावमें रहाहो पर लाभादिक फलोंकी अपेक्षासे बहुधा कहासुनी आदि आक्रोश भी होतारहा हो तौ बीसवर्षोंके उपरांत भी लाभादिक फल पासक्ताहै क्योंकि न पानेकी व्यवस्थामें ( अब्रुवतः ) यहवचनप्रमाण होचुकाहै-ऐसेही-बीसवर्षों के भीतरप्रत्यक्ष भोगहोने और कहा सुनी आदि आक्रोशके न होनेपर भी लाभादिक फल पासक्ता है क्योंकि न पासकने की व्यवस्था में विंशति वर्षोंका ध्रुवा निश्चित होचुकाहै-जो कि अपने धनसे उत्पन्नहुये लाभकी अपेक्षामें स्वामीका यथार्थ स्वत्वहोता है क्योंकि जो वस्तु अपने धनसे उत्पन्न वहभी अपनी है इमहेतु से यह कहना या लिखना अनुचित है कि वह लाभ उसको न मिले तथापि वहत्मान केवल उसदशा में मिलसक्ता है कि जब लाभकी

वस्तु अपने मुख्य स्वरूपके अविनाश पूर्वक यथावस्थित मौजूद हो (दृष्टांत यथा) सुपारी या कटहल आदिके वृक्ष जो उस भूमिपर फलोंसहित विद्यमानहों तौ उन विद्यमान फलों की अपेक्षा मात्रसे मुख्य स्वामी उनके पाने या उनके विक्रयद्वारा लाभधनके पानेका यथार्थ अधिकारीहै तथापि यदि विक्रय आदिकी रीतिसे महासिल उनका तहसीलागया और उसमेंसे राजकर देनेके सिवाय शेषभाग जो लाभ में गिनती है उपभोक्ताने उपभोग द्वारा व्यय करदियाहो अथवा राजकर का भाग उपभोक्तासे व्यय हो चुकाहो तौ वह लाभही राजकरदेने की अपेक्षा से नष्ट समुझा गया तौ इसदशामें वे फलभी नष्ट समुझेगये किंतु इस उपस्थितिसे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं होसकी तौ इसदशामें लाभका स्वरूप नाश होजाने से स्वामी का स्वत्वभी उसके पाने मध्ये नष्टहोगया (अनागमंतुयोभुंक्तेवहून्यब्दशतान्यपि । चौर दंडेनतंपापदंडयेत्पृथिवीपतिः ) अर्थात्-(अनागम) कहिये आगमरहित किंतु जिस धनके आगमकी यथार्थता विना जो कोई शतधा वर्षोंपर्यंतभी भोगै तिस पापात्मा को राजा चौरदण्डसे दण्डदेवै अर्थात् जैसा दण्ड चोरोंको चोरीकी दशामें होताहै वही बर्तावा इसके साथ कियाजाय-इस बचनके सिद्धांतसे यह कल्पना होसकी है कि जितनी जायदाद उपभोक्ताने विक्रय आदिसे विनष्ट करीहो उसके समान द्रव्य उससे लेना चाहिये और जो कुछ उसधरतीसे लाभ होतारहाहो सोभी सब हिसाब करिके लेनाचाहिये परन्तु इस बचनकी अपेक्षामें यह अपवादभी उपस्थितहै जैसा ऊपर कहचुके हैं कि (हानिर्विंशतिवार्षिकी) अर्थात् बीसवर्षोंके उपरान्त लाभादिक हुआ कि उपभोक्ताका परिग्रह यदि (अनागम) अर्थात् लेकर्य पत्रोंकी यथार्थता विना हुआहो तौ बीसवर्षोंके भीतर और उपरान्तभी शतधा वर्षोंतक राजा दण्ड देसक्ता है क्योंकि इस चौरदण्डवाले अनागमभोगकी अपेक्षामें कोई अपवादरूप वाक्य शास्त्र में नहीं कहागया कि वह अमुकदशामें अदंड्यहोगा-इसलिये यथार्थ सिद्धांत यह पायागया कि यदि मुख्यस्वामी अपने धनकी ओरसे अनुचित उपेक्षा करता रहाहो तौ इस उपेक्षारूप अपने अपराधसे और इस बचनके प्रमाणसे भी उस धरती के लाभादिक जो उपभोक्तासे व्यय होचुके हों उनको नहीं पासक्ता-और यही मर्यादा अस्थावर धनोंसे संबन्धितहै कि जिनपर दशवर्षोंतक उपभोग परिग्रह रहाहो २५ ॥

अवनीचे ऊर्ध्वोक्त मर्यादाका (अपवाद) अर्थात् इस्तसनाय जिसे भाषा में छूट कहसक्ते हैं तिसका वर्णन कियाजाता है ॥

आधिस्तीमोपनिक्षेपजड्वालयनैर्विना । तयोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणांधनैरपि २६ ॥

अक्ष०—आधिः सीमा उपनिक्षेप जड़धन बालधनोंके विना तथा उपनिधि राजधन स्त्रीधन श्रोत्रिय धनोंकेभी २६ ॥

अभि०—समुभा चाहिये कि ऊपर २५ के श्लोकमें जो जो वार्ता वर्णन करीगई उनका मुख्य प्रयोजन एकयहीथा कि जो कोईबीस वर्षोंतक देखतेहुये अपनी स्थावर जायदाद पर या दशवर्षोंतक अस्थावर धनोंपर किसीको उपेक्षापूर्वक भोगवान् बनारखै तौ उसके लाभादिक फलोंका हक जातारहता है-सो-उस वार्ता मध्ये यह (अपवाद) कहते हैं कि इस २६ के श्लोकमें लिखेहुये धनोंकी अपेक्षामें यदि उपेक्षा हुईहो तौ वह उपेक्षा नहीं कहाती और उसउपेक्षासे बीस वर्षों या दशवर्षोंके पीछेभी लाभादिक फलोंका हक नहीं माराजासक्ता-इसलिये अब इन्हीं अत्रोक्त धनों का स्वरूपज्ञानऔर होनाचाहिये-यथा-एक तौ १ (आधि) जिसका पर्यायसंस्कृतमें विनिमय और बंधक धनभी कहते हैं भाषामें गहनेरक्खी कहते हैं फारसीमें रेहन और गिरवी रक्खी भी कहते हैं कदाचित् बीस वर्षतक बिराने कब्जे में रही आई हो-२ सीमा जिसे भाषा में सीम या सिमाणाभी कहते और फारसी में सरहद कहते हैं कदाचित् बीस वर्षोंतक बिराने क०-३ (उपनिक्षेप) अर्थात् (निक्षेप) जिसे भाषा में धरोहर और फारसीमें अमानत कहते हैं इसके लक्षणनीचे अधिकोक्ति में देखौ कदाचित् बीस वर्षोंतक०-(जड़धन) अर्थात् जड़ पुरुषका धन कदाचित् बीस वर्षोंतक बिराने परिग्रहमें रहाहो-जड़ पुरुषके लक्षण अधिकोक्तिमें-५ (बालधन) अर्थात् बालक पुरुषकाधन कदाचित् बीसवर्षोंतक-बालक प्रसिद्धहै जो बुद्धि और उपायसे असमर्थ हो जिसे फारसी में नावालिग कहते हैं-(उपनिधि) यहभी एक प्रकारकी धरोहर है परन्तु निक्षेपकी अपेक्षा इस उपनिधिमें कुछ अन्तरहै इसलिये इसको धरोहर नहीं पर सौंप कहसक्तेहैं फारसीमें इसको अमानतमुहरी कहते हैं कदाचित् बीसवर्षोंतक रहीहो-विशेष लक्षण इसके भी अधिकोक्तिमें-७ (राजधन) अर्थात् जो धन किसी राजाकाहो और बीसवर्षोंतक बिराने परिग्रहमें रहाहो-८ (स्त्रीधन) अर्थात् किसी स्त्री-मात्रका जो कुछ धनहो और बीस वर्षोंतक-९ (श्रोत्रियधन) अर्थात् कोई उत्तम विद्वान् जो निरन्तर विद्यादान और विद्या संग्रहमें तत्पर बनारहाहो और इसी हेतुसे उसकाधन किसी के परिग्रहमें बीस वर्षोंतक या दश वर्षोंतक-तौ इन धनोंके लाभमें हानि नहीं होसक्ती २६ ॥

अभि०—ऊर्ध्वोक्त निक्षेपका लक्षण(यथाहनारदः)स्वद्रव्ययदिविश्वासान्निक्षिपत्य विशङ्किते । निक्षेपोनामत्प्रोक्तंव्यवहारपदंबुधैः) अर्थात्-जो किसी अविशंकित पुरुष के विश्वासपूर्वक अपनाधन उसके पास दिखला समुभाकर गिनती या तोल परिमाणपूर्वक धरोहरमें रखेजाय तिसकानाम निक्षेप कहते हैं-और यदि इसी धनके



मध्ये भगड़ा होकर अभियोग लगायाजाय तौ फिर निःक्षेप नामका व्यवहार पद ज्ञानी पुरुष कहतेहैं-उपनिधिका यह लक्षणहै कि जो वस्तु किसीपात्र संदूक आदिमें धरीहुई मुखमुद्रित बिनादिखलाये और समुभाये बिना किसीके विश्वासपूर्वक उसके पास धरोहर सौंपीजाय सो उपनिधि कहलाताहै-यथा ( वासनस्थमनाख्यायहस्तेन्य स्ययदर्पितम् । द्रव्यंतूपनिधिःप्रोक्तोव्यवहारार्थवेदिभिः ) अर्थात्-वासनमें धराहुआ द्रव्य उसका व्यौरा न कहकर किसी अपने विश्वास पात्रके हाथमें सौंपकर दियाहो वही द्रव्य व्यवहारका प्रयोजन जाननेवालों करके उपनिधि कहलाताहै-यहांपर यह (अपवाद) जो कहागया कि (आधि) नाम रेहनको आदिलेकर इसी २६ श्लोकमें कहे हुये विवादों मध्ये देखतेहुये और न कहतेहुयेभी बीसवर्षोंके उपरान्त धरतीके लाभ और अन्य अस्थावर धनोंकेलाभ दशवर्षोंके उपरान्तभी नष्टनहीं होसक्ते किन्तु उन के मिलनेका स्वत्व बनारहता है सो इसहेतुसे कहागया कि ऐसी उक्तदशाओं में उस उपेक्षा करनेवाले धनीका कुछ अपराध निश्चित नहींहोता क्योंकि वह उपेक्षा उचितप्रकारसे प्रकटतामें आती है बल्कि (आधि) अर्थात् रेहन ठेठकर इसीलिये होतीहै कि उसधरतीका या अन्यधनका परिग्रह दूसरेको दियाजाय तौ फिर धनीपर उपेक्षाका अपराध नहीं आरूढ़ होसक्ताहै-ऐसेही (सीमा) सरहदोंका शोधन करना उन प्राचीन चिह्नोंसे सुसाध्य और सुगमहोता है कि जो भूसा या राखकोइले आदि बहुधा चीजों से नियत कियेजाते हैं इसलिये इसमें भी उपेक्षाका होना संभवितहै और अपराधमें गिनती नहीं होसक्ता-ऐसेही-उपनिःक्षेप और उपनिधि इन दोनोंमें इसलिये उपेक्षा उचित होसक्तीहै कि जिसकेपास धरोहर या सौंप रक्खीजातीहै उसके लिये धर्मशास्त्रमें यहनिषेधहै कि उसधनको वह भोगैनहीं अर्थात् वर्ताविमें नलावै किन्तु रक्षापूर्वक ज्योंकात्यों तद्रूप रक्खडोडै तौ फिरइसप्रतिषेध और शिक्षापरभी वह अतिक्रमकर अर्थात् वर्ताविमेंलावै तौ उसधनसे जो कुछलाभहुआहो सो सबव्याज सहित उरसे मिलनाचाहिये इसलिये धनीउसके भोगप्रतिषेधके विश्वासपर उपेक्षा करसक्ताहै-ऐसेही-जड़ और बालकोंकीओरसे उपेक्षाहोनाठीकहै क्योंकि जो बालकहै उसकोअपनेविराने या हानिलाभकी समुभनहीं और जो जड़बुद्धिहै उसकीदशाबालक सेभी असंख्यगुण अधिक विख्यातहै तौ फिर यहउपेक्षा कुछउपेक्षामें गिनतीनहींहो सक्ती-जड़पुरुषके लक्षण-यथा (इष्टंवाऽनिष्टंवासुखंदुःखंवानवेत्तियोमोहान् । परवशगः सभवेदिहनाम्नाजडसंज्ञकःपुरुषः) अर्थात्-जो कोई अपने प्रारव्योंके अनुसार मोहरूप अज्ञानसे परवश हुआ ऐसा विकल बुद्धि होजाय अथवा जन्मकालमेंही ऐसाहो कि प्रिय यद्वाअप्रिय और सुख यद्वादुःखकोभी न पहिंचानै वहीपुरुष इससंसारमें जड़नाम से विख्यातहोता है (यहांपर जड़के उपलक्षणसे औरभी गूंगे और मूर्खआदि गिनती



में आजाते हैं)-ऐसेही-राजाको अपने धनसे उपेक्षाहोनी इसहेतुसे उचित होसकीहै कि राजा राज्यसंबंधी आदि असंख्य कार्योंमें व्याकुलरहताहै-ऐसेही-स्त्रियों को विशेष ज्ञान और प्रगल्भता नहींहोती इसलिये उनकीभी उपेक्षा कुछ उपेक्षामें गिनतीनहीं-ऐसेही-श्रोत्रियकी उपेक्षा इसहेतुसे उपेक्षानहीं कहलाती कि वह पढ़ने और पढ़ाने आदि दशाओंमें व्यग्रहोता है-इनसभी यथोचित कारणों से (आधि) आदि विवादों में यद्यपि धनीके देखतेहुये समस्तभोग निराक्रोशकी दशामेंभीहुआहो पर कदाचित् भी फल हानि नहींहोसकी २६ ॥

अथाऽऽध्यादिविहर्त्तृणां धनदंडादिविवेको नामैकोनविंशः परिच्छेदः १६ ॥

इस उन्नीसवें-१६-परिच्छेदमें आध्यादिक धनों के अपहर्त्ताओंको जुर्मानाआदि दंडोंका विवेक वर्णन होगा ॥

आध्यादीनां विहर्त्तारं धनिनेदापयेद्वनम् । दंडं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्षमथापि वा २७ ॥

अक्ष०-आध्यादिक धनोंके निपट हरनेवाले परधनीको धन दिलवावै और राजा को भी उसीके समान दंड अथवा शक्तिकी अपेक्षा २७ ॥

अभि०-२६ के श्लोकमें कहेहुये (आधि)आदि विवादोंमें दंड विशेष बतलाते हैं कि (आधि)को आदिलेकर श्रोत्रियधन पर्यंत जो जो धन अपवाद रूपमें कहे गये उनको जो कोई चिरकाल के उपभोग बलसे निपट अपहरण करलेवै इन विवादोंके अभियोगमें जो कुछ धनलिखवाया गया और निश्चित हुआहोउतना धनमुख्यधनी को उस विहर्त्तासे राजा फिरवादेवै (यहउसीपूर्वोक्त अपवादका (अनुवाद) अर्थात् सिद्ध हुये अपवादका उपन्यास कियाहै)-और दूसरे अर्द्धासे यह विधि निर्विकल्प कहतेहैं कि दंडभी उसी विवादास्पदीभूत धनके समान द्रव्य उस विहर्त्तासे राजाको लेना चाहिये-यदि मकान खेत आदि पृथ्वीसंबंधी कोई धनहरागयाहो उस अभियोग में यद्यपि मुख्य धनके समान दंड सर्वत्र नहीं संभव है तथापि जहां उसधनके समान जुर्माना मिलसकना संभवनहो तहां उस वक्ष्यमाण दंडकी रीतिसे दंड करना चाहिये जो आगे कहीं (मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा) इत्यादि वाक्योंसे धरतीकी मर्यादवाले चिह्नों के तोड़ने या सीमाके दवालेने आदि अपराधों पर कहा जायगा-कदाचित् जिस अपहर्त्ताका दर्पनाम घमंड धनवान् होनेके हेतुसेउसके तुल्यजुर्माना देनेपरभी नीची न होसकीहो तब उरसे उसकी शक्तिके अनुरूप धनदंड दिलवावै उस परिमाणसे कि जितना देनेसे उसकादमन अर्थात् दर्पका उपशमन होसकै-क्योंकि शास्त्रमें यह सिद्धांत कहाहै कि धनदंड दमनके निमित्तसे कियाजाताहै और दमन का प्रयोजन केवल यहीहै कि उरसे दर्प उसकाशांत होजाय-इसलिये-यह सिद्धांतभी निश्चित हुआ कि जब दंड केवल दमनकेही निमित्तसे होताहै तो फिर जिसकेपास

उसकेसमान भी द्रव्य देनेका ठिकाना नहीं तो उरसेभी उसकी शक्तिकेसमान थोड़ा जुमानालेनाचाहिये उस परिमाणसे कि जितनादेनेसे उसकोपीड़ा पहुंचै-अथवा-जिसके पास कुछभी देनेको नहो वह घुड़की और धिग्दंड आदि प्रकारों वाशारीरक दंडसे दमनीयहै २७ ॥

अधि०-ऊर्ध्वोक्त दंडोंकी व्यवस्थाकहतेहैं-यथाहमनुः(वाग्दंडप्रथमंकुर्याद्विग्दंडंतदन्तरम् । तृतीयंधनदंडंतुवधदंडमतःपरम्) अर्थात्-मनुनेयहकहाहै कि प्रथमतो(वाग्दंड) किंतु कोमल बाणीकी शिक्षा पूर्वक दमनउसका करदेना चाहिये कदाचित् जिसमुक-दमहमें यह दंड संभव नहो तो दूसरा (धिग्दंड) किंतु बहुतसी धिक्कार मलामत देकर दमन करनाचाहिये कदाचित् इस्सेभीदर्पउसकाशांत नहोसक्ताहो तो तीसरा (धनदण्ड) अर्थात् उसका साराधन छीनलेने द्वारा दर्प शांतकरना चाहिये इस पीछे जहाँ ये बातें संभव नहों याइनके होनेपर भी दर्पकी उपशांति संभव नहो तहाँचौथा (वधदंड) अर्थात् शारीरदंड होना चाहियेसोवह शारीरदंड दशप्रकारका होताहै पर ब्राह्मणोंको विहाय और सबकेलियेकहाहैयथाहमनुः(दशस्थानानिदंडस्यमनुःस्वायंभुवोऽब्रवीत् । त्रिषुवर्णेषुयानिस्पुरक्षतोब्राह्मणोब्रजेत् ॥ उपस्थमुदरंजिह्वाहस्तौपादौचपंचमम् । चक्षुर्नासाचकणौचधनंदेहस्तथैवच) अर्थात्-दंडके दशस्थान स्वायंभुवमनुने कहे थे जोकि तीनों वर्णमें होनेचाहिये और ब्राह्मण अक्षत अर्थात् विना पीड़ादिया हुआ निका-लाजाय किन्तु उसकेलिये देहदंड नहीं-वे दशस्थानदंडके यहहैंलिङ्ग, उदर, जीभ, दोनों हाथ, दोनोंपैर, नेत्र, नाक, कान, देह अर्थात् शरीरके अन्य स्थान जो शेषहों-धन अर्थात् कुलजायदादउसकी-प्रकटहोवै कि इनस्थानोंमें जिसअंगसे अपराधहुआहो उसीअंग परपीड़ा दंडहोनाचाहिये-यद्यपि धनकाहरलेना पूर्वोक्त चारप्रकारोंके भी साथकहागया और यहाँ उसके चौथे भेद वध दंडके दशस्थानोंमें भी गिनती कियागया परंतु वह चार प्रकार मूल रूपसे कहेहैं और यह दशभेद भिन्नरूपसे इसमें धनका हरना शारीर दंडमें गिनती इसलियेहै कि धनके हरेजानेसे भी शरीरको पीड़ाहोतीहै-इनके सिवाय और भी दंडके प्रकारहोते हैं किन्तु काम करवाना या बंधनागारमें प्रवेशकरवाना-सो भी कात्यायन का यहवाक्यहै कि(धनदानासहंबुद्ध्वास्वाधीनंकर्मकारयेत् । अशक्तौबंध नागारंप्रवेश्योब्राह्मणादृते ) अर्थात् जो अनुष्य धनदेने योग्य नहीं निश्चित हो उरसे उसी का जातीकर्म अर्थात् जो कुछ पेशा वह करताहो या करना जानताहो वही काम उरसे लेनाचाहिये कदाचित् किसी हेतुसे कुछकाम उरसे न होसक्ताहो तो बंधनमें राखनाचाहिये परंतु ब्राह्मण इसदशामें गिनती नहीं-जिस ब्राह्मणके पास कुछ धन नहो उसका दंड पदच्युत करना आदि उचितहै-इसवार्त्तामें गौतम का यह वाक्यहै कि(कर्म वियोग विख्यापन निर्वासनांक करणान्यवृत्तौ) अर्थात्-ब्राह्मणसे कुछ अपराध

हो तब यातौ कर्म वियोग अर्थात् जिस कामका पद उसके आधीन हो उससे रहित कियाजाय और ( विख्यापन ) अर्थात् या तौ उसको कठिन शिक्षा या उसके अपराध की प्रसिद्धि करनी और ( निर्वासन ) अर्थात् देशसेनिकाल देना अथवा शरीरपरकोई कलंक रूप चिह्न करदेना-नारदने भी यही कहा-यथा ( वधःसर्वस्वहरणंपुरान्निर्वासनांकने । तदंगच्छेदइत्युक्तोदंडउत्तमसाहसः ॥ अविशेषेणसर्वेषामेषदंडविधिःस्मृतः ) अर्थात्-एक तौ (वध)जिसको शारीरदंड कहते हैं ( सर्वस्वहरण )किन्तु जायदादका छीन लेना देशनिकाला करना (अंकन ) अर्थात् शरीरपर दाग देना और उसी अंगका छेदनकर देना जिस्से अपराध हुआ हो यहदंड उत्तम साहस कर्मके अपराधों में कहीं सो यह विधि अविशेषतासे सभी साधारण मनुष्यों के लिये कहीहै यह प्रबंध कहे पीछे नारदने यह कहाहै कि ( वधादृतेब्राह्मणस्यनवधंब्राह्मणोऽर्हति । शिरसोमुंडनंदंडस्तस्यनिर्वासनंपुरात् ॥ ललाटेचाभिशस्तांकः प्रयाणंगर्दभेनच ) अर्थात्-यह सभीदंड जो इस वाक्यमें कहगये ब्राह्मणसे भी संबंधित हैं परंतु वधदंड के विना क्योंकि ब्राह्मण शारीर दंडोंके योग्य नहीं है-किन्तु- उसके लिये उत्तम साहस अपराधों में यह दंड होसक्ते हैं कि अप्रतिष्ठा साथ शिरमुड़वादेना-पुरसे बाहर काढ़देना-माथेपर निंद्यचिह्न का दाग लगादेना-गधेपर चढ़ाकर यात्रा करवाना-मस्तकपर अंकन करने मध्ये भी व्यवस्था मनुने कहीहै-यथा ( गुरुतल्पेभगः कार्यः सुरापानेसुराध्वजः । स्तेयेतुश्वपदं कार्यंब्रह्महण्यशिराः पुमान् ) अर्थात्-गुरुतल्पग जिसने माता आदि गमन करीहों तिसके मस्तकपर भगाकार मुद्रातपाकर दागदेना-जिस ब्राह्मणने सुरापान किया हो उसके माथेपर सुराध्वज का चिह्न अर्थात् सुराखीचने की डेगभभका नल इनके आकार वाली तपीहुई मुद्रासे दाग दिलवाना-वह चोर जिसने ब्राह्मण का सोरह मासे सोना या इस्से अधिक चुराय हो उसके मथेपर कुत्ताके पंजाका आकार दगवादेना-जिसने ब्राह्मण का शिरकाटा या किसी प्रकारसे मारा हो तिसके मथेपर शिरहीन पुरुषकाआकार दागदेना-परंतु-आपस्तम्बके वाक्यमेंजोकि यह आज्ञाहैकि ( चक्षुर्निरोधो ब्राह्मस्य ) अर्थात् ब्राह्मणके नेत्रोंका निरोध कियाजाय-तिसका यह सिद्धांतहै कि उसकोदेश निकाला करते समय वस्त्रकीपट्टी आदिसे आँखेंवाँधदीजायँकिन्तु यह सिद्धार्थ नहींहै कि उसकी आँख निकाल डारीजायँ-क्योंकि यह सिद्धांत नारदके उसवाक्यसे विपरीतहोगा जो नारदने कहाहै कि ब्राह्मण शारीर दंडोंके योग्य नहीं-और मनुकेभी इसवाक्य कि ( अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत् ) अर्थात् ब्राह्मणविना किसी चोटचपेटके लगे निकालाजाय इसवार्तामें यहीप्रमाणपूराहै कुछ और लिखनेकी आवश्यकतानहीं २७ अथ निरागम भोग परिग्रह विषय व्यवस्थाप्रदर्शनोनामविंशतितमःपरिच्छेदः २० ॥

इस वार्तामें परिच्छेदमें वह व्यवस्था दर्शायी जायगी जिस्से-आगम रहित भोग

- र्थात् कञ्जेह विला इस्तेहक्काक जानाजाय और उसकी निर्बलता आदि प्रकटहों निरागम या आगम रहित इसलिये कहा कि जिसधरती आदि किसी धनकाभोग परिग्रहतौ स्वाधीनहै परंतु आगमनहीं अर्थात् यहवार्त्ता निश्चित नहीं है कि यह धरती या कोई अन्यधनस्थावर जिस पर इसका कञ्जामात्रहै इसकेपास कहांसेआया और किसप्रकारसेआया किन्तु किसकेद्वारा इसकोमिला या मिलनेकाहकपहुँचताहै॥

आगमोऽभ्यधिकोभोगादिनापूर्वक्रमागतात् २८ ॥ (अष्टाविंशस्यपूर्वाद्द्वोऽयम् )

अक्ष०—भोगसे आगम अभ्यधिकहै परन्तु पूर्वक्रमागत भोगसे विना २८ ॥

अभि०—आगम नाम इस्तेहक्काक जोहै सो भोगसे अधिक बलवान्है-परंतु-पूर्व-क्रमागत भोगसे विना अर्थात् जिस जायदादपर पूर्वके तीनपुरुषोंसे क्रमसहित भोग चला आयाहो उसभोगसे आगमनहीं बलवान् है ॥ २८ ॥ यह अट्टाईसका पहला अक्षा ॥

अधि०—जोकि १८ परिच्छेदके अनुकूल यहवार्त्ता निश्चित होचुकीहै कि स्वत्वके अव्यभिचारित्व पूर्वक जो भोग होताहै वहीभोग स्वत्वकी प्रमाणतामें आताहै-कदा-चित् स्वत्वके व्यभिचारित्वसे केवल भोगमात्रहोतौ वहभोग क्योंकर प्रमाणतामें आ-सक्ताहै (इस अपेक्षामें कहतेहैं कि) स्वत्वका हेतु आगम होताहै वह आगम या तौ प्रतिग्रह नाम दान द्वारा मिलताहै या दामदेकर क्रयकरनेसे मिलता है अथवा कहीं अन्य प्रकारोंसेभी मिलता (आगम) अर्थात् आगमनहोना किसी यथार्थ योग्यता के अनुसार यह आगम भोगसेभी अधिक और सर्वथा बलवान् होताहै क्योंकि स्वत्व जाननेकी अपेक्षामें भोगजोहै सोभी आगमसे अपेक्षा रखताहै किन्तु आगम सहित जोभोगहो वही स्वत्वका बोधकरता है-इस वार्त्तामें नारदने यह प्रमाण कहाहै कि — (आगमेनविशुद्धेनभोगोयातिप्रमाणताम् । अविशुद्धागमोभोगःप्रामाण्यंनैवगच्छति ) अर्थात्-जो विशुद्धनाम दोषरहित यथार्थ आगमकेद्वारा भोगहोताहै वहीभोग प्रमाण-ताको पहुँचताहै और जो अविशुद्धनाम सदोष या अयथार्थ आगमकेद्वारा भोगहो-ताहै वहप्रमाणताको नहींपहुँचता-इसके सिवाय केवल भोगमात्रसेभी स्वत्वकीप्रमा-णता नहींहोती क्योंकि जो केवल भोगसेही स्वत्वकी प्रमाणता मानीजाती तौ संभव था कि चाहै तिसकी विरानी जायदादपर भोगकोई अन्यायसेही हरणकरिकैया और किसीअयोग्य मार्गसे अपहार करिके करलेता और उसभोगद्वारा विरानी जायदाद स्वत्वकी प्रमाणताको पहुँचाता-इसीलिये यहस्मृति प्रमाण करीगईहै कि(भोगंकेवल तोयस्तुकीर्तयेन्नागमंकचित् । भोगच्छलापदेशेनविज्ञेयःसतुतस्करः)अर्थात्- जोकोई विना किसी आगमके दिखलाये केवल अपने भोगका प्रमाण बतलावै कि मैं इतने दिनोंसे भोगताहूंतौ इसभूँठे भोगके वहानेसे वह उपभोक्ताचोर समुभाजाय (और

इसी उपलक्षणसे जो कुछ चोरकी सजा होती हो सो भी उसके लिये उचित है) इसी हेतुसे वह भोग यदि पाँच विशेषणोंसे संयुक्त हो तब स्वत्वकी प्रमाणतामें आता है अर्थात् वह (भोग) १-आगम सहित हो-२ बहुत कालसे चला आता हो-३ निरन्तर अविच्छेद चला आया हो-४ निराक्रोश जिसकी मध्यदशाओंमें किसीने टोका बखोरी या निषेध आदि कोई बाधा न करी हो-५ प्रत्यर्थीसे सन्मुख अर्थात् प्रतिपक्षी उसका यह जानता हो कि इसका भोग इस प्रकार और इतने कालसे चला आता है-सोई यह स्मृति भी प्रमाण है कि ( सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽपरवाधितः । प्रत्यर्थिसन्निधानोऽपि परिभोगोऽपि पंचधा ) अर्थात्-परिभोग निश्चित पांच प्रकारका होता है-किंतु १ सागम-२ दीर्घकाल-३ अविच्छेद-४ अवाध-५ प्रत्यर्थिसंनिधान ( यह सिद्धांत यहां तक मूलश्लोक पहले चरणका पूरा हुआ ) ( अब द्वितीय चरणसे इसीमें कुछ अपवाद भी कहते हैं-यह अपवाद उस भोगकी अपेक्षामें होगा कि जो पितृ पैतामह धनकी विरासतसे मिला हो ) क्योंकि-कहीं आगम रहित भोग भी प्रमाणतामें आसक्ता है सोई मूलवाक्यमें दूसरा पाद यह कहा है कि ( विना पूर्वक्रमागतात् ) अर्थात् पूर्वके तीन पुरुष पिता पितामह प्रपितामह इनके क्रमसे जो (भोग) नाम कब्जा मिलता चला आया हो उस कब्जेमें विशेषतर आगमकी अपेक्षा नहीं है अर्थात् उस कब्जेके सन्मुख आगम कुछ अधिक बलवान् नहीं होसक्ता वरन यह इस प्रकारका कब्जा ही आगमके सन्मुख अधिक बलवान् है क्योंकि इसमें आगमकी अपेक्षा नहीं यही प्रमाण पूरा है-तथापि-इसका आशय यह समुझना चाहिये कि वह भोग आगमके ज्ञानमात्रकी अपेक्षा केवल इतनी नहीं रखता कि उस आगमका मूलहेतु निर्णय किया जाय कि यह आगम कब हुआ या किस हेतुसे इत्यादि-अर्थात् आगमकी सत्तासे निरपेक्ष नहीं है किंतु आगमकी सत्तानाम होना उस आगमका फिर भी आवश्यक है-और-वह आगमकी सत्ता भी उसी भोगद्वारा निश्चित होती है (विना पूर्वक्रमागतात्) इस पदके द्वारा जो कि (त्रैपुरुषभोग) का (अपवाद) ऊपर लिखा गया सो भी उसदशामें प्रामाण्य है कि जब त्रैपुरुष व्यतीतकाल वर्तमानोंकी मानुषी यादसे विहीन हो तो वह भोग आगमसे बलवान् है-और इससे पहले पदमें जो (आगम) की (प्रबलता) दर्शायी गई वह ठेठ स्मार्त्तिककालसे संबंध रखती है अर्थात् उसका सिद्धांत यही है कि आगमकी उत्पत्ति वर्तमानोंकी मानुषी यादके भीतर हो तो वह आगम भोगसे बलवान् है-क्योंकि जिस वार्त्ताकी उत्पत्ति मानुषी स्मृतिके भीतर हुई होगी उसमें संभव है कि उस आगमके नूठे होनेकी शंकामें उसकी दृढ़ता भी प्रवेश करी जाय (दृढ़ता) यह कि यह आगम अमुक समयपर अमुक हेतुसे अमुकामुक मनुष्योंकी स्मृतिमें उत्पन्न हुआ था वे मनुष्य अचतक जाते हैं बुलाकर उनसे पूछा जाय अथवा औरको-

ई प्रकारकी दृढ़ता जो यादके अनुकूल प्रविष्ट होसकी हो) कदाचित् ऐसी दृढ़ता उस आगमकी अपेक्षामें प्रविष्ट नहो सकैगी तौ यथार्थसे यह निश्चित होगा कि इस आगमकी सत्ता कुछ नहीं अर्थात् यह आगम न होनेमें गिनती है इसलिये ऐसी दशामें भोगका प्रमाण आगमकी उत्पत्तिज्ञानके आधीन है अर्थात् मानुषी स्मृतिके भीतर आगमकी उत्पत्तिके ज्ञान पूर्वक जो भोग होगा वही प्रमाणमें आवेगा-परन्तु-त्रैपुरुष उपलक्षित व्यतीतकाल जो मानुषी स्मृतिसे विहीन होगया हो जिसमें किसी आगम की उत्पत्ति हुई हो जो वर्तमानोंकी मानुषी स्मृतिमें नहीं आसकी है तौ ऐसी दशामें आगमके भूँठ होनेकी शंकामें उस आगमकी उत्पत्ति मध्येदृढ़ताके प्रविष्ट नहोनेपर भी यह बात असंभवहै कि उस आगमका न होना समुभा जाय अर्थात् आगमकी उत्पत्तिका हेतु प्रकट न होनेपरभी वह आगम सच्चा समुभा जायगा क्योंकि निरंतर तीन पीढ़ी पूर्वसे भोग चला आताहै-इसलिये सिद्धांत यह निश्चित हुआ कि वह भोग जो त्रैपुरुष क्रमागत प्राप्त हुआहो सो आगमका हेतु प्रकट न होनेपरभी प्रमाणमें आवेगा-इस वार्त्ताको कात्यायन ऋषिने स्पष्ट भावसे लिखाहै-यथा(स्मार्त्तकाले क्रियाभूमेः सागमाभुक्तिरिष्यते । अस्मार्त्तत्वागमाभावात्क्रमात्त्रिपुरुषागताः ) अर्थात्-भूमि संबंधी प्रयोजनोंकी क्रिया जो स्मार्त्तकालके भीतर प्रकट हुईहो तिसमें आगम सहित भोग प्रमाणहै और जिन क्रियाओंकी प्रकटता स्मार्त्तकालसे पहले हुईहो तिनमें तीनपीढ़ी पहलीका क्रमागत भोग आगमके न होनेपरभी प्रमाण माना जायगा-यद्यपि स्मार्त्तकाल यद्वा मानुषीस्मृतिका अर्थ यही है कि आवश्यकताके समयपर वर्तमानोंमेंसे कोई बूढ़ेसे बूढ़ा पुरुष अबसे लेकर अपनी बाल अवस्था पर्यंत पहली देखी सुनीवात याद रखकर कहसकै तथापि इस व्यवहार विषयकी सिद्धि के लिये स्मार्त्तकालकी एक अवधि नियत करी गई है ( शतायुर्वैपुरुषः ) इसश्रुति के आशयसे कि मनुष्यकी अवस्था हृदसौ वर्षतक होती है इसलिये सौ वर्षोंका काल विलंब मानुषीस्मृतिके भीतर कहलाताहै अनन्तरोक्त कात्यायनके वाक्यमें यह बात जो कही गई कि ( आगमके न होनेपरभी ) तिस न होनेका यह अभिप्राय है कि जब जब आगमका मूलहेतु प्रवेशनहोने या नमिलनेके कारणसे आगमका निपटअभाव निश्चयात्मक निश्चितनहो तौ फिरऐसी सन्दिग्ध दशामें जो भोग सौवर्षोंसे अधिक अवधिकाहो-और निरन्तर त्रैपुरुष क्रमागतभीहो-और(अप्रतिरव) अर्थात् अवाधभी हो- और प्रत्यर्थीके प्रत्यक्षहुआहो ऐसाभोग स्वत्वके प्रमाणमें आताहै क्योंकियद्यपि स्वत्वकीसत्ता सन्दिग्धहै परन्तुयह सबसामग्री आगमकी दृढ़ताकारकहैं- तथापि सौवर्षोंसे पहले स्मार्त्तकालसे भी जिसका अनागमभोग चलाआताहो किन्तु उसके पासनिपट आगमनहो और उसआगमकी यथार्थ(सत्ता)परम्परासे सन्तान प्रतिसंतान



अन्यमनुष्योंकी दन्तकथा द्वाराभी नसिद्धहोतीहो तो वह अनागमभोग प्रमाणको नहीं पहुँचसक्ता- इसीदशापर यह मर्यादा भी आरूढ़हैकि ( अनागमन्तुयोभुंक्ते बहून्यब्द शतान्यपि । चौरदण्डेनतंपापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः ) अर्थात्-जो कोई शतधावर्षोंतक भी अनागम धरतीभोगै उसपापात्माको चोरोंके समान दण्डराजादेवै- परन्तु- इसी वाक्यमें (योभुंक्ते) यह एक वचनका निर्देशजो किया गया और (शतान्यपि) इसमें शतवर्षोंकेपीछे (अपि) शब्दका प्रयोगजो किया गया इससे यह कल्पना न करनी चाहिये कि दण्डकेवल वही मनुष्यपावै जो पहला पुरुषविना आगमके उपभोक्ता हुआ था क्योंकि इसकल्पनासे यह अनुमान भी उत्पन्न होता है कि उससे दूसरे तथा तीसरे उपभोक्ता क्रब्जा विना आगमके भी स्वत्वकी प्रमाणतामें आजावेगा सो यह अनुमान अङ्गीकार नहीं होसक्ता क्योंकि अग्रोक्त इसनारदके वाक्यसे विरोध पावैगा- तथाहि (आदौ तुकारणंदानं मध्येभुक्तिस्तुसागमा ) अर्थात्- पहले पुरुषकेलिये दानजो है सो आगम काहेतु होता है और बीचवालेकेलिये आगमसहित भुक्ति- इससे निश्चय होता है कि (अनागमन्तुयोभुंक्ते ) इत्यादि वाक्य जिसमें शतधावर्षोंके भोगपर भी चौरदण्डलिखा है यह सर्वत्र निरागम भोगकी दशाओंपर सम्बन्धित है- (निरागम) अर्थात् आगमसे रहित भोगजो अयोग्यरीतिसे किया गया हो और (आगम) शब्दका भावार्थ यद्यपि आशयकी सुगमताकेलिये पच्चीसवीं अधिकोक्ति आदि कहीं २ लेख्यपत्रोंसे भी दर्शाया गया क्योंकि पत्रलेख्य भी आगमके कार्यमात्र होते हैं इसीसे लेख्यपत्रोंकी भी आगम उपसंज्ञा है तथापि आगम कहनेका अर्थकेवल यह कि कोई ऐसा चिह्न या प्रत्यय या योग्यतासद्भाव उपस्थित हो जो देखने या सुननेसे तत्काल बोध होसके कि अमुक धन इसका है कहै अन्यथा आगमकेवल आगमनमात्रकानाम है और लिखितपत्रोंको उस आगमके एक प्रमाणविशेषमें गिनते हैं देखो इलोकमूल २३ का (आगम्यते ज्ञायतेऽनेन आगमः) और जो कि एक यह वाक्य है कि (अन्यायेनापियद्भुक्तं पित्रा पूर्व न रौस्त्रिभिः । न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमात्त्रि पुरुषागतम्) अर्थात्-जो धन अन्यायसे भी बिना किसी प्रसिद्ध आगमके तीन पुरुष पहले और पिताने भोगा हो उसके निवर्तित होनेका दावा नहीं होसक्ता क्योंकि वह वस्तु उपभोक्ताके परिग्रहमें निरन्तर तीन पीढ़ीके क्रमसे चली आई सो- इस वाक्यमें यह भाव समुन्ना चाहिये कि उन्हीं तीन पीढ़ीमें वापनी गिनती है किन्तु पिताके सिवाय तीन पीढ़ी पहली नहीं तिसमें भी यह कारण जो कहा कि निरन्तर तीन पीढ़ीसे चली आई है सो यह स्मार्त कालका उपलक्षण दर्शाया है कि इस कथनसे मानुषी स्मृतिसे विहीन काल जाना जाय - क्योंकि- जो इस वचनसे केवल तीन पुरुषोंका निरन्तर क्रमागत भोग ही अङ्गीकार किया जाय तो फिर कदाचित् एक ही वर्षके अन्तरसे दूसरे वर्षमें निरागम भोग प्रमाणताको पहुँचसके क्योंकि जब दो २ चार २ नासके अन्तरसे एक ही वर्षमें तीन पुरुषों



का देहान्त लगातारहोतागया और अगिलोंके कब्जेमें धन आतागया—तबउस कात्यायनके वाक्यसे इसमें प्रत्यक्षविरोधहोजावै यथा (स्मार्तकालेक्रियाभूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते) अर्थात्-जिसभूमिके प्रयोजन सम्बन्धी क्रियामानुषी स्मृतिके भीतर प्रकटहुईहो उसका भोगजो आगमसहितहोगा तौ प्रमाणमानाजायगा निरागमनहीं और मानुषी स्मृतिकी अवधिसौ वर्षांतकनियतहै फिर एकवर्षके अन्तरसे निरागम भोग क्योंकर प्रमाणहोसक्ताहै और (अन्यायेनापियद्भुक्तं) इत्यादि इसीउक्तवाक्यमें जोधन अन्यायसेभीइस (भी)शब्दकीयोजनासे यहआशयअङ्गीकारहै कि यदिकिसी दशामें अन्यायसे भीहरेहुये निरागमभोगकाधन उलटा नहींफिरसकै-तौ-फिर यह औचित्य प्रकटहोताहै कि जिसभोगमें आगमकीदृढ़ता रूपयोग्यताओंके न मिलने पर उपभोक्ताका अन्यायतद्रूप निश्चितनहुआहो किन्तु संदिग्धहोतौ अवश्यहीउस त्रैपुरुष उपलक्षित स्मार्तकालसे भोगेहुयेधनका उलटाफिरना उचितनहीं-और यह वाक्य जो कहाहै कि (यद्विनागममत्यन्तंभुक्तंपूर्वस्त्रिभिर्भवेत् । नतच्छक्यमपाहर्तुंक्र मात्रिपुरुषागतम्) अर्थात्-जो धनअत्यन्त निश्चयात्मक आगमकेविना किंतुकिसी संदिग्धरूप किंचित् आगमके अनुकूल पहले तीनपुरुषोंकरके भोगागया हो उस अवधितक जो मानुषीस्मृतिसे विहीनहो वहधन फिरउलटा लौटिसकने योग्यनहीं क्योंकि निरन्तरक्रमसे तीनपुरुषोंके परिग्रहसे चलाआयाहै-इसवाक्यमें यह सिद्धान्त समुझनाचाहिये कि वह संदिग्धरूप किञ्चित् आगम कुछऐसाहो जो मानुषीस्मृति कीअवधिसे विहीनहो और उसकीदृढ़ता नहोसक्तीहो परन्तु यह सिद्धान्तनहीं है कि निपटआगमका स्वरूपहीनहो-क्योंकि- बहुधा यहमर्याद वर्णनहोचुकीहै कि शतधा वर्षोंकेभोगसेभी आगमकीसत्ताविना उसभोगेहुये धनकेऊपर स्वत्वनहीं पहुँचता— (सर्वथा यहसिद्धान्तहै कि क्रमसे तीनपीढ़ीका भोगाहुआ धन जिसकेकब्जेमें आया उसभोक्ताकी अपेक्षा जो कुछवाद विवादहो तिसका आशय इसऊर्ध्वोक्तके अनुसार देखाजाय) ॥

संभ्रम—ऊर्ध्वोक्त मर्यादमें यह वितर्कहोसक्ताहै कि यहमर्यादही नियतकरना अनुचितहै कि जिनवार्ताओंकी प्रकटता मानुषीस्मृतिके भीतरहुई उनमें आगम सहित भोगप्राप्तहोगा यह इसलिये अयुक्तकहसकतेहैं कि जब आगमकिसी औरप्रमाणांतरसे दृष्टांतयथा क्रयपत्रआदिसेही निश्चितहोसकैतौ केवलयहीवात स्वत्वके जानने मध्ये प्रमाणपूराहै किन्तु ऐसीदशामेंभोगसे न तौ स्वत्वनिश्चितहोगा और न आगम निश्चितहोगा और कदाचित् आगमकिसी और क्रयादि प्रमाणांतरसे निश्चितनहो सकै तौ प्रत्यक्षहै कि उसदशामें आगमविशिष्ट भोग (अर्थात्कब्जह मुस्तहकानह)से कुछ (हकीयत) अर्थात् स्वत्वकी प्रमाणता नहींप्राप्तहोसक्ती-इसकायह समाधानहै कि-

प्रमाणांतरसे पाये हुये आगमसहित जो निरन्तर भोग होता है वह कालांतरमें जाकर स्वत्वको पहुँचाता है-अर्थात्-(कब्जे मुस्तहकानहः जो मुसलिसल और किसी और सबूत से निश्चित हो वह जमानेमाबादमें सबूत हकीयत मुत्सव्विर होता है) परन्तु जो आगम क्रयादिप्रमाणांतरसे जाना भी जाय और भोगसे रहित हो तो कालांतरमें स्वत्वको पहुँचानेमें समर्थ नहीं-अर्थात्-(जो इस्तेहकाक मिसिल इशिरा वगैरः के साबित भी हो वह बिलाकब्जे के जमानेमाबादमें सबूत हकीयत मुत्सव्विर न होगा ) क्योंकि संभव है कि क्रयलेख्यकी प्रकटतापीछे बीचमें दानविक्रयआदिके द्वारा स्वत्वकी यथार्थतासे निष्फल हो गया हो-अर्थात्-(मुमकिन है कि बाद वकूअ इशिराके हक मिलिकयत बजरीअह हिवेः या बैअ या अजख्यकिसी और इन्तकालके जायल हो गया हो ) इसलिये यह मर्याद अनवद्य अर्थात् (गैरमुमकिनुलतर्दीद है) इसका खंडन कोई नहीं कर सकता २८ ॥ यह अट्टाईसका पूर्वार्ध पूरा हुआ अब उत्तरार्ध नीचेके परिच्छेदमें ॥

अथ भोग निरपेक्षस्यागमस्य विषयविवेको नाम एकविंशतितमः परिच्छेदः २९ ॥

इसइकीसवें परिच्छेद में वह आशय वर्णन होगा जिसे भोगरहित आगमका विवेक जाना जाय अर्थात् ( इस्तेहकाक जो बिलाकब्जेके हो ) तिसका चर्चा ॥

आगमेपिवलनैव भुक्तिस्तोकापियत्रनो २८ ॥

अक्ष०-आगममें भी बलनहीं है जहाँ भुक्ति थोड़ी भी हो २८ ॥

अभि०-आगम सापेक्ष भोगप्रमाण बतलाया अर्थात् ऊपरले परिच्छेदमें यह मर्यादा कही गई कि यदि भोगआगमके अनुकूल हो तो उससे संपत्तिका स्वत्वप्रमाणतामें आता है परन्तु इससे (यह अनुमान होता है कि आगम जो है सो भोगसे निरपेक्ष है ) अर्थात् भोगके न होनेपर भी केवल आगमसे स्वत्वकी प्रमाणता हो सकती होगी- इसलिये अब उत्तरार्ध मूलश्लोकमें यह कहते हैं कि जिस आगमके होनेमें स्वल्पभुक्ति भी न हो तो ऐसा आगम प्रमाणके योग्य नहीं है-सिद्धांत इसका यह कि जो आगमके साथ निपट भोग न हो तो ऐसा आगम बलवान् नहीं किन्तु पूरी प्रमाणता उससे नहीं प्राप्त हो सकती उसमें सन्देह रहता है-इसवार्त्ताका जोड़ इसप्रकारसे समुझना चाहिये कि अपना स्वत्वनिवृत्तं करिके परायास्वत्व जिसकिसी वस्तुमें उत्पन्न कर दिया जाय सो दान कहलाता है किन्तु परायास्वत्वनी यथार्थ उसीदशामें उत्पन्न हो सकता है कि पर मनुष्य जब उस दानका स्वीकार करे अन्यथा ऐसानहीं स्वीकार भी तीनविधिका होता है मानस १ वाचिक २ कायिक ३ इनमें मानसका यह लक्षण है कि यह अमुक वस्तु उसके कथनसे मेरी हो-चुकी ऐसामनसे ही संकल्प करिलेना १ वाचिकभी इसलक्षणसे कहलाता है कि यह वस्तु मेरी है इत्यादि मुँहसे कहना या इसके समान कोई और भाँतिसे प्रकट करना इसको सविकल्पकप्रत्ययनी कहते हैं २ तीसरा कायिकस्वीकार (उपादान) ग्रहण करना (अभि-

मर्पण) छूनाइत्यादिरूपसे अनेकभाँतिकाहोताहै-इसतीसरेस्वीकारकीअपेक्षा यह नियमहोतेहैं-यथा(दद्यात्कृष्णाजिनंपृष्ठेगांपुच्छेकरिणंकरे । केसरेषुतथैवाश्वंदासींशिरसि दापयेत् ) अर्थात्(कृष्णाजिन) मृगछालादानकरै तो पीठकाभागथाँभकरदेवै गऊको पूँछथाँभकरहाथीकोसँडिथाँभकर घोड़ाको कंधेपरकेवालथाँभकर दासीदानकरै तो शिरपरहाथरखकर या शिरकेवालथाँभकर-आश्वलायनकाभीवाक्य इसमेंप्रमाणहै-यथा-(अनुमंत्रयेत्प्राण्यभिमृशेदप्राणिकन्यांचेति) अर्थात्-प्राणीसेअनुमंत्रणकरैऔरअप्राणि तथा लौंडीको दानसमयहाथसेस्पर्शकरै-और-हिरण्य तथा वस्त्रआदिकेस्वीकारमें संकल्परूप उदकदानकेअनन्तर उपादानआदिसंभवहोतेहैं इसहेतुसे यहस्वीकारभी उन्हींतीनस्वीकारोंमें किसीसेसम्बन्धितहोसक्ताहै इसलिये स्वीकार केवल तीनभाँतिका निश्चितहै-परन्तु-जहाँ क्षेत्रादि पृथ्वी धनका कायिकस्वीकारहो वह फलभोगविना असंभवहै-इसलिये-यह आवश्यकहो कि ऐसास्वीकार कुछेकवहुत या थोड़ेही (भोग) अर्थात् कब्जेकेसाथ आचरणकियाजाय तौ वहस्वीकार आगमकीप्रमाणतामेंआवे अन्यथा दान या विक्रय आदिकीपूर्णता संभव न होगी इसलिये निश्चितहै कि फल भोगलक्षणवान् कायिकस्वीकारकेविना अथवा जो आगम किसीअन्यदोप्रकारके स्वीकारोंकेअनुकूलहो वह आगम उसआगमकीअपेक्षादुर्बलहै कि जो फलभोगलक्षणसेसंयुक्तकायिकस्वीकारहो सो यहवातभी दोनोंकेपूर्वापरकालकेअपरिज्ञानमेंसंभवहै अर्थात् वह भोग लक्षणसेहीनआगमउसीदशामें दुर्बलसमुझाजायगा कि जब इसवातकाविवेकनहोसकै कि पहलेभोगप्राप्तहुआ अथवा आगम और जब यहवात यथार्थनिश्चितहोजाय कि पहलाकालकिसका और पिछलाकिसका तब उसदशामें केवल पूर्वकालकाआगमचाहै विगुणभीहो परवहीबलवान्है-अथवा-इसप्रकारसेइसकासिद्धांतहोसक्ताहै कि सोरहवेंपरिच्छेद श्लोक २३ मूलमें यहकथनहोचुकाहै कि-प्रमाणजोहै सो तीनप्रकारकाहोताहै लिखितं १ भुक्तिः २ साक्षिणः ३ अर्थात् दस्तावेज १ और कब्जा २ और गवाहों ३ से आगमकीप्रमाणतामिलतीहै यह साधारणभावसेकहा- यदि इसमेंयहसंकल्पविकल्पकियाजाय कि जहाँ यहतीनोंप्रमाण उपस्थितहों तहाँ किसकोअधिकप्रबलता और किसअवसरपरहोसक्तीहै सो यह बार्त्ता-इसीइक्कीसवें और इस्सेपहले बीसवेंपरिच्छेदसेनिर्णीतहै-किन्तु दोनोंमें यहमूलश्लोकहै कि(आगमोभ्यधिकोभोगात्विनापूर्वक्रमागतात् । आगमेपिबलंनैवभुक्तिःस्तोकापियत्रनो ) अर्थात्-इसमें यहभावकहा कि जोभोगपूर्वकेत्रैपुरुष क्रमसेनहींप्राप्तहुआ हो तौ ऐसेभोगसे-आगमहीअधिकतरबलवान् है और जबकिञ्चिन्मात्रभी भोगनहो तौ उसदशामें आगमदुर्बल है अर्थात् पूरीप्रमाणताउसआगमकोनहींहै-इनवाक्योंकासिद्धांतरूप अर्थयह कि पहलापुरुषभोक्ता जिसने आगमउत्पन्न किया कदाचित

उसीसेविवादहो और इसपहलेभोक्ताकाआगम यदि गवाहोंसेप्रमाणहोजाय तो यह आगमउसभोगसेअधिकतरबलवानहै जो भोगपूर्वसे त्रैपुरुषक्रमागतनहो-और वह पूर्वक्रमागतभोग चतुर्थभोक्तामेंजाकर उसआगमसेभी अधिकबलवानहै कि जिस आगमकाप्रमाण लिखितदस्तावेजोंसेनिश्चितहो-और बीचवालेदावीदारकीअपेक्षा में भोगरहितआगमसे वह आगमबलवानहै जिसकेसाथ किंचिन्मात्रभीभोगहो-यह वार्त्तानारदनेस्पष्टभावसेकहीहै- यथा(आदौतुकारणंदानंमध्येभुक्तिस्तुसागमा । कारणं भुक्तिरेवैकासंततायाचिरंतनी)अर्थात्-आदिपुरुषमें कारणहोताहै दान और मध्यपुरुषमें आगमसहित भुक्ति परन्तुकेवल एकभुक्ति उसदशामें स्वत्वका कारणहोसक्ती है कि यदिनिरंतर त्रैपुरुष क्रमागत और चिरंतनकालकी भी हो (ध्यानकरौ(आगम) का स्वरूप यद्यपि बोधकी सुगमताके लिये बहुधालेख्य पत्रोंसेभी जहांतहां दर्शाया गया परन्तुलेख्य पत्र उसकामुख्य स्वरूपनहीं क्योंकि लेख्यपत्र भूँठे बनावटकेभी होसक्तेहैं कदाचित् सच्चेभी हों तौभी आगमका कार्यमात्र समुभेजासक्तेहैं इसलिये वेभी एकप्रकारके प्रमाणमें गिनतीहैं अर्थात् आगम केवल आगमनमात्र का नामहै जिस्से यह जानाजाय कि अमुकधन अमुकद्वारा अमुकयथार्थरीतिसे इसकेपास आया और यथार्थ इसकेपास आगमन होना उसधनका योग्यथा बसयही उसका (इस्तेहकाक प्रसिद्धहोता है) २८

आगमस्तुरुक्तोयेनसोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत् । नतत्सुतस्तत्सुतोवाभुक्तिस्तत्रगरीयसी २९ ॥

अक्ष०— जिसने आगमकिया वह अभियुक्त होकर उसको उद्धारकरै नहीं उसका पुत्र या उसकापुत्र भी नहीं (क्योंकि) यहांभुक्तिगरीयसीहै २९ ॥

अभि०— यह उनतीसवांश्लोक इसलिये कहाजाताहै कि पहले (१८) परिच्छेद में पच्चीसवें श्लोकसे कहचुकेहैं कि बीसवर्षोंका पराया उपभोग भूमिका और दशवर्षोंका उपभोग अन्यधनोंका जोकोई अपनी आँखों देखतेहुये विनाटोके बखोरेबना रखै तौ उसको बीसवर्षोंके उपरांत पृथ्वीका उपलाभ और दशवर्षोंके उपरांत धनोंका उपलाभ लौटकर नहीं दिलायाजायगा-कदाचित् इस्सेयह समुभाजाय कि लाभ उसको नहीं मिलता इसलिये दंडभी न होगा-इसअपेक्षामें दंडकी व्यवस्था दर्शातेहैं और वहदंडपुरुषकीव्यवस्था तथा प्रामाण्य व्यवस्थाके अनुकूल कहाजायगासो अधिकोक्तिमें देखो-जिस पुरुषने अपने आप आगमका स्वीकार प्राप्तकियाहो और वहीपुरुष किसी अभियोक्ता करके अभियुक्त कियाजाय और अभियोक्ता यहकहे कि यह त्रैनादिक धनतेरे पासकहामे आया अर्थात् तेरा नहीं मेराहै और जोतेराहै तौ तबूतद्वर कहामे आगमहुआ तबरेनी दशामेंउसको उचितहै कि प्रतिग्रह आदि जितरीतिसे आगमहुआ हो अपने लिखित आदि प्रमाणोंसे प्रमाणताको पहुँचावै

परन्तु यह औचित्य उसके पुत्र अथवापौत्र पर आवश्यक नहीं है क्योंकि उनकेलिये भुक्तिजो है सो अधिकतर प्रमाण और बलवान् है २९ ॥

अधि०— जिसपुरुषको पृथ्वी विषय अथवा औरकिसी अस्थायर धनकी अपेक्षा प्रारंभसे कब्जा मिला हो अर्थात् उसीपुरुषको उचित है कि जब उसके ऊपर अभियोग द्वारा कोईसा आग्रह प्रवेश किया जाय जैसा अभिप्रायार्थ में प्रकट हो चुका है तब उस संपत्तिके आगमकी प्रमाणता प्रतिग्रह आदिके लिखितादि प्रमाणोंसे दृढ़ कर देवे-इस्से यह आशय प्रकट हुआ कि अगर वह अपने आगमकी प्रमाणता यथोक्तरीतिसे दृढ़ताको न पहुँचावै वह आद्यपुरुष दंडके भी योग्य है-परन्तु-द्वितीयभोक्ता अर्थात् उसके पुत्रपर नालिशकरी जाय तौ फिर पुत्रको आगमका प्रमाण पहुँचाना आवश्यक नहीं वरन पुत्रको केवल यह प्रमाण पहुँचाना चाहिये कि भोग उसका निरन्तर अविच्छिन्न और अप्रतिरव अर्थात् किसीकी टोकबखोरके विना और प्रतिपक्षीके समक्ष भावमें रहा-इस्से यह आशय प्रकट हुआ कि यदि वेटा आगमकी प्रमाणता न पहुँचावै तौ उसको दंड नहीं परजो ऊर्ध्वोक्त मर्यादोंके अनुकूल विशेषणोंवाले अपने भोगकी प्रमाणता न पहुँचावै तो उसको भी दंड होना योग्य है-और-तृतीयभोक्ता अर्थात् पोता पर जब नालिश हो तौ उसको न तौ आगमकी प्रमाणता पहुँचानी आवश्यक है न उस प्रकारके विशेषणोंवाले भोगकी जिसका चर्चा ऊपर हो चुका है वरन वह तीसरा भोक्ता केवल क्रमागत भोगमात्रकी प्रमाणता पहुँचावै अर्थात् उसको सिर्फ अपनी कायम-मुक्कामी मौरूसी सावित करनी उचित है-इस्से यह आशय प्रकट हुआ कि तीसरा भोक्ता क्रमागत भोग और अर्थात् अपनी कायम मुक्कामी मौरूसीका कब्जा सावित न कर सकनेमें दण्ड देने योग्य है पर आगमकी प्रमाणता न पहुँचानेमें नहीं और न उस विशेषणोंवाले भोगकी प्रमाणता न पहुँचानेमें जिसका वर्णन ऊपर हुआ था-सर्वथा यह निश्चित हुआ कि दूसरे और तीसरे भोक्ताकी अपेक्षा भुक्तिजो है सोई गरीयसी कहीं गई पर इन दोनोंमें भी यह अन्तर है कि वह भुक्ति दूसरे तक पहुंचनेमें गुरु कहलाती और तीसरे तक पहुँचनेमें गरीयसी हो जाती अर्थात् गुरुतर कहलाने लगती यह विवेक इस वार्तामें सुनिश्चित है-तथापि-इस कायथार्थ सिद्धांत यह है कि आगमकी प्रमाणता नहीं पहुँच सकनेमें अर्थहानि तीनोंके समान होगी अर्थात् तीनों पीढ़ीके पुरुषोंमेंसे जो कोई आगमकी प्रमाणता नहीं देवैगा निस्संदेह उसकी अर्थहानि होगी किंतु संपत्तिका कब्जा उसके हाथसे जातारहेगा परन्तु तीनोंके दण्डमध्ये अन्तर दर्शाया गया जैसा ऊपर कथन हो चुका है-और इस अर्थकी हानिमध्ये भी वाक्य यह प्रमाण है कि (आगमस्तु कृतो ये न संदंभ्यस्तमनुद्धरन्। न तत्सुतस्तत्सुतो वा भोग्यहानिस्तयोरपि) अर्थात्-जिसने आगम उत्पन्न किया वह उसकी प्रमाणता न पहुंचानेमें अर्थहानिके सिवाय दंभ्य होता है

मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

८६

और उसका पुत्र और उस पुत्र का भी पुत्र दंड्य नहीं पर अर्थहानि इन दोनों की भी होती है २६

योभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत् । न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ३० ॥

अक्ष०—जो कोई अभियुक्त होकर परलोकगत हो जाय तिस कारिक्थी उसको उद्धार

करै-तहाँ भुक्तिकारण नहीं जो आगमके विना करी ३० ॥

अभि०—यह ३० काश्लोक वसिष्ठे परिच्छेदकी अपेक्षा अपवादरूप इसलिये कहा-

जाता है कि उस परिच्छेदमें ( विना पूर्वक्रमागतात् ) इसपदके द्वारा-मानुषी, स्मृतिसे पहलेका भोग आगमके ज्ञानविना भी प्रामाण्य कह चुके हैं अर्थात् उस प्राचीन भोगमें कदाचित् आगमकी तहकीक़ात न होसकै तौ भी वह भोगसंपत्तिके स्वत्वमध्ये प्रमाणपूरा निश्चित है यह कह चुके हैं-परन्तु-इस मर्यादाकी अपेक्षा अब ३० के श्लोकद्वारा कुछ अपवादनाम छूट भी दर्शाते हैं-कि-जब किसीपर किसी व्यवहर्ताका अभियोग लगा हो और वह अंत्यक़ैसलाहुये विना व्यवहार निर्णयकी मध्यदशामें परलोक सिधारे तब स्वर््यातके रिक्थी अर्थात् पुत्रादिक जो कोई उसके धनका वारिस हो तिसको यह चाहिये कि वह अपने पिताके आगमका प्रमाणपहुंचावै-क्योंकि-ऐसी दशामें भुक्तियद्यपि गवाहोंआदिसे साबित हो तौ भी आगमका हेतु प्रकट हुये विना संपत्तिके स्वत्वमें प्रामाण्य नहीं होसकती-इसलिये कि यह दशा पूर्वाभियोगमें गिनती है अर्थात् यह नालिश उसी आद्यपुरुषपर होरही है जिसके लिये भोगका अपवाद और आगम का सबूत करना योग्य था-इसविषयमें नारदने भी कहा है-यथा (नवाऽऽरूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः । पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्द्यो न तं भोगो निवर्तयेत् ) अर्थात्-नवीन आरूढ हुआ विवादवाला यदि कोई मर जाय तिसके व्यवहर्ताका वह (अर्थ) नाम मुक़द्दमा उसके पुत्रको संशोधन करना योग्य है और क़ैसला इस मुक़द्दमेका भोगकी प्रमाणतासे नहोगा क्योंकि भोग उसको निवर्तित नहीं करसकता-इसीके सिद्धांतसे यह भी निश्चित हुआ कि- यदि अनिर्णीत व्यवहारकी मध्यदशामें व्यवहर्ता अर्थात् मुद्दई मर जाय तौ भी उसके मरनेके हेतुसे व्यवहार निवर्तित नहोसकैगा किंतु उसका रिक्थी उसकी ओरसे व्यवहर्तावनेगा यह मर्यादानियत है ३० ॥

अथ चात्रनिर्णीतस्यापि व्यवहारस्य पुनर्दर्शनादिविषयाविवेको नाम

द्वाविंशतितमः परिच्छेदः २२

इसवाईसवें परिच्छेदमें वह विवेकवर्णनहोगा जिस्से निपटारा किये हुये व्यवहारों को फिर अवलोकन वा निर्णीत करनेआदिकी व्यवस्था जानी जाय ( पुनर्दर्शन अर्थात् मुराफ़अह यद्वाअपील )

नृपेणाधिरुताः पूगाः भ्रेणयोऽपकुलानि च । पूर्वपूर्वगुरुज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम् ३१ ॥



अभि०—राजा करके अधिकृत १ पूग २ श्रेणी ३ कुल ४ यह पहला पहला गुरु जानना मनुष्योंकी व्यवहार विधिमें ३१ ॥

अक्ष०—व्यवहर्ता मनुष्योंके व्यवहारकी विधिमध्ये अर्थात् व्यवहार दर्शनके कार्य में ऊर्ध्वोक्त चारोंमें से पिछले २ की अपेक्षा पहला २ नामपद गुरु अधिकारवाला होताहै-और-इनका स्वरूपज्ञान यह कि-एक तौ (अधिकृताः) १ अर्थात् वे लोग जो राजाकी ओरसे व्यवहार दर्शन में हाकिम आदि नियुक्तहों जैसे व्यवहाराध्याय के प्रारम्भमें दूसरे श्लोकसे कहचुके हैं कि ( राज्ञासभासदःकार्यारिपौमित्रेचयेसमाः ) दूसरे (पूगाः) २ अर्थात् समूह उनलोगोंके कि जो भिन्नजाती या भिन्नवृत्ती एकही स्थलपर निवास रखतेहों जैसे ग्राम नगर मुहल्ला आदि-तीसरे (श्रेणयः) ३ अर्थात् श्रेणीनाम पंक्तियां उन मनुष्योंकी कि जो नानाजातिके लोग अथवा एकही जातिके लोग एक जातीय कर्मसे उपजीवन करतेहों तिनका संघात जैसे हेड़ावुकादि और तांबूलिक कुविंद चर्मकार आदि पेशेवालों की श्रेणियां-इनमें नानाजातिके दृष्टांतसे बजाज सराफ अश्वविक्रयी आदि व्यापारीभी गिनती हैं-चौथे (कुलानि) ४ अर्थात् जातिसंबन्धी और बांधवों के समूह-इन चारों थोकमें पहला पहला थोक पिछले पिछलेसे बलवान् है-और येही चार महकमे समझेजाते हैं-इनके गुरुत्व भावकी विशेषता देखो नीचे अधिकोक्तिमें ३१ ॥

अधि०—व्यवहारके निर्णीत होजानेपर और व्यवहर्ता के जीवनमें व्यवहार किसी दशामें फिर प्रवर्तित होता और किसी दशामें फिर नहींभी होता इस व्यवस्थाकी सिद्धिकेलिये व्यवहारदर्शी अधिकारियोंका बलाबल दर्शाते हुये व्यवहारके पुनर्दर्शन का अधिकार इस परिच्छेदमें कहते हैं-कि-यद्यपि कोई मुकद्दमा फ़ैसल होगयाहो तौ भी संभवहै कि विरली दशाओं में दोनों पक्षियों के जीवतेहुये बड़ी अदालतोंतक अपील पहुँचै-परन्तु-विरली अवस्थाओंमें पहला निर्णय अभंगहोगा किंतु पुनर्दर्शन के योग्यनहीं-इसलिये यह व्यवस्था इसमें कहीहै कि-यदि राजाके नियुक्त कियेहुये अधिकारियोंने व्यवहारका निर्णयकियाहो और उसमें हाराहुआ पक्षी यद्यपि कुदृष्टि निर्णय समुभ्रकर संतोष न करसक्ताहो तथापि उस व्यवहारका पुनर्दर्शन पूगादिक तीनोंमें न होगा-ऐसेही-पूगोंका निर्णीत व्यवहार श्रेणी और कुलों में नहीं जासक्ता-तथैव-श्रेणीका निर्णीत व्यवहार कुलोंमें नहीं-परन्तु-कुलों करके निर्णय कियाहुआ ऊपरके श्रेण्यादिक तीनोंमें जासक्ताहै-एवम्-श्रेणीका निर्णीत ऊपरले पूग और अधिकृतोंमें जासक्ता-और-पूगोंका निर्णीत अधिकृतोंमें जाता है-अधिकृतोंकी अपेक्षा में नारदने यह कहाहै कि यदि राजाके नियुक्तकिये अधिकारियोंने फ़ैसला कियाहो तो उसफ़ैसलह की अप्रसन्नतासे पराजित पक्षीठेठ राजाके सन्मुख अपील करसक्ताहै-



पथा ( कुलानिश्रेणयश्चैवगणाश्चाधिकृतानृपाः । प्रतिष्ठव्यवहाराणांगुर्वेषामुत्तरोत्तर-  
म् ) अर्थात्-पुनर्दर्शनयोग्य व्यवहारोंकी यह प्रतिष्ठा नियत है कि कुल १ श्रेणी २ गण ३  
अधिकृत ४ राजा ५ इन पाँचोंमें पिछला पिछला बलवान् है पहलेकी अपेक्षा-सिद्धांत यह  
कि चौथेपदपर जो राजाके अधिकृत हैं उनकाभी निर्णीत व्यवहार ठेठ राजाके सन्मुख  
पुनर्दर्शनके निमित्तसे जासक्ता है-तहां यह मर्यादा है कि-जब राजाकी हज़ूरमें किसी  
ऐसेफैसलेका मुसफ़ा पहुँचै जिसमें जय पराजयकी अपेक्षासे चौदहवेंपरिच्छेदके आ-  
शय अनुकूल कुछ होड़ बदीगईहो तब राजा उसको अपने सभासदों सहित उन  
सभ्योंकी उपस्थितिपूर्वक निर्णयकरै जिन्होंने पहले उस मुक़दमह का फैसला किया  
हो-इसदशामें यदि अपील करनेवाला पहले कुदृष्टबादसे हाराहो किंतु पुनर्दर्शन  
करवाना उसका अनुचित ठहरै तौ वह दंडयोग्य होगा अथवा यदि पुनर्दर्शनकरवाने  
में जीत जावै तो वे अधिकृत लोग दंड्यहोंगे जिन्होंने विपरीत निर्णय कियाथा-  
इसकेसिवाय-जो मुक़दमह दुर्बलव्यवहार दर्शाआ अर्थात् नीचेके महकमोंने फैसल  
कियाहो वह पुनर्दर्शनमें उच्च सर्वोच्च महकमेहतक पहुँचसक्ता है परंतु प्रबल अर्थात्  
उच्च अदालतोंके फैसले पुनर्दर्शनके योग्य नहीं ३१ अब उसदशाका चर्चा कियाजा-  
वेगा जिसमें निर्बलसे लेकर प्रबलपर्यंत किंतु सभी हाकिमों के निर्णीत व्यवहार  
अनिर्णीत समुभेजासक्ते हैं ॥

बलोपाधिविनिर्वृत्तान्व्यवहारान्निवर्तयेत् । स्त्रीनक्तमंतरागारबहिःशत्रुकृतांस्तथा ३२ ॥

अक्ष०—बल और उपाधिसे निर्वृत्त व्यवहारोंको निवर्तितकरै-तथा-स्त्री रात्रि अंत-  
रागार बाहर शत्रु इनके करेहुओंको भी ३२ ॥

अभि०—( बल ) से अर्थात् प्रबलतासे-और-( उपाधि ) से अर्थात् भयहेतुसे जो कोई  
व्यवहार ( निर्वृत्त ) नान सिद्धहुयेहों तिनको राजा ( निवर्तित ) अर्थात् मन्सूखकरै-  
तथैव-जो स्त्रियोंने फैसलकियेहों-या-रातमें चाहै पुरुषोंने भी निपटायेहों-( अंतरागार )  
जो घरकेभीतर बैठकर किसीनेभी निर्णयकियेहों-( बहिः ) जो ग्रामनगर आदिसे बाहर  
जाकर निर्णीतकियेहों-( शत्रुकृत ) व्यवहार जो शत्रुओंने फैसलकियेहों-इनको भी म-  
न्सूखकरै और फिर नयेतिरेसे विचार इनका कियाजाय ३२ ॥

मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभितादियाजितः । असंबंधकृतश्चैवव्यवहारो न सिद्धयति ३३ ॥

अक्ष०—मत्त उन्मत्त आर्तव्यसनी वालक भयभीत आदिसे योजित और असंबंध  
कृतव्यवहारभी सिद्धनहींहोता ३३ ॥

अभि०—( उन्मत्त ) जो मदिराआदि तीव्र नशापीकर व्याकुलरहताहो ( उन्मत्त ) जो  
पाँचप्रकारके उन्मादमेंसे किसी एक उन्मादकरके विकलबुद्धिहो ( वातोन्माद, पित्तो-  
न्माद, कफोन्माद, सन्निपातोन्माद, ग्रहभृताद्युन्माद ) यह पाँचप्रकारके उन्मादहोतेहैं

(भार्त) जो रोगोंसे पीड़ितहो (व्यसनी) जो इष्ट वस्तुके वियोगसे या अनिष्ट वस्तु की प्राप्तिसे दुःखमें विमोहितरहताहो (बालक) जिसने लघु अवस्थाके हेतुसे अपने घरके मुख्यकामोंमें स्वाधीनता नहींपाईहो (भयभीत) जो किसी प्रबल शत्रु आदिके भयसे व्याकुलहो इनको आदिलेकर और भी इसभाँतिके समुझने इनकरके (योजित) नाम लगायाहुआ व्यवहारका अभियोग और असंबंधी पुरुषकाभी कियाहुआ व्यवहार सिद्धनहींहोता ३३ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त आदि शब्दके तात्पर्यसे किसी शहर या देशकीरीतिसे अथवा इसीभाँतिकी और किसीरीतिसे विरुद्ध जो व्यवहारहो सो भी इसीमें गिनतीहै-यथा-हमनुः(पुरराष्ट्रविरुद्धश्चयश्चराज्ञाविवर्जितः । अनादेयोभवेद्वादोधर्मविद्धिरुदाहृतः) अर्थात्-जो काम किसीपुरसे यद्वाराज्यसे विरुद्धहो या जिसकामकी अपेक्षा राजासे निषेधहो उसकार्यका जो बादहै सो धर्मज्ञोंने अनादेय कहा किंतु उसकामके करनेकी अपेक्षापूर्व जो नालिशकरीजाय वह सुनिवे योग्य नहींहोतीहै-ऊर्ध्वोक्त-असंबंध पुरुष वह कि जिसको उस मुकदमहसे किसीप्रकारका संबंध न हो वरन असालतन् या वकालतन् या और किसीहेतुसे भी नहो(भाँति)यहतेंतीसवें श्लोकका आशय यहाँतक जो वर्णनहुआ यद्वा इसीभाँति कुछनीचे कियाजाय इसकाहोना द्वितीय परिच्छेद में योग्यथा क्योंकि यह अनादेय व्यवहारकालक्षणहै और इसबाईसवें परिच्छेदमेंपुनर्दर्शनकाप्रकरणहै(समाधान)इसकेयहां कथनकरनेसे सिद्धांत यहकि जो व्यवहार अनादेयहैं कदाचित् वेहीसमुझकी अशुद्धिसे स्वीकारकरिके निर्णय कियेगयेहोंऔर पुनर्दर्शनके निमित्तसे उच्चअदालतोंतकपहुँचें तौ उनकेपूर्व निर्णीतकैसलेइसमयादासे निवर्तित अर्थात् मन्सूखकियेजायँ)और जो किइसीअपेक्षामें मनुकायहबाक्यहै कि(गुरोः शिष्येपितुःपुत्रेदंपत्योःस्वामिभृत्ययोः ।विरोधेहिमिथस्तेषांव्यवहारोनसिद्धयति)अर्थात्-परस्परगुरु और शिष्यके भगड़ाहो या पिता और पुत्रकेयापति और पत्नीके या स्वामी और दासकेहो तौ यहनालिश नहींसुनीजाय क्योंकिये भी अनादेयव्यवहार हैं परन्तु इसका सिद्धांत यह नहीं कि निपटइनकीनालिशकिसीदशा में भी न सुनीजाय अर्थात्आत्यंतिक व्यवहारकी दशामें इनकाभी अभियोग आदेयहै-सोयहवात गौतम औरमनुके वाक्योंसे स्पष्ट होतीहै-यथा-गौतमने यहकहाकि (शिष्यादिशिष्टिरवधेनाशक्तौरज्जुवेणु विदलाभ्यांतनुभ्यामन्येनघ्ननूराज्ञाशास्यः) अर्थात्-शिष्य आदि जिन की नालिश न सुननेका चर्चा ऊपर कियाथा वे अनुचित करतेहों तौ ताड़ना विनाही चितावनी शिक्षा करै यदि इसमें न मानें तौ पतली रस्सी चाबुक आदि या पतली बांसकी खरपची आदिसे ताड़न करै परन्तु इन दो चीजोंके सिवाय किसी और दृथियार आदिसे जो कोई मारै तौ वह राजा करके दंड पावै यह गौतमकी स्मृति है-

और मनुनेभी यह कहा है कि ( नोत्तमांगेकथंचन ) अर्थात् इनको उत्तमांग नाम शिरके ऊपर कदाचित् और कैसेहू न मारै-इन दोनों वाक्यसे यहसिद्धांत प्रकटहुआ कि यदि गुरु अति क्रोपावेशके वश होकर बड़ी लाठी आदिसे अधिक चोट लगावै या शिरपर मारै और शिष्य मूल पंचम श्लोक अनुकूल स्मृतिव्यपेत मार्गसे आध-र्षित हुआ उसकी नालिश करै तो ऐसी दशाका व्यवहार आदेयहै अनादेय नहीं-ऐसेही पिता पुत्रका दृष्टांत यह कि-(भर्यापितामहोपात्ता ) इत्यादि पाठवाले १२४ के श्लोकमें जो मर्यादा आगे कहेंगे तिसके अनुसार पितामहकी उत्पन्न करीहुई धरती आदि स्थावरकी संपत्तिमें पिता पुत्र दोनोंका स्वामित्व बराबर होताहै इस दशापर यदि कोई पिता उसधनको विक्रय आदिसे नाश करताहो और उसका पुत्र किसी ध-र्माधिकारीके सन्मुख इस विषयका अभियोग लगावै तब ऐसी दशामें पिता पुत्रकाभी व्यवहार आदेय है अनादेय नहीं-ऐसेही पतिपत्नीके व्यवहारका दृष्टांत जैसे १५२के श्लोक मूलसे यहमर्यादा कही जायगी कि यदिपतिने पत्नीकाधन दुर्भिक्षमें कुटुंब भर-णार्थ लेलियाहो या किसी आवश्यक धर्मकार्य के निमित्तमें या रोग व्याधिकी दशामें या किसी मुकदमहकी फँसावटमें लियाहो तो उसधनका लौटिकर उद्धार करना पति पर योग्यता नहीं-इस वाक्यसे यह सिद्धांत इस स्थलपर पायागया कि दुर्भिक्ष आदि उक्त दशाओंसे भिन्न यदि स्त्रीकाधन पतिने लियाहो और उसपतिके पास धन होते हुये स्त्री अपनाधन मांगै और मांगनेपर वह देनेनहीं चाहै तब ऐसीदशामें यदि स्त्री अपने धनकी नालिश पतिपर लगावै तो यहव्यवहार आदेयहै अनादेयनहीं-ऐसेही स्वामी और भृत्यका दृष्टांतकहते हैं-तहांभृत्य यद्यपि नौकरभी कहलाताहै परन्तु जिन अवस्थाओंमें नौकरकी ओरसे स्वामीपर नालिशहोसक्ती है उनकाचर्चा आगेकिया जायगा-यहांपर भृत्यसे अपेक्षा केवल दासमात्रकी कि जिसको गुलाम कहते हैं-नारद ने दासोंके लक्षण कहे पीछे यह वाक्यभी लिखाहै-यथा(यश्चैषांस्वामिनंकश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात् । दासत्वात्सविमुच्येतपुत्रभागंलभेतच ) अर्थात्-इन दासोंमें से जो कोई दास अपने स्वामीको प्राण संशयरूप अवसरपर संकटसे बचाकर उसके प्राणों की रक्षा करै वहदास दासकर्मसे विमुक्त किया जाय और स्वामीके धनमें उसके पुत्रों के साथ बराबर पुत्रभागभी पावै किंतु उस दिनसे पुत्रोंकेही तुल्य दायभाग पानेका अधिकारी हुआ-इस मर्यादासे यह सिद्धांत पायागया कि यदि ऐसी दशापरभी स्वा-मी उसको दासत्वसे विमुक्त नहीं करै या पुत्रोंके साथ उसको धनका भाग न देवै तो कोई हेतु ऐसा नहीं है कि जिस्से गुलाम अपने स्वामीपर अभियोग न करसकै या उसकी नालिश अनादेय ठहरै किंतु यह व्यवहारभी आदेयहै-यह चारों दृष्टांत आ-देयत्वकी अपेक्षामें मनुके उस वाक्यपर घटायेगये जो (गुरोःशिष्येपितुःपुत्रे) इत्यादि

ऊपर लिखचुके जिसमें इन्हीं चारोंका विवाद अनादेय कहा गयाथा-इस व्यवस्थासे सर्व सिद्धांतरूप आशय यह निश्चितहै कि जब शिष्यआदि कोई गुरुआदि किसी पर नालिश दायर करें तब सभासदों सहित राजाकोभी यहउचितहै कि पहले उनको चितावनी और शिक्षापूर्वक निवारणकरें कि ऐसे विवादोंका अभियोग लगानासर्वथा अनुचितहै तथापि यदिशिष्य आदिजो नालिशीहुयेहों उनपर शिक्षाका प्रभाव नहीं पहुँचै किंतु वे अत्यन्त निर्वन्धरूप आग्रह करें तब उसदशामें राजाकोभी निःसंदेह उक्तीतोंके अनुसारव्यवहार प्रवर्तनीय होगा-जो कि नारदकावहवचन जोदूसरे परिच्छेदगत अधिकोक्तिमें अनादेयत्वके संबंधसे लिखचुकाहै यहांभी पुनर्दर्शन के संबंध से लिखतेहैं यद्यपि यहांभी कुछदृष्टांत उसकेसाथ लिखेगये तथापि उसकीनिःशेषव्यवस्था दृष्टांतों सहित यहांपर लिखीजायगी इसलिये कि जोकुछसंदेह उसकेदृष्टांतोंसे यहांपर शेष रहाहो वहयहांसे निःशेषहोजाय-तथाच(एकस्यवहुभिःसार्द्धस्त्रीणांप्रेष्यजनस्यचा अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्विरुदाहतः)अर्थात्-व्यवहारांग धर्मशास्त्रके जानने वालोंने यह नियम कथन कियाहै कि जो (वाद) नामनालिशका अभियोग एकपुरुष का अनेक मनुष्योंके साथहो किन्तु चाहे अभियोक्ता अनेकहों तौ भी या जो वाद स्त्रियोंकीतरफसेहो अथवा प्रेष्यजन अर्थात् नौकरकी ओरसेहो सो अनादेय होवै किन्तु राजाको ऐसी नालिश नामझूर करनीचाहिये-परन्तु इस में यह आशय हेतु गर्भितहै कि यदि अनेक मनुष्योंपर एकही भगड़ाके मध्ये नालिशकरीजाय तौवह स्वीकार होगी-यथा(गणद्रव्यंहेरेद्यस्तुसंविदंलंघयेच्चयः) इत्यादि वाक्यसे प्रमाण है कि जो मनुष्य अनेक मनुष्योंके समूह का धनहरै या जो कोई उस संविद का नियम उलांघै किन्तु उससे विपरीत करै जो एकसमय अनेकोंके साथ निबंधित हुआ हो तौ इस दशामें वे अनेक मनुष्य इस एकहीपर एकसाथ नालिश करसकेंगे और नालिश अनादेय न होगी-तैसेही (एकंघ्नंतंबहूनांच) इत्यादि वाक्यसे यह प्रमाण है कि जबएकहीको अनेक मिलकर एकसाथ मारेंगे तब उन अनेकोंपरभी यह एकही पुरुष नालिश करसकैगा और यह नालिश अनादेय न होगी-सिद्धांत इसका यह कि भिन्न प्रयोजनवाले अनेकों का व्यवहार एकसाथ एकहीप्रतिपक्षीके साथ नहीं होसक्ता-ऐसेही-स्त्रियोंका व्यवहार जो नारदने अनादेय कहा तिसमें यह हेतु है कि गोप कलाल आदि जातोंकी स्त्रियां जो कमाने खाने आदि में स्वाधीनहोती हैं तिन का वादअनादेय नहीं किंतु आदेय है परन्तु जो स्त्रियोंकी अपेक्षा में अपवाद नारद ने कहा सो उतम कुलोंकी स्त्रियां जिनकेपतिभी जीवतेहों उनकेपारतंत्र्य के हेतु से व्यवहारअनादेय होगा किन्तु यदि पतिसाथ यद्वापतिके द्वारानालिश करें तबउनका भी व्यवहार आदेय होगा-ऐसेही-प्रेष्यजन के लिये जो अपवाद नारदने कहा तिस

में केवल इतना हेतु है कि वह परार्थीन समुभाजाता है तथापि उस अपवादका यह सिद्धांत नहीं है कि वह अपने किसी यथार्थस्वत्वकी अपेक्षामें भी नालिश नहीं करसक्ता या अपने स्वामीकी अनुज्ञासे किसी अन्य पर भी नालिश नहीं करसक्ता है किंतु अपने निजव्यवहारमें भी स्वामीकी अनुज्ञासे अभियोग करसक्ता है और वही दशा आदेयत्व की समुभी चाहिये-और जो परस्परस्वामी और सेवकोंके विवादहो तिसकी मर्यादा वह समुभनी चाहिये जो आगे अष्टादश विवादोंमें स्वामिपालके विवादपर कही जायगी इसलिये वह भी निर्विकल्प अनादेय नहीं कहसक्ते यह सिद्धांत है ३३ ॥ परावर्त्य व्यवहारों का वर्णन हो चुका अब नीचेके परिच्छेद में परावर्त्य धन का चर्चा होगा ॥

अथ परावर्त्य धनविषयविवेको नाम त्रयोविंशतितमः परिच्छेदः ॥

(परावर्त्य-अर्थात्-वापस होने योग्य) इस (२३) के परिच्छेदमें वह व्यवस्था जानी जायगी कि जो कुछ धन किसीका परागिरा राहघाट या धरतीमें दबाहु आ किसीको पावै तो वह इसरीतिसे धनीको वापस करदिलाया जावै या चोरों आदिने हराहो तो इस रीतिसे राजा देवै (वापस करना अर्थात् लौटार देना) ॥

प्रनष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम् । विभावयेन्न चेच्छिगैस्तत्समं दंडमर्हति ३४ ॥

अक्ष०—प्रनष्टहु आ पायाहु आ धन राजा करके धनीको देय है यदि लिंगोंसे विभा-  
वित न करै तो उसीके समान दंडयोग्य है ३४ ॥

अभि०—(प्रनष्ट) नाम खोयाहु आ किसीका धन सोना चांदी आदियदि कोई (शौल्किक) नाम तहसीली अमला या (स्थानपाल) नाम थानेदार आदि फौजदारी का नौकर पावै पुनि राजामें समर्पित करै तो राजा उसधनको जो कोई उसका मुख्यधनी ठहरै तिसको लौटार देवै इस प्रतिज्ञासे कि जो वह धनी अपने धनकी संख्या रूपचिह्न ठीकर प्रकट करसकै-परन्तु-यदि कोई ऐसा धनी बनिकर धनमांगने आवै कि नामरूप चिह्न आदि लिंगोंके लक्षण समुभायसकै तो उसीधनके तुल्य जुर्माना उसपर करना चाहिये जितनेका दावा उसने कियाहो क्योंकि उसपर असत्यवादित्वका हेतु प्रकटहु आ ३४ ॥

अधि०—धनका (अधिगम) नाम कहींसे पराहु आ आदि पाजाना और उसीधनकी (परावृत्ति) नाम वापस कर देना इसकी मर्यादें इसस्थलपर इसहेतुसे कही गईं कि जहाँ धनका आगम वर्णन किया गया उस आगमके अनेक लक्षण होते हैं किन्तु कुछ आगम किसी एकही प्रकारसे नहीं होता अर्थात् उन प्रकारोंमें (अधिगम) भी गिनती है सिद्धांत यह कि (अधिगम) जो है सो भी एक प्रकारका आगम है क्योंकि जब अधिगमका कोई मुख्यमालिक नहीं ठहरता तब उसपानेवालेका स्वत्व उसमें प्राप्त होजाता है अर्थात् वही मालिक होता है प्रमाण इसका देखो पञ्चमिर्वा अधिकोक्तिमें गौतमजीके वाक्यसे वपौती रिक्थ आदि पाँच प्रकार मुख्यभावसे आगमके रहे हैं उनमें पाँचवां साक्षात्कार किसी दैवयोग

से धनका मिलजाना लिखाहै सो वह बात यहीहै जो यहाँपर कहरहे हैं-पायेहुये धनको धरोहर की रीतिसे रख छोड़ने मध्ये एक अवधि नियतहुई है-यथा ( शौलिक कैःस्थानपालैर्वानष्टापहतमाहतम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामीहरेतपरतो नृपः ) अर्थात्-अमलह तहसीली या फौजदारी के नौकर वह धनले आवैं जो किसी का खोयागया होया चोरों आदिसे हरागयाहो तौ एक संवत्सरके भीतर २ उस धनका मुख्यस्वामी पासक्ताहै और वर्ष पीछे वह धन राजा का होगा-मनुने इस अवधि को तीन वर्षके विलंबतक निदेश कियाहै-यथा ( प्रनष्टस्वामिकंरिक्थंराजात्र्यब्दनिधापयेत् । अर्वाक्त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामीपरतो नृपतिर्हरेत् ) अर्थात्-जिस धनका स्वामी प्रसिद्धि प्रचलित होजानेपर भी उपस्थित नहो तब ऐसे प्रनष्टस्वामिक धनको राजा तीन वर्षों तक धरोहर किये रखवै तीन वर्षोंके भीतर २ स्वामी हाजिर होकर पासक्ताहै उपरांत तीन वर्षोंके राजा अपने अधिकार में लासक्ता है-इस वाक्यसे निश्चित है कि तीन वर्षों तक अवश्य रक्षा करनी चाहिये-इन दोनों वाक्योंसे यह व्यवस्थाहै कि यदि एकवर्ष के भीतर स्वामी हाजिरहो तौ संपूर्ण धन देदेवै और जो संवत्सरके उपरांत आवै तौ कुछ भाग उसमें से रक्षामूल्य की रीतिसे लेकर शेष धन स्वामीको देवै-सोई इस अत्रोक्त वाक्यसे निश्चितहै-यथा-( आददीताथषड्भागंप्रनष्टाधिगतान्नृपः । दशमंद्वाद शंवापिसतांधर्ममनुस्मरन् ) अर्थात्-राजाको इसमेंस्वाधीनताहै कि खोयेहुये और पाये हुयेधनकी धरोहरमें से चाहै छठा भागलेवै यद्वा सद्धर्मको याद करताहुआ दशवाँ या बारहवाँ भाग लेवै-इस वार्त्तासे यहव्यवस्था निश्चितहुई कि यदि एकसालके भीतर लेने आयाहो तौ उसमें से किंचित् भी राजा नलेवै किन्तु संपूर्ण उसीको देदेवै यदि दूसरे वर्षमें आवै तौ बारहवाँ भाग लेकर शेषदेवै यदि तीसरे वर्षमें आवै तौ दशवाँ भाग लेकर शेषदेवै यदि तीन वर्षोंके उपरांत चौथे आदि किसी वर्षमें आवै तौ छठा भाग लेकर शेषदेवै-राजाने जितना भाग उसमेंसे लियाहो उसका चतुर्थांश(अधिगंता) कोदेवै कि जो उस धनको लायाहो-यदि परम अवधि पर्यंत स्वामी निपट नहीं आवै तौ संपूर्ण धनका चतुर्थांश अधिगंता को देकर शेष तीन भाग राजा आपलेवै-इस अपेक्षामें गौतम का यह वाक्यहै कि (प्रनष्टस्वामिकमधिगम्यसंवत्सरं राज्ञारक्ष्यमूर्ध्वमधिगंतुश्चतुर्थांशोराज्ञःशेषम् ) -अर्थात्-लावारसीमाल आकर एक सालतक राजा करके रक्षणीयहै उपरांत उसमें से चतुर्थांश अधिगंता का और शेष राजाको पहुँचैगा-ध्यान करौ यहाँपर (अधिगंता) को राजासे चतुर्थांशका मिलना जोहै सोभी (अधिगम)है क्योंकि यथार्थ मेंउस (अधिगंता) कोही धनका अधिगम हुआ था और यही अधिगम एकप्रकारके आगम का पाँचवाँ लक्षणहै-इस वाक्यमें केवल विधिसे अपेक्षा है किन्तु (संवत्सर)का शब्द जोएक वचनसे इसमें आया उससे कुछअपेक्षानहींक्योंकि



ऊपर मनुके वाक्यसे कह चुके हैं कि राजा तीन वर्षों तक धरोहर बनारखै और उसी मनुके वाक्यमें यह बात जो कह चुके हैं कि तीन वर्षों के उपरांत राजा उसलावारसी धनको जप्त करसक्ताहै तिसका भी सिद्धांत केवल इतना है कि यदि स्वामी परम अवधितक न आवै तो अवधिके उपरांत राजा को उस धनके बर्तावा मध्ये अधिकार है-परंतु-यदि स्वामी परम अवधि के पीछे भी आजावै तो राजा को यह उचित है कि जो धन उस का विक्रय आदि से व्यय होगया हो उसके तुल्य रोक रूपया अपना भाग लेकर देदेवै-यह मर्यादा इस ३४ के श्लोकमें केवल सोने चाँदी आदि धनोंकी कही गई किन्तु गवादि पशुजीवों का विषय आगे उस स्थलपर कहेंगे जहाँ ( पणानेकशफेद-घात ) इत्यादि मूल श्लोक आवैगा ३४ ॥

राजालब्धानिधिदद्याद्द्विजेभ्योऽर्द्धद्विजः पुनः । विद्वानशेमाषदद्यात्सर्वस्य प्रभुर्भृतः ३५ ॥

अक्ष०—राजा निधि पायकर आधा द्विजोंको देवै-और विद्वान् द्विज अशेषलेवै क्यों कि वह सबका स्वामी है ३५ ॥

अभि०—ऊपर ३४ के श्लोकमें जो विधि कही गई वह उस धनके अधिगमसे संबंधित है जो सोना चाँदी आदिकहीं मार्गमें या थाने तहसील आदिस्थानों में परा गिरा हाथ लगजाय-अवयहां उस धनके अधिगमकी मर्यादा कही जाती है कि जो सोना सांची आदि अतिकालसे धरतीमें गड़ा हुआ मिलै जिसको (निधि) कहते हैं-कदाचित् निधि किसी धरतीमें अतिकाल का गड़ा हुआ प्रजामें से किसीको मिलै या राजाको ही मिलै तो राजाको अधिकार है कि आधा उसमेंसे ब्राह्मणोंको बाँट देवै आधा अपने कोशमें संचित करै यदि विद्वान् ब्राह्मणको ही निधि मिलै तो वह राजभाग दिये बिना सब धनको अपने पास रखै क्योंकि वह सभीका स्वामी है परन्तु इसमें यह आशय इतना अधिक है कि यदि राजाने आपही पाया हो तब तो सभीमेंसे आधा ब्राह्मणोंको और आधा अपने कोशमें धरै पर जो प्रजामेंसे किसीने पाया हो तब षष्ठांश पानेवाले को पहले देकर पीछे आधा करै सोई नीचेके श्लोकमें देखो ३५ ॥

इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् । अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दंडमेव च ३६ ॥

अक्ष०—इतरकरके निधि पावनेमें राजा षष्ठांश देकर हरै-अनिवेदित जाना जाय वह दे देने योग्य है और दंड भी ३६ ॥

अभि०—विद्वान् ब्राह्मण या राजाके सिवाय यदि कोई इतर अर्थात् अविद्वान् ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि निधि पावै तब राजा उसमेंसे ब्रूठा भाग पावनेवाले को देकर शेष निधि आपलेवै-और यदि कोई ( अनिवेदित विज्ञात ) हो अर्थात् निधि पाकर राजाको नहीं बतावै और पीछे जाना जाय तो उससे राजा सब लेलेवे और दंड नाम जुर्माना भी उसकी शक्तिकी अपेक्षा अनुसार लेवे क्योंकि उस निधिके तुल्य दंड देसकना संभवनही है ३६



अधि०—इस विषयमें वसिष्ठजीका भी यहवाक्य है-यथा (अप्रज्ञायमानंवित्तंयोधिगच्छेद्राजातद्धरेत् षष्ठमंशमधिगन्त्रेदद्यात्) अर्थात्-(अप्रज्ञायमान) धन जिसका स्वामी नहीं जाना जाय ऐसा धन कोई पावै तौराजा उसको हरलेवे परछठाभाग अधिगंताको भी देवै-गौतमका भी यही कथन है-यथा (निध्याधिगमेराजधनं भवति न ब्राह्मणस्याभिरूपस्य अब्राह्मणो व्याख्याता षष्ठमंशलभेतेत्येके) अर्थात्-सिवाय उस निधिके जो विद्वान् ब्राह्मणको मिलै अन्य प्रजालोगोंका पाया हुआ निधिराजाका धन होता है परन्तु यदि विद्वान् ब्राह्मणके सिवाय अन्य प्रजा लोगोंमेंसे किसीको मिलै और वह मिलनेका वृत्तान्त राजापर निवेदन करै तौ वह छठाभाग राजासे पावैगा अर्थात् यदि संबोधित न करै तौ नहीं पावै-और यदि-निधिका स्वामी आकर रूपयेकी संख्या आदिसत्य लक्षणोंसे अपना स्वत्व उसमें भावित करावै तौराजा उसको निधि दे देवै परछठा अथवा बारहवां भाग आपले लेवै-मनुने भी यही कहा-यथा (ममायमितियो ब्रूयान्निधिस्सत्येन मानव । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा) अर्थात्-यदि कोई मानव सत्यतासे यह कहे कि यह निधि जो राजामें धरोहर हुआ मेरा है तब राजा उसका निश्चय किये पीछे छठाभाग या बारहवां भाग उसमें रक्षा मूल्य की रीतिसे लेलेवै और शेष उसको अर्पण करै-छठा या बारहवां यह अंशका विकल्प इसलिये है कि दारुदारका बर्णजाति और कालका बलाबल देखकर राजा अपना अंश लेवै ३६ ॥ अब नीचेके श्लोकमें उस धनका चर्चा होगा जो लुट गया या चोरी गया हो ॥

देयं चौरहृतं द्रव्यं राजा जानपदाय तु । अददद्विसमाप्नोति किल्बिषं यस्य तस्य तत् ३७ ॥

अक्ष०—चोरोंकरके हरा हुआ धन जिसका हो उसी जानपदके लिये राजाकरके दातव्य है क्योंकि वह न देता हुआ उसके अपराधको पहुँचता है ३७ ॥

अभि०—जिस किसी (जानपद) अर्थात् अपने देशनिवासीका धन चोरों या बटमारोंकरके हरा गया या लुट गया हो उस धनको राजा चोरों या बटमारोंको जीतकर उसी जानपदको देवै जिसका हो (हि) क्योंकि जो राजा ऐसा नहीं करै तौ उसका अपराधी होता है कि जिसका धन चोरोंने हरा हो ३७ ॥

अधि०—(अददद्विसमाप्नोति किल्बिषं यस्य तस्य तत्) इस उत्तरार्द्धका द्वितीय भाव यह भी है कि यदि राजा चोरोंसे धन छीनलावै पर उसको नहीं देवै जिसका हरा गया तब न देता हुआ दोनोंका किल्बिष भागी होता है अर्थात् (यस्य) इसपदके आशयसे जिसका हरा गया तिसका और (तस्य) इसपदके आशयसे चोरका भी और चोरकिल्बिष भागी होना यहवात कि जो अपराध चोरको धनके हरनेसे हुआ था वही अपराध राजाको भी लगा अर्थात् राजा आप चोर ठहरा-तथा चमनुः (दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राजा चौरैर्हृतं धनम् । राजा तदुपयुं जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम्) अर्थात्-चोरोंकरके हरा हुआ धन

जातिभेदके विचार विना सभी वर्णोंको राजाकरके दातव्यहै क्योंकि यदि राजा चोर से छीनकर उसधनको आप भोगताहै तब चोरवत् अपराधी आपहोताहै-और यदि राजा चोरोंकरके हरेहुये धनके छीनलानेमें उपेक्षाकरताहै तब केवल उसीजानपदका अपराधीहोताहै जिसकाधनहराजाय-कदाचित् राजा चोरोंसे छीनलानेमें यत्नकरता हुआभी धनको न लासकै तब उतनाधनअपनेकोशमेंसेदेवै जितनाहरागयाहो-तथाच गौतमः(चौरहतमवजित्ययथास्थानंगमयेत् कोशाद्वादद्यात्)अर्थात्-चोरोंका हराहुआ धनछीनकर यथा स्थानतकपहुँचावै किंतु जिसकाहो तिसको परावृत्तकरदेवै अथवा अपनेकोशमेंसे धनकेतुल्य रुपयेदेवै-कृष्णद्वैपायनकाभी यहीकथनहै-यथा(प्रत्याहर्तुं न शक्तस्तुधनंचौरहतंयदि । स्वकोशात्तद्विदेयस्यादशक्तेनमहीक्षिता)अर्थात्-यदि राजा चोरोंका हराहुआधनछीनलानेमें लाचारहो तौ असमर्थ राजाको अपनेकोशमेंसे उतनाधनदेनाहोगा ३७ यहाँतक साधारणरूप और असाधारणरूप व्यवहार मातृकाओंकावर्णन न होचुका-अर्थात्-(मुक्कदमातकी तमहीदआम और खास ऊपर बयान हुई)-अब आगे ऋणादानपदका वर्णनहोगा जो अष्टादश भौतिके व्यवहार पादोंमें पहला ऋणादानपदकहलाताहै जिसको भाषांतरसे (कर्जं दस्तगर्दा) का मुक्कदमा कहतेहैं-यह ऋणादानपदका प्रकरण नीचे अड़तीस ३८ के श्लोकसे लेकर ६६ के श्लोक पर्यंत सातपरिच्छेदमें उन तीसश्लोकोंसे कहाजायगा इसके बहुतबड़ेहोनेका यहकारणहै कि इसप्रकरणमें और भी अनेकवार्ता मिश्रितहैं कि जिनका भिन्नहोना योग्यथा-वरन-केवल हथउधारे ऋणमात्रकाचर्चा तौ सिर्फ ५२ के श्लोकतकहोगा पुनि उस्से आगे ५८ के श्लोकतक ऋणके संबंधहेतुसे प्रातिभाव्य नाम जमानतका वर्णनहै पुनि उस्से आगे ६६ के श्लोकतक (आधि) नामगिरवीरकखेहुयेका वर्णनहोगा यद्यपि प्रकार उसका भिन्नहै तथापि उसकोभी एकप्रकारकाऋण मानिकर ऋणादानके प्रकरणमें मिश्रितकरलियाहै-परंतु-मर्यादापरिपाटीमें परिच्छेद सबके भिन्नरहें वल्कि सुगमताकेलिये एक ऋणकेभी ४ परिच्छेदकियेहैं ३७ ॥

अथऋणादानसंबंधेवृद्धिविभागविवेकोनामचतुर्विंशतितमःपरिच्छेदः २४ ॥

इस चौबीसवेंपरिच्छेदमें वह व्यवस्थाजानीजायगी कि इतने ऋणपर इतनाब्याज अमुकामुकरीतोंसे वृद्धिहोती और अमुकामुक द्रव्योंपर वृद्धिनहींहोतीहै ॥

अशीतिभागोवृद्धिःस्यान्मासिनासिसंबंधके । वर्णक्रमाच्छतंदित्रिचतुःपंचकमन्यथा ३८ ॥

अत्र०-बंधकसहित धनपर मास मासमें अस्सीका भाग वृद्धिहोवै-अन्यथा-वर्णक्रम से लेकरपीछे दो तीन चार पांचभागतक ३८ ॥

भानि०-बंधक वह वस्तुहोती है जो ऋणी अपने विश्वास के निमित्त से धनी पास गहने रखदेता है इमको (आधि) भी कहते हैं-जहां बन्धक वस्तु लेकर किसी

को ऋण दियाजाय तब उसके व्याज में ( अशीतिभाग ) अर्थात् १।) सैकरा वृद्धि प्रतिमास लेनी चाहिये यह धर्म के अनुसारहै किंतु इस्से अधिक नहीं और इसमें जाति भेदकी चर्चानहीं-अन्यथा यदि बन्धक वस्तुके विनाही ऋणदेना हो तब जाति भेदसे वर्णक्रमके अनुसार लेवै अर्थात् यदि ऋणी पुरुष ब्राह्मणहो तौ २) सैकरा वृद्धि क्षत्रियहोतौ ३) सैकरा वैश्यहो तौ ४) सैकरा शूद्रहोतौ ५) सैकरा वृद्धि प्रतिमास लेनीचाहिये-परन्तु इसका सिद्धांत यहनहींहै कि निर्विकल्प इतनाही व्याज वर्णक्रमसे अवश्य लेना चाहिये किंतु यह परम अवधि कहीहै कि इस्से अधिक किसी दरामेंभी न लेना चाहिये और परम अवधिका यह आशयहै कि न्यून वृद्धिलेनेमें यहांतक स्वाधीनताहै कि चाहै शूद्रसेभी केवल १) सैकरालेवै पर अधिक लेनेकी अपेक्षा में ५) सैकरा के हिसावसे विशेष कपर्दिकाभी न लेवै सो यह पांच रुपये सैकराके हिसावसे लेनाभी केवल किसी २ दशामें संभवहै दृष्टांत जैसे दोचार या दशवीस रुपयेतक थोड़ाही ऋणदेनाहो और उसथोड़े ऋणकेलेने से ऋणीको अपने किसी व्यापारद्वारा अधिकलाभ होनाभी संभवहो-अथवा-लाभहोना संभवनहीं पर किसी ऐसी कठिनदशामें ऋण दियाजाय कि जिस ऋणीको उसवक्त कोई भी नहींदेता परन्तु यदि ऋणभी ऐसी दशामें केवल दश रुपयेके भीतरहो अन्यथा यदि सौ दोसौ रुपयेके लेनदेनमें ऐसा व्याज लियाजाय या उसके लाभकी संभवता विना केवल बीस रुपयेपरभी ऐसा व्याज लियाजाय तौ फिर शूद्र क्योंकर धरती पर निवास करसक्ताहै और वह व्याजभी लेनेवाले धनीको क्योंकर धर्म्या वृद्धिमें गिनती होसक्ताहै-जैसे यहशूद्रकी व्यवस्था कहीगई ऐसेही वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मणकी भी अपने अपने नियमानुसार समुभ्लेनी ३८ ॥

अधि०-संज्ञा भेदसे (ऋणी) को अधमर्ण और धनीको उत्तमर्ण भी कहते हैं-यहां पर (ऋणादान) अर्थात् ऋणका लेना जिसका नामहै वह ऋणादान सात विधिका होताहै-सातवें से पांच लक्षण (अधमर्ण) की अपेक्षा और दो लक्षण (उत्तमर्ण) की अपेक्षामें होते हैं-उत्तमर्ण के दो लक्षण यह कि १ इसविधि से ऋणदेना चाहिये-२ इसविधिसे फिर लेनाचाहिये-अधमर्णकी अपेक्षामें पांचविधि यह कि एकतौ १ ऐसा ऋणहो तौ उद्धार करदेना चाहिये-२ ऐसाहो तौ उद्धार नहीं करना-३ अमुक अधिकारी पर उद्धार करना उचित है-४ ऐसे समयपर उद्धार करना उचित-५ इसरीतिसे उद्धार करना उचितहै-यह वार्त्ता नारदने स्पष्टभावसे कहीहै-यथा (ऋणदेयमदेयंचये नयत्रयथाचतत् । दानग्रहणधर्माश्चऋणादानमितिस्मृतम्) अर्थात्-यहऋणदेयहै १-यह अदेय है २-जिस अधिकारी करके देयहै ३-जिस समयपर देयहै ४-जिसप्रकारसे देय है ५-इन पांचवातों की मर्यादें ऋणीसे सम्बन्ध रखती हैं-तथैव-ऋणीलोगों को

ऋणकादेना १ और फिर उनसे लौटकर लेना २ इनबातों मध्ये जो जो धर्म कहे हैं सो सब धनीसे संबंधित हैं सातों लक्षण मिलकर इसको ऋणादान कहते हैं-इनसात लक्षणोंमें से पहले दानविधि उत्तमर्णकी अपेक्षामें इसी ३८ के श्लोकद्वारा ऊपर कहीगई-दानविधि इसलिये पहले कहीगई कि सबसेपहले ऋणदेनेकाही काम पर-ताहै किन्तु और बातें इस्से पीछेहोती हैं इसलिये उनका चर्चापीछे यथाक्रमसेहोगा- (यहांपर व्याजसूदको (वृद्धि) कहते हैं-और-मूल धनको संज्ञाभेदसे (पण) भी कहते हैं ) वृद्धिभी अनेक प्रकारकी होतीहै और उन प्रकारोंके हेतुसे उसके संज्ञाभेद भी अनेक होजाते हैं उनके लक्षण और नामभी अग्रोक्त श्लोकोसे कहते हैं-यथा ( वृद्धे वृद्धिश्चक्रवृद्धिःप्रतिमासंतुकालिका।इच्छाकृताकारितास्यात्कायिकाकायकर्मणा॥ इयंच वृद्धिर्मासिमासिगृह्यतेइतिकालिका) अर्थात्-जो वृद्धिपर वृद्धिलीजाय वह चक्रवृद्धि कहलातीहै यह चक्रवृद्धि उसीदशामें होतीहै कि जबऋणीसे चढ़ाहुआ व्याज नहीं दियाजाय और वह व्याजपर व्याजदेना स्वीकारकरै-जहां प्रतिमास वृद्धिदेनी ठहरी हो-और अपने कालपरउच्चार होतीरहै वह ( कालिकावृद्धि) कहलाती है-जहां ऋणी की इच्छासे नियमोंसेभी अधिकव्याजलेना ठहरै वह ( कारितावृद्धि)कहलातीहै-जहां कायाके कर्मद्वारा वृद्धिलेनी ठहरै वह ( कायिकावृद्धि)कहलाती है-उत्तरोक्त दोनों कारिता और कायिका वृद्धिभी कालिकाकहलाती हैं इस लिये कि यहभी प्रतिमास उच्चार होतीहैं-यदि कोई वृद्धिमास और दिवसोंके हिसाब से भागलगाकर रोजीना कीरीतिसे नित्यंप्रति उच्चार होतीरहे वह नित्यकालिक होजातीहै-इनमें से कायिका वृद्धिका कुछ औरभी लक्षण विशेषहै-यथा(कायाविरोधिनीशश्वत्पणपादादिकायिका) अर्थात्-मूलधनकी (काया)नाम स्वरूप तिसके अविरोधपूर्वक (शश्वत्) निरंतर श-तधा वर्षोंतक मूलधनका स्वरूप नाश नहींहोवै और (पण) जोमूलधन उसनेलिया हो तिसका चतुर्थांश यद्वा अर्द्धांश प्रतिवर्ष या छमाही पीछेजैसाठहराहो वृद्धिहोती रहै सो (कायिकावृद्धि) कहलाती है यह नारदजी का कथन है और लोक में भी-यह वृद्धिवहुधा धान्यादि पदार्थोंपर सवाये ज्योड़ेकी रीतिसे प्रसिद्धहै-इसी कायिका नाम वृद्धिकालक्षण कायाके कर्मद्वारा जो ऊपर कहाथा तिसका आशय व्यासजीने स्पष्ट कहाहै-यथा(दोह्यवाह्यकर्मयुक्ताकायिकासमुदाहता)अर्थात्-जहांव्याज वृद्धिके बदले गऊआदिका दोहन कर्मकायासेठहराहो या बैल गाड़ीआदिसे कोईवोभू वाहनकर देना आदि किन्तु कायासंबंधी परिश्रममे कोईकाम ठहराहो सोभी(कायिका)कहलाती है-यहसभी वृद्धीलोकमेंप्रसिद्धहै-और कारितावृद्धि यद्यपि परमावधि आदिपरिमाणों से अधिकभी ठहरीहो तथापि वह अधर्म्या नहीं किन्तु उसकाभी उच्चारहोना कात्यायन ऋषिने उचित कहाहै-यथा(ऋणिकेनतुयावृद्धिरधिकासंप्रकीर्तिता । आपत्काल

कृतानित्यंदातव्यासातुकारिता) अर्थात्-यदि आपत्कालके हेतुसे ऋणीने जो वृद्धि अधिक देनी कहीहो वह आपत्कालकी ठहरीहुई वृद्धिसदाही उद्धारकरने योग्य है और कारिता उसकानाम होताहै-(सर्वनिर्णयसारेमहानिर्वाणतंत्रेपिसदाशिवः - ऋणे कृषौचवाणिज्येतथासर्वेषुकर्मसु । यद्यदंगीकृतंलोकैस्तत्कार्यधर्मसंमतम् ) अर्थात्- सर्व निर्णयसार महानिर्वाण तंत्रमेंभी सदाशिवजीने साधारण सभी व्यवहारोंकीअपेक्षा से यहप्रमाण उच्चारण कियाहै कि-ऋणसंबंधीकामोंमें औरखेतीपातीमें और वणिज व्यापार के कामों में तथैवसभी संसारीकामों में मनुष्यों ने धर्मसंमत के अनुसार जो जो अंगीकार कियाहो सोसब करणीयहै-अर्थात् यदि करनेका अधिकारी अपनेअंगीकारसे नकारखींचे तब राजाउस्से न्याययद्वा दंडनीतिद्वारा संसिद्धिकरवावै ३८ ॥ अब गृहीतापुरुषकी विशेषतापूर्वक वृद्धिमें प्रकारांतर कहते हैं ॥

कांतारगास्तुदशकंसामुद्राविंशकंशतम् । दद्युर्वास्वकृतांवृद्धिसर्वेसर्वासुजातिषु ३९ ॥

अक्ष०-कांतारगमन करनेवालेदशऔर समुद्र गमनकरनेवालेबीस रुपयासैकरा-यद्वा-अपनी करीहुई वृद्धिसभी सबजातोंमें देवै ३९ ॥

अभि०- कांतारमें गमनकरनेवाले अर्थात् वनिजारे आदि जो अधिकलाभ की अपेक्षासे ऋणलेकर मालकी भर्तीकरें और प्राणधन विनाशहोजानेकी शंकावाले स्थान (कांतार)नाम गहन वनमें लेजायँ वे प्रतिमास दशरुपया सैकराकी वृद्धि देवै और (सामुद्रा) अर्थात् जो समुद्रोंके जलमार्गसे जहाजों आदिकेद्वारा माल भरें वे अपने धनीको प्रतिमास बीसरुपया सैकरा व्याज देवै क्योंकि समुद्रमें कांतारकी अपेक्षा अधिक शंका होतीहै न जानें धनी मूलधनसेभी हाथ धोवैठे इसलिये यह धर्म्या वृद्धि है अधर्म्यानहीं (और) वे ऐसे शंकित स्थानोंके लेजानेवालेभी यही शोचि कर लेजाते हैं कि यातौ मूलधनसे दशगुणलाभ करलावैंगे या अपनेप्राण और धनीका धन खोवैंगे यहपूर्वार्द्धका आशय हुआ-अब उत्तरार्द्ध मूलश्लोक से(कारिता) नाम वृद्धिकी अपेक्षासे एक साधारण मर्यादा कहते हैं कि-यद्वापूर्वाक्त किसी नियमसे कुछकाम नहीं किंतु सभीब्राह्मण आदि वर्ण जो अधमर्ण बनै चाहै किसी जातिकी उत्तमर्णहो और चाहै तहांलेजावै अपनी २ स्वीकार करी वृद्धिदेवै अर्थात् सबजातें सब जातोंसे वहीव्याज लेसक्तीहैं जो ऋणलेतेसमय परस्परदोनोंकी इच्छासे ठहरा और ऋणी ने स्वीकार कियाहो चाहै बंधक वस्तुधरिके लियाहो चाहै बिना बंधक इसका नियमनहीं तथापि यह सिद्धांत है कि वह स्वीकारताभी न्यायके अनुकूल संभवहो ३९ ॥

अधि०-पूर्वार्द्ध मूल श्लोकसे जो कुछ आशय गृहीताकी अपेक्षामें कहागया वही शिक्षादातापरभी कहीहै-यथा(कांतारगेभ्योदशकंसामुद्रेभ्यश्चविंशकम्) अर्थात्-कांता-

रगोंको दशरूपया सैकरा और सामुद्रोंको बीसरूपया सैकरा की मासिक मितिसे ऋण देवै-कारण इसका वहीहै कि यातों छेमहीना पीछे सौके दोसौबीस लौटिआवेंगे या मूल सौसे भी हाथ धोवेंगे-किसीदशामें वृद्धिबिना ठहरीहुईभी होती है-तथाच नारदः (नवृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित् । अनाकारितमप्यूर्ध्ववत्सराद्धाद्विवर्द्धते) अर्थात्-(प्रीतिदत्त) जिनको केवल प्रीतिसे ऋणबिना ब्याजदियाहो उनकी वृद्धिनहीं होती किंतु नहींठहरती पर कहीं बिनाठहरीहुई भी वृद्धिहोसक्तीहै उसका यह नियम है कि ठहरबिना छेमासके उपरांत वहधनवदताहै किंतु षड्मासतक प्रीतिकेहेतुसे ब्याजनहींलियाजासक्ता उपरांत जो धनीकी इच्छाहो तो उरसे भी लेसक्ताहै परंतु ऐसीदशाकी अपेक्षामें उन्हीं नियमोंके तुल्य वृद्धिहोसक्तीहै जो पहले कहेगये अर्थात् उनसेविशेषनहीं-यदिकोई प्रीतिआदिकी रीतिसे मगैतू द्रव्यलेकर देशांतरको चलाजाय उसकेलिये कात्यायनजीने नियम कियाहै-यथा (योयाचितकमादायतमदत्त्वादिशं ब्रजेत् । ऊर्ध्वसंवत्सरात्तस्यतद्धनंवृद्धिमाप्नुयात्) अर्थात् जो कोई (याचितक) नाम मगैतू धनलेकरउसको बिनादिये किसीदिशा देशांतरको चलाजाय और वृद्धि उसपरठहरी नहींथी तब ऐसीदशामें वहधन उसके ऊपर संवत्सरके उपरांत वृद्धिको पहुँचै -और वृद्धि पूर्वोक्त यथोचित नियमोंके अनुसार समुझनी यदिकोई मगैतू धनलेकर तगादा होनेपरभी बिनादिये विदेशको चलाजाय उसके लियेभी कात्यायनजीने कहाहै-यथा (कृत्वोद्धारमदत्त्वायोयाचितस्तुदिशं ब्रजेत् । ऊर्ध्वमासत्रयात्तस्यतद्धनंवृद्धिमाप्नुयात्)॥ अर्थात् जोकोई किसीसे कुछलेकर और तकाजाय होनेपरभी बिनादिये विदेश चला जायतौ चलेजानेसे तीनमासके उपरांत वहधन वृद्धिको पहुँचै यदिकोई बिना ब्याज याचितक धन लेकर निजदेशमें बैठाहुआ माँगनेपरभी नहीं देवै तब राजा उसपर माँगने अर्थात् तगादा होने के समयके लेकर वृद्धिभी दिलावै-तथाच(स्वदेशेऽपिस्थितोयस्तुनदद्याद्याचितःक्वचित् । तंततोऽकारितांवृद्धिमनिच्छंतंचदापयेत्) अर्थात्-यदि कोई अपने देशमें बैठाहुआभी यचितक धन माँगनेपर भीकभी न देवै तब उसदेने की अनिच्छा करतेहुये पर पूर्वोक्त नियमोंके अनुसार बिना ठहरीहुई भी वृद्धि राजा दिलावै-इस बिनाठहरी वृद्धिकी अपेक्षामें कुछ अपवाद भी अब कहते हैं इसालिये कि सर्वत्रही ऐसा नहीं होसक्ता-यथा(पण्यमूल्यंभृतिर्न्यासोदंडोयश्चप्रकल्पितः । वृथा दानाक्षिरूपणावर्द्धतेनाविवक्षिताः) अर्थात् ( पण्यमूल्य ) जो खरीदीहुई वस्तुकामोल किमी पर लेना हो या (भृति) जो नौकरी आदिका वेतन हो या (न्यास) जो किसी पर धरोहरका धन लेनाहो यद्वा किसीपर कुछ दंड कल्पित हुआ हो जिसके लेने में कञ्च न्य वृद्धि योग्य बिलन्य हुआहो यद्वा ( वृथादान ) जो देव पितर आदि नैमित्तिक शास्त्रोक्त दानोंने भिन्न कोई निष्कल रूपदान देने कहाहो कि इतना द्रव्य देवेंगे



और कदाचित् उसमें वृद्धिहोने योग्यकाल विलम्ब देनेमें होगयाहो यद्वा (अक्षिकधन) जो द्यूतक्रीडामें हारा हुआ देनालेना हो यद्वा (पण) जो किसी बातपर शर्त नाम होड़ बढनेके हेतुसे देनालेनाहो तौ इतनेप्रकारके धन अविवाक्षित नहीं बढते अर्थात् यदि ऐसेधनों पर किसीने किसी आवश्यक हेतुसे वृद्धि देनी स्वीकार करी हो तौ यह जुदी बातहै किन्तु देनीचाहिये अन्यथा विनास्वीकारताके ऐसे धनोंपर कदाचित् भी वृद्धिनहीं होसक्तीहै चाहै कितनाहीं काल विलम्ब हुआहो यह (अपवाद)है ३६॥

अब नीचेके श्लोकमें द्रव्य विशेषके प्रयोगमें वृद्धि विशेषके लक्षण कहते हैं ॥

संततिस्तुपशुस्त्रीणांसस्याष्टगुणापरा । वस्त्रधान्यहिरण्यानांचतुस्त्रिद्विगुणापरा ४० ॥

अक्ष०—पशुओं की स्त्रियोंकी संतति वृद्धि-रसकी अठगुनी परावृद्धि वस्त्र धान्य हिरण्य इनकी यथा संख्य परावृद्धि चौगुनी तिगुनी द्विगुणी ४० ॥

अभि०—पशुजीवों की स्त्रियाँ गऊ भैंस आदि जिनका धनी उनके पोषणमें असमर्थ होकर उनकी पुष्टि और संतति की कामनासे किसी ऐसे अपने ऋणीको या अन्य किसीको देवै जो उनका पोषण करसकै यह प्रयोग दोनों की अपेक्षापूर्वक होताहै इसकी यह मर्यादाहै कि जो संतानें उनके होती जायँ सो धनीकी वृद्धि कहलातीहै और दुग्ध आदि जो कुछ हो वह सेवाकरनेवाले का भागहै ( इसकथनसे यह बात पाई जातीहै कि वह मुख्यगऊ भैंस जबतक बच्चादेती जाय तबतक या जीवन अवधितक लौटिकर धनीको नहीं मिलै ) परंतु यही नियम नहींहै किन्तु जैसा बर्त्तावा परस्पर दोनों के ठहराहो सो होसक्ताहै किन्तु यह मर्यादा इसलिये बाँधीगई कि जहाँ कोई नियमठहरे विनादीगईहो या और किसी व्यतिक्रमकेहेतुसे भगडाउठै तहाँ फैसला उसका अंत्यदशापर इस नियमसे होसक्ताहै-और यहबार्त्ता यद्यपि ऋणादान के प्रकरणमें होनेसे एकप्रकारका ऋण प्रतीतहोताहै पर इसको ऋणनहींकहसक्ते अर्थात् यहभी एकप्रकारका साभाहै क्योंकि बहुधा दुर्बलता आदि दशाओंमें एकही बेतके नियमसे आधासाभाठहरजाता है कि पोषणकिये पीछे जिससमय यह व्यावैगी या गाभिनहोजावैगी उसीसमय बच्चा और माता दोनोंका मूल्य निर्णीतहोकर आधामूल्य वह पुरुष दूसरेकोदेवै जो उसगऊका लेना स्वीकारकरै परंतु जब तक धनी उसका अर्ध मूल्यदेकरलेना राखना स्वीकारकरै तबतक पोषणकर्त्ता नहीं लेसक्ता इत्यादि और भी अनेकरीतें इस विषयकी प्रसिद्धहैं और उसदशामें इस प्रयोगको ऋणकेही समान कहसक्तेहैं कि यदिपोषणकर्त्ता लौटिकर धनीको कुछ न देवै निपट पचानाचाहै और इसीहेतुसे विवाद इसमें खड़ाहो ( यह एक चरणकाभाव कहागया ) अब-दूमेरेपादसे लेकर चौथेतक वह व्यवस्था कथनहोगी कि जो कोई वस्तु रसादिक या धनादिक वृद्धिके निमित्तसे दीजाय और बहुतकालतक वृद्धि उस्से न मिलसकै



मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

और मुख्य वस्तु उसके ऋणीपर बनीरहे तब किसवस्तुपर कितनीवृद्धि अंत्यपरि-  
माणतक होनीचाहिये-यथा(रसस्याष्टगुणापरा)अर्थात् तेल घृत आदि रस वस्तु जो  
तुलाद्वारा तौलकर किसीकोसवाये ड्यौढ़े आदि किसीवृद्धिके नियमसे दीहो और बहु-  
तकालतक वृद्धि उरसे न मिलसकै तो अपनेकियेहुये नियमकी वृद्धिके हिसाबसे जोड़  
कर आठगुणसे अधिकनहींबढ़सकी अर्थात् जो रसादिक वस्तु एकमनभरदीहो आ-  
ठमनसे अधिकराजानहीं दिलासक्ता चाहैउसपर बारहमनहोगईहो-ऐसेही बस्रधान्य  
हिरण्य इनकी यथाक्रमसे वृद्धि चौगुनी तिगुनी द्विगुणीसे अधिकनहींहोसकी अर्थात्  
यदि बीसगजकपड़ा किसीको किसी परिमाणकी वृद्धिसेदियाहो और वृद्धि उसकी न  
मिलनेकेहेतुसे बढ़ती २ दोसौगजतकहोगईहो परंतु चतुर्गुणके नियमानुसार ८० गज  
से अधिकनहींमिलसक्ता-एवं-धान्यादिक वस्तुकी परमावृद्धि तिगुनीतकहोसकीहै-  
और-हिरण्य सोना चाँदी आदिकी वृद्धिदूनेसे अधिकनहींचलसकी-और पशुस्त्रियों  
की जो सामान्य वृद्धि ऊपर कहचुकेहैं वही उनकीपरावृद्धिभी (८) शब्दके अभिप्राय  
से समझीचाहिये अर्थात् जो संतानें उसकी उपस्थितहों अथवा संख्यामें जितनी  
होचुकीहों यथा संभव समयके अनुकूल वेही संतानें उसकी परावृद्धिके भी समयतक  
मिलसकीहैं और कुछ नहीं ४० ॥

अधि०-यद्यपि याज्ञवल्क्यीय मतसे आठगुणी वृद्धिरसपरकहींगई पर वशिष्ठजीने  
तीनगुणसे अधिकनहींकही अर्थात् वशिष्ठजीनेभी योगीश्वरकेही समान हिरण्यकी  
द्विगुणवृद्धि और धान्यकी त्रिगुणवृद्धिकही और धान्यकेहीसाथ रसभी समझलिये  
किंतु जैसे धान्यकी त्रिगुणवृद्धि तैसेही रसोंकीभी त्रिगुणवृद्धिहोसकीहै और पुष्प  
मूलफल इत्यादि वस्तु आठगुणीतक बढ़तीहै यह वशिष्ठजीनेकहा-और-मनुने धान्य  
पुष्प मूलफल इत्यादि चीजोंकी वृद्धि पंचगुनी कही-यथा ( धान्येशदेलवेवाह्येनाति  
क्रामति पंचताम्र)अर्थात्-(धान्य) जिसे नाज कहते हैं और (शद) नाम क्षेत्रफल इस  
में पुष्पमूल फलादिक सभी गिनतीमें आगये तहां पुष्प कहनेसे कुसुंभा आदि वस्तु  
जो सवाये ड्यौढ़े आदिकी वृद्धिपर देने योग्यहों समुझी चाहिये मूल कहनेसे हरिद्रा  
शुंठी आदि समुझनी फल कहनेसे सुपारी आदि नानाभांतिके और आदि शब्दके  
योगसे इसप्रकारकी औरभी अनेक वस्तु समझलेनी और (लव) नाम भेड़की ऊन  
या चमरीकेश आदि अनेक वस्तु और (वाह्य) नाम वाहन बैल घोड़ा आदि इनसभी  
चीजोंकी वृद्धि पांचगुणसे अधिक नहीं चलसकी यह मनुजीने कहा-मनु वशिष्ठ या-  
ज्ञवल्क्य इनके वाक्योंमें कईप्रकार इसमें पाये गये इनमें किसका प्रमाण अधिक इस  
अपेक्षामें यह नियमहै कि ऋणाकी शक्ति और योग्यताके अनुसार यद्वाहुर्भिक्षादि  
कामके अनुसार जैसा संभवहो तैसीही व्यवस्था इनमेंसे अंगीकार करनी चाहिये-

सो यह परमावृद्धिकी वार्त्ताभी उस दशाके निमित्तमें कही है कि जब एकही वारके या एकही पुरुषके प्रयोगमें दियाहुआ द्रव्य एकहीवार लियाजाय-अन्यथा-जब एकपुरुषको दियेहुये द्रव्यमें उसके मरजाने या और किसी हेतुसे उसके पुत्रादिक द्वितीय पुरुषके द्वारा वही प्रयोग फिर नये सिरेसे नियमित कियाजाय यद्वाउसी पुरुषकेद्वारा और एकही वस्तुमें दाता और गृहीता दोनोंकी परस्पर संमतिसे फिरनये सिरेसे प्रयोग नियमित किया जाय तब सुवर्णादि वस्तु द्विगुणी आदि जैसे उनके नियम ऊपर कहेगये तैसे परावृद्धि होनेपरभी पूर्ववत् वृद्धिको पहुँचते हैं अर्थात् जो परस्पर दोनोंकी प्रसन्नतासे यह नियम नये सिरेसे ठहरै कि यह सोना जो मूलधनसे दूना होगया तिसके द्विगुणत्वका लेना देना छूटजाय और मूलधनपर जैसे पहलेसे वृद्धि होतीरही तैसेही अब आगेको होतीरहै और निरन्तर दीलीजावै तौ यहवात होसक्ती है-अथवा-दोनोंकी परस्पर प्रीतिसे यहवात जहां नयेसिरेसेठहरै कियह सोना जो वृद्धि के उद्धार न होनेसे मूलधनसे त्रिगुण होचुकाहै परन्तु त्रिगुणलेनेकी मर्यादा नहीं इसलिये परावृद्धिके नियमानुसार द्विगुणदेना मुझको स्वीकारहै और आजसे वह द्विगुणत्वभी मूलधनमें समभाजाय किंतु अबतक जैसे सौपर वृद्धि होतीथी तैसेही अब आगेको दोसौपर वृद्धिदेनी मुझको स्वीकार और निरन्तर दिया करौंगा तौ यहभी होसक्ताहै-इस अपेक्षामें कहीं ऐसाभी होताहै कि जब एकही प्रयोगमें जो कुछ वृद्धि देनी लेनी ठहरीहो वह ठहरनेके अनुसार प्रतिदिवस या प्रतिमास या प्रतिवर्ष उद्धार होतीरही परन्तु कुछ अवधि पीछे वृद्धि देने लेनेसे रुकरही तब इस दशामें जो कुछ वृद्धि पहले मिलचुकीहो सोसब जोड़कर और आगेकी रुकीहुई वृद्धिभी उसीमें जोड़कर द्विगुणताको पहुँचे पीछेभी आगेको पूर्ववत् वृद्धि होती रहेगी अर्थात् इस दशामें परावृद्धिसे आगे न बढ़नेका नियम नहीं रहसक्ता किंतु न बढ़नेका नियम उसीदशा में होताहै कि जब एकवार इकट्ठी वृद्धिलीजाय-यही आशय मनुकेभी वचनसे सिद्ध है-यथा-(कुसीदवृद्धिद्वैगुण्यान्नात्यतिसकृदाहता) अर्थात्-व्याजकी वृद्धि एकहीवार इकट्ठी लेनेमें मूलधनकी द्विगुणतासे आगे नहीं मिलसक्ती-एकहीवार कहनेसे सिद्धांत यह कि जो प्रतिमास वृद्धिमिलती रहीहो तौ फिरचाहै तिगुनी चौगुनीतक भरीजाय इसमें कुछ नियम नहीं है-गौतमनेभी यही कहाहै-यथा-(चिरस्थानेद्वैगुण्यंप्रयोगस्य) अर्थात्-बहुत कालतक वृद्धि देनेसे रही आवै तौ प्रयोगमें दियेहुये मूलधनसे द्वैगुण्य लेना चाहिये (द्वैगुण्य) अर्थात् जितना मूलधन दिया हो उतनीही वृद्धिलीजाय किंतु उससे अधिक नहीं (प्रयोगस्य) यह एक वचनका निर्देश करनेसे सिद्धांत यह दर्शाया कि यदि वारवार प्रयोगांतर होताजाय तौ फिर दूनेसे अधिकलेना दोषनहीं ऐसेही (चिरस्थान) यह बहुत कालका निर्देश करनेसेभी यही अभिप्राय दर्शायाहै

कि यदि थोड़े २ कालमें क्रम २से वृद्धि मिलती रही हो तौ फिर दूनेसे अधिक आजाना कुछ कुरीति नहीं है ४० उत्तमर्णके दो धर्मोंमें एक पहला धर्म अर्थात् (ऋणप्रयोग) नाम ऋणका देना कि इस विधिसे ऋण देना चाहिये सो सब यहां तक मूलके तीन श्लोकों द्वारा वर्णन हो चुका-अब-दियेहुये धनके लेनेकी विधि नीचेके परिच्छेदमें कहेंगे ॥

अथ ऋणादानसंबंधे धनिकेन दत्तस्य धनस्यादानविधिविवेको नाम

पंचविंशतिमः परिच्छेदः २५ ॥

इस पच्चीसवें परिच्छेदमें वह व्यवस्था जानी जायगी कि धनी अपना दिया हुआ धन अधमर्णोंसे अमुकामुक प्रकारोंसे निकाले ॥

प्रपन्नसाधयन्नर्थनवाच्यो नृपतेर्भवेत् । साध्यमानो नृपंगच्छन्दो दाप्यश्च तद्धनम् ४१ ॥

अक्ष०—प्रपन्न अर्थको साधन करता हुआ नृपति का बाध्यन होवे-साध्यमान राजा पास जाता हुआ दंड और वह धन भी दिलवाने योग्य है ४१ ॥

अभि०—(प्रपन्न) अर्थात् ऋणीकरकेठीक २ स्वीकार किया हुआ यद्वा गवाहों आदि से स्वीकार कराया हुआ सच्चा जो कुछ धनीका धन हो तिसको यदि धनीधर्मादि उपायों से साधन करे अर्थात् ऋणीसे अपना धन लेता मांगता हो तौ वह धनी राजाकरके बाध्य नहीं होता अर्थात् राजा उसको निषेधन करे-और-जो धर्मादि उपायोंसे (साध्यमान) अर्थात् याच्यमान ऋणी जिस्से प्रपन्न अर्थ धनीमांगता हो ऐसा ऋणी यदि राजा पास जाकर फिरयादी हो कि मुझको धनी पीड़ा देता है तौ उस ऋणीसे राजा दंड लेवै और धनीका धन भी यथाशक्ति अनुसार दिलवावै-यहांपर साध्यमान या याच्यमान ऋणी राजा पास जावै तब राजाको नालिश सुन्ने या सुन्नेमें वह बात ध्यान करनी चाहिये जो व्यवहाराध्यायके पांचवें श्लोक में (स्मृत्याचारव्यपेतेन) इत्यादि मर्यादा कही है वह वार्ता यहांपर दोनों भांतिसे संभवित है ४१ ॥

अधि०—दिलाने मध्ये राजाके लिये यह प्रकार भी कहे हैं यथा (राजा तु स्वामिनं विप्रं सांत्वेनैव प्रदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टात्संपीड्य दापयेत्) अर्थात्-धनीका धन विप्रके प्रतिकेवल (सांत्व) भावसे अर्थात् क्रोधोपशमनरूप प्रियवचनोंसे दिलावै और यदि क्षत्रियादि और कोई ऋणी हो तौ उनसे वहांके देशाचारकी रीतों अनुसार दिलवाने जहांके वह निवार्ता हो और यदि ऋणी कोई दुष्ट हो जो संपन्न होनेपर भी देना नहीं चाहै तौ उसको पीड़ा देकर धनीका धन दिलावे-राजाके विना भी धनीको धर्मादि उपायोंमें अपना अर्थ लेना कहा और वे उपाय मनुने प्रदर्शित किये हैं-यथा-(धर्मेण व्यनहरेण च त्वेनाचरितेन च । प्रयुक्तं माधयेदर्थं पंचमेन वलेन च) अर्थात्-ऋणीमें लगाया हुआ अपना धन इन उपायोंसे लेवै । कतु प्रथम तौ धर्मसे ही लेवै १ (धर्म) से अर्थात् प्रीति युक्तादि सत्ववचनोंसे- २ ( व्यवहार ) ने अर्थात् थोड़ा थोड़ा किस्तोंद्वारा वा

लिखावट आदि मार्गोंसे जैसासंभवहो-३(छल)से अर्थात् उत्सवआदिके वहानेसेभूषण आदि कोईवस्तुमांगलाना और अपने लेनेमें दावराखना इत्यादिछलों से निकासना उस दशामें कि जब पूर्वोक्त दोरीतोंसे न मिलसक्ताहो-४ (आचरित)से अर्थात्नहाना खाना छोड़ उसके दरवाजे धन्नादेना आदि-५ (बल) से अर्थात् पांचवांउपाय प्रबलताहै कि ऋणीको निगड़बंधन आदिसेअपना दियाहुआ प्रपन्न अर्थलेलेवै (प्रपन्न अर्थका साधनकरताहुआ राजाकरके वाच्यनहीं होता)इस कथनसे यह सिद्धांत है कि (अप्रतिपन्न) अर्थका साधन करै तौ वहधनीभी राजाकरके निवारणीय है-यहवार्त्ता कात्यायनजीने स्पष्टभावसे कहीहै-यथा-(पीडियेद्योधनीकिश्चिदृणिकन्यायवादिनम् । तस्मादर्थत्सहीयेततत्समंचाप्नुयाद्मम्) अर्थात्-जोकोई धनी किसीयथार्थवादी ऋणी को पीड़ादेवै सो उसधनसेभी हीन कियाजावै कि जिसधन के लिये पीड़ादान किया और उसीधनकेसमान दंडराजाभी उसधनी से लेवै क्योंकि उसने अन्याय किया- (अपवाद)-पूर्वकालीन रीतों के अनुसार धर्मादि पांच उपायों से धनीको अपना धन ऋणीसे निकालना कहा उनमें प्रथमके दो उपायोंवाली मर्यादें अद्यापि प्रदीप्ताग्नि वत् प्रकाशमान हैं-परन्तु-अत्योक्त तीनउपायोंकीमर्यादें संप्रति नष्टाग्निसंज्ञक होकर लोप होगई अर्थात् अंगरेजी कानूनके आशयसे उनकेआचरण का अधिकार अब नहींहै यह अपवाद इसमें कहागया ४१ ॥ अब यह बात नीचे कहेंगे कि जब एक ऋणीकोअनेक धनीअपने२ धनकेलिये एकसाथ आकरघेरें यद्वाराजद्वारमेंअभियुक्त करें तब राजा किस किसक्रमसे उन्हें दिलावै ॥

गृहीतानुक्रमाद्दाप्योधनिनामधर्मणिकः । इत्वातुब्राह्मणायैवनृपतेस्तदनंतरम् ४२ ॥

अक्ष०-ऋणीलेनेके अनुक्रम से दिलानेयोग्यहै धनीलोगोंको-ब्राह्मणकोही देकर तदनन्तर नृपतिका ४२ ॥

अभि०- जो सबधनी लोग एकहीजातिकेहों तौ जिसक्रमसे पहलेपीछे ऋणलिया हो उसीक्रमसे राजा पहलेवालेका पहले औरपीछेवालेका पीछे दिलवावै और जोकईजातिके धनीलोग हों तौ पहले ब्राह्मणका धन दिलवावै फिर क्षत्रियका इत्यादिक्रम से सबकासच्चा धन दिलवावै ४२ ॥ अब यहवात नीचेकहेंगे कि यदिराजा दिलवावे तौ दोनोंसे अपनाभाग इस प्रकारसे लेवै ॥

राज्ञाधर्मणिकोदाप्यःसाधितादशकंशतम् । पंचकंचशतंदाप्यःप्राप्तार्योद्युत्तमणिकः ४३ ॥

अक्ष०-राजाकरके ऋणीदिलानेयोग्यहै साधितकिये धनसे दशरूपयासैकरा-पांच रूपया सैकरा देनेयोग्यहै धनी जिसने धनपाया ४३ ॥

अभि०-जिसदशामें उत्तमर्ण अर्थात् धनी दुर्बलहो जो ४१ श्लोकमें कहेहुये उपायोंसे अपना प्रतिपन्न धन न पासकै और नालिशद्वारा ऋणीको अभियुक्त करै और

राजा उसधनका साधनकरवावे तबराजा उसधनके दशांशके तुल्यदंड ऋणीसेलेवे और बीसवांभाग धनीसे सरकारी नौकरोंकी भृतिरूपसे लेवे यहव्यवस्था प्रतिपन्न अर्थके साधनमें कहीगई-और अप्रतिपन्न अर्थकी अपेक्षामें जोकुछदंड विभागउचितहै सोदेखौ दशवें परिच्छेद बारहवें श्लोकमें कहचुके हैं परन्तु वह व्यवस्था और अत्रोक्तभी धनवान् ऋणीकी अपेक्षामें समझनी ४३ ॥ अतनीचे निर्द्धन ऋणीकी अपेक्षामें कहेंगे ॥

हनिजातिपरिक्षीणमृणार्थकर्मकारयेत् । ब्राह्मणस्तुपरिक्षीणःशनैर्दाप्योयथोदयम् ४४ ॥

अक्ष०—हीनजाति परिक्षीणसे ऋणकेअर्थ कर्मकरवावे-ब्राह्मणपरिक्षीण होतौशनैः २ जैसा उदयहोता जाय देनेयोग्यहै ४४ ॥

प्रभि०—ब्राह्मणआदि उत्तमजातिका धनीजिसकाऋणी उससेहीनजाति क्षत्रियआदिऐसा निर्द्धनहोजाय कि उसमेंऋण उद्धारकर देनेकी समर्थ शेष न हो तबउस्सेअपना ऋणनामक धनानिवृत्त करिपानेके अर्थसेकाम करवावे जबतक ऋणउद्धार होना संभवहो परञ्च वहीकाम जो ऋणीकीजातिमें करनायोग्यहो अथवा जिसकामको वह करना जानता और करसक्ताहो अर्थात् जिसकामसे उसनेअपनी आजीवनवृत्ति पहलेकरी हो या करनेका औचित्यरखता हो सोकाम उस्से लेवे और ऐसेप्रकारसे कि जिस्सेउसके कुटुंबमें कोईसाविरोध इसहेतुसे न उत्पन्नहो-और यदिऋणी ब्राह्मणहो तौवह (परिक्षीण) अर्थात् निर्द्धनहोनेपर भी कामकरनेयोग्य नहीं पर धीरे २ यथाक्रमसे उसका भाग्योदय होताजाय तैसेही ऋणभीथोड़ा २ उद्धारकरने योग्य है-इसवार्तामें हीनजातिके कथनसे समजातिका भी उपलक्षण स्वीकारहै अर्थात् जब ऋणी और धनीदोनों एकहीवर्णके हों तौभी यथोचित कर्मका करना करवाना संभवहै-और उत्तरार्द्ध मूलश्लोक में निर्द्धनब्राह्मण केवलकहा सोभीश्रेष्ठ जातिका उपलक्षणहै इसलिये क्षत्रियादि ऋणीभी परिक्षीण होनेपर वैश्यादि अपनेधनी को उसीरीतिसे देसक्ता है जैसा ब्राह्मणकी अपेक्षासे कहाहै कि ( शनैर्दाप्योयथोदयम् ) ४४ ॥

प्रभि०—हीन और समजातिको कर्मकरना और श्रेष्ठजातिको यथाक्रमसे भाग्योदयके अनुसार उद्धारकरना यही मनुजीने स्पष्टभावसे कहा है-यथा(कर्मणापिसमंकुर्याद्धनिकेनाधनार्णिकः।समोऽपकृष्टजातिश्चदद्याच्छ्रेयास्तुतच्छनैः) अर्थात्-मनुनेऋणी कोशिक्षादेकर यहकहाहै कि ऋणीचाहे धनीका समजाती या हीनजातीहो वहधनी साधकर्म करनेसेभी अपनाऋणउद्धार करिकै समता अर्थात् निर्मलताप्राप्तकरै और जो ऋणी अपने धनीसे श्रेष्ठवर्ण होतौ उसधनको वहशनैः २ यथाभाग्योदयके अनुसार देतारहै ४४ ॥ अतनीचे वह व्यवस्था कहेंगे कि जब देतेहुये भी धनी अपना धन व्याज बढ़ने के लालचसे न लेवे ॥

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकंधनम् । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्द्वैतेन ततः परम् ४५ ॥

अक्ष०—प्रयुक्त कियेहुये दीयमान अपने धनको नहीं लेता है उसमें जो मध्यस्थ स्थापित कियोहोतौ उसदिनसे पीछे व्याज नहीं बढ़ता है ४५ ॥

अभि०—ऋणीको दियेहुये धनमेंसे जबकुछ ऋणी देने लगे और धनी उसको व्याज बढ़नेके लालच या और किसीहेतुसे देतेहुयेभी न लेवै और उसदशामें ऋणीकिसी विश्वासपात्र मध्यस्थके हाथमें सौंपदेवै तौ फिर उस दिनसे उतने धनपर व्याज नहीं मिलसक्ता और जो पीछे उसी स्थापित किये धनको धनी मांगे और वह ऋणी फिर न देवै तौ पूर्ववत् वृद्धि भी होती रहैगी ४५ ॥ यहां तक उत्तमर्णके दोनों धर्म अर्थात् ऋणका देना और निकालना भी कहा गया कि इन प्रकारोंसे निकालै-अवनीचेके परिच्छेदमें अधमर्णके पांचौ लक्षण कहे जायेंगे तिनमें पहले वह व्यवस्था कहते हैं कि उद्धारकर देने योग्य जो ऋण है सो कब और किसको उद्धार करना चाहिये ४५ ॥

अथ ऋणादानसम्बन्धेऽधमर्णकैर्गृहीतस्य ऋणस्योद्धारणविधिविवेको नाम पञ्चविंशतिमः परिच्छेदः ।  
(२६) इस छव्वीसवें परिच्छेदमें ऋणीके वह पांच अधिकार जाने जायेंगे कि ऐसा ऋण हो तौ अवश्य उद्धार करना १ ऐसा हो तौ नहीं देना २ अमुक पुरुषपर देनेका भार है ३ अमुक समय पर देना उचित है ४ अमुक रीतिसे देना चाहिये ५ ॥

अविभक्तैः कुटुंबार्थे यदृणं तत्कृतं भवेत् । दद्युस्तद्विक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुंबिनि ४६ ॥

अक्ष०—अविभक्तों करके कुटुम्बके अर्थ जो ऋण किया गया वह कुटुम्बी काही किया होवै उस कुटुम्बीके प्रेत या प्रोषित होजानेमें भी उसके रिक्थी देवें ४६ ॥

अभि०—जिसघरमें अविभक्त नाम साभे मिलेमें रहतेहुये मनुष्योंने कुटुम्बके पोषण केलिये जो कुछ ऋण चाहें कई मनुष्योंने मिलकर लिया हो चाहें भिन्न २ कोई लाया हो वहसर्व ऋण उसघरके कुटुम्बी काही किया कहलाता है क्योंकि यह औचित्य उसीपर था कि वह ऋणलाकर पालन करता इसलिये उसकी अनुपस्थिति या और किसी उचित हेतुसे यदि कोई रिक्थी कुटुम्बीके औचित्यका साधनकर लाया तौ वह कुटुम्बीकेही नाम ऋण कहलाता और उसीको उद्धार करना योग्य है-यदि कुटुम्बी मरजाय अथवा बहुतकालतक विदेशस्थ होजाय तौ उसके वे सभी रिक्थी मिलकर देवें जो खानपान में साभी थे और उसके मरे पीछे रिक्थ भाग लेनेके साभी होंगे यह देय ऋणकी व्यवस्था कही ४६ ॥ अब अदेय ऋणकी व्यवस्था नीचे कहेंगे ४६ ॥

नयोपितृपतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादृते कुटुम्बार्थं नृपतिः स्त्रीकृतं तथा ४७ ॥

अक्ष०—पति पुत्र दोनोंका किया योषित न देवै पुत्रका किया पिता नहीं तथा स्त्रीका किया पति नहीं देवै-कुटुम्बार्थं कियेहुयेसे विना ४७ ॥

अभि०—पतिने जो ऋण किया हो उसकी (योषित) नाम भार्यापर उद्धार करनेकी



योग्यता नहीं है एवं पुत्रने जो ऋण कियाहो उसकी ( योषित् ) नाम मातापर उद्धार करनेका औचित्य नहीं एवं पुत्रने ऋण कियाहोतौ पितापर उद्धार करनेका औचित्य नहीं एवं स्त्रीके कियेहुये ऋण उद्धार करनेकी योग्यता उसकेपति पर नहींहै किंतु जि-सने लियाहो वही अपने आपदे-परन्तु-इस मर्यादामें थी इतनायह (अपवाद) विशेष है कि सभी ऋण ऐसे नहीं होसके जो किसीकाकिया कोई उद्धार न करै किन्तु कुटुंब के अर्थकियेहुये ऋणके सिवाय जो आत्मीय प्रकारसे लियाहो तिसकी यह व्यवस्था है-अन्यथा जो कुटुम्ब पोषणके निमित्तसे ऋण हो वह चाहै जिसकिसीने किया हो घरके कुटुम्बीपर उद्धारकरना उसका उचितहै यदि कुटुम्बीका अभाव होजाय तौ उस के दाय हरनेवाले देवें इस अपवादका स्वरूप पूर्वोक्त ४६ के श्लोकमें उत्पन्नहो चुका था उसीकी दृढ़ता यहांपर करीगई कि उस दशामें सबका किया ऋणसब कोई देनेका अधिकारीहै कि जो कोई ऋणकर्त्ताका मुख्य स्वामी यद्वा मुख्य अधिकारीहो ४७ ॥

अधि०—यह भी विदित हो कि यद्यपि यहांपर ( परन्तु ) इत्यादि लेकर अपवाद के नामसे आशय समुझाया गया तथापि यह अपवादका रूप नहीं है किंतु विधि और निषेधकारूपहै अर्थात् इस आशय द्वारा देय ऋणकी विधि और अदेय ऋण का निषेधदर्शायाहै और (नपतिःस्त्रीकृतंतथा) इस चौथे चरणकी अपेक्षामें जो कुछ अपवाद यथार्थ भावसे उचितहै सोयहांसे तीसरे मूलवाक्यमें अर्थात् ४९ के श्लोकमें कहेंगे-और-इसी-४७ के मूलश्लोक पहले चरणमें यह जो कहा कि पतिका ऋणभार्या नहीं देवें तिसका अपवाद पंचाशके श्लोक मूलमें कहेंगे-इसी ४७ के श्लोकमें और सबके ऋणोंका निषेध भिन्न २ किया यहांतक कि पुत्रके ऋणको पिता नहींदेवें परन्तु यह निषेध नहीं किया कि पिताके ऋणको पुत्र नहीं देवें इस्से प्रतीति हुआ कि पिताके कियेहुये ऋण का उद्धार करना पुत्रपर आवश्यक है और यथार्थ भावसे इस बातकी विधिभी आगे ५१ के श्लोकमें कहेंगे कि पिताका ऋण उद्धारकरना पुत्रपर आवश्यकहै तथापि सभी प्रकारके ऋण उद्धारकरना पुत्रपर आवश्यक नहीं इसलिये उस ५१ के श्लोकमें वक्ष्यमाण विधिकी अपवाद पहलेसे पहलेही नीचे ४८ श्लोक में कहेदेते हैं ४७ ॥

सुराकामद्यूतकृतंदंडशुल्कावशिष्टकम् । वृथादानंतथैवहपुत्रोदयान्नपैतृकम् ४८ ॥

मक्ष०—सुरापान काम क्रीड़ा द्यूतक्रीड़ा से किया हुआ ऋण दण्ड और मूल्य का अवशेष तैसीही वृथादान यह पैतृकऋण पुत्रनहींदेवें ४८ ॥

ज्ञानि०—पिताकेऋणोंका उद्धारकरना पुत्रपर और पुत्रके उपलक्षसे पौत्रोंपरभी आवश्यकहै तथापि इसप्रकारकेऋण जो पितापरहों तिनको पुत्रनहींदेवें यहअपवाद कहतेहैं अर्थात् पिताने मद्यपानकरके जो ऋणकियाहो और कामक्रीड़ानाम स्त्रीसंबंधी

व्यसनकी अपेक्षासे जो ऋणकियाहो और द्यूतनाम जुआखेलकर हाराहो ऐसा देना अथवा जुआकी हारि में किसी से ऋणलेकर दियाहो सोभी और पिता पर किसी अपराधमें राज्यसे दण्डबोलागयाहो उसमेंदेकर कुछ देनाशेषरहाहो और (शुल्कावशिष्ट) अर्थात् पिताने कोईवस्तुखरीदीहो उसके मूल्यमें से कुछ देनाशेषरहाहो सोभी और (व्यादान) अर्थात् धूर्तवंदीमल्लआदि याचकोंको पिताने जो कुछ मुखसे देनाकहाहो और वहदेनेसे रहगयाहो सोभी इसव्यवहारमार्गमें पुत्रनहींदेवै यहमर्यादाहै ४८ ॥

अधि०—जोकिदंड और शुल्क इनदोनोंका अवशेषदेनेका निषेधकिया इस्से यह बातपाईगई कि जो इनमेंसे दतेदेते शेषरहाहो सो न देवै परन्तु जो सभीदेनारहा हो तो पुत्रपर उद्धारकरना आवश्यकहै सोनहीं क्योंकिइसमें उशनाकी यहअत्रोक्तस्थिति समस्तकाभी निषेधकरतीहै-यथा (दंडंवाद्दण्डशेषंवाशुल्कंतच्छेषमेववा । नदातव्यंतु पुत्रेणयच्चनव्यवहारिकम्) अर्थात्- उशनाने यहकहाहै कि चाहै दण्डनामजुर्माने का संपूर्णअंगयद्वा उसकाकुछ शेषपिताकोदेनाहो ऐसेही शुल्कनाम खरीदी हुई वस्तुका संपूर्णमूल्य यद्वाउसमेंसे कुछ अवशेषदेनारहाहो सो पुत्रकरकेनहीं दातव्यहै किन्तु पुत्रऐसेऋणकोनहीं देवै और वह भी कि जो ऋणपुत्रके पितापर व्यवहारिकनहो अर्थात् जो व्यवहारमार्गसे देनलेनद्वारा पितापर कुछऋणहो सो पुत्रकोदेनाचाहिये क्योंकि वहव्यवहारजोहै सो पुत्रादिकोंकेही कल्याणहेतुसे कियागयाथा और पिताके मरेपरभी उसव्यवहारके फलभागी पुत्रहीहोतेहैं (देखो) उशनाने व्यवहारिक ऋणका उद्धारकरना कल्पितकरिकै अव्यवहारिक ऋणके देने में स्पष्टभावसे निषेधकरदिया तो अव्यवहारिक ऋणकहनेसे उनसभीऋणोंका निषेधहोगया जो मूलश्लोकमें सुरा पानआदिसे कहेहैं क्योंकि वे ऋण व्यवहारिक नहीं हैं-गौतमनेभी कहाहै-यथा(मद्य शुल्कद्यूतकामदण्डान्नपुत्रानध्यावेह्युः ) अर्थात् मद्यपान मूल्य द्यूत कामकृतदंड यह इतनेऋण पिताकेकियेहुये पुत्रोंपर उद्धारकरने योग्यनहीं-योगीश्वरनेदण्ड औरशुल्क-इनदोनोंकाअवशेष इसलियेकहा कि संपूर्णकीतो क्याचर्चाहै किन्तु कुछथोड़ाभी अवशेषरहाहो सोभी पुत्रनहींदेवै-यद्यपि योगीश्वर औरउशनाऔर गौतमइनसबकेवाक्यों से खरीदीहुईवस्तुका शुल्कदेनेकेलियेसंपूर्ण और उसके अवशेषपर्यन्तका निषेधसामान्यभावसेहै तथापि इसनिषेधका यह सिद्धांतनहींहै कि दोरूपये या दशरूपयेकी खाने पहिरनेवालीवस्तु वाजारसेयदि पिताअभीहालमें पुत्रोंकेसमक्ष सबघरकी आरामके निमित्तसेलाया और हालही पितामरगया या विदेशवासी होगयाहोतो यहमूल्यभी नदेवैकिन्तुऐसा मूल्यअवश्यभावसे पुत्रोंपरदेना उचित और शीघ्रदेना उचितहै-अर्थात्-वहनिषेध ऐसीदशाओंपर आरूढ़है कि यदि पितानेआत्मीय व्यसनरूपसौख्योंके हेतुसे हाथी घोड़ाआदि या पीनसपालकीआदि किसीकालांतरमें खरीदेहों और

कामल्यउसपर शेषचलाआताहो तौ ऐसामूल्य उनपुत्रोंपर देनेकाभारनहीं है कि जिन्होंने अधिकतासे कुछ पैतृक रिक्थ न पायाहो किन्तु जिन्होंने अधिकतासे पिताका छोड़ाहुआ धनपायाहो उनकी सत्पात्रता यहीहै कि वे ऐसेमूल्यकोभी अपनेपिताकी दुष्कीर्ति निवारणकरनेकेलिये यथाक्रमसे और यथा अवसरके अनुकूल उद्धारकरें- इसकेसिवाय-ऐसे शुल्कभी उद्धारकरने योग्यअवश्यहैं कि यदि पिताने किसीस्थावर इमारतमें ईंटचूना आदि या कोई अन्यकवाड़ लेलेकरलगाया और लगाते लगाते बीचहीमें मरगया और पुत्रसमर्थ संप्राप्त व्यवहारकालहै कि जिसके सन्मुख यहसब कामहुआ तौ उन कवाड़ियोंके शुल्कदेने योग्यहैं अन्यथा वे उसइमारतके नामनालिशकरसक्तेहैं जिसमें उनकामाल आकरलगा-परन्तु-यदि पिता किसी अज्ञात दूर देशका निवासीहोजाय तौ यहवातभी असंभवहै क्योंकिऐसीदशामें बीसवर्षोंतकपुत्रों पर ठेठऋणकाभी दावा कोईनहींकरसक्ता फिर यह तौ मूल्यहै कि जिसकेदेनेकानिपट निषेध होचुकाहै-परन्तु-ऊर्ध्वोक्त ऋषिश्वरोंके वाक्योंका सिद्धांत यहपरमहै कि अप्राप्त पैतृकरिक्थ पुत्रोंपर मूल्यकादावा कोई नहींकरसक्ताहै कि जैसे ऋणकादावा अप्राप्त पैतृकरिक्थोंपरभीकहा-वृथादान की अपेक्षामें भी यह स्मृति प्रमाण है-यथा-(धूर्तवांदि निमल्लेचकुवैद्येकितवेशठे। चारचारणचौरैषुदत्तंभवतिनिष्फलम् ) अर्थात्-(धूर्त) जो मायावाही(वंदी) वंदीजन वंशप्रशंसक आदि-( मल्ल )कुशतीबाज आदि बाहु युद्धकरने वाले(कुवैद्य) जो वैद्यक विद्यामें निपुण मति नहो(कितव)जो खल या वंचकहो(शठ) जड़ बुद्धि जिसको अपने विराने भले बुरेके विवेकमें अज्ञानताहो (चार वा चरण ) जो नट आदि याचक वृत्ति वाले प्रसिद्ध हैं (चौर) जो चोरों वाली वृत्ति रखताहो जिसके चरित्र विना जाने कुछ देना कहा हो-इन धूर्त आदि सबोंको जो कुछ मुखसे देना कहा हो धोखेसे या और किसी गूढ़हेतुसे सो वह दिया हुआ निष्फल होताहै अर्थात् दाताही जिसने देने कहाहो वह नदेवै तो दोषभागी नहीं फिर पुत्रादिक कहाँ और यदि इनको कहाहुआ अपनी जिज्ञा पूरी करने के निमित्त से देवे भी तौभी कुछफल सिद्धि नहीं किन्तु वृथा दान इनको इसलिये कहते हैं कि स्मृतियों में कहेहुये देव पित्रादि निमित्तक नाना भांति के जो दान हैं तिनमें इनकी गिन्ती नहीं ४८ यह अपवाद जो ५१ के श्लोकमें कहागया यही अपवाद आगे ५० के श्लोकमें चौथे चरणके द्वारास्त्री पक्षपर भी सम्बंधितहै कि और कोई प्रकार का ऋण देने योग्यभार्या नहीं है ४८ ऊपर ४७ के श्लोकमें यह कहाथा कि भार्या का कियाहुआ ऋण पति नहीं देवे तिसका अपवाद नीचे ४६ के श्लोकमें कहते हैं-और उसी ४७ के श्लोक में यहभी कहाथा किपति का कियाहुआ ऋण भार्या नहीं देवे तिसका अपवाद आगे ५० के श्लोकमें कहेंगे ४८ ॥

गोपशौण्डिकशैलूषरजकव्याधयोपिताम् । ऋणंदद्यात्पतिस्तासांयस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया ४९ ॥

अक्ष०—गोप शौण्डिक शैलूष रजक व्याध इनकी स्त्रियोंका ऋण उनका पति देवै जिस्मे कि वृत्ति उनके आश्रयभूतहै ४९ ॥

अभि०—(गोप) गोपाल अहीर आदि(शौण्डिक) सुराकार जो मदिरा बनावै कलाल (शैलूष) नटजाती (रजक) रंगरेज और धोबी (व्याध) अहेड़ी चिड़ीमार जाती आदि इन जातोंकी स्त्रियों का किया हुआ ऋण उनके पति देवै क्योंकि उन स्त्रियोंके आधीन उनके घरकी आजीवन वृत्ति भी होतीहै- (वृत्ति उनके आधीन होतीहै) इस हेतु व्यप देश कथनसे यह भाव निश्चित हुआ कि और भी जो कोई जातें ऐसीहों कि जिनके घरकी आजीवन वृत्ति स्त्रियोंके भी आधीन हो वेभी अपनी भार्याके कियेहुये ऋणको उद्धारकरै ४६ ॥ ऊपर ४७ के श्लोकमें यह कहाथा कि पतिके ऋणको भार्या नहीं देवै तिसमें कुछ अपवाद भी नीचे ५० के श्लोकसे कहते हैं ४६ ॥

प्रतिपन्नस्त्रियादेयंपत्यावासहयत्कृतम् । स्वयंकृतंवायदृणंनान्यत्स्त्रिदातुमर्हति ५० ॥

अक्ष०—प्रतिपन्न ऋणस्त्री करके देयहै यद्वा जो पतिके साथ कियाहो यद्वा जो ऋण आपही कियाहो-और कोई ऋण स्त्री देनेके योग्य नहींहै ५० ॥

अभि०—प्रतिपन्न ऋण उसे कहते हैं कि जब कोई मरने लगै अथवा कहीं विदेश जाने लगै और उस समय की जरूरत से अपनी भार्याको भेजकर किसी से ऋण मँगावै इसका नाम प्रतिपन्नहै और यह पतिकाही किया ऋण कहाताहै क्योंकि भार्या केवल उसकी आज्ञासे लेआने वालीहै परंतु ऐसे ऋणको उस पतिके अभाव और पुत्रके भी अभावमें वही भार्या उद्धार करै अर्थात् जो पति अथवा पुत्र विद्यमानहो तौ उस भार्या पर इस प्रतिपन्न ऋणके भी उद्धार करने का भार नहींहै-और जो ऐसा ऋणहो कि पति और भार्या दोनोंने साथ मिल कर लियाहो तौ भी उस पतिके अभाव और पुत्रके भी अभावमें वही भार्या उद्धार करै-अथवा ऐसा ऋणहो कि भार्याने आपही कियाहो तौ भी उस ऋणको वह लेने वाली भार्या देवै-इसके सिवाय (अन्यत्) नाम और कोई प्रकारका ऋण जो ४८ के श्लोकमें पुत्रकी अपेक्षासे कहचुकेहैं चाहैवह प्रतिपन्नरूपसेभी आयाहो यद्वा पतिके साथ मिलकर भार्याने भी कियाहो तथापि भार्यादेने योग्य नहींहै किन्तु ऐसे ऋणका दावा भार्यापर नहींकोई करसक्ता यह सिद्धांतहै ५० ॥

अधि०—संभ्रम-क्योंजी इस ५० के श्लोकमें प्रतिपन्न आदि तीन भाँतिके ऋण स्त्री करके देय कहे इनके कहने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि जिसवार्त्ता में कुछ संदेह नहीं उसका कथन भी व्यर्थ है- सुनो-इसलिये व्यर्थ नहीं है कि ( भार्यापुत्रश्च दासश्चत्रयएवाधनाःस्मृताः । यत्तेसमधिगच्छंतियस्यैतेतस्यतद्धनम् ) अर्थात्-

भार्या १ पुत्र २ दास नामगुलाम ३ यह तीनों अधनकहलाते किंतु धनके स्वामी नहीं होते इसलिये इनको ऋण मिलनाभी असंभव होता-यह तीनों जिस किसी स्वामी का जो कुछ धन दायभाग रीति से पातेभी हैं वह धनभी उसी स्वामीका कहलाताहै-इस बचनके आशयसे इन तीनोंको निर्धनत्व निश्चित होनेके हेतुसे प्रतिपन्न आदि तीनों ऋणोंके न देनेकी आशंका मध्ये यह ५० का श्लोक यहांपर कहा गया क्योंकि न जानिये शास्त्रप्रमाणके न होनेसे भार्या पुत्रादिक यही कहनेलगे कि हम नहीं जानते इस ऋणका देना हमारेपर भारनहीं-और जोकि-(भार्यापुत्रश्चदासश्च) इत्यादि वाक्य जो अभी ऊपर लिखचुके हैं-उस्से कुछ भार्या पुत्र दास इनका निपट निर्धनत्व नहीं अभिधान करते हैं किंतु उस वाक्यसे केवल पारतंत्र्य मात्रप्रतिपादन कियाहै कि यह तीनों पराधीन अर्थात् अपने स्वामीके आधीनहोते हैं सो यह वार्त्ता आगे विभाग प्रकरणमें अच्छीतरह स्पष्ट करीजायगी-(पुनःसंभ्रम) भला यह शंका तौ निवृत्त होगई कि इस हेतुसे वह तीनों ऋण यहांपर लिखेगये-तौ फिर इसबात के लिखनेकी क्या आवश्यकताथी कि और कोई प्रकारका ऋण स्त्री देने योग्य नहीं क्योंकि जब उस बातका प्रतिषेध विधान पूर्वक अन्यत्र ४७ । ४८ आदि श्लोकोंसे सिद्धहोता चलाआया फिर इसजगह पिष्टपेषण करनेसे क्यासिद्धि(सुनो)यह सिद्धिहै किएकतौ प्रतिपन्न ऋण १ दूसरा जो पतिकेसाथ स्त्रीने कियाहो २ यह दोनों ऋण स्त्रीपर उद्धार करने कहेगये-कदाचित्-इन्हीं दोप्रकारोंसे वे ऋणभी लियेजायँ जिनके उद्धार करनेका निषेध ४८के श्लोकमें पुत्रपरभी होचुकाहै फिर भार्या कहांरही-और इन्हीं प्रकारों से लियेजानेके हेतुसे कदाचित् कोई उत्तमर्ण भार्यापर दावा करनेलगे इस लिये इन दोप्रकारोंका अपवाद यह कहागया कि और कोई प्रकारका ऋण उद्धार करने योग्य भार्या नहीं ५० ॥ फिरभी नीचे ५१ ॥ के श्लोक में जो ऋण दातव्यहै और जिस पुरुषकरके दातव्यहै और जिसकालमें दातव्यहै यह तीनोंबात एकसाथ कहते हैं ५० ॥

पितरिप्रोषितेप्रेनेव्यसनाभिष्टुतेपिवा । पुत्रपौत्रैऋणंदेयंनिह्वेसाक्षिभावितम् ५१ ॥

अक्ष० -पिताके प्रोषित होनेमें या प्रेत होनेमें या व्यसनसे अभिष्टुत होनेमें पुत्रपौत्रों करके ऋण देयहै-निह्वेवमें साक्षि भावित ५१ ॥

अभि० -यदि पिता दातव्य ऋणको न देकर मरजावै याकिसी दूरदेशका निवास हो जावै यद्वा अचिकित्मनीय असाध्य व्याधिसे ग्रसित होजावै तबउस पिताका किय हुआ ऋण मांगनेपर या विना मांगेभी पुत्रको अथवा पौत्रको पितृ धनाभावमें पुत्रत्व या पौत्रत्व करके उद्धार करना उचितहै-यदि पुत्र अथवा पौत्र निह्वेवकरै अर्थात् निपट नकार खाँचै कि मेरापिता किसीका धरावता नहीं तबसाक्षि भावित ऋ

देयहै अर्थात् अर्थी अपने गवाहों या और किसी प्रमाणसे साबित करावै तौभी देयहै किंतु ऐसी दशामें राजा दिलवावै ५१ ॥

अधि०—पिताका प्रोषित होजाना अर्थात् विदेशवासी बहुत कालतक होजाना यह सामान्य वार्ता कही कुछ इस्से नियम नहीं पायागया कि पिता कितने कालतक विदेशमें रहे तौ पुत्रोंको ऋणदेना चाहिये इसवार्तामें कालकी अवधिभी नारदने कही है (अवधि अर्थात्-मीआद)-यथा(नार्वक्संवत्सराद्विंशत्पितरिप्रोषितेसुतः । ऋणं दद्यात्पितृव्येवाज्येष्टेभ्रातर्यथापिवा ) अर्थात्-पिता अथवा चचा ताऊ या ज्येष्ठभ्राता के विदेशवासी होजानेमें पुत्र अथवा पुत्रके उपलक्षणसे भतीजा या छोटाभाई यह उन विदेश वासियोंके कियेहुये ऋणको बीसवर्षोंसे पहले नहीं देवें क्योंकि बीसवर्षों तक उनके लौटि आने की एकप्रकारकी आशा शेष है परन्तु बीसवर्ष बीतजाने पर उन का कियाहुआ ऋण उद्धार करै-ऐसेही-पिता के मरजाने परभी उसका ऋण उद्धारकरने मध्ये काल अवधि नारदने कही है-यथा ( गर्भस्थैःसदृशोज्ञेयआष्टमाद्वत्सराच्छिशुः । बालआषोडशाद्वर्षात्पौगंडश्चेतिशब्द्यते ॥ परतोव्यवहारज्ञःस्वतंत्रःपितरावृते)अर्थात्-आठ वर्षसे पहले बालक ऐसाशिशु समुझा चाहिये जैसा गर्भस्थों के समान किंतु जैसे गर्भमें बैठे हुये शिशु कुछ नहीं करसक्ते तैसेही वेभी-आठ के उपरान्त और सोलह वर्ष से पहले बालक भी कहलाता और पौगंड भी-इस्से परे सत्रहवीं वर्ष से व्यवहारज्ञ कहलाता किन्तु लिखपढ़ संसारी व्यवहारोंको जानताहै और पिता माता इनदोनों के विना स्वतंत्र कहलाता अर्थात् जब पितामाता मरजातेहैं तब स्वाधीन खुदमुखतार होजाताहै यद्यपि इसकथनसे पिताके मरनेउपरांत बालकभी स्वतंत्र होताहै तथापि अप्राप्त व्यवहारकाल ऋणदेनेका अधिकारी नहीं अर्थात् पिताका ऋणदेना उसपर तभीयोग्य होताहै कि जबसोलह वर्षकी अवस्था उपरांत घरके व्यवहारोंका कामधंधा उसको उचितरीतिसे समर्थ अधिकारियों द्वारासौंपाजाय-प्रमाणंतु(अप्राप्तव्यवहारश्चेत्स्वतंत्रेपिहिर्णभाक् । स्वातंत्र्यं हिस्मृतं ज्येष्ठेज्यैष्ठ्यगुणवयःकृतम्)अर्थात्-जोकोई पुत्र अप्राप्त व्यवहारहो अर्थात् जिसको शास्त्रोक्तकाल और मर्यादोंसे घरके व्यवहार नहींसौंपेगये वहचाहै स्वतंत्रभीहो किंतु पिताउसका मरभीगयाहो परंतु वह तबतक ऋणदेनेका भागीनहींहै-और यहस्वातंत्र्यभी उसीदशामें होसक्ता है कि यदि पुत्रएकहीहो अन्यथा जब कई पुत्रहोंतौ वह स्वातंत्र्यभाव ज्येष्ठपुत्रमें होताहै-और वहजेठापनभी केवल अवस्थासेही नहीं अर्थात् जहाँ ज्येष्ठपुत्र सर्वलक्षण संपन्नहो तबतौ केवल अवस्थासे जेठापन होताहै अन्यथा जहाँ ज्येष्ठपुत्र अनेक गुणहीन किसीव्यवहारकी साधना योग्य नहो और उस्से छोटों में से कोई ऐसाहो जो सर्वलक्षण संपन्न गुणवान् संसारी व्यवहारोंकी साधनापूर्वक



उसघरका प्रबंध करसकनेमें योग्यहोतौ फिर उसीपर वह ज्यैष्ठ्यभाव रक्खा जाताहै-  
 पिताकेमरे पीछे ज्येष्ठपुत्रपर जैसे स्वातंत्र्यभाव और ऋणउद्धारकरना आदि अप्रा-  
 प्त व्यवहार कालतक नहींहोता तैसेही (आसेध) और (आह्वान)भी उसकेलिये अप्राप्त  
 व्यवहार कालतक नहींहोसक्ता यह निषेध तीसरे परिच्छेदमें यद्यपि होचुकाहै(अक-  
 ल्पवालस्थविर) इत्यादि वाक्यसे परयहां इसके मुख्यप्रसंगसे फिर दर्शाते हैं-तथाच-  
 (अप्राप्तव्यवहारश्चदूतोदानोन्मुखोव्रती । विषमस्थाश्चनासेध्यानचैतानाङ्गयेन्नृपः)  
 अर्थात् इतने पुरुषोंको राजा किसी आवश्यकता परभी नहीं बुलावै और ये पुरुष  
 आसेध्यभी नहीं हैं अर्थात् कोई अर्थी किसी हेतुसे इनको घेरा पकड़ा चाहैतौ ऐसे  
 निम्नोक्त समयपर नहींघेरै पकड़े-वेसमय और पुरुष यहहैं कि एकतौ(अप्राप्तव्यवहार)  
 बालक जिसको घरकाभारन सौंपागयाहोचाहै वहकईपुत्रामेंसे ज्येष्ठपुत्रहो तौभीनहीं  
 दूसरे(दूत)जो किसीकीओरसे वकीलवनके आयाहो यद्वा किसीकासँदेशाचिट्टी आदि  
 लियेजाताहो या किसीकी गवाही देनेजाताहो वा गयाहोतौ उसकोभी ऐसे समयपर  
 नहीं तीसरे(दानोन्मुख) मनुष्य जोकुछ दानकरनेपर समुद्यतहोतौ ऐसेसमयपर उसको  
 भीनहीं-चौथा(व्रती पुरुष किसीप्रकारके व्रतमें समाश्रित हो-पाँचवें (विषमस्थ) पुरुष  
 जिनकाचर्चा तीसरे परिच्छेदमें बहुधा आचुकाहै उनकोभी वैसेकठिन समयपर नहीं  
 घेरै पकड़े और न राजद्वारमें बुलावै किंतु उनदशाओंके पश्चात् जोकुछ उचितहो सो  
 करै (यहाँयहवार्त्ता केवल अप्राप्त व्यवहार बालकके संबंधसे कही अन्यथा कुछ यहाँ  
 इसका प्रयोजन नहींथा)-ऋणका चर्चाहै कि पुत्रपर पिताके ऋणका उद्धारकरनाभार  
 है पर उससमय कि जबसंप्राप्त व्यवहारहो अर्थात् उसको घरकाभारमर्यादा पूर्वकसम  
 र्थीद्वारा सौंपाजाय-तथाहि(अतःपुत्रेणजातेनस्वार्थमुत्सृज्ययत्नतः । ऋणात्पितामोच  
 नीयोयथाननरकंत्रजेत्)अर्थात्-इसीहेतुसे कि जोरवातै पुत्रकी अपेक्षामें ऊपरकहचुके  
 हैं पुत्रको अपना पिताऋण हत्यासे झुड़ाना चाहिये कि जिस्से वह नरकको न जाने  
 पावै सो किससमय झुड़ानाचाहये(पुत्रेणजातेनकिंतु-व्यवहारज्ञतयाजातेननिष्पन्नेन)  
 अर्थात् पुत्र जिस समय व्यवहारज्ञतासे संपन्नहो सोलहवर्षों उपरांत जैसा ऊपरसे  
 कहते चले आये उससमय झुड़ाना चाहिये सो किसप्रकारसे कि (यत्नतःस्वार्थमुत्सृ  
 ज्य) अर्थात् बड़े यत्नपूर्वक अपने आत्मीय प्रयोजनोंको रोककर पहले पिता ऋणसे  
 झुड़ाना उचितहै-यद्यपि ऊर्ध्वोक्त बातोंमें बालक जो अप्राप्तव्यवहारहो उसकाअधिकार  
 नहीं परंतु श्राद्धविषयिक कर्मोंमें ऐसेबालकोंकाभी अधिकारहै किन्तु अप्राप्तव्यवहारों  
 कोभी करना चाहिये इसवार्त्तामें गौतमका यह वाक्यहै कि(नत्रह्याभिव्याहरेदन्यत्रस्व  
 धानिनयनात्) अर्थात्-पिंडदानादिकस्वधाकर्मकरनेकेसिवायअन्यत्रअंसस्कृतबालक  
 ब्रह्मर्षिकार वेदनउच्चारण करै-इसी५१के मूलश्लोक दूसरे अङ्गामें (पुत्रपौत्रैऋणंदेयं)

ह पुत्र पौत्रोंका बहुवचन जो कियाहै उससे यह आशय दर्शाया है कि जिस पिता के बहुत अर्थात् कईपुत्रहों और वे जुदेभी होगयेहों तौभीअपने २ अंशकेअनुरूप पिताका ऋणउद्धार करें-और यदि जुदे न हुयेहों सबसाभेमेंहों तौभी सब संमति-पूर्वक मिलकर पिताका ऋण देवें-अथवा-कहीं ऐसाभी उचित है कि उन कई पुत्रोंमें से जो २ कोई अयोग्यहों किंतु किसीप्रकार की पुरुषार्थसंबंधिनी योग्यता न रखते हों उनको छोड़कर शेष वे पुत्र जो गुणप्रधान भावसेयोग्यतावानहों वेही उद्धारकरें- यद्वा-उन सबोंमें कोई एकही जो सर्वसंपन्न और प्रधानभूत गिनाजाताहो वहउद्धार करै-यही वार्ता नारदनेभी कहीहै-यथा(अत ऊर्ध्वपितुःपुत्राऋणंद्युर्यथांशतः। अविभक्ताविभक्तावायस्तावद्ब्रह्मतेधुरम्)अर्थात्-इसके उपरांत सभी पुत्र अपने २ अंशके अनुरूप पिताकाऋण देवेंचाहै अविभक्तनाम मिलेभुले सब साभेमें रहतेहों यद्वा विभक्त नाम जुदे २ होगयेहों इसका नियम नहीं अथवा जो कोई एक उनसबों का धुरभार अपने ऊपर लियेहो वहउद्धार करै-यह व्यवस्था उसदशामें कहीहै कि यदि पुत्रोंने पिताका छोड़ाहुआ कुछधन नहींपाया हो और यदि पिताकाधन पुत्रोंने पाया हो तौ उसधनका विभाग तबतक उचित नहीं है कि जबतक पिताकाऋण उसमें से उद्धार न करलेवें तथाच ( सर्वनिर्णयसारेमहानिर्वाणतन्त्रेसदाशिवः-ऋणंयत्पैतृकं तच्चशोधयेत्पैतृकैर्धनैः । तस्मिंस्थितेविभागार्हं नभवेत्पैतृकंवसु ॥ विभज्ययदि गृह्णोर्युर्वि भवंपैतृकंनराः। तेभ्यस्तद्धनमाहृत्य पितृणंदापयेन्नृपः॥ यथास्वकृतपापेन निरयंयांतिमानवाः।ऋणेनापितथावद्धः स्वयमेवनचापरः)अर्थात्-सदाशिवजीने यहकहाहै किपिता केमरेपीछेजो कुछपिताकाऋणहो वहउसपिताके छोड़ेहुये धनोंमेंसेशोधनकरै तबउस धनकाविभागपीछे करै क्योंकिउसऋणके उपस्थित होतेहुये पिताकाछोड़ाहुआ धन विभागकरनेयोग्यनहींहोता और यदिपुत्रादिक मनुष्य ऋणकेदिये बिना उसपिताके ऐश्वर्यधनको बाँटिलेवेंतौ राजाउनसे वहधनपरावृत्तकरिकै उनकेपिताकाणऋणउद्धार करावैक्योंकि मनुष्यजैसे अपनेकियेहुये पापसेनरकमेंजातेहैं तैसेहीऋणसेभीयमद्वार मेंआपही बाँधाजाता कोईदूसरा उमकेपलटनहीं(राजाको यह अधिकारजो अभीकहा गयाउसीदशामें होताहै किजब उत्तमर्णजाकर आवेदनकरै अन्यथानहीं क्योकियदि विना नालिशहुये राजाआपही किसीकार्य का उत्पादनकरै इसअपेक्षामध्येद्वितीयपरिच्छेदमें अष्टादश व्यवहार पदोंके पश्चात् निषेधहोचुकाहै कि (नोत्पादयेत्स्वयंकार्यं राजावाप्यस्यपुरुषः ) इत्यादिमनुवाक्य वहाँपर अर्थसहितलिखाहै यद्यपिइसी ५१ के श्लोकमूलमें (पुत्रपौत्रैऋणंदेयं) यहवात सामान्यभावसेकही कुछविशेषता वा न्यून-नाधिक्य इसमेंनहीं पायागया तथापि इसवार्तामें वृहस्पतिकायह अग्रोक्तवाक्यसंग्रहीतहै यथा ( ऋणमात्मीयवत्पित्र्यंदेयंपुत्रैर्विभावितम् । पैतामहंसमंदेयमदेयंतत्सुत

स्यतु) अर्थात्-पिताका विभावित ऋणपुत्रोंको आत्मीय ऋणकी भाँति देना चाहिये किन्तु जैसे अपने किये ऋणको वृद्धिसहित दिया करते हैं तैसेही पिताके ऋणको मूल और व्याज दोनों उद्धारकर्तव्य हैं परन्तु पितामह ऋण अर्थात् दादेका किया हुआ ऋण कदाचित् पौत्रको देना परै तौ वृद्धि नहीं देनी चाहिये किन्तु (समं-मूलमात्रं) अर्थात्-जितना मूलधन दादाने लिया हो उतनाही पोता उद्धार करै और (तत्सुतस्य) अर्थात्-पौत्रका पुत्र प्रपौत्र परपोता तिसको मूलभी अर्देय है किन्तु परदादाका किया हुआ ऋण परपोता नहीं देवे परन्तु कौनसा परपोता कि जिसने बपौती द्वारा पूर्व पुरुषोंका कुछ धन नहीं पाया हो क्योंकि पुत्र और पौत्रपर धनके न पानेपर भी ऋण देना भार है परन्तु प्रपौत्र परदादाका ऋण देना उसदशामें योग्य है कि यदि बपौती द्वारा पूर्वपुरुषोंका छोड़ा हुआ धन पावै यह वार्ता आगे ५२ के श्लोकमें अच्छी तरह निर्णय होजायगी अभी इस बृहस्पति के वाक्यमें ऊपर यह कहा है कि पिताका विभावित ऋण देना चाहिये सो विभावितसे यह सिद्धान्त है कि यदि पुत्र अथवा पौत्र अपने पिता या दादाके ऋणसे नकार खींचे कि मेरे पिता को कुछ नहीं देना था तब साक्षियोंसे या और किसी प्रमाणसे जो कुछ ठीकर ऋण सावित होकर उनसे स्वीकार कराया जाय सो विभावित कहलाता है उतनाही देना चाहिये किन्तु अधिक नहीं-यद्यपि बालकोंके अप्राप्तव्यवहारकाल जो इस ग्रंथमें कहा गया कि सोलहवर्षकी अवस्था पूरी होने तक अप्राप्तव्यवहारतारहती अर्थात् तब तक बालक या पौगंडक कहलाता है तिसपीछे संप्राप्तव्यवहारकाल कहलाता है यही प्रमाण मिथिला वाराणसी आदि इन सब देशोंमें प्रवर्तित है-परन्तु बंगालमें वहाँके प्रवर्तित ग्रंथों या परिपाटीके अनुकूल इतना अंतर है कि पंद्रहवर्षकी अवस्था पूरी होने तक पौगंडत्व माना जाता है-यावन भाषामें इस अवस्था तक (नाबालिगी) कहलाती है इसके उपरांत (वालिंग) अर्थात् तरुण कहलाता है ५१ यहाँ ऋणके उद्धार करनेमें मुख्य ऋणी और उसका पुत्र और पौत्र यह तीनकर्ता दर्शाये गये और उन सबोंके इकट्ठे होनेमें क्रम भी कहा गया-अब नीचेके परिच्छेदमें इन्हें छोड़ अन्यकर्ताओंके समवायमें ऋण उद्धार करनेका क्रम कहेंगे कि किसके होते हुये किसको ऋण देना चाहिये ५१ ॥

अथ ऋणादानसम्बन्धे कर्त्रतराधिकारतया ऋणापाकरणविधिविवेको नाम

सप्तविंशतितमः परिच्छेदः २७ ॥

इस सप्तविंशतितम परिच्छेदमें बहव्यवस्था जानी जायगी कि पूर्वोक्त मुख्य अधिकारियोंके समवायमें अनुसूय अधिकारीनी अमुकामुकरितासे ऋण देने योग्य हैं ॥

रिषयः १६ ऋणं शिष्याणां विद्याहस्तयैव च । पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिषियनः ५२ ॥

अक्ष०-पुत्रहीनरिक्थीका रिक्थग्राही ऋण दिलवानेयोग्यहै तैसेही योषिद्ग्राही या नन्याश्रित द्रव्यपुत्र ५२ ॥

अभि०-जब किसीधनीकेमेरेपीछे या जीवतेहुयेभी किसीहेतुसे उसकाधन और कसीको क्रयादिप्रकारोंसे भिन्न दायभागरीतिद्वारा मिलता है तब उसधनकानाम रिक्थ) कह नाताहै और वह मराहुआ या जीवता धनी (रिक्थी) कहलाताहै और उस के (रिक्थ) का पानेवालापुरुष (रिक्थग्राह) या रिक्थग्राहीकहलाताहै-ऐसेही-जो कोई किसीकीभार्यापावै या संग्रहकरिलेवै तौ वह (योषिद्ग्राह) या योषिद्ग्राही कहलाताहै- इनमेंसे प्रथम (रिक्थग्राही) उस पुत्रहीनरिक्थीकाऋण दिलवानेयोग्यहै कि जो कोई धनी पुत्रहीनमरगयाहो और उसपर किसीकाकुञ्जऋणभीदेनाहो यदि रिक्थग्राही कोई नहो तौ (योषिद्ग्राही) पर दिलवानाचाहिये यदि योषिद्ग्राहीभीनहो तौ (अनन्याश्रित द्रव्यपुत्र) पर दिलवानाचाहिये (अनन्याश्रितद्रव्यपुत्र) वहकहलाताहै जिसके माता पिताओंकाद्रव्य किसी और के आश्रय नहोगयाहो किन्तु उसीकोमिलाहो ऐसेपुत्र परभी पुत्रहीनरिक्थीकाऋण दिलानाचाहिये उसदशामें कि यदि पूर्वोक्त दोनोंअधिकारीनहीं- और जो-यहतीनोंहीउपस्थितहों तौ इनतीनोंकेसमवायमेंभी वहीक्रमसमु- भाचाहिये जो मूलश्लोकोंसे यहाँ तकवर्णितहुआ अर्थात् तीनोंके होतेहुये भी पहले रिक्थग्राहऋणदेनेकाअधिकारीहै यदि रिक्थग्राहनहो तौ शेषदोनोंकेहोतेहुये योषिद् ग्राह ऋणदेनेकाअधिकारी है किन्तु इसकेभीनहोनेमें पुत्रपरदिलावै इसप्रकारसे यह तीन अधिकारी ऋणदेनेके निश्चितकिये हैं ५२ ॥

अधि०-इनअधिकारियोंकेप्रमाणभी ग्रंथांतरसे संसिद्धहैं-यथा-योयदीयंद्रव्यंरिक्थ रूपेणगृह्णातिसतकृतमृणंदाप्योनचौरादिः)अर्थात्-जोकोई जिसकाद्रव्यरिक्थरूपसे लेताहै वही उसकाकियाहुआऋणभी दिलवानेयोग्यहै किन्तु और कोई चोर बटमार आदि नहीं-अन्यत्रय-दीयांयोषितंयोगृह्णातिसतकृतमृणंदाप्यः-अर्थात्-जिसकी यो- षिता जोकोईलेलेताहै वही उसकाकियाहुआऋण दिलानेयोग्यहै-यद्यपि भार्याभी एकप्रकारकाधनकहातीहैं परन्तु यहधनऐसाहै कि इसका विभागनामहिस्सावाँट नहीं होसक्ता इसीलिये योषिताओंकानिर्देश रिक्थसेभिन्नभेदकरकेलिखागया कि स्त्रियां अविभाज्यधनमेंसमभीजायँ और इनकाहिस्सावाँट कोईनकरसकै बरन इसीहेतुसे इनकी रिक्थसंज्ञाभीनहींहोसक्तीहै यदि स्त्रियोंकीरिक्थसंज्ञाहोसक्ती तौफिर यहभी उचितहोता कि जोकोई जिसका (रिक्थ) पानेमेंअधिकारीहो वहीउसकीस्त्रियांपावै इसलिये यह आशंकाविरुद्धहै कि रिक्थग्राह और योषिद्ग्राह एकहीक्योंनसमुभा गया-अत्रमहतीशंका-भला यहसवसिद्धांतसमुभागया तथापि इसमें एकवड़ीप्रबल शंकाउत्पन्नहोतीहै किअत्रोक्त तीनोंअधिकारियोंका(समवाय)नामइकट्टाहोनाकदाचित्

हीनहींसक्ता औरभी कईप्रकारकेबिरोधदेखपड़ते हैं क्योंकि-नभ्रातरोन पितरःपुत्रा  
 रिक्थहराःपितुः-अर्थात्-पुत्रोंकेहोतेहुये उनकेपिताकारिक्थनतौपिताकेभाईपासकैनुस  
 पितेताकेपिताआदिकोईऊपरलेपुरुषपासकैकेवलपुत्रहीरिक्थहरनेवालेप्रसिद्धहैं-तौफिर  
 पुत्रकेहोतेहुये और कोई रिक्थग्राहकहांसे आसक्ताहै जिसकेलिये ऋणउद्धार करनेका  
 अधिकार सबसेपहले बतलातेहो- इसके सिवाय-योषिद्ग्राहकाभी होना असङ्गतहै  
 क्योंकि- नद्वितीयश्चसाध्वीनांकचिद्भर्त्तोपदिश्यते - इतिस्मरणं घण्टाघोषवत्प्रसिद्धम्-  
 अर्थात्- यहस्मृति घण्टाके शब्दवत् प्रकाशमानहै कि साध्वी सत्कुलवती स्त्रियोंको  
 कहींभी दूसरेभर्त्ताका उपदेश नहींपायाजाता- फिरवह योषिद्ग्राहकहांसे होसक्ताहै  
 जिसकेलिये ऋणउद्धारकरनेका अधिकार पुत्रकेहोतेहुयेभी बतलातेहो-इसकेसिवाय-  
 यहकथनभी अयुक्तहै कि पूर्वोक्तदो अधिकारियोंके नहोनेमें पुत्रपर दिलानाचाहिये-  
 क्योंकि पहले५१ केश्लोकमें (पुत्रपौत्रैऋणदेयं) इसतीसरे चरणसे सर्वथानिश्चितहो  
 चुकाहै कि ऋणदेनेके अधिकारीपुत्रहोतेहैं और सबसेपहले पुत्रहीपर अधिकार वि-  
 शेषहै तौ फिरयहांपर पिष्टपेषण करना या दोनोंकेहोने पीछे पुत्रकाअधिकार बताना  
 व्यर्थहै- इसकेसिवाय- पुत्रकेसाथमें (अनन्याश्रितद्रव्य) यहविशेषण अधिकलगाना  
 भी अनर्थकहै क्योंकिपुत्रकेहोतेहुये उसकेपितामाताकाद्रव्य किसीअन्यके आश्रयभूत  
 होहीनहींसक्ता फिरवहक्योंकर(अनन्याश्रितद्रव्य)कहलावेगाकिन्तुपुत्रतौसदैवही(अनन्या  
 श्रितद्रव्य ) समुभाचाहिये इसलिये कुछविशेषणकी अपेक्षानहींथी-और जो-कदाचित्त  
 किसीदशामें एसाहोभी सक्ताहो कि पुत्रकेहोतेहुये उसकेपिताकाधन किसीअन्यकेआ-  
 श्रयहोजाताहो तौभी इस विशेषणका लगाना इसस्थलपर अयोग्यहै क्योंकि यदि  
 पहलाअधिकारी(रिक्थग्राह)बतलाया तौफिरपुत्रनिःसन्देह(अनन्याश्रितद्रव्य) होगयाकि-  
 तुउसके पिताकाधन द्वितीयरिक्थग्राहीने पाया अब क्योंकर उसको (अनन्याश्रितद्रव्य)  
 कहसकें जो यह विशेषण सार्थक समुभाजाय-इसकेसिवाय-इसी५२ के श्लोकमूलके  
 अन्तमें यह जो कहा कि (पुत्रहीनस्यरिक्थिनः) अर्थात् पुत्रहीनरिक्थी जो मरैतिसका  
 ऋण यह तीनोंअधिकारी इसक्रमसेदेवें सो यह पुत्रहीनत्वका विशेषण प्रत्यक्षविरुद्ध  
 है क्योंकि जबयहमर्यादा दृढ़होचुकी कि पुत्रकेहोतेहुयेभी सबसेपहले रिक्थग्राहीऋ-  
 णदेवै और इसीकेआशयसे यह सिद्धांतभी पायागया कि यदिपुत्रनहो तौ अवश्यही  
 निःसन्देह रिक्थग्राहसे दिलानाचाहिये यद्धारिक्थग्राहनहो और योषिद्ग्राह उपस्थित  
 होतौ उसीसेदिलावै तौ फिर पुत्रकेहोतेहुयेभी मरेहुयेरिक्थीको पुत्रहीनता क्योंकरका  
 सकेहैं-इत्यादि विरोधभावोंका पूर्वापर आलोचनकरनेसे प्रत्यक्षप्रतीत होताहै कि य  
 ५२काश्लोकही व्यर्थोक्तिवाक्यहै इस्सेकुछफल सिद्धिनहीं-समाधान-सुनौ यहव्यर्थोक्ति  
 नहीं है किन्तु इसीसे परमसिद्धिसंभवहै क्योंकि पुत्रके होतेहुयेभी अन्यजन रिक्थग्रा

होता है उसदशामें कि जबकीव अंध वधिर मूकआदि अंगभंगपुत्रोंको पुत्रत्वपरभी रिक्थग्राह पदनहींमिलसक्ता-तब कोईअन्यपुरुष जो उचितहो वहीदायभागी किया जाताहै और वहदायभागी रिक्थपानेपीछे उनकीवों या अंधवधिरादिकोंका यथोचित रीतिसेपालनकरताहै-तथाच(कीवादीननुक्रम्यभर्तव्यास्तुनिरंशकाः)अर्थात्-कीवादि-कोंको दावकर जोकोई उनकेपिताआदिका रिक्थपावै तिसकरके वे सभीभरनेयोग्य हैं कि जो (निरंशक) रहेहों अर्थात् जिन्हों ने पैतृकधनका भागनहींपाया वे उनकरके पालनीयहैं कि जिन्होंने धनभागपायाहो यहवातआगेकहेंगे-इसके सिवाय कीवअंध वधिरआदि अंगभंगनहोनेपरभी किसीदशामें पैतृकधनकाभागी पुत्रनहींहोसक्ता- तथाचगौतमः (सवर्णापुत्रोऽन्यायवृत्तिर्नलभेतैकेषाम् )अर्थात् गौतमने यहकहाहै कि किन्हींएक आचार्योंकायहभी सम्मतहै कि चाहै सवर्णाभार्याकाभी पुत्रहो परन्तु यदि अन्यायरूपवृत्तिमें तत्परहो जिस्सेअनेकोंको पीड़ामिलतीहोतौ वह पैतृकरिक्थनहीं पावै-इनकारणोंसेकीवांधवधिरादि पुत्रोंकेहोनेपर तथा अन्यायवृत्तिवान्सवर्णापुत्रकेहो नेपरभी रिक्थग्राही उनपुत्रोंका चचाताऊयद्वा चचाताऊके पुत्रादिकहोतेहैं और वेहीइनकापालनकरतेहैं-योषिद्ग्राही यद्यपिशास्त्रके अविरोधपूर्वकतौनहींसंभवहै तथापि जो कोई शास्त्रके निषेधको उल्लांघकर परस्त्रीसंग्रहकरै वहीउसस्त्रीके पूर्वपतिका कियाहुआ ऋणउद्धारकरनेका अधिकारी होताहै-और-वार्त्तामें एकतौ यहनियमहै कि चारप्रकारकी स्वैरिणीस्त्रियोंमेंसे पिछली और तीनप्रकारकी पुनर्भूस्त्रियोंमेंसे पहिली इनदोस्त्रियोंको जो कोईसंग्रहकरै वह उनकेपूर्वपतिका कियाहुआ ऋणदेवै-यहनारदजीने कहाहै-यथा (परपूर्वाःस्त्रियस्त्वन्याःसप्तप्रोक्तायथाक्रममापुनर्भूस्त्रिविधातासांस्वैरिणीतुचतुर्विधा । कन्यैवाक्षतयोनिर्यापाणिग्रहणदूषिता । पुनर्भूःप्रथमानामपुनःसंस्कारकर्मणा । देशधर्मानवेक्ष्यस्त्रीगुरुभिर्याप्रदीयते । उत्पन्नसाहसान्यस्मैसाद्वितीयाप्रकीर्त्तिता । असत्सुदेवरेषु स्त्रीवांधवैर्याप्रदीयते । सवर्णायसपिंडायसातृतीयाप्रकीर्त्तिता ॥ स्त्रीप्रसूताऽप्रसूतावापत्यावेवतुजीवति । कामात्समाश्रयेदन्यंप्रथमास्वैरिणीतुसा । कौमारंपतिमुत्सृज्ययात्वन्यंपुरुषंश्रिता । पुनःपत्युर्गृहंयायात्साद्वितीयाप्रकीर्त्तिता । मृतेभर्त्तरितुप्राप्तान्देवरादीनपास्यया । उपगच्छेत्परंकामात्सातृतीयाप्रकीर्त्तिता । प्राप्तादेशाद्धनक्रीताक्षुत्पिपासातुराचया । तवाहमित्युपगतासाचतुर्थीप्रकीर्त्तिता । अंतिमास्वैरिणीनांयाप्रथमाचपुनर्भुवाम् । ऋणंतयोःपतिकृतंदद्याद्यस्तउपाश्रिते )अर्थात्-नारदने यहकहाहै किपूर्ववर्णितस्त्रियोंके सिवाय सातस्त्रियां और भी यथाक्रमसे कही हैं सो वहसातौ (परपूर्वा) कहलाती हैं इसलिये कि वे सातौ पिछला पहिला दोपतिवाली होती हैं उनमें दो भेद हैं अर्थात् सातमेंसे तीनप्रकारकी पुनर्भूकहलातीं और चारप्रकारकी स्वैरिणी होती हैं-तिनकेभेद लक्षणोंसहित अब कहते हैं कि-जो कन्या अक्षतयोनि पाणि-



ग्रहणमात्रसे दूषितहो अर्थात् केवल विवाहमात्रहोकर पतिसे संग जिसका एकरात्रि भी न हुआहो वरन अन्यभी किसीपुरुषका संसर्ग यदि न हुआहो सो अक्षतयोनि या अक्षताकहलातीहै वही कन्या यदिपतिका अभावहोजानेमें किसीको फिर विवाही जाय तौ पुनःसंस्कारहोनेकेहेतुसे पुनर्भूकहलाती और तीनोंभाँतिकी पुनर्भूमें यह प्रथम होतीहै-जो विवाहितास्त्री उत्पन्न साहसाहोजाय अर्थात् व्यभिचारवतीहोजाय और उसके माता पिता या श्वशुरआदि कोई गुरुजन अपने देशके धर्मों को विचारकर और किसीको योग्यसमझकर देदेतेहैं वह द्वितीया पुनर्भूकहलाती (देशधर्मोंका विचारकरना यह कि जिसके देश या जाति कुलकीमर्यादा अनुसार ऐसी उत्पन्नसाहसास्त्रीकाघरमें रखछोड़ना कोई भाँति स्वीकारनहींहोसक्ता वह किसी दूसरेको प्रदान करदेताहै परंतु ऐसेपुरुषको देनाउचितहोताहै कि जो कोई उसके लेने मिलनेकी अभिलाषारखनेके सिवाय सत्पात्रभीहो किंतु कुपात्रको नहीं) इस द्वितीया पुनर्भूका एक दूसराभेदभी (क्षतापुनर्भू) होतीहै उसका यह लक्षणहै कि अविवाहिता कन्या यदि उत्पन्न साहसा अर्थात् व्यभिचारवतीहोजाय और उसे उसके गुरुजन अपने देश धर्मोंपर दृष्टिकरके किसीऔरको विवाहिदेतेहैं सो भी द्वितीया पुनर्भूहोतीहै-इसकी अपेक्षामें (देशधर्मोंका विचार यह कि जिसकेसाथ उस कन्याका व्यभिचारहुआ वह पुरुष अपनेदेशकी परिपाटी या कुल जातिके अनुसार यदि कन्यादान योग्यनहीं है कि उसीको विवाहि देंवें तब किसीयोग्य पुरुषको देना (और) यदि वही पुरुष कन्या देने योग्यहो जिस्से उसका व्यभिचार हुआ तौ फिर अन्य पुरुष को देना अनुचित है किन्तु उसीको विवाहिदेनी चाहिये जिस्से वह पुनर्भूनहीं कहलासक्ती है ) पतिका अभाव होनेपर देवरोंके न होनेमें स्त्री के वान्धवलोग जब सवर्ण और सर्पिंडदेवरको स्त्री देदेते हैं वह तृतीया पुनर्भू कहलातीहै-ऊपर पुनर्भू के प्रदान मध्ये जो यह कहा गया कि (पतिका अभाव होजाने में) सोयहपतिका अभाव पांचप्रकारकाहोता और उसपक्षसे अपेक्षा रखताहै जो पराशरमुनिकावचन प्रसिद्धहै कि (नष्टेमृतेचप्रव्रजिते स्त्रीवेचपतितेपतौ । पञ्चस्यापत्सुनारीणांपतिरन्योविधीयते) अर्थात्-स्त्रियों को द्वितीय पतिका विधान जो कियाजाताहै सो वह पांचप्रकारकी आपत्तियोंपर होने की दशामें होताहै किन्तु उन पांचप्रकारोंमें से कोई एक आपत्कालके आपरनेमें अन्यपतिका विधानहोना चाहिये (यथा) एकतौ विवाहकियेपीछे पतिके (नष्ट) होजाने अर्थात् खोजाने किन्तु ऐसे देशान्तरको चलेजानेमें कि फिर कभी ढूँढ़नेसेभी पता जिसका न लगसके १-दूसरे (मृते) मरजाने में२- तीसरे (प्रव्रजिते) संन्यासी आदि होजाने में३- चौथे(क्षीये)नपुंसक निकलनेमें ४-पांचवें (पतिते) जातिसे पतित होजाने में अर्थात् किसी तीव्र पापके करने या किसीके (शून) में मिलजाने आदि कारणोंसे यदि सजाती

लोगों में सहभोज्यता योग्य न रहे सो पतित है ( यह तीनों पुनर्भू कहीगई अब चारौस्वैरिणी कहीजायँगी ) ( पुनर्भू ) पुनःपतिविधानहोनेसे कहातीहै और ( स्वैरिणी ) भी द्वितीयपति करिलेतीहै परंतु इन दोनोंके बीच उच्च नीच यह अंतरहै कि पुनर्भू तौ पतिके अभावमें शास्त्रोक्त मर्यादासे गुरुजनोंकेद्वारा सत्सम्मतिसे सत्कारपूर्वक प्रदानकरीजातीहै और ( स्वैरिणी ) अपनी इच्छासे पतिकेअभाव और अनभावमें भी चाहै तिसको करिलेतीहै और इसीहेतुसे स्वैरिणी अधमतरहोतीहै कि उसकी इच्छाकी स्वाधीनतामें कुछ यह भी नियमनहीं रहसक्ता कि जिसका आश्रयलिया सो लेचुकी किन्तु जैसे पहलोंको छोड़कर औरका आश्रयलिया तैसेही जब चाहै तब उसकोभी छोड़कर अन्यका आश्रयलेलेतीहै इसदशामें कुछ सवर्ण वा सजातीकाभी नियमनहीं रहताइसीसे स्वैरिणी जातिच्युत करदीजातीहै-अब चारभाँतिकी स्वैरिणीकहतेहैं कि-जिसस्त्रीके संतानहुईहो या न हुईहो ऐसी स्त्री यदिपतिके जीवतेहुयेआपही कामहेतुसे और किसीके आश्रयभूतहोजाय वह प्रथमास्वैरिणी कहातीहै-जो स्त्री संतानबिनाहुये कुमारअवस्थाकेपतिको छोड़कर किसी अन्यपुरुषके आश्रयहोजाय यद्वा संसर्गवती होजाय और कुछकालबीते फिर अपनेपतिके घरजावसै वह द्वितीयास्वैरिणीहोतीहै-जो स्त्री भर्ताकेमरेपीछे ( प्रात ) नाम उपस्थित देवरादिकोंको कि जिनका उसपर औचित्यहो तिन्हें छोड़कर कामहेतुसे परायेपासजाबैठे वह तृतीयास्वैरिणी कहलातीहै-जो किसीकी विवाहिता यद्वाधनक्रीताभीहो और वही किसीदेश विभागमें भूली भटकी किसीनेपाईहो अथवा यहभावहै कि किसीकी विवाहिता और किसीने किसीदेशविभाग मेंभूलीभटकीपाई उस पानेवालेसे कुछ धनदेकर मोललीहो-और-एक-वहकि जो कहीं भूलीभटकी आदि दशाओंमें भूखीप्यासी व्याकुलहोकर आपही आकर शरणहुईहो यहकहकर किमें तुम्हारीहोके रहूंगी यह दोनोंतीनों स्त्रियां चौथीस्वैरिणी कहलातीहैं-इन कहीहुई स्त्रियोंमेंसे चौथी स्वैरिणी और पहली पुनर्भू यह दोनों जिसके आश्रय होजायँ वह पुरुष इनदोनों के पूर्वपतिका कियाहुआ ऋणदेवै यह व्यवस्था नारदने कही-उन्हीं नारदने इसकहे हुये अधिकारी के सिवाय एक औरभी योषिद्ग्राह ऋण देनेका अधिकारी कहाहै यथा(यातुसप्रधनैवस्त्रीसापत्यावान्यमाश्रयेत् । सोस्यादद्या दृणंभर्तुरुत्सृजेद्वातथैवताम् ) (प्रकृष्टेनधनेनसहवर्त्ततेइतिसप्रधनावहुधनेनेतियावत्) अर्थात्-जो स्त्री बहुतसे धनके साथ यद्वा सन्तान सहित या दोनों वस्तुलेकर किसी अन्य पुरुषके आश्रयभूत होजाय वह पुरुष इसके पूर्वभर्ता का ऋण देवै अथवा उसस्त्री को वैसेहीधन सहित छोड़देवै ( इसवाक्यमें पूर्वपतिके मरने या न मरनेका कुछ नियमनहींहै)इसके सिवाय निर्धनस्त्री का संग्रह करनेवाला भी ऋणदेनेकाअधिकारीहोता है-तथाच- ( अधनस्यह्यपुत्रस्यमृतस्योपैतियत्स्त्रियम् । ऋणं वोढुःसभज

तेसैवचास्यधनंस्मृतम् )-अर्थात्-निर्धन और अपुत्र पुरुष मरेहुये की स्त्रीकासंग्रहजो कोई करताहै वही उसस्त्रीके विवाहनेवाले पतिकाऋणभजता है क्योंकि मृतपुरुषके छोड़ेहुये धनकेऊपर ऋणकाउद्धारहोना मुख्यतासे आरूढहै और इस निर्धनकेवही एकस्त्रिमात्रधन है सो उसने लिया तो वही इसके ऋणको देवे-इसलिये ऊर्ध्वोक्त इन सर्वकारणोंसे योषिदूग्राहभी असंभवनहींहै-और पुत्रका चर्चा यद्यपि ५१ के श्लोक में सर्वथा होचुकाहै परन्तुयहांपर ऋणदेनेके अधिकारियोंका क्रमपूराकरनेके निमित्त से फिर चर्चा कियागया और इसचर्चाका सिद्धांत यहहै कि ऋणदेनेका अधिकारी पुत्रही निश्चितहोचुकाहै ५१ के श्लोकमें उस बार्त्तासेयहबात प्रत्यक्षपाईजाती है कि पुत्रके होतेहुये ऋणदेनेका अधिकारी कोई और नहीं(तथापि)दो एकदशायहऐसीभी हैं किपुत्रके होतेहुये कोईदूसरापुरुष ऋणदेनेका अधिकारी होसक्ताहै अर्थात् रिक्थग्राह औ योषिदूग्राह इस्सेइसमेंभी कुछदोष नहीं-और पुत्रकेसाथमें अनन्याश्रित द्रव्ययह विशेषण जो दियागया सो इस निमित्तसे कि जब कई पुत्रहों औरपितानेकंगालीसे कुछ रिक्थनछोड़ाहो वरनऋणकरिगयाहो जिसकाउद्धार करनारिक्थकेन मिलनेपरभी पुत्रोंपर सामान्यभावसे ५१के श्लोकमें कहचुकेहैं कदाचित् उसमर्यादाके अनुसारश्रेष्ठ पुत्र हयकहनेलगे कि हम अपने अंशोंके समान ऋणउद्धार करेंगे किंतु येक्लीबादि हमारेभाईभी उसीपिताके संतानहैं इनकोभी निजअंशोंकेसमान ऋणदेनाचाहियेसो इसविवादकी शांतिके निमित्तसे यहचर्चायहांपर फिर कियागया कि जबकईपुत्रोंमेंसे कोई क्लीवांधवधिरादि दोषोंसे संयुक्तहोंजिनको इनदोषोंकेप्रभावसेपैतृक रिक्थका विभाग अगरधन होतातौभी नहीं मिलता और कुछ ऐसेहों जो सर्वलक्षण संपन्नहोनेसे पैतृक रिक्थअगरधन होतातौ निःसंदेहपाते-तब-ऐसी निर्धनतामेंभीवेहीपुत्रऋण देवें जिनकोधन मिलनेकाअधिकारथा अर्थात्वेक्लीव अंधवधिरआदि नहींदेनेकेअधिकारी हैं जिनकोरिक्थभाग मिलनेकाअधिकार धनहोनेपरभी नहींथा किन्तुकेवल पुत्रत्वसेही क्लीवादिकोंपर किसीउत्तमर्णका दावानहीं पहुँचसक्ता और यहव्यवस्था विशेषकर इस लियेकहीगई कि यदिश्रेष्ठपुत्र यहकहनेलगेकि हमअपनेहिस्साके अनुसार ऋणउद्धार करेंगे तब उनके इस कथनको अप्रामाण्य करिकै सब ऋणउन्हींसे दिलाना चाहिये क्योंकि यहाँपर (अनन्याश्रितद्रव्य) यह विशेषण उन्हींपुत्रोंकी अपेक्षा में वर्त्तमानहै किजो शुभलक्षण होनेसे धनपाने योग्यहों और वेक्लीवादिक पुत्रसदाही(अनन्याश्रित द्रव्य) कहातेहैं इसलिये कि उनके पिताकाधन अन्यभाइयोंके आश्रयहुआ करताहै और जोकि मूलश्लोक चौथेचरणमें यह कहागया कि(पुत्रहीनस्यरिक्थिनः) अर्थात्-पुत्रहीन रिक्थी जोमरे तिसकाऋण वेतीनों अधिकारी यथा क्रमसेदेवें सोयह (पुत्रहीनः)इसनिमित्तमेकहाहै किजिममरनेवाले केपुत्र और पौत्रभी नहींहोंतौवहनिःसंदेह

(पुत्रहीन) कहलाया और इहदशामें प्रपौत्र आदि जब उसका धनपावें तबवेभी ऋण देनेके अधिकारीहों अन्यथा जो वेरिक्थ नहींपावेंतौ ऋणदेनेके अधिकारी नहींहैं इस बातका निषेध ५१ की अधिकोक्तिमेंभी होचुकाहै और पुत्रपौत्र यहदोनों पैतृकरिक्थ के नहोनेपरभी ऋणदेनेके अधिकारी होतेहैं इसबातका निर्णय ५१की अधिकोक्तिमें होचुकाहै और नारदजीका वाक्यभी इसवार्त्तामें प्रमाणहै-यथा-(क्रमादव्याहतंप्राप्तंपुत्रैर्यत्रणमुद्धृतम् । दद्युःपैतामहंपौत्रास्तच्चतुर्थान्निवर्त्तते) अर्थात्-पिताका कियाहुआ ऋण क्रमसे (अव्याहत)नाम व्याघात रहित किन्तु जिसका(उपघात)नाम नाशकभी किसी प्रकारसे न कियागया हो ऐसा ठीकर ऋण निरन्तर चलाआया न तौ पितासे उद्धारहोसका और न उसकेपुत्रोंने उद्धारकिया ऐसा अपने पितामहका कियाहुआ ऋण पौत्र उद्धारकरैं चाहैं उन्होंने पैतृक धनपाया हो या न पायाहो इसका नियमनहीं परन्तु जोपौत्रोंसे भी उद्धार न होसकै तौ फिरवह ऋण चौथे पुरुषते निवृत्तहोजाता अर्थात् प्रपौत्रोंको उसकेदेनेका भारनहींहै पर उसीदशामें कि जो उन्होंने कुछवपौतीरिक्थन पायाहो किंतुजो वपौती रिक्थपाया हो तौ फिर उन प्रपौत्रों परभी ऋणदेने का भारहै-और यदि प्रपौत्रोंआदि के अभावसे मृतपुरुषके भाई या भतीजोंआदिने धनपाया हो तौवेभी ऋणदेनेके अधिकारी हैं इसहेतुसे (पुत्रहीनस्यरिक्थिनः) यहपद कहागया है-इसप्रकारसे जोकुछ इस ५२ के श्लोकमें कहागया सोसब निरवद्य है उसमेंकोई किन्तु नहीं लगसक्ता यह समाधान हुआ-अथवा-उन्हींतीनों अधिकारियोंका अधिकार क्रम इसप्रकारसे भी होसक्ता है कि पहला पुरुषधनग्राहीतौ प्रत्यक्ष है कि जो कोई जिसका धनहरै वहीउसका ऋणदेवै परन्तु जबधनकेन होने आदिकारणोंसे धनग्राही कोई नहीं है तब योषिद्ग्राही और पुत्र इनदोनोंका परस्पर अधिकार है अर्थात् यदिकोई योषिद्ग्राही नहींहै तबतौ पुत्रदेवै और पुत्रनहींहै तो योषिद्ग्राही देवै और यहपुत्रका न होना उसीमूल श्लोक चौथेचरणसे सांसिद्धहै कि (पुत्रहीनस्य रिक्थिनः) अर्थात् जो पुत्रहीन रिक्थीमरै तिसकाऋणयोषिद्ग्राहदेवै-रिक्थशब्दधनकावाचकहै और इसीसे(रिक्थी) वहकि जो कुछधन छोड़करमराहो और यहांपर रिक्थ नामधन उसमरेहुयेकी भार्याहै किन्तुभार्यारूपी रिक्थछोड़कर जोकोई रिक्थीपुत्र हीनमरा हो उसकीभार्या जोकोई संग्रहकरै वहीउसका ऋणभीदेवै-क्योंकि-अभीथोड़ी दूरऊपर यहवाक्य लिखचुकेहैं कि(अधनस्यह्यपुत्रस्यमृतस्योपैतियत्स्त्रियम् । ऋणं वोढुःसभजतेसैवचास्यधनंस्मृतम्) अर्थात्-निर्धन और अपुत्र पुरुष मरेहुये की स्त्री जोकोई संग्रहकरताहै वही उसका ऋणभजताहै क्योंकि वहस्त्रीही उसकाधनहै-अन्यच्च-योयस्यहरतेदारान्सतस्यहरतेधनम्) अर्थात् जोपुरुष जिसकीस्त्रियां हरताहै वह उसका धन हरनेवाला कहलाता है किन्तु स्त्रियोंका हरना और धनकाहरना यहदो-

मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

त एकसीहैं इसलिये उसका ऋण देना उसपर वैसाही भार है किजैसे धनग्राहीप-  
 ॥ है (अत्रापिशंका)क्योंजी योषिद्ग्राह के नहोने में पुत्रदेवै पुत्रके न होनेमें योषि  
 हदेवै यह परस्पर संबंधभी विरुद्धहै क्योंकि जबदोनों विद्यमानहों तबकोई भी न  
 हआशय इससे पायागया किन्तु जबदोमेंसे एक न हो तब दूसरादेवै(समाधान)  
 । इसबात में दोषनहीं है क्योंकि अंतिम स्वैरिणीग्राही और प्रथम पुनर्भू ग्राही  
 सप्रधनस्त्रीग्राही इनतीनोंके न होनेमें पुत्रदेवै औरपुत्रके न होनेमेंवह योषिद्ग्रा  
 वे कि जिसने निर्धन या निःसंतानी स्त्रीभी संग्रहकरी हो यह सिद्धांत है-यही  
 । नारदजी ने स्पष्ट भावसे कहीहै-यथा-( धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणभाग्योधनंहरेत् ।  
 ऽसतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारीधनिपुत्रयोः )-अर्थात्-धनग्राही योषिद्ग्राही पुत्र इन  
 नों के समवाय नाम इकट्ठे होतेहुये भी ऋणभाक् वही है जिसने धन हराहो और  
 । उस दशामें ऋण भाक्है कि यदि धनहारी और स्त्रीहारी यह दोनों नहों और  
 दे धनग्राही तथा पुत्र यह दोनों नहों तौ स्त्री हारी ऋण देवै जैसा अभी ऊपर कह  
 के हैं ( पुत्रके अभावमें स्त्री हारी देवै इस कथनसे जो कुछ विरोध प्रतिभास होता  
 । तिस का परिहार उसी प्रकारसे समुझना जैसा पहले वर्णनकर चुके हैं-मूलश्लोक  
 ॥ यै चरण में जो यह कहा है कि (पुत्रहीनस्यरिक्थिनः) इसकी व्याख्या पूर्वोक्त  
 ; सिवाय अन्यप्रकार से भी होती है-अर्थात्-धनग्राह योषिद्ग्राह पुत्र यह तीन  
 अधिकारी जो ऋणदेने के वहाँपर कहे हैं सो यह तीनों जो मृत पुरुष का ऋण देना  
 वाहें तौ किसको देने योग्य हैं यह बात अगर कहनी चाहें तौ उत्तमर्ण को देने  
 योग्यहैं कि जिसने अपना धन मृत पुरुष को ऋण की रीति से दिया था कदाचित्  
 उस उत्तमर्ण का अभाव हो गयाहो तौ उस के पुत्रादिकों को देने योग्य हैं कदाचित्  
 उसकेपुत्रादिक भी नहों तौ किसको देने योग्य हैं-इसअपेक्षा में वह पदवर्तमानहै कि  
 (पुत्रहीनस्य) अर्थात् ऐसेपुत्रहीन उत्तमर्ण के (रिक्थिनः-दाप्याः) किंतु उसपुत्रहीन  
 या पुत्रादिवंशहीन उत्तमर्ण का जो कोई सापिण्डआदि रिक्थीबनै अर्थात् उसकाधन  
 पावै तिसरिक्थीकोदेनेयोग्यहैं यहव्याख्या सिद्धहोतीहै- और इसकीटढ़ताभी नारद  
 जीके वाक्यसेहोतीहै- यथाहनारदः( ब्राह्मणस्यतुयदेयं सान्वयस्यचनास्तिचेत् । निर्व  
 पत्तत्सकुल्येषु तदभावेऽस्यबन्धुषु । यदातुनसकुल्याःस्युर्नचसम्बन्धिवान्धवाः । तदाद  
 याद्विजेन्यस्तुनेष्वसत्स्वप्सुनिक्षिपेत् )-अर्थात्-ब्राह्मणका जोकुछऋण अपनेकोदेना  
 हो और उसके अन्वयसहितकोईनहो तौ उसके सकुल्य जो ठेठघरानेमें प्रधानहों  
 तिनकोदेवे और जो वेभीनहींहों तौ उसब्राह्मणके बान्धवोंकोदेवे और बान्धवशब्दसे  
 उसकेसम्बन्धी नातेदारसमुझने- जबउमके कोई सकुल्य भी नहों और न कोईसम्ब  
 न्धी बान्धवजनहों तबअन्यब्राह्मणोंको वांटदेवे यदि ब्राह्मणभी न मिलसक्तेहों तब

किसी उत्तम तीर्थके जल में छोड़ देवे- कदाचित् यह संदेह किया जाय कि उसके सकुल्य अथवा बांधवोंके समवाय में किसको देना चाहिये तहाँपर दाय भागकी रीतिसे जिसको उसका रिक्थ पहुँचने का अधिकार हो तिसको देना चाहिये-यद्यपि यह वार्त्ता ब्राह्मण संबंधी ऋण की प्रधानता से कही गई तथापि औरों के भी ऋण विषय में यही व्यवस्था समुभलेनी ५२ ॥

अथ ऋणादानसंबंधितयाऽत्रैवचावश्यकत्वात् प्रातिभाव्यविधि

विवेकोनाम अष्टाविंशतिमः परिच्छेदः २८ ॥

इस अट्ठाईसवें परिच्छेदमें ऋणके संबंध मात्र हेतुसे ( प्रातिभाव्य ) नाम जमानत का प्रकार और जमानत कियेहुये ऋण का उद्धार जामिनपर और उसके निषेध आदि भी वर्णन होंगे और इसी प्रसंगमें कुछ गवाही आदि अन्य बातों का भी चर्चा होगा ॥

भ्रातृणामथदंपत्योः पितुः पुत्रस्यचैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्तेन तु स्मृतम् ५३ ॥

अक्ष० भाइयोंका और दम्पत्यों का और पितापुत्रका प्रातिभाव्य-ऋण-साक्ष्य-अविभक्तमें नहीं कहा ५३ ॥

अभि० परस्परभाई भाइयोंके तथा परस्पर स्त्रीपुरुष इनदोनोंके तथैव पिता और पुत्र इनदोनोंके परस्पर यहतीनबातें नहीं होसक्तीहैं एकतौ (प्रातिभाव्य ) नाम जमानत दूसरे (ऋण) का देना लेना तीसरे ( साक्ष्य ) नाम गवाही क्योंकि अविभक्तधनकी दशामें कि जबतक ये धन बांटकर जुदेनहोगयेहों तबतक मन्वादिकोंने यहतीनबातें इनके परस्पर होना नहीं कही किंतु होनेका निषेध किया है इसलिये कि जब एकही घरमें उनका धनमिला भुजा दोनोंका एक है तौ फिर एकदूसरेकी जामिनी क्योंकर देसक्ता है या परस्पर एक दूसरेसे ऋणकैसे लेसक्ता है या गवाही एकदूसरेकी क्योंकर देसक्ता है किंतु प्रातिभाव्य और साक्षित्व की अपेक्षासे इनमें जो कुछ द्रव्यहानि या व्यय एकका होना सम्भव है वही उसके दूसरे संबंधीका संभव है तीसरा ऋण जो है सो भी अवश्य ( प्रतिदेय ) अर्थात् किसीसे लिया हुआ अवश्यही उद्धारकरना होता है इनकारणोंसे यहतीनों काम उक्त सम्बन्धियोंके परस्पर होनेका निषेध है ५३ ॥

अधि० परन्तु यह निषेध भी तभी तक है कि जबतक उक्त सम्बन्धियोंके परस्पर अनुमति का अभाव हो किंतु जो उनदोनों सम्बन्धियोंके परस्पर प्रसन्नता पूर्वक इन कामोंके करनेकी सम्मति समयके अनुकूल ठहर जाय तौ फिर बिना वेंटे धनकी दशामें भी यहतीनों काम होसक्ते हैं वरनहोते हैं- और धनके विभाग उपरान्त परस्पर अनुमतिके बिना भी यहतीनों काम उक्त सम्बन्धियों में होते हैं (दृष्टान्त) यथा अविभक्त धनकी दशा में किसी उत्तमर्ण आदिने किसीपर नालिश करी और वह नालिश करनेवाला अभियोक्ता अर्थात् मुद्दई अपने अभियुक्त मुद्दआलेहकी अविश्वासतासे जामिनीचा है



या गवाहीचाहै और यहकहनेलगे कि इसमुद्दआअलेह काभाई जमानतदेदेवे यास्त्री देदेवे या पितादेदेवे या पुत्रदेदेवे या पतिदेवे जमानत अथवा गवाहीजोकुछ वहचाहता हो तिसकेमध्ये राजदरवार मेंभी प्रार्थनाकरै कि उनसे जमानत या गवाहीदिलवाई जाय तौवहांभी यहप्रार्थना उसकीनहीं सुनीजासक्ती-परन्तु जोवेही सम्बन्धी जनयह सुनकर या और किसी हेतुसे अपनेघरमें परस्पर दोनों अनुमति से प्रसन्नता पूर्वक जमानत या गवाही देनास्वीकारकरै तौहोसक्ता है और जो उनकेपरस्पर इसवातकी अनुमतिनहो तौ किसीकीप्रेरणसे नहींहोसक्ताहै-परस्परअनुमति-का दूसरा सिद्धान्त यहभीहैकि चाहै उनसम्बन्धियोंके परस्पर इसवातकीअनुमति स्वतः भी होरहीहोकि एकअपने दूसरेसम्बन्धी की गवाही या प्रातिभाव्य करनेपरउद्यतहै और उत्साहपूर्वक चाहताहै कि ऐसाकरै परन्तु जबतक मुद्दई और मुद्दआअलेह इनदोनों के परस्पर इसवातकी अनुमति और स्वीकारतानहो तबतक अविभक्तधनकी दशामेंऐसानहीं होसक्ता अर्थात् जोमुद्दई उनकेपरस्पर सम्बन्धियोंकी गवाही या जामिनी स्वीकार न करै तौ राजाभी ऐसाकरनेकी आज्ञानहीं देसक्ता और जो मुद्दईअपने मुद्दआअलेह की अपेक्षाअनुकूल यहवातें स्वीकारकरै तौ होसक्तीहै-और-जिसदशामें कि वे उक्त सम्बन्धीजन अपना २ साधारणधनवाँटकर जुदेहोरहेहों तबतौ विशेषतर किसीकी भी परस्पर अनुमतिकी आवश्यकतानहीं अर्थात् कार्यके और अवसरकेअनुसार जैसा उचितहो तैसाही वर्त्तावाहोसक्ताहै-तीसरे ऋणकीअपेक्षामें परस्परअनुमति केवल उन्हींदोनोंसम्बन्धियोंकी समुभीचाहिये अर्थात् अविभक्त धनकीदशामें कि जब घरमें दोनोंकाधनएकहै तब दोनोंकेपरस्पर ऋणदेनेलेनेकाव्यवहार ऐसाहोताहै कि घरकेसाधारण धनकेसिवाय जो मनुष्यअपनेपास किसीप्रकारकीजुदीपूँजीराखताहै कि जिसमें हिस्सावाँटकेसमय उसकेदूसरेसम्बन्धीका विभागनहींपहुँचसक्ता वह मनुष्य अपने ऐसेधनमेंसे दूसरेसम्बन्धीको परस्परअनुमतिपूर्वकऋणदेताहै और दूसरा उस्सेलेताहै और व्याजभीदेताहै इसरीतिसे अविभक्तधनकीदशामें भाई भाई और स्त्रीपुरुष और पितापुत्रकाभी देनलेनहोताहै-(संशय)-क्योंजी दम्पती इनदोनोंकेधन विभागसे पहलेजो प्रातिभाव्यआदिका निषेधकिया सो तौ अयुक्तहै क्योंकि स्त्रीपुरुषका विभागहीनहींहोता तौ फिर यहविशेषण भीअनर्थकहै-और इनकाविभागनहोना नी आपरतंबऋषिनेदर्शायाहै-तथाच-जायापत्यार्नविभागोविद्यते-अर्थात्-भार्या और पतिका विभागनहींपहुँचता-(समाधान)-सत्यहै यहवात जो संशयरूपसेकही परन्तु इसमें यहविशेषताहै कि श्रौत और स्मार्त इनअग्नियोंमें जो कर्मसाध्यहोते हैं तिन कर्मोंमें और उनकेफलोंमेंभी भार्यापतिकाविभागनहींहै पर सभीकर्मोंमें या द्रव्योंमें विभागका अभावनहींहै-तथाच-जायापत्यार्नविभागोविद्यते-अर्थात्-भार्यापतिका वि-

भागनहींपहुँचता यहकहकर आपस्तंबने (क्योंनहींपहुँचता) इस अपेक्षामें हेतुभी वर्णनकियाहै-यथा-पाणिग्रहणाद्विसहत्वंकर्मसुतथापुण्यफलेषुच-अर्थात्-स्त्री पुरुष के पाणिग्रहणसे लेकर पीछे ( हि ) जिसहेतुसे कर्मों में और पुण्यफलों में (सहत्व) नाम साभाहोजाताहै इसलिये उनकर्मों यद्वा पुण्यफलोंका विभागनहीं होसक्ता-इस्से यह निश्चितहै कि अग्निके आधान में दोनोंका सहअधिकारहोनेसे उस आधानसिद्ध अग्निमें जो कर्मसाध्यहोते हैं कि तिनमें भी दोनोंका सहाधिकार है तथैव-योगी श्वरभी आचाराध्याय के ९७ श्लोक में ( कर्मस्मार्त्तविवाहाग्नौ ) इत्यादि वाक्य से कहचुकेहैं कि गृहस्थी नित्यंप्रति विवाह सिद्ध अग्निमें स्मार्त्त कर्मोंकोकरै-इस्से यह निश्चित है कि विवाह सिद्ध अग्निमें जो २ कर्मसाध्यहोते हैं उनमेंभी दोनोंका सह अधिकारहै-इस्से यह सिद्धांतप्रकटहुआ कि अत्रोक्त दोनों भाँतिकी अग्नियोंसे जो २कर्म भिन्नहैं अर्थात् इन अग्नियोंसे कुछ अपेक्षानहींरखते ( दृष्टांत ) जैसे ( धूर्त्त-कर्म ) अर्थात् तड़ागवनवाना कूपवावड़ी आदि या बागरखवाना इत्यादि नानाकर्म जो इन अग्नियोंसे अपेक्षानहींरखते तिनमें भार्या और पतिका अधिकार जुदा २ भीहोताहै अर्थात् स्त्री चाहै अपने पतिसे भिन्न एक तड़ाग या बाग आदि अपने नामसे पतिकी आज्ञा पूर्वक बनवालेवै तौ कुछ उसमेंपतिका साभानहींहै-और-जोकि पतिकेकियेहुये पुण्यकर्मों के फलोंमें तथैव स्वर्गादिकी प्राप्तिमें स्त्रीका साभा ( दिवि-ज्योतिरजरमारभैयाताम् ) इत्यादि वेदवाक्योंसेप्रसिद्धहै तिसमेंभी सिद्धांतयहीहै कि जिन २ पुण्यकर्मोंमें कर्त्तव्यतारूपसे सहअधिकारहै जैसे किसीपर्व और तीर्थमें गो दान यद्वा शय्यादानआदि गँठिवन्धनपूर्वककियाजाय या कोई यज्ञ जिसमें स्त्रीपुरुष दोनोंकोसाथमिलकर कुछकर्मकरनेका अधिकारहो ऐसेपुण्यकर्मोंकेफलोंमें निःसंदेह स्त्रीकासाभाहोताहै-परन्तु-पूर्त्तादिकर्म जो पतिकी आज्ञापूवक स्त्रीनेभिन्नअनुष्ठितकिये हों उनकेफलोंमें कुछपतिकासाभानहींहोसक्ता ( तर्क ) भला यहसमाधानतौठीक है परन्तु घरकीसम्पत्ति और स्वामित्वमेंभी स्त्रीपुरुषदोनोंकासहत्व शास्त्र और लोकमें भी प्रसिद्धहै एवं द्रव्यकेपरिग्रहमेंभी दोनोंकास्वामित्व एकसाहोताहै ( परिग्रह ) अर्थात् बाहरसेआयेहुयेधनका धरनाउठाना यह विशेषतर स्त्रीकेआधीन इसीलियेहोताहै कि स्त्रीकाभी स्वामित्व उसधनपर उसीसमानहोताहै कि जैसापतिकाहोताहै सोई इस अत्रोक्त वाक्यसेभी संसिद्धहै-यथा-द्रव्यपरिग्रहेषुचनहि भर्त्तुविप्रवासेनैमित्तिकेदानेस्तेय मुपदिशंति-अर्थात्-द्रव्योंके परिग्रहनामधरना सैतना आदि भार्याकेआधीनहोनेमें भर्त्ता यदि बहुत कालतक विदेशमें रहेतबघरमें यदिस्त्री नैमित्तिक दानमें स्वाधीनता सेकुछधन खर्वकरेसौ इसखर्वको भर्त्ताकी चोरीनहीं कहतेहैं(समाधान) सत्यहै यहवा क्यभी क्योकि इसवाक्यने द्रव्योंमें स्त्रीकाभी स्वामित्व दर्शाया सो यह ठीकहै परन्तु

ऋणहोतौ उसके पौत्रदेवें परन्तु (समं) अर्थात् मूलमात्र जितनादादाने लिया हो वही देवें किंतु व्याज वृद्धि नहीं-और-पुत्र अपने पिताका प्रातिभाव्य ऋणभी देवें अर्थात् पिताने किसीकी जमानत करीहो तौ उसके मरनेपर वह ऋणपुत्रदेवें परन्तु (समं) अर्थात् जितने की जमानत पिताने करीहो उतनाही देवें किंतु कालविलंबका व्याज नहीं देवें-इसके सिवाय-इनदोनोंके पुत्र नहीं देने योग्य हैं यह सर्वथा निश्चित है अर्थात् ऋणखानेवाले दादाके पौत्रका पुत्र और जमानत करनेवाले पिताके पुत्रका पुत्र यहदोनों नहीं देवें यह व्यासजीने कहा तथापि यदि इन्हींदोनोंने पैतृक रिक्थ पायाहो तौ यह भी देवें अर्थात् जो पैतृक रिक्थ नहीं पायाहो तौ उसदशामें न देने योग्य हैं जैसा ५२ की अधिकोक्ति और ५३ की अधिकोक्तिमें चर्चा हो चुका है उसीसे यह व्यवस्था भी समझनी-और-जो कि एक यह स्मृति है कि (खादको वित्तहीनः स्यात् लग्नको वित्तवान् यदि । मूलंतस्य भवेद्देयं न वृद्धिं दातुमर्हति)-अर्थात्-(खादक) नाम ऋणखानेवाला यदि निर्धन हो और इसीहेतुसे उसपर ऋण टूटा और उसका (लग्नक) नाम प्रतिभू अर्थात् जामिन यदि सधन हो तौ उस ऋणीके बदले उत्तमर्णका मूलमात्र धन देय है वृद्धि देनेको योग्य नहीं-सो-इसकी भी व्याख्या इसी प्रकारसे समझनी कि प्रतिभू यदि धनवान् हो और वह मर जाय तौ उसका पुत्रमूलमात्र देवें वृद्धि नहीं देवें अर्थात् साक्षात् प्रतिभू के जीवतेहुये उसपर वृद्धि देना भी संभवित है यहदान प्रतिभूका चर्चा है-और-जहां दर्शन प्रतिभू या प्रत्यय प्रतिभू जिसकी जामिनी करै उससे अपने संतोषके लिये कुछ धन बंधकरूपसे लेकर उसका प्रतिभू बने और मर जाय तब इसके पुत्र भी उस बंधक धनसे अपने पिताका प्रातिभाव्य ऋण देवें-तथाह कात्यायनः (गृहीत्वा बंधकं यत्र दर्शनेऽस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात्तस्माद्वाप्यः स्यात्तदृणं सुतः)-अर्थात्-जहां बंधक धन लेकर इसके हाजिर करनेमें प्रतिभू खड़ा हुआ हो तहां पित्रा विना भी अर्थात् उस जामिनी करनेवाले पिताके मर जाने या दूर देश चले जानेपर भी वह ऋण उसका पुत्र उस बंधक धन से दिलवाने योग्य है ५५ ॥ अब नीचेके श्लोकमें यह बात कहेंगे कि जिस प्रयोगमें अनेक प्रतिभू हुयेहों और उन्हींको ऋणीके बदले धन देना परै तहां किसरीतिसे देना लेना उचित है ॥

बहवः स्युर्यदि स्वांशैर्दयुः प्रतिभुवोधनम् । एकच्छायाश्रितेष्वेधुनिकस्य यथारुचि ५६ ॥

अक्ष०-यदि बहुत प्रतिभू होवे तौ अपने अंशोंसे धन देवें-इन्हींके एक छायाश्रित होने में धनीकी जैसी रुचि हो ५६ ॥

अभि०-जिस प्रयोगमें बहुतसे प्रतिभू अर्थात् मुकदमा बहुत बड़ा हो जिसमें दो या तीन वा अनेक प्रतिभू खड़े हुयेहों तौ वे सभी अपने अंशोंके अनुरूप धनीका धन देवें और अंशोंके अनुरूपका यह सिद्धान्त नहीं है कि यदि चार ४ प्रतिभू हुयेहों तौ चौथाई २ वरावर सब देवें किन्तु यह सिद्धान्त है कि उन्हांने जितने २ की जामिनी करीहो उतना

अपने अंशोंके अनुरूप देवें (दृष्टान्त) यथा एकमुक्कदमा एकसहस्ररूपयेका तिसमें एक प्रतिभूने केवल १००) की जमानतकरी शेष तीनोंने तीनतीन ३००) सौकी ऐसी दशामें अपने २ अंशोंकालेखा देखाचाहिये-यद्वा-यद् अनेकप्रतिभू इसरीतिसेनहुयेहों किन्तु सभीमिलकर (एकछायाश्रित) हुयेहों अर्थात् अंशोंकानियमकियेबिना सभी मिलकर साधारण भावसेजामिन हुये हों और इसदशामें ऋणीनेउनको धोखादिया हो तब कुछ अंशोंकी आवश्यकता नहींहै किन्तु उत्तमर्णकी जैसीरुचि हो उस रुचिके अनुकूल उनसे लेसक्ताहै अर्थात् ऐसे प्रातिभाव्यकी दशामें धनीचाहै उन चारो या पांचों जो कुछहों तिनसे तुल्यांश लेवै अथवा उनमेंसे किसीएकहीको समर्थ समुभै कियह साराधन देसक्ताहै तौ उसएकहीसे भरिलेवै इसप्रकारसे कि जानो इसएकही ने जामिनीकरीथी कोई और जामिन इस अभियोग में नहीं है या दोसेउचित समुभै तौ दोसे लेवै औरों से न मांगै किन्तु जैसा अवसरदेखै तैसा अपनी रुचिके अनुसार करसक्ता है यहव्यवस्था केवल दानप्रतिभूकी अपेक्षा में कहीगई परइसी के अनुसार पूर्वापर आलोचनपूर्वक ( दर्शनप्रतिभू ) और ( प्रत्ययप्रतिभू ) इन दोनोंमें भी मुक्कदमाके स्वरूप के अनुरूप युक्त करलेनी चाहिये ५६ ॥

अधि०-एकछायाश्रिताः-( एकस्यअधमर्णस्यछायासादृश्यंतामाश्रिताः ) अर्थात् (एकछायाश्रित) इनको इसलिये कहते हैं कि एकही जो ऋणीहै तिसकी (छाया) नाम समान भावको आश्रित होजाते हैं क्योंकि जैसे ऋणी अपने समस्त ऋण के देनेका अधिकारी होताहै तैसेही यह अनेक प्रतिभू भी धनी के सन्मुख भिन्न २ प्रत्येक अपनी छाती ठोंक कर स्वीकार करलेते हैं कि यदि यह नहीं देवै तौ हम तुमको देन दार हैं इसहेतुसे प्रत्येक प्रतिभू ऋणीका समस्त ऋण उद्धार करने में अधिकारी होजाताहै पुनि इसीहेतुसे धनी अपनी रुचि और अवसरके अनुकूल किसी एकसे भी साराधन लेसक्ताहै-और ( धनी ) शब्दसे उत्तमर्ण केवल वही नहींहै कि जिसने अपने हाथसे धन दियाथा अर्थात् वहभी धनीहै कि जो कोई धनी का रिक्थाधिकारी आदि उसकी ओरसे धन संबंधीकामोंकी साधनामें तत्परहो ( एकछायाश्रित ) अनेक प्रतिभू पुरुषों में से यदि कोई एक देशांतरको गयाहो और पुत्र उसका घर उपस्थितहो तौ भी धनी की रुचिमें यदि वही एक देने योग्य समुभा जाताहो तौ उसके पुत्रसे सब दिलवाना चाहिये-और-यदि कोई प्रतिभू इनमेंसे मरगयाहो तौ उसके पुत्रपर पिताके देने योग्य अंश विना व्याज मूलमात्र दिलवाना चाहिये यथाहकात्यायनः ( एकछायांप्रविष्टा नांदाप्योयस्तत्रदृश्यते । प्रोषितेतत्सुतःसर्वं पित्रंशंतुमृतेसमम् ) अर्थात्-कात्यायनजी नेयह कहाहैकि ( एकछायारूप ) जामिनी में प्रविष्टहुये लोगोंमेंसे वह दिलवाने योग्य है जो वहाँपर देखपरता हो अर्थात् देसकने योग्य समर्थ संभावितहोताहो और यदि

वही विदेशवासी होजायतौ उसका पुत्रअपने पिताके देनेयोग्य सारा अंश दिलवाने योग्यहै परन्तु यदि मरजाय तौ उसका पुत्रविनाब्याज केवल मूलमात्र दिलवाने योग्य है ५६ ॥ (दर्शनप्रतिभू) जिसने हाजिर जामिनी करी हो कदाचित् वह यथोचित समय पर ऋणीके उपस्थित कर देनेमें असमर्थ हो तब ऋणीको ढूँढलानेके निमित्त से डेढ़ मासकी अवधि और भी देनी चाहिये जो उस डेढ़ मासकी मीआदमें ऋणीको लाकर उपस्थित करै तौ प्रतिभू को छोड़देना चाहिये यदि नहीं हाजिर करै तौ ऋणीके पलटे उसी प्रतिभू से धन दिलवाना चाहिये तथाच कात्यायनः (नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूर्भवेत् ॥ काले व्यतीते प्रतिभूर्यदितं नैव दर्शयेत् । निबंधं दापयेत्तत्तु प्रेते चैष विधिः स्मृतः ) अर्थात्-भगे या लुकेहुये ऋणीके ढूँढने को तीन पक्षकी अवधि और भी देनी चाहिये जो यह प्रतिभू तीनपक्षमें लाकर दिखलावे तौ प्रतिभू छोड़दिया जावै और जो तीन पक्षके काल व्यतीत होनेपर भी उसको नहीं दिखलावै तौ वही प्रतिभू उसके पलटे निबंधरूप धन देवै औरयही विधि ऋणीके मरजानेपर भी कहीहै-कात्यायनजी ने लग्नक विशेष निषेध भी किया है अर्थात् अमुकामुक मनुष्यों को प्रतिभू नहीं बनावै यह निषेध कियाहै-यथा ( नस्वा मीनचवैशत्रुः स्वामिनाधिकृतस्तथा । निरुद्धो दंडितश्चैव संदिग्धश्चैव न क्वचित् ॥ नैवरिक्थी न मित्रं च न चैवात्यंतवासिनः । राजकार्यनियुक्तश्च ये च प्रव्रजितानराः ॥ नाश क्तो धनिने दातुं दंडं राज्ञे च तत्समम् । नाविज्ञातो गृहीतव्यः प्रतिभूश्च क्रियां प्रति ) अर्थात्-जो ऋणीका स्वामी हो १ या शत्रु हो २ या स्वामी करके अधिकृत अर्थात् स्वामी का मुखतारकार आदि कोई अधिकारी हो ३ या कोई पुरुष निरुद्ध जो आप किसी के बंधनमें पराहो ४ या (दंडित) जिसने किसी अपराध में अदालत से दंडक भी पायाहो ५ या (संदिग्ध) जिसमें किसी प्रकारका संदेह पायाजाता हो अथवा ब्रह्म-हत्या आदि कोईसा कलंक जाति विरादरी में लगा हो ६ या उसका ( रिक्थी ) जो उसके बाद उसका धनपानेका अधिकारी हो ७ या उसका मित्रहो ८ या (अत्यंतवासी) अर्थात् नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो ९ या ( राजकार्यनियुक्त ) जो सरकारी ओहदेदारहो १० या (प्रव्रजित) नाम संन्यासी आदि किसी पंथवालाहो ११ या कोई ऐसा पुरुषहो जो ऋणीके बदले धनीको धन देने और उस मुकद्दमे के समान राजाको आवश्यक दंड देने में अशक्तहो १२ या कोई ऐसा ( अविज्ञात ) पुरुष हो जिसका निवास और धन प्रतिष्ठा आदि लक्षण न मालूमहों १३ इन नेरह पुरुषों का प्रातिभाव्य किसी क्रियामें स्वीकार न करना चाहिये क्योंकि इस प्रकारके जामिनों का जमानत लेनेमें पीछे और प्रकारके विधन न देहो जातेहैं-परन्तु-इनमेंने दोचारपुरुष ऐसेभीहैं कि उनकी जामिनी इसनिषेध के होनेपर भी कभी किसी आवश्यकता और अन्य जामिनके न मिलनेपर मुकद्दमे

डौल सुडौलदेखकर लेलेनी संभवहै सो भी उसदशामें कि यदि राजाकेद्वारा जालीजाय-अर्थात्-एकतौ (स्वामी) जिसका वह ऋणी नौकरहो किसीदशामें जाली उसकी राजा उचितसमुझै तौ होसकीहै ऐसेही स्वामीके अधिकृतोंकीभी यदि योग्यतासमुझीजाय तौ राजाकी इच्छासे होसकीहै ऐसेही किसीदशामें ऋणीके मित्रपर योग्यतापाईजातीहो तौ सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे होसकीहै-ऐसेही कदाचित् राजकार्याधिकारियों कीभी जमानत किसी मुकदमह में औचित्यपाकर होजातीहै सोभी यदि उसीअदालतके अधिकारीहों जिसमें वह अभियोगहै तौ फिर निपट नहींहोसकीहै-इनके सिवाय उन तेरहमें और कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी जामिनी किसी दशामें स्वीकारकरिलेनीचाहिये ५६ ॥ इतिप्रतिभुविधिः ॥

अथऋणादानसंबंधेप्रतिभूदत्तस्यप्रतिक्रियाविधिविवेकोनामैकोनत्रिंशःपरिच्छेदः २६  
इस उनतीसवें परिच्छेदमें ऋणके संबंधसे उसधनका चर्चाहोगा जो प्रतिभूने ऋणीकेपलटेदियाहो जिसका ऋणीसेलेलेनाउचितहै अमुकामुकनियमोंसेलियाजावै॥

प्रतिभूर्दापितोयत्तुप्रकाशंधनिनांधनम् । द्विगुणंप्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्यतद्भवेत् ५७ ॥

अक्ष०—धनीलोगोंका जो धन प्रकाशमान प्रतिभूसे दिलवायागयाहो वह धन उसका ऋणीलोगोंकरके दूना प्रतिदातव्यहोवै ५७ ॥

अभि०—ऋणीके विश्वासघातसे जो कुछधन जामिनीमध्ये प्रतिभूने या उसके अभावमें पुत्रोंने धनीसे उपपीड़ितहोनेपर सबजनोंके सन्मुखभाव राजाकरके दिलवाया हुआ दियाहोवै वह उसका ऋणीसे दूनादिलवायाजावै ५७ ॥

अधि०—प्रकाशमान सबजनोंके सन्मुख और धनीसे उपपीड़ितहोने अर्थात् छिष्ट तगादाहोनेपर तथा राजाकरके दिलवायाहुआ जो धन प्रतिभूदेवै सो दूनाकरके पासक्ताहै इनवातोंका यह सिद्धांतहै कि जो कोई प्रतिभू कदाचित् इसलोभके विचारसे कि जामिनीमध्ये ऋणीके पलटेदियाहुआ धन दूना मिलताहै आपही जाकर बिना माँगे या राजाके दिलवायेबिनाचुपचाप ऐसादेआवै कि जिसका देना लेना प्रकट न होसकै तौ यह धन ऋणीसे दिलवानेयोग्य नहीं और यदि देनालेना सिद्धभीहोजाय तौ भी यह देना द्विगुणनहींमिलसक्ता-तगादा आदि उपपीड़ाहोनेपर दियाहुआधन द्विगुणमिलनेकी अपेक्षामें नारदजीका वचन प्रमाणहै-यथा (यंचार्थप्रतिभूदद्यात् धनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तंप्रतिभुवेद्विगुणंप्रतिदापयेत्) अर्थात्-धनीसे उपपीड़ितक्रिया प्रतिभूऋणीके पलटे जो कुछधनदेवै वह धन ऋणी प्रतिभूकोदूनाकरकेदेवै-द्विगुण भी इसवचनके आरंभ सामर्थ्यहेतुसे काल विशेषके विलंबहुये विनाशीघ्रही दातव्यहै सो भी यह द्विगुण परिमाण केवल (हिरण्य) अर्थात् सोना चाँदी आदि द्रव्योंके विषयपर कहाहै किंतु अन्य पश्वादि द्रव्योंका विषय अगले ५८ के श्लोकमें देखो—



कदाचित् कोई-यह (शंका) खड़ीकरनाचाहै कि यह प्रतिभू संबंधी वचन अर्थात् ५७ का श्लोक केवल द्वैगुण्यमात्रका प्रतिपादनकरताहै किंतु शीघ्रदेनेकी समरया इसमें नहींपाईजातीहै सो वह द्विगुणहोजाना भी पूर्वोक्तरीति जो ३८ के श्लोकमें कहचुकेथे उसरीतिके अबाधसेही सिद्धहोसक्ताथा (जैसे) जातेष्टिकर्मका विधान शुचित्वके अबाधमें होताहै अर्थात् नांदीमुख श्राद्ध आदिकर्म जबतक नालच्छेदनके न होनेतक सूतक नहींलगता तभीतकहोसक्ताहै तैसेही यहाँ भी कालके बिलंबसे व्याज वृद्धिके नियमानुसार जब दूनादेनेकी अवधि पूर्वोक्तरीतिसे आजाती तब आपही दूनादियाजाता-औरभी यहतर्क है कि यदि इसवचनको ४० श्लोक में कहीहुई मर्यादाअनुसार परावृद्धि जो है सोई इसमें तत्काल व्याजदेनेका नियम समुभाजाय तो भी ठीकनहींलगता है क्योंकि यहाँपर अगले ५८ के श्लोक में पशु स्त्रियोंकी संतति देना कहेंगे तो फिर यह असंभवहै कि तत्कालही पशु स्त्रियों के यदिसन्तति नहो तो सन्ततिका मूल्य देना चाहिये सो यहवात असत् है-और-जबकि ४० के श्लोकमें (वस्त्रधान्याहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणापरा) इसीवाक्यसे दूना तिगुनाआदि सब नियमसिद्ध होचुकाथा तो फिर यहद्वैगुण्यमात्र के विधानका वचनही यहाँपर अनर्थकहै(समाधान)सुनो अनर्थकनहींहै यहवचनकेवलप्रतिभूकेही विषयपरआरम्भ कियागया और पशुस्त्रियोंकी तत्कालसन्ततिका अभावतौ एकओर परन्तु जहाँकाल क्रमकीवृद्धिसे पशुस्त्रियोंकी सन्ततिदेनीकहीहै उसपक्षमें भी जबसन्ततिका अभाव होताहै तबकेवल उनपशुस्त्रियोंका स्वरूपहीदियाजाताहै ऐसेहीयहाँभी सन्ततिके न होनेमें केवलस्वरूप दानहोसक्ताहै इसकेसिवाय यदिप्रतिभू ऋणीके पलटेद्रव्यदेनेके अनन्तर थोड़ेहीकालमें ऋणीसे तगादाकरने को भिड़जाय तौभीकहीं इसदशामें सन्ततिकाहोना सम्भव है क्योंकि जब कोईसीपशु स्त्री प्रतिभूने उत्तमर्णको गर्भिणी दीहोगी तौ अवश्यउसके घरजाकर व्यावैगी तौफिर प्रतिभूभी ऋणीसे सवत्सालेने का अधिकारीहै यद्वाइतनाकाल व्यतीतहोगया होकिवहपशुस्त्री उत्तमर्णकेघरजाकर गर्भिणीहुईहो तौभीवह सवत्सालेनेका अधिकारीहै यद्वा पूर्वसिद्ध सन्ततिजो उसपशु स्त्रीकेसाथ अतिवालकदीगईहो और वहकुछकालमें उत्तमर्णके घरसमर्थहुईहोतौ उसीके समान सन्ततिपानेका अधिकारी प्रतिभू होसक्ताहै इसलिये यहतर्क भी कुछतर्कोंमेंगिनतीनहीं-औरजो-ऐसेही तर्कोंसे अन्यथाभाव होसक्ताहो तौफिर कदाचित् प्रतिभूने किसीकेसाथ प्रीतिमेही प्रातिभाव्य कियाहो और दैवयोग्यसे प्रतिभूकेही ऋणदेनापरे तौफिर क्याइसमें जबकि प्रीतिदत्त प्रातिभाव्य ठहरा तौ कदाचित् दूना नहींलेसक्ताहै क्योंकिप्रीतिदत्त ऋणके ऊपरतबतक व्याजही नहींचढ़सक्ता किजब तत्तवह अपनीप्रीतिने उसपर न माँगे-तथाच (प्रीतिदत्तन्तुयत्किञ्चिद्धर्द्धतेनत्वयान्नि

तम् । याच्यमानमदत्तञ्चेद्वर्द्धतेपञ्चकंशतम् ) अर्थात्-जो कुछ ऋण प्रीतिद्वारादिया गयाहो वह जबतक धनमाँगानहींजाय तबतकव्याज वृद्धिउसपर नहींमिलसक्ती और जोमाँगनेपर भी वह न देवे तौधनीको स्वाधीनताहै कि यदिपाँचरूपया सैकड़ातक व्याजलेनाचाहै तौ लेसक्ताहै-इसलिये जो प्रतिभूके दियेहुये धनकोइसी५७के मूल श्लोकद्वारायह भावार्थसमुझलेवे कि पूर्वोक्त ऋणकीरीतिसे यहांभी जबदूनादेनेयोग्य कालव्यतीतहो तभीदूनादेना चाहिये किंतुतत्कालही दूनानहीं-तौफिर-जहांपूर्वोक्त ऋणकी रीतोंमें प्रीतिदत्त ऋणकाचर्चा लिखागयाहै उसपरभी ऋणदेनेके दिनसेही विनामांगेभी व्याजवृद्धिहोनी चाहिये और जबद्विगुणदेने योग्यकाल व्यतीतहो तब उसप्रियतम सेभीचाहै कभीबीचमें तगादाकियाहो या न कियाहो परदूनालेलेनाचाहिये यहवातऐसी तर्कोंसेपाईजातीहै सो सर्वथा अनुचित और लोकशास्त्रदोनोंसे विरुद्धहै इनकारणोंसेयहसखीतर्कें सर्वथाव्यर्थहैं और५७के मूलवाक्यमें कहेहुये प्रमाण सेप्रतिभूदत्त धनकीवार्तामें उसवचनकी प्रतीति नहींहोसक्ती है कि जिसमें कालक्रम सेदूना देनाकहाहै अर्थात् सर्वथायह सिद्धान्तहै कि जैसा ५७ केमूलवाक्यमें लिखाहै (द्विगुणम्प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्यतद्भवेत्) इसकथनके अनुसार प्रतिभूदत्त धनशीघ्र-हीदूनादेनेका प्रमाणठीकहै इसमेंकिंचित्भी अपेक्षा कालक्रमसे दूनाहोनेकीनहींहै क्योंकि यहवचन केवलइसी विषयके निमित्तमें आरम्भकियागया और इसमें कोई सा विशेषणभी ऐसानहींहै कि जिस्से कालक्रमसे वृद्धिहोनेका सम्बन्ध पायाजाय इसलिये कालक्रमकी यहांपरउपेक्षाहै और मूलवाक्यमें जो कुछकहासो सबयथोचित कहा ॥ ५७ ॥

सन्ततिःस्त्रीपशुष्वेवधान्यन्त्रिगुणमेवच । वस्त्रंचतुर्गुणंप्रोक्तरसस्याष्टगुणस्तथा ५८ ॥

पक्ष०-पशुस्त्रियोंमेंसन्ततिही औरधान्यलिगुनावस्त्रचौगुनेकहेतथारसकाअष्टगुण५८

पक्षि०-पशुस्त्री गऊभैंसआदि जो प्रतिभूकोऋणीके बदलेदेनीपरीहोतौ उसकावृद्धि में केवलसन्तानमात्र प्रतिभूपासक्ताहै और कुछनहीं- यदिप्रतिभूको नाजआदि कोई धान्यदेनापराहो तौ ऋणीसे त्रिगुण पानेका अधिकारी है-यदि प्रतिभूको वस्त्र देनेपर हों तौ चौगुने पानेका अधिकारी है-यदिप्रतिभूको तैल घृतआदि कोईरसदेनापराहो तौ आठगुणातक पानेकाअधिकारीहै ५८ ॥

पक्षि०-ऊर्ध्वोक्त अभिप्रायार्थमें कहेहुये नियमोंका सिद्धांत ४० के श्लोक मूलसे संबंध रखताहै अर्थात् सोना चांदीआदिके द्विगुणवत् परावृद्धिजैसे ४० के श्लोकमें भिन्न वस्तुओंपर कहचुकेहैं वही परावृद्धि यहां प्रतिभूदत्त वस्तुओंपर कालविशेषकी उपेक्षापूर्वक शीघ्रहीदेनेयोग्य है-यद्यपि-यह व्यवस्था किसीप्राचीनसमयकेअनुसार यथार्थ कहीगईथी तथापि प्रत्येकसमय इसकासंभव नहींसमुझना किंतु यहव्यवस्था

ऐसी दशाओंपर संभव है कि जब धान्यवस्तु प्रतिभूको देनीपरी तब तौ एकरूपये की एकमन विकतीथी और जब ऋणीसेलेनीपरी तब दोमनबिकनेलगी तौ इसदशा में अवश्यही त्रिगुणपासक्ताहै ऐसेहीवस्त्र वा रसकेमध्ये समुभलेना ५८ ॥ इतिप्रति-भूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिः॥ ज्ञातव्य है कि धन के प्रयोगोंमें धनीलोगोंको दो प्रकार से विश्वास होताहै अर्थात् या तौ (प्रतिभू) खड़ाहोने से विश्वासआताहै यद्वा (आधि) रखलेनेसे सोई नारदने कहाहै-यथा(विस्त्रंभहेतूद्वावत्रप्रतिभूराधिरेवच)-अर्थात् इस संसारमें धनकेप्रयोगों मध्ये (विस्त्रंभ) नाम विश्वासके दोहेतु होतेहैं एक तौ (प्रतिभू) और दूसरा (आधि) नाम गिरवीरखलेना इनमेंसेप्रतिभूका निरूपण यहांतक दो परिच्छेदोंमें होचुका अब नीचे के परिच्छेदमें (आधि)का निरूपण कियाजायगा ५८ ॥

अथऋणादानसम्बन्धे-आधिनिरूपणविवेकोनामत्रिंशःपरिच्छेदः ३० ॥

इस तीसवें परिच्छेद में वह वार्ता बर्णन होगी जिस्से गिरवी रखने की मर्यादें जानी जायें ॥

आधिःप्रणश्येद्विगुणेधनेयदिनमोक्ष्यते । कालेकालकृतोनश्येत्फलभोग्योननश्यति ५९ ॥

अक्ष०—द्विगुणधनमें जो (आधि) नहीं छुड़ाइये तौ प्रणाशहोजावे-कालकृत काल में नाशहोवै-फलभोग्य नहीं नाश होताहै ५९ ॥

अभि०—(आधि) उसवस्तुको कहते हैं कि जो ऋणी अपने धनीसे लियेहुये धन के ऊपर विश्वासकेलिये धनी पासरखदेताहै सो वह (आधि) दो भाँतिकाहोताहै एकतौ (कृतकाल) १ दूसरा(अकृतकाल) २ कृतकाल उसेकहतेहैं जिसमें छुड़ानेमध्ये काल का नियमकियाहो जैसे दीपमालिकातक या होलिकातक छुड़ालेजाऊँगा यदि नहीं छुड़ाऊँ तौ यह आधि तुम्हाराहीहोजायगा अकृतकाल वह कहाताहै जिसमें कालका नियमनहींकियाहो-फिर इनके भी एक एकके दोदोभेदहैं अर्थात् गोप्य १ और भोग्य २ यह दोनोंभेद उन्हीं दोनोंमें होतेहैं (गोप्यआदि) उसेकहतेहैं कि जबतक वह छुटा-याजाय तबतक उसकी रक्षामात्र धनीको करनीचाहिये किंतु वस्तुको भोगेनहीं और (भोग्यआधि) वह कहाताहै जिसका व्याजनहींठहराहो व्याजके बदले वस्तुका भोग ठहराहो इसहेतुसे वह उसवस्तुके उपलाभरूपी फलोंको भोगतारहै इस अभिप्रायार्थ का शेष अभिप्राय अधिकोक्तिके अंतमें देखो ५९ ॥

आधि०—इन भेदोंको नारदजीने स्पष्टरूपमें कहाहै-यथा(अधिक्रियतइत्याधिस्सविज्ञे योद्विलक्षणः । कृतकालोपनेचअथावदेयोद्यतस्तथा ॥ सपुनर्द्विविधःप्रोक्तोगोप्योभोग्य-स्त्रभैवच)अर्थात्-धनीको आधारबनाकर उसमें वस्तुका आधानकरतेहैं इसलिये इसको आधिकहतेहैं वही आधि दो लक्षणोंवाला विज्ञेयहै कि जैसा २ ऊपर कहचुके हैं एकतौ (कृतकाल) वह कि जो उपनेयहो अर्थात् कियेहुयेकालके समयपर छुड़ाकर

अपनेसमीपलेलेनेयोग्यहो दूसरा (अकृतकाल) वह कि जो यावदेयोद्यतहो अर्थात् जिस में कालका नियम नहीं पर यह नियम है कि जब तक व्याज दिये जावें और जब तक मूलधन उद्धार कर सकें तब तक यह आधिरक्खार है-वही आधि फिर एक एक दो दो भाँतिका होता है अर्थात् गोप्य और भोग्य भेद से दोनों के दो दो भेद हो जाने से (आधि) चार प्रकार का होता है अर्थात् कृतकाल गोप्य १ कृतकाल भोग्य २ अकृतकाल गोप्य ३ अकृतकाल भोग्य ४ इनमें सबसे पहला आधिकृतकाल गोप्य इसलिये कहलाता है कि कियेहुये कालके नियमतक ऋणीको व्याज देना होता है और धनीको उसवस्तुकी रक्षा करनी होती है फिर उसी समय पर छुड़ाया जाता है और यदि नहीं छुड़ाया जाय तौ फिर वस्तु धनीकी हो जाती है पीछे वह छुटानेसे नहीं पासक्ता है-१-दूसरा आधि कृतकाल भोग्य इस हेतुसे कहाता है कि जब कोई वस्तु ऐसी हो जिसमें कुछ उपलाभ होता हो जैसे खेतका पौत या वागके फलफूल आदि या मकानका भाड़ा इत्यादि कोई वस्तु आधिकरी जावै और यह बात भी ठहरी हो कि इसका व्याज नहीं दिया जायगा फलभोगही इसका व्याज है और यह भी नियम ठहरा हो कि अमुक समय तक छुड़ा लूँगा तौ यह आधि कृतकाल भोग्य कहलावैगा २-तीसरा आधि अकृतकाल गोप्य इस हेतुसे कहाता है कि उसमें कालका कुछ नियम नहीं होता किंतु जब तक व्याज और मूलधन उद्धार कर सकें तब तक धनीको रक्षा करनी होती है ऋणीको व्याज देना होता है ३-चौथा आधि अकृतकाल भोग्य इस हेतुसे कहाता है कि उसमें भी जब उपलाभवाली वस्तु आधिरक्खी जावै और कालका कुछ नियम नहीं होवै और यह भी नियम ठहरा हो कि इसका व्याज नहीं देवेंगे किंतु फल भोगही इसका व्याज है और कालका जो नियम इसमें नहीं है इसलिये जब तक मैं मूलधन उद्धार कर सकौं तब तक इसवस्तुके उपलाभरूपी फलभोगते रहो सो यह अकृतकाल भोग्य आधिकहलाता है ४-ये चारों भाँतिके (आधि) निश्चित हो चुके अब योगीश्वरोक्त इसी ५९ के मूल श्लोकद्वारा (अभिप्रायार्थकी शेष व्यवस्था कहते हैं) कि (आधि) रखकर लियेहुये ऋणपर जो कुछ वृद्धि ठहरी हो वही वृद्धि निरंतर प्रतिमास उद्धार न होने और कालके विलंबसे जब उस मूलधनकी वरावर हो जाय तब उस मूलधनके द्विगुण हो जानेपर भी यदि ऋणी उसको धन देकर नहीं छुड़ावै तौ वह (आधि) नाश हो जाता अर्थात् धनीका हो जाता है चाहे यह बात रखते समय ठहरी हो या न ठहरी हो परन्तु इसमर्यादाके प्रमाणसे ही वह (आधि) धनीका धन हो जाता किंतु फिर पीछे नहीं छूटसक्ता है (पूर्वार्द्ध मूल श्लोकसे यह एकविधि केवल (अकृतकाल गोप्य) आधिके मध्ये कहीं गई-अब तीसरे पादसे द्वितीय विधिकहते हैं) कि (काले कालकृतो नश्येत्) अर्थात् यदि (कृतकाल) आधि हो जिसमें कालका इसप्रकारसे नियम ठहरा हो कि इतने दिनोंकी अवधितक छुड़ा ले जाऊँगा तौ फिर इ-

समें द्विगुण धनहोनेकी अपेक्षानहीं किंतु यह आधि अपने निरूपितकालपर यदि नहींछुड़ायाजाय तो यह नाशहोजावै अर्थात् उत्तमर्णकाधनहोजावै यह मर्यादा इसमें अमिटहै चाहे उस निरूपितकालपर व्याजवृद्धिके हेतुसे मूलधन दूनाहुआहो या न हुआहो अथवा दूनेसे भी अधिकहोगयाहो परंतु अपेक्षा इसमें केवल उसी निरूपितकालसे होतीहै ( यह द्वितीय विधि ( कृतकालगोप्य ) और ( कृतकालभोग्य ) इन दोनों भाँतिके आधिमध्ये कहीगई-अव-चौथेपादमूल श्लोकसे तृतीय विधिकहते हैं ) कि (फलभोग्योननश्यति ) अर्थात् यदि ( अकृतकालभोग्य ) आधिहो जिसमें छुड़ाने मध्ये कालका कुछ नियमनहींकियाहो और वह ( आधि )रूपी वस्तुभी खेत बागीचा आदि ऐसीहो जिसके व्याजमें उपलाभरूपी फलभोगने धनीके निमित्तमें ठहरेहोंतौ इसीको (फलभोग्यमाधि )भी कहतेहैं सो इसफलभोग्य आधिकानाश कदाचित्भी नहींहोसक्ता अर्थात् इसआधिकारखनेवाला जब चाहे तब शतधावर्षोंतक मूलधनदेकरछुड़ासक्ता है-यह चारोंभाँतिके आधिमध्ये तीनविधिकी मर्यादा कहीगई-परन्तु आधिका विनाश चाहे द्विगुणधन होने से हुआ हो यद्वा निरूपितकालके अतिक्रमसे हुआहो किन्तु दोनोंदशामें ऋणीको चौदह १४ दिनकी अवधि और भी देदीजातीहै सोई बृहस्पति का यह वचन है-यथा(हिरण्येद्विगुणीभूतेपूर्णेकालेकृतावधेः । बंधकस्यधनीस्वामीद्विः सप्ताहंप्रतीक्ष्यच॥ तदंतराधनंदत्वाऋणीबंधमवाप्नुयात्) अर्थात् हिरण्यनामधनके दूने होजानेपर यद्वा करीहुई अवधिका काल पूर्णहोजानेपर (बंधक) नाम आधिवस्तुका स्वामी वहीधनीहोजाताहै जिसकेपास बंधक रक्खाहो-परन्तु-दो सप्ताहनाम १४ दिन पर्यंत प्रतीक्षाकिये पीछे स्वामीहोताहै क्योंकि जो ऋणी इन १४दिनके बीचभीआकर अपना बंधछुड़ावै तौ धनदेकर बंधक पासक्ताहै-( अथतर्कवादः ) क्योंजी यहजो कहागया कि ( आधि )का नाशहोजावै सो यह कथन तौ इसवार्तामें अनुपपन्नहै क्यों-कि वह आधिरूपी वस्तु ऋणी जबतक किसीको न देडालै या बैचैनहीं तबतक ऋणीका स्वत्व वा स्वामित्व उसमेंसे नहींजासक्ता किंतु सर्वसाधारण यहमर्यादा नियत है कि दान या विक्रय विना किसीवस्तुमें से स्वामीके स्वामित्वकी निवृत्ति नहींहोती और इधर वहधनी जिसकेपास ( बंधक )धरागया प्रतिग्रह या क्रयके द्वारा स्वीकार करै तबतक उसकास्वत्व उसमेंनहीं पहुँचसक्ता किंतु सर्वसाधारण यहमर्यादानियत है कि कोई वस्तु प्रतिग्रह या क्रयकेविना अपनीनहीं होसक्ती-और-तीसरे मनुके भी इस वचनसे विरोधआता है कि (नचाधेःकालसंरोधान्निसर्गोऽस्तिनविक्रयः) अर्थात्-कालके (तरोध)नाम अतिकाल तकरक्त्वा रहनेसे आधिका निस्सर्ग और विक्रयनहीं होता किंतु उत्तमर्ण अपनेपास धरेहुये आधिको न तौ किसी दूसरेधनी के पासबंध रखसक्ताहै और न उसकाविक्रय करसक्ताहै यह मनुजीने कहाहै जबकिउसको अन्य-

( आधीकरण ) और विक्रय इनदोनों बातमें अधिकारही नहीं तौ फिर उसकास्वत्व में क्योंकर होसक्ताहै कि १४ दिनकी अवधितक बाट निहारे पीछेवहउस आधि का मालिक होजावै-( अस्योत्तरम् )सुनौ आधीकरण अर्थात् गहनेधरना यहलोकमें प्रसिद्धहै कि यद्यपि रखनेके समयसेही धरनेवाले ऋणीकास्वत्व उसमेंसे जातारहता है परन्तु यहस्वत्वकी निवृत्ति सोपाधिकहुआ करतीहै किन्तुइसमें ऋणीको यह (उपाधि)नाम अभिमान लगारहताहै किकव रूपये उसकेदेवै और कबचीज हाथआवै या जबदेवैगे तभी अपनीचीज उस्से लेलेवैगे-ऐसेही-धनीकाभी स्वत्वउसमें अपनेपास रखलेने के समयसेही उत्पन्न होजाताहै परन्तु यह सोपाधिक स्वत्वप्रसिद्धहै क्योंकि इसमें यह(उपाधि)नाम चिन्ताया भगडालगा रहताहै कि न जानिये ऋणी किसबेरा द्रव्यदेकर अपनी चीज मांगनेलगै तब देदेनीहोगी-तहां-जब मूलधनके दूने होजाने पर यद्वा निरूपित कालकी अवधि प्राप्तहोनेपर भी ऋणीसे निपटउसका द्रव्य नहीं दियाजावै तब इस वचनके प्रमाणसे निपट उसकीस्वत्व निवृत्ति उसबंधक वस्तुसे होजातीहै तभी उस उत्तमर्णका स्वत्व उसबंधकमें निपट आरोपित होजाताहै अर्थात् फिरवह उपाधि शेषनहीं रहती जिसकाचर्चा अभीकियाथा किन्तु दोनोंओरसे निःशेष उपाधिनष्ट होजाती है-और मनुकेभी वचनसे विरोध इनमेंनहीं है-क्योंकि(न त्वेवाधौसोपकारेकौसीदीवृद्धिमाप्नुयात्)अर्थात्-कुसीदनाम ब्याजका व्यवहार तिसकी जो वृद्धिदेनी होती है सोकौसीदी वृद्धि कहाती वह कौसीदी वृद्धि व्यवहारी पुरुष सोपकार आधिपर नहींपावै यह मर्यादानियत है अर्थात् जोकोई वस्तु गहने धरी-जाय और वह ऐसी वस्तुहो जिसके वर्त्तविसे व्यवहारी का कुछकाम निकलताहो जैसे वृषभ या तँमेड़ी या कराहीआदि तौफिर उसपर ब्याजनहीं पावै-इसवार्त्ताके संबन्ध में मनुजीने यह वचनकहा है कि(नचाधेःकालसंरोधान्निसर्गोस्तिनविक्रयः)अर्थात्-वही सोपकार आधि जिसका चर्चा अभी कियागया उसको फलभोग्य आधिभी निर्णय पूर्वक पहले कहचुकेहैं तिस आधिका यदि बहुतकालतक संरोध होजाय तौ उत्तमर्ण उसको नतौ किसी दूसरेकेपास आधि करसक्ताहै न आप उसको बेचसक्ताहै क्योंकि बहुत कालतक संरोधहोनेसे भी कुछ उसकी हानिनहीं है किन्तु निरन्तर वृद्धिके पलटे फल भोगरूप उपकार होतारहता है फिर क्योंकर उसको बेचने या गिर-वी रखदेनेका अधिकार होसकै-इसहेतुसे फलभोग्य आधिमें बहुतकाल तककरखा रहनेपर भी उत्तमर्णका स्वत्वनहीं उत्पन्नहोता है इसीसे उसको अन्यत्र आधीकरण और विक्रयमें स्वाधीनता नहींहै-सोयहवात इस ग्रंथमें भी योगीश्वर ने इसी ५६के श्लोकमें चौथेपादसे कहदी है कि ( फलभोग्योननश्यति ) अर्थात् फलभोग्य आधि कभी नहीं नाशहोता और न उत्तमर्ण का स्वत्वउसमें पहुँचता है-और ( गोप्यनामक )



आधिकेविषयपर मनुनेभिन्न वचनकहाहै-यथा(नभोक्तव्योबलादाधिर्भुजानोवृद्धिमुत्सृ-  
जेत्)अर्थात्-किसीउत्तमर्ण करके( गोप्य )नामकआधि न भोगनाचाहिये यदिकोई प्रब-  
लतासे भोगताहो तो वह वृद्धिलेना छोड़दे अर्थात् ऐसेभोक्ताको वृद्धि न दिलवानी  
चाहिये-सोयहवात इसग्रंथमें भी योगीश्वर अगले ६० के श्लोकमें पहलेपादसे कहें-  
गे कि ( गोप्याधिभोगेनोवृद्धिः )अर्थात् गोप्यनामक आधिके भोगनेपर वृद्धिनहीं  
देनीचाहिये-और-इसी ५६ के श्लोकमें पूर्वार्द्ध जो यहकहा है कि ( आधिःप्रणश्येद्वि-  
गुणेधनेयदिनमोक्षयते ) अर्थात् आधि यदि दूनाधन होजानेपर भी नहीं छुड़ायाजा-  
य तौवह आधिनाश होजावै किंतु उत्तमर्णका स्वत्व उसमें निरुपाधिक पैदाहोजावै  
सो यहवात प्रत्यक्षहै कि ( गोप्य )आधिके निमित्तमें कहीहै-इसलिये जो कुछकहासो  
सबठीकहै इसमें कोई तर्कवाद नहीं आरोपित होसक्ताहै ५६ ॥ अबअगले साठिके  
श्लोकमें वह व्यवस्था वर्णनहोगी कि जो किसीने किसीप्रकारकी गोप्य आधिकाभो-  
ग कियाहो यद्वा किसीप्रकारकी भोग्य आधि अयथावत् करडालीहो या नष्टकरीहो  
या विनष्टहुई हो तिसके भगड़में जोकुछ न्याय वा इन्साफ उचितहो ५६ ॥

गोप्याधिभोगेनोवृद्धिःसोपकारेथहापिते । नष्टोदेयोविनष्टश्चदैवराजकृताहते ६० ॥

अक्ष०-गोप्यआधि के भोगमें वृद्धिनहीं और सोपकार आधिको हापित करनेमें  
नष्टहुआ देय है और विनष्टभी दैवराजकृत के विना ६० ॥

अभि०-(गोप्यआधि)दो प्रकारका जो पहले कथनहोचुकाहै चाहे कृतकाल होचाहे  
अकृतकाल हो उसका(भोग)नाम वर्त्तावायादि किसीधनीने कियाहो अर्थात् ताम्रआ-  
दि किसी धातुका पात्र तँमेड़ी आदि या कराहीआदि जिसकाब्याज ठहरकर गोप्य  
आधि हुईहो धनी यदि उसको वर्त्तावेमें भी लायाहो तो कुछभी ब्याजनहीं पावै कि-  
न्तु चाहेउसने थोड़ाही उपभोग कियाहो और ब्याजवृद्धि उसकी बहुतसी होचुकीहो  
तो कपर्दिका भी न पावै वरनउसमेंसे कुछपहले पाचुकाहो सोभी मूलधनमें से काटा  
जाय यहसिद्धांत है क्योंकि उसने समयसंमति के नियमको उलांघकर भिन्नमर्यादि-  
क वात्तकरी-तथैव-( सोपकार ) ( आवि )अर्थात् जिनचीजों से कुछ उपकार होसक्ताहै  
जैसे रुपभ या तँमेड़ी या कराही आदि जो भोग्यआधि कहलासक्ते हैं परन्तु इनकी  
ब्याजवृद्धि ठहरकर गोप्यआधिकी रीतिसेरक्खेगयेहों और धनीनेयदिइनको(हापित)  
कियाहो अपान् वर्त्तावे द्वारा या और किसीप्रकारसे इनचीजोंको ऐसीहानि पहुँचाई  
हो जिन्मेयह काम करने योग्यन रहीहों तौनी अद्योक्त मर्यादाके अनुकूल वृद्धिनहीं  
पावै-तथैव-(नष्ट)हुआ आधिदेना चाहिये अर्थात् तँमेड़ी कराहीआदि कोईवस्तु जि-  
समें विद्रव्यरदेन वा तोड़ने फाड़नेआदि कोईप्रकारसे विकृति पहुँचाकर ऐसीनाश कर

डाली हो जो पूर्ववत् न रही हो तौ पूर्ववत् करवाकर देनी चाहिये-तिसमें भी यह विशेषता समुझनी चाहिये कि यदि ( गोप्यआधि ) केवल अरक्षण से ही विकृतकिया हो तौ पूर्ववत् निर्विकार करिके देना चाहिये और जो वार्त्तामें भी लाया हो तौ वृद्धि भी छोड़नी चाहिये और जो भोग्यआधि विकृतकिया हो तौ भी पूर्ववत् निर्विकार करिके देना चाहिये परन्तु जो इस भोग्यआधि पर वृद्धि नहीं ठहरी हो तौ केवल वृद्धि ही छोड़नी चाहिये तथापि इस वार्त्तामें समय और वस्तुके अनुकूल व्यवस्था देखनी चाहिये क्योंकि सर्वत्र और सभी वस्तु में एक ही सा प्रकार नहीं संभव है-और- ( विनष्ट ) भी देय है किन्तु जो अत्यंत ही विनाशको प्राप्त हुआ जैसे जातारहा खोया गया हो सो भी उस वस्तुके मूल्य दान आदि प्रकारोंसे देना चाहिये यदि उस विनष्ट हुई वस्तुको मूल्यद्वारा या और किसी प्रकारसे धनी दे देवै तौ ऋणीसे भी अपना मूलधन वृद्धिसहित पावै यदि न देवै तौ मूलधन भी नहीं पावै-परन्तु दैव या राजकृत विनाशके विना किन्तु दैवकृत विनाश या राजकृत विनाशद्वारा विनष्ट हुई वस्तु धनीसे नहीं दिलवानी चाहिये और इस दशामें ऋणीसे उसका धन दिलवाना चाहिये ६० ॥

अधि०-इस वार्त्तामें नारदका यह वचन प्रमाण है-यथा ( विनष्टे मूलनाशः स्याद्दैव राजकृतादृते ) अर्थात्-यदि धनीसे किसी ऋणीकी आधिवस्तु विनाश हो जावै तौ धनीका मूलधन भी विनाश होवै-परन्तु-दैव या राजकृत विनाशके विना अर्थात् दैवकृत विनाश जैसे अग्निदाहसे जलिंगई हो या जलके प्रवाह वा चढ़ावसे गलिंगई या बहिगई हो अथवा सारे देशमें कोईसा उपद्रव उठने और भाजर परने आदि कारणोंसे विनष्ट हुई हो तौ यह दैवकृत विनाश है इसमें विनष्ट हुई वस्तु धनीसे नहीं दिलवानी चाहिये वरन इस दशामें ऋणीसे उसका धन दिलवाना चाहिये-एवं-यदि राज विध्वंस यद्वा राजयुद्धादि कारणोंसे विनाश हुई हो तौ यह राजकृत विनाश है ऐसी वस्तु धनीसे नहीं दिलवानी चाहिये वरन इस दशामें ऋणीसे उसका धन वृद्धिसहित दिलवाना चाहिये तथापि यदि राजकृत विनाश ऐसे हेतुसे उत्पन्न हुआ हो कि धनीने कुञ्जराजाका अपराध किया हो तौ फिर यह विनाश राजकृत विनाशकी पदवीको नहीं पहुँचसक्ता अर्थात् इस दशामें धनीसे ही ऋणीकी वस्तु दिलवानी चाहिये यद्वा वस्तु न देसकै तौ मूलधनसे ही हाथधो बैठे-परन्तु-यदि धनीके अपराध विना राजकृत विनाश उठाहो तौ फिर ऋणी उसका धन देवै अथवा कोई द्वितीय वस्तु उसके पास फिर ( आधि ) रखि देवै-तथाच ( स्रोतसापहतक्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधिरन्योथकर्त्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ) अर्थात्-यदि ( आधि ) किया हुआ खेत किसी नदी आदिके प्रवाहसे अपहत हो जावै यद्वा राजा करके अपहरण किया जाय तव ऋणी करके उस खेतके बदले कोई अन्य खेत या कोई वस्तु धनीके पास आधिकर

१४२ मितक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।  
 में देनी चाहिये यद्वा धनीकाधन देदेना चाहिये-इस वचनमें ( स्रोतसापहते ) यह  
 पदसमस्तदैवकृत विनाशोंका उपलक्षण है ६० ॥

अब नीचे परिग्रहद्वारा (आधि) का प्रमाण कहाजायगा ॥

आधेःस्वीकरणात्सिद्धीरक्ष्यमाणोप्यसारताम् । यातश्चेदन्यआधेयोधनभाग्वाधनीभवेत् ६१ ॥

अक्ष०-आधिके स्वीकरणसे सिद्धिहोतीहै-यदि रक्षाहोतेहुये भी असारताको प-  
 हुंचेतव अन्य आधि कर्तव्यहै यद्वा धनी अपना धनपावै ६१ ॥

अभि०-(आधि) चाहे भोग्यहो चाहे गोप्यहो परउसके (स्वीकरण) कहिये उपभोग  
 विना सिद्धिनहीं होसकी अर्थात् जो कोई वस्तु अपने पासबन्धक रीतिसे रक्खीहो  
 उसका थोड़ा बहुत कुछ उपभोग अपने स्वाधीनहो तब यह सिद्धि प्रकटहोतीहै कि  
 निःसंदेह यह वस्तु इसकेपास बन्धकहै अन्यथा नहीं और (उपभोग) नाम यहां के-  
 वल वत्तविकाही नहीं किंतु कुछमें कुछ परिग्रह किन्तु कब्जा अपने हाथमें चाहिये  
 (दृष्टांत)जैसे एक मकान अपने पास (आधि) रक्खागया वह अपने निजस्थानसे दूर  
 है तौ तालाकुंजी अपने हाथहोना यही उसका उपभोग है और इसीको स्वीकरण  
 भी कहते हैं इत्यादिसर्वत्र यथा संभव ऊहा करलेनी चाहिये और जो किञ्चिन्मात्र  
 भी कब्जा अपने हाथमें नहो तौ फिर केवल साक्षियोंसे या लेख्यपत्रोंसेही आधिरख  
 पानेकी सिद्धि नहीं निश्चितहोती और न केवल अपने मुखसे ब्योरा कहनेसे (यह  
 पहले पादका अभिप्रायकहा)अबदूसरे पादसे चौथेतक यह कहते हैं कि यदि रक्खा  
 हुआ (आधि) प्रयत्न पूर्वक रक्षा करतेहुये भी काल के बाहुल्य यद्वा वर्षाऋत्वादि  
 कारणोंके वश होकर असारताको पहुँचै किन्तु ऐसा निकम्मा होजाय जिसके विक्रय  
 द्वारा मूलधन वृद्धिसहित निकल आने की योग्यता उसमें न रहै तब इस दशा में  
 ऋणीको यह उचितहै कि उसके पलटे कोई अन्यवस्तु (आधि) करदेवै अथवा धनी  
 काधनउद्धार करदेवै ६१ ॥

अधि०-पहले पादसे कहीहुई मर्यादा मध्ये नारदका यह वचन प्रमाण है-यथा  
 (आधिस्तुद्विविधः प्रोक्तोजंगमः स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगोयद्यस्थिना  
 न्यथा)अर्थात्-नारदऋषि कहतेहैं कि (आधि) दो प्रकारका होताहै एकस्थावर दूसरा  
 जंगम इनमें फिर चाहे भोग्यहो यद्वा गोप्यहो परंतु इन दोनोंकेही आधीकरणकी सि-  
 द्धि तभी जानीजाती है कि यदि भोग परिग्रह धनीके हाथहो अन्यथा नहीं-कदाचित्  
 कोई यह (भाशका) आरोपितकरे कि इस तुषकंडनमें क्याफलसिद्धि निकसी किंतु  
 यहचात प्रत्यक्षहै कि जो कोई किसीवस्तुको अपनेपास बंधकररक्खेगा वह अवश्य  
 किसीप्रकारका परिग्रह अपनेहाथमेंरक्खेगा यद्वा किसीहेतुसे नहींभी रखसकाहो तौ  
 विनाशके संजनकर्ताभोग वास्तवके अनुसार न्यायकरसकतेहैं अर्थात् पंद्रहवें परिच्छेद

बीसके मूलश्लोकसे कहचुकेहैं कि राजा छलोंको निकालकर वास्तवरूपसे व्यवहारों को फ़ैसलकरै तौ फिरऐसाअन्याय क्योंकरहोसक्ताहै कि जोवस्तु किसीधनीने धनदेकर अपनेपास बंधकररखी वह केवल परिग्रहके न होनेसे (आधि) उसका नहींठहरै तहाँ पर यह (समाधान) है कि वह वास्तवकी मर्यादा इसमें नहींलगसक्ती किंतु इसमें सत्रहवें परिच्छेदगत चौबीसवें मूल श्लोक से कहीहुई मर्यादा घटितहोतीहै क्योंकि जब किसीधारणिकने कोईवस्तु किसीधनीकेपास बंधकररखी और उसधनीने धनदिये पीछे उस वस्तुपर परिग्रह अपना नहींरक्खा और उसधारणिकने ऐसा अवसर देखि अपनी दुर्दृष्टिसे उसीवस्तुको किसी द्वितीयधनीके पास फिर (आधि) करदिया और उस द्वितीयधनीने धनदिये पीछे यथोचितप्रकारसे परिग्रह अपनाकरलिया इसपीछे किसी कालांतरमें यह प्रपंच उसका प्रकटहुआ और विवादका अभियोग राजद्वार आदि किसीन्यायाधिकारी के सन्मुखपहुँचा तब चौबीसवें मूल श्लोकसेही न्यायकी प्रवृत्ति यद्यपिहोसक्तीहै किंतु उसमें यह मर्यादा नियतहै कि यद्यपि सभीअर्थ विवादों में उत्तरक्रिया बलवतीहोतीहै परंतु (आधि) रखलेनेमें (प्रतिग्रह) केपानेमें किसीवस्तुका(क्रय) करनेमें पूर्वक्रिया बलवतीहोतीहै अर्थात् जिसने पहले गिरवीरक्खीहोया पहले दानपायाहो या पहले चीजखरीदीहो उसीकी जयहोनीचाहिये और पीछे वाले की पराजयहोनीचाहिये परंतु यह पहले पुरुषकीजय उसीदशामेंहोसक्तीथी कि यदि उसने परिग्रह अपनेहाथमेंरक्खाहो तो जिस्से उसका (आधि) रखलेना सच्चाजाना जाता इसलिये पूर्वक्रियाभी स्वीकारांतहो तौ बलवती समुभनीचाहिये स्वीकारहीनहो तौ निर्बल समुभनीचाहिये इस्से यह(सिद्धांत) पायागया कि उत्तर क्रियावाला यदि परिग्रहवानहो तौ फिर उसीकी जयहोनीचाहिये(अत्रन्यायस्वरूपं)यद्यपि यह सिद्धांतभी पायागया और बीसवें श्लोकवाली मर्यादा इसमें संगतनहींहोसक्ती तथापि उस मर्यादाकी हानि नहींकहीजासक्ती किंतु वह मर्यादा सर्वत्र बलवतीहोसक्तीहै परंतु यह ६१ के श्लोकवाला पहलापाद इस निमित्तसे कहागयाहै कि जब छलोंका शोधन और वास्तवका परिज्ञान यथावत् न होसकै तब ऐसी संदिग्धदशामें अत्रोक्त मर्यादाके अनुसार मुकद्दमेहका फ़ैसलाहोनाचाहिये (दृष्टांत) जैसे पहलाधनी धनदियेपीछे बंधक वस्तुपर परिग्रह अपना रखतारहाहो और ऐसीदशापर भी धारणिकने दुर्दृष्टिसे किसी द्वितीय धनीसे धनलेकर उसीवस्तुको उसके नाम (आधि) लिखदियाहो चाहे वह द्वितीय धनी पहले धनीपर बंधकहोनेकी व्यवस्थाको जानताहो या न जानताहो परंतु उस दूसरेधनीका कब्जा उसपर न होसका और कदाचित् उसीवस्तुपर विवाद खड़ाहो तब तौ प्रत्यक्षहै कि चौबीसके श्लोक द्वारा पूर्वधनीकी जयलिखीजाय क्योंकि उसकी पूर्वक्रियाके सिवाय परिग्रह भी उसीके हाथमें प्रत्यक्षहै-परंतु-जहाँ पूर्वधनी तौ

परिग्रहरहितहो और द्वितीयधनी परिग्रहवानहो तहाँभी जबतक वास्तवद्वारा यह निश्चितहोसकै कि यद्यपि कब्जा उसकेपास नहीं पर यहवस्तु यथार्थमें उस पूर्वधनी केही पास पहले बंधकहुईथी और अबतक छूटीनहींथी कि बीचमें दूसरेने दुर्घृत्तिसे यद्वा अज्ञानतासे अपनेपास आधि करवाकर कब्जा उसपरकरलियाहै तब तौ पूर्वधनीकीही जयलिखीजावै-और-जो यहबात अच्छीतरह यथार्थ निश्चित न होसकै तौ फिर उत्तर धनीकीजयहोनीचाहिये क्योंकि प्रत्यक्ष उसकेहाथमें परिग्रहदेखपरता है-अथवा-जहाँ ऐसीदशा उपस्थितहो कि पूर्वधनी और उत्तरधनी दोनोंकेही पास कुछ कब्जा (आधि) का नहीं परंतु धन दोनोंनेही दिया और बंधक अपने पासकिया था तब कुछ परिग्रह के अनुसार जय पराजयका चर्चानहीं किन्तु केवल चौबीसके श्लोक द्वारा पहले पीछे धरने के अनुसार पूर्वधनी की जय लिखीजावै-परंतु-जहाँ ऐसीदशा उपस्थित होकि दोनोंमेंसे एकसच्चाधनी और एक भूँठाधनी बनकरऋणी के प्रपंच संमतसे यह कहताहो कि वस्तु मेरेपास बंधक है और इस प्रपंचमें उसके भूँठापनकी परीक्षा न होसकतीहो तौफिर पूर्वक्रिया और उत्तरक्रियाके सिवाय परिग्रह भी अवश्य देखाजायगा किन्तु परिग्रहवानकी जयहोसकैगी-औरजो-प्रपंचकी परीक्षा होसकने से भूँठापन उसका जानाजाय तौ फिर भूँठेका परिग्रह होने परभी उसकी पराजय होनीचाहिये इस निमित्तसे यह ६१के श्लोकमें पहलापाद कहागया जिसकी अधिकोक्ति यहांतक पूरीहुई-और शेष तीनोंपादसे जो मर्यादा ऊपर अभिप्रायार्थमें कहचुकेहैं उसमें यहवार्ता जो कहीहै कि रक्षाकरतेहुयेभी यदि असारताको पहुँचैइस कथनसे यह शिक्षा विज्ञापित करीहै कि जोकोई धनी किसीकी वस्तुको अपने पास गिरवी रखै तौ वहयत्नपूर्वक उसकी रक्षावनीरखै किन्तु रक्षासे उपेक्षान करै ६१ ॥

अवनीचेके श्लोकमें उसमर्यादाका अपवाद कहेंगे किजो ५९के श्लोकके पहलेअध्यायमें कहचुकेहैं कि आधि यदि दूनाधन होजानेपरभी नहींछुटायाजाय तौ प्रणश होजावै किन्तु फिर पीछेनहीं ब्रूटसकै इसके अपवादरूपसे यहकहेंगे कि विरली दशामेंधनके द्विगुण होजानेपरभी आधिनहीं नाशहोता ६१ ॥

चरित्रबंधकस्तसृद्धयादापयेदनम् । सत्यंकारुतंद्रव्याद्विगुणंप्रातिदापयेत् ६२ ॥

मत् ८—चरित्र बंधक कियाहोतौ राजा वह धन वृद्धि सहित दिलावै-सत्यकारसे कियाहुआ द्रव्यदूना दितवावै ६२ ॥

मनि ८—चरित्र बंधक उसेकहतेहैं कि जोमनुष्यके चरित्रोंका शोधनकिये पीछेन्यूनधिक मूल्यकीवस्तुभी निःशंक आधिकारण होजातीहै अर्थात् धनीका आशयस्वच्छ जानिकर अधमणीचाहे बहुमूल्यवस्तु आधि करिके थोड़ाद्रव्य लेजावैतौ इसकानाम चरित्र बंधक होता है यद्वा अधमणीका अंतःकरण शुद्धजानिकर धनी उसको थोड़े

मूल्यकी बंधकवस्तु रखकर अधिक ऋण देदेवैतौभी इसकानाम चरित्रबंधक होताहै ऐसे चरित्रबंधक प्रकारसे जहाँकहीं आधि रक्खागयाहो और उसमेंकभी द्विगुणधन होजानेपर विवाद खड़ाहोनेसे निर्णयकी अपेक्षाहो तब निर्णय करनेवाला राजा निःसंदेह ऐसेधनको वृद्धिसहित दिलावै और वृद्धिसहित कहनेका यह आशयहै कि यदि दूनाधन होनेके भीतरही विवादहो तबतौ काल बिलंबके अनुसार वृद्धि जोड़कर दिलानी चाहिये और जो व्याजके बढ़नेसे मूलधन दूनाहोगयाहो तौफिर व्याजवृद्धिसे द्विगुणताको पहुँचाहुआ धनही दूनादिलवाकर बंधक वस्तुझुड़वादेवै किन्तु ५६ के श्लोक पूर्वार्द्धमें कहीहुई मर्यादा अनुसार यह फैसला न करनाचाहिये कि यह बंधक वस्तु अबनहीं छूटसक्ती इसमें हिरण्यकी द्विगुणताहुये पीछेदोसप्ताह औरभी व्यतीत होकर अतिकाल होगया-क्योंकि यहमर्यादा उस ५६ के श्लोकमें कहीहुई उसीदशापर आरूढ़है कि जबमूलधनसे द्विगुण मूल्यके अनुमानवाली वस्तुरक्खीगईहो-और-जो-वही मर्यादा इस (चरित्रबंधक) मेंभी संबंधित करीजायतौ फिर यह अन्यायशंका प्रकट होतीहै कि यदि थोड़ेमूल्यकी वस्तु बंधक धरिकै ऋणीउस्सेकुछ अधिक द्रव्यलेचुका होतौ इसदशामें धनीकी हानिहोगी यद्वा ऋणी अपनी बहुगुणमूल्यकीवस्तु धरिकै थोड़ा ऋणलेगयाहो तौ उस ऋणीको हानि पहुँचेगी इसहेतुसे चरित्र बंधकमें(आधि) काप्रणश नहीं होसक्ता यह (अपवाद) उसी ५६ के श्लोक मूल पहले अर्द्धपर कहागया यह इसी ६२ के श्लोक मूल पूर्वार्द्धका अभिप्राय हुआ-अब इसीके उत्तरार्द्धसे दूसरी बात कहतेहैं कि यदिबंधक (सत्यंकार) लक्षणसे कियाहोतौ फिर अवश्यहीदूना दिलवावै (सत्यंकार) सत्यवचनको कहतेहैं यहाँपर इसका यहभावार्थहै कि यदि बंधकरखते समय परस्पर दोनोंने सत्यभावसे यहभाषा उच्चारण करीहो कि चाहै व्याजके उच्चार न होनेसे मूलधन दूना होजाय और उसके पीछे दो सप्ताहकी अवधि भी व्यतीत होजाय परहमतुम दोनोंके बीच उसद्विगुण धनकादेना लेना मुख्यबना रहेगा अर्थात् बन्धकवस्तु का नाश न होसकेगा ऐसीदृढ़प्रतिज्ञाके होनेपरभी कदाचित्तउन में विवादहोकर राजद्वारतक अभियोग पहुँचै तब राजाऐसी दशामें अवश्यही उस प्रतिज्ञाकेअनुसार दूनादिलवावै और आधिकानाश न होनेदेवै चाहैकितनाही काल व्यतीत हुआहो इसबातसे कुछअपेक्षानहीं ६२ ॥

अधि०-इसी ६२ के श्लोकपूर्वार्द्धका दूसरा अर्थभी होताहै इसप्रकारसे कि यहाँपर चरित्रशब्दसे गङ्गास्नान अग्निहोत्र आदि जो कुछपुण्य कर्मअपना नियमोंसेसाधन कियाहुआ सञ्चितहो और अपनेपास अन्यवस्तु के अभावसे वहीपुण्य (आधि)कर देनापरै तबयहआधि (चरित्रबन्धक) नामकहाताहै-इसप्रकारके बन्धकमें यदिव्याजके उच्चार न होनेसे मूलधनदूना होजावे चाहैदोसप्ताहके सिवायकितनाही विलम्बहोजा-



वै तौ भी राजा दूनाद्रव्यदिलावे किंतु ऐसे (आधि) कानाशनहीं होसक्ता-इसी ६२ के श्लोक उत्तरार्द्धसे भी एकदूसरा अर्थीतर अङ्गीकार करिकै (आधि) के प्रसङ्गसे तद्वत् अन्य वार्ता कहते हैं कि राजा (सत्यंकारकृत) द्रव्यद्विगुणता विना हुये भी दूनादिलवावै अर्थात् जब कोई साधारण भावसे क्रयविक्रय आदिव्यवस्था के निर्वाह निमित्तमें अपने हाथ की अँगूठी माला आदि कुछ भूषण वस्तु यद्वा इस प्रकारकी कोई वस्तु किसीके हाथमें दे दी हो उस व्यवस्थाका अतिक्रम हो जानेपर दूनादिलवावै अर्थात् यदि अँगूठी आदि का देनेवाला ही व्यवस्थाका अतिक्रम करै तौ उसीसे दूनादिलवावै यद्वा अँगूठी आदि कालेनेवाला इस व्यवस्थाका अतिक्रम करै तौ उससे दूनादिलवावै (दृष्टान्त) जैसे किसी मेला में या कहींकी पेंठमें किसीमनुष्यने घोड़ा खरीदा या और कोई वस्तु ली पर उस बेरा उसका मोल पूरा देने योग्य द्रव्य पास नहीं इस अपेक्षामें अपने हाथकी अँगूठी लेकर किसी जानकारके हाथ रखी और कहा कि यह इतने का माल है और इतने आवश्यक मुद्रा आप दे दीजिये इस घोड़ेको घरले चलकर आपके रुपये दिये जायेंगे यद्वा ऐसा नियम कर देवे कि एक अठवारेमें या पखवारेमें दे देंगे तौ यह बात उन दोनोंके बीच एक व्यवस्था ठहरी और अँगूठीके विश्वासपर लिये हुये रुपये तथा वह अँगूठी भी सत्यंकारकृत द्रव्य कहलाया और घोड़ेका खरीदना तथा उसके मोलका पूरा भर्त कर देना यही क्रयविक्रयका निर्व्वाह ठहरा जिसके लिये तत्काल ऐसा करना परा-परन्तु-इस निर्व्वाह के हो चुके पीछे उस ठहरी हुई व्यवस्थाकी अवधितक वह सत्यंकारकृत द्रव्य उसका देकर निज अँगूठी नहीं लेवे और अँगूठी यदि ऐसी हो कि उसके विश्वासपर बीस रुपये दिये गये और बेंची जाय तौ पन्द्रहको विकसकै तौ इस दशामें कहसकें हैं कि उस अँगूठीके देने वालेने व्यवस्थाका अतिक्रम किया तब उससे उन्हीं रुपयोंसे दूनादिलवावै-अथवा-वह अपनी नियत अवधितक रुपये उसके लेजाकर अँगूठी अपनी माँगे और कदाचित् वह अँगूठी इसकी देनेमें किसी लालचसे भ्रमेल करै और अँगूठी इसकी बीसकी मालि-यत है जिसके बदले पाँच या दश रुपये इसने लिये थे तब ऐसी दशामें कहसकें हैं कि उस अँगूठीके लेने वालेने व्यवस्थाका अतिक्रम किया तब इस पुरुषपर उसी अँगूठीकी मालि-यतसे दूनादिलवावै-जैसा यह घोड़ेके क्रय करनेपर दृष्टान्त कहा तैसे ही विक्रयपर भी यही व्यवस्था होती है (यथा) किसीने यह कहकर अपनी माला किसीके हाथमें रखी कि मैं अपना अमुक धन विक्रय करनेको अमुक मेलेमें जाया चाहता हूँ पर इतने खर्च बिना जाना नहीं होसक्ता और न माला विकसकता है इस निर्व्वाहके लिये यह रुपया मैं चाहता हूँ व-हामें मान बेंचकर आतेपर देकर माला लेजाऊँगा-यह विक्रयका दृष्टान्त हुआ-ऐसे ही क्रयविक्रय (आदि) इस आदिशब्दमें और भी बहुधा दशाओंपर यही व्यवस्था होती है जेन वरात करि आनार ऐसा करेगा इत्यादि अनेक भेदोंकी ऊहा करि लेनी चाहिये

इसको आधि नहीं कहते किन्तु यह आधिके प्रसंगमात्रसे सत्यंकार कृत कहलाताहै ६२ ॥

अब नीचे के श्लोकमें यहवात कहेंगे कि जब अधमर्ण आधिको छुड़ाना चाहै उत्तमर्ण उसमें भ्रमेलकरै या अपने घर मौजूद नहो तब क्या करना चाहिये ६२ ॥ उपस्थितस्यमोक्तव्यआधिःस्तेनोऽन्यथाभवेत् । प्रयोजकेऽसतिधनंकुलेऽन्यस्याधिमाप्नुयात् ६३ ॥

अक्ष०—उपस्थित ऋणीका आधि मोक्तव्यहै अन्यथा स्तेनहोवै-प्रयोजकके नहोने में धन अन्यके हाथ कुलमें देकर आधिपावै ६३ ॥

अभि०—उपस्थित नाम आधिके छुड़ानेपर मौजूदहुये ऋणी का आधि तत्काल छोड़देना चाहिये किन्तु वृद्धिके लोभसे छोड़नेमें भ्रमेलना नहीं करै यदि ऐसे समय पर न छोड़ै तौ धनी चोरहोवै अर्थात् चोरों के समान दंड्य निश्चित कियाजावै—कदाचित् ऐसे समयपर (प्रयोजक) नाम धनी अपनेघर मौजूद न हो तब उसके कुल में जो कोई उसकी ओरसे प्रमाणीक अधिकारीहो तिसके हाथमें वृद्धि सहित धन देकर अधमर्ण अपना आधिपावै ६३ ॥

अधि०—इस आज्ञासे यहवात पाईगई कि यदि प्रयोक्ताके मौजूद न होनेपर उस के कुलमें उसकीओरसे कोई पूर्ण अधिकारी भी विश्वासपात्र ऐसानहो जिसके हाथ में धनदेकर आधि छूटसकै तब ऐसी दशामें यह योग्यता पाईजातीहै कि उसग्राम का कोई मुखिया या पूर्ण अधिकारी जो विश्वासपात्र हो तिसको भी धन सौंपकर (आधि) छूट सक्ताहै यद्वा उसग्रामका संबन्धी कोई नगर जिसमें राजधानीकास्थान या उपकल्पहो ऐसे विख्यात राजद्वार में भी धन सौंपकर आधि छूटसक्ताहै-परन्तु-यहवात उसदशामें संभव होसक्तीहै कि यदि आधि (स्थावरधन) जैसा खेतबगीचा मकान आदिहो और उस विदेशवासी प्रयोक्ताधनीके शीघ्र लौटिआनेका भरोसा भी नहो किन्तु यदि एकमासके भीतर २ धनीके आजानेका विश्वासहो तौ फिर इस बातकी आवश्यकता नहीं-और-उसदशामें भी इसबातका संभवनहींहै कि यदि आधि (अस्थावर) नाम जंगमधनहो जैसा आभूषण या वस्त्रादिक जो उसधनीके आयेविना किसीके हाथ नहीं आसक्ता-इन कारणोंके अनुसार उसी पूर्वोक्त आज्ञासे यहवात भी पाईगई कि यदि प्रयोक्ताधनी किसी ऐसे लंबे देशांतर को तीर्थाटन आदि निमित्तोंसे जानाचाहै कि अतिविलम्बमें परिवर्तनका संभवहो तौ अपने कुलमें किसी विश्वासपात्र अधिकारीको (आधि) सौंपजावै चाहै स्थावरहो यद्वा अस्थावरहो-और जो उसके कुलमें कोई ऐसा नहो तौ यथा संभव अपने ग्राम नगर आदिके अधिकारी या मुखियाकोही सौंपजावै-कदाचित्-अभियोक्ता धनी अपने प्रमाद वा अज्ञानतासेही आधि किसीको सौंपेविना चलागया और उसके लौटि आने में विलम्ब

का संभवहो और इसी अन्तरमें अधमर्ण उसका धनदेकर अपना आधिलेना चाहै तौभी ऊर्ध्वोक्त मर्यादासे आधिछूटसक्ताहै परन्तु यदि आधिवस्तु कोई ऐसा अस्थायर धनहो जो अभियोक्ता धनीके आयेविना किसीके हाथनहीं आसक्ताहो तब अधमर्णकी इच्छासे ऐसा होसक्ताहै कि वह किसी विख्यात विश्वासपात्र को धनसौंप देवै तिसदिनसे व्याजवृद्धि चढ़नीबन्दहो और वहजंगम आधि अभियोक्ताके आने पर दिलायाजाय ६३ अब नीचेके श्लोकमें यहबात कहेंगे कि जब आधिको बेंचकर धनीका धन उद्धार होनेका समय प्रवर्तितहो और दोनोंमेंसे कोई एक उपस्थित न हो तब इसदशामें क्या कर्त्तव्यहै ६३ ॥

तत्कालकृतमूल्यावातत्रतिष्ठेदवृद्धिकः । विनाधारणिकाद्वापिविक्रीणितससाक्षिकम् ६४ ॥

अभि०—तत्काल मूल्य निश्चय कियाहुआ आधि-तत्रैव-अवृद्धिक धरारहै धारणिक विनाभी साक्षियों सहित बेंचदेवै ६४ ॥

अक्ष०—कदाचित् ऋणीयहवात चाहै कि मैं अपनेआधिको बेंचकर धनीकाधनउद्धार करों और धनी ऐसे समयपर अपनेघर मौजूदनहो वरन उसका कोई विश्वासपात्र अधिकारी भी मौजूद न हो-यद्वा-धनी या धनीके विश्वासपात्र अधिकारीकेहोतेहुये भी ऋणीअपना आधिबेंचकर धनदेनाचाहै तब इन दोनोंदशामें यहबातहोनीचाहिये कि उसऋणीकी इच्छानुसार तत्कालही(आधि) का मूल्य निश्चयकियाजावै और मूल्य निश्चितहुये पीछे वह आधि उसीधनीपास अवृद्धिकहोकर तबतक धरारहे कि जब तक उसके विक्रयद्वारा धनी अपनाधनलेकर आधिछोड़देवै और जो कुछमूल्य उसकी चढ़ीहुईवृद्धिसेभी अधिकमिलाहो सो उसऋणीको वापिसकरदेवै या तबतक वह अवृद्धिकरखारहे कि जब कोई क्रेता उसका क्रय न करसकै और धनी आप उसका क्रय स्वीकारकरिकै पूर्वनिश्चित मूल्य अपने ऋणमें जमाखर्चकरिलेवै यहाँपर अवृद्धिक इसलिये कहागया कि जिसदिनसे मूल्य कल्पितहोजावै तिसपीछे जबतक उसके मलेदले न होजायँ तबतक व्याजवृद्धि फिर नहींचढ़सक्तीहै-जोकि इसवार्त्तामें दोदशा ऊपरकहीगई उनमें जब धनी या धनीके अधिकारी अपनेघर विद्यमानहों तब तौ उनको स्वाधीनताहै कि वे आपही दशमनुष्योंके समक्ष ऐसाकरसक्तेहैं-परंतु-दूसरी दशा धनी या धनीके अधिकारियोंके भी न होनेमें यदि ऐसाहोना कहागया तौ इस बातसे यह सिद्धांतपायागया कि जैसे ६३ की अधिकोक्तिमें कहचुकेहैं कि ग्रामनगरके अधिकारियोंकोभी धनसौंपकर आधि छूटसक्ताहै तैसेही यहाँभी ग्रामनगरके अधिकारी (आधि) का मूल्य निश्चय यद्वा विक्रयभी ऋणीकी इच्छानुसार करवासक्ते हैं-यह अनिप्राय पूर्वार्द्ध मूल्य श्लोकमें कहागया-अब उत्तरार्द्धसे दूसरीवातकहतेहैं कि यदि (आधि) के रखनेसमय परम्पर दोनोंके यहवातठहरीहो कि व्याजवृद्धिके उद्धार

न होनेसे कदाचित् मूलधन दूनाहोजावै तौ धनही दूनादिया लियाजायगा अर्थात् ५९ के श्लोकमूल पूर्वार्द्धमेंकहीहुई मर्यादासे (आधि) का नाश न होगा ऐसे नियम के ठहरनेपर कदाचित् मूलधन दूनाहोजाय और उससमयपर अधमर्ण अपनेघर मौजूद न हो और शीघ्र उसके आनेका भरोसाभी न हो तब उत्तमर्णको क्या कर्तव्य है-तहाँ-वह अपनी इच्छासे यह करसक्ताहै कि (धारणिक) नाम ऋणीकेहोने और और न होनेपरभी ऋणीके विश्वासपात्र साक्षियोंके सन्मुख अर्थात् उनकी संमति सहित उस आधिको बेंचदेवै और बेंचकर अपनाधन दूनालिये पीछे जो कुछमूल्य अधिकवचाहो वह उन्हींको सौंपदेवै परंतु यहप्रकार उसीदशापर आरूढ़है कि यदि बंधकरखतेसमय परस्परदूनालेने देनेकी प्रतिज्ञाठहरीहो किन्तु यदि ऐसी प्रतिज्ञा नहींठहरीहो तौ निस्संदेह दूनाधनहोजानेपर ५६ के श्लोक मूल पूर्वार्द्धकी मर्यादा से आधिकानाशहोजावै यह सिद्धांतहै-और यहभी यादरक्खो कि यह ६३ और ६४ इन दोनों श्लोकमें कहीहुई समस्त मर्यादें केवल गोप्य आधिसे संबंधितहैं ६४ ॥ अब नीचेके श्लोकमें भोग्य आधिकी विशेषता प्रकटकरेंगे ६४ ॥

यदातुद्विगुणीभूतमृणमाधौतदाखलु । मोच्यआधिस्तदुत्पन्नेप्रविष्टेद्विगुणेधने ६५ ॥

अक्ष०—जबकि आधिमें ऋण द्विगुणीभूतहो तब उस्से उत्पन्नहुये द्विगुणधनके प्रविष्टहोनेपर तत्काल आधि मोच्यहै ६५ ॥

अभि०—यह एक प्रकारांतर वर्णनकियाहै कि-जब कोई ऐसा ( भोग्यआधि ) जिसमें कुछ उपलाभनाम पैदावारीभीहोतीहो धनीको कब्जामिले पीछे इतनेदिनोंतक बंधक बनारहे कि धनीकाधन व्याजवृद्धि चढ़ते चढ़ते दूनाहोजाय और उसीसमयतक (आधि) का उपलाभद्रव्य धनीको इतनापहुँचलियाहो जो उस द्विगुणधनके तुल्य समुभाजाय तब तत्कालही आधिछोड़देनाचाहिये-और-यदि पैदावारीका उपलाभ उसमें थोड़ाहोताहो जिसकेहेतुसे द्विगुणधनहोजानेकेसमयतक द्विगुणताके तुल्य प्राप्तिधनीको न पहुँचीहो और वह ऋणी इसन्यूनताको अपनेघरसे देकर पूरा न कर सक्ताहो जिस्से तत्काल उसका (आधि) छूटसकै तौ फिर इस्से आगे इतनेकालतक और भी उत्तमर्णका कब्जा उसपर बना रहना चाहिये जिस्से उस आधिके उपलाभ द्वाराधनी अपना दूनाधन पूराकरिकै लेसकै पर इसदशामें भी दूनेसे अधिकनहीं ले सक्ता क्योंकि इस मर्यादापर ४० के श्लोक मूलमें वर्णनकरी मर्यादें यथासंभव सब आरूढ़हैं-और जो-इसीप्रकार का (आधि) बंधकधरते समय परस्पर दोनोंके यह परिभाषा नामइकरार ठहराहोकिमें ठहरीहुई वृद्धिदेतारहूँगा परइस(आधि)का परि- यह अपनेपास रक्खोंगा और जो कदाचित् इतनेकाल विलंबतक व्याजवृद्धिमें उच्चार न करसकौं जिस्से मूलधन दूनाहोजावै तौफिर तत्काल इसआधिका कब्जा तुम्हें

समर्पण करौंगा इस परिभाषा के हेतुसे यदि ( आधि ) धरतेसमय प्रयोक्ताने परिग्रह नहींपाया हो या और ही किसी यथोचित हेतुसे परिग्रहकाअभाव चलाआयाहो और इसदशामें व्याजवृद्धि चढ़ते २ मूलधन दूनाहोजावै तौफिर तत्काल प्रयोक्ता के भोगमें उस (आधि) का प्रवेशहोना चाहिये अर्थात् कब्जाधनीको मिलनाचाहियेइस निमित्तसे कि वहअपने उसदूनेधन को आधिके उपलाभद्वारासंग्रह करसकै और यह कब्जा तवतक उसके हाथमें रहनाचाहिये जबतक वह दूनाधन पैदावारसे पराहोकर मिलसकै अर्थात् दूनाधन प्राप्तहोजाने परतत्काल कब्जाछोड़ दियाजावै किन्तुइस दशामें भी अभियोक्ता उस दूनेधनसे अधिकभोग नहीं करसक्ता और जो अधिक भोगहोजावै किसीहेतुसे तौउस दूनेधनसे अधिकलाभ जो धनीपर पहुँचाहो सोसब ऋणीको परिवर्तन करिदेनाचाहिये ६५ ॥

आधि०—ऊर्ध्वोक्त मर्यादाकासिद्धांत सर्वथायही है कि वृद्धिसहित मूलधनकाअपाकरण होजावै इसप्रकार को लौकिकमें ( क्षयाधि ) भी कहतेहैं इसलिये उतनेही काल तक आधिका उपभोगधनीको मिलनाचाहिये जिस्सेउसका मूलधन वृद्धिसहित परिशोधन होसकै-इसवातका निश्चयात्मक सिद्धांत यहकि यदि कदाचित् मूलधन के द्विगुणहोनेसे पूर्वहीऋणी (आधि)को छुड़ायाचाहै और धनीपर (आधि) का कब्जाबने रहनेसे तथैव ( आधि )में पैदावार अधिकहोनेसे इतनाधन उसपर पहुँचलियाहो कि उससमय तक वृद्धिके हिसावसे वृद्धिसहित मूलधन उद्धारहोसक्ताहो तौफिरयहां तक द्विगुणत्व का चर्चाकरना वृथा है-अथवा-इसी अत्रोक्तदशामें कदाचित् वृद्धि और मूलधनके तुल्यनहीं परकुछ न्यूनप्राप्ति अभियोक्ता धनीको होचुकीहोतौ फिर इसीन्यूनताके पूरेहोजाने योग्य अवधितक ( आधि )अभियोक्ताके कब्जेमें रहसक्ती है किन्तु यहांतक द्विगुणत्वका चर्चाकरना वृथाहै-और-जहां इस परिभाषासे इकरार ठहराहो किमेरा उपलाभ नहीं तुम्हारी वृद्धिनहीं ( दृष्टांत )जैसे एकमकानको(आधि) रक्खा जिसमें भाड़ेका उपलाभ पैदावार है परइसका कुछ परिमाणनहीं कि किसवक्त कितनी पैदावारी होसक्तीहै और धनीसे २००) दोसौ रुपये ऋणीने उसमकानको (आधि)रखकर लिये तत्रयह परिभाषा दोनोंने स्वीकारकरी कि जो कुछभाड़ा धनीके भाग्यसे मिलसकै सोई २००)का व्याजहै किन्तुजब चाहौं तवदोसौ मुद्रादेकर अपने मकानको छुड़ासकौं इसइकरारसे कब्जाउसका धनीको सौंपदिया फिर वहधनी चाहै भाड़ैतु किसीको रखे या न रखे चाहै अपनेआपरहै अथवानरहे इस्सेकुछ अपेक्षा नहींहै इसप्रकार को ( वृद्ध्यर्थभोग ) कहतेहैं सो इसवृद्ध्यर्थ भोगकेआधिमें ४० के इतनाकवाली मर्यादें संबंधित नहीं हैं अर्थात् इसदशामें धनीको द्विगुणधनसे अधिक भी उपलाभ चाहै होजाय अथवा न होजाय परन्तु जबतकऋणी केवल मूलधन उ-

करसकै तबतक(आधि)उसके भोगमें उपस्थित रहेगी-यहवार्त्ता बृहस्पतिनेस्पष्ट  
 कहीहै-यथा (ऋणीबंधमवाप्नुयात् । फलभोग्यपूर्णकालंदत्त्वाद्रव्यंतुसामकम् ॥  
 भाग्धनी । ऋणीचनलभेद्वंधपरस्परमतंविना)अर्थात्-  
 ऋणीअपने(बंध)कियेहुये फलभोग्य लक्षणके(आधि)को इसप्रकारसेपावै कि(फलभो-  
 ग्यआधि)में दोभेदहोतेहैं किन्तु एक तौ(फलभोग्यपूर्णकालआधि)वहकहाताहै जिसकाभो-  
 गपरिग्रह धनीकोइस निमित्तसे दियाजावै कि वृद्धिसहित मूलधन जबतकइसकेउप-  
 लाभसे उद्धारहोसकै तबतकतुम काविज्ञइसपर बनेरहो जिससमयमूलऔर वृद्धिदोनों  
 निःशेष होजायँ उसबेरा तत्काल आधिसे कब्जा छूटजायगा क्योंकि इसकायही पूर्ण  
 कालहै सो यह पूर्णकालका लक्षणऊपर अभिप्रायार्थमें कहचुके हैं और यह उसीदशा  
 में होसक्ताहै कि जबकिसी परिभाषा आदिकारणों से धनीको कब्जा पहलेनमिलस-  
 काहो और मूलधनके द्विगुणहोजानेपर कब्जाउसको दियाजावै इसीको ( सवृद्धिमू-  
 ल्यापाकरणार्थ ) आधिभीकहते हैं-दूसरा फलभोग्यद्रव्यसामक आधि वहकहाताहै  
 जिसको वृद्धयर्थ भोगकेनामसे अभी थोड़ीदूर ऊपर यथाविधिसे लिखचुके हैं अर्थात्  
 केवल वृद्धिके निमित्तसेभोग धनीपाताहै और अधमर्ण जबचाहै तब मूलद्रव्य समा-  
 नही देकर बंधछुड़ासक्ताहै इसीलिये इसका द्रव्यसामक नाम कहाताहै इसीको (वृद्धि  
 मात्रापाकरणार्थ) आधिभीकहते हैं-यहइतना भावार्थ यहाँतक बृहस्पतिके पौनःश्लोक  
 से कहागया-अव-इन्हीं मर्यादोंका (अपवाद.) बृहस्पतिके द्वितीय श्लोकसे कहते हैं  
 कि-यदि वहीद्रव्य सामक आधि अतिप्रकर्षित होजाय अर्थात् अतिशय करके बहु-  
 कालतक भोगाजाय जिसमें वृद्धिसे भी अधिकलाभ अभियोक्ता धनीपर पहुँचाहो  
 तब इसदशामें वहधनी धनभाक्न होवै अर्थात् अपना मूलधन द्रव्यसामक नपावै  
 किन्तु जितना उपलाभ उसने वृद्धिसे अधिक पायाहो उतनामूलधनमें काटिकर धन  
 पावै और जो यही अधिक भोग प्रबलता से हुआहो तौ फिरनिपट उसको मूलधन  
 दियेविना ऋणी अपना आधि पासक्ताहै यह अपवाद बृहस्पतिके द्वितीय श्लोक  
 पूर्वार्धसे धनीकी अपेक्षामें कहागया -अव-उत्तरार्द्ध एकपादसे ऋणीकी अपेक्षामें अ-  
 पवाद कहते हैं कि-यदि कदाचित्-वही द्रव्यसामक लक्षण का आधि अप्रकर्षित रह  
 जाय अर्थात् धनीने उसके उपलाभसे अपनी संपूर्ण वृद्धिनहीं वसूलकरिपाईहो तौ  
 इसदशामें ऋणी द्रव्यसामक देकर आधि नहींपावै किन्तु धनीकी जितनी वृद्धिशेष  
 रहीहो उतनी वृद्धिभी द्रव्यसामक मूलधनके उपरांत देकर आधिपावै यह अपवाद  
 तीसरेपादसे कहागया-अव-चौथे पादसे इन्हीं दोनों अपवादों का अपवाद परस्पर  
 दोनों ओरसे कहते हैं कि (परस्परमतंविना) अर्थात् यही दोनों मर्यादें जो अपवाद-  
 रूपसे बृहस्पतिने कहींसो उसदशामें संभाव्य समुभीचाहिये कि जब उत्तमर्ण और



अधमर्ण दोनोंके परस्पर कोईसा इकरार न ठहराहो-किन्तु-जबदोनोंने परस्पर निज निजमतके अनुरूप कोईसी परिभाषा पहले ठहरालीहो तो फिर उसपरिभाषाके अनुकूल मुकदमा फ़ैसलहोना चाहिये अर्थात् इस परस्पर मतकी दशामें उत्कृष्ट बंधक भी जिसमें वृद्धिसे अधिक पैदावार हो धनीभोगि सक्ताहै कि जबतक ऋणी उसका मूलधन उच्चारकरै-एवं-निकृष्ट बंधक भी जिसमें पैदावार थोड़ी अर्थात् वृद्धिके अनुमानपर न होतीहो केवल मूलमात्र धनदेकर उरुसे ऋणीलेसक्ताहै ६५ ॥

इतिऋणादानप्रकरणम् ॥

अथचाष्टादशविवादान्तर्गतद्वितीयविवादविशेषेनिक्षेपोपनिध्यो

विधिविवेकोनामैकत्रिंशःपरिच्छेदः ३१ ॥

इसइकतीसवें परिच्छेदमें वह मर्यादें जानीजायेंगी कि जो निक्षेप या उपनिधिनाम कीधरोहरसे संबन्धित हैं अर्थात् दोनोंभाँतिकी धरोहरका विवाद यह अठारहभाँति के विवादोंमें दूसरापद गिनतीहै तिसका वर्णनहोगा ॥

वासनस्थमनारख्याहस्तेन्यस्यदर्प्यते । द्रव्यंतदौपनिधिकंप्रतिदेयंतथैवतु ६६ ॥

अक्ष०—वासनमेंधराहुआ न कहकर जो हाथमेंधरिके अर्पितकियाजाता वहद्रव्य उपनिधिकहाता और तैसाही प्रतिदेयहोताहै ६६ ॥

अभि०—(वासन)पात्र किन्तुकरंडी पिटारी संदूकआदि जो कुछहो तिसमें धराहुआ द्रव्यमुखमुद्रित जिसकारूप और गिनतीआदि लक्षण बिनादिखलाये समुभायेकिसी अपने विश्वास्यजनकेहाथमें रक्षाकेनिमित्तसे जो कुछद्रव्य सौंपदियाकरते हैं सो वह उपनिधिनाम सौंपका धनकहलाताहै यह उपनिधिज्योंकात्यों यथावत्मुखमुद्रितपरावृत्य अर्थात् वापिसकरिदेने योग्यहोताहै कब कि जब सौंपनेवाला आकर माँगै- और-इसउपनिधिका दूसराभेद (निक्षेप) अर्थात् धरोहरकहलाताहै उसदशामें कि जब सौंपनेवालेने द्रव्यको गिनकर संख्यापूर्वकरूपलक्षण सब दिखलासमुभाकर अपने विश्वासपात्रकोसौंपाहो ६६ ॥

अधि०—इसवार्ता में नारदजी ने दोनों भेद स्पष्टरूपसे कहे हैं-यथा-(असंख्यातम विज्ञातंसमुद्रंयन्निधीयते , तज्जानीयादुपनिधिनिक्षेपंगणितंविदुः ) अर्थात्-जो कुछ द्रव्य किसीपास बिना गिना और बिना जानाहुआ मुखमुद्रित रखाजाताहै उसको उपनिधि समुभाचाहिये और गिनेहुये को निक्षेप कहते हैं-जब कदाचित् ऐसेद्रव्यके वापिसहोने में झगड़ा उठिकर अनियोग इसका राजद्वारतक पहुँचै या स्वतः पंचों आदिके तन्मुख पहुँचै तब यह निक्षेप नामका विवाद कहलाताहै ६६ ॥ अबनीचे इसके इन्माफ के निमित्तसे यथाचित इसका अपवाद भी कहेंगे ६६ ॥

नशाप्योपद्रव्यंततु राजदेविकनक्तरे । ध्रुपश्चेन्मार्गितेऽदत्तेदाप्योदं चतत्समम् ६७ ॥

अक्ष०—राजदैविक तस्करों करके अपहृत उस उपनिधि को दिलाने योग्य नहीं-  
चाहनेपर न देनेमें यदि नाशहोतौ दिलाने योग्यहै औरदंडभी उसीके समान ६७ ॥

अभि०—ऊपर ६६ के श्लोक चौथे पादसे यहकहाथा कि उपनिधि या निक्षेप जैसा  
उसने सौंपाहो तैसाही चिह्नों सहित ज्यों का त्यों वापिस करदेना चाहिये अर्थात् यदि  
ग्रहीता नहीं देवै तौ उस्से दिलवाना चाहिये-सो-इस मर्यादा में एक अपवाद ६७  
के पूर्वार्द्ध मूल श्लोकसे कहते हैं-कि-यह ग्रहीता उस उपनिधिको दिलाने योग्य नहीं है  
जो उपनिधि या निक्षेप राजाकरके अपहृत हुआहो अर्थात् राजयुद्धादि उत्पातों से  
विनाश होगयाहो या दैविक उत्पात अग्निदाह जल प्रवाह आदिसे विनाश हुआहो  
या चोरोंने हरलिया हो यह (अपवाद) नाम छूट इसमें करीगई-अब इस अपवादका  
भी अपवाद दूसरे अद्वासे कहते हैं-कि-यदि सौंपनेवाले धनीने अपना निक्षेप या उप-  
निधि कभी जरूरतमें मार्गित किया अर्थात् लेना चाहाहो और उसकी चाहनापर ग्र-  
हीताने परावृत्त न करदिया हो तिसपीछे उक्तउत्पातोंसे यदि (धेष) नाम विनाशहुआ  
हो तौ इस दशामें दिलाना चाहिये किंतु विनाशहुई वस्तुका मूल्य कल्पित करिके दि-  
लावै और उस धरोहर यद्वा सौंपके समान उसपर धनदंडभी दिलाना चाहिये ६७ ॥

अधि०—जोकि इसके पूर्वार्द्धमें यह कहागया किराज दैविक तस्करों करके हराहुआ  
निक्षेप या उपनिधि ग्रहीतासे नहीं दिलावै तिसमेंभी यह विशेषता है कि यदि जिह्म-  
कारित विनाश ठहरै तौ फिरनहीं दिलाना न्यायनहीं अर्थात् जो सद्भावही उक्त उ-  
त्पातोंसे विनाश निश्चयात्मक हुआहो तब उस न्यायका संभव होसक्ताहै-अन्यथा  
यदि ग्रहीताने (जिह्म) नाम कुटिलता अर्थात् कपट फरेवसे कहदिया हो कि तेरा नि-  
क्षेप अमुक उत्पातमें जातारहा-और-यथार्थसे वह उत्पात प्रत्यक्ष सबके देखते हुआ  
था परन्तु निक्षेपका विनाश कहदेना उसको एक अवसर मिला किंतु विनाश हुआ  
नहीं था तब इस दशामें अवश्यही उस्से दिलवाना चाहिये और दंडभी लेना चाहि-  
ये-इस बातकी प्रमाणता मध्ये यहभी देखा चाहिये कि उस उत्पातमें ग्रहीता काभी  
कुछ धन विनाशहुआ या केवल निक्षेपहीका विनाश बतलाताहै यदि ग्रहीता काभी  
बहुतसा धनविनाश प्रत्यक्षसबके देखतेहुआहो तौ निस्संदेहसमुभा चाहिये कि उसके  
साथमें निक्षेप काभी विनाश हुआ होगा अन्यथा नहीं-नारदने इसबातको स्पष्ट कह-  
दियाहै-यथा(ग्रहीतुःसहियोर्थेननष्टोनष्टःसदायिनः । देवराजकृततद्वन्नचेत्तज्जिह्मकारि-  
तम्) अर्थात्-ग्रहीताके धनके साथ जो उपनिधि चोरी आदिके द्वारा नाशहुआहो  
सो तौ सौंपनेवालेका गया यह समुभा चाहिये तैसेही दैवकृत विनाश यद्वा राजकृत  
विनाशमें यद्यपि केवल उपनिधिकाही विनाशहुआहो सोभी देनेवालेका गया समुभा  
चाहिये परन्तु यदि जिह्मकारित नहो ६७ ॥ अब नीचे ६८ के पूर्वार्द्ध में उपनिधि

भोक्ताका दंड्यभाव और नकार आदिकी दशामें धरोहर दिलवाये जाने के प्रकार कहे जायेंगे ॥

आजीवंश्चेच्छयादंड्योदाप्यस्तंचापिसोदयम् ६८ ॥ अष्टप्रष्टितसस्यपूर्वाद्धोऽयम् ॥

अक्ष०—निज इच्छासे भोगते हुये दंड्य और उदय सहित उसके दिलवाने योग्य है ६८ ॥

अभि०—जो कोई अपने पास किसीकी धरी हुई धरोहरका द्रव्य उसके स्वामीकी अनुज्ञा विना अपनी इच्छासेही आजीवन करता किंतु भोगता या उरसे कुछ व्यवहार करता है वह मनुष्य भोगके अनुसार दंडनीय होता और उस धरोहरको उदय पूर्वक दिलवाने योग्य होता है—उदय पूर्वक अर्थात् यदि उस द्रव्यसे उपभोगमात्र किया हो तो व्याज वृद्धि सहित दिलाना यद्वा अपने लाभके निमित्तसे कुछ व्यवहार उरसे किया हो तो उस व्यवहारका उपलाभ हुआ धन भी उस धरोहरके स्वामीको दिलाना चाहिये ६८ ॥

अधि०—यद्यपि दंडरूप लक्षणसे सभी दिलाना कहा गया तथापि इन्साफ़का यह दर्जा है कि यदि व्यवहारमें उपलाभ कुछ अधिकताके साथ हुआ हो तो फिर व्यवहर्ताके परिश्रम अनुसार उसको भी कुछ अंश छोड़कर दिलाना चाहिये सो उस दशामें कि जो व्यवहर्ताने कपटविना सत्यवाणी उच्चारण करी हो—परन्तु व्यवहारमें लाभ और हानि भी हो जाती है किंतु कदाचित् व्यवहर्ताको टोटा हुआ हो तब केवल व्याज वृद्धि सहित उपनिधि दिलवाया जाय—और जोकि उपनिधिनाम धरोहरमें ठहरी हुई व्याज वृद्धिका परिमाणरूप नियम होना असंगत है इसलिये चौबीसवें परिच्छेदकी मर्यादों अनुसार विना ठहरी हुई वृद्धिकालेखा देखा चाहिये सो भी वह लेखा उस दशातक समुभा चाहिये कि यदि भोग या व्यवहार करते हुये भी उपनिधि मांगनेके समयपर तत्काल देनेको उपस्थित हो जाय—और जो—चाहनाके समयपर न देवै तिसकी वृद्धिका प्रमाण कात्यायन जीने कई चीजोंके साथमें कहा है—यथा—(निक्षेपं वृद्धिशेषं चक्रयं विक्रयमेव च । याच्यमानो न चेद्दद्याद्द्वर्द्धते पंचकंशतम् ) अर्थात्—धरोहर और किसीके लेन देनकी वृद्धिका शेष जो कुछ रह गया हो और क्रय अर्थात् खरीदी हुई वस्तुका मूल्य जो देना रहा हो और विक्रय अर्थात् बेचा हुआ पदार्थ जो मूल्य पा चुकने पर भी नहीं दिया हो यदि मांगते हुये न देवै तो मांगनेके दिनसे उसपर व्याज वृद्धि पाँच रुपया सैकरी की चढ़ती है अर्थात् यथा संभव इतनी तक दिलवाना कुछ अन्याय नहीं है परन्तु यह प्रमाण उपनिधिनध्ये उस दशामें समुभा चाहिये कि यदि धरोहरका धन खा गया हो—किंतु—यदि रक्षामें उपेक्षा करनेसे विनाश हुई हो या अज्ञातभावसे विनाश हुई हो तिसके नये उन्हीं कात्यायन जीने द्वितीय मर्यादा नियत करी है—यथा (भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । किञ्चिन्न्यूनं प्रदाप्यः स्याद्द्रव्यमज्ञाननाशितम् ) अर्थात्—खा डाला हुआ धरोहर व्याज सहित दिनाये और जो उपेक्षानामे लापरवाहीसे खो दिया हो वह विना

ब्याज उतनाहीदिलावै और जो अज्ञानतासे दैवयोगसे विनाशहुआहो तो वहद्रव्य किञ्चित् मूलमेंसेभी कमकरके दिलावायाजाय ( किञ्चित् अर्थात् चतुर्थांश हीनकरिके तीनअंश दिलावायेजायँ)-देनेकीनकारमें जो दण्डहोना मूलश्लोकआदि ऊपरकहचुकेहैं यद्यपि उसकानियम कोईसानहीं कहा पर जैसाभोग और अपराध उसकापाया जाय उसीकेसमान जोकुछ उचितहो सो होसक्ताहै यहअड़सठका पूर्वार्द्धहुआ६८अव नीचेके उत्तरार्द्धमें उपनिधिके प्रसंगसे मँगैतू आदिचीजोंकी विधिकही जायगी तिसमें भी अतिदेशलक्षणसे सब यहीमर्यादें समुभलेनी ॥

याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयंविधिः ६८ ॥

अक्ष०—याचित, अन्वाहित, न्यास, निक्षेपआदिकोंमें यहविधि ६८ ॥

अभि०—याचित जो मगनई कीरीति से विवाहादि उत्सवों में बस्त्र अलङ्कार आदि कुछ मँगैतूवस्तुआईहो-(अन्वाहित)उसेकहतेहैं कि यदि वही मँगैतू चीजलानेवालेने या मुख्य मँगवानेवालेने किसीअन्य विश्वास्यजनके हाथमेंसौंपी पुनिसनेभी किसीद्वितीय जनके हाथरक्खी कि यहवस्तुलेकर धनीकोदेदेना-(न्यास)वहकहाताहै कि आईहुई वस्तु घरधनीको दिखलाकर उरसे पीछेघरके किसीअन्यजनके हाथमेंसौंपदी कि यह वस्तुधनीको समर्पणकरदेना-(निक्षेप) केलक्षणजैसे ६६ की अधिकोक्तिमें कहचुके हैं यहाँभी वहीसमुभलेने अर्थात् जो वस्तु समक्षभाव दिखलाकर गिनतीसहित सौंपी जाय सो निक्षेपहै-और (आदि) शब्दसे ऐसीवहवातेंभी समुभलेनी जो मूलश्लोकमें नहींकहीं (दृष्टांत)जैसे स्वर्णकारआदि किसी कारीगरकेहाथमेंकंकणआदि कुछबनवाने केलिये सोनाचाँदीआदिकुछसौंपाहो-या-परस्पर(प्रतिन्यास) कीरीतिसेकोईवस्तुदोनोंने दोनोंकोसौंपीहों किन्तु प्रतिन्यास उसदशामें कहाताहै कि जब इसप्रकारकी परिभाषा ठहरै कि हम तुम्हारी यहवस्तु इसभांति रक्षाकरेंगे तुम हमारी यहवस्तु इसभांति रक्षाकिये रहना या जबतक मैं तुम्हारी यहचीज बनाकर लाऊँतबतक मेरीयह वस्तु अपने विश्वासके निमित्तमें रखखोड़ो इत्यादि अनेक वार्त्ता उसी आदिशब्दसे ऊहा करलेनी कि जो सौंपसे संबन्धरखती हों-इनसभी प्रकारके विवादोंमें वहीन्याय होसक्ताहै जो ऊपर धरोहरमध्ये वर्णनहोचुका ६८ ॥

अधि०—यहीप्रमाण नारदजीने कियाहै-यथा (एषएवविधिर्दृष्टोयाचितान्वाहितादिषु शिल्पिषुपनिधौन्यासेप्रतिन्यासेतथैवच)अर्थात्-नारदकहते हैं कि यहीविधि प्रत्यक्षदेखागयाहै याचित और अन्वाहित आदिमें और (शिल्पी) नाम कारीगरोंमें उपनिधि में न्यासमें तैसेही प्रतिन्यासमें भी-समुभ्ला चाहियेकियह अष्टादश विवादोंमें (निक्षेपः) नामका विवादभी द्वितीयपद पूराहुआ सोयह विवाद यथासंभव यथा अवसर के आधीन दीवानी फौजदारी दोनोंसे संबन्ध रखताहै ६८ ॥ इतिनिक्षेपप्रकरणम् ॥

अथचोपनिध्यादीनांप्रपंचविवादप्रसंगेनात्रैवावश्यकत्वात्साक्षिलक्षणपूर्वकसाक्ष्यप्रमाणनिरूपणोनामद्वात्रिंशःपरिच्छेदः ३२ ॥

इसवत्तीसवें परिच्छेद में गवाहीके प्रयोजनसे गवाहोंके स्वरूप लक्षण कहेजायेंगे क्योंकि जब उपनिधि आदि विवादोंमें अर्थी प्रत्यर्थी दोमेंसे कोईएक प्रपंचभाषा उच्चारणकरै तब साक्षियोंविना मुकद्दमह की संसिद्धि नहींहोसकीहै-(साक्ष्यप्रमाण-अर्थात्-शहादत जबानी )

अथसाक्षिस्वरूपमाह ॥

जोकि सोरहवें परिच्छेदगत श्लोकमूल २३के द्वारा मुकद्दमहकी साधनामें प्रमाणतीन भांतिके बतलायेथे अर्थात् लिखितं १ भुक्तिः २ साक्षिणः ३ इनमेंसे ( भुक्ति ) नाम कब्जेका प्रमाण बीसवें और इक्कीसवें दो परिच्छेदोंसे निरूपण होचुका बरन उसका किंचित् प्रभाव अठारहवें परिच्छेद में भी प्रदर्शित किया गयाथा-अब-इस बत्तीसवें परिच्छेद में ( साक्षियों ) का निरूपण करते हैं कि (साक्षी) साक्षात्कार दर्शनमात्रसे कहाताहै परञ्च दर्शनके अभावमें श्रवणमात्रसे भी साक्षीहोता है-यथाहमनुः (समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति) अर्थात् ( साक्ष्य ) नाम गवाहीसमक्षदर्शनसेहोतीहैपरवहीश्रवणकरने सेभी सिद्धहोती है-वहीसाक्षी दोप्रकारके होतेहैं ( कृत ) १ (अकृत) २ अर्थात् किया १ और न किया-२ इनमें (कृतसाक्षी) वहकहाता है जो साक्षित्वमें निरूपितनाम बदिकर खड़ाकिया जाय १ ( अकृतसाक्षी ) वहकि जो अनिरूपित नाम बिनाबदे करलियाजाय २ इनमें कृतसाक्षी पांचविधका और अकृतसाक्षी छेविधका होता है इसप्रकारसे साक्षीग्यारह भांतिकेहोते हैं-यथाहनारदः (एकादशविधः साक्षीशास्त्रेदृष्टो मनीषिभिः । कृतः पंचविधो ज्ञेयः षड्विधोऽकृत उच्यते) अर्थात्-शास्त्रमें मनीषीलोगोंने एकादशविधका साक्षीनिश्चितकियाहै उनमेंकियाहुआ पांचविधका जानना और छेविधका न कियाहुआ कहतेहैं उनकाभेद भी उन्हींनारदने कहा है-यथा (अर्थात् लिखितः स्मारितश्चैव यदृच्छामिज्ञ एव च । गूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षीपंचविधः स्मृतः) लिखित १ स्मारित २ यदृच्छामिज्ञ ३ गूढ ४ उत्तरसाक्षी ५ यह पांचप्रकारके साक्षी (कृत) अर्थात् कियेहुये कहलातेहैं-इनपांचके स्वरूप लक्षणकात्यायनजी ने कहे हैं-यथा (अर्थिनास्वयमानीतो यो लेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितो पत्रकाटते) अर्थात्-जिसगवाहकानाम किसी लेख्यपत्र दस्तावेजपर गवाहीमें लिखा चलाआता किन्तु लिखिरहा हो और उसीगवाहको लाकरअर्थी अपनेआप अदालतमें उपस्थितकरै सो वहगवाहलिखित (साक्षी) कहलाताहै १ और स्मारितनाम यादकरायाहुआ वहकि जिसकानाम दस्तावेज पर न लिखाहो सो इमगवाहका भी लक्षण उन्हींकात्यायनजीने कहाहै -यथा (यत्स्मृत्यर्थं प्रनिश्चयं दृष्टाकार्यपुनःपुनः । स्मार्यते ह्यर्थिना साक्षी स स्मारित इहोच्यते )

अर्थात्-जिस मनुष्यको किसी अपने अपेक्षितकामसे सम्बन्धित जानिकर उसकाम की प्रसिद्धि होजानेकेलिये अर्थी बारम्बार स्मरण कराताहै कि देखो तुमइसवातके साक्षीहो-यदि ऐसे मनुष्यको उसकामकी गवाहीमें जानापरै तौवह(स्मारितसाक्षी)कहलाताहै २ तीसरा(यदृच्छामिज्ञ)साक्षी वह कि जो किसीकार्यके प्रकटहोनेसमय आपही दैवयोगसे आजावे और अर्थी उसको भी साक्षीनियत करिलेवे और उसीको गवाहीमें जानापरै ३ यद्यपि यहदोनों गवाहदूसरा और तीसराभी(मलिखित)कहलाते हैं क्योंकि इनकानाम हस्ताक्षर किसी दस्तावेजपर लिखाहुआ नहींहोता इसलिये इनदोनोंका एकहीलक्षण कहसक्तेथे तथापि कात्यायनजीने इनदोनोंकेबीच यहीभेद वर्णनकियाहै कि दूसरा तौ उसकार्यमें पहलेसे सम्बन्ध रखताथा जिसको बारम्बार याददिलाईगईथी और तीसरेको उसकार्यसे कुछ सम्बन्ध नहींथा परन्तु दैवयोगसे तत्काल सन्मुख आजानेकेहेतुसे उसनेभी उसदशाकोदेखा तबसाक्षी ठहरायागया इसलिये दोनोंको भिन्नभिन्न समुम्हाचाहिये तथाचकात्यायनः (प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागतश्रयः । द्वौसाक्षिणौत्वलिखितौ पूर्वपक्षस्यसाधकौ) अर्थात्-पूर्वपक्षके साधकनाम अर्थीकादावा सिद्धकरनेवाले दोनोंसाक्षी अलिखितहोतेहैं किंतुएकतौ दूसरा जिसकेलक्षण कहचुकेहैं कि वहप्रयोजन केलिये प्रथमसेही विख्यातकरिकै बुलाया जाय सो और एकतीसरा जोदैवयोगसे आगयाथा इसप्रसङ्गसे वहभीखेंचबुलायागया यहतीन गवाहोंके लक्षणहोचुके ३ चौथा(गूढसाक्षी)वह कि जिसकोअर्थीवचनकी सचावटकरनेको गुप्तभावसे एकान्त इसलिये खड़ाकरै कि वहमेरे प्रत्यर्थीकी भाषा यथावत् सुनसकै और उसकेसुननेसे मेरीभाषाजोसच्चीहै सो प्रामाण्यहोजाय यदिऐसा गवाह त्रिपकर उसके प्रत्यर्थीकी भाषास्फुट सुनेपीछे गवाहीदेनेजाय तौ वहगूढसाक्षी कहलाताहै-तथाच (अर्थिनास्वार्थसिद्धयर्थं प्रत्यर्थिवचनंस्फुटम् । यःश्राव्यतेस्थितो गूढो गूढसाक्षीसउच्यते) अर्थात्-अपनी अर्थसिद्धिकेलिये गूढस्थित कियाहुआजो मनुष्य अर्थीकरके प्रत्यर्थीकास्फुट वचनसुनायाजाता है वह चौथागवाह गूढसाक्षी कहलाताहै ४ पाँचवाँ (उत्तरसाक्षी) वह कि जो अन्य साक्षियों के साक्ष्यकोप्रमाणकरै यद्वा अप्रमाणकरै-तथाच(साक्षिणामपियःसाक्ष्यमुपर्युपरिभाषते । श्रवणाच्छ्रावणाद्वा पिससाक्ष्युत्तरसंज्ञितः)अर्थात्-जो साक्षियोंकेभी संभाषणकासाक्ष्य ऊपर २ भाषण करताहै वह गवाह (उत्तरसाक्षी) कहलाताहै और वह उत्तरसाक्ष्य उसकाचाहे श्रवण करनेसे यद्वा श्रवणकरानेसेहो इसकानियमनहीं-सिद्धांत इसका यह कि एकमनुष्यतौ ऐसाहै कि वह गवाहोंके इजहार होतेसमयजाकर अपनेआप उनकी भाषासुने और तत्काल उसकाप्रमाणकरै कि हाँ यहकथन इनकासच्चाहै यद्वा अप्रमाणकरै कि यह कथनइनका अमुकहेतुसे असत्यहै तौ यहउत्तरसाक्ष्य उसकाश्रवणकरनेसे कहलाया-



परन्तु यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो प्रतिष्ठाके हेतु यद्वा रोगादिकारणोंसे अदालतमें बुलाने योग्य नहीं और उत्तरसाक्ष्य उसके ऊपर आरूढ़ किया गया कि जो इनगवाहोंकी इजहारभाषा वह प्रमाणीक सज्जनप्रमाणकरै तो इसमुकद्दमहकी दृढ़ता हो अन्यथानहीं ऐसीदशामें इजहारभाषा उसके पास घरबैठे भेजकर सुनाई जाय कि अमुकामुक साक्षियों ने यह कहा आप इसमें क्या जानतेहो तब जो कुछ वह प्रमाण यद्वा अप्रमाण उच्चारणकरै तो यह उत्तर साक्ष्यउसका श्रवणकराने से ठहरा ५ ये पाँचों साक्षी (कृतसंज्ञक) अर्थात् नियत कियेहुये कहलाते हैं-इनके सिवाय छे प्रकार के अकृतसंज्ञक अर्थात् अनियतसाक्षी जो होतेहैं तिनकाभेद लक्षण सब नारद जीने कहा है-यथा-ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्वधिकृतोयः स्यादर्थिना प्रहितश्चयः । कुल्याः कुलविवादिषु विज्ञेयास्तेपिसाक्षिणः ) अर्थात्-ग्राम १ प्राड्विवाक २ राजा ३ व्यवहारियोंका अधिकृत ४ अर्थिप्रहित ५ कुल्यजन ६ ये भी छः प्रकारके मनुष्य यथा अवसरके आधीन आवश्यकता जानिकर साक्षी समुभे चाहिये अर्थात् यद्यपि यहलोग अनियतसाक्षी हैं तथापि किसी कार्यकी आवश्यकता में इनसेभी साक्ष्य लिया जाता है- (ग्राम) अर्थात् नगर का अधिकारी रईस ग्रामाधीश आदि या कोई विख्यात प्रतिष्ठितलोग जो उसग्रामकी दशाओंसे अभिज्ञहों यद्वा सारेग्रामके निवासीलोग १-(प्राड्विवाक) अर्थात् हाकिम जो उस नगरमें राजाकी ओरसे अधिष्ठित हो या पहले कभी अधिष्ठित रहा हो-सो इसहाकिम के उपलक्षणमें लेखक और सभ्यजनभी समुभे चाहिये-तथाहि-(लेखकः प्राड्विवाकश्च सभ्याश्चैवानुपूर्वशः । नृपेऽपश्यति तत्कार्यसाक्षिणः समुदाहताः ) अर्थात्-जब राजा आपही किसीमुकद्दमहकी तहकीकातपर समुद्यत हो और वहकार्य ऐसे अंतरपर दूरस्थ है कि राजा उसको देखनहींसक्ता तब इसदशामें राजाका समाधान करनेको लेखक और प्राड्विवाक और सभ्यजनभी यथाक्रमसे साक्षी किये जाते हैं कि राजा उनसे पूँछकर निश्चित करै और दूरस्थकार्यको (नहीं देखसक्ताहो) इसप्रतिज्ञासे यहसिद्धांत दर्शाया है कि जहाँतक राजा अपनेनेत्रसे उसदशाको देखसकनेमें समर्थ हो तहाँतक विनादेखे किसीमुकद्दमेका तोड़ न करे औरभी यहाँपर राजाके उपलक्षण में प्राड्विवाकभी समुभा चाहिये किन्तु जैसे राजा किसी दशाको न देखसकने में हाकिम आदि से पूँछकर निश्चिन करता है तैसेही जिस देश विभागमें हाकिम स्वाधीन किसी मुकद्दमे का फैसला करने समय यदि कदाचिन् किसीदशाको न देखसक्ताहो तब अपनेलेखक और सभ्योंसे पूँछकर दृढ़ताकरै लेखकनाम मुहरिरेल्लोग (सभ्यजन) अर्थात् महान्मुन्शी सरि-इनेदार आदि २ (राजा) अर्थात् राजाका साक्षी होना केवल यही है कि यदि कदाचित् आखेट बिहार आदि प्रसंगसे या जिस किसी प्रसंगसे जिसवार्ताकी कोईदशा राजाने

और उसीवार्ताके अभियोगमें किसीदुर्जनकी प्रपंचरचनासे यथार्थ तब ऐसे अवसरमें राजाको स्मृतिदिलाई जाती है कि अमुकामुक प्रसंगसे हज़ूरने भी इसवार्ताकी अमुकामुक दशा देखी सुनी थीं-यहाँ भी राजाके उपलक्षणमें प्राड्विवाकसंग्रहीत है ३-चौथा जो व्यवहारियोंके कार्योंमें (अधिकृत) हो अर्थात् मुनीम गुमाश्ते आदि जो पूर्ण अधिकारी होते हैं क्योंकि यह लोग व्यवहारके सम्बन्धसे परस्पर उन कामोंमें सबके भेद होते हैं इसलिये यद्यपि यह कोई कृतसाक्षियोंमें न हों परन्तु तात्कालिक आवश्यकता जानिकर इनसे भी उस दशाका तत्त्व बूझा जाता है-और-इसीका दूसरा अर्थ यह भी है कि वे ही दोनों व्यवहारी जो अर्थात् प्रत्यर्थी हों तिनके कार्योंमें जो लोग अधिकृत नाम अधिकारी हों जैसे मुनीम या मुख्तार आम आदि उनसे भी साक्ष्य बूझा जाता है ४-पाँचवां (अर्थिप्रहित) अर्थात् जिसको अर्थीने ठेठ उस कामके ही लिये नियत किया हो जैसे मुख्तार खास या और कोई जो इस प्रकार का होकर अर्थीकी ओर से उस कामके उद्योगमें तत्पर हो यहाँ अर्थीके उपलक्षणमें प्रत्यर्थी भी समुझना किंतु जिसको प्रत्यर्थीने नियत किया हो सो भी अर्थिप्रहित कहलाता है यद्वानाम भेद करनेके लिये उसको प्रत्यर्थिप्रहित कहिलेना यह सिद्धांत है ५-छठे गवाह (कुल्याः) कुलविवादेषु अर्थात् जहाँ कुलविवाद नाम घरूजाति विरादरीके भगड़ासे नालिश हुई हो तहाँ जो उस कुलमें प्रधानभूत समुझे जाते हों वे ही साक्षी हो सकते हैं ६ ये ११ प्रकारके साक्षी वर्णन हो चुके-परन्तु अब यह बात समुझी चाहिये कि जहाँ जिस कामकी दशाके अनुरूप जिस प्रकारके साक्षियोंसे काम चल सकता हो उसी प्रकारके साक्षी आवश्यक होते हैं तथापि यदि आवश्यक प्रकारके साक्षी भी बहुताइतसे उपस्थित हों उनमें किसको छाँटकर लेना चाहिये और संख्यामें भी कितने किये जायँ यह बात नीचे योगीश्वरके मूलवाक्यसे संसिद्ध होगी ॥ इति साक्षिस्वरूपम् ॥ अथ साक्षियोग्यता ॥

तपस्विनोदानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवंतो धनान्विताः ६९ ॥

त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मार्तक्रियापराः । यथाजातियथावर्णसर्वेषु वा स्मृताः ७० ॥

प्रक्ष०—सहद्वयोः तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धर्म प्रधान, ऋजु, पुत्रवान्, धनान्वित, श्रौतस्मार्त क्रियापर त्र्यवर साक्षी ज्ञातव्य हैं-यद्वा-यथां जाति यथावर्णके सबसबों में कहे हैं ६९ । ७० ॥

अभि०—(तपस्वी) किंच तपः स्वभाववाले (दानशील) किंच दानमें निरत स्वभाव उदार चित्तवाले (कुलीन) जो महान् कुलमें जन्मे हों (सत्यवादी) जो सत्यार्थ संभाषणमें तत्पर हों-(धर्मप्रधान) जो धर्मही को प्रधानभूत जानते या मानते हों किंच अर्थकाम इनकी प्रधानता जिनके नहीं अर्थात् अर्थ और कामको भी धर्म मार्गोंसे ही उपार्जन करते हों धर्मातिरिक्त मार्गोंसे नहीं (ऋजु) जो अकूटिल हों (पुत्रवंत) पुत्रोंवाले (धनान्वित)

परन्तु यदि कोई मनुष्यऐसाहो जो प्रतिष्ठाकेहेतु यद्वा रोगादिकारणोंसे अदालतमें बुलाने योग्यनहीं और उत्तरसाक्ष्य उसके ऊपर आरूढ़ कियागया कि जो इनगवाहोंकी इजहारभाषा वहप्रमाणीक सज्जनप्रमाणकरै तौ इसमुकदमहकी दृढ़ता हो अन्यथानहीं ऐसीदशामें इजहारभाषा उसकेपास घरबैठेभेजकर सुनाईजाय कि अमुकामुक साक्षियों ने यहकहा आप इसमें क्याजानतेहौ तब जो कुछ वह प्रमाण यद्वा अप्रमाण उच्चारणकरै तौ यह उत्तर साक्ष्यउसका श्रवणकराने से ठहरा ५ ये पाँचों साक्षी (कृतसंज्ञक) अर्थात् नियत कियेहुये कहलाते हैं-इनके सिवाय छेप्रकार के अकृतसंज्ञक अर्थात् अनियतसाक्षी जो होतेहैं तिनकाभेद लक्षण सब नारद जीने कहा है-यथा-ग्रामश्चप्राड्विवाकश्चराजाचव्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्वधिकृतोयः स्यादर्थिनाप्रहितश्चयः । कुल्याःकुलविवादेषुविज्ञेयास्तेपिसाक्षिणः ) अर्थात्-ग्राम १ प्राड्विवाक २ राजा ३ व्यवहारियोंकाअधिकृत ४ अर्थिप्रहित ५ कुल्यजन ६ ये भी छःप्रकारके मनुष्य यथा अवसरके आधीन आवश्यकता जानिकर साक्षी समुभेचाहिये अर्थात् यद्यपि यहलोग अनियतसाक्षीहैं तथापि किसी कार्यकी आवश्यकता में इनसेभी साक्ष्यलियाजाता है- (ग्राम) अर्थात् नगर का अधिकारी रईस ग्रामाधीश आदि या कोई विख्यातप्रतिष्ठितलोग जो उसग्रामकी दशाओंसे अभिज्ञहों यद्वा सारेग्रामकेनिवासीलोग १-(प्राड्विवाक) अर्थात् हाकिम जो उस नगरमें राजाकीओरसे अधिष्ठितहो या पहले कभी अधिष्ठितरहाहो-सो इसहाकिम के उपलक्षणमें लेखक और सभ्यजनभी समुभेचाहिये-तथाहि-(लेखकःप्राड्विवाकश्च सभ्याश्चैवानुपूर्वशः । नृपेऽपश्यतितत्कार्यसाक्षिणःसमुदाहृताः ) अर्थात्-जबराजा आपही किसीमुकदमहकी तहकीकातपरसमुद्यतहो और वहकार्य ऐसेअंतरपर दूरस्थहै कि राजा उसको देखनहींसक्ता तब इसदशामें राजाकासमाधानकरनेको लेखक और प्राड्विवाक और सभ्यजनभी यथाक्रमसेसाक्षीकियेजाते हैं कि राजाउनसेपूँछकर निश्चितकरै और दूरस्थकार्यको (नहींदेखसक्ताहो) इसप्रतिज्ञासे यहसिद्धांतदर्शाया है कि जहाँतक राजाअपनेनेत्रसे उसदशाकोदेखसकनेमेंसमर्थहो तहाँतक बिनादेखे किसीमुकदमेका तोड़ न करे औरभी यहाँपर राजाकेउपलक्षण में प्राड्विवाकभीसमुभा चाहिये किन्तु जैसे राजाकिसी दशाको न देखसकने में हाकिम आदि से पूँछकर निश्चिन करता है तैसेही जिस देश विभागमें हाकिम स्वाधीन किसी मुकदमे का फैसलाकरनेममय यदि कदाचित् किसीदशाको न देखसक्ताहो तब अपनेलेखक और सभ्योंसेपूँछकरदृढ़ताकरै लेखकनाममुहरिरलोग (सभ्यजन) अर्थात् महान्मुन्शी सरि-इनेदार आदि २ (राजा) अर्थात् राजाकासाक्षीहोना केवलयहीहै कि यदि कदाचित् आखेट विहारआदिप्रसंगसे या जिस किसीप्रसंगसे जिसवार्ताकीकोईदशा राजाने

पदेखीसुनीहो और उसीवार्ताकेअभियोगमें किसीदुर्जनकी प्रपंचरचनासे यथार्थ सिद्धिदुर्घटहोजाय तब ऐसेअवसरमें राजाकोस्मृतिदिलाईजातीहै कि अमुकामुक प्र-संगसे हज़ूरनेभी इसवार्ताकी अमुकामुकदशादेखीसुनीथीं-यहाँभी राजाकेउपलक्षण में प्राड्विवाकसंग्रहीतहै ३-चौथा जो व्यवहारियोंकेकार्योंमें (अधिकृत)हो अर्थात् मुनीम गुमाइते आदि जो पूर्णअधिकारीहोते हैं क्योंकि यहलोग व्यवहारकेसम्बन्धसे पर-स्परउनकामोंमें सबकेभेदहोते हैं इसलिये यद्यपि यहकोई कृतसाक्षियोंमें न हों परन्तु तात्कालिक आवश्यकताजानिकर इनसेभी उसदशाकातत्त्वबूभाजाताहै-और-इसीका दूसरा अर्थयहभीहै कि वेहीदोनों व्यवहारी जो अर्था प्रत्यर्थीहों तिनकेकार्योंमें जो लोग अधिकृतनाम अधिकारीहों जैसे मुनीम या मुख्तारआम आदि उनसेभीसाक्ष्य बूभाजाताहै ४-पाँचवां ( अर्थिप्रहित) अर्थात् जिसको अर्थीनेठेठ उसकामकेहीलिये नियतकियाहो जैसे मुख्तारखास या और कोई जो इसप्रकारकाहोकर अर्थीकीओर से उसकामके उद्योगमें तत्परहो यहाँअर्थीके उपलक्षणमें प्रत्यर्थीभी समुभना किंतु जिसको प्रत्यर्थीने नियतकियाहो सोभी अर्थिप्रहित कहलाताहै यद्वानाम भेदकरनेके लिये उसको प्रत्यर्थिप्रहित कहिलेना यह सिद्धांतहै ५-छठेगवाह(कुल्याः) कुलविवादेषु अर्थात् जहाँ कुलविवादनाम घरूजाति बिरादरीके भगड़ासे नालिशहुईहो तहाँ जो उसकुलमें प्रधानभूत समुभेजातेहों वेही साक्षीहोसक्तेहैं ६ ये ११ प्रकारके साक्षी वर्णनहोचुके-परन्तु-अब यहवात समुभीचाहिये कि जहाँ जिसकामकी दशाके अनु-रूप जिसप्रकार के साक्षियोंसे कामचलसक्ताहो उसीप्रकारके साक्षी आवश्यकहोते हैं तथापि यदि आवश्यक प्रकारके साक्षीभी बहुताइतसे उपस्थितहों उनमें किसको छँटिकर लेनाचाहिये और संख्यामें भी कितने कियेजायँ यहवात नीचे योगीश्वर के मूलवाक्यसे संसिद्ध होगी ॥ इतिसाक्षिस्वरूपम् ॥ अथसाक्षियोग्यता ॥

तपस्विनादानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाऋजवः पुत्रवंतो धनान्विताः ६९ ॥

त्र्यवराः साक्षिणोज्ञेयाः श्रौतस्मार्तक्रियापराः । यथाजातियथावर्णसर्वसर्वेषुवास्मृताः ७० ॥

प्रक्ष०—सहद्वयोःतपस्वी, दानशील,कुलीन, सत्यवादी,धर्म प्रधान,ऋजु, पुत्रवान्, धनान्वित, श्रौतस्मार्त क्रियापर त्र्यवर साक्षी ज्ञातव्य हैं-यद्वा-यथा जाति यथावर्णके सबसवों में कहे हैं ६६ । ७० ॥

प्रभि०—(तपस्वी) किंचतपः स्वभाववाले (दानशील) किंच दानमें निरत स्वभाव उदार चित्तवाले (कुलीन) जो महान् कुलमें जन्मेहों (सत्यवादी) जो सत्यार्थ संभाषण में तत्परहों-(धर्मप्रधान) जो धर्मही को प्रधानभूत जानते या मानतेहों किंच अर्थकाम इनकी प्रधानता जिनके नहीं अर्थात् अर्थ और कामको भी धर्म मार्गोंसेही उपार्जन करतेहों धर्मातिरिक्त मार्गोंसे नहीं (ऋजु) जो अकुटिल हों (पुत्रवंत) पुत्रोंवाले(धनान्वित)

जो सुवर्ण आदि बहुसंपत्तिमान् (श्रौतस्मार्तक्रियापर) अर्थात् नैतिक और नैमित्तिक अनुष्ठानों में रतहों-ऐसे पुरुषसाक्षी होते हैं (अथर्व) अर्थात् तीनमें घाटिनहीं पर तीनसे अधिक चाहें तितने संख्यामें अपेक्षाके अनुसार कियेजायँ सोभी जातिके अतिक्रम से नहीं किन्तु यथा जातिकेही साक्षी कियेजायँ अर्थात् मूर्द्धावसिक्त आदि अनुलोमज प्रतिलोमज जातोंके अभियोगमें वेही जातें साक्षी होसक्ती हैं (दृष्टान्त) जैसे किसी मूर्द्धावसिक्त जातिके मनुष्यका मुकद्दमाहोतौ उसमें उसीजातिके मनुष्य चुनिकर साक्षी कियेजायँ जिनमें ऊर्ध्वोक्त लक्षण पायेजाते हों और संख्यामें तीनसे कमनहों ऐसेही अंबट आदि सबजातों को समुभना-इसीप्रकार-वर्णके अतिक्रमसे नहीं किन्तु यथा वर्णकेही साक्षीकिये जायँ अर्थात् ब्राह्मण आदि वर्णोंके अभियोगमें वेही वर्णसाक्षी होसक्ते हैं जैसे ब्राह्मणके मुकद्दमहमें ब्राह्मणही चुनिकर कियेजायँ जिनमें ऊर्ध्वोक्त लक्षण पायेजातेहों और संख्यामें भी तीनसे न्यूनसाक्षी न कियेजायँ यह सर्वत्रजानना और ऐसेही क्षत्रिय आदि वर्णोंको समुभना और इसीमर्यादासे स्त्रियोंके मुकद्दमातमें स्त्रियाँ साक्षीहोंगी ( स्त्रीणांसाक्ष्यंस्त्रियःकुर्युरितिमनुः ) और ऊर्ध्वोक्त लक्षणोंका होना यद्यपि सर्वथा निर्देश कियाहै तथापि यह आग्रह नहींहै कि ये सभी लक्षण प्रत्येक साक्षीमें हों क्योंकि सर्वत्र प्रत्येकमें सब लक्षणों का होना दुर्घटहै इसलिये तात्पर्य केवल इतनाहै कि जहाँतक अधिक लक्षणों के साक्षीमिलसकें सो अंगीकार कियेजायँ और यथार्थभावसे कोई एकदो लक्षण भी जिसमें पायेजायँ जो कृत्रिम नहों तौ वह साक्षी सर्वलक्षणसंपन्न समुभाचाहिये ६९ । ७० ॥

अधि०-जिसदशामें तीन या इस्से अधिकजो अपेक्षितहों उतने सभी गवाह एक जातिके या एकही वर्णके न होसकें अर्थात् उसनगरमें चाहैतितने मनुष्य उसप्रकारके हों परंतु निजअपेक्षितकार्यसे सन्बन्ध उनका कुत्रनहीं जिस्से उनको साक्षीकियाजाय इत्यादि कारणोंसे एकही जाति या एकहीवर्णके साक्षीसब न होसक्तेहों तब सभीजातों और सभीवर्णोंके लोग सबजातों और वर्णोंके साक्षी परस्पर होसक्ते हैं-ऐसेही-जब कदाचित् ऊर्ध्वोक्त शुभलक्षणोंवाले साक्षीमिलने असंभव हों तब अन्य साधारण मनुष्य भी साक्षीकियेजारुक्ते हैं परंतु वेही कि जिनकेलिये साक्षीहोनेका निषेध शास्त्रमें नहो-इसलिये-अब अनाक्षियोंके भी लक्षण समुभने चाहिये जिनके साक्षित्वका प्रतिषेध शास्त्रमें नियतहै वह पाँचप्रकारके असाक्षी नारदने प्रदर्शित कियेहैं-यथा (असाक्ष्यपिहिशास्त्रेषुषट्पुः पंचविधोवुधैः । वचनादोपतोभेदात्स्वयमुक्तेर्मृतांतरात् ) अर्थात् नारदहते हैं कि शास्त्रके विद्वानों ने अनाक्षी भी पाँचविधके निश्चितकिये हैं किन्तु वचनमें १ दोषमें २ नेदमें ३ स्वयमुक्तिद्वारणमें ४ मृतांतर हेतुसे ५-अर्थात्-एकतौ ये कि जिनकेलिये शास्त्रके वचनमात्रमेही साक्षित्वका निषेधहै इनके लक्षण ७१ के

मूलश्लोकमें देखो-दूसरे जो अपने आचरणों के दोष हेतु से साक्षी होने योग्य न रहें-तीसरे जो गवाही देतेसमय भेद वाक्य उच्चारणकरें-चौथे स्वयं उक्ति अर्थात् जो विनाबुलाये और विनाबदे जाकर साक्षी देनेलगे-पाँचवें मृतांतर जो साक्षी देने से प्रथम अर्थी या प्रत्यर्थीके मरजानेसे गवाहीदेनेयोग्य नहीं-इन पाँचोंके यथार्थ लक्षण नीचे मूल श्लोक और उसकी अधिकोक्तितक जानेजायँगे ६६-७० अब असाक्षियों के स्वरूप कथनकरतेहैं ६६ । ७० ॥

श्रोत्रियास्तापसावृद्धायेचप्रब्रजितादयः । असाक्षिणस्तेवचनान्नात्रहेतुरुदाहृतः ७१ ॥

अक्ष०-श्रोत्रिय तापस वृद्ध और जो प्रब्रजित आदिहोतेहैं वे सब असाक्षीहैं वचन सेही इसमें हेतु नहींकहा ७१ ॥

अभि०-ऊर्ध्वोक्त नारदके प्रदर्शितकियेहुये पाँच विधके असाक्षियोंमें प्रथम जो वचनमात्रसे प्रतिषिद्धवतायेथे तिनके लक्षण योगीश्वरके इसमूलवाक्यमें पायेगये-यथा-एक तो ( श्रोत्रिय ) अर्थात् पूर्णविद्वान् और उत्तम विद्यार्थीचाहै किसी विद्यामें परिनिष्ठितहों इसका नियमनहीं-( तापस ) अर्थात् वानप्रस्थ जो भार्यासहित बनमें तपकरतेहैं और इनके उपलक्षणमें वे भी समुभनेचाहिये जो अन्यप्रकारसे बनमें बास करतेहों-(वृद्ध) अतिवृद्धा जिसके इंद्रियगण विकल या शिथिलहों-( प्रब्रजित ) संन्यासी और-( प्रब्रजितआदि ) इस आदिशब्दसे पितुराज्ञाभंगकारी आदि अनेक समुभने चाहिये और इनसदोंका प्रमाणनीचे अधिकोक्तिमें शंखमुनिके वाक्यसे देखो-योगीश्वर कहतेहैंवे मनुष्य वचनके प्रतिषेधमात्रसेही असाक्षीहैं इसमें कोईसाहेतु नहीं कथन कियाहै कि वे किसहेतुसे साक्षीनहींहोसके ७१ ॥

अधि०-शंखवचनं-यथा-पित्राविवदमान गुरुकुलवासि परिव्राजक वानप्रस्थ निर्ग्रन्था असाक्षिणः-अर्थात्-जो पितासे विवादरखतेहों या उसकी आज्ञाभंगकरतेहों-और-गुरुकुलवासी जो विद्यासंग्रहकरनेके निमित्तसे किसी गुरुशाला या पाठशाला में घरछोड़कर निवासीहुयेहों और इन्हींके उपलक्षणमें वे भी समुभनेचाहिये जो वावाजीकेपेटपालू चले बहुतसेहोतेहैं-और-( परिव्राजक ) यती संन्यासी-और-( वानप्रस्थ ) इसके लक्षण ऊपरकहेगये-और-( निर्ग्रन्थ ) इसनिर्ग्रन्थशब्दसे अनेक समुभनेचाहिये अर्थात् नागे जो नग्न रहतेहैं-दिगम्बर-निर्लज्जपुरुष-निस्थ जो स्थान बांधकर कहीं नहीं रहते-निष्किंचन जिसके पास फटाचीथड़ाभी न हो-वालिश नासमुभ-मूर्ख जिसको अपने शरीर के नैतिक संस्कारभी करसकने की प्रज्ञा न हो-विकृतबुद्धिजो सर्वकाल असावधान रहतेहों-निःसहाय एकाकी मुनिजो शिलोज्यादि वृत्तियोंसे अहिंसापूर्वक निर्वाहकरनेमें तत्परहों-इत्यादि अनेकजन इसीएकनिर्ग्रन्थ शब्दसेसमुभने



चाहिये यह सब लोग साक्षी नियत करनेयोग्य नहीं इसलिये असाक्षी कहलाते हैं यह शंखजीने कहा-और-इसीकी अपेक्षामें ऊपर योगीश्वरने उत्तरार्ध मूलश्लोकसे यह वार्ताजोकही कि इनकेनिषेधमें कोईसाहेतु नहींहै तिसका यहसिद्धांतहै कियदिकोईअर्थी या प्रत्यर्थी इनमेंसे किसकोभी साक्षी नियतकरै या करनाचाहै और वहकोईसी दलीलखड़ीकरै कि बतलावो इसकेसाक्षीहोनेमें क्याबिगाड़है या किसहेतुसे यहसाक्षीनहींहोसक्ता तौयहतर्क उसकीसुनीनहींजावे और न कुछउत्तर देनेकी आवश्यकतासमुझीजाय किंतुकेवल यहीउत्तरहै कि इसमेंकोई हेतुनहीं क्योंकि प्रतिषेधइनका शास्त्रकी आज्ञारूपी वचनसेही नियतहै-अन्यथा-यह न समुझनाचाहिये कि इसमें निपटहेतुहैहीनहीं क्योंकिकारण विनाकार्यकीउत्पत्तिनहींहोसक्ती कार्य औरकारणकानै-त्तिक सम्बन्धहै जहांकुछकार्यहोगा तहांकारणभी अवश्यभावलगाहोगा किन्तुयहांभी दोचार हेतुसबकेसाथ प्रत्येकभिन्न २ हैं (दृष्टान्त ) यथापूर्णविद्वान्कोयदिकिसीकीगवाही में खिंचा २ फिरनापरै तौ उसकीप्रतिष्ठामें अन्तरआताहै क्योंकिप्रथमतौयहबात किसाक्षीदेते समयनजानिये कोईवार्ता मुखसेविरुद्धउच्चारणहोजायतौ राजद्वारका कलङ्कीठ-हरै दूसरेजिसकेहकमेंगवाही उसकीहानिकारकहोगी वहीउसकाशत्रुहोजायगाइत्यादि औरभी कईकारण इसमेंगुप्तहैं-मुनिजो अहिंसा पालनकरनेकेलिये कोईसी आजीवन वृत्तिनहींकरते केवल शिलोच्छेदसे निर्वाहकरते हैं उनसेयहबात क्योंकरसंहीजायगी कि दोमेंसे किसीएककोहानि अपने वचनसेपहुँचावें किंतु वे लोग इसकोभी हिंसासमुझा करते हैं कि यदि अपने सत्यबोलनेसे किसीको पीड़ापहुँचै इसीलिये कोईसी धर्म्या वृत्तिभी नहींकरते क्योंकि वृत्तिचाहे धर्म्याभीहो परकिसीको पीड़ापहुँचायेविना सिद्ध नहींहोसक्ती केवल इतनाअंतरहै कि धर्म्यावृत्तिमें धर्ममार्गसेही पीड़ापहुँचाईजाती जिसको देवताभी सहिसक्तेहैं और अधर्म्यावृत्ति करनेवाले अधर्मसे दुःखदेते जो किसीसेभी सहानहींजाता-गुरुकुलवासी यदिसाक्षीकियाजाय आजयहांहै दशदिन पीछे अपनेदेशमें तब उसको कहाँदूँडतेफिरें यद्वा आवश्यकतापर वहाँसेभी खिंचबुलानाहुआतौभी एकउपद्रवहै यद्वाउसको विद्यासंग्रहकी दशामेंहीकहीं साक्षीभरनेजाना परा तौ उसके विद्यासंग्रहमें विघ्नहोगा इसकेमिवाय कुछविदेशीहोनेपर यहवातनहीं किंतु गुरुकुलवासी यह विद्यार्थीमात्रकी संज्ञाहै कि जबतक वह विद्यासंग्रहकरैचाहे निजघरमेंही निवातकरनाहो और अवस्थासे कुछनियमनहीं इत्यादि और भी अनेक हेतु-निर्लज्ज जो आपही लज्जानहींरखता वह किसीकी यथार्थसाक्षी क्यादेसकैगा इत्यादि कोईऐमानहीं कि निमकेमाथ दोचारहेतुनहीं हैं परन्तु इनके जानने या निर्णयकरनेका विस्तार व्यर्थजानिकर यहवचनप्रमाण इसमेंदियागया कि (नात्रहेतुरु-दास्तः) यहाँतक नागदांत पाँचप्रकारोंमेंसे एकप्रकारके असाक्षी निश्चितहोचुके

जिनका प्रतिषेध वचनमात्रसे नारदने बतलायाथा-अब द्वितीयप्रकारके असाक्षी जो अपनेकर्मदोषोंसे साक्षीदेने योग्यनहीं उनके लक्षणकहते हैं-यथा(स्तेनाःसाहसिकाश्च डाःकितवावंचकास्तथा । असाक्षिणस्तेदुष्टत्वात्तेषुसत्यंनविद्यते)-अर्थात्-स्तेनचोर- (साहसिक) जो विख्यात उपद्रवीहों जो प्रत्येकसे प्रबलताकरतेहों-चंडजोक्रोधीहों कोपा-वेशबनेरहतेहों-(कितव) छलियाप्रपंची और जुआरी-(वंचक) ठगिया-वेसब अपनेदुष्ट-त्वसे असाक्षी समुझनेचाहिये क्योंकि उनमें सत्यताका निवासनहींहोता इसलिये साक्षीदेनेयोग्यनहीं-अब तृतीयप्रकारके असाक्षी जो भेदवाक्यसे नारदनेबताये थे उनके लक्षणभी नारदकेही वाक्यसेकहते हैं-यथा-(साक्षिणांलिखितानांचनिर्दिष्टानांच वादिना । तेषामेकोन्यथावादीभेदात्सर्वेनसाक्षिणः )-अर्थात्-किसीवादीअर्थी या प्रत्यर्थीकीओरसे जो साक्षी लिखेजायँ और निर्देशपूर्वक बुलाये जायँ तिनमें कोई एक भी यदि अन्यथावादी हो जाय तौ उसपक्षके सभीगवाह इसभेदके होनेसे साक्षीनहीं होसके अर्थात् वादी या प्रतिवादीने जो कुछदशा अपने अभियोग में लिखवाई और उसीकी प्रमाणतामध्ये अपने साक्षी लिखवाये कि अमुकामुक मनुष्य इसबात के साक्षीहैं परन्तु वेहीसाक्षीदशा बूझीजानेके समयपर सबकेसभी या कोई एकभी उनमेंसे इसप्रकारका अन्यथावादीहोजावै कि जो दशाअर्थीने पूर्वलिखवाई या वर्णन करीथी उरसे इतर कुछउच्चारणकरै तौ यह भेदहुआ इसभेदके होजानेसे उसपक्षीके सभीगवाह सुनेजानेयोग्यनहींरहे-परन्तु-इसवार्तामें यहसिद्धांतहै कि वेशेषगवाह जो इसभेदकेहेतुसे नहींसुनेगये सोतौ केवल इसीमुकदमहमें असाक्षीठहरे किंतु अन्यत्र वे सभी मुकदमातमें असाक्षीनहीं कहलासके और वहएक जो अन्यथावादीहुआ सो अन्यत्रभीकिसीके अभियोगमें साक्षीठहरानेयोग्यनहींरहा अर्थात् ऐसे मनुष्यकोयदि कोई औरभी साक्षीवदिकर कभीलावै तौ स्वीकारनहो-और अन्यथावादित्वकायथार्थ यहलक्षणहै कि जो बात उरसेबूझीगई तिसकाउत्तर छोड़कर कुछ और बातहबड़ाते हुये कहनेलगे जो उसदशासे संबन्धनरखतीहो-अब चतुर्थभाँतिके असाक्षीस्वयमुक्ति जो नारदनेबतायेथे तिनकारूपकहतेहैं-यथा(स्वयमुक्तिरनिर्दिष्टःस्वयमेवै त्ययोवदेत् । सूचीत्युक्तःसशास्त्रेषुनससाक्षित्वमर्हति)अर्थात्-स्वयंउक्ति वहकि जो विना बदे बुलाये आपहीजाकर गवाहीदेने लगे वह (सूची) इसनामसे विख्यात है शास्त्रोंमें और वह साक्षीदेने योग्य नहींहोता-अब पंचमप्रकार के असाक्षीमृतांतर जो नारदने बतायेथे उनकालक्षण कहते हैं-यथा(योऽर्थःश्रावयितव्यःस्यात्तस्मिन्नसतिचार्यिनि । कतद्बदत्तु साक्षित्वमित्यसाक्षीमृतांतरः)अर्थात्-जो कुछ अर्थ सुनानेयोग्यहो उसके विनासुनाये समुझाये अर्थी या प्रत्यर्थी के मरजानेपर कहां साक्षीदेसक्ताहै इस हेतुसे वहगवाह मृतांतर कहलाकर असाक्षीनिश्चित होताहै-सिद्धांत इसकायह कि यदि कोई पुरुष

किसीकार्यमें अर्थीका साक्षीहो या प्रत्यर्थी का और वही अर्थी या प्रत्यर्थी ऐसीदशा में मरजावै कि उस कार्यका अभियोग राजद्वारतक न पहुंचाहो और उस मरनेवाले ने अपने दावेकी यथार्थदशाभी मरते समय या पहले कभी साक्षियोंको संबोधित न करीहो और न उनसे यह कहदियाहो कि तुमको इस अभियोगमें गवाही देनीहोगी तौ प्रत्यक्षहै कि वह साक्षी किस अर्थमें या किसपक्षीकी ओरसे प्रमाण कर सकेगा इसलिये इसप्रकार मृतांतर साक्षीभी असाक्षी कहलाते किंतु इनसे साक्ष्यनहींलिया जासक्ता-परन्तु मरते समय या पहले कभी साक्षियोंका यथार्थ वृत्तांत से संबोधित करिके मराहोगा तहां वह मृतांतर साक्षीभी स्वीकार होंगे-यद्वा-साक्षियोंको समुभा नेकाअवसर नहींवना परन्तुपिताने मरतेसमय या पहलेकभीअपने पुत्रोंकोयाअपने अन्य अधिकारियोंको वृत्तांतसे संबोधित कियाहोगा तहांभी मृतांतर साक्षीस्वीकार होसकेहैं-यथाहनारदः ( मृतांतरोऽर्थिनिप्रेतेमुमूर्षुश्रावितादृते )-अर्थात्-अर्थी या प्रत्यर्थीके मरजाने पर मृतांतर असाक्षी उसको छोड़कर समुभ्रना जिसको अर्थी या प्रत्यर्थीने मरतेसमय समुभायाहो किंतु वहअसाक्षियोंकी संख्यामें नहींहै-अन्यच्च- (श्रावितोऽनातुरेणापियस्त्वर्थोधर्मसंहितः । मृतेपितत्रसाक्षीस्यात्षट्सुचान्वाहितादिषु) अर्थात् जो कुछ अर्थ धर्म संहिता सच्चासच्चाहो और वह अरोगताकी दशामेंभी अर्थी या प्रत्यर्थीने किसीदूसरेको सुनायाहो तौ वह श्रवणकरनेवाला उसकेमरजाने परभी साक्षी होसक्ताहै उसदशामेंकि यदि मुकृद्दमा अन्वाहित आदि किसीछःप्रकारके धरोहरमेंभी हो-धरोहरमें(भी)हो इस(भी) शब्दके प्रत्ययसे यह आशय पायागया कि यहमर्यादा ऋणादिकसभी विवादोंमें होसक्तीहै यथाऋणादिवादोंके सिवायछःप्रकारके धरोहरमेंभी मृतांतर साक्षी जो मुमूर्षुश्रावित हो साक्ष्य देसक्ता है-परन्तु-यह सिद्धांत इस्से प्रत्यक्षपायागया कि साहसआदि अन्यविवाद जो फौजदारीसे संबंधितहोंउन में यह मर्याद कदाचित्भी न होसकेगी-छःप्रकार की धरोहरोंके नाम-यथा-याचित १ अन्वाहित २ शिल्पिदत्त ३ उपनिधि ४ न्यास ५ प्रतिन्यास ६-यथाहनारदः(एषए वधिर्दृष्टोयाचितान्वाहितादिषु । शिल्पिपूपनिधौन्यासेप्रतिन्यासेतथैवच) अर्थइसका ६= की अधिकोक्तिमें कहचुके हैं उपनिधिके प्रसंगसे देखलो-यह पांचोंभांतिके असाक्षीविर्णन कियेगये इमलिये कि जिनके साक्षीहोनेका निपट प्रतिषेध है तिनकोछोड़ कर उनदशामें अन्यसाधारण मनुष्यभी साक्षीकियेजासक्ते हैं कि यदि ६६ और ७० श्लोक मूलके प्रदर्शित कियेसाक्षी मिलने दुर्लभहों ७१ यह संदेह न करना चाहिये कि योगीश्वरने इस ७१ के मूल श्लोकमें असाक्षीकेवल एक विधिके कहे अन्यचार माने ते असाक्षी अधिकोक्तिमें अन्यमृतियोंने संनिद्धहये योगीश्वर ने क्यों छोड़ दिया-त्योंकि योगीश्वरनेछोड़े नहीं किंतु निचलोदो श्लोकोंमें इनसभी का प्रतिषेध

धारण भावसे करेंगे और उनके साथ और भी कई भांतिके असाक्षी अधिकदर्शावेंगे देखाँ ७१ अब आगे साधारण असाक्षी दर्शाते हैं ७१ ॥

स्त्रीबालवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिशास्तकाः । रंगावतारिपाखंडिकूटकृद्विकलेंद्रियाः ७२ ॥

पतिताप्तार्थसंबंधिसहायरिपुतस्कराः । साहसीदृष्टदोषश्चनिर्धूताद्यास्त्वसाक्षिणः ७३ ॥

अक्ष०—सहद्वयोः स्त्री बालक वृद्ध कितव मत्त उन्मत्त अभिशास्त रंगावतारी पाखंडी कूटकृत् विकलेंद्रिय पतित आप्त अर्थसंबंधी सहाय रिपु तस्कर साहसी दृष्टदोष धूत आदि भी असाक्षी होते हैं ७२ । ७३ ॥

अभि०—सहद्वयोः (स्त्री) प्रसिद्ध है कि नारीमात्र कोई हो (बालक) जो अप्राप्त व्यवहार काल हो (वृद्ध) बूढ़ा जो अस्सीवर्षकी अवस्थासे ऊपर हो (कितव) जुआरी जो पांसोंसे खेलै (मत्त) जो मद्यपानादिकसे मतवारा हो (उन्मत्त) जो ग्रहाविष्ट होनेसे विकलित हो (अभिशास्त) जो ब्रह्महत्यादि महापातकोंसे अभियुक्त होकर दुर्नामताको पहुँचा हो (रंगावतारी) नटको आदि लेकर अनेक जो तमाशेगर होते हैं (पाखंडी) जो किसी मत में स्थिर नहोपर लालचसे अनेक मतके रूप धारण करै (कूटकृत्) कपटलेख्य आदि बनानेवाला जालसाज किन्तु भूँठे पत्र या कृत्रिम मुद्रा आदि संपादक (विकलेंद्रिय) जिसकी कोई इन्द्रिय हीन हो जैसे बहिरा आदि (पतित) जो ब्रह्महत्या आदि प्रबल पातकोंके हेतुसे निपटजाति बाह्य किया जाय- (आप्त) स्वकीय मित्र अर्थात् अर्थी या प्रत्यर्थीका परमहित (अर्थसंबंधी) जिसको ठेठ उसी विवादसे कुछ संबंध हो (सहाय) जो ठेठ उसी अर्थी या प्रत्यर्थीका साभीचाहै किसी कार्यमें साभीहो इसका नियम नहीं (रिपु) जो अर्थी या प्रत्यर्थीसे किसी प्रकारकी अदावत वैरभाव रखता हो (तस्कर) चोरचाहे किसी प्रकारके चोरोंमें गिनती हो- (साहसी) उपद्रवी अर्थात् जो बहुधा जनोंपर प्रबलता आदि उपद्रव किया करता हो- (दृष्टदोष) जो असत्यादि दोषोंसे कदाचित्भी दोषी निश्चित हो चुका हो- (निर्धूत) जो ठेठ अपने गोत्र या बांधवों से बहिष्कृत किसी अपराध करके हुआ हो- (आद्या) इस आद्य शब्दसे वे भी समुझलेने चाहिये जिनका चर्चा ७१की अधिकोक्तिमें अन्य स्मृतियोंके वाक्योंसे हो चुका है अर्थात् पूर्वोक्त पांच प्रकारोंमेंसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम प्रकारके असाक्षी जो २ यहांपर कथनसे रह गये हों वे भी इनके साथमें इस आद्यशब्दके भावार्थ से संग्रहीत करिलेने चाहिये इसरीतिसे योगीश्वरने कोईभी न छोड़ा बल्कि उनसे भी कुछ अधिक इसमें दर्शाये- यह सब लोग असाक्षी किन्तु साक्षी होनेयोग्य नहीं होते इसलिये इनको छोड़कर साधारणों का संग्रह किसी आवश्यक दशामें करना चाहिये जैसा ऊपरली अधिकोक्तिके अंतमें लिख चुके हैं ७२ । ७३ ॥ अब निचले श्लोकमें त्र्यवर साक्षियोंका अपवाद कहते हैं अर्थात् ७० के श्लोकमें यह मर्यादा जो नियत करी थी कि तीनसे अधिक

चाहे तितने हों पर तीनसे कमनहों तिसकी छूट नीचे कहीजायगी कि ऐसे पुरुषको छोड़कर वह मर्यादा समुभनी चाहिये ७२ । ७३ ॥

उभयानुमतः साक्षीभवत्येकोपिधर्मवित् ७४ पूर्वाद्धिः ॥

अक्ष०—दोनों का अनुमत धर्मवित् साक्षी एक भी होताहै ७४ ॥

अभि०—नित्य नैमित्तिक धर्मोंको यथाविधि जानतेहुये साधन करनेवाला सो वह धर्मवित् कहाताहै ऐसापुरुष एकभी साक्षीकार्य साधक होसक्ताहै पर उसदशामें कि यदि अर्थी प्रत्यर्थी दोनों उसके साक्ष्यका स्वीकार करें (एक-भी) इसभी शब्दके बल प्रभावसे ऐसे दोसाक्षियोंकाभी होना संसिद्धहै-यद्यपि-धर्मवित् यह विशेषण जो यहां पर एक या दोकेलिये कहागया यहीविशेषण तीन या तीनसे अधिकों परभी निश्चित होचुकाहै क्योंकि ७०के श्लोकमें कहचुकेहैं कि (श्रौतस्मार्तक्रियापराः)इस्से यह और वह दोनों एकसे ठहरे किंतु कोईसी विशेषता यहांपर न पाईगई जिसके हेतुसे एक या दोके मध्ये जुदी मर्यादा समुभी जाय-तथापि- यह विशेषता यहाँपर पाईगई कि तत्रोक्त पूरेतीन या उस्से अधिक साक्षां दोनोंकी अनुमति और स्वीकारता विनाभी होसक्ते हैं-परंतु-अत्रोक्त मर्यादासंकेवल एक या दो साक्षी अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंकी अनुमति और स्वीकारताविना कदाचित् नहींहोसक्ते इसलिये वहांपर पूरेतीन या इस्से अधिक साक्षियोंकी आज्ञा कुछ निरर्थक नहींथी ७४ ॥

अधि०—इस अभिप्रायिक आशयसे यह सिद्धांतभी पायागया कि दोनोंकी परस्पर अनुमतिसे दोनोंबीच दोनोंओरसे एकही या दोसाक्षी उन्हीं अभियोगोंमें कियेजासक्तेहैं कि जिनमें विशेषकर दोनोंओरसे जुदेसाक्षीहोनेकी आवश्यकता नहींपाईजाय-जो कि तीन या उस्सेअधिक साक्षी अर्थीप्रत्यर्थीकी अनुमति और स्वीकारता विना भीहोसकने निश्चितहुये तोइस्सेभी यह आशयपायागया कि यहवात उन्हीं अभियो गोंमेंहोसक्तीहै जिनमें दोनोंओरसे जुदेसाक्षीहोनेकी आवश्यकता नहींपाईजाय-और उनमेंभी कि जिन अभियोगोंमें सरकार मुद्दईहोतीहो क्योंकि जिनअभियोगोंमें अपने जुदेगवाहलानेकी आवश्यकताहोगी उनमें अर्थी या प्रत्यर्थी कोईभी तीनगवाहलाने का उजरनहींकरसक्ता जिसपरउसकी अस्वीकारता आरोपित करीजाय बल्किजिसके पूरे तीनगवाहमिलसकने दुर्लभहोंगे उस्से कुछ प्रेरणाकाभी अधिकअवसरनहींहै-इन कारणोंसे सर्वथानिश्चितहोताहै कि वहपूरेतीनगवाहोंकी आज्ञा केवलउसीदशापर अरुद्धहै किअथ अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंकेगवाह एकहों-या-सरकार मुद्दईहो-और-इन्हींदोनों दशाके संबंधमें ७४ का पूर्वाद्धिहै कि यदिऐसीदशामें अर्थीप्रत्यर्थी इसवातपर प्रसा हो स्वीकार करें कि हम एकही यादोही अमुक साक्षियोंकी गवाहीसे मुकदमह व हारजात जो कुछहो अंगीकार करेंगे तो फिर उस एकही या दोहीका साक्ष्य लेकर

विवादका निर्णय होजायगा और जोइसबातपर प्रसन्नताउनकी नहो तौतीनगवाहों का साक्ष्य लियाजायगा और जो तीन गवाहोंके साक्ष्यपरभी प्रसन्नता अपनी आरोपित न करें तौभी इस विवाद का फ़ैसल होना नहींरुकसक्ता-हांयहवात होसक्ती है कि हाकिम चाहे उनकी प्रसन्नताके लिये कुछ और गवाहोंको बुलावै या उन्हींको लेआनेकी आज्ञादेवै परइसदशामेंभी अधिकोंके न मिलनेपर विवादका निर्णयहोना नहीं रुकसक्ता चाहे कोईवादी और प्रतिवादीप्रसन्नहो या न हो इसपरकुछ आरूढ़ नहीं ७४ अवनिचले उत्तरार्द्ध मूलश्लोकमें पूर्वोक्तपाँचश्लोकोंका अपवाद एकसाथ कहते हैं अर्थात् ६६ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ इनपाँचश्लोकोंसे जो २ कुछमर्यादें कहचुकेहैं तिनकी छूटकियेदेते हैं कि अमुकामुक अभियोगोंको छोड़करशेष अभियोगोंमेंउनमर्यादोंकोसंबन्धित समुभनाचाहिये ७४ ॥

सर्वःसाक्षीसंग्रहणेचौर्यपारुष्यसाहसे ७४ उत्तरार्द्धः ॥

अक्ष०—स्त्रीसंग्रहणमें १ चोरीमें २ पारुष्यमें ३ साहसमें ४ सभीसाक्षीहोतेहैं ७४॥

अभि०—स्त्रीसंग्रहणआदि चारोंभांतिके विवादोंके लक्षण आगे जहाँ तहाँ निज २ स्थलपर भिन्न २कहेजायँगे तिनके अभियोगोंमें सबलोग साक्षीहोसक्ते हैं अर्थात् जो ७१ के श्लोकमूलमें वचनमात्रसे निषेधकियेगये वेभी साक्षीहोते हैं और ६६ । ७० दोश्लोकोंमें तपोविशिष्टआदि गुणसंयुक्त जो होनेकहेथे वेही सब उनगुणोंसे रहित होनेपरभी साक्षीहोसक्तेहैं वरन जो ७२ और ७३ श्लोकोंमें निषेधकियेगये उनकाभी साक्ष्यहोना किसीतीव्र आवश्यकतापर संभवहै-परन्तु-यह विवेक इसमें भी कर्तव्य है कि जहांतक होसकै उनचारि भांतिके असाक्षियों का साक्ष्यलेनेसे हाथखींचै जिनके लक्षण और निषेध ७१ की अधिकोक्तिमें द्वितीयप्रकारसे लेकर पंचमप्रकार तक लिखागयाथा क्योंकि उनमें सत्यका निवास नहीं होता यहकारण यहांभी विद्यमान है-किंतु उनपांचमेंसे प्रथमप्रकार जो वचनमात्रसे ७१ के मूलवाक्यमें निषेध हुआ था उनसे निःसंदेहसाक्ष्य लियाजाय ७४ ॥

अधि०—आशंका (मनुष्यमारणंचौर्यपरदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयंचेतिसाहसं स्याच्चतुर्विधम्) अर्थात् मनुष्यकामारडालना १ चोरीकरना २ पराई स्त्रीपर हाथडालना ३ किसीके साथवाक्पारुष्य यद्वा दंडपारुष्य का अपराध करना ४ यह चारों काम साहस कहलाते हैं क्योंकि जो कामसहसा अधिक बलसे प्रबलहोकर किया जाय सो साहसकहाताहै इसकारणसे साहस जो है सोई चार विध का होताहै-जब कि एक साहसकेहीनामसे यह चारोंनाम समुभे जातेहैं तौफिर ऊपर मूल श्लोकमें जुदे २ तीनोंनाम कहनेपरभी चौथानाम साहसका क्यों कहागया इस आशंका में यह निर्णय कर्तव्यहै कि येही सबउर्ध्वोक्त अपराध यदि प्रत्यक्ष मनुष्योंके देखतेहुये



प्रबलता रूपसे किये जायँ तौ उसदशामें साहसनाम कहा जाता और जोवेही काम गुप्तभावसे एकांतमें किये जायँ तौ फिर अपने २ नामसे विख्यात होते हैं इसीलिये उनसवोंकी व्यवस्थाभी जुदीर निज २ स्थलपर कही जायगी और साहसके यथार्थ चारोंरूप यह होते हैं ॥

मनुष्यमारण १ चोरीजो प्रबलतासे २ परस्त्रीसंग्रहप्रबलतासे ३ वाक्पारुष्यदंड-  
कृतलइन्सान सरकहविलजत्र परस्त्रीका भगाले जानाया पारुष्य ४

लेवैठनाजवरदस्तीसे हमलह-अमलबेजा

इनचारोंको संस्कृतमें साहस और यावनके भाषा अनुसार जुरायम संगीन कहते अर्थात् कोईकाम इनमेंसे किया जाय तौ वह जुरम संगीन या साहस कहाता है और साहसरूप होजानेपर दंड विधानभी अधिक होता है ७४ अबनिचले अद्धामें साक्षि श्रावण विधि कहते हैं और उस्से नीचे सार्द्धद्वय श्लोकोंमें शपथ आदि जो साक्षियोंको सुनाना चाहिये सो सब कहा जायगा ७४ ॥

साक्षिणःश्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान् ७५ पूर्वाद्धः ॥

अक्ष०—वादी प्रतिवादी के समीप बैठेहुये साक्षी सुनवावै ७५ ॥

अभि०—अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंके सन्मुख सब साक्षियोंको इकट्ठे करके सुनवावै अर्थात् उन्हें प्रतिज्ञारूपी अग्रोक्त वचनोंको सुनाकर व्यवस्था जो अपेक्षितहो सो बूझै ७५ ॥

अभि०—सवोंको इकट्ठे करिकै बूझै अर्थात् जितने साक्षी ठहरेहों उनसबोंको इकट्ठे एक साथ वैठारिकर अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंके सन्मुख दशा बूझै किन्तु आगे पीछे कालांतरसे नहीं इसमें गौतमने यह विशेषता कही है कि (नासमवेताः पृष्ठाः प्रब्रूयुः) अर्थात् जबतक सब इकट्ठे होकर न बूझै जायँ तबतक कुछ उत्तर बूझनेपरभी न दें यह गवाहों पर योग्यता है जोकि निचले अढ़ाई श्लोकोंमें कहेहुये वाक्य उनगवाहोंको सुनायेजाने उचितहै सो पहलेही बैठते सार सुनावै तिसमें भी कात्यायनजीने कुछ विशेषता करी है यथा (सभांतःसाक्षिणःसर्वानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ । प्राड्विवाकोनियुंजी तविधिनानेनसांत्वयन्—देवब्राह्मणसान्निध्येसाक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान् । उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वापूर्वाद्धेवैशुचिःशुचीन्—आहूयसाक्षिणःपृच्छेन्नियम्यशपथैर्भृशम् । समस्तान् विदेताचारान्विज्ञातार्थान्पृथक्पृथक् ) अर्थात् प्राड्विवाकनामसभापतिहाकिम सभामें सब साक्षियोंको अर्थी प्रत्यर्थीकेसन्मुख मधुरवाणीसेबोलताहुआ इसविधिसे नियुक्त करे किन्देवताकी मूर्ति या सर्वगुणसंपन्न ब्राह्मणोंके निकट द्विजातियोंसे सब दशा बूझै उनको उत्तरमुख अथवा पूर्वाभिमुख वैठारिकर मध्याह्नसे पहले स्नान आदि नित्यकिया कियेहुओंको और आप भी स्नानादिकोंसे पवित्र सावधान होकर

बूभै-इसभाँति उनकेइजहारलिये पीछेभी सबगवाहोंकोबुलाकर जो जो उनमेंशुभआ-  
 चारवान्जानेहुये और मुकद्दमेकी दशाओंसे अभिज्ञजानेजातेहों तिनसेप्रत्येकजुदेर  
 को बारंबार परमेश्वरसंबंधी भयदर्शक शपथेंदिलवाताहुआ एकांतमेंबूभै-इसबूभनेके  
 प्रसंगमें शपथों का प्रकारभी ब्राह्मण आदिवर्णोंके अनुरूप मनुने प्रदर्शित कियाहै—  
 यथा ( सत्येनशापयेद्विप्रंक्षत्रियंवाहनायुधैः । गोबीजकांचनैर्वैश्यंशूद्रंसर्वेस्तुपातकैः )  
 अर्थात्-ब्राह्मणको इसभाँति शापदेताहुआ बूभै कि यदि अन्यथा इसमें कुछ कहोगे  
 तौ तुम्हारा सत्यधर्म नाश होजायगा-क्षत्रियको इसप्रकारसे कि तुम्हें तुम्हारे बाहन  
 सवारी आदि और शस्त्र जो हैं सो विफल होजायँगे-और वैश्यको इसप्रकार से कि  
 गऊ आदि समृद्धि और अन्नादिबीज और सुवर्णआदि धन सम्पत्ति तुम्हें फलीभूत  
 न रहेंगे-शूद्र को इसप्रकारसे कि यदि अन्यथा कुछ कहेगा तौ तेरेमाथे सबअपराधों  
 का पातक चढ़ेगा कि जैसे अपराध करनेवाले को पातक सद्भाव होता है-और  
 यहशूद्रका उपलक्षण यहांपर कारूक जातों या पेशेकारों आदि छोटे मनुष्यपर  
 समुभाचाहिये किंतु जो शूद्रजाति होनेपरभी क्षत्रिय या वैश्यके समान वृत्ति रखता  
 हो उसको क्षत्रिय और वैश्यके समान शपथदेनी चाहिये-क्योंकि-जिस मनुनेयहशपथ  
 का प्रकार कहा उसीने इस वार्तामें अपवाद भी कहा है-यथा-( गोरक्षकान्वाणिजकां  
 स्तथाकारुकुशीलवान् । प्रेष्यान्वार्द्धुषिकांश्चैवद्विजान्शूद्रवदाचरेत् ) अर्थात्-जोकोई  
 द्विजातीलोग ब्राह्मण आदि गोरक्षक वृत्ति गऊ आदि पशुचराना या उनसे दुग्धवि-  
 क्रय आदि जीवन वृत्ति गोपालोंवत् करतेहों-या-ब्राह्मणक्षत्रिय पर्चूनियां की दूकान-  
 या-तीनों जातें शूद्रोंवाली कारूकवृत्ति कारीगरी शिल्पकर्म चटाई आदि बनाते वा  
 राज बढईआदि का पेशारखतेहों-या-गायनआदि वृत्तिकरते हों-या-प्रेष्यनाम धावक  
 आदि सेवकवृत्ति-या-वार्द्धुषिक जो व्याजसे आजीवन करतेहों उनको वही शपथदेनी  
 चाहिये जो शूद्रों के निमित्त में ऊपर लिखचुके हैं अर्थात् ऊर्ध्वोक्त वर्णोंकी विशेष  
 व्यवस्था उन वर्णोंके स्वकीय कर्ममात्रसे अपेक्षित है जातिमात्रसे नहीं-और-छूटका  
 स्वरूप इसमेंयहीहै कि स्वकीय वृत्ति व्यतिरिक्तों को छोड़कर निज वृत्तिमान् वर्णोंके  
 निमित्तमें ऊर्ध्वोक्तशपथका प्रकारजानो यदि कदाचित् गवाहोंके उपस्थितहोतेसमय  
 प्रतिवादी उनमेंकोईसा दूषण आरोपितकरै कि यहगवाह अमुकशास्त्रोक्त दोषके हेतु  
 से गवाहीदेने योग्यनहीं है (दृष्टांत) यथावालक अप्राप्त व्यवहारकाल है इत्यादि कोई  
 सा दूषण आरोपित करै और वहदूषण उसके योग्य प्रत्यक्षप्रतीत होताहो तौ उस  
 दूषणकी मर्यादों अनुसार निर्णय होनाचाहिये अथवा यदि प्रत्यक्षउसमें उसदूषण  
 की योग्यतानहीं पाईजातीहो तौ प्रतिवादीके वचनानुसार अन्यलोगों से भी बूभैकर  
 निश्चयात्मक निर्णय करिलेना चाहिये कि इसदूषणकी प्रसिद्धि या विख्याति इसमें

हैं या नहीं पर इसबातके निर्णयमध्ये अन्य गवाहोंका नियतहोना कुछ आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा कियाजाय तो विवादकी शांतिभी कदाचित् न होसकै-परन्तु जो प्रतिवादी कुछ साक्षियोंमें दूषण खड़ाकिये पीछेउसकी दृढ़ता न करसकै तोइस अपराधके अनुसार उसपर दंडहोना चाहिये-और जो प्रतिवादी उसीदोषकी दृढ़ता सिद्धकरि दैवे तो वह गवाह फिर गवाहीदेने योग्यनहीं अर्थात् शेषगवाहों का साक्ष्य लेनाचाहिये और जो सभीऐसेहों तो सभीका विसर्जनकियाजाय-तथाच ( अभावय नूदमंदाप्योदूषणंसाक्षिणांस्फुटम् । भावितेसाक्षिणोवर्ज्याःसाक्षिधर्मनिराकृताः ) अर्थात् साक्षियोंका दूषणस्पष्ट दृढ़ताको न पहुँचातेहुये जुर्माना दिलवाने योग्यहै दृढ़ताहो जानेमें साक्षीही साक्षिधर्मसे निकालेहुये विसर्जन होनेयोग्य हैं-इसप्रकारसे जबसभी गवाहअर्थीके बुलायेहुये दूषितहोजायँ और वहकोई और प्रमाण इनगवाहोंके सिवाय न देसक्ताहो तोवह अपनेदावेसे पराजित होगा-तथाहि ( जितःसविनयंदाप्यःशास्त्रदृष्टेनकर्मणा । यदिवादीनिराकांक्षःसाक्षिसत्येष्ववस्थितः ) अर्थात्-यदिवादी अपने साक्षीकेहीप्रमाणसे मुकद्दमह की जय विजयपर भरोसाकिये बैठाहो और इसदशामें अत्रोक्त रीतिके अनुसार यद्वा अन्यत्रोक्त शास्त्रमार्ग से वह जीताजाय तो निजदावे की पराजयके सिवाय जुर्मानाभी दिलवानेयोग्यहै-सिद्धांतइसका यहकि यदि अर्थी किसी और प्रकारका प्रमाणहेतु रखताहो तो इसदशामें भी स्वाधीनहै कि उसविशेष हेतुकोप्रवेशकरै ७५ ॥ अवनोचे सार्द्धद्वयश्लोकोंमें वह विधि कहते हैं कि शपथलेते समय साक्षियोंको साधारण भाव क्या? वचनसुनायेजायँ ७५ ॥

येपातकृतांलोकामहापातकिनांतथा ७५ अग्निदानांचयेलोकायेचस्त्रीवालवातिनाम् । सतान्सर्वान्वाप्तोतियःसाक्ष्यमनृतंवदेत् ७६ सुकृतंयत्त्वयाकिंचिज्जन्मांतरशतैःकृतम् । तत्सर्वतस्यजानीहियं पराजयसेवृथा ७७ ॥

ऐ०-सहसार्द्धद्वयोः-साक्षियोंको यह वचन सुनावै कि-परलोकमें जो जो लोकनरक स्थान पातक और उपपातक और महापातक करनेवालोंकेलिये नियतहैं-और जो २ नरकस्थान आग लगानेवालों के और बालबधकारियों के और स्त्रीघाती लोगोंके लिये नियतहैं कि जिनमें उन्हें जाना परता और नाना विधके नरक भोगनेहोते हैं उन्हीं सब स्थानोंका निवास वहपाताहै कि जो कोईसाक्षी असत्य साक्ष्यबोलै-इस-लिये यह समुझो कि तुमने जो कुछ पुण्यकर्म सेकरों जन्मान्तर पहलेसे किया है उन सबका श्रेष्ठ फल उसको प्राप्तहोगा कि जिसको इस अभियोग में तुम भूँठा साक्ष्य देकर वृथा पराजय करवावोगे और तुम्हें उनस्थानों में निवास करनाहोगा इसलिये जो कुछ तुम जानतेहो सो सत्यकहो ७५ । ७६ । ७७ ॥

अर्थः-यह साधारण प्रकार जो इन अर्द्धद्वयश्लोकोंमें कहागया सो भी शूद्रजाती

अधि०—दशबंधक जो अधिकलेना ऊपर कहा सो यह दशमांश राजभागहै जैसा ४३ के श्लोकमें कहाथा कि राजा ऋणीसे दशरुपया सैकराका राजभागलेवै जितने का जयपत्र उसपर सिद्धहुआहो तिसके लेखसे सो वह राजभाग इसदशामें उसी साक्षीपर लेनाठहरा कि जिस्से अर्थीका ऋणदिलवायागया-और-यह तीनपक्षके पश्चात् भी गवाहसे उसदशामें अर्थीका अर्थ दिलवाना योग्यहै कि यदि गवाह महा रोगादि उपद्रवोंसे रहितहोतेहुये साक्ष्यदेनेसे हटै या बुलायाहुआ आवै नहीं-यथाह मनुः(त्रिपक्षाद्ब्रुवनसाक्ष्यमृणादिषुनरोऽगदः । तदृणंप्राप्नुयात्सर्वदशबंधंचसर्वशः)- अर्थात्-निर्विघ्न आदमी ऋणादि व्यवहारों के विवादमें तीनपक्षकी अवधि ताई साक्ष्यनहींदेताहुआ वह सर्व ऋण वृद्धिसहित देनेकी दशाको पहुँचायाजाय और दशबंधकभी सर्वथा उरसे लियाजावै (सर्वशः) सर्वथा अर्थात् कुर्की आदि जिसप्रकार उरसे वसूलहोसक्ताहो उन्हीं प्रकारोंसे अवश्यभावलियाजावै-(अगद) अर्थात् निर्विघ्न यह विशेषण उसका इस निमित्तपर आरूढ़है कि यदि उसपर कोई दैवी संकटकी विपत्ति यद्वा राजकृत उपद्रवकी विपत्तिपरीहो तौ फिर उसकाहाजिर न होना कुछ अपराधकी गिनतीमें नहींहै और जो हाजिरहोकर बूझाहुआ न बोलै उसके साथ यथा संभव शारीरकबाधा देखीचाहिये-और-ऋणादि विवादोंमें तीनपक्षकी अवधि देनेसे यह सिद्धांतपायागया कि साहस आदि विवादोंमें तीनपक्षकी अवधिभी न देनीचाहिये किंतु शीघ्रही तत्काल साक्ष्यलियाजावै और इसदशामें साक्ष्यनहींदेनेवालेपर कोई अन्य दण्ड कियाजावै जैसे ऋणादि व्यवहारों में ऋणका दिलवाना दण्डकहा गया ७८ ॥ अब नीचे उसका चर्चा होगा जो व्यवस्था से भेदू होते हुये भी अपने दौरात्म्य से साक्ष्य अंगीकार न करै ७८ ॥

नददातिहियःसाक्ष्यंजानन्नपिनराधमः । सकूटसाक्षिणांपापैस्तुल्योदंडेनचैवहि ७९ ॥

अक्ष०—जो कोई जानताहुआ भी साक्ष्यनहींदेताहै सो नराधम कूटसाक्षियों के पापोंसे और दंडसेभी तुल्यहोताहै ७९ ॥

अभि०—जो कोई विवादकी दशाओंसे अभिज्ञहोतेहुये भी साक्ष्यदेना अंगीकार नहींकरताहै वह पुरुष मनुष्योंमें नीचसमुभाजाता और उसको वेही पाप और अपराधलगतहैं जो कूटसाक्ष्यदेनेवाले साक्षियोंकोहोते हैं और इस अपराधमें उसको दंडभी वहीदियाजाता जो कूटसाक्षियोंके निमित्तसे ८३ के श्लोकमें आगेकहेंगे ७९ ॥

अधि०—कूटसाक्षियोंको दंडकिये पीछे वह व्यवहार फिर नये सिरेसे प्रवर्तितकिया जाय जानो पहले इसका कुछभीकाम अवतक न हुआथा-और-जो व्यवहारका अन्त्यनिर्णयभीहोगयाहो और पीछे विदितहोवै कि यह व्यवहार कूटसाक्ष्यके अनुसार फ़ैसलहुआ तौभी उस निर्णयका निवर्तन कर्तव्यहै और तहकीकात उसकी नयेसिरे

से फिर करी जावै-यथाहमनुः (यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्) अर्थात्-जिस जिस विवादमें कौट साक्ष्यसे क्रिया साधन हुई हो सो सो निर्णयकार्य सब (निवर्तित) अर्थात् मन्सूखकरै और जो कुछ क्रिया साधन हो चुकी हो सो निरर्थक समुभी जाय ७९ अब नीचे वह मर्यादा कही जायगी कि जब साक्षियोंमें विरुद्ध वचन पाया जाय तब कैसे निर्णय करना चाहिये ७६ ॥

द्वैधबहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । गुणिद्वैधेतु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ८० ॥

अक्ष०—द्वैधमें बहुतोंका वचन ग्राह्य तथा समानोंमें गुणियोंका और गुणियोंके भी (द्वैध) में जो कोई गुणवत्तमहों तिनका वचन ८० ॥

अभि०—जब कदाचित् साक्षियोंके साक्ष्यमें (द्वैध) नाम विप्रतिपत्ति हो अर्थात् पूँछे हुये गवाहों से दो भाँतिका उत्तर मिलै तब जो बात बहुतसे गवाहोंने कही हो तिनका वचन प्रमाण करना चाहिये थोड़ोंका नहीं-और जो दोनों भाँति बराबर हों जैसे चार गवाहोंमें दोने कुछ अन्यथा कहा दोने कुछ और तब ऐसी दो भाँतिमें जो बात गुणवालोंने कही हो सोई ग्रहण करनी निर्गुणियोंकी नहीं और जो गुणवालों में भी वचन का विरोध हो तौ फिर जो कोई उनमें (गुणवत्तम) अर्थात् अधिक श्रेष्ठ गुणवान् हों तिनके वचन पर विश्वास लाना चाहिये ८० ॥

अधि०—निर्गुण १ गुण २ गुणवत्तम ३ यह तीन भाँतिके मनुष्योंका चर्चा ऊपर किया गया तिनमें (निर्गुण) पुरुष वही है जिसमें विद्या वा प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति आदि कोई भी गुण नहीं १ और (गुणवान्) वे कहते हैं जो ६६ के श्लोकमूलमें कथन किये गुणोंसे सम्पन्न प्रतिष्ठित हों २ उनसे भी अधिक श्रेष्ठ (गुणवत्तम) वेलोग समुभे चाहिये जो उन गुणोंके सिवाय श्रुताध्ययनसे और उसके अर्थानुष्ठानोंसे भी संयुक्त हों जैसा ७० के श्लोक दूसरे पादमें यह कहा था कि (श्रौतस्मार्तक्रियापराः) ३-परन्तु-जहाँ साक्षियोंके वचनमें इस प्रकारसे विरुद्ध पावै कि गुणवान् या गुणवत्तम साक्षी थोड़े हों जिन्होंने कुछ एक प्रकारका साक्ष्य दिया हो और निर्गुण साक्षी अधिक हों जिन्होंने कुछ अन्य प्रकारका साक्ष्य दिया हो तौ इस दशामें भी गुणियोंका ही वचन विश्वास करने योग्य है क्योंकि उनके थोड़े होने पर कुछ मुख्यता नहीं किंतु गुणोंके आधिक्य पर मुख्यता लेनी चाहिये जैसा ७४ के पूर्वार्द्धमूल श्लोकमें कह चुके हैं कि (उभयानुमितः साक्षी भवत्येकोपि धर्मवित्) -अथानुवादः—जो कि नारदोक्त पाँच प्रकारके असाक्षियोंमें तृतीय प्रकारके असाक्षी जो भेदवाक्यसे ही साक्ष्य देने योग्य नहीं रहते जिनका चर्चा पहले ७० की अधिकोक्तिमें आया और लक्षण उनके ७१ की अधिकोक्तिमें दर्शाये गये और यह भी कहा गया कि एक हीके वचन भेद-मात्रसे उनके साथी सभी असाक्षी निश्चित किये जायँ तहाँ उस वचन भेदका आशय यद्यपि कुछ और है सो उसी ७१ की अधिकोक्तिमें प्रदर्शित हो चुका है तथापि यदि उसमें

यह (तर्क) आरोपित करीजाय कि जैसा द्वैधभाव साक्षियोंकेवचन का यहांपर ८० के श्लोकमेंकहागया तैसाही वहभीदेखपरताहै क्योंकिवहांपर नारदकेहीवचनमें यहकहा है कि (तेषामेकोऽन्यथावादी) तौ फिर वहांका अन्यथावादित्व और यहांकाद्वैधभाव कोईजुदीवातनहींहै किन्तुइसका और उसका आशय एकसाप्रतीतहै इसलियेयातौ वहांभी एकहीके अन्यथावादमें इसआशयके अनुसार शेषगुणवानोंके वचनप्रमाण कियेजाते यद्वाउस आशयके अनुसार यहांभी एकहीदोके द्वैधभावसे सभीअसाक्षी निश्चित कियेजायँ-तहां-इसमें यहसिद्धान्त मुख्यभावसेनिश्चितहुआहै कि उसपूर्वोक्त स्थलपर एकहीकेवचनभेदसे सभीअसाक्षी उसदशामें निराकृत होसक्तेहैं किजब स-भीसाक्षीएकसे लक्षणोंवाले नियतहुयेहों अन्यथानहीं अर्थात् जब अनेक लक्षणके गवाह नियतहुयेहों तबअत्रोक्त मर्यादाकेअनुसार कामकरनाचाहिये ८० ॥ अबनीचे उनसाक्षियोंकी व्यवस्थाकही जायगी कि जिनके वचनोंपर बादीप्रतिवादी की जय पराजय होसक्तीहै ८० ॥

यस्योचुःसाक्षिणःसत्यांप्रतिज्ञांसजयीभवेत् । अन्यथावादिनोयस्यध्रुवस्तस्यपराजयः ८१ ॥

अक्ष०—जिसवादीकी प्रतिज्ञाको साक्षीसत्यकहें सो जयीहोवे जिसकी अन्यथा कहें तिसकी पराजय ध्रुवहोतीहै ८० ॥

अभि०—जिस अर्थीकी (प्रतिज्ञा) अर्थात् दावे संबंधी द्रव्यकी जाति संख्या आदि लक्षण जोउसने लिखवायेहों और गवाहोंसे पूछेजायँ तिनको सबसाक्षीसत्य बतलावें कि हाँ ठीकहै इस विषयको हमजानतेहैं तिस अर्थीकी जय होतीहै या जिसअर्थीकी लिखवाई हुई प्रतिज्ञाको अन्यथा नाम उलटी बतलावें कि यह बात भूँठहै तिसकी पराजय (ध्रुव) नाम निश्चयात्मक हुआ करतीहै इसमें कुछ संदेह नहीं ८१ ॥

अधि०—जिस अभियोगमें सभी साक्षीलोग विस्मरणादि कारणों से अर्थीके प्रति-ज्ञात अर्थमें किंचित् चिह्न उच्चारणकरिकें या विना उच्चारण कियेभी उस अर्थका होना या न होना सच्चाभूँठा दोनों में कुछभी नहीं प्रतिपादन करें या करिसकें तब साक्षियों के प्रमाणको छोड़कर किसी अन्य प्रमाणके द्वारा निर्णयकरना चाहिये कि जोकुछ प्रमाण साक्षियों से जुदा वादीरखता हो परंतु साक्षियोंसे राजा अथवा प्रा-ड्विवाक कुछ बारम्बार न बूझें अर्थात् जोकुछ वचन साक्षियोंने शोचेविना निज स्व-भावसे उच्चारण किया हो वही लिखलेना चाहिये-तथाह (स्वभावोक्तंवचस्तेषांग्राह्यं दोषवर्जितम् । उक्तेतुसाक्षिणोराज्ञानप्रष्टव्याःपुनःपुनः) अर्थात्-गवाहोंका स्वभावोक्त वचन जो दोषों करके वर्जितहो सो ग्राह्यहै और साक्षियों के कहचुकने पीछे राजाको बारम्बार उनसे न बूझना चाहिये (स्वभावोक्त) वचन अर्थात् जो वात विलंबरहित शोचेविना तत्काल कहिदेवें सो अंगीकार करना चाहिये ८१ इसी इक्यासी के उत्तरार्द्ध



मलश्लोकमें यहकहाथा कि जिसकेगवाह अन्यथाबादीहों तिसकी पराजय निश्चित होगी तिसके मध्ये एक अपवाद भी अब नीचे कहते हैं ८१ ॥

उक्तेपिसाक्षिभिःसाक्ष्येयद्यन्येगुणवत्तमाः । द्विगुणावाऽन्यथाब्रूयुःकूटाः स्युःपूर्वसाक्षिणः ८२ ॥

अक्ष०—साक्षियों करके साक्ष्य कहनेपर भी यदि अन्य साक्षीगुणवत्तम यद्वा द्विगुण अन्यथा बोलें तौ पूर्व साक्षी कूटहोवें ८२ ॥

अभि०—जिस अभियोगमें पूर्वोक्त लक्षणों के नियत हुये साक्षीलोग सबके सब एक सूत अपने किसी अभिप्राय से इच्छापूर्वक अर्थी के प्रतिज्ञात अर्थमें विपरीत साक्ष्य देंवें जिस्से उसका पराजय होना संभव है तथापि जो इसदशामें अर्थी अन्य साक्षियोंको लाकर प्रवेशकरै और ये साक्षी उन पहलोंकी अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित अपने गुणोंकेअनुसारहों चाहैसंख्यामें उनकेतुल्य या कुछन्यूनहों-अथवा-गुणप्रतिष्ठा में उन्हींकी बराबर हों पर संख्यामें उनसे दूनेहों और पहलोंकी अपेक्षा कुछ अन्यथा साक्ष्यदेवें अर्थात् अर्थीके प्रतिज्ञात अर्थमें दावेकी दृढ़ता करै जिस्से उसकी धर्म्याजय संभव होजायतौ फिर पहले साक्षी कूट नाम भूँठे निश्चित कियेजायँगे और इस मिथ्यावादित्वसे ८३ के श्लोक बक्ष्यमाणद्वारा दंडभागीहोंगे (अपवाद) नामकूट का स्वरूप इसमें यही है कि ८१ के उत्तरार्द्ध मूल श्लोकसे पराजय जो निश्चित होचुकीहै सो इसदशाकोछोड़कर अन्य साधारण दशाओंमें होसक्तीहै किजब अर्थीसे इसप्रकारके और गवाहनहींआसक्तेहों या यथार्थ उसकादावाभूँठप्रतीतहोताहो ८२ ॥

अधि० (आग्रहवादः) इस वार्त्तामें यह आग्रह खड़ा होसक्ताहै कि ऊर्ध्वोक्त मर्यादाठीक नहीं क्योंकि अर्थी प्रत्यर्थी सभ्य लोग सभापति इनसबों करके परीक्षित और प्रमाण भूत साक्षी कि जिनके वचनपर मुकदमहकी जय पराजय स्वीकार करीगई तिनके कहनेपर भी यदि अन्य प्रमाण हूँदाजाय तौ फिर अनवस्था दोष खड़ाहोताहै अर्थात् यदि ऐसा कियाजायतौ सभी अर्थी वारम्बार गवाहोंको भूँठे करिके अन्यगवाह लाया करै और इस प्रकारसे कदाचित् भी विवादकी शांति न होसके वरन इसवार्त्ताका निषेधभी नारदजीके वचनसेपायाजाताहै-यथा ( निर्णिक्तव्यवहारेतुप्रमाणमफलंभवेत् । लिखितंसाक्षिणोवापि पूर्वमावेदितंनचेत् ॥ यथापक्षेषुधान्येषुनिष्फलाःप्रावृषोगुणाः । निर्णिक्तव्यवहाराणांप्रमाणमफलंतथा ) अर्थात्-व्यवहारके निर्णय होजानेपीछे दिया हुआ प्रमाण फलदायक नहो किंतु स्वीकार न करना चाहिये चाहै लिखित प्रमाण हो यद्वा साक्षियों का पर उस दशा में कि यदि अर्थी ने आवेदन उसका पहिले न कियाहो अर्थात् यह प्रतिज्ञा है कि यदि पहले प्रकटकर चुकाहो तौ निर्णय होजाने पर भी लियाजासक्ता है-अन्यथा-जैसे धान्यों के पकिजाने पर अति वर्षारूपी प्रावृष्ण के गुण सभी निष्फलहोते हैं तैसेही निर्णित व्यवहारों में पीछेदिया प्रमाण भी

वेरर्थक है (शान्तिः) इस आग्रह में यह शान्तिरूप उत्तर है यदि मुकद्दमह की गवाहीकात अर्थात् गवाहों के इज्जहार होते समय उनगवाहों के साक्षित्वपरस्वीकारताको न करताहुआ अर्थात् उनमें दोष लगावै जिनके दोषों को वह पहले इस हेतुसे न जानताथा कि ये मेरे साक्षीहोकर चलेहैं अनर्थक नहीं बोलेंगे और उन्हींमें उसके अभियोगमें अर्थविसंवाद किया अर्थात् विपरीत गवाही दीहो तो इस दशामें निर्णीत होजानेपर भी अन्य प्रमाणोंका प्रवेशहोना किसी कारणसे भी नहीं रुकसक्ताहै-सो इस वार्त्ता में यहवाक्य भी प्रमाणभूतहै-यथा (यस्यचदुष्टंकरणंयत्रच मिथ्येतिप्रत्ययःसएवासमीचीनः) अर्थात्-जिस किसीकी कोई कारणभूत इन्द्रिय दुष्ट अर्थात् विकृतहो जैसे अंधा, बहिरा, तुतुला आदि यद्वा ऐसी विकृति प्रत्यक्षभावमें तो नहीं पर वह इन्द्रियभूँठीहो जो अपनेविषयभूत कामको न करसक्तीहो यहप्रत्यय विश्वासरूप जिसका विदितहो सो वह असमीचीनहै अर्थात् श्रेष्ठ नहीं तो फिर उस दशामें साक्षीहोनेकोभी श्रेष्ठ नहीं कि जब साक्ष्यमेंभी उसी इन्द्रियसे संबन्धहो यथा नेत्र, कान, मुख, बुद्धि आदि क्योंकि इस दशामें उसी इन्द्रियवाले कामकेज्ञानमध्ये विश्वास नहीं आसक्ता कि इसने यहवात अच्छीभांति समुभीहोगी सो गवाहीदेताहै- औरभी-जिस किसी मनुष्यके चक्षु या और किसी इन्द्रियमें कोईदोष यद्यपि यथार्थ भावसे निश्चितनहो पर वह मनुष्य जिसइन्द्रियसंबन्धी वार्त्तामें अर्थ विसंवादकिया करताहो अर्थात् जिसइन्द्रियकेविषयभूत अर्थमें वैपरीत्य प्रकटकरताहो तिसइन्द्रिय संबन्धी ज्ञानके अप्रामाण्यसेही उसमें कारणदोष कल्पना हुआ करतीहै तैसेही यहां भी इसमर्यादामें यहकल्पना घटिसक्तीहै-करण दोष वा कारणदोष कल्पनाका (दृष्टांत) यथा देखतेहुये किसी वस्तुको जानिवूँभकर घोड़ेका गद्दा सद्भाव कहिदेने का अभ्यास रखताहो तो ऐसे समयपर उस्से यही कहाजाताहै कि तू तौ अंधाहै या इस प्रकारसे कि आँखोंके अन्धे और नाम नयनसुख इत्यादि उसपर आक्षेप करने को कारणदोष कल्पना या कारणदोष कल्पना कहते हैं इसीका दूसरा (दृष्टांत) यथा स्पष्ट सुनतेहुयेभी किसीवातकाउत्तर या स्वीकारसद्भाव किसी अन्यवस्तुकेअनुसार देनेका अभ्यासरखताहो तो तत्काल यही आक्षेप कियाजाताहै कि तुमक्याबहिरहो क्या तेरे कानफूटेहैं इत्यादि कारणदोष कल्पना सबइन्द्रियोंपर लोकहींप्रसिद्धहैं और(सद्भाव) इमलिये कहागया कि यदिकोई वाग्विनोद हास्यरूपसे ऐसाकरै तो वह वात अर्थ विसंवादकी पदवीतकनहीं पहुँचसक्ती और न उसकेसाथ कियाहुआ आक्षेपभी किसी कारण दोषकल्पनाकी पदवीतक पहुँचताहै-यहदोषकल्पना जैसे साधारण दशाओं में प्रत्येक समयहुआ करतीहै तैसेही यहाँभी इसमर्यादामें यह कल्पना घटिसक्तीहै कि जब साक्षीलोग अपने इज्जहारमें अर्थ विसंवाद करतेहैं तब अर्थोंको स्वाधीनताहै

कि वह उनमें सच्चे दोष लगावें और उनकेवचनोंपर प्रसन्नता अपनी न रखें तौ मु-  
 कद्दमा फ़ैसल होजानेपरभी अन्य प्रमाण उसप्रकारकेभी लियेजासक्तेहैं कि जिनका  
 चर्चा उसने पहले नहीं कियाथा(करणदोष अर्थात् ( करण ) जो इन्द्रियाँ तिनके दोष  
 और कारणदोष अर्थात् करणके जोदोषहैं सोई कारणदोषभीकहाते क्योंकि करणोंसे  
 उत्पन्नहुये तिससे भावलक्षणकहागया)औरभी-साक्षियोंकी गुण प्रतिष्ठाआदि परीक्षा  
 का उपदेश अतिशयकरके होचुकाहै इसीसे उनकी वाक्परीक्षाभी कर्त्तव्यहै यद्वा उन-  
 के गुणोंकी परीक्षा पहले न होसकी हो तौ इजहार भाषाके ही समय उनके वाक्यों  
 की परीक्षा अतिशय भावसे कर्त्तव्यहै तथाहि (साक्षिभिर्भाषितंवाक्यं सहसभ्यैःपरी-  
 क्षयेत्) अर्थात्-प्राड्विवाक यद्वा राजाको यह उचितहै कि अपने सभ्यों सहित  
 आपही साक्षियों के इजहारों समय उनका भाषित वाक्य अच्छीभाँति परीक्षा करै  
 किंतु निजबुद्धिके सिवाय औरोंसेभी बूझै कि यह वाक्य इसने सत्य या असत्य बो-  
 ला-और-कात्यायननेभी कहा है-यथा ( यदाशुद्धाक्रियान्यायात्तदातद्वाक्यशोधनम् ।  
 शुद्धाच्चवाक्याद्यःशुद्धःसशुद्धोऽर्थइतिस्थितिः)अर्थात्-जब क्रिया न्यायपूर्वक शुद्ध समु-  
 भीजाय तब उसके वाक्योंका शोधनहो और शुद्धवाक्योंसे भी जो शुद्धहो सो वह  
 (अर्थशुद्ध)है यहमर्यादा इसमें नियतहै (यहअक्षरार्थमात्र सामान्यभाव कहागयापरंतु  
 इसवचनके अभिप्रायरूप अर्थ दो भाँतिके होते हैं ) तिनमें पहले मुख्यार्थ तौ यही  
 है कि जब अभियोग प्रविष्ट होते समय पूर्वोक्त आदेयत्व और अनादेयत्वके लक्षणों  
 वाले न्यायसे यदि क्रिया उसकी शुद्ध ठहरै कि यह अभियोग अनादेय नहीं किन्तु  
 आदेयहै क्रिया इसकी साधन करनी चाहिये तब उस अर्थके वाक्य जो अभियोग  
 में प्रमाणकी अपेक्षासे लिखे गयेहों कि उसके पास दावेकी प्रमाणतामें अमुकामुक  
 प्रमाण मौजूदहैं तिनका शोधन करना चाहिये यदि प्रमाण उसके ठीकपाये जायँतौ  
 उसका वाक्य शुद्धकहलावै इसप्रकार उसके शुद्धवाक्यसेभी जो शुद्धहोजावै सो अ-  
 भियोग संबंधी अर्थ उसका शुद्ध कहलाता अर्थात् सच्चा अभियोग ठहरताहै तिस  
 पीछे उसका निर्णय यथाक्रमसे मर्यादा अनुसार होनेलगताहै यह मर्यादा नालिश के  
 प्रारंभमें अपेक्षितहै-परंतु-यहाँपर साक्षियोंके प्रसंगसे दूसराअर्थ कुछअंतरसे होताहै  
 अर्थात् यहाँपर यह अभिप्राय समुझा चाहिये कि अभियोगमें कईप्रकारके प्रमाणों  
 की क्रियायें जो भिन्न२ साधन होतीहैं जिनकी तहक्रीकृत नालिशके प्रारंभमें पहले  
 होजाती है कि इसके पास कौन२सा प्रमाणहै तिसकी क्रिया साधन करीजाय तिनमें  
 साक्षिलक्षणा क्रिया यदि उसन्यायसे शुद्ध समुभीजाय कि इन साक्षियोंमें कोई अर्थ  
 संबंधीतौ नहींहै या अर्थका मित्रादिकतौ नहींहै इत्यादि बातोंके विवेकसे साधनकर-  
 नेयोग्य जानीजाय तब उनसाक्षियोंके वाक्य शोधनकरने चाहिये और उनकी वाक्य

शुद्धिभी उसदशामें समुभी चाहिये कि यदि वे अपने वाक्यसे सच्चे अर्थका प्रतिपादन करें और सबकोई उनके सत्यवक्तृत्वकी प्रशंसा प्रकट करें क्योंकि (सत्येन शुद्ध्यते वाक्यम्) अर्थात् वाक्य जो है सो सत्य बोलनेसे ही शुद्ध होता यह स्मृतियोंमें लिखा है इस प्रकार जब शुद्ध हुई क्रियाके और साक्षियोंकी वाक्य शुद्धिसे भी अर्थीका जो अर्थ शुद्ध होवै अर्थात् जैसा उसने लिखवाया या मुखसे उच्चारण किया हो तैसा ही तद्रूप ज्योंका त्यों प्रतीत होने लगे सो वह अर्थ शुद्ध कहलाता किंतु यह कहनेमें आता है कि दावा उसका सच्चा है इसकी तहकीकात और अंतिम निर्णय भी सुगमतासे हो जायगा यह मर्यादा इसमें उन प्राचीन न्यायज्ञों करके नियत हुई है कि जो लोग राजद्वारके अदालती जा-बितोंसे अभिज्ञ पहले हुये थे-इसके साथ यह भी है कि जब अर्थी अपने साक्षियोंमें कोई दोष लगावै और उस कारण दोषका नहोना निश्चित न हो किन्तु वह दोष उनमें पाया जाय तब उसदशामें अर्थीके (अर्थ) नाम दावेको सच्चा भूँठा समुभौ अर्थात् नतौ निपट सच्चा समुभौ और न अब तक निपट भूँठा समुभौ क्योंकि इसमें द्विविधा लक्षण हो गया न जानिये इसमें निर्णय के समय तक सच्चापन या भूँठापन सिद्ध हो इसलिये इसका नाम (सत्यवितथ) अर्थ कहना चाहिये- तथाच (कारण दोषबाधक प्रत्ययाभावे सत्यवितथ एवार्थ इत्यर्थः) अर्थात्-कारणदोषके बाधक प्रत्ययका अभाव होनेमें सत्य वितथ ही अर्थ जानो यह सिद्धांत है यद्यपि-इस वचनका अन्वय इस प्रकारसे भी ठीक है कि (प्रत्ययाभावे सति अवितथ एवार्थः) अर्थात् उनमें दोष निश्चित होनेकी दशामें ठीक ही होगा दावा इसका भूँठानहीं होगा यह अनुमान करना चाहिये क्योंकि इसने जो दोष लगाये उनमें सो सच्चे पाये गये-परंतु-यह ऐसा अन्वय मुकद्दमाके डौलके अनु-सार उस दशामें संभव होसक्ता है कि यदि सद्भाव ही उनके दोष निश्चयात्मक और सार्वजन प्रसिद्धिपूर्वक पाये जायँ अन्यथा ऊपरला अर्थ ठीक है क्योंकि यहां भी अब तक अनुमान मात्र है अर्थात् ऐसी दशामें प्रमाण उसको और भी देने होंगे किंतु कुछ गवाहोंके दोष ही दृढ़ कर देने मात्रसे जयपत्र उसको नहीं मिलसक्ता इसलिये द्विविधा खड़ी हुई समुभी चाहिये और जो दोषोंके ही दृढ़ कर देने मात्रसे जय होसकै तौ फिर सबसे पहिले परमदोष यह उसीमें उत्पन्न हुआ कि जिन गवाहोंको विश्वास या परीक्षा करिके लाया वे सभी दोषी निकले इसदशामें प्रत्यक्ष द्विविधा समुभी चाहिये इसलिये ऊपरला अन्वय मुख्य जानो और निचला भी किसी २ दशामें अमुख्यरूपसे जानो (पुनःशंका) अर्थीको इस बातमें स्वाधीनता क्योंकर होसक्ती है कि वह अपने प्र-माण किये हुये साक्षियोंका अतिक्रम करे और कोई दूसरी क्रिया प्रवेश करे किंतु उसको अधिकार ही इसमें नहीं है कि अपने दिये हुये पहिले प्रमाणको उल्लांघ कर कोई अन्य प्रमाण देवै-तहां यह उत्तर है कि ऐसी शंका ही सर्वथा बृथा है क्योंकि कात्यायनजीके

वचनपर दृष्टि करनी चाहिये-तद्यथा ( क्रियाम्बलवतीमुक्तादुर्बलांयोऽवलम्बते । सज येऽवधृतेसभ्यैः पुनस्तांनाप्नुयात्क्रियाम् ) अर्थात्-जो कोई अर्थी बलवान् प्रमाणके होते हुये उसकी क्रियाको छोड़कर किसी दुर्बल प्रमाणकी क्रियाका सहारा लेता किंतु प्रवेश करिके साधन करवाता है सो वह अर्थी सभ्यों करके जयपर धराहुआ फिर उस क्रिया को न पावै अर्थात् यदि उसी दुर्बल क्रियासे हारै तो फिर पीछे उस बलवती क्रियाके प्रवेश करनेका अधिकारी नहीं है-परन्तु-इस कात्यायनजीके वचनका सिद्धांत यही है कि जबतक अन्य विचारके अनुसार हारै नहीं तबतक निर्णयसे पहले पहले अन्य प्रमाणभी प्रवेश करसक्ताहै-और-यही बात उस पूर्वोक्त नारदकेभी वचनसे संसिद्ध है कि मुक्कदमहका फ़ैसला होजाने पीछे दियाहुआ प्रमाण व्यर्थ होवै परइस कथन में फ़ैसलासे पहले अन्य प्रमाण देनेका निषेध नहीं किया-यथा ( निर्णिकेव्यवहारेतु प्रमाणमफलं भवेत् ) इन कारणोंसे सर्वथा यह मर्यादा निश्चित है कि साक्षियोंके इज्जत-हार होजाने परभी यदि अर्थीका परितोष न हो तो उसको अधिकार है कि वह अन्य प्रमाणकी क्रिया साधन करवावै (अन्यप्रमाण) कहनेका सिद्धांत यही है कि पहले साक्षियोंका प्रमाण उसने दियाथा सो तो व्यर्थगया अबके (लिखित) आदि प्रमाण कुछ देवै-परन्तु- इस मर्यादाके स्थित होनेसे यह सिद्धांतभी पायागया कि यदि उसके पास लिखित आदि प्रमाणही ऐसा नहीं जिसको देसकै और यथार्थमें दावा उसका सच्चा है तो फिर क्या कर्तव्य है इस अपेक्षामें कहते हैं कि जब ऊर्ध्वोक्त न्यायके अनुसार अन्य प्रमाण प्रविष्ट होसकनेकी मर्यादही निश्चित होचुकी तो फिर इसी ८२के ठेठ मूल श्लोकमें जो बातकही उसके अनुसार उनपहले साक्षियोंकी अपेक्षा विशेषगुणवत्तम या उनसे दूनेसाक्षी जिनको अर्थी पहलेभी निर्देश करचुकाहो कि मेरेअमुकामुक मनुष्यभी साक्षी हैं परन्तु वे इनदिनों उपस्थित नहीं इत्यादि कारणोंसे जिनके इज्जत होने शेषरहेहों तिनको हूँदकर बुलवावै और प्रवेश करै तो यहभी एकअन्य प्रमाणकीही क्रिया कहलाती है-सो यहवात नारदके पूर्वोक्त वचनसे संसिद्ध है-यथा ( निर्णिकेव्यवहारेतु प्रमाणमफलं भवेत् । लिखितं साक्षिणोवापि पूर्वमावेदितं न चेत् ) अर्थात्-व्यवहारके निर्णय होजानेपर पीछेदिया प्रमाण वृथाहोता है चाहे लिखित प्रमाण हो यद्वा साक्षियोंका परन्तु उसदशामें वृथाहोता है कि यदि अर्थीने पहले उस प्रमाणका चर्चा नहीं कियाहो-इस हेतुसे पहले निर्देश चर्चा कियेहुये साक्षियोंके ऊर्ध्वोक्त न्यायके अनुसार पीछे प्रवेश करसक्ताहै-इसके सिवाय-यदि अर्थीके निर्देश कियेहुये साक्षियोंका निपट आसकनाही दुर्घटहो तो इस दशामें वे साक्षीभी लिये जासक्ते हैं कि जिनकी निर्देश चर्चा अर्थीने पहले नहीं करी परन्तु प्रतिष्ठा आदि गुण बाहुल्य में और संख्या में भी उन्हीं के समान हों जिनका निर्देश बह

रचुकाथा और आसकना दुर्घट हुआ-अर्थात् जहांतक होसकै विशेषकर मानुष्य प्रमाणों पर दृष्टि करनी चाहिये परन्तु राजा दिव्य प्रमाणोंको न लेवै-यतः (सम्भवे साक्षिणांप्राज्ञोवर्जयेद्देविकीक्रियामितिस्मरणम् )-अर्थात्-जबतक साक्षियोंका प्रमाण मेलसकना संभव हो तबतक राजा अथवा प्राड्विवाक आदि विज्ञाता पुरुष देवी क्रियाको अस्वीकार करै यह स्मृति प्रसिद्धहै-परन्तु-मानुष्य प्रमाणोंके न मिलनेपर दिव्यप्रमाणभी स्वीकार करै-इसके उपरांतभी यदि अर्थी का परितोष नहो तौ फिर कोईभी प्रमाणांतर नहींढूँढ़े क्योंकि यम और मन्वादि स्मृतियोंसे यहवात सिद्धहै कि देवीप्रमाणके आगे उसव्यवहारकी सर्वथाही परिसमाप्तिकरिदेनीचाहिये चाहै अर्थी की प्रसन्नता उसमेंहो या नहो परइसकेआगे और कोई मर्यादाइसमें नहींहै-परन्तु-जो प्रत्यर्थी अपने साक्षियों का साक्ष्य सुनकर अपने निमित्त में हानिकारक समुझै और अप्रामाण्य मानिकर साक्षियोंमें कुछ दोषारोपण करताहुआ परितोष नहींपावै तौ इसदशामें साक्षियोंकी निर्मलताके ध्यानसे उस दिनसेलेकर एक सप्ताहकी अवधिताई उसके साक्षियोंकी परीक्षा इसप्रकारसे कर्तव्य है कि सात दिनके भीतर २ कोईदेवीव्यसन या राजकोपकी विपत्ति कुछअचानक उनपरपरीअथवा नहीं-क्योंकि-जो मर्यादा अन्यप्रमाणके प्रवेश होनेमध्ये ऊपरकहींगई उसमें यह अवकाश नहींहै कि वह प्रत्यर्थीसेभी संबंधित समुझजाय-इसलिये-यदि उसके साक्षियोंपर अर्थ-विसंवादका लाञ्छनपक्काहोजाय तौ वहऋणभी उन्हींसे दिलायाजावै जिसकाभूँठा दावा उनके वचनोंसे प्रत्यर्थीपर पक्काहुआ और उनके सारकेअनुसार उनपरदंडभी होना चाहिये-और-जो लाञ्छन उनपर पक्का न होसकै तौ प्रत्यर्थीको संतोष करलेना चाहियेक्योंकि जगदीशकी इच्छाबलवानहै-यथाहमनुः(यस्यदृश्येतसप्ताहादुक्तवाक्य स्यसाक्षिणः । रोगोऽग्निर्जातिमरणमृणंदाप्योधनंचसः)-अर्थात्-जिसगवाही दियेहुये साक्षीके सप्ताहभीतर कुछ अचानक महारोग या अग्निदाह या प्रियतमकी मृत्युहो वह साक्षी उसीदावेकाऋण और धनदंडभी दिलानेयोग्यहै-यही अत्रोक्तमर्यादा जो प्रत्यर्थीकी अप्रसन्नता में विशेष कहींगई सो उस पूर्वोक्त सर्व साधारण मर्यादा के (भपवादवत्) समुझीचाहिये जो ८१ के मूलश्लोकसे कहचुकेहैं कि जिसके साक्षीउस की सत्यप्रतिज्ञा बोलें सो जयवान् होगा-(अथनिरर्थकव्याख्या)-यह मर्यादाजोइसी ८२ के मूलश्लोकसे यहांतक निपट अर्थीके प्रयोजनमें संसिद्धहुई तिसको विरले विद्वान् प्रत्यर्थीके प्रयोजनमें दृढ़करतेहैं-यथा(उक्तेपिसाक्षिभिःसाक्ष्येयद्यन्येगुणवत्तमाः । द्विगु णावाऽन्यथात्रयुःकूटाःस्युःपूर्वसाक्षिणः)-अर्थात्-इसकाऐसा अर्थ लगातेहैं कि जब अर्थीकेसाक्षी उसके अर्थकी दृढ़ता में साक्ष्यउच्चारण करें तौ उनके साक्ष्य देचुकने परभी यदि प्रत्यर्थीउनसे अधिक प्रतिष्ठित या संख्या में दूने साक्षी उनसे विपरीत



उच्चारण करवावै तबइसदशामें अर्थी के साक्षीकूट कहलावेंगे-सो-यहव्याख्या इसकी सर्वथाअसत्है-क्योंकि-प्रत्यर्थीके प्रमाणोंमध्ये क्रिया पहले साधनहोनेकी मर्यादहीनहीं है-और-अर्थी वहीकहलाताहै जो ठेठ अपने किसीसाध्य अर्थके निर्देश पूर्वक अभि-योग लगाता और उसीसाध्य अर्थकी सचावट करनी चाहता है-तिसका प्रतिपक्षी जो उस अर्थ का निषेध और अभाव कथनकरताहै वहीप्रत्यर्थी कहलाताहै-तिसमें यह मर्यादाहै कि अभावकी प्रमाण क्रिया भावकी सिद्धिहुये पीछे हुआकरती है पर भावकी प्रमाण क्रियाअभावकीसिद्धि पीछेनहींहोती इसकारणसे उसीका सबूतपहले लियाजाना उचितहै कि जो अर्थ अपना अर्थीनेदावेमें लिखवायाहो क्योंकि अभाव या निषेध का स्वरूप साक्षियों से या और किसी लेख्यादि प्रमाण से अप्रमेय है अर्थात् प्रमाणताको नहीं पहुँचसक्ता और इसीहेतुसे यह मर्यादा ठीकहै कि सिर्फ अर्थी अपनेअर्थकाप्रमाण पहलेप्रवेशकरै और उसीकी प्रक्रिया साधनकरी जाय-औरभी-प्रमाण क्रियाके प्रविष्टहोनेमें आचार सदैवही और सर्वत्र उत्तरपादकी मर्यादाअनुसारहोताहै (उत्तरपाद अर्थात् ) जवाबदावेकी मर्यादें जो पंचमपरिच्छेदमें चारप्रकारसे नियतहोचुकीहैं तिनकेआशयके आधीन प्रमाणक्रियाप्रवेश करवाईजा-तीहै-यथा (प्राङ्न्यायकारणोक्तौतुप्रत्यर्थीनिर्दिशेत्क्रियाम् । मिथ्योक्तौपूर्ववादीतुप्रति पत्तौनसाभवेत्)-अर्थात्-प्रत्यर्थी यदि अर्थीकादावासुनिकर जवाबदावेमें प्राङ्न्याय उत्तरदेवै कि इसव्यवहारमें फैसलापहलेहोचुकाहै या कोई निजकारण भूतउत्तरदेवै तौ इनदोप्रकारकीदशाओंमें उसीप्रत्यर्थीसे प्रमाणमाँगाजाय और उसीकीक्रियासा-धनकरीजाय और जो प्रत्यर्थी निपटनकारखींचै कि मुझपर इसकादावाभूँठहै तौ इस दशामें अर्थीसे प्रमाणमाँगाजाय और उसीकीक्रियासाधनकरीजाय और जो प्रतिप-त्तिउत्तर अर्थात् प्रत्यर्थी उसकेदावेकाअक्रवालकरै कि हाँ मुझकोदेनाहै तौ फिर वह प्रक्रियाप्रमाणलियेजानेकी किसीसे भी कुछअपेक्षानहींरखती किन्तुइसदशामें प्रत्यर्थी पर अर्थीकाजयपत्रलिखाजाताहै-औरभी-एकही अभियोगमें अर्थीप्रत्यर्थीदोनोंसे प्रमाणमाँगाजाना उचितनहींहै-यथा ( नचैकस्मिन्नविवादेतुक्रियास्याद्वादिनोर्द्वयोः ) अर्थात्-यह स्मृतियोंकावाक्यहै कि एकही किसीविवादमें वादीप्रतिवादीदोनोंकी क्रिया नहींसाधनहो किन्तु ऊर्ध्वोक्त उत्तरपादकेअनुसार एकहीकीहो जिसपरहोनेका औचि-त्यपायाजाय-इनकारणोंसे यहव्याख्याठीकनहीं है कि प्रतिवादीकेसाक्षी गुणवत्तम या संख्यामेंदूनेहोकर वादीकेसाक्षियोंका साक्ष्यखण्डनकरै ( अथनिरर्थकमतं ) इसी निरर्थ-कव्याख्याकीदृढ़तामें विरलेविद्वान् कुछऔरभी मतउत्पन्नकरतेहैं इसप्रकारसे कि यह व्याख्या जो ८२ के मूलश्लोकपर पीछेसेकहीगई निरर्थकनहीं है-क्योंकि-यहव्याख्या उसविवादसेसम्बन्धितहै कि जो तेरहवेंपरिच्छेदमें १८ के श्लोकसेकहचुकेहैं कि जो

कहीवस्तुकी अपेक्षामें दोदावीदारखड़ेहों और दोनों अर्थीसाक्षियोंका प्रमाण रख-  
हों तौ पूर्वअर्थीकेसाक्षी सुनेजायँगे अर्थात् जिसनेपहले दावाप्रवेश कियाहो तिसके  
साक्षी पहले सुनेजायँ क्योंकि जिसदशामें दोनों अर्थी यही कहते हों कि यह अर्थ  
पराहै मुझको दायादक्रमसे मिलाहै परपहले पीछे प्राप्तहोनेका कालक्रम कोईभी न  
कहताहो जिसको पूर्वप्राप्तिके अनुसार पूर्वपक्षी निश्चित कियाजाय तब इसदशामें  
नेम्लोक्त वचनके आशयसे उसीको पूर्वपक्षी निश्चितकरना चाहिये जिसनेपहले जा-  
हर अभियोग निवेदन कियाहो-यथा(द्वयोर्विवदतोरर्थद्वयोःसत्सुचसाक्षिषु । पूर्वपक्षो  
मवेद्यस्यभवेयुस्तस्यसाक्षिणः) अर्थात्-परस्पर दोनोंके विवादकरतेहुये और दोनोंके  
ही साक्षियोंकेहोतेहुये मुकद्दमहमें जिसकापूर्वपक्षहोवै अर्थात्पहिले जिसनेआवेदन  
कियाहोउसीके साक्षीसुनेजावँ-और-जब यही मर्यादा (निश्चितहुई) कि पहिलेवालेके  
गवाहपहिले सुनेजायँ तौ फिर इस ८२ के श्लोकवाली पिछली व्याख्याको निरर्थक  
नहींकहनाचाहिये किंतुइसी अत्रोक्त (निश्चितहुई) मर्यादाके अपवाद रूपमें समुभा  
चाहिये कि पहले पक्षवाले के गवाहों का साक्ष्यहोचुकनेपर भी पिछलापक्षी उनसे  
अधिक प्रतिष्ठित या संख्या में दूनेसाक्षी सुनवावै तौ पहले पक्षीके साक्षी सुनेहुये  
भी न सुनेहुयेवत् होजायँ यहछूटका स्वरूप इसमें संभव है-और-इसीकल्पनासे यह  
अनुकल्पभी लेनाचाहिये कि पूर्वउत्तर दोनों आवेदन कर्तावादियों के गवाह यदि  
संख्यामेंबराबरहों औरगुणप्रतिष्ठामेंभी दोनों ओरतुल्यहों तबतौ पूर्ववादीकेहीगवाह  
पूँछेजायँ और जो पूर्ववादीके गवाहोंसे उत्तरवादीके गवाहगुण प्रतिष्ठामें श्रेष्ठअथवा  
संख्यामेंदूनेहों तौफिर प्रतिवादीकेही साक्षीपूँछे जानेचाहिये-इसरीतिसे पूर्वोक्तअभा-  
वकीसाध्यताका प्रसङ्गनहीं आसक्ताहै क्योंकि इसप्रकार के अभियोगमें दोनोंपक्षी  
भाववादी हुआकरते अर्थात् दोनोंही उसअर्थका अपनेनिमित्तमेंहोना सिद्धकरवातेहैं-  
और- यहदशा उनचार भाँतिके उत्तरोंसे विलक्षणहै इसलिये उत्तरपाद सम्बन्धी  
मर्यादें इसविलक्षण विवादसे सम्बन्धित नहींहोसکتीहैं-और भी इसमतके वादीकह-  
तेहैं कि -जैसे- एकमुकद्दमहमें एकपक्षी को दोवार प्रमाणक्रिया प्रवेशकरनेका अधि-  
कारहै तैसेहीदोनोंपक्षियोंकी दोक्रियासाधनहोना कुछविरुद्धनहींहै इसलिये उसव्या-  
ख्याको निरर्थकनहीं कहनाचाहिये -सो- यहकथन और मतिकीरीतिभी सर्वथाउनकी  
वृथाहै-किन्तु-योगीश्वरका सिद्धान्त यह नहींहै-क्योंकि (उक्तेऽपिसाक्षिभिःसाक्ष्ये)इत्या-  
दि यहवचनउस व्याख्यामें किसीप्रकारसेभीनहींघटता अर्थात् न तौ शब्दोंकीयोजना  
से न अर्थसे न उसवार्ताके प्रकरणसे भी इसलिये वहव्याख्या और यहमतभी निप-  
ट निरर्थकजानो केवलप्रसङ्गमात्रसे लिखदियागया यहसिद्धान्तहै ८२ ॥ ऊपर प्रद-  
शितकिये कूटसाक्षियोंकेदण्ड नीचेकहतेहैं ८२ ॥

अथकूटादिसाक्षिदण्डविवेचनासत्यादिप्रतिषेधापवादयोर्विधिविषयिकोनामचतु-  
स्त्रिंशःपरिच्छेदः ३४ ॥

इस चौतीसवें परिच्छेदमें दो बातोंका विषय जानाजायगा अर्थात् भूँठी आदि गवाही देनेवालों या बनानेवालोंके दण्ड विवेक और दूसरे असत्य बचन वा अवचनके प्रतिषेध जो पहले बर्णनहुये तिनका अपवाद भी ॥

पृथक्पृथक्दण्डनीयाःकूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद्विगुणदण्डविवास्योब्राह्मणःस्मृतः ८३ ॥

अक्ष०—कूटकृत् तथा साक्षी जुदेजुदे विवादसे द्विगुण दण्डके दण्डनीय हैं—ब्राह्मण विवास्य कहाहै ८३ ॥

अभि०—(कूटकृत्) कूट करनेवाला जो धनदेकर या और किसी युक्तिसे गवाहोंको असत्यसाक्ष्य देनेका उत्साह दिलावै तथैव कूटसाक्ष्य देनेवाले साक्षी भी सबलोग जुदे २ सजा करनेयोग्य हैं और सजा उनकी यह कि जितनाधन विवादपर आरूढ़ होकर कोई उनके कौटसाक्ष्यसे हाराहो उस्से दूना जुर्माना एक एकसे लेना चाहिये अथवा वह दण्ड जो निज २ स्थलपर विवादोंकी पराजय मध्येलिखाहो उस्सेदूना उस विवाद के स्थलके अनुरूप करना चाहिये और जो उनमें कोई ब्राह्मणहो तो वह राज्यसे निकाल दियाजावै उसको और दण्ड नहीं ८३ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त दण्डोंका प्रकार उसदशामें समुभा चाहिये कि जब उन कूटकारियों वा साक्षियोंके लोभ आदि कारणोंका विशेष परिज्ञान राजाको न होसकै और उनका वहकुलक्षण अभ्यासिक नहीं निश्चितहो किये सदैवही ऐसाकिया करते हैं—अर्थात्-जिसकी लोभादिकारण विशेषता अच्छीतरह निश्चित होजाय और उसका अभ्यास निश्चित होजाय कि यह सदैवही ऐसा करताहै तब मनुजीका कहा दण्ड विचार करना चाहिये-यथाहमनुः ( लोभात्सहस्रदण्ड्यःस्यान्मोहात्पूर्वन्तुसाहसम् । भयाद्गौमध्यमोदण्डोमैत्र्यात्पूर्वञ्चतुर्गुणम् ॥ कामाद्दशगुणंपूर्वक्रोधात्तुत्रिगुणंपरम् । अज्ञानाद्द्वेशतेपूर्णवालिश्याच्छतमेवतु) अर्थात्-जबकोईगवाह कूटसाक्ष्य लोभलालच से बोलाहो तब एक सहस्र पण जुर्माना उसपर लियाजाय-और जो मोहसे अर्थात् अपने ज्ञानकेविपर्ययसे असत्यबोलाहो तो (पूर्वसाहस) नामदण्ड अर्थात् २५० पण जुर्मानाकियाजाय-और जो किसीकेभयहेतु आदिकारणोंसे असत्यबोलाहो तो ( मध्य-मसाहस ) दण्ड अर्थात् ५०० पण जुर्मानालिया-और जो किसीकी मैत्रीनाम स्नेहके बाहुल्यसे असत्यबोलाहो तो चतुर्गुण ( पूर्वसाहस) दण्ड अर्थात् एकसहस्रपणजुर्माना लियाजाय-और जो स्त्री विषय कामहेतुसे असत्य बोला हो तो दशगुण पूर्व साहस दण्ड अर्थात् १२५० पण जुर्माना कियेजाय-और जो क्रोध करके कूटसाक्ष्य दिया हो तो त्रिगुणा ( परसाहस ) दण्ड अर्थात् ३००० पण जुर्माना कियेजाय-और जो अज्ञा-

एकहीवस्तुकी अपेक्षामें दोदावीदार खड़े हों और दोनों अर्थीसाक्षियोंका प्रमाण रख-  
 ते हों तौ पूर्वअर्थीके साक्षी सुने जायँगे अर्थात् जिसने पहले दावा प्रवेश किया हो तिसके  
 साक्षी पहले सुने जायँगे क्योंकि जिसदशामें दोनों अर्थी यही कहते हों कि यह अर्थ  
 मेरा है मुझको दायादक्रमसे मिला है पर पहले पीछे प्राप्त होनेका कालक्रम कोई भी न  
 कहता हो जिसको पूर्वप्राप्तिके अनुसार पूर्वपक्षी निश्चित किया जाय तब इसदशामें  
 निम्नोक्त बचनके आशयसे उसीको पूर्वपक्षी निश्चित करना चाहिये जिसने पहले जा-  
 कर अभियोग निवेदन किया हो-यथा (द्वयोर्विवदतोरर्थे द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो  
 भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः) अर्थात्-परस्पर दोनोंके विवाद करते हुये और दोनोंके  
 ही साक्षियोंके होते हुये मुकद्दमहमें जिसका पूर्वपक्ष होवै अर्थात् पहिले जिसने आवेदन  
 किया हो उसीके साक्षी सुने जायँगे-और-जब यही मर्यादा (निश्चित हुई) कि पहिले वालेके  
 गवाह पहिले सुने जायँ तौ फिर इस ८२ के श्लोकवाली पिछली व्याख्याको निरर्थक  
 नहीं कहना चाहिये किंतु इसी अत्रोक्त (निश्चित हुई) मर्यादाके अपवाद रूपमें समुभा  
 चाहिये कि पहले पक्षवाले के गवाहों का साक्ष्य हो चुकने पर भी पिछला पक्षी उनसे  
 अधिक प्रतिष्ठित या संख्या में दूने साक्षी सुनवावे तौ पहले पक्षीके साक्षी सुने हुये  
 भी न सुने हुये वत् हो जायँ यह छूटका स्वरूप इसमें संभव है-और-इसी कल्पनासे यह  
 अनुकल्प भी लेना चाहिये कि पूर्वउत्तर दोनों आवेदन कर्त्तावादियों के गवाह यदि  
 संख्यामें बराबर हों और गुणप्रतिष्ठामें भी दोनों और तुल्य हों तब तौ पूर्ववादीके ही गवाह  
 पँछे जायँ और जो पूर्ववादीके गवाहोंसे उत्तरवादीके गवाहों गुण प्रतिष्ठामें श्रेष्ठ अथवा  
 संख्यामें दूने हों तौ फिर प्रतिवादीके ही साक्षी पँछे जाने चाहिये-इसरीतिसे पूर्वोक्त अभा-  
 वकी साध्यताका प्रसङ्ग नहीं आसक्त है क्योंकि इसप्रकार के अभियोगमें दोनों पक्षी  
 भाववादी हुआ करते अर्थात् दोनोंही उस अर्थका अपने निमित्तमें होना सिद्ध करवाते हैं-  
 और- यह दशा उन चार भाँतिके उत्तरोंसे विलक्षण है इसलिये उत्तरपाद सम्बन्धी  
 मर्यादें इस विलक्षण विवादसे सम्बन्धित नहीं हो सकती हैं-और भी इसमतके वादी कह-  
 ते हैं कि-जैसे- एक मुकद्दमहमें एक पक्षी को दो बार प्रमाणक्रिया प्रवेश करनेका अधि-  
 कार है तैसे ही दोनों पक्षियोंकी दो क्रियासाधन होना कुछ विरुद्ध नहीं है इसलिये उस व्या-  
 ख्याको निरर्थक नहीं कहना चाहिये-सो- यह कथन और मतिकीरीति भी सर्वथा उनकी  
 वृथा है-किन्तु-योगीश्वरका सिद्धान्त यह नहीं है-क्योंकि (उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये) इत्या-  
 दि यह वचन उस व्याख्यामें किसी प्रकारसे भी नहीं घटता अर्थात् न तौ शब्दोंकी योजना  
 से न अर्थसे न उसवार्ताके प्रकरणसे भी इसलिये वह व्याख्या और यह मत भी निप-  
 ट निरर्थक जानो केवल प्रसङ्गमात्रसे लिख दिया गया यह सिद्धान्त है ८२ ॥ ऊपर प्रद-  
 शित किये कूटसाक्षियोंके दण्ड नीचे कहते हैं ८२ ॥

अथकूटादिसाक्षिदण्डविवेचनासत्यादिप्रतिषेधापवादयोर्विधिविषयिकोनामचतु-  
स्त्रिंशःपरिच्छेदः ३४ ॥

इस चौंतीसवें परिच्छेदमें दो बातोंका विषय जानाजायगा अर्थात् भूँठी आदि गवाही देनेवालों या बनानेवालोंके दण्ड विवेक और दूसरे असत्य बचन वा अवचनके प्रतिषेध जो पहले बर्णनहुये तिनका अपवाद भी ॥

पृथक्पृथक्दण्डनीयाःकूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद्विगुणदण्डंविवास्योब्राह्मणःस्मृतः ८३ ॥

अक्ष०—कूटकृत् तथा साक्षी जुदेजुदे विवादसे द्विगुण दण्डके दण्डनीय हैं—ब्राह्मण विवास्य कहाहै ८३ ॥

अभि०—(कूटकृत्) कूट करनेवाला जो धनदेकर या और किसी युक्तिसे गवाहोंको असत्यसाक्ष्य देनेका उत्साह दिलावै तथैव कूटसाक्ष्य देनेवाले साक्षी भी सबलोग जुदे २ सजा करनेयोग्य हैं और सजा उनकी यह कि जितनाधन विवादपर आरूढ़ होकर कोई उनके कौटसाक्ष्यसे हाराहो उस्से दूना जुर्माना एक एकसे लेना चाहिये अथवा वह दण्ड जो निज २ स्थलपर विवादोंकी पराजय मध्येलिखाहो उस्सेदूना उस विवाद के स्थलके अनुरूप करना चाहिये और जो उनमें कोई ब्राह्मणहो तो वह राज्यसे निकाल दियाजावै उसको और दण्ड नहीं ८३ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त दण्डोंका प्रकार उसदशमें समुभा चाहिये कि जब उन कूटकारियों वा साक्षियोंके लोभ आदि कारणोंका विशेष परिज्ञान राजाको न होसकै और उनका वहकुलक्षण अभ्यासिक नहीं निश्चितहो कि ये सदैवही ऐसाकिया करते हैं—अर्थात्-जिसकी लोभादिकारण विशेषता अच्छीतरह निश्चित होजाय और उसका अभ्यास निश्चित होजाय कि यह सदैवही ऐसा करताहै तब मनुजीका कहा दण्ड विचार करना चाहिये-यथाहमनुः ( लोभात्सहस्रदण्ड्यःस्यान्मोहात्पूर्वन्तुसाहसम् । भयादौमध्यमोदण्डोमैत्र्यात्पूर्वञ्चतुर्गुणम् ॥ कामाद्दशगुणंपूर्वक्रोधात्त्रिगुणंपरम् । अज्ञानाद्देशतेपूर्णवालिश्याच्छतमेवतु) अर्थात्-जबकोईगवाह कूटसाक्ष्य लोभलालच से बोलाहो तब एक सहस्र पण जुर्माना उसपर लियाजाय-और जो मोहसे अर्थात् अपने ज्ञानकेविपर्ययसे असत्यबोलाहो तो (पूर्वसाहस) नामदण्ड अर्थात् २५० पण जुर्मानाकियाजाय-और जो किसीकेभयहेतु आदिकारणोंसे असत्यबोलाहो तो ( मध्य-मसाहस ) दण्ड अर्थात् ५०० पण जुर्मानालिया-और जो किसीकी मैत्रीनाम रनेहके बाहुल्यसे असत्यबोलाहो तो चतुर्गुण ( पूर्वसाहस ) दण्ड अर्थात् एकसहस्रपणजुर्माना लियाजाय-और जो स्त्री विषय कामहेतुसे असत्य बोला हो तो दशगुण पूर्व साहस दण्ड अर्थात् १२५० पण जुर्माना कियेजायँ-और जो क्रोध करके कूटसाक्ष्य दिया हो तो त्रिगुणा ( परसाहस ) दण्ड अर्थात् ३००० पण जुर्माना कियेजायँ-और जो अज्ञा-

नतासे अर्थात् मुकूटमेकी असलियत जाने विना असत्य बोलाहो तौ पूरे २०० दो सौ पण जुर्माना कियेजायँ-और जो बालिश्य नाम छत्रोरपन प्रमाद गफलत आदि सामान्य भावोंसे असत्य बोला हो तौ एक १०० सौ पण जुर्माना कियेजायँ-यहांपर सहस्र आदि सब संख्याओंमें (ताम्रिकपण) अर्थात् तांबेका पैसा समुभा चाहिये-तै-सेही-एक यह वाक्यहै कि (कूटसाक्ष्यंतुकुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिकोनृपः । प्रवासयेदंड यित्वाब्राह्मणंतुविवासयेत्) अर्थात् धार्मिकराजाको चाहिये कि वह क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंको कूटसाक्ष्यका अभ्यासकरते हुये जुर्मानालेकर (प्रवासित) करै अर्थात् अपने देशते निकालदेवै और ब्राह्मणको ऐसा अभ्यास जानिकर (विवासित) करै अर्थात् जुर्माना लिये विना देश निकालाकरै-सो यह दंड उसीदशामें करना चाहिये कि जब सदैवही ऐसाकरनेका अभ्यास कोई रखताहो किंतु एकबारके करनेमें नहीं-और सि-द्धांत इसका यह कि यदि अन्य तीनोंवर्णकेलोग ऐसाकरै तौ एकबार या दोबारजैसा संभवहो पहिले जुर्मानाही ऊर्ध्वोक्तमर्यादासे करै पर जो बारंबार ऐसाकरै तौ जुर्माना लेकर देशनिकालादेवै और ब्राह्मणको पहिले एकदोबारमें किंचित् अप्रतिष्ठा आदि दंड जैसा दंडविधिके परिच्छेदमें वर्णनहोचुकाहै सो करै पर बारंबारके अभ्यासमें अप्रतिष्ठापूर्वक देशनिकालाकरै-ऊर्ध्वोक्त इसीवाक्यमें तीनोंवर्णके लोगोंको (प्रवासित) करना जो कहागया तिसका अर्थशास्त्रके आशयसे (मारण) अर्थभीहोताहै अर्थात् यदि बारंबारके अभ्यासमें अपराधकी विशेषता पाईजाय तौ जुर्मानालेकर (देहदंड) भीदेवै और देहदंडका यह आशयहै कि ओंठकटाना या जीभकटाना या प्राणांतिक दंड इत्यादि ये शारीरक दंडोंमें गिनती हैं सो उस कूटसाक्ष्यके अनुसार व्यवस्था देखीचाहिये अर्थात् जैसा छोटा बड़ा कूटसाक्ष्यहो तैसाही दंडविचारहोनाचाहिये-ब्राह्मणके निमित्तमें यद्यपि जुर्मानाहोना नहीं कहागया तथापि यह आशय निश्चित होताहै कि ब्राह्मणकोभी पहिले एकदोबार में जुर्मानेकाही दंडकरै फिर अभ्यासकी बहुताइतमें (विवासन)करै और इसविवासन शब्दका अर्थ केवल देशनिकालाहीनहीं किंतु बस्त्रलेकर नंगाकरना और गृहफोड़कर भग्नस्थानकरना ये भी अर्थहोतेहैं इनमें से जैसा अवसर और जैसा अपराधपायाजाय तैसा दंडहोनाचाहिये-अर्थात्-ब्राह्मण कोभी लोभादिकारणों के विशेष अपरिज्ञानकी दशामें और बारंबारका अभ्यास नि-श्चित न होनेकी दशामें वहीदंडहोनाचाहिये जो जहाँ तहाँ विवादोंके निज २ स्थलों पर लिखाहो-और बारंबारके अभ्यासमें धनदंड और (विवासन) दंडभीहोनाचाहिये-तिसमेंभी-यह व्यवस्थादेखीचाहिये कि इस विवासन शब्दके अर्थ जो नग्नीकरना और गृहफोड़ना और देशनिकाला देना ये तीनों निश्चितहुयेहैं तिनमेंसे वहीप्रकार होनाचाहिये जो पराजित पक्षीकी जाति या प्रतिष्ठा या हारेहुये द्रव्यकी उत्तमता



मध्यमता या इसीप्रकारके और किसीकारणके अनुसार संभवहो-औरजो-उस ब्राह्मण के लोभादिकारणोंकी विशेषता अच्छीभांति निश्चित नहोसकै या बारम्बारका अभ्यास निश्चितनहो और पराजित पक्षीकी जाति आदि पूर्वोक्त लक्षणों का विषय स्वल्पहो जिसमें उसने कौटसाक्ष्य कियाथा तौ फिर इन दशाओंमें ब्राह्मण को भी अन्य तीनों वर्णके समान केवल अर्थ दण्डहोना चाहिये-पर जो-विषय बहुत बड़ा हो तौ केवल देश निकाला करना चाहिये और जो विषय बड़ा होनेपर भी बारम्बार का अभ्यास निश्चितहो तौ फिर मनुका बचन सभी वर्णोंपर एकसा विचारना योग्यहै-किंतु-इसदशामें वहबात नहीं मानीजासक्ती है कि ब्राह्मणको धन दंडका निषेध है क्योंकि जब धन दंडका अभाव ठहरा तौ शारीरक दंडका निषेध निःसंदेह रहा और जब दोनोंका अभावहुआ तौ फिर थोड़े भी अपराध में नग्नीकरण या गृहभंजन या अंकनकर्म अर्थात् मस्तकआदिपर किसी चिह्नका दाग देना या देश निकाला देना दंडउसपर संभव होगा सो ये थोड़ेसे अपराधमें असंगत हैं और जो यह भी नहीं कियाजाय तौ फिर दंडका न होना एकलक्षणप्रकट होताहै सोवह धर्मसेविरुद्ध है सोयह विरोध इस निम्नोक्त वाक्य सेभी संसिद्धहै-यथाह ( चतुर्णा मपिवर्णानांप्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरंधनसंयुक्तंदंडधर्म्यंप्रकल्पयेत् ) अर्थात्-प्रायश्चित्त न करतेहुये चारोंवर्णोंको अपराधोंकीदशामें धर्मविचारके अनुसार दंडशारीरक और धनदंडभी एकहीसाप्रकल्पितकरै अर्थात् वर्णभेदसेनहीं-अन्यच्च(सहस्रंब्राह्मणो दंड्योगुह्नांविप्रांवल्लाद्धजन् ) -अर्थात्-उस ब्राह्मणसे एकसहस्र पणरूप्यकाधन दण्ड लेनाचाहिये जो (गुह्ना)नाम पर्देकीरक्षामें रहतीहुई ब्राह्मणी या तल्लक्षणा क्षत्राणी वैश्यानीसाथ बलसे गमनकरताहुआ पकड़ाजाय-और-शंखका यहवाक्य है कि-त्रयाणां वर्णानांधनापहारवधबंधक्रिया विवासनांककरणंब्राह्मणस्य )-अर्थात्-अन्य तीनों वर्णोंको धनापहार दण्डवधदण्डबन्धक्रिया दण्ड यहनियतहैं परब्राह्मणको देशनिकाला और अंककरण ये दोदण्ड हैं-सो इसवचनमें धनापहारदंड सर्वस्वापहारसेअपेक्षितहै क्योंकिमृत्युदंडकेसाथमें कहागयां और यहीआशय निम्नोक्तवाक्यसेभी सिद्ध है-यथा-(शारीरस्त्ववरोधादिर्जीवितांतःप्रकीर्त्तितः । काकिन्यादिस्त्वर्थदंडःसर्वस्वांतस्तथैवच)-अर्थात्-शरीर दण्डकैदिको आदिलेकर प्राणांतिक पर्यंत और धनदण्डएक कोड़ीको आदिलेकर सर्वस्वहरण पर्यंतकहाताहै-सिद्धांत इसकायह कि शास्त्रोक्त प्रायश्चित्तोंके न करनेवाले ब्राह्मणोंपर उग्रअपराधोंकी दशामें धनदण्डभी सर्वस्वापहार तक होसक्ताहै-और-जोकि एकयहवाक्यहै कि (राष्ट्रादेनंवाहिःकुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ) अर्थात्-इसको सर्वधनसहित राज्यसे बाहरकरिदेवै किंतुकुछभी नहींछीने और शरीर से अक्षतजानेदेवै-सो यह सर्वधनसहित जानेदेनेका वाक्य उसदशापर संबन्धित है

कि यदि ब्राह्मण प्रथमसाहस विषयिक अपराध अर्थात् जुर्मखफीफका मुजरिमहो किंतु सभीअपराधोंमेंनहीं और (प्रथमसाहस)अपराध वे कहातेहैं जो फौजदारीसे संबन्धितहों और ऐसेछोटेहों जिनमें २५० पणसे अधिक दण्डहोनेका ठिकानानहो-परंतु-यहयथार्थ है कि शारीरदंड कदाचित्भी न होनाचाहिये-यथाहमनुः-( नजातुब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपिस्थितम् ( इतिसामान्यवचनं ) अर्थात्-मनुने सर्वधारणभी अपराधोंपर ब्राह्मणके निमित्तमें लिखाहै कि ब्राह्मणको कदाचित्भी न मारैचाहै किसीभी तीव्रपापमें स्थितहो और स्थितहोनेका यहआशय है कि चाहै तैसे पापके करनेपर समुद्यतहुआहो किंतु जबतक उसकर्मको न कियाहो यद्यपि यहवात उसमेंसम्भवहो कि यदि पकरानहीं जाता तौ अवश्यही यहकाम अबतकहोजाता-इसवातसे यह आशय सिद्धहोताहै कि यदि कोईउत्तम साहसकर्म निपट उत्पन्नहोचुकाहो तौ शारीर दंडभीहोसक्ताहै और यद्यपि सभीउत्तम साहसोंमें शारीरदंडकाहोना योग्यन होसकै परन्तु लोभादि कारणोंसे इच्छापर्वक जानबूझकर बालबधादि महापाप करने में अवश्यही शारीरदंडके सिवाय कोई अन्यप्रतिकार दृष्टिमेंनहींआता तहाँयहवातराजाके आधीनहै कि वह अपने धर्माधर्मकी दृष्टिसे जैसाउचित समुझै सोकरै-यथाहमनुः-(नब्राह्मणबधाद्भूयानधर्मोविद्यतेभुवि । तस्मादस्यबधंराजामनसापिनाचिंतयेत् ) अर्थात्-पृथ्वीपर ब्राह्मण बधकेसिवाय और कोई अधिक अधर्मनहीं है इसलियेराजा इसकावध अपनेमनसेभी कदाचित् नहींसोचै सो यह सोचना या न सोचनाउसका देशकालवस्तुकी विलक्षणदशाके आधीनहै इसका शेषप्रकार कुछनीचे ८४ केभीअभिप्रायार्थमें पिछले देशदेखो ८३ ॥ कूटसाक्षियोंके दण्डनिश्चित होचुके और इसी प्रसंगसे औरभी अनेक बातेंकहीगई अबनीचे साक्ष्य निह्वका दंडकहाजायगा ॥

यःसाक्ष्यंश्रावितोऽन्येभ्योनिह्वतेतत्तमोवृतः । सदाप्योऽष्टगुणंदंडंब्राह्मणंतुविवासयेत् ८४

अक्ष०-जो कोई साक्ष्य सुनाया हुआ तमोवृत होकर औरों से निह्व करता हो सो अठगुणादंड दिलाने योग्य है और ब्राह्मण को विवासित करै ८४ ॥

अभि०-जो कोई साक्षी साक्ष्य अंगीकार करै और इसीहेतुसे नाम उसका प्रसिद्ध होजावै और अन्य सब साक्षियों के साथ उसका आज्ञान किया जाकर साथही उनके साक्ष्य वचन सुनायेजायँ तिस पीछे या सुनायेजाने से पहलेही कि जबतक साक्षियों में कुछ पूँछा नहीं गयाहो किसी अपने गूढ़ अभिप्रायके हेतुसे (तमोवृत) अर्थात् रागादि कारणों से आक्रांत चित्त होकर अन्य साक्षियोंसे विपरीत गवाही मनमें जोरि गाँठि उनसेद्विपी रखे और प्रत्यक्षउनकेयह (निह्व)नामनकार खींचै कि मैं इसवार्ता में साक्षी नहींहूँ किन्तु मुझसे बूझाजायगातौ यही उत्तरदूँगा किमैं इसमें कुछभी नहीं जानता-और-साक्ष्य पूँछा जानेके समयपर उन सबसे विपरीत उत्तर देवै जिस्से अर्थात्

को प्रत्यक्ष हानि होसकीहो या होहीजाय तौ उस गवाहसे अठगुणा दंडलियाजावै उस परिमाणसे कि जो कुछ धनहानि उस विवाद के दावेमें हुईहो या होसकीहो-वही गवाह यदि ब्राह्मणहो तौ उससे भी यह दंडलेना चाहिये जैसा ८३ की अधिकोक्ति में धनदंडलेना पक्काहोचुकाहै परंतु जो देसकने में असमर्थ हो तौ विवासित कियाजाय किन्तु इसमें भी (विवासयेत्) इस क्रियापदके कई अर्थहोने से पराजय का विषय देखा चाहिये अर्थात् जैसे विषय की पराजय हुईहो उसीके अनुसार नग्नीकरण या गृहभंजन या देश निर्वासन कोई एकदंड कियाजाय-परंतु इतरवर्णों के लोग जो अठगुणा दंडदेनेमें असमर्थ हों तौ उनसे उनके जातीकर्मों का उचित कामकरवाना या निगड़बंधनमें राखना कारागृहमें भेजदेना आदि कोई दंड पराजयके विषयानुसार किया जाय-सो यह प्रकार ऊपर ८३ की भी अधिकोक्तिमें संबंधित करिलेना चाहिये जहाँ तीनों वर्ण और ब्राह्मणके निमित्त में दंडभेद निर्णय होचुकाहै ८४ ॥

अधि०—यदि कदाचित् सभी साक्षी ऐसानिह्व करै जिसका चर्चाएकके उद्देशकर के ऊपर आया तौ वे सभी दोषी उसएकहीके समान समुभेजायँ और सभीपर समान दंडहोना चाहिये-जब कदाचित् कोई एक या सब साक्षीलोग ऐसा निह्व करै कि पहले साक्ष्यठीक देकरपीछे कुछअन्यथा कहनेलगेंतौभी उस अनुबंधकीअपेक्षा से पृथक् २ सभीदंडनीय हैं-यथाहकात्यायनः-(उक्त्वाऽन्यथाब्रुवाणांश्चदंड्याःस्युर्वाक्छलान्विताः)-अर्थात्-जोकोई किसीवार्त्ताका इजहार दिये उससे कुछ विपरीत कहने लगें वे लोग अपने (वाक्छल) अर्थात् फरेबसेसंयुक्त हुये उसव्यवहारके विषयानुसार जुदे २ दंडनीय हैं-औरभी-जो गवाह एकपक्षीकी ओरसे नियतहुये हों उनसे दूसरे पक्षीको गुप्तभाव संभाषण आदि कुछ संसर्गनकरनाचाहिये-यथाहनारदः(नपरेणसमुद्दिष्टमुपेयात्साक्षिणंरहः । भेदयेन्नैवचान्येनहीयेतैवंसमाचरन्) अर्थात्-और के बुलायेहुये साक्षी पास एकांतमेंन जावै और न किसी अन्य पुरुषके द्वारा उसके साक्षियोंमें कुछभेद करावै किन्तु यह आचरण करतेहुये विना पराजय भी पराजितहोवै (भेद)का स्वरूप यह कि मेरे साक्षियोंके अनुसार उसके साक्षीबोलें या मेरे अभिप्रायके अनुसारबोलें या उसीके परस्पर भेदसे बोलें जिस्से मेरीजयहोसके इत्यादि यदि कोई बात ऐसी करै तौनिःसंदेह इसके दंडमें पराजित कियाजावै ८४ जो कि साक्षियों को इस प्रकरणमात्रमें सर्वत्र कुछनबोलने और असत्य वचन बोलनेकाभी निपट निषेध कियागया तिसमेंकुछ अपवाद भी योगीश्वर याज्ञवल्क्यजी ने धर्मके सिद्धान्तरूपसे प्रदर्शित कियाहै तिसकारूप नीचेके श्लोकमें देखौ ८५ ॥

वर्णिनांहिवधोचत्रतत्रसाध्यनृतंवेदत् ८५ । पूर्वार्द्धः ॥

अक्ष०—जहाँ वर्णियों का बध हो तहाँ साक्षी अनृत बोलें ८५ H

अभि०—इस अपवाद रूप वाक्यसे अवचन और असत्य वचनकीभी आज्ञादी जाती है कि जिनकेलिये पहले प्रतिषेधहो चुका है-अर्थात्-जहांकहीं शङ्काभियोग-आदि किसीदशा में यहसम्भव हो कि यहांपर सत्यबोलने से किसी शूद्र या वैश्य या क्षत्री या ब्राह्मण का बधहोजायगा- और असत्य बोलनेसे किसीकाभी बध नहोगा तहांपर असत्यबोलने की आज्ञाहै-जहांकहीं यहसंयोग सम्भवहो कि मेरेसत्यबोलनेसे अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंमेंसे एकमाराजाताहै परअसत्यसेभी उसकादूसरा पक्षी माराजायगा तबऐसीदशामें चुपकेहोजानेकी आज्ञाहै किंतुसत्यअनृतकुछभीनहींबोलें परजोराजाइसको मानै और जो राजाकिसी प्रकार चुपकेरहनेसे न मानै किन्तुप्रबलतासेकहलायाचाहै तौसाक्षियोंको यहउचितहै कि अपनेवचनोंमेंअस्तव्यस्तका विपरीतभेद डालकर प्रमाणायोग्य साक्ष्यनहींदेवें कदाचित् यहभीनहोसकै तौफिरनिसन्देह सत्यबोलना उचितहै क्योंकि सत्यबोलनेसे केवल एकमनुष्यकेही बधकादोष होगा और असत्य वचनकहनेसे दोदोषकिंतु एकतौमनुष्यबध और दूसराअसत्यवादित्वका इसलिये असत्यनहीं बोले ८५ ॥ अबनिचले अद्धामें इसकी प्रायश्चित्त विधि कहीजायगी ॥

तत्पावनायनिर्वाप्यश्चरुःसारस्वतोद्विजैः ८५ ॥

अक्ष०—तिसकेपावनके लिये द्विजातियों को सारस्वतचरु निर्वाप्यहै ८५ ॥

अभि०—ऊर्ध्वोक्त अवचन और असत्यवचनसे जो कुछप्रत्यवायनामदोषमनुष्यको लगताहै तिसके(पावन) अर्थात्उनदोषोंकेपरिहारकेलियेद्विजातीलोगोंको(सारस्वत) नामचरुकर्तव्यहै अर्थात् सरस्वती देवताकेनामसे याज्ञिक विधिके अनुसार ओदनका दानकरना चाहिये जिस्सेवहदोष उनकाधोयाजाय- और-यहचरु उनप्रत्येक मनुष्योंको भिन्न२ करना चाहिये जो इसप्रकारकी गवाहीमें बुलायेगयेहों ८५ ॥

अधि०—सिद्धान्त इसका यहकि साक्षियोंको साक्ष्यपूँजाजानेके समयपर असत्यवचनकहने और निपट न बोलनेकाभी निषेधकियागयाथा अबइसदशामें साक्षियोंको उन्हींदोनों बातोंकी आज्ञादीगई-और-साक्षियोंके सिवाय सर्वसामान्य मर्यादासे भी इनबातोंका निषेध नियत है-तद्यथा(अब्रुवन्विब्रुवन्वापिनरो भवतिकिल्विषी)अर्थात् न कहने और और विशेष उक्तिपूर्व कहने से मनुष्य निःसंदेह किल्विषीनाम अपराधी और पातकी हुआकरता है-जवकि-निपट इनदोनों बातका निषेधहै और यहांकी आज्ञानुसार कदाचित् ऐसाकरना परा तो प्रत्यक्ष उस निषेधका अतिक्रम किया गया जोबात साक्षियोंके अपराध में गिनतीहोकर निषेधकी गईथी तिस अतिक्रमसे उत्पन्नहुये दोषोंकी शांतिमें यह प्रायश्चित्त कहागया कि सारस्वत नाम चरुकरना चाहिये-परन्तु-साधारण प्रतिषेधके अतिक्रमका संबंध इसमेंनहीं समुझना और यह

तर्क इसमें असंगत है कि साक्षियोंको यहांपर चुपके रहने या अनृतवचन बोलने की शास्त्रोक्त आज्ञा होनेपर भी वह अपराध क्या यथावस्थित बनारहसक्ता है जो साधारण मर्यादाके अतिक्रमसे उत्पन्न होता है जिसके लिये प्रायश्चित्त बतलाते हो और जो इस आज्ञाके होनेपर भी वह अपराध लगसक्ता है तौ फिर यह आज्ञारूपी वचन भी निरर्थक समुभा चाहिये-सो यह तर्क असंगत है-क्योंकि-साक्षियोंको असत्य बोलने या निपट नहीं बोलने के प्रतिषेध जो पहले अपने स्थलपर हो चुके हैं तिन दोनों के अतिक्रम होनेमें बहुत बड़ा अपराध अर्थात् जुर्मसंगीन होता है -और-अन्यत्र साधारण दशाओंमें असत्य बोलने या चुपके रहनेसे अपराध अल्प अर्थात् जुर्मखफीफ समुभा जाता है इसलिये यह आज्ञारूपी वचन सार्थक है निरर्थक नहीं-और-यद्यपि अन्यत्र बहुधा दशाओंमें यह मर्यादा है कि बहुत बड़े अपराधकी निवृत्ति नाम किसी प्रकारसे शांति होजाने पर उसके संबंधी छोटे अपराधकी निवृत्ति आपसे आप उसके साथ होजाती है-तथापि-इस गवाहीकी प्रक्रियामें यहाँपर अतिक्रमकी आज्ञा और प्रायश्चित्तकी प्रेरणाके हेतुसे यह विलक्षण मर्यादा है कि बहुत बड़ा अपराध निवृत्त होता है पर उसी प्रकारका आनुषंगिक अपराध छोटानहीं निवृत्त होसक्ता यह निश्चय पायाजाता है-यही मर्यादा जो असत्य बोलने या न बोलने मध्ये ऊपर कही गई चारौबणोंके बंध संबंधी प्रश्नोंमें साक्षियोंके सिवाय बटोही आदि अन्य साधारणों से भी संबंधित समुभी चाहिये अर्थात् यदि ऐसे किसी अभियोगमें पांथादिकोंसे कुछ पूँछाजाय जिसमें किसी मनुष्यके प्राणजाते रहनेका संकोच होतौ उनको भी इसी प्रकार से स्वाधीनता है-परंतु-उनके लिये इस प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं जानी जाती क्यों कि इसवार्तामें कोई और प्रतिषेध नहीं पाया गया यदि किसी निमित्तांतरसे अर्थात् अन्य अभियोगोंके द्वारा कालांतरमें साक्षियों यद्वा अन्य मनुष्योंका असत्य संभाषण आदि कुछ अपराध पहिला किया प्रकाशित हो जिसका दंड उसने पहिले प्रकट नहो नेके हेतुसे न पाया होतौ इसदशामें निःसंदेह अदंड्य होगा किन्तु उससे कुछ अपेक्षा नहीं क्योंकि इसका प्रतिकार वह परलोकमें जाकर अपने आप भोगैगा यह सिद्धांत इसी वचनके आशयसे निश्चयात्मक पाया जाता है ॥ ८५ ॥ इति साक्षिप्रकरणम्-तीन विधके प्रमाणोंमें से भुक्ति और साक्षियोंका निरूपण हो चुका अब नीचे केवल एक परिच्छेदमें लेख्यपत्रोंका प्रमाण यथा विधिसे निरूपण किया जायगा ॥

अथ लेख्यप्रमाणपेक्षायां पत्रलेख्यविधिविवेको नाम पंचत्रिंशः परिच्छेदः (३५)

इस पैंतीसवें परिच्छेदमें लिखित प्रमाणकी अपेक्षासे लेख्यपत्रोंकी विधि प्रदर्शित करी जायगी-लेख्यपत्र दो प्रकारके होते हैं तिनमें एकतौ ( गालन) अर्थात् राजदत्त लेख्य सरकारी तहरीर जिनका चर्चा आचाराध्याय गत राजधर्म प्रकरणमें ३१७ के

श्लोकसे लेकर निरंतर तीनश्लोकोंमें होचुकाहै उन्हींके उपलक्षणसे और भी सरकारी लेख्य जो जो होतेहों सबको (शासन) संज्ञासे समुभना-और-दूसरे (जानपदलेख्य) अर्थात् घरू दस्तावेज तहरीर खानगी जिनको कहतेहैं तिनकीविधि इसपरिच्छेदमें अब कहतेहैं ॥

यःकश्चिदर्थोनिष्णातःस्वरुच्यातुपरस्परम् । लेख्यंतुसाक्षिमत्कार्यतस्मिन्धनिकपूर्वकम् ८६ ॥

अक्ष०—जोकोई अर्थ परस्पर अपनी रुचिसे निष्णातहो तिसमें धनिक पूर्वक साक्षिमान् लेख्य कर्त्तव्यहै ८६ ॥

अभि०—(जानपदलेख्य) नामघरू लिखावटभी दोप्रकारसे होतीहैं एकती(स्वहस्तकृत) वह कि जो निज अपने हाथसेही लिखीजाय दूसरी(अन्यकृत)वह कि जो औरोंके हाथसे लिखवाई जाय तिनमें पहलीकी संसिद्धिमें साक्षी लिखेजानेकी आवश्यकता नहींहै—पर-दूसरीमें साक्षीहोने आवश्यकहैं (इनदोनोंमेंसेद्वितीय (अन्यकृत) लिखावटकीविधि पहले कहते हैं कि) जब कदाचित् उत्तमर्ण और अधमर्ण इनदोनोंकी परस्पर अपनी रुचिके अनुसार जोकोई अर्थ सोना चाँदी आदि (निष्णात) नाम व्यवस्थित अर्थात् निश्चितहोजाय कि इतनेकालमें इसप्रकारसे इतनादियाजायगा और प्रतिमास इतनीवृद्धिहोगी तिसअर्थमें इस निश्चितहुई व्यवस्थासे लेख्यपत्रकरनाचाहिये सो यह लेख्यधनिकपूर्वक और साक्षिमान् अर्थात् धनीके नामसे और साक्षियोंके प्रमाणसे लिखवानाचाहिये ८६ ॥

अधि०—इस लेख्यपत्रमें जो साक्षी अपना साक्ष्यलिखाकरतेहैं वे सब लिखित साक्षीकहलातेहैं कि जैसा वृत्तीसवें परिच्छेदमें चर्चाहोचुकाहै और उसीपरिच्छेदमें वर्णनकिये लक्षणोंवाले साक्षीहोनेचाहिये किंतु अन्यथा नहीं क्योंकि यदि कदाचित् इसीपत्रकी अपेक्षासे विवाद खड़ाहोगा तब उस दशा में साक्षियों के भी गुणों का परीक्षण कियाजायगा-तथाहि- ( कर्त्त्रातुयत्कृतंकार्यं सिद्धयर्थतस्यसाक्षिणः । प्रवर्त्तते विवादेषुस्वकृतंवाऽथलेख्यकम् ) अर्थात्-कर्त्ताने जो कुछकार्य पत्रलेखन आदिसे कियाहो तिसकी सिद्धिके लिये विवादों में सब साक्षीलाग प्रमाण में आते हैं अथवा अपने हाथकाही लेख्यहो किंतु निज अपनेहाथ की लिखावटमें साक्षियोंकी विशेषतर अपेक्षा नहीं है-और इनदोनों भांतिकी लिखावटों के प्रमाणमध्ये मर्यादा ठेठ निज २ देशोंकी परिपाटीपर आरूढ़ है-यथाहनारदः ( लेख्यंतुद्विविधंज्ञेयं स्वहस्तान्यकृतंतथा । असाक्षिमत्साक्षिमच्चसिद्धिर्देशस्थितेस्तयोः )-अर्थात्-जानपदलेख्य दोप्रकारका समुभना चाहिये स्वहस्तकृत १ अन्यहस्तकृत २ इनमें पहिला विना गवाहों के भी और दूसरा साक्षियोंसेही होता है पर दोनों की सिद्धि देश परिपाटीके आधीनहै ८६ ॥



समामासतदर्द्धाहर्नामजातिस्वगोत्रकैः । सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्नितम् ८७ ॥

अक्ष०— वर्ष मास तदर्द्ध दिननामजाति स्वगोत्र ब्रह्मचारिक आत्मीय पितृनाम आदिसे चिह्नितकरै ८७ ॥

अभि०—(वर्ष) अर्थात् सम्बत्सरकानाम जो जिसदेशमें तत्कालसंचरितहो-(मास) महीनेकानाम यथा चैत्रआदि-जैसा जहाँकाप्रचारहो-(तदर्द्ध) पक्षकानाम यथा शुक्ल या कृष्ण-(दिन) तिथिकानाम प्रतिपदाआदि-(नाम) धनीऋणी दोनोंका-(जाति) ब्राह्मणआदि जो जिसकीहो-(स्वगोत्र) यथा वसिष्ठगोत्र या कश्यपगोत्रइत्यादि जो कोई सी प्रसिद्धि जिसकेवंशकी विख्यातहो-(आत्मीयपितृनाम) अर्थात् धनीऋणी दोनोंके पिताकानाम उनकेनामोंकेसाथमें-(आदि)शब्दसे औरभी आवश्यक बातेंसमुभीचाहिये जैसे उसद्रव्यकीजाति और संख्या या तिथिकेसाथमें रविवारआदि बारोंकानाम या उनदोनोंकी उहदेदारीआदि कोईअधिकविशेषण जोकुछहो सो सबलिखनाचाहिये (एतैःसर्वैश्चिह्नितंलेख्यं(कार्यं) यह क्रियापद पहिलेश्लोकमें सम्बन्धितहै ) ८७ ॥ अब इसीकीविशेषता नीचे अगले श्लोकमेंकहतेहैं कि लिखेपीछेभी प्रमाणकरै ॥

समाप्तेतुऋणीनामस्वहस्तेननिवेशयेत् । मतंमेऽमुकपुत्रस्ययदत्रोपरिलेखितम् ८८ ॥

अक्ष०—समाप्तहोनेमें नाम ऋणी फिरभी निजहाथसे निवेशित करै कि जो इसके ऊपर लिखागया मुझ अमुक पुत्रका सम्मतहै ८८ ॥

अभि०—जब कदाचित् कोईपत्र किसी ऋणीकीओरसे लिखवायाजाय तब लिख चुके पीछेफिरभी ऋणीनिज हस्ताक्षरोंसे अपनेनाम सहित लिखदेवै कि इसमेंजोकुछ व्योरा निश्चितहोकर लिखागया सोसब अमुकपिताके मुझपुत्र को स्वीकारहै ८८ ॥ इसीमेंकुछ और भी विशेषता नीचेकहते हैं ॥

साक्षिणश्चस्वहस्तेनपितृनामपूर्वकम् । अत्राहममुकःसाक्षील्लिखेयुरितितेसमाः ८९ ॥

अक्ष०—समसाक्षी भी निजहाथसेपितृनाम सहित लिखें कि इसमें मैं अमुकनामा साक्षिहूँ ८९ ॥

अभि०—जिन मनुष्योंकी गवाही लेख्यपत्र के आशयमें प्रदर्शित कीगईहो कि अमुकामुक साक्षियोंके सन्मुखलेख्य बनवायागया तिन गवाहोंके भी उसदशामें किजब ऋणी अपने हस्ताक्षरनामलिखचुकै तब उसपत्रकीआयुपर अपना२नाम पितृनाम सहित इसरीतिसे निजहाथसेही लिखनाचाहिये कि इसवार्ता में विष्णुदत्तकापुत्र में देवदत्तनामासाक्षीहूँ-सो यहसाक्षीलोग (सम)हों अर्थात् संख्यासे और अनिष्टादि गुणोंसेभी तुल्यहोनेचाहिये और सब जुदेर अपनेहाथसे लिखें = ९ ॥

अभि०—यदि कदाचित् ऋणी या कोईसाक्षी लिखनानहींजान्नाहें तब ऋणी औरसे और वहसाक्षीभी किसीद्वितीयसाक्षीसे सबसाक्षियोंके

क्षयलिखवादेवै-यथाहनारदः-(अलिप्यज्ञऋणीयःस्यात्स्वमतंतुसलेखयेत् । साक्षीवासाक्षिणाऽन्येनसर्वसाक्षिसमीपतः)अर्थात्-जोकोईऋणी अलिपिज्ञहो वह अपना सम्मत औरसे लिखवावै यद्वा साक्षी जो निरक्षरहो सो दूसरेसाक्षीसे सबसाक्षियों के समीपही लिखवावै (इन्हीं साक्षियोंको गवाह तहररी या हाशियाकेगवाह यावन भाषामें कहते हैं) ८९ ॥ इसीमें कुछ औरभी विशेषता नीचेकहतेहैं ॥

उभयाभ्यर्थितेनैतन्मयाहयमुकसूनुना । लिखितंहयमुकेनेतिलेखकोतेततो लिखेत् ९० ॥

अक्ष०-तिसके पीछे लेखक अंतमें यह लिखवै कि मुझअमुकसूनु अमुकनामाने यह दोनोंकी प्रार्थनासे लिखा ९० ॥

अभि०-जब गवाहोंकेभी हस्ताक्षर होजावैं तबसबसे पीछे पत्रकेनीचे जाकर वह लेखकभी कि जिसने दोनोंपक्षियों की आज्ञासेही कागदकियाहो इसरीतिसे अपना प्रमाण लिखदेवै कि मुझ विष्णुदत्त के बेटा यज्ञदत्तने अमुकामुक दोनों पक्षियों के कहने से यह लेख्यपत्र लिखा ६० यह व्यवस्था यहांतक (अन्यकृतपत्रों) मध्ये कही गई-अब नीचेसे (स्वरुतलेख्यों) की मर्यादा कथन होतीहै जिसमें साक्षियों का होना कुछ विशेषकर आवश्यकनहीं ६० ॥

विनातुसाक्षिभिलेख्यंस्वहस्तलिखितंतुयत् । तत्प्रमाणंस्मृतंलेख्यंबलोपाधिकृतादृते ९१ ॥

अक्ष०-जो लेख्य निजहाथकाही लिखाहो सो विनासाक्षियोंके भी प्रमाण कहा-पर-बलोपाधि कृतसे रहित ६१ ॥

अभि०-यदि कोई लेख्य निजऋणीके हाथकाही लिखाहो तौ वहलिखितगवाहों के नहोनेपरभी वैसाही प्रमाणमें आताहै कि जैसासाक्षी लिखेहोनेपर पक्का समुभा जाता यह मन्वादिकोंने कहाहै -परन्तु- यह प्रतिज्ञा है कि यदि किसीने उस लिखने वालेपर (बल) प्रबलतासे या (उपाधि) नाम किसीबल प्रपंच रचना फरेब आदि से न लिखवाई हो-किंतु-यदिऐसीहो तौ निजहाथकीभी लिखीप्रमाणतामें नहींआसक्ती-और सिद्धांत इसका यह कि वह निपट निष्फल होजायगी ६१ ॥

अभि०-यहांपर (उपाधि) शब्द बल प्रपंचोंकावाचक सामान्य भावसे कहाहै तिसके अनेक रूप समुझे चाहिये अर्थात् यदि किसी कच्चीबुद्धिवाले के हाथसे कुछलोभ कर लिखवायाहो या क्रोधके दबावसे या कोईसा भय दिखलाकर या मदपीकर मत्त होनेकी दशामें यद्वा अहोन्मादसे प्रमत्त होनेकीदशामें या बुद्धिभ्रंशहोजानेकी दशामें लिखवाया हो तौ वहकागद भूँटा समुभाजाकर प्रमाणतामें न आवैगा-तथाचनारदः-(मत्ताभियुक्तान्बालवन्नात्कारकृतंचयत् । तदप्रमाणंलिखितंभयोपाधिकृतंतथा) अर्थान्-नारदने यह कहाहै कि जो कोई दस्तावेज किन्नामितवारेने या औरोंकर के धिरे



देवै यदि उस्से नहीं दियाजाय तौ पुत्रदेवै यदि पुत्रसे भी न दियागयाहो तो पौत्रदेवै परंतु चौथे पुरुष प्रपौत्र आदि किसीपर दावाकिसी धनी का नहीं चल सक्ताहै यह नियम इसमें कियागया ६२ ॥

अधि०—(अत्रवितर्कः) भला जब तीन पुरुषोंको ऋणमात्रका उद्धार करना सामान्य-भाव अविशेषता से ५१ के श्लोकमें नियतहै तौ फिर लिखित या विना लिखित का चर्चाकरना यहाँपर वृथा है (सुनो) वृथा नहीं क्योंकि उसी ५१ के श्लोकमेंसामान्य-भाव कहीहुई मर्यादा में लिखित ऋणके विषयपर अन्यस्मृतियों के वाक्य से अप-वाद शंका खड़ीहोतीहै तिसके दूर करने को इस वचनका आरंभ कियागया सो वह शंकाभी निम्नोक्त कात्यायन और हारीतके वाक्यों द्वारा समुभौ-यथाह कात्यायनः (एवङ्कालमतिक्रांत पितृणांदाप्यतेऋणम्) अर्थात्-कात्यायनजीने जिसस्थलपर ले-ख्यपत्रों के लक्षण कथन किये हैं तहाँ उन लक्षणों के पश्चात् यह भी कहाहै कि इस प्रकारसे पत्रोंपर लिखाहुआ ऋण बहुकाल के अतिक्रांत होजानेपर भी पितृओंके सम्बन्धी पुत्रपौत्रादिकोंपर दिलानायोग्यहै-इसमें (पितृओं) इस वचनके निर्देशते और बहुकालके (अतिक्रांत) होने इसकथनसे भी यहवात पाईजातीहै कि उन पुत्रोंको चाहै तितना काल व्यतीतहोजाय किन्तु प्रपौत्रआदि चौथे पाँचवेंसे भी दिलवानाचाहिये इस आशयसे कदाचित् कोई धनी ऋणीके परपोता आदिपर भी दावा करनेलगे हारीतवचन-यथा (लेख्यंयस्यभवेद्धस्तेलाभंतस्यविनिर्दिशेत्) अर्थात्-जिस उत्तमर्ण के हाथमें ऋणके मध्ये लेख्यपत्रहो वह ऋणीके चतुर्थ पुरुष परपोता आदिसे भी ऋणकालाभ करसक्ताहै-सो इस आशंका की निवृत्तिके अर्थ से यह ६२ का अद्धा योगीश्वरने आदेश किया इसलिये इसको वृथामत समुभौ-और इसी योगीश्वरके वचनानुसार उन दोनों वचनों की अर्थयोजना न्यायसे करिलेनी चाहिये कि लेख्य हाथमें होनेपर त्रैपुरुषअवधि पर्यन्त ऋणका लाभ होसक्ताहै ६२ अब इसी अद्धाकी अपेक्षामें निचले अद्धासे अपवाद कहाजायगा ६२ ॥

आधिस्तुभुज्यतेतावद्यावत्तन्नप्रदीयते ९२ ॥

अक्ष०—किन्तु आधि तवतक भोगाजाताहै जबतक ऋण नहीं दियाजावै ९२ ॥

अभि०—यह अपवाटरूप उत्तरार्द्ध इमलिये कहाजाता है कि जैसे पर्वार्द्ध में पत्रा-रूढ़ अवंधक ऋणका देना तीन पुरुषों से आगे निश्चित न हुआ तैसेही यदि संब-धक ऋणभी पत्रारूढ़ होनेकी दशामें त्रैपुरुष देय समुभाजाय तब चौथेको न देनेके अधिकारसे बंधकभी छुड़ाने का अधिकार नहीं पायाजाता-इसलिये योगीश्वरने यह आज्ञादीहै कि-जबतक चौथी वा पाँचवी पीढ़ीके अधिकारी से जिस (आधि) का ऋण उद्धार नहीं होता तबतक वह (आधि) धनी भोगिसक्ताहै-मिद्वांत इसका यहकि चौथी

और पाँचवीं आदि पीढ़ियों के अधिकर्ता भी प्राचीन आधि के छुड़ाने में ऊर्ध्वोक्त मर्यादों अनुसार वैसेही अधिकारी हैं कि जैसे पूर्वपुरुषोंको अधिकारथा-छूटका स्वरूप इसमें यहीहै कि पहिले अद्धामें दस्तावेजी ऋणपर तीन पुरुषोंका नियम जो बाँधा गयाथा वह त्रैपुरुष नियम इस दस्तावेजी बंधकऋणसे सम्बन्धित नहींहै ( वितर्कः ) क्यों जीअब क्यों पिष्टपेषण करतेहौ यहबात पहिले आधिके प्रकरणमें कथन होचुकी है कि ( फलभोग्योननश्यति ) अर्थात् जो फलभोग्य लक्षणसे आधिबंधक धराजाता है उसका नाश कदाचित् नहीं होसक्ताहै किन्तु सभी पीढ़ियों को छुड़ाने में अधिकार है तौ फिर यहाँपर चौथी पाँचवीं आदि कहनेसे क्या फल सिद्धि ( सुनो ) सत्यहै यह बातपर तौ भी इससे फलसिद्धि यह कि यदि यहाँपर अपवाद नहीं कहाजाता तौ वह ५९ के श्लोक वाली सामान्य मर्यादा भी त्रैपुरुष विषयपर सम्बन्धित होजाती— क्योंकि ( फलभोग्योननश्यति ) यह मर्यादा सामान्य वाक्यसे कही है और त्रैपुरुष विषयकी मर्यादा जो है सो विशेष वाक्यहै इसहेतु वहसामान्य पर प्रबल होजाता— तथाहि(सामान्यशास्त्रतोनूनविशेषोबलवान्भवेत्) अर्थात्-यहसर्वत्रनियमहोताहै कि सामान्य वचनकेऊपर विशेषवचन बलवान्होताहै इसप्रकारसे यह मर्यादा सर्वथा अनवद्य है कोई किन्तु इसमें नहींलगसक्ता ६२ इसबानबेके श्लोकवाले दोनोंअद्धा एकप्रसंगसे आवश्यक जानिकर बीचमेंकहेगये सो यह प्रसंगबीचका पूराहुआ अब नीचेकेश्लोकमें फिर उसी प्रकृतवर्णनका चर्चाहोगा जैसा लेख्यपत्रोंका होरहाथा— अर्थात्-यहबात नीचेकहेंगे कि यदि लिखाहुआ पत्र किसीहेतुसे निकम्माहोजाय तौ दूसरा कियाजावै ६२ ॥

देशांतरस्थेदुर्लेख्येनष्टोन्मृष्टेहृतेतथा । भिन्नेदग्धेऽथवाछिन्नेलेख्यमन्यत्तुकारयेत् ९३ ॥

अक्ष०—लेख्यदेशांतरस्थहो या दुर्लेख्यहो नष्टहो उन्मृष्टहो हृतहोजाय भिन्नहोय दग्धहोय छिन्नहोय तौ अन्यलेख्य करवावै ६३ ॥

अभि०—कोई लेख्यपत्र जो अभी लिखागया या पुरानाहो यदि किसीकारणसेऐसा होजाय जिस्से व्यवहारकीसिद्धिनहोसकै तौ दूसरा उसका प्रतिपत्रलिखवानाचाहिये इसमें लेख्यपत्रकेस्वामीको अधिकारहै और व्यवहारकी सिद्धि उरुसे इतने कारणों से नहींहोसक्तीहै कि वह दस्तावेज किसी दूसरे देशमें उपस्थितहो जहाँमे आसकना उसका दुर्घटहो-या ( दुर्लेख्य ) लिखागयाहो अर्थात् ( दुष्ट ) नाम संदेहमय अक्षर यद्वा शब्द जिसमें लिखेगयेहों जो अन्यथापढ़ेजातेहों या वाँचनेमें न आतेहों-या— ( नष्ट ) होजानेकीदशामें अर्थात् नष्टहोना उसे कहते हैं जो अतिशय प्राचीनहोनेके हेतुसे कालवशहोकर जीर्णहोजाय किन्तुगलिजाय-या-( उन्मृष्ट ) अर्थात् उन्मृष्टहोना उसे कहेंगे कि यदि स्याही उसकीउड़गई वा चटगईहो वा मलीगईहो किन्तु किमी

प्रकारसे दुर्बलहो गई हो-या-( हत ) होजाने अर्थात् चोरों आदिसे हरीजानेकी दशामें-या-( भिन्न ) होजाने किंतु बीचसे दो फाड़होजानेकीदशामें-या-( दग्ध ) होने अर्थात् अग्निसे जलिजानेकीदशामें-या-( छिन्न ) होने अर्थात् कटिजाने फटिजानेकी दशामें उसपत्रकी और प्रतिलिखवानीचाहिये यह अधिकार पत्रके स्वामी पर समाश्रित है परकेवल स्वामीही नहीं लिखासक्ता किन्तु अर्थी प्रत्यर्थी दोनों की अनुमतिहोने की दशामें संसिद्धिहोसक्तीहै-यदि कदाचित् उनदोनोंके परस्पर विमतिहो अनुमति न हो तौ अधिकोक्तिके अनुसार व्यवस्था देखीचाहिये ६३ ॥

अधि०-दोनोंकेपरस्पर जब अनुमतिनहो और इसीदशामें अर्थीने प्रत्यर्थी पर अभियोग लगायाहो जिसमें उसीलेख्यपत्रका प्रमाणदेना आवश्यकहै जो पत्रकिसी देशांतरमें उपस्थितहो तब उसपत्रकोलाकर प्रवेशकरनेकी अपेक्षासे मार्गकेअंतर अनुसार अर्थीको कालअवधि दीजावै-औरजो-दस्तावेज किसीऐसे दुर्गदेशमें उपस्थितहो जिसका लासकना सत्तासेबाहरहो या निपटखोईगईहो तौ इसदशामें उन्हीं साक्षियों से मुकद्दमहका निर्णय करिलेनाचाहिये जो उसपत्रकी आयुपर निवेशितहुये थे यद्वाउनकेभी अभावमें वे साक्षीलियेजावैं जिन्होंने उसदस्तावेजको देखाहोअर्थात् मुकद्दमहका प्रमाण और फैसला साक्षियोंसे भी वैसाही यथार्थ समुभाजायगा कि जैसा असल दस्तावेज से होसक्ताथा-यथाहनारदः ( लेख्ये देशांतरन्यस्तेशी षण्डुर्लिखितेहते । सतस्तत्कालकरणमसतोद्रष्टृदर्शनम् ) अर्थात्-नारदने यह कहाहै कि जब लेख्य किसी द्वितीयदेशमें धराहो या फटजाने आदिसे बिगड़ाहो या बुरा लिखागयाहो या चोरी आदिसे खोयागयाहो और मुकद्दमहमें जरूरत उसकी आनिपरै तब होतेहुये लेआनेकी अवधिकरीजाय और न होनेमें उसपत्रके द्रष्टालोगों को लाकर उपस्थितकरै तिनके इजहारलेकर उस विवादका फैसलहोनायोग्यहै-इस वचनकायह भावनहींहै कि जोसाक्षी दस्तावेजकी आयुपरनिवेशितहोनेसे लिखितगवाहकहलातेहैं उन्हींका इजहारलियाजाय-किंतु-यहसिद्धांतहै कि मरजानेआदिकारणोंसे वे लिखित गवाह यदि उपस्थित न हों अथवा दस्तावेज प्रत्यर्थीकी स्वहस्तलिखितहोनेकेहेतुसे लिखितगवाह निपटहोईनहीं तौ वेभीसाक्षी उन्हींकेसमानसमुभेजाकरस्वीकारकिये जायँ जिन्होंनेपहले कभी उसलेख्यपत्रकोदेखाहो-जबकदाचित्-ऐसेभी साक्षी निपट न हों तब उस व्यवहारका निर्णय दिव्यप्रमाणोंसे करनाचाहिये-तथाच(अलेख्य साक्षिकेदेवीव्यवहारेविनिर्दिशेत्)अर्थात्-(अलेख्यसाक्षिक) व्यवहार जिसमें कोईलेख्य और साक्षीभी प्रमाण देनेवाले नहीं उसमेंराजादेवी क्रियाका निर्देश करै औरउसीके अनुसार विवादफैसल करिदेवे-यहीव्यवस्था जो अधिकोक्तिके प्रारंभसे यहांताईलिखीगई सोदोनों दशापर सम्बन्धितहै अर्थात् यदि साधारण किसीअन्य व्यवहार की



प्रमाणतामें खोईहुई दस्तावेज की जरूरत हो तौ भी यहप्रकार साक्षियों आदि से होसक्ताहै जैसाऊपरकहागया-और उसदशामेंभी होताहै कि यदि खोईहुई दस्तावेज को दुसराकर बनाना अर्थीचाहै और प्रत्यर्थी उसकी सिद्धिमें विमत होकर पासनहीं आवै तब अर्थीठेठ इसीहेतुसे अभियोग लगावै कि उस प्रत्यर्थीसे लिखवादीजावै- यह व्यवस्था यद्यपि (जानपदलेख्य) नाम घरूदस्तावेजों के अनुसार बर्णनकी गई तथापि यहीमर्यादा राजकीय पत्रों अर्थात् सरकारी दस्तावेजों से भी संबंधित है- आर विशेषता उसमेंइतनीहै कि साधारण सब दशाओंमें राजकीय लेख्यवहकहाताहै जिसके ऊपरउसकी सचावट और प्रमाणकेनिमित्तसे राजाकेनिज हस्ताक्षरऔरमुहर कीगईहो चाहैकैसाही कुछकागदहो-यथा (राज्ञस्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्नितन्तथा । राजकीयंस्मृतंलेख्यं सर्वेष्वर्थेषुसाक्षिमत्) अर्थात्-जोकोईपत्रराजाके निजहस्ताक्षरों सेसंयुक्तहो या राजमुद्रासे चिह्नित कियागयाहो अथवा दोनों भाँतिसे सुलक्षितहो सो वहपत्र राजकीय लेख्यकहलाताहै और सभीअर्थ प्रयोजनोंमें साक्षीमानहोताहै अभिप्रायइसकायह कि ठेठराजदत्तपत्रोंके सिवायजोकोई दस्तावेज घरूलिखावटसेहो वहभी राजाकेहस्ताक्षरों तथामुहरकेहोनेसे राजकीयलेख्यमें गिनती औरविशेष प्रा- माण्यहोजातीहै(दृष्टान्त )जैसे किसीअर्थीने प्रत्यर्थीसे ऋणपत्र लिखवाकर सरकारमें रजिष्टरी उसकीकरवाई तौ इसहेतुसे राजाअथवा प्राड्विवाकहीके हस्ताक्षर और स- रकारीमुद्राउसपर चिह्नित होआई तौ यहऋणपत्रभी सरकारी दस्तावेजोंमें गिनती होगयावरनअन्य अभियोगोंमेंभी सम्बन्धपायकर अधिकप्रमाणताकेयोग्यहुआ -ऐसे- ही वृद्धवासिष्ठग्रन्थमें एक और प्रकारकी सरकारीदस्तावेजकेलक्षणकहे औरयथार्थसे जयपत्र उसकानाम है-तथाह(यथोपन्यस्तसाध्यार्थसंयुक्तंसोत्तरक्रियम् । सावधारणकं चैवजयपत्रकमिष्यते॥प्राड्विवाकादिहस्तांकमुद्रितंराजमुद्रया । सिद्धेऽर्थेवादिनेदद्याज्ज यिनेजयपत्रकम्)अर्थात्-जिस राजकीय लेख्यमें अर्थी का निवेदन कियाहुआ वही अर्थ जिसकोवह प्रमाणों से साधन करवायाचाहताथा यथाक्रम से सर्वलक्षण संपन्न लिखाजाकर उसकी उत्तरक्रियाके भी लक्षण अर्थात् जैसाउत्तर प्रत्यर्थीने जवाबदावे में लिखायाहो सोभी उसमें संक्षेप करके लिखाजावै तिस पीछे उसका ( अवधारण ) अर्थात् न्याय के अनुसार शुभतर्कीसे खंडनमंडनपूर्वक प्रमाणीभूत और निश्चया-त्मक अंत्यनिर्णय लिखाजावै सो वहलेख्य (जयपत्रक) नाम कहाता है इसीको यावन भाषामें ( तजवीजअखीरभी ) कहते हैं-राजाको यह उचित है कि अर्थी का अर्थ सिद्धनाम सच्चा निश्चित होजानेपर यही (जयपत्रक) नामका लेख्य यथोक्त विधिसे तैयार करिके और प्राड्विवाक आदि सभासदों के हस्ताक्षरों तथा राजमुद्रा से भी मुद्रितकरवाकर जीतेहुये वादी को देदेवे-इसी निमित्त से राजा को यह उचित

है कि इस जयपत्रक नाम अन्त्य निर्णय को संसिद्ध करिके पहिले प्राड्विवाक आदि सभासदों को समर्पितकरै कि जिसमें वे अपनासम्मत भी हस्ताक्षरों से निवेशित करै इसरीतिसे कि ( हमअमुक-पुत्रअमुकपिता-हमारीदृष्टिसे यह अन्त्यनिर्णययथा योग्यहै ) यथाहमनुः ( सभासदश्चयेतत्र स्मृतिशास्त्रविदःस्थिताः । यथालेख्यविधौ तद्वत्स्वहस्तंदद्युरेवते ) अर्थात्-जोसभासद स्मृतियोंके जाननेवाले वहांउपस्थितहों वेभी अपने हस्ताक्षर उसकेअनुसारकरै कि जैसीमर्यादें लेख्यविधिमें नियतहों-क्यों कि जबतक सभासदोंके परस्पर अनुमतिका ब्यतिरेक रहता है तबतकव्यवहारों में काँटाशेषरहताहै -यथाहनारदः ( यत्रसभ्योजनःसर्वःसाध्वेतदितिमन्यते । सनिःशल्यो विवादः स्यात्सशल्यस्त्वन्यथाभवेत् ) अर्थात्-जिसविवादके अन्त्यनिर्णय की दशामें सबही सभ्यजन एकसूतसे ऐसाकहनेलगें कि यह निर्णय बहुत अच्छा किन्तुजैसा योग्यथा सोईहुआ सो वहनिर्णय निःशल्यनाम अकण्टक समुभा जाताहै यद्वा ऐसी अनुमतिसब सभ्योंकी न पाईजाय किन्तु कोई उसको अच्छामाने कोई बुरा तो वह निर्णय ( सशल्य ) नाम सकण्टक रहाकरताहै-सोभी-इस अन्त्यनिर्णयकी जयपत्र संज्ञा होना केवल उसदशासे संबंध रखतीहै कि यदि सप्तम परिच्छेदके आशय से उरसे पहिले परिच्छेदोंके अनुसार चतुष्पाद व्यवहार की रीतिसे मुकद्दमहका साधन चारोंपादकी प्रक्रिया साथ हुआहो और अर्थोंने विवाद जीताहो-तथाहि ( साधयेत्साध्यमर्थयच्चतुष्पादान्वितंचयत् । राजमुद्रांकितंचैवजयपत्रकमिष्यते ) अर्थात्-जो लेख्य चारोंपाद की प्रक्रियासे समन्वित हुआ ( साध्यमर्थ ) की सिद्धि प्रकट करताहो और सरकारी मुहरसेभी अंकितहो तिसका नाम जयपत्र कहाजाताहै ( मुहरसे-भी-इस भी शब्द के आशयसे ) यह सिद्धांत पायाजाताहै कि जयपत्र नामक अन्त्य निर्णय यद्यपि लिखागयाहो पर जबतक राजमुद्रा उस पर नहीं की जाय तबतक प्रमाणतामें नहीं आसक्ता-और-इसीहेतुसे यह सिद्धांत भी पायागया कि राजमुद्रा सब से पीछे होनीचाहिये अर्थात् जबतक ऊर्ध्वोक्त सभ्योंके हस्ताक्षर सबकी अनुमतिसे न होजायँ तबतक राजमुद्राभी न होनीचाहिये-यहाँपर यह संदेह न करनाचाहिये कि-उपर इसी अधिकोक्तिमें वृद्धवासिष्ठके वचनोंसे जिस जयपत्रके लक्षणकहेगये वह अत्रोक्त जयपत्रकी अपेक्षासे कुछ और भौंतिकाहोगा-क्योंकि-इसमें और उसमें कुछ दूसरा भेद नहीं-वरन-यह और वह एकहीवातहै परंतु केवल यह अंतरहै कि वहाँपर सर्व साधारण अन्त्यनिर्णयमात्रकी मर्यादाप्रकटकरीगईथी कि इसरीतिसे लिखनाचाहिये-और-यहाँपर केवल जयपत्रकी विशेषता चारोंपादके लक्षणोंसे दर्शाईगई कि उस पूर्वोक्त अन्त्यनिर्णयकी जयपत्र संज्ञा इन्हीं लक्षणोंसे होसक्तीहै क्योंकि अन्त्य निर्णय कईभाँतिकेहोतेहैं और नवकानाम जयपत्रक नहींहोसक्ता-सिद्धांत इसका यह

कि जब अर्थीको निम्नोक्त पाँचप्रकारोंमेंसे कोईसा हीनतादोषलगतहै तब अर्थी निज आप हीनकहलाकर अपनेअर्थसे भी हीनहोजाता अर्थात् मुकद्दमा हारजाताहै तब उस दशा में जो कुछ अंत्यनिर्णय लिखाजाता तिसका नाम जयपत्रक नहीं कह सके किंतु उसकानाम (हीनपत्रक) होता है-पाँचों हीनलक्षणों को दर्शाते हैं-यथा (अन्यवादीक्रियाद्वेषी नोपस्थातानिरुत्तरः । आहूतव्यपलायीच हीनःपंचविधः स्मृतः) अर्थात् (अन्यवादी) वह कि जिस्से जो बातबूभीगई तिसकाउत्तर छोड़कर और कुछकहनेलगै या कहेपीछे बातबदलै (क्रियाद्वेषी) जो कार्यकर्ता सभ्योंपर वृथा दोषारोपणकरै (नोपस्थाता)जो समयपर उपस्थित न हो (निरुत्तर) जो उत्तरनहींदेवै या किसीसुतर्कसे निरुत्तरहोजाय-और (आहूतव्यपलायी)जो बुलानेपरभी नहींआवै छिपजाय या भगजाय-यहपाँचविध के हीनवादीकहलाते हैं इनकेलियेजयपत्र के स्थान हीनपत्र लिखाजाताहै हीनपत्रकी नकल यद्यपि अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंकोही दियेजाने का सिद्धांत पायाजाताहै पर विशेषतर प्रत्यर्थीकी योग्यता इसमेंसंभवहै-क्योंकि-यह हीनपत्र केवलइसलिये लिखाजाताहै कि उसकेद्वारा राजाउसपर दण्डलेवै औरकभी कालांतरमें यदि फिरभी उसीअर्थकी नालिशअर्थी दायरकरै तौ उससमयभी उस हीनपत्रकेद्वारा उसपर दण्डकियाजावै-और-जयपत्रलिखाजानेसे यह प्रयोजन है कि जब कदाचित् किसी अभियोगमें उसी अर्थके संबन्धसे प्रत्यर्थी प्राङ्गन्याय नामक उत्तरदेवै तब उसकीसिद्धि में कामआवै ६३ अब निचलेश्लोक में संदिग्धपत्रोंका शोधनप्रकार कहाजायगा ६३ ॥

संदिग्धलेख्यशुद्धिःस्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहनसंबन्धागमहेतुभिः ९४ ॥

अक्ष०—संदिग्धपत्रकी शुद्धि निजहस्त लिखितादिकोंसेहोवै १ या युक्तिप्राप्तिसे २ क्रियासे ३ चिह्नसे ४ संबन्धसे ५ आगमसे ६ इनहेतुओंसेभी ६४ ॥

अभि०—जब किसीदस्तावेज की अपेक्षामें यह संदेह खड़ाहो कि यह सच्चीहै या भूठीहै तब संदेहकेहोनेसे संदिग्धकहलाती और इसदशामेंसच्चे या भूठेपनकीशुद्धि उसके लिखनेवालोंके हस्ताक्षर आदिप्रकारोंसे होसक्तीहै अर्थात् जिसका लिखा वह कागदहै जिसपर संदेहखड़ा कियागया उसीमनुष्य के हाथकी कोई और दस्तावेज लेकर दोनोंका मिलानकरना चाहिये यदि मिलानकरनेकीविवेचनासे दोनोंपत्रोंकाअक्षरलेख्यसदृशपायाजायतौवहसंदिग्धपत्रभी उसीकेहाथकीलिखावटसमुभीजायऔर इसीसेसच्चाया भूठापनभी निश्चितहोसक्ताहै-संदेहदूरहोनेका जैसायहएकउपाय कहा गया तैसेही (आदि) शब्दके आशयसे इसीप्रकारके कोई और उपाय भी करनेचाहिये अर्थात् उसी पत्रके आयुलिखितसाक्षी और लेखकभी कि जिनके हस्ताक्षर उस पर लिखेहैं उनकेभी हाथोंके द्वितीयलेखलेकर उसीसे मिलान कियेजावें १ और

सिद्धांत इसका यह कि जहाँतक उसके सच्चे या भूँठेपनका संदेह दूरहोसकै तहांतक उपाय जो होसकने संभवहों सो करनेचाहिये इसीलिये अब और उपाय भी दर्शाते हैं कि ( युक्तिप्राप्ति ) से भी निर्णय कर्तव्यहै अर्थात् ( युक्ति ) नाम अनुमान यद्वा ( युक्ति ) नाम न्याय तिसते अनुमानपूर्वक बुद्धिसे आकर्षणकरिकै ( प्राप्ति ) नाम पहुँच देखी चाहिये कि निज अपेक्षित देशकाल पुरुष इनका संबंध उस वस्तुपर पहुँचताहै या नहीं अर्थात् ( वस्तु ) कहिये वही द्रव्य जिसपर विवाद होरहाहो सो किसदेश वा स्थान में है और किसमें उसका होना योग्य था तथैव ( काल ) अर्थात् अमुकभूतकाल या वर्त्तमानकाल में वह द्रव्य किसपुरुषसे संबंध रखताथा या अब रखताहै और किसकिस पुरुषसे संबंध होना योग्य था इत्यादि अनुमानोंको ( युक्तिप्राप्ति ) कहतेहैं- इस युक्तिप्राप्तिसे भी लेख्यपत्र का संदेहदूरहोसक्ताहै २-तथैव ( क्रिया ) से भी अर्थात् उसपत्रके आयु लिखित गवाहोंकी प्रमाणतामध्ये क्रियासाधनकरीजाय किंतु इजहार उनकेलियेजायँ ३- ( चिह्न ) से भी अर्थात् ( श्री ) आदि जो कोई चिह्न उसकागद पर बनरहाहो उसके हाथके अन्य कागदपरभी देखाचाहिये कि तद्रूपहै या नहीं क्योंकि ऐसे चिह्नोंका प्रकार या हथेवट अभ्यासिक बहुधा अपनी अपनी जुदी हुआकरतीहै ४ ( संबंध ) से भी अर्थात् यह देखाचाहिये कि अर्थी प्रत्यर्थी दोनोंके परस्पर कभी पहिलेभी विश्वासपूर्वक ऐसादेने लेनेका संबंध कुछ हुआथा या नहीं ५ ( आगम ) से भी अर्थात् ऊर्ध्वोक्त युक्तिप्राप्तिके अनुमान और न्यायसे यह भी देखाचाहिये कि वह जायदाद जिसके भगड़ामध्ये लेख्यपत्रमें संदेह खड़ाहुआ दायभाग आदि प्रकारों यद्वा और किसी न्यायसे उनमनुष्योंको पानेकी योग्यता पाईजातीहै या नहीं ६-इसके सिवाय-यह देखाचाहिये कि सभ्यजनोंके भी निकट उसपत्र का सच्चा या भूँठापन कैसा निश्चितहोताहै अर्थात् उनसेभी अनुमति लेनी योग्यहै-इनऊर्ध्वोक्त सर्वप्रकारों मेंसे जोजो हेतु प्रत्यक्षसंभवहों तिनकी तहकीकात करनीचाहिये इस प्रकार की तहकीकात से उसपत्रके सच्चे या भूँठेपनका संदेह दूरहोसक्ताहै ६४ ॥

अधि०—जब कदाचित् किसीदस्तावेजका संदेह ऊर्ध्वोक्तरीतोंसे निर्णीतनहोसकै तब केवल साक्षियोंसेही निर्णय कर्तव्य है-यथाहकात्यायनः-(दूषितेपत्रकेवादीतदाऽऽरूढांस्तुनिर्दिशेत्) अर्थात्-जब किसीपत्रकी अपेक्षामें कुछआग्रह खड़ा कियाजाय तब अर्थीको यहउचित है कि उसके लिखितगवाहोंको प्रवेशकरै-परन्तु-यहवचनभी उसदशासे सम्बन्धरखताहै कि यदि साक्षियों का उपस्थित होसकनासंभवहो-अर्थात् साक्षियों की असम्भवदशामें (हारीत)कावचन अंगीकारहै-यथाहहारीतः(नमयैतत्कृतं पत्रंकृष्टमेतेनकारितम् । अधरीकृत्यतत्पत्रमथदिव्येननिर्णयः) अर्थात्-यदि कोई पक्षी यह आग्रहकरै कि यह कागदमेंने नहींलिखा या औरसेभी नहींलिखाया वरन वह

भीकहे कि यह कागज अमुकमनुष्यने मेरेनामसे कूटबनवायाहै (तब) उसपत्रको लेकर भगड़ेका निपटारा दिव्यप्रमाणोंसे करणीयहै ६४ इनप्रकारोंसे जब कोई भौतिपत्रका शोधनहोजाय और उस ऋणका देना उसपर सच्चा ठहरै और वह ऋणी सब ऋण देनेमें असमर्थ हो तब क्या करना चाहिये यह बात नीचे कहेंगे ६४ ॥

लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेदत्त्वादत्त्वाणि को धनम् । धनीवोपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् ९५ ॥  
अक्ष०—ऋणी धनदेदेकर लेख्यकेही पृष्ठपर अभिलेखन करै धनी भी लिखै या निजहस्त परिचिह्नित उपगत देवै ६५ ॥

अभि०—यदि ऋणी इकट्ठा ऋण उद्धार न कर सक्ता हो तब अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ बारम्बार देतारहै सो देदेकर मुख्यदस्तावेजकी पीठिपर अभिलेखन करतारहै (अभि) अर्थात् बारम्बार जबजब देवै तब सर्वप्रकारसे यह लिखदिया करै कि अमुक दिवस मैंने इतना द्रव्यदिया और धनी भी निज अपने हाथसे (उपगत) नाम वसूल उसपर देदेवै अर्थात् लिखदेवै कि इतना धन आज वसूल हुआ अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि धनी अपने हाथसे परिचिह्नित हस्ताक्षरसंयुक्त (उपगत) नाम रसीद लिखदेवै ६५ ॥

अधि०—सिद्धांत इसका यह कि यदि कोई ऐसा प्रश्न करै कि धनके प्राप्त होनेकी लिखावट किसरीतिसे होती है तो उत्तर इसका यही है कि धनी रुपया लेकर तत्काल उसके मुख्य ऋणपत्रकी पीठिपर अपने हाथसे ऋणीके सन्मुख यह लिखदेवै कि आज इतना द्रव्य जमा हुआ और उसीसाथ उसका कोई अन्य लक्षण भी लिखदेवै (दृष्टान्त) जैसे अमुक ऋणीके जमाहुये अमुक पुरुषकी दिवाईद्वारा या नाजद्वारा या निज उसके हाथसे ही रोक इत्यादि-अथवा-यदि असली पत्रकी पीठिपर लिखनेका अवसर नहीं पाया जाय तब अन्य कोरेकागजपर अपने हस्ताक्षरोंसे परिचिह्नित और संख्या आदि आवश्यक लक्षणसम्पन्न रसीद लिखकर उसको देदेवै-इसीप्रकार अन्य साधारण सब दशाओं पर धनकी प्राप्तिमें कि जब असली ऋणपत्रादिकों का अभाव हो तहाँ भी यह रसीद कोरेकागजपर लिखदी जाती है ६५ ॥

अब यह बात नीचे कहेंगे कि जब सारा ऋण उद्धार होजाय तब असली ऋणपत्रकी अपेक्षामें क्या कर्तव्य है ९५ ॥

दत्त्वाणि पाठयेत्स्वलेख्यं शुद्धैवाऽन्यत्तु कारयेत् ९६ ॥ पटनवतितमस्य पूर्वाद्धोऽयम् ॥

अक्ष०—ऋणदेकर लेख्य फाड़ डालै या शुद्धिकेलिये और ही करवावै ६६ ॥

अभि०—जबकि सब ऋण एकवारमें या कई बारमें उद्धार हो चुके तब ऋणीको यह उचित है कि अपने धनीसे असली ऋणपत्र लेकर फाड़ डालै कदाचित् ऋणपत्र किसी ऐसे दुर्गदेशमें अवस्थित हो जहाँसे तत्काल आसकना दुर्घट हो यद्वा निपट खोया गया हो तो अपने ऋणित्वकी निवृत्तिकेलिये एक और लेख्य जिसको ऋणशुद्धिपत्रनाम

और परिभाषामें उपनामउसका फारखतीभी कहतेहैं लिखवालेवै और उसधनीकोभी यही उचितहै कि ऐसीदशामें तत्कालउसको ऋणशुद्धिलेख्य लिखदेवै और यह कागज उसीक्रमसे लिखाजाना उचितहै कि जिसक्रमसे पहिले ऋणपत्र लिखा गयाहो ९६ ॥

अब निचलेअध्याममें यहवात कहीजायगी कि यदि ऋणका लेनदेन साक्षियों के सन्मुखहुआहो तो उद्धारकरतेसमय क्या कर्तव्यहै ९६ ॥

साक्षिमञ्चभवेद्यद्दातद्दातव्यंससाक्षिकम् ९६ ॥

अक्ष०—जो ऋणसाक्षीमानहो सो ससाक्षिक दातव्यहै ९६ ॥

अभि०—ऋणीने जिसऋणकाद्रव्य पहिले लेते समय साक्षियोंके सन्मुखपायाहो किन्तु ऋणपत्र जिसकानहो तो उद्धार करते समय भी उन्हीं साक्षियोंके सन्मुखदेवै और जो ऐसे समयपर वे साक्षी अनुपस्थितहों तो अन्यसाक्षियोंके सन्मुखदेवै जो प्रतिष्ठा आदिगुणों में और संख्या में भी उन्हींके समान समुभेजातेहों ९६ ॥

इतिलेख्यप्रकरणम् ॥

यहाँतक लिखित १ साक्षी २ भुक्ति ३ ये तीनों भाँतिके लक्षण जो मानुषप्रमाण कहलातेहैं सो सब निरूपणाकियेगये-अब-इसीजगह अवसरजानिकर दिव्यप्रमाणोंका निरूपणकरते हैं और इनसभी साधारणप्रमाणोंका चर्चा पहिले सोरहवें परिच्छेदमें निदर्शनमात्रसेहोचुकाहै ॥

अथ दिव्यप्रमाणापेक्षायां दिव्यमातृकालाक्षणिकः सर्वदिव्यगुणागुण  
विचारोनामषट्त्रिंशःपरिच्छेदः ३६ ॥

इस छत्तीसवेंपरिच्छेदमें वहव्यवस्थावर्णनहोगी जिस्सेदिव्यप्रमाणोंकी अपेक्षामें दिव्यमातृका रूपलक्षणजानाजाय जिसके विचारकरनेसे सभीदिव्यों और उपदिव्योंकेगुणागुण पायेजायेंगे-यहपरिच्छेद बहुतबड़ाहै इसहेतुसे १०१ मूलश्लोकतक पूराहोगा क्योंकि इसमें सभीलक्षण इसविषयके मिलसक्तेहैं ॥

तुलाग्न्यापोविषंकोशोदिव्यानीहविशुद्धये ९७ ॥ सप्तनवतितमस्यपूर्वाद्धोऽयम् ॥

अक्ष०—विशुद्धिकेलिये इसमें तुला, १ अग्नि, २ आप, ३ विष, ४ कौश ५ येदिव्यहैं ९७ ॥

अभि०—किसीतन्दिग्धअर्थकी सन्देहनिवृत्तिकेलिये (३६)धर्मशास्त्रमें पाँचवस्तु दिव्य हैं सो देनीचाहिये अर्थात् तराजू १ अग्नि २ जल ३ विष ४ (कोश) नाम पवित्रजलकी पानविधि जिसकानक्षण आगे सबकेमाथकहेंगे ५ तात्पर्यइसका यह कि इनपाँच वस्तुओंके प्रकार द्वारा सबे भूँठेकी परीक्षाकरनी चाहिये जैसा प्रकारयथाक्रमसे आगे कहाजायगा ९७ ॥

अभि०—(परुद)र्योंकी पाँचही दिव्यवतलाते हैं किन्तु तंडुल विधि आदि और भी



दिव्य हुआ करते हैं-यथाहपितामहः ( धटोऽग्निरुदकंचैवविषकोशस्तथैवच ।  
डुलाश्चैवदिव्यानि सप्तमस्तप्तमाषकः ) अर्थात्- पितामहने कहा है कि तुला, १ अ-  
ग्न, २ उदक, ३ विष, ४ कोश, ५ तण्डुल ६ ये छः प्रकारके दिव्यहोते हैं और सातवाँ  
प्तधातु का प्रकारहोता है इसलिये पाँचही क्योंकर होसके हैं-इस पकड़का उत्तर नी-  
तृतीय पादमें देखो ६७ ॥

महाभियोगेष्वेतानि ९७ ॥ तृतीयपादः

ऐ०-ऊपरली पकड़ का उत्तर यह कि ये तराजू आदि पाँच दिव्य महाऽभियोगों  
होते हैं अर्थात् बहुत बड़े अपराधोंकी नकार आदि विपरीततामें इनमें से कोई  
क प्रकार होनाचाहिये किन्तु छोटे अभियोगों में नहीं इस नियमके निमित्तसे पाँचही  
ले कहेगये इससे यह न समुम्भाचाहिये कि इनपाँचके सिवाय और कोई दिव्यनहीं  
-और-अत्रोक्त महाभियोगों के महत्त्वकी भी अवधि आगे १०१ मूलश्लोक से  
हेंगे कि अमुकामुक लक्षण का मुकदमा संगीन कहलाता है उसीमें इनका वर्त्तवा  
चित है ६७ ॥

अधि०-दूसरी (पकड़) क्योंजी छोटे अभियोगोंमें भी (कोश) नामक दिव्यका प्रचार  
कियाजाताहै-तथाच ( कोशमल्पेऽपिदापयेत् ) अर्थात्-यह भी स्मृतियों का वाक्यहै  
कि (कोश) छोटे भी अपराधोंपर देनाचाहिये (उत्तर) सत्यहै यह बातपर कोशविधि  
की गणना तुलादिकों के साथमें इस नियमके निमित्तसे नहींहै कि वहभी केवल महा-  
भियोगों मेंही समुम्भाजाय बरन सिद्धांत इसका यहहै कि उसका आचरण उन अ-  
भियोगों मेंभी होनाचाहिये जो (सावष्टम्भ) हों अर्थात् जिनकी दशाके अनुसार अर्थी  
अपने विश्वासपूर्वक उच्चारणकरताहो वे अभियोग सावष्टम्भ कहलातेहैं-अन्यथा-  
वहकोशविधिका प्रकारकेवल शंकाभियोगोंसे सम्बन्धित कियाजाता अर्थात् अर्थी  
कीऐसी भाषापर अङ्गीकार उसकाहोताहै जो भाषाउसकी नालिशकी अपेक्षामेंशंका-  
रूपसे उच्चारणहुईहो(शंकाभियोगोंकेलक्षण भी द्वितीय परिच्छेदगत पाँचवीं अधि-  
कोक्तिमें कहचुकेहैं) इसउत्तरकायथार्थ निश्चयभी इसअग्रोक्त वाक्यसे करिलेनाचा-  
हिये-यथा(अवष्टम्भाभियुक्तानांधटादीनिविनिर्दिशेत् । तण्डुलाश्चैवकोशश्चशंकास्वेव  
नसंशयः) अर्थात्- अवष्टम्भरूप अभियोगसे अभियुक्तहुये लोगोंकी अपेक्षामेंतुला  
आदिप्रकारोंका विनिर्देश कियाजाय परन्तुतण्डुलविधि और कोशविधि यहदोनोंप्र-  
कार केवलशंकाभियोगोंमें होसके हैं इसमेंसंशयनहीं-अभिप्रायइसकायह कि जिन  
मनुष्योंपर विश्वासिक नालिशहुईहो तिनकेमध्ये वहपूर्वाक्त पाँचोंप्रकार होसकेहैं उन  
मेंभी (कोश)गिनतीहोचुकाहै -परन्तु- जिनपर शंकामात्रमे नालिशहुईहो तिनकेमध्ये  
तण्डुलविधि और कोशविधि केवल दोहीप्रकारहोसकेहैं यहव्यवस्था निःसन्देहिक

और परिभाषामें उपनामउसका फारखतीभी कहतेहैं लिखवालेवै और उसधनीकोभी यही उचितहै कि ऐसीदशामें तत्कालउसको ऋणशुद्धिलेख्य लिखदेवै और यह कागज उसीक्रमसे लिखाजाना उचितहै कि जिसक्रमसे पहिले ऋणपत्र लिखा गयाहो ९६ ॥

अब निचलेअध्याममें यहवात कहीजायगी कि यदि ऋणका लेनदेन साक्षियों के सन्मुखहुआहो तौ उद्धारकरतेसमय क्या कर्तव्यहै ९६ ॥

साक्षिमञ्चभवेद्यद्दातद्दातव्यंससाक्षिकम् ९६ ॥

अक्ष०—जो ऋणसाक्षीमानहो सो ससाक्षिक दातव्यहै ९६ ॥

अभि०—ऋणीने जिसऋणकाद्रव्य पहिले लेते समय साक्षियोंके सन्मुखपायाहो किन्तु ऋणपत्र जिसकानहोतौ उद्धार करते समय भी उन्हीं साक्षियोंके सन्मुखदेवै और जो ऐसे समयपर वे साक्षी अनुपस्थितहों तौ अन्यसाक्षियोंके सन्मुखदेवै जो प्रतिष्ठा आदिगुणों में और संख्या में भी उन्हीं के समान समुभेजातेहों ९६ ॥

इतिलेख्यप्रकरणम् ॥

यहाँतक लिखित १ साक्षी २ भुक्ति ३ ये तीनों भाँतिके लक्षण जो मानुषप्रमाण कहलातेहैं सो सब निरूपणकियेगये-अब-इसीजगह अवसरजानिकर दिव्यप्रमाणोंका निरूपणकरते हैं और इनसभी साधारणप्रमाणोंका चर्चा पहिले सोरहवें परिच्छेदमें निदर्शनमात्रसेहोचुकाहै ॥

अथ दिव्यप्रमाणापेक्षायां दिव्यमातृकालाक्षणिकः सर्वदिव्यगुणागुण  
विचारोनामषट्त्रिंशःपरिच्छेदः ३६ ॥

इस छत्तीसवेंपरिच्छेदमें वहव्यवस्थावर्णनहोगी जिस्सेदिव्यप्रमाणोंकी अपेक्षामें दिव्यमातृका रूपलक्षणजानाजाय जिसके विचारकरनेसे सभीदिव्यों और उपदिव्योंकेगुणागुण पायेजायँगे-यहपरिच्छेद बहुतबड़ाहै इसहेतुसे १०१ मूलश्लोकतक पूराहोगा क्योंकि इसमें सभीलक्षण इसविषयके मिलसक्तेहैं ॥

तुलाग्न्यापोविपंकोशोदिव्यानीहविशुद्धये ९७ ॥ सप्तनवतितमस्यपूर्वाद्धोऽयम् ॥

अक्ष०—विशुद्धिकेलिये इसमें तुला, १ अग्नि, २ आप, ३ विष, ४ कोश ५ येदिव्यहैं ९७ ॥

अभि०—किसीतंडिग्धअर्थकी सन्देहनिवृत्तिकेलिये (इह) धर्मशास्त्रमें पाँचवस्तु दिव्य हैं सो देनीचाहिये अर्थात् तराजू १ अग्नि २ जल ३ विष ४ (कोश) नाम पवित्रजलकी पानविधि जिसकालक्षण आगे सबकेसाथकहेंगे ५ तात्पर्यइसका यह कि इनपाँच वस्तुओंके प्रकार द्वारा सबे भूँठेकी परीक्षाकरनी चाहिये जैसा प्रकारयथाक्रमसे आगे कहाजायगा ९७ ॥

अभि०—(पकर) क्योंजी पाँचही दिव्यवस्तुलाने हो किन्तु तंडुल विधि आदि और भी

दिव्य हुआ करते हैं-यथाहपितामहः ( धटोऽग्निरुदकंचैवविषकोशस्तथैवच ।  
डुलाश्चैवदिव्यानि सप्तमस्तप्तमाषकः ) अर्थात्- पितामहने कहा है कि तुला, १ अ-  
ग्नि, २ उदक, ३ विष, ४ कोश, ५ तण्डुल ६ ये छः प्रकारके दिव्यहोते हैं और सातवाँ  
सप्तधातु का प्रकारहोता है इसलिये पाँचही क्योंकर होसके हैं-इस पकड़का उत्तर नी-  
तृतीय पादमें देखो ६७ ॥

महाभियोगेष्वेतानि ९७ ॥ तृतीयपादः

ऐ०-ऊपरली पकड़ का उत्तर यह कि ये तराजू आदि पाँच दिव्य महाऽभियोगों  
होते हैं अर्थात् बहुत बड़े अपराधोंकी नकार आदि विपरीततामें इनमें से कोई  
क प्रकार होनाचाहिये किन्तु छोटे अभियोगों में नहीं इस नियमके निमित्तसे पाँचही  
पहले कहेगये इससे यह न समुझाचाहिये कि इनपाँचके सिवाय और कोई दिव्यनहीं  
-और-अत्रोक्त महाभियोगों के महत्त्वकी भी अवधि आगे १०१ मूलश्लोक से  
कहेंगे कि अमुकामुक लक्षण का मुकदमा संगीन कहलाता है उसीमें इनका वर्त्तवा  
उचित है ६७ ॥

अधि०-दूसरी (पकड़) क्योंजी छोटे अभियोगोंमें भी (कोश) नामक दिव्यका प्रचार  
कियाजाताहै-तथाच ( कोशमल्पेऽपिदापयेत् ) अर्थात्-यह भी स्मृतियों का वाक्यहै  
कि (कोश) छोटे भी अपराधोंपर देनाचाहिये (उत्तर) सत्यहै यह बातपर कोशविधि  
की गणना तुलादिकों के साथमें इस नियमके निमित्तसे नहींहै कि वहभी केवल महा-  
भियोगों मेंही समुझाजाय वरन सिद्धांत इसका यहहै कि उसका आचरण उन अ-  
भियोगों मेंभी होनाचाहिये जो (सावष्टम्भ) हों अर्थात् जिनकी दशाके अनुसार अर्थी  
अपने विश्वासपूर्वक उच्चारणकरताहो वे अभियोग सावष्टम्भ कहलातेहैं-अन्यथा-  
वहकोशविधिका प्रकारकेवल शंकाभियोगोंसे सम्बन्धित कियाजाता अर्थात् अर्थी  
कीऐसी भाषापर अङ्गीकार उसकाहोताहै जो भाषाउसकी नालिशकी अपेक्षामेंशंका-  
रूपसे उच्चारणहुईहो(शंकाभियोगोंकेलक्षण भी द्वितीय परिच्छेदगत पाँचवीं अधि-  
कोक्तिमें कहचुकेहैं) इसउत्तरकायथार्थ निश्चयभी इसअग्रोक्त वाक्यसे करिलेनाचा-  
हिये-यथा(अवष्टम्भाभियुक्तानांधटादीनिविनिर्दिशेत् । तण्डुलाश्चैवकोशश्चशंकास्वेव  
नसंशयः) अर्थात्- अवष्टम्भरूप अभियोगसे अभियुक्तहुये लोगोंकी अपेक्षामेंतुला  
आदिप्रकारोंका विनिर्देश कियाजाय परन्तुतण्डुलविधि और कोशविधि यहदोनोंप्र-  
कार केवलशंकाभियोगोंमें होसके हैं इसमेंसंशयनहीं-अभिप्रायइसकायह कि जिन  
मनुष्योंपर विश्वासिक नालिशहुईहो तिनकेमध्ये वहपूर्वोक्त पाँचोंप्रकार होसकेहैं उन  
मेंभी (कोश)गिनतीहोचुकाहै -परन्तु- जिनपर शंकात्रमे नालिशहुईहो तिनकेमध्ये  
तण्डुलविधि और कोशविधि केवल दोहीप्रकारहोसकेहैं यहव्यवस्था निःसन्देहिक

जानो ९७ ॥ जो कि इस मर्यादासे ( महाभियोगों ) की अपेक्षामें शंका या विश्वासिक भेदकीकुछ विशेषता नहीं पाई गई इसलिये इसमर्यादाका एकअपवादभी नीचे चतुर्थ पादसे कहतेहैं ६७ ॥

शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ९७ ॥ चतुर्थपादः

हे०—अभियोक्ता के शीर्षकस्थहोने में यहमर्यादा समुभीचाहिये जो ऊपरतृतीय पादसेकहीगई -अर्थात् मुद्दईके शीर्षकस्थनहोनेमें नहोसकैगी यहअपवादका स्वरूप इसमें कहागया और स्पष्टरूपसे भावार्थ इसकायहहै कि जोमुद्दई महाभियोगोंकीद-शामेंशीर्षकस्थहोकर मुद्दआअलेहसे ऊर्ध्वोक्तदिव्य प्रमाणकालेनाचाहै तो मुद्दआअ-लेहसेऊर्ध्वोक्त तुलाआदि कोईसादिव्यप्रमाणलियाजासक्ताहै अन्यथानहीं-और-मुद्द-ईकाशीर्षकस्थहोना यहवातहै कि( शीर्षक )नामशिर अर्थात् व्यवहारका चतुर्थपाद चौथादर्जा जिसकेविचारसे जयपराजय हुआकरतीहै और उसी जयपराजयके अ-नुसार उसमेंदण्डभी निरूपण हुआकरताहै तिसदण्डको स्वीकारकरै तो शीर्षकस्थ कहलावे -सिद्धान्तइसकायहकि अर्थीइसप्रकारसे स्वीकारकरै कि यदिमेरा प्रत्यर्थी दिव्यप्रमाणदेनेपर शुद्धहोकरसच्चानिकलै तौमैंहारूँऔरव्यवहारके चौथेदर्जाकीमर्या-दों अनुसार जो कुछदण्डमेरे निमित्तमें ठहरैगा सो भरौंगा इसलिये मेरेप्रत्यर्थीसे दिव्यप्रमाणका आचरण करायाजाय तौ होसक्ताहै अन्यथानहीं-व्यवहारका चौथा पादवहीहै कि जिसकीमर्यादें पहिलेछठे परिच्छेदमें होचुकीं बलिकतीसरे पादकीमर्या-दें भी उसीचौथेकेसाथ वर्णनहुईथीं ६७ जबकि उसचौथे पादकीमर्यादोंसे इसजगह अपेक्षाठहरी और उन्हींमर्यादोंमध्ये छठेपरिच्छेदगत उत्तरार्द्ध अष्टमश्लोकसे यह मर्यादा नियतहोचुकीहै कि अर्थी अपने प्रतिज्ञात अर्थकासाधन शीघ्रही लिखवावै सोयहमर्यादा वहांपर केवलभावप्रतिज्ञा करनेवाले वादीकेही निमित्तमें दर्शाईगई कि वहअपनी क्रियासाधन करवावै किंतुप्रतिवादीके निमित्तमेंनहीं-इसलियेउसमर्या-दाकाकुछ अपवाद भी इसीस्थलके निमित्तसे कहतेहैं सोदेखो निचलेश्लोकमें ६७ ॥

रुच्यावाऽन्यतरः कुर्यादितरोवर्त्तयेच्छिरः ९८ ॥ अपृनवतितमस्थपूर्वाद्दोऽयम् ॥

अक्ष०—कोईएक निजरुचिसे दिव्यप्रमाणकरै दूसरापक्षी (शिरः)नाम अन्त्यविचार लाक्षणिक दण्डदेना स्वीकारकरै ६८ ॥

अभि०—वादीप्रतिवादी दोनोंकी सम्मतिमें कोईएकदोमेंसे अपनीरुचिकेअनुसार वादी या प्रतिवादीही दिव्यप्रमाणका आचरण करसक्ताहै और दूसरा उसकाप्रति-पक्षी इसवातमें स्वाधीनहै कि इसदिव्यक्रियासेही अपनी हारिजीति के अनुसारदण्ड चाहे शारीरकअथवा धनदण्डदेनाअङ्गीकारकरै कि यदिइसके दिव्यप्रमाणसेमैंहारूँतौ इतनादण्ड इसप्रकारसेभरूँ-और-इसीआशयसे उसदिव्यप्रमाणके दाताकोभी स्वा-

धीनताहै कि वहअपनीहारिकी प्रतिज्ञासे अन्त्यनिर्णयरूपदण्डचाहै शारीरक याधन दण्डदेनास्वीकारकरै-किंतु आशयइसकायह कि यहदिव्यप्रमाण मानुषप्रमाणों की भाँतिकेवलभांवकी प्रमाणाताहीनहीं किन्तुसाध्यवस्तुकाभाव या अभावभीविना विवेक सिद्धकरसक्ताहै इसलिये मुद्दई या मुद्दआअलेह परस्परदोनों अपनीरुचिके अनुसार स्वाधीनहैं कि मिथ्याउत्तरकी दशामें या कारणोत्तरकी दशामें अथवाकभीपूर्व न्यायो-त्तरकीभी दशामें आवश्यकताजानकर किसीएकयोग्य दिव्यकाआचरणकरै और उसकेसाथ पहिलेही जयपराजय मध्येदण्ड कीप्रतिज्ञारोपि देवें (यहांपर(शिरो)नाम दण्डकीप्रतिज्ञा कोहीऊपरकहचुकेहैं) और अपवाद नामछूटका स्वरूप इसमेंयहीहै कि जैसेछठे परिच्छेदमें उत्तरार्द्ध अष्टमश्लोकसे केवल अर्थीकोही अपना प्रमाणदेने की स्वाधीनताहै तैसायहांपर नहींहोसक्ता अर्थात् यहांपर अर्थी या प्रत्यर्थी दोनोंको स्वाधीनताहै कि वहकोईएक अपनीइच्छाके अनुसार दिव्यप्रमाण देसक्ताहै यहव्यव-स्थामहाभियोगोंमध्येविश्वासिकनालिशपरतुलाआदिदिव्योंकीअपेक्षामेंकहीगई-और पाँचवाँ कोशपान का जोप्रकारहै उसपर विनाविवेक सबदशाओंमें आचरणहोसक्ता है अर्थात् मुक़द्दमाचाहै सद्दीनहो चाहै ख़फ़ीफ़ और नालिशचाहै शङ्कारूपसेहुईहो या विश्वासिक नालिशहो सबहीमेंहोसक्ताहै-परन्तु- तुलाआदि विषपर्यंत चारोंदिव्यों काप्रमाण केवलमहाभियोगोंमें भी विश्वासिक नालिशपर होसक्ताहै अन्यत्रनहीं यह नियमइसमें दर्शायागया -सो- इसविश्वासिकपरभी कुछअपवाद नीचेकहतेहैंकिसर्वत्र हीऐसानहीं होसक्ताहै अर्थात् किसी २ दशानिम्नोक्तको छोड़कर विश्वासिक नालिश पर यहनियम समुभौ ६८ ॥

विनापिशर्पिकात्कुर्यान्नृपद्रोहेऽथपातके ९८ ॥

अक्ष०-नृपद्रोहमें और पातकमें शीर्षक विनाभीकरै ६८ ॥

अभि०-राजद्रोह की अभिशंकामें अर्थात् जबकोई किसी ऐसेअपराध की शंकासे अभियुक्त कियाजाय कि इसनेराजाकेसाथ यहअपराधकिया या कियाथा तो ऐसेक-लंककी शुद्धिकेलिये शिरःस्थायी होनेविनाभी तुलाआदि विषपर्यंत चारोंमेंसे कोईएक दिव्यकरनेका अधिकारीहै -एवं- ब्रह्महत्याआदि महापातकोंकी अभिशंका लगनेमें भीशिरःस्थायी होनेविना करनेकाअधिकारहै(शिरःस्थायीहोनेविना) अर्थात्अन्त्यवि-चार कादण्डस्वीकार कियेविना किन्तुदण्डकी प्रतिज्ञाकरनेका बन्धनइसदशामेंनहींहै और-(अपवादका) स्वरूप इसमें यह समुभनाचाहिये कि चारोंदिव्योंका आचारऊपर विश्वासिक नालिशमें बतायाथा पर इसअध्यायमें प्रदर्शितकिये अपराधोंपर विश्वासिक से अपेक्षानहींहै किंतु इनअपराधोंके नामसेयदि शंकारूपसेही निंदाहुईहो तोभीचारों

दिव्योंमेंसे कोईदिव्य होसक्ताहै परइतना अंतरहै कि वहांतौ दंडकीप्रतिज्ञापूर्वकहाथा यहां शीर्षक विनाभीकरसक्ता है ६८ ॥

अधि०—यही प्रकार बहुतबड़ी चोरीकाभीशंका दोषलगनेमें कर्त्तव्यहै तथाच(राज भिःशंकितानांचनिर्दिष्टानांचदस्युभिः।आत्मशुद्धिपराणांचदिव्यंदेयंशिरोविना)अर्थात् जिन मनुष्योंको राज्योंकी ओरसेकुछशंका दोषलगाहो कि ये भी अमुकवार्त्तामें राजा से विपरीतहुये थे या बहुत बड़ी चोरीवाले चोरोंने यह निर्देशजिनको कियाहो कि ये भी अमुकचोरीमें हमारे साथीहुये थे इसप्रकारका शंका दोषलगनेमें जो कोई अपनी आत्मशुद्धि निर्मलता किंतु सचावटको चाहिकर दिव्यदेना कहतेहों तिनकोभी शिरोविना दिव्यदेयहै (शिरोविना) अर्थात्दंडकीप्रतिज्ञा आरोपित कियेविना-परन्तु तंडुलोंका प्रकार छोटीचोरीकी शंकामात्रमें होताहै-यथाहपितामहः(चौर्येतुतंडुलादेयानान्यत्रेतिविनिश्चयः)अर्थात् चावरजोहैंसोछोटी चोरीकीशंकामेंचबानेयोग्यहैं अन्यत्र नहीं यह मर्याद सुनिश्चित है-और तप्तमाष जो है सो महाचौर्यकीही शंकामें दातव्यहै अन्यत्रनहीं-तथाहि(चौर्यशंकाभियुक्तानांतप्तमाषोविधीयते) अर्थात्-तप्तधातु का विधानउनके लियेयोग्य है जिनपर चोरी संगीनका इल्जाम लगायाजाय-इनके सिवाय-और भी अनेकभांतिके शपथहोते हैं पर वे बहुतछोटे विषयोंपर आरूढ़हैं-यथा(सत्यवाहनशस्त्राणिगोवीजकनकानिच । देवतापितृपादांश्चदत्तानिसुकृतानिच ॥ स्पृशेच्छिरांसिपुत्राणांदाराणांसुहृदांस्तथा।अभियोगेषुसर्वेषुकोशपानमथापिवा ॥ इत्ये तेशपथाःप्रोक्तामनुनास्वल्पकारणे । इतिचनारदादिस्मरणात् ) अर्थात्-कोईअपनेसत्य धर्मकीसौगन्धदेवै-या अपने वाहन हाथी घोड़ा बैलगाड़ी आदिकी सौगन्ध देवै-या निज अमोघशस्त्रोंकी-या गऊ वा धरतीकी-या धान्यादि अन्नोंकी-या सोनाचांदी आदि द्रव्योंकी-या निजइष्टदेव आदि किसीदेवताकी-या वापदादा आदि गुरुओंकी चरण स्पर्शकरै-या अपने दियेहुये दान और कियेहुये सुकृत पुण्योंकी शपथ इसप्रकारसे देवै कि यदि में भूँठ इसमेंबोलूं तौमेरे अमुकपुण्यका फल जातारहे-या अपने पुत्रों वा भार्याओं वा प्रियतमसुहृदोंके शिरपर हाथरक्खे-अथवासभी साधारण अभियोगों में कोशपान विधिकरनी चाहिये-इसप्रकार ये इतने शपथ मनुजी ने छोटे अभियोगों में निर्देश किये हैं यहवात नारद आदि ऋषीश्वरोंने निजनिज स्मृतियों में लिखीहै यद्यपि-इस मर्यादा मध्ये यह (माग्रह) खड़ा होसक्ताहै कि ऊर्ध्वोक्त बहुधा परिच्छेदों की व्यवस्था अनुसार यहवात निश्चितहोचुकीहै कि इस दिव्य प्रमाणसे क्रियासाधन करना उसदशामें उचितहोताहै कि यदि मानुष प्रमाणोंका अभावहो या मानुष प्रमाणोंसे निर्णयनिपटहोही नहीं सक्ताहो-दूसरे यहवात भी प्रसिद्धहै कि जो वातमानुष प्रमाणों से निर्णय न होसक्तीहो और उसीका निर्णय जिस्से होसके तिसको दिव्यप्र-



एण कहेंगे-और यह शपथें भी उसीदशामें होती हैं किजब अन्यप्रकारोंसे कोई बात निश्चित नहीं होती है तो फिर ये सौगंधें भी दिव्यों में गिनती होनी चाहिये थीं इस शपथ भी इनका नाम शपथ और उनका नाम दिव्यप्रमाण ऐसा भिन्न कि सलिये हागया सोकहो-इस (आग्रह) का यह (उत्तर) है कि यह आग्रह बहुत ठीक है तथापि दोनों में ब्राह्मण परिव्राजकवत् भेद इसलिये किया गया है कि उन तुलाआदिचारों दिव्यों में इतनी बड़ी शक्ति है कि उनके प्रभावसे तत्कालही सत्यासत्यका विवेक होता है-और इन शपथोंसे मुकद्दमह का सत्यासत्यरूपी प्रतिफल किसी कालांतरमें कर जाना जाता है इसलिये दोनों के नामसे भी शब्दबोध वैसाही करिलेना चाहिये साबोध ब्राह्मण और संन्यासी शब्दसे होता है दृष्टांत इसका ब्यौरेवार इसी अधि-  
 ०क्तिके अंतमें देखौ-और कोशपान का प्रकार यद्यपि शपथों में गिनती है परंतु वह तुलाआदिचारों दिव्योंकेभीसाथमें पाँचवां गिनती हुआ है तिसका यह सिद्धांत नहीं है कि तुलादिकोंके समान प्रतिफल उसका भी तत्कालही प्रकट होता होगा होना चाहिये वरन इसलिये उनके साथ गिनती किया है कि वर्त्तवा उसका उन्हींके समान विश्वासक महाभियोगोंमें भी समुभाजाय-और-यद्यपि तंडुल प्रकार तथा माषप्रकार इन दोनोंसे भी सत्यासत्यका प्रतिफल तत्कालही प्रकट होता है तथापि यह दोनों प्रकार उन जू आदि चारों दिव्यों के साथमें इसलिये गिनती नहीं किये गये कि ये दोनों प्रकार केवल छोटे विषयके अभियोगों तथा शंका विषयिक अभियोगोंमें वर्त्तवा किये जाते हैं और उन तुलादि चारों दिव्योंका वर्त्तवा केवल महाभियोगों और विश्वासिक अभियोगोंपर आरूढ़ है अर्थात् उनसे इनका प्रकारही कुछ विलक्षण है-यह सब संतोषलक्षण सी ऊर्ध्वोक्त आग्रहके उत्तरमें समुभने-और इन दिव्यों तथा सब शपथोंका भी वर्त्तवा एादिकसभी विवादोंमें जैसा अर्थ जैसा अवसर हो उसकी दशाके अनुसार व्यवस्था खभालकर प्रयुक्त करना चाहिये-और जो कि पितामहका यह वचन है कि-(स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्) अर्थात् स्थावर धनके विवादोंमें दिव्योंका प्रमाण लेना अतिशय करबचावे-सो इस वचन के आशय से यह व्याख्या सिद्ध होती है कि दिव्यों का प्रमाण उसदशामें न लेना जब स्थावर धनकी अपेक्षा कोई लिखित दस्तावेज उपस्थित हो या उस धनके निकट निवासी आदि साक्षीही उपस्थित हों सिद्धांत इसका यह कि स्थावर के विवादमें भी जो लिखित प्रमाण और प्रतिवासी आदि साक्षियोंका प्रमाण कुछ न हो तो निःसंदेह दिव्योंका प्रमाण अंगीकार कर्तव्य है (पकड़) इसवार्त्तामें भी यह पकड़ होसक्ती है कि इस पितामहके वचनमें कुछ विशेषता नहीं पाई गई क्योंकि स्थावर के सिवाय और विवादोंमें भी मानुषप्रमाणके होते हुये दिव्योंको अवकाश नहीं है किंतु यह मर्यादा सर्वसाधारणभाव ऊपरसे निश्चित होती चली आती है कि जबतक लि-

खित प्रमाण या साक्षियोंका प्रमाण या भुक्तिकाप्रमाण इनतीनोंमेंसे कोईसाभीमानुष प्रमाण मिलसक्ता हो तबतक दिव्योंका प्रमाण अंगीकार न करना चाहिये तौ फिर स्थावर धनका चर्चा यहांपर (निरर्थक) ठहरा-इस (पकड़) का यहउत्तरहै कियहपकड़ बहुत ठीकहै परन्तु इसमें यह हेतुपरमगूढ़है कि जबऋणादिक साधारण अन्यविवादोंमें अर्थीने उसप्रकारके साक्षीलाकर प्रवेश कियेहों जिनके शुभलक्षण साक्षियों के प्रकरणमें प्रदर्शित होचुकेहैं और प्रत्यर्थी उसके साक्षियोंको भूँठे ठहराकर दिव्यप्रमाण का देना इस प्रतिज्ञासे स्वीकार करै कि जो इस दिव्यप्रमाणके द्वारा मैं भूँठा होजाऊँ तौ इतनादंड इसप्रकारसे भरौँतौ फिरइसदशामें प्रत्यर्थीकी प्रतिज्ञाअनुसार इनविवादोंमें साक्षियोंके होनेपरभी दिव्यप्रमाण का लेना स्वीकार होसक्ताहै क्योंकि इसमें एक संभव है कि जानै साक्षीलोग अर्थी का पक्षलेकर अपने आशयभीतर कुछ प्रपंच रखतेहों और दिव्यप्रमाणकी अपेक्षामें कोईसी दोषकल्पना नहींहोसक्ती क्योंकि वह प्रकार एकसत्यधर्म का प्रकाश कहै कि जिससे उस वस्तुकाभी न्याय-तत्त्व निश्चितहोजाताहै-यथाहनारदः ( तत्रसत्येस्थितोधर्मोव्यवहारस्तुसाक्षिणि । देवसाध्येपौरुषेयीनलेख्यंवाप्रयोजयेत् ) अर्थात्-नारद कहते हैं कि ऐसी दशामें ( धर्म )नाम न्याय जो है सो सत्यपर आरूढ़ है और व्यवहार की रीतिसे भगड़े का निपटारा होना साक्षियोंके आधीनहै इसलिये जो कोई व्यवहार देवसाध्य ठहराया जाय अर्थात् जिसमें दिव्य प्रमाणोंके आधीन हारि जीति बदी जाय तिसमें साक्षी या लेख्य प्रमाण कुछ लेना आवश्य नहींहै-सिद्धांत उस पकड़ का निश्चयात्मक यह उत्तरहै कि पितामहके उस वचन का अभिप्राय यह नहीं है कि स्थावर सम्बन्धी विवादों में दिव्य प्रमाण का लेना निपट अंगीकार न हो वरन अभिप्राय उसकायहहै कि जो कोईप्रत्यर्थी स्थावरधनकेविवादमें दण्डकी प्रतिज्ञापूर्वक दिव्यप्रमाणकेदेनेपर समुद्यतहोजाय तौ लिखितप्रमाणके होतेहुये या निकटवासी साक्षियों केहोतेहुये उसकी यह प्रतिज्ञा राजाको न स्वीकारकरनीचाहिये किन्तु ऐसी दशामें दिव्यप्रमाणदेनेका अधिकार प्रत्यर्थीकोनहीं है-और जो पितामहके उसवचनका यह अभिप्रायनहोता तौ फिर लिखितप्रमाण या समीपवासी साक्षियों आदिके नहोने पर स्थावरधनकेविवादमें निपट कुछभीनिर्णयनहोसक्ता यहदोषापत्ति प्रकटहोती है ॥

अब उसवातपरदृष्टिकरनीचाहिये कि इसपकड़से पहिले जो आग्रहखडाहुआथा जिसकेउत्तरमें ब्राह्मण और संन्यासीकादृष्टांत जो समस्यामात्र लिखागयाहै तिसको व्यौरेचारअवल्लिखतेहैं यहाँसेदेखकरउसीस्थलपरसमुभौ-अर्थात्-दिव्यप्रमाणमात्रका प्रकरण सबएकहीहै और उसीमें शपथोंकाभी रूपकहागया इसलिये शपथेंभी दिव्य प्रमाणमेंगिनतीहैं तथापि पूर्वोक्त चारोंतुलाआदिकीअपेक्षा शपथोंमें इतना अन्तरहै

कि जैसे ब्राह्मण और संन्यासी में अन्तर प्रासिद्ध है-इस कथन का सिद्धांत यह कि यद्यपि संन्यासी भी ब्राह्मणों में से होते हैं और इसी हेतुसे ब्राह्मण और संन्यासी में कुछ अन्तर न होना चाहिये था परन्तु कर्मन्यास लक्षणके हेतुसे उनकी संज्ञा (संन्यासी) यह जुदी ठहराई गई और जुदी संज्ञा होनेसे भी यह प्रतीत होने लगा कि संन्यासी वस्तु ब्राह्मणोंसे कुछ भिन्न है ऐसे ही शपथें भी तराजू आदि मुख्य दिव्यों से कुछ भिन्न हैं और इसीलिये शपथोंको मुख्य दिव्योंके साथ में गिनती नहीं किया अर्थात् मुख्य दिव्यों से भिन्न कुछ पीछे आकर दर्शाया है-क्योंकि-शपथों का प्रभाव ही उनके तुल्य नहीं होता अर्थात् सौगंध खातेके साथ ही तत्काल उमका इष्टानिष्ट फल भी नहीं प्रकट होता किन्तु कालान्तरमें जाकर प्रकट होता है और मुख्य दिव्यों का इष्टानिष्ट फल तत्काल प्रकट होता है इसलिये सर्वथा यह सिद्धान्त समझना चाहिये कि दोनोंके परस्पर अन्तर है भी और नहीं भी ६८ ॥ अब निचले वाक्यमें इन सभी दिव्योंके आचरणका प्रकार कहा जायगा ६८ ॥

सचैलं स्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम् । कारयेत्सर्वदिव्यानि नृपब्राह्मणसन्निधौ ९९ ॥

अक्ष०-वस्त्रों सहित स्नान किये हुये उपोषितको सूर्योदयमें बुलाकर नृपब्राह्मणोंके समीप सब दिव्य करवावै ६९ ॥

अभि०-जब किसी मनुष्यने दिव्योंका प्रमाण या शपथोंका प्रमाण आप ही देना स्वीकार किया हो या उससे औरोंने स्वीकार कराया हो तब एक दिन पहले उसको व्रत कराकर दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होनेपर वस्त्रों सहित स्नान कराकर हाकिम उसे बुलावे और सर्वप्रकार के दिव्योंमेंसे या शपथोंमेंसे जो कोई वात उसपर ठहरी हो सो राजाके सभ्यों तथा ब्राह्मणोंके सन्मुख आचरण करवावै ६९ ॥

अधि०-पितामह ने उपवास में विकल्प दर्शाया है-यथा ( त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेक रात्रोषिताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चार्द्रवाससे ) अर्थात्-दिव्यों के प्रकार जो मनुष्यकी निर्मलताके लिये नियत हैं वे सब सदैव ही तीन दिन राति उपवास किये हुयेको यद्वा एक ही दिन राति उपवास किये हुये और भीगे वस्त्र पहने हुये शुद्ध शरीर को देय हैं-यह दो भाँतिसे उपवासका विकल्प जो पितामहने किया सो भी महाकार्य और अल्पकार्य अर्थात् मुकद्दमात संगीन और खफ़ीफ़के भेदसे संबंधित समुझना चाहिये यद्वा किसी दशामें मनुष्यके शरीरशक्तिका बलाबल देखना चाहिये-उपवास करने का नियम जो है सो उस प्राड्विवाकसे भी संबंधित है कि जो हाकिम दिव्य प्रमाणका आचरण करवावै सो यह वात पितामहके इस वचनसे संसिद्ध होती है-यथा ( अध्वरेपु यथा ध्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञया ) अर्थात्-जैसे अध्वर नाम यज्ञोंमें अध्वर्यु ब्राह्मण उपवास रखकर यज्ञोंका प्रबंध करवाता है तैसे ही इस कार्यमें भी राजाकी आज्ञापूर्वक हाकिमको

यह उचित है कि निज आप भी व्रतके नियमोंको धारण करिके दिव्योंका आचरण करावै-  
 यद्यपि यहाँपर सूर्योदयकालसमय यह सामान्यभाव अविशेषतासे कहा है तथापि शिष्ट  
 समाचारके हेतुसे रविवारके दिन दिव्योंका आचरणकराना चाहिये तिसमें भी पितामह  
 ने कुछ और विशेषता कही है-यथा (पूर्वाह्णेऽग्निपरीक्षास्यात्पूर्वाह्णे च धटो भवेत् । मध्याह्णे  
 तु जलं देयं धर्मतत्त्वमभीप्सता ॥ दिवसस्य तु पूर्वार्द्धे कोशसिद्धिर्विधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे  
 यामे विषं देयं सुशीतले) अर्थात्-पितामहने यह कहा है कि धर्मतत्त्वनाम सत्यासत्यके ढूँढ़-  
 नेवालेको अग्निकी परीक्षापूर्वाह्नकालमें और (धट) नाम तुलाका भी प्रकारपूर्वाह्नका-  
 लमें करना चाहिये और जलकी परीक्षा मध्याह्नकालमें करनी चाहिये-और कोशकाल  
 में विधिकी सिद्धिदिनके पूर्वार्धकालमें दोपहरके भीतर और विषपरीक्षाका प्रकार रात्रि  
 में पिछलेपहर शीतलकालमें कर्तव्य है-परंतु-जिन प्रकारोंके निमित्तमें कोईसा काल  
 विशेष नहीं कहा वे सवतंडुल या तप्तमाष आदि पूर्वाह्नकालमें करने चाहिये सो यह  
 बात नारद के अग्रोक्त सामान्य वाक्यसे पाई जाती है-यथा (पूर्वाह्णे सर्वदिव्यानां प्र-  
 दानं परिकीर्तितम्) अर्थात्-सभी दिव्योंका प्रदान पूर्वाह्नकालमें कहा है-और यही  
 पूर्वाह्नकालका आशय योगीश्वरके भी सूर्योदयकालसे संसिद्ध होता है क्योंकि सूर्योदय  
 कहनेसे निपट यह सिद्धांत नहीं है कि सूर्य उदयहोतेके साथ ही करिके निपटि जायँ  
 किंतु दिनमानमात्रका तृतीयभाग पहिला पूर्वाह्नकाल कहाता है जैसे २७ घड़ीके दि-  
 नमानमें ९ घड़ीका पूर्वाह्नकाल होता है तिसके भीतर भीतर जो कुछ किया जाय सो  
 पूर्वाह्नकालका करना और वही सूर्योदयकालका करना कहलाता है इसहेतुसे योगीश्वर  
 ने सूर्योदयकाल सामान्यभावसे कहा और इसी सूर्योदयपद आधारभूतसे रविवारभी  
 दर्शाया इसमें शंका करनेका अवकाश नहीं है-और पूर्वाह्न अथवा मध्याह्न या अपराह्न  
 का अर्थात्श दिनके तीनभागोंपर समुभना अर्थात् दिनका तृतीयभाग पहिला  
 पूर्वाह्न कहलाता और दूसराभाग तृतीयांश बीचका मध्याह्न कहलाता और तीसरा  
 भाग तृतीयांश पिछला अपराह्न कहा जाता है सो सर्वत्र समुभना-दिव्योंके आचरण  
 मध्ये जैसा यह तात्कालिककाल विशेष कहा गया तैसेही और भी मासात्मक या ऋत्वा-  
 त्मककालविशेष (विधि) और (प्रतिषेध) मुखसे दर्शाया है-तिसमें पहिले विधिमुख वर्णन  
 करते हैं कि अमुकामुक ऋतुकालमें अमुकामुक दिव्योंका आचार करना चाहिये-यथा-  
 (अग्नेः शिशिरहेमंतौ वर्षाश्चैव प्रकीर्तिताः । शरद्ग्रीष्मेषु सलिलं हेमं तेशिशिरे विषम् ॥  
 चैत्रो मार्गशिराश्चैव वैशाखश्चतथैव च । एते साधारणामासा दिव्यानामविरोधिनः )  
 कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्यात्सर्वकालिकी-कोशग्रहणं सर्वशपथानामुपलक्षणं । तंडुला  
 नांपुन विशेषानभिधानात्सर्वकालिकत्वम्)-अर्थात्-(अग्नि) नामक दिव्यका प्रमाण देने  
 को शिशिरऋतु जिसमें बहुधा कुहुर भड़ता है और हेमंतऋतु यह दोनों श्रेष्ठ हैं और

ऋतुके महीनेअर्थात् जबजब कभीवर्षाहोतीहो याहोनैलगे तबहीअग्निंकाआ-  
ण करनाचाहिये-और-( जल ) नामक दिव्यप्रमाण देनेको अग्निऋतु औरशरद्  
तुग्राह्य कहीहै-और(विष)नाम दिव्यका प्रमाणदेनेको हेमन्त और शिशिर यहदोनों  
तु श्रेष्ठहैं-और-चैत्र अगहन वैशाख यहतीनों महीने साधारण भावसे सभी दिव्यों  
अविरोधी हैं किन्तु इनमें सभी दिव्योंका आचरण होताहै-और-(कोशपान) विधि

अर्थात् सभी ऋतुओं में कर्तव्यहै जब चाहौ तब करौ-ऐसेही (तुला) नामक  
भी सर्वकालमें होताहै उसके लिये कोई ऋतु या महीना वर्जित नहींहै-यहांपर  
कोश) के कहनेसे सर्व शपथोंकाभी उपलक्षण समुभूना चाहिये अर्थात् अन्य सब  
धारण शपथ भी सर्वकालमें होते हैं किन्तु उनके लिये कोईकाल विशेषनहीं कहा-  
और (तंडुल) विधिकेभी निमित्तमें कोईसाकाल विशेषनहीं कहागया इसलिये उसको  
भी सर्वकालमें कर्तव्यसमुभूनाचाहिये-यहतौ इनका विधिमुख दर्शायागया अब आ-  
प्रतिषेधमुखभीदर्शातेहैं-यथा(नशीतेतोयसिद्धिःस्यान्नोष्णकालेऽग्निशोधनम् । नप्रा-  
षिविषंदद्यात्प्रवातेनतुलांतथा ॥ नापराह्णेनसंध्यायांनमध्याह्णेकदाचन । नशीतेतोय  
सिद्धिः स्यादित्यत्रशीतशब्देनहेमन्तशिशिरवर्षाणांग्रहणम् ॥ नोष्णकालेऽग्निशोधन  
मित्यन्नोष्णकालशब्देनचअग्निशरदोर्ग्रहणम्)अर्थात् (जल) नामक दिव्यप्रमाणकी-  
सिद्धि शीतकालमें न करनीचाहिये और इसी शीतकालके आशयसे हेमन्त शिशिर  
वर्षा इन सभीकालोंका निषेधसमुभूना चाहिये-और (अग्नि) नामक दिव्यप्रमाणके  
द्वारा जो लांछनों का शोधन करनाहो तौ उष्णकालमें न करना चाहिये और इसी  
उष्णकालके शब्दसे ग्रीष्मऋतु और शरद्ऋतु संग्रहीतहैं-और(विष) नामक दिव्य  
का प्रमाण देनाहो तौ प्रावृष् ऋतुमें न करना चाहिये-और(तुला)नामक दिव्य का  
प्रमाण जो देनाहो तौ प्रवात नाम आँधीके समयपर न करनाचाहिये और अपराह्ण  
काल नाम दिनके तीसरे भागमें न करनाचाहिये और निपट संध्याकालमें न करना  
चाहिये और मध्याह्नकाल नाम दिनके विचले भागमें न करना चाहिये-यद्यपि ऊपर  
विधानकेही महीने या ऋतुकालकेकहने से निषेधकाल आपसे आपही पायागयाथा  
तथापि उस निषेधके आत्यंतिक आदरकेलिये दुसराकर निषेध वर्णन कियागया कि  
जिस्से कोई भूलिके भी इन महीनों में ऐसा न करे-पर इसवार्ता का मुख्य प्रयोजन  
आगे कहेंगे १९ अब इन दिव्योंके अधिकारियों की व्यवस्था नीचे कहते हैं कि  
अमुकामुक दिव्य करनेको अमुकामुक मनुष्य अधिकारी होते हैं १९ ॥

तुलास्त्रीवालवृद्धांधपंगुब्राह्मणरोगिणाम् । अग्निर्जलंवाशूद्रस्ययवा.सप्तविषस्यवा १०० ॥

पक्ष०-स्त्री वालक वृद्ध अंध पंगु ब्राह्मण रोगी इनकेलिये तुला-शूद्रको अग्नि या  
जल या विषके सातयव १०० ॥

अभि०—(स्त्री) नारीमात्र कोईहो इसमें जाति या अवस्था आदिका नियम नहीं— (बालक) जबतक सोलहवर्षका न हो इसमें जाति आदिका नियम नहीं (वृद्ध) जो अस्सी वर्षसे ऊपरहो (अंधा)जिसके नेत्रों में कोईसा विकारहो (पंगु) लंगड़ा जिसके गोड़ों में कोईसा विकारहो (ब्राह्मण) जातिमात्रसे किसी प्रकारकाहो (रोगी) जो किसी प्रकारके रोगसे पीड़ितहो इनके कलंक शुद्धिके लिये केवल तुला विधिके प्रकार नियतकियाहै—ऊपर मूल श्लोक दूसरे अद्धाके अक्षरार्थ में यद्यपि केवल शूद्र काही अर्थ कियागया तथापि उस अद्धा में क्षत्रिय आदि तीनोंवर्ण की व्यवस्था सिद्धहोतीहै अर्थात् अग्निनाम तपायाहुआहलका लोहफाल और तप्तमाष अर्थात् धातुपात्रमें तपायेहुये स्नेहमेंसे सोनेकामासा चुटकीसे निकासना यह दोनोंक्षत्रियके निमित्तमें (वा) शब्दकी शक्तिसे समुभूने एवं वैश्यके निमित्तमें जलका दिव्यसमुभूना और विषके सात यव अर्थात् सातयवोंके परिमाणसे विषका दिव्य शूद्रके निमित्तमें कहागया और यही व्यवस्था ठीकहै क्योंकि यहवार्ता पितामहने स्पष्टरूपसे कहदीहै सो देखो नीचे अधिकोक्तिमें १०० ॥

अधि०—पितामहवचनं-यथा ( ब्राह्मणस्यधटोदेयःक्षत्रियस्यहुताशनः । वैश्यस्यस-  
लिलंप्रोक्तंविषंशूद्रस्यदापयेत्)अर्थात्-ब्राह्मणकी कलंक शुद्धिमें तुलाकाप्रकारदेना  
चाहिये क्षत्रियको अग्निनाम और वैश्यको जलका दिव्यकहा है शूद्रको विषका  
दिव्य दिलावै-और-जोकि स्त्रियादिकों के लिये दिव्यों का देनाही निषेध लिखाहै-  
यथा ( सत्रतानांभृशार्तानां व्याधितानांतपस्विनाम् । स्त्रीणांचनभवेदिव्यं यदिधर्म  
स्त्वपेक्षितः ) अर्थात् जहाँ सत्य धर्मकी परीक्षा लेनी आवश्यक हो तहाँ इतने  
लोगोंसे दिव्यों का प्रमाण नहीं लेनाचाहिये एक तौ जो मनुष्य शास्त्रोक्त नियमों के  
व्रत आचरण करताहो या निरंतर किसी पीड़ासे पीड़ितहो या रोगीहो या तपस्वीहो  
और स्त्रियोंको भी दिव्य का प्रकार नहीं करायाजाय सो-यह निषेध वाक्य इसलिये  
नियत हुआहै कि पहिले ६८ के पूर्वार्द्ध मूलश्लोकमें वह मर्यादा जो विकल्परूपसे  
निश्चित होचुकीथी कि अपनी रुचिके अनुकूल चाहै अर्थीया प्रत्यर्थी दोमें कोई एक  
दिव्योंका आचार करसक्ताहै सो वह विकल्प इस अत्रोक्त दशामें निवृत्तहुआ समुभा  
जाय अर्थात् जिनकेलिये यहाँपर निषेध लिखागया कदाचित् वेही किसी मुकद्दमह  
में अर्थी या प्रत्यर्थी हुयेहों तौ उनके दूसरे प्रति पक्षीको अधिकार शेष रहेगा कि वह  
अपनी इच्छासे दिव्यों का आचरण करे किन्तु स्त्रियादिकों को अधिकार नहीं और  
इसवार्ताका उदाहरण भी यथावत् रूपसे कहाहै-यथा (अवष्टंभाभियोगेषुस्त्र्यादीनाम  
भियोक्तृत्वेऽभियोज्यानामेव दिव्यमेतेषामभियोज्यत्वेऽप्यभियोक्तृणामेवदिव्यम् पर  
स्परभियोगेतुविकल्पएव ) अर्थात्-यह दृष्टांत इसमें कहाहै कि ऊपर ( सत्रतानां )



इत्यादि वचनसे स्त्रियादिक जो झूटमें दर्शायेगये कदाचित् कोई उन्हींमेंसे अभियोक्ता बनें अर्थात् किसीपर कलंक लगाकर नालिश खड़ी करै और वह नालिश विश्वासिक रूपसे हुईहो जिसमें दिव्योंकी आवश्यकता समुभीजाय तौ इसदशामें अभियोज्यों से अर्थात् प्रत्यर्थियों से उन दिव्यों का आचरण कराया जाय किन्तु स्त्रियादिक अभियोक्ताओंसे नहीं - और जो- स्त्रियादिक अभियोज्य हुयेहों अर्थात् उन्हींपर कुछकलङ्क लगायागया और नालिश खड़ीहुईहो तौ इसदशामें अभियोक्ताओंसे अर्थात् मुद्दइयोंसे आचरण करानायोग्यहोगा किन्तु स्त्रियादिक मुद्दआअलेहसे नहीं-परन्तु जहांदोनों पक्षीएकसेही हों जैसे स्त्रीमुद्दई और स्त्रीही मुद्दाअलेहहो तो इसपरस्पर अभियोगमें दिव्योंका आचरण कराने या नहींकराने का विकल्पहै अर्थात् आद्योपान्त सभीमर्यादोंके अनुकूल योग्यतापाईजाय तौ करायाजाय अथवानहीं परन्तु इस दशामें पूर्वोक्त ६८ के श्लोकवालाभी विकल्प सम्बन्धित होसक्ताहै क्योंकि यदिपरस्पर दोनों ओर स्त्रियाँही अर्थात् प्रत्यर्थीहों और उनमेंसे कोईएक अपनी रुचिकेअनुसार दिव्योंकाप्रमाण देनाचाहै तौ कुछ दोष या प्रतिषेदनहीहै-पर-इसमें भीकेवल तुलाकेही प्रकारका नियम जो पायाजाताहै-यथा (महापातकादिशंकाभियोगेस्त्र्यादीनांतुलैवेति) अर्थात्-स्त्रियादिकोंके लियेकेवल तुलानामक दिव्यका प्रकारउसदशामें योग्य होताहै जबकिमहापातक आदिकलङ्कोंकी विश्वासिक शङ्कामात्रसे अभियोग लगायागयाहो अर्थात् महापातक आदि कलङ्कोंकी विश्वासिक नालिशहो तौ फिर केवलतुलाकाही नियमनहीं समुभूना यहसिद्धान्त इससेपायागया-सोयहबातभी-उस दशामें संभवहोसक्तीहै कि जबयहनियम निश्चितकियाजाय कि स्त्रियादिकों को तुलानामक दिव्यकाप्रकार केवलचैत्र अगहन वैशाख इनमहीनोंमेंही करवायाजाय क्योंकि यहतीनोंमास साधारणभावसे सभीदिव्योंकेनिमित्तमें श्रेष्ठलिखे हैं-औरजो (तुलास्यात्सार्वकालिकी) इसपूर्वोक्तवचनकेआधीन यहव्याख्यासिद्धकरीजाय कि स्त्रियादिकोंको सभीऋतुकालोंमें केवलतुलाकाहीप्रकारउचितहोताहै तौ यहवात ऊर्ध्वोक्तवचनवाली यथार्थ नहीं देखपरती है-क्योंकि-इसअग्रोक्त वचनसे तुलाके सिवायकुछ और प्रकारों काभी अधिकार पायाजाताहै-यथा(स्त्रीणांनविषंप्रोक्तं नचापिसलिलंस्मृतम्। धटकोशादिभिस्तासा मन्तस्तत्त्वंविचारयेत्) अर्थात्-स्त्रियोंकेलिये विषभीनहीं और जलकाप्रकारभी नहींकहा किन्तुसत्यासत्य काविवेक जोकोईकियाचाहै तौतुला और कोशपान आदिप्रकारोंसे उनकेअन्तस्तत्त्व कोविचारै अर्थात् छिपेहुये पाप या पुण्योंकी परीक्षा करै-सो-इस(षादि)शब्दसेअग्निआदिभीपायेगये और सिद्धान्त इसकायह कि स्त्रियादिकोंकी सचावट शुद्धिकरनेमध्ये विष और जलकाप्रकार छोड़कर शेषतराज और कोश और अग्नि और और भी जो कुछप्रकार होने हों सो सभी कियेजासक्ते हैं-

इसलिये ऊर्ध्वोक्त केवल तुलाविधिकी आज्ञामध्ये वहीव्याख्या ठीकहै कि यदि महा-पातक आदि कलङ्कोंकी शंका मात्रसे अभियोग लगाया गया हो और चैत्र अगहन वैशाख इन तीनोंमें से किसीमासमें दिव्यकादेना ठहरै तो फिरकेवल तुलासेही परीक्षा करनी चाहिये-यही व्यवस्था बालकों और उनकेलिये भी सम्बन्धित करनी चाहिये जिसका चर्चा ऊपर स्त्रियादिकों के साथ में हो चुकाहै-जो कि ऊपरइसी अधिकोक्तिमें पितामहके वचनसे यहमर्यादा नियतहुईहै कि ब्राह्मणआदि वर्णोंकेलोग तुलाआदि दिव्योंको भिन्न २ वर्त्तवा अपने वर्णोंके अनुसार करें तिसका भी यह सिद्धांत नहीं है कि उनकेलिये सर्व कालिक वही नियम समुभाजाय-सो-यह बात अग्रोक्त इस पितामह केही दूसरे वचनसे संसिद्ध होतीहै-यथा ( सर्वेषामेववर्णानांकोशशुद्धिर्विधीयते । सर्वाण्येतानिसर्वेषांब्राह्मणस्यविषंविना ) अर्थात्-उन्हीं पितामहने यह भी कहा है कि सभी वर्णोंकी कलंक शुद्धि सार्वकालिक कोशपान विधिसे करनी चाहिये और बाकी सभीदिव्य सर्ववर्णोंके निमित्तमें उचितहैं पर केवल एक ब्राह्मण कोविष देना उचित नहींहै-जब कि एकपितामहनेही दो वचनोंसे दो प्रकारकी आज्ञा नियत करीं तो सिद्धांत इनका यह समुभाचाहिये कि यह दूसरा वचन इसहेतुसे सुनायाहै कि इस्से यह निर्णय प्रकट होजावै कि उन तुलाआदि प्रकारोंका आचरण जो ब्राह्मण आदि वर्णोंके अनुसार भिन्नरीतिसे दर्शाया गया था सो उसरीतिसेभी केवल उसी साधारण कालमें करना चाहिये जो तीन महीने सर्वसाधारण दिव्योंके आचारमें श्रेष्ठ कहेगये थे जिनमें बहुधादिव्योंका आचरण होना उचितहै-परन्तु-जब सिवाय उन तीनों मासके किसी और कालांतरमें आचार करनेकी आवश्यकता पाईजाय तब साधारण सभी वर्णोंके निमित्तमें उसी दिव्यकी योग्यता समुभाजायगी कि जो कोई एक दिव्य ठेठ उसी ऋतु के लिये योग्यहो-इसलिये-अब इन सभी वाक्यों और प्रकारोंकी सिद्धांतरूप व्यवस्था दर्शाते हैं कि जिस्से विचार करनेवालोंको सुगमता बनीरहै ( अथसिद्धांतरूपव्यवस्था ) यथा ( वर्षास्वग्निरेवसर्वेषां-हेमंतशिशिरयोस्तुक्षत्रियाणामग्निविषयोर्विकल्पः-ब्राह्मणस्यतुअग्निरेवनकदाचिद्विषम्-ब्राह्मणस्यविषं विनेतिप्रतिषेधात्-ग्रीष्मशरदोस्तुसलिलमेव ) अर्थात्-जब जब कभी विशेषकर वर्षा होनेलगैचाहै किसी ऋतुमें हो तबतब सभी वर्षा कालोंमें साधारण भाव सभीवर्णों के मनुष्योंको केवल अग्निका आचरण कराना चाहिये-और-हेमंत या शिशिर इन दोनों ऋतुओंमें क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोंको चाहे अग्नि अथवा विषका आचरण करायाजाय परन्तु ब्राह्मण को इन ऋतुओंमें भी केवल अग्निका आचरण कराया जाय अर्थात् विषका नहीं-क्योंकि-पहले भी निषेधहो चुकाहै कि ब्राह्मणको विष छोड़ कर दिव्योंका आचरणकराना योग्यहै-और-ग्रीष्मया शरद इनदोनों ऋतुओंमें केवल

जलका आचरण साधारणसभीवर्णोंको कराना योग्यहै-परन्तु-इस व्यवस्थामेंभी विशेषकर इसबातपर दृष्टि करनीचाहिये कि जिनजिनरोगों के हेतुसे जिनरोगियोंको अग्नि या जल या विषके सेवनका निषेध वैद्यक शास्त्रके अनुसार हो तिनकेलिये इहोक्तअग्न्यादिक दिव्योंके सूचित ऋतुकालमें भी तुला अथवा अन्य साधारण दिव्योंका आचरण करानाचाहिये जो सब ऋतुओंमें करने उचित होतेहैं अर्थात् अग्न्यादि अपने ऋतुकालमें भी उनकेलिये वर्जितहैं-तद्यथा ( कुष्ठिनां वर्जयेदाग्निं सलिलं श्वासकासिनाम् । पित्तश्लेष्मवतानित्यं विषंतुपरिवर्जयेत् ) अर्थात्-कोढ़ियोंको सदैवही अग्निसे बचावै-एवं-श्वास अथवा कासनाम खांसी रोगवालोंको सदैवही जलके सेवनसे बचावै-एवं-पित्त और कफके रोगवालोंको सदैवही विषके सेवनसे बचावै-और इसी अपेक्षामें एक यह वाक्यहै-यथा(तोयमग्निर्विषंचैव दातव्यं बलिनां नृणाम्) अर्थात्-जल अग्नि विष यह तीनोंप्रकार बलवान् मनुष्योंको देनेचाहिये-इस वचनके सिद्धांतसे यह आशय प्रकट होताहै कि जल अग्निविष इनको छोड़कर शेष और दिव्योंका आचार यदि दुर्बलदेहोंकोभी उन मर्यादोंसे करायाजाय जो सर्वथा विधि और प्रतिषेधके अनुसार संसूचित ऋतुकालोंके विपरीत उनकी जातिऔर अवस्था और दशाओंके अनुकूल हों तौ इसदशामें उन मर्यादोंका अतिक्रम नहीं समुभाजासक्ता जो ऋतुकालों मध्येविधि और प्रतिषेधसे अपेक्षारखतीहैं १०० ॥

जोकि ६७ मूलश्लोक तीसरे पादमें यहकहाथा कि इनतुला आदि पांचौदिव्यों का आचार केवल महाभियोगों मेंही कियाजाताहै सोउन महाभियोगों काभी लक्षण यहाँनिचले अद्वासे दर्शाते हैं ॥

नासहस्राद्वरेत्फालं न विपंतुलांतथा १०१ ॥ एकशततमस्यपूर्वार्द्धेऽयम् ।

अक्ष०—सहस्रके भीतर फाल विषतुला इनकोनकरै तथाजलको भी १०१ ॥

अभि०— ( असहस्रात् ) सहस्रके भीतर अर्थात् जोकोई मुक्कद्दमा एक सहस्रपणकी मालियतसे न्यून मालियतका हो उसमें (फाल) नाम हलकी फाली अर्थात् अग्निसे तपायाहुआ लौहफाल उठानानहीं चाहिये सिद्धांत इसकायह कि ऐसेछोटे अभियोग में अग्निका आचरण कराना अनुचित है इसलिये उसका प्रतिषेध कियागया-एवं-विषकाभी निषेधहै और तुलाकाभी निषेधहै तथाइनके मध्यवर्ती जलकाभी निषेधजानों-अर्थात् पूरेएक सहस्रपणकी मालियत का मुक्कद्दमा हो या इस्से अधिकचाहे तितनावड़ाहो तौ उस मुक्कद्दमहकी महाभियोग संज्ञाजानों और उसीमें इनदिव्योंका आचरणकरानायोग्यहै-परंतु-कोशपान विधिकानिषेध इनमें नहींसमुभक्ता १०१ ॥

अधि०—(संदेहः) क्यौंजी मूल अद्दामें जलकाचर्चानहींआया तिसजलको तौ अक्षरार्थमेंभी ( तथा ) के संयोगसेही जोड़लिया और कोशपानकी योजना इनमें

नहींमानी तिसका क्याहेतुहै (सुनौ) ६७ के श्लोकमलमें यह पहलापादहै कि (तुला ग्न्यायोविषंकोशः) इसमें पाँचौनाम इसक्रमसे कहेगयेहैं कि तुला १ अग्नि २ जल ३ विष ४ कोश ५ इनमेंसे पाँचवाँकोश तौ इसस्थलपर इसलिये संग्रहनहींकिया कि उसका होना छोटे अभियोगोंमेंभी उचितहै-यथा(कोशमल्पेपिदापयेत्) अर्थात्-कोशको छोटे भी अभियोगमेंदेवै यह आज्ञाऊपरभी कईस्थलपर लिखचुकेहैं इसवाक्यसे यह आशय संसिद्धहै कि एकसहस्रपणकेभीतरभी कोशपान विधिहोतीहै तौ फिर उसका निषेध यहाँपर क्योंकर संग्रहकियाजाय-और-जलकेनिषेधका संग्रह जो(तथा) शब्दके संयोग से करिलियागया तिसकाहेतु यह प्रत्यक्षहै कि जल जो है सो उनशेषचारों दिव्योंके बीचमें गिनतीकियागया जैसा अभी ऊपर पाँचौनाम यथाक्रमसे लिखेगये और उसके बीचमें गिनती होने मात्रसेही संग्रह करलेने की प्रमाणतामें एक वाक्यभी घंटा घोष है-यथा (तुलादीनिविषांतानिगुर्वर्षेषुप्रदापयेत्) अर्थात्-तुलाको आदि लेकर विषपर्यंत अर्थात् जल सहित चारों दिव्यजो हैं सो बड़े मुकद्दमातमें करावै किन्तु एक सहस्रके भीतरमें नहीं करावै इसलिये संदेह करना वृथाहै (द्वितीय संदेह) क्योंजी यह सिद्धांत निश्चितरूपसे दर्शायागया कि इनको सहस्रके भीतरनहीं करावै सहस्रके उपरान्त होना योग्यहै और पितामहने सहस्रके भीतर भी अग्न्यादिक दिव्यों का होना दर्शातकिया तिसमें क्या कारण है-यथाहपितामहः (सहस्रेतुधटंदद्यात्सहस्राद्धे तथायसम् । अर्धस्यार्धेतुसलिलंतस्यार्द्धेतुविषंस्मृतम् ) अर्थात्-हजारपणके मुकद्दमहमें तुलाका विधान और हजारके आधेमें तप्त लोहका विधान और हजारके चौथाई में जलका विधान और अष्टमांशनाम १२५ की मालियतमें विषका विधान करना कहाहै-इस वचनकी दृष्टिसे यह संदेह खड़ाहोताहै कि एक तुलाहीकोही छोड़कर शेष अग्नि जल विष कोश यह चारों दिव्यों के प्रकार पितामह ने उन अभियोगों से संबन्धित किये हैं जो पूरे एकसहस्र पणकी मालियतके नहीं औरऊपरलीव्यवस्था जो संसिद्धहोचुकी उसमें सहस्रकेभीतर इनका निषेधकियागया सो इस प्रत्यक्ष विरोधकाहेतु कहिनाचाहिये (उत्तर) सत्यहै पितामहकावचन इसमें कुछ संदेहनहीं परन्तु इसमें इसप्रकारसे व्यवस्थायुक्तहोती है कि जिसद्रव्यका अपहरणकरनेसे पातित्यप्राप्तहो अर्थात् जातिमें कलंकआताहो तिसद्रव्यके संबंधसे यदि मुकद्दमा खड़ाहो और उसीमें कदाचित् दिव्योंका प्रमाणदेनाहो तौ सहस्रके भीतरभी पितामहके इसीवचनके आधीन व्यवस्थादेखीजाय-अन्यत्र साधारण द्रव्योंके अपहारमें योगीश्वर वाक्यसे व्यवस्था जैसी ऊपरसिद्धिहुईथी सो देखनीचाहिये-तिसपरभी-यह दोनोंभाँतिकी व्यवस्था केवल उन्हीं अभियोगोंसे संबंधितसमुझनीचाहिये जो चोरी और साहस्रकेहेतुसे मुकद्दमाखड़ेहुयेहों अर्थात् सभी अभियोगोंमेंनहीं-क्योंकि-इम

वार्तामें कात्यायनने कुछ विशेषभेद प्रकट किया है-यथा ( दत्तस्यापह्नवोयत्रप्रमाणंतत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोर्दिव्यंस्वल्पेऽप्यर्थप्रदापयेत् ॥ सर्वद्रव्यप्रमाणंतुज्ञात्वाहेमप्र- कल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तंतुतदादिव्यंनियोजयेत् ॥ ज्ञात्वासंख्यांसुवर्णानांशतनाशोविषं स्मृतम् । अशीतेस्तुविनाशेवैदद्यादेवहुताशनम् ॥ षष्ट्यानाशेजलंदेयंचत्वारिंशतिवै धटम् । विंशद्दशविनाशेतुकोशपानंविधीयते ॥ पञ्चाधिकस्यवानाशेततोऽर्धार्धस्यतंडु लाः । ततोऽर्धार्धविनाशेतुस्पृशेत्पुत्रादिमस्तकान् ॥ ततोऽर्धार्धविनाशेहिलौकिकाश्च क्रियाःस्मृताः । एवंविचारयन् राजाधर्मार्थाभ्यांनहीयते ) अर्थात्-कात्यायनने यह भेद प्रकट किया है कि जिस मुक्कद्दमहमें दियेलिये द्रव्यके अपह्नव नाम नकार खींचे जाने के हेतुसे दिव्योंका आचार करनापरै तिसमें, तौ निम्नोक्त रीतिसे सबद्रव्योंका प्रमाण कल्पित करना चाहिये और उसीप्रमाणकेअनुसार दिव्योंका आचार करानाचाहिये- परन्तु जिस मुक्कद्दमहमें चोरी और साहसका अपह्नव होनेके हेतुसे दिव्यों का आ- चार करना आवश्यक समुभाजाय तिसमें अति छोटे भी अभियोगमें बिना विवेक दिव्य प्रमाणके दिव्योंका आचार कराना योग्यहै-जिन द्रव्योंकी नालिशहुईहो उन सभीका प्रमाणलेखे जोखेकीरीतिसेजानकर(हेम)की कल्पनाकरनीचाहिये कियहमाल कितनेहेमकी मालियतहोगा(हेम) अर्थात् सोलहमासे सुवर्णकीअशरफ़ी-जब हेमोंकी प्रमाण संख्या ठीकहोजावै तब उसीकेअनुसार दिव्यका नियोगकरनाचाहिये-अर्थात् उस मालियतके सुवर्णोंकी संख्या जाने पीछे यदि यहवात जानीजाय कि सौ सुवर्णका धन जातारहा तौ विषका दिव्य देना चाहिये औरअस्सीसुवर्णकेविनाशमें अग्निका- ही दिव्य देनाचाहिये-साठि सुवर्णका धनजातारहने में जलका दिव्य देयहै चालीसके विनाशमें तुलाकाही दिव्यदेनाकहाहै बीस या दश सुवर्णोंकेमूल्यवाला धन जातारहा हो तौकोशपानविधिका आचरणकरायाजाय-पांच सुवर्ण या इस्सेअधिक दशके भीतर तक विनाश हुयेहों या इसका आधा वा चौथाई भाग जाता रहाहो तौ केवल तण्डुल विधि करनीचाहिये-कदाचित् इस्से भी आधे या चौथाई धनकीहानिहुईहो तौ पुत्रा- दिकों के शिरपर हाथ रखकर शपथका आचारकरै-और जो इसका भी आधा या चौथाई धन जातारहाहो तौ इनवातोंकी आवश्यकता नहीं किन्तु ऐसे छोटेमुक्कद्दमात में लौकिक मनुष्यों के आचार व्यवहार जो हैं सोई क्रिया मुख्यहै अर्थात् ऐसे छोटे भगड़ोंकी अपेक्षामें जैसी कुछ परिपाटी जहां प्रचरितहो तैसेही पंचों आदिके द्वारा निपटारा होजाना योग्य और विस्तार बढ़ाना अनुचितहै-इसप्रकार जो कोई राजा इनमर्यादोंके विवेकसे भगड़ालुओंका निपटाराकरै उसके धर्म अथवाअर्थमें हानि नहीं होती अर्थात् यहलोक औरपरलोक उसकेदोनोंशुद्ध रहतेहैं कोईसाकलंक नहीं लगता-इसव्यवस्था में जहांसुवर्णका चर्चाआया हो तिसकोमोनहमासेसुवर्णकीअ-

शरफ़ी समुझना और जहां २ धनकानाश कहा गया सो उसनाशके शब्दसे अपह्नव अर्थात् लियेदिये की इन्कार समुझनी-और जो इसी १०१ वाले मूलश्लोकपूर्वार्द्ध से यह कहा गया कि सहस्रपण के भीतर ऐसानी करना सो उसवार्त्ता में सहस्रपण ताविके समुझने किंतु सोनेचांदीके नहीं १०१ जोकि ६८ के उत्तरार्द्ध मूलश्लोकसे यह कहा था कि इनदिव्योंका आचार महाभियोगों के सिवाय उन अभियोगों में भी करना चाहिये जो राजद्रोहसे उत्पन्नहुयेहों या महापातकरूप अपराधोंसे हुये हों-सो-उस आज्ञामें यह (शंका) खड़ीहोती है किजब अन्य साधारण धनसंबंधी अभियो-गोंकेलिये सहस्रपणके भीतर या उपरांतकी मर्यादा नियतहुई तौफिर नृपद्रोह या महापातक में किस हिसावसे करना चाहिये क्योंकि इसमें धनकाकुछ संबंधनहीं जि-स्से सहस्रकी अवधि देखीजाय-सो-इसशंकाकी निवृत्तिनाचे उत्तरार्द्ध मूलश्लोक से कहते हैं १०१ ॥

नृपार्थेष्वभिशापेचवहेयुःशुचयःसदा १०१ ॥

ऐ०-(नृपार्थेषु) अर्थात् नृपद्रोहके मुकद्दमातमें और ( अभिशाप ) नाम महापातक सम्बन्धी अभियोगोंमें भी (सदा) सर्वदा यह मर्यादाहै कि द्रव्य संख्याकी अवधि आदि विवेक विनाही उपवासादिकोंकी प्रक्रियासे (शुचयः) पवित्र होतेहुये सबलोग उन्हीं दिव्योंका आचार करें १०१ ॥

अधि०-इस विषयमें नारदने देश विशेष भी दर्शायाहै कि अमुकाऽमुक स्थानोंपर आचार कियाजाय-यथा (सभाराजकुलद्वारे देवायतनचत्वरे । निधेयोनिश्चलःपूज्यो धूपमाल्यानुलेपनैः ) अर्थात्-राजसभा अथवा किसी साधारण सभाके आगे-या-राजकुलद्वार अर्थात् ठेठराजाके प्रासादद्वार सन्मुख-या-किसीप्रसिद्ध देवस्थानपर-या-(चत्वर)नाम चौक चौराहा आदि मैदानमें(निधेय) नाम तुलानिश्चल खड़ीकरके धूप चंदन पुष्पादिकोंसे पूजाकरनी चाहिये-इसस्थान की अपेक्षा में कात्यायनजी ने कुछ विशेषव्यवस्था दर्शाईहै-यथा(इन्द्रस्थानेऽभिशास्तानांमहापातकिनांनृणाम् । नृपद्रोहे प्रवृत्तानाराजद्वारेप्रयोजयेत्॥प्रातिलोम्यप्रसूतानांदिव्यंदेयंचतुष्पथे । अतोऽन्येषुतुका र्थेषुत्तन्नामध्येविदुर्वुधाः ॥ अस्पृश्याधमदासानांस्लेच्छानांपापकारिणाम् । प्रातिलोम्य प्रसूतानानिश्चयोऽत्रतुराजनि ॥ तत्प्रसिद्धानिदिव्यानिशंशयेतेषुनिर्दिशेत् )-अर्थात् (अभिशास्त)जिसके अपराधकासच्चाभूँठा निर्णय कुछ न होसका परकलंकउसमें लगने सेदूषित वा निन्दितहोगयाहो और एकवह किजोनिर्णयविना हुयेहीमहापातकी प्रसिद्ध होजाय ऐसेमनुष्योंकी कलंकशुद्धिकेलिये तुलाआदि दिव्योंका आचार उसस्थानपर करानाचाहिये जहांइन्द्रकी पूजाआदि कुछप्रधानहो-जोमनुष्य राजद्रोहकीप्रवृत्तिआदि से दुर्नामहुये हों उनकेलिये राजद्वारके सन्मुखहोनाचाहिये-जिनको (प्रातिलोम्यप्रसूत)



अर्थात् इसप्रकारका कलंक लगा हो कि इनकीमाता ऊंची जाति औरपितानीचीजा-  
तिकासुनाहै तो इनकलंकोंकी शुद्धिकेलिये दिव्योंकाआचार चौराहेपर होनाचाहिये—  
और सब साधारण अभियोगोंमें कि जिनकी चर्चाऊपरसे होतीआई तिनकेलिये  
दिव्योंका आचार बीचसभाके कर्तव्यहै—और पंडितलोगों को यहभी समुझाचाहिये  
कि यदि भगडालू अपराधी ऐसी अधमजातिकेहों जिनकाछूना उचितनहीं या ऐसी  
जातोंका दास्यकर्म करतेहों या म्लेच्छहों या प्रातिलोम्यप्रसूतहों अर्थात् ऊंचीजाति  
की माता और नीचीजातिका पिता जिनकाहो तो ऐसे पापकारियोंको दिव्योंकाआ-  
चारराजा आप नहीं करावै और न उनको इनदिव्योंके करनेकी आज्ञादेवै परन्तु  
भगडाके निपटारा की दृष्टिसे उसप्रकार के दिव्योंका आचारकरावै जो उनलोगोंमें  
संचरितहों ( दृष्टान्त ) जैसे चमारोंको रैदासकीशपथ इत्यादि जो कोई बात जिसकी  
जाति में परलोकभयकी दृष्टिसे प्रधान समुझीजातीहो १०१ ॥ इतिदिव्यमातृका ॥

इस प्रकार इस छत्तीसवें परिच्छेदमेंसर्वदिव्योंकी उपयोगिनीमातृका कथन करिके  
अब निचले परिच्छेदों में तुलाआदि सब दिव्योंके प्रयोग दर्शावेंगे कि इसरीति से  
आचार उनका होताहै १०१ ॥

अथ दिव्यप्रमाणापेक्षायांतुलाधारणविधिमुखेनधटप्रकारप्रदर्श  
नोनामसप्तत्रिंशःपरिच्छेदः ३७ ॥

इस सैंतीसवें परिच्छेदमें धटनामक दिव्यप्रकारको तुलाधारण विधिके द्वाराकथन  
करतेहैं कि इसरीतिसे वर्त्तावा उसका होना चाहिये ॥

तुलाधारणविद्वद्भिरभियुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतोरेखांकत्वाऽवतारितः १०२ ॥

त्वंतुलेसत्यधामासिपुरादेवैर्विनिर्मिता । तत्सत्यंवदकल्याणिसंशयान्मांविमोचय १०३ ॥

यद्यस्मिपापकृन्मातस्ततोमांत्वमधोनय । शुद्धश्चेद्गमयोर्ध्वंमांतुलामित्यभिमंत्रयेत् १०४ ॥

ऐ०—त्रयाणांसह-तुलानाम तखरी तराजूको वांटोंसहित बनाने या तोलनेमें विद्वान्  
ऐसे सुनार या कसेरे आदि तोला पुरुषों करके वह कलंकी जो मुद्ई या मुद्आ-  
अलेह कोई तुलाकरनेपर समुद्यत हुआहो पहिले तुलापर बैठाराजाय और दूसरे  
पह्लापर मट्टी आदि कोई धातु या उपधातु जो उसके प्रतिमान बराबर तोलकर हो-  
जावें तब जिसपह्लामें वहबैठाहो या खड़ाहो तिसमें एकरेखा चिह्न खड़ियामट्टीसेकरिके  
तुलासे उतारिलिया जावै फिर वह तुलाके सन्मुख खड़ा होकर हाथजोड़ इन संत्रोंसे  
प्रार्थनाकरै जो अगले दो श्लोकोंमें कहतेहैं-१०२-हे तुले! तू सत्यका स्थानहै तुम्ह-  
को सृष्टिकेप्रारम्भमें ब्रह्माआदि देवताओंने उत्पन्न कियाहै हे कल्याणि! इसहेतुमे तू  
सत्य कहिदे अर्थात् इस मंदिग्ध वार्ताका यथार्थ रूप प्रकट करदे और मुम्हका इस  
संशय से लुडायदे १०३ हे मातः । यदि में पापकारी अर्थात् असत्यवादी होऊँ तो तू

मुझे पल्लासहित नीचाकरदे और जो मैं सच्चा होऊँ तौ मुझको ऊंचाकर जिस्से सब का संदेह दूरहो और मेरा मुँह उजियालाहो इसप्रकार तुलाको अभिमंत्रितकरै १०४॥

अधि०—त्रयाणांसह-खड़िया मट्टीसे रेखा चिह्न करना जो ऊपर कहागया तिसका सिद्धांत केवल यही है कि जिसजगह पैरोंको जोड़कर कलंकी खड़ाहुआहो उसी जगह रेखाचिह्न इसनिमित्तसे करदेना चाहिये कि जब दुसराकर चढ़ायाजाय तौ भी उसीस्थलपर खड़ा हो जिस्से तोलमें कुछ अंतरन पड़जाय-अन्यस्मृतियोंमें प्राड्विवाकोंके लिये भी उसप्रकारके मंत्रोंकाचर्चा लिखाहै जो उससमयपर तुला सन्मुख प्राड्विवाक उच्चारण करै तिनका व्यौरा आगे इसी अधिकोक्तिमें यथा स्थान कहाजायगा परन्तु जो मंत्र इसमें ऊपर वर्णन होचुके सो केवल दिव्यकारीसेही संबंधितहैं-जय पराजयके निमित्तमें कोई वाक्य इसलिये जुदानहीं कहाकि ऊर्ध्वोक्त मंत्रके स्वरूपसे ही जय पराजय का लक्षण पायागया-तुलाका निर्माण करना और तुलापर दुसराकर चढ़ाना यह दोनों बात भी ऊपर के पाठसे संसिद्ध हैं क्योंकि जब तुलापर चढ़ाना कहा तौ अवश्यही पहिले तुलाका बनाना पायागया और तुलासे उतरे पीछे मंत्रोंसे प्रार्थनाहुई तो दुसराकर चढ़नाभी आपही समुभागया इसलिये योगीश्वरने कुछनहींकहा-परन्तु-पितामह और नारदआदिनेउसकोभीस्पष्टवर्णनकियाहै-तद्यथा—  
(छित्वातुयज्ञियं वृक्षं यूपवन्मन्त्रपूर्वकम् । प्रणम्यलोकपालेभ्यस्तुलाकार्या मनीषिभिः ॥  
मंत्रः सौम्यो वानस्पत्यच्छेदनेजप्यएवच । चतुरस्रातुलाकार्या दृढा ऋज्वीतथैवच ॥ कट  
कानिचदेयानि त्रिषुस्थानेषु चार्थवत् । चतुर्हस्तातुलाकार्या पादौ चोपरितत्समौ ॥ प्रान्तरं  
तुतयोर्हस्तौ भवेद्व्यर्द्धएववा । हस्तद्वयानिधेयन्तु पादयोरुभयोरपि) (इनकेशेषश्लोक  
नीचेफिरभीलिखेजायेंगे) अर्थात्-यूपवालेमंत्रसे यज्ञीयवृक्षकोकाटे किन्तुवड़कावृक्ष या  
औरकोईवृक्षजो बहुधायज्ञोंमें कामआताहो तिसकोउसीमंत्रसेकाटे जो यज्ञोंमें यूपके  
निमित्तसेकाटनेपर वैदिकमंत्रपढ़ाजाताहै (यूपनामउसस्तम्भकोकहतेहैं जोयागसमाप्त  
होनेपरसमाप्तिकासूचक चिह्नमानिकर खम्भगाड़ाजाताहै) (यद्वाविजयस्तम्भकोभी  
यूपकहाकरतेहैं) उक्तवृक्षकोकाटे पीछे लोकपालोंको प्रणामकरिके बुद्धिमान् मनुष्य  
उसतुलाकोबनावें और बनातेसमयउसवृक्षके टुकड़ाटुकड़ाकरनेमें (सौम्यमंत्र) अर्थात्  
चंद्रमाकामंत्र बारम्बारजपतेजानाउचितहै और उस तुलाकी डंडी चौकोरहो किंतु  
गोलानहीं और (दृढा) नाम पुष्टपोड़ी किंतु इतनीमोटीहो जिसके टूटनेकी चिंता शेष  
न रहे और (ऋज्वी) नाम सूधी किंतु टेढ़ीनहीं वरन सर्वथा एकसारहो जिस्से तोल  
में कुछ एर फेर न होसके सिद्धांत यह कि माप तोलके खरादपर सुधारीजाय और  
लोहेके तीनकड़े चिरैयादार टेढ़ेकाँटेकेसमान उसडंडीके आदि अंत मध्य तीनोंस्थान  
में प्रयोजनके अनुरूपलगायेजायें पर आदिअंत दोनोंओरके दो कड़े परस्पर तोल

में बराबरहों और वह डंडी चारहाथलंबी करनीचाहिये और उस डंडीकेही समान चारहाथलंबे दोपायेभी बनानेचाहिये पर यह चारहाथकालंबाव उनका धरतीसे ऊपरखड़ाहोनाचाहिये किंतु इससे अधिक दोहाथधरतीकेनीचे उनमें निधेयभी गड़िजाने योग्य कुछ स्थूलहोनाचाहिये और दोनोंपादोंके गाड़नेमें दोहाथ या डेढ़हाथकाअंतर हो-ध्यानकरनाचाहिये कि जब दोनोंपायोंके बीचमें दोहाथ या डेढ़हाथका ( प्रांतर ) होनाकहागया तौ अवश्यही दोनोंपायोंका ऊपरलाधुराभी दोहाथ या डेढ़हाथकालंबा होनाचाहिये जिसमें वह डंडीटाँगीजायगी परंतु यह निश्चयजानो कि वह ऊपरलाधुरा अर्थात् बलेंडा दो डेढ़हाथकालंबा न होसकैगा वरनउसडंडीकेही समान चारहाथका लंबाहोना उसकाभी उचितहै क्योंकि इसबातका सिद्धांत अब निचलेआशयसे जाना जायगा और यहभीध्यानकरना चाहिये कि जिनश्लोकोंका यहअर्थ लिखाजाताहै वे श्लोकभी पितामह और नारदआदि महर्षियोंकेकहेहुये अभी ऊपर लिखचुकेहैं उनमें कहीं इसधुरेका चर्चातक नहींदेख परता है-यद्यपि इसबार्ताको दृढ़करनेके निमित्तसे मिताक्षराकी चारपुस्तक एकसाथ मिलाईगई उनचारोंमें एकहीपाठ पायागया किन्तु किसीमेंभी धुराका चर्चा नहींपाया फिर उसके लंबावका परिमाण क्योंकर मानाजाय तथापि यह विश्वास करना अनुचितहै कि इसतुलामें धुराका अभावहै क्योंकि प्रथम तौयह विश्वास प्रकृत कर्मसे असंगतहै दूसरे इसधुराका चर्चाभी आगेबढ़कर अन्य प्रसंगसे आवेगा उससे धुराका होनातौ अवश्यभाव निश्चितहै परवहांभी इसकेलंबावका परिमाण नहीं पाया जासक्ता केवल अत्रोक्त प्रांतरके अनुकूल दो डेढ़हाथका लंबाधुरा समुभा गया सोभी एक निम्नोक्त विशेष प्रक्रियासे विरोध पाताहै इसलिये सर्वथा निश्चितहै कि वह ऊपरला अक्षभी चारहाथकालंबाहोनाचाहिये-अथविशेष प्रक्रिया-यथा-( तोरणेचतथाकार्येपार्श्वयोरुभयोरपि । धटादुच्चतरेस्यातांनित्यंदशभि-रंगुलैः॥ अवलम्बौचकर्त्तव्यौतोरणाभ्यामधोमुखौ । मृन्मयौसूत्रसंबद्धौधटमस्तकचुम्बि नौ) इनके शेष श्लोक नीचे फिरभी लिखेजायँगे )-अर्थात्-जब दो डेढ़हाथकेअंतरसे दोनोंपाये गाड़ेजायँ और उनके ऊपरचारहाथकालम्बा( अक्ष )नाम धुराभी रक्खाजाय तब उसकेदोनोंओर पार्श्वभागमें दो तोरण करनेचाहिये ( तोरण ) अर्थात् कंधरा कुछ कैंचीकेआकारसे छोटी दो लकड़ियोंकीबनाकर ऊपरले धुराके दोनोंओरपर गाड़िदेंनी चाहिये सो उसधुराके वहओर समुभेचाहिये जो दोनों खड़ेपादोंमें एकएकहाथवाहर को निकलते रहजायँगे और यह दोनों तोरणभी धुरा के दोनोंओरोंपर)ऐसीयुक्ति से गाड़नेचाहिये जो सदैव डंडीसे दशअंगुल ऊंचेरहा करे और ऐसीयुक्ति के साचकर बनाये जायँ जिनमें एकहाथ या पौनहाथ की लंबी डोरी बँधकर धुराके ओरों में बनी हुई कैंची के बीचों बीच निकलती हुई डंडी के मस्तकपर जा लटकें सो इन दोनों

डोरियों का प्रयोजन आगे अब कहते हैं कि) तिस पीछे उन्हीं दोनों तोरणों से डोरी बाँधकर दो अवलंब मट्टी के बनेहुये जिनका नीचे को मुखहो उसी डोरीमें बाँधकर दोनोंओर ऐसीयुक्तिसे लटकायेजायँ जो सदैव डंडी का मस्तकचूमतेरहँ (अवलंब) अर्थात् मट्टीके दोगोले जिनके बीचो बीच छिद्रहो कुम्हारसे बनवाकर आवामें पकायेजायँ और ऐसागुणी कुम्हार बनावै जो परस्पर दोनोंतौल औरनाप और आकारमेंभी तुल्यहों-कुम्हारके अभावमें पत्थरकेभी खरादसे बनसक्तेहैं और ऊर्ध्वोक्तदश वारह अंगुलकी लंबीमत्र डोरीमें ऐसीसीध बाँधकर लटकायेजायँ जो परस्पर दोनों एकसूत आकारलटकैँ जिनमें कागजकीमुटाईभरभी ऊँचनीचका बट्टानहो और डंडी केद्वारदोनों ऊपरलेभाग किंचित् २ स्पर्शकरनेपावँ किंतु डंडीपर सहारा उनका नहो और दोनोंकी तुल्यता समुभी जानेकेलिये यह युक्तिहै कि पहले डंडीको लटकाकर सीधीथाँभे और ऊपर उसके पानीके बड़ेबड़े बूँदडालै जबतक एकओरको पानी ढल जावेतो बराबरनहींसमुभै जबडंडीपर पानीथाँभजाय तबडंडीसीधी समुभकर तत्काल दोनों अवलंबकी डोरी एकसी करदीजावै यह उसतुलाकी शुद्धि या अशुद्धि समुभी जानेका प्रकारहै-ध्यान करना चाहिये कि यदि ऊपरला धुरा चारहाथका लंबा नहीं कियाजाता तो उसके दोनों ओरके तोरण भी दोही डेढ़ हाथके अन्तरसे लगायेजाते तो फिर दोनों अवलंब डंडीके ओरोंतक नहीं पहुँचसक्ते-जो कि दोनों पायोंके बीच दोहीडेढ़हाथकाअन्तर नियतकियागया सो इसलियेहै कि दोनोंओरकेपलड़े आकर पायोंसे न भिड़नेपावँ-एकवार्त्ता औरभी अनुक्तइसमें ज्ञातव्यहै कि वह दोनोंपाये जो धरती में खड़े कियेजाते हैं सो निपट सीधे नहीं रहसक्ते वरन एकओरको भुँकतेहुये इतना ढालदेकर गाड़ेजायँगे कि जिनपर ऊपरला धुरा रखने और धुराके बीचोबीच लगेहुये कड़ेमें डंडीकाविचलाकाँटा जोड़कर डंडीलटकानेसे डंडी दोनोंपायोंमें स्पर्श न करनेपावै किन्तु यदिपाये सीधेगाँड़ेंगे तो निःसंदेह डंडी पायोंसे भिड़जायगी इसलिये पाये दोनों भुँकतेहुये गाड़िकर उनकी कंधियोंपर ऊपरला धुरा अच्छी दृढ़ताकेसाथ जमादेवे और उसधुराके मस्तकपर सन्मुख बीचोबीच गोलकड़ेदार एकलोहेकापोढ़ा कुंडाइसप्रकारसेजड़िदेनाचाहिये जैसा केवाड़ोंकीचौकठिमें ऊपरजड़ाजाताहै इसीकड़े मेंडंडीकाविचला काँटा जोड़ाजायगा-यहाँतकदिव्यतुला तो वनिचुकी अवकलङ्कीकेप्रथमतो लेजानेका प्रकारकहाजाताहै-यथा (प्राङ्मुखोनिश्चलः कार्यःशुचौदेशधटस्तथा। शिष्यद्वयेसमासज्यपार्श्वयोरुभयोरपि ॥ प्राङ्मुखान्कल्पयेद्दर्भान् शिष्ययोरुभयोरपि । पश्चिमेतोलयेत्कर्तृनन्यस्मिन्मृत्तिकांशुभाम् ॥ पिटकम्पूरयेत्तस्मिन्निष्टकायावपांशुभिः (अत्रचमृत्तिकेष्टकायावपांशूनांयिकल्पः) (परीक्षकानिवाक्तव्यान्तुलामानविशारदाः॥ वणिजोहेमकाराश्चकांस्यकारान्तथैवच । कार्यःपरीक्षकैर्नित्यमवलंबसमोद्यटः ॥ उदकश्च

स्योपरिपण्डितैः । यस्मिन्नल्लवते तोयं सविज्ञेयः समो धटः ॥ तोलयित्वानरं पूर्वं  
 मवतार्यतु । धटंतुकारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोभितम् ) (इनकेशेषइलोकनीचेफिर  
 भीलिखेजायँगे) अर्थात्-जिसतुलाका बनाना ऊपरकहागया उसको पूर्वमुखस्थापित  
 रै और पवित्रस्थानमें ऐसीनिश्चलगाड़ै जो कहींसेभी हलतीचलतीनहो तिसपीछे  
 दोनोंओर दो सीकें अच्छीयुक्तिसे बाँधकरदोनों शिखियों के भीतरप्राङ्गविवाक अपने  
 हाथसेकुशाविद्यावै तिनकाअग्रभागपूर्वकोरक्खे तिसपीछे वे कर्तालोग जिसकेनिमित्त  
 में दिव्य क्रियाठहरीहो तिनको पश्चिमओरके पल्लेमें बैठारै और दूसरेपल्लामेंपवित्र  
 माटीरक्खे यद्वाउसीपल्लाका(पिटक)नामटोकरा आदिजो कुछपात्रहो तिसकोईटोंसे या  
 कङ्कुरपत्थरसे या धूलिसेहीभरदेवे(भरिदेनायहकि जितनेमें उसमनुष्यकी बराबरतोल  
 होसके उतनाभरै और मट्टी या ईंट या कङ्कड़ या रेत इनमेंसे कोईएकवस्तु जो शुद्ध  
 हाथआवै सो लेनीचाहिये यहविकल्प जतलायाहै कुछ सभी चीजों से अपेक्षा नहीं)  
 (किसीनेइसवार्ताकाउलथाकहींऐसाभीकियाहै कि तोलनेमें केवलएकपवित्रमाटीगिनी  
 और यहलिखाहै किउसपात्रमें जोछेदहों तिनको ईंटोंकी सुरखी से या कङ्कड़ोंसे या  
 मिट्टीसे बन्दकरै सोयहअर्थवृथाहै किंतुसमुझनेकीबातहै किआचार्यों को ऐसीतुच्छ  
 और अमंगतविधि कहनेसे क्या अपेक्षाथी इस्सेतौ यहीसीधीबातकहिदेते कि वहपात्र  
 जिसमेंमट्टीप्रतिमानकरनेकोभरीजाय बिनाछिद्रोंकाहोनाचाहिये या टोकराहो तौ लिपा  
 हुआहोनाचाहिये अचंभेकीबातहै कि जिसराजद्वारमें इतनेबड़ेउपायकीरचनारचीजा-  
 यगी तिसमेंटूटेफूटेपात्रलाकर तुलापरचढ़ायेजायँगे दूसरायहअचंभाहै किजवईंटोंकी  
 सुरखीकूटकर भरीजायगी तब छिद्रपूरेहोसकेंगे या कङ्कड़ोंसेरूँधिसकेंगे और कोईव-  
 स्तुवस्त्रादिक ऐसीनहींथी जिस्सेछिद्ररूँधे जासके इसकेसिवाय जिसमट्टीसे वहतोल  
 होगी क्यावही मट्टीबँधीहुई डलेदारनमिलसकेगी जो छिद्रोंद्वाराभरनेनहींपावै अथवा  
 जोऐसाही रेतीकादेशहो जहाँऐसीमट्टी हाथ न आतीहो तहाँक्यारेतीको थैलामेंवाँध  
 करन धरसके परन्तु यह बातें सबएक ओर प्रथमतौ वहउलथक लिखताहै कि ईंटों  
 की सुरखी से-भलाजिन छिद्रों से प्रतिमानवाली मट्टी भरजायगी तिनमें कुटीहुई ईंटों  
 की सुरखी कैसे थँभी रहेगी जिस्से छेद बन्द होजावें और (पाँशु) शब्द जोधूलि अ-  
 थवा गोमयकी खातिकावाचक है तिसको उसने मिट्टी लिखापर मन्त्री यहवात है कि  
 इलोकों का यथार्थ भाव उसकी समुझ में नहीं आया इस्से लाचारथा ) अब अपने  
 प्रकृत वर्णन को ध्यान करौ कि ऊर्ध्वाक्त रीति में तुलापर बैठारै पीछे परीक्षक लोग  
 भी नियुक्त करने चाहिये जो तुलाकी मान विधिमें विशारदहों अर्थात् बनियां लोग  
 और तुनार और कसेरे यह सब उनी जगह उत्स्थितकरने चाहिये और इनपरी-  
 क्षक लोगोंकी इसप्रकारसे परीक्षाकरनी चाहिये कि जिन मनयउसतुलाकेदोनोंपल्ला

तोलेजायँ तब दोनोंओरसे डंडीको पूर्वोक्त दोनों अवलंबोंके समान करिलेवें अर्थात् जो पुरुषवाले पल्लाकी डंडी अपने अवलंबको छोड़कर कुछ नीचीदेख परतीहो तो मट्टीवाले पल्लामें किंचित्मट्टी और भी चढ़ादेवें जिस्सेदोनों ओर तुल्यहोजावें और जो मट्टीवाले पल्लाकीडंडीअपने अवलंबको छोड़कर कुछनीचीदेख परतीहो तौउसमें से थोड़ीमट्टीनिकालकरदोनों अवलंबोंके तुल्यकरलेवें और पंडितोंकोयहकरनाचाहिये कि दोनों अवलंबोंके तुल्यहोजानेपर धटके ऊपर जलकेबड़े २ बूँदछोड़ें जिसडंडीपर छोड़ाहुआ जल किसीतरफको बहिकरढलकै नहीं उसडंडीको ठीक २ बराबरसमुझें सिद्धांत इसका यह कि जबतक डंडीपर छोड़ाहुआ जल किसीएकओरको ढलकतारहे तब तक उस प्रतिमानवाली मट्टीके पल्लाको हलकाभारी करनेकाअधिकारहै अर्थात् कार्यसिद्धिकेअनुकूल कुछमट्टीउसमेंसेनिकालें या अधिकचढ़ावेंइसरीतिसे डंडीकोबरा वरकरलेवें किंतु केवल अवलंबोंकेही विश्वासपर बरावरनहीं समुझें बल्कि अवलंबोंको भी जलकेहीआधीन बरावरकरलेवें इसरीतिसे उसमनुष्यको पहिलेठीक २ तोलिकर उतारिलेवें तिसपीछे उसतुलाको शोभाके निमित्त में ध्वजापताका आदिसे अलंकृत करें यद्वा इस तोलनेसे पहिलेही अलंकृतकरिलेवें तौ कुछ निषेधनहीं बल्कि (नित्य) शब्दकी विशेषतासे अभिप्राय इसकायही है कि उस तुलाकाअलंकृत होनायोग्य है कुछ पहिले पीछेके नियमसे अपेक्षा नहीं-परन्तु-इसमें यहभी ध्यानकरना चाहिये कि यद्यपि धटको अलंकृत करना कहा और धटनामहै डंडीकातथापिडंडीके आधार भूत ऊपरले धुरापरपताका आदिका लगाना उचितहै क्योंकि डंडीपर लगानेसे यदि किसीएक पक्ष में हलकीभारी भंडीलगिजायगी तौ उसडंडीसे तोलनेमें कुछ फेरपर सक्ताहै अथवा जो डंडीमें लगाईजायँ तौ फिर भंडियांभीऐसी तोलनापकी प्रक्रिया से बनानीओर लगानी चाहिये जिस्से तौलमेंबड़ा आनेका संदेह शेषनरहै-यह विधि मनुष्यको पहिलीवार तौलनेमध्ये कहीगई अब नीचेके श्लोकोंसे द्वितीयवार चढ़ने की विधिकहीजायगी जिसमें चढ़नेसे पहिले धटकीपूजा विधिकी आवश्यक है सो कहतेहैं-यथा (तत आवाहयेद्देवान् विधिनानेनमंत्रवित् । वादित्रतूर्यघोषैश्चगंधमाल्यानु लेपनैः ॥ प्राङ्मुखः प्रांजलिभूत्वा प्राङ् विवाकस्ततो वदेत् । एह्येहि भगवन् धर्म अस्मिन् दिव्ये समाविश ॥ सहितोलोकपालैश्च वस्वादित्यमरुद्गणैः । आवाह्यतु धेटर्धमपश्चा दंगानिविन्यसेत् ॥ इंद्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा । वरुणं पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अग्न्यादिलोकपालांश्च कोणभागे पु विन्यसेत् । इंद्रः पीतोयमः श्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ कुबेरस्तु मुवर्णा भोवाह्निश्चापिसुवर्णभः । तथैव निऋतिः श्यामो वायुर्धूम्रः प्रशस्यते ॥ ईशानस्तु भवद्रक्तः एवं ध्यायेत् क्रमादिमान् (इनकेशपडलोक नीचे लिख जायँगे) अर्थात्-दिव्यकारी मनुष्यको एकवार ठीकठीक तोलिकर उतारनेपीछे कर्मकांडके मंत्रों



जाननेवाला विद्वान् इसविधिसे देवताओं का आवाहन करै कि बाजन तूर्यघोष  
 बजातेहुये गंध सुगंध पुष्पमाला अनुलेपन आदि पूजनवस्तु हाथ में लेकर  
 हाथजोड़ेहुये पूर्वमुख होकर यह अग्रोक्तमंत्र बोलेकि-हे भगवन् धर्मदेव  
 आवो यहां आवो इस दिव्य प्रमाणकी क्रियामें तुम लोकपालों सहित वसुओं  
 आदित्यों सहित मरुद्गणों सहित आयकर प्रवेशकरौ यहमंत्र पढ़िकर हाथकी  
 डंडीके बिचले काँटेपर चढ़ादेवै इसप्रकार धर्मराजको तुलामें स्थापित किये  
 अंगोंकोभी आवाहन और स्थापनकरै-तहाँ-इन्द्रको पूर्वदिशामें स्थापै यम-  
 दक्षिणमें-वरुणको पश्चिम भागमें-कुबेरको उत्तरमें-ऐसेही अग्नि आदिलोक-  
 लोंको चारोंकोण भागमें स्थापै अर्थात् अग्निको आग्नेय कोणमें-निर्ऋतिको नैऋत-  
 में वायुको वायव्यकोणमें-ईशानको ईशान कोणमेंस्थापै फिर इनसबके स्वरू-  
 पका ध्यानकरै अर्थात्-इन्द्रका पीतरूप ध्यानकरै-यमका श्यामरूप-वरुणका स्फटिक  
 के समान श्वेतवर्ण-कुबेरकी सोनेकीसी आभा-अग्निभी सुवर्ण कीसी आभा-  
 निर्ऋति श्यामरूप-वायुधूम्रवर्ण-ईशानरक्तवर्ण-इसीक्रमसे भिन्न २ इनका ध्यान अंजली  
 में पुष्पादिक लेकरकरै-अब नीचेके श्लोकोंसे वसु और आदित्योंका आवाहन और  
 स्थापन कहतेहैं-यथा(इन्द्रस्यदक्षिणेपार्श्वेवसूनाराधयेद्बुधः । धरोध्रुवस्तथासोम आपश्चै  
 वानिलोऽनलः ॥ प्रत्यूषश्चप्रभातश्चवसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । देवेशेशानयोर्मध्ये आदि  
 त्यानांतथायनम् ॥ धाताऽर्यमाचमित्रश्चवरुणोऽशोभगस्तथा । इन्द्रोविवस्वानूपषाच  
 पर्जन्योदशमःस्मृतः ॥ ततस्त्वष्टाततोविष्णुरजघन्योऽजघन्यजः । इत्येतेद्वादशादि  
 त्यानामभिःपरिकीर्तिताः) (इनके शेषश्लोक नीचे लिखेजायँगे) अर्थात् पहिले जहाँ  
 इन्द्रका स्थापन होचुकाहो उसके दाहिने ओर वसुओंका आराधन पंडित करै अर्थात्  
 धर १ ध्रुव २ सोम ३ आपः ४ अनिल ५ अनल ६ प्रत्यूष ७ प्रभात ८ इनआठ  
 वसुओंको इन्द्रके दक्षिण पार्श्वमें स्थापित करै इन्द्र और ईशान इन दोनोंके बीचमें  
 आदित्योंका स्थापन करै अर्थात् धाता १ अर्यमा २ मित्र ३ वरुण ४ अंश ५ भग ६  
 इन्द्र ७ विवस्वान् ८ पूषा ९ पर्जन्य १० त्वष्टा ११ अजघन्या जघन्यज विष्णु १२  
 येद्वादश नामों के आदित्यहैं तिनको इन्द्र और ईशानके बीच में स्थापै-अब नीचे के  
 श्लोकोंसे रुद्रों तथा मातृयों की स्थापनाकहते हैं-यथा (अग्नेःपश्चिमभागेतु रुद्राणाम  
 यनंविदुः । वीरभद्रश्चशंभुश्चगिरीशश्चमहायशाः ॥ अजेकपादहित्रधनःपिनाकीचा  
 पराजितः । भुवनाधीश्वरश्चैवकपालीचविशांपतिः ॥ स्थाणुर्भवश्चभगवान् रुद्रास्त्वेकाद  
 शस्मृताः । प्रेतेशरक्षोमध्येतुमातृस्थानं प्रकल्पयेत् ॥ ब्राह्मीमाहेश्वरीचैवकौमारीवैष्णवी  
 तथा । वाराहीचैवमाहेंद्रीचामुंडागणसंयुताः) (इनके शेषश्लोक नीचेकहे जायँगे) अर्थात्-  
 जहाँ अग्निका स्थापन होचुकाहो तिसके पश्चिम ओर ग्यारह रुद्रोंका स्थापन जानो-वीरभद्र १

शम्भु२ गिरीश जो महायशा विख्यात है ३ अजैकपात् ४ अहिब्रध्न ५ पिनाकी ६ अप-  
राजित ७ भुवनाधीश्वर ८ कपाली जो विशाम्पति नाम लोकोका पति विख्यात है ९ स्था-  
ण १० भव जो अतिशय ऐश्वर्य शक्तिवान् है ११ ये एकादश रुद्र कहते हैं तिनको  
अग्नि के पश्चिम भाग में स्थापै-ऐसे ही यमराज और निऋति इन दोनों के बीच में मातृ-  
यों का स्थान कीलपतकैर-ब्राह्मी १ माहेश्वरी २ कौमारी ३ वैष्णवी ४ वाराही ५ माहेन्द्री ६  
चामुण्डा ७ ये सातो अपने २ गणों सहित स्थापित करै-अब निचले श्लोकों से गणेश  
और मरुतों और दुर्गा की स्थापना कहते हैं-यथा (निऋतेरुत्तरे भागे गणेशाय तनं विदुः ।  
वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते ॥ पवनःस्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा । प्राणः  
प्राणेशजीवौ च मरुतोऽष्टौ प्रकीर्तताः ॥ धटस्योत्तरभागे तु दुर्गाभावाहयेद्बुधः । एतासां  
देवतानां तु स्वनाम्ना पूजनं विदुः) ( इन श्लोकों का शेष नीचे और कहा जायगा ) अर्थात्  
जहाँ निऋत्यकोण में निऋति देवता का स्थापन हो चुका है उसके उत्तर भाग में गणेश का  
स्थान जानो-और वरुण के उत्तर भाग में मरुतों का स्थान कहाता है-पवन १ स्पर्शन २  
वायु ३ अनिल ४ मारुत ५ प्राण ६ प्राणेश ७ जीव ८ यह आठ मरुतों का गण कहाता है  
तुलाके उत्तर भाग में दुर्गा का आवाहन वा स्थापन पंडित करै- ये सब देवता जो स्था-  
पित किये गये तिनका आवाहन या स्थापन या पूजन का प्रकार जो कुछ होता है सो  
सब उनके नाम से ही जानौ अर्थात् जो जो उनका नाम है सोई पूजन का मंत्र है पर चतु-  
र्थ्यत करने से मंत्रत्व को पहुँचता है तिसकी विधि नीचे लिखी है-(अथानुक्रमः)-अब निचले  
श्लोकों से सर्वशेष विधि वर्णन करते हैं-यथा (भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चार्घ्यादिकं क्रमात् ।  
अर्घ्यादिपश्चादंगानां भूषांतमुपकल्पयेत् ॥ गंधादिकानि वैद्यांतां परिचर्यां प्रकल्पयेत्-अत्र  
च-तुलां पताका ध्वजालं कृतां विधाय तस्यामेह्येहीति मंत्रेण धर्ममावाह्य धर्माया र्घ्यं कल्पया  
मिनम इति नम इत्यादिना प्रयोगेणार्घ्यपाद्याचमनीयस्नानवस्त्रयज्ञोपवीताचमनीयमुकु  
टकटकादिभूषांतं दत्त्वा इन्द्रादीनां दुर्गांतानां प्रणवाद्यैः स्वनामभिश्चतुर्थ्यैर्नमोत्तैरर्घ्या  
दिभूषांतं पदार्थानुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैर्वेद्यानि दत्त्वा इन्द्रादीनां गंधादी  
निपूर्ववद्दद्यात्) अर्थात्-धर्मके लिये अर्घको आदिले कर भूषणदानके अंततार्थं यथाक्रमसे  
देकर पीछे धर्मके अङ्गोंको भी अर्घ्य आदिभूषाके अन्ततक उपकल्पित करै तिस पीछे इन्हीं  
सबके निमित्तमें गन्धकोंको आदिले कर नैवेद्यपर्यंत जो परिचर्या होती है सो प्रकल्पित करै  
(चतसमस्तपूजाका स्थूलक्रम दर्शाया) इसका व्योरेवार यह भावार्थ है कि पूर्वोक्तीतिसे प्र-  
थमतुलाको पताका और ध्वजाओंसे अलंकृत करिके उसी तुलामें धर्मका आवाहन इस  
पूर्वोक्त मंत्रमें करके (एह्येहि भगवन् धर्मह्यस्मिन् दिव्ये समाविश । सहितो लोकपाले च व-  
स्वादित्यमरुद्गणैः) फिर इन्हीं धर्मदेवके निमित्तमें पहिले अर्घ १ पाद्य २ आचमनीय ३  
मधुपर्क ४ आचमनीय ५ स्नान ६ वस्त्र ७ यज्ञोपवीत ८ आचमनीय ९ मुकुटकटक

१० यह सब चढ़ावै सो इन पदार्थोंके चढ़ाने का यह मंत्र है यथा (धर्माय  
 :धर्माय पाद्यं समर्पयामि नमः ) इत्यादि प्रयोग रीतिसे सभी अत्रोक्त  
 पीछे इन्द्रादिक दुर्गापर्यंत जो धर्मराजके अङ्गभूत देवता ऊपर आवाह-  
 भी अर्घ्यादि भूषणत पूजा कल्पित करै अर्थात् पहिले अर्घ्य १ पाद्य २  
 ३ मधुपर्क ४ आचमनीय ५ स्नान ६ वस्त्र ७ यज्ञोपवीत ८ आचमनीय ९  
 और कटकनाम कड़े आदि भूषणपर्यंत १० यह सब चढ़ावै सो इन पदार्थोंके चढ़ाने  
 कामंत्र सब देवताओंके अपने अपने नामों सहित ओंकार आदिमें और अन्तमें चतुर्थी  
 विभक्तिका चिह्न देकर तिसके अन्तमें नमः शब्द जोड़कर उच्चारण करै और उस  
 पदार्थका भी योग उसी मन्त्रमें करिलेवै जैसे (इन्द्राय नमः अर्घ्यं कल्पयामि) (इन्द्राय  
 नमः पाद्यं कल्पयामि ) इत्यादि प्रकारसे सभी देवताओंको अर्घ्यादि भूषणपर्यंत सब  
 चढ़ायकर तिस पीछे धर्म देवके निमित्तमें गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यह सब उसी  
 पूर्वोक्त रीतिके मन्त्रसे चढ़ावै- फिर धर्म देवके अंगभूत पूर्वोक्त सब इन्द्रादि देवताओं  
 को भी गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यह सब उसी पूर्वोक्त रीतिके मन्त्रसे चढ़ावै- गन्ध  
 और पुष्प यह दोनों वस्तु तुलाकी पूजामें रक्तवर्णके मँगावै- यथाहनारदः ( रक्तैर्गन्धै-  
 श्रमाल्यैश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः । अर्चयेत्तु घटपूर्वततः शिष्टांस्तु पूजयेत् ) अर्थात्-  
 लाल गन्ध और लाल फूल मालाओं से और अपूप अक्षत आदि वस्तुओं से प्रथम  
 घटकी पूजा करै फिर और और देवताओंको पूजै ( घटके ऊपर लाल गन्ध या  
 पुष्पमालाके उपलक्षणसे पूर्वोक्त वस्त्रादिक भी रक्तवर्णके चढ़ावै ) व अन्य  
 इन्द्रादिक देवताओंकी पूजामें पदार्थोंका वर्ण भेद कुछ विशेषतासे नहीं कहा इस-  
 लिये लाल पीले आदि जैसे प्राप्त हो सकें तैसे सभी चढ़ाने चाहिये यह पूजाका अनु-  
 क्रम कथनहुआ सो यह सब पूजनविधि प्राङ्गविवाक आपकरै यह शास्त्रकी आज्ञा है-  
 तथाच ( प्राङ्गविवाकस्ततो विप्रो वेदवेदांगपारगः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नः शांतचित्तो विमत्सरः ॥ सत्यसंधः शुचिर्दक्षः सर्वप्राणिहितैरतः । उपोषितः शुद्धवासाः कृतदंतानुधावनः ॥  
 सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यथाविधि ) अर्थात्- प्राङ्गविवाक जो जातित्वसे ब्राह्मण हो  
 वेद और वेदांगोंके पारको पहुँचा हो श्रुति और स्मृतिके अनुसार जिसका आचार  
 हो शान्तचित्त हो मत्सरतासे रहित हो सत्यप्रतिज्ञ हो शुद्ध अन्तःकरण हो यद्वा  
 उपधा शुचि हो चतुर हो सर्वप्राणीमात्रके हितमें तत्पर हो ऐसा प्राङ्गविवाक उस  
 दिन व्रती होकर दन्तधावन आदि नित्य क्रियायें साधन करिके शुद्ध वस्त्र धारण करै  
 और घटसंबंधी सब देवताओंकी पूजा यथाविधिसे करै ( प्राङ्गविवाक जातित्वसे  
 ब्राह्मण हो इस आज्ञाका यह आशय है यदि प्राङ्गविवाक क्षत्रिय आदि हो तो  
 उसकी ओरसे एक विद्वान् ब्राह्मण आचार्य नियत होकर उसीके सन्मुख उसके

शम्भु२ गिरीश जो महायशा विख्यात है ३ अजैकपात् ४ अहिब्रध्न ५ पिनाकी ६ अप-  
राजित ७ भुवनाधीश्वर ८ कपाली जो विशास्पति नाम लोकोका पति विख्यात है ९ स्था-  
ण १० भव जो अतिशय ऐश्वर्य शक्तिवान् है ११ ये एकादश रुद्र कहते हैं तिनको  
अग्नि के पश्चिम भाग में स्थापै-ऐसे ही यमराज और निऋति इन दोनों के बीच में मातृ-  
यों का स्थान कीलपतकरै-ब्राह्मी १ माहेश्वरी २ कौमारी ३ वैष्णवी ४ वाराही ५ माहेन्द्री ६  
चामुण्डा ७ ये सातो अपने २ गणों सहित स्थापित करै-अब निचले श्लोकों से गणेश  
और मरुतों और दुर्गा की स्थापना कहते हैं-यथा (निऋतेरुत्तरे भागे गणेशाय तनं विदुः ।  
वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते ॥ पवनःस्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा । प्राणः  
प्राणेशजीवौ च मरुतोऽष्टौ प्रकीर्तितः ॥ धटस्योत्तरे भागे तु दुर्गा मावाहयेद्बुधः । एतासां  
देवतानां तु स्वनाम्ना पूजनं विदुः) ( इन श्लोकों का शेष नीचे और कहा जायगा ) अर्थात्  
जहाँ निऋत्यकोण में निऋति देवता का स्थापन हो चुका है उसके उत्तर भाग में गणेश का  
स्थान जानो-और वरुण के उत्तर भाग में मरुतों का स्थान कहाता है-पवन १ स्पर्शन २  
वायु ३ अनिल ४ मारुत ५ प्राण ६ प्राणेश ७ जीव ८ यह आठ मरुतों का गण कहता है  
तुला के उत्तर भाग में दुर्गा का आवाहन वा स्थापन पंडित करै- ये सब देवता जो स्था-  
पित किये गये तिनका आवाहन या स्थापन या पूजन का प्रकार जो कुछ होता है सो  
सब उनके नाम से ही जानौ अर्थात् जो जो उनका नाम है सोई पूजन का मंत्र है परचतु-  
र्थ्यत करने से मंत्रत्व को पहुँचता है तिसकी विधि नीचे लिखी है-(अथानुक्रमः)-अब निचले  
श्लोकों से सर्वशेष विधि वर्णन करते हैं-यथा (भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चार्घ्यादिकं क्रमात् ।  
अर्घ्यादिपश्चादंगानां भूषांतमुपकल्पयेत् ॥ गंधादिकानि वैद्यांतां परिचर्यां प्रकल्पयेत्-अत्र  
च-तुलां पताका ध्वजालं कृतां विधाय तस्यामेह्येहीति मंत्रेण धर्ममावाह्य धर्माया र्घ्यं कल्पया-  
मिनम इति नम इत्यादिना प्रयोगेणार्घ्यपाद्याचमनीयस्नानवस्त्रयज्ञोपवीताचमनीयमुकु-  
टकटकादिभूषांतं दत्त्वा इन्द्रादीनां दुर्गातानां प्रणवाद्यैः स्वनामभिश्चतुर्थ्यैर्नमोत्तरैर्घ्या-  
दिभूषांतं पदार्थानुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि दत्त्वा इन्द्रादीनां गंधादी-  
नि पूर्ववदद्यात्) अर्थान्-धर्मके लिये अर्घको आदिले कर भूषणदानके अंतताई यथाक्रमसे  
देकर पीछे धर्मके अङ्गोंको भी अर्घ्य आदिभूषाके अन्ततक उपकल्पित करै तिसपीछे इन्हीं  
सबके निमित्तमें गन्धकोंको आदिले कर नैवेद्यपर्यंत जो परिचर्या होती है सो प्रकल्पित करै  
(यह समस्त पूजा का स्थूल क्रम दर्शाया) इसका व्यौरेवार यह भावार्थ है कि पूर्वोक्तरीतिसे प्र-  
थमतुलाको पताका और ध्वजाओंसे अलंकृत करिकै उसी तुलामें धर्मका आवाहन इस  
पूर्वोक्त मंत्रसे करे कि (एह्यो हि भगवन् धर्मह्यस्मिन् दिव्ये समाविश । सहितो लोकपालैश्च व-  
स्वादित्यमरुद्गणैः) फिर उन्हीं धर्मदेवके निमित्तमें पहिले अर्घ १ पाद्य २ आचमनीय ३  
मधुपर्क ४ आचमनीय ५ स्नान ६ वस्त्र ७ यज्ञोपवीत ८ आचमनीय ९ मुकुटकटक

आदिभूषणपर्यंत १० यह सब चढ़ावै सो इन पदार्थोंके चढ़ाने का यह मंत्र है यथा (धर्माय अर्घ्यं कल्पयामिनमः धर्माय पाद्यं समर्पयामिनमः ) इत्यादि प्रयोग रीतिसे सभी अत्रोक्त वस्तु कल्पित किये पीछे इन्द्रादिक दुर्गापर्यंत जो धर्मराजके अङ्गभूत देवता ऊपर आवाहन करने के हेतु गये तिनको भी अर्घ्यादि भूषणान्त पूजा कल्पित करै अर्थात् पहिले अर्घ्य १ पाद्य २ आचमनीय ३ मधुपर्क ४ आचमनीय ५ स्नान ६ वस्त्र ७ यज्ञोपवीत ८ आचमनीय ९ मुकुट और कटकनाम कड़े आदि भूषणपर्यंत १० यह सब चढ़ावै सो इन पदार्थोंके चढ़ाने का मंत्र सब देवताओंके अपने अपने नामोंसहित ओंकार आदिमें और अन्तमें चतुर्थी विभक्तिका चिह्न देकर तिसके अन्त में नमः शब्द जोड़कर उच्चारण करै और उस पदार्थका भी योग उसी मन्त्रमें करिलेवै जैसे (इन्द्राय नमः अर्घ्यं कल्पयामि) (इन्द्राय नमः पाद्यं कल्पयामि) इत्यादि प्रकारसे सभी देवताओंको अर्घ्यादि भूषणपर्यंत सब चढ़ायकर तिस पीछे धर्म देवके निमित्तमें गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यह सब उसी पूर्वोक्त रीतिके मन्त्रसे चढ़ावै- फिर धर्म देवके अङ्गभूत पूर्वोक्त सब इन्द्रादि देवताओंको भी गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यह सब उसी पूर्वोक्त रीतिके मन्त्रसे चढ़ावै- गन्ध और पुष्प यह दोनों वस्तु तुलाकी पूजामें रक्तवर्णके मँगावै- यथाहनारदः ( रक्तैर्गन्धैश्चमाल्यैश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः । अर्चयेत्तु घटं पूर्वततः शिष्टांस्तु पूजयेत् ) अर्थात्- लाल गन्ध और लाल फूल मालाओं से और अपूप अक्षत आदि वस्तुओं से प्रथम घटकी पूजा करै फिर और और देवताओंको पूजे ( घटके ऊपर लाल गन्ध या पुष्पमालाके उपलक्षणसे पूर्वोक्त वस्त्रादिक भी रक्तवर्णके चढ़ावै ) व अन्य इन्द्रादिक देवताओंकी पूजामें पदार्थोंका वर्ण भेद कुछ विशेषतासे नहीं कहा इसलिये लाल पीले आदि जैसे प्राप्त हो सकें तैसे सभी चढ़ाने चाहिये यह पूजाका अनुक्रम कथनहुआ सो यह सब पूजनविधि प्राङ्गविवाक आपकरे यह शास्त्रकी आज्ञा है- तथाच ( प्राङ्गविवाकस्ततो विप्रो वेदवेदांगपारगः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नः शांतचित्तो विमत्सरः ॥ सत्यसंधः शुचिर्दक्षः सर्वप्राणिहितैरतः । उपोषितः शुद्धवासाः कृतदंतानुधावनः ॥ सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यथाविधि ) अर्थात्- प्राङ्गविवाक जो जातित्वसे ब्राह्मण हो वेद और वेदांगोंके पारको पहुँचा हो श्रुति और स्मृतिके अनुसार जिसका आचार हो शान्तचित्त हो मत्सरतासे रहित हो सत्यप्रतिज्ञ हो शुद्ध अन्तःकरण हो यद्वा उपधा शुचि हो चतुर हो सर्वप्राणीमात्रके हितमें तत्पर हो ऐसा प्राङ्गविवाक उस दिन व्रती होकर दन्तधावन आदि नित्य क्रियायें साधन करिके शुद्ध वस्त्र धारण करे और घटसंबंधी सब देवताओंकी पूजा यथाविधिमें करे ( प्राङ्गविवाक जातित्वमें ब्राह्मण हो इस आज्ञाका यह आशय है यदि प्राङ्गविवाक शत्रिय आदि हो तो उसकी ओरसे एक विद्वान् ब्राह्मण आचार्य नियत होकर उर्माके सन्मुख उसके

कर्तव्यों को करै ( इसके सिवाय ) ऋत्विक् लोग जो संख्यामें चारहों प्रत्येक धटकी चारों दिशा में बैठकर लौकिक अग्निमें होम करें-यथाह ( चतुर्दिक्षु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः । आज्येन हविषा चैव समिद्धिर्होमसाधनैः ॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ स्वाहांतैर्नैव होमयेत् ) अर्थात्-वेदके ज्ञाताओं करके चारों दिशामें होम करना चाहिये घृत और हविष्यान्नसे और उन वृक्षोंकी समिधोंसे जो होम साधन करनेमें होती हैं और इसहोमका मंत्र भी ( प्रणवादिस्वाहांतसावित्री ) से कर्तव्य है अर्थात् प्रणवनाम ओंकार आदिमें देकर गायत्रीको उच्चारण करै तिसके अंत में फिर ओंकार उच्चारण करिके पश्चात् स्वाहाशब्द उच्चारण करै सो यह एक मन्त्र है ऐसे एकएक मंत्रसे १०८ आहुतियाँ एकएक समिध और घृत और चरुसे होमै इतना होम चारों दिशामें कर्तव्य है-इसप्रकारसे हवनपर्यंत सब देवताओंकी पूजाकिये पीछे एक पत्र लिखना चाहिये जिसमें दिव्यकारी कलङ्कीका कलंक या जो कुछ और प्रयोजन हो सो सब अर्थ इह निम्नोक्त मंत्रसहित लिखना चाहिये पुनि उसपत्रका शोधन करिके उसीके शिर पर धरना चाहिये-यथाह ( यंचार्थमभियुक्तः स्यात्स्त्रिखित्वातंतुपत्रके । मंत्रेणानेन सहितं तत्कार्यं शिरो गतम् ) अर्थात्-दिव्यकारी पुरुष जिस कलङ्क में अभियुक्त किया गया हो वही कलंक एक पत्रपर लिखकर उसके नीचे यह अग्रोक्त मंत्र भी लिखकर वही पत्र उसके शिरपर धरना चाहिये-जिसमंत्रका चर्चा इसमें किया गया सो अब लिखते हैं -यथा ( आदित्यचंद्रावनिलोऽनलश्रद्यौर्भूमिरापो हृदयं मश्रु । अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तिम् ) अर्थ इनका सुगम है -ध्यान करौ धर्म देवके आवाहनसे इस पत्रकी प्रक्रिया ताई जो कुछ अनुष्ठान कांड कहा गया सो केवल धटकी विधिमें नहीं समुभना किन्तु अन्य भी अग्नि आदि चारों दिव्यों में होना इसका उचित है -तथाहि ( इमं मंत्रविधिं कृत्स्नं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत् ) अर्थात्-यह संपूर्ण मंत्र विधिसभी दिव्यों में कर्तव्य है और देवताओं का आवाहन भी उसी क्रमसे करै जैसा धटके प्रसंग से कहा गया-जब दिव्यकारी के शिरपर पत्र लिखकर धराजाय तब प्राड्विवाक हाथ जोड़कर तुला से प्रार्थना करै-उक्तं च ( धटमामंत्रये चैव विधिनानेन शास्त्रवित् ) अर्थात्-शास्त्रका जानने वाला प्राड्विवाक इस अग्रोक्त विधिसे तुलाको आमंत्रित करै तिसके मंत्र अब कहते हैं-यथा ( त्वं धटब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वटं कारात्कुटिलं नरम् ॥ धृतो भावयसे यस्माद्धटस्तेनाभिधीयसे । त्वं वै त्सि सर्वजंतूनां पापा निसुकृतानि च ॥ त्वमेव देवजानीषे न विदुर्यानि मानवाः । व्यवहाराभि शस्तोयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ॥ तदेनं संशयाद्दस्माद्धर्मतस्त्रानुमर्हसि ) अर्थात्-प्राड्विवाक यह प्रार्थना करै कि हे धट हेतुले तू भे ब्रह्माने दुरात्माओंकी परीक्षाके लिये निर्मित किया है और



जोकि (ध) (ट) यह दो अक्षर तेरे नामके विख्यात हैं सो भी इसी हेतुसे कि (ध) कारके अर्थसे तू धर्मकी मूर्ति है और (ट) कारके अर्थसे तू कुटिल नरको बतलानेवाली है इसी से धटसंज्ञा तेरी विख्यात है तुम सभी प्राणियोंके पाप और पुण्योंको भी जानते हो हे देव तुमहीं उन गूढ़ भेदोंको जानते हो कि जिनको मनुष्य नहीं जानिसक्ता और यह अमुक नामा मानुष जो कलंकी ठहराया गया तेरे द्वारा अपनी लाञ्छन शुद्धि चाहता है इसलिये इसको इससंशयसे धर्मपूर्वक रक्षा करने योग्य हो किंतु सत्य या असत्य इसमें जो कुछ हो सो यथार्थ प्रकट करौ-इस पीछे वह दिव्यकारी भी पूर्वोक्त मंत्रोंको पढ़कर तुलासे प्रार्थना करै (पूर्वोक्त मंत्र जो १०३ और १०४ मूल श्लोकोंसे कह चुके हैं तिनका काम अब तक नहीं आया था यहाँपर उन मंत्रोंका प्रयोजन आया) जब दिव्यकारी भी प्रार्थना करि चुकै तब प्राङ्गुलिका वह पत्र जिसकी चर्चा ऊपर हुई थी कलंकीके शिरपर धरि कै यथा स्थानपर जैसे पहिले धटपर चढ़ा हो तैसे ही उसी स्थलपर फिर उसे चढ़ावे किंतु खड़ियामट्टीसे खिची हुई पहिली रेखाके तुल्य उसको बैठारे इसीलिये वह रेखा पहिले हुई थी-यथाह (पुनरारोपयेत्तस्मिन्स्थित्यावस्थितपत्रकम्) अर्थात्-अवस्थितपत्रकलंकी जिसके शिरपर पत्र रक्खा गया तिसे पूर्वस्थितिके ही तुल्य उसमें पुनरारोपित करै-पुनरारोपित करनेमें उतने काल तक आरोपित रखना चाहिये जो पाँच विनाडी काल होता है सो उसकालकी परीक्षा भी ज्योतिषशास्त्रका जाननेवाला करै-यथाह (ज्योतिर्विद्वा ह्यणः श्रेष्ठः कुर्यात्कालपरीक्षणम् । विनाड्यः पंचविज्ञेयाः परीक्ष्याः कालकोविदैः) अर्थात्-ज्योतिषशास्त्रका विज्ञाता श्रेष्ठब्राह्मण कालकी परीक्षा करै और उस परीक्षामें कालज्ञों करके केवल पाँच विनाडी ही परीक्ष्य समुभी चाहिये (विनाडी) नाम पल जो घटीमात्रमें साठि होते हैं ऐसे पाँच पल तक उस पुरुषको तुलापर संस्थित बनारखवै अर्थात् न्यून अथवा अधिक विलंब तक नहीं-पलोंके पहिंचाननेका यह प्रकार है कि जितने कालमें दीर्घदश अक्षर उच्चारण हो सकें तिसको प्राणसंज्ञा कहते हैं ऐसे छः प्राणोंकी एक विनाडी अर्थात् एक पल कहाता है ऐसे पाँच पल तक उसको तुलापर संस्थित बनारखकर उसी कालमें शुद्धि और अशुद्धिकी परीक्षा करनी चाहिये सो इस परीक्षाके निमित्तसे राजा शुद्ध पुरुषोंको नियुक्त करे वे उस कार्यकी शुद्धि वा अशुद्धि कथन करे-यथाह पितामहः— (साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठायथादृष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः शुचयोऽलुब्धानियोक्तव्यान्पेणतु ॥ शंसन्ति साक्षिणः सर्वशुद्ध्यशुद्धान्पेतदा) अर्थात्-पितामहने कहा है कि इमवात्ता किमाधी जो परीक्षाके निमित्तमें होने चाहिये तिनको राजा आपनियत करे और उचित है कि इममें साक्ष्य देने वा परीक्षा करनेको ब्राह्मण श्रेष्ठ समुभे जायँ परंतु पने ब्राह्मण होने चाहिये जो सत्यवादी हों किंतु जैसा देखें तैसा ही राजाको प्रमाण देवे और जानी हों जिनको उस परीक्षामें योग्यता हो निर्मल अंतःकरण हों अलुब्ध हों ऐसे सब साक्षी लोग उतने

कालमें शुद्धि या अशुद्धि जो कुछ हो सो राजासे कहते हैं-शुद्धि या अशुद्धि कैसे जानी जाय इसके निर्णय मध्ये कारण भी कहे हैं-यथा ( तुलितोयदिवर्द्धतसंशुद्धःस्यान्नसंशयः । समोवाहीयमानोवानसशुद्धोभवेन्नरः ) अर्थात्-तौलाहुआ पुरुष यदि बढे किन्तु ऊपर को ऊँचा होजाय तौ निःसंदेह उसकी शुद्धिनाम सच्चापन जानाजाय और जो दोनों पल्ले बराबर बने रहें या कलंकी का पल्ला हीयमान किन्तु नीचा होजाय तौ वह पुरुष शुद्ध नहीं अर्थात् भूँठा समुभाजाय-इसवार्त्ता में पितामह का यह वचन है कि ( अल्पदोषःसमोज्ञेयो बहुदोषस्तुहीयते ) अर्थात्-जो अल्पदोषी होता है तिसका पल्लादोनोंओर बराबरवना रहता है इसलिये बराबर पल्लावालेको अल्पदोषी जानना और जिसका पल्लानीचा होजाय तिसको बहुदोषी जानना-सो-इसवचन का यह सिद्धांत है कि यद्यपि दिव्य क्रियाके आचरण करने से यह बात निश्चित नहीं होसकी है कि जिस अपराध का कलंक उसको लगाया गया वह थोड़ा है या बहुत है तथापि इसमें यह गूढ़ व्यवस्था है कि जो अपराध एकहीबार और अमति पूर्व होने का कलंक लगाहो और तौलने में दोनों पल्ले एकसे बराबर बने रहें तौ उस पुरुष को अल्पदोषी जानना और उसके ऊपर दण्ड तथा प्रायश्चित्तभी थोड़ाही समुभना चाहिये और जो अपराध बारम्बार और मतिपूर्वक जानि बूझकर इच्छासहितहोने का कलंक लगाहो तौ बराबरपल्लाहोनेमेंभी वहदोषीसमुभाजाय और उसपरदंडतथा प्रायश्चित्त का महत्त्वसमुभा चाहिये अन्यथासाधारण सबदशाओं में इस्से पहिला वचन प्रमाणहै-कदाचित् ऐसाअवसर होजाय जो किसी वस्तुके टूटजानेकाप्रत्यक्ष कोईसाकारण संभवनहो और परीक्षाके होतेसमय (कक्ष) आदि कोई अंगतुलाका टूट जावै तौभी उसपुरुषकी अशुद्धिसमुभीचाहिये-तथाचोक्तं(कक्ष्यच्छेदेतुलाभंगेधटकर्कटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेऽक्षभंगेवातथैवाशुद्धिमादिशेत्) अर्थात्-यदि परीक्षाकेहोतेसमय (कक्ष्य)नाम कोईसीका टूटजाय जिनमें पलड़े या टोकरा आदि कोई पात्ररक्खाजाता है या (तुला)नाम डंडीफटजाय या (धट)नाम डंडीके दोनों(कर्कट) अर्थात् टेढ़ेकांटेदार कड़े जो मेढाके सींगोंसमान बनिकर लगतेहैं कोईएक टूटजाय या (रज्जु)नाम रस्सी जो सीकेमें यद्वा किसीओरमें बाँधीहुई टूटजाय या (अक्ष) नाम ऊपरलाधुरा जिसमें डंडीटांगी जातीहैवहीटूटजाय तौभी उसकलंकीकी अशुद्धि कहनीचाहिये-और जो-इन्हींवस्तुओंके टूटनेका प्रत्यक्षकोई कारण ऐसा देखपरताहो जिसके हेतुसे ये टूटेहों तौ फिर उसटूटेहुये अंगको जोड़कर फिर भी उसेचढ़ावै और परीक्षाउसकी करे-तथाच-(शिक्यादिच्छेदभंगेषुपुनरारोपयेन्नरम्) अर्थात्-शिक्यादिकों का टूटना फटना जैसाऊपर कहाथा उसके होनेमें मनुष्यको धटपर फिर आरोपितकरे-इसप्रकारउसकी परीक्षासे निरुत्ति हुये पीढ़े अतिविक्र और पुरोहित और आचार्य आदि जिन्होंने यह

कर्मसाधन किया और करवायाहो उन को परिश्रमके अनुकूल राजा दक्षिणाओं से सन्तुष्टकरै ऐसीविधिसे अट्टष्टअपराधोंका फैसलाकरने या करवानेवाला राजा नाना-भाँतिके मनोवाञ्छित भोगोंको भोगता और उत्कृष्ट कीर्तिको पहुँचता और पश्चात् ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माकासमीपी होताहै-तथाच (ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान् दक्षिणा भिश्चतोषयेत् । एवंकारयिताराजा भुक्त्वाभोगान्मनोरमान् ॥ महतींकीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयायकल्पते) (अर्थऊपरहोचुका) यदिकोईराजा ऐसेधटको सदैवस्थापित बना रक्खाचाहै तो काकादि उपघातका निरासकरनेके निमित्तसे कपाटादि सहितशाला बनवावै-यथाह (विशालामुन्नतांशुभ्रांधटशालांतुकारयेत् । यत्रस्थोनोपहन्येतश्वभिश्चांडालवायसैः ॥ तत्रैवलोकपालादीन्सर्वदिक्षुनिवेशयेत् । त्रिसंध्यंपूजयेच्चैनान्गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ कपाटबीजसंयुक्तांपरिचारकरक्षिताम् । मृत्पानीयाग्निसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नृपः) (बीजानियवत्रीह्यादीनां) अर्थात्-तुलाकी स्थापनावनीरखनेके निमित्तसे एकस्थान धटशालानामसेबनवावै वहशालाबहुतबिस्तृतहो बहुतऊँचीहो श्वेतवर्णकी बनाईजाय जिसमें रक्खाहुआ धटकुत्ताओं या काकों या चांडालोंके उपघातसेबिगड़े नहीं उसी स्थानकी दीवारों में सब दिशाओं में लोकपाल आदि देवताओं को उक्त विधिसे निवेशित करवावै और इनसबकापूजन भी गंधमाल्य अनुलेपन आदि से त्रिसंध्यनाम त्रिकाल होतारहे और वह धटशाला केवाड़ों से संयुक्त और बीजों के संचय से संयुक्त होनी चाहिये और परिचारक उसकी रक्षा नाम रखवाली करतेरहें और उसमें शुद्ध मृत्तिका तथा जल और अग्नि ये सब उपस्थित रहाकरें और शूनी नहीं रहनेपावै ऐसी शाला राजा बनवावै ( बीज अर्थात् यवधान आदि जिन वस्तुओं से काम परनेकी संभावनाहो ) और जल अग्नि आदि के उपस्थित होनेसे यह सिद्धांतहै कि इसी शालामें और भी सब दिव्योंका संग्रह रहाकरै जिनका चर्चा आगे आवेगा १०२। १०३। १०४ ॥ इतिधटविधिः ॥ अब इससे आगे अग्निविधि वर्णन होगी १०२। १०३। १०४ ॥

अथदिव्यप्रमाणपेक्षायांततलोहविधिमुखेनाग्निप्रकारे

प्रदर्शनोनामाष्टत्रिंशःपरिच्छेदः ३८ ॥

इस अड़तीसवें परिच्छेदमें अग्नि नामक दिव्यप्रकारको ततलोह की विधि के द्वारा कथन करतेहैं कि इत्तरीतिसे वर्त्तावा उसका होनाचाहिये ॥

करौविमृदितव्रीहेर्लक्षयित्वाततोन्वसेत् । तत्राश्वत्थस्यपत्राणिनावत्सूत्राणिवेष्टयेत् १०५ ॥

अक्ष०—विमृदितव्रीहीके हाथोंको लक्षितकरिके तिनपर सानपत्र अश्वत्थके रक्खे और उतनेही सूत्रभी आवेष्टन करे १०५ ॥

पभि०—(व्रीहि) नाम धानके तंडुल तिनके पित्तहये और शुक्लेहये पनेले ऐपनसे

दिव्यकारी दोनों हाथ मलै अर्थात् हाथोंपर फींका लेपसा करि देवै तिसदिव्य-  
कारी पुरुषकी संज्ञा ( विमृदितब्रीही ) होजातीहै-और-दूसरा मुख्यार्थ इसका यहीहै  
कि मुट्टीभर धान लेकर दोनोंहाथोंसे भीड़ जिस्से उसके हाथ शुद्ध निर्मल होजायँ  
और कदाचित् कोई चिह्न हाथोंमें होतौ वहभी चमकि आवै ऐसे पुरुषकी संज्ञा वि-  
मृदित ब्रीही कहलातीहै परन्तु अपने २ देश भेदस्थानकी परिपाटीसे व्यवस्था स-  
मुझलेनी चाहिये-सो-उस विमृदित ब्रीहीके दोनोंहाथ ( लक्षित ) करै अर्थात् हाथोंमें  
जोमस्सा या तिलवृणकी गाँठि या खुरचीहुई खाल या लहसन या क्षतइत्यादिकोई  
चिह्न हों तिनमें महावर आदि किसी मंगलीक रंगसे रेखा चिह्न करदियाजाय तिस  
पीछे पीपलके सातपत्ते दोनोंहाथकी बँधीहुई अंजलीपर हाथोंभर फैलाकर धरेजायँ  
उन पत्तोंको हाथों समेत सूत्रके सात आवेष्टनसे लपेट देवै १०५ ॥

अधि०-हाथके वृणादिक चिह्नों पर महावर आदिसे रेखा चिह्न भी हंसपदके आ-  
कारहोने चाहिये-यथाहनारदः ( हस्तक्षतेषुसर्वेषुकुर्याद्धंसपदानितु ) अर्थात्-हाथके  
सभी त्रिद्रादिकोंपर हंसपदके चिह्नकरै-और-सातों पत्तोंका बराबर होना उचितहै-  
तथाच ( पत्रैरंजलिमापर्य्यआश्वत्थैःसप्तभिःसमैः ) अर्थात् पीपरके बराबर सातपत्रों  
से अंजली भरनी चाहिये-और-सूत्र जो पत्तोंसे लपेटाजाय वह श्वेतवर्ण का होनाचा-  
हिये ( तथाचनारदः ) ( वेष्टयेतसितैर्हस्तौसप्तभिःसूत्रतंतुभिः ) ( अर्थात्-शुक्लवर्णके सात  
सूत्र धागों से दोनोंहाथ आवेष्टितकरै-इसके सिवाय-सातपत्ते शमीनाम त्रिंउकारिके  
जिसे कहीं जाँड़ या जंडभी कहते हैं और सातही पत्ते दूबके अर्थात् हरी दूर्वाके  
सातनाल और अक्षत और दधिमिश्रित अक्षत भी उन्ही पीपरके पत्तोंपर सबधरा  
जाय-तथाहि ( सप्तपिप्पलपत्राणिशमीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वायाःसप्तपत्राणि दृश्य  
क्तांश्चाक्षतानून्यसेत् ) अर्थात्-पीपरके सातपत्ते और शमी के सातपत्ते और अक्षत  
और दूर्वाके सातनाल और दही लगाये हुये भी अक्षत हाथोंपर धरै-फूलभी धरने  
चाहिये-यथाहपितामहः(सप्तपिप्पलपत्राणिअक्षतंसुमनोदधि।हस्तयोर्निक्षिपेत्तत्रसूत्रे  
णावेष्टनंतथा)अर्थात्-पीपरके सातपत्ते-अक्षत-पुष्प-दधि-दोनों हाथोंमें रखै औरसूत्र  
से लपेटै-और जोकि इस अग्रोक्त वाक्यसे ( अर्क ) नाम अर्कौआके पत्तोंकी आज्ञा पाई  
जातीहै-यथा(अयस्तप्तंतुपाणिभ्यामर्कपत्रैस्तुसप्तभिः । अंतर्हितंहरन्शुद्धमदग्धःसप्त  
मेपदे)अर्थात्-तपाया लोहेका गोला या हलकीफाल सातअर्कपत्रोंमें धराहुआ हाथों  
से लेजातेहुये सातवेंपदतक जलेनहीं सो शुद्धहै अपराधी नहीं-सो-यह अर्कपत्रोंकी  
आज्ञा केवल अश्वत्थ पत्रोंके अभावमें समुझीचाहिये क्योंकि-अश्वत्थपत्रोंकी प्रशंसा  
पितामहने लिखीहै उससे अश्वत्थकी मुख्यता पाईजाती है-यथाहपितामहः ( पिप्प  
लाजायतेवह्निः पिप्पलोवृक्षराट्मृतः । अतस्तस्यतुपत्राणिहस्तयोर्विन्यसेद्बुधः )

अर्थात्-अग्निपीपरसे उत्पन्न होता है और पीपर सभी वृक्षोंका राजा कहलाता है इस हेतुसे बुद्धिमान् उसीकेपत्ते हाथों में रखें १०५ ॥

अब नीचे कर्त्ताकीओरसे अग्निका अभिमंत्रण कहाजायगा ॥

त्वमग्नेसर्वभूतानामंतश्चरसिपावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्योब्रूहिसत्यंकवेमम १०६ ॥

अक्ष०--हे अग्ने हे पावक तू सर्वभूतोंके अंतर्गत फिरता है (तिसते) हेकवे तूमेरे साक्षियोंके समान पुण्य पापों से सत्य कहिदे १०६ ॥

अभि०--हेअग्निदेव तू सर्वभूतोंके भीतर अर्थात् जरायुज १ अंडज २ स्वेदज ३ उद्भिज ४ यह चारि भाँतिके जीव जो ८४ लक्ष योनिमें होतेहैं तिन सबकेही भीतर वर्त्तमान बनारहता है क्योंकि तेरे बिना उनके अन्नोंका पचानेवाला और कोईनहीं हे पावक तू सर्वदृश्य मात्रकी शुद्धिका हेतु है-हे कवे तू क्रांतदर्शी अर्थात् भूत भविष्य वर्त्तमान सब दशाओंका जाननेवाला है-इन कारणोंसे तू सर्वकाल सर्वजीवोंका साक्षी है किंतु जो वार्त्ता पुण्य अथवा पापरूपी मनुष्योंके विज्ञानमें नहींआसकी तिसको तू जानता है-इसलिये-तू उसप्रकार से मेरे पुण्य अथवा पापको सत्य सत्य कहिदे जैसे करतेहुये देखनेवाले साक्षीलोग कहिदेतेहैं १०६ ॥

अधि०--जब लोहेका पिण्डनाम गोलातीन आँचसे तपायाहुआ संडासीसे थाँभकर सन्मुख आवै तबकर्त्ता सबसे पिछले सण्डलमें पूर्वाभिमुखखड़ा होकर इसीमंत्रसे अग्निकी प्रार्थना करै-यथाह नारदः ( अग्निवर्णमयःपिण्डंसस्फुलिङ्गंसुरंजितम् । तापे तृतीयेसन्ताप्यन्नूयात्सत्यपुरस्कृतम् ) अर्थात्-अग्निवर्ण के समान रंग बदला हुआ लोहेकापिण्ड स्फुलिङ्गों सहित तीसरे तापमें सन्तप्त करिकै (सत्यपुरस्कृत) लक्षणका मन्त्रबोले ( और ) अभिप्राय इसका यह कि लोहा शुद्धकरने के निमित्त से तपाये हुये लोहेको पानीमें बुझाकर फेरतपावे और फिर बुझाकर तीसरे तापमें यहांतक तपावे जो अग्निके समान रक्तपीतवर्ण होजावे जिसमें ( स्फुलिंग ) नाम अग्निके चिटकारे उड़तेजायँ तिसकोसंडासीसे लेकर जबकर्त्ताके सन्मुख प्राड्विवाकआवे तब कर्त्तावे ( सत्यपुरस्कृत ) लक्षणकामन्त्र पढ़ना चाहिये सत्यपुरस्कृत अर्थात् सत्य शब्दसेयुक्त ऐतानन्त्रवहीहै जोऊपर १०६मूलश्लोकका ( त्वमग्नेसर्वभूतानां ) इत्यादि पाठवाला लिखचुकेहैं तिसको कर्त्ताबोले-परन्तुयह प्रक्रिया पीछेहोनीचाहिये किन्तु पहलेप्राड्विवाक अग्निमें होनकरै तबउसीअग्निमें लोहेकापिण्डतपायाजाय सो अब कहतेहैं कि प्राड्विवाकभी-सण्डलोंके दक्षिण ओर लौकिक अग्निस्थापित करिकै १०८ आहुति घृतकी इस अत्रोक्त मंत्रसे होमे ( अग्नेषावकायन्वाहा )-नथाचोक्तम-(शां त्यर्थजुहुयादन्नोघृतमष्टोत्तरंशनम् ) अर्थात्-शांतिके निमित्तमे अग्निमें १०८वाघृत होमे-होनाहिये पीछे उसी अग्निमें लोहेका गोला छोड़कर तपनेदेवे उनके तपनेहुये

हुये तिनमें सातअन्तर और आठमण्डल होते हैं-परन्तु-यह सोलहअंगुलके मण्डल बर्तुलाकारनहींसमुझने किन्तु सोलहअंगुलका सीधालम्बसमुझना क्योंकि इतनाही मनुष्यकापगहोताहै तथापि उसमण्डलका चौड़ाव यदि पूंजाजाय तौ उसीमनुष्यका पगभरचौड़ाहोनाचाहिये जिस्से शीघ्रपगफेंकनेकाअवकाश नपावै यह भी उन्हीं नारद ने दर्शाया है-यथा (मंडलस्यप्रमाणंतुकुर्यात्तत्पदसंमितम् ) अर्थात्-मंडलका प्रमाण उतनाही बनाना चाहिये जो गंताके पगसमान हो किन्तु अधिकनहीं ( यद्यपि इस वाक्यमें कोईसी विशेषता पैरकेलंबाव या चौड़ावमध्ये नहीं कही-किन्तु ( तत्पदसंमितं ) और (मंडलस्यप्रमाणंतु) इनदोनोंवचनोंसे पैरकालंबावभी समुझाजाताहै तथापि उसके पैरके समान केवल चौड़ावको समुझना क्योंकि लंबावका चर्चा ऊपर सोलहअंगुल के कथनसे निपटाचुके ) उसमें भी ( यद्यपि यह संदेह शेष रहताहै कि सभी पुरुषों के पग सोलह अंगुर नहीं होते भला जबकिसी मनुष्यका चौदह या तेरह अंगुर का लंबापग हो तौ फिर मंडलभी सोलह अंगुरसे घटाकर बनाना चाहिये सो यह संदेह बृथाहै क्योंकि जबउसकी परिसंख्या २४० अंगुर कहिचुके तौ फिर संदेहको अवकाश नहींहै अर्थात् अधिकतर सबसे ऊँचे नरकापग १६अंगुलहोताहै इसलिये वही मंडल सबकेकाम आसक्ताहै घटानेकी आवश्यकतानहीं-जो कि पितामहके अथोक्त वाक्यसे इसवार्तामें कुछविरोध दृष्टिआताहै सोभी ध्यान धरने से विरोधमें गिनती नहीं होसक्ता इसलिये आगे ध्यान धरनाचाहिये-यथाहपितामहः-( कारयेन्मंडलान्यष्टौपुरस्तान्नव मंतथा । आग्नेयंमंडलं चाद्यं द्वितीयं वारुणं स्मृतम् । तृतीयं वायुदैवत्यं चतुर्थं यमदैवतं । पंचमं त्विन्द्रदैवत्यं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदैवत्यमिति दिव्यविदो विदुः । द्वात्रिंशदंगुलं प्राहुर्मंडलान्मंडलान्तरम् । अष्टाभिर्मंडलैरेवमंगुलानां शतद्वयम् । षट्पंचाशत्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना । कर्तुः पदसमं कार्यं मंडलंतु प्रमाणतः । मंडले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्र प्रचोदिताः ) अर्थात्-पितामहने यह विधि वर्णन करी है कि आठमंडल बनवावै तथा उनकेआगे नवसाभी तिनकेबीच अधिकारीदेवताओंका आवाहनकरै और उन्हीं केअधिकारसे ये नामरखवै कि पहिला मण्डल आग्नेयनाम जिसमें अग्निदेव काआवाहनकरै १ दूसरा वरुणकाहोताहै २ तीसरा वायुदेवताका ३ चौथा यमदेवका ४ पाँच वां इंद्रका ५ छठा कुबेरकाहोताहै ६ सातवां सोमदेवताका ७ आठवां सावित्रनाम सूर्यदेव का ८ ( नवां सबदेवताओंकेनामसे ९ ) यहविधिदिव्योंके जाननेवालेजानै-मण्डल से मण्डल अपने अन्तरसहित ३२ अंगुलकाकहतेहैं परन्तुभूमिकी आद्यन्तपरिकल्पना आठमण्डलोंमें २५६ दोस्रोअप्यन अंगुलहोतीहै तथापि मण्डलकाप्रमाण चौड़ाईमें कर्ताके पगसमान कानाचाहिये प्रत्येकमण्डलमें शास्त्रोक्तरीतिसे कुशाविद्यानेचाहिये-ध्यानकरो कि पहिलीविधिसे इसमें कुछ भी विरोधनहीं क्योंकि ततगोलालेकर गमन



करनेयोग्य सातहीमण्डल सर्वत्रकहे आठवांसबसे पहलाखड़े होनेकोबतलाया और इसविधिमें नवांएक अधिक जोसर्वदैवत्य नामकामण्डलकहा तिसमेंवहगोला छोड़ दियाजाताहै किन्तुउसमें पगधरनेकी आज्ञानहीं और उसके अंगुलोंकाभी कुछपरिमाणयासंख्यानियमनहींहै कि वहनवांमण्डल कैअंगुलकावनायाजाय-इसी-हेतुसेइस विधिमें २५६ अंगुल भूमिका परिमाणकहागया क्योंकि पहिलीविधिमें आठमण्डल और सातहीउनके अन्तरजोड़िकर पन्द्रहको सोलहअंगुलसे गुणाकियातौ २४० हुयेथे-इसविधिमें नवांएकमण्डल और एकइसका अन्तरयह और बढ़ेतिनमें नवांमण्डल तौसबदेवोंके नामकाछूटगया उसकेअन्तरमात्रसे सोलहअंगुल और लियेतब २५६ हुयेयदि उसकेभी अंगुलगिनेजातेतौ २७२ होजातेसोनहींकहेकेवल २५६ की आज्ञादीहै-अंगुलप्रमाणञ्च-यथा(तिर्यग्यबोदराण्यष्टावूर्धावात्रीहयस्त्रयः। प्रमाणसंगुलस्योक्तंवितस्तिर्द्वादशांगुलैः॥हस्तोवितस्तिद्वितयंदण्डोहस्तचतुष्टयम् । तत्सहस्रद्वयं क्रोशोयोजनंतच्चतुष्टयम् ) अर्थात्-बड़ेआठ यव बराबरकरके आठौपेटकाअंगुलएक-यद्वाखड़े तीनधानोंका लम्बावयहअंगुल काप्रमाणकहा ऐसेद्वादश अंगुलोंसे एकविलाँदहोताहै दोविलाँदकाएकहाथ चारहाथकाएक दण्डकहाताहै दोसहस्रदण्डकाएक कोशचारकोशकाएक योजनप्रसिद्धहै १०८ ॥

अबनिश्चयात्मक यहवातनीचेकहतेहैंकिसातमण्डलोंमें चलेपीछे क्याकर्त्तव्यहै ॥

मुक्ताग्निमृदितत्रीहिरदग्धःशुद्धिमाप्नुयात् १०९ पूर्वार्द्धः ॥

अक्ष०-अग्निको छोड़कर मृदित त्रीही अदग्धहुआ शुद्धिपावै १०६ ॥

अभि०-आठवें मंडलमें थँभकर लोहमय अग्निको नवयें मंडलमें डालकर हाथों से धानमलै यदि हाथोंपर अग्निका झालानहीं आयाहो तौवह कर्त्ताशुद्धिको पावै अर्थात् सच्चाठहरै इसीसेयह आशय पायागया कियदि हाथजलेहों तौभूँठाहै १०६ ॥

अधि०-जिसने अग्निके संत्रासते गोलेको उछाला या भकोलादियाहो और इसी हेतुसे हाथोंसेभिन्न पहुँचा आदि किसीजगह अग्निके स्पर्शते जनिजाय पर हाथोंमें अदग्धरहाहोतौवह अशुद्धनहीं-यथाहकात्यायनः( प्रस्वलन्नभिशस्नउचेत्स्थानादन्यत्र दह्यते । अदग्धंतंविदुर्देवास्तस्यभूयोपिदापयेत् ) अर्थात्-जो कलंकी भिभकताहुआ मुख्यस्थान हथेली के सिवाय अन्यकहीं जलिजावै है उसको राजानोग अदग्धममु-भैं इसलिये प्राड्विवाक ऐसेकर्त्ताको फिरभीगोला दित्वावै १०६ यदि बीचमेंगोला गिरजावै तिसकीरीति नीचे कहतेहैं १०६ ॥

अंतरापतितेपिदंमंदेहंवापुनर्हेत् १०९ ॥

ऐ०-कदाचित् जानेहुये बीचहीमें आठवें मंडलमें इधर किर्मांडल या अंतरमें गोला गिरजावै-अथवा-ठिकानपर पहुँचें पर जलन या न जलनकामंदेह गृहजावैतब

२३८. मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।  
 ऐसीदशामें फिरभी यथाक्रमसे लेजावै-यहवात यद्यपि ऊपरले अद्वाके आशयसे भी  
 स्वतःसिद्ध होचुकीथी तथापि योगीश्वरने अर्थसिद्धा वार्त्ताको स्पष्टकियाहै १०६ ॥

अधि०—यद्यपि इसअद्वापर अधिकोक्तिका आशय निर्मूलहै तथापि उसकेस्थाना-  
 पत्र अनुक्रम सर्वविधि का लिखतेहैं जिस्से जिज्ञासुओंको सुगमता होजाय १०६ ॥

अथा०—मुहूर्त्तसे पहिलेदिवस भूशुद्धिनाम पृथ्वीका शोधनकरिकै फिर मुहूर्त्तके  
 दिन मंडलोंको यथाविधिसे रचिकर मंडलोंके अधिदेवताभी निज २ मंत्रोंसे पूजिकर  
 अग्निका स्थापनकरै फिर घीसे शांतिहवन करै पुनि अग्निमें लोहेका पिंडरखिकर  
 ( पूर्वोक्त धर्मके आवाहन से लेकर सब देवताओं की पूजा हवनपर्यंत जो सैंतीसवें  
 परिच्छेद में तुलाके प्रसंगसे कहचुके हैं सोसब यथोक्तविधिसे करिकै उपोषित  
 पुरुष को स्नान कराइकै भीजे वस्त्रों सहित पश्चिम मंडल में खड़ाकरिकै धानों  
 का मर्दन आदि कर संस्कार करावै पुनि प्रतिज्ञा पत्र पूर्वोक्त रीति से लिखा हुआ  
 मंत्रसहित उसके शिरपर बाँधै तबतक दो ताव उसगोलामें लगिचुकै और तीसरे  
 तावमें तपतेहुये गोलाके अग्निको प्राड्विवाक उक्त मंत्रोंसे अभिमंत्रित करिकै  
 गोलेको संडासीसे उठालेवै उसवक्त सन्मुख लायेहुये गोलेको कर्ता पुरुष अपने पू-  
 र्वोक्त मंत्रसे अभिमंत्रित करै करचुकने पर प्राड्विवाक उसके हाथोंकी अंजली में रख  
 देवै तब सात मंडलों में जायकर नवयें मंडल में छोड़देवै यदि अदग्ध हाथरहें तौ  
 शुद्धहुआ समुभाजाय इतिक्रमः—इत्यग्निविधिः १०६ ॥

अथ जलप्रकारमाह ॥

अथदिव्यप्रमाणापेक्षायांजलनिमज्जनविधिमुखेनोदकप्रकार-

प्रदर्शनोनामऊनचत्वारिंशः परिच्छेदः ३६ ॥

इस उनतालीसवें परिच्छेदमें वहप्रकार कहाजायगाजिस्से जलकेद्वारा दिव्यहोताहै ॥

सत्येगामाभिरक्षत्वंवरुणेत्यभिशाप्यकम् । नाभिदघ्नोदकस्थस्यगृहीत्वोरुजलंविशेत् ११० ॥

भक्ष०—हे वरुण तू मुझे सत्यसेही रक्षा करो-इस भाँतिजलको अभिशापन करि-  
 कै नाभिपालित जलमें स्थित हुयेकी जंघा दोनों लेकर जलमें प्रविष्ट होजावै ११० ॥

अभि०—कर्ता पुरुष कलंकी जो शोधनकरने योग्यहै सोजलके सन्मुख जाकर प-  
 हिले वरुणदेवको अभिशापन कहिये अभिमंत्रित करै इसमंत्रसे कि ( हे वरुण तू  
 मुझको मेरे सत्य आचारसेही सर्वथा रक्षाकरो ) तिसपीछे एक दूसरा कोई बलवान्  
 पुरुष जो नाभिमात्र जलमें खड़ा हो तिसकी जंघा दोनों थाँभकर कलंकी जलमें घु-  
 सजावै ११० ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त कर्म उमदशामें होनाचाहिये कि जब वरुणकी पूजाहोचुकै-तथाच  
 नारदस्मरणम् ( गंधमाल्यैः सुरभिभिर्मधुक्षीरघृतादिभिः । वरुणायप्रकुर्वीतपूजामा-

दौसमाहितः ) अर्थात्-नारदने यह कहाहै कि गंध माल्य सुगंध मधुक्षीर घृतादि वस्तुओं से वरुणकी पूजा पहिले समाहित नाम सावधान होकर करै-तथैव-सैती-सर्वे परिच्छेदमें तुलाके प्रसंग से जो धर्मके आवाहन आदि सब देवताओं की पूजा होमके होनेतक प्रदर्शित होचुकीहै सो भी सब करना चाहिये और उसके किये पीछे मंत्रसहित प्रतिज्ञापत्रका बाँधना जो कलंकीके मस्तकपरं उसी जगह प्रदर्शितहुआ था सोभी करिलेना चाहिये तिसपीछे प्राङ्गुविवाक पहिले जलके सन्मुख वरुण को अभिमंत्रणकरै तबसबसे पीछेशोधयपुरुषसो कलङ्कीहोसो अपनेउर्ध्वोक्त मंत्रकोपढ़िकर जलमेंडूबै और प्राङ्गुविवाक जिनमंत्रोंको उच्चारणकरैगा तिनकोअबकहतेहैं-यथा (तो यत्वंप्राणिनांप्राणंसृष्टैराद्यन्तुनिर्मितम् । शुद्धेश्वकारणंप्रोक्तंद्रव्यानांदेहिनांतथा ॥ अतस्त्वंदर्शयात्मानंशुभाशुभपरीक्षणे) अर्थात्-प्राङ्गुविवाक जलकेसन्मुखयहप्रार्थनापहिले आपकरैकि-हेतोयत् सृष्टिकी आदिमेंप्राणियोंको प्राणरूप निर्मितहुआ और सभीद्रव्यों तथा देहियोंकी अशुद्धदशामें शुद्धिकाकारणभी तूहीकहागया इसलियेतू इसभले बुरेकीपरीक्षामें अपनेमुख्यस्वरूपकोदर्शावै-नारदनेइसकर्मके स्थानभी प्रदर्शितकिये हैं-यथा(नदीषुतनुवेगासुसागरेषुवहेषुच । ह्रदेषुदेवखातेषुतडागेषुसरस्सुच) अर्थात्-धीमेवेगवाली नदियोंमें या मन्दवेगी समुद्रोंमें या मध्यमभरनाओंमें अथवाकिसी और अगाधजलाशयमें या देवस्थानके कुण्डोंमें या तालावमें या सरोवरोंमेंकर्तव्यहै इसवार्तामेंपितामहकी एकसाधारणभावयहआज्ञाहैकि(स्थिरेतोयेनिमज्जेत्तुनग्राहिणि नचालपके । तृणशैवालरहितेजलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषुयत्तोयन्तस्मिन्कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यवर्जयेन्नित्यंशीघ्रगासुनर्दाषुच ॥ आविशेत्सलिलेनित्यमूर्मिपङ्कविवर्जयेत् ) -अर्थात्- पितामहने यहकहाहै कि ऐसेजलाशयमें कलङ्की डुब्बीमारै जिसका जलस्थिरनामर्थंभाहुआहो किन्तुवह जलाशयचाहे किसीनामकाहो कुछइसकानियमनहीं परन्तुग्राही जलमेंनहीं और अतिशयथोड़ेजलमेंभी नहीं यहनियमइसमें आवश्यकहै तृणघाससिवार आदिसे सम्पन्नजलके स्थलपरनहीं जाँक या मच्छीआदि जीवोंकेस्थलपरनहीं-और विशेषकर(देवखात)नामपर्वतीकुंडजोस्वयंभूतकिसीकेवनाये हुये न हों उनकेजल में कलंकीका शोधन राजाकरै-परन्तु- (आहार्य) नाम संग्रहीत जल सदैवही वर्जितकरै और तीव्रवेगा नदियोंमें भी न करै और सदैवही इगवान का भी नियम आवश्यक है कि उसजलमें प्रवेशकरै जिनमें भ्रमर तरंग या कीचड़ यह न हों (आहार्य) नाम संग्रहीत जलउपेकहतेहैं जो किल्ली जलाशयमें लाकर तांबे या लोहेआदि पात्र वा छोटेकुंडमें भर लियाजाय ) ( इगवानमें ग्राहीजल का निषेध जो अभी ऊपर कहागया सो ग्राहीजल उने कहतेहैं जिन स्थलपर गन्नाखाना या दहप्रसिद्ध होरहाहो जिनमें घुमनेकार मनुष्यका डूँढ़े भी पना न लगे-और यह

निषेधभी इसहेतुसे प्रदर्शित कियाहै कि पितामह ने साधारण भावसे स्थिरजल में करनेकी आज्ञा नियतकरी और बहुधा स्थिरजल ऐसेखोलों में भी होतेहैं जिनका चर्चा अभीग्राही नामसे होचुका इसलिये उक्तमर्यादाके साथही उसका ( अपवाद ) भी कहदिया जिस्से इसभांतिके स्थिरोंको छोड़कर सामान्य स्थिरजलमेंकरना समु-  
 भाजाय ) ( दूसरा निषेधजो अल्पजलका कियाथा सो इसहेतुसे कि अत्यंत उथले जलमें भी परीक्षा होसकनी दुर्घटहै और कदाचित् कोई यहसमुभा हो कि पितामह ने स्थिरजलकेनामसे थोड़ेजलकी आज्ञादीहोगी क्योंकि बहुधाउथलेमें भी स्थिरज-  
 लहोते हैं )-ऐसेही-तृणशैवाल जोंक मत्स्य कीच आदि जो वर्जितकिये सोभी इसहे-  
 तुसे कि बहुधा स्थिरजल में यहसब होतेहैं और इनकेहोने से परीक्षामें उपघात आदि अनेक विघ्नहोसक्तेहैं इसलिये ऐसे स्थिरमें न करनाचाहिये जहांइनका संसर्ग हो-अब-यहवात ध्यान करनीचाहिये कि पहलेनारदके वचनोंमें जुदेरनाम सबजला-  
 शयोंके कहेथे और पितामहने किसीका भी नामनहीं कहा केवल स्थिरजल बतलाया चाहे किसी जलाशयका हो सो इसकी तौ तुल्यता इसप्रकारसे निश्चित होगई कि नारदने भी मंदवेगा नदीआदि सबकहेथे मंदवेगमें कुछ स्थिर जलहोता है-परन्तु पितामहने पीछेसे यहभीनियम निश्चित करदियाहैकि विशेषकर देवखातनाम पर्वती वडे खड्डोंमेंकरै क्योंकि उनमें बहुधाकीचड़ आदि नहींभीहोते हैं-सो-इस कथनमें यह न समुभनाचाहिये कि पितामहने देवखात की आज्ञासे अन्य जलाशयों का निषेध दर्शायाहै-क्योंकि जो पितामहका यहआशयहोता तौफिर उन्हींदेशोंमें जलकादिव्यहो सक्ता जिनमें देवखातहोते किन्तुपर्वत सभी देशोंकेनिकटनहीं होतेहैं-अर्थात्-पितामह का आशय केवल इतनाहै कि जिसदेशमें अन्य जलाशयोंके होतेहुये पर्वती देवखात भी उपस्थितहों तबऔरोंको छोड़कर विशेषतासे उसीमें कर्त्तव्यहै और जो देवखात उसनगरके उपस्थित नहींहों तबचाहे तिस जलाशयका स्थिरतोय देखलेवै जोनिज नगरके समीपहो-अथवा-देवखात का यहभी अर्थहोता है कि कोईसा जलाशय ता-  
 लाव कुंड आदि जो देवताके नामसे बनायागया हो या नदी आदि वा कोई उसका घाट जो देवताके संबन्धसे प्रसिद्धहो विशेषकर उसीमें करनाचाहिये क्योंकि अन्य स्थानोंकी अपेक्षा देवस्थान सिद्धपीठ होताहै-अबयहांसे पूर्वोक्त प्रकृतवार्त्ताका ध्यान करनाचाहिये जिसकी जंघाथांभकर कलंकीजलमें घुसैगावहपुरुष जो नाभिमात्रजल में खड़ाहोना कहाथा तिसको चर्त्तायवृक्षकी शाखामेवनाईहुई धर्मस्थूणा नामकीवल्ली जलमें गाड़कर उसीके सहारेसे पूर्वमुखहोकर खड़ाहोना चाहिये-तथाचोक्तं(उदकेप्रा-  
 ङ्मुखस्तिष्टेद्धर्मस्थूणां प्रगृह्यच)अर्थऊपरहोचुका ११० ॥ अबइसके पीछे जो करना चाहिये सो निचले उलोकमें कहेंगे ११० ॥

समकालमिपुंमुक्तमानीयान्योजर्वनिरः । गतेतस्मिन्निमग्नांगंपश्येच्चेच्छुद्धिमाप्नुयात् १११ ॥

प्रश्न०—समकाल उसके जानेपर दूसराशीघ्रगामी नरछूटेहुये बाणको लाकरयदि डूबे अंगको देखै तो शुद्धिपावै १११ ॥

प्रश्न०—(समकाल)नाम कलंकीके डूबते समय वेगवान् एक पुरुष उसलक्ष्यस्थान पर भागाजावै जहां पहिले बाणफेंकागयाहो उसके जानेपर दूसरा शीघ्रगामीनर उस बाणकोलैदौड़ा आवै और जलके बीच कलंकीको डूबादेखै तो कलंकी निजकलंकसे शुद्धि पावै-इस्से यह सिद्धांत पायागया कि यदि बाणका ले आनेवाला जलके बीच कलंकी को डूवानहीं पावै तो कलंकीभी निज कलंकसे छुट्टी नहीं पावै १११ ॥

प्रश्न०—ऊर्ध्वोक्त वार्ता का यथार्थ यह नियम है-कि-पहिले तीन बाणलगातारछोड़े जायँ तिनमें दूसरा बिचलाबाण मध्यमशर कहाता है जहांउस मध्यमशरका पतन हुआहो उसस्थानपर एक वेगवान् पुरुष कुछ पहलेसे उपस्थित हो वही उसमध्यम शरको उठाकर लियेहुये उसीठिकाने खड़ाहै औरदूसराएक वैसाही वेगवान् शीघ्रगामीनर यहांभी तोरण मूलपर खड़ाहो जहांसे तीरछोड़ागयाथा इसभांति दोनोंके खड़े होते हुये प्राड्विवाक निजहाथ से तीन तालें तरऊपर पटकावै उनमें तीसरी तालके बजतेसार कलंकी जलमें घुसजावै तब उसी के ( समकाल ) में तत्कालही वह पुरुष भी अत्यंतही भागाजावै जो तोरणमूलमें खड़ाहै दौड़कर शरपातस्थानपर पहुँचै जहां वह दूसरा शरलिये हुये खड़ाहै इसके जा पहुँचतेसार तत्काल वह शरग्राही भी यहां को दौड़ाआवै और तोरणमूलतक पहुँचकर जलके बीच कलंकी को यदि डूवानहीं देखै तो कलंकी शुद्ध नहोगा और प्रतिपक्षी से हारैगा-पितामहने इस नियमको स्पष्टकरिके कहाहै-यथा(गंतुश्चापिचर्तुश्चसमंगमनमज्जनम्। गच्छेत्तोरणमूलात्तुलक्ष्यस्थानंजर्वनिरः ॥ तस्मिन्गतेद्वितीयोपिवेगादादायसायकम् । गच्छेत्तोरणमूलंतुयतःसपुरुषोगतः॥ आगतस्तुशरग्राहीनपश्यतियदाजले। अंतर्जलगतंसम्यक्तदाऽशुद्धिविनिर्दिशेत्) अर्थात्-पितामह ने उसी नियमको इसप्रकार सुगमरीति से कहाहै कि जानेवालेका गमन और करनेवाले कलंकीका निमज्जन यह दोनों एक साथहों-तिसकायह व्योरासमुक्तो कि वहजानेवाला जवीनरतोरणमूलसे लक्ष्यस्थान कोजावै-उसके जा पहुँचने पर दूसराभी तायक लेकर अतिवेगसे तोरणमूलको जावै कि जहांसे वहपुरुष उसके पासगया-और जो आयाहुआ शरग्राही जलकेबीच उसकोभलीभांतिसे डूवानहीं देखै तो अशुद्धि निश्चित करीजाय-नारदने दोनों जर्वापुरुषों का भी निर्धारण कियाहै कि वे ऐसे हों चाहिये-यथा(पंचाशतोधावकानांयोन्यानामधिकोजवे । तोचतत्रनियोक्तव्योशरानयनकारणान्)-अर्थात्-पंचाश धावक पुरुषोंमें न

ट्रांटिकर दो धावक जो सबसे अधिक दौड़नेमें प्रसिद्धहों वेहीदोनों इसकार्यमेंबाणले आनेके निमित्तसे नियुक्तकरने चाहिये-(तोरण)जिसका चर्चाबहुधाऊपर आया है वह एकस्तंभरूप काष्ठ जोकलंकीके कानतकमापकर ऊँचाखड़ाकियाजाय औरडुब्बीलगनेकेसमीपही समभूमितट स्थानपर होनाचाहिये-तथाचनारदः-(गत्वातुतज्जलस्थानं तटेतोरणमुच्छ्रितम्। कुर्वीतकर्णमात्रंतुभूमिभागेसमेशुचौ ) अर्थात्-उक्तजलकेस्थानपर जायकर तटकेऊपरउज्ज्वल और समान भूमिभागमें कानकेप्रमाण ऊँचातोरणगाड़ै-तीन बाण और धनुषभी बांसकाबानिकर मंगल द्रव्यों तथाश्वेत पुष्पादिकोंसे प्रथम संपूज्यहै-तथाचपितामहः(शरान्संपजयेत्पूर्ववैणवंचधनुस्तथा । मंगलैर्धूपपुष्पैश्चततः कर्मसमाचरेत्) अर्थात्-पहले बाणों को और बांसके धनुष कोभी धूप और पुष्पोंसे पूजै तथा चीरभक्वा गुच्छाआदि मंगल द्रव्योंसे सुशोभेत करै तिसपीछे उक्तकर्म कोआचरै-नारदने धनुषका प्रमाण और निशानेकास्थान भी दर्शायाहै-यथा (क्रूरधनुः सप्तशतंमध्यमंषट्शतंस्मृतम् । मंदंपंचशतंज्ञेयमेषज्ञेयोधनुर्वीधिः ॥ मध्यमेनतुचापेन प्रक्षिपेच्चशरत्रयम् । हस्तानांतुशतेसार्द्धेलक्ष्यंकृत्वाविचक्षणः ॥ न्यूनाधिकेतुदोषःस्यात् क्षिपतःसायकांस्तथा) अर्थात्-एकसौ सात अंगुल किंतु चारहाथ ग्यारह अंगुलका क्रूर धनुष होता है १ एकसौछे अंगुल किंतु चारहाथ दशअंगुल का मध्यम धनुष प्रसिद्धहै २ एकसौपांच अंगुल किंतु चारहाथ नवअंगुलका मंदधनुष जानो यहधनुष के बनानेकी विधिकही-अब लक्ष्यस्थान बतातेहैं कि दोसौपचास हाथपर लक्ष्यबना कर विचक्षण पुरुष मध्यमचापसे तीनशरफेंकै-क्योंकि-इसकार्यमें न्यूनाधिक लक्ष्यपर शरफेंकतेहुये दोष होताहै-तीरभी इसकार्यमें बाँसके और विनागाँसीके रखने चाहिये तथाच(शरांश्चानायसाग्रांस्तुप्रकुर्वीतविशुद्धये।वेणुकांडमयांश्चैवक्षेप्तातुसुदृढांक्षिपेत्) अर्थात् कलंक शोधनके निमित्तमें बाणऐसे निर्मितकरै जिनमें लोहेका अग्रभागनहो और पर्वती बाँसीकेबनावै जिसका सूधाकांड विनागाँठिका होताहो-और उनबाणोंका चलानेवाला धनुषको सुदृढ अर्थात् अतिशय खींचकर शरफेंकै जिस्से अपने शरीर कीसंपूर्ण शक्ति उसमें अर्पित होजाय-फेंकनेवाला क्षत्रिय अथवा क्षत्रियका वेषरखने वाला ब्राह्मणही व्रतीनियुक्त करनाचाहिये-यथाह(क्षेप्ताचक्षत्रियःप्रोक्तस्तद्वृत्तिर्ब्राह्मणो पिवा । अक्रूरहृदयःशांतःसोपवासस्तथाक्षिपेत्) अर्थात्-बाण फेंकनेवाला जो तीरंदाज पकाहो क्षत्रिय इसमें कहाहै यद्वा वैसाही क्षत्रियकी वृत्तिवाला ब्राह्मणहो कोमल हृदय और शांतस्वभावहो उपवास रहिकर बाणफेंके-पूर्वोक्त छेड़ैहुये तीनबाणोंमेंसे बीचका शरलेनाचाहिये-यथाह(नेपांचप्रेषितानांचशराणांशास्त्रचोदनात् । मध्यमस्तुशरोग्राह्यः पुरुषेणवलीयसा) अर्थात्-उनप्रेषित कियेबाणोंमेंसे शास्त्रकी आज्ञासेही विचलाशर उठायाजाय और उठानेवाला पुरुष अति बलवानहो जो भ्रष्टकर तत्काल उसठिकाने



पर जासकै परंतु यहपुरुष उन्हींदोमेंसेहोताहै जो पचासमेंसे चुगेहुये पहले कहचुकेहैं और यहाँ दूसराकर बलवत्ता जो कहीगई तिसका सिद्धांत निचले वचन सेसमुभा जायगावाण अपने गिरनेके स्थानसे उठानाचाहिये किंतु उछलकर जापरनेके ठिकानेसे नहीं-तथाच(शरस्यापतनं ग्राह्यं सर्पणं तु विवर्जयेत्। सर्पन् सर्पन् शरोयायाहूराहूरतरं यतः) अर्थात्-बाणकापतनस्थान ग्राह्य होताहै उसकेसर्पणको विवर्जितकरै क्योंकि बाणसरप तेसरपतेदूरसेभी दूरतरचलाजाताहै इसलिये जहांपहलीबार भूमिपर टक्करलेवै तहां से पकरनाचाहिये इसीलिये ऊपर बलवान् पुरुष कहाथा क्योंकि निर्बल जबतक दौड़ेगा वह उछलकर सरपिजावैगा (यद्यपि इसबाणसे कुछभी कार्यनहीं किंतु दोनों ओरसे मनुष्यके दौड़ने योग्य भूमिकी अवधि और उस दौड़नेमात्र कालसे अपेक्षा मुख्य होती है इसलिये कदाचित् बाणयदि सरपिजानेके हेतुसे हाथनहीं आवै तब इतनाहीआवश्यकहै कि वहबलवान् पुरुषबाणको आता देखिदौड़े और पहली टक्करके स्थानपर जा खड़ाहो जब कि जल और तोरणकेमुख्यस्थानसे दूसरापुरुष दौड़ाआवै तब उसको उसीठिकाने पर अपने निकटआया देखकर आपभी तोरणके स्थानको भगिआवै (तथापि) बाणका ले आनाभी इसलिये श्रेयस्कर समुभाहै कि ऐसे धावक आदि मनुष्योंके सत्यासत्यबोलने का भी कुछ प्रत्ययनहींमिलसक्ता इससे बाणकाले आना एकचिह्नहै)इसीलिये अनंतरोक्त वचनमें ऊपरकहचुकेहैं कि (शास्त्रचोदनात्) अर्थात् शास्त्रकी आज्ञामात्रसेही ऐसाकर्तव्य है इसमें कुछ तर्कणाखड़ीकरनी अनुचित है (दृष्टांत) यथाकोई यह तर्कणा करै कि तीनमेंसे बीच काही बाणउठाने में क्या विशेषताहै तहां सिवाय इसके और कोईउत्तर नहीं कि शास्त्रकी आज्ञाही प्रधानहै— ऊँचानीचा आदि विषम भूमिभाग और अतिशय प्रबलवायु में भी बाणका फेंकना वर्जित किया है-यथाहपितामहः (इषुं न प्रक्षिपेद्विद्वान्मारुते चातिवायति । विषमे भूप्रदेशे च वृक्षस्थानसमाकुले ॥ तृणगुल्मलतावल्लीपंकपाषाणसंयुने) अर्थात्-ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि बाणकोअत्यंत वायुमें न फेंकै और विषम भूमिभागमेंभी नहीं और वृक्ष या ठूँठे या ढूले या लंबीखड़ीघास या झाड़ी या बेलि या पत्थर इनवस्तुओं से संयुक्त भूमिपर नहींफेंकै क्योंकि इनमें बाणकारुकजाना या विचलजाना संभदहै-योगीश्वरने इसी १११ श्लोकके चौथे पादसे जो यह नियमकहा कि धावक पुरुषके बाणलेआने तक जलमें यदि कलंकी छिपारहे तो वहशुद्ध ठहरे नो इन नियमसे यहभावदर्शाया है कि उसके आनेसे पहिलेभी यदि उसके कोई अंगजलके ऊपर देग्वि परं तो वह अपराधी ठहरे-और-पितामह ने स्थानांतर गमनसेभी अशुद्धि उमकीकहीहै-यथा— (अन्यथानविशुद्धिः स्या देकांगस्यापि दर्शनात् । स्थानाद्वा अन्यत्र गमनाद्यग्निमन्पूर्वनिवेशितः) अर्थात्-उसका एकभी अंगदेख पड़नेसे वहा उन ठिकानेसे हटजाने में भी

जहां वह पहिले घुसाथा कोईभांति विशुद्धि उसकी नहीं समुभी जासकीहै-एक भी अङ्गदेखपड़नेसे यहकथन जोऊपरआयाहै तिसकायहआशयहैकिकानकोआदिलेकर कोईअङ्गदिखाई नहींदेवे किन्तुकेवल चाँदिकेदिखाई देनेतक अशुद्धिनहींकहसक्ते सोइसविषयपर विशेषवाक्यभीदर्शायाहै-यथा (शिरोमात्रंतुदृश्येतनकर्णानापिनासिका अप्सुप्रवेशनेयस्यशुद्धंतमपिनिर्दिशेत् ) अर्थात्-जलप्रवेशन कालमात्र में जिसका केवलशिरही देखपड़नेलगै परकान और नासानहींदीखै तिसकर्ताकोभी शुद्धहुआसमुभनाचाहिये (इसप्रक्रियामें प्रथमयहचर्चा आयाथा किवहकर्ता पुरुषउसकी दोनों जंघाथाँभकर जलमेंघुसै जो नाभिमात्रजलमें धर्मस्थूणाके सहारेसेखड़ाहो यद्यपिउसकाखड़ाहोना तौ निरन्तरपायाजाताहै परइसबातका कोईनियमनहीं पायागया किवह निरन्तरजंघाथाँभेरहै क्योंकिइसबातकाचर्चा फिरकुछनहींआया वरनपितामहने ठिकानेसे हटजानेतक दर्शायापर घूंटोंछोड़देने मध्ये कुछ किसीनेभीनकहा इसलियेसर्वथा निश्चितहोताहै कि यहघूंटोंकाथाँभना एकसाधारणबात इसलियेहै कि यदिकोईमनुष्य जलकेघुसनेमेंकच्चाहो तौउसकोइसके घूंटोंकाथाँभना एकअवलम्बहै जिस्सेवह भिभकैनहीं और दूसरेइस्सेयह परीक्षा भी होसकीहै किवहजलके भीतरइसीजगहहैया नहीं परन्तुकुछ घूंटोंकाछोड़देना जयपराजयकाहेतुनहींहै अर्थात् यदिकर्ता पुरुषआप ही जलविद्यामें निपुणगोतेखोरहो तौ उसेस्वाधीनताहै कि चाहेघूटे छोड़देवे परउसी जगहउपस्थित बनारहे यहसिद्धान्तहै-कदाचित्कोईयहतर्क आरोपितकरै किजबकर्ता आपगोतेखोरहोगा तौपाप और पुण्यकी परीक्षाहोनीदुर्घटहै क्योंकिजो दशवीसहाथ जलमें गोतालेसक्ता उसको नाभिमात्र जलमें कुछकालथँभारहना क्यादुष्कर है सो यहतर्क उसकीवृथाहै क्योंकिइसमें शरीरकीशक्ति या जलविद्याका प्रभावकार्यसाधकनहीं किन्तुवरुण देवकाप्रभाव उसके पुण्यया पापके अनुरूपकार्यकरसक्ता है कदाचित्गोताखोरी के प्रभावसे पाप छिपसक्ताहोता तौ क्या कोई भी मुनीश्वर आचार्य इस बात परदृष्टि नहीं करसक्ते और गोताखोर की अपेक्षामें कोई विशेष वाक्य नहीं लिखसक्तेकिऐसे पुरुषको जलका दिव्य देनाही नचाहिये-बल्कि-इसवार्त्ता के लिखते समय एक देखीसुनी वार्त्ता यादहोआई और (दृष्टान्त) मात्रसे लिखनीपरी हमअपने बालपन की चर्चाकरते हैं कि उनदिनोंलक्ष्मणापुरी की राज्यमें एकछोटेसे देशपालताल्लुकदार की वस्तीमें चोरीके विषयपर मनुष्यों में परस्पर विवाद था ठाकुरतक बात पहुँची पर निपटारा उसका न होसका क्योंकि चोरको लेतेहुये नहीं देखा और मालका बालिक अपने दृढ़विश्वामपूर्वक उसीको पकड़ता था निदान जलका दिव्य देना ठहरा तब उसचोरने पहिली रात्रिको उसीग्रामके बड़े सरोवरमें कि जिसमें गोता लगाना ठहरा था एक बड़ी चक्रीके दोघाट बाँधकर चुपके रखदिये किमें इनको थाँभ

कर भीतर थँभारहूँगा वहाँ ठकुराने की बस्तियों में कुछ इतने बड़े शास्त्रोक्त विस्तार से इनकामोंकी प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि बहुधा ऐसे आचरणकरनेहों छोटे मोटेकामों के विवाद में फिर प्रत्येकमें संपूर्णविधि क्योंकर हो और विधिके बताने वालेभी कहाँ से मिलसकें केवल साधारण भाव यह परिपाटीथी कि ग्रामके ठाकुर और और भी सब इकट्ठेहुये काँधेतक जलमें एक मनुष्य जाखड़ाहुआ उसके सन्मुख सात पैगजल नाप कर कलंकी को गोता लगवाया यदि कलंकी के समीपतक वह सातपैगजलको धीरे २ चलकर आजावै तबतक जलमें डूवारहे तौ सच्चाठहरै यही प्रक्रिया उसके साथकरी गई उसने गोतामारकर अपनी धरीहुई चक्कीको जापकड़ा परंतु वरुणदेवके प्रभावने हाथों सहित चक्कीको उसके मड़पर धरिकै उसे जलके ऊपर ऐसा ऊँचा उ-छालदिया कि आधीदेह कमरसे जलमें रही आधीऊपर खड़ीहोगई तब ग्रामाधीश ठाकुरने पकड़ा और अर्थीका अर्थ दिलवाया सब यथावत् चीजें उसीने लालाकर देदीं तब ठाकुरने कुछ राजदंड भी यथोचित रीतिसे लिया ) यहाँ तक सब निर्णय इसका होचुका अब उक्त विधिका प्रयोगक्रम कहतेहैं जिस्से कर्मकांडी लोगों को वि-चारमें सुगमता होजाय ( अथप्रयोगक्रमः ) पहले उक्तलक्षण के जलाशयपर जाकर उक्त लक्षणका तोरण बनावै फिर २५० हाथके अंतरपर शरपात योग्य लक्ष्य बनावै पुनि तोरण के निकट बैठिकर धनुषबाण का पूजनकरै पुनि जलाशयमें वरुणका आवाहन और पूजन करै पुनि उसीकिनारे धर्म और धर्म्मादि सब देवताओंका आवाहन पूजन हवन पर्यंत जैसा तुलाके प्रसंगसे सैंतीसवें परिच्छेद में कहचुके हैं सो सब करै पुनि कर्ताके मस्तकपर प्रतिज्ञापत्र यथा विधिसे बाँधे पुनि प्राड्विवाक निज पूर्वोक्त मंत्रोंसे जलको अभिमंत्रित करै इसके मंत्र ( तोयत्वंप्राणिनांप्राण ) इत्यादि ११० की अधि-कोक्तिमें कहे थे इसपीछे कर्तापुरुष आपभी ( सत्येनमाभिरक्षत्वंवरुण ) इसमंत्रसे जैसा पहिले कहचुकेहैं अपनी भाषामें जलका अभिमंत्रण करिकै उसपुरुषके समीप को चलै जो नाभिमात्र जलमें धर्मस्थूणालिये खड़ाहो और अति बलवान् हो इसी अवसरमें तीनों बाण लगातारछोडेजायँ उनमें विचले बाणको गिरनेके स्थानसे उ-ठाकर उसीस्थलपर एक पुरुष लिये खड़ाहो और यहाँ बाणोंके हूटे पीछे प्राड्विवाक तीनतालबजावै तीसरीतालीके साथही इधर कलंकी जलमें डूवै और उधर को वह पुरुष दूसरा भागै जो शरपात स्थानपर जायगा इसके पहुँचनेपर वह शरग्राही इधर को बाणलेकर भागाआवै उसके आने पर परीक्षाकरीजाय और जबतक इनदोनों का जाना आनानिपट तबतक बीचके भी समयमें परीक्षाहोतीरहे कि उन्का कोई अंग तो जलके ऊपर नहीं निकला-इत्यनुक्रमः १११ ॥

इत्युदकविधिः ॥

अथदिव्यप्रमाणापेक्षायांविषभक्षणविधिमुखेनविषदिव्य

प्रकारप्रदर्शनोनामचत्वारिंशः परिच्छेदः ४० ॥

इसचालीसवें परिच्छेदमें वह प्रकार कहाजायगा जिस्से विषभक्षण द्वारा दिव्य क्रियाहोतीहै ॥

त्वांविषब्रह्मणःपुत्रःसत्यधर्मव्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येनभवमेऽमृतम् ११२ ॥

एवमुक्त्वाविषंशार्ङ्गभक्षयेद्विमशैलजम् । यस्यवेगैर्विनाजीर्येच्छुद्धितस्यविनिर्दिशेत् ११३ ॥

ऐ०—सहद्वयोः—हे विष तू ब्रह्माका पुत्र और सत्य धर्मपरव्यवस्थित है मुझे इस (अभिशाप) नाम कलंकसे रक्षाकर मेरे लिये मेरे सच्चापनसे तू अमृतहोजा ११२ ऐसे कहकर शार्ङ्गनामक विष जो हिमालय पर्वतसे उत्पन्नहो ताहि भक्षणकर जावै जिसको विष वेगोंविना पचिजावै तिसकी कलंकसे शुद्धिकहनी चाहिये ११३ ॥

अधि०—जिसे विषके वेगनहीं आवैं यहवात जो ऐक्यार्थमें कही सो विषके वेगोंका यह स्वरूप है कि शरीरकी एकधातुसे दूसरी तीसरी आदि धातुओंमें प्रवेश करता चलाजावै—यथा(धातोर्द्धात्वंतरप्राप्तिर्विषवेगइतिस्मृतः)अर्थात्—धातुसे धात्वंतरमें पहुँचना सो विषवेग कहाता है—जिन धातुओंमें विष प्रविष्ट होजाता है वे धातु शरीरमें सातहोतीहैं—यथा (रसासृङ्मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राणिधातवः) अर्थात्—रस १ रक्त २ मांस ३ मेदा ४ अस्थि ५ मज्जा ६ शुक्र ७ यह शरीरकी धातुहैं सात धातुओंके अनुसार विषके वेगभी सातही होतेहैं उन सातोंके भिन्नभिन्न लक्षण विषके तंत्रमें कहेहैं—यथा—(वेगोरोमांचमाद्योरचयतिविषजःस्वेदवक्रोपशोषौतस्योर्ध्वस्तत्परोर्द्धौवपुषिजनयतोवर्णभेदप्रवेपौ । योवेगःपंचमोसौनयतिविवशतांकंठभंगंचहिकांषष्ठोनिश्वासमोहौवितरतिचमृत्तिसप्तमोभक्ष्यकस्य)अर्थात्—मनुष्यको विषका पहिला वेग जब आताहै तब रोमांच कियाकरता अर्थात् कुल्ल प्रसन्नताको लियेहुये रोमाखड़े होजातेहैं इसीसेरोम-हर्षभी रोमांचको कहते हैं यहरोमांचरूप पहिलावेग उसदशामें आताहै कि जब भक्षणहुआ विषरस धातुमें पहुँचता किन्तु विषहीकारस बनने लगताहै १-दूसरा वेग तब आता है कि जब रस धातुमेंसे बढ़कर विषरक्त धातुमें जाताहै इस दूसरे वेगसे मनुष्यको पसीना आजाता और भीतर मुख घाँटी सूखजाती है २-तीसरा वेग तब आताहै कि जवरक्तमेंसेबढ़कर विषमांसमेंघुसताहै इसवेगसे मनुष्यकावर्णभेदहोजाताहै ३-चौथावेग तबआताहै कि जब मांसमेंसेबढ़कर मेदामेंजाताहै इस चौथेवेगसे प्रवेप अर्थात् शरीरकंपउठिआताहै ४-पाँचवाँवेग तबआताहै जब मेदामेंसे बढ़कर हाडमेंजाताहै इसवेगसे विवशताहोजाती किन्तु मनुष्य अपने वशमेंनहीं रहता और कण्ठकाभङ्गहोजाता और हुचकीआनेलगतीहै ५-छठावेग तब आताहै जबहाडोंमेंसे

बढ़कर मज्जामेंजाताहै यह छठावेग मनुष्यको (निश्वास) नाम निरन्तर लम्बीसाँस और(मोह)नाम आखों तथा ज्ञानकेभीसन्मुख अँधेरासाकरदेता जिस्से जीवकोपीड़ा होनेलगतीहै ६-सातवाँवेग तबआताहै जबमज्जामेंसेबढ़कर विष शुक्रमेंघुसताहै यह वेग मनुष्यको मृत्युदानकरदेताहै ७-यह विषवेगोंके लक्षण बीचमें प्रसङ्गमात्रसे कहे गये अब मुख्यवार्तापर ध्यानकर्त्तव्यहै कि विषका दिव्यकरणेमें शिवजीकापूजनभी यथासम्भव करणायिहै-तथाचनारदः (दद्याद्विषंसोपवासेदेवब्राह्मणसन्निधौ । धूपोपहारमंत्रैश्चपूजयित्वामहेश्वरम्) अर्थात्-धूप नैवेद्यआदि सामग्री निजमंत्रोंसे महेश्वरको पूजिकर व्रतकियेहुये कलंकीको देवता और ब्राह्मणोंके समीप विषदेवै-प्राड्विवाक भी व्रतरखकर महादेवकोपूजिकर उनकेसन्मुखविषरखकर धर्मदेव और धर्मादि सब देवताओंका आवाहन पूजन हवनपर्यंत जैसा सैंतीसवेंपरिच्छेदमेंकहचुकेहैं सो सबकरिकै प्रतिज्ञापत्र यथाविधिसेलिखकर उसके शिरसेबाँधै तिसपीछे विषको अभिमंत्रित करै सो अब उसकेमंत्रभी कहते हैं-यथा (त्वंविषब्रह्मणासृष्टंपरीक्षार्थंदुरात्मनाम् । पापानांदर्शयात्मानंशुद्धानाममृतंभव ॥ मृत्युमूर्तेविषत्वांहिब्रह्मणापरिनिर्मितम् । त्रायस्वैनंनरंपापात्सत्येनास्यामृतंभव ) अर्थात्-प्राड्विवाक विषकी यहप्रार्थनाकरै कि हे विष तुझे ब्रह्माने दुर्जनोंकी परीक्षाकेहीलिये बनाया है इसलिये पापियोंको अपना मुख्य स्वरूपदर्शावै शुद्धोंको तू अमृतहोजा-हेविष तुझेब्रह्माने मृत्युकीमूर्त्तिकरकेरचाहै इसलिये इसमनुष्यको पापसेवचा और इसकेसत्यसे अमृतहोजा-यहमंत्रपढ़कर दक्षिण मुख बैठेहुये कर्ताको खवादे-नारदने यह नियमकहाहै-यथा ( द्विजानांसन्निधावेवदक्षिणाभिमुखेस्थिते । उदङ्मुखःप्राङ्मुखोवाविषंदद्यात्समाहितः ) अर्थात्-सावधानहुआ प्राड्विवाक उत्तर या पूर्वमुख बैठिकर दक्षिणमुख बैठेहुये कर्ताको ब्राह्मणोंके समीप विषदेवै विषभी वत्सनाभआदि मुख्यविषलेना चाहिये-यथाहपितामहः ( शृंगिणोवत्सनाभस्य हैमजस्यविषस्यवा ) अर्थात्-शृङ्गीविषकादेना या वत्सनाभ विषकादेना या हैमजविषका देना इसमें योग्य है-वर्जित विषभी दर्शाये गये हैं-यथा ( चारितानिचजैर्णानिकृत्रिमानितथैवच । भूमिजानिचसर्वाणिविषाणिपरिवर्जयेत् ) अर्थात्-उस प्रकार के विष न देने चाहिये जो चारित अर्थात् किमी खानी पीनी वस्तुमें चरायेगयेहों यद्वाशोधे मारेगये हों और वेभी नहीं जो सड़ेगले या बीकेहों और वेभीनहीं जो कृत्रिम अर्थात् किसी दो वस्तुके योगसे नकली विषवनतेहों-एवं-नारदनेभी वर्जितविषदर्शाये हैं-यथा ( अष्टत्रचारितञ्चैवधूपितम्मिश्रितन्तथा । कालकूटमलावुञ्च विषंयलेनवर्जयेत् ) अर्थात्-एकतौ भुनाहुआ विषनदेव और चारित-जिसकाचर्चा ऊपरहुआहै सोभीनहीं और धूपितविष अर्थात् वहवग्नुभी न देवजो विषकेधूमने धूपितकरागईहो और(निश्चितविष)अर्थात् जेमेमिठाई लड्डूआदिमें मिन्ना

कर देते हैं सो भी नहीं और (कालकूट) विष जो अतिशय तीव्र हो तो जिसकी उत्पत्ति एक पी-परके समान वनवृक्ष का गोंद होता है तिसको भी न देवे और (अलाबू) अर्थात् कटु तुम्बी आदि के विषको भी नहीं-नारदने विष देनेके कालभी बतलाये हैं-यथा (तोलयित्वेप्सितङ्काले देयं तद्विहिमागमे । नापराह्णेन मध्याह्णेन सन्ध्यायान्तु धर्मवित् ) अर्थात्-पूर्वोक्त मात्राओं के अनुकूल जो बाञ्छित मात्रा हो सो तोल कर हिमागमकालमें देना चाहिये परन्तु अपराह्णमें यामध्याह्णमें या सन्ध्याकालमें न देवे यह धर्मज्ञोंको उचित है अर्थात् केवल पूर्वाह्नकालमें सवापहर दिनके भीतर २ दिया जाय-कदाचित् उक्तकालको छोड़ कर संसूचितकालान्तरमें विष देना परै तब उक्त मात्रासे थोड़ा देना चाहिये-तथाह (वर्षे चतुर्यवामात्रा ग्रीष्मे पञ्चयवाः स्मृताः । हेमन्ते स्युः सप्तयवाः शरद्वल्पा ततोपि हि) अर्थात्-वर्षा ऋतुमें चार जौ की मात्रालेनी चाहिये ग्रीष्म ऋतुमें पाँच जौ भर कहा है पूरे सात जौ भर हेमन्त ऋतुमें लेवे और शरद्वत्तुमें उस्से न्यून मात्रा किन्तु छः जौ के प्रमाण से लेवे (इसमें हेमन्त कहने से शिशिर भी संग्रही है अर्थात् सात जौ हेमन्तमें कहे गये वही सात जौ शिशिरकाल में भी समुभलेने क्योंकि विषका देना हेमन्त और शिशिरमें भी विशेषता और योग्यता साथ पहिले कह चुके हैं) वसन्त ऋतुका चर्चायद्यपि यहाँ पर नहीं आया पर वसन्त ऋतुसाधारणभाव सभी दिव्योंको हितकारी पहले कह चुके हैं इसलिये उसमें भी वही सात जौ की मात्रालेनी चाहिये जो हेमन्त और शिशिर को बतलाई गई-विषभी घृत मिलाकर देना कहा है-यथाह नारदः (विषस्य पलषड्भागान्नागोविंशतिमस्तु यः । तमष्टभागहीनं तु शोध्यै दद्यात् घृतप्लुतम् ) अर्थात्-एक पल तुलेहुये विषके छठे भागका बीसवां भाग अष्टमांश हीन करिके शोध्यपुरुषको घीमिलाकर देना चाहिये तात्पर्य इसका यह कि सात जौ भर विष तुलाहुआ देवे यह विषकी मुख्य मात्रा कहीं गई सो यह पूरी मात्रा विषके मुख्यकालों में ही देवे किन्तु कालान्तरसे देना परै तब ऊर्ध्वोक्तरीतिसे चार पाँच छः जौ भी नियत करै (और नारदके इसी वचनका अर्थ व्यौरेवार इस प्रकारसे समुभना कि तीन जौका एक कृष्णल और पाँच कृष्णल अर्थात् १५ जौका एक मासा होता है ऐसे सोलह मासेका एक सुवर्ण अर्थात् अशर्फी ऐसे चार सुवर्णोंका एक पल कहाता जिसके ६४ मासे होते हैं तिसका छठा भाग दशमासे और दशजौ हुये तिनका बीसवां भाग आठ जौरह गये तिनमें से भी अष्टमांशका एक और घटायवेही सात जौ शेष रहे सो यह विषकी मात्रा कहीं-कहींके साथ जो देना कहा सो विषसे तीसगुणा घीलेना चाहिये-यथाह कात्यायनः (पूर्वाह्णे शीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम् । वृत्तेन योजितं श्लक्ष्णं पिष्टं त्रिंशद्गुणान्वितम् ) अर्थात्-अच्छा चिकना वारीक पिसाविष तीस गुणे घीसे नियुक्त किया घी में मिलाकर देहियोंको शीतल स्थान और पूर्वाह्नकालमें देना चाहिये-कुहक आदिकपट विद्यावान् किन्तु इन्द्रजालिक आदि जो टौना आदि से विषट्टरि करते हैं तिनसे भी शोध्यजनकी रक्षा



कर्तव्यहै अर्थात्कोई ऐसापुरुषउसके पासलकजानेनहींपावै-तथाचपितामहवचनम्-  
यथा(त्रिरात्रंपंचरात्रंवापुरुषैःस्वैरधिष्ठितम् । कुहकादिभयाद्राजाधारयेद्विव्यकारिणम् ॥  
औषधीर्मंत्रयोगांश्चमणीनथविषापहान् । कर्तुःशरीरसंस्थांस्तुगूढोत्पन्नान्परीक्षयेत् )  
अर्थात्-राजाको यह उचित है कि दिव्यकारीपुरुष को कुहकादि मायावी पुरुषोंकेभय  
से तीन राति या पांच रातितक अपने पुरुषों से अधिष्ठित किया रखवाली में रखवे  
और विषके हरनेवाली औषधीतथा मंत्रके योगों वा मणियों को जो कर्ता के शरीर  
में छिपीहुई संस्थित हों परीक्षाकरवावै ( यहांपर तीनिराति या पांच राति पहिलेसे  
रक्षा वा परीक्षा करनीसमुभी चाहिये किंतु विषके दिये पीछेनहीं क्योंकि विषके दिये  
पीछे तौ इनवातों का करनाही आवश्यक है वरन पांचसौ ताली के कालतकपरीक्षा  
करीजातीहै फिरविष दूरिकरने के उपायकरने नीचे लिखेंगे इसलिये पीछे का सिद्धांत  
पांचरात्रि तक असंगत है सो इसवचनसे तीसरे वचन में नीचे देखो ) जैसे कर्ता  
की रक्षा और परीक्षा करनी कही गई तैसेही विषकी भी अनेक भांति रक्षा और प-  
रीक्षा पहले से कर्तव्य है- यथाहनारदः ( शार्ङ्गहैमवतंशस्त्रंगंधवर्णरसान्वितम् । अकृ  
त्रिमसंमूढमंत्रोपहतंचयत् ) अर्थात्-शार्ङ्गनाम का विषजो पशुओं के सींगों से  
उत्पन्नहोता है और हैमवतनाम ( जो ) हिमालयसे उत्पन्नहोता है उनमें भी उत्तम  
छांटै जो अपनी मुख्यगंध और मुख्य रंगरूपसे और असली रसकरिके संयुक्तहो  
और (अकृत्रिम) हो किन्तु बनायाहुआ नकली या शोधाहुआ असलीभी न हो और  
( असंमूढ) हो अर्थात् ऐसा थोथाविष न हो जिसकाखानेसे वेग नहींचढ़ता हो और  
मंत्रोंसे उपहतकिया हुआ भी न हो जिसकाप्रभाव भूँठाहोजाय ( ऐसाविष पहलेसे  
परीक्षा करिके राजारक्खाकरै अर्थात् अपनी धटशाला वा दिव्यशाला नामकेस्थानमें  
संचितकरै क्योंकि तत्काल ढूँढे परकोई वस्तु श्रेष्ठनहीं मिलसक्ती है) अब इसकर्म की  
अंत्यचर्या कहतेहैं कि विषपिलाने पीछे इतनेकालतकपरीक्षा करनीचाहिये जितनी  
देरमें पांचसौताली लगातार किसीकेहाथसे बजसक्ती हों तिसर्पाछे फिर चिकित्सा  
करनीयोग्य है ( तथाचनारदः ) पंचतालिशतंकालंनिर्विकारोयदाभवेत् । नदाभवति  
संशुद्धस्ततःकुर्याच्चिकित्सितम्)अर्थात्-यदि पांचसौताली के कालतक निर्विकार बना  
रहे किन्तु विषकावेग नहींआवैतौ उसकलंकीको शुद्धहुआ जानो और इमकाल पीछे  
वह चिकित्सा उसकी करनीचाहिये जिस्से विषकीगरमी और प्रभाव दूरिहोजावै सो  
यह चिकित्साउसकी पांचसौताली पीछे विषकावेग आने या न आनेपरभी कर्तव्यहै  
पितामह ने अढ़ाईपहर तकभी परीक्षाकरनी कही और उनकेमनमें मायंकाल को  
चिकित्साकरनी निश्चितहोतीहै-यथा(भक्षितेतुयदाग्वन्थोमूर्च्छाद्द्विविजितः । निर्वि  
कारोदिनस्यानेशुद्धंतमापिनिर्दिशेत्)अर्थात्-विष भक्षणकरनेपर यदिग्वन्थ मायघान

बनारहे और मूर्च्छा अथवा छर्दिनाम वमन उसको नहीं आवै और वह दिनके अस्त होने तक ऐसी ही निर्विकार बनारहे तो उसको निश्चयात्मक शुद्ध कहना योग्य है ( अर्थात् जो इस अवधिके बीत जाने पीछे कोईसा विकार उसको हो आवै तो भी निरपराधी समुझा जाय और वैद्यकशास्त्र के उपायोंसे चिकित्सा करी जाय जिसे मरने नहीं पावे इसमें अढ़ाईपहर इस प्रकारसे समुझने कि पूजनादि विधिसे निपटे पीछे पूर्वाह्न काल के भीतर भीतर सवापहर दिन चढ़ते तक विषभक्षण किया गया और उधर भी दो डेढ़ घटी दिन शेष रहने पर सायंकाल का प्रवेश हो जाता और सायंकालसे कुछ पहले ही दिनका अंत इसमें माना चाहिये किन्तु दिनका अष्टमांश शेष रह जानेसे ही दिनका अंत समुझना इस कारण अढ़ाईपहरसे अधिक अवधि नहीं समुझनी सो भी यह अढ़ाईपहर पितामहने उस दशापर दर्शाये हैं कि जब कदाचित् विषकी मात्रा सात जोके परिमाणसे न्यून कल्पित करी गई हो अन्यथानहीं (अथप्रयोगक्रमः) प्राड्विवाक व्रतरखकर महादेवकी पूजा करै और महादेवके सन्मुख विषरखकर पुनि पूर्वोक्त धर्मादि देवताओंको यथाक्रमसे पूजिकर शोध्यपुरुष के मस्तकपर प्रतिज्ञापत्र लिखकर बांधे पुनि विषको अभिमंत्रित करै पुनि दक्षिणमुख बैठे हुये शोध्यको दे देवै वह शोध्यभी विषको अभिमंत्रित करिके भक्षण करि जावे ( इत्यनुक्रमः ) ११२।११३ ॥ इति विषविधानम् ॥

अथकोशविधिमाह ॥

अथदिव्यप्रमाणापेक्षायामुग्रदेवस्नानोदकपानप्रकारेणकोशविधिप्रदर्शनोनाम

एकचत्वारिंशः परिच्छेदः ४१ ॥

इस इकतालीसवें परिच्छेद में कोशविधि वर्णन होगी जिसका प्रकार उग्र देवों के स्नान जलपान द्वारा होता है ॥

देवानुग्रान्समभ्यर्च्यतत्स्नानोदकमाहरेत् । संश्राव्यपाययेत्तस्माज्जलात्सप्रसृतित्रयम् ११४ ॥

अक्ष०—उग्रदेवोंको सम्यक् अभ्यर्चन करिके उनका स्नानोदक लेलेवे अभिमंत्रित करिके उसजलमें से तीन प्रसृतिवह पिलावे ११४ ॥

अभि०—दुर्गाआदि किसी उग्रदेवता को सम्यक् यथाविधि गंध पुष्पादि सामग्री से पूजिकर स्नानका जल पात्र में लेलेवे तिसजल को पहले प्राड्विवाक उसमंत्र से अभिमंत्रित करै जो उनतालीसवें परिच्छेद ११० की अधिकोक्ति में ( तोयत्वं प्राणिनांप्राण ) इत्यादिजलके प्रसङ्गसे कहचुके हैं तिसपीछे शोध्यपुरुषभी उसजलको अन्यपात्रमें लेकर निज आपउसमंत्रसे अभिमंत्रित करै जो उसी ११० के मूलश्लोक पहलेपादसे कहचुके हैं कि ( सत्येनमाभिरक्षत्वंवरुण ) ऐसेतीनवार पढ़िकर उसजलमें से तीन प्रसृतिनामतीन चुल्लूपी जावे ११४ ॥

अधि०—उध्वोक्तकर्म तब होना चाहिये कि जबसँतीसवें परिच्छेद में प्रदर्शित किये

धर्मादि सब देवताओं का आवाहन पूजनहोम समन्वयक प्रतिज्ञापत्रका मस्तकपर बाँधना यह सबहोजावे-कोशविधिमें जिसदेवताको स्नानकरानाचाहिये तिसकानियम और कार्य काभी नियमतथा अधिकारियोंका भी नियमपितामह आदि धर्मकारकोंने जैसा जैसा कहा सो सब कहते हैं-यथा ( भक्तोयोयस्यदेवस्यपाययेत्तस्यतज्जलम् । समभावेतुदेवानामादित्यस्यतुदापयेत् ॥ दुर्गायाःपाययेच्चौरान्येचशस्त्रोपजीविनः । भास्करस्यतुयत्तोयंत्राह्मणंतन्नपाययेत् ॥ दुर्गायाःस्नापयेच्छूलमादित्यस्यतुमंडलम् । अन्येषामपिदेवानांस्नापयेदायुधानितु ) इति देवतानियमः-अर्थात्-देवता का यहनियम है कि प्राङ्गुवाक प्रथम तौ जो पुरुष जिस देवताका भक्तहो उसको उसीके इष्टदेवका स्नानजल पिलावै और जिसपुरुषकी सभी देवताओंमें समदृष्टिहो तौ उसको सूर्यकीमूर्तिका स्नानोदक देवै और चौरोंतथा शस्त्रोपजीवी नाम सिपाहियोंको दुर्गादेवीका स्नान जलपिलावै परंच ब्राह्मणको सूर्यका स्नानोदक न देवै-दुर्गा देवीकाशूलनाम बर्छीजो है तिसकोभी स्नानकरावै और आदित्यके मंडलनाम किरणों कोभी तथैवअन्य सब देवताओं के शस्त्रोंको भी धोलेवै-इतिदेवतानियमः (अथकार्य नियमः) यथा (विस्त्रंभेसर्वशंकासुसंधिकार्यैतथैवच । एषुकोशःप्रदातव्योनित्यंचित्तवि शुद्धये) अर्थात्-सर्वकार्यों में शंकामात्र उठनेपर विश्वासके निमित्तमें तथा संधिकार्य अर्थात् किसीका विरुद्धहुये पीछे मिलापकरने की अपेक्षामें चित्तकी शुद्धिहोजाने के लिये सदैवही कोशपान विधिकर्तव्य है यह कार्योंका नियमहै (अथाधिकारिनियमः) यथा(पूर्वाह्णिसोपवासस्यस्नातस्यार्द्रपटस्यच।सशूकस्याव्यसनिनःकोशपानंविधीयते) अर्थात्-कोशपानविधि उपवासकिये पुरुषको पूर्वाह्णकाल में स्नानकियेहुये भीगेवस्त्र पहनेहुये कराईजातीहै परन्तुउसीको करानीचाहिये जो(सशूक)अर्थात् आस्तिकहो और व्यसनीनहो यहअधिकारीकानियमहै(अथानधिकारिनियमः)यथा(मद्यपस्त्रीव्यसनिनांकितवानांतथैवच । कोशःप्राज्ञैर्नदातव्येयेचनास्तिकवृत्तयः ॥ महापराधेनिर्द्धर्मवृत्तघ्नेःक्रीवकुत्सिते । नास्तिकव्रात्यदासेषुकोशपानंविवर्जयेत् )अर्थात्-प्राज्ञप्राङ्गुवाक वा अन्योकोभी यहउचितहै कि इतने अपराधियोंको कोशविधिनहींकरावे किन्तु एकतौ (मद्यप) जो शराबीहो (स्त्री) व्यभिचारिणीहो( व्यसनी )जोकुरुमामेंरतहों तेंमेही (कितव) जोझलियाहों या नास्तिक वृत्तिमानहों तिनकोनहीं और ( महापगथी )जिमने बहुतबड़ा अपराध या महापापकियाहो तिसको नहीं और ( निर्द्धर्म ) जोअपने मुख्य धर्म पर न चलताहो और ( वृत्तघ्न ) जो किसी के किये हुये उपकारको मेटनाहो और( गीव) जो परमनपुंसक हो और( कुत्सित )जिसकी जानिपांनि वा आचरणोंका ठिकाना कुछ न हो और इसी हेतुसे वहनिच प्रग्नितहो और नास्तिक जो शास्त्रोक्त भर्षादाको न मानताहो और(व्रात्य)जिसका यज्ञोपवीत वा और संस्कार जो कर्तव्य

थे न हुयेहों और दास अर्थात् कैवर्तादि जातोंके लोग इनसबसे कोशपान विधिको बचावै किन्तु इनसेकोई और प्रक्रियाजो शपथों या दिव्योंमध्ये उचितहोसो करवाई जाय और सिद्धांत इसकायह कि यह कोशपान विधिसज्जन और धर्मात्मा पुरुषों से करवानी चाहिये(इत्यधिकारिनियमः) एकयह विधि इसमें अधिकहै कि गायकेगोबरसे मंडल बनाकर उसमें शोध्यको सूर्य सन्मुखखड़ा कराकर पिलावै-यथाहनारदः-(तमाहूयाभिशस्तंतुमंडलाभ्यंतरेस्थितम् । आदित्याभिमुखंकृत्वापाययेत्प्रसृतित्रयम्) अर्थात्-उसकलंकी को बुलाकर मंडलकेबीचमें आदित्यके अभिमुख खड़ाकरके तीन प्रसृती पिलावै ११४ तुलासेविष पर्यंतचारों दिव्योंकी साधनाके साथही तत्काल पीछे शुद्धि या अशुद्धि उसमनुष्यकी जानीजाती है यहवर्णन होचुका पर इसकोशपान के विधानसे तत्काल नहीं किन्तु कुछ दिनों के अंतरसे परीक्षापाई जाती है सो निचले वाक्यमें कहेंगे ११४ ॥

अर्वाक्चतुर्दशादह्वोयस्यनोराजदैविकम् । व्यसनंजायतेघोरंसशुद्धःस्यान्नसंशयः ११५ ॥

अक्ष०—जिसको चौदह दिनके इधर नहोवै घोरव्यसन राजदैविक सो शुद्ध होवै संशयनहीं ११५ ॥

अभि०—जिसने कोशपान कियाहो उसको चौदहदिनकी अवधि भीतर कोई महाघोर व्यसन विपत्तिनतौ राजाके सकाशते नदेवों के कोपसे उत्पन्नहोवै उसको निरपराधी निःसंदेह जानो किन्तु इससे विपरीतमें अपराधी होगा ११५ ॥

अधि०—जो कि चौदहदिनकी अवधि नियत हुईहै उससे उपरांत जिसको राजकृत विपत्ति अथवा देवकृत विपत्ति आनि परै वह अपराधी नहीं समुभाजाय-यथाहनारदः(ऊर्ध्वयस्यद्विसप्ताहाद्वैकृतंतुमहद्भवेत् । नाभियोज्यःसविदुषाकृतकालव्यतिक्रमात्) अर्थात्-जिसको दो सप्ताहके उपरांत कोई महावैकृतनाम राज दैविक दुःख होजावै उसको ज्ञानीलोग अपराधी नहीं ठहरावै क्योंकि नियतकरी अवधिका व्यतिक्रम हुये पीछे उसका इस अभियोगमें अपराध नहींहै यहवात जो उक्तअवधिके आशय सेही पाईजातीथी तिसको नारदनेकहा—परन्तु-यह चौदह दिन के भीतरवाली अवधिकेवल महाभियोगोंमें अर्थात् जुरायम् संगीनमें समुभनी क्योंकि पहले ६७ के मूलश्लोकमें कहचुकेहैं कि ( महाभियोगेष्वेतानि) अर्थात् तुलाआदि कोशपान पर्यंतयहपांचोदिव्य महाभियोगों में करानेचाहिये और अभियोगों का महत्त्वभी १०१ वाले पूर्वाद्धि में कहचुके हैं कि सहस्रपण की मालियत से लेकर उपरांतसंगीन मुक्कदमाजानो किन्तु भीतर नहीं इसलिये यह चौदह दिनकी अवधि भी महाभियोगों मध्ये समुभौ और यह विशेषता इसलिये वर्णन हुई कि कोशविधिछोटे भी अभियोगों में होतीहै यथा ( कोशमल्पेपिदापयेत् ) यह वाक्य पहले प्रदर्शित होचुका है

इसलिये सिद्धांत इसका यह जब कदाचित् कोशपानविधि सहस्रपणके भीतर छोट्टे अभियोगों में कराईगई हो तब केवल चौदह दिन भीतरहीपरीक्षा नहीं किन्तु कुछ अधिक अवधितक परीक्षा कर्त्तव्यहै-(यथाहपितामहः-(त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्वादशाहा तद्विसप्तकात् । वैकृतंयस्यदृश्येतपापकृत्सउदाहृतः ) अर्थात्-दोसप्ताहों के उपरांतभी तीनरात्रि या सातरात्रि या बारहरात्रितक जिसकिसी कोशपान करनेवालेकोवैकृतनाम बिगाड़ कोईसा उत्पात दुःखरूप देखपरै तौवह अपराधी ठहरै (पितामहने इसमें तीन सातबारह का विकल्प इसलिये रक्खाहै कि जब सहस्रके भीतर सातसौतक या पाँच सौतक या तीनसौतक मालपर भूँठी शपथ खाकर कोशपान कियाहो तब यथाक्रमसे बुद्धिमानोंको व्यवस्थादेखनीचाहिये अर्थात् यदि तीनसौतक पणपचायेहों तौ छब्बीस २६ दिनतक उसके पुण्यपाप को देखै यदि पाँचसौतक पणपचायेहों तौ २९ इक्कीस दिनतक यदि सातसौतक पणपचायेहों तौ सत्रह १७ दिनतक यदि पूरे एक सहस्र या इस्से उपरांत का अभियोगहो तौ फिर केवल दो सप्ताहतक परीक्षा कर्त्तव्य है)(प्रकट कियेदेतेहैं कि यद्यपि इसव्याख्याको विरले विद्वान् उलटी समुझेंगे क्योंकि पितामहके अनंतरोक्तजिस वचनकी यह व्याख्याहै उसकाअर्थ बहुधाज्ञाताओंनेभी सीधा यथाक्रमसे यहीमानरक्खाहै कितीन या सात याबारह या चौदहदिनतकपरीक्षा लेनीचाहिये अर्थात् जो मुकद्दमा निपट खफीफ हो तौ तीनदिनतक पुनि इस्सेआगे जैसा २ अधिक मुकद्दमाहो तैसी २ अवधिभी अधिकवढ़तीजावै और संगीन मुकद्दमाके विषयपर पूरे चौदहदिनतक उसके पापकीपरीक्षा करीजाय-परन्तु-हमारी दृष्टि से यह सीधा अर्थथोथासा प्रतीतहोताहैकिन्तु इसदशापर कि यद्यपि क्रियापदविभक्ति आदिके अन्वयसेभी सर्वथा शुद्धहै तथापि गूढ़किसी हेतुसे निःसारजानाजाताहै इस लिये उसवचनका ऐसाअन्वय सारार्थ विदित होताहै कि (द्विसप्तकात्परतःत्रिरात्रात् सप्तरात्राद्वादशाहाद्वायस्यकर्तुः वैकृतंदृश्येतसपापकृदुदाहृतः) (इसीअन्वयके अनुसार ऊपरली व्याख्याहुईथी और उसके लेखक ने शास्त्रसिद्धांत निश्चयके सिवाय बहुधा लौकिक व्यवहारोंमें भूँठीशपथ करनेवालोंकी परीक्षाभी उसीव्याख्याकेअनुकूल देखनेको पाई यद्यपि किसीगूढ़हेतुका लिखना यहांअति विस्तारभयसेअब अपेक्षित नहीं है तथापि यदि कोईविज्ञाता उसका खण्डनकरिके वृत्ताचाहे तौ उमदशा में उस गूढ़हेतुको प्रकाशकरनेकाउत्साह शेषहै ) और इस्सेआगे फिरभी मवको अधिकार है कि दोभाँतिकीव्याख्यामेंसे जिसकिसीकीपरीक्षा लौकिकव्यवहारोंसे ठीकपात्र उमी को प्रमाणमाने और इमन्वाचपर दृष्टिजमीरकवें कि स्वल्पपापमें इननीवड़ीशक्तिनहीं है कि अतिशीघ्र अपनागिह्निदिवानके किन्तु यह जेरीशक्ति महापापमेंहोतीहै ११५ ॥ इतिकोशपानविधिः ॥ इति पञ्चनहादिव्यगनि ॥

यहाँताईं तुला आदि कोशपानतक पाँचमहादिव्य योगीश्वर याज्ञवल्क्यजी के कथनानुसार अन्य स्मृतियोंकेप्रमाणसे वर्णनहुये-अब-निचलेपरिच्छेद में उपदिव्यों का वर्णन केवल अन्य स्मृतियोंसेही कियाजायगा किन्तु योगीश्वरने उनका चर्चा स्वल्पविषयिकजानिकर नहींकिया इसलिये इसनिचले परिच्छेदमें योगीश्वरका मूल वाक्यभी न आवैगा-और उसीमें यहभी ध्यानकरणीयहै कि यद्यपि यथार्थ मर्यादासे उपदिव्योंकेभी चारिपरिच्छेद होनेयोग्यथे परंच निर्माताकीइच्छासे सर्व उपदिव्योंका जातित्व एकमानिकर चारों परिच्छेदोंका एकही निर्मितहुआहै इसलिये इस निचले परिच्छेदमें जुदे जुदे भिन्नविषयिक चारोंचरण समुभनेयोग्यहैं ॥

अथोपदिव्यान्याह ॥

अथदिव्यप्रमाणापेक्षायांस्वल्पाभियोगविषयेषुतंदुलाद्युपदिव्यानांविधि

प्रदर्शनोंनामद्विचत्वारिंशःपरिच्छेदः ४२ ॥

इस बयालीसवें परिच्छेद में सभी उपदिव्यों का प्रकारवर्णन होगा इसके ( पहिलेचरणमें तंदुलविधि) और (दूसरे चरणमें तप्तमाष विधि) और (तीसरे चरण में धर्माधर्म विधि) और ( चौथेचरणमें सर्व सामान्य शपथों का विधान) जानाजायगा तिनमें पहलेतंदुल विधिकहते हैं ॥ अथतंदुल विधिविज्ञानापेक्षायां पितामहवचन-यथा-(तंदुलानांप्रवक्ष्यामिविधिंभक्षणनोदितम् । चौरैतुतंदुलादेयानान्यस्येतिविनिश्चयः । तंदुलान्कारयेच्छुक्लान्शालेनान्यस्यकस्यचित् । मृण्मयेभाजनेकृत्वाआदित्यस्याग्रतःशुचिः । स्नानोदकेनसंमिश्रान्रात्रौतत्रैववासयेत् । प्राङ्मुखोपोषितंस्नातंशिरोरोपितपत्रकम् ॥ तंदुलान्भक्षयित्वातुपत्रेनिष्ठीवयेत्ततः । पिप्यलस्यतुनान्यस्यअभावे भूर्जयेवतु । लोहितंयस्यदृश्येतहनुस्तालुचशीर्यते । गात्रंचकंपतेयस्यतमशुद्धंविनिर्दिशैत् ) अर्थात्-पितामहने यह कहा है कि तंदुलोंकी विधि जो चावल चवाने द्वारा विहितहै सो मैं कहूँगा-किन्तु-छोटे अभियोगों में चौर कोहीचावल चवाने उचित है किसीऔर अपराधीको नहीं यह निश्चय जानौ-तहां-सुपेद चावलोंसे यह विधिकरनी चाहिये और तंदुलकेवल धानकेही लियेजायँ किसी और धान्य के नहीं-एक पवित्र आदमी जो इसकामके प्रबंधपर नियतहो आदित्यके सन्मुख उनकी मूर्तिको स्नान कराकर उसीस्नानोदक से मिलाकर मिट्टीके पात्र में रखकर उसरात्रिभर उसीजगह रक्खारहिनेदे जहांपरवैठिकर परीक्षाकरनी ठहरीहो-दूसरे दिनपूर्वाह्न कालमें प्राङ्मुखक उस कलंकीकोजिस ने व्रतकियाहो और स्नान करिके पूर्वमुखखड़ा हुआहो और प्रतिज्ञा पत्रभी जिसके शिरपर बांधागयाहो तंदुलभक्षण कराकर एक पत्रपर थुकवाइ देवै-परन्तु वहपत्रभी पीपलका हो किसीऔर वृक्षकानहीं कदाचित् पीपलका नमिल सकै तो भोजपत्रपर थुकवावै-जिस के चर्वित चावलों में रक्तकी लाली देख परै और



ठोढ़ी या चौहरि या तालसूखकर चिपटने लगैं अथवा जिसकाशरीर कांपै तिस को दोषीजानौ (इस विधिमेंभी धर्मका आवाहन पूजनहवनपर्यंतजैसा सैंतीसवेंपरिच्छेद में कहचुकेहैं सब यथासंभव कर्त्तव्यहै) ॥

इत्युपादिव्यानांतंदुलविधिविषयिकःप्रथमश्चरणः १ ॥

अथतप्तमाषविधिविज्ञानापेक्षायां पितामहवचनम्-यथा(सौवर्णैराजतंवापिताम्रंवा षोडशांगुलम् । चतुरंगुलखातंतुमृण्मयंवाथमंडलम् । पूरयेद्घृततैलाभ्यांविंशत्यातुप लैस्तुतत् । सुवर्णमाषकंतस्मिन्सुतप्तेनिक्षिपेत्ततः । अंगुष्ठांगुलियोगेनउद्धरंस्तप्तमाष कम् । कराग्रंयानधुनुयाद्विस्फोटोवानजायते । शुद्धोभवतिधर्मैर्णनिर्विकारकरांगुलिः) अ- र्थात्-पितामह ने यह कहा है कि एकगोल प्यालीदार कटोरा जो सोने या चाँदी या ताँबे या मिट्टी का बनाहो जिसका चार अंगुल गहिरापन और सोरह अंगुलघेर मं- डलाकारहो उसको बीसपल तुलेहुये घृत और तैलसे भरै और अग्निपर चढ़ाकर पकावै पुनिअतीव तप्तहोजानेपर उसमें एकमासे सोना जो गुटिकावत् गोलहो डाल देवै और अँगूठा तथा तर्जनी अँगुलीकी चुटकीसे कलंकीपर निकलावै यदि कलंकी उस तप्तमाषको निकालतेहुये हाथका अग्रभाग कँपावै नहीं या छालेहाथमें न आवैं तौ वह हाथ और अँगुलियों सेभी निर्विकार बचा कर्त्ता अपने धर्म से निष्कलंक स- च्चाहोता है ( जोकि उसतप्तमाषका निकालना कहागया तिसका यह आशय नहीं है कि निकालकर शीघ्र किसी ओर को लंबाफेंक देवै किन्तु पात्रमेंसे सामान्य भाव नि- कालकर सब उपस्थितों को दिखावै परन्तु यह भी आशय नहीं है कि कुछ कालतक थाँभेरहै किन्तु दिखलाकर शीघ्र छोड़देवै यह सिद्धांतहै ) ( अस्यैवापरःकल्पः ) किंच इसी तप्तमाष विधिका एक और प्रकारभी होता है सो कहते हैं-यथा ( सौवर्णैराज तेताम्रेआयसेवाथमृण्मये । गव्यंघृतमुपादायतदग्नौतापयेच्छुचिः । सौवर्णैराजतीं तार्घ्यमायसंवासुशोभिताम् । सलिलेनसकृद्धौतांप्रक्षिपेत्त्रमुद्रिकाम् । भ्रमद्वीचित रंगाद्वेह्यनखस्पर्शगोचरे । परीक्षेतार्कपणैश्चुरुकारंसुघोषकम् । ततश्चानेनमंत्रेण सकृत्तदभिमंत्रयेत् । परंपवित्रममृतंघृतत्वयंयज्ञकर्ममु । दहपावकपापंत्वंहिमशीतंशु चोभव । उपोषितंततःस्नातमार्द्रवाससमागतम् । ग्राहयेन्मुद्रिकांतांतुघृतमध्यगतां तथा । प्रदेशिनींचतस्याथपरीक्षेयुःपरीक्षकाः । यस्यविस्फोटकानम्युःशुद्धाऽमावन्यथा ऽशुचिः) अर्थात्-दूसरा यहप्रकार है कि एक पूर्वोक्त परिमाणका पात्र जामोनेयाचाँदी या ताँबे या लोहे या मिट्टीकावना हो उसमें गायका घृतभरिके एक पवित्रनर उमका अग्निपर तपावै तिसमें एकसुन्दर अतिनिर्मल मुद्रिका जो मांभर मोने या चाँदी या ताँबे या लोहेनेवनीहो एकवार जलमे थोयकर डालदेवै-पर मुद्रिका उजमें तब डालजाय कि जब घी में खोलिकर तरंगें उठनेलगें और देवनेमेही घृतपेना प्रतीत

होनेलगे कि इसपर नखभीनहीं लूसकैगा-बलिक उसघीकी परीक्षाभी करनीचाहिये हरे अँकौआके पत्तेसेकिन्तु पत्ताघृतमें डालनेसे चुरचुराहटका शब्ददेने लगे तबइस अग्रोक्तमंत्रसे घीकोअभिमंत्रित करैकि-हेघृततू यज्ञकर्मोंके विषयमें परमपवित्र और अमृतरूपहै हेअग्ने तू पापीको जलायदे और सञ्चेपुरुषको पालाकेसमान शीतल होजा-इसमंत्रसे प्राङ्विवाक उसघी और अग्निकी प्रार्थनाकरै तिसपीछे ब्रत कियेहुये और स्नानकरिकै भीगेवस्त्र पहिनकर आयेहुये कलंकीसे उस मुद्रिकाको उठवावे जो घृतमें डालरक्खीथी-तिसपीछे परीक्षक लोग उसकर्त्ता पुरुषकी प्रदेशिनी अँगुली की परीक्षाकरै किन्तु जिसकी प्रदेशिनीमें छालेनहींपड़ें सो शुद्धहुआठहरै और अन्यथा जिसकेछाले पड़ेंहों वह नर अपराधी है(इसविधिमें भी धर्म और धर्मादिक देवताओंका आवाहन पूजनहवनपर्यंत और प्रतिज्ञापत्रका बांधनाउसकेशिरपर कर्त्तव्य है जैसा सैंतीसवें परिच्छेदमें वर्णनहोचुका है इसविधिमें घृतरूप अग्निका अभिमंत्रण प्राङ्विवाक की ओरसे ऊपरले मंत्रमें कहागया पर शोध्दपुरुषभीघृतकेसन्मुख आनेपर उसमंत्रसे प्रार्थनाकरै जो अग्निके विधानमध्ये १०६ कामूलश्लोक (त्वमग्ने सर्वभूतानां ) इत्यादि योगीश्वर वाक्य अड़तीसवें ३८ परिच्छेदमेंआचुकाहै ॥

इत्युपदिव्यानांतप्तमाषविधिविषयिकोद्वितीयश्चरणः २ ॥

अथचधर्माधर्माख्यविधिविज्ञानापेक्षायांपितामहवचनम्-यथा(अधुनासंप्रवक्ष्यामिधर्माधर्मपरीक्षणम् । हंतृणांयाचमानानांप्रायश्चित्तार्थिनांनृणाम् ) ( हंतृणामितिसाहस्राभियोगेषु ) ( याचमानानामितिअर्थाभियोगेषु ) ( प्रायश्चित्तार्थिनामितिपातकाभियोगेषु ) तत्र-राजतंकारयेद्धर्ममधर्मसीसकायसम् ( सीसकंवाआयसंवेतिप्रतिमाविधानम् ) अर्थात्-पितामहका यहवाक्य है कि उपदिव्योंमध्येधर्माधर्म के नामसे परीक्षाका प्रकारजो होताहै तिसकोभी अब मैं यथाविधि से वर्णनकरूंगा सो यहप्रकार( हंतृणों ) अर्थात् साहसिकों के लिये नियत है जो किसीकाप्राण बधकरने से ( क्रातिल ) कहलाते हैं-और-यहीप्रकार ( अर्थाभियोगियों ) अर्थात्दीवानीमें नालिशकरने वालों के लिये नियत है कि जोपुरुष धनसंपत्तिकी अपेक्षासे अभियोग लगावें-और-यही प्रकार ( प्रायश्चित्तार्थियों ) के निमित्त में अर्थात् जिनपर कुछ पातकरूप अभियोग लगाहो जिसमें प्रायश्चित्तकी अपेक्षाहो-तहां-धर्मदेवकी मूर्तिचाँदीकी और अधर्मकी सीसे या लोहेकी बनावै यहप्रतिमा का विधानकहा-अथवा-अग्रोक्त पक्षान्तर के प्रकारसेवनावै सोअबकहते हैं और पूजनादि विधिदोनों प्रकारमेंएकही समुभलेनी-यथा ( लिखेजूजेंपटेवापिधर्माधर्मोंसितासितौ । अभ्युक्ष्यपञ्चगव्येनगन्धमाल्यैःसमर्चयेत् । सितपुष्पस्तुधर्मःस्याद्धर्मोऽसितपुष्पधृक् । एवंविधायोपलिरुयपिण्डयोस्तौ निधापयत् । गोमयेनमृदावापिपिण्डौकार्योसमन्ततः । मृद्गाण्डकेऽनुपहृतेस्थाप्योचानु

पलक्षितौ ॥ उपलिप्ते शुचौ देशे देवब्राह्मणसन्निधौ । आवाहयेत्ततो देवान् लोकपालांश्च  
पूर्ववत् ॥ धर्मावाहनपूर्वतु प्रतिज्ञापत्रं लिखेत् (यदि पापविमुक्तो हं धर्मस्त्वायातु मे करे ।  
अशुद्धश्चेन्मम करे पापमायातु धर्मतः ॥ इत्यभिशंस्तो भिमन्त्रयते) अभियुक्तस्तयोश्चै-  
कं प्रगृहीता विलम्बितः । धर्मगृहीते शुद्धः स्यादधर्मतु सहीयते ॥ एवं समासतः प्रोक्तं धर्मा-  
धर्मपरीक्षणम् ( इति धर्माधर्म दिव्यविधिः ) अर्थात्-यदि उस प्रकारकी मूर्ति न हो सकै तौ भो-  
जपत्रयागादेवस्त्रपर धर्मकी शुक्लामूर्ति और अधर्मकी कालीमूर्तिलिखै उनको पञ्चगव्यसे  
झीटादेकर गंधमाल्यादिकों से विधिवत् पूजै-पुनि धर्मके मस्तकपर श्वेतपुष्प और अ-  
धर्मके मस्तकपर काला फल धरै-इस प्रकारसे चाहे लिखकर या पूर्वोक्त रीतिसे बना-  
इकर दोनों मूर्तियोंको दो पिंड बनाकर उनमें जुदीर गुप्तभावसे थोपि देवै-और वह दोनों  
पिंड चाहे गोबरके बनाये जायँ अथवा मिट्टीके फिर एक साजे मिट्टीके हंडेमें दोनों गोले  
कर्त्ता पुरुषसे छिपाइकर धरै जिससे वह देखनहीं पावै-तिसपीछे लिपेहुये शुचिस्थान  
में देवता और ब्राह्मणोंके सन्मुख बैठकर धर्मदेवका आवाहन और धर्मादिक और  
सब देवताओं लोकपालों का आवाहन पूजन हवन पर्यंत सब करै जैसा सैंतीसवें  
परिच्छेदमें वर्णन हो चुका है तिसपीछे प्रतिज्ञापत्र लिखकर कर्त्ताके मस्तकपर बाँधै यह  
सबकर्म प्राङ्गुलिका द्वारा किया जाय-तिसपीछे वह कलंकी इस अग्रोक्त मंत्रसे धर्मा-  
धर्म दोनोंको अभिमंत्रित करै कि ( यदि मैं पापसे रहित नाम सच्चा होऊँ तौ मेरे  
हाथमें धर्म आवै और जो मैं असत्यवादी होऊँ तौ न्यायानुसार मेरे हाथमें अधर्म  
आवै ) ऐसे पढ़िकर वह कलंकी उस हाँडीमें हाथ डालकर शीघ्रही विनाशोचे एक मूर्तिके  
गोलेको निकाले-यदि उसके हाथमें धर्मका गोला आया हो तौ वह सच्चा है यदि अ-  
धर्म आया हो तौ वह झूठा होकर हारैगा-यह संक्षेप विधि धर्माधर्मकी परीक्षामध्ये कही गई ॥

इत्युपदिश्यातां धर्माधर्म विधि विपयिकस्तृतीय श्रवणः ३ ॥

अथान्येषां सामान्यशपथानां विधिविज्ञानापेक्षायां मन्वादिनिरुक्तवचनानि ॥ यथा  
( निष्केतुसत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादर्वाकृतु पुण्यंग्यात्कोशपानमतः  
परम् ॥ मत्येनशापयेद्विप्रं क्षत्रियं ब्राह्मणायुधैः । गोवीजकांचनवैश्यांश्च शूद्रं मवेस्तु पानकैः )  
इत्यादयः ( अत्र च शुद्धि विभावना मनुनां क्ता ) यथा ( न चार्निमृच्छति क्षिप्रमंज्ञेयः शप-  
थेशुचिः ) अर्थात्-मन्वादि प्राचीनोनेही और भी सामान्य (गपथ ) मोंगन्धवर्णन कियेहं  
जिनकावर्ताया घटुघाथोड़े द्रव्यके विषयोंपर आरुढ़ है नाकहतेहैं कि (निष्क) मात्र  
की चोरीआदि कुछमुकहमाहो तौ केवलउसके नत्यभावने नत्यवचनकी मोंगन्धले-  
नीचाहिये जब दो निष्कों का अभियोगहो तौ निजपूज्य गुन्वों वा निज दृष्टद्वयों के  
पादहूकर सोंगंध खावे या पुत्रादिकोंके शिरपर हाथरक्व और तीननिष्कोंके भीतर धर्म  
अर्थात् एकसे लेकर या दोसे उपरान्त तीनतक निष्कों का अभियोगहो

अपने कियेहुये संचित पुण्यकर्मों की सौगंध देवै कि यदि मैंने ऐसा किया हो तो अमुकामुक पुण्योंका फल जातारहै (पर) इस्से उपरांतका अभियोगहो तो कोशपान करवाया जाय-और-कहीं किसीदेशकालके अनुकूल इन्हीं शपथोंमें जाति भेदका प्रकार दर्शाया है कि ब्राह्मण को उसकी सत्यता से सौगंध देनी चाहिये क्योंकि ब्राह्मण को सत्यता अतिशय प्रियहोतीहै और क्षत्रियको बाहन वा शस्त्र अतिशय प्रियहोते हैं इसलिये उसको इन्हींकी सौगंध दिलावै और वैश्यको गाय तथा अन्न सोना चाँदीकी सौगंध देवै और शूद्रको या शूद्रकापेशा करने वालेको सभी पातकोंकी शपथ देनी चाहिये कि यदि ऐसा कियाहोगा और भूँठी शपथ उठावैगा तो सच्चापन जातारहेगा बाहनादिक अन्नादिक धन संतान पुण्यकर्म सब निष्फल होजायँगे और सभी पातकजो अनर्थरूपहोते हैं मस्तकपर आरूढ़होंगे इसप्रकार प्राड्विवाकभी कहकर उसे सुनावै और उसके भी मुखसे उच्चरित करावै सो उसभांतिसे कि जिसके कथनको सब उपस्थित लोग स्पष्ट सुनिसकें-इत्यादि और भी अनेक भांतिके शपथलौकिक परिपाटीसे समुझने (और इसलिखित वार्तामें यह नियम समुझिलेना कि यह सामान्य शपथ या जातिभेदसे जैसा अभी ऊपर कह चुके हैं सो भी सब सज्जन और धर्मात्मा पुरुषोंके निमित्त में कहा गया चाहै किसी जातिकेहों किन्तु असज्जन या अधर्मीके निमित्तमें उन्हीं प्रकारोंका दिव्य देना चाहिये जिनका चर्चा कई परिच्छेदोंसे चला आता है चाहै किसी जातिकेहों (और) सज्जन या असज्जनका विवेक जो ४१ इकतालीसवें परिच्छेदमें कोशपानके प्रसंगसे लिख चुके हैं सोई इसजगह पर भी समुझिलेना) और इसप्रकारमें भूँठी सच्ची शपथ उठानेकी परीक्षामध्ये मनुजीने यह नियम दर्शाया है कि जो कोई शपथ उठाने पीछे शीघ्र ही पीड़ाको न पहुँचै उसकी सच्ची शपथ जानो अर्थात् जिसको शीघ्र ही कुञ्जराज दैविक व्यसन विपत्ति आनिघेरै उसका भूँठी शपथ उठाना समुझौ ( अथात्र क्षिप्रकालावधि निर्णयः ) अर्थात्-यद्यपि इसवचनमें मनुजीने (क्षिप्रं) यह शीघ्रवाचक पदक्रियाके विशेषणमें दिया है कि जो कोई शपथ उठानेवाला शीघ्र ही पीड़ाको पहुँचै या न पहुँचै सो इस शीघ्रता का कोई सा नियम नहीं होसक्ता है कि कितना शीघ्र हो और यद्यपि क्षिप्र या शीघ्रसे तत्कालका भी अर्थ होसक्ता है परन्तु सामान्य शपथोंके प्रभावसे तत्काल असंगत है क्योंकि यदि ऐसा ही तत्काल इसका फल होता तो इनको भी महादिव्योंमें गिनती करसक्ते उपदिव्य संज्ञा क्यों होती परंच फल होता है अवश्यभाव इसमें कुछ संदेह नहीं इसीलिये मनुजीने साधारणभावसे अनियतकाल कह दिया है- तथापि- इस क्षिप्रकालकी अपेक्षामें पितामहका जो वचन पहले कोशपानके प्रसंग से वर्णन हो चुका है उसीके अनुसार अर्वाधि इसमें भी प्रयुक्त करी जाती है कि दो सप्ताहों के उपरांत भी तीन या पांच या सात या द्वादश रात्रितक परीक्षा कर्तव्य है कि कोई महाघोर दुःख तो नहीं उठा-और-दो सप्ताहों

के उपरांत कहने का यह सिद्धांत नहीं है कि दो सप्ताहों के भीतर दुःख उठे तो भूँठा नहीं समुभना किंतु चाहे शपथ से दूसरे दिनही फलप्रकट होजाय या परम अवधितक प्रकटहो तो वह दोषी ठहरै यह सिद्धांत है और वह परम अवधि इसी-लिये नियतहुई है कि शीघ्रकाल का नियम जानाजाय ( और ) तीन या पांच या सात याद्वादशदिन जो कहे गये तिनको द्रव्यकी गुरुतालघुता के अनुसार समुभना किन्तु जैसा अभियोग अधिकधनका हो तैसीही थोड़ी अवधिन्वनतर तीनरात्रिसे लेकर समुभलेनी और जैसा अभियोग थोड़ेधनका हो तैसी अवधि अधिकतर द्वादश दिनतक यथाक्रमसे समुभलेनी-यद्यपि प्राचीनज्ञाता पुरुषों ने इसी क्षिप्रकाल के आशयसे उसीशपथ के दिनसे लेकर द्रव्यकी लघुतागुरुता अनुसार केवल एक या तीन या पांच दिनतक दुःखोत्पत्ति होनेसे शपथकर्त्ताको भूँठामाना है इससेउप-रांतहो तो सच्चा परंच हमनहीं कहसक्तेहैं कि उस प्राचीनकाल में ऐसाहीप्रभाव इन सामान्य शपथोंका हो या न हो तथापि ऐसा होनेपर भी यहकहसक्ते हैं कि कालके अ-तिक्रमसे प्रथमतौ कालहीका प्रभावकुछ परिणामको पहुँचता है पुनि उसकी संसर्गी बातोंका प्रभाव तो घंटाघोष है कि निस्संदेह परिणामको पहुँचता है- और यद्यपि किसीके विचारसे मनुका अनियतक्षिप्रकाल दोसप्ताहों के उपरांत अवधितकतुल्यता नहींपासक्ताहो परसिद्धांत उसकायह कि पुण्य और पापोंका फलप्रकटहोनेमध्येशास्त्र में एकवाक्य यह प्रसिद्ध है कि तीनवर्षों या तीनमासों या तीनपक्षों या तीनदिवसों की अवधिमेंअत्युग्र पुण्य या अत्युग्रपाप का फल इसीदेहसे कर्त्ता पुरुष भोगता है- तद्यथा(त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिःपक्षैस्त्रिभिर्दिनैः । अत्युग्रपुण्यपापानामिहैवफलमश्नुते)इसमें जैसा २ उग्रकर्महो तैसा २ शीघ्रतीनदिवस तक फलमिलताहै यहकहागया परंच इसमेंसामान्य कर्महोनेपर अधिकसेअधिक तीनवर्षोंतक अवधि परिनियमितहै इसीहेतुसे मनुनेअपनेवचनमें क्षिप्रकालका विशेषणदेदिया है कि यद्यपिइनशपथोंका भूँठाहोना भी एकसामान्यपापहै क्योंकि थोड़ेविषयपर यहशपथें हुआकरती हैं इससे कोई यह न समुभै कि इनकाफल तीनपक्ष या तीनमास या तीनवर्षों तकप्रकटहोगा किंतु क्षिप्रहीप्रकट होगा क्योंकि एकसत्यधर्मकी प्रतिज्ञासाथशपथ हुआकरतेहैं उसी सत्यधर्मके प्रभावसे इनकाफल शीघ्रहोसक्ताहै सोउम अनियतशीघ्रताका यहीआशय है कि एक मासकेभी अंततक नही जासक्ता किन्तु अंत्य अवधि उमकी वही है जो दो सप्ताहोंके पीछेतकपितामहके वचनानुसार नियतहुई या दोसप्ताहोंके भीतरहोना भी कुछ अचंभा नहींक्योंकि यदिपापउसका प्रवलहोगा तो क्योकर दोसप्ताहउन्काधिगा ह्यं यदि निर्बलहोगा तो परम अवधितक प्रदर्शितहोगा-परंतु-उम अनियतक्षिप्रकालके आशय से एक यातीन या पांचदिनतक जैसेतुच्छ पापका फल प्रदर्शित होजाना हमनहींनि-

इचयकरसक्तेहैं जो थोड़ेसे विषयपर सौगंधमात्रखानेसे उत्पन्नहोताहै किन्तु यदिऐसा हीशीघ्रतर इनकाफल उत्पन्न होसक्ता होता तौ फिर महाभियोगोंमें भी महादिव्योंके स्थानपर निपट इन्हींका आचरण होना योग्य लिखाजाता ऐसीक्या आवश्यकताथी कि ऐसेसूधे सुगमउपायों को छोड़कर तुलाआदि बड़े विस्तारों के भगड़े में मनुष्य पड़ते जिनमें बहुतसी लागति और सामग्रीकी अपेक्षाहै-परंतु-इसबादानुवाद से यदि कदाचित् कोई यहभाव आरोपितकरै कि अबकलियुग में ऐसे सामान्य शपथों का निपट फल होताही नहोगा सोयह मंदबुद्धियों का अविवेक है अर्थात् निःसंदेह फल होता है पर ऐसी गूढ़ग्रंथियों का अभ्यंतर बहुधा शास्त्रावलोकनके सिवाय लोकव्यवहारों के प्रत्यक्ष देखनेसे भी मिलसक्ताहै (अथात्रप्रासंगिकवार्त्ता) यद्यपि लेखकने परीक्षा तौ अनेकधाही इस विषयपर करीहोंगी परएक (दृष्टांत) उनमें से आजही का लिखते हैं अर्थात् आज संवत् १९३२ यम द्वितीया का यहलेखहै और आजसे दो डेढ़ महीना पहिले एक अभियोग इसडौलसे हमारे निकट बेलनगंज में खड़ा हुआ कि एकहमारे सत्कुल मित्रके कुछरुपये एक यवनजाती व्यवहारी पर कईवर्षोंसे चाहते थे पहले एक दोवार तौ कुछ उसने दिया भी पर पीछेपीछे निपट न देना ठहराकिसी प्रकारकी सनद उनकेपास नहींथी परउस ऋणकेलेनेवाले दोआताथेउनमें एकदूसरे के नामसे लेगयाथा वह यह बात सदैव तगादा होनेपर कहता था कि अगर उसके नाम नालिशकरौ तौ मैं साक्षीहोसक्ताहूँ कि मैंने लेजाकर उसकोदिये हैं दैव योगसे ऐसाही वानक बना कि उसके नाम खफीफाकी अदालत में नालिशहुई तब उसने ऋणकेलेने से अपह्व किया और यह कहा कि अगर धनी अपने धर्मकी कसम खा जावै कि हमने इसको दियेतौ मैं देसक्ताहूँ हाकिमने धनीसे बूझा कि यह क्याबातहै धनीने यहउत्तरदिगा कि यथार्थसे इसके हाथमें हमने नहींदिये किन्तु इसकायहभाई हमसे लेगया और इसको जाकरदिये और यहीहमारा ऋणीहै परंतु जैसे यहहमसे कसम चाहता है तैसे यही अगर मस्जिदमें बैठकर कसम खाजाय तौ इसपर दावा छोड़कर उसीपर दावा अपना रक्खेंगे जिसके हाथमें दियेहैं तवहाकिमने यहआज्ञा दी कि अगर यहकसमदेना स्वीकार करैतौ मस्जिदमें लेजाकर इस्से कसम लेलोतौ दूसरेभाईकेनाम तुम्हारादावा रहेगा अगरयहकसम न खावैगातौ इसीकेनामडिगरी होगी क्योंकि रुपयेका देनालेना तौ सर्वथा सच्चा है इस दशापरभी उसने मस्जिदमें जाकर झूठी कुरान उठाली कि मुझको इनका कुछ नहीदेना और भाईने जो रुपये मुझकोदिये सोमेरा आपसका भगडा है मनेचाहै तिसराहसे इस्सेलिये इसकसमके होजानेपर दूसरेकेनामसे डिगरीहुई जो आपलेजाना स्वीकारकरताथा परंतु सौपचास आदमी जो इसदशाको सच्चीरितिसे ठीकर जानतेथे उनसवने उसकी परम निन्दा



करी कि इसने भरापरा होकर ऐसी भूँठी शपथ उठाई इसका अब कल्याण नहीं इस बातको बीसहीदिन बीतिथे कि एकदिन उसीने अपने सन्मुख मकानके बनियाँसे कुछ सौदालेतेहुये गाली गलौंभकिया निदान बनियाँकोमारा और मुँहमें थूकदियाबल्कि कोलाहल सुनकर दूसरा भाईभी मददको आगया तब दोनों ने मिलकर बनियाँको बहुतपीटा वह एकल्लाथा जबतक और दूकानदार जोवहांसे दूरथे सुनिकरदौड़ेंतबतक दोनों भाजिगये निदान वह भूँठी शपथका उठानेवाला जो मुख्य अपराधी उसबनियाँकाभी हुआसोतौ अपने अपराधके भयसे निपट घरबार और मालटाल छोड़कर तत्काल देशांतरको भजिगया और दूसराभी रूपोश होकर दो दिवसोंतक छिपारहा पर तीसरे दिवस पकड़ागया-और बनियाँ जो जातिसे पतितहुआ सो यद्यपि निष्पक्ष एकल्ला और निर्धनभीथा परउसके पक्षमें सारेबेलनगंजके साहूकार और ब्राह्मणोंआदि सभीहिन्दू एकमतिहोकर अदालतके उपायपर समुद्यतहुये एकबाबू बंगाली साहब इसअभियोगमें प्रबन्धकेमुखतार खड़ेकियेगये तत्काल एकसहस्ररुपया चन्देकीरीति से उगाहीकिया इसमें गरीबोंनेभी अपनी यथाशक्ति कुछदेनेसे नकारनहींकिया और दियेपीछेभी उत्साहसे यहकहा कि जोचाहिये सो फिरभीलेजावो निदान उसअपराधीका सहायक जो पकड़ागया उसकोतौ अभी दीपमालिकाकेसमीप केवल छेमहीने के कारागार और सौरुपयादण्डहुआ सो इसपरभी हिन्दू अभी नाराज और विलायततक अपीलकरनेपर उद्यतहैं और मुख्यअपराधीकापता अभी हालमें बड़ीढूँढा-ढाँढी से मिलाहै कि वह धौलपुरकेराज्यमें छिपाहै उसको देखआने और पीछे चिह्न देकर पकड़ानेकेनिमित्त एकहरकारेको २५) रुपयेदेकर हिन्दुओंनेभेजा विश्वासहै कि पकड़ाजावे और जहाँतकहोसकै जैसे यह बनियाँ अपनेशुभजन्मसे निष्फलहुआ है तैसे वहभी अपने जीवनांत सबसौख्योंसे रहित कियाजाय आगे जोकुछप्रभुकरं सो ठीकहै पर इसमें तौ सन्देह नहीं कि उस भूँठीकुरान उठाने के प्रभावसे निज आप अपने सब ऐश्वर्योंको छोड़भाग्या और केवल चालीसरुपयेके वचावपर कुरानउठाई थी जिस्से पन्द्रह बीसदिनकेमध्यगत यह घोरव्यसनपाया जिसे कदाचित भी ऐमा दुःख न मिलाथा-अब क्योंकर कहें कि यह उस भूँठीशपथका प्रतिफलनहींहै केवल पाँचदिनके भीतरहोता तौ उसका प्रतिफलहोता-परंच-अब यहभी प्रकटकियेदेते हैं कि जिन प्राचीनज्ञाताओंने केवल पाँच दिनतक मानेथे उनका मूथा २ यह सिद्धान्त है कि दुःख तौ संसारी जोवोंपर सदैवही कुडनकुड होनेगहाकरते हैं इमनिये अति अटेअभियोगोंकी शपथ में अधिकअवधितक उनका पीछा न करनाचाहिये किन्तु अधिकअवधि बड़ेअभियोगोंकी शपथमें लेनीचाहिये-नथापि इममें यहध्यानकर्तव्य है कि कुडनकुड साधारण दुःखोंकाचर्चा इसमेंनहींहै किन्तु (व्यमनंजावनेघोरंयन्य

नोराजदैवकम् ) अर्थात् राजदैविक सम्बन्धी महाघोर और अपूर्व दुःखोंका प्रसंग इसमें कहा है (इति प्रासंगिकवार्ता) अब उसपूर्वोक्तवार्तापर दृष्टिकरनी चाहिये कि इस चौथे चरणके प्रारम्भमें एकनिष्क या दोनिष्क आदि चर्चा आया है तहाँपर निष्कमान केवल उसप्रमाणसे समुभूना जो आचाराध्यायके ३६३ और ३६४ मूलश्लोकमें बाँदी संबंधी निष्क वर्णन हो चुका है उसका ठीक यह ब्यौरा है कि पंद्रहयवका एकमासा ऐसे ६४ चौसठिमासेका एक निष्क होता है-सो-यह पता इसलिये दिया गया कि (निष्क) शब्दके अनेक अर्थ होते हैं किंतु प्रथम तो निष्कही ग्रंथभेद और मतभेदसे कई प्रमाण का होता है इसके सिवाय विषयभेदकी परिभाषासे १०८ तक सुवर्णोंका एक निष्क मान विशेष होता है और इसके सिवाय निष्कसंज्ञा व्यवहारिक मुद्रामात्रकी भी वाचक है कि जो जिसके देशमें प्रचरित हो चाहे सोने या चाँदी या ताँबेका ही पैसा त कहो जिसपर किसी राज्यकी राजमुद्रा खुदी हो वही निष्क है चाहे कितना ही तौलमें हो इसे कुछ अपेक्षानहीं पुनि विनातुले सोनेमात्रका सी वाचक है इत्यादि और भी अनेक अर्थ होते हैं पर उन किसीसे भी कुछ अपेक्षा यहाँ नहीं-किंतु चार सुवर्णों भर तुली हुई चाँदी जिसके चौसठि ६४ मासे होते हैं उसीसे प्रयोजन है-तथा च (चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञे यस्तु प्रमाणतः) अर्थात्-बाँटोंके प्रमाणमें चार सुवर्णोंका एक निष्क समुभूना चाहिये-परंतु-यह भी ध्यानकर्तव्य है कि यहाँपर साक्षात् चाँदीसे अपेक्षानहीं है कि इतनी चाँदी ही चुराई हो अर्थात् इतनी चाँदीकी मालियतसे चाहे तिसवस्तुका भगड़ा हो चाहे इतनी चाँदीके मोलका सोना ही चुराया हो तौ उस दशामें ऊर्ध्वोक्त शपथों का प्रचार उसी रीतिसे होगा जैसा ऊपर एक दो निष्कोंके नामसे कहा गया-इस प्रकार पूर्वोक्त सर्व दिव्योंमेंसे किसी दिव्यके द्वारा जब जय पराजय निश्चित हो जाय तब उस प्रकारकी विपरीत दशाओंमें कि जिनमें भूँठे पुरुषके आग्रहसे किसी सद्वादी पक्षी को निरर्थक दिव्याचार करना परा हो तौ पराजित पक्षीसे जयवान्को सौका आधा अंश ५० दिलवावै और पराजित पक्षी राजदंडभी देवेगा यह दोनों दंडविशेष उसद्रव्यसे उपरांत समुभूने चाहिये जिसके भगड़ासे अभियोग था यद्वात कात्यायनके अग्रोक्तवाक्यसे निश्चित है-यथा (शतार्द्धदापयेच्छुद्धमशुद्धोदंडभागभवेत्) अर्थात्-शुद्धको सौका आधा दिलवावै और अशुद्ध पक्षीराज दंडका भागी होवै-यह राजदंडभी दिव्योंके अनुरूप लेना चाहिये-यथाह (विषेतोयेहुताशे चतुलाकोशे चतंडुले । तप्तमाषकदिव्ये चक्रमादंडं प्रकल्पयेत् ॥ सहस्रषट्शतं चैव तथा पंचशतानि च । चतुस्त्रिद्वयेकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेत्) अर्थात्-विष जल अग्नि तुला कोश तंडुल तप्तमाष इनसातौ दिव्योंमें यथाक्रम से दंडकी कल्पना राजा करे अर्थात् यदि विषका दिव्य हुआ हो तौ हारेहुये पक्षीसे एक सहस्रतक दंड राजालेसक्ता है पर जैसी उस अभियोगकी दशा हो तिसकी उत्तमता

मध्यमताके अनुकूल इसी एक सहस्रकी परमावधि भीतर दंड कर्तव्य है १-ऐसेही जलका दिव्यहुआहो तो छसौतक परम अवधिजानो २-ऐसेही अग्निके दिव्यमें पाँचसौकी परम अवधि ३-एवं तुलाके दिव्यमें चारसौकी ४-कोशपानके दिव्यमें तीनसौ ५-तंडुल विधिके दिव्यमें दोसौ ६-तप्तमाष उठानेके दिव्यमें एकसौतक दंडहोसक्ताहै ७-इसके सिवाय यदि सामान्य शपथोंका दिव्यहुआहो तो दंडभी थोड़ा जो पचास के भीतर २हो और मुकद्दमहकी लघुता गुरुताके अनुसारहो सो लेनाचाहिये-इसके सिवाय ( निह्वेभावितोदद्याद्धनंराज्ञेचतत्समम् । मिथ्याभियोगीद्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् १२ ) यह बारहवाँमूल श्लोक योगीश्वरका कि जिसकी व्याख्या दशवें परिच्छेदमें होचुकी है जिसके भी अनुसार जो दंड जिसपर उचितहो सो भी कर्तव्य है परंतु इन दोनोंदंडका समुच्चयकरने में प्रत्येक मुकद्दमहकी दशा अनुसार प्राड्विवाक को यह विचार भी कर्तव्य है कि इस अभियोगमें अत्रोक्त और तत्रोक्त दोनों दंडकी योग्यतापाईजातीहै या अत्रोक्त केवल एकहीकी ॥ इत्युपदिव्यानांसामान्यशपथविषयिकश्चतुर्थश्चरणः-इतिदिव्यप्रकरणम् ॥

अतीसवें परिच्छेदसेलेकर यहांतक सात परिच्छेदों में दिव्यप्रमाणकाभी वर्णन होचुका-अबनिचले परिच्छेदसे लेकर कई परिच्छेदोंमें दायभाग कहाजायगा ॥

अथदायभागमाह ॥

अथात्रदायविभागापेक्षायांतावदायविभागस्यरूपनिर्णयप्रसंगात् ( स्वत्व )

निरूपणोनामत्रिचत्वारिंशःपरिच्छेदः ४३ ॥

इस तैंतालीसवेंपरिच्छेदमें प्रथम दायविभागका स्वरूप निर्णयकरनेके प्रसंग से ( स्वत्व ) निरूपणकियाजायगा ॥

प्रमाणमानुपदैवमितिभेदेनवर्णितम् । अधुनावर्ण्यतेदायविभागोयोगमूर्तिना ११६ ॥

ऐ०-योगीश्वर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि-मानुषप्रमाण और दिव्यप्रमाण यह दोनों निज २ भेदसे वर्णन किये अब ( योगमूर्तिनामयादायविभागोवर्ण्यते ) अर्थात् अब योगोंकी मूर्तिमुझकरके दायविभाग वर्णनकिया जाता है-यद्वा-उनकाशिवशान कहताहै कि-योगोंकी मूर्ति याज्ञवल्क्य योगीश्वरकरके दायविभाग वर्णन करवहोताहै-अथवा-ऐसाअर्थ लगाना श्रेष्ठ है कि ( योगमूर्तिना-किन्तु-संबन्धवन्धस्वरूपेण ) अर्थात् रिक्थियों की संबन्धमूर्ति के द्वारा दाय विभागवर्णन करवहोताहै सिद्धांत इसकायह किजैसा जिसकेसंबन्धोंका योगपाया जायगा अर्थात् संबन्ध की मूर्तिके अनुसार दायभाग वर्णनकरेंगे ११६ ॥

अर्थः-( योगोऽत्रसंबन्धः ) अर्थात् यहांपर योगशब्द संबन्ध शब्द का अर्थ शारीरिक नानेरिद्धने तथा वारत्तिकोभी कहतेहैं कि संबन्ध शब्द का अर्थ

होता है-संबन्धका स्वरूपनिचले ग्रंथांतर पांचश्लोकोंसे यथावत् जानाजायगा किन्तु साक्षात् सदाशिवजीने निर्वाण तांत्रिक दायभागकी उत्थानिकामें प्रकाशित किया तिसको सौगम्यके प्रयोजनसे इसस्थल पर दर्शातेहैं-यथा (संबन्धोद्विविधोज्ञेयो विवाहाज्जन्मनस्तथा। तत्रौद्वाहिकसंबन्धादपरोबलवत्तरः १) अर्थात्-संबन्धजो है सो दोभांतिका होता है एकतौ विवाहके योगसे दूसराजन्मके हेतुसे इनमें वैवाहिक संबन्धकी अपेक्षाजन्मका संबन्ध अतिशय बलवान् है-सिद्धांतइसका यह किजब किसीस्मृतपुरुषका दायधन हरनेको ऐसे दोपुरुष उद्यतहोकर भगड़ाकरैं कि उनमें एकतौ विवाहके संबन्धियों में सेहो और एक जन्मका संबन्धीहो तबजन्महीका संबन्धीधनपावै किन्तु वैवाहिक संबन्धीनहीं १॥ तिसमेंभी (दायेतूर्ध्वतनाज्यायान्संबन्धोऽधस्तनः शिवोऽध ऊर्ध्वक्रमादत्रपुमान्मुख्यतरः स्मृतः २) अर्थात्-इस दायधनके हरने से ऊपरले संबन्धसे निचला संबन्धश्रेष्ठ होता और इसऊपर निचलेक्रम से भी पुरुषही मुख्यतर स्त्रियोंके सन्मुखप्रधान है-सिद्धांत इसकायह कि जब ऐसे दोसंबन्धी भगड़ाकरतेहों जो दोनोंही जन्मके संबन्धीहों तब किसको दायधन मिलनाचाहिये इस अपेक्षामें यह बात समुझनी चाहिये कि ऊपरलेके सन्मुख निचला संबन्धीहीधन पावैगा दृष्टांत जैसे स्वर्यातू धनीका पुत्र और पिता भी जीवताहो तौ निचला संबन्धी जो पुत्र है सोई अपने दादेके सन्मुख निज पिताका धन पावैगा क्योंकि ऊपरले संबन्धमें निचलताहै ( और ) इस ऊपरले निचले क्रमसेभी पुरुषही मुख्यतर अर्थात् जब ऐसे दो संबन्धीभगड़ा करतेहों जो दोनोंही ऊपरले या दोनोंही निचले संबन्धीहों तब किसको धन मिलसक्ताहै इस अपेक्षामें यह बात दर्शाई है कि यदि उनमें एक स्त्री और एक पुरुषहो तौ वह पुरुषहीदायधन पावैगा-परन्तु-जब दोनोंपुरुष होवें और दोनोंहीऊपरले यद्वा निचले संबन्धीहों तब किसको धन मिलना योग्य होगा इस अपेक्षामें अगला वचन कहतेहैं २ कि ( तत्रापिसान्निकर्षेणसंबन्धीदायमर्हति । अनेनविधिनाधीराविभजेयुः क्रमाद्धनम् ३ ) अर्थात्-ऐसेभगड़ेमें भी समीपतासे संबन्धी दायधनके योग्यहै इसविधिसेही सब धीर संबन्धीलोग यथाक्रमसे धनको बाँटलेवें-सिद्धांत इसका यह कि संबन्धोंकी प्रबलतामध्ये ऊपरसे तीन योग जो उत्तमता की उत्कर्षा में समुभाये गये कदाचित् ऐसावानक होजावै कि उनतीनोंकी विशेषता वाले दो पुरुष या कई पुरुषोंका समवायहोवै या परस्पर उनके भगड़ाहो तब किसको वह धन मिलनाचाहिये इस अपेक्षामें यह चौथा नियम दर्शायागया कि इसप्रकारके समवाय या भगड़ेमें अति समीपीही संबन्धीदायपावै-इसलिये शिवजीकी यह निश्चित आज्ञा होतीहै कि ऊर्ध्वोक्त इन चारोवीजभूत योगोंकी विधिसेही सर्वत्र सबधीर संबन्धीलोग यथाक्रम से दायधन पावें किन्तु मर्यादाका अतिक्रम नहीं करैं वा करनेपावें ३ ॥ अब

इस्से अगले वचनमें इन्हीं चारो कारण भूतयोगोंका एकउदाहरणभी अनेक संबंधियों के समवाय साथ कहते हैं यथा ( मृतस्यपुत्रेपौत्रेचकन्यासुपितरिस्थिते । भार्याया मपिदायार्हःपुत्रएवनचापरः ४ ) अर्थात्-अपनाधन छोड़कर मरेहुये धनीका पुत्र और पौत्र और बेटियाँ और पिताभी और भार्याभी सबजीतेहों तब इन सबके समवाय नाम इकट्ठे होनेमें केवल एक पुत्रही उसकी अतिसमीपतासे और पुरुषत्वकी मुख्यतासे और अधोभव तथा जन्मकी श्रेष्ठतासे भी धन पानेका अधिकारी होगा किन्तु और कोई संबंधी उनमें से नहीं-ध्यानकरो कि ऊर्ध्वोक्त चारोंयोग एक साथ इस उदाहरणमें संयुक्त होगये अर्थात् मृतधनी की भार्या तौ वैवाहिक संबन्धकी निर्बलता से धनभागिनी न होसकी (और) बाकी सब संबन्धी यद्यपि जन्मके संबन्ध हेतुसे बलवान् हैं परन्तु उनमें भी मृत धनीका पिताजोहै सो ऊपरले तनुका संबन्धी होने से निर्बल ठहरा इस्से उसनेभी निज पुत्रके धनको नहीं पाया (और) पिताके भी सिवाय अन्यसब संबन्धी यद्यपि अधोभव नाम निचले तनुकी श्रेष्ठता से बलवान् होसक्ते थे परन्तु पुत्रियोंने भी स्त्रीत्वकी अमुख्यता से निज पिताके धनको नहीं पाया क्योंकि अभी बेटा और पोता यह दोपुरुष उपस्थित हैं परन्तु इन दोपुरुषोंमें भी पोताने इस हेतुसे निजदादाके धनको नहींपाया कि अतिसमीपी नहीं ठहरा किन्तु पोताकी अपेक्षा मृत पुरुषका बेटाही समीपीहै इसलिये यह बेटाही धनभागी हुआ अन्य सब रोटीखाने वस्त्र पहिरनेके अधिकारी रहेंगे (परन्तु) यदि कई बेटाहों तौ उन सभीका बराबर भाग या इकट्ठा रहने में सभीका धनीत्वहुआ करताहै यहवात इस्से निचले वाक्यमें कहते हैं ४(बहवस्तनयायत्रसर्वेतत्रसमांशिनः । ज्येष्ठेराज्याधिकारित्वंतत्तुवं शानुसारतः ५ अर्थात्-जहां बहुतसे बेटेहों तहां वे सभी बेटे उसधनमें बराबर अंश पावें सो यह मर्याद सब साधारण मनुष्योंकी होतीहै-परन्तु-यदि किसी राजाके अनेक पुत्रहों और वह राजा स्वर्गवासी होजायतौ उस राज्यमेंभी यद्यपि राजाके सभी बेटे समभागके अधिकारी होते हैं तथापि राज्यका विभाग होना शास्त्रसे निषेध है इसलिये राजगद्दीका अधिकार जेठे पुत्रको योग्यहै सोभी निज २ वंशके अनुसार व्यवस्था देखीजाय-सिद्धान्त इसकायहहै कि जब जेठा पुत्र निर्गुणहोने आदि किसी हेतुसे राज्यशासन करने योग्य नहींहोताहै तब शास्त्रकी यहभी एकआज्ञा है कि जो कोई पुत्र राज्यशासन करने योग्य गुणसम्पन्न समुभ्राजाय उन्कीजेठा मानिकर ज्येष्ठकी पदवी और अधिकार देनाचाहिये परन्तु यदिकिमीके वंशमें पत्नी कुछ परिपाटी चली आतीहो कि निर्गुण होने परभी राज्यपदवी ज्येष्ठकोही दीजाय और उस्से जेठे गुण संपन्नको उन्की आरम्भे प्रबन्धोंका मुन्तजिम ठहगयाजाय इत्यादि और भी जेम्नी कुछ परिपाटी जिनकेवंशमें प्रवर्तितहोनिमके अनुसार व्यवस्था देया

जाय परंतु राज्यका विभाग नहीं होताहै ५ ॥ यहाँतकयोगमूर्तिके आशयपर संबंधका स्वरूप ग्रंथांतरसे दर्शाया गया-अब मिताक्षरा के अनुसार दायविभागका रूपकहा जायगा ( अथदायविभागस्वरूपदर्शनम् ) जो कि अब दायविभागका वर्णन कियाचाहते हैं और दायविभाग इस प्रकरणमात्रका नाम है जिसमें अनुमान से दश बारह परिच्छेद कल्पितहोंगे इसलिये प्रथम इसनामका लक्षणभी समुभाजाना आवश्यकहै कि (दाय) और (विभाग) दो शब्दोंके योगसे यह संज्ञा बनी तिनमें एक दाय शब्द उस धनका वाचकहै जो स्वामीके संबंध मात्रसे किसीनिमित्त करके अन्यपुरुषका (स्वत्व) होजाता या होसक्ताहै सोभी (उसधनकावाचक) यहकथन एकमोटीरीतिसे दर्शायागया किंतु यथार्थसे उस धनकाही वाचक नहीं बल्कि उसधनके प्राप्त होसकने या होजाने वाले कर्मरूप स्वत्वकाभी वाचक होताहै-और (स्वत्व) शब्दका पर्याय यावन भाषामें (हक) प्रसिद्धहै(दृष्टान्त) जैसेअमुक वस्तु उसका हकहै या अमुकधनपर उसकाहक पहुँचताहै उसका स्वत्व पहुँचताहै-यथार्थ सिद्धांतसेउस(दायरूपी) धनको यावन भाषामें (विरसह)या(विरासत)भीकहतेहैं और उसकेप्राप्तहोनेवाले(सम्बन्धरूपी)स्वत्वको हककहतेहैं इसीलिये यहदोनों शब्दमिलकर एक (हकविरासत) यहनाम दायस्वत्वकाप्रसिद्धहै अबयहवात समुभनीचाहिये यहदायरूपी स्वत्वकिस मार्गसे उत्पन्नहोताहै किजिसके द्वाराकिसी का धनकोई पासक्ताहै-तहां-इसके मुख्यदो कारण हैं जिनका अभीऊपर चर्चा होचुकाहै (कि एकतौ स्वामीके सम्बन्धमार्गसे औरदूसरेकिसी निमित्तकेमार्गसे भी) अर्थात् इन्हींमुख्य दोकारणोंका समवाय होनेविना दायरूपस्वत्वकी उत्पत्तिनहीं होती किन्तुइन दोनोंकेइकट्टे होनेसे उसदायरूप स्वत्वकी परिसिद्धि हुआकरतीहै-और इनदोनोंका यथार्थ यहलक्षणहै कि एकतौधनके स्वामीसे कुछसम्बन्ध उसप्रकार का होना चाहिये जिसका लक्षण पहले ग्रन्थान्तरसे प्रदर्शित होचुकाहै कि जन्मका सम्बन्ध अथवा उसके अभावमें वैवाहिक सम्बन्धभी स्वीकारहोताहै कुछनकुछ सम्बन्धहोना आवश्यकहै क्योंकि सम्बन्धके होनेविना दायस्वत्वकी उत्पत्तिनहींहोती इससे एकयह कारणहै और दूसरा कारण कुछ निमित्त भी होनाचाहिये क्योंकि निमित्तके होनेविना केवल संबंधमात्रसे पूरास्वत्व उपस्थित नहींहोसक्ता अर्थात् निमित्तके होनेविना संबंधभी अपने फलको प्रकट नहींकरता-सो उसनिमित्तकाभी यहरूपहै कि धनका स्वामी जो वर्तमान कालमें धनीकहाताहो सो उसधनसे निःसंबंध होजाय चाहेमृत्युसे या और किसीकारणसे तौ उसका निःसंबंध होजानाही निमित्तका रूपहै चाहेवह किसीप्रकारसे निःसंबंध हुआहो अर्थात् यातौ मरजाय या धर्मानुसार धनसे दुर्भागी होजाय या अपनी इच्छासेही निजस्वत्वको त्यागिदेवै तब उसधनपर किसी निकटवर्ती संबंधीका पूरास्वत्व पहुँचता और तभी उसके स्वत्वकी परिसिद्धि होती है



इसवार्ताका यहसिद्धांतहै कि जबतक अंवरोधरूप कारण विद्यमानहो तबतक दाय-  
रूप स्वत्वकी परिसिद्धि नहीं होसकी यहसब केवल (दाय) शब्दका सामान्य लक्षण  
दर्शायागया विशेषता उसकी अबकहते हैं कि-यह दायभी दोभाँतिका होता है एक  
(अप्रतिबंध) दूसरा (सप्रतिबंध) तहाँजोपुत्रत्व और पौत्रत्व के संबंध से पुत्रोंका और  
पौत्रोंका स्वत्व अपने पिताके धनपर और पितामहके भी धनपरहुआ करता है सो  
तो (अप्रतिबंधदाय) कहाता है क्योंकि इसमें कुछ प्रतिबंध नाम अंवरोध ऐसा नहीं  
है कि जिस्से वहधन पिता और पितामहके जीतेहुये भी उनका नहीं कहावै अर्थात्  
ऐसाधन जिस किसी के स्वामित्व परिग्रह में होता है उसके जीते हुयेभी उसधनपर  
उसकेबेटों और पोतों और परपोतोंकाभी स्वत्वउसी प्रकार हुआकरताहै कि जैसानि-  
ज अधिकारी स्वामीको सम्प्राप्तहै केवलउन पुत्रादिकोंको छोड़कर कि जिनमें कोईसा  
दोष शारीरिक या बुद्धिसम्बन्धी उसभाँतिका प्रत्यक्षहो जिनकेहोनेसे पैतृक धनका  
स्वत्वजाता रहताहै आगेवर्णनहोंगे -यहाँ पोता के उपलक्षणसे परपोताभी समुभना  
और दादाके उपलक्षणसे परदादाभी-यहलक्षण एक अप्रबन्धदायका दर्शायागया-  
और( सप्रतिबन्धदाय)वहकहाता है जिसमें कोई प्रतिबन्धनाम अंवरोधभीहो अर्थात्  
चचा और भ्राता आदिकाभी स्वत्व उसीधनपर उसदशा में होता है कि जबकदा-  
चित् पुत्रादिक और धनके स्वामीकाभी अभावहोजाय इसलिये पुत्रादिकोंकाहोना  
और धनके स्वामीकाभी विद्यमान होनायह दोनोंवात उनचचा और भाईआदि के  
लिये बड़ा एकप्रतिबन्ध है कि इनदोनों में से एकहूके होतेहुये वहधन उनकानहीं  
कहाय सक्ता है परन्तु जबइस प्रतिबन्धका अभाव होजाता है कि नतो पुत्रादिक  
हों और धनका स्वामीभी नरहै तब उनकाभी स्वत्व उसीधनपर पितृव्यत्व या भ्रातृ-  
त्वके हेतुसे पहुँचता है इसीसे उनके स्वत्वको सप्रतिबंधदाय कहते हैं ऐसेही उनके  
पुत्रादिकोंमें भी ऊहा करलेनी चाहिये यह द्विविधदायकी विशेषताभी कहीगई अब  
दायकेसाथमें विभाग शब्द जो लगाहै तिसका आशय कहतेहैं कि जब अनेकभाँति  
के द्रव्योंका समुदायहो और उनमें अनेक पुरुषोंका स्वामित्वहो ऐसे द्रव्योंको एकत्र  
करिके निजनिज खूँट लगानेको विभाग कहतेहैं अर्थात् ऊर्ध्वोक्तदायके अनुगार जो  
द्रव्योंका विभाग कियाजाय तिसको दायविभागनाम कहनेहैं-इसी अभिप्रायमें नारद  
नेकहाहै कि(विभागोऽर्थस्यपेत्र्यस्यतनयैर्यत्रकल्प्यते । दायभागइतिप्रोक्तंव्यवहारपदं  
बुधैः) अर्थात्-जहाँ पुत्रोंकरके पेत्र्यधनका विभाग कियाजाताहै सोवह व्यवहार पद  
दायभाग इसनामसे पंडितोंने कहाहै और कदाचित् उनमें विवाद उठकर अभियोग  
लगायाजाय तब अष्टादश विवाद पदोंमें एकवहनी गिनाजाताहै (इसवचनमें पेत्र्य  
धन जो कहागया तिसके उपलक्षणमें औरभी नव धनके स्वामी समुभनेने जिनका

धनवाँट लेनेका काम रिक्थियोंको परता है) (इसी वचनमें पुत्रोंकरके जो बाँटना कहा गया सो भी निकटवर्ती पुत्रके उपलक्षणसे पुत्रादिक और वे सभी समुभे चाहिये जो किसी स्वामीका धनवाँटकर लेसकेहों और आशय इसका यह कि दायविभाग केवल उसीको नहीं कहते जो पिताका धन पुत्रवाँटि लेतेहैं) अब यहांपर यह बात निरूपण करनी चाहिये कि यह विभाग किसकालमें और किसधनका और किसप्रकारसे और किनकिन पुरुषोंको कर्तव्य होता है- सो इन चारोंमें से तीन बातोंका निरूपण तो जहांतहां योगीश्वरके मूलश्लोकोंकी व्याख्यापर ही इससे अगले चवालीस पैतालीस आदिकई परिच्छेदोंमें किया जायगा- यहांकेवल एक यह बात चिन्तित करी जाती है कि किसका विभाग होना चाहिये किन्तु इसमें यह तर्कणा है कि विभाग हो जानेपर उसमें किसी दायदका स्वत्व उत्पन्न होता है या प्रथमसे ही स्वत्वके होतेहुये विभाग होता है- इस तर्कणाकी शान्तिकेलिये यहां पहले स्वत्व का ही निरूपण करना आवश्यक ठहरा- क्योंकि जब स्वत्वका स्वरूप निश्चयात्मक जाना जाय तब उस बातका पहिला पीछा भी निर्णीत होसकता है जिसपर यह तर्कणा उठी- पर अब स्वत्वके निरूपण होनेमें भी यह तर्कणा है कि क्या शास्त्रसे ही स्वत्व जाना जाता है या प्रमाणांतरसे अच्छा जाना जाता है तहाँ प्रथमतः यही उत्तर ठीक है कि शास्त्रसे ही अच्छा जाना जाता है क्योंकि इसविषयपर गौतमजीका वचन प्रसिद्ध है- तद्यथा (स्वामी रिक्थ क्रय संविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं । क्षत्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः) अर्थात् स्वामी होता है रिक्थ मिलनेमें १ क्रय करने में २ संविभाग पानेमें ३ परिग्रह करिलेनेमें ४ अधिगमके होनेमें ५ और ब्राह्मणका प्रतिग्रह आदिसे लाभ होना एक अधिक है क्षत्रियका विजयसे प्राप्त होना यह अधिक है वैश्य और शूद्रका निर्विष्ट धन अधिक है- इस वचनसे शास्त्रगम्य स्वत्व ठहरा- परंतु- स्वत्वके प्रमाणांतर गम्य होने में यह वचन अनर्थक होसकता है क्योंकि चोरोंके अतिदेश लक्षणके विषयपर मनुने कहा है कि (योऽदत्ताऽऽदायिनो हस्तास्त्रिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनेनापियथास्तेन स्तथैव सः) अर्थात्- जो कोई ब्राह्मण होकर भी चाहे किसी अन्य प्रकारसे यद्वा याजन और अध्यापन मार्गसे भी किसी ऐसे मनुष्यके हाथसे धन लेनेमें लिप्सावान् होवै जो अदत्त आदायी हो अर्थात् विनादिये किसीका धन जिसने लिया होतौ ऐसे मनुष्यसे अपने कर्मके द्वारा भी लेनेमें उस ब्राह्मणको भी वैसा ही तस्कर समुभौ जैसा निज आपचोरदोषी होता है- इससे यह सिद्धान्त पाया गया कि जैसा दण्ड चोरको होता है तैसा ही उसको भी होना चाहिये और तात्पर्य इसका यह कि यदि स्वत्व केवल (अलौकिक) अर्थात् शास्त्रगम्य होसकता हो तो यह दण्ड भी अयोग्य समुभा जाय- और जो यह बात कही जाय कि स्वत्व जो है सो अलौकिक नहीं लौकिक है तो फिर किसीको धन हरनेपर ऐसा नहीं कहना चाहिये कि इसने मेरा धन हर लिया क्योंकि जब लौकिक प्रमाणसे स्वत्वका होना ठहरा तो वह

भी उसहरनेवाले का धन होसक्ताहो जिसके हाथमें देखा गया-कदाचित् इसमें यह तर्कणा करीजाय कि जब किसीने और ही का धन हरा तो क्योंकर अपहर्ता का धन होसक्ता या कहसक्तेहैं किन्तु जो वस्तु अपनी सो अपनी और बिरानी सो बिरानीही यह लोकमें प्रसिद्धहै-तौ इस तर्कणा का यह उत्तरहै कि जो लोकमें यह विदितहै तौ फिर किसीके हाथमें सोनेचाँदी आदि रूपवाला धन देखिकर यह संशयभी न करना चाहिये कियह धन इसीकाया और किसीका हरलाया है क्योंकि ऐसे धनोंपर बहुधा किसी कानामनहीं लिखा होताहै इन कारणोंसे स्वत्व जोहै सो शास्त्रैक समधिगम्य होसक्ताहै क्योंकि ऐसे संशय के समयपर शास्त्रके निर्णयबिना अपना या पराया स्वत्व नहीं निश्चित होसक्ताहै-परन्तु इसमेंभी यह एकसंभ्रम खड़ाहोताहै कि (स्वत्व) केवल शास्त्रसे या लोकसेभी जाना जाताहै-इसलिये इसमें कहते हैं कि-लौकिकस्वत्व जोहै सो तौ लौकिक अर्थोंकी क्रिया साधनत्वसेही जानाजाताहै जैसे व्रीही आदिके सदृश अर्थात् जैसे अन्नादि पदार्थोंकी उत्पादन क्रिया करनेसे उनमें उसका स्वत्व जानाजाताहै सो यह लौकिकस्वत्व समुभना चाहिये परन्तु आहवनीय आदि जो केवल शास्त्रगम्यहैं उनको लौकिक क्रियाओंका साधनत्व नहीं है कोई प्रवादी इसमें तर्क देताहै कि क्यों नहीं किन्तु आहवनीयादिकों कोभी पाकादिसाधनत्वका क्रियासंबन्ध है-इसमें पूर्वपक्षी निषेधकरता है कि ऐसानहीं कहना क्योंकि पाकादि साधनत्व जोहै सो आहवनीय आदिरूपसे नहीं होता है किन्तु प्रत्यक्षादि परिदृश्यमान् अग्न्यादि रूपसे होता है और यहांभी जिसवातका यह दृष्टांत है उसमें सोने चाँदी आदि रूपसे नहीं क्रियादिकोंका साधन होता किन्तु कर्तापुरुषके स्वत्वसेही क्रियासाधन होसक्ती हैं अर्थात् जो धन जिसका हक नहीं होता वह उसके क्रयविक्रय आदि क्रियादिक अर्थोंका साधन नहीं करता-और इसी प्रकार उन प्रत्यंत वासियोंका भी स्वत्व व्यवहार क्रय विक्रय आदिसे दिखाई देता है जो अदृष्टशास्त्र व्यवहार होतेहैं इसलिये न्यायज्ञोंने यह सिद्धांत मानाहै कि नियत उपायोंसे उत्पन्न हुये द्रव्य जो लोकसेभी सिद्ध होजावें कि हांठीक अमुकामुक उपायोंसे उमने संपादन किया तो इस प्रकारका स्वत्व जोहै सो ( लोकनिद्वही ) अर्थात् लौकिकस्वत्व कहाताहै इसीको प्रमाणांतर गम्यजानो-ऐसेही-लिप्सामूत्र नामग्रंथके तृतीय वर्णकमें द्रव्योपार्जनके नियमों को कृत्यर्थत्वमें स्वत्वही नहीं होना क्योंकि (स्वत्व) जोहै सो लौकिक ठहरा और इससे पूर्व पक्ष जो शास्त्रगम्य कहा गयाथा उसके अभावकी आशंका खड़ी हुई क्योंकि जब लोकसिद्ध ठहराया गया तौ फिर शास्त्रगम्य क्योंकर कहनेके-इर्मा से द्रव्यसंग्रह करनेमध्ये प्रतिग्रह आदिके द्वारा स्वत्वके साधनत्वकालोक सिद्धिनिश्चय किया इन प्रकारसे बड़े आचार्योंने पूर्वपक्षकोभी मनस्थित किया (इम अत्रोक्तवार्ताका अर्थ व्यौरेवार कुछ आगे बढ़कर कहेंगे) पर अर्थात् इसमें यह विरोधरूप उक्ति खड़ी

होती है कि जो द्रव्यार्जनको क्रत्वर्थत्व में स्वत्वही नहीं होता तौ फिर यागही नहीं संवर्तित होवे क्योंकि स्वत्वविना कोई काम नहीं बनसक्ता फिर क्योंकर यज्ञोंका साधन होगा यदि कोई ऐसा विनाशोच्चेमुखसे बकिडारै और वहर्योंभी कहने लगे कि इसपूर्वोक्त नियमके कहनेवालेने यह प्रतिषेधकिया मालूम होता है कि द्रव्योंका उपार्जनकर्म जो है सो स्वत्वको नहीं पैदा करता है-तौ यह उत्तर है कि (तैसे सिद्धान्तमें भी) स्वत्वका लौकिकत्व अंगीकार करिकै विचारका यह प्रयोजन कहा है कि इसविरोधपर दृष्टि नहीं लेजानी किंतु इसे केवल पुरुषकोही नियमातिक्रम होसक्ता है कुछ यज्ञका अतिक्रम नहीं समुझना और इसवातका भी यह अर्थ है कि जब द्रव्यसंग्रहके नियमोंको क्रत्वर्थत्व समुभा जाय तब तौ केवल नियमार्जित द्रव्योंसेही क्रतुकी सिद्धि होती है किंतु जो नियमोंके अतिक्रमसे द्रव्यार्जन किया होगा तौ उससे क्रतुसिद्धि नहीं होसक्ती और पुरुषतौ नियमातिक्रमका दोषी होहीगा अर्थात् केवल पुरुषकोही नियमातिक्रमका दोष नहीं किंतु उसके दोषी होनेके सिवाय उसधनसे कियेहुये यज्ञोंकीभी सिद्धि नहीं यह तात्पर्य है इसीलिये पूर्वोक्त पक्षसे द्रव्यसंग्रहके नियमोंको क्रत्वर्थत्व नहीं कहसक्ते और यही पूर्व पक्षथा सो उस (पूर्वपक्षके सिद्धान्तमें) यह विशेषता है कि द्रव्य संग्रहके नियमोंका पुरुषार्थ रूपतौ प्रसिद्ध ही है जब किसीने पुरुषार्थ रूपनियत नियमोंसे द्रव्यार्जन किया हो तब तौ प्रत्यक्ष है कि वह पुरुषभी दोषी नहीं और यज्ञोंकीभी सिद्धि होगी परन्तु उस विशेषताका वृत्तान्त समुझना चाहिये कि जब किसीने पुरुषार्थ हीन होकर नियमातिक्रमसे द्रव्यार्जन किया हो तौ उसधनसे भी क्रतुसिद्धि होती है किन्तु केवल पुरुषकोही नियमके अतिक्रमका दोष लगता है यह विशेषता उसमें जानो (वरन) इसी विशेषताके प्रयोजनसे उस पूर्वपक्षी सिद्धान्तमें नियमातिक्रमसे भी संग्रहकिये द्रव्योंपर अर्जयिता का स्वत्व ठहराया है चाहे किसी प्रकारसे उपार्जित किये हों क्योंकि यदि ऐसा अङ्गीकार न होवे तौ निपट क्रतु कर्मोंके साधनका अभाव हो जावे इसहेतुसे कि द्रव्यादिकोंमें कर्ताका स्वत्व न होनेसे यज्ञादिक नहीं होसक्ते हैं-परन्तु-इस नियमातिक्रमके अङ्गीकारसे यह सिद्धान्त नहीं है कि चोरी आदि प्रकारोंसे भी प्राप्त किये धनमें (स्वत्व) होजाता होगा क्योंकि ऐसे धनपर लोकमें भी (स्वत्व) की प्रसिद्धि नहीं और व्यवहारोंमें विसंवाद खड़े होते हैं-इसलिये-इसवार्ताका मुख्य सिद्धान्त इसरीतिसे समुझना चाहिये कि ब्राह्मण आदि वर्णोंको प्रतिग्रह आदि उपायोंसे प्राप्त हुये धनपर स्वत्व जो लोकमें प्रसिद्ध है और लौकिक स्वत्व कहाता है वेही उनके द्रव्योपार्जन मध्ये नियम हैं तिनका भिन्नभिन्न यह व्यौरा है कि यहाँपर प्रतिग्रह शब्दका अर्थ केवल (दान) कालेना या मिलना मात्र जानो और आदि शब्दके अर्थसे वे सभी प्रकार जानो जो गौतमजीके वचनमें माधारणभूत पाँच प्रकारोंके उपरांत वर्णोंके भेदसे पहले कही कह चुके हैं और फिर भी नीचे कहेंगे ) ध्यान करौ कि यदि प्रतिग्रह आ-

दि उपायोंको लौकिक स्वत्व ठहराया तौ प्रतिग्रह याजन अध्यापन इत्यादि ब्राह्मण के उपाय लौकिक स्वत्व कहलाये और क्षत्रियके विजयदंड आदि लौकिक उपाय और वैश्यके खेती गोरक्ष आदि लौकिक उपाय और शूद्रके सेवा शुश्रूषा आदि लौकिक उपाय-सो यह चारोंवर्णोंके लौकिक उपाय ( अदृष्टार्थनियम ) कहातेहैं अर्थात् विनादेखे अर्थोंका नियम नाम सचावटकियाकरतेहैं(दृष्टांत)जैसे एक ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्रकोईहो जिसकेपास कुछधन एकप्रकार वा कईप्रकारका संचितहै किंचउनद्रव्यों परकोई ऐसा चिह्ननहीं जिस्से यह जानाजायकियह धन इसनेअमुक प्रकारसे पायाथा परंतु जो वह पुरुष अपने ऊर्ध्वोक्त उपायोंमें सदैव तत्परबनारहताहो तौ फिर यहशंका उसपरनहीं पहुँचसक्तीहै कि यह धन इसने कहाँसेपायाथा चाहे किसीने उस धनको उसकेपासआतेसमय पर देखाहो या न देखाहो इसलिये इन उपायोंकी अदृष्टार्थ नियम संज्ञाहै और उसी गौतमके वाक्यमें रिक्थादिक पाँचप्रकार जो धनके आगम हेतु प्रसिद्धहैं सो वह पाँचो ( सर्वसाधारण ) हैं अर्थात् सभीजातोंको ऐसेधनमिलतेहैं और मिलतेहुये बहुधा औरोंको भी विदितहोजातेहैं-तद्यथा(स्वामीरिक्थक्रयसंविभाग परिग्रहाधिगमेषु भवति)अर्थात्-हर कोई स्वामीहोताहै ( रिक्थ ) के मिलनेमें १( क्रय ) करनेमें २ (संविभाग) पानेमें ३ (परिग्रह) करिलेनेमें ४ (अधिगम) के होनेमें ५-इसवचन में यहशंकानहींकरनी कि रिक्थ और संविभाग यह दोनों एकवातहैं क्योंकि दोनोंका अर्थ केवल दायहोसक्ताहै और दायवस्तुवहीहै जो किसीधनीकेधनको कोई निजहक से पावै फिर गौतमजीने दोनाम क्यों रखे इसका यहकारणहै कि वहदाय जोहै सोई दोभाँतिका अप्रतिबन्ध और सप्रतिबन्धके भेदसेहोताहै जैसा पहिले उसकालक्षण वर्णनहोचुकाहै-इसलिये इन ऊर्ध्वोक्त पाँचधनागमोंका यहव्योरा समुभनाचाहिये कि यहाँ (रिक्थ) संज्ञा केवल उसीदायकोकहतेहैं जो अप्रतिबंधदाय वर्णनहोचुका जिसमें बाप दादेके जीतेहुयेभी बेटा पोता रिक्थी कहलाते हैं और (संविभाग) यद्यपि हिस्सा बाँटकानामहै पर यहाँ उसको सप्रतिबन्धदाय समुभना जिसमें धनी या धनीके पुत्रादिकोंकेही होनेहुये चचा भाई आदि रिक्थी नहीं कहलाते पर इन प्रतिबन्ध के दूर होजानेमें वेभी रिक्थी होते हैं इसलिये गौतमने संज्ञा उसकी जुदा रक्खी (इसमें भी कदाचिन् कोई यह धोधी शंकाकरे कि विरलेधनी अपने जीतेहुये या पुत्रादिकों के होतेहुये भी अपने धनमें से कुछभाग चचा भाइयोंको देते हैं उन्में कुछ प्रतिबन्ध का पकाहट नहीं पायागया सो यह धोधी शंका निपटवृथा है अर्थात् इन देदने को रिक्थ या संविभाग नाम नहीं होसक्ता किन्तु इनकी दान प्रतिग्रह संज्ञादोतीहै धनी ने दानकिया उनके चचानाइयोंने प्रतिग्रहपाया) यह पाँचमेंने दो भाँतिके धनागमों का व्योम होचुका २-नीलग (न्य) न्य जोध नागमह सो प्रसिद्धहै कि जिसने जो

वस्तु मोलदेकर आप खरीदीहो उसका वही स्वामी है ३-चौथा ( परिग्रह ) रूप जो धनागमहै तिसका यह लक्षणहै कि जल तृणकाष्ठ आदि कोई वस्तु जो अस्वामिक हो किन्तु पहलेसे किसीके परिग्रह स्वामित्वमें न आईहो तिसको जिसने प्रथम स्वीकारकियाहो अर्थात् अपने परिग्रहनाम कब्जेमें करलियाहो वही उसकास्वामी होगा यहांपर तृण जलकाष्ठ आदिकहनेसे केवल चरवस्तुही नहीं समुझनी किंतु अचरका परिग्रहभी समुझना जैसे अनन्यपूर्व कोईसा जलाशय जिसने निजपरिग्रहमें किया हो या अनन्य पूर्व तृणोत्पत्ति स्थानको घेराहो या अनन्य पूर्व काष्ठोत्पत्ति स्थान बन बाग आदि घेरिलिया हो या अनन्यपूर्वा शून्य पृथ्वीही घेरीहो तौ वही उसका स्वामी है (कदाचित्) यह संदेह इसमें कियाजाय कि धरती क्योंकर अस्वामिक हो सकती हैजिसेकोई घेरै सर्वत्र कोई राजामालिक होताहै सो यह अपक्व बुद्धीका संदेह निपट वृथा है किन्तु राजा अपना राज करलेने का अधिकारी होता है और यही चाहाकरताहै कि शून्य धरतीपर आबादी या चमनहोजाय क्योंकि यदिराजा के स्वामित्वसे धरती शून्य रहीआवै तौ राजकर किस्से लियाजावै इसके सिवाय यह परिग्रहकी मर्यादा कुछ केवलप्रजाकेही लिये नहीं किन्तु सर्वसाधारण पांच धनागमोंकी संख्यामें होनेसे यही मर्यादा राजाकोभी मुख्यात्मक प्रसिद्धहै अर्थात् जब कोई देश देशांतर ऐसाशून्य और अस्वामिकपराहो जिसमेंअतिभयानक दुर्गमताके हेतुसे किसी राजाका परिग्रह न होसकाहो और उसी देशान्तरमें कोई शूरवीर भूपजाकर अपने शूरत्वकी प्रबलतासे वनमानुषों वा सिंहादिकोंको वश करिकै निज परिग्रह करिलेवै तौ यह अनन्यपूर्वा धरतीकाआगमउसने परिग्रहद्वारा किया समुझौ (यद्यपि) शूरत्वके लक्षणसे यहभी एक विजयरूप लक्षणमें गिनती होसक्ता परन्तु विजय उसको कहना चाहिये जो देश किसीके स्वामित्वमें से जीतकर लियाजाय सो वह विजय का धनागम क्षत्रियके वर्णात्मक असाधारण उपायमेंगिनतीहै किन्तु इन सर्वसाधारण उपायोंमें नहीं इसलिये यह परिग्रहमात्र कहलाता है इसीप्रकार जब कभी अनादि काल वा आदिकाल में यह धरती बहुधा अस्वामिक देख परतीथी तब जहां जहां सूर्यवंशी और चन्द्रवंशियों ने परिग्रह किया तहांके वेही प्रथमस्वामीहुये पुनि उन के संतानों ने उनका रिक्थ पाया ऐसेही सर्वत्र जानो (यद्यपि) परिग्रहकी सिद्धिमें कुछ शूरत्व से अपेक्षा नहीं क्योंकि अस्वामिक धनके घेरने में एक निर्बल या दीन पुरुषभी अधिकारीहै कि यदिपहिले कब्जाकरिलेवै तौ वहीउसका स्वामीइसमें कुछ संदेह नहीं तथापि अभी राजाके प्रसंगसे शूरत्वकी समस्या जो प्रदर्शित करीगई उसका प्रयोजन केवल इतनाहै कि यह शूरत्व यहां हिम्मत वा पराक्रमसे संबन्ध रखताहै क्योंकि जब अस्वामिक वस्तु किसी ऐसे स्थलपरहोगी जहां कोई भी अब-



रोधीनहीं तब तौ उस दीनको भी बड़ी सुगमताहै परंतु जब ऐसेस्थलपरहोगी जहाँ सिंहादिक आनिकरसतातेहों या कोई मनुष्यही निष्कारण उसके परिग्रहका न होना चाहिकर यद्वा उसकी हिंसमें आपहीलेनाचाहिकर परिग्रह कर्त्ताको उठाता या सताता हो तब अवश्यही कुछ थोड़े बहुत पराक्रमसे अपेक्षाआजातीहै अर्थात् यदि निपट निर्वलहोगा तौ दूसरेके तेजसेही छोड़भागैगा या कुछ पराक्रमीहोगा तौ बाधकोंकी बाधासे डिगाये न डिगसकैगा इसलिये शूरत्वकी समस्या कुछ अनर्थकनहींसमुझनी— यहाँतक साधारण पाँच आगमोंमेंसे चारिका व्योरा कथनहोचुका ४-पाँचवां(अधिगम) रूप जो धनागमहै तिसका व्योरा तेईसवें परिच्छेदमें-३४-३५-३६-इन तीन श्लोकों से वर्णनहोचुकाहै ५-इन पाँचनिमित्तोंके उत्पन्नहोनेमें और निश्चयात्मक अन्यलोगों को भी विदितहोजानेमें स्वामीहोताहै तब उन द्रव्योंपर उसका स्वामित्वहोजाता और उसीकास्वत्वकहलाताहै सो यह सब साधारण सबजातोंके स्वत्वका व्योरा दर्शायागया-अव-असाधारण भिन्नजाती स्वत्वोंकाव्योरा उसीगौतमजीके शेष वाक्यसे दर्शातेहैं कि (ब्राह्मणस्याधिकंलब्धं) अर्थात् ब्राह्मणका एक अधिक स्वत्व उसधनमें भीहोताहै जो उसने याजन अध्यापन आदि प्रतिग्रहोंद्वारापायाहो-एवं (क्षत्रियस्य विजितं) अर्थात् क्षत्रीका एक उसधनमें अधिक स्वत्वहोताहै जो उसने विजय या ढंड आदि अपने वर्णात्मिक उपायोंसे पायाहो- एवं(वैश्यस्यनिर्विष्टं) अर्थात् वैश्यका अधिक उसधनमें स्वत्वहोताहै जो कृषी गौरक्ष्यादि अपने वर्णात्मिक उपायोंसेपैदाकियाहो- एवं (शूद्रस्यापिनिर्विष्टं) अर्थात् शूद्रका उसधनमें अधिक स्वत्वहोताहै जो उसने द्वि-जातियोंकीसेवा शुश्रूषा आदि उपायोंद्वारा भृतिरूपसे अर्थात् वेतनमें पायाहो-ऐसेही अनुलोमज और प्रतिलोमज जातोंकोभी लोक प्रसिद्ध स्वत्वोंमें जो जो असाधारण कहागया सो सबलोकसे समुझना अर्थात् जैसे सूतजातियों को अश्वसारथ्यनाम रथवानी या कोचवानी यह लोकमें प्रसिद्धहै तैसे और भी इसप्रकारकी अनुलोमज प्रतिलोमज जातोंके निजनिजकर्म जो जो लोकमें प्रसिद्धहों सो सब असाधारणउपाय कहलातेहैं और उनकर्मोंद्वारा जो वेतनपैदाकियाहो सो सब (निर्विष्ट) धनकहलाता और उसधनमें उनका अधिक स्वत्वकहलाताहै (इसप्रकारके पैदाहुये धनोंको निर्विष्ट इसलिये कहतेहैं कि निर्विष्ट वेतनकानामहै और इसप्रकारके सभीउपाय वेतन रूपमें गिनतीहैं)(निर्वशोभृतियोगयोरितित्रिकांडीस्मरणम्)(यद्यपि उपर वैश्यकेभी असाधारणउपायोंको निर्विष्टवतलायाथा और उनकेवाणिज्यादि उपायकुछ वेतनरूप में गिनतीनहीं हैं परन्तु वैश्यकेपक्षमें निर्वश केवल प्रवेशकेहीअर्थमें समुझना किन्तु यहाँपर कुछ वेतनकी विशेषता नहीं) यह असाधारण स्वत्वोंका व्योरा दर्शायागया और समस्त व्याजोपायान्वारणामे मिद्वान्त यहदर्शायागया कि न्वन्व जाँहे सो यद्यपि

शास्त्रसेहीजानाजाताहै परन्तु लोकप्रसिद्धिबिना उसकी यथार्थसिद्धिनहींहोसकी इस्से लोक शास्त्र दोनोंसेही स्वत्व जानाजाताहै-इसी प्रसंगमें नियमातिक्रमका चर्चा जो ऊपर होरहाथा तिसका यह प्रयोजन है कि जो जो नियम द्रव्योपार्जन के यहांपर गौतमजीके वाक्यसे दर्शायेगये तिनहींके अतिक्रमसे भी जो किसीने उपार्जन किया हो दृष्टांत जैसे ब्राह्मणको याजनअध्यापन आदि नियम कहेहैं कदाचित् वहीक्षत्रीके नियमोंसे या वैश्यकेनियमोंसे या शूद्रकेनियमोंसेउपार्जनकरै तौयह नहींकहाजासक्ताहै कि इसधनमें उसकास्वत्वनहीं या इस्से क्रतुकर्मों की सिद्धिनहोसकैगी इत्यादि सर्वत्र ऊहाकरलेनी(पर)नियमातिक्रमके आशयसेयहअपेक्षा नहींहै कि चोरी आदि प्रकारों से उत्पन्नकिये धनमें स्वत्व होजावै-यद्यपि नियमातिक्रमके स्वरूप इसके उपरांत और भी अनेकभाँतिके असंख्यहैं कि जिनका दृष्टांतदेना विस्तारहेतुसेदुर्घटहै जैसे ब्राह्मणको अग्राह्यदानकालेना आदि सर्वत्र सबजातों में नानाभाँतिसे ऊहाकरलेनी और यहभी समुभलेना कि इसभाँतिके नियमातिक्रम यद्यपि निंद्य हैं परइनसे प्राप्तकिये धनमें उसका स्वत्वहोता है इसकासंक्षेपचर्चा नीचेफिरभी कियाजायगा-और-यद्यपि लौकिक स्वत्वके निषेध रूपसे एकयह वाक्यजोपहले लिखागयाथा कि (यदिलौकिक स्वत्व होताहो तौ किसीको धन हरनेपर ऐसानहीं कहना चाहिये कि इसने मेराधन हरलिया इत्यादि) सोयह तत्रोक्त वाक्यभी वृथा समुभना क्योंकि स्वत्वमेंसंदेह तभी खड़ाहोता है कि जब स्वत्व हेतु भूतक्रयादिकों में संदेह पैदाहो अन्यथा नहींइस्से तत्रोक्त वह वचन केवल तर्करूप से लिखागया समुभना कुछ प्रयोजन उसका नहीं था-और-उसके उपरांत कई वाक्यों से पीछे जो (स्वत्वकालौकिकत्वअंगीकार करिकै विचार का प्रयोजन) कहागया था जिसमें नियमाति क्रम की निंदा दर्शाई गई तिसकाभी यह सिद्धांत है कि (यद्गर्हितेनार्जयंतिकर्मणाब्राह्मणाधनम् । तस्योत्सर्गेणशुद्धंयतिजपेनतपसैवच ) अर्थात्-ब्राह्मण जो कुछ धन गर्हितकर्म से पैदाकरते हैं तिनके उत्सर्गनामदान करदेने सेही शुद्धहोते हैं या जप और तपकरने से भी (इस वचनमें ब्राह्मणके उपलक्षणसे औरोंको भी समुभिलेना किंतु जैसे ब्राह्मण को निंद्यप्रतिग्रह आदिका लेना अनिष्ट दर्शाया तैसेक्षत्रीकोभी निंद्यविजय या निंद्य दंडादि समुभने और वैश्यको भी निंद्यवाणिज्यादि समुभने ) इत्यादि प्रकारोंसे जो कुछ धन जिसने गर्हित कर्मसे जोड़ाहो वहधन उसकेपुत्रोंको (शास्त्रैकसमधिगम्यस्वत्व) के होनेमें अविभाज्य अर्थात् बाँटिलेना योग्य नहीं होसक्ता क्योंकि स्वत्वके शास्त्रैक समधिगम्य होने में गर्हितकर्मसे पैदा किये धनपर पैदाकरनेवाले का भी स्वत्वनहीं होसक्ता-परन्तु-जब(स्वत्वकोलौकिकत्व)मानाजायतबअसत्कर्मसेभीप्राप्तहुयेधनपरस्वत्व पहुँचता है इसलिये उसके पुत्रोंको वहीधन बाँटिलेने योग्य होसक्ता है तौ फिर इम

विरोधरूप द्विविधाके लक्षणमें शांति क्योंकर होसकै इसलिये कहतेहैं कि (तस्योत्सर्गेणशुद्धयंतिजपेनतपसैवच) यहप्रायश्चित्त जो अभी ऊपर कहागया सोकेवल उसी अर्जयिता पुरुषके निमित्तमें होताहै जिसने जोधन आप उपार्जन कियाहो परउसके पुत्रोंपर प्रायश्चित्तकी प्राप्तिनहीं है अर्थात् उसके पुत्रोंको दायत्वकी योग्यतासे स्वत्व होताहै किन्तु उनको दोषका संबंध इसमें कुछ नहींहै जिस्से प्रायश्चित्त उनपरभी पहुँचै और दायत्वकी योग्यता जो है तिसकी सिद्धि गौतमजी के वचनकी व्याख्या जो व्योरेवार ऊपर लिखी उस्सेभी प्रदर्शित होचुकी और मनुके भी इस प्रमाणांतर वचन से संसिद्ध होती है-यथा(सप्तवित्तागमाधर्म्या दायोलाभःक्रयोजयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रहएवच ) अर्थात्-मनुजी ने यह कहा है कि सातधनके आगम जो हैं सो धर्म्य गिनेजाते किन्तु उनमें कुछअधर्मका संसर्गनहीं अर्थात् एकतौधनी के अभाव आदि कारणों से ( दाय ) का मिलना-दूसरा ( लाभ ) जो निधि द्वारा हुआहो जिसकी मर्यादें अधिगम के नामसे तेईसर्वे परिच्छेद में कहचुके हैं-तीसरा (क्रय) अर्थात् जो वस्तु शास्त्रोक्त मर्यादों से खरीदीहो-चौथा ( जय ) जो किसी प्रकारकी उचित मर्यादासे धनजीताहो-पाँचवां (प्रयोग) अर्थात् किसी व्यापारद्वारा जो धन पैदाहुआहो-छठा( कर्मयोग )अर्थात् हस्तक्रियाआदि विद्याओं से जो धनपैदा कियाहो-सातवां (सत्प्रतिग्रह) अर्थात् जो धनदेने लेने की शास्त्रोक्त मर्यादोंसेही देनेवाले ने दिया और लेनेवालेने प्रतिग्रह कियाहो-यहाँतक (स्वत्व ) के निश्चय मध्ये सर्वथा व्याख्या होचुकी-अब-उस प्रकृतवार्त्ता परदृष्टिकरनी चाहिये किजिसके निमित्तसे यह स्वत्व निरूपण कियागया अर्थात् यहवात विचारनी योग्यहै कि यह स्वत्व विभागके होनेपर उसधनमें उत्पन्नहोताहै या स्वत्वकेहोते हुये विभाग कियाजाताहै-तहाँ-पहले यही उत्तर ठीकहै कि विभागके होनेपर धनमें स्वत्व ठहरताहै क्योंकि पैदाहुये पुत्रके आधानादि संस्कार कर्मोंकाविधानकेवल पिताके आधीन दिखाईदेताहै किन्तु यदि जन्मकेसाथही धनमेंस्वत्वहोवे तौफिर तत्काल पैदाहुये पुत्रकाभी धनमाधारण सम्भाजाय और यदियही व्यवस्था ठीकहोवे तौफिर द्रव्यमाध्य आधानादि संस्कारोंमें पिताका अधिकारही नहींपहुँचताहै क्योंकि जोवस्तुपुत्रके साभेकीठहरी उसकोविना पुत्रकी सम्मति पिताक्योंकर व्ययकरसक्ताहै और भी दृग्मग्यह लाञ्छन इममेंआताहै कि विभागसे पहले पितृप्रसाद लब्धवस्तुके विभागमें प्रतिषेध जो ठहरायागया वहप्रतिषेधही व्यर्थहुआ जाताहै-तद्यथा(शौर्यभार्याधनेचोभेयत्रविद्याधनम्भवेत् । त्रीण्येतान्यविभाज्यानिप्रसादोयज्ञपैतृकः) अर्थात्-यह निषेध कियागयाहै किशरत्नमें पैदाहुआधन और भार्याधन और निजविद्या द्वारापैदा कियाधन यहीनानधन हिम्मा बाँट करनेयोग्यनहीं किन्तु एमेधन जिस किसी आनाकेहों उनपरउसीका सर्वव्य पूरा

है और उस धनपर भी कि जो पिताने विभाग होनेसे पहले किसी एक पुत्रको प्रसाद इव दे दिया हो-इसमें यह तर्कणा है कि यदि जन्ममात्रसे ही पिताके धनमें पुत्रोंका स्वत्व साधारण मिला भुला होता तो कोई वस्तु किसी एक पुत्रको प्रसाद इव दे देनेका अधिकारी पिता क्योंकर होता इसलिये यही निश्चित होता है कि विभाग हुये पीछे पुत्रोंका स्वत्व निज निज भागमें होता है इसीलिये उस वस्तुका विभाग होना प्रतिषेध किया गया जो विभाग होने से पहिले पिताने प्रसाद इव दे दी हो-कदाचित् यह समाधान इसमें प्रवेश किया जाय कि अन्य पुत्रोंकी अनुमति पूर्वक दे देनेके सिद्धांतमें यह वचन होगा इस प्रकारसे जन्मही साथ पुत्रोंका स्वत्व होना पाया जाता है (तौ भी) यह उत्तर होसक्ता है कि यदि सभी पुत्रोंकी अनुमति से देना सच्चा होता तो फिर वे सभी पुत्र निज अनुमति से दिलाई हुई वस्तुका विभाग नहीं मांगिसके जिसका प्रतिषेध किया जाता किन्तु इस दशामें विभागकी प्राप्ति ही असंगत हुई जाती है फिर प्रतिषेध उसका क्योंकर सूचित होसक्ता था इसलिये यही निश्चित होता है कि विभागके होनेपर ही स्वत्व ठहरता है किन्तु जन्महीसे नहीं-इसके सिवाय इस हेतुसे भी लाञ्छन इसमें आता है कि यदि जन्महीसे स्वत्व होसक्ता होता तो फिर भार्याको भी जो प्रीतिसे कुछ देना शास्त्रमें कहा है वह वचन अनर्थक हुआ जाता है-तद्यथा (भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रियै तस्मिन् मृत्युते पितृत् । सा यथा काममश्नी यात् दद्याद्वा स्थावरादृते) अर्थात् (प्रीतिदान) की आज्ञामध्ये विष्णुका यह वचन है कि भर्ता ने जो कुछ धन अपनी भार्याको प्रसन्न होकर प्रीतिसे दे दिया है उस भर्ताके मर जानेपर भी उस धनको वही भार्या अपनी इच्छाके अनुसार भोगे या दान पुण्यमें लगावे (पर) स्थावर धनसे रहित अर्थात् यदि भर्ताने कुछ स्थावर धन भी प्रीतिसे दे दिया हो तो स्थावर धनको दान पुण्यमें लगानेकी अधिकारिणी नहीं है-सिद्धान्त इसका यह कि इस विष्णुके वचनसे भर्ताको जङ्गम और स्थावर धन भी प्रीतिसे दे देनेमें अधिकार है यदि पिताके धनमें उसके पुत्रोंका भी स्वत्व जन्महीसे होसक्ता होता तो फिर पिता अपनी भार्याको उस धनमेंसे प्रीतिदान क्योंकर देसक्ता इसलिये जन्ममात्रसे स्वत्वकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है (और) जो जन्महीसे स्वत्व ठहराया जाय और इस प्रीतिदानवाले वचनका अर्थ इस प्रकारसे लगाया जाय कि (स्थावरादृते यदत्तं) अर्थात् स्थावर धनके विना अन्य जो कुछ दिया हो तिसको अपनी इच्छाके अनुसार व्यय करसक्ती है और सिद्धान्त इस योजनाका यह माना जाय कि स्थावर धनका प्रीतिदान ही नहीं होसक्ता है इसलिये स्थावर धनमें पुत्रोंका जन्मसे ही स्वत्व होता है सो यह ऐसे अर्थकी योजना ही अयुक्त है क्योंकि इतने बड़े कोमल प्रयोजनके स्थलपर ऐसी ढँकी हुई व्यवहित योजनाका वचन ही ऋषिलोग नहीं कहने भला-कदाचित् इसी व्यवहित योजनाकी दृष्टतामें यह अग्रोक्त वचन प्रमाण दिया जाय-कि (मणिमुक्ताप्रवातानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पितानपिता

महः ) अर्थात्-मणि मोती मूंगा आदि जो जंगम धनहैं तिन सभीका मालिक पिताहै परन्तु सभी प्रकारके स्थावर धनोंका मालिक नतौ पिताहै न दादाहै-तथैव एक यह वचनभी इसीमें प्रमाण दियाजावै कि (पितृप्रसादाद्भुज्यंतेवस्त्राण्याभरणानिच । स्थावरंतुनभुज्येतप्रसादेसतिपैतृके ) अर्थात्-वस्त्र आभूषण आदि पिताका दियाहुआ पुत्र भोगतेहैं किन्तु स्थावर धनको पिताके प्रसादकरदेने परभी नहींभोगै अर्थात् जोपिताने किसी पुत्रको देदिया हो तौ भी उससे लेलियाजाय-या भांति इसवचनसे स्थावर धन का प्रसादरूपी दानकरदेना प्रतिषिद्धहै इसलिये उस ऊर्ध्वोक्त विष्णुके वचनमें वही योजनाठीक प्रतीत होतीहै कि स्थावरधन के विना जो कुछ भर्ताने भार्याको प्रसाद इवदेदियाहो तिसको भोगि सक्ती है इसहेतुसे स्थावरधनमें पुत्रोंकाजन्महीसे स्वत्व होजाना निश्चितहोताहै-इसकथनमें यह समाधान होसक्ताहै कि इनदोनों अनंतरोक्त वचनोंका अर्थ सिद्धान्त केवल पितामहके उपार्जितकिये स्थावर धनके विषयपरआरूढ़है अर्थात् पितामहके मरजाने पीछे वहधन पिता पुत्र दोनोंका साधारण होताहै तौ भी इतनीविशेषता उसमें वचनमात्रसे दर्शाई गई कि मणिमुक्ताआदि जंगमधन केवल पिताकेही समुभ्जेजाते और स्थावरधनमें पिता पुत्र दोनोंकासामान्य साभाहै यहवात पाईजातीहै और ठेठपिताकेउपार्जितकियेधनका इसमेंप्रसंग नहींपायाजाता इसलिये जन्मसेही स्वत्वकी उत्पत्ति निश्चित नहीं होसक्ती किन्तु स्वामीके नाश हो-जाने या विभाग होजानेपर स्वत्व पैदाहोताहै-परन्तु-इस दशामें भी एक प्रश्नरूप तर्कणाको अवकाश मिलसक्ताहै कि यदि विभागके होनेविना स्वत्वकी प्रहीणतारही तौ फिर पिताके मरने पीछे विभागसे पहले पहले यदि कोई ऐसे धनको तिसरैतभी लेनेलगै तौ लेतेहुये को रोकना अनुचितहै क्योंकि जब किसीका स्वत्वही अवतक नहीं तौ रोकनेवाला भी कौन होसक्ताहै-तैसेही-यहभी एक तर्कणाहै कि यदि एकही पुत्र होवै तौ पिताके मरणान्तसेही पुत्रका धन होचुका फिर यह नियम क्योंकर हो-सक्ताहै कि विभागके होनेविना स्वत्वही नहीं-इसलिये-अब इन सभीवातोंका निश्च-यात्मक सिद्धान्त मुख्यरूपसे कहते हैं कि-स्वत्वजो है सो लोक प्रमिद्धही पहले कह चुके हैं और लोकमें पुत्रादिकों का स्वत्वजो है सो जन्महीमें प्रमिद्धतर विख्यातहै उसमें कोई भी नकारका प्रवेश नहीं करसक्ता-और विभाग शब्दभी बहुस्वामिक धन के विषयपर लोकमें प्रसिद्धहै वरन एक स्वामिक धनके विषयपर नहीं और स्वत्वकी प्रहीणताके भी विषय परनहीहै किजिस्मेंकोई अंशी किनीतिमरनेके दावनेहुयेगेकने का अधिकारी न होनके वरन प्रत्येक अंशी गेकनेका अधिकारीहोनाहै चाहे विभाग हुआहो या न हुआहो-और-गौतमजीका वचनभी प्रमाण है-यथा (ननथान्यत्वेवार्थं स्वाभित्वंलभेतेत्याचार्याः) अर्थात्-गौतमजी ने यह कहा है कि-उम अर्थ स्वामित्वको

हैं और उस धनपरभी कि जो पिताने विभाग होनेसे पहले किसीएक पुत्रको प्रसाद दे दे दिया हो-इसमें यह तर्कणा है कि यदि जन्ममात्रसेही पिताके धनमें पुत्रोंका स्वत्व साधारण मिला भुलाहोता तौ कोई वस्तु किसी एक पुत्रको प्रसाद दे देनेका अधिकारी पिता क्योंकर होता इसलिये यही निश्चित होता है कि विभागहुये पीछे पुत्रोंका स्वत्व निज निज भागमें होता है इसीलिये उस वस्तुका विभागहोना प्रतिषेध किया गया जो विभागहोने से पहिले पिताने प्रसाद दे दीहो-कदाचित् यह समाधान इसमें प्रवेश किया जाय कि अन्य पुत्रोंकी अनुमति पूर्वक दे देनेके सिद्धांतमें यह वचनहोगा इसप्रकारसे जन्मही साथ पुत्रोंका स्वत्वहोना पाया जाता है (तौभी) यह उत्तर होसकता है कि यदि सभी पुत्रोंकी अनुमति से देना सच्चाहोता तौ फिरवे सभी पुत्र निज अनुमति से दिलाई हुई वस्तुका विभाग नहीं मांगिसके जिसका प्रतिषेध किया जाता किन्तु इस दशामें विभागकी प्राप्तिही असंगत हुई जाती है फिर प्रतिषेध उसका क्योंकर सूचित होसकता था इसलिये यही निश्चित होता है कि विभागके होनेपरही स्वत्व ठहरता है किन्तु जन्महीसे नहीं-इसके सिवाय इसहेतुसे भी लाञ्छन इसमें आता है कि यदि जन्महीसे स्वत्व होसकताहोता तौ फिर भार्याको भी जो प्रीतिसे कुछ देना शास्त्रमें कहा है वह वचन अर्थक हुआ जाता है-तद्यथा (भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रियै तस्मिन् मृते पितृत् । सा यथा काममश्नी यात् दद्याद्वा स्थावरादृते) अर्थात् (प्रीतिदान) की आज्ञामध्ये विष्णुका यह वचन है कि भर्ता ने जो कुछ धन अपनी भार्याको प्रसन्न होकर प्रीतिसे दे दिया है उस भर्ताके मर जानेपर भी उस धनको वही भार्या अपनी इच्छाके अनुसार भोगे या दानपुण्यमें लगावे (पर) स्थावर धनसे रहित अर्थात् यदि भर्ताने कुछ स्थावर धनभी प्रीतिसे दे दिया हो तौ स्थावर धनको दानपुण्यमें लगानेकी अधिकारिणी नहीं है-सिद्धान्त इसका यह कि इस विष्णुके वचनसे भर्ताको जङ्गम और स्थावर धनभी प्रीतिसे दे देनेमें अधिकार है यदि पिताके धनमें उसके पुत्रोंका भी स्वत्व जन्महीसे होसकताहोता तौ फिर पिता अपनी भार्याको उस धनमेंसे प्रीतिदान क्योंकर देसकता इसलिये जन्ममात्रसे स्वत्वकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती है (और) जो जन्महीसे स्वत्व ठहराया जाय और इस प्रीतिदानवाले वचनका अर्थ इसप्रकारसे लगाया जाय कि (स्थावरादृते यदत्तं) अर्थात् स्थावर धनके विना अन्य जो कुछ दिया है तिसको अपनी इच्छाके अनुसार व्यय करसकी है और सिद्धान्त इस योजनाका यह माना जाय कि स्थावर धनका प्रीतिदान ही नहीं होसकता है इसलिये स्थावर धनमें पुत्रोंका जन्मसेही स्वत्व होता है सो यह ऐसे अर्थकी योजना ही अयुक्त है क्योंकि इतने बड़े कोमल प्रयोजनके स्थलपर ऐसी टँकी हुई व्यवहित योजनाका वचन ही ऋषिलोग नहीं कहते-भला-कदाचित् इसी व्यवहित योजनाकी दृष्टतामें यह अग्रोक्त वचन प्रमाण दिया जाय-कि (मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पितान् पितान्



महः ) अर्थात्-मणि मोती मूंगा आदि जो जंगम धनहैं तिन सभीका मालिक पिताहै परन्तु सभी प्रकारके स्थावर धनोंका मालिक नतौ पिताहै न दादाहै-तथैव एक यह वचनभी इसीमें प्रमाण दियाजावै कि (पितृप्रसादाद्भुज्यंतेवस्त्राण्याभरणानिच । स्थावरंतुनभुज्येतप्रसादेसतिपैतृके ) अर्थात्-वस्त्र आभूषण आदि पिताका दियाहुआ पुत्र भोगतेहैं किन्तु स्थावर धनको पिताके प्रसादकरदेने परभी नहींभोगै अर्थात् जोपिताने किसी पुत्रको देदिया हो तौ भी उससे लेलियाजाय-या भांति इसवचनसे स्थावर धन का प्रसादरूपी दानकरदेना प्रतिषिद्धहै इसलिये उस ऊर्ध्वोक्त विष्णुके वचनमें वही योजनाठीक प्रतीत होतीहै कि स्थावरधन के विना जो कुछ भर्त्ताने भार्याको प्रसाद इवदेदियाहो तिसको भोगि सक्ती है इसहेतुसे स्थावरधनमें पुत्रोंकाजन्महीसे स्वत्व होजाना निश्चितहोताहै-इसकथनमें यह समाधान होसक्ताहै कि इनदोनों अनंतरोक्त वचनोंका अर्थ सिद्धान्त केवल पितामहके उपार्जितकिये स्थावर धनके विषयपरआरूढ़है अर्थात् पितामहके मरजाने पीछे वहधन पिता पुत्र दोनोंका साधारण होताहै तौ भी इतनीविशेषता उसमें वचनमात्रसे दर्शाई गई कि मणिमुक्ताआदि जंगमधन केवल पिताकेही समुभेजाते और स्थावरधनमें पिता पुत्र दोनोंकासामान्य साभाहै यहवात पाईजातीहै और ठेठपिताकेउपार्जितकियेधनका इसमेंप्रसंग नहींपायाजाता इसलिये जन्मसेही स्वत्वकी उत्पत्ति निश्चित नहीं होसक्ती किन्तु स्वामीके नाश हो-जाने या विभाग होजानेपर स्वत्व पैदाहोताहै-परन्तु-इस दशामें भी एक प्रश्नरूप तर्कणाको अवकाश मिलसक्ताहै कि यदि विभागके होनेविना स्वत्वकी प्रहीणतारही तौ फिर पिताके मरने पीछे विभागसे पहले पहले यदि कोई ऐसे धनको तिसरैतभी लेनेलगै तौ लेतेहुये को रोकना अनुचितहै क्योंकि जब किसीका स्वत्वही अबतक नहीं तौ रोकनेवाला भी कौन होसक्ताहै-तैसेही-यहभी एक तर्कणाहै कि यदि एकही पुत्र होवै तौ पिताके मरणान्तसेही पुत्रका धन होचुका फिर यह नियम क्योंकर हो-सक्ताहै कि विभागके होनेविना स्वत्वही नहीं-इसलिये-अब इन सभीवातोंका निश्च-यात्मक सिद्धान्त मुख्यरूपसे कहते हैं कि-स्वत्वजो है सो लोक प्रसिद्धही पहले कह चुके हैं और लोकमें पुत्रादिकों का स्वत्वजो है सो जन्महीसे प्रसिद्धतर विख्यातहै उसमें कोई भी नकारका प्रवेश नहीं करसक्ता-और विभाग शब्दभी बहुस्वामिक धन के विषयपर लोकमें प्रसिद्धहै वरन एक स्वामिक धनके विषयपर नहीं और स्वत्वकी प्रहीणताके भी विषय परनहींहै किजिस्सेकोई अंशी किसीतिसरैतके दावतेहुयेरोकने का अधिकारी न होसकै वरन प्रत्येक अंशी रोकनेका अधिकारीहोताहै चाहै विभाग हुआहो या न हुआहो-और-गौतमजीका वचनभी प्रमाण है-यथा (तंतथोत्पत्यैवार्थ स्वामित्वंलभेतेत्याचार्याः) अर्थात्-गौतमजी ने यह कहा है कि-उस अर्थ स्वामित्वको

जन्मके साथही प्राप्तहोवै उसप्रकारसे कि जैसे पिताके मरने या विभागकेहोनेपरस्वामित्व प्रकट होताहै यहसभी आचार्योंका संमतहै-इसके सिवाय(मणिमुक्ताप्रबालानां) इत्यादि वचन जोऊपरप्रदर्शित कियागया और व्याख्या उसकी कुछअर्थांतरसेदर्शाईगई सो वहवचनभीजन्महीसे स्वत्व पैदाहोनेके पक्षमेंघटताहै किंतु पितामहके उपार्जित किये स्थावरविषयपर कहना ठीक नहीं है क्योंकिउसवचनके अंतमें (नपितामहः) ये दोनाम निषेध रूपसे दर्शित किये हैं तिनकायह तात्पर्यहै कि पितामह ठेठ अपनाभी उपार्जितकिया स्थावरधन पौत्रकेभीहोतेहुये निजपुत्रको न देवै क्योंकि उनदोनोंका साधारण स्वत्व उसधनमें होताहै सोइस तात्पर्यके अनुकूल वहवचनभी जन्महीसे स्वत्वको पहुँचाताहै-और जो (मणिमुक्ताप्रबालानां) इत्यादि वचन मात्रसे मणिमुक्ता वस्त्र आभरणादि जो पितामहके उपार्जितहों तिनमें भी पिताकाही स्वत्व जैसे पूर्व व्याख्यामें परायेमतसे ठहरायागया तैसेही हमारे मतसेभी यही मणिमुक्ता वस्त्र आभरणादि जोपिताके स्वोपार्जितहों तिनमेंभी पिताकाही अधिकार देदेनेमध्ये वचनमात्रसे संसिद्ध होताहै इसलिये कुछ विशेषता उस व्याख्यामें न रही-और जो (भर्त्रांप्रीतेनयदत्तं) इत्यादि विष्णुका वचन जोस्थावर धनका प्रीतिदान जतलानेवाला दर्शित कियागयाथा तिसकीभी व्याख्या इस रीतिसे कर्तव्य है कि स्थावरधन अपना स्वोपार्जितभी पुत्रादिकोंकीदृढ़ अनुज्ञासेही दियाजाताहै अन्यथानहीं क्योंकि पूर्वोक्त मणिमुक्तादि वचनोंसेभी जो प्रीतिदानकी योग्यता पाईगई सो सर्वथा स्थावर धनसे व्यतिरिक्त द्रव्योंकी निश्चितहै इसलिये यदि पुत्रादिकोंकी निश्चयात्मक अनुमतिलेकर जो स्थावर धन भार्याको प्रीतिदानके मार्गसेदेदियाहो तिसको भी भार्या अपनेदाताके मरेपीछे आत्मपोषणकेसिवाय दान या विक्रयनहींकरसक्तीहै परंतु जो जंगमधन मुक्ता आभरणादि कुछपुत्रादिकोंकी अनुज्ञाविनाभी देदियाहो तिसकोचाहें तैसे भोगै या देदेवै यह सिद्धांतहै-ध्यानकरो कि यदि पुत्रोंकी अनुज्ञाविना पिता अपने स्वोपार्जितभी धनको नहींदेसक्ताहै तो निस्संदेह जन्मकेसाथही पुत्रोंकास्वत्वउसकेधन में पैदाहोचुका-और-जो कि पूर्वोक्त उसवार्त्तामेंविरोधता शेषरही कि यदि जन्मसेहीस्वत्वठहरा तो उसपुत्रकेअर्थ साध्य आधानादि वेदोक्तसंस्कारकर्म क्योंकरहोसक्तेहैं क्योंकि पुत्रका साधारण स्वत्वहोजानेसे उसकी अनुमतिविना पिताकोतौ द्रव्यकाव्ययकरनेमें अधिकारनहीं और पुत्र अपने बाल्यभावकी अज्ञानतासे अनुमतिदेनेमें समर्थ नहीं-तहाँ यह उत्तरहै कि उनकर्मोंके विधानकेही बलवत्त्वसे व्ययकरनेका अधिकार निश्चितहोताहै अर्थात् पिताकोही उनकर्मोंकीसाधनामें शास्त्रकी आज्ञाहै इसलिये पुत्र की अनुमतिसे अपेक्षा नहींसमुभीचाहिये पुत्रकेसाथ आदि शब्दसेपौत्र और प्रपौत्र भी समुभूना-इत्यादि पूर्वोक्त सर्वकारणोंसे पितृकधनमें और पितामह धनमेंभी जन्मके

साथही स्वत्व होजाताहै-तथापि-यह मर्यादाहै कि पिताको आत्मीय आवश्यकताओं में और धर्मसंबंधी कृत्योंमें वाचनिकप्रक्रियाओंमें प्रसाददान कुटुंबभरण आपद्धिमोक्षण आदि आवश्यकताओं में स्थावर धनको छोड़कर जंगम धनोंके विनियोगपर स्वातंत्र्यभावहै अर्थात् पुत्रोंकी अनुमतिसे अपेक्षानहीं-परंतु स्थावर धनमेंचाहें वह स्वार्जितहो या पित्रादिकोंसे पायाहो पुत्रादिकोंका पारतंत्र्यबापकोआवश्यकहै कि पुत्रादिकोंकी अनुमतिविना स्थावर धन बहावै नहीं-तथाचोक्तम्(स्थावरद्विपदंचैवयद्यपि स्वयमार्जितम् । असंभूयसुतान्सर्वान्नदानंनचविक्रयः ॥ येजातायेप्यजाताश्चयेचगर्भे व्यवस्थिताः । वृत्तिचर्तेऽभिकांक्षंतिनदानंनचविक्रयः-इत्यादिस्मरणात्)अर्थात्-स्थावर और द्विपदनाम दास दासीआदि ऐसादो भाँतिकाधन यद्यपि आपहीने उपार्जितकिया हो पर सभीपुत्रोंको इकट्ठाकरि उनकीसंमतिपाये विना उसकादान या विक्रयनहींहो-सक्ताहै-क्योंकि-जो कोई उसकेवीर्यसे जन्मे या अबतकनहींजन्मेहैं आगे कभी उसीसे या उसके पुत्रादिकों द्वारा जन्मैंगे और वे भी जो संप्रतिमाताके गर्भोंमें व्यवस्थितहैं वे सभी उसके आत्मज अपनी वृत्तिकी अभिकांक्षारखतेहैं इसलिये ऐसे धनकादान या विक्रय नहीं योग्यहै कि जिस्से उनकी जीवन वृत्ति नष्टहोजावै-इत्यादि और भी अनेक स्मृतियोंके वाक्य इस विषयपर घंटाघोषहैं (यहांतक यह मर्यादा तौ सर्वथा दृढ होचुकीपर एक इसमें विरोध खड़ाहोताहै कि यदिपिताको कोईसी विपत्तिआनि घेरै और उसकेपास स्थावर धनके सिवायतत्काल और कोई धन ऐसानहीं जिस्से उस विपत्ति का निवारणकरै या प्रतिष्ठाको बचावै और पुत्र उसके असमर्थ वा अज्ञान अनुमति देसकने योग्य नहीं तब क्यास्थावर धनकी रक्षाके लिये प्रतिष्ठा भंग होने देवै या विपत्तिमें मरजावै और कुटुम्बको भी मरने देवै यह क्योंकर हो सक्ता है क्या शास्त्रमें अकल्याणकी भी मर्यादा नियतहोती हैं ) इसलिये अब उसी निश्चित मर्यादामें कुछ अपवाद नाम छूट कियेदेते हैं-यथा ( एकोपिस्थावरेकुर्याद्दानाध मनविक्रयम् । आपत्कालेकुटुंबार्थेधर्मार्थेचविशेषतः)अर्थात्-कोई एकभी स्थावरधन का दान या आधमन कहिये बंधक या विक्रय भी उस अवस्थामें आचरै कि यदि कोईसा आपत्काल उपस्थितहो या कुटुंबके पालन में आवश्यकताहो और धर्म कार्यों में विशेषकर अधिकारहै-सिद्धांत इसका यह कि यदि कुटुंबीके पुत्र वा पौत्र वा भ्राताही अप्राप्तव्यवहार या अप्राप्तव्यवहारकालहों जो अनुज्ञा देने में या अपने हानि लाभ के समुभनेमें असमर्थ चाहै अविभक्त धनभी हों और ऐसीदशामें यदि कुटुम्बी को सकल कुटुंब व्यापिनी आपत्ति आनिघेरै या उसके पोषणमें अतिशय आवश्यकता देखि परै या अवश्य करणीय पितृश्राद्ध आदि धर्म कृत्यों की हानि हुईजाती हो तब स्थावर धनका भी कोई खंड देदेने वा बंधक धर देने वा विक्रय करदेने में एक ए-

कल्ला उनकी अनुमति विनाभी अधिकारी है परन्तु यदि समर्थ होवें अर्थात् अपने गार्हस्थ्य व्यवहारों में निपुण और हानिलाभ के समुझने में चैतन्यहो-भला इस छूटके दर्शाने से वह विरोधतौ निस्संदेह जातारहा जो निर्णीत मुख्य मर्यादामें खड़ा हुआ था परन्तु अब इस छूटके स्वरूपसेभी एकनया विरोध इस अग्रोक्त वचनके आशयसे दिखाई देताहै-यथा ( अविभक्ताविभक्तावासपिंडाःस्थावरेसमाः । एकोह्य नीशःसर्वत्रदानाधमनविक्रये ) अर्थात्-सपिंड जे हैं ते चाहें अविभक्तहों या विभक्तहों पर स्थावर धनमें सभी तुल्य अधिकारी समुझेजाते हैं इसहेतुसेही स्थावरके दान या बंधक या विक्रयमें (सर्वत्र) एकल्ला पुरुष अनीशहै अर्थात् करसकनेका अधिकारी नहीं-यहाँ सर्वत्रके कथनसे स्थावरधन चाहै एकहीके स्वामित्वमें हो चाहै कई भागियोंका साधारण हो तथैव चाहै स्वार्जितहो चाहै पितृ पितामहसे पायाहो समुझना और उस विरोधका स्वरूप इसमें यह है कि जब अविभक्तोंके सिवाय विभक्त सपिंडभी वास्तेदारठहरे कि उनके विना कोई मुख्य अधिकारी ऐसे धन का दान या बंधक या विक्रय एकाकी नहीं करसक्ता तौ फिर इस अनंतरोक्त अपवादके अनुसार वह क्योंकर ऐसा करसक्ताहै-इसलिये-अब इसविरोधकी शांति दर्शाते हैं कि इस अग्रोक्त वचन में अविभक्तों का होना जो आवश्यक बतलायासो तौ प्रत्यक्षही ठीकहै कि अविभक्तों में जैसे और भागी तैसा एक वहभी भागीहै इस्से एकाकी ऐसा करने में अनीश्वरहै इसीलिये जब कदाचित् उस अपवादके अनुसार ऐसा करना परै तब यद्यपि कुटुंब का भारउसके आधीन होनेके हेतुसे कर्तव्यता तौ उस एकहीके आधीन है पर तौ भी अपने सभी अविभक्त भागियों को वैठारिकर उनके सन्मुख ऐसा करै परोक्षमें नहीं चाहै वे अविभक्त भागी उसके कुछ सज्ञान हों या नहों और जो कोई उनमें अनुमति देसकने योग्यहों तिनसे अनुमति भी यथा अवसरके अनुसार लेनी चाहिये-परंतु-विभक्त सपिंडों का होना जो इसी वचन में बतलाया गया तिसका तात्पर्य केवल इतना है कि जो जो सपिंड पहले से विभक्त होहोकर अपनेअपने जुदे व्यवहारों में तत्पर होचुके कदाचित् किसी हेतु से उनमें कोई ऐसा अविभक्त भी रहगया चला आताहो जिसका भाग इस धनमें अबतक शेषहो और न जानिये वह इस कामके हुये पीछे कोई भाँति का भगड़ा खड़ा कर बैठे-इसलिये वँटे विन वँटेका ऐसा संशय दूरकरनेके निमित्तसे विभक्तों काभी कार्य के समय पर होना और उनसे सम्मतिले लेना दर्शायागया जिस्से अपने व्यवहार में सौकर्य होजावे और कोईसा किन्तु खड़ा होनेकी शंकादूर होजावे यह सिद्धांतहै अर्थात् कुछ इसलिये इनका होना नहीं बतलायागया कि इनके होने विना या अनुमतिके देने विना वह एकाकी पुरुष अपना कार्य करनेमें अधिकारी न होसके और सिद्धांत इसकायह

कि उन विभक्त सपिंडोंकी अनुमति बिना भी व्यवहार सिद्ध होताहै-इसलिये उस अनंतरोक्त अपवादकी मर्यादामें कुछ विरोधकी संभावना नहीं है यह समुझना चाहिये-इस व्यवस्थापरभी-कदाचित् यह शंका आरोपित करीजाय कि पृथ्वीका निर्गम इस प्रकारसे होही नहींसक्ता किन्तु पृथ्वी के निर्गमको छः बात इकट्ठीहोनी चाहिये तब किसी से किसीपर जासक्ती है अन्यथानहीं-तद्यथाह ( स्वग्रामज्ञातिसामंतदायादानुमतेनच । हिरण्योदकदानेनषड्भिर्गच्छतिमेदिनी ) अर्थात्-एकतौ अपनेग्रामका अनुमत १ ज्ञातीलोगों का अनुमत २ सामंतों का अनुमत ३ दायादोंका अनुमत ४ हिरण्य ५ और जल ६ इनके साथ दानकाहोना-इनछःबातों के साथ पृथ्वी जाती है अन्यथानहीं-सो- इसभांतिकी शंकामें भी यहव्याख्या समुझनीचाहिये कि (ग्राम)की अनुमति केवल इसलिये कहीगई कि प्रतिग्रह नामधरती आदिका लेना सबके सन्मुख प्रकाशरूपसेकरनाकहाहै चाहैकिसी मार्गसेलेनीहो पर प्रच्छन्नरूपसे न लेनीचाहिये-तद्यथा (प्रतिग्रहःप्रकाशःस्यात्स्थावरस्यविशेषतः) अर्थात्-यहस्मृतिप्रमाणहै कि प्रतिग्रहमा त्रसभी प्रकाशरूपसे होवैपर स्थावरका प्रतिग्रह तौ विशेषकर प्रकाशहोना उचितहै क्योंकि न जानिये पीछे किसीहेतुसे अयोग्य ठहरै और प्रतिग्रहीताको भूँठा बनिकर छोड़देनापरै इसलिये प्रकाशहोना आवश्यकहै-सोयह प्रकाश भी उन मनुष्योंके सन्मुख अधिकतर आवश्यकहै जोदाताके संबंधीहों इसीलियेउसकेग्रामकी अनुमतिकहीगई परन्तुइसकथनका यह सिद्धांतनहींहै कि यदिग्राम अपनी अनुमति नहींदेवै तौ व्यवहारही सिद्ध न हो १ (सामंतों)की अनुमतिसे यहअपेक्षा है कि पीछेउस दीहुई धरतीकीसीमामें भगड़ाउठना दूरहोजाय अर्थात् सामंतोंकेसन्मुख उसकी मुख्यसीमाभी प्रदर्शित होजावै(यहांपरसामंत उनको कहतेहैं जिनकीधरतीका धुराउस दातव्यधरतीसे मिलाहो)२(ज्ञाती)लोगों की अनुमतिका प्रयोजन वहीहै जो ऊपर कथनहोचुका है कि विभक्त सपिंडोंकी भी अनुमतिलेनी अमुकहेतुसेउचितहै ३ (दायादों)की भी अनुमतिका प्रयोजन उसीसाथ अविभक्त सपिंडोंके नामसेवर्णन होचुकाहै कि उनकाहोना अतिशय आवश्यकहै क्योंकि उनकाभाग उसधनमें विद्यमानहै४-पांचवां हिरण्यदान और छठा उदकदान जोधरतीके साथ बतलाया तिसका यहकारण है कि स्थावरधनका विक्रयकरना वर्जितहै-तद्यथा(स्थावरेविक्रयोनास्तिकुर्यादाधिमनुज्ञया)अर्थात्-स्थावर धनमें विक्रयका अभावहै यदि बड़ीसी आवश्यकता हो तौ सबकी संमतिलेकर बंधकरखदेवै-इसप्रकारसे विक्रयका निषेधहै परन्तु धरती केदान और प्रतिग्रहकी भी अतिप्रशंसा शास्त्रमें कही है-यथा ( भूमिःप्रतिगृह्णाति यश्चभूमिप्रयच्छति । उभौतौपुण्यकर्तारौनियतौस्वर्गगामिनौ)अर्थात्-भू के कोई प्रतिग्रहण करताहै और जोकोई भूमिका दानकरता है वे दोनोंपुरुष

और निश्चय स्वर्गको जानेवाले होतेहैं-इन दोभांतिकी आज्ञाओंके होनेपर भी यदि कोई अपनी जरूरतसे स्थावरका विक्रयभी करनाचाहै और कोई उसका क्रयकर्ता उद्यतहो तो इसदशामें भी विक्रयका दोष निवारण करनेके निमित्तसे किंचित्सोना जलकेसाथ देकर दानरूपसेही विक्रयकरै-इसमेंभी कदाचित् यहशंका खड़ीकरीजाय कि उस विक्रयिने तो अपना विक्रयदोष निवारणकिया परकरी जिसने दामदेकरक्रय किया वह क्योंकर इसव्यर्थ प्रतिग्रहका लेना स्वीकारकरैगा सो यहशंकाही निर्मूलहै क्योंकि प्रथमतो इस प्रतिग्रहका सद्भाव लेनेवालाभी पुण्य कर्ता और स्वर्गगामी कहा गया और यहप्रतिग्रह उसका उपकल्परूप नकली नियतहुआहै इसलिये इसमेंदोष कीसंभावना तो कोईभांतिसेभी नहींहै( परन्तु )यदिइसप्रकारसे तर्कणाकरीजाय किवह सद्भाव प्रतिग्रहभी केवल ब्राह्मणकेही पक्षमें प्रसिद्धहै अथवा अपनी २ जातिमें मान्य पक्षके संबंधी ये हैं ते भी दानलेनेके अधिकारी हैं तौफिर यह सद्भावका उपकल्पजोहै सोभी उसदशामें क्योंकर ठीक होसक्ताहै कियदि ब्राह्मण विक्रयकर्ताहो और क्रयकर्ता क्षत्रियआदि हो क्योंकि यद्यपि यहवात सर्वथा शास्त्रसिद्धहै परलोक विरुद्ध होनेसे कोईभी क्षत्रिय आदिजल और सोनालेने को उंचाकर नहीं करसक्ता है इसदशापर कि दामदेवै और प्रतिग्रहलेवै-तहां-इस वार्त्तापर सूक्ष्मदृष्टिसे ध्यान कर्तव्य है कि यद्यपि यहप्रकार एकदान और प्रतिग्रह के लक्षण में गिनती किया गया पर यथार्थसे कुछदान या प्रतिग्रह नहीं है किंतु क्रय विक्रयही निश्चित है इसलिये यदि हाथमेंभी लेलेवे तौ कुछदोष नहीं क्योंकि यहधरतीके साथसोना और जलकाहाथ में लेनादेना ऐसा है कि जैसाघोडे के क्रयविक्रय होने में उसकी बाग या लगाम या कोड़ा हाथमें देदेते हैं इत्यादि और भी चतुष्पदजीवों यद्वा अन्य पदार्थों की निज निज मर्यादा जैसी लोकमें प्रसिद्ध हैं इसलिये कुछहाथ में लेलेने से दानपात्रत्व की लक्षणा सिद्धनहीं होती परतौभी यदि किसी का मन उसवातपर आरूढ़ न होताहो तब यहप्रकार करनायोग्य है कि देनेवाला उसधरती के किसी उत्तमअङ्ग पर धरि देवे और लेनेवाला अपनी आज्ञासे किसीदानपात्रको कहदेवे कि तू लेलेतौ इसमें भी कुछशास्त्रकी विधिका अतिक्रम नहीं है किन्तु विशेषतर कुछयह भी नियमनहीं है कि हाथही में देनालेना सच्चाठहरे क्योंकि यहविधि जोहै सो केवल उसधरतीका परस्थानदेनेमें वियोगकाल के सत्कारमें गिनतीहै कि उसके जातेसमय वियोगकालिक पूजाकर देनीचाहिये जिससे उसकावियोग और संयोग भी देनेलेनेवाले दोनोंको ही फलीभूतहो-पैतृक धनमें और पैतामह धनमेंभी पुत्र या पौत्रका स्वत्व उसकेजन्महीसे उत्पन्नहोजाताहै यहमर्वथा निश्चितहोचुका इतमेंकुछ सन्देहनहीं परन्तुइसमें एकविशेषता अभी और भी शेष है तिसका न्याशआगे (भूर्यापितामहोपात्ता) इत्या-



दि १२४ वाले मूलश्लोक और उसीकी अधिकोक्तिमें विस्तार साथ वर्णन होगा ११६॥  
 ( अत्र वैशेषिक स्वत्वव्यवस्थज्ञानम् ) इसीमें यह वार्त्ता या दरखने योग्य है कि यद्यपि धर्मशास्त्र के सभी ग्रंथ हिन्दुस्तान के सब देश विभागों में यथायोग्य कार्यसाधक हो-  
 सके हैं क्योंकि उनमें परस्पर कुछ बहुत बड़ा अन्तर नहीं है तथापि निजनिज देश  
 विभागों की परिपाटियोंमें कुछ अन्तर है इस हेतुसे निजनिज देशी ग्रन्थकारोंने नवतर  
 ग्रन्थोंमें भी कुछकुछ किसी वार्त्तामें अन्तर दर्शाया अर्थात् जैसी अपने देशकी परिपाटी  
 देखी तैसाही नवकल्पित ग्रन्थोंमें लावण्य दर्शाया और इसी हेतुसे उनके देशी लोगों  
 ने उन ग्रन्थों को मनोज्ञ जानिकर स्वीकार किया जब एक दोपर विश्वासिक स्वीकार  
 पाया गया तब औरोंकी उपेक्षा ठहरी सिद्धान्त इसका यह कि यह मिताक्षरानाम ग्रन्थ  
 एक और भी अनेक ग्रन्थोंकी सहायतासाथ अपने बाराणसी सम्बन्धी अनेक देश  
 विभागोंमें विशेषतर स्वीकार है (तथैव) अन्य ग्रन्थान्तरके मतमतान्तर की सहायतासे  
 कुछ मिथिला में भी स्वीकार है ऐसेही मिथिला और बङ्गाल और विहार और उड़ीसा  
 और दक्षिण आदि देशोंमें जुदेजुदे ग्रन्थोंका स्वीकार प्रसिद्ध है कि जिनमें प्रायः कुछ  
 मिताक्षरासे अपेक्षा नहीं और बहुधा लौकिक परिपाटी उनकी भिन्न हैं तिस भिन्नताका  
 चर्चा आगे संक्षेप यथास्थल के अनुसार अवसर पाइकर प्रदर्शित होतारहेगा-तथा-  
 पि-जिज्ञासू लोगोंका अमदूर करनेके निमित्तसे इस स्थलपर भी एकदो नमूने उसी भि-  
 न्नताके अन्तरमध्ये दर्शाते हैं कि-विरले काम यद्यपि धर्ममर्यादासे करने प्रतिषिद्ध हैं पर  
 जो कर्त्ता उनकी क्रिया पूरी कर चुका हो तौ फिर बांगदेशी धर्ममर्यादोंकी परिपाटीसे अ-  
 नुचित नहीं समझे जासके बल्कि यह विशेषता है कि यद्यपि करना उनका शिष्टाचारा-  
 त्मक मर्यादासे प्रत्यक्ष अनुचित ठहरै और हेतुगर्भित सिद्धान्त में न्यायात्मक मर्यादा  
 से भी विपरीत माना जासक्ता हो परन्तु उस देशकी प्रचलित परिपाटीसे अयोग्यता नि-  
 श्रित नहीं होसक्ती अर्थात् कर्त्ताका किया हुआ निवर्त्तित नहीं होता है इसका (दृष्टान्त)  
 जैसे न्यायात्मक मर्यादा से बापको अपने स्वोपार्जित धनमें पूरा स्वत्व होनेके हेतुसे  
 सर्वथा यह अधिकार है कि वह अपने धनको चाहे तिसे थोडा दे या बहुत परन्तु शि-  
 ष्टाचारात्मक मर्यादासे ऐसा करना उसको प्रतिषिद्ध है कि वह ऐसे धनका भाग  
 अपने पुत्रोंमें न्यूनाधिक देवे या किसी एक बेटेको निष्कारण भी दुर्भागीरक्खै-इस  
 दृष्टान्तसे प्रयोजन यह दर्शाया है कि यदि एक बंगाली पुरुष ऐसा करे चाहे अपने  
 निज देशमें या देशान्तरमें सुखवासी हो तौ परलोक दोषी यद्यपि होगा परतौ भी उ-  
 सकी देशी परिपाटी के अनुसार यह करना कुछ अनर्थक नहीं होगा क्योंकि उसके  
 देशमें केवल उसी न्यायात्मक मर्यादाकी परिपाटी सबको स्वीकार है जो आगे ११७  
 वाले मूल श्लोकमें योगीश्वर दर्शावेंगे कि पिता अपने पुत्रोंको निज कमाईके धनमेंसे न्य-

नाधिक भागभी निजइच्छासे देसक्ताहै किन्तु इसविषयपर शिष्टाचारात्मकमर्यादाका प्रचार बंगालमें नहींहै-जिसअन्तरका चर्चा ऊपरकियाथा वह अन्तरइसमेंयहीहै कि वाराणस्यादिजिन देशोंमें मिताक्षराआदिग्रन्थोंकी प्रधानताहै तिनमेंन्यायात्मकमर्यादाको लोक विद्वेषी होनेके हेतुसे छोड़कर शिष्टाचारात्मक मर्यादाकी प्रधानतामानी गई (जैसा) पहले निर्णयहोचुकाहै तिनदेशोंमें यदि कोई ऐसाकरै तो उसकाकिया निवर्त्तित होसक्ताहै क्योंकि जहां जिसबातकी परिपाटीही नहीं तहां उसका बर्त्तावा करना केवल पारलौकिकही अपराधनहीं बरन अन्यायभी प्रत्यक्षहै यह एक दृष्टांत हुआ- दूसरा(दृष्टांत)जैसे अनेक भागियोंके साधारणधनमेंसे जोबपौतीरिक्थकाहो किसीएक अंशको अपने अंशका वियोग करनाबहुधा धर्मशास्त्रोंसे प्रतिषिद्ध है और इसग्रंथ में भी आगे १८० वालेमूल श्लोककी व्याख्यापर यह चर्चा आवेगा कि यदि ऐसा काम कोई अंशीकर बैठाहोनि:संदेह उसकाकियानिवर्त्तितहोजावे क्योंकि वाराणस्या-दिएतदेशीशिष्टाचारिक मर्यादोंसे विपरीतहै अर्थात् इसग्रंथके अनुसार जबतक प्रत्येक अंशका अंशबँटकर जुदा न होवे तबतक स्वत्वकी भिन्नता योग्य नहीं समु-भीजातीहै इसीहेतुसे कोई अंशी अपने बिनाबँटे अंशको यदि बँचैयाबंधकरक्खै या दानदेवैतौनि:संदेह वह वियोगकर्त्ता और उस अंशकाग्रहीता भी भूँठाहोगा क्योंकि इसवार्त्ताकी अपेक्षासे इनदेशोंमें न्यायात्मक मर्यादाकी प्रवृत्ति नहींहै-परन्तु-इसी वार्त्ताकी अपेक्षासे बंगालमें न्यायात्मक मर्यादाकी प्रवृत्ति और उसीकी परिपाटीभी विशेषतर स्वीकारहै अर्थात् उसदेशके प्रवर्त्तित दायभाग आदिग्रंथों के अनुसार प्रत्येक अंशी अपने अंशकावियोग करदेनेमें अधिकारीहै बल्कि इसविशेषतासे कि वह बपौतीरिक्थ चाहै स्थावर भीहो और उसके संभावी अंशोंका निरूपणमात्रभी न होचुकाहो पहलेसेही प्रत्येकोंको भिन्नात्मक स्वत्व जैसाभिन्न होनेपर संप्राप्त होगा प्राप्तहै इसीहेतुसे यदि कोई अंशी बंगाली अपने बिनाबँटे अंशको बँचैयाबंधकरक्खै या जिसको चाहै दानदेवे तौ यह करनाउसका न्यायात्मक मर्यादोंसे विपरीत नहींहै न कोई उसकेकियेको निवर्त्तितकरसक्ताहै-और-विहार नामकदेशमें इसीवार्त्ताकी अपेक्षासे उसी शिष्टाचारिक मर्यादाकी परिपाटी प्रचलित है कि जैसी वाराणस्यादि देशोंमें मिताक्षरा आदिग्रंथोंके अनुसार ऊपरवर्णन हुई ( बल्कि ) इसविशेषतासे कि वह साधारण पैतृकरिक्थका अंशचाहै स्थावर होया जंगमहो कोई अंशीअपने अंश का वियोग नहीं करसक्ता जबतक भिन्ननहोवै-इत्यादि और भी अनेकवातांमें देशांतर और ग्रंथांतर भेदसे परिपाटी कुछ विलक्षणहैं यथा अवसरके अनुसार उनका चर्चा आगेहोगा ११६ अवनिचले ११७ वाले मूल श्लोकसे लेकर आगे दूरतक उनवातांका वर्णनहोगा कि वह ( विभाग )जिसका चर्चा इतने विस्तारसे प्रदर्शितहुआ

किसकाल में और किस प्रकारसे होगा और किसको उसके करनेका अधिकारहै ॥

अथतावदायविभागापेक्षायांजीवत्पितरिविभागप्रकारोनाम  
चतुश्चत्वारिंशःपरिच्छेदः ४४ ॥

इस चवालीसवें परिच्छेद में पहले वहदाय वर्णन होगा जिसका विभाग पिताके जीतेहुये और पिताकेही अधिकार वा इच्छाके अनुसार होताहै-पीछे इसके प्रसंग से इसीमें वह विभागभी प्रदर्शित होगा जो पिताके जीतेहुये पुत्रोंकी अपेक्षासे भी होसक्ता है ॥

विभागंचेत्पिताकुर्यादिच्छयाविभजेत्सुतान् । ज्येष्ठंवाश्रेष्ठभागेनसर्वेवास्युःसमांशिनः ११७ ॥

अक्ष०—यदि पिताही विभागको करै तौ इच्छासे पुत्रोंको बांटदेवै या तौ ज्येष्ठको श्रेष्ठ भागसे या सबही सम भागीहोवै ११७ ॥

अभि०—यदि कदाचित् पिता आपही अपनी इच्छासे विभाग करदेना चाहै तौ उसको स्वाधीनताहै कि वह अपनी इच्छाके अनुसार अपने धनमें से विभागों की कल्पना करिकै निज पुत्रोंको बांटिदेवै ( यहांपर निज इच्छाके अनुसार कहना एक निरंकुशत्वका लक्षण प्रकट होताहै कि यदि विभाग उसकी इच्छाके अधीन ठहिरा तौ फिर चाहै तितनाचाहै तिस एकही पुत्रको देसक्ताहै या चाहै तिसको दुर्भागी भी रखसक्ताहै किंतु उसकी इच्छामें कोईसाभीनियम नहींरहसक्ता ) इसलिये अबदूसरे अद्धासे नियम दर्शाते हैं कि यातौ इसरीति से भागलगावै कि जेठे पुत्रको श्रेष्ठभाग और विचलेपुत्रको मध्यमभाग और छोटेपुत्र को छोटाभागदेवै या इसरीतिसे भाग लगावै कि अपने सभीपुत्रोंको बराबर भागदेवै इस दोभाँति के विकल्प में पिताकी इच्छाको स्वाधीनताहै अन्यथा नहीं ११७ ॥

अधि०—श्रेष्ठ आदि विभागोंका व्यौरामनुने स्पष्ट दर्शित कियाहै-यथा(ज्येष्ठस्यविंशउद्धारःसर्वद्रव्याञ्चयद्वरम् । ततोऽर्द्धमध्यमस्यस्यात्तुरीयंतुयवीयसः)-अर्थात्-जेठेको सब धनका बीसवाँ अंश जो सबधनोंमें उत्तम धनहो उस्से आधा चालीसवाँ भाग मँभिलेको और चौथाई किन्तु अस्सीवाँभाग छोटेको उद्धारदेकर शेषधनसबहीको बराबरवाँट दियाजावै (इसवचनकी व्यौरैवार व्याख्या १२० मूलश्लोक पूर्वार्द्धकी अधि-कोक्तिमें देखौ) यहउद्धार विभाग जो विषम लक्षणकी रीतिसे मनुने दर्शाया तिसको योगीश्वरकी आज्ञा अनुभार पिताकरसक्ता है परंतु केवल अपने उत्पादनकिये धनका करसक्ताहै सोभी केवल जंगम द्रव्योंका करसक्ताहै अर्थात् स्थावरधन अपनेभीपेदा कियेहोंतौ उनकासमभागहोगा और पिताभीपुत्रोंकी बराबर भागपावैगा विशेषनहीं- और इसके सिवाय जोधन बापने अपने बापदादा आदिसे क्रमागत पायाहो चाहे

स्थावरहो या जंगम उसका विषम विभाग करनेमें अधिकारी नहीं(और)भी यहविशेषताहै कि स्थावर धन चाहै अपना स्वार्जितहो या पैतृक पायाहो कदाचित् उसका विषम विभाग करदेवै तो वह दोषीहोगा और ११६के उत्तरार्द्धवाली मर्यादासे विपरीत समुभाजाकर उसका कियाहुआ निर्वर्तित होसक्ताहै क्योंकि ऐसेधनमें पितापुत्र दोनों कास्वामित्व बराबरहोताहै आगेबर्णनहोगा-और-पिता अपनेपैदाकिये धनमेंसेपुत्रोंको न्यनाधिक अंशभीदेसक्ताहै इसविषयकी व्यवस्था यद्यपि ठीकहोचुकी और बहुधाही विधिनिषेध इसके आगेभी दर्शायेजायेंगे तथापि एकन्यायात्मक प्रकार यहसंसूचित है कि यदि कोईसा विशेष कारण पायाजायतो निःसंदेह ऐसा करसक्ताहै (दृष्टांत) जैसे किसीबेटेकी कोईभाँति योग्यता और प्रवीणता निश्चित होनेसे योग्यताके सत्कारमें कुछदेवै या विशेष आज्ञाकारीको उसके सेवाफलकी अधिकाईमें कुछ अधिकदेवै यद्वा असमर्थको निजदयादृष्टिसे कुछ अधिकदेवै या बहुसंततिवान्को संततिपालनकीदृष्टिसेकुछ अधिकदेवै या कन्यादान आदि कोईनिमित्त आवश्यक जानिकर किसीकोकुछ अधिकदेवै इत्यादि सवन्त्यायात्मकहैं यहसमस्त मर्यादें वाराणसी संबंधी आदि देश विभागोंकी सुनिश्चित हैं परंतु-इस व्यवस्थामें बांगदेशी धर्ममर्यादोंके अनुसार जो कुछ विशेषहै सोसबदेखो इसीअधिकोक्तिके अंतमें-जब कदाचित् पिताअपनी इच्छासे पुत्रोंको निजधनका विभाग करिदेना चाहैतभी होसक्ताहै इसलिये वहीएक यहीइस काकालहै-दूसराकाल वहभीहै कि यद्यपि पितातौविभाग करदेनेकी इच्छानहीं करता हो परंतु यदिपिताको वृद्धापन आदिके हेतुसे धनकेभोगमें स्पृहानिःशेषहोगईहोतथा स्त्रीके रमणसेभी निपट निवृत्ति होचुकीहो (और) माताके मासिक रजोदर्शनभी निपट शांतहो चुकेहों जिस्से आगेको गर्भ या संतानकी उत्पत्ति संभव नहो तो इस दशामें पिताकी अनिच्छापरभी केवल पुत्रोंकीही इच्छासे विभाग होसक्ता है-यथाहनारदः- (व्यत ऊर्ध्वपितुःपुत्राविभजेयुर्धनंसमम् । मातुर्निवृत्तेरजसिप्रत्तासुभगिनीषुच ॥ निवृत्ते चापिरमणेपितर्युपरतस्पृहे) अर्थात्-नारदने यहकहाहै कि पितामाताके मरने उपरांत उनकेबेटे मिलकर पिताका धन सभी बराबर बाँटिलेवैं यद्वा उनके जीतेहुये भी उस अवस्थामें कि यदि माताकी रजोनिवृत्ति होजावे और सभीभगनी व्याहीजावैं और पिताभी भार्यारमणसे निवृत्त होजावे तथा धनकी स्पृहासेभी विरक्त होजावेतौ सभी बेटे धनकाभाग बराबर बाँटिलेवैं-इसीप्रकार-गौतमनेभी तीनभाँतिके काल दर्शाये हैं यथा-ऊर्ध्वपितुःपुत्रारिक्थंभजेरन् १ निवृत्तेचापिरजसि २ जीवतिचेच्छति ३-अर्थइनका भी वहीहै जो ऊपरहोचुका इसकेमिवाय-माताकी रजोनिवृत्ति विनाभी एकचौथाकाल यहहोताहै कि यदि पिता अधर्मवर्तीहो या दीर्घरोगी महारोगोंसे ग्रस्तहो तौ माताके सरजस्काहोनेपरभी और पिताकीअनिच्छामेंभी केवल पुत्रोंकीही इच्छासेविभाग होता

है-यथाहशंखः-अकामेपितरिरिक्थविभागोवृद्धेविपरीतचेतसिरोगिणिच-अर्थात्- शंख मुनिने यहकहाहै कि-यदिपिताको धनकेभोगमें कामना न रहेतौउसदशामें रिक्थकावि- भाग उसीपिताकी इच्छासेहोताहै परंतु यदि पिताकी विरक्तिवा उपरतिधनसेनिश्चया-त्मक प्रकटहोजाय जिससे उसकेधनमें हानिहोजाना संभवहो और अपनी इच्छासे वि- भागकरदेनेपर समुद्यतनहो तौफिर केवल पुत्रोंकीहीइच्छासेविभाग होसक्ताहै(या)यदि पिता अतिशयवृद्धहोजाय जिसको भार्याके रमणमात्रकीशक्ति न रहे चाहैमाताकारजो धर्मशेष हो या न हो तौ उसदशामें भी रिक्थविभाग केवल पुत्रोंकीही इच्छासे होस-क्ताहै(या)यदि पिताको वृद्धत्व न होनेपरभी किसीप्रकारसे उसकेचित्त वा बुद्धिमेंऐसी विपरीतता होजाय जोशास्त्र और लोकसेभी विरुद्धहो अर्थात् जिसविपरीतता के प्रभावसे अधर्ममार्ग में प्रवृत्तिहोजाय तौ उसदशामें भी केवल पुत्रोंकीइच्छासे वि- भागहोसक्ता है (या) इसप्रकारकी विपरीतता के न होनेपरभी यदि पिताकोऐसा कोई दीर्घरोग ग्रसिलेवै जो महारोगोंमेंप्रसिद्धहो जिसकेप्रभावसे सांसारिक आचार व्यव-हारोंकी साधना न होसकै तो उसदशामें भी केवलपुत्रोंकी इच्छासे विभाग होसक्ताहै तथापि-अत्रोक्त मर्यादोंकी अपेक्षामें यह नियमयाद रखनेयोग्यहै कि जहांतक पुत्रों की इच्छासे विभागहोसकना दर्शायागया सोसबकेवल पैतामह धनकेविषय पर समु-भूनाइसका न्यायकहीं आगेदर्शावेंगे किंतुपिताके उपाजित कियेधनपर पुत्रोंकीइच्छा मात्र अतिवलवती नहीं है ( अथवंगालदेशव्यवस्थारूपम् ) यहसब अनन्तरोक्त मर्यादें इसीशास्त्रके अनुसार जो वर्णनहुई तिनकी परिपाटी वाराणसी संबन्धी देशविभागों में विशेषतर स्वीकारहै (या) मिथिलाआदि जिनदेशोंमें इसग्रन्थकी प्रधानता मानी-जातीहो तिनमेंभी ज्ञातव्य है-परन्तु- बांगदेशी धर्मशास्त्रोंके अनुसार उन्हीं देशों में इन मर्यादोंकी अपेक्षासे यह परिपाटी स्वीकार है कि-धनका विभागहोने में पिताकी इच्छाही आवश्यक बलवान्है किन्तु जबतक पिताजीताहो तत्रत्य धर्ममर्यादोंसेपुत्रों को अधिकार नहींहैकि उसको इच्छाभी प्रबलतासे करावै-केवल उसअवस्थामें पुत्रों को अधिकार है किवापकास्वत्व धनमेंसे नष्टहोजावै ( दृष्टान्त ) जैसे धर्म च्युत होकर किसी पतितजाति में मिलजाय वा संन्यासी होजाय तौ पुत्रोंको विभागकरनेका अ-धिकारहै अन्यथानहीं-परन्तु आधुनिकों में से किसीकायह अनुमत भी कल्पित हु-आहै कि जिनपुत्रोंको विमातासे पीड़ा मिलतीहोवै अपने देशाधिपसे आवेदन करि कै केवल पितामह धनका विभाग करवासक्ते हैं किंच निज पैतृकधनका तौभी नहीं- और-तत्रत्य धर्म मर्यादों से पैतामहधनका विभाग करदेनेकी अपेक्षामें भी पिताको केवल एकयह प्रतिज्ञाहै कि जबउसकी भार्याके आगेको संतान होसकनासंभव न हो तौ करसक्ता है अर्थात् जो होसकना संभव हो तौ अपने पितृपैतामह धनको बांदि

कर निजपुत्रोंको देसकने में अधिकारी नहींहै क्योंकि ऐसाकरदेने पीछे जो बेटा पैदा-  
 होय तौ उसका हक माराजाय (सो) यह प्रतिज्ञाकेवल पितृपैतामह स्थावर धनकी है-  
 किंच-अपना स्वोपार्जित धनचाहै स्थावरहो या जंगमहो और वहभीकि जोप्राचीनों  
 केहाथसे डूवाहुआ धन उसनेफिर उद्धारकिया हो चाहै जंगम या स्थावरहो सोसब  
 उसकी इच्छासे तत्कालबँटि सक्ताहै-इसवांगदेशी मर्यादासे पूर्वोक्त वाराणसी संबन्धी  
 मर्यादोंमें यह अंतर पायागया किमाताकी रजोनिवृत्ति आदि कारणोंके उपस्थित  
 होनेमें पुत्रोंको तीव्र अधिकार है कि पिताकी अनिच्छापर भी पैतामह धनको बँट-  
 वाय सक्तेहैं चाहै पिताकी स्पृहाधनसे दूरहुई हो यानहीं-इसके सिवाय-विषमविभा-  
 गका चर्चाजोऊपर कहकर छोड़ाथा तिसकेमध्ये बांगदेशी धर्मशास्त्रोंसे उसदेश में  
 यह परिपाटीहै कि यदिपिता अपनीइच्छासे विषमविभाग करनाचाहै तौ स्थावर जं-  
 गम दोनोंभांति का जोधनउसका स्वार्जितहो और केवल जंगमधन पैतृकभी अपने  
 पुत्रोंमें न्यूनाधिक अंशदेसक्ता है तथैव उसधनको भी जो उसने अपनेबड़ोंका डूवा-  
 हुआ फिर उद्धारकियाहो चाहै जंगमया स्थावरहो (और)उसपिताको यह स्वाधीनता  
 है किपुत्रोंको विभाग करतेसमय जितनाधनवह उचितसमुझै अपनेपासररखै-(और)  
 यह विशेषताहै कि यदिपिताऐसे धनोंको विषमविभागकीरीतिसे निजइच्छाके अनु-  
 सार बाँटे या एकबेटेको उसकाभाग देनेसे निष्कारण भी दुर्भागीरखै तौ उसदेश की  
 मर्यादासे यह अनुचित नहीं केवल पितादोषीही कहलासक्ता है अर्थात् पारलौकिक  
 अपराधोंका दोषीवहीहोगा पर अदालतसे उसका कियाहुआ मन्सूख या अनर्थक  
 नहीं होता है-परन्तु जो बड़ोंका डूवाहुआ धन इसरीति से उद्धार किया हो जिस  
 के उद्धार होने में पुत्रों ने सहायता करीहो तौ इस धन में वहस्वाधीनता नहीं है  
 अर्थात् इसमें पुत्रोंका बराबर हकहोताहै तथापि इसमें बापको यह अधिकारहै कि  
 वहऐसेधनमें आपदोभाग लेसक्ताहै औरउसमेंसेभी दोभागलेसक्ताहै जो उसकेपुत्रों  
 का स्वोपार्जित हो-११७ (इतिवांगदेशविशेषः) इसी ११७ वाले मूलश्लोकमें यो-  
 गीश्वरके वचनानुसार केवल पिताकीइच्छासे दो भांति का विभाग दर्शायागया किंतु  
 एक सम विभाग दूसरा विषमविभाग तिनमें सम विभागमध्ये कुछ विशेषतानिचले  
 श्लोकसे कहते हैं ॥

यदिकुर्यात्समानंशान्पत्न्यःकार्याःसमांशिकाः । नदत्तंस्त्रीयन्यासांभर्त्रावाश्वशुरेणवा ११८ ॥

श्ल०-यदि समान अंश करे तौ पत्नियां भी समांशिका कर्त्तव्यहैं नदियाहो स्त्री  
 धन जिन्होंको भर्त्ताने वा श्वशुरने १०८ ॥

शभि०-जयकदाचित् पिताअपनी इच्छासे अपने सभीपुत्रों को समभाग अर्थात्  
 बराबर अंशदेवे तवअपनी भार्याओंकोभी पुत्रोंकी बराबर भागदेनाचाहिये परउन्हीं



को कि जिनको पतिने या संसुराने कुछ स्त्रीधनसंज्ञक पूँजीपहलेसे न दीहो किंतु जिनको भर्तासे या ससुरासे कुछपूँजीपहले मिलचुकीहो तिनको आधाभाग देनाचाहिये इसआधेका प्रमाणआगे १५३ वालामूल श्लोकदेखो भार्याओंका बहुवचन केवल इसलियेहै कि यदिपिताके अनेक भार्याहों तौसभीको धन भागदेना चाहिये-जबकि पिता अपनी इच्छासे पुत्रोंको विषम विभाग अर्थात् ज्येष्ठ आदिको श्रेष्ठआदिभाग देवे तबपत्नियाँभी श्रेष्ठआदि भागनहीं पासक्तीहैं किन्तुपहले उद्धृतकिये उद्धारकेशेष धनसमुदायसे समानही अंशपावेंगी और(स्वोद्धार)नाम अपना उद्धारभी लेंवेंगी अर्थात् जो कुछ घरमेंबासन भँड़वा या अलङ्कार आदि पहलेसे जुदाजिसके वर्तावामें चलाआताहो सो सब उसीकाहोताहै उसमें हिस्सा बाँटनहीं होसक्ता इसलिये उसकीभी(उद्धार)संज्ञाकहलातीहै किन्तु अपना अपनाउद्धार सभीपत्नियाँ जो जिसकेपास होसो अपने समभागके उपरांत पायाकरती हैं इस मर्यादाकी प्रमाणता मध्ये आपस्तंबकायह वाक्यहै कि(परीभांडंचगृहेअलंकारोभार्यायाः)अर्थात्-इन वस्तुओंमें पति के सन्मुखभी भार्याकाही अधिकार वा स्वामित्व हुआ करताहै-अन्यच्च (द्वावंशौप्रति पद्येतविमजन्नात्मनःपिता)अर्थात्-पिता अपना धन बाँटतेहुये अपने लिये दो अंश रखलेवै किन्तु दो पुत्रोंकी बराबरभाग आपलेवै इसबातमें स्वाधीनहै ११८ ॥

अधि०-इस अधिकोक्तिमें निपटमिताक्षरासे भिन्नचर्चा लिखाजाताहै किंतु ऊपर अभिप्रायार्थ में मिताक्षरा की व्यवस्था जो वर्णन हुई सो सर्वथा वाराणसी और मिथिला आदि देशोंमें प्रवर्तित और प्राधान्यहै तथापि इन्हींदेशोंमें औरभी अनेक ग्रंथोंका स्वीकारहै और उनमेंकोईअधिक विरोध यद्यपिनहीं है बरन मिताक्षराआदि बहुधा ग्रंथोंसे यही मर्यादा निश्चित होतीहै कि पिताचाहेजीताहो या मरगयाहो उसकी प्रत्येक पत्नियाँ पुत्रोंकेतुल्य भागपानेकी अधिकारिणी हैं तौभी एकदो( दीपकलेख) आदि ग्रन्थोंसे बङ्गाले के समानयह भेदपाया जाता है कि यदिपिताअपनी इच्छासे सभी पुत्रोंको बराबर भागदेवे तौ इसदशामें यहयोग्यहै कि प्रत्येक ऐसीपत्नीको कि जोनिपूतीहों पुत्रोंकेबराबर भागदेवे किन्तु सपूतीकोनहीं(किसीएकने)यहभी निर्णयकियाहै कि यदिपिता अपनेधनमें से अधिक धनअपने पासरखलेवे और थोड़ासाधन पुत्रोंको बाँटदेवे या इसरीतिसे कि सबधन पुत्रों को बराबर बाँटदेवे और दो पुत्रोंकी बराबरभाग आपलेवे तौ इसदशामें यहयोग्यहै कि वहठेठअपने भागमेंसे पत्नियोंको देवे-इत्यादि बहुधाभेदों की व्यवस्थासे सिद्धान्तयहीनिश्चित होसक्ताहै कि यदिपिता अपने धनकोसभी पुत्रोंमें बराबरबाँटै तौ उसकी वे पत्नियाँ भी कि जोनिपूतीहों पुत्रों केसमान भागपानेकी अधिकारिणी हैं परन्तु जोपिता अपने निमित्तमें धन अधिक रखलेवे तौ उनको किसीप्रधान भागपानेकी योग्यतानहींहै किन्तु पतिअपने रखेहु-

ये धनमेंसे निज इच्छा के अनुसार उनका पालनकरै (ऐसेही) संपूती पत्नियोंको यद्य-  
 पि पुत्रोंकेसमान भागपानेकी मुख्यता निश्चितनहींहोसक्ती पर पिता अपनी न्याया-  
 त्मक इच्छाकेअनुसार जो कुछ देनाचाहै और पूर्वोक्त किसीनियमका विरोधी यदि न  
 हो तो इसबातका निषेधभी कुछ नहीं है क्योंकि योगीश्वरकेवचनानुसार बर्तावा ऐसा  
 लोकमें भी देखा और (कमलाकर)आदि आधुनिकोंका दृढ़ समत उनकेग्रंथों से सुनि-  
 श्चितहै-और जो कदाचित् पितान्युनाधिकरीतिसे विषम विभाग पुत्रोंको देवै तो  
 इसदशामें पत्नियोंको उसरीतिकामध्यभागदेनायोग्यहोगा जो सब पुत्रों के भागजो-  
 डकर तुल्यात्मक एकपुत्रका औसतभाग होसक्ताहो-येमर्यादेंकेवल पैतृकधनके संबंध  
 से वर्णनहुई पर कदाचित् यहीविभाग पैतामहधनमें कियाजावै तो उसदशामेंदादीकी  
 अपेक्षाभी येहीमर्यादें सबसंबंधितहैं-मूलश्लोकसे लेकर यहाँतक जो कुछ वर्णनहुआ  
 सो वाराणसी और मिथिलाआदि देशोंकी अपेक्षा में समुभना-अब इस्से नीचे  
 बंगालकाचर्चाकियाजाताहै (अथबंगालव्यवस्थारूपं) जी मूतवाहन आदि बहुधा ग्रंथोंके  
 अनुसार बंगदेशीलोगों में यह परिपाटीहै कि पिता जब संपत्तिका विभाग करनेलगे  
 तब एक भाग जो पुत्रोंकी बराबरसे कमनहो अपनी निःसंतानी भार्याको देवै परउस  
 भार्याको न देवै जिसके बेटाहो-इसमें भी किसी एकग्रंथकारकायह अनुमतहै कि यदि  
 पिता अपनी स्वाधीनता के अनुसार दो भाग यादोसे अधिक निज अपनेलिये रख-  
 लेवै तो इसदशामें भार्याओंको भागदेना कुछ आवश्यक नहींहै क्योंकि उस रखलिये  
 हुये धनसेही पालन उनका होसकैगा-किसीग्रंथका यह भी अनुमतहै कि यदि पिता  
 अपने पुत्रोंको धनका समभाग करिके देवै तबउन भागोंकी बराबर एकभाग अपनी  
 भार्याके निमित्त का रहनेदे परंतु यदि पिता अपनी स्वाधीनताके अनुसार पुत्रोंको  
 विषम भाग देवै और अपनेलिये अधिक भाग रखलेवै तब उसदशामें यह योग्यहै  
 कि अपनी प्रत्येक पत्नियों को निज अपने भागमेंसे उसरीति का मध्यभाग देवै जो  
 सब पुत्रों के भागजोड़कर तुल्यात्मक एक पुत्रका औसतभागहोसक्ताहो-परंतु-उर्ध्वो-  
 क्त सर्वथा पत्नियोंकेभाग जो प्रदर्शितहुये केवल उस अवस्थामें दियेजातेहैं जब किसी  
 तरहकाधन उन्हें पहले कभी न दियाहो-इसमें भी विरले विज्ञानियोंकी यह अनुमति  
 है कि जो पत्नियोंको पहले कुछधनप्राप्तहोचुकाहो तो पुत्रोंके भागसे आधाभागदेवै-  
 इसीमें विरलोंका यह विचारहै कि पत्नीने जो धन पहलेपायाहो और वह पुत्रोंकेभागसे  
 कुछ न्यूनहो तो वह न्यूनतापूरीकरदेनीचाहिये-किसी एकने यह भी अनुमतदियाहै  
 कि पत्नीको कहींसे ऐसाधन संप्राप्तहोवै जिसपर अंत्य अवस्थामें उसके भर्ताकाही  
 स्वत्वपहुँचनेवालाहो तो निःसंदेह यहधन उसीभागमें जोड़ाजाय जो पत्नीको विभाग  
 कालमें देनाकहागया परन्तु जो पत्नीको उसके वापसे या वापके संबंधियोंसे धन

मिलाहो यद्वा भर्ताके मातुल आदि किसीसंबंधीसेमिलाहो तौ यहधन उसकेभागमें नहींजोड़ाजासक्ताहै क्योंकि इसधनपर उसके भर्ताका कुछ संबन्धनहींहै ( इतिबंगदेश विशेषः ) ११८ जोकि इसके पहले ११७ वाले मूल श्लोक उत्तरार्ध से दोबातें कही थीं कि यातौ ज्येष्ठ आदि पुत्रोंको श्रेष्ठआदि विषम विभागदेवै या सभीको समभाग देवै सो उन दोनों पक्षोंमें कुछ ( अपवाद ) भी निचलेमूलश्लोकसे कहते हैं ११८ ॥

शक्तस्यानीहमानस्यकिंचिद्वत्त्वापृथक्क्रियाम् । न्यूनाधिकविभक्तानांधर्म्यःपितृकृतःस्मृतः ११९ ॥

अक्ष०—समर्थ अनपेक्षको कुछेकदेकर जुदीक्रियाहो-न्यूनाधिकबँटेहुओंका विभाग-पिताका कियाहुआ धर्म्यहो सो ठीकहै ११९ ॥

अभि०—इसमें पूर्वार्ध से सम विभागका यह अपवादहै कि पिताका जो कोई बेटा (शक्त) नाम शक्तिमान् अर्थात् आपही बहु द्रव्यके उपार्जनमें समर्थहो औरअनीहवान् भीहो अर्थात् पिताके धनमेंसे विभाग पानेकी इच्छाभी न रखताहो तिसको सम भागदेनेकी आवश्यकता नहींहै किन्तु उसको कुछेकधन जो कुछपिताके ध्यानमें समावेँ चाहैअसारवस्तुभीहो पहिलेदेकरतिस पीछे सर्वधनकी पृथक् क्रिया अर्थात् समविभाग शेषपुत्रोंको करदेना योग्यहै(अपवादकास्वरूप इसमेंयहीहै कि ऐसेसमर्थ और अनपेक्ष बेटाकोछोड़कर समभाग सबकोदेनाचाहिये जिसकी विधिइस्से पहले श्लोक मेंकहीथी)और कुछेक धन जो ऐसे बेटाकोदेदेना इसअपवादमें कहागया सो उसहेतु से कि पीछेकभी इस बेटाके पुत्रादिकोंको निज पिताकादाय माँगने मध्ये भगड़ाटंटा शेष न रहजावै-अब दूसरे अद्वासे दूसराअपवाद उस विषम विभागके पक्षमेंकहते हैं जो ज्येष्ठआदिपुत्रों को श्रेष्ठआदिभागदेनेकहे थे तहां न्यूनाधिकअंशों से बँटेहुये पुत्रोंका विषमविभाग यदि पिताका कियाहुआ (धर्म्य)हो अर्थात् धर्मानुसार जो शास्त्रोक्त उद्धारआदि प्रकारोंसेही नियत कियागयाहो तब तौ वही कियाहुआ ठीक मन्वादिकोंने कहाहै कि वह निवर्तित होने योग्यनहींहै और सिद्धांत इसका यह कि यदि पिताने शास्त्रोक्त मर्यादासे अन्यथा कुछ अपनी मनमौजी आदि रीतोंसेविषम विभाग कियाहो तौ फिर पिताका कियाहुआभी (निवर्तित) अर्थात् मन्सूखहोजाताहै (और यही इसमें छूटकास्वरूपभी हेतुगर्भितदर्शायाहै कि मनमौजी आदि रीतोंसे कियेहुयेको छोड़के)पिताका कियाहुआ करनेकेप्रमाणमें आसक्ताहै कि जिसकी आज्ञा इस्से पहले मूलश्लोकमेंहुईथी ११९ ॥

अधि०—यह पिछला अपवाद जो अभी ऊपरहेतु गर्भितलक्षणसे दर्शायागया तिसकीप्रमाणतामें नारदका यहवचन प्रमाणहै-यथा-(व्याधितःकुपितश्चैवविषयासक्त मानसः । अन्यथाशास्त्रकारीचनविभागेपिताप्रभुः) अर्थात्-यदिपिता अतिशय व्याधिमानहो या अतिशय कोपसे कुपितहो या कामादि विषयोंपर आसक्तमानसहो या

मनमौजी बनिकर शास्त्रोक्तमर्यादासे विपरीतकरताहो ऐसापिता विभागकरसकने में अधिकारीनहीं अर्थात् जो करभीचुकाहो और उस विभागमेंकोई किंतु प्रकटहोजाय तो फिर उसका किया निवर्तितहोजाता है ११६ ( अथ अन्त्यकालिकशिक्षा ) यह एक अधिकव्यवस्था यहाँ इसलिये दर्शातेहैं कि अन्त्यकालिक शिक्षा संबंधी मर्यादें यद्यपि किसी धर्मशास्त्रमें प्राचीन वा आधुनिकोंमेंभी नहीं निरूपित हुईहैं तथापि उसअन्त्यकालिक शिक्षाका वर्तावा बहुधालोकमें दिखाई देताहै इस्सेवहवात कुछ निर्मूलनहीं समुभीजासक्ती अर्थात् उसीअन्त्यकालिक शिक्षासंबंधीभगड़ोंके अभियोगभीअदालतोंमें पहुँचते देखे गये इसीसे निश्चितहै कि बहुतेरेलोग अपने मरतेसमयवर्तावा उसकाकरतेहैं(और) अन्त्यकालिक शिक्षावही कहातीहै जो कोई धनी अपने अंतकाल में ऐसी शिक्षाकरजावै जिसके अनुसार उसके मरने पीछे उनकामोंका आचरण किया जावै जिनकाहोना उसे अपने मरने पीछे स्वीकारथा या उनकामोंका कि जिनकोवह जीतेजी करनेका मनोरथ रखताथा पर शीघ्रमृत्यु आजानेसे करने का अवकाशनहीं पायाइसहेतुसे अपने विश्वासपात्र संबंधियों को या पंचोंको शिक्षाकर जावै या ऐसी शिक्षा राजद्वार में प्रवेशित करिके प्राणछोड़ै कि मेरे अमुकामुक धनसे अमुकामुक सत्कर्मोंकी साधना अमुकामुक पुरुषोंकेहाथसे कराईजाय-इस अन्त्यकालिक शिक्षाको यावन भाषामें वसीयत और इसकेलिखेहुये पत्रोंको वसीयतनामाकहते हैं-यावनशास्त्रग्रंथोंमें इस विषयकीमर्यादेंभी निरूपित और प्रसिद्धहैं (पर) एतद्देशीयग्रंथकारोंने अपने धर्मशास्त्रोंमें इसहेतुसे इसविषयकीमर्यादेंनहींकल्पितकरीं कि उनके कल्पित करनेकी आवश्यकतानहींसमुभी क्योंकि ऐसीशिक्षाभी वह अपने जीतेजीही प्राण वियोगसे पहले२करताहै किंतु मरनेपीछेनहीं इस्से निश्चितहै कि जो२ मर्यादें ऐसे धनीकोजीतेजी संबंध्यरखतीहैं जिनकानानाभाँतिसे निरूपणकियागया वेही उसके अंतकालपरभी आरूढहैं अर्थात् जो२ कुछकाम धर्मशास्त्रके अनुकूल जिनमर्यादोंसे उसको अपनेआपकरसकनेका अधिकारथा उसीकी शिक्षाभी करसक्ताहै और जिसकामकेकरनेका अधिकार उसकोनहींथा तिसको अपनीमृत्युके पश्चात्भी करवासकनेका अधिकारीनहींहै ( दृष्टांत ) जैसे पुत्रादिक वंशकेहोतेहुये निजस्वोपार्जित धनका भी सर्वस्वदानकरदेनेमें अधिकारी नहींथा (दृष्टांत) दूसरा जैसे पितृ पैतामह रिक्थ में स्थावरधनका कोई अंशभी पुत्रादिकोंकी अनुमति विनादान करसकनेका अधिकारी नहींथा यद्वा ऐसेधनका विषमविभाग करसकनेका अधिकारी नहींथा इत्यादि और भी सर्वत्रजानो ऐसेकामोंको मरनेपीछे भी करवानेका अधिकारी नहीं है-सिद्धांत इम कावह कि यदिऐसे विपरीत कामोंको अपनी लिखितरूपी शिक्षाद्वारा कर भीगया हो तो पीछे राजद्वारसे निवर्तितकियेजावें अर्थात् होनेनहींपावें ( इतिअंतकालविभाग

व्यवस्था ) अब निचले परिच्छेद में विभागहोने का कालान्तर और कर्त्रंतर और प्रकारकाभी नियम दर्शायाजायगा ॥

अथस्वर्यातेपितरिविभागोनामपंचचत्वारिंशःपरिच्छेदः ४५ ॥

इस पैतालीसवें परिच्छेद में उस विभागकी मर्यादा वर्णनहोगीजो पिताके मरने पीछे पुत्रोंके अधिकार से होताहै

विभजेरन्सुताःपित्रोरुर्ध्वरिक्थमृणंसमम् १२० पूर्वाद्धोऽयम्

ऐ० मातापिता दोनोंके मरने उपरांत बेटे सभीमिलकर उनका रिक्थ और ऋणभी समभाग करके बाँटिलेवें-इसमें दोनोंके मरने ( उपरांत ) यहतौ विभागका कालान्तर दर्शायागया क्योंकि एक वह कालपहले पिताकेजीतेजी बतायाथा कि जब पिताअपनी इच्छासे बाँटेदेना चाहै तभी विभागकालहै ( या ) पिताकी अनिच्छामें भी अमुकामुक हेतु प्रकट होनेपर यदि पुत्रोंकी इच्छाहोतौ भी वही कालहै उससे दूसरा यह कालान्तर दोनोंकेमरनेपर ठहरायागया और इसमें बेटे ( आपही ) बाँटिलेवें यह कर्त्ताओंकाभी कर्त्रंतर दर्शायागया कि उसपूर्वोक्त कालमें पिता कर्त्ताथा इसकालमें पुत्रही आप कर्त्ताहै और ( बराबर ) बाँटिलेवें यह प्रकारकाभी नियम निश्चित कियाहै कि वहाँतौ पिताकी इच्छामें सम और विषमदोनों प्रकारके विभाग होसकथेपर इसकाल में समानही भागहोगा परन्तु इसप्रकारके साथ एकयहभी नियमहै कि जैसेपिता माताका धन बराबर बाँटिलेवें तैसेही दोनोंका ऋणभी एकसा बराबर बाँटिलेवें १२० ॥

अधि०—कात्यायनके संमतसे यह मर्यादाहै कि धनकाविभाग होतेसमय जो कोई भागी बालक अज्ञान वा असमर्थ अप्राप्त व्यवहार कालहो तिसकाभाग उसकेनिज पालयिता रक्षक अधिकारीको यद्वा ऐसेके अभावमें औरही किसीहित कर्त्तामित्रको सौंपाजाताहै-एवं जो कोई भागीभाग होतेसमय विदेशमें उपस्थितहो तिसकाभी ( अत्रसंप्रभः ) क्योंजी पितामाताके मरने उपरांत क्योंकर एकसाबराबर बाँटिसके हैं मनुने पितामाताके उपरांतभी विषम विभागलेना दोभाँतिसे दर्शायाहै किन्तु एक तौ उद्धार निकालनेकी रीतिसे दूसरा उद्धार निकालने विनाभीएकादि अंश अधिकलेने की रीतिसे ( और ) यद्यपि इनदो भाँतिके विषमविभागोंसे पहलेही एकतीसरा प्रकार भी मनुने सभी भाइयोंका स्वामित्व पितामाताके उपरांत एकसादर्शायाहै परन्तु वह प्रकार कुछ विभागमें गिनतीनहीं किन्तु एकसाथ मिलके रहिनेकीरीतिमें नियतहै-सो उनतीनों भाँतिके प्रकारोंको अवयथाक्रमसे यहांपर लिखते हैं-यथाहमनुः ( उर्ध्वं पितुश्चमातुश्चसमेत्यभ्रातरःसमम् । भजेरन्पैतृकरिक्थमनीशास्तेहिजीवतोः ॥ ज्येष्ठएवतुगृह्णीयात्पित्र्यंधनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैवपितरंतथा ॥ पितेवपालयेत्पुत्रान्ज्येष्ठेभ्रातृन्यर्वायसः । पुत्रवच्चापिवर्तेरन्ज्येष्ठेभ्रातरिधर्मतः ॥ ज्येष्ठःकुलंवर्द्धयति

विनाशयतिवापुनः । ज्येष्ठः पूज्यतमोलोके ज्येष्ठः सद्भिर्गार्हितः ॥ योज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्या  
 न्मातेव सपितेव सः । अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्ससंपूज्यस्तुबंधुवत् ॥ एवं सहवसेयुर्वापृथ  
 ग्वाधर्मकाम्यया ) अर्थात्-पहिला प्रकार तौ मनुने यह कहा है कि-पिताके और माताके  
 भी मरने उपरांत सभी भ्राता मिलकर एकसाथ पैतृक धनको भोगें किन्तु पितामाताके  
 जीवतेहुये वे सब अस्वतंत्र हैं स्वातंत्र्य उनको नहीं था (तहां) सभी मिलकर भोगनेकी  
 यही रीति है कि पिताके अशेषधनका स्वामी एक ज्येष्ठही भ्राता होवे और शेष भ्राता  
 सब उसके आधीन उपजीवन वैसेही पावें जैसे पितासे पाते थे और वह जेठा भाई भी छोटे  
 भाइयोंको उसी भाँति पालन करै जैसे पुत्रोंको पिता पालन करता था (और) वे छोटे भाई  
 भी जेठे भ्रातामें धर्मानुसार पुत्रोंकीसी भाँति शिष्टाचारी बतैं (किन्तु) जेठाही कुल बढ़ा-  
 ता है या विनाश करता है तौ भी सज्जन लोगोंमें जेठाही पूज्यतम होता और जेठेकी निंदा  
 कोई नहीं कर सकता चाहै घर बनावे या विगाड़े पर इतना अंतर होता है कि यदि जेठापनके  
 आचरण उसमें हों तौ वह सभी भाइयोंकी माता और पिताके समान पूज्यतम होता है यद्वा  
 जेठापन की वृत्ति उसमें न हो तौ भी ज्येष्ठबंधुवत् संपूज्य है (ऐसे) उक्त प्रकारकी रीतिसे  
 चाहै सभी भ्राता साथ मिलकर वसैं यद्वा निजनिज धर्मसाधन करनेकी कामनासे जुदे  
 हो जावैं-तिसका प्रकार अवउद्धार निकालनेकी रीतिसे कहते हैं-यथा (पृथग्विवर्द्धते धर्म  
 स्तस्माद्धर्म्यापृथक् क्रिया । ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्द्वरम् ॥ ततोर्द्धमध्यमस्य स्या  
 त्तुरीयं तु यवीयसः । ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरतां यथोदितम् ॥ येन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां  
 स्यान्मध्यमं धनम् । सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः ॥ यच्च सातिशयं किंचिद्दशत  
 श्चाप्तुयाद्द्वरम् । उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां स्वकर्मसु ॥ यत्किंचिदेव देयं तु ज्यायसेमान  
 वर्द्धनम् । एवं समुद्धृतोद्दारे समानं शान् प्रकल्पयेत् ) अर्थात्-मनुने यह कहा है कि मनुष्यों  
 की जुदीर देहली बस जाने से भी धर्मकी अनेकधा वृद्धि हुआ करती है इसलिये अ-  
 पनी २ धर्म्या क्रिया जुदी करनेके निमित्तसे जुदे भी हो जावें तब इस प्रकारसे धनको  
 बाँटें फिर पहले सब धनोंमें से कोई एक द्रव्य जो सर्व द्रव्योंमें उत्तम गिना जाता हो  
 सो जेठे भाईको उद्धार निकाल देवें परंतु उतनेही परिमाणसे कि जो सब धनका बीसवां  
 भाग ठहिरै (और) उसका अधिआई अर्थात् सब धन का चालीसवां भाग विचले  
 भाईको उद्धार निकाल देवें सो ऐसा धन कि जो सब द्रव्योंमें मध्यम द्रव्य कहाता हो  
 और उसीकी चौथाई अर्थात् अस्सीवां भाग तीसरे छोटे भाईको उद्धार निकाल देवें सो  
 ऐसा धन कि जो तुच्छ द्रव्योंमें गिनती हो (परन्तु यह प्रकार उसी दशातक ठीक आता  
 है कि जब तक तीनही भाई हों किन्तु यदि अधिक भाई हों तौ उस दशाके निमित्तमें  
 कहते हैं कि) जेठा और छोटा यह दोनों तौ जैसा जैसा कहा गया तैसाही धन उद्धार  
 मिलेवें और शेष जो विचले भ्राता अनेक हों तौ वे सभी मध्यमधन उद्धारमें पावें और



वही चालीसवां भाग जैसा एक बिचले के निमित्तमें कहागया तथापि उसमें इतना अंतर होजाताहै कि चालीसवां भाग यथा क्रमसे बचतेहुये धनमेंसे भाईयोंकी यथा-क्रम लघुताके अनुसार निकलताहै (और) ज्येष्ठ भ्राता सभी धनजात पदार्थोंमें जोजो श्रेष्ठ वस्तुहो सो उसदशामेंभी लेवै कि जब शेष धनका समभाग उद्धार निकाले पीछे किया जाय (औरजो) पिताके धनमें कोई उस प्रकारका उत्तम धनहोही नहीं जो सर्व धनके बिसवांश तुल्य जेठेको देनाकहाथा तबइसरीतिसे उद्धारदेना चाहिये कि पशु आदि जो कुछ मध्यमधन बहुताइतसेहो तिसमेंसे श्रेष्ठरूप ढूंढकर दशवांभाग पहले जेठाभाई ले लेवै और शेष भ्राता पूर्वोक्त रीतिसे उद्धार पावै तिसपीछे भागलगाया जाय (परन्तु) यदिसभी भ्राता निज २ कर्मोंमें सम्पन्नहों तब यह दशमांशका उद्धार नहीं होता किंतु जो कुछ वस्तु बड़ी या छोटीही देनेयोग्य समुभीजाय सो जेठेको मान रखनेके निमित्तसे दे दीजावै इसप्रकारसे उद्धार समुद्धृत किये पीछे जो धन शेषरहे तिसके उतनेही बराबर भागकिये जायँ जितने भ्राताहों सब एक एक भाग निज निज उद्धारके लिये पीछे लेलेवै (अथवा) यदि उद्धार नहीं निकालें तौ फिर अग्रोक्त रीतिसे भाग लगावै सो अब कहते हैं-यथा (उद्दारेऽनुद्धृतेत्वेषामियंस्यादंशकल्पना । एकाधि कंहरेज्ज्येष्ठःपुत्रोऽध्यर्द्धततोऽनुजः ॥ अंशमंशंयवीयांसइतिधर्मोव्यवस्थितः । अजावि कंसैकशफंनजातुविषमंभजेत् ॥ अजाविकंतुविषमंज्येष्ठस्यैवविधीयते ) अर्थात्-मनुने यहभीकहाहै कि यदि उद्धार नहीं निकालें तौफिर इसरीतिसे अंश कल्पना होनी चाहिये कि सब धनके ऐसी युक्तिसे बराबर भागकियेजायँ जिनमें दोभाग तौ जेठाभाई लेलेवै और डेढ़भाग उस्से छोटाभाई पावै और उस्से छोटेसभी भ्राता एकएक भाग पावै यह मर्यादा नियतहै (परन्तु) बकरी भेड़ और एक खुरवाले चौपाये किंतु घोड़ा आदि इनमें जो विषमहों तौ कदाचित्भी समभागसे न बाँटें किंतु यह चीजें जोविषमरूपसे बढें सो ज्येष्ठकोही दीजावै (दृष्टान्त) तथा पांचभ्राताहों सात भेड़हों दोबढीं उनमेंसे एक तौ जेठेभाईकी उस रीतिसे होचुकी कि उसको दोभागलेने कहेथे अब एकवची उसमेंसे आधी उस्से छोटेभाईकी होती आधीशेष फालतू बचती (पर) ऐसी सूरतमें विषम भागके निषेध पूर्वक वचीहुई जेठेभाईको बताई इस्सेवहभी जेठेकोठीक ठीकदीजावै इसप्रकारसे जेठेभाईको तीन भेड़मिलीं(औरजो)छही होतीं तौ जेठेभाईको अपने दो भागोंकी दो मिलतीं(और) जोकेवल पाँचहोतीं तौफिर जेठाभी उत्तमसीछाँ टकरएकहीलेता (कदाचित्) पाँचभाई और तेरह भेड़होतीं तौ जेठाभाई दो भागोंकी चारलेता और उस्से निचलाभी अपनेडेढ़ भागकी तीनभेड़ें पासक्ता और शेषभ्रातादोदोपाते (परन्तुजहाँडेढ़ भागवाला एकही भेड़पाता तहाँवहएक उत्तमसी छाँट करलेसक्ताहै जो डेढ़की बराबरहो)ध्यानकरो अबसंप्रश्नकर्त्ता कहताहै कि जो मनुजी

ने उद्धारकीरीतिसे विभाग बतलाया सोभी विषम ठहरा क्योंकि एकसे समभागसब को न मिले (और) उन्हीं मनुनेउद्धारविना भी जोरीति पीछेसे कहीसोभी विषमठहरी सो यहदोनों रीतेंपिता माताके उपरान्तही बतलाई(और)पिताके जीवतेहुयेभी निज आप योगेश्वरनेही विषमविभाग ११७ केमूलश्लोक द्वारादर्शाया इस्सेनिश्चितभया किपिताके जीवते और मरेपीछेभी सबकालमें विषमविभागहोताहै तौफिरइस १२०के पूर्वार्द्ध मूलश्लोकसे क्योंकिर योगेश्वरनियमकरतेहैं किमातापिताकेमरनेपीछेसमभाग करिलैवै(अस्यसमाधानम्)सुनोयहसंप्रश्न यद्यपिसच्चाहै क्योंकिन्यायात्मकमर्यादाकेअनुसारइसमें कुछसन्देहनहीं परतौभी शिष्टाचारात्मकमर्यादासे यहविषमविभाग (संप्रति) लोकनिन्द्यहै अर्थात् लोकविद्विष्टत्वके लक्षणसे संश्लिष्टहैइसहेतुसे इसकाअनुष्ठानभी अयोग्यहै-यथाह(अस्वर्ग्यलोकविद्विष्टधर्ममप्याचरेन्नतु) अर्थात्-इसवचनमें शिष्टाचारात्मक मर्यादासे यहनिषेध कियागया है कि विरलाधर्म यद्यपिशास्त्रोक्तभीहो परउसमें कोईलक्षण अस्वर्ग्य या लोकविद्विष्टत्वकाही पायाजायतौ उसभाँतिके धर्मकोभीन आचरै-इसकादृष्टान्त जैसे आचार विषयिक यहवचन एकशास्त्रोक्तहै कि (महोक्षवा महाजवाश्रोत्रियायोपकल्पयेत् )अर्थात्-आचारमेंयहकहाहै कि जबकोईश्रोत्रियपुरुष अपने घरआवे तबउसके सत्कार के लिये चाहै बड़ा बैल बछराहो याबड़ा बकराहो उपकल्पितकरै यहांपर बड़ेका विशेषण इसउत्कर्षापर आरोपितहै कि यद्यपि किसी बड़ेकार्य या दर्शनीयशोभाके निमित्तसेभी पांलाहो पर ऐसे समयपर उपकल्पितकरै-यद्यपि किसीदेश विशेषकी अपेक्षासे यहआचारशास्त्रकाविधान वाक्यहै और श्रोत्रियके सत्कारमध्ये उत्कर्षा दर्शाईगई तथापि यहवार्ता लोकाचारसे प्रत्यक्ष विरुद्ध है भला सर्व लोक निन्दा और दोषादिक तौ एकओरहैं प्रथम उसकेघर और जाती लोगोंमेंही तत्काल महाइन्द्र और द्वेषादिउपद्रव खड़ेहोजायँ यदि कोईऐसाकरै इस्से इसविधिका आचार कोई नहींकरसक्ता इत्यादि औरभी अनेक निन्दावाक्यहैं-इसी प्रकार अब कलियुगमें उद्धारविभाग या कोईभाँतिका विषमविभागकरना योग्यनहीं है- सर्वथा इसव्यवस्थाका यह सिद्धान्तहै कि पिताको अपनेस्वोपाजित आदि द्रव्यों का विषमविभागकरनेमें न्यायात्मकमर्यादासे यद्यपि अधिकारप्राप्तहै तथापि शिष्टाचारात्मकमर्यादासे ऐसाकरना उम्नको योग्यनहीं क्योंकि न्यूनाधिक अंशदेनेसे पुत्रों में विद्वेषखडाहोगा जिसकेहेतुमे वहपिता पापीनिश्चितहोगा-यहीव्यवस्था आपस्तंब ने भी रक्षणी है-यथा(जीवनपुत्रेभ्योदायंविभजेत्ममं-ज्येष्ठोदायादइत्येके)अर्थात्-पिता अपनेजीवनेहुये भी पुत्रोंको समानहीभाग दें-यह अपनामत कहकर पीछेसे यहभी आपस्तंबनेकहाहै कि जेठापुत्र नवधनका दाय्यादकियाजाय यह किन्हींएक विरलाका अनुमतहै(अर्थात्)विरले प्राचीनोंका कथनमात्रहै कुछ परिपाटी इस मर्यादाकी नहीं

और आदरकरनेयोग्य भी यह बात नहीं है-इसके उपरान्त आपस्तंबने फिर भी बिरले प्राचीनोंके मतसे उद्धारविभाग दर्शाया और साथही उसका निराकरण भी लिख दिया है-यथा (देशविशेषे सुवर्णकृष्णागावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य रथः पितुः परीभांडं च गृहेऽलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके-तच्छास्त्रं विप्रतिषिद्धम् ) अर्थात्-जोकि बिरले प्राचीनोंके मतसे किसी देशविशेषमें ऐसा भी उद्धारविभाग सुना जाता है कि उस देशमें सोना और कृष्णागोंवें तथा कृष्णवृषभ यह सब जेठे पुत्रका उद्धार है और घरका वासन भंडवा तथा आभूषण और स्त्री धन भी यह सब पिताकी घरिणीका उद्धार है इस उद्धारके निकाले पीछे जो कुछ बचै तिसमें सबके अंश बराबर किये जायँ-सो-वह शास्त्र विप्रतिषिद्ध किये देते हैं अर्थात् उसकी आज्ञाका आदर कोई मत करना यह आपस्तंबने मन्सूखी उसकी लिखी है-इसके सिवाय एक यह अग्रोक्तवचन जो प्रसिद्ध है तिससे भी मन्सूखी निश्चित होती है-यथा ( पुत्रेभ्यो दायं विभजेदित्यविशेषेण श्रूयते ) अर्थात्-पिता अपने पुत्रोंको धन का भाग अविशेषतासे ही देवै किन्तु न्यूनाधिकरीतिसे विशेषता कल्पित न करै यह सर्वथा श्रवण करनेमें आता है इत्यादि शास्त्रवचनोंसे सर्वथा यही निश्चित है कि उद्धार आदि प्रकारोंवाला विषम विभाग यद्यपि शास्त्रोक्त है परंतु भी लोकविरोधी और श्रुतिविरोधी होनेके हेतुसे अनुष्ठान करनेयोग्य नहीं है क्योंकि ये मर्यादें अब कलियुगमें भस्माग्नि कल्पसमुभी जाती हैं-इसके सिवाय वहमनुका कहा सबसे पहिला प्रकार जिसमें जेठाभाई सब धनका मालिक होना कहा गया सो तो प्रत्यक्ष समभागहीके प्रकारमें गिनती है क्योंकि निपट सब धनका मालिक हो जाना कुछ सिद्धान्त नहीं है केवल यह आशय है कि यदि भाइयोंमें परस्पर प्रीतिभाव हो या जेठेके सिवाय अन्य सबभाई असमर्थ हों तो इसदशामें विभाग करनेकी आवश्यकता नहीं है अर्थात् जेठाभाई पितृस्थानी होकर धनकी रक्षा करै और छोटे भाइयोंका पालन आदि सब उसी प्रकार करै जैसे पिता करता था परन्तु बिना बँटे धनमें भाग सब भाइयोंके बराबर समुभे जायँगे क्योंकि पिताके मरने पीछे सबका स्वत्व बराबर पैदा हो जाता है और जब कदाचित् उनमें मनमैली खड़ी होगी या समर्थ हो जानेपर इच्छासे ही जुदे होना चाहेंगे तब सभी अपना समभाग बाँटिलेवेंगे सो यह परिपाटी अद्यापिसारे लोकमें कि जहाँ भाइयोंमें परस्पर प्रीतिभाव चला जाता है तहाँ सर्वत्र चली आती है परन्तु पैतृक धनमें स्वत्व बराबर सबका होता है इस हेतुसे योगीश्वरने इसी १२० वाले पूर्वार्द्धमूल श्लोकसे यह नियम निश्चित किया है कि सब भाई मिलकर समभाग बाँटिलेवें इसमें कुछ तर्कणा करनेका अवकाश नहीं है ( पुनरपि प्रश्नः ) क्यों जी क्योंकर तर्कणा करनेका अवकाश नहीं है जब कि योगीश्वरने इतने सिद्धांतों को देखभालकर समभागकी व्यवस्था कल्पित करी तो फिर उन्हीं योगीश्वरने ११७

के मूल श्लोकमें पिताके जीवतेहुये ( ज्येष्ठवा श्रेष्ठभागेन ) इस वचनसे क्यों उद्धार विभागका विकल्पदर्शायाहै कि चाहै पिता अपनीइच्छा अनुसार अपने जेठेपुत्रको श्रेष्ठ भाग देवै इसकथनके स्थलपर कलियुग कहां जातारहा ( और ) भस्माग्नि कल्प समुभीजानेका यह आशय नहीं होताहैकिनिपट वह मर्यादा मिटजावै क्योंकि भस्माग्नि संज्ञा उसी अग्निकी होतीहै जो राखमें दबरहीहो और किसी अवसर पर काम आजावै (समाधान) सुनो इस द्विविधा में यह कारण है कि योगीश्वर ने ११७ वाले मूलश्लोक से विषम विभागकी मर्यादा न्यायात्मक जो बापके जीतेजी दर्शाई तिसकी परिपाटी बंगदेशमें विशेषकर अवताई भी चलीआतीहै जिसका वृत्तांत व्यौरेवार उसी ११७ वाली अधिकोक्तिके अंतमें बंगाल व्यवस्थाके रूपसे प्रदर्शित होचुकाहै-परंच-वाराणस्यादि वा मिथिला आदि अन्यदेशों में सर्वत्र उस न्यायात्मक मर्यादाकी प्रधानता अब कुछनहींहै क्योंकि संप्रति इनदेशोंमें शिष्टाचारात्मक मर्यादा की प्रधानता अतिशय भावसे मानीगई इस्से इनदेशोंमें पिता अपने जीतेभी ऐसा करनेका अधिकारी नहींहै ( पर ) भस्माग्नि कल्पके विशेषणसे इतनाचिह्न उसमर्यादा की परिपाटी का इनदेशोंमें भीशेषहै कि जब कदाचित् कोई विरला पिता प्राचीन परिपाटी और अपने न्यायात्मक अधिकारके ध्यानसे ऐसा करताहै कि अपने धनको अपने पुत्रोंमें विषम विभागकी रीतिसे देताहै तब जो उसकादेना ११६ वाले उत्तरार्द्ध मूलश्लोकसे विरुद्धनहीं ठहरै तो अद्यापि जातीलोग और पंचप्रधान आदि उसकी निंदा नहीं करते हैं ( सो ) उस अवस्थातक कि जो उसके पुत्रोंमें सुसंमति हो और परस्पर कोई किसीका विरोधी खड़ानहो अर्थात् जो विरोधखड़ा होताहो और दशा इसकी राजद्वारतक पहुंचै तो राजानिस्संदेह उसी शिष्टाचारात्मक मर्यादाकी प्रधानता अनुसार समभाग करने की आज्ञादेसक्ताहै क्योंकि भस्माग्नि का यह आशय ठीक नहींहै कि वह अग्नि राखमें दावीगई हो किन्तु भस्माग्नि का यह आशयहै कि वह आपही राखहोतीहोती किंचित् रहकरअपनीही भस्मसे दविगईहो तो ऐसीअग्नि का प्रताप मंदहोताहै इस्से इनदेशोंमें पिता अपने जीतेभी ऐसा करनेका अधिकारी नहींहै-और पिताके मरने पीछे जो पुत्रोंको दाय प्राप्तहोताहै तिसके मध्ये संप्रति बंगाले सहित सबदेशोंमें एकसी मर्यादाहै कि सब भाई मिलकर समभागके अधिकारीहोते हैं अर्थात् पिताके मरने पीछे पैतृक धनमें सब भाइयों का बराबर स्वत्वहोताहै चाहै सब सुसंमतिसे साभैरहें या जुदेहोकर समभाग करिलेवें ( अत्रचन्यायविशेषः ) इसीसं-वाणितस्वत्वकी अपेक्षामें कहीं साधारण भाव यहवाक्यभी प्रदर्शितहुआहै कि (सभी समजाती बेटे जो बापके मरतेसमय उसके साथ सुसंमतिसे मिश्रीभूत रहतेहों वे उस बाप और दादाका भी धन स्थावर जंगम दोनों भाँति का बराबर बाँटलेने के

अधिकारी हैं ) इसवाक्यमें कोई बात धर्मशास्त्र से विपरीत यद्यपि नहीं है ( पर )  
 बिरलेलोग निजबुद्धिभ्रमसे एक थोड़ीसी यह शंका इसमें करते हैं कि जो कोई बेटे  
 बापके मरते समय उसके साथ किसी कारणसे न रहतेहों या दूरस्थहों क्या उनको  
 अपनाभाग न मिलनाचाहिये-सो-यहशंका निपटथोथी है क्योंकि भाग किसी काभी  
 जो सच्चा है सो किसी दशामेंभी नहीं लोपहोसक्ता बल्कि इसी प्रयोजनके विषय पर  
 अग्रोक्त शिवजीका यहवाक्य है कि-( अविभक्तेविभक्तेवायस्ययादृग्विभागिता । मृते  
 पितस्यदायादास्तादृग्विभवभागिनः ) अर्थात् बिना बँटेधनमें या बँटचुकेधनमें भी  
 जिसकिसीका जितनाभागसच्चाहै वह उसकेजीते और मरनेपरभी लोप नहींहोता  
 किंतु मरजानेपर भी उसके पुत्रादिक दायादउतने भागके भागी बनेरहते हैं-तौ फिर  
 क्योंकर यह शंकासंभवहोसक्तीहै-परन्तु जिसवाक्यमें यह शंकाकोईकरताहो तिसमें  
 सिद्धांत केवल इतनाहै कि जो कोई बेटेअपने बापसे प्रत्यक्षविरोधी होकर या उस  
 की राजीसे कुछ लेदेकर पहले भिन्नहोचुकेहों वे उनकेसाथ बराबर भागपाने के अ-  
 धिकारी नहीं हैं जो बापकेमरते समय सर्वथामिश्रीभूतहों-यहांपर प्रत्यक्ष विरोधीबेटे  
 का दुर्भागीरहना जो दर्शायागया तिसकाप्रामाण्य ब्यौरा आगे १४४की अधिकोक्ति  
 में नारदके इस निम्नोक्त वचनको ढूँढ़करदेखौ-तद्यथा ( पितृद्विट्पतितःषंडोयश्चस्या  
 दौपपातिकः । औरसाअपिनैतैशंलभेरन्क्षेत्रजाःकुतः ) अर्थ इसका उसी स्थलपर  
 व्याख्यासहित कहाजायगायहांकेवल (पितृद्विट्) अर्थात् पिताका विरोधी बेटादर्शाना  
 आवश्यक था और दूसरा (दौपपातिक) बेटा जो इसीवचनमें दर्शितहुआ सो उप-  
 पातकी यद्यपि अनेक भांतिकेहोते हैं परन्तु यहांपर उपपातकी विशेषकर उसीको  
 समुझना जिसनेमाता पिताआदि गुरुजनकापरित्याग या उनको उचित शुश्रूषाका  
 त्यागकियाहो-इस वार्तापर शिवजीने भी यहन्याय वर्णनकिया है-यथा (मातरंपितरं  
 देविगुरुंचैवपितामहान् । मातामहान्करेणापिप्रहरन्नैवदायभाक् ॥ निघ्नन्नन्यानपिप्राणै  
 र्नेतेषांधनमाप्नुयात् । हतानामन्यदायादाभवेयुर्धनभागिनः) अर्थात्-हे पार्वति जो कोई  
 दायाद अपनी माता या पिताया गुरु या दादादादीआदि या नानानानीआदि किसी  
 को हाथसेभी मारै तौ उसका दायभागी वह न होवै-और-इनके सिवाय अपने भाई  
 आदि किन्हीं औरोंकोभी प्राणोंसेविनाशै तौ उनका रिक्थ न पावै किंतु उन प्राणोंसे  
 विनशेहुयोंका भाग उनके अन्यदायाद जो जीतेहों सो पावै-इनदोनों वाक्य में यह  
 अंतरहै कि ऊपरलेमाताआदि को केवल हाथसे थपेड़ाआदि लगानेपरभी रिक्थ न  
 पावैऔर इस निचलेवाक्यमें औरोंको प्राणोंसेविनाश करदेनेपरउनकाभाग न पावै-  
 और इन सबसेऊपर नारदकेवाक्यमें पितासे प्रत्यक्ष विरोधीहोनेपर या पिता आदि  
 की सेवात्याग करदेनेपर भी रिक्थ न पावै यह सिद्धांतहै-परन्तु (मरतेसमय सुमंमति

से मिश्रीभूतरहतेहों) इस सामान्य कथनका यह आशयभी प्रत्यक्ष है कि जो कोई बेटा अपने बापसे विरोधी अथवा जुदाहोकर और पीछे कभी फिर उसीमें उस भांति से संसृष्ट होजावे जैसे अन्यसबभाई अबतक पिताकेसाथहैं तो इसदशामें चाहै थोड़ेही कालांतरसे पिता मृत्युपावे तो यहबेटाभी उनभाइयोंकेसाथ पितृ पैतामह धनमें सम भागका अधिकारी होगा इसमें कुछ संदेह नहीं-परन्तु-ऐसी शंकावाले वाक्य में यह सिद्धांतनहींहै कि जो कोईबेटेसाधारण भाव किसीआजीवनआदि हेतुसे विदेशवासी होजाने या नारीजन के कलकलआदि साधारण भाव किसी हेतुसे पिताकाधन पाये विना जुदीदेहली बाँधिलेवें तो वेभी जुदेसमुभेजायँ और वे भाईउनकाभागनदेवें जो बापके मरतेसमय मिश्रीभूतहों-अर्थात् जो कदाचित् वे भाई इनकाभागनदेकरपैतृक धनवाँटिलेवें और यथार्थसे सच्चाभाग लोपहुआ तो बँटजानेपीछेभी राजाउनसेखीन कर दिलवानेका अधिकारीहै-यथाहसदाशिवः (विभक्तेपिधनेयस्तुस्वीयांशं प्रतिपादयेत्। पुनर्विभज्यतद्व्यमप्राप्तांशायदापयेत्) अर्थात्-सदाशिवजीकहतेहैं कि धनकेबँटजा नेपरभी जो कोईअंशी अपनाअंश प्रतिपादनकरै अर्थात् साक्ष्यादि प्रमाणोंसे सबत करदेवै कि मैंनेअपना सच्चाभाग नहींपाया तो राजाऐसे बँटेधनका फेर विभागकरिकै उसकाअंश दिवावै जिसने नहींपायाथा-अविभाज्यके दिलवाने का प्रकारभी शिवजी ने कहाहै-यथा(स्थावरस्यचरस्यापिविभागानर्हवस्तुनः । मूल्यंवातदुपस्वत्वमंशिनावि भजेन्नृपः) अर्थात्-जो स्थावर या जंगमकोईधन ऐसाही अविभाज्यहो जिसकाविभाग खंडात्मकहोनासंभव नहींहै तो उसवस्तुकामूल्य उसअंशीसे कि जो कोई उसकालेना स्वीकारकरै सब अंशियोंको बँटवादेवै अथवा जो वस्तु कोई ऐसीहो जिस्से कुछ उप-लाभ भी सर्वदाहोताहो तो उपलाभकेहीअंश उनकेनामसे प्रकल्पितकरै-परन्तु राजा को उसीदशामें अधिकार होताहै कि जबअंशियोंके परस्पर भगड़ानहीं निपटै और कोईउनमेंसे अर्थी बनिकेराजद्वारमें पुकारकरै यहभी नियम शिवजीके अगले वाक्य सेसंसिद्धहै-यथा(अंशिनांसंमतविविभागःपरिसिद्ध्यति । तेषामसंमतौराजासमदृष्ट्यां शमाचरेत्) अर्थात्-शिवजी कहते हैं कि विभागोंकी कल्पना जो है सो अंशियोंकीही सम्मतिसे संसिद्धहोती है परन्तु जो कदाचित् उनमें सम्मति नहीं हो तब राजाही समदृष्टिहोकर अंशकरावे-उपरली इमी व्यवस्था में (सभी समजाती भ्राताकहनेका यह आशयहै कि जहां कुछभाई सौतेलेभी जो पिताकी सवर्णा भार्यासे पैदा हों तो वेभी सवसहोदरकेसमान समभागीहैं-परन्तु-यदि कोई सौतेलाभ्राता पिताकी अस-वर्णासे पैदाहो तो उसकाभाग पचामवें परिच्छेदमें १२८ वाले मूलश्लोकसे निर्णय होगा-कदाचित् ऐसे धनके साथ उमीपिताके भतीजेभी पैतामह धनमें या निजबाप केहीमिश्रीभूत धनमेंभागदानके अधिकारीहों तो इनचचेरेभाइयोंकी व्यवस्था आगे



सैंतालीसवें परिच्छेदमें १२३ के उत्तरार्द्ध मूलश्लोकसे निर्णीत होगी-औरजो-कदा-चित् कोई भ्राताधनके विभागसे पहलेही मरजावै या विरक्त होजावै तौ उसकाभाग उसके बेटेनिज पितृव्योंके साथमें लेतेहैं यह व्यवस्थाभी उसी १२३ के उत्तरार्द्ध से संसिद्धहोगी पर उसका संक्षेप ब्यौरा यहांभी शिवजीके वाक्यसे प्रदर्शित कियेदेते हैं-यथाह(अर्जावत्पितृकःपौत्रःपितृव्यैःसहपार्वति । पितामहस्यद्रविणात्स्वपितुर्दाय मर्हति)अर्थात्-हे पार्वति मरगया वा संन्यासी हुआ जिसका पिताऐसा पोता भी निज पितृव्योंके साथ अपनेदादाके धनमेंसे स्वकीय बापकाभाग पानेयोग्य है यदि उसपोताके कोई और भ्राताहों तौ उसभागको सबभाई मिलकर बांटिलेवें १२० अब निचले मूल अद्धासे कुछ मातृधनका चर्चा इसी प्रसंगमें करते हैं १२० ॥

मातुर्दुहितरःशेषमृणात्ताभ्यऋतेऽन्वयः १२० ॥

अक्ष०-माताका धन बेटियां बांटिलेवें जो ऋणसे शेषरहै-बेटियोंके न होनेमें पुत्रादिक वंशलेवें १२० ॥

अभि०-यदि माताको किसीका ऋणदेनाहो तौ उस धनमेंसे ऋणदेकर जो कुछ बचै सो बेटियां बांटिलेवें इस कथनसे यह आशय दर्शायाहै कि यदि माताका धन ऋणकेही बराबरहो या ऋणसेभी थोड़ाहो तौ फिर माताकाभी धन बेटेही लेसक्ते हैं क्योंकि माताके ऋणकादेना पुत्रोंकोही कहाहै पुत्रियों को नहीं-इसीलिये १२० के पूर्वार्द्ध मूल श्लोकमें साधारण भावसे यह कहाथा कि मातापिता के मरनेपीछे दोनों काधन और दोनोंका ऋणभी बेटे बांटिलेवें किन्तु बेटियोंका चर्चा वहां नहीं आया पर यथार्थसे माताकाधन बेटियोंकोही पहुँचसक्ताहै इसलिये उस पूर्वोक्त मर्यादा के अपवाद रूपसे इस अद्धामें बेटियों काभी चर्चा आवश्यक ठहरायागया कि यदि माताको ऋणदेना किसीका नहो तौ फिर माताका धन बेटियांही लेसक्ती हैं (और) इसी आशयसे यह सिद्धान्तभी निर्मलहै कि जो धनसे ऋणथोड़ाहो तौ पहले ऋण देकर जो कुछबचै सो लेसक्ती हैं-परन्तु जो बेटियां और बेटियों के सन्तानभी नहीं तौ फिर माताकाभी धनपुत्रही बांटिलेवें १२० ॥

अधि०-माताके धनमें जो पुत्रियोंका अधिकार विशेष ठहरायागया तिसका मुख्य यह कारणहै सो अग्रोक्त वचनमें समुभो-यथा ( पुमान्पुंसोऽधिकेशुके स्त्रीभवत्यधिके स्त्रियाः)अर्थात्-मैथुन समय पुरुषकावीर्य अधिक होनेसे पुत्र पैदाहोताहै यदि स्त्रीका वीर्य अधिकहो तौ पुत्री पैदाहोतीहै-जो कि पुत्रियों में माताकेही अधिक अंगहोते हैं इसहेतुसे माताका धन पुत्रियोंमेंही जासक्ताहै एवं पिताके अंगोंकी अधिकता उसके पुत्रोंमें होतीहै इसहेतुसे उसकाधन पुत्रोंमेंही जासक्ता है ( यहांपर पुत्रियां बांटिलेवें यह सामान्य भावसे दर्शायागया किन्तु इसवार्ता में विशेषता जो गौतमजीने कही

है तिसका ब्यौरा आगे स्त्रीधनके प्रसंगमें १५० वाले मूलश्लोककी अधिकोक्ति में विस्तारसे प्रदर्शितहोगा तहां देखो ) (यहांपर सामान्य भावसे यह बात जो कहदी है कि पुत्रियोंके न होनेमें पुत्रादिक वंशलेवै तिसकाभी ब्यौरा अतिविस्तारसे उसी अधिकोक्तिमें प्रदर्शितहोगा तहांदेखो ) क्योंकि यहां केवल अभीपैतृक धनका प्रसंग है और उसीके प्रसंगसे मातृधनके चर्चाकी समस्यामात्र करीगई कुछप्रसंग उसका नहींहै तथापि रिक्थ विभागकी साधारण मर्यादा के अनुसार उसका दर्शितहोना यहांभी योग्यथा इसलिये दर्शायागयापर विस्तार उसकी विशेष मर्यादासाथ कहेंगे- एक यह विशेषता याद रखनीचाहिये कि यदि मातामरीनहो किन्तु केवल पिताकेही मरनेपर पुत्रोंने विभागकियाहो तो फिर माताभी पुत्रोंके समान भाग पावैगी यह मर्यादा १२६ के उत्तरार्द्ध मूल श्लोकसे कहेंगे १२० ॥

अथकदाचिद्दायविभागापेक्षायां- अविभाज्यधनविभागनिषेधो

नामषट्चत्वारिंशःपरिच्छेदः ४६ ॥

इसलियेअलीसवें परिच्छेदमें वह व्यवस्थाजानी जायगी कि पैतृक आदि रिक्थोंका विभाग होतेसमय किसं२ धनका भाग न होनाचाहिये-वे अविभाज्यधन भी दो तीन भाँतिके होते हैं (एकवह) कि जिसमें एकही दायदकास्वत्व पायाजाने से किसी का अंश उसमें नहींहै (दूसरा) वह कि जिसमें स्वत्व सब दायदों का सदैवरहा आता पर उस वस्तुका खंडात्मक भागनहीं होता और मूल्यदान के द्वाराभी कोई एक नहीं पासक्ताहै (तीसरा) वह कि जिसमें सबदायादों का स्वत्वहोने के हेतु मूल्य दानके द्वारा कोई एक पासक्ताहै पर स्वरूप मात्र अविभाज्यहै ॥

पितृद्रव्याविरोधेनयदन्यत्स्वयमर्जितम् । मैत्रमौद्वाहिकंचैवदायादानान्नतद्भवेत् १२१ ॥

क्रमादभ्यागतद्रव्यंहतमप्युद्धरेत्तुयः । दायदेभ्योनतदद्याद्विद्ययालब्धमेवच १२२ ॥

अक्ष०सहद्वयोः—पितृ द्रव्यके अविरोधसे जो अन्यत् आपही अर्जितकिया हो-मैत्र धन-और जो औद्वाहिक धनहो-सो दायदों का नहोवै १२१ और जो धन कभी हरा हुआ क्रमसे अभ्यागत जो कोई उद्धरै सो दायदोंको न देवै-और जो विद्यासे पाया हो सोभी १२२ ॥

अभि०सहद्वयोः—विभागहोनेसे पहिलेही जो धन किसी भाईने आपही एकल्ले पैदा कियाहो पर जिसके पैदाकरनेमें पिता माताका धनकुछ न खोयाहो ऐसाधन रिक्थियों केविभागमें न आवैगा किंतु उसका स्वामी वही है परन्तु यदि ऐसे मार्गसे उपाजन कियाहो कि जिसमें पिता माताकाभी धन खोया होतो उसधनकोभी सब भाई वांछि लेंवें (मैत्रधन) अर्थात् जो अपने निज मित्रादिकसे किसी भाईने पायाहो सोभी सब दायदोंका नहींहै (मौद्वाहिकधन) अर्थात् जिस किसी भाईने अपने विवाहमें पायाहो

सोभी सब भाइयोंका नहीं है १२१ (क्रमादभ्यागतदत्तं) अर्थात् बाप या दादाआदिका जो धन किसीने उनके हाथसे हरलियाहो कि जिसको बाप दादा आदिने निज अ-शक्ति आदि कारणोंसे निकासि नहींपायाहो ऐसे डूबेहुये के धनको जो कोई अपनी शक्तिसे निकालै सो दायदोंको न देवै(विद्ययालब्धं) अर्थात् जो किसी भ्राताने अपनी विद्याद्वारा पायाहो किंतु चाहैविद्याके पढ़तेसमय या पढ़ातेहुये यद्वा उसका व्याख्या-न आदि करनेमें पायाहो सोभी सब दायदोंको न देवै १२२ ॥

अधि० सहद्वयोः । ऊपर जोयह कहागया कि पिता दादाके हरेहुये धनको निकासने वालाहीलेवै सो केवलअस्थावर धनकी मर्यादाहै कि वहसबधन लेलेवै-किन्तु-स्थावर धनको यदि निकालै तौ केवल चौथाई भाग निज परिश्रमका लेकर शेष तीन भाग सब दायदोंको बराबर बाँटिदेवै और उनके साथ एक अपनाभी सम भागलेवै-यथा हशंखः(पूर्वनष्टान्तुयोभूमिमेकश्चेदुद्धरेत्क्रमात् । यथाभागंलभंतेऽन्येदत्त्वांशंतुतुरीयक-म् ) अर्थात्-शंखने यह कहाहै कि पहले बड़ोंके हाथसे खोई भूमि जो क्रमसे आज तक न निकली हो कोई एक निकालै तौ उसमेंसे चौथाई भाग उद्धर्ताको देकर शेष तीन भाग सभी भ्राता यथाभागसे पाते हैं-निर्वाणतांत्रिक दाय भागमें शिवजी ने स्थावर जंगम दोनोंमेंसे उद्धर्ताको दो अंशलेने कहे हैं-यथा( पैतृकानिचवित्तानिनिष्टे प्युद्धारयेत्तुयः । दायदानांतद्धनेभ्यउद्धर्ताद्वयंशमर्हति ) अर्थात्-बाप दादाके डूबेहुये धनोंको यदि कोई एक निकालै चाहै स्थावर या जंगमही धनहो या दोनों भाँतिके निकालै तौ उद्धर्ता उनमेंसे अन्यदायदोंकी अपेक्षा दोअंशलेनेके योग्यहै-ध्यान क-रोकि इन वाक्योंमें परस्पर कोई सा विरोध संभव नहीं है क्योंकि योगीश्वरके वचनानुसार जो उद्धारकिये जंगम धनका सर्वस्व लेलेना उद्धर्ताकोही कहागया सो तौ स्वल्पधन विषयिक मर्यादाहै कि जब किसीने डूबाहुआ थोड़ा जंगमधन उद्धार किया हो जो उसके उस परिश्रमकेही तुल्य या परिश्रमसेभी न्यून प्रतीत होताहो तब तौ किसी दायदको न देना चाहिये (और) शिवजीके वचनानुसार जंगमधनके दो भाग लेकर बाँटिदेना उस दशामें संसूचितहै कि यदि पुष्कल धन उद्धार किया हो जिसमें थोड़ाही आयास करनाहुआ हो-और-स्थावरधनमें यहसंतोषहै कि चाहै थोड़ाहो या बहुत हो शिवजीने दो अंशलेने कहे और शंखजीने चौथाई लेकर फिरभी एकभाग सब दायदोंकी बराबर लेना कहा सो इनदोनों मर्यादोंमें यद्यपि किंचित् अन्तरप्रकट होसक्ताहै परकुछविशेष अन्तरनहीं औरवहअन्तर दायदोंकी संख्याके आधीनसर्वत्र एकहीसाकुछनहीं किन्तु जहाँजैसीदायदोंकी संख्याहो तैसाविदित होसक्ताहै(दृष्टान्त ) जहाँदोही भ्राताहो और बीसविस्वा भूमिकिसीने उद्धारकरी और उद्धर्ताने चौथाईतक परिश्रमका लेकर शेषपन्द्रह मेंसेआधा बाँटिदिया तौ उद्धर्ताने साढ़ेबारह विस्वेपाये

और दूसरे भ्राताने साढ़ेसात बिस्वेपाये-एवं-शिवजीके वचनानुसार उद्धर्ताने दोभाग लिये और दूसरेको एकहीभागदिया तौभी उसने पौनेसात बिस्वेपाये और उद्धर्ताने साढ़ेतेरह बिस्वेपाये तौ कुछबहुत बड़ाअन्तरनहींहै कि अन्तरकी गिनतीमें आसकै और जो तीनभ्राताहों तौ यहइतना अन्तरभी नहींरहसक्ताहै(दृष्टान्त) उद्धर्तानेचौथाईके पाँचबिस्वे लेकर पन्द्रहकेतीन भागकिये तिनमें एकभाग और पायातौ उद्धर्ताने दशबिस्वेपाये उनदोनों भाइयोंने पाँचपाँच-एवं-शिवजीकेवचनानुसार भी तीनभाइयोंमें चारभागकियेगये उद्धर्ताने दोभागोंके दशबिस्वेपाये उनदोनोंने पाँचपाँच यहाँ बालभरका भी अन्तरनहीं आया ऐसेहीचार भाइयोंके(दृष्टान्तमें) शङ्खकेवचनानुसार उद्धर्ताको पौनेनौबिस्वे और शेषतीन भाइयोंको पौनेचारचार बिस्वेमिलेंगे-शिवजीके वचनानुसार उद्धर्ताको आठबिस्वे और शेषतीन भ्राताओंकोचारचार बिस्वेमिलेंगेसो यह अन्तरकुछ अन्तरमें गिनतनिहींहैचाहै तिसएकरीतिसे विभाग कियाजाय(परन्तु) विभागके होतेसमय प्रधानोंको इसन्यायपरभी दृष्टिकर्तव्यहै कि पहलेदोनों मर्यादोंसे कल्पना करिकेदेखें कि किसरीतिसे उद्धर्ताको कुछ अधिक मिलसक्ता है या किसरीति से कुछन्यून मिलसक्ताहै इसहिसाबके लगानेपीछे यहभी ध्यानकरें कि इसभूमिके उद्धारकरनेमें उसकाअधिक परिश्रमहुआहै या थोड़ाही आयासकरनापड़ाहै यदिथोड़ाही आयास करनापड़ाहो तौ फिर उसरीतिके विभागको सञ्चाराखेंजिसमेंकुछ न्यून मिलनेकी सम्भावनाहो यद्वा अधिकपरिश्रम से वहभूमि हाथआईहो तौ विभागभी उसरीतिका सञ्चा रखना चाहिये जिसमें कुछ अधिक हिसाबआताहो(अथानुवादः)जो कि यह बातऊपर अभिप्रायार्थमें कहीथी कि पिताकाधन खोयेविना आपहीपैदाकिया हो सो मैत्रादिक सभीद्रव्योंपर घटतीहै इसलिये उसीशङ्खजीकेवचनकी यहव्याख्या समुभी चाहिये कि-पिताका धनखोयेविना मैत्रधन पायाहो-पिताकाधन उठे विनावैवाहिक धनपायाहो-पिताकाधन खर्चेविना पहिला डूवाहुआधन उद्धारकियाहो-पिता का धन उठेविना विद्याद्वारा पायाहो तौनिज भाईआदि भागियोंको न देवे-अब सिद्धान्त इससे यहउत्पन्नभया कि पिताकाधन प्रत्युपकारआदि प्रकारोंमेंदेकर यदिउन्हींमित्रोंसे कुछमैत्रधन पायाहो अथवा पिताकाधनप्रत्युपकार या उपायोंमें लगाकर(आसुर)आदि विवाहकियाहो और उसीविवाहके द्वारातत्काल या कालान्तर मेंभीकुछ धनमिलाहो एवं पिताकाधनखर्चिकर पहिला डूवाहुआ धनसमुद्धृत कियाहो-एवंपिताकाधन खर्चिकर विद्यासंग्रहकरीहो और उसीविद्यामें धनपायाहो-सोवहसबधन सभीभ्राताओं और पिताकोभी बाँटिदेना योग्यहै-एवं-जब कि यहनियम सभीमें संघटित हुआ कि पिता काधन खर्चेविना पैदाकियाहो वहीधनसब दयादोंका नहींहै (तौफिर) पिताके धनकी हानिपूर्वक जो प्रतिग्रह पायाहो सोभीसबको बाँटिदेना योग्यहै(औरजो)यहनियमसभी

में संघटित नहीं किया जाय किंतु (पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम्) यह पूर्वार्द्ध १२१ के मूलश्लोकमें से जुदासमुभा जाय और यह नियम केवल इसका इसीमें रखलिया जाय (तौभिर) यह लाञ्छन खड़ा होता है कि मैत्र वा औद्वाहिक आदि द्रव्योंकी प्राप्ति चाहै पिताका धन विनाश करके भी हुई हो तौ भी उसमें सबका भाग न होना चाहिये सो यह बात समाचार से विरोध पावैगी (और) विद्याद्वारा प्राप्त हुये धनके विषय पर नारदके भी वचनसे विरोध पावैगी-यथाहनारदः (कुटुम्बम्बिभृत्याद्भर्तुर्योविद्यामधिगच्छति । भागंविद्याधनात्तस्मात्संलभेताश्रुतोपिसन्) अर्थात्-नारदने यह मर्यादा नियत करी है कि जो कोई भ्राता विद्यावान् हो जाय वह अपने भाईके कुटुम्बको पालै और इसी हेतुसे उसके विद्याद्वारा पैदा किये धनमें से अपण्डित भ्राता भी यथावत् भाग पावै (नारदका यह वचन उस विद्याकी अपेक्षामें समुभा चाहिये कि यदि कोई भ्राता पिताका ही अन्न खाने या उसीके पढ़ाने या परिश्रम करने या द्रव्य लगाने से विद्यावान् हुआ हो) क्योंकि जिस विद्याके धनमें से भाग न देना चाहिये तिसका लक्षण कात्यायनके अग्रोक्त वचनसे संसिद्ध है-यथा (परभक्तोपयोगेन विद्याप्राप्तान्यतस्तु या । तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते) अर्थात्-पराया अन्न खाकर या पराये उपयोगसे और हीसे जो विद्या प्राप्त करी हो तिस विद्यासे जो कुछ धन पैदा हो सो धन विद्या प्राप्त कहलाता है और उसीमें से अन्य दायोंको भाग न देना होसकता है-इसलिये उस वार्त्ताने नारदके भी वचनसे प्रत्यक्ष विरोध पाया-इसके सिवाय-उसी वार्त्ताके अनुसार यह भी लाञ्छन आता है कि मिले भुले सबके साथमें रहते हुये और पिताका धन खाते खोते हुये भी यदि कहींसे प्रतिग्रह पाया हो तौ अन्य भ्राताओं या पिताको भी उसमें से न देना चाहिये सो यह लाञ्छन भी शिष्टाचारसे विरुद्ध है-किन्तु मनुने भी इस वार्त्ताको स्पष्ट करिके कहा है-यथा (अनुपघ्नन् पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत् । दायान् देभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्धमेव च) अर्थात्-सर्वथा यही निश्चित है कि पिताके धनका विनाश न करते हुये निज परिश्रमसे जो कुछ पैदा करै सो निज भाइयोंको न देवै और विद्यासे भी प्राप्त हुयेको नहीं (इसमें भी विद्यासे प्राप्त होना वही है कि जैसा कात्यायनके वचनमें ऊपर कह चुके और परिश्रमसे उपार्जन करना यह कि नौकरी आदि सेवासे या युद्धादि पराक्रमसे कि जिसमें पिताका धन खर्च न हो) क्योंकि यह सब निर्णय तौ ठीक है पर एक इसमें बड़ा संभ्रम देख पड़ता है कि पिताका धन खोये विना जो मैत्री आदि से धन पाया हो सो भाइयोंको न बांटे देवे यह न कहना चाहिये क्योंकि ऐसे धनमें विभागकी प्राप्ति ही नहीं तौ फिर निषेध करना भी व्यर्थ है किन्तु लोकमें यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि जो वस्तु जिसने प्राप्त करी वह उसीका धन है किसी औरका साभा उसमें नहीं तौ फिर वृथा निषेध की क्या आवश्यकता थी क्योंकि निषेध भी उसीके निमित्तमें किया जाता है जिसकी कोई भांति से प्राप्ति देख

परै-यद्वा कदाचित् यह उत्तर दिया चाहौ कि इसमें किसीने इस प्रकारसे प्राप्तिभी सूचित करी है सो इस अत्रोक्तवचनसे प्रदर्शित होगी -यथा (यत्किञ्चित्पितरिप्रेते धनं ज्येष्ठो धिगच्छति । भागो यवीयसांतत्रयदिविद्यानुपालिनः) अर्थात्-पिताके मरने पीछे ज्येष्ठ भ्राता जो कुछ धन उत्पन्न करे उसमें छोटों का भी भाग है परंतु यदि विद्यानुपाली हों-और सिद्धांतरूपा व्याख्या इसकी यह कि पिताके जीवते हुये और मर जाने में भी जब तक सभी भ्राता मिलेरहते हों जो कुछ धन जेठे ने या छोटे ने या बिचले ने ही पैदा किया हो उसमें बड़े छोटे सब का भाग योग्य है (परंतु) यदि विद्यानुपाली हों-इस व्याख्याके अनुसार पिताके जीवते और मरेपर भी मैत्रादिक धनोंमें विभागकी प्राप्तिनिश्चित होती है तिस प्राप्ति का निषेध योगीश्वरने किया होगा यह उत्तर देना चाहौ सो यह उत्तर असत् है-क्योंकि-यहां कुछ प्राप्त का प्रतिषेध नहीं है किन्तु यह संसिद्ध निषेधका अनुवाद है वरन इसप्रकरण-मात्र में प्रायः वेही वचन प्रदर्शित हुये हैं जो लोक सिद्धवार्ताके अनुवादरूप हैं-अथवा एक यह वचन है कि (समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वैतत्र समांशिनः) अर्थात्-सबोंने इकट्ठे मिलकर जो कुछ पाया वा उपार्जन किया हो तिसमें सभी समभागी होंगे-इस प्राप्तविधिका वह अपवाद है कि यदि एकहीने पाया वा उपार्जन किया हो तौ उसमें सबका भाग न होगा-इस प्रकारसे यदि आपसंतोष किया चाहै तौ फिर (यत्किञ्चित्पितरिप्रेते धनं ज्येष्ठो धिगच्छति) इत्यादि यह वचन जो ऊपर अभी कह चुके जिसमें जेठे और छोटे आदिके नामसे जुड़ी व्याख्या दर्शाई गई सो वह कथन बड़ी भूल है क्योंकि जब इस अत्रोक्तवचनसे सभी मिलकर पैदा करें तिसमें सबका भाग ठहरा तौ उस वचनसे एकहीके उपार्जन किये धनमें क्योंकर सबका भाग पहुंचता है-इसलिये-अब सिद्धार्थरूपा व्याख्या यह समुझी चाहिये कि योगीश्वर ने मूल श्लोक १२१ वाले उत्तरार्द्धसे लेकर १२२ के अन्त ताई मैत्र आदि वचनोंसे उसपूर्वोक्त विधिका अपवाद दर्शाया है कि जो जो धन पहले पिताके जीवते हुये और मरे पीछे भी विभागयोग्य बतलाये थे (और) यही अपवाद उस वचन का भी ठीक है कि जो अभी थोड़ी दूर ऊपर (यत्किञ्चित्पितरिप्रेते) इत्यादि लिख चुके हैं (इत्यनुवादः) (ध्यान करो कि यह अनुवाद मात्रकी व्याख्या जो अधिकोक्ति के प्रारम्भ में शंखजीके वचनसे उपरान्त लेकर यहाँ तक दर्शाई गई सो कुछ प्रत्येक समय विचार करनेको आवश्यक नहीं है किन्तु इमे समुझलेने भरकी धारणा आवश्यक है क्योंकि जो वार्ता पहले अभिप्रायार्थ में वर्णन हो चुकी थी उसीकी दृढ़ता में अर्थवादकी रीतिसे यह अनुवाद कहा गया-यह अनुवाद ऐसे समयपर काम आता है कि जब कोई संसिद्ध मर्यादा में कुतर्क या सुतर्क आरोपित करें अन्यथा जो संसिद्ध मर्यादा है सो सदैव ही कार्यसाधक है-परन्तु-जो कदाचित् कोई यह शंका इसमें करने लगें कि सबके साभेमें रहते हुये बिन बँट बँटे या भाईकी कमाई केवल उनका ही धन क्योंकर होसकता है कि जिसके हाथसे उपार्जन



हुआ किन्तु यहविशेषता अगर जुदेबेटे या भाईकीअपेक्षालेकर कहीजाती तौ संभव थी-तहाँ-ऐसीशंकाके निवारणमध्ये यहध्यानकरना योग्यहै कि जो जुदाहै तिसकेलिये विशेषताकहनेकी आवश्यकताक्याथी किन्तु विशेषताउसीकानामहै जोएकप्रकारकी सामान्यवार्त्तामें कुछ विशेषदर्शायाजाय इसकेसिवाय ऐसीशंकामें अग्रोक्त शिवजीके वचनोंपरभी दृष्टिकरनीचाहिये-यथा (पुण्यं वित्तं च विद्या च नाश्रयेदशरीरिणम् । शरीरं तु पितुर्यस्मात्किन्नस्यात्पैतृकं वसु ॥ पृथगन्नैः पृथग्वित्तैर्मनुजैर्यदुपार्जितम् । सर्वतत्पितृसंक्रांतं तदास्वोपार्जितंकुतः ॥ अतोमहेशिस्वायासैर्येनयद्धनमर्जितम् । स्वोपार्जितंतदेवस्यात्सतत्स्वामीनचापरः) अर्थात्-शिवजीकहतेहैं किपुण्य और धनऔर विद्याभी यहतीनों वस्तु अशरीरीको नहींआश्रयहोसक्ते किंतुशरीरवानकेही आश्रयरहसक्तेहैं औरशरीरी का शरीरजोहै सोपिताका उत्पन्न कियाहोता इस्से पिताकाही विख्यातहै तौफिर ऐसे शरीरसे उपार्जित कियाधन क्योंकर पिताका न होवै-इसलिये-यहन्यायात्मक निश्चित होताहै किजुदे भोजन वस्त्रोंका व्यवहार जिनकाऐसे पृथक् मनुष्योंसेजोधन पैदाहोसो सबबापकरके संक्रांतहै अर्थात् बेटाचाहै मिलाहो चाहैजुदाहो उसके शरीरसे कमाया हुआधन सर्वथापिताकाहोताहै और जोवस्तुन्यायात्मकरीतिसे पिताकीठहरी वह उसकेअन्य पुत्रोंकोभी सामान्यहै तौ फिर किस धनको स्वोपार्जित कहसक्तेहैं परन्तु इस्से लौकिक व्यवहारोंकीसिद्धि दुर्घटहोजानासंभवहै-इसहेतुसे-हे महेशि यहनियमनिश्चित कियेदेते हैं कि जिसकिसीने जुदे अथवा मिलेमेंभी औरोंकी सहायता विनाकेवल अपनेही आयासों से जोधन अर्जितकियाहो वहीउसका स्वोपार्जित कहलावे किन्तु उसका स्वामी वहीहोता है दूसरा कोईनहीं इसलिये अब इसको छोड़कर फिरभी संसिद्ध मर्यादाका वर्णनकरते हैं )-कोईकोई और वस्तुभी अविभाज्य हुआकरती हैं तिनकोमनुने दर्शायाहै-यथा(वस्त्रम्पत्रमलंकारंकृतान्नमुदकंस्त्रियः । योगक्षेमंप्रचारंचन विभाज्यंप्रचक्षते) अर्थात्-वस्त्र और पत्रनाम वाहन और आभूषण और कराहुआ अन्न और जल और स्त्रियां और योगक्षेम और प्रचारनामद्वारमार्ग इनको भी न वांटनेयोग्य कहतेहैं-यह अक्षरार्थमात्रकहागया-अब इसीवचनकी व्याख्या अभिप्रायरूप से भिन्नवचनांतरोंके प्रमाणपूर्वक दर्शाईजातीहै कि (वस्त्र) जो जिसनेपहिरेओढ़ेहों सो उसीकेहोतेहैं चाहै किसीभ्रातापरथोड़ेहों या किसीपर बहुतहों परऐसे धारणकिये वस्त्रोंकाविभाग शिष्टाचारसेभी निन्द्य और मुख्यमर्यादासे निषिद्धहै (और) अभिप्राय इसकायह कि जो नवीनवस्त्र घरमेंसंचितहों या दुशालाआदि जो साधारण सभीके वर्त्तवमें आतेहों तिनका वाँटहोताहै (और) पिताके धारणकिये कपड़ेयदि पिताकेमरे पीछे विभागहोतो उसके एकादशाह आदि किसी श्राद्धभोक्ता को देदेनचाहिये यह बात अग्रोक्त बृहस्पतिके वचनसे निश्चितहै-यथा(वस्त्रालंकारशय्यादिपितुर्यद्वाहना

दिकम् । गंधमाल्यैः समभ्यर्चश्चाद्धभोक्ते समर्पयेत् ) अर्थात्-पिताके कपड़े आभूषण पल्ले गआदि और सवारीआदि जो उसके वर्त्तावेमें रहताहो सो सब उसके श्राद्धभोक्ता को गंधमाल्योंसे अर्चितकरिके श्रद्धासे समर्पणकरै-एवं-(पत्र) अर्थात् बाहन घोड़ापालकीआदि सवारियोंका विभाग न होना चाहिये यह बात जो मनुके वचनमें दर्शितहुई तिसकाभी अभिप्राय यहीहै कि जो सवारी जिसके वर्त्तावेमें आतीरहीहो सोई उसके पास रहनी चाहिये चाहें किसीपर थोड़े मूल्य की हो या किसीपर बहुत मूल्यकीहो किंतु मूल्य के न्यून अधिक भावसे विभागन करना चाहिये परन्तु मूल्यसे उसदशामें विभागहोताहै कि जब एकही दो सवारी साधारण सभीके वर्त्तावेयोग्य हो और उसदशामें भी भाग होताहै कि जब घोड़ा आदि पदार्थोंकी बहुताइतहो या उनघोड़ाआदि पदार्थोंकी सौदागरी व्यापार जिसके होताहो-ऊर्ध्वोक्त और अत्रोक्त ये मर्यादें सबकेवल समविभागकी कल्पनापर होरहीहैं परन्तु यहांपर इतनी विशेषता यह और भी प्रासंगिक दर्शितकरनी आवश्यक ठहरी कि ( यदि कदाचित् किसीने विषमविभाग या उद्धार विभाग कल्पित कियाहो तो उसदशामें एकही सवारी जो साधारण सबके वर्त्तावेकी होतिसकाभी विभाग मूल्यद्वारा होना आवश्यक नहींहै क्योंकि वह पदार्थ जेठे भाईको उद्धारकी मर्यादासे देदेना चाहिये यद्वा घोड़े आदि बहुताइतके होनेपर विषम संख्या के हेतुसे भाइयोंके विभागसे जो अधिकवचें सो जेठे भाईको देने चाहिये क्योंकि पूर्वा-र्द्धमूलश्लोक १२० की अधिकोक्तिमें इसविषयकी मर्यादा कथनहो चुकी है कि ऐसी दशामें भेड़ बकरी और घोड़ाआदि एकखुरवाले पशु जो विषम शेषरहें सो जेठे भाईको मिलने चाहिये-तद्यथा (अजाविकंसैकशफं नजातु विषमं भजेत् । अजाविकंसैकशफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते) यह मनुजीका वचन उसी अधिकोक्तिमें व्यौरेवार व्याख्यासहित लिखचुके हैं देखलो ) यह वीचमें प्रासंगिक विशेषता कथन करीगई अब उसी प्रकृत व्याख्यापर दृष्टि करनी चाहिये कि-एवं-( अलंकार ) आभूषणका विभाग होना मनुने निषेध किया तिसकाभी अभिप्राय यहीहै कि जो जिसके शरीरमें या जिसकी भायाके शरीरमें धृतहो सो उसीकाहोता है-तथाह (पत्यौ जीवतियः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत् । नतं भजेरन्दायादा भजमानाः पतंतिते ) अर्थात् पति के जीवतेहुये जो कुछ अलंकार गहना स्त्रियों करके पहिनाहुआ हो तिसको दायाद लोगवांटें नहीं किन्तु उसकावांट करते हुये दायाद पतित अर्थात् अधर्मी होजाते हैं-इस वचनमें पहिनाहुआ न वांटें इस नियमसे यह आशय पायागया कि जो कुछ अलंकार विना पहिराघरमें रक्खा भिन्न भिन्न भी संचितवन् नमुभाजाना हो तिसका भाग होजाना चाहिये और उसका तो अवश्यही भाग होगा कि जो सभीके वर्त्तावे योग्य साधारणहो- एवं-( इतान्न ) अर्थात् कराहुआ अन्न जैसे तण्डुल या लड्डुआ सतुआ आदि जो

थोड़े दिनके खर्चकोसंसिद्ध कियागयाहो सो भी अविभाज्यहै किन्तु ऐसी वस्तुका हिस्साबाँट करना एकतुच्छ वात्ताहै इसलिये यथासंभव अवसर के अनुकूल मिलकर सभीको या विरलोंकोही भोगिलेनायोग्यहै-एवं-( उदक ) अर्थात् इस उदक शब्दसे सामान्य जलजो भरेहुये रखेहों तिनके बाँटकानिषेधहै और इसीउदक शब्दसे उदकाधार कूप तालाब आदि जलाधारोंका भी भाग लगाना मनुनेनिषेध किया तिसका यह अभिप्रायहै कि यदि जलाधार दायादोंकी संख्याके समानहों जैसे दोदायाद और दोही कुयेहों तबतौ एक एक या चारहों तौ दोदोलेलेना कुछ निषेधनहीं है परंतु यदि विषमहों जैसे दोदायाद और कुवां एकहै तब मूल्यदानके द्वाराऐसी वस्तुका विभागहोना परम अनुचितहै किन्तु ऐसी विषमदशामें यथासंभव सभीकाभोग उस पर होनाचाहिये-एवं-( स्त्रियां ) अर्थात् दासियां यदि विषमसंख्याहों तौ मूल्यदान के द्वारा उनका बाँट न करनाचाहिये जैसे दोदायाद और दासी एकहै तब ऐसाकरना अनुचित है कि एक दायाद आधामूल्यदेकर दासीलेवे किन्तु ऐसी विषमदशामें यह नियम होसक्ताहै कि एकएक महीना उरसे काम निज २ ओसरेसे लेलेवें यद्वा पख-वारा अठवारा आदि जैसा नियम निश्चितहोजाय तैसे कामलेलेना (और जो) दासी भी दायादोंके समानहों तौ एकएक सबके भागमें आजावे ( यद्वा ) समान भागहो-जानेपर भी एकबचै तौ वह जेठेकी भान्यतामें उच्चारसे देदेनी योग्यहै पर मूल्यद्वारा भाग न होगा ( परन्तु ) यदि ऐसी अवरुद्धादासीहों जो स्वैरिणी व्यभिचारिणी आ-दि पिताने निजघरमें घेरीहों तौ फिर दायादोंके समान संख्याहोनेपरभी पुत्रोंको वि-भागमें नलेनीचाहिये किन्तु ऐसी दासी निपट अविभाज्यहैं और उनके पालनमात्र का नियम जैसा किसीमर्यादामें लिखाहोसो कर्त्तव्यहै-इनके विभागका प्रतिषेधगौतम के अग्रोक्त स्मरणसे संसिद्धहै-यथा-स्त्रीषुचसंयुक्ताष्वविभागः-अर्थात्-संयोगवती स्त्रियोंमें विभागनहीं है यह गौतमनेकहा-एवं-(योग) (क्षेम) भी बाँटने योग्यनहीं अर्थात् योग और क्षेम यह दो बातहैं तिनमें योग उनवातोंको समुभूना जो अलब्ध लाभ के देनेवाले कारणहों और ( क्षेम ) उनवातोंको समुभूना जो लब्धके परिरक्षण हेतु भूतहों सो इनदोनों बातों के कारण कुछ एकही भाँति के नहीं किन्तु अनेक भाँति के होते हैं इसलिये उनके एक दो स्वरूपभी दर्शाते हैं कि प्रथम तो विरलोंका यह सं-मत है कि राजमंत्री आदि महामात्रजन जिनसे अनेक भाँतिके अलब्धलाभ और लब्धका परिरक्षणभी गृहस्थीको उपकारीहोताहै इसलिये इन्हींमें ( योग ) (क्षेम) यह दोनोंशब्द घटतेहैं कदाचित् ऐसे दोचार या दशपांचहों जिनमें पिताको संबंध रहिता था तौ दायादोंको इनका भागलगाना वर्जितहै किन्तु साधारण सभीके उपकारी बने रहें ऐसेही पुरोहित या श्रोत्रिय या वैद्य आदिभी योगक्षेमके कारण कहलातेहैं तिन-

काभी भागलगाना वर्जित है किन्तु साधारण भाव सभीके सब रहेंगे-इसके उपरांत विरलोंका यह भी संमत है कि-छत्र चामर शस्त्र पादत्राण आदि चीजें योगक्षेम कहलाती हैं तिनका भाग लगाना वर्जित है किन्तु जो जिसके वर्त्तावे में रहती थी उसीको वह मिलेगी चाहे किसी एक दो आतापर ऐसी वस्तु न हो तौ भी जो जिसकी हो तिसके पास रहसक्ती है सोयहवात भी ठीक है क्योंकि न्यायसे भी दृष्टिकरनी चाहिये कि यदि अभीजुदे होनेका अवसर नहोता मिलेरहे आतेतो उसदशामें जो वस्तु जिसके पास नहीं थी सो तिसके भोगमें नहीं आती किन्तु जिसके नामसे बनी थी उसीके भोग द्वारा जीर्ण होकर विनाशको पहुँचती इसलिये उसमें पूरात्वत्व उसीका निश्चित होकर अविभाज्य ठहराई गई परंतु इसमें भी पूर्वोक्त वस्त्रोंके समान मर्यादा सिद्ध होती है किन्तु यदि शारीरिक वर्त्तावके सिवाय इन चीजोंकी बहुताइत घरमें हो जैसे पादत्राण खड़ाऊँ जूता आदिके कई जोड़े नवतर संचित हों तौ फिर भागलगाना वर्जित नहीं है यह अपवादनाम झूट भी अविभाज्यतापर संसिद्ध है (और) ऐसी दशामें यह भी नियम संभव है कि यदि संचित वस्तु दायादोंकी संख्यासे थोड़ी हों तौ फिर उन्हीं दायादोंको मिलनी चाहिये जिनपर उस वस्तुका अभाव हो (यद्वा) सभीपर सद्भाव हो और संचित वस्तु दायादोंकी संख्यासे थोड़ी हों तौ फिर उसभाँतिकी दूसरी किसी ऐसी वस्तुसे समाहार करके भागलगाना चाहिये जो वह भी दायादोंकी संख्यासे थोड़ी हो अथवा अधिक होनेके हेतु से समभाग होकर कुछ वचर ही हो-इसके सिवाय उसी योगक्षेम शब्दका यह भावार्थ है कि (योग) (क्षेम) अर्थात् इष्टापूर्त्त कर्म तहाँ (योग) तौ इष्ट कर्मोंका और (क्षेम) नाम है पूर्त्त कर्मोंका इसलिये अब (इष्ट) और (पूर्त्त) कर्मोंका लक्षण कहना आवश्यक है तिनमें पहले इष्ट कर्म दर्शाते हैं-यथा (अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चार्थपालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते) अर्थात्-अग्निहोत्र तपसत्य वेदोंका अनुपालन आतिथ्य कर्म वैश्वदेव कर्म यह सब इष्ट कर्म कहलाते हैं इन्हींको (योग) शब्दके भावार्थमें समुभूना सो सब अविभाज्य है अर्थात् ऐसे कर्म यद्यपि पिताके ही अर्जित किये हों या पिताका धन खर्च कर अर्जित किये गये हों तौ भी इनका भाग लगाना वर्जित है-ध्यान करौ कि यद्यपि सुगमतासे यह वात नहीं समुभूजासक्ती है कि इन कर्मोंका विभाग किसरीतिसे होसक्ता होगा जिसका यह प्रतिषेध किया गया परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि इन सब कर्मोंमें से यथार्थ भाव जो श्रौत और स्मार्त्त अग्निके द्वारा साध्य कर्म हों तिनका भाग लगाना वर्जित किया है कुछ इन सभी कर्मोंपर यह वात नहीं घटिसक्ती है (और) आशय इसका यह कि ऐसे श्रौत स्मार्त्त अग्नि साध्य कर्मोंके भागी फलमें भी विभाग पत्र लिखवाने कामनोरथ कोई न करे और इन कर्मोंकी साधना योग्य जो उपकरण आदि सामग्री घरमें हो तिनका भी विभाग नहीं किया जाय क्योंकि उन

भावीफलोंका मुख्य अधिकारी तौ स्वय्यात् पिताहै और पिताके प्रभावद्वारा उसके सभीपुत्र साधारणफलके अधिकारीहैं और उपस्थित सामग्रीका भाग लगानेसे उस कर्मकी साधनामें अतिक्रम खड़ाहोसक्ताहै और अतिक्रमकेहेतुसे निपट उस कर्म की निर्मलता होजायगी इसलिये उसकी मुख्य साधनाका अधिकारी जेठा पुत्र है और इसीहेतुसे वह सामग्री उसकेपास रहनी चाहिये आगे जो कुछ उसमें लागति की आवश्यकता हो सो सभी भ्राता यथा भाग यथा अवसर के अनुसार दिया करें और जेठके अधीन सब समाजीभूत होकर ऐसे कर्मकी साधना कियाकरें और उस कर्मकी भी कि जो निजकुलके इष्टदेवकी पूज्यता कहलातीहो तौ उनसबका कल्याण है-इसके सिवाय यदि अतिशय सूक्ष्मदृष्टि से विचार कियाजाय तौ ऊर्ध्वोक्त सभी कर्मोंमें यहवातघटतीहै किन्तु तप सत्य आदि सभी ऊर्ध्वोक्त इष्टकर्म ऐसे हैं कि जिनका संग्रह पिताने अधिकता से कियाहो और कदाचित् कोई पुत्रों में से एक या सभी पुत्र यह मनोरथकरें कि यह भी एक पैतृकधनहै इसके फलादेश रूपसे विभाग पत्र में लिखित करवानी चाहिये सो यह मनोरथ करना पिताके जीवते और मरेपर भी अनुचित और वर्जितहै यह तौ (योग) शब्दके वाच्य इष्टकर्मोंका स्वरूप अविभाज्यतामें दर्शायागया-अब क्षेम शब्दके वाच्यपूर्तकर्मों का स्वरूप दर्शाते हैं-यथा— (वापीकूपतडागादिदेवतायतनानिच । अन्नप्रदानमारामःपूर्तमित्यभिधीयते) अर्थात् बावली कुवां तालाव आदिका बनाना और देवताओं के नामसे मन्दिर आदि का बनाना और अन्नप्रदान अर्थात् सदावर्त आदिका नियत करना और आरामनाम बाग बागीचाओंका लगाना ये सब पूर्तकर्म कहलातेहैं-तिनको (क्षेम) शब्दके भावार्थमें समुभूना और सिद्धान्त इसका यह कि यद्यपि यह चीजें पितानेही निर्मित करीहों या पिताका धन खर्चकर पुत्रोंने उपाज्जन करीहों तौ भी इनका भाग लगाना वर्जित है किन्तु साधारणभाव सभी इनके फलभागी बनेरहें और ये वस्तु जिनके नामसे बनीहों उसीकेनामसे विख्यात रहीआवें-यहांतक (योग) (क्षेम) दोनोंशब्दोंकी अविभाज्यता कईभांतिसे प्रदर्शित करीगई सो सबठीक है-परन्तु-इसमें एक थोथी शंका खड़ीहोती है कि अभी ऊपर इष्टकर्मोंकी अविभाज्यता दर्शाईगई सो वेसबही कर्मधर्म्याक्रियामें गिनतीहैं और मनुके वचनानुसार व्याख्याहोती चलीआतीहै और १२० वाले मूलश्लोक पूर्वार्द्धकी अधिकोक्तिमें मनुकायह वचनभी प्रदर्शित हुआथा कि(पृथक्विवर्द्धतेधर्मस्ततोधर्म्यापृथक्क्रिया) अर्थात्-जुदे रहनेसे धर्मकीवृद्धि हुआ करतीहै इसलिये जुदे रहकर धर्म्याक्रिया जुदीसाधें (और) इष्टकर्मोंमध्ये श्रोतस्मार्त्त अग्निसाध्य आदि कर्मोंका विभागहोना वर्जितहोकर यहनियम कहागया कि जेठके अधीनहोकर सबसमाजीभूत भाईकर्मोंकीसाधनाकरें यह प्रत्यक्षविरोध क्यांकर शांत

होसक्ता है जब कि उनकर्मोंका विभागही नहींपाया तौ धर्म्याक्रिया क्योंकर जुदी हो सकती है और क्योंकर धर्मकी वृद्धिहोगी-सो-इसशंकामें केवल समुभकाही अंतर है कुछनियमोंका विरोध नहीं है क्योंकि यहांपर उन्हीं इष्टकर्मोंका विभागहोना वर्जित किया गया जो पिता के उपाजित हों या पिताकाधन खर्चिकर उपार्जन किये गये हों जिनको पैतृक धनमेंकोई गिनती करसक्ताहो और मनुके उसबचनका सिद्धांतयहीहै कि जुदेहोकर निज उद्योगसे यदि अपनीधर्म्याक्रियानवीन कल्पितकरें तौ अधिक श्रेष्ठबात है कि उस्से जुदीर् धर्मकी वृद्धिहोगी क्योंकि धर्म्याक्रिया कुछ केवलइन्हीं कर्मोंकानाम नहीं है जिनकी अविभाज्यता पर्यह शंकाखड़ी करीगई अर्थात् धर्म्या क्रिया गृहस्थीके शतधा हुआकरती हैं तिनकी और इनकीभी साधना निजउद्योगसे जुदी कल्पितकरें और जेठेभाईके अधीन उसअविभाज्य पैतृकधर्म्याक्रियामें भी कुल पूज्यताकी रीतिसे समयानुकूल साथी बनेरहें अन्यथा जो जुदी कल्पित करनेमें असमर्थहोंवे उसमें तौ अवश्यही साथी बनेरहें जैसे पिताके अनुगामीहोकर साथीहोते थे क्योंकि उसजेठेको पिताकी धर्म्यादिक्रियासाधन करनेके निमित्तसे उसीकी पगड़ी सोंपीगई और उसीके स्थानीभूत प्रधानता अर्पित करीगई है-इसके सिवाय- यदि किसीको यह शंका शेषरहीहो कि यह व्याख्यातौ सबठीकहै पर(योग) १ और(क्षेम) २ का भावार्थ ( इष्ट ) १ और ( पूर्ण ) २ कर्मोंपर किसहेतुसे घटाया गया सो इसबातमें लौगाक्षिका यह अग्रोक्त वचन प्रमाणहै-यथाहलौगाक्षिः ( क्षेमपूर्तयोगमिष्टमित्याहु स्तत्त्वदर्शिनः । अविभाज्येचतेप्रोक्तेशयनासनमेवचेति ) अर्थात्-इसवचनमें लौगाक्षि ने यह कहाहै कि-क्षेमतौ पूर्ण कर्मोंकानामहै और योगनामहै इष्टकर्मोंका यहनिश्चयात्मक तत्त्वदर्शीलोग कहते हैं इसमें संशय नहीं करना यह दोनोंही अविभाज्य कहे गये और शयनासनभी अर्थात् शयन शब्दसे पलंग आदि और आसन शब्दसेविज्ञाने वा बैठनेकी चीजें चौकी पीढा आदि समुभना जो जिसके भोगमें रहतीहो उसी को मिलसक्तीहै विभाग उसमेंनहीं(पर) वस्त्रादिकोंके समान शयनासनभी जैसा ऊपर सब कहचुकेहैं कि वर्त्ताविके सिवाय जो नवीन घरमें संचितहो सो अविभाज्य नहींहै (यहझूटजैसी वस्त्रादिकोंमें सर्वत्र दर्शाईगई तिसको इष्टापूर्तमें संयुक्त न करनीचाहिये वरन उसमें इसझूटकी प्राप्ति निपट असंगतहै) योगक्षेमकी व्याख्यासे अब निपटे- एवं-(प्रचार)भी अविभाज्यहै अर्थात् घरवाग बड़ा नौहरा आदि स्थानोंके निकासको प्रचारनाम कहतेहैं जिसमेंहोकर सबसाधारणोंका प्रवेश निर्गमहोसक्ताहो अभिप्राय इसका यह कि ऐसे बड़े स्थानोंका खंडात्मक विभाग होजानेपरभी यह आवश्यकता नहींहै कि उनके प्रधानद्वारोंकेभी खंडकियेजायँ किंतु एकहीमुख्य मार्गसे सबसाधारणोंका आनाजाना होउताहै (यद्यपि प्रधान द्वारकेनामसे यहव्याख्या लिखीगई परंत



यथार्थसे (प्रचार) उसनिकासको समुझना जो प्रधान द्वारकेआगे मार्गसहित आँगन होता जिसे सहनभी यावनभाषासे कहते हैं (पूर्वोक्त मनुके वचनमें जोकोई २ वस्तु अविभाज्य कहीथीं तिनकी व्याख्या अब निश्लेषहोचुकी और इसव्याख्यामें क्षेत्रका विभागहोना कुछ निषेध नहींकियागया बरन योगीश्वरकेभी मूलवाक्योंसे क्षेत्रका विभागहोना संसूचित है-परंतु-एक उशनाके वाक्यमें क्षेत्रभी अविभाज्य पायाजाता है तिसका कारण प्रकट करनेकेनिमित्तसे वहवाक्यभी दर्शातेहैं-तद्यथा(अविभाज्यंसगोत्राणामासहस्रकुलादपि । याज्यंक्षेत्रंचपत्रंचकृतान्नमुदकंस्त्रियः) अर्थात्-उशनाने यह कहा है कि गोत्रोंकी सहस्र पीढीतक सहस्रों कुलहोजानेपरभी (याज्य) और (क्षेत्र) ये अविभाज्यहैं तथैव सवारी और कराहुआअन्न और उदक और स्त्रियाँभीअविभाज्य हैं-इन सभीचीजोंका व्याख्यान ऊपर होचुकाहै केवल (याज्य) और (क्षेत्र) इनदोहीसे अपेक्षा यहाँपर शेषहै तिनमें याज्यशब्दका भावार्थ यागस्थान और देवताकी प्रतिमापरभी आरोपितहै-यहीवार्ता स्मृति व्याख्यानामा ग्रंथके दाय भागमें लिखीहै कि (याज्यंयागस्थानंदेवतावा) अर्थात् याज्यशब्दसे यागस्थानकीभूमि अविभाज्यहै और देवताकी प्रतिमाभी मूल्यादि प्रकारोंसे अविभाज्य है चाहै केवल प्रतिमाहो या मूर्ति सहित मंदिरहो-सो-यह दोनों वस्तु इसी अधिकोक्तिमें इष्ट कर्मोंकी व्याख्यासे अविभाज्य सूचित होचुकी हैं इसलिये केवल (क्षेत्र) कीही चर्चा करनी आवश्यकहै कि यद्यपि उशनाने क्षेत्रभी अविभाज्य दर्शितकिया और कोईसा विशेषण उन्होंने नहीं प्रदर्शितकिया कि वह किसप्रकारका क्षेत्र अविभाज्य होसक्ताहै इस्से यहबात जानी जाती है कि अवश्यही किसी कालांतर प्राक्तन कालमें इसबंधनकी परिपाटी प्रचरित होगी कि सहस्रोंकुल पर्यंत सगोत्री सब साधारण फलके भागी बनेरहें पर भूमिका खंडात्मक विभाग न होनेदेवें परन्तु वर्तमानमें इसबंधकी परिपाटी अब नहीं है यद्वा अद्यापि किसी देशविशेष या वर्णविशेषमें प्रवृत्ति इसकीहो या न हो केवल भूमिका स्वरूप यथावस्थित बनारहनेकी अपेक्षासे उसकी महिमाकी प्रशंसामें उत्कर्षामात्रहो किंतु यथार्थसे इसकालमें किंचित् भूमिभी दायादोंमें विभक्तहो जाती है और यही आशय मनु वा योगीश्वरसे भी संसिद्धहै-इसीलिये श्रीमद्विज्ञानेश्वर मिताक्षराकार ने यह लिखा है कि उशना के वाक्यमें क्षेत्रकी अविभाज्यता जो दर्शित हुई है सो वह सर्व साधारण क्षेत्रोंकी अपेक्षा में नहीं समुझनी किंतु प्रतिग्रहसे पाईहुई भूमि और ब्राह्मण से उत्पन्नहुये क्षत्रियाणी आदिके पुत्रोंपर समुझनी क्योंकि इस वार्तामें यह अग्रोक्त स्मरणभी प्रमाण है-यथा ( नप्रतिग्रहभूर्देयाक्षत्रियादिमुतायवे । यद्यप्येषां पितादद्यान्मृतेविप्रासुतोहरेत् ) अर्थात्-प्रतिग्रहसे पाईहुई भूमि क्षत्रियाणी या वैश्यानी आदि से पैदाहुये पुत्रों को न देनी चाहियं यद्यपि पिता इनको प्यार के

हेतु से देदेवै तौ पिता के मरने पीछे ब्राह्मणीका बेटा उनसे छीनलेवै यह मर्यादा निश्चित है-(प्रतिग्रह) से पायाहुआ क्षेत्र यह इस वचनका विशेषण लेकर उशना के वचन में संयुक्त करनेके निमित्त से विज्ञानेश्वरने (याज्य) शब्दको क्षेत्रका विशेषण माना और इसप्रकारसे अर्थान्वय कियाहै कि (याज्यंयाजनकर्मलब्धक्षेत्रं) अर्थात् याजन कर्मकरानेसे प्रतिग्रहमें पायाहुआ क्षेत्र सो क्षत्रियाणी आदिके पुत्रोंको नदेवै यद्यपि यह अर्थान्वय तौ सर्वथा ठीकहै और आधुनिक लेखकभी इसीको प्रमाणकर सक्ताहै क्योंकि इस प्रतिग्रह भूमिको छोड़कर अन्य सबसाधारण क्षेत्रोंका विभाग होना संप्रतिलोकमें भी देखपरताहै और मनु वा योगीश्वरकेभी वाक्योंसे विभागहोनाहीसं सूचितहै तौ फिर क्योंकर एक उशनाके वचनानुसार सबसाधारण खेतोंकी अविभाज्यता मानीजाय जिसमें लोकविरोधी मर्यादा प्रकट होती है इसलिये उसवचन काभी अर्थान्वय इन्हीं वचनोंके आधीन कियागया-परन्तु- यथार्थसे जिस ध्वनिके साथ उशनाने वह वचन उच्चारण किया उरसे प्रत्यक्ष प्रतीत होताहै कि सर्व सामान्यखेतोंकी अविभाज्यता किसीगूढ़हेतुसे दर्शाईहै क्योंकि (याज्य) शब्दका मुख्यात्मक अर्थ वहीहै जो स्मृतिव्याख्यानामा ग्रंथकेअनुसार पहिले यागस्थान और देवताकी प्रतिमापर आरोपितहोचुका तौ फिर केवल (क्षेत्र) शब्द जो विशेषण विनाशेषहै वह प्रतिग्रहलब्धाभूमिके भावार्थमें क्योंकरमानाजाय-और जो यहकल्पना आरोपितकरी जावै कि निजउशनानेभी वहीभावार्थरक्खाहोगा जो विज्ञानेश्वरके अर्थान्वयसे घटाया गया कि(याज्यकर्मसे पायाहुआक्षेत्र)अविभाज्यहै तो फिर इसकेसाथ क्षत्रियाणी आदि केपुत्रोंकी योजनाभी आवश्यकथी कि जिसका कोई चिह्न उसवचनमें नहींहै-यदि इस में भी यह व्यर्थकल्पनाकरीजावै कि उसप्रतिग्रहलब्धाभूमिकी समस्यामात्रसेही उन पुत्रोंकी योजना मानसक्तेहैं चिह्न होने या न होनेकी आवश्यकतानहीं-तौ फिर उशना का यह सारावचन सबजातोंके निरादर सहित केवल ब्राह्मणकेही पक्षमें रहाजाताहै और सहस्रकुलकी अवधिभी निरर्थकहुईजातीहै इसकेसिवाय उशना प्रत्यक्ष अपने वचनमेंकहतेहैं कि(अविभाज्यंसगोत्राणां)अर्थात् सगोत्रीलोंको अविभाज्य है यह सगोत्रशब्द केवल सजातीपुत्रोंका बोधकहै कुछ इससे भिन्नजातीपुत्रोंकाभाव निश्चित नहींहोसक्ता और उशनाकी कविता ऐसीनहीं है जिसमें कोईभी असंगतवाक्य होनेकी संभावनाहो उशनालोक प्रसिद्धहै-किन्तु-उशनाकेवचनोंमेंक्षत्रियाणीआदिपुत्रोंका निपट कुछ सम्बन्ध या संसर्गतक नहीं है और प्रतिग्रहलब्धा भूमिकाभी प्रयोजन उसमें नहीं है (याज्य) शब्दजुदाहै और (क्षेत्र) शब्द जुदाहै और साफ़ उशनाने सामान्य भूमिकी अविभाज्यता किसी परमगूढ़ हेतुसे दर्शाईहै जिसहेतुका कथन बड़ादुर्घट और विस्तारवानहै परन्तु उनकेनात्यर्थका संक्षेपआशयइतनाहै कि पिताकी उपार्जन

करी क्षेत्रआदि भूमि यह ऐसा उत्तम रत्न है जिस्से नर जातीमात्र सबजातोंको नाना भौतिके फलप्राप्तहोते और होसक्तेहैं तिसको सब दाय्यादामिलकर निजनिज स्वत्वके अनुसारभोगें किन्तु सहस्रोंपीढीतक भी चाहै वंशकेविस्तारसे अनेकधाकुलहोजावैं तौभी उसके उत्पन्नहुयेफलमेंसे निज निज अंशके अनुसार भागीरहैं पर उसभूमिके टुकड़ेटुकड़े न करडालैं तौ उसकुलकाकल्याणहै और भूमियथावस्थितबनीरहसक्तीहै अन्यथा खंड खंड होजानेसे यथावकाश भूमि नष्ट होती चलीजातीहै-(सो ) इसप्रतिषेधकी चोटको हेतुगर्भित आशय से उशना ने उस ध्रुवातक पहुँचायाहै कि जब खेतमात्र भूमितक अविभाज्यहै तौ जिसके घरमें छोटे मोटे भी कुछराज्यकी भूमिहो उन दाय्यादोंको अवश्यही ऐसा करना अनुचित औरप्रतिषिद्धहै किंतु उनको मनुकी कही उस मर्यादापर आरूढ़ होनायोग्यहै कि जेठाभाई राज्यका मुखियाहो और सब छोटेभाई उसके पुत्रोंवत् अनुगामी रहकर निजनिज स्वत्वकोभोगें-इसी आशयपर शिवजी का वाक्य भी पहले दर्शितहुआथा कि ( बहवस्तनयायत्रसर्वेत्त्रसमांशिनः । ज्येष्ठेराज्याधिकारित्वंतत्तुवंशानुसारतः ) इसप्रकार से यह मर्यादा भी कुछ प्राक्तन कालकेहीलिये नहीं किन्तु त्रैकालिकहै बरन अद्यापिबहुधा संचरितहै कि जहांदायादों में सुसंमतिहो परन्तु मनु या योगीश्वरने प्रायः दाय्यादोंकी विरुद्धाप्रकृतिके ध्यान से सामान्य क्षेत्रोंकी अविभाज्यतापर आग्रह नहीं रक्खाहै किन्तु दाय्यादोंकी इच्छा पर आरूढ़ करिके छोड़दिया-परन्तु-( न प्रतिग्रहभूदेया ) इत्यादि वचनके आशय को खँचकर उशनाके निरपेक्ष वचनमें समर्पितकरना यह आधुनिकलेखककेविचारसे असंगतहै चाहै उरसे कोईसी हानिकीसंभावनाहो या न हो-यहांतक अविभाज्य द्रव्यों के स्वरूप लक्षण सब दर्शायेगये (परन्तु ) एक पितृप्रसादवस्तुभी अविभाज्यहोतीहै तिसकाव्यौरा आगे १२६वाले पूर्वार्द्धमूलश्लोकसेदेखो-इसकेसिवाय-नियमातिक्रमसे उपार्जित कियाधन अविभाज्यनहींहोता तिसकाव्यौरा अभीअनंतर वर्णनहोचुकाहै अर्थात् यहांसे छःसातपृष्ठपहले इसीअधिकोक्तिकेप्रारंभमें जो अनुवादवर्णनहोचुका तिस अनुवादमें यह आशय दर्शायागयाथा किपिताकाधन खर्चकर या उसके आगमकीहानिकरिके जोकुछ किसीने पैदाकियाहो सो सबको वांटिदेनाहोगा क्योंकि वह नियमोंके अतिक्रमसे उपार्जनहुआ है-यहांपर नियमोंके अतिक्रमका रूप इसरीति से समुभनायोग्य है कि केवल अपनेही आयासों से उपार्जन करना आदि अनेक नियम होतेहैं जिनसे पैदा किया धनकोई और नहींलेसक्ता परन्तु जब ऐसे निर्मल नियमोंको उलांघिकर धन पैदाकियाजाय दृष्टांत जैसा ऊपर कहाथा कि पिताकाधन खोइकर कुछ पैदाकरै तौ यह नियमका अतिक्रमहुआ दूसरा दृष्टांत जैसे पिता की पुरोहिताई यजमानीमें से जो धन अवश्यही आनेवालाथा किसीएक पुत्रने उसी को

उपार्जन किया तौ निस्संदेह पिताके आगमकीहानि उसनेकरी और नियमके अतिक्रमसे धन पैदा किया इस्से यहधन सबको बाँटिदेना होगा इत्यादि और भी अनेक दृष्टांत समुझिलेने और प्रयोजन इसका यह कि ऐसे नियमातिक्रमसे उपार्जितकिये द्रव्योंकी अविभाज्यता नहींहोती है इस्से उस अविभाज्यताका निराकरणभी उसी अनुवादमें संसिद्धहोचुकाहै संशय नहींकरना-यहांतक अविभाज्य द्रव्योंकी व्यवस्था सिद्धहोचुकी उसमें अविभाज्यता का यथार्थ लक्षण समुभेजानेके निमित्तसे एक यह वार्ताभी यादरखने योग्यहै कि अविभाज्यता दो भांतिकी होतीहै पहली (एकात्मक) और दूसरी (सर्वात्मक)-तिनमें एक पहलीका यह लक्षणहै कि अविभाज्य वस्तु एक-हीदायादकी होजाती है उसमें किसीको विभाग नहींमिलता और आगेकोभी किसी का साभा उसमें नहीं रहताहै (जैसे) निज अपनी कमाईका द्रव्य या पिताका दिया हुआ प्रसाद आभूषण आदि या पहनेहुये कपड़े आदि अनेक चीजें ऐसी होतीहैं-दूसरी का यह लक्षणहै कि अविभाज्यवस्तुका विभाग नहींहोता और मूल्यदान के द्वारा कोई एकनहींपासक्ताहै पर आगेको वहसभीका धनकहाता और साधारण उसके सभीस्वामी गिनेजाते और उसवस्तुके उत्पन्नहुये फलों में सब दायादों का भोग भाग या तौ जुदावाँटिकर या मिलाभुला सबहीके भोगनेमें आताहै (जैसे) बाग या क्षेत्रकाउत्पन्न हुआ फलजुदा २ बाँटिकर भोगते हैं या कूपकाफल उदकहै सो सभी मिलकरभरते पीतेहैं या यदि क्षेत्रसंबंधी कूपहो तौ आगे पीछे अवसरसे सब निज २ खेत सींचतेहैं या दासीहो तौ ओसरोँअनुसार कामलेते हैं या (याज्य) वस्तुचाहै या-गरस्थानकी भूमिहो या देवताकी प्रतिमाहो या मंदिरहो सभीकेवर्तावेमेंआतीहै ऐसेही (योग क्षेम) के भावार्थवाली इष्टापूर्त संबंधी सभीचीजें सब दायाद मिलकर वर्तावेमें लातेहैं-इसप्रकारसे सभी अविभाज्यमात्रद्रव्योंमें यथार्थसेदो भांति समुझलेनी-और यद्यपि इसीका तीसराभेद एकमूल्यात्मक अविभाज्यता भी कथनमात्रमें आतीहै कि उस वस्तुका स्वरूप तौ खंडात्मक नहींहोता पर मूल्यदान के द्वारा कोई एक पासक्ता है दृष्टांत जैसे पशुएक और अंशीदोतीनहों या स्थावरधनमेंदुकान एक औरदायाद अनेकहों-परन्तु-यथार्थसे इसकानाम अविभाज्य नहींकहसक्ते किंतु अविभाज्य वस्तु वहींहै कि जिसकोस्वरूप का खंडात्मक विभाग होसकनेका अवकाशनहोते औरहोते हुयेभी विभाग होनेकानिषेध और मूल्यदानके द्वाराभी विभाग होनेका प्रतिषेधपाया जाय(अन्यथा)जिसवस्तु का विभाग मूल्यदानकेद्वारा होसकनासंभवहै ऐसीसभीवस्तु उसदशामें होसक्तीहैं कि जब अनेक दायादों में वस्तुएकहो इस्से उसदशाको अविभाज्यतामें गिनती नहींकरना किन्तु अविभाज्यधन दोहीभांतिकेहोतेहैं जिनकाचर्चा ऊपरहो चुकाहै-और-जो यहअग्रोक्त शिवजीकावाक्य पहलेभी कहीं प्रदर्शितहोचुकाहै

कि- (स्थावरस्य चरस्यापि विभागानर्हवस्तुनः । मूल्यं वा तदुपस्वत्वमांशिना विभजेन्नृपः )  
 अर्थात्-ऐसी स्थावर या चरवस्तुका कि जो विभाग करने योग्य न हो तिसका मूल्य  
 अथवा उपस्वत्वनाम उपलाभ उसमें जो कुछ होता हो सो राजा सब अंशियों पर बँटवा  
 देवै-सो-इस वचन का भी सिद्धांत यही है कि जो वस्तु अविभाज्य धनमें गिनती न हो  
 किंतु विभाग लगाने योग्य हो परन्तु स्वरूप उसका खंडात्मक न हो सक्ता हो जैसा अ-  
 नेक दायदोंमें एक पशुका होना तौ इस दशामें निस्संदेह राजा उसका मूल्य कल्पित  
 करिकै किसी एक दायदसे सब दायदोंको दिवावै अथवा कोई उपलाभ दायक स्थावर  
 वस्तु हो जैसे अनेक दायदोंमें एक दूकान है कि उसके खंड खंड होनेसे किसीके भी काम  
 नहीं आसक्ती है तब उसका उपस्वत्वनाम भाड़ा जो आता है तिसके अंश कल्पित कर  
 देवै कदाचित् उपलाभ उसमें नहीं आता हो तौ उसका भी मूल्यदानके द्वारा भाग हो जावै  
 या दायदोंमें सुसंमति हो तौ सबकी साभरही आवै परन्तु यह वार्ता कुछ अविभाज्य  
 लक्षणमें गिनती नहीं है-अब इस अविभाज्यताके प्रसंग मात्र से आवश्यक जानिकर  
 एक विशेषवार्ता भी इसी स्थल पर दर्शाते हैं कि ऊर्ध्वोक्त अविभाज्यताकी मर्यादोंसे सर्व-  
 था यह सिद्धांत निश्चित भया कि यदि पिताका धन बिनाशिकर जो कुछ किसी पुत्रने  
 उपार्जन किया हो सो अवश्य ही सब दायदोंमें विभक्त हो जाना चाहिये परन्तु वह उ-  
 पार्जन करनेवाला उसमेंसे दो भाग पावैगा यह बात वसिष्ठके अग्रोक्त वचनसे संसिद्ध  
 है-यथा (येन चैषां स्वयमुपार्जितं स्यात्सद्व्यंशमेवलभेत) अर्थात्-जिसने पिताका धन खर्चि  
 कर आपही एकल्ले पैदा किया हो वह दायद इन दायदोंके साथ उस पैदा किये धनमेंसे दो  
 अंश पावै अन्य सब दायद एक ही एक-और-जो कि निर्वाणतांत्रिक दायभागमें सदा-  
 शिवजीके वचनानुसार ऐसे धन की निपट अविभाज्यता कही गई तिसका कारण कुछ  
 और है सो अग्रोक्त वचनसे प्रतीत होगा-यथा (एकेन पितृवित्तेन यत्र वित्तमुपार्जितम् ।  
 पित्र्ये समांशादायादानलाभार्हा विनार्जकम् ) अर्थात्-शिवजीने यह कहा है कि जहां एक  
 ही किसी दायदने पिताका धन लगाय कर एकल्ले कुछ धन पैदा किया हो तहां उस पिता  
 के धनमें तौ सभी दायद समभागी होंगे पर उस लाभमेंसे लाभकर्त्ताके सिवाय और  
 कोई भी न पावैगा-सो-इस वचनमें यह आशय प्रत्यक्ष है कियदि पिताका धन यथावत्  
 बनारखकर लाभ किया हो तौ लाभमेंसे किसीको न देवै (और) ऊर्ध्वोक्त वचनोंका वह आश-  
 य प्रत्यक्ष था कियदि पिताके धनका निपट स्वरूपनाश करिकै उरसे कुछ अधिक पैदा  
 किया हो तौ वह सभी दायदोंको बाँटि देवै पर आप उसमें दो अंश पावै १२१।१२२ ॥  
 अब निचले मूलश्लोक से वह विशेषता दर्शावेंगे कि जब सभी मिलकर पैदा करें तब  
 कैसा भाग होना चाहिये-सो-उस निचली वक्ष्यमाण विशेषता को अत्रोक्त दो अंशोंके  
 (षपवाद) में समुभना १२१।१२२ ॥

सामान्यार्थसमुत्थानेविभागस्तुसमःस्मृतः १२३ पूर्वाद्धोऽयम् ॥

ऐ०—सामान्य धनके समुत्थानमें विभागभी समानहोना कहाहै अर्थात् जब ऐसी दशा उपस्थित हो कि जबतक भाइयोंका धन बँटानहीं हो ऐसे साधारण धनका समुत्थान कहिये बढ़ाना किन्तुखेती या बाणिज्यादि व्यवहार उसीपैतृक धनसेयदिसभी भ्राता मिलभुल करतेहों फिर चाहै किसीएक भ्राताका उद्योग या परिश्रम या चतुराई कुछ अधिकतर भी हो कि मानों यह एकहीसब कुछकरताहै और इसीकी कर्तृतिसे धन पैदाहुआ तौफिर ऐसीदशामें उसप्रधानअर्जयिताके दो अंश न होंगे किन्तुउसको भीसब दायादोंकी बराबर भागमिलै ऊर्ध्वोक्त दोअंशोंकी अपेक्षासे( अपवाद )कास्वरूप इसमें यहीहै कि ऐसीदशाको छोड़कर अन्यत्र दोअंशोंका भागीहोसक्ताहै जैसा वसिष्ठ के वचनानुसार कहाथा किवह एकल्लाठेठ अपने ढँगसे पैदाकरै किंतु और कोई दायाद उसकेव्यापारमें सहायक न हो केवल पिताका धन खर्चकियाहो १२३ ॥ यहाँतक पैतृक धनमें पुत्रोंकाविभाग जैसा होनाचाहिये सो दर्शायागया और उसीकी अपेक्षासे अविभाज्य धनभी इस परिच्छेदमें दर्शायेगये और साथहीउनके अपवाद भी यथायोग्य यत्रतत्र दर्शायेगये सोसब केवल पिताके उपार्जित कियेधन संबंधमें समुभूना और जहाँकहीं पैतामह धनका प्रसंगहो तहाँभी अविभाज्यताके लक्षण सबयेही समुभिलेने (और) पुस्तकरूपी विद्याधन चाहैवाप या दादाका उपार्जितहो उसमें मूर्ख पुत्रोंकाभाग नहीं होता केवल पण्डित बेटेपावेंगे-अब-नीचे के परिच्छेद से पैतामह धनमें पौत्रोंका विभाग वर्णनहोगा १२३ ॥

अथ पैतामहधनविषयिकविभागविशेषविवेकोनामसप्तचत्वारिंशःपरिच्छेदः ४७ ॥

इस सैंतालीसवें परिच्छेद में पितामहके छोड़ेहुये धनका विभाग जो पौत्रोंके सम्बन्धसे होताहै तिसकाकुछ विशेष प्रकार जानाजायगा ॥

अनेकपितृकाणांतुपितृतोभागकल्पना १२३ उत्तराद्धोऽयम् ॥

अक्ष०—अनेकपितृक पौत्रोंकी भाग कल्पना निज पितासेही १२३ ॥

अभि०—यदि अनेक वापवाले पोते बहुतहों तौ दादाकेधनमें उनके भागोंकी कल्पना उनके वापोंकेही द्वारा करणीयहै किन्तु पौत्रोंकी स्वरूप संख्या द्वारानहीं-आशय इसकायह है किजब ऐसेकई पोतेहों जो एकहीवापसे पैदाहों तब तौ निस्संदेह उन्हीं पौत्रोंकी स्वरूपसंख्या से विभागहोता है परन्तु जबकई वापोंसे बहुतेरे पोतेहों तब उनपोतोंकी स्वरूपसंख्यासे अपेक्षानहीं किन्तु केवलउनके वापोंकी स्वरूप संख्यासे विभागहोगा फिर चाहै किसी पोतेका वापऐसे अवसरमें जीताहो या न हो कुछ इस बातपर तर्कणनहीं है १२३ ॥

अभि०—ऊर्ध्वोक्त मर्यादा मध्ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जैसे एक दादाके चारबेटे



वह चारोंभ्राता जुदे न हुयेहों और चारों निजनिज भार्या में पुत्र उत्पादन करिके स्वर्वासी होजायँ उनमें एकभाईके चारबेटे दूसरेके तीन और तीसरेकेदो और चौथे के एकहीहो इसरीतिसे दशपोते जिनके चारबापथे सो मरगये उनके मरेपीछे दादा के धनमें दशपौत्रोंने विभाग करनाचाहा तब दशभाग न होंगे किन्तु चारभागहोंगे जिनमें एकभाग उनचार पोताओंको और एकभाग तीनपोताओंको और एकभाग दो पौत्रोंको और एकभाग एकहीपोतेको मिलैगा-यहीन्याय उसदशामें भी स्वीकार है कि जब दादाके कोईपुत्र मरजायँ और कोई बहिजायँ किन्तु विदेशमें जाकर जिनकापता न लागै-या संन्यासीहोजायँ तौ उनके बेटे भी बापहीका भाग पायाकरते और आपसमें फिर बँटकरलेते हैं-यही विधान शिवजीने कहाहै-यथा ( अजीवत्पितृ कःपौत्रःपितृव्यैःसहपार्वति । पितामहस्यद्रविणात्स्वपितुर्दायमर्हति ) अर्थात्-शिवजी ने कहाहै कि हे पार्वति जिसपोताका पितानहो वह पोताभी अपने दादाके धनमें से पितृव्योंके साथ निज पिताका विभाग पानेयोग्यहै-इत्यादि प्रमाणोंसे यह व्यवस्था वाचनिकी नियतहुई समुभौ क्योंकि इसमें और कोई नियम नहीं घटिसक्ताहै वाचनिकी व्यवस्था वही कहलाती है जो किसी पूर्वोक्त या उत्तरोक्त नियमके होतेहुये-भी उस मुख्यनियमको छोड़कर औरही किसीनवतर वचनसे संसिद्धकरीजाय(दृष्टान्त) जैसे यहीव्यवस्था वाचनिकी इसहेतुसे कहलाईहै कि पूर्वोक्त मुख्य वह नियम जो (बाप और दादाकेभी धनमेंस्वत्व जन्महीसे) कहाथा तिसको छोड़कर (और) उत्तरोक्त वक्ष्यमाण मूल श्लोकवाला नियम जो (बाप बेटा दोनोंकातुल्यात्मक स्वामित्व दादा के धनमें) बतलावेंगे तिसकीभी उपेक्षाकरिके केवल अत्रोक्त (पितृतोभागकल्पना) इस नवतर वचनसे संसिद्धकरीगई कि पिताकेही द्वारा उनके भाग मिलसक्तेहैं-वाचनिकी अर्थात् एक वचनमात्रसे संसिद्धकरीगई १२३ अब निचले मूल श्लोकसे पैतामह धनका विभाग उसदशामें प्रदर्शितकरेंगे कि यदि पौत्रोंकापिता जीताहो और अपने भाइयोंसे भी जुदाहोचुकाहो अथवा उसके भ्राता कोई न हों १२३ ॥

भूर्यापितामहोपात्तानिवंधोद्रव्यमेवच । तत्रस्यात्सदृशंस्वाम्यंपितुःपुत्रस्यचैवाहि १२४ ॥

अक्ष०-जो पितामहकी उपात्तकरी भूमि या निबंध या द्रव्यहो तिसमें पिता और पुत्रकाभी स्वाम्य सदृशहै १२४ ॥

अभि०-यहवचन उसअपेक्षामें प्रदर्शितकियाहै कि यदि कोई यह संदेहसेपूछे कि-जिन पौत्रोंका बाप अपने भाइयोंसे निजपिताका धन बाँटकर विभक्त होचुकाहो या जिसबापके भ्राता निपटनहों इसहेतुसे निजपिताकाधन सभी उसनेपायाहो तौ इस प्रकारके पैतामह धनमें पौत्रोंका विभाग उनके बापके जीतेजी क्या न होना चाहिये क्योंकि इससे पहले ऊपरले वाक्यमें बापोंके मरेपीछे (पितृतोभागकल्पना) यह कह-

चुके हैं कि मरेहुये बापोंकेहीद्वारा भाग मिलसक्ता है (अथवा) इसप्रकारके पैतामह धनमें पुत्रोंका विभाग उनकेबापके जीतेहुये क्या बापहीकी इच्छासे होसक्ताहै क्यों- कि जो धन बापके हाथमें आचुका सो यदि स्वार्जितके समान समुभाजाय तो उस बापहीके आधीन उसकावांटभी संभवहोसक्ताहै-इसआशंकारूपी प्रश्नोंकी निवृत्तिमें यह वाक्य योगीश्वर ने प्रदर्शित कियाहै कि (धरती) जो दादाने प्रतिग्रह या विजयादि प्रकारोंसे उपार्जन करीहो और (निबन्ध) नाम कोईसा बन्धान बसौड़ी वा छमाही वा मासिक आदि जो दादाके नामसे किसी राजद्वारादिमें मिलताहो और (द्रव्य) नाम सोनाचांदी आदि जो कुछ दादाने निजपरिश्रमद्वारा कोईभाँतिसे जोड़ा हो इन सबधनोंमें (पितापुत्र दोनोंका) अर्थात् अर्जयिता दादाकेबेटा और पोताका भी स्वामित्व जिसहेतुसे लोकमें प्रसिद्धहै कि (सदृश) ही अर्थात् एकसा तुल्यात्मक होताहै किंतु दोनों में न्यूनाधिकभावनहीं-तिसहेतुसे ऐसे पैतामह धनमें पोताओंका विभाग केवल बापके मरनेपरही नहीं किन्तु बापके जीतेजी भी होताहै और केवल बापकी इच्छासेही नहीं किन्तु पुत्रोंकी भी इच्छासे होताहै और ऐसे धनमें बापके दो भाग भी नहीं किन्तु पुत्रों के समानभागहोताहै १२४ ॥

अधि०—इसी अत्रोक्तमर्यादाकेहेतुसे इस्से पहलेमूलश्लोकमें (पितृतोभागकल्पना) इस नियमको वाचनिकठहरायाथा कि समस्वामित्वके होनेपर भी इस व्यवस्थाको वाचनिकी समुभौ-और-जो कि चवालीसवेंपरिच्छेदमें ११७ वाले मूल श्लोकसे यह कहाथा कि (यदि पिताही अपनी इच्छासे विभागकरै) यह पिताकी इच्छा जो प्रधान रक्खीगईथी सो भी अत्रोक्त मर्यादाकेहेतुसे निज पिताकेही स्वोपार्जित धन संबंधी जानो क्योंकि पैतामह धनमें केवल पिताकी इच्छाकी प्रधानता नहीं है—ऐसेही-पिताको पुत्रों से दूनाभाग लेनेके मध्ये जो यह वाक्य नियत हुआहै कि (द्वावंशोप्र तिपद्येतविभजन्नात्मनःपिता) अर्थात् पिता अपने पुत्रोंको विभागदेनेसमय अपने लिये (दोअंश) कहिये दो पुत्रोंके समान भाग रखिलेवै-सो यह नियमभी निजस्वोपा- र्जित धनसंबंधी जानो क्योंकि पैतृक धनमें उसका और उसके पुत्रोंकाभी स्वत्व स- मान इस अत्रोक्त मर्यादामें निश्चितहै-ऐसेही-पुत्रोंके पारतंत्र्य मध्ये जो यह वाक्य नियत हुआहै कि (जीवितोरस्वतंत्रःस्याज्जरयापिसमन्वितः) अर्थात् बेटा चाहै बड़ा भी होजाय पर माता पिताके जीवतेहुये वह स्वतंत्र नहीं है किन्तु धनके व्ययविभाग आदि विषयोंमें माता पिताके आधीनहै (सो) यह आधीनताभी माता पिताके उपा- र्जित किये धनका नियमहै कि उनके धनमें बेटा उन्हींके परतंत्रहै किन्तु पैतामह धन में इतना बड़ा पारतंत्र्य नहीं-नर्थव-एक यह वाक्यहै कि (अनीशास्तेहिजीवतोः) अ- र्थात् सभी बेटे माता पिताके जीवतेहुये असमर्थहैं (सो) यह असामर्थ्यभी उन्हींके

धनका नियम जानो किन्तु पैतामह धनका नहीं-अब इन सभी वाक्योंका सुसिद्धफल दर्शाते हैं कि-यतः-(सरजस्कायांमातरिसृष्टहेचपितरिविभाग मनिच्छत्यपिपुत्रे च्छयापैतामह द्रव्य विभागो भवति )-अर्थात्-जिस हेतुसे कि लोकमें पैतामह धन का विभाग पुत्रोंकी इच्छासे उस अवस्थामेंभी होताहै कि यद्यपि माताभी सरजस्का बनीहो और पिताकोभी धनके भोगमें सृष्टहा बनीहो और पिता अपने पैतृक धनका विभाग करनेकी इच्छाभी न करताहो-इसके सिवाय-यद्यपि बेटे बांटकराना तौ नहीं चाहें पर उनके दादाका धन यदि बाप किसीको देताहो या बेंचताहो तौ निषेध करने केभी अधिकारी पुत्रहोते हैं परन्तु बाप यदि अपना स्वार्जितधन किसीको देताहो या बेंचताहो तौ निषेधके अधिकारी बेटे नहीं हैंतथाहि-(पैतृके पैतामहे चस्वाम्यं यद्यपि जन्मनैवतथापिपैतृकेपरतंत्रत्वात्पितुः स्वार्जकत्वेनप्राधान्याच्चपित्राविनियुज्यमाने स्वार्जितेद्रव्येपुत्रेणानुमतिः कर्त्तव्या-पैतामहेतुद्वयोःस्वाम्यमविशिष्टमितिनिषेधाधिकारोप्यस्तीतिविशेषः )-अर्थात्-पिताके औरदादाकेभी धनमें स्वामित्व यद्यपिजन्महीसे होताहै तौ भी पिताके धनमें पराधीनत्वसे और पिताकी निज कमाई होनेके हेतुसे उसीके प्रधानत्वसेभी यदि पिता अपने द्रव्यको किसी मार्गमें लगानाचाहै तौ पुत्रको अनुमति देनी योग्यहै निषेधका अधिकार नहीं-परन्तु-दादाके धनमें दोनोंका स्वामित्वएकहीसा अविशिष्टहै इसलियेनिषेधकाभी अधिकारहै यह विशेषतासमुभलेनी मनुकेभी इसअग्रोक्त वचनकासिद्धांत यहीहै-तद्यथा-(पैतृकंतुपिताद्रव्यमनवास्तंयदा म्रुयात् । नतत्पुत्रैर्भजेत्सार्द्धमकामःस्वयमर्जितम् )-अर्थात्-पिताजो अपने पिताका डूबाहुआ धनउभारै तिसको निज पुत्रोंसाथ अपनी इच्छाविना विभागमें नबाँटे किन्तु अपनी इच्छासेही जैसे निज पैदाकिये धनका भागदेता तैसे देनाचाहै तौ बाँटिदेवै क्योंकि यहधन उसने नये सिरसे निज आप अर्जित किया अर्थात् उसके पुत्रोंके निकट अबयह पैतामह धनमें गिनती नहीं रहा सिद्धांत इसका वहीहै कि जो पैतामह धनमें गिनती होता तौ निज इच्छाविना भी पुत्रोंकी इच्छासे विभागकरिदेना परता यह मर्यादा मनुने हेतु गर्भित ध्वन्यर्थसे दर्शाई है-( अत्रचवांगदेश विशेषः ) यहव्यवस्था जो ऊपर वर्णन हुई सो बाराणसी संवंधी देश विभागों में विशेषतर स्वीकार है-किन्तु-बंगाले में इस विषयकी परिपाटी कुछ कुछ इस्से विपरीतहै-अर्थात्-बंगालेमें यह मर्यादाहै कि जबतक बापजीतारहै पुत्रोंको अधिकार नहीं है कि निज पैतामह धनका विभागकरवाने के निमित्तमें बापको प्रवृत्ततासे इच्छाकरवावें केवल उसदशा में अधिकार होताहै कि जो बापका (स्त्व ) ही अपने बापके धनमें से मिटजाय दृष्टांत जैसे संन्यासी होजावै या जातिच्युत होजाय-इसके सिवाय कुछ आधुनिक धर्मकारोंने यह मर्यादा लिखकर दर्शाईहै कि जिन पुत्रोंको विमातासे पीड़ा मिलतीहो सिर्फवही

पुत्र राजद्वारमें प्रार्थना रखकर अपने दादाके धनमें से निजपितासे विभागलेसके हैं परंतु पिताके धनमेंसे इसदशामें भी नहीं लेसके जबतक पिताजीताहो (इतिबंगालदेशविशेषः) -(अथप्रासंगिकव्यवस्था) यद्यपि यहाँ पोताओंकी अपेक्षासे उस पैतामह धनका विभाग वर्णन होरहाहै जो दादाके हाथसे बापमें आचुकाहो परंतु उसीधनके प्रसंगसे कुछ पैतृक धनका भी चर्चा इसमें आयाहै कि यदि पिता अपने धनको किसी मार्गमें लगावै या देनाचाहै तो पुत्रोंको अनुज्ञा देनीयोग्यहै निषेधका अधिकार उनको नहींहै (सो) इसवचन में धनशब्द सामान्य भावसे कहागया कुछ विशेषता उसकी नहीं जानीगई इससे यह आशय पायाजाताहै कि पिता अपनी कमाईकाचाहै जंगम या स्थावर धनभी देदेना या वेंचनाचाहै तो पुत्रोंको निषेधका अधिकार नहींहै-और-यही आशय अग्रोक्त शिवजीके वचनमें स्पष्ट भावसे प्रदर्शितहै-यथा-(स्थितेपुत्रेऽथवापत्यां कन्यायां तत्सुतेपि वा । जनकेचजनन्यांवाभ्रातर्यैवंस्वसूर्यपि । स्वार्जितं स्थावरधनमस्थावरधनं च यत् अस्थावरं पैतृकं च दातुं सर्वक्षमो भवेत् ) अर्थात्-शिवजीने यह कहाहै कि धनी अपने पुत्रके मौजूदहोतेहुये और पत्नीकेभीहोतेहुये और बेटोंके या धेवतेकेभीहोते हुये एवं अपने पितामाताके होतेहुये और भाई या बहिनकेभी होतेहुये अपनी कमाईका जंगम तथा स्थावर धनभी और पैतृक धनकेवल जंगम जो अपने हाथमें आचुका हो यह सब तरहका धन देदेनेको समर्थहै अर्थात् देतेहुये इनमेंसे कोईभी निषेधका अधिकारी नहींहै-सो-यहवात उस व्यवस्था से विरोध पाती है जो तेंतालीसवें परिच्छेद में स्वत्व निरूपणके स्थलपर निर्णीत होचुकीहै कि स्थावर धनका दान या विक्रय पुत्रादिकदायदोंकी अनुमति विना सिद्ध नहीं होता चाहै अपनी कमाई का हो या पैतृक हो-और शिवजीके अग्रोक्त दो और वचनोंसे भी यही आशय पायाजाताहै कि पैतृक धनकेवल स्थावर को छोड़कर अन्यसब धनोंके दान या विक्रयमें पुत्रादिकों की अनुमतिसे अपेक्षा नहींहै-तथाच-(नसमर्थः पुमान् दातुं पैतृकं स्थावरं च यत् । स्वजनायाथवान्यस्मै दायानुमतिं विना ॥ यत्तु स्वोपार्जितं रिक्थं स्थावरं स्थावरेतरत् । अस्थावरं पैतृकं च स्वेच्छया दातुमर्हति )-अर्थात्-जो पैतृक धन स्थावरहै सो तो पुरुषकिसी अपने घरूजनको या परायेकोभी दायदोंकी अनुमति विना अर्थात् पुत्रादिकोंसे बूभे विना देनेको समर्थ नहींहै-परन्तु-जो अपना पैदाकिया धनचाहै जंगम या स्थावर हो और जंगम धन पैतृकभी कि जो अपने हाथमें आचुकाहो अपनी इच्छासे ही देदेनेके योग्य है इसमें किसीकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं-और योगीश्वरने इसी १२४ वाले मूलश्लोकमें सोना चांदीआदि जंगमधन भी जो निज पितासे पायेहों तिनमें उसके पुत्रोंकी भी तुल्यात्मक स्वामित्व दर्शाया और इर्माहेतुसे ऐसे जंगम धनोंके दान या विक्रयमें पुत्रोंको निषेध का अधिकार पायागया तो यह प्रत्यक्ष विरोध क्योंकर शान्त

होसकै-इसलिये-इस विरोधपर व्यवस्था दीजातीहै कि योगीश्वरने यहवचन केवल विभागकी अपेक्षा में प्रदर्शित कियाहै कि ऐसेधनोंका विभाग बेटेपिताकी अनिच्छा परभी करवाइसकते हैं और दान या विक्रयकाचर्चा उसके प्रसङ्गमात्र से दर्शायागया कुछयहांपर अवसरउनकानहींथा(और)उसीकेप्रसङ्गमात्रसे शिवजीकेजोदोचारवाक्य लिखेगये तिनकाभाव उसदशापर संसूचितहै कि जबविभागका कुछ प्रसङ्गनहो कि-सी साधारणभावके अवसरमें यदिपिताऐसे उक्तधनोंका दान या विक्रय करनेलगे तौ उसपिताको स्वाधीनताहै कोई रोक नहीं सक्ता-यथाहसदाशिवः-(धनमेवंविधाने नदत्तम्वाधर्मसात्कृतम् । पुंसातदन्यथाकर्तुंपुत्राद्यैर्नैवशक्यते)-अर्थात्(एवं)कहियेइस विधानसे कि जैसीमर्यादा पहलकहचुके हैं पुरुषने जो धन किसीको देदियाहो या धर्मकार्यमें लगायाहो तिसको पुत्रादिकमेंसे कोईभी अन्यथा नहींकरसक्ता-सो-यह साधारणभावकी मर्यादाभी सर्वस्वदान या सर्वस्वविक्रय की स्वाधीनतामें न समुझी चाहिये क्योंकि यदिऐसाकरनेपर समुद्यतहोगा तौ तत्काल पुत्रादिक रोकसकतेहैंक्यों कि रोकसकनेकी मर्यादाआगे १८० वालेमूलश्लोक से वर्णनहोगी( और)सबका यह सिद्धान्तहै कि पिताकीइच्छा और स्वाधीनताभी केवलउन्हीं दशाओंपर संसूचितहै कि जबउसको आत्मीय उचितखर्चकी परम आवश्यकताहो या विवाहादे धर्म कृत्योंमें या वाचनिक प्रक्रियाओंमें प्रसाद दानमें कुटुम्ब भरणमें आपद्धिमोक्षणआदि कामोंमें जैसी कुछयोग्यता पाईजाय तैसाही कार्यसाधन मात्रकादान या कार्यमात्रका विक्रयभी निजकमाईके द्रव्योंमेंसे पुत्रादिकोंकी अनुमति विनाभी करसक्ताहै १२४ ॥

इतिप्रासङ्गिकव्यवस्था ॥

अथ विभक्तजसुतविभागविशेषापेक्षायां-विभक्तयोर्मातापित्रोर्धनविभागोनाम

अष्टचत्वारिंशःपरिच्छेदः ४८ ॥

इस अड़तालीसवें परिच्छेद में उस पुत्रका विभाग मिलनेकी अपेक्षासे कि जो विभाग होनेके पीछे पैदाहुआहो उस पिताकाधन बँटनेकी व्यवस्थाजानीजायगी जो अपनेपुत्रोंको धन विभागदेकर जुदाकरचुकाहो ॥

विभक्तजसुताजातःसवर्णायांविभागभाक् १२५ ॥ पूर्वाद्धीयं ॥

अक्ष०-विभक्तोंपर सवर्णामेंसुत पैदाभया विभागभार्गीहो १२५ ॥

अभि०-यदि पुत्रोंका विभाग होजाने पीछे सवर्णापत्नीमें कोई बेटाऔरभी उत्पन्न हो तौ वह पितामाता का विभाग पावै जो पिताने अपने लिये और अपनी भार्या के लिये निजपुत्रोंके साथमें दो भाग या एकहीभाग लियाथा अर्थात् दोनोंकेमरनेपर वहपुत्र उनके अंशोंका भागीहुआ करता है पर माताका भाग तब पाताहै कि यदि बेटियाँ माताके नहीं-और जो असवर्णा पत्नीमें उत्पन्न होतौ वह १२८वाले वदत्रमाण

मल इलोकमें कहीहुई मर्यादाके अनुसार अपनाही भागपिताके भागमेंसेपाताहै और निजमाताका सभीअंश लेताहै १२५ ॥

अधि०—मनुनेभीइसवातकोकहाहै-यथा-(ऊर्ध्वविभागाज्जातस्तुपित्र्यमेवहरेद्धनम्) अर्थात्-विभाग होनेसे उपरांत पैदाभया पुत्र(पित्र्य)नाम पितामाता दोनोंका धनहरै- इसनियमका यहप्रमाणहै-यथा(अनीशःपूर्वजःपित्रोर्भ्रातुर्भागेविभक्तजः)अर्थात् विभागसे पहले जन्मा पुत्रतौ माता पिताका भागपानेमें अधिकारी नहीं क्योंकि वहअपना भागलेचुका और विभागसे पीछेजन्मापुत्र उसभाईके भागमें अधिकारीनहीं जोपहले भागलेकर जुदाहोचुका-इसके सिवाय-जोकुछ पिताने विभाग होजानेपीछे धन पैदा कियाहो सोसब उसीपुत्रका होताहै जोपीछेपैदाहो-तथाच(पुत्रैःसहविभक्तेनपित्रायत्स्व यमर्जितम् । विभक्तजस्यतत्सर्वमनीशाःपूर्वजाःस्मृताः)अर्थात्-पुत्रोंसेविभक्तहोजानेपर जो पिताने आपही धनकमायाहो सोसब विभागसेपीछे जन्मेकाहोताहै उसके मालिक पूर्वजवेटेनहींहोते-परंतु-जुदेहुयेवेटे यदि कोईउनमेंसे पितामेंफिर मिलगयेहोंतौ विभाग सेपीछे जन्मावेटा वापके मरजानेपर उनभाइयोंकेसाथ अपना सम विभागकरै-यथाह मनुः(संसृष्टास्तेनवायेस्युविर्भजेतसनैःसह)अर्थात्-जोकोई भ्राता उसके साथ मिलेहों तिनकेसाथ वहविभाग अपनाकरै ॥ १२५ ॥ यहव्यवस्था उसदशाके निमित्तमें कही गई कि यदि पिताकेजीते विभाग पहिला हुआहो-अब निचले अर्द्धासे उसदशाकी व्यवस्था कहीजायगी कि यदि पिताके मरनेपीछे वेटेवाँटकरेंतौ विभक्तज वेटेका भाग कैसे मिलना चाहिये १२५ ॥

दृश्याद्वातद्विभागःस्यादायव्ययविशोधितात् १२५ ॥

ऐ०—यद्वा उसका विभाग आयव्यय विशोधित कियेदृश्य धनमेंसेहो अर्थात् जो पिताके मरनेपीछे तत्कालही पुत्रोंने विभाग कियाहो कि जब तत्काल माताके गर्भ नहीं प्रतीत होसक्ताथा और विभाग होजानेपीछे उनकेभ्राता पैदाहोतो उसभ्राताका विभाग कहाँसेआवे क्योंकि पितातौ मरचुकाथा इससे पिताका विभाग नहींहै जिसको वहपावे इसलिये यहनियम दर्शातेहैं कि ऐसे पुत्रका विभाग उन्हीं भ्राताओंके विभक्त धनमेंसे मिलना चाहिये सो किसरीतिसे कि आयव्यय विशोधितकियेधनमेंसे-आशय इसका यह कि जो उसघरमें साहूकारा आदि कोई व्यापार होताहोतौ विभाग हुये पीछे जबतक उसका जन्महो या जन्महुये पीछेभी जबतक दूसरा करविभाग कल्पित कियाजाय तबतक जो कुछ उमवँटेहुये धनकेद्वारा व्याजवटा आदि लाभकी वृद्धिहुई हो सोभी उसमें जोडलेनी चाहिये सोतौ आय विशोधन कहलाता है और (व्यय) विशोधन इनकानामहै कि उसधनमें से जो पिताका ऋण उद्धार पुत्रोंने कियाहो या पिताके नाम से औरहीकुछ खर्चापराहो सो सब धनमेंसे हीनकरिके शेषधनमेंसे उस



भ्राताकाभान निकालकर उतना देनाहोगा जो सभी भ्राताओंके तुल्य होजाय १२५ ॥

अधि०—यही नियम शास्त्रमें कहाहै—यथा (प्रातिस्विकेषुभागेषुतदुत्थमायंप्रवेश्य पितृकृतंचर्णमपनीयावशिष्टेभ्यःस्वेभ्यःस्वेभ्योभागेभ्यःकिंचित्किंचिदुद्धृत्यविभक्तजस्यभागःस्वभागसमःकर्त्तव्यः) अर्थात्—प्रातिस्विक भागोंमें उनका बड़ाहुआ लाभ उन्हीं में जोड़कर पिताकाऋणभी उनमेंसे निकालकर बचेहुये निजनिज भागोंमेंसे थोड़ाथोड़ा निकालकर विभक्तज भाईकाभाग अपने भागोंके समान कर्त्तव्यहै (प्रातिस्विकभागवे कहलातेहैं जो बाँटकर निजनिज धर्मोंका जुदावर्त्तावा करने लगेहों) यहीमर्यादा—उस भतीजेकीभी समुभ्लेनी जो निःसंतान भाई मरचुकाहो और उसकी भार्याका गर्भ यदि विभागहोते समय प्रतीत न हुआहो और विभाग होजानेपीछे संतान पैदाहो—संतान शब्द कहनेसे पुत्रीकीभी व्यवस्था यथायोग्य समुभ्लेनी—और—जो विभागकाल में माता या भ्रातृ भार्या गर्भवती देख परतीहो तौ फिर तबतक विभाग नहीं करना चाहिये जबतक उसके प्रसवहो किन्तु प्रसवके होनेपीछे कर्त्तव्यहै—यथाहवसिष्ठः(अथ भ्रातृणांदायविभागोयाश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात् ) अर्थात्—पिताकेमरेपीछे भाईयोंका विभाग तबहोना चाहिये कि जो स्त्रियाँ निःसंतानी सगर्भाहों तिनकेपुत्र जब उत्पन्नहो १२५ ॥ अब निचलेमूल श्लोकमें यहकहेंगे कि यदि पिता अपने जुदेहुये पुत्रोंको कुछप्रसाद इवदेदेवै उसमें विभक्तज पुत्रका दावानहींहै १२५ ॥

पितृभ्यांस्ययदन्तत्तस्यैवधनंभवेत् १२६ ॥ पूर्वार्द्धोऽयम्

ऐ०—माता पिताओंने जो जिसको दिया सोवह उसीका धनहोवै अर्थात् १२५ के पूर्वार्द्धमें यद्यपि यहमर्यादा नियत होचुकी है कि विभागसे पीछे जन्मापुत्र अपने पिता और माताकाभी संपूर्ण अंशलेता है तथापि यह शिष्टाचारिक मर्यादा है कि यदि पिता अपनेजुदेहुये पुत्रोंमेंसे किसीको आभूषण आदि कुछ प्रसाद इवस्नेह करके देवै तौ विभक्तज पुत्रको देनेका प्रतिषेध न करनाचाहिये और जोपिता पहलेदेही चुकाहो तौ उसमें भूठादावाभी न करनाचाहिये क्योंकि वह धन उसीका होचुका जिसको दियागया और इसमें उसन्यायकी समता भी प्रसिद्ध है कि विभाग से पहले पिता जो जिसको देदेताहै तिसका फिर विभाग नहीं कियाजाता किन्तु पितृ प्रसादकी अविभाज्यता भी छियालीस ४६ के परिच्छेदमें प्रदर्शित होचुकीहै—परन्तु यह स्मृति भी आवश्यकहै कि यह प्रसाद केवल आभूषण आदि जंगम धनोंकाहोताहै किन्तु स्थावर धनके प्रसाद दानका प्रतिषेधहै इसलिये यदि पिताने स्थावरका प्रसाददान कियाहोगा तौ विभक्तज भाई प्रत्याहरण करलेनेका अधिकारी होगा—एवं—यदि विभक्तज पुत्रनहो तौ मातापिताका भाग उनकेमरने पीछे वेही पुत्र बाँट लेवेंगे जो पहले जुदेहोचुके थे पर इसदशामें भी ऊर्ध्वोक्त मर्यादा मानीजायगी कि उनपुत्रों

में से जिसकिसी को जो कुछ पिता माताने प्रसाद इवदेदियाहो सो वह उसीका धन होचुका अर्थात् उसमेंसे विभाग सबका नहींहै और उस प्रसाद पानेवालेका विभाग इसमें उसी समान होगा जैसा और सबको मिलै किंतु प्रसादके हेतुसे विभाग उस का कमतर नहीं होसक्ता १२६ ॥ अब निचले अर्द्धामें माताको समभाग मिलना कहते हैं १२६ ॥

पितुरुर्ध्वविभजतांमाताप्यंशंसमंहरत् १२६ ॥

ऐ०—पिताके उपरांत भागकरतेहुये पुत्रोंकी माताभी समान अंश हरे-अर्थात् यदि पिताके मरने पीछे माताके जीवतेहुये पुत्रोंने विभाग किया हो तो माताभी निज पुत्रोंके समान भाग पातीहै सो उसदशामें कि यदि माताने निज भर्तासे या ससुरा आदि से ( स्त्रीधन ) संज्ञक पूँजी नहीं पाई हो किंतु यदि ऐसी पूँजी पहले पाचुकी हो तो फिर पुत्रोंसे आधाभाग पावेगी सो यह आधेकी मर्यादा आगेस्त्रीधनके परिच्छेद में १५३ वाले मूलश्लोकसे प्रदर्शित होगी-माताको पुत्रों के समान अंशपाने की मर्यादा पहले उसदशामें भी वर्णन होचुकीहै कि यदि पिता अपने जीतेजी पुत्रोंको विभक्त करदेवै सो यह देखो ११८ का मूल श्लोकचवालीसके परिच्छेदमें १२६ ॥

अधि०—इस मिताक्षरा आदि बहुधाग्रंथ जो वाराणस्यादिदेशविभागोंमें स्वीकारहैं और वे ग्रंथभी जो दक्षिणदेशी देश विभागोंमें स्वीकारहैं तिन सब ग्रंथोंके अनुसार यह मर्यादाहै कि पिताकी निपूती पत्नियोंभी पुत्रोंके समान भाग पानेको अधिकारिणी हैं क्योंकिइनग्रंथोंमें माताशब्दसामान्यभावके आशयसे पुत्रोंकी स्वकीय माता और विमाताभीअपेक्षितहैं-इसकेसिवाय-देश विशेषोंकी अपेक्षासे सामान्य भाव यहमर्यादा भी सुनिश्चित है कि पिताको सपूतीपत्नियोंको पुत्रोंके समान भागमिलनाचाहिये और पिताकी निपूती पत्नियोंको उनके यथोचित आजीवनमात्रका नियतकरदेना योग्य है १२६ ॥ अबनिचले परिच्छेदमेंअसंस्कृत भाईवहिनोंकी व्यवस्थाकहीजायगी १२६ ॥

अथासंस्कृतभ्रातृभगिनीनांसंस्कारधर्मविवेकोनामऊनपंचाशत्परिच्छेदः ४९ ॥

इस उनचासवें परिच्छेद में वह धर्म जानाजायगा कि जो कोईभ्राता या वहिन संस्कारसे विहीन हों तिनके संस्कारकरनेका अधिकार किसकोहै ॥

असंस्कृतास्तुसंस्कार्याभ्रातृभिःपूर्वसंस्कृतैः १२७ ॥ पूर्वाद्धोऽयम्

ऐ०—पूर्वसंस्कृत भ्राताओं करके असंस्कृत भी संस्कार करनेयोग्यहैं-अर्थात् पिता के मरनेपीछे यदि कोई भ्राता असंस्कृत रहे हों तिनके संस्कारकरने में किसका अधिकारहै इसआशंकाकीअपेक्षामें कहनेहैं कि जिनभाइयोंके संस्कार पहले होचुकेहों उन्हींका अधिकारहै कि सब मायागणधनमेंसे अनन्यहताकेभी संस्कार अर्थात् मूडन कनछेदन यज्ञोपवीत पाणिपीडन आदि सब यथोचितविधिसे करिदेवें-सिद्धांत इस

कायह कि यदिपिताके मरनेपीछे शीघ्रही पुत्रोंका विभाग होनेलगे तौ उसदशामेंभी असंस्कृत भाइयोंके संस्कारों योग्यधन पहले सबधनमेंसे निकासि दियाजाय तब सबके भाग कल्पित कियेजायँ १२७ ॥ अबनिचले अद्दासे बहिनोंकी संस्कार व्यवस्था कहतेहैं १२७ ॥

भगिन्यश्चनिजादंशा इत्वाशन्तुतुरीयकम् १२७ ॥

अक्ष०—बहिनैंभी निज अंशमेंसे चौथाई देकर विवाहि देनेयोग्यहैं १२७ ॥

अभि०—इसकथनसे यह बात पाईजाती है कि पिताके मरने पीछे भाइयोंके विभाग साथ बहिनैंभी अंश भागिनी होने योग्यहैं पर यहबात परिपाटीसे असंगतहै किन्तु अभिप्राय केवल यही है कि बहिनोंके विवाह यथा विधिसे कियेजायँ या विवाहों योग्य धन काढ़िकर जुदा कियाजाय-तहां-ऊपरले अक्षरार्थका यह आशय नहीं है कि प्रत्येक भाइयोंके अंशोंमेंसे चौथाई लेलेकर बहिनोंको दिया जाय किन्तु यदि यही आशय होता तौ किसी दशामें बहिनोंको भाइयोंसेभी अधिक मिलसक्ता(दृष्टांत) जैसे आठ भाई और एक बहिन इस दशामें भाइयोंसे चौथाईभाग लिये गये तौ आठ चौथाई के पूरे दोभाग एक बहिनको मिले और भाइयोंको पूरा एक एकभी न मिला केवल पौन पौन भाग पल्लेपरा सो यह क्योंकर न्यायात्मक समुभाजाय-इसीप्रकार जहां भाई थोड़े बहिनैं बहुतहों तहां भाइयोंको निपट निर्द्धनता होसक्ती है (दृष्टांत)जैसे एकभाई चारबहिन इस दशामें भाई यद्यपि सभीधनका मालिक हुआ परन्तु चार बहिनोंको एक एक चौथाई देनेसे खाली हाथ रहगया इसके सिवाय यदि पांचवीं छठी बहिन एकदो औरभी हों तौ फिर भाईको अपना पीछा ढुड़ानाभी दुर्घट होजाय इस अनर्थक नियमसे वही वार्त्ता उत्तमथी कि बहिनोंकोभी भाइयोंकी वरावर दायमिलनाकहा जाता इसलिये इस व्याख्याकोही निपट निरर्थक जानो-किन्तु यह व्याख्या सिद्धहोती है कि एकभाईको जितना भाग मिलाहो तिसकी चौथाईकी वरावर बहिनैं पावें परंतु यह व्याख्याभी अक्षरार्थसे असंगतहै और न्यायसेभी विरुद्धहै-इसलिये अक्षरार्थके अनुकूल यह व्याख्या करनी चाहिये कि ( भगिन्यःनिजात् अंशात् ) अर्थात् बहिनैं निज निज अपनेही अंशोंमेंसे चौथाई अंश पावें और उनके तीन पाद वचेहुयेभी भ्रातालेवें(दृष्टांत)जैसे एकभाई और एकही बहिन होतौ सबधनके दो भाग पहलेकिये जायँ एकभाग भाईनेलिया और दूसरा उसकीबहिनके नामका ठहराक्योंकिजो दूसरा भाई होता तौ अवश्यही दूसरे भागको लेता परन्तु दूसरे भाईके स्थानपर बहिन है जिसको भाईके समान भागमिलने का अधिकार नहीं इसलिये बहिन अपनेपूरे भाग मेंमे चौथाई पावै और उसके तीनपाद जो शेषरहे तिनको भी भाईलेलेवेइसरीतिसे भाईने सात चौथाई पाई और एकचौथाई बहिनको मिली(ऐसेही)जब दो भाईहों एक

वहिन हो तब तीन भागलगाकर एकमें से चौथाई वहिनपावै और शेषग्यारह चौथाइयांदोनों भाई साढ़ेपांचपांच बाँटिलेवै ऐसेही जब एकभाई और दो वहिनैहों तौ भी तीनभागलगाकर एक भागकी चारचौथाई करिकै एकएक वहिनोंको दीगई शेष दशचौथाइयोंको एकभाईनेपाया यहीव्यवस्था ठीकहै १२७ ॥

अधि०—व्यवस्था यद्यपि ठीकहै पर इसमें अभीकुछभेद कहना शेषहै क्योंकि यह व्यवस्था केवल सजाती भाईवहिनोंमें ठीकहै-अर्थात् यदि पिताके स्त्रियां कईजातिकी हों और किसीजातिकी भार्याके बेटे और किसीजाति से बेटीहों तब इसरीतिसे भाग नहींलगता-क्योंकि-वहिनोंका अपना भाग जो अक्षरार्थ में कहागया कि अपनेभाग की चौथाईपावै सो वह अपना भागभी भाईकाही कहलाताहै इसलिये जिसजाति की मातासे वहपैदाहुईहो उसीजातिके भाईको जो भाग मिलसक्ता तिसकी चौथाई उसको मिलसक्तीहै तात्पर्य इसकायह कि इससे अगले १२८ वालेमूलश्लोकसे जो मर्यादा कहीजायगी तिसके अनुसार ब्राह्मणीका बेटा तौ पूरा अंशपाताहै क्षत्राणीका बेटापौना अंशपाताहै वैश्यानीकाबेटा आधाअंश पाताहै शूद्राका बेटा पावअंश पाताहै-वेहीअंश उनजातों वाली कन्याओं के हिसाबमें जोड़ेजाते हैं (दृष्टान्त) जैसे एक ब्राह्मण के दो भार्यार्थी एकब्राह्मणी एक क्षत्राणी तहाँ ब्राह्मणीका एकबेटा और क्षत्राणीकी एकबेटी इनदोनों का विभागऐसे होनाचाहिये कि पिताके धनके सात भागकियेगये चार भागों का एक पूराभाग मानकर ब्राह्मणीके बेटेको दियागया तीनभागोंका पौनभागहुआ सो क्षत्राणीके बेटा अगरहोता तौ सबका सभीपाता परंतु उसके बेटा नहीं बेटीहै इसलिये उस पौनभागके चारअंशकल्पित करिकै चौथाई बेटीको पूर्वोक्त रीतिके अनुसार देकर शेषतीनपाद वेभी उस ब्राह्मणीके बेटेकोही दियेगये (जहाँ) ब्राह्मणीके दो बेटेहों क्षत्राणीके एकही कन्या तहाँ सब धनके ग्यारहपाद कल्पितकरिकै चार चार पाद ब्राह्मणीके दोनों पुत्रोंको दियेगये शेषतीनपाद जो क्षत्राणीके बेटेके कहातेहैं तिनकेचार अंश करिकै चौथाई क्षत्राणीकी कन्याको मिली शेष तीनअंश वेभी दोनों भाइयोंने डेढ़ डेढ़ बाँटिलिये-ऐसेही जहाँ ब्राह्मणीके दो बेटे और वैश्यानीकी एकबेटी तहाँ सब धनके दशभागकरिकै दोभागोंका आधामानकर उस आधेकी चौथाई कन्याको देकर और बचाहुआ सबधन दोनोंभाई बाँटिलें इत्यादि प्रकारों से सर्वत्र अपनी बुद्धिमें उहाकरलेनी-इसकेसिवाय-मनुके भी अग्रोक्त वचनका सिद्धांत यही है कि जो इस व्याख्या में कहचुके-तथाच (स्वेभ्योऽशेभ्यस्तुकन्याभ्यःप्रदद्युर्भातरःपृथक् । स्वत्स्वादंशाच्चतुर्भागंपतिताःस्युरदित्सवः) अर्थात् (ब्राह्मणादयोभ्रातरोब्राह्मणीप्रभृतिभ्योभगिनीभ्यः स्वेभ्यःस्वजातिविहितेभ्योऽशेभ्यः चतुरांशान्हरद्विप्रइत्यादिवक्ष्यमणेभ्यः स्वात्स्वादंशादात्मावभागाच्चतुर्थभागंदद्युःनचात्मायभागादुद्धृत्यचतुर्थांशोदे

किन्तु स्वजातिविहितादेकस्मादंशात्पृथक् पृथगेकैकस्यैकन्यायैचतुर्थीशोदे  
यइति जातिवैषम्येसंख्यावैषम्येचविभागकलृप्तिरुक्तैव पतिताःस्युरदित्सवइत्यकर  
णेप्रत्यवायश्रवणादवश्यदातव्यताप्रतीयते ) अत्रोक्त संस्कृत व्याख्या और ऊर्ध्वो-  
क्त भाषा व्याख्या दोनोंका एकहीअर्थ है कुछ अंतर नहीं परंतु अत्रोक्त व्याख्या में  
मनुके वचनानुसार इतना अधिक है कि ( पतिताःस्युरदित्सवः ) अर्थात् भाई यदि  
बहिनोंको देना नहीं चाहें तौ पतितहुये ठहरें यह पाप उनको होता है-मनु और  
योगीश्वरके भी वाक्य से सर्वथा यही निश्चित होता है कि यद्यपि बापके जीतेजी  
तौ नहीं पर बापके मरेपीछे बेटियाँ भी भाइयों के साथ दायपाने की अधिकारिणी  
होतीहोंगी-परंतु-लोक में परिपाटी इसकी कहीं भी दिखाई नहींदेती है और जो कि  
यहवातपाईजाती है कि संस्कारों के प्रसंगसे बहिनोंका प्रासंगिक चर्चाकिया है इससे  
उनके संस्कारोंको उपयोगीधनदेना आवश्यकहै ( परन्तु ) श्रीमद्विज्ञानेश्वर इसमें बड़ा  
आग्रहखड़ाकरतेहैं कि संस्कारोंमात्र उपयोगी धनदेनेका सिद्धांत इसमें नहींहै क्योंकि  
मनु और योगीश्वरकेदोनोंवाक्योंमें चतुर्थीशदेनेकीअविवक्षामध्येकोईसा प्रमाणऔर  
नहींहै कि जिस्से उसविवक्षितचौथाईका देनानहींमानाजाय और पीछेसेयोंभी दृढ़ता  
करतेहैं कि हमारे अनुमतके सहायक मेधातिथि आदि आचार्योंकाही व्याख्यान इस  
में चौकसहै इसलिये बापके मरनेपीछे कन्याभी ऊर्ध्वोक्त रीतिसे अंशभागिनी होनी  
चाहिये और बापकेजीतेजी विभागमें जो कुछबाप अपनी इच्छासेदेदेवै सोई पावैगी  
क्योंकि इसमेंकोईसा विशेषवाक्य ऐसानहीं है जिस्सेबापके जीतेजीभी अंशभागिनी  
कहीजायँ-विज्ञानेश्वरकी यह आग्रहरूपी व्याख्या यद्यपि एकहिसाबसे सच्चीहै क्यों-  
कि जो शास्त्रोक्त मर्यादाहै उसमें किन्तु क्योंकर दियाजाय इससे उन्होंने कन्याओंकी  
दीनतापर दृष्टिदेकर उनके प्रक्षसे दोबड़े मुनीश्वरोंके वाक्यों को यथार्थ माना और  
कुमारी व्याहीसभी बहिनोंको अंशदेना ठहराया-तथापि उनवाक्योंका हमारी दृष्टिसे  
यह आशयनहींहै कि बापके मरनेपीछे बहिनेंभी अंशभागिनी करीजायँ क्योंकि जि-  
सवातकी परिपाटीलोकमें नहीं हैं न कभी पहलेथी तिसकी व्याख्याचाहै शास्त्रमर्यादा  
से कितनीही संसिद्धकरो तौ क्याप्रचार उसकाहोसक्ता है (और) जो मनु या योगीश्वर  
का सिद्धांत वहीहोता जैसाउनके वचनोंमें प्रत्यक्ष देखपरताहै तौ फिर संस्कारकेप्रसंग  
से क्यों कहते किंतु संस्कार के प्रसंगसेकेवल कुमारी बहिनें दर्शाई हैं और जो कुमारी  
व्याहीदोनोंभांतिको देना अभिवाञ्छितहोता तौ फिर जहां माताका समानभागहोना  
पिताकेजीवते औरमरेपर भी दोस्थलोंपर दर्शाया उसन्यायात्मक मर्यादाकेसाथ पुत्रि-  
योंको भी चतुर्थीशदेना कहदेते इसके सिवाय जो बहिनोंको चतुर्थीश देनेकी मर्यादा  
न्यायात्मकहोती तौ फिर मनु अपनेवचनमें यह नहींकहने कि ( भाई यदिबहिनोंको

न देना चाहें तौ पतितहोवें ) अर्थात् इस कथनसे यह आशयपायाजाताहै कि भाइयों को न देनेमें भी स्वाधीनताहै किंतु केवल पतित या पापीमात्र कहलावेंगे कुञ्जराजाको अधिकारनहीं है कि यदि भाई निपट न दें तौ न्यायात्मकमर्यादासे राजा दिलवावे सिद्धांत यह कि चौथाई देनेकी मर्यादा केवल शिष्टाचारात्मक रीतिसे विवाहके प्रसंगमें कहदीहै कि भाइयोंको अपनी विना विवाही बहिनोंका विवाहकरना यहांतक आवश्यक है कि चाहे उनको चतुर्थांशभी ऊर्ध्वोक्त रीतिसे व्ययकरदेना परै-कदाचित् यह तर्कणा करीजाय कि जब दोनों बड़े मुनीश्वरोंने प्रत्यक्षभावसे चतुर्थांशका देना लिखाहै तौ फिर उनके वचनोंके प्रभावसे वैसाही आचारभी कर्तव्यहै क्योंकि विवाह तौ चतुर्थांशके मिलनेपरभी होसक्ता है-सो-इसतर्कणामें इतनाबड़ा विरोधहै कि जहां पिताकाधन अतिशय थोड़ाहो और भाई बहिनैं बहुतहों तब इस चतुर्थांशके प्रकार से बहिनोंको इतनाभी मिलसकना दुर्घटहै कि विवाहका कोई अंगसगाई आदिभी साधनहोसकै और भाईइस चौथाई को देकर अपनेभारसे उद्धारहोचुके तब क्याउन बहिनोंको विना विवाही रखनाचाहिये ( अथवा ) पिताकाधन ऐसाढेरहै कि इसचतुर्थांशकी रीतिसेभी बहिनोंको इतना मिलसक्ताहै जिस्से एकछोड़ चारब्याहोंकी सामग्री होसक्ती है और इतना अधिक धन देना बहिनोंको किसीरीतिसेभी योग्य नहीं समुझाजाताहै क्योंकि जो विवाहसे वचाहुआ धन अंशदानकी रीतिसे उन्हींको समर्पण करै तौ फिर वे बहिनैंभी अंशपानेकी हकदार ठहरती हैं कि जिनकाब्याह पहले होचुका और उन्होंने अंशदानके प्रकारसे कुञ्जनहीं पायाथा-इसकेसिवाय-पिताका धन चाहे अतिशय थोड़ाहो या अतिशय ढेरहो दोनोंदशामें यहकठिनाई बड़ीदुर्घटताके साथप्रकटहोतीहै कि क्षेत्र आदि जो जो धन अविभाज्य पहलेकहेगये या कोईबहुत बड़ास्थावरहै कि जो भाइयोंकासदैव साधारणभाव रहिसक्ताहै उसमेंभी चौथाईचौथाई यदि बहिनोंकी कल्पित करीगई तहाँ प्रथम तौ कल्पनाही दुर्घटहोजायगादूसरेयादिक खण्डात्मक नहींकियाजाय तौ सदासर्वदाको उसस्थावर में बहिनोंकाभीसाभाचलाजायगा और उसकी पैदावारी उनको मिलतीरहेगी सो यहवात लोकऔर शास्त्रसेभी प्रत्यक्ष विरोधवालीहै कि नतोंकभी लोकमें यहवातहुई और न आगेको होसकै और शास्त्रमेंभी इसवातकी आज्ञानहींहै तौ फिर क्योंकर उसआग्रहकोयथार्थमानें जिसके अनुसार बहिनैंभी अंशभागिनी ठहराईगई जिसमें नारद गौतम कात्यायन वसिष्ठादिकोंमेंसे किसीकाभी सम्मतनहींहै सर्व निर्णयमार निर्वाणतंत्रजो प्राचीनग्रन्थहै तिसके दायभागमें शिवजीने भी सर्वत्र केवल भाइयोंकाही दायवर्णनकिया और विनाव्याही बहिनोंका विवाह उनपर आवश्यक रक्खा क्योंकि भाइयों को बहिनों के विवाह उम दशामें भी कर्तव्यहोंगेकि यदि भाइयोंने पिताका धनकिंचित् भी न पायाहो यहमर्यादा



है-शिवजीने निपटभाइयों के न-होनेमें पिताका धन बहिनों को बाँटिलेना कहाहै-यथा (विभजेयुर्दुहितरःपुत्राभावेपितुर्वसु । उद्वाहयंत्योऽनूढांतुपितुःसाधारणैर्धनैः) अर्थात्-निपूते पिताकेमरनेपर पुत्रोंके न होने में पिताका धनबेटियाँ बाँटिलेवें परंतु बाँट तब करनाचाहिये कि विवाही बहिनें पहलेपिताकेविनाबँटे धनमेंसे कुमारी बहिनोंकेविवाह करिलेवें और पीछेउनकोभी अपनीबराबर भागदेवें-सिद्धान्त इसकायह कि भाइयोंके होतेहुयेबहिनोंको अंशभागिता सिद्धनहीं है-इसपरभीकदाचित्तयहसंदेहउच्चारणकिया जाय कि जब इसबातकी निपट मर्यादानहींहै तौ फिर मनु और योगीश्वरनेभी एक सीधेमार्गसे यह कहदियाहोता कि भाइयोंको अनूढाबहिनोंके विवाहकरने आवश्यक हैं किन्तु इतनेबड़े एंचपेंचसे चतुर्थीशकी वृथा पखलगाकर कहनेमें क्या सिद्धिहुई जिसपर लम्बाचौड़ा वादविवाद खड़ाकरनापरा-इसका यहउत्तरहै कि यह चतुर्थीश की पख वृथानहीं किन्तु उसदशामें सार्थकहोसक्ती है कि जब उनबहिनोंके दो चार भाई सबकेसभी कुमारी वा संसारी शिष्टाचारोंसेविमुखहों जिनमें एकभी शिरधरा वा सुपात्र नहींसमुभाजाय और इसदशामें उसवंशके प्रधानोंको विश्वासनहींहै कि धन का बाँट होजानेपीछे अपने अपने भागोंको यथावस्थित बनारक्खें और बहिनों का ठिकाना भाईकरसकेंगे तब उनप्रधानोंकेही विचारसे इसरीतिका विभागहोनायोग्यहै जिस्से उनकेवंशकी प्रतिष्ठा आदि मर्यादोंमें अन्तर नहीं आनेपावै सिद्धान्त इसका यह कि मनु और योगीश्वरकाभी वाक्य वृथानहींहै १२७॥ यहाँतक चवालीसवें परिच्छेदसेलेकर जोकुछ वर्णनकियागया सो सब एकजाती सन्तानोंकी व्यवस्थाहै-अब नीचेके परिच्छेदमें भिन्नजातियोंकी व्यवस्था कहीजायगी १२७ ॥

अथभिन्नजातीयपुत्राणांविभागविशेषविवेकोनामपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५० ॥

इस पचासवें परिच्छेदमें वहव्यवस्था जानीजायगी कि जब एकबाप के कईजातों की पत्नियाँहों तिनकेपुत्रोंको धनकाभाग क्योंकर मिलताहै ॥

चतुस्त्रिद्वयेकभागाःस्युर्वर्णशोब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्वयेकभागाविड्जास्तुद्वेयकभागिनः १२८॥

अक्ष०-ब्राह्मणकेबेटे चार तीन दो एक भाग वर्ण क्रमसे पावें -एवं क्षत्रिय के बेटे तीन दो एकभाग-वैश्यके बेटे दो एकभाग पावें १२८ ॥

अभि०-आचाराध्यय में कहचुके हैं कि ब्राह्मण के चारों वर्णों की भार्या और क्षत्रिय के तीनवर्णोंकी भार्या और वैश्यके दोवर्णोंकी भार्या और शूद्रके एकही वर्ण की होसक्ती हैं तिनमें यदि सभी भार्याओं के बेटे पैदाहों यद्यपि सबका बाप एक है तौभी वे परस्पर भिन्न जाती कहलाते हैं तिनका दायभाग जिसरीति से बाँटना चाहिये तिसका यह व्यौरा है कि-ब्राह्मण के बेटे जो ब्राह्मणी में पैदाहुये हों सो तौ पूरे चारचार खूटपावें जो क्षत्रियाणीमें हुयेहों सो तीनतीन खूटपावें जो वैश्यानीमें

हुयेहों सो दोदो खूंटपावें जो शूद्राभार्या में हुयेहों सो एकएकपावें-ऐसेही क्षत्रिय पुरुष के बेटे जो क्षत्रियाणी भार्यामें हुयेहों सो प्रत्येकबेटा तीनतीनभागपावें जो वैश्यानीमें हुयेहों सो प्रत्येक बेटा दोदो भागपावें जो शूद्रामें उत्पन्नहुयेहों सो प्रत्येक बेटा एकएक भागपावें-ऐसेही-वैश्यवापके बेटे जो वैश्यानी भार्यामें हुयेहों सो प्रत्येकबेटादोदो भाग पावें जो शूद्रासे उत्पन्नहुयेहों सो प्रत्येक बेटा एकएक भागपावें-शूद्र पुरुषको केवल एक शूद्राभार्या कहीहै इससे उसके भिन्नजाती पुत्रोंका अभावहै और इसीसे उसका व्यौरा मूल श्लोकमें कुछ नहींकहा इसहेतु से शूद्रवापके पुत्रोंका विभाग वहीहै जो इससे पहिले कई परिच्छेदोंमें समान जातियोंकी व्यवस्था वर्णन होचुकी १२८ ॥

अधि०-यद्यपि इस वचनमें चारतीन दोएकभाग सामान्य रीतिसे कहेगये इससे कोईसी विशेषतानहीं पाईगई कि किसधनमेंसे ऐसा होसक्ताहै और किसमें से नहीं तथापि जो ब्राह्मणवापने प्रतिग्रहसे कुछ भूमिपाईहो तिससे इतर द्रव्योंका विषय इस ऊर्ध्वोक्त मर्यादामें समुभूना क्योंकि इसअग्रोक्त वचनमें ऐसी भूमिका प्रतिषेध है-यथा (नप्रतिग्रहभूदेयाक्षत्रियादिसुतायवै । यद्यप्येषांपितादद्यान्मृतेविप्रासुतोहरेत्) अर्थात्-प्रतिग्रहसे पाईहुईभूमि क्षत्रियाणीआदिके पुत्रोंको न बाँटिदेनी चाहियेयद्यपि इनको पिताने स्नेहसे देदीहो तौभी पिताके मरनेपर ब्राह्मणीका बेटा छीनलेवै-इस वचनमें प्रतिग्रहकी विशेषता प्रकटहोनेसे यह आशय निश्चितहुआ कि अन्यधरती जो क्रयादिप्रकारोंसे उपार्जनहुईहो वह क्षत्रियाणी और वैश्यानी के भी पुत्रोंको बाँटि देनी चाहिये (और) यही आशय अग्रोक्त वचन में जो शूद्रापुत्रकी अपेक्षासे विशेष प्रतिषेधहै उससे भी दृढ़होता है-तद्यथा (शूद्र्याद्विजातिभिर्जातोनभूमेर्भागमर्हति) अर्थात्-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनतीनों द्विजाती पुरुषों से जो शूद्रामेंउत्पन्नहुआ बेटाहो सो धरती में से भागपाने योग्य नहीं है-इस वचनमें सामान्य धरती अर्थात् सभी प्रकारकी धरतीमात्रका प्रतिषेधकेवल शूद्रापुत्रके निमित्तसे विशेषकर दर्शायागया-इससे प्रत्यक्ष प्रतीतहोताहै कि एक प्रतिग्रहकी धरतीको छोड़कर अन्य धरती जो क्रयादिप्रकारोंसे उपार्जितहुईहो उसकाभाग क्षत्रियाणी और वैश्यानीकाभी बेटा पासक्ताहै परन्तु शूद्राका बेटा साधारण किसी भी धरतीमें से नहीं-सिद्धान्त इसका यह कि धरतीके सिवाय अन्यसाधारण धनोंका विभाग उसरीतिसे शूद्रापुत्र भी पासक्ता है कि जैसा व्यौरा अभिप्रायार्थमें प्रदर्शित होचुका-और-जो अग्रोक्त वचनमें निपट शूद्रापुत्रको विभागही देना नहींकहा तिसका आशय कुछभिन्नहै-तद्यथा (ब्राह्मणक्षत्रियविशांशूद्रापुत्रोनरिक्थभाक् । यदेवास्यपितादद्यात्तदेवास्यधनंभवेत्) अर्थात्-ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्य इनमें उत्पन्नहुआ शूद्राका बेटा रिक्थभागी नहीं किन्तु उसको जो कुछ पिता अपने हाथमेंदेदेवे सो वही उसका धनहोवे-सो-यहभाग मिलनेका निपट

निषेध केवल उसीदशासे संबन्ध रखताहै कि यदि पिताने अपने हाथसे उसके निर्वाहयोग्य या अपनेधनके अनुसार कुछप्रसादइव देदियाहोतौ फिर निस्संदेह सवर्णा के बेटे उसको भाग न देवेंगे-परन्तु-यदि पिताने अपने धनके अनुसार या उसके निर्वाहमात्रका प्रसाद अपनेहाथसे न दीन्हाहो तौ सवर्णाकेपुत्रोंसे एकांशभाग उसरीति से अवश्य वह लेवैगा कि जैसा ब्यौरा अभिप्रायार्थमें प्रदर्शित होचुका १२८ ॥

अथसर्वविभागशेषधनविषयिकविभागविशेषविवेकोनाम

एकपञ्चाशत्तमःपरिच्छेदः ५१ ॥

इस इक्कथावनके परिच्छेद में उस धनकाभाग जानाजायगा जोसबधनका विभाग होजानेपर भी किसीपर तत्काल या कालान्तर में छिपायाहुआ निकसै (और)इसीके प्रसंगमें विरली अन्य व्यवस्थाभी प्रदर्शितहोगी ॥

अन्योन्यापहृतंद्रव्यंविभक्तेयत्तुदृश्यते । तत्पुनस्तेसमैरंशैर्विभजेरन्नितिस्थितिः १२९ ॥

अक्ष०—अन्योन्य अपहार किया द्रव्य जो विभागहुये पीछे कभी देखाजाय वह फिर भी वे सम अंशोंसे बाँटिलेवें यह मर्यादाहै १२९ ॥

अभि०—परस्पर जो भाइयोंने या और किसीने साधारणधन विभागसे पहले कभी छिपायाहो और विभागके समयतक जानानहींगयाहो यदि ऐसाधन विभागहोजाने पर भी कभी देखनेमेंआवै तौ फिर सभीअंशीमिलकर उसको समअंशोंसे बाँटिलेवें यहीमर्यादाहै-यहाँपर समअंशोंके कथनका यह आशयहै कि यदि भाइयोंका विभाग पहले उद्धार निकालनेकीरीतिसे हुआहो तौ भी इसधनको सभी बराबर बाँटिलेवें किंतु इसमें अब उद्धारका प्रसंगनहीं बाँटिलें इस कथनसे भी यह आशय दर्शाया है कि जिसकिसीने देखिपायाहो सब उसीको न लेनाचाहिये किंतु उसमें सबकाभाग होगा १२९ ॥

अधि०—(अत्रप्रासंगिकचर्चा) इस वचनकेअर्थमात्रसे यह न समुभाचाहिये कि अपहारकिया धन देखनेमें आवै तौ केवल बाँटिदेनाहोसक्ता पर समुदायधनके हरनेसे कुछदोष न होताहोगा किंतु जैसादोष परायाधनहरनेसेहोताहै तैसाही अपना सब साभियोंकाभी हरनेमेंहोताहै-कदाचित् यहकहो कि मनुने समुदायद्रव्यके हरनेमें केवल जेठेभाईको दोषवतायाहै किंतु छोटेभाई यदि छिपावें तौ उनको दोषनहीं सो यह बातभीनहींहै-यथा ( योज्येष्टोविनिकुर्वीतलोभाद्धून्यवीयसः । सज्येष्ठःस्याद्भागश्च नियंतव्यश्चराजभिः ) अर्थात्-जो जेठाहोकर लोभसे छोटेभ्राताओंको भाग न देवे तौ वह जेठाभी जेठाईका भाग न पावे और राजाओंसे वह दंडकेभी योग्यहै-इसका यह सिद्धांतनहींहै कि यदिछोटेभाई ऐसाकरें तौ उनको दोषनहीं किंतु यहसिद्धांतहैकि जेठा भाई जो सबकेउपर स्वतंत्र और पूज्य और पितृस्थानीकहलाताहै तिसकोभी ऐसा

करनेसे इतना बड़ा दोष है तो छोटोंको अवश्यही इससे अधिक दोष होगा यह भाव दर्शित किया है क्योंकि छोटे भाई जेठके आधीन और सेवक और पुत्रस्थानी होकर बड़ेके साथ ऐसा करें यह अत्यंत अयोग्य है-इसके सिवाय-छोटे बड़ेकी अविशेषतासे भी सब साधारणोंको यह दोष सुननेमें आता है-यथा ( यो वै भागिनं भागान्नुदते चयते चैनं स यदि चैनं चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयते ) अर्थात्-जो कोई आता प्रबल होकर अपने भागीको उसके भागसे मेटता है तिस मेटनेवालेको वह मेटा हुआ भी विनाश करता वा दोषी ठहराता है यदि उसको नहीं विनाश पावै तो बेटे वा पोतेको विनाशता है-भला यह तो आँख छिपाकर अपहरणका करना या भागीका भाग न देना दोनों बहुत बड़ी बात हैं किंतु साभियोंके बूभे विना साभेके धनसे कोई काम करनेकी अपेक्षामें यहाँ तक बंधन है कि निज अपने भाग मात्रसे भी विना बूभे नहीं कर सक्ता-यथा हसदाशिवः ( धनानाम विभक्तानामंशिनां संमतिं विना । तथाऽनिर्णीतवित्तानामसिद्धौ न्यासविक्रयौ ) अर्थात्-विना बँटे साधारणधनों का न्यास और विक्रय सबकी संमति पाये विना नहीं हो सक्ता तद्वत् अनिर्णीतद्रव्योंका कि जिनके मान या संख्याओं या विभागोंके स्वरूप निश्चय न हो चुके हों तिनका न्यास और विक्रय अर्थात् धरोहर कर देना या बँच देना यह दोनों काम सब अंशियोंकी संमति पाये विना असिद्ध होते हैं-सिद्धांत यह कि प्रथम तो करनेवाला ही अधिकारी नहीं दूसरे यदि बूभे विना करि भी चुका हो तो निवर्तित किये जायँगे-इसके सिवाय-किसी प्रकारके लाभ नाम नफा की दृष्टिसे भी साधारणधनको विना बूभे नहीं लगावै-तथा चसदाशिवः ( साधारणानि वस्तूनि लाभार्थं नैव योजयेत् । मृते पितरिसर्वेषामंशिनां संमतिं विना ) अर्थात्-पिताके मरने पीछे साभेकी वस्तुओंको अंशियोंकी संमति बूभे विना सबके लाभकी दृष्टिसे भी नहीं लगावै ( क्योंकि ) ऐसा करनेमें जो नफा होगा तो सभीवाँटिले वेंगे पर टोटा होगा तो कोई भी न देगा और यह भगड़ा सब आरोपित करेंगे कि हमने कब कहा था अब यह टोटा तुम्हीं भरौ वलिक नफाके होने पर भी यदि कोई भाँतिसे दोष लगावै या भगड़ा खड़ा करें तो अचंभानहीं और उसका कोई उत्तर भी नहीं है १२६ अब निचले परिच्छेदमें द्वयामुप्यायण पुत्र विशेषका भाग विशेष दर्शाने हुये स्वरूपज्ञान कहकर दायका अधिकार भी दर्शावेंगे १२६ ॥

अथ द्वयामुप्यायणपुत्रविशेषस्य दायविशेषविवेको नाम द्विपंचाशत्तमः परिच्छेदः ५२ ॥

इस वाचनके परिच्छेदमें उस बेटेका दाय वर्णन होगा जो दो बापोंका इकलौता बेटा द्वयामुप्यायण कहलाता है ॥

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः पुनः । उभययोग्यसौगिक्थीपिंडदाता च धर्मतः १३० ॥

अक्ष०-निपुनेने परगये क्षेत्रमें नियोगमें उत्पादन किया जो पुत्र सो वह दोनोंका ही रिक्थी और पिंड देनेवाला भी धर्मानुसार है १३० ॥

अभि०—जब कि देवर आदि कोई आप भी निपूता हो और नियोगकी मर्यादा अनुसार गुरुओं से नियुक्त कियाहुआ पराये क्षेत्र में अर्थात् पराई भार्या में बेटा पैदा करे तो ऐसी बेटा दोनों बापका रिक्थी नामदाय हरनेवाला और दोनों को ही पिण्डदान करनेवाला धर्मानुसार हुआकरता अर्थात् इसमें कोई अधर्म की मर्यादा नहीं है १३० ॥

अधि०—दोनोंकाही इस (ही) शब्दकी योजनाका अभिप्राय यहकि ऐसाबेटा यद्यपि क्षेत्रज कहाताहै और उसीकाहोताहै कि जिसकेखेतमें पैदाहुआहो और उसीका धनपाताहै और उसीको पिण्डदेनेका अधिकारीहोताहै तथापि जो उत्पन्नकरनेवाला आपभी निपूताहो और इस प्रतिज्ञासे नियोगकियाहो कि इस नियोगसे उत्पन्नहुआ बेटा क्षेत्रपतिका और मेराभी कहावेगा तो फिर दोनोंकाकहाता और दोनोंकाहीधन पाता और दोनोंकोही पिण्डभी देताहै और इसीहेतुसे (द्वयामुष्यायण) भी कहाताकिंतु दो बापोंका पूत अर्थात् जो ऐसी प्रतिज्ञाठहराये बिना पैदाकियाहो और नियोगी आपसपूताहो तो केवल क्षेत्रपतिकाहीक्षेत्रजबेटा कहलाताहै-जिसनियोगसेएकहीका बेटाकहलाताहै तिसकीविधि आचाराध्याय में प्रदर्शितहोचुकी है-यथा(अपुत्रांगुर्वनु ज्ञातोदेवरःपुत्रकाम्यया । सपिण्डोवासगोत्रोवाघृताभ्यक्तऋतावियात्)अर्थात्-मरेहुये भाईकी या नपुंसक भाईकी या महारोगी भाईकी निपूतीभार्या में देवर निज अपना या सपिण्ड देवर या सगोत्री देवर माता पिताआदि गुरुओं से पुत्रकी कामनाकरके आज्ञापायाहुआ अपने सर्वशरीर में घृतकालेपकरिके ऋतुकाल में गमनकरै-परन्तु जो इस विधि से विपरीतकरैतोपातकी होताहै-यथा(आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथाभवेत् । अनेनविधिनाजातःक्षेत्रजोऽस्यभवेत्सुतः )अर्थात्-गर्भका संभवहोनेतकही गमनकरै क्योंकि इस्से आगे या अन्यप्रकारसे भी गमनकरने से पतितहोताहै इस विधिसे जो पुत्र पैदाहोय सो उसभाईकाही क्षेत्रजबेटाहोता है कि जिसकी वहभार्याहै जिसनियोगसे दोनों का बेटा गिनाजाताहै तिसकी विधिमनुने स्पष्टकरिके कहीहै-यथा ( क्रियाभ्युपगमात्क्षेत्रंवीजार्थयत्प्रदीयते । तस्येहभागिनौदृष्टौवीजीक्षेत्रिकएवच ) अर्थात्-क्रियाके (अभ्युपगमसे) किंतु पहलेही प्रतिज्ञा ठहरायके जो खेतबीज बोने के निमित्तसे दियाजाताहै तिसके उत्पन्नहुये फलमेंवीजी और क्षेत्री दोनोंही फलभागी होते हैं यह नियम इसमें महर्षियोंने निर्णीत कियाहै-जिस प्रकारसे केवल क्षेत्रपति कोही फल मिलताहै तिसकोभी मनुनेस्पष्ट करकेकहाहै-यथा(फलंत्वनभिसंधायक्षेत्रिणां बीजिनांतथा । प्रत्यक्षक्षेत्रिणामर्थोवीजाद्योनिर्वर्त्तीयसी ) अर्थात्-जहां क्षेत्री और बीजीदोनोंके परस्पर फलकाभाग ठहराये बिनावीज बोयाजाताहै तहांजो कुछ फल सन्तानरूपी अर्थ पैदाहोसो सब केवल क्षेत्रपतिकोही मिलताहै क्योंकि बीजमें योनि

बलवती है और यह न्यायप्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि गऊ या भैंस, घोड़ी, बकरी आदि क्षेत्रोंकेही स्वामीको बच्चे मिलाकरते हैं चाहै बैल बकरा आदि किसीकेहों पर उनके स्वामियोंको बच्चे नहीं मिलते हैं परन्तु जो ऊर्ध्वोक्त रीतिसे प्रतिज्ञा ठहरीहो तो वह बातजुदीहै-यहांतक द्वयामुष्यायण पुत्रकी व्यवस्था सिद्धहोचुकी परन्तु अब इसे आगे केवल मनुके वचनोंद्वारा फिरभी इसीवार्त्ताको लिखते हैं किन्तु इसकेसाथ दो बातें अधिक दर्शाईजायँगी जिसमें विधिके सिवाय कुछ प्रतिषेधकाभी लक्षणपाया जाताहै-यथाहमनुः (देवराद्वासपिंडाद्वास्त्रियासम्यङ्नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्यपरिक्षये ॥ विधवायांनियुक्तस्तुघृताक्तोवाग्यतोनिशि । एकमुत्पादयेत्पुत्रंनद्वितीयंकथंचन ॥ द्वितीयमेकेप्रजनंमन्यंतेस्त्रीषुतद्विदः । अनिर्वृत्तंनियोगार्थंपश्यन्तोधर्मतस्तयोः ) इतिनियोगविधिः (अथपशुधर्मविवेकः) । (नान्यस्मिन्विधवानारीनियुक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हिनियुंजानाधर्महन्युःसनातनम् ॥ अयंद्विजैर्हविद्वद्भिःपशुधर्मोविगर्हितः । मनुष्याणामपिप्रोक्तोवेनेराज्यंप्रशासति ॥ समहीमखिलांभुंजनराजर्षिप्रवरःपुरा । वर्णानांसंकरंचक्रेकामोपहतचेतनः ॥ ततःप्रभृतियोमोहात्प्रमीतपतिकांस्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थंतंविहन्तिसाधवः) इतिपशुधर्मविवेकः (अथनियोगप्रसंगेवाग्दत्तामृतवरायाविषयमप्याह) । यस्याग््नियेतकन्यायावाचासत्येकृतेपतिः । तामनेनविधानेननिजोविंदेतदेवरः ॥ यथाविध्यधिगम्यैनांशुक्लवस्त्रांशुचित्रताम् । मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदतावृतौ) अर्थात्-मनुकहतेहैं कि सन्तानकी बांछामें सगेदेवरसे या सपिण्डदेवरसे या सगोत्रीदेवरसे सम्यग्विधिसे नियुक्तकरीहुई स्त्री गमनकरने योग्यहै सो यहविधिकव कर्तव्यहै कि जबनिपट सन्तानका परिक्षयसम्भवहोअन्यथा नहीं-परन्तु-विधवामें नियुक्त कियाहुआ पुरुष अपनी देह से घृतका लेप किये हो रात्रिमें निपट मौनहोकर सङ्गमकरै यहनियम इसके साथ है और यहभी एक नियम है कि एकही पुत्र पैदाकरै दूसराकेसेहू न करै-इसमेंभी-कितनेही महर्षीलोग जो इस नियोग धर्मके लाभोंके विज्ञाताहैं स्त्रियोंमें दूसरा प्रजनभी श्रेयस्कर मानतेहैं किन्तु वे इसबातको सोचतेहुये कहतेहैं कि धर्ममार्ग से उनदोनों स्त्री पुरुषोंका नियोगसे जो प्रयोजन कल्पितहुआथा सो उसदशामें निर्वृत्तनहींहै कि जोवहएकपुत्रमरजाय-इति नियोगधर्मविधिः (अथपशुधर्मविवेकः) मनुकहतेहैं द्विजाती लोगोंको विधवानारी अन्य पुरुष में नियुक्त न करनी चाहिये अर्थात् देवर या सपिण्ड या सगोत्रके सिवायकिसी गैरपुरुषमें नियुक्त करनेवाले निज सनातन धर्मको भेटतेहैं-य्योंकि-यह नियोग धर्मजो लोगोंमें करवायाजाय तो पशुओंके समान चर्या होजातीहै इसीलिये विद्वान् द्विजातियोंने पशुधर्मरूपी नियोग की निन्दा ठहराईहै-किन्तु-मनुष्योंमें भी राजावनके राज्यमें पशुधर्मरूपी नियोग प्रचरित हुआथा अर्थात् वह राजर्षियों में सप्तम



राजावेन पूर्वकालमें अशेष धरतीका राज्यशासनकरते हुये सभी वर्णोंका वर्णसंकर कर देताभया क्योंकि वह राजर्षि निज आपभी कामोपहत बुद्धिथा इस्से उसने सभी वर्णोंका पारस्पर्य नियोगधर्म अपनी आज्ञासे प्रचरितकरवाया जो पशुधर्मके समान है कि जिस्से बहुधा वर्णसंकरजातें होनेलगीं तबसे लेकर जो कोई विनासमुभे बूभे विधवास्त्रीको संतानकेहेतुसे नियुक्तकरताहै तिसकोअच्छेलोग निंदाकरतेहैं अन्यथा निंदाकाभीकारण कोई नहींथा-क्योंकि-यह निंदा जो राजावेनके समयसे प्रसिद्ध करी गई सो शास्त्रोक्तसे विहीन केवल लौकिक निंदा नियतहै और लोकमेंभी सार्वदेशी निंदानहीं-किंतु विरलेदेशों में अद्यापि निंदारहित इसमर्यादाकी परिपाटीचलीआती है-उड़ीसामें कोईभी निर्वंशनहीं रहता किंतु जब कोई पुरुष निस्संतान मरजाय या जीताहीनपुंसकहो या पुंसत्वके होनेपरभी चिरकालतक प्रवासीहोजाय तब इनतीनों दशामें उसपुरुषका वंशबनारहने की अपेक्षासे शास्त्रमर्यादाके अनुसार किसी भ्राता को उसकी पत्नीमें नियोगकी आज्ञादीजाती है-चूड़ूदेशमें यही मर्यादा कुछ कुछ ढँकी हुई चलतीहै अर्थात् मृतपुरुषकी पत्नीको छोड़कर नपुंसक आदि जीतेपुरुषकी पत्नी अपने देवरसे बीज लेलेती बल्कि भानजे और पुरोहित आदिसेभी लेतीसुनीजाती है इत्यादि और भी अनेकदेशोंमें निज निज देशीपरिपाटी कुछ कुछ भिन्नहै यह त्रै-वर्णिकमात्रका चर्चाहै शूद्रादिजातोंमें सार्वदेशी यह परिपाटी लोकविदितहै (इतिपशु धर्माविवेकः(अथवाग्दत्तामृतवरायाविषयः) किन्तु जिसकन्याका पति अपनेविवाहकी वाचा सत्यकिये पीछे मरजाय तिसकन्याको इस विधानसे स्वकीय देवरव्याहिलेवै अर्थात् जैसी कुछ विवाहकी विधि हुआकरतीहै तैसेही विधि विधानसे वह देवर ऐसीकन्या को कि जो शरीर मनवाणीसे निर्मलहोकर श्वेतवस्त्रधारण करै अपनी भार्याकियेपीछे सभीऋतुकालोंमें दोनों एकत्र होकर एक एकवार संगमकरें जबतक गर्भधारणहोय (लोकमें देवर यद्यपि छोटाभ्राता विख्यातहै पर इस विधिमध्ये देवरशब्दपतिसे छोटे वड़ेसब भाइयों पर आरूढ़ है इस्सेहरकोई भ्राता ऐसीकन्या व्याहिसक्ता है) और (वाग्दत्ताकन्यावह कहातीहै जो वचनमात्रसे देनी कहीगईहो अर्थात् जिसकीसगाई आदि पूर्वनियम सबहोचुकेहों)परन्तु(वाचासत्येकृतेपतिःघ्नियेत)इसवाक्यमेंजोअर्थहै कि जिसकन्याका पति अपनी वाचासत्यकिये पीछेमरजाय सो यथार्थसे यहभावहै कि सप्तपदी संबंधीवाग्दानकिये पीछे मरजाय तो दूसराभ्राता इसीविधानसे उसकन्याको व्याहिलेवै और (इसी)से कहनेका यह तात्पर्यहै कि जिमविधानसे उसपहिलेभ्राताको वहकन्या व्याहीगईथी उसीविधानसे व्याहिलेनी चाहिये और यहांपर विधान कहने का यह तात्पर्यहै कि(वर्णोवश्यंतथातारायोनिश्चग्रहमेवकम् । गणमेवम् । तिगुणाधिकाः ) इत्यादि ज्योतिःशास्त्रके विधानों से पहिले भ्राता

कन्याकी जन्मपत्रीसाथ मिलाईथीतैसे अब दूसरेभ्राताका जन्मपत्र मिलानेसे अपेक्षा नहींहै तथैव और भी जो कोईवात प्रथमआवश्यक जानिकरविचारी और मानीगईहो जो शास्त्र अथवा लोकरीतिके विधानों में गिनतीहो तिसकाविचारकरना अब दूसरे भ्राताके परिग्रहमें अपेक्षा नहींरखताहै-और-इनसभी बातोंका सिद्धांतकेवल इतना है कि वैवाहिक समयकी सप्तपदीनाम कर्मकांडिक मर्यादाके उद्धारहो चुकने ताई भी यदिकोई वर मरजाय तौ उसवरका कोईयोग्य भ्राताविद्यमान होतेहुये वह कन्याकिसी गैरवरको नहीं दीजासक्ती यह अदालतका व्यवहार है क्योंकिउस मरेहुये वरका द्रव्य व्ययहोचुका इस्से उसीके भ्राताकास्वत्व उसकन्यामें पहुँचताहै (और)यहमर्यादा इसहेतुसे विनिर्मित करीगईहै कि यदि कोई कन्यादाता ऐसेसमय परयह आग्रह करनाचाहै कि यहकन्या अबमें ऐसेवरको व्याहौंगा कि जिसकी जन्मपत्री आदि विधानोंकायोगभी इसकन्यासे मिलजाय तौवह कन्यादाता राजद्वारसे हारैगा किन्तुउस दशा ताई भी कि जो मरेहुये वरका कोई सगाभ्राता उसकन्याके योग्य नहींठहरै तौ चचेरेभ्राता देखेजायँगे-इस मर्यादामें (इसी) विधानसे कहनेका तात्पर्य जोऊपर वर्णनहुआ सो यहांतक विशेषता रखताहै कि अवसर बनिआवै तौउसी पहिले मंडपमें उसीवरातके द्वारा मृतवरके भ्राताको वहकन्या व्याहीजाय-संप्रति-यहमर्यादावहुधा लोकमें इसरीतिसे प्रचरित है किजब केवलएक सगाईके होने पीछेवर मरजाताहै तब दूसरेभाई कोवहकन्या दीजातीहै या वरकेभ्राता का अभावहो तौ अन्यवरको भी देदी जातीहै और विरले देशविभागोंके निवासीलोग सप्तपदीसे पहलेपहले यदि वरमरे तौ वहकन्या उसीवरके भ्राताको या भ्राताके अभावमें अन्यवरको भी देदेतेहैं परन्तु जो सप्तपदीका सप्तमपद पूरा होजानेपर वरमरे तौफिर कन्या किसीवरको नहींदेतेहैं क्योंकि (यावत्सप्तपदीनास्तितावत्कन्याकुमारिका) अर्थात् जबताई सप्तपदीका सप्तमपद पूरा नहोजाय तवतक छठेपदकी अवधि पर्यंत कन्याकारी कहलाती है इसवचन के आशयसे सप्तमपदके पीछे पुनर्वैवाहिकशंका आरोपित करतेहैं-विरलेलोग छठेपदकी अवधिसे पहलेही कन्याको तैलस्पर्श होनेके पश्चात् यहशंका खड़ीकरतेहैं कि कन्याको द्वितीयवार तैल स्पर्शहोनेका निषेधहै इससे तैलस्पर्शके पहले पहले जोवरमरे तौ अन्यवरको देतेहैं अन्यधानहीं-विरलोंका यहसंमतहै कि यावत्काल चतुर्थी कर्म न होवै तवतक व्याह पूरा नही होता पर यथार्थसेजिन मुनिवर्योंने जो सप्तमपद का वाग्दान होजानेपरभी द्वितीयभ्राताको वहकन्यादेनी कहीहै तिन्होंने जैसाऊपर वर्णनहोचुका तैसायह आशय निश्चित रखवाहै कि (इसी) पहले विधानमे वहकन्या द्वितीय भ्राता को देदेनी चाहिये अर्थात् जो तैलस्पर्श उसको होचुकाहो तौ द्वितीयवार तैलस्पर्शकी अपेक्षा शेषनहींहै(इतिवाग्दत्तामृतवरायाविषयः) अत्रोक्त वाग्दत्ताकी व्यवस्थामें यह सि-

द्वांत किसी प्रकारसे भी नहीं है कि इसकन्याकेनियोगमें जो देवरसे संतान हो सो मृतवर की संतान ठहरै और यह सिद्धांत भी नहीं है कि वह कन्या किसी दूसरे भाताको व्याही नहीं जाय और व्याहेविना कोई देवर अपने मरे भाईको संतान पैदा कर देनेके निमित्तसे पराई कन्याके साथ संगम करनेको बिराने घर भेजा जाय ऐसी निपट अनर्थक व्याख्या विद्वत्तासे दूर बल्कि मूर्खभी इस बातको समुझते होंगे—प्राचीन टीकाकारोंने सुबोध और निर्दोषिल भी इस व्यवस्थापर निरर्थक धूलि उड़ाई पर यह धूलि इसपर कोई भांति जन्मती नहीं दिखाती किंतु शास्त्र और लोकसे भी विपरीत है इस बातका यदि कोई जिज्ञासु होकर निश्चय करना चाहे तो (यस्याम्रियेत कन्यायाः) इत्यादि दोश्लोक मनुस्मृति के मूल जो मनुस्मृति के नववें अध्यायमें ६६ । ७० की संख्यापर उपस्थित हैं तिनकी संस्कृत मुक्तावली टीका देखो (और) साथ ही इसके याज्ञवल्कीय व्यवहाराध्यायमें (अपुत्रेण परक्षेत्रे) इत्यादि मूलश्लोकपर मिताक्षरामें संस्कृत टीका देखो क्योंकि वे ही दो मनुस्मृतिके श्लोक उसमें पावेंगे और व्याख्या उनकी निपट असंगत पाई जायगी (और भी) साथ ही इसके आचाराध्यायके भी दोश्लोक जो (अपुत्रांगुर्वनुज्ञातो) इत्यादि ६८ । ६९ की संख्यापर उपस्थित हैं तिनकी भी मिताक्षरामें संस्कृत टीका देखो इन तीनों स्थलकी व्याख्या विकृती जानी जायगी कि जिस बातकी समस्या मूल वाक्यमें कुछ नहीं तिसको खेंच खेंचकर जोड़ा और जो मूल वाक्यों में न्यायात्मक धर्म निरूपित हैं तिनपर जानि बूझकर ऐसे अर्क अर्क फेंके जो कोई भांति प्रमाणतामें नहीं आसके—किंतु यह क्योंकर माना जासकता है कि जो कन्या किसी वरको बाणीमात्रसे देनी ठहरी हो अब तक कोई रीति भांति न होने पाई इसी बीचमें वर मर जाय तो वह वाग्दत्ता कन्या उस विना व्याहे वरकी पत्नी कहलाने लगे और किसी दूसरे वरको व्याही नहीं जाय और उस मरे हुये वरका कोई भाता उस विना व्याही कन्याके साथ जाकर प्रत्येक ऋतुकालों में गमन करि आया करै और जो उसके गमनसे कुमारी कन्यामें संतान पैदा होय सो उस मरे वरकी संतान कहावे और वह कन्या भी उसी मरे वरकी पत्नी कहलावे यह व्याख्या श्रीमद्विज्ञानेश्वर मिताक्षराकार और कुल्लूक भट्टकी विख्यात है बल्कि इसी व्याख्या के पकाहटकी कामनासे मनुस्मृति नववें अध्यायमें ७१ के भी मूल श्लोककी व्याख्या निपट असंगत करी गई परंतु मनु या याज्ञवल्क्य योगीश्वरके मूलवचनों में ऐसा असंगत भाव नहीं है जिसका जीचा है प्रत्यक्षर सोचिकर देखिलो—धर्मशास्त्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जैसा कुल्हियामें गुड़फोडना हो अर्थात् केवल ग्रंथकार लोग अपने मनमौजी ढिंङ्गांको समुझें या न समुझें पर और कोई निपट उन मर्यादोंको न जानें या न समुझें—किंतु धर्मशास्त्र वह वस्तु लोकदर्पण है कि जिसकी मर्यादें सर्वशास्त्र और संसारके प्रचारोंमें भी तुल्यात्मक पाई जायें और सर्वसाधारण भी मनुष्योंके मुखसे जिनका प्रमाण पाया जाय और बहुधा

जिनका वर्तावा लोक व्यवहारोंसे देखनेमें भी आवै-इसी संवर्णित मर्यादाकी अपेक्षामें दोबड़े ग्रंथकारोंकी व्याख्या जैसी अभी अनंतरोक्त लिखी गई तैसा लोकविरोधी प्रचार कभी संसार में किसी ने देखा और सुना भी नहोगा (पर) जैसी व्याख्या मनु और योगीश्वर के मूल वचनों के अनुसार इसी अधिकोक्ति में थोड़ी दूर ऊपर दर्शाई गई थी तैसाही तुल्यात्मक प्रचार संप्रतिलोक में अद्यापि देखाजाता है किन्तु बहुधाही विवाहोंके बीचमें वर मरते हुये देखने और सुननेमें भी आये तहाँ वे सभी कन्या या तो उस वरके किसी भ्राताको विवाही गई या भ्राताके अभावमें औरही किसी योग्य वरको व्याही गई बल्कि इस्से भी अधिक एक अद्भुत प्रकार निज मनुष्योंसे यह सुनने में आया और दोही चार वर्षोंकी यह बात है कि एक त्रिवेदी कान्यकुब्ज पूर्वदेशी अपने देशमें मृत भार्य होकर द्वितीय व्याह करनेको वरात लेकर पहुँचे और हँसी खुशी सबने गदस्तुरों से विवाह भी होगया और सप्तपदी के होने पीछे कन्याके चढ़ावे की सामग्री उनसे मांगी गई त्रिवेदीजी कुछ गहना कपड़ालेकर नहीं गयेथे अवस्थासे बड़े तथा स्वभावसे क्रोधी भी अवश्यथे इसी बातपर तकरार बढ़ती बढ़ती कुछ दंड भी करने लगे तब कन्याकी माताने कन्या का हाथ लेकर खँचा और घरमें जावैठारी तब त्रिवेदी भी खोंटी शपथें खाते हुये वरात लेकर घर भाग गये निदान उनकी शपथें और बुढ़ापा और क्रोध और कृपणता आदि दोषोंके ध्यानसे उस कन्याका भी जन्म निरर्थक विगड़ा जानिकर कन्यापक्षी सब सत्पुरुषोंका यही संमत निश्चय ठहरा कि इस निर्दोषिल कन्या का विवाह आवश्यक होजाना योग्य है ऐसा विचार होजाने पीछे किसी अन्य योग्य वरको वही कन्या व्याही दी गई क्योंकि जैसा मरजाना एक हेतु निश्चित ठहराया गया जिसमें द्वितीय भ्राताको वह कन्या देनी कही गई और मरजानेके बाद दूसरे भ्रातासे विवाह करनेमध्ये इतना चिह्न भी विशेष रक्खा गया है कि श्वेतवस्त्र धारण करके द्वितीय भ्राताको विवाही जाय तैसेही न मरनेकी दशामें भी उसी वरके जीतेजी वह कन्या अन्य वरको देनी कही है कि जो पहिले वरमें कोई दोष पाये जायँ और कन्या दाताको उस्से अधिक श्रेष्ठ वर मिल जावै तो निस्संदेह सप्तमपदकी अवधिताई भी देवै परंतु यदि कोई दोष वरमें दुर्घति या पातक योगन पावै तो निष्कारण अन्य वरको देनेवाला कन्यादाता वह दंड राजद्वारसे पावे जो चोरोंको चोरी करनेमें होता हो वह दोनोंवाते योगीश्वरने आचाराध्यायमें ६५ की संख्यावाले मूलश्लोकसे दर्शाई हैं-यथा (सकृत्प्रदीयते कन्याहरस्तां चोरदंडभाक् । दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्द्वर आब्रजेत्) इमी अपि प्रोक्त मर्यादाके आशयसे त्रिवेदीके जीतेभी उनमें दोष पायेजानेसे अन्य वरको कन्या दी गई-परंतु यह बात अद्यापि कहीं देखने और सुननेमें भी नहीं आई कि ऐसी कन्याका देवर बिना विवाहे उसके आधान करने को भेजा जाय १३० अब इस्से

नीचे कई परिच्छेदों में द्वादश भाँति के पुत्रोंका विभागधर्म वर्णन होगा १३० ॥

अथात्रदायविभागप्रसंगेपुत्रप्रतिनिधीनामपेक्षयामुख्यगौणभेदेनद्वादश  
पुत्रस्वरूपविवेकोनामत्रिपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५३ ॥

इसत्रेपन संख्याके परिच्छेदमें द्वादश भाँतिके पुत्रोंका स्वरूपलक्षण जानाजायगा ॥

औरसोधर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तुसगोत्रेणेतरेणवा १३१ ॥

गृहेप्रच्छन्नउत्पन्नागूढजस्तुसुतःस्मृतः । कानीनःकन्यकाजातोमातामहसुतोमतः १३२ ॥

अक्षतायांक्षतायांवाजातःपौनर्भवःसुतः । दद्यान्मातापितावायंसपुत्रोदत्तकोभवेत् १३३ ॥

क्रीतश्चताभ्यांविक्रीतःकृत्रिमःस्यात्स्वयंकृतः । दत्तात्मातुस्वयंदत्तोर्भेविन्नःसहोढजः १३४ ॥

उत्सृष्टो गृह्यतेयस्तुसोऽपविद्धोभवेत्सुतः १३४ ॥

ऐ०--सहसर्वेषां--सबसे मुख्यतौ ( औरस ) पुत्र जो धर्मपत्नीमें अपनेही वीर्यसे उत्पन्नहुआहो किंतु धर्मपत्नी वहीहै जो सवर्णाहो और धर्मविवाहसे व्याहीहो १ दूसरा ( पुत्रिकासुत ) भी उसीकेसमान गिनाजाताहै पुत्रिकासुत धेवतेकोनहींसमुझना किंतु उसका लक्षण कुछ औरहै सो अधिकोक्तिमेंदेखो २ तीसरापुत्र ( क्षेत्रज ) होता है जो अपनेवीर्यसे तौ नहीं पर अपनेक्षेत्रमें सगोत्रकेवीर्यसे या इतर नाम सपिंड वा देवर के वीर्यसे उत्पन्नहो इसके लक्षण पहलेभी कथनहोचुकेहैं परंतु जब क्षेत्रजपुत्र द्वयामुष्यायणहो अर्थात् ऊपरले परिच्छेदकीविधि अनुसार दो बापोंकापुत्र गिनाजाताहो तब जिसके क्षेत्रमें पैदाहुआ उसका तौ द्वयामुष्यायण क्षेत्रजकहावैगा और जिसके बीजसे उत्पन्नहुआ तिसका द्वयामुष्यायण परक्षेत्रजकहावैगा किंतु औरसनहींगिना जाता अर्थात् मुख्य औरसकी अपेक्षा यह मध्यमहै क्योंकि मुख्य औरस निज अपने क्षेत्रसेहोताहै यह विरानेक्षेत्रमें उत्पन्नभयाहै ३।१३१ चौथा ( गूढज ) वेटा वह कहाताहै जो बापके बीजसे नहीं पर दापहीके घरमें गुप्तभावसे उत्पन्नहुआहो इसकाव्यौरा कुछ अधिकोक्तिमेंभीदेखौ ४ पाँचवां ( कानीन ) वेटा वह कि जो कुमारीकन्यामें सवर्णपुरुष के बीजसेपैदाहो वह वेटा अपने नानाकाही पुत्रगिनाजाताहै पर उसदशामें यदि नाना निपट निपूताहो और वह कन्याविना विवाहीरहिकर बापकेघरजन्मकाटै अर्थात् यदि ऐसेपुत्रकेहोनेपीछे कन्याका विवाहकियाजाय तौ वह कानीनवेटा नानाका न होगा किंतु कन्याके भर्ताकोमिलैगा देखो मनुकावचन अधिकोक्तिमें ५।१३२ छठा ( पौनर्भव ) वेटा वह कहाताहै जो अपनेबापकेही बीजसे अक्षतापुनर्भू या क्षतापुनर्भू भार्या में उत्पन्नहो पुनर्भूके लक्षण पहले सत्ताईसवें परिच्छेदगत उलोक ५२ की अधिकोक्तिमें प्रदर्शितहोचुकेहैं ६ सातवां ( दत्तक ) वेटा वह कहाताहै जिसको माता पिता समर्पित करें अर्थात् जिस किसीअपने सजातीका वेटागोदनेनायोग्यहो तिम वेटाके

मातापिता दोनों अपनी प्रसन्नतासे समर्पण करें या केवलपितादेवै या केवलमाताही अपने पतिकी आज्ञासे उसके मरे पीछे या विदेशमें रहतेहुयेदेवै तो जिसकोदियागया तिसकावहदत्तक पुत्रकहाताहै इसकी विशेष व्यवस्था अधिकोक्तिमें देखो ७ । १३३ आठवां (क्रीत) बेटावहकहाताहै जो मातापिता दोनोंने यापिताने या मातानेही अपने सजाती हाथबेंच दियाहो तो जिसनेमोल लियाहोउसीकावह क्रीतपुत्रहुआ ८ नववां (कृत्रिम)बेटाउसे कहते हैं जो आपही कियाहो अर्थात् मातापिताने दिया नहीं और बेंचानहीं केवल पुत्रार्थी पुरुष ने धन धरती बाहनआदि पदार्थोंका लोभ दिखाकर किसीऐसे लड़केको बेटा अपना बनालिया जो मातापितासे विहीनहो या मातापिता ऐसा करतेहुये रोंके नहीं ९ दशवां (दत्तात्मा) बेटा जो मातापितासे विहीन या त्यागा हुआ आपही यहकहकर प्राप्तहोवै कि मैं बेटा बनकरहूँगा १० ग्यारहवाँ (सहोदज)पुत्र उसे कहतेहैं जो सगर्भा कन्याको व्याहिलावै और व्याहसे अनंतर पैदाहोय तौवह व्याहनेवालेका पुत्रहै और सहोदज उसका नामहै ११ ॥ १३४ ॥ बारहवाँ (अपविद्ध) बेटा उसेकहतेहैं जो मातापितानेपैदा होतेसार या कुलदिनोंपीछे किसीहेतुसे फेंकदिया तिसको जोकोई लेआकर पालै उसीका वहबेटाहै १३४ ॥

अधि० सहसर्वेषां—एक यहवातभी यादरखनी चाहिये कि जैसेयोगीश्वरने ये १२ भाँति के पुत्र प्रदर्शित किये तैसेही मनुनेभी बारहपुत्र कहे हैं परदोनोंके कथनमें निज निज संमतसे इतना अंतरहै कि योगीश्वरने औरसकेपीछे पुत्रिकासुत प्रदर्शित किया और औरसके समान बतलाया (और) मनुनेभी औरसके समान उसकोकहा पर बारहपुत्रों सेभिन्न वर्णनकिया किंतु पुत्रिकासुतके स्थानपर क्षेत्रजकोही दूसरानियतकिया (सो) उस पुत्रिकासुतके भिन्नरखनेसे एक जो कमतीहुआ तिसके पलटे एक शूद्रापुत्रभी मनुने बारहवाँ सबसेपीछे गिनती करलियाहै योगीश्वरने शूद्रा पुत्रको बारहसे जुदा रखा (सो) इसअंतरके होने से कोईसी हानि नहीं है परंतु यथार्थ से योगीश्वरका बांधा हुआक्रम अत्यंत श्रेष्ठ है-इसके सिवाय-इतना अंतर औरहै जिसक्रमसे योगीश्वरने १२ पुत्रगिनाये उसक्रमके सम्मुख मनुकी बाँधी हुई पंक्तिमें कुछ व्यतिक्रम सा प्रतीतहोताहै (दृष्टांत) जैसे योगीश्वरने अपविद्ध बेटेको सबसे पीछे कहा सो वह न्यायात्मकहै और मनुने अपविद्धको छठी संख्यापर गिनती किया सो यह न्यायात्मक नहींहै इत्यादि बहुधा औरोंमें भी आगेपीछेका व्यतिक्रमहै (सो) इन बातोंके व्योरा आगे १३५ वाली अधिकोक्तिमें जहाँपर मनुजीके वाक्य इसवार्ता संबन्ध लिखे जावेंगे प्रत्यक्ष जानाजायगा-अब उन्हीं उक्तीद्वारादशपुत्रोंके स्वरूप निर्दिष्ट करने हैं कि औरसके सिवाय दूसरापुत्र (पुत्रिकासुत) जो औरसके समान कहागया तिसका यह लक्षणहै कि जिसके पुत्रनहो और वह अपनीकन्या जिसको देनेलगे उसमें



यह प्रतिज्ञा दृढ़ करिलेवै कि इस कन्याका पहिला पुत्र हमलेलेवेंगे-यथाहवसिष्ठः  
 (अभ्रातृकांप्रदास्यामितुभ्यंकन्यामलंकृताम् । अस्यांयोजायतेपुत्रःसमेपुत्रोभवेदि-  
 ति) अर्थात्-यह प्रतिज्ञाहै कि तुम्हें बिना आताकी कन्या अलंकृतकरी देताहूँ इसमें  
 जो पुत्र पैदाहो वह मेरापुत्र होवै-इसी हेतुसे वह पुत्रिका सुत कहाताहै कि पुत्रिका जो  
 बेटाहै तिसकासुत अपना पुत्र बनायागया पर इसकेउपरान्त जो उस कन्याके पुत्रहोंगे  
 वे सब धेवते कहलावेंगे और सिद्धान्त इसका यह कि वह पुत्रिकासुत अपने नाना  
 का सभी धन उसप्रकारसे पावैगा कि जैसे एक औरस पुत्रहोता तौ वह सबधनका  
 मालिकहोता किन्तु इसकेसन्मुख वे धेवते नहींपावेंगे जो इस्से पीछेपैदाहुयेहों-पुत्रिका  
 सुतका एक दूसरा अर्थभी होताहै कि पुत्रिकाही पुत्रकेसमानहै सिद्धान्त इसका यह  
 कि यदिपुत्रियोंकेभी पुत्र नहीं तौ बाप अपनी एकपुत्रीकोही पुत्रकरिकेमाने और जमाई  
 सहित अपनेपास बसावै तौ वही औरसपुत्रके समान गिनीजाकर निजपिताका सब  
 रिक्थ पावैगी और शेषवहिनै जो बिनाबिवाही पिताछोड़ै तिनकाब्याह उसीन्यायसे  
 वह करैगी कि जैसे भाईहोता तौ करता सो यहवातभी वसिष्ठनेहीकहीहै-यथा (द्विती  
 यःपुत्रिकैवेति) किन्तु (द्वितीयःपुत्रःपुत्रिकैवकन्यैवेत्यर्थः) अर्थ ऊपरहोचुकाहै २-तीसरे  
 (क्षेत्रज) पुत्रकीव्यवस्था ऐक्यार्थमें प्रदर्शितहोचुकी और इस्से पहिलेपरिच्छेदमें द्व्या-  
 मुष्यायणकेभीसाथ निर्णय होचुकाहै तथापि यहाँ मनुकावाक्य लिखते हैं कि जिस्से  
 सीधामार्ग समुक्ताजाय-यथा(यस्तल्पजःप्रमीतस्यच्छीवस्यव्याधितस्यवा । स्वधर्मेण  
 नियुक्तायांसपुत्रःक्षेत्रजःस्मृतः) अर्थात्-मरेहुये या नपुंसक बीजरहित जीवतेकी या  
 दीर्घरोगीकी सेजसेउत्पन्न जो नियुक्तकरीस्त्रीमें स्वधर्मसेही देवर आदिके द्वाराहो वह  
 क्षेत्रजकहलाताहै ३-चौथे (गूढजपुत्र) कालक्षण मनुनेभी यहकहाहै-कि (उत्पद्यतेगृहेय  
 स्यनचज्ञायेतकस्यसः । सगृहेगूढउत्पन्नस्तस्यस्याद्यस्यतल्पजः) अर्थात्-जिसके घरमें  
 जो उपजै और यह नहीं जानाजाय कि यह किसके बीजसे पैदाहुआ तौ यह घरमें  
 छिपापैदाहुआ पुत्रउसीका कहावै जिसकीसेजमें अर्थात् जिसकी भार्यामें हुआ हो-  
 यद्यपि इसवचनका प्रत्यक्षभाव तौ यही प्रतीतहोताहै कि चाहै किसी नीचकेभी बीजसे  
 हुआहो तथापि योगीश्वरकी विवक्षासे सिद्धान्त यही है कि यद्यपि बीजवाला मनुष्य  
 तौ नहीं जानाजाय पर इतना निश्चयहोनाचाहिये कि अवश्य किसी सवर्णपुरुषका  
 बीजहै अन्यथा यदि भिन्नजाती बीजकानिश्चयहोजाय तौ फिर इसमर्यादामें गिनती  
 नहीं किन्तु उसका त्यागयेर्यहोगा ४-पाँचवां (कानीन) बेटा यद्यपि एकदशामें नाना  
 का होताहै पर जो पैदाकरनेवालीकन्याका विवाहभी होजाय तौ फिर साथही उसके  
 कानीनबेटा पनिउसका पावैगा-यथाहमनुः (पितृवैश्वानिकन्यातुयंपुत्रंजनयेद्रहः । तंका  
 नीनंवेदन्नाम्नावेदुःकन्यासमुद्भवम्) अर्थात्-जिनपुत्रको कुमारी कन्या पिताकेघर एका-

न्तमेंजनै तिसको कानीन इसनामसेकहिये और वह कन्याके ब्याहनेवालेका होगा अर्थात् कन्याकेसाथ ब्याहनेवालेको देदियाजायगा और उसीकेपुत्रोंमें जो आगेहोगा वह कानीनकहावैगा ५-छठा (पौनर्भव) इसकालक्षण मनुने यह कहाहै कि (यापत्यावा परित्यक्ताविधवावास्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनर्भूत्वासपौनर्भवउच्यते) अर्थात्-जो पति करके त्यागीहुई या विधवा स्त्री निजइच्छासे फिर किसीकीहोकर उस्से पुत्रपैदाकरै सो पौनर्भवकहाताहै ६-सातवें (दत्तक) पुत्रकेलक्षण मनुने भी कहेहैं कि (मातापितावादद्या तांयमद्भिःपुत्रमापदि।सदृशंप्रीतिसंयुक्तंसज्ञेयोदत्त्रिमःसुतः) अर्थात्-मातापिता अपनी प्रीतिसे या आपत्कालमें जिसपुत्रको जलसे संकल्पसाहित निजसजातीको देदवै सोवह गोदलेनेवालेकादत्त्रिमसुतकहावे-सजातीकहनेसे यहनिषेधपायागया कि भिन्नजातीको न देनाचाहिये औरभिन्नजातीसे नलेनाचाहिये-तैसेही एकपुत्र न देना और न लेनाचाहिये-यथाह वसिष्ठः (नत्वेवैकंपुत्रंप्रतिगृह्णीयाद्दद्याद्वा) अर्थात्-जिसके एकहीपुत्रहो उस्से किसीकोनलेनाचाहिये औरवहभी अपना एकलौता पुत्रनदेवै तैसेही अनेकपुत्रवालाभी जेठसुतनदेवै क्योंकि(ज्येष्ठेनजातमात्रेणपुत्री भवतिमानवः) अर्थात्-जेठपुत्रके पैदाहोते सार पुरुष पुत्रवाला कहलाता और पुत्रोंके जो धर्म हैं सोसब जेठेपरही मुख्यभावसे आरूढहैं यद्यपि सगोत्रीसेही लेनाउचितहै पर कदाचित् सगोत्रीका न मिलनेमेंसवर्ण-मात्रमेंसे भिन्नगोत्रीकाही लियाजाय तौ फिर गोदलेने वालेकाहीगोत्र उसकाहोजाता है-यथाहमनुः(गोत्ररिक्थेजनयितुर्नहरेदत्त्रिमःक्वचित् । गोत्र ऋक्थानुगःपिंडोव्यपैतिद दतःस्वधा) अर्थात्-दत्तकवेटा जो देदियाजाय सो अपने जन्मदाताकागोत्र और धन भीकहीं नपावै किन्तु ग्रहीताकाधन और गोत्रपावै और ग्रहीताकोही पिंड देवै क्योंकि पिंडजोहै सोगोत्र और धनकालागू सदारहताहै इस्से पुत्र देदनेवालेका श्राद्ध आदि स्वधाकर्मभी दत्तकमेंसे जाता रहताहै इसीदत्तक पुत्रकीअपेक्षामें सदाशिवजीने जैसा नियम दर्शाया सो अब लिखते हैं-यथा(विवाहानंतरंनारीपतिगोत्रेणगोत्रिणी । तथाग्र हीत्गोत्रेणदत्तपुत्रस्यगोत्रिता ॥ सुतमादायसंमत्याजनन्याजनकस्यच । स्वगोत्रनामान्युल्लिख्यसंस्क्रुयात्स्वजनैःसह ॥ औरसेपियथापित्रोर्धनेपिंडेऽधिकारिता । आदात्रोर्दत्तकेतद्वयतोऽस्यपितरौहितौ ॥ आपंचाब्दंशिशुंगृह्णन्सरणात्परिपालयेत् । पंचवर्षाधिकोवालोदत्तकोनप्रशस्यते ॥ भातपुत्रोपिदत्तश्चेद्ग्रहीतैवभवेत्पिता । उत्पादकःपितृव्यस्यात्सर्वकर्मसुकालिके) अर्थात्-शिवजी कहतेहैं कि हेकालिके जैसे विवाह कियेपीछे कन्या अपने पिताका गोत्रझोड़कर पतिके गोत्रमें गोत्रिणी होजातीहै तैसेही ग्रहीता नाम गोदलेनेवालेके गोत्रमें दत्तक पुत्रकी गोत्रिता होजातीहै किन्तु जिसने पैदाकिया तिसको गोत्रमें अपेक्षानहीं रहती-इमलिये-माता पिता दोनोंकी संमति और प्रसन्नता से उनकावेटा गोदमेंलेकर अपने बांधवोंमहिन बैठकर अपनेगोत्रकेनामोंको काराज

पर संकल्पकीरीतिसे लिखवाइकर पीछे संस्कार उसका करै-तौ-इसप्रकारके दत्तकपुत्र में लेनेवाले माता पिताओंकेधन और पिंडदानमें भी वैसाही अधिकारहुआ करताहै किजैसा औरसपुत्रको अपनेमाता पिताओंकेधन पिंडमेंहोताहै क्योंकि अब येहीमाता पिता उसकेहुये-परंतु-पाँचबरसकीअवस्था पर्यंतका बालक अपने सवर्णोंसेही लेकर भलेप्रकार पालनकरै जिस्से वह बालक अपनोंको भूलिकर इन्हीमें हितकरै किंतु पाँचवर्षसे अधिकअवस्थाका दत्तक अच्छानहीं-औरभी-चाहै भाईकाही बेटालियाहो पर आचार व्यवहार आदि सबकामोंमें लेनेवालाही बापहोगा और पैदाकरनेवाला जो बापथा सो चचाकहावैगा अर्थात् उसबालकसे ऐसाही अभ्यासकरानायोग्यहै- वसिष्ठजीनेभी इसकीविधि अच्छीरीतिसे कहीहै-यथा ( पुत्रप्रतिग्रहकारकश्चपुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्बंधूनाहूयराजनिचावेद्यनिवेशनमध्येव्याहृतिभिर्हुत्वा अदूरवांधवंबंधुसन्नि कृष्टएवप्रतिगृह्णीयात् ) अर्थात्-पुत्रकाप्रतिग्रहलेनेवाला गोदलेनेकी तैयारीकरते हुये अपने बांधवोंको बुलायकर पुनि उनके सन्मुखराजा परभी आवेदन देकर अर्थात् राजिसूर आदि प्रकारोंसे जिसराज्यकी जैसीपरिपाटीहो राजकीय पत्रों में प्रवेशकर- वायकर पीछे अपनीबाहरली बैठकवाले स्थानमें व्याहृतियोंसे होमकरिके अदूरवांध- व लड़केको उसके बंधुओंके समीपहीगोदलेवै जिस्से पीछे कोईभगड़ा टंटा शेष न रहै ( अदूरवांधव ) यह विशेषण जो लड़केमें लगाया सो इसहेतुसे कि वह लड़का अपने बांधवोंसे अतिदूरदेशमें न हो जिसकी बोली निज अपनी वा ग्रहीताकी बोली से कुछ अन्यप्रकार किसीदेश भाषासे पलटीहुईहो ऐसेको न लेनाचाहिये ) यहीन्याय ( क्रीत ) और ( दत्तात्मा ) और ( कृत्रिम ) इनतीनोंमेंभी समुभलेना अर्थात् वसिष्ठजीके दर्शायेहुये नियमोंमेंसे जो जो नियमसंभवहों सो इनतीनोंमेंभी संयुक्तकरनायोग्यहै ७ ( इसदत्तक पुत्रकी व्यवस्था अभी औरभी निचले परिच्छेदमें विशेषकरप्रदर्शितहोगी और उसीसाथ क्रीत कृत्रिम आदिकईपुत्रोंकी कुछ देशभेदकी परिपाटीसे मर्यादादर्शि तहोगी ) आठवाँ ( क्रीत ) पुत्र जो है तिसकेलेनेवालेको तौ वसिष्ठजीके कहेहुये पूर्वोक्त नियमोंकावर्त्तावा दत्तकपुत्रकेसमान करनायोग्यहै और देनेवालेकोभी यह योग्यहै कि नतौ एकलौताको वेंचै और न जेठे पुत्रको वेंचै और आपत्तिविना भी न वेंचै ( क्रीत पुत्रवनाने की परिपाटी संप्रति विशेषकर गुसाईं आदिपंथवालों में प्रवर्तितहै ) नववाँ ( कृत्रिम ) अर्थात् बनायाहुआ पुत्र यह अवस्थामें चाहैतितनाहो किन्तु इसकेलिये पाँच वर्षोंसे भीतरका कुछ नियम नहींहै-यथाहमनुः( सदृशंतु प्रकुर्याद्यंगुणदोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्र गुणैर्युक्तंसविज्ञेयश्चकृत्रिमः ) अर्थात्-गुण और दोषोंका जाननेवाला जातिमें सदृश और पुत्रोंमें जो जो गुणहोने चाहिये तिनसे संयुक्त एसे जिम किसीको धनादिकों का लोभ दिलाकर पुत्रार्थी अपना पुत्रवनावै तिसे कृत्रिमजानो ९ ( इम कृत्रिम पुत्रके

वर्तावे की परिपाटी संप्रति मैथिलदेशमें विशेषकरके प्रचरितहै ) दशवां (स्वयंदत्त) जिसको (दत्तात्मा) भी कहते हैं तिसके लक्षण मनुने प्रदर्शित किये हैं-यथा ( माता पितृविहीनोयस्त्यक्तोवास्यादकारणात् । आत्मानंस्पर्शयेद्यस्मैस्वयंदत्तस्तुसस्मृतः ) अर्थात्-जिसके माता पिता मरगये या विपत्ति आदि किसीहेतुसे छूटगये या उन्हींने अकारण अपने पुत्रको त्यागिदिया ऐसा पुत्र आपही आकर अपने आत्माको जिसके अर्थ पुत्रभावसे समर्पितकरै तिसका स्वयंदत्त बेटा कहलाताहै १०-ग्यारहवां (सहो-ढज) के भी लक्षण मनुनेकहे हैं-यथा ( यागर्भिणीसंस्क्रियतेज्ञाताऽज्ञातापिवासती । वोढुःसगर्भोभवतिसहोढइतिचोच्यते ) अर्थात्-जो गर्भिणी कन्या जानिकर या बे जानीहुई भी व्याहिली जातीहै वहगर्भ उसका पैदा होकर व्याहनेवाले का सहोढ पुत्र कहलाताहै ११-बारहवां (अपविद्ध) बेटा कहचुके हैं कि जो पैदाहोते सार फेंका जाय और कोई उसेले आकर अपने पुत्रवत् पालै-परंतु इसमें भी यह नियम आव-श्यक है कि वह सजाती का ही बीजहो अर्थात् ऊर्ध्वोक्त सभी प्रकारके पुत्रोंमें यह नियम आवश्यकहै क्योंकि आगे १३६ के श्लोकमूलसे यह नियम निश्चित होगा- इन बारह पुत्रोंमें उत्तरोत्तरकी अपेक्षा पूर्वपूर्व श्रेष्ठहै और पूर्व पूर्वकी अपेक्षा पिछला पिछला निकृष्टहै १३१।१३२।१३३।१३४ जिस प्रयोजनके निमित्त से यह बारह पुत्र प्रदर्शितहुये सो उस प्रयोजनको अब निचले परिच्छेदमें दूसरे अद्वासे कहतेहैं १३४॥  
अथमुख्यगौणद्वादशपुत्राणांदायक्रमविवेको नामचतुःपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५४॥  
इस चौवन के परिच्छेदमें वह व्यवस्था जानीजायगी कि औरस आदि बारहपुत्रों को किसक्रमसे दाय मिलनाचाहिये ॥

पिंडदोंऽऽहरश्चैवपूर्वाभावेपरःपरः १३५ ॥

ऐ०-पूर्वके अभावमें पिछला पिछला पिंडदाता और अंश हर्ता होताहै अर्थात् इनबारह पुत्रोंमें पहिला पहिला जब नहो तब उत्तरोत्तर यथाक्रमसे उस्से अगिला अगिला जो मंदहै सो भी अपने बापको श्राद्ध पिंड देवै और उसका छोड़ाहुआ सबधनहरै १३५ ॥

मधि०-बारह पुत्रोंमें यथाक्रमसे धनका अधिकार निश्चित हुआ तो आशय इस का यह उत्पन्न भया कि जब औरस बेटा और पुत्रिका सुत ये दोनोंहों तब औरसही धन पावे पुत्रिकासुत अधिकारी उसके होतेहुये नहीं रहा क्योंकि पहला पहला के होतेहुये पिछला पिछला नहीं पानक्ताहै परंतु योगेश्वर इस पुत्रिकासुतको भी और सकेही समान कहचुके हैं इसलिये यह यथाक्रम की मर्यादा इस पुत्रिकासुतके माथ नहीं जोड़नी किन्तु इसको छोड़कर शेष दशपुत्रों में समुभनी वरन इसी निमित्तमें मनुने इस यथाक्रमकी मर्यादा में अपवाद दर्शायाहै-यथा ( पुत्रिकायांकृतायांतुयदि

पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्रविभागः स्याज्ज्येष्ठतानास्तिहिस्त्रियाः ) अर्थात्-पुत्ररहित पु-  
 रुषके पुत्रिका धर्म किये पीछे यदि और सबेटा पैदा होय तब उन दोनोंका समान भाग  
 होगा और ऐसी दशमें स्त्रीकी जेठाई नहीं मानी जाती इसमें जेठाईका अधिकांश जैसा  
 मनुने दर्शाया है सो नहीं देना (अपवादनाम छूटका स्वरूप इसमें यही है कि उत्तरोत्तर  
 यथाक्रमकी मर्यादा इस पुत्रिकासुतको छोड़कर औरोंमें समुभनी) क्योंकि यह औरस  
 की अपेक्षा मंद नहीं है (यहाँ पर बारह पुत्रोंके प्रसंगसे केवल पुत्रिकासुतका चर्चा है किन्तु  
 धेवतोंका चर्चा कुछ विस्तारसहित आगे वर्णन होगा) इस पुत्रिका सुतके सिवाय यद्यपि  
 शेष दश पुत्रोंको पहिला पहिलाके होते हुये धनभागित्व नहीं है तथापि दशपुत्रोंमेंसे दत्त  
 कादिक दो चार पुत्रोंको वसिष्ठने पहिला पहिला के होते हुये भी चतुर्थांश देना कहा है-  
 यथा (यस्मिंश्चेत्प्रतिगृहीते औरस उत्पद्येत स चतुर्भागभागी स्याददत्तकः ) अर्थात्-जिस-  
 के गोदलिये उपरांत औरस पैदा होय वह दत्तक चौथाई धनका भागी किया जाय किन्तु  
 तीनभाग औरस पावै-जबकि सबसे प्रबल औरस है तिसीको चौथाई बाँट देना परा तौ  
 औरभी जो जिससे पूर्व हो सो अपनेसे उत्तरवालेको चतुर्थांश भाग देनेका अधिकारी नहीं  
 है-यहाँ पर दत्तकयागोद कहनेसे यह नहीं समुभना कि एकउसीका चर्चा है जिसको माता  
 पिताने इच्छासाथ समर्पित किया हो अर्थात् दत्तकपुत्रके उपलक्षणसे क्रीत और कृत्रिम  
 आदिभी चौथाईपानेके अधिकारी समुभलने क्योंकि वेभी सब अविशेषता पूर्वकउसी  
 रीतिसे पुत्र बनाये गये हैं जैसा दत्तक तैसे वेभी हैं सो यह बात अग्रे कृत कात्यायनके वाक्य  
 से यथावत् समुभी जायगी-यथाह कात्यायनः (उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थांशहराः सुताः। सव  
 र्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभाजनाः ) अर्थात्-किसी प्रकार का प्रतिनिधिपुत्र बनाये  
 पीछे औरसके उत्पन्न होनेमें दत्तकादिक बेटे चौथाई भाग पावें परवेही जो सवर्णहों  
 किन्तु असवर्णोंको रोटिकपड़ामात्र औरस देवें-इस वाक्यमें सवर्णके विशेषणसे क्षेत्रज  
 दत्तक क्रीत कृत्रिम आदि समुभने क्योंकि इनमें निस्सन्देह सजाती होनेका निश्चय  
 पहले होजाता है इसलिये यह सब औरस के होनेपरभी चौथाई भाग पावेंगे (और) अस-  
 वर्णके विशेषणसे कानीन गृहोत्पन्न सहोदज आदि समुभने क्योंकि इनमें सजातित्व  
 का निश्चय होसकना दुर्घट है इसलिये ये औरस के होते हुये केवल भोजन वस्त्र पावेंगे  
 चौथाई भागपानेके अधिकारी नहीं हैं पर औरसके न होनेमें येभी उम्रक्रमसे सब धन  
 पावेंगे कि जैसा नियम ऊपर निश्चित हो चुका-जोकि अग्रे कृत विष्णुके वचनसे इनको  
 निपट धनका भागी होना ही नहीं पाया जाता है तिसका भी सिद्धान्त यही है जो अब कह  
 चुके-यथा (अप्रशस्तास्तुकानि गृहोत्पन्नसहोदजाः । पौनर्भवश्च नैवेते पिंडरिक्थांशभा  
 गिनः ) अर्थात् विष्णुने यह कहा है कि कानीन गृहोत्पन्न सहोदज पौनर्भव यह सब अच्छे  
 नहीं और पिंडदान वा रिक्थांश भागी होनेमें भी अधिकारी नहीं (नो) इनमें भी सिद्धान्त

यही है कि औरसके होनेमें इनको चौथाई भी न मिलना चाहिये केवल अन्नवस्त्रपावोंगे अर्थात् जब औरस पुत्रनहो तो फिर ये भी सबधन हरेंगे और यही बात योगीश्वरके मूलवाक्यसे भी संसिद्ध है कि (पूर्वाभावे परः परः) अर्थात् पहिलेके न होनेमें पिछला पिछला पावै-इसके सिवाय जो-एक मनुका वचन कुछ इस नियम से विरुद्ध है तिसका तात्पर्य कुछ और है-यथा (एक एव औरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यात् प्रजीवनम् ) अर्थात्-एक औरस बेटा ही पिताके धनका मालिक होता है शेष उपभाइयोंको कृपाभावसे अच्छे निर्वाह योग्य आजीवन मात्र दे देवे-इस वचनसे यह विरोध पैदा होता है कि दत्त, क्रीत, कृत्रिम आदि जो चौथाई अंशके भागी निश्चित हुये थे तिनको भी भोजन मात्रकी आज्ञा पाई गई-परन्तु-इस वचन का आशय केवल इतना है कि दत्तक आदि जो औरस भाईसे प्रतिकूल और निर्गुण भी हों तब तौकेवल भोजन वस्त्र अच्छे निर्वाह योग्य देना चाहिये अन्यथा जबकेवल प्रतिकूल हों परगुणवान हों याकेवल निर्गुण हों पर औरस भाईके अनुकूल हों तब चौथाई भाग अवश्य उनको देना चाहिये इस व्याख्यासे यह वचन भी ऊपरले वाक्योंसे विरुद्ध नहीं है-क्योंकि-इसी प्रकारकी विशेषता निज मनुने ही उसी स्थलपर क्षेत्रज पुत्रकी अपेक्षासे दर्शाई है-यथा (षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात् पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ) अर्थात्-औरस बेटा पिताके दायको हरते हुये पैतृक धनमेंसे अपने क्षेत्रज भ्राताको छठा अंश या पाँचवाँ अंश जरूर दे देवे-ध्यान करो कि यह छठे या पाँचवेंका विकल्प केवल इसलिये है कि जब क्षेत्रज भाई अपनेसे प्रतिकूल और निर्गुण भी हो तब तौ छठा अंश देना और जो दोमेंसे एक ही लक्षण बुरा हो एक अच्छा हो तौ पाँचवाँ अंश देना इसलिये यह विकल्प भी न्यायात्मक है कुछ स्थानहीं (अथ चात्रापिशंकाशांतिः) कदाचित् कोई मनुस्मृतिके आशयसे यह शङ्का इसी स्थलपर आरोपित करै कि सभी द्वादश पुत्रोंको क्योंकर दाय मिलसक्ता है मनुनेकेवल छः पुत्रोंको दाय द वतलाया और शेष छः पुत्रोंको नहीं इसलिये इसी शंकाकी शान्ति रूप व्यवस्था आगे लिखते हैं-जोकि मनुने द्वादश पुत्रोंके दो छके भिन्नभिन्न कहिकर पहिले छका को दाय दवांधवत्व और पिछले छकाको अदाय दवांधवत्व वतलाया है तिमका भी यह आशय नहीं है कि पिछले छकावाले छः बेटे निपट औरस के न होनेपर भी पैतृक रिक्थ न पावेंगे अर्थात् जो लोग ऐसी असंगत व्याख्या मनुके निम्नोक्त वचनोंकी लगाते हैं वे पूर्वपर के सोचे बिना और मनुके विवक्षाको समुभवे बिना लगाते हैं-इसलिये अब दोचार वाक्य भी जो मनुने इसयाती की अपेक्षामें दर्शाये हैं सो लिखते हैं-यथा (पुत्रान् द्वादशयानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । तेषां पदं द्वादशयानाः पदद्वयादवांधवत्वात् ) अर्थात्-मनुष्योंके जिन वारह पुत्रोंको स्वायंभुव मनुने कहा तिनमें प्रथमके छः पुत्र नौ बंधुओंके भी दाय दनाम धन हरनवाले और बंधु



भी कहते हैं (और) पिछके छे पुत्र जेहें ते बंधुओंके (अदायादबांधव) अर्थात् धनहरनेवाले नहीं पर बांधव होते हैं (बिरलेलोग इस वचनकी ऐसी व्याख्या करते हैं कि पिछले छे पुत्र निजग्रहीतापिता के अदायादनाम धनहरनेवाले नहीं और बंधुभी नहीं सो यह निपट असंगत है ) मनुजीने इनको फिर जुदाजुदा करके समुभाया है—यथा— ( औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दाय्यादाबांधवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबांधवाः ) अर्थात्—औरस १ क्षेत्रज २ दत्तक ३ कृत्रिम ४ गूढज ५ अपविद्ध ६ यह छे पुत्र दाय्याद भी और बांधव भी होते हैं—एवं—कानीन १ सहोढज २ क्रीत ३ पौनर्भव ४ स्वयंदत्त ५ शौद्र ६ यह छे पुत्र दाय्याद तौ नहीं पर बांधव ये भी हैं ( इसमें जो बिरलेलोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि निजग्रहीतापिताके दाय्याद भी नहीं और बांधव भी नहीं सो असंगत है क्योंकि यद्यपि काव्यकी रीति से दोनों अर्थ ठीक अर्थात् ऐसा अर्थ भी लगसक्ता है तथापि यदि पूर्वापर के विचारसे न्यायात्मक नहीं है तौ फिर यह योजना क्योंकर मानी जाय इसलिये वही योजना ठीक और न्यायात्मक है कि पिछले छे बेटे निजबांधवोंके दाय्याद नहीं पर बांधव उनके हैं (सो) इस बातका यह आशय नहीं है कि पिता का भी धन औरस आदिके न होनेपर भी नहीं पावे—किंतु—मनुकी यह विवक्षा है कि औरस आदि पहले छकाके न होनेपर पिताका धन पावे परन्तु पिताके सपिंडों और समानोदकों और सगोत्रों में जो किसी निपूतेका धन ऐसा लावारिस हो जिसकालेनेवाला अधिकारी कोई उसनिपूतेका निकटवर्ती सम्बन्धी नहीं हो (तौ) ऐसे लावारिस धनको भी यह पिछला छका नहीं पावे क्योंकि यह बंधुओंका दाय्याद नहीं केवल अपने पिता का दाय्याद है (और) वह पहिला छका पिताके सिवाय उसके बंधुओंका भी दाय्याद है इसलिये ऐसे बंधुओंके भी लावारिस धनको वह पावेगा (परन्तु) बंधुओंके बांधव दोनों छके कहेगये हैं सो यह बांधवत्व केवल तिलांजली जलदान क्षौरकर्म आदि कार्यों में समुभना किंतु इन कामों के करनेमें दोनों छके बांधव अर्थात् गोत्री गिनेजाते हैं—सिद्धांत इसका यही है कि मनुने दो छके जो कल्पित किये सो बांधवोंका धन पाने और न पानेमध्ये किये हैं कुछ पिता के धनका चर्चा इन वाक्यों में नहीं है—किंतु—पिताका धन पानेमध्ये मनुने जुदावाक्य दर्शाया और सभी पुत्रोंका अधिकार उसमें कहा है—तद्यथा श्रेयसः श्रेयसाऽलाभे पापीयानृकथमर्हति । बहवश्चेत्तु सट्टशाः सर्वैरिक्थस्य भागिनः ) अर्थात्—मनु कहते हैं कि बारह पुत्रोंमें पूर्वपूर्व जो श्रेष्ठ है तिसके न होनेमें उत्तरउत्तर जो नीच है सो पैतृक धन पानेयोग्य है कदाचित् एकहीसे अनेकहों तौ वे सभी मिलकर समभाग पावें (दृष्टांत) जैसे एक पिताके क्रीत पुत्र दोहों या तीनहों तौ सभी बराबर बाँटलें ऐसेही पौनर्भवबेटे दोतीनहों तौ सभी बराबर बाँटलें ऐसेही औरोंको भी जानो—

और ध्यानकरो कि इसवचनमें पिताके धनके मध्ये पहिले या पिछले छक्केका कुछभी चर्चानहीं है जैसा योगीश्वर ने कहाथातैसाहीमनुसे भी ठीकहै (परन्तु) मनुकीबाँधीहुई पंक्तिमें उसप्रकारका अंतर है कि जिसका चर्चा १३४ वाली अधिकोक्तिके प्रारंभमें होचुकाहै इसलिये योगीश्वरका बांधाहुआ क्रम अतीव उत्तम जानो-इसके सिवाय-इसीअनन्तरोक्तमर्यादा में यह न समुझनाचाहिये कि ये बारहपुत्र जो गिनायेगये सो अपने पिताकाधन उसदशामें पातेहोंगे जब उनके पिता के भाई या बाप आदि कोई न हो-किंतु-पिताकेभाई और बापकेभी होतेहुये पुत्रहीपायाकरतेहैं चाहे किसप्रकार केहों-तथाहमनुः(नभ्रातरौनपितरःपुत्रारिक्थहराःपितुः । पिताहरेदपुत्रस्यरिक्थंभ्रातर एवच) अर्थात्-नतो भाई और न पिता आदि कोईपावें किंतु बेटेही अपनेबापकाधन हरनेवालेहोतेहैं चाहे किसीप्रकारकेहों परंतु जो निपट निपूताधनको छोडिमरै तो फिर बाप और भाई ये पासक्तेहैं (निपट निपूता वहीकहाता जिसके बारहमेंसे कोईभांतिका पुत्रनहो) कदाचित् कोई इसपरभी यहशंकाकरै कि मनुकेइसवचनमें कुछबारहपुत्रोंका चर्चानहीं है इसलिये शायद मनुने भाई और पिताकेहोतेहुये औरस पुत्रका अधिकार कहाहोगा और उसीके न होनेमें निपूता समुझिकर पिता या भ्राताओंको धन हरना बतलायाहोगा (सो) यह शंका उसकीइसहेतुसे थोथीहै कि मनुकेइसमूलवाक्यमेंबारह पुत्रोंकाचर्चा यद्यपि नहींहै परन्तुबारह पुत्रोंकेही स्थलपरउन्हींकेप्रसंगसेयहवाक्य मनु ने कहा अर्थात् (श्रेयसःश्रेयसोऽलाभे) इत्यादि वाक्य जोअभीऊपर लिखचुके हैं-तिसके साथही मनुने लिखाहै कुछ औरसका चर्चा इसमें नहीं है (किंतु) औरसका अधिकार इन वाक्योंसे पहले मनु कहचुके हैं-तद्यथा (एकएवौरसःपुत्रःपित्र्यस्यवसुनः प्रभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थंप्रदद्यात्तुप्रजीवनम् ) अर्थात् पिताके यद्यपि कई भांतिके बेटेहों परन्तु पैतृकधनका मालिक एक औरस बेटाही होताहै शेष भाइयोंको वहदया भावसे उपजीवनमात्र देवे-और (दायाद) शब्दभी केवल पुत्रकेही दायभागित्वकावाचक नहीं है किंतु सपिंडमात्र या सपिंडोंके उपरान्तभी सोदकआदि जो कोई जिसका धनहरनेमें अधिकारी समुझा जाताहो वहभी दायाद गिनाजाताहै क्योंकि (दाय) तो मृतपुरुष का रिक्थहै तिसको (माद) कहिये खानेवाला जो कोई सच्चा अधिकारी हो सो (दायाद) कहावे (दायस्यमादः) विशेषकर पुत्रको इसलिये दायाद कहाजाताहै कि सबसे पहले वही पूरा अधिकारी किंतु उसके होतेहुये और कोई नहीं किसीका धन खायसक्ताहै-यद्यपि वासिष्ठादि स्मृतियोंमेंभी मनुकेही समान बारह पुत्रोंके दोवर्गके लिपत हुये हैंपरन्तु यथाक्रमकी पंक्ति उसमेंमनुके या योगीश्वरकेभी तुल्य नहीं हैकिंतु कोई कोई पुत्र उसमें आगे पीछेभी उलटा पलटीके साथ नियत हुआहै सो उन पुत्रोंके गुण अवगुणके अनुमार व्यत्यय समुझि लेना (सो) यह बात केवल ज्ञानमात्रके

निमित्तसे दर्शाई गई किंतु यहांउस्से कुछ काम नहीं है-गौतमकी स्मृतिमें पुत्रिकासुत जो सर्वथा औरसके समानहै वह दशवीं संख्यापर नियत किया गया पर उसमें वह विजाती कन्याका पुत्र आचार्योंने समुभाहै क्योंकि निज अपनी पुत्रीका पुत्र जो सर्वत्र औरसके समानहै सो क्योंकर दशवीं नीच संख्यापर जासक्ता या जो कुछहो सो सही पर यहां उस क्रमसेभी कुछकाम नहीं है केवल संबुद्धिमात्रके लिये उसका भाव यहांपर प्रकट किया गया-इत्यादि पूर्वोक्त सर्व कारणोंसे सर्वथा वह मर्यादा ठीकहै कि पहिले पहिले पुत्रके अभावमें पिछला पिछला पुत्र अपने गृहीता बापकाधन पाताहै सो यह बात केवल योगीश्वरनेही नहीं किंतु मनुनेभी कही है-यथा ( औरसक्षेत्रजौ पुत्रौपितृरिक्थस्यभागिनौ । दशापरेतुक्रमशोगोत्ररिक्थांशभागिनः ) अर्थात्-औरस और क्षेत्रज यह दोनों पुत्र तौ पिताके धनके मालिकही कहाते हैं और बाकी दशपुत्र जे हैं ते पूर्व पूर्वके न होनेमें क्रमसे धन और गोत्रपाते हैं-अब क्योंकर वह बातसच्ची मानीजाय कि मनुने पिछले छे पुत्रोंको पिताकेभी अदायाद और अबांधव कहाहोगा इस वचनके सिवाय एकवचन औरभी निज मनुकाही ऊपर आचुकाहै कि (श्रेयसः श्रेयसोऽलाभेपापीयानृक्थमर्हति) इतिशंकाशांतिः-इस वार्ता में शंकातौ सर्वथा शांत होचुकी पर एकवाक्य मनुका औरहै जिस्से विरले लोग यह समुभा करते हैं कि एक भाईके बेटेको अनेक भाई गोद लेसक्ते हैं सोभी उनकी समुभका अंतरहै-तद्यथा (भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वेतेतेनपुत्रेणपुत्रिणोमनुरब्रवीत् ) अर्थात्-मनुने यह कहाहै कि एक बापके बेटे यदि अनेक भाईहों और उनमें एकभी पुत्र वालाहो तौ उस पुत्रसे वे सभी भ्राता पुत्रवान् होते हैं (सो) यह मनुने इसलिये दर्शायाहै कि जबतक भाईका बेटा गोद मिलसक्ताहो तबतक औरका न लेना चाहिये पर यह भाव इनका नहीं है कि उस एकही पुत्रको सभी भाई मिलकर गोद लेंवें या विनालियेभी वह सबका पुत्र होजावै-क्योंकि-जो सबका पुत्र होसक्ताहो तौ फिर सब का धनभी वही हरसक्ता और जो यही बात न्यायात्मक होती कि वह एकही सबका धनहरै तौ फिर १३६ वाला मूलश्लोक जो योगीश्वर आगे कहेंगे कि (पत्नीदुहितरश्चैवपितरौभ्रातरस्तथा । तत्सुतागोत्रजोबंधुःशिष्यःसत्रह्यचारिकः) सो यह वाक्य निपट वृथा होजाता किंतु यह वचन कहनाभी न चाहियेथा अर्थ इसका उसीजगह देखौ और भावार्थ इसका यहहै कि जिसके कोई भांतिका पुत्र नहो और वह निपट निपूता धनको छोड़िमरै तौ पहिले उसकी भार्याधनकोले फिर बेटियां फिर माता पिता फिर भाई फिर भाईके बेटे अर्थात् जब इतनोंमेंसे कोईभी नहो तबउस निपूनेकाधन भतीजा पावै-ध्यान करो जब कि वह भतीजा सबका बेटा समुभाजाता तौ फिर कोई भी निपूता नहीं था किंतु वही भतीजा पुत्रकी गिनतीमें आकर सबका दायहरना तौ

फिर भतीजेसे पहिले जो पांच अधिकारी धनके हर्ता कहेगये तिन सबका हक मारा जाता निपूते भाइयोंकी स्त्रियांभी क्योंकर अपने पतिकाधन पाइसकीं बेटियांभी क्योंकर पातीं बेटियोंके बेटेभी धेवते जो निज माताके अभावमें अधिकारी होते हैं वेभी दुर्भागी रहते इसलिये एक भतीजां सबका बेटा नहीं है अर्थात् वे निपूते भाई भी दसग्यारह भांतिके पुत्रोंमेंसे जिसको चाहें अपना पुत्रबनावें तौ वही उनकाधन हरैगा यदि उन्होंने कोई भांतिका बेटा नहीं बनायाहो तौ निपटनिपूते कहेजायेंगे और मरने पीछे भार्या बेटा आदि अधिकारी भी यथाक्रमसे धनपावेंगे १३५ ॥ पुत्र प्रतिनिधियों की व्यवस्था जो यहांतक दो परिच्छेदोंमें वर्णन हुईतिसका निश्चयात्मक नियम अब निचले मूल श्लोकसे कहते हैं १३५ ॥

सजातीयेष्वयंप्रोक्तस्तनयेषुमयाविधिः १३६ इत्यर्द्धमेव ॥

ऐ०—यह विधि मैंने सजाती तनयोंमें कहा-अर्थात्-योगीश्वर कहते हैं कि (पूर्वाभावेपरःपरः) यह पूर्वोक्त विधि जिसमें द्वादश पुत्रोंको पूर्वके अभावमें पिछलाधन-भागी होना कहागया सो सब सजातीपुत्रोंकी व्यवस्था कहीहै किंतु भिन्नजातियों की नहीं (दृष्टांत) जैसे कानीन पुत्र कुमारी कन्यासे उत्पन्न होताहै सो जिस जातिकी कन्याहो उसी जातिके पुरुष करके गर्भवती हुईहो जैसे किसी ब्राह्मणकी कन्या और किसीप्रकारके ब्राह्मण मात्रसे आधानवती होगई और पीछे किसी अन्य ब्राह्मणको विवाहीगई तौ वह पुत्र जो उसकेघर जाकर पैदा हुआ सोनिःसंदेह उसका सवर्ण वासजाती है परन्तु जो गर्भकिसी अन्य जातीसे हुआहो तौ सजाती नहीं किंतु भिन्नजाती वा असवर्ण कहलावेगा सो यह भिन्नजाती बेटा उस पूर्वोक्त रीतिसे दायहरने का अधिकारी नहींहै किंतु केवल भोजन वस्त्रपानेका अधिकारी वह भी है जैसा यह कानीनका दृष्टांत लिखागया तैसेही औरोंको भी समुभलेना १३६ ॥

प्रथि०—द्वादश पुत्रोंमें से क्षेत्रज आदि दशपुत्र धनके अधिकारी तब होसकेंगेकि जब औरस और पुत्रिकासुतके न होनेमें मूर्धावसिक्त आदि अनुलोमजपुत्रभी नहीं जिनका दाय भागित्व पहले पचासके परिच्छेदमें १२८ वाले मूलश्लोकसे वर्णन हो चुकाहै किन्तु वेभी एक प्रकारके मध्यम औरसगिने जातेहैं क्योंकि यद्यपि सवर्णभार्या से तौ नहींपर वे भी क्षत्राणी आदि विवाहितामें अपनेही बीजसे उत्पन्न होते हैं इसलिये इन क्षेत्रज आदि दशपुत्रोंकी अपेक्षा वे अनुलोमज बेटे उत्तम समुभेजाते हैं और इसीहेतुसे औरस पुत्रके होनेपर भी औरसके साथही उनको कुछ न्यून भाग मिलताहै व्यवस्था देखो १२८ वाले मूल श्लोकमें (परंच) उस व्यवस्थामें इतना भेद और है कि वहांपरशूद्राके बेटे को पावभाग अर्थात् ब्राह्मणसे चौथाई क्षत्रियसे तिहाई वैश्या पुत्रसे अधियाई मिलना कहाहै सो तौ अनेक भाइयों के साथमें वह

भाग कल्पना नियत है और एक हिसाबसे वह शूद्रापुत्र भी औरसपुत्रोंमें गिनती अर्थात् नीच औरसगिनाजाता है क्योंकि विवाहिता शूद्रामें अपने बीजसे उत्पन्न होता है परन्तु पिताके सबधनका मालिक वह किसीदशामें नहीं होता है सिद्धांत यह कि यदि और कोई भाँतिके पुत्र नहों वह केवल शूद्राका ही बेटा होतौ भी सबधनका मालिक जैसे अन्यपुत्र होसके तैसे नहीं होसकता है किन्तु सबधनमेंसे दशवाँभाग पाता है-तथा-हमनुः(यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो यद्यपुत्रोपि वा भवेत् । नाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः) अर्थात्-मराहुआ पुरुष चाहे उत्तम जातिके पुत्रोंवाला हो या उत्तम जातिके पुत्र उसके न हों केवल शूद्राका ही बेटा मौजूद होतौ उसमरेहुयेका धन क्षेत्रज आदि कोई बेटा अ-गर हो तो वही अथवा और कोई सपिंडोंमेंसे भाई आदि जो अधिकारी होकरहरै सो उसधनमेंसे मौजूद शूद्रापुत्रको दशवाँभाग देवै दशमांशके सिवाय किंचित् भी अधिक न देवै यह धर्मानुसार नियम जानो-इस नियमसे यह सिद्धांत भी पाया जाता है कि क्षत्रिया और वैश्य भार्याके बेटे अगर सबर्णाका बेटा न होतौ सबधनके मालिक होसकेंगे किन्तु इनके सन्मुख और कोई सपिंड आदि अधिकारी न होसकेंगा जैसे शूद्रापुत्रके सन्मुख होगयाथा १३६ ॥ यहाँ तक यह मर्यादें सब चारों वर्णकी सामान्य भावसे कही गईं पर विशेषकर द्विजातीमात्रमें समुझनी किन्तु अगले दोश्लोकोंसे शूद्रका धन विभाग होनेमें कुछ विशेषता प्रकट करते हैं १३६ ॥

जातोपि दास्यांशुद्रेण कामतो शहरो भवेत् १३७ ॥

मृतेपितरि कुर्युस्तं ध्रातरस्त्वर्द्धभागिकम् । अभातृको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुतादृते १३८ ॥

ऐ०-सहद्वयोः-शूद्रजाती पुरुषका बेटा चाहे दासीमें भी हुआ हो वह अपने पिताकी इच्छासे भागपासकता है अर्थात् पिता अपने जीते जी पुत्रोंको विभाग करते समय विवाहितासे उत्पन्नहुये पुत्रोंके साथ उस दासीपुत्रको बराबर भाग देना चाहै तौ कोई भी निषेध नहीं करसकता है १३७ ॥ परंतु पिताके मरनेपीछे जो विवाहिताके भीपुत्र हों तो वे अपने से अधिअर्द्धभाग उस दासीपुत्रको देवें किन्तु अपनी बराबर नहीं (और जो) विवाहिताके बेटे कोई न हों तौ साराधन वह दासीपुत्रलेवै (यदि) कई दासीपुत्र हों तौ सभी बराबर बाँटि लेवें पर उसदशामें कि जो विवाहिता की बेटियाँ या बेटियोंके बेटे निपट न हों किन्तु इनके भी होनेमें दासीपुत्र अधिअर्द्ध भागपावेंगे-इस वचनमें शूद्रके बेटे जो दासीसे उत्पन्नहों पिताकी इच्छासे भागपासकते और पिताके पीछे भाइयोंसे आधाभाग पासकते हैं तौ शूद्रपर विशेषता आरोपित करनेसे यह सिद्धांत पायागया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विजातियोंमें जो दासीमें सन्तान हो सो पिताकी इच्छासे भी भागपानेका अधिकारी नहीं है अर्थात् पितादेना चाहै तौ विवाहिताके बेटे आदि प्रतिषेध करसकते हैं एवं पिताके पीछे भी आधाभाग पाने

का अधिकारी नहीं है फिर साराधन हरना तौ बड़ी दूर है (हां) यदि अधिकारियों के अनुकूल हो तौ जीवनमात्र पावैगा १३८ ॥

अत्रचपुत्रप्रतिनिधीनांदायक्रमप्रसंगेकेषांचिद्वत्तादीनामुपपुत्राणां  
विशेषविवेकोनामपंचपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५५ ॥

इस पचपन के परिच्छेद में विशेषकर दत्तक आदि केचित् उपपुत्रों के दायदत्व की विशेष व्यवस्था वर्णन होगी जिसमें कुछ पुत्रों के प्रतिनिधित्वकी निवृत्ति और कुछपुत्रोंकी विलक्षण परिपाटी जैसी देशांतर भेद या ग्रंथांतर भेदसे प्रचरित है सब जानीजायगी यद्यपि ऊपरले दो परिच्छेदोंमें द्वादशभांतिके पुत्रोंकी व्यवस्था जोकुछ मिताक्षरा के अनुसार व्योरेवार वर्णनहुई सो सबठीकहै किन्तु उसमेंकोई भांतिका संदेह शेषनहीं है तथापि इस विशेष परिच्छेदका संग्रह इसकारणसे कर्त्तव्य ठहरा कि आधुनिक पूर्वकालिक विरले ग्रंथों के संग्रहीता विद्वानोंने लोकमें संप्रति सांसारिक आचार व्यवहारोंकी बहुधा मर्यादोंका परिणाम होतादेखकर अपने नवकल्पित ग्रंथोंमें प्राचीन आर्षग्रंथोंके ऋषिप्रोक्त नियमोंको उलांघिकर औरस पुत्रके स्थानीभूत दशपुत्रोंकी प्रतिनिधितामें निवृत्ति दर्शाईहै (निवृत्ति अर्थात् मन्सूखी) किन्तु औरस के अभाव में केवलदत्तक पुत्रकी प्रतिनिधिता यथा वस्थित रखकर शेष दशपुत्रों को मन्सूख किया-यद्यपि उनविद्वानोंने अपनी शक्तिके अनुमान केवल नवग्रंथसंग्रहकरने का व्यसन पैदा किया परन्तु उनकी बुद्धिका विचार न्यायात्मक नहीं लोकाचारात्मक था क्योंकि यद्यपि उन्होंने छोटीमोटी एकआधी तर्कणाभी दशपुत्रोंकी मन्सूखीमध्ये प्रकटकरी पर वह तर्कणा केवलवालक्रीड़ा के समान समुभीजाती है कि जिसका लिखना यहांपर विस्तारहेतुसे अपेक्षितनहीं है (किन्तु) एकसूधीसी तर्कणाउनकी यहवहुत प्रबल समुभीजाती है किदशपुत्रोंकी प्रतिनिधिता मध्ये परिपाटी लोकमें मिटतीजातीहै इससे हमभी उनकी मन्सूखी दर्शातेहैं सोयह तर्कणाभी उनकी ऐसी समुभी चाहिये कि जैसेभीतिको गिराऊ देखकर और भी दोधक्रेदे उसकेसाथ आपभी गिरताचलाजावे क्योंकि विद्वानोंका यह कामहोताहै किजब कोई ऋषिप्रोक्त लाभकारी मर्यादाका व्यतिक्रम होतादेखें तब अपनी विद्वत्तासे न्यायात्मक विचारकेसाथ उसमें ऐसी दृढ़ताकरें जिस्सेमनुष्यों कापग विचलने नहींपावै-जोकि विरली मर्यादोंकी निवृत्ति और न्यूनाधिक भावसे परिशोधन भी कदाचित् कियाजाताहै सो उस अवस्थामें किजब किसीपहली मर्यादासे गरीयसी हानिपाई जाय-परन्तु-अब इसकथनसे भी कुछ अपेक्षा शेषनहीं है क्योंकि जबकोई दीर्घ वृक्षधरती में गिरकर बड़ामार्ग रोब देताहै तब जहांतक बनिआवे उसको झांट झांटकरमार्ग सीधाकरनाहोताहै यद्वा अतिशय दुर्गमता होजानेसे उममार्गको झाड़कर द्वितीयरस्ता खोजिलेते हैं इसन्यायमें



संप्रति उनकी मन्सूखीपर भी ध्यानकरना आवश्यकहै क्योंकि जिसबातकी परिपाटी दीर्घकालसे मारीगई और जिसबातको सर्व साधारणोंने स्वीकारकिया चाहे निर्मूल होवही समूलसमुभी चाहिये-संप्रति पूर्वकालके आधुनिक पंडितलोगोंने केवलदत्तक पुत्रकी प्रतिनिधिता में प्रधानता रक्खीहै इसीहेतुसे बहुधालोकमें भी केवल दत्तक पुत्रप्रतिनिधि कियाजाताहै इसीप्रयोजनसे इसपरिच्छेदमेंपहलेदत्तक पुत्रकीव्यवस्था वर्णन करते हैं ॥ ( अथगृहीतृप्रशंसा ) दत्तपुत्रको कौन गोदलेसक्ता है इसप्रश्नका यह नियमहै कि जिसपुरुषके कोईबेटा और पोता और परोताभी न हो वही गोदलेसक्ताहै और कोई नहीं और जो पहिलादत्तक संतान पैदा किये बिन मरजाय तौ फिर पुनर्दत्तकभी लेसक्ताहै कदाचित् ऐसीही निपूती स्त्रीलेना चाहै तौ पतिकी आज्ञासे लेसक्ती है यद्वा पतिके मरे पीछे लेतौभी जो पतिके जीतेजी आज्ञाप्राप्त करली होगी तौ लेसक्ती है अन्यथा नहीं-परन्तु पतिभी केवल एकपत्नी को आज्ञा देसक्ताहै कुछ अनेक पत्नियोंको आज्ञानहीं दे सक्ताहै कि तुम जुदे जुदे बेटे गोदलेना (एवं) जहां ऐसी पत्नीएकभी गोदलेनेकी आज्ञामांगै जिसकी सौतिसे पैदा हुआ पतिका औरस बेटा विद्यमान हो तौ उस एकहू को आज्ञादेनेका अधिकारी पति नहीं है चाहै उस पत्नीका विरोधभी सौतेले बेटेसे रहता हो या न हो (परंच) इस भांतिसे निस्सन्देह आज्ञा देसक्ता है कि मेरे मरने पीछे यदि मेरा औरस बेटामरजाय तौ फिर दत्तक पुत्रको गोदलेलेना (वरन) यह भी आज्ञादेसक्ता है कि जो दत्तकपुत्रमरजावै तौ अन्यदत्तक लेलेना ऐसी आज्ञाकी पानेवाली स्त्रीभी इन्हीं नियमों के अधीन गोद लेसक्तीहै (और) विरले लोग इसबातपर कुछ आग्रह खड़ाकरते हैं कि जिसविधवा ने साधारणभावसे पतिकी आज्ञा पहिले पाकर उसके मरनेपीछे दत्तक गोदलियाहो और वह दत्तक मरजाय तौ वह स्त्री अन्यदत्तक गोद लेसकनेमें अधिकारसे विहीन होगी क्योंकि उसको साधारणभावकी आज्ञासे द्वितीय दत्तक लेनेका अधिकार निश्चितनहीं है यद्यपि इसआग्रहकी दृढ़तामें केचित् नव कल्पित संग्रह ग्रन्थोंका प्रमाण भी आरूढ़है कि ऐसा करनेमें अधिकार उसको नहींहै तथापि न्यायात्मक विचारके सिद्धान्तसे ऐसाहोना कुछ अनर्थक निश्चित नहीं है क्योंकि जिस फल सिद्धिके निमित्तसे साधारणभावकी आज्ञा उसको अनियतमिली थी उसफलका जबतक परिपाक नहीं होनेपाया तबतक आज्ञाभी निःसंदेह यथा वस्थितहै और अनियतका आशय यह प्रत्यक्षहै कि जिस आज्ञामें द्वितीय दत्तक होना नियतनहीं था तिसमें उसीका न होनाभी कुछ नियतनहीं था-यद्यपिवांग और वाराणस्यादि देश विभागोंमें यह नियम निश्चितहै कि जिस स्त्रीकेपतिने अपनेजीतेजी पत्नीको आज्ञानहींदीहो वहस्त्री पतिके मरने पीछे दत्तकनहीं लेसक्ती है परन्तु पाश्चात्य देश विभागों में यह परिपाटी एक

विशेष है कि ऐसी स्त्री पतिके मरने पीछे पतिके बान्धव लोगोंकी ही आज्ञासे गोदलेसक्ती है बल्कि तत्रत्य ग्रन्थविशेषों में इसबातपर तर्कवाद आरोपित हुआ है कि यद्यपि दत्तक पुत्र गोदलेनेकी रीतोंका उद्धार करना स्त्रीके बशका नहीं हो तौ भी जो विद्वान् विप्रोंके द्वारा कार्यसाधन करै तौ फिर कुछ तर्करूप आग्रहको अवकाश नहीं है—और इसीवार्ताकी अपेक्षा से मैथिल देशके भूभागमें यह विशेषता है कि जिस स्त्रीने पतिके जीतेजी उसकी आज्ञाभी संप्राप्त करली हो तौ भी पतिके मरने पीछे वाचस्पति मिश्रकृत ग्रंथ विशेषकी प्रधानतासे दत्तकपुत्र नहीं लेसक्ती है परन्तु इस प्रतिषेधके पलटे एक यह विशेषता भी उस देशमें अधिक है कि यद्यपि दत्तकपुत्र तौ पतिकी आज्ञासे भी नहीं लेसक्ती पर कृत्रिम पुत्र पतिकी आज्ञाबिना भी लेसक्ती है बल्कि पतिके बान्धव जनोंकी भी आज्ञासे अपेक्षा इसमें नहीं है॥ (अथदातृप्रशंसा) दत्तक पुत्रका दान करनेमें अधिकारी कौन है इसप्रश्नका यह नियम है कि प्रथम तौ माता पिता दोनों मिलकर या माताके अभावमें केवल पिता भी देसक्ता है परन्तु केवल माता पतिके दूरस्थ होने में उसकी आज्ञासे ही देसक्ती किंतु आज्ञाबिना नहीं देसक्ती और पतिके मरजाने पीछे भी केवल माता ही देसक्ती है जो उसने पतिके जीतेजी इसबातकी आज्ञा पाई हो अन्यथा पतिके मरजाने पीछे विधवाको पुत्रदानका अधिकार नहीं है पर केवल एक प्रकारसे कि जो उसपर कोई कठिन विपत्ति अत्राकाल आदि उपस्थित होतौ विधवा भी देसक्ती है तथापि जिसके एक पुत्र हो या जेठापुत्र दोके होनेपर भी नहीं दान करसक्ती है और इसदान में स्त्री पुरुषदोनोंको ही यह नियम है कि अपने ही सजाती या सवर्ण पुरुष निपूतेको देसक्ते हैं अन्यथा नहीं—यहांपर यद्यपि दान करने मध्ये केवल माता पिताका अधिकार वर्णन हुआ है पर इसमें एक विलक्षण बात जो बहुधा लोकमें दिखाई देती है चर्चा उसका कर्तव्य है कि जिन पुत्रोंके मातापिता नहीं रहते उनका पालन बड़ी बहिनें या भ्राता चचा ताऊ आदिकरते और वे भी किसी अवसरमें दत्तकदान कर देते हैं यद्यपि पालयिता पितृस्थानी पितामाताके ही तुल्य हुआ करता है इसन्यायसे उसदानको भी भिन्न मर्यादिक नहीं कहसक्ते थे पर जब पिताके मरजाने पीछे विधवा माता भी स्त्रीत्व से ही पिताकी अनुज्ञासे विहीन दान करनेमें समर्थ नहीं है तौ फिर बहिनें भी स्त्रीत्व के लक्षणसे क्योंकर ऐसा करसक्ती हैं यद्यपि इसभांतिके भगड़ेवाला व्यवहार किसी राजद्वारमें कदाचित् पहुँचा या न पहुँचा हो पर देखनेमें इसप्रकारसे भी आया है कि बहिनोंने भाईको और अनाज्ञता विधवामाताने बेटेको दत्तक छोड़ि क्रांतकी रीतिसे दे दिया बल्कि विरलेस्थलपर इस अविवेकसे कि सवर्ण छोड़ि असवर्णोंमें स्वाश्रम छोड़ि पराश्रमको दे दिया है तौ भी उनके जाती लोगोंने कोईसा दण्ड या प्रतिषेध उन पर नहीं पहुँचाया इन कारणोंसे बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि यह भी एक मर्यादिक

वातहै इसीसे औरोंकोभी ऐसाकरनेका उत्साह बढ़ताहै-एवं-बड़ेभ्राता या चचाताऊ आदि यद्यपि पुंसत्वके हेतुसेभी पितृस्थानी पालयिताहोकर ऐसा करनेके अधिकारी समुझे जासक्ते हैं तथापि इनपर इसहेतुसे प्रतिषेध पहुँचता है कि मन्वादि ऋषियों ने केवल मातापिताकोही दानका अधिकार दर्शाया है क्योंकि पिता अपने वीर्य से पत्नीद्वारा पुत्ररूप होकर आपही जन्मलेता है इससे पुत्रमें और पितामातामें कुछ विशेष अन्तरनहीं है इसीहेतुसे पिता अपने आत्मरूपी पुत्रके हानिललाभोंका विचार आगापीछा सोचिकर अच्छीभाँति करसक्ताहै अर्थात् अपने पुत्रका कुछ अधिकतर कल्याण जानिकर किसीको दत्तक रीतिसे देताहै-यथाहमनुः ( मातापितावादद्यातां यमद्भिःपुत्रमापदि । सदृशंप्रीतिसंयुक्तंसज्ञेयोदत्त्रिमःसुतः ) अस्यार्थः ( शुक्रशोणित संभवःपुरुषोमातापितृनिमित्तकःतस्यप्रदानविक्रयपरित्यागेषुमातापितरौप्रभवतः इतिवसिष्ठस्मरणात् मातापितावापरस्परानुज्ञया यंपुत्रंपरिश्रहीतुः समानजातीयंतस्यैव पुत्राभावनिमित्तायामापदिप्रीतियुक्तं नतुभयादिना उदकपूर्वदद्यात्सदत्त्रिमाख्यःपुत्रो विज्ञेयः)कदाचित् पिता माताके अभावमें बड़े भ्राताचचा ताऊ आदि भीदान करदेने के अधिकारी न्यायात्मक निश्चित होजाते तौफिर बहुधाही इसभाँति के उपद्रवखड़े होजायाकरते किन्तु बड़ा भ्राता छोटेभाई को इस बांछासे भी दान करदेता कि यह अपने रिक्थ भागसे निःस्वत्वहोजावे तौ वह मुझको मिलेएवंचचाताऊभी इसबांछा से कि इतका रिक्थभाग मेरे पुत्रों को या मुझकोही इत्यादि अनेकधा व्यवहारों में विरोध आजाता इससे निश्चितहै ये लोग ऐसाकरनेके अधिकारी नहीं हैं(परन्तु)लोकमें कदाचित् इन्हीं पुरुषोंके द्वारा दत्तकदानहोताहै और निन्दाकी पदवीकोभी नहीं पहुँचता बल्कि श्लाघ्य समुझा जाताहै तिसकाभी कारण केवल यहीहै कि उसदान का अवसर देखाजाताहै अर्थात् न्यायात्मक मर्यादासे ये लोग ऐसाकरनेके अधिकारी यद्यपिनहीं हैं तौभी जहाँ दत्तकलड़के का कुछ अधिकतर कल्याण पायाजावे तहाँ सत्पुरुषोंके सन्मन्त्र द्वारा ये लोगभी सामयिक धर्मसे अधिकारी होजातेहैं (दृष्टान्त ) जहाँ माता पितासे विहीन किसी लड़केका स्वत्व अपने वापके रिक्थमेंसे अनुमान केवल दशहीपाँच सहस्रतक उपस्थितहै कदाचित् उसीलड़के को दत्तक रीतिसेकोई लक्षाधीश या भूपालमांगे जिसको उसलड़केके सिवाय किसी परजनका लड़कालेना अस्वीकार या अयोग्यहो तौ सत्पुरुषोंके सन्मन्त्रसे जेठा भाई या चचाताऊ आदि भी देसक्तेहैं अन्यथानहीं ॥ (अयदत्तकस्वतन्वन्यविशेषः) जिस दत्तक पुत्रके गोदलेनेकी यथोचितरीति यथाशास्त्रके अनुसार साधनहोकर उसकादान होजाता है तत्रतत्काल सेही उसके जन्मदाना पितामातामेंसे गोत्र आदि नन्वन्य जानाग्रहताहै और उनके धनमेंसे जोरिक्थभाग उसका योग्यथा सो भी मिटजाताहै और श्राद्ध आदिस्वधा

कर्मोंका अधिकार भी उसपितामेंसे हटजाता है (और) दत्तकचाहै अन्य गोत्रसे भी आयाहो पर धर्मानुसार गोदलेनेवाले कल्पित बापकेधन गोत्रआदि में अधिकार उसकावैसाही दृढ़होजाताहै कि जैसा औरसपुत्रका विख्यातहै-यथाहमनुः (गोत्ररिक्थे जनयितुर्नहरेद्दत्त्रिमःक्वचित् । गोत्ररिक्थानुगःपिण्डोव्यपैतिदत्तःस्वधा ) अस्यार्थः- (गोत्रधनेजनकसम्बन्धिनीदत्तकोनकदाचित्प्राप्नुयात्पिण्डश्चगोत्ररिक्थानुगामीयस्य गोत्ररिक्थेभजतेतस्यैवसपिण्डोदीयतेतस्मात्पुत्रंदत्ताजनकस्यस्वधापिण्डश्राद्धादि तत्पुत्रकर्तृकंनिवर्तते)यद्यपि इसी संवर्णित मर्यादाके न्यायसे यहसिद्धान्त संसूचित होता है कि जिन गोत्रोंकी कन्या उसके औरसपुत्रोंको विवाही जासकीथीं उनगोत्रों मेंवह दत्तकभी जो अन्यगोत्रसे आयाहो विवाहा जासक्ताहै परतौभी शिष्टाचारात्मक मर्यादासे यह परिपाटी लोकमें प्रचरितहै कि दत्तकपुत्रके सहोदर भ्राता जिनगोत्रोंमें विवाहे नहीं जासक्तेहों तिनमें दत्तकभी विवाहा नहीं जासक्ता और उन गोत्रोंमें भी नहीं विवाहाजासक्ता जिनकी कन्या उसके कल्पित बापके गोत्रमें आनेका प्रतिषेध हो अर्थात् दत्तकबेटा उन्हीं गोत्रोंमें विवाहाजाताहै कि जिनकी कन्या उसके जन्म दाता और कल्पितबाप दोनोंके गोत्रमें आसक्तीहों-इसी विरोधके हेतुसे यह प्रतिज्ञा भी सब ग्रन्थोंमें प्रधान रक्खीगई है कि जहांतक वनिआवै अपने आसन्नतर सपिण्ड भाईका बेटा यद्वा अन्य सपिण्डोंका बेटा या सगोत्रीकाही बेटा गोदलेना उत्तम है कि जिस्सेवैवाहिक सम्बन्ध आदिकामोंमें विरोध नहींआवे बल्कि लोकमेंभी जो विज्ञानी हैं सो ऐसाही विवेकसे आचारकरतेहैं परंतु जिनको ऐसा दत्तकमिलसकना दुर्लभहोताहै वे लाचारी अवसरमें अन्यगोत्रसेभी लेतेहैं-यद्यपि न्यायात्मक मर्यादासे यहवात संसूचितहै कि दत्तकदान करनेवाले पिता मातासे उस पुत्रका कुछ संसर्गनहींरक्खे और ऐसी बालअवस्थासेलेवै जो ग्रहीता कोही मोहसे हिल मिल पिता मातासमुभे (पर) लोकमें यह बंधन बहुधानहीं वनिआता किंतु जब समीपी मित्रादिक अपना पुत्रदेतेहैं और मोहादिकहेतुसे परस्पर दोनोंका समागम चलाजाता बल्कि लौकिक शिष्टाचारसे उत्सव आदि मंगल कामों और विपत्ति आदि शोक स्थानोंमें उसभाँति से समागमका प्रचार बनारहता है कि मानों दत्तक अपने जन्म दाता मा बापोंमें अबतक जुदानहींहै (और) विशेषतर यहवातभी दिखाईदेतीहै कि यदि कोई ग्रहीता अपने घरका सर्वसंपन्न लक्षाधीश या राज्याधीशहै और दाता असंपन्न चाहै सहवासी या ग्रामान्तरवासीहो तो वह दाता और दाताके बेटे तथा भाई और भतीजे आदि सब ग्रहीताकेही पास उपस्थित रहकर अपना पालन और निर्वाहकिया करते हैं इस विशेषतासे कि गोद लेनेवालाभी मरगया और वह दत्तकभी एक पुत्रको जन्म देकर मरगया पीछे वही दाता ऐसे पोताका दादाकहलाता और वहपोताभी निव

कल्पित बाबाको न जानिकर उसी असली दादाको बाबा और उसके पुत्रोंको चचा कहाकरता और प्रत्येक क्षणभी उसकी गोदसे जुदा नहीं रहसक्ता (पर) इस भांतिके वर्त्तविसेभी न्यायात्मक मर्यादाके अनुसार कोई भांति दाताका स्वत्व ऐसेपोताके धन पर या पोताके बाप और कल्पित बाबाके धनपर नहीं पहुँचताहै चाहै दत्तक एकबेटे कोभी जन्म न देकर आप निपूता मराहो या जीताहो-तौभी केवल शारीरिक पालन-मात्रका उपकार जो कुछऐसे दाताकेसाथ लौकिक शिष्टाचारीके अनुसार कियाजाता हैतिसका प्रत्युद्धारभी शारीरिक सहायके उपरान्त और नहींहै(अथदत्तकस्यभागविशेषः) यद्यपि चौवनके परिच्छेदमें दत्तक (और) औरभी दश पुत्रोंका भाग विशेष औरसके उत्पन्न होने पीछे मनु और विष्णु और कात्यायनके वचनोंसे निर्णीत होचुका सो सब ठीकहै तौभी यहां विशेषकर दत्तकपुत्रकी अपेक्षासे कुछ देशभेदकी परिपाटी दर्शित होनी योग्यहै अर्थात् वाराणसी संबंधी देश विभागों में जो दत्तक गोद लेलेने पीछे औरस पैदाहोय तौ दोनों बेटे पैतृक धनकेरिक्थी होते हैं परन्तु कात्यायनके वचना-नुसार यह परिपाटी है कि औरस बेटा तीनभाग और दत्तक बेटा एकभाग पाताहै कदाचित् गोद लेने पीछे दोऔरस पैदाहोयँ तौभी इसीप्रकारसे सबधनके सातभाग होकर एकभाग दत्तक और तीन तीन भाग दो औरसबेटे पावेंगे ऐसेही कदाचित् तीन औरसहोजावँ तौ सब धनके दशभाग करनेहोंगे इत्यादि औरभीसमुझने-पर-वंगाले संबंधी देश विभागोंमें यदि गोद लेनेपीछे औरस पैदाहोय तौ उस देशके प्र-धान ग्रंथोंके अनुसार यह परिपाटी है कि औरस बेटा दोभाग और दत्तक एकभाग पाताहै कदाचित् गोद लेनेपीछे दोऔरस पैदाहोयँ तौभी इसीप्रमाणसे सब धनके पांचभाग होकर एकभाग दत्तक और दो दो भाग दोनों औरस बेटे पावेंगे कदाचित् तीन औरस होजायँ तौ फिर सब धनके सातभागहोंगे इत्यादि यथावृद्धिके अनुसार जानो-पर सर्वत्र जो कदाचित् दोदत्तकोंका समवाय होजावै तौ फिर धनका मालिक वही होगा जो शास्त्रकी विधि द्वारा पुत्र बनायागयाहो किंतु जो विधिसे विहीनहो ति-सको धनभागित्वका निषेधहै (और) यथार्थसे दोदत्तक होनेकी आज्ञा नियत नहीं है इसलिये दोनोंदत्तक शास्त्रके विधान पूर्वहोने निपट असंभवहैं (पर) ऐसी दशामें शास्त्र की विधिसेभी दोदत्तक होनेसंभवहैं कि जवएक पहिला दत्तक अंधवधिर क्लीव आदि होजावै किन्तु जिन दोषोंके हेतुसे और सभी निज दायसे दुर्भागी होजाताहै तिनके प्रत्यक्ष प्रकट होजानेसे यदि एक दत्तक निपट न होनेकी गिनतीमें आकर द्वितीय द-त्तक लियाजावै तब यह पिछलादत्तक धनभागीहोगा और वह पहिला दत्तक भोजन वस्त्रोंका अधिकारी-इसके सिवाय-यदिकदाचित् किसीग्रहीताने एक दत्तकभी स्वर्णके सिवाय असवर्ण अर्थात् भिन्नजातिकालड़काचाहै शास्त्रकी विधिसेभी गोदलियाहो तौ

वहदत्तकवृद्ध गौतम और शौनक और कात्यायनके वचनोंसे ग्रहीताकारिक्थीनहीं हो सक्ता केवल भोजन वस्त्र पावैगा(यदिस्यादन्यजातीयोगृहीतोवासुतःकचित्।अंशभाजं नतंकुर्याच्छौनकस्यमतंहितदिति वृद्धगौतमः) एवं जिसकिसी प्रकारका दत्तक लेनेका प्रतिषेध शास्त्रमें पायाजाय और वैसाही प्रतिषिद्ध दत्तक जिसने लियाहो तौ वहभी उसका रिक्थी नहीं होगा पर जेठापुत्र और इकलौता इसकी छूटमें समुझने (अथस्त्रीकृतदत्तक विषये) जहां किसी विधवाने निजपतिकी आज्ञानुसार उसके मरने पीछे दत्तक लिया हो तौ वह दत्तकभी सर्वथा उसीप्रकारका अधिकारी होताहै कि जैसे बापके मरने पीछे औरस पैदाहोकर अपने बापके धनादिक में अधिकार पाताहै इस उत्कर्षासे कि जो कदाचित् ऐसी विधवाने उसके गोदलेनेसे पीछे या पहले भी निजपतिके स्थावरधनका निष्कारण विक्रयकियाहो तौ उसदत्तकपुत्रके स्वत्वानुसार उसकीहानि संभवहोनेसेही ऐसा विक्रय निपट अयोग्यहोता किन्तु निर्वर्तित होसक्ताहै-इसमर्थ्यादा के विवेचक धीरों ने संदृष्ट वांग परिपाटी मध्ये यहाँतक विशेषता सूचितकरी है कि यद्यपि किसी निपूतेकी विधवाका श्वशुरभी जीताहो और वहविधवानिजपतिकी पूर्वदत्त अनुज्ञाके अनुसार अपने ससुरकी सम्मति से दत्तक पुत्र लेलेवै उसके लेने पीछे ससुरा के धेवता पैदाहोजाय जो पौत्रोंके अभावमें पोताके समान पौत्रस्थानी गिनाजाताहै परंतु अब इसधेवतेको पौत्रत्वकी पदवी नहीं मिलसक्ती क्योंकि इससे पहले उसके पुत्रवधुकी गोदद्वारा दत्तकपोता पौत्रस्थानी कल्पित होचुकाहै इसलिये ऐसे धेवतेके होजानेपर भी उक्तदत्तक अपने दायत्वसे दुर्भागी नहीं रहसक्ता (पर) यह आशय इसका प्रत्यक्ष है कि गोदलेने का आचार जबतक होनेनहीं पाया और इस बीचमेंही ससुराके धेवता पैदा होजाय तौ फिर गोदलेना देना भी श्वशुरकी इच्छापर आरूढ़है-इसके सिवाय यद्यपि धेवता तौ न पैदा होय पर गोदलेने का आचार सिद्ध होचुकने पीछे विधवा का ससुरा अर्थात् दत्तक पुत्रका कल्पित बाबा यदि स्थावर धनका (वियोग) दान विक्रय आदिसे करदेवै जिससे दत्तक पोताके निमित्तमें गरीयसी हानि संभवहो तौ इस वियोगसे भी दत्तक पोता का दायस्वत्व नहीं मिटसक्ता-परंतु-जिस विधवाने कदाचित् पतिकी आज्ञासे विहीन अपनी इच्छासेही दत्तक लियाहो तौ यह दत्तक विधवाके पति का दायनहीं पासक्ता और न पतिके बांधव लोगोंका दाय हरसक्ताहै केवल उर्मी विधवा माताकाही स्त्री धन पासक्ता-इसके सिवाय-जिस स्त्रीने अपने निपूते पिताके मरनेसे पैतृक रिक्थ पायाहो और वह आपभी निपूती होनेके हेतुसे दत्तकलेलेवेचाहै अपने भर्ताकी पूर्वदत्त आज्ञामें भी लियाहो तौभी यहदत्तक अपनी गोद लेनेवाली माताके मरनेसे उम्मीद पैतृकरिक्थ धेवताके अधिकारवत् प्राप्तकनेका अधिकारीनहीं है और इस कथनका यहसिद्धान्त भी नहींहै कि जो एनीस्त्रीके भर्ताने आपही दत्तक



लियाहो तो वहदत्तक अपने ग्रहीताके ससुराकादाय पासत्ताहोगा किन्तु बेटी या जमाई का बनायाहुआ दत्तक बेटा नानाकेनातेसे रिक्थी नहींहोता अर्थात् ऐसीबेटी के मरनेपीछे वहधन लौटिकर पिताके सपिण्ड आदि पातेहैं-और-मैथिलदेशमें विशेष कर कृत्रिम पुत्र गोदलेनेकी परिपाटीहै और उसके दाय भागित्व और सम्बन्धमेंभी अन्तर है वहअन्तर आगे कृत्रिम पुत्रकी व्यवस्था साथ समुभा जायगा ( अत्रच-द्व्यामुप्यायणसंज्ञकदत्तविशेषस्यसम्बन्धविशेषोभागविशेषश्च ) यद्यपि दत्तक पुत्रका दान होजाते सार उसका कोईभाँति का सम्बन्ध जन्मदाता के कुलमें नहींरहताहै तथापि जो दत्तक द्व्यामुप्यायणकी रीतिसे दियाजावे तौफिर निज कुलमें भीसबसम्बन्धयथा वत् बनेरहतेहैं और वेहीसबसम्बन्ध ग्रहीताके भी कुलमें आरोपितहोजाते हैं अर्थात् वहदोनों बापका पुत्र कहाता और दोनोंबाप मिलकर उसके संस्कार करते हैं और दोनों बापके पिण्डभी वहदेताहै और दोनोंका धन हरता है और दोनोंका ऋणभी वही देताहै-ऐसा दत्तकदान होनेमें एकलौताका प्रतिषेधनहीं बल्कि विशेषकर एक लौताही ऐसा दत्तक होताहै-और-प्रायः निजभाई या सगोतीकाही बेटाहुआ करता है परगोतीका नहीं-यद्यपि पारिजात नामग्रन्थ ( और ) और विरलेग्रन्थ में क्रीतकृ-त्रिमभी द्व्यामुप्यायणहोते लिखे इस्से परगोती काभीहोता समुभा जाता है तथापि अबलोकमें परिपाटी ऐसीनहींहै इसलिये लोकाचार परही ध्यानकरणीय और यथार्थसे ऐसाहोना भी असङ्गतहै-इसी द्व्यामुप्यायण पुत्रकी व्यवस्थायद्यपि ५२ संख्या के परिच्छेदमें १३० वाले मूलश्लोक से वर्णन होचुकी है परउसमें आर्ष वचनों से नियोगधर्म की विधिद्वारा क्षेत्रजरूपी द्व्यामुप्यायण दर्शायाथा अब इस स्थलपर दत्तकपुत्र के प्रसङ्गसे दत्तक रूपी द्व्यामुप्यायण दर्शायागया-क्योंकि सम्प्रति एतद्देशी लोकमें क्षेत्रजकी परिपाटी छूटजानेसे वहनियोग धर्मा द्व्यामुप्यायण पुत्रनहीं कियाजाता किन्तु उसके पलटदत्तक रूपी द्व्यामुप्यायण पुत्रका प्रचार सम्प्रतिलोक में प्रवर्तितहै उसकेभी (नित्य)(अनित्य)के भेदसे दोप्रकार हुआकरते हैं अर्थात् नित्यद्व्यामुप्यायण नामकादत्तक वही कहाता है जिसको गर्भ में उपस्थित जानिकर परस्पर दो निपूते पुरुष मैत्रीभावसे यह प्रतिज्ञा निश्चित करलेवें कि जो अबके गर्भसे बेटा होगातो हमदोनोंका कहावैगा इसभाँतिकी प्रतिज्ञा कियेपीछे उसके जन्मकालसे ही दोनोंबाप मिलकर (पुत्रेष्टि)नामयज्ञ और जातकर्म आदि सबसंस्कार कियाकरतेहैं यहतो मुख्यप्रकारहै-पर-बहुधालोग जिनको गर्भमेंहोतेहुये प्रतिज्ञाका वानक नहींवन आताहै तो उसपुत्रका जन्म होजाने परभी चूड़ाकर्मके पहले पहले किमीकाल तक यही विधान करतेहैं तौयह दत्तक नित्य द्व्यामुप्यायण होता और सदासर्वदाको उन दोनों बापोंसे संबंध इसका बनारहता अर्थात् जोयह दत्तकबेटे पैदाकरके मरजाय तो

इसमरेहुयेके बेटेभी दोदादाकेपोता कहेजातेहैं और दोनोंदादाओंका धनपाते हैं दूसरा अनित्यद्वयामुष्यायण पुत्रवहकहाताहै जो अपनेजन्मदाताकेघर चौलकर्म होजानेतक दूसरेकाबेटा नहींठहरै किंतु मूँड़न होजानेपीछे दोबापोंका पूतबनायाजाय तौयहबेटा अनित्यके लक्षणसे निज अपनेही जीवनताई दोकापूत कहाता किंतु इसकेबेटे केवल अपनेही दादाके पोतेगिनेजाते और उसीकाधन पातेहैं द्वितीयकल्पित दादाका नहीं पासके इसीहेतुसे उन दोनोंबापोंमें यह संबंधभी तबतक मानाजाता है कि जबतक यह अनित्यद्वयामुष्यायण पुत्र जीतारहै दोनोंबापका सबधन तभीपाताहै कि जो उनके कोई द्वितीय बेटा न हो अथवा इसके पीछे पैदाहोकर मरजाय-कदाचित् ग्रहीताने ऐसीदशामें इसको पुत्र बनायाहो जो पहलेसेही औरस पुत्र उपस्थितहो तौ यहपुत्र ग्रहीतावाप का धनभाग पानेमें अधिकारी निपटनहोगा क्योंकि औरसपुत्रकेहोतेहुये सर्वथागोद लेने और देनेकाभी निषेधहै परन्तु जो द्वयामुष्यायण करदेने पीछे जन्म दाता वापके औरस बेटापैदाहो तौ उसवापके सबधनमें से दोभाग औरस के और एक भाग द्वयामुष्यायणका होगा अर्थात् चाहै कितनेही औरस पैदाहोजायँ उनको दो दो भाग और द्वयामुष्यायणको एकभाग मिलताहै-एवं-यदि ग्रहीता वापके एक औरस द्वयामुष्यायण किये पीछे पैदा होतौ उसवापके भी सबधनमें से औरस के दो भाग और द्वयामुष्यायणका एक भाग होताहै अर्थात् चाहै कितनेही औरस पैदा होजायँ वे सब दोदो भाग पावेंगे और उनके सन्मुख द्वयामुष्यायण केवल एकभाग यही व्यवस्थाठीकहै पर किसी एकदेश विशेषकी अपेक्षासे ग्रन्थ विशेषका यह संमत है कि जो ग्रहीता वापके औरस पैदा होजायँ तौ फिर द्वयामुष्यायण को उस भागसे आधा भाग मिलनाचाहिये जो सामान्यदत्तक पुत्रको औरसके उत्पन्न होजाने पीछे मिलना कहाहै-बीचमें प्रसंगसे इसदत्तक विशेषका स्वरूप ज्ञान और संबंध विशेष और भाग विशेष भी दर्शायागया अब आगे उसीसामान्य दत्तक पुत्रकी व्यवस्था वर्णन होतीहै ( अथदत्तके प्रतिषेध विशेषः ) अब इसवातका विचार वर्णन होताहै कि कैसा लड़का और कौन दत्तक होसक्ताहै तहां पहले यह प्रतिषेध उसका दर्शाते हैं कि वह लड़का दत्तक होने योग्य नहींहै जो ग्रहीताका नाती अर्थात् बेटी या भती-जीका लड़काहो ( और ) वह भी नहीं जो ग्रहीताका भानजा अर्थात् चाहै सगी बहिन का बेटा या सौतेली या चचेरी आदि किसी बहिनकाहो और वह भी नहीं जो ग्रहीता का फुफेरा भाई अर्थात् चाहै सगी फूफूका बेटा या सौतेली या चचेरी आदि किसी काहो दत्तक लेने योग्य नहीं है ( और ) जैसा यह फुफेरेभाई का प्रतिषेध कियागया तैसेही भानाभाय कोई भी दत्तक लेना योग्यनहीं अर्थात् जो ग्रहीता पुरुषका नाते से भाई लगनाहो चाहै सगा या समेग या चचेरा आदि कोई हो ( और ) वह भी नहीं

जो ग्रहीसे ऊँचापिंड गिनाजाताहो अर्थात् जैसे चचा या मामा आदि (और) जैसे पुरुषको भानजेका प्रतिषेध कियागया तैसेही कदाचित् कोई स्त्री दत्तक लेती हो तो वह भी अपने भाईका बेटागोद नहीं लेसक्तीचाहै किसीप्रकारकाभाईहो (शंका) इस निषेधमें फुफेरे या ममेरे आदि भाईका प्रतिषेध तो तुल्यात्मक पिंड होनेके हेतुसेभी ठीक माना जासक्ता है कि भाईभाईका बेटा या बाप नहीं बनसक्ता परंच नाती और भानजेका पिंडभी तुल्यात्मक नहीं किन्तु ग्रहीतासे प्रत्यक्ष नीचा पिंड है तो फिर इनके प्रतिषेधमें क्याकारण है ( समाधान ) इसमें यह कारण है कि बहिन और बेटीको दान देनेकी मर्यादा लोक विदितहै पर इनसे दानलेना सूचित नहींहै-इसालिये यह प्रतिषेध केवल त्रैवर्णिक उत्तम जातोंपर आरूढहै अर्थात् शूद्रजातिमें नाती और भानजाभी गोद लियाजासक्ताहै क्योंकि शूद्रजातोंमें बेटी या बहिन देकर उसकामूल्य भी लेलियाजाता किन्तु केवल दानकेही प्रकारसे बहिनबेटी नहीं दीजातीहै इसलिये शूद्र लोग उससे बेटाकाभी दान लेसक्तेहैं (पुनरपिशंकाप्राप्तिः) इसवार्तामें फिरभी शंका पहुँचसक्तीहै कि जो त्रैवर्णिक जातोंमें बेटीसे दानलेनेका प्रतिषेधहै तोफिर नातीजो द्वादशपुत्र प्रतिनिधियोंमें पुत्रिकासुत नामसे गिनती कियागया और औरस पुत्रकेही तुल्य ठहरायागया जिसकी व्यवस्था त्रेपन ५३ के परिच्छेद में आचुकी है उसस्थलपर क्योंकर बेटीका बेटा पुत्र बनायागया बल्कि इसवातकी दृढ़तामें प्रमाणभीउसी जगह वसिष्ठ का यह वाक्यलिखागया है कि (अभ्रातृकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलंकृताम् । अस्यांयोजायतेपुत्रःसमेपुत्रोभवेदिति )क्योंजी वहांपरयहविधि वर्णनहुई और यहांपर प्रतिषेध उसका दर्शाया गया तो यह प्रत्यक्ष विरोध क्योंकर शांत होसकै (अस्यसमाधानं)इसमें किंचित्भी विरोधकी संभावना नहींहै क्योंकि वहांपर कुछदान का प्रसंगनहीं और दत्तकपुत्रका दान जलकेसाथ संकल्पकी रीतिसेहोताहै इसलिये दत्तक पुत्र उसीसे लेनायोग्यहै कि जिसकादिया दानलेसक्तेहैं और इस वसिष्ठमुनि के वाक्यमें जो जामातसे यह प्रतिज्ञाठहरानी लिखीहै कि इसकन्यामें जो पुत्रहो वह मेरापुत्र कहावै सो यहपुत्रत्वभी पौत्रत्वसे अपेक्षारखताहै अर्थात् इसप्रतिज्ञाका यह भावहै कि वह मेरापोता कहलावै और वहपोताही पुत्रके अभावमें पुत्रस्थानी होकर मेरेधन पिंडकाअधिकारी होवै किन्तु यथार्थसे पुत्रकेअभावमें वह पुत्रीही पुत्रके समान समुभीगई इसलिये उसके पेटसेपैदाहुआ पुत्रअपने नानाकापोताठहरा इसीलिये मनुने उस पुत्रिकासुतको (स्वधाकर) कहकर जामातसे प्रतिज्ञाठहरानी लिखा है-यथा(अपुत्रोऽनेनविधिनासुतांकुर्वीतपुत्रिकाम् । यदपत्यंभवेदस्यान्ममस्यात्स्वधाकरम्)अर्थात्-मनुने यह आज्ञादीहै कि जो कोईपुरुष निपूनाहो वह डम विधि से अपनीबेटीको (पुत्रिका) करे अर्थात् पुत्रकेसमान उसको माने सो इसविधिमें किउम

का दानकरतेसमय जामातसे यहवचन पक्काकरिलेवै कि यह मेरीकन्या जो है सोपु-  
त्रिकाहै अर्थात् यहीमेरे पुत्रकेसमान है इसलिये इसमें जो पहिलापुत्र पैदाहोय वह  
मेरा (स्वधाकर) अर्थात् मुझे पिंडदान करनेवालाठहरै तौ इसस्वधाकर नामसे कुछ  
पुत्र या पोताका नियम निश्चित नहींरहा क्योंकि स्वधाकर्म पुत्रभी करताहै इसलिये  
जब कि बेटीअपने बेटाके समान समुभीगई तौ निःसंदेह उसकापुत्र नानाका पोता  
निश्चित होगया-और-योगीश्वरने जो त्रेपनके परिच्छेदमें १३१ मूलश्लोक पूर्वार्द्धसे  
यह कहा है कि ( औरसोधर्मपत्नीजस्तत्समःपुत्रिकासुतः ) अर्थात् पुत्रिकासुतकोभी  
औरसके समान जानो सोयह औरसके समान कहना रिक्थीत्वके निमित्तमें दर्शाया  
है कि जिस्से औरसके समान भागपावै कुछ इसआशयसे यह कहना नहींहै कि वह  
बेटीकापुत्रभी अपना पुत्रहोजावै और यथार्थ से जो पोताठहरा सो निस्संदेह पुत्रहै  
कुछ पुत्र और पोतामें विशेष अंतरनहीं परन्तु उस पुत्रिकापुत्रसे और दत्तकसेबहुत  
बड़ा अंतरहै क्योंकि दत्तक दानमार्गसे आताहै और मुख्यपुत्रत्वकी पदवी उसकी  
होतीहै इसलिये ऐसीशंकाको अवकाश इसमें नहीं है और भानजेके प्रतिषेध मध्ये  
वृद्धगौतमके वचनानुसार दानमार्गके सिवाय एक यह औरभी प्रतिबंधहै कि जहां  
अपने संबंधीमात्रका लड़का लियाजाताहै तहां वहजन्मका संबंध जो परस्परपुंभाव  
से उत्पन्नहुआहो तौ उसकालड़का लियाजासक्ता है दृष्टांत जैसे भाई अपने भाई का  
लड़का गोदलेसक्ता है चाहे किसीप्रकार का भाईहो अथवा वही जन्मका संबंध जो  
परस्पर स्त्रीत्वसे उत्पन्नहुआहो तौभी लड़कालियाजासक्ताहै (दृष्टांत) जैसे बहिनअपनी  
बहिनोंकालड़का लेसक्तीहै चाहे किसीप्रकारकी बहिनैहों (परन्तु) इस्से विपरीतता में  
कोई किसीका लड़का गोदनहीं लेसक्ता अर्थात् नतौ बहिनै अपने भाई का न भाई  
अपनी बहिनोंकालड़का गोदलेसक्ते हैं बल्कि इस प्रतिषेधमें यह प्रावल्य है कि यदि  
शास्त्रकी आज्ञाको उलांघिकर कोईऐसाकरै तौ उसपर प्रायश्चित्त और ज्ञातिदंडभी  
संसूचित है-जिनवाक्यों की विस्तारवती व्याख्याके अनुसार यहप्रतिषेध यहांदर्शाया  
गया वे वाक्यभी अबनीचे लिखे जातेहैं-यथाहशाकलमुनिः ( सपिण्डपत्यकंचैवसगो  
त्रजमथापिवा । अपुत्रकोद्विजोयत्स्यात्पुत्रत्वेपरिकल्पयेत् ॥ समानगोत्रजाभावेपालये  
दन्यगोत्रजम् । दौहित्रंभागिनेयंचपित्रोःप्वमसुतंविना ) अन्यच्च ( दौहित्रोभागिनेयश्च  
शूद्रेस्तुक्रियतेसुतः।ब्राह्मणादित्रयेनास्तिभागिनेयस्सुतःकचित् ) अर्थ इनकाऊपर सब  
होचुका है -इसकेसिवाय-जो लड़काअपने मातापिताके मुख्य औरस पुत्रों में न नि-  
नतीहो तिसके भी लेलेनेका प्रतिषेध है अर्थात् जन्ममात्रसे जो लड़का अपनेपिता  
माता दोनोंका सजाती होनेपरभी परिणीतासे उत्पन्नहुआहो वहीदत्तक रीतिसे गोद  
लियाजासक्ता है ( इस परिच्छेद में विस्तार भयसे जो बातें मूलवाक्य छोड़िकर द-

शाईगई उनके मूलवाक्य भी संक्षेप कहीं पीछे से प्रदर्शित होंगे ( अथकोदत्तकोयोग्यः )  
 कैसालड़का दत्तकहोनायोग्यहै इसवातके निर्णयमध्ये इनअग्रोक्त वचनोंकाप्रमाणहै—  
 यथा-(पुत्रःपौत्रःप्रपौत्रश्चतद्वद्वाभ्रातृसंततिः । सपिंडसंततिर्वापिक्रियाभाङ्गनृपजायते ॥  
 इतिपिंडादि क्रियाधिकारमात्रंनतुऋक्थीत्वप्रतिपादनपरत्वम्—बृहत्पराशरस्तु—अपुत्र  
 स्यपितृव्यस्यतत्पुत्रोभ्रातृजोभवेत् । सएवतस्यकुर्वीतश्राद्धपिंडोदकक्रियाम् ॥ इत्यपिश्रा  
 द्वाद्यधिकारपरत्वात्पुत्रत्वप्रतिपादनपरत्वं नतुभ्रातृव्यस्याकृतस्यैवऋक्थीत्वप्रतिपादन  
 परम्-अन्यच्च (भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वेतेतेनपुत्रेणपुत्रिणोमनुर  
 ब्रवीत्-इति मनुवाक्यंतुदत्तकत्वस्वीकारेभ्रातृपुत्रस्यैवसंप्राप्तिसंभवेहिप्राशस्त्यप्रदर्शन  
 मात्रम्-शौनकस्तु(ब्राह्मणानांसपिंडेषुकर्तव्यःपुत्रसंग्रहः । तदभावेऽसपिंडोवाअन्यत्रतु  
 नकारयेत् ॥ इत्यप्यन्यत्रतुनकारयेदितिब्राह्मणवर्णमात्रस्यैवनियमोदर्शितः । नतुब्राह्म  
 णादित्रयाणामपितच्च ब्राह्मणत्वेपिनियमानुसारसंप्राप्त्यसंभवोहितदभावएवज्ञातव्यः)  
 इत्यादि और भी बहुधा वाक्योंकी विस्तारवान् व्याख्या खण्डन मण्डनके प्रकार से  
 आरोपितकरिके दत्तकमीमांसाके संग्रहीता पण्डितश्रीनन्दने स्वकीय सिद्धान्तसे यह  
 भाव दर्शायाहै कि सगेभतीजे के होतेहुये और किसीलड़केको गोदलेना अनुचित है  
 किन्तु भतीजेकोही लेनाचाहिये पर यथार्थसे यहवात केवल शिक्षाकेप्रकारसे भतीजे  
 की उत्तमतादर्शानेके निमित्तमें समुभीजाती है इसका आशय निपट यह नहींहै कि  
 भतीजेके होतेहुये कोई और लड़का दत्तकनहींलियाजाय अथवा लियाजाय तो वह  
 अनुचितठहरकर ग्रहीताका रिक्थी नहीं ठहरै (क्योंकि) लोकमें प्रत्यक्ष परिपाटी ऐसी  
 नहींहै अर्थात् लोकमें यहाँतक ग्रहीताकीस्वाधीनता देखनेमेंआतीहै कि सगाभतीजा  
 विद्यमान होतेहुये सजातीमात्रमें निःसम्बन्ध परगोत्रीकाभी लड़का किसी दरिद्रीसे  
 क्रीतकेअनुसार लेकर दत्तकरीतिसे यथावत् विधिद्वारा पुत्रवनाते हैं और वहीलड़का  
 सच्चादत्तक मानाजाताहै कोई भी निषेध उसमें नहींकरसक्ता क्योंकि यथार्थसे किसी  
 प्राचीन आर्षग्रंथमें भी इसवातका निषेध नहीं पायाजाताहै केवल परजातीहोनेका  
 निषेध सर्वत्रहै-और जो यहीनिषेध आवश्यकहोता कि भाईकालड़का होतेहुये और  
 कालड़का नहींलेवै तो फिर बहुधा लोगोंको दत्तकलेना भी दुर्घटहोजाना उस्से हाथ  
 खींचनापरता क्योंकि यातो भाईके एकहीलड़काहै जिसकेदानका प्रतिषेधहै अथवा  
 दोतीनके होनेपर भी भाई अपनालड़का उसेदेना नहीं चाहताहै यद्वा उसको देनेसे  
 नकारनहीं है पर ग्रहीता उस्सेलेना नहींचाहता क्योंकि प्रायः भाइयोंमें विरुद्ध भी  
 होजाताहै तब निजभाईको भाई निपट शत्रुअपना जानिकर आंगसे भेषापन जोड़  
 लेताहै क्योंकि (परोपिहितवान्बन्धुर्वन्धुरप्यहितःपरः । अहितोदेहजेव्याधिहितमार-  
 प्यमौषधम् ) यह नीति बहुतसच्ची है-परन्तु-इन्वानमें यह आशय पायाजाताहै कि

ग्रहीता अपनी इच्छा और प्रसन्नताके अनुसार जहाँ तक बनि आवै तहाँ तक भतीजे के होते हुये और मिलसके हुये औरको दत्तक नहीं बनावै-अब इस बातका क्रम भी यहां दर्शाते हैं कि यदि कोई ग्रहीता इसी विवेकसे दत्तक लेना चाहै तो किस क्रमसे वह लेसका है-तहाँ इस बातका जानना पहिले आवश्यक है कि इस विधि मध्ये दो प्रकारके सपिंड माने जाते हैं एक तो निज अपने गोत्रके सपिंड जो सात पीढ़ीके भीतर हों और दूसरे परगोत्रमें भी सात पीढ़ी तक सपिंड माने जाते हैं परगोत्रसे नाना आदि बांधवोंका गोत्र लिया जाता है और (गोत्रोंका व्यौरा जैसा शास्त्रमें निर्णीत वही लोकमें भी विदित है कि ब्राह्मण जातिमें ऋषि गोत्रका प्रमाण और क्षत्रिय तथा वैश्य जातिमें उन्हींके पुरोहितका ऋषि गोत्र उनका गोत्र गिना जाता है) (सपिंड) कहनेका यह अर्थ है कि जिनका (पिंड) नाम शरीर जो है सो समीप ही जिनके शरीरसे मिला हुआ समुभाजाता हो वे ही उनके सपिंड गिने जाते हैं इसलिये सात पीढ़ीकी अवधितक भी जिसका शरीर जिसके शरीरसे दूर समुभाजाय सो वह उसका दूरका सपिंड और जिसका शरीर जिसके शरीरसे जैसा जैसा निकट समुभाजाय तैसा तैसा निकटका सपिंड कहलाता है (दृष्टांत) जैसे पिता पुत्रकी सपिंडता बहुत नगीचकी कहलाती है क्योंकि निज उसके शरीरमें से पुत्र निकसा इससे कुछ भी दूर नहीं है परंतु सगे भाईका पिंड नाम देह एक देहके अंतरसे हो जाता है क्योंकि मुख्य सपिंड जो पिता है तिसकी देहमें से दूसरा भाई निकसा है-इसलिये परस्पर सगे भाइयोंकी सपिंडता एक देहके अंतरसे मानी जाती है और ऊपरले पिंडोंमें दादेका शरीर भाईके समान गिना जाता है क्योंकि जैसे भाईका शरीर पिताके समीप था तैसे ही दादाका भी शरीर पिताके समीप है इसलिये दादा और पोताकी सपिंडता भी एक पिंडके अंतरसे समुभी जाती है इत्यादि और भी समुभूने और इसी प्रकार माताके द्वारा अपने नाना आदि परगोत्रकी सपिंडता आदि समुभूलेनी और इसी प्रकार अन्य बांधवलोगोंमें भी शरीरोंके संबंध मात्रसे सपिंड आदिका निर्णय समुभूलेना-इसके सिवाय सात पीढ़ीके उपरान्तमें चौदह पीढ़ी तक निज अपने गोत्रवाले भी समानोदक समुभूे जाते हैं और परगोत्री बांधवलोग भी चौदह पीढ़ी तक समानोदक समुभूे जाते हैं अथवा जहाँ तक मरेहुओंके नाम याद बने रहें केवल तहाँ तक दोनों कुल समानोदक समुभूे जाते हैं तिसके उपरान्त इक्कीस पीढ़ीकी अवधितक निज अपने गोत्रको सगोत्री और नाना आदि बांधवोंको परगोत्री कहते हैं (यहाँ पर सपिंडताका नमूना मात्र जो दर्शाया गया इससे अच्छी भाँति सपिंडताका स्वरूप नहीं जाना जासकता है क्योंकि सपिंडताका सिद्धांत यद्यपि सर्वत्र एक है तथापि इस दत्तक पुत्रके लेने मध्ये और प्रकारसे लगाई जाती है और पिंडदानकी विधि मध्ये और भाँतिसे और गिथीत्वकी प्रतिनिधि नाम मध्ये और भाँतिसे और विवाहादि संबंधों के विचार मध्ये अन्व



प्रकारसे लगाई जाती किन्तु सपिण्डता कई प्रकारकी होती है इसलिये मर्यादा परिपाटी का अंगभूत सापिंड दर्पण ग्रन्थ देखो उसमें सभी प्रकारकी सपिण्डता जानीजायँगी क्योंकि वहग्रन्थ इसीविरोध के परिहार निमित्तसे जुदा निर्मित हुआ है ) अबउसवात परभी ध्यान करना चाहिये कि जिसके लियेयह ब्यौरा दर्शित कियागया अर्थात् परगोत्रियों में नानाके भी वंशकी सातपीढ़ी सपिंड और सात के उपरान्त चौदह पीढ़ीतक सोदक या समानोदकजानो पुनिइनके भी उपरान्त २१ पीढ़ीतक नानाका गोत्रमात्रजानो-अब-दत्तक लेनेका क्रमदर्शातेहैं कि यद्यपि किसी आधुनिक पूर्वकालके संग्रहीताने निजकलिपत ग्रन्थमें अपने सम्मतसे ऐसाचढ़ाउतारभी दर्शायाहै कि पहले अपने गोत्रके सपिण्डोंमें भतीजा आदि लियाजावे पर जो अपने गोत्रके सपिण्डों का अभावहो तौ फिर अपने गोत्रके सोदकोंको छोड़कर परायेगोत्र नानाके सपिण्डोंमेंसे लियाजाय कदाचित् नानाके सपिण्डोंका अभावहो तौफिर अपने गोत्रके सोदकोंमेंसे लियाजाय कदाचित् अपने गोत्रके सोदकभी नहीं तौफिर नानाके सोदकोंमेंसे लियाजाय कदाचित् वेभी नहींहों तौ फिर अपने गोत्रके सगोत्रीमात्रका लड़का जो २१ पीढ़ी के भीतरहो सो लियाजाय और जो उनकाभी अभावहो तौ फिर नानाके सगोत्री जो २१ पीढ़ीके भीतरहों उनका दत्तकलियाजाय परन्तु यहचढ़ा उतारकाक्रम कुछ प्रशंसायोग्य नहीं है क्योंकि यद्यपि दूर नगीचके आशयसे यहचढ़ाउतार सूचित होसक्ताहै तथापि निज अपने सगोत्री का लड़का होतेहुये और मिलसक्तेहुये छोड़कर परगोत्रीसे लेना निपट असङ्गतहै क्योंकिउसके लेनेमें प्रथम तौ विवाहादि सम्बन्धोंकाही विरोध आनि परताहै कि जैसा दत्तकपुत्र के सम्बन्ध विशेषकी व्यवस्थामें वर्णन होचुकाहै इत्यादि और भी विरोध हुआकरतेहैं इसीलिये परगोत्रीका लड़का लाचारी दशामें लियाजाताहै कि जब अपनेगोत्र का न मिलसक्ताहो-इसलिये-दत्तकलेनेकी योग्यता जो वसिष्ठने प्रदर्शितकरी सोसर्वथा उत्तमहै और उसीको दर्शातेहैं कि वसिष्ठ मुनिके वचनानुसार पहले अपने गोत्र के सपिण्डोंमेंसे लेना उचितहै-सपिण्डोंके अभावमें अपने सोदकों मेंसे जो निकटतम समुभा जाताहो उसका लेनायोग्यहै-सोदकों केभी अभाव में या उनका लड़का न मिलसकनेकी दशामें २१ पीढ़ीके भीतर अपने गोत्रमेंसे लेनायोग्यहै-जब निपटअपने गोत्रका अभाव होजाय अथवा उनमेंसे कोईदत्तक लेनेयोग्य नहींठहरे तब नाना आदि परगोत्रके सपिण्डोंमेंसे लेनायोग्यहै-जबकि परगोत्रके सपिण्डों मेंसे कोई नहो या होतेहुये न मिलसके या लेने योग्य नहींठहरे तब उनगोत्रके सोदकों मेंसे जो आसन्नतम समुभाजाय तिसका लेनायोग्य है-जब उस वंशमें सोदक भी नहीं या होतेहुये उनका लड़का न मिलसके या लेनेयोग्य नहींठहरे तबउम वंशकी १२ पी-

दी उपरांत जो २१ पीढ़ीके भीतर केवल उसीवंशके गोत्री समझे जाते हैं तिनमेंसे जो कोई लड़का आसन्नतर समुभाजाय तिसकालेना योग्य है (यहांपर नानाकावंशमुख्य जानिकर परगोत्रियोंमेंसे दर्शाया गया किंतु इसीप्रकार और भी संबंधी जो परगोत्रीहों तिनका भी लड़का लिया जा सकता है केवल उसको छोड़कर कि जिसके लेनेका प्रतिषेध हुआ हो ) जब किसी भी संबंधीमात्रका लड़का न मिलसकै तब अपनी जातिमात्रमें से चाहे तिसगोत्रका लड़का गोद लेसकता है ( यहांपर जातिमात्र कहनेसे सारस्वतकी जाति सारस्वत और कान्यकुब्जकी जाति कान्यकुब्ज और गौड़की गौड़जाति समुभनी इत्यादि औरोंमें भी जानो ) और यही कल्पना क्षत्रिय तथा वैश्यमें भी कर लेनी जैसे चौहान की चौहानजाति पँवारकी पँवारजाति भुजेलकी भुजेलजाति या अग्रवालकी अग्रवालजाति रस्तोगीकी रस्तोगी जाति इत्यादि जातिमात्रमें से जब कोई लड़का न मिलसकै तब सवर्णमात्रका लड़का भी लाचारीदशामें लेसकता है (यहांपर सवर्ण कहनेसे अपना वर्णमात्र जैसे ब्राह्मणचाहे दशप्रकारमेंसे कोई प्रकारका हो वह दशो प्रकारके ब्राह्मणमात्रका सवर्ण है ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्यको भी समुभलेना ) (इसीप्रकार शूद्र भी निज अपनी जातिमात्रमेंसे दत्तक लेसकता है अथवा लाचारी अवसर अपने वर्णमात्रमें से लेसकता है पर अन्यवर्णका लड़का गोद नहीं लेसकता ) (सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वे वनचान्यतः) (इसीप्रकार और भी प्रत्येकजातें अपनी अपनी जातिका लड़का गोद लेसकती हैं पराईजातिका नहीं) और सिद्धांत इसका यही है कि जो किसी जातिने पराई जातिका लड़का गोदले भी लिया हो तो वह दत्तक शास्त्रकी मर्यादासे विपरीत ठहरकर पुत्रत्वकी पदवीको न पहुँचै केवल भोजन वस्त्रका अधिकारी किया जाय-जो कि ग्रन्थान्तरों में किसी किसीने खँचतानिकर यह आशय भी दर्शाया है कि लाचारी अवसर में ऊँची जातें अपने से नीचे वर्णका लड़का गोदले सकेंगे (दृष्टांत) जैसे ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का लड़का लेले या क्षत्रिय होकर वैश्य का परन्तु ऐसे दत्तक भोजन वस्त्रके सिवाय अपने ग्रहीताका रिक्थी न होसकेगा (सां) इस खँचतान का आशय निपटयह नहीं है कि ऐसा ही करसकै या करनेपर उतारूहो जाय किन्तु इसकथनसे यह आवश्यकता दर्शाई गई है कि निपूतेको किसी प्रकार का वेटा नियत करना आवश्यक है कि जिस्से दोनों लोक सुधरें और सर्वथायह प्रत्यक्ष है कि इस भौतिक दत्तक बनानेसे दोनोंमेंसे एकलोक भी नहीं सुधर सकता है इसलिये उसवातको प्रेरणामात्र समुभौ वल्कि इसवातके प्रतिषेधमध्ये यहाँतक उत्कर्षा समुभौ कि यद्यपि लाचारी दशामें अपने वर्णमात्रमेंसे असापिण्ड और असगोत्रीका भी लेना योग्य है परन्तु असवर्ण होकर चाहे अपना सपिण्ड हो तो भी उसका दत्तक लेना प्रतिषिद्ध है (यहाँपर असवर्ण होकर अपना सपिण्ड कहनेका यह तात्पर्य है कि जैसे एक ही वर्णके पुरुषों

स्त्रियाँ कईवर्णकीहों तौ उनसबकी सन्तानें परस्पर सपिण्ड यद्यपि कहलावेंगे परन्तु असवर्ण होनेकेहेतुसे उनकालड़का दत्तकरीतिसे लेना निपट अयोग्यहै (अथदत्तकस्य अवस्थायानिर्णयः) यहव्यवस्था यद्यपि नानाग्रन्थोंसे निजनिजदेशभेदकी परिपाटियोंपर संसिद्धहोतीहै तथापि दत्तक मीमांसा जो विशेषकर वाराणसी सम्बन्धी कुछ भूभागमें स्वीकार है उसके निर्माता पण्डितश्रीनन्दजी ने अग्रोक्त कुछ पौराणिक वचनों का आशयलेकर दत्तकपुत्रकीअवस्थापर ऐसाकुछ प्रतिबन्धलगायाहै कि जिसके पक्षपर समाश्रित होनेसे और भी ग्रन्थान्तर नाना वाक्योंकी व्याख्या खँच तानिकर उन्हीं पौराणिक वचनोंके समान उनको करनीपरी महाशयको बहुतकुछ आयासहुआहोगा (यद्यपि) इसग्रन्थमें आद्योपान्त उसव्याख्याके दर्शानेको अवकाश नहींहै पर संक्षेप उसका यहाँपर दर्शाते हैं-तथाचकालिकापुराणम् (दत्ताद्याअपितनयानिजगोत्रेणसंस्कृताः । आयांतिपुत्रतांसम्यगन्यबीजसमुद्भवाः ॥ पितुर्गोत्रेणयःपुत्रःसंस्कृतःपृथिवीपते । आचूडांतनपुत्रःसपुत्रतांयातिवान्यतः ॥ चूडाद्यायदिसंस्कारानिजगोत्रेणवैकृताः । दत्ताद्यास्तनयास्तेस्युरन्यथादासतोच्यते ॥ ऊर्ध्वंतुपंचमाद्वर्षान्नदत्ताद्याःसुतानृप । गृहीत्वापंचवर्षीयंपुत्रेष्टिंप्रथमंचरेत् ॥ पौनर्भवंतुतनयंजातमात्रंसमानयेत् । कृत्वापौनर्भवष्टोमंजातमात्रस्यतस्यच ॥ सर्वास्तुकुर्यात्संस्कारान्जातकर्मादिकान्नरः । कृतेपौनर्भवष्टोमेसुतःपौनर्भवस्ततः ) अर्थात्-इन छःश्लोकोंद्वारा दोपुत्रों की व्यवस्था कही (किन्तु) पहले चार श्लोकोंसे दत्तक पुत्रका और पिछले दो श्लोकोंमें पौनर्भव पुत्रका व्योरा दर्शाया (और) अर्थ इसका यहहै कि हे पृथिवीपते राजन् पराये बीजसे उत्पन्नहुये दत्तक पुत्र को आदिलेकर क्रीत कृत्रिम भी ये पुत्रजो ग्रहीताके निजगोत्रमें आनिकर संस्कार कियेजायँ तौ निःसंदेह उस ग्रहीताके पुत्रहोजाते हैं-परंतु जो कोई पुत्र अपने जन्म दाताकेही घर उसके गोत्रकीरीतोंसे चूड़ासंस्कारतक संस्कृत होचुकाहो वह ग्रहीता की पुत्रताको नहीं पहुँचता-और यह विशेषता समुभौ कि चूड़ासंस्कारको आदिलेकर अन्यसंस्कार भी जनेऊ व्याह पर्यंत जो ग्रहीता अपने गोत्रद्वारा करे तब तौ वे दत्तक आदि उसके पुत्रकहावें और जो चूड़ा आदिकोई संस्कार होचुकने पीछे गोदलेवै तौ वह पुत्र उसका दासकहावै-और हेनृपते पाँचवींवर्ष के उपरांत भी गोदलिये हुये दत्तक आदि उसके पुत्रनहीं होसक्ते इसलिये जो पूरीपाँचवर्षों का बालक चूड़ा हुये बिना भी कदाचित् लियाजावै तौ उसको लेकर पहले पुत्रेष्टियाग करिलेवै तब उसके गोदलेनेकी रीतें तथा अन्य संस्कारकरे तौ यह दासताका दोष दूर होसक्ताहै परंतु पाँचवर्षोंसे उपरांत पुत्रेष्टियाग करने परभी दासता नहीं जासक्तीहै ( यहाँतक चारश्लोकों का अर्थ होचुका शेष दोश्लोक निपट असंगत हैं इसलिये व्यर्थ जानकर व्याख्यानसे उपेक्षाहुई ) अब यह ध्यानकरनाचाहिये कि दत्तक मीमांसाके संग्र-

हीता पंडित श्रीनंदजीने इन पुराणोक्त चारश्लोकों का मंडन पक्षलेकर इनके साथ और भी अनेक ग्रंथांतर वाक्य जोड़कर खंडन मंडनके प्रकारसे बड़ा एक लंबाचौड़ा अपार व्याख्या सागर कल्पित कियाहै जिसकी थाह मिलनी बड़े बड़े गोताखोरों को दुर्लभ होजातीहै-और उस व्याख्या सागरका मथन सिद्धांत यह रक्खाहै कि जन्म कालसेही जातकर्म आदि संस्कारों के हुये बिना गोदलेने का मुख्य कालहै परंतु जो जातकर्म आदि संस्कार उसके चूड़ाकर्मसे पहले पहले कुछ होचुकेहों तौभी कुछविरोध नहींहै पर उस मुख्य कालका अनुकल्प कहावैगा सो यह केवल तीनवर्षों के भीतर जबतक चूड़ाकर्म न होनेपावै तबतक जानो अथवा जिसका चूड़ाकर्म तीनवर्षोंके उपरांत पाँचवर्षोंतक न हुआ होतौ यह मध्यम कालहै परंतु इस मध्यमकाल पर गोदलेने से वह दत्तक अपने ग्रहीताका दास ठहरैगा इसलिये दासत्वका दोषदूरकरनेके निमित्तसे पुत्रेष्टिनाम यज्ञकरिकै इस मध्यमकाल परभी गोदलेसक्ताहै परंतु पाँचवर्षोंके पूरे होजाने पीछे चाहे चूड़ाकर्म न होचुकाहो तौ भी नहीं लेसक्ताहै अर्थात् उसदशामें पुत्रेष्टियागं करनेसेभी दासत्वका दोष नहीं मिटसक्ताहै और सिद्धांत इसका यह दर्शायाहै कि जबदास निश्चितहोचुका तौ फिर दासोंकोधन पिंडका अधिकारनहींहै (उनके इस कथनऔर मथनकी ऐसीध्वनि उत्पन्नहोतीहै कि यद्यपि ग्रहीताने चाहे तैसी अधिक अवस्थाका दत्तकअपनी अभिलाषा साथलियाहोगा वहतौ निःसन्देह अपनेपिंडदान और धनहरणका मालिक उसेबनावहीगा पर कदाचित् ऐसेदत्तकपुत्रके भगड़ेवाला व्यवहार किसीराजद्वारमें ग्रहीताके मरनेपीछे पहुँचै तौ राजा निःसन्देह ऐसे दत्तक पुत्रका पुत्रत्व निवर्तितकरदेवै किन्तु दासोंकीसी भाँति उसे भोजन वस्त्र मिलनेकी आज्ञादेकर उसके रिक्थीत्वकी प्रतिनिधिता मेदिदेवै और उसमरेहुये ग्रहीता वापकी दाहादि क्रियाकर्मभी न करनेदेवै-सो-यहवात कोई भाँतिसेभी न्यायात्मक नहींहै क्यों-कि प्रथम तौ पौराणिक वाक्योंका प्रमाण खँचकर धर्मशास्त्रमें आरोपितकरना यही असंगतहै किन्तु धर्मशास्त्रकेवाक्यलेकर पुराणमें प्रामाण्यहोसक्तेहैं दूसरे यह कि जो प्रशंसित पंडितने वसिष्ठजीका वाक्य इसीवार्त्तापर प्रमाणदिया सो भी मुख्यआशय से असंगतहै क्योंकि उसवाक्यमें वसिष्ठजीने यहप्रतिषेधनहींकियाहै कि चूड़ाकर्मके उपरांतयापाँचवर्षोंके उपरान्त गोदनलेवै या लेलेवै तौ वहदासकहावै-तथाहवसिष्ठः (अन्यशाखोद्भवोदत्तः पुत्रश्चैवोपनायितः । स्वगोत्रेणस्वशास्त्रोक्तविधिनासस्वशास्त्रभाक्) अर्थात्-वसिष्ठने यह कहाहै कि अन्यगोत्रकी शास्त्रमें उत्पन्नहुआ दत्तकपुत्र जिसने लेकर अपने गोत्र और शाखाकी गृह्योक्त विधिसे उपनायित कियाहो उसकी शास्त्र का भागी दत्तकहोताहै-ध्यानकरो कि इसवाक्यमें वसिष्ठजीने उपनायित करनाअर्थ अर्थात् गोद लेकर दत्तकपुत्रका उपनयनमात्र करनेसे पुत्रत्वपक्का होजानेका निकम

दर्शाया इस्से चूड़ाकर्मका या पांचवर्षोंका कुछ नियम नहीं पायागया-अब इसप्रसंग में चूड़ा कर्मकी अवधिभी समुभनी चाहिये-तथाच (चूड़ाकर्मद्विजतीनांसर्वेषामेवधर्मतः । प्रथमेब्देतृतीयेवाकर्त्तव्यंश्रुतिचोदनात् इतिस्मृतिः) अर्थात्-सभी त्रैवर्णिकमात्र जातोंका चूड़ाकर्म पहली या तीसरीवर्षमें श्रुतिवचनोंकी प्रेरणासे कर्त्तव्यहै यह स्मृति एकसामान्य धर्मसे प्रसिद्ध है और विशेषधर्म इसका योगीश्वरने आचाराध्यायगत बारहवें श्लोक मूलके चौथेचरणसे कहाहै कि (चूडाकार्यायथाकुलम्) अर्थात् अपने अपने कुलकेअनुसार जैसीरीति जिसकीहो तैसाकरनाचाहिये तौ इस विशेषधर्मके सन्मुख उस पहली या तीसरीकाभी कुछ नियमनहीं बल्कि इसवार्त्ताका प्रचारभी प्रत्यक्ष यहीहै कि विरलोंके सातवींवर्षतक चूड़ाकर्महोताहै इसनियमसे कि उस अवधिसे पहले करनेका प्रतिषेधसमुभतेहैं विरलोंके चूड़ा और उपनयनभी दोनों एकसाथ हुआकरतेहैं-उपनयन अर्थात् जनेऊ गर्भाधानया जन्मकालसे आठवींवर्षमें ब्राह्मण का और ग्यारहवींवर्षमें क्षत्रीका और बारहवींवर्षमें वैश्यका नियतहै परंतु इस्से द्वि-गुणवर्षोंतक गौणकालभी परिनियमितहै तौ फिर ऊर्ध्वोक्त बसिष्ठमुनिके बचनानुसार दत्तक पुत्र गोदलेनेको बहुत बड़ा अवकाश निश्चितहोताहै क्योंकि केवल उपनयन मात्र जो ग्रहीता बापकेघर आकर उसकीशाखाके अनुसारहोसकै तौ उस दत्तकपुत्रमें दासता आदि कोईभी कलंकनहींहै और प्रत्यक्षभावसे लोकमेंभी बहुधा यहीपरिपाटी देखी जातीहै तौ फिर क्योंकर श्रीनंदपंडितके उस बंधनकास्वीकारकियाजाय जिस्से ग्रहीताजनोंको हानिकेसिवाय कोईलाभ निश्चितनहींहै-यहाँपर-एक दृष्टांत यादकरने योग्य है कि वृन्दावन पंडित ने विवाह वृन्दावन ग्रंथ ज्योतिष विषयका कल्पित किया ज्योतिषके ग्रंथों में जैसे और बातों के जुदे जुदे प्रकरणहोते हैं तैसे विवाह के विचारका भी एक प्रकरणमात्र होताहै वृन्दावन पण्डितने उसका एकबड़ा ग्रन्थ निर्मितकिया जिसमें शतधा विचार ऐसे कल्पितकिये कि जिनके अनुसार यदिकोई किसी विवाहका वनावन्त या लग्न शोधाचाहै तौ विचार करते २ बूढ़ाहोके मरजाय पर इसजन्मसे विवाह न होसकै क्योंकि जो दशवातोंमें शुभयोगमिले तौ बारहवातोंमें अशुभ योग कदाचित्भी विवाहका निर्विघ्नयोग उसग्रन्थके अनुमार नहीं मिलसक्ता इस्सेलोगोंने उस ग्रन्थका विचार और पढ़नाभी परित्याग किया क्योंकि संसारमें रहिकर विवाहकिये विनाभी कामनहीं चलसक्ता (और) पुराने लोगोंके द्वारा यहवात सुनीजातीहै कि वृन्दावन पण्डितका विवाह किम्प्राहेतुने न होसका और पण्डित काव्य शक्तिमान्थे इसलिये उसविवाह वृन्दावन ग्रन्थमें नानाभाँतिके क्योग निर्मित किये और ग्रन्थमें यहभाव दर्शायाहै कि इन्हीं क्योगोंके हेतुसे विवाहमेंनहीं किया हमारी दृष्टिसे यदिकोई दत्तक मीमांसाके आद्योपांत मवयोगोंका विचारकरके दत्तक

लेना चाहै तौ बिरले योग ऐसे हैं कि उनके अनुसार शायद बिरलोंको ही दत्तक ले सकने का अवसर मिलै-जब कि पण्डित श्रीनन्दजीके पूर्व सिद्धान्तके अनुसार केवल भतीजेके होतेहुये और कालेना निपट अयोग्य ठहरा और दैवयोगसे एकही भतीजा ऐसा योग्य है कि जिसको ले सके हैं उसके लेनेका विचार इसद्विविधासे कि शायद अबकी साल हमारे पुत्र पैदा होजाय कुछ विलंबित किया इतनेमें उसके लेनेकी अवधि बीत गई और अपने भी पुत्र पैदानहुआ अब जो उसको गोद लेवें तौ फिर वह दासवत् होजानेसे धनपिंड का अधिकारी नहीं रहेगा और उस भतीजेके होतेहुये और का लड़का गोद लेनेका निषेध है तौ इसभांतिकी केंचीमें यही सूक्तिपरता है कि गोद लेनेसे हाथ धो बैठै-कुछ इसकथनका यह सिद्धांत नहीं है कि उसबंधनके अनुसार विचार करनेसे ग्रहीता भी निजहाथ खींचै क्योंकि प्रत्येक धर्मोंमें जहां तक होसकै विचार करना ही अत्युत्तम है-किन्तु पांच वर्षोंकी अवस्थाका बंधन यद्यपि बहुधा धर्मशास्त्रके ग्रंथोंमें दिखाई नहीं देता है परन्तु सर्व निर्णयसार निर्वाणतांत्रिक दायभागमें सदाशिवजीने भी यह नियम दर्शाया है-तद्यथाह ( आपंचाब्दं शिशुं गृह्णन्सवर्णात्परिपालयेत् । पंचवर्षाधिको बालो दत्तको न प्रशस्यते ) सो इसवचनमें शिवजीने ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया है कि जो पांचवर्षोंसे अधिक अवस्था का दत्तक लिया गया हो तौ वह दास निश्चित किया जाय और ग्रहीताका धन भी नहीं पावै अर्थात् शिवजीने केवल सामान्यभावसे यह समस्या दर्शित करी है कि पांचवर्षोंसे उपरांत लेना कुछ प्रशंसा योग्य नहीं इसलिये जहां तक अवसर बनि आवै तहां तक ग्रहीता अपने कल्याणके ध्यानसे आपंचाब्द शिशुको ही गोद लेवै-तौ फिर इसप्रकार की शिक्षा का आशय केवल यही है कि इसके आगे जैसा अवसर बनि आवै तैसा करो (सो) यह शिक्षा भी प्रशंसा का अभाव दर्शानेसे इसहेतुमें प्रत्यक्ष है कि पांचवर्षके भीतरका शिशु कच्चीमाटी में गिनती है और यह बात भी प्रसिद्ध है कि कच्चीमाटी जिधरको मोरौ तोरौ फिरसक्ती है और संस्कारोंकी आवश्यकता भी इसी निमित्तपर आरूढ़ है कि जब अपनी शैशवदशासे ग्रहीता बापकेद्वारा संस्कार और पालन पोषण अध्यापन आदि होते देखैगा तौ निःसंदेह अपनोंको भूलिकर ग्रहीताको ही पितामाता समुझैगा और जब ऐसा मोह उसके ध्यानमें जमि जायगा तौ फिर निःसंदेह सौशील्य आदि उन आचरणोंमें भी तत्पर होजावेगा कि जो और सपुत्रोंके आचरण होते हैं तौ इसदशामें ग्रहीताको भी ऐसे दत्तक पुत्रके होने से वही प्रशंसा प्राप्त होसक्ती है कि जो सुशील और उसके होने में संभाव्य थी-अन्यथा-जब ऐसी अधिक अवस्थामें दत्तक लिया गया कि आधे संस्कार उसके बापने करलियेथे इस्से उसका मोह भी उसीमें उत्पन्न होचुकाथा और कुछ अवस्थाकी अधिकाईसे ज्ञान भी उत्पन्नहुआ जिस्से अपने और बिरानोंमें भेद भी समुभने लगा तौ वह दत्तक जो सौशील्य आदि गुणोंसे सुपात्र होगा तब तौ निज



ग्रहीता में भी मोह बढ़ावेगापरजो ऐसेगुणों से विहीन और कुपात्रहुआ तौ प्रत्यक्ष है कि औरसके समान आचरणोंमें तत्पर न होसकैगा और जब यहीबात निश्चित हुई कि वह औरस के समान आचरणों में तत्पर नहींहै तौ इसदशामें ग्रहीताको भी दत्तकलेने से वह प्रशंसा प्राप्तनहोसकी जिसकाचर्चा ऊपर शिवजी के वाक्यमें आया था बल्कि प्रशंसाहोनी एकओरहै उसदत्तकसे वहसुखभी न मिलसका जो सुशील औरसके होनेमें संभाव्यथा परंचतौभी धन और पिण्डकाअधिकारी वहीहोगा-इनकारणों सेउसपांचवर्षकी अवधि औरचूड़ादि संस्कारोंका ध्यानरखकर दत्तकलेनेमेंग्रहीताको ही अपने शुभ अशुभके विचारसे अधिकार है कुछनिपट निषेधका प्रसंगउसमें नहीं है-बल्कि लोकमें प्रत्यक्षउस बन्धनसे विपरीत यहवर्त्तावाभीदिखाईदेता है कि बहुतेरे ग्रहीतालोग जो विज्ञानियों में गिनतीहैं विशेषकर निज अपनेही विवेकसे लघुबालक दत्तकलेने में उपेक्षाभाव रखते हैं क्योंकि बारेपूतहरेरे खेतों के चमत्कारसे भविष्यत् फलादेश प्रायः जानेनहींजासक्ते हैं इसहेतुसे उपनयन कालतक भी दत्तकलेकर उपनयन आदि करतेहैं क्योंकि उस अवस्थातक विशेषकर गुण दोषोंका प्रकाशहोजाता है और चूड़ाआदि जो २ संस्कार उसके घरहोचुके हों उनकोभी दुसराकर यथाक्रमसे फिर उद्धार करतेहैं क्योंकि अपने कुलकीरीतिके अनुसार करने योग्यहैं-यहांपर जिन ग्रहीताजनों का चर्चा कियागया तिनमें बिरलेलोग ऐसाभी वर्त्तावा करतेहैं कि जिस लड़केका लेना निश्चितहुआ तिसके लेनेकी प्रतिज्ञा शैशव दशामें ठहराकर पहले कई वर्षोंतक साधारण भावके पालन पोषण आदि प्रकारोंसे हित करतेकरते मोह बढ़ाते रहते हैं और संस्कार आदि कर्म उसके मा वाप करतेरहते हैं क्योंकि अब तक उसे ग्रहीताने गोद नहींलिया सिर्फ लेनेका मनोरथकिये रहताहै इसप्रकारका जब उसको पूरामोह अपनेमें समुभूताहै तब उपनयन कालसे पहिले गोदलेने की रीतोंकाउद्धार करताहै इस प्रकारके ग्रहीतालोग अपने इसदंगसे यहगुंजायश मानि लेतेहैं कि जो कदाचित् इनवर्षोंके विलंबमें हमारे औरस पुत्र पैदाहुआ तौ फिरइसके गोदलेनेकी रीतोंकाउद्धारकरना कुछ आवश्यक न होगा अथवा जो औरस पैदा न हुआ तौ फिर मोहइसमें पुत्रवत् बढ़ाहीचुके जनेउके समय उनरीतोंकोभी उद्धारकर देंगे अथवा औरसके न होनेपरभी भावइसबालक ने इनवर्षोंके विलंबमें कुछ मोह मुभूतपर न किया तौ फिर अन्यबालक लेलेनेका विचार कियाजायगा क्योंकि रीतोंके उद्धार होचुकने पीछे अन्यबालक नहींलियाजासक्ता है इन्मालिये पहिलेसेही विचारके साथ कामकरनाचाहिये जो पीछे पछतावे का अवसर नहीं आवे-श्रीनंद पंडितने-इस दशाको पंचवार्षिक प्रतिबंधकेसाथही ऐसाकहाहै कि जो कदाचित् चूड़ा संस्कारकियाहुआ लड़का गोदले भी लियाजाय यद्यपि पाँचवर्षोंकेभीतरभी अवस्था

उसकीहो पर तौ भी ऐसा लड़का शुद्ध दत्तकनहींहोसक्ता इस्से उसको द्व्यामुष्यायण कहनाचाहिये और वह दोनोंबापकेगोत्रका अधिकारीरहैगा क्योंकि दोनोंगोत्रमें संस्कार उसकेहुये अर्थात् चौलकर्मतक अपनेबापके घरहोचुकाथा और शेष जनेऊ आदि ग्रहीता बापकरैगा-बड़े अचंभेकी यहवातहै कि अभी उस दत्तक पुत्रको दासों के समान जिसका चूड़ातक होचुकनेपीछे लियाहो बतलातेथे इस उत्कर्षसे कि वह दासोंकी गिनतीमें आकर ग्रहीताका धनभागी नहींहोगा उसीको अब थोड़ीदेरमें द्व्यामुष्यायण कहकर दोनोंकुलकापुत्र बनानेल्गे तौ यह केवल विद्वत्ताका आनंद-मात्र सूचितहै कि जिसके प्राबल्यसेहीचाहे तब चाहे तिसको ऊँच या नीच दर्शित करदेना अपने स्वाधीनहै ( या ) यहवातहै कि उक्त निर्माताके विचारसे द्व्यामुष्यायण पुत्र कुछ दत्तकसे नीचगिनाजाताहो सो भी निपट असंगत है क्योंकि द्व्यामुष्यायण दोनोंकुलका लाड़ लड़ेता और दोनोंकाधनहर्ता पिंडभर्त्ताहुआ करताहै इसलिये कोई भाँति दत्तकसे मंद उसको नहींकहसक्ते यद्वा किसीहेतुसे कहभीसकें तौ फिर दोनों कुलकेधन हरनेमें दासतासे महान् अंतरपायागया-इसके सिवाय जो निर्माताने यह कहाहै कि चौलहोजानेपीछे लेनेसे वह दत्तकनहींकहाता द्व्यामुष्यायणहोजाताहै सो भी निपट असंगतहै क्योंकि दत्तकत्व और द्व्यामुष्यायणत्व कुछ क्रियाभेदसे आपही संभवनहींहोसक्ता किन्तु दाता और ग्रहीतामिलकर दोनोंके परस्पर स्वीकार वचन भेदकी प्रतिज्ञाके अनुसार संभवहोताहै और उसी प्रतिज्ञाके अनुसार संस्कार आदि क्रियायें भी आरंभ करीजातीहैं अर्थात् जो दत्तकरीतिसे दान प्रतिग्रहका स्वीकारठहरा होगा तबतौ सिर्फग्रहीता उसको लेकर संस्कारकरैगा और जो द्व्यामुष्यायणके प्रकार सेलेना देना स्वीकारहुआ होगा तब दोनोंबाप मिलकर संस्कार करतेहैं-अथवा उक्त निर्माताने यह आशय उसका दर्शायाहो कि जिसलड़के का चौलकर्मतक होचुकाहो उसको दत्तकमार्गसे लेनाही नचाहिये किन्तु द्व्यामुष्यायण मार्गसेलेनाचाहिये सोभी लोकाचारसेविरुद्धहै किजिनको द्व्यामुष्यायणमार्गसेलेना देनास्वीकारही नहीं वहक्यों कर दत्तक मार्गसेमिलसक्तेहुये ऐसाकरै या दाता अपनेकईपुत्रोंके होतेहुये द्व्यामुष्यायणमार्गसेदेकर इच्छाविनाभी अनेकधा बातोंका साभाखड़ाकरके एकनिरर्थक भगड़ा पैदाकरै क्योंकि द्व्यामुष्यायण कभी लाचारी अवसरमें कियाजाताहै(और)इसदशामें उक्त निर्माताने जैसा आधासाभादर्शायाहैकि चौलकर्मतक आधेसंस्कारउसके मुख्य-पिताने करदियेथे अबआधे संस्कारजो जनेऊ आदि शेष रहेसो सब दूसरा पिताकरैगा (नोभी यह नियमात्मक बातनहीं है अर्थात् इमका यह नियमात्मक प्रकारहै कि जन्म-कालसेहीद्व्यामुष्यायणत्वकी प्रतिज्ञानिश्चिनकरिकेपीछेयथाक्रमसे प्रत्येकसबसंस्कारों को दोनोंबाप मिलकरकिया करते हैं तबतौ नित्यद्व्यामुष्यायणकहनाताहै अथवा

जिसने चौलकर्म तक हो जाने पीछे द्व्यामुष्यायणत्व की प्रतिज्ञा निश्चित करी होगी तौ वह अनित्य द्व्यामुष्यायण होगा पर इसदशामें भी शेषरहे संस्कारों को दोनों बाप मिलकर किया करते हैं और यही बात योग्य है इसका वर्णन पहले हो चुका है पर यहाँ पर प्रसंगमात्रसे फिर व्याख्या करी गई-इस व्याख्या का सिद्धांतसार यही है कि द्व्यामुष्यायण पुत्र दत्तकसे भी उत्तम होता है पर उसदशामें कि जो नित्यलक्षण का द्व्यामुष्यायण हुआ हो (और) जो उक्त निर्माताने अपने वर्णन हुये आधे साभे के प्रकार में एक यह विशेषता भी दर्शाई है कि आधे संस्कार जो उसके मुख्य पिताने कर लिये थे सो तौ उसीकी शाखा प्रवर गोत्रके अनुसार हुये थे और आधे संस्कार जो कल्पित पिता करेगा सो उसकी शाखा प्रवर गोत्रोंके समान किये जायँगे इसलिये ऐसे पुत्रको दत्तक नहीं कहसक्ते किन्तु द्व्यामुष्यायण कहना चाहिये क्योंकि दो गोत्रोंके अनुसार उसके संस्कार हुये (सो) यह कथन भी केवल तुषकंडन है अर्थात् यहांपर दो गोत्रोंसे कुछ अपेक्षा नहीं भिन्न दो गोत्र केवल उस दत्तक में होसक्ते हैं जो पराये गोत्रसे लेलिया जाय किन्तु यह द्व्यामुष्यायण पुत्र निज अपने गोत्रसे भाई आदिका लड़का किया जाता है तौ फिर क्योंकर दो गोत्रोंके अनुसार संस्कार हुये यद्यपि आधे आधे काम दो घरमें हुये परंतु वही गोत्र वही शाखा और वही प्रवर जो उस भाईके सो उसके भी समान हैं-अर्थात् जैसे दत्तक पुत्र लाचारी में पर गोत्रसे भी लेलेते हैं तैसे द्व्यामुष्यायण कभी लाचारी में भी भिन्न गोत्री का लड़का नहीं लिया जासक्ता-वल्कि-द्व्यामुष्यायण पुत्र बनाने की विनाय यही है कि जिसको किसी परगोत्रीका लड़का लेना अपनी इच्छामें अंगीकार नहीं होता और अपने गोत्रमें कोई लड़का ऐसा नहीं है कि जिसको दत्तक पुत्र बनाने के निमित्तसे मांगें और इसदशा में अपने एक भाई के एकही लड़का पैदा हुआ मौजूद है या हाल होनेवाला है परंतु उस एकलौता के दान कर देने का प्रतिषेध है इसलिये नतौ वह भाई इसे देसकेगा न यह उस्में मांगसक्ता है तथापि यह रूपक सम्भव है कि वह सपूना भाई इस निपूते भाईका सुहृद होनेके हेतुसे अपुत्रत्वका दोष और दुखदूर कर देनेपर समुद्यत है तब इसदशा में परस्पर दोनों के प्रेमसे यह प्रतिज्ञा निश्चित होजाती है कि यही एक लड़का जो मौजूद है या पैदा होनेवाला है हमतुम दोनोंका द्व्यामुष्यायण होजायगा क्योंकि जो दो तीन होते तौ एक दत्तकमार्ग से देदिया जाता अब लाचारी दशामें एकही से निर्वाह दोनोंको करना आवश्यक है इनलिये द्व्यामुष्यायण कर लेना चाहिये-यही प्रकार इसका न्यायात्मक और निःचयात्मक और लोक्यात्मक है परन्तु उक्त निर्माताकी कल्पनासे कोई भाँति यह नहीं सम्भव है कि यद्यपि दत्तकमार्ग से ही लिया हो पर चूडाकर्न हो जाने पीछे निवेदानके हेतुसे द्व्यामुष्यायण मार्गमें समुभा

जाय तिसपरभी ग्रहीताका वहदासकहावै या जो चूड़ाकर्मके न होनेपरभी पाँचवर्षोंसे उपरान्त लियाजाय सोभीदासकहावै-क्योंकर दासकहसक्तेहैं वसिष्ठजीका वाक्यउपर आचुकाहै कि जिसमें उपनयनकालतक त्रैवर्णिक जातोंमें दत्तक लियेजानेकी अवधि नियमितहुई है-शूद्रजातोंमें विवाहसे पहले पहले गोदलेकर जो ग्रहीता उसकाव्याह करै तौ वह दत्तक प्रामाण्यहोताहै क्योंकि शूद्रजातिमें उपनयनकाअभावहै उपनयन-स्थानी पहिलाव्याहमानाजाताहै चाहे किसीअवस्थातकहो यहीमर्यादा सर्व सामान्य देशोंकी प्रधानहै-परन्तु-जिसकिसी देशविभागमें किसी ग्रंथविशेषकेआशयसे परिपाटीमें कुछविशेषतापाईजाय तिसकानिर्णय उसीग्रंथ और उन्हींमनुष्योंकेद्वारा प्राधान्य हुआकरताहै क्योंकि (सामान्यशास्त्रतोनूनंविशेषोबलवान्भवेत्) इसन्यायसे सामान्य मर्यादाके सन्मुख विशेषपरिपाटीभी बलवान्होती है (दृष्टान्त) जैसे दक्षिणात्यलोगोंमें व्यवहारमयूखनामग्रंथ बहुतप्रधानहै और उसग्रंथका यहसम्मतहै कि जबतक अपने सगौत्रीकालड़का दत्तकलियाजाय तबतक अवस्था और संस्कारोंकाभी कुछ नियम आवश्यक नहीं है किन्तु ग्रहीताकी इच्छापर आरूढ़है कि वह चाहे उपनयन और विवाहके होचुकने बल्कि सन्तानके होजानेपरभी दत्तकलेवै तौ यह भिन्न मर्यादिक नहीं है-यथार्थसे यहसम्मत बड़ेदूरदर्शी ने मनुष्योंका कल्याणसोचिकर उत्पन्नकियाहै क्योंकि बहुतेरे निःसन्तानेलोग नानाभाँतिके संकल्पविकल्पोंके सोचविचारमें अपनी अवस्था काटेचलेजाते और दत्तकपुत्र लेनेकाविचार वारम्बारकरतेहुये भी उसकाम से बिलम्बितरहेआते हैं परन्तु अपनेवृद्धापनआदि कारणोंके उपस्थितहोनेपर दत्तक लेनेकामनोरथ खड़ाकरते हैं तौ फिर ऐसेसमयपर जो दत्तक मीमांसाका आराधनकरै तौ अवश्य निःसन्तानामरनापरै यद्वा त्रैवर्णिकअवस्थाका शिशु दत्तकलेवै तौ जबतक उसको पालेंगे तबतक आपचलते होजायँगे तौ यहऐसादत्तक निपटउसग्रहीता का कुछ कार्यसाधक नहोसका क्योंकि त्रैवर्णिक पंचवर्षिक शिशुउसका और्द्ध्वदंहिक श्राद्धभी नकरसकैगा और मरणांतिक समयकीसेवा आदि तौ बड़ीदूरहैइसलियेउस मयूखनिर्माता दूरदर्शी का संमत बड़ा निर्मलहै कि ऐमा लड़का अपनीइच्छाके अनुसार दत्तकलेवै जो आतेमार सबकार्य साधन करसकै और तत्काल ग्रहीताकाघर वसिजाय-इसदशामें उस पूर्वोक्त आशयकाध्यान करना कि लघु अवस्थाका शिशुगोद लेनेमे ग्रहीताको हिलमिलकर अपना पितामाता समुभसक्ताहै कुछ आवश्यक नहीं है क्योंकि जब ग्रहीताकी इच्छापर आरूढ़है कि वह चाहे तैसीअधिक अवस्थातक लेसक्ताहै तौ ग्रहीताभीऐसादत्तक लेनेपर इच्छा खड़ीकरैगा कि जिसको वहसुपुत्र समुभेगा अर्थात् सौशील्यादि गुण संयुक्तदेखभालकर दत्तक पुत्र बनावेगा कि जो लड़का पितापुत्रके धर्मोंकोजानताहो और यथार्थ से जब ऐसी अधिक अवस्था

लडका अपने सपिंड या सगोत्रमेंसे लेना नियमितहुआ तौ फिर अपने सपिंड और-सगोत्रके बहुधालडके जो सुपात्र होतेहैं सो प्रथमसेही अपने चचा ताऊ आदिवृद्ध संबंधी पुरुषोंको पितामाताकेसमान समुभाकरते और सेवाटहल में तत्पर बनेरहते हैं इसीसे यहनियम निश्चित कियाहै कि ऐसीअधिक अवस्थाका लडकाअपनेसपिंड या सगोत्रकाही लियाजाय (परन्तु) जो पर गोत्रमेंसे लियाजाय तौ फिर उसी सामान्य मर्यादाके अनुसार अवस्थाआदि नियमोंपरभी ध्यानरखकर उपनयनसे पहले लेना चाहिये और उपनयन अपनेआप ग्रहीताकोही करनाचाहिये-जिसबातपर यहचर्चा कियागया उसबातपर अबध्यानकरनाचाहिये कि व्यवहारमयूख में यह विशेषता दर्शित हुई और वहग्रंथ विशेषकर दाक्षिणात्यांमें प्रधानहै तौ फिर केवलग्रंथके अनुसारही निर्णय नहीं किंतु इसभांतिके व्यवहार कालमें तत्रत्य मनुष्योंसेभीनिश्चित करनाहोताहै कि इसविशेषताकाआचार तुम्हारेहै यानहीं क्योंकि(देशाचाराःपरिग्राह्यास्तत्तद्देशीयजैर्नरैः । अन्यथापतितोज्ञेयःसर्वधर्मबहिष्कृतः)यहनियमइसपरआरूढहै-इसकेसिवाय-पुत्रेष्टि यज्ञका चर्चा जो पहलेप्रसंगमें आचुकाहै उसको केवल श्रीनंदपंडितने पौराणिक मतसे लिखाहै किसी धर्मशास्त्र में प्रसंगउसकानहीं पायाजाता और उक्तपंडितने उसपुत्रेष्टिको एकप्रायश्चित्तके प्रकारसेदर्शायाहै कि जो तीनवर्षोंकी अवस्थासे उपरांतका बालकचूडाकर्म होजानेपीछेलियाजाय तौफिरग्रहीताकोपहिले पुत्रेष्टि करनीचाहिये तिसपीछेगोदलेनेकापरिग्रहकर्मकरिके उसेद्वयामुष्यायणमार्गसे लेनाचाहिये और जोऐसानहींकरै तौवहदत्तकउसकादासकहावै-सो इसद्वयामुष्यायणकाव्योरा उपर वर्णनहोचुकाहै यहाँकेवल पुत्रेष्टिका व्योरादर्शित करतेहैं कि यहपुत्रेष्टियाग किसी ऐसे कर्मों में गिनतीनहीं है कि जैसे उपनयनकेहोनेविना ब्राह्मणत्वकी सिद्धिनहींहोतीहै किन्तु यह वेदोक्तकर्म एकऐसायागहै कि इसको पुत्रेष्टि और पुत्रकामेष्टि भी कहते हैं निरसंदेह इसकाआराधन प्रत्येक ऐसेसमयपर होताहै कि जहाँ कुछ पुत्रकीकामना अधिकहो जैसेराजादशरथकेपुत्र कोईनहींथा इसहेतुसेउदासहोनेपर वसिष्ठजीने राजा को आज्ञादेकर शृंगीऋषिको बुलवाया और उनकेद्वारा पुत्रकामेष्टियाग राजादशरथ से करवाया तब उसकर्मकेप्रभावसे रामचंद्रआदि ४ पुत्रहुये-ऐसेही उसदशामेंभी यह पुत्रेष्टियाग कियाजासक्तहै कि जिसपुरुषके पुत्रपैदाहोहोकर मरजातेहों ऐसा मृतवत्सपुरुष जो किसी एकपुत्रकेजन्मकालपर पुत्रेष्टिकरै तो वहपुत्र उमकाजीतारहै-ऐसेहीउसदशामेंभी कियाजासक्तहै कि जिसके पुत्रहोतेहुयेभी कुमार्गीहों जिनसे पुत्रत्वका सुख बापको न मिलताहो तो इसकर्मके करनेमेंपुत्रोंमें सुमार्गता संभव होजायजिम्मे पुत्रत्वकाफल बापकोप्राप्तहो-ऐसेही साधारणमें भी जो कोई अपनेपुत्रको गर्भस्थजानिकर पुत्रेष्टि करै तौ इसकर्मके प्रभावसे सुपुत्र पैदाहोसक्तहै-इस न्यायमें उसदशा

कि सबसे पीछे वीर मित्रोदयके संमत सहित उसको दर्शावेंगे जिस्से दोनोंका अंतर एकसाथ समुभाजाय-परंतु उसके छोड़ेजानेका यहकारणभी प्रधानहै किजो सभीवा-  
 तोंके सर्वत्र मूलवाक्य लिखेजाते और उनकी व्याख्या करीजाती तौ निस्संदेह पढ़ने  
 वालोंको समुभना दुर्घट होजाता क्योंकि प्रायः ग्रंथकारोंने विरली छोटीबातपर व्यर्थ  
 विस्तारोंका मट्टाफेरिक भूल भुलैयाके बाजार कल्पित कियेहैं उनमें से प्रयोजनमात्र  
 थोड़ाथोड़ासार चुनिकर लिखना यहांअपेक्षितहै कि जिस्से सर्वसाधारणोंको समुभने  
 में सुगमता बनी रहै—तत्रसंक्षेपेणश्रीनन्दपरिडतोक्तिः—यथा ( अपुत्रेणसुतःकार्योयादृक्ता  
 दृक्प्रयत्नतः । पिंडदानक्रियाहेतोर्नामसंकीर्तनायचेतिमन्वादिवाक्येषुअपुत्रेणेतिपुंस्व  
 श्रवणान्नस्त्रियाअधिकार इतिगम्यते—अतएववसिष्ठः ( नतुस्त्रीपुत्रंदद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा  
 अन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुरिति-अनेन विधवायाभर्तनुज्ञानासंभवादनधिकारोगम्यते नच  
 सधवायाएवभर्तनुज्ञापेक्षापारतंत्र्यान्न विधवाया इतिवाच्यं स्त्रीसामान्योपादानेन पार  
 तंत्र्यस्याप्रयोजकत्वात् अभावेज्ञातयस्तेषामिति ज्ञातिपारतंत्र्यप्रसंगाच्च तर्हिज्ञात्य  
 नुज्ञयैवतस्याःपुत्रीकरणमस्त्वितिचेन्न भर्तृपदस्यापलक्षणतापत्तेःप्रयोजनासिद्धेश्च प्र  
 योजनंतु भर्तनुज्ञानस्य स्त्रीकृतपरिग्रहेणापिभर्तृपुत्रत्वसिद्धिः अतएवसत्याषाढसूत्रेस्त्री  
 द्वारजस्यगोत्रद्वयसंबंधोभिहितोमातुरुत्तरंपितुःप्रथममितिपुत्रेणेति पितृगोत्रसंबंधश्च  
 पितुःपुत्रत्वेन पुत्रत्वंचपित्रनुज्ञानेनैव नपरिग्रहमात्रेणस्त्रीकत्वात् स्त्रीद्वारजःस्त्रियायाचि  
 तःस्त्रीसत्ताकः इतिशवरस्वामिनः अत्रच स्त्रियाद्वारताभिधानेनतद्वारीपुरुषोलक्ष्यते  
 अन्यथा स्त्रीपरिगृहीतस्य तन्मात्रपुत्रत्वेनतद्भर्तृगोत्रसंबंधाभावात्तद्भर्तृ क्रियायामनधि  
 कारापातात्तद्विवाहादौचपित्रभावेन पितृगोत्राद्यनुल्लेखप्रसंगाच्चभर्तृपरिगृहीतेतुभर्तृप  
 रिगृहीतवस्त्वंतरस्वत्ववत् स्त्रियाअपितस्मिन्पुत्रत्वसिद्धिः किंच व्याहृतिभिर्हुत्वाप्रति  
 गृह्णीयादितिहोमकर्तुरेवप्रतिग्रहसिद्धेः स्त्रीणांहोमानधिकारित्वात् प्रतिग्रहानधिकारइ-  
 तिवाचस्पतिः नचशौनकीयेआचार्यवरणात्तद्वाराहोमसिद्धिरितिवाच्यं होमसिद्धावपि  
 प्रतिग्रहमंत्रानधिकारेण प्रतिग्रहसिद्धेः प्रतिग्रहानधिकारइतिवा प्रतिग्रहमंत्रस्तुयदा  
 हशौनकः देवस्यत्वेतिमंत्रेणहस्ताभ्यांपरिगृह्यच अंगादंगेत्युचंजप्त्वाआघ्रायशिशुम्  
 र्द्धनीति-नचैवंशूद्राणामप्यनधिकारप्रसंगः शूद्राणांशूद्रजातिप्वितिव्यवस्थापकलिङ्गेन  
 तदधिकारकल्पनात् एतेनशूद्राणांहोमप्रतिग्रहमंत्रानधिकारेणैव पुत्रपरिग्रहाधिकार  
 इतिसिद्धम्- नचैवंसधवानामप्यनधिकारापातोहोममंत्राद्यनधिकारादितिवाच्यं-अन्य  
 त्रानुज्ञानाद्भर्तुरिति प्रतिप्रसवेन प्रधानाधिकारसिद्धावधिकृताधिकाराद्धोममंत्रादिप्रा  
 सोस्त्रीशूद्राणाममंत्रकमिति मंत्रपर्युदाससिद्धेरमंत्रकप्रतिग्रहसिद्धिः वस्त्वंतरप्रतिग्रह  
 वत्-किंच नस्त्रीपुत्रंप्रतिग्रह्णीयादित्यात्सार्गिकनिषेधस्य अन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुरित्यपवाद  
 कः प्रतिप्रसवः-तत्रचनिमित्तंभर्तनुज्ञानं तत्रश्रविधवायाभर्तृभावेनानुज्ञानासंभवात्



मित्तकप्रतिप्रसवाप्रवृत्त्या प्रापकांतराभावाच्चानधिकार इतिसर्वथादिसंप्रतिपन्नमेव ) अर्थात्-श्रीनन्द पण्डित कहते हैं कि ( अपुत्रेणमुतःकार्यो ) इत्यादि ऊपरले सबसे पहले मनुवाक्यमें और औरभी इसप्रकारके बहुधा वाक्योंमें (अपुत्रेण) यह पुल्लिंग वाचक शब्द देखि परताहै इसलिये अपुत्रास्त्री को दत्तक पुत्र गोदलेनेका अधिकार नहीं पायाजाताहै इसीहेतुसे वसिष्ठने भी यह कहाहै कि स्त्री नतौ अपनापुत्र किसी को देवै और न किसीसे आप दत्तकलेवै पर यह नियम भर्ताकी अनुज्ञासे अन्यत्र जानो अर्थात् भर्ताकी अनुज्ञासे देसक्तीहै और लेभीसक्तीहै सो इसनियमसे विधवा स्त्रीका अनधिकार समुभाजाताहै क्योंकि उसके भर्ताका अभावहोनेसे भर्ताकी आज्ञाभी कहांसे होसक्तीहै और उस वसिष्ठजी के वचनका ऐसा अर्थभी न समुभा चाहिये कि यह निषेध केवल सधवास्त्रीके निमित्तमें पतिके परतन्त्रहोनेसे होसक्ताहै किन्तु विधवास्त्री परतन्त्र नहीं वह स्वतन्त्रहै (सो) यह अर्थ इसहेतुसे नहीं मानाजा सक्ताहै कि वसिष्ठने स्त्रीशब्दसामान्य भावसेकहाहै उसमें पारतन्त्र्यका प्रयोजन संभव नहीं किया और जो पारतन्त्र्यका हेतु उसमें मानाजाय तौ कुछ विधवाकोभी स्वतंत्र नहीं कहसक्ते किन्तु विधवाभी पतिकेजाती लोगोंके परतन्त्र होतीहै-और जो इस हेतुसेही आग्रह कोईकरै कि जो पतिके जातीलोगोंके आधीनहोतीहै तौ फिरउन्हीं जातीलोगोंकी अनुज्ञासे विधवास्त्री दत्तक लेसकेगी क्योंकि जैसे पतिकेहोनेमें सधवा स्त्रीको पतिके पारतन्त्र्य हेतुसे उसीकी अनुज्ञासे दत्तकलेना होसक्ताथा तैसे पतिके अभावमें बन्धुजनोंकी अनुज्ञासेलेना सूचितहोताहै (सो) यह आग्रहभी नहींमान सक्तेहैं क्योंकि वसिष्ठजीके वचनमें बान्धवजनोंका कुछ प्रसङ्गनहीं है केवल भर्ताकी अनुज्ञाका प्रसङ्ग उसमें लिखाहै-और जो बान्धवजनोंका प्रसङ्गभी मानाजाय तौफिर मुख्य प्रयोजनकी सिद्धिनहीं होसक्तीहै और वहप्रयोजन इसमेंयहहै कि भर्ताकी अनुज्ञासे जिसपुत्रको स्त्रीगोदलेतीहै तौवहपुत्र स्त्रीद्वारा लियेजानेपरभी भर्ताकापुत्र मानाजाताहै-इसीहेतुसे सत्याषाढ सूत्रनाम ग्रन्थमेंस्त्रीद्वारा लियेहुयेपुत्रको (स्त्रीद्वारज) कहाहै और उसका दोनोंगोत्रसे सम्बन्ध निश्चितकियाहै अर्थात् (माताकागोत्रपीछे और पिताकागोत्र पहले) यहसूत्र उसमें लिखाहै और आशय इमका यहहै कि जो पिताकी आज्ञासेही माताने गोदलियाहो तौवह पिताका पुत्र निश्चितहोने के हेतुसे पिताकेही गोत्रका भागीहोगा यद्वापिताकी आज्ञाविना माताने गोदलियाहोगा तौवह माताकाही पुत्र निश्चित होकर उसीमाता के गोत्रियोंमें गिनतीहोगा (माताका गोत्र अर्थात् नानाका गोत्र) क्योंकि उसको स्त्रीने याचना कर्केलियाहै इमनिये स्त्रीद्वारज उसेकहना चाहिये और स्त्रीत्वकी सत्ताउसमें प्रविष्टहोने से स्त्रीकाहीगोत्री कियाजाय यहव्याख्या शबर स्वामीनेकरीहै-यहाँपर स्त्रीकी द्वारता दर्शित होनेसे स्त्रीद्वारी पुरुष

समुभा जाताहै-अन्यथा जो यहभी नहींमानो तौफिर स्त्रीका लियाहुआ दत्तकउसी काही पुत्र समुभा जानेके हेतुसे उसके भर्ताके गोत्रका सम्बन्ध उसपुत्रमें न होनेसे भर्ताके क्रियाकर्मोंमें उसपुत्रका अनधिकार पायेजानेसे और उसके विवाहादि कामों मेंभी पिताके अभावसे पिताका गोत्रआदि न उच्चारण होसकेगा-इसलिये हमारी समु-भसे यह कोई भाँति सूचित नहींहोताहै कि विधवा स्त्री दत्तकलेवे यहकहकर फिर श्रीनन्दपण्डित कहतेहैं कि भर्ताके परिग्रह कियेहुये दत्तकमें स्त्रीकाभी स्वत्व उसन्याय से होताहै कि जैसे भर्ताकी संग्रह करीहुई अन्य वस्तुओंमें स्त्रीकास्वत्वहोताहै-इसके सिवाय-वाचस्पतिके इसवचनसेभी स्त्रियोंको अधिकारनहीं पायाजाताहै कि व्याहृति-योंसे होमकरिकै दत्तक लेनाकहाहै और स्त्रियोंको होमकरनेका अधिकारनहींहै और होमकियेविना लेनेसे प्रतिग्रह सिद्धनहीं होसक्ता- कदाचित् कोईशौनकके वचनानु-सार यहकहे कि आचार्यवरण करिकै आचार्यके द्वारा होमकरायकर स्त्रीदत्तक लेसके गी (सो) वहपराये हाथका होमसिद्ध नहींहोता और जो होमसिद्ध होभीसकै तौफिर प्रतिग्रहका मन्त्रबोलने में स्त्रियों को अधिकार नहीं है इस्से विनामन्त्रके प्रतिग्रह लेने काभी अधिकार नहीं होसक्ता और प्रतिग्रह मन्त्र भी ( अङ्गादङ्ग ) इत्यादि ऋचा जो शौनक ने बतलाई सो प्रसिद्ध है-अब कहते हैं कि जो कदाचित् इसमें यह तर्कणा कोई करै कि मन्त्रका अधिकार जैसे स्त्रियों को नहीं तैसे शूद्रोंको भी नहीं है तौफिर शूद्रजातिको भी दत्तकलेनेका प्रतिषेध निश्चितहुआ सोयह तर्कन करनीचाहिये क्योंकि शूद्रोंकी व्यवस्था शूद्रजातिके अनुसार निश्चित होचु-कीहै पर यहां के प्रतिषेधसे इतना औरभी विशेष पायागया कि शूद्रोंको होम और प्रतिग्रह मंत्रकेविनाही दत्तक लेनेका अधिकारहै-और जो कदाचित् कोईयह तर्कणा करै कि स्त्रियोंकोहोम और प्रतिग्रह मंत्रका अधिकार नहींतौफिर सधवा स्त्रीभीपतिकी आज्ञासे क्योंकर पुत्रलेसक्तीहै क्योंकि होम और प्रतिग्रहके मंत्रविना परिग्रह सिद्धि न होमकैगी सोयह तर्कभी न करनी चाहिये क्योंकि ( भर्ताके अनुज्ञानसे अन्यत्र ) इसप्रतिप्रसवरूप वचनमे प्रधान कार्यका अधिकार सिद्धहोने में उसके अंगभूत अधिकृत कामोंका अधिकार पायाजानेसे होम मंत्रादिकभी करसकनेका अधिकार यद्यापे सधवा स्त्रीको पायागया परंतु स्त्री और शूद्रोंको अमंत्रकर्म करनेकी आज्ञा जो मुनिश्चित है तिस हेतुसे सधवाको भी मंत्रोंका पर्युदास पायाजानेसे यह निश्चित हुआ कि सधवास्त्री जो पतिकी आज्ञामे दत्तक पुत्रका प्रतिग्रह करैतो विनामंत्रकेही करै जैसे अन्यवस्तुओंका प्रतिग्रह विनामंत्रोंके करमतीहै-क्योंकि(नस्त्रीपुत्रप्रतिग्रहो-यात्) यह आत्मनिक निषेध जो सामान्य विधिमे बमिष्टने दर्शाया तिसका ( अन्य-ब्रानुज्ञानाद्गर्तः) यह अपवादरूप प्रतिप्रसवभी पंडिगेकहा तिसमें भर्ताकी अनुज्ञाही

निमित्त ठहरी इसी कारण विधवाको भर्ताके अभावमें अनुज्ञानका असंभव होनेसे निमित्तक प्रतिप्रसवकी अप्रवृत्ति करके दत्तक लेनेका अधिकार नहीं है और इसमें कोई और प्रमाणभी ऐसा नहीं है कि जिसे लेसकनेमें अधिकार पहुँचे इससे हमने जो कुछ कहा सो सब ठोक है ( अस्यैव फलादेशः ) इस व्याख्यानका पूर्वमूलपाठ और इसको भी प्रत्यक्षर सोचिकर पढ़नेवालोंका विज्ञात होगा कि इसका सर्वसिद्धांत उसनिर्माता नेयही रक्खा है कि विधवाका बनाया हुआ दत्तकपुत्र किसी प्रकारसे भी पिताके धनपिंडों का अधिकारी न होसकै अर्थात् ऐसा कोई अक्षर उक्त निर्माताके मुखसे स्पष्टनिकसा नहीं प्रतीत होता है कि जिसे विधवाका अधिकार पतिकी पूर्वदत्त अनुज्ञासे ही पाया जाय-तथापि-बहुधा विज्ञानी व्यवहारज्ञोंने ऐसे व्याख्यान के होनेपर भी उसी वसिष्ठ के वाक्यद्वारा निज न्यायात्मक दृष्टिसे सिद्धांतफल संसूचित किया है कि जिस विधवाको भर्ताके जीतेजी इस बातकी अनुज्ञा प्राप्त हो चुकी हो तिसको भर्ताके पीछे भी अधिकार है कि जो दत्तकपुत्र लेलेवै तौ वह दत्तक निरसंदेह ऐसे स्वर्वासी कल्पित पिताके धनपिंडोंका अधिकार पावै क्योंकि जिसकार्यके करनेमध्ये भर्ताकी अनुज्ञा मूलकारण है कि जिसके अभावमें विधवाको अधिकार नहीं था वह कारण उसको पहलेसे ही संप्राप्त हो तौ फिर अनधिकारका प्रसंग नहीं-इसी फलादेशके अनुकूल संप्रति बहुधादेश विभागोंमें दत्तकसम्बन्धी व्यवहारोंका निर्णय किया जाता है पर उनदेशोंको छोड़कर कि जिनमें विशेषकर वीर मित्रोदय आदि ग्रंथोंका प्रधानता मानी जाती हो क्योंकि उन ग्रंथोंमें निस्स्वार्थ पक्ष छोड़कर यथार्थ भावसे व्यवस्था सिद्ध हुई है कि विधवापतिके पीछे दत्तक लेसकी है चाहे उसको आज्ञा पहिले मिली हो या न हो ( तथाच वीरमित्रोदयपाठः मातापितरौ प्रत्येकं मिलितौ वा दद्यातां एकः पुत्रश्च न देयौ न प्रतिग्राह्यः-यथाह वसिष्ठः- ( शुक्रशोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागे पुमातापितरौ प्रभवतः न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा सहिसन्तानाय पूर्वेषां न तु स्त्रीपुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्गर्तुरिति -अत्र भर्तनुज्ञां विना स्त्रियाः पुत्रप्रतिग्रहनिषेधात् अदत्ता नुज्ञे भर्तरि मृते विधवाकृतः पुत्रो दत्तको न भवतीत्याहुस्तन्न अपुत्रस्य गत्यभावात्पुत्रकरणस्यावश्यकत्वश्रवणाच्छास्त्रमूलकतदनुज्ञायास्तत्राप्यक्षतेः-न चैवमनुज्ञानादन्यत्रेति व्यर्थम् व्यावर्त्याभावाच्छास्त्रियानुमतेः सर्वत्रावश्यकत्वादिति वाच्यम्-मुमुक्षोः पत्न्यंतरे पुत्रवतो वाऽनुज्ञाया असंभवाद्गार्यायदि स्वपुत्रार्थमेव तं प्रतिषेधस्य-सर्वासामकपर्त्तानामेकाचेत्पुत्रिणी भवेत्सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुगिति-पुत्रकार्यश्राद्धादेः सपत्नीपुत्रेण सिद्धे भर्तनुज्ञां विना तादृश्यापुत्रो न कार्यः उभयोरपितत्रकार्यस्य तेन निष्पत्तेः-भर्तुर्हंम और स एव मुख्यः तस्या अपि दत्तकवद्गोण इति तादृश्या भर्तनुमतिमन्तरेणेतरेण प्रतिग्राह्यः इति तात्पर्यार्थः-वस्तुतस्तु-भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान भवेत् । सर्वास्तां

स्तेनपुत्रेणपुत्रिणोमनुरब्रवीदिति वचनवदेतस्यापिभ्रातृपुत्रस्यगौणदत्तकपुत्रत्वादिसंभवेऽन्यःपुत्रप्रतिनिधिर्नकार्यइत्यर्थकतयामिताक्षरास्मृति चंद्रिकादौव्याख्यातत्वाद्भर्तृरिजीवति भार्ययास्वातंत्र्येणतदननुमतोनपुत्रीकरणीय इतिभर्तुरनुज्ञानादन्यत्रेत्यस्यार्थः-स्मृतेतुतस्मिन्पारतंत्र्यंतदनुमतेतु तस्मिन्पारतंत्र्यात्तदनुमतिरेवापेक्षिता-एवंसतिदृष्टार्थताभवतिप्रतिषेधस्य- तस्माददत्तानुज्ञेस्मृतेपिभर्तुरिभार्यायादत्तकादिकरणमविरुद्धम् ) ( अथास्यसंक्षेपार्थः )-वीर मित्रोदयने इसपाठ में उसी वसिष्ठके वाक्यसे ठीकठीक वहव्याख्या लिखी है जो निज वसिष्ठजीके अभिप्रायसे और न्यायात्मक मर्यादासे भी तुल्यात्मक पाईजाती है—किंतु—वीर मित्रोदय कहते हैं कि ( भर्ता की अनुज्ञाविना स्त्रीको दत्तकलेनेका निषेध जो वसिष्ठजीने कियाहै ) तिसका आशय जो बहुधापंडित ऐसाकहतेहैं कि जिसकाभर्ता दत्तकलेनेकी अनुज्ञादिये विना मरजाय तिस विधवाका लियाहुआ दत्तकसच्चा नहीं होता-सोचह आशय नहीं है क्योंकि शास्त्रोंमें निर्विकल्प यहआज्ञा लिखीहै कि निपूतेकीगतिनहींहोती इस्सेकैसेदूपुत्रकरना आवश्यक है तौफिर इसआज्ञाके सन्मुख उसदशामें भी कुछ हानिनहींहै जो विधवा अपने भर्ताकी गतिकेलिये पुत्रबनावै पर इसबातसे यह तर्कणा न करनीचाहिये कि वसिष्ठका वहवाक्यही व्यर्थहुआ जाताहै जो उन्होंने निषेधकिया है कि ( भर्ताकी अनुज्ञा विना न लेवै ) क्योंकि शास्त्रीय अनुमत कुछ व्यावर्त्य नहींहोसक्ता इस्से वसिष्ठका यहनिषेध बहुतठीकहै पर सधवास्त्रीके निमित्तमें दर्शायाहै किवह भर्ताके परतन्त्रहोती है उसकोभर्ताकेविदेशस्थ होनेआदि दशाओंमें भर्ताकी अनुज्ञाविना नलेनाचाहिये कदाचित् भर्ताने मुमुक्षुभाव लेकर संसारके बन्धनमें फँसनेसे उपेक्षा धारण करीहो इस्से दत्तकलेनेकी आज्ञादेनेमें उत्साह उसको न हो तौ इसदशामें पत्नीकेवल अपनेही उत्साहसे दत्तक न लेसकैगी अर्थात् जो ऐसीदशा में भर्ताकी आज्ञा विना दत्तकलेभी लियाहो तौवहदत्तक सच्चानहींहै निवर्तित होसक्ताहै यद्वाभर्ताकी द्वितीय पत्नीकेही पुत्र होतेहुये निपूती पत्नीनिज अपनेही मनोरथसे दत्तकलेनाचाहै तौइसभांतिकी स्त्रीको निषेधहै कि भर्ताकी अनुज्ञाविना न लेवै अर्थात् ऐसीदशामें भर्ताकी अनुज्ञा संभवनहीं है क्योंकि भर्ताके जब औरस पुत्रहै तौ उसके होतेहुये द्वितीय पत्नीको दत्तक लेनेकी आज्ञा नहीं देसक्ता किंतु सौतेला पुत्रभी दत्तक पुत्रके समानहै उसीद्वारा उस विमाताकाभी श्राद्धकर्म आदि सब होसकैगा मनुका वचन प्रमाणहै इमकेसिवाय औरभी सिद्धान्तहै कि जिसनिपूते भर्ताने अपने प्रवामआदि अनवकाशोंके हेतुसे पत्नीको वद्यपि आज्ञाभी देदीहो परन्तु जिस पुत्रके लेनेकी अनुज्ञानहींदीहो तिसको पत्नी निज इच्छासेही दत्तक नहीं बनावै किंतु जिस पुत्रके लेनेका विचार और अनुज्ञा पतिनेकरीहो तिसकोही सधवा स्त्री लेसक्ती है-अर्थात्

भर्ताके जीवतेहुये पारतंत्र्यके हेतुसे सधवास्त्रीको सर्वथा भर्ताकी अनुज्ञाविना दत्तक लेनेका निषेध वचन वसिष्ठने कहाहै-और भर्ताके मरजाने पीछे भर्ताके बन्धुओंमेंसे मुख्यभावसे जिसका पारतंत्र्य उसकोहो उसीकी अनुमति लेलेनेसे अपेक्षा शेषहै- इसहेतुसे भर्ता यदि अनुज्ञादिये विनाभी मरगयाहो तौभी पत्नीको दत्तक आदिपुत्र बनानाकुछ विरुद्धनहींहै(इतिवीरमित्रोदयस्यनिर्मलव्याख्यानं-अत्रतुनंदपंडितोक्तिपरिहारःसंभवति) ध्यानकरनेकी यहबातहै किजैसा नन्दपंडित एकसामान्य शब्दोंकेवर्त्तावेमें लिङ्गोक्तिकी तर्कणासे मन्वादि महर्षिप्रवरोंकीभी जीभथांभते हैंकि(अपुत्रेणसुतःकार्यो-अपुत्रेणैवकर्तव्यःपुत्रप्रतिनिधिःसदा)इत्यादिवाक्योंमें सर्वत्रनिपूतेकी समस्या देखीजाती हैनिपूतीकाचर्चा कहींनहींहै इसलिये निपूतीको पुत्रनलेना चाहिये-सोकुछ महर्षियोंने इसबातमें स्त्री पुरुषकाभेद खड़ाकरनेके निमित्तसे पुल्लिंगत्व नहींकहा किन्तुयहांपुरुष की समस्यामात्रसे सहचरी स्त्रीकाभी बोधहोता है क्योंकि स्त्रीपुरुष दोनोंकायुग्म यह सदाही सहचर हुआकरता है यहभी एक न्यायात्मक नियमहै कि जिसकिसी प्रधानवस्तुका उच्चारणविना विशेषण कियाजाय तिसकी नैरन्तर्य सहचर वस्तुओंकाभी बोध लियाजाता है (दृष्टान्त) जैसेदिनोंके उच्चारणमें सहचरा रातेंभीआजातीहैं यथा दसदिन वहांठहरेंगे इसकथनका यहन्यायनहीं है कि दसरात्रोंकोन ठहरेंगे-इसग्रामके मनुष्य बड़ेसुखी रहते हैं इसकथनका यहन्यायनहींहै कि इसग्रामकी मानुषीबड़ी दुखी होंगी-ज्ञानीपुरुषको किसीका बुरा न चीतनाचाहिये इस उच्चारणका यहन्यायनहीं है कि ज्ञानवान् स्त्रीको पराया बुरा चीतना चाहिये-इन दृष्टान्तोंके पकाहटका प्रमाणभी वसिष्ठके इसवचनसे विचारो-यथा(शुक्रशोणितसंभवःपुरुषोमातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषुमातापितरौप्रभवतः) अर्थात् वसिष्ठने यह कहाहै कि (पुरुष) नाम लड़का लड़की दोनोंही पितामाताका शुक्र शोणित मिलकर पैदाहोतेहैं इसलिये माता पिताकाही (निमित्त) नाम स्वत्व उनमेंहोताहै और इसीहेतुसे उनकेदान करदेने या विक्रय करदेने यद्वात्याग देनेमेंभी माता पिताही समर्थहोते किन्तु किसी तिसरैत का अधिकार ऐसानहींहै-ध्यानकरो कि इसवाक्य में केवलएक (पुरुष) शब्द जो ठेठ कर पुल्लिङ्गमात्र और एकत्वका बोधक नियतहुआहै उसीमे स्त्रीलिङ्गवाचक लड़कीभी समुभिगई और उसीके संयुक्तकरनेसे द्विवचन मानागया वल्किदोनोंकी अनेकता से बहुत्वभीस्वीकारहै-कदाचित् नन्दपण्डितकी कल्पनाइसमें मानीजाय तौफिरनिपटअसङ्गत व्याख्याकरनीपरै कि इसवाक्यमें पुरुषकी समस्या होनेमात्रमेपुत्रहीपितामाताके वीर्यसे उत्पन्नहोतेहैं पुत्रियाँ अपने आप पैदाहोजातीहोंगी क्योंकि उनकाचर्चा इसमें नहीं है और इसीसे पुत्रियोंका प्रदान या विक्रय आदि हरकोई करसक्ताहोगा क्योंकि मातापिताकानिमित्त और अधिकारपुत्रोंपरही दर्शायागया-और-यहन्यास्याभी प्रत्यक्ष

उलटी है कि (नस्त्रीपुत्रप्रतिगृह्णीयादन्यत्रानुज्ञानात्) इस वचन से केवल विधवा का निषेध कल्पित किया-इसके सिवाय जो-यह उक्ति प्रकट करी है कि बन्धुजनों की अनुज्ञा का प्रसंग उस वचन में नहीं है केवल भर्ता की अनुज्ञा मात्र लिखी है (तौ फिर) इस उक्ति से और भी निर्मलता पाई जाती है कि जो भर्ता की अनुज्ञा मात्र लिखी है तो निस्सन्देह सधवा का निमित्त उसमें समुभो बल्कि इसी हेतु से बन्धुओं का प्रसंग उसमें नहीं है क्योंकि सधवा को बन्धुओं की अनुमति से क्या अपेक्षा उसका भर्ता विद्यमान है उसी की अनुज्ञा लेनी चाहिये-इसके भी उपरान्त-जो यह उक्ति दर्शाते हैं कि जो बान्धवलोगों की अनुमति का प्रसंग माना जाय तो फिर मुख्य प्रयोजन की सिद्धि न हो सकेगी अर्थात् हमारा यह मुख्य प्रयोजन है कि भर्ता की अनुज्ञा बिना जिस लड़के को स्त्री गोद लेवे वह लड़का अपने नाना के गोत्र से प्रसिद्ध किया जाय (सो) यह मुख्य प्रयोजन उनका किसी भाँति से भी लोक में स्वीकार नहीं हो सक्ता बल्कि इसको मुख्य नहीं विरुद्ध प्रयोजन कह सकते हैं लोक में कहीं भी ऐसी विरुद्ध परिपाटी नहीं है कि इस घर का लड़का नाना का गोत्री किया जाय किन्तु ग्रहीता के ही गोत्र से प्रसिद्ध हो सक्ता चाहे स्त्री ले या पुरुष ले-और-यह बात जो दर्शाते हैं कि विधवा माता अपने पिता के गोत्र में पति के मरने पीछे मिल जायगी इसलिये उसका दत्तक भी उसी गोत्र में (सो) इस बात के प्रमाण मध्ये गोत्र पलट जाने का कोई वचन किसी प्रवर्तित ग्रंथ में इस प्रकार का नहीं पाया जाता कि भर्ता के मरने पीछे भार्या अपने पिता के गोत्र में मिल जाती हो या भार्या का दत्तक अपने नाना के गोत्र में मिल सक्ता हो बल्कि इन दोनों बातों की विपरीतता मध्ये शास्त्र में यह वचन प्रमाण है कि (विवाहानंतरं नारी पति गोत्रेण गोत्रिणी । तथा ग्रहीतृ गोत्रेण दत्तपुत्रस्य गोत्रिता) इसी वचन के अनुसार संप्रतिलोक में भी सर्वत्र पृथा देखी जाती है इस वचन के सम्मुख न तो माता अपने बाप के गोत्र में गिनती हो सकती है न दत्तक अपने नाना या माता का गोत्री कहा जा सकता है-हाँ निस्संदेह माता का गोत्री दत्तक होता है परन्तु माता का भी गोत्र वही है जो माता के पति का गोत्र हो तो फिर यह कहना निपट असंगत है कि माता का लिया हुआ दत्तक उस माता का ही गोत्री या नाना का गोत्री हो जायगा-और भी-यह बहुत बड़ा उत्तर है कि जो योंही उक्त निर्माता की उक्ति अनुसार पिता की अनुज्ञा से ही लिया हुआ दत्तक पिता का गोत्री हो सक्ता है तौ फिर पिता के बन्धुओं की भी अनुमति से लिया हुआ दत्तक बन्धुओं का गोत्री होगा इसमें कोई सीहानि संभव नहीं है क्योंकि पिता और पिता के बन्धुओं का गोत्र कुछ दो गोत्र जुड़ नहीं बल्कि वही ठेठ गोत्र है क्योंकि यहाँ पर बन्धुशब्द से ठेठ अपने ज्ञाती लोगों का चर्चा है-और जो-यह उक्ति प्रकट करी है कि स्त्री का लिया हुआ दत्तक उसके भर्ता की क्रिया कर्म का अधिकारी न हो सकेगा सो भी निपट असंगत है क्योंकि जो उसकी भार्या का ही पुत्र निश्चित करे तो भी निस्संदेह क्रिया करने का अधिकारी निश्चित हुआ क्योंकि जिस



क्रियाकर्म करनेवाला कोई नहीं होता है तिसके शिष्य और मित्रादिकोंकोभी करनेका अधिकार है तिनसे पहले जो उसके कोई संबंधीजन उपस्थित होंतौ उनकाभी अधिकार उनसे अधिकतर प्रसिद्ध है फिर इसके आगे जो कदाचित् अपनी निजभार्या वामांगी अर्द्धांगीका बेटा मिलजावे तौ फिर बहुत बड़ापुण्योदय उसभर्ताका समुम्ना चाहिये कि यद्यपि अपनी भूलसे वहपुत्र बनायेविना मरापर उसकी अर्द्धांगीने उसके पीछेभी क्रियाकर्ता नियत करदिया-इसके सिवाय-जो यह उक्ति प्रकट करीहै कि होम करनेका अधिकार स्त्रियोंको नहीं और होम कियेविना दत्तक नहीं लिया जासक्ता है इससे विधवाको न लेनाचाहिये और शौनकने जो आचार्यसे होमकराइकर स्त्रियोंको दत्तकलेनाकहासो पराये हाथकाहोम भूँठासमुम्नाचाहिये और जो होमसच्चाभी पराये हाथका होसक्ता हो तौ फिर स्त्रियोंको प्रतिग्रह लेनेका मंत्रबोलनेमें अधिकारनहीं और फिर आपही यहकहते हैं किजो सधवास्त्री पतिकी आज्ञासे दत्तकलेवे तौ वहहोम भी न करै और प्रतिग्रह कामंत्रभी नबोलै वैसेही उठाकर गोदमें रखलेवे जैसेअन्य वस्तु मूली गाजर आदि लेकर घरमें धरलेती है और वे चीजें पतिकी होजाती हैं तैसेही यह लड़काभी पतिकाहोजायगा-अब यहांपर ध्यान करनाचाहिये बड़े अचंभेकी ये तकैं हैं कि जैसे लड़के आपसमें गिल्लीडंडा खेलतेहुये आगापीछा सोचे विना कह डारतेहैं जब कि निज भर्ताका लियाहुआ दत्तक होमकिये विना भी भूँठाकहचुके और मंत्र बोले विनाभी भूँठा कहचुके तौ फिर भर्ताकी ओरसे प्रतिनिधि अर्थात् मुख्तार जो नियतहुई सधवा स्त्री तिसका लिया दत्तक विना होम और मंत्रोंके क्योकर सच्चा मानाजाय और पराये हाथ से होमकरवाना या मंत्र उच्चारण करवाना भी निषेध करचुके तौ फिर यह बड़ा दूषणप्रकट होताहै कि भला स्त्रियोंको तौ बोलनेका अधिकार नहींथा पर पुरुषोंको अधिकार होतेहुये जो पुरुष निरक्षर बहुधा होते हैं वे क्योकर मंत्र बोलेंगे कर्त्ताके बदले आचार्य का बोलना निपट भूँठा निश्चितकरचुके तौ फिर यह सिद्धांत उनका पायागया कि दत्तक पुत्र लेनेका अधिकार त्रैवर्णिक मेंसे केवल उन्हींका समुम्नाचाहिये जो वेदोक्त मंत्रोंकोभी पढ़े पण्डितहां अन्यथा जो मुख हैं तिनका लियादत्तक भूँठा होजाय कदाचिन् यह उत्तर करो कि जिसेदत्तक लेना होगा वह मंत्रोंकोभी सीखलेगा सो वेदोक्त ऋचा ऐसी सूधी नहीं हैं जो हर कोई सीखसके वड़ेवड़े पण्डितोंके मुखसे शुद्धनहीं निकसती वेदपाठी काही वह काम है जो शुद्ध उच्चारणका अभ्यासरखते हैं इमीलिये कर्मकांडके कामोंमें आचार्य वेदज्ञ दंडाजाता है और सर्वत्र सब कर्मोंके विधानमें वही लोक परिपाटीहै कि जो जो मंत्र निज कर्त्ताकोही उच्चारण कर्त्तव्यहों तिनकोभी आचार्य उसकी ओर से उच्चारण करदेताहै इमीलिये सबसे पहले आचार्य के वरणी बाँधीजातीहै कि वह कर्त्ताकी ओर से

उच्चारण आदि सबकामों का मुख्तार होजाय और यही प्रकार सब शास्त्रोंमें प्रमाण है ( दैवोपित्र्येचवाणिज्येराजद्वारेविशेषतः।यद्विदध्यात्प्रतिनिधिस्तन्नियंतुःकृतिर्भवेत्) इस वचनमें निपट यह कुछ भेद नहीं कियाहै कि प्रतिनिधि किसकी ओर से नियत हो तिसका किया कर्मनियंता काही ठहरै अर्थात् नतौ इसमें पुरुषका संकेतहै न स्त्री का इस्से यह प्रत्यक्ष प्रतीतहै कि चाहे पुरुषने प्रतिनिधि कियाहो चाहे स्त्रीने सिद्धांत यह कि जो कोई अपने आप किसी कामको न करसक्ता हो वह अपनी ओरसे किसीको प्रतिनिधि नियत करिके उसके द्वारा कार्य साधन करवावै तौ यह उसीका करना निश्चित होगा जिसने नियत कियाहो इस्से यह बातभी यथार्थ निश्चित हुई कि विधवा भी अपनी ओरसे आचार्यको प्रतिनिधि नियत करके उस्से होमकरवाइकर और उसी से प्रतिग्रह का मंत्र उच्चारण करवाइकर दत्तक पुत्रलेवे अर्थात् विना होमके न लेवे चाहे विधवाहो या सधवाहो दत्तक लेनेकी विधिमात्र सबहीको कर्तव्यहै क्योंकि विधि विना लेलेनेसे दत्तक भूँठा होसक्ताहै-यही प्रकार बहुधा पाश्चात्य देशोंमें संचरितहै- वल्कि-इसदत्तक प्रक्रियाके सिवाय और भी सब काम जो देव पितर संबंधी दोनों भाँतिके निज कुटुंबीकोही कर्तव्य हुआ करते हैं जिनका करना बापवाले लड़कोंको और भर्ता वाली स्त्री को निषेध कहाजाताहै तिनकोभी विधवा स्त्री निज अपनेआप उस दशापर सर्वत्र किया करती हैं कि जब कोई पुरुषकरनेवाला नहीं रहता सोयह बातभी कुछ लोक या शास्त्रसे विपरीतनहीं समुझीजाती है इनकामोंके सन्मुखदत्तक पुत्रका लेनावहुत छोटीबातहै क्योंकि यद्यपि उसमें देवताओंका पूजनमात्र होता है तथापि वहकाम न तो देवकर्मकी गिनती में न पितरोंकी प्रक्रियामें परन्तु वहीदत्तक पुत्रका लेना आवश्यकताकी अपेक्षामें पर्वतकेसमान एक ऐसा बड़ाकामहै कि उसके आगे देवपितर संबंधी काम जो अभीचर्चा कियेथे एकराई के समानहैं क्योंकि उस एकहीकामकेहोनेसे ये सब काम आगेकोवने रहसक्ते और होसक्तेहैं और विधवाके मृतभर्ताका वंश और नामशेष रहसक्ताहै फिर इसदशापरभी विधवास्त्रीसे न जानें उनका क्या कुछपूरा बैरथा कि जिसके हेतुसे सब ग्रंथोंसे विपरीत व्याख्या खंचतानि कर बनाई और विधवास्त्रीको किसीमेंभी गिनतीनहींरक्खा इष्टापूर्त कर्म जिनका विशेष लक्षणअविभाज्य धनके परिच्छेद में दर्शायागया तिनमेंसे पूर्तकर्म साधनकरने का अधिकार स्त्रीमात्रको सामान्यभावसे अट्टाईसवें परिच्छेदमें प्रदर्शित हुआ था और विधवा पूर्तकर्मोंके सिवाय बिरलेइष्टकर्मोंकाभी साधनकियाकरतीहैं कि जिनका करनास्त्रियोंको असंगत समुझाजाताहै-पूर्तकर्मभी नानाभाँति के होते हैं उनका एक यह नमूनामात्रजानो-यथा(बापीकूपतडागादिदेवतायत्तनानिच । अन्नप्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते ) इनसभीकर्मोंके सिद्धकरनेका अधिकार स्त्रीमात्रकोहोता है सोधन

कर्मोंमेंभी होमहुये विनाकामनहीं चलसक्ता और सर्वत्र आचार्यद्वारा होम होते हैं और विधवास्त्रीविहुधा ऐसी ऐसी ज्ञानसंपन्न होती हैं कि यद्यपि भर्तासे ये काम न होसकेहों तौभी उसके मरने पीछे उसीके संचित किये द्रव्योंसे इनकामों को अपने नामसे और मरेहुये भर्ताकेभी नामसे संसाधन करतीहैं कि जिस्सेभर्ताकानामजगतमें बनारहे तौ क्याऐसी दशापर इसप्रकारकी विधवास्त्री एक दत्तक लेनेसे लाचारकरी जायँ जिसके लेनेसे इष्टकर्मों कीभी संसिद्धि उसी पुत्रके द्वारा घर में होसकनी आगे को संभव है कि जिनका करना स्त्रीमात्रको असंगत समुभाजाता है इष्टकर्म इस अग्रोक्तवचनसे जानेजाते हैं-यथा(अग्निहोत्रंतपस्सत्यंवेदानांचानुपालनम्। आतिथ्यं वैश्वदेवश्चइष्टमित्यभिधीयते) इत्यादि सर्वशास्त्रोंके सिद्धान्तसे विधवाको भी पति के बांधवजनोंकी अनुज्ञालेकर दत्तकलेना न्यायात्मकहै सो यह बन्धुओंकी अनुज्ञा केवल अनुमतिसे अपेक्षारखतीहै कि जिसके पुत्रकोलेनेकी अनुमति बांधवकरैं उसी को लेनाचाहिये जिसकेलेनेकी अयोग्यताप्रकटकरैं तिसको न लेसकैं उसप्रकारसे कि जैसे पुत्र या पुत्रीकाविवाह बन्धुओंकी अनुमतिविना न करनाचाहिये परन्तु यह सिद्धान्तनहींहै कि बन्धुलोग निपट लेनेकाप्रतिषेधकरदेवैं क्योंकि निपट प्रतिषेधका अधिकार केवल भर्ताकोही सधवास्त्री के निमित्तमें वसिष्ठ के वचनानुसार सूचितहै और उसीकेसिद्धान्तसे विधवाकोभी भर्ताकी ओरसे यह बन्धनहै किजो भर्ता अपने जीतेजी पत्नीको प्रतिषेधकरगयाहो कि मेरेपीछे दत्तकमतलेना तौ निस्सन्देह उसको लेनेकाअधिकार नहींहै-परन्तु जो भर्ता ऐसानिषेध आपनकरगयाहो तौफिर अनन्तरोक्तमार्ग सर्वश्रेष्ठहै-और-बन्धुओंकी ओरसे जो उन्हींके परतन्त्रहोने के हेतुसे निपट प्रतिषेधका कुछ आग्रहकियाजाय तौ वह केवल ऐसीदशामें सम्भव होसक्ता है कि जो भर्ता अपने बन्धुजनोंमें संसृष्ट रहतेमराहो क्योंकि जैसे संसृष्टी भर्ताका धनपानेमें पत्नीकोअधिकार नहींहै यह आगे वर्णनहोगा तैसेही संसृष्टी भर्ताकी पत्नीको दत्तकलेने का अधिकार भी उसी दशामें समुभाचाहिये जो भर्ता आज्ञा देगयाहो यद्वाभर्ताके आसन्नतर बंधुलोग मातापिताआदि आज्ञादेवें-पर इस्से विपरीत जो भर्ता असंसृष्टी होकरमराहो तौ कुछ बंधुलोगोंको निषेध करनेका अधिकार नहीं पायाजाता केवल योग्यायोग्यकी अपेक्षा अनुमति देनेका अधिकार सिद्ध है-दत्तक चंद्रिकाके निर्माताने-यह लिखाहै कि सधवा स्त्री भर्ताके उपस्थित होनेमेंउसी की अनुज्ञासे दत्तक लेसकैं या अपना पुत्र किसीको देसकेंगी और भर्ताके मरजाने या विदेशमें होनेकीदशापर अनुज्ञाविनाभी लेसकैं या देसकेंगी तथापि जो भर्तानेप्रतिषेध किया हो तौ फिर नहीं (तो) इस निर्माताका विचार यद्यपि निर्विकार है परन्तु विदेशमेंहोनेकी जो दशा इसने दर्शित करी तिनको साधारण प्रवासके भावार्थमेंनहीं

समुझनी किंतु जिसभर्ताका चिरप्रवास होकर पता न मालूमहो कि वह किस भूमि-  
भागमें उपस्थित है अर्थात् मृतप्रायसमुझा जासक्ता हो तिसकानियमसमुझना ॥  
( अथदत्तकौरसयोस्समवायेभागविशेषवाक्यानि ) तत्रवसिष्ठः-तस्मिंश्चेत्प्रतिगृहीते औरसउ-  
त्पद्येतचतुर्थभागभागीस्याद्दत्तकः-अर्थात्-तस्मिन्दत्तकेप्रतिगृहीतेयद्यौरसःउत्पद्येतत-  
दासदत्तकश्चतुर्थीशंलभतेनसमांशमित्यर्थः तदभावेतुसर्वहरोदत्तकएव- अत्रनंदपंडि-  
तोप्याह-अयमेवविधिःक्रीतादिपुत्रेष्वप्यनुसंधेयः-बौधायनस्तु- यदित्वौरसःपुत्रउत्पद्ये-  
ततुरीयभागीसभवति इत्याहस्मबौधायनः-अर्थात्-दत्तकपरिग्रहात्परतोयदाऔरसो-  
पिसंजायतेतदा सदत्तकश्चतुर्थमंशंलभते-वृद्धगौतमेनद्वयोःसमभागितापिनिरूपिता-  
यथा-दत्तपुत्रेयथाजातेकदाचित्त्वौरसोभवेत् । पितुर्वित्तस्यसर्वस्यभवेतांसमभागिनौ-  
यदत्रसमभागित्वमनंतरोक्ततुरीयभागनियमेनविरुद्धंतदपि यथाजातइतिविशेषणात्-  
दत्तकस्य गुणवत्त्वेऔरसस्यचनिर्गुणत्वेनविरुद्धम्-किञ्च यथागुणानांजातंसमूहोयस्मि-  
न्नितियथाजातोगुणसमूहवानित्यर्थः यथाशब्दस्यगुणयोगेसादृश्येसंशक्तत्वात्-अतएव-  
मनुः-उपपन्नोगुणैःसर्वैःपुत्रोयस्यतुदत्त्रिमः ।सहरेतैवतद्विकथंसंप्राप्तोप्यन्यगोत्रत इत्यौ-  
रसाभावेसर्वरिक्थग्रहणमुक्तवान् तद्युक्तमेवऔरसेसत्यर्द्धांशहरत्वम् ॥ इतिपूर्वोक्तनिय-  
मानामनुवादसमाप्तिः (अथक्रीतकपुत्रव्यवस्थासंक्षेपः) क्रीतपुत्रकी व्यवस्था यद्यपि ऊपर-  
लेदो परिच्छेदोंमें मिताक्षराके अनुसार वर्णन होचुकीहै परंतु यहांपर इसहेतुसे संक्षेप-  
करना आवश्यक ठहरा कि दत्तक मीमांसा आदिके आधुनिक ग्रंथकारोंने इसकी सं-  
दिग्ध निवृत्ति दर्शाईहै अर्थात् कहींतौ दत्तकद्वयामुष्यायण और कृत्रिमकेसिवायएका-  
दश पुत्रोंमेंसे किसीकीभी प्रतिनिधिता नहींमानी और किसीकिसी स्थलपर क्रीतादि-  
कोंकाभी स्वीकार कियाहै इससे इसकी संदिग्ध निवृत्ति पाईजातीहै कुछनिपट निवृत्ति-  
निश्चित नहींहोती और लोकमें ग्रहीतालोग यद्यपि इसभाँतिसे पुत्रोंका अद्यापिसंग्रह-  
करतेहैं पर कदाचित् जो इसभाँतिका व्यवहार राजद्वारोंतक पहुँचताहै तब ग्रहीताके-  
संबंधी लोग धनके हेतुसे इसपुत्रकी प्रतिनिधिता में संदिग्ध नियमोंकी सहायतासे-  
दृढ़ता नहींहोनेदेते(सो)इसवातमें संदिग्धताका परमहेतु एकयहीहै कि प्राचीन महर्षि-  
योंने बहुधा स्मृतियोंमें परिग्रह कालकी विधिकेवल दत्तक पुत्रकी अपेक्षासे दर्शाईथी-  
और क्रीत कृत्रिमादिकोंका पुत्रत्व उसीसंज्ञाके शब्दार्थमात्रसे प्रकाशित कियाथातथापि-  
टीकाकारोंने पीछेपीछे लोकयात्राका आशय देखभालकर इनपुत्रोंकेभी निमित्तमेंदत्तक-  
पुत्रके समान विधि दर्शातकरी ऐसेही किसी विरले मूलग्रंथमें भी यहवातप्रकटहोने-  
लगी तिस पीछे संग्रहग्रंथों ने इसवातका अतिशय नियम कल्पित किया तिनमें भी-  
कहींपर विधि और कहींपर प्रतिषेध पाया जानेसे अधिकतर संदेह खड़ेहुये-उन सं-  
देहोंकी द्विविधामें निर्मलता का ज्योरा आगे इसीपाठ के पिछले अंत उन वाक्यों का

प्रमाण देकर वर्णन होगा जिनके अनुमार इसपर संदेहपायेजाते हैं-इसलिये-ऐसे व्यवहारों की अपेक्षामें राजद्वारों के निकट इस अग्रोक्त न्यायपर योग्यता पाईजाती है कि जिन पुत्रोंकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी उनका क्रीतत्व या कृत्रिमत्व प्रकटकरै तिनके मध्ये भी वही प्रमाण अन्वेषण कियाजाय जो दत्तक पुत्रकी अपेक्षासे परिग्रह विधि का आवश्यक है इसीलिये पुत्र प्रतिनिधियों के ग्रहीताको भी यह संसूचित है कि यद्यपि उसने क्रीत या कृत्रिम मार्गसेही संग्रह कियाहो तो भी उसको दत्तक पुत्रके समान परिग्रह विधिकरना आवश्यकहै-अर्थात् जिसकिसी क्रीत पुत्र या कृत्रिम पुत्र की परिग्रह विधि दत्तक पुत्रके समानहुई हो तिनको दत्तक पुत्रकी गिनतीमें समुभ-नाचाहिये और जो जो प्रतिषेध दत्तक पुत्रकी अपेक्षामें प्रदर्शित हुये हों वे सबइनमें भी समुभनेचाहिये-आशय इसका यहहै कि क्रीतत्व की निंदा एकऐसी दशामें मानी जासक्तीहै कि जब किसी अज्ञात पुरुषके हाथसे अज्ञात लड़का घोड़ा बकरी आदि अन्य जीवोंके समान सबके प्रत्यक्ष मूल्य देकर मोल लियाजाय और सामान्य भाव अन्यदासादिकों के समान पालन कियाजाय कदाचित वही लड़का निज पुत्रत्व का दावाकरने लगे तौ निस्संदेह ऐसा क्रीत पुत्रत्वकी पदवी योग्य नहीं है-कदाचित्-शब्दोंकी उक्ति युक्तिसे यह आग्रह कियाजाय कि ( दद्यान्माता पितावायं ) इत्यादि वाक्यों के अनुसार दत्तक पुत्र माता पिताके देनेसे संप्राप्त होताहै तहाँपर यह उत्तर है कि क्रीत भी माता पिताकेही देनेसे संप्राप्त होताहै-यथाहयाज्ञवल्क्यः (क्रीतश्चताभ्यांविक्रीतः ) मनुसंपि ( क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थमातापित्रोर्यमन्तिकात् ) तौ इन वाक्योंके अनुसार कुछ दत्तक या क्रीतमें बहुत बड़ाभेदनहीं पायागया-और-यहवात जो प्रसिद्धहै कि मूल्यसे खरीदा हुआ पुत्रनहीं होता सो इस अपेक्षासे प्रसिद्धहै कि शायद किसी और के हाथसे खरीदा जाय और पीछे उसके माता पिता अयोग्य विक्रय प्रकट करै तौ क्रेता का स्वत्व उसमें प्रतिषिद्ध क्रय करने से नपहुँचैगा इसी-लिये मनु और योगीश्वर आदि महर्षियों ने यह नियम निश्चित कियाहै कि माता पितासेही क्रय करिके पुत्र बनावै-इसपरभी-महर्षियोंकी जो कोई जीभथोंभै कि संप्रति मूल्यसे क्रय किया हुआ पुत्रनहीं होता केवल दान मार्ग से दियाहुआ होसक्ताहै तौ फिर लोकमें आधुनिक प्रवृत्ति देखी चाहिये कि संप्रतिसौ में से पाँच दत्तक ठेठ दान मार्गसे और पंचानवे क्रीत मार्गसे सर्वत्र लियेजाते हैं और सब दत्तक एक समान सब्बे समुभे जातेहैं कोई भी उनको क्रीतनहीं कहसक्ता न उन पुत्रोंके ग्रहीता पिता पर कुछ ज्ञाति दंड आरोपित करसक्ताहै क्योंकि वे ग्रहीता लोग यद्यपि मूल्य देकर माता पितासे क्रय करते हैं परंतु उसके क्रीतत्व का लोकापवाद शांतकरने के निमित्त से प्रत्यक्ष भावमें जैसीविधि दत्तक पुत्रकी अपेक्षा वर्णन होचुकी सोसबकरतेहैं-अबजो

इसमें-यहतर्क आरोपित करीजाय कि ( यमद्भिःपुत्रमापदि ) इसवचनमें दत्तक पुत्रकी अपेक्षासे मनुने यहभाव दर्शित कियाहै कि जिस पुत्रको जलकेसाथ संकल्पित करके मातापितादेवें और ग्रहीता के आपत्कालमेंदेवें तौ वह दत्तक समुभाजाय क्योंकरये पंचानवेपुत्र दत्तक समुभे जातेहोंगे(सो) इसवचनमें ग्रहीताका आपत्काल केवल इसलिये दर्शायाहै कि जो ग्रहीताके औरस पुत्रहों तौफिर आपत्काल नहींहै ऐसीदशामें देनेसे वहदत्तक पुत्रपुत्रत्वकी पदवीको नहींपहुँच सकताहै क्योंकि उसके औरसपुत्र उपस्थित है इसलिये जब औरस पुत्र नहीं तौ फिर आपत्काल समुभाजाय और उसी आपत्काल में दत्तक दियाजाय ( और ) जलके साथ संकल्प केवल इसलिये दर्शित किया है कि सबके सन्मुख संकल्प करदेनेसे ग्रहीताका स्वत्वउसमें निश्चितहोगा और दाताकास्वत्व उसमें से निवृत्त होजायगा किंतु दाताको उस पुत्रके निवर्तित करलेने का दावा शेषनरहै सो यह ऐसासंकल्प मूल्यके लेलेने परभी कुछ असंगत नहीं है क्योंकि संकल्प से दूसरे का स्वत्व सावित करदेना एक प्रयोजन है जैसे धरतीमूल्य लेकर बेचीजायतौ भी जल और सुवर्णकेसाथ दानमार्ग सेही दीजाय यह नियम निश्चित होचुकाहै उसी प्रकार पुत्रभी बेचदेने की दशापरभी संकल्पद्वारा दियाजाता है अर्थात् ऐसी दशामें संकल्पभी एक लेख्यपत्रों का उपकल्पहै कि जैसे धरतीदान करनेपरभी दानपत्र लिख देनाहोगा और धरती बेचदेनेपरभी विक्रयपत्रकर देनाहोगा किन्तु दोनोंभांतिसे न्यायात्मक है-भला-पुत्रका तौ ऐसीदशामें क्रय और विक्रय भीशास्त्रोक्त निश्चित होचुकाहै इससे क्रीतके मार्गसेभीलेकर दत्तकपुत्रवनाना अनूचित नहींसमुभाजासक्ताहै-परन्तु-कन्याका विक्रयकरना या क्रयकरनाभीभार्यात्वके निमित्तसे जो शास्त्रमें सर्वथा निन्द्य और प्रतिषिद्धहै तिसकी अतिशयभावसे प्रवृत्ति देखी जातीहै कि नतौशुल्कदाता अपने ज्ञातियोंसे कुछ दंडपावै और न कोई शुल्क ग्राही अपने बंधुओंसे न वह कन्या अपने बोढाके भार्यात्व से व्यतिरिक्तसमुभीजाय जो सशुल्क व्याहीगईहो(सो) इसदशामें परम कारण एक यहीहै कि यद्यपि लाचारी अवसरमें शुल्क दियाजाताहै तथापि परिणयन-विधिब्राह्म विवाहकी रीतिसेहीहोती है-अब यहांपर यहवात कहनी संभव नहींहै कि जब कन्याके पितानेकन्याका शुल्क लिया तौ फिर संकल्पद्वारा उसकन्याका दानकरना निपट असंगत है क्योंकिसंकल्प आदि प्रकारोंका प्रचारनहीं करै तौ फिर सद्भावकन्याका विक्रय ठहरै और कन्याभी निज बोढाके भार्यात्वसे विहीन समुभी जाकर क्रीताभार्याकहलावै इसलिये संकल्प जो है सो कन्या में बोढाकाभार्यात्वरूपस्वत्व निरूपण करनेवाला मुख्यहेतुहै उसका त्यागनहीं होसक्ता (भ्रत्रपूर्वांकद्वैविध्यनमैल्यंतु) -यथाहश्रीनंदपंडितःयेनकेनापिप्रयत्नंनृत्रप्रतिनिधिः कार्यइतिसिद्धम् तत्रप्रयत्नसामान्यश्रुतावपिएकादशपुत्रश्रवणादकादशैव



वप्रयंता अभ्यनुजायन्ते तत्रापि (अनंक्रधाकृताः पुत्राः ऋषिभिर्यं पुरातनैः । नशक्यास्ते ऽधुनाकर्तुं शक्तिहीनतया नरे गिति वृहस्पतिस्मरणान्-दृन्नोंग्मेते रेषांतु पुत्रत्वेन परिग्रह इति च शौनकेन पुत्रांतरनिषेधात् दत्तौग्म्यावेवाभ्यनुजायते ) तत्र दत्तपदं कृत्रिमस्याप्युपलक्षणंकुतः ( औरमः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः स्युतः ) इति धर्मप्रस्तावेपराशरस्मरणात्-नचैवं क्षेत्रजोपि पुत्रः कर्त्तौग्म्यादिति वाच्यं किन्तु नियोगानिषेधेनैव तन्निषेधात् अथ तयोर्दत्तकृत्रिमयोर्मध्ये दत्तविधिरभिधीयते इत्येवमत्र कृत्रिमपुत्रस्य स्वीकारो व्यक्त एव कृतः श्रीनंदपंडितैः इत्यामुप्यायणस्य तु दत्तकायान्तर्भावः प्रसिद्ध एव-पुनस्त एवाहुर्नन्दाः गोत्रपक्षे ( स्वगोत्रेषु कृतायेस्युर्दत्तक्रीतादयः सुताः । विधिना गोत्रतांयांति नसापि ङ्यं विधीयते ) इति वृद्धगौतमीयवचनं प्रमाणं तेन स्वगोत्रेष्वपि पुत्रीकरणेन तस्य साहजिकतया विधानायोगः-अत्र वृद्धगौतमवचनेन क्रीतस्यापि स्वीकारः कृतः-नसापि ङ्यं विधीयते इत्यत्र सापि ङ्यपक्षे तु त एवाहुः ( दत्तक्रीतादिपुत्राणां वीजवस्तुः सपिंडता । पंचमीसप्तमीतद्वद्गोत्रतत्पालकस्य च ) इति वृहन्मानवंवचनं प्रमाणं-पुनरपि वसिष्ठोक्तपरिग्रहविधिमारभ्य दत्तकौरससमवायिभागविशेषावसाने त एवाहुः ( अयमेव विधिः क्रीतादिपुत्रेष्वप्यनुसंधेयः ) अत्रापि परिग्रहविधिकरणविभागदानानुज्ञया क्रीतादिपुत्राणां स्वीकारो दर्शितः-ग्रंथनियमसमाप्तावप्याहुस्त एववौधायनवचः ( अविधायविधानंयः परिगृह्णाति पुत्रकम् । विवाहविधिभाजंतं कुर्यान्न धनभाजनम् ) इति परिग्रहविधिं विना परिगृहीतस्य विवाहमात्रं कार्यं न धनदानमित्यर्थः किन्तु तत्पत्न्यादय एव धनभाजः विधिं विना तस्य पुत्रत्वानुत्पादात् अत एव वृद्धगौतमः ( स्वगोत्रेषु कृतायेस्युर्दत्तक्रीतादयः सुताः । विधिना गोत्रतांयांति नसापि ङ्यं विधीयते ) विधिनैव गोत्रतांयांतीति नियमः दानादिविधीनां दत्तकादिपुत्रलक्षणांतर्गतत्वेन स्वरूपनिर्वाहकत्वात्-यथोक्तं-यमद्भिः पुत्रमापदीत्यत्र अब्यहणंसकलदानविधेरुपलक्षणम् तेन च प्रतिग्रहविधिरप्याक्षिप्तो भवति संप्राप्तोप्यन्यगोत्रत इति मानवात् सम्याग्विधिना प्राप्त इत्यर्थः-अनंतरोक्त वृद्धगौतमीये ( क्रीतादयः ) इत्यादि शब्देन कृत्रिमापविद्धस्वयंदत्तानां ग्रहणंतु विधिनैव भवति-कुतः ( क्षेत्रजादीन्सुताने तानेकादशयथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ) इति मनुना ( यथोदितान् ) इत्यनेनैव तत्तल्लक्ष्यसूचितविधिविशिष्टानामेव पुत्रप्रतिनिधित्वाभिधानात्-अत एव-कृत्रिमलक्षणे सदृशंतु प्रकुर्याद्यमिति प्रशब्देनैव-अपविद्धलक्षणेयंपुत्रं परिगृह्णीयादिति परिशब्देनैव-स्वयंदत्तलक्षणे आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै इति दानापरपर्यायस्पर्शनशब्देनैव विधिपरिग्रह एव कृतः-तदभिप्रेत्यैव च-वसिष्ठेनापि तस्य दानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवत इत्युपक्रम्य परिग्रहविधिरभिहितः पुत्रं परिग्रहीष्यन्निति परिग्रहवचनेन च कृत्रिमस्वयंदत्तपरिग्रहेष्वप्येव विधिरनुसंधेयः मनुना तत्तदुपसर्गेण सूचनात्-अस्य फलमाहुस्त एव नन्दाः-तस्मादेषां पंचानां पुत्राणां दत्तक्रीतकृत्रिमापविद्धस्व-

यदत्तानां शौनकवसिष्ठान्यतमविधि परिग्रहेणैवपुत्रत्वंनान्यथेति-इतिपूर्वोक्तद्वौवध्यस  
 देहनिर्मलतायांमीमांसाग्रंथसंदर्भः—( अथास्यभाषोक्त्याफलप्रकाशः ) अर्थात्—इसपाठ  
 के संदर्भ से उन पण्डितने यह सिद्धान्त प्रकटकिया है कि दत्तक पुत्र के सिवाय  
 क्रीत, कृत्रिम, स्वयंदत्त, अपविद्ध ये भी चारोंपुत्रत्व की पदवी को पहुँच सके हैं  
 परउस दशामें कि जो दत्तकपुत्र के समान इनकी भी परिग्रह विधिकरी जाय क्यों-  
 कि विधिके हुये विना यहवात नहीं जानी जासक्ती है कि उसग्रहीता पिताने  
 इसको अपना पुत्र बनायाथा या नहीं किन्तु परिग्रह विधिके उद्धारकरने से जाति  
 बन्धुपंच परमेश्वर ग्रामाधीश राजद्वार तक सबको विदित होजाताहै कि उसने  
 अमुक लडकेको अपना पुत्र प्रतिनिधि कियाथा इसलिये उसका रिक्थभागी होना  
 न्यायात्मकहै परन्तु-जिसपुत्रकी परिग्रह विधि न उद्धार हुईहो चाहेठेठ दत्तकहो तौभी  
 निज ग्रहीताके पास रहनेमात्र से धनभागी न होसकै और ऐसी दशामें उसपुत्र के  
 उपस्थित होनेपरभी ग्रहीताकी पत्नी आदि अधिकारी जो आगे वर्णन होंगे वे सब  
 यथाक्रमसे ऋक्थी कियेजायँ-इन्हीं चारपुत्रोंमें दत्तकपुत्रका अतिदेश धर्मदृढ करनेके  
 निमित्तसे सबसे पहले शौनक और बृहस्पतिके दो वचनों अनुसार केवल दत्तकपुत्र  
 की विधि और निषेध जो कुछ आवश्यकथे दर्शाये और दत्तकपदको कृत्रिमके उप-  
 लक्षणमें लेकर क्रीत स्वयंदत्त अपविद्धोंमें भी कृत्रिम का उपलक्षण दर्शाया क्योंकि  
 जो चीज बनानेसे बनसकै सो सबकृत्रिम कहलातीहै-इत्यादि प्रकारोंसे उन पण्डितने  
 इनपुत्रोंकी निपटनिवृत्तिनहीं निश्चितकरी केवलविधिके अभावमेंनिवृत्ति निश्चितकरी  
 है और मेधातिथि पण्डितने भी निजग्रन्थमें यहीनियम निश्चित कियाहै तिनकाभी  
 प्रमाण नन्द पण्डितने प्रदर्शितकिया और दत्तक आदि पाँचों पुत्रोंका उद्देश व्यक्त-  
 भाव सेदेकर ऐसाकहाहै कि शौनक या वसिष्ठजीके कहेहुये विधानों मेंसे कोईएक  
 प्रकार इनपुत्रों के परिग्रह में अवश्य होना चाहिये-सोउस विधान के होनेमध्ये यह  
 भावार्थनहीं है कि पुत्रके परिग्रह कालमें तत्कालही ऐसा कियाजाय किन्तु ग्रहीताको  
 स्वातन्त्र्यहै कि चाहे तितने कालके पीछे विधिके उद्धारकरै और चाहे तितने काल  
 तकउसपुत्रको विधिके उद्धार कियेविना पासरखकर उसके गुण दोषोंकी परीक्षा करे  
 यह स्वातन्त्र्यभी वसिष्ठकेही वाक्यसे सुनिश्चितहै-यथार्थसे जिसपुत्रकी परिग्रहविधि  
 दत्तकके समान हुईहो तिसके फिर कुछ नामभेदकी आवश्यकता शेषनहीं किन्तुउम  
 को भी दत्तक समुभाचाहिये इसीलिये शौनकने एक दत्तकही की प्रधानता दर्शित  
 करीहै कि उसीके समान अन्य पुत्रोंकी भी विधि कर्तव्यहै-और बृहस्पतिके भी उ-  
 ध्वोक्त वचन का यह भावहै कि अबके समयमें परिग्रहविधिरूप शक्तिकी हीनता मे  
 मनुष्योंको वे पुत्रनहीं करने होंगे जो मनु और याज्ञवल्क्यादि प्राचीन महर्षियों ने

विना विधिकेही करने लिखे थे अर्थात् जिसको अब उन पुत्रोंमें से कोई पुत्र करना अंगीकारहो तिमको उसकी विधिभी कर्तव्यहै वम यही उनकी मन्सूखी का स्वरूप है कि नती विधि करने का अवसर बहुधा वनिआयेगा न उन पुत्रों की प्रतिनिधिता मानीजायगी ( इतिसन्देहनिगकरणम् ) यह सब नियम जो कुछ क्रीत पुत्रकी अपेक्षामें प्रदर्शित हुआ सो गृहस्थियों के निमित्त में समुभना किन्तु अन्याश्रमी गोस्वामी आदि गद्दीदारों के जो विशेष कर केवल एक इन्सी पुत्रकेहोने का प्रचारहै तिनके कुछ गृहस्थी के प्रकार से दत्तकों के सम तुल्य परिग्रह विधि नहीं होती किन्तु शिष्यों के प्रकारसे जैसी परिपाटी उनकी लोकमें प्रसिद्धहै तैसाही प्रचार कियाकरते हैं इसलिये उनमें कुछ क्रीत या दत्तक पुत्रके नामसे प्रसिद्धि उसकी नहींहोती पर यथार्थसे चर्चा उसका यहाँपर क्रीतकेही नामसे इसलिये दर्शित कियागया कि प्रायः ऐसे गद्दीदार लड़कोंका क्रयकरके शिष्य बनाते हैं और वेही शिष्य उनके पुत्रोंके समान पालेजाते और महांतके देहांत पीछे गद्दीदार कियेजातेहैं और उनके भी व्यवहार राजद्वारोंतक पहुंचतेहैं इसलिये उनकी प्रतिनिधिता आदि प्रयोजनों में उन्हीं की परिपाटी का निर्णय वा अन्वेषण करना योग्यहै कि जैसी परंपराचली आतीहो ( अथकृत्रिमपुत्रव्यवस्थासंक्षेपः ) यद्यपि इनदेशोंमें इसपुत्रकी प्रतिनिधिता मानीजानेका प्रचारसंप्रतिनहीं है और इसीहेतु से प्रायः ऐसा पुत्रबनाते पर समुद्यत कोई नहीं होता तौ भी विरले निरसंतानेलोगअपने धन धामके रक्षादिक हेतु समुभकर ऐसा पुत्रबनाते हैं-इस पुत्र केबनाने मध्ये कुछ माता पिताके समीपसे माँगने या क्रयकरने का प्रकार नियतनहीं है किन्तु योगीश्वरने यह कहाहै कि पुत्रार्थी पुरुष आपही जिसको पुत्र बनावै सो कृत्रिम कहलावै यथा(कृत्रिमःस्यात्स्वयंकृतः)विज्ञानेश्वरने भी इसका अर्थयह दर्शायाहै कि जिसलड़केको पुत्रार्थीपुरुष आपही धनधरतीआदि पदार्थोंकालोभदेकरपुत्र बनावै सो कृत्रिमहोता है यहीप्रकार मनुके वचनसे प्रतीतहै-यथा(सदृशंतुप्रकुर्याद्यंगुणदोषविचक्षणम् । पुत्रंपुत्रगुणैर्युक्तंसविज्ञेयश्चकृत्रिमः)अर्थात्-मनुने यहकहाहै कि(सदृश) अपनी समान जातिवाले जिसकिसीको प्रकर्षसहित पुत्रबनावै और वह इसभांतिका विचक्षण हो जो पिताकी शुश्रूषाआदि धर्मोंके गुणदोष जानताहोकि अमुकामुकआचरणोंके करने या न करनेसे पुण्यपाप होताहै तौ इसपुत्रको कृत्रिम समुभाचाहिये-आशय इसकायह कि जो ऐसा विवेक उसमेंनहो तौफिर कृत्रिमपुत्रकी गिनतीमें न समुभाचाहिये किन्तु एकदासके समान समुभाजाय-यद्यपि इन वचनोंसे यहबात निश्चित नहींहोती कि इसपुत्रके बनानेमें परिग्रह विधि करनीचाहिये यानहीं बल्कि यहआशय इनकाप्रत्यक्ष है कि विधिसेकुछ कामनहीं है तथापि जो इसीमनु के वचन में ( प्रकुर्यात् ) इस क्रियापदसे पहले जो ( प्र ) उपसर्ग आयाहै तिसके उत्कर्ष से

तीनवातें समुभीजाती हैं सर्वतोभाव १ ख्याति २ व्यवहार ३ अर्थात् जो ग्रहीता ऐसे पुत्र को सर्वथा इसभांति से विख्यात करिदेवै कि मैंने इसको पुत्र बनाया और पुत्रोंकेही तुल्य सांसारिक आचार व्यवहारोंका वर्त्तावा भी उसकेद्वारा आरंभकरदेवै अर्थात् पुत्रोंकेजो अधिकार हुआकरतेहैं सोउसको सौंपदेवै और गुणदोषोंका विवेकभी जैसा ऊपर कहागया सो उसपुत्रमें हो तौफिर निस्संदेह वह कृत्रिम पुत्रकी पदवीको पहुंचैगा अन्यथानहीं-जबकिमनुके इसवचनसे उसपुत्रका विख्यात करना निश्चितहुआ तौफिर निस्संदेहदत्तकपुत्रके समान उसकी विधिभी कर्तव्य ठहरी क्योंकि परिग्रह विधिकेहुये विना विख्यातिभी असंभव है( और ) यदि पुत्रोंकेही तुल्य वर्त्तावा निश्चितहुआ तौफिर पुत्रोंके संस्कार आदि जो कुछकर्म होतेहैं तिनका करना आपसे संसिद्धहै और लोकमेंभी जो विवेकी हैं सो ऐसाही प्रचार करतेहैं क्यों-कि संप्रति एक दत्तकपुत्रपर प्रधानता मानी गई है इसलिये ऐसा करनेसे यह भी दत्तक पुत्रकी गिनतीमें आजाता है-यद्यपि-किसीकिसी व्याख्याकार ने इसी मनुके वचनमें ( गुणदोषविचक्षणम् ) इसपदका आशय खेंचकर उस दशातक पहुँचाया है कि यह क्रीतक पुत्रभी पाँचवर्षोंकी अवस्थासे भीतर गोदलेना चाहिये अर्थात् गुण और दोषोंका समुभनेवाला कहनेसे अधिक अवस्थाका लड़कानहींसमुभना किन्तु पाँचही वर्षकेभीतरमें जो बालक चतुर प्रतीतहोताहो तिसकाभावसमुभना(सो)यह व्याख्या निपट वृथा और विपरीतहै क्योंकि प्रथमतौ अवस्थाका बंधन कुछ दत्तकमेंभी विशेष कर नियमात्मक नहीं-दूसरे यहप्रत्यय विरोध पायाजाताहै कि तीनचार वर्षोंके शिशु को धनधरती आदि पदार्थोंका ज्ञानभी उत्पन्न नहींहोताहै फिर लोभलालच क्योंकर कहसक्तेहैं-तीसरे यह पाँचवर्षोंके भीतरकी चतुराई जो विरलेशिशुमें प्रतीत होनेलगतीहै सोउस नियमसे अपेक्षित नहींहै कि पुण्यात्मक या पापात्मक गुणदोषोंका विचक्षण समुभाजाय अर्थात् इसभाँतिका विवेकही तीनचार वर्षोंके शिशुमें निपट असंगतहै इससेमनुने साफयही कहाहै कि ऐसालड़का अधिक अवस्थामें मिलसकेगा और यही बात निम्नोक्त मैथिल देशकी परिपाटीसे सुनिश्चितहै-( अत्रचमैथिलदेशविशेषः ) कृत्रिम पुत्रकी अपेक्षासे यहांतक जो जो नियम दर्शायेगये सो सब सामान्य देशोंका अपेक्षामें समुभने किन्तु मैथिलदेशमें प्रकारांतरसे वर्त्तावा इसकाहोताहै संप्रति मैथिलदेशमें विशेषकर इसीपुत्रका प्रचार प्रायःशेषहै और दत्तक पुत्रका प्रचार क्रमक्रममें जातारहा क्योंकि तत्रत्य प्रधान ग्रंथोंके अनुसार यद्यपि सधवास्त्रीको पतिकी आज्ञामें और ठठकर पुरुषोंको अधिकार है कि दत्तक मार्गसे गोदले परंतु उसमें अधिकतर कठिनाई होनेके हेतुमे उममार्गपर उपेक्षा और इसमार्गपर अपेक्षा ठहरी-तत्रत्यग्रंथकारोंने उममार्ग में यहाँतक सुगमता नियत करीहै कि नतो दत्तक पुत्रके समान इसमें

विधि या परिग्रहमें कुछ कामहें न उनवातोंके विचारमें कुछकामहें कि किसका लड़का कौनले सक्ताहै और न अवस्थाके विचारमें प्रयोजनहें न किमीकी अनुज्ञासे प्रयोजन है-केवल एकजातिकी तुल्यताहोनी आवश्यकहें और ग्राह्यग्राहक दोनोंके परस्परऐसा स्वीकार होना आवश्यक है कि ग्राहकके जीनेजी तक ग्राह्य उसका कृत्रिमपुत्र बनिके रहेगा-परंतु-इस सुगमतासे कियेहुये कृत्रिम पुत्रका संबंधभी ग्रहीताकी जीवन अवधि तकही रहताहै और ठेठ उसग्रहीताका पुत्रही समुभाजाना किंतु ग्रहीताके आता बाप दादा आदि संबंधियोंसे कुछ संबंध नतीं ऐसेपुत्रका न उसके पुत्रादिक संतानोंकाटहरताहै और इसीहेतुसे केवल उसीग्रहीताका धनपाताहै और उसीके श्राद्धआदि पिंड क्रियामें अधिकारीहुआ करताहै ग्रहीताके बंधुओंके धनपिंडमें अधिकार उसको नहीं कदाचित्-स्त्रीनेपतिके मरनेपीछे या जीनेजीभी कृत्रिमपुत्र कियाहोतो यहपुत्रउसीस्त्रीका स्त्रीधनपाताहै और क्रियाकर्मकरता है परउसस्त्रीके पतिके धन में अधिकार उसका नहींपहुँचता-इनवातोंके उपरान्त एकग्रह विशेषताहै कि तत्रत्यप्रधान ग्रन्थों से और प्रचरित परिपाटीसेभी यहीकृत्रिम पुत्रअनित्य द्वयामुप्यायणके अनुसार अपने जन्म दाताकेभी धनका भागपाताहै और उसीकेकुलमेंइसकेसबसम्बन्ध बन्धुवों से यथावत् बनेरहतेहैं और इसीहेतुसे ग्रहीताकेकुलमें इसकेसम्बन्ध किसीबन्धु मात्रसे नहीं माने जाते केवल ग्रहीताकापुत्र समुभाजाना और ग्रहीताकेमरने पीछे फिर अपनेही निज वंशमें मिलजाताहै॥ इतिकृत्रिमपुत्रव्यवस्थामूलम्॥ (अथ सामान्येनशेषपुत्राणांविनिर्णयः )

दत्तकआदि पाँचपुत्र जो मीमांसाके निर्माता ने स्वीकार कियेथे तिन में स्वयन्दत्त और अपविद्ध काभी प्रमाण ऊपर क्रीत पुत्रके प्रसङ्गमें आचुकाहै छठा औरस पुत्र सबसे मुख्यहै इसप्रकार छेपुत्रोंका स्वीकार होनेसे शेष छेपुत्रोंका अस्वीकार पाया गया-इसी आशयको समुभकर श्रीनन्द पण्डितने और भी ग्रन्थान्तर वाक्यदर्शित कियेहैं-तथाच(औरसःक्षेत्रजश्चैवदत्तःकृत्रिमएवच । गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्चभागार्हास्त नयाइमे॥कानीनश्चसहोदश्चक्रीतःपौनर्भवस्तथा । स्वयंदत्तश्चदासश्चषडिमेपुत्रपांसनाः॥ अभावेपूर्वपूर्वेषांपरान्समाभिषेचयेत् । पौनर्भवंस्वयंदत्तंदासंराज्येनयोजयेत् ) अर्थात्-पूर्व श्लोकमें गिनायेहुये छःप्रकार के पुत्र भागपाने योग्यहैं और दूसरे मेंके छःपुत्र निन्दित होतेहैं और तृतीय श्लोकसे मनुकेही तुल्य यहकहाहै कि इनवारह मेंसे पहिले पहिले के न होनेमें पिछले पिछलेको अभिषेककरै परन्तु पौनर्भव स्वयंदत्त दासीपुत्र इनतीनोंको राज्यनहींदेवे अर्थात् पहिलोंके अभावसे इनके अधिकार कालमेंभी राज्यका अधिकारी इन्हेंनकरै यह पूर्वोक्त क्रमकेमध्ये छूट दर्शाई-यद्यपि-इन श्लोकोंसे यहवात पाईगई कि यहनियम केवलराजाके निमित्तमें समुभाचाहिये जिसके कुलमें राज्यहो किन्तु साधारण गृहस्थी का यहनियम नहीं है-यद्वा-एकरीति

से राजा प्रजा सबहीका यहनियम समुभा जासक्ताहै कि साधारण कुटुम्बीभी निज अपने घरका राजाहोताहै-और-इसहेतुसेभी यह नियम सबहीका कहसक्ते हैं किये तीनों श्लोक तद्रूपमनुके वचनोंका उपकल्पहैं और मनुने राजा या प्रजाका कुछभेद नहींकिया सर्वसाधारण भावसे सबका एकनियम कहाहै तहाँपर मनुने इनतीन पुत्रों का अपवाद नहींकिया बल्कि पिछले छक्काके छे पुत्रोंमें यहभी तीनगिनतीहैं उसछके कोही बन्धुवोंका धनपानेमें निषेध कियाहै (पर) पिताका धनपाने मध्ये यथाक्रमसे बारह पुत्रोंको एकसी मर्यादा दर्शितकरीहै कि पहिलेके न होनेमें पिछला मालिकहो यथार्थसे यहतीनों श्लोक निज गँठावटसे असङ्गत हैं क्योंकि जबतीन पुत्रोंको राजगद्दीका निषेधकिया तौफिर यहआशय सिद्धहुआ कि शेषपुत्र कानीन सहोदज क्रीत इनतीनोंको राजगद्दीका अधिकारहै-भला क्रीतको इसलिये मानिसक्तेहैं कि वहपाँच पुत्रोंके स्वीकारमें दत्तकाही अनुकल्प मानागयाहै अथवा सहोदजकोभी इसहेतु से ठीकमानि सक्तेहैं कि जबगर्भिणी स्त्रीको व्याहिलाया तौ स्त्रीके साथमें उसगर्भसेभी फेरेवोढाके परेथे इस्से अब यहपुत्र उसका सच्चाहै-परन्तु कानीन पुत्रजो पहले अपने नानाके घर कारीमातासे पैदाहोचुकाथा ऐसीस्त्रीव्याहिलाने के हेतुसे वहसाथआया क्योंकर उसको राजगद्दीका अधिकार समुभाजाय और जो इसहेतुसे वहभी सच्चा मानाजाय कि जबजानि बूभिकर ऐसीभार्या व्याहिलाया तौफिर उसकेसाथ आपे कानीनमें क्यादोषहै बल्कि उस निपूतेको ऐसा पुत्रभी बड़ीवस्तुहै कि जिसने जानि बूभिकर ऐसीभार्या व्याहिलई तौभी यहदूषण खड़ाहोताहै कि जबइस भौंतिकापराय वीजसे पैदाहुआ पुत्र राजगद्दीकेयोग्य समुभागया तौफिर पौनर्भव जोपुनर्भूभार्यामें निज अपनेवीजसे उत्पन्नहुआ तिसकेलिये क्यों अपवादकिया बल्किपौनर्भवकानीनमें अतिउत्तमहै क्योंकि निजअपने वीजसे पैदाहुआ-इसके सिवाय यहदूषणप्रकट होता है कि पूर्वके श्लोकमें छेपुत्रोंको दायभागी कहकर द्वितीय श्लोकमें छेपुत्रोंको अरिक्त्त निश्चितकिया फिर उन्हींमेंसे तीनको राज्यका अनधिकारी कहकरशेषतीनि पुत्रोंके राज्यका अधिकारी ठहराया यहवात सबसे अधिक असङ्गत है कि आपही जिनके दायका निषेधकिया तिनको राज्यका अधिकारी कहा-इनकारणोंसे ये श्लोकही निरर्थक असङ्गत और बेपतेहैं बल्किमीमांसामें ऐसे वचन लिखनेभी न चाहियेथे किन्तुइन्हें पलटे मनुके वचन लिखने योग्यथे कि जिनका एकउपसर्गभी निरर्थक नहीं जात है (मधेपांन्यायविधिः) ऊर्ध्वोक्त वाद विवादका सारांश तोड़निचोड़ यहन्यायात्मक प गयाहै जिन पूर्वोक्त पाँचपुत्रोंके परिग्रहमें परिग्रह विधिकरना निश्चितहुआ तौ निपूता संसृष्टी पुत्रपभी निज बन्धुओंके समक्ष उसीविधिका उच्चार करिके करसक्ता है-बन्धुओंके समक्ष करनेका सिद्धांतयही है कि इसनिषेधके अधिकारों



संसृष्ट बन्धुजनही मुख्यहैं जोकुछ निषेधका आग्रहउन्हें करना होगातौ ऐसे समयपर वह आग्रह प्रकटकरंगे तौ निपटाग उमका होजायगा यद्वाऐसी विधिके होने समय आग्रह उनका प्रकट न हो तौ उसग्रहीताके मरजानेपरभी उन बन्धुओंकी संमति समु-  
भीजाय और उनपुत्रोंकी प्रतिनिधिता यथावन्धितरहै क्योंकि विधिद्वारा संग्रहकिये थे-इनकोसिवाय और बहुधा पुत्रजिनके स्वीकारमें परिग्रह विधिसे कुछ अपेक्षानहीं है क्योंकि उनमें पितामाता या केवलमाताके सम्बन्धमात्रसेही पुत्रत्व न्यायात्मक हुआ करताहै इससे औरस पुत्रोंकेसमान जातकर्म आदि संस्कारोंका करनाही परिग्रह वि-  
धिरूप उनमें चिह्न समुभाजासक्ता है और ( उन्हींकी निवृत्ति दर्शितहोनेसे प्रतिनि-  
धिता का त्याग निश्चितहुआ है ) तथापि उनमें निपट निवृत्ति नहीं समुभीजास-  
क्तीहै क्योंकि सर्वत्र देशकाल और वस्तुके अनुरूप व्यवहारोंकीसिद्धि संभवहोती है किन्तुउनमें विरलेपुत्र ऐसे हैं कि जिनके मुख्यस्वरूपका ज्ञानहोना दुर्घटहै जैसा एक गूढोत्पन्न इसमें सिवाय उसदशके कि जो पिता बहुत कालतक प्रवासीरहाहो और कोईचिह्न प्रत्यक्ष ऐसा नहींहै कि जिस्सेकोई किसीको गूढज कहसकै और इस पितृ-  
प्रवास दशका जो चर्चाकिया तिसमें गूढजनहीं किन्तु जारज कहते हैं गूढज केवल पिताकी उपस्थिति में कहलासक्ता है जिसका कोईचिह्न सम्प्रति इसहेतुसे असंभवहै कि यद्यपि गूढजदेखने में बहुधाआते हैं पर संज्ञामात्र गूढजनहीं कहीजासक्ती इससे इसनामका व्यवहारही खड़ाहोना निपट निर्मूलहै-और जो मनुने इसनामको पहिले छकामें पांचवेंपदपर गिनतीकिया बल्कि योगीश्वरने चौथेपद पर गिनतीरक्खा सो इस निमित्तसे कि जहां ऐसे पुत्रको निजपिताही गूढज कहकर विदितकरै तौ सजा-  
तीका बीजनिश्चित होनेपर चौथे पांचवेंपदकी दशामें निपूते पिताकापुत्र प्रतिनिधि कियाजाय परन्तु जोपिताने भिन्नजातीका बीज ऐसा कहकर जातकर्म आदि संस्का-  
रोंका अभावरखकर ऐसेपुत्रसे उपेक्षारूप त्यागभाव रक्खाहो तौफिर ऐसेपिताकारि-  
कथी न होसकै अर्थात् गूढजत्व का लक्षण केवल पिताकेप्रकाश कियेबिना बन्धुजन केकहनेमात्रसे संसिद्ध नहींहोता-क्षेत्रजका निपटहोनाही असंगतहै इसलिये उसका चर्चाभी आवश्यक यहांनहीं है तथापि जिसकिसी देशविशेष में या जाति विशेषमें उसका स्वीकार समुभाजाता हो तिसकेलिये जोकुछ भयाँदें पहले वर्णनहोचुकीं सो सबठीक हैं-दासीपुत्रका सर्वथा त्यागभावहै पर शूद्रजातिको छोड़कर-पौनर्भव सहो-  
दृज कानीन इनतीनोंका पिता जो अपने बन्धुओं में संसृष्ट न हो और इनपुत्रोंको औरस केही समान उसनेमाना हो और जातकर्म आदि संस्कार भी यथा संभवइन के करता रहाहो जिस्से पुत्रत्वके स्वीकारमें उपेक्षाभाव न समुभाजाय तौफिर निः-  
संदेह ऐसे असंसृष्टी पिताके पुत्र प्रतिनिधि अपने अवसर परहोसक्ते हैं (पर)पिताके

बन्धुओंका दाय किसी अवसरमें भी नहीं पासक्तेहैं-परन्तु जो पिता इनका निजबंधुओं में संसृष्टी हो तौफिर पौनर्भव अपनेपिताके मरनेपीछे उसके संसृष्टधनके भाग में से यथाधनके अनुसार भोजन वस्त्रादिक पानेका अधिकारी केवलहोगा और जो पिता अपनेजीतेजी कुछप्रसाद इव देचुकाहो सो इसभोजन वस्त्रादिकमें गिनती नहीं और पौनर्भव इसकेसिवाय अपने संसृष्टी पिताकाधन भागीन होसकैगा ( तथापि ) जो संसृष्टीबन्धु सबएकसे हीहों तौफिर पौनर्भवको भी पिताकाधन भागपानेमें अधिकार पूराहै दृष्टांत जहां दो या तीनभ्राता संसृष्टीहोनेपर दोनोंतीनोंही पुनर्भू पत्नीवान् हों तहांफिरपौनर्भव उनकेऔरसकेसमानपूरा अधिकारी हुआकरताहै यहलोकशास्त्र दोनोंसेसुसिद्धहै-शेषरहे सहोद और कानीनतिनके असंसृष्टी पिताका चर्चा ऊपर आचुकापर कदाचित् जो इनकापिता अपनेबंधुओंमें संसृष्टहो तौ फिर इसबातका निर्णय होनाचाहियेकि जबउसपिताने इनकीमातासे विवाहकिया तब ये बंधुलोग उसविवाह में साथी और सहायक उसके हुयेथे या नहीं कदाचित् उनका साथी और वराती होना निश्चित होजायतौ यह दोनों भांतिके पुत्रभी मंद औरसके समान समुभे जाकर मनु और योगीश्वरके बचना नुसार अपने अवसरमें निपूते संसृष्टी पिताका धन भाग उन बंधुओंसे लेसक्ते हैं क्योंकि मुख्यात्मक इनकी मातासे विवाह निश्चित हुआ और बंधुओंका साथी होना निश्चितहुआ(परंचबंधुओंका लावारिस दाय नहीं पासक्ते हैं क्योंकि मुख्य औरस नहीं हैं ) और यहवात संभवहै कि जो बंधुओं में संसृष्टी पिताने इसभांतिका विवाहकियाहोगा तौ निःसंदेह बंधुलोग उसके साथीहुये होंगे यद्वा विवाहके होते समयकदाचित् साथी उसके हुये या न हुयेहों पर उसपीछे वे संसृष्ट बंधु उसके खानपानमेंसाथी अबतकहैं या नहीं कदाचित् अबतकसाथीहों तौ उस विवाहमें भी साथी होना निश्चित है-इसके सिवाय जैसा पौनर्भवके वर्णनमें यह कहाथा कि जो (संसृष्टी बंधुसबएकसेहीहों) सो सर्वत्र समुभिलेना और इसके लिये यह आवश्यक नहींहै कि उन बंधुओंकेभी तद्रूपवही पुत्रहो किंतु बहुताइतमेंसेकिसी प्रकारकालांक्षन होना आवश्यकहै दृष्टांत जैसे दो संसृष्टी भ्राताओंमें-एकके पौनर्भव पुत्र और एककेकानीन या सहोदज हो (यद्वा) एकके सहोदज पुत्रहै और एकके पुनर्भू पत्नी विद्यमानहै और औरस पुत्र उसकेभी नहींहै-इत्यादि सर्वत्र देशकालऔर वस्तुके अनुरूप व्यवस्था संभवहोतीहै-वस्तुकी अनुरूपतामें कुछ लक्षण और भी समुभनेयोग्यहैं अर्थात् वस्तुकरके पुरुषमात्रका स्वरूपज्ञान किंतु उन्हींपूर्वोक्त पुत्रों तथा बांधव जानों का परस्पर योग्यायोग्य भाव उनके विद्यादिगुण संपन्न होने यद्वा सौशील्यादि शिष्टाचारों सम्पन्न होने या न होनेकाभी विवेककरना आवश्यकहै और इस भांतिके पुत्रोंमें इसबातकाभी निर्णयकरना विशेषतर आवश्यकहै कि उन्हां में

उस निपूतेपिताके उपस्थित रहकर क्रियभांतिमें शूद्रपुत्र और अनुजाआदि साधन करी या नहीं और किसभांतिमें प्रयत्नकरना या नहीं क्योंकि (स्वर्णापुत्रोऽप्यन्यायत्र तोनलभतैकेषाम्) यह गौतमजीका वाक्य भी सर्वत्र ऐसे व्यवहारोंपर अपेक्षित है (इतिवृत्तकादिपुत्रप्रकरणम्) विदित हो कि यहीदत्तक प्रकरण जो ३५४ पृष्ठमेंप्रारंभहोकर यहांतक एकही परिच्छेदके नामसे प्राहुआ निपट मिताक्षरासे भिन्न ग्रंथों का वर्णनहै कि जो ग्रंथप्रायः वर्त्तावे में प्रवर्त्तित हैं-यद्यपि इसका मुख्य प्रयोजन थोड़े से पृष्ठोंमें आसक्ताथा परंच जिनग्रन्थोंका संदेहदूर होना आवश्यकथा सो उसप्रकारसे असंभवथा इसीलिये विरले नियमोंको दोदोवार वर्णन कियागया किंतु परिच्छेदके प्रारंभ में सूधे सूधेमार्गसे वेही नियम जो सम्प्रति उनग्रंथोंकेअनुसार वर्त्तावेमें आते हैं तद्रूप दर्शायेगये जिसे द्रष्टालोगोंको सुगमतावनी रहे (और) पीछेउन्हींनियमोंमें जिस किसी विरले नियमकी आशंका शान्तकरनी योग्यथी तिसका निर्णय जिज्ञासु लोगोंके हितके लिये खंडन मंडनके प्रकारसे लिखनापरा इसीसेविस्तार हुआ-यद्यपि इसकी जुदी जुदी बातोंके कई परिच्छेद होनेयोग्यथे सोउसदशामें कि जोइसकाग्रंथ एकजुदारकखाजाता-और यहांपर मर्यादा परिपाटीमें मिश्रित होजानेसे यहसिद्धि है कि इससे पहले दो परिच्छेद जो मिताक्षराके अनुसार वर्णनहुये तिनकेसाथ इसका अवलोकन करनेसे दोनोंका अंतर जिज्ञासुलोगोंको प्रत्यक्षहोजायगा ॥

अत्रचदायविभागापेक्षायामपुत्रस्यस्वर्यातस्यधनविभागोनाम

षट्पञ्चाशत्तमःपरिच्छेदः ५६ ॥

इसछप्पन संख्याके परिच्छेदमें निपट निपूते मरेधनीका धनभाग प्रतिनिधिताके अनुसार जानाजायगा कि ऐसेधनीके मरनेपीछे कौनकौन किसक्रमसे रिक्थी होताहै

पत्नीदुहितरश्चैवपितरौभ्रातरस्तथा । तत्सुतागोत्रजावन्धुःशिष्यःसब्रह्मचारिकः ॥ १३९ ॥

एषामभावेपूर्वस्यधनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्यह्यपुत्रस्यसर्ववर्णेष्वयंविधिः ॥ १४० ॥

अक्ष०सहद्वयोः—भार्या १ बेटियां २ मातापिता ३ भैया ४ भतीजे ५ गोत्रजलोग ६ बंधुलोग ७ शिष्य ८ सब्रह्मचारिक ९—निपूते स्वर्यातूका धनभागीइनमें पूर्वकेअभावमें उत्तर उत्तरहोवै यहविधि सभीवर्णोंमें जानो १३९ । १४० ॥

अभि०—सहद्वयोः इसीऊपरले इलोकमें भार्या आदिनौ अधिकारी जैसे क्रमसेनियत हुयेहैं तैसेही पूर्व अधिकारीके अभावमें उरसे अगलाअगला अधिकारी निपटनिपूते मरेहुयेका सर्वधनहरताहै सोयह मर्यादा सभीवर्णोंमें समुझनी अर्थात् ब्राह्मणआदि चारोंवर्णोंमें और मूर्द्धावसिक्त आदि वर्णसंकर अनुलोम जातोंमें और सूत वैदेहिक आदि वर्णसंकर प्रतिलोम जातोंमें कि जिनकी उत्पत्ति आचाराध्यायके चौथेप्रकरण में प्रदर्शित होचुकी है तिनसभीमें यहविधि प्रवर्त्तित है और निपट निपूता उसीको

समुझना जिसके औरसपुत्रों वा पौत्रों के न होनेपर अनुलोमज बेटेभी नहीं और उनकेबाद दशग्यारह भांति के पुत्र प्रतिनिधि बेटेभी नहीं जिनकान्याय सब ऊपरले तीनपरिच्छेदोंमें होचुकाहै १३६ । १४० ॥ अब अधिकोक्तिमें इनप्रत्येक अधिकारियों को जुदीजुदी व्यवस्था यथाक्रमसे निर्णयपूर्वक दर्शाई जायगी १३६ । १४० ॥

अधि०—सहद्वयोः निपटनिपूतेस्वर्यातु का सर्वधन हरनेको सबसेपहले उसकी पत्नी-ही अधिकारिणी होतीहै अर्थात्पत्नीकेहोतेहुये उत्तरवर्ती आठ अधिकारी चाहे सबके सभी उपस्थितहों कोई भीधनको नहींपाताहै परंतु वही पत्नी जो विवाहिताहो सोसब धनकी मालिक होती है किन्तु अविवाहिता भार्या केवल भोजन वस्त्र पावैगी और धनका मालिक उत्तरवर्ती अधिकारीहोगा-जिसपुरुषके विवाहिता और धृताभी दोनों भाँतिकी भार्याहों तिसके भी धृता केवल भोजन वस्त्र धनके अनुसार पावैगी और विवाहिता धनकी मालिकहोगी-यथाहसदाशिवः ( औद्वाहिके पिसंबंधेब्राह्मीभार्यावरी यसी।अपुत्रस्यहरेदृक्थंपत्युर्देहार्द्धहारिणी ) अर्थात्-ब्रैवाहिक संबंधमें भी ब्राह्मी भार्या किन्तु विवाहितापत्नी श्रेष्ठहोती और वहीपतिका आधाअङ्ग हरनेवाली किन्तुयज्ञादि कर्मोंमें गँठिवंधन पूर्वक साथ बैठने वाली प्रसिद्धहै इसलिये निपूते पतिका धन वही भार्याहरै और धृताआदि जो भार्याहों सो सब उस्से आजीवनमात्र पावें जिसपुरुषके विवाहिताही अनेक भार्याहों तौ फिर सभी मिलकर समभाग बाँटिलेवें-यथाह सदा शिवः ( वक्त्रयश्चेद्वनितस्तस्यस्वर्यातुर्द्धर्मतत्पराः । भजेरन्स्वामिनोवित्तंसमांशेनशुचि स्मिते ) अर्थात्-हे पार्वति जिस मरेहुये के बहुतसी स्त्रियां हों तौ जोजो अपने धर्म पर आरूढ़हों सो सबस्त्रियां अपने स्वामीके धनको सम अंशोंसे संसृष्ट रहिकर भाँगे या भिन्नात्मक बाँटिलेवें और जो कोई अपने धर्मको छोड़िकर व्यभिचारिणी हुई हों सो केवल आजीवनमात्र पावें-यथा ( शंकितव्यभिचारापि नपत्युर्दायभागिनी । लभ तेजीवनमात्रंभर्तुर्विभवहारिणः ) अर्थात्-व्यभिचारसे शंकितहुई पतिकादाय नहीं पाती किन्तु भर्ताका ऐश्वर्य हरने वालेसे जीवनमात्र पावैहै-अन्यत्र ( मृतेपत्योस्वधर्म एपतिबंधुवशेस्थिता । तदभावेपितृबंधोस्तिष्ठंतीदायमर्हति ) अर्थात्-पतिके मरने पर उसीके बांधव जनोंके वशमें रहती हुई या उसके बांधव न होनेमें निज पिताके बांधवोंमें रहती हुई दाय पाने योग्यहोती है-विवाहिता पत्नियों को समान भाग जो ऊपर कहागया सो सवर्णामात्रमें समुझना किन्तु जहां विवाहिताभी सवर्णा असवर्णा दो भाँतिकी हों तहां उस रीतिका विभाग होताहै जैसा ५० केपरिच्छेदमें १२८वाले मूल श्लोकसे सजाती और विजाती पत्नियोंके उत्पन्न हुये पुत्रोंका विभाग वर्णन हो चुकाहै कि पूरा और पौना और अर्द्धा और पौआ भागजाति क्रमसे पावें-परंतु-यह सब नियम यद्यपि न्यायात्मक हैं और अन्य सामान्य धन चर स्थावर दोनों भाँति

के इन्हीं नियमोंमें वँटसक्ते हैं तथापि जो कुछ राज्यका प्रकारहो तो उस राज्यका वि-  
भाग नहींहोताहै अर्थात् मन्वमेवर्द्धा पत्नी जो गुणसे या जातिके अधिकारसे या जेठाई  
सेही जेठी और प्रधान समुझीजातीहो सो उस राज्यकी मालिक होकर अन्य पत्नि-  
योंका पालन पोषण उसी राज्यके अनुरूप करती रहेगी और जब कदाचित् वही पत्नी  
मरजावै तब द्वितीया उसकी प्रतिनिधि होकर शेष पत्नियोंका पालन उसी प्रकार  
उनके समअंशों के अनुरूप करतीरहे और उसकेभी मरजानेपर तृतीया प्रतिनिधि  
होवै इत्यादि पत्नियोंकी बहुताइत में जबतक एकभीपत्नी कोई जीतीरहे तबतकभर्ता  
के सपिंड बंधुओंका स्वत्व किसीधनमें नहींपहुँचताहै ( यहां पत्नियोंकी बहुताइतमें चर  
स्थावर दोनोंभाँतिका धनविभक्तहोसकनेके न्यायपरभी राज्यकेप्रकारमें विशेषताप्रकट  
होनेका यहभावहै कि) जहांकहीं थोड़ेसे स्थावरधन ऐसेहों जिनसे कोई अधिकलाभ  
संभवनहीं तबतो राज्यके प्रकारमें गिनतीनहीं होसके और वँटसक्तेहैं परंतु जबउस  
भाँतिके स्थावर धनोंकी बहुताइतहो जिनसे संततलाभ होतेहैं तो यहस्थावर निस्सं-  
देह राज्यके प्रकारोंमें गिनती और अविभाज्य ऐसीपत्नियोंकी अपेक्षासे न्यायात्मक  
है-और जो विवाहिता पत्नीभर्ताकी सवर्णा या विवर्णा केवल एकहोतौ सबधनकी मा-  
लिकहोगी-परंच-ऐसे धनमेंसे निज आत्मपोषण आदि और भर्ताके भृत्यादि वर्गोंका  
यथोचित पोषण आदि और गृहस्थीके धर्मार्थ साधन कर्मोंका आवश्यक व्ययकरने  
के सिवाय किसीस्थावर धनकादान या विक्रय करनेकी अधिकारिणी नहीं होतीहै—  
यथाहसदाशिवः (पतिपुत्रविहीनातुसंप्राप्यस्वामिनोधनम् । नैवदातुंनविक्रेतुंसमर्थास्व  
धनंविना) अर्थात्-पति और पुत्रसेभी रहितस्त्री अपने स्वामीकाधन पाइकर नतौदान  
करदेनेको समर्थहै न विक्रय करडालनेको (सो) यह नियम निज अपनेधनको छोड़कर  
समुझना किन्तु अपने स्त्रीधनको दान और विक्रयभी करसक्तीहै (स्त्रीधनका लक्षण  
आगे स्त्रीधनके परिच्छेदमें प्रदर्शितहोगा)स्त्रीको जिनबातोंमें व्ययकर सकनेका अ-  
धिकारहै कदाचित् उन्हींकामोंकी आवश्यकतासे किंचिन्मात्र स्थावरका वियोगविक्रय  
करनापरतौयहनिषेधकेअपवादमेंसमुझना-अब-यहाँपरस्मृत्यंतरवाक्यइसहेतुसेदर्शा  
ये जाते हैं कि बहुधा लोग इसबातपर आग्रह खड़ाकरते हैं कि पत्नीको धन हरनेका  
अधिकार नहीं है सो यह आशंका दूरहोजाय-वृद्धमनुकेवाक्यसेभी पत्नीको सब धनका  
अधिकार सिद्धहै-यथा (अपुत्राशयनंभर्तुःपालयन्तीव्रतेस्थिता । पत्न्येवदद्यात्तर्पिण्डं  
कृत्स्नमंशलभेतच ) अर्थात्-अपुत्रा भार्या जो एकहै वह पतिकी शय्या पालन करती  
हुई और अपने योग्य व्रतसे रहतीहुई ऐसी पत्नीही पतिको पिंडदेवै और सबधन की  
मालिक होवै-बृहद्विष्णुनेभी यही दर्शायाहै-यथा (अपुत्रधनंपत्न्यभिगामितदभावे  
दुहितृगामितदभावेपितृगामितदभावेमातृगामि ) अर्थात्-निपूतेका धन पत्नी में

जावै उसके न होनेसे बेंटीमें जावै उसके न होनेपर पितामें जावै उसके न होनेपर माता में जावै-कात्यायन काभी यही तात्पर्य है-यथा (पत्नीपत्युर्द्धनहरायास्यादव्यभिचारिणी । तदभावेतुदुहितायद्यनूढाभवेत्तदा ) अर्थात्-पत्नी जो व्यभिचारिणी नहीं हो तौ पतिका धन हरै पत्नीके अभावमें वह बेटी हरै जो कुमारी हो-तथैव (अपुत्रस्यार्य कुलजापत्नीदुहितरोपिवा । तदभावेपितामाताभ्रातापुत्राश्चकीर्तिताः ) अर्थात्-निपूतेकी पत्नी जो अच्छेकुलकी पैदाहो सो धनपावै या उसके न होनेमें बेटियां पावें उनकेभी न होनेमें पिता माताही अधिकारी हैं उनकेभी न होनेमें भैया और भैयाके न होने में भतीजे भागी कहे हैं यहभी कात्यायनका वचनहै-वहस्पति काभी सिद्धांत यही है यथा (कुल्येषुविद्यमानेषुपितृभ्रातृसनाभिषु । असुतस्यप्रमीतस्यपत्नीतद्भागहारिणी ) अर्थात्-कुलके लोगोंके विद्यमान होतेहुये और पिता या भाई तथा सजातियोंके होते हुये भार्याहीनिपूते मरे भर्ताका भाग हरनेवालीहै-इसप्रकार योगीश्वरआदि ऋषात् आचार्योंके संमतसे पत्नीही धनभाक् पहले ठहरी और यही संमत ठीकहै परन्तु दो चार वाक्य औरभी इस वंशवस्थासे विरुद्ध देख परते हैं-यद्यपि उन वाक्योंसे प्रयोजन यहां कुछभी नहीं तौभी सिर्फ इसहेतुसे कि बहुधा भगड़ालू लोग बिरले अवसर में उन्हीं वचनोंको लेकर पेशकरते हैं इसलिये उनके खंडन मंडनके प्रकारसे एक व्यवस्था नियत हुई है पर लिखना उसका यहांसे इसलिये छोड़े देते हैं कि बहुधा उसमें वाद विवादके मार्गसे विस्तारहै और उसके लिखे जानेसे बहुधा मुख्य प्रयोजनकी घातें ऐसी दूर जापरतीं जो द्रष्टाओंको ढूँढ़नी दुर्घट होजातीं इससे इस अधिकोक्तिके परे होजाने पीछे(शेषपाठ)में प्रदर्शित करीजायगी-यहांपर आवश्यक बातें दर्शित करते हैं कि अबतक पत्नीका अधिकार जोकुछ वर्णन हुआ सो सामान्य मर्यादा है-क्योंकि आगे १४२वाले मूलश्लोकसे ५८ संख्याके परिच्छेदमें इसमर्यादाका अपवादवर्णन होगा उसका यहसिद्धांतहै कि पत्नी आदि नौ अधिकारी जोधनपाने के सुनिश्चितहुये वे उसधनीका धनभाग न पावेंगे जो अपने निजबंधुओंमें संसृष्ट रहते मराहो-इसमें अब यहवातभी सुनिश्चितहुई कि पत्नी केवल उसी भर्ताकाधन पावैगी जो अपने निजबंधुओंसे जुदाहोकर मराहो किंतु संसृष्टी भर्ताके धनमेंसे उन्हींबंधुओंसे आर्जावनमात्र पावैगी जो उसधनके अधिकारी निश्चित होंगे ( यहांपर निजबंधु कहनेमें केवल पिता या भ्राता और पितृव्योंके सिवाय कोई और बंधुनहीं समुझना ) (यह अपवादभी यद्यपि सर्वसामान्य देशोंकी अपेक्षापर आरूढ़है-तथापि केवल बांगदेश को छोड़कर सार्वदेशी नियम समुझना अर्थात् बंगालमें इस अपवादसे अपेक्षानहीं क्योंकि तत्रत्य प्रधान ग्रंथोंके संमतसे और लोक परिपाटीसेभी पत्नीका अधिकार दोनोंदशामें सुनिश्चितहै किन्तु भर्ताचाहे निजबंधुओंमें संसृष्ट रहते मराहोचाहे अर्थात्



सृष्टीहोकर मराने पत्नीदोनों दशामें धनपानी हैं तथैव पत्नीके नहोने या धन पाइकर मरजाने पीछे वे पुत्रियाँ प्रतिलिधि होतहैं जिनको उसी देशकी परिपाटीसे ऐसा धन पहुँचनेका अधिकार निश्चितहो ) ( ऊर्ध्वोक्त सार्वदेशी अपवाद के उपरान्त दक्षिण देशोंमें तत्रत्य प्रधान ग्रंथ स्मृतिचंद्रिकाके अनुसार इनकी और विशेषता पाईजाती है कि जो पत्नी निपट निस्संतानी हो अर्थात् जिसके पुत्रियाँ भी नहीं तो वह पत्नी अपने असंसृष्टी पतिके जंगम धनका सर्वस्वपात्रे और स्थावर का अधिकार उसको नहींहै परंतु जो पत्नीके पुत्रियाँ हों तो वह अपने असंसृष्टी भर्ताका स्थावर जंगम दोनों भाँतिका धन पात्रे-और जो कदाचित् ऐसी दोनों भाँतिकी पत्नियाँ हों तो इसदशामें पुत्रीवाली पत्नियाँ कुल्ल स्थावर धनकी मानिकहों और जंगम धन परस्पर सभी दोनों भाँतिकी पत्नियोंको समभागहोकर मिलें) वीर मित्रोदयने इसी विशेषता पर स्मृतिचंद्रिकाकारके अनुमतकाखंडनबड़ी उत्तमरीतिसे लिखाहै और मदनरत्नाकरनेनिपट उसको निर्मूल कहकर बहुतसा निरादर कियाहै इततर्कणासे कि वह व्यवस्थास्मृतिचंद्रिकाकारने बृहस्पति और प्रजापतिके दोवचनोंके विरोधसे बनाईहै बृहस्पतिका वह वचन किसी मिताक्षरा आदि बृहग्रंथमें नहीं लिखागया और प्रजापतिका वहवचन सब ग्रंथोंमें स्वीकारहुआहै कि जिसके अनुसार पत्नीको स्थावर जंगम दोनोंभाँतिका धन मिलना निश्चित हुआ है-परन्तु-इनसबके सन्मुख एकवात परदृष्टिकरनी आवश्यकहै कि उनदेशोंकी प्रवर्तित परिपाटी देखी चाहिये जिनमें स्मृतिचंद्रिका का स्वीकार समुभाजाताहो(ऊर्ध्वोक्त संसृष्टधनका अपवाद जो पत्नीआदि अधिकारियोंकी अपेक्षा लेकर चर्चा कियागया तिसके मध्ये यहन्यायभी सर्वत्र संभवहोसक्ता है कि जबधनी अपने बन्धुओंमें संसृष्ट धन छोड़कर ऐसीदशामें मरगया होकि जो कुछकालतक वह और जीतारहता तो निस्संदेह धनके भिन्नात्मक भागहोजातेक्योंकि संसृष्ट बन्धुओंके परस्पर ऐसा करनेका विरोध और उपाय संभवहोचुकाथा तो इसदशामें संसृष्टधन भी असंसृष्ट पदवीको पहुँचा समुभाजासक्ता है ) (स्त्रियोंको स्थावरका वियोग या विनियोग या निरर्थक व्ययकरने आदि निषेध जो शिवजीके वाक्यसे प्रदर्शित हुयेथे तिनकीभी विशेष व्याख्या उनके अधिकारों की अपेक्षामें अधिकोक्तिके पीछे ( शेषपाठ )में प्रदर्शित होगी-ऊर्ध्वोक्त मर्यादोंके अनुसार पत्नीको पतिका रिक्थ मिलजाने पीछेभी वेही पुरुष उसपत्नीके और धनकेभी शरण्य रक्षक नियतहोते हैं कि जिनमें धन संसृष्टथा यद्वा जिन बन्धुओंको उसधनके प्राप्तहोनेका अधिकार यथाक्रमसे कभीआगेको पहुँचताहो-यथाहनारदः ( मृतेभर्तर्यपुत्रायाःपति पक्षःप्रभुःस्त्रियाः । विनियोगेषुरक्षासुभरणेषुसईश्वरः ॥ परिक्षीणेपतिकुलेनिर्मनुष्येनिराश्रये । तत्सपिंडेषुचासत्सुपितृपक्षःप्रभुःस्त्रियाः ) अर्थात्-भर्ताके मरजानेमें निपूती स्त्रीके

पतिपक्षी जो आसन्नतर शरण्य समुभेजातेहों वे सबयथा अवसरके अनुसार उसके प्रभुहोतेहैं और वेहीउसके कर्त्तव्यकार्य विनियोगोंमें तथैव रक्षाओंमें और भरणपोषणकी आवश्यकताओं में भी अधिकारी हुआ करतेहैं परन्तु जो पतिकाकुल ऐसा परिक्षीण होजाय जिसमें कोई भी मनुष्य आश्रयभूत ऐसा न हो जिसके आधारसे रहसक्तीथी बल्कि उसकुलके कोई सपिंडभी जब नहीं तौफिर स्त्रीके पितृपक्षीलोग प्रभुहोतेहैं और वेभी पतिपक्षियोंके समान विनियोगादिक सब कामोंमें अधिकारीहुआ करते हैं-कदाचित् पितृगोत्र भी निराश्रय होजाय तौफिर मातृपक्षीलोग जो नानाके आसन्नतर सपिंडोंमें शरण्य समुभेजाते हों वेभी यथा अवसरके अनुसार प्रभुहोकर उन्हीं कामों के अधिकारी हुआकरते हैं किजैसा चर्चा ऊपरहोचुका-कदाचित्-कोई बन्धु उन्हींप्रभुओंमेंसे ऐसीस्त्रीका धन हरनेकी अपेक्षा पीड़ादेताहो तबराजा रक्षकहोताहैयथाहप्रजापतिः(सपिंडावांधवायेतुतस्याःस्युःपरिपन्थिनः।हिंस्युर्धनानितान् राजा चौरदंडेनशासयेत्)अर्थात्-ऐसीस्त्रीके परिपन्थी होकर जे कोई सपिण्डया बंधुलोग उसके धनछीनें तिनकोराजा चोरोंकेसमान दंडदेकर शिक्षाकरै(परिपन्थी-शत्रु या कुमार्गी) किन्तु जिसकाकोई रक्षकनहीं बनिसक्ता तिसकाराजा रक्षकहोता है-यथाहसदाशिवः (नकोपिरक्षितायस्यदीनस्यापद्गतस्यच। तस्यैव नृपतिःपातायतोभूपःप्रजाप्रभुः)अर्थात्-जिस किसी विपत्तिमें फँसेहुये दीनदुखियाका कोईभी रक्षा करनेवालानहीं ठहरता तिसकाराजाही रक्षा करनेवाला है इसहेतुसे कि राजा जगतीपाल संपूर्ण प्रजामात्र का रक्षक प्रभुहोताहै-किंतु राजाउन प्रभुओंपर भी सबका प्रभुहोताहैकि जिनका चर्चा ऊपरहोचुका और इसका केवल यहसिद्धांत नहींहै किजब निपट अधिकारी लोग छीनतेहों तभी राजा रक्षाकरै किंतु राजा प्रथमसेभी ऐसेधनोंकी रक्षाविधि करने या उन प्रभुओंसे करवानेमें सदाही अधिकारीहै कि जिसकेद्वारा रक्षाहोती समुभे उसीको अधिकारी उन्हींलोगोंमेंसे नियतकरै (जैसा यह स्त्रियोंके प्रसंगमें धनरक्षाका विधान राजाके आधीन सविकल्प निश्चितहुआ तैसाउन अप्राप्त व्यवहारों के भी निमित्तमें सविकल्प निर्विकल्प दोनोंभांति यथा अवसरके अनुकूल जहांधनमें हानि होजाना संभवहो जगतीपालोंके आधीनहुआ करताहै जो स्वतंत्र अपने धनकीरक्षा और परिग्रह योग्यनहींहोते यहइतना प्रामांगिक चर्चाजानो और इसचर्चाका यथार्थ व्यौरा नीचे दुहिताके अधिकारमें देखो ) यहांतक पत्नीका अधिकार जोकुछ वर्णन हुआ सो मृतभक्तिकेही नामसे प्रदर्शित हुआहै तथापि उसकामरणा कहनेमात्रमें विदेशमें जाकर खोयाजाना आदि और घर छोड़कर परिव्राजक होजाना आदि या महापराधों केहेतुमें ग्बत्व रहितहोजाना आदि और भी दशायें ममभक्त्येनी जिनमें धनका प्रतिनिधि पुत्रादिकवंश उमकेपीछे होसक्ताथा (इतिपत्न्यधिकारविचारः) पत्नी

के अभाव में दुहिताओंका अधिकार होताहै अर्थात् निपट निपूते मरेहुये पुरुषके जो पत्नी भी न हो तो फिर पुत्रियां धनको पातीहैं अथवा पत्नी के होने पर भी मरेहुये भर्ता का धन पत्नीनेपाया और जीवन अवधिताई भोगिकर मरगई हो तो उसपत्नी के भोग से जो कुछ बचाहो सो धन पिताकी पुत्रियों का होता है-पिताकी पुत्रियां कहनेका यह भाव है कि केवल उर्मा पत्नी की पुत्रियां नहीं मालिक होसकीं किंतु पिताके सवर्णा और विवर्णा आदि कईपत्नी जो मरचुकी हो तिनकीभी पुत्रियां निज निज जातिके समानअंश १२८ वाले मूलश्लोककी मर्यादाके अनुसारपावेंगी- एवंचसदाशिवः(विभजेयुर्दुहितरःपुत्राभावेपितुर्वसु । उद्वाहयंत्योऽनूदांतुपितुःसाधारणै र्जनैः) अर्थात्-सदाशिवजी कहतेहैं कि पुत्राकेअभावमें पुत्रियां सभीमिलकर पिताका धनवांटिलेवें परन्तुपहलेमाधारण धनमेंसेकुमारी बहिनोंका विवाहकरिलेवें या विवाहों योग्यधन उन बहिनोंको निकालकर देलेवें तिस पीछेभागकरें और उन बहिनोंको भी अंशदेवें-परन्तु-पुत्रियोंकी बहुताइतमें से जबतक एकपत्नीभी जीतीरहकरभर्ता के धनपर अपना भोग परिग्रह रखतीहो तबतक पुत्रियोंको अधिकार नहींपहुंचेगा क्योंकि दुहिताका अधिकार निपटपत्नीके अभावमें कहचुकेहैं (और) पत्नीके अभावमें भी ऐसी दशाको छोड़कर कि जो पुत्रियों के आता पैदा होजाय अर्थात् यदि भर्ता अपनी पत्नीकोसगर्भा छोड़कर मरगयाहो जिसकागर्भ तबतक समुभा नहींजासका था और पत्नीभी निजभर्ताकेधनपर कब्जापानेपीछे पुत्रपैदाकरकेमरजाय तो उसपुत्रके रहतेहुये पुत्रियोंका अधिकार जातारहेगा क्योंकि (पत्नीदुहितरः) इत्यादि मूलश्लोकमें माताके पीछे जो पुत्रियोंका अधिकार क्रम दर्शायाथा सो निपटनिपूतेपिता माताओंके मरनेपर सुनिश्चितहै-इसलिये ऐसीमाताके मरजानेपरभी वहधन ऐसेपुत्र कोपहुंचेगा औरउसधनकी रक्षा बालअवस्थातक वे बंधुलोग जिनको उसकीप्रभुता का अधिकार राजासमुझै करतेरहेंगे कि जबतक वह संप्राप्त व्यवहारकालहोकर निज तंत्रहो-कदाचित् ऐसापुत्र विवाहके होनेपहलेमरजावै तो निस्संदेह वेहीपुत्रियां धनकी मालिक होंगी जिनका अधिकार माताकेपीछे निश्चितहुआहै अथवा ऐसापुत्रविवाह के होनेपरभी निपट कुछ संतान पैदाकिये विन मरजाय जिस्से पैतृक धनकी मालिक उसकीबधू होगीपर वहबधूभी निस्संतानी शीघ्र मरजाय तो इसदशामेंभी वे पुत्रियां पैतृक धनकी मालिक होंगी जिनका अधिकार माताके पीछे निश्चित हुआहै-यथाह सदाशिवः(एवंस्थितायांकन्यायामृक्थंपुत्रबधूगतम् । तन्मृतेस्वामिनंप्राप्यश्वशुरात्तत्सु तामियात्) अर्थात्-इसीप्रकार कन्याके जीतेहुये पिताका धन बेटेकी बधूमें जो पहुँचा हो तो उसबधूके मरजानेपर वहधन जैसे क्रमसे ऊपरसे उतराथा तैसेहीमृतभर्ताके पदको पहले चढ़कर उसकेद्वारा ऊपरमरे ससुरामेंचढ़जावै पुनिससुरामेंसे नीचेगिर-

कर उसकी जीतीपुत्रीमें जावै अर्थात् मरीभावजमेंसे लौटिकर जीती ननंदको पहुँचै जिसका अधिकार माताके पीछे निश्चित हुआहै (यहांपरमाता चाहेसगीहो या सौ-तेलीहो इसकानियम नहींहै इसीलिये पुत्री अपने पिताकी कहातीहै) यथाहसदाशिवः(पत्युर्द्धनहरायाश्चमृतौभर्तृमुतास्थितौ । पुनःस्वामिपदंगत्वाधनंदुहितरं व्रजेत्)अर्थात्-पतिकाधन हरनेवालीके मरजानेपर भर्ताकी बेटीजीती होनेमें वहधन फेर स्वामीकेपदको पहुँचा समुभायकर उसी स्वामीकीदुहितापावै-ऊर्ध्वोक्त सबनियमोंसेदुहिताओंका अधिकार अबतक सामान्य भावसे विनिश्चित हुआहै कि सब दुहितामिलकर बाँटिलें(परन्तु)कात्यायनके वचनानुसारकेवल कुमारीकन्याओंका अधिकारपाया जाताहै-यथा(पत्नीभर्तुर्द्धनहरीयास्यादव्यभिचारिणी । तदभावेतुदुहितायद्यनूदाभवेत्तदा-)अर्थात्-भर्ताका धन हरनेवाली शुभाचारा पत्नी होतीहै और ऐसीपत्नीकेअभावमें दुहिता मालिक हो परउस दशामें कि जो विनाव्याही हो ( इसकथन से यह भाव पायागया कि व्याही दुहितानहीं पावें ) बल्कि इसीभावकी दृढ़ता मध्ये नारदके अग्रोक्त वाक्यसे यहआशय प्रकटहोताहै कि कुमारीकन्याभी तभीतक धनकीमालिक रहें जबतकउनकाव्याह नहो-यथाहनारदः-(स्यात्तुचेदुहितातस्याःपित्त्रंशोभरणेमतः। आसंस्काराद्धरेद्भागंपरतोविभृयात्पतिः)अर्थात्-जो उस विधवा पत्नीके दुहिताहो तो उस दुहिताके पिताका जो अंशहै सो उसके भरणमात्रमें कहाताहै इसलिये जबतक उसकाव्याह नहो तबतक अपनेपिताके धनपरमालिक रहै और व्याहके होजानेपीछे उसका भर्ता पालन करै-तो इसकथनसे प्रत्यक्षहै कि व्याहकेपीछे ऐसे धनकेमालिक पिताकेबंधुलोग जो सपिंडोंमेंसमीपहों वे होसक्ते हैं-सोयह दोनों वचनोंका नियमकेवल संसृष्टी पिताके धनभागमें समुभनाजिसका धन बंधुओंमें संसृष्ट हो किंतु ऐसेनियम से यह अधिक प्रेरणा पाईजातीहै कि यद्यपि संसृष्टीपुरुष का धन वेहीबंधुलोग हरसक्तेहैं जिनमें वहसंसृष्ट था उसमें पत्नी या दुहिता का अधिकार नहींहै तथापि जो दुहिताकुमारी हों तो उसदुहिताके विवाहतक धनकीमालिक वेहीसमुभी जायँगीइस लिये उन बंधुओं का पूरास्वत्वपकाहटको नहीं तबतक पहुँचसक्ताहै कि जबतक सभी कुमारी कन्याओंकेविवाहसे छुटकारा नहोजाय केवलप्रभुताके अनुसारधनके रक्षकवेही रहेंगे औरमाताचाहे मरचुकी हो या जीतीहो दोनों दशामेंयहसंभवहै-सो-यहनियमकेवलबांग देशको छोड़कर सर्व सामान्य देशोंकी अपेक्षामें समुभना जहाँ संसृष्टी पुरुषका धनभागउसकीपत्नी औरपुत्रियाँ नहींपासक्तीहैं क्योंकि बांगदेशमेंसंसृष्टीकाभी धनभाग उसकीपत्नी और पुत्रियाँ पायाकरती हैं (इनदो वचनोंके प्रसंगसे जोव्यवस्था वर्णन हुआ पुत्रियोंके यथेष्ट मालिक होजानेके अधिकारमध्ये नहींहै किन्तु यथेष्ट मालिक होजाने का अधिकार इनसे ऊपर वर्णन हुआथा और उसीकी विशेषतानीचे फिरभी वर्णन

करतेहैंकि) वाराणसी संबंधी आदि मंत्रदेशोंमें असंमृष्टी पुरुषके धनके मध्ये गौतमके वचनानुसार यहपरिपाटी है कि पुत्रियोंका बहुताइतमें कुमारीकन्या सालिक होती है कुमारियोंके न होनेमें विवाहियोंका अधिकारहै पर उनमेंभी बहुताइतके हानिपर जो निर्धन हों वेही सालिक होती हैं निर्धनके न होनेमें धनवती बेटी पाती हैं चाहे कोई विधवा या बंध्या या सपुत्रा उनमेंहो या नहोकुछ इसका नियम नहीं-यथाहगौतमः(स्त्री धनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च ) अर्थात्-स्त्री धन बेटियोंमें कुमारियोंका होता है या विवाहियोंमें निर्धनोंका (यह नियम यद्यपि स्त्री धनके निर्देश करके सातधनमें कहा गयाहै तथापि साता पितामें कुछ सेद नहीं इसमें पिताकेभी धनमें युक्त किया गया और यथार्थसे पैतृक धनभी साताके द्वारा बेटी पाती है)-मिथिल देशमें इस नियमकी अपेक्षा किंचित अंतरहै कि प्रथम तो कुमारीका अधिकार होताहै पर कुमारियों के अभावमें विवाही मात्र सब सामान्यभावसे अधिकार पाती हैं चाहे कोई उन्हींमें धनवती या दरिद्रा या बंध्या या सपुत्री या निपूती विधवा हो वा नहो कुछ इन बातों का विवेक नहीं है यथार्थसे उसदेशमें पराशरके अग्रोक्त वाक्यसे सामान्य तात्पर्य माना गयाहै कि अनूढ़ाके अभावमें ऊढ़ाबेटी पावे-यथा (अपुत्रस्यसृतस्यकुमारीरिक्थंगृह्णी यात्तदभावेचोढा ) किंतु ( विभजेयुर्दुहितरः ) इत्यादि शिवका वाक्य जिसकी व्याख्या ऊपरहो चुकीहै तिसनियमसेभी यहीमिथिलाकी परिपाटी कुछकुछ मिलतीहै-बांगदेश में इस नियमकी अपेक्षा बहुत अंतरहै कि प्रथम तो कुमारीका अधिकार होताहै पर कुमारीके अभावमें ऊढ़ा पुत्रियों में से उन दोभांतिकी पुत्रियोंका सहाधिकारहै जिनके पुत्रका सद्भाव हो या जिनके होनेका आकार संभवहो फिर चाहे कोई इन्हींमें धनवती या दरिद्राहो तो कुछ तर्क नहीं है परन्तु बंध्या और कन्यावती और विधवा जो निपूती हो ऐसे धनको किसी दशामेंभी नहीं पासकी चाहे निपट दरिद्राहो तो कुछ दयाभावसे अपेक्षा इसमें नहीं-सो-यह परिपाटी जिस्से ऐसी पुत्री पैतृक रिक्थ नहीं पासकी बांग देशमें जीमूत वाहनकी व्यवस्थाके अनुकूलहै किंतु जीमूत वाहनने इस व्यवस्थापर यज्ञदत्त दीक्षितका मत अंगीकार करिके दर्शायाहै-श्रीकृष्णतर्कालंकार नेभी निज दाय क्रम संग्रहनाम ग्रंथमें कुछ फीके मनसे उसी मतको दायभाग ग्रंथ कर्त्ताका उद्देश देकर दर्शायाहै कि ( बंध्यापुत्रहीनविधवयोस्तुपुत्रवतीसंभावितपुत्रयोरसत्वेऽपि नाधिकारइतिदीक्षितमतंदायभागकृताप्याहृतमितिबोध्यम् ) वीर मित्रोदय ने उस मतका सुष्ठु निरादर कियाहै-रघुनन्दन भट्टाचार्य ने निज दाय तत्त्वनाम ग्रंथमें उस मतका निपट चर्चाभी न रक्खाहै इस दशापर कि वह ग्रंथ ठेठ बंगालमें प्रधान है-दायक्रम संग्रह ग्रंथ यद्यपि वाराणसीमें स्वीकारहै तोभी उतना लेख जो इन पुत्रियोंका भाग मिटानेवाला दीक्षित मत विख्यात वहस्वीकार नहीं है क्योंकि श्रीकृष्ण-

तर्कालंकारने इस ग्रंथमें कुछ फीके मनसे चर्चा उसका किया है-इन बातोंका अनुवाद कुछ अधिकोक्तिके पीछे शेषपाठमें भी आवैगा-अत्रवैशेष्यंतु-कात्यायनः (देशस्यजातेःसंघस्यधर्मोग्रामस्ययोभृगुः । उदितःस्यात्सतेनैवदायभागंप्रकल्पयेत् ) अर्थात्-भृगुका उद्देश देकर कात्यायन आप कहते हैं कि जिसदेशका जिसजातिका या जिस किसी समूहका जो धर्महो अर्थात् उनकी मर्यादा विशेषका जोकोई धर्मग्रंथ जुदाहो और इसीप्रकार किसी ग्राममात्रका जो धर्म कहाहो सो वह अपने उसी नियमके अनुसार दायभागका वर्तवा करै यह भृगुजीने कहा किंतु यहभी एक धर्म विशेषलक्षणहै-इसमें (संघ) शब्द जो समूहका बोधकहै तिसका (दृष्टांत) जैसे गोसाईं वैरागी आदि पन्थवालोंके समूह इत्यादि और भी समुझने-इस वैशेष्य धर्मकी मर्यादासे अपने अपने स्थलपर प्रचारकी विशेषतामें ऊर्ध्वोक्त सभीरीतें यद्यपिठीकहैं इसबात पर तर्कणनहीं है तथापि जिज्ञासुताकी अपेक्षा बांगदेशकी परिपाटी से पूर्वोक्त दोनों उत्तमहैं और उनमें भी परस्पर वाराणसीकी परिपाटी उत्तमतर विज्ञेयहै-परन्तु बांग देशमें इसबातके पलटे एकदूसरीबातकी अपेक्षा जो मर्यादा उसीदेशकी नियमात्मक समुझी जातीहै वहसर्वथा वाराणसी और मिथिला आदि सब देशोंकी अपेक्षाबहुत उत्तमहै किदुहिता अपनेसंसृष्टीपिताकाधन भागभी बन्धुओंसे पासकी हैं-इसके सिवाय (विभजेयुर्दुहितरः) इत्यादि शिवका वाक्य जिसकी व्याख्या पहलेहुईथी इनसब के सन्मुखअधिकतर न्यायात्मक देखपरताहै क्योंकि (यथैवात्मातथापुत्रः पुत्रेणदुहिता समा) यहमनुका वचन और (अंगादंगात्संभवतिपुत्रवदुहितानृणाम्) यहबृहस्पति का जो वचनहै इनमें यह कुछ भेद नहीं रक्खा गयाहै कि कौनसी दुहिता पुत्रोंके समानहै या कौनसी नहीं किन्तु सर्वसामान्यभावसे सब दुहिता एकसी प्रदर्शितकरी हैं (और) इसी आशय के हेतुसे शिवके वचनमें सब दुहिताओं को मिलकर समभागलेना कहाहै-तथापि जो कुमारी की विशेषता सभी देशों में सुनिश्चित हुई तिसकेलिये शिव जी ने भी विशेषता दर्शित करीहै कि पहले उनका व्याह करिलेवें तिसपीछे धनको बाँटें और उनको भी फिर भागदेवें (किन्तु) यथार्थ से कुमारी का अधिकार विशेष भी विवाहकेही हेतुसे सुनिश्चित हुआ तो फिर शिवने भी कात्यायनके समान आशय रक्खाहै कि जो पिताका धनऐसा थोड़ाहो जिस्से कुमारियों के विवाह केवल होसके हैं तब ऊढ़ाओं को नदेना चाहिये जबकि धन कुछ अधिकहो तब ऊढ़ाओंमें जो निर्धनहों तिनको भी विवाहों से बचाहुआ भाग देनाचाहिये यह सिद्धांतहै-तथापि जो गौतमने विशेषता इसी विषयपर दर्शाई है कि अनूढ़ाके होते हुये ऊढ़ानहीं पावें या दरिद्राके होनेहुये सधना नहीं पावें और पिछले आँक सधना भी पासकी है-सां- इसविशेषता को शिवजीके कहे नियमसे तुल्यता और अविरोध करने के हेतुसे यह



न्याय सूचित होता है कि जंगमधनकी दशामेंजवधनभी अतिशय ढेरहो तो कुमारियों के विवाह निपट कियेपीछे सभी बहिनें मिलकर अंशहरें पर निर्द्वना को दो अंश और धनवतीको एकअंश मिलना चाहिये किन्तु धनकी मध्यमतामें धनवतीको कुछ भी नहीं-इसी प्रकार में यह भी लक्षण स्वयंमिद्ध है कि जो हालकी विवाहियोंमेंसे कोई पुत्री निर्द्वन घरमें व्याहीगईहो तो उसको भी दोभाग विवाहसे ऊपर मिलने चाहिये एवं जहाँहालकी विवाही अच्छे धनपात्र घरमेंजावे तो इसकोभी धनकी बहुताइतमें एकअंश विवाहसे ऊपरमिले और धनकी मध्यमतामें कुछनहीं-अथवा जो विवाहोंसे पहले भागकिये जानेके हेतुमें विवाहोंके अनुमानका धनकाढिकर देदियाजाय तोइस दशामें इनकोभी निर्द्वना समुभता और ढेरधन के होने में दोभाग उसधनके उपरान्तदेना उचितहै जो उन्हें उनके व्याहां योग्य मिलाहो-यहसब लक्षण केवल जंगम धनके रिक्थमें सम्भाव्यहै अर्थात् स्थावर धनकी प्रतिनिधिता जैसी नियमात्मक देशभेदों के अनुसार ऊपर निश्चितहुई सो सबठीकहै (यहाँपर दुहिताओंका निर्णय जो कुछ कियागया सो उस दुहिताके निमित्तमें न समुभा चाहिये जो (पुत्रिका) कल्पित हुईहो क्योंकि वह वारह पुत्रोंके प्रसङ्ग में औरस पुत्रके समान कहीगईथी इसलिये ऐसीपुत्री माताके जीतेहुयेभी सबधनकी मालिकहोतीहै और उसकेसन्मुख अन्य दुहिता केवल व्याहोंके सिवाय धनकाभाग नहीं पातीहैं पुत्रिका का व्यौराशेष पाठमें भी आवेगा)-दुहिता जो स्थावरधनकी मालिकहुईहों आत्मपोषणआदिनियत प्रकारोंके सिवाय उसका व्यर्थवियोगनहीं करसक्तीहैं-यथाहसदाशिवः (प्रेतलब्धधनैर्नारीविद्व्यादात्मपोषणम् । पुण्यन्तुतदुपस्वत्वैर्नशक्तादानविक्रये) अर्थात्-प्रेतकेद्वारा जोधन किसी नारी ने पायाहो तिससे आत्मपोषण आदि आवश्यक व्यय तो करै और जो पुण्य करनाचाहे तो उसधनके उपस्वत्वनाम वृद्ध्यादिक लाभोंकी पैदावार मेंसे पुण्यभी करसक्तीहैं पर मुख्यधनकादान या विक्रयआदि प्रकारोंसे वियोगकरदेने में समर्थनहीं किन्तु उपस्वत्वों की न्यूनतासे कदाचित् मुख्यधन मेंसे भी यत्किंचित् स्वल्पांशका विक्रय वा आधान करसक्तीहै तिसकाव्यौरा इस अधिकोक्तिके पीछेशेष पाठमेंविचारो-इसकेसिवाय-जब कदाचित् किसीऐसी दुहिताको कुछधन कहींसे पहुँचाहो जो बालक अप्राप्त व्यवहारकाल समुभी जातीहो तो उसधनपर उसे परिग्रह तवतकनहीं मिलसक्ता जबतकवह सम्प्राप्त व्यवहारहोगी अर्थात् वेलोग ऐसेधनके और उसदुहिताकेभी रक्षक नियतहोंगे जिनको अवसरके अनुकूल उसकी प्रभुताका अधिकार पहुँचताहो(सो)यह अधिकार इनअग्रोक्तवचनोंसे समुभना-यथा-(पितारक्षतिकौमारेभर्तारक्षतियौवने।रक्षन्तिस्थाविरेपुत्रा नस्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति) अर्थात्-कुमार अवस्था और कुमारीरहनेकी दशामें पिता या पिताके बन्धुरक्षक होतेहैं और यौवन

के उपलक्षण मात्रसे व्याही होनेकीदशामें भर्ता या भर्ताके बन्धुरक्षकहोतेहैं और स्था-  
 विर अवस्थाके उपलक्षणमात्रसे भर्ताके अभाव या अनुपस्थितमें पुत्र या पुत्रोंके बन्धु  
 लोग रक्षकहोतेहैं-इनमेंसे जिस किसीका अधिकार उसकी बालअवस्थाके अवसरमें  
 होसकना सम्भवहो वहीरक्षकहोसक्ताहै-परन्तु इतनाभेद अभीशेषहै कि जो वहदुहिता  
 अबतक कुमारीहो चाहे वाग्दत्ताभी होचुकीहो तबतौ केवलपिताकेही पक्षीलोगरक्षक  
 होंगे तिनकेअवसरका अनुक्रमइसअग्रोक्तवचनसेसंसिद्धहै-यथा(पितापितामहोभ्राता  
 सकुल्योजननीतथा।कन्याप्रदःपूर्वनाशेप्रकृतिस्थःपरःपरः)अर्थात्-इसवचनकेअनुसार  
 जिनको कन्याकादान करनेमें अधिकारहै वेहीअपने अवसरके अनुकूल ऐसी कन्या  
 तथा कन्याके धनके रक्षक होसक्ते हैं-औरजो-ऐसाधन पानेवाली कन्याऊढाहो चाहे  
 विधवाभी होगईहो या नहीं तौफिर पतिके पक्षीलोग रक्षकहोंगे औरउनमेंभी जिन-  
 को उसके पतिका व्याह करने आदि कामों में अधिकार हो वेही निज निज अवसर  
 के अनुकूल नियत होंगे-पर कदाचित् ऐसी दशा मेंपतिकाकुल ही क्षीण होजाय तौ  
 फिर वेही पितृपक्षी लोग रक्षक होंगे जो कुमारी होनेकीदशामें अधिकारीथे-तद्यथा-  
 (परिक्षीणेपतिकुले निर्मनुष्येनिराश्रये । तत्सर्पिण्डेषुचासत्सु पितृपक्षःप्रभुःस्मृतः)इति-  
 दुहितृणामधिकारविचारः ) कदाचित् ऐसे धनके पानेवाली दुहिता मरजाय तौ इसधन  
 का मालिक कौन होसक्ता है-तदाहसदाशिवः ( असन्तत्यामृतायाश्चस्त्रीधनंस्वामिनं  
 भजेत् । अन्यत्तुद्रविणंयस्मादाप्तंतत्पदमाश्रयेत् ) अर्थात्-जो दुहितानिस्सन्तानी मर  
 जाय तौ जो कुछ उसका स्त्रीधन कहलाताहो सो तौ उसके स्वामीकोही भजै अर्थात्  
 जीतेहुये भर्ताको या मरेहुये भर्ता के दाय्यादोंको मिलै जिनमें सबसे पहले भर्ता की  
 दुहिताही दाय्यादहोगी जो इसपत्नी के सिवाय किसी और पत्नीसेहो इसकी मर्यादा  
 देखो स्त्रीधनके प्रकरणमें (परंच) और धन जिसकिसी के द्वाराउसको पहुँचाथा उसी  
 के पदको जाकर टिकै अर्थात् माताके द्वारा उसको पिता का धन मिलाथा इसलिये  
 माताकेही द्वारा उलटा चढ़िकर उसके पिताकाधन विख्यात होकर पिताके दाय्यादों  
 को मिलै वरन इतीप्रकार जिसकिसीका धन जिसके द्वारा पहले उतरकर पहुँचाहो  
 उमीद्वारा चढ़कर उसके निजदायादों को मिलै-परन्तु-जो दुहिताकुछ सन्तान छोड़  
 मरे तौफिर ऐसानियम नहींहै अर्थात् जो दुहिताने निजमाताकाही स्त्रीधनकुछपाया  
 हो और वह दुहिता अपनी सन्तानमें पुत्रियाँ छोड़मरे तौ वेपुत्रियाँ अपनीनानीका  
 धन माताद्वारा पावेंगी सोइसदानका यथार्थ व्यौरा आगे स्त्रीधनके प्रकरणमें आवें-  
 गा-किन्तु यहाँअभी पैतृक धनका चर्चाहै इसलिये जो दुहिताने सन्तानमध्ये लड़के  
 छोड़ेहों तौफिर वेहीलड़के अपनेनानाकाधन माताद्वारापातेहैं-यथाहृत्हस्पतिः(यथा  
 पितृधनेस्वाम्यन्तस्याःसत्स्वपिवन्धुषु । तथेवन्त्सुतौऽपीष्टेमातुर्मातामहेधनं)-अर्थात्

जैसा उसदुहिताका अधिकार अपनपैतृक धनमेंपैतृक बन्धुओंके होनेपरभी निश्चित हुआ तैसेही उम दुहिताका निज औरसपुत्रभी निजमाता के मरजानपर नानाकेधन में अधिकारीहै-यहीवात शिवजी के भी अग्रेक्त वाक्यमें सुनिश्चितहै किधनीकेबन्धु-ओंके होतेहुयेभी दुहिताकाबेटासारीहो-यथा (स्थितेऽप्यपत्येदुहितुःप्रेतस्यपितरिस्थिते । दुहितृपत्यंधनभारधनंयस्माद्दधोमुखम्) अर्थात्-शिवजी कहते हैं कि प्रेतके पिता के जीतेहुयेभी दुहिताका सन्तान होनेमें दूहित्र जोहै सोई धनकोपावै क्योंकि धनजो है सो अधोमुख हुआकरता इसके नीचेको ठिकाना मिलनेहुये ऊपरनहीं चढ़सक्ता (सो) यहनियम सब सामान्य देशोंकी अपेक्षा में साधारण मर्यादाहै-परन्तु-बृहस्पति के ऊर्ध्वोक्त वचनमें यहवातभी प्रत्यक्ष निश्चित हुईहै कि जो कोई दुहिता धनकेपाने वालीमरै तो केवल उसीदुहिता के बेटे धनकोपावै किन्तु बहिनौताका भाव सूचित नहीं है (सो) यहनियम एकमिथिला छोड़कर सबदेशोंकी अपेक्षा केवल ऐसीदशापर घटसक्ताहै कि जहाँ केवल एक दुहिताहो जिसके बहिन और न हों (और) बङ्गाले में उस दशापरभी घटताहै कि यद्यपि दुहिताभी अनेकहों पर उनमें सिर्फ कुमारीकन्या चाहे एक यद्वा कईहों जो पैतृक धनपर मालिक होचुकीथी उनके मरनेपर केवलउनके पुत्र निज निज माताओंके उसधनपर अधिकारी नियतहोंगे जो निज माताको इन पुत्रोंके नानाका धनभाग मिलाथा-अर्थात् ऐसी दुहिताके सपूती मरनेपर बङ्गाले में यहधन उसकी बहिनै या बहिनोते नहींपातेहैं (परन्तु) जो इन्हीं दुहिताओं में से कोईभी निपूतीमरै तिसका यहधनभाग वे बहिनै पाया करती हैं जिनके पुत्रउपस्थित हों या पुत्र होनेका आकार सम्भवहो किन्तु इनदोनों भाँतिकी बहिनोंका अधिकार ऐसे धनपर तुल्यात्मक और युगपत् हुआकरताहै और परस्पर एकके अभावमेंभी दुसरीका अधिकार वहाँहोताहै-तथाच (दायक्रमसंग्रहेश्रीकृष्णतर्कालङ्कारोक्तविशेषः-कन्याजाताधिकारा पश्चात्परिणीतसतीअविद्यमानपुत्रायदिभ्रियेततदातत्पितृदाये सपुत्रायाः संभावितपुत्रायाश्चभगिन्योःस्तुल्योऽधिकारःनतुतद्भर्त्रादीनां-स्त्रीधनएवतेषामधिकारात्-कुमार्यभवेचोढायाः पुत्रवत्याः संभावितपुत्रायाश्चतुल्योऽधिकारः तयोरेकतराभावे एकतराधिकारः उक्तपराशरवचनादिति ) अर्थ इसका ऊपर सब होचुका है (पर) इसी विशेष पाठमें यह बात भी निर्णीत है कि जब कुमारियों के अभावसे विवाही दुहितायें प्रतिनिधि हुईहों और उनमें कोई मरजाय तब यद्यपि उसके पुत्रभी उपस्थितहों और बहिनौं ते भी कि जिनकी माता चाहे मरी या जीती हो उपस्थितहों उसका पैतृक भाग कोई नहीं पासक्ते किन्तु इनके होते हुये भी वे बहिनै प्रतिनिधि होवेंगी कि जिनके पुत्र उपस्थितहों या होने का आकार सम्भवहो (और ) जब ये बहिनै भी मरजायँगी या पहलेसेही निपटनहों तो इन बहिनों के बेटे

और उस पहले मरीबहिन के बेटे मिलकर सब तुल्यात्मक भाग पाते हैं यद्वा और बहिनों के बेटे निपट नहीं और किसी के भी होने का आकार संभव न हो तौ फिर ऐसी बंध्या और निपूती विधवा के जीतेहुये भी उस पहिली मरी बहिन के बेटे अपनी माता के मरने पीछे नानाका धन भाग उतना पासक्ते हैं कि जितने पर अधिकार उनकी माताको हुआ था और वेहीबेटे किसी ऐसी मावसी का धन भाग उतना पासक्ते हैं कि जितना उसने पैतृक भाग पाया और पाने पीछे आप निपूती मरीहो- इस व्यवस्था का सिद्धांत यहीहै कियद्यपि दुहिताओंमेंसे एकके भी जीतेतक दौहित्रों का अधिकार नहींहै तथापि बंगाले में निपूती विधवा और बंध्या सधवाके होतेहुये दौहित्रों का अधिकार खड़ाहोताहै क्योंकि यह दोनों दुहिता निपट अभागिनि होनेके हेतु जीतीहुई भी मरगई समुभीजाती हैं ( इतिवांगदेशविशेषः ) वाराणस्यादि अन्य सब देशोंमें दौहित्रों का अधिकार जबतक कोई एक भी दुहिता जीतीरहै नहीं होता है- यथाहसदाशिवः (कन्यायांजीवितायांचतदपत्यंनदायभाक् । यत्रयद्बाधितं वित्तं नमृतावपरं ब्रजेत् ) अर्थात्-कन्या के जीवते रहने में उसका संतान दायभागी नहीं होता किन्तु जो धनजिसमें रोकगया तिस रोकनेहारे के मरजाने परही और में जाता है ( अत्रचाव्ययस्यावधारणार्थत्वात् कन्यायामित्येकस्यामपिजीवितायां-तदपत्यंता सामपत्यं कस्याश्चिदपिपुत्रोनतावन्मातामहस्यधनंलभेदित्याशयः ) अर्थात् वाराणसी आदि सब देशोंमें जब कोई दुहिता निपट न हो तब दौहित्रों का अधिकार होताहै तथापि सब दौहित्र मिलकर एकसा तुल्यात्मक भाग पातेहैं अर्थात् जैसा पैतामहधन का भाग पहिले पौत्रोंकी अपेक्षा वर्णन हुआ था उसरीतिसे इनको नहीं मिलताहै- और मिलने पीछे यह धन इनका पुत्रादिक वंशनहीं पासक्ता किन्तु इनके मरजाने पीछे यह धन इनके परनाना और परनानी आदि हरते हैं एवं बंगालेमें भी (इतिवांगणस्यादिदेशव्यवस्था) मैथिल देशमें दौहित्रों का अधिकार ऐसे धन परनहीं पहुँचता किन्तु दुहिताओं के न होने या धन पाइकर मरजाने पीछे दौहित्रों के होनेपर भी यह धन लौटिकर उस धनीकेही माता पिता आदि बंधु पातेहैं कि जिनको दौहित्रों के पश्चात् मिलना योग्यथा-क्योंकि तत्रत्य ग्रंथकारोंने ( पत्नीदुहितरश्चैवपितरौभ्रातरस्तथात्सुतागोत्रजोबंधुःशिष्यस्सत्रह्यचारिकः ) इस वचन का सूधा क्रम स्वीकार कियाहै कि जैसा प्रत्यक्ष इसमें दुहिताके उपरांत पिता माता काही बोध पायाजाना है इसी हेतुसे उन ग्रंथकारोंने दौहित्रोंको इनसबके पीछे देना लिखाहै जो नौदश अधिकारी इसी वचनमें योगीश्वरने प्रदर्शित किये किन्तु इन अधिकारियों में स्पष्टभाव से दौहित्रों का चर्चा नहीं पायागया-परंच सबसे पीछे उनका अधिकार कल्पित करनेसे सिद्धांत में फल यही प्रकटहोताहै कि नानाका धन पाने वाला अवसर कभी दौ-

हित्रोंको न आवेगा क्योंकि नौदश अधिकारियों में से किसी न किसी का सद्भाव तो अवश्यही बनारहताहै-यद्यपि एकइसहेतुसे कि ठेठ मिथिलामेंही बैठकर योगीश्वरने स्मृति वर्णन करीथी और उसीका यहवचनहै इमलिये मैथिलदेशी ग्रंथकारों टीकाकारोंका अभिप्राय केवल इतनाहै कि इसवचनके सूत्रे क्रमके अनुसार इन्हीं नौदश अधिकारियोंमेंसे कोई जब नहो तब दौहित्र पावे किन्तु राजाका प्रसंग इन अधिकारियोंमें कुछ संश्रित नहीं है तथापि श्रीकृष्णतर्कालंकार ने इस तर्क से कि सबसे पीछे देना कहते हैं राजाकाभी भाव तर्कित कियाहै-तथाच ( मैथिलास्तुपत्नीदुहितरश्चैव इत्यादिनावचनबोधाधिकारिणां सर्वेषांपञ्चादौहित्राधिकारमाहुः तदसत्प्राज्ञोऽप्यधिकारितयापरिगणितत्वात् तदभावस्यकदाप्यसंभवात् फलतोदौहित्रस्याधिकाराभावएवपर्यवसानेदौहित्रस्याधिकार प्रतिपादकवचनानानिर्विषयत्वापत्तेः ) अर्थ इसका ऊपर सब होचुका है ( इतिमैथिलदेशविशेषः ) यही वचन योगीश्वरका सब ग्रंथों में सर्वत्र संग्रह हुआहै क्योंकि बहुधा स्मृतियोंकी अपेक्षा यह योगीश्वरका बांधाहुआ क्रम न्यायात्मक समुभा जाताहै इसलिये संग्रह ग्रंथोंके कर्त्ताओंनेभी इसीको मनोज्ञ जानकर स्वीकार कियाहै और इसीमेंसे दौहित्रोंकाभी अधिकार निश्चित कियाहै कि (दुहितरःच) इसमें अंत्यशब्द जो (च)कारहै तिसकोअनुक्तसापेक्ष समुच्चयके अर्थमें घटाकर दौहित्रोंकोभी दुहिताओंके अंतर्भावमें लेलियाहै क्योंकि जो ऐसी व्याख्या नहीं मानें तो फिर बहुधा स्मृतियोंसे विरोध आजावै जिनमें घंटा घोषके समान सब देशोंकी अपेक्षामें दौहित्रोंका अधिकार कहा जाता और वैसाही सर्वत्र वर्तमान है (और) मिथिलाके निवासी टीकाकारोंने निज देशकी परिपाटी अनुसार इसी ( च ) कार को उक्त समुच्चयभाव यद्वा इतरेतर योग में माना इससे दौहित्रों का अधिकार उनके नहीं है-मुख्य प्रयोजन का चर्चा अभी फिर भी शेषपाठमें कुछ आवैगा (इति दुहितृदौहित्रयोरधिकारविचारः) दौहित्रोंके भी निपट न होने या धनपाइकर निपूते मर जानेमें निज धनीकेही पितामाता भागीहोतेहैं परन्तु इनदोनोंके अधिकार मध्य बड़ी लम्बीचौड़ी और अनेकभांतिकीव्यवस्था कल्पितहुईहै क्योंकि मनु-याज्ञवल्क्य-विष्णु बृहस्पति ये प्राचीन स्मृतियां और नवीनसंग्रहग्रन्थ मिताक्षरा-जीमूतवाहन-स्मृति-चंद्रिका-पारिजात-श्रीकरकृत-मदनरत्न-कल्पतरु-रत्नाकर-वीरमित्रोदय-मैथिलवाचरूप ति मिश्रकृत-इत्यादि और बहुधाग्रंथोंके कर्त्ताओंने नैयायिकमतकेअवलंबसे परस्पर एकनेदूसरेका खंडन और स्वकीयउक्तियुक्तिका मंडन सिद्धकियाहै-किसीने पहलेपिता और किसीने पहलेमाताकाअधिकारसिद्धकियाहै किसीनेइनसबसेविपरीत पितामाता दोनोंको बराबर बांटिलेना सिद्धकिया-इन्हीं तर्कवादोंके प्रभावसे यहभेद प्रकटहुआ है कि जिनदेशोंमें जिनग्रंथोंकास्वीकार संभवहुआ उनमेंउन्हींकी व्यवस्थाभी प्रामाण्य

ठहरी-बंगालमें अद्यापि उन्हींग्रंथोंकी व्यवस्थासे वर्त्तावाकियाजाताहै कि जिनमें पहले पिताका अधिकारहै-बंगालकेसिवाय अन्यदेशोंमें उनग्रंथोंकी प्रधानतासमुझीजातीहै कि जिनमेंमाता का अधिकार पहले मानागया इसीहेतुसे इनवाराणसी आदिदेशों में कथनमात्रकी अपेक्षा पहलेमाताका अधिकार समुझाजाताहै परन्तु वर्त्तावा ऐसाइन देशोंमेंभी नहींहै कि माता पहलेधनपातीहो किंतु पिताही अधिकारीपहलेहोताहै और यहीवात न्यायात्मक है इसलिये इस मर्यादा परिपाटी में भी पहले पिताकाही अधिकार कल्पितहोगा-तथाच सदाशिवः(मृतस्योर्ध्वगतं वित्तं यथाप्राप्नोति तत्पिता । जनन्य पितथाप्नोति पतिहीना भवेद्यदि-स्वः प्रयातुः स्थिते ताते तथा मातरिकालिके पुंसो मुख्यतरत्वेन धनहारी भवेत्पिता) अर्थात्-शिवजीकहते हैं कि मृतपुरुषका धन जो ऊपरको चढ़ गयाहो तिसको जैसे उसकापिता पायाकरता है तैसेही जननी भी पातीहै परन्तु जोपतिसेहीन विधवाहो तो पासकीहै-एवंजहां स्वर््यातूका पितामाता दोनोंजीतेहों तो फिर पुरुषकी मुख्यता विशेष होने के हेतुसे पिताही धन हरै-किंतु-यद्यपि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में कुछ पक्षलेकर माताका अधिकार पहलेकहा है तथापि नैरन्तर्य भावसे माताका अधिकार पहलेहोना निपट असंगतहै पर किसीएक विरलीदशामें कहसक्तेहैं कि माता पहलेपावै और वह दशा वीरमित्रोदय के अनुसार लेनीयोग्य है अर्थात् वीर मित्रोदय ने मातापिता दोनोंके गुणागुणसे परस्पर एक विकल्प बड़ी उत्तमतासे दर्शायाहै और उसीको न्यायात्मकजानकर आधुनिकलेखकने स्वीकारकियाहै-यद्यपि यहां क्रम उच्छिन्नहोजाने के भयसे कुछ निदर्शन उसकानहीं रक्खाजासक्ताहै (पर) व्याख्या उसकी व्यौरेवार इस अधिकोक्तिके पीछे शेषपाठ में दर्शाईजायगी विचार उसका यहां भी आवश्यकहै-मर्यादापरिपाटी संपादकने स्वकीयसंमत यही माना है कि जैसा योगीश्वर याज्ञवल्क्यने (पितरौ) यहपद सामान्यभावसे उच्चारणकिया इसमें पहलेपीछेका कुछ नियमनहींहै न दोनोंको विभागकर लेनेका कुछ नियमहै इसलिये मातापिता दोनोंएकसाथ मालिकहोते हैं परन्तु इमकायह सिद्धांतनहींहै कि साभियों कीसी भांति दोनोंकानाम राजपत्रों में चढ़ायाजाय किन्तु पुरुषकी प्रधानता मात्रसे नाम केवल पिताकाही सूचितहै और माता उसकेअर्द्धांगित्वसे स्वतःमालिकसमुझी गई(और) इसीसे पहिला पिछलाक्रमभी स्वतःसिद्धहै किपिताके मरजाने पीछे माताका नाम भी प्रवेशितहोना आवश्यकहोगा इससेपिताका अधिकार पहले निश्चितहुआ और यही वान्त अग्रोक्त ऋद्धिष्णुके वचनमें प्रत्यक्षहै यथा (अपुत्रधनंपत्न्यभिगामि, तदभावेदुहितृगामि; तदभावेदोहितृगामि, तदभावेपितृगामि; तदभावेमातृगामि; तदभावेप्रातृगामि; तदभावेतत्पुत्रगामित्यादि) अर्थ इसका सुगमहै (इस वचन में दोहितृका अधिकार यद्यपि विष्णुने स्पष्टनहीं लिखाथा परन्तु क्रम उच्छिन्न होजाते



के भयसे ग्रन्थकारों ने मिलादिया इस्मे भी कुछ दूषण नहीं समुभना क्योंकि विष्णु ने भी दुहिताओं के अन्तर्भाव में दोहित्रों को रक्खलिया है) — इस वचनका अनुक्रम उनसब ग्रन्थों ने स्वीकार किया है कि जिनमें पिताका अधिकार पहले माना गया— इत्यादि बहुधा नियमों के प्राबल्य से पिताके मरजाने पीछे यद्वा निपट न होनेमें भी माता धनको पावे ( इतिपितुर्मातुश्चाधिकारविचारः ) पितामाता दोनों के न होने यद्वा धन पायकर मरजाने में उस धनीके भैये धनको पाते हैं और भाइयों के भी अधिकार की व्यवस्था यद्यपि बहुधा उलटी सुलटी नियत हुई है अर्थात् मनु, देवल, बृहस्पति, शंख पैठीनसि आदि स्मृतियोंमें परस्पर बड़ा विरोध पाया जाता है किंतु किसीने पितामाता से भी पहले भाइयोंका अधिकार कहा है; किसीने बड़ी दूर जाकर दादी, दादाके पीछे उनका नियम दर्शाया है, किसी किसीने बीचमें भी रक्खा है इस भांतिके प्रत्यक्ष विरोधों की शांति भी कल्पतरुकार, वीरमित्रोदय आदि संग्रह ग्रंथकर्ताओंने प्रकल्पित करी है— यद्यपि उन बातोंकी व्याख्यासे अपेक्षा संप्रति नहीं है क्योंकि उनसे अनवस्था संभव होनेके हेतुसे उन वचनोंका त्यागभाव निश्चित होकर केवल योगीश्वर याज्ञवल्क्य और बृहद्विष्णुके ही दो वाक्यों से व्यवस्था सिद्ध होती है इन्हीं के दर्शाये हुये क्रमके अनुसार पिता माताके पीछे भैये पाते हैं और यही क्रम न्यायात्मक समुभना जाकर सर्वत्र संग्रह ग्रंथों में स्वीकार हुआ है कि जिसकी परिपाटी सभी देशों में समान है और यही व्यवस्था नीचे वर्णन होगी ( पर ) तौ भी अनंतरोक्त पैठीनसि आदि वचनोंका विरोध शांत होनेके प्रकारसे व्यवस्था शेषपाठ में इस हेतु से दर्शाई जायगी कि विरले अवसर में उन वचनोंसे ही न्याय संभव होता है अर्थात् उन वचनोंको भी निपट निरर्थक नहीं समुभना— पिता माताके न होनेमें— मृत धनीके भ्राता जो धन पाते हैं तिनमें पहले सोदर भ्राता पाते हैं और सोदरके न होनेमें वे असहोदर भी कि जो उस धनीके सजाती हों भाईका धन पाते हैं और जितने एक प्रकारके अधिकारी भ्राता हों उतने ही समभाग करिके बांटे लेते हैं— कदाचित् सगे और सौतेले भाई दोनों भांतिके उपस्थित हों तब सौतेले नहीं पाते हैं क्योंकि सौतेले भाई धनीके उनतीन पुरुषोंको ही पिंडदान करेंगे कि जो धनी के और इनके भी बाप दादा परदादा मात्र एक हैं अर्थात् नाना, परनाना, सरनाना इनके भिन्न हैं इसलिये ये सौतेले भाई निज अपने नाना, परनाना, सरनानाको भिन्नात्मक पिंड देवेंगे और सगे भ्राता जो उस धनीका धन पावेंगे तौ उसके छः पुरुषोंको अर्थात् बाप, दादा, परदादा और नाना, परनाना, सरनाना इन सबको पिंड देवेंगे किन्तु सहोदर होनेके हेतुसे जिन पुरुषोंको वह आपा पिंड देसक्ता था उन सबही में सहोदर का अधिकार उसके तुल्य है इस हेतुसे सहोदर के होनेमें असहोदर नहीं पाते हैं ( सो ) यह बात एक निदर्शन मात्रसे दर्शाई गई क्योंकि विरले ग्रंथकारोंने ग्रंथका वैचित्र्य औ सुखबोध

नहीं पाते क्योंकि निपटभ्राताओं के अभावमें भतीजोंका अधिकार कहा गया है- तथापि एक उस प्रकारके भतीजेभी भ्राताओंके होतेहुये अपने पिताका अंश ऐसेधन में से पातेहैं कि जिनकाबाप ऐसे धनमें स्वत्व पहुँचनेकेपीछे और धनकाभाग होनेसेपहले मध्यमकालमें मरजाय या संन्यासी होजाय-आशय इसका यहहै कि उस निपूतेभाई के मरनेपर उसके धनमें जितनेभाइयों का स्वत्वऊपरली मर्यादों के अनुसार पहुँचा हो और जबतक धनका भाग नहीं होनेपाया उन्हींअधिकारी भ्राताओंमेंसे एक और भ्रातामरजाय या संन्यासी आदि होजाय तौ उसभ्राताके बेटे ऐसे धनमेंसेनिज पिता काही भागउसदशामें पासकैहैं जबउसधनका भाग उनके चचाकरना चाहें या सामान्य मिश्रीभूत रखनाचाहें तबतक उनका भी सामान्य मिश्रीभूत भाग रहेगा (पर) ऐसे किसीभाईके बेटे अपने बापकाभी भाग नहीं पाते हैं कि जिनका बापनिजनिपूते भाईसे पहलेही मरचुकाहो क्योंकि उसका स्वत्व ऐसेधन में नहींपहुँचने पायाथा इसलिये उसके बेटे भी अधिकारी नहीं हैं-अन्यथा-जोभाई निपट न हों तौ भतीजे सभी मिलकर तुल्यात्मक भागपातेहैं अर्थात् फिर चाहे किसीभ्राताका एकही और किसीके दोतीन बेटेहों तौ इस दशामें पैतामह धनके तुल्य इनको बापोंका विभाग नहीं मिलता किन्तु यहां चचाके धनमें सभी भतीजेमात्र एकसे अधिकारी हुआकरतेहैं-परन्तु-सगे और सौतेलेकाभेद या संसृष्टी असंसृष्टीका भेद जैसा भाइयों में प्रदर्शित हुआ तैसाही भतीजोंमें भी होताहै अर्थात् जो सगे और सौतेले कोई दोनोंभाँतिके भाई निपट न हों तौफिर सोदर भाईकेबेटे पहलेपावेंगे और उनमेंभीजे कोईऐसेधनी में संसृष्टीहों वेहीपहले पावेंगे संसृष्टी सोदर भ्रातृपुत्रोंके न होनेमें असंसृष्टीभी पावेंगे जो सोदर भ्राताके बेटेहों उनकेभी न होनेमें असोदर भाईके बेटे धनको पावेंगे जो धनीमें संसृष्टी रहतेहों इनकेभी नहोनेमें असोदर भाईके बेटे जो धनीमें संसृष्टनहीं रहतेथे वे पावेंगे-कदाचित् सौतेलेभाईके बेटे उसमें संसृष्ट और सगेभाईकेबेटे उससे भिन्न रहतेहों तौ इसदशामें परस्पर दोनों भाँतिके भतीजे रिक्थी होतेहैं और सभी को तुल्यात्मक भाग मिलता है ( इतिभ्रातृपुत्राणामधिकारविचारः ) यहांतक भाई और भतीजोंकी व्यवस्थाजो कुछ कहीगई सो मिताक्षरा वीरमित्रोदय आदि बहुधा ग्रन्थों के अनुसार वाराणसी स्थितिला आदि और भी सर्वत्र सम्प्रति एकसी नियमात्मकवर्ती जाती है और इसीके अनुसार इन सब देशों में भतीजों के अभाव में दादा दादीको आदि लेकर गोत्रज पर्यन्त निज निज अवसर के अनुसार धनको पाते हैं कि जिनका व्योरा नीचे लिखेंगे अर्थात् भतीजों के न होने में भतीजों के पुत्रों का अधिकार नहीं माना गया क्योंकि ( पितरौभ्रातरस्तथातत्सुतागोत्रजाबन्धुः ) योगीश्वर के इस मूलवाक्य में भतीजों के पश्चात् उनके पुत्रों का कुछ चर्चा नहीं

आयाहै और यही कारण इन सब देशों तथा ग्रंथों में प्रामाण्य समुभागया है और आशय इसका यह है कि भाइयोंके अभावमें भतीजोंने जो भाग अपना ऐसे धनमें से पायाहो तिसको निस्संदेह उनके बेटे बल्कि पोते आदि अपने पिता द्वारा पावेंगे परन्तु जो उस धनीकेही मरते समय भतीजा कोई एकभी न हो तौ फिर उनके पुत्र यद्यपि विद्यमान हों पर ऐसे धनको नहीं पाते हैं-यह नियम केवल बांगदेश छोड़कर सर्वत्र सबसामान्य देशोंमें समुभूना-किंतु-बंगालमें यह और विशेषता है कि दायक्रम संग्रह आदि कुछ ग्रंथोंके अनुसार भतीजोंके न होने में उनके पुत्रभी इसधनको पाया करते हैं और उसी ढंगसे पाते हैं कि जैसा ऊपरभाई और भतीजोंका ब्यौरा सगे सौ-तेलेके भेदसे दर्शायागया किंतु इससे आगे फिरभतीजोंके पोता उसबंगालमेंभी नहीं पाते हैं-तथाच-दायक्रमसंग्रहग्रंथोक्तविशेषतेयम् (भ्रातृपुत्रस्याभावेभ्रातृपौत्रस्याधिकारः धनिपितृमातृपिंडदातृत्वात्सपिण्डत्वाच्च-भ्रातृप्रपौत्रास्तुनाधिकारिणः धनिपितुःपंचमत्वेनउपकारकत्वाभावात्) अर्थात् श्रीकृष्णतर्कालंकारने यहलिखाहै कि भाइयोंके बेटे यदि न हों तौ उनभाइयोंके पोतेपावें क्योंकिधनीके पितामाताको पिंड देनेके अधिकारी वेभीहैं सिद्धांतइसका यह कि भाईकेपोते अपनेपरदादा परदादीका श्राद्धतौ अवश्यही किया करेंगे और वेही मरे धनीके निज पिता माता थे तौ इससे उसी धनीका उपकार ठहरा और इनकेभी न होनेमें भानजे धनको पाते हैं भानजोंके न होनेमें भाईके दौ-हित्र धनको पाते हैं यह बांगदेशकी मर्यादाहै अर्थात् भाईके पोता और बापके दौ-हित्र और भ्राताकेभी दौहित्र जो नहों तब उस दशामें दादा दादी पासत्ते हैं सो यह व्यवस्था आगे बढ़कर लिखी जायगी-यहांपर-यह बात विदित करदेनी योग्यहै कि श्रीकृष्ण तर्कालंकारआदि जिन आचार्योंने भाईकेपौत्रोंका अधिकार सिद्धकिया तिनका संमत और विचार बहुत उत्तम और श्लाघ्य और न्यायात्मक है इसीलिये बांग-देशी विद्वानों ने उसका स्वीकार और प्रचार अंगीकार किया(किन्तु) हमारेवाराणसी संबंधी आदि देशोंके विद्वानों ने उसवातका यथार्थ निर्णय कियेविना भतीजेतक अ-धिकारमाना तिसकेपीछे उलटेलौटिकर विनाहेतु सूत्रकेही दादादादीमें चढ़गयेइतने बड़े गालित्यका हेतु केवल प्रमाद कहना सूचित नहीं बल्कि पहले किसी अवसरमें निरंकुश विद्वानों के स्पर्द्धारूप लक्षणके प्रभावसे यह ऐसा नियम निरक्षर लोगोंके ध्यानमें दृढ़तातक पहुँचाया गयाहोगा फिर जोवात प्रचारमें आगई उसका पक्षसब-को करनापरा इसीहेतुसे अत्रत्य ग्रंथकारोंनेभी वहीनियम सच्चासमुभा जिसमें भाईके पोतेनहींपावें (और) सच्चासमुभि लेनेका प्रमाण उनके ध्यानमें यह आयाहै कि जैसे योगीश्वरने ( तत्सुतागोत्रजाबंधुः ) इसपदमें कुछ भतीजोंके पुत्रोंका स्पष्ट नाम नहीं रक्खाहै-परंतु जोऐसी बातोंकी तर्कणाके किसीयोग्य अधिकारीका अधिकार दूरकरना

कुछ न्यायात्मकहोतो इसप्रकारके औरभी बहुतेरेतर्क उपस्थितहैं ( दृष्टान्त )जैसे (पत्नी दुहितरश्चैवपितरौ) इसमेंभी योगीश्वरने दौहित्रोंका कुछनाम नहींरक्खा है इसलिये दुहिताओंके अभावमें पितरोंका अधिकार पहुँचताहै दौहित्रोंको नदेना खड़ाहोताहै बल्कि इसवचनकी अपेक्षा मैथिलदेशियोंने स्पर्द्धाके प्रयोजनसे दौहित्रोंका अधिकार नहींमाना है-कदाचित् मूलआशय वही ठीकहोता जैसामूल शब्दोंसे प्रतीत होताहै तौफिर एतद्देशी टीकाकारभी दौहित्रोंका अधिकार दूरकरते-ऐसेही भ्रातृपौत्रोंकी अपेक्षामें यदि मूलआशय यहीठीकहोता जैसा मूलशब्दोंसे प्रतीतहोताहै तौफिर बांग-देशी टीकाकारभी भ्रातृपौत्रोंका अधिकार दूरकरते-यद्यपि (देशाचाराः परिग्राह्याः) इत्यादि नियमके अनुसार निजनिज देशकी परिपाटी एकबड़ा प्रबलहेतुहै किजिसके आगे और कुछतर्कणाको अवकाश नहींमिलताहै परंतु देशाचारकी परिपाटीभी वही शुद्धहोती है जो किसीन्यायात्मक मर्यादाके अनुसारठीक पाईजाय-यहांपर-दायादोंका अधिकार सिद्धहोनेकी अपेक्षा एकगुरु लक्ष्यरूप यहीन्याय प्रबल है कि आसन्नतर सपिंड पहले यथाक्रमसे धनको पावें और उनके निपट अभावमें सपिंडोंके सपिंड यथाक्रमसे पातेचलेजावें सोइस प्रतिज्ञाके अवलंबसे कि जोधनीके समानोदकसमुभे जातेहों और इनसे पहले जो उस धनीके सपिंड समुभे जातेहैं तिनमेंभी यह बहुत बड़ाएक गुरुलक्ष्यरूप न्यायहै कि जबतक नीचेके सपिंड मिलसकेहों तबतकऊपर के सपिंडों को अधिकार नहीं पहुँचता है-यतः ( अधोगामिषुवित्तेषुपुमान्ज्यायानथ स्तनः । ऊर्ध्वगामिधनेश्रेष्ठःपुमानूर्ध्वोद्भवोभवेत् ) इत्यादि बहुधा नियमों के अनुसार जबतक नीचेका सपिंड भाईकापाता विद्यमानहो तबतक ऊपरला सपिंड दादादादी क्योंकर अधिकारी समुभाजाय-और योगीश्वरने भी ( तत्सुताः ) इसबहुत्वके आशय सेही यह भाव दर्शित किया है कि भाईका पुत्रादिक बंश जो धनी का सपिंड समुभा जाताहो वह धनभागी कियाजाय तिसकेपीछे गोत्रजलोग यथाक्रमसे धनको पावें (सो)यहगोत्रज शब्दभी सामान्यभाव से उच्चारण कियाहै और इसकी व्याख्या व्यौरासहित आगेआवैगी तब इसका आशय समुभा जायगा-क्योंकि दादा और परदादातक ऊपरले वृद्धपुरुषभी उसधनी के सपिंड हैं परन्तु निचले सपिंडों में से भाईका पौत्र जबतक विद्यमानहो तबतक ऊपरले सपिंडदादा दादीका अधिकार कुछ न्यायात्मक नहीं है ( इतिभ्रातृपौत्राणामधिकारविचारः ) भगिनी पुत्रोंका अधिकार तथा भतीजीके पुत्रोंका अधिकार जैसा बांगदेशकीअपेक्षा ऊपर वर्णन हुआ सो इन देशोंमें अपेक्षा नहींरखताहै न रखनेकी योग्यतापाई जाती है(इतिपितुदौहित्राणांभ्रातृपौत्राणांवाधिकारविचारः) वाराणसी, मिथिलाआदि इनसब देशोंकी अपेक्षा जो भतीजी के अभावमें गोत्रज लोगोंका अधिकार जैसायोगीश्वरके ही वाक्यसे मिताक्षरा धीर-

मित्रोदय आदि कुछ ग्रंथोंने संक्षेपकर दर्शाया तिसका यथावत् यहीरूप है-कि-गोत्री कौन दादी और दादा आदि सर्पिंड और समानोदकभी.तिनमेंपहले दादीकोही धन मिलै तिस पीछे दादाको.दादाके अभावमें चचाओंको उनके अभावमें चचरे भाईभी यथाक्रमसे धनभागीहों-जबदादाकी संतानका अभावहो तौ फिर परदादी पावैफिरपर-दादापावै. फिर उसके पुत्रपावै.फिर उनपुत्रोंके पुत्रपावै.जब इनकाभी अभावहोतौफिर इसप्रकार सरदादीसरदादा को आदिलेकर एकएक पीढ़ी ऊपरको चढ़तेजाकरसात पीढ़ी तक सर्पिंडमानिकर धनका अधिकार समुभिलेना-कदाचित् ऊपरलीसातपीढ़ी काभी अभाव होतौ फिर उनके बादि चौदहपीढ़ी तक समानोदकसंज्ञा समुभकर इसी क्रमसे एक एक पीढ़ी ऊपरको चढ़तेहुये धनका अधिकार समुभलेना और इस चौ-दहका अनुकल्प एक यहभी है कि जहां तक ऊपरली पीढ़ियोंके जन्म संबंध औरनाम उनके यादहों तहांतक समानोदक समुभलेना अर्थात् किसीके चौदहके भीतरमेंही जन्मनामों की विस्मृति प्रकटहुई हो या किसीके चौदहसे अधिकभी कोईपीढ़ीके जन्म यादि चलेआतेहों तौ उसयादकीही अवधितक समानोदक समुभे चाहिये-यथाह वृ-हन्मनुः(सर्पिंडतातुपुरुषेसप्तमेविनिवर्तते। समानोदकभावस्तुनिवर्तताचतुर्दशात् ॥ ज-न्मनाम्नोःस्मृतेरेकेतत्परंगोत्रमुच्यतेइति )जब-इनसमानोदकोंमें भी कोईधनका अधि-कारी नहीं पायाजाय तौफिर बन्धुलोग धनकोपावै बन्धुकई प्रकारकेहोतेहैं तिनकीव्या-ख्या आगे बढ़कर लिखीजायगी-परन्तु-अपनेगोत्रियोंकी व्यवस्था जो यहइसीजगह लिखचुके तिसपर अच्छीतरह ध्यानरखकर निर्णय कर्तव्यहै कि जितना दायविभाग अबतक वर्णनहुआ यद्यपिसमुभने या समुभानेमें दुर्बोधवहभी था परयहगोत्रियोंकी व्यवस्था दायभागमात्रकीनाभिहै इसलिये सबसेकठिन व्यवस्था एकयहीहै और बहु-धा इसीव्यवस्थाकी अपेक्षाभगदेशीग्रन्थनहीं निपटतेहैं और इसीके निपटारामध्येकभी न्याय और कभी घुणाक्षरन्याय और अन्यायभी होजाताहै-क्योंकि-इसव्यवस्था का बीजमात्र योगीश्वरने ( गोत्रजाः ) यह इतना पद उच्चारण किया और विज्ञानेश्वर आदि आचार्यवर्य व्याख्याकारोंने दादीदादासेलेकर चौदहपीढ़ीतक इसपदकाव्या-ख्यानकिया जैसा अभीऊपर लिखचुकेहैं परइतने व्याख्यानसे भी आद्योपांत इसकी सिद्धिनहींहोती है क्योंकि उक्तआचार्योंने केवल उदाहरणमात्रसे नमूना दर्शितकिया हैकुछ सांगोपांग उसकारूप नहींदर्शायाहै कि जिसे द्रष्टालोगोंका भ्रमदूरहो इसीक-ठिनाईके हेतुसे उनग्रंथों के व्यवहर्ता विद्वानोंनेप्रायःउक्ताचार्यों के उच्चारणमात्रपरही आग्रहकिया किउनकेमुखसे यहीनिकसाथा अब इस्से अधिकहमकुछ नहीं मानिसक्ते हैंइत्यादि प्रकारोंसे जोवात बहुधा प्रामाण्यलोगों के आरूढ़बुद्धिहोजानेसे प्रमाणमें आगई तिसको हाथकीसीरेखा समुभिलेते हैं-इन्हींकारणोंसे संप्रति देशांतरभाषामें

जो ग्रंथ धर्मशास्त्रके अनुवादरूप संग्रहकियेगये उनमेंभी वहवात नियमात्मक समु-  
भीजाकर लिखीगई है किजैसा अभी ऊपरगोत्री लोगोंका क्रम दर्शितकिया गयाथा  
क्योंकि भाषांतरके संग्रहीता विद्वज्जनोंकी जिज्ञासुता मध्ये यातो एतद्देशी ग्रंथोंकालेख  
या एतद्देशी विद्वानोंका संदर्भमात्र दोही बात प्रमाणकारक थीं तिनसे जैसादेखा जै-  
सासुना संग्रह कियाहोगा-यथार्थसे-गोत्रीलोगोंकी व्यवस्था तद्रूपतवतक नहींजानी  
जासक्तीहै कि जबतक सपिंडताका आकार आद्योपांत प्रत्यक्षनहीं देखाजाय इसलिये  
पहलेउसीका आकार दर्शितकरते हैं-(अथसापिंड्योदाहरणं) दायादोंका ऋक्विथत्वसिद्ध  
होनेकी सपिंडता सात पुरुषोंकी अवधितक जोविख्यातहै वह शारीरिक जन्मसूत्रके  
अनुसार नीचे ऊपरमिलकर सातदेही मानेजाते हैं ( दृष्टान्त ) जैसे धनी के वीपदादा  
परदादातक ऊपरलेतीन और बेटा, पोता, परोतातक निचले तीनपुरुष और बीचमें  
सातवांधनी आपहै-इनमेंसे उसधनीकेतीनपुरुष ऊपरलेसपिंड और तीनपुरुषनिचले  
सपिंडहोते हैंऔर जबतक उसके निचलेतीन सपिंडोंमेंसे कोईएकभी जीताहो तबतक  
ऊपरले सपिंडउसकाधनहरनेके अधिकारी नहींहोतेहैं-यथाहसदाशिवः(दायेतूर्ध्वतना  
ज्यायान्संबन्धोऽधस्तनःशिवे। अधऊर्ध्वक्रमादत्रपुमान्मुख्यतरःस्मृतः॥तत्रापिसन्निक  
र्षेणसंबन्धीदायमर्हति ) अर्थइसका दायभागकेप्रारम्भमेंहोचुकाहै देखो परिच्छेद ४३  
में ( परन्तु ) जबनिचले सपिंडोंका अभावहोजाय तौफिर ऊपरले सपिंड धनकोपाते  
हैंकि जैसाव्यौरा (पत्नीदुहितरः)इत्यादि दो श्लोकोंसे यहांतक वर्णनहोता चलाआ-  
ता है कि बेटापोता परोताकेनहोनेमें ऊपरला सपिंड जो पिताजीताहो तो उसकोधन  
का अधिकार है और उसकेद्वारा उसकी द्वितीय संतान भी अर्थात् धनीकेभाई भती-  
जे आदि पाँचें जैसा ऊपरवर्णनहोचुकाहैकि (पितरौभ्रातरस्तथा-तत्सुताः) और इसी  
की सर्वथा व्याख्याअवतक होतीरही तौ इसहिसाबसे ऊपरले तीन सपिंडोंमेंसे एक  
सपिंडका निपटारा सब होचुका किंतु दादा परदादा यह दोसपिंड अभीशेषहैं तिनका  
व्यौरा इसी (गोत्रज) शब्दकी व्याख्या द्वारा वर्णनहोगा क्योंकि गोत्रशब्द सामान्यहै  
उसके उच्चारणमें सपिंडभी समुभे जासक्ते हैं कि जिनका व्यौरा कहना शेषरहाहो इसी-  
लिये पिताकी द्वितीय संतानकेभी निपट न होनेमें दादाका अधिकार और उसकेद्वारा  
उसकी संतानभी अर्थात् धनीके चचा और चचेरे भाई आदि पाँचें-इसीप्रकार दादा  
की संतानका अभाव होनेमें परदादाका अधिकार और उसके द्वारा उसकी संतानभी  
अर्थात् धनीके चचेरे दादा आदि गोत्री लोगधन पाँचें यह व्याख्या उसी (गोत्रज)श-  
ब्दसे संसिद्ध होती है जो मूलवाक्यमें योगीश्वरने उच्चारण कियाथा-परदादा तक स-  
पिंड कहेगये तिनके उपरांत सरदादाको आदि लेकर तीनपुरुष ऊपरले धनीकेसमा-  
नोदक होते हैं इसीप्रकार धनीके निचले तीनपुरुष परपोताके उपरांत सरपोताको



आदि लेकर समानोदक होते हैं समानोदकोंको मतांतर संज्ञा भेदसे (सकुल्य) भी कहते हैं यहांपर यह बात भी प्रत्यक्ष है और याद रखने योग्य है कि जो लोग धनीके समानोदक होंगे वेही धनीके सपिंडोंके सपिंड होंगे-और-सपिंडभी सरल सपिंड वक्रसपिंड के भेदसे दोभांतिके होते हैं (दृष्टांत) जैसे सातपुरुषोंकी अवधितक सपिंडताका लक्षण ऊपर अभी जो लिखचुके सो सामान्यभावसे सूधाजन्मसूत्र क्रम दर्शाया गया वेही लोग परस्पर सरलसपिंड होते हैं और वक्रसपिंड वे कहलाते जिनका तिर्यग्जन्मसूत्रहो (दृष्टांत) जैसे धनी और धनीका बाप भाई भतीजा आदिभी परस्पर सब सपिंड यथाक्रमसे समुभे जाते हैं इसीमें द्वितीय (दृष्टांत) जैसे धनी और धनीका बाप दादा चचा चचेरेभाई आदिभी परस्पर सबसपिंड यथाक्रमसे समुभे जाते हैं इसीमें तृतीय (दृष्टांत) जैसे धनी और धनीका बाप दादापरदादा चचेरादादा पचेराचचा पचेराभाई आदि परस्पर सातपुरुषोंकी अवधितक सपिंड होते हैं और सातके उपरांत वाले धनीके समानोदक होजायेंगे-यहांपर विशेषता यादकरनी योग्य है कि जैसे सरल सपिंड नीचे ऊपर मिलकर सातहुये थे तैसा डौल वक्र सपिंडोंमें नहीं है अर्थात् वक्र सपिंड धनीको आदि लेकर जहां तक सातपुरुषोंकी अवधि पहुँचै तहांतक परस्पर जन्मसूत्रके अनुसार सब सपिंड समुभे जाते हैं कुछ नीचे ऊपरका भेद इनमें नहीं रहता इस व्याख्याके तद्रूप समुभे जानेको सापिंड्य यंत्र कहीं आगे बनकर दर्शित होगा- इतिसापिंड्योदाहरणम् ( अथगोत्रजशब्दव्याख्यानुसारेणपितामहादीनांसपिंडानामधिकारः) पिताकी संतानमेंसे भाईका पोतातक न हो तब इनदेशों में दादाका अधिकार योग्य है और दादाके न होनेमें दादीका और दादी के अभावमें चचा पावें चचाके न होनेमें चचेरेभाई फिर उन भाइयोंके बेटे और बेटाओंके अभावमें पोते पावें-इनकेभी नहोने में धनीके परदादाका अधिकार है परदादाके अभावमें परदादी का उसके भी अभावमें चचेरे दादाका अधिकार है उसकेभी नहोनेमें पचेरे चचाका अधिकार है फिर उन चचाओं के बेटे पोते परपोतेतक अधिकारी यथाक्रमसे होंगे यद्यपि ऐसे चचाके पोते और परपोते ठेठ धनीसे आठवें नववें पदपर हुये और सपिंड केवल सात पद तक होते हैं परंतु सपिंडोंके नहोनेमें समानोदक भागी निश्चित हैं इसलिये ऐसे चचाके पोते और परपोते उसी धनीके समानोदक होकर अधिकारी हुये किन्तु यहाँसे सपिंडोंकी अवधि निपटव्यतीतहुई और समानोदकोंका प्रारंभहुआ जिसका व्यौरैवार विस्तार यहाँनीचे वर्णन करेंगे ( इतिपितामहादीनांसपिंडानामधिकारविचारः ) उक्तव्यवस्थामें यह द्विविधारही जाती है कि अभी ऊपर सगेभाई के पोतातक अधिकार कहकर छोड़दिया और वह पोता ठेठ धनीसे पाँचवें पदपर गिनती है तो फिर छठा सातवां दो सपिंड क्योंकर छोड़ेगये अर्थात् सपिंडता के हिसाबसे सगेभाईका परपोता

सरपोतातक अधिकारी होना संभवथा बल्कि एतद्देशी बिरले ग्रंथकारों ने सगे भाईके बेटातकही अधिकार निश्चित रखकर सगेभाईके पोताको भी दूरकिया तिनके मतसे तीन सपिंड दुर्भागी ठहरे तिसका क्या हेतुहै-समाधान इसका यहीहै कि रिक्थत्वके अधिकार मध्ये जैसे एक सपिंडता परम कारकहै और उसके बीच फिर आसन्नतरता भी अभिव्यञ्जकविख्यातहै तैसेही उपकाराधिक्य भी विशेषकारकहै और उसकाकोई नियम निश्चयात्मक एक नहीं है कि अमुक प्रकारका उपकारहो और यह भी नियम नहीं है कि पहले या पीछेहो किन्तु इसमें यह सिद्धांतहै कि या तो धनहर्तासे धनीका उपकार कुछ आगे को संभाव्य समुभाजावै कि यह उसका धनपाने पीछे अमुकामुक भौतिका उपकार किया करेगा सो यहबात बहुधा नीचेके सपिंडों में संभाव्य होतीहै अथवा कहीं यहबात देखीजातीहै कि पहलेसेही धनीका उपकार बहुधा धनहर्ता करतारहाथा इसलिये उसको धनहरनेका अधिकार अब यथोचित प्राप्तहुआहै यहबात प्रायः ऊपरले सपिंडोंमें समुभी जातीहै-इसीलिये यद्यपि सपिंडताके अनुक्रमसे भाईके पोता उपरांत परपोता सरपोता तक भी अधिकारी होसक्तेथे क्योंकि वेभी निचले सपिंड हैं कि जो ऊपरलोंकी अपेक्षा उत्तम समुभेजाते हैं परंतु धनीसे लेकर छठेसातवें पदपर जाटिकनेसेबहुत दूरी अंतर होकर आसन्नतरता उनमें नहींपाई गई और नकोई ऐसा उपकार उनसे समुभागया कि वे आगेकोही धनीका उपकार कुछ करसकेंगे इसलिये उनके सन्मुख धनीके दादामें अधिकार इसहेतुसे पहुँचायागया कि यद्यपि दादा ऊपरला सपिंडहै तथापि उसमें दो तीन गुण यह उत्तम समुभेगये हैं कि प्रथम तो तीसरे पदका सपिण्ड इस्से धनीका आसन्नवर्ती है दूसरे उसने धनीका पालन पोषण आदि बहुत कुछ उपकार पहले बाल्यभावसेही कियाथा तीसरे दादा का धन भी पिताद्वारा होकर धनीको मिलताहै यह सबसेबड़ा उपकारहै इसलिये द्विविधाखड़ीहोनेका अवकाश इसमेंनहींहै-परदादाकी सन्तानवाले सपिण्डोंकाअधिकार ऊपर कथनहोचुकाहै उनकेसाथ अधोवर्ती दो समानोदक भी आचुकेहैं अब उनकेउपरान्त ऊपरले समानोदकोंमें से परदादाका बाप सरदादा धनकाअधिकारी पहले होसक्ताहै परन्तु यहकहना निपट असंगतहै कि सरदादा धनकोहरै क्योंकि किसी मरेधनीका सरदादा जीताहोना सम्भव नहींहै बल्कि परदादा जिसका अधिकार ऊपरकहागया वहभी प्रायः धनहरनेके समयतक जीतानहीं रहताहै पर उसके अधिकारका सम्पादन करना केवल इसहेतुसे कि जन्मसूत्रके अनुसार जिस जिस पुरुषकेद्वारा धन उतरताहै उसी उसकेद्वारा ऊपरको चढ़कर उसकी सन्तानोंमें पहुँचताहै अर्थात् अब सरदादाकी सन्तानवाले समानोदक यथाक्रमसे धनकोहरेंगे कि जो जो उनमें जीतेहों-समानोदकभी सातऊपर सात नीचे मिलकर चौदह पदितक

विख्यात हैं और यद्यपि धनी बीचमें होनेसे पंद्रह संख्या हो जाती है या विरले लोग धनी नरदादा, तरदादा, करदादा, सरदादा, परदादा, दादा, बाप, धनी, बेटा, पोता, परोता, सरोता, करोता, तरोता, नरोता, को मिलाकर तेरह संख्या निश्चित करते हैं पर कहनेमें चतुर्दशमात्र आते हैं और इनमें भी सपिंडोंकी सी भांति सरलजन्मसूत्र और बक्रजन्म सूत्रके भेद से दो भांति हुआ करती है अर्थात् सूधेजन्मसूत्र के समानोदक जो इस यंत्र में उपस्थित हों वे ही हुआ करते हैं और वक्रजन्म सूत्रके समानोदक सरदादा आदि ऊपरले तीनचार पुरुषोंको भिन्न भिन्न आदि लेकर निजनिज उन्हीं की संतान वाले चौदह २ पुरुषकी अवधि तक समानोदक माने जाते हैं— तिनके अधिकारका (दृष्टांत) जैसे प्रथम सरदादाका अधिकार है उसके न होने में उसीके बेटेका अर्थात् धनीके परदादाके भाईका फिर उसके बेटापोता परोता आदि चौदह शाखा तक सूधेक्रमसे नीचे गिनते चले जाओ जहां तक चौदह पीढ़ी पूरी हो जाय तहां तक धनका अधिकार बनारहता है इसी प्रकार फिर ऊपरको जाकर सरदादाके बापसे प्रारंभ किया और एकके अभाव में दूसरेका अधिकार निश्चित करते हुये चौदह शाखा तक अवधि परीकरी और फिर उल्टे ऊपरको जाकर सरदादाके दादासे प्रारंभ किया और उसीक्रम से चौदह शाखा तक अधिकारकी अवधि परीकरी और फिर उल्टे ऊपरको आकर सरदादाके परदादासे प्रारंभ किया और उसीक्रमसे चौदह शाखा तक नीचेको उतरते हुये अंत्यसमानोदकोंका अधिकार पराकर दिया तिनके उपरांत केवल गोत्रीमात्र कहलाते हैं अर्थात् चाहे इन्हींकी संतानमें से निचले हों या ऊपरले उक्तपुरुषोंके उपरांत सरदादाके दादाका बाप आदि कोई और तिनकी संतानमें से जे कोई हों तिनका अधिकार धनसे हटजाता है किंतु ऐसे गोत्रियोंके होते हुये भी बंधु लोगोंका अधिकार खड़ा होजाता है यह नियम केवल वाराणसी संबंधी आदि देश विभागोंकी अपेक्षामें संसूचित है— यद्यपि योगीश्वर के उच्चारण किये हुये (गोत्रज) शब्द का सामान्य अर्थ लगानेसे चौदह पीढ़ीके उपरांत हो तौ भी उसी गोत्रका सगोत्री हुआ करता है तथापि ऐसे गोत्रियोंमें से सपिंडता और सोदकता निकल जानेसे बहुत दूरी अंतर होकर प्रायः उपकारोंका श्लेष जातारहा इस्से इनके सन्मुख धनीके बंधु लोग यद्यपि अन्यगोत्री हुआ करते हैं पर उनमें उसी धनीकी सपिंडता और आसन्नतरता बनी रहने से उपकाराधिक्य समुभाजाता है इसलिये वे ही बंधु लोग अवधन भागी होंगे (इसव्यवस्था की निर्मलता और दृढ़तापर ध्यान रखकर जिज्ञासु लोग इस अधिकोक्ति पीछे शेषपाठमें भी इसीके न्यूनांग लक्षण देखें ॥ इति गोत्रजशब्दव्याख्यान संदर्भेण वृद्धप्रपितामहादिसमानोदकानामधिकारविचारः (प्रयबंधूनामधिकारः) बंधु या बांधव शब्द यद्यपि पिता माता भ्राता आदि अपने ज्ञाती और गोत्रियों का भी

वाचकहै परन्तु इनसबका दायऊपर वर्णन होचुकाहै इसलिये अब इसबंधु शब्द से वे बान्धव लिये जायँगे कि जो कोई अपने सगौत्रीके उपरान्तभिन्न गोत्रीलागसंबंधी होकर दायके अधिकारी समुझे जातेहों-सो यह बंधु तीन प्रकारके होतेहैं १ अपने बंधु २ पिताकेबंधु ३ माताके बंधुयथाक्रमसे पूर्वपूर्वके अभावमें पिछले पिछले अधिका-री किये जायँगे अर्थात् प्रथम तौ निज धनीकेही बंधु किन्तु फुफेरे आतामौसेरेआता ममेरे आताधनके अधिकारीहैं परइनमेंभी प्रथम फुफेरा फिर मौसेरा फिर ममेराभाई यथाक्रमसे पूर्वपूर्वके अभावसे पासकैंगे-इन तीनोंके न होने में धनीके पिताके फुफेरे मौसेरे ममेरे भाई यथाक्रमसे पूर्व पूर्वके अभावसे पासकैंगे-इनके भी न होने में धनी की माताके फुफेरे मौसेरे ममेरे भाई यथाक्रमसे पूर्व पूर्व के अभावसे धनभागी किये जायँगे-यथोक्तम् ( आत्मपितृष्वसुःपुत्राआत्ममातृष्वसुःसुताः । आत्ममातुल पुत्रा इचविज्ञेयाआत्मवान्धवाः १ पितुःपितृष्वसुःपुत्राः पितुर्मातृष्वसुःसुताः । पितुर्मातुलपुत्राश्चविज्ञेयाःपितृवान्धवाः २ मातुःपितृष्वसुःपुत्रामातुर्मातृष्वसुःसुताः । मातुर्मातुलपुत्राश्चविज्ञेयामातृवान्धवाः ३ ) अर्थ इनका यही है जो अभी ऊपर लिखा गया-यह बन्धुओंकीव्यवस्था वाराणसी सम्बन्धी आदि देशोंकी विख्यात है किन्तु बंगालेकीव्यवस्था आगेबढ़कर वर्णनहोगी(इतिबंधूनामधिकारविचारः) वाराणसीसंबंधी आदि देशोंकी अपेक्षासे बन्धुओंके नहोनेमें धनीके आचार्यका अधिकारहै आचार्य के न होनेमें धनीके शिष्यका अधिकारहै उसकेभी नहोनेमें सब्रह्मचारीका अधिकारहै अर्थात्धनीकासहपाठी जिसकेसाथ धनीनेमिलकर किसी एकहीपाठशालामें एकही गुरुआचार्यसे कुछप्रसिद्धविद्या संग्रहकरीहो और संग्रहसिद्धहोजानेके पश्चात्भी पर-स्पर मैत्रीभाव चलाआयाहो तिसको धनमिलसक्ताहै अन्यथा सहपाठी बहुतहोते हैं कुछ सबकानियम नहीं हैं-इसीप्रकार शिष्यका अधिकार जो इस व्यवस्थामें दर्शाया गया सोभी केवल ऐसे शिष्यकी अपेक्षामें संसूचितहै कि जिसने शिष्यहोजाने के समयसेही गुरुके निकटस्थरहनेकी अवधितकें निरन्तर उसकी योग्यसेवासे उपराम नहींकियाहो और बिना गुरुकी आज्ञा यद्वा किसी परमकारणके उपस्थित होनेविना वियोगभी न रक्खाहो-यद्यपि-मूलवाक्यमें योगीश्वरने बन्धुओंके उपरान्तमें शिष्यका अधिकारदर्शितकियाहै आचार्यके अधिकारका उद्देशनहीं उच्चारणकिया तौभी (आप स्तंव) के वचनानुसार उसका अधिकार सिद्धहोताहै-तथाच(पुत्राभावेयःप्रत्यासन्नःस पिण्डस्तदभावेआचार्यःआचार्याभावे अन्तेवासीइत्यापस्तंवः) अर्थात्-आपस्तम्बने यह स्मृतिकही है कि पुत्रकेअभावमें जोकोई उसका निकटतर सपिण्डहो सो धनपात्र पर जब सभीसपिण्डोंका अभावहो किन्तु बन्धुओंमें भी कोईसा सपिण्ड जिसका न हो तौ फिर आचार्यका अधिकारहै क्योंकि रिक्थित्वके अधिकारमध्ये उपकाराधिक्य

बड़ाहेतुहै और धनीकाउपकार बहुधा आचार्यसेभी होताथा क्योंकि (उपनीयददद्वेद  
 माचार्य्यःसउदाहतः) इसलिये पहले आचार्यका अधिकारहै तिसपीछे अंतेवासी  
 नाम शिष्य पावै(और) मनुनेभी यहीअनुक्रम कहाहै कि (आचार्य्यःशिष्यएववा)इस  
 में पहला पीछाभी प्रत्यक्षजानाजाताहै परन्तु इसीपदके अन्त्यस्थ (वा) शब्दको विक-  
 ल्पार्थमें लेलेनेसे पहले पीछेका कुछनियम नहींरहता किन्तु चाहे दोमेंसे कोई पहले  
 पावै सो इस विकल्पसे यह ध्वन्यर्थ पायाजाताहै कि जिसधनीका शिष्य और आचा-  
 र्य दोनोंही उपस्थितहों तौ इसबातकानिर्णयकरना आवश्यकहै कि उसधनीके जीतेजी  
 तक अधिकतरउपकार उसका शिष्य या आचार्यसे होतारहाथा उसीको धनभागी  
 करना योग्यहै क्योंकि ऐसे निर्णयके करनेविना यद्यपि आचार्यका अधिकार पहले  
 गौरवतासे संसिद्धहोताहै तथापि इसविकल्पकाहेतु एकयहीहै कि शुश्रूषाआदि जो  
 उपकार बहुधा शिष्योंसे बनिआते हैं तिनके सन्मुख ऐसेअवसरमें आचार्य्यकृत  
 उपकार बहुधा तुल्यात्मक नहीं पायेजासक्ते हैं बल्कि इस गंभीरआशयके हेतुसेही  
 योगीश्वरने आचार्यका अधिकार नहींरक्खा किन्तु बन्धुओंसे अनन्तर केवल शिष्य  
 का अधिकार दर्शितकियाहै-यथा (गोत्रजोबन्धुःशिष्यः) क्योंकि शिष्योंकेउपकार  
 और लक्षण प्रायशुपुत्रों के ही तुल्य हुआकरते हैं इसी से धनपाने के पश्चात् भी  
 उपकार उनसे संभवहै अर्थात् शिष्योंकोभी पिंडदान करनेका अधिकार और अव-  
 काश ठेठपुत्रोंके समान घंटाघोषहै (पर)विरला शिष्यविरले अवसरमें कुपात्र समुभा  
 जानेपर यदि उसके सन्मुख धनीके आचार्य्यका उपकार उत्तम समुभाजाय तौ फिर  
 आपस्तंबके वचनानुसार पहिले उसीका अधिकार निश्चितहोगा इस्से मनुने निज  
 वाक्यमें इनदोनोंकी अपेक्षा एक विकल्प दर्शित कियाहै कि जैसा अवसर देखाजाय  
 उसी अवसरके अनुकूल व्यवस्था मानीजाय अन्यथा दोनों के उपकाराधिक्योंकी  
 तुल्यता पाईजानेपरभी शिष्यमें स्वाभाविक एकउत्तमताहै कि(सांघट्टिकन्याय)के अनु-  
 सार धनीका आचार्य्य पितृस्थानी समुभा जानेके हेतुसे ऊपरले तनका संबंधी है  
 और शिष्य पुत्रस्थानी समुभा जानेके हेतुसे निचलेतनका संबंधी है और दायके  
 अधिकारमध्ये ऊपरलोंसे निचले तनवालेंलोग उत्तम समुभे जाते हैं-यथोक्तं (दाये  
 तूर्ध्वतनाज्यायान्संबंधोऽधस्तनःशिवे) (इत्याचार्यादीनामधिकारविचारः)इनकेभी नहोने  
 में उस भाँतिके सगोत्रीलोग अधिकारी होसक्ते हैं कि जोउस धनीके पूर्वोक्त चौदह  
 पीढ़ीसे उपरांतमें सगोत्रीमात्र समुभेजातेहों परंतु उनमें वेहीधनको पासक्तेहैं कि जो  
 उसधनीके समीप अथवा ग्रामके निवासीहों और उसधनीसे कुछमैत्री आदि संसर्ग  
 रखतेहों-इनकेभी न होनेमें उसभाँतिके सजातीलोग जो उसधनी के समान प्रवरहें  
 और उसकेही समीप अथवा ग्राम के निवासी होकर धनी से कुछ मैत्री आदि

संसर्ग रखतेहों धनको पासक्ते हैं सोयह नियम गौतमके अग्रोक्त वाक्यसे संसिद्ध है-  
 यथा(पिण्डगोत्रार्थसम्बन्धा ऋक्थंहरयेरुरितिगौतमः ) इनसबलोगों के नहोने में उस  
 भाँतिके श्रोत्रिय ब्राह्मणभी अधिकारी हैं कि जो उसधनीके ग्रामस्थ या संसर्गीहों सो  
 यह नियम केवल ब्राह्मणकेही धनमें इस अग्रोक्त गौतमके वचनानुसार घंटाघोषहै-  
 तथाच (श्रोत्रियाब्राह्मणस्यानपत्यस्यरिक्थंभजेरन्नितिगौतमः) श्रोत्रियोंके अभाव में  
 औरभी विद्वान् और सामान्यविप्र यह धन हरनेके अधिकारी हैं-यथाहमनुः(सर्वेषा-  
 मप्यभावेतुब्राह्मणाधनहारिणः । त्रैविद्याःशुचयोदांताएवंधर्मो नहीयते ) अर्थात् मनु  
 ने यहकहाहै कि पूर्वोक्त सबअधिकारियोंके नहोनेमें उसग्रामके त्रैविद्यविप्र जो जो  
 दांत और शुचिहों धनकोपावें और वेही पिण्डदेवें तौ इसभाँतिसेभी धनीके श्राद्ध-  
 दिक धर्मकी हानि नहीं होसक्ती है श्राद्धआदि कर्मकरनेका अधिकार धनभागी  
 होनेके हेतुसे सामान्यभाव सबकोहुआकरताहै-यथाहसदाशिवः ( येयस्यधनहर्ता  
 रोभवेयुर्जीवनावधि । दद्युःपिंडंतएवास्यशैवभार्यासुतंविना ) अर्थात्-जे कोईलोग  
 जिस के धनहारी हों वेही अपनी जीवन अवधिताई उसके पिण्डदेवें पर जो  
 शैवीपत्नी या शैवीपत्नीके पुत्रोंने धनपायाहो तौभी उनको पिण्ड देनेका अधिकारनहीं  
 है-उर्ध्वोक्त सब अधिकारियोंके अभावमें उसदेशका राजाही धनहरनेका अधिकारीहै  
 परन्तु ब्राह्मणका धन छोड़कर हरसक्ताहै-यथाहमनुः (अहार्य्यब्राह्मणद्रव्यंराज्ञानित्य  
 मितिस्थितिः । इतरेषांतुवर्णानां सर्वाभावेहरेन्नृपः) नारदनेभी ब्राह्मण धनका अपवाद  
 दर्शित कियाहै-यथा(ब्राह्मणार्थस्यतन्नाशेदायादश्चेन्नकश्चन । ब्राह्मणायैवदातव्यमेत  
 स्वीस्यान्नपोऽन्यथा) परन्तु ब्राह्मण धनके सिवाय अन्य क्षत्रियादि सभी लोगोंकाधन  
 इसदशामें केवल राजाही लेसक्ताहै अर्थात् उसमें ब्राह्मणका अधिकार नहींहै क्योंकि  
 (इतरेषांतुवर्णानां सर्वाभावेहरेन्नृपः) यह मनुवाक्य इसमें प्रमाणहै-यद्यपि-पिंडदानका  
 अधिकार उसकाधन हरनेके हेतुसे कुछ राजापर संसूचित नहींहै परतौभी उसकेधन  
 में से वेतन देकर और्ध्वदैहिक आदिकर्म राजा कर्त्रन्तरसे करवानेका अधिकारीहै  
 और पीछेभी उसधनीके अभ्यस्तवा कर्त्तव्य धर्म कर्मोंका संरक्षण उसीधनकी बहुता-  
 इतके अनुसार करना सभीको सामान्यहै-यथाहसदाशिवः-(योयस्यधनहर्तास्यात्सत  
 द्धर्माणिपालयेत् । संरक्षेन्नियमांस्तस्यतद्वन्धून्परितोषयेत्)-अर्थात्-जोकोईजिसका  
 धनपावै किन्तुचाहे जीतेका या मरेकाधनपावै सो धनहर्ता उसके धर्मोंका परिपालन  
 करै और उसधनीके सब नियमोंका संरक्षण यथासम्भव यथा अवसर के अनुकूल  
 सदाकरतारहै और उसधनीके बन्धुओंका भी पालन और परितोषकरै तौ धनहरने  
 वालाभी धनपानेका फलपाताहै सिद्धान्त इसका यहकि जो जो काम धनीको जीतेजी  
 कर्त्तव्यथे या जिन उत्तम कामोंका अभ्यास वह उत्कर्षा साथरखताथा यथासम्भव



उसके पीछेभी उनधर्मों तथा नियमोंकी हानिनहीं होनेपावै तौ मृतधनीके धन पाने वालेको फलदायक होताहै (इतिवाराणस्यादिदेशानां व्यवहारविचारः) यहीव्यवस्था मैथिल देशमें भी समुभौ परउस देशकी परिपाटीवाले ग्रन्थोंसे बिरले नियमोंमें कुछअन्तरहै (दृष्टांत) जैसे पहलेभी लिख चुके हैंकि दौहित्रोंका अधिकार उनके नहींहै और पिता के अधिकार स्थलपर पहिले माताका अधिकार सच्चारखते हैं या दादाके अधिकार स्थलपर पहिले दादीका इत्यादि बिरले और भी कुछ अन्तरहै कि जिनका ब्यौरा लिखना यहाँकुछ आवश्यक नहींहै क्योंकि मिथिलानाम नगरीमें मिताक्षराके सिवाय ग्रन्थ कुछ और भी विवाद रत्नाकर विवाद चिन्तामणि विवाद चन्द्रादि जो वर्त्तावेमें आतेहैं तिनके कर्त्ताओंने जो सम्मत अपना रक्खा सो उसदेशमें स्वीकारहै-दक्षिण देशोंमेंभी- बिरले ग्रन्थोंके अनुसार बिरले नियमोंमें कुछअन्तर यद्यपि आताहै पर और व्यवस्था आद्योपान्त जोकुछ वाराणसी सम्बन्धी देशविभागोंकी अपेक्षा ऊपर वर्णनहुई सो सब उनदेशोंमेंभी तद्रूपहै (अथबांगदेशस्यविशेषव्यवस्थासंक्षेपः) बांगदेशियों की व्यवस्थामें-कुछ बहुतबड़ा अन्तरहै वहअन्तर यहाँसमस्त ब्यौरा लिखाजानेसेही विदितहोगा और उस अन्तरका यहडौलहै कि ऊपरले तनमें सपिण्डमात्र बापदादा परदादा तकही तीनपीढ़ीमें धनजाताहै फिर लौटिकर परगोत्रमें नानाआदि ऊपरले तीन सपिण्ड निज निज सन्तानों सहित पायाकरतेहैं और बन्धुओंमेंसे कुछबन्धुपहले अपने गोत्रके सपिण्डों साथ गिनतीमें आजातेहैं और कुछ बन्धु परगोत्रके सपिण्डों साथ अधिकारी हुआकरतेहैं और कुछबन्धु झूटजातेहैं वे किसीकेभी सांथनहींपाते बल्कि उनके बदले धनीकी ननसारवाले बहुतसे अधिकारी हुआकरते हैं तिनसबके पीछे लौटिकर फिर अपने गोत्रके समानोदकलोग अर्थात् धनीके सरपोताको आदि लेकर निचली तीनशाखा और धनीके सरदादाको आदिलेकर ऊपरली तीनपीढ़ी धनको पातीहैं तिसपीछे आचार्य शिष्य सहपाठी क्रमसे पायकर फिरअपनेही अनासन्न सगोत्री और समानप्रवर और त्रैविद्य विप्रआदि अधिकारी होते हैं-तिनका स्पष्टव्यौरा दायक्रम संग्रह ग्रन्थके अनुसार यहाँदेखो-यथा-प्रथम पुत्रादिक सन्तानमें परपोतातक अभाव होजानेसे धनीकीपत्नी मालिकहोतीहै तिसपीछे पुत्रियां फिरदौहित्र फिरउस धनीकावाप और माता फिर भाई फिर भतीजे फिर भतीजों के पुत्र फिर भानजे अर्थात् वापके दौहित्र फिर भ्राताके दौहित्र अर्थात् भतीजीकेपुत्र चचरेनाना काधनपाते हैं इतनेसब अधिकारियोंकी व्यवस्था पहले निज निज स्थलपर भी ब्यौरे-वार वर्णन होचुकीहै अबइन से उपरान्त के अधिकारियों का क्रम दर्शाया जाताहै कि भतीजीके पुत्रोंका अभाव होजानेपर उस धनीका दादा धनको पावै दादाके नहोने में दादीका अधिकारहै दादीके न होनेमें उसधनीके काका चाचा अर्थात् दादी दादाके

पुत्र धनको पावें उनके भी अभावमें, दादी, दादाके पोता धनको पावें उनके भी अभाव में दादी, दादाके परपोता धनको पावें उनके भी अभावमें दादी, दादाके दौहित्र किन्तु धनीके फुफरे भाई धनको पावें उनके भी न होने में काका चाचाके दौहित्र किन्तु धनीके चचेरे भानजे धनको पावें उनके भी न होनेमें धनीका परदादा फिर परदादी धनको पावें उनके भी न होने में परदादा, परदादी के पुत्र अर्थात् धनीका चचेरादादा धनको पावें तिस पीछे उसी चचेरे दादाके पुत्र धनको पावें उनके भी न होने में चचेरे दादाके पोता धनको पावें उनके भी न होने में परदादा, परदादी के दौहित्र किन्तु बापके फुफरे भाई धनको पावें उनके भी न होने में चचेरे दादाके दौहित्र किन्तु चचेरी फूफू के बेटा धनको पावें-इनसब लोगों के अभाव में-फिर उसी क्रम से धनीका नाना और नाना के बेटा पोता परपोता तक न होने में दौहित्र किन्तु धनीके मौसरेभाई पावें इनकेभी न होनेमें परनाना और परनानाके बेटापोता परोता दौहित्र तक अधिकारहै इनकेभी न होनेमें सरनाना और सरनानाके बेटापोता परोता दौहित्र तक धनभागी होतेहैं-इनकेभी न होनेमें-फिर लौटिकर अपने कुलमें सकुल्य मात्र जो समानोदक संज्ञासे विख्यात हैं वेलोग यथाक्रमसे धनकोहरें सोयह सकुल्य अर्थात् समानोदकलोग पूर्वोक्त सात पीढ़ियोंसे नीचे ऊपरके भेदसे दोभाँतिके होतेहैं अर्थात् धनीके बेटापोता परपोतातक सपिंडोंका अधिकार पहले कहागया तिनकेनीचे प्रथम सरपोताको आदिलेकर यथाक्रमसे तीनपीढ़ीतक जोकोई जीताहो वही धनको पावें इनतीनोंके नहोनेमें ऊपरले सकुल्य अर्थात् सरदादाको आदिलेकर तीनपीढ़ी ऊपरली यथाक्रमसे निजनिज संतानों सहित पूर्वपूर्वके अभावमें पिछला पिछलापावें (संतानों सहित कहनेका यहभावहै कि उनके दौहित्रभी पूर्वोक्त रीतिके अनुसार भागी होंगे-इन सकुल्योंके न होनेमें-आचार्यका अधिकारहै तिसपीछे शिष्यका फिर सब्रह्म चारीनाम सहपाठीका फिर इनकेभी न होनेमें निजअपनेही सगोत्रजलोग जोऊर्ध्वोक्त चौदह पीढ़ीके उपरांत चाहेनीचे अथवा ऊपर वालोंकी संतानमेंसेहों और धनीकेही ग्रामके निवासीहों तिनकाभी आसन्नतरतासे अधिकारहै सगोत्रोंके न होनेमें समान प्रवर जो निजग्राम के निवासीहों धनकोपावें फिर विद्वान् विप्रोंका अधिकार केवल ब्राह्मणकेही धनमेंहुआ करताहै प्रथमअपने ग्रामके निवासी विप्रपावें तिनकेभी अभावमें परग्रामके निवासीपावें (परंतु) जोब्राह्मणसे व्यतिरिक्त किसी और जातिकाधन होतौ फिर सगोत्र और समान प्रवरोंके अभावमें उसदेशका राजा धनकोहरे किन्तु विप्रोंका अधिकार उसमें नहीं है ॥

अथकेषांचित्पूर्वोक्ताधिकारविशिष्टानामधिकारिणामनुवादविशेषप्रदर्शनहे

तुत्वादाधिकोक्तेः(शेषपाठ)नामकःसप्तपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५७॥

इससत्तावन संख्याके परिच्छेद शेषपाठनामकमें बिरलेउन्हीं अधिकारियोंके अधि-  
कारमध्ये कुछअनुवाद वर्णनहोगा जिसके अवलोकनसे ऊपरले परिच्छेदमें निर्मलता  
पाईजाय केवल इसीप्रयोजनसे यह शेषपाठ कल्पितहुआ अन्यथा कल्पित होनेकी  
अपेक्षा शेषनहींथी ( तत्रप्रथमंपत्न्यनुवादः ) निपूतेका धन पत्नीकोही मिलताहै और  
मिलनेका अधिकार सच्चीरीतिसे संसिद्ध ऊपर हुआहै-तथापि बिरले वाक्योंसे प्रत्यक्ष  
विरोध आता है और बिरले ग्रंथकारोंका सिद्धांत समुभा जानेविना द्रष्टा लोगोंको  
निरर्थक भ्रमउत्पन्न होताहै इत्यादि शंका शांतिके प्रयोजनसे उनवाक्योंको दर्शातेहैं—  
यथा ( भ्रातृणामप्रजाःप्रेयात्कश्चिच्चेत्प्रव्रजेतवा । विभजेरन्धनंतस्यशेषास्तेस्त्रीधनंवि  
ना ॥ भरणंचास्यकुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षंतिशय्यांभर्तुश्चेदाच्छिद्युरितरा  
सुतु इतिनारदः)अर्थात्-नारदका यहकथनहै कि भाइयोंमेंसे यदिकोई एकनिपूतामर-  
जाय या संन्यासी होजाय तौ उसभाईकाधन शेषभ्राता बाँटिलेवें परउसकी स्त्रियोंका  
धनछोड़दें और उसकी स्त्रियों का भरण पोषण जीवन अवधिताई करें परंतु उन्हीं  
स्त्रियोंकाकरें जो अपनेभर्ताकी सेजको दुर्नामता नहीं पहुँचावें किंतु जो व्यभिचारिणी  
हों तिनका भरण करने से उपेक्षाकरें-नारदके इसकथनसे पत्नीका अधिकारही नहीं  
पायागया किन्तु पत्नीके होतेहुये भाइयोंका अधिकार ठहरा-मनुवचनंतु(पिताहरेदपु  
त्रस्यरिक्थंभ्रातरएववा)इसमेंभी पत्नीकाअधिकार नहींठहराकिन्तु निपूतेका धनपिता  
हरै या भैयेहरै यहविकल्प वापवेटोंमें दर्शायागया-पुनरपिमनुः(अनपत्यस्यपुत्रस्यमा  
तादायमवाप्नुयात् । मातर्य्यपिचवृत्तायांपितुर्माताहरेद्धनम् )इसवचनमें मनु यहकहते  
हैं कि निपूते पुत्रकाधन मातापावै और जो माताभी मरगईहो तौफिर पिताकी माता  
किन्तु दादी धनकोहरै-शंखवचनम् (अपुत्रस्यस्वर्यातस्यभ्रातृगामिद्रव्यंतदभावेपित  
रौहरेयातां ज्येष्ठावापत्नी) इसवचनमें शंखजीने सबसे पहलेभाईका दाय फिर पिता  
माता फिरबड़ीपत्नीका अधिकारकहा जोकुछ शंखने क्रमकहा वहीउनकेभाई लिखित-  
नेभी और पैठीनसि और यमनेभीयथावत् यहीकहाहै-कात्यायनवचनम्(विभक्तेसंस्थि  
तेद्रव्यंपुत्राभावेपिताहरेत् । भ्रातावाजननीवाथमातावातत्पितुःक्रमात्)इसमेंकात्यायन  
जीने पत्नीका नामतकभी नहींरक्खा किन्तु ऐसाक्रम दर्शाया है कि जोपुरुष अपना  
धन बाँटिकर जुदाहोचुकनेपीछेमरै और पुत्रादिक सन्तान उसकेनहो तौ फिर पिता  
धनकोहरै या भ्राताहरै या जननीहरै या उसकेपिताकीमाता धनकोहरै इनमें पूर्वके  
नहोनेमें पिछला यथाक्रमसे दायपावै-देवलवचनम् (ततोदायमपुत्रस्यविभजेयुःसहोद  
राः । तुल्यादुहितरोवापिधियमाणःपितापिवा ॥ सवर्णाभ्रातरोमाताभार्याचेतियथाक्र

मम् ) इसमें देवलजीने यहक्रमरक्खाहै कि पुत्रादिकोंके अभावमें निपूतेकाधन सहो-  
 दर भाईवाँटिलेवें या उनकेभी अभावमें सजातीपुत्रियाँ बाँटिलें या यदि पिताजीता  
 हो तौ वहलेवै अथवा सौतेलेभाई जो सजातीहों वेहीपावें इनकेभी न होनेमें धनी  
 की माता पावै माताभी नहोतब सबसे पीछे भार्यापावै-इत्यादि और भी अनेकवाक्य  
 हैं कि जो उस पूर्वोक्त ठीक व्यवस्थासे विपरीत और परस्पर भी सब एकसे एक वि-  
 रुद्ध हैं तिन सबका एकीभाव करिके धारेश्वरग्रंथकारने व्यवस्था अपनी समुभसे  
 सुडौल करिके दर्शाईहै (अथधारेश्वरोक्तिः) धारेश्वर कहते हैं कि पत्नीको धनपानेका अ-  
 धिकार जो योगीश्वर आदि बहुधा आचार्योंने संसिद्ध किया सो उसदशामें योग्य हो-  
 सक्ता है कि जो स्वर्यातू अपने बाप भाइयों से धनवाँटिकर जुदाहोचुकाहो और  
 धनवाँटेपीछेभी उनमें न मिलगयाहो और पत्नी उसकेमरेपीछे नियोग करनाचाहे  
 किन्तु देवरआदिसे बीजलेनाचाहे अर्थात् जो पत्नी उसकेमरेपीछे बीजलेना न चाहे  
 तौ उसपत्नीको केवल भरण पोषणमात्र उंसीप्रकार मिलनाचाहिये जैसे अविभक्त  
 या संसृष्टीपतिकीपत्नी पायाकरतीहैं-और जो कदाचित् कोई ऐसेतर्कसेबूझै कि यह  
 बात कहाँसे सचावटपासक्ती है कि नियोगकी इच्छासेही धनमिलै क्योंकि स्वतंत्रा  
 पत्नीको धनभागित्व कहीं लोक और शास्त्रमेंभी नहीं है तौ यह उत्तर देनाचाहिये कि  
 (निपूतेकाधन पिताहरै या भ्राताहरै) इसवचनके अभिप्रायसे यहबात पाईजातीहै-  
 तहाँ कुछव्यवस्थाका कारणभी कहनाचाहिये यदि ऐसा कोई बूझै तौ यहउत्तरहै कि  
 और कोईभी व्यवस्थाकाकारण इसमें नहीं है इस्से यहबात जो उसवचनके अभि-  
 प्रायसे पाईगई सो सबठीकहै और गौतमजीकेवचनसेभी ठीकहै तद्यथा(पिण्डगोत्र  
 षिसम्बन्धारिकथंभजेरन् स्त्रीवानपत्यस्यबीजंलिप्सेत् ) अर्थात्-गौतमने कहा है कि  
 निपूतेका धनउसके सपिंडलेवें या सगोत्रीलेवें या ऋषिप्रवर संबंधीजनपावें या स्त्रीही  
 धनकोलेवै पर जो नियोग द्वारा बीजलेवै-और यहभावमनुने दर्शाया है कि( धनयो  
 विभ्याद्भ्रातुर्मृतस्यस्त्रियमेववा । सोऽपत्यंभ्रातुरुत्पाद्यदद्यात्तस्यैवतद्धनम् ) अर्थात्-  
 जोकोई अपनेमरे भाईका धन और भार्यारक्खै सो भाईकेही निमित्तकी संतान उत्पा-  
 दनकरिके वह धन उसीको देदेवै-धारेश्वर कहते हैं कि मनुने इसवचनसे यह भाव  
 दर्शायाहै कि सबोंका धन वाँटे पीछे भी किसीभाई के मरजाने में उसका धन पत्नीको  
 संतानकेही द्वारा पहुँचसक्ताहै अन्यथानहीं (यवीयान्ज्येष्ठभार्यायांपुत्रमुत्पादयेद्यदि ।  
 समस्तत्रविभागःस्यादितिधर्मोव्यवस्थितः) अर्थात्-जहाँछोटाभाई बड़ेभाईकी भार्या  
 में पुत्रपैदाकरै तहाँ उसभतीजे और चचाका वरावर भागहोवै यह धर्म सर्वथा नि-  
 षिचत है-अभिप्रायइसका यह कि निपूते भाईकी पत्नीको नियोगद्वारा पुत्रपैदाकिये  
 विना धनका प्राप्तहोना दोनों दशामें नहीं है चाहे धनका वाँट होचुकाहो या साभाहो

यह सब धारेश्वर अपनी युक्ति व्यवस्थामें कहते जाते हैं कि-तैसेही-वसिष्ठने भी कहा है कि (रिक्थलोभान्नास्तिनियोगः) अर्थात्-पतिकादाय पानेकेलोभसे नियोगनहीं है-अभि-प्राय इसका धारेश्वर कहते हैं कि नियोगका निषेध करतेहुये वसिष्ठने यह भाव इसमें दर्शाया है कि पत्नीको पतिकादाय नियोगकेहीद्वारा मिलसक्ता है अन्यथा नहीं-और-नियोगकेअभावमें पत्नीको भरणमात्र मिलसक्ता है जैसा नारदनेकहा है-तथाच(भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात्) अर्थात्-उसकी स्त्रियोंका भरण भी जीवनपर्यंत वे सभी भ्राताकरें जिन्होंने धनहराहो-और-आगे योगीश्वर याज्ञवल्क्यभी १४६ वाले श्लोकसे कहेंगे कि-इनकी निपूती योषितायें जो सुमार्गवालीहों भरणे योग्य हैं किंतु व्यभिचारिणी और प्रतिकूला निर्वास्य हैं-इस्से कोई भाँति निपूती स्त्रीको धनभाग देना नहीं निश्चित है-इसके सिवाय-द्विजाती लोगों का धन यज्ञार्थ कहलाता और स्त्रियोंका अधिकार यज्ञ करनेमें नहीं है इसहेतुसे भी धन हरना उन को अयुक्त है-तथाचकेनापिस्मृतम् ( यज्ञार्थं धनमुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्तुये । अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छादनभाजनाः । यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत् ॥ स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्री मूर्खविधर्मिषु) अर्थात्-किसीने ऐसा नियम स्मृतकिया है कि द्रव्य यज्ञार्थ पैदा हुआ है इसलिये जे कोई प्राणी यज्ञोंके अधिकारी नहीं हों वे सभी प्राणी अरिक्थभाक् अर्थात् दाय पानेके अधिकारी नहीं हैं केवल अन्नवस्त्रपाने के अधिकारी हैं जब कि धन जो है सो यज्ञकेही निमित्त कहा गया है इसहेतु से उसको धर्मजुष्ट स्थानों में लगावै किन्तु स्त्री और मूर्ख या विधर्मियोंको न देवै-इत्यादि सबकारणों से कोई भाँति स्त्रीको धनभाग मिलनेका अधिकार नहीं पायाजाता (इति धारेश्वरोक्तिः) यह व्यवस्था धारेश्वरने अपनी युक्तिसाथ खँचतानिकर पक्कीकरी पर तौ भी निपट निरर्थक जानो किन्तु कोई भाँतिसे न्यायात्मक नहीं है-क्योंकि-जो समस्त स्त्रीमात्रकोही यज्ञादिका अधिकार न होनेसे धनभागित्व नहीं मानाजाय तौ फिर माताको भी पुत्रोंके साथमें पिताके जीवते और मरेपीछे भी पुत्रोंके समान अंश जो देना कहा गया सोभी भूँठा होजावै क्योंकि माता भी स्त्रीजाति और यज्ञकरने की अधिकारी नहीं है इस्से उसको भी क्यों देना चाहिये-कदाचित् धारेश्वरकी ओरसे यह उत्तर दियाजावै कि वह केवल अंशमात्रकी मर्यादा है यहाँ पत्नीको सब धनका दाय हरनेकी चर्चा है इसलिये वह नियोग धर्म के चाहे विना नहीं पासक्ती है (तौभी) यह उत्तर है कि यहाँ पर ( पत्नी दुहितरश्चैव ) इत्यादि मूलश्लोक जिनपर इतनी व्याख्या चली आती है तिनमें नियोग का चर्चा नहीं प्रतीत होसक्ता किन्तु नियोगका प्रसंगही यहाँ नहीं है-और भी -यह बात वूभी चाहिये कि जब नियोगही आपकहते हैं तौ फिर पत्नीको धनहरने मध्ये केवल नियोग मात्र बड़ा कारण है या उस नियोगसे पैदाहुए संतान बड़ाका-

रणहै किन्तु जो नियोगही को निमित्त बड़ामानोगे तबतो प्रत्यक्षहै कि पुत्र पैदाहुये विनाही धन मिलना चाहिये क्योंकि जब देवर से सङ्गमहोगया तब तत्कालही धनका अधिकार पैदाहुआ फिर चाहे उस नियोगसे पुत्रपैदाहो या नहो परधन उसके हाथ में आगया तौफिर क्योंकर आप कहते हैं कि स्त्रीको धनभागित्व नहीं है या पुत्रकेही द्वारा हुआ करताहै (अथवा) जो नियोग शब्दके उपलक्षण मात्रसे यहकहोगे कि पुत्र पैदा होनेपरही धन मिलना चाहिये किन्तु जो नियोग के होनेपरभी पुत्रकी उत्पत्ति निपट नहो तौधनभी नहीं मिलना चाहिये क्योंकि पुत्रही धनका अधिकारीहै तौफिर आपको यहभी उत्तर देना चाहिये कि जब सर्वथा पुत्रही धनका अधिकारी ठहरातौ योगीश्वर याज्ञवल्क्यने (पत्नीदुहितरः) इत्यादि वचनमें सबसे पहले पत्नीकाही नाम क्यों उच्चारण किया पुत्रहीकानाम रखना चाहियेथा परन्तु क्योंकर पुत्रकानाम रक्खा जासक्ताथा प्रथम औरसपुत्र और पोता और परपोतातक अभावहोजानेपीछे द्वादश गौण पुत्रोंका अधिकारठहरा गौणपुत्रोंके भी निपट न होनेमें यहपत्नीका अधिकार खड़ाहुआ तिसमें आप अपत्यद्वारक अधिकार कल्पित करतेहो यहवात निपटवृथा और तुषकएडनहै-इसपरभी कदाचित् ऐसा आग्रह खड़ा करोगे कि हमारी दृष्टिसे स्त्रियोंको धनका सम्बन्ध या तौ पतिकेद्वारा या पुत्रकेद्वारा होसक्ताहै अन्यथानहीं (तौ) यहवातभी असङ्गतहै क्योंकि एकपत्नीके सिवाय और भी सबसाधारण स्त्रीमात्रको छःप्रकारका धनसम्बन्ध तौ नियमसेही निश्चित है-तद्यथा-अध्यग्न्यध्यावाहनिकंद तञ्चप्रीतिकर्मणि । भ्रातृमातृपितृप्राप्तंषड्विधंस्त्रीधनंस्मृतम् ) अर्थ इसका आगेवद करदेखो स्त्रीधनके परिच्छेदमें यहछःप्रकारके स्त्रीधन मनुनेकहे और और भी कईप्रकारके स्त्रीधनहोतेहैं सबकाव्यौरा विस्तारसहित स्त्रीधनके परिच्छेदमें आवैगाध्यानकरो कि इस मर्यादिक वार्ताका विरोधी वात क्योंकर मानीजासक्ती है कि स्त्रीमात्रको धन का अधिकार नहीं बल्कि पत्नीके पश्चात् दुहिताओंकाभी अधिकार इसउत्कर्षासाथ कहा गयाहै किजबतक एक दुहिताभी जीती रहै दौहित्रोंका अधिकार तबतक नहीं है फिर क्योंकर पुत्रद्वारक अधिकार माना जाय-और सबसे पहले एक इसवात पर दृष्टि करनी चाहिये कि सभी प्रकारके पुत्रोंका अभाव हुये पीछे यह (पत्नी दुहितरः) इत्यादि वचन उच्चारण कियागयाहै तिसमें जो नियुक्तानाम नियोगवती पत्नीको धन संबंध कहा होता तौ यह क्षेत्रजपुत्रका धन संबंध ठहरता सो क्या दो दो बार कहते किन्तु क्षेत्रज पुत्रका धन संबंध पहलेही बारह पुत्रोंके साथमें कहचुके हैं यहाँपर निपट निपूतेका धन संबंध पत्नी को ठहराया गया तिसमें फिर नियोग या क्षेत्रजपुत्रसे अपेक्षा कहां रही-और जो-गौतमके वचनानुसार धारेश्वर कहते हैं कि नियोगके करने सेही स्त्रीको धन सम्बन्ध होसक्ताहै अन्यथानहीं सो यहकथनभी असंगतहै क्योंकि



उसीवचनके आशयसे नियोगविनाभी धन सम्बन्धपत्नीको पायाजाताहै-यथा(पिंड गोत्रर्षिसम्बन्धा रिक्थंभजेरन् स्त्रीवाऽनपत्यस्य बीजंवालिप्स्येत् ) अर्थात्-गौतम के इसवचनका यह अर्थान्वयहोता है कि-पिंडसंबन्धी गोत्रसंबन्धी ऋषि प्रवरसंबन्धीलोग निपूतेका धनभोगें या यदि स्त्रीउसकी मौजूदहो तो स्त्रीही धनभोगें और वह स्त्री जो मुनासिवसमुभे तौ देवरआदिसे बीजभीलेलेवै यद्वा नहीं मुनासिवसमुभे तौ उसको अखतियारहै-परंतु यह आशय इसमें नहींहै कि बीज नहींलेवै तौ धनभी नहींपावै- और मुनासिव समुभे जानेका यहभावहै कि आगेको अपनी बंशनाठि होजाने और पतिकाधन विराना होजानेके शोचसे अगर ऐसासंभवहो कि बीजलेने से संतान हो सकैगी तो बीजलेलेवै या ऐसासंभवहोवे कि बीजके लेने से भी संतानहोनी दुर्घट है तौ फिर बीजका लेनाभी मुनासिव नहींहै यह आशय गौतमने दर्शाया है परंतु बीज के लेनेविना धनहरनेका निषेध नहीं किया-और मनुकेभी वचन से नियोगविना सर्व धन हरनेकी अधिकारिणी पत्नी होती है-तद्यथा ( अपुत्राशयनंभर्तुःपालयंतीव्रते स्थिता । पत्येवदद्यात्तपिंडंकृत्स्नमंशंलभेतच ) अर्थात्-निपूतीपत्नी भर्ताकी सेज पालन करतीहुई नियमसे रहनेवाली पत्नीही उसको पिंडदेवै और सबधनभी उसका पावै-जो कि एक वसिष्ठके इसवचनसे कि ( रिक्थलोभान्नास्तिनियोगः ) यहबात पाई जातीहै कि रिक्थके लोभसे नियोग नहींकरना चाहिये (सो) यह प्रतिषेध केवल उसके लिये कियाहै कि जिसका भर्ता अपने भाइयोंसे जुदानहो या जुदाहुये पीछे फिर मिलगया हो और वहसांभे में धन छोड़कर मरजावै तौ ऐसे धनमेंसे भाग अगर पुत्र होतातौ पासक्ता पर निपूती भार्याको ऐसे धनका भागपानेमें अधिकारनहींहै इसलिये उसको ऐसेरिक्थके लोभसे नियोगभी न करना चाहिये-जोकि धारेश्वरने नारदकावह वचन दर्शायाथा कि उसनिपूतेकी स्त्रियोंका पालनमात्र उनकीआयुभर करनाचाहिये (सोभी) उसीकी स्त्रियोंका चर्चाहै जो अपने भाइयों के सांभेमें धनछोड़ मराहो-यथा (संसृष्टानांतुयोभागस्तेषामेवसङ्ग्यते)अर्थात्-निपूते साभियोंका जोभागहै सो उनके दिनावाँटे मरजानेपर उन्हीं सब साभियोंका समुभा जाता है जो जीतेहों-यह नियम नारदने कहकर पीछेवहभी दर्शायाहै कि उसकी निपूती स्त्रियोंका पालन उसके धनमें से करनाहोगा (यहांपर यहसंदेह न करना चाहिये कि नारदने एकही बातको दोवार कहा क्योंकि पहलेभी इसीवार्ताके विषयपर यह वचन आचुका है कि(भ्रातृणामप्रजः प्रेयात्कश्चिच्चेत्प्रव्रजेतवा । विभजेरन्धनंतस्यशेषास्तेस्त्रीधनंविना ॥ भरणंचास्यकुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनक्षयात् ) इसपूर्वोक्त वचनमें यहविशेषता अधिकदर्शाईहै कि स्त्रियोंका धन छोड़देना और पालन उनका भर्ताके धनमेंसे कर्तव्यहैइस्से दोवार कहना पुनरुक्तिमें गिनती नहीं है )जो कि धारेश्वरने अपनी व्यवस्था के प्रमाणमें योगीश्वरका

भी यह वाक्य दर्शाया था कि ( अपुत्रायोषितश्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः ) सो यह वात जो कोई समुभाचाहौ सो आगे बढ़कर १४४ मूलश्लोकसे लेकर १४६ ताई आ-लोचनकरौ कि योगीश्वरने नपुंसक पतित पंगु आदि निरंशक लोगोंकी स्त्रियोंका वृ-त्तांत लिखाहै कि उनका पालन करना चाहिये किन्तु धन छोड़कर मरनेवाले का चर्चा नहींहै और यहाँ केवल उसका चर्चाहै कि जो अपना धन छोड़कर निपूता मराहो या संन्यासी हुआहो-जो कि धारेश्वरने द्विजातियों का धन यज्ञार्थ बतलाया था और स्त्रियोंको यज्ञादिके अधिकार विनादाय हरनाही अयुक्त ठहराया सो अयुक्त नहीं पर यह विचारही उनका अयुक्तहै क्योंकि यज्ञके उपलक्षणमें पुण्य दान होम आदि यह सब समुभेजाते हैं परंतु किसी भी द्विजाती का सबधन स्थावर या जंगम आदि इन कामोंमें नहीं लगसक्ताहै और जो इन्हीं केवल धर्म संबंधी कामोंमें सबधन अर्पित किया जावे तो फिर अर्थ और कामसंबंधी कामोंकी सिद्धि जो धनसेही होसक्तीहै सो क्योंकरहोगी और शास्त्रकी यथार्थ आज्ञायही है कि धर्म अर्थ काम इनतीनों काहीसेवन यथा वि-धिसे करना चाहिये यथाहयाज्ञवल्क्यः ( धर्ममर्थंचकामंचयथाशक्तिनहापयेत् ) अर्थात् याज्ञवल्क्यजी आचाराध्यायमें कहचुके हैं कि धर्म अर्थ काम इनको यथाशक्तिके अनु-सार निपट नागा नहींरक्खै-गौतमस्तु ( नपूर्वाह्णमध्यंदिनापराह्णानफलान्कुर्यात् यथा शक्तिधर्मार्थकामेभ्यः ) अर्थात्-गौतमनेभी कहाहै कि अपनी शक्तिके अनुसार धर्म अर्थ काम इनसे पूर्वाह्ण मध्याह्ण अपराह्ण तीनोंकालोंको निपट शूनेनकरै- तौ फिर क्योंकर सबधन यज्ञोंमें लगाना योग्य होसक्ताहै औरभी यह बातहै कि धन शब्दसे स्थावर जंगम सभीवस्तु होतीहैं परयज्ञोंमें स्थावरधन आदिसे अपेक्षा नहींहै अर्थात् सोना चाँदी आदिसे यज्ञोंकी सिद्धि होसक्तीहै सोभी घरभरका सोना चाँदी सबयज्ञोंमें ल-गाना किसीरीतिसेभी योग्यनहीं अर्थात् यज्ञकी साधनामात्र जितना उचित समुभा जाताहै उतनाही निकालकर जुदारक्खा जाताहै फिर क्योंकर धारेश्वर सबधनकोठी और मकानातभी ग्रामोंसहित यज्ञोंमें लगाना सिद्ध करसक्ते हैं-इसके सिवाय यद्यपि स्त्रियोंको मुख्य सबयज्ञोंमें अधिकारहो या नहो परंतु यज्ञशब्द सबधर्मोंका उपलक्षण है उन्हीं धर्मोंमें पूर्तकर्म भी गिनती है अर्थात् वावड़ी कूप तड़ाग आदि और देवताके मंदिर आदि अन्नप्रदान सदावरत आदि और आराम नाम वाग वागीचा इनका करना यह सबपूर्त धर्मरूपी यज्ञ कहलाते हैं इनके करने में स्त्रियोंको भी अधिकार सर्व शास्त्रोंसे प्रसिद्धहै-तौ फिरनिःसंदेह स्त्रियोंको धनपानेका भी अधिकारहै इस्से अपने निपट निपूतेभर्ताका ढाय पहले पत्नीही हरसक्तीहै इसमें कोई किन्तु शेष नहीं-और जो-स्त्रियोंके पारतंत्र्यकी तर्कना करीगईथी कि ( नस्त्रीस्वातंत्र्यमर्हति ) अर्थात् कभी स्वतंत्रहोने योग्यनहीं है सो कुछ धनके स्वीकारसे नत्तौ स्वातंत्र्य सिद्ध होसक्ताहै न

पारतंत्र्यमेंहानि प्रकट होसक्तीहै किन्तु स्त्रियोंकी मर्यादें जैसी उचितहैं सो सबधनके होनेपर भी उसीप्रकारकुल प्रधानोंके अधीन बनीरहती हैं बल्कि निर्धनतासे मर्यादों का अतिक्रम होजाताहै ( तच्चित्रंयदिनिर्द्धनोहिपुरुषःपापंनकुर्यात्कचित् ) इस्से पत्नी कोही धनका अधिकार पहिले ठीकहै-कदाचित् अबयह शंकाकरी जाय कि यह व्यवस्था तौ सर्वथा निर्मलहै परंतु ( यज्ञार्थं धनमुत्पन्नं ) इत्यादि वाक्य जो दो श्लोकों द्वारा दर्शित होचुके हैं वे किस हेतुसे निरूपित कियेगये क्योंकि यज्ञोंमें सब धनका लगजाना निश्चित नहीं ठहरा इस अपेक्षा में कहते हैं कि उन वाक्यों का अर्थही वैसा नहीं है जैसा पहिले समुभागया था किन्तु उनका यह भावार्थ है कि जो धन विशेषकर यज्ञकेही नाम और निमित्तसे उत्पादन वा संचित कियागया हो तिसको अर्जयिता के पीछे उसके पुत्रादिकों कोभी धर्म कार्यमें लगाना योग्य है किन्तु ऐसे धनका हिस्सा बांट न करना चाहिये क्योंकि इसपरयोगीश्वरने भी दोष बर्णन किया है कि यज्ञके निमित्तसे पायेहुये धनको उसमें नहींलगानेसे भासपक्षी या काकपक्षीका जन्म होताहै कदाचित् उसअर्जयिताके पुत्रादिकनहींहों तब और कोईदूरवर्तीदायाद जो सबधनहरै सोवहभी ऐसेधनको छोड़करधनहरै यद्वा निपट किसीदायादके न होने में यदि राजा धनकोहरै तौवहभी ऐसाधन छोड़देवै और छोड़ेपीछे धर्मयुक्त स्थानों में लगादेवै किन्तु स्त्री मुख और विधर्मियों को नदेवे यहाँपर धर्मयुक्त स्थान कहने से धर्म युक्त मनुष्योंकोभी देवै यह सिद्धांतहै और(स्त्री)कहनेसे उसपुरुषकी धृता आदिको न देवै किन्तु विवाहिताका निषेधनहीं है तौभी यदिअर्जयिता मृतपुरुषके और कुञ्जहो केवल वहीयज्ञार्थ धन संचितहो तौ उसीमेंसे उनको भोजन वस्त्र भरदेना चाहिये जो उसपुरुषके संबंधी वा संसर्गीलोग ऐसेहों जिनको यज्ञका अधिकार न होनेसे उसधन का रिक्थभाग नहीं मिला-इसबातसे यहसिद्धांतभीपाया जाताहै कि यदिअर्जयिताके इसधनके सिवाय और कुञ्जहो और संबंधी वा संसर्गी उसके ऐसेहों जिनको यज्ञका अधिकार होताहै तो फिर इसीधनको वे लेसक्ते हैं फिर चाहे उनसे यज्ञ में लगाया जाय या नहीं इस्से कुञ्ज राजा आदिको अपेक्षा नहीं है-जिनवाक्यों का यह भावार्थ विस्तारसे दर्शायागया तिनका मूलरूप भी लिखदेनायोग्यहै-तद्यथा (यज्ञार्थं धनमुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्तु ये अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छादनभाजनाः ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत् । स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्रीमुखविधर्मिषु ) अर्थउपरहोहीचुका-जोकि अग्रोक्तकात्यायन के वचनसे यहबात पाईजाती है कि स्त्रीके होतेहुयेभी यदि और कोईदायादन हो तो राजालेलेवे सो विवाहिता पत्नीका चर्चानहीं है किन्तु धृताआदियोपिताओंका वहनियमहै-तद्यथा(अदायिकं राजगामियोपि दृत्योर्ध्वदेहिकम् अपास्यथो त्रियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तदर्पयेत्) अर्थात्-जोकिमामृत पुरुषकाधनअदायिकनाम लावा

रसीहो जिसका लेनेवाला कोईभी हकदारनहो सो धन राजाको मिलै परंतु उसकी घेरीहुई योषिता यदि हों तो उनके पालनमात्र का छोड़कर और उसधनीके क्रियाकर्म और श्राद्धआदि खर्चोंकेभी योग्य छोड़कर शेष राजालेवै-और जो मृतपुरुष कोई श्रोत्रियहोतौ उसके धनका पूर्ववत् शेषजो राजाका हकहोता सोअन्य उत्तम श्रोत्रियोंको समर्पण करदेवै किंतु श्रोत्रियका धन राजानहीं लेवै यहपूर्वोक्त नियमका अपवाद है-इस कात्यायनकेबचनमें घेरीहुईस्त्रियां प्रथमतौ योषित्शब्दसेही निश्चितहैं दूसरे लावारसी धन कहनेसेभी क्योंकि जबतक विवाहिता पत्नी मौजूदहो तब तकधनभी लावारसी नहींहोसक्ता और राजामेंभी नहींजासक्ता किंतु सबसेपहिलावारिसतौ विवाहिता पत्नीही योगीश्वर कहिचुकेहैं जिसके ऊपरयह व्याख्याहोती चली जातीहै-यहीनियम नारदनेभी दर्शायाहै-यथा(अन्यत्रब्राह्मणात्किंतुराजाधर्मपरायणः। तस्त्रीणांजीवनंदद्यादेषदायविधिःस्मृतः)अर्थात्-जो राजा धर्म परायणहोतिसको यह योग्यहै कि एक ब्राह्मण के धनको छोड़कर अन्यलावारसी धनको आपलेवै परउसमें से उसकी घेरीहुई स्त्रियोंको जीवनके निर्वाह मात्र देवै यहदायका विधानहै-इसमेंभी यह सिद्धांत नहींहै कि घेरी हुई स्त्रियोंको भोजन वस्त्रदेवै और विवाहिता को न देवै अर्थात् जो विवाहिताही मौजूद हो तौ फिर राजाको इसबातसे कुछ संबंध नहीं किंतु वहीधनको वारिसहोगी और वही उन स्त्रियोंकोभोजन वस्त्रदेगी( इतिधारेश्वरोक्तिनिराकरणम्) यहांतकधारेश्वरकी बांधीहुई विपरीतव्यवस्थाका खंडन होकरयहमर्यादा निश्चित हुई कि जोकोईअपनेमातापिता और भाइयोंसे जुदाहोचुकाहो और उनमेंफिर नमिला हो और वही निपूतामरै तौ उसका सबधन पहलेधर्मपत्नीपावै ( सो)इसमर्यादाके निश्चितहोनेका यहकारणहै,कि योगीश्वरने विभागवर्णन कियेपीछेयहमर्यादा कही और सांभियोंकीमर्यादा इस्से आगे कहेंगे तिसमें पत्नीका अधिकारनहोगा (अथश्रीकरायाचार्याणांचर्चा)विदित होजाना चाहिये कि इसी संसिद्ध मर्यादामें श्रीकर आदि विरले आचार्योंने अपना अनुमत यहप्रवेश किया है कि पत्नीको धन मिलनाचाहिये परंतु उसदशामें कि जब थोड़ाहीधनहो किन्तु जहां धनकी बहुताइतहो तहां भोजन वस्त्रके अनुमान पावै सो यह अनुमत उनका निपट वृथा जानौ-क्योंकि ( यदिकुर्यात्समानं शान्पत्न्यःकार्याःसमांशिकाः ) ( पितुरूर्ध्वंविभजतांमाताप्यंशंसमंहरत् ) इन दोनों वाक्योंसे पत्नीको औरस पुत्रोंके होनेपर भी भर्ताके जीवते और मरे पीछे भी पुत्रों की वरावर भाग देना कहागया तौ फिर पुत्रोंके न होने और भर्ताके मरनेपर क्या हेतुहै जिस्से निर्वाहके सिवाय कुछ अधिक नहींपावै इसलिये यह अनुमत भी केवल व्यामोह मात्र अर्थात् नासमुझवाली बातहै स्वीकार करनेयोग्य नहीं-विरलोंने-इसमें भी यह बुद्धि अपनी दोड़ाईहै कि (यदिकुर्यात्समानंशान्पत्न्यःकार्याःसमांशिकाः)

और ( पितुरूर्ध्वविभजतांमाताप्यंशंसमंहरेत् ) इन वाक्योंमें भी वही आशय होगा कि जीवन के अनुमान पत्नीपावै (सो) यह प्रत्यक्ष विरोधी बुद्धिसे अनर्थक व्याख्या क्योंकर मानी जासक्ती है कि कहांतौ अंश शब्द कहां सम शब्द और कहां जीवनके अनुमान पावै यह बुद्धि दौड़ाईगई-यद्वा-इसी बुद्धिके अनुसार उनका यहमत समु-  
 भागयाहो कि बहुतसा धन होनेपर तौ जीवनके अनुमान पावै और थोड़ासा धन होने में पुत्रों के समान अंशपाती है ( सोभी ) नहीं होसक्ता है क्योंकि ऐसा आशय होने से शास्त्रोक्त विधिमें वैषम्य दोष खड़ा होता है-तथाहि ( पत्न्यःकार्याःसमां शिकाः ) ( माताप्यंशंसमंहरेत् ) यह दोनों वाक्य तौ किसी अन्य वाक्यान्तरकी अपेक्षा रखकर बहुते धन में जीवनमात्र देने के निमित्त में दर्शाते ( और ) थोड़े धन में पुत्रों के समान अंश केवल इन्हीं वाक्यों से दर्शाते भला ऐसा गड़बड़भाला योगीश्वर भी करसक्ते थे-और जो कोई-इसमतका अवलंबलेकर ऐसा कहेभी कि (निपूतेका धन पिता हरे या भैया हरे यह मनुने कहा) और निपूते मरेका धन भाईमें जावे उसके अभावमें माता पिता हरे उनके अभावमें जेठी पत्नी हरे यह शंखने कहा और ( भाई धन लेवे और धनीकी स्त्रियों का भरणभी जीवन अवधिताई करे इत्या-  
 दि नारदने भी कहा है ) इसलिये निपूतेका धन भाइयों को पहुँचता है और पत्नीको आजीवनमात्र मिलसक्ता है इसहेतुसे विधि वैषम्यदोष भी नहीं खड़ा होसक्ता है क्योंकि इन अत्रोक्तवाक्यों के आशय से योगीश्वरके भी ऊर्ध्वोक्त वाक्यों में यह व्यव-  
 स्था कल्पित होसक्ती है कि जब बहुतसा धन छोड़कर निपूता मरे तबतौ आजीवन-  
 मात्र पत्नी पावे बाकी बचाहुआ भाई पावे ( और ) जो पत्नीकेही आजीवनयोग्य धन होवे या इस्से भी थोड़ाहो तब यह विरोध जो उत्पन्न होसक्ताहै कि क्या पत्नीही लेले-  
 वे या भाईभी इस थोड़े में से लेसक्ते हैं सो इसविरोधशांति के निमित्तसे पूर्व पूर्वका बलवत्त्वदर्शानेके लिये योगीश्वरने ( पत्नीदुहितरश्चैव ) इत्यादि वाक्यप्रतिपादन किया होगा-सो-इसउक्तिको भी भगवान् योगीश्वर याज्ञवल्क्य नहीं मनोज्ञ करते हैं क्योंकि ( मनुके वचनानुसार पिता लेवे या भाई लेवे इस विकल्पसे कुछ निश्चित क्रम नहीं पायाजाताहै कि पहले कौन हरसक्ताहै केवल इतना भाव जानाजाता है कि पिता और भाईको भी धनका अधिकारहै सो यहवात पत्नी आदिके न होनेपर भी संभव है और यहाँ चर्चा पत्नीके सद्भावका होरहाहै-इसके सिवाय शंखका जो वचनहै सो वहसाभी भाइयों के विषय पर निश्चित है इसलिये थोड़े धनका विषय इसमें किसी भाँतिके विचार या प्रकरणके लक्षणसे भी नहीं सिद्ध होसक्ता है-औरभी-यह समुभा चाहिये कि योगीश्वरने ( पत्नीदुहितरइत्यादि-धन भागुत्तरोत्तर इत्यंतवान् ) दोइलोक जो कहे तिनमें पत्नी और बेटियाँ इन दोके लिये तौ वाक्यांतरकी अपेक्षा रखकर थोड़े धनका

विषय दर्शाया और शेष पिता आदि सात अधिकारियों को वाक्यांतरकी अपेक्षा विना सर्वधनमात्रका विषय दर्शाया होगा यह असंगत आशय क्योंकि होसक्ता किन्तु इसमें भी विधि वैषम्यका दोषखड़ा होता है कि एकही वाक्य में दो भाँतिका आशय गुप्तभाव से रक्खा होगा इसलिये यह सब उक्तों निपट उपेक्षा योग्य हैं इस-केसिवाय-एक हारीत का जो वचन है कि ( विधवायौवनस्थाया नारीभवति कर्कशा । आयुषःक्षपणार्थतुदातव्यंजीवनंतदा ) अर्थात्-हारीत ने कहा है कि जब कोई विधवा नारी चाहे युवती हो या वृद्धा परन्तु कर्कशाभी हो तब उसकी आयुतीर होने योग्य आजीवन दातव्य है-सो इसवचनका यह तात्पर्य है कि जो स्त्री शंकितव्यभिचारा होकर दुःशीलावनी हो तिसको सर्वधन हरने का अधिकार नहीं परन्तु इसी तात्पर्य से यह सिद्धांत भी प्रत्यक्ष है कि जो स्त्री अनाशंकित व्यभिचारा हो सो निःसं-देह सर्वधन पावै-और-इसी नियमका अभिप्राय लेकर शंखनेभी कहा है कि ( ज्ये-ष्ठावापत्नी ) अर्थात् ज्येष्ठानाम गुणसे जो जेठीहो किन्तु जिसमें व्यभिचार की शंका नहो ऐसे बड़ेगुण वाली पत्नीचाहे छोटीहो चाहे मभिली हो वही सबधन पावै और औरें जो कर्कशाहों तिनका पालन वही करतीरहै-इसप्रकार सर्वगुण दोषोंकी विवेचना से यह मर्यादा निश्चित हुई है कि अपने भाईवापसे जुदा होकर फिर उनमें सा भी हुये बिना निपूता मरजावै तौ उसकी परिणीता पत्नी जो शुभाचारवती हो सो सबधनकी मा-लिक होती है-तथा च कात्यायनः ( भर्तृदायं मृते पत्यौ विन्यसेत्स्त्री यथेष्टतः । विद्यमानेतु सं-क्षेत्क्षपयेत्कुलेऽन्यथा ) अर्थात्-पति के मरने पीछे भर्ताका दाय पत्नी ( यथेष्ट ) भाव से रक्खै और भर्ताके विद्यमान होनेमें भली भाँति उसके धनकी रक्षा करै अन्यथा ध-नके अभावमें अपना जीवन उसके कुलही में गमावै ( यथेष्टतः ) यथेष्टभाव कहने से यह प्रयोजन है कि जैसी उसी कुलकी या उसदेशकी मर्यादा इष्टतम शास्त्रोक्त अथवा लोक परिपाटी से प्रसिद्ध हो उसीके अनुसार अपने भर्ताका दाय पत्नी आप रक्खै किसी और को न देवै - प्रजापतिरप्याह ( पूर्वमृतात्वग्निहोत्रं मृते भर्तृरितद्धनम् । लभे त्पतिव्रतानारी धर्म एष सनातनः ) अर्थात्-प्रजापति का यह वचन है कि जो कोई नारी पतिव्रता होकर पतिसे पहले मरै तौ उसका अग्निहोत्र पावै किन्तु ( आचाराध्यायगत ८६ मूलश्लोकमें वर्णन करी विधिद्वारा अग्निहोत्रसे जलाई जाय ) और जो उसके जीते हुये पहले पति मरजाय तौ उसपतिका सबधन पावै यही धर्म सनातन चला आता है पुनरपि स्पष्टमाह प्रजापतिः ( जङ्गमं स्थावरं हेमं कुप्यं धान्यं रसाम्बरम् । आदायदापये च्छ्राद्धं मासपाण्मासिकादिकम् ) अर्थात्-प्रजापति ने व्यौरेवार ऐसा कहा है कि पत्नी अपने भर्ताका सबधन स्थावर जंगम दोनों भाँतिका सोना चाँदी ताँवा सीसा आदि सहित और अन्नादिक रसादिक वस्त्रादिक सहित उसके मरने पीछे लेकर मासिक



मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।

श्राद्ध और षण्मासिक वार्षिक आदि सब श्राद्ध उसके करै करावै ( करै या करावै  
 ऐसा विकल्प कहने से कदाचित् स्त्रीत्वसे कोई दशा ऐसीही उपस्थितहो जिस्सेपत्नी  
 अपने आप न करसक्तीहो तो भर्ताके भाई आदि सपिंडोंसेभी करावै तो कुछदोषन-  
 हीं परन्तु धनका लेना(आदाय)क्रियाके अनुसार उसी पत्नीपर आरूढ़है ( प्रजापतिके  
 इसवचनकी व्याख्या वृद्धमनुके उस वचन का संदेह शांतकरती है जिसमें यहनियम  
 निश्चितहुआ है कि पत्नीही पति के पिंड देवै और वही अपनेपतिकासबराअंशहरै )  
 यथा (अपुत्राशयनंभर्तुःपालयंतीव्रतेस्थिता । पत्न्येवदद्यात्पिंडंकृत्स्नमंशलभेतच )  
 इसमें यह संदेह खड़ा होताथा कि पत्नीही पिंड देवै किन्तु जो पत्नी पिंडनदेसकै तो  
 भर्ताका अंशभी वहीपावै जो कोई उसकाभ्राता आदि पिंड क्रियाकरै सो यह संदेह  
 ऊर्ध्वोक्त प्रजापति के वचनसे निवृत्तहोगया अर्थात् अवसरके अनुकूल आवश्यक  
 जानिकर पिंडक्रियाचाहे औरही किसीयोग्य से करावै परधनकी मालिक वहीपत्नी  
 होगी-इसकेसिवाय-ऊपरले परिच्छेदमें मुख्यस्थलपर पत्नीके अधिकार मध्ये यहप्र-  
 तिषेध कियागया था कि पति और पुत्रसे विहीनपत्नी स्वामीका धन पाइकर आत्म-  
 पोषणके सिवाय उसकादान या विक्रय यद्वाआधानभी न करसकै तिसका आशय  
 ऐसा नहीं है कि निपट निर्विकल्प और सर्वथा न करसकैगी-यद्यपि-तत्रोक्तवचनों  
 के सिवाय अत्रोक्त कात्यायनके भी वचनका आशय वहीप्रतीत होता है कि निपट  
 न करसकैगी-यथाहकात्यायनः-मृतेभर्तरिभर्तेशंलभेतकुलपालिका । यावज्जीवन्नहि  
 स्वाम्यंदानाधमनविक्रये)अर्थात्-कुलका पालन करनेवाली यद्वा कुलकी लाजकानि  
 पालन करनेवाली पत्नी भर्ताकाअंश उसके मरने पीछेपावै और निजजीवन अवधि  
 ताई मालिकरहै परन्तु दानकरदेने या आधीकरण करदेने यद्वा विक्रय करदेने मध्ये  
 स्वामित्व उसका नहींहै-सो-यह प्रतिषेध केवल दृष्टार्थ वृथा दाननट नर्तकादि क्रीड़ा  
 मार्गसे देदेनेमध्ये नियतहुआहै किन्तु अदृष्टार्थ रूप सत्कर्मोंके दानमध्ये स्त्रीको धनके  
 आधीकरण और विक्रयमेंभी अधिकार उन्हीं कात्यायनके द्वितीय वाक्यसे संसिद्धहै-  
 यथा(व्रतोपवासनिरताब्रह्मचर्येव्यवस्थिता । दमदानरतानित्यमपुत्रापिदिवं व्रजेत्-  
 अर्थात्-कात्यायनही यह कहतेहैं कि नित्यंप्रति व्रत उपवासोंमें तत्परहुई ब्रह्मचर्यकी  
 साधनामें उपस्थित और दमदानमें निरतहोके रहेतौ निपूतीभी स्वर्गहीको जातीहै-  
 जबकि इसमेंस्वर्गप्राप्ति हेतुसे कास्यदान करनेका अधिकार सूचित कियागयातौफिर  
 नित्य और नैमित्तिक दानादिकोंकी चर्चाक्या करनी जिनका करनासभी गृहस्थीमात्र  
 को आवश्यकहो यही नियम बृहस्पति और प्रजापतिके वचनसे संसिद्धहोताहै-यथा  
 (पितृव्यगुरुदौहित्रान्भर्तुःस्वस्वीयमातुलान् । पूजयेत्कव्यपूर्ताभ्यांवृद्धांश्चाप्यतिथीन्  
 स्त्रियः)अर्थात्-भर्ताका सबधन पत्नीलेकर उसके पितृव्यपदवाचक चचाताऊआदि

सपिंडोंको और गुरुओंको तथैव दौहित्रोंको और स्वस्त्रीयनाम भानजेआदि मान्यपक्षियोंको और मातुलआदि मातामह पक्षियोंको और जे कोईबूढ़े अतिथिहों तिनको भी औरसामान्य उसके पक्षियोंमेंसे जे कोईस्त्रीजन भर्तव्यहों तिनकोभी कव्यान्न और पूर्तान्नआदि पदार्थोंसे पूजै अर्थात् भर्ताकेयथोक्त संबन्धियोंकी पालनपोषण रूपदानों सेसंतुष्टिकरती रहै तिसकाप्रकार ब्यौरेवार दर्शायाहै कि इनमेंसे जोकोईप्राणी नित्यप्रति भर्तव्यहों तिनकानित्य पालनकरै और सबसामान्योंको यथाअवसर के अनुसार कव्यान्न पूर्तान्नसे संतुष्ट करतीरहै( कव्यान्न )कहने से श्राद्धादिकमें पितृवर्थ संकल्पितकिये अन्नादिक और ( पूर्तान्न ) कहनेसे खातादि पूर्तकर्मोंके यज्ञादि भोजन वस्त्रादिक दानमान सत्कारोंको समुभना ( यहांपर सांसारिक बुद्धिसे यह शंकानहीं करना कि मातुल या मातामह आदिक्योंकर मान्यपक्षियों के अन्नादिक दानलेतेहोंगे किंतु शास्त्रकेसिद्धांतसे समर्थधनवानोंकेसन्मुख मान्यामान्यसबजनपालनीयहोतेहैं इसवात पर व्यवस्था बहुत लंबीहै कि ऐसे संकुचित स्थलपर दर्शाना बशका नहीं) (यहांपर पूर्तकर्मोंकी अनुज्ञा पाईजानेसे काम्य यज्ञोंका अधिकार सिद्धहोता है) और उसीसे यह आशयभी संसिद्ध होताहै कि ऐसे आवश्यक नियम धर्मोंके निमित्तमें कदाचित् कोई अंशपतिके धनमेंसे पत्नीवेंचै या आधानरक्खै तौयह अनुचित नहींहै—अत्रमदनपारिजातग्रंथधृतास्मृतिः (यद्यदिष्टतमंलोकेयद्यत्पत्युःसमीहितम् । तत्तद्गुणवते देयंपतिप्रीणनकाम्यया) अर्थात्—लोक में जो जोबस्तु प्रिय कहलातीं उनमें जो जो बस्तु पतिको अतिशय प्रियहों सोसोबस्तु पतिकी तृप्तिअर्थ किसी उत्तम दानपात्रको दातव्य हैं—क्योंकि ( लोकान्तरस्थंभर्तारमात्मानंचवरानने । तारयत्युभयंनारीनित्यंधर्मपरायणा-इतिव्यासः ) अर्थात्—व्यासका यह वाक्य है कि हे वरानने जो कोई नारी भर्ताके मरनेपछि नित्यंप्रति धर्मपरायण होती है वहपरलोकमें बैठेहुये भर्ताको और अपने कोभी दोनों को तारती है—इत्यादि वचनों से धर्मपरायण होनाभी व्यय करनेविना संभवनहीं इससे यदि सत्कर्मों के निमित्तमें कोईअंश धनकावेंचै या गहने रक्खै तौ कुछअनुचित नहीं—तथापि—सर्वस्वदानयासर्वस्व विक्रय करदेनेका प्रतिषेध पूरा है क्योंकि दान यज्ञादिक धन के लाभों सेही होते हैं—यथाहसदाशिवः(प्रेतलब्धधनैर्नारी विदध्यादात्मपोषणम् । पुण्यंतुतदुपस्वत्वैर्नशक्तादानविक्रये ) परन्तु यहभी शिवजीका कहा नियमकेवल अभिरुचिसे उत्पन्नहुये सामान्य पुण्यदानों के विषयपर आरूढ़है कि धनकी पैदावारीमें से करै किंतुजब गृहस्थीके आवश्यक धर्मकर्म नित्य नैमित्तिक आदि अटकतेहैं और हिरण्यादिक जंगमधनकुछनहींहोताहै तब ऐसे धर्मकर्मोंकी सहायतामें कुछमूलधन भी बन्धक धरदेना या विक्रय करदेना पराकरताहै तिन अवसरोंका यहप्रतिषेध नहीं—बल्कि उनअवसरोंमें यदिभर्ताकाधन

थोड़ा किंतु उन्हींकामोंकी साधना होसकनेमात्र हो तौ फिर सबधन विक्रय करदेने या बन्धक रखदेनेका अधिकार शुभाचारा पत्नीकोहोताहै क्योंकि मन्वादि शतधावचनों से जिसपत्नीकोनिजभर्ताके सबधनमें पूरास्वत्व पहुँचताहै तिसपत्नीकोयथार्थ अपने स्वामित्वसेही बन्धकरखदेने या विक्रयकरदेने यद्वा दानकरदेनेका अधिकारकुछ निर्मूल नहींसमूलहै-परन्तु(पुण्यंतुतदुपस्वत्वैर्नशक्तादानविक्रये)(नैवदातुंनविक्रेतुंसमर्थास्वध नंविना ) इत्यादि जिन वचनोंकासूधाअर्थ लेकरयहप्रतिषेध कहनेमेंआताहै कि पत्नी को भर्ताका दाय मिलजानेपर भी विक्रय आदि प्रकारों से वियोगकरदेनेका अधिकार नहीं तिसका आशय केवल इतनाहै कियदि कोई दुःशीला पत्नी अपने अधिकार के अभिमानसेही अगले दायदोंको दुःखदेनेके निमित्त से कि इनके भोगयोग्य धनको नहींछोड़ेंगीदानादिप्रकारोंसे वियोगकरनेपर उतारूहो यद्वाकोईअतिमूढ़ापत्नी अपने अज्ञानसेही आगापीछा सोचेविना नटनर्तकआदि मायावी क्रीड़ा कामोंमें वृथाबखेर करनेपर खर्चीलीहो जिस्से स्थावरधनकास्वरूप भंगहोजाना सम्भवहो यद्वा धनका अधिकार हाथआनेमें स्वातंत्र्यसे उन्मत्तहोकर भर्ताके सपिण्डोंसे निरंकुश होजायतौ इसअवसरमें यदि कोई उसे नरोकेगा अधर्मभागी होगा-पर उसअवसरमें कि यदि पत्नी शुभाचारा होकर ऊर्ध्वोक्त धर्मकार्योंकी आवश्यकता यद्वा अपनेही निर्वाहकी जरूरतसे स्थावरधनकोवेंचै या बन्धकरखै तौ प्रतिषेधकर्ताभी अधर्मभागी होगा- परन्तु यह अधिकार सिद्धहोनेपरभी (नस्त्रीस्वातंत्र्यमर्हति) इत्यादि वचनोंकी रिआ- यतसे शुभाचारा पत्नीभी निजभर्ताके दायदसपिण्डोंसे अनुमतिलेकर निजआवश्य- कता राजद्वारमें प्रवेशकरतीहुई स्थावरके वियोग में समर्थहोगी क्योंकि इसव्यवस्था कासिद्धान्त केवल यहीहै कि निष्कारण किसीस्थावरका आकार भंगनहोने पावै-अत्र कात्यायनः (अपुत्राशयनंभर्तुःपालयंतीगुरौस्थिता । भुंजीतामरणात्क्षान्तादायादाऊ र्ध्वमाप्नुयुः ) अर्थात्-अपुत्रानाम निपूतेकीपत्नी पतिकेमरनेपीछे भर्ताकीशय्या पालन करतीहुई कुलके गुरुओंवीच रहतीहुई अपने मरणान्तसमयतक भर्ताकाधन क्षांता होकर भोगे किन्तु लोकशास्त्र दोनोंकी मर्यादोंसे निज इन्द्रियगणको वशमें रखतीहुई धनसम्बन्धी नियमोंसेही धनकोभोगे क्योंकि उसकेभोगसे अवशिष्टदाय उसकेमरने पीछे भर्ताकेदायादपावै यह कात्यायनजीने कहा यद्यपिइसमें( क्षांता )शब्दके विशेषण मात्र से बहुधा ग्रंथकारों ने नानाभाँतिकी विस्तरित व्यवस्था कल्पितकरी हैं परन्तु कात्यायनका तात्पर्य केवल इतनाहै कि वृथाव्यय करतीहुई न भोगे जिस्से निष्का- रणभी स्थावरके आकारभंग करनेपरै इसीसे यहनियम रक्खागयाहै कि पतिपक्षियों के आगे रखकर उनकी संमति और सत्कार सहित कामकरै-एतदप्युक्तंभवति(स्थाव रेणापिसहितंसर्वभर्तृधनमाधिगत्य धनसाध्यंस्त्र्यधिकारिकंपत्युरात्मनश्चश्रेयः सा

धनकर्मपतिपक्षीयपुरस्कारेणपत्न्याकार्यम्) अर्थ इसका सूधा सुगमहै इत्यादि सभी नियमोंसे सवर्णा शुभाचारापत्नीका अधिकार पहले होता है तिसपीछे अन्यदायादों का अधिकार यथाक्रमसे चलाकरताहै-अत्रबृहस्पतिः(आम्नायेस्मृतितंत्रेचलोकाचारेचसूरिभिः । शरीरार्द्धस्मृताजायापुण्यापुण्यफलेसमा ॥ यस्यनोपरताभार्यादेहार्द्धस्यजीवति । जीवत्यर्द्धशरीरेतुकथमन्योधनंहरेत् ॥ सकुल्यैर्विद्यमानैस्तुपितृमातृसनाभिभिः । असुतस्यप्रमीतस्यपत्नीतद्भागहारिणी) अर्थात्- बृहस्पतिने यह उच्च प्रकारसे उच्चारण कियाहै कि पुरुषोंकी जायानाम पत्नीको पण्डितलोगोंने अर्द्धशरीर और निज पतिके पुण्य पाप दोनोंफलमेंभी समान ऐसाकहाहै और कहनेके ठिकानेभी दर्शाये हैं कि आम्नायनाम वेदमें संप्रदायमें गुरुओंके उपदेशमें कुलोंकीपरिपाटीमेंतथैव स्मृतियोंमें और तंत्रोंमें और लोकाचारमें प्रसिद्ध है कि जिसकी भार्या जीतीहो तिसका आधादेह जीताहै तौफिर अर्द्धशरीर जीतेहुये अन्यदायादकोई क्योंकर धनको हरे किन्तु पिता माता भ्राताओं सहित सकुल्योंकेभी विद्यमान होतेहुये निपूते मरेपतिकी पत्नीही उसकाभाग हरनेवालीहै न कोई और-बृहस्पतिके इनवचनोंमें (तद्भागहारिणी) ऐसाकहनेसे मुख्यसिद्धान्त यद्यपि यही है कि उक्त सकुल्यों आदिके होतेहुये पत्नी अपने पतिकाभाग अविभक्तधनमेंसे भी लेसक्तीहै एवं विभक्तहुये पीछे संसृष्ट जो धनहुआहो तिसमेंसेभी बँटवाइकर लेसक्ती है परन्तु यह मुख्यात्मक सिद्धान्तवाला नियम केवल बांगदेशमें समुभना क्योंकि बंगालमें इनवचनोंके अनुकूल यही परिपाटी चलीआतीहै कि पत्नी अपनेपतिका जितनाभाग उचितहो सो बँटवाइकर लेसक्ती और निरन्तर पायाकरती है कोई उसमें बाधकनहीं होसक्ता-तथापि-और सवसामान्य देशोंमें इनवचनोंसेभी वहीव्यवस्था मानीजायगी कि जैसा एतदेशी भू भागोंका वर्त्तावाहै अर्थात् बंगालामात्र छोड़कर सबदेशोंमें पत्नी केवल धनविभक्त असंसृष्टीभर्ताका दायमात्रपातीहै और संसृष्ट यद्वा अविभक्तधन भर्ताकाभाग बँटवाइ नहींसक्ती है अर्थात् उसकेअंशमेंसे केवल अपने आजीवनके निर्वाहमात्र धन की बहुताइतके अनुसार उत्तम मध्यम रीतिसेपाती है इसहेतुसे बंगालकेसिवाय सब सामान्य देशों की अपेक्षा से ( तद्भागहारिणी ) यह भाग शब्द भी रिक्थ शब्द के पर्याय में समुभना-परंतु-एक विलक्षणदशा उपस्थित होने पर सब देशों की अपेक्षासेभी भागशब्द भागही के पर्यायमें समुभना जा सक्ताहै कि जिसभर्ताके पैतृक रिक्थों मेंसे अंशकल्पना निश्चित होकर उन भिन्नात्मक अंशोंका सामान्य भावमें संसर्गमात्र चलाआता हो और भर्ता अपने खानपान आदि व्यवहार जुदेरखताहो तोइस भागको सर्वत्र पत्नी हरसक्तीहै और देशविशेषोंका कुछभेद इसमेंनहीं-क्योंकि यह विलक्षणदशा कुछ संसर्ग पदमें गिनतीनहीं होसक्ती किन्तु संसृष्टीभर्ता वहीकहा

ताहै कि जिन दायदोंसे विभाग परस्पर उसका हुआहो और फिर उन्हींमें से किसी दायदसे परस्पर उसकी प्रीति और संमति ऐसीरीतिसे ठहरीहो कि यह पायाहुआ विभागधन हमारा सो तुम्हारा और तुम्हारा सोहमाराहै और हमतुम बीच परस्पर कोईभेद नहीं इस्से फिर मिलकर एकीभूत होजावें ऐसाठहरे पीछे धनको मिश्रीभूत करके खानपानभी सब एकहोजावैतौ संसृष्टि ठीक समुभीजावैगी-अन्यथा जहाँ ऐसे नियमोंके अभावमें यद्यपि कोईदायादभी अपना धनसाधारणभाव वणिज व्यापारकी रीतिसेकिसी दायदके धनमेंमिश्रित करदेवै यद्वा पहलेसेहीभाग होचुकने पीछेकिसी सुगमताकेहेतुसे संलग्नवनारहनेदेवै और निजघरके देहल्यादिव्यवहारजुदेरखताहो जिनकेहेतुसे घरभिन्नात्मक समुभाजायतौ यहसंसर्ग नहींमाना जासक्ताहै-क्योंकि यदि ऐसेही सबलोगोंसे संसृष्टि सिद्ध होसक्तीहो तौ फिर बहुधाही व्यवहारोंमें अन्यायहोवै- इसलियेजबतक भर्ताकीसंसृष्टिठीक न ठहरै तबतक मुख्यपत्नी भर्ताका धनभागउसके दायदोंसे इनदेशोंमें भी लेसक्तीहै और लेकर अन्य पत्नियोंका यथोक्त पालन करती है( परंतु) संसृष्टिपाई जाने यद्वा पहलेसेही भाग न होनेसे अविभक्तधनकी दशामें वह मुख्या पत्नी भी इनदेशों में आजीवनमात्रपाती है तथाहकात्यायनः ( स्वर्यातेस्वामि निस्त्रीतुग्रासाच्छादनभागिनी । अविभक्तेधनांशंतुप्राप्तोत्यामरणान्तिकम् ) अर्थात् अविभक्त धन स्वामी के स्वर्वासी होनेमें अविभक्त धनके अंशमें से भोजन वस्त्रोंकी भागिनी पत्नीहोतीहै यद्वा ऐसा भी प्रकार नियत होताहै कि आमरणांतिक अंश धनकापातीहै अर्थात् उसके जीवन कालका अनुमान करिके जितने धनसे जीवनका निर्वाह उसके आवश्यक धर्म कर्मोंकी संसिद्धि सहित समुभाजाय उतना अंशपति के अंशमेंसे एकद्वार भिन्नात्मक भी मिलजाताहै कि जिससे उसको अतिशय पराधीनीकी पीड़ा नहीं पहुँचे ( अत्रग्रासाच्छादनभागिन्येवपत्नी आमरणांतिकधनांशंयाव ताधनेनजीवनंस्त्रयधिकारिकमावश्यकंचकर्मसिद्धयति । तावत्तंधनांशंवाभिन्नात्मकंप्राप्तोतीत्यन्वयेनव्याख्यानंभवति )-इसकेसिवाय-यदिभर्ताका विभक्त होजाना और असंसृष्टी वनारहना निश्चित होवै जिसमें मुख्या पत्नीको सबधन पाना निश्चित हुआहै ऐसीदशा में अमुख्या स्त्री भी निपूती होनेपर भी जीवनमात्र पाती है यदि शुभाचाराहो क्योंकि ( आच्छिद्युरितरासु ) यह नारदवचन प्रमाणहै-उक्त अमुख्या स्त्रीको निर्वाह मात्र पाने मध्ये स्मृतिचंद्रिकाकारने बृहस्पति का अग्रोक्त वचन अंगीकारकरिके व्याख्या कल्पित करी है-यथा-( प्रदद्यात्वेवपिंडं चक्षेत्रांशंवायदीच्छति इतिबृहस्पतिः -अस्यव्याख्यानंतु-पिंडग्रहणमशनाच्छादनोपलक्षणार्थं तत्पत्न्यां तंधनंतत्साम्यादेकक्षेत्रांशंवास्वरुच्याभर्त्रंशार्हपत्नीव्यतिरिक्तविधवायं भ्रात्रादिग्नत्तन्न ग्राहीप्रदद्यात्एवकारः प्रदानस्यावश्यकत्वार्थः ) अर्थात्-बृहस्पति ने यहकहा है

कि यद्यपि उपस्त्रीमात्र भर्ताका धनपाय नहीं सकती है तथापि जिसने भर्ताका धन हराहो सो धनहारी ऐसी विधवाको निर्वाह योग्य (पिंड) नाम भोजन वस्त्रदेवै यद्वा उसी भोजन वस्त्रके अनुमान मात्र धनदेवै यद्वा अपनीरुचि के अनुकूल उसी धनके अनुमान वाला एकक्षेत्रकाही अंश देदेवै जिस्से उतनेधनकी प्राप्तिहोसकी हो-यहव्याख्या स्मृतिकेचंद्रिकाकारने दर्शाई है और पीछेसे यहकहा है कि (एव) शब्दके आशयसे देनेमेंभी अधिक आवश्यकता समुभो-नारदने भी इस आशयको दर्शायाहै-यथा(यावत्योविधवाःसाध्व्योज्येष्टेनश्वशुरेणवा । गोत्रजेनापिवान्येनभर्तव्या श्रद्धादनाशनैः)अर्थात्-जितनी विधवा स्त्रीहों सोसबस्त्रियां उनके जेठ या श्वशुर या गोत्रजमात्र या और ही किसीकरके भोजनवस्त्रोंसे भर्तव्यहैं कि जिसने उनकेपतिका रिक्थपाया हो क्योंकि ( योयस्यधनहर्तास्यात्सतद्धर्माणिपालयेत् । संरक्षेत्रनियमांस्तस्यतद्वंधून्परिपालयेदितिधर्मः ) ऊर्ध्वोक्त नारदके वाक्यमें (साध्वी) यह विशेषण जो संयुक्तहै उससे सर्वत्र साध्वियोंकाही पालन एकधर्महै पर और असाध्वी कुलटाआदि चाहे मुख्यपत्नियां यद्वा उपपत्नियां हों उनकेपालनका कुछ नियमनहीं परंच नारद ने असाध्वियोंका पालनभी प्रतिषिद्धकिया है-यथा ( रक्षंतिशय्यांभर्तुश्चेदाच्छिद्युरितरासुतु ) बृहस्पतिने इसनियमको भी कहा है कि साध्वियोंको देकर कोई स्त्रीनहीं यथा(स्थावरादि धनंस्त्रीभ्योयदत्तंश्वशुरेणतु । नतच्छक्यमपाहर्तुंदायादैरिहकहिंचित्) अर्थात्-श्वशुरादिक में से किसी अधिकारी ने स्त्रियोंको स्थावर आदि जो कुछ धन निर्वाह योग्य दियाहो तिस धनको इह संसारमें कदाचित् भी कोई दायद नहीं छीन सक्ता-कात्यायनने इस नियमको भी कहाहै कि दुःशीला स्त्रियोंसे देकर भी छिनसक्ता है-यथा (भोक्तुमर्हतिक्लृप्तांशंगुरुशुश्रूषणेरता । नकुर्याद्यदिशुश्रूषांचैलपिंडेनियोजयेत् ॥ अपकारक्रियायुक्तानिर्लज्जाचार्थनाशिका । व्यभिचाररतायाचस्त्रीधनंनचसार्हति)अर्थात्-जो कुछ अंश उन स्त्रियोंके निमित्त में प्रकल्पित कियागयाहो तिस प्रकल्पित अंशकोवही भोगनेयोग्यहै किजोगुरुओंकीसंसूचितसेवामेंतत्परहो किन्तु जोधनहाथ में आजाने के अभिमानसे शुश्रूषा नहीं करती हो उसको फिर भी केवल रोटी कपड़े मिलें और वह धनका अंश निवर्तित कियाजाय इसके सिवाय जो कोईस्त्री गुरुओंके अपकार वाले काम करती हो यद्वा निर्लज्जाहो या अर्थोंका विनाशकरतीहो या व्यभिचारमें रतहो सो उस धनके योग्य नहींहै और (च) कारके अभिप्रायसे यदि अधिक उसमें अवगुणहों तौ फिर भोजन वस्त्रभी अदेयहै और दियाहुआ धनभी उससे हरणीयहै-इत्यादि विधि प्रतिषेध रूप सर्व नियमों के अनुसार स्त्रियोंको भी धनपाने का अधिकार सिद्धहै इस बात में संदेहकरने का अवकाश कहींनहीं-परन्तु-जो उस बातका आग्रहलेकर कोई शंका खड़ीकरे किजव ऐसाही अधिकार सन्नानियत है



तौ पहले जो कुछ वाक्यलिखे गये जिनमें नारद, मनु, शंख, लिखित, पैठीनसि, यम, कात्यायन, देवल, गौतम, बसिष्ठ आदि बहुधा वाक्योंसे अन्याय खड़ा होता है कि पत्नी का अधिकार पहले नहीं रखा तिसका क्या हेतु है यह शंका क्योंकर शांत होगी-तहां-यह उत्तर है कि धारेश्वरकी कल्पितकरी व्यवस्थाका निराकरण मात्र पढ़िकर देखौ-उसमें बहुधा इन्हीं विरुद्धवचनोंका समाधान किया गया है और जो कोई वाक्य शेष भी रह गया हो तिसकी शांति ऐसी रीति से हो सकती है कि कात्यायनवाले वचनका विरोध कात्यायन के ही द्वितीयवाक्यसे मिटजाता है जैसे ( पत्नीपत्युर्धनहरीयास्यादव्यभिचारिणी । तदभावेतुदुहितायद्यनूढाभवेत्तदा ) इस वचनमें कात्यायनजी स्पष्ट पहले पत्नीका ही अधिकार दर्शित कर चुके तौ फिर दूसरा वचन यह उच्चारण किया कि ( विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिताहरेत् । भ्राता वा जननी वाथ माता वा तत्पितुः क्रमात् ) यद्यपि इसमें पत्नीका चर्चानहीं आनेसे प्रत्यक्ष विरोध पाया जाता है परन्तु पत्नीका नाम इसमें रखनेकी जरूरत नहीं रखी किंतु पत्नीका अधिकार उसी वचनसे कह चुके इस्से अब इस वचनका अनुक्रम केवल पत्नीके अभावमें समुभूना और पत्नीके अभावमध्ये दुहिताका भी अंतर्भाव समुभूना किन्तु जहां पत्नी और दुहिता भी नहीं तहाँ इस अत्रोक्त वचन का न्याय कात्यायनजीने दर्शाया है कुछ न्याय विरुद्ध इसको नहीं समुभूना क्योंकि पत्नी और अनूढा दुहिता का अधिकार पूर्ववचनमें कह चुके इस्से केवल द्रष्टा लोगोंकी समुभूना ही अंतर जानो-इसी प्रकार-मनुने जो कहा है कि निपूतका धन पिताहरे या भैयेहरें-दूसरी जगह मनुने यह कहा है कि निपूतका धन माता पार्वे या दादी पार्वे सो इन वचनोंको भी पत्नी और दुहिताके अभावमें समुभूना किन्तु पत्नी और दुहिता बल्कि दौहित्र भी नहीं तौ फिर पिता या भैयेहरें एवं जहाँ पिता और भैये भी नहीं तहाँ माता या दादी पार्वे यह सिद्धांत है कुछ पत्नी या दुहिता के होते हुये इनका चर्चानहीं है ( बल्कि ) यथार्थसे जिस वाक्यमें माता और दादीका अधिकार दर्शित हुआ सो यह वाक्य केवल ऐसे अवसरपर आरूढ़ है कि जब किसी बालक भ्राताने निजपैतृक धनका भाग भ्राताओं साथ पाया हो जिसकी रक्षा अब तक माताके आधीन थी और वह बालक विना विवाहा आपनिपूता मरजाय तौ उसके संचित दाय पर यह शंका खड़ी होती है कि उसका दाय भाईलेवैया कौन पार्वे ऐसे भगड़ाके निपटारा का यह न्याय है कि ( अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माताहरेद्धनम् ) अर्थात्-इस भाँतिके निपूतका दाय उसकी मातालेवैया माताके नहोने में दादी लेवै क्योंकि माताके अभावमें दादी भी माताके समान पालन करती है-कदाचित्-ऐसे बालक मरे निपूतकी अज्ञानवाला पत्नी भी उपस्थित हो तौ भी माताऐसी पत्नीके संप्राप्त व्यवहारकाल होने तक उसधनकी रक्षक होकर उसको साँपेगी या दादीही

अर्थात् ऐसे दायके हरनेमध्ये भ्राताओंका अधिकार मातादादी पत्नीके होतेहुये नहीं है-कदाचित् जहांबाला पत्नीनिपट न हो तौ इसबातका ऐसाभी सिद्धांतनहीं है कि पुत्रद्वारा पायाहुआ दायमाता के मरजाने पीछे माताकी पुत्रियां या दौहित्रपावें-किन्तु वेहीभ्राता पावेंगे कि जिनमेंसे वहपैतृक रिक्थ बँटकर भिन्नहुआ-एवं-जिसपुत्रने पैता-मह धनकाभाग पितृव्यों साथपायाहो और वह आप निपूता पत्नीहीन मरजावै तौ उसभाग कोभी मातालेवै और माताके मरजानेसे फिरवेही दायदक्रमसे पावेंगे कि जिनमें से धन बँटिकर भिन्नहुआ था ( इतिमनुवाक्यविरोधशांतिः ) इसीप्रकार-शंख लिखित, पैठीनसि, यमइनचारोंका जो वचनएकही है कि ( अपुत्रस्यस्वर्यातस्यभ्रातृ गामिद्रव्यंतदभावेपितरौहरेयातांज्येष्ठावापत्नी ) सो इसवचनका विरोध दोभांतिसे शांत कियाजाता है किन्तु एकतौ सूधेमार्गसे जो अर्थ इसका प्रत्यक्षहै कि भाईमेंउस निपूतेका धन जानेयोग्य होताहै भाईके न होनेमें मातापिता हरेँ अथवा ज्येष्ठापत्नी सोयहन्याय उसदशामें संभाव्यहै कि जो निपूता अपने भाइयोंसे धन बाँटकर जुदा न होचुकाहो यद्वा जुदा होचुकने परभी फिर मिलगया हो तौ निस्संदेह संसृष्टी धर्म के न्यायसे उसका अंश उन्हीं भाइयों में रहसक्ता है कि जो उसके संसर्गीहों और जो संसर्गी भाई भी मरचुकाहो या तत्काल उसके पीछेमरे और वहभाई भी निपूता हो तौ फिर माता पिता हरेँ माता पिता भी नहीं तौ फिर ज्येष्ठपत्नी जो शास्त्रोक्त गुणसे जेठीहो मालिकहोगी-सो यह समाधान एकस्वल्प और सुगमरीतिसे कहदिया है अन्यथा इसपर बड़ेबड़े वादविवाद और निरर्थक सार्थक दोनों भाँतिकी व्याख्या कल्पितहोती हैं - इसलिये - इसीवचन का दूसरा अर्थ व्यवहित योजना मार्गसे यह सिद्धहोताहै कि जेठीपत्नी सबसे पहले मालिकहोगी और तदभावे अर्थात् ऐसी पत्नी के अभाव में और पत्नीकेही अंतर्भावलक्षणसे दुहिता और दौहित्रों के भी अभावमें निपूतेके पिता माता भागीहोंगे यद्वा उनके भी अभावमें धन भ्रातृगामी होवैगा-यतः ( तदभावइतिमध्यपठितपूर्वोत्तराभ्यामविरोधान्न्यायस्य पूर्वमुक्तत्वाच्चसम्बध्यते-इति वीरामित्रोदयः ) इसीप्रकार औरभी जे कोई वचनविरोधी शेषहों तिनसबकी शंका दूर होसक्तीहै इसहेतुसे यह ध्यानभी सर्वत्ररखना योग्यहै कि यद्यपिकहीं वचनोंमें विरोध पायाजाताहो परंतु न्यायका अविरोधी नियम अंगीकार करनायोग्यहै क्योंकि न्यायसे विपरीतनियम अंगीकारकरनेमें वचनोंका अविरोधभी दुर्दूषणहै और न्यायके अविरोधमें वचनोंका विरोधकिसीदूषणका उत्पादक नहीं(अथाप्राप्तधनायात्रापिपत्न्याधर्मः)(मृतं भर्तरिसाध्वीस्त्रीब्रह्मचर्येव्यवस्थिता । स्नाताप्रतिदिनंभक्त्याभर्त्रेदद्याज्जलाञ्जलिनि ॥ कुर्याच्चानुदिनंभक्त्यादेवतातिथिपूजनम् ॥ विष्णोराराधनंचैवकुर्यान्नित्यमनुव्रता॥दानानि विप्रमुख्येभ्योदद्यात्पुण्यविवृद्धये ॥ उपवासांश्चविविधान्कुर्याच्छ्राद्धोदिताञ्जुभे ।

लोकान्तरस्थं भर्तारमात्मानं च वरानने । तारयत्युभयं नारी नित्यं धर्मपरायणा-इति व्यासः )  
 इति पत्न्यधिकारविचारशेषपाठः (अथ दुहितृणामधिकारस्यानुवादः) पत्नीके अभावमें दुहिता-  
 आंका अधिकार ऊपरले परिच्छेदगत संसिद्धहु आथा कि जो कोई धनी निजसपिण्डोंसे  
 विभक्त होकर असंसृष्टीही निपूता मरजाय तो पत्नीके नहोनेमें पुत्रियाँ दायपावै-उसमें  
 कोई किन्तु यद्यपि नहीं है पर तौभी एक दो वचनोंके अनुसार बिरले अवसरमें निर्मूल  
 शंका खड़ी करते हैं कि (यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनितिष्ठत्यां  
 कथमन्योधनं हरेत्) मनुने इस वचनका यह भाव दर्शाया है कि जैसा अपना देह तैसा ही  
 उस देहसे पैदा हुआ पुत्र है और पुत्रहीके समान उसकी पुत्री भी होती है क्योंकि दोनों  
 उसी देहसे उत्पन्न हुये तिस ऐसी पुत्रीके निज आत्मतुल्य उपस्थित होते हुये कैसे कोई  
 और धनको हरसक्ता है अर्थात् पुत्रीही धनपावै ( आत्मनि-आत्मावै जायते  
 पुत्र इत्यात्मभूतपुत्रतुल्यायामित्यर्थः तिष्ठत्यामित्यनादरे सप्तमी तामनादृत्येति भा-  
 वः ) और (अंगादंगात्संभवति पुत्रवदुहितानृणाम् । तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं गृह्णी-  
 तमानवः ) बृहस्पतिने इस वचन का यह भाव दर्शाया है कि पिता माताके देह देह से  
 उत्पन्न होवै है इस हेतुसे दुहिता भी पुत्रही के समान है और इसी कारण से पिताका  
 धन भी कोई अन्य मनुष्य क्योंकर लेवै-इसमें दुहिता को पुत्रके समान कहनेके हेतु  
 से और निज देहसे उत्पन्न होनेके हेतुसे भी यह न्याय संभव होसक्ता था कि पुत्र और  
 पुत्रियाँ भी सभी मिलकर भाग पाते परंतु पुत्रोंमें पिताके अंगों की अधिकता और  
 पुत्रियों में माताके अंगों की अधिकता सर्वशास्त्रोंमें प्रसिद्ध है कि ( पुमान्पुंसोऽधि-  
 केशुक्रे स्त्रीभवत्यधिके स्त्रियाः ) सो इस परमकारणके प्रभावसे पुत्रों की उत्तमता और  
 पुत्रियों की मध्यमता पाई गई इससे इन्हीं दोनों वचनोंके अनुसार ऐसा न्याय होना  
 योग्य था कि औरस पुत्रों के न होनेमें पुत्रियोंका अधिकार निश्चितवना रहता पर  
 यह न्याय जो सुनिश्चित हुआ है कि औरस पुत्रोंके उपरांत गौणपुत्र और पत्नियां  
 भी न हों तब उसमें निपूतेकी पुत्रियाँ पावै सो यह कैसान्याय जो अन्याय सा प्रतीत  
 होता है क्योंकि अग्रोक्त नारदके वाक्यसे भी वही न्याय संभव होता है कि पुत्रोंके  
 अभावमें पुत्रियाँ मालिक होवै-यथाह नारदः (पुत्राभावे तु दुहितानुल्यसंतानदर्शनात् ।  
 पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितृसंतानकारकौ) अर्थात्-नारदकहते हैं कि तुल्यसंतान दर्शन  
 हेतुसे पुत्रोंके अभावमें दुहिता दायपावै क्योंकि पुत्रभी और दुहिताभी यह दोनों  
 अपनेपिताके संतानकारक हैं अर्थात् पुत्र अपनेपिताको पौत्ररूप संतान दियाकरता  
 है और दुहिताभी दौहित्रकी संतान दियाकरती है फिर क्योंकर उसका अधिकार पत्नी  
 के पीछे योग्य होसक्ता है-ऐसी शंकामें-यह उत्तर है कि पौत्र और दौहित्रका स्वरूप नहीं  
 तुल्य होसक्ता किन्तु दोनोंकी तुल्यता केवल कार्यमात्रमें अभिप्राय रखती है सो कार्य

भी कुछ पुत्र और दौहित्रके तुल्यात्मक नहीं किन्तु पौत्र अपनेदादाका श्राद्ध पिण्ड देनेकेसिवाय उसका दांयहरता और ऋणदेताहै बल्कि रिक्थके न होनेपरभी दादाका ऋणदेना उसपर भारहै परन्तु दौहित्र केवल श्राद्धका अधिकारी किन्तु नानाका ऋण देना उसपर तबतक भारनहींहै कि जबतक उसको नानाका धनभाग न पहुंचे (पुत्र पौत्रैऋणदेयं) यह वाक्य ऋणप्रकरणमें आचुका सो इसस्थलपर प्रमाणहै और (पूर्वेषांतुस्वधाकारेपौत्रादौहित्रकामताः) विष्णुके इसवाक्यसे दौहित्रोंको अदृष्टकार्य श्राद्ध आदिका अधिकारपायागया तो इसकारणसे प्रत्यक्षहै कि पुत्रतौ दृष्ट अदृष्ट दोनों भाँति के उपकार करनेवाला पौत्रपैदाकरनेसे अधिकतर उपकारी ठहरा और पुत्रीकेवल अदृष्टकार्य करनेवाली दौहित्र पैदाकरने से उपकारमें कुछन्यून ठहरी-कदाचित्-इसपरभी यहतर्क आरोपितकरीजाय कि यदिपुत्रोंसेदुहिता न्यूनठहरीतौभी पुत्रोंसेपश्चात् धनके योग्य है क्योंकि पत्नीकी अपेक्षा दुहिता प्रत्यासन्न ठहरी इससेदुहिता पहलेपावै और पत्नी उससे पीछेपावै-ऐसे तर्कमें-यह उत्तम समाधान है कि जैसा पत्नी से उपकार होसकतातैसा दुहितासे उपकारनहींहोताहै क्योंकि पत्नीपतिके सहाधिकारसे अग्नि-होत्र आदि वैदिक कर्मोंका उपकार साधन करती है और पतिके काम दानसे पुरु-पार्थ की साधनता और संतानकी उत्पत्ति द्वारा दृष्टादृष्ट दोनोंभाँतिके उपकार करने वाली और देहार्द्धरूपा भी विख्यातहै इसलिये दुहिताओंकी अपेक्षा पहले पत्नीही धनभाक् होगी बल्कि इसी हेतुसे नारद आदि जिन वचनोंमें (पुत्राभावेतुदुहिता) यह ऐसानियम दर्शितहुआहोवै कि पुत्रोंकेअभावमें दुहितापावै तहाँ सर्वत्र पुत्राभाव के उपलक्षणसे पत्नीकाभी अभावसमुभाजाना न्यायात्मकहै और इसीहेतुसे योगी-श्वर तथा विष्णुनेभी निजवचनोंमें स्पष्ट पहले पत्नीकाअधिकार कहकर पीछेदुहिता को दर्शायाहै-यद्यपि-दुहिताकी अपेक्षा एकप्रकारसे उसधनीका पिताही कुछ प्रत्या-सन्न समुभाजासक्ता है क्योंकि जब कदाचित् धनी अपने पिताको पिण्डदानकरता तब धनी के कर्तव्यका संप्रदानभूत पिताही अदृष्टोपकारक ठहरसक्ता इससे दुहि-ताकी अपेक्षा पिता प्रत्यासन्न समुभाजाकर पुत्रकाधन हरने में पोतीसे पहलेही अधिकारी होसक्ताहै और इसीतर्कके आशयसे पूर्वोक्त मनुकावाक्यभी सच्चाहोसक्ता है कि (पिताहरेदपुत्रस्यरिक्थं) तौभी ऐसाकहना निपट अयोग्यहै क्योंकि (तस्या-मात्मनितिष्ठंत्यांकथमन्योधनंहरेत्) इसमनुकेही स्पष्टद्वितीय वाक्यसे शारीर प्रत्या-सत्तिका प्राबल्य पहले दुहिताका अधिकार घंटाघोषवद्विख्यात करताहै इसलिये दु-हिताके अभावमें वह मनुका पहला वाक्य अवसर पावैगा-इसकेसिवाय-बंगालेकी अपेक्षासे जीमूतवाहनने निजग्रंथ में दुहिताओं के अधिकार मध्ये दुहितासे संतान पैदाहोना एकहेतु निश्चित कियाहै कि दुहिता अपनी संतानसे निजपिताका उपकार

श्राद्धपिंड आदि करती है परवही संतानजो नानाको पिंड देनेवाला हो अर्थात् सव-  
 र्णपुत्रकी संतानइस में हेतु है अपिंडदसंतान पुत्रियां या असवर्ण पुत्रभी उपकारक  
 हेतुनहीं क्योंकिउनसे नानाका पिंडादि उपकारनहीं होसक्ता इसीहेतुसे बंगालमें केवल  
 दोप्रकारकी दुहितायें रिक्थपावैं किन्तुसपुत्रा और संभावित पुत्राभी कि जिसके पुत्र  
 होनेका आकार संभवहो परंच ( विधवात्वबंध्यात्वदुहितृप्रसूत्वादिना विपर्यस्तपु-  
 त्रापुनर्नाधिकारिण्येवेतिदीक्षितमतमादरणीयमित्यप्याहान्तेजीमूतवाहनः ) अर्थात्  
 पीछेसे जीमूतवाहन यहभी कहतेहैं कि विधवाहोने या बन्ध्याहोने या पुत्रियां पैदाकरने  
 या आदिशब्दके आशयसे अपिंडद असवर्णादि पुत्रपैदाकरने आदि हेतुओंसेअपुत्रा  
 या विपरीत पुत्रा बेटी धनाधिकार नहींपावैं यह ( कांपिल्लनगरनिवासी यज्ञदत्तनाम  
 कदीक्षित ) का मत आदर करने योग्यहै-जीमूतवाहनकी इसीव्यवस्थाके अनुसार  
 बंगालमें अद्यापि यह परिपाटी वर्तमानहै-यद्यपि देशाचारसे कुछकिन्तु करने का अ-  
 वकाश नहीं है तथापि चिंताकरनेका अवकाश बहुत बड़ाहै कि भाव तत्रत्य यह परि-  
 पाटी पूर्वकालमें नहो बल्कि जीमूतवाहन केही समयसे प्रवर्तित हुईहो या कुछपहले  
 से-परंतु चिंता इसमें यहहै कि पुत्रवतीके सिवाय संभावित पुत्राके अधिकारमें उपकार  
 क्योंकर समुभाजाय क्योंकि दैवीगतिमें यह निश्चित होसकना परम दुर्घटहै कि सं-  
 भावित पुत्राके अवश्यही पुत्रहोगा या होकर जीतारहेगा इस्से इसको धन मिलना  
 चाहिये क्या अचंभाहै कि ऐसीदशामें धन मिलनेपर भी पुत्री पैदाहोय तबक्या उस्से  
 धन छीनकर सपुत्रा भगिनीको देदेना चाहियेजो पहले आधा पाचुकी है-दूसरी चिंता  
 यहकि बंध्याका निषेध करना वृथा है क्योंकि विरली बंध्या के अतिकालमें संतान  
 होतीहै क्या अचंभाहै कि धनके भाग होजाने पीछे बंध्याके भी पुत्र पैदाहोय-इसी  
 प्रकार पुत्री पैदाकरनेवाली का निषेध वृथा जानो क्योंकि न जानै धनके भाग  
 होजाने पीछे उसके पुत्रपैदाहोवै इत्यादि बहुधा चिंता और भी अवशेष हैं तिसका-  
 रणसे दुहिताओं के अधिकार में पिंडद संतानका अवलंबरूपेहेतुही निर्मूल है  
 ( अन्यथा ) जो पिंडद संतानका अवलंबरूपहेतु कुछ समूल समुभाजाता तो फिर  
 सवसे पहले कारीकन्याका अधिकार जो सवग्रंथोंसे नियमात्मक निश्चितहुआ सो  
 वह क्योंकर सच्चाहोता क्योंकि कोई भांति यह विश्वास आना संभवनहीं है कि इस  
 कारीका विवाह करदेने पीछे निस्संदेह पुत्र पैदाहोगा या यह बन्ध्यानहीं निकसेगी  
 या पुत्रियां नहींसूतैगी या विधवाभी न होवैगी-बल्कि इस कारीकन्याके प्रथमाधिकार  
 की यहाँतक विशेषता निश्चितहुई है कि जबतक कारीकन्या विद्यमान हो कोई और  
 सपूतीतक भी नहींपावै-यथा ( अपुत्रस्यमृतस्यकुमारीरिक्थंगृह्णीयात् तदभावेचोढा )  
 जबकि निपट अनूढाके अभावमें ऊढा और सपूतीका अधिकार ठहरा तोफिर सपुत्रा

या संभावित पुत्राकीमुख्यता क्योंकरशेषरही और जबइन्हींकी मुख्यताजातीरही तौ फिरपिंडद संतानका अवलंबरूपहेतुभी निर्मूलहुआ-बल्कि इसीकारणसे इसऊर्ध्वोक्त मुनि वाक्यमें पिंडदसंतानका प्रसंगनहीं आया किन्तु यहआशय इससे प्रत्यक्षहै कि (अतिशय प्रत्यासत्ति)अर्थात् परम समीपताही अवलंबरूपहेतु है किजिसकेहोनेसे धनका अधिकार पहुँचसक्ताहै इसीलियेकारीकन्याका अधिकारपहले रक्खागयाक्यों-कि अन्य दुहिताओं की अपेक्षा कारीकन्या अपने पिताकेसमीप समुभीजाती और उसीकरके भर्तव्य हुआकरती है-बल्कि जीमूतवाहनने निज आपभी यहकहा है कि (कन्यायाअसंभवेसंभावितपुत्रायाःपुत्रवत्याश्चयुगपदधिकारः)अर्थात् कन्याकेअभावमेंसंभावितपुत्रा औरसपुत्रादोनोंका अधिकार एकसाथही तुल्यात्मकहो-सोइसअत्रोक्त और पूर्वोक्त उनके द्विविधकथनोंसे भी हेतुव्यभिचार खड़ाहोताहै कि उन्हींने उसभाँति कहकर ऐसाकहा परंच ऐसाकहनेसे उसभाँतिमें निस्संदेह निर्मूलतापाईगई-जीमूत-वाहनके सिवाय-देवशत, धारेश्वर, देवस्वामी आदि विरले ग्रंथकारोंने (पिताहरद पुत्रस्यरिक्थं)इसमनुवाक्य का विरोधदूरकरना चाहकर दुहिताओंके अधिकारसाधक जोजो वाक्य घंटाघोषहैं तिनसबहीको निजवृद्धिके अनुसार( पुत्रिका ) बेटीकेअधिकार-वान् कहकर यहसिद्धांत मानाहै कि पत्नीके पश्चात्(पुत्रिका)बेटी मालिकहोवै अर्थात् सामान्यदुहिताओंका अधिकार निपटभूँठाहै (पुत्रिका)के नहोने याधनपाइकर निपूती मरजाने में धनीका बाप धनको हरै तिसपीछे आता आदि सबअधिकारी यथाक्रमसे धनकोपावें तौ अत्रोक्त मनुका वाक्यभी अविरोधीठहरै औरदुहिताओंके अधिकारवाले वाक्यभी सब सच्चे ठहरें क्योंकि दुहिताके उद्देशमात्रसे(पुत्रिका) हीअपेक्षितहै-सो-यह सिद्धांतउनका निपट थोथी युक्तिके बंधानोंवाली धोखेकीटट्टीहै क्योंकि प्रथमतौ दुहि-ताओंका अधिकार जो हाथोंकीसीरेखा विख्यात उसकेमिटजानेका उपाय रचनाकिया और (पुत्रिका) का अधिकार जो पत्नीके भी होतेहुये गौण पुत्रोंके समान सर्वशास्त्रसे निर्णीत उसको पत्नीके पश्चात् ठहिराया-किन्तु पुत्रिका बेटी द्वादश गौण पुत्रोंके प्रक-रणमें पुत्रोंकेसमान गिनतीहुईथी ( औरसोधर्मपत्नीजरुतत्समःपुत्रिकासुतः-पुत्रिकायाः सुतःपुत्रिकासुतः ) इतियोगीश्वरोक्तिः ( तृतीयःपुत्रःपुत्रिकैव-कन्यैवेत्यर्थः ) इतिव-सिष्टोक्तिः-अर्थात्-योगीश्वर ने औरस के उपरांत ( पुत्रिका ) बेटीकासुत औरस के समान बतलाया और वसिष्ठने पुत्रिकासुत केभी उपरांत वही(पुत्रिका)एक तृतीयपुत्र के समानकरके कहीतिसको दाय हरनेका अधिकार इसअत्रोक्त मनुके वाक्यद्वारा नि-श्चित होचुका है कि ( नभ्रानरोनपितरःपुत्रारिक्थहराःपितुः ) अर्थात् जिसनिपूने धनीकेक्षेत्र जआदिकोई गौणपुत्रहों तिमकारिक्थनतौभेये और न पितामाताआदिकोई हरसक्ते किंतु वेही गौणपुत्र अपने बापकाधन हरनेवाले हैं कि जिनमें एक ( पुत्रिका)



या पुत्रीकासुत भी गिनतीसमुभो-ऐसे दृढतर पूर्व अधिकार वाली ( पुत्रिका ) को क्योंकर पत्नीके पश्चात् कहसकने का उत्साहउनको आयाहोगा-और भी इनतर्कों के सिवाय यह अग्रोक्तवाक्य क्योंकरजीतीमक्खीसी पचायाहोगा जिसमेंप्रत्यक्ष (पुत्रिका ) और दुहिताओंका भेद वर्णनहुआ है यथा(सदृशीसदृशेनोढासाध्वीशुश्रूषणेरता । कृताऽकृतावाऽपुत्रस्यपितुर्द्धनहरीतुसा)अर्थात्-जोकोई दुहिता सदृशीनाम अपने माता पिता दोनोंकी सवर्णाहो और सदृशनाम सवर्णकोही व्याहीजाय और साध्वीनाम शुभाचारा हो और अपनेयोग्य शुश्रूषामेंभी तत्परहोऐसी दुहिताचाहे कृतायद्वा अकृताहो निपूते अपनेपिताका धन हरनेवाली वहीहोती है (कृता) जो पुत्रस्थानी पुत्रिका कल्पितहुई हो ( अकृता )जो सामान्यभाव दुहिताहो इनमें केवल इतनाअंतर है कि अकृता अपनीमाता के अभावमें और कृतामाताके जीतेही धनहरती है-इसी विशेष वाक्यसे यह प्रतिषेध भी दर्शायागयाहै कि ये चारोंउक्त विशेषण जिसमें नहीं याविपरीत हों ऐसी दुहिताचाहे अकृता यद्वा कृताहो तौभी पैतृक रिक्थहरनेका अधिकार नहींपावै इसीहेतुसे यहवचन विशेष कल्पितहुआ है-इत्यादि सर्वकारणों से यहसब चर्चाऊपर जो कुछ वर्णनहुआ सो सामान्य दुहितामात्रकी व्यवस्था है-किन्तु-पुत्रीका पत्नीके जीतेभी पुत्रोंकीसी भांति धनकोहरती है-तथाहमनुः(पुत्रिकायांकृतायांतुयदिपुत्रोऽनुजायते । समस्तत्रविभागःस्याज्ज्येष्ठतानास्तिहिस्त्रियाःइतिमानवेनवमेऽध्याये १३४ श्लोकः)अर्थात्-दुहिताकोपुत्रिका करचुकनेमें यदिउसी निपूतेकेनिजपत्नीद्वारा पुत्र पैदाहोवै तौ इसदशामें उन दोनोंका समानभाग होवै किन्तु पुत्रिकाकोजेठाईका उद्धार न देवै क्योंकि पुत्रिका यद्यपिज्येष्ठपुत्रस्थानी होनेकेहेतुसे जेठाईका उद्धारपानेयोग्य है परतौभी स्त्रीजाति होने के हेतुसे उद्धारनहीं पावैगी अर्थात् उसउद्धारकी मर्यादामें स्त्रियोंकीजेठाईपुरुषोंके सन्मुखनहीं मानीजाती(अस्मादनन्तरमप्याहमनुः-अपुत्रायांसृतायांतुपुत्रिकायांकथंचन । धनंतत्पुत्रिकाभर्ताहरतैवाविचारयन् इत्यपिनवमेऽध्याये १३५ श्लोकः) अर्थात्-उस्से निचलेवाक्य में यहकहते हैं कि-कैसेहूपुत्रिकाके निपूती मरजानेमें उसपुत्रिका का भर्ताधनको वेखटके हरे-इसअर्थ से यहआशय पायाजाता है कि पुत्रिका के बापकाधन जो पुत्रिकाको पुत्रिकाधर्म के हेतुसे पुत्रोंकीसी भांति पहुँचाथा कि जो सपूतीमरनेमें पुत्रिकाके पुत्रोंको मिलसक्ताथा वहधन पुत्रिकाकेनिपूती मरजानेमें पुत्रिकाकाभर्तापावै और बिनाविचार वेखटके कहनेसे यह भाव सिद्धहोता है कि सामान्य दुहिताको पहुँचाहुआ धनउस दुहिता के निपूतीमरजानेमें दुहिताका भर्ता नहींपाता किन्तु दुहिताके दादादादी हरने हैं पर इमपुत्रिका हुई दुहिताके निपूती मरने में निस्सन्देह उसकाभर्ता हरे ( और ) इमन्यायमेंभी दृढता पाईजाती है कि जैसे साक्षात्कार पुत्रहीके निपूते मरने में उमपुत्रकी पत्नीधनको

हरसक्तीथी तद्वत् पुत्रिकाकेनिपूती मरनेमें पुत्रिकाका भर्ताही हरसक्ताहै न कोई और-  
 और कथंचन अव्ययके योगसे यहवात निश्चितहोती है कि वह पुत्रिकाचाहे कैसेहू  
 अर्थात् किसीप्रकारसे निपूतीहोकर मरै किंतु या तौ बन्ध्याहोनेके हेतुसे या मृतवत्सा  
 होनेके हेतुसे या कन्यासूती होनेकेहेतुसे निपूतीमरजाय यद्वाकैसेहू इस अव्ययसेयह  
 भाव सिद्धहोता है कि पुत्रिकाचाहे पितामाताके मरनेपीछे या जीतेजी मरजाय तौभी  
 धनकोभर्ताही हरसक्ता है-परन्तु-यहव्याख्या बहुधा ग्रंथकार टीकाकारोंने मनोज्ञनहीं  
 रक्खी और जैसीव्याख्या इसीमनुके वाक्यसे प्रकल्पित करीसो अबलिखते हैं कि-  
 कथंचन अव्ययके भावसे कैसेहू अर्थात् पितामाताके मरनेपीछे या जीतेही पुत्रिका  
 आप निपूतीमरै तौउस पुत्रिकाकाही ठेठ स्त्रीधन पुत्रिकाका भर्ता विनाविचारे वेखट-  
 केहरै-और सिद्धांत इसकायह दर्शाया है कि पुत्रिकापुत्रोंके समान कल्पितहुई इसी  
 हेतुसे कदाचित् ऐसाआग्रह खड़ाहोवै किजब निपूतापुत्र पत्नीहीन मरजाता है तब  
 उसका ठेठधनभी पिताहरता है या पिताके नहोनेमें भाईआदि सपिंड रिक्थीहोतेहैं  
 इसन्यायसे पुत्रिकाकाभी ठेठस्त्रीधन यदि पिताजीता होतौ वहलेवै यद्वा भाईआदि  
 सपिंडसो इस न्यायरूप आग्रहके निवारण हेतुसे यहवचन १३५ वाला मनुने  
 उच्चारण किया यह कुल्लूकभट्टका अनुवाद है-तथाचमनुमुक्तावल्यांकुल्लूकभट्टाः  
 ( अपुत्रायां पुत्रिकायांकथञ्चनमृतायांतदीयधनंतद्गतैवाविचारयन् गृह्णीयात्पुत्रिका  
 याः पुत्रसमत्वेनानपत्यस्यपत्नीरहितस्यमृतपुत्रस्य पितुर्धनग्रहणप्रसक्तौतन्निवारणा  
 र्थमिदं वचनम् १३५ ) यहाँपर ध्यानकरनेकी यहवातहै कि यद्यपि इस अंत्योक्त युक्ति  
 सेकि अमुकामुक आग्रह दूरकरने केनिमित्तमें यहवचन निर्मितहुआ स्वप्नवत् विश्वास  
 आताहै कि जो कुल्लूक भट्टोंने उच्चारण किया शायदसच्चाहो क्योंकि उनकी युक्तिसे  
 अविरोध प्रतीतहोताहै-तथापि ऐसी व्याख्या न्याय विरोधको जल तैल विंदु न्याय-  
 वत् प्रत्यक्ष खड़ाकरतीहै क्योंकि प्रथमतौ प्रकृत प्रकरण से भिन्नात्मक आशय प्रकट  
 करतीहै अर्थात् मनुके नववें अध्यायमें १०४ मूल श्लोकसे लेकर १८६ मूल श्लोक  
 पर्यंत समस्त ८६ श्लोकोंमें मृत पुरुषके छोड़ेहुये रिक्थका विभाग वा रिक्थीत्वकी  
 प्रतिनिधिता वर्णन हुईहै तिसमें भी १२७ मूल श्लोकसे लेकर निपूते मृत पुरुषके  
 द्वादश पुत्र प्रतिनिधियों का चर्चा छेड़ागयाहै कि वे इसभाँति रिक्थग्राही होसके हैं  
 तिस चर्चामें सबसे पहले पुत्रिकाकी प्रतिनिधिता १२७ मूल श्लोकसे लेकर १४०  
 मूल श्लोकतक निरंतर वर्णनहुईहै कि जिसमें केवल मृत पुरुषके छोड़ेहुये धनमें  
 रिक्थग्राहित्व की प्रधानताके सिवाय कहीं स्त्रीधनका प्रसंग नहीं आयाहै नउसके  
 आनेको अवकाश पायाजाताहै फिर क्योंकि ऐसी व्याख्या न्यायात्मक मानीजाय  
 जिसमें प्रकृत प्रकरणसे भिन्नात्मक युक्ति जोड़ीजाने के सिवाय मूलपाठसे भी अन्वय

व्यतिरिक्तहै क्योंकि (धनंतत्पुत्रिकाभर्ताहरेतैवाविचारयन्) इसमें धन शब्दके साथ कोई ऐसा विशेषण युक्त नहींहै कि जिस्से स्त्रीधनका बोधमानाजाय जो कि उक्तभट्टोंने मध्यस्थ ( तत् ) शब्दको धन शब्दकेपूर्व अन्वय देकरऐसा अर्थलगायाहै कि (तद्धनं तस्याएवधनं तदीयधनंस्त्रीधनमात्रं ) सो यह विपरीत योजना भी असंगतहै किन्तु तत् शब्दका षष्ठी समासहै पुत्रिका भर्तामें और उस्से यही अर्थ होसक्ताहै कि (तत् तस्याः पुत्रिकायाभर्ताधनंहरेत ) और सामान्य धन शब्द जो विशेषण हीनहै वह अवश्य किसी विशेषणकी अपेक्षा रखताहै तो इसलिये उसमें वही विशेषण जुड़सक्ता है जोकार्यसे संबन्धरखताहो-तस्मात्(कथंभूतंधनंहरेतप्रकृतप्रकरणोक्तंरिक्थरूपंभार्ययास्वपितृतःप्राप्तं त्यक्तंभर्तैवहरेतनतुस्त्रीधनमात्रमित्यर्थः सिद्धयति ) इसके सिवाय यहभी ध्यान कर्तव्यहै कि जो केवल स्त्री धनकी आज्ञा अभिप्रेत होती तौ फिर (बे-खटकेहरै)इसनिर्भयत्वकी प्रेरणासे कुछकाम नहींथा क्योंकि जोवस्तु अपनी भार्याकेही स्त्रीधनमें गिनती है सो निस्संदेह अपनी और लोकशास्त्र दोनोंमें प्रसिद्धहै कि भार्या का शरीरभी पतिका एकधनहै उसकेलिये खटका या संदेह या विचारका कोई हेतुही उपस्थितनहीं जिसका उद्वेग दूरकरनेमें यह तीव्रतरउत्साह दिलायाजाता किन्तु यह उत्साहदिलाना उसीधनपर सूचितहोताहै कि जो उसभर्ताकी भार्याने निज पैतृक रिक्थ पायाथा क्योंकि उसमेंयहखटका और संदेहखड़ाहोनाभी सम्भाव्यथा कि शायद पुत्रिकाके दादा दादी या चचा आदि धनके ग्राहकठहरें जैसा सामान्य दुहिता के पक्षमें निर्णीतहुआथा सो यह खटका शांतकियागया-इसपरभी-कदाचित् ऐसा आग्रह कियाजावै कि यह व्याख्याही निर्मूलहै क्योंकि जामातु अपनेससुरेका धन कोईभाँति नहींपासक्ता बल्कि संप्रतिपुत्रिकाधर्मकी रीतिका प्रतिषेधहै फिर क्योंकर ऐसान्याय सम्भवहोगा-तौफिर लोकमें साधारणजन परिपाटी देखीजाय और प्रत्येक निपूतेसे यहबूभाजाय कि तुम दुहिता और पुत्रिकासे जामातुको कितनातुच्छ समुझतेहौ और पुत्रिका धर्मकी रीतिका वर्तावा संप्रति करतेहौ या नहीं-पुत्रिकाधर्मकी रीतिका प्रतिषेध यद्यपि दत्तकमीमांसाके निर्माताने प्रायः कल्पितकिया तौभी लोकमें विशेषता वर्तमानहै कि बहुधा जो निपूतेलोग पुत्रीसेभी हीनहुआकरते और दत्तकलेना नहींचाहते वे निरंतर यहीकामना रक्खाकरतेहैं कि एकपुत्रीही यदि पैदाहोकर जीती रहै तौ हम अपनावंश सपूतासमुझें बल्कि जिनको पुत्री प्राप्तहोजातीहै निरंतर उस में पुत्रभाव मानाकरते और जामातुसहित अपने निकट वासादेकर उसकेपुत्रोंको निज पौत्रकेसमान सेवनकरतेहैं और अपना धनभी उसकेअर्थ प्रकल्पितकरतेहैं कि जो कुछहो सो सब इसकाहै बल्कि इसीआशयसे वे दत्तकलेनेपर आरूढ़नहींहोते और यह कहतेहैं कि अपनी आत्मज पुत्रीको छोड़कर परायापुत्र धनका म्यामीकरें यह

स्वीकार नहीं (सो) इसभाँतिकी पुत्रीका मानिलेनेका यहतात्पर्यनहीं है कि वहपुत्रीही कुछ पुत्रोंकेसमान होजावै यद्वा पुत्रोंवालेकार्य साधनकरैगी अर्थात् इसमें दो सिद्धान्त समुभिलेते हैं कि प्रथम तौ पुत्रीका विवाह करतेसार तत्कालही जामातरूपपुत्र प्राप्त हुआ जिसको गृहवासदेनेके हेतुसे उनसभी कामोंमें सहायता मिलनेलगी जो पुत्रों सेहोसक्तेथे दूसरे जब दौहित्र पैदाहोंगे तब निस्संदेह पौत्रोंके अनुरूप उनसे संसारी काम और पिण्डप्रदानकाभी अवलंब निश्चितहोजावेगा-ऐसापुरुष अपनी पुत्रीकेहित हेतुसे जामातपर कुछ अधिक मोहरखताहै और उसीको निजपुत्रस्थानी समुभिलेता है अर्थात् वहपुत्री केवल अवलंबमात्र पुत्रिका मानीजातीहै कि उसकाप्रतिनिधिहो कर जामात कामआवै-यद्यपि एक शिष्टाचारमार्गसे पुत्रिकाके जीतेजी तक जामातको धनपर कब्जानहींमिलताहै तथापिजिसधनपर उसकीअर्द्धांगी काबिजहुई तिसपरशेष आधेअंगका भोग परिग्रह अप्राप्तभी संप्राप्तसमुभाजाताहै तिसऐसीपुत्रिकाकेनिपूती मरजानेपरभी वह धन भर्ताकोही मिलताहै कोई उस्सेछीनलेनेका मनोरथनहींकरता है औरकथंचन अव्ययके आशयसे पुत्रिका चाहे पिताके जीतेहीनिपूती मरीहो तौभी पिताअपनी जीवन अवधिपीछे उसजामातकोही देताहै बल्कि सामान्य वा निरक्षर स्त्री जनभी एक साधारण बात चीतके प्रसंगमें भी ऐसा उच्चारणकरने का अभ्यासरखते हैं कि अमुक पुरुषके बेटी जमाई विद्यमानहैं क्योकर कोई उसके धनकी आशकरसक्ता हैसो यह कथन पुत्रिकाकेही पक्षमें उपलक्षितहै सामान्य दुहिता का यह चर्चा नहीं- कदाचित् कोई इस पुत्रिकाकेही पक्षमें यह बुद्धिरखताहो कि पुत्री पुत्र बनाई उसीके गुनगाने चाहिये जामातसे कुछकामनहीं इस्से उसका चर्चाकरना तृथाहैसो यह बुद्धि निपट मूर्खता प्रकट करतीहै क्योकि इसका उत्तर अभी ऊपर लिखागयाहै कि पुत्रीकेवल अवलंबमात्र पुत्रिका मानीजातीहै अन्यथा जो यह ऐसाभाव नहो तौ फिर पुत्रिका भी निजभर्ताहीन दौकौड़ीकी पितृवंश विनाशक ठहरै और जो यहकहने में आसक्ता होकि भर्ताका सहवास होना योग्यहै परधनकी पहुँचउसतक होनी योग्यनहीं-तौ यह उत्तर इसमेंठीकहै कि जब इतना भी सहारा निपटनहो तौ फिर ऐसाकोई तुच्छजामात मिलसकना संभवनहींहै कि जबतक उसकी भार्या जीतीरहै तवतक ससुरेके घर दास बनिकर भोजनमात्रसे दिनकाटेजन्म गमावै आगे भार्याके मरजाते सार उसके शरीर वस्त्रआदिक लेकर घरकीराह थॉभै ( सर्वेजनाःस्वार्थवशात्प्रियाश्चस्वार्थांगरीयान्प्रियोस्ति कश्चित् ) कदाचित् यहतर्कणा प्रवेशकरीजावै कि यहचर्चा जोकुछ लोक परिपाटी मध्येऊपर कियागया सो उसदशाका प्रसंगहै कि जोपिता अपने जीतेजीनिज इच्छासाथ पुत्रिका और जामातको अधिकार साँपदेताहै या मरतेसमय सबके सम्मुख प्रत्ययकर देताहै सोवह दानरूपमे देदेनाकुछ इसप्रकृत व्यवस्थामें दृष्टांतदेने

का संबन्ध नहीं रखता है क्योंकि धनीचाहे परजनको भी अपना धनदेडारै तौकुछ भगडा कोई नहीं करसक्ता फिर जामाततौ स्वकीयजनहै-परंतु जामातके अधिकार मध्ये भावाभाव चर्चा यहांउस दशापर कर्तव्यहै कि जबधनी अपनेआप दिये सौंपे विना मरजाय और पुत्रिका पुत्रस्थानी होनेके हेतुसे रिक्थीत्वका अधिकार पावे तौ पुत्रिका के निपूतीमरने पर जामातका अधिकार क्योंकरहोगा-इसकाउत्तर उन्हींप्रकारोंसे अधिकार उसकाहोगा जैसाऊपरलीपहलीव्याख्यामें कथंचन अव्ययकेअनुरूप दर्शितहुआथा बल्कि ऐसीदशामें उसभर्ताको न देनाही अधर्म निश्चितहोता है कि जिसकोउसकेश्वशुराने सौशील्यगुणसंयुक्त देखभालकर निजपुत्रिकाके हितहेतुसे पुत्रस्थानी मानिरक्खाथा और धनभीउसके अर्थमेंसबसमुभाथा पर केवल अंतकालिक भूलकेहेतुसे कुछप्रत्यय करजानेका अवकाश नहीं पाया ऐसे जामातकी अर्द्धांगी मर जानेसे यदि कोई उसकोदुर्भागी रक्खैनिस्संदेह अधर्मभागी होगा क्योंकि अनधिकार केवल उस जामात पर संसूचित हुआहै कि जो सामान्य दुहिता का भर्ताहो-परंच-पुत्रिका का भर्ता ऐसा धन पाइकर यदि आप निपूता मरै तौ उस भर्ताके सपिंडों का अधिकार नहोगा किन्तु पुत्रिका के निज पैतृक सपिंड धनको पावेंगे उस भाँतिसे कि जैसे सामान्य दुहिताके धन पाइकर निपूती मरनेमें अधिकारी निश्चितहुयेहैं-इसके सिवाय- यहतर्क इसमेंशेषहै कि भला जामातको तौ पुत्रीके अवलंब मात्रसे यहसमुभिसक्तेहैं कि पुत्रस्थानी मानागया होगा क्योंकिजहां पुत्रिका पुत्रस्थानी कल्पित हुई होगी तहाँ उस पुत्रिका का भर्ता भी अवश्य उसके साथहोगा-परंच पुत्रीको (पुत्रिका) समुभाजाने वाला प्रत्यय कौनहै क्योंकि विना चिह्न कोई बात समुभी नहींजाती और ऊपर जो कुछलोक वर्तावा वर्णन किया उसमें कोई चिह्न ऐसा नहीं जिस्से पुत्रीको (पुत्रिका) समुभें और पिता करकेमनसे मानिलेना यहकुछ प्रमाणमें आसकने योग्य नहींहै बल्कि (पुत्रिका) के यथार्थ लक्षण मनुने यहकहेहैं (अपुत्रोऽनेनविधिनासुतांकुर्वी-तपुत्रिकाम् । यदपत्यंभवेदस्यांतन्ममस्यात्स्वधाकरम्) अर्थात्-निपूतापुरुषअपनीपुत्री को इसविधिसे पुत्रिका कल्पितकरै कि उसके दानकालमें जामातासयहवचनपक्का करि लैवे कि यह कन्यामें पुत्रिका कल्पितकरिकै तुम्हें देताहूं इसमेंजो सन्तान पैदाहोय सो वहमेरा पिंडआदि आदि स्वधाकर्मकरनेवाला पोताठहरै अर्थात् में उसको अपनेपास रखकरपोता कल्पितकरोंगा-सो-यहमनुकेकहे कोईलक्षणउसपुत्रिकामें न पायेगयेजिस काचर्चा ऊपर कियागयाबल्किपुत्रिका और जामातकाभी पामरहना निश्चित न हुआ केवल दौहित्रको लेनेनेवाला वचनरूप चिह्नपायागया इमका उत्तरक्या देसक्तेहों सुनो-पुत्रिकाभी कृता अकृताके भेदसे दोभाँतिकी होतीहैं तिनमें कृता पुत्रिका यहीहै कि जिसके लक्षण इसीमनुके वाक्यमें दर्शायेगये क्योंकि यह पुत्रिका वरकी अनुमति

लेकर बचन बन्धनसेही करीजाती है और इसका केवल पुत्रलेकर द्वादश पुत्रोंमें निज पौत्रस्थानी कियाजाता है कुछपास रखनेमध्ये इसका नियमनहीं और अधुना जो पुत्रिका धर्मकी रीतिका प्रतिषेध कल्पित हुआ सोभी इसीपुत्रिका पक्षपर आरूढ है-और जिसपुत्रिकाकी व्यवस्था ऊपरलोक वर्त्तावासे दर्शाईगई वहीदूसरी (अकृतानामपुत्रिका) होतीहै क्योंकि वह पुत्रीकावचन बन्धनके विनाही सामान्यभाव करी जातीहै तथापि उस अकृता में इस कृताकी अपेक्षा यह विशेषता वर्तमान है कि उसका बहुधाही वर्त्तावा कियाजाताहै और पिता माताके मनोरथमात्रसे होसकना उसका सुगमहै और सर्वकाल भर्तासहित निवास उसका पिताकेघर होताहै और संतान उसके जितनी हों पिताकेहीपोता पोतीके समान समुभेजाते हैं और कृतापुत्रिकाकी संतान केवल एक नानाको मिलतीहै कि जैसा वचन बंधहुआहो इससे कोई शंकाकरनी व्यर्थहै-कृता और अकृतादोनोंका भेदनिश्चित होनेमध्ये मनुका अग्रोक्त वचन प्रमाण है-यथा (अकृतावाकृतावापियंविन्देत्सदृशात्सुतम् । पौत्रीमातामहस्ते नदद्यात्पिंडंहरेद्धनम् इतिमानवेनवमेऽध्याये १३६ श्लोकः)-अर्थात्-१३५ में निपूती पुत्रिकाके भर्ताका अधिकार सूचन किया था अब १३६ में सपूती के पुत्रोंका अधिकार सूचन करतेहुये पुत्रिका का द्वैविध्यप्रकट करते हैं कि पुत्रिका चाहे अकृता यद्वा कृता हो वह जिस पुत्रको समान जाती बोढ़ासे उत्पन्नकरै तिसपुत्रसे नाना उसका पोतेवाला निश्चित होताहै इसहेतुसे वह पुत्र अपने नानाका पिंडदेवै और धनहरै-गौतमोपिद्वैविध्यलक्षणमाह-यथा (अभिसंधिमात्रात्पुत्रिकावेत्येकेषाम् ) अर्थात् पुत्रिका अभिसंधिमात्रसेभी हुआ करतीहै यहएकोंका संदृष्टप्रत्ययजानो-यहाँ (अभिसंधि मात्र कहनेका यह भाव है कि पिताके मनोरथ साथ पुत्री और जामातृके समीप रहने मात्रसे पुत्रीकाधर्म सिद्धहोताहै) इत्यादि सर्वकारणोंसे इसपक्षमें कुछ शंकाकरनी व्यर्थ है-सर्वथा पुत्रिका यद्यपि पुत्रोंकेसमान कल्पितहोकर मानीजाती है तथापि उसको स्थावरधनके दान या विक्रय आदि वियोगोंमें अधिकार पूरानहींहोता किन्तु जैसा ऊपरले परिच्छेदमें सामान्य दुहिताओंकी अपेक्षा निर्णयहुआथा तद्वत् इसपुत्रिका कोभी समुभौ और (पूरानहींहोता) इससे यह आशयभी दर्शायाहै कि जैसा पत्नीके अनुवादस्थलपर इसी परिच्छेदमें पत्नीको यत्किञ्चित् ऐसा करसकनेका अधिकार सूचितहुआथा तैसाउन्हींप्रकारोंसे पुत्रिका और दुहिताओंकोभी समुभिलेना-परंच-पुत्रिका और दुहिताओंको अपने निज स्त्रीधनपर पूराही अधिकार होताहै और उस परभी कि जोकुछ स्थावर उनकोदानद्वारामिलाहो चाहे अपनेपितासे या और किसी पितृपक्षीसे कुछ इसका नियमनहीं क्योंकि यहभी एक स्त्रीधनमें गिनतीहै-किन्तु जो कदाचित् अपनेभर्तासेही दानद्वारा पायाहो तिसकाव्यौरा आगे स्त्रीधनके परिच्छेदमें



अवलोकन करो-इतिदुहितृणामधिकारविचारशेषपाठः ( अथदौहित्राणामधिकारस्यानुवादः) दौहित्रोंका अधिकार जैसा ऊपरले ५६ के परिच्छेद में देशांतर भेद ब्यौरेवार वर्णनहोचुका सो सब ठीक है पर यहां उस दौहित्र विशेषकी अपेक्षासे अनुवादकरना होगा जो (पौत्रिकेय)कहलाता किंतु (पुत्रीका ) हुई बेटीसे जन्माहो और उसकेही प्रसंगसे सामान्य दौहित्रोंका भी चर्चाकरनाहोगा क्योंकि उसका अधिकार अन्य सामान्य सब दौहित्रों के सन्मुख बड़ी विशेषता रखताहै कि उसके सद्भाव में दौहित्रोंका अधिकार नहींहोता क्योंकि वह पोता के समान कल्पित हुआ है और इसी हेतुसे निजमाता के अभाव में वह नानी के जीतेभी मृत नानाका धनहरताहै-तदा-हमनुः (दौहित्रएवचहरेदपुत्रस्याखिलंधनम् १३१ दौहित्रोह्यखिलंरिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत् । सएवदद्यात्द्वौपिंडौपित्रेमातामहायच १३२ - इतिनवमेऽध्याये)अर्थात् नवयेंअध्याय में पुत्रीका का अधिकार निश्चित किये पीछे मनुकहते हैं कि यदि पुत्रीका पुत्रपैदाकरके अपने पिता के जीतेजी मरचुकी हो तो दौहित्र ही निपूते नाना का सब धन हरै १३१ इससे निचले वाक्य में फिर कहते हैं कि दौहित्रही निजनिपूते पिताकाभी सब धनहरै और वही अपने बाप तथा नाना को भी पिंडदेवे १३२ (आशयइसका यह है कि ऊपरले अद्धामें दौहित्र विशेष पौत्रिकेयको नानाका धन हरना कहा उसमें यह चिंताखड़ीहोतीथी कि वह अपने नानाका पोता कल्पितहुआ कदाचित् उसकेभ्राताकोई और न होतो फिरबाप निपूता ठहरेगा उसबापकेधनपिंडों में अधिकार किसकाहोगा) सोइसचिंताको द्वितीयवाक्यसे मिटायाहै कि भ्रातारहित पुत्रिकासुत निजबापके भी धन पिंडोंका अधिकारी हैपर जिसकेकोई सामान्य भ्राता ऐसाहो जो नानाका पौत्रिकेय नहींठहरे तो उसभ्राताके होतेहुये पौत्रिकेयकोनिजबाप के धन पिंडोंमें अधिकार नहीं-पुनरपिदार्यमाहमनुः (पौत्रदौहित्रयोर्लोके नविशेषोऽस्तिधर्मतः । तयोर्हिमातापितरौसंभतौतस्यदेहतः १३३-अर्थात्-ऊपरले नियमों से बुद्धिमें चंचलता खड़ीहोती थी कि दौहित्र पोता क्योंकरवनसक्ता किंतुदौहित्रतोजा-मातृ से और पोताअपने पुत्रसे उत्पन्नहोताहै इसकी दृढ़ता मनुतृतीयवाक्यसे फिर कहतेहैं कि-पौत्र और दौहित्र दोनों बीच कुछ न्यूनाधिक्य विशेषता न तो लोकमें विख्यातहै न धर्म कृत्योंमें संभाव्यहै क्योंकिदोनों केहीमातापिताउसकी देहसे उत्पन्न हुये हैं अर्थात् दौहित्र की माता और पौत्र का पिता दोनों एकदेह से उत्पन्नहुये-जब कि पौत्र और दौहित्र दोनों तुल्य ठहरे तो फिर यहभी न्यायस्वयंसिद्ध ठहरा कि जैसे पुत्रके अभावमें पौत्र धनको पाता है तथैव पुत्री के अभाव में दौहित्र धनको पावे किंतु पुत्री के जीते जीतक नहीं-मनुने-इस दौहित्र विशेष पुत्रिकासुत को श्राद्ध करने का भी उचित प्रकार दर्शाया है-यथा ( मातुःप्रथमतःपिंडं निर्वपेत्पुत्रि

कासुतः । द्वितीयंतुपितुस्तस्यास्तृतीयंतत्पितुःपितुः १४०-इति नवमेऽध्यायेमनुः )  
 अर्थात्-मनु कहते हैं कि पौत्रिकेय दौहित्र इस क्रमसे पार्वण श्राद्ध करसक्ता है  
 कि पहला पिण्ड अपनी माता को दूसरा माता के बाप को तीसरा माता के दादे को  
 उद्देश करके देवै-कदाचित्-पौत्रिकेय को निज पिताका भी पार्वण करनाहो तौ उस  
 दशा में यथोक्त क्रमसे अपने बापदादा परदादा को तीनों पिंड देवै इसकी आज्ञा  
 ऊपर १३२ वाले मनुके वाक्यमें होचुकी है-यहसब चर्चा मनुके वचनों द्वारा सर्वत्र  
 एक वचनके वाचित्वसेही केवल पौत्रिकेय दौहित्र विशेष का दर्शाया गया-अब-  
 अग्रोक्त विष्णुवाक्यसे सामान्य दौहित्रोंकोभी पौत्रोंके समान श्राद्ध करने का अधि-  
 कार दर्शित करते हैं-यथा ( अपुत्रपौत्रसंतानेदौहित्राधनमाप्नुयुः । पूर्वेषांतुस्वधाका  
 रेपौत्रादौहित्रकामताः ) अर्थात्-विष्णुने सामान्य दौहित्रों को बहुवचन का उद्देश  
 देकर ऐसा धर्म दर्शायाहै कि-पुत्रपौत्र प्रपौत्रतक संतानके न होने में धेवते धन को  
 पावें क्योंकि उसदशामें पूर्वमरे त्रिपुरुषके पिंडादि स्वधाकार्य करसकने को धेवते-  
 ही पोते समुभे जाते हैं-यद्यपि इस विष्णुक्त वचनके अक्षरार्थ मात्रसे बेटा पोता  
 परोता तक न होनेमें धेवते मालिक समुभेजाते हैं तथापि न्यायसाम्य सिद्धान्त से  
 इन तीनोंके उपरांत धनीकीपत्नी और दुहिताओंकाभी अभाव समुभिलेना क्योंकि  
 इस वचनमें दौहित्रों का अधिकारमात्र निश्चित कियागया कुछ आगे पीछे का क्रम  
 संदर्शित नहीं किया इससे जो क्रम नियमात्मक चला आता वही यहां भी सम्भा-  
 व्यहै कि पत्नीके होतेहुये दुहिता नहीं पासकी और दुहिताके होतेहुये दौहित्र नहीं  
 पासके-ऊर्ध्वोक्त सर्व मर्यादों से दौहित्र अपने नानाका धन पाइकर निरन्तर निज  
 संतान प्रतिसंतान द्वारा भोगाकरते हैं परन्तु ऐसानानाका धनपाने पीछे जो दौहित्र  
 कोई निपट निपूते मरें और कोई उनमें जीतेरहें तौ वह निपट निपूते दौहित्रों का  
 भाग उनकेजीते भ्राताओंको उसक्रमसे पहुँचसक्ताहै कि जैसा न्याय दुहिताओं और  
 दौहित्रोंके मुख्यस्थलपर वर्णनहुआथा-पर उसदशामें कि जो नानाकाधन हरनेवाले  
 सब दौहित्र निपटनिपूतेमरें तौ जो धन उनके भोगसे बचरहाहो सो उसनानाकेही  
 पिता माता भ्राता आदि हरसक्तेहैं अर्थात् दौहित्रोंके निजपैतृक सपिंडों का अधि-  
 कार उसमेंनहीं-परन्तु जो उन्हीं मृत दौहित्रोंने कुछ नानाके कुलसे दानमार्गसे धन  
 पायाहो तौ उसधनमें दौहित्रोंके निजपैतृक सपिंडोंका अधिकारहै-इति दौहित्राणा-  
 मधिकारविचारशेषपाठः ( अथ पित्रोरधिकारस्यानुवादः ) पिता माताका अधिकार  
 जैसा न्यायात्मकथा मुख्यस्थलपर प्रदर्शितहोचुकाहै कि दौहित्रोंके नहोने या धन  
 पाइकर निपूतेमरजानेमें धनीकापिताधनकोहरे और पिताकेपश्चात्माताहरे-तथापि-  
 यहअनुवाद इसहेतुसे प्रदर्शित कियाजाता है कि विरल्लेअवसर में विपरीतक्रमके

न्यायभी अविरोधी सम्भव होता है-यद्यपि-स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न, कल्पतरु, रत्नाकर पारिजात, मर्यादापरिपाटी आदि बहुधा ग्रन्थकर्ता और जीमतवाहन आदि बहुधा बांगदेशी ग्रन्थकारों का सिद्धांत यही है कि पहले पिता पीछे माताका अधिकार हो और यही सिद्धांत उनका सर्व साधारण भावसे न्यायात्मक है कुछ देश विशेषका चर्चा इसमें नहीं करसके-परन्तु-मिताक्षरा आदि विरले ग्रन्थोंमें इस्से विपरीत पहले माताका अधिकार माना गया बल्कि मैथिल वाचस्पतिमिश्रने विपरीत क्रमका पक्ष लेकर अपने संग्रहकिये ग्रंथमें प्राचीनग्रन्थ बृहद्विष्णुके वचनका प्राचीनपाठ भी कुछ उलटा करके लिखा है अर्थात् (अपुत्रस्य धनं पत्न्या भिगा मि तद्भावे दुहितृगामि तद्भावे पितृगामि तद्भावे मातृगामि) यह तौ विष्णुका वाक्य है और वाचस्पतिने इसीमें (तद्भावे मातृगामि तद्भावे पितृगामि) इतना पाठ उलटा किया सो यह उलटा पाठ केवल मिथिलाके ही ग्रन्थोंमें स्वीकार होतारहा और सर्वत्र सब ग्रन्थोंमें प्राचीन पाठ लिखा जाता है-विज्ञानेश्वरने विपरीत क्रमका पक्ष लेकर अपने ग्रन्थ मिताक्षरामें इस वचनको लिखनेसे ही छोड़ दिया क्योंकि पाठका उलटा करना अनुचित समुझा और सूधापाठ लिखनेसे विपरीत क्रमका भंग हुआ जाता था-विरले ग्रन्थकारोंने विपरीत क्रमका पक्ष लेकर यह निरपेक्ष वचन भी प्रमाण दिया है कि (सहस्रंतु पितुर्माता गौरवे णातिरिच्यते) अर्थात् गौरवता मध्ये पितासे सहस्रगुणी माता बड़ी होती है क्योंकि नौ महीना गर्भमें राखती और पालन पोषण आदि अतिशय उपकार वही करती है इसलिये धनभी पहले वही पावे सो यह प्रमाण उनका अतिशय तुच्छ और निरर्थक जानो क्योंकि यह बड़प्पन जैसा माताका दर्शाया तैसा पिताका भी माताकी अपेक्षा बहुधा वचनों से संसिद्ध होता है क्योंकि पिताही पुत्रोंके संस्कार करता और उनके लिये वृत्ति नियत करता है कि जो बातें मातासे होसकनी दुर्घट होती हैं इसीलिये एक वाक्यमें यह कहा है कि (तयोरपि पिताश्रेयान् बीजप्राधान्यदर्शनात्) अर्थात् यद्यपि माता पिता दोनों पूज्यतम हैं तौ भी दोनोंके बीच पिताश्रेष्ठ जानो क्योंकि पितामें सबसे बड़ी प्रधानता बीजदानकी प्रसिद्ध है कि जब तक पिता बीज नहीं देवे पुत्र क्योंकर पैदा होय (सो) इस प्रकारके वचन केवल पितामाता की पूज्यता सिद्ध करनेवाले होते हैं इन वचनों से व्यवहारशास्त्रमें कुछ धनका अधिकार सिद्ध नहीं होता इस्से इन वचनोंका प्रमाण दायभागमें निरर्थक जानो क्योंकि जो इसी बड़प्पनके अनुसार धनका अधिकार माना जाय तौ फिर पितासे पहले विद्यादाता आचार्यका अधिकार खडा होता है (उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता) अर्थात् शरीर उत्पन्न करनेवाले और विद्या देनेवाले दोनोंके बीच विद्यादाता बड़ा है और वही पिता है इस वचनके अनुसार विद्यादाता पितामें भी बड़ा निश्चित हुआ इस्से उसीको धन निलना चाहिये जन्मदाता पिताको उसके पीछे

मिलना चाहिये यह दोष खड़ाहोताहै (औरजो ) इसवचनकी ऐसी व्याख्या करीजाय कि एक सामान्य उत्पन्नकर्ता पितादूसरा उत्पन्नकरिकै वेदपढ़ानेवालापिता तिनमें वही पिताबड़ाहै जोब्रह्मदहो तौभीयही दोषापत्ति होतीहै किपुत्रकोजिसपिताने उत्पन्नकिये पीछे विद्यादानभी आपहीकियाहो सोतौ ऐसेपुत्रकाधन हरसकै अन्यथा जिसनेजन्म-मात्रदियाहो सोवहपिता अनुत्तमहै इसलिये जिसने उसकेपुत्रको विद्यादान कियाहो वही आचार्य धनकोहरै उस आचार्यके न होनेमें अनुत्तम पिता भागीहोगा औरभी बड़प्पनके अनुसार बहुधादोष खड़ेहोतेहैं किभाई या भतीजेके होतेहुये दादा या चाचा धनकोपावै क्योंकि इनदोनोंसे वहदोनों बड़ेहोते हैं इत्यादि प्रकारोंसे सर्वत्र दाय-भागकी मर्यादाही विपरीत करनीपरै-इसकेसिवाय-पितामाताके बड़प्पन दर्शाने वाले वचनभी परस्पर एकदूसरेसे विपरीत देखपरता है-यथा ( उपाध्यायाद्दशाचार्यआचार्याणांशतंपिता । सहस्रंतुपितुर्मातागौरवेणातिरिच्यते । गर्भधारणपोषाभ्यांतेनमाता गरीयसी ) अन्यच्च (सगुरुर्यःक्रियाःकृत्वावेदमस्मैप्रयच्छति । उपनीयददद्वेदमाचार्यः सउदाहृतः ॥ एकदेशमुपाध्यायश्चत्विग्यज्ञकृदुच्यते । एतेमान्यायथापूर्वमेभ्योमातागरीयसी-इत्याचाराध्याये ) इत्यादि बहुधा और वाक्यभी माताकी पूज्यता प्रकटकरते हैं और(तयोरपिपिताश्रेयान्वाजिप्राधान्यदर्शनात्)इत्यादि और बहुधा स्मृतिवाक्यों से पिताकीपूज्यता अधिक निश्चित है-और प्रत्यक्षवर्तविका प्रमाणबहुधा यहकिपिताकीआज्ञाको प्रधान मानिकर परशुरामने निजमाताका शिर काटिदिया रामचंद्रने कौशल्यामाता के प्रतिषेध वचनोंको उलांघकर पिताकी आज्ञासे बनबास अंगीकार किया इस्सेपिताकी पूज्यतामें विशेषता पाईजातीहै-यहतौ केवल पूज्यताका व्यवहार है और इसीप्रकारदायभागके व्यवहारमें भी मातापिताके अधिकार साधकवचनोंका विरोध जैसा पहलेवर्णन हुआथा प्राचीन स्मृतियोंसे भी पायाजाता है -यथा (अनपत्यस्यपुत्रस्यमातादायमवाप्नुयादितिमनुः) (भार्यासुतविहीनस्यतनयस्यमृतस्यच । मातारिक्थहरीज्ञेयाभ्रातावातदनुज्ञया इतिवृहस्पतिः ) इत्यादि विरलेमाता के अधिकार साधकवाक्य हैं-यद्यपि इसीमनुके वाक्यसे पत्नीके अनुवाद स्थलपर एकव्यवस्था नियतहोचुकी है किमाता या दादीका अधिकार केवल ऐसे धनपर समुझो जो किसीवालक भ्राताने भ्राताओंसाथ पैटक रिक्थपाया हो ऐसापुत्र निपतामरे और वहमाता या दादी आपविधवाहो इत्यादि उसीस्थलपर सबदेखो इत्यादि(और) वहीव्यवस्था इस अत्रोक्त वृहस्पतिके भी वचनसे संसूचित है तथापि बहुधालोग आग्रह खड़ाकरतेहैं कि सामान्य और भांतिकभी पुत्रकाधन समुझेंगे और माता चाहै विधवाहो या न हो-परन्तुयह आग्रहउनका निजोक्त शिवकेवाक्यसे मिटजाता है क्योंकि शिवजीने स्पष्ट विधवामाता का अधिकार दर्शितकिया है-यथा ( मृतस्यो

ध्वंगतंवित्तंयथाप्राप्नोति तत्पिता । जनन्यपितथाप्नोतिपतिहीनाभवेद्यदि ) इसवाक्यसे स्पष्टजीते पिताका अधिकार सिद्धहुआ और इसीप्रकार जीतेपिताके अधिकार साधक और भी बहुतेरेवाक्य हैं-यथा (पिताहरेदपुत्रस्यरिक्थंभ्रातरएववा इतिमनुः)(तदभावेपितातदभावेमाताइतिविष्णुः ) योगीश्वरने ( पितरौ ) यह पद एक साथ उच्चारण किया और सूधापुगम न्यायात्मक इसकाभावहै कि पितामाता दोनोंएकसाथ मालिकहों इसकेऊपर ग्रंथकारोंने नैयायिक उक्तियुक्तिक अवलंबसे उलटसधे दोनों भांति के अर्थखेंच तानकिये बल्कि बिरलोंने यहांतक प्रगल्भता प्रकटकरी है कि पितामाता दोनों आधाआधा बाँटिलें-इसमेंइतना उन्हें और भी लिखदेना योग्यथाकि तब यह बात योग्यहै जबदोनों जुदे होनेलगें-इत्यादि द्विविध विरोधोंके हेतुसे जब कदाचित् वाद विवादकी सर्वथा शांति करनाही अभिवाञ्छित हो तौ अत्रोक्त अधिकार साधक वचनोंके विरोधको ऊर्ध्वोक्त पितामाताकी पूज्यता दर्शकवचनों के विरोधसे तुल्यता करनीयोग्य है कि जिसकेकरनेसे अधिकारमें विकल्पक्रम उत्पन्नहोता है अर्थात् जहांपिता साक्षात्कार महागुरु लक्षणोंसे संयुक्तहो जिसनेजन्मदेने और संस्कारक्रियाकरनेके सिवाय विद्यादानभी आपहीकियाहो यद्वा करसकनेयोग्य पंडित और विज्ञानी सत्त्वगुण संपन्नहो या पुत्रोंकी वृत्तिकल्पित करनेमेंसमर्थहो और माताउनसब गुणोंसे विहीनहो जो पतिकीआज्ञा वशवर्तित्व आदिपातिव्रत्य प्रयोजक और संसार के व्यवहार साधकस्त्रीधर्म होनेयोग्यथे तब उनदोनोंमें प्रत्यक्षपिता उत्तमहै इसलिये जोजोवाक्य पिताके पक्षमें अधिकार साधक दर्शितहुये तिनके अनुसार पहलेपिताही अधिकारी ठहरै-और-जहांमाताही अरुंधती आदिकेसमान पातिव्रत्य गुणसंयुक्त और संसारी लोकव्यवहारोंके संसाधनमेंसमर्थहो और पिताकेवल जन्मदेनेके सिवाय सर्वथा निर्गुणहो जिस्सेपुत्रकी वृत्तितक न कल्पितहुई हो या तामसयुक्त जड़बुद्धिहो (इष्टंवाऽनिष्टंवासुखंदुःखंवानवोत्तियोमोहात् । परवशगःसभवेदिहनाम्नाजडसंज्ञकःपुरुषः)तब इसपिताके सन्मुखएसी माताही मान्यतम होने के हेतुसे निपूतेपुत्रके धनपर पहले अधिकारपावै तौ इसन्यायसे सबग्रंथोंके वचनोंका विरोधशांतहोताहै-अन्यथा जहांमाता पिता दोनोंही समानगुण के निश्चितहों अर्थात् किसीगुणसे माताकीउत्तमता और किसीगुणसे पिताकी उत्तमता पाईजानेपर दोनोंकी तुल्यतामानी जासक्ती हो तौफिर माताका अधिकार न होगाकिन्तु पुरुषोंकी प्रधानता हेतुसेपिताही अधिकारीहोगा जैसाऊपरले ५६ केपरिच्छेदमें मुख्यस्थलपर निर्णयहोचुकाहै(स्वःप्रयातुः स्थितेतातेतथामातरिकालिके । पुंसोमुख्यतरत्वेनधनहारीभवेत्पिता ) मातानेकदाचित् ऐसे मृतपुत्रोंका स्थावर धन कुड़पायाहो तौ उसधनसे आत्मपोषण आदि नियत प्रकारों का व्ययकरने के सिवाय दान विक्रय आदि व्यर्थ वियोग करनेमें अधिकार

उसको नहीं है-यथाहसदाशिवः (प्रेतलब्धधनैर्नारीविदध्यादात्मपोषणम् । पुण्यंतुतदु-  
 पस्वत्वैर्नशक्तादानविक्रये ) (उपस्वत्व) नाम भाड़ा पोता आदि उपलाभोंसे कुछ पुण्य  
 भी यथोचित रीतिसे करसक्ती है और आत्मपोषण आदि आवश्यक व्यय उस  
 मूलधन के विक्रय वा आधानसे भी उसीप्रकार करनेमें समर्थ है कि जैसा निर्णयपत्नी  
 के अनुवाद स्थलपर स्त्रियोंके अधिकार मध्ये हुआ था (इतिपितुर्मातुश्चाधिकारवि-  
 चारशेषपाठः ) (अथभ्रातृणामधिकारस्यानुवादः) भाइयोंका अधिकार जैसा मुख्यस्थल  
 पर वर्णनहुआ सो सब ठीक है-यहां केवल ग्रन्थ भेद वचनोंका विरोध दर्शित करने  
 के हेतुसे अनुवाद किया जाता है कि (अपुत्रधनंभ्रातृगामि) अपुत्रस्यस्वर्यात्स्यभ्रातृ-  
 गामिद्रव्यंतदभावेपितरौहरेयाताम्) इत्यादि शंख पैठीनासिआदि वचनोंकरके पहले  
 भाइयोंका अधिकार समुभा जाता है-और (पिताहरेदपुत्रस्यरिक्थंभ्रातरएववा) मनु  
 के इस वचनमें ( वा ) शब्दकी योजना से विकल्प समुभाजाता है कि यातौ पहले  
 पितापावै या भाई पहले-और (ततोदायमपुत्रस्यविभजेरन्सहोदराः । तुल्यादुहितरो  
 वापिधियमाणःपितापिवा ॥ सवर्णाभ्रातरोमाता भार्यावेतियथाक्रमम् । तेषामभावे  
 गृह्णीयुःकुल्यानांसहवासिनः इतिदेवलकथनम् ) और (विभक्तेसंस्थितेद्रव्यंपुत्राभावे  
 पिताहरेत् । भ्रातावाजननीवाथमातावात्पितुःक्रमात् इतिकत्यायनवचनं ) इत्या-  
 दि बहुधा और भी विरोधीवाक्य हैं जो पहलेभी अनेक अवसरमें लिखचुके इससे  
 लिखना और कुछ व्याख्याकरना यहाँ आवश्यकनहीं है क्योंकि उनमें प्रायः पहले  
 भाईका अधिकार यद्वा कहीं विकल्पसे बापका भी लिखा है और पत्नी दुहिता दौहि-  
 त्रोंका अधिकार उनमें उलटा सुलटा आता है-इत्यादि विरोधोंको शांतकरनेकी अपे-  
 क्षासे कल्पतरुकारने पत्नी और भाईके अधिकार स्थलपर ऐसा लिखा है कि श्राद्धादि  
 कर्मोंके अधिकारवाली साध्वीपत्नी पहले मालिकहोगी और उससे इतर सामान्यपत्नी  
 भाई और पिताके पीछे मालिकहोगी-उन्हींने पिता और भाई के अधिकारस्थलपर  
 ऐसालिखा है कि जिसधनीने पिता दादाआदिके धनमेंसे निजभागपायाहो और वह  
 आप निपूतामरै तौ उसधनमें पहले पितामाताका अधिकार होवै परन्तु जो उसने  
 पितामाताकाधन खर्चविना अपनेआप अर्जितकियाहोतौ उसधनमें पितामाताके होते  
 भी भाइयोंका अधिकारपहुँचे ऐसीरीतिसे उनवचनोंका विरोधशांत होसक्ता है-यद्यपि  
 ऐसा लिखना उनका एक प्रकारसे न्यायात्मक है परतौभी ऐसा नियम निश्चित कर-  
 लेनेमें यह दोष खड़ाहोता है कि जिस धनीने दोनों भांतिके धन मिश्रीभूत छोड़ेहैं  
 तब उनधनोंका पृथक् होसकनाभी उपद्रवकी मूलहोगा-विरलोंने यह शांति कल्पित  
 करी है कि योगीश्वर और बृहद्विष्णुके जो वचनहैं सो तौ क्रम निर्माणपूर्वक होगें  
 और अन्यस्मृतियों के जो वाक्यहैं सो कुछ क्रम निर्माणकी अपेक्षा लेकर नहीं कहें



गयेइस्से नतौ उनमेंकुछविरोधहै न उसविरोधके होनेसे कुछहानिहै क्योंकि जिसजिस अधिकारीका जैसा चर्चा जिसजिस वचनमें आया सो सब अपने अपने केवल अवसरमें अविरोधी होसक्ताहै (सो) यहशांति भी कुछ सार्थक नहीं समुझनी क्योंकि देवल कात्यायन आदि वचनों में स्पष्ट क्रमका चिह्नहै—परन्तु-विरले अवसर में यह शान्ति एक सार्थक समुझीजासक्ती है कि जब कईएक अधिकारी विद्यमान हैं और उनमें किसी वचनसे भ्राताका अधिकार और किसी वचनसे पिताका इत्यादि वैपरीत्य पायाजाय तब इस बातका निर्णय करना आवश्यकहै कि इनमेंसे कौन मनुष्य मरेधनीके जीतेजीतक अनुकूल और कौन उसके प्रतिकूल रहाथा—जो कोई उसके अनुकूल रहाहो उसीके अधिकारवाला वचन भी व्यवस्था में प्रमाण करना योग्य है—जब कई ऐसे पुरुष उपस्थितहों जो सभी उसके अनुकूल रहे हों तब उनमें से जो कोई पुरुष अधिकतर गुणवान् हो उसी के अधिकारवाले वचनों का स्वीकार हो-जब गुणवान्भी अनेकठहरें तबउनमें जिसकिसीसे उसधनीका उपकाराधिक्य समुझाजावै कि वहधन हरनेपीछे धनीके अमुकामुक उपकारोंका संसाधनकरैगा तो उसीके अधिकारवाले वचनोंका स्वीकार कियाजाय तो उन वचनोंका विरोध ऐसी विषय व्यवस्थासे उपशांत होसक्ता है-इसके सिवाय-एकप्रकार यह भी है कि जहाँ पिता और माता अतिशयबूढ़े या असमर्थ अंगभंग आदि किसी हेतुसे इन्द्रिय विकलहों और धनीके भ्राता सर्व समर्थ संसारी व्यवहारों के साधयिताहों तहाँ निस्संदेह वेहीवचन सच्चे हैं कि जिनमें भाइयोंका अधिकार पितासे पहले कहागयाहो इसीप्रकार दादा दादी आदि औरोंको भी समुझिलेना अर्थात् जिस किसीका अधिकार जिसके पीछे निश्चितहुआहो तिसकाभी उसपूर्वनिश्चित अधिकारी की असमर्थतासे पहले होसक्ता है क्योंकि भोग्यवस्तु योग्य भोक्ताके भोगमें लगाना एक नियमात्मक न्यायसमुझाजाता है ( भोग्ययोग्यायदातव्य मितिन्यायविदोविदुः ) ( कनकभूषणसंग्रहणोचितोयदिमणिस्त्रपुणिप्रणिधीयते । नसविरोतिनचापिसुशोभते भवतियोजयितुर्वचनीयता ) इत्थंक्रमविपर्यासन्यायसे निपटारा कियेजानेपर भी मातापित्वादि असमर्थ अधिकारियोंका अधिकार निपटजाता नहींरहता अर्थात् उनका पालन पोषण धनके हरनेवालोंसे करवाया जाना यह सर्वत्र नियमात्मक है (यो यस्यधनहर्त्तास्यात्सतद्धर्माणिपालयेत् । संरक्षेत्रियमांस्तस्य तद्वन्धुन्परिपालयेत् ॥ इतिवचनात्तेषामधिकाराधिक्यसम्बन्धाच्च ) इतिभ्रातृणामधिकारविचारशेषपाठः ॥ ( अथभ्रातृपुत्राणांपौत्राणामपिचर्चाभात्रम् ) निपट किसी भाई के न होने में भतीजों का अधिकार निश्चितहोचुकाहै तिनकेलिये कुछ अनुवाद आवश्यक यहांनहींहैं क्योंकि उनके अधिकारमध्ये कोई वचन विशेष बाधक नहींहै जिम्की शान्ति करनी परे—

तथापि यदि कोई अपनी बुद्धिभ्रमसे योगीश्वरकेही मूलवाक्यमें यह युक्ति उपस्थित करे कि (पितरौभ्रातरस्तथा-तत्सुताः) इसमें पिता माताकेपश्चात् भाई और भतीजे भी मिलकर एकसाथ भागी होने समुभेजाते हैं क्योंकि(तथा)शब्दकी योजनासेयथा भाई तथा भतीजे भी परस्पर सदृश मानेजासकते हैं इस हेतुसे मृतधनी के भाई और भतीजेभी परस्पर निज निज मूर्त्तिका प्रत्येक अंश पावें तौ कुछ दोष नहीं यद्वा ऐसा होनासम्भव न हो तौ फिर(अनैकपितृकाणान्तु पितृतोभागकल्पना)यहयोगीश्वरका हीवचन पहले पैतामह धनके भागस्थलपर आचुका है और इसका अर्थ भी यह निश्चित पहले होचुकाहै कि अनेक बापोंके पोता अपने दादाके धनमेंसे निज निज बापोंकाही भागपावें इसन्यायके अनुसार यहां चचाके भी धनमेंसे निज बापोंकाभाग भतीजे जीते हुये पितृव्यों साथ पावें तौ अन्याय नहीं है-सो-इन दोनों भ्रामिक युक्तियों का यह उत्तरहै कि यह निचला नियम केवल पैतामह धनका विषय नियत हुआहै पितृव्य धनमें ऐसा नहीं होसकता किन्तु पितृव्यके धनमें जैसा होना योग्यथा सो नियम ऊपर ५६ के परिच्छेदमें भतीजों के अधिकार स्थलपर निश्चित होचुका वहींदेखो(और)ऊपरली युक्तिमेंयहउत्तरहै कि वह तथाशब्दकेवल(च)शब्दार्थयहांमाना जाताहै जिसका अर्थ(पुनः)शब्दके भावपर आरूढ़है और जो ऐसा नहीं मानाजाय तौ फिर वही तथा शब्द पितरौ केभी पूर्व अन्वय देसकता है कि जिसे पिता माता भ्राता सबको मिलकर बाँटिलेनाखड़ाहोताहै सो यदिवैसाही न्यायात्मक मानाजायतौ फिर बृहद्विष्णुने जो स्पष्ट क्रम उच्चारण किया तिससे बड़ा विरोध खड़ाहोवै-तथाच विष्णुक्तक्रमः(तदभावे पितृगामि तदभावे मातृगामि तदभावे भ्रातृगामितद्भावेभ्रातृ-पुत्रगामि)तौ इसक्रमके आगेकोई भ्रामिक युक्ति काम नहीं आसकतीहै-भाई के पौत्रों का अधिकार जो न्यायात्मक होनेपरभी संप्रति इन देशोंमें प्रवर्तित नहीं है तिसका व्यौरा आगे गोत्रज लोगोंके अनुवाद से दृढ़ होगा (अथगोत्रजानामधिकारस्यानुवादः) गोत्रजों की व्यवस्था जैसी मुख्य स्थलपर व्यौरैवारवर्णन होचुकी सो सबठीकहै-पर यहाँउसके न्यूनांगलक्षणदर्शानेके निमित्तसे अनुवाद कियाजाताहै कि जिसेद्रष्टालो-गोंका भ्रम दूरहो-क्योंकि वह मुख्यस्थलपर दर्शित हुई व्यवस्था विरले उन्हीं द्रष्टा-लोगोंको कुछ अन्तरवती प्रतीत होगी जो मिताक्षरा वीरमित्रोदयकी स्वल्पपंक्तियों के स्थल आशयपर निज बुद्धिको संकुचित करके छोड़देते हैं-प्रथम उन पंक्तियों का ही लिखते हैं कि जिज्ञानु द्रष्टालोगोंको न्यूनांगलक्षण पायेजायँ-यथा (तत्रच पितृ-सन्तानाभावेपितामहीप्रथमंधनभाक्पितामह्याश्चाभावेपितामहः पितृव्यास्तत्पुत्राश्च क्रमेणधनभाजः-पितामहसन्तानाभावे प्रपितामहीप्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्सूनवश्चेत्ये वमासप्तमात्ममानगोत्राणांसपिण्डानामपुत्रधनग्रहणवेदितव्यं- सपिण्डानामभावेसमा

नोदकानां धनग्रहणसम्बन्धः ते च सपिण्डानामुपरिसप्तवेदितव्याः जन्मनामज्ञानावधि  
 कावा ) यहां पर अतिशय ध्यान देकर निर्मल बुद्धिसे विचारकरना योग्य है कि  
 प्रत्यक्ष इनपंक्तियोंका सधाभाव यही प्रतीतहोताहै और प्रायःद्रष्टालोगोंने आद्योपान्त  
 सब स्वीकार भी करलियाहै कि मृतधनीके पिताकी द्वितीय सन्तानमेंसे कोई योग्य  
 अधिकारी निपट न हो तौ फिर दादी दादा पावें उनके भी न होनेमें फिर उनके पुत्र  
 भागीहों अर्थात् धनी के चाचा ताऊ पावें उनके भी न होनेमें (तत्पुत्राश्चक्रमेण धन  
 भाजः ) अर्थात् चचा ताऊके पुत्र भी क्रमसे धनकोहरें तौ इस कथनसे चचेरे भाई  
 तक अधिकार नीचे उतरा—भला यहांतक तौ धनीकी समान कक्षा वर्तमान है इस-  
 लिये किसी तर्कणाका प्रवेशभाव न होसकै परन्तु जब इन्हीं पंक्तियों ने चचेरे भाई  
 तकही दादा की सन्तान का अभाव निश्चित करके परदादी परदादा में अधिकार  
 उलटा ऊपर को पहुँचाया फिर ( तत्पुत्राः तत्सूनवश्च ) इस पंक्ति से उनके पुत्रों  
 तथा पुत्रों के अभाव में पौत्रों तक पहुँचाया जो मृतधनी के चचेरे चचाठहरे तो  
 अब धनी की समान कक्षातकभी नीचे को न पहुँचा क्योंकि चचालोग धनी से  
 एक पीढ़ी ऊपर प्रत्यक्ष हैं तिनहीं तक परदादा की संतानका अभाव निश्चित  
 करिके ( इत्येवमासप्तमात् ) इस पंक्ति से सरदादा आदि तीन पीढ़ी ऊपर को  
 चढ़जानेका मार्ग दिखलाया और इस पंक्ति का यह अर्थ है कि ( इति एवं आसप्त-  
 मात् ) अर्थात् यह क्रम इसीप्रकार सातपीढ़ीतक अपनी बुद्धि से समुझना-तो इस  
 उदाहरण से प्रत्यक्ष यही अनुक्रम सिद्ध होता है कि जैसे पिताकी द्वितीयसंतानका  
 अधिकार पिता के पोतातक पहुँचाया था जो धनीका भतीजा ठहरा-और दादाकी  
 भी संतान का अधिकार दादाके पोतातक पहुँचायाथा जो एकपीढ़ीचढ़कर धनीकी  
 समान कक्षातक चचेरे भाई में रहगया-और परदादाकी भी संतानका अधिकार  
 उसके पोतातकही पहुँचायाथा जो धनीसे ऊपर एक पीढ़ीचढ़कर चचेरे चचातकही  
 रुका—तैसेही ( इति एवं आसप्तमात् ) इस बतलायेहुये मार्ग से चचेरे चचा के न  
 होनेमें सरदादा पावे फिर उसका बेटा फिर पोता—तौ यह पोताठेठ धनीका पचेरा  
 दादा ठहरा तिसते नीचे फिर अधिकारका उतरना रुका भला यहांतक भी परवश  
 होकर सन्तोष धारण करसक्ते हैं कि जैसे अपना सगा दादा कभी जीतारहजाता है  
 तथैव यह पचेरादादा भी कदाचित् जीताहोगा तौ धन हरैगा—तिसके भी न होनेमें  
 छठी पीढ़ी सरदादाका वाप धनका अधिकारीहोगा उसके न होनेमें उसका बेटा फिर  
 पोता—अबके यह पोता ठेठ धनीका पचेरा परदादा ठहरा क्या अचम्भाहै कि अति  
 कालका स्वर्वासी भी उसधनके लोभसे सदेह लौटआवे पर उसने नीचे पुत्रादिकमें  
 अधिकार नहीं पहुँचसक्ता—किन्तु इस पचेरे परदादाके न होनेमें मानवीं पीढ़ीसंगे

सरदादाका दादा धनकोहरै उसके न होनेमें उसका बेटा फिर पोता—अबके यह पोता ठेठ धनीका पचेरा सरदादा ठहरा इसते भी नीचे इसके पुत्रादिक में अधिकार नहीं जासक्ताहै पर शायद किसी बहुज्ञकी उक्तिसे यह ऐसा पुरुष भी निज आप धनहरने को इस लोकमें आजाताहो—यह सब सातवीं पीढ़ी तक सपिण्डमात्र उन पंक्तियों के अनुसार समुभोगये ( तौभी ) अभी तुषकण्डनरूपसे अति दुर्गम सफर काटना शेष है कि इनके ऊपर चढ़कर सातपीढ़ी और भी समानोदक उन्हीं पंक्तियोंके अनुसार मानेजायँगे और वे भी ऊर्ध्वोक्त उदाहरणके अनुसार उसीक्रमसे ऊपरली एक २ पीढ़ी का पुरुष अपने बेटा पोतातकही अधिकार को पासकेंगे—अब जो यहां उनका भी वृत्तांत ब्यौरेवार सब दर्शावें तो निरर्थक भूसी कूटकर कुछ हाथनहीं आसक्ता है कि जोजो लोग तीनके उपरांत सातवीं पीढ़ीतकही केवल जन्मसूत्र के अनुसार सोदक अवधिताई निजसंतानों को अधिकार पहुँचने का मार्गदेदेनेवाले एक निमित्तमात्र निश्चित करने योग्य थे क्योंकि उनका अधिकार केवल मार्ग रोधक होने के प्राबल्यसे क्रमसूचक हुआकरता है तिनहीका अधिकार असंगत केवल बेटा पोतातक संसूचित करिके छोड़ा जिस्से निचले मुख्य ध्रुवगत लोग सब नष्टाधिकार समुभोगये तो फिर सातसे ऊपरले सातक्या फल प्राप्त करसक्ते हैं कि उनका ब्यौरा वर्णन करें—किंतु यथार्थ से उनसातपीढ़ीको कुछ अबतक दायभाग से संबन्ध नहीं पहुँचता क्योंकि जो सूधेसूधे ऊपर कोही चौदह पुरुष गिनकर मानेजायँ तो फिर चौदह पुरुष निचलेभी स्वीकारकरने होंगे तब अट्टाइस पीढ़ी होजायँगी—पर यहवात सर्वथा निश्चित और नियमात्मक है कि सपिण्डो या समानोदकों या सगोत्रों की जो संख्या जिसकी विख्यात है सो नीचे ऊपर दोनों ओर मिलकर मानीजाती है और उसी से सब न्याय ठीक होते हैं इसलिये ऊपरले सात पुरुषों के उपरांत सातपुरुषों की अपेक्षा शेष नहीं है अर्थात् वेही सातपुरुष जो परदादाके परदादातकनिज धनीसमेतऊपरहोते हैं और निचले भी परपोता के परपोतातक निज धनीसमेत सात होतेहैं और इनहीमें सपिण्ड तथा समानोदक दोनों सिद्धहोजाते हैं—इन तेरहके उपरान्त नीचेऊपर चार चार पीढ़ी और भी सगोत्री मानेजाकर सब इक्कीसपीढ़ीहोती हैं—तो फिर कोईभाँतिसे यह नहींमानिसक्ते हैं कि सूधेसूधेऊपरकोही चौदहपुरुषधनके भागी हों और केवल उन प्रत्येकों के बेटा पोता तकही नीचेको धन उतराकरे और नीचे के सापेक्ष्य अधिकारी सब दुर्भागी रहाकरें—किसीकीभी बुद्धिमें यहवात समातीहो निःसंदेह अपनीयुक्ति प्रकटकरो या उनग्रंथोंका परिशोधन करो जिनमें ऐसा क्रम स्वीकार हुआहो—धनीसे चौदहवाँ या तेरहवाँ या बारहवाँ या ग्यारहवाँ या दशवाँ नववाँ आदि ऊपरला अतिदूरस्थ पुरुष आप या उसका सिर्फ बेटा पोता क्याकर

ऐसे निचले धनीका धन हरनेकेसमयतक उपस्थित रहसक्तेहैं बल्कि ऐसे पुरुषोंको सौ दोसौ वर्षमरेभी होचुकीहोंगी-यहसब तर्कवितर्क द्रष्टालोगोंको न्यूनांगलक्षण समु-  
भेजानेके निमित्तसे दर्शायेगये अन्यथा जोकुछ मुख्यस्थलपर ५६ संख्याके परिच्छे-  
दमें व्यवस्था दर्शितहुई सो सब ठीकहै-यहाँ एक पोताके पोताका चर्चाकरना कुछ  
अपेक्षित और आवश्यकथा पर उसचर्चाका परिच्छेद सबसे भिन्न कल्पित होकर  
आगे नियतहोगा तहाँ देखौ ५९ संख्याके परिच्छेद में इतिसपिण्डसमानोदकयोर-  
धिकारविचार शेषपाठः ॥

अथपूर्वोक्तपुत्रादीनां वा पत्न्यादीनांचसमग्राणां क्वचिद्भिन्नानांच केषांचिदप्यन्येषाम-  
पि धनग्रहणस्यापवाद विशेषविवेकोनामाष्टपंचाशत्तमःपरिच्छेदः ५८ ॥

इस अट्टावन संख्याके परिच्छेदमें १४१ मूलश्लोकसे लेकर १४६ मूलश्लोकतक  
कतिपय अपवादनाम छूटैवर्णनहोंगी तिनसे यहबात पाईजायगी कि जिनको धनका  
अधिकार पहले ठहरायागया तिनका निज निज ठहराहुआ भी अधिकार किस किस  
दशापर मिट जावैगा ॥

वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणांरिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः १४१ ॥

अक्ष०-वानप्रस्थ यती ब्रह्मचारियोंके रिक्थभागी क्रमसे होतेहैं आचार्य सच्छिष्य  
धर्मभ्रात्रेक तीर्थी १४१ ॥

अभि०-जोकि ४५ । ४७ । ५१ । ५२ । ५४ इतने परिच्छेदों में पुत्र पौत्र प्रपौत्र  
उपपुत्रों का अधिकार वर्णन हुआ था कि अपने मरेहुये बाप दादा परदादाका धन  
हरेंगे (और) ५६ संख्याके परिच्छेदमें पत्नी आदिनव अधिकारी कहेगये थे कि पुत्र  
पौत्र प्रपौत्र उपपुत्रोंके न होनेमें पत्नी आदिनव अधिकारी यथा क्रमसे धनको पावेंगे  
और उन्हींनवके प्रसंगमें कुछ और भी अधिकारी दर्शितहुये थे कि अमुकामुक हेतु  
से अमुकामुक भी धन हरने का अधिकारी होगा-सो उन सबहीका अपवाद यहां  
कहते हैं कि वे अधिकारी वानप्रस्थ यती ब्रह्मचारीका दायनहीं पावेंगे अर्थात् जो  
मृतधनी वानप्रस्थहो या यतीनाम संन्यासी आदिहो या ब्रह्मचारीहो तौ प्रतिलोम  
क्रमसे प्रत्येक पुरुष का दाय आचार्य सच्छिष्य धर्म भ्रात्रेक तीर्थीही पासक्ते हैं-  
प्रतिलोम क्रमसे तात्पर्ययहहै कि अक्षरार्थमें नियतहुये क्रमसे विपरीत युक्ति करनी  
जैसे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वर्गवासी हुआहो तौ उसका रिक्थ आचार्यलेवै जिसने  
विद्या देकर अपने पास बसायाहो (और) यतीनाम संन्यासी यदि कलेवर छोड़िगयाहो  
तौ उसका रिक्थ उसकेशिष्योंमें जो कोई सत्तमहो सोईपावै सत्तमशिष्य उसे समुभना  
जिसने वेदांत शास्त्रसुना और यादिकियाहो और उसीके अनुमार अनुष्ठानभी करताहो  
(और) वानप्रस्थने जोदेहछोडाहो तौ उसका द्रव्य धर्मभ्रात्रेक तीर्थीहीलेसक्ताहै अर्थात्

उसका समीपी धर्मभ्राता जो कोई वानप्रस्थाश्रम धारणकिये हो वही धर्मभ्रात्रेक तीर्थीसमुझौ-ऊपरनैष्ठिक ब्रह्मचारी इसलिये कहागयाहै कि ब्रह्मचारी दूसरा उपकुर्वाण भीहोताहै जो नियमित अवधि मात्रकाही ब्रह्मचर्य धारणकरताहै कि जिसको विद्या संग्रहकिये पीछे पाणिग्रहणभी आवश्यकहै तिसका जोकुछ धनहोसो उसब्रह्मचारीके मरजाने में पितामाता आदि हरते हैं आचार्यका अधिकार उसमें नहीं क्योंकि यह ब्रह्मचारी एक गृहस्थीमात्र होताहै और वहनैष्ठिक ब्रह्मचारीकभी गृहस्थाश्रम नहीं लेता इससे उसका धन आचार्यपावै उसमें पितामाता आदि किसीका अधिकारनहीं एवंयतीकाभी धन केवलशिष्य इसहेतुसे हरसक्ताहै कि संन्यस्तधर्म लेतेसार उसका स्वत्व अपने बापदादेके धनसे जातारहा और और भी गृहस्थीमात्र किसीसंबन्धीके धनमें उसकास्वत्व नहींरहता है इसलिये ऐसी संन्यस्तदशामें अर्जित किये धनपर उसके पुत्रपत्न्यादिकों काभी स्वत्वनहीं चलसक्ता है कि जिस्सेकोई अपना संबन्धी कहिकर उसकेधन परदावा करसकै किंतु उसके धनपर उसके सच्छिष्यका अधिकार है-इसीप्रकार वानप्रस्थ कोभीजानो १४१ ॥

अधि०-वसिष्ठवचनं-यथा(एतेषामाचार्यादीनामभावेपुत्रादिषुसत्स्वप्येकतीर्थ्येवगृह्णातिनित्यन्यशास्त्राश्रमांतरगताः) अर्थात्-वानप्रस्थ यती ब्रह्मचारी इनतीनोंके धन हरनेवाले आचार्यादिक जब न हों तौ पुत्रादिकों के होनेपरभी एक तीर्थीही धनहरै पर अन्यशास्त्र या अन्य आश्रमके लोग नहींपासक्ते हैं-यह मर्यादा तौ सर्वथा ठीक है-परन्तु-इस के आशयसे एक तर्कणा खड़ीहोती है कि जिनको किसीका रिक्थ पाने में अधिकार नहीं तिनकेपास धन कहाँसे होसक्ताहै जिसका यह विभाग वर्णनकिया गया किंतु यह विभाग मर्यादा केवल गृहस्थाश्रमके निमित्तमें संभवहै बल्कि नैष्ठिक ब्रह्मचारीको प्रतिग्रह आदिकालेना भी प्रतिषिद्ध है इससे उसपर स्वोपार्जित धनभी नहीं होसक्ता (और) यतीनाम संन्यासीके निमित्तमें गौतमका यहवाक्यहै कि (अनिचयोभिक्षुः) अर्थात् संन्यासीको धन संग्रह न करना चाहिये-इससे उसपरभी अपनी कमाईका धनहोना संभव नहीं है-सो-इसतर्कणा मध्येकहते हैं कि वानप्रस्थके अग्रोक्त नियमों से उसको धन संबन्धहोता है-तद्यथा (अहोमासस्यषण्णांवातथासंवत्सरस्यवा । अर्थस्यनिचयंकुर्यात्कृतमाश्वयुजेत्यजेत्) अर्थात्-वानप्रस्थका यह धर्म है कि एक दिनका सप्ताह मात्रका या पक्षमात्रका मास मात्रका द्वेमासका यद्वा एक संवत्सर के निर्वाह योग्य अर्थका संचयकरै और किये हुये को वरसात पीछे आसौजके महीनामें बर्ताई देवै-और यतीको यद्यपि अन्नादि अर्थोंका संग्रह नहीं तथापि उसका यह धर्म है-कौपीनाच्छादनार्थवावासोपिविभूयात्तथा । योगसंभारये दांडचगृह्णीयान्पादुकेसदा-अर्थात्-कौपीन और आदनाके निमित्तसे वस्त्रभीरक्वै



तथा अपनेयोग संभारनाम दंड कमंडलु आदि और बेदोंको और खड़ाऊँभी सदास  
र्वदा साथरखवै-तौ यहवस्त्र और पुस्तकआदि उसकाधन है-एवँनैष्ठिक ब्रह्मचारीके  
भी शरीरके बस्त्रादिक धनहोतेहैं-तिनका दायभाग यह कहागया सोसबठीक है १४१  
यहतौ पूर्वोक्तसब अधिकारियों का अपवादकहागया-अबनिचले मूलश्लोक में केव-  
ल पत्नीआदि अधिकारियोंका अपवाद कहाजावैगा किजिनके अधिकारकेवल ५६  
संख्याके परिच्छेद में निर्णीत हुयेथे १४१ ॥

संसृष्टिनस्तुसंसृष्टी सोदरस्यतुसोदरः । दद्यादपहरैच्चांजातस्यचमृतस्यच १४२ ॥

अक्ष०-मरेहुये संसृष्टी का संसृष्टीपर सोदरका सोदरही धनहरै और पैदा हुये  
कोदेभी देवै १४२ ॥

अभि०-मूलश्लोक में केवल पहलेपादसे यहकहते हैं किजोकोई जिसका (संसृष्टी)  
अर्थात् धनमें साभी हो वही अपने (संसृष्टी) नाम साभी के मर जानेपर उसका  
धन हरै-किंतु पत्नी और दुहिता पिता माता आदि जो धन भागी पहले १३६  
मूल श्लोकसे निश्चितहुये थे वे कोई भी न पावैं और यही इसमें (अपवाद) का  
स्वरूप है कि संसृष्ट नाम साभेका धन छोड़कर पत्नी या दुहिता पिता माताआदि  
पूर्वोक्त मर्यादा से निपूतेका धन पावेंगे इस प्रकार से यह पहला पाद १३६ मूल  
श्लोकवाली पूर्वोक्त मर्यादाके अपवादमें दर्शायागया-अब-दूसरे पादसे इस अपवाद  
में भी कुछ अपवाद प्रकटकरतेहैं कि (सोदरस्यतुसोदरः) अर्थात् सगे भ्राताकाधन  
सगाहीपावै किंतु सौतेला नहीं-आशय इसका यह कि जो सोदर और भिन्नोदर दो  
भाँतिके भाइयोंमें संसर्ग उसनिपूतेका होरहाहो तौ फिर सोदर संसृष्टी धनको हरै भि-  
न्नोदर संसृष्टी नहींपावै और यही इसमें (छूट) का स्वरूपहै कि पहले पादसे साभी  
का अधिकार जो धनहरने मध्ये कहागया सो उस दशाको छोड़कर समुभना जिस  
में सगा भ्राता भी साभीहो अर्थात् सगे भ्राता की संसृष्टिहोते हुये सौतेले की सं-  
सृष्टि निपट निकम्मीजानो परंतु जहाँ सगे भ्रातासे संसर्ग न हो तहाँ सौतेले की भी  
संसृष्टि उस निपूतेकी पत्नी या पिता आदिके होतेहुये भी मानीजायगी (और) संसृष्टि  
का यह लक्षण है कि जो पुरुष अपना धनवांटिकर सबसे जुदाहोचुकाहो और पीछे  
प्यार प्रीति आदि हेतुओंसे फिर भी अपनाधन किसीके धनमें मिलायकर एकसाथ  
होजावे इसके यथार्थ लक्षण अधिकोक्तिमें देखो-यह तो संसृष्टीकाधन हरनेकी मर्यादा  
कहीगई परंतु इसीमें कुछ विशेषता और भी उत्तरार्द्ध मूल श्लोकमें दर्शाते हैं कि  
(पीछे पैदाहुयेको दे भी देवै) अर्थात् उमकी पत्नी जो सगर्भा हो पर उस निपूते के  
मरतेसमय गर्भका आकार नहींपायाजाय इर्माहेतुमे यदि कोई भी संसृष्टी धनको हरै  
तिस पीछे वही निपूता पुत्ररूप होकर अपनी पत्नीमें उत्पन्नहो तौ फिर उसका सब

धन वापिसकरदेवै क्यौंकि निपूता मरनेकेहेतुसे संसृष्टी ने धन हराथा वह स्वर्वासी अब सपूता हुआ-परंतु जो ऐसा पुत्र पैदाहोकर मरजाय तौ फिर भी वही संसृष्टी उतने धनको हरै जितना वापिसकरके दियाथा और पैदाहोकर मरजानेवालेके भोग में व्ययहोकर शेषरहाहो १४२ ॥

अधि०—धनका संसर्ग जो ऊपर वर्णनकियागया तिसका यह आशय नहीं है कि चाहे तिसके साथमिलजावै तौ हर कोई उसका संसृष्टी होकर धनको पासक्ताहो किंतु पिता या भाई या चचा आदि निज मनुष्योंकी संसृष्टी मर्यादामें आसक्ती है-तथाच बृहस्पतिः (विभक्तोयःपुनःपित्राभ्रात्रावैकत्रसंस्थितः । पितृव्येणाथवाप्रीत्यासतत्संसृष्टउच्यते) अर्थात्-धनबाँटिकर जुदाहुआ पुरुष फिर पिता या भाई या चचा आदि में निज प्रीतिसे एक साथ मिलजावै तौ वह उस में संसृष्ट कहलाता है—यह भी ध्यान रखनाचाहिये कि यद्यपि याज्ञवल्कीय मूलवाक्यमें विशेषकर सगे और सौतेले दो भाँतिके भाइयों काही चर्चा आया है परंतु सर्वत्र ऐसा नियम नहीं रहसक्ताहै कि भाइयोंके सिवाय किसी और में नहींमिलै क्यौंकि यहबात मिलजाने वाले की इच्छा के आधीन है कि जिसपर उसकी अधिक प्रीतिहो या जिसमें कुछ आराम तकता है तिसमें मिलजाताहै विरले लोग भतीजेतकमें मिलजाते हैं परंतु बहुधा करके भाइयों में मिलजानेका वानक आपरता है इस्से योगीश्वरने भी उन्हीं की समस्या दर्शित करीहै कुछ नियम निश्चित नहीं किया कि भाइयों के सिवाय औरोंकी संसृष्टि भूँठी हो परंतु इतना नियम निस्संदेह निश्चितहै कि निज आसन्न सपिंडोंके सिवाय औरोंकी संसृष्टि भूँठीहो अन्यथा वाप या चचा आदिकी संसृष्टिइस्से भूँठी नहीं है कि इनको संसृष्टिके न होनेमें भी धनका अधिकार यथा अवसरके आधीनहोता है इसी लिये इनकी संसृष्टि बृहस्पतिने नियमानुसार दर्शितकरी बल्कि भतीजोंकी संसृष्टि भी चचाओंकी समस्यामात्रसेही स्वतः सिद्ध दर्शाईहै यथा (पितृव्येणाथवाप्रीत्या) इसमें चचा कहने से भतीजे भी समुभे गये-और योगीश्वरने विशेष चर्चा भाइयोंका इसहेतुसे भी रक्खाहै कि जुदेहुये पीछे बहुधा कई भ्राता एकसाथ मिलजातेहैं इसी लिये ऊपर कहचुकेहैं कि जब दो भाँतिके भाइयों में मिलापहोतौ सगेही धन पावै सौतेले नहींपावै १४२ अब इस्से निचले श्लोकमें यहव्यवस्था कहीजायगी कि जब सगाभ्राताजुदाहो और सौतेला उसमें मिलाहो तब उसके मरजाने पीछे ऐसे दो भाइयों में से किसको धन मिलनाचाहिये १४२ ॥

अन्योदर्यस्तुसंसृष्टीनान्योदर्योधनंहरत् । असंसृष्ट्यपिवाऽऽद्यात्संसृष्टोनान्वमातृजः १४३ ॥

मल०—अन्योदर भाई धनको नहींपावै अन्योदर भी संसृष्टी हरै-असंसृष्टी भी संसृष्ट भ्राता लैवै अन्य माता जात संसृष्टी भी नहीं १४३ ॥

अभि०—निपूतमरेका छोड़ाहुआ धन अन्योदर नाम सौतेलाभाई नहींपावै ( पर ) सौतेलाभी जो उसमें मिला रहताहो तौ धनहरै- ( संसृष्ट ) नाम सहोदरभ्राता असं-सृष्टीभी अर्थात् जुदाहोनेपर भीलेवै और विमाताका बेटा सौतेलाभाई मिलाहोनेपर भीनहीं-अव-इसवार्त्ताका अभिप्राय ध्यान करनाचाहिये कि मूलश्लोकमें चारोंपादसे चारवातें जो कहीगई तिनमें तीसरेपादसे सहोदरभ्राता का अधिकार विशेषदर्शाया है कि वहजुदाहो तौ भी सगेभ्राताका छोड़ाहुआ धनपाने में अधिकारी है-और-शेष तीनोंपादमें भिन्नोदर भाईकाचर्चाहै तिनमेंपहलेएकपादसेउसकायह अधिकारदर्शा या है कि जो अपने सौतेले भ्रातामें मिला रहता होतौ वहभी उसका धन हरसक्ता है दूसरे पादसे यह नियमदर्शित किया गया कि जो उस्से जुदाहो तौ कुछदावा उ-सका नहीं है चौथे पादसे उसीका निर्वलत्व दर्शाया गया कि मिला होनेपर भी सौ-तेले भाईके धनमें उसका पूराहक्क नहीं है-जब कि पहले पादमें उसका हक्क ठहराया और चौथे पाद में आकर हक्क उड़ाया तौ इस अवधारण और निषेध के लक्षणसे हक्क उसका निर्वल होकर आधा निश्चित रहा ( और ) सिद्धांत इसका यह कि जब सगाभ्राता जुदाहो और सौतेला उसमें मिला होतौ उसमरेहुये निपूतेका धन सगा और सौतेला दोनों मिलकर आधावाँटिलेवै-इसी सिद्धांतके अनुसार जब सौतेला भाई एक उसमें मिला हो और सगे दो भाई जुदेहों तब तीनोंभाग बराबर करलेवै इसी प्रकार जब सौतेले दो भाई उसमें मिलेहों और सगाभाई एक जुदा रहता हो तौ भी तीनों के तीन भाग बराबर होंगे-परंतु-जहाँ सगे और सौतेले भी दोनों भाँति के सभी भ्राता मिले हों तहाँ केवल सगेही धन पावेंगे सौतेले नहीं सो यह मर्यादा इस्से पहले १४२ के श्लोक में वर्णन होचुकी है उसी जगह देखो १४३ ॥

अधि—जो मर्यादा ऊपरले अभिप्रायके सिद्धांत में निश्चितकरी यही मर्यादा मनु ने स्पष्टरूपसे दर्शाई है-यथा(येषांज्येष्ठःकनिष्ठोवा हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतरो वापितस्यभागोनलुप्यते ॥ सोदर्याविभजेयुस्तंसमेत्यसहिताःसमम् । भ्रातरोयेचसंसृष्टाभगिन्यश्चसनाभयः ) अर्थात्-मनुने यहकहाहै कि जो जुदेहुयेभाइयोंका धन फेर उनकीप्रीतिसे मिलगयाहो और कदाचित् फिरभी उसका हिस्सावाँट होनेलगे तब इस अंशप्रदानके कालसे पहलेही यदि कोईभ्राता बड़ा या छोटा या विचलाही अप-ना अंशलियेविना हीनहोजावै अर्थात् संन्यास आदि कोई और आश्रम लेलेवै या ब्रह्महत्या आदि पातकोंसे जातिवाह्य होजावै अथवा मरजाय तौ उसकाभाग नहीं मिटसक्ता किन्तु पृथक् निष्कालकर धरनाचाहिये-फिर-उमअंशको क्याकरना चाहिये इस अपेक्षामें द्वितीय वचन कहतेहैं कि उसकेपुत्रादिक लेनवाने यदि नहीं तौ उस अंशको उसीके सहोदरभ्राता जो उस्से जुदेरहतेहों वेभी नवइकट्टेहोकर अर्थात् जो

देशान्तरमें गयेहों वेभी आज्ञावै तब सभीमिलकर समभाग बाँटिलेवै और वेभी इन के साथ भागपावै जो उसके सौतेलेभ्राता उसमें मिलेरहतेहों और इसधनमेंसे वे बहिनैभी समभागपावै जो (सनाभि) नाम उसकोसगीबहिनै एकमाजाईहों-यहीआशय अग्रोक्त शिवजीकेवाक्यसे संसिद्धहै-यथा (अविभक्तेविभक्तेवायस्ययादृग्विभागिता । सृतेपितस्यदायादास्तादृग्विभवभागिनः) अर्थात्-विनाबँटेधनमेंया बँटेपीछे फिरमिश्रितहुये धनमें भी जिस पुरुष का जितना या जैसाभाग उसके जीतेहुये योग्यहो तैसा उसके मरजाने पर भी बनारहता और उसके जो कोई सच्चे दायाद रिक्थग्राही ठहरें वे उस अंशको हरते हैं ( इस परिच्छेदमें जो व्यवस्था वर्णनहुई सो सबकेवल ऐसी दशापर आरूढ़ है कि जो (संसृष्ट) धनको विनाबाँटे छोड़कर कोई एक संसृष्टी उनमें से निपता मरजाय या संन्यासी आदि होजानेके हेतुसे धर्मानुसार अपना अंशपाने में दुर्भागी होजाय ) अर्थात् ( योगीश्वरने वह व्यवस्था जुदी नहीं दर्शाई है कि जो धन जदाहुये पीछे मिलजावै और फिर भी सबके जीतेही सब अंशी भाग लगाना चाहें ) क्योंकि योगीश्वर की इसीव्यवस्था की ध्वनिमात्रसे वह व्यवस्था सिद्ध हो जातीहै इसलिये जुदाकहना आवश्यक नहीं समुक्ता-परंतु मनुने उस व्यवस्था को भी स्पष्टकरके दर्शायाहै-यथा(विभक्ताःसहजीवितोविभजेरनूपुनर्यदि । समस्तत्रविभागःस्याज्ज्यैष्ठ्यतत्रनविद्यते) अर्थात्- जुदे हुये भ्राता फिर मिलकर जो जीविकाआदि धन संसर्ग मिश्रीभूत रखते हों और फिर भी जुदे होवै तौ सबही का समभाग होवै और भी बड़ाई या छोटाईकाकुछभेद यहाँनहींहै सिद्धान्तइसका यह कि यदिपहलाबाँट उस प्राचीन मर्यादासे भी हुआहो जिसमें जेठेको जेठाई का उच्चारभागअधिक और मझिले को मध्यम उच्चारसहितभाग मिलाहो तौभी अबदुसराकरउसनियमका वर्तनाकरना प्रतिषिद्धहै (और) ऊपर जो समभागहोनेका नियम दर्शितकिया तिसकायह सिद्धान्तहै कि उन भाइयोंकेन्यूनाधिकउद्योग परिश्रमकीदृष्टिसे न्यूनाधिकअंशविभाग होनाप्रतिषिद्धहै (तथापि) यह पिछला प्रतिषेधकेवल उसीधनके आश्रयभूत समुक्ता जो मिश्रीभूतहोकर सबके साधारण उद्योगोंसे समृद्ध होतारहताहो-अर्थात् यदि कोई उनसंसृष्टीलोगोंमेंसे ठेठ अपनी विद्या या शौर्य आदि उपायोंसे कुछ भिन्नात्मकद्रव्य विशेष पैदाकरै तिसका निरसंदेह न्यूनाधिकभाग होताहै-तथाहृहस्पतिः (संसृष्टिनां तुयःकश्चिद्विद्याशौर्यादिनाधिकम् । प्राप्नोतितस्यदातव्योद्वयंशःशेषाःसमांशिनः) अर्थात्-संसृष्टियोंमेंसे जो कोई अपनी विद्या या शौर्य आदि उपायोंसे धन अधिक पैदाकरै तिसको दो अंशदेने योग्यहैं और शेष अंशीलोग सब एक एक अंशपावै (इस नियमके अनुसार केवलभाइयोंकाही संसर्गधर्मनहीं समुक्ताकिन्तु चाहें केवल भ्राताहों या दो तीनभ्राता एकपितामिलकर या उनमें कोई चचाभी संसृष्टीहुआहो

तौ सर्वत्रयहीनियम सामान्यहै कि उनमेंसे जिसकिसीने निजविद्याशौर्य आदिसेकुछ भिन्न पैदाकियाहो तिसको दोभाग मिलकरशेष औरोंको एकैक भाग ) इसकेसिवाय (विभक्तोयःपुनःपित्राभ्रात्रावैकत्रसंस्थितः । पितृव्येणाथवाप्रीत्यासतत्संसृष्टउच्यते ) इसवचनकी व्याख्या जोऊपरली १४२ की अधिकोक्तिमें प्रदर्शितहोचुकी तिसकायह सिद्धान्तहै कि पिता या भ्राता या चचाकासंसर्ग दर्शाना केवलउपलक्षणमात्र समुभौ किंतुइन्हींके उपलक्षण मात्रसे तहांतक आसन्न सपिंडोंका संसर्ग सच्चा समुभि लेना जिनमेंसे अविभक्त धन पैतृक या पैतामह आदि बँटिकर जुदा होसक्ताहो तिनके उपरांत की पीढींजोसकुल्य कहलातीहों तिनमेंसंसर्गहोना भूँठ समुभौ अर्थात्ऐसा संसर्ग अपने संसृष्टीका धन पानेमें अधिकारी नहीं होगा इसका व्यौरा अगले ५६ के परिच्छेदमें सब देखो-और-यह भी यादरखो कि यहांपर १४२ और १४३ मूल श्लोकोंसे व्यवस्था जो कुछ वर्णनहुई तिसको यद्यपि योगीश्वरने क्रमसौन्दर्यके हेतु से (पत्नीदुहितरइत्यादि) पूर्वोक्त दोश्लोकोंके (अपवादरूप)में दर्शायाहै कि जैसा चर्चा इसका ऊपरभी करचुके हैं पर यथार्थ यही व्यवस्था एकविशेष अपने नामसे( संसृष्टि विभाग ) कहलातीहै और इसी हेतुसे वीर मित्रोदय आदि बहुधा ग्रन्थोंने विस्तार से भिन्नात्मक इसको रक्खाहै उसप्रकारसे भी कुछहानि संभव नहीं-तौभी योगीश्वर का बाँधाहुआ क्रम अपवादरूपसे सुखबोधक समुभाजाताहै अन्यथा दोनोंका सिद्धान्त एकहै-इसलिये इस व्यवस्थाको संसृष्टि विभागकी मर्यादा मानिकर समवाय भेदभी समुभनेयोग्यहैं कि-जब कदाचित् सगेसौतेले दोनोंभाँतिके भाई और पितामें भी संसृष्टिहुई हो तवतौ निपट निपूतेमरे धनीकाधनभाग पत्नी के होते भी पहले पिताहीले सकैगा और दोनोंभाँति के भाईनहीं पावेंगे क्योंकि असंसृष्ट होनेकी दशा में भी पत्नीके पश्चात् पहले पितामाताही अधिकारी निश्चितहुये हैं तिसपीछे भाई-जब कदाचित् दोनों भाँतिके भाई और दादामें संसृष्टिहुईहो तव उस निपट निपूते मरे धनीका धनभाग पहले दोनों भाँतिके भ्राताही पूर्वोक्त नियमों के अनुसार क्रमसे पावेंगे और दादा सबसे पीछे-एवं जहाँ दोनों भाँतिके भ्राता और चचामेंसंसृष्टिहुई हो तहाँ भी चचा सबसे पीछे-परंतु जब चचा और सहोदर भाई से संसृष्टि हुईहो और असहोदर तथा सहोदर भी कुछ भाई जुदे रहतेहों तौ फिर प्रथम सहोदरही अधिकारी है जो मृतधनी में संसृष्टथा और उसके निपट अभाव में संसृष्टी चचा ऐसे चचाके भी निपट अभावमें निजधनीकी पत्नीपाँव जिसका अधिकार संसृष्टिहोने केहेतुसे अवतक रुकिरहाथा-पत्नीके अभावमें असंसृष्टी पितामाता पूर्वरीतिके अनु-मार भागीहोंगे-फिर उनके भी अभावमें असंसृष्टीसहोदरभ्राता-फिर उसके भी अभाव में असंसृष्टी असहोदर भ्राता-फिर उसके भी अभावमें असंसृष्टी सहोदर भ्रातृपुत्र-

फिर उसके भी अभावमें असंसृष्टी असहोदरभ्रातृपुत्र इत्यादि पूर्वरीतिके अनुसार यथा क्रमसे सबको जानो-जहाँ कहीं दोनों अथवा एक भ्रातिके भ्राताओं से और उस भ्रातिके भतीजोंसे भी संसृष्टि हुई हो जिनके बाप संसृष्टि होनेसे पहले ही मर चुके हों तहाँ पहले दोनों अथवा एक भ्रातिके संसृष्टी भ्राताओं का अधिकार उसी क्रमसे होगा जैसा पहले निर्णय हो चुका है पर उनके निपट न रहनेमें संसृष्ट भतीजोंका अधिकार है संसृष्ट भतीजों के भी निपट न रहनेमें फिर पत्नी आदि पूर्वरीतिके अनुसार यथा क्रमसे सभी लोग भागी होंगे जो जो ५६ परिच्छेदमें निर्णीत हुये थे—कदाचित् कोई धनी केवल ऐसे किसी भतीजे में संसृष्ट हुआ हो जिसका बाप इनकी संसृष्टिसे पहले यद्वा पीछे मरा हो और उस धनीके कुछ भ्राता असंसृष्टी रहिकर जुदे रहते हों तौ इस दशामें उस धनी के मर जानेपर संसृष्ट भतीजा ही भ्रातृस्थानी माना जाकर धन भागी होगा और वे भ्राता नहीं पावेंगे जो उस धनीसे असंसृष्टी रहते थे पर यह नियम केवल ऐसी दशामें स्वीकार है कि यदि भाई और भतीजे भी सब सोदर या असहोदर ही हों अर्थात् जब संसृष्ट भतीजा उस मृत धनीके असहोदरका बेटा हो और असंसृष्टी भ्राता धनी के सब सोदर हों तब इस दशामें उन चचा भतीजोंका परस्पर मिलकर समभाग होगा और कदाचित् कोई इन्हीं भाइयोंमें असहोदर होतौ वह उनके साथ भागी नहीं है १४३ ( इति संसृष्ट धन विभागः ) १४२ । १४३ मूल श्लोकों से लेकर यहाँ तक यह व्यवस्था केवल पत्नी आदि पूर्वोक्त अधिकारियों के अपवादमें दर्शाई गई अब निचले मूलश्लोकसे पूर्वोक्त सब अधिकारियों का अपवाद वर्णन होगा अर्थात् जो जो अधिकारी पहले पुत्रादिक वंशमें से और जो जो अधिकारी पत्न्यादिक यथाक्रम से ५६ संख्याके परिच्छेद में निर्णीत हुये और जे कोई अनन्तरोक्त दो श्लोकों से संसृष्ट धनके हरनेवाले निश्चित हुये तिन सबही के अधिकार में अब छूट दर्शित करते हैं कि अमुकामुक प्राणियोंके निर्वाहयोग्य छोड़कर धनहरना उनको होगा १४३

श्रीवोधपतितस्तज्जः पंगुरुन्मत्तकोजडः । अथोऽचिकित्स्यरोगाद्याभर्तव्यास्त्युनिरंशकाः १४४ ॥

अक्ष०—श्रीव, पतित, पतितज, पंगु, उन्मत्तक, जड, अन्ध, अचिकित्स्य रोगी २ ॥  
जो निरंशक हों भर्तव्य हों १४४ ॥

अभि०—(श्रीव) नपुंसक जो पुरुष और स्त्रीमें भी गिनती नहीं (पतित) जो आदि या अपने मुख्यधर्मसे विपरीत हो जाने आदि कारणोंसे जातिवाहर हो (तज्जः) जो पतितसे पैदा हो (पंगु) जो लूला, लँगड़ा हो (उन्मत्तक) ये पांच प्रकारके होते हैं एक तौ वातोन्मादसे दूसरा पित्तोन्मादसे तीसरा कफोन्मादसे चौथा नाम तीनों दोषोंसे उन्मत्त हो जाता है पांचवाँ ग्रहदोषोंसे उन्मत्त होता अर्थात् प्रकृति के मनुष्य जो सिड़ी दीवाने आदि कई भ्रातिके होते हैं वे सब



क हैं—(जड़) जो अंतःकरण विकल होने के हेतु से हित अहित समुझने में अस-  
मर्थहो—(अंध) अंधा जो नेत्रोंसे विकल हो ( अचिकित्स्यरोगी ) जो किसी ऐसे महा अ-  
साध्य रोग क्षयी आदि से ग्रस्तहो जिसकादूरहोना वैद्योंकी सत्ता से बाहरहो और  
वह रोगीभी उस रोगकी प्रबलता से संसारी व्यापारों की साधनायोग्य नहींहो-इन  
को (आदि) लेकर और भी इस (आदि) शब्द के अभिप्राय से वे भी समुझेचाहिये  
जो गृहस्थ छोड़कर संन्यास आदि किसी और आश्रम को पहुँचेहों (या) पितासे  
प्राद्वेष रखते हों(या) उपपातकी निश्चित हुये हों (या) कानोंसे बहिरेहों (या) जीभ  
से गूंगे तुतलेहों (या) और ही किसी इन्द्रिय से हीनहों तो ये सब लोग (निरंशक)  
हुआकरते अर्थात् अपने पिता या पितामह या भाई आदि किसी का भी दायनहीं  
पाते हैं-परंतु-जो कोई अधिकारी इनके बाप या दादा या भाई आदिका धन पावे  
वही इनका पालन पोषण अन्न वस्त्रादिक से करतारहे जबतक ये जीते रहें किंतु न  
करनेवाला पतित होजाताहै १४४ ॥

अधि०—जोलोग ऊपर ( आदि ) शब्दके आशयसे संग्रह कियेगये तिनकाप्रमाण  
भी अन्यस्मृतियोंसे देते हैं-यथाहवसिष्ठः(अनंशास्त्वाश्रमांतरगताः) अर्थात्-जोकोई  
अपने गृहस्थ आश्रमको छोड़कर किसीअन्य आश्रमको पहुँचेहों वे सबलोग दाय-  
भागीनहींहैं यह वसिष्ठजीने कहा-नारदस्तु(पितृद्विट्पतितःषण्ठोयश्चस्यादौपपातिकः।  
औरसाअपिनैतेशंलभेरन्क्षेत्रजाःकुतः)अर्थात्-पिताकाद्वेषीऔर पतित और नपुंसक  
और उपपातकी ये लोग अपने पिताकेचाहे औरसपुत्रभी हों तौभी दायनहीं पास-  
क्ते हैं फिर क्षेत्रजआदि क्योंकर यह नारदनेकहा-मनुरपि(अनंशौक्छीवपतितौजात्यंध  
वधिरोतथा । उन्मत्तजड़मूकाश्चयेचकेचिन्निरिन्द्रियाः)अर्थात्-छीव और जातिसे प-  
तित यहदोनों अपना अंशनहीं पासक्ते तथा जात्यंधनाम जन्मसेही जो अंधापैदा  
हो और कानोंसेबहिरा संठ और उन्मत्त जड़मूक और और भी जेकोई निरिन्द्रिय  
नाम किसी इन्द्रियसे हीनहोंसो सब निरंशक जानो किंतु केवल भोजनवस्त्र आदि  
शरीरयात्रा के निर्वाह से पोषण करने योग्यहोते हैं इनका पोषण जो कोई नहीं  
करता तिसको पतितत्व दोष होताहै-यथाहमनुः (सर्वेषामपितुन्याय्यंदातुंशक्त्यामनी  
षिणा । प्रासाच्छादनमत्यंतंपतितोह्यददद्भवेत् ) अर्थात्-दायहरनेवाले बुद्धिमान् कर  
के इन सबकोही निजशक्तिके अनुसार और (न्याय्य) कहिये उसपायेहुये धनके भी  
अनुरूप भोजन वस्त्र अत्यंत नाम उनके जीनेतक देनायोग्य है किंतु न देनेवाला  
अन्यायी निस्संदेह पतितहोवै अर्थात् दोषी ठहराया जाकर निन्दापूर्वक उस्से दिल-  
वाया जाय यह सिद्धान्तहै केवल दोषीही नहीं ऐसा मनुनेकहा-सदाशिवस्तु-योचस्य  
धनहर्त्तास्यात्सतद्धर्माणिपालयेत् । संरक्षेत्रियमांस्तस्यतद्व्यंभून्परिपालयेत्) अर्थात्-

जोकोई जिसका धन मरनेपर या जीतेका हीपावै वह धन हर्ताही उसमृतक या जीवतके धर्मोंकोपाल और उसके नियमोंकी रक्षा बनीराखै और उसके बन्धुओंका परिपालन करे-उसकेधर्मोंका (दृष्टांत) जैसे उसधनीका यहधर्मथा कि एकअभ्यागतके जिमायेविना आपनहीं भोजनकरताथा या महिमानोंकी पहुनाईमध्ये शुश्रूषा अधिकरखताथा या यहधर्मथा कि जबकिसी बांधव यामित्रकेघर वैवाहिक यज्ञहोतातबभातया न्यौतेकी रीतिसे अवश्यही विना बुलायेजाकर कुछदेताथा या दीन पुरुषोंकी कन्याओंके विवाहोंमें या हरिचर्चा आदि धर्मस्थानोंमें अवश्यही कुछदेदेताथा एवंतीज त्योहार आदि मेलकपर्व स्थानोंमेंप्रपादान आदिजो कुछ उसकाधर्मथा सोसबउसके धनहर्ताकोभी करनाचाहिये(सो)यह उसीमृत पुरुषया जीवतकेनामसे कर्तव्यहै कुछ अपनेनामसेनहीं एवं उसके नियमोंका (दृष्टांत) जैसे प्रत्येक दिवस या अठवारा या पखवारा या मासिक नियमसे वह किसी देवालयमें दीपक या प्रसाद भेजा करताथा या तोता बंदर आदि जीवोंको कुछ चारादियाकरताथा या अंजनकी पुड़ियाँ बाँटाकरतायद्वा किसी व्रतका नियमरखताथा इत्यादि सब उसकेधन हर्तापर यह भार है-बन्धुओंका पालनभी जिस रीतिसे वह करताथा उसीरीतिसे कर्तव्यहै वरन उरसे भी कुछ अधिकहोना योग्यहै-जोकि-इसमर्यादामें नपुंसक आदि निरंशक निश्चितहुये हैं तिनका वह निरंशत्व भी केवल उसीदशामें ठीकहै कि जो धनका बाँटहोनेसे पहले पहले उन दोषोंका प्रकाश हो अर्थात् जो धनका बाँटहोते समयतक उनमें कोई दोष नहींथा इसहेतुसे अपना अंश उन्होंने पाया और पाचुकने पीछे कुछ दोष पैदाहोजाय तौ फिर वे अनंशी नहीं होसके किंतु पीछे उनका अंश छीना नहींजासक्ता-इसकेसिवाय-यदि अपने दोषोंके होनेसे निरंशक रहेहों और कदाचित् विभागहोजाने पीछे औषध आदिके उपायोंसे उनका दोष दूरहोजावै तौ फिर भी अपनाभाग उसी बाँटेहुये धनमेंसे पासक्ते हैं सो उस न्यायकी तुल्यतासे कि जैसे मा बापके जीतेहुये पुत्रोंका विभाग होजानेपीछे यदिकोई और भ्राता पैदाहोय तौ वह अपना भाग उस बाँटेहुये धनमेंसे लेताहै-छीव या पतित आदि जोजो लोग अपनेदोषोंसे निरंशक ठहरायेगये सो सब केवल पुरुषवाचक शब्दोंसे प्रदर्शितहुये हैं इस्से यह न समुझाचाहिये कि पुरुषोंकाही नियमहोगा किन्तु वेही दोष जो पत्नी या बेटी या माता आदि स्त्रियोंमें प्रत्यक्षहों तौ स्त्रियाँभी निरंशक होती हैं १४४ इस मर्यादामें नपुंसक आदि जो निरंशक ठहरायेगये तिनके अभागित्वसे यह बात पाईजातीथी कि इनके पुत्रोंकोभी भागनमिलता होगा इसलिये इनके पुत्रों और पुत्रियों तथा पत्नियोंकी व्यवस्था निचले दो श्लोकोंसे कहते हैं १४४ ॥

औरसक्षेत्रजास्त्वेषानिदोषाभागहारिणः । सुताश्चैषांप्रभर्तव्यायावद्वैभर्तृसाल्कताः १४५

अपुत्रायोपितश्चैषांभर्तव्याःसाधुवृत्तयः । निर्वास्याव्यभिचारिण्यःप्रतिकूलास्तथैवच १४६

ऐ०-सहद्वयोः क्लीबं आदि जो जो अपने दोषों के प्रभावसे अभागी ठहरायेगये तिनके औरस तथा क्षेत्रज पुत्र जो हों और निर्दोषहों तौ वे अपने बापोंका भाग हरते हैं अर्थात् वही भाग जो उनकेबापको निर्दोषहोनेमें मिलसक्ताथा पर दोषी होने के हेतुसे नहींमिला सो उन बापोंके जीतेही और मरेपीछे भी जब उस बातका अवसरहो तब औरस या क्षेत्रज पुत्र जो निर्दोषीहों तौ उनको मिलनाचाहिये (परंतु) औरस या क्षेत्रजके सिवाय किसी अन्यप्रकारका पुत्र ऐसे दोषीपुरुषोंका भाग नहीं पासक्ताहै (और) क्लीबादिकोंमेंसे एकपतितका वह औरस भी नहीं पासक्ताहै जो उसके पतितत्वकी दशामें उत्पन्नहो क्योंकि उसका निषेध उसीगणके साथमें (तज्जः) इस नामसे होचुकाहै परन्तु जो पतितहोजानेसे पहले जन्माहो सो पासक्ताहै-इन्हींक्लीबादिकोंके यदि बेटीहों तौ तबतक उनका पालनमात्र उसपुरुषको कर्तव्यहै कि जिसने उनका पितृभाग हराहो जबतक वे लड़कियाँ निज २ भर्ताओंको सौंपीजायँ और पालनके सिवाय उनका विवाह द्विरागमनभी च शब्दकी आज्ञासे उसीको कर्तव्यहै १४५ इन्हीं क्लीबादिकोंकी निपती योषितायें भी भर्तव्यहैं कि जो शुभाचाराहों और जो व्यभिचारिणीहों तौ निर्वास्यहैं तथैव जो प्रतिकूला नाम कर्कशाहों तौभी भर्तव्य हैं अर्थात् प्रातिकूल्यमात्रसे भरणका अवरोध नहींहोसक्ता परन्तु जो कर्कशाभी व्यभिचारयुक्तहो तौ निर्वास्यहै १४६ यहाँतक समस्त दायभाग जोकुछ कहागया सो सब पुरुषोंके संबन्धमात्र से वर्णनहुआ अर्थात् पुरुषके छोड़े हुये धनपर ये मर्यादें सब आरूढहैं कि जोकुछ अबतक वर्णनहुई किन्तु स्त्रियों के छोड़ेहुये धनका दायविभाग आगे स्त्रीधनके प्रकरणमें प्रदर्शितहोगा-परन्तु अभी पुरुषोंके छोड़ेहुये धनका चर्चा सरपोताकी अपेक्षालेकर वर्णनकरना शेषहै सो निचले परिच्छेदमें दर्शाते हैं-सरपोता अर्थात् पोताका पोता १४६ ॥

अथमृतधनिनःप्रपौत्रमुतदायाधिकारविशेषविवेकोनामैकोनषष्टितमःपरिच्छेदः ५६ ॥

इस उनसठि संख्याके परिच्छेदमें मृतधनीके सरपोताका दायधिकार व्यौरेवार वर्णनहोगा ॥

सरपोताकी व्यवस्था यह भिन्नात्मक इसहेतुसे प्रदर्शितकरनी हुई है कि बहुधा प्राचीन ग्रन्थोंके हेतु गर्भात्मक अभिप्रायोंको समुभेविना भी नैयायिक तर्कवितर्कोंने सरपोताके अधिकारपर असंगत पांशुपातकरिकर यह सिद्धान्त प्रकटकियाहै कि परपोता तकही अधिकार नीचेउतरै और परपोताके अभावमें सरपोता नहींपावे किन्तु सरपोताके होतेहुये भी मृतधनीकी पत्नी मालिकहोवे और पत्नीके अभावमें दुहिता आदि जो जो अधिकारी छप्पन संख्याके परिच्छेदमें निर्णीतहुये सो सब क्रममें धन को पावें-इसवार्तामें यह ध्यानकरना योग्यहै कि यद्यपि सरपोताके होनेहुये पत्नी का

अधिकार तौ इसहेतुसे न्यायात्मकहै कि जो कोई धनी सरपोताके उत्पन्नहोनेपीछे देह छोड़ैगा निस्संदेह अतिशयबढ़ाहोगा क्योंकि सत्तरि अस्सी वर्षोंके निकटतक सरपोता होना सम्भव है और ऐसेवृद्धके मरणान्तकालतक सरपोताका समर्थ होजाना सम्भव नहींहै कि जिसकेलिये धनका अधिकार खड़ाकियाजावै इससे पत्नीका अधिकार श्रेष्ठहै कि वह भर्ताकी आसन्नवर्ती होनेके हेतु तथा पिण्डक्रिया साधनकरसकने आदि अनेकहेतुसे अधिकार पावै-परंच इसकेसाथ-यहभी एक नियमहोना योग्यथा कि यदि थोड़ेकालमें वह पत्नीभी मरजाय यद्वा पत्नी निपट नहो तौ सरपोताही अधिकारी होवै क्योंकि निजधनीका पुत्रादिक वंशबीजहै सो इस नियमका सब ग्रंथों में अभाव पायाजाताहै और इसीहेतुसे यह दूषण खड़े होतेहैं कि (पत्नीदुहितरश्चैव) इत्यादि पूर्ववाक्यसे जब दुहिताद्वारा दौहित्रोंमें धनपहुँचा औरदौहित्रोंके सपूतेहोनेसे फिर आनाउसका दुर्घटहुआ तौ निजधनीका पुत्रादिक वंशबीज सरपोता दुर्भागीरहकर धनकापरघरजानाभी अन्यायठहरा-भला दुहिताभी निजधनीकी आसन्नवर्ती आत्माहै इसलिये उसकावंश जो इसधनको भोगै तौभी कुछ संतोष आजानेका आधारहै एवं पिता माता भ्राता आदि सपिण्डोंमेंभी धनजानेसे संतोषका कुछ अवसरहै परजब दुहितापिताभ्राता आदि सपिण्डोंका अभाव होजानेपर चतुर्दशपुरुषोंकी पंक्तिमें अतिदूरवर्तीको धनपहुँचैगा या उनसेभी अतिदूरवर्ती परगोत्री बन्धु लोगोंको या निपटइन सबहीके अभावमें आचार्य और शिष्यादिक धनको लूटैंगे तबक्योंकर सरपोताका दुर्भागीरहना न्यायसे विपरीत न होगा जो निज धनीका पुत्रादिक वंशबीज है ( क्योंकि ) यदि कोई भी सरपोताकी अपेक्षासे पत्न्यादि पंक्ति वद्धक्रम पर्याप्त पिता, माता, भ्राता आदिको समीपी कहकर उत्तर देना चाहै तौ यह उत्तर यद्यपि ठीकहै पर इसके आगे उसी वद्धक्रमकी पंक्तिमें समानोदक और बन्धु और आचार्य शिष्यादिक जो अति दूरहैं तिनसबके ध्यानसे निरुत्तरभी होजानाहोगा-विरलेलोग विनासोचेही तत्काल यह रूक्ष उत्तरदेतेहैं कि नियमात्मक मर्यादा में कुछ किसीका दावानहीं पहुँचता जो प्राचीनवाक्य सो सबठीकहै (पर) यह उत्तर उनका निपट लाचारी अवसरका जाना जब कुछ कहने का अवकाश नहीं पाते हो क्योंकि कोई नियमात्मक मर्यादा ऐसी नहीं होसक्ती जो कुविचार पर आरूढ़हो-विरले लोग यह उत्तर खड़ा करते हैं कि प्रायः दायभाग रूप ग्रन्थोंमें सरपोताका चर्चा नहीं आया केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रतक अधिकारकी मर्यादा घंटाबोपहै और इसकाहेतु एकयहीहै कि सरपोता किसीके जीत जीतक पैदा होनकना संभवनहीं इसमें ग्रन्थोंमें कुछ निर्णय करना उसका आवश्यक तथा और जो देवाधीन विरल्लोक जीने जीतक पैदाहोजाता है वह कुछ होनेकी गिनती में नहीं आसक्ता क्योंकि जो बात बहुताइन में प्रवृत्तहो वह नियमात्मक मानी

जाती है इससे जहां तक संतान प्रतिसंतान पैदा हो सकने की अवधिसंभव थी तहां तक हीदायभागमें मर्यादा नियत हुई (इसका) यह प्रत्युत्तर है कि तौ भी यावच्छक्ति व्यापिनी मर्यादा नियत होनी योग्य थी कि जहां तक संतान प्रतिसंतान पैदा होती जाय तहां तक अधिकार कोई और न पावै क्योंकि (हो सकना संभव) की अपेक्षा से भी यह बात पाई जाती है कि जिस किसीके पन्द्रह वर्ष अवस्थामें संतान हो और इसी प्रकार आगे भी पन्द्रह पन्द्रह वर्षमें संतान प्रतिसंतान पैदा होती जाय तौ फिर क्या अचंभा है कि सरपोताका भी पुत्रपौत्र देखनेमें आजाय-बिरले लोग ऐसी दृढ़ता से यह उत्तर देते हैं कि इसवार्ता में विशेष खोदखाद कुछ आवश्यक नहीं क्योंकि प्रायः निरक्षर यद्वा नारीजनोंके भी जिज्ञास से यह चर्चा ऐसे अवसरमें सुनाई देता है जब किसी बुढ़ेरा के जीते जी सरपोता जन्म लेवै बहुतेरे जन उच्चारण किया करते हैं कि दुर्भागी पैदा हुआ और उसबूढ़े सरदादाको भी दूषण दिया करते हैं कि यह कम्बख्त अमरौती खाकर आया अब तक जीता है (तौ) इस प्रमाण से इसवार्ताका निर्मूल होना नहीं कहसके क्योंकि जो कोई बात लोकमें ऐतिह्य मार्गसे विख्यात होती है समूल होने में संदेह नहीं (तो) यह उत्तर भी यथार्थ आशयसे व्यतिरिक्त है क्योंकि अब तक उत्तर दाताको भी यह मालूम नहीं कि सरदादाको किस अवसरमें यह दूषण पहुँचसक्ता होगा या सरपोताको किस अवसरमें दुर्भागी कहसक्ते होंगे किन्तु निरक्षर यद्वा नारीजन कुछ तत्वोंके अभिज्ञ नहीं होते बल्कि थोड़ा सुनिकर बहुतसा विनतालमेल कहने लगते हैं- अर्थात् सामान्य भाव न तौ सरदादा निज सरपोताके पैदा होने मात्रसे कुछ दूषित होसक्ता है न सरदादा के जीते जी सरपोता जन्म मात्रसे दुर्भागी ठहरसक्ता है किन्तु सरपोताका दुर्भागी होना या सरदादाका दूषित होना एक विशेष अवसरमें संसूचित है कि जबकेवल एक सरदादा जीतारहे और सरदादाके बेटा पोता परपोता तक सब क्रमसे संतान पैदा करिकरि आप मरते जायँ और सरदादाने निज धनसे अपना स्वत्व अब तक त्यागा नहीं हो तब यह सरपोता नाम मात्र को दुर्भागी समुभाजाता है (नाम मात्रको) इस कथनका यह आशय है कि जो सरदादाके पुत्रादिक संतान केवल एक एक पैदा होती और मरती चली आई हो जिसके सरपोता मात्र जन्म लेकर जीतारहे तबतौ यद्यपि सरदादाके मरने पीछे धनका अधिकारी वही होगा पर तौ भी एक पंचम पुरुष व्यापक प्रतिषेधकी मर्यादा से दुर्भागी उगको नाम मात्र इस हेतुसे ठहराने हैं कि जो सरदादाके द्वितीय पुत्रादिक संतानमें कोई और सरपोताका चचा या चचेरादादा आदि जीता होता और सरदादाका धन अब तक जैसा अविभक्त चला आता है तथैव सबको बँटा न होता तौ फिर निम्नदेह ऐसे पितृ पितामह रहित सरपोताको निज पैतृक या पैतामह भाग न मिलना तब तदृप यह दुर्भागी

ही होजाता इससे अबतक दुर्भागी यद्यपि नहीं है परतौभी उसी किनारेतक आपहुं-  
चा था इस हेतुसे अब नाममात्र का दुर्भागी है-इसका आशय आगेबढ़कर अच्छा  
समुभोगे-इसके सिवाय-जिस किसी सरदादाने अपने जीते जी निज इच्छामात्र से  
धनका अधिकार अपने पुत्रों को समर्पण किया हो या उन पुत्रोंनेही पैतामह धनके  
हेतुसे भगड़ाल बनकर धनकावाँट कराया हो जिनकी संतान प्रतिसंतान में से यह  
सरपोता पैदा होजाय तौ इसभाँतिका सरपोता नाममात्रको भी दुर्भागी नहींमाना  
जा सक्ता है क्योंकि यद्यपि सरदादा के सन्मुख इसने पंचमपुरुष व्यापक जन्मपाया  
तौ भी सरदादाके द्वारा धनका मार्ग शेष नहीं है कि जिसके अवरोधका कुछ हेतु  
खड़ा होवै (क्योंकि) सरदादाके पुत्र इसके परदादा और चचेरेपरदादा ठहरे तिनमें  
धनका स्वत्व उपस्थित है तौफिर सरपोता को सरदादासे अपेक्षा शेष नहींहै अर्थात्  
चतुर्थ पुरुषवर्ती अपने परदादा का भाग चचेरे परदादा से बाँटवाइकर लेसक्ता है  
यदिदोनोंही संसृष्टीहों यद्वा दोनोंअसंसृष्टीही धन बाँटि जुदे रहते होंतौ निजदादाका  
हीभाग चचेरे दादासे बाँटवाइकर परदादाके धनमेंसे लेसक्ता है यदिबापभी मरचुका  
हो क्योंकि जबतक बापजीताहो पूर्व पुरुषोंका धनभाग पुत्रादिक नहीं पासक्ते इसमें  
यह भी यादिरक्खो कि सरदादाचाहे इस दशातक भी जीताबैठाहो ऐसे सरपोताके  
होनेसे वह दूषित नहींहोसक्ता-इसकोसिवाय-उसदशामें भी दूषितनहीं होसक्ता है कि  
जिसकेएकाकीसंतानरहजानेमें निजबेटापोता परपोता विचलेतीनों यद्वादोही एकजीते  
रहें और सरपोता पैदाहोकर चिरजीवी होजाय और सरदादाने निजधनसे अबतक  
स्वत्वभी न छोड़ाहो तौ सरदादाभी निर्दोष और सरपोताभी सभागी है क्योंकिजहां  
विचले कोई पुरुष उपस्थित होंगे तहां सरपोता और सरदादासे कुछदोषा दोषका  
संबन्धनहीं होताहै अर्थात् सरदादाके मरनेपर उन विचलेतीन पुरुषोंमें जो कोईजी-  
तेहोंगे तिनमें धनकास्वत्व उतरता चलाआवैगा और उनकेद्वारा सरपोताभी निर्द्वंद्व  
अपने अवसरमें अधिकारी होगा तव किसभाँति से दुर्भागी उसको कहसक्ते हैं-  
( मस्यफलादेशः ) सर्व सिद्धांत इसका यही है कि सरपोता केवल एक ऐसी दशा में  
दुर्भागी रहजाता है कि जो सरदादाका धन अविभक्त चलाआता हो और सरदा-  
दाचाहे धन का भाग होते समय जीताहो या न हो उसके होने या न होने से प्रयो-  
जन इसमें नहीं है और सरपोता चाहे सरदादा के जीते पैदाहोजाय यद्दामरनेपरि  
होय कुछ इसवातसे भी अधिक अपेक्षा इसमें नहींहै (सोयह) अविभक्त चलाआना  
भी तबतक नहीं होसक्ता जबतक सरदादाके आत्मज संतान केवल एकहो अर्थात्  
जिस किसी सरदादाके कईपुत्रहुयेहोंगे औरउन पुत्रों में निजपैतृकधनअविभक्तगहा  
आयाहोगा फिर उन पुत्रों के पुत्रों मेंभी अविभक्त चलाआयाहोगा फिर उन पुत्रों



के भी पुत्रोंमें कि जो सरपोता के पिता पितृव्यकहलावेंगे अविभक्तरहाहोगा और देवाधीन सरपोताका बाप पहलेमरजाय तिसपीछे बापके भैया और चचाओं में परस्पर धनका बाँटहोनेलगे तौ इसभाँति निरंतर चौथी पीढीतक अविभक्तरहे धनमें से सरपोता अपने मृत बापका भागनहींपाता है परंतु जो बापकेही जीतेजीउसधन के भागहुये होते तौ बाप निरसंदेह अपने भागको पाता औरपाचुकने पीछे जोवह मरता तौ सरपोता भी अवश्य अपनेबापके इसभागकोहरसक्ता जैसापैतृक रिक्थ-विभाग प्रायः पहले बर्णनहोचुकाहै-इसी फल सिद्धांत का प्रमाण बहुधा ग्रंथों में उपस्थित और सरदादा के पुत्रादिक संतानों की अनेकता में अविभक्त धनकी दशापर सर्वत्र सूचितहुआ है-यथाहश्रीकृष्णतर्कालंकारः (पितृमरणानंतरंपुत्रस्य स्वत्वज्ञापनात् । तदभावेपौत्रस्यतदभावे प्रपौत्रस्याधिकारः मृतपितृकपौत्र मृत पितृपितामहकप्रपौत्रयोः पुत्रेण सह तुल्याधिकारः तेषांपार्वणपिंडदातृत्वेन उपकाराविशेषात् जीवत्पितृकयोस्तुपौत्रप्रपौत्रयोर्नाधिकारः पार्वणपिंडदानाभावेनउपकाराभावात् - इतिदायक्रमसंग्रहे) अर्थात्-इनपंक्तियों से यह भाव दर्शितकिया है कि पिताके मरनेपीछे प्रथम पुत्रहीका अधिकार जतलानेसे यह आशय सिद्धहोताहै कि अधिकारी पुत्रके अभावमें पौत्रका अधिकारहोवै एवं पौत्रके अभावमें प्रपौत्रको अधिकारी करै-इसका यहसिद्धांत है किजहां एकबाप के दोपुत्रहों और उनपुत्रों के पुत्रफिर उनपुत्रोंकेभी पुत्र पैदाहोजायँ अवतकधन अविभक्त चलाआताहो और इस चौथी पीढीमें विभागउसका होनेलगे तब कदाचित् इसीअवसरसे पहलेकिसीपोता का बापयदि मरचुकाहो तथैव किसी परपोताका बाप दादा दोनोंही मरचुकेहोंतौयह पोता और परपोताभी उनसबके साथबराबर भागपावै जोइसपोता और परपोताके चचा वा चचेरेदादा लगतेहों अर्थात् उनसे न्यून अंश नहींलेसक्ते क्योंकि मुख्यधनीका उपकार पार्वण पिंडरूप जैसाउनसे तद्वत् इनसेभी तुल्यात्मक हुआकरता है फिरक्योंकर न्यूनअंशपावै-परन्तु उन्हींपोता और परपोताको कि जिसकाबापजीताहोतौ फिर उक्तभागपानेका अधिकारनहीं क्योंकि अवतकदादा और परदादाको पार्वण पिंडदेनेका अधिकार नहींपाया इस्से उनकाउपकार भी कुछ इनसे नहीं होगा किंतु जीता बाप अपने आप अपना भाग लेकर बाप दादा का उपकारीहोगा-इन पंक्तियोंके आशयसे प्रत्यक्ष भान होताहै कि यदि इनसे आगे सरपोता भी धन भाग होनेसे पहलेही उत्पन्न होजाता और देवाधीन उसके बाप दादा परदादा तीनों धन भागहोने से पहलेही मरचुकने तौ इस भाँतिके अविभक्त धनमें से वह अपने मरे बाप दादापरदादा का भाग नहींपाता केवल पोता परपोतातकही अविभक्त धन में स्वत्व पहुंचताहै-(दायतत्त्वग्रंथेपि-रघुनन्दनभट्टाचार्योक्तिर्यथा) अपुत्रस्यधनंपत्न्यभिगामी

त्यादिविष्णुवचने अपुत्रपदंपुत्रपौत्रप्रपौत्राभावपरंतेषांपार्वणपिण्डदातृत्वाद्विशेत्-  
अतएवबोधायनवचनेपुत्रपौत्रप्रपौत्रानुपक्रम्य सत्स्वंगजेषुतद्गामीह्यर्थोभवतीत्यु-  
क्तं-तद्यथा-प्रपितामहः पितामहः पितास्वयंसोदर्याभ्रातरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः  
प्रपौत्रः एतानविभक्तदायादान्सपिण्डानाचक्षते विभक्तदायादान्सकुल्यानाचक्षते-  
सत्स्वंगजेषु तद्गामीह्यर्थोभवतीत्यस्यार्थः पित्रादिपिण्डत्रयेषु सपिण्डनेनभोक्तृ-  
त्वात् पुत्रादिभिस्त्रिभिस्तत्पिण्डस्यैवदानात् यश्चजीवन् यत्पिण्डदातासमृतःसन्  
सपिण्डनेनतत्पिण्डभोक्ता-एवंमध्यस्थितः पुरुषः पूर्वेषांजीवन् पिण्डदातामृतश्च  
तत्पिण्डभोक्तापरेषांजीवतां पिण्डसंप्रदानभूत आसीत् मृतैश्चतैःसहदौहित्रादि  
देयपिण्डभोक्ता-अतोयेषामयं पिण्डदातायेवातत्पिण्डदातारस्तेअविभक्तं पिण्डरूपं  
दायंअश्नन्तीति अविभक्तदायादाः सपिण्डाः-पञ्चमस्यपूर्वस्यमध्यमः पञ्चमोनपिण्ड  
दाता नचतत्पिण्डभोक्ता-एवमधस्तनोऽपि पंचमोनमध्यमस्य पिण्डदातानापित  
त्पिण्डभोक्तातेनवृद्धप्रपितामहात्प्रभृतित्रयःपूर्वपुरुषाः प्रतिनमृतः प्रभृत्यधस्तनाश्च  
यःपुरुषाएकपिण्डभोक्तृत्वाभावात् विभक्तदायादाःसकुल्याइत्याचक्षते-पुत्रादिविभाग  
क्रमंचव्यक्तमाह रत्नाकरधृतकत्यायनः अविभक्तेमृतेपुत्रे तत्सुतंरिक्थभागिनम् । कु-  
र्वतिजीवनंयेन लब्धंनैवपितामहात् ॥ लभेतांशंसपिञ्च्यन्तु पितृव्यात्तस्यवासुतात् ।  
सएवांशस्तुसर्वेषां भ्रातृणांन्यायतोभवेत् ॥ लभेततत्सुतोवापि निवृत्तिःपरतोभवेत्  
(जीवनंजीवनोचितद्रव्यम्) यदाभ्रातृणांकश्चिदेकोनविद्यते तदातत्सुतस्यपित्रंशो  
दातव्यः यदाविपन्नस्याप्यनेकपुत्रास्तदाएकःपित्रंशस्तेषांविभज्यदातव्यःएवंतत्सुतोऽ-  
प्यंशलभेत तत्सुतस्यभागोनिवर्त्ततेइत्यर्थःएतच्चसहवासविषयं(यथाहदेवलः-अविभ-  
क्तविभक्तानांकुल्यानांवसतांसह । भूयोदायविभागःस्यादाचतुर्थ्यादितिस्थितिः)अविभ-  
क्तानांविभक्तानांसहवसतांसंस्पृष्टानांवा पुनर्विभागोभ्रातृतत्सुततत्सुतपर्यंतमेवतत्सुता-  
च्चतुर्थ्यान्निवर्त्तते इतिप्रागुक्तसप्तमपुरुषपर्यंतं विभागदानन्तु भिन्नदेशादागतानामिति  
नविरोधः तेनप्रपौत्रपर्यंतानामभावेपत्नीधनाधिकारिणी)अर्थात्-दायतत्त्वनाम ग्रन्थम-  
भी रघुनन्दन भट्टाचार्य एसाकहते हैं कि-निपूतेका धनपत्नीमेंजावे इत्यादि वहद्विष्णु  
केवाक्यमें ( निपूता ) पदजो आया तिसकेआशयसे निपूता उसको समुभाजाताहै  
कि जिसके वेटा,पोता, परपोतातक न हो क्योंकि पार्वण पिण्डदेनेका अधिकार जैसा  
वेटाको तथैव पोता परपोताकोभीहोताहै इसीलिये बौधायनजीके वाक्यमें वेटा पोता  
परपोताओंको आरम्भकरके आत्मजोंके होनेमें धन उन्हीं में जाताहै यहकहा-तिम  
कायह आशय है कि परदादा,दादा,बाप,आप,सहोदरभैये, धर्मपत्नीकापुत्र,पोता,पर  
पोता इतनोंको सपिण्ड और अविभक्त दायादभी कहतेहैं फिर तीनतीन इनके उ-  
र्नाचेऊपर दोनोंओरके छः पुरुषोंको सकुल्य और विभक्त दायादभी कहते हैं औ

(सत्स्वंगजेषु तद्गामीह्यर्थो भवति) इसका रघुनन्दनजी यह अर्थ कहते हैं पिताआदिके तीनों पिंडोंमें निचले चौथे पुरुषका सपिंडीकरण होनेसे भोक्तृत्वहेतु पैदा होता है तिससे और पुत्रादिक निचले तीनोंकरके उसका पिंडदान करनेके हेतुसे परस्पर यह संबन्ध पैदा होता है कि इनमेंसे जो कोई अपने जीते जी तक जिसका पिंडदाता कहलाता है वही पुरुष मराहुआ सपिंडन कर्मके द्वारा उसका पिंडभोक्ता होजाता है इन्हीं नियमों के अनुसार बिचला पुरुष अपने जीते जी ऊपरले तीनों पुरुषोंका पिण्डदाता और मरनेपीछे उनका पिण्डभोक्ता कहलाता है—एवं वही बिचला पुरुष मराहुआ निचले तीनों जीतेहुये पुरुषोंका पिण्ड सम्प्रदानभूत अर्थात् उनसे पिण्डलेनेवाला होता है और जो वे भी तीनों मरें तौ उन मरे निचले तीनों पुरुषों के साथ वह आप भी दौहित्रादिकोंकरके दियेहुये पिण्डोंका भोक्ता होजाता है—इन्हीं सब अद्योक्त कारणोंसे जै कोई इसके पिंडदाता या जिनका पिंडदाता यह आपहोवे सब अविभक्त पिंडरूपदायको खाते हैं और इसीसे परस्पर सब अविभक्तदायाद सपिंडसमुझे जाते हैं (सो) यह नियम चौथे से आगे नहीं बढ़ता किंतु ऊपरले पंचम पुरुषका बिचला पंचम पुरुष न तौ पिंडदाता न उसका पिंडभोक्ता हुआ करता है इसी प्रकार निचला पंचम पुरुष भी बिचले पंचम पुरुषका न पिंडदाता और न उसका पिंडभोक्ता होसक्ता है इसी कारणसे सरदादा को आदि लेकर ऊपरले तीन पुरुष और सरपोता को आदि लेकर निचले तीन पुरुष एकसाथ एकपिंडके भोक्ता नहीं होते किन्तु पृथक् पिंडके भोक्ता हुआ करते हैं और इसीसे विभक्तदायाद सकुल्य कहलाते हैं—इसपीछे रघुनन्दनजी फिर कहते हैं कि इसीव्यवस्थाके हेतुसे पुत्रादिकों का विभाग क्रमभी कात्यायनजीने स्पष्टकरके कहा सो सब रत्नाकरनामग्रंथ में लिखा है कि अविभक्तपुत्र मरजाने में उसके सुत को रिक्थभागी करै पर उसीको कि जिसने अपने दादासे जीवनयोग्य धन पहले कभी न पायाहो यद्वा वही सुत निजपिताका भाग अपने चचासे या चचाके बेटेसे भी अवसरके अनुसार पावै और जो कई भ्राता हों तौ फिर वही भाग उसके सब भाइयोंका न्यायानुसार बँटकर होवै अथवा उसपोता के भी अविभक्त मरजाने में उसका सुत अर्थात् धनीका परपोता भी निजपैतृक या पैतामह भाग पावै पर इस्से आगे भाग पाने की निवृत्ति होवै अर्थात् सरपोता ऐसे अविभक्त धनमेंसे भाग नहीं पावै—रघुनन्दनजी सिद्धांत इसका फिर कहते हैं कि जहाँ कहीं अनेक भ्राताओंमेंसे कोई एक नष्ट हो तब उसके सुतको पैतृकभाग दातव्य है परंतु जो उम नष्ट हुये भ्राता के अनेक पुत्रहों तौ फिर वही एक पैतृक अंश उन सब पुत्रोंको विभाग करके देना योग्य है—फिर इसीरीतिसे उस एक वा अनेक पुत्रोंके सुतभी अंशपावें पर डनमुतोंके मुतका भाग निवृत्त होजाता है क्योंकि वह पंचमपुरुष धनीका सरपोता ठहरा ऐसे अविभक्त

धनमें भाग उसका नहीं है (और) फिर भी दृढ़ता करते हैं कि (एतच्चसहवासविषयं) अर्थात् सरपोताको यह भाग का न मिलना भी सहवासमें समुझना किन्तु जब चौथी शाखा तक धन अविभक्त चला आया हो-तिस पीछे देवल वचनों का प्रमाण देते हैं कि इसमें देवल ने यह कहा (अविभक्ते विभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्थादि ति स्थितिः) अर्थात् देवल कहते हैं कि अविभक्ते कहिये विना बँटे धनकी दशामें (विभक्त) नाम विभक्त दायद सकुल्य चौथी पीढ़ीके उपरांतवाले जिनके लक्षण ऊपर लिखे गये तिनके सहित मिलकर वसते हुये सपिंडोंका फिर दायविभाग होवै तौ यह मर्यादा है कि चौथी पीढ़ीके पुरुषों तक ही भाग पहुँचे-यद्वा देवल के श्लोक में (अविभक्त) ऐसा पाठ बना रहनेसे भी यही अर्थ होता है कि (अविभक्तानां विभक्तानां सहवसतां) अर्थात् अविभक्त कहिये अविभक्त दायद सपिंड और विभक्त कहिये सकुल्य चौथी पीढ़ीके उपरांतवाले यदि सहित मिलकर वसते हों तौ फिर दायविभाग उनका इस मर्यादा साथ होवै जैसा अभी ऊपर कहा गया (और) यही व्यवस्था उन संसर्गियोंकी समुझनी जो धन बँटे पीछे फिर संसृष्ट करिके वसेहों-इत्यादि नियमोंके हेतुसे पूर्वोक्त सप्तमपुरुष पर्यंत विभाग देना भी भिन्न देशोंसे आये हुये दायदोंका विरोध नहीं-इसी व्यवस्थाके हेतुसे परपोता तक न होनेमें पत्नीका अधिकार होता है-परंतु-अवइन ऊपरके सब नियमोंसे निर्णयरूप सिद्धांत भी विचार करने योग्य है कि जब केवल अविभक्त धनकी दशामें सरपोताको विभाग का न मिलना निश्चित हुआ तौ फिर साधारण भाव क्योंकर ऐसा कहसक्ते हैं कि सरपोता मात्र सभी और सर्वत्र रिक्थी न होसकें-ध्यान करो कि जहाँ किसी धनीके एक ही बेटा हो जिसने अपने धनी वापसे धनका स्वत्व नहीं पाया और आप एक पुत्र यद्वा कई पुत्र पैदा करके बापके जीते जी मरगया तिस पीछे उसका एक यद्वा कई पुत्र भी संतान पैदा करिके अपने दादाके सन्मुख ही मरगये अवतक दादाने निज धनका स्वत्व अपने हाथसे न छोड़ा-तिस पीछे ये परपोते भी संतान पैदा करिके अपने परदादाके सन्मुख ही मरगये अवतक परदादाने निज धनका स्वत्व अपने हाथसे न छोड़ा अब सरपोतोंका सरदादा बनिकर आप भी वह मरा जिसके एक वा अनेक सरपोते विद्यमान हैं निस्संदेह ये ही सरपोते रिक्थी होने योग्य हैं और लोकमें भी शिष्टाचारसे इन सरपोतोंका रिक्थीत्व कोई मेटि नहींसक्ता और उस मरे धनी सरदादाको निर्वंश नहीं कहसक्ता तौ फिर क्योंकर पुत्रादिक वंशबीजके होते हुये धनका रिक्थी कोई और होइस्से ऐसे अवसरमें कुछ शंकाको अवकाश नहीं है-यद्यपि-शंका करनेको अवकाश नहीं पाया जाता तौ भी वादी तर्क वितर्कोंसे कुछ आग्रह खड़ा करता है कि यदि ऐसा ही नियमात्मक न्याय माना जाय तौ फिर (पत्नीदुहितरश्चैव) इत्यादि पूर्वव्याख्यात योगीश्वरके ही वाक्यसे

जो पत्नी आदि नौ दश अधिकारियोंका अधिकार सिद्धिको पहुँचाया कि जिन में सबसे पहले पत्नीका अधिकार अतिशय बलवान् दर्शित हुआ है वह क्योंकर सच्चा ठहरैगा कि जिसकेलिये बेटा पोता परपोता तकही अवधि सूचित होती है यह प्रत्यक्ष विरोध क्योंकर शांत होगा किंतु यदि बेटा पोता परपोता तक अभाव हो जाने में पत्नी जीती रहनेपर सरपोता विद्यमान हो तब धन किसको मिलना योग्य होगा यद्वा पत्नी के न होनेपर भी दुहिता पिता माता आदि जो जो अधिकारी क्रम पर्याप्त निश्चित हुये तिनका अवसर क्योंकर आवैगा ( अत्रविवेकः ) सुनौ यह आग्रह केवल बुद्धि भ्रमसे खड़ा होता है अन्यथा ऐसे आग्रह का प्रयोजन इसमें नहीं क्योंकि पत्नीका अधिकार सर्वथा प्रबल और न्यायात्मक यद्यपि है परंतु निपट निपूतेका धन हरने मध्ये नियत है सो उस निपट निपूतेका भी धन अविभक्तया संसृष्ट होनेकी दशामें वह पत्नी नहीं पाती है तौ फिर प्रबल या न्यायात्मक होना कुछ इस भावका प्रदर्शक नहीं होसक्ता है कि पुत्रादिक वंशबीजका अधिकार पत्नीरोकै-हाँ यदि सरपोता के उत्पन्न होनेसे उस धनीको निर्वेश कोई लोकमें कहसक्ता हो तौ वह बात भी स्वीकार करने योग्य ठहरै सो इस बातका विश्वास है कि कोई भी निर्वेश नहीं कहसक्ता है क्योंकि जो सरपोताके उत्पन्न हो जानेसे निर्वेश कहना चाहै तौ फिर वंशकी अखंड वृद्धि होना किसके द्वारा ठहरावैगा-सर्वत्र निपूतेका धन हरना पत्नी आदि अधिकारियोंको दर्शाया गया सो उस निपूते शब्दका सूधा अर्थ यह होता था कि पुत्रके न होनेमें पत्नी धनको पावै तिसमें यह संदेह खड़ा होता था कि पुत्रके न होनेमें पोता परपोता आदि के होते हुये भी पत्नी धनको पास करती होगी-और उन वचनोंका यह आशय था कि पुत्रका न होना कहने मात्रसे पुत्रादिक वंशबीज मात्रका न होना समुझा जाय क्योंकि जो पुत्रही नहीं तौ फिर पोता आदि कहाँ होसक्ते हैं-इसीका सिद्धांत लेकर बहुधा टीकाकारोंने यह व्याख्या नियत करी कि पुत्र पौत्र प्रपौत्र तक न होनेमें पत्नीको अधिकार मिलै तिसका भी प्रयोजन यही समुझा जासक्ता है कि शायद केवल पुत्रोंके न होनेमें पोता परपोता आदिके होते हुये पत्नी अपने अधिकार मध्ये भगड़ा खड़ा करने लगती तिसका यह संदेह मिटाया है कि बेटा पोता परपोता तक होते हुये पत्नीको अधिकारही नहीं पहुँचता ( और ) आशय इसका यह है कि यदि परपोता तक भी पत्नी नहीं पास करती तौ फिर सरपोता किमने देखा है अर्थात् प्रायः परपोता भी वृद्धापनमें दिखाई देता है तिसतक पत्नीका अधिकार मिटाया तौ फिर सरपोता का चर्चानाम लेकर करना बुरा है-इमके मिवाच-रघुनन्दन भट्टाचार्य आदि ग्रंथकारोंने जो स्पष्ट करके कहा है कि ( अत्रापुत्रपदं पुत्रपौत्रप्रपौत्राभावपरं ) और इसपर एक वौधायनका भी वचन प्रमाण देकर निम्ना जिमका आशय निःसंदेह यह नियमात्मक है कि सरपोता के होने हुये भी परपोता तक अभाव हो जाने

मंपत्नी धनको पावै (सो) वह नियम बांगदेशी परिपाटीसे विशेषकर अविभक्त धनपर आरूढ़ है क्योंकि बांग देशी पत्नी अविभक्त धनमें से भी अपने पतिकाभाग पाती है कि जिसमें सरपोताका अधिकार नहीं होता-और यद्यपि वही नियम उसदेशमें पिंडाधिकार मार्गसे विभक्तधन पर भी आरूढ़ है कि सरपोताके होते भी पत्नी आदि अधिकारी धनको पावै (सो) तत्रत्य परिपाटीसे विरोध नहीं माना जा सकता है किंतु (देशस्य जातेः संघस्य धर्मो ग्रामस्य यो भगुः उदितः स्यात्स तेनैव दायभागं प्रकल्पयेत् ) बल्कि इसी लिये बांगदेशियोंने निजग्रंथोंमें सरपोताके अधिकारको कुछ अंतरसे द्वितीय अवसर कल्पित किया है कि बीचमें मातामह वंशीलोगोंका अधिकार हो जानेके पश्चात् उसका अवसर आवै-परंच-एतद्देशीग्रंथ मिताक्षरा वीर मित्रोदयसे यह आशय नहीं निकलता है कि सरपोता कहीं अंतरसे भी धनको पावै क्योंकि इनग्रंथोंने ऊपरली चौदह पीढ़ी बापदादा परदादा सरदादा आदि यथाक्रमसे रिक्थी वर्णन करिके बन्धु और शिष्यादिक में अधिकारको पहुँचाया है तिनमें सरपोताका अवसर कोई भांतिसे भी नहीं पाया जाता बल्कि सरपोता आदि निचले कोई और भी अधिकार नहीं निश्चित हो सकते तौ इस बातसे प्रत्यक्ष निश्चित होता है कि उसका अधिकार पहले वेटा पोता परपोता के ही आगे यथाक्रमसे हेतुगर्भित आशयके अनुसार माना जावैगा क्योंकि यदि ऐसा आशय निपट न होता तौ फिर यह अन्याय भी प्रत्यक्ष क्योंकर सहा जाता किन्तु निचले तीन पुरुषोंके उपरांत वंशरक्षक सरपोता आदि कोई और न पावै बल्कि उनके सन्मुख बन्धु और शिष्यादिकमें धनवहता फिरैक्या इस भांतिके अन्यायको उनग्रंथोंके निर्माता नहीं समझते थे परहेतुकेवल यही है कि उन्होंने इस बातका चर्चा करना कुछ आवश्यक नहीं समझा इससे गड़बड़ भालासा प्रतीत होता है-और अवधिका जोतर्क है कि वीर मित्रोदय और मिताक्षराने भी वही तीन पुरुषोंकी अवधि दर्शित करी है कि वेटा पोता परपोता तक न होनेमें धनपत्नी आदि सब अधिकारी यथाक्रमसे पावै तिसका उत्तर ऊपर भी लिख चुके हैं कि वेटा पोता परपोताके उपलक्षणमें सरपोता आदि भी सब समभे जा सकते हैं-कदाचित् इसी तर्कणासे सरपोता अनधिकारी निश्चित किया जाय तौ फिर ग्रंथांतरसे परपोताका भी अनधिकार खड़ा होता है अर्थात् शिवकृत दायभागमें केवल पोता तक ही अधिकार कह कर धनीको निपूता कहने लगे हैं तौ उन वचनोंके अनुसार आग्रह खड़ा करनेसे परपोताके भी होते हुये पत्नीका अधिकार माना जा सकता है परन्तु उन वचनोंका आशय ऐसा नहीं है इसलिये उसमें पोताके ही उपलक्षणसे यथोचित अवधि मानी जायगी-इसके सिवाय-कोई वचन किर्माशक्तन ग्रंथमें ऐसा भी उपस्थित नहीं है कि जिसमें सरपोताको धन मिलनेका निषेध किया गया हो केवल मंग्रह ग्रंथकारोंकी कल्पना मात्रसे यह तर्क बिनके खड़ा होता है-उर्मा कल्पनामें जो विरले ग्रंथकारोंने धनहरने



मध्ये पिंडदातृत्व का हेतु खड़ाकिया और उसहेतुकेही अवलंब से सरपोताको अनधिकारी निश्चित किया क्योंकि सरपोताको कुछ पिंडदानमें सम्बन्धनहीं पहुंचता सो यहहेतुभी निरर्थक है क्योंकि दायहरत्वमें कुछ पिंडदातृत्वका हेतु कामनहींआता बल्किदायका अधिकार निश्चितहोजाने पीछेपिंडदानका अधिकार खड़ाहोताहै तौइस न्यायसेभी सरपोता यद्यपि पिंडदानका अधिकारीनहीं है परतौभी अपनेसरदादाका धनहरने पीछे पिंडदानका अधिकारी वहभी होजायगा-धनकाहरना किसीविशेषदशा में धृताभार्याके भी पुत्रोंयद्वा उसीभार्याको शिवजीने कहाहै कि जिनकोधन हरनेपर भी पिंडदानका प्रतिषेध कियाहै-तद्यथा-येयस्यधनहर्तारोभवेयुर्जीवनावधि । दद्युःपिंडं तएवास्यशैवभार्यासुतंविना-अर्थात्-जेकोईपुरुष पिंडदेनेके अधिकारी यद्वा अनधिकारीभी जिसकिसीके धनहर्ताहोवै वेहीअपनी जीवन अवधितक उसधनीके पिंडदेवै परएक शैवीभार्या या उसभार्याका पुत्रजो धनहर्ताहुआहो तौवह पिंडनदेवै किंतुइन कोधन हरनेपरभी पिंडदानका अधिकार नहींहोता-द्वादशपुत्र प्रतिनिधियोंके प्रकरण में सब निर्णयहुआ था कि उत्तमके अभावमें मध्यम और मध्यमकेअभाव में मंदपुत्रोंकाभी अधिकार पत्नीके होतेहुये होवै और पुत्रोंके उपलक्षण मात्रसेहीपोता परपोताभी सबसमभेजाते हैं तथैवपोता परपोताके उपलक्षणसे सरपोता आदिभीसब समुभेजासक्ते हैं कि उनकेहोतेहुये पत्नीआदि कोई और धनकोनहींपावै-इसकेसिवाय-पत्नीके अधिकारका प्रावलय कुछ सरपोताके होजानेमात्रसे नहींमिटसक्ता क्योंकि जोधनी सरदादाके मरतेसमय सरपोता अतिशयशिशुहोगा और पत्नीभी कदाचित् जीती तथासमर्थहुई तौ वाचनिक व्यवस्थाके अनुसारउसके बाल्यभावतक वहपत्नी ही अधिकारयुत रहसक्तीहै यद्वाधनी सरदादाके मरतेसमय सरपोता आपसमर्थहो और वहपत्नीजो सरपोताकी सरदादीहै अतिवृद्धा अपनेअंगोंसे असमर्थहोतोंप्रत्यक्ष ऐसीदशामें वहपत्नी धनकेयोग्य नहीं है सरपोताही अधिकारीहोकर उसकापालयिताहोगा यद्वा सरपोताभी असमर्थ अतिशय शिशुहो और वहपत्नी निपट न हो या असमर्थ विकलांगहोतो सरपोताही अधिकारीहै और धनकारक्षककोई बाल्यभावतक होसक्ता है-बालकोंका धनभानरक्षाकरने मध्ये कात्यायनका यहवाक्यहै-यथा-अप्राप्तव्यवहाराणांधनंव्ययविवर्जितम् । न्यसेयुर्वन्धुमित्रेषुप्रोपतानान्तथैवच-अर्थात् अप्राप्त व्यवहार बालकोंको पहुँचाहुआ धनवन्धुयामित्रोंमें सम्बन्धीलोग धरगेहरमात्रसौंपे जिसकोकोईव्ययनकरे और इन्हीप्रकार उनकाभीकिजोउमकालमें विदेशवामी हों विष्णुरपि-तथारक्ष्यंवात्तधनमाव्यवहारप्राप्तः-अर्थात्-संप्राप्त व्यवहारहोने तक बालकोंका धन रक्षाकरने योग्यहै यह विष्णुनेभी कहा-नो यह नियम सर्वत्र बालकोंके धन सम्बन्ध मात्रमें समभूता किंतु यहां केवल प्रसंग मात्रमें दर्शायागया-इसके

सिवाय-जो पत्नी निपट नहोतौ दुहिताका अधिकार जो पत्नीके पश्चात् सूचितहुआ सोभी इस अवसरमें सरपोता के होतेहुये असत् जानौ क्योंकि पुत्रादि वंश बीजके होतेहुये परघरमें धनजाना कोई न्याय नहींहै-इसकेसिवाय-दुहिताके अभावमें पिता माताका सामीप्य अधिकार खड़ाहोताहै सो उसका चर्चा करनावृथाहै क्योंकि जिस धनीके सरपोता तक उत्पन्नहुये तिसके पिता माताजीते नहीं रहसक्ते हैं परन्तु उन के अभावमें भ्राताओं या भतीजोंका अधिकार खड़ाहोताहै और यद्यपि जीताहोना भी सुसंगत है तथापि उनको अधिकार उसीदशामें मिलसक्ता था कि पहले वर्णन हुई व्यवस्थाके अनुसार अवतक धनीका धन अविभक्त रहाहोता किंतु जिस धनी के निज भाइयोंसे विभक्त होजानेपीछे सरपोतातक उत्पन्नहुआहो और धनी अपने भाइयोंमें संसृष्ट न होगयाहो तौ इसअवसरमें सरपोताके होतेहुये भाई या भतीजों का अधिकार निपट व्यर्थहै क्योंकि लोकमें कोई ऐसा नहीं करसक्ता कि अपने घर के पैदाकिये और पालेहुये सरपोताको दुर्भागी रखकर जुदे विरोधीभाई या भतीजों को धनभागी करै और जब लोकमेंही नहीं करसक्ता तौ फिर शास्त्रमेंभी लोक विरोधी नियमका होना केवल भ्रान्तस्वांता चार्योंका कुछवाद विवाद मात्रहोगा-यहांपर कदाचित् कोई पिण्डदानका अधिकार चर्चा करनाचाहै सो वह निपट थोथा तुष कंडनहै क्योंकि सरपोता जो सुपात्रहो और कुछ करनाचाहै या करै तो धनके प्राप्तहोनेमात्र सेही पिण्डोंका अधिकार पैदा होजाताहै कुछ करनेमें प्रतिषेध वचन कोई उसकेलिये नियतनहीं है और भाई या भतीजे जो भ्रातृ पितृ द्वेषी या कुपात्रहों तौ धनहरनेके सिवाय कभी जलदानकाभी नाम नहीं लेसक्ते हैं फिर पिण्डोंका देनातौ कुछ कठिन है-इसपरभी-कदाचित् कोई धर्म शास्त्रित्व के अभिमानसे उपरालूउक्ति युक्तियों का अवलंब लेकर उक्तलक्षण सरपोताके सन्मुख धनीके भाई या भतीजोंका अधिकार सिद्ध करदेवै और वहसच्चासमभाजाय तौभी(अस्वर्ग्यलोकविद्विष्टधर्ममप्याचरेन्नतु) यह प्रतिषेध उसपर आरूढ़है (परंच) इस प्रतिषेधका अन्वेषण प्रायः आवश्यक नहीं होगा क्योंकि उस प्रकारकी सिद्धि दर्शित करनेवालेको प्रथम यह उत्तरभी निर्मलता साथ देनाहोगा कि एतद्देशी ग्रन्थ मिताक्षरा वीर मित्रोदयने जो केवल सरपोता तकही अधिकार कहकर पत्नी आदि अधिकारियोंका प्रारंभकिया तिनकेपीछे केवल उपरको चढ़तेहुये चौदह पीढ़ीतक समानोदक मानकर स्वीकारकिये परंतु भी उनके बाँधे क्रमके अनुसार सरपोता और सरपोता का बेटा तथा पोताभी यह तीनों निचले सप्तम पुरुषकी अवधि तकही किसी गिनतीमें न ठहरे जो सपिंड उमी क्रमके अनुमार समझे जासक्तेथे और इनतीनों के उपरान्त सात और भी चौदहवें पुरुषकी अवधितक जो उन्हींके दर्शायेहुये अनुक्रमके अनुसार सोदह

समुभे जासक्ते थे वेभी किसी गिनतीमें न ठहरे जिनके होनेसे निज धनीकेही बंश का अखंडपाद पहरा रहिताहै-तिसकाहेतु बड़ी निर्मलता और न्यायानुसार कहना योग्य है-इसहेतु को मर्यादा परिपाटी ऊपर न्यायात्मक शिष्टाचारात्मक दोनों रीति से प्रदर्शित करचुकी है जिज्ञासु पढ़िकर समुभैंगे ॥ इति प्रपौत्र पुत्रादीनामधिकार विचारः ॥ इति सृतपुरुषमात्र धनदायविभागः ॥ जो कि ४५ के परिच्छेद में १२० मूल श्लोक पूर्वार्द्धसे संक्षेप स्त्री पुरुष दोनोंका धन विभाग पहले दर्शितकिया तिस में पुरुषमात्रका धनविभाग बहुविस्तार सहित १५ परिच्छेदोंमें सब यहांतक प्रदर्शित हुआ अब स्त्री धनका विभाग भी विस्तारसे प्रदर्शित करना चाहिकर उस धनका मुख्य स्वरूप नीचे कहते हैं ॥

अथस्त्रीधनसंज्ञकद्रव्यविवेकोनामषष्टितमःपरिच्छेदः ६० ॥

इस परिच्छेद साठि संख्यामें स्त्रीधनका वर्णनहोगा जिस्से यहवात जानीजायगी कि स्त्रियोंका स्वत्व किस धनमें हुआ करताहै ॥

पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् । आधिवेदनिकाद्यंचस्त्रीधनंतत्प्रकीर्तितम् १४७ ॥

बन्धुदत्तं तथाशुल्कमन्वाधेयकमेवच १४८ ॥

अक्ष०—सहद्वयोः पिता,माता,पति, भ्राता इनका दिया और अध्यग्नि उपागत और आधिवेदनिक आदिभी यह सब स्त्रीधन कहाते हैं १४७ ॥ और बन्धुओंका दिया-हुआ तथा शुल्क और अन्वाधेयक भी स्त्रीधन हैं १४८ ॥

अभि०—विवाहसे पहले या पीछेभी पिता या माता या भर्ता या भाईआदि किसी ने सत्कार आदि किसी हेतुसे जो कुछ अपनाहाथ उठाकरदियाहो तो यहधन स्त्रियों के जुदे धनमें गिनती होताहै और वहभी किजो स्त्रीने अपनेविवाहके समयपर अग्नि की वेदी के निकट मामा नाना आदि किसी से पायाहो और आधिवेदनिक नामका धन भी जो अधिविन्ना स्त्री को दियागया हो जिसका व्योरा आगे १५३ के मूल श्लोक से कहेंगे वहभी स्त्री धन होताहै इन छः प्रकारों के सिवाय औरभी ( आदि ) शब्द के अभिप्राय से ( रिक्थ ) जो अपनी माता या नानी आदि के मरने से पाया हो तथा ( क्रय ) जो अपनादाम देकर कुछ खरीदाहो तथा ( संविभाग ) जो हिस्सा वांट की रीति से बहिनों या भाइयों के साथ में कुछ पायाहो तथा ( पग्ग्रह ) जो कोई वस्तु कब्जाकरि पाने के मार्ग सेही प्राप्तहुई हो तथा ( अधिगम ) जो देवयोग से भांडा आदि कुछ मिलगया हो यह सबतरह के धन स्त्री धन कहाने हैं १४७ ॥ और वह भी कि जो माता पिता के बन्धुओं ने कन्याको दियाहो और ( शुल्क ) नामकन्या का मोल जो लेकर कन्यादीजाती है और ( अन्वाधेयक ) द्रव्य जो विवाहमे पीछे उमका पति उसे पूंजीकी रीतिसे देवे यह सब स्त्रीधनहोते हैं इनमें पुरुषोंका अधिकार नहीं १४८ ॥

अधि०—नारद ने छः प्रकार नियत किये हैं-यथा (अध्यग्न्यध्यावाहनिकं भर्तृदाय स्तथैवच । भ्रातृदत्तंपितृभ्यांचषड्विधंस्त्रीधनंस्मृतम्) अर्थात्-अग्नि के समीप पायाहु-आ आवाहन हेतु से पायाहुआ और भर्तृदाय कहिये अन्वाधेय द्रव्य जो पूंजी के निमित्त से पति ने दियाहो भाईकादियाहुआ पितामाताका दियाहुआ ये छः प्रकार के स्त्रीधन हैं ॥ मनु ने भी छः सात भेद स्त्रीधन के कहे हैं-यथा (अध्यग्न्य ध्यावाहनिकं दत्तंचप्रीतिकर्मणि । भ्रातृमातृपितृप्राप्तंषड्विधंस्त्रीधनंस्मृतम् ॥ अन्वाधेयंचयदत्तंपत्याप्री तेनचैवयत्) अर्थात्-अध्यग्नि १ अध्यावाहनिक २ प्रीतिकामोंमें दियाहुआ ३ भाईसे ४ माता से ५ पिता से ६ पायाहुआ यह छः प्रकार के स्त्रीधन कहाते हैं (और) सात-वां अन्वाधेय भी स्त्रीधन है जो पित्रादिक या पतिने अपनी प्रीतिसे पूंजीसमुभकर देदियाहो यह तो मनु ने दर्शाया-और-कात्यायनजी ने इन्हीं द्रव्योंको भिन्नभिन्नलक्षण दर्शाते हुये कुछ अधिक भेदोंसे कहा है-यथा (विवाहकालेयत्स्त्रीभ्योदीयतेवाहिसि-न्धिधौ । तदध्यग्निकृतंसद्भिःस्त्रीधनंपरिकीर्तितम्-यत्पुनर्लभतेनारीनीयमानापितुर्गृहात् अध्यवाहनिकं नामस्त्री धनंतदुदाहृतम्-प्रीत्यादत्तंतुयत्किंचित्श्वश्रुवावाश्वशुरेणया पादवंदनिकंचैवप्रीतिदत्तंतदुच्यते-ऊढयाकन्ययावापिपत्युःपितृगृहेपिवा भ्रातुःसका शात्पित्रोर्वालब्धंसौदायिकंस्मृतम्-विवाहात्परतोयच्चलब्धंभर्तृकुलात्स्त्रिया-अन्वाधेयं तुतद्द्रव्यंलब्धं पितृकुलात्तथा) अर्थात्-जो कुछ विवाह के समयपर स्त्रियोंको अग्नि वेदी के समीप दिया जाता है सो अध्यग्निक नाम स्त्रीधन कहाता है फिर कभी कु-लाईहुई स्त्री अपने पिता के घरसे जो कुछ पाती है सो वह अध्यावाहनिक स्त्रीधन कहाताहै क्योंकि वह आवाहन हेतु से पाया-ससुरा या सासूने जो कुछ प्रीतिसे दि-याहो या पैलगौआ की रीतिसे कुछपाया हो सो वह प्रीतिदत्तनाम का स्त्रीधन कहा-ता है-विवाही या कुमारी कन्याने पति के या पिता के घर भाई से या माता पित-से कुछपायाहो वह सौदायिक नाम स्त्रीधन कहाताहै-विवाहसे पीछे जो पति के कु-लसे स्त्रीने पाया हो या पिताके कुलसे पाया हो परंतु पूंजी की रीति से यदि पाया हो तो वह अन्वाधेय नाम स्त्रीधनकहाता है-सदाशिवजीने इसको संक्षेप से कहदियाहै तथापि उनकेवाक्य से यह सभी लक्षण कुछविशेषता साथपायेजातेहैं-तद्यथा (पितृ-भिः श्वशुरैर्वापिदत्तंयद्धर्मसंमतम् । स्वकृत्योपार्जितंयच्चस्त्रीधनंतत्प्रकीर्तितम्) अर्थात्-पिताको आदिलेकर उसके कुलमात्र में किसी ने या उसके वंधुओं में से किसीने अथवा श्वशुरा को आदिलेकर उसके कुलमात्र में किसीने धर्मसे सन्मान करके जो कुछ दिया हो एवं स्त्रीने आप अपनी कृतिसे अर्थात् व्याजवटा वा शिल्पादिप्रकारों से उपार्जन कियाहो सो सब स्त्रीधन कहाता है-नारद या मनुके वचन में जो पितृ-शब्द आया निमित्तका कुछ नियमात्मक भाव नहीं है कि इनसेअधिक न हों क्योंकि

उन्होंने स्तूल संख्या कही है और इसीसे योगीश्वर ने भी छः कहकर पीछे आदि शब्द के आशय से कुछ अधिक प्रकार सूचित किये हैं-विष्णुके भी वचन में छः से अधिक संख्या कही है-यथा (पितृ मातृ सुत भ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतं आधिबेदनिकं बंधुदत्तंशुल्कमन्वाधेयकमितिस्त्रीधनम्) अर्थात्-पिता,माता,पुत्र,भ्राता इनका दिया हुआ और अग्नि के समीप पायाहुआ और अधिवेदन के निमित्त से पायाहुआ बंधुलोगों का दियाहुआ और शुल्क नामका पायाहुआ और अन्वाधेयकनामपूँजी के निमित्त से पायाहुआ ये इतने स्त्री धन हैं-कात्यायनजी ने निज पूर्वोक्त लक्षणके सिवाय विरले और भी स्त्री धनके लक्षण शुल्कनामसे दर्शाये हैं-यथा (गृहोपस्करवा ह्यानांदोह्याभरणकर्मणाम् । मूल्यंलब्धंतुयत्किंचित्तच्छुल्कंपरिकीर्तितम्) अर्थात्-ग्रंथ-कारोंने इसवचनके अनेक अर्थ निजनिज बुद्धिके अनुसार किये हैं-यद्यपि मुख्यात्मक अर्थ इसका यही होना योग्य है कि गृहोपस्कर नाम घरकी सामग्री सूप, चालनी, मूसल, चाकी, बर्तन आदि और बाह्यकहिये वृषभ आदि भारवाह और दोह्यनाम गाय भैंस आदि इन सब के भरणकर्मोंका मूल्य जो कुछ पायाहो सोई शुल्क कहाताहै सिद्धांत इसका यह कि कन्याका समर्पण करतेसमय वरको या उसके पक्षियोंके हाथ में इन चीजों का मूल्य जो उस कन्याकी आराम समुभ्कर समर्पण कियाजाता है तिसमें कन्याकाही स्वत्वहोनेसे वह शुल्कनाम स्त्रीधन कहलावै-परंच-मदनरत्नग्रंथ में विपरीत व्याख्या हुईहै कि कन्याअर्पणकरनेकेहेतु से गृहोपस्कर आदि उक्त चीजों का मूल्य जो वरसे या उसके पक्षियोंसे कन्याभरण निमित्तक लियाजाताहै वही शुल्क होताहै और वही शुल्कनामक स्त्रीधनहै-यद्यपि मिताक्षराने इस वचनका तौ संग्रह नहींकिया पर तौभी (शुल्क) शब्दका यह अर्थ उसमें लिखाहै कि जोकुछलेकर कन्या दीजातीहै उसीधनको शुल्कसमुभ्को सो यह अर्थभी मदनरत्नकी व्याख्याके समानहै-और इन दोनों अर्थोंसे यहवितर्क खड़ाहोताहै कि शास्त्रमें कन्याका शुल्कलेना प्रतिषिद्धहै फिर क्योंकर न्यायसमुभ्जाजाय-इसकेसिवाय यद्यपि यहवात संभवहै कि बहुधा लोग इसप्रतिषेधको उल्लाँधकर जोकन्या शुल्कलेते हैं तिनहींका यहन्याय समुभ्को (तौभी) वडाविरोधहै कि ऐसेलोभी लोग जोकुछ मूल्य कन्यादेकर लेते हैं सो प्रायः आत्मपोषण आदि निजव्यापारोंका हेतु नियतकरके लेते हैं कुछ कन्याका स्वत्व उसमें नहीं नियतकरते तौ फिर क्योंकर ऐमाद्रव्य स्त्रीधन कहलावेगा इमलिये ऐसे अवसरमें यहभी नियम समुभ्ना योग्यहै कि यदि कदाचिन् किसी कन्या दानाने ठठ कन्याकेही नामसे जो शुल्क वरसेलियाहो तौ निस्संदेह ऐमाशुल्क स्त्रीधनमें गिनतीहै अन्यथा जबतक लोभीपिताने कन्याकाउद्देशकरिके नहींलिया किन्तु मामान्य भाव अपनेनाममेही लियाहो तबतक स्त्रीधनमें गिनती नहीं है-इमकेभिवाच-ठठकन्याके

नामसेभी प्रायः ऐसीदशामें यहशुल्क लियाजाताहै कि जबकोई सखीक पुरुष किसी हेतुसे द्वितीयभार्या संग्रहकरताहै तब कन्यादाता आगापीछा सोचिकर कि शायद मेरी कन्याको यह कुछदिनपीछे त्यागिकर तृतीयभार्या संग्रहकरै या पहलीपत्नी के विरोधसे निरादरकरै यद्वा पालनमें असमर्थहोजाय इससे अपनीकन्याके भरणार्थ वरसे शुल्कलेकर कन्यादेताहै सो यहशुल्क निस्संदेह स्त्रीधनहै और इसीसे अत्रोक्त दोनोंअर्थभी अविरोधहैं अर्थात् इनसे पहले जोसामग्रीरूप मूल्य वरकोदेना वर्णन हुआ सोभी शुल्कजानो और अत्रोक्त दोनोंअर्थ जो मिताक्षरा मदनरत्नके अनुसार वर्णनहुये सोभी ठीकहैं कुछ संशयनहीं-परंच-श्रीकृष्णतर्कालंकार ने ( गृहोपस्कर ) इत्यादि कात्यायनके ऊर्ध्वोक्तवाक्य चौथे पादमें ( कर्मिणाम् ) ऐसापाठ लिखकर अर्थभी कुछ और कल्पित/कियाहै कि-गृहोपस्कर कहिये सिर्फ मार्जनी अर्थात् घर बुहारनेकी भाडू और बाह्य वृषभ आदि दोह्य गौवें और निधि आदिका लाभ इन कामूल्य किन्तु गृहादि कर्मिणरूप शिल्पी अपने भर्ताकेद्वारा औरों के गृहादि कर्म निष्पादन करनेसे स्त्रीने जो घूसकी रीतिसेधन औरोंसे लियाहो सो वह शुल्कहै और वही मूल्यहै क्योंकि भर्तासे प्रेरणाहोनेके अर्थसे-उनके इसी कथनका यह आशय पायाजाताहै कि जिस स्त्रीकाभर्ता अपने आपभी गृहादि शिल्पकर्म करनेका कर्मिण कारीगरहो जैसे राज बढ़ई आदि कोई पेशाकरताहो और वह किसी दूसरेकारीगर का धंधा लगवानाचाहिकर उससे अपनी स्त्रीको कुछरिसवत घूस दिलवावै जिसे वह औरोंके घरजाकर स्त्रियोंद्वारा जोड़तोड़से उनकारीगरोंका शिल्पादिधंधा खड़ा करै तो यहघूसकाधनमूल्यहै और यही शुल्कनामका स्त्रीधनहै-इसव्याख्यानका कोई अंग सुसंगत नहीं प्रतीतहोताहै-परंच जिनपंक्तियोंका यहउल्थाहै वे पंक्ती भी स्थापित कियेदेतेहैं-यथा (शुल्कमाहकात्यायनः-गृहोपस्करवाह्यानांदोह्याभरणकर्मिणाम् । मूल्यंलब्धंतुयत्किंचिच्छुल्कंतत्परिकीर्तितम् ) अस्यार्थः-स्त्रिया गृहादिकर्मिरूपशिल्पि स्वभर्तृद्वारेणान्येषां गृहादिकर्मनिष्पादनात् उत्कोचविधया अन्येभ्योयद्धनं गृहीतं तच्छुल्कंतदेवमूल्यं भर्तृप्रेरणार्थत्वात् । उपस्करोमार्जनी बाह्यावलीविर्दादयःदोह्याधेनवः लाभोनिध्यादेः) यह सबसे अधिकविलक्षणहै कि कहाँ निधिकालाभ कहाँ शुल्क शब्द की व्याख्या कहाँ घरभारने की बुहारी कहाँ बैल कहाँ गौवें पर यह अपनी अपनी समुझका लावण्यहै-इसीप्रकार ( कर्मिणाम् ) यहपाठ लिखकर जीमूत वाहन ने कुछ औरभी लावण्य कल्पित कियाहै कि-गृहादि कर्म करनेवाले शिल्पियों ने अपना शिल्पकाम खड़ा करवानेके निमित्तसे भर्ता या देवर सगुरा आदि किसी स्वाधीन को युक्ति सहित प्रेरणा करदेनेके लालचने जो स्त्रियोंको उत्कोचनाम घूस रिसवतदीहो सो धन शुल्क कहाताहै और वही मूल्यजानो-सिद्धांत इसका यह कि



रिसवत लेकर स्त्री अपने घरवालोंको सुभादेवै कि अमुकामुक मकानके बनाने या मरम्मतकिये विना कामनहीं चलता सो यह व्याख्याभी कुछमनकी मौजसी प्रतीत होतीहै अन्यथा मूलवाक्यसे इसभाँतिका आशय नहींनिकलता बल्कि ऐसेआशयसे प्रयोजन भी संसिद्धनहींहोताहै कि जिससे शुल्क शब्दका भावार्थ जानाजाय (अथस्वा तंत्र्यविवेकः) सौदायिकनाम स्त्रीधनकेलक्षण ऊपरभीकहचुके हैं और उसीएकनाममा- त्रसे अनेकभाँतिकेस्त्रीधन विज्ञातहोतेहैं कि जिनकेलक्षण १४७वाले मूलश्लोकसे या उसकी इसीअधिकोक्तिसे प्रदर्शितहुये तिनमें स्त्रियोंका स्वातंत्र्यविशेषहोताहै-यथाह कात्यायनः(ऊढयाकन्ययावापिपत्युःपितृगृहेपिवा।भ्रातुःसकाशात्पित्रोर्वालब्धंसौदायि कंस्मृतम् ॥ सौदायिकंधनंप्राप्यस्त्रीणांस्वातंत्र्यमिष्यते।यस्मात्तदानृशंस्यार्थैर्दत्तमुप जीवनम् ॥ सौदायिकेसदास्त्रीणांस्वातंत्र्यंपरिकीर्तितम् । विक्रयेचैवदानेचयथेष्टस्थावरे ष्वपि) अर्थात्-विवाही या कुमारीनेही पतिके या पिताकेघर भाई या मातापितासे जो कुछ किसी रीतिसे पायाहो सो सब सौदायिक नाम स्त्रीधन कहाताहै-ऐसे सौदायिक धनको पायकर स्त्रियोंका स्वातंत्र्य प्रसिद्धहै-जिसहेतुसे कि वहधन उनको अनुकंपाके निमित्तसेही पिता माता आदिने उपजीवन समुभिकर दिया इस्से सौदायिक नाम के धनमें सदाही स्त्रियोंका स्वातंत्र्य हुआ करता है कि चाहे अपनी इच्छामात्र से बेंचें यद्वा दान करदेवें (सो) यह स्वातंत्र्य उनको स्थावरमें भी होताहै-परंच-भर्ता के दियेहुये स्थावर धनमें यह स्वातंत्र्य नहीं है-तथाचनारदः( भर्त्राप्रीतेनयदत्तंस्त्रियै तस्मिन्मृतेपितृत् । सायथाकाममश्रीयाद्दद्याद्वास्थावरादृते ) अर्थात्-प्रसन्नहुये भर्ता ने निजपत्नीको जो कुछ धन प्रसाद इव देदिया हो वह धन भर्ताके मरजानेपर भी वही स्त्री अपनी इच्छाके अनुसार भोगै यद्वा किसीको देदेवै परन्तु देदेना यह स्था- वरसे व्यतिरिक्त है अर्थात् जो भर्ताने स्थावर धन कुछ दियाहो तो स्त्री उसमें वास करने आदि भोगोंका अधिकार अपनेजीतेजी तक पातीहै पर दान अथवा विक्रय आदिमें स्वातंत्र्य उसपर नहीं-इस वचनके अत्रोक्त आशयसे यह बात भी प्रत्यक्ष है कि भर्ताके भी दियेहुये जंगम धनपर स्त्रियोंका स्वातंत्र्य है यदि प्रीति मार्गसेही पायाहो-अन्यथा-प्रीतिमार्गके सिवाय विरली भाँति से यदि भर्ता अथवा पिता आदि किसीने कुछ दियाहो तो भी स्त्रीधनमें गिनती नहीं होसक्ता-यथाहकात्यायनः (तत्रसो पधियदत्तंयत्रयोगवशेनवा । पित्राभ्रात्राऽथवापत्यानतत्स्त्रीधनमुच्यते ) अर्थात्-तत्र कहिये तहां स्त्रीधनकेविषयमें यह कारण चिंतनीयहै कि पिताने या भाईने याभर्तानेही जोकुछ उपधिसहितदियाहो यद्वा योगवशहोकरदियाहो सो सबस्त्री धनमें गिनतीनहीं है-तात्पर्य इसका यह कि (उपधि) नाम कपटकाहै कपटमें निज वहिन बेटीको किमी काधन भाई या वापने दानरूपसे देदियाहो यद्वा पतिने निजभार्याको प्रसादरूपमें दे-

दियाहो तो इसधनमें स्त्रीधनकेनियमोंसे स्त्रियोंका कुछस्वत्व नहींपहुँचता चाहे दाता काभी अंश उसीधनमें पहलेसे हो या न हो इसीप्रकार और भी अनेकअर्थ हैं कि जैसे यह आभूषण आदि कोईचीज़ जो इसको दीगईहै तुम्हें सिर्फ उत्सव आदि मंगल कामोंमें वर्तनीयोग्यहै और कभीनहीं ऐसेनियमोंकी प्रतिज्ञासे जो दियाजाय सो सब सोपधिदत्त समुभना तिसमें स्त्रीधनकालक्षण खड़ा नहीं होता-दूसरा योगवशहोकर दियेजानेका यहतात्पर्यहै कि निज अपनीवस्तु किसीभय हेतुकरके कभीछलसेदान या विक्रय वा आधानकरीजाती है कदाचित् कोई बहिन बेटी या भार्या के ही नामसे छलदान या छलविक्रय या छलबंधक द्वारा दानदेवै या बेंचै वा गिरवी रखै तौ उस धनमें ऐसी स्त्रियोंका स्वत्व न होनेके हेतुसे स्त्रीधनका लक्षण नहीं आसक्ता क्योंकि ऐसे धनका दाता अपना भय निवृत्त होजाने पीछे पुनर्निव्वर्तन करताहै और इसीसे विश्वास पात्रकेही नामसे छलविक्रय आदि करताहै-तद्यथाहमनुः (योगाऽऽधमनविक्रीतंयोगदानप्रतिग्रहम् । यत्रचाप्युपधिंपश्येत्तत्सर्वविनिवर्तयेत् ) अर्थात्-यहांयोग शब्द छलका वाचकहै और आधमन गिरवी रखना कहलाताहै तिन दोनों शब्दोंके मिलापसे (योगाधमन) कहिये छलबंधक तथा (योगविक्रीत) कहिये छलविक्रय तद्वत् (योगदान) कहिये छलकादान एवं (योगप्रतिग्रह) नाम छलसे इन्हीं प्रकारोंका स्वीकार करना-औरभी सिवाय इनके जहां कहीं राजा छलको देखै किंतु धरोहर आदि जिस किसी व्यवहारमें छलकियागया समुभै तिनसबकाही विनिवर्तन करै अर्थात् धनीका धन वापिस करवावै क्योंकि तत्त्वसे इन कामोंको यथार्थ सिद्धितक पहुँचाना अभिप्रेत नहींथा-इसके सिवाय-विरले स्त्रीधनोंमें स्त्रीको स्वातंत्र्य नहीं होता बल्कि पतिकेही स्वातंत्र्य उनमें होताहै-यथाहकात्यायनः (प्राप्तंशिल्पैस्तुयद्वित्तंप्रीत्याचैवयदन्यतः । भर्तुःस्वाम्यंभवेत्तत्रशेषंतुस्त्रीधनंस्मृतम् ) अर्थात्-शिल्पकर्म चित्रकारी आदि सूत्रकर्तन आदि कामों से शारीरिक परिश्रमका जो द्रव्य पायाहो यद्वा पिता माता भर्ता तीनों कुलोंसे व्यतिरिक्त किसी और केही घरसे जो कुछ मिलाहो तिसमें भर्ताका स्वातंत्र्य होवै शेष और सबधन जो जो पहले वर्णन हुये स्त्रीधन कहलाते हैं अर्थात् उनमें दान विक्रय आदि यथेष्ट व्यय करनेका स्वातंत्र्य स्त्रियों को होता है परंतु अत्रोक्त दोनों भांति के धन यद्यपि स्त्रीधनमें गिनतीहैं तथापि स्त्रियोंको पतिकेआज्ञासे विहीन दान विक्रय आदि व्ययकरनेका स्वातंत्र्य नहीं होता बल्किभर्ता का स्वातंत्र्य इनमें आपत्काल से व्यतिरिक्त भी संसूचित है-क्योंकि ( भार्यापुत्रद्वयं उच्यतेयएवाधनाःस्मृताः । यत्तेसमाधिगच्छंतियस्यतेतस्यतद्धनम् ) यह वाक्य इममें आरुढ़है-परंच-यह भर्ताका स्वातंत्र्य शिल्पादिक धनमें उन्हींजातोंपर न्यायात्मक समुभाजाता है कि जिनजातों में स्त्री पुरुष दोनोंही शिल्पादिकर्म से आजीवनकि-

या करते और तुल्यात्मक दोनों मिलकर घरका भार उठाते हों-क्योंकि-शिवजीने ऐसे धनमें भी स्त्रियोंका स्वातंत्र्य दर्शित किया है-यथा ( पतिपुत्रविहीना तुसंप्राप्य स्वामि-  
नोधनम् । नैव दातुं न विक्रेतुं समर्थं स्वधनं विना ॥ पितृभिः श्वशुरैर्व्यापिदत्तं यद्धर्मस-  
म्मतम् । स्वकृत्योपार्जितं यच्च स्त्रीधनं तत्प्रकीर्तितम् ) अर्थात्-पति पुत्रसे विहीन  
हुई पत्नी स्वामीका धन पाइकर दान करने या बेंचने में समर्थ नहीं है पर अपने धन  
के विना किन्तु अपने स्त्री धनको दान या विक्रय करसक्ती है यह कहिकर उसी स्त्री  
धन का रूप दर्शित किया है कि पिता आदि किसी पितृ पक्षी ने या श्वशुरादि  
किसी भर्तृ कुलपक्षीने जो कुछ धर्ममार्गसे दे दिया हो और जो कुछ अपने कृत्य से  
शिल्यादि कर्मोंद्वारा पैदा किया सो सब स्त्रीधन कहलाता है-यद्यपि-शिवका वाक्य यह  
सामान्य शास्त्र है और कात्यायनका वह वचन विशेष है ( सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो  
बलवान्भवेत् ) तथाप्यल्पव्यापको विशेषः-इस न्यायके प्राबल्यसे और उत्तमजाती शि-  
ष्टाचारसे भी सभीजातोंपर सुव्यापक सूचित नहीं होसक्ता है कि शिल्पादि वा सरख्यादि  
प्राप्तधनमें स्त्रियोंका स्वातंत्र्य नहोवे-क्योंकि-उन्हीं कात्यायनजीने सामान्यभाव  
ऐसानियम दर्शाया है कि कोईपुरुष किसीस्त्रीधनको उसकी इच्छाविना नभोगे-तद्यथा  
( नभर्तानैव च सुतो न पिता भ्रातरस्तथा । आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्णवः ॥ यदि  
त्वेकतरोऽप्येषां स्त्रीधनम् भक्षयेद्बलात् । सृष्टिकं सदाप्यः स्याद्दण्डञ्चैव समाप्नुयात् ॥  
तदेव यद्यनुज्ञाप्य भक्षयेत्प्रीतिपूर्वकम् । मूलमेव तदादाप्योयदास धनवान्भवेत् ॥ अथ  
चेत्सद्विभार्यः स्यान्न च ताम्भजते पुनः । प्रीत्या विसृष्टमपि चेत्प्रतिदाप्यः स तद्बलात् ॥  
ग्रासाच्छादनवासानामुच्छेदो यत्र योषितः । तत्र स्वमाददीतस्त्रीविभागं रिक्थिनस्तथा )  
अर्थात्-कात्यायनजी यह कहते हैं कि-स्त्रीधनको आपलेलेने यद्वा किसी औरको दे देने  
मध्ये न तो स्त्रीका भर्ता और न पुत्रादिक और न पिता या भैंये भी समर्थ नहीं होसके  
बल्कि जो कोई इनमें एकभी प्रबलतासे स्त्रीधनको खाजाय सो वह वृद्धिसहित दिलाने  
योग्य है और इस अपराधका यथोचित दंड भी वह पावे और जो वही अनुज्ञा कहकर  
प्रीतिपूर्व ऐसे धनको खाय तो भी व्याज विना मूलमात्र उस अवसरमें दिलाना योग्य है कि  
जब खादक धनवान् हो और जो उसका भर्ता ही ऐसा प्रीतिपूर्व ऋणरूप स्त्रीधनलेकर  
अन्य भार्यासाथ रहते हुये इसका अवमान करने लगे तो फिर प्रीतिमहित दियाहुआ भी  
धन राजा उसपर बड़ी प्रबलतासे दिलावे जहाँ स्त्रीको भोजन वस्त्र निवास तक भी भर्ता  
नहीं देता हो और स्त्री आपनिर्दोषा और धनहीन हो तो यह चीजें भी प्रबलतासे पामक्ती  
है या इनके अनुमान योग्य धनपासक्ती है कि जैसा भर्ताका वित्त हो-इसीप्रकार भर्ताके  
नहोनेमें उस भर्ताके रिक्थियोंमें भी भोजन वस्त्र निवास आदि मयनेमक्ती है-अर्थात्  
इतना परहस्तोपस्थित धनमें भी सदैव निर्दोषा शुभाचारा स्त्रियोंका स्वत्वरूप स्त्रीधन

विज्ञेयहै—अस्यप्रमाणंयथाहदेवलः (वृत्तिराभरणंशुल्कंलाभश्चस्त्रीधनंभवेत् । भोक्त्री तत्स्वयमेवेदंपतिर्नाहृत्यनापदि ) अर्थात्-यहांपर प्रमाण होने योग्य इसमें केवल (वृत्ति) पदही सूचितहै कि अन्नाच्छादन आदि वृत्ति जो स्त्रियोंको अवश्य देनी योग्य हो सो भी एक अलब्ध स्त्री धन में गिनती है शेष इसी वचन की व्याख्या आगे १५२ की अधिकोक्ति में देखना क्योंकि अभी और भी अनेक भाव स्त्री धनके मध्ये वर्णन करनेशेषहैं सो सब उसीजगह प्रदर्शित होंगे-इसके सिवाय जो जो स्त्री-धन स्त्रियोंको अवश्य देनेयोग्यठहरे सोसब निर्दोषाहोनेकी दशापर आरूढहैं-यथाह कात्यायनः( अपकारक्रियायुक्तानिर्लज्जाचार्थनाशिनी । व्यभिचाररतायाचस्त्रीधनत्रच सार्हति) अर्थात्-जो सदाहीपतिकेप्रतिकूलआचरणोंमें तत्परहो और लज्जारहित वा मर्यादारहितहो और बहुधा घरके अर्थोंका विनाश करतीहो या व्यभिचार में रतहो सो स्त्रीधन संज्ञक द्रव्यपानेयोग्य नहीं है-अभिप्राय इसका यहभीहै कि विरलीदशा के अनुसार उरसेदियाभी लेलियाजावे परजो देनेयोग्यहो सोतो सदाही अदेय है- इत्यादि कारणोंके आशयसे कात्यायनजीने स्त्रियोंको धनदेनेका परिमाणभी कुबनियतकियाहै-यथा (पितृमातृपतिभ्रातृजातिभिःस्त्रीधनंस्त्रियै। यथाशक्त्याद्विसाहस्रादात व्यंस्थावरादृते) अर्थात्-पिता माता पति भ्राता या जातीबन्धुओंकरके किसीस्त्रीकोस्त्री-धन जोदेनाहो तोनिजशक्तिके अनुसार दोसहस्र व्यवहारिक मुद्रातकदेवे इस्सेअधिक नहीं सोभी स्थावरसे व्यतिरिक्तदेवे-व्यासोपि-(द्विसहस्रःपरोदायःस्त्रियैदेयोधनस्यत) अर्थात्-स्त्रीको स्त्रीधनसंज्ञक दायपरेसेपरे सिर्फदोसहस्रतक दातव्यहै-सो-यहनियमएक ऐसी दशामें संभाव्य समुभा जाताहै कि जब स्त्रीको बसौंड़ी यद्वा मासिक रीतिसे निबन्ध पूर्व दिया जाय क्योंकि प्रथम तो दोसहस्रकी निर्विकल्प अवधि नहीं किंतु सिर्फ दो मुद्रासे लेकर दोसहस्रतक अपनी शक्ति या निजधनकी बहुताइतके अनुरूपदेना योग्य ठहरा तो इस देनेसे कुछ जन्मपार नहीं होसक्ता इस्से यहभी आशय सूचितहै कि जब अनेक वर्षोंका इकट्ठा एकवार दिया जाय तो कुछ दोसहस्र परभी नियम नहीं है (परंच) दोसहस्रका कथन केवल इसलिये है कि शायद किसी धनकी बहुताइतके अनुसार पांचसात सहस्रतक बसौंड़ी देसकनेकी गुंजायशहो तोभी इस्से अधिक न पावैगी (तो) इसविवादका ( दृष्टान्त ) जैसे किसीधनीके मरनेपीछे या जीतेही कोईस्त्री किसी तकरारके हेतु अपना जुदा निबंध चाहे और उस धनके अनुसार यद्यपि पांच सहस्रकी बसौंड़ी देना कुछ दुस्साध्य नहीं है तथापि निज पुत्रों यद्वा पति आदि अधि-कारी दानासे दोसहस्रसे अधिक निबंध पानेमध्ये कुछ दावानहीं करसक्ती आगेदाना को अस्वतियारहै कि वह निजइच्छाकेअनुमार चाहे अधिक दे या न दे-और ऊपर जो यह कहा गया कि (बसौंड़ी यद्वा मासिक रीतिसे) सो इस द्विविध चर्चाका यह भाव

है कि स्त्रियों के घराने का गुरुत्व और धनादि व्यवहारों का वर्तावा जैसा विदित हो तिसके अनुकूल बसौंड़ी या मासिक भी अविरोध है अर्थात् यथा स्थल के अनुसार जिसघरका जैसा डौलहो तैसाही निबंध परिमाणोंमेंभी भावकरनायोग्यहै— अब निचले परिच्छेदमें स्त्रीधनका विभाग वर्णन होगा १४७ । १४८ ॥

अथकदाचिदायविभागापेक्षायांस्त्रीधनसंज्ञकस्यविभाग

विवेकोनामैकषष्टितमः परिच्छेदः ६१ ॥

इस एकसठि संख्याके परिच्छेदमें सर्वथा स्त्रीधनका दायविभाग जानाजायगा ॥

स्त्रीधनका दायविभाग जो अब नीचे वर्णन करेंगे तिसमें एक यौतुक तथा यौतक नामका स्त्रीधन भी आवैगा और उसके लक्षण कुछ ऊपरले परिच्छेदमें दर्शाये नहीं गयेथे इसहेतुसे यह भांति खड़ी होतीहै कि जिसके लक्षण ब्यौरेवार नहीं दर्शितहुये तिसकादायविभागक्योंकर समुभाजाय इस्सेउसका ब्यौराभी दर्शायेदेतेहैं कि(अध्यग्नि) संज्ञक स्त्रीधन जो पहले कात्यायनके वचनानुसार दर्शितहुआथा वही (यौतक) यद्वा यौतुक भी समुभूना—सो इसनाम भेदका यह अर्थ है कि अध्यग्नि धन भी वही कहाताहै जो विवाह कालमें अग्निके समीप दियाजाय और यौतकभी इसहेतुसे कहाताहै कि (यु) धातु मिश्रण अर्थात् मिलनेका अर्थ प्रकट करतीहै कि वर और वधू दोनों मिलकर विवाह कालमें एकही आसन बैठेहुयोंको कन्या पक्षी बांधव लोग जो कुछ भेंट पूजा देते हैं सो युत होनेके समयकाधन यौतक स्त्रीधन कहाताहै-विरलोंने इस भांति निरुक्तिकरीहै कि वेद मंत्रोंसे विवाह कालमें स्त्रीपुरुष दोनोंके शरीरोंकी एकता जो उत्पन्नकरी जातीहै वही मिलाप रूप उनका युतकाल है इसहेतुसे विवाह कालमात्रमें जो कुछ किसी रीतिसेमिलै सो सबयौतुकनाम स्त्रीधनहै-विरलोंने-विवाह कालकी कुछ अवाधि भी निरूपितकरीहै कि ( वृद्धिश्राद्धारंभात्पत्यभिवादनान्तःकाल एव विवाहकालःतत्काललब्धमेवधनंयौतुकम् ) अर्थात् वृद्धि श्राद्धके प्रारंभसे लेकर जबतक पतिसे अभिवादन कर्म समाप्तहो इतनेकालकेबीचमें जो कुछ किसी रीति से पायाहो सो सब यौतुक नाम स्त्रीधनहै किंतु इतनेकाल से पहले या पीछे चाहे विवाह में भी पायाहो तो वह यौतुक नहीं है-अब इसवातपर भी ध्यान करना योग्य है कि यद्यपि स्त्रीधनके बहुधा लक्षण प्रकटहुये हैं तथापि आगे दाय विभाग वर्णन होने के निमित्तमें उन सबहीका स्थूलरूप केवल दोही चार भेद मुख्य मानिकर उन सब को इनके अन्तर्गत में जानिलेना किन्तु सबसे मुख्य यौतक १ और उसके बाद सौदायिक २ अन्याधेय ३ शुल्क ४ सर्वसामान्य ५ ( अथैषांविभागानिरूप्यते ) तत्रमनुः (जनन्यांसंस्थितायांतुसमंसर्वेसहोदराः । भजेरन्मातृकरिकथंभगिन्यउचसनाभयः ) अर्थात्-मनुकहतेहैं कि माताके मरजानेमें सभी सहोदरभ्राता और सब मंगी बहिनें

भी निज माताका स्त्री धनसंज्ञक रिक्थभोगें यद्वा बाँटिलेवें-इसवचनमें सहोदरभाई बहिन कहने से सौतेले भाई बहिनोंका भाग उसमें नहीं है-देवलका भी यही तात्पर्य है कि भाई बहिन मिलकर बाँटिलेवें-यथा(सामान्यपुत्रकन्यानांमृतायांस्त्रीधनंस्त्रियाम्) अर्थात्-किसी स्त्रीके मरजानेमें उसका सामान्य स्त्रीधनसंज्ञक द्रव्य पुत्रों तथा कन्याओंका भागहोवै-देवलके इस वचनमें कुमारी कन्यामात्रकही हैं तथैव मनु के वाक्यमें भी बहिनें सिर्फ कुमारी समुभिलेना-क्योंकि-इस वार्तामें बहस्पतिका अग्रोक्त वचन प्रमाण और सुव्यक्तहै-तथा (स्त्रीधनंस्यादपत्यानांदुहिताचतदंशिनी । अप्रत्ताचेत्स मढातुलभतेमानमात्रकम् ) अर्थात्-स्त्रीधन उस स्त्री के अपत्य कहिये पुत्रोंका होवै और दुहिता भी उन पुत्रोंके समान अंशवाली है पर यदि विना विवाहीहो किन्तु व्याही दुहिता अंश न पावे केवल शिष्टाचारके सत्कार से कुछ मानमात्र उसको देना योग्यहै-कुमारी के न होनेमें विवाही दुहिता जो सधवाहो तिसको भी कात्यायन जीने भाइयों के समान अंश देना कहाहै-यथा (भगिन्यो बांधवैःसाद्धैविभजेरन्सभर्त काः)अर्थात्-बहिनें भी जो भर्तावाली हों भ्राताओं साथ भाग पावें-मनुने विभागकालमें दुहिता की पुत्रियोंको भी कुछ सत्कारमात्र देना कहाहै-यथा (यास्तासांस्युर्दुहितरस्तासामपियथार्हतः । मातामह्याधनात्किंचित्प्रदेयंप्रीतिपूर्वकम् ) अर्थात्-जे कोई उनदुहिताओंकी दुहिताहों तिनकोभी उसनानीकेधनमेंसे यथार्हशिष्टाचारसे सत्कारमात्र प्रीतिपूर्वकुछकुछदेनायोग्यहै-यथार्हयथायोग्य ऐसेकथनसे दरिद्रआदि उपयोगों केअनुसारयद्वा धनकीबहुताइतकेअनुसारजोकोईवस्तु या जितनीजिसदौहित्रीकेयोग्य समुभीजाय सो दातव्यहै-यहांतक जोभागविधिकहीगई सो एकअन्वाधेय और पति प्रीतिदत्तधन पर पंडित मित्रमिश्रजी संतर्कितकरतेहैं और अग्रोक्तमनुकावचनप्रमाण देतेहैं-यथा(अन्वाधेयंचयदत्तंपत्याप्रीतेनचैवयत् । पत्यौजीवतिवृत्तायाःप्रजायास्तद्धनं भवेत्)अर्थात्-अन्वाधेयनामद्रव्य और पतिने जो प्रीतिकरके दियाहो स्त्रीके मरजाने पीछे पतिके जीते रहने में भी प्रजा नाम पुत्र पुत्री दोनों का हो-और सर्वत्र इसमें पुत्री केवल कन्यासमुभौ चाहे एक वा अनेकहों-परंच-मनुने इनदोही धनका नियमनहीं दर्शाया बल्कि पूर्वोक्त षड्विध अन्यधनभी पुत्रपुत्री दोनोंको दर्शायेहें और यहीअर्थ कुल्लूकभट्टने मनुमुक्तावलीमें दृढ़कियाहै कि सभीप्रकारके स्त्रीधन संतानोंको मिलें तथैव विज्ञानेश्वरनेभी सब सामान्यधनका नियमदर्शायाहै और यही व्यवस्था ठीकहै क्योंकि सबधनका नियम न होनेसे व्यवस्थामें दुस्साध्य अनवस्था खड़ीहोतीहै-तथापि- सबधनमें एक यौतुक तथा परिच्छदकी व्यवस्था जुड़ी समुभनी किन्तु उममें पुत्रोंका कुछभागनहींहोता केवल कुमारीकन्यापातीहैं-यथाहमनुः(मातुस्तुयौतुकंयस्यात्कुमारीभागएवसः) अर्थात्-यौतुकनामका स्त्रीधन जो माताछोड़मरीहों सो



वह सिर्फ कुमारी कन्याका भाग है-जब कन्या निपट नहीं तो फिर व्याही दुहिता पावेंगी या दुहिता भी नहीं तो दौहित्रीका वह भाग है दौहित्री भी नहीं तो फिर पुत्रोंका अधिकार है पर उसमें जो कुछ माताका परिच्छेद हो अर्थात् कंगी दर्पण आदि स्त्रियोंकी सामग्री जैसी होती है सो स्त्रियोंका ही भाग सर्वदा होता है इस हेतुसे उन पुत्रोंकी बधूटी उसको पावें-इसी प्रकार पुत्रोंके न होनेमें उन पुत्रोंका पुत्रादिक वंशपावै-इसके सिवाय (मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्यऋतेऽन्वयः) यह १२० वाला मूलवाक्य योगीश्वर का ४५ के परिच्छेदगत सामान्य मर्यादा से आचुका है सो व्याख्या इसकी उसी जगह देखो और यह बात भी विचारो कि उस व्याख्यामें पुत्रियों तथा पुत्रोंका विकल्प ऋणके हेतु से प्रदर्शित हुआ था परञ्च ऐसा भाव उसमें नहीं पाया गया कि पुत्र और कन्या मिलकर बांटिलेवें बल्कि यह भाव निश्चित हुआ था कि माताका धन बेटियां बांटिलेवें या बेटियोंके न होनेमें पुत्रादिक वंशपावै तो अत्रोक्त विशेष मर्यादामें तत्रोक्त सामान्य मर्यादासे विरोधसा प्रतीत होता है कि इस द्विविधा में किस भाँतिसे यह न्याय निपटै-बल्कि विज्ञानेश्वरने तत्रोक्त सामान्य मर्यादाका ही पक्ष लेकर यहां भी यह भाव दर्शित किया है कि कोई भाँतिकी पुत्रियोंके या उनकी सन्तानोंके होते हुये पुत्रोंका अधिकार न होवे किंतु दुहिता दौहित्री दौहित्रोंके न होनेमें पुत्रादिक वंशपावै-इसमें नारदका यह वचन प्रमाण देकर लिखा है कि-(मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितृणान्तदन्वयः) अर्थात्-माताका धन दुहिता पावै दुहिताओंके अभावमें दौहित्री पावै उनके भी अभावमें दुहिताका वंश कहिये दौहित्र पावै इन सबहीके अभावमें उस मरीमाताके पुत्रादिक पावै-सो यह नियम सर्वसामान्य धनपर सूचित किया है अर्थात् यौतुक आदिका भेद भी कुछ नहीं रक्खा-और जीमूतवाहन, मदनरत्न, स्मार्तभट्टाचार्य, स्मृतिचन्द्रिकाकार आदि ग्रंथकारों ने कुछ और और भाँतिसे निर्वाह इसका लिखा है तथापि बहुधा अनवस्था पाई जाती हैं इसलिये उसका खंडन मंडन अति विस्तारभयसे छोड़कर एकन्यायात्मक शिष्टाचारात्मक दोनों मर्यादाके योगसे निर्वाह विदित करते हैं कि जहां पिता निर्धन होनेके हेतुसे पुत्रोंने कुछ रिक्थ न पाया हो या आगे बढ़कर पानेका संयोग न हो और वे पुत्र अपने आप भी असमर्थ हों तहाँ तो इस विशेष मर्यादासे ही मातृधनका भाग होना योग्य है कि जैसा पुत्रकन्या मिलकर ऊपर मन्वादि वचनोंके प्रमाणमें व्यवस्था निश्चित करी गई (परंतु) जहाँ पुत्र अपने पिताका धन भाग मिलनेके हेतुमें संपन्न हों यद्वा स्वतः समर्थ होनेके हेतुसे संपन्न हों तहाँ पर योगीश्वरकी सामान्य मर्यादा तथा विज्ञानेश्वरके अत्रोक्त पक्षमें भी नारद आदि वचनोंके अनुकूल धनका भाग पुत्रियों या पुत्रियोंकी संतान होने हुये पुत्रोंको न पहुँचे पर जब दुहिता या दुहिताओंकी संतान भी न हो तो फिर उन संपन्न पुत्रोंको भी माताका धन भाग मिले-नथा चकाल्यायनः-दुहि-

तृणामभावेतुरिक्थंपुत्रस्यतद्भवेत् ) अर्थात्-दुहिताओंके अभावमें वह रिक्थ माताके पुत्रलेवें-इसकेसिवाय-जहाँ पुत्रोंके अभावमें दुहिताही अनेकहों तौ उसमातृ धनका भाग इस अग्रोक्तरीतिसे कर्तव्यहै-यथाहगौतमः(स्त्रीधनंदुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानांच)अर्थात्-स्त्रीधनदुहिताओं में अप्रत्ताओंको या प्रत्ताओंमें अप्रतिष्ठिताओंको मिलै- आशय इसका यहकि दुहिता जबअनेकहों तौ उनमें जो अनूढाहों वेहीधनको बांटिलें और जोसभी दुहिता ऊढाहों तौ उनमें जेकोई अप्रतिष्ठिताहों वेहीधनको बांटिलें अप्रतिष्ठिताके नहोनेमें प्रतिष्ठितावेटी सभीमिलकर बांटिलें (अप्रतिष्ठितायद्यपि निधना दुर्भगा विधवा और बन्ध्याकोभी कहतेहैं तथापि इसप्रयोजन में बन्ध्या जबतकसधनाहो गिनतीनहींहै) जबदुहिता निपटनहों तौ दौहित्री धनकोबांटिलें परन्तु जो अनेक दुहिताओंकी पुत्रियाँ तौफिर निजनिज माताओंकाही भागलेकर आपस में उसभाँति से फिरवाँटे जैसे पौत्र अपनेदादाके धनमेंसे निजबापोंका भागपाया करतेहैं उसीप्रकार दौहित्री अपनी नानीके धनमेंसे-तथाचगौतमः-(प्रतिमातृवास्वर्गोभागः) अर्थात्-निजनिज माताओंकेप्रति अपना अपना वर्गरूप भागहो (यहांपर दुहिताओं के अभावमें दौहित्रीका रिक्थत्व कहागयाहै और पहले दुहिताओंकेसाथ में दौहित्रीको प्रसादमात्र देनाकहाथा कुछवहांपर रिक्थत्वसे अधिकार उसकानहींथा) जब दौहित्री निपटनहों तवदौहित्र धनको बाँटिलें परदौहित्रोंके अभावमें दौहित्रोंकी सन्तानका अधिकारनहीं-किंतु दौहित्रोंके अभावमें उसमाताकेही पुत्र या पौत्रादिक यथाक्रमसे भागीहोंगे जैसे पैतृक धनमेंहोतेहैं-सरपोता तक नहोनेमें उसस्त्रीकेसौतेले पुत्रपाते हैं उनके भी न होने में सौतेले पोते उनके भी न होने में सौतेले परपोते भागीहोंगे (अत्रवांगदेशीयानांक्रमः) वांगदेशी ग्रंथों के अनुसार वांगदेशमें ऐसाक्रम स्वीकारहै कि सबसे पहले कारीकन्या धनको पावै तिस पीछे वाग्दत्ता कन्यापावै जिसका व्याह अवतक नहीं है सगाईमात्रहुईहो तिसपीछे ऊढा दुहिता और वह दुहिता जो सपूती या संभावितपुत्राहो सभी मिलकर एक साथ बाँटिलें इनकेभी न होनेमें बंध्या विधवा दोनों मिलकर बाँटिलें-परंच कुमारी यद्वा वाग्दत्ता कन्या जिनका अधिकार पहले सूचित हुआ माताका धन पाइकर पश्चात् विवाही जायँ और उनमें कोई बंध्या निकसै या निपूती रहिकर विधवा होजाय तौ उसके कभी मरनेमें वह मातृ धन का पाया भाग वे वहिनें पावें जो सपूती यद्वा संभावितपुत्रा हों या ऐसी वहिनोके न होनेमें वे वहिनें भी कि जो बंध्या यद्वा पुत्रहीन विधवाहों ऐसे धनको पावें पर उसमाता का भर्ता नहीं पावै क्योंकि भर्ताका अधिकार निःसंतानी स्त्री के धनमें होगा और यह कारण भी बलवानहै कि (जब) कारी यद्वा वाग्दत्तानि निजमाताका धन रिक्थ माता से पाया और वह आपभी मरगई तौ अब उसके छोड़े रिक्थमें कुछ स्त्रीधनका भाग

शषनहीं रहा जिस्से भर्ताका अधिकार पहुँचै और बहिनोंका यथोक्त क्रमके अनुसार अबतक अधिकार उसपर आरूढ़है (दौहित्रीका प्रसंग इसमें नहींहै) सभी प्रकार की दुहिता निपट नहीं तौ फिर पुत्रोंका अधिकारहै सो इसमें भी योगीश्वरका यह वचन प्रमाण रक्खागयाहै कि (मातुर्दुहितरःशेषमृणात्ताभ्यऋतेऽन्वयः) और इसी के सामान्य सूधे अर्थसे यह क्रम निश्चित कियाहै कि दुहिताके अभावमें पुत्रोंका अधिकार होवै-पुत्रोंके अभावमें दौहित्रोंका अधिकार होवै-दौहित्रोंके अभावमें फिर पौत्रोंका अधिकार होवै-पौत्रोंके अभावमें प्रपौत्रोंका अधिकार होवै-प्रपौत्रोंके अभावमें सौतेला पुत्रपावै-उसकेभी अभावमें सौतेला पोता पावै-उसकेभी अभावमें सौतेला परपोता पावै(इतिबांगदेशविशेषक्रमः) जब इतनी संतानोंमेंसे कोईभी न हो तब उसस्त्री को सब देशोंकी अपेक्षा निःसंतानी जानो तिसके धनके दायग्राहक नीचे वर्णनहोंगे परंच-ऊर्ध्वोक्त सर्व मर्यादोंमें यह इतना और विशेषहै कि यद्यपि सौतेली दुहिताका अधिकार सौतेली माताके धनमें नहीं होताहै तथापि जो दुहिता उत्तमजाती और माता मध्यमजाती हो तौ सौतेली दुहिता या उस दुहिताकी संतानभी हरसक्ती है-यथाहमनुः (स्त्रियांतुयद्भवेद्वित्तंपित्रादत्तंकथंचन । ब्राह्मणीतद्धरेत्कन्यातदपत्यस्यवाभवेत् ) अर्थात्-कथंचन कहिये कैसेहू किसी प्रकार या किसी काल में जो पिताने धन दिया हो तिसको छोड़कर निःसंतानी स्त्रीमरजानेमें ब्राह्मणी कन्या सौतेलीभी हरलेवै या उसकन्याकी संतान पावै यहांब्राह्मणीका उपलक्षणमात्र उत्तमवर्णा मातासे उत्पन्न हुई समुभना-आशय इसका यहहै कि सौतेले पुत्र सौतेले पोता सौतेले परपोता तक तौ अभीऊपर सामान्य मर्यादासे अधिकार वर्णनहुआथा और इनकेभी न होनेमें निःसंतानी स्त्रीठहरी थी कि जिसके दायग्राहक नीचे वर्णन होंगे और वे सभीदायग्राहक सौतेली दुहिता या उस दुहिताकी संतानके होतेहुये धनको हरेंगे इसलिये इतनी और विशेषता दर्शित करीगई कि जो सौतेली दुहिता अपनी सौतेली मातासे कुछ उत्तम वर्णकी हो तौ फिर उसके होतेहुये या उसकी संतानके होतेहुये निम्नोक्त दायग्राहक नहीं पावेंगे (सो) यह दशा ऐसे स्थलपर आसक्ती है कि जहां किसी पुरुषके दो या कई वर्णोंकी स्त्रियांहों १४८ ॥

(अथानपत्यायाधनाधिकारिणः)

वन्युत्तंतथाशुल्कमन्वाधेयकमेवच । अतीतायामप्रजनिवान्ववास्तद्वामुयुः १२९ ॥

अक्ष०—बंधुदत्त तथा शुल्क और अन्वाधेयभी निःसंतानी मरनेमें उम्के वान्वव पावें १४९ ॥

अभि०—जब कोई स्त्री निपट निःसंतानी मरे अर्थात् ऊर्ध्वोक्त मर्यादों के अनुसार जिसके सौतेले बेटा पोता परपोता तक नहीं तौ फिर एक तौ बंधुओंका दिया हुआ

धन जो कुछ उसने छोड़ा हो जो पहले कभी माता या पिता के सम्बन्धी मात्रसे कुछ पायाथा दूसरा शुल्क नामक धन तीसरा अन्वाधेय नामक धन जितना छोड़ मरीहो सो उस स्त्रीका भर्ता विद्यमानहोते भी निज बंधुपावें १४९ ॥

अधि०—यहाँ निजबंधु कहनेसे उस स्त्रीके भ्राता और माता पिता निश्चितहोते हैं तथैव धनभी केवल स्थावर समुभाजाता है—यथाह कात्यायनः( पितृभ्यांचैवयदत्तं दुहितुःस्थावरंधनम् ॥ अप्रजायामतीतायांभ्रातृगामितुसर्वदा ) अर्थात्-पिता माताने जो दुहिता को स्थावर धन कुछ दियाहो तौ उस दुहिताके निःसंतानी मरजानेमें सदाही धन भ्रातृगामीहो-सदा कहनेका यहभावहै कि आठ भाँतिके विवाहों मेंसे चाहे कोई भाँतिका विवाह उसका हुआहो और भर्ता चाहे जीताहो या नहो ऐसा तीनि भाँतिका स्थावरधन उस स्त्रीके भाईपावें भाईके न होनेमें माता और माताके न होनेमें पितापावें-तीनों धनमें शुल्क जो दर्शाया तिसको गौतमजी भी कहते हैं-यथा( भगिनी शुल्कंसोदर्याणामूर्ध्वमातुः ) अर्थात्-निःसंतानी भगिनी का शुल्क सोदर भ्राताओंका भागहै भ्राताओंके उपरांतमाताका और माताके उपलक्षणसे उपरांत उसके पिताका अधिकारहै-और जो भ्राता मातापिता इनमेंकोईभी नहो तौ फिर भर्ताका अधिकारहै-यथाहकात्यायनः(बन्धुदत्तंतुबन्धूनामभावेभर्तृगामितत्) अर्थात्-निःसंतानीस्त्रीमरनेमें बन्धुओंका दियाहुआ स्थावरधन बन्धुओंके न होनेमें भर्ताकोपहुँचै-यहाँ स्थावरका विशेषणदेनेसे यहभावहै कि जोयेही अत्रोक्त तीनोंभाँतिके धन जंगम हों तौ फिर बन्धुओंके होतेहुये पहले भर्तापावें चाहे व्याह आठोंभाँतिमेंसे किसी प्रकारकाहुआ हो-यहांपर शुल्कधनमें जो भर्ताके होतेहुये भाईका अधिकार दर्शितहुआ तिसमें इतना निर्णय औरभी कर्तव्यहै कि (शुल्क) शब्दके भावार्थ पहले कईभाँतिसे प्रदर्शितहुयेथे उनमें जो कोईशुल्क पितामाताकी ओरसेपाया निश्चितहोवै और स्थावरहो केवल उसीमें भ्राताओंका अधिकार पहलेसमुझो परजो कोई शुल्कस्त्रीने पतिकी ओरसे पायाहो तिसमें पहले भर्ताका अधिकारहोगा किंतु भ्राताओंका सम्बन्ध उसमेंनहीं-एवं-अन्वाधेयभी दोभाँतिका कहचुकेहैं कि स्त्री जोकुछ व्याहके होजानेपरि पतिकेकुलसे या निजपिताकेही कुलसे पूँजीरूप आजीवन समुभाजाकरपावें-तौ इस लक्षणसे यहनिर्णयभी कर्तव्यहै कि जो पतिके कुलसेपायाहोभ्राताओंका अधिकारन पहुँचै किंतुभर्तापहलेपावै पर जो पिताकेही कुलसेपायाहो और धनभी वह स्थावरहो तौ भ्राताओंका अधिकार निःसंदेह पहलेजानो १४६ ॥

अवनीचे अष्टविवाहों के दोभेदमे दयाधिकार वर्णनहोगा १४६ ॥

अप्रजास्त्रीधनंभर्तुर्ब्राह्मणपुत्रतुर्वापि । दुहितृणांप्रतृताचच्छेषेषुपितृगामितत् १५० ॥

अन०—निःप्रजास्त्रीका धन ब्राह्मणपुत्र आदि चार विवाहोंमें भर्ताका-शेष विवाहोंमें वह

पितृकुल गामीहो- प्रसूताही यदिमरै तौ दुहिताओं का अधिकारहोवै १५० ॥

अभि०—आठोंमेंसे कोईभाँतिके विवाहवाली स्त्री जो प्रसूता कहिये संतानोंके होते मरै तौ उसका सभीप्रकारका धन पुत्रियोंका भागहोवै सो यह तृतीय चरणका अर्थांश अति विस्तरित व्यवस्था सहित ऊपर वर्णनहुआथा इसलिये इस्से यहाँ प्रयोजन शेषनहींहै-परन्तु-जो स्त्री निपट निःसंतानी होकरमरै जिसके सौतेले बेटे पोते परपोतेतकनहीं तिसकेधनका दाय कहते हैं कि ब्राह्मआदि चार यद्वा पांचविवाहोंमेंसे कोई भाँतिका विवाह जिसकाहुआहो ऐसीस्त्रीका धनभर्ताहरै याभर्ताके नहोने में उसभर्ताकेही प्रत्यासन्न सपिंडपावै जैसे निजभर्ताका धनपाना उनको पुरुषधनके स्थलपर विस्तारसे विवेचन हुआथा (अथवा) शेष चार यद्वा तीन विवाहों मेंसे कोई भाँतिका विवाह जिसकाहुआहो तौ उसस्त्रीका धनभर्ताके होतेहुयेभी पितृ कुलमें जावै-यहाँपर स्थावर या जंगमका कुछभेद नहींहोगा परइतनाभेद तौभीहै किजोस्त्री नेपतिकुलसे द्रव्यपायाहो सो पितृकुलमें भर्ताकेहोते नहींजासक्ता-आठ विवाहों का व्यौरादेखो अधिकोक्तिमें १५० ॥

अधि०—योगीश्वरके इस १५० वाले मूलश्लोकमें सामान्य अर्थलगानेसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि भर्ता के अधिकार मध्ये उत्तम चारविवाह और पितृकुल के अधिकार में भी शेषअनुत्तम चार विवाह मानेजायँ वल्कि ऐसाही मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर ने स्वीकारकिया और योगीश्वरका यथार्थ आशय यहीथा कि सधे चारचार मानेजायँ-परञ्च मनुने इसवार्त्ता मध्ये पाँचतीनिकाभेद निर्मितकिया है-तद्यथा-(ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषुयद्वसु । अप्रजायामतीतायांभर्तुरेवतदिप्यते ॥ यत्त्वस्याःस्याद्धनंदत्तंविवाहेष्वासुरादिषु । अप्रजायामतीतायांमातापित्रोस्तदिप्यते) अर्थात्-ब्राह्म १ दैव २ आर्ष ३ प्राजापत्य ४ गान्धर्व ५ इनपाँचों भाँतिके विवाहोंमें जो स्त्रीकाधनहो वह निःसंतानी मरजानेमें भर्ताकाहीहो परजोधन जिसको आसुर १ राक्षस २ पेशाच ३ तीन विवाहोंमध्ये दियाहो सो उसस्त्रीके निःसंतानी मरनेमें माता पिताका कहाताहै-वीर मित्रोदयने इसतीन पाँचकेहीभेदको स्वीकारकिया वल्किइसी हेतुसे योगीश्वरके भी वाक्यमें अर्थान्तरसे इसभेदको दृढ़किया है कि ब्राह्मनाम १ विवाह जिनकीआदिमें ऐसे चारविवाह जो उस ब्राह्मसहित पाँचहोतेंहैं तिनमेंभर्ताका अधिकार और इनसे शेष तीन विवाहोंमें पितृकुलका अधिकारहो-इसीप्रकार वांग-देशियोंनेभी पाँच तीनकोही निश्चिनमाना-सो यहअर्थभी यथोचितहै क्योंकि पंचम गान्धर्व विवाह इसहेतुसे कुछमध्यमहै कि उसकी सिद्धिमें प्रायः दुर्गचरणोंका संसर्ग नहींहोताहै-तथापि योगीश्वरने दरकन्याका स्वातंत्र्य शिष्टाचारका विरोधी मानिकर विवक्षा अपनी चारचारपर आरुढ़करी-इत्यादि द्विविधशास्त्रके अनुगार मर्यादापरि-

पाटीने दोनोंका यहविकल्प दर्शितकिया है कि (ब्राह्मआदि चारयद्वापाँच) एवं (शेष चारयद्वा तीन) सो इसविकल्पसे यह प्रयोजनहै कि (अथोविचार्याः कुलकालदेशाः) इत्यादि गूढ़विवेकोंसेभी जैसादेश जैसाकाल या कुलहो तिसके अनुसार दोमेंसे एक भेदकोईसा स्वीकार करनायोग्य है-यद्यपि-शास्त्रका जो नियम है सोतौ उसी प्रकार कहनेमें आता है परन्तु लोकदृष्टिके अनुसार एकभगड़ा अभी विवेचन करनाशेष है कि ऊर्ध्वोक्त मर्यादामध्ये वीर मित्रोदयआदि विरले ग्रंथोंका यह अनुमत है कि आसुर राक्षस पैशाच विवाहोंद्वारा व्याहीस्त्रीका सबधन मातापिताको पहुँचै अर्थात् चाहे पिता से या पति से पायाहो या शिल्पादि कर्मों से उपार्जन कियाहो तो कुछ भेद नहीं है और यही आशय योगीश्वरकेभी १५० वाले मूलश्लोकसे सुनिश्चित होताहै-परञ्च-जीमूतवाहन आदिवहुधा बांगदेशियोंने यहव्यवसाय रक्खाहै किआसुर राक्षस पैशाच विवाहोंमें यौतकमात्र पितृकुलसे जो कुछपायाहो सोई धनपितृकुलमें जावे किंतु सबधननहीं और यहीआशय ऊर्ध्वोक्त मनुके दोवचनोंसेभी समुभाजाता है-तथापि-लोकदृष्टिसे विरोध पायाजाताहै कि यद्यपि एकआसुर विवाह जोधनलेकर कन्यादीजाती है उसमें इतना सम्भवहै कि मातापिता कुछसत्कारकी रीतिसे उसकन्याकोभी देतेहों परयहभाव सिद्धनहींहोताहै कि ऐसेधनपर या इसकेसाथ और सभी धनोंपर उनमातापिताका अधिकार भर्ताके होतेहुये किसहेतुसे पहुँचा क्योंकि उन्हीं ने धनलेकर कन्यावेचीथी-इसके सिवाय यद्यपि राक्षस और पैशाच विवाह में माता पिताने कुछवेचीनहीं क्योंकि राक्षस विवाहयुद्धमें हरणेसे और पैशाच विवाहकन्या को छलिकर लेजानेसे वरहीके घरहोताहै इसलिये इनमें माता पिताका दातृत्वकिसी धनपर कुछ नियमात्मक नहींप्रतीतहोताहै हाँयहवात सम्भवहै कि विरलेमातापिता ऐसेविवाह के होनेपरभी कन्याके मोहसे यौतक दानादि विधि करतेहैं या कन्याके साथ जो कुछद्रव्य कन्याहरते समय पहुँचाहो इस्से ऐसेधनोंपर उसकन्याके माता पिताका अधिकार पहुँच सक्ताहै परन्तु भर्ता अपने जीतेहुये निजइच्छासे क्योंकर ऐसाकरनेपर मनोरथ रखसक्ताहै कि ऐसी निःसन्तानी भार्याका धनवहभी कि जो अपने आप घरसे दियाहो उसके माता पिताको देदे-हाँ-यदि मर्यादा कुछ न्यायात्मक सिद्धहोजाय तोफिर अभियोगोंको गुञ्जायश बहुतहै-इत्यादि सङ्कोचोंके ध्यानमें सर्वथा यहीनिश्चित होताहै कि भर्ताके जीतेहुये निःसन्तानी स्त्रीकाधन केवलवही पितृकुलको जासक्ताहै जो पिताके कुलसे आयाहो और वहदान प्रतिग्रहमार्गसे उपरालू आयाहो-जबकोईभाँतिज्ञा धन ऊर्ध्वोक्त मर्यादोंके अनुसार पिताके कुलमें पहुँचै तबसबसे पहले मातापावे और माताके अभावमें पिता और पिताके अभावमेंभ्राता पावे भ्राताओं केभी अभावमें फिरवहीभर्ता मालिक होताहै कि जिसके सम्मुखऐसा



धनपितृकुलमें जाना कहा था-यथाह कात्यायनः (बन्धुदत्तन्तुबन्धूनामभावे भर्तृगामितत्) अर्थात्-स्त्रीके बन्धुओंका भी दिया हुआ धन बन्धुओंके न होने में भर्तापावै-और भर्ताके अभावमें उस भर्ताके ही प्रत्यासन्न सपिंड भागी होते हैं-इसी प्रकार-जो धन पाँच विवाहों की मर्यादा से निज भर्ताके ही कुलमें रहना कहा था उसमें भी यदि भर्ता यद्वा भर्ताके आसन्न सपिंडोंका अभाव हो तो पितृकुलका अधिकार खड़ा होता है पर इसमें इतना अन्तर है कि पहले भ्राता फिर माता फिर पिताका अधिकार होगा-जब-इन कहे हुये अधिकारियों में से कोई निपट न हो तब निम्नोक्त अधिकारी धनको पाते हैं-यथाह बृहस्पतिः-(मातृस्वसामातुलानीपितृव्यस्त्रीपितृस्वसा । श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ यदासामौरसोनस्यात्सुतोदौहित्र एव वा । तत्सुतोवाधनन्तासांस्वस्त्रीयाद्याः स माप्नुयुः )-अर्थात्-मातृस्वसा माउसी १ मातुलानी मामी २ पितृव्यस्त्री चाची ३ पितृस्वसा फूफी ४ श्वश्रू सासू ५ पूर्वजपत्नी जेठी भावज ६ इतनी छः स्त्रियां माताके तुल्य समुभी जाती हैं-सिद्धान्त इसका यह कि ऊर्ध्वोक्त निःसन्तानी मरीस्त्री जिसकी मौसी या मामी या चाची या फूफी या सासू या जेठी भावज लगती हो वही पुरुष धनको हरै क्योंकि उसकी माता तुल्य ठहरी-सो यह पुरुष भी उस दशामें हरसक्ता है कि जब इनके औरस पुत्र न हो और (सुत) कहिये सौतेला पुत्र न हो और (तत्सुत) कहिये औरसपुत्र का बेटा पोता और तद्वत् सौतेले पुत्रका बेटा पोता जब न हो और दौहित्री या दौहित्र भी न हो जैसा सबका ब्यौरा ऊपर वर्णन हुआ था उन सबहीके अभाव में ऐसी स्त्रियों का धन (स्वस्त्रीय) कहिये बहिनीता आदि पुरुषपावै-परन्तु-बहिनीता आदि पुरुषोंका क्रम जैसा उनकी मौसी आदि मातृतुल्याओं का इस वचन में दर्शाया गया तैसा नहीं समुभना क्योंकि बृहस्पतिका यह वचन क्रमका सूचक नहीं है अर्थात् केवल अधिकारमात्र सूचनकर्ता है (औरजो) पाठके अनुसार क्रम स्वीकार किया जावे तो फिर सब से पहले बहिनीताका अधिकार और सबसे पीछे देवरका अधिकार आवै सो यह लोकविरोधी क्रम सुव्यक्त अनादि व्यवहारोंका अवरोधक ठहरै-किंतु अभी अनन्तर कई वार सूचित हुआ था कि भर्ताके अभाव में उस भर्ताके ही प्रत्यासन्न सपिंड भागी होते हैं (और) देवर या उस देवर के बेटे भी आसन्न सपिंडोंमें गिनती हैं तथैव देवर से पहले स्त्रीके सासू ससुरा पतिके अतिशय प्रत्यासन्न सपिंड हैं तिनके सम्मुख बहिनीताका अधिकार लोकविरोधी होगा-बल्कि शास्त्रमें भी यह मर्यादा परिनिमित्त है कि (पाठ क्रम से अर्थक्रम बलवान् जानो) अर्थात् जहां पाठमें दर्शाये हुये क्रमसे कार्य सिद्ध न होता हो तहां प्रयोजनके अनुसार अर्थक्रम स्वीकार करना योग्य है इत्यादि नियमोंके आशयसे उस स्त्रीके सासू ससुरा पहले हैं-उन दोनोंके न होनेमें देवर जेठ दोनों मिलकर भ्रातृपत्नीका धन वांटिले-क्योंकि जैसे देवरकी वह माता तुल्य ठहरी तैसे जेठकी भी पुत्र-

बधू समान होती है इसलिये जैसे मुख्य ससुरा पहले अधिकारी हुआ तैसे उसके अभाव में अमुख्य ससुरा जेठ भी देवरोंके साथ भागी होगा क्योंकि देवर जेठ परस्पर दोनों सगे आता है कुछ उनमें भेद नहीं माना जासक्ता-बल्कि धर्मशास्त्रमें देवर शब्द मात्रसे भी देवर जेठ दोनोंका ही बोध होता और दोनों लिये जाते हैं-जब देवर जेठ दोनोंका अभाव हो तो फिर उन्हीं दोनोंके पुत्र मिलकर समभाग अपनी चाचीका धन बांटिलें (यह सब अधिकारी पतिके प्रत्यासन्न सपिंड हैं) इन सबहीके अभावमें उस स्त्रीके बहिनौते अपनी मौसीका धन बांटिलें इनके भी न होनेमें भर्ताके भागिनेय अपनी मामीका धन पावें-उनके भी अभावमें उस स्त्रीके भतीजे अपनी फूफ़ीका धन पावें उनके भी न होनेमें जमाई अपनी सासूका धन हरै क्योंकि जामात भी निज ससुर सासु दोनोंके पिंडदान का अधिकारी है-यथाहशातातपः (मातुलो भागिनेयस्य स्वस्त्रीयो मातुलस्य च । श्वशुरस्य गुरोश्चैव सस्युर्मातामहस्य च ॥ एतेषांचैव भार्याभ्यः स्वसुर्मातुः पितुस्तथा । पिंडदानं तु कर्तव्यमिति वेदविदां स्थितिः) अर्थात्-शातातपजी यह कहते हैं कि मामा तौ भानजेको और भानजा मामा को तथैव ससुरको जमाई और मित्रको मित्र और नानाको धेवता पिंड देवै और इन्हीं सबकी भार्याओंको भी पिंडदान कर्तव्य है तथैव अपनी बहिनको भाई पिंड देवै और माता पिता का पिंडदान पुत्रको कर्तव्य यह वेदज्ञोंकी मर्यादा है-समस्त यह व्यवस्था इन्हीं बृहस्पतिके दो वचनोंमें पूर्व मर्यादोंकी रिश्चायतसे संसिद्ध हुई है-पर इस्से आगे जब जामात भी न हो तो फिर उसी स्त्रीके ससुरा का भाई अर्थात् पतिके काका चाचा धनको पावेंगे किन्तु ये भी उसी भर्ताके सपिंड हैं पर अतिशय प्रत्यासन्न सपिंडोंमें न होनेसे इनका अधिकार इतनी दूर आकर माना गया-इनके भी न होनेमें इनके पुत्रादिक यथाक्रम से रिक्थी होंगे जो जो भर्ताके दूरस्थ सपिंड माने जाते हों-उनके भी न होनेमें समानोदक या सगोत्री आदि जो जो पुरुष धनके अधिकारी निश्चित हुयेथे सब राजा पर्यंत स्त्रीधनके मालिक होंगे-परंच-जो कोई धनका मालिक बनै उसका ऋण भी देवै-तथाचगौतमः ( ऋक्थभाज ऋणं प्रति कुर्युः ) ( अत्रवांगदेशविशेषो विज्ञेयः ) जिज्ञासु लोगोंको विज्ञेय है कि इन्हीं बृहस्पतिके दो वचनोंमें वांगदेशीय ग्रन्थकारोंने विपरीत व्यवस्था कल्पित करी है कि ऊर्ध्वोक्त सर्व मर्यादोंके अनुसार दोनोंकुलमें आता माता पिता भर्ता तक न होनेमें सासू ससुरा जेठ इनतीनोंके होते भी सबसे पहले देवर पावें फिर देवर जेठ दोनोंके बेटे पावें फिर बहिनौता फिर पतिका भागिनेय फिर स्त्रीका भतीजा फिर जमाई-जब जमाई तक न हो तो फिर भर्ताके आसन्न सपिंड पावें अर्थात् उसी स्त्रीका ससुरा और जेठक्रममें पावें उनके भी अभावमें फिर ससुराका भाई और उसभाईके पुत्रादिक यथाक्रमसे जो जो भर्ताके सपिंडानन्तर समुभे जाते हों धनको पावें-वांगदेशकी इस व्यवस्थामें यह

बड़ा अंतर है कि पतिका एक सपिंड देवर सबसे पहले और संसुरा तथा जेठ सबसे पीछे तिनकेबीचमें बहिनीता आदि अनेकरिकथी ठहरे और इसजेठके बेटे पहले देवर केही पुत्रोंसाथ-यह अंतर केवल ग्रंथकारोंके विचारके आधीनहै कुछ बचन बोध्य भाव नहीं है-इसकेसिवाय-बिरले और स्थलोंपरभी बांगदेशीयोंने स्त्रीधनके अनपेक्षित भेद बढ़ाकर उनके बारबार अधिकार क्रम भी कल्पित किये हैं कि यद्यपि उनमें सर्वत्र वेही अधिकारी दर्शित हुये तौ भी किसी भेद के स्थलपर बन्ध्या विधवा पुत्रियों में यह अन्तर प्रकटकियाहै कि ये दोनोंपुत्री निपट पोता परपोता और दौहित्रों तथा सपत्नी केभी बेटा पोता परपोतातक नहोनेमें धनपावैंगी-और बिरलेधनके स्थलपर इस भाँति न्यायरक्खाहै कि पहले कन्या तिसपीछे वाग्दत्ताकन्या तिसपीछे व्याही दुहिता और सपत्नी और सम्भावितपुत्रा तीनों एकसाथपावै और इनके निपट न होने में बन्ध्या विधवाभी धनपावै-तिसपीछे फिर पुत्रादिक पुंसन्तानका अधिकारहै-तिसमेंभी यह अन्तर दर्शितकियाहै कि कहीं तौ पुत्रोंकेअभावमें दौहित्रोंका अधिकार तिसपीछे पोतेपावै-फिर परपोतेपावै-तिसपीछे फिर सौतेलाबेटा पोता परपोता क्रमसे पावै (और) किसीधनके स्थलपर यह न्याय निश्चितकियाहै कि पुत्र और कुमारी कन्या दोनों एकसाथ अधिकारीहों या इन दोमें किसी एकके अभावसे एकहीधनको हरै पर जब दोनोंका अभावहो तौ फिर व्याहीमें से जो सपत्नी और सम्भावितपुत्राहों दोनों एक साथ मालिक होंगी या इन दो में किसी एक के अभाव से एकही धनको हरै (और सामान्य व्याही दुहिता का अधिकार नहीं ) जब इन दोनों का अभावहो तौ फिर पोता पावे ( पुत्रका अधिकार पहले कारी साथ कहाथा ) पोताके न होनेमें दौहित्र पावै-फिर दौहित्रके न होनेमें परपोतापावै उसकेभी अभावमें सौतेला बेटा पोता परपोता क्रमसे पावै और इनके भी अभावमें फिर बन्ध्या विधवा बेटामिलकर एक साथ धनको हरें जो पहले त्यागिदीर्थां ( पर ) सामान्य व्याही दुहिताका अधिकार कहीं अबतक नहीं आया-यद्यपि उनदेशों के ये सब समाचार हैं-तथापि इस व्यवस्था कोही एतदेशी अस्मदादि अनवस्था कहा करते हैं ॥ इति स्त्रीधन विभागः १५० ॥

( अथकन्याधनविभागमाह )

दत्त्वाकन्यांहरन्दंज्योव्ययंदद्याच्चसोदयम् । मृतायांदत्तमादद्यात्परिशोव्योभयव्ययम् १५१ ॥

अक्ष०-कन्या देकर हरतेहुये दंज्य है और सोदय व्यय भी देवे-मरी हुई में दोनों का व्यय शोधन करके दिया हुआले लेवै १५१ ॥

अभि०-यहां पहले कन्या धनकेप्रसंगसे पूर्वार्द्ध मूलश्लोकद्वारा वाग्दत्ताकन्या हरलेनेकाव्यवहार सूचितकरतेहैं कि-फलदानादि सगाईरूपवचनोंसे कन्यादेना स्वीकार करके जो न देवे तौ राजा करके दोषके अनुसार दंडपावै और वरपक्षी लोगों का व्यय

भी व्याजवृद्धि सहितदेवै-यह दण्डकन्याके हर्तापर उसदोषके अनुसार होगा जैसी ढेर थोड़ी हानिवरको पहुंचीहो (पर) उसदशामें होसक्ताहै कि जबदेनीकही कन्याके न देनेका कुछ कारणभी नहो-किन्तु जो न देनेवाला कोईकारणवरमें पायाजाय तौ फिर दण्ड न होगा क्योंकि पहले भी आचाराध्यायगत इसबातकी आज्ञाहुई थी कि यदि पूर्वनिश्चित वरमें कोई दूषण जानाजाय और उस वरसे श्रेष्ठवरभी हाथ आवै तौ सप्तम पदसे पहलेपहले औरको देसक्ताहै अर्थात् सप्तपदीके सातोंअंग पूर्णहोजाने पीछेवरमें दोष पायेजानेपर भी कन्याका अपहर्ता दण्डभागीहोगा-इस वार्ताका यह आशयनहीं है कि केवल वाग्दत्ताकाही अपहर्ता दंडपावै बल्कि वाग्दत्ता कहनेसे यह आशयभी सुव्यक्तहै कि निस्संदेह समूदाकाअपहार करनेवाला अतिशय तीव्र दण्डपावै-और वरपक्षका व्ययदेना उसपर सदाही आरूढ़है कि यद्यपि वरमें दोष होनेके हेतुसे कदाचित् कन्या औरको देसक्ताहो तौभी वरका खर्चा जो वरने निज संबन्धी जनके सत्कारमें या कन्यापक्षी भाट पुरोहित आदि नेगियों के उपचारमें लगायाहो यद्वाकन्याके निमित्तमें कुछ अर्पणकियाहो सो सब देनाहोगा-अब द्वितीय अर्द्ध श्लोकसे यहकहतेहैं कि यदि कन्याका अपहार न होवै किन्तु ऐसा व्ययकरचुकने पीछे व्याहसे पहलेही वह वाग्दत्ता कन्यामरजाय तौ यहखर्चा किसको भरनाहोगा ऐ-से अवसरका यहन्यायहै कि वरने जो अँगूठीआदि भूषण किसीरीतिके उच्चारकरनेमें उसकन्याको समर्पण कियाहो या कुछ शुल्क मूल्यकीरीतिसेहीदियाहो (या) कुछकन्या-दातानेही वरकोदियाहो तौ फलदानादि सगाई रूपरीतें होजानेपीछे वाग्दत्ताके मर-जानेमें धनदाता अपना धनफेरिलेवै अर्थात् जो जिसनेदियाहो सो सब निज निज दिया निवर्तनकरै परन्तु दोनोंओरका खर्चा ऐसी रीतिसे परिशोधन पहिले करै कि जिस्से किसीएकदूको कुछ अधिकहानि नहींपहुँचै १५१ ॥

प्राधि०-वरके दियेधनमें सदावरकाही अधिकारहै-तथाचपैठानिसिः (स्वंचशुल्कंवरो गृह्णीयात्) अर्थात्-अपना दियाधन और शुल्कभी वर आपलेलेवै-और-पिताके घर विवाहीकन्या मरजानेपरभी वरअपना दियालेसक्ताहै-तथाचनारदः (अथागच्छेत्समू-ढायांदत्तपूर्ववरोहरेत् । मृतायांपुनरादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्) अर्थात्-जोपहलेदिया हुआ धनसमूढामें आजाय तौ वरहरै और उसव्याहीके मरजानेमेंभी दोनोंओरका व्ययशोधन करिके दियाहुआ लेलेवै-परइसव्याही के मरजानेमें पूर्वोक्त वह मर्यादा भी अवसर के अनुकूल सब आरूढ़होंगी जिनका व्यौराऊपर स्त्रीधनके प्रसंग में विस्तरित वर्णनहुआथा-ऊर्ध्वोक्त कन्याधनके मध्ये कुछ अपवादरूपसे विशेषता दर्शित करते हैं कि जो कुछ कन्याका रिक्थ स्त्रीधनरूप भूषण आदि पूर्वकालमेंही चलाआताहो यद्वा नाना मामा आदि ने परिणयनकेही हेतुसे कुछ शीश फूल आदि

भरण या साधारण भाव कभी समर्पण कियाहो तो इसरिक्थको दाता नहीं लेसक्ता किंतु सहोदरभ्राताका यहभागहै-यथाहवौधायनः ( ऋक्थंकन्यायामृतायागृह्णीयुःसो दरास्तदभावेमातुस्तदभावेपितुः-नारदोपि-रिक्थंमृतायाःकन्यायागृह्णीयुःसोदराःस्वयम् । तदभावेभवेन्मातुस्तदभावेभवेत्पितुः ) अर्थात्-दोनोंवचनोंका यहभावहै कि मरीहुई कन्याका धन सगेभाईलेवें भाईके न होनेमें धन माताकाहो माताके न होनेमें धनपिताका होजाय-सो-यहमर्यादा भ्राता माता पिताके अधिकारमध्ये उसीदशामें संसूचित है कि जो उसकन्या के कुमारी बहिनैं और न हों १५१ ॥ अब निचले मूल श्लोक में जीवती और संतानवली स्त्री के धनपर किंचित् भर्ताका अधिकार सूचित होगा ॥

(अथजीवत्याः सप्रजाया अपि स्त्रिया धनग्रहणे कचिद्भर्तुरधिकारः )

दुर्भिक्षेधर्मकार्येचव्याधौसंप्रतिरोधके । गृहीतस्त्रीधनंभर्तानस्त्रियैदातुमर्हति १५२ ॥

अक्ष०-दुर्भिक्षमें, धर्मकार्यमें, व्याधिमें, संप्रतिरोधकमें, लियाहुआ स्त्रीधन भर्ता स्त्रीको देनेयोग्य नहीं है १५२ ॥

अभि०-(दुर्भिक्ष)अन्नाकालमें कुटुम्बके पालनअर्थसेलियाहो या (धर्मकार्य)नाम जो अवश्यही करनेयोग्य कामहो जैसे कन्याका विवाहआदि या (व्याधि)नाम रोगादि हेतुसेलियाहो या (संप्रतिरोधकमें)अर्थात् राजदंडआदि कारणोंमें अवरोधहोनेसे यद्वा धनिक उत्तमर्णादि किसी तगादगीरकरके स्नानादि कर्मोंका अवरोधहोनेमें अन्यधनके अभावसे यदि स्त्रीकाही धनखर्च करनापराहो तौ पीछे भर्ता ऋणकीरीतिसे स्त्रीको उद्धार करनेयोग्यनहींहै-किंतु इनकारणों के सिवाय किसी अन्यप्रकारसे यदि स्त्रीकाधनहराहो तौ वह भर्तादेनेयोग्यहै १५२ ॥

अधि०-यह नियम इसहेतुसे दर्शाया है कि ऊपरसाठि ६० संख्याके परिच्छेदमें स्त्रीधनपर स्त्रियोंका स्वातंत्र्यविशेष यहाँतक दर्शायाथा कि पिता,भ्राता,भर्ता,पुत्र इनमें कोईभी स्त्रियोंकाधन लेलेने यद्वा व्यर्थवियोग करदेनेको समर्थनहींहोता और जो कोईऐसाकरे तौ वह दंडपानके सिवाय व्याजवृद्धि सहित ऐसाधन दिलवाने योग्यहै इत्यादि बहुधा और बन्धन वर्णनहुयेथे-तिनमें केवलभर्ताकी अपेक्षा यहां १५२मूल श्लोकद्वारा कुछअपवादभीदर्शायाहै कि यदिभर्ता इन्हीकारणोंसे निजपत्नीकाधनभोगे यद्वा व्ययकरदेवे तौ वह ऋणकीरीतिसे उद्धारकराने यद्वा दंडपानयोग्य नहीं है-हाँयदि भर्ताही समर्थपीछेहो तौ निज इच्छापूर्व शिष्टाचार मार्गसे देदेनेयोग्यहै-परंतु-आपत्कालके सिवाय किसी साधारण दशामें यह भर्ताभी निज पत्नीकी अनुज्ञाविना ऐसाकरनेको समर्थ नहींहै-तथाचदेवलः ( वृत्तिराभरणंशुल्कंलाभश्चस्त्रीधनंविदुः । भोक्तीतस्वयमे वेदंपतिर्नाहृत्यनापदि । वथामोक्षेच भोगे चन्वियेदद्यात्मवृद्धिक्रम ) अर्थात्-( वृत्ति )कहिये अन्न वस्त्रादिक निर्वाहके निमित्तसे पिता आदि किन्हीं जो दिया यद्वा देना नियत

कियाहो—अथवा ग्रंथांतरमें ( वृद्धि ) भी इस वचनका प्रारंभ पायाजाताहै और ऐसा व्याख्यान कियागयाहै कि व्याज वृद्धिके निमित्तसे जो पिताआदि किसीने समर्पित किया हो (सो) इस व्याख्यासे भी कोई हानि नहींहै और ( आभरण ) भूषण आदि प्रसिद्धहै और (शुल्क) जो पतिने अपने पुनर्विवाहके हेतुसे आधिभेदनिक द्रव्यदियाहो जिसका व्यौरा आगे १५३ मूल श्लोकसे यथार्थ वर्णन होगा यद्वा शुल्क और भौतिकेभीहोतेहैं सो यथा प्रसंग समुभिलेना और (लाभ) जो कुछपरीगिरी वस्तु या दानादि प्रकारोंसे कुछकहींसेभी मिलाहो यह सबस्त्रीधन धर्मज्ञजानो-सो इसधनको स्त्री आप अपनी इच्छासहित भोगनेवालीहै और आपत्कालसे विहीन भर्तालेनेयोग्यनहींहै-इस हेतुसेयदि भर्ताऐसेधनको निष्कारण वृथाभोगे या यदि और कोदेदेवै तौ फिर व्याजवृद्धि सहित पत्नीकोदेवे-सो यहदेनाभी इसवचनके आशयसे दोदशामें संसूचितहै कि यातौ भर्ताने ऋणकी रीतिसे ठहराकर लियाहो या पत्नीकी अनुज्ञाविना आपही व्ययकर डालाहो (अन्यथा) जो पत्नीकी अनुज्ञासेही भोगे या व्ययकरै तौ अनापत्काल में भी दोषनहींहै और आपत्कालकी मर्यादा ऊपर योगीश्वर केभी १५२ मूलश्लोक से जो वर्णनहुई सो इसदेवल के वचनानुसार उसकाभी सिद्धान्त यहीहै कि भर्ता अपनी पत्नी काधन सूचित आपत्कालोंमें अनुज्ञाविनाभी लेसक्ताहै किंतु अनुज्ञासे अनापत्कालमें भी दोषीनहीं यहकारण इसमें बलवानहै-और-आपत्काल कहनेसे केवल वेहीलक्षण नहीं समुभने जो इस १५२ मूलश्लोक में योगीश्वरने उच्चारणकिये किंतु उनकोएक निदर्शनमात्र जानिकर अन्यत्रभी लक्षणा उसकी सूचित करनी यहसिद्धान्तहै (दृष्टान्त) जैसे पुत्रकी पीड़ा दूरकरनेका हेतु एक आपत्काल है क्योंकि (पुत्ररूपःस्वयम्पिता) द्वितीय (दृष्टान्त) यथा समस्तकुटुम्बव्यापिनी भक्ष्याद्यभावनिमित्तकपीड़ा हरनेका हेतु एक आपत्कालहै क्योंकि स्वाश्रित कुटुम्बका भरनाही कुटुम्बीपर आवश्यकभार है कि जिसके भरनेमें उपेक्षाकरनेसे कुटुम्बी पतितहोताहै ( एषएवपरोधर्मःकुटुम्बपरिपालनम् । तमुपेक्ष्यनरोयातिपातित्यंशीघ्रतस्स्वयम् ) ( अत्रमहतीशंकाजायते ) क्यों जी ये सब शास्त्र यद्यपि ठीक हैं पर स्वामी की अनुज्ञा विना पराये धनका भोग या व्ययकरना क्योंकर योग्य होगा इस्से यही प्रतीत होताहै कि स्वामीकी अनुज्ञासे अनापत्कालमें भी व्ययकरना अविरोधहै और स्वामीकी अनुज्ञा हीन आपत्कालमें भी धर्म विरोधहै क्योंकि स्त्रीधनमें स्त्रियोंके स्वातंत्र्यसेही भर्ताका स्वामित्व नहीं होता है-सुनो-भर्ताका स्वत्व यद्यपि नहींहै पर तौ भी शास्त्र वचनोंके बलसे केवल संसूचित आपत्कालोंमें स्त्रीके धनपर पतिका स्वत्व पहुँचताहै इसलिये ऐसे अवसरमें कुछपति को दोषनहीं (सो) यह नियम सर्वथा सब सामान्य स्त्रीधनके मध्ये समुभो-इसकेमिवाय-जो धन स्त्रीने घरकी काट कपट द्वारा संचय कियाहो तिसमें स्त्रीधनका लक्षण



भी संसिद्ध नहीं होता—तद्यथाहमनुः(ननिर्हारंस्त्रियःकुर्युःकुटुम्बाद्बहुमध्यंगात् । स्व  
कादपिचवित्ताद्धिस्वस्यभर्तुरनाज्ञया ) अर्थात्—अनेकोंके मिलेभुले कुटुंबके धनमें से  
स्त्रियोंको आभूषण आदिबनानेके लालचसे अपहार न करनाचाहिये एवंअपने भर्ता  
के भी जुदे धनमें से उस भर्ताकी अनुज्ञा विना नहरना चाहिये—आशय इसका  
यही है कि यद्यपि ऐसे मार्गसे स्त्रियों ने अपहार करके भूषण आदि धनका  
संचय किया हो तौ भी भर्ता ऐसे धनको सामान्य किसी दशापर लेलेनेसे कुछ  
दोषी नहींहोता क्योंकि उसमें निपट स्त्रीधनका लक्षण सिद्ध न होने से स्त्रियों का  
यथार्थ स्वत्वभी असाध्यहै-परन्तु-पतिके सिवाय कोईभ्राता पिता पुत्रादिकमेंसे आप-  
त्कालमेंभी ऐसाकरनेका अधिकारी नहीं (बल्कि) पतिने जोकुछ स्त्रीधनके प्रकार पत्नी  
कोदेनाकहाहो और दियेविना मरजाय तौ उसपतिके पुत्रादिक उसको ऋणकीभाँति  
देवें अर्थात् जैसे बापकाऋणदेना उनपरभारहै तथैव इसऋणकोभी उद्धारकरें तिस  
पीछे पैतृक धनको बांटिसक्तेहैं-आशय इसकायह कि जो देनेसे उपेक्षाकरें तौभीराज-  
द्वारसे दिलवायाजाना न्यायात्मकहै-तथाच(भर्त्राप्रतिश्रुतंदेयमृणवत्स्त्रीधनंसुतैः) इस  
से यहभी ध्वनि उत्पन्न होतीहै कि यद्यपि ४३ संख्यावाले परिच्छेद में दर्शायेहुयेनि-  
यमोंसे पितामाता दोनोंके धनमें पुत्रोंका स्वत्व जन्ममात्रसेही खड़ा होताहै तथापि  
मातृधनका विभाग माताकेजीते नहींहोसक्ताहै-तथाचोक्तं(जीवतीनांतुतासांयितद्धरेयुः  
स्ववान्धवाः । ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेनधार्मिकःपृथिवीपतिः ) अर्थात्—स्त्रियों के जीवते  
उनका स्त्रीधन जेकोई अपने बान्धवलोगछीनैं तिनको धार्मिक भूपाल चोरोंके तुल्य  
दण्डदेकर शिक्षाकरै—मनुस्त्वाह ( पत्यौर्जीवतियःस्त्रीभिरलङ्कारौधृतोभवेत् । नत  
म्भजेरन्दायादाभजमानाःपतन्तिते ) अर्थात्—पति के जीते जो स्त्रियों ने कुछ गहना  
आदि उसके अधिकारसे या अपनेही निज धनसे पहिराहो सो उसपति के मरजाने  
परभी पुत्रादिक दायाद पैतृक धनके विभाग साथ उसको बाँटे नहीं क्योंकि ऐसे धन  
का विभाग करनेवाले दायाद पापीहोते हैं १५२ ॥

(अथाधिवेदनधनमाह)

अधिविन्नस्त्रियैदद्यादाधिवेदनिकंसमम् । नदत्तंस्त्रियनयासांदत्तेत्वर्थप्रकल्पयत् १५३ ॥

अक्ष०—अधिविन्नास्त्री को आधिवेदनिक धनके तुल्य देवै जिमको नहीं दिया स्त्री  
धन-दियेहुये में आधा कहाहै १५३ ॥

अभि०—जिसस्त्रीके जीतेहुये भर्ता अपना द्वितीय व्याहकरै तौ वहपहली स्त्री अ-  
धिविन्ना कहलाती है तिसको भर्ता उसीधनके समतुल्य द्रव्यदेवै जितना द्वितीय  
भार्या संग्रहकरनेमें व्ययहुआहो तौ वह दियाहुआधन ( आधिवेदनिक ) नाम स्त्रीधन  
कहलाताहै कि जिसका चर्चा प्रायः स्त्री धनके वर्णन में आचुका है-परंच-समतुल्य

देना उसीस्त्रीके निमित्तमें संसूचितहै कि जिसको कभी पहले उसके ससुरा या भर्ता ने कुछ स्त्रीधनसंज्ञक पूँजी नहीं समर्पणकरीहो (किन्तु) जिसको पहले स्त्रीधन कुछ मिलाहो तिसकोआधा देवै-तथापि यहां आधेका यह आशयनहींहै कि आधमआध बराबर भाग समुभाजाय किन्तु यहआशयहै कि जितना उसको पहले मिलाहो तिसमें जितना द्रव्य मिलानेसे वैवाहिक उठे धनके तुल्यहोजावै सोई दियाजाय १५३॥

अधि०—यहाँ अधिविन्नापत्नीको जोकुछ देनाकहागया सो उसदेशका व्यवहारहै कि जब उस पहलीपत्नीकी प्रसन्नतासाथ अनुमतिलेकर द्वितीयभार्या संग्रहकरीजाय तौ यह देना उसके परितोषमें संसूचितहै और इसीसे यह देना स्त्रीधनमें गिनतीहै-अन्यथा-इससे विपरीत जहाँ पहलीपत्नीको अप्रसन्नरक्खाजाकर द्वितीयभार्या संग्रह कियाजाय तहाँ विशेषभावसे आचाराध्यायगत ७६ संख्यावाले मूलश्लोकद्वारा निपटाराहोगा-तद्यथा(आज्ञासंपादिनीदक्षावीरसंप्रियवादिनीम् । त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्योभरणस्त्रियाः) अर्थात्-आज्ञासाधनकरनेवालीको और (दक्षा) कहिये अतिचतुराको और (वीरसू) कहिये पुत्रवतीको और प्रियसंभाषणके अभ्यासवालीको जो कोई पुरुष निष्कारण त्यागै यद्वा अप्रसन्नरखिकर द्वितीयभार्या संग्रहकरै तौ वह अपने धनका तृतीयभाग ऐसी त्यक्ताको दिलवानेयोग्यहै-परञ्च-जिसमें आचाराध्यायके ७३ मूलश्लोकवाले अवगुणहों तिसका केवल पोषणमात्रयोग्यहै और भर्ता उसकी अनुमतिसे विहीनभी द्वितीयभार्या संग्रहकरनेका अधिकारीहै-तद्यथा (सुरापीव्याधिताधृतावन्ध्यार्थघ्न्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुषद्वेषिणीतथा॥ अधिविन्नातुभर्तव्या महदेनोऽन्यथाभवेत् ) अर्थात्-मद्यपान करनेवाली-रोगादि व्याधिमती-सदैव ब्रत करनेवाली-निपट वांझ-धन या महत्कार्योंका विनाश करने हारी-शस्त्रसम कटुभाषण करनेहारी-बहुतसी पुत्रियां पैदा करनेहारी-भर्तासे विरोध रखनेवाली-इन सब स्त्रियोंकी अनुमति पाये बिनाभी अधिवेदनका अधिकार पतिकोहोताहै परन्तु अधिविन्ना पहली स्त्रीभी यथोचित सत्कारोंसे भरणीयहै नभरनेसे महान् पाप होताहै-इसके सिवाय अनन्तरोक्त जिस मर्यादा मध्ये सबधनका तृतीयभाग दिलवाना योग्यठहराया गया सो उस बातको सर्वथाही नियमात्मकनहीं समुझनी किन्तु कुल जाति देशके अनुमान व्यवस्था जंगम धनमें कल्पित करनी यह सिद्धांत है (दृष्टांत) जैसे प्रायः राजसंबंधी कुलमें जहां अनेक भार्या संग्रह करनेकी परिपाटी चलीआती हो तहां इस मर्यादाका नियमात्मक समुझिलेना लोक विरोधी होगा किन्तु राज्यादिक स्थावर धनका तृतीय भाग ऐसी किस किस अधिविन्नाको दिलवाया जाय जिसका विभागहोना निज पुत्रादिक में भी प्रतिषिद्ध है इत्यादि देश जातिके भी अनुसार ऊहा करनी १५३ ॥ इतिस्त्रीधनविभागः ॥

अथपूर्वोक्तसमस्तदायविभागशेषव्यवहारविवेकोनामद्विषष्टितमःपरिच्छेदः ६२ ॥

इस वासठि संख्याके परिच्छेदमें उन व्यवहारोंकी विशेषता दर्शित होगी

जो प्रायः दायभाग मात्रकेविरले स्थलपर विवेचन करनेयोग्यहैं ॥

चवालिसके परिच्छेदमें जो पिताकी इच्छासे निज पुत्रोंको विभाग करदेना बर्णन हुआ तिसके मध्ये एक यह व्यवहार विशेषहै कि जो पीछे पिता निर्धन होजाय यद्वा कोई और प्रबलहेतु खड़ा होजाय इसका (दृष्टांत) जैसे धनके भाग होजाने पीछे कोई और बेटा पैदाहोय जिसका अंश कल्पित नहीं है तौ उन पुत्रोंसे निवर्त्तन करलेनेकाभी अधिकारी है-तथाचहारीतः ( जीवन्नेववाविभज्यवनमाश्रयेत्तृद्धाश्रमंवागच्छेत् स्वल्पंवासम्बिभज्यभयिष्टमादायवसेत् यद्युपदस्येत्पुनस्तेभ्योगृह्णीयात् ) अर्थात्-पिता अपनी इच्छासे जीवता हुआही पुत्रोंको धन बांटकर बनवासी होजाय किंतु बानप्रस्थ आश्रम लेलेवै यद्वा तृद्धाश्रम कहिये संन्यासाश्रम लेवै अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनको थोड़ाही धन बांटकर अवशेष ढेर अपने आपलेकर गार्हस्थ्यमेंहीरहै (भौरजो) अपने आप थोड़ा धन रखनेके हेतुसे कदाचित् धनसे क्षीण होकर पीड़ित होवै तौ उन पुत्रोंसेफिर भी लेलेवै-अर्थात् यदि बेटेऐसे अवसरमें प्रसन्नतासे नदेवै तौ फिर बाप अपने अधिकार की प्रबलतासे लेसक्ताहै-परंच-इस व्यवहारका यह आशय नहीं है कि बाप उतना सर्वधन परिवर्त्तनकरै जो कुछ पहले उनको दिया हो या उस धनके भोगशेषका परिवर्त्तनकरै किन्तु उतनाही लेसक्ताहै कि जितनेकी जरूरत पाई जाय-बल्कि-ऐसाधन मौजूद न रहने यद्वा निपट नहोनेकी दशाओंमें पिता अपने पुत्रोंकी उस कमाईसे भी पासक्ताहै किजो कुछ पुत्रोंने विभक्तहोजाने पीछे पैदा कियाहो -तद्यथाहसदाशिवः ( पुण्यं वित्तं च विद्या च नाश्रयेत् शरीरिणम् । शरीरं तु पितु र्यस्मात्किन्न स्यात्पैतृकं वसु ॥ पृथग्भ्रैः पृथग्वित्तैर्मनुजैर्यदुपार्जितम् । सर्वतत्पितृसंक्रान्तं तदास्वोपार्जितंकुतः ॥ अतोमहेशिस्वायासैर्येनयद्धनमार्जितम् । स्वोपार्जितंतदेवस्यात्सतत्स्वामीनचापरः ) अर्थात्-हे महेशि पुण्य धन विद्या ये चीजें विना देहीके आश्रय नहीं होसक्तीं किन्तु शरीरीकोही प्राप्तहोती हैं और शरीर जो है सो पिताकाही दिया होता इस्से उनशरीरोंका कमायाधन क्यों न पैतृकहोवै किन्तु अवश्य पैतृक होताहै क्योंकि ( पुत्ररूपः स्वयंपिता ) तौ फिर पृथग्भ्र कहिये जिन पुत्रोंका केवल भोजन मात्र जुदाहोता हो और पृथग्वित्त कहिये जिन पुत्रोंने पितृ पैतामह धनका भाग लेकर जुदा देहली वाँधीहो ऐसे दोनों भाँतिके मनुष्योंन जो कुछ द्रव्यार्जित कियाहो सो सब पिता करके (संक्रान्त) नाम देवा समुम्भाजाताहै इमलिये पिता ऐसे धनमेंसे भी पुत्रोंसे जरूरतके अनुमान शिष्टाचार द्वारा पानियोग्यहै-परंच ( तदास्वोपार्जितंकुतः ) यहतर्क यदि आरोपित कियाजाय कि जयएमा धनभी पितासे संक्रान्त

समुभागया तौ फिर अपना अर्जित क्योंकर कहलावैगा इसलिये ऐसा दूषणखड़ा होताहै कि पुत्रोंका कमाया धनभी पिताकाही स्वत्व ठहिरा-तहां-ऐसे तर्कपर यह उत्तरहै कि हे महेशि इसी तर्कके हेतुसे यह नियम निर्विकल्प दृढतर जानौ कि जिस किसीने जो कुछ द्रव्य अपने आयासों से उत्पन्न करिके जोड़ाहो सो सब उसीका स्वोपार्जितहै और उसका स्वामी वही कहाता है न कोई और-आशय इसका यह कि यद्यपि न्यायात्मक मर्यादासे पिता ऐसे धनका स्वामी नहीं होसक्ता तौभी शिष्टाचार मार्गसे पिताकी आवश्यकता शान्त करनेका भार पुत्रोंपर आरूढ़है (पर) यह भारभी उसदशामें निर्विलप नियमात्मक सुस्थिरनहींहै कि उन पुत्रोंपर कुछ पिताका अन्याय पूर्वकालिक पायाजाय-याद रखनायोग्यहै-कि ऊर्ध्वोक्त हारीतके वाक्यमें यह विशेषता एक आर्इथी कि (पिता अपनी इच्छाके अनुसार चाहै थोड़ाही धन पुत्रों को बाँटिकर अब शेषढेर अपने पासरखवै) सो यह विशेषता केवल बांग देशियोंने निज ग्रन्थोंमें प्रमाणवत् स्वीकार करी इसीहेतुसे उसदेशमें अद्यापि यह परिपाटी चली आतीहै कि पिता अपने स्वोपार्जित धनमें अपनी इच्छा के अनुसार भाग देसक्ताहै-परंच-एतदेशी ग्रन्थकारोंने इस बातपर महान् आग्रहरूप खण्डनकी व्यवस्था निर्मित करीहै (सो) इस विरोधके स्थलपर इस बातका विवेचन करना योग्य है कि जिस इच्छाका प्रमाण बांग देशियोंने माना तिसका तात्पर्य यहहै कि पिता अपनी इच्छाके अनुसार न्यूनाधिक धनभी पुत्रोंको देसक्ताहै और एतदेशी ग्रन्थकारोंने जो खण्डनकिया सोभी इसी आशयपर आरूढ़है कि पिता अपनी इच्छा के अनुसार निरंकुशहोकर न्यूनाधिकभागदेनेका अधिकारी नहीं-इसीहेतुसे इनदेशोंमें न्यूनाधिकरूप विषमविभागहोनेकीपरिपाटी नहींप्रवर्तितहै-परंच हारीतके उसवाक्य में (स्वल्पवासंविभज्यभूयिष्टमादायवसेत्) यह कथन कुछ उसबातसे सम्बन्ध नहीं रखताहै कि पुत्रोंको न्यूनाधिक भागदेवै किन्तु हारीतके इसकथनका आशय केवल इतनाहै कि पिता अपने सबधनमेंसे चाहैतितना आपरखकर शेष जितनाचाहै भिन्न करिके सभीपुत्रोंको विभागकरिदेवै (सो)यह कथनकुछ अन्यायपर आरूढ़नहींहै इसलिये इसको सभीदेशोंमें अविरोध समुभना क्योंकि (संविभज्य) सम्यकरीतिसे विभाग करनाकहा है कि जैसी शास्त्रकी मर्यादाहो-और ढेरसारखलेना अपने पास यह इसहेतुसे अन्यायनहींहै कि निज स्वोपार्जित धनको अपनी जीवन अवधिताई निपटनदेनेमेंभी पिताको स्वातंत्र्यहै-कदाचित् इसमें यहशंका कल्पितकरी जावै कि (अनीशः पूर्वजःपित्रोर्भ्रातुर्भागे विभक्तजः)इसवचनके अनुसार कभीविरोध खड़ाहोना संभवहोगा (सो) यहवचन केवल ऐसीदशापर आरूढ़है कि जहाँ पुत्रोंके समान अंशपितानेभी लियाहो-इसकी मर्यादादेखो ४८ केपरिच्छेदमें- किन्तु विभागोंकी

ल्पना देशकाल अवसरके अनुकूल होनीयोग्य हुआकरतीहै-इसीलिये हारीतके उस वाक्यमें यहकहाहै कि पिता सम्यक्क्रीति से विभागकरै अर्थात् यद्यपि थोराही धन बाँटे तौ भी सम्यक्बुद्धि से कुछ नियम उसमें लगाकरखै कि आगेको इस ढेरधनमें ऐसा विभाग होना योग्य होगा ॥

(अथचैकमातृक विभिन्न पितृकयोर्विभागविशेषः)

यथाहविष्णुः(एकामाताद्वयोर्यत्रपितरौद्वौचकुत्रचित् । तयोर्यद्यस्यपित्र्यंस्यात्सतद्गृह्णीतनेतरः) अर्थात्-जहांकहींदोपुत्रोंकी माता एक औरपिता दोनोंकेदोजुदेहोंतहां जो धन जिसके पिताका कमायाहो तिसको वही पुत्र लेवै किंतु दूसरा उसमेंसे न पावै पर जिस बापके कई बेटेहों वे सब आपसमें निज बापका धन समअंशोंसे बांटिलें-इसी प्रकार मातृधनका भाग होते समय व्यवस्था सूचित कर्तव्यहै कि जिन पुत्रोंके बापने जो धन उनकी माताको दियाहो वेहीपुत्र उसको बांटिलें-यथाहमनुः (द्वौतुयौविवदेया तांद्वाभ्यांजातौस्त्रियाधने । तयोर्यद्यस्यपित्र्यंस्यात्सतद्गृह्णीतनेतरः ) अर्थात्-जे कोई दोबापोंसे पैदाहुये दोबेटे एकमाताके धनमें भगड़ा करतेहों तिनमें जो धन जिसके पिताका दियाहो उसको वहीपावै औरदूसरा नहीं-परन्तु जितनाधनमाताने आपही अर्जित कियाहो तिसमें दोनोंका बराबर भागहोगा ॥

(अथदेशांतरगतपुनरागतस्यविभागप्राप्तिः)

तत्रवृहस्पतिः(कृतेऽकृतेविभागेवाऋक्थीयत्रप्रवर्त्तते । सामान्यंतुभवेद्यत्तुत्रभागहरस्तुसः ॥ ऋणंलेख्यंगृहक्षेत्रंत्रयस्यपैतामहंभवेत् । चिरकालप्रोषितोऽपिभागभागागतस्तुसः ॥ गोत्रसाधारणंत्यक्त्वायोऽन्यदेशंसमाश्रितः । तद्वंशस्यागतस्यांशःप्रदातव्यो नसंशयः ॥ तृतीयःपंचमोवापिसप्तमोवापियोभवेत् । जन्मनामपरिज्ञानेनलभेत्तांशंक्रमागतम् ॥ यंपरंपरयामौलाःसामन्ताःस्वामिनंविदुः । तदन्वयस्यागतस्यदातव्यागोत्रजैर्मही ॥ भुक्तिस्त्रैपुरुषीसिध्येदपरेषांसंशयः । अनिवृत्तेसपिंडत्वेसकुल्यानांसिद्ध्यति ॥ अस्वामिनातुयद्गृहक्षेत्रापणादिकम् । सुहृद्वंधुसकुल्यस्यनतद्गोणेनहीयते ॥ विवाह्यश्रोत्रियैर्भुक्तराज्ञामात्यैस्तथैवच । मुदीर्घणापिकालेनतेषांसिद्ध्यतितत्तुन ) अर्थात्-वृहस्पतिने यह कहाहै कि जब धनका विभाग होजाने यद्वा विना हुयेमेंही कोई रिक्थी अपना भाग वताता हुआ भगड़ा करताहै तब जिस धनमें उसका सामान्य स्वत्व पायाजाय तिसमें अंश हरनेका अधिकारी होताहै (नो) इसवातका प्रमाणभी अग्रोक्त शिवके वाक्यसे संसिद्ध होताहै-यथा- (विभक्तेपिधनयस्तुस्त्रीयांशंप्रतिपादयेत् । पुनर्विभव्यतद्रव्यमप्राप्तांशायदापयेत् ) वृहस्पतिजी दूसरे वाक्यमें फिर कहते हैं कि उन भगडालू भागीको निजभाग पाने मध्ये यद्वांतक अधिकारहै कि (ऋण)भी जोकुछ उस धनके मध्ये लेनाहो या देनाहो और लेख्यपत्र जोकुछ राज

शासन आदि संनदेंहों और घर और क्षेत्र जोकुछ जिसका पैतामह ठहरै अर्थात् दादाका उपार्जन कियाहो तिसमें भागी चाहै चिरकालतक प्रवासीहोकर आयाहो अपने स्वत्वके समान भागहारीहोगा-केवल वही पुरुष भागपानेका अधिकारी नहीं बल्कि सप्तम पुरुष पर्यन्त उसकी संतानेंभी इसभागको पासक्तीहैं सो अगले वचन से कहते हैं कि जो कोई पुरुष अपने गोत्रमें साधारण धनको छोड़कर देशान्तर में जावसाहो तिसके आयेहुये वंशकाभी अंशदेना योग्यहै कुछ संशयखड़ा करनेका अवकाश इसमेंनहीं किन्तु वह आयाहुआ पुरुष चाहै देशत्यागी पुरुषका तीसरा वंशहो या पञ्चमहो या सप्तमहो तौभी उनके जन्म तथा नामोंका परिज्ञान होजाने में क्रमागत धनकाभाग अपनापावै (सो) इसपरिज्ञानका प्रकारभी दर्शातेहैं कि जिसके कुलके नामतथा जन्मोंका सम्बन्ध निरन्तर परम्पराद्वारा जानाहुआ मौल और सामन्त ऐसी दृढ़ता साथ कहतेहों कि निःसन्देह वह इसधनका स्वामीहै तिसके आये हुये वंशको धरित्री गोत्रजलोगोंको दातव्यहै यहां( मौल )अपने बन्धुआदि घरानेके पुरानेपुरुष और (सामन्त) अपने प्रतिवासी परोसी जिनकीसीमा अपनीसीमासेमिलीहो) (धरतीके उपलक्षणसे और भी सामान्यधन समुभने जिनमें उसका अंशहो) अब यहांपर यह शङ्काखड़ी होतीथी कि जबतक छठा सातवां पुरुष ऐसेधनका भाग लेने आवैगा तबतक यहांतीन पीढ़ीकाभोग सिद्ध होजानेसे कब्जा पक्का होजावेगा फिर क्योंकर भाग पासक्ताहै-इस आशंका मध्ये फिरभी कहतेहैं कि त्रैपुरुष भोगनिःसन्देह गौरपुरुषोंकासंसिद्धहोताहै जो अपने गोत्रके न हों परञ्च अपनेही सकुल्योंका भोग सिद्धनहींहोता जबतक सपिंडत्वकी अवधि बनीरहे सो (इसविषयका सपिंडत्व भी सूधेक्रमसे सातपीढ़ीतक समुभना जैसा अभी ऊपर कहाथा कि पाँचवां सातवां पुरुषतक यहभाग पासक्ताहै ) अब इसवातका व्यौरा प्रकट करते हैं कि इसधनमें तौ सामान्य वेभी लोग स्वामीहैं कि जिनका कब्जाधनपर वर्तमानहै बल्कि अस्वामी काभी भोग परिग्रह किसी मकान यद्वा खेत या दुकान आदि ऐसेधनपर चला आताहो जो धन उसके मित्रों या बन्धुओं या सकुल्यों का विख्यातहो तौ इसभोगसे भी स्वामीका स्वत्वनहीं मिटसक्ताहै अर्थात् केवल गौरोंकेही भोगसे त्रैपुरुष भोग परिग्रह सिद्धहोताहै-इसके सिवाय जिसधनपर किसी (विवाह्य) नाम जामाताका परिग्रह रहा आयाहो यद्वा राजाका या राजाके अमात्योंका परिग्रह चाहै अतिशय दीर्घ कालसे भी चलाआताहो तौ इसकब्जासे इनलोगोंका कुछ भोग परिग्रह सिद्धनहीं होता इससे ऐसी आशंका खड़ीकरनेका कुछ अवसर इसमें नहींहै-यह अत्रोक्त भोग परिग्रहकी विशेषता जो बृहस्पतिजीके वचनोंसे व्यवस्थितहुई तिसको रघुनन्दन भट्टाचार्य ने व्यवहार चिन्तामणिके पतेसे दर्शायाहै-इसव्यवस्था में जो सप्तम पुरुष



की अवधितक सामान्य धनका भागदेना निश्चितहुआ तिसको दायक्रम संग्रहनाम ग्रन्थमें श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार ने स्थापित किये पीछे अपने किसी पूर्वपक्ष को विरोध आतादेखिकर दोतीनपंक्ती और भी लिखदीहैं-तथाहि (एषाचव्यवस्थाविदेशगतविषयिण्येव-देशस्थविषयेतुधनिनश्चतुर्थपुरुषपर्यंतएवतद्धनभागार्हतापञ्चमादेः पार्वणपिंडदातृत्वाभावेनानुपकारकत्वादितिप्रागेवोक्तं) अर्थात्-श्रीकृष्णजी यहकहतेहैं कि यह व्यवस्था सप्तम पुरुषतक विभाग देनेवाली केवल उन्हीं पुरुषों के निमित्तमें समुभना जो विदेश जाकर बसेहों किन्तु स्वदेशस्थोंकी अपेक्षा में यहनहीं समुभना क्योंकि उनकेलिये पहले नियम कहचुकेहैं कि धनीसे लेकर सिर्फ चौथा पुरुषतक साधारण धनका भागपावे फिर उरसेआगे पञ्चम पुरुषको आदिलेकर कोईपुरुष न पावै क्योंकि उनको पार्वण पिंड दातृत्वका अधिकार नहोनेसे धनीका उपकार उनसे कुछभी नहीं होता-सो- इसबातका यथार्थभेद ५६ का परिच्छेद पढ़नेसे जिज्ञासु लोगोंपर प्रतीत होसक्ताहै-हाँ इसबात में सन्देह नहीं है कि बांगदेश में सरपोता आदि कोई पुरुष निजसरदादा आदि के साधारण धनमेंसे विभाग नहींपाताहै-परन्तु-आश्चर्य केवल इतनी बातपर आरूढ़है कि उन्होंने इतनेबड़े विरोधका कोईहेतु प्रकट न किया और यद्यपि एकइतना हेतु लिखाहै कि पञ्चम आदि पुरुषोंसेकुछधनीका उपकार नहींहोताहै (सो)इसहेतु में यह विवेचन करनायोग्यहै कि यद्यपि पार्वण पिंडदानका अधिकार चाहे हो या नहो कुछ इसबात से प्रयोजन अधिक नहीं है परन्तु समीपस्थ और सहभोज्य होनेके हेतुसे सम्पत्ति और विपत्तिमें भी साथीहोना आदि अनेकधा उपकार जो जो इनसे होनेमें सम्भवहैं तिनमेंसे एकहू उपकार उन दूरस्थ विदेशी बन्धुओं से होना सम्भव नहीं है कि जिनको सातपुरुषोंकी अवधितक विभागदेना सिद्धहुआ और भी उक्त सांसारिक उपकाराभाव के सिवाय वही अवगुण उनमेंभी प्रत्यक्षहै कि पंचम आदि कोईपुरुष पिंडदानका अधिकारी नहीं और न कोई ऐसा वचन पायाजाताहै कि पंचम आदि विदेशवासी पुरुष पिंडदेनेके अधिकारी होजाते हों-परन्तु-अपना भागपानेका अधिकार उनको केवल अपने गोत्रके सापिण्ड्यमात्रसे-ही बनारहताहै उपकारोंका प्रयोजन अधिकनहीं-तोफिर ऐसा कौनसा बह्न्यायहै कि दूरस्थ जिनसे कोईभी उपकारहोना सम्भवनहीं सो तो सप्तम पुरुषतकभी पावें और सरपोता आदि समीपस्थ सहवासीजो शववाहकर्म करने करनेथकें तिनको अपना भाग न पहुँचे (सोयह) वैपरीत्य केवल बांगदेशी प्राचीन संग्रहकारोंकी आनन्दलहरी काप्रभावहै कि जिससे आधुनिकों को ( वचनात्प्रवृत्तिर्वचनान्वित्प्रवृत्तिः) यह बहुत बड़ा प्रतिबन्ध है कि जिसमें कोई भांति चंचु प्रवेश होने का अवकाश नहीं मिलना है तथापि उस आनन्दलहरीका अत्युत्तमहेतु गर्विभन फलादेश पायाजाताहै कि उक्त-

दुर्भागित्वरूप नियमोंकी प्रेरणा से कोई धनी अपने मोह प्रमाद लक्षणकी भूल से पुत्रादिकवंशको अविभक्त धनके जाल में न रक्खे किन्तु वंशकी बढ़वारी होती देखि कै आपही अपने सन्मुख निज पुत्रादिकवंशको धन बांटिकर उस धनके स्वत्वसे निज हाथ खींचे तौ इस क्रमसे वे सरपोता आदि भी निजभागोंको यथावत् पासकेहैं इस भांतिसे वह धनी भी कलंकी नहीं ठहरैगा—यद्वा कोई अपने अविवेकसे इसदशापर भी धनसे स्वत्व न छोड़े तब गुरु सज्जन पंक्तिके लोग शिक्षा करतेहुये इन्हीं नियमों के अनुसार विरक्ति उसको देंगे बल्कि शायद इसीहेतुसे उसदेशमें कुछ हरीबुलाने की परिपाटी भी प्रसिद्धहै—यथार्थसे अति वृद्धावस्थामें निरर्थक धनका मोह छुड़ाने को उस देशमें यह मार्ग कल्पितहुआहै कि सरपोता आदि कोई अपनाभाग न पावें इससे उन प्राचीनों की आनन्दलहरी व्यर्थ नहीं ॥

अथस्वस्वदेशजात्यादिव्यवहृतनियमप्राधान्यम् ॥

कात्यायनः—देशस्यजातेःसंघस्य धर्मोग्रामस्ययोभृगुः । उदितःस्यात्सतेनैव दाय भागंप्रकल्पयेत्—अर्थात्—भृगुका उद्देश देकर कात्यायन आप कहते हैं कि अपनेर देशका या ग्रामका या जातिका या संघ कहिये समूहका जैसा धर्म तत्रत्य ग्रन्थाचार्यों ने विनिर्मित कियाहो सो वह देश या ग्रामादि उसीधर्मके अनुकूल अपना दायविभाग कल्पितकरै—यहां ( संघ ) नाम समूहसे वह परिकर समुभलेना जिसमें प्रायः जातिका कुछ नियम नहो (दृष्टांत) जैसे गोस्वामी आदि अनेक पन्थवालों के समूह और (ग्राम) यद्यपि छोटापुरवाही विख्यात बल्कि शास्त्रमें भी निर्णीतहै तथापि यहां जन पद अर्थात् एक जिलेको समुभूना क्योंकि प्रत्येक छोटेग्रामोंका दायधर्म जुदा नहींहोता और ( देश ) यद्यपि थोड़ेबहुत दोनोंभांतिके स्थानोंकानामहै तथापि यहां बड़ेबड़ेदेशविभागोंके समुभूना—यथा ( भूगोलवेत्तभिःपंचमहाभागाभुवोमताः ) अर्थात् भूगोलविद्याके वेत्ताओंने जो पांच महाभाग धरतीकेकहे तिनको देश जानो तिनमें प्रचरितग्रन्थों के अनुसार जो जो धर्म उनकाहो तिसही को तत्रत्य निवासी वर्तें—फिर इन महादेशों में भी एक एकमें अनेक बड़े देशप्रसिद्धहोतेहैं (दृष्टांत) जैसे एतदेशी एक महाभागमध्ये बंग कुरु पांचाल आदि बहुधा देश प्रसिद्धहैं तिनमेंभी देशान्तरसम्बन्धी दायमर्यादा जैसीपाईजाय सो वर्तवियोग्यहै—देशान्तरलक्षणं वृद्धमनुः ( वाचोयत्राविभिद्यन्ते गिरिव्याव्यवधायकः । महानद्यन्तरंयच्चतदेशान्तरमुच्यते ॥ देशनामनदीभेदान्निकटोऽपिभवेद्यदि । तत्तुदेशान्तरंप्रोक्तंस्वयमेवस्वयम्भुवा ॥ दशरात्रेणवावार्त्ता चत्रनश्रयनेऽथवा—वृहस्पतिस्तु—देशान्तरंवदंत्येकेपट्टियोजनमायतम् । चत्वारिंशद्वदंत्येकेत्रिंशदेकेतथैवच ) इस वार्ताका प्रयोजन केवल इतनाहै कि जिस देशकी मर्यादा जुदी नियतहो तिसमें तैसा वर्तवा भी कर्तव्य है या जिमदेश-

की मर्यादा कोई नियतनहो तौवहदेश जिसविख्यात बड़ेदेशके आधीन समुभाजाता हो तिसहीकी मर्यादा उसमेंवर्तीजाय (यद्यदाचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः।सद्यत्प्रमाणं कुरुतेलोकस्तदनुवर्तते ) इसवार्ताका प्रयोजनएक यहभीहै कि जबकोईपुरुष अपना देशत्यागकरिके और देशान्तरमें बसिजाय जिसकी मर्यादा अपने देशसे विपरीतहो तौ यहपुरुष उस देशान्तरमेंरहते भी निजदेशी दायग्रंथोंकी मर्यादासेही दाय पानेका अधिकारी होगा पर उस दशातक कि जबतक अपने देशके आचारोंको न छोड़ाहो (किन्तु) जिसने अपने कुल या देशके आचारोंकी उपेक्षासे उस देशके आचारोंका स्वीकार कियाहो तिसको उस देशान्तरवर्ती दायग्रंथोंकी मर्यादासे रिक्थित्वका अधिकार होगा-यतः ( सर्वागमानामाचारःप्रथमंपरिकल्पते । आचारप्रभवोधर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ) ( इतिमहाभारतं ) यह व्यवहारप्रायः ऐसे अवसर में उत्पन्न होताहै कि जब कोई धनी निपूता होकर अपने धनको छोड़मरे और उस धनपर कोई दो दायदा भगड़ा करतेहैं ( दृष्टान्त ) जैसे कोई एतदेशी पुरुष जाकर बांगदेश में बसि जाय और पीछे वही निपूतामरे जिसके औरभी संबन्धी वहाँरहतेहैं तिनमें दोदायाद उसकाधन हरनेमध्ये दावाकरें और वे ऐसेहैं कि एकतौ उसमरेधनीका ममेरा या मौसेरा भाईलगतहो दूसरा उसकेगोत्रमेंसे ऐसाहो कि बापदादा परदादाकी संतान में तौनहीं परइनतीनों उक्तसपिंडोंके उपरांतवाले निचले सरपोताआदि किसीसोदक मेंसेहो या ऊपरले सरदादाआदि किसी सोदककी संतानमेंसेहो जिसको बांगदेशी लोग सकुल्य मानाकरतेहैं-सो इनदो दायदोंके भगड़ामें देशान्तरभेदी मर्यादोंसेयह इतनावड़ा विरोधखड़ा होताहै कि जो इसदेशकी मर्यादासे निपटारा कियाजाय तव तौ सोदकही धनपानेका अधिकारीहै क्योंकि एतदेशी ग्रंथोंकी मर्यादासे सातपीढी-तक सपिंड और चौदह पीढीतक समानोदक रिक्थीहोतेहैं तिसपीछे बन्धुलोग जो ममेरे या मौसेरेआदिहैं-परन्तु-जो उनलोगोंकी आधुनिक वसायतके यथार्थ हेतुसे उसबांगदेशकी मर्यादासे निपटारा कियाजाय तौ फिरवही ममेरा या मौसेराभाई रिक्थीहोगा और वह सोदकनहींपावैगा-इसलिये ऐसे अवसरमें यहन्याय देखाजाताहै कि जो उनलोगोंने निजदेशी रीतिभाँति नहींछोड़ीहो तौ निजदेशकी मर्यादासे व्यवहार निर्णयहोवे-इत्यादि इस दृष्टान्तके अनुसार प्रायः और भी व्यवहार ग्वड़ेहोते हैं (दृष्टान्त) जैसे औरत दत्तक दोरिक्थीधनके बाँट मध्ये भगड़ाकरते हों तौ बंगाले की आधुनिक वसायतके अनुसार यद्यपि दत्तक एक तिहाई पानेका अधिकारी होमत्ता था परंतु उनकी एतदेशी निज प्राचीन वसायतके अनुसार दत्तक चौथा भाग पावैगा इत्यादि बहुधा और भी सर्वत्र विवेचन करना योग्य है-परन्तु-जहाँ ऐसा अवसर आनि उपस्थित हो कि धनका मालिक अपने देश या विदेशमें धन छोड़िमरे और

दो ऐसे पुरुष उसके हरने मध्ये भगडाकरतेहों कि दोनों भिन्न भिन्न देशान्तरमें निवा सी हुयेहों जिनकी दोनोंकी मर्यादें कुछ विपरीतहों तब निज धनी केही देशकी मर्यादों से निपटारा होना योग्यहै ॥

( अथाविभक्तभ्रात्रादिप्रधानकृताधिकभोगनैरपेक्ष्यं )

सर्वत्र दायविभागोंके अवसरमें यह प्रतिषेध विशेषहै कि जब तक दायविभागहो-नेसे पहले ज्येष्ठ भ्राता आदि कोई एक दायद सबके पालन कार्य हेतुसे साधारण धनका प्रधान होकर निज स्वातंत्र्य प्रभावसे विशेष भोगी हुआ हो तो इस अधिक भोग या व्ययकरने का लेखा नहीं मांगाजाय किन्तु कोई दायद ऐसा भगडा खड़ा करने का अधिकारी नहींहै कि इसने जो कुछ अधिक भोगा या व्यय कियाहो सो भी इसके भागमें से मुजरे हो—तथाचनारदः ( बन्धूनामविभक्तानां भोगंनैवप्रदापयेत् । दृश्याद्वातद्विभागःस्यादायव्ययविशोधितात् ) अर्थात्-नारद कहते हैं कि अविभक्त दायदोंकाभोग राजानहीं दिलावै किंतु लाभ और व्ययहुयेसे विशोधित मूलधनके दृश्यमात्रका विभागहोवै (अत्रवाशब्द एवार्थज्ञेयः) आशय इसकायहहै कि साधारण धनके व्यापारमें जो कुछ उसने लाभकिया या निजभोगमें व्ययकिया सो इनदोनों बातके निवृत्तहुये पीछे जो कुछ दृश्यभावमें मौजूदहो उसीका विभागहोना योग्यहै पर जो कुछ किसीने काटिकर छिपायाहो तिसका निस्सन्देह भागहोता है कि जब कदाचित् भेद खुलै ॥

(अथ विभक्तभ्रात्रादिकृत्यस्याधिकारः)

तत्रवहस्पतिः(एकपाकेनवसतांपितृदेवद्विजार्चनम् । एकंभवेद्विभक्तानांतदेवस्या दृग्हेग्हे)अर्थात्-वहस्पतिजी यहकहते हैं कि जे कोईभ्राताआदि मिलकर एकरसोई सेवसतेहों तिनसबका पितृकर्म देवकर्म विप्रपूजाआदि एकधर्महोवै परजो वेहीभ्राता वंटिकर जुदेरहतेहों तो वह उक्तधर्म घरघर जुदाहोवै -नारदस्तु (यद्येकजातावहवः पृथग्धर्माःपृथक्क्रियाः । पृथक्कर्मगुणोपेतानचेत्कार्येषुसंमताः ॥ स्वभामान्यदिदु-द्युस्तेविक्रीणीयुरथापिवा । कुर्युर्यथेष्टंत्सर्वमीशास्तेस्वधनस्यहि) अर्थात्-नारदकहते हैं कि एकहीकी संतान होकर अनेक भाई भतीजे जो विभक्त होजाने पीछे जुदे जुदे धर्मोंका वर्त्तावा करतेहों जैसा अभी वहस्पतिके वचनानुसार दर्शितहुआ था आर खेती आदि क्रियायेंभी सब जुदीजुदी करतेहों और जुदेजुदे कर्मोंके गुणोंसेभी युक्त हों अर्थात् भोरने कूटने पीसने आदि कर्मोंके गुणकहिये मूसलगाली सिलबडा सूप चाकी आदि जुदे रखतेहों और वेही यदि परस्पर किसीएक या सबकेकार्योंमेंसंमति नहीं करनेहों तोभी जे कोई उनमें अपने स्थावर धनके भागोंको दान या विक्रयकरे यद्वा बन्धक आदि प्रकारोंसे अणुलेवें या इसभाँतिका कोई और काम करना चाहे

जिसमें वे सब जुदेभ्राता आदि अनुमति नहीं देते हैं तो वे अपनी इच्छाके अनुसार यह सब करें क्योंकि वे अपने धनके स्वामी हैं-आशय इसका यही है कि जब किसी धन में सबका साधारण स्वत्व मिला भुला हो तब तो निस्संदेह सबकी अनुमति बिना कार्यसिद्धि नहीं होती पर जब अपना अपना जुदा स्वत्व हो तब उन सबकी अनुमति से उस कार्यमें सुगमता बनी रहती है परन्तु कुछ सबकी अनुमति बिना कामका होना बन्द नहीं रहसक्ता क्योंकि अपने अपने धनके सभी जुदे मालिक हैं-और-बृहस्पतिके निम्नोक्त वचनका कुछ आशय और है-तद्यथा (विभक्तावाऽविभक्तावासपिंडाः स्थावरसमाः । एकोह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये ) अर्थात्-जुदेहों चाहे मिले हों स्थावर धनमें सभी सपिंड एक समान हैं इसलिये दान बन्धक विक्रय इनमें सर्वत्र एकला पुरुष मुञ्जामिला करनेको समर्थ नहीं है (सो) इस बातका आशय विज्ञानेश्वर आदि अनेकोंने यह रक्खा है कि विभक्त दायादोंकी अनुमतिलेनी केवल ऐसी है कि जैसे ग्रामपति आदि औरोंकी सामान्य अनुमति ली जाती है (और) स्मृतिचंद्रिकाकारने यह आशय प्रकट किया है कि बृहस्पतिका यह कथन किसी ऐसे अवसरमें समुभना जहां विभक्त दायादोंने स्थावर धनका खण्डात्मक विभाग करना कठिन समुभिकर जंगम धनको बाँटि लिया हो और स्थावरको इस नियमसे साधारण बना रक्खा हो कि इसके उपलाभरूपी फल उत्पन्न होनेके समयपर विभागकरिके भोगा करेंगे (सो) यह आशय यद्यपि ठीक प्रतीत होता है पर पण्डित मित्रमिश्रने इस आशयको भी व्यर्थ कल्पना कहकर इसका परिहार दर्शित किया है तथापि वह परिहार उत्तम नहीं न इसमें उसका जोड़ तोड़ खाता है इसलिये व्यर्थ कल्पना कहना योग्य नहीं-इसके सिवाय-एक यह आशय भी बृहस्पति के उस कथनपर आरूढ़ है कि जब कोई सपिंड या असपिंड निज दायादोंसे विभक्त होनेपर भी अपने स्थावर धनका विक्रय आदि करनेको समुच्यत होता है तब जबतक उसके सहवासी आदि योग्य अधिकारी आप लेंवें या प्रहीताकी योग्यता जानेबूझे बिना देनेकी अनुमति नहीं दें तबतक दाता भी दे देने को अधिकारी नहीं होता है एवं प्रतिग्रहीता भी-इसहेतुसे सहवासी आदि अवश्य पहले बूझे जाते हैं तिनमें भी सपिंडोंका अधिकार विशेष है क्योंकि पहले वह धन उन्हींका साधारण था (सो) इस न्यायसे भी विज्ञानेश्वर आदि अनेकोंका ऊर्ध्वोक्त आशय दृढ़ता पाता है कि (विभक्त दायादोंकी अनुमति लेनी केवल ऐसी है कि जैसे ग्रामपति आदि औरोंकी सामान्य अनुमति ली जाती है ) सो इन बातों का यथार्थ व्यौरा निम्नोक्त शिवके वचनों में स्पष्ट विवेचन करने हैं-यथाहमदाशिवः- ( स्थावरधनमन्यस्मै स्थितेऽन्नान्निव्यवर्तिनि । योग्येकं नरिविक्रं न शक्यः स्थावराधिपः ॥ नान्निव्यवर्तिनां ज्ञातिः सवर्णांशविशिष्यते । तयोरभावं मुद्दं विक्रेत्रिच्छागरी-

यसी ॥ निर्णीतमूल्येप्यन्येन स्थावरस्यक्रयोद्यमे । तन्मूल्यं चेत्समीपस्थो रातिक्रेता  
नचापरः ॥ मूल्यं दातुमशक्तश्चेत्संमतो विक्रयेपिवा । सन्निधिस्थस्तदान्यस्मै गृहीश-  
क्रोतिविक्रये ॥ क्रीतं चेत्स्थावरं देवि परोक्षे प्रतिवासिनः । श्रवणादेव तन्मूल्यं दत्त्वासौ  
प्राप्तुमर्हति ॥ क्रेता तत्र गृह्यारामान् विनिर्माति भनक्ति वा । मूल्यं दत्त्वापि नाप्नोति स्था-  
वरं सन्निधिस्थितः) अर्थात्—सदाशिवजी कहते हैं कि सान्निध्यवर्ती सहवासी योग्य  
क्रेताके होतेहुये स्थावर धनका स्वामी अपना स्थावर किसी और के हाथ विक्रय नहीं  
करसक्ताहै अर्थात् समीपवासी जबतक लेनाकहे तबतक दूरवासी को देसकनेमें अ-  
धिकारी नहींहै और इसीसे विशेष उनकी सम्मति लेनेमें जरूरतहै (पर)इसबात में  
प्रतिज्ञा यहप्रत्यक्षहै कि वह प्रतिवासी भी यदियोग्यहो जिसके हाथ विक्रय करनेको  
सब और प्रतिवासी सम्मति देसक्तेहों-अब उस अवसरकी अपेक्षा में कि जब एक  
स्थावरको अनेक प्रतिवासी योग्य होकर लेनेवाले उद्यतहोजायँ तब किसको देना  
योग्यहोगा द्वितीय वचनकहतेहैं कि । अनेक प्रतिवासी योग्य लोगोंमें जोकोई विक्रे-  
ताकी जातिवालाहो वहीपावै परजब अनेक जातीलोगहों तिनमें पहलेउन्हीं सपिंडों  
का अधिकार समुभिलेना जो उसधनको बाँटिकर विभक्त पहलेहुयेथे अर्थात् उन  
आसन्न सपिंडोंके अभावमें सामान्यगोत्री लोग और सामान्यगोत्री लोगोंके अभा-  
वमें सामान्य जातीलोग पासक्तेहैं-सामान्य जातीलोगोंके अभावमें सवर्णमात्रभी ले  
सक्ताहै कदाचित् सवर्णमात्रभी अनेकयोग्य होकर लेनेवाले उद्यतहोजायँ तबउनमें  
जो विक्रेता का मित्रहो वह पासक्ता है यद्वा किसी जाति सवर्ण दोनों का अभाव  
होकर अन्यजाती लोग अनेक प्रतिवासी होने के हेतुसे क्रयकरने पर समुद्यतहोजा-  
यँ तौभी जोजो उस विक्रेता के मित्र हों उन्हीं का अधिकार है और मित्रोंकी बहु-  
ताइतमें से विक्रेता जिसको चाहे तिसको देसक्ताहै इसलिये ऐसे अवसर में विक्रेता  
की इच्छाही बलवान् है क्योंकि जिसपर उसकी अधिक मैत्री होगी उसी को वह  
चाहेगा—कदाचित् ऐसे नियमों को उल्लांघिकर विक्रेता ने दूरस्थको देदेनाचाहाहो  
तिसके मध्ये तृतीय वचन कहते हैं कि अन्य दूरस्थने स्थावरका क्रयकरनाचाहिकर  
मूल्यभी ठहरायाहो यह सुनकर जो समीपस्थ प्रतिवासी वही ठहरा मूल्य देदेवे  
तौभी प्रतिवासी के लेते हुये कोई दूरस्थ क्रेता नहीं होसक्ता । परंतु जो प्रतिवासी  
मूल्य नहीं देसक्ताहो या देनेकी सामर्थ्यहोतेहुये स्थावर का लेनानहीं चाहकर विक्रय  
करनेकी अनुमति निज हस्ताक्षर आदि उचित प्रकारों से देदेवे तब दूरस्थ के हाथ  
विक्रय करदेने में घरका मालिक समर्थ होनाहै यहां घरका मालिक ऐसा कहने में  
यह भाव दर्शित किया है कि यदि कोई और बेंचे तो वह विक्रय अनुचितठहरकर  
निवर्तित होगा हे देवि कदाचित् प्रतिवासी के पीछे उसके वृभेविना स्थावर धनके



दूरस्थने क्रय करके मूल्यदान भी करदिया हो तौ भी यह प्रतिवासी नाम पड़ोसी सुनते के साथ उतना मूल्य देकर स्थावर पानेयोग्य है-परंतु ऐसी दशा में सुनिपाने पीछे मूल्य देनेमें विलंब करने का अधिकारी नहीं है तत्काल मूल्य राजद्वार आदि उचित स्थानमें उपस्थित करै तथापि इतने काल में क्रेताने खरीदे हुये स्थावर में मकानयावागीचा आदि विनिर्मित कियाहो यद्वा पहला बना मकान या वागीचा आदितोड़ फोड़ डालाहो तौ फिर ऐसे स्थावर को प्रतिवासी मूल्यदेकर भी न पावैगा- ( इतिसर्वनिर्णयसारनिर्वाणतंत्रोक्तदायभागव्यवस्थितः ) इसीआशयसे योगीश्वर याज्ञवल्क्य आगे १८१ मूल श्लोक पूर्वार्द्ध से यह कहेंगे कि स्थावर आदि धनों का प्रतिग्रह सबको कहि सुनिकर प्रत्यक्ष होना योग्यहै कि जिस्से पीछे कोई भगड़ा खड़ा नहो ॥

( अथविभक्ताविभक्तसंदेहस्थलनिर्णयकरणम् )

विभागनिहनवेज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितैः । विभागभावनाज्ञेयागृहक्षेत्रैश्चयौतकैः १५४ ॥

अक्ष०-विभाग के निह्ववमें ज्ञाति बंधुसाक्षी अभिलेखितों से विभागकी भावना ज्ञातव्यहै और यौतकी कृत गृहक्षेत्रोंसे भी १५४ ॥

अभि०-कदाचित् किसी भगडालू दायदकरके विभागका निह्ववकहिये अपलाप किन्तु इन्कार खड़ीहोनेमें उस विभागकी ( भावना ) कहिये ठीकहोजाने या न होनेका निर्णय इन आकारों से कर्तव्य है कि पहले उनके ( ज्ञाती ) लोग पिता माता भ्राता आदि सपिंड बूभेजायँ और (बन्धु) कहिये मामा आदि संबन्धी लोग जो उस विभाग के होतेसमय सहायक हुये हों बूभेजायँ और (साक्षी) नाम गवाह जो वत्तीस संख्यावाले परिच्छेद के अनुसार साक्ष्य लक्षण से संपन्न विभागकाल में प्रमाण कारक हुये हों बूभेजायँ इनके सिवाय और भी सामान्य द्रष्टा लोग जो उस ग्राम के निवासी या प्रतिवासी हों अवसरके अनुकूल बूभेजायँ अथवा (अभिलेखित) कहिये विभाग पत्र जो उसकाल में पैंतीस संख्यावाले परिच्छेद के अनुसार कल्पित हुआ हो देखाजाय अथवा घर और खेत आदि जो यौतकरूप भिन्नभिन्न किये गयेहों देखेजायँ ( युधातुर्मिश्रणामिश्रणयोरित्यर्थतः ) १५४ ॥

अधि०-शंखः(गोत्रभागविभागार्थसंदेहेसमुपस्थितोगोत्रजेंद्रचापरिज्ञातंकुलंसाक्षित्वमर्हति)अर्थात्-शंखने यह कहा है कि (गोत्र) नाम दायदोंका समूह तिनके भाग विभाग रूपी अर्थ में संदेह खड़ाहोनेपर स्वकीय गोत्रजन्तोंको उमवानका विवेक निपट न होने में कुलका साक्ष्य लेना योग्य है यहां पर कुल शब्द भी उस ग्रामके निवासी मात्रका वाचक है अर्थात् और मत्र सामान्य द्रष्टामात्रकिर्मा अवसरके अनुकूल बूभेजासक्ते हैं-अत्रबृहस्पतिः(भ्रातरःसंविभक्ताये न्यक्रच्यानुपरम्परम् । विभागपत्रं कुर्वन्तिभागलेख्यंतदुच्यते ) अर्थात्-भ्राता जो धनवाँटि जुदे होतेंहें परम्पर

अपनी रुचिके अनुसार कहीं विभाग पत्रभी लिखलेते हैं वह कर्गल भागलेख्यनाम कहा जाताहै—इसमें अपनी रुचिके अनुसार कहीं भाग पत्र लिखाजाना दर्शितहुआ इस्से यह भी निश्चित होताहै कि प्रायः भागलेख्य बिना भी विभागहुआ करताहै—तौ इस बातसे यह आशय प्रकट हुआ कि जहाँ विभाग पत्र या उस भाँतिके कोई और प्रमाण दृढ़होजाता होगा तहाँ उसके संदेहों का निर्णय होना सुगमहै पर जहाँ लेख्य पत्र आदि कोई दृढ़ता नहीं उपस्थितहो तहाँ क्योंकर निर्णय होसकताहै—क्योंकि जो केवल उनके जुदे रहने मात्रसे विभाग होजाना समुझाजाय तौ भी यह दुर्गमताहै कि बहुधा जुदे आता भी प्रत्यक्ष मिश्री भूत रहे आतेहैं और धनके व्यवहारों में प्रत्येक जुदा होताहै या विरले स्थल इस्से विपरीत वे प्रत्यक्ष जुदे रहते हैं तथापि धन सवहीका साधारण चला आताहै—इसलिये ऐसे संदिग्ध स्थलका निर्णय करने मध्ये औरभी आकार दर्शितकरते हैं—यथाहनारदः ( विभागधर्मसंदेहेदायादानांवि निर्णयः । ज्ञातिभिर्भागलेख्येनपृथक्कार्यप्रवर्तनात्—भ्रातृणामविभक्तानामेकोधर्मःप्रवर्तते ॥ विभागेसतिधर्मोपिभवेत्तेषांपृथक्पृथक्—दानग्रहणपश्वन्नगृहक्षेत्रपरिग्रहाः । विभक्तानांपृथग्ज्ञेयाः पाकधर्मागमव्ययाः—साक्षित्वंप्रातिभाव्यंच दानंग्रहणमेवच । विभक्ताभ्रातरःकुर्युर्नाविभक्ताःपरस्परम् ॥ येषामेताःक्रियालोकेप्रवर्तन्तेस्वऋक्थतः । विभक्तानवगच्छेयुर्लेख्यमप्यन्तरेणतान् ) अर्थात्—नारद ने ये विशेष चिह्न दर्शित किये हैं कि दायादों के विभाग धर्मका सन्देह पैदा होने में ज्ञातिबन्धु आदि साक्षी-लोगों से और भाग लेख्यनामक पत्र से और जुदे कार्यों के वर्त्तवा से भी निर्णय करना योग्यहै कि इनके खेती आदि आजीवनकार्य कवसे जुदेहोते हैं तथैव पंचम-हायज्ञादि धर्म कार्य इनके कवसे जुदेहोतेहैं तथैव लोकाचार वाइने भार्जीका व्यवहार धर्म या उत्सव आदि बुलावे का व्यवहारधर्म इनका कवसे जुदा होताहै या मिश्रीभूत चलाआताहै—क्योंकि—अविभक्त भ्राताओंका सवएक धर्म वर्त्ताजाताहै विभागहोजानेपीछे उनकाधर्म भी सव जुदा जुदा होजाताहै (दृष्टान्त) जैसे किसी दीनके धर्मार्थ उपकारमें अनेकोंको कुछ देनापरै तव अविभक्त भ्राताओंके एकत्रघरमें या साधारण धन में से सव एक दान होताहै और जुदे हुये भ्राताओं के प्रत्येक घरसे या प्रत्येक भिन्न धनमेंसे प्रत्येक दान भिन्न भिन्न होनेलगताहै—इसीप्रकार देना और लेना भी तथैव पशुओं का पालना और अन्नों का संग्रह करना आदि वर्त्तवा और घर खेत आदि स्थानोंके परिग्रह तथा रसोईका पकाना और आगम कहिये धनकी प्राप्ति और व्यय कहिये धनके खर्च यह सव काम विभक्त भ्राताओंके अलग हुआ करतेहैं—इन के सिवाय-परस्परसाक्षित्व गवाहीकादेना और प्रातिभाव्य कहिये जमानत करदेना तथा ऋणका लेना देना भी विभक्त भये कियाकरतेहैं अविभक्तोंका यह

धर्म नहीं है कि एक दूसरेकी जमानतकरै या गवाहीदे या उसको ऋणकी रीति से धनदे अथवा आपले-इसआशयपर योगीश्वरका ५३ वाला मूल श्लोक जो २८ के परिच्छेदमें आचुका सो आरूढ़ है-उर्ध्वोक्त आकारों का विवेक नारद कहते हैं कि यद्यपि वे प्रत्यक्षमें मिलरहे समुभेजाते हों तथापि जिन भ्राताओं के ये इतने काम निज निज द्रव्योंसे अलग होतेहों तिनको भाग लेख्य पत्रों के न होनेपर भी राजा-लोग विभक्त समुभै क्योकि येही सब तत्त्वार्थ निर्णय करने के अनुमान चिह्न हैं-  
 बृहस्पतिः (साहसंस्थावरंन्यासः प्राग्विभागश्चरिक्थिनाम् । अनुमानेनविज्ञेयं नस्या तांपत्रसाक्षिणौ) अर्थात्-साहसकम्माँका विवाद और स्थावर धनका भगड़ा और न्यास नाम सौंपीहुई धरोहरका भगड़ा और दायादों का संदिग्ध विभाग भी यदि लेख्य पत्र तथा साक्षी निपट न हों तौ अनुमानसे निपटानेयोग्यहै-अन्यच्च(पृथगा-यव्ययधनाःकुसीदञ्चपरस्परम् । वणिकपथञ्चयेकुर्युर्विभक्तास्तेनसंशयः)अर्थात्-  
 और भी बृहस्पतिजी यह कहते हैं कि जिन भाइयोंकेधन और लाभ और खर्च सब के जुदे होते हों और कुसीद कहिये व्याजबट्टे का व्यवहार परस्पर करतेहों अर्थात् एक भाई ऋणी और एक भाई धनी बनकर व्याज लेते देतेहों अथवा दोनोंही पर-स्पर मिलकर लाभहेतुसे इसबातकी दूकानदारी करते हों एवं कोई और भांति का वाणिज्य भी परस्पर दोनों मिलकर करतेहों या इसभांति से कि एक भ्राता बेंचै एक दाम देकर उरसे मोललेताहो तौ इन भाइयोंको विभक्त समुभौ इसमें कुछ सन्देह नहीं-इसके सिवाय और भी अनुमान यथा अवसरके अनुसार विचार करनेयोग्यहै कि ऐसे सभी भ्राता मिलकर इनव्यवहारों का वर्त्तवा एकसमान रखते हैं या उनमें कोई भिन्न प्रकारसे भी-जब अनुमानसे भी कार्य सिद्ध न होताहो तौ फिर दिव्यश-पथोंद्वारा निर्णय कियाजाय (युक्तिष्वप्यसमर्थसु शपथैरेनमर्दयेत्) अर्थात् मानुष प्रमाणों के अभावमें युक्तियां भी जब काम न आतीहों तब उस थोड़े बहुत विषयके अनुसार दिव्यशपथोंकाप्रमाणमांगाजाय-जहां-दिव्यशपथोंसेभी निर्णयदुर्घटहो तहां पुनर्विभागहोनायोग्यहै-यथाहमनुः(विभागेयत्रसंदेहोदायादानांपरस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यःपृथक्स्थानस्थितैरपि)अर्थात्-जहां विभागमेंसन्देहप्रबलहो तहां पुनर्विभाग करना योग्यहै फिर चाहे वे दायाद जुदे स्थानोंमें भी रहनेहों-परंतु जहां पुनर्विभाग करना परै तहां उनके लाभ खर्चोंका भी परिशोधन अच्छीरीतिमें कर्तव्यहै कि जिस से न्याय विरोधी दोष खडा न हो और यह विभाग उस मर्यादामें कर्तव्य है कि जैसी संसृष्टी दायादों की मर्यादा पुनर्विभाग नव्येनियतहो-जोकि एक यह प्रतिषेध उन्हीं मनुने दर्शायाहै कि ( सकृदंशानिपतानिनकृत्कन्याप्रदीयते । सकृदाहृददामानित्रीण्ये तानिसकृत्सकृत् ) सो यह प्रतिषेध केवल एमे अवसर पर आरूढ़ है कि जहां दिनी-

यवार करनेका कारण कोई निपट न हो किंतु कारणके उपस्थित होनेमें यह तीनोंकाम फेरकियेजातेहैं तिनमें कन्याका पुनर्दान होना आचाराध्यायमें भी ६५ संख्यामूल श्लोकसे आचुकाहै कि ( सकृत्प्रदीयतेकन्याहरस्तांचोरदंडभाक् । दत्तामपिहरेत्पूर्वात् श्रेयांश्चेद्वरत्रात्रजेत् ) एवं व्यवहाराध्यायगत भी ५२ संख्यावाले परिच्छेदमें १३० मूल श्लोककी अधिकोक्तिदेखो-तैसे पुनर्विभाग होना यहां वर्णन हुआ-पुनर्दानका आशय आगे १८० । १८१ मूल श्लोकोंसे संसिद्ध होगा-इसके सिवाय-जो कदाचित् उन दायादोंमें कुछ भोग परिग्रहकी तकरारसे स्थावर धनका भगड़ा हो ( दृष्टं ) जैसे एक दायादने स्थावर धनके भागपाने पीछेउनपर भोग परिग्रहका अवकाश नहीं पाया यद्वा थोड़ाभोग होनेका अवकाश पायेपीछे औरोंका परिग्रह चलाआयाहोतहैं पहले सामान्यभुक्ति प्रकरणकी मर्यादोंसे विवेचन होना योग्यहै-और पीछे उसके विशेष नियमोंका वर्तावाभी आवश्यकहै-अत्रबृहस्पतिः (यद्येकशासनेग्रामक्षेत्रग्रामा इचलेखिताः। एकदेशोपभोगेपिसर्वेभुक्ताभवन्तिते) अर्थात्-शासन कहिये कोई भौतिक लेख्यपत्र ऐसे एकशासनमें अनेक स्थावरग्राम क्षेत्रवाग्रादि जोजो लिखेहों तिनमें कोई एकभी यदि भोगागयाहो अर्थात् थोड़ाभी परिग्रह कब्जा उनपर किसी एक जगह हुआहो तो उनसबका भोगहुआ समुभाजाय-पर जो किंचित्भी उपभोग नहो तो फिरसबकी हानिहोती है फिर चाहे वह धन द्रव्यसेखरीदाहो या दानादि प्रकारोंसे भी पायाहो-तथाचबृहस्पतिः (संविभागक्रयप्राप्तपित्र्यंलब्धंचराजतः । स्थावरंसिद्धिमाप्नोतिभुक्त्याहानिमुपेक्षया ॥ प्राप्तमात्रंयेनभुक्तंस्वीकृत्यापरिपंथितम् । तस्यतत्सिद्धिमाप्नोतिहानिंचोपेक्षयातथा ) अर्थात्-स्थावरचाहे किसी विभागमें से पायाहो या दामदेकर मोललियाहो या पैतृकपायाहो यद्वा राज से दानादि प्रकारों द्वारापायाहो तो भी उसका प्राप्तहोना भुक्तिसेही सिद्धिको पहुँचता है उपेक्षाकरके हानिको-इस हेतुसे फिरकहतेहैं कि-जिसने उक्तस्थावर धनको मिलतेसार रोकटोक वर्जितकब्जा करिके भोगाहो तिसका प्राप्तहोनेका आगम सिद्धहोजाताहै पर जिसने ऐसे भोग परिग्रह में उपेक्षा रक्खीहो तिसके उक्तआगमकी भी हानि होती है-इत्यादि भुक्ति की अवधितक सामान्य मर्यादोंको अपवादों सहित विवेचन करनेपीछे विशेषवचनों का विचार करनायोग्य है-यथा (भुक्तिस्त्रैपुरुषीसिद्ध्येदपरेपांसंशयः । अनितृत्तेसपि डत्वेसकुल्यानांसिद्ध्यति ॥ अस्वामिनातुयद्भुक्तं गृहक्षेत्रापणादिकम् । सुहृद्भ्युसकुल्य स्यनतद्भोगेनहीयते ॥ विवाह्यश्रोत्रियैर्भुक्तं राज्ञाऽमान्यैस्तथैवच । सुदीर्घेणापिकालेन तेषांसिद्ध्यतितत्तुन) १५४ दायभागका यह प्रकरण पूरे बीस परिच्छेदोंमें पूर्णहुआ किन्तु ४३ से प्रारंभ होकर यहां ६२ तक समाप्तिहुई-अब अगिला प्रकरण सीमा विवादका इस प्रसंगसे प्रारंभ करते हैं कि दायादों ने कदाचित् पायेहुये स्थावरधन

की सीमापर न्यूनाधिक भावका कुछ भगड़ा कियाहो या सामान्य इतरेतर वासी लोगोंने-तिस भगड़ेका निपटारा भी कर्तव्य है १५४ ॥

इति दायविभागप्रकरणम्

अथसीमाविवादनिर्णायक चिह्नप्रदर्शनोनाम त्रिषष्टितमःपरिच्छेदः ६३ ॥

इसतिरेसठि संख्याके परिच्छेदमें उनचिह्नों का विवेक वर्णन

होगा जिनसे सीमाका भगड़ा निपटिसक्ताहै ॥

सन्निविवादेक्षेत्रस्यसामंताःस्थविरादयः । गोपाःसीमाकृपाणाश्चसर्वेचवनगोचराः १५५ ॥

नयेयुरेनंसीमानंस्थलांगारतुषट्कुमैः । सेतुबल्मीकनिम्नास्थिचैत्याद्यैरुपलक्षिताम् १५६ ॥

अक्ष०—सहद्वयोः क्षेत्रकीसीमा विवादमें सामंत स्थविर आदि गोपसीमा कृषाण और सभी वनगोचरलोग- १५५ -राजाको सीमापास लेजावे जो स्थल अंगार तुष वृक्षइनसे या सेतु बल्मीक निम्नअस्थि चैत्यादिकोंसे उपलक्षितहो १५६ ॥

अधि०—सीमा सीम सिमाणा लोकमें प्रसिद्धहैं कि दो ग्रामोंकी अवधिका मिलाप सीमा कहलातीहै तथैव एकग्रामके भीतर भी दो खेतोंकी मर्यादाका मिलाप सीमा कहलातीहै एवं दो घरकी संधिभी सीमा समुझीजातीहै और इसीहेतुसे यह सीमा चार भाँतिकी विख्यातहै कि जनपदसीमा १ ग्रामसीमा २ क्षेत्रसीमा ३ गृहसीमा ४ इनमें सबसे पहली जनपदसीमा उसे कहते हैं जो दो राज्योंकी अवधि भिड़ी हो अथवा परिगणासे परिगणा मिलाहो-दूसरी ग्रामसीमा जहां दो ग्रामोंका अंतमिला हो-तीसरी क्षेत्रसीमा जहां दो खेतोंकी मेड़ भिड़ीहो-चौथीगृहसीमा जहांदो स्थानों की भीति आदि-फिर इनचारोंके उपलक्षणमात्रसे अनेक स्थान औरभी संग्रहण कियेजाते हैं इसका (दृष्टांत) जैसे नारदका यह वचनहै कि ( सेतुकेदारमर्यादाविकृष्टा कृष्टनिश्चयः । क्षेत्राधिकारोयत्रस्याद्विवादःक्षेत्रजस्तुसः ) अर्थात् (सेतु) नाम यद्यपि नदीकेपुलकाहै परन्तु यहांसेतुउसकोभीसमुझना जो खेतोंमें जलपहुंचानेकेनिमित्तसे नाली या थाउले आदि निर्मित कियेजाते हैं और (केदार)नाम क्यारी जो लवणादि उत्पत्तिके हेतुसे विनिर्मित करीजाती हैं तथैव खेतकोभी केदार कहा करते हैं इत्यादि इनकी मर्यादा कहिये अवधिकाचिह्न-और ( विकृष्ट ) कहिये जुताहुआखेत या (अकृष्ट) कहिये विना जुती धरती इनमें किसीका भी निर्णय किसी विवादमें जो करनापरै सो सब क्षेत्रसीमाका विवाद कहाजाताहै क्योंकि क्षेत्रमात्रसेही भगड़ा यह उत्पन्नहुआ इसीप्रकार औरोंमेंभी समुझिलेना-सो-यह धरतीका विवाद प्रायः छःप्रकारसे उत्पन्न होताहै—यथाहकात्यायनः(आधिक्यंन्यूनताचांशेअस्तित्वास्तित्वमेवच।अभोगभुक्तिः सीमाचषड्भूवादस्यहेतवः) अर्थात्—आधिक्यविवाद १ न्यूनताविवाद २ अस्तित्व विवाद ३ नास्तित्वविवाद ४ अभोगभुक्तिविवाद ५ सीमाविवाद ६ येही षट्प्रकार

के हेतु एकभूमिके विवादमध्ये होतेहैं—किन्तु—जहांकोई ऐसा कहकर दावापेशकरै कि मेरी यहां पाँच निवर्तनसे कुछ अधिक भूमिहै और प्रत्यर्थी कहे कि अधिक नहीं केवल पाँचहैं तौ यह धरतीका आधिक्य विवाद कहाजाताहै (निवर्तन अर्थात् जरीब या बीघा ) १ जहाँ कोई ऐसा कहकर दावाकरै कि यहाँ इसकी पाँच बीघा से कुछ न्यून भूमि है और प्रत्यर्थी कहे कि मेरी न्यून नहीं पूरी पाँच है तौ यह न्यूनताका विवाद कहाजाताहै २ जहाँकोई ऐसा कहकर अर्थी बनै कि इस धरती में से इतना अंश मेरा है और प्रत्यर्थी कहे कि इसका अंश इसमें नहीं तौ यह अस्तित्व का विवाद जानो ३ जहां कोई ऐसा कहकर नालिश करै कि इसका अंश इसमें नहीं है यह वृथाटंटाकरताहै और प्रत्यर्थी अपना अंश बतावै तौ यह नास्तित्वका विवाद जानो ४ जहाँकोई अभियोक्ता ऐसा कहकर किसीको अभियुक्त करै कि यह इसधरती को अयोग्य भोगिरहा किन्तु इसका कब्जा इसपर भूँठाहै और वह अभियुक्त प्रत्यर्थी ऐसा उत्तर देवै कि यद्यपि संतत निरंतर मेरा भोग परिग्रह इसपर नहींरहा पर चिरंतन मेरा कब्जा इसपर सच्चाहै तौ यह अभोगभुक्ति का विवाद जानो ५ जहाँ कोई ऐसा कहकर अर्थी बनै कि मेरी भूमिकी अवधि यहाँतकहै अथवा होनी चाहिये दूसरा कहे कि ऐसा नहीं सिर्फ यहाँतक होसक्तीहै तौ यह ठेठसीमाका विवादजानो ६—यद्यपि छःभाँति के भवादों मध्ये सीमा एक भाँतिका विवाद निश्चित हुआ तौ भी सीमाही सर्वत्र एक हेतुहै क्योंकि उन पाँचोंमें भी पहले सीमा देखी जायगी इसलिये सीमा सबसेमुख्यजानो—ऊर्ध्वोक्त चारोंभाँतिकीसीमापर सर्वत्रही निम्नोक्त पाँचप्रकारों में से कोई चिह्नहोते हैं—यथाहनारदः( ध्वजिनीमत्सिनीचैवनैधानीभयवर्जिता । राजशासननीताचसीमापंचविधास्मृता ) अर्थात्-जो वृक्षादिक चिह्नोंसे सीमा निर्मितहुई हो तौ वह सीमा ध्वजिनी नाम इसहेतुसे कहलातीहै कि वृक्षादिक ऊँचे चिह्नभी ध्वजाके समान देखिपरते हैं १ मत्सिनी उसे कहते हैं जो नदी आदि प्रवाहरूप जलकी सीमा नियतहुईहो क्योंकि जलमें मत्स्य बहुधा होते हैं नैधानी उसे कहते हैं जो धरती खोदिकर कुछ हाड़ कोयला भसा आदि निधिके तुल्य गाड़ाहो ३ भयवर्जित सीमा उसे कहतेहैं जो अर्थी प्रत्यर्थी दोनों आप सुसम्मति से कुछसीमा चिह्न मान लें ४ राजशासननीता सीमा वही कहाती जहाँ कोई चिह्न पहलेसे नहो और उस देशकागजा अथवा प्राड्विवाक सीमा नियत करावै (यहाँ यह निश्चित नहीं होना है कि टीकाकारों ने भयवर्जिताका यह अर्थ क्योंकर निश्चित किया कि अर्थीप्रत्यर्थी दोनों की सुसम्मति से जो निर्मित हो—क्योंकि प्रायःसभी सीमा दोनोंकी मू से विनिर्मित होनीहै इससे इसको परिभाषा में भी नहीं लेसक्ते और इसभाँतिसे यहभी निश्चित नहीं होसक्ताहै कि नारदने निज वाक्यमें भयवर्जिता किसको



किंतु प्रत्यक्ष यौगिक संज्ञा है और इसका यही अर्थ होसकता है कि जिससीमा चिह्नके होनेसे कोईसा खटका कभी नहो सो यह ऐसी सीमा वहीहोती है कि जो जिसकिसी ग्रामकी सरहदतक सब ओर चौतरफा शहर पनाहके डौलसे अति सघन विस्तृत बाँसी या बबूरआदि खड़ेहों या मट्टीकीरैनी उठीहो इसकेहोनेसे कदाचित् भी कुछभय अर्थात् भूगड़ाआदि खटकानहींरहताहै जोऐसा अर्थलगाते तौ सन्देहका कुछअवसर सम्भवनहींथा) ध्वजिनी मत्सिनीनैधानीतीनसीमाके रूपव्यासजीनेभी स्पष्टदर्शितकियेहैं-यथा(ग्रामयोरुभयोः सीम्विवृक्षायत्रसमुन्नताः । समुच्छ्रिताध्वजाकाराध्वजिनीसाप्रकीर्तिता । स्वच्छन्दगावहुजलाभषकर्मसमन्विता । नित्यप्रवाहिणीयत्रसीमासामत्सिनीमता ॥ तुषांगारकपालैस्तुकुम्भैरायतनैस्तथा । सीमाप्रचिह्निताकार्यनैधानीसानिगद्यते ) अर्थात्-जहाँ दोग्रामोंकी सीमा बीच ध्वजाकार बड़े ऊँचे भूमड़े वृक्ष लगायेहों वही सीमा ध्वजिनीनाम कहातीहै-जहाँ कहीं दो देशों अथवा ग्रामोंकेबीच कोई बहुत जलकी नदी जो स्वच्छंद और हमेशा बहिने वाली जलजीवों से संपन्न सीमारूप मानीगईहो उसीको मत्सिनी सीमाजानो जहाँ कहीं कोद्रव नाजकीभूसी आदि अजर तुष यद्वा अंगार कहिये कोइले लोहकीट आदि यद्वा मनुष्यादि जीवों की खोपड़ी आदि हाड़ अथवा बहुत बड़ेबड़े कुंभनाम मट्टीकेमाटजो ऊर्ध्वोक्त भूसी आदि चीजों से भरे यद्वा निम्नोक्त भस्म बाल बाल आदिसे भरेहुये गाड़े जायँतौ इन चिह्नोंको नैधानीसीमा कहते हैं-इन वचनों में नित्य प्रवाहिणी यह विशेषण जो नदीमें दर्शाया तिसके आशयसे बड़े बड़े तालाब कूप बावड़ी आदि और भी जलाशय समुभेजातेहैं जो नित्यबहिनेवालेहों तिनको भी बृहस्पतिने स्पष्टकरके कहाहै-यथा(बापीकूपतडागा निचैत्यारामसुरालयाः । स्थलंनिम्नंनदीस्रोतःशरगुल्मनगादयः ॥ प्रकाशचिह्नान्येतानि सीमायांकारयेत्सदा । निहितानितथान्यानियानिभूमिर्नभक्षयेत् ॥ अश्मनोस्थीनिगोबालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः । करीषमिष्टकांगारशर्कराबालुकास्तथा ॥ तानिसंधिषुसीमायाअप्रकाशानिकारयेत् । ततयोगंतुवालानांप्रयत्नेनप्रदर्शयेत् ॥ बार्द्धकेचशिशूनांतेदर्शयेयुस्तथैवच । एवंपरंपराज्ञानेसीमाभ्रान्तिर्नजायते) अर्थात्-बावड़ी कूँआ तड़ाग और (चैत्य) नाम ईंट पत्थर आदिसे चिना चबूतरा ढूला आदि कोई चिह्न और बड़े ऊँचे सर्ववृक्षोंकोभी चैत्यनाम कहते हैं (आराम) कोई प्रसिद्धिबाग वागीचाआदि और (सुरालय) किसीदेवताका स्थान और (स्थल) कोई ऊँचाखेड़ा आदि और (निम्न)कोई घटिया नाराआदि निचान (नदी) प्रसिद्धहै (स्रोतस्) कोई विख्यात भरनाआदि जो आपही जल निस्सरणहोताहै (शर) शरपता नरसलआदि अनेक प्रसिद्धहैं जो एक समूह बाँधिकर भूमड़तेहैं (गुल्म)उसप्रकारके वृक्षोंकानाम है जो सूधे गोलाकार ऊपर कोजायँ जिनमें बहुत शाखानहींफैलें जैसे सरौआदि और गुल्मनाम उनवृक्षोंकी भा-

डीकाभी होता है जो अनेक मिलकर एकभाड़ी बाँधिलेतेहैं कँटीलेहोनेके हेतुसे यह भावहै और(नगाः)पर्वताः अर्थात् जहाँकहीं बड़ेदेशोंकी सीमामध्ये संभवहोतहाँ पहाड़ों कोभी सीमा नियतकरै यद्वा-नगाअश्वत्थादयोवृक्षाश्च-पीपर आदि बड़ेवृक्षभी समु- भने और इसभाँतिके अनेकचिह्न औरभी जोसम्भवहों समुभने यहसवचिह्न प्रकाश रूप सदा रखावै-इनके सिवाय और भी कुछ गुप्त गड़ाऊ चिह्न रक्खै जिनको धरती नहीं गलासक्ती हो तिनके नाम दर्शित करते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों के चिह्न गाड़े या हाड़ों के गऊके बालोंके कोद्रव आदि अन्नोंकी भूसी या पजावेकीराख या खोपड़ी या फूटे मृत्पात्रोंके ठीकरे यद्वा ( करीप ) कहिये करसी किन्तु गोवरकी सूखीहुई बरसाती माँदि यद्वा ( इष्टका ) ईंट कोइला यद्वा ( शर्करा ) नन्हीं कँकरियां या ( बालुका ) नाम दर्दरारेत और और भी भामाखड्गर आदि अजरवस्तु समुभिलेनी यहसब चीजें यथासम्भव सीमाकी संधियोंबीच गहिरी गुप्तभावसे गड़वावै-और निजसन्तति के विस्तार योगमें प्रयत्न से पुत्रादि बालक लोगोंको प्रदर्शितकरै किन्तु अच्छी भाँति समुभादेवे और वे बालक अपनी बड़ीअवस्था में निज शिशुओं कोभी उसीप्रकार यत्नसे दिखलावें तौ इसभाँति परम्परासेही सीमा ज्ञान चला आनेमें कुछसीमामध्ये भाँतिनहींहोतीहै ( यहाँ प्रयत्नसे दिखलावो इससे कहागया कि जो कुछ गुप्त चिह्नहों तिनको बारंबार खोदिकर दिखलानेकी जरूरतनहीं किन्तु लिखेहुयेपत्रोंद्वारा यद्वा और किसी युक्तिसे उस भूमिका परिमाण आदि समुभाते हुये यहसब ज्ञान उन्हेंकरादेवें कि इतनी गहिरी यहांपर अमुकामुक वस्तुगड़ीहै और जो प्रत्यक्ष चिह्न वृक्षादिकहों ति- नको भी समक्षलेजाकर उन्हें दिखावै-यहाँ बालक या शिशु कहनेका यहभाव है कि संप्राप्त व्यवहार कालहोनेसे पहले सीमा दिखलाईजाय क्योंकि यह संसार अनित्य है न जानै सीमा स्वामी अपने आप कवचलिवसै)-इसीप्रकार- मनुने दोभाँतिके मव चिह्न किन्तु प्रकाश और प्रच्छन्नरूप कहे हैं-यथा ( सीमावृक्षास्तुकुर्वीतन्यग्रोधाश्वत्था किंशुकान् । शाल्मलीशालतालांश्वक्षीरिणश्रैवपादपान् ॥ गुल्मान्वेणुंश्चविविधानश मीवल्लीस्थलानिच । शरान्कुञ्जकगुल्मांश्चतथासीमाननश्यति ॥ तडागान्युदपाना निवाप्यःप्रश्रवणानिच । सीमासंधिषुकार्य्याणिदेवतायतनानिच ॥ उपच्छन्नानिचान्या निसीमालिङ्गानिकारयेत् । सीमाज्ञानेनृणांवीक्ष्यनित्यंलोकेविपर्ययम् ॥ अश्मनोम्यी निगोवालांस्तुपान्भस्मकपालिकाः । करीपमिष्टकांगाराञ्छर्कराबालुकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणिकालाद्भूमिर्भक्षयेत् । तानिसंधिषुसीमायामप्रकाशानिकारयेत् ॥ एते लिङ्गैर्नयेत्सीमांराजाविवदमानयोः)-अर्थात्- मनुकहते हैं कि सीमापर सर्वत्र सीमावृक्ष लगावै प्रायः (न्यग्रोध) नाम बट बड़गदाके (अश्वत्थ) कहनेसे पीपर पीलण वृक्ष पा- करि निर्गोणी गईभाँट आदि जो जो नामप्रसिद्धहों सभी समुभने (किंशुक) पलाश

ढाखा (शाल्मली) शिबुल सेमर (शाल) जो निजनामसे प्रसिद्ध वनमेंहोताहै (ताल) जिसे ताड़वृक्ष कहतेहैं (क्षीरिणः) जोजो दूधवाले वृक्षकोई और होतेहों औरभी इसभांति के अनेक पादप जोजो होतेहों और (गुल्म)गोलाकार ऊँचेवृक्ष और नानाजाति की बांसी और (शमी)छिंउकरि और (बह्नी) नाम लताबेलि अनेकभाँतिकी और (स्थल) ऊँचे कल्पितटीले आदि (शर)नरसल आदि और (कुब्जक) नाम पुष्पजातिके वृक्ष तथा कुब्जक नाम कँटीले वृक्षोंकी सघन गुल्ममें अर्थात् भाड़ियाँ कल्पितकरै क्योंकि ऐसा करनेसे सीमा नष्टनहीं होसक्ती और भी उपाय इसमें कहतेहैं कि तड़ाग कूप क्षुद्र जलाशय बावड़ी भरने या देवता के स्थल आदि जो कुछ कभी वनावै सो सब सीमा सन्धियों में करवावै (और) योगीश्वर के भी वर्तमान १५६ वाले मूल इलोकमें दर्शायेहुये (सेतु) नामपुल और बल्मीक सर्पकी वँवई आदि चिह्न समुझने यहां सब चिह्न प्रकाशरूपहोतेहैं—पर इसलोकमें मनुष्योंको सदैवसीमा ज्ञानमध्ये किसीविषय-यसे भ्रमउत्पन्नहोजाना सोचिकर कुछ और भी प्रच्छन्नचिह्नराखै किंतु पत्थरोंको या हाडों को गोबालोंको कोद्रवआदिभूसीको राखको ठीकरोंको करसी कंडीको ईंटोंको कोइलोंको कंकरियोंको बालूको इसीप्रकार औरभी जे कोई चीजें ऐसीहों जिनको कालव्यतीत होनेसे मट्टीनहींखासक्तीहो जैसे चीनी लोहकीट कालाञ्जन भामा कपासकेबीज आदि बड़ेमटकोंमें भरिभरि सीमा संधियोंपर अतिगहिरी गाड़िदे इतने येदो भाँतिके सी-मालिंग पहले सामंतादि समूह राजाको दिखलाकर निश्चय करवावै तिनके अनुसार अर्थात् प्रत्यर्थात् दोनोंकी सीमाको राजानिर्णय करै (अत्रसामंतादिसमूहलक्षणं) सामंत स्थविर आदि और गोपसीमाकृषाण और सभी बनचारी लोग इनका समूह ऊपर अक्षरार्थमें संकेतित हुआथा तिनके पृथक् पृथक् लक्षण यहां समुझौ (सामंताः) समंताद्रवाः चतसृषुदिक्ष्वनंतरग्रामादयः तेचप्रतिसीमंव्यवस्थिताः) अर्थात्-समंतात् कहिये सब ओर को ग्राम बसते होतेहैं किंतु प्रत्येक सीमासे मिलाहुआ कोई ग्राम होताहै तौ वेही ग्राम उसके सामंत कहेजातेहैं इसीप्रकार खेतके चौतरफ़ाजो खेतहैं सो उसखेतके सामंत हैं इसीप्रकार मकानके मकान भी सामंत हुआकरतेहैं-तथाच कात्यायनः(ग्रामोग्रामस्यसामंतः क्षेत्रक्षेत्रस्यकीर्तितम् । गृहंगृहस्यनिर्दिष्टसमंतात्परि-रभ्यहि)इनके सिवाय (स्थविर) वृद्धको कहतेहैं पर यहां अवस्थासे कुछ नियम नहीं है-यथाहकात्यायनः(निष्पाद्यमानयैर्दृष्टं तत्कार्यं तद्गुणान्वितैः। वृद्धावायदिवाऽवृद्धास्ने तुवृद्धाः प्रकीर्तिताः) अर्थात्-जिनलोगोंने वह काम कसो बनातेहुये देखाहो और वे आप भी उस कामके विज्ञाताहों किंतु वे भी किसी स्वकीय सीमाके अधिकारी होने के उस कामको समुझतेहों तौ यह लोग वृद्धकहातेहैं अवस्था चाहे बहुत अथवा थोड़ीहो-इनके सिवाय-स्थविर (आदि) शब्द के आशय से मौल और उद्धृत

यह दोनों भी सामन्तादि समूहमें होने योग्य हैं और इनके लक्षण कात्यायनजी ने कहे हैं—यथा ( येतत्रपूर्वसामन्ताः पश्चाद्देशान्तरंगताः । तन्मूलत्वात्तुतेमौलाः ऋषिभिःपरिकीर्तिताः । उपश्रवणसंभोगकार्याख्यानोपचिह्निताः । उद्धरन्तिपुनर्यस्माद्दुःखतास्तेततः स्मृताः ) अर्थात्-जे कोई कभी पहले उसी सीमा के समीप वासी सामन्तकहेजातेथे और वेही पीछे देशान्तरमें रमिगये हों तौवे लोग उसी स्थलके मूलभूत होनेकेहेतुसे अब ( मौल ) कहलावेंगे यदि ऐसे अवसरमें मिलसकना उनकासंभव हो यह ऋषियोंने सब कहा और जे कोई लोगऐसेहों कि उस सीमाका वृत्तांत परंपराद्वारा सुनतेचले आये और संभोग नाम कब्जा उसपर उनका भी कुछ हो यद्वाजिनका कब्जा रहता आयाहो तिनकेकार्योंका आख्यानकहियेकहावति उन्हें मालूमहो तौऐसे लोग फिरभी नष्ट या संदिग्ध सीमाका उद्धार करसक्ते हैं इसलिये वेही ( उद्धृत ) कहलाते हैं-यह सबलोग सामन्तादि समूहमें होनेयोग्यहैं-और उनकेसाथ ( गोप ) भी कि जोजो उसी सीमाके गोचारकहों-और ( सीमाकृपाण ) जोजो उसीसीमाकेसमीपखेत जोतेहोंसो सबकिसान उसीसमूह साथहोनेयोग्यहैं-और भी ( वनचारी ) लोग जोजो वनमें व्याध आदि बहुधाजाते आते यद्वा रहतेहों तिनके नामरूप मनुने दर्शाये हैं-यथा-व्याधा-ञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखातकान् । व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्चवनचारिणः ) अर्थात्- ( व्याध ) जोजो वनजीवोंको मारिकर जीवन वृत्ति करतेहों ( शाकुनिक ) चिड़ीमार ( गोप ) अहीर आदि ( कैवर्त ) मत्स्यघाती लोग ( मूलखातक ) खस आदि मूलखोदनेवाले ( व्यालग्राह ) सर्प पकड़नेवाले ( उञ्छवृत्ती ) सिल्लाआदि चुगनेवाले ( अन्य ) श्व ) और भी फलपुष्प ईंधन आदिलाने का व्यवहार करनेवाले वनचारी उसी सामन्तादि समूह साथ होने योग्यहैं क्योंकि यह सब लोग सदा वनकोजाते आतेमार्ग में उस ग्रामकी सीमसे भेदूरहा करते हैं-यह समूह सामन्तादि अबतक सामान्य भावसे दर्शायागया कि जहांतक मिलसकें इनका होना योग्यहै क्योंकि मिश्रीभूत यही समूह जाकर सीमा चिह्नराजाको दिखलावैगा ( सो ) यह नियम तबतकहै कि जबतक सीमा चिह्न असंदिग्ध बनेहों अर्थात् जहाँ सीमाचिह्न निपट न हों अथवा कुछ संदिग्धहों तहाँ येही लोग यथा क्रमसे पहले पीछे बूझे जायँगे सो उस क्रमका रूप सीमाके निर्णय सहित निचले परिच्छेदमें निर्णीत होगा और उसदशा में इन सबमें पहले साक्षी लोग ढूँढ़े जायँगे १५५ । १५६ ॥

अथसीमा चिह्नभावे संदिग्धेवा तन्निर्णयकरणप्रकार

विवेको नाम चतुःपट्टितमः परिच्छेदः ६४ ॥

इस चौसाठि संख्या के परिच्छेदमें संदिग्ध सीमाके चिह्न निर्णय करने वाला प्रकार जाना जायगा ॥

सामंतावासमग्रामा चत्वारोष्टौदशापिवा । रक्तस्रग्वसनाः सीमानयेयुः क्षितिधारिणः १५७ ॥

अक्ष०—सामंतही वा समग्रामों के निवासी चारि आठ यद्वा दशहों रक्त पुष्पमाला रक्तवस्त्र धारण किये हुये राजाको निश्चय करवावें १५७ ॥

अभि०—सामंतही वा ऐसा कहने का यह अभिप्राय है कि जब सीमाके चिह्न कोई न हों अथवा संदिग्ध हों तौ फिर पहले साक्षियों द्वारा निर्णय करना चाहिये जब कि साक्षी भी न हों तौ फिर सामन्तही लालमाला लालवस्त्र धारण करिके निश्चयकरवावें तिनकी संख्याका यहनियमहै या तौ बहुतअच्छे चारिहों यद्वा आठहों या दश हों-सामंतोंकेलक्षण पहले कहचुकेहैं परन्तुयहां समग्रामा यह विशेषण जो सामंतोंमें लगायागया तिसका यह अभिप्राय है कि सम कहते हैं तुल्यको और अच्छेको भी अर्थात् अर्थी प्रत्यर्थीके समतुल्य ग्रामोंके निवासी हों यद्वा बहुतअच्छे ग्रामों के हों किन्तु तुच्छग्रामों के न हों १५७ ॥

अधि०—इस १५७ वाले मूलश्लोक में दर्शायेहुये सामंतोंका कर्तृत्व भी उसदशा में प्रारंभ होनेयोग्य है कि जब साक्षीलोग न हों यह आशय ऊपर अभिप्रायार्थ से प्रदर्शित हुआ तौफिर उनसे पहले साक्षीलोगों से अपेक्षाठहरी यहीआशय मनुने स्पष्ट करिके कहाहै-यथा (यदिसंशयएवस्याल्लिगानामपिदर्शने । साक्षिप्रत्ययएवस्यात्सीमावादविनिर्णयः) अर्थात्-पूर्वोक्तसामंतादि समूहकरके सीमालिगों के दिखलाते हुये भी यदि संशय खड़ाहोवै किन्तु या तौ सीमालिग न हों या संदिग्धहों तौ फिर साक्षीलोगों के प्रमाण द्वारा सीमावाद निर्णय कियाजावै-इन साक्षियों के लक्षण भी बृहस्पतिने दर्शाये हैं-यथा (आगमंचप्रमाणंचभोगकालंचनामच । भभागलक्षणंचैव येविदुस्तेऽत्रसाक्षिणः) अर्थात्-सीमावाद के निर्णय मध्ये साक्षीलोग ऐसे होने चाहिये जो उसग्राम भूमि के आगमको इसभांति जानते हों कि अमुकामुक प्रकार से यह भूमि अमुक पुरुषों को संप्राप्त हुईथी तथैव उसका प्रमाण भी कि इतनी भूमि मिलीथी और इसभांति भोगकालको कि अमुकामुक समयसे कब्जा उनको मिलाथा और उस दाता तथा ग्रहीताका नाम भी सब साक्षीलोग जानतेहों (तात्पर्य इसका यह कि चाहै उन्हीं सामंतादि समूहों में से जे कोई पुरुष इतना भेद जानतेहों वेही साक्षी कियेजायँ) साक्षीलोग यद्वा सामंतादि जे कोई पुरुष निर्णय करनेपर समुद्यतहों और कदाचित् सीमा चिह्नोंका अभावहो या संदिग्ध चिह्नों तौ निर्णेत लोगोंको अग्रोक्त नारदके वचनानुसार निर्णयकरना चाहिये-यथा (निम्नगा पहतोत्सृष्टनष्टचिह्नासुभूमिषु । तत्प्रदेशानुमानैश्चप्रमाणैर्भोगदर्शनैः) अर्थात्-जो नदी के प्रवाहसे कुछ चिह्न चल विचल होगये अथवा निपट नष्ट होगयेहों ऐसी संशयकी

पृथ्वीओंपर उस प्रदेशमात्रके अनुमानोंसे अथवा नियतप्रमाणोंसे कि इसग्रामकीभूमि ठेठ ग्रामसे प्रारंभ लेकर एकसहस्र दंडकी माप दक्षिण सीमातक प्रसिद्ध है इसीप्रकार पश्चिम आदि चारों दिशाके प्रमाणों से तथैव उसके भोगोंसे कि अमुकामुक टीलेतक या कूप वावड़ी तक सामन्त ग्रामका परिग्रह सबको विदित है तौ इस ग्रामका अमुकामुक ध्रुवांतक होसक्ता है अथवा भोगदर्शन कहने से उसग्रामकी समस्त धरती का रकबा १२८८ बीघेप्रसिद्ध है और उसकेसमीपवर्ती सामंतग्रामका इतनारकबा प्रसिद्ध है कि जिसके सीमा चिह्नभी उपस्थितहों या न हों तौ उनग्रामों के रकबे माप तौल कियेजायँ इससेसीमा निश्चितहोजायगी अथवा स्मार्त्तकालकी अवधि भीतरके प्राचीनभोग चिह्नों को यादिकरके प्रमाण करना तौ भी कार्यसिद्ध होसक्ताहै-साक्षी अथवा सामंतादि जे कोई बूभेजायँ तिसकीयह अग्रोक्तरीतिहै-यथाहमनुः (ग्रामेयक कुलानांतुसमक्षंसीम्निसाक्षिणः । पृष्टव्याःसीमलिंगानितयोश्चैवचवादिना॥तेपृष्टातु यथात्रयुःसमस्ताःसीम्निर्णयम् ) अर्थात्-सीमाकेपासजाकर दोनोंग्रामोंके सामंतादि समूह और वादी प्रतिवादी दोनों के सन्मुख साक्षी लोग सीमा चिह्न बूभते योग्य हैं-और वे बूभेहुये समस्त साक्षी मिलकर जैसा निश्चय बर्णन करें सो सब उनके वचनानुसार कर्गलपत्र पर उस सीमा का नक्शा डौल खींचकर लिख लेना योग्यहै कि जिस्सेभूलैनहीं और उनवक्ता साक्षीलोगोंकेनामभी-कदाचित् सीमाचिह्न कुछ संदिग्ध होने के हेतुसे साक्षियोंकेही वचनों पर विश्वास रखनाहो तब साक्षी लोगों से बूभते हुये पहले शपथें देनी योग्यहैं-यथाहवृहस्पतिः(शपथैःशापिताःस्वैःस्वैर्त्रयुःसीमाविर्णयम् । दर्शयेयुश्चलिंगानितत्प्रमाणमितिस्थितिः) अर्थात्-निज निज शपथोंसे शापित किये साक्षी सीमाका निर्णय कहें और निज कहनेके अनुसार सीमा लिंगभी दिखलावें यद्वा सीमा लिंगोंके अभावमें निज कथनकाही प्रमाण कुछ पहुँचावें जिस्से दृढ़ता पाईजाय यह मर्यादाहै (निज निज शपथोंसे इस कथनका सिद्धांत यहहै कि अपनी अपनी जातिके अनुकूल जो जो शपथ उनके योग्यहो वही दी जावे) यथा (सत्येनशापयेद्विप्रंक्षत्रियंवाहनायुधैः । गोवीजकांचनेवैश्यंशूद्रं सर्वैस्तुपातकैः) औरभी संदिग्ध चिह्नोंके वक्ता साक्षीलोग इसअग्रोक्त रीतिसे बूभेजाने योग्यहै-यथाहमनुः (शिरोभिस्तेगृहीत्वोर्वीस्त्रग्विणोरक्तवाससः । सुकृतैःशापिताःस्वैःस्वैर्नयेषु स्तेसमञ्जसम् ) अर्थात्-लाल पुष्पोंकी माला रक्तवस्त्र पहिरे ओढ़ेहुये मट्टीके डीम अपने शिरपर धरिके निज निज मुखसे अपने सुकृतों करके शापितहुये ठीक ठीक निश्चय करवावें किंतु पक्षपातमें अमत्य नहीं बोलें-निज सुकृतोंसे शापित होना इस रीतिसे कि यह धरित्री रूप मट्टी शिरपर धरी है जो कुछ जानि बूभिकर असत्य बोलें तौ सब सुकृत मट्टी हो जायँ यहां मूलवाक्यमें ( नयेयुः ) अर्थात् निश्चय करवावें



यह साक्षियोंका बहु वचन केवल दो साक्षीका प्रतिषेधकहै कि सिर्फ दोही साक्षी नियत न करने चाहिये परन्तु एकका प्रतिषेधक नहीं समझना क्योंकि नारदने एकहूपर विशेषता दर्शितकरी है-यथा ( एकश्चेदुन्नयेत्सीमांसोपवासःसमुन्नयेत् । रक्तमाल्यांवरधरोभूमिमादायमूर्द्धनि ) अर्थात्-जहांएकही साक्षी नियतहोकर सीमाको निर्णयकरना चाहै तो वह एकसाक्षी एकदिन मात्रकाउपवास नामनिराहारव्रत लेकर सीमा निश्चयकरै परलाल पुष्पोंकी मालारक्तवस्त्र धारणाकिये धरित्रीको शिर पर धरिकै सीमा पासजावै-इसमें एक संशयखड़ाहोता है कि इसअग्रोक्त वाक्यमेंएक साक्षीका प्रतिषेधहै-तद्यथा(नैकःसमुन्नयेत्सीमानरःप्रत्ययवानपि । गुरुत्वादस्यकार्यस्यक्रियैषावहुषुस्थिता)अर्थात्-एकला एक पुरुषचाहै वह प्रामाणिकभी प्रसिद्धहोतौ भी सीमाका निर्णयनहीं करै क्योंकि यहकार्य बहुतबड़ाहै इसहेतुसे यहसीमा निर्णय करनेवाली क्रियाबहुत पुरुषोंपर आरूढ करीगई तौफिर क्योंकरएकपुरुष व्रतलेकर सीमानिर्णय करसक्ता होगा-इसमेंयह परितोषहै किजहां अर्थी प्रत्यर्थीमेंसे कोईएक पक्षी उसकोमानै और एकनहीं मानै तहांएकले साक्षीका प्रतिषेधहै परजब दोनोंमिलकर किसी एकपर प्रधानता रक्खै और वहसाक्षीभी धर्मज्ञ हो तौ प्रतिषेध नहीं-प्रयोजन इसका देखौ परिच्छेद वत्तीस में ७४ मूलश्लोकसे कि ( उभयानुमतःसाक्षी भवत्येकोपिधर्मवित् ) जहां साक्षीलोग निपट नहीं तहां राजासामंतों द्वारा निर्णयकरै-यथाहमनुः(साक्ष्यभावेतु चत्वारोग्रामःसामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयंकुर्युःप्रयतारा जसन्निधौ) अर्थात्-साक्षियोंके अभावमें सामंत वासी किंतु चारों सीमाके निकट निवासी चारोग्राम अर्थात् उनग्रामों के प्रधान पुरुष मिलकर साक्ष्य धर्मसेही राजाके सन्मुख सीमानिर्णय करै-(साक्ष्यधर्म) सेही करनेका यह भावहै रक्तपुष्प वस्त्रादिक जो जो विधि उनमें कहीगई सो सब १५७वाले योगीश्वरके बचनानुसार इनमेंभी समुझनी-जब इनचारों सीमाके सामंत ऐसे नहीं जिनके द्वारा निर्णय होसक्ता तबसामंतोंके संसक्त ग्रामवासी जो उनसे भिडे वसते हों अर्थात् सामंतोंके सामंत चारोग्राम तिनके वासी प्रधान पुरुष लेकर निर्णय कर्त्तव्यहै-इसीप्रकार उनकेभी अभावमें यादूषितहो जानेमें फिर उनके सामंत लेकर निर्णय करै-तथाचकात्यायनः (स्वार्थसिद्धौप्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात् । तत्संसक्तैस्तुकर्त्तव्यउद्धारोनात्रसंशयः ॥ संसक्तसक्तदोषतु तत्संसक्ताःप्रकीर्त्तिताः । कर्त्तव्यानप्रदुष्टास्तुराज्ञाधर्मविजानता ॥ त्यक्त्वादुष्टांस्तुसामंता नन्यान्मौलादिभिःसह । संमिश्यकारयेत्सीमामेवंधर्मविदोविदुः)अर्थात्-अपने कार्य की सिद्धिमध्ये सामंतोंके दूषित होजानेमें उस कार्यकी गौरवतासे उन सामंतोंके सामंतों द्वारा सीमाका उद्धार करना योग्यहै कुछ चिंता इसमें नहीं इसीप्रकार उनके दूषितहो जानेमें उनके सामन्त लेनेकहे हैं अर्थात् मुख्य भगड़ालू सीमाके ग्रामसे

परली ओरवाले यथाक्रमसे तीनग्रामतक चौतरफा लेनेयोग्य ठहरे इस्से धर्मज्ञ राजा कभी दूषित निर्णैता नियत न करै किंतु दूषितहुये सामंतोंको तथैव उनकेभी सामंतोंको इत्यादि सबको छोड़ि छोड़िकर अन्य जे कोई सीमा लिंगोंके विज्ञाताहों तिनको मौलादिकोंमें मिलाकर सीमा निर्णय करवावैं यह सब नियम धर्मज्ञोंने कहा-इनका क्रम कात्यायननेभी कहाहै-यथा (तेषानभावेसामंतमौलवृद्धोद्धृतादयः । स्थावरेषट्प्रकारेपिकार्यानात्रविचारणा ) अर्थात्-उन पूर्वोक्त साक्षियोंके अभावमें यथोक्त क्रमसे तीनोंभांतिके सामंत और तीनों सामंतोंके अभावमें मौल और मौलोंके अभावमें वृद्ध और वृद्धोंके अभावमें उद्धृत आदि निर्णैता किये जासक्ते हैं यह नियम स्थावरके छे भांति विवाद जो ऊपरले परिच्छेदमें कहचुके तिनमें सभीमें समुभना-मौल वृद्ध उद्धृत आदि इनके लक्षण ऊपर६३के परिच्छेदमें आचुके हैं-जब अर्थी या प्रत्यर्थी कोई सामंतोंमें कुछ गूढ़ दोष कल्पित करै और वह दोष कुछ प्रत्यक्ष न पायाजाय और इसी हेतुसे ऊर्ध्वाक्त रीति अनुसार सामंतोंका अतिक्रम किया जाय तौ फिर उनमें संख्या गुणभी करने योग्यहैं-यथाहवृद्धमनुः(सामन्ताःसाधनपूर्वनिर्दोषाःस्युर्गुणावित्ताः । द्विगुणास्तृत्तराज्ञेयास्ततोऽन्येत्रिगुणामताः ) अर्थात्-प्रथम जो सामंत नियत किये जायँ वे सर्वथा निर्दोष और साक्षियों वाले गुणोंसे संयुक्त होने चाहिये पर जब किसी हेतुसे उन्हें छोड़ि उनके प्रति सामंत लिये जायँ तब उन पहिलोंकी अपेक्षा पिछले दूनेलिये जाने चाहिये एवं उन्हें छोड़ि उनके प्रतिसामंत उनसे तिगुनी संख्या होने चाहिये इसी आशयसे योगीश्वरकेभी मूलवाक्यमें चार आठ दशतक संख्या गुण दर्शायेगये इनकी शपथोंका प्रकार जैसा ऊपरवर्णन हुआ सो सर्वत्र समभन्ता जहां कहीं मौलतकभी कोई निर्णैता न मिलसकै तहां वनचारी लोगभी बूभे जासक्ते हैं-यथाहमनुः -(सामन्तानामभावेतुमौलानांसीम्निसाक्षिणाम् । इमानप्यनुयुंजीतपुष्पान्वनगोचरान् ॥ व्याधान्शाकुनिकान्गोपान्कैवर्त्तान्मूलखानकान् । व्यालग्राहानुद्धृत्तीनन्यांश्चवनगोचरान् ) अर्थात्-जहां सीमाके आरंभकालिक साक्षी और सामंत और मौलोंका भी अभावहो तद्वत् ऊपर कात्यायनके दर्शाये हुये क्रम में मौलोंके पश्चात् वृद्ध उद्धृतभी नहीं और इनके पीछे निम्नोक्त नारदके वचनानुसार सीमा कृषाण भी जब न हों तौ अग्रोक्त इन वनचारी लोगोंको भी युक्त करि बूभे किंतु व्याध चिडीमार गोप कैवर्त्त मूलखनक सर्पग्राही उद्धृत्ती और भी यह सबसे पीछे बूभेजायँ-क्योंकि इनसे पहले किसान लोगोंका अर्थ नारदने कहाहै-यथा-( सीमामुचवहियँस्युयँचतत्कृपिजीविनः । गोपाःरुनिधयेचान्येवनगोचराः ) अर्थात्-ठेठ सीमावांपर या वाहर उनके जे कोईहो पर स्थलके कृपिजीवी नाम किसानहों तौ यह भेद उनसे बूभाजाय यद्वा गोप चिर्द-

व्याध आदि और कोई वनचारी लोग जो जो सीमाके समीपजाने आनेका कुछ कार्य सदा रखतेहोंवे भी बूभेजायँ-अब इन सबहीका यथोक्त पहले पीछेके अनुसार क्रम यह जानो-प्रथम साक्षीलोग १ तीनों भाँतिके सामंत २ मौल ३ वृद्ध ४ उद्धृत ५ सीमा कृषाण ६ वनचारीलोग ७-इनमेंसे जिसकिसीने जिसदिन सीमाका निर्णय शपथ उठाकर कियाहो तिसदिनसे लेकर पूरे तीन पक्षकी अवधितक जो कोई राज-दैविक व्यसन उनको न उत्पन्नहो तौ उस कियेहुये निर्णयसे सीमा निश्चितहुई जानो-यही अवधि इस अग्रोक्त कात्यायनके बचना नुसार पाईजातीहै-यथा (सीमासंक्रमणे कोशेपादस्पर्शतथैवच । त्रिपक्षपक्षसप्ताहंदैवराजिकमिष्यते ) अर्थात्-सीमाके निर्णय मध्ये तीन पक्षतक और कोशपान विधिहोने मध्ये एक पक्षतक और गुरुवों के पाद छूकर शपथ उठाने मध्ये सात दिनतक दैवराजिक व्यसन देखाजाताहै १५७ कदाचित् उक्त अवधिके भीतर कुछ रोगादि व्यसन उनपर आनिपरै अथवा अन्यसाक्षियोंके कथनानुसार उनके पूर्व कथनों में कुछ मृषा दोषपाया जाय तौ फिर उनको दंड होना नीचे कहते हैं १५७ ॥

अथसाक्ष्यादिदुष्टनिर्णेतृणांदंडकरणम् ॥

अनृतेतुपृथग्दंड्याराज्ञामध्यमसाहसम् १५८ पूर्वाह्नः ॥

मक्ष०-असत्यमें मध्यम साहस दंडसे राजा करके पृथक् पृथक् दंडनीय हैं १५८ ॥

अभि०-मध्यम साहस दंड ५४० पण कहाते हैं इतना दंड जुदा जुदा प्रत्येक असद्वादी सामंतोंसे राजालेवै-(पर) इस न्यायसे कि जितना जिसका अपराधहो तिसही के अनुसार लेवै किन्तु २७० पणके ऊपर ५४० पणतक जो कुछ लियाजाय सो सब मध्यम साहस दंड गिनाजाता है कुछ परेकाही नियम नहीं यद्यपि यहाँ मूलश्लोकमें सामंतोंका कुछ नाम चिह्न नहींहै तथापि इसहेतुसे सामंत समुभेजाते हैं कि पहले १५७ मूलश्लोकमें योगीश्वरने विशेषकर सामंतही चार आठ दशतक निर्णैता होने कहेथे-दूसरा हेतु इसीका अधिकोक्तिमें भी देखौ १५८ ॥

अधि०-दूसरे इसहेतुसे भी सामंत निश्चित होते हैं कि साक्षी और मौलादिकों का दंडभी ग्रंथांतरमें कुछ औरहै कि जैसा जैसा नीचेलिखेंगे -तथाचमनुः (यथोक्तेन नयंतस्तेपूर्यंतेसत्यसाक्षिणः । विपरीतंनयन्तस्तुदाप्याः स्युर्द्विशतं दमम्) अर्थात्-साक्षियों के असत्य बोलने मध्ये मनुने केवल दोसौ पणका धन दंडलेना कहाहै-और नारदने सामंतोंका नाम कहकर मध्यमसाहस दंडउनको लिखाहै-यथा(अथचेदनृतं ब्रूयुःसामन्ताःसमिनिर्णये । सर्वेपृथक्पृथग्दंड्याराज्ञामध्यमसाहसम् ) अर्थात्-नारद कहते हैं कि जो सामन्त लोगसीमाके निर्णयमें कुछ अनृत बोले हों तौ वे अनृतवादी सब सामन्त मध्यम साहस धनदण्ड से राजाकरके दंडनीयहोंगे-कदाचित्

सामन्तोंके संसक्त सामन्तोंने कुछ अनृतबोलाहो तिनको पूर्वसाहस दंडकितु २७० पणतक यथायोग्य जुर्माना नारदनेकहाहै-यथा(शेषाश्चेदनृतंब्रूयुर्नियुक्ताभूमिकर्मणि। प्रत्येकंतुजघन्यास्तेविनेयाःपूर्वसाहसम्)-अर्थात्-सीमाकार्यमें लगायेहुये मुख्यसामंतों केशेषकहिये संसक्त प्रतिसामंत यद्वाउनकेभी प्रतिसामंत भूठबोलैं तौ यह प्रत्येक जघन्य कक्षावर्तीलोग प्रथम साहसदंडसेही दंडनीयहैं-यही दंडनारदने मौल और वृद्धादिकोंकोभी कहाहै-यथा-(मौलवृद्धादयश्चान्येदंडगत्यापृथक्पृथक् । विनेयाःप्रथमेनैवसाहसेनानृतेस्थिताः) अर्थात्-मौलवृद्धादिकभी जे कोई और भूठबोलेहा वेभी पूर्वसाहसनाम दंडसेही भिन्न भिन्न प्रत्येक दंडनीयहैं परदंड विधिके मार्गसेही जितना जिसपर योग्यहो-इसवचनमें आयेहुये आदिशब्दके आशयसे गोप, शाकुनिक व्याध, वनगोचर आदि समुझने-यद्यपि-शाकुनिकादि मनुष्य बहुधा पापबुद्धि होनेके हेतुसे साक्षात्कार सीमाके निर्णयमध्ये नहींनियुक्तहोसके तौभी पहलेदेखेहुये सीमाके चिह्नमात्र राजाको जतलानेमध्ये वेभी नियतहोते हैं कदाचित् उन्हीं चिह्नोंके जतलातेहुये असत्यबोलैं तिसका दण्डयह दर्शायागया-यद्यपि साक्षी आदि अन्यसबोंकी अपेक्षा सामन्तोंपर अधिकदण्ड दर्शायागया परन्तु सामन्त सबसे प्रधान हुआ करतेहैं इसलिये ऐसे लोगोंके मिथ्या भाषित्व में दण्डाधिक्य होना कुछ अयोग्यनहीं है-यहसब दण्ड केवल अज्ञानसेही अनृत बोलेजाने मध्ये समुझा जाताहै क्योंकि जानिवूझिकर असत्य बोलाजानेमध्ये कात्यायनजीने सबको अधिकदण्ड दर्शायाहै यथा(बहूनान्तुगृहीतानान्सर्वेनिर्णयंयदि। कुर्युर्भयाद्वालोभाद्वादण्ड्यास्तूत्तमसाहसम्) अर्थात्-पूर्वोक्त बहुतसे सामन्त आदि साक्षियों में से नियत करिके लियेहुये निर्णयता लोग जानि वूझि कर यदि सबही निर्णय करनेसे उपरामकरैं चाहे लोभसे या भयसे कुछ सङ्कोच करतेहों तौभी उत्तम साहस नाम दण्डसे सब दण्ड्य होंगे किन्तु १०८० पणतक धनदंड उन प्रत्येकोंसे अपराधोंके अनुसार जितना जिसपर योग्य समुझाजाय भिन्न भिन्नलिया जासक्ता है-तात्पर्य इसका यह कि ५४० पणके ऊपर १०८० पण पर्यंत जितनेपण जिसकिसीके अपराधों अनुसार योग्य समुझे जाकर दंडलियेजायँ वेही उत्तम साहसनाम दण्डमें कहलावेंगे कुछ १०८० पणतक पूर्वोक्त ही नियमनहीं-यही दण्डनिर्णयतालोगोंके वचनभेदमेंभी कात्यायनजीने कहा है-यथा-(कीर्त्तितेयदिभेदःस्यादंड्यास्तूत्तमसाहसम्) अर्थात्-जो निर्णयतालोगोंके कथनोंमें परस्परभेदपायाजाय या आगे पीछे उन्हींके स्वकीय वचनों में दोभाँतिपाई जायँ जिसे निर्णयहोना दुर्घट समुझाजाय तौभी उत्तम साहसकरके दण्डनीयहोंगे ... निर्णयतालोगोंको अज्ञान यद्वा ज्ञानसहित अनृत बोलनेमध्ये यथायोग्य दण्ड फिरसीमाका विचारकरनेको प्रारम्भकरै-तथाचकात्यायनः (

सीमांविचारयेत् -अपिच-त्यक्त्वादुष्टांस्तुसामन्तानन्यान्मौलादिभिःसह ॥संमिश्र्यकारयेत्सीमामेवंधर्मविदोविदुः)-अर्थात्-अज्ञानादि उक्तियों में राजा दंडदेकर फिरभी सीमाको निर्णयकरै-किंतु-दुष्टसामंतादि निर्णैतालोगोंको दंडपूर्वक छोड़िकर पुनि और सज्जनलोगोंको मौलादिकमें मिलाकर सीमानिर्णय करवावै यह धर्मज्ञोंका विचारहै-यद्वा-निर्णैतालोगोंके वचन विरोधमें यदि संभवहो राजा लेख्यपत्रोंसेही निर्णय करवावै-तथाचशंख लिखितौ (सामन्तविरोधेलेख्यप्रत्ययः) १५८ ॥

अथज्ञातृलिङ्गयोरप्यभावेसीमानिर्णयप्रकारविवेकोनामपञ्चषष्टितमःपरिच्छेदः ६५ ॥

इस पैसठि संख्याके परिच्छेदमें उसभाँतिकी सीमाओंका निर्णय प्रकार समुभाजा वेगा कि जिनके निपट कोई चिह्न और उन चिह्नों के विज्ञाता द्रष्टा लोग भी नहीं ॥

अभावेज्ञातृचिह्नानाराजासीमाःप्रवर्तिता १५८ ॥

अक्ष०-ज्ञाता और चिह्नोंके अभावमें राजाही सीमाका प्रवर्तितकरनेवालाहै १५८ ॥

अधि०-यद्यपि ऐसी दशामें स्वाधीनताहै कि राजा आप अपने विचार के अनुसार सीमानिर्णयकरै तौभी प्रथम बृहस्पतिका दर्शायाहुआ उपाय नियतकरना योग्य है कि वादी प्रतिवादीको समुभाकर किसी एकपर विश्वास रखनेका उत्साहदिलावै-यथाहबृहस्पतिः (ज्ञातृचिह्नैर्विनासाधुरेकोप्युभयसंमतः । रक्तमाल्यांबरधरोमृदमादायमूर्द्धनि ॥ सत्यव्रतःसोपवासःसीमांतांदर्शयेन्नरः) अर्थात्-जहाँ सर्वथा सीमालिंगोंके जाननेवालोंका अभावहो और निपट कोई सीमा चिह्न भी न हों और वे दोनों अर्थात् प्रत्यर्था धरणीपालके समुभाजने यद्वा स्वतः परस्पर संमति के होजानेसेही किसी एक धर्मज्ञपर विश्वास रखिकर अपनी सीमाका निपटाराचाहै तहाँ एकही सत्यसंध पुरुष दोनोंका स्वीकार कियाहुआव्रतोपवास लेकर लालपुष्पोंकी मालारक्तवस्त्र धारणकिये मट्टीकाढीम शिरपरधरिकै दोनोंकीसीमा कल्पितकरैतौ यहप्रकारभी निपटारामध्येश्रेष्ठ है-परंच-जहाँवादी प्रतिवादी ऐसा करनेको उत्साह न लावै यद्वा ऐसाकरनेयोग्य कोई सत्यसंधही विश्वासपात्र हाथ न आवै तहाँ राजा आपसीमाकल्पितकरै-तथाचनारदः-(यदाचनस्युर्जातारःसीमायानचलक्षणम् । तदाराजाद्वयोःसीमामुन्नयेदिष्टतःस्वयम्) अर्थात्-जब सीमाके विज्ञातासाक्षी सामंतादि और वृक्षादिकचिह्नभीनहों तौ फिर दोनों कीसीमा राजा आप अपनीइच्छाकेअनुसार कल्पितकरै-किंतु जितनीभूमि दोनोंग्रामोंके बीचमें भूगडेपर आरुढ़हुईहो तिसकोचाहे दोनोंग्रामको आधीआधी बाँटिदे अथवा जैसा अवसर सम्भवजानै तिसके अनुकूल अपनी इच्छाके अनुसार चाहेएकग्रामको थोड़ीऔर दूसरे को कुछ अधिक देकर दोनोंकेबीच सीमा चिह्नकल्पित करवावै-कदाचित्-उतनी सभी भूमि देदेनेसे द्वितीयकी अपेक्षा एकग्रामका उपकाराधिक्य राजासमुझै और यहबातभी प्रत्यक्ष समुभी जातीहो कि इतनी भूमिके न मिलनेसे इसतु-

च्छ ग्रामका निर्वाह दुर्घटहोगा तौफिर दोनोंको न बाँटे किन्तु उसही में लगादेवे-  
यथाहमनुः- (सीमायामविषह्यायांस्वयंराजैवधर्मवित् । प्रदिशेद्भूमिमेकेषामुपकारादिति  
स्थितिः) अर्थात्-सीमा चिह्न और उन चिह्नोंके विज्ञाता भी न होनेसे जो ठीक सीमा  
निश्चित न होसकीहो तिसमें राजा आपही धर्मज्ञ समदर्शीहोकर किसीएकको उप-  
कार हेतुसे वहसारीभूमि समर्पणकरै यहमर्यादा है-(अथनिर्णयावसरः) सर्वत्र सीमाका  
निर्णयराजा ऐसे अवसरमें करवावै जब धरतीके चिह्नकिसी तृणादिकसे आच्छादित  
न होरहेहों -यथाहमनुः ( सीमांप्रतिसमुत्पन्नेविवादेग्रामयोर्द्वयोः । ज्येष्ठेमासिनयेत्सी-  
मांसुप्रकाशेषुसेतुषु) अर्थात्-दो ग्रामों की सीमापरविवाद खड़ाहोनेसे ज्येष्ठमासमेंजब  
ग्रीष्म सूर्यकेआतापसे तृणादिक तथा जलादिक सूखे होनेपर सबसीमा चिह्नदिखाई  
देते होंतवहीं सीमा निर्णय करै-ज्येष्ठमासके उपलक्षणसे जब कभी ऐसा सूखा अवसर  
मिलैतभी सर्वदा सीमानिर्णय होसक्ताहै-ग्राम शब्दके उपलक्षणसे नगरादिकभी सब  
समुभेजातेहैं-अतएवकात्यायनः (सामन्ताश्चेत्तुसामन्तैः कुर्यात्क्षेत्रादिनिर्णयम् ।  
ग्रामसीमादिषुतथा तद्वन्नगरदेशयोः) अर्थात्-यदि ग्रामादिक सीमाओंपर या तद्वत्  
नगर देशों की सीमाओंपर सामन्त परस्पर भगड़ारोपें तौ सामन्तोंसेही क्षेत्र आदि  
निर्णय राजा करै-ग्रामादिक सीमा कहने से गृहादि सीमा भी सब समुभीजाती हैं-  
एवं क्षेत्र आदि निर्णय कहने से सब सीमा निर्णय समुभेजाते हैं किन्तु जहां जैसी  
सीमाका भगड़ाहो उसीके सामन्त भी आवश्यकहैं (अथनद्यादिदत्तभूमेर्विचारः) तदाह  
वहस्पतिः (ग्रामयोरुभयोर्यत्र मर्यादाकल्पितानदी । कुरुतेदानहरणं भाग्याभाग्य  
वशान्नृणाम् ॥ एकत्रकूलपातन्तु भूमेरन्यत्रसंस्थितिम् । नदीतीरेप्रकुरुते तस्यतान्न  
विचालयेत् ( तस्यभाग्याभाग्यवशकृतस्येतिसम्बन्धः यद्वा तस्यसंप्राप्तभूमिकपुरुष  
स्यतांप्राप्तांभूमिनविचालयेद्राजेतिसाधुः) अर्थात्-जहां कहीं दो ग्रामों या दो नगरों  
या दो देशों के बीच कोई नदीही मर्यादा नाम सीमा कल्पित होतीहै तौ वह नदी  
मनुष्योंके भाग्य तथा अभाग्य से वश होकर कभी धरती का दान तथा हरण किया  
करती है कि एकओर धरती में कूलपात करके नदी दूसरीओर आप जाटिकतीहै  
अर्थात् वर्षाकी बहुताइतसे निज तीरोंपर यह भाव प्रकट करती है सो इसकियेहुए  
को राजा कभी विचालै नहीं किन्तु जिसको नदीने भूमिदानकियाहो तिसकी पाईहुई  
भूमि कभी पूर्वस्वामीको न देवे (सो) यह न्याय केवल बिना बोईधरतीका समुभन  
क्योंकि उन्हीं वहस्पतिने बोईहुई धरती का न्यायान्तर वर्णनकियाहै-यथा ( क्षेत्रंमम  
स्यमुल्लंघ्यभूमिश्चिन्नयादाभवेत् । नदीश्रोतःप्रवाहेणपूर्वस्वामीलभेतताम् ) अर्थात्-  
वहस्पति कहते हैं कि जब नदी अपने वेगप्रवाहसे धान्यसहित खेतको उलांघिजावै  
जिस्से बोईहुई धरती कटिकर सीमासे बाहरहोजाय तौ यह पूर्वस्वामीही उसधरती



को पावै-अर्थात् जबतक वही बोईहुई खेती पकिकर कुछ अन्नादिकफल देदेवै तबतक पूर्वस्वामी उसका मालिकरहै तत्पश्चात् ऊर्ध्ववचनों के अनुसार वही मालिकहोगा जिसकी सीमामें मिलगईहो-कदाचित्-कटी धरतीका परिमाण समुभाजानेकी आवश्य-कता पाईजाय तौ अग्रोक्तरीतिसे मालूम होसक्ताहै-तद्यथा (सार्द्धहस्तशतंयावद्गर्भ-तस्तीरमुच्यते । भाद्रकृष्णचतुर्दश्यां यावदाक्रमतेजलम् ॥ तावद्गर्भविजानीयात् तदन्यतीरमुच्यते) अर्थात्-नदीके गर्भस्थानसे प्रारम्भलेकर १५० डेढ़सौहाथभूमि जहांतक होसक्तीहो उतनीधरती नदीके(तीर)नाम कूल गिनाजाताहै-और गर्भस्थान का यह लक्षणहै कि अच्छी वर्षा होनेसे भाद्रकृष्णा चौदसिका नदी में बाढ़ि आकर जलका चढ़ाउ जहांतक जापहुंचै उतना गर्भस्थान कहाताहै फिर उसके उपरान्त १५० हाथ भूमि नदीकातीर समुभाजाताहै ( अथराजदत्तभूमेविचारः ) जैसे नदी तैसे राजाकी भी दीहुईभूमि फिर वापिस नहीं होतीहै-तदाहृहस्पतिः (अन्यग्रामात्समा हृत्य दत्तान्यस्ययदामही । महानद्याथराज्ञाच कथं तत्रविचारणा ॥ नद्योत्सृष्टाराजदत्ता यस्यतस्यैवसामही । अन्यथानभवेत्लाभो नराणांराजदैविकः ॥ क्षयोदयौजीवनंच दैव राजवशान्नृणाम् । तस्मात्सर्वेषुकार्येषु तत्कृतंनविचालयेत् ( दैवशब्दस्यभाग्यवा-चित्वान्नदीदत्तमपिदैवकृतंभवत्येव)अर्थात्-जहां किसी सीमारूप नदीने या राजाने-ही अन्य ग्रामकी धरती लेकर अन्यको देदीहो तहां क्योंकर निर्णय कियाजाय ऐसी चिन्तामध्ये कहते हैं कि नदीकी छोड़ीहुई या राजाकी दीहुई जिसको मिलीहो उसीकी वह धरती जानो क्योंकि राज दैविक दोनोंभांतिकालाभ जो मनुष्योंको कुछ हुआहो सो अन्यथा विपरीत नहीं कियाजासक्ता किन्तु क्षय और उदय तथैव जीवन भी मनुष्यों के दैव अथवा राजके वशहोते हैं तिसहेतुसे सबकामों में उस दैव अथवा राजनेही जो कुछ कियाहो तिसको राजा आदि कोई पुरुष विचालै नहीं ( यहाँ दैव शब्द भाग्य वाचकहोनेसे नदीका जो करनाहै सो उस पुरुषकेही भाग्यका कर्तृत्वजा-नो )-( यहाँ राजाकरके दीहुई धरतीके वापिसहोने मध्ये जो प्रतिषेध अभी दर्शाया तिसका किंचित् प्रतिप्रसव भी निज उन्हीं बृहस्पतिने दर्शायाहै ) कि अमुकामुक ध-रती वापिस होनेका प्रतिषेध मत समुभौ-तद्यथा (याराज्ञाक्रोधलोभेनञ्जलन्यायेनवा हता । प्रदत्तान्यस्यदुष्टेननसासिद्धिमवाप्नुयात् ) अर्थात्-जो कोई धरती किसी दुर्जन राजा ने कुछ क्रोध लोभ या झल न्यायसेही हरिकर और को देदीहो सो वह धरती दान सिद्धिको न पहुँचै किन्तु कोई धार्मिक राजा ऐसी धरती वापिस लेकर पूर्व-स्वामी को देसक्ताहै-परंच-ऐसा करना केवल उसी अवस्था में संसूचितहै जो पूर्व स्वामी की वह धरती स्वत्व हेतु भूत प्रतिग्रह आदि प्रकारों द्वारा पाई हुई प्रमाण पावै-क्योंकि-स्वत्व हेतु भूत प्रतिग्रह आदि प्रमाणों के न होने में निज उन्हीं बृहस्प-



आदि(गृह) छोटेमकान (प्रासाद) बड़ेमहल और कोट आदि तद्वत् राजमन्दिर देव-  
मन्दिर इनसबहीके विवादों मध्ये निर्णयका प्रकार वहीसमुझना जो कुछ पहलेवर्णन  
हुआथा-यहसब सीमा निर्णय विधिके अतिदेशधर्मद्वारा एकसामान्य प्रकार दर्शित  
कियागया परन्तु इनके निर्णयका जो विशेष प्रकारहै सो बृहस्पति ने दर्शायाहै-यथा-  
(निवेशकालादारभ्यगृहचर्यापणादिकम् । येनयावद्यथाभुक्तंतस्यतन्नविचालयेत् )अ-  
र्थान्-गृहादिकों के निवेशकाल कहिये निर्मित होनेके समयसे यद्वापहले किसीस्वामी  
के परिग्रह में आजानेकेही कालसे लेकर उसकी (गृहचर्या) नाम घरकाडौल प्रचार  
भूमिनिकास द्वार आदि यद्वा हाट दूकान आदि जैसाडौल जितनी भूमितक जिस  
पहले स्वामीने भोगाहो तिसके उतने डौल युक्तभोग को राजा नहींविचाले किन्तु  
उरसेपीछे बसनेवाली किसी परोसी भगडालूके सुखहेतु से अन्यथा न करदेवे(इसमें  
निवेशकालके आरम्भसे लेकर जैसाडौल कहने से मध्यकालकृत व्यवस्थाका निर्व-  
त्यत्व सूचित हुआ है अर्थात् बीचमें जो कोई बात नवीन कल्पित हुईहो तिसको  
राजा मेटिसक्ताहै यदि किसीपूर्ववासी को उसवातसे दुःखसमुभाजाय ) यहाँपूर्वकाल  
अथवा मध्यकालका यह निर्णय है कि सबसे पहले किसी भूमिपर किसी स्वामी ने  
कुछस्थान कल्पितकिया तो उस कल्पित होने का समय यद्यपि एकप्रकारका निवेश  
काल है और इस कथन से यहवात सिद्धहोती है कि जैसाडौल उसी निवेश कालमें  
बनचुकाहो वही रहना चाहिये किन्तु उरसे पीछे बीच में जो कोई बात कल्पितहो  
सो मिटसक्ती है तथापि यह नियम उसी अवस्था तक समुभा जा सक्ता है  
कि उसके निवेशकाल से पीछे कोई और भी स्थान किसी प्रतिवासीने कुछ क-  
ल्पित कियाहो अर्थात् जबतक कोई और प्रतिवासी नहीं बसताहो तबतक जो कुछ  
उसने वारम्बार कल्पित कियाहो सो सब निवेशकालके आरंभमेंही गिनतीहै-एवं-  
जहाँ पूर्वस्थान का निर्माता कुछ दिन बसिकर छोड़िजाय और वह स्थान किसी द्वि-  
तीय स्वामीके परिग्रहमें धर्मानुसार आवै जबतक कोई और प्रतिवासी उसके लगा-  
हटमें न बसताहो और वह द्वितीय स्वामी जो कुछ बीचमें भी कल्पित करै सो सब  
निवेशकालके प्रारंभसेही कल्पितहुआ समुभा जासक्ताहै ( पर ) जब उसके छोड़जाने  
से पहले या पीछे कोई और प्रतिवासी भी बसिचुकाहो तिसके पीछे किसी द्वितीय  
स्वामीके परिग्रहमें यदिवही पहला स्थानकभी आवै तो अब उसका कल्पित करना  
मध्य व्यवस्था समुभी जायगी यदि किसी प्रतिवासीको दुःखमिलना समुभाजाय अ-  
न्यथा जो प्रतिवासी आदि उपास्थित किसी मनुष्यको कुछ पीड़ा अथवा हानिसंभव  
नहीं समुभाजाय तो यह नवीन कल्पन भी राजा अपने विचारसे सुस्थिर बना रख  
सक्ताहै या न्यूनाधिक भाव शोधन करनेकी आज्ञा भी देसक्ताहै-अत्रोक्त जोजोडौल

निवेशकालके आरंभसेही कल्पितहुये निश्चितहों यद्यपि उनसे प्रतिवासी आदिकिसी उपस्थित जनको अनिष्टहेतु भी कुछ समुभाजाय तौभी वेनिर्वर्तितनहीं किये जासके हैं- यथाहृहस्पतिः (वातायनंप्रणालीचतथानिर्व्यूहवेदिका । चतुःशालस्यन्दनिका प्राङ्निविष्टान्नचालयेत् ) अर्थात्-( वातायन ) गवाक्ष जालभरोखा रोशनदान आदि (प्रणाली)पनाला,पतनाला,मोरी आदि जिस्से घर आँगणका जलकीचड़आदि निकसे (निर्व्यूहवेदिका) नाम द्वार आगे छज्जा या चवूतराआदि और द्वारसन्मुखप्रांगणभूमि भी ( चतुःशालस्यन्दनिका)नामचौवाड़ा अटारीमेंसे जो पतनाला या खिड़कीआदि निकालेगये हों इनसबको राजा पहले बने विचालै नहीं-कात्यायनोपि ( मेखलाभ्रमनिष्काशगवाक्षान्नोपरोधयेत् । प्रणालीगृहवास्तुअपीडयन्दंडभागभवेत् )अर्थात्-(मेखला) जो भीतका सहारा पुस्ता बाँधागयाहो यद्वा ऊपरकी कँगनी जो चौतरफ़ा छोटीछज्जी के अनुरूप भीतकीरक्षा अथवा शोभा रक्खीजातीहै (भ्रम) अर्थात् जलका निकास जिसमें घरकी मोरी जाकर मिलती हैं (निष्काश) नाम द्वार ऊपर छज्जा (गवाक्ष) नाम वायु प्रवेश होनेके भरोखे आदि (प्रणाली) घरकी मोरी पतनाला आदि (गृहवास्तु) गृहसंबंधी वास भूमि जो बैठने बसने योग्य हो इनको रोकै नहीं और जो कोई इनको व्यर्थ पीड़ित करता हो तिसको राजा दंडदेवै-परंतुयेही उक्तचीजें जोजो पहलेसे नहीं तौ फिर पीछे निर्मित करने में यदि औरोंको अनिष्ट खड़ाहोता हो तिनके करने का प्रतिषेधहै-यथाहकात्यायनः(निवेशनमयादूर्ध्वनैतेयोज्याः कदाचन । दृष्टिपातंप्रणाली चनकुर्यात्परवेश्मसु ) अर्थात्-ये सब ऊपर कहे पदार्थकभी निवेशकाल से उपरांत नहीं लगाने योग्यहैं किजिनसे किसी औरको अनिष्ट खड़ा होताहो और भी (दृष्टिपात) नाम भरोखा आदि या प्रणालीको पराये घरोंकेबीच अथवा द्वार सन्मुखनहींबनावें ॥ ( अत्रसीमाशुद्धिप्रसंगात् अवस्करादीनामप्यकरणवेदितव्यम् ) अर्थात् सीमा शुद्धि के प्रसंगसे इसी स्थलपर यह मर्यादा भी ज्ञातव्य है कि औरोंकेघर दीवार समीप कृग कर्कट आदि मलीनताकरनेका प्रतिषेधहै-यथाहृहस्पतिः ( वर्चःस्थानंवह्निचयगतां च्छिष्टाम्बुसेचनम् । अत्यारात्परकुड्यस्यनकर्तव्यंकथञ्चन ) अर्थात् ( वर्चःस्थानं ) शौच छोवी आदि हगने मूतनेका स्थान ( वह्निचयः ) पोर अलाउभट्टी आदि अग्निके समूह ( गर्त ) गड़हिला ( उच्छिष्ट ) जूठी पत्तल आदि फेंकना ( अंबुसेचन ) कीचड़करना इन बातोंको पराईभीतके अत्यंत समीप कभी कैसेहू न करनाचाहिये अत्यंत समीप की यह अवधिहै कि दो हाथ जगह छोड़िकर कर्तव्यहै और दो हाथोंका परिमाण इमारती गजभरलेनायोग्य है-तथाहकात्यायनः ( विष्मूत्रोदकमेवञ्चवाह्निश्चअनिवेशनम् । अरतिद्वयमुत्सृज्यपरकुड्यान्निवेशयेत् ) अर्थात्-विष्मूत्र जल प्रक्षेप अग्निमूत्र ( श्वधं ) द्विद्र गड़हिला ( निवेगन ) बैठना यह सब काम पराईभीतसे दो अग्निकेनाम

दोहाथ जगह छोड़करके करै-अरलि-यद्यपि-एक बिलाँद मात्र पहुँचाकी गाँठितक भी कही जातीहै पर्यहाँ मुट्टीबिँधा हाथ कुहनी की गाँठितक अपेक्षितहै कि जितना एक इमारती गजका अद्दालाक विदितहै ऐसी दो अरलि नाम इमारती गजभर जगह ब-चानी योग्यहै अर्थात् इसके भीतर करना अत्यारात् किया कहाताहै-इसके सिवाय-संसरण अर्थात् सर्व साधारणों का दगड़ा भी रोकना या विगाड़ना प्रतिषिद्ध है यथाह बृहस्पतिः-( यांत्यायान्तिजनायेनपशवश्चानिवारिताः । तदुच्यतेसंसरणंनरो द्वव्यंतुकेनचित् ) अर्थात्-जिसमें मनुष्य और पशुभी अनिवारित विनारोक टोक जाते आतेहों सो संसरण मार्ग कहिलाता है वह किसी करके रोधना या विगाड़ना चाहिये-एवं-चौराहा आदि भी रूँधने योग्य नहीं-यथाहनारदः-( अवस्करस्थल श्वभ्रभ्रमस्यन्दनिकादिभिः । चतुष्पथसुरस्थानराजमार्गान्नरोधयेत् ) अर्थात्-( अवस्कर ) कूरा कर्कट घूरा विष्ठा मूत्र आदि ( स्थल ) टीला चबूतराआदि ( श्वभ्र ) गड़हिला ( भ्रम ) जलका निकास नाली आदि ( स्यन्दनिका ) जो अटारी की छतों से जलकी मोरी गिरतीहों यद्वा भ्रमड़े वृक्षादिक जिनकी शाखालम्बी फैलीहों यह भी अर्थ समुझना और ( आदि ) शब्दके आशय से जे कोई और चीजें इसीप्रकार कीहों-दृष्टान्त-जैसे किसी छप्परका कोना लम्बा फैलजाय इत्यादि बहुधावातें ऊहा करनी इनसे कोई चौराहा यद्वा देवस्थान तथैव राजमार्ग बड़ी सड़कों को रूँधै तथा विगाड़ैनहीं-यद्यपि-राजमार्ग बड़ी सड़कों को सामान्यभाव कहते हैं परञ्च उसमें एक विशेषताहै और चौराहा यद्यपि चारमार्गों के संघातकोही कहतेहैं तथापि उसकीएक विशेषता से सामान्य सड़केंभी चौराहा तुल्य मानीजातीहैं-तथाचकात्यायनः-(सर्वेज नाःसदायेनप्रयान्तिसचतुष्पथः । अनिषिद्धायथाकालंराजमार्गःसउच्यते)-अर्थात्-अनिषिद्धानाम विनारोके टोके साधारण सभी मनुष्य हरवक्त जिसमें जातेफिरतेहों वह सामान्य मार्गभी चतुष्पथ समुझाजाताहै और जिसमें नियतकाल परही सबजा सक्तेहों किंतु कुसमयका जाना जहाँ राजपुरुषोंकरके रोकाजाय सो वहराजमार्ग माना जाता है-इसके सिवाय-जहाँ खेतके समीप अथवा बीचमें सर्वदामार्ग चलाआताहो तहाँ क्षेत्रपति अथवा क्षेत्रकर्षक ऐसे मार्गका निरोधनकरै-तथाचशङ्खलिखितौ-(मार्ग क्षेत्रेपथिविसर्गोराजमार्गेरथस्यपरिवर्त्तनम्)-अर्थात्-राहवाले खेतमें राहछोड़िकर जो-तनावोना योग्यहै और उसमें रूँधि लगाना अनुचित एवं राजमार्गमें रथका परिव-र्त्तन कहिये घुमाव छोड़िदेना योग्यहै कि जितनी भूमिसे रथादिक यान परस्पर भिड़ ने बिना घूमिसक्ते हों उतनी भूमि कोई निकट वासी अपने स्थानादि किसीहेतु करके रूँधैनहीं या कोई और बटोही आदि किसी गाड़ी और पशुवादि के संघात करके रोपै नहीं किन्तु ऐसा करनेवाले यथा पराध दंडनीय हैं -तथाहबृहस्पतिः-( यस्तत्रसंकरं

निवेशकालके आरंभसेही कल्पितहुये निश्चितहों यद्यपि उनसे प्रतिवासी आदि किसी उपस्थित जनको अनिष्टहेतु भी कुछ समुभाजाय तौभी वेनिर्वर्तितनहीं किये जासके हैं- यथाहृहस्पतिः (वातायनंप्रणालीचतथानिर्व्यूहवेदिका । चतुःशालस्यन्दनिका प्राङ्निविष्टान्नचालयेत् ) अर्थात्-( वातायन ) गवाक्ष जालभरोखा रोशनदान आदि (प्रणाली)पनाला,पतनाला,मोरी आदि जिस्से घर आँगणका जलकीचड़आदि निकसे (निर्व्यूहवेदिका) नाम द्वार आगे छज्जा या चवूतराआदि और द्वारसन्मुखप्रांगणभूमि भी ( चतुःशालस्यन्दनिका)नामचौवाड़ा अटारीमेंसे जो पतनाला या खिड़कीआदि निकालेगये हों इनसबको राजा पहले बने विचालै नहीं-कात्यायनोपि ( मेखलाभ्रमनिष्काशगवाक्षान्नोपरोधयेत् । प्रणालीगृहवास्तुञ्चपीडयन्दंडभागभवेत् )अर्थात्-(मेखला) जो भीतका सहारा पुस्ता बाँधागयाहो यद्वा ऊपरकी कँगनी जो चौतरफ़ा छोटीछज्जी के अनुरूप भीतकीरक्षा अथवा शोभा रक्खीजातीहै (भ्रम) अर्थात् जलका निकास जिसमें घरकी मोरी जाकर मिलती हैं (निष्काश) नाम द्वार ऊपर छज्जा (गवाक्ष) नाम वायु प्रवेश होनेके भरोखे आदि (प्रणाली) घरकी मोरी पतनाला आदि (गृहवास्तु) गृहसंबंधी वास भूमि जो बैठने बसने योग्य हो इनको रोकै नहीं और जो कोई इनको व्यर्थ पीडित करता हो तिसको राजा दंडदेवै-परंतुयेही उक्तचीजें जोजो पहलेसे नहों तौ फिर पीछे निर्मित करने में यदि औरोंको अनिष्ट खड़ाहोता हो तिनके करने का प्रतिषेधहै-यथाहकात्यायनः(निवेशनमयादूर्ध्वनैतेयोज्याः कदाचन । दृष्टिपातंप्रणाली चनकुर्यात्परवेद्मसु ) अर्थात्-ये सब ऊपर कहे पदार्थकभी निवेशकाल से उपरांत नहीं लगाने योग्यहैं किजिनसे किसी औरको अनिष्ट खड़ा होताहो और भी (दृष्टिपात) नाम भरोखा आदि या प्रणालीको पराये घरोंकेबीच अथवा द्वार सन्मुखनहींबनावै ॥ ( अत्रसीमाशुद्धिप्रसंगात् अवस्करादीनामप्यकरणवेदितव्यम् ) अर्थात् सीमा शुद्धि के प्रसंगसे इसी स्थलपर यह मर्यादा भी ज्ञातव्य है कि औरोंकेघर दीवार समीप कूरा कर्कट आदि मलीनताकरनेका प्रतिषेधहै-यथाहृहस्पतिः ( बर्चःस्थानंवह्निचयगतां च्छिष्टाम्बुसेचनम् । अत्यारात्परकुड्यस्यनकर्तव्यंकथञ्चन ) अर्थात् ( बर्चःस्थानं ) द्वार छोबी आदि हगने मूतनेका स्थान ( वह्निचयः ) पोर अलाउभट्टी आदि अग्निका समूह ( गर्त ) गड़हिला ( उच्छिष्ट ) जूठी पत्तल आदि फेंकना ( अंबुसेचन ) कीचड़करना इन बातोंको पराईभीतके अत्यंत समीप कभी कैसेहू न करनाचाहिये अत्यंत समीप की यह अवधिहै कि दो हाथ जगह छोड़िकर कर्तव्यहै और दो हाथोंका परिमाण इमारती गजभरलेनायोग्य है-तथाहकात्यायनः ( विष्मूत्रोदकमेवञ्चवह्निश्वभ्रनिवेशनम् । अरत्निद्वयमुत्सृज्यपरकुड्यान्निवेशयेत् ) अर्थात्-विष्मूत्र जल प्रक्षेप अग्निसमूह ( श्वभ्रं ) छिद्र गड़हिला ( निवेशन ) बैठना यह सब काम पराईभीतसे दो अरत्निनाम



दोहाथ जगह छोड़करके करै-अरलि-यद्यपि-एक विलाँद मात्र पहुँचाकी गाँठितक भी कही जातीहै पर्यहाँ मुट्टीबँधा हाथ कुहनी की गाँठितक अपेक्षितहै कि जितना एक इमारती गजका अद्दालाक विदितहै ऐसी दो अरलि नाम इमारती गजभर जगह ब-चानी योग्यहै अर्थात् इसके भीतर करना अत्यारात् किया कहाताहै-इसके सिवाय-संसरण अर्थात् सर्व साधारणों का दगड़ा भी रोकना या बिगाड़ना प्रतिषिद्ध है यथाह बृहस्पतिः-( यांत्यायान्तिजनायेनपशवश्चानिवारिताः । तदुच्यतेसंसरणंनरो द्वव्यंतुकेनचित् ) अर्थात्-जिसमें मनुष्य और पशुभी अनिवारित बिनारोक टोक जाते आतेहों सो संसरण मार्ग कहिलाता है वह किसी करके रोधना या बिगाड़ना चाहिये-एवं-चौराहा आदि भी रूँधने योग्य नहीं-यथाहनारदः-( अवस्करस्थल श्वभ्रमस्यन्दनिकादिभिः । चतुष्पथसुरस्थानराजमार्गान्नरोधयेत् ) अर्थात्-(अवस्कर) कूरा कर्कट घूरा विष्ठा मूत्र आदि (स्थल) टीला चबूतराआदि ( श्वभ्र ) गड़हिला ( भ्रम ) जलका निकास नाली आदि ( स्यन्दनिका ) जो अटारी की छतों से जलकी मोरी गिरतीहों यद्वा भूमड़े वृक्षादिक जिनकी शाखालम्बी फैलीहों यह भी अर्थ समुझना और ( आदि ) शब्दके आशय से जे कोई और चीजें इसीप्रकार कीहों-दृष्टान्त-जैसे किसी छप्परका कोना लम्बा फैलजाय इत्यादि बहुधावातें ऊहा करनी इनसे कोई चौराहा यद्वा देवस्थान तथैव राजमार्ग बड़ी सड़कों को रूँधै तथा बिगाड़ैनहीं-यद्यपि-राजमार्ग बड़ी सड़कों को सामान्यभाव कहते हैं परञ्च उसमें एक विशेषताहै और चौराहा यद्यपि चारमार्गों के संघातकोही कहतेहैं तथापि उसकीएक विशेषता से सामान्य सड़केंभी चौराहा तुल्य मानीजातीहैं-तथाचकात्यायनः-(सर्वेज नाःसदायेनप्रयान्तिसचतुष्पथः । अनिषिद्धायथाकालंराजमार्गःसउच्यते)-अर्थात्-अनिषिद्धानाम बिनारोके टोके साधारण सभी मनुष्य हरवक्त जिसमें जातेफिरतेहों वह सामान्य मार्गभी चतुष्पथ समुझाजाताहै और जिसमें नियतकाल परही सबजा सक्तेहों किंतु कुसमयका जाना जहाँ राजपुरुषोंकरके रोकाजाय सो वहराजमार्ग माना जाता है-इसके सिवाय-जहाँ खेतके समीप अथवा बीचमें सर्वदामार्ग चलाआताहो तहाँ क्षेत्रपति अथवा क्षेत्रकर्षक ऐसे मार्गका निरोधनकरै-तथाचशङ्खलिखितौ-(मार्ग क्षेत्रेपथिविसर्गौराजमार्गेरथस्यपरिवर्त्तनम्)-अर्थात्-राहवाले खेतमें राहछोड़कर जो-तनावोना योग्यहै और उसमें रूँधि लगाना अनुचित एवं राजमार्गमें रथका परिव-र्त्तन कहिये घुमाव छोड़िदेना योग्यहै कि जितनी भूमिसे रथादिक यान परस्पर भिड़ ने बिना घूमिसक्ते हों उतनी भूमि कोई निकट वासी अपने स्थानादि किसीहेतु करके रूँधैनहीं या कोई और बटोही आदि किसी गाड़ी और पशुवादि के संघात करके रोपै नहीं किन्तु ऐसा करनेवाले यथा पराध दंडनीय हैं -तथाहबृहस्पतिः-( यस्तत्रसंकरं

श्वभ्रंक्षारोपणमेवच । कामात्पुरीषंकुर्याच्चतस्यदंडस्तुमाषकः ) अर्थात्-जो कोई ऊपर कहेहुये संसरणोंमें कुछ (संकर) नाम गाड़ी और पश्वादिकसे अति संघटकरै यद्वाकोई भाँति गड़हिला यद्वा वृक्षारोपणकरै अथवा इच्छा पूर्व हगिदेवै तिसपर एक माषक जुर्मानादंड है (अपराधाल्पत्वान्माषोत्रताम्रिकः ) इसके सिवाय जे कोई ठेठ राज मार्ग में कुछ हगने आदि मलीनताकरें तिनपर अधिक दंड कहा है-यथाहमनुः- (समुत्सजेद्राजमार्गेयस्त्वमेध्यमनापदि । सद्गौकार्षापणौदद्यादमेध्यंचाशुशोधयेत् ) अर्थात्-जो कोई राजमार्ग में कुछ आपत्काल बिना मलीनता छोड़ै वह दो कार्षापण दण्ड देवे और उस मलीनता कोभी शीघ्र शोधनकरै-विपत्ति युक्तादिक ऐसा करनेवालोंपर यहदण्डनहीं किंतु उनका दण्ड और है-यथाहमनुः(आपद्गतस्तथावद्वागर्भिणीबालएवच । परिभाषणमर्हति तच्चशोधमितिस्थितिः ) -अर्थात्-आपत्ति में फँसाहुआ तथा वृद्ध गर्भिणी बालक इनमें से यदिकोई मैलाकरें तौ यह केवल क्रूर वाक्य सुनिवे योग्यहैं और मैलाभी संशोधनकरें यह मर्यादाहै-तड़ागादिकमें मलीन करनेमध्ये राजमार्ग से भी अधिक दण्डहै-तथाहकात्यायनः-(तड़ागोद्यानतीर्थानियोऽमेध्येनविनाशयेत् । अमेध्यंशोधयित्वातुदण्डयेत्पूर्वसाहसम् )-अर्थात्-तालाब क्रीड़ा भूमि तीर्थ इनको जोकोई अशुचि वस्तुओं से विनाशै वहउस मलीनताके शोधवाने पीछे पूर्वसाहस नामदण्ड २७० पणतक दिलवाने योग्यहै-और-जे कोई मलीन वस्त्र धोने आदि से प्रसिद्ध तीर्थोंको बिगाड़ें वेभी यही दण्डपावै-यथाहकात्यायनः-(दूषयेत्सिद्धतीर्थानिस्थापितानिमहात्मनि । पुण्यानिपावनीयानिप्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् )-अर्थात्-महात्मा लोगों के स्थापितकिये पवित्र करनेवाले पुण्यरूप सिद्धतीर्थोंको यदि कोई दूषितकरै पूर्वसाहस दण्डपावै १५९ ॥

(अथसीमाप्रभेदनादौदण्डः)

मर्यादायाःप्रभेदेतुसीमातिक्रमणेतथा । क्षेत्रस्यहरणेदण्डाअधमोत्तममध्यमाः १६० ॥

अक्ष०-मर्यादाके तोड़नेमें तथैव सीमाके अतिक्रम करने में और खेतके हरने में क्रमसे अधम उत्तम मध्यम दंडहोंगे १६० ॥

अभि०-यहाँ सीमा और मर्यादा दोनोंका एकही भाव समुझना किन्तु अनेकखेतों का भिन्नत्व दर्शानेवाली छोड़ीहुई साधारण धरती मर्यादा कही जातीहै अर्थात् वह भी क्षेत्रसीमाहै यदिकोई कर्षक जोता आदि ऐसी मर्यादाको कुछ तोड़िडालै तौ उस पर अधमदंड नाम पूर्वसाहसदंड २७० पणतक होसक्ताहै और जिसने उसी मर्यादा नाम सीमाको उल्लाँघि अथवा तोड़िकर कुछ धरती दाबीहो तिसपर उत्तम साहस दंड १०८० पणतक होसक्ताहै क्योंकि उसने निपट सीमा चिह्न मिटाया और जिसने कोई खेत किसीको भयादिक दिखराइकर हरिलियाहो या हरनेके मनोरथ से कुछ

उद्यम कियाहो तिसपर मध्यम साहसदंड ५४० पणतक होसक्ताहै कि जितना उसका अपराध समुभाजाय-यहाँ क्षेत्रमात्र कहिनेसे घर बागीचा आदि सबकी सीमा समुभिलेनी जिनका चर्चाऊपर हुआ हो १६० ॥

अधि०-ऊर्ध्वोक्त दंडनियमोंमें अग्रोक्तविष्णुके वचनसे कुछ विरोधनहीं समुभ्रना यथाहविष्णुः-सीमाभेत्तारमुत्तमसाहसदंडवित्वापुनःसीमांकारयेत् -अर्थात्- सीमाभेद करनेवालेको उत्तम साहस दंडदेकर उससे सीमाफिर बनवावै बल्कि ऐसेस्थलपरफिर उसको खेतजोतने नहींदे-इसवचनमें सीमाका भेत्ताकहिनेसेभी तात्पर्य वहीहै कि जिसने सीमा तोड़िकर कुछधरती दावीहोकिंतु अन्यथाइतना दंडकहिना विपरीतहोता-कदाचित् कोई अपनाखेत आदि समुभिकर विराना भ्रांतिमात्रसेही हरताहो तौभी दोसौपणका दंडहोनायोग्यहै-यथाहमनुः-(गृहंतडागमारामक्षेत्रंवाभीषयाहरन् । शता निपंचदंड्यःस्यादज्ञानाद्द्विशतोदमः)-अर्थात्-घर तालाब बागीचा अथवाखेत कोई भय दिखराकर जो हरताहो तौ वह पांचसौ तक दंड देनेयोग्यहै और जोविनाजाने धोखेमात्रसेही हरताहो तौ वह दोसौ पणतक देनेयोग्य है-वृद्धमनुस्तु- (स्थापितां चैवमर्यादासुभयोर्ग्रामयोस्तथा । अतिक्रामंतियेपापास्तेदंड्याद्विशतंदमम् )-अर्थात्-जेकोई दोनों ग्रामबीच स्थापितहुई मर्यादाको तथैव क्षेत्रआदि और किसी मर्यादा को अतिक्रम करतेहैं वे पापीलोग दोसौपणसे दंडनीय हैं-इसमेंयोगीश्वरकी अपेक्षा दंडथोड़ा कहागया-शंखलिखितौतु-सीमाव्यतिक्रमेत्वष्टसहस्रम्-अर्थात्-सीमाका व्यतिक्रम करनेमें आठ सहस्र पणतक दण्डयोग्य है-इसमें सबसे अधिक दण्ड दर्शाया गया-परन्तु मनु और योगीश्वर शंखलिखित वृहन्मनु इनके बचनोंमें जो दण्ड की आधिकता वा न्यूनतासे विरोध पायाजाताहो सो यह विरोध सीमाकी गुरुता लघुता के अनुसार तथा कर्ताके अपराधोंकी गुरुता लघुताके अनुसार और नुकसानोंकीभी गुरुता लघुताके अनुसार यथा संभवयथा अवसरके अधीन सब अविरोधहै क्योंकि दंड विधानोंकी मर्यादें दंडप्रकरणमें बहुभाँति बर्णनहुईथीं उन सबका योग विचार करनेयोग्यहै॥(अथसीमासंधिज वृक्षादिफलन्यायः)यथाहकात्यायनः-(सीमामध्येतुजातानां वृक्षाणांक्षेत्रयोर्द्वयोः । फलंपुष्पंचसामान्यंक्षेत्रस्वामिषुनिर्दिशेत्)अर्थात्-दोनों खेतकी सीमाबीचलगे वृक्षोंमें फल पुष्पआदि जो कुछ पैदाहोताहो सो सबसामान्यभाव दोनों खेतके स्वामियोंको मिलनेकी आज्ञादेवै जिनकी जमीदारीहो-किंतु कोई और जो उनवृक्षोंके फलादिक तोड़े तिसके अपराधानुसार दंडसूचितहै-जहाँकहीं- ऐसाडौल संभवहो कि वृक्षादि किसी एककेखेतमें उत्पन्नहों और शाखाउनकी दूसरेके खेतमेंजा फैलीहो तिसका न्यायभी कात्यायनजीने कहाहै-यथा-(अन्यक्षेत्रेतुजातानांशाखायत्रान्यसंस्थिताः । स्वामिनंतंविजानीयात्यस्यक्षेत्रस्यसंश्रिताः)-अर्थात्-जहाँ अन्यखेतके

पैदाहुये वृक्षोंकी शाखा अन्यखेतमेंभी फैलीहों तहांमालिक उसे समुभना जिसके खेतमें उत्पन्नहुये १६० ॥

(अथ परभूमौसेतु कूपादि करण नियमाः)

ननिषेधोल्पबाधस्तुसेतुःकल्याणकारकः । परभूमिंहरन्कूपःस्वल्पक्षेत्रोवहूदकः १६१ ॥

अक्ष०—पराई भूमि हरतेहुये थोड़ाबाधक सेतु जो कल्याणकारकहो निषेध करने योग्यनहीं एवंकूपभी जो थोड़ा खेतघेरनेवाला बहुत जलकाहो १६१ ॥

अभि०—जहाँ पराई भूमिका भी यद्यपि नाशहोना संभवहो जिसमें कोई सेतु अथवा कूप बावड़ी आदि जलाशय निर्मितकरनेकी इच्छा खड़ीकरताहो और उस भूमिके स्वामी से इसकामकी आज्ञा मिलनी किसी प्रकारसेभी इच्छा रखताहो तो उस भूमि स्वामी को निषेधकरना योग्य नहीं और सिद्धांत इसका यह कि जो वह उसको मल्य आदि प्रकारोंसे भी देने में अनुरोधकरै तो फिर राजाके विचार से होसक्ताहै पर उस विचार में इनबातोंकी प्रतिज्ञा है कि वहसेतु अथवा कूप तड़ाग आदि थोड़ी हानिकारक होकर बहुतसा उपकार करनेवाला संभव हो तो बनिसक्ता है अन्यथा जब नद्यादि समीपता आदि कारणों से या और भांति के ही किसी कारणसे कुछ थोड़ालाभ हानि बहुत समुक्ति परती हो तो बनिसकने का प्रतिषेध होगा अथवा जहांहानि लाभ बराबर हों तोभी नहीं बनिसक्ता क्योंकि जितनालाभ अनेकोंको मिलकर समुभागया उतनी हानि केवलएक भूमि स्वामीपर आरूढ़ हुई सो यह न्याय विरुद्ध है १६१ ॥

अधि०—अत्रनारदवचन प्रमाणं-यथा-(परक्षेत्रस्यमध्येतुसेतुर्नप्रतिषिध्यते । महागुणोल्पदोषश्चेद्द्विरिष्टाक्षयेसति )अर्थात्-पराये खेतमेंभी सेतुनहीं रुकता है पर जो बहुतसा गुण देनेवाला थोड़ा दोषिल हो क्योंकि अतिशय वृद्धि थोड़ीहानि होनेपर भी प्रियहोतीहै-सेतुभी दोभांति का होताहै-तथाचनारदः-(सेतुश्चद्विविधोज्ञेयःखेयोवंध्यस्तथैवच । तोयप्रवर्तनात्खेयोवंध्यःस्यात्तन्निवर्तनात् )अर्थात्-सेतु दोभांति कासमुभनापहिला खेयदूसरावंध्य किंतु जलकीप्रवृत्ति जारीकरनेवाला खेयकहिलाताजैसे नालीआदि दूसरावंध्य पुलकी जाति उसे कहते हैं कि जलपर बांधलगानेसे मनुष्यादिक पारहोसकें यद्वा किसी और कामकी सिद्धि समुभीजाय-यह सब नियम क्षेत्र स्वामीके प्रतिकहेगये अब निचले मूलश्लोकसे बनानेवालेको उपदेशहोगा १६१ ॥

स्वामिनेयोऽनिवेद्यैवक्षेत्रेसेतुं प्रवर्त्तयेत् । उत्पन्नेस्वामिनोभोगस्तदभावेमहीपतेः १६२ ॥

अक्ष०—जो स्वामीको निवेदन करनेबिनासेतु उसके खेतमें प्रवर्त्तितकरै तो संसिद्ध होजानेपर स्वामीका भोगहो उसके अभावमें महीपतिका १६२ ॥

अभि०—सेतु अथवा कूप तड़ागआदि बनाने वालेको यह योग्यहै कि जिस धरती

में बनाना सोचें उसके स्वामीसे या स्वामीके अधिष्ठित वंशियोंसे इसबातकी आज्ञा चाहै पुण्य अर्थ यद्वादाम देकर पहलेलेले अथवा स्वामी आदिके अभावहोने में उस देशके राजासेही आज्ञा लेकर निर्मित करै तौ उसवस्तुका वह आपस्वामी है—पर जो स्वामी या स्वामीके वंशियोंको जतलाये विना अथवा उसके अभावमें राजा की भी आज्ञालिये विनापराये खेत में जलाशय आदि निर्मित करै तौ उसकाम के बनिजानेपर क्षेत्रस्वामी काही भोगहोगा किंतु क्षेत्रस्वामी उसका मालिकहोकर लाभ उठावै अथवास्वामीके नहोनेमें उसदेशकाराजा मालिकहो यहीउसपरदंड है १६२ ॥

अधि०—अत्रसदाशिवः-(वापीकूपतडागानांखननंवृक्षरोपणम्।परानिष्टकरेदेशेनगृहं कर्तुमर्हति)अर्थात्-जहां पराया अप्रिय होना समुभाजाय ऐसी भूमिपर वापी कूप तडागोंका खोदना तथा वृक्षोंका लगाना और स्थानका बनाना कर्त्ता करसकने योग्य नहीं-सेतु कूप तडाग आदि जो पहिलेबने बिगड़े परेहों और उनका संस्कारमरम्मत आदि कोई करनाचाहै तौ भी यही व्यवस्थाहै जो अभीऊपरकही-तदाहनारदः-(पूर्वप्रवृत्तमुत्पन्नमृष्टास्वामिनंतुयः।सेतुंप्रवर्त्तयेत्काश्चिन्नसतत्फलभागभवेत् ॥ मृतेतुस्वामिनिपुनस्तद्वंश्येवापिमानवे । राजानमामंत्रयततःकुर्यात्सेतुप्रवर्त्तनम्)अर्थात्-पहिलेजारी हुआ बिगड़ा खारिज पराहो या गुप्त धरतीमेंसे खुलिकर उत्पन्न हुआहो ऐसा कोई सेतु जलाशय जो स्वामीके बूभे विना मरम्मत करिके जारीकरै सो वहजारी करनेवाला उसके लाभादिक फलका मालिक नहीं होगा-इसलिये उसके स्वामीसेही बूभिकर मरम्मतकरै यद्वा स्वामीके मरजानेमें उसके वंशके अधिकर्त्ता लोगोंसे या उनके भी अभाव में उसदेशके राजासे निवेदन करिके सेतुजारीकरै-कात्यायनोपि-(अस्वाम्यनुमतेनैवसंस्कारंकुरुतेतुयः । गृहोद्यानतडागानांसंस्कर्त्तालभतेनतु ॥ देयं स्वामिनिचायातेतन्निवेद्यनृपेयदि । अथावेद्यप्रयुक्तस्तुतद्गतंलभतेव्ययम्)अर्थात्-कात्यायन भी यह कहतेहैं कि जो कोईपुरुष गृहदेवादि मंदिर या उद्यानतडागवापी कूप आदि किसी पहलीबनी चीजोंकी मरम्मत स्वामीके अनुमत बिनाकरताहै वह उन चीजोंका मालिक नहींहोता परन्तु इतनान्याय विशेषहै कि जो स्वामीके अनुपस्थित होनेमेंराजासे निवेदन करिके संस्कार कियाहो और उसवस्तुका स्वामीकभी विदेशते आजाय और वहदावाकरै तबतौ राजादावाकरनेवाले स्वामीसे वहखर्चाउसे दिलासक्ता है जो वस्तुकी मरम्मतमध्ये उठाहो और उसवस्तुके लाभों द्वारावसूल अबतक नहोसकाहो किंतु जहांराजाकीभी आज्ञाविनास्वतः मरम्मतकरीहो तहांउसका खर्चाराजानहीं दिलावै और वहवस्तु दावाकरनेवाले सच्चेस्वामीको मिलैगी जब स्वामी निपट नहो तौ फिर धरणीपाल मालिकहै कि जैसानियम ऊपर कहा गया ॥ (अथजलयहणाधिकारः)-तदाहसदाशिवः(देवार्थंदत्तकूपादौतथास्रोतस्वतीजले।पानाधि

कारिणःसर्वेसेचनेऽन्तिकवासिनः ॥ यत्तोयसेचनाल्लोकाभवेयुर्जलकातराः । नसिंचेयु  
 र्जलंतस्मादपिसन्निधिवात्सिनः )अर्थात्-देव निमित्त बनाये हुये यद्वापुण्यहेतु बनाकर  
 छोड़ेहुये कूप बावड़ी आदिमें तथैव स्रोतस्वती नामनदियोंके जलमें भी स्नान पान  
 करने के अधिकारी सब साधारण होते हैं और खेत बागीचा आदि सींचनेमें अधि-  
 कारी केवल जलके समीप वासी लोग चाहै उसके स्वामी वा अस्वामीहों होते हैं  
 परंच जिस थोड़े जलमें खेत सींचनेसे पीनेवाले लोगजलसे व्याकुलहों तिसमें से  
 समीपवासीभी नसींचै किंतु सींचनेका अधिकारनहीं १६२ ॥

(अथस्वीकृतक्षेत्रस्याकर्षणादिनियमाः)

फालाहनमपिक्षेत्रंयोनकुर्यान्नकारयेत् । सप्रदाप्यःकृष्टफलंक्षेत्रमन्येनकारयेत् १६३ ॥

अक्ष०-फाल विदारित भी जो खेतको न करै न करवावै सो कृष्टफल दिलवाने  
 योग्यहै और खेत किसी और से करवावे १६३ ॥

अभि०-यदि कोई क्षेत्र कर्षक क्षेत्र स्वामीके पास जाकर ऐसा अंगीकार करै कि  
 यह अमुक नामा खेत अबकी मैं जोतोंगा और पीछे उसे उपेक्षाकरके छोड़दे किंतु कि-  
 सी औरसेभी नहीं करवावै तौ इसदशामें वह खेत यद्यपि फालाहतहो किन्तु थोड़ा  
 ही हलफेरागया हो जिस्से बीजबोने योग्य तकभी नहीं तौ भी उस्से कृष्टफल अ-  
 र्थात् जोत होनेकी भेज दिलाईजाय और वह खेत उस्से लेकर किसी और जोताको  
 देदियाजाय-यदि उस खेतकी कुछ भेज नियत न हो तौ उस खेतके सामंत कृषाणों  
 द्वारा पैदावारके अनुमानसे कल्पितहोकरलीजाय १६३ ॥

अधि०-व्यासजीने व्यौरेवार इसको कहाहै-यथा-(क्षेत्रंगृहीत्वायःकश्चिन्नकुर्यान्नच  
 कारयेत् । स्वामिनेसशदंदाप्योराज्ञेदंडंचतत्समम् ॥ चिरावसन्नेदशमंकृष्यमाणेतथाष्ट  
 कम् । सुसंस्कृतेऽपिषष्टस्यात्परिकल्प्ययथास्थितिः )-अर्थात्-जो कोईखेत लेकर नतौ  
 आपकरै न किसी औरसे करवावै सो वह क्षेत्रस्वामीको ( शद ) नाम पैदावारीकाफल  
 दिलवाने योग्यहै और राजाको भी उस अपराधके समान दंड-पर जिसखेतकी कुछ  
 भेज नियत न हो किंतु पैदावारीहोनेपर फलभागलियाजाताहो तिसका कृष्टफल विन  
 देखे स्वामीको कितना दिलवायाजाय ऐसी आशंका मध्ये फिर भी नियमकरतेहैं कि-  
 जो उस जोता ने ( चिरावसन्न ) खेत अंगीकार करिकै छोड़ाहो तौ उसखेतकी पैदावारी  
 सामंतों द्वारा निर्णयकरीजावै कि जो यह खेत जोता बोयाजाता तौ अनुमान पैदा-  
 वारी इतनी होसक्ती तिसका दशवाँभाग स्वामीको दिलवायाजाय ( चिरावसन्न ) खेत  
 उसको समुझौ जो अतिकालसे जुतने विना बिगड़ा पराहो-एवं जो कोई खेतसिर्फ  
 पहिलीसाल या दो सालही जुतिचुकाहो ऐसा खेत लेकर छोड़िदेवै तौ उस जोतासे  
 सामंतों द्वारा निर्णयकरी पैदावारी का आठवाँ भाग स्वामीको दिलवायाजाय-एवं



जो कोई खेत सुसंस्कृत हो किन्तु अनेकवर्षों से जुतिकर सिद्ध हुआ हो ऐसा खेत लेकर छोड़ देनेसे आनुमानिक पैदावारीका छठा भाग दिलवाया जाय (अथ अनाज्ञप्तकर्षकानियमाः) यदि कोई खेतस्वामी की सामर्थ्य विकलता आदि किसी दुर्हेतुसे गिरकर नीच अवस्था पहुंचा हो किन्तु बंजर तुल्य हो जाय और इस दशा में यदि कोई जोतास्वामी के प्रतिषेधबिना अनुज्ञाहीन भी आपही उसको जोतें बोंवें तौ उस खेतका फलस्वामी को दिलाया नहीं जासक्ता किन्तु जोता आप सर्वथा भोगै-तदाहनारदः-(अशक्तप्रेतनष्टेषु क्षेत्रिकेष्वनिवारितः । क्षेत्रं चेद्विकृषेत्कश्चिदश्रुवीतसतत्फलम् ॥ विकृष्यमाणे क्षेत्रे तु क्षेत्रिकः पुनराव्रजेत् । खिलोपचारं तत्सर्वदत्त्वा क्षेत्रमवाप्नुयात् ॥ संवत्सरेणार्द्धखिलमितः स्याद्वत्सरैस्त्रिभिः । पंचवर्षावसन्नात्तु क्षेत्रं स्यादटवीसमम् ) अर्थात्-क्षेत्रस्वामियों के असमर्थ होजाने या मरजाने या देशान्तर को बहिजाने में उनका बिगड़ा खेत यदि कोई अनिवारित जोता जोतें तौ उस खेत का फल, पैदावारी आप भोगै (यहाँ अनिवारितके विशेषणसे यह भाव है कि जो वह जोता जोत करते समय किसी अधिकारी करके रोंका गया हो तौ उस खेतको बोलेनेसे पैदावारी का फल देना होगा-कदाचित् अनिवारित नहीं ऐसा खेत जोता हो और दैवाधीन विदेशमें बहिजानेवाला वा असमर्थ उपस्थित स्वामी या मृतस्वामीके पुत्रादिकही जुतिजाने पीछे आकर ऐसा कहें कि खेत हमारा छोड़ दे तौ उस खेतका यथोचित (खिल उपचार) देकर स्वामी पासक्ता है अर्थात् बिगड़े खेतकी दुरुस्तीमें जुताई आदि जो कुछ खर्च हुआ हो सो सब देकर स्वामी खेतको लेसक्ता है थोड़ा अथवा बहुत बिगड़े खेतकी अवस्था समुभीजानेके निमित्तसे (खिल) का लक्षण भी अब कहिते हैं कि-एक वर्ष मात्र बिना जुता खेत परा रहिनेसे (अर्द्धखिल) कहिलाता है अर्थात् अर्द्ध विकृत समुभाजाता क्योंकि यत्न करनेसे वह शीघ्र सुधरि सक्ता है-एवं तीन वर्षोंका बिन जुता खेत पूरा (खिल) अर्थात् बहुत बिगड़ा समुभाजाता क्योंकि ऐसा खेत बड़े यत्नोंसे फिर ठीक होता है-एवं पाँच वर्षोंका बिन जुता खेत (अटवीतुल्य) बंजर जैसी बनकी भूमि शक्तिहीन होजाता है पुनि बड़ी कठिनतासे अतिकाल में संसिद्ध होता है (यहाँ (खिल) के रूप दर्शित करने से यह सार है कि इनमेंसे जिस भाँतिका खिल खेत उस अनिवारित जोता ने जोतिकर सम्पन्न किया हो उसी भाँतिका लागति उसे दिलाई जाय) कदाचित् उस खिल भंजन की लागति स्वामी देनेमें असमर्थ हो तौ उस जोतासे पैदावारीका आठवाँ अंश क्षेत्रस्वामी को आठ वर्षों तक दिलवाया जाय तत्रतक खेत नहीं छुटिसक्ता है-तदाह कात्यायनः-(अशक्तितोनदद्याच्च खिलार्थेयः कृतो व्ययः । तदष्टभागहीनन्तु कर्षकः फलमाप्नुयात् ॥ वर्षाण्यष्टौ सभोक्ता स्यात्परतः स्वामिने तु तत् ) अर्थात्-खिल भंजन में जो लागति वा परिश्रम का व्यय किया हो सो भी यदि असमर्थ होनेसे स्वामी नहीं

देवै तौ यह न्यायहोना योग्यहै किजोता उसकी पैदावारीको आठवांभाग हीन पाया करै किन्तु आठवाँ भाग स्वामीको देदेतारहे इसभाँति आठ वर्षोंतक वह जोताखेत भोगै तिसके पीछे खेत स्वामी को देदेवै-बिरलीभूमि-औरभी इस भाँतिहोती हैं कि जिनको हरकोई जोता बिना बूभे जोतिसक्ताहै-तदाहसदाशिवः-(करहीनाऽप्रतिहता वन्याऽऽरण्यातिदुर्गमा । अनादिष्टोऽपितांभूमिसंपन्नांकर्तुमर्हति ॥ बहुप्रयाससाध्याया स्तस्याभूमेर्महीभृते । दत्त्वादशांशंभुंजीतभूमिस्वामीयतो नृपः)-अर्थात्-यदि कोई भूमि-राजकरसे हीनपरी चाहै (वन्या) नाम जलकीहो या (आरण्या) नाम बनकीहो या अति दुर्गम स्थानकी पर (अप्रतिहत) रोक टोकसे निर्विघ्नहो तिसको राजाकी अनुज्ञामागे बिना भी हरकोई चैन चियारसे सम्पन्न करने योग्यहै-परन्तु ऐसी बहुत परिश्रमसे संसिद्ध होसकनेवाली उक्त धरतीकी पैदावारीका दशांश धरणीपालको देकर शेष भोगै क्योंकि राजा धरतीका स्वामीहै १६३ ॥ इति सीमा विवादप्रकरणम् ॥

यहाँतक यह सीमा विवादका प्रकरण चारिपरिच्छेदों में अर्थात् ६३ से लेकर ६६ संख्याके परिच्छेदतक समाप्तहुआ ॥

अथ पशुव्यतिक्रमवादपदधर्मविशेषे स्वामिपालानां दण्डविधिविवेको नाम सप्तषष्ठितमः परिच्छेदः ६७ ॥

इस सरसठि संख्या के परिच्छेद में गवादि पशुओं के व्यतिक्रमसे स्वामी तथा गोरक्षक आदि पशुपालों के विवादधर्म जानेजायँगे कि खेत खाने वाले आदि पशुओंकी अपेक्षा किसपर कितना दंड होना योग्य है (या) छूटमें जो गिनतीहों तिनके अपवाद भी सब जाने जायँगे ॥

माषानष्टौ तु महिषीसस्यघातस्य कारिणी । दंडनीया तदर्द्धतुगौस्तदर्द्धमजाविकम् १६४ ॥

भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्द्विगुणोदमः । सममेपां विवृतिऽपि खरोऽंमहिषीसमम् १६५ ॥

यावत्सस्यं विनश्ये तु तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फलम् । गोपस्ताड्यस्तु गोमीतु पूर्वोक्तं दंडमर्हति १६६ ॥

अक्ष०—पराया सस्य विनाश करनेवाली भैंस आठ माष दंड योग्य है एवं चार माष दंड गायकोदो माष दंड बकरी तथा भेड़को कर्त्तव्यहै १६४ खूबचरिकर खेतमें जो बैठेहों तिन पर इसते दूना दंड-इन्हीं सब का दंड जो कुछ (सस्य) खड़ी खेती मध्ये कहा तिसके तुल्य (विवृति) चरनेपरभी योग्यहै-और-गर्धव तथा ऊँटकोभी भैंस के बराबर दंड १६५ जितना सस्य विनाशहोवै उतनी पैदावारी खेतवालेको दिलाई जाय और गोपाल ताड़नीयहै गोस्वामी उक्तदण्डके भी योग्यहै १६६ ॥

अभि०—सहत्रयाणां (सस्य) नाम खड़ीखेती और वृक्षादिकमें जो लगेहुये फलपुष्पादिकहों तिनकाहै (विवृति) नाम रखाईहुईघास आदिका विभक्तभूप्रदेश या बँधाहुआ वाड़ा तिनदोनोंका दण्डदोनों दशमें तुल्यात्मकहै अर्थात् साधारण चरनेमात्रमें इक-

हिरा दण्ड जो कुछ पहलेकहा तिससे दूना चरिकर बैठिरहने मध्ये जानो-इसीप्रकार भैंसका जोदण्ड जहाँइकहिराहो सोई गर्दभ ऊँटको इकहिरा समुभौ अथवा जहाँदूना हो तहाँ गर्दभ ऊँटकोभी दूना समुभिलेना-इकहिरा अथवा दूनादण्डजो कुछ पशुओं का नामलेकरकहा सो उन पशुओंके रक्षक या स्वामियोंपर समुभना किंतु पशुओंका नामलेना केवल प्रत्येक जीवपर वहउक्तदण्ड दर्शाना अभिप्रेतहै १६४। १६५ कदाचित् ऐसीभाँतिसे चरिलियाहो जिस्से पैदावारी मारीजानी समुभीजाय तबयह उक्त दण्ड और वहपैदावारी दोनोंही स्वामियोंसे दिलवाई जाय-पैदावारीका अनुमान जो कुछ खेतके सामन्त कृषाणोंद्वारा निश्चयहो सो दिलवाने योग्य है कि इतने खेतमें इतना फल उत्पन्न होसक्ताथा और वहगोप जो उन पशुओंका रखवालाहो सोभी ताड़न पीटन योग्यहै पर पैदावारी देनेयोग्य नहीं १६६ ॥

अधि०—इसवार्तामें यह निर्णय भी कर्तव्यहै कि जहाँ गोपकेही अपराधसे उन पशुओंने विनाशकियाहो तहाँ ताड़न पीटन सहित ऊर्ध्वोक्त धन दंड उसी गोपसे दिलवायाजाय-तथाचोक्तं ( यानष्टापालदोषेणगौस्तुसस्यानिनाशयेत् । नतत्रगोमिनांदंडः पालस्तंदंडमर्हति ) अर्थात्-जो कोई गऊ भैंस आदि गोपालके अपराधसे खोईहुई सस्य विनाशै तहाँ गोस्वामियोंको दंडहोना योग्य नहीं किन्तु कहेहुये दंडयोग्य गोपालहै-और जहाँ स्वामीके अपराधसे उनपशुओंने विनाश कियाहो तहाँ स्वामी उक्त दंड के योग्य है-परंतु ( जो कुछ खेतीका नुकसान देनापरै सो सर्वत्र स्वामीको देनाहोगा उसमें अपराध चाहे तिसकाहो क्योंकि क्षेत्रफलको खाइकर पुष्टहुई भैंस आदि दूध केवल स्वामीकोही देती है ) तथापि यह न्याय केवल ऐसे स्थलपर समुभना जहाँ गोप केवल भोजन बस्त्र पाइकर दासत्वके प्रकारोंके बेतन बिना चराताहो किंतु कृत बेतन गोप निज अपराधोंसे नुकसान भी दिलाने योग्यहै-भक्षण करिके खेतमें जो सोये बैठेहों तिनका दूना दंड मूल वाक्य में कहचुके हैं पर जो बच्चा सहितहों तिन पर वही दंड चौगुना समुभौ—तथाचस्मृत्यंतरं ( वसतां द्विगुणः प्रोक्तो सवत्सानां चतुर्गुणः ) यह वचन भी प्रत्येक पशु पीछे उक्त दंड दर्शाता है—सर्वत्र यहां दण्डका परिमाण ताम्रमाष समुभौ किंतु राजत या सौ वार्षिकमाषनहीं-मनुने रूंधे खेतों-पर सौपण का दण्ड कहकर सामान्य खेतों के भी चरने से ( सपादपण ) अर्थात् एक और चौथाई पणका दण्ड देनालिखा है और खेतीका नुकसानदेना सर्वत्र सभीखेतों की अपेक्षासे-यथा ( क्षेत्रेष्वन्येषुतुपशुः सपादपणमर्हति । सर्वत्रतुसदोदेयः क्षेत्रिकस्येतिधारणा ) इसको यहां लिखनेका यह प्रयोजन है कि मनुने योगीश्वरकी अपेक्षा दण्ड अधिक लिखा तिसमें संग्रहकारों का यह विचार है कि मनुकावह अधिक दण्ड इच्छासहित चरादेने मध्ये और योगीश्वरवाला थोड़ा दंड देवाधीन स्वतःचरि

जाने मध्ये जानो क्योंकि इच्छासहित चरानेमें योगीश्वरने भी चोरोंके समान दंड कहाहै अथवा जैसा जहां देशकाल वस्तुके अनुरूप डौल समुभाजाय उस्से एकभी विरोध नहीं है-इसके सिवाय और भी स्मृत्यंतर वाक्यहैकि(पणस्यपादौद्वौगांतुद्विगुणंमहिषींतथा । तथाऽजाऽविकवत्सानांपादोदंडःप्रकीर्तितः)अर्थात्-एक पणके दोपाद किंतु आधापण गऊपीछे तथाभैंसपीछे पूरा एकपण तथैव भेड़वकरी और बड़े पशुओंके बच्चाओं पर चौथाई पणका दण्ड होना योग्यहै-सो यह दंडभी योगीश्वरकी अपेक्षा बहुतबड़ाहै इसलिये इसको चरिकर खेतमें निवासकरनेके अपराध मध्ये संग्रहकार कहते हैं-इसके सिवाय नारदने अति स्वल्प दंडलिखा है-यथा ( माषां दापयेदंडद्वौमाषौमहिषींतथा । तथाऽजाऽविकवत्सानांदंडःस्यादर्द्धमाषिकः ) अर्थात्-गायपीछे एकमाष भैंसपीछे दो माषदंड एवंभेड़वकरी और बड़े पशुओंके बच्चाओं पीछे आधा माषदंड होवै-संग्रहकारोंने इसदंडको न्यायानुसार सिर्फ मूहूर्तमात्र चरने मध्ये माना है-यतःशंखलिखितौतु(रात्रौचरन्तीगौःपंचमाषान्दिवात्रीन्मुहूर्तेमाषंघ्रासे त्वदंडम् )अर्थात्-रात्रिमें चरनेवाली एकगऊपीछे पांच माष दण्ड दिनमें तीनमाषपर जो एक मूहूर्तमात्रचरी हो तौफिर सिर्फ एक माष दण्डचाहे राति अथवा दिनहो और जो केवलघ्रासमात्रलेभागीहो तौफिर किसीकोभी दण्डनहीं-अतएवाहबृहस्पतिः (सस्यान्निवारयेद्गांतुचीर्णेदोषोद्वयोर्भवेत् । स्वामीसददमंदाप्यःपालस्ताडनमर्हति ) अर्थात्-पशुचाहे गऊतकभीहो खेतसे पहुँचते सारहटावै अधिक थँभनेमें दोनों दोषी होंगे और गोस्वामी क्षेत्रफलका नुकसान तथा जुर्मानाभी दिलाने योग्यहोगा और गोपाल ताडन योग्यहै-आशय इसका यह कि जो गोस्वामी के अपराधसे कुछसस्य विनाशहुआ समुभाजाय तौ गोस्वामी दोनों बातके योग्य है और जो स्वामी तथा गोप दोनोंका अपराधहो तौ यह कथन दोनोंका भिन्न भिन्नजानो-और खेतीका नुकसान दिलाना उसीदशामें संसूचितहै कि जहाँ मूल सहित खेतीचरीहो-तथाहनारदः ( समलसस्यनाशेतुतस्वामीप्राप्नुयात्सदम् । बध्नैर्नगोपोमुच्येतदंडंस्वामिनिपातयेत् ) अर्थात्-जड़से खेती नाशहोनेमें खेतीका मालिक अपने क्षेत्रफलकी हानिपावै गोपाल देहदंड पाकर छूटिजावै और क्षेत्रफलकी हानिरूप धनदंड पशुके स्वामी में डालाजाय क्योंकि खेती खानसे पशु उसका पुष्ट हुआ-यह न्याय केवल ऐसे स्थलपर संसूचित है कि जहाँ गोप केवल भोजन वस्त्र पाइकर दासत्वके प्रकारों से पशुपालन आदि स्वामिसेवा करताहो किन्तु जहाँ जहाँ गोपाल कृत वेतन होकर पशु चराताहो तहाँ तहाँ सर्वत्र निज अपराधों से विनाशे हुये सस्योंकानुकसान भी दिलाने योग्य है (बल्कि) इसकी दृढ़ताकीअपेक्षा १६६ तथा १७० वाले मूल श्लोकोंको भी अर्थों सहित विचारो तव संदेह दूरहोगा-क्षेत्र फल भी वही दिलायाजाय जो कछ खेतके सामन्त

कि सानों के अनुमान द्वारा निश्चितहो -यथाहनारदः( गवादिनाशितंधान्यं योनरः प्रतियाचते। सामंतानुमतंदेयं धान्यंयत्तत्रवापितम् )अर्थात्-गवादि पशुओंका विनाश किया धान्य जोकोई पुरुषमांगै तौ सामन्तोंका अनुमान किया उतनाधान्य जो उस चरीहुई भूमिपर उत्पन्नहोना आँके कूतें वही दिलायाजाय जो कुछ बोयागयाथा (इस वचनमें(सस्य)के स्थानधान्य शब्दलिखनेसे यह आशयहै कि खड़ेहुये सस्योंकेसिवाय कटाहुआ धान्यभी यदि खायाहो तौभी देनाहोगा) जबकि सामन्तों के अनुमानसे जितने खेतकी फलहानि कृषाणको दिलवाईजाय तबउसधान्यका पत्ताल नरईआदि जोकुछ पशुओंके चरनेसे बचिगयाहो सो उन पशुओंके स्वामियों को दिलायाजाय क्योंकि मध्यस्थोंका कल्पितकिया मूल्यदेनेसे खरीदेके तुल्य ठहरा तथाहनारदः(पत्तालङ्गोमिनान्देयन्धान्यं वैकर्षकस्यतु) इसविषयपर एक उशनाका यहवचनहैकि (गोभिस्तुभक्षितन्धान्यंयोनरःप्रतियाचते ।पितरस्तस्यनाश्रन्तिनवापित्रिदिवौकसः) अर्थात् उशना कहतेहैं कि गौओंका भक्षणकिया धान्यजोकोई पुरुष मांगताहै तिसके पितरं और देवताभी भोजन उसके घरमें नहींकरतेहैं-सो-इसवचनके आशयसे सर्वत्रखेती कीहानि मांगनेका प्रतिषेध नहीं समुभाजासक्ता क्योंकि उशनाका यहवचनभीअत्रोक्तहै कि (अदण्ड्याश्चोत्सवेगावःश्राद्धकालेतथैवच)अर्थात् सभी गौवें केवलगोवर्द्धन पूजा आदिउत्सव कालोंमें तथैव श्राद्धकालमें अदण्ड्य हैं अर्थात् सबगौओंके उत्सव कालमें जोकुछ उनसे हानिहुई हो सोभी नहीं दिलाईजाय यह अपवाद केवल उत्सव कालकादर्शायाहै और श्राद्धकालका यह आशयहै कि जो कोई श्राद्ध करनेपर समुद्यत होउसीका यदिखेत आदि कोई सस्य अथवा धान्यकिसी अन्यकी गौओंने चरिलिया हो तौ यह ऐसे अवसरकी हानि श्राद्धकर्ता उस्से माँगै नहीं क्योंकि उसके पितरोंकी तृप्ति में कुछ अन्तरहोना संभवहै बल्कि अदण्ड्य कहनेका यथार्थ आशय यही है कि श्राद्धकर्ता गौओंको उसकालमें मारैपीटै नहीं-क्योंकि ऐसे कालकी हानिसेभी इस का कल्याणहोना व्यासजीने सूचनकियाहै-यथा ( आक्रम्यचद्विजैर्भुक्तंपरिक्षीणंचवांधवैः । गोभिश्चनरशार्दूलवाजपेयाद्विशिष्यते ) अर्थात्-व्यास कहते हैं कि हे नरदेव किसी गृहस्थीके उत्सव मंगल आदि में द्विजोत्तम लोगोंने आपही आकर भोजन कियाहो अथवा बन्धु लोगों के खानेसे भक्ष्यादिक चुकेहों इसीप्रकार गौओं के चरिलेनेसे कुछ हानिहुईहो तौ यह तीनों बातें वाजपेय नामक यज्ञसेभी उत्तम हैं इम हेतुसे अपशोच करना व्यर्थ है-सो-इसवातका भी आशय केवल गौओंसे अपेक्षा रखताहै किन्तु सब सामान्य पशुओंका संबन्ध इसमें नहीं है-औरभी ऊपरले वाक्य में जो देव अथवा पितरोंकी अतृप्ति सूचितहुई सोभी केवल श्रद्धावान् समर्थों के हित शिक्षामात्रहै किन्तु सब सामान्य पुरुषोंका संबन्ध उस्सेनहींहै १६४।१६५।१६६

पथिग्रामविवीतांतेक्षेत्रेदोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवदंडमर्हति १६७ ॥

महोक्षोत्सृष्टपशवः सूतिकागंतुकादयः । पालोयेषांचते मोच्यादैवराजपरिष्कुताः १६८ ॥

ऐ०—मार्गमें जो खेत हो या ग्रामके समीपहो (विवीत) के निकटहो तिस को बिना चाहे दैवयोग से चरिलेनेमें अपराध नहीं है किंतु नतौ पैदावारी का नुकसान कुछ दि-  
लवायाजाय और न स्वामी अथवा गोपको कुछ दंड हो परन्तु इच्छा पूर्व चाहिकर  
चरानेसे चोरोंके समान दंडयोग्यहै और हानिभी दिलाईजाय १६७ ॥ (महोक्ष) ना-  
म सेक्तावृषभ जो गौओंके बीज निमित्त रक्खाजाता है (उत्सृष्टपशू) कोईजातिके जो  
देवनिमित्त या पितृकर्म निमित्त छोड़े गयेहों (सूतिका) ब्याईहुई गऊभैंसआदि जोदश  
दिनके भीतर ब्याई हो (आगंतुकपशु) कोईसा जो अपने यूथ समूह से छूटाहुआभूलि  
भटकि दूरपहुंचा हो आदि शब्दके आशय से औरभी इसभांतिकेसमुझने जैसेमृत-  
वत्साआदि जो हाल बच्चा मरनेसे विकलहो या अतिवृद्ध दुर्बलआदि या जे कोईइस  
की अधिकोक्तिमेंभी आवेंगे समुझने (दैवपरिष्कुत) जोदैवी पीड़ाके मारेहुये या (राज  
परिष्कुत) राजपीड़ासे पीड़ितहोकर भगेहों इनमें जिनका पालक विद्यमानहो वेभी मो-  
चनीय किन्तुस्वामी पालकसहित अदंड्य हैं और इसकथनसे यहवातभी स्पष्टहै कि  
इनमें कहेहुये साँड़आदि जिस किसीका पालक पुरुष न होताहो वेतौ स्वतः सदैव  
निःसंदेह अदंड्यहोतेहैं चाहे कितनाही नुकसानकियाहो १६८ ॥

अधि०—यहाँ पहले मूलश्लोकमें (विवीत) के नगीचखेत कहनेका यह आशयहै कि  
जहाँ कोई घासआदि तृणकी भूमिकेवल पशुओंके चरानेहेतु छोड़ीजाकर सदाचरा-  
येजातेहों तिसहीके नगीचमें यदि कोईखेतहो अथवा मार्गमें या ग्रामके समीपहो तौ  
इनखेत विशेषोंको दैवयोगसे चरिजानेवाले सब सामान्य पशु कोई भी अपराधीनहीं  
हैं परंच ऐसी छूटकेवल उसी अवस्थातक होसक्ती है यदिखेत अनावृतहो किन्तु  
रूँधेहुये खेतको विनाश करनेवाले इन स्थानोंपरभी दंडभागीहोंगे-तथाचमनुः(यत्रा-  
परिवृतंधान्यंविहिंस्युःपशवो यदि । नतत्रप्रणयेदंडंनृपतिःपशुरक्षिणाम् ॥ पथिक्षेत्रेपरि-  
वृतेग्रामान्तीयेऽथवापुनः । सपालःशतदण्डाहोविपालान्वारयेत्पशून् ) अर्थात्-जहाँ  
बिना रूँधाखेत पशुविनाशें तहाँ राजा उनके रक्षक लोगोंको कुछ दण्ड न देवे-परंच  
यदिकोई रूँधाखेत यद्यपि मार्ग अथवा ग्रामके समीपहो तौ उसखेतको विनाशकरने  
मध्ये एकसौ १०० पणदण्ड उस प्रत्येक पशुपर कर्तव्य है कि जिनका गोप अथवा  
स्वामी विद्यमानहो और वह अवसर होते हुये बचावैनहीं किंतुयह सौपणका दण्ड  
उसी गोरक्षकपर कर्तव्यहै और जेकोई पशु (विपाल) ऐसेहों कि जिनका कोईस्वामी  
अथवा रक्षक नियतनहो जैसे देव निमित्त छोड़ेहुये पशु आदि तिनको खेतवाला



आप हटावै क्योंकि अस्वामिकहोनेके हेतुसे उनपर दंडका अभाव है ( सपाल ) और ( विपाल ) शब्दोंका भावार्थ मनु मुक्तावली टीकामें यह रक्खागया है कि जिनके पालक साथहों उन्हीं पशुओंको सपालजानो एवं जिन पशुओंके पालक साथ न हों तिन्हें विपालजानो ) पर इस अर्थसे यह दूषण खड़ाहोताहै कि जो जो पालक लोग ठेठ इसी निमित्त छोड़िदेतेहों कि चाहै तिसका रूंधाखेत भी चरिआवै और निजपेट भरनेपीछे घरको आप चलीआवै तौ भी पालक दंड न पावै बल्कि इसमें क्रूर चारक लोगोंको भी बड़ेसहारेका यह उत्तर है कि मैं इन पशुओंकेसाथ नहीं किंतु पीछेथा ) इत्यादि गूढ़ कारणोंसे सस्वामिक पशुओंको अस्वामिक तुल्य छोड़ि देनाही अपराध विशेषहै इसहेतुसे (विपाल) वेही पशुजानो जिनका व्यौरा १६८ वाले मूल श्लोकसे ऐक्यार्थमें आचुकाहै और आगे उसकी अधिकोक्तिमें भी आवैगा तिनसे खेतवाला आप रखावै यह सिद्धान्तहै-इसीहेतुसे उन खेतोंके चौतरफा रूंधिलगानेकी भी आज्ञाहै-तथाहमनुः-( वृत्तिचतत्रकुर्वीतयामुष्टोनावलोकयेत् । छिद्रानिवारयेत्सर्वेश्वशूकरमुखानुगम् ) अर्थात्-जहां खेत बोयाजाय तहां रूंधनी वृत्तिभी वही खेतवाला ऐसी ऊँचीकरै जिस्सेऊँटभी न देखिसकै और उस रूंधिमध्ये काँटे आदि लगाकर ऐसे छिद्रभी न रहिनेदे जिनमें श्वानसूकर आदि किसीका मुँहजासकै-कात्यायनोपि-( अजातेष्वेवसस्येषुकुर्यादावरणमहत् । दुःखेनविनिवार्यतेलब्धस्वादुरसामृगाः ) अर्थात्-खेतजमनेसे पहले बड़ीभारी रूंधिलगावै क्योंकि हरेफरे सस्योंका स्वादुरस चाखेहुये मृगादिक बड़े दुःखोंसे भी नहीं निवारणहोते हैं-बाँधीहुई रूंधिमें घुसिकर चरिजाने मध्ये नारदने भी दण्ड दर्शितकियाहै-यथा-(वृत्तिमुत्कम्ययःस्यात्तुसस्यघातोगवादिभिः । पालःसास्योभवेत्तत्रनचेच्छक्तोनिवारयेत्) अर्थात्-गवादि पशुओंसे जो सस्य विनाश रूंधन वृत्तिको उलाँघि करके हो तौ उन पशुओंका पालक दण्डनीय है पर उस दशामें कि जो उन पशुओंको निवारण करनेमें समर्थ यद्वा अवसर के होतेहुये बचावै नहीं किंतु दैवाधीन विपत्ति आदि कारणसे बचाय नहीं सकनेमें घुसिजाने या चरिजानेसेभी दंड न होगा-यहाँ ( समर्थके होतेहुये ) ऐसा कहिनेसे ऊपरले मनुके वाक्य वाली ध्वनि संसिद्धहोतीहै कि जानि बूझिकर सस्वामिक पशुओंको अस्वामिक तुल्य गोचारक बिना छोड़ै नहीं और गोचारकभी कदाचित् पशुओंका साथ नहीं छोड़ै-हाँ यदि कोई दैवाधीन विपत्तिही प्रत्यक्षहो तौ वह दोष छूटमें गणनीयहै-इसमें यह निर्णय भी कर्तव्यहै कि बिना रूंधेखेतके चरिजाने मध्ये दंडका प्रतिषेध यद्यपि कियागया परंतु वह प्रतिषेध केवल स्वल्पकालके मुँहमारजाने मध्ये समुभौ किंतु बहुत कालतक चरिजाने मध्ये गोपालक दंडनीयहै-तथाचविष्णुः-( पथिग्रामविवीतात्रेनदोषोस्वल्पकालकम् )-अर्थात्-मार्ग या ग्राम या विवितके समीप खेतहोनेसे स्वल्प

कालमात्र चरनेका अपराध नहीं है आशय इसका यह कि बहुतकालमें अपराधहै-  
यहाँतक अधिकोक्तिका यह पाठ केवल एकसौ सरसठिवाले मूलश्लोक मध्ये समुभौ  
सो यह खेत विशेषोंका अपवाद धर्महै १६७ अब आगे एकसौ अड़सठिमूलश्लोक  
मध्ये विरले पशु विशेषोंका अपवाद धर्म लिखते हैं कि पहले जो जो दंड पशुओंके  
व्यतिक्रमसे प्रदर्शित हुये सो अत्रोक्त पशुओंकी अपेक्षामें न समुभेजायँ-तदाहना  
रदः-(राजगृहग्रहीतोवावज्राशनिहतोऽपिवा । अथसर्पेणदंष्ट्रोवावृक्षाद्वापतितोभवेत् ॥  
व्याघ्रादिभिर्हतोवापिव्याधिभिर्वाप्युपद्रुतः । नतत्रदोषःपालस्यनचदोषोस्तिगोमिना  
म् ) अर्थात्-राजपीड़ा राजविघ्नपीड़ा ग्रहपीड़ासे पीड़ितपशु या (बज्र) लोह शस्त्रादिसे  
घायल अथवा (अशनि)नाम विजलीसे हताहुआ या साँपका कांटाहुआ या वृक्षादि ऊँ-  
चाईसे गिराहुआ चुटहिलपशुहो या व्याघ्रआदिका माराहुआ या कोईरोग जो पशुओं  
का दुखदाई होताहो तिसते पीड़ित पशु-इतने आतुर पशुओं से चाहे कितनाही  
कुछ खेती आदिका नुकसान बिना रूँधे अथवा रूँधिमें भी हुआहो कोई दण्डभागी  
इस में नहींहै क्योंकि ऐसे आतुर पशुओंका तत्काल निवारण होसकना यद्वा बन्धन  
आदि रीतोंसे चौकसी करीजानी भी सुसंगत नहीं समुभी जासक्ती है इसलिये इन  
के रक्षक अथवा स्वामियोंका भी दोष नहीं माना जासक्ताहै (पर) वह दशा इसमें  
गिनती नहीं समुभनी जो कि रक्षक अथवा मालिक साथ होकर कोई खेती आदि  
इनको इच्छा सहित चरावै-किन्तु ऐसे पशुओंको अस्वामिक तुल्य छोडदेने तक  
अपराध नहीं है-इनके सिवाय विरले पशु अनातुरभी अदंड्य होते हैं-यथाह  
नारदः-( गौःप्रसूतादशाहात्तुमहोक्षावाजिकुंजराः । निर्धार्याःस्युःप्रयत्नेनतेषांस्वा-  
मीनदंडभाक् )-अर्थात्-दशादिन भीतरकी व्याईगऊ महोक्ष वाजि कुंजर येचारों पशु  
प्रयत्नसे निर्धार्यहोतेहैं अर्थात् किसीके रोके नहीं रुकिसक्ते इससे इनका स्वामी दंड  
भागी नहीं और स्वामीके उपलक्षणसे पालक भी अदंड्यहै चाहे कितनाही नुकसान  
दैवाधीन हुआहो-इनमें व्याईगऊ क्षुधा क्षामहोनेसे हरेरीखेती देखि रोके रुकतीनहीं  
(महोक्ष) जो सब गौवोंके गर्भाधानहेतुसे विमुक्त बंधन छुटारहिताहै गोपालके भी  
बशका नहीं घोड़ा हाथी भी प्रत्यक्ष बशके नहीं हैं और उशनाने इन दोनों के  
अदंड्यहोनेका कुछहेतु भी विशेष दर्शितकियाहै-यथा-( अदंड्याहस्तिनोह्यश्वाःप्रजा  
पालाहितेस्मृताः । अदंड्याःकाणकुब्जाश्चयेशश्वत्कृतलक्षणाः ॥ अदंड्यागन्तुकागो-  
श्चसूतिकावाऽभिसारिणी । अदंड्याश्चोत्सवेगावःश्राद्धकालेतथैवच )-अर्थात्-हाथी  
और घोडेभी इसहेतुसे अदंड्यहैं कि ये दोनों प्रजापाल कहिलातेहैं और जे कोई पशु  
काने कुबड़ेहों या जिनमें कोई चिह्न त्रिशूल आदि दाग देनेसे या जन्मसेही जीभ पूँड  
आदि कोईचिह्न ईश्वरदत्त त्रिलक्षणहो अदंड्यहैं एवमार्गमें एकाकी चलेजानेवाले पशु

अदंध्यहैं और गऊभी जो व्याईहो याँ (अभिसारिणी)नाम अपने यूथसे परिच्युतहुई फिरभी उसीयूथका अन्वेषण करती जातीहो अदण्ड्य है-मनुरपि-(अनिर्दशाहांगां सूतां वृषान्देवपशुंस्तथा । सपालान्वाविपालान्वाअदण्ड्यान्मनुरब्रवीत्)-अर्थात्-दश दिन भीतर व्याईगऊको और चक्रशूलआदि अङ्कित वृषभ या विनआँकेभी जोगर्भा-धान हेतु छोड़ेजायँ तिनको और(देवपशू )जे कोई पशूदेवकर्म निमित्त सेहीपाले अथवा छोड़ेजायँ तिनकोभी सपाल या विपाल होने दोनोंदशामें अदण्ड्य मनु कहितेहुये-आशय इसका यह कि ऐसे पशुआँसे निज खेतवाला अपना खेतरखावै-इसी आशयसे मनुने यह और भी अग्रोक्त नियमकहाहै-यथा-)क्षेत्रियस्यात्ययैदण्ड्योभागाद्दशगुणो भवेत् । ततोऽर्द्धदंडोभृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रियस्यतु)-अर्थात्-जो निज खेतवालेकेही पशु आँने या उसकी गफलत होनेमात्रसे अदण्ड्य पशुआँने कुछ बहुत विनाश कियाहो तो उस हानिमें से जितना राजभागका नुकसान समुभाजायँ तिसते दशगुण दण्ड किसानभरै परजो उसके भृत्यों के अपराध से यह हानिहुईहो तो फिर इसते आधा दंड वही किसान देवे १६८ ॥

अथपशूनांनष्टेमृतेवास्वामिपालकयोर्विवादपदधर्मविवेकोनामाष्ट

षष्टितमः परिच्छेदः ६८ ॥

इस अरसाठिसंख्याके परिच्छेदमें पशुआँके बहिजानेया मरजाने मध्ये स्वामी और गोपालक में परस्पर भगड़ाहो तिसके धर्मजाने जायँगे ॥

यथार्पितान्पशून्गोपः सायंप्रत्यर्पयेत्तथा । प्रमादमृतनष्टांश्चप्रदाप्यःकृतवेतनः १६६ ॥

पालदोपविनाशेतुपालेदंडोविधीयते । अर्द्धत्रयोदशपणःस्वामिनोद्रव्यमेवच १७० ॥

ऐ०-जैसे अर्पितहुये तैसे पशुआँको गोपाल सायंकाल में प्रत्यर्पण करै-प्रमादसे मरगये यद्वा खोयेगये पशुआँको कृतवेतन गोप दिलानेयोग्य है-अर्थात् जैसीरीतिसे गनिकर स्वामीने प्रातःकाल इसको सौंपेहों तैसेही यह गोपभी सायंकाल स्वामीको गिनाइकर सब सौंपिदेवै-औरजे कोई इसके प्रमादरूप अपराधोंसे मरगये या बहि-गयेहों सो यह मूल्यआदि प्रकारों से दिलवायाजाय पर उसदशामें कि जो यह गोप स्वामी से कुछनियत वेतन पाताहो १६६ गोपालके अपराधोंसे विनाश होनेमें ताम्रिक साढ़ेतेरहपणका राजदण्डभी गोपालपर कर्त्तव्यहै यद्वा विरले संग्रहकारों ने (अर्द्धत्रयोदशपण) का अर्थ साढ़ेवारहपणही मानाहै सो ठीकसमुझौ और स्वामीका जो द्रव्यहो सो मध्यस्थों द्वारा कल्पित हुआ दिलायाजाय जैसा ऊपरले वाक्यमें कहचुके १७० ॥

अधि०-स्वामी पालक दोनोंका कर्त्तव्य नारद कहतेहैं-यथा-(उपानयेद् गागोपाय प्रत्यहंरजनीक्षये । चीर्णाःपीताश्चतागोपःसायाह्नेप्रत्युपानयेत् )-अर्थात्-रात्रि व्यतीत

कालमात्र चरनेका अपराध नहीं है आशय इसका यह कि बहुतकालमें अपराधहै-  
यहाँतक अधिकोक्तिका यह पाठ केवल एकसौ सरसठिवाले मूलश्लोक मध्ये समुभौ  
सो यह खेत विशेषोंका अपवाद धर्महै १६७ अब आगे एकसौ अड़सठिमूलश्लोक  
मध्ये विरले पशु विशेषोंका अपवाद धर्म लिखते हैं कि पहले जो जो दंड पशुओंके  
व्यतिक्रमसे प्रदर्शित हुये सो अत्रोक्त पशुओंकी अपेक्षामें न समुभेजायँ-तदाहना  
रदः-(राजगृहग्रहीतोवावज्राशनिहतोऽपिवा । अथसर्पेणदंष्ट्रोवावृक्षाद्वापतितोभवेत् ॥  
व्याघ्रादिभिर्हतोवापिव्याधिभिर्वाप्युपद्रुतः । नतत्रदोषःपालस्यनचदोषोस्तिगोमिना  
म् ) अर्थात्-राजपीड़ा राजविघ्नपीड़ा ग्रहपीड़ासे पीड़ितपशु या (बज्र) लोह शस्त्रादिसे  
घायल अथवा (अग्नि)नाम विजलीसे हताहुआ या साँपका काटाहुआ या वृक्षादि  
चाईसे गिराहुआ चुटहिलपशुहो या व्याघ्रआदिका माराहुआ या कोईरोग जो पशुओं  
का दुखदाई होताहो तिसते पीड़ित पशु-इतने आतुर पशुओं से चाहे कितनाही  
कुछ खेती आदिका नुकसान बिना रूँधे अथवा रूँधिमें भी हुआहो कोई दण्डभागी  
इस में नहींहै क्योंकि ऐसे आतुर पशुओंका तत्काल निवारण होसकना यद्वा बन्धन  
आदि रीतोंसे चौकसी करीजानी भी सुसंगत नहीं समुभी जासक्ती है इसलिये इन  
के रक्षक अथवा स्वामियोंका भी दोष नहीं माना जासक्ताहै (पर) वह दशा इसमें  
गिनती नहीं समुभनी जो कि रक्षक अथवा मालिक साथ होकर कोई खेती आदि  
इनको इच्छा सहित चरावँ-किन्तु ऐसे पशुओंको अस्वामिक तुल्य छोड़देने तक  
अपराध नहीं है-इनके सिवाय विरले पशु अनातुरभी अदंड्य होते हैं-यथाह  
नारदः-( गौःप्रसूतादशाहात्तुमहोक्षावाजिकुंजराः । निर्धार्याःस्युःप्रयत्नेनतेषांस्वा-  
मीनदंडभाक् )-अर्थात्-दशदिन भीतरकी व्याईगऊ महोक्ष वाजि कुंजर येचारों पशु  
प्रयत्नसे निर्धार्यहोतेहैं अर्थात् किसीके रोके नहीं रुकिसक्ते इससे इनका स्वामी दंड  
भागी नहीं और स्वामीके उपलक्षणसे पालक भी अदंड्यहै चाहे कितनाही नुकसान  
दैवाधीन हुआहो-इनमें व्याईगऊ क्षुधा क्षामहोनेसे हरेरीखेती देखि रोके रुकतीनहीं  
(महोक्ष) जो सब गौवोंके गर्भाधानहेतुसे विमुक्त बंधन छुटारहिताहै गोपालके भी  
वशका नहीं घोड़ा हाथी भी प्रत्यक्ष वशके नहीं हैं और उशनाने इन दोनों के  
अदंड्यहोनेका कुछहेतु भी विशेष दर्शितकियाहै-यथा-( अदंड्याहस्तिनोह्यश्वाःप्रजा  
पालाहितेस्मृताः । अदंड्याःकाणकुब्जाश्चयेशश्वत्कृतलक्षणाः ॥ अदंड्यागन्तुकामो-  
श्चसूतिकावाऽभिसारिणी । अदंड्याश्चोत्सवेगावःश्राद्धकालेतथैवच )-अर्थात्-हाथी  
और घोड़ेभी इसहेतुसे अदंड्यहैं कि ये दोनों प्रजापाल कहिलातेहैं और जे कोई पशु  
काने कुबड़ेहों या जिनमें कोई चिह्न त्रिशूल आदि दाग देनेसे या जन्मसेही जीभ पूँज  
आदि कोईचिह्न ईश्वरदत्त विलक्षणहो अदंड्यहैं एवंमार्गमें एकाकी चलेजानेवाले पशु

अदंध्यहैं और गऊभी जो व्याईहो या (अभिसारिणी)नाम अपने यूथसे परिच्युतहुई फिरभी उसीयूथका अन्वेषण करती जातीहो अदण्ड्य है—मनुरपि—(अनिर्दशाहांगां सूतांवृषान्देवपशूंस्तथा । सपालान्वाविपालान्वाअदण्ड्यान्मनुरब्रवीत्)-अर्थात्—दश दिन भीतर व्याईगऊको और चक्रशूलआदि अङ्कित वृषभ या बिनआँकेभी जोगर्भा-धान हेतु छोड़ेजायँ तिनको और(देवपशू )जे कोई पशूदेवकर्म निमित्त सेहीपाले अथवा छोड़ेजायँ तिनकोभी सपाल या विपाल होने दोनोंदशामें अदण्ड्य मनु कहितेहुये-आशय इसका यह कि ऐसे पशुओंसे निज खेतवाला अपना खेतखावै-इसी आशयसे मनुने यह और भी अग्रोक्त नियमकहाहै-यथा-)(क्षेत्रियस्यात्ययेदण्ड्योभागादशगुणो भवेत् । ततोऽर्द्धदंडोभृत्यानामज्ञानाक्षेत्रियस्यतु)-अर्थात्-जो निज खेतवालेकेही पशुओंने या उसकी गफलत होनेमात्रसे अदण्ड्य पशुओं ने कुछ बहुत विनाश कियाहो तो उस हानिमें से जितना राजभागका नुकसान समुंभाजायँ तिसते दशगुण दण्ड किसानभरै परजो उसके भृत्यों के अपराध से यह हानिहुईहो तो फिर इसते आधा दंड वही किसान देवे १६८ ॥

अथपशूनांनष्टेमृतेवास्वामिपालकयोर्विवादपदधर्मविवेकोनामाष्ट

षष्टितमः परिच्छेदः ६८ ॥

इस अरसाठिसंख्याके परिच्छेदमें पशुओंके बहिजाने या मरजाने मध्ये स्वामी और गोपालक में परस्पर झगड़ाहो तिसके धर्मजाने जायँगे ॥

यथार्पितान्पशून्गोपः सायंप्रत्यर्पयेत्तथा । प्रमादमृतनष्टाश्चप्रदाप्यःकृतवेतनः १६६ ॥

पालदोषविनाशेतुपालेदंडोविधीयते । अर्द्धत्रयोदशपणःस्वामिनोद्रव्यमेवच १७० ॥

ऐ०—जैसे अर्पितहुये तैसे पशुओंको गोपाल सायंकाल में प्रत्यर्पण करै-प्रमादसे मरगये यद्वा खोयेगये पशुओंको कृतवेतन गोप दिलानेयोग्य है-अर्थात् जैसीरीतिसे गनिकर स्वामीने प्रातःकाल इसको सौंपेहों तैसेही यह गोपभी सायंकाल स्वामीको गिनाइकर सब सौंपिदेवै-औरजे कोई इसके प्रमादरूप अपराधोंसे मरगये या बहि-गयेहों सो यह मूल्यआदि प्रकारों से दिलवायाजाय पर उसदशामें कि जो यह गोप स्वामी से कुछनियत वेतन पाताहो १६६ गोपालके अपराधोंसे विनाश होनेमें ताच्चिक साढ़ेतेरहपणका राजदण्डभी गोपालपर कर्त्तव्यहै यद्वा विरले संग्रहकारों ने (अर्द्धत्रयोदशपण) का अर्थ साढ़ेवारहपणही मानाहै सो ठीकसमुंभौ और स्वामीका जो द्रव्यहो सो मध्यस्थों द्वारा कल्पित हुआ दिलायाजाय जैसा ऊपरले वाक्यमें कहचुके १७० ॥

अधि०—स्वामी पालक दोनोंका कर्त्तव्य नारद कहतेहैं—यथा—(उपानयेद् गागोपाय प्रत्यहंरजनीक्षये । चीर्णाःपीताश्चतागोपःसायाह्नेप्रत्युपानयेत् )-अर्थात्-रात्रि व्यतीत

होनेपर स्वामी अपनी गौवें नितउठि प्रातःकाल गोपके समीप लाकर ( परीणाह ) नामक नियत स्थलपर सब सौंपिजावै तिनको गोप सायङ्काल चरीहुई और पानी पीकरतृप्तहुई स्वामी के घरजाकर प्रत्यर्पणकरै किंतु भूखीप्यासी भी न लावै-रात्रि दिनके भेदसे अपराधभेद मनु कहते हैं-यथा-( दिवावक्तव्यतापालेरात्रौस्वामिनितद् गृहे । योगक्षेमेऽन्यथाचेत्तुपालोवक्तव्यतामियात् )-अर्थात्-जो दिनमें गोप को सौंपै पशुओंकी अपेक्षा योगक्षेमका उत्पातहो तौ यह दोष उसगोपालकेही जिम्मे है पर जो रात्रि में गोपाल करके स्वामी के घरसौंपै पशुओं में कुछ विघ्नहो तौ वह दोष स्वामीकेही जिम्मे है अथवा जहाँ रात्रिमें भी गोपके अधीन पशु रहितेहों जिनमें कोईसा उत्पातहो तौ गोपालकाही दोष है परजो गोप अपने स्वामीसे कुछ नियत वेतन पाताहो-कृतवेतन गोपों के भृति परिमाण भी नारदने दर्शाये हैं-यथा ( गवांशताद्वत्सतरीधेनुः स्याद्द्विशताद्भृतिः । प्रतिसंवत्सरंगोपेसंदोहश्चाष्टमेऽहनि ) अर्थात्-एकसौ गौवोंको चरानेवाले गोपको बरसोंडी हरसाल एक(वत्सतरी) अर्थात् दोबरसी कलोरि बछिया भृतिरूपसे दातव्य है एवं दोसौ गऊ चरानेवाले गोपको हरसाल एक (धेनु) सबत्सा दूधदेती हुई भृतिरूपसे दातव्य है ( भृति-अर्थात्वेतन-उजरत ) और इस वेतनके सिवाय वह (संदोह) भी दुहाई मध्ये प्रति सप्ताह आठवें दिवस देना योग्य है कि जो कुछ नियतहो ( परंच नियतहोने का परिमाण इसमें नहीं पायागया कि कितना नियतहो इसी आशयसे यह बात पाई जाती है कि जितनी गौवें दूधदेतीहों उतनी सभी आठवें दिवस दुहिले जाया करै बल्कि यही आशय इस अग्रोक्त बचन वृहस्पतिसे भी निश्चित होता है ) यथाह वृहस्पतिः( तथाधेनुभृतःक्षीरंलभेताद्व्यष्टमेहनि ) अर्थात् (धेनुभृत) गोपाल जिसको भृति बरसोंडी धेनु मिलती हो या बछिया मिलतीहो ऐसा गोपाल आठवें दिवस दूधपावै ( इसमें भी परिमाण नहीं रक्खागया इस्से विनिश्चितहुआ कि सबरा दूध जितना होताहो पायाकरै सो यहबातभी कुछ देशकाल वस्तुके अनुरूप असंगतनहीं समुझीजासक्ती है क्योंकि जहांगोकुलकी बहुताइतसे सैकरोगाय चराताहो तहां उस की भृतिका ऐसानियम सुसंगत समुझाजाता है-परंच-मनुने इसबात को कुछ और भांति दर्शायाहै-यथा-(गोपःक्षीरभृतोयस्तुसदुह्यादशतोवराम् । गोस्वाम्यनुमतोभृत्यः सास्यात्पालेऽभृतेभृतिः) अर्थात्-यदि कोई गोपकेवल ( क्षीरभृत ) हो किंतु दुग्धहीउस की भृति कल्पित हुईहो जिसको और कुछ न मिलताहो तौ वहस्वामी की अनुज्ञासे दशमें श्रेष्ठ गऊदुहिलेवै किंतु दशगौवें दूध देती हों तिनमें एक सबसे दुधार जाने सौ दुहिलेवै एवं बीस में से दो गौवें-यद्यपि-इस में ऊपरले नियमों से कुछ अंतरभी प्रत्यक्षहै तौभी निपट विरोध नहीं समुझना क्योंकि जिन वचनोंमें सब दूध लेजाना



निश्चित हुआ तिनमें सिर्फ आठवें दिन का नियम है और मनुने जो दशवां उत्तमभाग रक्खा सो यह दिनप्रतिका निरंतर नियम है इसलिये उसीके तुल्यात्मक ठहरा-ऊपरले नियमों में सालपीछे एक बड़ी बछिया या दूधवाली गऊ देनीकही सो वह नियम उसी स्थलपर होसक्ताहै कि जहां सौ दोसौआदि अधिकपशू हों मनुका यह नियम साधारण भाव थोड़े या बहुत पशूहों तौ सर्वत्र सूचित होता है और इसके साथ यहभी न्याय समुभना योग्यहै कि सभी गौवें सर्वकाल व्याई नहीं होती हैं न ऐसा नियम होना संभवहै कि बिनाव्याई गौवें कोई और गोपचरावै अर्थात् गौवें चाहे तितनी अधिक चराताहो उनमें जितनी दूधवालीहों तिनमेंसे दहाई पीछे एक वह दुहिलेवैगा यही बात ऊपरले नियमोंसे तुल्यात्मकहै कि एकसौ चराने वाले की सौ में से जितनी दूधवालीहों उन्हींको प्रत्येक अठवारे पीछे दुहिलेजावेगा—गायके उपलक्षणमात्र से भैंस आदि और भी सब समुभिलेने-भृतिके परिमाण यह सब इसहेतुसे प्रकल्पित हुये हैं कि जहां बिनाठहराये कोई गोपभृत्यभाव द्वारा पशू चरावे पीछे देनेलेने मध्ये भगड़ाहोकर किसी राजद्वारतक वह पहुँचै तहां राजा इन्हीं नियमोंके अनुसार उसका निपटारा करै अन्यथा जहां जो कुछ भृति ठहिरीहो सोई नियम ठीकहै कुछ इन्हीं नियमोंपर आवश्यकनहीं-किसी प्रकारके नियमोंसे कुछ वेतन पाताहो ऐसा कृतवेतनगोप अपने अपराधोंसे यदि कोई पशूखोवै अथवा मार डालै तौ वह पशू उस्से स्वामीको दिलवायाजाय-यह बात क्योंकर जानी जासक्ती है कि ऐसे गोपके प्रमादसेही पशूविनाशहुआ इसीलिये प्रमादकृत नाशकाभी रूप मनुने स्पष्टव्यौरेवारदर्शितकियाहै-यथा(नष्टंजग्धंचकृमिभिःश्वहतंविषमेमृतम्।हीनंपुरुषकारेणप्रदद्यात्पालएवतु)अर्थात्-जो खोया जाय या कीड़ेपरिकै विनाशहो या कुत्ताआदि काटने से या ऊंचेनीचेगिरकर मरै यद्वा कोई और प्रकार से कि जिनमें पुरुषकारके करनेसे बचिसक्ता था मरजाय अथवा खोयाजाय तौ यह गोपके प्रमादसे विनाश हुआ जानो इससे वही गोप ऐसा पशूदेवे किंतु इन विघ्नों से रक्षा उसको सदाही कर्तव्य है ( पुरुषकार अर्थात् पुरुषके करसकनेवाला रक्षाका प्रयत्न)यथाहबृहस्पतिः (कृमिचोरव्याघ्रभयाद्वरीश्वभ्राञ्चपालयेत् । व्यायच्छेच्छक्तितःक्रोशेस्वामिनेवानिवेदयेत्)अर्थात्-कीड़े चोर व्याघ्रआदि भयउत्पन्नहोनेसे और (द्वरी) नाम पहाड़ों की कंदरा से (श्वभ्र) नाम गड़हिला आदि से सदैव रक्षाकरे किसीप्रकार पशुओं या पशुपालोंका उत्कटशब्द होनेपर तत्काल आपही अपनी शक्तिके अनुसार यत्न करे अथवाशीघ्र गोस्वामी को आकरखबर देवे तौ यह गोप सदा निर्दोषहै—जहां चोरों ने प्रबलतासे हरलियाहो तौ गोपाल दोषी नहीं—यथाहमनुः (विघ्नप्यतुहृतंचौरैर्नपालो दातुमर्हति । यदिदेशेचकालेचस्वामिनः स्वस्यशंसति)अर्थात्-यदि चोरोंने ढोलकतुर-

हीआदि बजातेहुये डांका डालिकर प्रत्यक्ष पशु बेदेहों तौ गोपाल देने योग्यनहीं पर उस दशा तक कि जो निजस्वामीको नगीच होतेहुये शीघ्रजाकर बोधितकरै किंतु बोधित करनेमें विलंब होनेसे अपराधी होगा ( यहां बाजे गाजे सहित डांकाकहने से चोरोंकाबाहुल्य और प्राबल्य सूचित किया है कुछ बाजाबजनेसेही नियमनहीं ) पशुओंको निर्जनछोड़ि आनेमें भी गोपदंडनीयहै-यथाहव्यासः(गृहीतमूल्योगोपालस्तांस्त्यक्कानिर्जनेवने । ग्रामचारीनृपैर्बाध्यःशलाकीचवनेचरः)अर्थात्-वेतन मूल्यलेने वाला गोपाल पशुओंको निर्जनबनमें चरते छोड़िकर यदि ग्रामचारीहोवै किंतु दैवाधीन उनको छोड़िकर यदि आपबस्तीमें आजाताहो ऐसागोपकुलक्षण हेतुसे राजाओं करके दंडनीयहै एवं इससे विपरीत जो (शलाकी) नाम नापित बनकी सैरसपाटा करनेका अभ्यास रखताहो दंडनीयहै-गोपालके निरुद्यम होनेसे यदि पशुओंको विपत्तिहो तिसका दण्ड नारदकहते हैं-यथा (स्याच्चेद्गोव्यसनंगोपोव्यायच्छेत्तत्रशक्तिः । अशक्तस्तूर्णमागम्यस्वामिनेचनिवेदयेत् ॥ अव्यायच्छेतविक्रोशन्स्वामिनेच निवेदयन् । ब्रौडुमर्हतिगोपस्तंविनयंचैवराजनि ) अर्थात्-यदि पशुओंको विपत्ति खड़ी होवै तौ गोपाल अपनी शक्तिके अनुसार उसीस्थलपर प्रयत्न पहलेकरै और जोआप अशक्तहोतौ अति शीघ्रभागा आकरस्वामीको संबोधित करै तौ निर्दोषहै-पर-जो गोप उपद्रव शांतिकाउपाय अपनेआपभी न करै और उस उपद्रवको पुकारताहुआ आकर स्वामीकोभी खबर न दे तौउस विनशेपशुको वहगोप आपही मूल्य द्वारा भरनेयोग्यहै और राजाकोभी राजदंड देनेयोग्य-कदाचित्-कोईपशु दैवयोगसे मरजाय जिसकाव्यौरा मरनेसे पहले दूरहोनेके हेतुसे स्वामीको पहुँचाने में अशक्ति समुभीजाय तौउस गोपके निर्दोषी होनेका उपाय व्यासकहते हैं-यथा ( मृतेषुचविशुद्धःस्याद्वालशृंगादिदर्शनात् ) अर्थात्-दैवयोगसे अचानक पशुमरजाने में गोपाल उसके बालसींग आदि चिह्नस्वामी को दिखलाने से निर्दोषहोवै-यहांआदि शब्दके आशयसे कानआदि अंगभी समुभने-तदाहमनुः(कणौचर्मच वालांश्चवस्तिस्नायुचरोचनाम् । पशुस्वामिषुदद्यात्तुमृतेष्वंगानिदर्शयेत्)-अर्थात्-अचानक पशुमरजानेमें गोपाल दोनोंकान चमड़ाबाल पूँछ और( वस्ति ) नाम मूत्राधारकास्थान कोश और स्नायुनाम एकप्रकारकीनाडीनसे जिनसे वाद्यबंधन आदि कार्यसाधनहोते हैं और(रोचना)गोरोचन यह सबचीजें पशुकेस्वामीको लादेवै तथा और अंग खुरसंगिआदि जो जिसपशुके विलक्षण चिह्नहोतेहों सो दिखलादेवै(और)आदिशब्द यद्वा दर्शन शब्दके आशयसे तत्रत्य साक्षीलोगभी प्रमाणदेवै तौ निर्दोषी ठहरै-अत्रापि दोषनिर्णयमाह विष्णुः-यथा (द्वयेकोवापशूनांवृकाद्युपघातेपालेत्वनायतिपालकदोषोविनष्टपशूनांमूल्यं स्वामिनेदद्यात् (अनायति-अनागच्छति ) अर्थात्-जहाँभेड़िया आदिसे पशुओंका

उपघातहुआहो और उपघातक जीव भेड़ियाआदि एक यद्वा दोतकहों और गोपाल उनपर धावाकरनेसे उपेक्षारक्खे तौ वह दोषीहै विनाशहुये पशुओंका मूल्य स्वामीको देवै-मनुरपि पालदोषनिर्णयमाह-यथा (अजाऽविकेतुसंरुद्धेवृकैःपालेत्वनायति । यांप्र-सह्यवृकोहन्यात्पालेतत्किल्बिषंभवेत्) अर्थात्- बकरी भेड़ और तुशब्दके आशयसे गाय घोड़ाआदिभी समुभौ तिनके बृकादि हिंसकजीवोंसे घिरनेमें यदिगोप नहींदौड़े तौ जिसपशुको बृक हिंसक मारडालै तिसकादोष उसगोपाल परहीहोगा-परंतु-यह दोष उसपर ऐसेस्थलमें समुभना जहाँ धावाकरनेका अवकाश होनेसेसुगमता समु-भीजाय-किंतु-दुर्गमआदि स्थलपर गोपालभी निर्दोषहै-यथाहमनुः-(तासाञ्चेदवरु-द्वानांचरंतीनामिथोवने । यामुत्प्लुत्यवृकोहन्यान्नपालस्तत्रकिल्बिषी) अर्थात्-पूर्वोक्त भेड़ बकरीआदि यदि गोपालकरके घेरीहुई इकट्ठी बनमें चरतेहुये थोकमेंसे जिसको कोई भिड़हाकुत्ता विना देखाहुआ अचानक कूदकरलेजाय यद्वा मारडालै तौइसअ-वसरमें गोपाल दोषीनहीं-यह दृष्टांतमात्र समुभौकिंतु इसीप्रकार और भी यदिको-ई अवसर देवाधीन अचानक हो तिसमेंभी गोपाल दोषीनहीं १६९ ॥ १७० ॥

( गवादि पशुप्रचारणभूमिकल्पः )

ग्रामेच्छयागोप्रचारोभूमिराजवशेनवा । द्विजस्तृणैधपुष्पाणिसर्वतःसर्वदाहरेत् १७१ ॥

धनुःशतंपरीणाहोग्रामक्षेत्रांतरंभवेत् । देशतेखर्वटस्यस्यान्नगरस्यचतुःशतम् १७२ ॥

ऐ०-ग्रामजनकी इच्छासे पशुप्रचार भूमिहोवै यद्वा देशाधिप राजाके प्रबन्ध से अर्थात् ग्रामसंबन्धी धरतीकी बहुताइत आदिके अनुसार थोड़ी बहुत जैसी योग्य हो विना जोतीधरती पशुओंके चरने हेतु जहां समुभीजाय छोड़देनी योग्य है-द्विज वर मात्र तृण ईंधन फूल ये सर्वत्र सर्वदाहरै अर्थात् गोसेवा देवपूजन अग्निकर्म का अवरोध जोइन चीजोंके अभावसेही संभवहो तौ कुश,कांश, घास, फूस,गोवर,ल-कड़ी, फूल, पत्र आदि स्वल्पकार्य साधनमात्र द्विजवर विना बूभेभी सर्वत्र सबदिन-लेसक्ताहै (सर्वतः)सर्वत्र लेसकनेका आशय यह प्रत्यक्षहै कि इनचीजोंको बागीचा आदि रखाई घेरीभी लेसक्ताहै तथापि यह अधिकार तबतकहै कि यदि वहवरतू वि ना रखाई कहींसमीप न मिलसक्तीहो और पुष्पोंके उपलक्षणमें देवनिमित्तक फल भी समुभलेने-इसका आशय कुछ अधिकोक्तिमें भी देखो १७१ ग्राम और खेतों के बीच अंतरदेकर एकसौ धनुषके अनुमान परीणाहनाम परिहार विना कोई जोतीधरती चाहेकिसीप्रकारकीहो पशुओंके बैठनेफिरनेआदि सुखहेतुसे चहुंओर छोड़ीहुई कल्पित करनेयोग्यहै और जो ग्रामकोई बड़ा(खर्वट)नाम(खर्वट)किंतु कसवाहो तिसमेंदोसौधनुष के अनुमानका परिहार करनायोग्यहै एवं बड़े नगरोंनाम शहरोंके सबओर चारसौतक धनुषके अनुमानका परिणाह छोड़देनायोग्यहै(एकधनुषचारहाथ लंबाहोताहै)१७२॥

अधि०—ब्राह्मणको सर्वत्र तृण, घास, ईंधन, फलफलके लेनेका अधिकार व्यौरैवार गौतमने स्पष्ट दर्शित किया है—यथा ( देवगोग्न्यर्थं तृणमेधांसिवीरुधवनस्पतीनांपुष्पाणि स्ववदाददीतफलानि चापरिवृतानाम् ) अर्थात्—देवता, गऊ, अग्नि इनके अर्थ आवश्यक तृण घास आदि और ईंधन लकड़ी तद्वत् फूल फल भी प्रायः उन्हीं वृक्षोंके जो ( वीरुध ) नाम बड़ी भूमड़ी घुमड़ी लतावाले आप पैदा होते हैं और ( वनस्पति ) नाम दीर्घवृक्ष जिनमें पुष्पोंविना फल उत्पन्न होते हैं इत्यादि इसी निदर्शन मात्रसे इनके तुल्य और भी जेकोई वृक्षादिक वनमें होते हैं तिनमें से सर्वत्र ब्राह्मण अपनी वस्तुके समान विना रोकाटोका लेनेपावै ( पर ) फलकालेनासिर्फ ऐसे स्थलसे कि जिनमें रूंधि घेरा बंधान हो—बल्कि स्वत्व परिग्रह उनपर चाहे तिसका हो या न हो इसका नियम नहीं है क्योंकि विना परिग्रहकी इन चीजोंको और भी सब सामान्य जन लेसक्ते हैं—तथाह गौतम एव ( स्वामीरिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु भवति ) इस बचनमें पांच भांतिके स्वत्वोंमें से यहां केवल दृष्टांतमें परिग्रह मात्रसे अपेक्षा है कि विना परिग्रहवाली वस्तुमें परिग्रह करिलेने से सभी कोई स्वामी होजाता है इससे ब्राह्मणका यह नियम विशेषरक्खा है कि आवश्यक अवसरमें इन उक्त चीजों के न होने से यदि देव गऊ अग्नि इनका कार्य सिद्ध न होता होतौ विनरूंधे घेरे स्थलसे इन चीजोंको विनमांगे भी लेसक्ता है एवंरूंधे स्थलसे भी बूझिकर विन रोकाटोका लेनेपावै—परन्तु ( अपनी वस्तुके समान लेसक्ता है ) इसनियमका यह आशय नहीं है कि जैसे अपनी वस्तुको जड़ मूलसे विध्वंसभी करसक्ता होगा किंतु यह सिद्धांत है कि जैसे अपनी वस्तुसे अति सौचविचार पूर्व रक्षा सहित काम निकाला जाता है कि जिससे उसकी शोभा या कुछ पैदावारी आदि कुंठित भी न होनेपावै ऐसी रीतिसे लेसक्ता है—और जो—पराई हानि करनेमध्ये दण्डका यह वाक्य है कि ( तृणवायदिवाकाष्ठपुष्पवायदिवाफलम् । अनापृच्छन्नहि गृह्णानो हस्तच्छेदनमर्हति ) सो यह दण्ड इस अत्रोक्त विधिको छोड़कर अन्यत्र समुभूना किन्तु जहां द्विजवर भी अत्रोक्त नियमोंके अतिक्रमसे अयोग्य हानि करनेपर सन्नद्ध हो तौ वह रोकाजाय १७१ ऊपर मूल श्लोकमें जो ग्राम कर्वटनगर कहेतिनके लक्षण यहां लिखते हैं कि छोटी बस्तीग्राम कहाती है पर उसदशातक कि जबतक उसमें कुछ प्राकार परिखायद्वा पक्की हाट बाजार भी न हो—यथोक्तम् ( विप्राश्च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति हि । स तु ग्राम इति प्रोक्तः शुद्राणां वास एव वा— तथा शूद्रजन प्रायासु स मृद्धकृषीवला । क्षेत्रोपयोगभूमध्ये वसति ग्रामसंज्ञिका— इति ग्रामलक्षणं ) अर्थ इनका सुगम है—( अथ खर्वटकर्वटयोर्लक्षणानि )—यथा ( एकतोयत्र तु ग्रामो नगरं चैकतः स्थितम् । मिश्रन्तु खर्वटो नाम नदी गिरिसमाश्रयः ) अर्थात्—जहां एक ओर ऊर्ध्वोक्त लक्षणके समान ग्राम वसता हो और एक ओर हाटबाजार सहित नगरवसता हो ऐसी

मिली बसापत को खर्वट नाम कहते हैं फिर चाहै उसमें नदी पहाड़ों का भी योग मिला पही या न हो परंच दोसौ के अनुमान छोटे ग्राम जिसके अवलम्बसे क्रय विक्रय आदि व्यापारों का व्यवहार साधन करसक्तेहों तौ वह (खर्वट) नाम कहाताहै अर्थात् छोटा कसबा-किन्तु-बड़ा कसबा (कर्वट) नामहोताहै कि जिसमें कमसेकम अनुमानचार-सौ तक ग्रामोंकी तहसील संग्रह करीजातीहो यद्वा वह कसबाही अतिसुन्दर और व्यापारों से विख्यातहो जिसमें ग्रामों तुल्य बसापत का कुछ मिश्रीभाव न हो-(अथ नगरस्य लक्षणम्)-यथा-(पण्यक्रियादिनिपुणैश्चातुर्वर्ण्यजनैर्युतम् । अनेकजातिसम्बद्धन्नैकशिल्पिसमाकुलम् ॥ सर्वदैवतसम्बन्धमनगरन्त्वभिधीयते)-अर्थात्-पण्यक्रिया क्रय विक्रय आदि नानाभाँति के व्यापार जाननेवाले बड़े चतुर उद्यम करनेवाले ऐसे चारोंवर्णोंके मनुष्योंसे संयुक्त अनेकजातोंसे (सम्बद्ध) नाम सघन बसापतवाला शहर जो नानाभाँति के (शिल्पी) नाम कारीगर लोगोंसेभी भराहो और सब तरहके देवादि मन्दिर स्थानोंकाभी सम्बन्ध जिसमेंहो ऐसे बड़ेपुरको नगर कहतेहैं कि जिसमें राज्यका स्थानभी अवश्यभावहो यद्वा कमसेकम अनुमान आठसौ तक बड़े छोटे बहुधा ग्रामोंके सबलोग अपने जीवनका प्रबन्ध साधन करसक्तेहों तिसको नगर जानौ क्योंकि (नग) नाम है बड़े बड़े वृक्षों तथा पहाड़ोंकाभी तिनके तुल्य ऊँचे ऊँचे गढ़ कोट और स्थान महल आदिहों तिसको नगर कहिये ( नगाइवप्रासादादयः सन्तियस्मिन् ) १७२ ॥

इति पशुव्यतिक्रमवादप्रकरणम् ॥

यहां तक यह ६७ तथा ६८ वाले दो परिच्छेदोंसे पशुव्यतिक्रमवादपदका प्रकरण पूरा हुआ कि जिसका नाम स्वामिपाल विवाद भी प्राचीन ग्रन्थ कहते हैं ॥

अथ अस्वामिविक्रयारव्यविवादपदव्यवहारविवेको नामैको-

नसत्ततितमः परिच्छेदः ६६ ॥

इस उनहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें उस मुकद्दमेका व्यवहार जानाजायगा जो कोई अस्वामी होकर किसी का कुछ द्रव्य किसी अनुचित मार्ग से धनी स्वामीके परोक्षमें यदि बेचै या क्रय करै ॥

(अस्वामिविक्रय)का यथावत् रूप नारदजीने कहाहै-यथा-( निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वाऽपहत्य वा । विक्रीयतेऽसमक्षं यत्सज्ञेयोऽस्वामिविक्रयः ) अर्थात्-परायाद्रव्य जो अपने पास धरोहर सौंपीहो तिसको स्वामीके असमक्षबेचै या खोयाहुआ परायाद्रव्य कहीं पायकर असमक्षबेचै या कोई और भाँतिसे परायाद्रव्य हरिकर मुख्यधनीके असमक्ष बेचै तौ यहवातें सब अस्वामिविक्रय जानौ क्योंकि ऐसे पुरुषने विक्रयक्रिया जो उस धनका स्वामी नहींथा -इसीलिये योगीश्वर मूलवाक्यसे धनीको अवकहतेहैं सो देखो ॥

स्वलभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हनिद्रहोर्हीनमूल्येवेलाहीनेचतस्करः १७३ ॥

ऐ०—औरका बेचाहुआ अपनाद्रव्य स्वामीपावै और छिपाहुआ क्रयकरने वाला क्रेता दोषी ठहिरै क्योंकि उसधनमें क्रेताका स्वत्व इसहेतुसे दृढ़नहींहै कि उसने मालिकबिना बेचनेवालेसे क्रयकिया कि जिसका स्वत्व धनमें नहींथा अर्थात् धनके आगमरूप नियत उपायोंसे विक्रेताने वहनहीं कमायाथा इसहेतुसे विक्रेताधनके आगमसे भी हीनथा उस आगमहीनसे इसक्रेताने क्रयकिया इससेयहभी चोरहै (क्योंकि) जो कोई हीनविक्रेतासे खरीदै या एकांतमें छिपकरलेवै यद्वा हीनमूल्यसे कि जितनेकी वहवस्तुहो तिसतेथोड़ा मूल्यदेकर या अतिस्वल्प मूल्यदेकर (बेलाहीन)कालमें खरीदै किंतु रात्रिआदि कुसमयमें गुप्तौअर सौदाकरै तौ इनबातोंसे यहक्रेता चोरहोता है अर्थात् चोरोंकेही तुल्यदंडपावै १७३ ॥

अधि०—परंतु जो प्रत्यक्ष सबको प्रकाशकरिकै वस्तु खरीदीहो तौ यह क्रेतादण्ड नहीं पासक्ता है-यथोक्तम्-(द्रव्यमस्वामिविक्रीतंप्राप्यस्वामीतदाप्नुयात् । प्रकाशक यतःशुद्धिःक्रेतुःस्तेयंरहःक्रयात्)अर्थात्-स्वामी बिना विक्रयहुआ द्रव्य मिलकर उसके स्वामीको पहुंचै पर प्रत्यक्ष खरीदनेवाला क्रेता शुद्ध ठहिरै किंतु गुप्तौअर क्रय होनेसे क्रेताचोरहोताहै-यहां विक्रयके उपलक्षण मात्रसे दानकरदेना या बन्धक रखि देना या धरोहरि मात्र सौंपिदेना आदि सभीलक्षण समुभिलेने-अतश्चोक्तं-(अस्वामिविक्रयदानमार्धिचविनिवर्त्तयेत्)अर्थात्-बिना मालिक बिकना या दानहोना या बन्धक धराजाना पुनर्निवर्त्तन कियाजाय १७३ ॥

( नाष्टिकःक्रेतारंप्राप्यकिंकुर्यात् )

नष्टापहतमासाद्यहत्तरिग्राहयेन्नरम् । देशकालातिपत्तौचगृहीत्वास्वयमर्पयेत् १७४ ॥

ऐ०—(नाष्टिक) नाम जिसकी कोई चीज नाशहुई वही धनी कहाताहै सो निजवस्तुके क्रेताको यदिपावै तौ फिर क्या कर्त्तव्यहै सो कहिते हैं कि-नष्ट नाम खोई या (अपहत) हरीहुई अपनी किसी चीजको क्रेताके हाथमें उपस्थित देखिजानिकर उसी (हर्ता) नाम क्रेताको पकड़ादेवै किंतु स्थलपाल थानेदार आदि किसी राजपुरुषको माल मुजरिम दोनों पकड़ादेवै-पर जो देशकालकी (अतिपत्ति) नाम अतिक्रम हो किंतु दूरहोने के हेतुसे तत्काल उनको विदित या विज्ञापन करने से पहले दोषी पुरुषका भगिजाना संभवहो तौ निज आप उसको पकड़कर उन राजपुरुषोंके प्रत्यर्पणकरै पकड़ेजाने पीछे जो कर्त्तव्यहै सो नीचे कहिते हैं १७४ ॥

विक्रेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामीद्रव्यंनृपोदमम् । क्रेतामूल्यमवाप्तितस्माद्यस्तस्यविक्रयी १७५ ॥

ऐ०—विक्रेताके दिखानेसे क्रेताकी शुद्धि हो मालिक अपनी वस्तुपावै राजा राज दंड लेवै क्रेता अपना दियाहुआ मूल्य पावै उसी से कि जिसने वस्तु बेची थी



अर्थात् जो पकड़ा हुआ क्रेता पुरुष ऐसा कहै कि यह वस्तु मैंने और से क्रय करी किंतु चोरी करिके हरी नहीं तौ यह क्रेता उस विक्रेताको उपस्थित कर देनेसे निर्दोषी ठहरकर छुटि जावै और विक्रेता साथ नाष्टिक स्वामीका विवाद खड़ा होकर जो अस्वामि विक्रय उसपर निश्चित होजाय तौ उस हरीहुई या खोईहुई पाकर बेची वस्तु गऊ आदिका मूल्य जो कुछवह ले गयाथा सो मूल्य उस्से क्रेताको निवार्त्तित करवाया जाय और उस गऊ आदि वस्तुका मालिक अपनी वस्तु पावै एवं राजाभी अपराधके अनुसार दण्डलेवै १७५ ॥

अधि०-विक्रेताको हाजिर कर देने पीछे क्रेता नहीं फँसाया जाय-यथाहृहस्पतिः- (मूले समाहते क्रेतानाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सहवादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते) अर्थात्- मूल पुरुष विक्रेताके लेआनेमें क्रेताकैसेहू फँसाने योग्य नहीं है किन्तु मूल पुरुषकेही साथ नाष्टिक स्वामीका विवाद खड़ा होता है-परन्तु-जो विक्रेता विक्रय करिके कहीं विदेशमें जाटिकाहो तौ उसमार्गकी योजन संख्याके अनुसार एक अवधि देकर उसको लेआनेके अर्थकाल विलंब देना योग्य है-यथोक्तं-( प्रकाशं वा क्रयं कुर्यान्मूलं वापि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्यया )-अर्थात्-यातौ चीज प्रकाशभावसे खरीदेयद्वा मूल पुरुषको पकड़ा देवै इसीनिमित्त उसको मूलके ले आने योग्यकाल अवधि भी उस मार्गके हिसाबसे दातव्य है-मूल विक्रेताको ले आनेपर यह निर्णय होना योग्य है कि वस्तु इसने गुप्तभावसे खरीदीया सबलोगों के प्रत्यक्षमें-यथाहमनुः-( विक्रयाद्यो धनं किंचिद्गृह्णीयात्कुलसन्निधौ । क्रयेण सविशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ) अर्थात्-जो कुछ वस्तु विक्रयके स्थानपेठ आदि हाटसे व्यापारी लोगोंके सन्मुख मूल्य देकर लीहो यद्यपि वह अस्वामीने भी बेची पीछे ठहिरै तौ भी क्रेताका क्रय शुद्ध कहाता है और दिया हुआ मूल्य भी विक्रेतासे वापिस करिपानेका अधिकारी होता है-परन्तु जो-विक्रेता किसी अविज्ञात देशमें जाटिकाहो जिस्से लेआनेमें असमर्थहो तौ यह क्रेता अपना सच्चा क्रय संशुद्ध कर देनेसे भी निर्दोषी होता है-यथोक्तं-( असमाहार्य्यमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत् ) अर्थात्-( असमाहार्य्यमूल ) क्रेता जो उस मूल पुरुषको लेआनेमें अशक्त हो सो अपना सच्चा क्रय संशोधन करवावै अर्थात् सबके सन्मुख लिया निश्चय कर वावै-यथाहमनुः-( अथमूलमनाहार्य्यं प्रकाशक्रयशोधितः । अदंड्यो मुच्यते राजानाष्टिको लभते धनम् ) अर्थात्-जो मूल विक्रेता पुरुष मरजाने या अविज्ञात देशको चलि जाने आदि हेतुओंसे न मिलसक्ताहो तौ यह क्रेता अपना क्रय प्रकाशरूप सबके सन्मुख किया सबूत करा देवै तौ भी दंड पाये बिना छुटि जावै और वह नाष्टिक स्वामी अपनी वस्तु क्रेतासे पावै किन्तु क्रेता अपना दिया हुआ मूल्यपानेसे दुर्भागीरहे यह संसिद्ध हुआ क्योंकि जिस्से मूल्य वापिस होनेकी आश थी वह लोप हुआ-परन्तु-जो

इस क्रेताने कदाचित् राजपुरुषों को संबुद्धि देकर वस्तु खरीदीहो तो उस नाष्टिक स्वामीसेही आधामल्यपानेका अधिकारीहै-तदाहवहस्पतिः-( वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञातराजपुरुषैः । अविज्ञातंचयत्क्रीतं विक्रेतायत्रवामृतः॥स्वामीदत्त्वार्द्धमूल्यंतुप्रगृह्णीयात्स्वकंधनम् । अर्द्धद्वयोरपहतंतत्रस्याद्वयवहारतः ) अर्थात्-( वणिग्वीथी ) नाम पेंठआदि हाटोंमें पहुँची हुई जो कुछ वस्तु राजपुरुषों को विज्ञात करिके जो क्रयकरे फिर वह वस्तु यद्यपि बिनाजानी किसी अस्वामीके भी हाथसे क्रयकरीजाय और विक्रेता भी मरजाय या बहिजाय तो भी वस्तुका स्वामी आधामल्य देकर अपनी वस्तुपावै किन्तु ऐसे व्यवहारमें क्रेता तथा नाष्टिक स्वामी इन दोनोंकी आधी आधी हानि होवै यह मर्यादाहै क्योंकि जो विक्रेता प्राप्तहोसक्ता तो इन दोनोंकी अर्द्धहानि नहोसक्ती किन्तु पूरा मूल्य विक्रेतासे निवर्तित करवायाजाता-कदाचित् यह क्रेता उक्तरीतोंमें से कोई बातपर आरूढ़ नहो किन्तु नतौ साक्षियोंसे क्रय शोधनकरै यद्वा दिव्य प्रमाणोंसे भी नहीं और उस मूल्य विक्रेताको भी लेआनेमें संकोचकरै तो यह आप दंडभागीहोवै- यथोक्तं-( अनुपस्थापयन्मूलंक्रयंवाप्यविशोधयन् । यथाभियोगंधनिनेधनंदाप्योदमं चसः ) अर्थात्-मूल विक्रेताको उपस्थित नहीं करतेहुये या निजसच्चे क्रयकी शुद्धिको न देतेहुये मुकद्दमेकी गुरुता लघुताके अनुरूप नाष्टिक स्वामीका धनभीइस्से दिल- वायाजाय एवं राजदंड भी अपराधों के अनुसार १७५ ॥

( नाष्टिकःस्वंप्राप्त्यर्थंकिंकुर्यात् )

आगमेनोपभोगेननष्टंभाव्यमतोऽन्यथा । पंचबंधोदमस्तस्यराज्ञेतेनाविभाविते १७६ ॥

ऐ०-आगम से उपभोगसे भी नष्टवस्तु तिसकरके भावनीय है इस नियमसे विपरीत वा अविभावित होनेमें उसका पंचबंधो दम राजाको दातव्यहै-अर्थात्-नाष्टिक स्वामी जो अपना स्वत्वरूप धन मिलना चाहै तिसको यह आवश्यक है कि अपनी नष्ट हुई वस्तुको शास्त्रोक्त रिक्थ क्रयादिलक्षणवान् आगमसे संभावित करवावै किन्तु अपने आगमका प्रमाण साधन करवावै जिस्से जानाजाय कि यहवस्तु इसके अमुक प्रकारसे सम्प्राप्तहुईथी और आगमके सिवाय उसका (उपभोग) नामवर्त्तावै भी साक्षियों से संसाधन करवावै कि इतने कालसे यहवस्तु इसेभोगते देखीथी इस अग्रोक्त नियमसे अन्यथा कुछ विपरीत साधन करवानेमें यद्धानिपट प्रमाणों के न देने में उस वस्तुकी मालियतसे पाँचवांभाग दण्डराजमें वहनाष्टिक स्वामीदेवे १७६ ॥

अधि०-आगम और उपभोगका साधन करवाना केवल इसी आशयसे आवश्यकहै कि शायदकोई नाष्टिक धूर्त्तवृत्तिसे असत्य अपनीवस्तु कहकर भूँठादोष लगाताहो- तो इसआशयसे यहवातभी संसिद्धहै कि जबनाष्टिक ऐसासाधन करवानेसे गिरजाव और विक्रेता अपनास्वत्व बताताहोतो विक्रेताही निजआगम औरउपभोगका प्रमाण

देवे अतएवाहमनुः- (संभोगोदृश्यतेयत्रनदृश्येतागमःक्वचित् । आगमःकारणन्तत्रनसंभोगइतिस्थितिः) अर्थात्-इसीहेतुसे मनुनेयहकहाहै कि जिसवस्तुमें यद्यपि सम्भोग नाम वर्त्तावाभी दिखाई देताहो परउस वस्तुका कुछ आगमनिश्चित नहोसकै कि इसको किसमार्गसे संप्राप्त हुईथी तहाँराजाको यहयोग्यहै किआगमही प्रमाणमानैकिन्तु वर्त्तावा इसमें हेतु नहीं यहमर्यादाहै-सिद्धान्त इसकायहकि जहाँ विक्रेताअपनाआगम और भोगदोमेंसे एकभी न देवै तहाँ नाष्टिकस्वामीका आगम सिद्ध न होनेपरभी भोग मात्रसेही स्वत्वमाना जासक्ता है परजो विक्रेताकेवल भोगअपना निश्चितकरवावै तो फिर नाष्टिकस्वामीका भोग और आगम दोनोंसाधन होनेयोग्य हैं अथवा जहाँ नाष्टिकस्वामी केवल भोगप्रमाण देवै और विक्रेता अपनाभोग और आगम दोनों सिद्धकरावै तहाँ आगमही प्रमाणमुख्यहै अर्थात् ऐसेअवसरमें वह नाष्टिक स्वामी धूर्त निश्चितहोताहै क्योंकि उपभोग कहीं कारणंतरसे पराईवस्तुमेंभी होजाताहै परन्तु जहाँनाष्टिक और विक्रेतादोनों निजनिजभोग प्रमाण देनेकेसिवाय आगम कोईभी न देसक्ताहो तहाँ उसव्यवहारको तत्त्वानुसार राजा निर्णयकरै कि इनमेंकिस काभोग भूँठा किसका सच्चाजानाजाताहै (अस्यक्रमः)पूर्वोक्त सबनियमोंका यह अनुक्रमहै कि जबनाष्टिक स्वामी अपनीचीज़ पहिचानकर उसक्रेताको फँसावै तबसब से पहले सिर्फ नाष्टिकसेही आगम और उपभोगका प्रमाण मागाँजाय और जो नाष्टिक अपनीवस्तुका आगम या उपभोगभी न देसकै तो उसवस्तुकी मालियतसे पाँचवां अंशदण्ड उस्से लियाजाकर दोनोंछूटिजायँ और जो नाष्टिक अपना आगम या उपभोगदोमें कुछभी एकप्रमाणदेवै तो फिरक्रेता अपनेआप चोरनबननेकेनिमित्त और दियाहुआ मूल्य वापिसकरवानेकेनिमित्त मूलविक्रेताको लेआवै पर जो उसे न लासकै तो अपनादोष दूरकरनेके निमित्त सच्चाक्रय संशोधनकरवावै और वहवस्तु नाष्टिकस्वामीको ऊर्ध्वोक्त नियमोंके अनुसारदेदेवै और जो क्रेतामूल विक्रेताको ले आयाहो तोफिर ऊर्ध्वोक्त सबनियमों के अनुकूल उसविक्रेता साथ नाष्टिक स्वामीका विवाद खड़ाहोकर फिर इनदोनोंसे आगम और उपभोगोंके प्रमाणमाँगे जायँ जैसा अभीऊपर चर्चाहुआथा परन्तु दोनोंमेंसे प्रथमनाष्टिक स्वामीसे प्रमाण मागाँजाय उसके गिरजानेमें विक्रेतासे १७६ ॥

( राजन्यनिवेद्यग्रहीतादंड्यः )

हृतंअनष्टंयोद्रव्यंपरहस्तादवाप्तुयात् । अनिवेद्यनृपेदंड्यःसतुपरणवतिपणान् १७७ ॥

ऐ० —चोरीगया या खोयाहुआ द्रव्यअपना जो कोई किसी चोरआदिके हाथसे राजामें निवेदन कियेविना आपही अपनेदर्पसे लेलेवै तिसपरवस्तु और अपराधके

अनुरूप ६६ छानवे पणतक दंडहोनायोग्यहै क्योंकि उसनेचोरको चौथ्य दण्डहोनेसे बचाया इससे आप दुष्टहुआ १७७ ॥

( राजपुरुषप्राप्तद्रव्यविषयः )

शौलिकैःस्थानपालैर्वानष्टापहतमाहतम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामिहिरेतपरतानृपः १७८ ॥

ऐ०—जहाँकहीं (शौलिक) नाम तहसीली उहदेदारोंने या (स्थानपाल)थानेदारी उहदेदारोंने किसीका कुछखोयाहुआ द्रव्य या चोरीगया कहींसे पायाहो जिसका तत्काल कोईस्वामी निश्चित न होसकै तौ यहद्रव्य रक्षासहित राजकोशोंमें रखवाया जाय-प्राप्तहोनेके दिनसे एक संवत्सरकेभीतर जो उसद्रव्यका नाष्टिकस्वामी आकर अपने आगम और उपभोगोंका प्रमाणदेवै तौ वहपावै पर जो अवधिपूरी होजावै तो राजा मालिकहो १७८ ॥

अधि०—राजा अपने पुरुषोंकरके लायेहुये अस्वामिक धनको नागरलोगोंके समूह सन्मुखडौंड़ी पिटवाकर धरवावै-यथाहगौतमः(प्रनष्टस्वामिकमधिगम्यराज्ञे प्रब्रूयुर्विरूपाप्यसंवत्सरंराज्ञारक्ष्यं) अर्थात्-अज्ञात स्वामिकधनको पानेवाले पुरुष राजा में निवेदनकरै राजाउसे प्रसिद्धकरिकै वर्षमात्ररक्षाकरै-गौतमकी यह अवधि एक सामान्यभावहै किंतु मनुने विशेष व्योरेवार अवधिकही है-यथा (प्रनष्टस्वामिकंद्रव्यंराजा त्र्यब्दंनिधापयेत् । अर्वाक्त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामीपरतानृपतिर्हरेत् ) अर्थात्-अज्ञातस्वामिक धनको राजा तीनवर्षोंतक रखवावै तीनवर्षोंसे पहलेआया स्वामीहरै उपरांत राजा आपहरै-विज्ञानेश्वरने इसअवधिका आशय यहदर्शायाहै कि (इतनीबड़ी अवधि केवल श्रुतवृत्त संपन्न ब्राह्मणके धनकेमध्ये समुभौ)मनु मुक्तावली टिकामें इस आशयका कुछ चर्चा और संसर्गतकभी नहींहै औरभी इस आशयका यह उत्तरहै कि अज्ञातस्वामिक धनको राजाक्योंकर जानिसक्ताहै कि यहधन ऐसेब्राह्मणकाहै या नहीं इसको तीनवर्षोंतक रखावै यद्वा सालपीछे जब्तकरै इससे सब सामान्य जनके धनपर यही तीनवर्षोंकी अवधि मुख्यजानो क्योंकि जहाँ जहाँ योगीश्वरआदिवचनों के अनुसार एकवर्ष भीतरदेना कहागया तहाँ तहाँ राजाउसमें से कुछ रक्षाभागनहीं लेसक्ताहै और वर्षपीछे राजाका स्वत्व उसमें होजाताहै पर तौभी तीन वर्षोंतक निज वस्तुके समान रक्षाकरनी योग्यहै पर जो कोईवस्तु एकसालपीछे गतसार होकरगलि जानी संभवहो तिसको विक्रय आदि प्रकारोंसे व्ययकरनेका प्रतिषेधनहीं किंतु साल भीतर ऐसा करनेकाभी प्रतिषेध यह सिद्धांतहै-और दूसरा यह सिद्धांत है कि जहाँ जहाँ संवत्सरके उपरान्त तीन वर्षोंतक जैसी अधिक रक्षा करनीपरै तहाँ उसके अनुसार रक्षा वेतन भी लेना मनुने कहा है-यथा ( आददीताथषड्भागंप्रनष्टाधिगता नृपः । दशमंद्वादशंवापिसतांधर्ममनुस्मरन् ) अर्थ इसका देखो तेईसके परिच्छेद में

चौतीसकी अधिकोक्तिसे विस्तरित व्योरेवार जिसका यह सिद्धान्त है कि तीनवर्षोंके पीछे भी यदि मुख्यस्वामी आवै तौभी राजा उसका द्रव्यदेवै बलिक अवधिपीछे विक्रय आदिसे उठिगयाहो तौभी मूल्यदान द्वारा तृप्ति उसकीकरै-क्योंकि तीनवर्षों के उपरान्त राजाको उसद्रव्यके व्यय करनेका अधिकार केवल इस लाचारी आशयसे दर्शायाहै कि जो अबतक कोई अन्वेषण कर्त्ता नहीं आया तौ अब आगेभी कुछ आनेका विश्वास नहीं और विरले द्रव्य ऐसेहोते हैं कि जिनको अधिक धरे रहनेसे काल भक्षणकर जाताहै फिर किसीके भी कामनहीं आसक्ते इससे राजाको अधिकार है कि जिस वस्तुको जितनी थोड़ी बहुत अवधिमें निर्जीव होजानी समुझै उरसे पहिले विक्रय आदि प्रकारोंसे व्ययकरै और जब स्वामीआवै तभी उसकी तृप्तिकरै (किंतु) जिन वस्तुओंकी आयु अधिक होने से अति कालतक रहसकना सम्भवहो तिनकी रक्षा बारहवर्ष भर कर्त्तव्यहै कुछ एक या दो तीनवर्षोंका भी नियम नहीं— यथाह सदाशिवः ( नृणामुद्देशहीनानांपरिवारान्धनानपि । पालयेद्रक्षयेद्राजा यावद्द्वादशवत्सरम् ) १७८ ॥

( द्रव्यविशेषेरक्षणभागविशेषः )

पणानेकशफेदद्याञ्चतुरःपंचमानुषे । माहिषोप्लगवांद्वौद्वौपादंपादमजाविके १७६ ॥

ऐ०—एक शफ में चारपण देवै मानुष जातिमें पांच पण भैंस ऊँट गौवोंमध्ये दो दो पण बकरी भेड़में पाव पाव पण दातव्यहै-अर्थात् (एकशफ) नाम एकखुरवाले पशू घोड़ा आदि जिसके खोयेजाकर रान्यमें पहुंचे हों तिनकी रक्षा हेतुसे प्रत्येक प्राणी पीछे चारपण द्रव्य देकर स्वामीपावै एवं मानुष जाति लड़का लड़की आदि खोया जाकर पहुंचाहो तिसको प्रत्येक प्राणी पीछे पांचपण देकर स्वामीपावै एवं जिसकी भैंस ऊँट गाय खोई जाकर पहुंचे सो प्रत्येक प्राणी पीछे दो पण देकर लेजावे जिसकी बकरी भेड़ खोई जाकर पहुँचै सो प्रत्येक प्राणी पीछे चौथाई पण द्रव्य देकर लेजावै १७६ ॥

अधि०—ऊपर १७८ की अधिकोक्ति वाले वर्णन में सोना चाँदी वस्त्र वर्तन आदि सब सामान्य द्रव्योंका रक्षणभाग मूल धनसे छठा दशवाँ बारहवाँ अंश यथा विलंब गौरव लाघवके अनुसार मनुके वाक्यसे दर्शायाथा तिसहीके अपवाद रूपमें यह १७६ वाला वर्णन है कि चैतन्य जीवधारी द्रव्योंको अत्रोक्त नियमों के अनुसार भिन्न छोड़िकर उसनियमको अन्यत्र सब सामान्य द्रव्योंकी अपेक्षामें समुझना क्योंकि यह सबजीव खाऊ धन विरुद्धातहैं और इनका रक्षणभी कुछ छिप्टहै-इसमें-एक बड़ी द्विविधाका यह स्थलहै कि नतो मूलकारोंने न टीकाकारोंने इस ग्रन्थको निर्वारण किया कि ये प्रत्येकप्राणी पीछे रक्षणहेतुक पांच या चार आदिपण जो देने

कहे सो किस अवधितक दातव्य हैं क्योंकि यद्यपि ऐसे द्रव्यों के स्वामियों का वषों पीछे आना संगत नहीं समुभाजासक्ता किन्तु थोड़ेकालमें आजाना संभवहै तथापि थोड़े कालमें भी यदि सामान्य सभी अवधी मानीजायँ तौ यह दोष खड़ाहोताहै कि यदि कोई नाष्टिक स्वामी केवल एक यद्वादोही दिनमें लेजावै या विरलास्वामी एक मास पीछे भेद पाकर लेने आवै तौ इनदोनों से बराबर लियाजाना क्योंकर न्याय ठहरै और पणमें भी यह भेद है कि ताम्रिक अथवा चान्द्रिक में से कया स्वीकार हो चान्द्रिक पण स्वीकार करने से एक दिनवाले पर अन्याय पहुंचता है और ताम्रिक पण स्वीकार होने से एकमास वाले से तुल्यात्मक नहीं आताहै क्योंकि घोड़ा आदि कोई पशु ताम्रिक चार पणसे एक मासमात्र रक्षित नहीं रहसक्ता एवं भैंस आदि ताम्रिक दो पणसे नहीं-इत्यादि पर्यालोचन से यह न्याय निश्चित होता है कि चांद्रिक पणका चर्चा इसमें नहीं समुभना किन्तु ताम्रिकपण प्रत्येक दिन पीछे उतने दातव्य हैं कि जिस प्राणी पीछे जितनी संख्याकही हो इसके आगे जैसादेश जैसाकाल जैसी वस्तुके अनुरूप व्यवस्था देखीजाय १७९ ॥

अब इसवर्णनकिये विवादका विशेषव्योरानीचे फिर संक्षिप्तरूपसे दर्शातेहैं क्योंकि मुख्यस्थलपरशीघ्रसमुभेजानेकेसौगम्यहेतुसे अधिकोक्तोंमें विस्तारनहींबढ़ायाथा ॥

( अथऊर्ध्वोक्तसमस्तविक्रयविवादस्यविशेषविवेकः )

इस परिच्छेदके प्रारंभमें निक्षेपका विक्रयकरना नारदने अस्वामि विक्रयकहाथा सो उस निक्षेपके उपलक्षण मात्रसे याचित आदि और भी समुभने-यथाहव्यासः ( याचितान्वाहितन्यासंहत्वावाऽन्यस्ययद्धनम् । विक्रीयतेस्वाम्यभावेसज्ञेयोऽस्वामि विक्रयः ) अर्थात्-याचित मागैतुचीज अन्वाहित जो बीचमें दूसरे को सौंपीगई हो न्यास धरोहर यद्वा और कोई भाँतिसे हरिकर जो धन स्वामीके परोक्ष बेचाजाता है सो यह सब अस्वामि विक्रय गिनाजाता है-इसीभाँति-विक्रय कहने से दान बंधक भी समुभने-यथाहकात्यायनः ( अस्वामिविक्रयंदानमाधिचविनिवर्तयेत् ) इसीभाँति-अस्वामी का भी रूप वृहस्पति ने दर्शायाहै-यथा ( निक्षेपान्वाहितन्यासंहतया चितबन्धकम् । उपांशुयेनविक्रीतमस्वामीसोऽभिधीयते ) अर्थात्- जिस किसीने निक्षेप या अन्वाहितयान्यास या हतद्रव्य या याचित वस्तु या बन्धक धरीहुईचीज उपांशु रूपसे गुप्ततौर बेचीहो वही अस्वामी कहाजाता है-इसवचनमें उपांशुनाम गुप्ततौर बेचना कहनेसेसिर्फ किसीकी खोईहुई गिरकरमिली आदि चीजोंकाभाव दर्शित कियाहै अन्यथा विरले अवसरमें प्रत्यक्ष बेचनेवाला भी अस्वामी होता है- मनुनेयहकहाहै कि ( विक्रीणीतेपरस्यस्वयंयोऽस्वामीस्वाम्यसंमतः ) अर्थात्-जो वस्तुका विक्रय आदि वियोग करने में अधिकारी नहीं है वहउस पराई वस्तुको



स्वामी की अनुज्ञा विनाबेंचै चाहे औरों के प्रत्यक्ष या गुप्तोंअर बेंचै दोनों भाँतिसे अस्वामि विक्रय दोष उसको लगता है (और) वह द्रव्य निवर्तित कियाजाता है— तदाहनारदः (अस्वामिनाकृतोयस्तुक्रयोविक्रयएववा । अकृतःसतुविज्ञेयोव्यवहारेषु नित्यशः ) अर्थात्—किसी अस्वामी ने जो क्रय अथवा विक्रय कियाहो सो न करने में समुभना किंतु वापिस कियाजावेगा व्यवहारों की यह सदाही मर्यादा है बेंचने के उपलक्षणसे दानकरदेना भी संसिद्धहै—यथाहमनुः (अस्वामिनाकृतोयस्तुदायोविक्रयएववा । अकृतःसतुविज्ञेयोव्यवहारेयथास्थितिः) अर्थात्—किसी अस्वामीने जो दायनाम दानकियाहो या विक्रय अथवाक्रयभी कियाहो सो सब नहींकिया समुभौ किंतु जैसीइसकी व्यवहारमें मर्यादाहै तैसाकिया नहींहै—प्रकटभावमें क्रयकरने मध्ये बृहस्पतिने यहकहाहै कि (येनक्रीतंतुमूल्येनप्राग्नाज्ञेविनिवेदितम् । नतत्रविद्यतेदोषः स्तेनःस्यादुपधिक्रयात्) अर्थात्—जिसनेपहले राजापरविज्ञातकरिके वस्तुखरीदीहो तिसमें उसका दोषनहींहै पर उपधिनाम छलसे क्रयकरनेवाला चोरहोताहै—छलसेक्रय होनेवाले रूपभी बृहस्पतिने दर्शाये हैं—यथा(अन्तर्गृहेवाहिर्ग्रामान्निशायामसतोजनात् । हीनमूल्यञ्चयत्क्रीतंज्ञेयोऽसावुपधिक्रयः) अर्थात्—घरके भीतर बैठिकर या ग्रामकेबाहर जाकर जङ्गलमें या रातिमें असज्जन चाण्डाल आदि से या थोड़ा मूल्य देकर जो खरीदाहो सो सब उपधिक्रय समुभना—असज्जनके उपलक्षण से दास आदि भी समुभने—तथाचनारदः (अस्वाम्यनुमतादासादसतश्चजनाद्रहः । हीनमूल्यमवेलाय क्रीणंस्तदोषभागभवेत्) अर्थात्—जिसको स्वामीने विक्रय करनेकी आज्ञानहींदीहोऐसे दाससे खरीदै या दुर्जीवी आदि असज्जन से एकान्त में खरीदै एवंस्वल्पमूल्य देकर लेवे या कुसमय रात्रि आदिमें तौ वहीदोष इसको लगताहै जिसभाँतिसे बेंचनेवाला हरकर लायाथा—दास कहने से और भी समान न्यायकरके बालक आदि समुभने जो जो परतन्त्र होतेहों—अत्रविष्णुश्च(अज्ञानतःप्रकाशंयत्परद्रव्यंक्रीणीयात्तत्रास्या दोषस्स्वामीद्रव्यमवाप्नुयात् । यद्यप्रकाशंहीनमूल्यंवाक्रीणीयात् तदाक्रेताविक्रेताचचोरवच्छास्यः) यहसब इतनापाठ १७३ की अधिकोक्तितक सम्बन्धितजानो १७३ ॥ १७५ मूलश्लोक से अधिकोक्ति मध्ये यहाँ बृहस्पतिजी विशेषता दर्शित करतेहैं यथा (पूर्वस्वामीतुयद्द्रव्यंतदागत्यविचारयेत् । तत्रमूलंदर्शनीयंकेतुःशुद्धिस्ततोभवेत् ) अर्थात् पहले स्वामी अपना जो द्रव्यहो तिसको आयकर विचार करवावै तिस में क्रेता करके मूल विक्रेताभी दिखलायाजाय तिसपीछे क्रेताकी शुद्धिनाम रिहाईहोवे—तथाचबृहस्पतिः(मूलेसमाहतेक्रेतानाभियोज्यःकथंचन । मूलेनसहवादस्तुनाष्टिकस्य विधीयते)और(विक्रेताके आजानेमेंमुद्दई अपना द्रव्यपावै) यहयोगीश्वरने जोकहाथा तिसका यह सिद्धान्तहै कि यदिविक्रेता आकर नाष्टिक स्वामीसे कुछउत्तरयुक्तविवाद

नहीं रोपैयद्वा रोपिकर भी हारै तौ वह वस्तु नाष्टिक स्वामीको निर्णय होकर दिलवाई जाय-  
 तथा च बृहस्पतिः (विक्रेता दर्शितो यत्र हीयते व्यवहारतः । क्रेत्रे राज्ञे मूल्यदण्डौ प्रदद्यात्स्वामि-  
 ने धनम् ) कदाचित् विक्रेता न मिल सका होतौ वह क्रेता अपना सच्चा क्रय शोधन  
 करवा देवै तौ भी दंडपाये विना छूटि जावै- यथा हनारदः (असमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव वि-  
 शोधयेत् । विशोधिते क्रये राज्ञा वक्तव्यः सन किंचन) कदाचित् वस्तुराजपुरुषोंके सम्मुख  
 उन्हें लिखा करके ली गई होतौ विक्रेताके न मिलने पर भी क्रेता अपना दिया हुआ आधा  
 मूल्य नाष्टिक स्वामीसे पास करा है- यथा हवीर मित्रोदय धृत कात्यायनो. मनुमुक्तावलिटीका  
 लिखित बृहस्पतिर्वा (वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञातं राजपुरुषैः । अविज्ञाताश्रयात्क्रीतं विक्रे-  
 तायत्र वामृतः । स्वामीदत्त्वा र्द्धमूल्यं तु प्रगृह्णीयात्स्वर्कं धनम् ॥ अर्द्धद्वयोरपहतं तत्र स्या-  
 द्व्यवहारतः । अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा चापरिपालनम् ॥ एतद्व्यं समाख्यातमर्द्धहानि-  
 करंबुधैः) अर्थात्-खुल्लम जो बाजारमें से राजपुरुषोंको लिखा कर कोई चीज बिना ठौर  
 ठिकाना जाने विक्रेतासे ली जाय और विक्रेता पीछे हाथ न आवै तौ उस वस्तुका स्वामी  
 आधा मूल्य क्रेताको देकर अपनी वस्तु पावै क्योंकि इसमें दोनोंकी आधीहानि होना  
 इस व्यवहारसे विनिश्चित किया गया है कि बिना जानी चीजका खरीदना एक दोष है पर  
 प्रत्यक्ष खरीदनेसे वह दोष आधारहा एवं स्वामी अपने स्वत्वसे वह वस्तु पानेका अधि-  
 कारी यद्यपि है पर निज वस्तुकी रक्षा नहीं करनेका यह अर्द्ध दोष उसको लगा इससे  
 आधीहानि दोनोंकी हो जाय ( कदाचित् इसमें यह तर्कणा प्रकल्पित करी जाय कि जब  
 क्रेताने प्रत्यक्ष राजपुरुषोंको जतलाकर सौदा किया तौ किस हेतु से वह आधीहानि  
 उठावे तौ यह उत्तर है कि बिना जानी वस्तु बहुत सस्ती हाथ आती है इस बातसे यह  
 सम्भव है कि शायद विक्रेता चोरी करके लाया हो ऐसा सम्भव होते हुये खरीदना फिर  
 भी दोष है पर सस्ती मिलनेके लालचसे खरीदी थी कदाचित् स्वामीको यह भेद न  
 मिलता तौ इसलाभका भी भागी वही क्रेताथा इस हेतुसे अब आधीहानि उठानी होगी-  
 इसमें मरीचिका भी वचन प्रमाण है- यथा (अविज्ञातनिवेशत्वात् यत्र मूलन्नलभ्यते । हानि-  
 स्तत्रार्द्धकल्पा स्यात्क्रेतुनाष्टिकयोर्द्धयोः-मूलं विक्रेतारं) जहाँकहीं क्रेता पहले विक्रेताको  
 लादेना कहकर पीछे क्रयका शोधन करवाना कहै तहाँ विक्रेताका ही बुलवाना उससे  
 माना जाय क्रयका शोधन करना नहीं यह कात्यायनजीने कहा है- यथा (यदा मूलमुपन्य-  
 स्य पुनर्वादी क्रयं वदेत् । अहरेन्मूलमेवासौ न क्रयेण प्रयोजनम् -अत्रवादी क्रेतैव ज्ञेयः )  
 जब कोई क्रेता मूल दर्शन या क्रयशोधन दोमें एक भी न करै तब अपराधके अनुसार  
 दण्ड हो- और जो-अग्रोक्त एक मरीचि मुनिके वाक्यसे प्रकाश क्रय होने मध्ये क्रेताका ही  
 स्वत्व प्रतीत होता है तिसका आशय और है- यथा हमरीचिः ( वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञा-  
 तं राजपुरुषैः । दिवाग्रहीतं यत्क्रेत्रासशुद्धोलभते धनम् ) अर्थात्- जो बाजार में से राज

पुरुषोंको जतलाकर किसी केताने दिनमें लियाहो तो वहक्रेता शुद्धहुआ आपही धनको पाताहै अर्थात् नाष्टिकस्वामी नहींपावै-एवंमनुस्तु (विक्रयाद्योधनंकिंचिद्गृह्णीयात्कुलसन्निधौ । क्रयेणसविशुद्धोहिन्यायतोलभतेधनम्) अर्थात्-ऐसीदशामेंवहक्रेताही उसवस्तुकोपावै नाष्टिक स्वामी नहींपावै-सो इनदोनों वचनोंका आशय केवल इतनाहै कि जबउस धनमें नाष्टिक स्वामीका स्वत्व सचावटको न पहुँचै तबयह उक्त न्यायहोना योग्यहै-परन्तु जहाँ-क्रेता अपनी खरीदारीकी सचावटको साक्षीआदि प्रमाणोंसे न साधनकरवावै और वहनाष्टिक भी निजस्वत्वकी संसिद्धिनहीं करवावै तहाँ राजा अपनी बुद्धिसे विचार करिकै भगड़ा निपटावै-तदाहवहस्पतिः (प्रमाणहीनेवा देतुपुरुषापेक्षयाऽनृपः।समन्यूनाधिकत्वेचस्वयंकुर्याद्विनिर्णयम्) अर्थात्-जिस मुकदमेमें दोनोंओर निपट प्रमाण नहींमिलताहो या न्यूनाधिक दोनोंओर से कुछ मिलताहो या दोनोंओर तुल्यप्रमाण मिलताहो तहाँ राजा आपदोनों पुरुषोंकी योग्यता आदि से यहनिर्णयकरै कि इनमेंकोई एकदुर्जनभी विख्यातहै यानहीं ॥ इतनापाठसिर्फ १७५ की अधिकोक्ति से सम्बन्धित जानो १७५ ॥ १७६ वाले मूलश्लोक से लेकर उसकी अधिकोक्ति में जो आगम तथाभोगका प्रसङ्गमात्र आया तिसका व्यौरा यहाँ विशेष करके कहतेहैं कि-नाष्टिक स्वामी उसी पकड़ेहुये धनमें अपना स्वत्व ऐसी रीतिसे सुभावे जिस्से विक्रेता अथवाक्रेता आदिकिसी औरकाभी स्वत्वउसमें सिद्ध न होने पावैऔर जो ऐसान करसकै तौवहदण्डनीयहै-यथाहकात्यायनः (अभियोक्ताधनंकुर्यात्प्रथमंज्ञातिभिःस्वकम् । पश्चादात्मविशुद्ध्यर्थंक्रयंक्रेताविशोधयेत् ॥ यदिस्वनेवकुरुतेज्ञातिभिर्नाष्टिकोधनम् । प्रसङ्गविनिवृत्त्यर्थंचौरवदण्डमर्हति) अर्थात्-मुद्दई पहलेधनको अपने ज्ञाती आदि साक्षियों के प्रमाणद्वारा अपना निश्चित करवावै पीछेक्रेता भी निज अपना दोष निवारण करनेके हेतुसे सच्चाक्रय प्रकाशरूपसेही कियाहुआ निश्चित करवावै (सो) यह निश्चित करवाना इसका ऐसीदशामें संसूचितहै कि जो विक्रेताको न लासकाहो-परन्तु जो मुद्दई अपने ज्ञाती आदि साक्षियों से स्वत्व सिद्धि नहींकरावै तो फिर (प्रसंग) नाम भूँठादोष लगानेका मार्ग मेटिदेने के अर्थ उसको चोरोंके समान दण्डमिलै जिस्से आगेको फिर और कोई भूँठी पकड़ न पकड़ै यह सिद्धान्तहै और पकड़ीहुई वस्तु वहीक्रेतापावै-तथाचव्यासः (वादीचेन्मार्गितंद्रव्यंसाक्षिभिर्नविभावयेत् । दाप्यःस्याद्द्विगुणंदण्डं क्रेतातद्रव्यमर्हति) यहाँपर साक्षियों के उपलक्षणसे और भी प्रमाण लेख्यपत्र यद्वा दिव्य आदि जो कुछ सम्भवहो सो हो सक्ताहै अर्थात् साक्षियोंके अभावमें लेख्यऔर लेख्यकेअभावमें दिव्यप्रमाणभीआवश्यक समुभेजाकर लियेजातेहैं-परजब कोईभाँति के प्रमाणोंसे वादी अपना स्वत्व सिद्धकरिदेव तौभी अपनेस्वत्वका अवियोग सिद्धकरनाहोगा अर्थात् इसवस्तुकांमैने

नहीं रोपै यद्वा रोपिकर भी हारै तौ वह वस्तु नाष्टिक स्वामीको निर्णय होकर दिलवाई जाय-  
 तथा च बृहस्पतिः (विक्रेतादर्शितो यत्र हीयते व्यवहारतः । क्रेत्रे राज्ञे मूल्यदण्डौ प्रदद्यात्स्व-  
 मिने धनम् ) कदाचित् विक्रेता न मिल सक्ता होतौ वह क्रेता अपना सच्चा क्रय संशोधन  
 करवा देवै तौ भी दंडपाये विना छूटि जावै-यथा हनारदः (असमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव वि-  
 शोधयेत् । विशोधिते क्रये राज्ञा वक्तव्यः सन किंचन) कदाचित् वस्तुराजपुरुषोंके सन्मुख  
 उन्हें लिखा करके लीगई होतौ विक्रेताके न मिलने पर भी क्रेता अपना दिया हुआ आधा  
 मूल्य नाष्टिक स्वामीसे पास कता है-यथा हवीर मित्रोदयधृत कात्यायनो. मनुमुक्तावलिटीका  
 लिखित बृहस्पतिर्वा (वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञांतराजपुरुषैः । अविज्ञाताश्रयात्क्रीतं विक्रे-  
 तायत्र वामृतः । स्वामीदत्त्वा र्द्धमूल्यं तु प्रगृह्णीयात्स्वकं धनम् ॥ अर्द्धद्वयोरपहतं तत्रस्या  
 द्वयवहारतः । अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा चापरिपालनम् ॥ एतद्वयं समाख्यातमर्द्धहानि  
 करंबुधैः) अर्थात्-खुल्लम जो बाजारमें से राजपुरुषोंको लिखा कर कोई चीज बिना ठौर  
 ठिकाना जाने विक्रेतासे ली जाय और विक्रेता पीछे हाथ न आवै तौ उस वस्तुका स्वामी  
 आधामूल्य क्रेताको देकर अपनी वस्तु पावै क्योंकि इसमें दोनोंकी आधीहानि होना  
 इस व्यवहारसे विनिश्चित किया गया है कि बिना जानी चीजका खरीदना एक दोष है पर  
 प्रत्यक्ष खरीदनेसे वह दोष आधारहा एवं स्वामी अपने स्वत्वसे वह वस्तु पानेका अधि-  
 कारी यद्यपि है पर निज वस्तुकी रक्षा नहीं करनेका यह अर्द्ध दोष उसको लगा इससे  
 आधीहानि दोनोंकी होजाय ( कदाचित् इसमें यह तर्कणा प्रकल्पित करी जाय कि जब  
 क्रेताने प्रत्यक्ष राजपुरुषोंको जतलाकर सौदा किया तौ किस हेतु से वह आधीहानि  
 उठावे तौ यह उत्तर है कि बिना जानी वस्तु बहुत सस्ती हाथ आती है इस बातसे यह  
 संभव है कि शायद विक्रेता चोरी करके लाया हो ऐसा संभव होते हुये खरीदना फिर  
 भी दोष है पर सस्ती मिलनेके लालचसे खरीदी थी कदाचित् स्वामीको यह भेद न  
 मिलता तौ इसलाभका भी भागी वही क्रेताथा इस हेतुसे अब आधीहानि उठानी होगी-  
 इसमें मरीचिका भी वचन प्रमाण है-यथा (अविज्ञातनिवेशत्वात् यत्र मूलमूल्यं लभ्यते । हानि  
 स्तत्र अर्द्धकल्पस्यात्क्रेतनाष्टिकयोर्द्वयोः-मूलं विक्रेतारं) जहाँकहीं क्रेता पहले विक्रेताको  
 लादेना कहकर पीछे क्रयका शोधन करवाना कहै तहाँ विक्रेताका ही बुलवाना उसमें  
 माना जाय क्रयका शोधन करना नहीं यह कात्यायनजीने कहा है-यथा (यदा मूलमुपन्य  
 स्य पुनर्वादी क्रयं वदेत् । अहरेन्मूलमेवासौ न क्रयेण प्रयोजनम् -अत्रवादी क्रेतैव ज्ञेयः )  
 जब कोई क्रेता मूल दर्शन या क्रयशोधन दोमें एक भी न करै तब अपराधके अनुसार  
 दण्ड हो-और जो-अग्रोक्त एक मरीचि मुनिके वाक्यसे प्रकाश क्रय होने मध्ये क्रेताका ही  
 स्वत्व प्रतीत होता है तिसका आशय और है-यथा ह मरीचिः ( वणिग्वीथीपरिगतं विज्ञा-  
 तं राजपुरुषैः । दिवाय हीतं यत्क्रेत्रासशुद्धो लभते धनम् ) अर्थात्-जो बाजार में से राज

पुरुषोंको जतलाकर किसी क्रेताने दिनमें लियाहो तो वहक्रेता शुद्धहुआ आपही धनको पाताहै अर्थात् नाष्टिकस्वामी नहींपावै-एवंमनुस्तु (विक्रयाद्योधनं किंचिद्गृह्णीयात्कुलसन्निधौ । क्रयेणसविशुद्धोहिन्यायतोत्तमतेधनम् ) अर्थात्-ऐसीदशामेंवहक्रेताही उसवस्तुकोपावै नाष्टिक स्वामी नहींपावै-सो इनदोनों वचनोंका आशय केवल इतनाहै कि जबउस धनमें नाष्टिक स्वामीका स्वत्व सचावटको न पहुँचै तबयह उक्त न्यायहोना योग्यहै-परन्तु जहाँ-क्रेता अपनी खरीदारीकी सचावटको साक्षीआदि प्रमाणोंसे न साधनकरवावै और वहनाष्टिक भी निजस्वत्वकी संसिद्धि नहीं करवावै तहाँ राजा अपनी बुद्धिसे विचार करिके भगड़ा निपटावै-तदाहवहस्पतिः (प्रमाणहीनेवा देतुपुरुषापेक्षया नृपः। समन्यूनाधिकत्वे च स्वयंकुर्याद्विनिर्णयम् ) अर्थात्-जिस मुकदमेमें दोनोंओर निपट प्रमाण नहींमिलताहो या न्यूनाधिक दोनोंओर से कुछ मिलताहो या दोनोंओर तुल्यप्रमाण मिलताहो तहाँ राजा आपदोनों पुरुषोंकी योग्यता आदि से यहनिर्णयकरै कि इनमेंकोई एकदुर्जनभी विख्यातहै यानहीं ॥ इतनापाठसिर्फ १७५ की अधिकोक्ति से सम्बन्धित जानो १७५ ॥ १७६ वाले मूलश्लोक से लेकर उसकी अधिकोक्ति में जो आगम तथाभोगका प्रसङ्गमात्र आया तिसका व्यौरा यहाँ विशेष करके कहतेहैं कि-नाष्टिक स्वामी उसी पकड़ेहुये धनमें अपना स्वत्व ऐसी रीतिसे सुभावे जिस्से विक्रेता अथवाक्रेता आदिकिसी औरकाभी स्वत्वउसमें सिद्ध न होने पावैऔर जो ऐसान करसकै तौवहदण्डनीयहै-यथाहकात्यायनः (अभियोक्ताधनंकुर्यात्प्रथमंज्ञातिभिःस्वकम् । पश्चादात्मविशुद्ध्यर्थं क्रयंक्रेताविशोधयेत् ॥ यदिस्वनेवकुरुतेज्ञातिभिर्नाष्टिकोधनम् । प्रसङ्गविनिवृत्त्यर्थंचौरवदण्डमर्हति) अर्थात्-मुद्दई पहलेधनको अपने ज्ञाती आदि साक्षियों के प्रमाणद्वारा अपना निश्चित करवावै पीछेक्रेता भी निज अपना दोष निवारण करनेके हेतुसे सच्चाक्रय प्रकाशरूपसेही कियाहुआ निश्चित करवावै (सो) यह निश्चित करवाना इसका ऐसीदशामें संसूचितहै कि जो विक्रेताको न लासकाहो-परन्तु जो मुद्दई अपने ज्ञाती आदि साक्षियों से स्वत्व सिद्धि नहींकरावै तौ फिर (प्रसंग) नाम भूँठादोष लगानेका मार्ग मेटिदेने के अर्थ उसको चोरोंके समान दण्डमिलै जिस्से आगेको फिर और कोई भूँठी पकड़ न पकड़ै यह सिद्धान्तहै और पकड़ीहुई वस्तु वहीक्रेतापावै-तथाचव्यासः (वादीचेन्मार्गितंद्रव्यंसाक्षिभिर्नविभावयेत् । दाप्यः स्याद्विगुणंदण्डं क्रेतातद्रव्यमर्हति ) यहाँपर साक्षियों के उपलक्षणसे और भी प्रमाण लेख्यपत्र यद्वा दिव्य आदि जो कुछ सम्भवहो सो हो सक्ताहै अर्थात् साक्षियोंके अभावमें लेख्यऔर लेख्यके अभावमें दिव्यप्रमाणभी आवश्यक समुभेजाकर लियेजातेहैं-परजब कोईभाँति के प्रमाणोंसे वादी अपना स्वत्व सिद्धकरिदेव तौभी अपनेस्वत्वका अवियोग सिद्धकरनाहोगा अर्थात् इसवस्तुका मैंने

अपने हाथसे न बेंचाहै न दानमें देदिया इतना औरभी प्रमाण देनाहोगा-तथाहकात्यायनः ( नाष्टिकस्तुप्रकुर्वीततद्धनंज्ञातिभिःस्वकम् । अदत्तव्यक्तविक्रीतंकृत्वास्वंलभते धनम्) अर्थात्-पहले नाष्टिकही उसधनको ज्ञातीलोगोंके प्रमाणद्वारा अपना ठहरावै परउसधनको फिरअदत्त और अत्यक्त अविक्रीत करिके पाताहै-क्योंकि जहाँमुद्दआ अलेह ऐसाउज़र करनेलगै कि हाँ यहवस्तु इसकी ठीकथी परइसने ठेठमुभको या अमुकामुक दानपात्रोंको देदीथी या त्यागी यद्वाबेंचीथी तिनसे मैंनेपाई-तबइनबातों काभी निर्णय मांगाजाताहै कि इसने कोईभाँति अपनी वस्तुका वियोग पहलेकिया यद्दानहीं ॥ इतनापाठ सिर्फ १७६ की अधिकोक्ति में सम्बन्धित जानो १७६ ॥

अबजोनीचेवर्णनकरतेहैं सोसब अधिकोक्तों से उपरालूपाठजानो-किंतु-ऊपरजैसेअस्वामि विक्रेताआदिके अपराध दर्शायेगयेतद्वत् अस्वामि दत्तवस्तु जोस्वामीकी अनुज्ञाविनाभोगै तिसकोदंड होनायोग्यहै-यथाहनारदः उद्दिष्टमेवभोक्तव्यंस्त्रीपशुर्वसुधापि वा । अनर्पितंतुयोभुंक्तेभुक्तभोगंप्रदापयेत् । अनुद्दिष्टंतुयोद्रव्यंदासक्षेत्रगृहादिकमास्व वल्लैर्नैवभुंजानश्चौरवदंडमर्हति । अनड्डाहंतथाधेनुंनावंवासन्तथैवच ॥ अनर्दिष्टंतुभुंजानोदद्यात्पणचतुष्टयम् । दासीनौकातथाधुर्योवंधकंनोपभुज्यते । उपभोक्तातुयद्द्रव्यंपण्येनैवविशोधयेत् । दिवसेद्विपणंदासीधेनुमष्टपणंतथा । त्रयोदशंत्वन्ड्वाहमश्वंभूमिचषोडशः नौकामश्वांचधेनुंचलांगलंकार्मिकस्यच । बलात्कारेणयोभुंक्तेदाप्यश्चाष्टगुणंदिने ॥ उलूखलेपणाद्धंतुमुसलस्यपणद्वयम् । शूर्पस्यचपणाद्धंतुजैमिनिर्मुनिरब्रवीत् (पण्येनपणसमूहेन-अत्रैकोधेनुशब्दोगामभिधत्ते-अपरोधेनुशब्दोदोग्धीमहिष्यादिकंसूचयति-कार्मिकस्यकर्मोपजीविनः-इतिवीरमित्रोदयः) इत्यस्वामिविक्रयादौविशेषविवेकः ॥

#### इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणम्

यह अस्वामिविक्रय नामका प्रकरणएक इसी ६६ संख्याके परिच्छेदसे समाप्तहुआ अथदानविवादप्रसङ्गेतावद्देयादेयादिभेदैर्विधिनिषेधविचारविवेकोनाम७० परिच्छेदः इससत्तरि संख्याके परिच्छेदमें समस्त दानमात्रके विवादोंका प्रसंगलेकर देय तथाअदेय आदि दानोंकीविधि और निषेध निर्णय सहित जानेजायँगे ॥

समस्त दानमात्रके विवादोंका यहप्रकरणहै इसभाँतिके विवादोंका नाम ( दत्तानपकर्म)या(दत्ताप्रदानिक)भी विख्यातहै और दोनोंनामोंका अर्थकेवल एकहैकिदियाहुआ दानफिर लौटायाजाय-यथाहनारदः(दत्त्वाद्रव्यमसम्यग्यःपुनरादातुमिच्छति । दत्ताप्रदानिकंनाव्यवहारपदाहितत्)अर्थात्-यदिकोई पुरुष असम्यक् नामअनुचित मार्ग सेकुछ द्रव्यदेकर फिर लौटारलेना चाहै तिसभगडेके व्यवहारपदको दत्ताप्रदानिक नामजानो-इसीको-दत्तानप कर्मनाम मनुने अष्टादश वादनामोंकी संख्या में कहकर उमकारूपभी गहरखाहै कि(धर्मार्थेनदत्तस्यात्कस्मौचिद्याचतेधनम् । पश्चाच्चनत



थात्तस्यान्नदेयंतस्यनद्रवेत्) अर्थात्-जिसने किसीयज्ञादि उत्तमकामोंके नामसे माँगने वालेको धनदिया यद्वा देनेकहाहो और पश्चात् लेने वाला वैसा करनेपर आरूढ़ न हो या उसधनसे कोई और काम करनेलगे नो फिर उसकोदियान जावै किंतु पूर्वदत्त भी लेलियाजावै-यद्यपि-सभीग्रंथोंसे निर्णीत हैं कि दोनोंनामोंका आशय केवल एक हे परन्तु विज्ञानेश्वरने इनदोनोंको दो आशयपर दर्शायाहै कि जहां कहीं अनुचित रीतिसे धनदेकर फिर लौटारलेनेका भगड़ाहो तिसर्हीको दत्ताप्रदानिक नामजानो क्योंकि उसमें दियेका न देना यहभावार्थहै-दूसरा-दत्तानपाकर्म नाम तहांसमुझो जहां उचितमार्गसे धन देकरअभी ऊपरकहे प्रकारसे विपरीत भगड़ाहो अर्थात् उचितमार्गसे देना कहकर फिर न दे यद्वादेकर फिर लौटारलेना चाहै और वहलेनेवाला सच्चा दावाकरै यह सिद्धांतहै-तद्यथाहुविज्ञानेश्वराचार्याः ( अधुनाविहिताविहितमार्ग द्वयाश्रयतयादत्तानपाकर्मदत्ताप्रदानिकमिति चत्व्याभिधानद्वयंदानारख्यंव्यवहारपदं अभिधीयते-तस्यस्वरूपंचनारदेनोक्तं-दत्त्वाद्रव्यमसम्यग्यःपुनरादातुमिच्छति । दत्ता प्रदानिकं नामव्यवहारपदंहितदिति असम्यगविहितमार्गाश्रयेणद्रव्यंदत्त्वापुनरादातु मिच्छति यस्मिन्विवादपदेतदत्ताप्रदानिकंदत्तस्याप्रदानंपुनर्हरणं यस्मिन्दानारख्ये तदत्ताप्रदानिकं नामव्यवहारपदमित्येकं नाम -विहितमार्गाश्रयत्वेनतत्प्रतिपक्षभूतंतदे व्यवहारपदंदत्तानपाकर्मैत्यर्थादुक्तं भवति दत्तस्यानपाकर्मअपुनरादानंयत्रदानारख्ये विवादपदेतदत्तानपाकर्मैत्यपरं नाम) इति मिताक्षरायां (अत्रयद्यपिनामलक्षणद्वैधेप्राची नस्मृतिवचनप्रमाणाभावस्तथाप्यतिसूक्ष्मधियाविविक्तकार्यरूप द्वैधत्वेसिद्धेऽस्मदादी नामप्यनुमतिर्दृढतराज्ञेयायस्मादत्रव्यवहारसौगम्यमप्यनुवर्ततेनकश्चिद्दोषः) ऊर्ध्वोक्तमनुके वचनमें सिर्फयह आशय पायागयाथा कि देतेसमय विहितमार्गसेही उचित जानिकर धनदियाहो किंतु लेनेवालेके दोषपीछे प्रकटहोनेसे दाताफिर लौटारना चाहै-और-नारदके ऊर्ध्वोक्त वचनका यह आशयथा कि ठेठ देतेसमय देनेवालेने अयोग्यरीतोंसे देदियाहो तिसका फिर लौटारलेना हो-और-विज्ञानेश्वरके उस द्विविध लक्षणमें इनदोवातोंके सिवाय एकतीसरा भेद पायागया कि उचितमार्गसे सुपात्र कोहीदेना कहकर फिर न दे यद्वादेकर झीनलेना चाहे ठेठदाता यद्वादाताका दायाद आदिकोई और प्रतिनिधि होकरझीने और प्रतिग्रहीता अपना सच्चादावा खड़ाकरै तौइस विवादको दत्तानपाकर्म जानो-सोइन अनेकभेदोंपर कुछ शंकाकरनेकी जरूरत नहींहै क्योंकि प्रत्येक व्यवहारोंमें मनुष्योंकेही क्रियाभेदोंसे अनेकरूप होतेहैं कुछ आश्चर्य इसमेंनहीं-वरन इसीलिये व्यवहारोंकेनामरूप लक्षणोंका आनंत्यकहागया है कि(पदान्यष्टादशैतानिव्यवहारस्थिताविह। तेषामेवप्रभेदोऽन्यःशतमष्टोत्तरंभवेत् ॥ क्रियाभेदान्मनुष्याणांशतशाखोनिगद्यते ) इस्सेचाहे तितनेभेदहों सोसब सच्चेहैं पर

तौभी इसका मुख्यनाम सिर्फ ( दत्ताप्रदानिक ) एकजानो जो विख्यातहै और इसही एकनामसे सबरूपोंका बोध कियाजाताहै कि जैसे एकदिन कहने से सिर्फ दिवसमात्र काभी बोधयथा प्रयोजनके अनुसार और वही एकदिन कहनेसे दिनराति दोनोंका बोध एक साथ किया जाता है इन बातों का संदेह आगे आपसे आप जाता रहेगा इसलिये मुख्य प्रयोजन पर अब ध्यान करना योग्य है कि देना चारभाँति का नारद ने निरूपित किया है--यथा ( अथदेयमदेयंचदत्तंवादत्तमेवच । व्यवहारे षुविज्ञेयोदानमार्गश्चतुर्विधः ) अर्थात्-इस विवाद के व्यवहारों में दान मार्ग चार भाँति का विज्ञेय है कि ( देय ) ( अदेय ) ( दत्त ) ( अदत्त ) अब इनचारों के विशेष लक्षण कहते हैं कि इनमें देयरूप देना वह कि जिसवस्तुमें देनेवाले का पूरास्वत्वहो और जिसवस्तुके दानकरने का प्रतिषेधन हो-अदेयरूप देना इससे विपरीत होता है कि जिसवस्तुमें देनेवाले का पूरास्वत्व न हो यद्वा पूरास्वत्व होनेपर जिसवस्तुको दान करदेने का प्रतिषेधहो-दत्तरूप देना वह कि जो सर्वथा सावधान प्रकृतस्थ मनुष्यने निज ज्ञान पूर्व दान कियाहो सो वह दत्तनाम दियेहुये में गिनतीहै इसलिये कि फिर वह लौटि नहीं सक्ता-अदत्तरूप देना वह कि जोवस्तु फेरलेने योग्यहो किन्तु यद्यपि किसी दुर्हेतुसे या धोखे आदि औरही किसी हेतुसे कुछदेभी दियागया पर देदेने में वह गिनती नहीं होसक्ता इससे उसे अदत्त दान कहते हैं-इन्हीं चारों भेदका यथार्थ ब्यौरा नाना भाँतिसे अधिकोक्तिमें दर्शाया जायगा-और इन्हीं चारों भेदोंका संक्षेप आशयलेकर यहाँ योगीश्वर याज्ञवल्क्य जी निजमूल भूत वाक्य कहते हैं सोदेखो ॥

स्वंकुटुंबाविरोधेनदेयंदारसुतादृते । नान्वयेसतिसर्वस्वंचान्यस्मैप्रतिश्रुतम् १८० ॥

ऐ०-कुटुंबके अविरोधसे स्वंदेयहै ( पर ) दार सुतके विना-अन्वयके होनेमें सर्वस्व देय नहीं और जो और को प्रतिश्रुत कियाहो सोभी नहीं-अर्थात्-स्वंकहिये अपना द्रव्य देयनाम देने योग्यहै पर उतना देना योग्यहै कि जितना देनेसे कुटुंबमें विरोध पालनआदिसे नहोनेपावै(और)अपना धन देदेनेमें अधिकार यद्यपिहै परंतु स्त्री पुत्रभी निज अपनाही धनहोतेहैं तिनको छोड़ि अन्यधन दातव्यहै यह अपवाद इतना दान विधिमध्ये जानो-और दातव्य धनभी पुत्रादिक वंशरूप अपना अन्वय विद्यमानहोते हुये सर्वस्व दान करदेनेका प्रतिषेध जानो किन्तु जो निर्वेशहो वह सर्वस्व दान भी करसक्ताहै (और) सर्वस्वभी या थोड़ाही धन जो कुछ किसी और को यथार्थ मार्गसे धर्मानुसार देने कहाहो सो फिर औरको देदेने में उस दाताका अधिकार नहीं किन्तु ऐसा करने में विवाद रूपसे व्यवहार खड़ेहोते हैं १८० ॥

अधि०-कुटुंबके अविरोधसे अपना द्रव्य देयहै इस कथनसे योगीश्वरने एक विधि देयमात्रकी प्रदर्शितकरी और इसीसे प्रतिषेधकी दूसरी विधि ध्वन्यर्थमय दर्शाईहै

कि अपना द्रव्यदेवै अर्थात् जिनमें अपना स्वत्व नहो वेही द्रव्य अदेयहैं किन्तु अपने स्वत्वसे रहित द्रव्य पाँचप्रकारके होतेहैं अन्वाहित १ याचित २ आधि ३ साधारण ४ निक्षेप ५ इनकेरूप लक्षण व्यौरे वाग्देव्यो सब इकतीसके परिच्छेदमें ६८ वाले मूल श्लोकसे-यह पांचांद्रव्य कोई अपना स्वत्व न होने यद्वा कोई पूरा स्वत्व न होने से अदेय होतेहैं और इनपांचके सिवायतीन और भी अदेय द्रव्य होतेहैं कि जिनमें अपना पूरा स्वत्व होनेपर भी दानकरनेका प्रतिषेधहै यह दोनों भाँति मिलकर आठ भाँतिके अदेय द्रव्य होते हैं-नदाहृदहस्पतिः ( सामान्यपुत्रदाराधिसर्वस्वन्यासयाचितम् । प्रतिश्रुतमथान्यस्यनदेयत्वपृथग्व्यसृत्तम् )-अर्थात्-एक तो सामान्य जो अनेकों के साभेका धनहो १ पुत्र २ दारा ३ आधिजो बंधकरूप गिरवीका धनहो ४ सर्वस्व नाम सबधन अपना वंशहोतेहुये ५ न्यासधरोहरि ६ याचित मँगतु आई चीज ७ अन्यप्रतिश्रुत जो और को कुछ देना कहागयाहो ८ यही आठ भाँतिके अदेय द्रव्य कहे-यही प्रकार नारदने भी कहाहै-यथा ( अन्वाहितंयाचितकमाधिःसाधारणं चयत् । निक्षेपःपुत्रदारांश्चसर्वस्वंचान्वयेसति ॥ आपत्स्वपिहिकष्टासुवर्तमानेनदेहिना । अदेयान्याहुराचार्यायच्चान्यस्मैप्रतिश्रुतम् ) अर्थात्-अन्वाहित १ याचित २ आधि ३ साधारण अनेकोंके साभेवाला सामान्य धन ४ निक्षेप नाम न्यास धरोहरि ५ पुत्रदारदोनों ६ सर्वस्व ७ अन्यप्रतिश्रुत ८ यही आठ भाँतिके धन आचार्योंने अदेय कहे इनको वही कष्ट दायक आपत्ति में फँसि जानेपर भी दानकरने का प्रतिषेधहै-नारदके इस वचनमें सबसे पहिलाएक अन्वाहित भेद अधिकहै इसीलिये नारदने पुत्रदारा दोनोंको इकट्ठा एकसाथ कहा क्योंकि इन दोनोंके धनत्वमें कुछ अंतर नहीं है और मुख्य प्रसिद्ध आठ भाँतिके सिवाय नववांभेद गिनती करना भी असंगतहै-इसीप्रकार बृहस्पति ने अन्वाहित का नाम जुदा इस्से नहीं रक्खा है कि याचित कहिनेसे अन्वाहित स्वतःसमुभाजाताहै किन्तु याचित और अन्वाहितमें कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं इस्से पुत्रदाराकोही जुदा जुदा गिनकर आठों संख्यापूरी करीं-और-यद्यपि दक्षने नौवस्तु नाम सहित जुदीकही हैं परउनमें एक स्त्री धन गणिलेनेसे नौ संख्याहुई हैं और अन्य प्रतिश्रुत उनमेंनहीं कहा इस्से केवल आठसंख्या रहिजानी संभवथी परंतु दक्षने निक्षेप न्यास दोनों जुदे रखिकर याचित अन्वाहित को भी जुदा जुदा रक्खाहै इस हेतुसे नौसंख्यापूरी हुई तथापि पुत्र उनमें गिनती नहीं रक्खा तिसका हेतु संग्रहकारों ने यह मानाहै कि दत्तक दान करने की अनुज्ञा शास्त्र विहित है फिर पुत्रदान को अदेय दानों में किस लिये गिनती करते सो यह व्यौरा इसी अगले वचन में सब सोचो-यथाहदक्षः-( सामान्यंयाचितंन्यास आधिदाराश्च तद्धनम् । अन्वाहितंचनिक्षेपःसर्वस्वंचान्वयेसति ॥ आपत्स्वपिनदेयानिनववस्तूनि

पण्डितैः । योददातिसमूहात्माप्रायश्चित्तीयतेनरः ) ( तद्धनंस्त्रिधनं ) योगीश्वर ने कुटुंब के अविरोध से जो देना कहा तिसका हेतु केवल यही है कि निज कुटुंब का भरण पोषण करसकने से अधिक जो कुछ समुभाजाय उसमें से कुटुंबी दान करने का अधिकारीहै-तदाहनारदः ( कुटुंबभरणाद्द्वयंयत्किंचिदतिरिच्यते । तद्देयमुपहृत्या न्यन्नतद्दोषमवाप्नुयात्-अन्यदुपहृत्यभर्तव्यकुटुंबमनवरुद्ध्येत्यर्थः ) कुटुंब का भरना एक बहुत बड़ी आवश्यक मर्यादाहै-यथाहमनुः ( वृद्धौचमातापितरौसाध्वीभार्यासुतः शिशुः । अप्यकार्यशतंकृत्वाभर्तव्यामनुरब्रवीत् ) और-पुत्रपौत्रादि बंशके होतेहुये जो सर्वस्व दान करनेका प्रतिषेधकिया तिसकाहेतु यहीहै कि गार्हस्थ्य धर्मापुरुषपरनिज बंशकी आजीवन वृत्तिकल्पित करनेकाभार है-यथोक्तं ( पुत्रानुत्पाद्यसंस्कृत्यवृत्तिञ्चैषांप्रकल्पयेत् ) योगीश्वरने और नारदने बृहस्पतिनेभी सुतकादान अदेय कहा किंतु एक दक्षने सुतदानको अदेय नहीं कहा यद्यपि इसमें समाधानको अवकाशहै कि दक्षनेयदि देनेका प्रतिषेध नहीं किया तो कुछ देनेकी अनुज्ञाभी तो नहीं लिखी इससे शंकाकरनी व्यर्थ है तथापि इसमें वादीको अवकाश पूरा है कि (अप्रतिषिद्धमनुमतं भवति) अर्थात् जिसकाम का प्रतिषेध नहीं कियाजाताहै उसकामके करनेमें अनुज्ञा समुभिली जातीहै और शंकाभी इसहेतुसे कुछ व्यर्थ नहींहै कि एकने प्रतिषेध नहीं किया अनेकोंने प्रतिषेधकिया-इसी द्विविधाके हेतुसे ग्रन्थांतर संग्रहकारोंने इसवात कायह निर्णय नियत कियाहै कि पुत्रका न देना जो अनेकोंने दर्शाया सो वह एक पुत्रकेही स्थलमें समुभना जहां केवल एक पुत्रइकलौताहो क्योंकि इकलौताके देदेने से बंशनाठिहोनी संभव है और यही आशय विष्णु बसिष्ठ दोनोंके अग्रोक्तवाक्यसे प्रत्यक्ष पायाजाताहै-यथाहतुर्विष्णुवसिष्ठौ ( शुक्रशोणितसंभवः पुरुषोमातापितृनिमित्तकः तस्यप्रदानविक्रयपरित्यागेषुमातापितरौप्रभवतः नत्वेकंपुत्रंदद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा सहिसंतानायपूर्वेषाम् ) इसीप्रकार अगिला जो यह वाक्यहै कि(सुतस्यसुतदाराणां शित्वंत्वनुशासने । विक्रयेचैवदानेचवशित्वंनसुतेपितुः ) अर्थात्-पुत्रतथापुत्रकीदार-ओंका भी पिताके वशमें रहिना शास्त्रसे जो नियत है सो केवल उसकी आज्ञाकेवश वर्तारहिने मध्ये नियतहै कुछ विक्रय यद्वादान करदेने मध्ये नहीं-इत्यादिवहुधा और भी ग्रन्थांतर वाक्य जो सुतके देदेनेका प्रतिषेधकरतेहैं सो सब इकलौताके कजानो किंतु अनेक पुत्रहोनेपर प्रतिषेध ऐसा नहींहै-परंच अनेक पुत्रोंके होने पर जो कोई पुत्र अपने माता पिताका वियोग सहसक्ताहो वही देना योग्य है-कात्यायनः(विक्रयञ्चैवदानञ्चननेयाःस्युरनिच्छवः । दाराःपुत्राश्चेत्यादिः) परइस का भी नियम अनापत्काल में समुभना क्योंकि ( ) वा । अन्यथानप्रवर्तेतइतिशास्त्रविनिश्चयः) यहभी एक आपद्धर्म रूप नियमहै

साधारण काल में भी पुत्रदान पतिकी सम्मतिसे साततक निज ज्ञातिमात्रको कर  
 सकती है-यथाहनुर्विष्णुवसिष्ठौ-( नतुर्ऋषीपुत्रं दद्यात्प्रतिगृहीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्भृतुः )-  
 ( अथस्थावरस्यदेयत्व )-यथाहबृहस्पतिः प्रजापतिश्च-( सप्तागमाद्गृहक्षेत्रात्प्रत्यक्षेत्रं प्र  
 दीयते । पित्र्यं वाथ स्वयं प्राप्तं तद्दातव्यं विवक्षितम् )-अर्थात्-पूर्वोक्त सातभाँतिके आगम  
 से उत्पन्न हुआ गृहक्षेत्र आदि जो कुछ हो चाहे (पित्र्य) कहिये पैतृक पैतामह वंशपर-  
 म्परासेही चला आया हो यद्वा अपने आप अर्जित किया हो तिसमें से जो थोड़ा बहुत  
 दीजिये सो दातव्य नाम देयधन कहलाता है-उसदशमें कि जो निज कुटुम्ब के पाल-  
 नहेतुसे कुछ अधिक हो अन्यथा नहीं-इसीमध्ये-कात्यायनका यह कथन है कि-(सर्वस्व  
 गृहवर्जितकुटुम्बभरणाधिकम् । यद्द्रव्यं तत्स्वकंदेयमेदेयं स्यात्ततोऽन्यथा)-अर्थात्-  
 निज अपना द्रव्य जो कुछ कुटुम्ब के भरने से अधिक समुभाजाय वह सर्वस्व और  
 गृहको छोड़कर दातव्य है इससे और भाँति जो कुछ हो उसे अदेय जानो-इसका यह  
 आशय पाया गया कि ऐसा स्थावर भी कि जिसकी पैदावारी से कुटुम्बका पालन होता  
 हो यदि वह पालन करसकनेसे भी अधिक हो तो दातव्य है परन्तु जितना अधिक  
 समुभाजाय उतना सब दातव्य नहीं क्योंकि जितना कुटुम्ब के पालनहेतु समुभा  
 गया वहतौ किसी दानयोग्य धनमें गिनती नहीं रहा और जो उससे शेष अधिक  
 समुभा गया तिसको सब दे देनेसे सर्वस्वदान ठहरैगा सर्वस्वदान कर देनेका प्रतिषेध है  
 इसके सिवाय गृहभी छोड़ देना कहा तिसका आशय सिर्फ इतना है कि जिसके केवल  
 एकही घर निज कुटुम्ब के रहने योग्य हो तो वह दान करने योग्य नहीं-और जो-उन्हीं  
 कात्यायन का यह एक वाक्य और है कि- ( विभक्ता अविभक्ता वा दाययादाः स्थावरे स  
 माः । एकोप्यनीशः सर्वत्र दानाधमन विक्रये )-अर्थात्-दायाद चाहे जुदे हों या मिले  
 हों स्थावर धनमें सभी बराबर हैं इसलिये कोई एक एकला दान कर देने या गि-  
 रवी रख देने या विक्रय कर देने में सर्वत्र अनीश है-सो इस वाक्यमें ऊपरले वाक्यसे  
 विरोध नहीं समुभना क्योंकि उसमें तो निजतन्त्र कुटुम्बी का चर्चा था और इसमें  
 दोनों भाँति के कुटुम्बी का यह चर्चा है कि चाहे अपने भ्राता आदि दायियों से वह  
 जुदा होकर निजतन्त्र हो यद्वा मिला भुला हो तो भी स्थावर धनको वियोग सभी  
 दायियों की अनुमति लेकर करै-इसमें जो इस बात का विरोध पाया जाता है कि  
 अभी ऊपर अपना द्रव्य जो सातमें से किसी एक आगम द्वारा मिला हो देना  
 कहा था फिर जब जुदा होकर अपने पैतृक या पैतामह धनको बाँट चुका तो यह एक  
 भाँतिका आगम हुआ इसमें उन दायियोंका क्या संबन्ध रहा जो बभूके बिना न दें  
 (सो) इस द्विविधामें यह शंका शांति है कि अपनी जुदी हुई वस्तुके दे देनेमें स्वातंत्र्य  
 यद्यपि है तो भी यह स्थावर धनका नियम है कि चाहे बेचै या गिरवी रखे या दान

देवै तौ भी सबको अपने और विरानोंको भी प्रकटकरके ऐसाकरै जब इसबातका विरानोंको भी प्रकटकरना आवश्यक ठहिरा तौ फिर दायाद तौ निज अपनेही सपिंड हैं जुदेहैं तौ क्या हुआ विक्रयकरने मध्ये उनका एकप्रकारका स्वत्व इसमें अबतक चलाआताहै कि शायद वे आपही ऐसे स्थावरका क्रयकरें इसके मध्ये देखौ शिवके वचन ६२ संख्याके परिच्छेदमें ( विभक्त भ्रातादि कृत्यके अधिकार ) में और विक्रय केही तुल्य बंधकरखनेमें भी उनका स्वत्व समुभौ और दानके जो प्रकटकरने का हेतु हो सो योगीश्वरकेही अगिले १८१ वाले मूल श्लोकसे विचारौ ( और ) अविभक्त दायादोंसे जो संमतिलेना कहा सो प्रत्यक्षहै कि जिन ( का ) धन संसृष्टहै उनके वभेविना क्योंकर कोई एक अपने अंशका वियोग करसकने में ईश्वरहोगा किंतु निःसंदेह अनीश्वर है कि जबतक वे दायादइसको अनुमति नहींदें-इसीहेतुसे ऊपर ले बहुधा वाक्योंमें साधारण धनको अदेयकहाथा ( तथापि ) इसवारीकी परभीध्यान करनायोग्य है कि निपट सर्वत्रही ऐसा नियमनहीं समुभूना किंतु किसीकिसी आवश्यक और सुयोग्य अवसरमें एकला पुरुषभी दानविक्रयआधि इनतीनोंको करसक्ता है फिर चाहै धन संसृष्टहो यद्वा असंसृष्ट कुछ इसका नियमनहीं इसीलिये कात्यायन जीने इसी संवर्णित वाक्यमें यहकहाहै कि ( एकोप्यनीशःसर्वत्र ) अर्थात्-सर्वत्रनाम सभी अवसरमें नियमात्मक ऐसा करसकनेमें एकला पुरुष अनीशहै ध्वन्यर्थइसका यहकि विरलेयोग्य अवसरमें कहींकहीं एकला पुरुषभी करसकनेमें ईशहै यही आशय इसअप्रोक्त वाक्यसे संसिद्धहै-यथास्मृत्यंतरे- ( एकोपिस्थावरेकुर्याद्दानाधमनविक्रयम् । आपत्कालेकुटुंबार्थेधर्मार्थेचविशेषतः )-बृहस्पतिस्तु- (स्वेच्छादेयंस्वयंप्राप्तंबन्धाचारेण बन्धकम्) अर्थात्- (स्वयंप्राप्त)द्रव्यजो आपही किसी आगमद्वारा पायाहो सोनिज इच्छासे हीदेयहै अर्थात् यद्यपि अविभक्त भाइयोंके साभेमेंभी कोई भ्रातारहितहो अपनेकिसी भिन्नआगमसे उत्पन्नकिये धनको उनकी इच्छाविना भी देसक्ताहै पर जो कोईधन स्थावर अपनाबंधकहो यद्वा अपनेपास किसी और काहीबंधकहोतौ वहआधिप्रकरणकी मर्यादोंसेहीदेयहै-भला-यह सब अत्रोक्त नियम भ्राताया भतीजा आदि दायादोंकेसाथ सूचितहुयेपर जब पिताही इनकामोंको करनाचा है जिसके दायाद पुत्रादिक अज्ञान यद्वा किंचित्प्राप्त व्यवहारहों तिसकेमध्येव्यासजीने कहाहैकि- (स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमर्जितम् । असंभूयसुतान्सर्वान्नदानं न च विक्रयः ॥ येजातायेप्यजाताश्चयेचगर्भं व्यवस्थिताः । वृत्तिं च तेऽभिकांक्षन्ति न दानं न च विक्रयः )-अर्थात्-स्थावर और द्विपद नाम दास दासी आदि ऐसा धन यद्यपि किसीपिताने आपही पैदाकियाहो तौ भी उसकादान या विक्रयकरना सभी पुत्रोंकी संमतिलिये विना नहींकरनाक्योंकि पुत्र या पौत्रादिक जे कोई जन्मलेचुके और जे कोई जन्मलेवेंगे या जे कोई हाल गर्भमें उप



स्थितहैं वे सभी अपनी जीवन व्यक्तिकी आकांक्षाकरते हैं इसलिये उनसे बूभे विना द्विपद और स्थावर धनका नतोंदान है न विक्रय-सो इस नियमकाभी निपट यही आशयनहींहै कि जो पुत्र कुछ अज्ञान संसतिदेन लायक न हों तो इनकामोंका अवरोध रहे किंतु जहाँ पुत्र बालक हो तिसका नियम ४३ के परिच्छेद में पिछले आंकपृथ्वी निर्गमकी विधिसे पहलेदेखो और जोपुत्र कुछव्यवहार परहोचुकेहों तो उनपुत्रोंकी इनकामोंमें अनुमति लेनीयोग्यहै और पुत्रोंकोभी योग्यहैकि जोवहपिता उचितमार्गसेही करताहो तो अवरोधक उसके न हों किंतु अनुमतिदेवें इसकाव्योरा ४७ के परिच्छेदमें १२४ की अधिकोक्तिसे विचारों परयह अनुमतिका लेना केवल इसहेतुसे आवश्यक रक्खागया है कि पीछेपिता पुत्रोंमें विरोध खडाहोनेका कुछअवसरनहींआवे और वहपिता भी स्वातंत्र्यभावसे सर्वस्वदान करनेआदि अनुचित मार्गोंपर आरूढ़ न हो-और इसीवाक्यमें ( यद्यपि अपनाही कमायाहो ) इसकहनेसे यह आशयभी प्रत्यक्षहै कि जो कोईधन स्थावर यद्वा द्विपद पैतामह परंपरासेहीचला आयाहो तिसकादान विक्रयआदि करनेमें अवश्यभावसे निजपुत्रोंकी अनुमतिलेनी योग्यहै क्योंकि उसधनमें पितापुत्र दोनोंका तुल्यात्मक स्वत्वहै-इसीआशयसे-शिवजी नेभी यहकहाहैकि-(नसमर्थःपुमान्दातुं पैतृकं स्थावरं च यत् । स्वजनायाथवान्यस्मैदाया दानुमतिं विना ) अर्थसुगमहै कि पैतृक धन स्थावर विना पुत्रादि संमतिकेनहींदिया जासक्ताहै-अर्थात् जंगमधन पैतृकभी पुत्रादि संमतिविना दियाजाताहै और निजअपनाही कमाया दोनोंभांतिका यह बात अगलेवाक्यसे सुनिश्चितहै-तथाचसदाशिवः-(यत्तुस्वोपार्जितं रिक्थं स्थावरं स्थावरेतरत् । अस्थावरं पैतृकं च स्वेच्छया दातुमर्हति) इस वचनमें स्थावरभी अपना पैदाकिया विनाबूभे अपनी इच्छामात्रसे जो देना कहासो यह आधेधनका विषय समुभूना क्योंकि यहभी नियम कहीं आगे बढ़कर शिवके वचन कहेंगे-इन्हींदोनों अद्योक्त वचनोंकेतुल्य आशयवाले दोश्लोक औरभी शिव जीनेकहेहैं तिनसे यहभी नियम सिद्धहोताहै कि अमुकामुक पुरुषोंके होतेहुये धनी ऐसा करसक्ताहै-यथा-(स्थितेपुत्रेऽथवापत्न्यांकन्यायांतत्सुतेऽपि वा । जनकेचजनन्यांवा भ्रातर्येवंस्वसूर्यपि । स्वार्जितं स्थावरधनमस्थावरधनं च यत् ॥ अस्थावरं पैतृकं च सर्वदा तुंक्ष्मो भवेत् ) इसवचनमें (सर्वदातुं) इसकथनसे सर्वस्वदानकी कुछ आज्ञानहीं किंतु दर्शायेहुये सवतरहके द्रव्योंका भावार्थहै-इन्हीं चारोंवचनोंसे ऊपर छोड़ेहुये चर्चा मध्ये ध्यानकरो कि जहां धन अपनाही कमायाहुआ न हो किंतु पैतृक पैतामह आदि परम्परा काही चलाआयाहो और अपने पुत्र कुछ अज्ञान बालक हों तिनका वही नियम ४३ के परिच्छेद पिछले अंत पृथ्वी निर्गम की विधिसे पहले देखो यहाँ अज्ञान बालकपुत्रोंके उपलक्षणमें छोटेभ्राता और भतीजे पोताआदि सभी समुभूने

(परजो)पुत्र या पौत्र कुछ सज्ञान प्राप्तव्यवहार कालहों तौ इनदोनोंका व्योराउसी४७ के परिच्छेदमें १२४ की अधिकोक्तिसे विचारौ-इन सब नियमोंके सिवाय-अब इस बातपर भी ध्यान धरनायोग्यहै कि निःसंदेह अपना स्वत्वदान करने में अर्जयिता का अधिकार निश्चित कियागया और पुत्रादिक अपने पिता माताके अधीन होने कहे हैं-यथा-(जीवतोरस्वतंत्रःस्याज्जरयापिसमन्वितः) अर्थात् जबतक माता पिता जीवते रहें तबतक पुत्र चाहै बूढ़ाभी होजाय उनके सन्मुख वहस्वतंत्र नहीं-अन्यच्च- (अनीशास्तेहिजीवतोः) यही आशय इसकाहै कि मातापिताके जीवतेहुये पुत्रसभी अनीशहैं अर्थात् पितामाताके धनमें उनका कुछ अखितयार नहीं (सो) यह नियम ठेठ पिता माताके उपार्जित किये धनपर कहागया है कदाचित् इन्हीं दोनों बातके आशयसे यदि कोई पिता अपने अर्जितकिये धनका दान करदेनेपर समुद्यत होतौ वह कितना धन देदेनेसे पुत्रादिक दायदों करके रोका नहीं जासक्ताहै यह नियम आगे शिवके वाक्यों से संसिद्ध है-तदाहसदाशिवः-(स्वोपार्जितधनस्यार्द्धदायादाया पिचेद्धनी । दद्यात्स्नेहेनतच्चान्योनान्यथाकर्तुमर्हति ॥ यदिस्वोपार्जितस्यार्द्धमेकस्मैध नहारिणाम् । ददात्यन्यैश्चदायादैःप्रतिरोद्धुंनशक्यते) अर्थात्-अपनी कमाईके धनमेंसे आधा धन अर्जयिता धनी कुछ स्नेह करके किसी दायदको भी देदेवे तौ इसवात में कोई और अन्यथा करनेको समर्थ नहींहै (दायादको-भी) देदेवै इस (भी)शब्द के योगसे यहवात सिद्धहुई कि चाहै गैर को देदेवै या निज किसी एक दायद कोभी देदेवै तौ फिर शेष दायदों को उसदाता धनी के मरजाने या संन्यासी आदि होजाने या देश त्यागीहोजाने पीछे यह अधिकार नहींहै कि उसगैरसे वहदान हुआ द्रव्य छीनले या दायदसे कि जिसको आधाधन प्रसादइव देदिया गयाथा छीनकर सब दायदोंके हिस्साबाँटमें शामिलकरै-आधाधन कहनेका यहआशयहै कि चाहै आधे से थोड़ा या आधातक देदे तौ कुछदोषनहींहै परआधेसे अधिकदेदेना भी सर्वस्वदा नकी गिनतीमें आकर वही अदेयठहिरेगा और उसकेमध्ये फिरदायादोंकोभी भगड़ा करनेका अवकाशहै सो यहमर्यादा पूर्वदत्तमध्ये कहीगई किंतु इस्से अगले वचन में तात्कालिक नियमकहतेहैं कि-जो अपने अर्जित कियेधनका आधाभाग सबदायादों मेंसे किसीएकको अर्जयिता धनीदेनेलगै तौ उसदानकालमें भी अन्यदायादों करके दाताधनी रोकानहींजासक्ता है-इसकाभी सिद्धांतवहीहै कि जो सर्वस्वदान करनेलगे या आधेसे अधिक देनेलगै तौफिर पुत्रादिक दायदोंकरके रोकाजासक्ताहै-इसकेसि- वाय-विरले धनका औरभी कुछ नियम वहरूपतिने दर्शायाहै-यथा-(सौदायिकंक्रमायात शौर्यप्राप्तंचयद्भवेत् । स्त्रीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातंदत्तंसिद्धिमवाप्नुयात् ) अर्थात्-सौदायिक द्रव्य जो विवाहद्वारा मिलाहो क्रमायात द्रव्यमौरूसी जोपितृ पितामहआदिसे बला

आयाहो शौर्य प्राप्त द्रव्य जो किसी ने श्रुत्वसे कमायाहो यह तीनोंद्रव्य इस भाँति दिये जासक्ते हैं कि जिसस्त्रीके विवाहद्वारा मिलाहो उसीस्त्रीसे वृत्तिकर भर्त्तादानकर सकाहै किन्तु जो वह स्त्री अनुमति नहींदे तो फिर नहीं एवं क्रमायात धन को ज्ञाती लोग जो उस धनके मुख्य दायदहों तिनसे वृत्तिकर जो दियाजाय एवं शौर्यप्राप्त धन जो कोई एक छोटाभ्राता जीतिलायाहो तिसको मुख्यभ्राता जिसपर घरकाभार हो या पिता आदि कोई औरभी लेआनेवाले स्वामीकी अनुमति लेकर जो कुछदान करे सो वह दत्तदानमें गिनती होकर दानसिद्धिको पहुंचताहै किन्तु इनतीनोंके वृत्ते बिनाकोई घरका मुखिया भी देदेतो वहदान फिरलोटारलेने योग्यहोताहै-और वृत्तिकरकेदेना भी उसवस्तुका सर्वस्व नहीं दिया जासक्ताहै-तथाचवृहस्पतिः-( वैवाहिके क्रमायातेसर्वदानंनविद्यते ) १८० ॥

अब इसदेय और अदेयके प्रसंग मात्रसे प्रतिग्रह लेनेकी विधिभी नीचे कहते हैं और उसीमें दत्तअदत्त दोनोंभाँतिकेदानभी निर्णयहोगे अर्थात् दानोंके ४ लक्षण जो इस प्रकरणके प्रारम्भमें दर्शायेगये तिनमें दोकानिर्णय यहांतक होचुका शेष दो का निर्णय नीचे करेंगे ॥

( अथदानस्यप्रतिग्रहप्रकारः )

प्रतिग्रहःप्रकाशःस्यात्स्थावरस्यविशेषतः । देयंप्रतिश्रुतंचैवदत्वानापहरेत्पुनः १८१ ॥

पक्ष०-प्रतिग्रह प्रकाशरूप किया जावै स्थावरका विशेषतासे-प्रतिश्रुतवस्तु देय है देकर फिर नहीं १८१ ॥

अभि०-प्रतिग्रह नाम दूसरेसे दानका लेना यद्यपि स्त्री पुत्रादिक अदेय वस्तुभी कोई अपनी इच्छा और उत्साह साथ दानकरै तो इन अदेय चीजोंका प्रतिग्रह लेने वाले को यह उचितहै कि उस देनेवाले के संबंधीजनों को और अन्यभी साधारण ग्रामाधीश आदि पंचजनोंको विख्यातकरिके लेवै जिससे जो कुछ उसमें हेतुपरावर्त्य रूप हो या किसीको कुछ उजरहो सो सब तर्क बितैके उसकी पहले शांतहोजाय जिससे पीछे उसमेंविवाद खड़ाकरने का अवकाश किसीको भी शेष नरहै एवं स्थावर धनको अधिकतर विख्यात करिके लेवै चाहै वह स्थावर कुछ अदेय यद्वा देय धनमें गिनती हो इसका नियम नहीं तो इसभाँतिसे अदेय वस्तुकाभी दान होना दत्तपदवीको पहुँचताहै और पीछे लौटि नहीं सका यह सिद्धांतहै-प्रतिश्रुतवस्तु जो किसी को धर्मार्थ देनी कही गई सो अवश्य देयहै अर्थात् देनीहोगी पर उसदशामें कि जो वह पुरुष अपने धर्मसे प्रच्युत न होजाय जिसको देनी कही गई किन्तु जो वह अपने सूचित धर्मसे प्रच्युत होजाय तो फिर देना कहा न देनायोग्यहै देखौ वचन गौतमजी का अधिकोक्तिमें-और जो वस्तु किसी ग्रहीताको न्यायमार्ग से देदीगईहो चाहै देय अथवा

अदेय हो तौ वह वक्ष्यमाण सात प्रकारोंमें से एक भी फिर हरने योग्य नहीं किन्तु दत्तपदवी को पहुँची मानीजाय यह सिद्धांत है और इसी के ध्वन्यर्थसे यह सिद्धांत भी प्रत्यक्ष है कि जो कुछ वस्तु अन्याय मार्गसे देदी गई हो सो वह वक्ष्यमाण सोरह भाँतिमें से सभी अदत्त पदवी में गिनती होकर फिर हरलेने योग्य हैं-सात सोरहके रूप देखौ अधिकोक्तिमें १८१ ॥

अधि०—( प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय नदद्यादितिगौतमः ) अर्थात् गौतमने यह कहा है कि देना कहिकर भी अधर्म युक्तको नदे तौ कुछ दोषनहीं है-परंच-धर्मयुक्तको नदेने यद्वा देकर छीनलेनेसे भी दोष है-तथाचहारीतः-( प्रतिश्रुतार्थादानेनदत्तस्यच्छेदनेनच । विविधान्नरकान्यातितिर्यग्योनौचजायते । वाचैवयत्प्रतिज्ञातंकर्मणानोपपादितम् । ऋणंतद्धर्मसंयुक्तमिहलोकेपरत्रच ) अर्थात्-धर्मयुक्तको कुछ अर्थ देना कहिकर उसे नदेनेसे और दिया हुआ छीनलेनेसे भी नाना भाँतिके नरकों को जाता है और तिर्यक्योनिमें भी बहुधाजन्म पाता है-जिसने बहुधामुखसेही प्रतिज्ञा रोपणकरी किअमुकामुक धर्मसाधनकरेंगेपर कर्मद्वारासाध्य सिद्धिनहीं करी हो तौ यह धर्मकार्य काऋण दोनोंलोकमें सदैव उसके ऊपरसे उतरता नहीं किन्तु कालबिलंबके अनुसार व्याज वृद्धिको पहुँचता है-कात्यायनजीने इसको ऋणके तुल्य दण्ड पूर्व दिलवाना कहा है-यथा-( स्वेच्छयायःप्रतिश्रुत्यब्राह्मणायप्रतिग्रहम् । नदद्यादणवद्वाप्यःप्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ) अर्थात्-यदि कोई अपनीइच्छासेही ब्राह्मणको प्रतिग्रह देना कहकर पीछे नहीं दे तौ यह ऋणके तुल्य दिलाने योग्य है और उत्तमसाहस नामक दण्डभी अपराधके अनुसारपावै-ऊपर चर्चाकियेसात सोरहकेरूप नारदजीने व्योरेवार दर्शितकिये हैं-यथा-( दत्तंसप्तविधंज्ञेयमदत्तंषोडशात्मकम् । पण्यमूल्यंभृतिस्तुष्ट्यास्नेहांत्प्रत्युपकारतः ॥ स्त्रीशुल्कानुग्रहार्थंचदत्तंदानविदोविदुः । अदत्तंतुभयक्रोधशोकवेगरुगान्वितैः ॥ तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासञ्जलयोगतः । बालमूढास्वतंत्रार्त्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् ॥ कर्ताममेदंकर्मतिप्रतिलाभेच्छयाचयत् । अपात्रेपात्रमित्युक्तेकार्येवाऽधर्मसंयुते ॥ यदत्तंस्यादविज्ञानाददत्तमितितस्मृतम् )-अर्थात्-नारद कहते हैं कि सात विधिकादान ( दत्त ) और सोरह दान अदत्त जानौ किन्तु एक ( पण्यमूल्य ) जो खरीदी हुई चीजका मोलदियागयाहो १ ( भृतिदान ) जो कुछ काम करनेका वेतन दिया गयाहो २ ( तुष्टिदान ) जो बंदीचारण आदि किसीपर संतुष्ट होकर दियाहो ३ ( स्नेहदान ) जो बेटा बेटा आदि किसी अपने अधीन को स्नेहकरके दिया हो ४ ( प्रत्युपकारदान ) जो किसीने प्रथम अपने साथ कुछ उपकार कियाहो तिसके पलटे प्रत्युपकार मार्गसे कुछ दियाजाय ५ ( स्त्रीशुल्कदान ) जो विवाह करने के हेतुसे कन्या पक्षियोंको कुछ मूल्य दियाहो ६ ( अनुग्रहार्थदान ) जो सदा अनुग्रहभाव औरोंका अपने ऊपर बनारहिनके

निमित्त यद्वा देवीयोगसे अदृष्ट फल संप्राप्त होनेके निमित्तसे चाहै तिसको जो कुछ दिया गया हो ७ सो यह सातौं भाँतिका दिया हुआ दत्तदान कहिलाता है यह दान विधिके ज्ञाता लोग जानते हैं इसहेतुसे कि फिर यह लौटि नहीं सकता है पर उसदशा तक कि जो अन्याय मार्गसे न दिया लिया गया हो किन्तु जो अन्यायमार्ग इनमें प्रकट हो तो फिर कहीं इनका भी निवर्तन किया जाता है- अब सोहर दान अदत्तरूप कहिते हैं कि-किसी भाँतिके भय हेतुसे घबड़ाकर जो दे दिया हो १ (कोय) से पुत्रादि कुटुंब साथ बैरका प्रतिकार दिखाते हुये गौरको दे दिया हो २ (शोक) से पुत्रादि वियोग जनित शोक वेगसे उपतप्त मनुष्य ने तत्काल ऐसी बुद्धि पलटि जाने से दे दिया हो कि धनको रखकर क्या करना है ३ (उत्कोच) घूस रिसवत जो काम का प्रतिबन्ध होता देखिकर अधिकारियों को दे दिया हो ४ ( परिहासदान ) हाँसी ठट्टाकी रीति से कुछ माला मुँदरी आदि उठाकर दे दिया हो ५ ( व्यत्यासदान ) जैसे किसीने कुछ वैपरीत्य कल्पित किया हो कि एकजना अपना द्रव्य और को देता है और और भी बहुतेरे लोग अपना द्रव्य उसको देते हैं अवश्य दे देना इसमें सार है इसभाँतिका धोखाखाकर दे देना यह व्यत्यासदान है ६ ( छलयोगतः ) जैसे सौका देना गुप्ततौर नियत कर के सहस्र ऐसा कहकर दिया हो यद्वा और कोई भाँतिका छल पाया जाय जिस्से किसी को कुछ व्यर्थहानि पहुँचै ७ ( बालक ) जो अप्राप्त व्यवहार सोरहवर्ष न्यून हो तिसने जो दे दिया हो ८ ( मूढ़ ) जो कुछ लोक वेदके व्यवहारोंको न जानता हो तिसने जो दे दिया हो ९ ( अस्वतन्त्र ) स्त्री पुत्रादिक जो निज पिता आदिके अधीन हो तिसने जो दे दिया हो १० ( आर्त्त ) जो किसी उत्कट रोगसे विक्षिप्त हो तिसने अपनी बेहोशी में दे दिया हो ११ ( मत्त ) जो धतूरा आदि खानेसे व्याकुल हो और उस व्याकुलताकी दशामें दे दिया हो १२ ( उन्मत्त ) जो बात पित्तादिक कृत उन्मादों से ग्रस्त हो तिसने कुछ दे दिया हो १३ ( प्रतिलाभेच्छा ) से इसभाँति जो कुछ दिया हो कि यह पुरुषमेरा अमुककाम करेगा और वह लेकर उसके कामको न साधै १४ ( अपात्र ) को पात्र कहने से इसभाँति जो कुछ दिया हो कि जैसे कोई किसीबहुरूपियाको बड़े महात्मा कहकर कुछ अज्ञानभावमें दिला देवै इत्यादि बहुधा और भी समुझने १५ एवं ( अधर्मसंयुक्त कार्य ) में इस भाँतिसे कि कोई यज्ञादि उत्तमकामोंके नामसे धनमांगै उसको वही बात समुझिकर दे दिया जाय पीछे वह शूतादि अधर्मकामोंमें लगाने लगे १६ सो यह सोरह भाँतिका दिया हुआ नहीं दिया कहलाता किन्तु फिर भी झीनाजासक्ता है- अब-इनसात सोरह तैईसमेंसे किसी किसी का फिर भी वर्णन करते हैं कि जिस्से उन की शंका भी मिट जाय-किन्तु सातमेंसे द्वितीयरूप भाँति वेतनका दत्तत्व कहना कुछ आवश्यक नहीं था क्योंकि प्रत्यक्षमें प्रमाण देना व्यर्थ होता है पर इसलिये कहा गया

अदेय हो तौ वह वक्ष्यमाण सात प्रकारोंमें से एक भी फिर हरने योग्य नहीं किन्तु दत्तपदवी को पहुँची मानीजाय यह सिद्धांत है और इसी के ध्वन्यर्थसे यह सिद्धांत भी प्रत्यक्ष है कि जो कुछ वस्तु अन्याय मार्गसे दे दी गई हो सो वह वक्ष्यमाण सोरह भाँतिमें से सभी अदत्त पदवी में गिनती होकर फिर हरलेने योग्य हैं-सात सोरहके रूप देखौ अधिकोक्तिमें १८१ ॥

अधि०—( प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय नदद्यादितिगौतमः ) अर्थात् गौतमने यह कहा है कि देना कहिकर भी अधर्म युक्तको नदे तौ कुछ दोष नहीं है-परंच-धर्मयुक्तको नदेने यद्वा देकर छीनलेनेसे भी दोष है-तथाचहारीतः—( प्रतिश्रुतार्थादानेनदत्तस्यच्छेदनेनच । विविधान्नरकान्यातितिर्यग्योनौचजायते । वाचैवयत्प्रतिज्ञातंकर्मणानोपपादितम् । ऋणतद्धर्मसंयुक्तमिहलोकेपरत्रच ) अर्थात्-धर्मयुक्तको कुछ अर्थ देना कहिकर उसे नदेनेसे और दिया हुआ छीनलेनेसे भी नाना भाँतिके नरकों को जाता है और तिर्यक्योनिमें भी बहुधाजन्म पाता है-जिसने बहुधामुखसेही प्रतिज्ञा रोपणकरी किअमुकामुक धर्मसाधनकरेंगेपर कर्मद्वारासाध्य सिद्धिनहीं करी हो तौ यह धर्मकार्य काऋण दोनोंलोकमें सदैव उसके ऊपरसे उतरता नहीं किन्तु कालबिलंबके अनुसार व्याज वृद्धिको पहुँचता है-कात्यायनजीने इसको ऋणके तुल्य दण्ड पूर्व दिलवाना कहा है-यथा—( स्वेच्छयायःप्रतिश्रुत्यब्राह्मणायप्रतिग्रहम् । नदद्यादणवदाप्यःप्राप्त्यात्पूर्वसाहसम् ) अर्थात्-यदि कोई अपनीइच्छासेही ब्राह्मणको प्रतिग्रह देना कहकर पीछे नहीं दे तौ यह ऋणके तुल्य दिलाने योग्य है और उत्तमसाहस नामक दण्डभी अपराधके अनुसारपावै-ऊपर चर्चाकियेसात सोरहकेरूप नारदजीने व्योरेवार दर्शितकिये हैं-यथा—( दत्तंसप्तविधंज्ञेयमदत्तंषोडशात्मकम् । पण्यमूल्यंभृतिस्तुष्ट्यास्नेहात्प्रत्युपकारतः ॥ स्त्रीशुल्कानुग्रहार्थंचदत्तंदानविदोविदुः । अदत्तंतुभयक्रोधशोकवेगरुगान्वितैः ॥ तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासञ्जलयोगतः । बालमूढास्वतंत्रार्त्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् ॥ कर्त्ताममेदंकर्मतिप्रतिलाभेच्छयाचयत् । अपात्रेपात्रमित्युक्तेकार्येवाऽधर्मसंयुते ॥ यदत्तस्यादविज्ञानाददत्तमितितस्मृतम् )-अर्थात्-नारद कहते हैं कि सात विधिकादान ( दत्त ) और सोरह दान अदत्त जानौ किन्तु एक ( पण्यमूल्य ) जो खरीदी हुई चीजका मोलदियागयाहो १ ( भृतिदान ) जो कुछ काम करनेका वेतन दिया गयाहो २ ( तुष्टिदान ) जो बंदीचारण आदि किसीपर संतुष्ट होकर दियाहो ३ ( स्नेहदान ) जो बेटा बेटा आदि किसी अपने अधीन को स्नेहकरके दिया हो ४ ( प्रत्युपकारदान ) जो किसीने प्रथम अपने साथ कुछ उपकार कियाहो तिसके पलटे प्रत्युपकार मार्गसे कुछ दियाजाय ५ ( स्त्रीशुल्कदान ) जो विवाह करने के हेतुसे कन्या पक्षियोंको कुछ मूल्य दियाहो ६ ( अनुग्रहार्थदान ) जो सदा अनुग्रहभाव औरोंका अपने ऊपर बनारहिने



निमित्त यद्वा दैवीयोगसे अदृष्ट फल संप्राप्त होनेके निमित्तसे चाहै तिसको जो कुछ दिया गया हो ७ सो यह सातौं भाँतिका दिया हुआ दत्तदान कहिलाता है यह दान विधिके ज्ञाता लोग जानते हैं इसहेतुसे कि फिर यह लौटि नहीं सका है पर उसदशा तक कि जो अन्याय मार्गसे न दिया लिया गया हो किन्तु जो अन्यायमार्ग इनमें प्रकट हो तौ फिर कहीं इनका भी निवर्तन किया जाता है- अब सोहर दान अदत्तरूप कहिते हैं कि-किसी भाँतिके भय हेतुसे घबड़ाकर जो दे दिया हो १ (क्रोध) से पुत्रादि कुटुंब साथ बैरका प्रतिकार दिखाते हुये गौरको दे दिया हो २ (शोक) से पुत्रादि वियोग जनित शोक वेगसे उपतप्त मनुष्य ने तत्काल ऐसी बुद्धि पलटि जाने से दे दिया हो कि धनको रखकर क्या करना है ३ (उल्कोच) घूस रिसवत जो काम का प्रतिबन्ध होता देखिकर अधिकारियों को दे दिया हो ४ (परिहासदान) हाँसी ठट्टाकी रीति से कुछ माला मुँदरी आदि उठाकर दे दिया हो ५ (व्यत्यासदान) जैसे किसीने कुछ बैपरीत्य कल्पित किया हो कि एकजना अपना द्रव्य और को देता है और और भी बहुतेरे लोग अपना द्रव्य उसको देते हैं अवश्य दे देना इसमें सार है इसभाँतिका धोखाखाकर दे देना यह व्यत्यासदान है ६ (छलयोगतः) जैसे सौका देना गुप्ततौर नियत कर के सहस्र ऐसा कहकर दिया हो यद्वा और कोई भाँतिका छल पाया जाय जिस्से किसी को कुछ व्यर्थहानि पहुँचै ७ (बालक) जो अप्राप्त व्यवहार सोरहवर्ष न्यून हो तिसने जो दे दिया हो ८ (मूढ़) जो कुछ लोक वेदके व्यवहारोंको न जानता हो तिसने जो दे दिया हो ९ (अस्वतन्त्र) स्त्री पुत्रादिक जो निज पिता आदिके अधीन हो तिसने जो दे दिया हो १० (अर्त्त) जो किसी उत्कट रोगसे विक्षिप्त हो तिसने अपनी बेहोशी में दे दिया हो ११ (मत्त) जो धतूरा आदि खानेसे व्याकुल हो और उस व्याकुलताकी दशामें दे दिया हो १२ (उन्मत्त) जो बात पित्तादिक कृत उन्मादों से ग्रस्त हो तिसने कुछ दे दिया हो १३ (प्रतिलाभेच्छा) से इसभाँति जो कुछ दिया हो कि यह पुरुषमेरा अमुक काम करेगा और वह लेकर उसके कामको न साथै १४ (अपात्र) को पात्र कहने से इसभाँति जो कुछ दिया हो कि जैसे कोई किसी बहुरूपियाको बड़े महात्मा कहकर कुछ अज्ञानभावमें दिला देवै इत्यादि बहुधा और भी समुझने १५ एवं (अधर्मसंयुक्त कार्य) में इस भाँतिसे कि कोई यज्ञादि उत्तमकामोंके नामसे धनमांगै उसको वही बात समुझिकर दे दिया जाय पीछे वह द्यूतादि अधर्मकामोंमें लगाने लगै १६ सो यह सोरह भाँतिका दिया हुआ नहीं दिया कहलाता किन्तु फिर भी छीना जा सका है- अब इनसात सोरह तैईसमेंसे किसी किसी का फिर भी वर्णन करते हैं कि जिस्से उन की शंका भी मिट जाय-किन्तु सातमेंसे द्वितीयरूप भूति वेतनका दत्तत्व कहना कुछ आवश्यक नहीं था क्योंकि प्रत्यक्षमें प्रमाण देना व्यर्थ होता है पर इसलिये कहा गया

है कि जहांकोई काम भृति नियतकिये बिना या ठहराकरके भी करवाया जाय और भृतिका देनेवाला पीछे यह कहनेलगे कि यह भृति इतनेकामकी धोखेसे देदीगई या धोखेसे ठहराई गईथी न देवेंगे या देकरफेरलेना चाहै तौ यह नहीं वापिस होसक्ती है चाहै काम एक पैसेकाभीहो और उससमय दाताके ध्यानमें वह एक रूपयेका जचिगया सोई ठीकहै और यहीबात कात्यायनके अग्रोक्तबचनसे संसिद्ध है-यथा- (अविज्ञातोपलब्ध्यर्थदानंयत्रनिरूपितम् । उपलब्धिक्रियालब्धसाभृतिःपरिकीर्त्तिता) पांचमेंप्रत्युपकारका भी रूप कुछ कुछ कात्यायनजीने स्वत्व निरूपणके अवलम्बसे प्रदर्शित कियाहै-यथा-( भयत्राणोपरक्षार्थात्तथाकार्यप्रसाधनात् । अनेनविधिनालब्धं भयत्राणादिकंधनम् ) अर्थात्-किसीको भयसे रक्षाकरने या और कोई भाँतिसे सामान्य रक्षा करने से जो कुछ पायाहो एवं कोई काम किसी का साधन करिकै जो कुछ पायाहो सो सब द्रव्य भयत्राणादिक धन कहलाताहै और उसमें उसका स्वत्व भी होजाताहै अर्थात् फिर वह लौटि नहींसक्ता-सातवां अनुग्रहार्थ दान व्योरेवार नारद ने दर्शायाहै-यथा-( मातापित्रोर्गुरौमित्रेविनीतेचोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टेभ्योदत्तं तुसफलंभवेत् ) अर्थात्-माता, पिता, गुरु, मित्र, विनीत, नम्र, नीतिमान्, आज्ञाकारी, उपकारी, जिस्से अपना कुछ उपकार हुआहो, दीन, गरीब, अनाथ जिसका कोई रक्षक नहो और भी इसभाँति के जे कोई होतेहों इनको अपनी इच्छामात्रसे प्रसादतुल्य दियाहुआ द्रव्य अतिशय सफल होताहै क्योंकिये सभी फिर उस दातापर अनुग्रह रखने लगते हैं यद्वा कोई इनमें क्रूरहोनेसे अनुग्रह नहीं रखै तौ परलोकमें अदृष्ट फल उत्पन्नहोताहै इत्यादि धर्मोंको सोचिकर जो कुछ इनमें किसीको भी दियाहो सो फिर उनके क्रूरत्वसे भी लौटिनहींसक्ताहै-इन्हीं उक्तसातोंका दत्तत्वबृहस्पतिने भीकहा है-यथा-( भृतिस्तुष्ट्यापण्यमूल्यंस्त्रीशुल्कमुपकारिणे । श्रद्धाऽनुग्रहसंप्रीत्यादत्तसप्तविधंविदुः) अब सोरहका वृत्तांतकहतेहैं कि सोरहमेंसे ग्यारहवां (अर्त्त ) रोगीका जो दिया हुआ अदत्त कहा तिसका हेतुकेवल इतना है कि उसने अपनेरोग प्रमादसे किसी धर्म रहितकार्य में देदियाहो किन्तु जो बीमारीमें कुछ धर्म हेतुक दियाहो तौ वहदत्त मेंही गिनतीहै-यथाहकात्यायनः-(स्वस्थेनार्त्तेनवादत्तंश्रावितंधर्मकारणात् । अदत्त्वात् मृतेदाप्यस्तत्सुतोनात्रसंशयः )-अर्थात्-चाहै अच्छे सावधान या रोगीनेभी जो कुछ धर्महेतुसे देदिया यद्वा देना कहाहो तौ दातव्यहै और जो वह आप बिनादिये मर जाय तौ फिर निःसंदेह उसके पुत्रसे दिलानायोग्यहै-इसीभाँति-कात्यायनजीने यद्यपि सोरह नाम जुदे नहीं कहे परन्तु बहुधा ऐसा दियाहुआ निवर्त्तित करना लिखा है-यथा-(कामक्रोधास्वतंत्रार्त्तच्छीवोन्मत्तप्रमोहितैः । व्यत्यासपरिहाराययदत्तंतत्पुनर्देत् ॥ यातुकार्यप्रसिद्ध्यर्थमत्कोचास्यात्प्रतिक्रिया । तस्मिन्नपिप्रसिद्ध्यर्थेनदेयास्यात्

कथंचन ॥ अथ प्रागेव दत्तास्यात्प्रतिदाप्यस्ततोवलात् । दंडं चैकादशगुणमाहुर्गार्गी यमानवाः ) यद्यपि इसमें संख्यापूरी नहीं है पर इसीमें से प्रायः समुभी जाती हैं जैसे एक अस्वतंत्र कहनेसे स्त्री बालक दास आदि समुभेगये-इसमें उत्कोचाक्रिया रिसवत वाला काम जो दर्शाया तिसका रूपभी निज उन्हीं कात्यायनजी ने लिखा है— यथा (स्तेयसाहसिकोद्धृतपारदारिकशंसनात् । दर्शनाद्धृत्तनष्टस्य तथासत्यप्रवर्तनात् ॥ प्राप्तमेतैस्तु यत्किंचिदुत्कोचाख्यंतदुच्यते । नदातातत्रदंड्यः स्यान्मध्यस्थश्चैव दोषभाक् ) अर्थात् चोर-साहसिक-(उद्धृत) नाम दुर्जन बदसारा, पारदारिक परस्त्रीगमन कारी, इनको भय दिखलाकर और (वृत्तनष्ट) जिसका काम बिगड़ा हो तिसको जाल साजीसे बनता दिखलाकर या किसीको सत्यासत्यका भय उत्पन्न करिके जो कुछ द्रव्य इनसे लिया जाय सो उत्कोच कहाता है (दृष्टांत) जैसे जो तू मुझे न देवैगा तौ तेरा चोरी आदि कियाहुआ कुकर्म कहिकर प्रकट करोंगा यद्वा तू भे भागतेहुये राजपुरुषों को बतलाऊंगा अथवा यद्यपि तू सच्चा है पर जो तू मुझे न देवैगा तौ स्वामीके समीप तू भे भूँठा सावित करोंगा ऐसा भय दिखलाकर जो कुछ द्रव्य लिया गया हो सो सब देनेवालेको राजा वापिस करवादेवै यह सिद्धांत है और देनेवाला पुरुष अदंड्य है परंतु ऐसे उत्कोचका लेनेवाला और मध्यस्थ दलाल जिसने बीचमें पड़िकर यह उत्कोच दिलाया हो दोनों दंडनीय हैं क्योंकि वह मध्यस्थ इसमें चौथि खाया करता है— तथोक्तम् (उत्कोचापादकग्राहकौ च दंडनीयाविति) ऊपर जो कुछ सात सोरह तेईस का वृत्तांत भिन्न भिन्न बर्णन किया गया तिसको मनुने संक्षेपकर सब एक बचनसे निपटाया है— यथा (योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यस्य वाप्युपधिपश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ) अर्थ इसका पहले कहीं ब्यौरेवार बर्णन हो चुका है सो दूढ़लेओ-किंतु (योगउपाधिः येनागामिनोपाधिविशेषेणाधिविक्रयादानप्रतिग्रहाः कृतास्तदुपाधिविगमेतंसर्वेपिनिवर्तेरन्नित्यर्थभावंतुविवेचयतिवीरमित्रोदयः ) (अथदेशांतरपरिपाटीभेदविशेषः) इसपरिच्छेदकी व्यवस्था जो कुछ बर्णन हुई सो इन वाराणसी सम्बन्धी आदि बहुधा देशोंसे सम्बन्ध विशेष रखती है (पर) बांगदेश आदि विरले देशोंकी अपेक्षा जो कुछ विरली बातोंकी परिपाटी मध्ये अंतर है उस अंतरका संक्षेप चर्चा कुछ दृष्टांत मात्र पहले ४३ के परिच्छेदमें लिख चुके तिसमें देखौ पिछले आंक पृथ्वीनिर्गमकी विधि सम्पूर्ण होनेके पश्चात् जितना पाठ हो उसी प्रकार विरली और बातों में भी कुछ कुछ अन्तर है सो उन्हीं ग्रन्थोंसे विचार करने योग्य है कि जो उन देशोंमें प्रधान हों ॥

इति दानविवादप्रकरणम् ॥

यह दत्ताप्रदानिक नाम दानविवादका प्रकरण केवल इसी

७० संख्याके परिच्छेदसे समाप्त हुआ ॥

अथक्रीतानुशयनामकव्यवहारपदविधानविवेकोनामैकसप्ततितमःपरिच्छेदः ७१ ॥

इस एकहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें खरीदीहुई वस्तुका अनुशय नाम पछितावे से लौटारदेनेके भगड़ेवाली नालिशका निपटारा जानाजायगा और उसहीके प्रसंग से कुछ और भी उपरालू भगड़े समुभेजायँगे ॥

क्रीतानुशयनामक व्यवहार पदकारूप नारदने दर्शायाहै-यथा ( क्रीत्वामूल्येनयः पण्यं क्रेतानबहुमन्यते । क्रीतानुशयइत्येतद्विवादपदमुच्यते ) अर्थात्-जो कोई क्रेतामोल देकर पण्य वस्तुको खरीदलिये पीछे बहुत नहीं मानता है अर्थात् वह पछिताता है कि पहले भली बुरी देखकर न लीगई इस्से अब मैं फेरोंगा-तब इस भगड़े के विवाद को क्रीतानुशय नाम कहते हैं-तहाँ-सिर्फ उसी दिन में वह फिर सक्ती है- तथाच नारदः-(क्रीत्वामूल्येनयत्पण्यं दुःक्रीतमन्यतेक्रयी । विक्रेतुःप्रतिदेयन्तत्तस्मिन्ने वाहन्याविक्षतम् ) अर्थात्-जिस किसी पण्यवस्तुको मूल्यसे खरीदकर खरीदनेवाला पुरुष दुष्क्रीत ऐसा मानै है कि इसमें मैंने धोखाखाया तब विक्रेताको वह उसी दिन में मली दली बिना वापिस होनेयोग्य होती है-सो-इसबातमें (मन्यते) इस क्रिया के अनुकूल यह सिद्धान्त है कि वह वस्तु यद्यपि निर्दोषहो तौ भी जो वह क्रेता पुरुष अपनी बुद्धिके अनुसार बुरी समुभै तौ फिरसक्ती है पर केवल उसी दिनमें फेरीजा-सक्ती है और क्रेता अपना दियाहुआ मूल्य भी सब सबियाँ पाइसक्ताहै अर्थात् जो दूसरे या तीसरे दिनमें फेरै तिसका नियम और है-तथाच नारदः ( द्वितीयेह्लिददत्के ता मूल्यात्त्रिंशांशमावहेत् । द्विगुणन्तुतृतीयेह्लि परतःक्रेतुरेवतत् ) अर्थात्-दूसरे दिवस फेरता हुआ क्रेता अपने दिये हुये मूल्यका तीसवां भाग हानि भरै तीसरे दिवस फेरता हुआ इस्से दूनी हानि किन्तु ठहरे हुये मूल्य का पन्द्रहवां भाग देकर वस्तु फेरसक्ता है पर चौथे दिवस निपट क्रेता की वह वस्तु है अर्थात् हानि देकर भी फिर अनुशय नहीं होसक्ता-सो यह नियम केवल ऐसे अवसर में समुभना जहां क्रेता ने विक्रेता से फिराऊ करने का इकरार नहीं करलियाहो और वह चीज अच्छी हो-कात्यायनजी ने खोंटी खरी दोनों भांति की चीजों मध्ये जुदा जुदा नियम किया है-यथा ( अविज्ञातन्तुयत्क्रीतं दुष्टंपश्चाद्विभावितम् । क्रीतन्तत्स्वामिने देयंपण्यकालेऽन्यथानतु ) अर्थात्-बिनाजानीहुई खोंटी वस्तु जो परीक्षा बिना खरीद लीहो और वह पीछे बुरी समुभीजाय तौ फिर (पण्यकाल) में अर्थात् नियत अवधि जो जिसवस्तुका परीक्षाकालकहा हो तिसके भीतर फेरिदेवै फिर उपरान्त नहीं- और सिद्धान्त इसका यह कि जो कुछवस्तु परीक्षा करिकै लीगईहो सो फिर नियत कालमें भी नहीं लौटे-और जो कोई वस्तु यथार्थ में कुछ खोंटी नहीं ठहरै पर निज क्रेताकी पसंद नहीं आवै या वह लेनेसे संकोचकरै तिसके वापिस होनेका अग्रंत्

नियमहै-तथाचकात्यायनः (क्रीत्वाचानुशयंपश्चात्त्यजेद्वोषादृतेनरः। अजुष्टमेवकाले तुसमूल्याद्दशमंवहेत् ) अर्थात्-मोललेकर पीछे वस्तुमें कुछ दोष न होनेपर भी जो पछितावै सो उस वस्तुका वर्त्तावा किये बिना परीक्षा कालमें भी फेरै तौ निजमूल्य मेंसे दशवाँभाग हानिभरै-सो इस नियमको भी ऐसे अवसरमें समुभना जहां क्रेता ने विक्रेतासे कुछ फेरि देनेका इक़रार नहीं ठहराया हो और नारदोक्त तीन दिवसों के उपरान्त चौथे दिनको आदि लेकरमोल लेनेके दिनसे दशदिनके भीतर वापिस करनेलगै-यह सब नियम यहांतक परीक्षाके प्रसंग रहित वर्णनहुये अब जो नीचे मूल श्लोक योगीश्वर को आदिलेकर वर्णन होगा सो वह चीजोंकी परीक्षा करनेके इक़रार मध्ये होगा ॥

दशैकपंचसप्ताहमासत्र्यहार्धमासिकम् । बीजायोवाह्यरत्नस्त्रीदोह्यपुंसांपरीक्षणम् १८२ ॥

ऐ०-जो जो चीज परीक्षा करिके रखने अथवा फेरि देनेके एक़रारसे खरीदीहों तिन में ब्रीही आदि बीजोंकी परीक्षा हेतुसे दशदिनकी अवधिहै. लोहाआदि धातु चीजों की परीक्षा केवल एक दिनमें.बलीवर्दादि बाह्य पशुओंका परीक्षाकाल पाँचदिनतक भूंगा मोती आदि रत्नोंका परीक्षाकाल सातदिनतक दासीआदि स्त्रियोंकी परीक्षामास मात्र किन्तु पूरेतीस दिनतक गायभैंस आदि दोह्य पशुओंकी परीक्षा सिर्फ़ तीनदिन तक दास आदि पुरुषोंकी परीक्षा एकपक्ष पूरेपन्द्रह दिनतक होसक्तीहै-अर्थात् परीक्षा करनेसे जो वस्तु इनमें कार्यसाधक नहीं ठहरै या निजक्रेताकी पसन्द नहीं आवै तौ इसउक्त अवधितक फिरसक्तीहै अर्थात् उक्त अवधि बीतजानेपर फिराउ ठहरीचीज काभी अनुशय नहीं होताहै १८२ ॥

अधि०-नारदने भी योगीश्वरकेही तुल्य अवधि कही है-यथा (त्र्यहादोह्यंपरीक्षेत पंचाहाद्बाह्यमेवतु । मुक्तावज्रप्रवालानां सप्ताहंस्यात्परीक्षणम् ॥ द्विपदामर्धमासन्तु पुंसांतद्विगुणंस्त्रियाः । दशाहःसर्व्वबीजानामेकाहोलोहवाससाम् ॥ अतोव्वाक्पण्यदोषस्तुयदिसंजायतेकचित् । विक्रेतुःप्रतिदेयंतक्रेतामूल्यमवाप्नुयात् ) अर्थात्-जहाँ परीक्षाकरनी ठहरीहो तहाँ तीन दिनके बीच (दोह्य) भैंस आदिकी परीक्षाकरै-पाँचदिनकेभीतर (बाह्य) बैल भैंसा आदि जाँचेजायँ. मोती हीरा भूंगा आदि रत्नोंकी पहिंचान सातदिनतकहो-द्विपदमेंसे पुरुषोंकी परीक्षा आधेमासतक-इससे दूने काल एकमासतक स्त्रियोंकी जाँचहोवै-दशदिन सभीबीजोंका गुण दोष देखाजाय-लोहा तथा वस्त्रोंका परीक्षाकाल केवल उसी एकदिनमें- इनसब कहीहुई अवधों के भीतर जोकुछ दोष किसी पण्यवस्तुमें पहिंचानाजाय तौ विक्रेताको वह वापिस करनेयोग्य है और क्रेता अपनापुरामूल्य फेरिलेवै-और-चमड़ा आदि बिरली चीजोंकी परीक्षामें यहइतनी अवधि नहीं मिलसक्ती किन्तु शीघ्रजाँचिलेना कहाहै-तदाहव्यासः (चर्मका

षष्ठकासूत्रधान्यासवरसस्यच । वसुकुप्यहिरण्यानांसद्यएवपरीक्षणम् ) अर्थात्-चम-  
डा, काठ, ईट, सूत, धान्य, आसवनाम मद्य और खिंचेहुये अरकभी समुभने, रस  
प्रत्येकभाँतिके जो लोकमें प्रसिद्धहों परन्तु बैद्यकमतके रसोंको इनमें नहींसमुभना-  
वसुनाम रूपया चाँदी, कुप्यनाम राँग सीसा जसदआदि, हिरण्यसोना इतनी चीजों  
की परीक्षा बहुतशीघ्रही करलेनीकही किंतु इनमें कुछभी अवधिनहींहै यदिकोई इन्हें  
परीक्षा के बहाने एक दिनभी रोकिरक्खे तौ फिर अनुशयनहींहोताहै-इसवचनमें जो  
धान्यकी परीक्षा शीघ्र नियमितहुई तिसका यह सिद्धान्तहै कि जोकुछ नाजखाने आदि  
खचाँके निमित्तसे खरीदेजायँ तिनकेलिये अवधि नहींहै (परजो) बीजबोनेके निमित्त  
से कुछधान्य आदि लियाजाय तिसकेलिये दशदिनकी अवधि जो योगीश्वरने दर्शाई  
सो अविरुद्धहै और इसीआशयसे नारदनेभी सभीबीजोंकी अवधिमध्ये दशदिन  
कहे-पुराने वस्त्रजो प्रत्यक्ष जानिबूभिकर खरीदेजायँ तिनके वापिस होजानेमध्ये कोई  
अवधि नियत नहीं है-तदाहनारदः-(परिभुक्तंतुयद्वासःकृष्णरूपंमलीमसम् । सदोषम  
पितत्क्रीतंविक्रेतुर्नभवेत्पुनः)अर्थात्-भोगाहुआबस्त्र जो काला मैला जानिकर खरीदा  
हो यद्यपि उसमें कोईदोष पीछे और भी पहिंचानाजाय तौभी वह विक्रेताका फिर  
नहींहै अर्थात् क्रेताकोही रखनाहोगा-इसकेमध्ये मदनरत्ननामाग्रंथमें यह लिखा है  
कि वस्त्रोंके उपलक्षणमात्रसे और भी सबचीजोंमध्ये यही नियम समुभना-परंच  
माधवीयग्रंथमें इसवचनके अक्षरार्थ परही दृढ़तामानीगई है कि केवल वस्त्रोंकाही  
नियम समुभना ॥ इति क्रयपरीक्षा नियमः ॥ (अथन्यूनाधिकमूल्यंक्रयविक्रयनियमाः)-  
मनुने सामान्यभाव निर्विशेषरूपसे दशदिनकी अवधिरक्खीहै पर उसका आशयभी  
कुछ औरहै-तद्यथा(क्रीत्वाविक्रीयवाकिंचित्त्यस्येहानुशयोभवेत् । सोऽतर्दशाहात्तद्व्यं  
दद्याच्चैवाद्दीतवा)अर्थात्-मोललेकर क्रेता या बेंचेपीछेविक्रेता ही पछिताकर अनुश-  
य करनाचाहै सोवहचीज दशदिनके भीतरही देदेवै या लेलेवै आगेनहीं-मनुकेइसव-  
चनका आशय बहुधा संग्रह ग्रंथकारोंने कुछ और और भाँतिसे लिखकर उसकायह  
सिद्धान्तमाना है कि जहां (अवगुण प्रकटहोनेमें प्रत्यर्पण करदेनेका इकरार परीक्षाक-  
रनेके अनुसार ठहराहो ) तिसहीकी यह अवधिजानों किंतुविना ठहरे का यहनियम  
नहीं-तौभी ध्यान करनेका यहस्थलहै कि मनुने क्रेता और विक्रेता दोनोंको अधिकार  
अनुशय करनेमध्ये लिखाहै कि जो विक्रेताभी निजवस्तु बेंचे पीछेकुछ पछितावाकरे  
तौवह दशदिन भीतरवापिस लेसक्ताहै सोइसकथनसे इकरार ठहराने वालाआशय  
व्यर्थ प्रतीतहोता है क्योंकि लोकाचार दृष्टिसेक्रेतातौ इकरार ठहरानेका अधिकारी  
देखिपरता पर विक्रेता ऐसा इकरार ठहरानेका अधिकारी कहींलोक में भी नहींदेखा  
जाताहै कि जोइस थोड़ेमूल्यसे नाराजी मुभकोहोगी तौमें चीजवापिसले जाउँगा-



इस्से यह प्रत्यक्ष आशय पाया जाता है कि मनु ने इकरार ठहिराने का कुछ आशय नहीं रक्खा है (और) द्रव्यों का कुछ नाम भेद नहीं रक्खा इस्से सब सामान्य द्रव्यों की यह दशदिन वाली एक अवधि है इसलिये इसका निज मुख्यात्मक आशय समुझा जाना योग्य है कि जहाँ कहीं दलाल आदि कपटी मध्यस्थों के प्रपंच से या उनके विना भी जब किसी क्रेता या विक्रेताने अज्ञान भाव से कुछ धोखा खाया हो जिस्से बहुत हानि होने का पछितावा उठै तब इकरार ठहरै विना भी दशदिन के भीतर उसको वापिस कर देने की मर्यादा है यदि कोई उनमें धूर्त वृत्ति से परस्पर यह निपटारा करने पर आरूढ़ न हो तौ फिर राजा को अधिकार है कि ऐसे हानिकारक पण्यको नियमानुसार वापिस करवा देवे-नियम के अनुसार का यह भाव है कि जो इस दशदिन की अवधि भीतर वह अभियोग लगाया जाय तौ निपटारा करना योग्य है पर अवधि बीते नहीं-जो कुछ आशय इसका कहा गया सोई शिव के वचन से भी सिद्ध है-यथा (क्रमव्यत्ययमूल्येन द्रव्याणां विक्रये सति । नृपस्तदन्यथा कर्तुं क्षमो भवति पार्वति) ऊर्ध्वोक्त मनु के वचन में पदार्थ परतामध्मे पण्डित मित्र मिश्र और विज्ञानेश्वर ने भी ऐसा भाव माना है कि गृह, क्षेत्र, यान रथगाड़ी पीनस आदि, शयन मशहरी पलंग आदि, आसन तरख्त कुर्सी हौदा आदि, और इसी भाँतिकी और चीजें भी समुझनी जो जो वर्तावा से तत्काल बिगड़ जाने वाली नहीं तिनके मध्ये दशदिन की यह अवधि जानो किन्तु सभी चीजों मध्ये नहीं क्यों-कि लोहा आदि अन्य चीजों की अवधि पहले ग्रन्थ भेद से कह चुके हैं सो यह कथन उनका इस ध्यान से उत्पन्न हुआ है कि उन्होंने इस अवधिको परीक्षाकाल मध्ये समुझी सो यह नहीं किन्तु परीक्षाकाल दूसरी बात है कि जहाँ परीक्षा करने का कुछ चर्चा हो या उस बात का परस्पर कौल करार किया गया हो और उस वस्तु का क्रेता अवधि बीते पीछे वापिस करने लगे या अवधि भीतर विक्रेता उसको फेरिलेने से इनकार करै तिसके लिये परीक्षाकाल की वह अवधि नियत हुई-अन्यथा मनु ने यह अवधि केवल कपट प्रकारों से अत्यन्त मूल्य घटिबढ़ि जाने का धोखा खा जाने या वस्तु जैसी कह कर दी हो तैसी नहीं निकलने का नुकसान उठाने मध्ये कही है इसलिये इसका सच्चा भाव यही है कि चाहे कोई वस्तु हो विना करार के भी दशदिन तक फिर सकैगी परन्तु जहाँ परीक्षा करने का इकरार ठहरा हो तहाँ जो कुछ अवधि नारद और योगीश्वर आदि ने दर्शाई सोई ठीक है कुछ उसमें दशदिन से अपेक्षानहीं-मनुमुक्तावली टीकामें-कुल्लूक भट्ट ने यह अर्थ रक्खा है कि (किंचिद्द्रव्यमविनश्वररूपांस्थिरा धर्मभूमिताम्रपट्टादि) अर्थात् कोई द्रव्य जो शीघ्र नाश होने वाला न हो बल्कि जिसका मूल्य दीर्घ काल तक एकसार बनारहता हो जैसे धरती या ताँबे की चदर आदि बहुधा चीजें-तौ इस कथन से लोहा पीतल आदि भी सब समुझे गये जिनके लिये ऊपर ले संग्रह कारणों ने यह कहा था कि लोहा आदि

इनमें नहीं समुझने क्योंकि उसकी अवाधि सिर्फ एकदिनकी नारद और योगीश्वरने कहदीहै-इसमें भी यहध्यान करना योग्यहै कि नारद और योगीश्वरने वहएकदिन परीक्षा कालमध्ये कहाथा और मनुका यहवचन दूसरे आशयपर आरूढ़है इसलिये सबसामान्य चीजोंकी यह अवाधि जानो-परंच न्यायके अनुकूल इसमें इतना और विवेक भी निजबुद्धिसे कर्तव्यहै कि जो जो चीजें खानीपीनी आदि दशदिन पर्यंत रुकी रहनेसे कुछ विकृतभी होसक्तीहो या बाज़ारमें कुछभाव उनका शीघ्र घटिवादि जाताहो तिनके मध्ये दशदिनका कुछ नियम नहीं है अर्थात् वैसी चीजोंको छोड़िकर उपरान्त उनकेसभी उत्तमचीजें समुझिलेनी चाहे जङ्गम या स्थावरहों कपटरूपसे जो विक्रीहों तिनहीका यहनियमहै परीक्षासे अपेक्षा इसमें नहींहै इसीसे कुल्लूकभट्ट ने परीक्षा और इकरारका कुछचर्चा नहींकिया-कात्यायनजीने-ठेठभूमिके नामसे दश दिनका अनुशय कहाहै-यथा-(भूमेर्दशाहोऽनुशयःऋतुर्विक्रेतुरेवच) अर्थात्-जहाँभूमिके खरीदनेया बेचनेमें कुछक्रेता याविक्रेताने अत्यंतदगा धोखाखाकर उसकेपछितावेसे निवर्तन होजानेकी नालिश करीहो तौवह नालिश दशदिन भीतरदायर होनेमें स्वीकार करनेयोग्यहै उपरान्तनहीं-इसमेंभी परीक्षाका कुछ चर्चानहीं समुझना क्योंकि पृथ्वी वा गृहक्षेत्र आदियह कुछ ऐसीचीजेंनहीं हैं जो अपनेपास रखकर दशदिनतक पहिंचानि करीजावै बल्कि ऐसीचीजोंकी परीक्षा जो कुछकरनी हो सोक्रय करनेसे पहलेही कर्तव्यहै लेचुकनेपीछे नहीं और यद्यपि (पंडितमित्र मिश्रने, परीक्षाकाल इति यावत्, ऐसा इसमेंभी लिखदियाहै)परउस लिखनेको इसहेतुसे भी नहीं मानिसक्तेहैं कि विक्रेता बेचेपीछे किसभांतिसे किसवस्तुकी परीक्षाकरैगा निजभूमितौ वहक्रेताको देकरउसके कब्जेमें करचुका और कात्यायनजीने मनुकेतुल्य दोनोंकोही अनुशयकरनाकहा तौयह अनुशय केवल दगाधोखा होनेमें अत्यंतहानिके अवसरपर समुझना क्योंकि राजाका यहधर्महै कि जबकोई किसी व्यवहारमें कुछव्यर्थ हानिछलसे किसी कोपहुँचावै तिसकातत्त्व निर्णयकरै और अत्यंत हानिकहने का यहभावहै किजवतक मूलधनमें एकरूपया पीछेचार आनेतक सवाई पौनीहानि पहुँचीसमुभीजाय तवतक ऐसे व्यवहारोंमें कुछअनुशयभी आवश्यक नहीं क्योंकि यहांतक यहउसकी गफलत का फलहै परजो इस्सेआगे मूलधनमें ड्यौदीआदि अधिकहानि पहुँचे तौफिर अनुशयका विवाद खड़ाहोनायोग्यहै क्योंकियहअत्यंत हानि हुई-इतिक्रमव्यत्ययमूल्यनि यमः(अथपरण्यपरीक्षानियमाः) तदाहवृहस्पतिः (परीक्षेतस्वयंक्रोतमन्येषांचप्रदर्शयतापरीक्षितंवहुमतंगृहतिनपुनस्त्यजेत्)अर्थात्-किसीवस्तु का खरीदनेवाला पहले आप परीक्षाकरै यद्वा औरोंको दिखलावै जो उसचीजके गुणदोष जाननेवालेहों ऐसी रीति में परीक्षाकरिके अच्छीसमुभीहुई चीजको लेचुकने पीछेफिरन छोड़ै-नारदोपि (क्रेत

पण्यंपरीक्षेत प्राक्स्वयंगुणदोषतः। परीक्ष्यामिमं क्रीतं विक्रेतुं तथा चेत्पुनरिति विगतं प्रहले  
 क्रेता अपने आपपण्य वस्तुको गुणदोषांमे विचारे और पुनर्निज-इनसब लिये त  
 लेलेवै ऐसीरीतिसे परीक्षा तथा पसंद करिके लीहुई फिर विक्रेता कीजसे कुछकमती  
 सोयह दोनों बचनोंकी मर्यादासब सामान्यलोगोंकी शिक्षापर आरूढ़ है अथवा  
 सका यहकुछ आशयनहीं है कि जिसनेवस्तु परीक्षा करनेविना खरीदीहो और वह  
 वस्तु कल्पित आदिकूट दोषांवाली होनेपरभी उसकी नालिशराजा न सुनै-परंच-व  
 णिक, व्यापारी आदि मनुष्योंके क्रयकर्मकी मर्यादामें कुछअंतर है सो कहते हैं-यथाह  
 नारदः (क्रीत्वानानुशयंकुर्याद्वणिकपण्यविचक्षणः । क्षयवृद्धिचजानीयात्पण्यानामागमं  
 तथा) अर्थात्-वणिकपेशे वालोंमें जोपण्य विचक्षणहो किंतु क्रय विक्रय आदिकामोंमें  
 अति चतुरसभी चीजोंके गुणदोष जाननेवाला ख्यातहो तिसको योग्यनहीं है कि  
 कोईचीज खरीदे या बेचेपीछे अनुशय करनेलगे अर्थात् चाहें धोखागप्पाभी कुछखा-  
 याहो तौभी सौदाभुगते पीछे अनुशय नहींकरै-किंतु उसको योग्यथाकि पण्यचीजोंकी  
 क्षय वृद्धितथा आगम पहले जानिलेवै तबकुछ सौदाकरै क्षय और वृद्धिकाजानना  
 यहकि घोड़ाआदि पण्यवस्तु जो कुछलेनीहो तिसकायह व्यौरा पहले निश्चितकरै  
 कि यहीघोड़ा जो अमुकामुक देशमेंइतने महंगेमूल्यसे मिलसक्ताथा कदाचित् यहां  
 विदेशमें कुछसस्ता विकताहो क्योंकि यहां इसकी पैदायश वालीखानिहै इसलियेइस  
 केमूल्यकी क्षयवृद्धि निश्चितकरिकै घोड़ालेवै जिस्सेगप्पा नहींखाना परै इत्यादिस-  
 भीचीजोंकी क्षय वृद्धिकाविचार पहलेकरै कि अमुकचीज अमुक समयपर अमुकामुक  
 बड़ेकारणोंसे अतिसस्ती विकनेलगी थी अब इसकालमें इसदेशमें अमुकामुक हेतू  
 इसकेमहंगी होनेकेभी संभवहै इसलिये पहले भाव निश्चय करकै माल बेचै किंतु  
 अंधेवनिके नहीं यहव्यापारी लोगोंकाधर्म है और इसीप्रकार उसका आगमभी कि  
 यहघोड़ा कैसीजाति कौनदेशका विख्यातहै और इसकीमाता तथा पितादोनों किस  
 किसगुणसे नामीथे-एवंयह विक्रेताकोई सच्चानामी व्यापारीहै या ठगचोर आदि पेटा-  
 र्थ कल्पित कपटीहो ऐसाआगम पहले सोचिसमुझि लेवै तबकुछ सौदाकरै यहव्या-  
 पारी जनसाधर्म है-क्योंकि सौदाकिये पीछे बदलिपरनेसे षष्ठांश छोड़िदेनेकी प्रतिज्ञा  
 है-यथाहकात्यायनः (क्रीत्वागच्छन्ननुशयंकुर्याहस्तमुपागते । षड्भागंतस्यमूल्यस्यद-  
 त्वाक्रीतंत्यजेन्नरः) अर्थात्-जो क्रेता चीजखरीदे पीछे हाथमें आजानेपर भी अनुशय  
 करनेलगे तौ निजमूल्यका षष्ठांशउस विक्रेताको देकर वस्तु छोड़िसक्ताहै-इसीप्रकार  
 जो विक्रेता अनुशय करनेलगे तौ निजवस्तुका षष्ठांश छोड़कर पासक्ताहै-सो यह  
 नियम परस्पर अनुशय करनेमध्ये जानो-किंतु-जहाँ राजातक यहभगड़ा पहुँचैतहां  
 राजाभी षष्ठांश दण्डलेनेका अधिकारीहै-इसीलिये-याज्ञवल्क्यजीइसभाँतिके व्यापा-

री जनको समुग्रय त्वयोर्हुये दण्डआगे २६३ दोसौतिरसठवाले मूलश्लोकसे दर्शा-  
 वेंहेदाह-इसमें भी यथावणिजापण्यानामविजानता । क्रीत्वानानुशयः कार्यः कुर्वन्षड्-  
 परीक्षा कालमध्ये अर्थात्-जिस व्यापारी ने सौदाकरते समय पहले पण्यचीजोंकीक्षय  
 असामृद्धे नहीं समुभिलीहो तिसको सौदाकाभुगतान कियेपीछे अनुशय करनायो-  
 ग्यनहीं है क्योंकि(अनुशय करना ऐसे सब सामान्य लोगोंका वहधर्महै कि जिनको  
 बहुधा क्रय विक्रयसे कुछकाम न परतारहाहो और वे धोखा खायँ) किन्तु जो इस  
 भाँतिके व्यापारीलोग सौदाका भुगतान कियेपीछे अनुशय करनेपर उतारूहों तो  
 निजमूलधनका छठाभाग दण्ड राजाकोदेवें अर्थात् जहाँ क्रेता अनुशयकरै तौनिज  
 दियेहुये मूल्यका छठवाँभागदे और जो विक्रेता अनुशयकरै तौ वह अपनी बेंचीहुई  
 वस्तुकी मालियतका षष्ठांशदेवे (इतिवणिकर्माभिज्ञानानियमविशेषः) मनुका जो वचन  
 ऊपर वर्णन हुआथा जिसमें दशदिन भीतर अनुशय होसकनेकी अवधि कहीगई  
 तिसके बीतेपीछे अनुशय करनेवाले को दण्ड मनुकहतेहैं-यथा (परेणतुदशाहस्यनद  
 द्यान्नापिदापयेत् । आददानोददञ्चैवराज्ञादण्ड्यःशतानिषट्) अर्थात्-दशदिनके पीछे  
 नतौ क्रेता वस्तुत्यागै न विक्रेता उस्सेछीनै किन्तु प्रबलतासे छीननेवाला विक्रेता  
 यद्वा छोड़िदेनेवाला क्रेता निज अपराध के अनुसार छःसौपणतक राजाकरके दण्ड-  
 नीयहै-यहदण्ड सब सामान्यलोगोंकी अपेक्षामें समुभना कुछव्यापारी जनका सम्ब-  
 न्ध इसमेंनहीं किन्तु उनकादण्ड उनके नियमोंसाथ मूलधनसे छठाअंश ऊपर कहा  
 गया-यद्यपि-इसीएक प्रकरणसे क्रय और विक्रय दोनोंभाँतिका अनुशय क्रेता विक्रेता  
 दोनोंकी अपेक्षामध्ये समुभाजासक्ताहै तथापि इसकानाम केवलक्रीतानुशय इसहेतु  
 करकेकहागयाहैकि यहाँसे छःसात प्रकरणोंके पश्चात् एक (विक्रीयासंप्रदान) नामक  
 प्रकरण अभी और वर्णन होगा । तिसमें उसको ब्यौरेवार सर्वथा निर्णयसे दर्शावेंगे  
 कि बेंचीहुई वस्तुजो अमुकामुक ढंगोंसे नदेवै तौ यह न्याय कियाजावै १८२ इस प  
 रिच्छेदमें पण्यवस्तुओं की सत् असत् परीक्षा वर्णन होनेकेप्रसंगसे स्वर्णादि बहुधा  
 चीजोंमें कुछघाटा वाढा होजानेकी परीक्षा भी योगीश्वर नीचे कहते हैं १८२ ॥

अग्नौसुवर्णमक्षीणंरजतेद्विपलंशते । अष्टौत्रपुणिसीसेचताम्रेपंचदशायसि १८३ ॥

ऐ०-अग्निमें तपाया सोना किंचित् भी छीजतानहीं किन्तु जितनी तौलसुनारको  
 सौंपाहो उतनाही आभूषण लियाजाय अन्यथा घाटा उस्से लेकर दंड योग्यहै रजत  
 नाम चाँदी सौपलमें से दोपल घटिजातीहै ( यहाँ शास्त्रोक्त मान (पल ) परिभाषाके  
 उपलक्षणसे तोला तथा रुपया आदि समुभना दृष्टांत जैसे १०० तोले चाँदीको ग-  
 लानेसे दोतोले उसकामैल विकार भर जलजाताहै) इसी प्रकार सौतोले राँग तथैव  
 सीसे में से आठतोले उड़जातेहैं, सौतोले ताँवा गलने से पाँचतोले घटतेहैं, सौतोले

लोहा तपनेसे दशतोलेमैल जलता है, काँसादो चीजों से अर्थात् राँगताँवा मिलकर पेदाहोताहै इसहेतुसे इनदोनोंके अनुसार काँसेक्रीड़ीज समुभीजाय-इनसब नियमों का यहसारहै कि चीजोंकी उत्तमताके अनुरूप कभी निजनिज कहीछीजसे कुछकमती छीजभी बैठतीहै पर निज नियमोंसे कुछ अधिक नहीं-किंतु इससे अधिकद्रव्य क्षय करनेवाले शिल्पी कारुकलोग दण्डनीयहें १८३ ॥

(क्वचित्कम्बलादौवृद्धिर्भवति)

शतेदशपलावृद्धिरौर्णकार्पाससौत्रिके । मध्येपंचपलावृद्धिःसूक्ष्मेतुत्रिपलामता १८४ ॥

ऐ०-ऊन तथा कपासके भी बहुत मोटेसूतसे जो कम्बल मोटीगजीदुसूती आदि बुनेजातेहैं तिनमें सौतोला सूत लगनेसे ११० एकसौ दशतोले कपड़ा होजाताहै-पर जो वहीसूत मध्यम जातिका अत्यन्त मोटानहींहो जिस्से हलकी लोई यद्वाघोती गाढ़ा महमूदी आदि बुनेजावें तौफिर सौतोले सूत लगनेसे १०५ एकसौपाँचतोले कपड़ाहोताहै-इसीप्रकार जो अतिसूक्ष्म सूतहो जिस्से पगड़ीभोला आदि या बारीक लोई बुनीजावें तब सौतोलेपीछे तीनतोले वृद्धिहोतीहै-सो यहनियम विनाधोये कोरे वस्त्रोंका समुभूना क्योंकि उनमें माड़ी आदि लगनेसे यह वृद्धिहोतीहै १८४ ॥

( वस्त्रभेदेविशेषः )

कार्मिकेरोमवद्वेचत्रिंशद्भागः क्षयोमतः । नक्षयोनचवृद्धिरचकौशेयेवल्कलेषुच १८५ ॥

ऐ०-कार्मिक नाम कामदार वस्त्रजिसमें बुनतेसमय अनेक भाँतिके बेलिवटाआदि अन्य सूत्रोंसे बनायेजाते हैं अर्थात् दोशाला आदि या नैनू सैनू आदि-एवं रोमवद्ध नाम गालीचा आदि जिनमें बीच बीच रोमा बाँधेजाते हों तीसवाँभाग छीजहोतीहै अर्थात् तीस तोले सूत लगनेसे २९ तोले कपड़ा होताहै-कौशेय नाम रेशमीकपड़ा तथा बल्कल वस्त्रजो प्रायःवृक्षोंके बकलसेही बुनेजाते हों तिनमें नतौ छीजहै नवृद्धि है अर्थात् जितना तार कुविंद आदि कारुक लोगोंको दिया हो तितना कपड़ा लेना योग्यहै १८५ ॥

( अनियतद्रव्याणांहासवृद्धिज्ञानोपायः )

देशकालंचभोगंचज्ञात्वानष्टेवलावलम् । द्रव्याणांकुशलान्ब्रुयुर्यत्तद्वाप्यमसंशयम् १८६ ॥

ऐ०-लोकमें जो द्रव्योंके अनंत भेदहोनेसे सब द्रव्योंकी क्षयवृद्धि नहीं वर्णनहो-सक्ती इससे यह सामान्यभाव उनका ज्ञानोपाय कहते हैं कि-जहाँ शाण,क्षौम आदि किसी अन्यद्रव्योंमें कुछ घाटाबैठै जिसका नियम नहींलिखाहो तिसके मध्ये जो कुछ नियम उन्हीं द्रव्योंकी क्षय वृद्धिके विज्ञाता चातुरलोग निःसंदेह बतावें तिसके अनु-सार जो कुछ अधिकहानिहुईहो सो उन शिल्पीलोगोंसे दिलाईजाय-निःसंदेह बताने का यह रूपहै कि जिस्से राजाको उस व्यौराके समुभूनेमें संदेह न रहै ऐसी रीतिसे

समुभावें बलिक निज बतलानेवालोंको भी कुछ संदेह न पाया जाय तब उस कहनेके अनु-  
सार दिलाना योग्य है कि जिससे कुछ अन्याय भी न हो-इसीलिये मूलश्लोकके प्रारंभमें  
यह कहा है कि वे बतलानेवाले लोग पहले देशकालभोगोंको भी सोचिकर समुभावें और  
उस वस्तुका बलाबल भी सब सोचिलेवें-आशय इसका यह कि बहुधा चीजें ऐसी होती हैं  
जो किसी एक परिहादेश में उपस्थित होनेसे या गीले घरमें धरीरहने से सिहलाकर  
मनकी नौपैसेरी होजाती हैं या खर आतप देश में उपस्थित होने से मनकी सात  
पैसेरी शेष रहिती हैं इत्यादि अनेक भाँतिसे यह देशोंका विचार है ( और ) इसी प्रकार  
शीत वर्षा आतपकाल आदि या अतिकाल थोड़ेकाल धरीरहने आदि अनेकधा काल  
विचार हैं ( और ) इसी प्रकार भोगनाम वस्तुका वर्त्तवा किंतु जितनी अधिक यद्वाथो-  
ड़ी मलनी दलनी परी हो इत्यादि बहुधा भोगोंके विचार हैं ( और ) इसी प्रकार वस्तुका  
बलाबल दोनों सोचे जायँ कि इस वस्तुमें कितनी अधिक यद्वा थोड़ी सत्ता थी-इन सबही  
के अनुसार उनको सोचि विचारिकर समुभावना योग्य है अर्थात् केवल कह देनेका ही  
नियम नहीं १८६ ॥

इतिक्रीतानुशयनामकव्यवहारप्रकरणम् ॥

यह क्रीतानुशयनामकप्रकरण केवल इसी एक ७१ संख्याके परिच्छेदमें समाप्त हुआ ॥  
अथसेवार्धर्मप्रसंगे-अभ्युपेत्याशुश्रूषाख्यव्यवहारपदविशेषवर्णनोनाम

द्विसप्ततितमः परिच्छेदः ( ७२ )

इस बहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें ( अभ्युपेत्य अशुश्रूषा ) नाम उस व्यवहारकी  
विशेषता वर्णन होगी जिसमें सेवार्धर्म का विवाद खड़ा होवै ॥

इस व्यवहार पदका नाम ( अभ्युपेत्याशुश्रूषा ) इस हेतुसे कहलाता है कि जब कोई  
किसी प्रकारका सेवक अपने कर सकने योग्य कोई भाँतिकी शुश्रूषा सेवा करनेका स्वी-  
कार अपने ऊपर लेकर उसके करनेमें अवरोध या इनकार खड़ी करता है या जब कोई  
स्वामी किसी ऐसे सेवकसे कुछ नीचकर्म करनेको बल करता है कि जिसको उसका  
करना योग्य नहीं तब इस उक्त नामका विवाद खड़ा होकर उसकी मर्यादों का सब  
निर्णय किया जाता है-तदाहनारदः-( अभ्युपेत्य च शुश्रूषां यस्तां प्रतिपद्यते । अशुश्रू-  
षाभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते )-अर्थात्-जो कोई सेवक शुश्रूषामें प्रविष्ट होकर भी उस  
आज्ञाको संसिद्ध नहीं करता तब यह विवादपद ( अभ्युपेत्य अशुश्रूषा ) नाम कहा जाता  
है-शुश्रूषा करनेवाले सेवक पाँच प्रकारके होते हैं-यथाहनारदः ( शुश्रूषकः पंचविधः शा-  
स्त्रेष्टोमनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपंचकाः ॥ शिष्यांतेवासिभृतकाश्च  
तुर्थस्त्वाधिकर्मकृत् । एते कर्मकराज्ञेयादासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतंत्रत्वमेषा-  
माहुर्मनीषिणः । जातिकर्मकृतस्तूक्तो विशेषो वृत्तितस्तथा ) अर्थात्-नारद कहते हैं कि



शास्त्रमें मनीषीलोकोने सेवक पाँचभाँतिका निर्णीतकिया तिनमें चारभाँतिके कर्मकर अर्थात् कमेरे कामकरनेवाले और पाँचवां दास पंद्रह भाँतिकाहोता है-किंतु चारकर्म करोंमेंसे एक शिष्य जो किसीप्रकारका वेद शास्त्रपढ़े १ दूसरा अंतेवासी जो किसी प्रकारका शिल्पकाम सीखे जिसको इतरभाषा में शागिरद कहाकरते हैं २ तीसरा भूतकजो मूल्यद्वारा कामकरेकिंतु नोकर या उत्कृष्टम जरुभार वाहक आदि ३ चौथा अधिकर्मकृतजो और कामकरने वालोंपर किसी भाँति का अधिष्ठाता वा अध्यक्ष कियाजाय ४ यहसबचारों भाँतिकेसेवक कर्मकार संज्ञकजानो और दासनामा सेवक पंद्रहभाँतिके गृहजात आदिहोते हैं किजिनका व्यौरा आगे बढ़कर वर्णन होगा-सो इन पाँचोंभाँतिके सेवकोंको मनीषीलोका अस्वातंत्र्य कहतेहैं अर्थात् यह सबकोई भी स्वतंत्रनहीं रहसक्ते किन्तु निजनिज स्वामी वा आचार्य की अनुज्ञाके आधीनहोतेहैं पर-इन सबहीमें दो भेदविशेषहैं किउक्त सेवाधर्म यातौ अपना जातीकर्म करनेसे या जीवनवृत्तिके हेतुसे कर्तव्यहोता है सोइन दोहीभेद विशेषों के अनेक लक्षणहोते हैं और अपनी अपनी जुदी विशेषता भी सब सेवाधर्मोंकी अपेक्षा शास्त्र विहितहै सो अभी वर्णनहोगी-इसवातका-यहव्यौराहै किजैसेधीवर अपनी जातिसेही दासकहाता है ( कैवर्तेदासधीवारावितिशास्त्रं )किंच दासकर्म उसकी जातिका यहकामहैपर दासत्वका स्वीकारकरना उसके आधीन है कि अपनी जीवन वृत्तिके निमित्त दासकर्म को स्वीकारकरै यद्दानहीं और स्वीकार करनेमेंभी भेद है किया तौ दासवृत्तिके अनुरूप दासकर्म को स्वीकारकरै यद्वाभूतक वृत्तिके अनुरूप दासकर्मको स्वीकारकरै परइस में कुछ संदेहनहीं यथार्थसे वह दासजाति है इसीप्रकार और भी वे जातिकरकेदास हैं जोघरकी दासीकेही पेटसे उत्पन्नहों या दासोंकी संतानहों परन्तुउनमेंयहीएकजातिकी विशेषतामात्रहोती है कुछवृत्तिका वैशेष्य उनमेंनहीं क्योंकि उनकीवृत्ति उनके स्वामीकेही आश्रयहुआ करतीहै कुछवृत्तिके निमित्तसे वेदास नहींबनते किन्तुजन्म सेहीदास पैदाहोतेहैं-इनकेसिवाय बिरले ऐसेदासहोते हैं कि जिनमें दासजातिका वैशेष्यकुछ भी नहींपरवे दासकर्मसेही दास बनाकरते हैं और वेही वृत्ति विशेष्यदास कहाते क्योंकि जीवनवृत्तिके हेतुसे वे दासबने-एकतौ यहदास पक्षधरका व्यौराहुआ दूसरा यह निम्नोक्त आशयउसी अर्द्धइलोक से शिष्य और अंतेवासीके भी पक्षमें संबंधित होताहै कि यहदोनों कर्मकरमें गिनती हुयेथे इस हेतुसे कियहभी दोनोंगुरु तथा आचार्यके जरूरी उत्तममध्यम कामसाधन करतेहैं परदासोंवाले नीचकामनहीं और इन दोनोंकी संज्ञाएकविशेष ( जातिकर्मकृत )भी कहीजातीहै इसहेतुसे कि येदोनों अपनी जाति पेशेवाला काम सीखाकरतेहैं कुछ वृत्तिकरके कर्मकर येनहींहैं इसलिये इनके करने योग्य सेवा टहलौंका विशेषनियमजो कुछपहले कहीं कहागयाहो सोसब

समुभिलेना यहसिद्धांतहै ( और ) इसीप्रकारवृत्तिसे दो शेष कर्मकरोंका अर्थात्भूतक और अधिकर्मकृत् ये शेष दोनों कर्मकर आजीवन वृत्तिकेही अर्थसे निज स्वामीकी आवश्यक अपने योग्य टहलें कियाकरतेहैं इसहेतुसे इन दोनोंकी संज्ञा एक विशेष ( वृत्तिकर्मकृत् ) भी कहीजातीहै इसलिये इनके करनेयोग्य सेवा टहलोंका विशेष नियम जो कुछ कहीं अन्य स्थलपर दर्शायाहो सो सब समुभिलेना यह सिद्धांतहै उस ऊपर लिखे अद्धाका और वह अद्धा ऊपर यह था ( जातिकर्मकृतस्तूक्तोविशेषोवृत्ति-तस्तथा ) इसी अद्धामें इन कहेहुये अर्थोंके सिवाय ( वृत्ति ) शब्द धर्म चर्याका भी बोधक है कि अमुकामुक भौतिके सेवकोंको स्वकीय जातिकर्मके अनुसार सेवाधर्मका वर्तावाकरना योग्यहै-तिनमें पहले शिष्योंकी जो धर्मवृत्तिहै सो आचाराध्यायगत ब्रह्मचारि प्रकरणमें वर्णनहुईथी और यहाँभी कुछ लक्षण उसके कहतेहैं-तदाहबह-स्पतिः-( विद्यात्रयीसमाख्याताऋग्यजुःसामलक्षणा । तदर्थगुरुशुश्रूषांप्रकुर्याच्छास्त्र चोदिताम् ) अर्थात्-ऋक् यजुःसाम तीनोंवेदके लक्षणवाली विद्या त्रयी कहलाती है कि जिस जिस किसी शास्त्र में इन तीनिमेंसे किसी का भी लक्षण पायाजाय तिसके पढ़ने अर्थ गुरुकी शुश्रूषा जैसी शास्त्र में कुछ कही हो खूबकरै-नारदोपि (आविद्या ग्रहणाच्छिष्यःशुश्रूषेत्प्रयतो गुरुम् । तद्वृत्तिर्गुरुदारेषुगुरुपुत्रेतथैवच । समावृत्तश्चगुरवेप्र दायगुरुदक्षिणाम् । प्रतीयात्स्वगृहानेषाशिष्यवृत्तिरुदाहता ) अर्थात्-विद्याग्रहणकर ने पर्यंत शिष्य अपने आत्माको जीतेहुये गुरुकी शुश्रूषाकरै और यहीसेवाधर्म गुरु की दाराओंमें और पुत्रमेंभीराखै और समावर्तन करने समय यथाशक्ति गुरुको दक्षिणा देकर अपने घरोंके प्रतिजावे यह सब शिष्यकी वृत्तिकही-मनुस्तु (प्रतिगृह्ये प्सितंदण्डमुपस्थायचभास्करम् । प्रदक्षिणम्परीत्याग्निञ्चरेद्भैक्षंयथाविधि ) दूसरेअन्ते-वासीकी अपेक्षामें जो वृत्तिविशेष धर्महै सो सब १८९ की अधिकोक्तिमें विचारो-तीसरे भूतक और चौथे अधिकर्मकृत्भी भूतकविशिष्टहोतेहैं तिनदोनोंका जो धर्म-विशेषहो सो सब ७४ संख्याके परिच्छेदमें विचारो किंतु यहाँ केवल अपने अपने योग्य सेवाधर्मोंसे अपेक्षा अधिकहै-इसलिये इनका जो कुछ ब्यौरा कहागया तिसको समुभि लेनेके सिवाय पाँचवें दासका अब चर्चाकरतेहैं कि यद्यपि चारोंभौतिके कर्म करशुश्रूषकभी पराया अर्थ साधकहोते हैं परन्तु अधिकतर अत्यन्तभावसे पराया अर्थ साधन करनेवाले शुश्रूषक एकदास किंतु टहलुआलोग होतेहैं जो अपने पुरु-पार्थरूप वृत्तियोंका निरोध रखकर पराया अर्थ साधन करनेमें प्रविष्ट होतेहैं और शुभाशुभ नीचकर्म पर्यंतसभी कामकरना अङ्गीकार करतेहैं-किन्तु-कर्मभी दोभौतिका होताहै-यथाहनारदः-(कर्मापिद्विविधंज्ञेयमशुभंशुभमेवच । अशुभंदासकर्मोक्तंशुभं कर्म कृतांस्मृतम् । गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम् गुह्यांगस्पर्शनोच्छिष्टविष्मत्र

ग्रहणोज्झनम् । इच्छतस्स्वामिनश्चांगैरुपस्थानमथांततः ॥ अशुभकर्मविज्ञेयंशुभम  
न्यदतः परम् ) अर्थात्-नारद कहते हैं कि कर्म भी दो भाँतेका होता है एक शुभ दूसरा  
अशुभकाम तिनमें अशुभकाम दासोंका शुभकाम कर्मकरोंका कहलाता है-घर, द्वार, अ-  
शुचिस्थान किन्तु उच्छिष्ट फेंकनेका गड़हिला आदि, रथ्यागली, अवस्कर किन्तु कूड़ी  
घूरा आदि जहाँ घरका कूरा करकट जमा होता हो, इन सबका साफ करना, गुह्यांग के-  
वल स्वामी केही मलमूत्रादि इंद्रिय स्थान बीमारी आदि आवश्यक दशामें तिनका  
स्पर्श नहूना किन्तु फोड़ा फुंसी आदि हेतुओंसे औषध लगाना वा प्रक्षालन करना  
आदि, उच्छिष्ट जठनि सदाही और विष्टामूत्र इनको केवल आवश्यक दशामें लेकर  
फेंकि आना, और स्वामीकी इच्छा नाम आज्ञामात्रसे देहदावना पैचप्पी आदि यह  
सब कर्म दासों केही करने योग्य अशुभकाम कहलाते हैं इनकामोंके सिवाय और  
सभी काम शुभकर्म गिनेजाते हैं जो कर्मकरों के भी करने योग्यहोते हैं और दासोंके  
भी करने योग्य ( इतिशुश्रूषाकर्मनिरूपणम् ) यह प्रत्येक प्रकार के सेवकों का शुश्रूषा-  
कर्म निरूपण हुआ अब निचले मूलश्लोकों से अधिकोक्ति पर्यंत पंद्रहदासों के स्व-  
रूप आदि कहेजायँगे ॥

बलादासकृतश्चौरैर्विक्रीतश्चापिमुच्यते । स्वामिप्राणप्रदोभक्तत्यागात्तन्निष्क्रयादपि १८७ ॥

प्रव्रज्यावसितो राजा दासभ्रमरणांतिकम् । वर्णानामानुलोम्येन दास्यंनप्रतिलोमतः १८८ ॥

ऐ०-बलसे दासीभूत कियाहुआया चोरोंकाबेंचाहुआ भी छुटिजाताहै एवं स्वामी  
के प्राणवचाने वाला और भक्तत्यागसे और उस निष्क्रतिसेभी छुटिजाताहै १८७ ॥  
प्रव्रज्यावसित मरने पर्यंत राजा का दासहै-वर्णोंके अनुलोम क्रमसे दास्यहोताहै प्र-  
तिलोम क्रमसे नहीं १८८ अर्थात् याज्ञवल्क्यजी यह कहते हैं कि जो कोई दास  
प्रबलतासे करिलियाजाय या चोरोंकाबेंचाहुआ खरीदकरभी दासवनायाजाय तिसको  
राजा छुड़वादेवै ( यहां बेंचनेके उपलक्षण में आधी करण और दान भी समुंभना  
किन्तु यहभी दोनों छुड़वायेजायँ ) या जिसकिसी दासने चोरशत्रु व्याघ्र आदि वि-  
पत्तिसे अपने स्वामीके प्राण वचायेहों वह प्रत्येक भाँतिकाभी दास छुटिसक्ताहै-या  
पन्द्रहमेंसे भक्तदास अपने स्वामीका भक्त छोड़िदेनेसे छुटिजाताहै-या (तन्निष्क्रयाद  
पि) अर्थात् उस प्रतिबन्ध के निष्क्रय नाम उद्धारहोजानेसे भी बहुधा दास दासत्व  
से छुटिसक्तेहैं कि जिस प्रतिबन्धकेहेतुसे दासत्वमें प्रविष्टहुयेथे-१८७-प्रव्रज्यावसित  
जो संन्यासधर्म लेकर फिर उस आश्रमके नियमोंसे परिच्युत होजाय सो वह अपने  
जीवनपर्यंत धरणीपालके दासत्वमेंरहै किन्तु उसकोछोड़िदेना योग्यनहीं-परन्तु इसके  
साथ यहभी नियमहै कि दास्यभाव वर्णों के अनुलोमक्रमसेहो किन्तु ऊँचे ऊँचे वर्णों  
का दासत्व नीचे नीचे वर्ण भर करसक्ते हैं पर इसक्रम से विपरीत ऊँचे वर्णवाला

नीचे वर्णोंका दासत्व नहीं करसक्ता-विशेष, ब्यौरा इनकादेखो अधिकोक्ति में १८८ ॥

अधि०-दास जिसका चर्चाहोता चलाआताहै सो पन्द्रहभौतिके प्रसिद्धहैं-यथाह नारदः (गृहजातस्तथाक्रीतोलब्धोदायादुपागतः) अनाकालभृतश्चैव आहितः स्वामि नाचयः ॥ मोक्षितो महतश्चर्णात् युद्धप्राप्तः पणजितः ॥ तत्राहमित्युपागतः प्रव्रज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव बडवाहतः । विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पंचदशाः स्मृ ताः) अर्थात्-घरकीदासीसे जो घरहीमें उत्पन्नहो सो ( गृहजात ) कहाताहै १ जो कोई दास मल्यदेकर किसी ऐसे मालिकसे लियाहो जिसका पहल्लैसे वह दासहो या जिसकी दासीसे उत्पन्नहुआहो या जिसकी दासजाति होनेसे निजपुत्र उसने वेंचाहो तौ वह (क्रीतदास) कहाताहै २ जो कोई दासदान आदि प्रतिग्रह मार्गोंसे किसी स्वामीका दियाहुआ पायाहो सो (लब्धदास) कहाताहै ३ पिता पितामह आदि किसीके रिक्थ-द्वारा मिलाहो तौ वह दास (दायादुपागत) किंतु दायलब्ध कहलाताहै ४ किसी जाति का पुरुष जो दासत्व करने योग्यहो अनाकालमें दासत्वकेही अर्थ उसकी प्राणरक्षा करिके पालाहो तौ वह (अनाकालभृत) कहलाताहै ५ किसी स्वामीने जो अपनादास कुछ ऋण लेकर किसी द्वितीय धनीपास गहनेरक्खाहो तौ यह (आहितदास) कहाता है ६ किसी प्रबलका घनाऋण उद्धार करके जो छुड़ायाहो और उस ऋणीने जो नवीन धनीका दासत्व अनुलोम अपनी जातिके अनुसार अंगीकार कियाहो तौ (ऋणदास) कहाताहै ७ किसी महायुद्ध की लूटिमें जो प्रतिपक्षीका दास हाथ आया हो सो (युद्धप्राप्त) कहलाताहै ८ जहां कहीं द्यूतक्रीड़ा आदि या औरही किसी विवाद पर इसभौतिसे पण अर्थात् शर्त बदीगईहो कि जो इस प्रयोजनमें हारों तौ मैं तेरा दासहोऊँगा और वह अनुलोम क्रमसे हाराहुआ दासहोजावै तौ यह (पणजित) दास कहाताहै ९ जबकोई किसीपीड़ा या भयके दूरहोने आदि कारणोंसे निजरक्षा आदि फल की बांझारखता हुआ किसी शरण्यके समीप जाकर स्वतःऐसा अंगीकारकरै कि मैं तेरादास होके रहूँगा तौ यह दासभी अनुलोमक्रमसे (स्वयमुपागत) अर्थात् स्वयंप्राप्त कहलाताहै १० कोई पुरुष जो संन्यास आश्रम लेकर उसके नियमोंसे द्युत होजाय और वह प्रायश्चित्त न करने से धर्मानुसार धरणीपालके दासत्वमें प्रवेश कियाजाय तौ (प्रव्रज्यावसितदास) कहाताहै ११ (कृतः-एतावत्कालंतवदासो भवामीति) अर्थात् (कृतदास) वह कहाताहै जो किया हुआ बनाया हुआ दासकाल नियमके अनुसार जैसे कहार आदि टहलुआलोग यह नियम निश्चित करलेते हैं कि इतनाकाल अमुक समयतक अमुकामुक टहलैकरिके निजघरको चलेजाया करेंगे अथवा अमुक देशाटनकी सफरतक छेमहीना साथरहकर टहल करेंगे फिर नहीं सो यह भाव उसीटहलुआके स्वीकारसे संबंधितहै-परंचकृत अर्थात् बनाया हुआ कहने

से द्वितीयभाव यह भी है कि जहांकहीं राजकाजों के परिसिद्ध होनेकी जरूरतसे तात्कालिक यान विग्रह आदिकामोंमें कुछ अधिकदास चाहेजायँ या साधारणमें भी मरु्यदासोंके अनुपस्थित होनेमें जे कोई दासकर्म योग्य समुभ्ने जाकर इच्छारहित भी दासत्वमें लगाये जायँतिनको भी कृतदास जानो क्याकि एक जरूरतमात्र नियमितकालकेहीलिये बनायेगये १२ (भक्तदासःसर्वकालंभक्तार्थमेवदासत्वमभ्युपगम्य यःप्रविष्टः-इतिमिताक्षरावीरमित्रोदयो ) अर्थात् हमेशा जो भात अथवा अन्नमात्र खानेकेअर्थ अपनेआपदासबनिकेरहै सो(भक्तदास) कहावे यहदोनोंग्रंथकहतेहैं १३ बड़वा नामघरकी दासीतिम्काहराहुआपुरुष (बड़वाहृतदास) कहाता है अर्थात् दासीभोगके लोभसे दासीके स्वामीका दासत्व अंगीकारकरिके जिसनेदासीसे विवाहकियाहो १४ जो कोई अपने पुत्रादि कुटुम्ब का भला करने के अर्थ या औरही किसी हेतुसे कुछ द्रव्यलेकर अपनेआत्माको बेचिकर अनुलोमक्रमसे दासवनाहोवही (आत्मविक्रेतादास) कहाताहै १५ शास्त्रमें ये पन्द्रह दासकहे-सो-इनपन्द्रहका सामान्य और विशेषब्यौरा दोनोंभांतिका दासत्वके स्वरूपसहित कात्यायनके वचनानुसार अब दर्शाते हैं-यथा-हकात्यायनः(स्वतंत्रस्यात्मनोदानादासत्वंदारवद्गुः । त्रिषुवर्णेषुविज्ञेयंदास्यंविप्रस्थन क्वचित्-वर्णानामानुलोम्येनदास्यंनप्रतिलोमतः । राजन्यवैश्यशूद्राणांत्यजतांचस्वतंत्र ताम्) अर्थात्-स्वतंत्र अपनाशरीरहै तिसको निपटपराये अर्थमें देदेना अंगीकारकरने से दासत्व दारचर्या तुल्यहोताहै किजैसेभर्त्ताके संभोगनिमित्त शरीर देदेनेसे दारत्व कहलाता तैसेस्वामीके अनेक सौख्योंके निमित्त अपना स्वातंत्र्य अर्पण करदेनेसे दासत्व कहाता है परयहदास्य तीनवर्णोंमें समुभ्ना किंतु ब्राह्मणको दासत्व किसी वर्णमेंभी नहीं और उन क्षत्रियवैश्य शूद्रतीन वर्णोंमेंभी दास्य अनुलोम क्रमसेहोता है प्रतिलोम क्रमसेनहीं और अनुलोम क्रमसेभी उसदशामें होसक्ता है जबउक्ततीनों वर्णवाले कोईपुरुष निजस्वातंत्र्यका परित्याग करनाचाहें किंतु अन्यथानहीं-तथापि-एक प्रब्रज्या वसित नाम भ्रष्ट संन्यास परिव्राजक रूपदास जो कहिचुके तिसको प्र-तिलोम क्रमसेभी धरणी पालका दासत्व करना नारदके वचनानुसार प्रायःसंग्रहकारों ने प्रतीकित कियाहै-तथाचनारदवचनं ( वर्णानांप्रातिलोम्येनदासत्वंनविधीयते । स्व धर्मत्यागिनोऽन्यत्रदारवद्दासतामता ) अर्थात्-वर्णोंके विपरीत क्रमसे दासत्व नहीं होसक्ताहै परएक स्वधर्म त्यागी जो संन्यास भ्रष्टहो तिसको छोड़िकर यह नियम समुभ्ना किन्तु उसके लिये यह प्रतिषेध नहींहै और दारकर्म केही तुल्य दासता होतीहै और सिद्धांत इसका यह प्रतिपादन कियाहै कि ब्राह्मणको दासत्वका प्रतिषेध है इसलिये जो संन्यास भ्रष्ट ब्राह्मणहो तिसको देश निकाला कियाजाय और जो क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई संन्यास लेकर भ्रष्टहोय तिसपर दास्यकर्म धरणी पालकरावे

अर्थात् जहाँ वैश्य कोई देश पालहो तो क्षत्रिय जातिके प्रब्रज्यावसितसे भी दास्यकर्म करावै(तो)यह अर्थ कुछ असंगतसा प्रतीतहोताहै क्योंकि योगेश्वर याज्ञवल्क्यजीने १८८ वाले मूलश्लोकसे ठेठ प्रब्रज्यावसितकोही उसके जीवन पर्यंत राजाका दास होना कहकर उसके साथदूसरे अर्द्धासे प्रतिषेध भी करदियाहै कि ( वर्णाना मानुलो-म्येन दास्यंन प्रतिलोमतः)इसहेतुसे उसनारदकेभी वचनका अर्थांश इसके अनुकूल ऐसा करनायोग्यहै कि-वर्णोंके विपरीतक्रमसे दासत्वनहीं कियाजासक्ताहै और स्वधर्म त्यागी संन्यासी से अन्यत्र दारकर्मकेही तुल्य दासताकही है अर्थात् जो संन्यासी दास बनायाजाय तो उसपर दारकर्मकेही तुल्यनीच दास्यनहीं करायाजाय किंतुऔर भांतिके सामान्यकाम धंधेउस्से लियेजायँ यहइतना अधिक वैशेष्य नारदने दर्शाया है कुछ प्रतिलोम क्रमसे दासबनाने वाला अध्याहार नहींरक्खा (और)यहीअर्थ इस हेतुसेभी न्यायात्मक समुभाजाता है कि जहांऋणके बदलेपरिक्षीण हीनजातिसे कुछ कामलेना कहागया तहांभी यहन्याय सूचितहुआ है किवहीकाम लेनायोग्यहै कि जिसका वह औचित्य और अभ्यासरखता हो-ब्यौराइसका देखो पच्चीसवें परिच्छेद में ४४ वाले मूलश्लोकसे किऋणका उद्धारकरना बड़ीएक प्रबल अवस्था मानीगई तिसमेंभी जबइतनी बड़ी रियायतसे अनुग्रहकरना सूचितहुआतो संन्यासीकी अपे-क्षामें अवश्य देशकाल वस्तुओंके विवेकन्यायसे यह ध्यानकरना योग्यहै कि यद्यपि अपने नियमोंसे परिच्युतहुआ परंच उसका देहवेश दोनोंकैसी उत्तमवस्तुमें गणनी-यहैं कि जिसको नीचकामोंका औचित्य और अभ्यास दोनोंनहीं इसीलिये नारदका यहवचनऊपर आयाथा कि(स्वधर्म त्यागिनोऽन्यत्रदारवद्दासतामता)और जोराजाके सामान्य कामधंधे रूपदासता निःसंदेह उसकेलिये निरूपितहुई तिसका यहसिद्धांत है कि राजनीतिके अनुसार चारकर्म उनको सौंपै किन्तु चार यद्वा गूढचर नामक जासूस राजाको येही लोग विशेषतर करणीयकहेहैं क्योंकि परिव्राजक सब देशोंको अटन करने का अभ्यास अपना स्वाभाविक सदारखता है इस लिये उसका मनभी उन्हीं कामोंमें लगिसक्ताहै कि जिनका उसकोपहलेसे अभ्यासहो बल्कि ठेठइसीहेतुसे राजाका दासत्व करना उसके अर्थमें निरूपित कियागया है परनीचटहलें दारकर्म के समान उसकेलिये कहना निपट असंगतहै(चारानूविचारयेत्तीर्थेष्व्वात्मनश्चपरस्यच। पाखंडादीनविज्ञातानन्योन्यमितरेपिच । तर्कैङ्गितज्ञःस्मृतिमान्स्वीयभावाप्रकाशकः॥ केशायाससहोदक्षःसर्वत्रभयवर्जितः। सुभक्तोराजसुतथाकार्याणांप्रतिपत्तिमान्॥ पासं डिनस्तापसादीन्परराष्ट्रेनियोजयेत् । स्वदेशपरदेशज्ञान्सुशीलान्सुविचक्षणान् ॥ नी रेतोवामनाःकुब्जास्तद्विधायेचकारवः)इत्यादि बहुधा लक्षण और भी मनुस्मृति ग्रंथ इसके अर्थदेखो यहसब लक्षण प्रायःपरिव्राजक जो संन्यास भ्रष्टहो तिसहीसे संबं-



धितहैं और इसीलिये सिर्फ राजाका दासत्व करना कहा बल्कि ऐसी उक्तरीतिसे धरणी-पालमें प्रतिलोमक्रमसे भी दासत्वकरना या करवाना कुछ अन्यायनहीं अन्यथा कुछ मलमूत्रआदिउठवाने वाला दास्य कर्म उनके योग्य नहीं है न राजाको इनकामों वाले दास मिलनेका कुछटोटाहै जो ऐसे नीचकाम उनमें करवावे-कदाचित् यहाँ-ऐसा तर्क उपस्थितकियाजाय कि यह दासत्व उनको प्रायश्चित्तात्मक एक दंडके प्रकारसे विनिश्चित हुआहै और इसीलिये ऐसे नीचकाम उनमें इच्छा रहित भी करवाने योग्य हैं-सो यह तर्क निपट थोथाहै इसहेतुमें कि प्रायश्चित्तात्मक दंडरूप जो कुछ नियम है सो उन्हीं नारदने दूसरे वाक्यसे दर्शाया बल्कि नारदकेही तुल्य दक्षजीने भी-यथाहतुर्दक्षनारदौ-( पारिव्राज्यंगृहीत्वातुयःस्वधर्मेनतिष्ठति । स्वपदेनांकयित्वातुराजा शीघ्रंप्रवासयेत् ) अर्थात्-दक्ष नारद दोनोंही यह कहते हैं कि जो कोई परिव्राजक वाला आश्रम लेकर अपने नियत धर्मपर आरूढ़ न हो तिसको राजा शीघ्र अपने राज चिह्नवाली तप्त मुद्रासे अंकवाइकर निज राज्यसे निकासिदेवै-इस वचनमें कुछ वर्ण भेद नहीं किन्तु तीनों वर्णों का सामान्य एक दण्ड है-उन्हीं नारद ने-फिर और दूसरा नियम कहाहै-यथा-( राज्ञएवतुदासःस्यात्प्रब्रज्यावसितोनरः । नतस्यप्रतिसो-क्षोस्ति नविशुद्धःकथञ्चन ) अर्थात्-संन्यास भ्रष्ट पुरुष राजाका दासही यद्वा हो क्योंकि न तौ किसी प्रायश्चित्तसे विशुद्धहोना संभवहै न कोई भाँति उसका मोक्ष है-सिद्धान्त इसका यह कि तप्त मुद्रासे अंक वाइकर निकासने से कुछ मुक्ति अथवा आत्मशुद्धि नहीं हैपर औरोंको भय शिक्षा होकर आगेमार्ग नहीं बिगड़ने पावै सिर्फ इतनाही प्रयोजनहै इसलिये यह भी उत्तम है कि जो वह पुरुष राजा के कुछ काम साधन कर सकने योग्य समुभाजाय तौ निज राजाकाही दास बनै पर जो राजाके भी कामोंयोग्य नहीं समुभाजाय तौ निस्सन्देह उसको अंकवाइकर प्रवासी करना सिद्धहुआ-इसीलिये विरले संग्रहकारोंका यह सम्मतहै कि ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण के संन्यास भ्रष्टोंको दो बातोंमें विकल्पहै कि यातौ राजाका दासबनै या अंकवाइकर उस राज्यसे निकासजाय सो यह सम्मत उनका बहुत उत्तम और न्यायात्मक है कुछ किन्तु देनेयोग्य नहीं-एक वचन कात्यायन का यह और है कि ( प्रब्रज्यावसिता यत्रत्रयोवर्णाद्विजातयः । निर्वासंकारयेद्विप्रंदासत्वंक्षत्रविट्भृगुः ) अर्थात्-भृगुका उद्देश देकर कात्यायन आप कहते हैं कि जहां तीनों वर्णके द्विजाती लोग प्रब्रज्यावसित होयँ तौ उस देशका राजा उनमें ब्राह्मणको निज राज्यसे निकासिदे और उन क्षत्रिय वैश्य दोनोंसे दासत्व करावै-सो यह वचन केवल बहुत्वकी अपेक्षा लेकर कहाहै कि जहां तीनों वर्ण इकट्ठेहों तहां उनमें ब्राह्मण को अवश्य देश निकाला देकर शेष दोनों को यदि सेवायोग्य समुभै और वे दोनों उसीब्राह्मणका अपकार देखे पीछे राजसेवा

अंगीकार करें तौ दासत्व करायाजाय (पर) सर्वत्र इनके मध्ये दासकर्म वही सूचित है कि जैसा चर्चा ऊपर हुआथा अर्थात् नीच कर्मका संबन्ध इनसे कहीं नहीं क्यों कि नारदने यह साफ़ कहाथा कि (स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्रदारवद्दासतामता) यहसब निर्णय केवल संन्यासीकी अपेक्षा लेकर हुआ अब सामान्य और दासोंका प्रसंग बर्णनकरतेहैं कि दार कर्मके अनुरूप दासता कहनेसे समान वर्ण में भी दास्य होना सूचितहुआ किंतु शूद्र वैश्य क्षत्रिय यहसब अपने अपने वर्णका भी दास्य कर्मकरने के अधिकारी हैं पर ब्राह्मणको निज वर्णमेंभी दास्यका प्रतिषेधहै-तथाहकात्यायनः- (सवर्णेषुपिहिविप्रंतुदासत्वंनैवकारयेत् । शीलाध्ययनसंपन्नेतदूनंकर्मकामतः ॥ तत्रापिना शुभकर्मप्रकुर्वीतद्विजोत्तमः) अर्थात्-विप्रलक्षणवान् ब्राह्मणसे सवर्ण में भी दास्यकर्म नहींकरावै पर जो शील और अध्ययन आदि गुणोंसे संपन्न किसी महात्माका दासत्व कोई ब्राह्मण अपनी प्रेमिक इच्छासेही ऐसा समुभिकर कुछ करनेलगै कि सत्सेवा यद्वा परोपकारसे अदृष्ट फल भी होताहै तौ इस दशामें भी दास्य कर्मसे कुछ ऊन कर्म करै किंतु निपट दास्यकेही तुल्य नहीं और यह बात भी कि सिर्फ परोपकार बुद्धिसेही करै किंतु वेतनके प्रतिकार द्वारा कहीं तिसमें भी मल मूत्र आदि अतिशय नीच कर्मोंको द्विजोत्तम कुलका जन्मा हुआ न करै-मनुजी-अब स्वामीको कर्तव्य शिक्षा देते हैं-यथा (क्षत्रियंचैववैश्यंचब्राह्मणोवृत्तिकर्षितौ । विभृयादानृशंस्येनस्वामी कर्माणि कारयन् (स्वानिकर्माणिकारयिन्नितवापाठः) अर्थात्-क्षत्रिय या वैश्यकोई जो अपनी जीवन वृत्तिसे कर्षित होकर ब्राह्मणके घर दासवनिके रहै तौ उस घरका पोषक स्वामी ब्राह्मण अपने आत्मीय कर्म करवाते हुये आनृशंस्य भावसेही पालन करै-अर्थात् उनसे अतिशय मन्दकामलेने या भरने पोषनेमें क्रूरत्व न करै किन्तु अक्रौर्य लक्षणकेसाथ उनकाभरणकरै और अक्रौर्यसेही दास्यकर्म केवल अपने आत्मा का अर्थात् अपने और संबन्धीजनकानहीं करावै तिसमेंभी(कर्माणि)यहसामान्यसभी कर्मोंका अभिधानहोनेसे जघन्यकर्म यद्यपि अवसरके अनुकूल कराने सूचितहुयेतौ भी यहकुछ निर्विकल्प नियमनहींहै कि दासवनिजानेके हेतुसे अवश्यहीमन्दकामलेने योग्यहों किंतु(वृत्तिकर्षितौ)ऐसा कहनेसे भी यहध्वन्यर्थ है कि जबतक स्वामी उनका पालन किसी और सामान्य काम धन्धोंसे होसकना संभवजानै तवतकदोनोजातोंमें कुछ दास्य कर्म कराना अंगीकारन करै पर जब निपट कोई और मार्ग संभवनहो या मार्गसंभव होतेहुये वेही किसीमार्ग योग्यनहीं समुभेजायँ तौ फिरआपद्धर्मकेप्रावत्य से कुछ करने या करानेवाले किसीकोभी दोषनहीं-जैसा यहां ब्राह्मण स्वामीकेउद्देश्य करकेकहातैसा जहां क्षत्रियस्वामी सेवकवैश्यहो तहांभी यहन्याय समुभिलेना-इच्छा रहितको प्रबलता से दासत्वमें लगानेमध्ये दण्ड मनुकहतेहैं-यथा (दास्यंतुकारयवै)

भाद्रब्राह्मणः संस्कृतान् द्विजान् । अनिच्छतः प्रभावत्वाद् राज्ञादाप्यः शतानिषट् ) अर्थात्-  
यदि कोई ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के प्रभाव यद्वा लोभसे ही संस्कार किये हुये द्विजाती  
लोगोंसे उनकी इच्छाविना भी प्राबल्यमे कुछ दास्यकर्म करावे तौ अपराधके अनु-  
सार छःसौपणतक दण्डनीय है-यहाँ संस्कारयुक्त द्विजाती और प्राबल्य कहनेसे असं-  
स्कृतकी अपेक्षामें या शूद्रजातिकी अपेक्षामें सामान्यभाव कोई दास्यकाम लेनेसे यह  
दोष अथवा दण्डभी कुछ नहीं है पर इच्छा रहित प्रबलतासे करवानेमध्ये दण्डसर्वथा  
सूचित है-शूद्रकी अपेक्षा लेकर फिर भी मनुकहने हैं-किञ्च (शूद्रन्तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्री-  
तमेव वा । दास्ययैव विसृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा)-अब-इन पन्द्रहके सिवाय विरले  
दासाभासोंका भी लक्षण यहाँ कहने हैं कि-चोरोंके हरिलाकर कहीं बेंचे हुये या बेंचे विना  
और ही किसी भाँतिसे निज इच्छा रहित प्रबलतासे जो दासवनाये गये हों वे सब राजाको  
छुड़वाने योग्य हैं क्योंकि दास्यकर्म उनमें चाहिये नहीं-दासाभासनाम कहनेका यह  
अर्थ है कि वे कुछ सच्चे दास नहीं किंतु उनमें भूँठा ही दासत्व देखने मात्रमें आभासित  
होता है-यथाहनारदः (चौरापहत विक्रीताये च दासीकृतावलात् । राज्ञामोचयितव्यास्ते  
दास्यं तेषु हिनेष्यते) यही बात योगीश्वर भी पूर्वाह्न १८७ मूलश्लोकसे कह चुके जिसकी  
यह अधिकोक्ति वर्तमान है-इच्छा रहित दासाभासों के सिवाय-जहाँ इच्छासे भी ठेठ  
पन्द्रहमें से कोई मुख्य दास ही एक स्वामी को जब छोड़ि दूसरे स्वामीका दासत्व अङ्गी-  
कार करै तब यह मुख्य भी अमुख्य दासाभासके समान दूसरे स्वामीकी अपेक्षा समुभा-  
जाकर पूर्वस्वामीको दिलवाने योग्य होता है-यथाहनारदः (तवाहमिति चात्मानं योऽस्वतं  
त्रः प्रयच्छति । न स तं प्राप्नुयात्कामं पूर्वस्वामी लभेत तम्) अर्थात्-जो कोई अस्वतंत्र परा-  
या दास होते हुये किसी और को इस भाँति अपनी ओरसे भी देहको समर्पण करता है कि मैं  
अब तेरा हुआ तौ उस (काम) चाहनाको वह नहीं पहुँचने पावै किंतु पहला स्वामी उसको ले  
वै ( अथ मुख्य दासानामपि दासत्वनिवृत्तिः ) तदाहनारदः (यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत् प्रा-  
णसंशयात् । दासत्वात्सविमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ) अर्थात्-इन पन्द्रह मुख्य दासोंमें  
जो कोई अपने स्वामीको कदाचित् व्याघ्रचोर आदि प्राणघातिक दशामें घिर जानेपर  
पुरुषार्थ करके प्राण संकटसे बचावै सो दासत्वसे छुटिकर पुत्रोंके तुल्य दाय भाग पावै-  
किंतु स्वामीको यह योग्य है कि उससे दासकर्म कराना वर्जित रखकर पुत्रोंके समान दाय  
भागी निश्चित करै पर जो स्वामी इतने सहायपर भी ऐसा नहीं करै और वह दास अप-  
ना छुटकारा होना चाहै तभी राजाको छुड़वानेका अधिकार है-यही नियम योगीश्वरने  
(स्वामिप्राणप्रदो-मुच्यते) इस इतने पदसे १८७ मूलश्लोकमें कह दिया (सो) यह स्वामीकी  
रक्षारूपहेतु एकसभी प्रकारके दासोंका छुटकारा होनेमें मुख्य है पर उस दशामें कुछ  
नियम इसका नहीं है जो वेही अपने प्रेमसौख्य आदि हेतुसे छुटकारा होना नहीं चाहै

इसके सिवाय-उन्हीं १५ मेंसे ६ दासों के छुटकारामध्ये जुदाजुदा प्रातस्विक हेतु भी होता है-यथाहनारदः-(अनाकालभृतोदास्यान्मुच्यतेगोयुगंददत् । सम्भक्षितंयहुर्भिक्षे नतच्छुद्ध्येतकर्मणा ॥ आहितोपिधनन्दत्वास्वामीयद्येनमुद्धरेत् । ऋणंतुसोदयन्दत्वा ऋणीदास्यात्प्रमुच्यते ॥ तवाहमित्युपगतोयुद्धप्राप्तःपणोजितः । प्रतिशीर्षप्रदानेनमुच्येरंस्तुल्यकर्मणा ॥ कृतकालव्यपगमात्कृतोदासोविमुच्यते । निग्रहाद्बडवायास्तुमुच्यतेबडवाहतः ॥ भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्योभक्तदासःप्रमुच्यते) अर्थात्-अकालमें जो दास बना हो वह दो बैल या दोगाय देकर जब चाहै तभी छूटि सक्ता है बैलका जोड़ा देना इस हेतु से कि जो दुर्भिक्ष में खाया सो वहकेवल काम करनेसेही नहीं शुद्ध होसक्ता-आहित नाम गिरबी रक्खाहुआ दास उत्तमर्ण के दासत्वसे तब छूटता है कि जब उसका पूर्वस्वामी ऋण उद्धार करके उसे छोड़ावे-ऋणीदास व्याजसहित अपना दिलवायाहुआ ऋण उद्धार कर देनेपर दासत्वसे छुटिजाता है-जो आपही आकर दास बना हो सो और युद्धकी जो लूटिमेंसे दास पाया हो सो भी और द्यूतादिपणमें दास जीता गया हो सो भी यहतीनों दास अपने छुटकारेके निमित्तसे अपने बदले (प्रतिशीर्ष) कहिये वही काम कर सकनेवाला अन्य दास देकर छुटिसक्ते हैं-किसी अवधिके नामसे ठहराकर दास बनाया गया हो सो उस अवधिके बीतने पर छुटिसक्ता है-गृह दासी के लोभसे जो दास बना हो सो उस दासीका सम्भोग छोड़ि देने से छुटिसक्ता है-भक्तदास भी भक्षित अन्नका मूल्य फोंके देने से तत्काल छुटिसक्ता है पर इसका मुख्य ब्यौरा कहीं नीचे बढ़िकर देखौ-यह प्रत्येक नौ दासों के छुटकारे का हेतु अपना जुदा २ परिनियमित है और इसके सिवाय स्वामी अपनी इच्छा तथा प्रसन्नतासे जब चाहै तब हर एक भांतिके दासको पन्द्रहमेंसे जिसको चाहे छोड़िसक्ता है पर एक (आहित) नाम गिरबी दासका छूटना जब उसके धार्ता स्वामीकी भी इच्छा तुल्य पहुँचै तभी संभव है अर्थात् केवल इसी स्वामीकी इच्छापर आरूढ़ नहीं क्योंकि उसका गिरबी सौंपाहुआ धन है (पर) जब धार्ता स्वामी नष्ट होजाय तो फिर इसी एक स्वामीकी इच्छापर आरूढ़ है या वह गिरबी दास अपने पूर्व स्वामी के पलटे ऋण उद्धार करै तो यह बात द्वितीय है पन्द्रहमेंसे पूर्वोक्त गृहजात, क्रीत, लब्ध, दायप्राप्त, चार दासोंका दासत्व केवल स्वामीके प्रसादसे ही छुटिसक्ता है और उसी भांति पाँचवाँ आत्मविक्रेताको भी जानो-यथाहनारदः-( तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दासत्वान्निविमुच्यते । प्रसादस्वामिनोऽन्यत्र दास्यमेषां क्रमागतम् ॥ विक्रीणीते स्वतंत्रः स नूय आत्मानं नराधमः । स जघन्यतमस्तेषां सोपि दास्यान्नमुच्यते ) अर्थात्-पन्द्रहमेंसे सबसे पहले चार दास कभी दासत्वसे छुटि नहीं सक्ते क्योंकि उनका दास्य जन्मसे ही पितृ पैतामह आदिक्रमागत चला आता है पर सिर्फ इतनी राह उनके छुटकारे मध्ये है कि या तो स्वामी अपनी इच्छा तथा प्रसन्नतासे जब चाहै तभी दास्यकर्म छुड़ाकर

कोई और उहदादे यद्वा वहसामान्य कारणहे कि जवइनसे स्वामीकी प्राणरक्षाकिसी संकट समय हुईहो- इसीप्रकार जो कोई अधम अपने आप स्वतंत्र होतेहुये शरीर बँचिदेताहै वह सब दासोंकी अपेक्षा तुच्छ समुझाजाताहै और वह भी उन्हीं चारों के तुल्य दास्यकर्म से छुटिनही सक्ता पर सामान्य हेतु स्वामीकी प्राण रक्षा या निज स्वामीकी प्रसन्नतामात्रसे छुटिसक्ताहै-छूटे प्रब्रज्यावसितके निमित्तमें प्रायःसभीग्रंथोंने यहलिखाहै कि उसकादास्यकर्म कोईभाँतिये भी नहीं छुटिसक्ता किंतु मरजानेपरछुटि सक्ताहै तथापि यहां ऊहा यहकर्तव्यहै कि स्वामीको संकटसे बचानेवाला सामान्यहेतु और स्वामीका प्रसाद या इच्छाजो है सो सभी दासोंके छुटकारेपर आरूढ़है क्योंकि- (यश्चैषांमोचयेत्कश्चित्स्वामिनंप्राणसंशयात् । दासत्वात्सविमुच्येतपुत्रभागंलभेतच) यह नारदजीका वचन सब सामान्य दासोंकी अपेक्षालेकर कहागयाहै और इसपक्षमें प्रब्रज्यावसितकी अपेक्षा जो विशेष बाक्यहै कि ( प्रब्रज्यावसितोराज्ञोदासआमरणां तिकं ) सो यह मरणांतिक अवधिकहने का ध्वन्यर्थ केवल इतना है कि वह अपने जीवन पर्यंत धरणी पालोंकी सेवामें रहसक्ता किन्तु गृहस्थी में फिर नहीं मिलाया जासक्ता है-ऊपर-भक्तदासके छुटकारे का यह नियम जो दर्शायागया कि भक्तदास अपने भक्षित अन्नका मूल्यफेंकि देनेसे छुटिसक्ताहै इसवातका कुछ निर्णय नहींकिया जासक्ताहै कि प्राचीनोंने क्याकुछ समुझिकर यह लिखाथा क्योंकि प्रथमतौ ( भक्तदास ) इसनामका अर्थ सवनेयही रक्खाहै कि हमेशा अन्नही खानेके लिये जो दासत्वमें आपसे आप घुसाहो सोई भक्तदास कहावै-तथाच वीरमित्र विज्ञानेश्वराचार्यौ ( भक्तदासःसर्वकालंभक्तार्थमेवदासत्वमभ्युपगम्ययःप्रविष्टः ) इसकथनस यह आंतिखड़ी हुई कि शायद और कोई दास अन्ननखातेहों यथार्थमें सभी दास अन्नखाते अन्नखाये विनाकोई दासकाम नहीं करसक्ताहै उसमें हमेशाकी विशेषता कही सो भी व्यर्थ ठहरी क्योंकि कोई दास ऐसा नहींहै जो कभी अन्नखाताहो कभी नखाताहो किन्तु सभी हमेशेखाते हैं-अथवा एक दूसरी आंतिखड़ीहुई कि इसको केवल अन्नकहा और दास कुछ तनस्वाह पातेहोंगे तिसमें भी यहबात है कि यद्यपि कहार आदि कृतदास बहुधा तनस्वाहके भी दास होतेहैंपर सिद्धांतमें कुछ दासोंका तनस्वाहमध्ये नियम नहीं बल्कि तनस्वाह वाले मनुष्यको दासोंमें गिनती नहीं किया किंतु ( मूल्ये नयःकर्मकरोतिसभृतकः ) ऐसा कहकर उसको कर्मकरोंमें से एक नौकर मानागयाहै इस्से सभीदासोंको तनस्वाहका कुछ नियमनहीं प्रायःअन्नबस्त्रपातेहैं-कदाचित् ऐसा कहनेमें आवे कि अन्यदास वस्त्रभी पहिरते हैं और इसको सिर्फ अन्नहीकहा तौ भी ध्यान करनेका यह स्थल है कि ऐसा होनेपर भी उसका क्या अपराधहै जो खाया हुआ अन्नदेकर छूटै बल्कि उसने और दासोंकी अपेक्षा थोड़ाखर्चकराया किंतु सिर्फ

बची खुची रोटीखाकर काम किया क्या उस अन्नकी बराबरभी दासत्व उसने नहीं किया-कदाचित् ऐसा कहनेमें आवै कि यह भ्रांति वर्तमान कालके अनुसार है वह नियम उनप्राचीनोंने प्राचीनकालके अनुसार लिखाथा तौ यह अधिकतर विपरीतहै कि उस प्राचीन कालमें अधेला पैसासेही पेट भरताथा अब दो तीन आने विना एक दासका पेट नहीं भराजासक्ताहै और काम जितनातब करतेहोंगे तिससे अब कुछ न्यून जानो बल्कि अन्नकी बहुताइत और सुलभतासे प्राचीनकालमें यह शिष्टाचार शास्त्रविधिके अनुसार अतिशय भावथा कि अपनेनिकट या परिग्रहभूमिमात्रमें जो कोई पौरठहराहो तिसकोभी खवाये विनाकोई अन्नपहले आपनहीं खालेताथा न अपने मुखसेकभी यह कहसक्ता था कि यहाँ का टिकना छोड़िदो फिर निजदासको परिश्रमसे खवाया हुआ उससे चलते समय माँगाजाय यह अन्याय अब के महा भयानकनिर्लज्ज लोलुपस्वार्थी समयमेंभी नहींहै कि कोई अपनेदासका खवाया अन्नमाँगाताहो अगर उसके पास खायाहुआ अन्नदे देने को कुछ पूँजी जमाहोती तौ वह व्यर्थ ऐसे नीचकामों को क्योंकरने आता-इसके सिवाय उसके नामलक्षणके अर्थमें कोई ऐसा इकरार भी कुछ नहीं पायाजाताहै कि जिसके हेतुसे वह छूटिनहींसकै या दासत्व करने के प्रारंभसे अबताई जो कुछखाया सो सबदेकर छूटै क्योंकि वह अपनापेटभरने के अर्थ से इकरार कुछ ठहराने विना आपही दासकर्म करने लगा-इससेयही सर्वथा निश्चित हुआ कि मूलकारोंने इसभक्तदासका न्यायबहुत ठीकलिखाहै परटीकाकारोंने कुछ अर्थउसका समुभानहीं-किन्तुमूलकार योगीश्वर याज्ञवल्क्यने १८७मूलवचनके उत्तरार्द्धमें ( भक्तत्यागात्-मुच्यते ) यहस्पष्ट कहाहै कि भक्तजोहै अन्नतिसके त्यागसे वहभक्तदास छूटताहै किजिसने भक्तखानेके अर्थसेदासत्व अंगीकार किया हो अर्थात् जिसवेरा स्वामीकाभक्त खानाछोड़िदे उसीवेरा छूटिसक्ताहै फिरउसको कोईरोकि नहींसक्ता यहसिद्धांत है-इसीप्रकार-नारदने भी साफकहा है कि ( भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्योभक्तदासःप्रमुच्यते ) अर्थात् भक्तखाने वाला जोदास है सोभक्तके उत्क्षेपणमात्रसे अर्थात् अन्नखाना छोड़िदेनेसे सद्यःछूटिजाताहै बल्कि(प्रमुच्यते)इसमें ( प्र )शब्दके योगसे यह भाव दर्शित कियाहै कि निपट विना रोक टोक छूटिसक्ताहै अर्थात् फिर कोई उसेरोकनेवाला नहीं-नारदके इस वचनमें भक्त शब्द जो सामान्य अन्नमात्रका वाचक है तिसको टीकाकारोंने खायेहुये अन्नकेभावार्थ में समुभा और उत्क्षेपण शब्द जो यहाँपर ( उदञ्चन ) अर्थात् ढँकिदेनेका बोधक है दृष्टांत जैसे हाथ उठाकर कहाकि अब अपना अन्न ढँकिधरो मैंने खानाछोड़ासो यहहाथही एकढकन के आकारहोकर यह दर्शाता है ढँकिदिया रोकिदिया बंदकरदिया लेना छोड़ि दिया-उसका उसीमें रहनेदिया लेने खानेकामार्ग शेषनहीं रक्खा-तिसको टीकाकारोंने फँकने



और देदेनेके भावार्थमें लगाया-ऐसे न्यायात्म दोनों शब्दोंके असंगत अर्थमिलाकर उसपरखाया पिया दिलानेवाला न्यायनिश्चितकिया बलिकबिरलोंने अकालिया दास को भी उसकेसाथ व्यर्थ लपेटा है-तद्यथा ( अनाकालभृतभक्तदासौभक्तस्यत्यागात् दासभावादारभ्यस्वामिनोद्रव्यंयावदुपभुक्तं तावद्वत्वामुच्यते-इतिमिताक्षरा ) अन्यच्च- ( भक्तदासस्तुभक्तस्योत्क्षेपणात् भक्षितभक्तमूल्यसमर्पणाद्विसुच्यते- इतिवीरमित्रोदय धृतपाठः) ऊपरली प्रकृतचर्चापर अवधानकरना योग्यहै कि जो कुछ निर्णयदासोंका पुल्लिंगत्वके निर्देशद्वारा वर्णनकियागया सो सबयथा संभवदासीमेंभी यहीसमुभक्तना- और-यह बातभी कि जो पहलेदासीनहीं थी पर दासको विवाहीजानेसे वहभी दासी होजातीहै-यथाहकात्यायनः (दासेनोढात्वदासीयासापिदासीत्वमाप्नुयात् । यस्माद्भर्ता प्रभुस्तस्याःस्वाम्यधीनःप्रभुर्यतः) अर्थात्-अदासीभी दासकी विवाही उसीस्वामीके दासीत्वको पावै क्योंकि भर्ता उसका मालिक है वह मालिकही जबस्वामी के अधीन है तो उसको भी स्वातंत्र्य नहीं-और-इसबातपर भी ध्यान धरनायोग्य है कि दास कोई ऐसी निंद्यवस्तु में गणनीय नहींहै कि जिसकेलिये कोई भाँति असंगत न्याय निरूपण कियाजाय बलिक बहुधा विज्ञ जो यहबात प्रतीकित करते हैं कि नौकर की अपेक्षा दास अतिशय निंद्य नीच पीड्यहोता होगा जिसको कुछ द्रव्यादि नियमित तनस्वाह तकभी नहीं मिलती(सोभी)केवल समुभक्तका यहअन्तरहै कि उसको केवल पेटका आधारमात्र मिलताहोगा-सुनो इनबातोंका निर्विकल्प कोई नियम प्रत्यक्षलौ- किकवर्त्तावामें या शास्त्रमें भी नहींहै (और) बहुधा संग्रहकार टीकाकारोंने जो नाम लक्षणमें यह भेदकियाहै कि ( मूल्येनयःकर्मकरोतिसभृतकः ) अर्थात्-जो तनस्वाह लेकर कामकरै सोई भृतकनाम नौकरजानो इसीसे यहबात पाईजाती है कि दासको तनस्वाह नहीं (सो) यहलक्षण इतना व्यर्थ और कुछ समुक्ति सोचिकरके नहीं लि- खागयाहै क्योंकि जिसको नौकर समुभक्त वहभी प्रायःरुटिहा नौकरहोताहै जो सिर्फ रोटीखाकर कामकरता है और बहुधा दास भी तनस्वाहपातेहैं दृष्टांत जैसे कहार आदि कृतदास अवश्य विना तनस्वाह नहीं रहते बलिक गृहजात आदि मुख्य दास भी कदाचित् अपने स्वामीके प्रबंध सौगम्यसे निज पत्नी पुत्रादिके निमित्त जुदाखर्च पायाकरतेहैं तो वही उनका वेतन मूल्यहै-इसलिये नाम लक्षणका वह भेद निपट व्यर्थहै अर्थात्नाम लक्षणका भेद केवल शुभ और अशुभकामोंके अनुसार निश्चित है कि भृतक नाम नौकर सिर्फ अच्छे निर्मल कामकरसक्ताहै और दास नाम टहलु- आ भलेबुरे सभीकाम करताहै-बलिक तनस्वाहकी अपेक्षामें जो निर्गुण और सामान्य नौकर होतेहैं तिनसे दास बहुत अच्छा समुभक्तजाता है क्योंकि जो सामान्य तीन पाँच रुपयेका नौकरहो उसको अपने कुटुंबका पालनकरना कठिन होजाता

बल्कि नाना भाँतिकी चिंता खड़ीरहती हैं और स्वामीको कुछ दयाभाव उसकी चिंतामध्ये प्रायः नहीं पहुँचता बल्कि तीव्र आज्ञाका आवेश बना रहता है-और दास रोटी कपड़ा आदि सब सामग्री ऐसी रीतिसे निर्द्वंद्वपायाकरते हैं कि जैसे उसी घरके सब स्वकीय पालेजातेहों-केवल उतना जो वह लांछन है कि आवश्यक मैले कामों काभी भार उनपर आरूढ़ सो उसभारकेही प्रभावसे उन दासोंपर निज स्वामी और उस घरके सभी मनुष्योंकी कुछ इतनी बड़ी अनुग्रह दृष्टि रहती है कि जिसका रूप लिखना कुछ आवश्यक नहीं किन्तु लोकमें प्रत्यक्षहै सब देखिलेउ जैसाघर उसघरहीके अनुरूप उनके हाथ पैरो में सोने चाँदी के आभूषण परे रहते हैं जो छोटेमोटे नौकरको कदाचित् स्वप्नमें भी हाथ न आतेहों बल्कि नौकरको जब अपने संतानोंके विवाह आदि मंगल करनेहोते हैं तब उनमें बिरले ऐसे नौकर अथवा स्वामीहोंगे जिनको स्वामीसे सहायता प्राप्तहोतीहो परन्तु दासकोई ऐसा नहीं होता जिसको स्वामीसे इनकामोंमें सहायता नहीं मिले बल्कि स्वामीऐसे ढंगसे इन कामोंमें सहायता देते हैं कि तद्रूप अपने लड़का लड़कीकेही तुल्य-क्योंकि वे गृह-जात आदि दास गैरनहीं समुभेजाते किन्तु घरहीके मनुष्योंमें सब गिनेजातेहैं-और उनके प्राचीनत्व के अनुकूल घरके लड़का लड़की उनसे काका चाचाआदि शिष्टाचारिक शब्दों का यथोचित बर्तावा उसी भाँति रक्खा करते हैं कि जैसे अपने काका चाचासे-बल्कि ऐसे दास भी उसघरको ऐसा पचते हैं कि ठेठ अपनाही घर जानिकर लाचारी अवसरमें कमाई करिके लाते हैं और स्वामीको समर्पण करते हैं कि जैसे उसके बेटे पोतेआदि बड़प्पन के अनुकूल आगेलाकर धरा करते हैं (अस्मत्पितामहने एक भोलानाम लोधा ठाकुर कभो अकाल में पाला था अकाल में अवस्था उसकी न मालूम कितनीथी पर पीछे उसे नवाबी पलटनिमेंभर्तीभी करवा दियाथा-लेखकने निजवालयभाव में सिपाही वेश उसको कभी कभी देखा है कि युद्धोंकीलूटिमेंसे जो कुछ द्रव्यलाता सोसब अपनेपूर्व पालयितास्वामी अस्मत्प्रपिता को समर्पण करिकरिजाताथा और उनकादास कहाताथा यहदास्यधर्मका स्वाभाविक लक्षण उसमेंदेखा यहीचर्या सतयुगआदि युगोंसे स्वाभाविक चली आतीहै कुछदास किसी निचपीड्यवस्तुमें गणनीयनहीं है युद्धमें उसभोलादासका माराजाना सुनिकर घरमें बड़ाशोकमानागयाथा कि जैसेकोई घरहीकामनुष्यहो)प्रायःजमींदारोंके घरानों में इसभाँतिकेपैतृक या पैतामहदास गृहजातआदि बहुधा रहाकरते बल्कि (रुम्मा) इसीनामसे प्रसिद्धरहते हैं और वेही अपने स्वामियों के कुटुंबका जीवन पैदाकरते हैं अर्थात् खेतीपातीआदि सब धंधेठेठे उनहींपर आरूढ़होतेहैं और उसीरीतिसे वेखेत कमातेहैं कि जैसे कोई निजघरकाखेत-इसीभाँतिके-गृहजातआदि पैतृकदासोंकाविभा-

ग दायधनकेसाथ होताहै पैतामहदास रूपीधनमें पितापुत्रदोनोंका स्वामित्वबराबर होताहै मर्यादा इसकी दायभागमें कहिचुकेहैं-सायथा (भूर्यापितामहोपात्तानिबंधोद्र-व्यमेवच । तत्रस्यात्सदृशंस्वाम्यंपितुःपुत्रस्यचैवहि )अन्यच्च(स्थावरं द्विपदं चैवयद्यपि स्वयमर्जितम् । असम्भूयसुतान्सर्वान्नदानन्नचविक्रयः) और जो उनदासोंमेंसे कोईदास भार्या पुत्रोंसे विहीन होतेहुये अपना कुलधन छोड़ि मरै तौ उसधनका मालिकस्वामी होताहै-तथाचकात्यायनः(दासस्यतु धनं यत्स्यात्स्वामी तस्य प्रभुः स्मृतः) दासोंके छुट-कारेका जो हेतु पहले वर्णन हुआ सो सबदासी मेंभी सूचितहै तथापि दासीके छुट-कारेमध्ये एकहेतु अधिकहै-यथाहकात्यायनः(स्वन्दासीं यस्तु सङ्गच्छेत्प्रसूता च भवेत्ततः अवेक्ष्य बीजङ्कार्या स्याद्दासी सान्वया तु सा) अर्थात्-जो कोईस्वामी अपनी दासीसे यदि सङ्गमकरै और वहदासी भी प्रसूताहोय तब निजबीजसे सन्तानहुई जानकर वहदासीभी इसहेतु से सन्तानों सहित अदासी करने योग्यहै कि अपने बीजकी सन्तान आदि दास कर्मसे बचिजाय-कदाचित्कोई-दासी अथवा दासको दासत्वसे बचानाचाहै तिसकी विधिभी नारद कहतेहैं-यथा (स्वन्दासमिच्छेद्यः कर्तुमदासंप्रीत मानसः । स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्द्यात्कुंभं सहांभसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्द्धन्य द्भिरवाकिरेत् । अदास इति चोक्ता त्रिः प्राङ्मुखं तमथोत्सृजेत् ॥ ततः प्रभृतिवक्तव्यः स्वाम्यनुग्रहपालितः । भोज्यान्नोप्यप्रतिग्राह्यो भवत्यभिमतः सताम्) अर्थात्-जो कोई अपने दासपर प्रसन्न होकर उसे अदास करनाचाहै तौ उसदासके कन्धेपरसे जलका भरा घड़ा लेकर पानीसहित फोरिडालै और माथेपरसे अक्षतफूलोंसहित जलकी धारादेवै और (अदास)ऐसा तीनिवार कहिकर पूर्वओर थोड़ीदूर चलताकरै अर्थात् पीठिऊपर हाथ ठोंकि ठोंकि तीनिवार ऐसा कहाहै कि आजसे तूदासनहीं दासनहीं दासनहीं उसदिन से फिर दासकहना छोड़िदे किंतु (स्वाम्यनुग्रहपालित) ऐसानाम कहना चाहिये-दासोंकी अपेक्षालेकर ऊपरकहेहुये नियम यथासंभव दासीमेंभी सूचितहैं और क्रीत दासका खरीदना निश्चितहोनेसे दासदासीका विक्रयभी संसिद्धहुआ क्योंकि मोल लेनाभी उसदशामें होसक्ताहै जबकोई एकवेचै-परंच-विरलीदासीके विक्रयमध्ये दंड होनाकहाहै-यथाहकात्यायनः(विक्रोशमाणां यो भक्तांदासीं विक्रेतुमिच्छति । अनापदि स्थः शक्तः सन्प्राप्तुयाद्विशतं दमम्) अर्थात्-रोदनकरतीहुई भक्तानाम सुशीला दासीको यदि कोई शक्तिमान् होकर किसी विपत्तिके न होतेहुये विक्रयकरना चाहै तौ वहदोसौ पणतक दंडपावै- इसमें भक्ता किंतु सुशीला कहने का यह आशय है कि दुःशीला प्रतिकूलाके विक्रयमध्ये दंडनहीं या कोई प्रबल विपत्तिमें यदिवेचै तौ अपराध नहीं इसके सिवाय-ब्राह्मणी आदि कुलवतीस्त्री के बेचने यद्वा दासीकरने में भी दण्ड है-यथाहकात्यायनः (आदद्याद्ब्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीयात्तथैवच । राज्ञा तदकृतं कार्यं दं

ड्याःस्युःसर्वएवते ॥ कामात्तुसंश्रितांयस्तुकुर्यादासींकुलस्त्रियम् । संक्रामयेत्तुवान्यत्र  
दण्ड्यस्तच्चाकृतंभवेत् ॥ बालधात्रीमदासींचदासीमिवभुनक्तियः । परिचारकपत्नीवा  
प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम्) अर्थात्-ब्राह्मणी को जो कोई मोललेवे या बेंचै तौ राजाको वह  
क्रय विक्रय अकृत करना योग्यहै अर्थात् न करनेदे या होचुकाहो तौभी उसेनिवर्ति-  
तकरै और सभीकर्त्तालोग दण्डपावै-यहां ब्राह्मणी शब्दभी कुलपात्रनारीमात्रकाबोध-  
कहै- कामबाधासे पहुँची तथा समाश्रितहुई कुलस्त्रीको यदि कोई बशमें लाकर या  
फुसिलाकर अपनी दासीकरै यद्वा और कहींपहुँचावै सोभी दण्डपावै और वहकाम  
अकृतहोवे किंतु दासी यदिहोगईहो तौभी दासीनहीं है यह न्याय राजाकरै-बालक  
पालन कर्त्री धाइको या ऐसीकिसी नारीको जो दासीनहीं है यदि कोई दासीकीभाँति  
भोगै या परिचारक पत्नीनाम अपने चाकरकी पत्नीकोही दासीकी भाँतिभोगै तौ वह  
उत्तम साहस दण्डपावै १८७ । १८८ ॥

(अथअन्तेवासिनोधर्मः)

कृतशिल्पोपिनिवसेत्कृतकालंगुरोर्गृहे । अन्तेवासीगुरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः १८९ ॥

ए० -गुरु प्राप्तभोजन अन्तेवासी गुरुकेघरमें कृतशिल्पभी उसकामका फलप्रद  
होकर कृतकालतक निवासकरै-अर्थात्-अन्तेवासीनाम शागिर्द जो किसी प्रकार का  
शिल्पकर्मसीखै तिसकेलिये यहनियम है कि जो उसको सिखलानेवाले(आचार्य)उस्ता-  
दसेही भोजनमिलना ठहिराहो तौ शिल्पकर्म सीखिजानेपरभी उतने कालतक ठहिरै  
जितनी काल अवधि उसके आचार्यनेपहले निश्चितकरदी हो कि दो या चारवर्षों  
तक हमारेपास जमिकेठहिरैगा तौ इसकामसे संपन्न करिदेवेंगे-आशय इसकायह कि  
ठहिरैहुये कालकेभीतरभी यदि अन्तेवासी कामसीखिजाय तौभी उतने शेषकालतक  
उसकामकोही गुरुकेअर्थ करताहुआ उसकालाभ उसको देताहुआनिवासकरै क्यों-  
कि उस आचार्यने भोजन देकर काम सिखाया १८६ ॥

अधि०-अन्तेवासीकी अपेक्षामें शिल्पकर्मोंकासंक्षेप लक्षणभी बृहस्पतिने दर्शाया  
है-तथाहि (विज्ञानमुच्यतेशिल्पेहेमकुप्यादिसंस्कृतिः । नृत्यादिकंचतत्प्राप्तं कुर्यात्कर्म  
गुरोर्गृहे ) अर्थात्-हस्तक्रियारूपी शिल्पविद्यामें भी नानाभाँतिका विज्ञान होता है  
(दृष्टान्त)जैसे सोनेराँगे आदि अनेकधातोंके संस्कारकरने वा आभूषण आदि पदार्थ  
निर्मितकरने एवंनृत्यगीत आदिका अभ्यास यद्वावीणाआदि बहुधावाद्यनिर्मितकरने  
इसदृष्टांतमें प्रायः(आदि)शब्दोंके भावार्थसे अनेकधाशिल्पकामोंका विवेकजानिलेना  
जैसे स्तंभकुम्भ आदि जो जो शिल्पकाम कारुकलोग बनाया करतेहों तिसकेप्राप्त  
होनेको आचार्यके घरजाकर कामकरै-बृहस्पतिके इसकथनसे सुनारआदिकारीगरोंका  
स्वस्वजाति कर्मकृत विशेष नियम निश्चितहुआ इन्हीं कारीगरों का-जातिकर्मकृत

विशेष और वृत्तिकृत विशेष दोनों नारदजी स्पष्ट व्योरेवार सब दर्शाते हैं-यथा-  
 (स्वशिल्पमिच्छन्नाहर्तुं वांधवानामनुज्ञया। आचार्यस्य वमेदंते कृत्वा कालं सुनिश्चितम् ॥  
 आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत्कारयेत्कर्मपुत्रवच्चैनमाचरेत् ॥  
 शिक्षयंस्तमसंदुष्टं य आचार्यं परित्यजेत् । बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधबंधौ च सोऽर्हति ॥ शि-  
 क्षितोपि कृतं कालं मंतेवासी समापयेत् । तत्र कर्म च यत्कुर्यादाचार्यस्यैव तत्फलम् ॥ गृही-  
 तशिल्पः समये कृत्वाचार्यं प्रदक्षिणम् । शिक्षितश्चानुमान्यै न मंतेवासी निवर्तते) अर्था-  
 त्-नारद कहते हैं कि अपनी जातिपेशेवाला शिल्पकर्म हरनेको इच्छा करता हुआ पिता  
 भ्राता आदि बंधुओंकी अनुज्ञासे आचार्यके समीप एक अवधिनिश्चित करिके वसै  
 किन्तु जितना काल उस आचार्य ने उच्चारण कियाहो कि इतने वर्ष मेरे पास टिकना  
 होगा वही अंगीकार करिके टिके-उस आचार्य का यह धर्म है कि अपने घरसे भोजन  
 देकर इसको काम सिखावै और उस कामके सिवाय कोई और घरका धंधा नहीं क-  
 रावै और इस अंतेवासी को निज पुत्रोंके समानवर्तै-अंतेवासी जो आचार्यकी दूकान  
 वाला काम सीखने हेतुसे सहायक बनिकर करता है सो वही सहायतागुरु शुश्रूषा तुल्य  
 होती है इसलिये उसपर और कुछ शुश्रूषा नहीं करावै पर उसकामको आचार्य अपनी  
 इच्छाके अनुसार जितना अधिक चाहे तैसे ढंगसे लेसक्ता है और अपने घरसे भो-  
 जन देना इसमें नियमात्मक है सो वही उसकी वृत्तिजानौ-अच्छी तरह सिखातेहुये  
 सज्जन आचार्यको जो कोई छोड़िभागै सो बलात्कारसे आचार्यके समीप राखि देने  
 योग्य है और मारपीटके भी योग्य-अंतेवासी नियत कालके भीतर सीखिजाने परभी  
 उतना काल पूराकरै और उस काल भीतर जो कुछ कामकरै तिसका लाभरूपी फल  
 आचार्य काही स्वत्व है शागिर्दका कुछ दावी उसमें नहीं पर उसकालके उपरांत भी  
 यदिकाम करावै तिसके फलमें अंतेवासी काभी यथासंभव स्वत्व होगा यह सिद्धांत  
 है-शिल्प कर्म सीखलिया हुआ अंतेवासी नियत समय पूराहोनेपर आचार्यकी आ-  
 ज्ञालेकर उसका मान बढ़ाता हुआ दाहिने देकर लौटि आता है अर्थात् काल पूराहोने  
 के उपरांत अपनी इच्छाके अनुसार चाहे आगेभी टिकिसक्ता है परंतु फिर आचार्य  
 रोकिसकने का अधिकारी नहीं-अनंतरोक्त मर्यादा उसी अवसर पर आरूढ़ है कि  
 जब आचार्य सज्जनहो और निज पुत्रोंकेही तुल्य रखिकर कामसिखावै किन्तु अन्य-  
 था बीचमें भी लौटिसक्ता है-तदाह कात्यायनः-(यस्तु न ग्राहयेच्छिल्पं कर्माण्यन्यानि-  
 कारयेत् । प्राप्नुयात्साहसंपूर्वं तस्माच्छिल्प्यो निवर्तते ) अर्थात्-जो आचार्य शिल्प काम  
 नहीं सिखावै और और कामोंको करावै तो वह पूर्व साहस दंडपावै और शागिर्द  
 उससे लौटिआता है-दुष्ट अंतेवासीकी अपेक्षासे ( वधबंधौ च सोऽर्हति ) यह शिक्षा  
 ऊपर हुई थी कि मारपीट करके भी सिखावै सो इस बातका भी आशय सिर्फ यही है

कि सज्जन आचार्य उसके हितके लिये कदाचित् लाचारी अवसरमें कुछ स्वल्प ताड़नामात्र करसक्ताहै कि जिस्से नेत्र डाटबनीरहै किन्तु दिनप्रति निरंतर या कुरीति वा अधिकतासे नमारै—यथाहगौतमः—(शिष्यादिशिष्टिरवधेनाशक्तोरज्जु वेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येनघ्ननूराज्ञाशास्यः ) अर्थात्-शिष्यादिकोंकी शिक्षा बिनामारै नहोसकने में हलकी जेउरी या पतली बाँसकी खरपचीके सिवाय किसी भारी चोटसे मारता हुआ शिक्षक राजा करके शास्यहै १८६ ॥

इतिसेवाधर्मविवादप्रकरणम् ॥

अभ्युपेत्यअशुश्रूषा नामक सेवाधर्म का यह प्रकरण केवल इसीएक ७२ संख्याके परिच्छेद से समाप्त हुआ ॥

अथसंविद्व्यतिक्रमाख्यविवादपदधर्मविशेषविवेकोनामत्रिसप्ततितमःपरिच्छेदः ७३ ॥  
इस तिहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें राजसंबंधीगूढ़ संविद् समय संकेतोंके व्यतिक्रम का विवादपद समुभाया जायगा ॥

संविद्व्यतिक्रम नाम इसका इसहेतुसे कि ( संविद् ) कहतेहैं समयसलाहको किजो संकेत सहित अंगीकार कियाहो तिसका व्यतिक्रम होजाना किन्तु ज्यों का त्यों तद्रूपन रहिना उसकाअर्थहै-तिसको नारदने व्यतिरेक रुखसे दर्शितकिया है-यथा-(पाखंडनैगमादीनांस्थितिःसमयउच्यते । समयस्यानपाकर्मतद्विवादपदस्मृतम् ) अर्थात्-राजप्रबंध से पाखंड नैगमादिकों का स्थापनहोना ( समय ) कहाताहै कि जिसकेद्वारा राजसंबंधी गूढ़ प्रयोजन सिद्धहोतेहैं तिसका ( अनपाकर्म ) कहिये परिपालन होना किन्तु अंगीकारकरने वालोंको यथावत् सिद्धकरना योग्यहोताहै परजब उसमें कोईभांतिका व्यतिक्रम भी उत्पन्नहो तबयह संविद्व्यतिक्रम नामका विवाद खड़ाहोताहै-पाखंड नैगम आदि का स्थापनएक पारिभाषिक धर्मरीतिसे अर्थात् कृत्रिमधर्ममार्गसे बनावटद्वारा होता है कि जिसके कियेबिना राजसंबंधी मुख्यकामोंकी सिद्धि दुर्घटहोती है-पाखंड नैगमआदि का स्पष्ट व्योरानिचली १६० की अधिकोक्तिमें देखो इसीहेतु से योगीश्वर उसका प्रारंभ दर्शितकरते हैं ॥

राजाकृत्वापुरेस्थानंब्राह्मण्यन्यस्यतत्रतु । त्रैविद्यंवृत्तिमद्ब्रूयात्स्वधर्मःपाल्यतामिति १९० ॥

ऐ०— राजा अपनेपुरमें किन्तु दुर्गआदि किसी मुख्यस्थलमें एक दिव्यस्थानबना कर उसमें त्रैविद्य विप्रोंके समूहको बैठारिकर धन धरतीआदि पुष्कल वृत्तियोंसे संपन्नकरिके आज्ञादेवै कि आपलोगोंको अपना धर्मपालन करनाचाहिये जैसाश्रुति वा स्मृतियोंमें विहितहो-यहां विप्रोंके प्राधान्यकरके और भांतिके भी कार्यसाधक लोक समुझने तिनकाव्योरा देखो अधिकोक्तिमें १६० ॥

अधिः—अत्रोक्त समयरूपी संवित्कार्यमें लगाने योग्य पुरुषोंको वहस्पतिने स्पष्ट



करिकैकहाहै-यथा(वेदविद्याविदोविप्रान्श्रोत्रियानग्निहोत्रिणः । आहत्यस्थापयेत्तत्रते  
षांवृत्तिंप्रकल्पयेत्॥अनाच्छेद्यकरास्तेभ्यःप्रदद्याद्गृहभूमयः। युक्तंभाव्यंचनृपतिर्लेख  
यित्वास्वशासनम् )अर्थात्-वेदविद्याके विज्ञाताविप्रोंको श्रोत्रियोंको अग्निहोत्रियोंको  
लेकर तहां स्थापितकरै तिनकीवृत्तिभी प्रकल्पितकरै किन्तु राजा अपने शासनपत्र  
में वर्तमान कालका औचित्ययोग और आगामी नृपतियोंको भी शपथयोग लिख-  
वाकर उनको ऐसेऐसे माफीग्राम धरती और घरबनेबनायेही देदेवैजिनका आगेपीछे  
राजकर भी कोई नलेसकै-उर्ध्वोक्त नारदके वचनमें( पाखंडी )जो वैदिकरीतिके विद्वे-  
षीहों जैसे क्षपणक बुद्धिभेदमें दिगम्बर या संन्यस्त प्रव्रज्यावसित आदि और कोई  
और ( नैगम)जो बहुधाधन संपन्न वणिकव्यापारी दूरदेशोंके गमागमसे व्यापारकरते  
हों और इसीनैगम शब्दसे वेदप्रामाण्यके अभ्युपगंता विद्वान्भी पाशुपत आदिशैव  
तंत्रवाले समुभिलेने-इतने मूलभूत पुरुष ( पाखंडनैगमादीनां ) इसपदसेनारद ने  
कहे और इसपदमें ( आदि)शब्दके आशयसे अनेक और भी इसभांतिके साधारण  
प्रत्येक विद्यावानोंको समुभूने जो अपनीअपनी किसीएक विद्यामेंप्रवीण और उस  
विद्याकी सिद्धाई चमत्कारभी दिखलासक्तेहों दृष्टान्त जैसे सांपकाटे मरेहुये कोभीगा-  
रुड़िविद्यासे जिवायदेता हो-रसायन विद्यावाला अपनीविद्यासे तांवाफँकि चांदीसोना  
करदेताहो-यक्षिणी सिद्धहोनेआदिसत्य प्रकारोंसेही मूकप्रश्न कहदेताहो-चिकित्साकर्म  
करनेमें अद्वितीय गिनाजाताहो-अष्टासिद्धिआदि किसीदैवी विद्या वास्वरोदय योग-  
युक्तपद्मासन आदिका अभ्यास पूराखता हो-जलोत्तीर्ण विद्या अस्त्रशस्त्र विद्याआ-  
दि नानाभांतिके समर्थ पुरुषोंकाप्रत्येक समूहउसी आदिशब्दके आशयद्वारा समुभि-  
लेना तिनका संग्रहकरै औरउनसबहीकी यथोचित वृत्तियां कल्पितकरै १६० ॥

( नियुक्तैस्तैःकिंकर्तव्यम् )

निजधर्माविरोधेनयस्तुसामयिकोभवेत् । सोपियत्नेनसंरक्ष्योधर्मोराजकृतश्चयः १९१ ॥

ए०-अपने धर्मके अविरोध से जो सामयिक धर्महो सो भी सम्यक् यत्नपूर्वरक्षणी  
यहै और जो कोई धर्म राजाकरके नियतहुआहो सोभी अपने धर्मके अविरोधसे-  
अर्थात्-जो कोई धर्म सबकेसमयसे उत्पन्न हुआहो जैसे गौओंका चराना जलकीरक्षा  
करनी देवालयकी सेवाआदि नानाभाँतिजो कुद्धधर्मनिरूपण हुआहो तिसकोभी निज  
श्रौतस्मार्त्त धर्मका निर्वाह बनारखकर अच्छीभाँति सेवनकरै और जोकोईधर्म राजा  
ने भी अपनेधर्मके अविरोध पूर्वसमयसे उत्पन्नकियाहो दृष्टान्तजैसे यावन्मात्रपथिक  
मुसाफिर मिलतेजायँ सबको भोजन देतेरहना-हमारे शत्रुओं केमण्डलमें घोड़ाहाथी  
आदि नहीं घुसाना-इत्यादि नानाभाँति से जो कोईधर्म राजाने सङ्केतित कियाहो सो  
भी अपने धर्म के अविरोध पूर्व अच्छीभाँति पालन करनेयोग्यहोताहै १९१ ॥

अधि०-बृहस्पति ने समुदाय का स्पष्टकर्म दर्शित किया है-यथा ( नित्यनैमित्तिकं काम्यशांतिकंपौष्टिकन्तथा । पौराणांकर्मकुर्युस्तेसन्दिग्धेनिर्णयन्तथा ) अर्थात्-राजाने जो पुरमें मुख्यसमूह नियुक्त किया हो वे समुदायवाले, विद्वान् पौरलोगोंके इनकामोंको भी करें किन्तु नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, काम्यकर्म, शान्तिककर्म पौष्टिककर्म, पौरलोगोंके इनकामोंको सब अपनी२ विद्यासे करवाया करें और सन्देह खड़े होनेमें उन बातोंके निर्णय भी करदेवें-यह तो ठेठराज नियुक्त समूह विशेषका कर्तव्य विशेषकहा-इसके सिवाय-और सब समुदायोंका कर्तव्य विशेष उन्हीं बृहस्पतिने दर्शाया है-यथा-(ग्रामश्रेणिगणानाञ्चसङ्केतःसमयक्रिया । बाधाकालेषुसाकार्याधर्मकार्येतथैवच ॥ चाटचौरभयेबाधाःसर्वसाधारणाःस्मृताः । तत्रोपशमनङ्कार्यैसर्वैर्नैकेनकेनचित् ) अर्थात्-ग्रामश्रेणी गण इनसबका और (च) शब्दके अभिप्रायसे-पूर्वोक्त पाखण्ड नैगम आदिभी समुझने तिनका सङ्केत जोहै सोई समयक्रिया होती है अर्थात्-यहसर्वथा निश्चित हुआ कि ऊर्ध्वोक्त मुख्यामुख्य सभी समुदायोंके परस्पर जोकुछ सङ्केतहो सोईसमय कहाता और उससमय के अनुसार जोकुछ कामक्रियाजाय वहीसमय क्रिया कहाती है(ग्रामश्रेणी आदि समुदाय बाचक शब्दोंके अर्थआगे १६७ मूलश्लोक में विचारो) और उक्तसमय क्रियाभी सर्वत्रबाधाकालोंमें तथैव धर्मकार्योंमें कर्तव्य होतीहै-बाधायें भी सर्वत्र चोरचाट आदिसेभयउत्पन्नहोना आदि कहातीहैं चाहै राजाको या प्रजाको कुछहो, तबउस बाधाका उपशमन विनाशभी कुछएकसेही नहीं किन्तु मिलकर सबहीको कर्तव्यहै कि जैसे ढङ्गसे होसक्ताहो-सबहीको कर्तव्य ऐसा कहनेका यहआशयहै कि नानाभाँतिकी विद्याओं तथा प्रयत्नोंके विज्ञाता वहां उपस्थितहैं जिसभाँति की वहबाधाहो तैसेही शमयिता पुरुषोंसे उपशमन करायाजाय-चोरचाट ऐसा कहनेसे चोर प्रसिद्धहै जो छिपकर चोरीकरै (चाट) बिरले संग्रहकारोंने (चक) अर्थात् भेड़ियाको बतलायाहै यथा (चाटोचकः) सो यहअर्थ निरर्थकजानो किन्तु ऐसेमहाप्रयोजन मध्ये केवल तुच्छभेड़िया से भयसूचक अर्थ लगाना कोईभाँति सुसङ्गत नहीं है अर्थात् यहाँ (चाट) नाम योद्धाका और कलह प्रियकाभी कि जिसको सदाकलह प्यारी हो और (चाट) नाम प्रतारक अर्थात् वंचक ठगिया जो पहले विश्वास देकर पीछेपधनहरै और (चाट) नाम बटमार लुटेहरा डाकू तस्कर इनसबका है कि जिनसे सदा राजा प्रजासबहीको भयखटका लगारहताहै-इसीलिये जबतक छोटीमोटी बाधाहैं जिसको इतर मनुष्य दूरकरसक्तेहैं तबतक समुदायिक समय क्रियाकी आवश्यकता नहींहोती परजब ऐसाबड़ा उपद्रव समुझाजाय जो समुदायिक सम्बिद्द समय कर्म विनादुःपरिहरहो यद्वाकोई धर्मकार्य दुःसाध्य समुझाजाय यथा ताड़कावनमें विश्वमित्र करके रामचन्द्रको लेजानेविना यज्ञकर्मोंका संसाधन दुर्घटहुआथा इत्यादि छिष्ट

अवसरमें गणपाखण्ड नैगम श्रेणी आदि सबसमुदाय मिलकर समय विचारसेही कोईएक पारिभाषिक धर्मरूपी समय क्रियाकरने का उद्योग करते हैं कि जिसकेद्वारा महाउपद्रव शान्तहोय-इसके सिवाय इनसमुदायों के साधारण में जो कामहोतेहैं सो देखो अगली अधिकोक्तिमें-और-अपने नित्य नैमित्तिक धर्मके अविरोधसे जोसमय धर्मतद्वत् राजकृतधर्म पालनीयकहा तिसका यहीभावहै कि जिसधर्मसे अपने मुख्य धर्मका विरोध होताहो तिसको नहीं पालनकरे दृष्टान्त जैसे उत्सर्ग कियेपीछे विना शौचहाथ मुखशोधेविना चलेआना तो यह अपने नित्यधर्मका विरोधहुआ यद्वा शवदाह तो करचुकाहोगा रनानकियेविना बुलालाना तोयह नैमित्तिक धर्मकाविरोध हुआ इत्यादि ऐसे विपरीत धर्मरूपी आज्ञाका स्वीकार नकरे जहाँकिसी ऐसेधर्मका विरोध होताहो जिसका आगेपीछे होसकना सम्भवहो तहाँ राजासे आज्ञालेकर उसको आगेपीछे साधनकरे-यथाहकात्यायनः-(अवरोधेनधर्मस्यनिर्जितंराजशासनम् तस्यैवाचरणंपूर्वकर्तव्यन्तुनृपाज्ञया)-अर्थात्-जहाँधर्मके अवरोधसे कुञ्जराज शासन मिलाहो तहाँपहले उसहीका आचरण करनायोग्य है पर नृपकी आज्ञासे १६१ ॥

(समयातिक्रमादौदण्डः)

गणद्रव्यंहरेद्यस्तुसंविदंलंघयेच्चयः । सर्वस्वहरणंकृत्वांतराष्ट्रादिप्रवासयेत् १९२ ॥

कर्तव्यंवचनंसर्वैःसमूहहितवादिनाम् । यस्तत्रविपरीतःस्यात्सदाप्यःप्रथमंदमम् १९३ ॥

ऐ०-जो कोई उनमें गणका द्रव्यहरै किन्तु एक द्रव्य जो अनेकों का साधारण होतिसे पचावै या जो कोई नियत संबिदूको उलाँधै किन्तु व्यतिक्रमकरै तिसको उसका सबधन हरिकै राज्यकी सीमाबाहर निकासिदेयहीदंडहै-सो-यहदंड किसी महा-पराधमें समुभूना जिसके हेतुसे कुछ बहुत बड़ी हानि या कुछ तीव्रआज्ञा भंगहुईहो और यह दंड मुख्य समूहके अधिकर्ता लोगोंके अपराध पर आरूढ़ समुभूना किन्तु और सबसामान्य अधिकारी यद्वा छोटे मोटे अपराधोंका दंडनीचे जुदाजुदा सामान्य भावकहेंगे १६२ समूहका हितकहने वालों का वचन समूहमात्रको कर्तव्य है पर जो कोई उनमें विपरीत हो किन्तु हितवक्ताका कहना नहीं मानै तो वह पूर्व साहसदंड देवे योग्यहै अर्थात् उसी कार्यकी उत्तमता मध्यमता के अनुसार यथापराध २७० पणतक धनदंड देने योग्य १६३ ॥

अधि०-सभी समूहों का साधारण में जो कामहै सो वर्णन करना यहाँ योग्यहै(तदा हृदहस्पतिः( सभाप्रपादेवगृहतटाकारामसंस्कृतिः । तथाऽनाथदरिद्राणांसंस्कारोयजन क्रिया ॥ कुलायननिरोधश्चकार्यमस्माभिरंशतः । यत्रैतल्लिखितंपत्रेधर्म्यासासमय क्रिया ॥ पालनीयासमस्तैस्तैर्यःसमर्थोविसंवदेत् । सर्वस्वहरणंदंडस्तस्यनिर्वासनंपुरा त)अर्थात्-(सभा)नाम कोई धर्मशालाआदिस्थान जिससे बड़े शहरोंकी शोभातथावि

अधि०-बृहस्पति ने समुदाय का स्पष्टकर्म दर्शित किया है-यथा ( नित्यनैमित्तिकं काम्यंशांतिकंपौष्टिकन्तथा । पौराणांकर्मकुर्युस्तेसन्दिग्धेनिर्णयन्तथा ) अर्थात्-राजने जो पुरमें मुख्यसमूह नियुक्त किया हो वे समुदायवाले, विद्वान् पौरलोगोंके इनकर्मोंको भी करें किन्तु नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, काम्यकर्म, शान्तिककर्म पौष्टिककर्म, पौरलोगोंके इनकर्मोंको सब अपनी२ विद्यासे करवाया करें और सन्देह खड़े होनेमें उनवातोंके निर्णय भी करदेवें-यह तो ठेठराज नियुक्त समूह विशेषका कर्तव्य विशेषकहा-इसके सिवाय-और सब समुदायोंका कर्तव्य विशेष उन्हीं बृहस्पतिने दर्शाया है-यथा-(ग्रामश्रेणिगणानाञ्चसङ्केतःसमयक्रिया । बाधाकालेषुसाकार्याधर्मकार्येतथैवच ॥ चाटचौरभयेबाधाःसर्वसाधारणाःस्मृताः । तत्रोपशमनङ्कार्यैसर्वैर्नैकेनकेनचित् ) अर्थात्-ग्राम, श्रेणी गण इनसबका और (च) शब्दके अभिप्रायसे-पूर्वोक्त पाखण्ड नैगम आदिभी समुझने तिनका सङ्केत जोहै सोई समयक्रिया होती है अर्थात्-यहसर्वथा निश्चित हुआ कि ऊर्ध्वोक्त मुख्यामुख्य सभी समुदायोंके परस्पर जोकुछ सङ्केतहो सोईसमय कहाता और उससमय के अनुसार जोकुछ कामकियाजाय वहीसमय क्रिया कहाती है(ग्रामश्रेणी आदि समुदाय बाचक शब्दोंके अर्थआगे १६७ मूलश्लोक में विचारो) और उक्तसमय क्रियाभी सर्वत्रबाधाकालोंमें तथैव धर्मकार्योंमें कर्तव्य होतीहै-बाधायें भी सर्वत्र चोरचाट आदिसेभयउत्पन्नहोना आदि कहातीहैं चाहै राजाको या प्रजाको कुछहो, तवउस बाधाका उपशमन विनाशभी कुछएकसेही नहीं किन्तु मिलकर सबहीको कर्तव्यहै कि जैसे ढङ्गसे होसक्ताहो-सबहीको कर्तव्य ऐसा कहनेका यहआशयहै कि नानाभाँतिकी विद्याओं तथा प्रयत्नोंके विज्ञाता वहां उपस्थितहैं जिसभाँति की वहबाधाहो तैसेही शमयिता पुरुषोंसे उपशमन करायाजाय-चोरचाट ऐसा कहनेसे चोर प्रसिद्धहै जो छिपकर चोरीकरै (चाट) विरले संग्रहकारोंने (वृक) अर्थात् भेड़ियाको बतलायाहै यथा (चाटोवृकः) सो यहअर्थ निरर्थकजानो किन्तु ऐसेमहाप्रयोजन मध्ये केवल तुच्छभेड़िया से भयसूचक अर्थ लगाना कोईभाँति सुसङ्गत नहीं है अर्थात् यहाँ (चाट) नाम योद्धाका और कलह प्रियकाभी कि जिसको सदाकलह प्यारी हो और (चाट) नाम प्रतारक अर्थात् वंचक ठगिया जो पहले विश्वास देकर पीछेप धनहरै और (चाट) नाम बटमार लुटेहरा डाकू तस्कर इनसबका है कि जिनसे सदा राजा प्रजासबहीको भयखटका लगारहताहै-इसीलिये जबतक छोटीमोटी बाधाहैं जिसको इतर मनुष्य दूरकरसक्तेहों तबतक समुदायिक समय क्रियाकी आवश्यकता नहींहोती परजब ऐसाबड़ा उपद्रव समुभाजाय जो समुदायिक सम्बिद् समय करने विनादुःपरिहरहो यद्वाकोई धर्मकार्य दुःसाध्य समुभाजाय यथा ताड़कावनमें विश्वमित्र करके रामचन्द्रको लेजानेविना यज्ञकर्मोंका संसाधन दुर्घटहुआथा इत्यादि छिद्य

अवसरमें गणपाखण्ड नैगम श्रेणी आदि सबसमुदाय मिलकर समय विचारसेही कोईएक पारिभाषिक धर्मरूपी समय क्रियाकरने का उद्योग करते हैं कि जिसकेद्वारा महाउपद्रव शान्तहोय-इसके सिवाय इनसमुदायों के साधारण में जो कामहोतेहैं सो देखो अगली अधिकोक्तिमें-और-अपने नित्य नैमित्तिक धर्मके अविरोधसे जोसमय धर्मतद्वत् राजकृतधर्म पालनीयकहा तिसका यहीभावहै कि जिसधर्मसे अपने मुख्य धर्मका विरोध होताहो तिसको नहीं पालनकरै दृष्टान्त जैसे उत्सर्ग कियेपीछे विना शौचहाथ मुखशोधेविना चलेआना तौ यह अपने नित्यधर्मका विरोधहुआ यद्वा शवदाह तौ करचुकाहोगा स्नानकियेविना बुलालाना तौयह नैमित्तिक धर्मकाविरोध हुआ इत्यादि ऐसे विपरीत धर्मरूपी आज्ञाका स्वीकार नकरै जहाँकिसी ऐसेधर्मका विरोध होताहो जिसका आगेपीछे होसकना सम्भवहो तहाँ राजासे आज्ञालेकर उसको आगेपीछे साधनकरै-यथाहकात्यायनः-(अवरोधेनधर्मस्यानिर्जितंराजशासनम् तस्यैवाचरणंपूर्वकर्तव्यन्तुनृपाज्ञया)-अर्थात्-जहाँधर्मके अवरोधसे कुञ्जराज शासन मिलाहो तहाँपहले उसहीका आचरण करनायोग्य है पर नृपकी आज्ञासे १६१ ॥

(समयातिक्रमादौदण्डः)

गणद्रव्यंहरेद्यस्तुसंविदंलघयेच्चयः । सर्वस्वहरणंकृत्वातंराष्ट्रादिप्रवासयेत् १९२ ॥

कर्तव्यं वचनं सर्वैः समूहहितवादिनाम् । यस्तत्र विपरीतः स्यात्सदाप्यः प्रथमं दमम् १९३ ॥

ऐ०-जो कोई उनमें गणका द्रव्यहरै किन्तु एक द्रव्य जो अनेकों का साधारण होतिसे पचावै या जो कोई नियत संविद्को उलाँधै किन्तु व्यतिक्रमकरै तिसको उसका सबधन हरिकै राज्यकी सीमाबाहर निकासिदे यहीदंडहै-सो-यहदंड किसी महा-पराधमें समुभना जिसके हेतुसे कुछ बहुत बड़ी हानि या कुछ तीव्रआज्ञा भंगहुईहो और यह दंड मुख्य समूहके अधिकर्ता लोगोंके अपराध पर आरूढ़ समुभना किन्तु और सबसामान्य अधिकारी यद्वा छोटे मोटे अपराधोंका दंडनीचे जुदाजुदा सामान्य भावकहेंगे १६२ समूहका हितकहने वालों का वचन समूहमात्रको कर्तव्य है पर जो कोई उनमें विपरीत हो किन्तु हितवक्ताका कहना नहीं मानै तौ वह पूर्व साहसदंड देवे योग्यहै अर्थात् उसी कार्यकी उत्तमता मध्यमता के अनुसार यथापराध २७० पणतक धनदंड देने योग्य १६३ ॥

अधि०-सभी समूहों का साधारण में जो कामहै सो वर्णन करना यहाँ योग्यहै(तदा हवृहस्पतिः( सभाप्रपादेवगृहतटाकारामसंस्कृतिः । तथाऽनाथदरिद्राणांसंस्कारोयजन क्रिया ॥ कुलायननिरोधश्चकार्यमस्माभिरंशतः । यत्रैतल्लिखितंपत्रेधर्म्यासासमय क्रिया ॥ पालनीयासमस्तैस्तैर्यःसमर्थोविसंवदेत् । सर्वस्वहरणंदंडस्तस्यनिर्वासनंपुरा त)अर्थात्-(सभा)नाम कोई धर्मशालाआदिस्थान जिससे बड़े शहरोंकी शोभातथावि

ख्याति और बहुधा अच्छे कामोंमें राजाप्रजासबहीको आराम होती है (प्रपा) जलकी प्याऊ जिससे सर्वजीवोंकी प्राणरक्षा होती है (देवगृह) मन्दिर आदि पुण्यस्थान जिनसे धर्मशालाकेही तुल्य सबगुण होनेके सिवाय अधिक यहगुण है कि प्रजालोग ईश्वर-सम्बन्धी धर्ममार्गमें पगधरे रहकर अपने देशाधीश कोभी ईश्वरका प्रतिबिम्ब समु-भते और मर्यादोंसे उच्छृङ्खल होनेनहीं पातेहैं (तटाक) पद्माकर पक्केतालाब आदि कमलोंसे संयुक्त जलाशय और सामान्यभी कि जिनसे सर्वजीवों को सब सौख्य तथा बस्तीभी सम्पन्न प्रतीत होती है (प्रशस्तभूमिभागस्थो बहुसंवत्सरोषितः । जलाशयस्तडागः स्यादित्याहुः शास्त्रकोविदाः) (आराम) उपवन बाग आदि जिनसे तद्रूप यथा नाम तथा गुण आराम सभीजीवोंको उत्पन्नहोती है इनसब चीजोंकी संस्कृत नाम दुरुस्ती जो पुरानी विगड़ीपरीहों तिनका उद्धार जारीकर देना या मरम्मत आदि जो कुछ उचितहो और इन चीजोंकी उपरालू वृद्धिभी जिसभाँतिसे होसकीहो करते रहना-तद्वत्-अनाथ जिनका कोईपालयिता निपटनहो या दरिद्री जो अकिंचनहों तिनका देहसंस्कार तथा कर्मसंस्कार आदि प्रयत्न और यजनक्रिया यज्ञादि उत्तम कर्मकरनेवाले असमर्थों को धनदान आदिसे प्रबंधकरना जिससे सृष्टि अष्टाचारिक नहोजाय और (कुलायन) का निरोध भी अर्थात् कुलायन दुर्भिक्ष आदि दशाका रोकना किसीउपायसे इतिकेचित् यद्वा (कुल्यायन) ऐसा पाठ कल्पतरु में देखागया है और उसका अर्थ ऐसाहोताहै कि कुल्यानामनदी तिनका अयनचढ़ाव अहिला आदि चढ़िआना तिसका निरोधनाम रोकना किसी युक्तिसे-और निरोधश्च-इसके अंत्य चकारसे प्रवर्तन अर्थलेकर (कुल्या) नाम कृत्रिमनदी नहर नाली आदि जहाँ कहीं आवश्यक समुभीजायँ तिनका जारीकरवाना भी-अथवा कुलायनपाठ होनेमें कुल-संज्ञाजन पद आदि कुलों की तिनका अयन कहिये मार्ग यद्वा मोर्चा किसी आव-श्यकदशामें तिसका निरोध नाम रोकना भी औचित्यजानिकर यह अर्थहो परंच अगले वचनमें धर्म्या समयक्रिया कहने से यह मोर्चेवाला अर्थ संगत नहीं समु-भजाताहै-यह सबकाम हम सबलोगोंकरके (अंश) नाम कंधादेकर कियेजायँगे-जिसपत्र में यह ऐसा अंगीकार लिखाजाय वही धर्म्या समय क्रिया कहाती सो उन सबहीकर के यथा अवसर पालनीय होती है यदि कोई उनमें मुख्य समर्थ अधिकारी होतेहुये विसंवादकरै किन्तु अन्यथा करेया अन्यथा कहकर कोई भाँतिका व्यतिक्रम करवाव यद्वा आपकरै तिसकादंड पुरसे निकासिदेना और सर्वस्व छीनलेना है-इसव्यवस्थामें धर्म्या समयक्रिया एक दृष्टान्त उदाहरणमात्रसे दर्शाईगई किन्तु समुदायी लोगोंका काम केवल इमीधर्म्या क्रियापर आरूढ़नहीं बल्कि ऐसे समुदायों को बहुतेरे काम सोंपेजातेहैं और विनासोंपेभी आवश्यक दशामें जबकोई काम संधि विग्रह आदि



अपूर्व आनिपरता है तब सभी समुदायी अपने संविद्से प्रतिकार उसका सोचि विचारिकर उत्पन्नकरते हैं और जिसकेद्वारा सिद्धि उसकी संभव देखिपरतीहो तिसही को उस कार्यमें नियुक्त कियाजाताहै दृष्टान्त जहाँ पाखंडीगण नगनाट सौगत आदि दिगंबरलोगोंसे कुछकाम चलता समुभाजाय तहाँ उनहींको वह आज्ञादीजाती है कि ऐसाकरौ बल्कि इसीहेतुसे समुदायोंमें प्रत्येक विद्याकर्माँके विज्ञातालोग संग्रह करने कहेथे-इस अत्रोक्त आशयसे ऊपरला मोर्चेवाला अर्थभी असंगतनहीं क्योंकि इन समुदायोंके कर्तृत्वकी कुछनियत अवधि नहीं है अर्थात् जैसा एक धर्म्यासमय क्रियामध्ये पत्रलिखना कहागया तैसा औरभी प्रत्येकसमय क्रियाका स्वीकार पत्र लिखना सूचितहै-कात्यायनजी-अब समयविचारकी मर्यादानियतकरते हैं कि उसमें कोई अनुचितरीतिसे नबोलै-यथा-(युक्तियुक्तं वचो हन्याद्वक्तुर्योऽनवकाशतः । अयुक्तं चैव यो ब्रूयात्सदाप्यः पूर्वसाहसम् )-अर्थात्-यदि कोई समय विचारकी बेरा किसी प्रवीण करके न्याययुक्ति साथ उच्चारण किये ठीक उपाय रूपी बचन को निकलते साथसमुझे सोचेबिना अनंतर काटिदेवै या जो कोई अपने आप अयुक्त बोलै तो वहपूर्वसाहस दंडदेने योग्य है-बृहस्पतिस्तु- ( यस्तुसाधारणं हिंस्यात् क्षिपेत्त्रैविद्यमे ववा । संधिक्रियां विहन्याच्च सनिर्वास्यस्ततःपुरात् )-अर्थात्-जो कोई किसी साधारण दंडआदिसे आगामी धनको हिंसितकरै किंतु दंड्यआदिका सहाय करनेआदि प्रकारोंसे मिटावै यद्वा किसी त्रैविद्य पूरे अधिकारीको कुछ आक्षेपकरै किंतु किसी भाँतिसे कुछ तिरस्कार उसकाकरै यद्वाहोतीहुई संधिक्रियाको कुछखेंटी अनुमति देकर मेटिदेवै सो उसपुरसे बाहर काटिदेनेयोग्यहै-बृहस्पतिजी-समूही लोगोंके परस्परद्वेष आदिसे मर्यादा रहित कामकरनेमध्ये दंडकहितेहैं-यथा(बाधांकुर्युर्दैविकस्य संभूताद्वेषसंयुताः । राज्ञातुविनिवार्यास्तेशास्याश्चैवानुबन्धतः)-अर्थात्-जेकोई अधिकारी अपने कामरूपी ऐश्वर्यसे संभूतहुये परस्पर द्वेषभावसे संयुक्तहोकर दैविकवाधा करै वे सवराजाकरके प्रथम निवारणीयहैं पश्चात् दंडविधिके मार्गसे सब यथापराध दंडनीयहैं-यहाँ दैविकवाधा मंत्रयंत्र आदिनहीं किंतु निज निज अधिकारवाले कार्यमें विधिहेतुकी प्रदर्शकहै दृष्टान्त जैसे कोई लघुअधिकारी अपने कार्यपत्रोंमें पराये द्वेष करके जानिवूझिकर कुछगूढ़ छिद्ररहिनेदे कि निःसंदेह इसकादोष अमुकामुक मेरे द्वेषियोंपर आरूढ़होगा और वे दंडपावेंगे क्योंकि ऐसेछिद्रोंका उत्तरदान उनके जिम्मेहै तो यह दैविकवाधाकरी- दूसरायह दृष्टान्तहै कि कोई लघुअधिकारी अपनेकाम को धर्मानुसार शुभचिंतकतासे निर्लेपहोकर करताहो और उसमें दैवयोगसे कदाचित् कोईस्वल्पछिद्रभी होजाय जिसतेसिर्फ अनुक्रमकाही विघ्नसमुभा जानेके सिवायकोई हानि संभवनहींथी अर्थात् ऐसाछिद्र शिक्षादेकर क्षमाकरने योग्यथा परंच कोईगुरु

अधिकारी निजअधिकार बलसे उसपर द्वेषभाव रखनेकेहेतुसे उसछिद्रको अनुक्रम विधि प्राबल्यहेतुक तर्कोंसे बढ़ाकर ऊँचेबाँसपर धरदेवै जिसते पूरादण्ड उसको होय तो यह दैविक बाधाकरी-अस्यदृष्टान्तस्यप्रमाणंयथा- (यत्तुसम्यगुपक्रांतंकार्यमेतिविपर्ययम् । पुमांस्तत्रानुपालंभ्योदैवान्तरितपौरुषः) अर्थात्- जहाँ कोईकाम अच्छीहोशियारीसाथ दबाकर वशमें लायाहुआ दैवाधीन विपर्ययको अर्थात् उलटा विकृतिको पहुँचता है तबउसकामका कर्तापुरुष अनुपालंभ्यहोवै क्योंकि दैवयोगसे अंतरित पौरुषहुआ-अर्थात् उसने अपनापौरुष करनेमें कुछ किंतुशेष नहींरक्खा तौभीदैवने मर्दानगी उसकी दूरकरी तौ इसअवसरमें अबउसका दोषनहींहै इसहेतुसे उसकर्ता को कुछ उपालंभनाम दुर्वाक्यदेना योग्यनहीं॥(अथमर्मोद्घाटकादीनांदंडः)-तदाहृहस्पतिः-(अरुंतुदःसूचकश्चभेदकृत्साहसीतथा । श्रेणिपूगनृपाद्विष्टःक्षिप्रंनिर्वास्यतेततः॥ पूगश्रेणिगणाध्यक्षाःपुरदुर्गनिवासिनः । वाग्धिग्दंडपरित्यागंप्रकुर्युःपापकारिणाम् ॥तैः कृतंयत्स्वधर्मेणनिग्रहानुग्रहंनृणाम् । तद्राज्ञाप्यनुमन्तव्यंनिसृष्टार्थाहितेस्मृताः)-अर्थात्-एक(अरुंतुद)जो मर्मभेदकरै किंतु गूढ़संविद् समयोंका असलीतत्त्व उघाड़ै (सूचक) पिशुन जो उसबातमेंसे और बातसूचन करिकैफैलावै (भेदकारी)जो समुदायीलोगोंमें परस्पर फूटकरावै (साहसी)जो कोईभाँतिका अनिष्ट साहस कर्मकरै पाँचवाँचह कि जो श्रेणी यद्वापूग तथाराजामें कुछ द्वेषखड़ाकरै अथवा (द्विष्टः) ऐसाठःकारांतपदहोनेसे श्रेणी पूगराजामेंदो भाँतिरहै किंतुउनसे और भाँतिउनसे और भाँतिमिलापरस्वैयह सिद्धांतहै- यह पाँचभाँतिका मनुष्य उन समुदायोंमेंसे शीघ्रदूर कियाजाय-इसमें यह संदेह शेषरहा कि वे समुदाय जब देशांतरमें उपस्थितहोयँ जहाँ राजानहीं तौ फिर कौन इनको दूरिकरनेका अधिकारीहै जो शीघ्रदूरिकरै तिसके लिये अगला वचन कहितेहैं कि-पूगश्रेणी गणोंके अध्यक्षलोग जो कुछ अंतरसे पुरदुर्गोंमें निवास करते हों वेही पापकारियों को यथापराधके अनुसार वाग्दंड धिग्दंड या परित्याग नाम उहदासे उतारिदेना आदि जो जो उचित समुभै सो सबकरै-वाग्दंडका रूपयथा तू पापिष्टहै तू बुराहै इत्यादि और धिग्दंड तुभेधिकार है जो ऐसाकिया फिर न करन कभी-परित्यागके दोरूप हैं कि या तौ निपट निकासिदेना अधिक दोषमें या दोषकी लाघवताजानि ऊँचेउहदासे उतारिदेनायद्वा श्रेष्ठकामोंमध्ये अनुमतिलेनीछोड़िदेना ही अतिस्वल्प दोषमें और इसकेसाथ यथासंभव कुछ धनदंडभी या बंधन वा अपकारआदि जोकुछ उचितहो सोभी निग्रहशब्दके भावार्थसे सबसूचितहै-उनअध्यक्षोंने मनुष्योंको यदि निग्रहनाम कोईदंड या अनुग्रहनाम दोष क्षमा यद्वा उहदा कर प्रसादआदि जो कुछ अपनेधर्मके अनुसार कियाहो सो सवराजाकोभी माननाय है क्योंकि वे अध्यक्षलोग सदा निसृष्टअर्थ किंतु जीअस्ख्यार कहाते हैं अर्थात् शत्रु

प्रबन्धसे इनकामोंके अख्त्यारकी अनुज्ञा सौंपेहोते हैं-अपनेधर्मके अनुसार करना कहिनेसे यहभाव सूचितहुआ कि जितना उनको अख्त्यार सौंपागयाहो और जैसी कुछ मर्यादें उनकी नियतहों तिसते विपरीत यद्वा अधिक जो कुछ कियाहो तिसको राजानहींमानै किन्तु निज अधिकारके अनुरूप करना योग्य है -तथापि-उन अध्यक्षों का यहधर्महै कि जो कुछकरें पहले राजाको संबोधन देकरकरें-यथाहकात्यायनः-(साहसीभेदकारीचगणद्रव्यविनाशकः । उच्छेद्याःसर्वएवैतेविख्याप्यैवनृपेभृगुः )-अर्थात्-साहसी, भेदकारी, और गणका द्रव्य विनाशकरने वाला इतने सभी निकासि देने योग्य हैं परन्तु राजापर विख्यापन करिकेही बरखास्त करै-यहां गणका द्रव्य कहिने से यह आशय नहीं कि सबहीका धनखोवै यद्वा हरै तब यहदोष मानाजाय किन्तु गणमेंसे यदिएक सिपाहीका भी कुछ धनहरै यद्वा नाशकरै तौ गण द्रव्यविनाशक दोषलगताहै-समुदायोंमें परस्पर फूट करानेमध्ये दण्ड सबसे अधिक है-यथाहनारदः-(पृथग्गणांस्तुयेभिंच्युस्तेविनेयाविशेषतः । आवहेयुर्भयंघोरंव्याधिव तेह्युपेक्षिताः) अर्थात्-जुदे अन्तर सहित रहितेहुये गणोंको जे कोई भेद करावै ते अपराधी लोग विशेषतासे दमनीय हैं कि उनको चाहै तैसे विविध प्रकार दंड दिये जायँ-और जे कोई कातर आदि महाघोर व्याधिवाले भयको अपने मनहीसे उत्पन्न करिकै मानै और गणपूग आदि सब समुदायोंको भयभीतकरै ते समुदायमेंसे त्यागि दियेजायँ किन्तु इनको कातरत्वके अनुकूल तीव्रदण्डनहीं परकातर्यसे अन्यत्र जैसा रूपकहो दण्डभी संसूचित है (रहस्पतिस्तुधनदंडंविशेषयति) यथा (तत्रभेदमुपेक्षां वायःकश्चित्कुरुतेनरः । चतुःसुवर्णेषणिष्कास्तस्यदण्डोविधीयते) अर्थात्-उन समुदायोंमें जो कोई पुरुष फूटकराताहै या अपने अंगीकारकिये संविद्की उपेक्षा किन्तु त्याग करने लगताहै तिसपर शास्त्रोक्त परिभाषावाले ४ सुवर्ण या ६ निष्कोंका दंड लियाजाताहै-दोनों दंडोंका विकल्प जैसे उत्तम मध्यम विषयवाला दोपहो या जैसीउस अपराधीकी शक्तिहो तिसकेअनुसार समुभाजाय परंच बड़ेछोटे या सोनेचाँदीकेभेदसे निष्क अनेकभाँतिकेहोते हैं इसलिये जहां जैसाअपराधहो तैसानिष्क मानाजाय-जहां किसी बलवान्से अपराधहुआहोजिसकादण्ड उनअध्यक्षोंकेअधिकार यद्वाशक्तिसेही बाहरहो तिसकोराजा आप दंडकरै-जैसा-राज सम्बन्धी समयातिक्रमका यहदण्ड विधानं वर्णनहुआ तैसेही यदि प्रजामेंसे कोई अपने निजके कारखानेमें कुछथोड़े बहुत मनुष्यों से अपेक्षित समय अंगीकार करावै और वे अंगीकार करनेवाले समयों का अतिक्रमकरै तौभी राजा दण्डदेवै-यहां राजाके उपलक्षणमें अध्यक्ष प्रांडुविवाक आदिभी सब समुभेजायँ जिनको राज्यसे अधिकार मिलाहो सो इनवातोंका व्योरा अगले मनुके बचनसे स्पष्टहै-यथा-(योग्रामदेशसंघानांकृत्वास्त्येनसंविदम् । विसंव

देन्नरोलोभात्तराष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ निगृह्यदापयेच्चैनंसमयव्यभिचारिणम् । चतुःसुवर्णान् षण्णिकाञ्छतमानंचराजतम् ॥ एवंदण्डविधिकुर्याद्धारमिकः पृथिवीपतिः । ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ) अर्थात्-मनुकहिते हैं कि जो कोई पुरुष किसी ग्रामसे या देशभर के साथ यद्वा संघनाम वणिक् व्यापारी आदि समूहोंकेही साथ सत्यधर्म किन्तु शपथ आदि सत्यप्रमाण सहित कोई भाँतिका संविद् समय अंगीकार करिके कि हम अमुकामुक भाँतिके प्रयोजनों मध्येऐसा करेंगे या ऐसा करने से निजहाथ खींचेंगे और पीछेलोभ आदि किसी दुर्हेतुसे अतिक्रमकरै तौ उसपुरुष को राजा राज्य बाहर काढ़िदे क्योंकि आज उसके साथकिया कलह औरकेभी साथ यह विश्वास घात करैगा-राज्य भूमिसे बाहर काढ़िदेना उस अपराधकी अधिकता या उस कार्यकी गौरवतामें सुनिश्चितहै इसलिये जहां अपराध सूक्ष्महो यद्वा कार्यमें कुछ लघुताहोय तहां कारखानेसे निकासिदेना यही राज्यबाहरहै औरऔर भाँतिके धनदण्डभी अपराधके अनुसार लेनायोग्यहै सो अगले वाक्यसे दर्शाते हैं कि इस अपराधी समयतिक्रमकारी को घेरिकर यातौ चार सुवर्णवाले छे निष्क दण्ड दिलावै यद्वा शतमानवाला एक राजतं उस्से दिलवावै और स्पष्टभाव इसका यह कि शास्त्रोक्त परिभाषावाले सोरह मासोंका एकसुवर्ण होताहै ऐसे चार सुवर्णकी बराबर तुलिकर बनाहुआ एकनिष्क ऐसे छे निष्कोंकी बराबरसोना दण्ड लियाजायसो यह नियम इसलियेहै कि निष्क और भी अनेक भाँतिके हलुके भारीहोते हैं न जानें कैसे निष्कलेने योग्य हों इस्से चार सुवर्णवाले निष्क यह संदेह दूरकिया-अथवा शतमान एक राजत अर्थात् शतमान कहिते हैं एक पलभर चाँदीको और एकपल शास्त्रोक्त ४ तोले भरकाहोताहै और वही लौकिक तोलासे (तीनतोले दोमासे आठरत्ती) का होताहै इसअन्तरका यह कारणहै कि तोला ८० गुंजाभर और एकतोला ६६ गुंजाभर होताहै-सिद्धान्तसे यह दण्डसिर्फ ३२० रत्ती चाँदी नियतहै और यही अर्थ ठीकहै कि उसको काढ़िदेने के सिवाय इन दोभाँतिके धन दंडोंमेंसे यातौ सोने का गुरु दंड या चाँदी वाला दंड उस अपराधकी लघुता यद्वा कार्यकी मध्यमता या अपराधीकी शक्ति थोड़ी जानिकरले लियाजाय-तिसको प्रायःसंग्रहकारोंने अनेकभाँतिके लिखाहै-किसीने तौ चारदंड गिनतीकियेहैं कि एक देश निकाला १ चारसुवर्ण २ छेनिष्क ३ शतमान राजत ४ इन चारोंको जाति विद्या आदिकी अपेक्षासे व्यवस्था कल्पितकरै सो यह चार संख्या नहीं-किसीने कुछ और भी लावण्य प्रकट कियाहै कि इन चारोंको ब्राह्मण आदि चार वर्णोंपर यथा क्रमसे कल्पितकरै निपट असंगत मनु कहितेहैं कि धार्मिक धरणीपाल किसी बस्ती या जाति या समूहों में संकेत का व्यभिचार करने वालोंको याही विधिसे दंडकरै जैसा वर्णन किया गया १६२ । १६३ ॥

(अथसमूहसत्कारप्रकारः)

समूहकार्यं आयातान्कृतकार्यानि विसर्जयेत् । सदानमानसत्कारैः पूजयित्वा महीपतिः १९४ ॥

समूहकार्यप्रहितो यच्छभेत तदर्पयेत् । एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नार्पयेत्स्वयम् १९५ ॥

ऐ०—कदाचित् किसी समूहके सहायरूपी कामोंमें बुलायेहुये समूहीलोग नौकर या बेनौकर किसी भाँतिके जो आयेहों और वे अपने कामोंके संसाधनसे निवृत्तहोजावें तभी राजा उन कृतकार्य गणपतियों को उत्तमदान मानसहित खिलअत इनामके सत्कारों से परितुष्ट करिके आप विसर्जनकरै सो इसदङ्गसे कि उनगणपतियों का सत्कार करनेके सिवाय उनकेगणका स्वत्वजुदासौपै तिसको वेहीलेकर बाँटिदें १९४ ॥ कोई गणपति किसी समूहकार्य में लगायाहुआ पहले यद्वा पीछेही कुछद्रव्यगण सत्कार हेतुकपावै सो बिनमांगेही उनलोगोंको समर्पणकरै जिनके अर्थ पायाहो-जोयह पुरुष अपने आपनहीं समर्पणकरै तौयहदण्डहै कि ग्यारहगुनादिलायाजाय १९५ ॥

अधि०—बृहस्पतिजी विशेषता इसमें कहतेहैं-यथा-(ततो लभ्येत यत्किंचित्सर्वेषामेव तद्भवेत् । षण्मासिकं मासिकं वा विभक्तव्यं यथांशतः ॥ देयवानिः स्ववृद्धां धस्त्री बालातुररो गिषु । सान्तानिकादिषु तथा धर्मेषु सनातनः)-अर्थात्-तहाँराज्यस्थानसे जो कुछ थोड़ा बहुत पावै चाहै षण्मासिकहो यद्वा मासिक मिलाहो सबको अंशोंके अनुसार बाँटिलेना योग्यहै-आशय इसकायह किजो समुदाय किसीविदेशमें तैनाथ कियागयाहो यद्वादेशमेंकुछ अंतरसे व्यवस्थितहो उसकेलिये किसी प्रकारका कुछ खर्च उनकी तनखाहों मध्ये या भक्ता जिसे भाषामें भी भक्ता कहितेहैं सो राहखर्च के हिसाबों मध्ये मिलाहो यद्वा अनियत गोल खर्च कहिकर मिलाहो जिसका लेखा काम निपटे पीछे लेना संभवहो यद्वा गोल इनाम जिसका व्योरा वर्णनहुये बिना किसी गणपतिको मिलगया हो कि अपने गणको यह बर्तावैगा इत्यादि किसी रीतिसे जो द्रव्य चाहै थोड़ा या कुछ बहुत मिलाहो तिसको पानेवाला लेकर उस गणमात्रको कि जिसका वह अध्यक्ष हो या जिस गणके उद्देश करके उसको सौंपागया हो शीघ्र सबके अंशोंके अनुसार बाँटिदे-छमाही और मासिक तथा अंशोंके अनुसार कहिनेका यह भावहै कि जहाँ साल या दोसालकी तनखाह या भक्ता आदि चढ़ाहो और उसमेंसे कुछ द्रव्य अनियत गोल गोलदियागयाहो जो उस एक अध्यक्षकी छमाही तुल्य समुभाजाय वही सबको बाँटि देनेसे पखवारेकी तनखाह निपटि सक्तीहो तौ इसदशामें अध्यक्षको यह योग्य नहींहै कि ठेठ अपनीही छमाही मध्ये रखकर शेष गणको भूखामरनेदे इसलिये यह दृष्टांत दियाहै कि थोड़ीघनी सबहीकी तनखाहोंके अनुसार उसको तुल्य बाँटिदेवै जिस्से सबहीको पखवारा या सबहीको अठवारा या सबहीको एकमाहा पहुँचै इसीप्रकार और भाँतिके भी लाभोंमें कर्तव्यहै कि जिनका चर्चाअभी कियागया अथवाजहाँ

पुण्यखाते के नामसे कुछमिलाहो तिसकेलिये अगला वचन कहते हैं कि-यद्वादेयधन कुछमिलाहो तौ उसधनको निर्धन, बूढ़े, अन्धे, स्त्रीजो अनाथहों, बालक, आतुर, रोगी, बहुतसी सन्तानयुक्त कुटुम्बी इनमेंवर्तावे किन्तु आप नहींपचावै यहीसनातन धर्महै-गणकेअर्थ लियाहुआ ऋणभी राजप्रसादकेही तुल्यसबकाहोता है-तदप्याहवृहस्पतिः(यत्तैःप्राप्तंरक्षितम्वागणार्थम्वाऋणंकृतम्। राजप्रसादलब्धंचसर्वेषामेवतत्समम्) अर्थात्-उन समुदायी लोगोंने जो कुछपाया यद्वा रक्खाहो या गणके अर्थ ऋणकुछ कियाहो यद्वा राजाके प्रसादसे कुछपायाहो सो सब सबहीका समानहै-समान शब्द यहाँभी उसन्यायका संसूचकहै कि जिसका जैसामासिकहो तैसाही वहअंशपावै या ऋणभरै क्योंकि अधिक मासिकवाला कार्यभी कुछअधिक साधन करताहै इसलिये प्रसाद अधिकपावै ऐसेही वहअधिक मासिकवाला खर्चभी सामान्य ऋणमें अधिक उठाताहै इसलिये ऋणका अंशभी निजमासिक संख्याके अनुसारभरै सो यहनियम उसीऋणमें है कि जहाँसबने मिलकर खयाखर्चाहो अन्यथा अपना अपना भिन्न हिसाब-इसवचन में (यत्तैःप्राप्तं) उन्होंने जो पायाहो इसकथनसे प्राप्तहोना किसीऐसे मार्गसे कि जोअपूर्वलाभ अचिन्त्यलाभसमुभाजाय जैसे किसीयुद्धकी लूटिमेंदशआदमीमिलकरकोई वस्तु पावें तौ उस उतने गणका सबहीका वह स्वत्वहै कि जोउन दशके साथ उपस्थितहों चाहै उनका हाथ उसमेंलगाहो या नहो इसीप्रकार औरकोईलाभ जो अपूर्व जैसे निधिका प्राप्त होना आदि ऊहाकरनी सो उन सबहीका वह स्वत्व है औरउक्तरीतिके अनुसार सबके अंशहों-इसीवचनमें (रक्षितंवा) उन्होंनेजोरक्षाकिया हो इसका यह सिद्धांत है किजो कुछ खर्च उनको गोल गोलबिना हिसाब किये इकट्ठा मिलाहो या यह कहिकर मिलाहो कि इतने खर्चसे उसकामको संसिद्धकरना और वह खर्चइतना अधिक था कि उसदेशाटनआदि किसीअपेक्षितकामके संसिद्ध होजानेपर बचिरहा किन्तु उन अध्यक्षोंने युक्ति साथ खर्चकरनेसे बचाइ रक्खाहो उनकी कारगुजारी आदि किसी हेतुसे यदि राजाने उसद्रव्यका परिवर्तन करना योग्य नहींसमुभा उन्हींको यदि मुवाफ़रक्खाहो तिसका यहवर्तावाकहा कि सबका है कुछ एक पहचान नहींसक्ता-इसी वचनमें राज प्रसाद लब्ध कहिनेका यह भावहै कि निज अपनेयद्वा और किसी राजाने प्रसाद अर्पण कियाहो तौ उन सबका स्वत्वहै कि जितना गण उसकार्य में नियुक्त किया गयाहो-ऋण जो सबका तुल्यकहा-तिसके मध्ये किंचित् अपवादभी कात्यायनजी दर्शातेहैं-यथा-(गणमुद्दिश्ययत्किंचित्कृत्यर्णंभक्षितम्भवेत्। आत्मार्थंविनियुक्तंवादेयंतेरेवतद्भवेत्)-अर्थात्-जो कुछ किसीगणके मुख्यलोगोंने निज गणके नामसे ऋणकरिके खयाहो यद्वा ठेठअपनेअर्थ लगायाहो सोसब उन्हीं देवहै-पूर्वोक्त वृहस्पतिके वचनानुसार इसमें जो प्रत्यक्षविरोध देखिपरता



मात्रहै कुछविरोध इसमेंनहीं क्योंकि इसमें सिर्फयही आज्ञाहै कि जो अध्यक्षोंके हाथ से ऋण लियागयाहो तिसके देनदार वेहीहैं अर्थात् गणके ऊपर कोईधनी दावानहीं करसक्ता और उसपहले वचनका यहभावथा कि सबहीलोग निजनिज अंशके अनु-सारदेन दार हैं अर्थात् उनकी तनख्वाह यद्वा इनाम आदि किसी धनमें से अध्यक्ष लोग लेसक्ते हैं-इसी अपेक्षामें कात्यायनजी अबउनका नियम कहते हैं जो गणकी कृपासे उस गणमें कभी बीचमें प्रविष्टहुये हों यद्वा गणके क्षोभ आदि हेतुओंसे गण बाहरहुये हों-यथा-( गणानांश्रेणिवर्गाणांगताःस्युर्येपिमध्यताम् । प्राकृतस्यधनर्णस्यस मांशाःसर्वएवते ॥ तथैवभोज्यवैभव्यदानधर्मक्रियासुच । समूहस्थोशभागीस्यात्प्राग्ग तस्त्वंशभाङ्नतु ) अर्थात्-गणश्रेणी वर्गोंमें जे कोई मध्यदशामें भी पहुँचेहों तौ वेस-भी पहलाधन ऋणलेने देने दोनों बातके बराबर भागीहैं किजैसे गणके और लोग यहाँ धन कहिनेसे वह द्रव्य अपेक्षितहैकि उनके आनेसे पहले जो कुछ प्रसादपारि-तोषिक आदि आकर संचितहुआ हो और अबतक बँटने नहीं पायाहो (सो) इस अनायास प्रसादकेही स्वत्वसे पहला ऋण भी उनपर आरूढ़है कि जिसमें खाने के समय साथी नहींथे-तैसेही यदिकोई (भोज्य) वस्तुहो जैसे राजकीय यान वाहन आदि या (वैभव्य) नाम विभव योग्य कोई चिह्न हकूमति वाला एवं (दान) जैसे किसी कृत कार्यको इनामदेना दिलवाना आदि यद्वा और किसी भाँतिसे जो देना उन अध्यक्षों द्वारा होताहो एवं और जो कुछ धर्म क्रियाआदि राज कार्यके प्रभुत्वसे संप्राप्त होती हो तिनमें सबहीमें वह पुरुषभागी होताहै जो समूहमें उपस्थित हो किन्तु छुट्टीआदि कारणोंसे जो पहले चलागयाहो वह इन बातोंका अधिकारी तबकत नहींहै कि जब तक लौटि समूहमें न आवै १६४ । १६५ ॥

( कथंभताःकार्यचित्तकाभवेयुः )

धर्मज्ञाः शुचयोऽलुब्धाभवेयुःकार्यचित्तकाः । कर्तव्यंवचनंतेपांसमूहहितवादिनाम् १९६ ॥

श्रेणिनैगमपाखंडिगणानामप्ययंविधिः । भेदंचैपांनृपोरक्षेत्पूर्ववृत्तिंचपालयेत् १९७ ॥

ऐ०-धर्मशास्त्रके विज्ञाताहों-(शुचि)अर्थात् बाहरली इंद्रियोंकी चंचलता आदिसे रहित और शारीरिक संस्कार तथा शौच कर्मसे भी निर्मलहों और भीतरलें मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टयसे भी शुद्धहों-(ऽलुब्ध) लोभी लोलुपनहों-ऐसे मनुष्य कार्य चित्तकहों अर्थात् उन कामोंका विचार करने मात्रमें नियुक्त कियेजायँ जिनमें पूर्वोक्त समुदाय तत्पर करने आवश्यकहों-तिनमें भी जेकोई अतिशय भावसे समूहोंका हित कहिनेवालेहों तिनका वचन सबहीको स्वीकार करना योग्यहै अर्थात् शेष विचार कर्ता लोग तथा राजा और समुदायोंको भी उनका वचन प्रमाण करना उचितहै १६६ यही विधान श्रेणिनैगम पाखंडी आदिगणोंका भी जानों अर्थात् प्रत्येक अपने गण

समुदायमें जेकोई हितके कहिनेवाले हों तिनका कहिना शेष औरोंको कर्तव्यहै और इन सबहीका (भेद) कहियेधर्म व्यवस्था जोकुछ गूढ़भाव नियतहुआहो तिसकी रक्षा जैसे बनिआवै राजा आपकरै और उस पूर्व वृत्तिका भी पालनकरै कि जैसा जैसा वचन जिस जिसके साथ पहिले राजाने स्वीकारकियाहो-यहाँ श्रेणी शब्द उनपंक्तियोंका वाचकहै कि जो एक पण्य वस्तुके क्रयविक्रयसे अनेक अपना व्यापार करतेहों या एकही शिल्पकामसे अनेक अपना पेशारखतेहों-नैगम शब्दसे पौरलोग नागरलोग वाणिज्ज लोग अपेक्षित हैं और इसी निगम शब्दसे वे लोग भी अपेक्षित हैं कि जो वेदको यथार्थ अंगीकार करतेहों-पाखंडी जो वेदका प्रमाण नहीं चाहते हों नग्नाट सौगत आदि-गण शब्द यद्यपि सामान्य भाव सब समुदायों का वाचक है पर यहाँ उसको जुदामानिकर हथिआरबंद सेना आदि समूहोंके भावार्थ में समुभना इनका नियम ऊपर सब कहिचुके १६७ ॥

अधि० सहद्वयोः-बृहस्पति ने कार्य चिंतक लोगोंकी संख्याभी दर्शाईहै-यथा-(द्वौत्रयःपंचवाकार्याःसमूहहितवादिनः । कर्तव्यंवचनंतेषांग्रामश्रेणिगणादिभिः)-अर्थात्-समूहका हितकहिनेवाले कार्य चिंतक दो यातीन अथवा पाँचकरने चाहिये तिनका कहा वचन ग्राम श्रेणी गणोंआदि सबहीको कर्तव्यहै-यह दोतीन पाँचवाली संख्या कुछ परिनियमित नहींहै और कार्य चिंतक लोगोंकी संख्याका कुछ एक नियम नहीं किन्तु बहुधा भाँतिके वे नियतहोते और होसक्ते हैं और उनका नियम यह भी नहीं कि सिर्फ राज्यके नौकर हों या बेनौकर किन्तु यथा संभव दोनों भाँति के होसक्ते हैं परंच दो या तीन पाँचवाला नियम इसलिये है कि वेही जो अनेक भाँति के इस बात में प्रसिद्ध किये गये हों तिनमें से आवश्यक समय पर दो तीन पाँच योग्य जानिकर बुलालिये जायँ (दृष्टांत) जैसे किसी कार्यकी अपेक्षा में विचित्र बुद्धी समुदायियों ने संप्रार्थित किया कि यह काम सरकारी नौकरों के सिवाय किसी अमुकभाँतिके मनुष्यकी सहायता लेकर सिद्ध होसक्ता है तब तत्काल उनके कथनमात्रसे उस अन्यपुरुषकी सहायता खड़ी करनी योग्य नहीं किन्तु उसके लिये समय विचारभी कर्तव्य है इसलिये यद्यपि सभीकार्य चिन्तकलोग इकट्ठे नहोसक्तेहों या सबका आवाहनकरना कुछ आवश्यक नहीं समुभाजाय तौ इसदशा में दो तीन पाँच योग्य जानिकर बुलायेजायँ तिनके द्वारा उसी अन्यपुरुषकी सहायता खड़ी करने मध्ये पर्वापरका विचारहोकर जो कुछ उचितहो सो फिर किया जाय ( कार्य चिन्तकेष्वपिहैयोपादेयत्वंराज्ञैवकर्तव्यं )-तदप्याहबृहस्पतिः-( विद्वेषिणोव्यसनिनःशालीनालसभीरवः । लुब्धातिवृद्धवालाश्चनकार्याःकार्यचिंतकाः ॥ शुचयोवेदधर्मज्ञाश्चादान्ताःकुलोद्भवाः । सर्वकार्यप्रवीणाश्चकर्तव्याश्चमहत्तमाः ) अर्थात्-जो विद्वेषीहैं

व्यसनीहों, शालीन घरघुसा लज्जामानहों, जिनके मुखसे बातनहीं निकसै, आलसी हों, भीरुडरपोकाहों, लोभीहों, अतिबूढ़ेहों, बालकहों, राजा ऐसेलोगोंको कार्यचिन्तक नहीं बनावै किन्तु जो बनिचुकेहों तौभी इनको नहींरखै किंच उनकोकरै जो शुचिहों शुचिकाअर्थ ऊपरकहागया, वेद धर्मशास्त्रोंके विज्ञाताहों, दक्षचतुर जो शीघ्र किसी बातके प्रयोजनको समुभिसक्तेहों, दान्त जो बाहरली इन्द्रियोंको निजवशमें रखतेहों कुलोद्भव कुलीन जो अच्छेकुलमें जन्मेहों, पर सबतरहके कामोंमेंभी प्रवीणहों किन्तु प्रायः सभीकामोंका अभ्यास रखतेहों जो उनकामोंका विचारकरना और करवाना कामलेना आदि उनको सुगमहो, महत्तमहों किन्तु बड़ेआदमी जोकुछ राज्यका संबन्ध इलाकारखतेहों, यद्वा इतनेगुण संयुक्त होतेहुये इलाकेदारनहों तौभी राजा उन्हें इलाकेदारबनाकर कार्यचिन्तक नियतकरै यहसिद्धान्तहै-अत्रापि-(युक्तियुक्तवचोहन्या द्रक्तुर्योऽनवकाशतः । अयुक्तंचैवयोब्रूयात्सदाप्यः पूर्वमाहसमितिकात्यायनवचनस्य पूर्ववत्प्रयोजनंवर्तते)॥अथपाखंडादि सर्वसमूहेषु राज्ञाकथंवर्तितव्यं ॥-तदाहनारदः-(योधर्मः कर्मयज्ञेषामुपस्थानविधिश्चयः । यज्ञेषांप्रत्युपादानमनुमन्येततत्तथा)-अर्थात्-इन पाखंडीआदि उक्तसमूहोंका जोकुछ निज निज स्वाभाविकधर्मकर्महो या जैसी उपस्थान की विधिहो एवं जोकुछ उपादानउनपरहो सो सबराजाभी यथावत्मानै-यहाँ उपस्थान कीविधि कहनेसेयहभावहै किनमस्कारात्मक परिपाटी जैसे सेनाको एकत्रउपस्थितकरि कैजैसी राजनीतिके अनुसार उसकी रीतिहो तिसहीके अनुसार सलामीलेना उसमें ऊँचनीच वर्णभेदका कुछनियम जुदानहीं परंच सेनाकी सलामीकेसिवाय अन्यत्र साधारणभावकी दशामें पाखण्डीआदि जिसजिसगणके लोगोंमें राजाकेसाथ जैसा जैसा उपस्थानकरनायोग्यहो तैसा राजामानै-उपादान कहनेसे यहतात्पर्यहै कि जैसा कुछ कवाअदके अनुसार उनको खींचकर मर्यादाकेवश करनायोग्यहो वही राजा मानै किन्तु इसमें किंचित्भी रिआयत नहीं (और) उसी उपादानशब्दसे दूसराअर्थ यहभी है कि जोकुछ किसी व्यापारीआदि गणसे कोईभाँतिका करलेना योग्यहो तिसको भी तथैवमानै-अन्यच्च-(प्रतिकूलंचयद्राज्ञःप्रकृत्याचमतंचयत् । बाधकंचयदर्थानां तत्तेभ्योविनिवर्तयेत् )-अर्थात्-नारद और भी यह कहते हैं कि जो कुछ कर्मराजा के प्रतिकूल उनमेंहो एवं जो कुछकर्म अर्थोंका बाधक समुभाजाय चाहै वह स्वाभाविक हो यद्वा मतसे कल्पित हुआहो तिसको राजा उनमेंसे निवर्तित करवावै किन्तु किसी उपायसे उसकामका करना वर्जित करवावै जिस्से राज अथवा लाभका कुछ अनिष्ट न होसकै-अन्यच्च-( दोषवत्करणंयत्स्यादनाम्नायप्रकल्पितम् । प्रवृत्तमपितद्राजाश्रेयस्कामोनिवर्तयेत् ) अर्थात्-नारद और भी यह कहते हैं कि दोषवान् करण जो कुछ हो जो अशास्त्र विहित कल्पितहो यद्यपि बहुत कालसे प्रवृत्तभी होचुकाहो तिसको

श्रेयचाहने वाला राजादूरकरै-अस्ययथावदुदाहरणं-( यस्यराज्ञस्तुकुरुतेश्रुद्रोधर्मवि-  
वेचनम् । तस्यप्रक्षुभ्यतेराज्यंबलंकोशंचनश्यति ) समय संकेतोंकी रक्षा यद्यपि सब-  
ही को कर्तव्यहै तथापि उसकी अतिशय भाव चौकसी करनी राजापर आरूढ़ है-  
यथाहनारदः-( पाखंडनैगमश्रेणिपूगव्रातगणादिषु । संरक्षेत्समयंराजादुर्गेजनपदेत-  
था ) अर्थात्-पाखंडी जो वेदोक्त लिंगोंसे व्यतिरिक्त कोई चिह्नवेश धारण करतेहों  
पूर्वोक्त क्षपणक नग्नाट दिगंबर आदि इनमें भिक्षाचरण आदि जो कुछ समय संकेत  
होतेहों नैगम धनाढ्य बणिकजाती आदि इनमें (कुंचक) अर्थात् लिफाफा डाक थैली  
लेजानेवाले पुरुषोंका तिरस्कार करनेवाला अमुकामुक दण्डपावै इत्यादि नानाभांति  
के जो समय संकेत होतेहों श्रेणीजो एक एक भांतिके शिल्पोंवाला पेशाकरनेवाले  
अनेकहों इनमें अमुकश्रेणीसेही अमुकवस्तु बिकनी चाहिये यद्वा अमुकहृदस्थानमें  
अमुकामुक श्रेणियां बसिकर विक्रयकरें इत्यादि नानाभांतिके संकेत समय जो कुछ  
होतेहों-पूग समूह हाथी घोड़ा आदिके अर्थात् इनमें अमुक राजमार्गसे या दुर्गोंके  
समीप होकर कोई हाथी घोड़ा आदि सवारीके पूग नाम समूह लेकर नहीं निकसने  
पावै इत्यादि नानाभांतिसे संकेत समय जो कुछ होतेहों व्रात शब्दसे बहुभांतिशस्त्र  
अस्त्र संयुत सेनाका भाव है और गणकहनेसे अनेक कुलोंका समूह जिसमेंहो ऐसी  
सेनाकाभावहै या जनपद लोगोंका इकट्ठा होना जैसा कात्यायनके अग्रोक्तवचन में  
जो लक्षण है कि-( नानायुधधराव्राताः समवेतास्तुकीर्तिताः । कुलानांहिसमूहस्तु  
गणः संपरिकीर्तितः ) इनमें अस्त्रशस्त्र छोड़िकर युद्धादि छिष्ट स्थानों को न जावै  
कभी यद्वा अमुक समय अमुक स्थानोंपर शस्त्रादि लेकर नहीं जावै यद्वा प्रतिस-  
प्ताह मनादी होतीरहै किकोई छिपकर गुप्ततौर वातचीत न करने पावै यद्वा  
रात्रिसमय व्यूहों में जो कोईघुसै और वहतीनबार निरन्तर बूभाहुआ अनुत्तर  
होकर चुपका रहै उसपर निःसंदेह शस्त्रपातकरना इत्यादि नानाभांतिके संकेतसमय  
जो कुछहोते हों-( गणादिषु ) इसमेंआदि शब्द कहनेसे और भी अनेकलक्षण प्रकट  
होतेहैं-दृष्टान्त-यथा ब्रह्मपुरी आदिमेंरहते हुये महाजन आदितद्वत् राजपुरोहित और  
दानाध्यक्षआदि इनमेंसूचितसमयों पर कदाचित् कोईगुरु दक्षिणाहेतुसे यदिआवै तें  
वह अवश्य माननीय है अतिथिअभ्यागत कोईपुरमें आकर विमुखन जानेपावै ( अ-  
तिथिर्यस्यभग्नाशोगृहात्प्रतिनिवर्तते । सतस्मैदुष्कृतंदत्त्वापुण्यमादायगच्छति)इत्या-  
दिनाना भांतिके संकेतसमय जो कुछहोतेहों-और इसी आदिशब्दसे मुख्यविचार क-  
र्त्तालोगोंपर इसभांतिके आदेशकिआपलोगोंके विचारसेकिसीपुरके धर्मविचारस्थान  
आदिमेंकोई अयुक्त अधिकारी नियत नहो किंतुनिम्नोक्त लक्षणवाले नियतहुआकें  
यथा-( समःशत्रोचमित्रेचसर्वशान्त्रविशारदः । विप्रमुख्यःकुलीनश्चधर्माधिकरणोभवे

त्)धर्माधिकरणःप्राड्विवाकादिः-अन्यच्च-(कुलशीलवयोपेतःसर्वकर्मपरायणः। प्रवीणःप्रेषणाध्यक्षोधर्माध्यक्षोविधीयते)धर्माध्यक्षःप्राड्विवाकादिःप्रेषणाध्यक्षःस्थानपालादिःसतु वयोपेतःस्यान्नतुवालोवृद्धोवाकर्तव्यः नचनिर्गुणःकुंठितबुद्धिर्वाकर्तव्यः-अन्यच्च-(पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाःप्रांशवश्चाप्यलोलुपाः । धर्मादिकरणकार्याजनाज्ञानकरानराः) अर्थात् प्रायःधर्मविचार स्थानोंमें मनुष्योंको बुलानेवाले राजदूत ऐसेरखने योग्यहैं जो पुरुषान्तर दुर्जनआदि का यथार्थ तत्त्वउनका भेद जाननेवाले हों और प्रांशुकहिये ऊंचे कंधेवाले लंबे युवाअवस्थावाले हों और जो लोभीलोलुप न हों इत्यादि नानाभांति के संकेतसमय जो कुछहोतेहों राजा मुख्यविचार कर्त्तालोगों परभी संकेतित बनेरक्खें यहउस आदिशब्दका भावार्थहै-एवंदुर्गतथा जनपदमें भी-दृष्टान्त-जैसेदुर्गमें अज्ञात पुरुषकोई कारणविना न घुसनेपावै यद्वाधान्यादि संचयकभी इतनेसेभी कम न रहिने पावै-जनपदमें-दृष्टान्त-जैसे अमुकराजकरके संग्रहकरने में अमुकामुक भांतिकाउपद्रव नहीं उठनेपावै यद्वा कोई दूरदेशी पाखंडीआदि वेशधारी उच्छृंखल होकरव्यर्थविचरने नहींपावै इत्यादि नानाभांतिके संकेतजो कुछहोतेहों राजासबसंकेत समयोंकीरक्षा जैसे होसक्तीहो बनीरक्खै किन्तु जैसीरीतिसे संकेतोंको विकारनहीं पहुँचनेपावै सोई राजाकरै-इसीलिये-वृहस्पतिजी अबकहतेहैं कि इसमेंकुछ विश्वास हेतुभी उत्पन्नकरनायोग्य है-यथा-(कोशेनलेख्यक्रिययामध्यस्थैर्वापरस्परं । कुर्युर्विश्वासमुत्पाद्यकार्याणि समनन्तरम् )अर्थात्-( कोशविधि )जिसमेंदेवताके स्नानजलका पानकराकर शपथली जातीहै तिसते यद्वालेख्य क्रियासे कि जिसमेंसमयपत्र लिखवाकर,पण करवायाजाता या मध्यस्थ कोई प्रतिभूनाम जामिनि बीचदेकर धर्मकरायाजाय या उसकार्यकीगौरवतामें इनसभीबातोंका आचरणकराकर और विश्वास पैदाकरिकैस्वीकृतकामोंको अधिकारी लोग ऐसीभांतिसे संसाधन करैं किजिस्से उनके स्वीकारमें कुछ अंतरनहीं आनेपावै-यहआचरण परस्पर दोनोंओरसे भी होताहै और एकओरसे भी जहांजैसा अवसरहो-कात्यायनः-(समूहानांतुयोधर्मस्तेनधर्मेणतेसदा । प्रकुर्युःसर्वकर्माणिस्व धर्मेषुव्यवस्थिताः) १६६-१६७ ॥

( इतिसंविद्यतिक्रमाख्यप्रकरणं )

यह संकेत व्यतिक्रम नामका विवाद वृत्तांत प्रकरण एकइसी ७३ संख्या के परिच्छेदसे समाप्त हुआ ॥

अथ वेतनादानविवादपदधर्मविवेकोनामचतुःसप्ततितमःपरिच्छेदः ७४ ॥

इसचौहत्तरि संख्याके परिच्छेद में उसभांतिके विवादोंका न्यायसमुभां जायगा जो वेतनभृति मजदूरीआदि उजरत लेनेदेने मध्येग्वड़ेहों या गृहगाड़ी धरती बेइया आदि के भाडे मध्ये ॥

इस व्यवहार पदका नाम ( वेतनानपाकर्म ) कहते हैं और स्वरूप इसका नारद जीने कहा है-यथा-( भृतानांवेतनस्योक्तोदानादानविधिक्रमः । वेतनस्यानपाकर्मतद्विवादपदंस्मृतम् ) अर्थात्-भृत या भृतक नौकर और मिहनतीमात्र सबको कहते हैं जे कोई किसी भांतिका वेतन मूल्य लेकर काम करतेहों तिनके वेतन मूल्यका देना या न देना यद्वा दिया हुआ भी लेलेना ऐसी विधिका क्रम जिस विवादमें आवै सोई ( वेतनअनपाकर्म ) नामका मुकद्दमा जानौ-सो उस वेतन मूल्यके देनेका प्रकार नारद कहते हैं-यथा-( भृतायवेतनं दद्यात्कर्मस्वामीयथाक्रमम् । आदौमध्येऽवसानेतुकर्मणोयद्विनिश्चितम् ) अर्थात्-कामका मालिक किसी भृतकेलिये वेतन उसीक्रमसेदेवे जैसा पहले निश्चित हुआहो कि इतना वेतन कामके प्रारंभमें या बीचमें या पीछे उसके पूरे होजाने परही देवेंगे अर्थात् जो कुछ भाषा ठहरीहो (सो) यह नियम उसी अवस्था पर आरूढ़है कि जहां वेतनका परिमाण भी ठहरायागयाहो किन्तु जहां वेतन के ठहराने बिना कोई काम कराया गयाहो तिसकान्याय राजा १६६ मूल श्लोक से विचारै-जहां कोई काम करना अंगीकार करिकै छोड़ै तिसका दण्ड याज्ञवल्क्यजी अब कहते हैं ॥

गृहीतवेतनःकर्मत्यजन्द्दिगुणमावहेत् । अगृहीतेसमंदाप्योभृत्यैरक्षयउपस्करः १९८ ॥

ऐ०—गृहीत वेतन भृतक जिसने वेतन पहले लियाहो सो उस अंगीकार किये कर्म को छोड़ता हुआ किंतु प्रमाद आदिसे न करता हुआ दूना वेतन स्वामीको भरे-न लिये में सम दिलवाया जाय किंतु जिसने वेतन पहले नहीं लिया और प्रारम्भ करिकै काम छोड़ै तिसपर दूना नहीं परन्तु उतना द्रव्य तौ भी कर्मस्वामीको दिला-या जाय जितना वेतन उसीकामका सब ठहराहो सिद्धांतमें यह दोनों बात एक हैं क्योंकि जहां दूना देना परा तहां इकहिरा उसी स्वामीका लियाहो धनथा उतना और देना परा जहां पहले स्वामीसे कुछ नहीं लिया तहांभी निज घरसे उतना किंतु दोनों भांति काम छोड़नेका प्रतिकारहै (और) उन भृत्योंको उसकाम निमित्त साँप हुये उपस्कर भी रखाने योग्य हैं ध्वन्यर्थ उसका यह कि जो उनसाँपी हुई चीजों में से कोई चीज उनसेखोई जाय तौ वे आपदें १९८ ॥

अधि०—बृहस्पतिजी समर्थकी अपेक्षा मध्ये दण्ड भी दर्शाते हैं-यथा-( गृहीतवेतनःकर्मन करोतियदाभृतः । समर्थश्चेदमंदाप्योद्दिगुणंतच्चवेतनम् )-अर्थात्-वेतन लिया हुआ किंतु कोई भृतजब कामको समर्थ होतेहुये नहीं करै तब अपराधके अनुमान यद्वा शक्तिके अनुमान दण्ड राजाको और वह वेतन भी जो ठहरा यद्वा लियाहो दूना कर्म स्वामीको दिलायाजाय-एवंनारदोपि-( भृतिगृहीत्वाऽकुर्वाणोद्दिगुणांभृतिमावहेत् ) भृति अर्थात् मजूरी दूनी भरे-अथवा-जहां उसके अंगीकारकरके नाधेहुये



को करसकने वाला कोई तद्वत् और न हो तहां बलात्कार भी करवाना नारदकहते हैं-यथा(कर्माकुर्वन्प्रतिश्रुत्यकार्योदत्त्वाभृतिंबलात्)अर्थात्-कोईकाम अंगीकारकरिके नहीं करताहुआ उसकी ठहिरी हुई मजूरी देकर काम प्रबलतासे करवाने योग्य है क्योंकि उसने निज विश्वासपर उसकामका प्रारंभ कराइकर सामग्रीसेद्रव्यादिकहानि कराई-बलसे भी न करताहुआ विशेष दंडनीयहै-तदाहकात्यायनः (कर्मारंभंतुयःकृत्वा सिद्धिनैवतुकारयेत् । बलात्कारयितव्योऽसावकुर्वन्दंडमर्हति )अर्थात्-जो कोई निज विश्वासपर कुछकामका प्रारंभ करिके सिद्धि नहींकरावै सो यह बलसेभी करवाने योग्यहै न करता हुआ दंडयोग्य-वृद्धमनु और बृहस्पतिजी इस दंडका परिमाणभी दर्शाते हैं-यथा(प्रतिश्रुत्यनकुर्याद्यःसकार्यःस्याद्बलादपि । सचेन्नकुर्यात्तत्कर्मप्राप्त्याद्विशतंदमम्)अर्थात्-कुबूल करिके जो उसकामको न साधै सो बलकरके भी करवाया जाय यद्वा वहबलकरनेसे भी निपट न करै तौ वहदोसौ पणतक दंडपावै-यहां पणसामान्य चर्चा कियेगये किंतु जैसाकाम हलुका भारी हो तिसके तुल्यतावे रूपेसोने के भी पण स्वीकार होनेयोग्यहैं-बहुतछोटेकामोंके नकरने मध्ये स्वल्पदंड मनुकहते हैं-यथा(भृतोऽनार्त्तो न कुर्याद्योदर्पात्कर्मयथोदितम् । सदंड्यःकृष्णलान्यष्टौनदेयंचास्यवेतनम्)अर्थात्-जो कोई भृतकुछ रोग आदि पीड़ासे रहित होतेहुये दर्प अहंकार से हीकामको उसभांति नहींकरै जैसे नियम से स्वीकार कियाहो किंतु बीचमेंसे छोड़ि दे सो यह आठ कृष्णलमात्र दंडपावै और जितनाकाम यहकरचुका हो तिसका चढ़ा हुआ वेतनभी न देवै-यह आठकृष्णल दंडभी २४ जौ भरिसोनेका संसिद्ध है सोऐसे छोटेकामोंवाले कारीगरोंपर कि जिसके करसकने वाले,तद्वत् और भी अनेक शीघ्र मिलसकते हों-रोगीरोग छूटे पीछेकरै-यथाहमनुः(आर्तस्तुकुर्यात्स्वस्थःसन्यथाभाषितमादितः । सदीर्घस्यापिकालस्यतल्लभेतैववेतनम्)अर्थात्-यदि कोई रोगीहोकर काम छोड़ै तौ वह रोग छूटिजानेपर उसकामको करदे जैसा पहले वचन कुबूला हो उसीप्रकार करै तौ उस बहुतकालके ही पीछे वेतन पावै-कदाचित् अपना छुटकारा नहीं समुझै या रोग प्रबलजानै तौ वह औरसेही कामको बनवादेवै-यथाहमनुः(यथोक्तमार्तःस्वस्थोवायस्तत्कर्मनकारयेत् । नतस्यवेतनं देयमल्पोनस्यापिकर्मणः) अर्थात्-कोई रोगी या नीरोगी हो अपने नाधेकामको यदि औरसेभी पूरा नहीं करावै तौ वहकाम यद्यपि किंचिन्मात्र शेषरहे तौ भी उसका वेतन उसे न दे-और सिद्धांत इस का यह कि जो अत्यंतजरूरी कामके समाप्तकरने में कुछ व्यर्थ भ्रमे ल रोग आदि सेभी रोपै तौभी कर्मस्वामी अपनाकाम किसीऔरसेही पूराकरवाकरकाम चलावैऔर उसव्यर्थ भ्रमेलियाको मजूरी जो इसकामके ही थोड़ेबहुत करचुकनेमध्ये समुझी जातीहो न दे किन्तु उसकायहकुछ उजर सुनिवे योग्य नहीं है कि मैं जबअच्छाहोता

तभी अतिशय कालके पश्चात् पूराकरता इस्से मुझे मजूरी मिलै क्योंकि उसकी मजदूरी पूरीकरवानेके निमित्त कोई मालिक अपना काम जो आवश्यकहो रोक नहीं सकता है ॥ अथकालावधिनियमः-तदाहनारदः(कालेऽपूर्णेत्यजन्कर्म भूतेर्नाशमवाप्नुयात्) अर्थात्-जो काम किसी कालकी अवधितकहीं पूरा कर देनेकी प्रतिज्ञा साथ रोपा हो तिसके भीतर त्याग करताहुआ पहिली चढी भूतिका नाश पावै किंतु जितनी मेहनत उसमें हुईहो तिसका वेतन कुछ न पावै-बल्कि विष्णु इसपर दंडभी दर्शाते हैं- यथा (भूतकश्चापूर्णेकालेत्यजन्सकलमेवमूल्यंजह्यात्पणशतं दद्यात्) अर्थात्-कोई भूतक अपना काल पूरा किये बिना जो कुछ काम त्यागै तौ वहसारा मूल्य किंतु जितना उसका वेतन उसी कामकी अपेक्षा जो कुछ समझा जाताहो सोभी छोड़ि दे किंतु ऐसे अवसरमें मजूरीभी न माँगै बल्कि राजाकोभी १०० एकसौ पण दण्डभरै- यहदण्ड ऐसे अवसरमें कि जहां इसके छोड़ि देनेसे उसकर्म स्वामीका नुकसान होना संभव हो औरसौपणभी उस कार्यकी गौरवता लाघवताकी अपेक्षा सोने चांदी ताँबे तक होसके हैं ॥ अथस्वामीदोषप्रसंगः- तदाहनारदः(स्वामिदोषादपक्रामनूयावत्कृतमवाप्नुयात्) अर्थात्-जहां निष्ठुरभाषण आदि स्वामीकेही दोषोंसे यदि छोड़िभागै तहां जितना कामकिया उतने दिवसों के अनुसार मजूरी पावै-कचिद्वंडमाहविष्णुः (स्वामीचेद्रूतकमपूर्णेकालेजह्यात्तस्यसर्वमेवमूल्यं दद्यात्पणशतं चराजनिवा) अर्थात्-जहां अवधि निश्चित हुईहो और जो स्वामी किसी भूतको उतनाकाल पूरा होनेबिना छोड़ावै तौ उस भूतका पूरा वेतन स्वामी देय इसमें यह दृष्टान्तहै कि जहां एकमासमात्र अवधि निश्चित हुईहो और उस एकमासके भीतर भूत छुड़ाया जाय तब उसमास भरका वेतन पावै पर जो स्वामी पूरा देनेमें अवरोध करै तब सौपणतक दंडराजाको भी देय- पणभी उस अपराधके अनुसार प्रायः तावियद्वाकचित् रूपेतकही जानो १६८ ॥

(अनिश्चित भूति नियमाः)

दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । अनिश्चित्यभूतियस्तु कारयेत्समहीक्षिता १९९ ॥

ऐ०-जो कोई स्वामी भूति परिमाण निश्चित किये बिना वाणिज्य आदिकुछ व्यापार करावै तिसको लाभमेंसे दशवांभाग देना योग्यहै यदि स्वामी अपनी इच्छासे न देय तब यह राजा करके दशवांभाग दिलाने योग्यहै सो उसमेंसे कि जो कुछ लाभ किसी भूतकने निज स्वामीको वाणिज्य अथवा पशुओं के पालन आदि यद्वाखेने उत्पन्न करायाहो ( और ) तबस्वाहका कुछ नियम नहो या उस लाभमेंसे भाग पानेका कुछ नियम नहो किंतु दोमें कोई एक नियम निश्चित होनेसे यह दशवांभाग वाला न्याय निपट निरर्थक जानो १९९ ॥

भाषि०-यही नियम नारदनेभी कहाहै यथा-(भूतावनिश्चितयांतु दशभागमवाप्नुयात्)

लाभंगोवीर्यशस्यानांवाणिग्गोपकृषीबलाः ) अर्थात्-वाणिक वनिजा व्यापारी आदि जो जो उसी भांतिका कुछ काम करतेहों-गोपपशु रक्षकमात्र जो जो किसी भांतिके पशुओंका पालन करिके लाभकरातेहों-कृषीबलकिसान आदि जो जो खेतीकी भांति वाला काम करते हों-यह सब कर्मकर उसदशामें कि जो निज स्वामीसे इन कामोंकी भृति पहले निश्चित न करली हो-तौ-(गोलाभ) किंतु पशुओंके दुग्धादि लाभ याउन पशुओंकी संतान वृद्धि-एवं (वीर्यलाभ) किंतु जो जोकुछ वाणिज्य द्वारा लाभहो-एवं (सस्यलाभ) जो कुछ खेती आदि कामोंसे फलहुआ हो तिसमें दशांश अंश पावें-इसी अनिश्चितभृतिकेमध्ये-सिर्फ खेतीकी अपेक्षासे वृहस्पतिजी कुछ और नियम कहते हैं-यथा-( त्रिभागंपंचभागंवागृह्णीयात्सीरवाहकः । भक्ताच्छादभृतःसीराद्भागंगृह्णीत पंचमम् ॥ जातशस्यात्त्रिभागंतुप्रगृह्णीयादथाभृतः ) अर्थात्-सीर वाहक नाम हल जोता भूतक अनिश्चित भृतिकी दशामें उत्पन्नहुये शस्यमेंसे एक तिहाई यद्वा पंचम भाग लेवै- इसमें जो दो नियमोंके विकल्पसे यह द्विविधा खड़ीहुई कि क्या दिलवा-या जाय तिसके लिये कहते हैं कि जिसको रोटी कपड़ा मिलता रहा ऐसा भूतक पाँचवाँभाग लेवै जिसको अन्नबस्त्र नहीं मिला ऐसा भूतक तिहाई पावै-इसमें जो संदेह खड़ा होताहै कि नारद और योगीश्वरने दशांश देना कहा अबयह पंचम या तिहाई क्योंकर मानीजाय तिसमें यह संदेह भंजनहै कि वह ऊपरला नियम ऐसे खेतोंकी अपेक्षामें समुभूता जिनकी धरती कमी कमाई सदा बोई जोतीजाती हो जिससे थो-ड़ेही आयास करके शस्य पैदा होना संभवहो (और)अत्रोक्त नियम जहांधरती विना कमाई विना जोती वंजरपरीहो जिससे बड़े परिश्रम साथ शस्य पैदाहोय तहां अपे-क्षा रखताहै-इसकेसिवाय-जहां कोई ऐसा भूगड़ा खड़ाहोय जिसमें भृतिका नियम न ठहराहो और अत्रोक्त किसी विधानसे निपटारा उसका दुर्घटहो क्योंकि प्रायःदेश काल वस्तुओंके स्वभावसे विवाद भी अनेक अद्भुत खड़े होते हैं तब उन अद्भुत भूगड़ोंका निपटारा वृद्ध मनुके वाक्यसे कर्तव्यहै-यथाहृहन्मनुः-(समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः । नियच्छेयुर्भृतियांतुसास्यात्प्रागकृतायदि )-अर्थात्-जो पहले भृतिका परिमाण कुछ न ठहराहो और वह भूगड़ा तिरछा हो तौ उसरीतिसे भृति-कल्पित करी जावै जैसी वे लोग अपने भूतकोंको निर्णीत करके देवें किंतु सदैव देते हों जो प्रत्येक भांतिके व्यापार समुद्र मार्गसे चातुर्य साथ करते हों या प्रत्येक देश कालोंके व्यवहारोंको समुभूतेहों और प्रत्येक पदार्थोंके तत्त्वज्ञभी कहलातेहों क्योंकि ऐसे विज्ञाता लोग अपने भूतकोंको मजूरी अच्छे न्यायसे सदैव देते हैं इसलिये जैसा भूगड़ाहो तैसे कामोंके विज्ञाता बूझ जायँ १६६ ॥

देशकालंचयोऽतीयाल्लाभंकुर्याच्चयोऽन्यथा । तत्रस्यात्स्वामिनश्छंदोऽधिकं देयं कृतेऽधिके २०० ॥

अक्ष०—देशको काल कोही जो उलाँघै और जो लाभको अन्यथा करै तहां स्वामी का छन्द होवै अधिक देय अधिक किये में २०० ॥

अभि०—जो कोई भूतक पण्य विक्रय आदिकेही उचितदेश जैसे अमुक छाउनी में यह अमुक पण्य विकिसक्ताहै या बहुत विका करताहै एवं उचितकाल जैसे अमुक मेलातक यह माल अच्छा विकिसक्ताहै फिर नहीं तौ यह विकने योग्य उचितकाल है तिनको जो अतीत करै उलाँघै किंतु उनमें नहीं जावे या जाकर माल बेचै नहीं अपने दर्प आदिसे अगारी कहीं चलाजाय जहां चलेजाने से वह पण्य वस्तु नहीं विकै या व्यय अधिक होकर थोड़ी विकै यद्वा उसी उचित देशकालमें रहकर किसी कुटुंबसे कुछ खर्च बहुत करै लाभ थोड़ाकरै-तहां ऐसे भूत्यकी अपेक्षामें भूति दान मध्ये स्वामीकाही छन्दनाम इच्छा बहुत प्रधानहै कि जो कुछ देनाचाहै सोई देय किंतु ठहरीहुई मजूरी पूरी नहीं देय तौ कुछ राजाका अधिकार नहीं है कि ठहरीहुई मजूरी उसे दिलावै पर जो किसी भूत्यने स्वतंत्र होकर अधिकलाभ किया हो तौ उस मुख्य ठहरेहुये वेतनसे कुछ अधिक प्रसाद रूपसे दातव्य है २०० ॥

( अनेकभूत्यकार्यभृतिनियमः )

योयावत्कुरुतेकर्मतावत्तस्यतुवेतनम् । उभयोरप्यसाध्यंचेत्साध्यैकुर्याद्यथाश्रुतम् २०१ ॥

ऐ०—दोसेभी असाध्य होय तब जो जितना काम करता है उतना उसका वेतन होय साध्यमें यथाश्रुतकरै-अर्थात्-जहां गृहादि कोई काम ठेकेकी रीतिसे इस भांति करना ठहराहो कि इसके सिद्धहोनेतक सब इतना वेतन देवेंगे और यद्यपि किसी एकने यह ठेका लेकर औरोंकोभी अपना साथी कियाहो जिसमें काम की अधिकता आदि होनेसे दो या तीन आदि अनेकभी उसकामको समापित न करसकें यद्वा रोग बाधाआदि विघ्नोंसेही छोड़िभागें किंतु पूरानकरसकें तब उनकर्मकारोंका रोजीना या मासिकयद्यपि नहींठहिराथा परतौभी जितने दिवसोंतक उसकामको करिगयेहों उतना वेतनरोजीना यद्वा मासिकरीतिसे दातव्य है-इसमें यह संदेह जो अव्यापि शेष है कि जिनका कुछ परिमाण नहींठहिराथा किस नियमसे देसकना अवहोसक्ता है तिसहीका यह नियम याज्ञवल्क्यने दर्शायाहै कि-(योयावत्कुरुतेकर्मतावत्तस्यतुवेतनं) किंतु जितना जैसाकाम जोजोकोई जितने रोजीनेपर या जितना मासिकलेकर सदाही अन्यत्र कियाकरताहो उसीहिमात्रके अनुमार उनकावेतन कल्पितकरना यहाँयोग्यहै-दृष्टांत-जैसे इसीठेकेमें दोराज एकबेलदार दोलङ्के ईंटगारावाले एकमहीना काम करतेगंहे थे जो ठेकाउनका पूराहोजाता तौ नजानेंउनको आपसके उसवांटमेंसे क्या कुछमिलता

पर अब अनियत वेतन कल्पित करनापरा इस्सेदाताको यहयोग्यहै उन बातोंपरभी ध्यानकरै कि एकराज न्यूनतरछःरूपया मासिकपायाकरताहै या इनमें एकगुणीहोनेके हेतुसे १०) मासिकयोग्यहै बेलदारभी दोआना रोजीनासे कमनहीं आसक्ता और दोलड़के इसमें एक सिर्फ़एकआना रोजीनायोग्य है द्वितीय डेढ़आनायोग्य तौ इस न्यायसेही अनियत वेतनभी निजदेशस्थानवालीरीतिकी अपेक्षा यद्वा काल विशेष के अनुरूप कल्पितकरिके निपटारा उनकाकरै-सो-यहकथन इसलिये है कि शायद कोईकर्म स्वामी ऐसाआग्रह खड़ाकरनेलगे कि कामपूरा होजानेपरही कुल्ल वेतनदेना ठहराथा अब देनायोग्य नहीं यद्वाकर्म के प्रत्येकजुदे अंगोंकी समाप्ति होनेमात्र में देदेनेका कुछ नियमनहीं कल्पितहुआथा अब क्योंकरदेवें या सबहीको समान वेतन देवें ऐसाआग्रह शांत कियाहै-परन्तु-जहाँ इन्हींठेकेदार कर्मकरों ने स्वातंत्र्य भावमें कुढंगसे यदिकाम कियाहो जिसकोछोड़ि भागनेपीछे उनके दिवसोंकी कुछ संख्या निश्चितनहोसकै इसका दृष्टांत जैसेचारघंटे किसीदिन करिगये कभी दश दिन पीछे आकर फिर दोचारघंटे कामकिया कभीसबेरे कभीसाँभ कभीदिनमें कभीराति में स्वतंत्र हेतुसे निरन्तर कामनहींकिया इत्यादि बहुधा और जो कुढंग होतेहों तिनका वेतनभी मध्यस्थों द्वाराकल्पित होकर जैसा योग्यसमुभाजाय सो दातव्य है-ये सब नियम असाध्य कामोंके दर्शाये जो विनपूरेकिये छोड़ेजायँ अब संसाध्य कामोंकी अपेक्षालेकर चौथापद कहते हैं कि जो उसकामको उनदोहीने या कैयोंने समापित कियाहो तो फिर जो कुछ पहले ठहिराथा सो उतना उसीरीतिसे दातव्य है ऊपरले नियमोंसे कुछ कामनहीं २०१ ॥

(भारवाहादीनांकृतहानिदानभाटकनियमाः)

अराजदैविकंनष्टंभांडंदाप्यस्तुवाहकः । प्रस्थानविघ्नकञ्चैवप्रदाप्योद्विगुणांभृतिम् २०२ ॥

प्रक्रांतेसप्तमंभागंचतुर्थपथिसंत्यजन् । भृतिमर्धपथेसर्वाप्रदाप्यस्त्याजकोपिच २०३ ॥

ए०—सहद्वयोः-राजदैविक विघ्नोसे रहित विनष्ट भांडवाहकसे दिलाने योग्य है अर्थात् कोई वासनभँड़वा गठरी आदि जो कुछ वोभकिसी कहारवहिंगीवाले वोभैत मुटिहाआदिसेया गाड़ीघोड़ा आदिसे कुछ भाड़ादेकर कहींभेजाजाय और वहलेजाने वाला अपनी बुद्धिहीनता आदि किसीप्रकारसे खोदेवेयद्वा तोड़िफोड़िडालै तो वह चीजउसकी लागति मूल्यदान आदि विधिकेद्वारा उसीवाहकसे दिलाईजाय पर जो राजदैविकविघ्नोसे विनाशीगईहो तौफिरवाहक देनदारनहीं-येही नियमनारदआदि औरभी अधिकोक्तिमें दर्शावेंगे-प्रस्थान विघ्नकरनेवाला निस्संदेहदूनी भृतिदिलवाने योग्यहै अर्थात् जहाँविवाहआदि मंगलकार्योंका कुछकाम वाजन वोभसवारी आदि करना अंगीकारकरिकै उसकीमुख्य लग्नसाधनआदि बेरापर उत्कर्षासहित प्रतिष्ठमा-

नहोतेहुये नकारखींचकर प्रस्थानमध्ये विघ्नखड़ाकरै ऐसा दुष्टनिस्संदेह उसीभृतिसे दूना द्रव्य स्वामी को दिलवाने योग्य है कि जितनी उसकी ठहरीहो-क्योंकि उसने अत्यन्त उत्कर्षावाले कामका निरोधकिया-सो-यह दूनी भृतिका प्रतिकार केवल प्रस्थानकेही समय विघ्न करनेपर आरूढ़ नहीं किंतु सर्वत्र ऐसी दशामें संसूचितहै कि जहां जहां तद्वत् कोई और मनुष्यमिलसकना संभव न हो और वह विघ्नकरैक्योंकि अगले वाक्यसे मनुष्य मिलसकने मध्ये जुदा नियम दर्शाते हैं कि २०२ प्रक्रांत होनेमें सातवांभाग मार्ग में त्यागतेहुये चौथाभाग आधे मार्ग जाचुकनेपर सम्पूर्ण भृति दिलानेयोग्यहै और इसीप्रकार त्याजकभी-अर्थात्-इसमें (प्रक्रांत) पद उच्चारण होनेसे दो अर्थ सूचितहोतेहैं एकतौ उसछोड़ेहुये कामयोग्यअन्य मनुष्यकी संप्राप्ति दर्शक अर्थ,दूसरा यह कि प्रक्रांत नाम चलते समय या चलि चुकनेपर जो विघ्नकरै तिसपर यद्यपिदूनी भृति दिलवानेवाला नियम ऊपर निश्चितहुआ तौभी जो तत्काल अन्यमनुष्य प्राप्त होसक्ताहो तौ उस ठहरीहुई मजूरीका सातवांभाग उलटा प्रतिकार उससे लियाजाय.इसीप्रकार कहींमार्गमें जाचुकनेपर जो छोड़िभागै तिसपर यद्यपि दूनी भृति दिलवानेवाला नियम निश्चितहुआहै परतौभी जो तत्काल अन्य मनुष्य प्राप्त होसकनेवाला स्थलहो तौ उस ठहरीहुई मजूरी से चौथाई तुल्य उलटा प्रतिकार उससे लियाजाय. इसीप्रकार जिसने आधीदूरजाकर कामछोड़ाहो तिसपर यद्यपिदूनीभृति दिलवानेवाला प्रतिकार निश्चितहुआहै परतौभी जो तत्काल उसी स्थलमें भृतांतर कोई और मनुष्यभीमिलसक्ताहो मनुष्यके उपलक्षणसे सर्वत्रइसमें घोड़ा गाड़ीआदि वाहनभी समुभने तौ उस ठहरी हुई मजूरी केहीतुल्य उलटाप्रतिकार उससे लियाजाय-और जो इनमें किसीस्थलमें भृतांतरकोई और नमिलसक्ता हो तौ सर्वत्रदूनी भृति दिलवानेवाला नियम जैसा पहलेवाक्यसे दर्शाया सोकर्तव्य है-और-इसीप्रकार त्याजकस्वामीभी दिलवानेयोग्यहै अर्थात् जिसने भारवाहआदि भृत्यको या गाड़ी घोड़ाआदि सवारी कोहीभाड़े करिकै चलतेसमय त्यागाहो तौवह ठहरेहुये वेतनका सप्तांश उसको देकर छोड़िसक्ताहै-जिसनेकहीं थोरीदूरमार्गमें लं जाकरत्यागाहो तौ उसठहरेहुये भाड़ेसे चौथाईउसको देवै या दिलवायाजाय-जिसमें आधेमार्गमें लेजाकरछोड़ाहो ऐसास्वामी उसका ठहिराहुआ वेतन पूरादेवै या दिलवायाजाय जितना मुख्य ठिकानेके पहुँचानेमध्ये ठहिराहो-अर्धमार्गका उपलक्षण इसमें किंचिन्न्यून मार्गतक संसूचित जानो और इस विषयपर उसभारवाहको कृप्य अन्यभाड़ैतू मिलसकनेवाला नियम सूचित नहींहै २०३ ॥

अधि०-सहदयोः-ऊपरला नियम नारदभी स्पष्ट कहते हैं-यथा (भांडव्यसनमत्तं च्छेद्यदिवाहकदोषतः । दाप्योयत्तत्रनश्येत्तुदैवराजकृतादृते)अर्थात्-भांड कोई बामन



गठरी संदूक आदि ठोनेवाले वाहक पुरुषकेही दोषसे यदि विगड़े और जो उसमें कोई बस्तु नाशहोय सो दिलवाने योग्यहै पर दैव अथवा राजकेही किये उपद्रवसे जो नाशहुई हो तिसको छोड़िकर यह नियम समुभना-विष्णुरप्येवं ( तद्दोषेणयद्विनश्येत्तत्स्वामिनेदेयमन्यत्रदैवोपघातात् ) वृद्ध मनुइसमें द्रोहकाभी भेद विशेष कहतेहैं- यथा(प्रमादान्नाशितंदाप्यःसमंद्भिर्द्रोहनाशितम् । नतुदाप्योहतंचौरैर्दग्धमूढजलेनवा) अर्थात्-किसीभृत्यके प्रमादनाम गफलतआदिसे जो चीज नाशहुईहो सो समअर्थात् उतनीही दिलाईजाय जितनी नाशहुई परजो किसीभृत्यने निजस्वामी से कुछ द्रोह मानिकर उनचीजोंको पटकनेआदि इच्छारूपसे विगाड़ाहो तो उस नाशहुई बस्तुसे दूनामूल्य उरसे दिलवायाजाय परन्तु जो कुछ चोरोंने हरिलिया यद्वा तोड़फोड़किया हो या अग्निसे जलियाहो या जलसे डूबियाहो सो दिलवानेयोग्यनहीं-इनवचनों में यहबोझ और बाहक एकनमूनाहै सो इसहीके अनुसार बैल किसानआदिआरोंको भी समुभिलेना जो जो हानिकरें और अत्रोक्त द्रोहवाला न्याय भीसर्वत्र ऊहाकरना जैसाअवसरहो-योगीश्वरवाले २०२ के पहलेअद्धाकी अधिकोक्तिपूरीहुई-दूसरेअद्धा की अपेक्षामें कात्यायनजी अब कहते हैं(विघ्नयोवाहकोदाप्यःप्रस्थानेद्विगुणांभृतिम्) अर्थात्-कोई भार वाहक जो प्रस्थान समय विघ्नकरै दूनी भृति उरसे उलटी दिलवाई जाय- इसमें वाहक शब्द नमूनामात्र जानो किंतु उसके उपलक्षण करके और भी आयुधीय नाम सिपाही आदि समुभने जो जो विघ्नकरें-इसीलिये नारदने सामान्यभाव दोषमात्र कहा है कुछ किसी काभी नाम नहीं रक्खा-तद्यथा ( द्विगुणांतु भृतिंदाप्यःप्रस्थानेविघ्नमाचरन् ) ( परन्तु यह सब नियम उसीदशा तक स्वीकारहैं कि जहां भारवाहक आदि कोई भृत्य नीरोगहो किंतु रोगव्याधि खड़ीहोजाने में अपराध उनका नहीं जैसा १६८ की अधिकोक्तिमें मन्वादिबचनों से कहचुके सो सब यहां भी संबंधितजानो ) स्वामीभी निज रोगीथके भृत्योंको एकाकीकहीं विदेश में न छोड़ै-तदाहकात्यायनः ( त्यजेत्पथिसहायंयःश्रांतरोगार्तमेववा । प्राप्नुयात्साहसं पूर्वग्रामेऽयहमपालयन् ) अर्थात्-जो कोई कहीं मार्गमें सहायक अपने रोगी यद्वाथके को एकला छोड़िदे किन्तु तीन दिनतक वस्तीमें रहकर नहीं पालै तो वह पूर्व साहसदंडपावै योगीश्वरने जो इसी २०३ वाले मूल वाक्यसे भाड़ैतू कोभी वाहक छोड़िदेने में कुछ देना कहा तिसके मध्ये नारदजी अब कहतेहैं-यथा ( अनयद्गाटयित्वातुभांडवान् यानवाहनम् । दाप्योभृतिचतुर्भागंसर्वामर्धपथेत्यजन् ) अर्थात्-यदि कोई ( भांडवान् ) भाड़ैतू स्वामी किसी (यान) गाड़ी आदिको या(वाहन)घोड़ा आदि कोभाड़ेपर ठहराकर नहीं लेताहुआ ठहरेहुये भाड़ेका चौथाई भाग भारवाहकोंको दिलाने योग्यहै या आधीदूर तक लेजाकर छोड़ै तो वह पूरा वेतन दिलवाने योग्य है

किं जितना उसपर देना ठहराहो-इसमें भी योगीश्वरकेही तुल्य तीनोंरूप समुभन्ना किंतु अवयव शक्तिके अनुकूल वहीन्याय इसमेंसम्भवहै-कदाचित्-कोई भाड़ेन स्वामी अपना भांड माल कहीं बीचमें भी बेंच देनेके हेतुसे शकटादि यान वा अश्वादि वाहन छोड़िदेय तिसका नियम वृद्धमनु कहते हैं-यथा ( पथिविक्रीयतद्भांडं वणिग्भृत्यंत्यजेद्यदि । अथतस्यापिदेयस्याद्भृतेरर्द्धलभेतसः ) अर्थात्-जो कोई वणिक व्यापारी कहीं मार्गमें निज मालबेंचिकर पहुँचानेवाले भृत्यको जब त्यागौ तभी उतनी दूरतक जो भाड़ा उसका लेखे जोखे से निकलताहो सोभी देवै और उस मुख्य ठिकानेतक पहुँचाने मध्ये जो कुछ भृति ठहिरीहो तिसका आधा फिरताभी वह पूरा पावै-परन्तु-जहां भांड माल कहीं मार्ग में चौरादि करके हराजाय या राजादि करके रोकजाय तिसका नियम और है-तदाहकात्यायनः ( यदाचपथितद्भांडमारुद्ध्येत ह्रियेतवा । यावानध्वागतस्तेन प्राश्रुयात्तावतो धनम् ) अर्थात्-जब उस भांडकामाल कहीं रोकजाय या हरलियाजाय तब जितने मार्गतक वह गयाहो उतना भाड़ा पावै किंतु अधिक नहीं ( अथगृहपात्रयानादीनामवर्तनेपितद्भाटकंदेयं ) जब कोई भाड़ा ठहराकर उसको कार्य में न लावै तौ भी भाड़ा देय है-तदाहबृहन्मनुः ( योभाटपित्वाशकटं नीत्वावान्यत्रगच्छति । भाटंनदद्याद्वाप्यःस्यादूनूढस्यापिभाटकम् ) अर्थात्-जो कोई गाड़ी आदिको भाड़े ठहराकर यद्वा साथ लेकर कहींजाताहै उसगाड़ी को वर्तवि में वह लावै या न लावै पर यदि भाड़ा नहीं देवै तौ वर्तवि में न लाने के भी दिवसोंका भाड़ा उससे दिलवायाजाय कोई भाड़े की चीज जबतक स्वामीको न सौंपी जाय उसकाभाड़ा देनाहोगा-यथाहकात्यायनः ( हस्त्यश्वगोखरोष्ट्रादीनगृहीत्वाभाटकेनयः । नार्पयेत्कृतकृत्यःसंस्तावद्वाप्यःसभाटकम् ॥ गृहवार्यापणादीनिगृहीत्वाभाटकेनयः । स्वामिनेनार्पयेद्यावत्तावद्वाप्यःसभाटकम् ) अर्थात्-हाथी घोड़ा बल गर्दभ ऊँट आदि वाहन भाड़े लेकर अपना काम निपटे पीछेभी जो स्वामीको न सौंपतावत्काल काभी भाटक वह दिलवाने योग्यहै-जो कोई घर स्थान जलके पात्र और दुकान आदि चीजें भाड़े लेकर जबतक स्वामीको न सौंपैतवतक भाटक वह दिलवाने योग्यहै ( अथपरभूमिवासभाटकनियमाः ) तदाहनारदः( परभूमौगृहंकृत्वास्तोमं दत्त्वावसेत्तुयः । सतद्गृहीत्वानिर्गच्छेत्तृणकाष्ठेष्टकादिकम् ) अर्थात्-जो पराई घरतक स्वकीय लागतिसे घर करके कुछ (स्तोम) किंतु भाड़ा देकर वसै सो जब निकसे तब उस फूस लकड़ी ईंट आदि लगाई हुई चीजोंको लेजाय कोई रोकन हारा नहीं-जो भाड़े विना बनाकर वसै तिसका नियम और है-तदप्याहनारदः ( स्तोमाद्विनम्रमित्वातुपरभूमावनिष्ठितः । निर्गच्छंस्तृणकाष्ठानिनगृहीयात्कथंचन ॥ यान्यवदत्तकाष्ठानित्विष्टकाविनिवेशिताः । विनिर्गच्छंस्तुनत्सर्वभूमिस्वामिनिवेदयेत् ) अर्थात्-

भाड़े बिना पराईधरतीमें अनिश्चित बसकर अपनी इच्छासे निकलते हुये फूसलकड़ी आदि कैसेहू न लेवै-किन्तु-जो कुछ फूस लकड़ी यद्वा ईंटेंभी लगाईहों सो सब भूमि स्वामी को देदेवै पर उसदशा में कि जो कुछ पहले निश्चयन करलियाहो किंतु जिसने पहले कोई चीज या सब चीजें अपनीलेजाना निश्चितकरिकै बासकिया हो सो उस निश्चयके अनुसारकरै-भाड़ेआई चीजोंके नुकसान मध्ये नारदजी कुछकहते हैं-यथा (स्तोमवाहीनिभांडानिपूर्णकालान्युपानयेत् । गृहीतुराभवेद्ग्नंनष्टंचान्यत्रसंश्रवात् ) अर्थात्-भाड़े चलनेवाले पात्र कलशाकराह टोकना आदि जो लेजावेतिनको तद्रूप स्वामीपासउतनेकालमें पहुँचादेवै जितना कहकर लियेहों-फूटिजावै सो लेजानेवाले का होय किंतु उसहीको जुड़वाकर देना परै यद्वा नष्टनाम निपट निकम्मा यदिहोजाय सोभीउसेवनाकरदेना परै परन्तु संश्रवसे अन्यत्र देनापरै किंतु यहांसंश्रव नाम पात्रों का संघर्षजो वर्तावे द्वाराछीजै घिसै सो भाड़ैतूको नदेना परै-इसका यहभावार्थहै कि छीजरगड़ के सिवाय जो उनपात्रोंको पटकने आदिसे कुछ तोड़ा फोड़ाहो यद्वा निपट निकम्मा कियाहो सो सब देनापरै ( अथवेश्याभाटकनियमाः ) यथाहनारदः(शुल्कंगृहीत्वापण्यस्त्रीनेच्छंतीद्विगुणंवहेत् । अनिच्छन्दत्तशुल्कोपिशुल्कहानिमवाप्नुयात् ) अर्थात्-पण्यस्त्री वेश्या अपनाशुल्क भाड़ालेकर उसभाड़ैतू से फिर इच्छानहीं करती हुई दूना शुल्कवापिस करै-परवह भाटी देनेवाला भी यदि इच्छानहीं करै तो निजदिया हुआ शुल्क वापिस नहींपावै-कदाचित्-एकसे जो भाटीलेकर और किहांचलीजाय तिसपर दंडभी संसूचितहै-तथाहि ( गृहीत्वावेतनंवेश्यालोभादन्यत्रगच्छति । तांदमं दापयेद्दद्यादितरस्यचभाटकम् ) अर्थात्-जो वेश्या पहले वेतनलेकर लोभहेतुसे अन्यत्र कहीं जाय तिसपर दंडभी दिलवाया जाय और उसपहले शुल्कदाताकादिया हुआ भाटकभी फिरवाया जाय-यहां केवल भाड़े के प्रसंग से संक्षेप कहा गया किंतु इसका अधिकव्यौरा आगेवढ़कर (स्त्रीसंग्रहण) संज्ञक प्रकरणमें २६६ तथा २६७ मूलश्लोकोंकी अधिकोक्तिमें सब देखो (अथसर्वसामान्यभृतानां कर्मवेतनात्मकनियमाः)- सेवा धर्मकेप्रकरणमें जो दासछोड़ि शेष चारभाँति कर्मकरों की दर्शाईगई तिनमें शिष्य तथा अंतेवासी इन दोका कर्म धर्म सब तत्रैव वर्णनहुआथा अवशेष उनमें भृतक और अधिकर्मकृत् इन दोका व्यौरा यहाँकहते हैं कि इनकेलिये नतो प्रायः जातिकृत विशेष है न वृत्तिकृत विशेष है कि अमुकजाति अमुकवृत्तिसेही भृतकवने यद्वा अमुकजातिकाही भृतकवने-परंच इनकेलिये भृतिकृत विशेष तथा कर्मकृत विशेष तथा कालकृत विशेष हुआकरता है कि इतनी भृति अमुकामुक ढँगसे पावेगा और अमुकामुक इतनाकर्म करनाहोगा या इतनेकालतक उपस्थित रहना होगा- यह सवरीति बृहस्पतिजी दर्शाते हैं-यथा(योभुंक्तेपरदासींतुसज्ञेयोवनिताभृतः । कर्म

तत्स्वामिनः कुर्याद्यथाऽन्योऽर्थभृतो नरः ॥ बहुधार्थकृतः प्रोक्तस्तथा भागभृतोऽपरः ।  
हीनमध्योत्तमत्वं च सर्वेषामेव चोदितम् ॥ दिनमासार्द्धषण्मासत्रिमासाच्च भृतस्तथा ।  
कर्मकुर्यात्प्रतिज्ञातं लभते परिभाषितम् ॥ द्विप्रकारो भागभृतः कृषिगोबीजिनां स्मृतः ।  
जातसस्यात्तथाक्षीरात्सलभेत न संशयः ॥ आयुधीतूत्तमः प्रोक्तो मध्यमस्तु कृषीवलः ।  
भारवाहोऽधमः प्रोक्तस्तथा च गृहकर्मकृत् ) अर्थात्-जो पराई दासीको भोगे और  
उस दासीके स्वामीका काम अपनी भृतिके पलटेकरताहो सो बनिता भृतसंज्ञक चाकर  
उसीसमान जानो जैसे औरचाकर अर्थभृत अर्थात् द्रव्यलेकर कामकरतेहों-आश-  
यइसका यह कि ऐसाचाकर जो तनखाहमध्येनालिशकरै यद्वास्वामी उसपरदासीके  
भोगमध्ये कुछ अपराध लगावै यद्वाकामकरनेमें तकरार हो तब यहन्यायराजानिर्णय  
करैजो कुछ कहा (अर्थभृत)चाकर जो कुछ अर्थलेकर कामकरै तिसका अर्थकृत विशेष  
बहुधाभांतिका विख्यातहै कुछ एकसाहीनहीं क्योंकिभृतिका द्रव्यकिसीको थोड़ा किसी  
को घना किसीको मध्यम संख्यासे और किसीको कुछ अन्यप्रकारसे अनेकधारीतां  
करके मिलताहै सोयेहीवातें उनकेअर्थकृत विशेषमध्ये गिनती हैं-तद्वत् और दूसरे  
(भागभृत)भी चाकरहोतेहैं जो किसीपैदावारीमेंसे निश्चितभागपाया करतेहैं औरचाहे  
भागभृत या अर्थभृतहों उनमें उत्तम मध्यमहीन भृतकसबतरह सबमें होतेहैं भृतिमि-  
लनेके नियम उनमें किसीका तो प्रतिदिन रोजीनावेतन-किसीका पखवारा या मासिक  
या तिमाही या छमाही जहां जैसीभाषा ठहरीहो और तथाकहियेतैसेही (च)शब्दके  
भावार्थसे बसोड़ीतक भी होतीहै-जो अपना प्रतिज्ञातकर्म कियेजावे सो परिभाषित  
भृति को पाताहै अर्थात् इतनेकालतकमें इतना अमुककाम कियाकरौंगा इसभाँति  
की प्रतिज्ञासे स्वीकारकिये कामको निर्विघ्न कियेजावे वही नौकर उस परिभाषित भृति  
को पाताहै कि जैसी भाषा ठहरीहो-भागभृत जो नौकर कहेगये वे दोभाँतिके कहान्त  
किन्तु एकखेतीवाले तद्वत् एक गोबीजीलोगोंमें जो गौयें बहुत पालिकर उन गौओं  
केहीबच्चा दूध आदिसे व्यापार अपना रखतेहैं-यह दोनों उसी पैदाहुये अन्न भूसा  
आदि खेतीके फलमेंसे और बछरादूधआदि गौओंके फलमें से परिभाषितभाग पाते  
हैं कि जितना उनको ठहराहो इसमें संशय नहीं-बहुधा भाँतिके भृतकों में कदाचित्त  
उत्तमता मध्यमता की अपेक्षासे कुछ तर्क वितर्क भगड़ाहोय तिसका निर्णय कहते  
हैं कि-उत्तम नौकर सिर्फ (आयुधी) लोग जो शस्त्रादि बन्धन कर्मकी भृति पावें मां  
विख्यातहै फिर चाहे काम कोईसा वह करै-और मध्यम नौकर वह कि जो (कृषीवल)  
किन्तु खेती आदि पैदाकरनेकी भृति पावें काम चाहे तैसा करै-अधम किन्तु हीन  
भृतक वह कहलाता जो कुछ भारवाही वाला कामकरनेकी भृति पावें चाहे शब्  
भी फिर बाँधे तोभी आयुधीयमें वह गिनती नहीं-तैसेही जो घरके कामबंध करनेके

नौकरहो तिसको जानो-इन्हीं तीनचार भेदोंके उपलक्षणमें सब सामान्य नौकरमात्र समुभेजाते हैं दृष्टांत जैसे एक आयुधीकी उत्तमता प्रकट करनेसे धनाध्यक्ष कलमा कर्षक आदिभी सब समुभेजाते हैं १ कृषीवलकी मध्यमता प्रकट करने से भांडारी आदि औरभी अन्नादि द्रव्यों के अधिकारी आदि समुभेजाते हैं २ भारवाह किन्तु मुटिहा बोभैतकी हीनता प्रकट करनेसे उसभाँतिके अनेक मेहनती मजदूर घरामी गाड़ीवान् कूपखनक आदिसभी समुभेजाते हैं और इन्हींमेंसे चौथाभेद गृहकर्मकृत् के उपलक्षणमें मशालची फर्शाश खिदमतगार आदिसभी समुभेजाते हैं ३-यह उत्तमता मध्यमता जैसी कहींगईसो कुछ थोड़ीघनी भृतिके ऊपरनहीं किंतु केवलकर्मकेही आश्रयभूत जानो (दृष्टांत)जैसे भारवाह एकदिनमें एकरूप्यतक पासक्ताहो वही रूप्य एक आयुधी आठदिन में पावै तौभी भारवाह उसके सन्मुखहीन है इत्यादि और सब को जानो-परन्तु-इन्हीं तीनों भेदके प्रत्येक भेदमें फिर तीनतीन भेद उनके आपसमें भी होते हैं और वेतीनों निःसंदेह उत्तम मध्यम कनिष्ठ उनकी न्यूनाधिक भृति के अनुकूल मानेजाते हैं और न्यूनाधिक भृतिका मिलना उनकी शक्ति भक्तियोंके अनुरूप सदाहोता है-तदाहनारदः (भृतकस्त्रिविधोज्ञेयउत्तमोमध्यमोऽधमः । शक्तिभक्त्या नुरूपास्यादेषांकर्माश्रयाभृतिः) अर्थात्-भृतक प्रत्येक निज निज भेदोंमें परस्पर तीन भाँतिकासमुभूतना किन्तु उत्तम मध्यम हीन-इनकी भृति उस मुख्यकर्मकेही आश्रय भूत शक्तिनाम समर्थ जैसा कुछ उत्तमता या मध्यमतासे उसकामको करसक्ताहो और भक्तिनाम सेवा आराधन तत्परता अभियुक्ति रचना परत्व किन्तु निरंतर मनो-वृत्तिको समर्पण करिकै उसमें लगारहना यही भक्तिका स्वरूपहै सो जिसमें जैसी घनी थोड़ी भक्तिहो तैसी उसकी भक्ति शक्ति दोनों के अनुसार मासिक आदि भृति भी कल्पित करीजाय-परंच मुख्य कर्मकेही आश्रयभूत कल्पित करीजाय इसका यह दृष्टान्तहै कि एककाम इतना उत्कृष्ट जिसमें परमशक्ति भक्तिसे संयुक्त भृतक पाँच रूप्य रोजीना तक पासक्ताहै, और एकमध्यमकाम जिसमें परमशक्ति भक्तिवाला एकरूप्यरोजीनासे अधिक नहींपासक्ताहै और भीतर इसके अनेक भाँति निज निज शक्ति भक्तिके अनुसार कल्पित होंगी, एक निकृष्टकाम जिसमें परमशक्ति भक्तिसे संयुक्त होने परभी १) चारकलासे उपरान्त कोई रोजीना नहीं पासक्ता आगे जैसी जिसकी शक्ति भक्ति मंदहोगी तैसी न्यून भृतिके योग्य-ये निर्णय ऐसे अवसर काम आते हैं कि जहाँ कोई कुछ न्यूनाधिक तनस्वाहमध्ये भगड़ा रोपै-यह सब सामान्य भृतकोंके वृत्तान्त पूरेहुये-अब-अधिकर्मकृत्कारूप नारद कहते हैं-यथा(अर्थेप्राधिकृतायःस्यात्कुटुंबस्यतथोपरि । सोऽधिकर्मकृतोज्ञेयःसचकौटुंबिकःस्मृतः)-अर्थात्-जो कोई श्रेष्ठ भृतक अपने स्वामीकरके (पथों) पर अध्यक्ष बनायाजाय सो (अधिकर्मकृत्)

कहलाताहै तथैव जो (कुटुम्ब) परअध्यक्ष बनायाजाय सोभी एकदूसरीभाँतिका अधिकर्मकृत् कौटुम्बिक नामकहाताहै-अर्थोंपर इसकथनसे जो अर्थ अनेकभाँतिके सब लोक प्रसिद्धहैं कि सोना चाँदी आदि खानि या टकसाल या व्यापार ग्रामक्षेत्रआदि जोकुछअर्थ प्रयोजन सिद्धकरनाहो तिसपर अन्यभूतकोंकी अपेक्षा जो विश्वासपात्र होनेसे या कर्मशक्तिमान् अधिक होनेसे अधिष्ठातारूप नियुक्त कियाजाय सो अधिकर्मकृत् कहलावै और याहीभाँति(कुटुम्ब)पर अर्थात् सिर्फ पोष्यवर्ग सिपाही आदि अनेक भूतकोंपर अध्यक्ष बनायाजाय सोकौटुम्बिक जमादार आदि संज्ञासे विख्यात होताहैदूसराअर्थ यहभीहै कि जहाँ किसी कुटुम्बीके कुटुम्बपर नियन्ता उसकारक्षण पालनआदिकरनेकेहेतुसेद्रव्यादि व्ययकारीनियत कियाजाय तहाँभी कौटुम्बिक अधिकर्मकृत्कहलावै (अत्रस्वामिदोषस्वरूपम्)यथाहृदहस्पतिः ( प्रभुणाविनियुक्तःसन्भूतको विदधातियः । तदर्थमशुभङ्कर्मस्वामीतत्रापराधनुयात् ॥ कृतेकर्मणियःस्वामीनदद्याद्दे तनंभृते । राज्ञादापयितव्यःस्याद्वेतनञ्चानुरूपतः) अर्थात्-जोकोई भूतक अपनेप्रभुकी आज्ञासे विनियुक्त समुद्यतहोते उसके अर्थ जोकुछ खोंटाकर्मकरै तिसमें स्वामीपर अपराधरक्खाजाय जोकोईस्वामी आज्ञाके अनुसार कामकरने परभी भूतको वेतन नहींदेवे तौ यहवेतन राजाको दिलवानाहोय परउसकर्मकेही तुल्य उसकीशक्तिभक्ति के अनुरूपसे दिलवायाजाय जैसा ऊपर वर्णनहुआ २०२ । २०३ ॥

इतिवेतनादानप्रकरणम्

वेतन अनपाकर्म नामका यह प्रकरण एकइसी ७४ चौहत्तरि संख्याके परिच्छेद से समाप्तहुआ ॥

अथद्यूतसमाह्वयारख्यव्यवहारपदविवेकोनामपंचसप्ततितमःपरिच्छेदः ७५ ॥

इस पचहत्तरि संख्याके परिच्छेद में द्यूत और समाह्वय इनदो नामोंवाले द्यूत कर्मोंका प्रकार जानाजायगा और वहीजुआरी धूर्त लोगोंका स्वाभाविकधर्महै ॥

द्यूत समाह्वयकाजो प्रकरण यहाँ निरूपितहोगा तिसकोदेखि सुनिकर कोई यह न समुझैकिंतुयहभी एकधर्महोगा-क्योंकि जिसकी मर्यादें शास्त्रगम्यहैं तिसकामके आचरणोंकीभी आज्ञाहोगी सो निर्मूलहै (दृष्टांत)जैसे वेइयागामी पुरुषोंकी अपेक्षाके वेइयाभाटक दानादानकेभी नियम कल्पितहुये तौ उसवातसे यहआग्रह नहींगुडाला सक्ताहै कि वेइयागमन करनेकीभी आज्ञाहै-कदाचित् कोईकितव सहायक इममेंमर्तक उपस्थितकरै कि वेइयाभाटक नियमोंके अनिदेशकरके सिर्फ जुआरी लोगोंके आज्ञाहोगी सो यहतर्कभी निर्मूलहै क्योंकि द्यूतकारी लोग निःसंदेह चोर प्रसिद्ध हैं इसवात का सिद्धांत पीछे वर्णन होगा-और उसद्यूतकी मर्यादों का निरूपण होन उम्मी अपेक्षामे कि जब तक अध्यारोप न होय तबतक अपवादकाभी रूपसिद्धनहीं



होसक्ता इस्से अध्यारोपकरना आवश्यक ठहरा-द्यूत १ समाह्वय २ दोनोंकास्वरूप नारदने दर्शायाहै-यथा(अक्षबध्नशलाकाद्यैर्देवनंजिह्वकारितम् । पणक्रीडावयोभिश्च पदं द्यूतसमाह्वयम् ) अर्थात् (अक्ष)नामपाशे (बध्न)नाम चमड़ेकी पट्टियां (शलाका)जो हाथीदांत आदिसे बनीहुई लंबी चौकोर खेलनेकी होतीहैं आदि शब्दके आशयसे और भी अनेक भांतिसे दृष्टांत जैसे चौपरि आदि जिसमें हाथी घोड़ा आदि भी कल्पितहोतेहैं इत्यादि चिह्नोंसे पणबदिकर (जिह्व) कुटिल मंदलोगोंका करायाहुआ खेलजीति हारिकीअपेक्षा से यह द्यूतकर्म कहाताहै-और जो साक्षात्कार प्राणियोंसे अर्थात् मुरगा मेढा बुलबुल घोड़ा आदि या कुश्तीबाज पटेबाज आदि मनुष्यों से-हीपण बदिकर क्रीड़ाहोती है सो समाह्वय नामकहाताहै-इनमें जो कुछ विवादखड़ा होय तौ इसनामका विवादपद कहलावै-तथाचमनुः(अप्राणिभिर्याक्रियतेतल्लोकेद्यू तमुच्यते । प्राणिभिःक्रियमाणस्तुसविज्ञेयःसमाह्वयः ) ऐसाद्यूतकर्म करनेवाला अधिष्ठाता जो कुछ अपनाहक लेतादेता हो तिसको योगीश्वरप्रकट करतेहैं ॥

ग्लहेशतिकवृद्धेस्तुसभिकःपंचकंशतम् । गृह्णीयाद्धूर्तकितवादितरादशकंशतम् २०४ ॥

ससम्यक्पालितोदद्याद्राज्ञेभागंयथाकृतम् । जितमुद्राहयेज्जेत्रेदद्यात्सत्यंवचःक्षमी २०५ ॥

ऐ०-( धूर्तकितव ) खिलाड़ी से (ग्लह) नाम एकदाव चाहै जितना लगाहो तिसमें शतिक वृद्धिवालेसे अर्थात् जिसकी जीति पूरेएक सौकी या इससे अधिक चाहे ति-तनीहो तिससे पांचरुपया सैकराके हिसाबसे वह (सभिक)अखाड़ेवाला अपना हक लेवै किन्तु जीतेहुये धनमेंसे प्रत्येक दावपीछे हक बीसवां अंशलेताहै (और) इतरसे कि जिसकी जीति सौसे नीचीहो दशवांभाग लेय इससे अधिकनहीं २०४ वह अखाड़े वाला जो राजाकरके अच्छीभाँति रक्षा कियागयाहो तौ उस अपने लाभमें से राजकोभी भागदेवै जो कुछदेना ठहराहो और यहभी उसकाकाम है कि जीताहुआ द्रव्य जीतनेवाले को हारनेवालेसे निकालकर दिलवावै और आप क्षमायुक्त होकर खिलाड़ियोंके विश्वास निमित्त उनको सत्य वचनदेवै किन्तु जैसा पहलेकहै तैसाही आचरणकरै दंगावाजी उनके साथ न करै २०५ ॥

अधि०-नारदकथनं (सभिकःकारयेत्द्यूतंदेयंदद्याच्चतत्कृतम् । दशकंतुशतंवृद्धेस्त तःस्याद्द्यूतकारिता ॥ अथवाकितवोराज्ञेदत्वालाभंयथोदितम् । प्रकाशंदेवनंकुर्यादेवं दोषो न विद्यते) अर्थात्-सभिक अखाड़ेवाला जो द्यूत कर्मकरावै तौ वह उसके निमित्त कियाहुआ राजकरभी देवे तथा खिलाड़ी लोगोंके लाभमें से आपदशांशलेवै-इसमें जो सामान्यभाव नारदने सर्वत्र दशवांभाग लेनाकहा सो प्रत्येक दावपीछे नहीं समुझना किन्तु सबसे पीछे हारिजीतिका निपटारा होचुकनेपर यह लेना कहा-योगी-श्वरने दो भेदकियेथे सो प्रत्येक दावपीछे इस्से यह वह दोनोंही तुल्यात्मक जानो-

अथवा विना अखाड़ेबाजके खिलाड़ीलोग अपने आप जो कुछ देना ठहिरावें सो निज लाभमेंसे राजाको देकर प्रत्यक्ष होकरखेलें तो कुछ दोषनहीं-वहस्पतिस्तु(सभिकोग्राहकस्तत्रदद्याज्जेत्रेनृपायवा) अर्थात्-उस अखाड़े बन्धखेलमें सभिकजोहै सोई सबसे ग्राहकहै अर्थात् वही हारेहुयोंसे लेकर जीतिवालेको देदेवै तथा राजाको भागभी वह अपने लाभमें से देवै-जोकि-द्यूत सभापतिको अन्य खिलाड़ियोंसे दशांश या बीसवांभाग लेनाकहा तिसके पलटेजीतिवाले का धनदिलवाना उसपर यहांतक आवश्यकहै कि अपने पाससे भी देय-तथाचकात्यायनः ( जेतुर्दद्यात्स्वकंद्रव्यंजितं ग्राह्यंत्रिपक्षिकम् । सद्योवाकितवेनैवसभिकात्तुनसंशयः) अर्थात्-जो कदाचित् हारेहुये के पास कुछतत्काल देनेयोग्य नहो तो जीतनेवालेको वह सभिक अपना द्रव्य उस के पलटे देकर हारेहुयेसे तीनपक्षतक भी लेतारहै यद्वा उसीसमय लेवैपर उसजीते हुये खिलाड़ीका दावा उसीसभिकपर आरूढहै जो ना लखाताहो इसमें संशयनहीं-कदाचित् सभिक उरसे दिलवाने में असमर्थ हो तब राजाको दिलवाना योग्यहै यह याज्ञवल्क्यजी दर्शाते हैं २०४ । २०५ ॥

प्राप्तेनृपतिनाभागेप्रसिद्धेधूर्तमंडले । जितंससभिकेस्थानेदापयेदन्यथान्तु २०६ ॥

द्रष्टारोव्यवहाराणांसाक्षिणश्चतएवहि । राज्ञासचिह्नानिर्वास्याःकूटाक्षोपधिदेविनः २०७ ॥

ए०-धूर्तमंडल द्यूतकर्मका अखाड़ा जो प्रसिद्धहो किंतु छिपानहो और नृपतिन भी राजभाग जिस्सेपाया हो ऐसे सभिकयुक्त स्थानमें जो किसीने कुछजीता हो तो यह जीतिराजा दिलवावै परअन्यथानहीं अर्थात् जहाँ छिपेहुये अखाड़ेमें या सभिकहीं अखाड़ेमें या जिसने राजभाग नहींदियाहो ऐसे किसीमंडलमें जो जीति हुई हो तो यहराजा नहीं दिलावै २०६ जहाँराजा दिलवानेका उद्योगवाँधै और यह निश्चित न होसकै कि इसकी जीतिभूठी अथवासच्चीहै तब उनके व्यवहार निर्णय करनेको वेहीलोग सभासद निर्णोता नियतकरै जो उस धूर्तमंडलके सभापति या खिलाड़ीहों किंतु इसकेलिये वैसानियम नहीं समुझना जैसा महत्प्रयोजनों के निमित्त वर्णनहुआथा कि (श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाःसत्यवादिन इत्यादि)और वेही लोग साक्षी नियतकरै जो उसमंडलमें खिलाड़ीहों अर्थात् यहाँ वह प्रतिषेध योग्य नहींहै जो महत्प्रयोजनोंकी गवाहीमध्ये लिखाथा कि (स्त्री बालक बूढ़ा जुआरी आदिनहीं) और वैसे लोग राजाको अँकवाइ कर निकासिदेने योग्यहै जो छलके फाँसे आदि कूट प्रकार या कुछ टोना जादू आदि बुद्धि विनाशक हेतु उपाधिसे छल सेन करतेहों २०७ ॥

अथ०-राजाकी आज्ञा विना द्यूतकर्मका प्रतिषेध नारद कहतेहैं-यथा(अनिर्दिष्टं नृपोराज्ञ द्यूतं कुर्वतिमानवः । नसतंप्राप्नुयात्कामंविनयंचैवसोर्हति) अर्थात्-जो कोई

राजाकी आज्ञाविना द्यूतकर्म करता है सो अपने मुख्यकामको संसिद्ध न करने पावै और वह राजदंडकेभी योग्यहै २०६ विष्णुभी इस निर्णयमध्ये उन्हींलोगोंका साक्षित्व प्रकट करते हैं-यथा(कितवेष्वेवतिष्ठेरनूकितवाःसंशयंप्रति । यएवतत्रद्रष्टारस्तएवेषान्तुसाक्षिणः) कदाचित् साक्षियोंमें परस्पर विरोधहो तिसकेलिये बहस्पति कहते हैं-यथा(उभयोरपिसंदिग्धौकितवाःस्युःपरीक्षकाः। यदाविद्वेषिणस्तेतुतदाराजाविचारयेत्) अर्थात्-जहाँ दोनोंकी हारिजीतिमें संदेह खड़ाहोय तहाँ जो उपरालू कितव देखनेवालेहों वेहीउनको भाँपैपर जो वे उपरालू भाँपकरनेवाले कुछ विद्वेषी होकरसत्य न बोलैं तत्पश्चात् राजा आप निर्णयकरै जैसीरीतिसे होसक्ता हो-कदाचित् ऐसा भ्रगड़ा खड़ाहोय कि दावबदा अथवा नहीं बदा तिसके मध्ये नारद कहते हैं-यथा-(परिहासकृतंयच्चयच्चाप्यविदितंनृपे । तत्रापिनाम्नुयात्काममथवानुमतंतयोः) अर्थात्-किसीने जो हासी ठट्टाकीरीतिसे कुछ दावबोले दियाहो या राजापर जो अविदित रहै ऐसादाव झूठाहै इसदावका जीतनेवाला पानेका अधिकारी नहीं परवहवात द्वितीयहै जो दोनोंके परस्पर अनुमति सहितसच्चा मानि लियाजाय परिहास कृतदाव का यहरूप है कि बहुधालोग मनबहिलानेके निमित्त चौपरि गंजीफा आदि खेला करतेहैं और उसमें केवल मुहकी हारिजीति मानीजाती है कि दो या तीन आदि बाजी उसपर अमुक पुरुष जीता किंतु देनेलेनेका व्यवहार उसमेंनहींहै इस खेलमें कदाचित् कोई हास्यरीतिसे कहिउठै कि अबकीबाजी जो न जीतौं तौ यहमाला तुमसे हारिजाउँ ऐसा कहनेपर कदाचित् बाजीहारिगया या जीता जिस्से प्रतिपक्षी पर उसमालाके समान द्रव्यदेना सिद्धहोताहो तौ इसभाँतिके परिहासग्लहका कोई दावानहीं करसक्ता क्योंकि वाग्विनोदका यहदंगहै-परिहासकृतका एक औरभी उपलक्षणहै कि जहाँसच्चा द्यूतकर्महोताहो तहाँ देखनेवालेभी परस्पर खड़ेहुये सच्चीरीति से उपद्यूत खेलाकरते हैं अर्थात् मुख्य खेलनेवालोंकी हारिजीतिके अनुसार वे भी अपनी हारिजीति कल्पित करिलेतेहैं और वदाहुआ दावजैसे वे लोग देतेलेते तैसे येभी अपने आपसमें सबदेतेलेतेहैं परइनमें विरलेमौर्ख्यभावसे कदाचित् अनपेक्षित हासीकीरीतिसे कुछ दावमुहसे कहिडारैं तौ यहदाव हास्यकृत कहिलावै किंतुदावा इसका सिद्धनहीं होसक्ता-अथवा दोनोंका अनुमत पहले पक्काहुआहोकि तुम हमदोनों मिलकर उपद्यूत यहाँ खेलैं तौ यहवात दूसरीहै अर्थात्सच्ची समुभीजाय और यही इसमें हास्यकृतकी पहिंचानिहै कि पहले अनुमत पक्का कियेविना जो उच्चारण किया हो सो परिहासमात्र जानो कूटद्यूत करनेवालोंको निकासि देना दंडनारदभी दर्शाते हैं-यथा ( कूटाक्षदेविनःपापान्तराजारष्टाद्विवासयेत् । कंठेऽक्षमालामासज्य सद्योषांविनयःस्मृतः ) अर्थात्-ब्रह्मके पाशेआदिसे ( देविनः ) किंतु खेलनेवालोंको राजाराज्यसे

निकासि दे ऐसे चिह्नोंसे अँकवाइकर कि उन्हीं पाँशोंकीमाला उनकेकंठमें सजाई जाय-विष्णु इसीदंडमें विशेषता प्रकट करते हैं-यथा(द्यूतेकूटाक्षदेविनांकरच्छेदः उप-धिदेविनांनासाच्छेदः) २०७ ॥

द्यूतमेकमुखंकार्यतस्करज्ञानकारणात् । एषएवविधिज्ञेयःप्राणियूतेसमाह्वये २०८ ॥

ऐ०-कदाचित् राजा द्यूतकर्म किसी परमहेतुसे करावैतौभी चोरोंके परिज्ञान हेतु करके एकमुख अर्थात् मुखरूप कोई एक प्रधान बनै जिसका बलिक राजाके अध्यक्ष भी अधिष्ठित कियेजायँ ऐसे ढंगसे करावे क्योंकि प्रायः कितव जुआरी लोगचोरी का धनलाकर द्यूतकरते हैं उसअवसर में उनचोरों का भी भेदजाना जासक्ता है जे कोई उनमेंहों-यहीविधि जो कुछ ऊपरकहीगई सो सर्वथा प्राणियूतमेंभी जानोजिसे समाह्वय नाम कहते हैं २०८ ॥

अधि०-समाह्वय नामक प्राणियूत मध्ये इतनी और विशेषता है कि उनप्राणियों के पलटेउनके स्वामी हारिजीति के अधिकारी होते हैं-तदाहबृहस्पतिः(द्वंद्वयुद्धेनयः कश्चिदवसात्प्रवाप्नुयात् । तत्स्वामिनापणोदेयोयस्त्वत्रपरिकल्पितः )अर्थात्-द्वंद्वयुद्ध जैसे दो मेढा या दो मुरगे किन्हीं दो पुरुषोंने लड़ाये यद्वाघोड़ा हाथीही घुड़दौर की रीतिसे दौड़ाये या रथगाड़ी आदि तौउन दोमेंसे जो कोईएकहारै तिसके पालयिता स्वामीको पणदेनाहोय जो इस द्वंद्वयुद्धकी पराजय में परिभाषित हुआ हो (अथा-स्यनिषेधप्रसंगः)-तत्रबृहस्पतिः (द्यूतंनिषिद्धंमनुनासत्यशौचधनापहम् । अभ्यनुज्ञातम-न्यैस्तुराजभागसमन्वितम्॥सभिकाधिष्ठितंकार्यतस्करज्ञानहेतुना )अर्थात्-यहांबृहस्प तिजी यह कहते हैं कि द्यूतकर्म मनुनेप्रतिषिद्ध कियाहै और औरों ने अनुज्ञादांशित करीहै कि उसमें राजभागभी ठहरायाजाय इससे-तात्पर्य केवल इतना है कि तस्का लोगोंका परिज्ञान होने आदि किसी निमित्तसे कदाचित् उसकाकरनाही आवश्यक समुभाजायतौभी सभिक विनानहोनेदे-मनुस्तुनिर्विकल्पंप्रतिषेधति-यथा(द्यूतंसमाह्वयंचैवराजाराष्ट्रान्निवारयेत् । राज्यान्तकरणावेतौद्वौदोषौपृथिवीक्षिताम्॥प्रकाशमेतत्त-स्कुर्ययद्देवनसमाह्वयौ ॥ तयोर्नित्यंप्रतीघातेनृपतिर्यत्नवान् भवेत्॥द्यूतंसमाह्वयंचैव कुर्यात्कारयेतवा । तान्सर्वान्घातयेद्राजाशूद्राश्चद्विजलिं गिनः॥ कितवान्कुशीलवान् रान्पाखंडस्थाश्चमानवान् ॥ विकर्मस्थाञ्छौडिकाश्चक्षिप्रंनिर्वासयेत्पुरात्॥ एतेगणै र्तमानाराज्ञःप्रच्छन्नतस्कराः । विकर्मक्रिययानित्यंवाधंतेभद्रिकाःप्रजाः॥द्यूतमेतत्सुग-लेष्टप्रवैरकरंमहत् ॥ तस्माद्द्यूतंनसेवेतहास्यार्थमपित्रुद्धिमान्॥प्रच्छन्नंवाप्रकाशंवा निषेवेतयो नरः । तस्यदंडविकल्पःस्याद्यथेष्टंनृपतेस्तथा)अर्थात्-द्यूतसमाह्वयदोनोंके ही राजाअपने राज्यसे निवारण करे क्योंकि धरणीपालों को यह दोनों दोष राजसे नाशक होतेहैं-द्यूतसमाह्वय दोनोंका जो खेलहै सो प्रत्यक्ष चोरकर्महै इमलिये दोनों

कर्मके मिटां ने मध्ये राजा नित्यंप्रति निजआप यत्नकरता रहै किंतु इस्से गाफिल कभीनहो-जो कोई इनको करै या करवावै यद्वा और कोईभांतिसे सहायक बनै तिन सबको राजाहस्तत्रोट आदितीव्रदंड प्रहारकरै इसीप्रकार शूद्रजोजनेऊ तिलकआदि द्विजाती चिह्न गारणकरै तिनकोभा-किनव जुआरी आदि कुशीलवही जरे नटनर्तक आदि, क्रूरदुःखदायी आदि, पाखंडी वेदद्वेषी आदि, विकर्मस्थ जो अनापत्काल में भी परजाति कर्मद्वारा जीवनकरै शौंडिकमद्यकार, इनको राजाशीघ्रपुरसे बाहर करै- तात्पर्य इसका यह कि उज्ज्वल वस्तीके भीतर इन्हें न बसनेदे क्योंकि इनके संसर्ग से सब और अच्छीप्रजा दुर्मतिहोजातीहै और दुःखभीपायाकरतीहै पर निपटराज्य बाहर काढ़िदेनेवाला अर्थ जैसाकुल्लूकभट्टने लिखदिया सो कुछ मूलश्लोकमें भीनहीं है न सृष्टिके संसरण मार्गसे संसिद्ध होना संगत है-पुरशब्दराज मंडलका प्रबोधक नहीं और इस्से आगेके श्लोकमें जोराष्ट्रशब्दहै सोभी यहांउपद्रव का भावार्थबोधक होनेसे मुख्यार्थ सिद्धकरताहै कि-एतेराष्ट्रे वर्तमाना-अर्थात् येही इतने कितव आदि जो जो ऊपर कहेगये सो सब अपने पैदाकिये उपद्रवमें वर्तमान होतेहुये नित्यविकर्म क्रियासे अर्थात् वंचनकर्मोंसे सज्जनरूपा प्रजाकोदुःखदेतेहैं इसलिये पुरसेबाहर कहीं बसनेदेय पुरकेभीतर नहीं क्योंकि राजाके ये ढँके हुये चोरहैं जो उसकी श्रेष्ठ प्रजाको धन हरने आदि अनेक भांतिसे दुःखदेतेहैं-इसीराष्ट्रशब्दकी आंतिसेकुल्लूक भट्टने ऊपरले वाक्य में पुरशब्दकोभी राज्यके भावार्थ में प्रकल्पितकिया परन्तु यह भी ध्यानकरो कि राजबाहर काढ़िदेना सिर्फ कपटफांसे आदिसे कूटाक्षदेवीद्यूतकारों के निमित्तमें कहचुके सोई ठीकहै और यहां परसामान्य कितव तथा कुशील व नट नर्तक आदि का यह चर्चाहै इनसबहीको इसअर्थ के अनुसार निज निजराज्यबाहर सभी राजाकाढ़िदें तौ फिर फालतू ऐसा कौनसा वहद्वीप है कि जिसमें जाकरवसैं निपट उनके प्राण लेलेने का कुछ नियम इसमें नहीं क्योंकि भलेबुरे सभीईश्वर की सृष्टिहैं और देहवेश कर्म प्रकृति आदि का नानात्वभी जगदीशने विस्तार किया है इसलिये उनके कुत्सित कर्मोंसे निजश्रेष्ठ प्रजाकी रखवारी करना मुख्यप्रयोजनजानि कर यहकहा है कि उनको उज्ज्वलपुरमें नहीं बसनेदेय इसकेआगे उनके खोंटे कर्म प्रकट होनेपर अपराधके अनुसार दंड होना जुदीवातहै कि जैसा कूटाक्षदेवी द्यूतकारोंके निमित्त में कहचुके-प्रकृत वार्ताकी अपेक्षा में अब चर्चा करते हैं कि-द्यूतकर्म पहले कल्पमेंभी बडा बैरखड़ा करनेवाला देखासुना है कुछ आजसेही नहीं तिससे बुद्धिमान् पुरुष कभी हास विनोदके भी नामसे इस कामको नसेवै-जो कोई द्यूतकर्म चाहे छिपकर या प्रत्यक्ष होकर सेवै तिसकेदंडमें बहुभांति का विकल्प जैसाराजा इच्छा करै तैसा नाना भांति से हो सक्ता है-अवयहनिर्णय होना शेष है कि-जवपेसे तीव्र

निकासि दे ऐसे चिह्नोंसे अँकवाइकर कि उन्हीं पाँशोंकीमाला उनकेकंठमें सजाई जाय-विष्णु इसीदंडमें विशेषता प्रकट करते हैं-यथा(द्यूतेकूटाक्षदेविनांकरच्छेदः अधिदेविनांनासाच्छेदः) २०७ ॥

द्यूतमेकमुखंकार्यतस्करज्ञानकारणात् । एषएवविधिर्ज्ञेयःप्राणियूतेसमाह्वये २०८ ॥

ऐ०-कदाचित् राजा द्यूतकर्म किसी परमहेतुसे करावैतौभी चोरोंके परिज्ञान हेतु करके एकमुख अर्थात् मुखरूप कोई एक प्रधान बनै जिसका बल्कि राजाके अध्यक्ष भी अधिष्ठित कियेजायँ ऐसे ढंगसे करावे क्योंकि प्रायः कितव जुआरी लोगचोरों का धनलाकर द्यूतकरते हैं उसअवसर में उनचोरों का भी भेदजाना जासक्ता है जे कोई उनमेंहों-यहीविधि जो कुछ ऊपरकहीगई सो सर्वथा प्राणियूतमेंभी जानोजिसे समाह्वय नाम कहते हैं २०८ ॥

अधि०-समाह्वय नामक प्राणियूत मध्ये इतनी और विशेषता है कि उनप्राणियों के पलटेउनके स्वामी हारिजीति के अधिकारी होते हैं-तदाहबृहस्पतिः(द्वंद्वयुद्धेनयः कश्चिदवसादमवाप्नुयात् । तत्स्वामिनापणोदयोयस्त्वत्रपरिकल्पितः )अर्थात्-द्वंद्वयुद्ध जैसे दो मेढा या दो मुरगे किन्हीं दो पुरुषोंने लड़ाये यद्वाघोड़ा हाथीही घुड़दौर की रीतिसे दौड़ाये या रथगाड़ी आदि तौउन दोमेंसे जो कोईएकहारै तिसके पालयिता स्वामीको पणदेनाहोय जो इस द्वंद्वयुद्धकी पराजय में परिभाषित हुआ हो (अथा-स्यनिषेधप्रसंगः)-तत्रबृहस्पतिः (द्यूतंनिषिद्धंमनुनासत्यशौचधनापहम् । अभ्यनुज्ञातमन्यैस्तुराजभागसमन्वितम्॥सभिकाधिष्ठितंकार्यतस्करज्ञानहेतुना )अर्थात्-यहांबृहस्पतिजी यह कहते हैं कि द्यूतकर्म मनुनेप्रतिषिद्ध कियाहै और औरों ने अनुज्ञादांशत करीहै कि उसमें राजभागभी ठहरायाजाय इस्से-तात्पर्य केवल इतना है कि तस्कर लोगोंका परिज्ञान होने आदि किसी निमित्तसे कदाचित् उसकाकरनाही आवश्यक समुभाजायतौभी सभिक विनानहोनेदे-मनुस्तुनिर्विकल्पंप्रतिषेधति-यथा(द्यूतंसमाह्वयंचैवराजाराष्ट्रान्निवारयेत् । राज्यान्तकरणावैतौद्वौदोषौष्टथिवीक्षिताम्॥प्रकाशमेतत्तस्कर्य्ययद्देवनसमाह्वयौ ॥ तयोर्नित्यंप्रतीघातेनृपतिर्यत्नवान्भवेत्॥द्यूतंसमाह्वयंचैव कुर्यात्कारयेतवा । तान्सर्वान्घातयेद्राजाशूद्रांश्चद्विजलिं गिनः॥ कितवान्कुशीलवान् रान्पाखंडस्थांश्चमानवान् ॥ विकर्मस्थाञ्छौडिकांश्चक्षिप्रंनिर्वासयेत्पुरात्॥ एतेराष्ट्रं तमानाराज्ञःप्रच्छन्नतस्कराः । विकर्मक्रिययानित्यंवाधंतेभद्रिकाःप्रजाः॥द्यूतमेतत्पुण्यं ल्पेदृष्टं वैरकरंमहत् ॥ तस्माद्द्यूतंनसेवेतहास्यार्थमपिबुद्धिमान्॥प्रच्छन्नंवाप्रकाशंकां निषेवेतयोनरः । तस्यदंडविकल्पःस्याद्यथेष्टंनृपतेस्तथा)अर्थात्-द्यूतसमाह्वयदोनोंके ही राजाअपने राज्यसे निवारण करै क्योंकि धरणीपालों को यह दोनों दोष राजकी नाशक होतेहैं-द्यूतसमाह्वय दोनोंका जो खेलहै सो प्रत्यक्ष चौरकर्महै इसलिये दोनों



कर्मके मिटां ने मध्ये राजा नित्यंप्रति निजआप यत्नकरता रहै किंतु इस्से गाफिल कभीनहो-जो कोई इनको करै या करवावै यद्वा और कोईभांतिसे सहायक बनै तिन सबको राजाहस्तत्रोट आदितीब्रदंड प्रहारकरै इसीप्रकार शूद्रजोजनेऊ तिलकआदि द्विजाती चिह्नधारणकरै तिनकोभा-किनव जुआरी आदि कुशीलवही जरे नटनर्तक आदि, क्रूरदुःखदायी आदि, पाखंडी वेदद्वेषी आदि, विकर्मस्थ जो अनापत्काल में भी परजाति कर्मद्वारा जीवनकरै शौंडिकमद्यकार, इनको राजाशीघ्रपुरसे बाहर करै— तात्पर्य इसका यह कि उज्ज्वल वस्तीके भीतर इन्हें न बसनेदे क्योंकि इनके संसर्ग से सब और अच्छीप्रजा दुर्मतिहोजातीहै और दुःखभीपायाकरतीहै पर निपटराज्य बाहर काढिदेनेवाला अर्थ जैसाकुल्लूकभट्टने लिखदिया सो कुछ मूलश्लोकमें भीनहीं है न सृष्टिके संसरण मार्गसे संसिद्ध होना संगत है-पुरशब्दराज मंडलका प्रबोधक नहीं और इस्से आगेके श्लोकमें जोराष्ट्रशब्दहै सोभी यहांउपद्रव का भावार्थबोधक होनेसे मुख्यार्थ सिद्धकरताहै कि-एतेराष्ट्र वर्तमाना-अर्थात् येही इतने कितव आदि जो जो ऊपर कहेगये सो सब अपने पैदाकिये उपद्रवमें वर्तमान होतेहुये नित्यविकर्म क्रियासे अर्थात् वंचनकर्मोंसे सज्जनरूपा प्रजाकोदुःखदेतेहैं इसलिये पुरसेबाहर कहीं बसनेदेय पुरकेभीतर नहीं क्योंकि राजाके ये ढँके हुये चोरहैं जो उसकी श्रेष्ठ प्रजाको धन हरने आदि अनेक भांतिसे दुःखदेतेहैं-इसीराष्ट्रशब्दकी भांतिसेकुल्लूक भट्टने ऊपरले वाक्य में पुरशब्दकोभी राज्यके भावार्थ में प्रकल्पितकिया परन्तु यह भी ध्यानकरो कि राजबाहर काढिदेना सिर्फ कपटफांसे आदिसे कूटाक्षदेवीच्युतकारों के निमित्तमें कहचुके सोई ठीकहै और यहां परसामान्य कितव तथा कुशील व नट नर्तक आदि का यह चर्चाहै इनसबहीको इसअर्थ के अनुसार निज निजराज्यबाहर सभी राजाकाढिदें तौ फिर फालतू ऐसा कौनसा वहद्वीप है कि जिसमें जाकरवसै निपट उनके प्राण लैलेने का कुछ नियम इसमें नहीं क्योंकि भलेबुरे सभीईश्वर की सृष्टिहैं और देहवेश कर्म प्रकृति आदि का नानात्वभी जगदीशने विस्तार किया है इसलिये उनके कुत्सित कर्मोंसे निजश्रेष्ठ प्रजाकी रखवारी करना मुख्यप्रयोजनजानि कर यहकहा है कि उनको उज्ज्वलपुरमें नहीं बसनेदेय इसकेआगे उनके खोंटे कर्म प्रकट होनेपर अपराधके अनुसार दंड होना जुदीवातहै कि जैसा कूटाक्षदेवी च्युतकारोंके निमित्त में कहचुके-प्रकृत वार्ताकी अपेक्षा में अब चर्चा करते हैं कि-च्युतकर्म पहले कल्पमेंभी बड़ा बैरखड़ा करनेवाला देखासुना है कुछ आजसेही नहीं तिमसे बुद्धिमान् पुरुष कभी हास विनोदके भी नामसे इस कामको नसेवै-जो कोई च्युतकर्म चाहे छिपकर या प्रत्यक्ष होकर सेवै तिसकेदंडमें बहुभांति का विकल्प जैसाराजा डच्छा करै तैसा नाना भांति से हो सक्ता है-अवयहनिर्णय होना शेष है कि-जबसे तब

दंड और प्रतिषेध इसमें नियत हैं तो राजभाग लेने आदि नियम निरर्थक नियत किये गये क्योंकि जो काम एक निपट अशुभ और निर्मल हैं तो उसके नियम कल्पित करना भी तुषकंडन हुआ-तिसके लिये कहते हैं कि सिर्फ दीपमालिका में अधिकार इसका माना गया है-तथा चहेमाद्रौ ब्राह्मे (तस्माद् द्यूतं प्रकर्तव्यं प्रभाते तत्र मानवैः । तस्मिन् द्यूते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो विरुद्धश्च लाभनाशकरो भवेत् । दयिताभिश्च सहितैर्नयासाच भवेन्निशा ॥ अन्यच्च हेमाद्रावेव-प्रातर्गोवर्धनं पूज्य द्यूतं चापि समाचरेत् । भूषणीयास्तथा गावः पूज्याश्चावाह दोहनाः) यह अधिकार दीपमालिकामें सर्वत्र और सबके लिये सुनिश्चित है इस हेतुसे कि आगामी वर्ष मात्र का शुभाशुभ हानिलाभ आदि फूलसं सूचन होय-यहाँ पहले वचनमें जो संवत्सर का जयपराजय कहा तिसका यह सिद्धांत नहीं है कि द्यूतकर्मद्वारा हानि लाभ हुआ करे किंतु अन्य सब सामान्य व्यापारों का फल सूचन किया है और यद्यपि इन अत्रोक्त वचनोंमें समस्याकेवल दो दिन की दर्शाई गई परं च दो सप्ताह मात्र का आचरण कार्तिक मासमें परिपाटीसे संसिद्ध है और अवधि उसकी वत्सद्वादशीसे देवोत्थानातिक आवश्यक है अर्थात् इतने दिवसोंके निमित्तसे जो कोई द्यूत अखाड़े का फड़ नियत करना चाहिके कुछ राजद्वारमें निवेदन करे तिसके लिये राजराज भागनिश्चित करिके निःसंदेह आज्ञा देवे और यह राजभाग सिर्फ इसलिये है कि ऐसे द्यूत स्थानोंकी रखवारी यद्वा तस्कर ज्ञान आदि हेतुसे अध्यक्ष नियत करने होंगे तिनका वेतन संग्रह करना भी आवश्यक है और इन्हीं दो सप्ताहोंके निमित्त परवे नियम सब आरूढ़ हैं कि जो जो हारिजीतिका मुकद्दमा खड़ा होना आदि ऊपर कहे गये-उक्त दो सप्ताहोंमें संतप्त हुये मनुष्य फिर इस कामका कुछ नाम नहीं लेसके हैं न उनकी इच्छा इसपर पहुँचसकी है परन्तु जो कोई राजा इन सप्ताहोंमें भी द्यूतका प्रतिषेध बना रखता है तो उसके राज्यमें सर्वत्र निरन्तर बारहमासी द्यूत छिपकर हुआ करता है संदेह इसमें नहीं क्योंकि नियत समयपर जो अग्नि उनकी बुझने नहीं पाती है सो तृष्णारूप वायुसे समृद्ध हुई कुमतिरूप आँधीके भूकोरे खाकर लंबी फैल जाती है और उनके तथा औरोंके भी धनधाम ग्राम आदि फूँकाकरती है इस हेतुसे धर्मज्ञोंने सब नियम कल्पित किये हैं कि जिस्से कोई भाँति रक्षा बनीरहै २०८ ॥

इति द्यूतसमाह्वयविवादप्रकरणम्

यह द्यूत प्रकरण एकइसी ७५ संख्या में समाप्त हुआ ॥

अथ वाक्पारुष्यनामक व्यवहारपदविवेको नाम षष्ठसप्ततितमः परिच्छेदः ७६ ॥

इस छेहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें क्रोशाकरी आदि गाली देने या कुछ और उसी भाँतिका जो कर्कश वाक्यहो तिसके दण्ड वर्णन होंगे ॥

इस विवादको वाक्पारुष्य नाम कहनेका यह अर्थ है कि (परुष) तीव्र निष्ठुर कठोर

वाक्वाणीकी अपेक्षासे विवादहोय जिसमें तिसकी संज्ञावाक् पारुष्य कहीजाय-इसका रूपनारदने प्रदर्शित कियाहै-यथा(देशजातिकुलादीनामाक्रोशन्यङ्गसंयुतम् । यद्वचः प्रतिकूलार्थवाक्पारुष्यन्तदुच्यते ) अर्थात्-किसीदेश या जाति या कुलकेलिये यद्वा आदि शब्दके आशयसे किसीविद्या या शिल्प अथवा किसीमनुष्यमात्रके निमित्त में जोकुछ आक्षेप अभिशाप गालीगलौज न्यंगशब्दों सहित कियाजाय या जोवचन कोईभाँतिसे प्रतिकूल कहिये विपरीत अर्थवाला कहाजाय जिस्से देशजाति कुलादि किसीको उद्वेग पैदाहोय तौ यह वाक्पारुष्य भगड़ा कहलाताहै-इनका दृष्टांत जैसे गौड़ देशी बड़े मांसभक्षी और इसके साथ न्यंगवचनभी कुछ लगा हो तौ देशाक्रोश-रूपी वाक्पारुष्य हुआ-एवं ब्राह्मण बड़ेभिखमंगा और इसकेसाथ न्यंगशब्दभी कुछ होय तौ जात्याक्रोशरूप वाक्पारुष्य हुआ-एवंसरावगी लोग बड़े मलीन या विश्वा-मित्र कुलवाले बड़े क्रूरकर्मा और इसके साथ न्यंगशब्दभी कुछ होय तौ यह कुला-क्षेपरूप वाक्पारुष्य हुआ इसीप्रकार विद्या शिल्प आदि यद्वा देहमात्रमें समुभना-आक्रोश कहते हैं बड़े ऊँचे शब्दसे घुड़कना भर्त्सना डपटना और यही आक्षेपहै जो कोई लानतानयुक्त होय जैसे धिङ्मूर्ख धिग्जालम इत्यादि अनेक भाँतिसे आक्षेप होताहै-सो इतनेतक तौ स्वल्प वाक्पारुष्य समुभ्ना जाताहै पर इसके साथ कोई शब्द न्यंग लक्षण वालाभी लगिजानेसे वहवाक्पारुष्य अपनी पूरी पदवीको पहुँचताहै-न्यंग जिसे भाषावाले नंगबोलतेहैं कि अमुकआदमी बड़ानंगहै अर्थात्न्यंगशब्दों को उच्चारण करताहै (न्यंग) संज्ञा बड़े निष्ठुर नीच कठोर कर्कश वचनोंकी होतीहै- तथाचोक्तं(गुह्यांगामेध्यसंज्ञानां वचनं निष्ठुरं विदुः । यदन्यद्वावचोनीचं स्त्रीपुंसोर्मिथुना श्रयम् ) अर्थात्-शरीरमें छिपाने योग्य अंगोंके नाम प्रकटकरना तथा अमेध्यमैली चीजोंके नाम जैसे कुत्ताका मांस या विष्ठा आदि मुहमें देदेना आदि उच्चारणकरना ऐसे वचनोंको निष्ठुरजानो इसके सिवाय और जो कुछ नीच वचन स्त्री पुरुषोंके मि-थुनाश्रय भूत अवद्य होताहो तिसको न्यंग निष्ठुरजानो जिसके श्रवणमात्रसे उद्वेग सहित हृदय मर्म फटने लगै-जिस वाक्पारुष्यका यहरूप दर्शित किया तिसको दण्ड भेद करनेके निमित्त करके तीनभाँति जानो-यथाहकात्यायनः (यत्वसत्संज्ञितेरंगैः पर माक्षिपतिक्वचित् । अभूतैर्वाथभूतैर्वानिष्ठुरावाक्स्मृतातुसा ॥ न्यंगावगोरणवाचाक्रो धात्तुकुरुतेयदा । वृत्तदेशकुलानांतु अश्लीलासावुधैः स्मृता ॥ महापातकयोत्कीचराग द्वेषकरीचया । जातिभ्रंशकरीवाथतीव्रासाप्रथितातुवाक् ) अर्थात्-जहां कोई असत् नामवाले अंगोंके उच्चारण करके किसीको आक्षेप करताहै फिर वे अंग उसमें हों या नहों इसका नियम नहीं जैसे पुरुषमात्रके योनिका अभावहोताहै और कोई इसीनाम का उच्चारण करे तौ यह अभुत अंगोंके उच्चारणवाला आक्षेपहै या जो जो अंग जिस-

में हुआ करतेहों तिनहींका उच्चारण होना भूतअंगोंवाला आक्षेपहै-अभूतैर्वाथभूतैर्वा-  
 ऐसेही सर्वत्र जानो सो यह निष्ठुरवाणी कहलाती है और इसीके उपलक्षणमें अमध्य  
 चीजोंकेभी नामसमुझना और इसनिष्ठुरभेदमें इन अंगों यद्वा चीजोंका उच्चारणमात्र  
 निष्ठुरभावको दर्शाताहै-दूसराभेद इससे अधिक अब दर्शाते हैं कि-जब कोई क्रोधवा-  
 चासे अवगोरण किंतु गुरेरना हाथउठाकर यद्वा लकड़ी आदि मारनेको उठाकर या  
 मुहकी सूरत ऐंठिकर कुछ न्यंगवचन बोलै जिसमें अवद्य मैथुनरूप शब्दोंका उच्चा-  
 रण होय या अमध्यचीजोंके भक्षणवाला उच्चारण होय ऐसा डौलचाहे किसीके वृत्त  
 चरित्रोंकी अपेक्षा यद्वा देशमात्रकी अपेक्षा यद्वा किसी कुलका संबंधलेकर यद्वा किसी  
 एक देहमात्रकी अपेक्षासे उच्चारण कियाजाय तौ यह अश्लील वाणीके भेदवालावा-  
 क्पारुष्य कहा जाताहै और (अश्लील) का यह अर्थहै कि,जिस्से उसकी श्रीशोभा या  
 मंगलता दूर होकर लज्जा और निंदा प्राप्तहोय सो अश्रीर इसमें रकारके लकार  
 होकर अश्लील संज्ञा रखी गई-तीसरा भेद इससेभी कठोर अबदर्शाते हैं कि-उक्त  
 लक्षणवाले कर्कश वचनोंके सिवाय महापातक आदि लगानेवाली वाणीहो जैसे तू  
 अपनी मातृ भगिनी आदि गमन करै या करिचुका तौ इस वाणी ने यह महापातक  
 युक्तकिया अथवा रागद्वेष खड़ा करनेवाली वाणी हो जिस्से औरोंके परस्पर वैरभाव  
 खड़ाहोना संभवहो या (राग) नाम अभिरति जो किसीमें अनपेक्षितहो तिसका खड़ा  
 होना संभवहो इसका दृष्टांत जैसे ऐसाकोई शब्द उच्चारण कियाजाय जिसके श्रवण-  
 मात्रसे किसीका लड़का अपनी परिणीता बधूका निरादर करिकै वेश्या जनमें राग  
 पैदा करै तौ यह रागद्वेषवाला परुषवचन हुआ अथवा जाति भ्रंशवाला वचन होय  
 जिसके हेतु किसीकी जातिमें कलंक खड़ाहोय दृष्टांत जैसे तू मद्यपहै इत्यादि जो जा  
 बातें जातिमेंसे बाहर करनेवालीहों तौ यह अत्रोक्त सभी लक्षण एक तीव्र वाणीके  
 नामसे विख्यातहैं कि इनमें कोई एक शब्दभी उच्चारण होनेपर यह कहा जाताहै कि  
 तीव्र वाणीवाला वाक्पारुष्य उसने किया-इसीप्रकार-तीनभेद नारदनेभी दर्शितकिये  
 हैं-यथा ( निष्ठुराश्लीलतीव्रत्वात्तदपित्रिविधंस्मृतम् । गौरवानुक्रमात्तस्य दंडोपरिग-  
 त्क्रमाद्गुरुः ॥ साक्षेपनिष्ठुरंज्ञेयमश्लीलंन्यंगसंयुतम् । पतनीयैरुपाक्रोशेस्तीव्रमाह-  
 र्मनीषिणः ) अर्थात्-निष्ठुर अश्लील तीव्रभेदसे वह वाक्पारुष्य तीन विधिका होत  
 है और यथाक्रमसे उसमें गौरव होनेके हेतुसे दंडभी उसक्रमके अनुसार बढ़ताजाय  
 यह सिद्धांतहै-इसलिये आक्षेपसहित जो पारुष्यहो तिसको निष्ठुर जानो-न्यंग शब्दों  
 से संयुक्तहो तिसको अश्लील जानो-जाति पतित करनेवाले आदि पतनीय उपाक्रो-  
 शोंसे संयुक्तहो तिसको तीव्रजानो-इसका अधिक व्योरा कात्यायनवाले वचनों में  
 लिखचुका इससे यहां नहीं लिखा उसीप्रमाण इसको जानो-वहस्पतिनेभी-इसीप्रकार

तीनदर्जे नियत किये हैं-यथा (देशग्रामकुलादीनांक्षेपःपापेनयोजनम् । द्रव्यंविनातुप्रथमंवाक्पारुष्यंतदुच्यते ॥ भगिनीमातृसंबंधमुपपातकशंसनम् । पारुष्यमध्यमंप्रोक्तं वाचिकंशास्त्रवेदिभिः ॥ अभक्ष्यापेयकथनंमहापातकदूषणम् । पारुष्यमुत्तमंप्रोक्तंतीव्रंमर्माभिघटनम् ) अर्थात्-देशग्राम कुल आदिकों मेंसे किसीको आक्षेप कियाजाय जैसा ऊपर वर्णन हुआथा या द्रव्य कहिये किसी नामविना पाप करके योजन किया जाय अर्थात् पापका कुछ नाम विशेष चिह्न देने विना सामान्य भाव पापी कहा जाय तौ यह प्रथम वाक्पारुष्य नाम अपराध कहा जाताहै-जहां मातृ भगिनी आदि संबंधी कुछ उपपातक नाम चिह्नों सहित कहाजाय तौ यह मध्यम वाक्पारुष्य नामक अपराध शास्त्र वेत्ता लोगों ने कहा-जहां बचन मात्र से कुछ अभक्ष्य वा अपेय वस्तु खाने पीने वाला दोष लगाया जाय यद्वा महापातक रूप शब्द कहा जाय जिसके दोष करके जाति में कुछ विग्रह खड़ा होना संभव हो तौ यहउत्तम वाक्पारुष्य नामक अपराध बुद्धिमान् कहते हैं यह सबसे अधिक तीव्र है और मर्म बेध करनेवाला है-यहांतक-वाक्पारुष्य का स्वरूप कल्पित हुआ और ( <sup>प्रथम</sup> <sup>मध्यम</sup> <sup>निष्ठुर.</sup> <sup>भ्रूलील</sup> ) तीनों दर्जा उसके इन्हीं नामों से दर्शाये गये तिनका दंड यथाक्रमसे याज्ञवल्क्यजी और नारदआदि सभी अब दर्शावेंगे-परंच इन अपराधोंका उत्पन्न होना उसी दशा में समुभा जासक्ता है कि जब अपवाद करनेवाले ने कुछ क्रोध करके ऐसे वचन किसीको दुःखदेने या उद्वेगपहुंचाने यद्वातिरस्कार करनेकेअर्थसे उच्चारण कियेहों जैसा निम्नाक्त कात्यायनके वचनानुसार सिद्धहोताहै अर्थात् जहांप्रयोजनके अवलंबसे कुछअवगुण वा कलंकोंका प्रकाश करिदेना या दृढ़ताको पहुंचाना भी आवश्यक होतौ वहकथनसच्चा होनेपर अपराध में कुछगिनती नहींहै और भूंठा कथनभी उसदशा में कुछगिनती नहीं है किजो वहवातपरस्पर उनके मामूली हास विनोदमें सुव्यक्तहो यद्वावैवाहिक आदिकिसी उत्सवके प्रभावसे कुछलोकाचार मात्र हासविनोदी गालि दानहोतौ भी वाक्पारुष्यके अपराधमें वहगिनतीनहीं यहसब आशय इस अग्रोक्तवचनसे संसिद्धहै-यथाहकात्यायनः ( योगुणान्कीर्तयेत्क्रोधाग्निगुणेवागुणज्ञताम् । अन्यसंज्ञानियोजीच वाग्दुष्टंतंनरंविदुः ) अर्थात्-जोकोई पुरुषकिसी परक्रोध करके उसकेसच्चेसच्चे श्रेष्ठगुणोंकोभीतानदेकर कहनेलगे दृष्टांतजैसे हांहां तूने अमुकयज्ञ कियाथा हम उसकी दशाजानतेहैं इत्यादि अथवा निर्गुणीमें अगुणज्ञता किन्तुउसकी निर्गुणता यद्यपि सच्चीहै परक्षोभदेने के अर्थउसपरक्रोधसे बखान करने लगेतिसको तथा उसकोभी जोअन्यसंज्ञाओं का नियोक्ता हो दृष्टांत जैसे देवदत्तको अदेवदत्त या चौरदत्तआदि नामसे पुकारे एवं निर्णयसिन्धुको निरयसिन्धुनरकसिंधु आदि नामभेद से उच्चारणकरे बाणीदुष्ट पुरुष जानो-कात्यायन के इसवचन में क्रोध

प्रधानहोने से ऊपरली झूटें सब संसिद्धहुई-इसीप्रकार नारदनेभी क्रोधप्रधान रूपसे इनझूटों को दर्शायाहै-यथा (दुष्टस्यैवतुयोदोषान्कीर्त्तयेत्क्रोधकारणात् । अन्याऽपदेशवादीचवाग्दुष्टतनरंविदुः) अर्थात्-किसी दुष्टकेभी दोषोंको जोकोई क्रोधहेतुसे बखान करे यद्वा क्रोधविनाभी अन्यापदेशवक्ता होय किंतु अन्य के अपदेश बहानेसे और परकुशब्द पातकरे जैसे कुत्ताबिल्ली आदि जीवोंके नामसे यावृक्षादिकों के बहाने से किसीपर आक्षेप करना.दृष्टांत यहकुत्ता बड़ा भौंकनाहै इसभांति कुत्तेपरढाल कर वातून किसी आदमी पर आक्षेप कुत्ताके उपस्थित होतेहुये करना.यह बिल्लीबड़ी उछालें खाती फिरतीहै इसभांति किसी फिरने वाली स्त्रीपर आक्षेप सन्मुख बिल्लीके मौजूद होतेहुये शब्दप्रहार करे-यह पीपल बड़ासूखा ठूँठहै इसभांति किसीजातेहुये सूमको सन्मुख पीपल होतेहुये खिभावै सो अन्याऽपदेशवाद कहाता है इनसब को बाणीदुष्ट मनुष्यजानो.इस अन्याऽपदेशके साथमें कुछ क्रोधका संसर्ग नहींहै परदुष्टों के दोष कथनमध्ये क्रोधप्रधान किया है अर्थात् विना क्रोध दुष्ट के परित्याग आदि किसीहेतुसेप्रकाश करनेतक अपराध नहीं-इसध्वन्यर्थको-कात्यायनजी स्पष्ट कहतेहैं-यथा(यत्रस्यात्परिहारार्थंपतितस्तेनकीर्त्तितम्।वचनात्तत्रनस्यात्तुदोषोयन्नविभावेयत्) अर्थात्-जहांपातित्यादि दोषके परिहार निमित्त से अभियोग लगायाजाय चाहे राज में या पंचबंधू आदिके समीप इसीहेतु करके पतित बखान कियागया हो और वह दोष परम सिद्धिको न पहुंचे किंतु पतितमें निर्मलता ठहिराईजाय तौ उसकथनरूप वचनसे उस दोष के कहनेवाले वाक्पारुष्य के अपराधी निश्चित नहींकिये जासके क्योंकि उन्होंने कुछ क्रोधलड़ाई वैर भावसे यहनहींकहा किंतु निर्णय होजानेकीअपेक्षासे उद्घाटन किया बल्कि दोषीके निमित्तमें यहश्रेष्ठहुआ कि जो कुछ उसपरशंका खड़ी हुईथी सो उद्घाटक पुरुषकी प्रेरणाके प्रभावसे निर्णीतहोकर धोई गई-विरली दशामें-क्रोधसे उच्चारणकियाभी अपराधके ध्रुवातक नहीं पहुँचसक्ताहै दृष्टांत जैसेकिसी मूढ़ मंद बुद्धीको कुछकाम सिखाते हुये आचार्य या स्वामीआदि कोई बारम्बार मूढ़ पचाकर उसपरक्रोधसे दुर्वाक्यदेनेलगे तौ यह वाक्पारुष्यके ध्रुवातक पहुँचानान्याय विरुद्धहै क्योंकि ऐसे शिक्षकजनोको स्वल्परूप ताड़नकरनेकाभी अधिकारहै-तथाव गौतमः (शिष्यादिशिष्टिरवधेनाशक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येनघ्नन्राज्ञागस्यः) अर्थात्-शिष्यआदि अंतेवासी दासपुत्रआदि शिष्यवर्गियोंकी (शिष्टि) नामशिक्षा सिखलाना जो मारने विनाशक्तिसे बाहरदेखपरे किंतुदुर्वाक्यसेभी न होसकैतौभी हनु की जेउरी या वांसकी पतली कुंचाकेसिवाय किसीभारीचोटसे मारताहुआशिक्षकराज करके शामनीय होनाहै अन्यथा नहीं-इत्यादि देशकालवस्तुओंके विवेकसे व्यवस्था देखाजाय तिनमें उक्तझूटोंके सिवायपहले तुल्यजातियोंका पारुष्यवर्णनकरते हैं ॥



( समजातिगुणविशिष्टानांनिष्ठुराक्रोशदण्डः )

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैर्न्यूनांगेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेदंध्य. पणानर्धत्रयोदशान् २०९ ॥

ऐ०-सत्य असत्य अन्यथास्तुतियोंसे हीनांग हीनेन्द्रिय रोगियों को यदि निष्ठुर आक्षेपकरे तो वह अर्धत्रयोदशपणपरिमाण धनसे दंडनीय है-अर्थात्-न्यूनांग लूले लँगड़े आदि-न्यूनेन्द्रिय अंधे बहिरे आदि. रोगी कोढ़ी आदि-तिनकी सत्यस्तुतिका दृष्टांत जैसे अंधा अमुक प्रयोजनके निमित्त बहुत अच्छा पूजनीय होता है. बहिरामें गुणएक सहनशीलता बड़ी उत्तम है कि चाहे तैसा गालिदानकरौ किसी से भी बुरा नहीं मानता. काना समदर्शी होता किंतु सबको एक दृष्टिसे अवलोकन करता है इत्यादि औरों में भी जानो-इनकी असत्यस्तुतियों का दृष्टांत जैसे इसके तुल्यकोई भी आँखिआरानहीं इसको कौन अंधाकहे. देवदत्तकाना नहीं है यह पहले जन्मसे बंदूखों की निशानेबाजी करतेहुये मराथा सो आँखि मीचे जन्म पाया. देवदत्त सूरानहीं अपनी इच्छासे यह आँखिमिचे रहता है इत्यादि औरों में भी जानो. अन्यथास्तुति वे कहलाती हैं कि जिनमें साक्षात्कार उसके विद्यमान गुणोंकी प्रशंसाद्वारा अवगुण प्रकटकरे यद्वा ऐसीरीतिसे कि देवदत्त बड़ा विकृत रूपहोय तिसको ऐसा कहनेलगौं कि आप बड़े दिव्यरूपहैं-तो यह निष्ठुर आक्षेपमें सबगिनती है और दंडइसमें साढ़े बारह पणकायोग्य है पर उसदशातक कि जो समवर्ण या समजातिवालोंमें से उसके तुल्य प्रतिष्ठावान् पर यह आक्षेपहुआहो-यहां केवल एक देहमात्र का यह प्रसंग है अर्थात् जहाँ किसीदेश या कुलजाति की अपेक्षा निष्ठुरआक्षेप जैसा पहले वर्णनहुआ तैसा कियाजाय तिसका दंड २१६वाले मूलश्लोकसे विचारो-अर्धत्रयोदशपणका अर्थ यद्यपि साढ़े तेरहपण मिताक्षराकारने स्वीकारकिये पर वह अर्थ किसीन्यायके अनुसार नहीं है इसलिये (आधा है तेरहवां जिनमें ऐसे अर्धत्रयोदशपण) अर्थात् साढ़े बारह पणका दण्ड संख्या सूत्र न्यायसे सुनिश्चित जानो क्योंकि पचासकी चौथाई तथा पचीसका अर्धांश साढ़े बारह होते हैं सो यथाक्रमसे मूल श्लोकोंमें सबदेखो २०६ ॥

अधि०-अनंतरोक्त नियमोंको बृहस्पतिभी स्पष्ट सूचित करते हैं-यथा (समजाति गुणानांतुवाक्पारुप्येपरस्परम् । विनयोविहितःशास्त्रेपणाअर्धत्रयोदशाः ) अर्थात्-समानजाति और समान गुणवालों के परस्पर वाक्पारुप्य होनेमध्ये शास्त्रमें साढ़े बारहपणका विनय नाम दण्डनियत है-परस्परका यह तात्पर्य है कि दोनों एकसाथ जो बकिउठेहों तो यह साढ़े बारह बारहका दण्ड दोनोंपर कर्तव्य है या एक पहिले बोला हो एकपीछेतहां पहिलेपर कुछ अधिक और पीछे वालेपर थोड़ापर जो एक चुपका रहा निश्चित होय तिसपर दंडनहो-विष्णुरपि ( समवर्णाक्रोशनेद्वादशपणान्दंड्यः ) मनुनारदौच (समवर्णद्विजातीनांद्वादशैवव्यतिक्रमे) शंखलिखितौच ( समवर्णव्यति

क्रमेद्वादशपणा यथारूपविशिष्टाक्षेपेषु अविशिष्टस्यचतुर्विंशतिरविशिष्टस्यातिक्रमे चविशिष्टस्यततोऽर्धम् ) अर्थात्-शंख लिखितदोनों आता कहते हैं कि जब एकही वर्णमें समान गुण प्रतिष्ठावाले दोनोंपुरुष एकसे तुल्यात्मकहों और उनमें एकदूसरे परकुछ निष्ठुर भेदका पारुष्य फेंकें तौ इसभाँतिका व्यतिक्रम होनेमध्ये बारहपणका दण्डहै पर जो उन्हीं एकजातिवालोंमेंसे कोई एकअच्छा और कोई एक ओछाहो तौ यह न्यायहोनायोग्यहै कि अच्छेका अपमान करनेवाले ओछेपर चौबीसपणका दण्ड और ओछेका अपमान करनेवाले अच्छेपर चौबीसके आधेबारहपण ले लियेजाय दोनों एकसाथ या पहलेपीछे वालेहों तिसकान्याय जो कुछ ऊपरकहा सो सब इसमें भी समुभाना जैसे एकसाथ बोलनेवाले अच्छे ओछेदोनोंहीपर दण्ड किन्तु ओछेपर चौबीस और अच्छेपर बारह पणकादण्ड इस व्यवस्थामें जहां जहां बारहकहे तिनकोभी सर्वत्र साढ़ेबारह समुभो और चौबीसको पचीसके स्थानापन्न समुभना-निष्ठुर क्रोश विशेषका कुछ दण्डभेद २१३ मूलश्लोकमें भी देखो २०६ ॥

(अश्लीलाक्षेपदण्डः)

अभिगंतास्मिभगिनीमातरंवातवेतिह । शपंतंदापयेद्राजापंचविंशतिकंदमम् २१० ॥

अर्धोऽधमेषुद्विगुणःपरस्त्रीषूत्तमेषुच । दण्डप्रणयनंकार्यवर्णजात्युत्तराधरैः २११ ॥

ऐ०-जो कोईकिसी अपने समवर्ण या समजातिवाले अपनेही समानगुण प्रतिष्ठासे तुल्यात्मक पुरुष को इसभाँति लोकप्रसिद्ध गालीदेताहो कि तेरी मा बहिन गमनकरूँ तौ राजा ऐसीगाली देतेहुयेसे पचीसपणका दण्डदिलावै (यहां मा बहिन की गाली एक नमूनाहै अर्थात् इसके उपलक्षणमें वह सभीबातें समुभिलेनी जोजो अश्लीलावाणीकेरूपमें कहिचुके हैं २१० जे कोई अपने समवर्ण या समजातिवाले गुणसे तुल्यनहों किन्तु प्रतिष्ठा आदि गुणमें अधम न्यूनहों तिनको गाली देनेसे यह दण्ड २५ का आधासाढ़े बारहपण परिमाण कियाजाय.पर जे कोईगाली बकने वालेसे प्रतिष्ठागुणमें उत्तमहों तिनकोगालीदेनेसे यहदण्ड पचीसकादूनाकरे पचास पण परिमाण कियाजाय.तथा पराई स्त्रियोंको भी गालीदेनेमें पचास पणका दण्डहै कुछ इसमें ऊंच नीचवाला भेद नहीं किन्तु परस्त्रीमात्र कोई हो यहांतक समजाति मध्ये दण्डकहा-अब इतरेतर वर्णजातों मध्ये दण्डप्रकार प्रकटकरते हैं कि (वर्णजात्युत्तराधरैः)किन्तु ब्राह्मण आदिवर्ण और मूर्धावसिक्त आदिजातें इनमेंउत्तम अथ किन्तु ऊँचेनीचे जो परस्पर आक्षेपकरें तिनके दण्डका विचार उसी ऊँचाई वा निचाई के अनुसार करना योग्यहै-इसका यह दृष्टांत है कि आगे २१२ वाले मूल श्लोकमें जो दण्ड नियत होंगे तिनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियको कुछ आक्रोश करिके पचास पणके दण्डयोग्यहै कदाचित् वहीब्राह्मणकिसीमूर्धावसिक्त जातिवालेको कुछ आक्रोश

करै तौ पचाससे कुछ अधिक दण्ड अर्थात् ७५ पणका दण्डदेय क्योंकि क्षत्रियसे मूर्द्धा-  
वसिक्त उत्तमहै-कदाचित् उसी मूर्द्धावसिक्तपर कुछ आक्षेप कोई क्षत्रिय करै उससे भी ७५  
पणका दण्ड राजालेय क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण आक्षेप करिके १०० सौ पण दण्ड देने योग्य  
होता है और ब्राह्मणसे मूर्द्धावसिक्त किञ्चित् हीन है इस हेतु से ही पौनसैकड़ा निश्चित रहा-  
कदाचित् मूर्द्धावसिक्त किसी क्षत्रियपर कुछ आक्षेप करै तौ भी यही ७५ पणका दण्ड है क्यों-  
कि क्षत्रियके निमित्त आक्षेप करनेवाले ब्राह्मणपर ५० दण्ड नियत है और ब्राह्मणसे  
मूर्द्धावसिक्त किञ्चित् हीन है इस हेतु से पचास पणका दण्ड देने योग्य ठहरा-कदाचित्  
मूर्द्धावसिक्त किसी ब्राह्मणपर कुछ आक्षेप करै तौ भी यही ७५ पणका दण्ड है क्योंकि  
सौका दण्ड ब्राह्मणके अपराधी क्षत्रियपर ठहराया गया था उस क्षत्रियसे यह उत्तम है इस  
हेतु इसपर पौनसैकड़ा योग्य ठहरा-जैसा यह मूर्द्धावसिक्त जातिका दृष्टान्त दो वर्णों  
से बनाया गया तैसा अन्यजातोंका भी वर्णोंसे स्वबुद्धि कल्पित ऊहा कर्तव्य है-जहाँ  
वर्णोंका संसर्ग नहो केवल जातोंके परस्पर आक्षेप हुआ हो तहाँ बहुत सुगम है कि  
जैसा क्षत्रियवर्णकी अपेक्षा ब्राह्मण वर्णमात्र उत्तम है तैसे ही अंबष्टजातिसे मूर्द्धावसिक्त  
जाति उत्तम है तौ जैसा ब्राह्मण क्षत्रियके परस्पर आक्षेप होनेमध्ये जो जो दण्ड जिस  
पर इस दृष्टान्तमें दर्शाया गया सो सो तद्रूप दोनों मूर्द्धावसिक्त और अंबष्टके परस्पर  
आक्षेप खड़ा होनेमध्ये न्याय कल्पित कर्तव्य है क्योंकि ब्राह्मणका स्थानीभूत मूर्द्धा-  
वसिक्त और क्षत्रियका स्थानीभूत अंबष्ट है पुनि इसी प्रकार अन्यवर्णोंकी स्थानीभूत  
अन्यजातें समुभिलेनी-इसका मुख्यव्यौरा समुभ्रिपाने के निमित्त अगले २१२ के  
मूलश्लोकमें जो दण्डभेद है सो देखो (और) जातोंकी उँचाई वा निचाई आचाराध्याय  
के उसप्रकरणमें अवलोकन करो जहाँ जातोंकी उत्पत्ति वर्णन हुई हो २११ ॥

अधि०-जातिगुण प्रतिष्ठा आदिकी अपेक्षासे बृहस्पति भी विशेषता प्रकट करते  
हैं-यथा (समानयोः समो दण्डो न्यूनस्य द्विगुणो दमः । उत्तमस्यार्धिकः प्रोक्तो वाक्पारुष्ये  
परस्परम्) अर्थात्-परस्पर दोनों ओरसे पारुष्य होनेमें दोनों जो समानहों तौ उन  
दोनोंपर समदंड बराबर लिया जावै यद्वा न्यून उत्तमहों तहाँ न्यूनसे दूना और उत्तम  
से आधा दण्ड और जो सिर्फ एक ओरसे पारुष्य हुआ हो तौ भी इसी ढँगसे उम  
एकपर वह दण्ड होय जो कुछ ऊपर नियत हुआ था २१० । २११ ॥

(वर्णानां प्रातिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डः)

प्रातिलोम्यापवादे पुद्भिर्गुणत्रिगुणादमाः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्थानिहानितः २१२ ॥

ऐ०-वर्णोंके परस्पर जो अपवाद कुत्सितवाद वाक्पारुष्य प्रतिलोम क्रममें होय  
किन्तु नीचे वर्ण उँचे वर्णोंको कुछ गाली आदि परस्परकाटें तिनपारुष्योंमें दुगुनेतिगुने  
दण्ड उस परिमाणसे समुभ्रने जो समवर्णके पारुष्यमध्ये २१० के मूलश्लोकमें पचास

पणदर्शाकर पीछे द्विगुण पचास कियेगये और उनपचासके दूने क्षत्रियके दण्डरूप सौपणसे आधी आधी हानि क्रमसे होतीहुई अनुलोम क्रमके पारुष्यों में समुभना अर्थात्- ब्राह्मणको पारुष्य करनेवाले क्षत्रियपर उनउक्त पचासके दूने एक १०० सौपणदण्ड तथा वैश्यपर उनपचासके तिगुने १५० डेढ़सौ पणदण्ड और जोशूद्रने पारुष्य कियाहो तौ धनदण्डका कुछ नियम उसपर नहीं किंतु जीभछेदना यद्वाताड़ न करना मनुके वाक्यसे अधिकोक्तिमें सुनिश्चितहै एवं क्षत्रियको पारुष्य करनेवाले वैश्यपरभी एक १०० सौपण तथा शूद्रपर डेढ़सौ १५० पणदण्ड-एवं वैश्यको पारुष्य करनेवाले शूद्रपर एक १०० सौकादण्डजानो आधी आधी हानका यहव्यौराहै कि जहाँ अनुलोम क्रमका पारुष्यहो किंतु ब्राह्मण आक्षेपकरै क्षत्रियपर या वैश्यपर या शूद्रपर तहाँ क्षत्रियकी अपेक्षा उसपर पचास और वैश्यकी अपेक्षासे पचीस और शूद्रकी अपेक्षा साढ़ेबारहपणका दण्डहोनायोग्यहै-इसीप्रकार क्षत्रियने अनुलोमक्रम से वैश्यपर या शूद्रपर आक्षेप कियाहो तौ यहवैश्यकी अपेक्षासे पचास और शूद्र की अपेक्षासे पचीस पणका दण्डभरै-क्योंकि (ब्राह्मणराजन्यवत्क्षत्रियवैश्ययोः) यह गौतमजीका सूत्र यहां क्रमका सूचकहै-इसीप्रकार वैश्यने यदिशूद्रपर पारुष्य फेंका हो तौ यह पचास पणका दण्डभरै-क्योंकि (विट्शूद्रयोरेवमेवस्वजातिम्प्रतितत्त्वतः) यह मनुवाक्य इसमें क्रमका सूचकहै यही दोसौ बारहवाली उक्त व्यवस्था निजअधिकोक्ति सहित दोनोंभेद में समुभनी किंतु निष्ठुर और अश्लील दोनोंभाँतिके पारुष्योंका व्यवहारहै (पर) तीव्रभेदके पारुष्यमध्येदण्डविधान आगे २१५ के श्लोक द्वारा कहेंगे २१२ ॥

अधि०-शंखलिखितौच ( आक्रोशेब्राह्मणस्यक्षत्रियःपणशतंदंड्यः शताध्वैश्यस्य पंचविंशतिशूद्रस्य) अर्थात्-ब्राह्मणको आक्रोश करनेवाला क्षत्रियएक १०० सौपण दण्ड योग्य, वैश्यको आक्रोश करनेवाला क्षत्रियसौके आधे पचास पणसे दण्डनीयहै, शूद्रको आक्रोश करनेवाला क्षत्रिय २५ पचीस पणसे दण्डनीय-बृहस्पतिः(विप्रेशता ध्वैदण्डस्तुक्षत्रियस्याभिशंसने । विशस्तथार्धपंचाशच्छूद्रस्यार्धत्रयोदश ॥ सच्छूद्रस्य यमुदितोविनयोऽनपराधिनः । गुणहीनस्यपारुष्येब्राह्मणोनापराधनुयात् ॥ वैश्यस्तुक्षत्रियाक्रोशेदंडनीयःशतंभवेत् । तदर्धक्षत्रियोवैश्यंक्षिपन्विनयमर्हति ॥ शूद्राक्रोशेक्षत्रियस्यपंचविंशतिकोदमः । वैश्यस्यचैतद्विगुणःशास्त्रविद्विरुदाहतः ॥ वैश्यमाक्रोशयञ्छूद्रो दाप्यःस्यात्प्रथमंदमम् । क्षत्रियंमध्यमंचैव विप्रमुत्तमसाहसम् ( उत्तमसाहसोऽत्रजिह्वाच्छेदनरूपः ) यतःसएवाह-धर्मोपदेशकर्ताचवेदोदाहरणान्वितः । आक्रोशकस्तुविप्राणांजिह्वाच्छेदेनदंड्यते ) अर्थात्-क्षत्रियको पारुष्य कहने मध्ये ब्राह्मणपर पचासदंड-वैश्यको पारुष्यकरनेवाले ब्राह्मणपर पचीसदंड-शूद्रको पारुष्य कहने

वाले ब्राह्मणपर साढ़ेबारहपण का दंड (पर) यहदंड ऐसी दशामें आवश्यक है जब निरपराधी या गुणयुक्त शूद्रको पारुष्य कियाहो किंतु गुणहीन या अपराधकरनेवाले शूद्रकोपारुष्य करनेसेभी ब्राह्मणउक्तदंडयोग्यनहीं-क्षत्रियको पारुष्यकरनेवालावैश्य पर १०० सौपण दंडभरै एवंक्षत्रिय उसको परुष कहिकर आधादंड ५० पचासपण तक भरै-शूद्रको पारुष्य कहनेवाले क्षत्रियपर २५ पचीसपणका दंड और शूद्रकोपारुष्य कहनेवाले वैश्यपर ५० पणका दंडलेना सबशास्त्रज्ञोंने निर्णीत किया-शूद्रवैश्य को पारुष्य कहिकर पूर्व साहस दंडदेवै-क्षत्रियको पारुष्य कहिकर मध्यमसाहस दंड भरै एवंविप्रको पारुष्य कहिकर उत्तमसाहस दंड पावै ( यहांउत्तम साहस दंडजीभ छेदन रूपसमुभना )इसीसे फिर कहते हैं कि धर्म के उपदेश करै या वेदोक्त दृष्टांत उत्तम वर्णोंके सन्मुख कथनकरने लगै या विप्रोंपर पारुष्य फेंकै ऐसाशूद्रजीभछेदन-रूप उत्तम साहस दंडपावै-आपस्तंबः(जिह्वाछेदनंशूद्रस्यार्यधार्मिकमाक्रोशतः)अर्थात्-आपस्तंब कहते हैं कि जीभछेदरूप दंड शूद्रको उसदशामें जब उत्तम धार्मिक विप्र आदि किसी द्विजातीमात्रको पारुष्य बोलै-तथाचगौतमः(शूद्रोद्विजातीनभिसंधायाभिहत्यचवाग्दंडपारुष्याभ्यामंगमोच्योयेनोपहन्यात्- द्विजातीनित्यत्रार्यवृत्तसंपन्नान्वैश्यपर्यन्तानपि अभिसंधायबुद्धिपूर्ववाचातिक्रम्य अभिहत्यउग्रेणदंडेनताडयित्वेतिवाक्पारुष्यदंडपारुष्याभ्यामित्यर्थः तत्रतेनैवांगेनवियोजनीयःशूद्रः )मनुस्तु- शतंब्राह्मणमाक्रुष्यक्षत्रियोदंडमर्हति । वैश्यःसार्धशतंदेवाशूद्रस्तुवधमर्हति ॥ पंचाशद्ब्राह्मणोदंड्यःक्षत्रियस्याभिशंसने । वैश्येस्यादर्धपंचाशच्छूद्रेद्वादशकोदमः ॥ एकजातिर्द्विजातीस्तुवाचादारुणयाक्षिपन् । जिह्वायाःप्राप्तुयाच्छेदंजघन्यप्रभवोहिसः ॥ नामजातिग्रहंत्वेषामभिद्रोहेणकुर्वतः । निःक्षेप्योऽयोमयःशंकुर्ज्वलन्नास्येदशांगुलः ॥ धर्मोपदेशंदर्पेणविप्राणामस्यकुर्वतः । तप्तमासेचयेत्तैलंवक्त्रेश्रोत्रेचपार्थिवः ॥ श्रुतंदेशंचजातिंचकर्मशारीरमेवच । वितथेनब्रुवन्दर्पादाप्यःस्याद्विशतंदमम् )अर्थात्-मनुकहते हैं कि ब्राह्मणको पारुष्य कहिकर क्षत्रिय एक १०० सौपण दंड और वैश्य १५० या दोसौ दंड देनेयोग्य हैं और शूद्र ताड़नरूप वधदंड पानेयोग्यहै ब्राह्मण क्षत्रियको पारुष्य कहिकर पचासपण और वैश्यको पारुष्यकहिकर पचीसपण और शूद्रको पारुष्य कहिकर बारहपण का दंडभरनेयोग्यहै एकजाती नाम शूद्र किसीद्विजाती विप्रक्षत्रिय वैश्यको कुछ दारुणवाणीसहित आक्षेप करता हुआ जिह्वाछेदरूप दंडपावै क्योंकि नीच जन्म उसका निश्चितहै (और)इन्हीं द्विजातीलोगों के नाम या जातिकाउच्चारण अभिद्रोहसे अर्थात् कौशाकर्रीके ढंगसे करतेहुये शूद्रके मुखमें दशअंगुल लंबीलोह कील तपाकर डाले यहीदंडहै (नामजाति उच्चारणका दृष्टांत जैसे अरे यज्ञदत्त तूब्राह्मण जैसाहै में जानताहूँ,अरे अमुक सिंहतूठाकुर असलहो तो अवश्य ऐसाकरियो

यद्वा अभीकरौ इत्यादि नानाभांति या एकभांतिसेही तीनों बर्णोंमेंसे किसीकोभी आ-  
 क्षारितकरै सो यह ( नामजातिग्रह ) कहलाताहै ) कदाचित् शूद्र अपने ज्ञानित्वरूपी  
 दर्प अहंकारसेही विप्रोंको कुछ धर्मका उपदेशकरनेलगे किये अमुक तुमने अपना  
 अमुक धर्म कर्म करना कैसे छोड़िदिया ब्राह्मणहोकर तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं  
 अमुक तुम्हारा जाती धर्म अमुक पुराणमें विख्यातहै. तब राजा ऐसे अभिमानी शूद्र  
 पुरुषके मुख और कानोंमें भी तत्ता तेलभरावै श्रुत. देश. जातिकर्म. शारीर संस्कार.  
 इनको दर्पसे जो वितथ नाम उलटे सुलटे मिथ्यारूप तर्कोंसे अभियुक्तकरिके बोलै  
 तौ यह दोसौ पणका दंड दिलानेयोग्यहो-इन्हीं पाँचोंके दृष्टांत जैसे. यह बात तुमने  
 सुनीतक भी न होगी. तुम इस देश यद्वा अमुक देशके पैदाहुये नहीं देखिपरतेहौ. तुम  
 अमुकजातीहौ या नहीं. यह कर्म तुमने सीखा भी न होगा. तुमने शरीर संबंधी अमुक  
 संस्कार अबतक नहींकिया. इत्यादि अन्यप्रकारोंसे भी जानो-अत्र (समानजातिवि-  
 षयमिदं दंडलाघवान्नतु शूद्रस्य द्विजात्याक्षेपविषयमितिकुल्लूकभट्टस्तच्चित्यं अयुक्तं च वि-  
 ज्ञेयं ) ( अथगुर्वाद्युत्तमसंबंधीनामाक्षेपेदंडः ) तत्राहतुः शंखलिखितौ- तथाधिकृतान् विप्रान्  
 गुरुंश्च निर्वासनं मुण्डनं ताडनं वा गोमयानुलेपनं खरारोहणं वा दण्डोवा ) अर्थात्-  
 अधिकारवाले विप्रोंको और गुरुओंको जो कोई आक्षेपकरै तिसको इतने दंडविकल्प  
 हैं कि यातौ निपट निकासिकर स्थानच्युत करिदियाजावै या शिर मूड़न करवायाजाय  
 या ताडन पीटन कियाजावै या गोबरका देहलेप करिके बूढ़े गदहापर चढ़ायाजाय या  
 और कोई दण्ड जिस्से दर्पदूरहोना संभवहो या धनदण्ड उस परिमाणसे कि जिस्से  
 दर्प शांतिहोनी संभवहो इतने दण्ड विकल्पभी इस आशयपर संसूचित किये हैं कि  
 उस अपराधीकी योग्यतामें जो कोई एक दण्ड योग्य समुभाजाय सो कर्त्तव्यजानो-  
 इसमें धन दण्डका परिमाण यद्यपि सामान्य सूचितकियाहै कि जितना दण्डलेने से  
 अपराधीका दर्प शांतहोसकना संभवहो सो परिमाणकल्पितकरौ (पर) अग्रोक्तविष्णु  
 वाक्यसे सौ मुद्रातक परिमाण भी सुव्यक्तहै कि इस्से अधिकनहीं- तथाहविष्णुः (गुरु  
 नाक्षारयन् कार्षापणशतंदाप्यः) मनुनेभी सौपणका दण्ड मातापिता आदि को अप-  
 शब्द कहनेमध्ये नियतकियाहै- यथा (मातरं पितरं जायां भ्रातरं श्वशुरं गुरुम् । आक्षारयन्  
 शतंदाप्यः पंधानं चादद्गुरोः) अर्थात्-माताको या पिताको या निजभार्या निरपराधा  
 को या ज्येष्ठ भ्राताको या ससुराको या गुरुको अपशब्द कहताहुआ मनुष्यसौपर  
 दंडयोग्यहै और जातेहुये मार्गमं सीधीराह गुरुओंको नदेनेपर भी सौपणकादंडमें  
 यह नियम भी उसदशामें कि जहां गुरु माता पिता आदि से अपराधभी कुछ हुआ  
 हो तौभी उन्हें कुशब्द कहनेवाला उक्त दण्डपावै किन्तु निरपराध होनेकी दशामें  
 शंखोक्त गर्दभयान आदि तीव्रदंडपावै परंच एकभार्या जो अपराधकर्त्री किन्तु कर्त्तव्य



हो तिसपर आक्षेप करनेमध्ये पतिको दण्ड नहीं, इससे निरपराधा भार्याके आक्षेपमें यह दण्ड समुभनाबृहस्पतिजीने-सासू आदिको कुशब्द कहने मध्ये पचास पणका दण्डनियत कियाहै यथा ( क्षिपन्श्वश्व्रादिकंदद्यात्पंचाशत्पणिकंदमं ) इसमें आदि शब्दके भावार्थ सेमावसी नानी फूफी आदि अनेक समुभनी २१२ ॥

इत्यश्लीलसंज्ञकमध्यमाक्षेपविशेषेदंडः २१२

(पुनरपि निष्ठुराक्षेपविशेषेदंडः)

वाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशेवाचिकेदमः । शत्यस्तदर्धिकःपादनासाकर्णकरादिपु २१३

अशक्तस्तुवदन्नेवंदंडनीयःपणान्दश । तथाशक्तःप्रतिभुवंदाप्यःक्षेमायतस्यतु २१४

ऐ०—जब कोई किसी मनुष्यकी भुजा घेंट नेत्र जंघा तोड़ि फोड़ि विनाश करिदेने योग्य पुरुषवचन मुखसे काढ़ै कि तेरी बांह काटिलेउँ आंखि फोड़डालूँ तिसपर शपसंख्यक दम अर्थात् सौपणका दंड लियाजाय-और तदर्धिक पचासपणका दण्ड तिसपर कियाजाय जिसने पैर नाक कान हाथ आदि कोई अंग विनाश करना कहाहो-तो यह दंड ऐसे किसी अपराधीपर संसूचितहै जो देह पराक्रमसे प्रतिपक्षीके तुल्य समुभजाय २१३ किंतु जो कोई किसी रोग या बुढ़ापे आदि हेतुसे अशक्त होकर अपनेसे बलवालेको इसभाँति कहै तौ यहसिर्फ दशपण दंडदेवै परजो कोई शक्तसमर्थ बलवान् होकर किसी दुर्बल असमर्थको इसभाँति अंगभंग करना कहताहो तौ यह उक्त सौ पणका या पचास पणका दंड देनेपरभी आगेको उस हीनशक्ति पुरुषकी कुशल क्षेमके निमित्त अपना (प्रतिभू) जामिन मये मुचलिके देकर लूटिसकै अन्यथा नहीं २१४ ॥

अधि०—उक्त व्यवस्थामें कुछ वर्णभेदसे अपेक्षा नहीं किंतु सामान्यभाव सभी वर्णोंका यह एकन्याय समुभना जोकुछ ऊपर कहा परन्तु-शिष्यादिकी अपेक्षा जोगुर्वादे कोई शिक्षादेने आदि हेतुओंसे कुछ क्रोधसे उच्चारण ऐसा करै कि जैसा ऊपर कहा तौ इस दंडसे अपेक्षा उनको नहीं किंतु गौतमजीका वचन कहीं पहिलेभी लिखचुका है सो देखो २१३ । २१४ ॥

(अथ तीव्राक्रोशेदंडविशेषः)

पतनीयकृतेक्षेपेदंडोमध्यमसाहसः । उपपातकयुक्तेतुदाप्यःप्रथमसाहसम् २१५

त्रैविध्यनृपदेवानांक्षेपउत्तमसाहसः । मध्यमोजातिपूगानांप्रथमोग्रामदेगयोः २१६

ऐ०—पतनीय आक्षेप करने में मध्यम साहसदंड किंतु ब्रह्महत्या आदि अनेक महापातक जो जो प्रायश्चित्तके अध्यायमें प्रदर्शितहोंगे तिनसे आक्षेप जिसने किया हो तिसपर प्रथम साहसदंड २७०पणतक योग्यहै २१५ जिसने त्रैविध्य वेदत्रय संपन्न विप्रोंको या नृपतियोंको देवताओंको कुछ किसी प्रकार आक्षेप कियाहो तिसपर

उत्तम साहसदंड १०८० पण परिमाणतक दिलवायाजाय-जिसने जातिपूगोंको अर्थात् ब्राह्मण आदि या मूर्धावसिक्त आदि किसी जातिके समूहमात्रको कुछ तीव्रआक्षेप कियाहो तिसपर मध्यमसाहसदंड ५४० पणतक लियाजाय-जिसने किसीग्राम यद्वा देशमात्रको कुछ तीव्र आक्षेप कियाहो तिसपर प्रथम साहसदंड २७० पणतक यथा-पराधके अनुसार लियाजाय २१६ ॥

अधि०—यद्यपि दोसौपंद्रहके श्लोकवाले दोनोंदंड याज्ञवल्क्यने समानभाव सभी वर्णोंको दर्शाये हैं तथापि निम्नोक्त मनुके वचनोंवाले नियमोंका विरोध शांत करनेके अर्थ उनको तुल्यात्मक एक वर्णमें परस्पर आक्षेप होनेके अवसरमें समुभना किंतु भिन्न वर्णोंकी व्यवस्था मनुके वाक्यसे लेलेनी-तथाचमनुः(ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दंडः कार्यो विजानता । ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेष मध्यमः ॥ विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रतितत्त्वतः । छेदवर्जं प्रणयनं दंडस्येति विनिश्चयः) अर्थात्-जहां ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वर्ण परस्पर या दोमें एक दूसरे कोही आक्षेप करै जो पतनीयवाणी समुभीजाय तहां दंडशास्त्रका विज्ञाताराजा इसी निर्णय साथ दंड करै कि क्षत्रियको पातित्यदोष लगाने वाले ब्राह्मणसे पूर्वसाहसदंड २५० पणतक लेय और ब्राह्मणको पतनीयक्षेपकरने वाले क्षत्रियसे मध्यमसाहस ५०० पणदंडलेय-ऐसेही यदि वैश्य और शूद्रमेंसे कोई एक दूसरेको पतनीय आक्षेप उसकी जातिपर कुछकरै तौ ये दोनोंभी ब्राह्मणक्षत्रिय के अनुरूप दंडनीयहैं अर्थात् वैश्यपर २५० तकदंड और शूद्रपर ५०० तकदंड होय परन्तु जिज्ञाच्छेदरूप दंड इसमें वर्जितहै यह शास्त्रका विशेष निश्चय जानो-इसके मध्ये मुक्तावली टीकामें (कुल्लूकभट्टने यह लिखाहै कि पहले प्रतिलोम क्रमके आक्षेपों के प्रसंगमें (एकजातिर्द्विजातीस्तु) इत्यादि वाक्यसे सामान्य सभीवर्णोंको अश्लील भाषण करनेके अपराधमध्ये जीभछेदनरूप दंडशूद्रको दर्शाया सो अत्रोक्त नियम विशेषके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय दोहीकी अपेक्षा निश्चित रहा क्योंकि वैश्यकी अपेक्षा यहां वर्जित हुआ) (अत्र नृपापेक्षायां विशेषः) तत्र नारदः (अवक्रुष्य च राजानं त्मनिस्वेव्यवस्थितम् । जिज्ञाच्छेदाद्भवेच्छुद्धिः सर्वस्वहरणेन वा) अर्थात्-अपने मनमें व्यवस्थितहुये राजाको कुछ आक्रोश करिके जिज्ञा छेदरूप दण्डसेही शुद्धि उम्भ होवै यद्वा सर्वधन हरलेनेसेही-आगे बढ़िकर ३०७ संख्या मूल श्लोकसे योगीश्वर भी यह कहेंगे कि (राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मंत्रस्य च भेत्तारं च जिज्ञां प्रवासयेत्) अर्थ इसका उसीजगह वर्णनहोगा देशाद्यपेक्षया बृहस्पतिस्तदाहं यथा(देशादिकं क्षिपन्दाप्यः पणानर्धत्रयोदश । पापेन योजयन् दर्प्याद्वाप्यः प्रथममाहमन् एष दण्डः ममारुयातः पुरुषापेक्षया मया । समन्यनाधिकत्वेन कल्पनीयो मनीषिनि) अर्थात्-बृहस्पति कहते हैं कि देशग्राम जातिसमूह आदि किसीको संक्षेप निश्च

भेदवाला आक्षेप करताहुआ मनुष्य साढेबारह पणकादंड दिलाने योग्यहै औरइसीके अनुसारदूने पचीसपण अश्लीलवाणीके भेदमध्येजानो एवंदर्पसे कुछपाप किंतु उपपातकदोष लगता हुआ पूर्वसाहसदंड दिलाने योग्यहै और इसीके अनुसारदूनामध्यम साहसदंड महापातक ब्रह्महत्याआदि लगानेमध्ये जानो यहसबदंड मैंने केवल पुरुषकी अपेक्षासे निर्णीत कियाहै किजहांकोई अपनेतुल्यगुणजातिवालेपुरुष कोही पुरुषवचन कहताहोइस्से देशग्राम जातिसमूहआदि और न्यनाधिक जातिगुणवालों कीअपेक्षा में मनीषीलोग इसीबीजके अनुसारअपनी बुद्धिसे धनदंडके परिमाण कल्पितकरें किजैसा औरोंने स्पष्टसबको कहा (क्वचिदर्धदंडकरणंचविज्ञेयं ) तच्चोक्तंउशनसामोहात्प्रमादात्संघर्षात्प्रित्याचोक्तंमयेतियः । नाहमेवंपुनर्वक्ष्येदंडार्धतस्यकल्पयेत्)अर्थात्-उशनाने यहदशा भी दर्शाईहै कि जोजोकोई पुरुषवाणीकहनेसे अभियुक्त होकर पीछे ऐसीभांति आधीनी करनेलगे कि मेरेमुखसे मोहमूर्च्छाआदि हेतुसे यहपुरुषवाणीनिकसिगई या प्रमाद आंतिभूलकरके निकसिगई या संघर्ष परस्पर स्पर्धाभाव यद्वादवाभिंची केहेतु करके निकसिगई उसअवसरमें संकोचसे अवकाश ऐसानहीं था जो इनके मैं स्वरूप ज्ञानको पहुंचता या मैंने प्रीतिभावसे कहडाला परअब कभी ऐसा वचन मुखसे फेरि न काढौंगा यहक्षमाकरो ऐसे पुरुषपर उस दंडसे आधादंड कल्पित कियाजायजो कुछन्यायके अनुसार उसपरसूचित हुआहो-सो-यहआधेवाला नियम सज्जन पुरुषोंके निमित्तमें समुभना जिनका अभ्यास क्रूरवचनोंके उच्चारण में न हो-किन्तु-अनृत भाषण का अभ्यास रखनेवाले दुर्वृत्त लोगों का दण्ड जीभछेदन पर्यंतजानो--यथाहकात्यायनः(अनृताख्यानशीलानांजिह्वाच्छेदेविशोधनं) हारीतोऽपिविशेषयति--यथा(मिथ्याभाषिणामेलकानांच राजाजिह्वांछिन्त्यादंडयेद्वा)अर्थात् अभ्यास पूर्वक मिथ्यावाणी बकनेवाले किन्तुनिपट असत्य दोषलगानेका अभ्यास रखनेवाले और मेलक जोव्यभिचारी पुरुषोंसे स्त्रियों को मिलातेहैं तिनकी जीभराजाकटवावै क्योंकि यहसब खोटेकाम जीभसेहीकियेजातेहैं यद्वा जीभ कटाना उचित न समुभै तौभी इसी सभानकोई और तीव्रदण्ड या धनदण्ड कृतअपराधके अनुरूप करै--निपट यही नियमनहींहै कि भूँठा दोषलगानेसे अपराधी ठहरै यद्वाकोशाकरी की रीतिसे जो पुरुष काढै सोईदण्डपावै-किन्तु सच्चादोष कहनेपरभी या दोषयुक्तनाम से पुकारने परभीवाक्पारुष्य काअपराध लगताहै-तदाहनारदः(पतितंपतितेत्युक्तात्थाचौरैतिवापुनः । वचनात्तुल्यदोषःस्यान्मिथ्याद्विदोषतांत्रजेत्)अर्थात्-पतितको ओरे पतित या चोरको ओरे चोर इत्यादि किसी और को भी ऐसासच्चानाम कहिकरउसे पुकारै याकुछ वातचीत कहिनेलगे तौभी ऐसेवक्तापर तुल्यात्मक वहीदोष खड़ाहोता है कि जैसागाली देनेमें संसूचित हुआथा और जो मिथ्यानाम धरे किन्तु चोरनहींहै

और चोरकहकेटै तिसको दूनादोषहोताहै अर्थात् दूनादंड लियाजाय-विष्णुरपि-  
 (काणखञ्जादीनांतथ्यवाच्यपि कार्षापणद्वयम् ) अर्थात्-विष्णु कहते हैं कि काने लँगड़े  
 आदि किसीको सच्चेदोषवाले नामसे कुछ कहनेवाला दोकार्षापण दंडभरै (दोकार्षा-  
 पण यहां दोरूप्यमुद्रामात्रजानो ) मनुस्तु(काणवाप्यथवाखंजमन्यंवापितथाविधम् ।  
 तथ्येनापिब्रुवन्दाप्योदंडंकार्षापणावरम् ) अर्थात्-कानेको या लँगड़ेको या तद्वत् किसी  
 और अंग भंगको जो कोई सत्यदोषवाले नामसेभी किंचिन्मात्र बोलै तौभी अवर  
 नामक ऐसाछोटा दंड उरसे दिलवायाजाय जो एकपणके भीतर उसअपराध केअ-  
 नुरूप तुल्यसमुभाजाय (पण और कार्षापण दोनों एकवस्तु समुभनी) कार्षापण य-  
 द्यपि सोरह पणकी संज्ञाभी कहाती है परंच वे सोरहपणभी ताम्रपण अर्थात् सोरह  
 आने समुभेजातेहैं और मनुने जो यहां अवर शब्दका चिह्नेदेकर छोटादंड सूचित  
 किया तिसकाभीप्रयोजनमुख्ययहीहै कि सोरह आनेकेभीतरभीतर या पूरे सोरहआने  
 तकभी जो कुछलेना योग्य समुभाजाय सोई उसअपराधके अनुरूप कल्पित करै-  
 यद्यपि-यहां विरोधभी दिखाई देताहै कि २०६ के मूलश्लोकमें योगीश्वरने यहदंड  
 साढ़ेबारहपण का नियत कियाहै फिर क्योंकर यहां एकपणके भीतर या दोपण परे  
 मनुविष्णुके अनुसार मानेजायँ (सो) इसविरोध यह शांतिभी मिताक्षराकारनेदर्शाई  
 है कि यह थोड़ादंड ऐसीदशापर आरूढ़है कि जहां किसी दुर्वृत्त या दुर्वर्णकानेखंजे  
 के यथार्थ नाम दूषणसे संबोधन आदि कियाजाय-इसीप्रकार माधवीय धर्मशास्त्र में  
 भी विद्यारण्यश्रीपादोंने यह कहाहै कि ( यह थोड़ादंड दुर्वृत्त काने खंजे आदिको  
 यथार्थ नाम दूषण देकर कहनेवालेपर आरूढ़है ) और सिद्धांत इसका यहकि जहां  
 किसी सत्पुरुष या सद्दर्ण काने खंजे आदिको यथार्थ सच्चेदोषरूपी नामसे या और  
 किसी युक्तिसे कुछ कुत्सित आक्षेप कियाजाय तहां २०६ के मूलश्लोकसे योगीश्वर  
 का दर्शाया साढ़ेबारहपण का दंडजानो ऐसीरीतिसे विरोधका संसर्गइसमें नहींहै ॥

इतिषट्सप्ततितमः परिच्छेदः २१५ । २१६ ॥

वाक्पारुष्य का यह प्रकरणपूराहुआ परंच इसमें किंचित्(साहस) रूप विवादों का  
 भी लक्षणसमुभाजाने के निमित्त करके इससे तीसरासाहस नामका प्रकरणभी वि-  
 चारो जिसका प्रारंभआगे २३५ मूलश्लोक द्वाराहोगा-क्योंकि साहसकेभी चारपांच  
 रूपहोतेहैं इसहेतुसे यह प्रकरण उसीसाहसप्रकरणके आधीन और वहसाहसप्रक-  
 रण एकप्रकीर्णक नामसवसे पिछलेप्रकरणके आधीनजानो क्योंकि उसमें नानामांति  
 से राजाश्रय व्यवहार वर्णन होंगे तहां प्रायःइसप्रकरणकेभी संबंधी अत्युग्रव्यवहार  
 लेकर पुनःप्रदर्शित होंगे २१५ । २१६ ॥

इति वाक्पारुष्याविवाद प्रकरणम् ॥

गाली गलौजआदि दुर्बाक्योंका यहप्रकरण एक इसी छिहत्तरसंख्याके परिच्छेदसे समाप्तहुआ ॥

अथ दण्डपारुष्यनामक व्यवहारपद विवेकोनामसप्तसप्ततितमःपरिच्छेदः (७७)

इस सतहत्तरिसंख्याके परिच्छेदमें डण्डावाजी आदि मारपीट या कुछ तोड़फोड़ आदि और कोई भाँतिके उपद्रवहों तिनके रूपदण्डबर्णनहोंगे

दण्डपारुष्यका यह अर्थ है कि (दण्ड) नाम लाठी डंडा तिसको (पारुष्य) नाम कठोरता अर्पणकरनी किन्तु बिरुद्धमार्गसे चलाना या टेढ़ासधाकरना आदि भगड़ा जिसमेंहो वही विवाद दण्डपारुष्यनाम कहलावे-इसको लौकिक बोलचालमेंभी डंडा वाजीका बखेड़ा कहाकरते हैं-यहाँ डण्डा एक निदर्शनमात्रजानो किन्तु डंडाके उपलक्षणसे सर्वथा कोईशस्त्र या लातघूँसा मट्टीका ठीम आदि सभीसमुझने जिनका किंचित्भी तकरारमें समुद्यतकरना सम्भवहो-इसकारूपलक्षण ब्यौरेवार नारदने दर्शायाहै-यथा (परगात्रेष्वभिद्रोहोहस्तपादायुधादिभिः । भस्मादिभिश्चोपघातोदंड पारुष्यमुच्यते) अर्थात्-परायेगात नाम अंगोंमें निज हाथ पैर शस्त्र काँकर पाथर आदिसे अभिद्रोह कहिये दुःखपीड़ा देना या भस्म आदि राख धूलि कीचड़ विष्ठा आदि किसी चीजसे उपघातकरना किन्तु फेंकना मारना या स्पर्शकरानेमात्रसे पराये मनको दुःखदेना इत्यादि कोईभाँतिका उपद्रवहो सो सब दंडपारुष्य कहाजाता है- यहाँ परायागातकेवल मनुष्यकाही नहीं किन्तु जंगम और स्थावर दोनोंभाँति सभी प्राणियोंके अंग समुझिलेनेचाहे किसी भीति या वृक्षादि स्थावरको कुछपीड़ादे तौ भी दंडपारुष्यका व्यवहार खड़ाहोताहै-उन्हीं नारदने-इस दंडपारुष्यके फिरतीनतीन भेद दोभाँतिसे दर्शायेहैं-यथा (तस्यापिटृष्ट्रैविध्यंहीनमध्योत्तमक्रमात् । अवगोरण निःशंकपातनक्षतदर्शनैः ॥ हीनमध्योत्तमानांचद्रव्याणांसमतिक्रमात् । त्रीण्येवसाह सान्याहुस्तत्रकंटकशोधनम्) अर्थात्-उस दंडपारुष्यकेभी तीनभेद हीन १ मध्यम २ उत्तम ३क्रमसे देखेगये हैं कि जहाँ केवल अवगोरण किन्तु गुरेरना कोईचीज लाठी पथर आदि यद्वा हाथ पैर आदि मारनेको उठाकर सन्मुख दिखलायाजाय सो तौ पहली हीन संज्ञक डंडावाजीजानो-जहाँकहीं निःशंकपातनहोय किन्तु निधड़क फेंकि चलायाजाय कुछभी आगापीछा चोटलगनेका न सोचाजाय तौ यह मध्यम संज्ञक द्वितीय डंडावाजीहुईजानो-जहाँकोई ऐसी तीव्रचोट लगाईजाय जिस्से घावहोकर कुछकुछ रक्तपातभी होआवे तौ यह उत्तम संज्ञक तृतीय डण्डावाजीहुई कहातीहै- इसीप्रकार हीन मध्यम उत्तम तीनि दर्जाके जो प्राणी वा पदार्थभी संसार में सर्वत्र होतेहों तिनमें जिसजिस भाँतिके प्राणियों या जिस भाँतिके कुछ द्रव्योंका अतिक्रम कियाजावे उसीभाँतिका तत्रत्य डण्डावाजी भी कहातीहै और इसीआशय से यह तीनों साहस कहलाते किन्तु साहस कर्मसेही कियेहुये यहतीनों दण्डपारुष्य मानेजा-

तेहैं तिन सबमें कण्टकरूप दुर्जन लोगोंका परिशोधन करना सदाराजापर आरूढ़है और-आशय इसकादेखो एकप्रकीर्णकनाम सबसे पिछले प्रकरणमें ( अत्रोक्त साहस लक्षणकी दृढ़ता आगे साहस प्रकरण में से देखो क्योंकि यह प्रकरणभी उसप्रकरण के आधीन और वह साहस प्रकरणभी प्रकीर्ण प्रकरण के आधीन है-परिशिष्टग्रन्थ-कारने कुछ और भी सामान्य लक्षण कहेहैं यथा-(दुःखरक्तव्रणम्भङ्गञ्जेदनम्भेदनन्त-था । कुर्याद्यःप्राणिनान्तद्विदण्डपारुष्यमुच्यते) अर्थात्-जोकोई किसीभाँतिके स्थावर जङ्गम प्राणियों को कुछ दुःखदेय यद्वा रक्त चलावे या हाड़ आदि तोड़ा फोड़ीकै या काँटे सूजा आदि से काँचै छेदै या नखछुरी आदिसे भेदनकरै चुभावेचीरै सोसब दण्डाबाजी कहीजातीहै-व्यासने कुछ और भी सामान्य चिह्न दर्शितकियेहैं-यथा-(भस्मादिनाप्रक्षिपणन्ताडनञ्चकरादिना । आवेष्टनञ्चांशुकाद्यैर्दण्डपारुष्यमुच्यते)अ-र्थात्-राखधूलि कङ्कर विष्ठा आदि किसीके ऊपर यद्वा सन्मुख दिखलाकर फेंकिदेना या हाथ पाँव लाठी खड्ग पत्थर आदिसे मारना यद्वा वस्त्र रस्सी साँकल आदि से लपेटना वा बाँधना यहसब दण्डपारुष्यकेही लक्षणकहेजातेहैं-नारदने-इस दण्डपारु-ष्य मध्ये पाँचप्रकार विधिभी वर्णन करीहै कि जो सर्वत्र कामआवे-सायथा ( विधिःपञ्चविधस्तूक्तएतयोरुभयोरपि । पारुष्येसतिसंरम्भादुत्पन्नेक्रुद्धयोर्द्वयोः ॥ समान्यतेयः क्षमतेदण्डभाग्योऽतिवर्तते । पूर्वमाक्षरयेद्यस्तुनियतंस्यात्सदोषभाक् ॥ पश्चाद्यःसोऽप्यसत्कारीपूर्वेतुविनयोगुरुः । द्वयोरपन्नयोस्तुल्यमनुबध्नातियःपुनः ॥ सतयोर्दण्डमाप्नोतिपूर्वोवायदिवेतरः ॥ पारुष्यदोषावृतयोर्युगपत्सम्प्रवृत्तयोः । विशेषञ्चेन्नलक्ष्येत विनयःस्यात्समस्तयोः ॥ श्वपाकषण्डचण्डालव्यंगेषुवधवृत्तिषु । हस्तिपत्रात्यदासेपुगुर्वाचार्यनृपेषुच ॥ मर्यादाऽतिक्रमेसद्योघातएवाऽनुशासनम् । यमेवह्यतिवर्तेरन्नतद्विनयभाङ्गनृपः ॥ मलाह्येतेमनुष्याणान्धनमेषाम्मलात्मकम् । अतस्तान्घातयेद्राजाना र्थदण्डेनदण्डयेत्)अर्थात्-नारद कहतेहैं कि अत्रोक्त दण्डपारुष्य और पूर्वोक्त वाक् पारुष्य इन दोनोंकी विधि पाँचप्रकारकी सबकही हैं तिनमें एकतौ विधि यही है कि जहाँ क्रोधसे भरेहुये दोनोंबीच बड़ेवेगसे पारुष्य दोनोंभाँतिका या कोईएक भाँतिका उत्पन्नहोय तिसके होनेपर उन दोमेंसे जोकोई एक क्षमाकरै अर्थात् अपनेहाथ और मुहको रोकि शीघ्र चुपका होजाय वहीमनुष्य मान बड़ाई पूजा सत्कार पानेयोग्यहै और जो कोई एक बढ़कर वर्ते किंतु प्रतिपक्षी के शान्त होजानेपरभी पीछाकरैसोई दण्डपावै दूसरी इममें यह विधिहै कि पहले जो ललकारि उठाहो सो तौ निपट दोष-भागी कियाजाय और पीछे जो ललकाराहो सोभी असत्कारी ठहरे परउस पहलेवा-लेपर दण्ड अधिकहोय-तीसरी इममें यहविधिहै कि दोनों भिड़ेहुयों में जोकोई एक वरावरी करना चाहकर वारम्बार पीछावाँधे जिरसे मेरी एकऊपर वनीरहै यद्वा इस



भाँति पूरावैर बाँधै कि प्रतिपक्षी यद्यपि निर्बल होकर या आगापीछा सोचिकर छुटि जाने तरह देजानेपर समुद्यत हुआहो तिसको छोड़ै नहीं बरन अधिक पीछाकरै तौ फिर दोनोंबीच वही एकला दण्डपावै चाहे पहले भिड़ाथा या पीछे इस्से अब कुछ तामनहीं-चौथी इसमें यह विधिहै कि जहाँ पारुष्यरूपी दोषकरके दोनोंयुक्तहों और दोनों एकसाथ ऐसे वेगसे भिड़िपरेहों जिनमें पहले पीछेकी विशेषता न पहिंचानी नाय कौन पहले कौन पीछे इनमेंभिड़ाथा तबदोनोंको बराबर दण्डकियाजाय पाँचवीं इसमें यहविधिहै कि जहाँ कोई श्वपच श्वपाक कञ्जरआदि या शण्ड लुङ्गाड़ाआदि या शण्डाल भङ्गी आदि या बधवृत्ति कसाई चिड़ीमार आदि या हस्तिप हाथीमान आदि या ब्रात्य धर्महीन जातिभ्रष्ट आदि या दासादिक नीच टहलुआ इनमें कोईभी जो गुरुओंसे आचार्योंसे नृपतियों से नियमात्मक मर्यादाका अतिक्रमकरै किंतु वाक्पा-रुष्य दंडपारुष्य करके सन्मुखहोय तहाँ शीघ्रइनका देहघातकरना एकयही शासन है-और इनमें कोईएकभी मनुष्योंमें जिस किसी उक्तसज्जनपर मर्यादाके अतिक्रम सेप्रवर्तितहो तिसअपराध मध्ये वहीसज्जन या उसके कोई और पक्षीलोग दंडदेने के अधिकारीहैं या उनकी निपटअशक्ति में यदि राजातक यहवाद पहुँचै तहाँराजा भी उसपीड़ित या अवमानित सज्जनसेही न्याय निश्चितकरवावै और वहउक्त स-ज्जन जो कुछ दंडकल्पितकरै सोईराजाकरै किंतु उसकान्याय विचारकरने मध्येराजा को अधिकारनहीं और अत्रोक्त अपराधी लोगोंसे धनदंडभी न लेवै क्योंकि उक्त प्राणी नरजातिमें मलरूपहैं और धनभी उनका विष्ठातुल्यहै इसलिये घातदंडराजा करै इनकोअर्थ दंडसे नदंडै-यही पाँचप्रकारोंवाली विधि सबसामान्य पारुष्योंके वि-वादांमें सर्वत्र विचारणीयहै (पर)देशकाल वस्तुओंका विवेकभी सर्वत्र साधनीय है-इन्हीं पाँचविधियोंके प्रसंगमें-अत्रोक्त एकवृहस्पति केवचनानुसार किंचित् विरोधसा प्रतीत होताहै तिसवचनकाभी अभिप्राय यहाँ समुभिलेना आवश्यकहै-तद्यथा(आ-क्रुष्टस्तुसमाक्रोशन्ताडितःप्रतिदापयन् । हत्वाऽपराधिनंचैवनापराधीभवेन्नरः)अर्था-त्-वृहस्पति कहतेहैं कि जोकोईपुरुष किसीकरके क्रोशाहुआ क्रोशनेलगे यामाराहुआ मारनेलगे तौ अपराधी नहींठहरै एवंवहभी जोकि अपने किसी अपराध करनेवाले को पहले मारिउठे तौ अपराधी नहीं ठहरै क्योंकि उसने सिर्फवदला किया-सो-यह कथनभी अनंतरोक्त नारदकी पाँचवींविधिसे निपट कुछ सम्बन्धनहीं रखताहै क्योंकि यह अत्रोक्त कथन एक सामान्यविधिमें गिनतीहै और नारदकी वह पाँचवीं विधि विशेष विधिकेरूपसे दर्शाईगईथी(सामान्यशान्मतोननविशेषोवत्तवान्सदा)परंतुउस-को छोड़िकर अन्यत्रसिर्फ इसआशयपर आरूढ़ है कि यहपीछे वदलाकरने वाला थोड़ादंडपावै किंतु पहिले भिड़नेवालेकी बराबर नहीं-परंच इसआशयपर आरूढ़

नहीं है कि निपट दंड नहीं पावै क्योंकि ऊपर द्वितीयविधिका रूपयह दर्शाया है कि (पूर्व माक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्सदोषभाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वतु विनयोगुरुः ) व लिक इसके सिवाय जो तृतीयविधिका लक्षण पाया जाय तौ फिर उसीके अनुसार दंड होगा चाहे पहले यद्वापीछे भिड़ा हो यह कुछ नियम नहीं - कदाचित्-दंड पारुष्यका उपद्रव किसीने होते हुये न देखा हो तिसके संदेहोंमें स्वरूपनिर्णय करनेका उपाय याज्ञवल्क्यजी दर्शाते हैं ॥ ( अदृष्ट दंड पारुष्यस्य विवेकः )

असाक्षिकहते चिह्नैर्युक्तिभिश्चागमेन च । द्रष्टव्यो व्यवहारस्तुकूटचिह्नकृतो भयात् २१७ ॥

अक्ष०—साक्षीरहित पिटनेमें चिह्नोंसे और युक्तियों तथा आगमसे भी व्यवहार विचारणीय है कल्पित चिह्न करनेके संदेहसे २१७ ॥

आभि०—राजापर जब कोई जाकर यह आवेदन करै कि मुझको अमुकामुक्तने एकांतमें इस भाँति मारा-तभी राजा इस व्यवहारको शरीरमें उत्पन्न हुये चिह्नोंसे किजोकुछ लालकाले दागयद्वा सूजन आदिहों देखिभाल निर्णय करै परंच केवल चिह्नोंसे विश्वास होना विरले अवसरमें असंभव हुआ करता है क्योंकि विरले परद्रोही उच्छृंखल पुरुष किसी सत्पात्रको निरर्थक दंड दिलानेके अर्थसे निज देहमें बनावटके भी चिह्न कल्पित कर लाते हैं अथवा प्रायः लुंगाड़ेलोग भले आदमीको एकांत निर्जनपंथ आदिमें पाकर निपट निष्कारण भी किसी ऐसी वस्तुसे प्रहार कर देते हैं कि जिसका कुछ भी चिह्न उसकी देहमें दिखाई नहीं देसकता है फिर क्योंकर चिह्न ढूँढ़े जायँ कदाचित् ऐसे व्यवहारका निपटारा विना किये निवर्तन किया जाय तौ फिर न्यायन करना यह अन्याय खड़ा होता है और दुर्जन पंक्तियोंकी बढ़वारी होना संभव है इस हेतु राजायुक्तियोंसे भी निर्णय करै अर्थात् उसी उपद्रवके होसकनेवाला कोई कारण प्रथम खोजै कि इन दोनोंके परस्पर किंचित् वैर आदि कोई कारण या प्रयोजन पहिलेसे है या नहीं अथवा उसस्थानमें कि जहाँ उपद्रव हुआ कहते हैं इन दोनोंका पहुँचना किसी हेतु करके संभव है या नहीं और उसकालके भी कोई लक्षण विशेष उन्हीं दोनोंसे भिन्न भिन्न पूँछिकर उच्चरित भाषाके अर्थोंसे भी निर्णय करै कि इनमें कौन भूँठा कौन सच्चा है इत्यादि अनेक भाँतिकी युक्तियोंसे विचारै-तत्पश्चात् आगमसे भी निर्णय करै कि इसवार्ताका प्रसंग अन्य मनुष्योंसे किस भाँति सुनाजाता है या मुद्दा आनेपर कभी पहले भी इसभाँतिके अपराधमें फँस चुका है या उसकी प्रकृति चालचलन आदि कैसा कुछ विख्यात है या मुद्दा किसभाँति प्रमाणिकोंमें गिनती है अर्थात् उसकी प्रकृतिसे भूँठी या सच्ची नालिश करना संभव है या नहीं-इसके आगे यथासंभव दिव्य प्रमाणोंका आचरण भी आवश्यक जानिकर करवाया जाना योग्य है २१७ ॥ इसभाँति जो कुछ अपराध निश्चित होयँ तिनके दंड नीचे कहते हैं २१७ ॥

अधि०—नारद और बृहस्पति नेभी इसके निर्णय का स्वरूप दर्शित किया है कि जब कोई अपने हाथसेही मारपीटवाले चिह्न अपनी देहमें बनाकर नालिश करै— तथाचनारदबृहस्पती ( कश्चित्कृत्वात्मनाश्चिह्नद्वेषात्परमभिद्रवेत् । हेत्वर्थमतिसामर्थ्ये स्तत्रयुक्तंपरीक्षणम् ) अर्थात्-कोई अपने हाथसे निजदेहमें कुछ चोटचपेटवालाघाव आदिचिह्नकरके किसी परायेपर कुछद्वेष वैरभावसे जो दौड़ै फैलिजाय कि मुझको मारातहाँ परीक्षा करनायोग्यहै यथार्थ किसीहेतुके अर्थादि प्रयोजनसे कि जैसाउनके आपसमें कुछ पायाजाय औरभी (अतिसामर्थ्यासे) अर्थात् (अति) अव्ययके भावार्थसे असांप्रतिकक्षेप जो कुछ कहासुनीतकरारआदि उनमें पहलेसे हमेशा या थोड़े दिन से चलीआईहो और सामर्थ्यकेभावार्थ से परस्पर उनके देहबलकाअंतर संगतता असंगतताआदि देखीजाय कि यहपुरुष इसको मारसक्ताहै या नहीं यद्वा किसहेतुसे यहइसको मारसक्ताथा और जहाँतकबनिआवै कोईसाक्ष्य आदि प्रमाणभी अन्वेषण कियाजाय यद्वा उसके निपट नमिलने में कुछदिव्य प्रमाण मांगाजाय-अत्रकात्यायनः ( हेत्वादिभिर्नपश्येच्चैदं पारुष्यकारणम् । तदासाक्षिकृतंतत्रदिव्यंवाविनियोजयेत् ) अर्थात्-जहाँऐसे भगड़ेकी संदिग्ध डंडावाजीहो जिसका मुख्यकारण किसीहेतु अर्थ सामर्थ्यआदि लक्षणोंसे न समुभाजाय तब सामान्य साक्षीलोगोंकी कहावतिमात्र लेकर उसी कहावतिके अनुसार अर्थीसहित साक्षीलोगोंसे कुछ दिव्यप्रमाणभी शपथादि जैसा निर्णयके अनुकूल योग्य समुभाजाय सो करवावै २१७ ॥

(रजोऽमेध्यादि स्पर्शेदंडः)

भस्मपंकरजःस्पर्शेदंडोदशपणस्मृतः । अमेध्यपार्ष्णिनिपूतस्पर्शनेद्विगुणस्ततः २१८ ॥

समेष्वेवंपरस्त्रीषुद्विगुणस्तूतमेषुच । हीनेष्वर्थदमोमोहमदादिभिरदंडनम् २१९ ॥

ऐ०—जिसने अपने समान वर्णवालोंको राखकीच काँदो या धूलिसे स्पर्शकराया हो किंतु उनकेऊपर अहंकारसे यदिफेंकीहो तिसपर दशपण दंडहोय जिसने उन्हीं समान जातियोंपर कुछ अमेध्यनाम अपवित्र कफवाल आँसू उच्छिष्ट आदिफेंकाहो यद्वापैरकी एड़ीमात्रभी स्पर्शकराईहो या निष्ठूतनाम कुल्लेका पानीफेंकाहो तिसपर दूनादंड वीसपण दिलवायेजायँ २१८ सो यह दश और वीसपणका दंडसिर्फ अपने तुल्यगुण प्रतिष्ठाआदि से संयुक्तका अपराध करनेमध्ये नियत है-यदि कोईइन्हीं अपराधोंको पराईस्त्रियोंमें उत्पन्नकरे किंतुस्त्रीमात्र सामान्य किसी अवस्था यद्वाकिसी वर्णकीहो तो यह उक्तदण्डदूनालियाजायगा अर्थात् राखधूलिआदि मध्ये दशकेवीस तथा अमेध्यआदिकी अपेक्षा वीसपणके दूने चालीसभरें-इसीप्रकार अपनेसे उत्तम जो जो सवर्ण पुरुष किसीभाँतिकी गुण प्रतिष्ठामें कुछ अधिकहों तिनकेसाथभी यथोक्त अपराधोंका करनेवाला दूनादंड दशकेवीस वीसके चालीस भरें-ऐसेही जब

अपनेसे कुछहीन गुणप्रतिष्ठावालेका अपराधकरै तब उस मुख्यदंडसे आधादंडदश केपाँच बीसके दशपणभरै-पर जो मोहमदादि किसी चित्त विकारकरके ये अपराध कियेहों तौफिर दंडनहीं-मोहसे अर्थात् अपने चित्तकी विकलतासे विक्षिप्त सिड़ीदी-वानाहोकर या मद्यादि पानभक्षणके हेतुसे और आदिशब्दके आशयसे भूतोन्माद ग्रहोन्माद सन्निपातआदि समुभने इनसे युक्तप्राणी ऊर्ध्वोक्त अपराधोंकी अपेक्षा क्षमाकरनेयोग्यहैं पर जो बनाहुआ सिड़ीहो तिसकेलिये यह अपवाद रूपछूट नहीं समुभनी २१६ ॥

अधि०-विष्ठाआदिके स्पर्शकरानेमें कात्यायनजीने दंडविशेषनियतकियाहै-यथा-  
(छर्दिमूत्रपुरीषाद्यैःस्पर्शनेसचतुर्गुणः । षड्गुणःकायमध्येस्यान्मूर्द्धित्वष्टगुणःस्मृतः)  
अर्थात्-छर्दिउलटी रद्द मूत्र विष्ठा और (आदि)शब्दके आशयकरके बसा चरबी वीर्य पीव रक्तमज्जा आदि अनेक समुभने इनसे जो स्पर्श करावै तिसपर वहीदण्ड चौ-गुना लियाजावे जो दशपणका कहागयाहै परन्तु यह चालीस पणका तबतकहै कि जबतक पैरगोड़ोंतक स्पर्श करायाहो किन्तु देहके बिचलेभाग कमर आदि में लगाने वालावही दण्ड छेगुना साठि पणतकभरै-कात्यायनजीका यह वचन विशेष अपने तुल्य गुणादि प्रतिष्ठावालेकी अपेक्षा में समुभना किन्तु अपनासे उत्तमके अपराधों मध्ये यहभी यथाक्रम से द्विगुणहोगा एवं न्यूनप्रतिष्ठा वालेकी अपेक्षा यथाक्रम से आधादण्ड जैसा ऊपर वर्णन हुआ सोसब इसमें भी समुभना २१८ । २१६ ॥

( प्रातिलोम्यापराधानन्दण्डविशेषः )

विप्रपीडाकरञ्छेद्यमंगमब्राह्मणस्यतु । उद्गूर्णेप्रथमोदण्डःसंस्पर्शेतुतदर्धिकः २२० ॥

ऐ०-ब्राह्मण को कुछपीड़ा करनेवाला अङ्ग छेदनीय है जो ब्राह्मणका नहो-उद्गूर्ण करनेमध्ये पूर्वसाहस दण्ड और स्पर्शकरनेमात्रमें तदर्धिक दण्डहोवे-अर्थात्-क्षत्रिय आदिनिचलेवर्णोंके मनुष्यने जिसअङ्ग हाथपावँआदिसे कुछपीड़ा किसीप्रकारकी कि जो जो राख धूलि आदि ऊपर वर्णनहुई कदाचित् ब्राह्मणको पहुँचाईहो तिसकावही अङ्गछेदन करना दण्डहो-एवं क्षत्रिय अथवा वैश्यको कुछपीड़ा वा अपमान शूद्रजातीने पहुँचायाहो तौभी अङ्गछेदन रूपदण्डहै और विशेष निर्णय इसका इसी अङ्ग की अधिकोक्तिमें विचारोइनसवन्यायोंके अनुरूप जहाँक्षत्रियको उसभाँति कोईपीड़ा वा अपमान वैश्यजातिने पहुँचायाहो तिसकोभी तथैव दण्डजानो और उद्गूर्ण करने किन्तु उगानेमात्रका जो पूर्वसाहस दण्डकहा तिसका अभिप्रायिक आशय यह कि जहाँ समाज जातीने या अनुलोम क्रमसे उत्तम जातीने कुछ हाथपावँ यद्वाकोई शस्त्र आदि गारनेको उद्गूर्णकिया उगायाहो किन्तु सिर्फ उठाकर ऊँचाकियाहो फँका अबतकनहीं तिसपर २७० पणका प्रथम साहस दण्डलियाजाय अथवा ऊँचा

यद्यपि नहीं किया पर तेहाखाकर सिर्फ उठाने के निमित्तसे शस्त्रादि किसीप्रहारयोग्य वस्तुको निजहाथ मात्रका स्पर्श करतेहुये दिखायाहो तौफिर आधा पूर्वसाहस दण्ड १३५ पणतक लियाजाय (औरजो) क्षत्रिय या वैश्यने शस्त्रादिकों के सिवाय सिर्फ राख धूलि आदि कोई तुच्छ वस्तु जिसके प्रहारसे भी पीड़ा होसकनी सम्भवनहो प्रतिलोम क्रमसे उत्तम जातिको सिर्फ उठाने के निमित्त से स्पर्श करतेहुये दिखाई हो तौ इनदोनोंको अत्रोक्त दण्डनहो किंतु पूर्वोक्त वाक्पारुष्य मध्ये दोसौबारहमूल श्लोकद्वारा ( प्रातिलोम्यापवादेषुद्विगुणत्रिगुणादमाः ) इत्यादि नियम जो जो उसी अधिकोक्ति पर्यंत कहेगयेहों तिन्हीं के अनुसार दण्डहोय-परन्तु शूद्रने प्रतिलोमक्रम से चाहे शस्त्रोंको उठानेके निमित्त से स्पर्शकियाहो यद्वा राख धूलि आदि मारनेको उठाने के निमित्त से स्पर्शकियाहो तौभी हस्तच्छेदन रूपदण्डहै और विशेष निर्णय इसका इसीअध्याकी अधिकोक्तिसे विचारो २२० ॥

अधि०-शूद्रकी अपेक्षा से जो अर्थ ऊपर लिखेगये तिनकानिर्णय यहाँमनुकेवचनोंसे सब जुदा जुदा समुभो-यथाहमनुः (येनकेनचिदङ्गेनहिंस्याच्छ्रेयांससन्त्यजः । छेत्तव्यंतत्तेदेवास्यतन्मनोरनुशासनम् ॥ पाणिमुद्यम्यदण्डंवापाणिच्छेदनमर्हति । पादेनप्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कठ्यां कृताङ्गोनिर्वास्यःस्फिगंवास्यावकर्तयेत् ॥ अवनिष्ठीवतोदर्पात्द्वावोष्ठौछेदयेन्नृपः । अवमूत्रयतोमेढ्रमवशर्द्धयतोगुदम् ॥ केशेषुगृह्णतोहस्तौछेदयेदविचारयन् । पादयोर्दाढिकायाञ्चग्रिवायांवृषणेषुच) अर्थात्-मनुजी कहते हैं कि शूद्रजाति जिस किसी हाथ पैर आदि से या डण्डा आदि किसीप्रहार चिह्नसेभी उत्तम वर्णियोंको कुछपीड़ादेय तिसका वहीअङ्ग छेदन कर्त्तव्य है यहमनुने उपदेशकिया इसहीका पकाहट उदाहरणोंसे स्पष्ट दर्शित करते हैं कि जबशूद्र हाथको या डण्डेको उगाकर अपनादर्पदिखावैतौ उसहाथकेही छेदनहोनेयोग्यहै या कोपकरके पावँसेही सन्मुखधरतीमात्रमें प्रहार करतेहुये दर्पदिखावै तौ उसपावँ के कटिजानेयोग्यहै जो अपकृष्ट नाम शूद्रजाति होकर उत्कृष्ट जातियोंकी वरावरी आसनवाँधि वैठिजाय तिसके करिहाउँवाँचतपाई हुई लोहकील शलाकासे चिह्लाङ्क देकर देशान्तरमें निर्वासनकरै अर्थात् कालापानी आदि विकट वनचर देशमें अपराधके अनुरूप शिक्षामात्र किञ्चित् अवधितक परवास करवाकर फिरभी देशमें आजाने देय या अपराध की प्रवृत्तता में निरन्तर देश निकालाहोय अथवा देशनिकाला क्षमारखकर कमरका निचला पिङ्गलाभाग ऐसेढङ्ग से कटवावै जिस्से मरने नहींपावै सिर्फ शिक्षामात्रसी होजाय-दर्पसे जबकोई शूद्रअवनिष्ठीवनकरै अर्थात् ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णियों के सन्मुख उन्हेंचिताकर थूकिदेवे तिसके दोनोंओठ राजाकटवावै इसीप्रकार मृतकीधार जो दिखलाकर उत्तम वर्णियों

का अपमानकरै तिसकी किञ्चित् इन्द्रियको कटवावै-इसीप्रकार जो अवशर्द्धनकरै किंतु दर्पयुक्त होकर उनकेसन्मुख उन्हेंचितातेहुये गुदासे अपशब्द करिकरि उत्तमवर्णियों का अपमानकरै तिसकी राजा किञ्चित् गुदाकटावै परजो भूल प्रमाद आदिसे होजाय तिसको दोषमात्रहै पर दण्डनहीं-इसीप्रकार दर्पसे जो शूद्र किसीउत्तम जातीके बाल पकड़ै खींचै तिसके बिनाविचार दोनोंहाथ छेदन कियेजायँ अर्थात् बालपकड़ने से कुछ पीड़ाभी उत्पन्नहुई यद्वा नहीं ऐसाहेतु ढूँढनेबिना दण्डहोय-एवं दर्पसेही पैरपकड़ करखींचै या दाढ़ी पकड़ै या घींचपकड़ै यद्वा वृषण अण्डकोश को कुछपीड़ादेय या पीड़ा देनेके अर्थसेही पकड़ैखींचै तिसके दोनोंहाथ काटेजायँ-यहीव्यवस्था-नारद ने संक्षेप केवल ब्राह्मण और नृपतियोंका उद्देश देकर कही है-यथा-(येनाङ्गेनापरोवर्णो ब्राह्मणस्यापराधनुयात् । तदङ्गन्तस्यछेत्तव्यमेवम्बुद्धिमवाप्नुयात् ॥ राजनिप्रहरेद्यस्तुकृ तागस्यपिदुर्मतिः । शूल्यन्तमग्नौविपचेद्ब्रह्महत्याशतानिच ) अर्थात्-अपर वर्णवाला पुरुष जिसकिसी अपने अङ्गसे ब्राह्मणका अपराधकरै तिसका वहीअङ्ग छेदनकर्तव्य है कि जैसे उसको शिक्षाबुद्धि पहुँचै और जो कोई दुर्बुद्धी किसी राजापर कुछ प्रहार करै यद्यपि राजासे अपराधभी कुछ हुआहो तौभी उसदुर्बुद्धीको शूलीपर चढ़वाकर नीचे अग्निसे पचावै ऐसातीव्र दण्ड दियाजाय क्योंकि उसने (अवध्यो नृपतिः सदेति नियममतीत्य ) शतधा ब्रह्महत्याओं के तुल्य पापकिया किसी अन्यभाँति से संशुद्धि उसकी नहींहै-इसकेभीसिवाय-जो कुछ प्रतिलोम या अनुलोम क्रमके दण्डपारुष्यमें अपराधोंकी गौरवता या लाघवता तथादण्डभेद निर्णयकरनेकी आकांक्षा आवश्यकता जहाँ उपस्थितहो तहाँ वाक्पारुष्यवाले प्रकरणमेंदर्शाईहुई विधिजैसी २१२ तथा २११ मूलश्लोकों की अधिकोक्तिमें निर्णीतहुईथी उसही के अनुसार व्यवस्था इस में भी प्रकल्पन करनी योग्य है सो यह नियम कात्यायन के अग्रोक्त वचन से संसिद्ध है- तथाच(वाक्पारुष्येयथैवोक्ताः प्रातिलोम्यानुलोमतः । तथैवदंडपारुष्येपात्यादंडायथा क्रमम् ) अर्थात्-जैसे दंड प्रतिलोम या अनुलोम क्रमसे वाक्पारुष्यमें कहचुके तैसे उन्हींके अनुरूप दंड दंडावाजीमें भी कर्तव्यहै कि जैसाजैसा क्रम उसस्थलमें निरूपण हुआहो-किंच शूद्रको उसस्थलकी व्यवस्थामें भी प्रातिलोम्य अपराधमध्येअंग छेदनरूप दंडहै-तथापि जहां शूद्रने या और किन्हींवर्णोंने प्रतिलोमसे विशेषताइन करने आदि प्रकारोंसे कुछदुःसहव्रण उत्पन्न कियाहो यद्वा और कोई चोट जोअति-कालमें परिशुद्ध होसकनीसंभवहो तबउन पूर्वोक्त सभी दंडोंके परिमाणमें अधिकता यथापीड़ाके अनुरूप कल्पित कर्तव्यहै और दंडके सिवाय चोट अच्छीहोजानेयोग्य औषध पथ्यादिक जो आवश्यक हों तिनका व्ययभी उस अपराधीसे दिलाया जाय बल्कि चुटहिल पुरुषकी संतुष्टिहोसकने योग्य औरभी कुछद्रव्य उसपर दिलाया



जाय जो कुछ अच्छे लोग उचित निर्णयसे अनुमान करें-तदप्याह कात्यायनः ( देहेन्द्रियविनाशेतु यथा दंडं प्रकल्पयेत् । तथा तुष्टिकरं देयं समुत्थानं च पंडितैः ) अर्थात्-जहां कोई अंग देह यद्वा इन्द्रियां घायल हुई हों अथवा निपट विनाश हुई हों तहां पूर्वोक्त दंड पारुष्यवाले दंडोंका कुछ नियम नहीं किंतु जैसा जैसा अपघात या विनाश और अपराध हुआ समुभाजाय तैसा अधिक दंड भी प्रकल्पित किया जाय तथैव चुटहिल पुरुषकी संतुष्टि कर सकनेवाला देयद्रव्य भी प्रकल्पित किया जाय और उतना समुत्थान का भी खर्च विधिज्ञ लोगों के द्वारा कल्पित किया जाय जितने द्रव्यसे वह चोट जितने दिनमें अच्छी होकर चुटहिल पुरुष अपने काम धंधोंमें रमि सकै क्योंकि ( समुत्थानव्ययं चासौ दद्यादात्र एणरोपणमिति च कात्यायन एव )

इति प्रातिलोम्यापराधानां दण्ड निर्णयः २२० ॥

(समजाति गुणविशिष्टानां दंडः)

उद्गूर्णे हस्तपादे तु दशविंशतिकौदमौ । परस्परं तु सर्वेषां शास्त्रे मध्यमसाहसः २२१ ॥

पादकेशांशुककरोल्लुंचनेषु पणान्दश । पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः २२२ ॥

शोणितेन विनादुःखं कुर्वन्काष्ठादिभिर्न्नरः । द्वात्रिंशतं पणान् दंडयो द्विगुणं दर्शनेऽसृजः २२३ ॥

ऐ०—अपने अपने वर्ण अथवा जाति में परस्पर गुण प्रतिष्ठासे तुल्यात्मक होते हुये जो कोई हाथ मारने के निमित्तसे उगावै किंतु उठाकर सिर्फ ऊँचा करै तौ दश पणका दंड एवं पैर उठाकर ऊँचा करनेवाले से बीस पणका दंड लिया जाय-जिसने शस्त्र उठाकर ऊँचा किया हो तिसपर मध्यमसाहसदंड ५४० पणतक जैसा शस्त्र हो तिसहीके अनुसार लिया जावै यद्वा कोप विशेषके अनुसार-कदाचित् दोनों ओरसे परस्पर शस्त्र उद्यत हुये हों तौ यह दंड दोनों ओरसे प्रत्येकपर भी लिया जाय २२१ ॥ एवं पैर यद्वा बाल या कपड़े अथवा हाथ पकरकर खींचै वा मिरोड़ै या नोचै खोंचे तिसपर दश पणदंड होय और जिसने अग्रोक्तसभी काम इकट्ठे एकसाथ किये हों किंतु पीड़ासाहिन किसी अंगका नोचना तथा वस्त्रोंका नोचना यद्वा वस्त्रसे उस पुरुषको लपेटकर खेंचना जिस्से परवश होजाय तद्वत् लातोंसे मारना यद्वा वस्त्रसे लपेटे पीछे लात उगाकर कुछ दबकाना ऐसे अपराधीपर सौपणका दंड लिया जाय २२२ ॥ जिसने लकड़ी आदिसे मारते हुये ऐसी कोमल पीड़ा पहुँचाई हो जिस्से अबतक रक्त नहीं निकसने पाया तौ बत्तीस पणका दंड लिया जाय पर जो किंचित् रक्त भी दिखलाई दिया हो तौ यह दंड दूना उसपर चौंसठ पणका लिया जाय २२३ ॥

अधि०—हाथ उगाने मध्ये कात्यायनजी विशेषता प्रकट करते हैं-यथा (उद्गूर्णे तु हस्तस्य कार्यो द्वादशकोदमः । स एव द्विगुणः प्रोक्तः पातने तु सजातिषु ) अर्थात्-अपने सजाती मात्र किसीपर भी हाथ उठाकर ऊँचा करने से बारह साढ़े बारह पणका दण्ड करना

योग्यहै परजो हाथलेकर मारदियाहो तौ यहदण्डदूना किंतु पचीस पणका लियाजाय-  
 बृहस्पतिजी- पत्थर लाठी आदि उठानेमें विशेषता प्रकट करते हैं-यथा (उद्यतेऽश्म  
 शिलाकाष्ठेकर्त्तव्यःप्रथमोदमः) अर्थात्-पत्थर शिला लकड़ी आदि उगानेवाले पर  
 प्रथम साहसदण्ड २५० पणतक यथापराधके अनुसार कियाजाय-विष्णुजी-शस्त्र  
 उठाने में विशेषता दर्शित करते हैं-यथा ( हस्तेनोद्गूरयित्वादशकार्षापणान् पादेन  
 विंशतिकाष्ठेनप्रथमसाहसंशस्त्रेणोत्तमम् ) अर्थात्-हाथ उगाकर जो गुरेरै तिसपर  
 दश कार्षापणदण्ड एवं पैरउगाकर जो गुरेरै तिसपर बीसपणकादण्ड एवं लाठी कड़ी  
 आदि से गुरेरै तिसपर पूर्वसाहस दण्ड २५० पणतकहोय एवं लोह शस्त्रोंसे गुरेरै  
 तिसपर उत्तम साहसदण्ड १००० पणतकहोय परयह विष्णुका दर्शाया उत्तमसाहस  
 दण्ड किसीऐसे अवसर में संसूचितहै कि जहाँकोई अधम जातीहोकर उत्तम पुरुषपर  
 कुछलोह शस्त्र उठाकर उद्यतकरै २२१ ॥ शस्त्रोंके चलजाने में बृहस्पतिजी विशेषता  
 प्रकट करतेहैं -यथा (मध्यमःशस्त्रसम्पातेसंयोज्यःक्षुब्धयोर्द्वयोः । कार्यःकृतानुरूपस्तु  
 लग्नेघातेदमोबुधैः ॥ इष्टिकोपलकाष्टेनताडनेतुद्विमाषकः । द्विगुणःशोणितोद्देदण्डः  
 कार्योमनीषिभिः) अर्थात्-जिसने लोह शस्त्रको उठानेके सिवाय उसका पातभी कर  
 दियाहो किंतु चलायाहो तिसपर मध्यम साहसदण्ड पर जो दोनोंनेही क्षुब्ध होकर  
 शस्त्र चलायेहों तौ यहदंड दोनोंओर वालोंपर भिन्नात्मकसबसे लियाजाय परयहभेद  
 भी आवश्यकहै कि जो इनशस्त्रपातों से कुछ घावचोट आदि भी लगजाय तौ फिर  
 दण्डभी उसघावके अनुरूप न्यून अधिक जैसाघाव जिसने कियाहो तैसादण्ड तिस  
 पर पण्डितलोग प्रकल्पितकरै किंतु पूरेपाँचसौकाही कुछनियम नहीं-जहाँसिर्फ छोटी  
 ईंट छोटेपत्थर छोटीहलकी लकड़ीसे कुछ कोमल ताड़न हुआहो तहाँदोमाष सोना  
 दंड लियाजावै पर जो इस में भी कुछरक्तपात फूटिआवै तौ फिर दूनादंड चारमाष  
 सोना लियाजाय मनीषी लोगों का यह न्यायजानौ-विष्णुने भी योगीश्वरकेही तुल्य  
 रक्तपातमध्ये कहाहै-यथा(शोणितेनविनादुःख मुत्पादयित्वा द्वात्रिंशत्पणान् सहशोणि  
 तेनचतुःषष्टिं)अर्थात्-जिस ने रक्त निकासे विना सूखीपीड़ा करीहो तिसपर बत्तीस  
 पणका दंड और जिसने रक्त निकासि देने सहित पीड़ा करीहो तिसपर उससेदूना  
 चौंसठिपणका दंड लियाजाय इसमेंभी यह भाव कल्पित करणचिह्नैके जिसने नाम-  
 मात्र किंचित् रक्त निकासहो तिसपर इन्हीं चौंसठि के भीतर थोड़ादंड जो कुछरक्त  
 के अनुरूप योग्य समुभाजाय सोई लियाजावै पूरे चौंसठि या बत्तीस का अभंग नि-  
 यम नहीं बल्कि विरले अवसर इसीअपराधकी गढ़वारीमें इन चौंसठिसेभी अधिक  
 दंड होसक्ताहै चथार्थभेद इसका देखो निचली दोसौ चौबीस और पचीसकी अधि-  
 कोक्तिमें प्रारंभ सेही मनुकावाक्य जो कुछ कहताहो-और इसवातपरभी ध्यानकरना

योग्य है कि जहांजहां मुनिवर्यों के वचनांतर में कुछ दंडभेद पायाजाय तहां तहां सर्वत्र उस अपराध के गुरुत्व या लघुत्वसे उन वचनों का विकल्प अंगीकार करना सूचित है २२२ । २२३ ॥

(रक्तपातादिविषये सजातित्वे दंडाः एकस्य बहुभिः ताडने च नष्टद्रव्यादेः प्रतिहाननियमाः)

करपाददतो भंगे छेदने कर्णनासयोः । मध्योदंडो व्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा २२४ ॥

चेष्टाभोजनवाग्रोधेनेत्रादिप्रतिभेदने । कंधराबाहुसक्थांच भंगे मध्यमसाहसः २२५ ॥

एकंधनतां वहूनांच यथोक्ता द्विगुणोदमः । कलहापहृतं देयं दंडश्च द्विगुणस्ततः २२६ ॥

दुःखमुत्पादयेद्यस्तु सप्तमुत्थानजं व्ययं । दाप्योदंडं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः २२७ ॥

ऐ०—जब कोई अपनेजाति वर्णमात्रवाले किसीको कुछ ऐसा ताड़न करे कि जिस्से उसका हाथ या पावें या दांत टूटिजायें या नाक या कान काटिलेय या उसकी देह में कुछ फोड़ाफुंसी हो तिसको मसलै यद्वा फोड़िडालै या इन बातोंमें से कुछ भी नहीं सिर्फ़ ऐसामारै पीटै जिस्से मरनेकेही तुल्य अचेतसा होजाय तौ इनप्रत्येक दो अपराधों का जुदा जुदा दंड मध्यम साहस ५४० पणतक लियाजाय अर्थात् जहां इन में से दो तीन आदि कई अपराध जिसने कियेहों तिसपर यहीदंड दूना तिगुना आदि उन अपराधोंके अनुसार लियाजाय अथवा जहां किंचित् किंचित् कईकर्म इनहींमेंसे किये गयेहों तौ उनसबही को इकट्ठा करिकै पूराएक मध्यम साहसदंड कियाजाय २२४ ॥ इसीप्रकार जहां इतना गाढ़ा ताड़न हुआ हो कि जिस्से उसकी चेष्टायें किंतु चलना फिरना उठना बैठना आदि बंद होजाय यद्वा भोजन या मुंहकाबोल बंद होजाय तौ भी प्रत्येक दोष पीछे मध्यम साहस दंड होय एवं नेत्रआदि जीभ पर्यंत कोई इन्द्री भंग होने यद्वा शीवा भंग होने या भुजाटूटिजाने या जंघा टूटिजाने में भी प्रत्येक अपराध पीछे मध्यम साहस दंड जानौ २२५ ॥ जहां किसी एकले को अनेक मिलकर मारें पीटें तहां जिस जिस किसीदोष या अपराध का जो जो दंड ऊपर कहा गया सो सो दूना होकर प्रत्येक मारनेवालों से दूना दूना लियाजावे-सो यह दूना दूना प्रत्येकोंपर सजाती के अपराध मध्ये नियमित हुआ है इसहेतु जहां प्रतिलोम क्रम से या अनुलोम क्रमसे किसी एकले पुरुष को अनेक मिलकर मारें तहां इसीसजाती नियम से प्रत्येकों का दंड पहिले कल्पित करिकै पीछे उसी कल्पितपरिमाण को फिर वाक्पारुष्य में दर्शाये हुये नियमों से बढ़ाना या घटाना जो आवश्यकहो सो कर्तव्य है कि जैसा जैसा २१२ तथा २११ के श्लोकों से विधान वर्णन हुआ था—किंतु ( शास्त्र में यह आज्ञा है कि प्रतिलोम और अनुलोमक्रमका नियम जैसा वाक्पारुष्य में कहचुके सो सब दंडपारुष्य में भी राजामुम्हें ) कलह बढ़ी होते समय जो जिसको चीज माला मुंदरी कपड़े आदि खोइजाय सो भी उन

अपराधी लोगोंसे दिलाईजावे जिनके ऊपर उस अपराधकी जड़पाईजाय और इस दशामें भी कहेहुये दंडोंसे दूनादंड लियाजावे यद्वाकलह में हरीहुई वस्तुके मूल्यसेही दूनादंड जैसा अवसरके अनुकूल योग्य समुभाजाय सोई कियाजावै क्योंकि वस्तु हरनेवाले पर चौर्यरूप साहसका अपराध विशेष खड़ाहुआ यद्वा वस्तु हरनेवाला कोई न पहिंचानाजाय तौ उनकलह कर्त्ताओंपर इसवस्तु खोइजानेका अपराधरखना योग्यहै कि जोजो कोईकलह खड़ी करनेके अगुआ निश्चितहोयँ २२६॥ जोजो कोई जिसको मारातारी करिकै दुःख पैदाकरै सो सो उसके घावचोट पूरण शोषण पर्यंतके दिनोंतक औषध पथ्यआदिका सबखर्च यथापराधके अनुसार शीघ्रं दिलवायेजाने योग्यहै और वहदण्डभी कि जो उसकलह के अपराधमध्ये देनाकहा हो राजघर में भरवायाजाय २२७ ॥

अधि०-खाल मांस हाडोंके तोड़नेमध्येमनुजी जुदाजुदा दंडकहतेहैं-यथा(त्वग्भेदकः शतदंड्योलोहितस्यचदर्शकः। मांसभेत्तातुषण्णिकान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः)अर्थात्-जहांसमानजातिवाला किसीसवर्णकोयदि इतनामारै पीटैजिससेखाल उसकीफाटिजाय तौ सौपणकादंड लियाजावै तद्वत् जिसने थोड़ा लोहूभी निकासिदियाहो तिसपरभी सौपणका दंड परंतुजिसने मांसफाड़िकर कुछघावभी करदियाहो तिसपर सौवर्णिकछे निष्कोंवाला दंडलियाजाय जिसने हाड़तकभी तोड़ाहो तिसको देशान्तरद्वीप विशेष आदिकिसी बिकट भूमिके निवासरूप देशनिकाला दंडदियाजाय-कात्यायनजी-कुछ अंगोंके छेदन भेदन होजानेमध्ये दंडकहते हैं यथा (कर्णोष्ठघ्राणपादाक्षिजिह्वाशिश्नक रस्यच । छेदनेचोत्तमोदंडोभेदनेमध्यमोभृगुः)अर्थात्-कान, ओठ,नाक,पैर,नेत्र,जीभ, शिश्नेन्द्रिय, हाथ इनमें किसी एकअंगका भेदन किंतु विदारणमात्र कियाहो तिसपर मध्यमसाहस दंड पाँचसौतक लियाजाय जिसने इन्हीं अंगोंमें से कोईएकअंग निपट छेदन कियाहो कि जिस्से वहीअंग अपनी कर्मशक्तियोग्य न रहसकै तिसपरउत्तम साहसदंड १००० पणतक लियाजाय-मनु तथा कात्यायनजीने एकविशेषवाक्य और भी दर्शायाहै कि जहाँ कहीं खाल रक्त हाड़ इनका फटनाआदि कुछ प्रत्यक्षमें न देख परै परन्तु ताड़न ऐसा गाढ़ाकियागयाहो जिस्से देहभीतर पीड़ाहोतीहो यद्वा शोथ गूमड़े प्रकटहोयँ तौभी उसकेअनुरूपदंड कियाजाय-यथाह मनुः(मनुष्याणांपशूनां च दुःखायप्रहतेसति । यथायथामहद्दुःखंदंडंकुर्यात्तथातथा ) अर्थात्-मनुष्योंको या पशुओंको दुःखदेनेके निमित्तसे कुछप्रहार कियाजाने किन्तु चोटलगाई जानेमें जैसाजैसा अधिक दुःखपीड़ा प्रकटहोय तैसा दंडअधिक दिलायाजाय-यह अधिकदंड उसपरिमाणसे उपरालुभी प्रकल्पित कियाजासक्ताहै कि जो जो दंड खाल रक्त हाड़ आदि टूटने फटनेमध्ये नियत कियेगये क्योंकि वहां पीड़ाके ससर्ग विना भी खाल रक्तहाड़

आदि टूटने फटने मध्येदंड सूचितहुयेहैं तिसहेतु जहाँपीड़ाअधिक पाईजाय तहाँउन संसूचित दंडोंसे उपरालू दंडकल्पितकरना यहाँपर दर्शायागया सो यह यादिरक्खो अथवा जहाँ स्वल्पपीड़ा मात्र हुईहो किन्तु खाल रक्त हाड़ आदि कोईअंग न टूटेफूटे हों जिसकादंड दोसौतेईस मूलश्लोकमें योगीश्वरभी बत्तीसपणकहचुके तिसकेमध्ये भी अत्रोक्त मनुकेवाक्यसे व्यवस्था कल्पितहोसक्ती है कि अतिशय स्वल्पपीड़ाके अनुरूपदंड कियाजाय इसहेतुसे उस दोसौतेईसकी अधिकोक्तिमें यहकहाथा कि पूरे चौंसठि या बत्तीसका अभंग नियम नहींसमभना-एवमेव कात्यायनोपि ( मनुष्याणां पशूनांचदुःखायप्रहतेसति । यथामहत्तरंदुःखंदंडंकुर्यात्तथातथा ) २२४ । २२५ जहाँ किसी एकको अनेकमिलकर मारें तिसकादंड विष्णुनेभी योगीश्वरकेही तुल्यदर्शित कियाहै-यथा ( एकंघृतांबहूनां प्रत्येकश उक्तोदंडोद्विगुणः ) अर्थात्-एकको अनेकमारने वालों में प्रत्येकअपराधीसे वहदंड दूनालियाजाय जो उसअपराधमध्ये छेदन भेदन ताड़नआदि रूपोंसे जहाँ जहाँ वर्णन ऊपरहोचुकाहो या फिरभी कहीं आगे उसका चर्चाहो-जहाँकहीं-पिटताहुआ कोईपुरुष ऊँचेशब्दसे हाय मारागया बचाना आदि पुकार करताहो तिसका शब्द सुनकर जो तत्रत्य समीपवर्ती लोग उपेक्षारखकर दौड़ें नहीं तिनपर ठेठमारनेवालों सेभी दूनादंडहोना योग्य है-यथाहविष्णुः ( द्विगुणउक्तः क्रोशंतमनभिधावतांतत्समीपवर्तिनांसतांच ) अर्थात्-दूनादंडउनको कहा है कि जो विक्रोशमाण पिटतेहुयेको बचाने के अर्थकरके दौड़ें नहीं उपद्रवके स्थानसे समीप रहते बसते हों या उसकाल में मौजूद समर्थ सज्जनहों-सतांच-इस पदके अंत्य (च)कारसे यह आशयभी प्रत्यक्ष है कि सत्तावान् समर्थलोग जो कुछ अन्तरसे निवासकरते या कुछ अन्तरसे मौजूदहों वेभी अन्यलोगों का कोलाहल सुनकर शीघ्र दौड़ें और उस पिटते हुये निर्बल को बचावें बलिक समीपवासी जो असमर्थहों तिनको भी यह योग्य है कि यद्यपि आपबचाने में असमर्थहों पर साधारण धर्मों की मर्यादासे अवश्य कुछ कोलाहल करते हुये वेभी दौड़ें और दूरस्थ समर्थों को तत्काल बोधित करें कि अमुक उपद्रव अमुकस्थान में होरहा है-ऐसे नियमोंसे विपरीत उपेक्षा करिके जे कोई निकट वर्ती या दूरस्थ समर्थोंमें मौजूद होतेहुये रक्षाकरनेके प्रयत्नपर आरूढ़नहों तिनपर ठेठमारनेवालों से भी दूनादंड लियाजावै जिस्से आगेको फिर ऐसाकभी नहो-कलह लड़ाई का उपद्रव होते समय जो कुछ वस्त्रगहना आदि किसीकाभी खोयागयाहो सो सब उन अपराधी लोगोंसे दिलायाजाना और उनखचोंका दिलाना भी बृहस्पतिने दर्शायाहै कि जो उसचोट अच्छीहोनेतक आवश्यक हो-यथा ( अंगावपीडनेचैवभेदनेछेदनेतथा । सर्वथातद्वयंदाप्यःकलहाय हतंचयत् ) अर्थात्-बृहस्पति कहते हैं कि अंग हाथपैर आदि मिरोड़े जाने आदि

पीड़न होनेमें या ( भेदन ) किंतु विदारण कियेजानेमें या ( छेदन ) होने किंतु काटेजाने में उसपर बश दुखिया पुरुषका जो औषध आदि प्रकारों से कुछ खर्च होना संभव या कुछ कार्य बाधरूप हानिहुईहो सो सब उनअपराधी लोगोंसे दिलाना योग्यहै कि जिन्होंने यह दशाउसकी करीहो और वह वस्तुभी कि जो कुछ कलहकालमें अपहरण हुईहो उन्हींसे दिलवाई जाय ( वस्तुहरीजाने मध्ये जैसा निर्णय ऐक्यार्थ में कहिचुके सोई यहांभी समुभना ) यहां ( औषध आदि प्रकारों का खर्च तथा हानिका यह तात्पर्यहै कि मरहं पट्टी पथ्यआदि जो कुछ खर्च उसके निपट अच्छे होनेपर्यंत जैसा देह उसका पहिले था तद्रूप तैसा होजाने योग्य सभी खर्च दिलायेजाय और वह हानिभी कि जोकुछ द्रव्यादिक आगमउसके खाट परजानेसे न होनेपाये ) खर्च दिलाना मनुनेभी कहाहै-यथा ( अङ्गावपीडनायांचव्रणशोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययंदाप्यःसर्वदंडमथापिवा ) अर्थात्-अंगोंमें पीड़ाकुछ पहुँचाईजानेमें या घाउहोनेमें या रक्तपातहोने में जोकुछ उसकाखर्च अच्छे होजानेतक अनुमान कियाजाय सो अपराधीसे दिलायाजाय परन्तु जो अपराधी देनानहींचाहै या देनेयोग्य धन संयुक्तनहो तौइंस खर्चतथा राजदंडके भी पलटे सभी बातोंका जोदंड उसकेयोग्य समुभाजाय किंतु कारागार बन्धनआदि जोकुछ उचित समुभाजाय सो कर्त्तव्यजानो-इसकामुख्य व्यौरा सबसेपिछले राजाश्रय व्यवहारोंवाले प्रकरणमें ( सर्वदंडविधिशेषप्रकार ) नामकपाठ द्वारा देखौ जोकि व्यवहाराध्याय के अंत्यस्थानपर दर्शावेंगे २२६ २२७ इसव्यवस्था में जोकुछ किसीका अंगभंग आदिहोजाने मध्येदवादारूआदि खर्चका दिलानायद्वा समीपवर्तियों कोभीदूना दंडहोनाकहा याआगे २३४ मूलश्लोक पर्यंत जोकुछ वर्णन होनेवालाहै सोसब दंडपारुष्यका स्वरूपहै और इच्छापूर्व जानिवृत्ति कर कुछद्रोह सहितमारनेया नुकसानकरने किसीवृक्षादिक स्थावरकी काटाकूटीतोड़ा फोड़ीआदि करनेमध्ये नियतहै-कदाचित्-कोई गाड़ीघोड़ाआदि सवारियोंको दौड़ाकर किसी मनुष्य या पशुओंका हाथपैर तोड़े या खूनकाड़े या खालफाड़े या वृक्षादि गृहादिक स्थावरधनकी हानि तोड़ाफोड़ी आदिकरै तिसपरभी पथ्यादिखर्च और धनहानिका दिलायाजाना ऐसीदशामें संसूचितहै कि जिसनेअपनी गफलतसे परायेधनकी हानियद्वा देहपीड़ा पैदाकरीहो और धनदेहवाले पुरुषकी कुछनिपट गफलत नहीं पाईजाय-तदाहमनुः(द्रव्याणिहिंस्र्याद्योयस्यज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । सतस्योत्पादयेत्पिराज्ञोदद्याच्चतस्समम् ) अर्थात्-जोकोई जिसके कोईभांति द्रव्योंका विनाशकरै चाहे जानिवृत्ति इच्छासहित यद्वाजिज अज्ञानभावसे कुछहानि पीड़ापहुँचावे सोउमर्चाजवाले की संतुष्टि पैदाकरै किंतु बदलेमें कुछअन्य द्रव्यदेकर उसका राजीनामा दिलवावे क्योंकि पहिलेसेही राजीकरना योग्यथाकि जिससे राजद्वारतक पुकारनहींआती



तबतक उसकी हानिमात्र देकरभी संतुष्ट यह करसक्ताथा परंच राजद्वारमें पहुँचने पीछे राजदंडभी दातव्यहै-यहअत्रोक्त मनुके वचनवाला दंडकापरिमाण जोकि हानि हुयेधनके तुल्यकहागया सोउसभांतिके खफीफ़ तुच्छद्रव्योंकी हानिमें समुभनाजिन का दंडकहीं द्रव्योंकेनामसे न कल्पितहुआहो-यद्यपि-गाड़ीघोड़ाआदि यान वाहनों से उत्पन्नहुये अपराधोंका दंडनिर्णय इसी प्रकरणकी प्रथमोक्त मर्यादोंसेभी होसक्ताहै कि जोजो नियमऊपर वर्णनहोतेआये या कुछशेषहैं सोआगे २३४ मूलश्लोकतक निर्णीतहोंगे तिन सबकाभाव गाड़ीघोड़ा आदिके अपराधों परभीआरूढ़ कियाजावै क्योंकि एकभांतिकीडंडाबाजी यहभीहै अर्थात् जैसाअपने हाथपांव आदिसदुःखदेना तैसा गाड़ीघोड़ा आदिसे दिलवाना एकलक्षणहै और इसीआशयके हेतुकरके मनुने इनगाड़ी घोड़ाआदिके अपराधोंकोभी डंडाबाजीके प्रकरणमें संमिश्रित कियाहै कुछ भेदनहीं रक्खा (पर) योगीश्वर उनकोआगे बढ़िकर ३०३ औ ३०४औ ३०५मूल-श्लोकों द्वाराकहेंगे सोउसका निर्णय उसीस्थलमें कर्तव्यहै और उसकेभीसंबन्धमेंजो औषध पथ्यआदिका दिलवाना योग्य समुभाजाय सोसब यहांसेही निर्णयकरना सूचितहैकिजैसाजैसाऊपर वर्णनहुआथा-योगीश्वरने उसवादको जोयहांसेकुछभिन्नकिया तिसकेकईहेतुहैं कि ठीकठीक डंडाबाजी तबहींतक समुभनी जबतक डंडाबाजी द्वारा मनुष्य निपटमृत्युको न पहुँचै सिर्फ़ मारापीटाजाय या कुछघायल चुटहिलहोजाय- किंतु कदाचित् कोईमृत्युको यदिपहुँचै तौफिर मारडारनेवाला पूरादंडवध पर्यंतअवश्यपावैगा क्योंकि इच्छासहित मनुष्यमारडारनाएकबहुत बड़ाअपराधहै और डंडाबाजीसे यहऊपरहै (और)गाड़ीघोड़ा आदिकेअपराध यद्यपि डंडाबाजीसेभी बढ़िकेहैं परञ्च गाड़ी घोड़ा आदिसे मनुष्यके मरजाने परभी मारडारने वाला प्राजक पुरुष प्रायः पूरेदंडसे बचसक्ता है और उसके बचसकनेवाली छूटें उसीस्थल में दर्शावेंगे सो देखो ३०३-३०४-३०५ मूलश्लोकोंकी अधिकोक्तिमें (अथभार्यापुत्रादीनांताडनविष्येकनियमाः) सर्वथा जो इसप्रकरण में पर देहताडन कर्मोंका प्रतिषेधहै और प्रायः विरले अवसरमें निज भार्या पुत्रादिक विरले पाल्यवर्गियों के कुछताडन विनाभी संसारिक शिष्टाचारों की संसिद्धि और दृढ़ता होनी दुर्घट होजातीहै तिस हेतुसे मुनीश्वरलोग उसके नियमोंको दर्शाते हैं-तत्राहयमः( भार्यापुत्रश्चदासश्चदासीशिष्यश्च पंचमः । प्राप्तापराधास्ताड्याःस्यूरज्ज्वावेणुदलेनवा ॥ अधस्तात्तुप्रहर्तव्यंनोत्तमांगेकथंचन । अतोऽन्यथाप्रवृत्तस्तुयथोक्तंदंडमर्हति )अर्थात्-यमनाम के मुनि कहते हैं कि भार्या पुत्र दास दासी पांचवाँ शिष्यभी यह पांचों जब कदाचित् किसी अपराधको यदि प्राप्तहोयँ किंतु कुछ अपराध करें तभी ताडनीयहँ अर्थात् इनके ताडनमध्येकुछ उसभांति का प्रतिषेधनहींहै कि जैसा अन्यमनुष्यों के निमित्त में सर्वत्र वर्णन हुआ

परञ्च इनके ताड़न का यह नियम है कि यातौ हलुकी रस्सीसे या बांसकी खरपची कुंचीआदिसेही मारै किंतु और किसी स्थूलकाष्ठ आदिसे न मारै-और अत्रोक्तइन दो चीजोंसेभी सिर्फ देहके निचले अंग प्रहारकरना योग्यहै ऊपरले उत्तम अंग में न कैसेहू अर्थात् हलुकी पतरी किसी चीजसे और किसी प्रकारसेभी उत्तम अंगम-स्तक आदिमें न मारै इस कहेहुये नियमसे विपरीत किसी अन्यप्रकारसे जो कोई इन्हें मारने पर प्रवृत्तहो सो सर्वत्र सब दर्शाये हुये दंडोंयोग्य होताहै अर्थात् जिस अपराधका जो दंड इसीप्रकरणमें कुछ कहीं लिखाहो सो सब उसकोभी होसक्ता है- एवमन्येऽपि ( भार्यापुत्रश्चशिष्यश्चदासोभ्राताथसोदरः । प्राप्तापराधास्ताड्याःसूरज्ज्वावेणुदलेनवा ॥पृष्ठतस्तुशरीरस्यनोत्तमांगेकेथंचन । अतोऽन्यथातुप्रहरन्प्राप्तःस्याच्चौरकिल्बिषम् ) अर्थात्-इसमें याहीभांति अन्यऋषियों ने भी नियम दर्शित कियाहै कि भार्या पुत्र शिष्य दास दासी छोटाभाई ये सब जब जब कभी ऐसाकुछ अपराध करें जिसमें ताड़न रूपी दंडकी जरूरत समुभीजाय तौ फिर हलुकी जेउरीयापतली कमची आदिसे कुछ ताड़न कियेजायँ-सो इसनियमसे कि सिर्फ देहकेनिचले पिछले भागोंमेंही चोट लगावै किंतु मस्तकआदि ऊपरले या सन्मुखवाले अंगोंमें न कैसेहू कुछ मारै पर जो इस दर्शाये हुये नियमसे विपरीत मस्तक आदि में या सन्मुख या मोठी लकड़ी आदिसेही ताड़न करनेलगै तौ वह चोरोंकेही तुल्य किल्बिषभोगै किंतु जैसे चोर आदि दुर्जन को दुर्वाक्य आदि बाग्दंड या धिग्दंड याधनदंड दियाजाता हैसो इसपरभी यथोचित होनायोग्य समुभौ-एवंगौतमोप्याह ( शिष्यादि शिष्टिरवधे नाशक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यांतनुभ्यामन्येनघ्नन् राज्ञाशास्यः ) आपस्तंबोऽपिशिष्या नुवृत्तौ ( अपराधेषुचैनंसततमुपालभेत अतित्रासउपवास उदकोपस्पर्शनमिति दंडाः यथा तन्मात्रनिवृत्तिरिति-अपराधनिवृत्तिपर्यन्तं अपराधानुरूपं दंडपातनंकर्तव्यमित्यर्थः) २२४ । २२५ । २२६ । २२७ ॥ यहांतकजो वर्णन हुआ सो नरजाति मात्रको कुछ पीड़ा देनेमध्ये हुआहै अब आगे जो कुछ वर्णनहोगा सो पशु पक्षी आदि जीवों कोदुःख देने यागृहवृक्ष आदि कुछ स्थावर वस्तु विनाश करने मध्ये होगा ॥

( अथमनुष्येतरचरस्थावराणामभिद्रोहविषयः )

( तत्रगृहादिस्थानाभिद्रोहदंडः )

अभिघातेतथाछेदेभेदेकुड्यावपातने । पणान्दाप्यःपंचदशविंशतितद्वयंतथा २२८ ॥

दुःखोत्पादिगृहेद्रव्यंक्षिपन्प्राणहरंतथा । षोडशाद्यःपणान्दाप्योद्वितीयोमध्यमंदमम् २२९ ॥

ए०-कुड्यनाम भीत दीवार आदि जो पराईहो तिसका द्रोहकरके मुग्दर मो- गरी आदि किसीप्रहार वस्तुसे जो कोई अभिघात करै ठोंके पीटै तिसपर पांच पण का दंड दिलाना योग्यहै तथैव जो उसभीतको (छेदन) करै तोड़े फोड़े तिसपर दस

पण दंड दिलायाजाय तथैव जो उसभीतको(भेदन)करै किंतु चीरिफाड़ि भिन्नभिन्नसी करिदे जिस्से द्विपद चतुष्पद आदि किसीजीवके घुसिजाने योग्य राहसी होजाय या होजानीसंभवहो इसअपराधमध्ये बीसपणका दंडहोय और जो निपट किसी भीतका अवपातनकरै ढहावैकिन्तु गिराइदेवै तिसपर ये सबतीनोंदंड इकट्ठे मिलकर ३५ पण का दंड लियाजानेके सिवाय उसदीवार के बनाने योग्यहानिभी दीवारके अधिकारी स्वामी आदि को दिलाई जाय जितने खर्चसे बन सकती समभीजाय २२८ पराये घरमें काँटे आदिकोई वस्तु जो दुखदेनेवालीहो कोई फेंकै यद्वा ऐसी वस्तुफेंकै जो जीवों के प्राणहरनेवाली हो जैसे सर्प बीछी आदि या विषमिश्रित अन्नदानाआदि फेंकै जिसे कबूतर आदि पक्षी या पशु जीवखाकरमरसक्तेहों यद्वाघात कृत्याआदि फेंकै जिस्से प्राणहानि होनीसंभवहो तो इनदोनों में से पहिलाअपराधी सिर्फ काँटे आदि दुखदायीचीज फेंकनेवाला सोरहपणका दंडपावै और दूसरा प्राणघातिक चीजफेंकनेवाला मध्यमसाहसदंड ५४० पणतक २२६ ॥

(पशुपक्ष्यादिजीवानाममिद्रोहदंडः)

दुःखेचशोणितोत्पादेशाखांगच्छेदनेतथा । दंडःक्षुद्रपशूनांतुद्विपणप्रभृतिःक्रमात् २३०

लिंगस्यछेदनेमृत्यौमध्यमोमूल्यमेवच । महापशूनामतेपुस्थानेपुद्विगुणोदमः २३१

ए०—क्षुद्रजाती पशुओंको दुखदेने या शोणित काढिदेने या शाखा यद्वा अंग छेदनकरनेमें क्रमसे दोपण आदि दंडबद्धिजानौ-अर्थात्-भेड बकरी हिरन आदि छोटी जातिके पशुओंको जोकोई पीटापाटी आदि किसीप्रकारसे दुखदेवे तिसपर दोपण दंड सिर्फ एकपशुको दुःखहोनेमध्ये जानौ.जिसने ऐसीभाँतिसे दुखदीन्हाहो कि जिस्से रक्तभी बहिचलै तिसपर चारपणकादंड सिर्फ एकपशुकेमध्ये जानौ. जिसने हाथपावँ आदि कोई अंग तोड़दियाहो तिसपर सोरहपणका दंडचाहिये २३० उन्हीं छोटे पशुओंका जो(लिंग)देह छेदनकियाहो या उसपशुकी मृत्युभी होजाय तो फिर मध्यम साहस दंड राजमें और पशुकामूल्य उसकेस्वामी को दिलायाजाय—गाय भेंस घोड़ा ऊँट हाथी आदि बड़ेपशुओंके पूर्वोक्त स्थानों तथा अंगोंमें उसभाँतिके अपराधकरने मध्ये उनसे दूने दंडजानौ जो जो छोटेपशुओंके अपराधमें कहचुके . और निपट मारणकरनेमध्ये मध्यम साहसके स्थान उत्तम साहसदंडजानौ तद्वत् मूल्य जैसा पशुहो तैसा लोकसिद्ध नियमोंसे दिलवायाजाय २३१ ॥

अधि०—पशुओंकीअपेक्षा दंडभेद के निमित्त करके विष्णुने अरण्य ग्राम्यलक्षणसे दोभेद नियत किये हैं तिसका व्यौराभी अग्रेक्त वचनोंसे स्पष्टजाना जायगा-यथाह विष्णुः(सर्वे पुरुषपीडाकराः समुत्थानव्ययंदाप्याः ग्राम्यपशुपीडाकराश्च-ग्राम्यपशु

घाती कार्षापण शतदंड्यः पशुस्वामिने तु तन्मूल्यं दद्यात्-पशूनां पुंस्त्वोपघाती तु कार्षापण शतदद्यात्-गजाश्वोष्टृगोघाती त्वेककरपादः कार्यो विमांसविक्रयी ग्रामपशुघाती च कार्षापण शतदंड्यः पशुस्वामिने च तन्मूल्यं दद्यात्-अरण्यपशुघाती पंचाशत्कार्षापणान् पक्षिघाती मत्स्यघाती च दशकार्षापणान् कीटोपघाती कार्षापणं) अर्थात्-विष्णु कहते हैं कि सब अपराधी लोग जो जो किसी मनुष्य जाति मात्रको कुछ पीड़ा पैदा करें यद्वा ग्राम्यपशुओंको कुछ पीड़ा देयँ समुत्थान व्ययदिलवाने योग्य हैं अर्थात् जितने दिन में जितने द्रव्यका व्यय करने से वह मनुष्य यद्वा ग्राम्यपशु अच्छा होकर अपने काम धंधे कर सकने योग्य हो सकना संभव हो तितना द्रव्य उसके उठनेके निमित्तमें अपराधी से दिलाया जाय इसके उपरांत राजदंडभी कि थोड़ी घनी पीड़ाके अनुसार लिया जाय- जिसने किसी ग्रामवासी पशुको निपटघात किया हो तो उस ग्राम्य एक पशुके मर जानेके अपराध मध्ये एक सौ कार्षापण दंड लिया जाय और उस पशुका मूल्य उसके स्वामी को दिलाया जाय, जिसने पशुओंका पुंसत्व विनाश किया हो तिसपर भी सौ पणका दंड लिया जाय, पशुपुंसत्वका विनाश एक वह भी यद्यपि होता है कि वृषभकी बधिया करना आदि परंच यहां प्रयोजन इतना है कि जब कोई द्रोहभावसे या अपनी खोंटी प्रकृति से पराये पशुओंको इसभांति मारै पीटै जिस्से संतान पैदा होनेवाली शक्ति उनकी मिटि जाय चाहे योनि से या लिंगसे कुछ इसका नियम नहीं है परजैसा नर मादीनदेही पशुहो तैसा नियम समझना-ग्राम्यपशुओंमें विशेषकर जो कोई हाथी घोड़ा ऊँट गऊ बैल इनका घात करै तिसका एक हाथ एक पाँव काट लिया जाय और जो खोंटा किंतु अभक्ष्य मांस वेचै या जो कोई ग्रामपशुको मार डालै ये सब सौ सौ पणका दंड दिलाये जायँ और उस पशुका मूल्य भी पशुस्वामीको-अरण्य पशुको घात करनेवाला पंचाश कार्षापण दंड देवै और उस पशुका मूल्य भी पशुस्वामीको दिलाया जाय यह सर्वत्र समझना एवं पक्षीघात करनेवाला और मत्स्यघात करनेवाला भी दशपणका दंड देवै (यहां मत्स्यका उपलक्षण सब जलजीवोंमें समझना) एवं कीटजाती जीवोंका अपघात करनेवाला सिर्फ एक पणका दंड देवै यह सब दंड केवल एक एक जीवके उपघात मध्ये कहे गये किंतु अनेक जीवोंका उपघात होनेमें उस हिसाबसे ही लिया जाय (यहां कीटजाती कहनेसे गिलहरी नकुल आदि अनेक जीव समझने) (इस व्यवस्था में जहां जहां कार्षापण संज्ञा लिखी गई हो तिसको भी पण संज्ञाके स्थानी भूत समझना सिर्फ नाम का ही भेद है) इस अधिकोक्ति का सब लेख जो कुछ यहां तक दर्शाया गया विष्णुस्मृतिके अनुसार है-अथ कुछ कात्यायनजीका कथन यहां दर्शाते हैं-यथाह कात्यायनः (द्विपणो द्वादशपणो वधेतु मृगपक्षिणासु । सर्पमार्जारनकुलशूकरश्ववधेनृणाम् ॥ गोकुमारीदेवपशुमुञ्जाणं वृषभंतथा । वाहयन्नाहसंपूर्वप्राप्तुयादुत्तमं वधे) अर्थात्-कात्य

यन कहते हैं कि बनके पैदाहुये मृगों और सामान्य पक्षियों यद्वा सांप बिलाईनेवर शूकर श्वानइनको सामान्य ताड़न रूप वधकरने के अपराधमें मनुष्योंको दो पणका दंड करना योग्यहै परंच जो प्राणांतिकही वध कियाहो तो प्रत्येक जीव पीछे बारह पणका दंड जानो-जिन जीवोंके अपराध मध्येदंड यहां दर्शाये गये तिनका आशय यह कि या तो येही जीव किसीके पाले बांधेहों तब तो राजदंड के सिवाय मरेजीव का मूल्यभी पालयिताको दिलायाजाय यद्वा ऐसे जीवमारेहों जिनका माराजाना उसी भूमि के अधिकारी और बाशिंदोंको अनिष्ट हो तो भी केवल राज उसवधकर्त्तासे लेलियाजाय-गऊ-कारीकन्या-देवनिमित्त छोड़ा या देवनिमित्त पालाहुआ कोईपशु-उक्षानाम वीजार जो गौओंके वीजदान अर्थ कोई वृषभ किसीने छोड़ा या पालाहो-इन्हें जो कोई पुरुष वाहै तो वह सिर्फवाहन करते हुये वाहनकर्मके अपराधमध्ये पर्वसाहसनाम २५० पणसे दंडनीयहै और जो वाहन करने के प्रभाव से इनचारों मेंसे किसीका भी वधहोजाय यद्वा वाहन करने विनाभी इनचारों मेंसे किसी प्राणीकावध अन्यप्रकार सेहीकरै तोवह उत्तमसाहस दंडपावै जिसमें धनपरिमाण पूरे एकसहस्र पणतकहै औरकियेहुये अपराधकी विशेषता किसी कुटुंबसे यदि पाईजाय तो वधदंड या सर्वस्व हरिलेना या पुरसे काढिदेना या कोईअंग छेदन करना आदि उसअपराधके अनुरूप ऐसे दंडभी होसकतेहैं धनदंडके उपरांत जिनका वर्णन आगे साहसनामक प्रकरणमें सबआवेगा-इसी पिछले वचनका यह आशयहै कि गऊको हल गाड़ी आदिमें वृषभोंके समान वाहनकरना या कुछ पीठपर सवारी आदिकरना यह प्रतिषिद्धहै-एवं कारीकन्याको कदाचित् वाहनकर्म किंतुभोगमें संयुक्तकरना एकधर्ममार्गसे प्रतिषिद्धहै सिद्धांत इसका यहकि यद्यपिकोई किसी कुमारी को भार्यात्व केहीअर्थ कहींसे डोलाआदि लोकप्रसिद्ध रीतोंद्वारा या क्रयकर्म द्वारा लायाहो या कुछदिन रखकर बालअवस्थासेही पालाहो कि अमुक अवधितक विवाहविधिसे पाणिग्रहण इसकाकरेंगे इसदशामें वहकन्या उसकीभार्या समभीजानेका संदेह शेषनहींहै तथापि जबतक शास्त्रविधिसे करपीड़न कियानजाय तबतक वाहन करना किंतुभोगमेंलगाना यह अपराध विशेषहै कि जिसकादंड २५० पणतक ऊपर कहागया कदाचित् उसी कुमारीको कुछ ऐसेदंडसे भोगे जिससे सामान्य वधकीदशा प्रवर्त्तितहो अर्थात् रक्तपात आदि उपद्रवसहित मरनेके समान यदिहोजाय तो फिर उत्तम साहसदंड सिर्फ एकसहस्र पणतक उसअपराधके अनुमार जैसा योग्यहो सो धन दंडमात्र कियाजावे अथवा जो कुछ ऐसेदंडसे वाहन कियाहो जिससे प्राणघात भी होजाय तोफिर उत्तमसाहस धनदंडके उपरांतभी वधदंड आदि जो कुछ पण्यमाण साहस प्रकरणके अनुमार उस अपराधकेही गौरवत्ताघव से तुल्यात्मक सम-

भाजाय सोहोसकताहै-यहीप्रकार चारोंमें सर्वत्र समभलेना किंतु गऊ या उक्षा या देवपशुभी गाड़ी आदिमें लगाये जानेके असह्य परिश्रमको न सहकर शीघ्र मरजाय या मरनेकेहीतुल्य अचेतसे होजाय तो फिर उत्तम साहसदंड यथापराधके अनुसार सूचन कियाजाय परप्राणांतिक दंड इसमें कोई भाँति किसी दशामें भी नहीं समझना २३० । २३१ अगिले तीनमूल श्लोकोंसे वृक्षादिक तोड़ाफाड़ीमध्ये व्योरेवार दंड वर्णन होंगे २३०।२३१ ॥

( वृक्षादीनामभिद्रोहदंडः )

प्ररोहिशाखिनांशाखास्कंधसर्वविदारणे । उपजीव्यद्रुमाणांचविंशतेर्द्विगुणोदमः २३२ ॥  
चैत्यश्मशानसीमासुपुरायस्थानेसुरालये । जातद्रुमाणांद्विगुणोदमोवृक्षेचविश्रुते २३३ ॥  
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौपधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृतादर्द्धदंडःस्थानेषूक्तेषुकर्त्तने २३४ ॥

ऐ०-प्ररोहवालीशाखा जिनकीहोतीहों अर्थात् जिनकी शाखाकाटि कलम लगाई जातीहो सो बटवृक्षआदि अनेकपेड़ प्ररोहिशाखी कहेजाते हैं और शाखा काटिलेने के स्थानशेष ठूँठसे अनेक शाखारूपी अंकुर फूटिआतेहों तिनको भी प्ररोहिशाखी जानो-ऐसे वृक्षोंकी शाखाओंको जो कोई तोड़े काटे या मोटागुद्दाकाटे या जड़मूलसे ही पेड़ काटिडाले या उपजीव्यवृक्षजे फलादिकसे उपजीवनदेते हों ऐसे आस्रआदि अनेक जानो तिनकी शाखाकाटिडारै या मोटागुद्दा काटे या सारावृक्ष जड़से काटिडारै तिसपर बीसपणसे दूनादंड यथा क्रमसे होनायोग्य है अर्थात् जो शाखामात्र काटे तिसपर बीसपण जो मोटागुद्दाकाटे तिसपर चालीसपण जो पूराएक वृक्षकाटे तिसपर अस्सीपण का दंड-और इनके उपरांत जो जो सामान्यवृक्ष हों किंतु प्ररोहिशाखी भी नहीं और उपजीव्यभी न हों तिनकेमध्ये दंड यथापराधके अनुसार उसीन्याय से अनुरूपित करनायोग्यहै कि जैसा जैसा लाभ या आराम जिस जिस वृक्षसे हो सकतीहो २३२ ॥ सब सामान्यवृक्षकोई जो स्थानविशेषमेंउत्पन्नहों तिनकी तोड़ाताड़नेके अपराधमध्ये दूनादंड कहते हैं कि-चैत्य-श्मशान-सीमा-पुण्यस्थान-देवालय इन में पैदाहुये वृक्षोंकी और स्वतःप्रसिद्ध नामी वृक्षोंकी शाखाआदि काटने मर्त्तव्य दूने दंडउन परिमाणों से कि जो जो २३२ मूलश्लोक में कहचुके हों-अर्थात् यह चैत्य संज्ञा अग्नि का समूहस्थान यथा पजावा आदि और भी मनुष्यों की साधारण सभा अथाई आदि स्वतःइकट्टी होती हो यद्वा जहां मनुष्यों के विश्रामलक्षण योग्य कोई स्थलहो तिनकी संज्ञा चैत्य जानो या कोई यज्ञस्थानहो या पशुओं के विश्राम योग्य वृक्षोंका संघातहो तिस स्थानको भी चैत्यजानो वल्कि चैत्यसंज्ञावद्द्वारा वडे उनवृक्षोंकीभी होतीहै कि जिनके नामरूपी चिह्नवाला पतालगाकर कोई ग्राम कोई खेत कोईमार्ग और तालाव आदि जलाशयभी विख्यात होतेहों जैसेवेरीवाली



सड़कटेढ़े नींबकामुहल्ला खोखेसेमरवाला नगरा इत्यादि बहुधाजानो और जिनवृक्षों की अत्यन्त उँचाई कई क्रोशों से दिखलाई देने के हेतु उनके निकटवर्तीग्राम या गढ़कोट मन्दिर आदि शीघ्रजाने जातेहों या जिनवृक्षों से अति निर्जन मार्गवाली योजन संख्या समुभी जातीहो या जिनवृक्षोंसे कुछ पथिक समाजको सुखबोध या विश्रामका अवलम्बमात्र मिलताहो येसब चैत्य वृक्षकहातेहैं और ऐसेवृक्षोंकीशाखा आदि काटनेवालेपर सबउक्त दण्डदूने होनेयोग्यहैं-एवं इमशान भूमिपरं जो वृक्षहों जिनसे मृतक समाजी लोगोंको विश्राम आदि कुछउपकार होताहो.एवंसीमासम्बन्धी जो जो वृक्षहों चाहे उत्तम मध्यम आदि किसीप्रकार केभीहों जिनसे भूमिभाग समु-भाजाताहो. एवं घाट तीर्थ कूप आदि किसी पुनीत स्थानोंमें जो वृक्षहों या देवालय मन्दिर आदि के समीपहों या जो वृक्ष अपने प्राचीनत्व आदि किसीहेतुसे विख्यात चाहे कहींहों तिनकी शाखा आदि काटनेवालेपर पूर्वोक्त दण्डोंसे दूनेदण्ड लियेजायँ २३३ ॥ परञ्च, गुल्म, गुच्छ, क्षुप, लता, प्रतान, औषध, वीरुध् इनको शाखाआदि उक्त स्थानों में काटनेवालेपर पूर्वोक्त दण्डों से आधे दण्ड लेनेयोग्य हैं-अर्थात् यहाँ गुल्मसंज्ञा उनवृक्षोंकी कि जिनमें गुद्देनिपटनहों किंतुएकही सूधास्तंब गोलाहोताहो यथा खजूर आदि और गुल्मसंज्ञा उनकीभी कि जो जो वृक्ष मालती आदि लतायें सामान्य गोलाकार भुण्डभाड़ीसी बाँधतेहों गुच्छसंज्ञा उनपेड़ोंकी कि जिनकाथोड़ा ही स्तम्बउँचा होनेपाकर उसकी लतायें बहुत मिलकर एकगुच्छेके आकार सबहो-जातीहों जैसा भुण्डमल्लिका तथा कुरण्टक आदि जानो. क्षुपसंज्ञा छोटे उनपेड़ोंकी कि जिनमें नतौवेलिहो न कोई उसमें काष्ठके स्तंबहों सूधी सरलप्राय शाखाओंकी बहुताइतहो यथा कनेर आदि. लतासंज्ञा उनकी है जो प्रायःवेलिरूपसे प्रसिद्धहैं प्रतानसंज्ञा उनवृक्षों और बल्लियोंकी भी जिनका अतिशय विस्तार तनाव ~~के~~ रूपसे विख्यात होताहो. औषध संज्ञा उनकीहै कि जिनमें फलउत्पन्न होनेवाले ~~के~~ सहित वृक्षोंका अन्तभी होजाताहो

वैषामुपभोगोयथायथा । तथातथादमःकार्योहिंसायामितिधारणा ) अर्थात्-सभी वन-  
 स्पति मात्रमें जिस जिसका जैसा जैसा भोग या जैसी उनसे कार्यकी साधकतालोक  
 प्रसिद्धहो कि अमुक वृक्षसे बहुत अथवा थोड़ाकाम निकलताहै तैसा तैसा उत्तम  
 मध्यम दण्डभी प्रत्येक वृक्षोंकी थोड़ी बहुत हिंसाहोने में उस हिंसक अपराधी पर  
 कर्तव्यहै यह मार्गजानो-इसमें वनस्पति शब्द सामान्य जातिवाचक अङ्गीकार किया  
 जानेसे वृक्षादिक सबस्थावर जो जो उद्भिद्नाम धरतीको उद्भेदन करिके पैदाहोतेहों  
 समुभ्जेजातेहैं-आशय इसका यहकि वनस्पति संज्ञा यद्यपिविशेषकर उनबड़ेबड़े वृक्षों  
 की होतीहै कि जिनमें पुष्पोंविनाही फलहोतेहों जैसे बटपीपर गूलर आदि वनकेपति  
 कहलातेहैं तथापि यहाँ जगतिवाचकत्व अङ्गीकार करना उस नियमसे आवश्यकहै  
 कि जैसे अठारहभार वनस्पति सर्वसाधारण मिलकर मानीजातीहैं (दृष्टान्त) जैसेएक  
 पत्ता इमिलीका और एक आक एकठाक एक आँव एक केलेका और चना एकमटर  
 एकदूर्वा आदि घासोंका इत्यादि धरतीमात्र पर जो घासफूस आदि कुछभी होताहो  
 सबका एकएक पत्तालेकर एकत्र समूहराशि उनकी करनेसे अठारहभार तोलभरि  
 होजातेहैं और एकभारका परिमाण यहाँ दोसहस्रपलका समुभिलेना(पलानाद्विसह-  
 स्रन्तुभारमेकम्प्रकीर्तितम्) यह प्रासङ्गिक चर्चाजानो इसीचर्चाके अनुसार मनुके  
 वाक्यमें वनस्पति शब्द यहाँ उद्भिद्मात्रका संबोधक है और उसमें पाँचभेद हुआ  
 करते हैं यथा. तृण १ वृक्ष २ गुल्म ३ लता ४ वल्ली ५-इनका जैसा जैसा भोगप्रसिद्ध  
 हो इस कथनका यह आशयथा कि आँवआदि जिनवृक्षोंके फलभोगेजातेहों तिनकी  
 हिंसाकरनेवालेको अधिकदंड दियाजाय-चंपकआदि जिनवृक्षोंकेफल कामआतेहों  
 तिनकी हिंसावालेको कुछ न्यूनदंड दियाजाय. पान तमाकू आदि जिनके पत्ते भोगे  
 जातेहों तिनमें फूलोंसेभी कुछन्यूनदंड इत्यादि अपनीबुद्धिसे सर्वत्र ऊहाकरनी-इसी  
 मनुके कथनका-स्पष्टविवरण विष्णुने दर्शायाहै-यथा (फलोपभोगद्रुमच्छेदीतूत्तमसाह  
 सं पुष्पोपभोगच्छेदीमध्यमसाहसं वल्लीगुल्मलताच्छेदीकार्षापणशतंतृणच्छेद्येककार्षा  
 पणं सर्वतत्स्वामिनांतदुत्पत्तिचदद्युः)इतिसप्तसप्ततितमःपरिच्छेदः२३२।२३३।२३४  
 दंडपारुष्यका यहप्रकरणपूरा यहाँतकहोचुकाहैपर इसमेंकिंचित् साहसरूपकमोंकाभी  
 लक्षणसमुभ्जाजानेकेनिमित्त इसमें अगिलासाहसनामक प्रकरण इसकेसाथविचारो ॥

इति दण्डपारुष्यविवादप्रकरणं ॥

मारपिटार्इआदि रक्तपात प्राणहानिपर्यंत डंडावाजीका यहप्रकरण एक इसी मत-

हत्तरि संख्याके परिच्छेदमे समाप्तहुआ ॥

अथसाहसस्वविवादपदविशेषस्यविवेकनिदर्शनोनामअष्टसप्ततितमःपरिच्छेदः७=॥  
 इसअठहत्तरि संख्याके परिच्छेदमें साहसकर्मोंके करनेवाले साहसिक आतताय

डाकू, बटमार, लुटेरे, लेभाग, नरघाती आदि अनेकखल समुदायोंके कुकर्म लक्षण और सामान्यभाव दंड वर्णनहोंगे-किंतु-छोटे बड़े विशेष लक्षणवाले पापकर्मों के दंडइसके आगे सभीप्रकारसे उनहत्तरि आदिकई परिच्छेदोंमें सर्वत्रनिज निजस्थलके अनुरूप नामोंसहित वर्णनहोंगे और कुछपहलेभी होचुकेहैं सब इसकीछाया रूपजानो-क्योंकि इसीसाहस प्रकरणके अनुगामी छेसातक और प्रकरण हैं अर्थात् द्यूतप्रकरण १ वाक्पारुष्य २ दंडपारुष्य ३ यहतीनों पहिलेवर्णनहुये सोभीइसके अनुगामी हैं और आगेचौर्य ४ पारदारिक ५ विक्रीया संप्रदान ६ यहतीनों वर्णनहोंगे वेभी साहसके अनुगामीहैं इनसबको साथलेकर साहसआपभी प्रकीर्णक नामएक सबसोपिछलेप्रकरणके आधीनहै कि(जिसमें राजाश्रय व्यवहारोंका विस्तारविशेषवर्णनहोगा )इनसब के अंतर्भूत जो संभूय समुत्थानक नामएक प्रकरण आगे आवैगा वहयद्यपि फौजदारीसे संबन्ध नहींरखता था तथापि राजशुल्क राजभाग आदि हरनेके हेतुसेवह प्रकरणभी प्रकीर्ण प्रकरणके आधीनजानो क्योंकि राजधनका हरनाभी प्रत्यक्ष एक साहसहै-किन्तु साहसके अनेकरूप होतेहैं (साहस अर्थात् सींगह फौजदारीआम ) जो द्यूतप्रकरणसेलेकर व्यवहाराध्याय की समाप्ति पर्यंत सात आठ प्रकरणों में विस्तरित है ॥

अन्यत्रोक्त पापकारियोंकी अपेक्षा यह अत्रोक्त वक्ष्यमाण लक्षणवाला साहसकर्ता पुरुषअधिकतर पापात्माहोता है-यथाहमनुः (वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैवदंडेनैवचाहिंसतः । साहसस्यनरःकर्ताविज्ञेयःपापकृत्तमः)अर्थात्-एकतौवहपापीजो वाग्दुष्टहो किन्तुवाक् पारुष्य करनेवालाहो दूसराचोर पापीहोताहै तीसरा दंडपारुष्यके अपराधोंसे संयुक्त जो डंडाबाजी करके पीड़ादेताहो इनतीनोंकी अपेक्षा साहसकारी पुरुष अधिकतर पापात्मा महापराधी जानो-नानाभांति साहसकर्मोंका यहप्रकरण जोदर्शाते हैं इसहेतु साहसनामका भावार्थ भी समुभूना पहिलेयोग्यहै कि ( सहस् ) बलकानामहै तिसके प्रभावसे जोक्रूर कर्मकिया जाय अर्थात् प्रबलता जवरदस्तीसे कुछवस्तु छीनीजाय या कुछ और कुकर्म कियाजाय सोसबसाहस नामहोताहै यतः(सहोवलंतद्रवंसाहसं) यहउसकी सिर्फनामकी निरुक्तिहै और लक्षण बहुधाभांतिसे दर्शायेजायेंगे इसहेतु उसकाभाषामें मुख्यात्मक एकनाम कोई होसकना यद्यपि तथापिउसका रूपसमुभा जानेके निमित्तमें डकैती लटिमारु आदिनामोंको साहसके स्थान समभूने-अस्यस्वरूपमाहनारदः(सहसाक्रियतेकर्मयत्किञ्चदलदर्पितैः । तत्साहसमितिप्राक्तंसहोवलामि-होच्यते)अर्थात्-नारदउसके रूपकायार्थ व्यौराकहते हैं किजोकुछकर्म बलदर्पित मानुषजातियों करके सहसाकियाजाताहै वहकर्म साहसनामसे विख्यातहोताहै क्यों-कि यहां सहस्बलको कहतेहैं-सहसाकरना यहाकि अपने बलकेदर्पसेही विनाविचारके

अविवेक सहित आगेपीछेका शुभाशुभ सोचकियेविना जो करिडारै सोईसहसाकिया कहाताहै और इसीसेउस कामका साहसनाम रक्खागया-अस्यैवविवरणकेनाप्युक्त- यथा (राजदंडजनाक्रोशंचोल्लंघ्यजनसमक्षं यत्किञ्चिद्वरणमारणपरदारप्रकर्षणादिकं क्रियतेतत्सर्वसाहसं) अर्थात्-किसी और ने भी इसीसाहसकारूप इस निर्मलता से दर्शायाहैकि-राजदंडके भयशोचको भी छोड़िकर मनुष्योंका चिल्लानाआदि आक्रोशकोभी गिनतीमें नलाकर उलांघिकरअनेकोंके समक्ष किसीवस्तुका हरलेना या मारना या परस्त्रीको पकरना वा खेंचना या रखिलेना आदिजो कुछकामदुर्जनतासाथ कियाजाय सोसबसाहस कर्महोताहै और यही डकैतीका सबरूपहै-मनुस्तुविशेषयति (स्यात्साहसंत्वन्वयवत्प्रसभं कर्मयत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापहनूयते च यत्) अर्थात्-अन्वयवत् धनीआदि किन्हींमनुष्योंके सन्मुख(प्रसभ )नाम जबरदस्तीसे जोकाम धनधान्यका हरनाआदि कियाहो सोतौ साहसजाना और जो निरन्वय किन्तुधनी आदि मनुष्योंके परोक्षमें छिपकर धनहरना आदि कोई खोंटाकामकियाहो सो स्तेय नाम चोरीहुआकरती है अर्थात् उसको साहसमतसमुभो और वहभी चोरीहोती है कि जोकुछवस्तु हरणकरिकै फिर इन्कारकरै कि मैंने नहींहरी ( सो ) इस भेदवाली चर्चासे सिद्धान्त यहाँ यह कि जिसवस्तुके चुरानेमध्ये चोरीका जोदंड नियतहो तिस से अधिकदंड उसीवस्तुको साहसद्वारा हरनेवालेपर कर्तव्यहोगा क्योंकि साहसकर्म चोरीसे अनेकगुणातीव्र है(याज्ञवल्क्यभी २३५ मूलश्लोक पूर्वार्धसे यहलक्षण प्रकट करैंगे ) बृहस्पतिजीने वे स्थानभी दर्शाये हैं कि जहाँ जहाँसाहसका निवासहुआकरताहो-यथा(मनुष्यमारणंचौर्यंपरदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयंचेतिसाहसंस्याच्चतुर्विधम्) अर्थात्-मनुष्यका मारडारना १ चोरी जो प्रत्यक्ष ऊपर वर्णन हुये के अनुसार मनुष्योंके समक्षबल के दर्पद्वारा हुईहो २ पराई स्त्रीका अभिमर्शन किन्तु पकडना वा खेंचनाआदि अनेक भांतिजानो पर जो सिर्फ प्रबलतासेही कियाजाय ३ दोनोंभांति के पारुष्य किन्तु वाक्पारुष्य तथा दंडपारुष्य ४ ये दोनोंभी उसदशा में समुभनं जहां प्रबलतासे प्रत्यक्ष कियेजायँ यहीचार भांतिका साहस कर्म होताहै अर्थात्इन्हीं चारों स्थानोंमें साहस कर्म निवास करताहै परजब येही चारोंकर्म प्रबलतासे न हों किन्तु लुकिछिपि कियेजायँ तब जुदे जुदे निज नामोंसे विख्यात रहते हैं कि जो जो जिसका नाम है और उनके दंड काभी निर्णय ठेठ निज निज प्रकरण के अनुसार कियाजाता है-किसी ने-ग्रंथांतर मतसे इसके पांचप्रकार किये हैं-यथा ( मनुष्यमारणंस्तेयंपरदाराभिमर्शनं । पारुष्यमनृतंचैवमाहसंपंचधास्मृतं ) इसमें एकपांचवां अनृतभाषण अधिकहै सो ऐसी दशामें बृहसाहस की पदवीपरआरूढ़ हुआ समुभना योग्यहै कि जहां कहीं सत्यसंभाषण के निमित्तसेही शपथआदि कोई दिव्या-

चरण करनेपरभी अनृत बोलै जैसी (अलफ़दरोगी) लोक प्रसिद्धहै तौ वहभी एक साहस काहीरूपजानो यह सिद्धांतहै तथापि सिर्फ़ चारस्थान जोबृहस्पतिजीनेनियत किये तिनको मुख्यजानो-और-उन्हींचार या पांचोंकीअपेक्षा लेकर नारद सबकेतीन भेद नियतकरतेहैं-यथा(तत्पुनस्त्रिविधंज्ञेयंप्रथमंमध्यमंतथा । उत्तमंचेतिशास्त्रेषुतस्यो क्तंलक्षणंपृथक् ॥ फलमूलोदकादीनांक्षेत्रोपकरणस्यच । भंगाक्षेपोऽपमर्दाद्यैःप्रथमंसाह संस्मृतम् ॥ वासःपश्वन्नपानानांगृहोपकरणस्यच । एतेनैवप्रकारेणमध्यमंसाहसंस्मृतम् ॥ व्यापादोविषशस्त्राद्यैःपरदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधियच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् )- अर्थात्-वहसाहसभी लघुदीर्घआदि होनेके हेतु तीन विधकाजानो किंतु प्रथममध्यम उत्तम यह सब शास्त्रोंमें त्रैविध्यउसका कहाहै सो जुदे जुदे लक्षणदेखो-फल मूलजल कोआदि बहुधा चीजों या खेतके उपकरणों का ( भंग) नाम विध्वंस करनाकिंतु सिर्फ़ तोड़ फोड़ आदि विगाड़ करना जैसा दंडपारुष्यवाले प्रकरणमें उपद्रव करनावर्णन होचुका है और ( आक्षेप) किंतु बाणीकरके तिरस्कारकरना जैसा वाक्पारुष्यवाले प्रकरणमें कहिचुके हैं और (अपमर्द) करनाकिंतु वस्तुका मूलरूपशेषवनारखकरउस का दलन मलन आदि करना या लेभागना अन्यमनुष्योंके उपस्थित होतेहुये और भी इसभांतिकी छोटीबातें अनेकसमुभिलेनी इनकेकरनेसेप्रथमसाहस कियाकहाता है-इसीप्रकार वस्त्रपशु अन्नपान खानीपीनी चीजें और घरमें रहनेवाले उपकरणबा-सन भँड़वा आदि या दीवारमकान आदि इनका तोड़ फोड़ प्रबलता साथकरनाया लेभागना अन्य मनुष्योंके मौजूद होतेहुये तौ यहमध्यमसाहस कियाकहाताहै और इसीप्रकार वाली अन्यबातेंभी सबइसके साथसमुभनी जहांकहीं विषशस्त्रादि किसी भांतिसे मनुष्यका व्यापादन प्राणघात कियागयाहो यापराईदाराका अभिमर्शन जो प्रबलता साथकियागयाहो अथवा और कोई बात जो इसभांति में गिनतीहो प्राणों की उपरोध करनेवाली हो जैसे अग्निदाहदेकर किसी मकानके भीतरबंदकरना या जलवायु आदि पहुंचने नहींदेना इत्यादिक जिसमें प्राणवियोगवाला कोईकर्महो सो सबसमुभिलेना यहसब उत्तमसाहस किया कहाता है(अत्रसाहसस्यसामान्यदंडनियमः ) तदप्याहनारदः(तस्यदंडःक्रियापेक्षःप्रथमस्यशतावरः।मध्यमस्यतुशास्त्रज्ञैर्दृष्टःपंचश- तावरः ॥ उत्तमेसाहसेदंडःसहस्रावरइष्यते । वधःसर्वस्वहरणंपुरान्निर्वासनांकने ॥ तदं गच्छेदइत्युक्तोदंडउत्तमसाहसः)अर्थात्-उसकादण्ड क्रियाओंकी अपेक्षासेही कर्त्तापावे दृष्टांत जैसे प्रथमसाहस अपराध मध्ये सौपणके भीतर एकपण सेलेकर सौ पणतक दंडउतना राजा कल्पितकरे कि जितना कुछअपराध समुभै तिसके तुल्यहो. और मध्यमसाहस कर्मके अपराधमध्ये पांचसौतकदंड शास्त्रज्ञोंने इसभांति नियमितकिया है कि जैसा कुछअपराध समुभै तैसा सौपणसेलेकर पांचसौतक दंडकल्पित करे

एवं उत्तम साहस कर्मके अपराधमध्ये पांचसौ से लेकर एक सहस्र भीतरइच्छा के अनुसार उसअपराध केही तुल्यदंडकल्पित करै कि जितना कुछअपराध उस्से हुआ हो-परन्तु जहांउत्तम साहस कर्म अतिशयतीव्र हुआहो तबअग्रोक्त दण्डभीहोसके हैं कि यातौ उसअपराधी का बध कियाजाय या सर्वस्वहार दंडहोय या देशांतरद्वीप विशेषआदि बिकटस्थान का परवास करायाजाय या केवल देशनिकालामात्रहो या मस्तक आदिअंगमें अंकवायाजाय या अंकवाना देशनिकाला सहितदोनोंदंड या वह अंगच्छेदनकरवायाजायजिसके द्वारा अपराधी ने अपराधकियाहो ये सबदण्ड इकट्ठे या दोही एक तीव्रउत्तमसाहसके अपराधमध्येकहेहैं परउसमेंभी न्यनाधिकजैसीदशा समुभीजाय कि इतनातीव्र उत्तमसाहस कर्महुआ तिसके अनुसारये सबदंडइकट्ठेया दोही एकजुदेकियेजायँ-सर्वस्वहार दंडका जो चर्चायहांतीव्र उत्तमसाहसके अपराधों मध्येआया यद्वा उत्तमचोरी आदि अन्य कुकर्मों में भी आवैगा या पहिलेकहीं आया हो तहांतहां सर्वत्रएकछूट नारदकहते हैं सो यादरखो-यथा ( आयुधानायुधीयानां बीजानिकृषिजीविनाम् । यच्चयस्योपकरणेनजीवंतिजीविकाम् ॥ सर्वस्वहरणेप्येनं नराजाहर्तुमर्हति ) अर्थात्-नारदकहते हैं कि जिसके बहुत बड़ेअपराधों मध्ये सर्व धनहरिलेनादंड राजादेवै तबयह छूटभी कर्तव्यहोगी किंतु सिपाही आदि आयुधी लोग जोजो सिर्फ आयुधमात्र से आजीवन करतेहों तिनके आयुध छोड़िदेवै-एवं कृषिजीवीलोग जोजो खेतीआदिसे आजीवन करतेहों तिनके बीजभूत द्रव्योंको अर्थात् कृषिकर्मोंके साधनयोग्य कारणभूत हलादिक उपकरणोंको नखीनै जिनके होने बिना खेतीका अवरोध होना संभवहो-एवं जिस जिस पेशेवालेके विशेषकर मुख्यात्मक जो उपकरण होतेहों जिनसे वेसब जीवनका उद्योग करिकर जीतेहैं दृष्टांतसे नापितकी छुड़हरी किसवत यह मुख्यात्मकहै इत्यादि सबको समुभिलेना इन उपकरणोंको सर्वस्व हरेजाने परभी राजाहरने योग्यनहीं-और उपरांत इसके जो जो पाल्यवर्ग उसकेद्वारा जीवनपातेहों तिनके जीवनका प्रबंधराजा उसहीके सर्वस्व मेंदेवै यह मर्यादाहै-इतना कहनेपीछे वेहीनारद कहते हैं कि-येही साहसकर्म कदाचित् ब्राह्मणसे उत्पन्नहों तब धन दंडआदि अन्यदंड करनेके सिवाय उसको देहदंडनहीं-यथाह (अविशेषेणसर्वेषामेषदंडविधिःस्मृतः। वधादृतेब्राह्मणस्यनवधेब्राह्मणोऽर्हति ) अर्थात्-यह जो अंगच्छेदन आदि दंडविधान वर्णनहुआ सो सबजातोंको सामान्य कहातिसमें बधसे रहित ब्राह्मणको समुभना किंतु ब्राह्मणबध बंधरूप देहदंड योग्य नहीं एवंयमोऽप्याह(नशारीरोब्राह्मणस्यदंडोभवतिकस्यचित्। गुप्तेतुबंधनेवध्वाराजानं कं प्रदापयेत् ) अर्थात्-किसीभी ब्राह्मणको शारीर दंडनहींहोता परअपराधकेमहत्त्वमें उस ब्राह्मणको भी गुप्तबंधनागारमें रखवाकर भोजनमात्र राजा अच्छी रीतिसे पढ़ै-



चावैयहीदंडहै-नारदेनचदंडांतरमुक्तं-यथा(शिरसोमुंडनंदंडस्तस्यनिर्वासनंपुरात्।ललाटेचाभिशस्तांकःप्रयाणंगर्दभेनच ) अर्थात्-नारदने कुछ अन्यदंड भी दर्शाये हैं कि ब्राह्मणको बहुतबड़े अपराध में भी यातौशिर मुड़वायाजाना एकदंडहै याराज्य बाहर काढिदेनादंड जहां औरभी अपराधकी अधिकताहो तहांमाथेपर कुछचिह्न उसके दगवावै यद्वागदहाकी सवारी देकर नगरयात्रा करवावै पर शारीरक दंडनहीं- ये सब दंड जोकुछ यहांपर दर्शायेगये ब्राह्मणको उसअवसर में संसूचित हैं किजहां उसका बधहोना पायागयाहो-तथाचमनुः ( ब्राह्मणस्यवधोमौण्ड्यपुरान्निर्वासनांकने । ललाटे चाभिशस्तांकंप्रयाणंगर्दभेनतु)अर्थात्-ब्राह्मणका बधयहीहैकि उसका मूड़मुड़ाना या पुरसे काढिदेना या माथेपर कुछदाग चिह्नदेना या गर्दभयान कराकर यात्राकरवानी यहाँतक-सामान्यभाव जोजो दंडप्रकार ऊपरसे कहतेआये सो सबडाका आदि शस्त्र घातयुक्त अपराधोंवाले साहसका व्यवहारहै अर्थात् जहां उठाईगीरे आदि किसी का कुछधन अपहरण करें यद्यपि अन्यमनुष्यों के सन्मुख लेभागने आदि चिह्नों से वहभी एक चौर्यरूप साहसहै तथापि जबतक किसी मनुष्यपर कुछचोट लगानेबिना वस्तुको लेभागें तबतक अत्रोक्त दंडप्रकारों से संबंध उनको नहीं पहुँचता इससे उन तुच्छात्मक धनापहारों का विशेष लक्षणवालादंड आगे याज्ञवल्क्य २३५ मूल श्लोकसे दर्शावेंगे ॥

( अथद्रव्यापहाररूपसाहसलक्षणम् )

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहसंस्मृतम् । तन्मूल्याद्विगुणोदंडोनिह्नवेतुचतुर्गुणः २३५ ॥

ऐ०-सामान्य कहिये चाहे तिसका या कोईसा धनहो तिसका प्रसभहरण करना साहस कहाहै ( यहसाहसका लक्षणमात्र प्रकटकिया ) मिताक्षराकारने इस अद्धा का यह अर्थ लिखाहै कि सामान्य कहिये साभेका जो द्रव्यहो जिसको सिर्फ अपनी इच्छासे एकला कोई एकसाभी विक्रयकरने या गिरवीधरने आदि वियोगरूप विनियोगोंमें लगानेका अधिकारी निपट न होतेहुये प्रबलतासाथ ऐसाकरे या उसद्रव्य को औरही किसीभांति से प्राबल्य करिके हरे तो भी साहस कर्मका अपराधी होय और परायाद्रव्य प्रबलतासाथ हरनेसे प्रत्यक्षहै कि साहसका अपराधी होताहै जो बलसे घेर धारकरिकेहरै-इसीअद्धाका अर्थ श्रीमन्मित्रमिश्रने-यहलिखाहै कि सामान्य कहिये बहुत मनुष्योंने जोचौकीपहरेके ढंगसे नौकरी बदलानेहुये कालक्रमसे रक्षित कियाहो ऐसे धनका हरना साहस कहलाता है-सो इस अर्थ से यह दूषणभी उत्पन्न होता है कि जिसधनपर पहिरा लगा न हो तिसका हरना साहस न कहिलावै बल्कि मिताक्षराकार का जो अर्थ ऊपर लिखागया सोभी यहां अशोभितहै क्योंकि साभेके धनका यहां कुछ संबंध विशेष नहींहै अर्थात् याज्ञवल्क्यने जोवात यहां कहनीचाही

तिसका सूधासूधा मुख्यार्थ एक वही है कि चाहे तिसका धन हो या कैसाही कुछ कोई भांतिका धन हो सो सामान्य है और उसही के अंतर्भूत एक साभेकाभी धन स्वतः समुक्ति लिया गया इस्से उपरालू दोनों अर्थ केवल अनमेल वाग्विनोद मात्र जानो- और योगीश्वरकी विवक्षाका यह तात्पर्य है कि जहां कोई तीव्रसाहस प्राणघात आदि न हुआ हो सिर्फ कोई द्रव्यमात्र अपने ठीठापनसे या हिम्मतसे मनुष्योंके समक्ष जो ले भागै या धूर्त बनिकर छीनिलेवै तो इत्यादिक तुच्छसाहसोंके अपराधमध्ये दंड अगि ले अद्वा के अनुसार कल्पित करै सो अब कहते हैं कि—उस छीनी या ले भागी हुई वस्तु के मूल्यसेही दूना दंड दिलावै और वह वस्तु जिसकी हो तिसको दिलवाई जाय परंच निह्व होनेमें चतुर्गुण दंड जानो किंतु साहसी जो धन हरने पीछे भयभीत होकर साफ नकार खींचै कि मैंने नहीं छीना या मैं नहीं लेकर भागा था तब हरी हुई वस्तुके मूल्य से चौगुना दंड लेवै और वस्तुके अधिकारी की तद्रूपवही वस्तु या वस्तु का जो मूल्य ठहरै सो दिलवाया जाय ॥ २३५ ॥

( साहसिक प्रयोक्तां दंडाधिक्यम् )

यः साहसं कारयति सदाप्यो द्विगुणं दमम् । यश्चैव मुक्त्वाऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् २३६ ॥

एक्यार्थः—जो कोई साहस और से करवाता है कि तू अमुकामुक धनको लूटले या फूँकिदे इत्यादि कहकर करवानेवाला उससे दूना दंड दिलाया जाय जितना कर्तापर नियमानुसार निश्चित होकर लिया गया हो जो कोई यह कहकर साहस करवावै कि तू अमुकामुक साहस करना मैं तुम्हको उसके करनेका अवकाश स्थल अवसर आदि भेद और यह वेतन देनेवाला हूँ इस भांति साहस कर्ताके प्रयोक्ता पर उस दंडसे चौगुना दंड लेवै जितना कर्तापर आरूढ़ हुआ हो २३६ ॥

अधि० अज्ञातकर्तृकसाहसं निर्णयः (अज्ञातकर्तृके साहसेषु मित्रारिवांधवाः । प्रष्टव्याराज पुरुषैः सामादिभिरुपक्रमैः ॥ विज्ञेयोऽसाधुसंसर्गाच्चिह्नैर्होठिनवानरैः । एषोदिताघातकानांतस्कराणांच भावना ॥ गृहीतः शंक्यायस्तु न तत्कार्यं प्रपद्यते । शपथेनावबोद्धव्यः सर्वं वादेष्वयं विधिः ) अर्थात्—जहां साहसकर्म करनेवाला गुप्तसाहसी निपट न जाना जाय साहस किसने किया तिसको जानिपाने योग्य निर्णय यहां लिखते हैं कि ऐसी भांति तहकीकत उसकी करै कि जिसके घरमें लूटिमार प्राणघात आदि कोई साहस का उपद्रव खडा हुआ हो तिसके मित्र शत्रुबंधुलोग ये सव राजपुरुषों द्वारा वृभेजायँ वलि उसकेभी ये लोग वृभने योग्य हैं कि जिसके ऊपर वही मुद्दई कल्पित शंकासी आरोपित करता हो कि अमुक मनुष्यने यह काम किया होगा क्योंकि मैं अमुकामुक हेतुमें अनुमान या विश्वास करता हूँ या मैंने उसे भागते समय ऐसे डीलडौल और वस्त्रादि वेश चिह्नोंसे पहिंचाना था—सो अत्रोक्त लोगोंके वृभने मध्ये राजपुरुष थानेदार आदि

को सामादि प्रयत्नभी कर्तव्यहैं इसहेतुसे कि ऐसे साहस कर्मोंकी तहकीकातमेंबहुधा लोग यथार्थ कहनेसे हिचकते हैं इस हेतु सामदान दंडभेद इनकाभी बर्तावा यथा-क्रमसे करतेहुये ऐसी युक्तिसे सब निर्णय करवावैं जिस्से जो कुछउन्हें यथार्थ मालूम हो सो कहिदेने को वे हिचकें नहीं-और भी इसभांति निर्णय कर्तव्यहै कि वहपुरुष जिसपर साहस करनेकी शंकासमुभी गईहो या उसभांति के अनेकदुर्जीवी घातिक आदि प्रासिद्ध जो जो निर्णय के अर्थ पकड़े जायँ तिनमें मुख्यसाहसीकी पहिंचानि इतनी बातोंसे करावै किंतु (असाधु) आदि दुष्टोंके संसर्गसे कि यह पुरुष किस किस दुष्ट असज्जनसे संसर्ग मिलाप रखता है या नहीं इसके उपरांत (होठ) चिह्नसे अर्थात् उसीकर्मका कुछ रूपक या लक्षण उसके पास पायाजाय जैसे चोरोंकेपासकूमल देने संधिकाटने वाले कोई लोहेके औजार निकसैं या महलोंपर चढ़िजानेकी कमंड निःश्रेणीआदि पकड़ीजाय तौ यह चोरीका सब होढ़ चिह्नजानो अथवा और कोई वस्तु उनपर ऐसीहो जिस्से उनकासाहस पहिंचानाजाय किंतु लूटे मारे आदिपुरुष का कुछ वस्त्र शस्त्रादिक या फांसी फंदा आदि यहभी डाकूवटमारों वाला होढ़ चिह्नहै इसहोढ़के उपरान्त अन्य प्रकारकेभी चिह्न जैसे रक्तलेप रक्तबिन्दु आदि ढूँढेजायँ क्योंकि होढ़चिह्न पायेबिना चोरोंका बधकरना या कुछ और दण्डदेना भी प्रतिषिद्धहै यह आगेकहीं वर्णनहोगा अथवा जिसपर होढ़ चिह्नभी न पावै या पायाजाने परभी निश्चितहोना दुर्घटहो तिसकेलिये असेसर आदि अन्य मनुष्योंसेभी भिन्नात्मक सब से वूमै कि यहकाम तुम्हारे ज्ञानध्यानके अनुसार इसकाकियानिश्चितहोताहै यानहीं और जो होताहै तौ होनेकाभीक्या अनुमान प्रमाण और विश्वास्य है यहकहो क्योंकि इसको करतेहुये किसीनेभी नहींदेखा सिर्फ अनुमानिक शङ्कासे लक्षणमात्र पायाजा-ताहै और मुख्य साहसीका पहिंचानाजाना यहाँ जरूरतहै. यहीभावना गूढ़ साहसी की पहिंचानिमध्ये सब घातक पुरुष खूनीलोगोंकी और चोरोंकीभी कही सो सर्वत्र जानो-पर जबकोई उक्त शङ्कामध्ये पकड़ाहुआ उसअपराधके कर्तृत्वमें सवृत को न पहुँचै या अपने मुखसे करना नहीं कबूलै तौ फिर शपथ सौगन्द से विवेचनकरना योग्यहै कि जैसा दिव्य प्रकरणमें प्रकार उसका कहाहो यहीविधान साहसवाले सब भगड़ाओंमध्ये जानो-इसीव्यवस्थाका वृत्तान्त जोकुछकर्मभेदसे भिन्नात्मक आवश्य-कहो सो सबआगे दोसोपच्चासी २८५ तथा २८६ वाले मूलश्लोकोंके ऐक्यार्थमेंअन्वे-षणकरो-इत्यादिउक्तप्रकारोंसे-अपराधीका स्वरूप ज्ञान होजानेऔर अपराधका सवृत उसपर होजानेपीछे जो कर्तव्यहै सो आगे वर्णनकरतेहैं-तदाहव्यासः-(जात्वातुघातकं सम्यक्सहायंसदान्धवम् । हन्याच्चित्रवधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः) अर्थात्-राजा अच्छी भांति पकाहटलाथ घातक पुरुषको पहिंचानि उनको सर्वसहायक और बन्धुओंसहित

चित्रविचित्र वधरूप नानायत्नोंसे वधबंध आदिकरै कि जिनसे उसको भी उद्देग पैदा हो-  
 बृहस्पतिरपि (प्रकाशघातकायेतु तथा चोपांशुघातकाः । ज्ञात्वा सम्यग्धनं हत्वा हंतव्यापि  
 विधैर्वधैः) अर्थात्-जे कोई घातिक प्रकाशभावमें अपघात करने हारे हों तथैव जे उपांशु  
 में अर्थात् एकांत निर्जन देशमें अपघात करै कि जिस भूभाग में पुकार करने पर भी  
 कोई न सुनिसके ये सब घातिक पहिले निर्णय सहित जानिबूझिकर पश्चात् इनका  
 धनहरिकै विविध प्रकारके वधबंधोंसे मरवाये जाने योग्य हैं-ऊपर जो सहायक और  
 बंधुओं सहित वधकरना कहा या उनका सर्वधन हरना कहा सो उन घातिकोंको सम-  
 भना जो निजकुटुंब आदि बंधुओंके सहायसे बटमार लुटेरे डाकू बनिकर यही निरंतर  
 धंधा करते हों चाहे कोई जाति हों और प्रत्यक्ष वा उपांशु निर्जन भूमिमें कुछ इसकानि-  
 यमनहीं-और जो-साधारण भाव कहा सुनी गाली गलौज करते हुये कोई शस्त्रादि  
 साहस करै तिसके दंडजातिवर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम क्रमसे आगे कहते हैं-  
 तदाहवौधायनः ( क्षत्रियादीनां ब्राह्मणस्य वधे वधः सर्वस्वहरणं च तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे  
 यथा बलमनुरूपं दंडं च कल्पयेत् ) अर्थात्-क्षत्रियादि कोई जाति जो ब्राह्मणका वध करै  
 तिनका वध करिकै राजा सर्वस्व भी हरिले वै जहां क्षत्रिय आदिमेंसे कोई अपने समवर्ण  
 का या अपनेसे नीचे वर्णवालेका वध करै तहां जैसा उस अपराधका बलपाया जाय  
 तिसके अनुरूप राजा धनदंड और शारीरदंड कल्पित करै (और) इसकल्पित करनेके  
 निमित्तमें पूर्वोक्त डंडावाजीका प्रकरण अच्छीरीतिसे विचारै तिसके द्वारा कल्पन करै  
 ( एकस्य घातार्थं प्रवृत्तानां बहूनां दंडः ) तदाह कात्यायनः ( एकं चेद्ब्रह्मवोहन्युः संरुद्धाः पुरुषं नराः ।  
 मर्मघातं त्रियस्तेषां सघातक इति स्मृतः संरुद्धमित्यपि वा पाठः ) अर्थात्-जो एकहीको  
 अकेला घेरकर बहुतसे मनुष्य मिलिकर मारै तिनमें जो कोई एक मर्मघाती ठहरै जि-  
 सने किसी देहके ऐसे मर्मस्थान पर निशाना ताकि मारा हो जहां प्राणोंका निवास प्राय  
 होने से तत्काल मौत हो जाती है यह मर्मघात कर्ता ही उन बहुतों में नरमारक जाना  
 किंतु सबसे तीव्रदंड इसको योग्य है पर औरोंको अपराधके अनुरूप दंड-अथ आरंभ  
 साहसकर्मके सहायकोंका वृत्तांत व्यौरेवार वर्णन करते हैं-तदप्याह कात्यायनः ( आरंभ  
 कृत्सहायश्च देशवक्ताऽनुदेशकः । आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तादायो विकर्मिणाम् ॥ युद्धोपदेश  
 कश्चैव तद्विनाऽऽशुप्रवर्तकः । उपेक्षाकार्ययुक्तश्च दोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ अनिपेक्षाक्षमो यः  
 स्यात्सर्वेते कार्यकारिणः । यथाशक्त्यनुरूपं तु दंडमेपां प्रकल्पयेत् ) अर्थात्-सबसे पहिले  
 ऐसा कहकर जो आरंभ करै हे दोस्तों कहींसे माल मारना चाहिये या अमुकामुक मनुष्य  
 का अपघात करना चाहिये, दूसरा जो इस कहनेके अनुकूल सहायक होकर सार्थी बने  
 तीसरा देश बतलानेवाला इस भाँतिसे कि यह काम अमुक ठिकाने पर होसकेगा, चौथा  
 अनुदेशक जो उस स्थलके ठिकाने तक लेजाकर साथ पहुँचा देवे, पाँचवां जो इनसभी

विकर्मी लोगोंको अपनेपास टिकाकर इनका आश्रयबनै. छठवां जो औजार शस्त्रमाँगे देकर इनकी मददकरै. सातवाँ जो कोई राहखर्च आदिभक्ता अन्नरसद देकर आप सहायकरै-आठवाँ जो युद्धादि लड़ाई का उपदेशकरै-नववाँ जो उसयुद्धके नहोते हुये आशुप्रवर्तक बनै अर्थात् यद्यपि और लोग कुछकुछ आगापीछा सोचिकर हिचकते थे या अधिक विलंब करतेथे इसदशामें भी कोई एक उठिकर शीघ्र शस्त्रप्रहारआदि युद्धकर्मजारी करै. दशवां जो उपेक्षा कार्ययुक्त हो अर्थात् उपेक्षारूपी जोकुछ कार्यहो तिसमें आप लगाहो इसका यह दृष्टांतहै कि जैसे उक्तकामके विचार करनेवालों का भेदपानेके अर्थसे यदि कोईग्रामार्धीश आदि समर्थ जो उसकाम का निवारण करना चाहिकर विश्वासपात्र देवदत्तसे कुछ ब्यौरा उनका बूझै कि तू उन मनुष्योंके समीप रहताबसताहै अब संप्रति उनका क्याकुछ खोंटा डौल विचार आदिहै या नहीं या तू रोज भेदलेता रहकर खबर लायाकर और देवदत्त इस्से विपरीत दुर्जन लोगों का अतिगूढ़ सहायक होना चाहिकर कुछ ब्यौरा नहींबतावै किंतु उपेक्षा रूपसेकह देवै या कहदेतारहै कि वहांकुछभी नहीं जो जो बातें सुनीथींसब भूठीहैं और वहां प्रबंध पूराहुआहो तौ यह देवदत्तभी ( उपेक्षाकार्ययुक्त ) कहाया क्योंकि औरों को उपेक्षा करवातारहा दुष्टोंकी निगरानी निपट न होनेदी कि जिस्से खोंटेकामका निवारण होसक्ताथा अथवा इसभांति सेभी अर्थ कियाजासक्ता है कि यद्यपि कोईपुरुष अपने आप अयुक्तहै कि दुष्टोंसे कुछमेलमिलाप नहींरखताहै परउनकेटंग प्रबंधोंको निज आपजानि बूझिभी उपेक्षाकारी होजाय किंतु समर्थ सज्जन पुरुषोंकोसंबोधन या समस्या उसकी न करदे कि अमुकामुक दुर्जीवीघातक लोगोंने यहदुष्टउपाय बांधाहम नेदेखा अथवासुनाहै. ग्यारहवांदोष वक्ताका अनुमोदक अर्थात् उनमेंजो जो कोई कातर या कुछ दूरदेश दूरदर्शी होनेके हेतुसे उसकार्यमें विघ्नादि दोषप्रकटकरतेहों कि ऐसा साहस करने में अमुकामुक दोष उपद्रव खड़े होजायेंगे इसवातसे यह संभव था कि शायद सभी विकर्मी ऐसासुनिकर काम करनेसे रुकिजातेपरंच कोई एक उनमें दोष वक्ताका अनुमोदक बनै कि ऐसी दोषकल्पना करनीव्यर्थ है इनदोषोंका परिहार भी अमुकामुक भांतिसे होसक्ताहै इसकरते कामका अवरोधन करनामूलमंत्रहै और जो कुछउपाय सबनेसोचा तिसपर आरूढ़ होनायोग्यहै यहऐसा कथन करनेवालादोष वक्ताका अनुमोदकजानो. बारहवां यद्यपि आपउनकासंसर्गी नहीं बल्कि सज्जनहैपर जो आप रोकि सकनेमेंसमर्थ होतेहुयेरोकै नहींवहभी साथी समुभाजाय इतनेसभी मनुष्य कार्यकारीजानो इनमेंकोईभी अपराधसेभिन्नात्मकनहीं इस्सेजैसेजिसकीशक्ति हो तिसके अनुरूप सबकादंडकल्पितकरै-एवंवृहस्पतिरपि(एकरुच्यवहवोयत्रप्रहरतिरु षान्विताः । मर्मप्रहारकोयस्तुघातकःसउदाहृतः ॥ मर्मघातीतुयस्तेपांयथोक्तंप्रापयेद्म

म् । आरम्भकृत्सहायश्चदोषभागीतदर्धतः ॥ क्षतस्याल्पमहत्त्वञ्चमर्मस्थानञ्चयत्नतः ।  
 सामर्थ्यचानुबन्धञ्चज्ञात्वाचिह्नैः प्रसाधयेत् ) अर्थात्-बृहस्पतिभी यहकहते हैं कि जहाँ  
 क्रोधयुक्त बहुतसे एकहीपर प्रहार करते हैं तिनमें मर्मप्रहार करनेवाला जो है सोई  
 घातकसमुभाजाताहै इससे जोकोई मर्मघातीहो तिसकोराजायथोक्त दम तक पहुँचावे  
 किंतु जो कुछ दण्डघातक पुरुषके निमित्तमें शास्त्रोक्त पायाजाताहो सो सब इसकोकरै  
 प्रथम आरम्भ करनेवाला उसका सहायक जो उसते अर्धदोषका भागीहो यहाँसहा-  
 यकमात्र कहनेसे वे सभीसमुभने जोजो ऊपर वर्णनहुयेथे इसलिये राजा इनसबको  
 और घाव चोट आदिका अल्पत्व महत्त्व जैसाहो तिसकोभी और मर्मस्थान कोभी  
 यत्नसे और उनसबहीकी प्रत्येक जुदीसामर्थ्य और अनुबन्ध उनके वैरबदले आदि  
 कोभी उक्तचिह्नोंद्वारा समुभिकर निर्णय पूर्वदण्ड कल्पनाकरै (क्वचिद्वधकर्तुरपिनदोषः)  
 जो कि सर्वथा इसीप्रकरणमें और डण्डावाजी के प्रकरण में भी सिद्धान्त यहीरक्ता  
 है कि कोईकिसी प्रकारसे भी शस्त्रनहीं चलावै तो यह दोषापत्ति खड़ी होतीहै कि  
 चौरादि घातक पर्यंत दुर्जन साहसिकोंका वध क्योंकरहोगा उनकीरोक न होनेसे अ-  
 त्यन्त वृद्धिहोगी-इसहेतुसे अवशस्त्रचलाने के भी विषय दर्शित करतेहैं-तदाहमनु-  
 (शस्त्रद्विजातिभिर्ग्राह्यंधर्मोयत्रोपरुध्यते । द्विजातीनांचवर्णानांविप्लवेकालकारिते ॥ आ-  
 त्मनश्चपरित्राणेदक्षिणानांचसङ्गरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौचधर्मेणघ्नन्नदुष्यति) अर्थात्-  
 द्विजाती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णोंको खड्गादिक शस्त्रबाँधने तथा चलाने  
 योग्यहैं उसदशा में कि यदि वर्णों वा आश्रमियोंका कुछ धर्म रोकाजाताहो अर्थात्  
 जहाँजहाँ कोई धर्मकर्म इष्टापूर्त मेंसे यज्ञ तडाग वागीचा देवालय होमादिक जोजो  
 धर्मके सम्बन्धी कामहों तिनका विध्वंस कोईकरताहो या करतेसमय न करनेदेताहो  
 तहाँ द्विजातीलोग निःसन्देह शस्त्रचलावें इसमें दोषीनहीं होतेहैं-तथैव जहाँद्विजाती  
 लोगोंसे शूद्रेतर वर्णसङ्कर आदि मलीनों से परस्पर धर्मवाद में विगाड़हो या परदार  
 हरने आदि धर्मवाधकरूपी किसीविशेष कारणसे संग्रामहो यद्वा राजा रहित भूभाग  
 में कुछकाल कारित विप्लवहो तोभी परदेशी राजसेना आदि घुसने और डाकुओं के  
 भयसे शस्त्रबाँधें-यहाँ(विप्लवअर्थात्गदर)समुभना-और जहाँपरायेसे अपने प्राणोंको  
 संशयहो तहाँ अपनी रक्षाहेतुसेभी शस्त्रबाँधें या दक्षिणाओं के निमित्त से जोयुद्धहो  
 अर्थात् धनगऊ आदि द्रव्योंके अपहार निवारण हेतुसे जब युद्धकरनापरै तोभीशस्त्र  
 बाँधें तथैव जहाँ स्त्री या ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा रक्षाकरनेमें या उनकी दुर्बलता में पीड़ा  
 दूरनेसे जबयुद्ध करनापरै तहाँभी सर्वत्र इनस्थानों में धर्मविकार जानिकर उनपीड़ा  
 देनेवालोंको पीड़ा प्रतिफलदेनेसे द्विजातीलोग दोषभागी नहींहोतेहैं और ऐसेअव-  
 सरमें धर्मपीड़क साहसिकोंका वधकरनेसे भी साहस कर्मवाला दण्ड द्विजातीलोगोंको



नहो यह सिद्धान्तहै कि ब्राह्मण वैश्य जोजो क्षत्रिय वालाधर्म शस्त्रादिक धारण कर्मकभी न करतेहों वेभी ऐसे अवसर में सबकरें-एवंबोधायनः ( ब्राह्मणार्थेगवार्थेच वर्णानांवापिसङ्गरे । गृहीयात्तांविप्रविशौशस्त्रधर्मव्यतिक्रमे ) अर्थात्-ब्राह्मण गऊ इनकी रक्षार्थसे और वर्णोंमें परदार संग्रह आदि से कुछ सङ्करदोष खड़ाहोने में या और किसीभाँतिसे कुछ धर्मका अवरोध व्यतिक्रम होनेलगने में ब्राह्मण वैश्य दोनों वर्ण शस्त्रत्राँधें-इसमें क्षत्रिय को इसलिये नहींदर्शायाहै कि उसको प्रजापालनआदि हेतुसे सदैव यही धर्महै-अब इसमें एकशङ्का शान्त करतेहैं कि ( हास्यार्थमपिब्रह्म आयुधनाददीतइतिबोधायनएव ) तथा ( परीक्षार्थमपिब्राह्मणआयुधनाददीतइत्यापस्तंबः ) अर्थात्-उन्हीं बोधायनका यहवचनहै कि ब्राह्मणकभी हासीकेभी नामसे कुछ शस्त्र नहींउठावे तद्वत् आपस्तंब काभी यह कथनहै कि ब्राह्मण कभी परीक्षा केभी अर्थसे कुछ शस्त्रनहीं उठावै सो ये दोनों नियम केवलसाधारण भाव की उनदशाओं पर आरूढ़हैं कि जहां ऊर्ध्वोक्त धर्म विरोध आदि कुछ नहो(किंतु)आततायीका बध करनेमें कुछ दोष नहीं-तथाचमनुः-( नाततायिवधेदोषोहंतुर्भवतिकश्चन । प्रकाशंवाऽ प्रकाशंवामन्युस्तंमन्युपृच्छति ) अर्थात्-आततायी जो साहसी भी कहिलाता है तिसके ताड़न करने या प्राणोंसेभी मारिदेनेमें कुछ हंताका दोषकोईभाँतिसेभी नहीं होता क्योंकिआततायीने साहस कर्मचाहै अन्यमनुष्योंके समक्ष या निर्जनतामें कुछ गुप्तभावसेही कियाहो यद्वा करनेका प्रारंभ कियाहो तौभी हंतामें उत्पन्न हुये क्रोध में उस आततायीके क्रोधरूपपापका विनाशकिया इस्सेहंताको कुछ दोषनहीं-आततायी कास्वरूपयद्यपि ऊपर साहस कर्मोंके लक्षण वर्णन होनेमें निर्णीतभीहोचुका है पर यहां प्रसंगमात्रसे फिर लिखते हैं किदंड निर्णयके निमित्त करके रूपउसका विस्मृत नहोजाय-यथाहि (अग्निदोगरदश्चैवशस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदाराऽपहारी चषडैतेह्याततायिनः ) अर्थात्-एकवह जो आगि लगाता या लगाइ चुकाहो १ विषदेदिया यद्वा देताहो २ शस्त्रहाथ लियेहुये मारता यद्वा मारिचुकाहो ३ किसीका धनलूटे लेताहो यद्वा लूटि चुकाहो ४ खेत आदि भूमिको प्रवलता से छीनताहो ५ पराई स्त्रीको छीनता या भगाये लियेजाताहो ६ येही छे साहसी पुरुष आततायी कहलातेहैं(आततायिनमायान्तंहन्यादेवाविचारयन् । आततायिवधेदोषोहंतुर्भवतिकश्चन ॥ गुरुंवावालवृद्धौवाब्राह्मणंवावहुश्रुतं । आततायिनमायान्तंहन्यादेवाविचारयन् ) यह अधिकार यहाँसमर्थ प्रजालोगोंका दर्शायागया-किंतु-राजाकी अपेक्षासे अवकहते हैंकि राजा साहसिकों को दण्डदियेविना न छोड़ैकभी-यथाहमनुः ( ऐन्द्रंस्थानमभिप्रेप्सु र्यशश्चाक्षयमव्ययम् । नोपेक्षेतक्षणमपिराजासाहसिकंनरम् ॥ साहसेवर्तमानन्तुयोऽ मर्षयतिपार्थिवः । सविनाशंत्रजत्याशुविद्वेषंचाधिगच्छति ॥ नमित्रकारणाद्राजाविपुल

द्वाधनागमात् । समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्) अर्थात्-राजाका यहधर्महै कि  
 ऐन्द्र पदवी तुल्य बड़ाई तथा यश विख्यात अतिशय भावसे जो चिरकालतक  
 नाश न हो तिसके प्राप्तहोने के अर्थ से साहसीको अपराध दण्डदेने में उपेक्षा कर्म  
 क्षणमात्रभी न करै क्योंकि-जो कोई राजा साहस करतेहुये कोभी सहिलेताहै सोउ  
 पापकारियोंकी उपेक्षारूप अधर्म बुद्धिके प्रभाव से विनाश को पहुँचताहै और प्रज  
 लोगोंका विद्वेषी भी होजाताहै क्योंकि जिसको पीड़ा मिलतेहुये कुछ दण्डन्याय  
 हुआ वहीराजाको बैरी समुभिकर नानाभाँति के शापदिया करताहै जबकि अनेकों  
 मुखसे यद्वा हृदय करके शापरूपी वचनमन्त्र अनेकभाँति से उच्चरित होनेलगे वेह  
 लक्षों संख्या होकर दुष्प्रयोगवत् होजाते हैं-इन्हींकारणों से राजा उन साहसिकोंके  
 कि जो जो सभी प्राणियोंको भयखड़ाकरनेवालेहों न तौ मित्रों के कहनेकरके छोड़ै  
 कुछ धनकालाभसमुभिकरछोड़ै किन्तु यथापराधके अनुसार दंडभागी करै ॥  
 इत्यष्टसप्ततितमःपरिच्छेदः ७८ ॥

(इतिमुख्यात्मक साहसकर्मविवेकः)

इन साहसिकोंके कुछलक्षण आगे चौर्य प्रकरणमेंभी आवेंगे तथैव स्त्रीसंग्रहण  
 नाम प्रकरणमेंभी आवेंगे और पहले वाक्पारुष्य दंड पारुष्यके दोप्रकरण जो हो  
 चुके कुछ कुछ उनमेंभी संसर्ग इनका जानौ क्योंकि साहस चारपाँच रूपोंसेहोताहै  
 और आशय उसका यह कि जो जो क्रूरकर्म प्रबलतासाथ कियेजायँ सो सब साहस  
 हैं-और-उनकेभी उपरान्त नाना भाँतिके कुकर्म हैं कि जो जो छलसे या अभिमान  
 से या लोभसे या क्रोध तथा असत्यसे उत्पन्न होते हैं और वे भी साहस कर्मकेही  
 तुल्यमानेजाते हैं उन सबके रूप लक्षण तथादण्डभी यथोचित व्यौरेवार नीचे  
 (उपसाहस) नामक परिच्छेदमेंदर्शावेंगेइसहेतुसे इससाहस प्रकरणमें दो परिच्छेद  
 हुये जानौ २३६ ॥

अत्रप्रभिन्नानामुपसाहसरूपकुकर्माणांदण्डविधिदशनाम

उनाशीतितमःपरिच्छेदः ७९ ॥

यहाँ उनासीसंख्याके परिच्छेदमें मुतफर्रिक नानाभाँतिके कुकर्मोंवाले उपसाहस  
 दूँडेपावेंगे कि जो जो किसी और प्रकरण परिच्छेद में न मिलसकेहों और जो जो  
 किसी फरेव छलसे या क्रोधसे या लोभसे अभिमानसे प्रमादसे उत्पन्नहुयेहों क  
 करणीय कर्मके त्यागसे वा हिंसासे या तोलमाप आदि कूट तराजू वांटोंसे या क  
 राजमुद्रासे या खोंटीचीज मिलानेसे असत्यसे परीक्षासे निरखसे अयोग्य साह्यदेने  
 से चिकित्सासे वाणिज्यसे पिता पुत्रादि वैरभावसे उत्पन्नहुयेहों इत्यादि और नीचे  
 नक भाँतिके विवाद इसमें दूँडेपावेंगे कुछ सबकानाम यहाँनहीं आसक्ता ॥

(केषांचित्साहसिकविशेषाणांदंडनियमः)

अर्घ्याक्रोशातिक्रमकृद्भातृभार्याप्रहारदः । संदिष्टस्याप्रदाताचसमुद्रगृहभेदकृत् २३७ ॥

सामंतकुलिकादीनामपकारस्यकारकः । पंचाशत्पणिकोदंडएपामिति विनिश्चयः २३८ ॥

ऐ०—यहाँ मुख्यसाहसकर्मोंके प्रसंगमें दूसरीभाँतिके साहसिक विशेषोंका कुछदंड प्रकार कहतेहैं कि-अर्घ्योंको आक्रोश तथा अति क्रम करनेवाला अर्थात् (अर्घ्य) नामगुरु आचार्य आदि जेकोई पूजनीय गिनेजातेहों तिनको आक्रोश आक्षेपरूप कोईसा कुवाक्य मुखसे कहनेवाला तद्वत् उनकी आज्ञाका अतिक्रम किन्तु उल्लाँघना आज्ञाभङ्ग हुकुमउदूली करनेवाला और आताकी भार्याको मारपीट करनेवाला और संदिष्ट काभी अप्रदाता किन्तु जोकोई कहीं शिष्टाचारिक धर्म मर्यादा से आभूषण यान वाहनस्थान आदि विश्वासिक वाक्यमात्रसे मांगै तो देनाकहकर या कुछवचन सहायमात्र करनेका विश्वास देकर कार्य कालमें विश्वास घातकरै समुद्र गृहका भेद करनेवाला किन्तु मुँदेहुये मकानको मालिक से परोक्ष में खोलनेवाला-एवं-सामन्त कुलिकादिकोंका अपकार करनेवाला अर्थात् अपने घरखेतआदिसेभिड़ेहुये घरखेतों के मालिकअपने परोसीलोग तद्वत्अपने कुलकेलोग जोजुदेवसतेहों औरआदिशब्द के आशय से उसदेश ग्रामटोला में जो बसतेहों तिनका किसीभाँतिसे निरर्थक अपकार वा अपमान आदि करनेवाला इनसबही को पचास पणका दण्डनियतहै-क्योंकि यहभी एकप्रकार के साहसी गिनेजातेहैं इनमें जिसने कुछदेना अङ्गीकारकरके नदेने का मनोरथ कियाहो तिसपर वह स्वीकार कियाहुआ दिलाने के उपरान्त यहीपचास पणकादण्ड समुभूना और सामन्त कुलकादिकोंमेंसे किसीएकही दोका कुछअपकार करनेमध्ये पचासका यहदण्डसमुभूना किन्तुजहाँअनेकोंका अपकारकरनेवालाएकहो तहाँउन प्रत्येकों की अपेक्षा उसपर जुदाजुदा यहदण्डहोना न्यायजानों २३७।२३८॥

(अत्रकेषांचित् साहसिक विशेषाणां दंडाधिक्यं)

स्वच्छंदंविधवागामीविक्रुष्टेनाभिधावकः । अकारणेचविक्रोष्टचंडालश्चात्तमानस्ष्टशत् २३९ ॥

शूद्रप्रव्रजितानांचदेवेपित्र्येचभोजकः । अयुक्तंशपथंकुर्वन्नयोग्योयोग्यकर्मकृत् २४० ॥

वृषक्षुद्रपशूनांचपुंस्त्वस्यप्रतियातकः । साधारणस्यापलापीदासीगर्भविनागकृत् २४१ ॥

पितृपुत्रस्वसृष्ट्राहृदंपत्याचार्यशिष्यकाः । एपामपतितान्यान्यत्यागीचशतदंडभाक् २४२ ॥

ऐ०—यहाँ कुछेक साहसिक विशेषोंको ऊपरत्नोंकी अपेक्षा दंड अधिक वर्णनकरते हैं कि-एकतो स्वच्छंद अपनी इच्छासेही नियोगधर्मकी संमतिठहरे बिना विधवा गमन करनेवाला दूसरा वह कि जबकोई चोर चिकारके भयमे पीड़ितहोकर चिह्नान्तर्गते तिसकाशब्द सुनकर शक्तिमान् होनभी तत्काल दंडेनहीं डमका निर्णय देग्वें दोसोइक्यासीकी अधिकोक्ति पिछले अन्त में-तीनग वह कि जो चौरादिक भयके

बिनाही निष्कारण चिल्लानेलगे हाय दौड़ियो मारागया इत्यादि व्यर्थ विक्रोश करके औरोंको दौड़ायमारै चौथावह कि जो चण्डाल जातिहोकर उत्तम जातियों को मार्ग आदि में सङ्घर्ष करिकै निकसै २३६ पाँचवां वह कि जो शूद्र जातों में से कल्पित संन्यासी वा दिगम्बर आदि वेशधारी बनेहों तिनको देवकर्म तथा पित्र्य कर्मके सम्बन्ध में जिमावै-छठा जोकोई पुरुष अयुक्त शपथ किंतु खोंटीसौगन्द खानेलगै दृष्टांत जैसे अपनी मातृगमनकरूँ जो इसमें भूँठ कहताहोउँ इत्यादि नानाभाँतिसे समुझना जो जो सुनकर सज्जन पुरुषोंको कुवाक्य से प्रतीत होतेहों. सातवां जो अयोग्य होकर योग्य पुरुषोंवाले कर्मकरनेलगै दृष्टांत यथा निकृष्ट शूद्र आदि जाती या चण्डाल आदि कोई जो अयोग्य लोकप्रसिद्धहो द्विजाती लोगोंके षट्कर्म सम्बन्धी कोईकाम करनेलगै यद्वा लोकचर्या में जो कर्म महानुभावों के प्रसिद्धहों तिनकोकरै जैसे भङ्गीहोकर शाहूकारों के समान बरात सजिकर उनकी नकलउतारै या दुशाला आदि उत्तम वस्त्रधारणकरै या उत्तम यान विमान आदि पर आरूढ़ होकर उनके सन्मुख निकसै या जैसी पचमेल मिठाई आदि से भोजन पंक्तिहोनेका प्रचार उत्तम जातोंमें प्रवर्तितहो तिसकी नकलउतारै किंतु वैसाही आचरण नीचजातिहोकर करनेको उतारूहो इत्यादि नानाभाँति से समुझना २४० आठवां जो वृषभ या बकरा आदि छोटे पशुओं का पुंसत्व बधिया खरूसी करने आदि प्रकारों से विनाशकरै अर्थात् निज अपनेभी चौपायोंकी जो उद्भवशक्तिमिटावै अथवा (वृक्षक्षुद्रपशूनांच) ऐसामूलपाठ होनेसेभी वृक्षोंकापुंसत्व विनाशकरना यह कि गंधक सज्जी हींग आदि तेजावरूप औषधियोंसे फल फूल आदि गिराने यद्वा आगेको पैदायश मारीजाने वालारोग विकार परायेवृक्षोंमें करदेना- नवमा जो साधारण कई साभियोंका धन अपनेपास जमाहोतेहुये या और किसीकार्यमें अंतरीय साभाहोतेहुये अपलापकर किन्तु निपट नाटिजावे कि इनका उसमें या मेरेपास कुछभी नहीं-दशवाँ जो दासीका गर्भगिरावै किन्तु दासी संगमकरनेपीछे गर्भहोजाने में सन्तानकीउत्पत्तिभयसे औषधियोंके योगसे जो गर्भपातकरावै २४१ ग्यारहवाँ पिता पुत्र परस्पर जो कोई दोमें एकदूसरेको त्यागै-बारहवाँ बहिनभाईपरस्परजोकोई दामें एकदूसरेको त्यागै-तेरहवाँ भार्या भर्ता परस्पर जो कोई दोमें एक दूसरेको त्यागै-चौदहवाँ आचार्य शिष्य परस्पर जोकोई दोमें एक दूसरेको त्यागै पर इन सबके त्यागमेंयह एक परमकारण है कि जो जो कोई अपतितका परित्यागकरै वही त्यागकरनेका अपराधी ठहरे किन्तु पतित का परित्याग करनेवाले पर अपराधनहीं लगायाजासक्ताहै-येसब चौदहअपराधीलोग जो चारो मूलश्लोकों से दर्शावेगये सौसौ पणतक दंडभरने योग्य हैं कि जितनाकुछ अपराध इसकेभीतर समुझाजाय किंतु कहींअपराधकी प्रबलता में सौ

पणसेभी उपरालू दंड कल्पित होसक्ताहै पर ऐसीदशा विशेष किसी बिरले अवसर में उत्पन्न होगी क्योंकि यद्यपि २४२ ॥

अधि०—यहां सबसे पिछले दोसौ बयालिस मूलश्लोक मध्ये मनुजी छःसौ पण तक दंड बताते हैं-यथा(नमातानपितानिस्त्रीनपुत्रस्त्यागमर्हति । त्यजन्नपतितानेतान् राज्ञादंड्यःशतानिषट्) अर्थात्-माता.पिता.भार्या.पुत्र इनमें कोई भी परित्याग करने योग्य नहीं किंतु पालन पोषण या शुश्रूषण आदि जो जो कर्म जिसको करनेयोग्य जैसीरीति से आवश्यक है सो अपने अपने धर्मोंको कदाचित्भी न छोड़े क्योंकि ऐसे कर्मोंका न करनाही परित्याग कहाताहै कुछ घरसेबाहर त्यागि देनेका भावार्थ नहीं-यस्मात्(बृद्धौचमातापितरौसाध्वीभार्यासुतःशिशुः । अप्यकार्यशतंकृत्वाभर्तव्या मनुरब्रवीत्)पर जोकोई इनमें किसी अपतितका परित्यागकरनेलगे तिसको साहस का अपराधीजानि राजा छःसौपणतक दंडलेय-यद्यपि काव्यरीतिसे स्पष्ट प्रतीत होताहै कि पूरेछःसौपण सर्वत्र राजालियाकरै पर धर्मशास्त्रकेअभ्यन्तर यह अर्थ असंगत मानाजाताहै इसलिये छःसौपणतक यथापराधके अनुरूप लियाजाना न्याय समुभौ क्योंकि पालन पोषणआदिका परित्याग प्रायः निधनतामें उत्पन्न होताहै अर्थात् जिनमें छःसौपण देसकनेकी सामर्थ्यहोगी तिनमें ऐसे त्यागरूप साहसकी उत्पत्तिभी कदाचित् किसी अधर्मीसे होसक्तीहोगी इस्से मनुकाकहा छःसौवालादंड केवल ऐसे साहसियोंकी अपेक्षापर आरूढ़है कि जो जो लोग पूरेऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर उक्तत्यागके अपराधीबनें और हठके पूरेआवेशकरके पंचों अथवा राजाका समुभाया नहींमानें सो उनलोगोंपरभी यथापराधके अनुरूप छःसौपणतक जितना योग्य समुभाजाय उतनाही न्यायात्मकजानौ किन्तु उनसेभी कुछनिर्विकल्प छःसौ पणका नियमनहीं (और) यहदंडभी सर्वत्र थोडाघना राजा तब लेसक्ताहै कि पहले उसी त्यागेहुये संबन्धीका उपकार पंचों द्वारा निर्णय सहित जैसा योग्यसमुभे सो करवा लेवै २४२ ॥

( रजकादीनांवस्त्रापेक्षयादंडः )

वसान.त्रीनपणान्दंडघोरजकस्तुपरांशुकम् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेपुपणान्दश २४३ ॥

ऐ०—नेजक रजक वस्त्रधावक धोवी छीपी रंगरेज आदि कार्मिकलोग परायेवस्त्रों को (वसानः) किन्तु पहिरतेहुये तीनपणके दंडयोग्यहैं-कदाचित् वस्त्रवेचिदेवै याअव-क्रय नाम भाड़ेपर देदेवै या आधानकरै किन्तु गिरवीरक्खे यद्वा अपनेमित्रादिकिसी प्यारेको मंगेतूदेवै तोप्रत्येक अपराधमध्ये दशपणदंड भिन्नभिन्नजानो और उनवस्त्रों कोभी जैसेलाया हो सो तद्रूप यद्वा मूल्यद्वारा स्वामीको समर्पणकरै २४३ ॥

अधि०—कदाचित् वस्त्रोंको पत्थरआदि परपीटिपाटि फाड़ेंतो भी दंडनीय है-यथा-

हमनुः(शाल्मलेफलकेशलक्षणेनिज्याद्वासांसिनेजकः । नचवासांसिवासोभिर्निर्हरेन्नच  
वासयेत्)अर्थात्-सेमलवृक्षकी लकड़ीवाले चिकने पट्टेपर धोबीवस्त्रधोवै किन्तु खरद-  
री लकड़ी या पत्थरआदि परनपीटै और परायेवस्त्रोंसे बदलै नहीं तथैव अपनेघरमें  
बहुत दिनतक नहींबसावै किन्तु जो इनबातोंमेंसे कोईबातकरै धोबी तौभीदंडपावै  
जैसाअभी ऊपर कहागया-कदाचित् अपनी गफलतसे कपड़े खोइदेवै तिसकान्याय  
नारदके वचनानुसार जानो-यथाहनारदः(मूल्याष्टभागोहीयेतसकृद्धौतस्यवाससः। द्विः  
पादस्त्रिस्तृतीयांशश्चतुर्द्धौतेऽर्द्धमेवच॥ अर्द्धक्षयात्तुपरतःपादांशापचयःक्रमात्। यावत्  
क्षीणदशंजीर्णंजीर्णस्यानियमःक्षयः)अर्थात्-एकधोव पहिराहुआ वस्त्रजोधोबीखोइदेवै  
तौउसवस्त्रका आठवांभाग मूल्यकमकरके धोबीभरै इसकादृष्टांत जैसे आठरुपयेकी  
खरीदि वा तैयारीवाला वस्त्रसिर्फ एकवारधुलाहो दूसरीबार देनेपरधोबी खोइदेवै  
तिसमें अष्टमांश का एकरूपया कमकरिके धोबी सातरुपयेदेवै. एवंदोधोव पहिरेपीछे  
जो तीसरी धोवखोयाजाय तिसका चौथाई मूल्यकम करिकै धोबीदेय जैसेआठमें से  
दो तोड़िकर छःरुपये मालिकपावै. एवंतीनिधोव पहिराहुआ चौथीधोव खोयाजाय  
तिसमेंएक तिहाईमूल्य काटिकरशेषदोभाग मूल्य धोबीभरै. एवंचारधोव पहिराहुआ  
पांचवींधोवपर जोवस्त्र खोयाजाय तिसका आधामूल्य धोबीभरै इसभांति अर्धपुराना  
होनेके उपरांतभी यदि खोयाजाय तौभी आधेमूल्यमेंसे एक एक चौथाईमूल्यप्रत्येक  
धोव पीछे हानि समुभनी योग्यहै. यह नियम जबतक वस्त्र अतिशय क्षीण दशा की  
जीर्णताको न पहुँचाहो तवतक संभव है फिर आगे अतिशय जीर्ण वस्त्रखोयाजाने  
पर इसउक्तक्षय का नियमनहींहै अर्थात् जितनीकुछ मालियत समुभी जाय उतना  
मूल्यधोबीसे दिलायाजाय-यहां धोबीकेनिदर्शनमात्रसे रँगरेज छीपी दर्जी धुनाआदि  
सभी समुभने २४३ ॥

( पितृपुत्रविरोधेसाक्ष्यदंडः )

पितृपुत्रविरोधेतुसाक्षिणांत्रिपणोदमः।अंतरेचतयोर्यःस्यात्तस्याप्यष्टगुणोदमः २४४ ॥  
ऐ०-पितापुत्र दोनोंमें जो कलहखड़ीहो तिसको देखिसुनिकर जो समीपी कोईग-  
जद्वारमें गवाहीदेना अंगीकारकरै बल्कि उसकलह को समुभाकर शांतनहीं करे तो  
उसभांति के साक्षियों परभी तीनतीन पणकादंड राजालेवै-और जोकोई दोनोंकी  
फूटकरवानेवाली बुद्धिदेताहो या उनके बीच कलह बढ़ानेके अर्थ आप मध्यस्थ व  
प्रतिभृवनिवेकी हामीभरता हो तिसपर चौबीसपणका दंडलियाजाय-यहां पिता पुत्र  
के उपलक्षणसे वेसभी समुभनेजो जोभाई बहिनमें या स्त्रीपुरुषमें याआचार्य शिष्यमें  
या नौकरऔर स्वामीमें या साक्षियोंमें परस्पर वैरखड़ाकरानेपर उपस्थितहों २४४ ॥



( तुलानाणकयोःकूटकारिदंडः )

तुलाशासनमानानांकूटकृन्नाणकस्यच । एभिश्चव्यवहर्तायःसदाप्योदंडमुत्तमम् २४५ ॥

ऐ०—तुलाडंडी तक तराजू कांटा पैमाना गज जरीब आदि सबको तुला समझना तिनमें कूटनाम प्रपंच जालसाजी करनेवाला अर्थात् कमती बढ़ती तोलनापकरसकने वाली इन्हीं चीजोंको बनानेवाला तद्वत् (शासनमान ) किंतु हुक्मीबांट आदिजिनका नियम निर्माण राजद्वारकी आज्ञासे संबन्धित हो कि अमुकबांट इतने तोले इतने मासेका हुआकरै तिनका कूटकरनेवाला किंतु हलुकेभारी उन्हींमोहरोंसे चिह्नितकरिके घड़नेवाला तद्वत् (नाणक) सरकारी सिक्का किंतु अशरफीरूपयापैसा आदि या और कोई चपरासआदि राजचिह्नहो तिसकोभी समझना तिनका कूटकरनेवाला जैसे पीतल की अशरफी या राँगेका रूपया आदि बनानेवाला यद्वा चपरास आदि राजमुद्रा चिह्नोंको राजाज्ञा विनापराये अर्थ कपटरूपसे बनानेवालाभी उत्तमसाहस रूप कर्मोंका जोदंड उत्तमसाहस एकसहस्रपणतक धनदंडसो दिलवाने योग्यहै-और वहपुरुषभी कि जो इनउक्त चीजोंसे व्यवहारकरै अर्थात् अपने आप यद्यपि नहीं बनावै किंतुबनी बनाई लेकर निजव्यवहारोंके बर्तावे में जो रखता हो जिनसे ठगई की दूकानदारी होनी लोकप्रसिद्ध है यहभी उत्तमसाहस दंडपावै पर यहदंड उसका नहींहै कि जिसने विनाजाने कभी धोखेसे बर्तावा कियाहो-इसहीसे यह मर्यादा लोक प्रवर्तितहै कि जब सब्जेसाहूकार आदि व्यवहारीके हाथकोई खंटामुद्रा धोखे से आजाय और वहपीछे उसको जानिपावै तब तत्काल खंडखंड करिके नद्यादि गहिरे जल में फेंकिदेताहै कि फिर यह किसीके हाथनहीं आवै २४५ ॥

अधि—मनुने तराजू बाँटोंका परिशोधनभी छठेमहीना करना कहाहै क्योंकि सबदूकानदार एकसे पुण्यात्मा नहीं होसकते जो कुछकपट नकरैं-यथा ( तुलामानंप्रतीमानं सर्वेचस्यात्सुलक्षितम् । षट्सुषट्सुचमासेषुपुनरेवपरीक्षयेत् ) अर्थात्-तुलामान कहिये डंडीतराजू काँटा पैमाने जरीवगज इत्यादि सबचीजें जोजो तुलामानमें गिनती हों तथैव प्रतिमान कहिये बाँट तोलामासा मन पसेरा सेरआदि सबचीजें राजमुद्रासे सुलक्षित हों किंतु सबके ऊपर अच्छी जगजगाती हुई मोहरें ठप्पाहों या खुदीहों जिससे सबबाँटों तथातराजू आदिकीपहिंचानभीहोसकै (फिर) इनचीजोंको प्रत्येक छमाही पीछे राजा वारवार परीक्षा करता रहै कि जैसे चिह्नोंसे जो चीजें इनकोदी थी सबतोलनाप में अबठीकहैं या नही मँगाकर उनकोदेखे और जोजो उनमें अशुद्ध पायेजायँ या मोहरें जिनकी बर्तावे से घिसगई हों तिनको फेरि ठीक करवाकर उन्हें सौंपिदे २४५ ॥ ( नाणकपरीक्षिव्यतिक्रमेदंडः )

अकूटंकूटकं वृत्तकूटं चत्वाप्यकूटकम् । सनाणकपरीक्षितुदाप्युत्तमसाहसम् २४६ ॥

ऐ०—(नाणकपारीक्षी)नामसिक्का अशरफ़ी रूपया आदिकी परीक्षाकरनेवाला परसै-  
या यद्द्वारलोंकी परीक्षा करनेवाला जौहरी (अकूट)नाम खेररूपये आदि को कूटनाम  
खोंटाबतलावै ऐसा नाणकपरीक्षी भी उत्तम साहस दंडदिलाने योग्य है-यहां नाणक-  
परीक्षीके उपलक्षण से औरभी वे सभीसमुझने जो जो हाथी घोड़ा आदिकी परीक्षा  
करते हों २४६ ॥

( चिकित्सक व्यतिक्रमेदंडः )

भिषङ्मिथ्याचरन्दंज्यस्तिर्यक्षुप्रथमंदमम् । मानुषेमध्यमंराजपुरुषेषूत्तमंदमम् २४७ ॥

ऐ०—यदि कोई भिषक चिकित्सकवैद्य आदि आयुर्वेद वैद्यशास्त्र को न जानते हुये  
सिर्फ जीविका के निमित्तसेही मिथ्यारूप चिकित्साका आचरणकरै जिससे किसी हा-  
थी घोड़ा आदि पशुयोनिको दुःखहोय यद्वाप्राण हानिहोना संभवहोतौ वहवैद्य प्रथम  
साहस दंडकरके दंडनीयहै और जो मानुषजातिमें यह भूँठ चिकित्साकर्रीहो तिसपर  
मध्यमसाहस दंडहो जिसने राजसंबंधी पुरुषोंकी चिकित्सा धोखादेकर करीहो तिस  
पर उत्तम साहस दंडहोना योग्यहै-यहां वैद्यके निदर्शनमात्रसे औरभी अनेक जैसे  
आंखिबनानेवाले सथिया वा जराह आदि समुझने जो जो अपने गुणमें कच्चे होते  
हुये धोखादेकर पीड़ाजनक उपायकरै २४७ ॥

अधि०—प्रथम मध्यम उत्तम तीनभौतिके जो दंडकहे तिनका निर्विकल्पआशय  
नहीं है कि पूरापूराउत्तम या मध्यम या पूर्वदंड करना किन्तु सर्वत्र वही आशय है  
कि यथापराध के अनुरूप जितनायोग्य समुभाजाय सोइन परिमाणोंवाली नियत  
अवधिके भीतर कल्पितकरना यहसिद्धांतहै अपराधकी गुरुता लघुताके सिवायचि-  
कित्स्य प्राणियोंकी भी उत्तमताआदि ध्यानकरनी जैसे पशुआदि तिर्यक् प्राणियोंकी  
चिकित्सामें उनजीवोंका मूल्य जैसा अधिक अथवान्यूनहो तैसाअधिक अथवान्यून  
दंडभी अपराधके अनुरूप दोसौसत्तरि पणकेभीतर कल्पितकरना एवंजहां मनुष्य  
की चिकित्सामें व्यतिक्रम कियाहोतौ उन मनुष्योंके भी ऊँचे नीचेवर्णके अनुसार  
अधिकदंड अथवा न्यूनदंड उस अपराधके अनुरूप पांचसौचालीस पणकेभीतर  
जैसायोग्य समुभाजाय वही प्रकल्पितकरना-एवंराजपुरुषोंकी चिकित्सामेंव्यतिक्रम  
कियाजानिकर उनपुरुषोंके अधिकार यद्द्वाराजासे समीपता जैसीअधिक अथवायो-  
डीहो तैसाअधिक अथवा न्यूनदंड उसअपराधके अनुरूप एकहजार अस्सीपणके  
भीतर जितनाउचित समुभाजाय सो करणीयहै-एवंमनुरपि (चिकित्सकानांसंबंधीनि-  
ध्याप्रचरतांदमः । अमानुषेषुप्रथमोमानुषेषुतुमध्यमः ) २४७ ॥

( वन्धनागाराद्यधिकारिव्यतिक्रमेदंडः )

अबन्धयं च वन्धनातिवदं यं च प्रसुंचति । अप्रातव्यवहारंच सदाप्योदममुत्तमम् २४८ ॥

ऐ०- यदि कोई बन्धनकर्म का अधिकारी किसीऐसे निरपराधी को कि जोबन्धनमें पहुँचाने योग्यनहीं तिसकोबांधै यद्वाकिसी बँधुआको कुञ्जलालच आदि किसीहेतुसे या गफलतसेही छोड़िदेय या अप्राप्त व्यवहारको कि जिसका व्यवहार अबतकफैसलनहीं होनेपायाहवालातमेंसेछोड़िदेय वहभीउत्तमसाहसदंड दिलाने योग्यहै २४८॥

अधि०-रिशवतलेकर जो विपरीत मुकुद्दमा फैसलकरें ऐसे प्राड्विवाक आदिजी अरख्यार ओहदेदारोंका दंडव्यास कहतेहैं-यथा (न्यायस्थानेगृहीत्वार्थमधर्मणविनिर्णयम्। कुर्वत्युत्कोचकास्तेतुराजद्रव्यविनाशकाः ॥ उत्कोचजीविनोद्रव्यहीनानकृत्वाविवासयेत्) अर्थात्-व्यासकहते हैं कि न्यायकेस्थान कचहरी आदिमेंजे कोईहाकिम आदि अर्थी या प्रत्यर्थीसेधन लेकर धर्म मर्यादोंसे विपरीत ( खिलाफ़क़ानून ) तसफ़ी-यह कियाकरतेहों वेहीउत्कोचक रिशवतखोर लोग राजद्रव्यके विनाशीजानौ क्योंकि जिन अपराधी लोगोंका ठीकन्यायहोनेसे जुरमाना राजघरमेंआता तिनहींको उत्कोचलोभ से निर्दोषीकरिके छोड़िदेतेहैं या प्रायः शुद्धवादीको अपराधीनिश्चितकरतेहैं- इसहेतुसे उत्कोचजीवी लोगोंको धनहीनकरिके राजानिपट विवासकरावै किंतुसर्वथा उसअपराधके अनुरूप धनहरिलेने पीछेओहदेसे उतारिदेवै यद्वाराज्यसे भी बाहरकाड़िदेय-परयह तीव्रदंडकेवल उनकोही कि जिनपर घूसखाना निपट प्रमाणकोभी पहुँचै किंतु जिनकेमध्ये घूसखानेकी विख्यातिमात्र होकर कोई बात सबूतमें न आवै तिनकादंड केवल स्थानांतर करना किंतु अदलीबदली आदि प्रकारोंद्वारा शिक्षादेना योग्यहोगा-इसकास्वल्प तात्पर्यदेखौ दोसौअरसीकी अधिकोक्तिसबसे पिछलेआंक वृहस्पतिके नौ वचनोंमें (अन्यायवादिनःसभ्या) इत्यादिचतुर्थ श्लोक जिसकाअर्थ नीचेलिखा (अदालती अहल्कारजोजो) इत्यादि पायाजावै-बलिक-प्रायःकर्मभेदके अपराधोंवाला न्यायविशेषपूरेतीनसौके मूलश्लोकसे दर्शावैगे और उसकेआगेतीनसौदशके मूलश्लोकसे भी कहेंगेउनदोनोंकी अधिकोक्तेंदेखो २४८ ॥

(तोलानादिभिर्न्यूनदातृवणिजांदंडः)

मानेनतुलयावापियोशमष्टमकंहरत् । दंडंसदाप्योद्विशतंवृद्धौहानौचकल्पितम् २४९ ॥

ऐ०-बांटोंकी न्यूनतासे या तोलडंडीकी चालाकीसेही यद्वा और किसीप्रकारसेजो कोई बनियाँ अष्टमभाग हरै किन्तु सेरका साढ़ेतीनपावदेवै तिसपर दोसौपणका दंड दिलाना योग्यहै और जो इससेअधिक या थोड़ा घाटिदिया होतौभी इसीकेअनुसार दंडअधिक यद्वाथोड़ा कल्पितकरिके लियाजाय-अर्थात् सेरपीछे आधपाव घटनेका यहदोसौ दंडकहागया कदाचित् सेरपीछे तीनछटांक घाटितौले तिसपरदोके तीनसौ करदियेजायँ इसीप्रकार जिसने सेरपीछे एकछटांक घाटिदियाहो तिसपर दोकेएकसौ रहिजायँ इत्यादि यथाकर्मके अनुसार दंडजानो २४९ ॥

भेषजस्नेहलवणगंधधान्यगुडादिषु । पश्येषुप्रक्षिपन्हीनंपणान्दाप्यस्तुषोडश २५० ॥

ऐ०-भेषजनाम औषधवाली कोईवस्तुहों और स्नेहघृतादिरस और लवणऔर गन्ध सुगन्धवाली वस्तुयें और धान्य नाजगुड़को आदिलेकर नानाभांतिकी वस्तुयें जो जो खानेपीने योग्यहों विक्रयके निमित्तकरके खोंटी सड़ीगली आदिहीनवस्तु-सीजातिकीया और किसीजातिकी उसवस्तुमें मिलानेसे वहविक्रयकर्त्ता सोरहपणका दंडदिलाने योग्यहै २५० इसबातको प्रकीर्ण प्रकरणमेंभीहूँदो मनुकावाक्य दोसो छियासी संख्यक श्लोक जो नवमाध्याय संबंधी (अदूषितानांद्रव्याणां) इत्यादिजहां पावै तहां देखो २५० ॥

(द्रव्याणां बहुमूल्यजातिकरणेदण्डः)

मृच्चर्ममणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम् । अजातौजातिकरणे विक्रेयाष्टगुणोदमः २५१ ॥

ऐ०-कोईचीज बेंचने योग्य जो मट्टी या चमड़े या मणिकी जाति मेंसेहो या सूत या लोहा या लकड़ी या बकल या कपड़ा मेंसेहो यद्वा इसीप्रकार कोईखानेकी वस्तु-ओंमेंसेहो जो पुरानी यद्वा सड़ीगली वा ओछीजाति आदि अवगुण युक्तहोने करके थोड़े मूल्यको विकिसकनेवालीहो तिसको कोई विक्रेता अपने लाभलोभों से सुजाति कल्पितकरै तौ वह आठ गुणादण्ड उसविक्रेय वस्तुसेहीपावै-अर्थात्-किसी ओछी खोंटीचीजको बहुत मोलमें बेंचने के मनोरथसे जबकोई विक्रेता पुरुषकिसी अन्य वस्तुकी सुगन्धि या रङ्गति आदि लगाकर बड़ेमूल्यवाली कल्पितकरै और इसधोखे सेही बहुत मूल्यको उसवस्तुका विक्रयकरै तौ उसवनीहुई चीजके बढ़ेहुये मूल्यके हिसाबसे वहवस्तु जितनेकी ठहरै तिससे आठगुणा द्रव्य उसपरदंड लियाजाय-यहों ओछीजातिकी चीजोंको अच्छीजाति बनानेके दृष्टांत जैसे मट्टी में मल्लिकाकी सुगन्धिसे भावना देकर सुगन्धामलकनाम औषधकी हैसियतसे बेंचै, बिलाई के चमड़े पर किसीरङ्गवर्णकी उत्कर्षा कल्पित करिकै व्याघ्र चर्मकी हैसियत से बेंचै, स्फटिक मणिपर कोई रङ्गवर्ण कल्पित करके पद्मरागकी हैसियत से बेंचै, कपासकेही सूत्र में किसी कल्पित गुणकी उत्कर्षा पैदाकरके रेशम सूत्रकी हैसियत से बेंचै, लोहे पत्रमें रङ्गवर्ण आदि गुणोंकी उत्कर्षा कल्पित करिकै रजतपत्रकी हैसियत से बेंचै, बिल्व काष्ठ में चन्दन चूराकी सुगन्धि भावना देकर उसको चन्दनकी हैसियतसे बेंचै, कपास से या और किसीसूत्रसे किसीयुक्ति साथ बुनेहुये वस्त्रको रेशमी कहकर विक्रय करना, गुड़हाई लालशकर में सुफेद खरियामाटीकी भावना देकर उत्तम जातिकी शकरमें बेंचना, गलीहुई बदरङ्ग इलायचीपर खरियामाटीका कल्पदेकर उन्हेंअच्छीकी हैसियत में बेंचना, कुमुमके फूल यद्वा मसूर के अंकुर में केसरिका बीटा देकर

कृत्रिम केसर बेंचना. इत्यादि नानाभौति से समुभना सो सब अजातिकाजातीकरण कहाताहै और वस्तुके अनुमानसेही आठगुणा दण्ड उसपर होताहै २५१ ॥

(कस्तूरिकादिकृत्रिमकरण-मुद्गपण्यव्यत्यासयोदण्डविवेकः)

समुद्गपरिवर्तचसारभाण्डंचकृत्रिमम् । आधानं विक्रयं वापिनयतोदण्डकल्पना २५२ ॥

भिन्नेपणेतुपंचाशत्पणेतुशतमुच्यते । द्विपणोद्विशतोदण्डोमूल्यवृद्धौचवृद्धिमान् २५३ ॥

ऐ०—मुद्गनाम ढकना ढकन तिसकरके युक्त मुँदाहुआ डिब्बा डिबिया आदि जिसके भीतर कोईवस्तु ढकीमुँदी डिब्बासहित नियमात्मक बिका करतीहो कि एक डिब्बाबक्स बंडल इतनेका होताहै-यहां डिब्बाके निदर्शन करके पुड़ियाआदिभी समुभनी जैसे घुटेहुये ईगुरकीपुड़िया या हुलासकी बनारसी पुड़िया आदि ऐसीपण्य वस्तुओंको जो कोई दिखलाने और पसंद करवाने पीछे देतेसमय हस्तलाघव हथचालाकी करकेपरिवर्तनकरै अर्थात् बदलिकर देदेवै जैसे मुक्ताभराडिब्बा दिखलाया वा ठहरायाथा देतेसमय हथचालाकी से स्फटिक भराडिब्बाउसके हाथादिया इत्यादि व्यत्यास्वरूप छलसे जोकुछ बदल करै यद्वा कृत्रिम सारभांड किंतु बनाहुआ नकली कस्तूरी का नाफाआदि सच्चेनाभेकी हैसियत करके गिरवीधरै या बेंचै तौ इन लोगों को जो दंड चाहिये तिसके लेनेकी कल्पना आगे कहते हैं कि २५२ जबतक भिन्न पण अर्थात् एकरूपयाके भीतर भीतर क्रीमतवाला यहछलहुआहो तबतौ पचासपण का दंड उसपर लियाजाय. जिसने पूरे एकपण अर्थात् एकरूपये वाला छल किया हो तिसपर एक सौपण दंड लियाजाय.जिसने दोपणकेमूल्यअनुमानका छल कियाहो तिसपर दोसौपणका दंड कियाजाय. इसीप्रकार जैसाछल का मोल बढ़ताजाय तैसा अधिक दंड हिसावसहित कियाजाय २५३ ॥

(अर्घविकारकारकवणिजांदंडः)

संभूयकुर्वतामर्घसवाधंकारुशील्पिनाम् । अर्घस्यहासंवृद्धिंवाजानतांदमउत्तमः २५४ ॥

संभूयवणिजांपण्यमनघेणोपरुंधताम् । विक्रीणतांवाविहितोदंडउत्तमसाहसः २५५ ॥

राजनिस्थाप्यतेयोऽर्घःप्रत्यहंतेनविक्रयः । क्रयोवानिस्रवस्तस्माद्वणिजांलाभकृत्स्मृतः २५६ ॥

ऐ०—(अर्घ)नाम मूल्य निखंवाजार का जो राजसे निरूपित हुआहो तिसकाहास यद्वा वृद्धि किंतु घटिजाने या बढ़िजानेको जानतेहुये वनियांलोग आपसमें मिलकर कोई ऐसा निखंजारी करै कि जिस्से कारुक और शिल्पियों को कुछवाधा होय तौ प्रत्येक मिलेहुओंको एकत्र उत्तमसाहस दंड किंतु एक साहस पणका दंड इकट्ठा मिलकर उनसे लियाजाय सबसे जुदा जुदा नहीं-कारुक धोवी आदि कर्मान शिल्पी चित्रकारी आदि कामोंके बनानेवाले मजदूर तिनको पीड़ाजिसमे न हो ऐसाप्रत्येक सभी चीजों यथा कारीगरी आदि कामोंका भी निखंहोना योग्यहै २५४ जब कि

व्यापारी बनियां लोग आपसमें कुछ सम्मति करिके बाहरसे आईहुई भर्तीके माल को (अर्घ) से रोकतेहों अर्थात् थोड़े मूल्यको मांगने आदि आग्रहसे उसमाल को बिकने नहीं देतेहों यद्वा इसते विपरीत किसिहेतु करके महंगा बहुत मूल्यसे बिकवातेहों तिनकेलिये उत्तमसाहस दंडकहाहै मन्वादि ऋषियोंने २५५ जवकि दोनों भांति उनपरदंड निश्चित हुआ तौ किसअर्घसे क्रय विक्रय करना योग्यहै सो कहतेहैं कि वणिक व्यापारी आदि समूहसे इकट्ठे राजसन्मुख जोकुछ(अर्घ)मूल्य रो- जीना निख्न निरूपण होताहै तिस निख्नसे क्रयविक्रय दोनोंहोसके हैं उनदोनोंसे जो (निखव) नामभारभूर विचली बचति जितनी राजसे निरूपित होकरछोड़ीजाय कि अमुकामुक पण्यवस्तुके क्रयविक्रयसे प्रत्येक रुपया पीछे एकआना पौनआना की निकासी होगी या विरली स्वर्णादिक रोकपण्योंमध्ये एक पैसामात्रकी निकासी होगी या विरले पण्य जोजो मनगतिकी दरिसे बिकतेहों मनपीछे चारआना आठ आनाआदि जैसालोक प्रसिद्धहो सोई निखव बनियांलोगोंका लाभकारी धर्मयह मन्वादिकऋषियोंने स्मरणकरायाहै २५६ अबइसलाभका निरूपण करनानीचे कहते हैं कि राजाऐसीभांतिसे खरीद विक्री दोनोंकाहीअर्घ नियतकरिके बनियांलोगों का भीलाभ निरूपण कियाकरै २५४ ॥ २५५ ॥ २५६ ॥

( अर्घनिरूपणनियमाः )

स्वदेशपण्येतुशतं वणिगृह्णीतपंचकम् । दशकंपारदेश्येतुयःसद्यःक्रयविक्रयी २५७ ॥  
पण्यस्थोपरिसंस्थाप्यव्ययंपण्यसमुद्रवम् । अर्घोऽनुग्रहकृत्कार्यःक्रेतुर्विक्रेतुरेवच २५८ ॥

ऐ०—अपने देशीपण्यमें बनियां पांचरुपया सैकड़ालाभलेवै और परदेशीपण्य में दशरुपयासैकड़ापावै जोशीघ्रक्रयऔरविक्रयकरै-अर्थात् जोजो बनियारोजरोजमाल खरीदकर तत्कालबेचतेहों तिनकेलिये राजा ऐसानिख्न निरूपितकरै किजो कुछवस्तु अपनेदेशकी उत्पन्नहुई खरीदे तिसमें बीसरुपये केमालपीछे एकरुपया नफा उठे वचिसकै किंतुएकरुपया पीछे पौनआना और जोजो वस्तु विदेशसे भरि आई हैं तिनकोशीघ्र बेचिदेनेपरभी इससेदूनी नफा किंतु दशरुपये का मालबाहर से लाकर जो तत्कालबेचै तौभी एकरुपया लाभका मिलसकना उसको योग्यहै परजो कोईक- हरसे लाकर माल शीघ्र नहींबेचै किंतु कोठी में रखछोड़कर कालांतर से यदि बेच चाहे या निज अपने देशका खरीदा हुआमाल जो कालांतर से कदाचित् बेचावै तिनके लियेयहकुछ नियमनहींहै क्योंकिजवजव कभी बेचेंगे उसदिन का तात्कालिक निख्नजो कुछहोगा तिसकेअनुमार चाहे थोड़ा अथवा बहुतलाभ यद्वाटोटाहोगा सो प्रारब्धके आधीन होगा किंतु राजा केवल शीघ्रकालके क्रयविक्रय मध्ये अर्घनि- रूपित करै २५७ तिसकोभी इम रीतिसेकि पण्यवस्तुके खरीदनेमें जो भाड़ातोना



आदि खर्चलगतैहों तिनकोभी उसमुख्यसौदामें जोड़कर पश्चात् उसका अर्घनिर्-  
पणकरै जिस्सेक्रेता और विक्रेता दोनोंकीरिआयतरहै कि दोनों मेंसे किसीको उस  
अर्घसे कुछहानि या दुःखनहीं पहुंचै २५८ ॥

अधि०-मनुने इसअर्घमध्ये विशेष नियम दर्शितकियेहैं-यथा(आगमनिर्गमस्थानं  
तथावृद्धिक्षयावुभौ । विचार्यसर्वपण्यानांकारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ पंचरात्रे पंचरात्रेपक्षपक्षे  
ऽथवागते । कुर्वीतचैषांप्रत्यक्षमर्घसंस्थापनंनृपः) अर्थात्-आगम, निर्गम, स्थान, वृद्धि  
क्षय, यहपांचांवात प्रत्येक सभी पण्यों में विचार करके राजाअर्घ नियतकरै तिसके  
द्वाराक्रयविक्रय करवावै सो इनपाँच बातों का विचारकरना यहकि यहअमुक सौदा  
कितने योजनदूर देशावर सेभरआया यहतौ आगम काविचारहै और(निर्गम) कित-  
नी दूरतक यहसौदा कहींआगे कोभी जाताहै यानहीं यद्वा इसी देश की उत्पन्नहुई  
अमुक चीज निकसिकर कितनेदूर देशतक जातीहै और (स्थान) कितने कालतक  
यहवस्तुधरी रहसकतीहै और धरीरहने पीछे कितने भावसे विकसकतीहै और कि-  
तनानिर्ख इसका सर्वमनुष्योंको प्रियहोताहै या कितनाभाव रहजाना क्रेता विक्रेता  
में से किसको दुःस्सहहोजाताहै और (वृद्धि) इसमें कितना नफ़ा होसक्ता यद्वाहोताहै  
और (क्षय) उसी वृद्धिमेंसे कितनीहानि अर्थात् कामकरनेवाले मजदूर नौकर आदि  
का कितनाखर्च और हरवक्त ऐसी चीजोंमें किस किसभाँति कितनी कितनी चीज  
हुआकरतीहै इत्यादि सभी चीजोंके विवेक सहित अर्घनिर्ख राजा नियत कियाकरै-  
सो इसरीतिसे कि जो जो चीजें शीघ्र २ भाव पलटतीहों किंतु एकभावसे जो बहुत  
दिनतक न विकसकती हों तिनकाअर्घ पाँचपाँच रातोंपीछे राजा फिरस्थापन किया  
करै किंतुपाँचरात्रि पर्यंत एकवस्तुको एकहीभाव विकनेदेय(और) जोजो चीजें स्थिर  
भावहों किंतु शीघ्रभावनहीं पलटतीहों तिनका अर्घ पखवारे पीछे फिर स्थापनहुआ  
करै ( सो )यहस्थापन राजा अपने विश्वासपात्र पुरुषोंद्वारा उनके सन्मुखकरै जो  
जो वणिज व्यापारीलोगअर्घ भावकी विधि अच्छीतरह जानतेहों २५७ । २५८ ॥

इतिसाहसतुल्यविवादानामुपसाहसरूपाणां प्रभिन्नानांदंडविधिविपयि-

कञ्जनाशीतितमःपरिच्छेदः ७९ ॥

इसपरिच्छेद में व्यवहार जो जो वर्णनहुये सो प्रत्यक्ष गोण साहसरूप कुर्र्म हैं  
अर्थात् मुख्यसाहसका स्वरूप पहिले डकैती आदि भेदोंसे कहचुके हैं (और)आगे  
अरसी इक्यासीवाले परिच्छेदोंके व्यवहारको भी साहसका संबन्धीजाना क्योंकि वे  
भी तुच्छ साहसरूप कर्महैं ॥

इतिसाहसमुख्यविवादप्रकरणम् ॥

साहसका यह प्रकरण अठहत्तरि तथा उन्नासीवाले दोनोंपरिच्छेदमे समाप्तहुआ ॥

अथविक्रीयासम्प्रदानन्नामव्यवहारपदन्तस्यविवेक

वर्णनविषयिकअशीतितमःपरिच्छेदः ८० ॥

इस अस्सी संख्याके परिच्छेदमें वह व्यवहार कहा जायगा कि जिसने कोई माल बेचिकर फिर लेनेवालेको अच्छीतरह सौंपि न दियाहो और इसहेतुसेही उसकोहानि पहुँचीहो॥

इसपरिच्छेद से विक्रीया सम्प्रदान संज्ञक व्यवहार वर्णन करतेहैं और अर्थइस का यह कि (बेचिकरनसौंपिदेना) किसीसौदाका मूल्य वा बयाना क्रेता से लेकर पीछे फरेब या भ्रमेल से वह सौदा नहीं समर्पण करना तिसका न्याय वर्णन करतेहैं-और-तात्पर्य इसका यह कि ७१ संख्या के परिच्छेद में जो न्याय वर्णनहुआ सो वहक्रय और विक्रय के अनुशयका बर्तावाथा कि सौदालिये पीछे क्रेता खोंटा समुभिकर न लेनाचाहै या विक्रेतावेचे पीछे गप्पाखाया समुभिकर न देनाचाहै या देचुकनेपर भी वापिस करलेनाचाहै तिसकी मर्यादें और अवधियाँ नियत हुईथीं कि इसइसभाँति इतनी अवधि भीतर अनुशय होसक्ताहै-अब इसपरिच्छेद में यहतात्पर्यहै कि यद्यपि दोमें कोई एकभी अनुशय करना नहींचाहै तौभी जो विक्रेता अपने क्रेताकोवेचे पीछे माल हवाले नहींकरताहो तबइस प्रकरणके अनुसार न्यायहोवै-तथाहनारदः (विक्री यपण्यंमूल्येनक्रेतुर्यन्नप्रदीयते । विक्रीयासम्प्रदानन्तद्विवादपदमुच्यते)अर्थात्-पण्यक-हिये विकने योग्य चीजकोई सौदा बेचिकर जो क्रेताको न दियाजायतिसके मध्ये जो कुछ विवाद खड़ाहोवै सोई( विक्रीयासम्प्रदान ) नामक व्यवहारपद कहलाताहै-बेचने योग्यद्रव्योंके दोभेद और षट्प्रकारहुआकरतेहैं-तदप्याहनारदः (लोकेऽस्मिन् द्विविधं पण्यं जङ्गमं स्थावरन्तथा । षड्विधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः ॥ गाणिमन्तुलिमं मेयं क्रियारूपतः श्रिया) अर्थात्-इस संसारमें सौदामात्र सभी चीजों के दोभेद हुआ करतेहैं कि उनमें एक जङ्गम तथा द्वितीय स्थावर जानो-इन्हीं दोनों भेदमें क्रीति सौदा लेनेदेनेकी ज्ञानियों ने प्रकल्पित करीहैं उनमें एकरीति प्रथम (गणिमा) की क्रियातहै कि जैसे पान आँव नारियर आदि सहस्रों जङ्गम चीजें गिनकर बेचीजातीहैं । दूसरी (तुलमा) की यह रीतिहै कि सोना चाँदी चन्दन कपूर आदि लाखोंजङ्गमचीजें तराजू से तौलीहुई विकतीहैं २ तीसरी (मेय) मपमा की यह रीतिहै कि गजसे पैमानेसेभी मपिकर यथा कपड़ा आदि सहस्रों चीज जङ्गम तथा धरती आदि वि-ली स्थावर भी नपानेसेही विकतीहैं यहाँ पैमाना कहनेसे मनदोमन आदि के टोके भावे सन्दूक मृत्पात्र आदि जिनमें अन्नादि नन्हींचीज भरिकर भरमा विकतीहैं ४ जालफाँसी में बाँधिकर भूसा आदि विकता जानो ३ चौथीरीति क्रियासेही विकने की प्रसिद्धहै कि वहुनेरे पशुपक्षी आदि नरपर्यंत जङ्गमजीव और अद्रुत कामकर्म वाली कलको आदि लेकर नानाभाँति के स्थावर भी समुभने इनसे उत्तम मन्व

काम चलसकनेवाली क्रियाकेही अनुसार इनकामोल कियाजाताहै दृष्टांत जैसे यह भैंस इतना दूध देसक्तीहै. यह बैल इतना बोभ खींच सक्ताहै. यहघोड़ा पाँचगजकी ऊँचीभीत कूदजाताहै. इसमें इतना सिर्फ क्रदमहै. यहऊँट सौकोस धावा करनेकी दम रखताहै.यहकुत्ता घरमें चोरनहीं आनेदेता. यहमैना बड़ीभेदूहै. इसदास यद्वा दासी में अमुकामुक स्वामि शुभचिन्तकता आदि अपूर्वगुण विख्यातहैं. इस घटिका यन्त्र में पल विपलकाभी अन्तर नहीं आता और इतनी दीर्घ अवधितक यह भूँठी नहीं पड़तीहै. यह घटिका सोते स्वामीको अपेक्षित कालपर सम्बुद्ध करदेतीहै. इत्यादि असंख्य चीजें सिर्फ क्रियाकेही गुणसे विक्रय होतीहैं कुछ तौलनापसे अपेक्षा अधिक नहीं रखती ४ पाँचवीं (रूपसे) क्रय विक्रयकी यहरीतिहै कि पण्यवस्तुका स्वरूप आकार डीलडौल आदि सिर्फ निगाहसेही देखकर मुलाई जातीहै कुछतौलनाप गिनती से सम्बन्ध विशेष नहीं ऐसी लक्षोंचीज होतीहैं और इनमें से भी होतीहैं जो ऊपर वर्णन करीगई ५ छठे (श्रिया) अर्थात् कान्तिसेही सौदा बिकनेकी यहरीतिहै कि जैसे मरकत पद्मराग आदि रत्नोंका मूल्य उनकीदीप्ति कान्तिकेही अनुसार ठहरा करता है ६ इनमें यह कुछ नियम नहीं है कि एकएकभाँतिकी चीजें सिर्फ एकही रीतिसे बिकसक्तीहोंगी किंतु बहुधा चीजें कईकई रीतिसेभी बिकतीहैं जैसे सुपारी नारियर आदि चीजें तोल और गिनतीसेभी एवं घोड़ा उक्त क्रियासे और डीलडौल आदि रूपसेभी देखाजाताहै एवं दासीमें रूप तथा क्रियाकर्म आदि गुणभी देखेजायँगे. एवं रत्नोंमें कान्ति और बड़ाई छुटाई तथा गुणदोषभी परीक्षा कियेजायँगे धरती में नाप के सिवाय उसके स्थलकी विशेषता तथा पैदावारी आदि गुणभी देखेजायँगे इत्यादि और सबको समुक्लिलेना-उक्त छःप्रकारों में से कोई भाँतिका सौदा जो विक्रेता विक्रय करनेपीछे अनुशय रहित क्रेताको मांगने परभी नहींदेवै तब जो न्याय करनायोग्य है सो वेही नारद कहतेहैं-यथा (विक्रीयपण्यंमूल्येनक्रेतुर्योनप्रयच्छति । स्थावरस्यक्षयं दाप्योजङ्गमस्यक्रियाफलम् ॥ अर्घश्चेद्वहीयेतसोदयंपण्यमावहेत् । स्थायिनामेष नियमोदिरलाभंदिग्विचारिणाम् ॥ उपहन्येतवापण्यंदहेतापहियेतवा । विक्रेतुरेवसोऽनर्थोविक्रीयासंप्रयच्छतः ) अर्थात्-जो कोई विक्रेता अपने बेचेहुये सौदाका मोल लेकर किसी अनुशयके न करनेवाले क्रेताको मांगनेपरभी नहीं समर्पणकरे और वह सौदा यदि स्थावर धनकाहो तो स्थावरका क्षयद्रव्यभी विक्रेतामेही क्रेताको दिलाया जाय अर्थात् जितने दिनों सौदा रोकिरक्खाथा उतने दिनमें उसीवस्तुको वर्तावे में लानेआदि उपभोगों से जो वस्तुका क्षय समुभाजाय या विक्रेतापर उसवस्तुका भाड़ा आदि लेना सूचित होसक्ताहो यद्वा क्रेता सञ्जीरीतिसे कुछ और हानि सवृतको पहुँचादेवे कि इसस्थावर सौदाके रुकेरहनेसे मुभको इतना नुकसान अमुक मार्गसेहुआ

तौ यह क्षयका द्रव्यभी उस स्थावर के साथ उसे दिलायाजाय कदाचित् सौदा कोई जड़म धनमें गिनतीहो तौ उसवस्तुसे जो काम धन्धा सुखआराम आदि क्रियाफल मिलसक्ताथा विक्रेताने वहरोकिरक्खा उतनेक्रियाफलका प्रतिकार जो कुछद्रव्य समु-  
 भाजाय सोभी उसी सौदाकेसाथ उसे दिलायाजाय(सो)यहदोनों नियम जो नुकसान दिलानेमध्ये कहेगये केवल उसभाँति के सौदाओंसे सम्बन्ध रखतेहैं कि जो व्यापारी माल नहो किंतु बर्तावे के निमित्त से क्रयकियाहो क्योंकि वणिज व्यापारवाली वस्तु-  
 ओंका न्याय अगले वाक्यसे दर्शातेहैं-जब कोईसौदा ऐसारोकि रक्याजाय जो व्या-  
 पारके निमित्त से खरीदा गयाहो तिसका मूल्य जो घटिजाय तौ वहसौदा उदय सहित विक्रेताभरै इसका दृष्टांत जैसे दोआनाकम दो रुपया मनकी दरिमें सौमनकोईमाल  
 क्रेतानेविक्रेतासे क्रयकिया और विक्रेता आठ दिनतकमाल रोकेरहा आठवेंदिवसदेते  
 समय वहीवस्तु डेढ़रुपया मनकी दरिमें बिकनेलगी तौ अब देतेसमय वहीवस्तु दो  
 आनाकम दोरुपयेकी सवामन मिलसक्तीहै इसलिये सौमनके बदले सवासौमन देकर  
 उसकापीछा छुटिसक्ताहै और आठदिनका व्याजभी कि जितने रुपये उसकेपास क्रेता  
 के पहुँचेथे और आठदिनतक जमारहे (औरजो) मूल्य घटा नहो किंतु ज्योंका त्यों  
 तुल्यात्मक वहीभाव अवतक हो या कुछमूल्य अधिक लगने लगाहो तौ फिर सिर्फ  
 व्याज और जो राजद्वारमें पहुँचनेहेतु हानिहो तिसके सहित वही पण्यक्रेताको दि-  
 लायाजाय यहभी नियम केवल स्थायी लोगोंका समुभना जो जो उसीनगर में उस  
 मालको खरीदे पीछे बेचसकतेहों किंतु बाहरको लेजाकर जो बिचरनेवालेहों तिनको  
 वहीलाभ दिलवायाजाय जो देशांतरमें बेचनेसे मिलसकताथा-कदाचित् मालरुका  
 रहनेके हेतुसे विक्रेताकेपास टूटि फूटिगया यद्वा आगि से जलिगयाहो यद्वा चौरांकरके  
 हरागयाहो इत्यादि कोई भाँतिसे जो नाशहुआ सो विक्रेताका अनर्थजानो किन्तु उ-  
 सहीको सवदेना होगा क्योंकि उसने बेचेपीछे रोकिरक्खा अब इनसभी वचनोंके  
 भावार्थको योगेश्वर सिद्ध करतेहैं ॥

गृहीतमूल्यंयःपण्यंक्रेतुनैवप्रयच्छति । सोदयंतस्यदाप्योऽसौदिग्लाभंवादिगागते २५९ ॥

ऐ०-गृहीतमूल्यपण्य अर्थात् जिस किसी सौदाकामूल्य विक्रेता ने लेलिया वही  
 सौदा जो माँगतेहुये क्रेताको नदेवै औरवह क्रेता उसी वस्तुमें व्यापार करताहो तौ  
 विक्रेतासे उदय सहित पण्य दिलवायाजाय ( उदयशब्द यहां लाभनफा और व्याज  
 वृद्धिकाभी बोधकहै ) अर्थात् विक्रयकरते समय जितना सौदा जितने मूल्यसे ठहरा  
 था वहीसौदा अब कालांतर में समर्पण करते समय थोड़े मूल्यसे मिलनेलगा तौ  
 इसमूल्य घटिजानेसे जो पण्यवस्तु का उदय समभागया कि इतनासौदा अधिक  
 बढ़ाने से तुल्यात्मक उतने मूल्यकी मालियत अब होसकेगी जो पहले मूल्यदियथा

तौ यह उदयरूप सौदा इतना अधिक बढ़ाकर उससे वही चीज दिलवाईजाय यद्वा वह चीज एकरूपवाली ऐसी हो जिसका बढ़िसकना या मिलसकना दुर्लभहो तौ फिर उतनेदाम रोकवापिसकरवाकर चीज वही उतनी दिलवाईजाय यद्वा मूल्यघटा न हो किंतु पहिलाभाव अब तकदेतेसमय प्रवर्तित हो तौ फिरवहीचीज दिलवानेके उपरांत उतने दिनका व्याजभी विक्रेता से दिलायाजाय जितने दिनतक मूल्यद्रव्य उसके पास निरर्थक रुकारहा और यहव्याज उसी प्रकरणकी मर्यादोंसे दिलायाजाय जिस में सिर्फ व्याजवृद्धिकी मर्यादेंनियत हुईथीं अथवा( निक्षेपवृद्धिशेषचक्रयंविक्रयमेवचा याच्यमानमदत्तंचेद्धर्धतेपचकंशतं ) इसवचनकी मर्यादा से उसव्याजका हिसाब जोड़ा जाय यद्वा इसी दशामें वह लाभ उसको दिलवायाजाय जो पहिले सौदा मिलने से अबतक उसी नगरमें बेचतेहुये नफाखड़ा होसक्ताथा परपण्यके न मिलनेसेमिटगयापर जो सौदा महंगा होकर मोलअधिक लगने लगाहो जिससे क्रेताको अब हाथ आने परभी नफाहोना संभवहै तौ भी उसी पण्यके दिलाये जाने उपरांत क्रेता की हानिभी दिलाईजाय जैसीस्थावर जंगमभेदसे नारदके वचनानुसार ऊपरकहीथी कि विक्रेताका उपभोग भाड़ाआदि जोकुछ संभवहो. यहतो तीनपादोंका सब अर्थहुआ चौथे चरणसे अबकहतेहैं कि दिगागतक्रेताको दिग्ग्लामसे दिलायाजाय अर्थात् जो कोईक्रेता किसीदेशांतर से इसमालको खरीदनेआया और देशांतरको लेजानेकेही अर्थसे यह सौदाउसनेकियाहो जिसको विक्रेताने मोल पटिजानेपर भी अबतकनहीं समर्पण कियातौ उसपण्यके दिलवानेसे उपरांत में वहलाभभी दिलायाजाय जितना उतनेदिनोंतक देशांतरमें लेजानेसे होसकना संभवहो उसीभांति के व्यापारीजनसे निर्णयसब करवायाजाय २५६ ॥

अधि०—विक्रेतासे क्रेताकोसामान्य हानिमात्र जहांजहां दिलानीइसमें वर्णनहुई तहांतहां उसहानिकाभी दिलवाना समुभ्नाजाय जोकुछ राजद्वारमें पुकारकरने आदि उपायोंमें व्यय करनापराहो-केवलक्रेताकी हानिकाही दिलवाना नियमनहीं समुभ्ना किन्तु विक्रेतापर कुछ राजदंडभी आवश्यकहै कि जिससेकोई फिरभी ऐसा न करै-तथाचविष्णुः(गृहीतमूल्यंयःपण्यंक्रेतुर्नैवदद्यात्तत्तस्यसोदयंदाप्योराज्ञाचपणशतंदंड्यः) अर्थात्-लियेहुये मूल्यकापण जोक्रेताको न देवै तौवहपण्य उसका उदयसहित दिलवानेयोग्य है और राजाकोभी सौपणतक दंडदिलाने योग्यहै-यहांतक-जोकुछन्याय वर्णनहुआ सोसब उसीअवस्थामें समुभ्ना जबकि विक्रेताअनुशयकरनानहीं चाहिकर संतुष्टवेठाहो यद्वा अनुशयकी अवधि बीतगईहो-परंतु -जो अनुशय करनेकी अवधि वर्तमानहो और विक्रेता अनुशयकरना चाहिकर बेचेहुये सौदाको न देनाहो या क्रेताउसी अवधिभीतर अनुशयकरना चाहिकर उमवस्तुको न लेनाहो तिनदोनों

की अपेक्षामें कात्यायनजी कुछविशेष विधिकहतेहैं-यथा ( क्रीत्वा प्राप्तं न गृह्णीयाद्यो न दद्याददूषितम् । समूल्याद्दशभागंतुदत्त्वास्वद्रव्यमाप्नुयात् ॥ अप्राप्तेऽर्थक्रियाकाले कृतेनैवंप्रदापयेत् । एषधर्मो दशाहंतुपरतोऽनुशयो न तु ) अर्थात्-जो कुछसौदा (प्राप्त) रूपहो किन्तु प्रकर्षसहित प्राप्तनाम बहुतठीक और निर्दोषहो ऐसेपण्यको क्रयकरने पीछे क्रेता अनुशय चाहिकर संप्राप्तहोतेहुये न लेवै यद्वा विक्रेतावेचे पीछे अनुशय चाहिकर उसबस्तुको न देवै किन्तु देचुकनेपरभी वापिसकरलेना चाहै तौयहक्रेता या विक्रेता उसी ठहरेहुये मूल्यका दशांश अपने प्रतिपक्षीको कर्दारूपदेकर अपना मूल्य रूपीद्रव्य यद्वासौदारूपी द्रव्यवापिस करिपावै अथवापहिले दिया न हो तौ फिरदेने से छुटकारापवै-परइस उक्तदशांशका दिलवाना दोनोंपक्षियोंमें से किसीपर उसदशा में आवश्यकहै यदिपण्यरूपी अर्थकोकुछ क्रियाकाल पहुँचाहो और दशदिन भीतर आदि अनुशय होसकनेवाली अवधियां वर्तमानहों अर्थात् पण्यवस्तुओंकी कुछ क्रियाकाल जबतकनहीं पहुँचाहों तौ अवधियोंके भीतर अनुशय कर्तापर दशमांश नहीं दिलायाजाय-क्रियाकालका यहभाव है कि जैसेगऊ खरीदीगई वहीपण्य द्रव्यहै वहजब तक दुहीं न जाय तद्वत् बैलहै वह जोतानहीं जाय तबतक क्रियाकाल को न पहुँचा समुझाजायगा इत्यादि अन्य वस्तुओंमेंभीयथासंभव उनके क्रियाकालजानो तिनके बर्तावासे पहिलेयह दशमांश देनेबिनाही निजद्रव्य वापिस करिपावै यहसिद्धांतहै परदश दिवसोंके भीतरमें यहधर्मजानो क्योंकि दशदिनके उपरांत अनुशय होतानहीं-यहांदशदिनके निर्दर्शनमात्रसेउनसबही अवधियोंकोसमुझनाजो १८२ वाले मूलश्लोक और अधिकोक्तिमेंभी निश्चितहुईहों क्योंकियहां अनुशयकाप्रासंगिक चर्चामात्रहै अर्थात् यदिअनुशयकेही नामसे विवादखड़ाहोवैतौ इकहत्तर ७१ संख्यावाले परिच्छेदसे निपटाराकरनाहोगा जिसमें बहुधाहीविशेष और सामान्यभी मर्यादेंउसकी नियतहैं तत्रैव १८२वाले मूलश्लोकद्वारा अवधियांभी अनेकभांतिकी कि जैसीजैसी पण्य वस्तुओंकी भिन्नात्मकजाति विशेषहों तिनकीभिन्नभिन्न अवधी जानो किन्तु दशदिनवाला कथन यहसामान्य एक निर्दर्शन है २५६ ॥

(विक्रीतस्यपुनर्विक्रयणंच)

विक्रीतमपिविक्रेयंपूर्वक्रेतर्यगृह्णति । हानिश्चेत्क्रेतुदोषेणक्रेतुरेवहिसाभवेत् २६० ॥

१८२-पूर्वक्रेताके न लेनेमें विक्रीतभी विक्रेयहै अर्थात् जो पहिला खरीदार सोदा ठहरे पीछेलेतानहीं हो या लेनेमें कुछआग्रह खड़ाकरताहो तौ विक्रेताउसी वेचेहुये सोदाको अन्यत्रवेचिदेवै इसमेंदोषानहीं बलिकजोक्रेताकेही दोषोंसे कुछहानि खड़ीहो सोउस क्रेताकोही पहुँचे अर्थात्जोअच्छी निर्विकार चीजहोतेहुये और विक्रेताकिसी दानेकीइन्कार न होतेहुये न ली होतौउस विक्रेतेद्वारा सस्तेमहँगेका जो सोदाहोम



विक्रेता उसकेमूल्य वा बयानामेंसे काटिलेवै या राजदैविक विघ्नोसे उसभ्रमेलेमें कुछ हानिहो तौभी उसीक्रेतासे भरलीजाय २६० ॥

अधि०—नारदोपि(दीयमानंनगृहणातिक्रीत्वापण्यंचयःकरी । विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेतानापराधनुयात्)अर्थात् नारदभी योगीश्वरकेही तुल्यन्याय कहतेहैं कि-सौदाकि-येपीछे विक्रेताकरके देतेहुयेभी जबक्रेता नहींलेताहै तबअन्यत्र बेचताहुआ विक्रेता भी अपराधी नहींठहरै-परंचनिरपराधी उसीअवस्थामें होसक्ताहै जो सौदाउसकानि-र्विकारहो और वह क्रेतानहींलेताहोतबयह पुनर्विक्रयकरै अर्थात् जोसौदाकी बानगी अच्छी दिखलाकर पीछेखोंटा सौदादेदेनेको समुद्यतहुआहो और इस खोंटापनसेही क्रेतानेलेना थांभिदिया हो तौ फिरचाहे तैसीहानि इस विक्रेताकोहोजावे उसमेंक्रेता को कुछहानि भरनेसे अपेक्षानहीं समुभनी क्योंकि इसमेंक्रेताका कुछदोषनहीं इसी निमित्त ऊपरमूल श्लोकमें योगीश्वर ने यहकहाहै कि जो क्रेताके दोषकरके हानिहो वहीहानि क्रेताको पहुँचाई जासक्तीहै न उस्से अधिक(और) इसी हेतुसे सदोष चीज देनेवालेको दण्ड नारद कहतेहैं-यथा(निर्दोषंदर्शयित्वातुसदोषंयःप्रयच्छति । समूल्यां द्विगुणंदाप्योविनयन्तावदेवतु ) अर्थात्-अच्छी चीज की बानगी दिखलाकर पीछे सड़ी गली भीगी आदि खोंटी जो देदेता है वहउस दी हुई खोंटी वस्तुकेही मूल्य परिमाणसे दूनाद्रव्य क्रेताको दिलाने योग्य है और उसी समान राजदण्डभी दि-लवायाजाय २६० ॥

(अप्रयच्छतोविक्रेतुर्हानिः)

राजदैवोपघातेनपरण्येदोषमुपागते । हानिर्विक्रेतुरेवासौयाचितस्याप्रयच्छतः २६१ ॥

ऐ०—क्रेताका मांगाहुआ सौदा यदि विक्रेता नहीं समर्पणकरै और इस विलम्ब में जो वहीसौदा राजदैव सम्बन्धी किसी उपघात से कुछ विकृत होकर दोषिल हो-जाय तौ यह नुकसान उसी विक्रेताके जिम्मेहै इसलिये उसकेतुल्य वहीवस्तु विक्रेता और खरीदकर या घरसे निपट अदोषिल जैसी पहले देनी ठहरीहो तैसी क्रेता को दिलवाने योग्यहै २६१ ॥

अधि०—यहाँ मांगतेहुये भी न देवै ऐसा कहनेसे यहन्याय समुभाजाताहै कि जो उसक्रेताने न मांगाहो और इसविलम्बमें वहसौदा किसी राजदैविक उपघातसे वि-नाशहोय तौ विक्रेता उसकी हानिभरनेका अपराधी नहीं है-इसीलियेनारदकहते हैं-यथा ( उपहन्येतवापण्यंदह्येतापह्नियेतवा । विक्रेतुरेवसोऽनर्थोविक्रीयासंप्रयच्छतः ) अर्थात्-वहसौदा चाहे विगड़जाय या जलिजाय चोरी आदि में भी हराजाय यहसब हानिरूप अनर्थ उस विक्रेताकाही निश्चितहै जो उमने बेचेपीछे अच्छीतरह क्रेता को न सांपिदियाहो किंतु विक्रेताको यह योग्यथा कि क्रेताके न मांगनेपर भी उमकी

चीज उसके जिम्मे थापिदेता-इसीसमान क्रेताका अपराध नारद कहतेहैं-यथा ( दीय मानन्नगृह्णातिक्रीतंपण्यंचयःक्रयी । सएवास्यभवेदोषोविक्रेतुर्योप्रयच्छतः ) अर्थात्-क्रय कियाहुआ सौदा जो कोई क्रेता देतेहुयेभी न लेवै तौ इसक्रेताको भी वहीदोष होवे जो विक्रेताको न देतेहुये होताहो-इस में न्यायदृष्टिसे यहध्यान करना योग्यहै कि जहाँक्रेताका अपराध पायाजायकि उसनेदेतेहुये भी निजसौदा नहींसम्हारिलियातहाँ इसका यहफलहै कि विक्रेता उसकामूल्य वापिस न करै जोकुछ पहले पहुँच गयाथा (पर) इसकथन से कि देतेहुये न लेवै एकयहभीबात खड़ीहोतीहै कि जो विक्रेताने सम्हारिलेनेकी प्रेरणा उसपर न करीहो तौ इस न लेनेसेभी मूल्य हानिका कुछचर्चा नहीं समुभना-इसी द्विविध आशयसे कदाचित् जहाँ ऐसा वानक बनिआयाहो कि नतौ क्रेतानेमांगा न विक्रेताने लेजानेकी प्रेरणाकरी इस अलसेट में जो सौदाबिगई यद्वा चोरीजाय तहाँ कौनसे का अपराध निश्चित कियाजाय और वहहानि किसके जिम्मेहै सो इसअवसरमें उनदोनोंकी बराबर हानिहोगी क्योंकि उसकातौ न मांगने का अपराधहुआ दूसरेका न देनेका कि उसने यादकराकर उसेसोंपि नहींदिया इसे दोनोंही तुल्यात्मक हानिभोगें यहीन्याय दाक्षिणात्य देवणभट्टनेभी स्मृतिचन्द्रिकामें निरूपण कियाहै (और) यही आशय ऊपरले २६० वाले मूलश्लोक में योगीश्वर ने दर्शायाथा कि जहाँ क्रेता के दोषकरके हानिहुई समुभीजाय तहाँ उसका भोग भी उसक्रेताकेही जिम्मेहै २६१ ॥

(अहेतुकपुनर्विक्रयणेदण्डः)

अन्यहस्तेचविक्रीतंदुष्टंवाऽदुष्टवद्यदि । विक्रीणीतेदमस्तत्रमूल्यात्तुद्विगुणोभवेत् २६२ ॥

ऐ०- जोकोई विक्रय करनेवाला किसीके हाथवेचै पण्यको अनुशय विनाभी जब और के हाथ वेचिदेवै या दुष्टदोषयुक्त वस्तु अदुष्टके समानवेचै किंतु दृष्टांत जेमे गुड़हाई खोंटी शकरमें सफेदखरियामाटीकी पुटदेकर उसेसफेद शकरके भावसेहीवेचै इत्यादि तबइन प्रत्येक जुदे अपराधों में यहदण्डहै कि वस्तुकेही मूल्यसे दूनाद्रव्य उसपर लियाजाय और उसक्रेताकोभी अच्छीवस्तु जैसी प्रथम वानगी देखकर क्रय ठहराहो सो दिल्वाईजाय २६२ ॥

अधि०-नारद ने भी यहीनियम कियाहै-यथा( अन्यहस्तेतुविक्रीययोऽन्यस्मैतत्र यच्छति । द्रव्यन्तद्विगुणंदाप्योविनयन्तावदेवतु ॥ निर्दोषदर्शयित्वातुसदोषयःप्रयच्छति । समूल्याद्विगुणंदाप्योविनयन्तावदेवतु ) अर्थात्-नारद कहतेहैं कि अन्यक्रेता के हाथ पहले वेचिकर जो और को देदेवै ऐसा विक्रेता उत्तनेमूल्य या बयानासेही दूना द्रव्य वापिस करवाने योग्यहै कि जितना उसने पहिले लियाहो और उसदूनेके समान राजदण्डभी इसीप्रकार जो निर्दोष वानगी दिखलाकरपीछे खोंटीचीजभेई वह

भी दूनामूल्य वापिस करवाने योग्य है और उसीसमान राजदण्ड-सो-यहदण्ड ऐसी दशामें समुभना जिसने जानिबूझिकर यहकियाहो कि अच्छी दिखलाकर खोंटीतौलि दी यह सिद्धान्त इस अग्रोक्त वचन से संसिद्ध है-यथा बृहस्पतिः ( ज्ञात्वासदोषयः पण्यविक्रीणीताविचक्षणः । तदेवद्विगुणंदाप्यस्तत्समंविनयन्तथा ) अर्थात्-जानिबूझिकर जो कोई अविचक्षण विक्रेता किसी क्रेताको सदोष पण्य बेचै वहीदूना दिलवाया जाय और उसी समान राजदण्ड भी-आशय इसका यह कि जिसने इच्छाविना किसीभूलसे देदियाहो तिसको दंड नहो सिर्फ सौदा वापिस करवाया जाय और क्रेताकाभी वही उतना मूल्य जो कुछ दियाथा सो वापिस कियाजाय-बल्कि जहां धोखेसे देदेना हुआहो तिसके लिये सिर्फ सौदा वापिस होजाना किसी अन्यविषयके स्थलपर बृहस्पतिने दर्शायाहै-यथा( मत्तोन्मत्तेनविक्रीतंहीनमूल्यंभयेन वा । अस्वतंत्रेणमूढेनत्याज्यंतस्यपुनर्भवेत् ) अर्थात्-जोमतवारेने या उन्माद युक्तने बेचाहो या हीन मूल्य किसी औरनेभी या भयसे बेचि दियाहो जिसका बेचिदेना कुछ आवश्यक नहींथा यद्वा अस्वतंत्र किसी स्त्री पुत्रादिकने या मूढने कि जिसको सौदा करने का अधिकार तथा ज्ञान न हो तिसने बेचाहो यह सब सौदावापिस करने होते हैं और किसीकीकुछहानि यद्वादंडइसमें नहींहोता( अथादत्तमूल्यपरण्यस्यव्यवहारः)-ऊर्ध्वोक्त सभी मर्यादें जो जो सौदाकेकय विक्रय मध्ये दंडआदि कहेगयेसोसब उसीअवस्था का वर्तावाहै कि जहांमूल्य पहिले लियादिया गयाहो-तदप्याहनारदः(दत्तमूल्यस्यपण्यस्यविधिरेषःप्रकीर्तितः । अदत्तेऽन्यत्रसमयान्नविक्रेतुरविक्रयः ) अर्थात्-मूल्यदिये हुये पण्यका यहविधान व्यौरेवार कहागया किंतु मूल्यके नदेनेमें ऊर्ध्वोक्त दंडआदि नियमोंका कुछ नियम नहीं-इसीलिये उत्तरार्धसे फिर कहते हैं कि विनादिये मूल्यके सौदामेंसमयसे अन्यत्र विक्रेताका अविक्रय नहींहै अर्थात् मूल्यके न देनेमेंभीसौदा वाणीमात्रसे ठहरने पर जो दोनोंके परस्पर कोईभांति का ( समय ) नाम इकरारपक्का हुआहो कि देखो अमुक समयतक यह मालमेराहुआ अगर उक्तसमय तक मैंनहीं आऊँ तव तुम औरको देदेना,देखो भाई वदालि मतपरना मैं अमुक मनुष्यके हाथ अमुक मालभेजोंगा रूपये का भुगितान इस इसदंगसे करलेना मुभको स्वीकारहै यह मालतुम्हारा हुआ,इत्यादि कोई भांतिकाइकरार परस्पर पक्काहुआहो तव तो मूल्यका भुगतान आदि प्रथम न होजानेपरभी विक्रेता किसी औरको यह सौदा नहीं देसक्तगहे कदाचित् इकरारको उल्लांघकर देदेवे तव यह विक्रेता मंविद्व्यतिक्रम का अपराधी निश्चित होगा ( या ) वहक्रेताही इकरारको उल्लांघे तो अपराधीहोगा पर जब ऐसाकोई इकरार भी न ठहराहो तो फिर मूल्यके न देने में सामान्य वाणी-मात्रसे ही सौदाके ठहराने पीछे विक्रेता या क्रेता वदालि जावे किंतु किमी और को

देदेवे या वहलेने नहीं आवे तौ इनदोमें कोई एकभी अपराधीनहीं है ( अथसत्यंकार-  
व्यस्यव्यवहारः ) सत्यंकार द्रव्य अर्थात् बयानासाई का रुपया पैसा जहांइस हेतुकरके  
दियागयाहो कि सिर्फ बातोंकाही सौदा न कहिलावै किन्तु बयानादेनेसे पक्काहोजाय-  
इसका कोई निश्चित नियम नहीं है कि कितनाहो किन्तु जैसाबड़ा सौदाहो तैसाअ-  
धिक बयाना दियाजाता है इस अनियमकेही हेतु बयाने में भी एक और दशवीस  
आदि लेकर सौ दोसौ बल्कि सहस्रांतक रुपया पहले विश्वासार्थ दियाजाताहै कि  
जिस्से ग्राहक पक्कासमुभाजाय-जहां बयाना दिये पीछे क्रेता पण्यभूँठा करै तिसका  
न्यायव्यासजीने कहाहै-यथा ( सत्यंकारं च यो दत्त्वा यथा कालं न दृश्यते । पण्यं भवेत्तिसृष्टं  
तदीयमानमगृह्णतः ) अर्थात्-जो कोई क्रेता सत्यंकारसंज्ञक द्रव्य बयानाभी कुछदेकर  
सौदालेनेके यथोक्त कालपर दिखाई नहीं देवै किन्तु लेने नहीं आवै तौ वह पण्य  
निसृष्ट होवै अर्थात् वह सौदा भूँठाहोकर छूटिजावै और सिद्धांत इसका यह कि  
ऐसे क्रेताकाबयाना नहीं वापिस होगा और विक्रेताको यथोक्त कालवाते पीछे यह  
स्वातंत्र्यहै कि सौदाचाहे तिसके हाथ बेचिदेवै इसी आशयसे यह चौथापादहै कि ( दीय-  
मानमगृह्णतः ) अर्थात् सौदाऐसी भांतिसे छूटिजावै जैसे देतेहुये न लेनेकी दशमें वि-  
क्रेताको अन्यत्र बेचिदेनेका स्वातंत्र्य हुआकरताहै किन्तु यहांउसका समयपर मौजूद  
नहोनाही यह समुभाजाय कि उसनेदेतेहुयेभी लेनेमें इन्कार वा अलसेट करी-जहां  
कहीं-बयाना दाखिल हुये पीछे विक्रेता उसके संविद् आदि नियमोंको उल्लंघि किन्तु  
यथोक्त अवधि भीतर अन्यत्र बेचिदेवै या निपट विक्रय करनेसे हटिजावै इत्यादि  
किसी भांतिसे अपराधी बनै तौ वहलियाहुआ सत्यंकार द्रव्य दूना करिके वापिस  
करै यह ऊपरले व्यासवाक्यसे भी स्वतःसिद्धहोचुकाहै कि जैसे बयानामें दशरुपये  
दियेहुये क्रेताके अपराध हेतुसे फिर लौटि उसके हाथ न आवैं तैसे विक्रेताके अप-  
राध हेतुसे विक्रेताको बयानाकी वरावरद्रव्य देनापरै अर्थात् दशरुपये उसकेवापिस  
करने के सिवाय अपने पाससेभी दशरुपये देनेपरै ( सो ) इसवार्ताको योगीश्वर ने  
प्रथमही अधिप्रकरणके स्थलमें ६२ वासठि मूलश्लोक वाले उत्तरार्धसे दर्शायाहै-  
तद्यथा ( सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत् ) अर्थात्-सत्यंकार द्रव्यजोबयानाआदि  
रीतोंसे विक्रेताको कुछ दियागयाहो चाहे रोक रुपया यद्वा कोई भषणआदि वस्तु  
जो बयानाके प्रकारसे विक्रेताको समर्पण हुईहो और विक्रेता उसकेलियेपीछे संविद्  
का व्यतिक्रम करै जिस्से ठहिराहुआ सौदाक्रेताके हाथ नहीं आवै तौ उसक्रेता के  
संतुष्टिके निमित्त उतना द्रव्य उस्से दूना करिके वापिस करवायाजाय और जोव-  
पिस करनेमें इन्कार आदि कोईआग्रह खड़ाकरै तिसका दंडभी उसद्रव्य के समान  
होना सूचित है २६२ आगे दोसौतिरसठि मूलश्लोकसे विशेषकर वाणिज्यआदि

व्यापारोंके निरन्तर करनेवाले बणिग्जनों के मध्ये अनुशय करनेका प्रतिषेध करते हैं कि उन्हें ७१ संख्यावाले परिच्छेद से निरर्थक अनुशय करना योग्य नहीं २६२ ॥

( अनुशयोपिवाणिग्भिर्नैवकर्तव्यः )

वृद्धिक्षयवावणिजापण्यानामविजानता । क्रीत्वानानुशयःकार्यःकुर्वन्पड्भागदंडभाक् २६३ ॥

अक्ष०— पण्योंकी वृद्धि या क्षयको नहींजानते हुये क्रयकरने पीछे व्यापारीको अनुशय करना योग्य नहीं करता हुआ षष्ठांश दंडभागीहो २६३ ॥

अभि० — इसवचनका सिद्धांत सिर्फ इतनाहै कि अनुशयका स्वरूप जो इकहत्तरि ७१ संख्याके परिच्छेद में यथार्थ वर्णन हुआथा उस अनुशयको कदाचित् भी व्यापारीलोग नकरें क्योंकि हरवक्त उनका कामयहीहै कि प्रत्येक सौदाके गुणदोष यद्वा भावकीक्षय वृद्धिआदि समुभि बूभिकरखरीदें तथावेचें बल्कि अनुशय करनेकानाम लेतेसार वही बनियाँ अपने व्यापारमध्येकच्चा बड़ामूल्य समभाजाताहै इसलिये कदाचित् धोखाभी खाजाय तौ भी अनुशयका नामनहींलेवै अथवा कोई कच्चाव्यापारी बनिकर अनुशय करनेलगै तौ उसवस्तुका षष्ठांश यद्वा मूल्यका षष्ठांश राजदंड देना होगा बल्कि राजदंड पीछे किंतु प्रथम उसका प्रतिपक्षी छठाभाग लेनेका अधिकारीहै कि जैसा कात्यायन केवचनानुसार उसी ७१ संख्याके परिच्छेदमें लिखचुकेहैं इसलिये उसको योग्यहै कि अपने प्रतिपक्षीकोही छठाभाग हानिदेकर आपसमें निपटाराकरै जिससे राजदंडसे बचिजाय अन्यथा दुहरा छठाभाग देनाहोगा इसीहेतुसे योगीश्वर ने प्रतिषेध कियाहै कि पण्योंकी क्षय वृद्धिको जानते वा नजानतेभी व्यापारी को अनुशय करना योग्य नहीं क्योंकि इसवातसे तिहाई धनकी हानि और वदनामी उसकी होती है २६३ ॥

अधि०—अनुशय करनेकी मर्यादें जो कुछ उसी ७१ संख्याके परिच्छेदमें दर्शाईगईं सो सबअन्यसाधारण क्रयविक्रेय करनेवालीके निमित्तपर आरूढ़हैं कि जिनकोकुछ व्यापारसे संबंध नहो और अनुशयठीक उसहीको समुभना जहां सौदाके मूल्यका भुगितानभी होचुकाहो और दोमें कोई एकउसे निवर्तन करनाचाहै किंतु याता क्रेता अपना मूल्य वापिस करना चाहै या विक्रेता अपनी वस्तुफेरि लेना चाहै तिसकी अवधि जो कुछ उसी ७१ संख्याके परिच्छेदमें कहिचुके सो सबठीकहै और उसीसे निपटारा कियाजावेगा और वह अनुशय सिर्फैसी दशामें उत्पन्नहोना है कि याताक्रेतावस्तु को खंटीसमुभे या ठगहाईद्वारा मूल्य बहुतलगा समुभे या विक्रेताही ठगहाईद्वारा थोडा मूल्यपाया समुभे तौ उसउक्त अवधिभीतर अनुशय कियाजासक्ता है पर इनवातोंके सिवाय जो कुछ सौदाकेदेने या न देनेमध्ये भगडाहो तिमको अनुशय नहीं समुभना इसकाट्टांत जैसेइमी ८० संख्याके परिच्छेदमें अनेकभांतिके जो

भगड़े वर्णनहुये इनमें प्रासंगिक चर्चाके सिवाय कोई अनुशयका स्वरूप मुख्यनहीं है। ये भगड़े सिर्फ इस आशयपर आरूढ़ हैं कि सौदाबेचे पीछे देना नहीं चाहै या दरभ-  
मेल करके देना चाहै तिसकी हानि आदिका निपटारा किया गया है कुछ अनुशय  
का विवाद यहां नहीं २६३ ॥

इति विक्रीयासंप्रदानविवादप्रकरणम् ।

बेचिकर न देने या अलसेट भ्रमेलमें लटकानेके विवादोंवाला यह विक्रीय असंप्रदान  
नामक प्रकरण एकइसी ८० अस्सी संख्याके परिच्छेदसे समाप्त हुआ-यह भी  
एक फौजदारीके विवादोंवाला भेद है ॥

अथ संभूयसमुत्थानकर्मणि विवादविधिविवेको नाम एकाशीतितमः परिच्छेदः ८१ ॥

इसइक्यासी संख्याके परिच्छेदमें उन विवादोंके विवेक वर्णन होंगे जिनमें किसी एक  
कर्मको अनेकोंने मिलकर साभे किया हो जिसमें हानिलाभ आदिसे विवाद खड़े होवें-  
बल्कि साभेके प्रसंगसे बहुतेरी बातें और भी उपरालू भिन्नात्मक सी दर्शाई जायँगी अ-  
र्थात् जैसे राजसे बाजारू निरख निरूपण होने आदि मध्ये चुगी आदि राजकरका वर्णन  
एक भिन्न बात है और उसहीके प्रसंगमें फिर घाटचुंगी मार्गचुंगी जलमार्गभाटक  
आदि एक बात है उसहीके प्रसंगमें फिर जलकी डूबीनावोंका धन देने मध्ये एक बात है  
उसहीके प्रसंगमें फिर मालचुंगीके महसूलोंका चुराना एक बात है उसहीके प्रसंगमें  
प्रतिषिद्ध पण्य करने या कुछराज योग्यदुर्लभ चीजोंको विनबूभे विक्रय करनेकी भिन्ना-  
त्मक एक बात है साभी या विनसाभी के देशांतरमें मरजानेका व्यवहार एक बात है-  
समी पीछोड़ि दूरस्थोंको निमंत्रण देनेवाली एक भिन्न बात है इत्यादि प्रासंगिक और  
बातें भी दर्शाई जायँगी ॥

नारदने इस विवादका स्वरूप व्यौरेवार दर्शित किया है-यथा (वणिकप्रभृतयो यत्र  
मसंभूय कुर्वते । तत्संभूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ) अर्थात्-जहां अनेक वनिक  
व्यापारी आदि (संभूत) नाम मिलकर किसी कामको साभौते करें वही साभेका काम  
(संभूयसमुत्थान) का व्यवहार कहा जाता है जब उसमें उनके आपसमें कुछ विवाद  
होय तभी यह संभूय समुत्थान का विवाद पद अर्थात् मुकद्दमा गिनती होता है-यहां  
व्यापारी आदि कहने से हर एक जो कोई किसी पेशेवाला अपने कामको अनेकों  
के साभौते करै सवहीको समुभना कुछ व्यापार के शिरटीका नहीं सो सब आदि  
शब्दका भावार्थ आगे निर्णय सहित वर्णन होगा ) बृहस्पति ने इस कर्म मन्त्र  
रूपमें लगाने योग्य पुरुषोंके लक्षण भी प्रदर्शित किये हैं-यथा (कुलीनदक्षानलमः  
ज्ञानाणकवेदिभिः । आयव्ययज्ञैः शुचिभिः शूरैः कुर्यात्सहक्रियाम् ) अर्थात्-जो कुलीन  
दक्ष हैं, निगलन हैं, प्राज्ञ हैं-नाणक परखेवा हैं, लाभ खर्चोंकी विधि जानते हैं, निष्क



हों शूरजो उत्साह युक्तहों, तिनके साभे होकर कोई क्रियाकरै यह सामान्यभाव एक शिक्षामात्र कही-परञ्च-पंडित मित्र मिश्रने इसवचन में से एक विचित्र अर्थमथिकर काढा और उसअर्थसे यहवात पैदाकरी है कि सिर्फ इन्हीं इतने कामोंमें साभाकरने का ध्वन्यर्थ पायाजाताहै-सो वहअर्थयहहै कि-सहक्रियां कुर्यात् अर्थात् क्रतुक्रियां, कृषि क्रियां, शिल्पक्रियां, स्तेयक्रियां, वाणिज्यक्रियां, तत्तत्क्रियाभिज्ञैः सहकुर्यात्, क्योंकि वृहस्पतिके इसवचनमें अशरफी रुपया पैसाआदि नाणकसिकोंका परखना यहवाणिज्य क्रियाको इसहेतुसे दर्शाताहै कि वाणिज्यमें परखने काही काम एक होताहै कुछ और नहीं-और लाभ खर्चोंका जानना सिर्फ कृषिक्रियामें आवश्यकहोताहै इसलिये लाभ खर्चों के विधिज्ञों साथ खेतीवाला साभाकरै, इसीप्रकार प्राज्ञहोना केवलशिल्पक्रिया तथा संगीतक्रियामें आवश्यकहै, और क्रतुक्रियाओंमें कुलीनहोना प्राज्ञहोना शुचिहोना यह तीनोंवातअपेक्षितहैं, चौर्य क्रियामध्ये सिर्फ शूरत्वकी अपेक्षा है इसलिये जो जो शूरहों तिनके साथ चोरीकरनेवाले कार्यमें साभाकरै-दोगुण शेषबचेचतुराई और निरालसता सोयह दोनों सबहीमें समझने-हमारे ध्यानसे इसविचित्रअर्थमें कुछसिद्धिनहीं निकसी बलिकखाली मूढ़पचाना यहतकलीफहुई क्योंकि यहसभीगुण सर्वत्र यथासंभव आवश्यकहैं केवलपरखैयासेकुछ काम नतो वाणिज्यमें चलिसकै बलिकलाभ खर्चोंका विज्ञानविशेषतर वाणिज्यमें आवश्यकहै जो खेतीमें संयुक्तकिया यह कुछनियम नहीं है दूसरे उसवातकाभी नियम नहींहै कि सिर्फ यही इतने पेशेवाले साभाकरै जो इस विचित्रअर्थसे समभायेगये इनके उपरांत कोईसाभा नहींकरै-यह प्रत्येक पेशेको स्वातंत्र्यहै कि अपनी इच्छाके अनुसार साभाकरै यद्वा नहीं धर्मशास्त्र केवल उनके किये हुयेका निपटारा कारकहै-वृहस्पतिने पूर्वोक्त अर्थके अनुसार केवल शिक्षामात्रदीहै सौशील्य विद्याके सिद्धांत से और उसीके तुल्यात्मक एक दूसरे वाक्यसे प्रतिषेध भी यह कियाहै कि अमुकामुक अवगुण वालोंके साथ साभानहींकरै-तथाच ( असक्ताल सरोगार्त्तमंदभाग्यनिराश्रयाः वाणिज्याद्यासहैतैस्तुनकर्त्तव्यावुधैः क्रिया ) अर्थात्-असक्त जो उसकार्य में तत्पर न रहसक्ताहो, आलसी, रोगपीडित, मंदभागी, निराश्रय जो स्थान ठिकाना बांधकर निवासकहीं न रखताहो, इसका अर्थ मित्रमिश्रने यह किया है कि जिसके पास मूलधन कुछ साभेमें मिलानेयोग्य न हो तिसे निराश्रयजानो सो यह अर्थ भी इसहेतुसे असंगतहै कि बिना जमाके भी साभीहुआकरतेहैं और उनके किये बिना बहुधा काम नहीं चलता क्योंकि जिसके पास जमाहै वह काम नहींकरसक्ता या जानता नहीं और विन जमावाला अच्छाकाम जानता और करसक्ता है तब दोनोंकीही गरज सन्मुख होनेसे वे दोनोंसाभी होतेहैं और यही नियम आगे वर्णन होगा-बलिक विरले स्थल अधिक प्रयोजन समभाजाताहै कि एक नवीन माल

कोठी बहुव्यापारोंके अर्थ निज पुत्रादि संतानोंके नाम जहां जारीकरनी आवश्यक है और उसमें किसी मनुष्य निज विश्वासपात्रको मुनीमरखनेका विचारकिया और यद्यपि वह संतान मालिक बनकर आप उपस्थितहोते काम लेवेगा और लेखा जोखा नित्य समभेगा पर तौ भी ऐसे अवसर वणिकप्रधानोंका सिद्धांतहै कि उक्त मुनीम को यदि मासिक या बरसौड़ी वेतन देना कहकर नियतकरैं तौ यह लापरवाई साथ उपेक्षा रखकर वृद्धिकरनेमें उद्योग थोड़ा बांधेगा इसहेतु इसको नौकर नहीं राखैं किंतु तिहाई या चौथाई पत्तीका धनहीन सांभारूप मुनीमबनावैं जिस्से अपनी भी चौथाई मध्ये हानि वृद्धि शोचकर उद्योग अधिकरखै जो दूकान तर्की पावै सो इसभांति पातीदेखीगई ॥

(अनेकसमुदायिवणिजादीनांकर्मकथनम्)

समवायेनवणिजांलाभार्थकर्मकुर्वताम् । लाभालाभौयथाद्रव्यंयथावासंविदाकृतौ २६४ ॥

अक्ष०—समवायसे लाभार्थ कर्मकरतेहुये व्यापारियोंके लाभ अलाभ दोनों जैसा द्रव्यहो यद्वा दोनों जैसी कुछ संविदासे कृतहों २६४ ॥

अभि०—(समवाय) नाम अनेक मिलेहुये साभियोंका समूह जोकिसीभांतिका व्यापार उद्योग मिलकरकरैं किन्तुयहां वणिज्शब्दसे कुछकेवल वैश्यवृत्तिकोहीनहीं समझौ और (संविदा) नामसमयसम्मतिजो परस्परसबके नियमठहरेहों कि अमुकाम ढंगोंसेवर्त्तावा सबसाभियों को कर्त्तव्यहोगा-याज्ञवल्क्यने इसवचनमेंदो मार्ग दर्शित किये हैं किजहां किसीभांतिके व्यापारियोंने अपनालाभार्थ कोईसा व्यापारकर्मसांभौ होकर समूहसे प्रारंभकियाहो तिनमें कोईभांतिका (विवाद) खड़ाहोनेपर सामान्यभाव एकतौ निपटारेका यहमागहै कि लाभअलाभ नफाटोटादोमें जोकुछहुआहो सोमव साभियोंके द्रव्यानुसार सबहीको बटवारा होनायोग्य है अर्थात् जिसनेजितना थोड़ा घनाद्रव्य उसीसाभेके व्यापारमें समुच्चयकियाहो जैसेतीनसांभौ उनमेंएकनेदो भाग द्रव्यलगाया दोने एकएकभाग तो इसदशामें दोभागवाला आधेलाभ तथाअधीहानिका अधिकारीहै और शेषदोनों एकएक चौथाईलाभ तद्वत्हानिके अधिकारी होंगे (सो) यह सामान्यमार्ग सिर्फैसी सभौदशाओंसे संबन्धरखताहै किजहांउनके लाभखर्चोंका कुछ ठहराहुआ नियम विशेषनहीं पायाजाय और सबसांभौ कुछधन देकर सांभौहुयेहों तोइसमार्गसे निपटारा होनायोग्यहै-यद्वाकहीं नियम विशेषनहीं पायाजाय ना साभियोंमेंसे कोई सांभौ विनाधनका कर्मकारहो या वहकर्मऐसाहो कि जिसमें धनकाकामनहीं किन्तुसभौ सांभौकेवल कर्मकारहों तबइस उक्तमार्गसे निपटारा नहींहोगा किन्तुउसकेलिये द्वितीयमार्गहै कि जहांजैसा उनकेआपसमें कुछनियम विशेषठहरा हो तिसहीके अनुसार लाभहानि दोनोंसबको भरनेहोंगे इसकाथोड़ा

दृष्टांतहै कि जैसे एकसाभेमें चारमनुष्योंने बराबरसबने सौसौमुद्रादेकर कामजारी किया उनमेंतीन साभीउसीकामके अभिज्ञनहींचौथा उसीकामसे अभिज्ञहै उसकाम का समस्तभार अपनेऊपर लियाइसी प्रधानगुणके हेतुसेसब साभियोंने यहसंविदा निरूपणकरी किइसको दोभाग मिलाकरैं हमसब एकएकभागलेवेंगे तोयहनियम विशेषउनमें पायागया कि यद्यपिद्रव्य उसनेभी बराबरदिया परंच कार्यभार हेतुसेदो-भागउसको ठहरे तो यह ध्यानकरना योग्यहैकि जैसेलाभमें दोभागउसको ठहरेतैसे खर्चभी प्रत्येक अवसरमें जोलगतैहों सोभीउसको दूने अपनेलाभमेंसे देनेहोंगेयद्वा पहिले सबसामान्य खर्च इकट्टेलाभमें से उठकर पीछेशेषलाभ का बटवाराहोगापर जबकभीटोटाकाकुछ अवसरआवै तबउसटोटेमें दोभाग न देगा किन्तु अपनेधनकेही अनुसार एकभाग टोटासबके तुल्यवहभी देगा क्योंकिसाभेमध्ये सौसौ रूप्यसबही के बराबरलगे यहांद्वितीयटोटाकेभागमध्येउसके कियेहुये शारीरिकआयासकाविनाश हुआ-इसीप्रकार जहांकोईएकसाभीविनाधनका और शेषजमा पूंजीवालेहों तहांपूंजी वालोंका लाभहानि दोनों निज निजधनके अनुरूपहोंगे परउसपूंजी रहित साभीको जितना लाभभाग सबकी सम्मति सहित ठहराहोगा सो मिलसक्ता है परटोटेमें कुछ उसे न देना होगा क्योंकि जैसे उनके धनमें हानिहुई तैसे उसके निपट परिश्रम का विनाश हुआ-इसीप्रकार जहांसभी साभी विनाधन के किसी कामको शारीरिक आयासों से सब करतेहों तहां उनके गुण उद्योग उपाय यत्न परिश्रम के अनुसार जो जो नियम विशेष पहिले ठहरा हो कि अमुक साभीएकभाग अमुक डेढ़पत्तीअमुक दो पत्ती पायाकरेंगे तो इस ठहरीहुई संविदासे निपटारा कियाजाय यद्वा इसीदशामें कुछ नियम विशेष नहीं ठहराहो और उनमें लाभद्रव्योंका बटवारा होतेसमय विवाद कुछ न्यूनाधिक भागपत्तीकी अपेक्षासे उठ खड़ाहो तोभी उनके गुणउद्योग उपाय आदि के अनुसार कुछ न्यूनाधिक जैसान्यायके अनुकूल संभवहो सोदिलवायाजाय अथवा सभीसाभी गुणमें एकसे यदिहों तो फिर सबकेभागबराबर होंगे २६४ ॥

अधि०-ऊर्ध्वोक्त वार्त्ताका संक्षेप नारद भी स्पष्ट कहतेहैं-यथा (समोऽतिरिक्तोहीनो वायत्रांशोयस्ययादृशः । क्षयव्यौतथावृद्धिस्तत्रतस्यतथाविधाः) अर्थात्-जिसव्यापार में जिसका जैसा अंशहो किन्तु समान वा अतिरिक्त नाम अधिक यद्वा हीन कहिये कमती अंशहो तिसही के अनुसार उसका टोटा और खर्च जो जो उमव्यापारसे सम्बन्ध रखतेहों तद्वत् वृद्धि जोकुछ नफ़ाहोताहो उसमें भी बटवारा होना योग्यहै-एवं वृहस्पतिरपि ( प्रयोगंकुर्वतेचेतुहेमधान्यरसादिना ममन्यूनाधिकैरंशैर्लाभरतेपांतथा विधः-समोन्यूनाधिकोवांशोयेनक्षितस्तथैवसः । व्यचन्दद्यात्कर्मकुर्यात्स्वाभंगृहीतचं वहि ) अर्थात्-जेकोई किसी व्यापारको माभीहोकर हेमनगदी या धान्य -

चीजों वा रसादिक से करतेहों तिनकालाभ जैसे सम न्यून अधिक अंश मूलधन के हों तैसाहोताहै-इसीसे यहनियमहै कि जिसने जमामें समअंश यद्वा न्यूनअंश वा अधिक अंश डालाहो तैसाही सम न्यून अधिक व्ययभी जो उपरालू खर्चहों तिनमेंदेवे और शरीर सम्बन्धी कामकरै तद्वत् लाभकोभी लेवै-वृहस्पतिजी-अब और भाँतिके भी साभे वर्णन करतेहैं-यथा (वहूनांसंमतोयस्तुदद्यादेकोधनंनरः । करणङ्कारयेद्वापि सर्वेणैवकृतंभवेत् ) अर्थात्-जहाँ बहुत से साभियों की सम्मति मानाहुआ कोईएक धनीमनुष्य अपना धनदेवे यद्वा करणाही करवावै तहाँ सबही करके कियाहोता है इस अर्थका यह आशयहै कि जहाँ सब साभियों की अनुमति से एकही कोई धनवान्साभी सब की ओरसे निज अपनाद्रव्य लगाकरसाभा करवावै उनसे ब्याज और निज लाभ काभी भाग लेवै यद्वा ब्याज न लेकर सिर्फ अपने बदले (करण) किंतु करना जो कुछ कामधंधे उसब्यापार मध्ये होतेहों सब उन्हीं से कराता रहे उनके लाभभाग ठहरे के अनुरूप देकर अपना लाभभाग इकहरादुहरा आदिजैसा ठहरा हो तैसा आप लेवैतौभी सब का किया कहाता है अर्थात् जोधन वाला ऐसे साभियों का कदाचित् लाभभाग न देना चाहै या अपराधों बिना अपने साभे में से निपट निकासि देना चाहै तो वहधूतजानो क्योंकि ये सबसाभी हैं कुछ नौकर नहीं-इसश्लोक में वृहस्पति नेजो ब्याज और बिन ब्याज से दो भाँतिसाभे कहे तिनमें अधिक लाभकी उत्पत्तिदेखि परनेसमय बिरले धनीलोभकी तृष्णाप्रेरित होकरनिधन साभियों को नौकर तुल्य समझ ऐसा अभिमान करने लगते हैं कि इन सबने क्याकिया हमारे धन से यह सब लाभ हुआ इसअभिमानसे सब साभियों को चटकाइदेता या चटकानेके अर्थ से वह सौ सौ पेंच लड़ाता है और उनके प्रायःनौकर या रोटिखावा साबित करताहै इसलियेवृहस्पतिनेयहराजाको समस्यादी हैकिइनदो साभों में भी लाभ सब का किया कहाताहै धनवाले काही नहीं-आद्योपांत सभी भाँति के साभियों को सर्वत्र परस्पर जो कर्तव्य है सोव्यासजी दर्शाते हैं-यथा (समक्षमसमक्षवाऽवंचयंतःपरस्परम् नानापण्यानुसारास्तेप्रकुर्युःक्रयविक्रयो) अर्थात्-आगे और पीछे भीपरस्परसाभियों साथ किसी भाँतिठगविद्याको नकरतेहुये सब साभी लोग नानाभाँतिके सौदाओंकी जो सारा भाव बजारसे विख्यातहो तिसके अनुसार क्रय विक्रयका वर्त्तवा ठीक ठीक कियाकरें-यही वार्त्ता नारदजी कुछ अधिक व्यौरवार वर्णनकरतेहैं-यथा (भांडपिंडव्योद्धारसारासारत्ववेक्षणम् । कुर्यास्तेऽव्यभिचारेणसमयेस्वेव्यवस्थिताः) अर्थात् यहाँ (भांड) नाम मूलधनकाहै जो सबसे पहिले सब साभियोंने लगाया यद्वा बीचमें कुछ और मिलायाहो और (पिंड) नाम मिलित वापरार्थ मिलितका भी हैकि जो कुछ द्रव्य किसी असाभीका उसमूलधनमेंमिश्रित

हो सोई मिलित पिंडजानों इसका यह दृष्टांत है कि यातो कोई अपना द्रव्य रक्षा चाहकर धरगयाहो यद्वा साहूकारेकी मर्यादोंसे कुछ ब्याजकेही लालचसे रखगयाहो या आवश्यक जानिकर कुछ ऋणकी रीतिसे मँगायागयाहो इत्यादि मिलित पिंड हैं— और जो कुछ द्रव्यकिसी प्रधान वा धनाढ्य साभीका पराये अर्थ से अर्थात् किसी निर्द्धन साभीके अर्थसे ब्याज आदि रीतोंपर मिलिरहाहो यही (परार्थमिलितपिंड) कहाता और (व्यय)नाम हानि खर्च त्याग उठावा आदि कईबातों का अर्थात् हानि जो कुछ किमी मितिके दिनमें किसीभांति नुकसान हुआहो यद्वा किसी एकसौदा में कुछ टोटा बैठि गयाहो या कर्दाबद्धाआदि देनापराहो इत्यादि बड़ेखातेका व्ययजानो एवं खर्च जो कुछ व्यापार वारदाना आदि चीजों में आवश्यक लागति लगी हो यद्वा नौकर आदिको रोजीना मासिक आदि कोई बेतन दियागयाहो एवं त्याग जो कुछ दान पुण्य इनाम आदि हेतुओंमें दूकानकेही नामसे द्रव्यादिक देनापराहो एवं नियत उठावा जो कुछ रोक या वस्त्वंतर सौदा अन्यवस्त्र आदि उधारे दियागयाहो एवं किसी साभीकेही नामसे स्वकीय खर्चों मध्ये कुछ दे दियाहो इत्यादि नानाभांति के व्ययजानों और ( उद्धार ) नाम उभरना किंतु निकसना जोकुछ पहिलादियाहुआ ऋणादिकमें से आकर जमाहोय-इनसब कामोंको निरंतर नित्य व्यौरेवार लेखे जो-खे सहित वे सब साभी आपलिखते तथा समुभक्तेहुये निज निज चित्तोंका व्यभिचार छोड़ि संविद् समयोंवाले नियमोंपर आरूढ़ होकर करें किंतु विचलें नहीं और इनकामोंका सिद्धांतरूपी यहीफलआवश्यक है जो सारासारका अवलोकनभी सदैव करतेरहें कि इसदूकान में हम साभीलोगों की इतनी रोकड़ इतना अमुकामुक व्यापारूमाल है इतना बाहरलेनाहै और इतनाहमेंपरायाभी ऋणदेनाहै औरइतनी वारदानाकी सामग्रीहै इत्यादि मितिवार या मासिक चिट्ठा जैसा उसव्यापारकादस्तर हो बाँधे रक्खाकरें—कदाचित्—अग्नि लगिजाना अहिला चढ़िआना आदि देवी विघ्नोंसे या राजसंबंधीआदि विघ्नोंसे कुछ धनकी हानि हो सो सब साभीभरें-तदाह वृहस्पतिः( द्रव्यहानिर्यदात्तत्रदैवराजकृताद्भवेत् । सर्वेषामेवसाप्रोक्ताकल्पनीयायथांशतः ) अर्थात्-जो व्यापारमें कुछ देवअथवा राजके उत्पन्न किये उपद्रवसे धन हानि होवे तो वहसबकी हानि होनी कहीहै कि जिनका जितना अंशहो निसहीकेअनुसार उनके मूडमड़ी जावें-इस में देवराज कृतका यह सिद्धांत है कि जहां किसीसाभी के अपराधोंसे कुछ हानिहुईहो सो सब उसीएक साभीकोभरदेनी होगी यह सब नियम निचले मूलवाक्यसे अब कहते हैं-और शेष निर्णय इनमाभियोंकाअगारी २७० वाले मूल श्लोकसे दर्शावेंगे २६४ ॥

प्रतिषिद्धमनादिष्टंप्रमादाद्यच्चनाशितम् । सतद्व्याद्विष्टवाञ्चराक्षितादशमांशभाक् २६५ ॥

ऐ०—(प्रतिषिद्ध) कुछ धन वहकि जिसकेलिये साभियोंने प्रतिषेध कोईभांतिसे दियाहो कि अमुक वस्तु अमुकप्रकारसे क्रयविक्रयमें लगाना नहीं क्योंकिउससेह होना संभवहै उसवस्तुको यदि कोई साभीनाश करै या जिसकामकी अनुज्ञासब ओर से नहो ऐसे अनादिष्टकर्म को करतेहुये कोईसाभी कुछधनहानिकरै यद्वा कि साभीने निजबुद्धिकी हीनतासे कुछनाश कियाहो तौयहद्रव्य नाशकर्त्ता आपभरै कि इसमें कोई और साभी कुछनुकसान उठानेका अधिकारीनहीं-परंच इसके पलटे भी एकन्यायहै किजबकभी चोरआदि किसी उपद्रवसे कुछधनकी हानिहोनेलगे अ इस विप्लवसे यदि कोईएकसाभी अपनी हिम्मत करके रक्षाकरै तौ उसरक्षाधि धनमेंसे दशमांश उसको रक्षाभाग मिलनेका अधिकार है २६५ ॥

अधि०—हानिदेना नारदनेभीकहाहै-यथा(अनिर्दिष्टोवाच्यमाणःप्रमादाद्यस्तुनाशये तेनैवतद्भवेद्देयंसर्वेषांसमवायिनाम्)अर्थात्-जोकोई विनाआज्ञा पायाहुआया प्रतिषे कियाहुआ या कर्त्तव्य अधिकारोंमें जो अपनेही प्रमाद गफलत आदिसे धन खो तौयह खोयाद्रव्यउसही को दातव्यहोगा जो कुछसबसमवायी लोगोंकाहो-विनाश होतेसे बचाये हुयेका दशमांश उसे बहस्पतिनेभी मिलना कहाहै-यथा(दैवराजभय द्यस्तुस्वशक्त्यापरिपालयेत् । तस्यांशदशमंदत्वागृह्णीयुस्तेऽशतोपरम्)अर्थात्-अप नी शक्तिसेजोकोई साभी दैवराजभयसे घिरे धनकीरक्षाकरै तिसको उसमें दशमांश भागदेकर शेष जिसका जितनाधनहोवै सबअपनाअपना लेवें इसमेंभी दशमांशका लेचुकनेवाला स्वकीयधनका भागलेवेगा-कात्यायनभी इस नियमको दृढ़करतेहै यथा(चौरतःसलिलादग्नेर्द्रव्यंयस्तुसमाहरेत् । तस्यांशोदशमोदेयःसर्वद्रव्येष्वयंविधिः)अर्थात्-चोरोंके लेभागते हुये या लेजाने पीछेकभी जो कोईउनसे छीनिपावै एवं जलमें डूबेहुये द्रव्यको जो कोई काढिलावै एवंअग्नि मेंसे जलतेहुये निकासि लावै तिसधनमेंसे दशमांश उसको देनायोग्यहै यहसभी द्रव्योंकीविधि जानो-यहांसभीद्रव्यकहनेकायहभावहै कि सिर्फसाभेकेहीधनमें नहीं समुझना किंतु चाहतेसाकोईन धनकहींहो रक्षाकरनेवाले का दशांश उसमें जानो यहएक निर्मल स्वत्वरक्षक लोगों कापरिनिष्ठितहै-एवंनारदोपि-यथा(देवतस्करराजाग्निव्यसनेसमुपस्थिते । यन्तत्त्व शक्त्यारक्षेततस्यांशोदशमःस्मृतः)२६५॥ यहांव्यापारी मालभर्ताके प्रसंगसे मगर रमुद्धर्तनाभी आवश्यक संभव जानकरकुछ उसके नियम नीचेकहते हैं २६५ ॥

( राजकरदानादिप्रासंगिकनियमाः )

अथप्रक्षेपणादिशंभांगशुल्कनृपोहरेत् । व्यानिदंराजयोग्यंचविक्रोतराजगामितत् २६६ ॥



मिथ्यावदन्परिमाणंशुल्कस्थानादपासरन् । दाप्यस्त्वष्टगुणंयश्चसव्याजंक्रयविक्रयी २६७ ॥

तरिकःस्थलजंशुल्कंशृण्णन्दाप्यःपणान्दश । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमंत्रणे २६८ ॥

ऐ०— अर्घनाम बाजारूभावका ( प्रक्षेपण ) किन्तु निकासना सो यहराजा का ही कर्महै कि अमुकामुक सबचीजें इतनेनिरखोंसे क्रय विक्रयहोयँ ऐसा लिखकर प्रचलित करनेके कर्तृत्वसे बीसवांभाग शुल्कराजा लेवै अर्थात् आईहुई मालभर्तीका निरख नियतकरनेसे जोलाभ निश्चितहोताहो तिसकाविंशांश किन्तु सैकरापीछेपांच रूपया राजाअपना शुल्कनाम राजकरभीउन व्यापारीलोगोंसे लेयजोजो मालबाहर से भर्तीकरकेलावै-इसपर बिरलेटीकाकारोंने यहअर्थ कल्पितकियाहै कि सवरेमूलधन मेंसे विंशांशराजा हरै सोयहअर्थ किसीप्रकारभी न्यायात्मक नहींहोनेसे अनर्थक है-कुल्लूकभट्टने स्पष्टलाभधनमेंसे विंशांश लेनाकहाहै-व्यासिद्धनाम कोईवस्तु जिसका सर्वत्र विक्रयहोने का प्रतिषेध राजद्वारसे होचुकाहो यद्वा किसीएक जगह बिकनेका अनुशासन होनेकेहेतुसे अन्यत्र बेंचेजानेका प्रतिषेधहोय जैसे मद्यादिक ठेकेदारी वाली चीजेंजिनकाराजसे प्रबन्ध विशेषहोताहो ऐसी व्यासिद्धचीजें कोईकहींबेंचै, तद्वत् राजयोग्य चीजें मणिमाणिक्य आदि रत्नभूत वस्तु जिनकीग्राहकता राजघरमें होनीयोग्य हो ऐसी अप्रतिषिद्ध भीजो विनादिखाये कहींबेंचिदे तौ यहसभी चीजेंराजगामीहोयँ किन्तु राजाउनको मूल्यदिये विनाहरै यहीदंडहै २६६ ॥ ऊर्ध्वोक्त राजकरकेदेनेमें कुछठगई करनेकेअर्थसे जोकोईभर्ती वाला अपनेलाये हुये सौदाका परिमाण ठीकनहीं बतावै,दूसरा जो शुल्कस्थान किन्तुचुंगी आदि महसूलघरका मार्ग छोड़िकर ऊपरऊपर चलाजावै जिस्सेशुल्कदेना वचै तौयेदोनोंउस परिमाणसेअठ गुणाधन दिलवाने योग्य हैं कि जितनादेनेसे वचाया वा वचानेका उपायकिया हो, तीसरे उसपरभी अठगुणा लेनायोग्यहै जो सव्याज क्रय विक्रय करै अर्थात् कपटसे कुछ सौदाबेंचै या खरीदै इसका दृष्टांतनीचे अधिकोक्तिमें देखना २६७ ॥ तरिकमात्र कोईहो स्थलजशुल्कलेतेहुये दशपण दंडदिलानेयोग्यहै अर्थात् शुल्कनाम चुंगीआदि अनेकरूप राजकर दोभांतिक सबहोतेंहैं किएकस्थलमें जो लियेजायँ दूसरेजल में पोतनौका सेतुबन्धनआदिप्रकारोंसे जो लियेजावें जिनकेलक्षण मनुकेवचनांसे अधिकोक्तिमें दर्शावेंगे तिनदोके मध्ये योगीश्वरआप कहतेहैं कि(तग्गिक)जोपोत नौका आदिजलके शुल्कलेनेका अधिकारी ठेकेदारआदि कियाजावै वही कदाचित् अपने आप या उसके अनुकर्ता कर्मकार आदि किसीवटोही व्यापारी आदिसे कुछस्थलयोग्यशुल्क भी लेलेवै जिसकेलेनेका अधिकार उमे नहो तौ दशपणका दंडदिलानाया जाय और वह शुल्क राजगामी यद्वा निर्णयके अनुमार दाना पुरुषकोही वापिसहोय यह दशपणदंड केवल एकवटोही आदिसे लेलेनेमध्यजाना किन्तुअनकासे अभ्यासिक

ऐसा करनेपर प्रत्येक मध्ये दश दश पणकादंड होगा-यही दशपण दंड उस पुरुष परभी होनायोग्यहै जो अपने घर समर्थहोतेहुये श्राद्धादि काम काजोंमें कि जहांकहीं ब्राह्मणोंके निमंत्रणका प्रसंगहो अपने ठेठ परोसी निकट बसनेवाले श्रुत वृत्त संपन्न प्रातिवेशी विप्रोंको छोड़कर प्रायः दूरवर्तियोंको निमंत्रित करे २६८ ॥

अधि०—यहां प्रासंगिक पहले राजग्राह्य द्रव्योंके नाम दर्शित करते हैं कि खेती आदिसे उत्पन्न हुये अन्नादिक मेंसे छठाभाग आदि राजघरमें लियाजाना या उसके पलटे रोक रूपये सो यह राजबलि कहलाताहै-और खेती विना ग्राम नगर आदि वस्तियोंके निवासी जो कुछ और भांतिका व्यापार आदि करतेहों तिनसे प्रतिमास या बरसोंडी यद्वा भाद्र पौष आदि नियमित समयोंपर जो थोड़ा बहुत आमदके अनुरूप राजघरमें लियाजाताहो सो यह राजकर कहलाताहै-और फल, फूल, शाक, तृणादिक चीजें जो बाजारोंमें बिकने आवें तिनमेंसे जो थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर भेंट उपायन उपहारके प्रकार राजघरमें पहुँचें सो यह प्रतिभाग नाम चुंगीरूपकहाताहै-और एकराज शुल्क वह कहलाताहै जो घाटी घट्टे आदि मार्ग स्थलमें शुल्कादानगृह बनकर उनमें राजपुरुषों या ठेकेदार लोगोंकी संस्थिति द्वारा वह महसूल लिया जाताहो जो क्रय विक्रय योग्य आने जानेवाली माल भर्तियोंपर द्रव्यानुसार या लाभानुसार कल्पित होकर नियत होय. इस (कर ) की संज्ञा शुल्क इसकारणसे कि प्रायः लूटि फूटि आदि मार्गविघ्नोंसे रक्षाकरने आदिके प्रतिकारों मध्ये समुभाजाताहै पुनि इसीकारण और भी जो कोई भांतिका महसूल किसी कामके प्रतिकार मध्ये समुभाजाय सोभी शुल्क जानो जैसे डाकघरोंके महसूल डाकशुल्कहैं इत्यादि बहुधा औरभी सब स्थलशुल्क जानो जो जो जलसे भिन्नहों. इसका एक औरभी द्वितीय भेद जलका शुल्क होताहै कि जो जल मार्गके उतारा आदि कामोंका प्रतिकार समुभाजाताहो जैसे पोत नौका सेतुबंधन आदि मार्गोंके महसूल जलके शुल्कहैं-और इन सबहीसे उपरालू एकदंड धन वह होताहै जो किसी भांतिके अपराधों मध्ये लियाजाय ॥ इतिप्रासंगिककथनम् ॥ दोसौ छसठि आदि मूल श्लोकोंकी अपेक्षा शुल्कस्थानोंके प्रबंध मध्ये मनुने कुछ अधिक व्यवस्था कही है यथा(शुल्कस्थानेषुकुशलाः सर्वपण्याविचक्षणाः । कुर्युरर्घ्यथापण्यं ततोविंशन्नुपोहरेत् ॥ राज्ञःप्रख्यातभांडानि प्रतिपिद्धानियानिच । तानिनिर्हरतां लोभात्सर्वहारंहरेन्नृपः ) अर्थात्-स्थलमार्ग या जलमार्गसे व्यवहार करनेवाले व्यापारियोंसे जो लेने योग्य राजभाग तिसका शुल्कनाम होताहै उसके लेनेके ठिकाने शुल्कस्थान कहेजाते हैं तिनमें रखने योग्य चतुर प्रवीण मनुष्य जो जो सभी पण्यों का क्रय विक्रय आदि व्यवस्थामें विचक्षण उसका साक्षात् जाननेवालेहों वेही रक्त्तं जायं वे सब आयेहुये विदेशी पण्योंका मोल भाव जैसा जिसका उचितहो तिसके

अनुरूप कल्पित करें उसमें होनेवाले लाभकोभी समुभलेवें उसी भावी लाभका विं-  
 शांश राजभागहै सो राजालेवे- राजाके संबंधमें जो भांड गठिया बोरा आदि माल  
 प्रसिद्धहों जिनका शुल्क राजमें न पहुँचाहो यद्वा राजकी उपयोगी चीजें चाहै उसी  
 देशमें उत्पन्नहों हाथी घोड़ाआदि जिन्हें राजाआप खरीद सकै एवं जो जो कुछ प्रति-  
 षिद्धहो जैसे दुर्भिक्षमें धान्यादि चीजें किसी देशांतरको न जानेदेना इत्यादि ऐसी  
 चीजें लोभ हेतुसे अन्यत्र लेजाने बेचिदेने आदि प्रकारोंसे हरतेहुये व्यापारीका यह  
 दंडहै कि राजा चाहै सर्वधन हरिलेवै-यहां सर्वधन हरिलेना कुछ नियमात्मकनहीं स-  
 मुभना किंतु किसी अवसरमें जो राजा अपनी आज्ञाभंग यद्वा कोई और प्रबलहानि  
 जानकर यदि इच्छा करै तौ सर्वस्व उसी धनका हरा जासक्ताहै कि जिसधनके द्वारा  
 यह अपराध हुआ समुभाजाय कुछ सर्वस्व उसके घरका नहीं इसलिये प्रायः और  
 और भांतिसे कुछ थोड़ा दंड कियाजाय जिस्से प्रजा विगड़ने नहीं पावै २६६ छल  
 कपटोंसे बचाया हुआ राजशुल्क अठगुना लेना मनुनेभी कहाहै-यथा (शुल्कस्थानंप  
 रिहरन्नकालेक्रयविक्रयी । मिथ्यावादीचसंख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ) अर्थात्-  
 कोई व्यापारी राजशुल्क न देनेके विचारसे यदि शुल्क स्थानवाला मार्ग छोड़कर  
 कुराह जावै यद्वा राति विराति कुबेरा कुछ गुप्तौअर माल खरीदै या बेचै अथवाशुल्क  
 स्थानमें पहुँचने परभी मालकी तादाद ठीक नहीं बतौवै तौभी उस परिमाणसे अठ-  
 गुना शुल्क उसपर दंड लियाजावै जितना लोभसे छलकरके शुल्क बचायाहो व्यास  
 जीने-सिर्फ दोहीगुणा लेना कहाहै-यथा ( अगोपयंतोभांडानि दद्युःशुल्कंचतेऽध्वनि ।  
 अन्यथाद्विगुणादाप्याः शुल्कस्थानाद्दहिःस्थिताः ) अर्थात्-भांड नाम गठिया बोरा  
 संदूक आदि मालभरी ठेकेंनहीं छिपाते किंतु ठीक ठीक बतलातेहुये मार्गमें व्यापारी  
 लोग राज शुल्कदेवें-अन्यथा इससे विपरीत करनेवाले शुल्कथानेकी सीमासे बाहर  
 माल रखतेहुये पकड़े जानेपर वह दूना शुल्क दिलाने योग्यहैं कि जितना शुल्क देने  
 से बचायाहो-व्यासजीका वाक्य यह सर्वत्र न्यायगम्य और सामान्य भावसे वर्तावा  
 करने योग्य है-योगीश्वरं तथा मनुकाभी अठगुनेवाला नियम केवलउसी अवस्था  
 में वर्तावे योग्यहै कि जहां व्यापारी बहुधनवान् होकर ऐसा करे यद्वा थोड़े धनवाला  
 कभी एक या दोवार पहले पकड़े जानेपरभी बारम्बार ऐसा करे या सव्याज क्रय  
 विक्रय करे तब अठगुना दंड लियाजानाभी अन्याय नहींहै अन्यथा इनदोतीन उ-  
 क्त वातों विनादूनाही व्यासोक्त नियम ठीकजानो क्योंकि ( पुष्पंतुष्यंविचिन्वीतम्  
 लच्छेदंनकारयेत् ) इत्यादि बहुधा और वाक्य भी इमराजकर्मके संग्रहकरने मध्य  
 विचार पर आरूढ़हैं-अब-सव्याज क्रय विक्रय का दृष्टांत एक देतहैं कि जैसे किमी  
 कपटी व्यापारीने कुछ सौदा एक बहुतना भरलेने पीछे दृमरे किमी व्यापारीको भी

अपना कपटी क्रेता गुप्ततौ अर नियत करिके दोनोंने परस्पर संमत गांठिकरविख्यात किसी दिसावर को गुप्ततौ अर एक मनुष्य अपना भेजकर कापट्यजाल रोपितकिया कि उसने जाकर उसीसौदाकी अत्यंत भूँठी तेजी लिखकर यहां दूसरे कपटी क्रेता की दूकानपर पहुँचादी जबतक उसी दिसावर से कुछ सच्चे समाचार औरोंकीदूकान पर न आनेपाये तबतक शीघ्र उसी कपटी क्रेताने उस भूँठी चिट्ठीकी सचावटजाहिर करके अपने गाँठेहुये दूसरे कपटी सौदागरसे परस्पर उसीसौदाकी असत्यखरीद करनी प्रारंभकरी यह दशा उसकी देख सुनकर अन्यव्यापारी भी ललचाने लगे कि यह इतनी बड़ी खरीद करता इस्से यह विश्वासजानो यही सौदाकुछ दिन पीछे हाथ न आने पर बहुतेरालाभ होगा इस्से हमको भी खरीद लेना योग्य है यहबात प्रायः प्रसिद्धहै कि व्यापारी लोग हवावाँधा करतेहैं और सौदातेजीके रुखमें बहुत विकताहै इसलिये उसी कपटी की हिर्साहिर्साविहुतों ने खरीद करनी शुरूकरी जिस कपटीके घरमाल बहुत भराथा और जिसके लिये ऐसी रचनारचीगई थी तिसने एकत्री रुपयेकी सुरखीसे लाखोंकामाल अपना बेचदिया इतनेमें सब और व्यापारियों के भी सच्चे समाचार उसी दिसावर से जो आने लगे तौ मालूम हुआकि यह सौदा महँगा नहींहै हम लोगों ने एकत्री रुपयेका नुकसान उठाया और निज द्रव्य भी फँसाया शायद कलह और सस्ताहोजाय तौ फिर जमामें बारह आने रहजाने संभव हैं इसभभकी से क्रय करने वालों में किसीको हजारका टोटा किसीको पाँचसौ इत्यादि अनेकोंके सन्मुख जब अंधियारा होनेलगा बुद्धिमानों ने अनुमान कियाकि निःसंदेह इसमें कपटहै कुछ साराका बाजार नहीं बिका क्योंकि तेजीकी चिट्ठी सिर्फ एकही के घरआई सिर्फ एकहीने सौदाका क्रय विक्रय किया निःसंदेह दोनोंसव्याज क्रय विक्रयी परस्पर बनेहोंगे यद्यपि उन दोनोंने यह समुभाथा कि भावोंका अकरा मंदा घरी घरी बदलता रहताहै इसहेतुसे हम दोनोंका यह कपट भी छिप जायगा दशवीस हजारकी कमाई होनी सुगमहै परंच पाप छिपतानहीं इसभांति के अनेक और भी दृष्टांत कुछ कुछ अंतर वाले जो जो हों सो सबसव्याज क्रय विक्रय जानों क्योंकि व्याज नाम झलकपट तिसके द्वारा जो खरीदें यद्वा बेचें तिसके लिये अवश्य वही दंडहै जो आठगुना धनदंड याज्ञवल्क्यजीने कहा २६७ ॥

(अथजलमार्गशुल्कनियमाः) मनुने जलमार्ग तथा उतारेकेभी शुल्क नियमदर्शितकिये हैं-यथा(पणंयानंतरेदाप्यंपोरुपोऽर्द्धपणंतरे । पादंपशुश्चयोपित्रपादाद्धरिक्तकःपुमानां भांडपूर्णानियानानितार्थंदाप्यानिमारतः । रिक्तभांडानियतकिंचित्पुमांसंघापरिच्छिदाः ॥ दीर्घाध्वनियथादेशंयथाकालंतरोभवेत् । नदीतीरेपुतद्विद्यात्ममुद्रेनास्तिवृक्षम् ॥ गर्भिणीतुद्विमासादिन्तथाप्रव्रजितोमुनिः । ब्राह्मणात्निगिनश्चैव नदाप्यान्तापि-

कंतरे ) अर्थात्-यान सवारी हाथी गाड़ी आदि जो रीतीहो तौ वह ( तरे ) नाम उतारे के स्थलमें पुल यद्वा नाव आदि पर उतरनेसे एक पण उतराई देवै एवं ( नाम एक बलवान् पुरुषके उठाने योग्य भार जो कि दोसहस्र पल परिमाणसे पल्लेदारों का पूरापल्ला लोकप्रसिद्धहै तिसको लेकर जोकोई पल्लेदार पारजावै वह आधापण उतराई देवै-यहां यह भी न्यायदृष्टियों से विचार करना योग्यहै (पण)सामान्य संज्ञा कही वह दोतीनभांति सोनेचाँदी ताँबेतककाभी होताहै - पणमें इतना और भेद है कि ताँबेकापण यद्यपि एक आनाठीकहोताहै और मासे ताँबेका परिमाण उसका पायाजाताहै पर प्रायशः बुद्धिमानोंने(पण)संज्ञा रहमासे ताँबेको विनिश्चित कियाहै इसीहेतुसे जो पक्का पैसासोरह माषताँबेका हैसोभी (पण) कहलाताहै और अन्यभांतिके जो छोटे पैसे होतेहों वे भी पणमें हैं पर उनसे यहां प्रयोजन नहीं समुभूना-औरइसीप्रकार चाँदीका पण लोक प्रसिद्धहै सोउसमेंभी अनेकऊँचनीच भेदहोते हैं उन भेदोंका कुछ यहां जरूरत नहीं क्योंकि शास्त्रमें परिभाषा मात्र लिखीहै और लोकमें निज देशोंकी परिपाटीका व्यवहारहै तौ कोईभाँति से तुल्यात्मक होना दुर्घट है इसीसे सिद्धान्त में (पण) धातु है सो उसका अर्थ भी व्यवहार वाचक उन का कुछ कोईएक नियम निश्चित नहीं है-इसलिये मुख्य प्रयोजनपर अवधान योग्यहै कि हाथी गाड़ी आदि की उतराई मध्ये एकपण जो कहा तिसको चँ एकरूपया जानो क्योंकि इसकेलिये ताँबेका पण एकपैसा यद्वा एकआना भी सकना योग्य नहीं समुभूजाता बल्कि न कहिसकनेका यह कारणभी उपरि कि यह उतराई केवल वेतन मात्र नहीं किंतु राजकरकी भाँति कल्पित होतीहै - इसीसे इसकर्मका अधिकारी सिर्फ राजाके सिवाय कोई और नहीं है इत्यादि के प्राबल्यसेही रीति गाड़ी हाथी आदि पर जिस देशकाल कर्मके अनुरूप जहाँ योग्य समुभूजाय तहाँ तैसाही वैकल्पिक एकरूपया तक उतराई लेना न्यायमम्भ अर्थात्उसी गाड़ी आदि यान वाहन की उत्तमता मध्यमता आदिअनेक भेद अनुरूप जिसपर जितना लेना योग्य समुभूजाय सो इस एक रूपये केही भी कल्पित कियाजाय यह सिद्धान्त है कुछ निर्विकल्प सबसे एकरूपयेकाही निय (पर) उसहाथी गाड़ी आदि पर जो प्राजक रक्षकरूपी एक या दो नियत मनु उपरान्त मालिक आदि कोई यानारूढ़ भी कुछ बैठहों तौ फिर पूरा मूचितहै और बल्कि जो व्यापारके प्रकारसे भाड़ेंतू पुरुष अनेक भरवैठहों तौ गाड़ी आदि उत्तम मध्यम यान भेदके भाड़े आदि लाभोंके अनुरूप इससे आ भी कुछ लेनामूचित है यह चर्चा अगिले वचनवाली व्याख्यामें व्यापारमाल म

योंवाली गाड़ी आदि के वर्णनमध्ये आगे फिर भी होगा तहाँ समुभना-एवं पौरुष भारमध्ये आधापण अठनी तथा अधनी भी संसूचित है उसदशामें कि जो वहभार केवल व्यापारूमाल भर्तियोंकाहो तिसमें उत्तम मध्यम आदि पण्योंके अनुरूप जैसा योग्य समभाजाय तैसाही वैकल्पिक आठ आनेतक उतराईलेना न्याय सम्भव है और नीच पण्योंके भारहोने मध्ये एक आनेवाला पण संसूचितहै अर्थात् उनमेंआधे पणका आधआना लेनायोग्यहै और इसके भी उपरान्त जो जो भार केवल घास फूस लकड़ी आदि तुच्छ चीजोंके उतारेजायँ तिनके मध्ये (पण) भी ताँबेका पक्कापैसा जानों तिसका अर्द्ध अधेला लेना योग्यहोगा-एवं चौथाई पण उतराई बैल भैंसा घोड़ा आदि पशुओं से और पशुओंकी स्त्रियोंसेभी जो खाली पीठिहों लीजावै(और) चौथाई पणका आधाभाग उतराईरीते पुरुष वा स्त्रियोंसे भी लीजावै (मनुष्यरीता कहनेका यह भावहै कि जिसके पास कपड़ा बर्तन खानीपीनी चीज आदि जो आवश्यक बर्तावै योग्यहों तो यह बोझमें कुछ गिनतीनहीं रीताही कहलावेगा) इसमेंभी पण चाँदी ताँबेकी अपेक्षासे यह ध्यान करना योग्यहै कि जहाँ राजकरसे हीन घाटहो तहाँ ताँबेका पणठीकहै और उसमें भी उताराका सुगमता या दुर्गमता के भेदकरके पक्केपैसा यद्वा आनारूप ताम्रपणका चौथाईरीते पशुओं से और अष्टमभाग मनुष्य से उतराईलेना सूचित है परञ्च जहाँ राजकरका घाटहो तहाँ चाँदीकापण समुभिकर सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना योग्य समभाजाय लेना सूचित है और पशुओं से चौथाई पणके चारआनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना देशकाल कर्मके अनुरूप और उन पशुओं की भी जाति भेदके अनुरूप लेना योग्य समभाजाय सोई लेना सूचित है कुछ पूरे दोआने चार आनेकाही नियम नहीं बल्कि भेड़ बकरी आदि छोटै पशुओं की अपेक्षा में सर्वत्र केवल ताम्र पणका चौथाई पक्केपैसाकी छदाम लेना राजकर से हीनघाट में समुभनी किंतु राजकर के घाटमें भी आना रूप (पण) की चौथाई पाव आनातककी लेना योग्य समुभौ (भाण्ड) नाम मालभरे गठिया वीरा आदि तिनसे भरे (यान) गाड़ी आदि (तार्य) उतराई ऐसे ढङ्गसे दिलाने योग्य हैं कि जैसा उनमें (सार) हो अर्थात् सारहीनरीते यानोंकी उतराई ऊपर नियमितहुई सारयुक्त भरे यानोंकी उतराई उसमें अधिक लेनीहोगी सो अब कहतेहैं कि जैसा उत्तम मध्यम जाती उनमें सारनाम मालहो यद्वा थोड़ा बहुत यान भेदकरके जितनामाल कूताजावे उसीसार के अनुसार उनसे उतराई लेना योग्य है ( यहाँ उत्तम मध्यम जातीमालका दृष्टांत यह कि जमें एकगाड़ी में कसेरहटवाले धातुद्रव्य अथवा सादेकपड़े की गांठहों द्वितीय में कुछ रेशम आदि कपड़े की गांठ या जोजो चीज महर्घ्य मूल्यवाली या दुर्लभ लोकप्रसिद्ध



हों तीसरी में घी तेल आदि मध्यम चीजोंके कुप्पे यद्वा टाट चटाई रस्सी बान  
हों चौथी में कुछ भसा लकड़ी आदि तुच्छ चीजेंहों इत्यादि सभी जिसोंकी  
के अनुसार और बौभकरके थोड़ी बहुत होनेकेभी अनुसार कल्पित कियाजाय  
स्त्री पुरुष आदि प्राणीमात्रही असवारहों तौभी मध्यम न्याय कल्पित  
जिसमें कुछ अन्यायका संसर्ग न पायाजाय इसके मध्ये पहिले वचनकी भी  
देखो-और जो रिक्त भांडनाम छूँछेबोरा गोनि कुप्पा कण्डोला आदि पात्रोंसेही  
वाहन कुछ लदिरहाहो तिसपर जो कुछ थोड़ीसी उतराई योग्य समुभीजाय  
ल्पितरूप लेनी सूचितहै-और इसीप्रकार पुरुष जो अपरिच्छदहों किंतु जिनके  
कुछ असबाब नहीं या दरिद्रीहों तिनसे भी अतिस्वल्प जोकुछ देशकाल के  
योग्य समुभीजाय सो उतराई लेनी सूचित है अर्थात् ऊपरली उक्तीति  
सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतकभी लेने देशकाल  
अनुरूप कभी सूचित हैं उसरीतिवाले नियमों से इसभाँति के मनुष्योंको  
नहीं किंतु इनसे सिर्फ दमड़ी या छदामलेना तात्पर्य है-यह सब नियम केवल  
के उसपार जानेमध्ये कहेगये-अब यहबात निर्णय करते हैं कि जहाँ जलके मार्ग  
कुछ दूरवर्ती देशोंको पहुँचनाहो तहाँ दूरमार्ग की अपेक्षा जैसा देश जैसा  
तैसा योजन संख्याके अनुसार उनसब जुदे जुदे जलयानोंका भाड़ा कल्पित  
जाय जिनके द्वारा पहुँच होतीहो ( यहाँ जैसा देश कहनेका यह भावहै कि  
प्रबल बेगवाले जलका है कि जिसमें शीघ्र नावजाती है वा एकदेश ऐसाहो  
स्थिर जलके हेतुसे नौकादि जलयान शीघ्र नहीं चलतेहों यद्वा उलटेधार स-  
नाव खींचकर लेजानीहो एवं जैसा काल कहनेका यह भावहै कि एकवर्षाकाल  
में जलकी बहुताइत या नदियों की विकलता वा वक्रता से सुगमता या  
सम्भवहो यद्वा एक ग्रीष्मकाल जिसमें सूधी नदियाँ या थोड़े जलके हेतुसे  
में सुगमता या कठिनाई जो कुछ सम्भवहो इत्यादि प्रायः और भी अनेक हेतु  
लक्षण जैसे सम्भवहों तिनके अनुसार योजन संख्याके हिसाब से जो भाड़ा  
योग्य समुभीजाय सोई ठीकहै कुछएक नियमउसका नहीं) सो यहयोजन  
दि लक्षणकेवल नदियोंके जलमार्गमें समुभना किंतु समुद्रके जलमार्गमें  
लक्षणवाले नियमोंका कुछकाम नहीं क्योंकि उसमें वायुके अवलंबसे जहाज  
है और निपट तारक लोगोंकेही स्वाधीनमें नहोनेसे कुछमार्ग भाटक आदिले  
योजनसंख्या आदिरीतोंके अनुसार नियमित नहीं पायाजाता इसमेजहां  
उसीस्थलके संबंधी उसीकामके विज्ञाता लोग जैसा कालविलंब आदि  
नियमों सहित ठीकप्रमाण देकर निर्णयकरें सोई लेनादेना सूचितहै (प्रथापवावाः)

यौवाली गाड़ी आदि के वर्णनमध्ये आगे फिर भी होगा तहाँ समुभना-एवं पौरुष भारमध्ये आधापण अठनी तथा अधनी भी संसूचित है उसदशामें कि जो वहभार केवल व्यापारूमाल भर्तियोंकाहो तिसमें उत्तम मध्यम आदि पण्योंके अनुरूप जैसा योग्य समभाजाय तैसाही वैकल्पिक आठ आनेतक उतराईलेना न्याय सम्भव है और नीच पण्योंके भारहोने मध्ये एक आनेवाला पण संसूचितहै अर्थात् उनमेंआधे पणका आधआना लेनायोग्यहै और इसके भी उपरान्त जो जो भार केवल घास फूस लकड़ी आदि तुच्छ चीजोंके उतारेजायँ तिनके मध्ये (पण) भी तौबिका पक्कापैसा जानों तिसका अर्द्ध अधेला लेना योग्यहोगा-एवं चौथाई पण उतराई बैल भैंसा घोड़ा आदि पशुओं से और पशुओंकी स्त्रियोंसेभी जो खाली पीठिहों लीजावै(और) चौथाई पणका आधाभाग उतराईरीते पुरुष वा स्त्रियोंसे भी लीजावै (मनुष्यरीता कहनेका यह भावहै कि जिसके पास कपड़ा बर्तन खानीपीनी चीज आदि जो आवश्यक बर्तावे योग्यहों तौ यह वोभूमें कुछ गिनतीनहीं रीताही कहलावेगा) इसमेंभी पण चाँदी तौबिकी अपेक्षासे यह ध्यान करना योग्यहै कि जहाँ राजकरसे हीन घाटहो तहाँ तौबिका पणठीकहै और उसमें भी उताराका सुगमता या दुर्गमता के भेदकरके पक्केपैसा यद्वा आनारूप ताम्रपणका चौथाईरीते पशुओं से और अष्टमभाग मनुष्य से उतराईलेना सूचित है परञ्च जहाँ राजकरका घाटहो तहाँ चाँदीकापण समुभिकर सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना योग्य समभाजाय लेना सूचित है और पशुओं से चौथाई पणके चारआनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना देशकाल कर्मके अनुरूप और उन पशुओं की भी जाति भेदके अनुरूप लेना योग्य समभाजाय सोई लेना सूचित है कुछ पूरे दोआने चार आनेकाही नियम नहीं बल्कि भेड़ बकरी आदि छोटे पशुओं की अपेक्षा में सर्वत्र केवल ताम्र पणका चौथाई पक्केपैसाकी छदाम लेना राजकर से हीनघाट में समुभनी किंतु राजकर के घाटमें भी आना रूप (पण) की चौथाई पाव आनातककी लेना योग्य समुभौ (भाण्ड) नाम मालभरे गठिया बोरा आदि तिनसे भरे (यान) गाड़ी आदि (तार्व) उतराई ऐसे ढङ्गसे दिलाने योग्य हैं कि जैसा उनमें (सार) हो अर्थात् सारहीनरीते यानोंकी उतराई ऊपर नियमितहुई सारयुक्त भरे यानोंकी उतराई उसमें अधिक लेनीहोगी सो अब कहतेहैं कि जैसा उत्तम मध्यम जाती उनमें सारनाम मालहो यद्वा धोड़ा बहुत यान भेदकरके जितनामाल कूताजावे उसीसार के अनुसार उनसे उतराई लेना योग्य है ( यहाँ उत्तम मध्यम जातीमालका दृष्टांत यह कि जेमें एकगाड़ी में कसेरहटवाले धातुद्रव्य अथवा सादेकपड़े की गांठें द्वितीय में कुछ रेशम आदि कपड़े की गांठें या जोजो चीज महर्घ्य मूल्यवाली या दुर्लभ लोकप्रसिद्ध

हों तीसरी में घी तेल आदि मध्यम चीजोंके कुप्पे यद्वा टाट चटाई रस्सी बान आदि हों चौथी में कुछ भसा लकड़ी आदि तुच्छ चीजेंहों इत्यादि सभी जिसोंकी मालियत के अनुसार और बौभकरके थोड़ी बहुत होनेकेभी अनुसार कल्पित कियाजाय यद्वा स्त्री पुरुष आदि प्राणीमात्रही असवारहों तौभी मध्यम न्याय कल्पित कियाजावे जिसमें कुछ अन्यायका संसर्ग न पायाजाय इसके मध्ये पहिलेवचनकी भी व्याख्या देखो-और जो रिक्त भांडनाम छूँछेबोरा गोनि कुप्पा कण्डोला आदि पात्रोंसेही यान वाहन कुछ लदिरहाहो तिसपर जो कुछ थोड़ीसी उतराई योग्य समुभीजाय सोईकल्पितरूप लेनी सूचितहै-और इसीप्रकार पुरुष जो अपरिच्छदहों किंतु जिनके साथ कुछ असवाव नहीं या दरिद्रीहों तिनसे भी अतिस्वल्प जोकुछ देशकाल के अनुसार योग्य समुभीजाय सो उतराई लेनी सूचित है अर्थात् ऊपरली उक्तीति जिसमें सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतकभी लेने देशकाल कर्मके अनुरूप कभी सूचित हैं उसरीतिवाले नियमों से इसभाँति के मनुष्योंको कुछकाम नहीं किंतु इनसे सिर्फ दमड़ी या छदामलेना तात्पर्य है-यह सब नियम केवल घाटों के उसपार जानेमध्ये कहेगये-अब यहवात निर्णय करते हैं कि जहाँ जलके मार्ग से कुछ दूरवर्ती देशोंको पहुँचनाहो तहाँ दूरमार्ग की अपेक्षा जैसा देश जैसा कालहो तैसा योजन संख्याके अनुसार उनसब जुदे जुदे जलयानोंका भाड़ा कल्पित किया जाय जिनके द्वारा पहुँच होतीहो ( यहाँ जैसा देश कहनेका यह भावहै कि एकदेश प्रबल बेगवाले जलका है कि जिसमें शीघ्र नावजाती है वा एकदेश ऐसाहो जिसमें स्थिर जलके हेतुसे नौकादि जलयान शीघ्र नहीं चलतेहों यद्वा उलटेधार सन्मुख नाव खींचकर लेजानीहो एवं जैसा काल कहनेका यह भावहै कि एकवर्षाकाल जिस में जलकी बहुताइत या नदियों की विकलता वा वक्रता से सुगमता या कठिनाई सम्भवहो यद्वा एक ग्रीष्मकाल जिसमें सूधी नदियाँ या थोड़े जलके हेतुसे लेजाने में सुगमता या कठिनाई जो कुछ सम्भवहो इत्यादि प्रायः और भी अनेक हेतुभूत लक्षण जैसे सम्भवहों तिनके अनुसार योजन संख्याके हिसाब से जो भाड़ा लेना योग्य समुभीजाय सोई ठीकहै कुछएक नियमउसका नहीं) सो यहयोजन संख्याआदि लक्षणकेवल नदियोंके जलमार्गमें समुभूना किंतु समुद्रके जलमार्गमें अत्रोक्त लक्षणवाले नियमोंका कुछकाम नहीं क्योंकि उसमें वायुके अवलंबसे जहाज चलता है और निपट तारक लोगोंकेही स्वार्थीनमें नहोनेसे कुछमार्ग भाटक आदिलेना योजनसंख्या आदिरीतोंके अनुसार नियमित नहीं पायाजाता इससेजहां प्रयोजनहो उसीस्थलके संबंधी उसीकामके विज्ञाता लोग जैसा कालविलंब आदि लक्षणवाले नियमों सहित ठीकप्रमाण देकर निर्णयकरें सोई लेनादेना सूचितहै (अथापवावाः)यद्वा

योंवाली गाड़ी आदि के वर्णनमध्ये आगे फिर भी होगा तहाँ समुभूना-एवं पौरुष भारमध्ये आधापण अठन्नी तथा अधन्नी भी संसूचित है उसदशामें कि जो वहभार केवल व्यापारूमाल भर्तियोंकाहो तिसमें उत्तम मध्यम आदि पण्योंके अनुरूप जैसा योग्य समभाजाय तैसाही वैकल्पिक आठ आनेतक उतराईलेना न्याय सम्भव है और नीच पण्योंके भारहोने मध्ये एक आनेवाला पण संसूचितहै अर्थात् उनमेंआधे पणका आधआना लेनायोग्यहै और इसके भी उपरान्त जो जो भार केवल घास फूस लकड़ी आदि तुच्छ चीजोंके उतारेजायँ तिनके मध्ये (पण) भी ताँबेका पक्केपैसा जानों तिसका अर्द्ध अधेला लेना योग्यहोगा-एवं चौथाई पण उतराई बैल भैंसा घोड़ा आदि पशुओं से और पशुओंकी स्त्रियोंसेभी जो खाली पीठिहों लीजावै(और) चौथाई पणका आधाभाग उतराईरीते पुरुष वा स्त्रियोंसे भी लीजावै (मनुष्यरीता कहनेका यह भावहै कि जिसके पास कपड़ा बर्तन खानीपीनी चीज आदि जो आवश्यक बर्ताने योग्यहों तौ यह बोझमें कुछ गिनतीनहीं रीताही कहलावेगा) इसमेंभी पण चाँदी ताँबेकी अपेक्षासे यह ध्यान करना योग्यहै कि जहाँ राजकरसे हीन घाटहो तहाँ ताँबेका पणठीकहै और उसमें भी उताराका सुगमता या दुर्गमता के भेदकरके पक्केपैसा यद्वा आनारूप ताम्रपणका चौथाईरीते पशुओं से और अष्टमभाग मनुष्य से उतराईलेना सूचित है परञ्च जहाँ राजकरका घाटहो तहाँ चाँदीकापण समुभिकर सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना योग्य समभाजाय लेना सूचित है और पशुओं से चौथाई पणके चारआनेतक वैकल्पिक रीतिसे कि जितना देशकाल कर्मके अनुरूप और उन पशुओं की भी जाति भेदके अनुरूप लेना योग्य समभाजाय सोई लेना सूचित है कुछ पूरे दोआने चार आनेकाही नियम नहीं बल्कि भेड़ बकरी आदि छोटे पशुओं की अपेक्षा में सर्वत्र केवल ताम्र पणका चौथाई पक्केपैसाकी छदाम लेना राजकर से हीनघाट में समुभूनी किंतु राजकर के घाटमें भी आना रूप (पण) की चौथाई पाव आनातककी लेना योग्य समुभौ (भाण्ड) नाम मालभरे गठिया बौरा आदि तिनसे भरे (यान) गाड़ी आदि (तार) उतराई ऐसे ढङ्गसे दिलाने योग्य हैं कि जैसा उनमें (सार) हो अर्थात् सारहीनरीते यानोंकी उतराई ऊपर नियमितहुई सारयुक्त भरे यानोंकी उतराई उसमें अधिक लेनीहोगी सो अब कहतेहैं कि जैसा उत्तम मध्यम जाती उनमें सागनाम मालहो यद्वा थोड़ा बहुत यान भेदकरके जितनामाल कूताजावे उसीसार के अनुसार उनसे उतराई लेना योग्य है ( यहाँ उत्तम मध्यम जातीमालका दृष्टांत यह कि जमें एकगाड़ी में कमेरहटवाले धातुद्रव्य अथवा सादेकपड़े की गांठेंहों द्वितीय में कुछ रेशम आदि कपड़े की गांठें या जोजो चीज महर्घ्य मूल्यवाली या दुर्लभ लोकप्रसिद्ध

हों तीसरी में घी तेल आदि मध्यम चीजोंके कुप्पे यद्वा टाट चटाई रस्सी बान आदि हों चौथी में कुछ भूसा लकड़ी आदि तुच्छ चीजेंहों इत्यादि सभी जिसोंकी मालियत के अनुसार और बौभकरके थोड़ी बहुत होनेकेभी अनुसार कल्पित कियाजाय यद्वा स्त्री पुरुष आदि प्राणीमात्रही असवारहों तौभी मध्यम न्याय कल्पित कियाजावे जिसमें कुछ अन्यायका संसर्ग न पायाजाय इसके मध्ये पहिले वचनकी भी व्याख्या देखो-और जो रिक्त भांडनाम छूँछेबोरा गोनि कुप्पा कण्डोला आदि पात्रोंसेही यान वाहन कुछ लदिरहाहो तिसपर जो कुछ थोड़ीसी उतराई योग्य समुभीजाय सोईकल्पितरूप लेनी सूचितहै-और इसीप्रकार पुरुष जो अपरिच्छदहों किंतु जिनके साथ कुछ असवाव नहीं या दरिद्रीहों तिनसे भी अतिस्वल्प जोकुछ देशकाल के अनुसार योग्य समुभीजाय सो उतराई लेनी सूचित है अर्थात् ऊपरली उक्तरीति जिसमें सामग्री सहित मनुष्य से पणाष्टम भागके दो आनेतकभी लेने देशकाल कर्मके अनुरूप कभी सूचित हैं उसरीतिवाले नियमों से इसभाँति के मनुष्योंको कुछकाम नहीं किंतु इनसे सिर्फ दमड़ी या छदामलेना तात्पर्य है-यह सब नियम केवल घाटों के उसपार जानेमध्ये कहेगये-अब यहबात निर्णय करते हैं कि जहाँ जलके मार्ग से कुछ दूरवर्ती देशोंको पहुँचनाहो तहाँ दूरमार्ग की अपेक्षा जैसा देश जैसा कालहो तैसा योजन संख्याके अनुसार उनसब जुदे जुदे जलयानोंका भाड़ा कल्पित किया जाय जिनके द्वारा पहुँच होतीहो ( यहाँ जैसा देश कहनेका यह भावहै कि एकदेश प्रबल बेगवाले जलका है कि जिसमें शीघ्र नावजाती है वा एकदेश ऐसाहो जिसमें स्थिर जलके हेतुसे नौकादि जलयान शीघ्र नहीं चलतेहों यद्वा उलटेधार सन्मुख नाव खींचकर लेजानीहो एवं जैसा काल कहनेका यह भावहै कि एकवर्षाकाल जिस में जलकी बहुताइत या नदियों की विकलता वा वक्रता से सुगमता या कठिनाई सम्भवहो यद्वा एक ग्रीष्मकाल जिसमें सूधी नदियाँ या थोड़े जलके हेतुसे लेजाने में सुगमता या कठिनाई जो कुछ सम्भवहो इत्यादि प्रायः और भी अनेक हेतुभूत लक्षण जैसे सम्भवहों तिनके अनुसार योजन संख्याके हिसाब से जो भाड़ा लेना योग्य समुभाजाय सोई ठीकहै कुछएक नियमउसका नहीं) सो यहयोजन संख्याआदि लक्षणकेवल नदियोंके जलमार्गमें समुभना किंतु समुद्रके जलमार्गमें अत्रोक्त लक्षणवाले नियमोंका कुछकाम नहीं क्योंकि उसमें वायुके अवलंबसे जहाज चलता है और निपट तारक लोगोंकेही स्वार्धीनमें नहोनेसे कुछमार्ग भाटक आदिलेना योजनसंख्या आदिरीतोंके अनुसार नियमित नहीं पायाजाता इससेजहां प्रयोजनहो उसीस्थलके संबंधी उसीकामके विज्ञाता लोग जैसा कालविलंब आदि लक्षणवाले नियमों सहित ठीकप्रमाण देकर निर्णयकरें सोई लेनादेना सूचितहै (अथापवादाः)यद्वा

अबकुछथोड़े से अपवादभी दर्शातेहैं कि. दोमासके उपरांत जो सगर्भा स्त्रीहो. तथा प्रव्रजित किंतु भिक्षुक. मुनि अर्थात् बानप्रस्थ जो स्त्री सहित वनमें तपकरतेहैं. लिंग युक्त ब्राह्मण किंतु ब्रह्मचारी दोनों भांतिका. यहसब इतने प्राणिकहीं उतारा के स्थानघाट आदिपर उतराई देनेयोग्यनहीं हैं यहकेवल पारावारउतरने मध्येजानो- इसके सिवायभी-जलस्थलदोनोंभांति मार्गशुल्कों मध्ये कुछअपवाद विशेषहै-सयथा- (नभिन्नकार्षापणमस्तिशुल्कंनशिल्पवृत्तौनशिशौनदूते । नभैक्षवृत्तेनहृतावशेषेनश्रोत्रि येप्रव्रजितेनयज्ञे)अर्थात्-नतो भिन्नकार्षापण राजशुल्कहै न शिल्पवृत्ति करनेवालोंपर न छोटे बालक बच्चेपर न राजाके संदेशहारक आदि दूतोंपर न भिक्षावृत्तिरखनेवा- लोंपर न किसी हृतावशेषजन पर शुल्कलागै और प्रायः श्रोत्रियलोगोंपर भी और प्रव्रजितों परभीनहीं एवं यज्ञोंपरभी नहीं-अबइन सबके क्रमसे रूप दर्शित करतेहैं कि इनमें भिन्नकार्षापण का यहव्यौराहै ( भिन्नंस्फुटितंयत्कार्षापणंतामूविकारंतत्परि नियमितशुल्कगणनायांनास्तीति ताम्रपणादपिन्यूनंशुल्कंनकल्पनीयंनचग्राह्यं ) यहचर्चा केवल घाटोंके उतारा तद्वत् विरलेस्थल मार्गके महसूल जगाइत आदिपर आरूढ़है और आशय इसका यहकि इसमेंन्यूनतरभी एकपैसेसे न्यूनशुल्क बढ़ाम दमड़ी आदिनहीं लियाजावै किंतु यद्यपि पूर्वोक्तकिसी मर्यादाके हिसाबसे बढ़ाम आदिलेना सूचित किसी अवसर किसीपरहोसकताहो तौभी पूरापैसा लियाजावैयद्वा छोड़दियाजावै इसका यह दृष्टांतहै कि जैसे भेड़बकरी आदि छोटे पशुओंपर प्रत्येक पंखपीछेएक बढ़ामलेना किसी नियमित मर्यादासे संसूचितहै और कोई सिर्फएकही या दो भेड़उतारै जिसमेंपूरा एकपैसाभी महसूल का न आताहो तौभी पूरापैसा लेना योग्यहै और छोड़देनेका यहअर्थहै कि जहां भेड़ोंकी बहुताइत इक्कीस या पच्चीस या उनतीस आदि होंतें फिर बीस या चौबीसके परेपैसे पांच या छःसातआदि जो कुछ होतेहों सोई लेकर उपरालकी दो एकबढ़ामझोड़ि देवै बलिक विरली वस्तुओं मध्ये पैसेसे न्यूनशुल्क निपट छोड़िदेना एकधर्महै(दृष्टांत)जैसे घासफूस आदि तुच्छ ची- जों के मानुषभारपीछे एकपैसा जहां जगाति का तहसीलकरना नियमित ठहराहो तहां जोजोदीन दुखिया कोई ऐसाथोड़ा घासफूस आदि लेकर आवें जिसका विक्रय होनेसे उसएक मनुष्य कीभी उदर पूर्णाहोनी दुर्घट समभीजाय तिनको निपट मु- आफ करना योग्यहै इसहेतुसे कि उनपर थोड़ी चीजके अनुरूप बढ़ाम दमड़ी आ- दि यद्यपि लेनासूचित होताथा परंच भिन्नकार्षापण राजशुल्कमें गणनीयनहीं इस्में दीनदुखिया को यह छोड़दिया जावै यहसब फूटे पैसे का वृत्तांत हुआ-और शिल्पा- कारुक पेशेवालेजो राजकाजोंमें लगिरहेहोंसो जलस्थलदोनों शुल्कोंमें सर्वत्रमुआ- फ़रकले जायँ किंतु कोईठेकेदार भी इनलोगोंसे उताराआदि कुछमहसूल लेनेकाअ-



धिकारीनहीं-और छोटेबालक बच्चेकायह भावहै कि जिनस्त्री पुरुषोंके साथकोई शिशु बालक या पशुओंकेहीसाथ कोईबच्चेहों तिनकाशुल्क न लेवै परजो बालकबहुत बड़े हों तिनको अर्धभागआदिशुल्कजैसा देशकाल अवसरके अनुरूप योग्यसमुभाजाय कल्पितहोवै और कोई बालक भूलाभटका आदि एकाकीभी कदाचित् कहींजाताहो तौभी घाटउतारा या जलयान स्थलमार्गडाकयान आदि शुल्कोंसे मुआफ़रकखाजा-वै-और दूतजोजो राजाके संदेशहारक धावक आदि और आकुंचितडाक थैलीआदि के पहुंचानेवाले हों जलस्थल मार्गशुल्कोंसे ये माफ़हैं अर्थात् इनसेकोई राजकीय ठेकेदार तकभी मार्गशुल्कनलेवै-भैक्षवृत्त भिक्षुकआदि प्रसिद्धहैं और हतावशेषका यहलक्षणहै कि जिसका मार्गआदिमें धनचोरीलूटि फूटिसे हरिगयाहो तिसपर कहीं पहुंचनेमेंभी जलस्थलमार्ग राजशुल्क न मांगेजायँ इसहीकादूसराआशय यहभीहै कि जबकोई व्यापारूमाल दोसौझासठि दोसौसरसठि मूलश्लोकों और अधिकोक्तों की मर्यादासे अपराधमध्ये राजमेंहरलीन्हाजाय तौउसमाल का ब्यापारी आदिकोई अधिकारी यद्यपि हतावशेषहो जिसपर साधारण बत्ताविकी सामग्री यद्वा उसीमाल काकोई अंशहरने से अवशिष्ट छोड़ागयाहो तौ इसदशाके अनंतर उस्सेदेशकाल वस्तुके अनुरूप जैसायोग्य समुभाजाय मार्गशुल्क न मांगेजायँक्योंकि यहरिआयत भी इसध्यान से आवश्यकहै कि वह अपने मुख्य ठिकाने आदि परपहुंचनेसेभी न रहजाय या रुकजाय-और उनश्रोत्रियलोगों परभी राजशुल्कनहोवै जो वेदादिक शास्त्र विद्याकाअध्ययनसंग्रह करतेहों या करिचुकने परभी उसीविद्याके व्यापारोंसे संपन्नहों एवंप्रव्रजितसंन्यासी आदि-एवंयज्ञके निमित्तसे जो कोईसी सामग्री आईहो तिसपर शुल्क न होवै-जैसा-यहां जलस्थल मार्ग शुल्कोंके नामसे अपवादवर्णन हुआ तैसे अन्य भाँति के भी राजशुल्कों पर दृष्टांत देश काल वस्तुओं के अनुरूप यथोचित कल्पित करिके समुभिलेने-अत्रोक्त मार्ग शुल्कों के सिवाय-अन्यभाँति के सामान्य राजकर भी अंधे आदि विरले औरोंको न देने योग्य जानो-तदाह मनुः (अंधो जडःपीठसर्पिसप्तत्यास्थविरश्चयः । श्रोत्रियेषूपकुर्वश्चनदाप्याःकेनचित्करम्) अर्थात्-एकअंधा, बहिरा-पीठसर्पिं किंतु खँजा अपाहिज लूला, पूरे सत्तरिवर्षों का बूढ़ाइस के उपरांतभी कि जबतक जीवै,ऐसा कोईभक्त पुरुषजो अपने धनधान्य आदि लाभों तथा शरीर को विद्वान् श्रोत्रिय लोगों के उपकार में लगातारहता हो-एवं श्रोत्रियपुरुष भी,ये इतने संसूचित प्रजा लोगयद्यपि कोई भाँतिके व्यापार भी स्वकीय जीवन योग्य करते हों जिसमें लाभभागोंसे आवश्यक राजकर का लेनाभी मर्यादा मे आरूढ़ पाया जाता हो तौभी किसी राजा क्षाण कोप कोभी इतने लोग राज कर दिलवाने योग्य नहीं हैं अर्थात् सर्वथा मुआफ़ करने योग्यहैं-यहनों २६८ वान्ने

पूर्व अद्धा की अधिकोक्तिहुई-उत्तर अद्धाकी अपेक्षा में अग्रोक्त मनुके वाक्यहैं-यथा (प्रातिवेश्यानुवेश्यौच कल्याणोविंशतिद्विजे । अर्हावभोजयन्विप्रोदंडमर्हतिमाषकम् ॥ श्रोत्रियःश्रोत्रियंसाधुंभूतिकृत्येष्वभोजयन् । तदन्नंद्विगुणंदाप्योहिरण्यंचैवमाषकम् ) अर्थात्-निरंतरगृहवासीप्रातिवेश्य कहलाताहै जो उसी अहातेके भीतर यद्वा भिड़-मा बसताहो एवं उसघरसे कुछअंतरमें परोस यद्वा सन्मुखबसता हो सो अनुवेश्य कहाजाताहै,यह दोभांतिके ब्राह्मण ऐसे अवसरमें अवश्य नौतादेनेयोग्य हैं किजब जब किसी कल्याणोत्सव की अपेक्षा लगभगबीसके यदिअन्य विप्रभी जिमायेजायें तबजोकोई विप्रजातीमात्रहोकर ऐसेदोनोंका अतिक्रमकरै किन्तु बीसऔरोंके जिमानेपरभी इनकोनहीं नौतै तौवहएक माषरौप्य दंडराजमेंप्रत्येक उपेक्षित विप्रपीछेभरै-और जोकोई आपविद्याचारवानहोकर अपनेतुल्य द्वितीयश्रोत्रिय को सुशीलहोने परभी जोनिज प्रातिवेश्य वा अनुवेश्यहो ऐश्वर्य संयुतमंगल कामोंमें जिमावैनहींतौ उसउक्त अभोजित श्रोत्रिययोग्य द्विगुणाअन्न दिलायाजाय पीछे एकमाष सौवर्णिक दंडराजमें भी-क्योंकि राजासर्वधर्मोंका स्थापकहै इसहेतुसे जोकोई विप्रहोकर ऐसेशिष्टाचारिक सद्धर्मोंका विलोपकरै तिसकोदंडसे सुमार्गमें चलावै २६८ ॥ प्रसंगसेकुछ हानिकाभी चर्चा नीचेकरतेहैं (अथजलमार्गैधनहानिरपिदातव्या)तदप्याहमनुः (यन्नावि किंचिद्दाशानांविशीर्येतापराधतः । तद्दाशैरेवदातव्यंसमागम्यस्वतोऽशतः ॥एषनौया यिनामुक्तोव्यवहारस्यनिर्णयः । दाशापराधतस्तोयेदैविकेनास्तिनिग्रहः )अर्थात्-नौका परआरूढ़हुये व्यापारीयद्वा अन्यमनुष्योंका कुछद्रव्य नाविक मल्लाहोंके अपराधसे यदिडूबै यद्वा खोयाजाय सोउनखेवक दाशोंकोही देनाहोय किन्तुसभी खेवकमिलकर अपने अपनेभागोंके अनुसार हानिभरै-यहव्यवहार निर्णय नौकामार्गसे विदेशयद्वा पारजाने वालोंका सर्वथाखेवक लोगोंके अपराधपरहीकहा किन्तुदैवसे उत्पन्नहुयेतीव्रवायुआदि विघ्नोंसे यदिनौका भंगहोकर द्रव्यडूबै तबउनखेवक दाशोंका अपराध नहींहोने से कुछदंड न हो २६८ ॥

(परदेशमृतव्यापारिधनप्रसंगः )

देशांतरगतेप्रेतेद्रव्यंदायादर्थाधवाः । ज्ञातयोवाहरेयुस्तदागतास्तैर्विनानृपः २६९

ऐ०-देशांतरगत के प्रेतहोनेमें उसद्रव्यको दायाद या बांधव या ज्ञातीलोग हों यद्वा उसकेसाथ या पीछेसेही आयेहुयेसाथी व्यापारी साभीआदिही लेजावें इनसब के बिना राजाहरै-अर्थात्-जबकोई एकविदेशी व्यापारीयद्वा कोई और बटोहीआदि एकला आयाहुआ विदेशमें मरजाय यद्वाउसके साथकोई और स्वकीयसाथी साभी व्यापारीआदिआयेहैं तिनको छोड़िकर मरजायतबउसका जोकुछद्रव्यउसके साथहो या छोड़ेहुये साभियोंमें कुछअंश मिश्रितहोय सो मरजानेवाले के (राज)

पुत्रादिक संतानवर्गजे कोईसाथ उपस्थितहों या पीछेसेही सुनकरशीघ्रआवैं वेहीपावैं यद्वाउन दायादोंके न होने या सुनकरनहीं आनेमें आसन्नबन्धु लोग मातृपक्षीमामा नानाआदि साथ उपस्थितहों या पीछेसेहीसुनकर शीघ्रआवैं वेहीपावैं अथवाज्ञाती लोग जो संतानवर्गसे उपरांत भ्राता चचाआदि सपिंड समुभेजातेहों या सपिंडोंके उपरांत सोदकआदि जोजो दायभागकी मर्यादोंसे अधिकारी समुभेजातेहों वेहीसाथ उपस्थित हों या पीछेसेही सुनकरशीघ्रआवैं तौ उसधनकोपावैं परयहबात भी आव-  
श्यकहै किजहां इनमेंकईभांतिके अधिकारी शीघ्रपहुँचैं और उसधनके लेनेमध्येकोई भगड़ारोपैं तहां ( पत्नीदुहितरश्चैवपितरौभ्रातरस्तथा ) इत्यादि दायभागवालेमूल श्लोकोंकी व्यवस्थासे क्रम सूचितहोने पीछे क्रमानुसार जिसकोयोग्य समुभाजाय सोईधनको लेनेपावै किन्तु भगड़ासे विहीनकोई एकही अधिकारी जहांपहुँचै यद्वा साथ उपस्थित हो तौवहक्रम संसूचनहोने विनाभी वैकल्पिकन्यायसे धनपानेका अ-  
धिकारीहै क्योंकि ऊपरमूलश्लोकमें योगीश्वरने(वा)शब्दजो प्रयुक्तकिया तिसकाभाव यहीहै कुछ और नहीं और इसभावकाभी यह सिद्धांतहैकि यद्यपि तत्कालकोईवैक-  
ल्पिक अधिकारसे अधिकारीभीहोजावे और मुख्यात्मक तत्कालीन अधिकारीकिसी हेतुसे न पहुँचाहो सो कालान्तरमें भी आइकर उस हेतुको दर्शाताहुआ निजमुख्या-  
त्मक तत्कालीन सच्चे अधिकार को संसिद्ध करावे तो फिर वहीधनको पावेगा-परन्तु जो कालान्तर में भी कोई ऐसा अधिकारी धनका ग्राहक नहीं आवै तौ वैकल्पिक अधिकारीही धनभोगै-इसीआशय के अनुकूल चौथे पादमें फिर कहतेहैं कि ( आ-  
गतावागृह्णीयुः ) अर्थात् जे कोई व्यापारी साभी आदि उसके सङ्गआये पास उप-  
स्थितहों या पीछेसेही सुनकर शीघ्रआवैं वेभी उसके धनको पाइ सक्ते हैं-इन सबके निकट न होने और सुनिकर शीघ्र नहीं आनेमें उसदेशका धरणीश धनको रखे और दश वर्षोंतक रखवारीकरै जब दशवर्षमें भी कोईलेने नहीं आवै तभी राजाउस अस्वामिकधनको आपलेवै-यहीप्रकारनारदने स्पष्टवर्णन कियाहै अधिकोक्तिमें २६६॥

अधि०—एवंचनारदआह (एकस्यचेत्स्यान्मरणन्दायादोऽस्यतदाप्नुयात् । अन्योवाऽसतिदायादेसक्तश्चेत्सर्वएवतः॥तदभावेतुगुप्तन्तत्कारयेदशवत्सरान् । अस्वामिकमदायादन्दशवर्षस्थितन्ततः । राजातदात्मसात्कुर्यादेवन्धमोनहीयते) अर्थात्-अनेक सा-  
भियों में यदि किसी एकका मरनाहो तब इसका 'द्रव्यजो कुछ साभियों मध्ये अंश मिश्रितहोय तिसको उसका पुत्रादिक दायाद जो तत्रैव साथमें या घरपरहो सोई पावै यद्वा और कोई बन्धु आदि जिसको दायभाग से अधिकार पहुँचताहो वहीपावै यद्वा किसीभांतिका दायाद आदि अधिकारी धनको हरनेवालाजिमका माथमें या भी निपट न सावितहो तबउन साभियों में जो कोई उसका हित् सभीपी सं -

कर श्राद्ध आदि क्रियाकर्म करने का उत्साह रखताहो वही धनकोलेवे तद्वत् ऋण भी उसपर जो कुछहो सो उद्धारकरै कदाचित् ऐसा पुरुषभी साभियों में नहो तौफिर सभी साभी मिलकर उसके धनको बाँटिलें-साभियों के भी निपट न होने में अर्थात् एकाकी विना साभेवाला कोई पुरुष व्यापारी आदि जो देशान्तर में मरजाय जिस के ऊर्द्धोक्त कोई भाँति के दायद उसका मरना सुनकर शीघ्र नहीं आवें और यह भेद भी न जानाजाय कि इसके घरके वा सम्बन्धी आदि कहाँ रहतेहैं तबउस पुर का राजा डिण्डिम घोष कराकर धनको राजकोषों में रखवावै और दशवर्षतक दायद बन्धु आदि की प्रतीक्षा करतारहै कि उतनी अवधि भीतर भी यदि कोई लेनेवाला डिण्डिम घोष के पश्चात् आवे तिसका पता ठिकाना रूपज्ञान समुभेपीछे द्रव्यसौंप देवे-जब दश वर्षतक धनस्वामी और दायदहीन रक्खारहे तब लावारिस उसको मानकर धरणीश अपनाकरै तौ इसरीति से सदैव धर्म बढ़ता है-मरे पुरुषके धनको दायभाग में कहचुकने परभी यहाँकहने से यह सिद्धि है कि वहांपर(पत्नीदुहितरश्चै वपितरौभ्रातरस्तथा । तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः स ब्रह्मचारिकः) इसीवचनके अन्त में जो शिष्य और स ब्रह्मचारीका अधिकार वर्णन हुआथा सो यहाँ उसको छोड़िकर साभियोंका अधिकार निश्चित कियागया-यद्यपि-पत्नी दुहिताआदि क्रम उसजगह निरूपण जैसा हुआथा सो यहाँ भी आवश्यक है पर जिस दशामें अति दूरदेशीके मरजानेपर एकाकी आदि हेतुओंसे कुछ पता पहले न लगसकै और पत्नी पुत्रादिक न पहुँचसकै तबयह विशेषनियम नहींहै कि उसीक्रमके अनुसारआवेंवेहीपावें किन्तु ऐसे अवसर में जेकोई पहुँचसकै सो वैकल्पिक अधिकार से भी धनलेआने के अधिकारी हैं किन्तु विदेश में धन व्यर्थ चलाजानेकी दृष्टि से इसविकल्प में कुछ दोषनहीं बल्कि वहांसे ले आनेवालेका यह धर्म विशेष है कि जिसको उसके पानेका अधिकार विशेषहो तिसहीको समर्पणकरै पर जब इसमें कभी व्यतिक्रम होतादेखै तिसका न्यायभी तत्रत्य राजाकरै कि जहाँ कहीं धन पहुँचाहो यद्वा पानेके अधिकारी बसतेहों-इसके सिवाय-धनका व्यर्थ विनाश होजाने के ध्यानसे हरकोई उसके अर्थ में लगानेका अधिकारी है जो कुछ भी उस मृतधनीसे संसर्ग रखताहो (दृष्टान्त) जैसे अन्तेवासी जो कदाचित् उसके साथहोय यद्वा मरना सुनिकर जापहुँचै तौ वह अपने मरेहुये आचार्यका धनउसीके निमित्त ब्रह्मभोज पुण्य दान श्राद्ध कर्म आदि में लगानेका अधिकारी है या कोई और मित्रादिक ऐसा करसक्ता है-परञ्च-धनके ढेर थोरेहोनेपर भी ध्यान करना योग्य है कि जो धन उसके ऊर्द्धोक्त पुण्य आदि कर्ममें लगानेका हो तुल्यहो तौ अधिकार ठीकहै अन्यथा जहाँ धन कुछढेर समुभ्नाजाय तहाँ राजाका यह योग्यहै कि उसी अन्तेवासी आदि समीपी के द्वारा उसके घरका ठीकनगाकर

ठेठ दाय्यादों को पहुँचादेवे राजाका यह धर्म सनातनहै-अथवा-जहाँ कोईधनी विदेश में जो मराहो मरते समय राजासे या राजपुरुषों या तत्रत्य वरिष्ठोंसेही जो कुछ अन्त्यकालिक शिक्षा के आकार अपने धनके मध्ये करना धरना आदि प्रकट करके मराहो सो सब यथासम्भव तद्रूप उन्हीं लोगोंको कर्तव्यहै कि जिसने उसकीअन्त्य शिक्षाका स्वीकार कियाहो तौभी राजा उनका द्रष्टा बनकर स्वतःभी करवानेका अधिकारीहै क्योंकि वक्ष्यमाण सबसे पिछले एकप्रकीर्ण प्रकरणकी मर्यादों से सर्वत्र ऐसे कामों में धरणीश को स्वहस्तपात करनेका अधिकार धर्म मूलकहै २६६ ॥

( कस्यचिल्लाभहानिः )

जिह्नन्त्यजेयुर्निर्लाभमशक्तोऽन्येनकारयेत् २७० ॥ पूर्वाद्धोऽयम्

ऐ०-जिह्नको निर्लाभत्यागें, असमर्थ अन्यसे करावै-अर्थात्-जिह्ननाम वंचक छलिया जो कोई सब साभियों वीचहो तिसको अन्यसब साभीलोग नफादिये विन साभेसे काढ़िदें आशय इसका यह कि उसकी जमा जो कुछ लगीहो तिसका लेखा जोखा बेबाक करिके साभेमें न रक्खें और जो छलकरनेसे पहले किंचित्लाभ खड़ाहुआ हो तिसका भागउसे नदें, पर जो कोई साभीउसी साभेके उपयोगी काम धंधे करनेमें असमर्थ यद्वासुखिया होने के हेतुसे बराबर सब के न करसकै-तौ वह अपनी ओरसे किसी करसकनेवाले पुरुषको अपना प्रतिनिधि किंतु मुनीम नियतकरिके उस्से कामकरावै २७० ॥

अधि०-जो कोईएक साभी सब साभियों के सामान्य धनका ऋणियोंसे तगादा आदि करनेकी उपेक्षा करै यद्वा और किसीभांति से सहायता नहींकरताहो तिसके लिये बृहस्पतिजी अग्रोक्त नियम कहते हैं-यथा(समेवैतस्तुयद्दत्तंप्रार्थनीयंतथैवतत् । नयाचतेचयःकश्चिल्लाभात्सपरिहीयते ) अर्थात्-सब साभियों ने मिलकर जो कुछ रोकदाम या सौदा किसीव्यापारी आदिको उधारे दियाहो सो वह दियाहुआ जिस अवधिके निमित्त दियाहो उसीसमान उस्से माँगनाभी आवश्यक है कदाचित् कोई साभी अपने अवसर पर मौजूद होतेहुये मर्याद के अनुसार उस्से माँगें नहीं और इस अवसरकी उपेक्षासे उसदियेहुये धनका डूबिजाना संभव हो तौ इसउपेक्षाकरने वालेकोभी उतने उसीधनके लाभका कुछभाग न दियाजाय-यहां तगादाके नकरनेसे जो लाभ हानि उसकी कहीगई इसीके उपलक्षण करके यहभी न्याय अपेक्षित है कि जिसकिसीसाभीके करनेयोग्य जो कुछकाम जितनाउसके अंशकेअनुरूपहो तिसको औरोंकी प्रसन्नता रहित निजमनमौजसेही नहींकरै तौ भी लाभ हानि उसकी होगी पर जो औरोंकी प्रीतिसे जिसकामके न करनेवाली दशा पैदा हुईहो या जिसकामके बदले में कुछ और काम उसने कियाहो तिसमें लाभ हानि का कुछचर्चानहीं २७० ॥

(अथातिदेशधर्माः)

अनेनविधिराख्यातऋत्विक्कर्षककर्मिणाम् २७० ॥

ऐ०—इसीसे विधि कहीहै ऋत्विक्, कर्षक, कर्मियोंकी-अर्थात्-इसही उक्तप्रकार से कि जो कुछ वणिज व्यापार के साभियों की व्यवस्था मध्ये ऊपर निर्णय किया गया तद्वत् ऋत्विक् होता होमकरनेवाला तथा किसान और कर्मिनामकारीगर शिल्पी नट नर्तक आदि औरोंकेभी साभेमें समुभ्ना २७० ॥

अधि०—ऋत्विक् आदि औरों का जो विशेषहै सो अपनीहीव्यवस्था द्वारा जाना जासक्ताहै क्योंकि वणिज व्यापारी लोग अपना अपना द्रव्यलगाकर साभाकरतेहैं और ऋत्विक् यद्वा अन्य कारीगरोंका जो साभाहै सो केवल कर्मसे होजाताहै पुनिउस मेंभी यहभेदहै कि विरले साभीसभी एकसेगुणवान् और विरलोंमें कुछ उत्तममध्यम आदि ऊँचे नीचे साभीहोतेहैं इसलिये सबकाभिन्नभिन्न वर्णनहोनाही आवश्यकहै-तिनमें प्रथम ऋत्विजोंकाही साभावर्णनकरतेहैं-यथाहमनुः(ऋत्विजःसमवेतास्तुयथा सत्रेनिमंत्रिताः । कुर्युर्यथाहंतत्कर्मगृह्णीयुर्दक्षिणांतथा ॥ ऋत्विग्यदित्तोयज्ञेस्वकर्मपरिहापयेत् । तस्यकर्मानुरूपेणदेष्योऽशःसहकर्तृभिः ॥ दक्षिणासुचदत्तासुस्वकर्मपरिहापयन् । कृत्स्नमेवलभेतांशमन्येनैवचकारयेत् ॥ यस्मिन्कर्मणिथास्तुस्युरुक्ताःप्रत्यंगदक्षिणाः । सएवताआददीतभजेरन्सर्वएववा ॥ रथंहेरेतचाध्वर्युर्ब्रह्माधानेचवाजिनम् । होतावापिहरेदश्वमुद्गाताचाप्यनःक्रये ॥ सर्वेषामर्द्धिनोमुख्यास्तदर्द्धेनार्द्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थांशाश्चपादिनः ) अर्थात्-एक तौ यह नियम है कि ऋत्विज् नाम होता लोग यज्ञमें बुलाये तथा इकट्ठे मिश्रीभूत सभीलगाये हुये जैसे कामोंमें नियुक्त होकर अपने योग्य कर्म करें तैसेही प्रत्येक दक्षिणा लेवें, किंतु जिस जिसकर्मकी जो नियत दक्षिणा शास्त्रविहित हो तिसके करने वाले वेही पावे परंच यदि कोई ऋत्विक् यज्ञमध्ये वरणी होजाने पीछे थोड़ा कर्म करिचुकने पर उस अपने कर्मको बीमारी आदि हेतुसेही छोड़िदेय तिसको कि हुये कर्मके अनुरूपअंश उसीनियत दक्षिणामें से अन्यकर्ता लोगोंसे विचार करवाकर जितना उचितहो सब के साथ देनायोग्यहै अर्थात् इसका अंश देकर शेष उसको दियाजाय जिसनेउमके पलटे कर्म कियाहो कदाचित् माध्यंदिनसवनादिकर्मों में दक्षिणा दे देने योग्यउक्त काल पर दक्षिणाओं के देचुकने में यदि कोई ऋत्विक् मिर्क देवीगति बीमारी आदि से निज कर्म त्यागै तौ यह पूराअपना अंश पावे और वह शेषकर्म औरसे करायाजाय तिसको फिर यजमान देवे अब इसवातमें संदेह खडाकरते हैं कि-अग्न्यधानआदि जिस जिसकर्मकी प्रत्यंग दक्षिणा जो जो शास्त्रविहित कही हों सो में उन्हीं कर्मों के करनेवाले जुदी जुदी लेलेवें यद्वा सब ऋत्विक् सभी दक्षिणा मिन-



करवाँट करें-इसी संशय का सिद्धांतरूप निर्धारण आगे दो श्लोकों से अब करते हैं कि किन्हीं एक साखियों की आम्नाय में यह बात विश्रुत है कि आधान कर्मसमय अध्वर्यु को रथ दिया जाय एवं ब्रह्माको चालांक घोड़ा एवं होताको भी घोड़ा और उद्गाता को सोमक्रय कर्म मध्ये (अनस्) किंतु छकड़ा गाड़ी सोम ढोउने वान्नी दी-जाय-सो इसउक्त व्यवस्थाकी सामर्थ्य से तो जहां ऐसा नियम अंगीकार किया जावै तहाँ उसका वही प्रकार होना योग्य है कि जिस जिस कर्मके संबंधमध्य जो जो नियत दक्षिणा विश्रुत हो सो सो उसी कर्मका कर्ता लेवे-परंतु जहाँ सबही का एकत्र दक्षिणा संचित होकर बांट करना परै या कोई एक द्रव्य जो कुछ सबके अर्थसे सामान्य प्राप्त हुआ हो तिसका भाग हो सकने वाला नियम आगे कहते हैं कि सबमें मुख्य ऋत्विक् अर्द्धी नाम आधे के अधिकारी हैं-उस अर्द्ध से भी अर्द्ध के अधिकारी उनसे अपर दूसरे दर्जावाले ऋत्विक् जानो-तृतीय दर्जा के ऋत्विक् उसी अर्द्धसे तृतीय भाग पाने के अधिकारी हैं-चौथे दर्जाके ऋत्विक् उसी अर्द्धका चौथाई भाग पाने के अधिकारी हैं-अब-इसउक्त अर्थ का स्पष्ट ब्यौरा समुभौ किंतु (ज्योतिषोमेन तंशतेन दीक्षयंति) इत्यादि श्रुतिवाक्य से यह बात पाई जाती है कि जिस यज्ञ में समस्त ऋत्विज् लोगों को दक्षिणा पूरी एक सौ गौवें कल्पित हुई हों तिसमें कितनी गौवें किसको मिलें ऐसे संशय पर यह नियम विशेष भी आरोपित किये देते हैं कि जैसे होता आदि प्रायः सोरह ऋत्विक् हुआ करते हैं और उनमें चार दर्जा के चार चार होते हैं अर्थात् पहले मुख्य ऋत्विज्-होता १ अध्वर्यु २ ब्रह्मा ३ उद्गाता ४ इन चारों का हक उनमें आधेकी ४८ गौवें हुई यद्यपि ठीक आधे पूरम्पूर पचास होने योग्य थे पर अड़ता-लिस भी पचासके ही पास हैं और उन्हींसे तुल्यात्मक भाग भी लगसक्ता है कि बारहवार-ह चारों ऋत्विक् बांटिलें (यही बात कात्यायनके वाक्यसे अगाड़ी कहीं निश्चित करी जायगी) इनके सिवाय द्वितीय कक्षावाले ऋत्विज् लोग, मैत्रावरुण १ प्रतिप्रस्थाता २ ब्राह्मणाच्छंसी ३ प्रस्ताता ४ ये चारों उस मुख्यार्द्धसे भी आधा भाग २४ गौवें पाने के अधिकारी हैं और इनके आपसमें बराबर छ चौक चौबीसवाला भाग होकर छे छे हाथ आवेंगी-इनके सिवाय तृतीय कक्षावाले ऋत्विज् लोग, अच्छावाक् १ नेष्टा २ अग्नीध्र ३ प्रतिहर्ता ४ यह चारों उसी आधेकी तिहाई भाग पाने के अधिकारी हैं कि जितना अर्द्धभाग मुख्य ऋत्विजों को मिल चुका है अर्थात् अड़तालीस की तिहाई सोरह गौवें इनको मिलें तिनमें चार चार चारोंका बराबर भाग आपसमें फिर हो-इनके सिवाय चौथी कक्षावाले ऋत्विज् लोग, आवस्तुत १ उन्नेता २ पोता ३ मुन्नह्य ४ यह चारों उसी अर्द्धका चौथाई भाग बारह गौवें पानेके अधिकारी हैं फिर आपस में बराबर भाग तीनतीन गौवें हाथ आवेंगी इसरीतिसे यज्ञोक्त सोरह ओहदेदारोंको सौ

गौवोंका बटवाराउनके साथकी सामग्री सहित पूरंपूरहोना योग्य है और गौवों के सिवायजो कुछ नगदी जुदीहो सोभी इसी रीतिसे सौभाग पहिले कल्पित करकेसब को बांटीदीजाय—और जो यज्ञस्थ ऋत्विज् ओहदेदार कहीं यज्ञोंके बड़प्पन करके दूने तिगुने आदि नियत हुयेहों तौभी इसी कल्पना के अनुसार दक्षिणा भागकल्पित होसकेहैं (दृष्टांत) जहांसोरह के बत्तिस ऋत्विज् बरणी कियेजायँ तहांदक्षिणा के भी दोसौ अंशकल्पना करके भागलगायाजाय यद्वाएकसौ अंशोंसे भी भागलगाना दुर्गम नहींहोगा क्योंकि जिनको बारह बारह अंशपहले समुभायेगये तिनको यहां छेछे अंश और जिनको वहां छेछे कहे तिनको यहां तीनतीन इत्यादि लेखाजोखापूरा करलेनेसे सिद्धांत है कुछऔर नहीं—यहांव्यवस्था जो कुछ ( सर्वेषामर्द्धिनोमुख्याः ) इत्यादि मनुके वाक्यपर विस्तार सहितलिखीगई तिसका डौलमात्र इस अग्रोक्तसूत्र से कात्यायन भी दर्शातेहैं—यथा(द्वादशद्वादशाद्येभ्याषष्ट्षट्द्वितीयेभ्यश्चतस्रश्चतस्रस्तृतीयेभ्यस्तिस्रस्तिस्रश्चतुर्थेभ्यः ) अर्थात्—जहांहोताआदि सोरहऋत्विजहों तहां एकसौ गौवें यद्वा रोकदक्षिणा के सौ अंशकल्पित होकर उनमें बारह बारह अंशपहले होता आदि उत्तमदर्जा की चौकड़ीवाले चारों ऋत्विक्पावें एवंछेछे अंश द्वितीय कक्षाकी चौकड़ीवाले चारों ऋत्विक्पावें एवं चार चार अंश तीसरी कक्षाकी चौकड़ी वाले चारों ऋत्विक् पावें एवंतीनतीन अंशचौथे दर्जाकीचौकड़ीवाले चारों ऋत्विक्पावें—मनुने-संपूर्ण उक्तव्यवस्था का अतिदेशभीदर्शायाहै—यथा ( संभूयस्वानिकर्माणि कुर्वद्भिर्हिमानवै। अनेनविधियोगेनकर्तव्यांशप्रकल्पना ) अर्थात्—गृह निर्माणआदि अपने कामोंको संसारमें (संभूय ) नामसाभे मिलकर करतेहुये शिल्पीऔर नट नर्तक आदि मनुष्योंको इसउक्त विधिके योगसे निजलाभों मध्येअंशकल्पना करनी योग्यहै—इसकथनका यहआशय नहींघटताहै कि निपट उनकामोंमें भी सोरहकर्ता तिनमें चारकक्षा और सौ अंशहोंक्योंकि जुदेरकामोंकी परिपाटी लोकप्रसिद्ध अपनी जुदीर होतीहै फिर यज्ञकेही तुल्य विधान शिल्पकामों या नटनर्तकआदि कामोंमध्ये क्योंकरमानाजासक्ताहै परंच इसकाआशय सिर्फइतना है किजैसे यज्ञवालेओहदेदारों की उत्तमता मध्यमताआदिके अनुसारउनको उत्तममध्यमआदि भागमिलने कहेंगये तैसेही अन्यत्रभी साभियोंमें कर्मजोंके गुणागुण पर्यालोचन करिकेकर्मगुणके अनुसारलाभधनके अंशपावेंसो यहऐसे साभेका चर्चाहै कि जिसमें किसीसाभेको कुछ द्रव्य लगानेकी जरूरत यणजव्यापारके अनुरूपनहो किंतुकेवलगुणकर्मआदि शारीरिक उद्योगों से कुछसाभेलाभहुआहो( अथहृषिकर्मनमुत्थानम् ) साभेहोकरखेतीकरने वालोंकीव्यवस्थाकोचहृन्पनिनेदर्शायाहै—यथा(बाह्यवीजात्पचाद्यन्यक्षेत्रहानिःप्रजायन्तेनैवमाप्रदातव्यासर्वेषांकृषिजीविनाम्) अर्थात्— ( बाह्य ) हलवृषभआदि वीजवानयो-

ग्य इनकेजिस किसी साभीकी ओरसेन होनेकरकेखेतीकीहानि खड़ीहोवैतिसहीकरके वहसब साभियोंकी हानिदेनेयोग्य है-इसमेंबाह्य तथा बीजमात्र कहने से खेतीकेसब उपकरण जोजो आवश्यक समुभेजाते हों तिनकेनिपट न देनेयद्वा देकरके देनेयद्वा अंगभंग देदेनेका सिद्धांतहेतु गर्भित प्रकटकियाहै कि जिनकेबिना कोईभांति खेतीमें हानिहोनी संभवहो-इसीलिये-साभेमें निकम्मा बैल देनालेनाभी प्रतिषिद्धहै-तथाच बृहस्पतिः(कृशातिवृद्धंक्षुद्रं चरोगिणंप्रपलायिनम् । काणंखंजं चनादद्याद्बाह्यं प्राज्ञः कृषीवलः) अर्थात्-चतुरकिसान किसीसाभेमें वृषभआदि कोईऐसा बाह्यपशु न लेवै या न देवैजोकि दुर्बल अतिबूढ़ाहो बहुतछोटाहो रोगीहो हलको छोड़िभागताहो कानाहो लूला लँगड़ाहो क्योंकिइनसे खेतीमें हानिहोनी संभवहै इसीलिये साभाभीउनके साथकरै जो अपनेसे प्रत्येकबातमें बराबर समुभेजायँ-तदप्याहबृहस्पतिः(बाह्यकर्षक बीजाद्यैः क्षेत्रोपकरणेन च । येसमानास्तुतैः सार्द्धं कृषिः कार्याविजानता ) अर्थात्-जेकोई खेतीकरनेवाले, बाह्य, कर्षक, बीजआदि औरभी जोखेतकीसामग्रीबहुतजरूरीहों तिस से संपन्नअपने तुल्यजिनको समुभैँ तिनकेसाथ खेतीकासाभाकरै जिस्सेपीछे हानिका पछितावा यद्वा औरकोई भगड़ानहोसकै-हानिकेहीध्यान से अग्रोक्तखेत न जोतैऐसा नियम बृहस्पतिने दर्शायाहै-यथा(विवीतेनगराभ्यासेतथाराजपथस्यचाऊषरंमूषकव्याप्तंक्षेत्रंयत्नेनवर्जयेत्) अर्थात्-विवीतनाम रखाकेस्थानवाला खेत, एवंवस्तीके समीप वालाखेत, एवं राजमार्गके समीपवाला खेत-और ऊषरभूमिका खेत जिसमेंरेह लोनी आदि विकारोंसे बोयाहुआ बीज न जमताहो, मूषकव्याप्त जहां मूसाबहुत लगताहो इनखेतोंको जहांतक होसकै बड़ेयत्नसहित वर्जितरखें किन्तुजोतैं बोवैंनहीं या यदि बोयेहों तौ रखवारी अच्छीरीतिसे कर्त्तव्यहोगी (अथशिल्पिनांसमुत्थानप्रसंगः) यहांशिल्पी लोगोंका साभावर्णन करैंगे इसलिये पहले शिल्पियोंका रूपलक्षण प्रकटकरते हैं- यथाहबृहस्पतिः(हिरण्यकुप्यसूत्राणांकाष्ठपाषाणचर्मणाम् । संस्कर्त्तात्कलाभिज्ञः शिल्पीप्रोक्तोमनीषिभिः) अर्थात्-हिरण्य, सोना, चांदी और कुप्यनाम रांगासीसा पीतल आदि और सूत और लकड़ी और पत्थर और चमड़ाइत्यादि वस्तुओंके संस्कारकरने वालेतथा इन्हीं वस्तुओंकी विशेषकला जाननेवाले यहसब शिल्पीनाम दस्तकारकारी-गर कहलाते हैं (यहां संस्कर्त्ता और कलाभिज्ञमें यहभदहै । क जैसे एकचमार चमड़ेको रंगतिआदिसे पकाकर सिद्धकरताहो तौयह संस्कार करनेवाला ठहरा और मोचीआदिजो उसचमड़ेको विशेषकामोंमें लगानेवाली विद्याजानें वे उसकर्मकेकला-भिज्ञठहरे इसीप्रकार सबका व्यौरा समुभलेना किन्तु मनीषीलोगोंन सामान्य और विशेषकाम के भेदसे सभीमेंदोभांति वर्णनकरी हैं-इनकेसाभेका वृत्तान्तभी बृहस्पति जीदर्शातेहैं-यथा(हेनकारादयोयत्रशिल्पसंभूयकुर्वतः । कर्मानुरूपनिर्वशंलभेरंस्तेयथां

शतः) अर्थात्-सुनार आदि कोई कारीगर लोग जहां अनेक साभे होकर काम करें तौ वे अपने अपने कामके अनुरूप उसी लाभमेंसे अंश पावें या जैसा उनका भाग उसमें नियत हो-कात्यायनजी इस बातका स्पष्ट वर्णन करते हैं कि इतना इतना भाग पावें-यथा (शिक्षिताभिज्ञकुशला आचार्याश्चेति शिल्पिनः । एकद्वित्रिचतुर्भागान् हरेयुस्ते यथोत्तरम् ) अर्थात्-प्रत्येक भातिके शिल्पी लोग चार दर्जा समुझिलेने किन्तु एक शिक्षित जो हाल सीखे हों १ दूसरे अभिज्ञ जो आशयकों समुझते हों २ तीसरे उनसे भी कुछ उत्तम कुशल प्रवीण समुझे जाते हों ३ चौथे आचार्य कहिये मिस्तरी जो इन सबसे काम लेनेमें अधिष्ठाता हों ४ ये सब यथा उत्तरक्रमसे एकाधिक भाग हरे-किन्तु जितने साभी शिक्षित हों वे सब केवल एक एक भाग पावें-एवं जितने साभी अभिज्ञ उनसे श्रेष्ठ हों वे सब दो दो भाग पावें, एवं जितने साभी कुशल प्रवीण समुझे गये हों वे सब तीन तीन भाग हरे, एवं जो जो साभी आचार्य हों वे सब चार चार भाग हरे-पर यह भाग विधान भी उस दशामें संभाव्य है कि जहां काम अपना अपना सब हीने बराबर दिनों किया हो किन्तु बीमारी आदि हेतुओंसे जो जिसने हरज किया हो सो सब उसके जिम्मे समुझौ जैसा ऊपर यज्ञ प्रक्रिया मध्ये वर्णन हुआ था-अब उन कारीगरोंका विभाग आगे कहते हैं कि जो जो सभी पके महल तालाब कूप आदि निर्मित करनेवाले राज बढई आदि साभे मिलकर काम करें यथा हृदहस्पतिः (हर्म्यदेवगृहं वापि वचिकोपस्कराणि च । संभूय कुर्वतां तेषां प्रमुख्यो द्वयंशमर्हति) अर्थात्-बड़ा महल यद्वा देवमंदिर या सामान्य कोई कच्चा पक्का घर अथवा और कोई वाचिक उपस्कर प्याऊ कूप तालाब आदि जो नैतिक वेतन विना ठेकेदारी आदि रीतोंसे परस्पर कतिपय कारीगरोंने मिलकर निर्मित किया हो जिसका वेतन द्रव्य इकट्ठा मिलनेका अधिकार किसी एक ही पर आरूढ़ हो तौ बँटवारेका यह डौल है कि अन्य साभियोंकी अपेक्षा सिर्फ मुखिया को दो भाग पहुँचें और सबको एक एक भाग यद्वा जैसा उनके आपसमें कुछ नियम ठीक हुआ हो तैसा बाँट किया जावे (अथ नर्तकादीनां विशेषः) यही दो भागोंवाला नियम किंचित् और विशेषता सहित नट नर्तक आदिमें अतिदेश करते हैं-यथा (नर्तकानामेष एव धर्मः सद्गिरुदाहृतः । तालज्ञोलभेतेऽध्यर्थगायनास्तु ममांशिनः) अर्थात्-यही धर्म जो राज बढई आदि कारीगरके मध्ये कहा सोई नर्तक लोगोंमें भी सत्पुरुषोंने उदाहृत किया किन्तु जो कोई सबका मुखिया हो वह दो भाग लेवै-बल्कि इतनी और विशेषता है कि उसके नीचे जो तालज्ञ कहाते हों वे सब डेढ़ डेढ़ भाग पावें शेष गायन लोग एक एक अंश सभी बराबर पावें (अथ चौगणमन्वत्पानप्रसंगः) तत्र हृदहस्पतिः (स्वान्याजयातु यच्चैरेः परदेशात्समाहृतम् । राज्ञेदत्त्वात्तुषु इमानं भजेयुस्ते यथांशतः ॥ चतुरांशान् भजेन्मुख्यः शूरस्त्रयंशमवाप्नुयात् । समर्थं हरेद्द्वयंशं शेषास्त्वन्ये समांशिनः) अर्थात्-चौरांशने निज राजाकी अनुज्ञा पाकर जो कुछ

द्रव्य पराये राज्यसे समाहृत कियाहो तिसमें पहले षष्ठांशराजाको देकर वे सब निज निज ठहारे अंशों के अनुसार बाँटिलेवें-यद्वा राजाको षष्ठांशदेने पीछे उनमें सबका मुखिया चारभागलेय, जो जो और शूरमाहोंवे सब तीन तीन भागपावें, जे कोई काम करसकनेमें समर्थहोंवे सब दो दो भागपावें, और जे सामान्य बोझढोवा रखवारे आदि साथीहों वे सब एकएक अंशपावें-कात्यायनजीने सिर्फ इतना अंतर इसमें किया है कि राजभाग केवल दशवाँभाग रक्खा-तद्यथा ( परराष्ट्राद्धनयत्स्याच्चौरैःस्वाम्याङ्ग-याहतम् । राज्ञेदशांशमुद्धत्यविभजेरन्यथाविधि ॥ चौराणांमुख्यभूतस्तुचतुरोंऽशांस्त तोहरेत् । शूरोऽशांस्त्रीनुसमर्थोद्वौशेषास्त्वेकैकमेवच ॥ तेषांचैत्प्रसृतानांचग्रहणंसमवा प्रुयात् । तन्मोक्षणार्थेयदत्तंवहेयुस्तेयथांशतः ) अर्थात्-कात्यायनजी यह कहतेहैं कि चोरोंने निज राजाकी अनुज्ञासे बैरियोंके राज्यमेंसे जो कुछ द्रव्यहराहो तिसमें राजा को दशांश पहिले देकर जैसी ठहिरीहुई विधिसे सभी आपस में बँटवाराकरें यद्वा राजाको दशांश देनेपीछे उनका मुखिया पूरे चारभागहरै शूरमाको फिर तीनभाग दियेजायँ, समर्थ जो उसकामके उद्योगमें विख्यात शक्तिमानहो वहदोभागपावै शेष और सब चोर एक एक भाग ( यहाँ जो यह अंतर पायागया कि राजाको वृहस्पति ने षष्ठांशलेना कहा कात्यायनजीने सिर्फ दशवाँभागलेनाकहा सो इस द्विविधामें यह समाधान है कि जहाँ चोरोंने अत्यंत कठिनाईसे धनहराहो तहाँ राजा सिर्फ दशांश लेय जहाँ चोरोंको सुगमतारहीहो तहाँ राजा छठा भागहरै यद्वा राजाको उन चोरों की सहायताकरनीपरीहो तहाँ भी षष्ठांशलेय-कदाचित् उनके चोरीमें प्रवृत्तहुये चोरोंमेंसे कोई एक पकड़ाजाय तिसके छूटिआने या छुड़ाइलानेके निमित्तमें जो द्रव्यका व्ययकरनापराहो सो सब चोर मिलकरनिज निज अंशोंके अनुसारभरें-किंतु सिद्धांत इसका यह कि पकड़ेचाहै दोही एक चोरगयेहों तिनके मध्ये जो कुछ खर्चपरै सो सब साभी मिलकरभरें और निज अंशोंके अनुसारभरें दृष्टांत जैसे मुखिया चार भागलियाकरताहो तो इसखर्चमें भी चारभागभरै इसीप्रकार सबकोजानौ-इसव्यव-स्थामेंसर्वत्र ( जां कुछ अंश कल्पना वर्णनहुई सो उसदशा में आवश्यकजानौ जब कुछ पहिलेसे परस्पर सबके अंशों मध्ये नियम न ठहिराहो-तथाह कात्यायनः ( व-णिजांकर्षकाणांचचौराणांशिल्पिनांतथा॥ अनियम्यांशकर्तृणांसर्वेषामेवनिर्णयः ) अर्थात्-वणिजां तथा किसानोंतद्वत् चोरों और शिल्पीयों नट नर्तक पर्यंतों सबका निर्णय यह अनियम्यकर्तृयों का समुभना जिनमें नियम ठहिराये विना साभी होकर कर्म करनेलगेहों-अर्थात् सबके भागों के परिमाण जहाँ परस्पर पहिले जो जो निश्चित हुयेहों तहाँ वेही भाग ठीकजानौ २७० ॥

यह संभूय समुत्थान विधिका प्रकरण मात्र यद्यपि साभेकेही नामसे विख्यात है

परंच साभियोंका धन हरने या कुछ हानिकरने आदि भगड़े और प्रायः स्थलमार्गके उतारा आदि राजकर की चोरीहोने रूप भगड़े और राज कल्पित अर्धसे न्यूनाधिक विक्रयकरने और प्रतिषिद्ध चीजोंका विक्रयकरने आदि बहुधा दंडरूपी भगड़ोंके प्रभावसे इस प्रकरणको भी फौजदारी के प्रकारों में समुभना-क्योंकि-फौजदारीका प्रासंगिक चर्चा यद्यपि जहाँ तहाँ सीमादि विवादोंमें अन्यत्रभी उपद्रवके अनुसार दंड प्राप्तियोग्यहोतारहा-तथापि ठेठ फौजदारीके विवादोंवाला रूपक द्यूत प्रकरण की आदिसे प्रारंभहुआथा सो ग्रंथकी समाप्ति तकही बतेंगा-इसहेतुसे इस प्रकरण को भी नुकसान रसानी आदि फौजदारी से व्यतिरिक्त नहीं समुभना २७० ॥

इतिसंभूयसमुत्थानाख्यप्रकरणं ॥

यह संभूय समुत्थान संज्ञक व्यापारी आदि साभियोंका विवाद प्रकरण एक इसी इक्यासी संख्याके परिच्छेदसे समाप्त हुआ ॥

अथस्तेयाख्यविवादपदविवेकोनामद्वयशीतितमःपरिच्छेदः ८२ ॥

इस बयासी संख्या के परिच्छेद में प्रत्येक भाँति चोरोंके लक्षण और सब चौथे कर्मों के प्रकार और उन चोरोंके अनेकधा दण्ड वर्णनहोंगे बल्कि चोरीके प्रसङ्गसे कुछ और भी आवश्यक बातें मिश्रीभूत होंगी ॥

(स्तेय) नाम चोरीका यह प्रकरण वर्णन करते हैं इसहेतु पहले चोरीका स्वरूप ज्ञानभी आवश्यक जानि उसका व्योरेवार लक्षण मनुने दर्शाया है-यथा (स्यात्साह संत्वन्वयवत्प्रसभं कर्मयत्कृतम् । निरन्वयम्भवेत्स्तेयंहत्वापहनूयतेचयत् ) अर्थात्-किसीद्रव्य अथवा स्त्री बालक आदि प्राणीका हरिलेना या कुछ और कुकर्म करना जो कुछ मालिक या रखवाले आदि अन्य मनुष्यों के सन्मुख सहसा जोरावरी साथ कियाजाय सो तौ साहस कर्म कहाताहै और लोक में डकैती लूटि आदि उसकेनाम भेद अनेकहैं-परंच- चोरी वहकहलाती है जो इसउक्तप्रकार से विपरीत निरन्वयहो किंतु मालिक या रखवारे आदि के परोक्षमें या छिपकर जो कुछ कियाजाय (या) प्रत्यक्षमें करचुकने पर जो भयसे निजकरना नहीं मानै किंतु मैंने नहींकिया यह कहकर निपटनकार खींचे तौभी चोरीमेंगणनाय है फिर साहस नहीं समुभना-इसीप्रकार-नारदने भी साहस और स्तेयके संबंधमें जो अंतर है सो कहतेहुये छलमे धन हरनेकोभी चोरी निश्चित किया है-यथा ( तस्यैवभेदःस्तेयःस्याद्विशेषस्तत्रतृच्यते । आधिःसाहसमाक्रम्यस्तेयमाधिःछलेनतु ) अर्थात्-उसी पूर्वोक्त साहसकर्म काहीएकभेद चोरीहोतीहैउम चोरीमेंभी कर्म भेदने विशेष लक्षण कहा जाताहै कि (आधि) नामधन हरनेरूपपीडा जो कदाचिन् जोरावरमाथ करीजाय तत्र तौ साहस नामहै परञ्छलसेका छिपकर हरना केवल चोरीकहीजाती है-इसीवातका आशय लेकर फिर भी नारदचोरी



का रूप वर्णन करते हैं-तथाच(उपायैर्विविधैरेषांछलयित्वापकर्षणम् । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः)अर्थात्-एषांदृश्यधनादीनां किंतु लोक में जो नानाभांति पदार्थ रूपधनधान्य आदि द्रव्यदिखाई देतेहों तिनका नानाभांति उपायों से छलिकर भी अपकर्षण करना बुद्धिमान् लोग चोरी कहते हैं तथैव सोते के पासते हरिलेना या मतवारे से गफलत में अपकर्षण करना तथा प्रमत्तोसे ठगिलेना यह सब चोरी के स्वरूपजानौ-अब निचले मूलश्लोकोंसे योगीश्वर आप सभी चोरोंके पकड़ने बल्कि तहक्रीकात उनकी होनेकाप्रकार वर्णनकरते हैं ॥

(विविधचौराणांज्ञानोपायः)

ग्राहकैर्गृह्यतेचौरोलोप्त्रेणाथपदेनवा । पूर्वकर्मापराधीचतथाचाशुद्धवासकः २७१ ॥

अन्येपिशंकयाग्राह्याजातिनामादिनिह्नवैः । द्यूतस्त्रीपानसक्ताश्चशुष्कभिन्नमुखस्वराः २७२ ॥

परद्रव्यगृहाणांचपृच्छकागूढचारिणः । निरायाव्ययवंतश्चविनष्टद्रव्यविक्रयाः २७३ ॥

ऐ०-ग्राहकों करके चोर पकड़ाजाताहै लोप्त्रसे वा पदसेही-तथैव पहले कर्मोंका अपराधी बल्कि अशुद्ध बासभी-अर्थात्-चोरी होजानेपर या होतेहुये जिसे मनुष्य चोरहै यह कहिने लगते हैं सो थानेपाल आदि राजपुरुषों यद्वा अन्यपकड़ने वालों करके पकड़ाजाता है परंच ( लोप्त्र ) नाम हरे हुये वस्त्रपात्रआदि चोरीके चिह्नसे या खंता वा कमंद आदि चौर्यकर्मके उपकरणोंवाले चिह्नसे पकड़िये यद्वा ( पदसे )हीअर्थात् चोरी होजानेके दिनसे लेकर जहांताई चोरीकापग रूप खोजपायाजाय तिसके भी अनुसार पकड़ना योग्यहै यद्वा खोजके न मिलनेपरभी उसका पकड़लेना योग्यहै जो पहले कभी चोरीवालेकामोंमें अपराधी ठहिराहो तद्वत् उसकाभी पकड़नायोग्यहै कि जिसकावास ठौर ठिकाना नामालूमहो २७१ जब कि इनपरभी कुछ पतानचलताहो तब अग्रोक्त लिंगचिह्नोंवाले और भी अनेक लोगकेवल शंकासेही पकड़ेजानेयोग्यहैं अर्थात् जे कोई अपनीजाति नामआदिसे इन्कार करतेहों किन्तु असलीजाति छिपातेहों या निज मुख्यनामको न अंगीकार करतेहों (दृष्टांत)जैसे मैं अहेड़ीजाति नहींहूँ मेरानाम कलुआनहीं है और आदि शब्दके भावार्थ से निजदेश ग्रामनिवासस्थान कुलनामआदि स्वरूपज्ञानवाले चिह्नोंको छिपातेहों या द्यूतक्रीडामें अत्यंत तत्पररहते हों या वेश्यादि परायस्त्री जनमें अति संसक्त फिरतेहों यामद्यादिपान में अहर्निश जे लयलीन विचरतेहों ते सब दुर्जनमात्र पकड़ेजायँ और भी जबचोरोंके अन्वेषणकर्ता लोग जिनकोकिंचिन्मात्र भी यहबूझै कहींरहिताहै क्या करताहै इत्यादि पूँझने मात्रसे मुहँ सूखिजायँ या घाँटीकास्वर फाटिजाय हिचकी लेकरबोलें यद्वा गूँगसे होजायँ यद्वा माथेमें प्रस्वेद टपकने लागे या कुछ उलटी सुलटी वे तालमेल बातें कहिनेलगें तोयह लोगभी पकड़नेयोग्यहैं २७२ तद्वत् जे कोई निःसंबंध मनुष्य किसीउपस्थित कारण

बिना परायेधन पँजी का वृत्तांत और घर भीतर के स्थान भेद कोष्ठोंकी रहाइस आदि जिस तिसते सदैव बूभाकरतेहों कि अमुकामुक नामी घरवालोंके कितने धन की आस्तिहै और किस किसके अधीन पँजी रहती है कमानेवाला इनका कौन विदेशमें व्यवस्थित है घरके अमुकामुक मुखिया किस कोठे वा चौवारेमें निवासरखतेहें इत्यादि भेद हरनेवालेभी उस वक्त पकड़ेजायँ तद्वत् जे कोई फेरीदेने आदि निमित्तों करके अपनेमुख्यशरीर वेशोंको छिपातेहुये अपूर्व कुछ वेशांतर चित्र विचित्र आदि धारणाकिये विचरतेहों पकड़ेजायँ तद्वत् जे कोई लाभागम योग्यमांगोंके न होनेपर भी बहुतसा व्ययकरतेहों या जे कोई जीर्णवस्त्र पुराने फूटेपात्र आदि अज्ञात स्वामिक द्रव्योंको सदैव बेचाकरतेहों इत्यादि नानाभाँतिसे जे कोई और इसीप्रकारवाले चौर्य चिह्न विशेषोंसे संयुक्त समझेजातेहों वे भी सब इस निर्णय की अपेक्षा मध्ये चोरोंकेही तुल्य पकड़ेजाकर साम दाम दंडभेद आदि नानाभाँतिकी युक्तियोंसे परीक्षाहोनी योग्यहै कि इनमें कौन चोर कौन साधूहै और चोर समुभाजानेपर भी ठेठ इसी चोरीका यह चोरहै या नहीं २७३ ॥

अधि०—परीक्षाकरना इसी निमित्तसे आवश्यक है कि चोरोंके धोखे कोई साधूभी न चोर समुभाजाय क्योंकि ऊर्ध्वोक्त चोरीके चिह्न जो जो वर्णनहुये प्रायः साधुवों से भी उन्हीं चिह्नोंका संबंध कभी होताहै अर्थात् निर्विकल्प नियम नहींहै कि ऐसे चिह्न निपट चोरोंसे संबन्धरखतेहों—एतदेवाहनारदः ( अन्यहस्तात्परिभ्रष्टमकामादुत्थितंभुवि । चौरैणवाप्रतिक्षिप्तंलोप्त्रंयत्नात्परिक्षियेत् ॥ असत्याःसत्यसंकाशाःसत्याश्चासत्यसन्निभाः । दृश्यंतेविविधाभावास्तस्माद्युक्तंपरीक्षणम् ) अर्थात्-लोप्त्र नाम चोरीका खोज जो कुछ थोड़ा बहुतकहींसे हाथआयाहो तिसको बड़ेयत्नोंसे परीक्षाकर कि यहवस्तु क्या तौ और किसीकेहाथसे गिरपरीहुईइसकेहाथपरीहो तिसको इसने बेची या बेचतेहुयेपकड़ागया यद्वा स्वतः पृथ्वीसेदबीहुई निकलिआईहो तिसकोपाकर लियेजातेहुये चोर तुल्य पकड़ागया यद्वा किसीकेघर चोरनेही फेंकीहो तिसकोखोजी पुरुष लेकर आयाहै इत्यादि नानाभाँतिसे विचार उसका करै किंतु खोजरूप चीजके संसर्गसेही संसर्गी चोर नहीं मानाजासक्ताहै कि जबतक उसपर चोरीका सवृत सब मार्गसे न पहुँचै क्योंकि-प्रपंचमय संसारमें बहुतेरे भूँठे वेशवाले सच्चेसाधुसे प्रतीत होतेहैं भूँठापन उनका कपटसे पहिंचाना नहींजासक्ता और बहुतेरे सच्चे साधुलेण अपने भावोंको छिपायेहुये भूँठेसे मालूम होतेहैं इत्यादि विविधाभाव दिखाईदते हैं तिसहेतुसे परीक्षाकरनी योग्यहै-विशेषकर मनुष्योंकी कहावतिपर भी कुछ विद्याम को अवकाश नहीं मिलसक्ताहैक्योंकि प्रायः इत्याद्वेष आदिभावोंसे मनुष्योंकेपरस्पर बँरहोतेहैं-अतएयोक्तं ( नपरस्यापवादेनपरेपादंडमाचरेत् । आत्मनावगतंकृत्वावर्णी

यात्पूजयेत्तुवा)-ऊपर जैसे चोरोंके अनेक चिह्न वर्णनहुये तैसे चोरी भी अनेकभाँति की समुझनी किंतु चोरीका कुछ एकरूप कोई नियत विशिष्ट नहींहै-तदाहनारदः- (उपायैर्विविधैरेषांछलयित्वाऽपकर्षणम् । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यःस्तेयमाहुर्मनीषिणः ) अर्थात्-किसी सोतेहुये मनुष्यसे या मादक वस्तुखाने पीनेवाले मतवारेसे या सिड़ीदीवाने आदि विक्षिप्तोंसे या विविधभाँतिके उपायोंसे छल करिके सावधानों से भी वक्ष्यमाण द्रव्योंका अपकर्षण किंतु हरिलेना चोरीके रूप ये मनीषी लोग कहतेहैं(दृष्टांत) इनके शतधा हैं विस्तार जानि छोड़े गये लोकमें सब जानिलेउ (अथद्रव्याणांस्वरूप भेदानाहनारदः ) चोरोंकरके हरने योग्य द्रव्योंके भी तीनभेद नारदने निर्मलता साथ व्यौरेवार निरूपितकिये हैं-तथाच(मृद्गांडासनखट्वास्थिदारुचर्मतृणादियत् । शमीधान्यकृतान्नंचक्षुद्रंद्रव्यमुदाहृतम् ॥ वासःकौशेयवर्जचगोवर्जपशवस्तथा । हिरण्यवर्जलोहंचमध्यंब्रीहियवादिच ॥ हिरण्यरत्नकौशेयस्त्रीपुंगोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराज्ञांचविज्ञेयंद्रव्यमुत्तमम् ) अर्थात्-मट्टीके वासन टाट चटाई आदि बिछावना आसन खाट पीढ़ी हाड़ हाथीदाँत आदि लकड़ी चमड़ा तृण घासफूसआदि (शमीधान्य ) अर्थात् केवल उड़द भूँगआदि जो जो फलीके भीतर नाजहोतेहों (कृतान्न ) जो जोलडुआसतुवा रोटी आदि करेहुये अन्नहों यहसब क्षुद्र द्रव्यकहलातेहैं अर्थात्इनके हरनेसे छोटी चोरी कहीजातीहै, और मध्यम ये कहलातेहैं, रेशमी और पशमीना छोड़िसूती आदि कपड़े तद्वत् गऊ हाथी घोड़ा छोड़ि सबसामान्य पशु और सोना चाँदी छोड़ि सब असामान्य धातु चीजें और यव धानआदि अन्नभी ये मध्यमद्रव्यहरेजाने करके मध्यम चोरी होतीहै, उत्तमद्रव्य इनकोजानो किंतु हिरण्य सोनाचाँदी, तथा रत्न और कौशेय नामरेशमकी जो चीजहों, स्त्रीमात्र सबसामान्य जोपराईहो, पुरुष बालकअज्ञान और विक्षिप्त आदि एवं वैधुआ यद्वा दासआदि हाथी गऊ, घोड़ा, या जो कोई चीज देवसंबन्धी तद्वत् ब्राह्मणकी या राजाकीयदिहो सोसबउत्तम द्रव्यहैं इनद्रव्योंकाअपहर्त्ता उत्तमचोरीका अपराधीहोता है-तथाचनारदः(तदपित्रिविधंज्ञेयंद्रव्यापेक्षंमनीषिभिः । क्षुद्रमध्योत्तमानांतुद्रव्याणामपकर्षणात्) अर्थात्-वहस्तेयकर्मयथाद्रव्यकी अपेक्षातीनभाँति का समुझना किन्तु क्षुद्रमध्यम उत्तमत्रिविध द्रव्योंके अपहरणकर्मसे मनीषीलोगों ने त्रैविध्य इसकोकहा ॥ (पुनरपिचौरस्वरूपाणांविशेषभेदा ) वृहस्पतिने-सामान्य सभीचोरोंके दोभेद कल्पितकियेहैं-यथा (प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्चतस्काराद्विविधाःस्मृताः । प्रज्ञासामर्थ्यमायाभिःप्रभिन्नास्तेसहस्रधा) अर्थात्-एक प्रकाश तस्करजो प्रत्यक्षरहते चौर्य कर्मकरतेहों दूसरे अप्रकाशनाम लुप्तचोरजो निजआत्माको छिपाकर चोरीकरते हों ऐसे दो थोकोंमें फिर अपनी अपनी जुदीविलक्षण प्रज्ञा और सामर्थ्य और मायाओंकरके वेहीचोर सहस्रोंभाँतिके भिन्नात्मक हुआकरतेहैं-इनदो

थोकोंमेंसे एक प्रकाशतस्कर लोगोंको बृहस्पतिजी दर्शातेहैं-यथा (नैगमावैद्यकितवः सभ्योत्कोचकवंचकाः।दैवोत्पातविदोभद्राःशिल्पज्ञाःप्रतिरूपकाः॥अक्रियाकारिणश्चैव मध्यस्थाःकूटसाक्षिणः । प्रकाशतस्कराह्येतेतथाकुहकजीविनः)अर्थात्-नैगमनामवाणि-जकरनेवाले जो जो कपटका वाणिज्यकरते हों,वैद्यकितव जो बनेहुये वैद्यकपटरूपहों राजसभ्य लोगोंके संबन्धसे उत्कोचकद्रव्य घूसआदिके बहानेकरके ठगनेवालेयद्वा घूसखानेवाले सभ्यजनभी,दैवी उत्पातोंका फलकपोल कल्पित कहनेवाले,भद्रा वा अभद्राजो विशेषमंगल साधुरूप या अमंगल विकटरूप धारणकिये विचरनेवाले पापोंसे धनहरते हों,चित्रकलाकर्म तसवीरआदि नानाशिल्पोंके जाननेवाले,प्रतिरूप-कार बहुरूपी आदि अनेकजो जो तद्रूप औरोंकावेष चेष्टाआदि कल्पितकरते हों, अक्रियाकारिणः कुकर्मोंके करनेवाले,मध्यस्थजो प्रायःधनके दुर्लोभसे अनेकोंकेविच-वई वा दलालबनिकर एकपक्षीको ठगवाते हों,भूठी जालसाजीकी गवाहीदेनेवाले जो सदैव इसीकामका पेशारखते हों,कुहकजीवी किंतु जोजो ( कुहक )माया इन्द्रजा-ल कपटफरेवसे उड़ीविद्या वा वरुआरी विद्याआदिसेआजीवनकरने वालेवरुआर तैलिकपंडे तथासेवड़े इन्द्रजालिक आदि अनेकजानौ,यहसब इतने दुर्जीवीलोग प्रकाशचोर होतेहैं कुञ्जगूढ़नहीं-नारदनेभी-इसीप्रकार इनकेलक्षण प्रकटकियेहैं-यथा- (प्रकाशवंचकास्तत्रकूटमाननृताश्रितः।उत्कोचकाःसोपाधिकावंचकाःपरयोषितः॥प्रति रूपकराश्चैवमंगलादेशवृत्तयः । इत्येवमादयोज्ञेयाःप्रकाशास्तस्कराभुवि) अर्थात्-एक तौ( प्रकाशवंचक )जो प्रत्यक्षठगई वटमारीका पेशारखते हों कूटकर्मोंके करनेवाले जैसे कूटमुद्रा तांबे पीतलकी अशरफ़ी या रँगिका रूपया वा प्राणेश्वर आदि भूँठी ओप-धियाँ कल्पितकरें यद्वा भूँठा साक्ष्यदेना आदि और किसीभाँतिका प्रपंच ऐसे नानाभाँति कूटकर्महोते हैं,अनृतभाषणयद्वा कपटचरित्रोंका व्यापारकरते हों,उत्कोचक जोजोका-रियोंसे उत्कोचलेकर काम अयुक्तकरते हों,सोपाधिक जोजो धनवानोंको भयदेकर धोंसखाते हों,पराईस्त्रियोंको जे किसीप्रकारसे भी ठगतेहों,प्रतिरूप करनेवाले किन्तु भँडेले बहुरूपी भानमतीनटनर्तकआदि,मंगलादेश वृत्तिवाले जोजो धनपुत्र लाभहों-ना आदि शीघ्रभावी मंगलरूप चापलोसीआदेशोंसे धनहरतेहों,इनको आदिलेकर और भी अनेक इसीभाँतिके प्रकाशतस्कर धरतीमें विचरतेजानौ किन्तुआशय इस कायहकि जोजो वाणिजव्यापारी वैद्यआदि नारद वा बृहस्पतिवाले वचनोंमें दर्शायेगये तिनहींके बहाने वेषधारण करकेजेकोई परधनहरते हों तेसब खुल्लमचोरजानौकुञ्जव्या-पारीवैद्यआदिमात्रसवही चोरनहीं-इसीप्रकार-मनुनेभीऐसेचोरोंको दर्शायाहै-यथा(द्वि विधांस्नस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्।प्रकाशांश्चप्रकाशांश्चचारचक्षुर्महीपतिः ॥ प्रकाशवंचकास्तेषांनानापण्योपजीविनः।प्रच्छन्नवंचकान्त्वेतेयेस्तेनाटविकादयः॥ उत्कं

चकाश्चोपधिकावंचकाः कितवास्तथा । मंगलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ अस  
 म्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्च कित्सकाः । शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥  
 एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककंटकान् । निगूढचारिणश्चान्याननार्यानार्यलिङ्गि  
 नः) अर्थइनकाउस स्थलमें देखनाजहां ३११ की अधिकोक्ति पूरीहोने पीछेभी नृपाश्र-  
 यव्यवहारोंके सामान्यचर्चा मध्येमनुके पन्द्रहश्लोक अर्थोंसहित वर्णनहोंगे उनमेंयेही  
 पांचपहिले आवेंगे क्योंकि मुख्यठिकाना इनकावहीहै पर यहांकेवल चोरीकेप्रसंगमें  
 सबरूप लक्षणबहुधा चोरोंके इसहेतुसे दर्शायेहैं कियहचोरीका प्रकरणभी उसप्रकर-  
 णके आधीन है परस्पर दोनोंका सम्बन्धजानो-यहांतक यहलक्षणभेद प्रकाशचोरों  
 का दर्शाया-इनकेभी उपरांतएक दूसरे ( अप्रकाश ) नामलुकेहुये चोरों को व्यासजीने  
 दर्शितकिया है-यथा ( साधनांगान्वितारात्रौविचरंत्यविभाविताः । अविज्ञातनिवासा  
 श्चज्ञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ उत्क्षेपकः संधिभेत्ता पांथमुद्ग्रंथिभेदकः । स्त्रीपुंसोश्च पशु  
 स्तेयीचौरोनवविधः स्मृतः ) अर्थात्-यह अत्रोक्तनवभांति के प्रच्छन्नतस्कर किन्तु  
 ठंकेहुये चोरसमुभेजायँ इनमें एकतौ वहलोग हैं जो चोरीसाधन करसकने योग्य  
 (ग्रंग) नाम उपकरणों सहित प्रायः रात्रि में अविभावितरूप विचरतेहों जिनका लक्ष्य  
 कुछपहिंचाना नहींजाय ( यहांरात्रिके प्रायस्त्वकरके दिनमेंभी वन बेहड़ आदिशून्य  
 स्थानोंमें विचरते हुये समुभौ ) दूसरे इनमें वहलोग हैं किजिनका वासस्थान कोई  
 नहींजानताहोः तीसरेफिर उत्क्षेपकनाम उठाईगीरे जो धनी या रखवारोंको असावधान  
 देखकर उनके पासरक्खेद्रव्यों को लेभागेंया उठाकर कहींलंवा तिरछा फेंकदें जिसको  
 कोई और उनका साथीलेकर भागिजाय फिरवह उछालदेनेवाला उठाईगीरा निज  
 आपचाहे मौजूदरहे अथवा भागिजाय यहकुछ नियम नहीं. चौथे ( संधिभेत्ता ) संधि  
 लगानेवालेकिंतु भीति छतिछप्परट्टे आदि काटिखोदिकर कमलदेनेवाले. पांचवें  
 (पांथमुद्) अर्थात् बटोहियोंको प्रत्येक भांति ठगनेवाले आदि. छठे ( ग्रंथिभेदक ) गांठिकटे  
 जोचलते या बैठेहुये मनुष्योंकी गांठिमें बंधेहुये द्रव्योंकोगांठि सहित काटिकेलेजायँ.  
 सातवेंस्त्रियोंको ठगनेवाले और फुसिलाकर लेभागनेवाले. आठवें पुरुषोंको लेभागने  
 वाले. नववें पशुओंको उड़ानेवाले यहनव भांतिकेचोर गूढ़चोर कहातेहैं-यहांतकयह  
 दोनों भांतिके सबचोरोंके स्वरूप लक्षण दर्शित कियेगये कि ऐसे ऐसे लक्षणवालेलोग  
 चोरोंकीशंका मध्येपकड़े जासकतेहैं-(दृष्टांत ) इनके जुदेजुदे बहुत से असंख्यजो सब  
 लोकसेही जानेजासकतेहैं इसलिये यहांलिखना कुछआवश्यक नहीं समुभ्ना-दंडइनके  
 आगेबढ़कर २७८ तथा ७९ की अधिकोक्तिमें विचारो-और चर्चाइनका फिरभीअभी  
 (प्रकर्णिक ) नाम प्रकरणमें विशेष करके आवेगा उसप्रकरण मेंसर्वथा नृपाश्रयव्यव-  
 हारवर्णन होंगे जिनमेंधर्म के प्रावलयसे सरकारमुद्ई होतीहो २७१ । २७२ । २७३ ॥

मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय ।  
(चौरशंकयागृहीतैर्निजात्माशोधनीयः)

गृहीतःशंकयाचौर्येनात्मानंचेद्विशोधयेत् । दापयित्वागतंद्रव्यंचौरदंडेनदंडयेत् २७४ ॥  
चौरंप्रदाप्यापहृतंघातयेद्विविधैर्वधैः । सचिह्नंब्राह्मणंकृत्वास्वराष्ट्रादिप्रवासयेत् २७५ ॥

ऐ०—चोरके धोखेमें ऊर्ध्वोक्तजोकोई पकड़ा गयाहो सोयदि अपने आत्मा को सचा-  
वटसाथ प्रमाण देकर शुद्धनहींकरावै किंतु अपनेसाधुत्वकी अपेक्षामेंसफाईके गवाह  
यद्वा पताठिकाना आदि मांगेहुये प्रमाणों को न देवै या नकार खींचै अथवा मौन  
साधे या अनमेलगल्ल हांकै तौवहचोरीगये धनको दिलवाया जाकर चोरोंयोग्य  
दमसे दंडपावै परउसदशामें किजवकोई मुख्यात्मक चोरनहीं निश्चितहोय और उस  
पुरुष परविश्वासिक शंकाका आरोप सर्वथा निश्चित होताहो अन्यथाकोई पक्काचोर  
पायाजानेमें उसचोरकोहीदंडहोगा जिसपर चोरीसाबित हुईहो अर्थात्फिरउनलोगों  
में कि जिस जिसनेनिज आत्मा कीपरिशुद्धी नहींकराईहो थोड़ाथोड़ा दंडकेवल चोरों  
वाले चिह्नों सहित विचरनेके अपराध मध्येसूचितहै याजैसारूपक देखाजाय तिसही  
के अनुसारमुचलिके प्रतिभू आदि लेकरदंड देनेविना छोड़िदिये जायँ २७४ चोरों  
योग्यदंड अब दर्शातेहैंकि जिसपर या जिनपर चोरीसाबितहोयतिसपर या तिनपर  
वहीचुराहुआ द्रव्ययथारूपसे या मूल्यद्वाराधनीको दिलवाकर विविध भांति के वध  
बंधरूप दंडों करके मारे किंतु यथोचित हिंसादेनी योग्यहै-परंच इतनी इसमें छूटहै  
किजहांचोरकोई ब्राह्मणहो तिसके माथेपर अपराधरूपी चिह्नदेकर अपनी राज्यसी-  
मासे निकासिदेय किंतुदेहदंड उसकोनहींहै परचोरीका धनस्वामी को दिलायाजाकर  
पीछे धनदंड उत्तमसाहसतक होसकताहै अपराधकेअनुसार जैसायोग्यहो किंचदेश  
निकाला केवल देहदंड का अनुकल्पहै-और उत्तम साहसपूरे तक धनदंडहोना सिर्फ  
निर्गुण ब्राह्मण की अपेक्षामें समुभना किंतु गुणवान् की अपेक्षानीचे अधिकोक्ति में  
अपवाद भी कुछमनुजी दर्शावेंगे (यहांचोरीका अपराधरूपीचिह्नकुत्तेकापंजा मनु  
अनुशासनहै ) परयहदागदेना भी उसदशामें कि जवधनदंडदेने पीछे शास्त्र विहित  
प्रायश्चित्तको न करना चाहै इसका आशय देखो अधिकोक्तिमें २७५ ॥

आधि०—यहां २७४ मूलश्लोकवाली व्यवस्थापर यहतर्कवितर्कहै कि चोरके धनके  
से पकड़ाहुआ कोई पुरुष अपनी आत्मशुद्धि साक्षीआदि मानुषप्रमाणोंसे करवावै  
यद्वा छत्तीस आदि४२ पर्यंत सातपरिच्छेदोंके अनुसारकिसी दिव्यप्रमाणसे करवावै  
तहांपहले साक्षीआदि मानुष प्रमाणमे करवानायोग्यहै और उसके निपटनहोनेमें  
फिर दिव्यप्रमाणभी आवश्यकहै परंच केवल इमभांतिसे मिथ्यात्तर देनेमेंकि(बैचर  
नहीं)कोई साप्रमाणनहीं पायाजामकताहै क्योंकिएसाउत्तर चोरभीदेसकताहैइसवि-  
धे मिथ्यात्तर और कारणोत्तरजहांमिलाहुआ प्रवेशहोय तहां प्रमाणमानाजामकताहै



(दृष्टान्त)जैसे (मैंचोरनहीं क्योंकि चोरीहोनेके समयपर मैं अमुकदेशांतरमें मौजूदथा अमुकामुक इसके साक्षीहैं तौइत्यादि प्रकारोंसे संशुद्धि औरछुटकारा उसकाहोसकता है-परजबऐसे मानुष प्रमाणोंको न देसकताहो तो फिर दिव्यप्रमाण का आचरण होना योग्यहै और उसके मध्ये ६८ मूलश्लोकके पूर्वार्द्धसे दर्शायेहुये नियमों करके प्रतिपक्षीधनी आपभी कदाचित् उसआचरण को करसकताहै कि इसके मध्ये देखो उसी स्थलको २७४ यहां दोसौ पचहत्तरिवाले पहिले अर्द्ध में जो दण्डका बाहुल्य कहागया सो सर्वत्र फूल वस्त्रादिक छोटी चोरी या मध्यम चोरी होनेमध्ये नहीं समुभना किन्तु उत्तम साहस अपराधके समान उत्तम चोरी जो हिरण्य आदि उत्तम द्रव्योंकी होगईहो तिसही में समुभना किन्तु यहां यह सामान्यमात्र आज्ञा है और आगे दोसौ अठहत्तरिवाली अधिकोक्ति से लेकर उत्तम मध्यम छोटी मोटी सभी चोरियों के सब जुदे जुदे दण्ड कहेजायँगे (साहसेषुयएवोक्तस्त्रिषुदण्डोमनीषिभिः । सएवदण्डःस्तेयेऽपिद्रव्येषुत्रिष्वनुक्रमात्) इसनारद के वचनानुसार उत्तमचोरी भी उत्तम साहस बधरूप खूनी अपराधों के समान है-वृद्ध मनुके अग्रोक्त एकवचन से यह भाव पायाजाता है कि चोरोंपर जुर्मानारूपी धन दण्ड कभी न करै केवल देह दण्ड उनको हुआकरे-यथा (अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषामलात्मकम् । अतस्तान्घातयेद्राजानार्थदण्डेनदण्डयेत्) अर्थात्-ये लोग धनको चोरी आदि अन्यायों से उपार्जन करतेहैं इसहेतु इनका धनभी विष्टारूपहै इसलिये उनको राजा देहदण्ड सेही घातकरै अर्थ दण्डसे न दण्डदेवे-सो इसवचनका भी आशय सिर्फ यही माना गयाहै कि जहाँ साहसी चोरोंने कुछ महापराध कियाहो (दृष्टान्त)जैसे किसी प्राणीका बध करिकै धनको हराहो यद्वा किसी स्त्रीको वा पुरुषको लेभागेहों इत्यादि साहस रूप महापराध में धनदण्डपर कुछ दृष्टि नहीं करनी अर्थात् प्रायः बधदण्ड करना योग्य है परञ्च छोटी मोटी चोरी के अपराधों में धनदण्ड केवल एकभी होसक्ता है या जैसा रूपकहो दोनों दण्ड कियेजायँ-इसी दोसौ पचहत्तरिवाले उत्तरार्द्धकी अपेक्षा मनु का वचन है-यथा (प्रायश्चित्तन्तुर्कुर्याणाःसर्वेवर्णायथोदितम् । नांक्याराज्ञाललाटेतु दाप्यास्तूत्तमसाहसम्) अर्थात्-किसी अपराध मध्ये ब्राह्मण आदि कोई वर्ण राज दण्ड दियेपीछे उसका शास्त्र विहित प्रायश्चित्त भी करिदेवे यद्वा करना अङ्गीकारकरै तो फिर देशाधिपका यह धर्महै कि उसके माथेपर अपराधरूपी चिह्नवाला दाग नहीं दिलावै किन्तु उत्तम साहस अपराधों मध्ये उत्तम साहस दण्डमात्र करे-परञ्च-गुण सम्पन्न ब्राह्मणकी अपेक्षा यह अपवाद मनु कहते हैं कि उसपर प्रायश्चित्त कराने पीछे सिर्फ मध्यम साहस धनदण्ड लियाजावे किन्तु उत्तम साहस नहीं-यथाह (आग स्सुब्राह्मणस्यैवकार्योमध्यमसाहसः । विवास्योवाभवेद्राप्रात्सद्रव्यःसपरिच्छदः)अर्थात्-

तु-ब्राह्मणस्यैव इसमें (एव) शब्द के संयोग से यह भाव दर्शित किया है कि जो कोई ब्राह्मण अपने धर्म कर्म आदि गुणोंसे सम्पन्न हो तिसही के निमित्त में यह नियम समुभूना योग्य है कि उसके परम अपराधों में जो इच्छाबिना दैवयोग से होगयेहों प्रायश्चित्त कराने परभी मध्यमें साहस धनदण्ड किया जावै यद्वा धन देनेमें असमर्थ हो तौ उसराजसीमासे निकासि देनाही अनुकल्प है पर जो गुण सम्पन्न होकर इच्छासहित इन अपराधों को उत्पन्नकरै तिसको उसके द्रव्यों तथा परिच्छद नाम घरकी सामग्री सहित राज्यसीमा से निकासि देवे (यहांभी उसबातका संयोग है कि जो कोई प्रायश्चित्त करके जानाचाहै तिसके माथेपर कुछ दागदेना अनुचित है विपरीत में विपरीत भाव ) ब्राह्मणके उपरान्त इसी चर्चा मध्ये अन्य वर्णोंकी व्यवस्था मनु कहतेहैं-तथाच ( इतरेकृतवन्तस्तुपापान्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमर्हीति कामतस्तुप्रवासनम् ) अर्थात्-इन्हींपापोंको यदि ब्राह्मण के उपरान्त इतर वर्णों के लोग इच्छारहित अकामसेहीकरै तब सर्वस्वधन हरिलेने योग्य हैं पर जो इच्छा सहित कामना पूर्व पापकियेहों तिनको एक प्रवासन दण्डहै कि जिसके दोअर्थ एक देश निकाला और वधकरना भी शब्दार्थ है पर कुल्लुकभट्ट ने इसदण्ड के प्रयोजन मध्ये वधकरना निश्चित किया है आगे जैसा रूपक जैसा अवसरहो वही व्यवस्था मानीजाय-यद्यपि-यहां उत्तम चोरीका प्रसङ्ग है पर उस प्रसङ्ग से जिन महापापों की व्यवस्था वर्णनहुई तिनका रूपभी दर्शाना योग्य है-यथाहमनुः ( ब्रह्महाचसुरापश्च स्तेयीचगुरुतल्पगः । एतेसर्वेपृथक्ज्ञेयामहापातकिनोनराः ॥ गुरुतल्पेभगःकार्यःसुरापानेसुराध्वजः । स्तेयेचश्वपदङ्कार्यैर्ब्रह्महण्यशिराःपुमान् ) अर्थात्-ब्रह्महत्या करने वाला, सुरापान करनेवाला इसमें पुनि यह भेदहै कि ब्राह्मण होकर, पैष्टी, गौड़ी, माधवी, कोईभाँतिकी मदिरापीवै या क्षत्रिय वैश्य केवल पैष्टी मदिरा जो किसीअन्नके पिसानसे बनतीहो पीवै तौवह सुराप ठहिरै ( गौड़ी गुड़से और माधवी महुआ पेड़ के फलोंसे जो बनतीहै सोक्षत्रिय वैश्यके निमित्तमें कुछअधिक निषिद्धनहीं)इस्सेइनका पीनेवाला क्षत्रियवैश्य उक्तदंडों की दशातकनहीं पहुंचसकता यहसिद्धांतहै) पर ब्राह्मणको सर्वथाही प्रतिषेध है,स्तेयी तस्कर जो ब्राह्मणका सुवर्ण आदि उत्तमचोरी करै,गुरुतल्पग जो गुरानीआदि अगम्यागमन करै,यहसवचारों पुरुषजुदेजुदेमहापातकी समुभूलेने-इनमें गुरुतल्पके माथेपरजबकभी दागदेनेका कामहोतभी तपाय हुये लोहेमे भागाकृति चिह्न ऐसादागिदेवै जो मरणांतकालतकभी नमिटसके-सुराप जो निषिद्ध मदिरापीकर उसका प्रायश्चित्तन करनाचाहै तिसके माथेपरसुराध्वज नामक चिह्न जो कलालोंका नलकाभभका आदि यंत्रविशेष लोकप्रसिद्ध हो तइत चिह्नलगायाजाय- उत्तमचोरी करनेवाला यदिचारम्बार दंडपाकर भी उसकर्म को न

झोड़ें बलिक प्रायश्चित्त करनेपर कुछनिपटध्यान नहीं लावें. तिसके माथेपर कूकुरका पंजा तुल्यदाग लगायाजाय. ब्राह्मणका बधकरनेवाले के माथेपर शिरहीन पुरुषके रुंडतुल्यदाग देवै-इनको-सिर्फ यहीदंड नहीं किंतु औरभी सामान्य लोकाचारदंड मनुने दर्शाये हैं-यथा(असंभोज्याह्यसंयाज्याअसंपाठ्याविवाहिनः । चरेयुःपृथिवीदीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ ज्ञातिसंबंधिमिस्त्वेतेत्यक्तव्याःकृतलक्षणाः । निर्दयानिर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्)अर्थात्-यह इतने दागेहुये कुकर्मी पुरुष असंभोज्यहैं कि इनके माथे चिह्न देखि कोई सत्कारसे जिमावै नहीं. असंयाज्य हैं कि इनसे कोई यजन याजने आदि क्रियाका संबंध न रखवै. असंपाठ्य हैं कि इनसे कोई पठन पाठन का संबंध न जोड़ै. यह सब अविवाही जानौ किंतु इनसे कन्यादान आदि विवाहकासंबंध भी न करना चाहिये. श्रौतस्मार्त आदि सभी धर्म कर्मोंसे वर्जित और धनहीन हुये याचनाआदि दैन्यभाव युक्तहोकर धरतीपर विचरें यहउपरालू दंडहै-जहां जहांकहीं पहुँचें तहां तहां इनके चिह्न देखि जाति संबंधी आदि जनोको भी योग्यहै कि इनका त्यागरखवै इनपर दयाभी न करनी चाहिये नमस्कार भी न करना चाहिये मनु की यही आज्ञाहै २७५ ॥

(चौरादर्शनेऽपहतद्रव्यप्राप्त्युपायः)

घातितेऽपहृतेदोषोग्रामभर्तुरनिर्गते । विवीतभर्तुस्तुपथिचौरोद्धर्तुरवीतके २७६ ॥

स्वसीम्निदद्याद्ग्रामस्तुपदंवायत्रगच्छति । पंचग्रामीवहिःक्रोशादशग्राम्यथवापुनः २७७ ॥

अक्ष०-घातित होने हरेजानेमें अनिर्गत होनेपर ग्रामभर्ता तथा विवीत भर्ता का दोषहै और मार्गतथा अवीतक में चौरौद्धर्ताकाही दोष जानौ २७६ और निज सीमा भीतर ग्राम देवै यद्वा जहां कहीं पद पहुँचै. क्रोशमात्रसे बाहर पंचग्रामी देवै अथवा दशग्रामी २७७ ॥

अभि०-जहां किसीग्राम के भीतरवस्ती माँभमनुष्य आदि कोई प्राणीमाराजाय या कुछ चोरी यद्वा लूटिसे धनादिक हरेजावें तब उसग्राम भर्ता जर्मीदारका अपराध समुभाजाना योग्यहै क्योंकि उसने चोरोंके पकड़ने आदि से उपेक्षाकरी सो इसदोष के परिहार निमित्त से अब चोरको भी वही प्रधान लाकर देशार्थीश के समर्पणकरे यद्वा चोरको तलाश करने परभी धनीका धन आप देवै जो लुटिगया यद्वाचोरीगया हो परयह दोष उसका तबतकहै कि जो निजग्रामसे बाहर निकसा (चौरपद) अर्थात् चोरोंकी पैचालिआदि खोज नहीं दिखादेवै किंतु दिखानेपर उस खोजकाचिह्न जहांतक पहुँचै तहांका अधिकारी जर्मीदारआदि चोरसमर्पण करे याधनदेय यहअधिकोक्ति मेंभी देखौ-एवं विवीतनामरखा अहातागोंडा वाग इजाराआदि विशेष धरतियोंपर उपद्रवहोने में विवीतके अधिकारी का भी दोषजानौ किंतु ग्रामभर्ताके समानयहभी

चोर या अपघातीको पकड़ाने यद्वा नष्टधनके देनेतक अपराधीहै-कदाचित् सिर्फमार्गमें उपद्रव हुआहो यद्वा मार्गतथा विवृतसे अन्यत्र किसी रीपटखेतआदि सूनीधरती परउपद्रव हुआहो तबचौरौद्धर्ता नाम चोरपकड़नेवाले मार्गपाल या दिक्पाल थानेदार आदिकाअपराध जानो किंतुयहभी ग्रामभर्ताके समानचोर अपघातीको लादेनेके अधिकारीहैं २७६ जहां किसीवस्तीके बाहर ग्रामसीमाभीतरउक्त उपद्रव हुयेहों तबउसग्रामके निवासी लोगदेवें परउसदशामें कि जबतक सीमाकेबाहर निकसी चोरपैंचलिका खोजनहीं पायाजाय किंतु खोजनिकसने परवहखोजजहां पहुंचा हो तिसस्थान का अधिकारी चोरआदि को लादेने तकअपराधी होगा कदाचित् कहीं अनेकग्रामोंके बीचमें वस्तियोंसे बाहर प्राणीमाराजाय या धनलूटाजाय जिसकी चोरपैंचलि आदि खोजभी नपायाजाय किंतुमनुष्योंके समर्द्धआदि लागोंसे मिटजाय तहांकेवल पंचग्रामी यादशग्रामी किंतुपांचवादश ग्रामों का चौधरी जो उसभूमिका अधिकारीहो घातिक चोरको लादेवै यद्वालुटिकरखोयेहुये धनको आपदेवै यहमर्यादाहै-इनप्रत्येकोंसे यथोचित जानकरदिलानेवाला एकराजाहै २७७ ॥

अधि०-उक्तउपद्रव कीचर्चामध्ये खोजकेनिकसनेवापहुंचनेका व्यवहारनारदमुनि भी कहतेहैं-यथा(गोचरेयस्यलुप्येततेनचौरःप्रयत्नतः।ग्राह्योदाप्योऽथवाशेषंपदंयदिन निर्गतम् । निर्गतेपुनरेतस्मान्नचेदन्यत्रपातितम् । सामंतान्मार्गपालांश्चदिक्पालांश्चै वदापयेत् ) अर्थात्-ग्रामाधीशआदि जिसकिसीके (गोचर)में अर्थात् वनवेहड़ आदि देशइलाके में पहुंचाहुआ खोजपगलुपि जावै किंतुआगे चलता नहींपायाजाय-तिस-हीको वहचौर बड़े यत्नोंसे पकड़ाइ देनायोग्यहै वालुटिकर आदिखोयाहुआ धनदिलवानाहोगा परउसदशामें कि जबतकशेषखोजउसकी सीमासेबाहर नहीं निकसै-पर जो किंचित् खोजइसकी सीमासे बाहरनिकलजानेपर अन्यत्र कहींठिकानेपरनपहुंचा पायाजायकिंतुमार्ग यद्वा रीपटआदि बीचमें लुपिजाय तो उसदिशाके सामन्तों यद्वा मार्गपाल और दिक्पालोंसे दिलायाजाय ( यहांमार्गपाल उनको जानो जो सर्वत्र दीर्घमार्ग के रखवारे चौकीअट्टोंपर नियुक्त कियेजातेहैं और यहीप्रतिज्ञा उनसेलीजातीहै कि अपने अपने देशीमार्ग अवसरमें उपद्रवका निवारण करतेरहेंगे)(दिक्पाल जिलेदार थानेदार आदि जोजो ग्रामोंकी रक्षाहेतु नियुक्त कियेजातेहों ) जबकि राजाउक्त मनुष्योंसे या चोरोंसे दिलवानेमें असमर्थहो तोनिज राजकोशोंसेदिलवावै यहमर्यादाहै-तदाहृगौतमः (चौरहृतमवजित्ययथास्थानंगमयेत्स्वकोशाद्वाद्यात् ) जहांकहीं मुषिता मुषितकासंदेह किन्तु चोरीहुईअथवा नहींऐसा संशयखड़ाहो तहां पहले मानुष प्रमाणोंसे या उनके निपट न होने में फिरदिव्यप्रमाणोंसेही निर्णयहोना योग्यहै-तदाहृहृन्मनुः(यदितस्मिन्दाप्यमानेभवेन्मोपेतुसंशयः । मुषितःशपथंदाप्या

बंधुभिर्वापिसाधयेत्-अर्थात् यदि उस चोरी के दिलवाते हुये चोरी में कुछ संशयही  
तौ फिर मुषितधनीसे शपथ करानायोग्य है या निज बंधु लोगों सहित प्रमाण देकर  
चोरीकासाधनकरवावै २७६-२७७॥

( विविधचौरभेदात्सर्वेषांभिन्नदण्डाः )

बन्दिग्राहांस्तथावाजिकुंजराणांचहारिणः । प्रसह्यपातिनश्चैवशूलानारोपयेन्नरान् २७८ ॥

उत्क्षेपकग्रंथिभेदौकरसंदंशहीनकौ । कार्याद्वितीयापराधेकरपादैकहीनकौ २७९ ॥

( तत्रदण्डकल्पनोपायः )

क्षुद्रमध्येमहाद्रव्यहरणेसारतोदमः । देशकालवयःशक्तीःसंचित्यदण्डकर्मणि २८० ॥

ऐ०-बन्दि ग्राहोंको अर्थात् यहाँ ( बन्दी ) नाम कैदी बंधुआ तिसके ( ग्राह ) नाम  
पकड़नेवाले किंतु कारागार आदिसे चुराकर या प्रवलतासे लेभांगजानेवाले साहसि-  
यों को तथैव राजकीय घोड़ा हाथी आदि उत्तम बाहन यान हरिलेजानेवालोंको त-  
थैव जोरीकरिकै मानुषआदि प्राणियों का अपघात करनेवाले घातियोंको फाँसियों  
पर लटका देवै जिस्सेउनका प्राणवध होजाय २७८ उत्क्षेपक नाम उठाईगीरा तथा  
ग्रंथिभेदक नाम गँठिकटा करसंदंशहीन करनेयोग्यहै अर्थात् उठाईगीरेका पहुँचाका-  
टिलेवै और गँठिकटाका संदंश नाम चुकुटी किंतु अँगूठा और तर्जनी दोनों काटि  
लीजायँ ऐसा दंड मिलनेपर दुसराकर यहीकर्म करै तो उस द्वितीय अपराधमें फिर  
दोनोंकाही एक एक हाथ और एकएक पाँव काटिलेना योग्य है-तिसराकर यहीकर्म  
करनेमें फिर इनका भी वधयोग्य होगा इसके मध्ये मनुका वचन देखौ अधिकोक्ति  
में पर यह तीव्र दंड उत्तम द्रव्योंके उत्क्षेपमें या उत्तमधन की गँठि काटिलेनेमें स-  
मभूना क्योंकि अगले २८० वाले मूलश्लोक की रिआयतभी सर्वत्र योग्य होगी  
उसको अच्छीरीति से विचारो-यह शारीर दंडभी धन दंडके उपरांत जानो क्योंकि  
नारदने यहवात निश्चित राखीहै कि जो जो दंड तीनोंसाहस कर्मोंपर दर्शाये गये  
सो सब तीनोंभांतिकी चोरीमेंभी यथाक्रमसे समभूलेने और यहवातभीसर्वथाशास्त्र  
से प्रत्यक्ष है कि साहस कर्मोंके अपराध मध्ये शारीर और धनदंड दोनों कहेगये हैं  
२७६ अब इसदंड कल्पनाका उपायभी दर्शाते हैं कि चोरी अथवा साहस के कुछ  
नाममात्रसेही उक्तदंड नियत नहींकरने किंतु क्षुद्र.मध्यम.उत्तम.तीन भेद द्रव्यों के  
जो नारदके वचनानुसार पहले २७१-२७२-२७३ की अधिकोक्तिमेंदर्शायेगये तिन  
में जैसाद्रव्य हरागयाहो तिसही के अनुसार दंड कल्पित कियाजाय बल्कि उन्हीं  
द्रव्योंके कुछ नाममात्र सेभी दंड नहीं कल्पित कियाजासक्ता किंतु थोड़े बहुत मूल्य  
की वह जितनी चीजहो तिसही के अनुसार दंड कल्पित कियाजाय बल्कि.देश.काल  
अवस्था.शक्ति इनकोभी सब जुदे जुदे नियमोंसे विचार करके दंड कर्मकी कल्पना

में प्रारंभ करै-किंच ( जातिद्रव्यपरिमाणतोमूल्याद्यनुसारतोदंडःकल्पनीयः ) इन सब नियमों का यथार्थ व्यौरा नीचे इसी की अधिकोक्ति में स्पष्ट वर्णन होगा तहां देखौ २८० ॥

अधि०-यहां जो जो अपराधी २७८ में दर्शाये गये तिनहींकी अपेक्षाएकमनुका वचन है कि जिसमें विरले और भी अपराधी पायेजाते हैं-यथा( कोष्ठागारायुधागार देवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्रहन्यादेवाविचारयन् ) अर्थात्-राजसंबंधी धन धान्य आदि भरनेका कोष्ठस्थान, शस्त्रोंका स्थान, देवताकास्थान, इनका तोड़फोड़करने वालोंको तथैव, हाथी, घोड़ा, रथ आदि उत्तम वाहन यान हरनेवालोंको शीघ्र विना विचार किये मारै (इसमें विनाविचार किये ऐसाकथन केवल आवश्यक भावका दर्शाने वाला जानो किंतु यही आशय नहींहै कि उसके अपराध का कुछ निर्णय किये बिना मारडालै) क्योंकि (नहोढेनविनाचौरंघातयेद्दार्मिकोनृपः । सहोढंसोपकरणंघातयेद्विचारयन्नित्यपिमनुः) अर्थात्-मनुयहभी कहते हैं कि धर्म शास्त्रोंका जाननेवाला राजा किसी अनिश्चित चौरभाव चोरको होढाविना न मारै किंतु जिसके पास चोरी काद्रव्य यद्वा चोरीकरनेके उपकरण कमंड खंताआदि कुछऔजार पायेजायँ औरपश्चात् चोरी करने आदिका अपराधभी प्रमाण पावै तभी उसको शीघ्रदंड देय-एवं प्रजालोगोंकेभी-घोड़ाआदि पशुओंका व्यतिक्रम करै या रथदास आदि हरै सो भी चोरोंवाला दंडपावै तथाचमनुः(असंधितानांसंधातासंधितानांचमोक्षकः । दासाश्वरथहर्ताचप्राप्तःस्याच्चौराकिल्बिषम्) अर्थात्-यदि कोईहास्यमार्गसेभी छूटेहुयेचरतेआदि विराने चौपायोंको बांधिरक्खै या घुड़शाल आदि स्थानोंमें बाँधेहुये चौपाये छिपकर खोलिदेवै जो छुटकर खोयजायँगे या खेत परायाखायँगे, तथैव यदि कोई किसी का दास याघोड़ा या रथ गाड़ीही निजदर्प अथवा हास्य करके हरलेजाय तौभी चोरोंके समान दंड पावै और यहदंड उसके थोड़ेघने अपराधोंके अनुसार जैसा संभव हो तैसाही धनदंड देहदंड अंगच्छेदन मारण पर्यंत कल्पित होगा-खेत में से खेतीकी सामग्री हरनेवाले के दंड मनुकहते हैं-यथा (सीताद्रव्यापहरणेशस्त्राणामौषधस्यच । कालमासाद्यकार्यंचराजादण्डंप्रकल्पयेत् ) अर्थात्-धरती खेत जोतनेवोने आदिसमय पर यदि कोईचोरहल कुदालफालबीज बेलआदि कोईद्रव्यसन्मुखसे लेभागेयद्वाछिपकर आँखवचाते हरै, एवंकहीं खेत कूपखलिहान आदि स्थलमें किसीके रक्खेहुये शम यद्दानीकी औषध कोई सन्मुखसे लेभागे अथवा छिपकर हरै तत्र इनचोरोंकी अपेक्ष राजा अगिलेपिछलेकाल और उसवर्त्तमानकालके विचारसेतथैवहरनेवाले और उन चीजवाले के न्यूनाधिक उत्तम मध्यम आदि कार्यों के विचारसे प्रयोजन उनके शक्ति लाभ सहित जानकर यथोचितदंड कल्पितकरै-कूप ऊपर धरेहुये घट रस्सीके इतने



में भी दंड मनु कहते हैं-यथा (यस्तुरज्जुंघटंकूपाद्धरेद्विद्याच्चयःप्रपाम् । सदंडंप्राप्तुया  
 न्माषंतच्चतस्मिन्समाहरेत् ) अर्थात्-जो कोई कूप कुइयाँ परसे रस्सी या माटी का भी  
 घट लेजाय यद्वा पशुओं की प्याऊ तोड़डाले सो अपराधी एक माषसुवर्ण दंडपावै  
 और उस हरी विगाड़ी बस्तुकोभी तद्रूप ज्यों की त्यों करदेवै ( अनिर्दिष्टंतुसौवर्णमाषंत  
 त्रप्रकल्पयेत् ) इस कात्यायन के वचनानुसार माषदंड के सौवर्णिक होने में संदेह  
 नहींकरना-संधि काटकर चोरीकरनेवाले का दंड मनु कहते हैं-यथा (संधिंछित्वातुये  
 चौर्यैरात्रौकुर्वीतितस्कराः । तेषांछित्वानृपोहस्तौतीक्ष्णशूलेनिवेशयेत् ) अर्थात्-जेकोई  
 रात्रिसमय किसी मकान की (संधि) नाम जोड़काटकर चोरी करेँ तिनके दोनों हाथका-  
 टनेपीछे राजा तीक्ष्ण शूली पर लटकादेवै जिस्सेउसकाप्राण वध होजाय-इसमें दोनों  
 दंड एक साथ नहीं समझने किंतु पहली वार चोरी करने में एक हाथ काटाजाय दू-  
 सरी वार करनेमें दूसरा हाथ तिसरी वारमें फिर शूली पर चढ़ाना दंड जानो-एवं  
 वहस्पतिरपि (संधिच्छेदकृतोज्ञात्वाशूलमाग्राहयेत्प्रभुः) २७८ ॥ उठाईगीरेका संदंश  
 नाम चुटकी काटलेना दंड विष्णुनेभी कहाहै-यथा ( उत्क्षेपकस्यसंदंशञ्चेत्तव्योराजपू  
 रूपैः)यहाँ सहचारित्वधर्म से उठाईगीरेके उपलक्षणमें गँठिकटे कोभीसमझि लेना  
 मनुने उठाईगीरा वा गँठिकटे कोभी सब से पीछे बधदंड होना कहाहै-यथा(अंगुलीग्रं  
 थिभेदस्यच्छेदयेत्प्रथमेग्रहे।द्वितीयेहस्तचरणौतृतीयेवधमर्हति)अर्थात्-ग्रंथिभेदगँठि-  
 कटा और उत्क्षेपक नाम उठाईगीरा योगीश्वरके वचनानुसार इनकी पहली वार उत्तम  
 धनहरनेमध्ये अंगुठा तथा तर्जनी उँगुली दोनोंकाटलेय दूसरीवार हरने में फिर एक  
 हाथ एकपैर काट लेवै एवं तृतीय वार हरनेमें वधदंड योग्य होता है-नारदस्तु (प्रथमे  
 ग्रंथिभेदानामंगुष्ठहस्तयोर्वधः) २७९ इसके आगे दोसौ अस्सी में जो निर्णयकरना  
 लिखा गया जिसमें जाति,द्रव्य, परिमाण, मूल्य, संख्या, परिग्रह आदिके विचार स-  
 हित दंडों का गुरु लघुभाव करना दर्शाया गया तिसका व्यौरा यहाँ प्रत्येक जुदे अ-  
 पराधों की व्यवस्था द्वारा समझौ-तहाँ पहले जाति की अपेक्षालेकर मनु एकही वा-  
 क्यसे दोहरा व्यौरा कहते हैं कि कोई जाति एक तौ अज्ञान होकर चोरी करे तिसका  
 दंडजो कुछ लिखा हो तिससे कई गुणादंड ऐसी दशामें समझना जहाँ उसी चोरीको  
 उसी जातिवाला ज्ञानी होकर उस चोरी के गुण दोष जानते हुये करे-तथाहमनुः  
 (अष्टापादंतुशूद्रस्यस्तेयेभवतिकिल्बिषम् । षोडशैवतुवैश्यस्यद्वात्रिंशत्क्षत्रियस्यच ॥  
 ब्राह्मणस्यचतुःषष्टिःपूर्णवापिशतंभवेत्।द्विगुणावाचतुःषष्टिस्तद्दोषगुणवेदिनः)अर्थात्-  
 जिस चोरी का जो कुछ दंड नियतहै उस चोरी केगुण दोषजाननेवाला शूद्रजहाँ उसी  
 चोरीको करे तौफिर उससे आठगुणा दंडउसको कियाजाय यहभी एकप्रकार हैइसी  
 प्रकार जिसचोरीके गुणदोष जाननेवाला वैश्य उसीचोरीको करे तिसपर सोरहगुणा

दंड कियाजाय इसीप्रकार जिसचोरीके गुणदोष जाननेवाला क्षत्री चोरीकरै तिसपर बत्तीसगुणा दंड कियाजाय-जिसचोरीके गुणदोष जाननेवाला ब्राह्मण चोरीकरै तिस पर चौंसठिगुणा दंडकियाजाय अथवा सौगुणा कियाजाययद्वा चौंसठिकादूना १२८ गुणा कियाजाय-इसमें इच्छा रहित इच्छासहित आदि करनेकी अपेक्षामध्ये दोतीन भांति दंडोंका विकल्प केवल ब्राह्मणकेही निमित्तकरके जानो सो धनदंडकीव्यवस्था है अर्थात् देहदंडका अपवाद पहिले कहचुकेहैं-यह अत्रोक्त प्रकारजो कुछइन्हीं दोइलो-कोंद्वारा कहागया सोसामान्य सभीचोरोंकी व्यवस्थानहीं समझनी किन्तुयह विश्वासपात्र लोग चोरीकरै तिनकादंड विशेषहै-थोड़ेबहुत बस्तुके परिमाण यद्वासंख्यासे भी दंडोंकाविचार है-यथाधान्य रत्नादिविषयेमनुः(धान्यंदशभ्यःकुंभेभ्योहरतोऽभ्यधि कंवधः।शेषेष्वेकादशगुणंदाप्यस्तस्यचतुर्द्वनम्।तथाधरिममेयानांशतादभ्यधिकेवधः॥ सुवर्णरजतादीनामुत्तमानांचवाससाम्।पंचाशतस्त्वभ्यधिकेहस्तच्छेदनमिष्यते॥शेषेष्वेकादशगुणंमूल्यादंडंप्रकल्पयेत्)अर्थात्-घरमेंरक्खाहुआ दशकुंभोंसे अधिकधान्य हरतेहुये चारकोवध दंडहोवै शेष दशकुंभोंकेभीतर एकआदिलेकर दश कुंभोंतक जो चोरीकरै तिसपर ग्यारहगुणा दंडराजा कल्पितकरै और उस धान्यस्वामीका चुराया हुआ धान्यभी तद्रूप यद्दामूल्यद्वारा स्वामीको दिलवायदेवै ( इसमेंकुंभका परिमाण भी दोसौपलका एकद्रोण कहलाता ऐसेवीसद्रोणोंकापूरा एक कुंभनाममट्टीकामट्टका भर कहलाता ऐसे दश कुंभजानो) (वधदंडका भावार्थभी उसचोर और धनस्वामीके गुणागुणतुल्य निर्णयके अनुसार जैसायोग्य समझाजाय तैसा सुभिक्ष वा दुर्भिक्षकालके भी अनुरूप ताड़न अंगच्छेदन मारण पर्यंत समझलेना)धान्यके सिवायजहां-धरिमनाम तुलातराजू कांटा तिसकेद्वारा(मेय)नाम तौलकरनेयोग्य पल परिमाणकिन्तु शास्त्रोक्त तोलेकावांट ऐसे वांटकरके तुलेहुये सोनेचांदी आदि उत्तमद्रव्यतथैव रेशमी आदि उत्तमवस्त्र इनकेसौपलसे अधिक हरनेमें वध उसीप्रकार जानोजेंमे धान्यकेचुरानेमध्ये ऊपरकहा-इनहींचीजोंके पंचाशपलसे अधिक सौ पलतक चंगी करनेमध्ये सिर्फहाथ काटलेना यह मन्वादि ऋषियोंने कहा है और शेष पचास के भीतर एकपलको आदि लेकर पंचाशपल पर्यंत उक्तद्रव्योंकी चोरीमध्ये जितने मूल्यका वहद्रव्यहो तिससे ग्यारहगुणा धनदंड कल्पितकरै और उसचोरेहुये द्रव्यका दिलवाना यह सर्वत्रजानो-इसकेआगे द्रव्योंकी विशेषतासेभी दंडभेद बहुधा होतेहैं सो यथाक्रम से आगेदेखोगे-अबउनमें पहिले पुरुषादिक रत्नोंपर्यंत हरणेका दंडमनुकहतेहैं-यथा(पुरुषाणांकुन्दीनानानारीणांचविशंपतः । मुख्यानांचैवरत्नानांहरणेवध मर्हति)अर्थात्-बड़ेकुल में जन्मे पुरुषोंको विशेषकरके उत्तमकुलकी स्त्रियोंको और मुख्यात्मक महारत्नोंको बड़ेव्यय वज्रआदिके हरिलेनेमें वधदंड योग्यहोता है-उत्तम

कुल दर्शानेका यहभाव है कि सामान्यकुलके स्त्री पुरुषोंको हरिलेनेमध्ये और दंडहै सयथा(पुरुषंहरतोदंडउक्तउत्तमसाहसः। स्त्र्यपराधेतुसर्वस्वंकन्यांतुहरतोबधः)अर्थात्-सामान्य पुरुषहरतेहुये उत्तमसाहस धनदंडजानो और सामान्यस्त्रीहरनेमें सर्वस्व धनहरिलेना दंडहै परकन्याको हरिलेनेमें बधदंडजानो-नारदस्तु(सर्वस्वंहरतो नारीक न्यांतुहरतोबधः। बाजिवारणलोहानांचाददीतबृहस्पतिः) अर्थात्-यहां बृहस्पति का प्रमाण देकर नारदआप कहतेहैं कि सामान्य स्त्री हरनेमें सर्वस्वहार दंडपावै परजोकन्याहरै तौउसकन्या की मध्यमता उत्तमताके अनुरूपताइन अंगच्छेदन मारणपर्यंत दंडपावै किंच घोड़ा हाथी लोहेके शस्त्रास्त्रोंका समूह जो चुरावै तौभीसर्वधन हरिलेना दंडहोवै-उत्तमस्त्री पुरुषोंको हरनेमध्येदंड व्यासकहतेहैं-यथा (स्त्रीहर्त्तालोहशयनेदग्ध व्योवैकटाग्निना। नरहर्त्तुर्हस्तपादौञ्चित्वास्थाप्यश्चतुष्पथे) अर्थात्-उत्तमकुलकी स्त्री हरनेवाला लोहशय्या पर बैठारकर पुनिघासफूसके समूहसे जलादेनेयोग्य है नरहर्त्ता का एकएकहाथ पैर काटिकर चौराहेमें बैठारकर सबलोगोंका दृष्टिपातकरवाना योग्य है-गोहर्त्तुर्दंडमाहबृहस्पतिः(गोहर्त्तुर्नासिकांञ्चित्वाबध्वांभसिनिमज्जयेत्) अर्थात्-गऊ हरनेवाले की नाक काटिकर हाथ पैर बांधिकर जलमें डुबोदेवै-पशुहर्त्तुर्दंडमाहव्यासः (पशुहर्त्तुस्त्वर्धपादंतीक्ष्णशस्त्रेणकर्त्तयेत्) अर्थात्-छोटे मोटे सामान्य पशुहर्त्ताका आधापांव पैनेशस्त्र से काटिदेवै-नारदजी यहकहते हैं कि पशुओंके अनुरूप दंडपावै-तथाच(महापशून्स्तेनयतोदंडमुत्तमसाहसम् । मध्यमंमध्यमस्तेयी पूर्वक्षुद्रपशून्स्तथा) अर्थात्-बड़ेपशुओंको चुराताहुआ उत्तमसाहसदंडपावै मध्यमपशुओंको चुरानेवाला मध्यमसाहस दंडपावै क्षुद्रपशुओंका हरनेवाला पूर्वसाहस दंडपावै-इसमेंयहभी ध्यान करनायोग्य है किजैसा पूर्वसाहस दंड एकपणसे लेकर दोसौपचास पणतक होताहो तथैव क्षुद्र पशुओंकी भी थोड़ी बहुत संख्याके अनुसार उसने जितनेपशु चुरायेहों तिनके अनुसार दोसौपचास पणतक थोड़ाबहुतजोकुछ उचित समभाजाय वहीदंड होसक्ताहै इसीप्रकार मध्यमपशुओंकी थोड़ीबहुत संख्याके अनुसार दोसौ इक्यावन से लेकर पांचसौतक दंड जैसायोग्य समभाजायसो होसक्ताहै पुनि इसीप्रकार महा पशुओंकी थोड़ीबहुत संख्याकेअनुसार पांचसौएकसे प्रारंभलेकर पूरेसहस्र पणतक जैसायोग्य समभाजाय सोहोसक्ताहै-अत्रमनुस्तु (महापशूनांहरणेशस्त्राणामौषधस्य च । कालमासाद्यकार्यंचदंडंराजाप्रकल्पयेत्) अर्थात्-हाथी घोड़ा ऊँटभैंसा गऊऐसेबड़े पशुओंके हरनेतद्वत् अस्त्रशस्त्रोंके हरनेतद्वत् उत्तमरसरूप औषधके हरनेमध्येराजा दुर्भिक्ष वा सुभिक्षआदि कालोंके विचारसे पुनि आवश्यक प्रयोजनकिहानिलाभआदि उत्तममध्यम कार्योंके विचारसेभी दंड अपनीइच्छाके अनुसार कल्पित करे-(क्षुद्रद्रव्याणांस्वल्पपरिमाणहरणेपंचगुणोद्विगुणोवादंडः) तत्रपंचगुणोनारदआह (काष्ठ

भांडतृणादीनांमृण्मयानांतथैवचावेणु वैणवभांडानांतथास्नाय्वस्थिचर्मणाम्॥शाकाना  
 मार्द्रमूलानांहरणेफलमूलयोः।गोरसेक्षुविकाराणांतथालवणतैलयोः॥ पक्वान्नांकृतान्ना  
 नांमत्स्यानामामिषस्यचामाषतोन्मूलानांमूल्यात्पंचगुणोदमः)अर्थात्-काठकेवास-  
 नआदि,तृणादिक चीजें, मट्टीकांच आदिकीचीजें, बांस बांसुरीआदि, बांसकी पुटारी  
 आदिपात्र, स्नायु तांतिआदिचर्मनाल,हाडदांत सींगआदि,चमड़ेकीचीजें, आर्द्रमूल  
 शाकनाम आलू घुँइयांआदि गीलीजड़वाले शाक,फल,मूल,गोरस घी दूधआदि,इक्षु  
 विकार जो कुछ ईखसे मिठाईआदि होताहो,लवण,तैल,पक्वान्न किसीभांतिके,कृतान्न  
 रोटी भातआदि,मत्स्य,मांस,इन सबचीजोंमेंसे कोईचीज उतनीहरनेसे कि जितनी  
 अल्प मूल्यवालीहो किन्तुएकमाष सुवर्णके मूल्यसेभी न्यूनमूल्यको आसक्तीहो यद्वा  
 उत्तम मध्यम द्रव्योंमेंभी कोईचीजइतनीथोड़ीहो जोएकमाष सुवर्णके मूल्यसेभीन्यून  
 मूल्यको मिलसक्तीहो तिसको चोरीकरने यद्वाजोरीसे हरलेनेमध्ये उसीवस्तुके मोलसे  
 पंचगुना दंड राजालेवै और वस्तुजिसकीहो तिसकोतद्रूप यद्वा मूल्यद्वारा दिलवादेवै  
 ऐसीही अतिस्वल्प वस्तुओंके हरनेमध्ये सिर्फदूना दंड मनुजीकहते हैं परंच उसका  
 भावभेदभी कुछ और है-तथाचमनुः(सूत्रकार्पासकिण्वानांगोमयस्यगुडस्यच । दध्नःक्षी  
 रस्यतक्रस्यपानीयस्यतृणस्यच॥ वैणुवैदलभांडानांलवणानांतथैवच । मृण्मयानांचहर  
 णेमृदोभस्मनएवच॥मत्स्यानांपक्षिणांचैवतैलस्यचघृतस्यच । मांसस्यमधुनश्चैवयज्ञा  
 न्यत्पशुसंभवम्॥अन्येषांचैवमादीनांमद्यानामोदनस्यच।पक्वान्नानांचसर्वेषांतन्मूल्याद्दि  
 गुणोदमः)अर्थात्-सूतजो ऊनसनी कपासआदि किसीसे उत्पन्नहुआहो,कार्पास रुई  
 बिनौराआदि कोईचीज कपासवालीहो,किण्वनाम सुराचीजकिन्तु महुआदि जिनचीजों  
 से सुरापैदाहोतीहो,गोमय गोवर कंडाआदि,गुड़मिठाई, दही,दूध,मट्टा,पानी,तृण,सीं-  
 कसिरकीआदि-बांसकी खपाचोंसे बुनेहुयेपात्र आदि,नमक सभीप्रकारके, मट्टीकेपात्र  
 आदि,मट्टीसेलखड़ीआदि कोईभांतिकी,राख,मत्स्यमछलीआदि,पक्षी तोता मैनाआदि  
 कोईभांतिके,तैल,घृत,मांस,सहत, और जोकुछ पशुओंसेउत्पन्नहुईवस्तुहो जैसेमृगशा-  
 लासावर वारहसिंगा दांतपूँछ खोपड़ी तांति बसाचरवीआदि-इसीभांतिकी और चीजें  
 जोजो तुच्छ समझीजाती हों जैसे मनमिल गेरूआदि शतधाचीजें जिनकेनामयहां  
 नहींकहे, मद्य द्वादशभांति मेंसे कोईना,भात कच्चीरोटी आदि,पक्वान्न सभीप्रकारके,  
 इनमें कोईचीज चोरीकरने यद्वाजोरीसे हरिलेनेमध्ये उसीवस्तुके मोलसे किजितनेकी  
 वहचीज हो दूनादंड राजालेकर स्वामीकी चीजवर्हा तद्रूप यद्वा मूल्यद्वारा स्वामीके  
 दिलवादेवै-इनमेंमनुका उच्चारणकियादूनादंड सिर्फऐसी तुच्छचीजोंकी अपेक्षामें मनु-  
 भना जिनसे थोड़ाही प्रयोजन निद्वहोमत्ता हो बल्कि मूल्यकी अपेक्षामध्ये इनमें  
 थोड़ी हरीगईहो जिसका मूल्यसिर्फ एकरूप्यमापमेंभी न्यून समझाजाय क्योंकि

माषसुवर्णके मूल्यसे कमचीज हरीजानेमध्ये नारदने पचगुना दंडकहाथा-कदाचित् यही सतकपास आदि तुच्छचीजें जिनकाथोड़ादंड यह कहचुके तिनको ऐसे स्थलसे यदि कोई हरै कि जिसमें स्थावर कल्परचना सहित चिनिकर चीज लगाई गई हो यद्वा तात्कालिक उपभोग आदि महाप्रयोजन के अर्थ जंगमरचना रूपसजाकर कहीं हाट बजार आदि में स्थापित करी गई हो तिस अपहर्त्ताका यह थोड़ा दंड नहीं समझना किंतु उसको पूर्वसाहस तक भी दंड होना योग्य है-यथाहमनुः (यस्त्वेतान्युपलकृतानिद्रव्याणि स्तेनयेन्नरः। तस्माद्यदंडयेद्राजायश्चाग्निचोरयेद्गृहात्) अर्थात्-जो कोई चोर उठाई गीरा आदि इतने उक्तद्रव्योंमें से कोई चीज भी उपलकृतनाम रचनायुक्त चुरावै तिसको पूर्वसाहस दंड राजा करै-उपलकृतके दो भांतिसे दृष्टांत हैं कि जैसे किसी मकानमें लगाई हुई सोंट तखता पत्थर आदि उखाड़ि कर ले जावे इत्यादि प्रायः स्थावरलकृत चोरीके दृष्टांत जानो (तथा) द्वितीय भांतिसे भी जंगमलकृतके दृष्टांत हैं कि जैसे रथ गाड़ी आदि यंत्रोंमें खिंचावटवाले सूती चामी आदि रस्से खोलिकर ले जावै या बजाज आदि किसी सौदागरकी दूकानसे सजाई हुई चीजोंको ले भागै इत्यादि यथापराधों के अनुरूप पूर्वसाहस पूरा तक धनदंड कभी हो सकता है और-यही पूर्वसाहसदंड उसपर भी कर्त्तव्य है कि जिसने घरके भीतर जाकर सिर्फ अग्नितक चुराया हो क्योंकि सूने अथवा परोक्षवर्ती मानुष युक्त मकानके भीतर जाकर बिना पुकारे वा चिताये बिना अग्निका ले आना एक चोरी करनेवाला दाव न लगनेका वहाना है कि मैं सिर्फ अग्निलेने भीतर गया था यह बात निपट छोटी नहीं समझी जा सकती है और यद्यपि एकमनुष्य चाहै निज संबन्धजानि सब्बे भावसे अग्निही लेने गया हो पर यह मार्ग अति शय खोंटा है कि उसकी देखा देखी चोरको भी अग्निका वहाना एक आड़ है इस हेतु राजा पूर्वसाहस दंड यथापराधके अनुरूप जितना योग्य समुझा जाय सोई दोसौ पचास पण तक अवसरके अनुसार कल्पित करै जिस्से खोंटे मार्गकी निवृत्ति होय यह सिद्धांत लौकिक अग्निसे संबन्ध रखता है त्रेताग्नि वा गृह्याग्निसे अपेक्षा इसमें कुछ भी नहीं समुझनी-चुराया हुआ धनचोरोंके पास विराना जानिकर व्यवहारोंके भी मार्गसे कोई पुरुष न लेवै किन्तु लेता हुआ चोरोंके समान दोषी होगा-तदाहमनुः (योऽदत्ताऽऽदायिनो हस्ताह्निप्सेत ब्राह्मणो धनम् । या जनाध्यापनेनापियथास्तेनस्तथैव सः) अर्थात्-यदि कोई ब्राह्मण होकर भी चोरोंके हाथसे पराया द्रव्य जानिकर याजन अध्यापन आदि कर्मके भी द्वारा लेना चाहै तो फिर जैसा दोषी चोर तैसा वह भी जानो-इसमें ब्राह्मणकी मुख्यताद्वारा सभी वर्णोंको प्रतिषेध जानो तद्वत् याजन अध्यापन वल्कि प्रतिग्रहके प्रतिषेध करके सभी लौकिक व्यवहारों द्वारा लेनेका प्रतिषेध दर्शित किया है-पुष्पहरेराधान्य आदि हरनेमध्ये दंड मनुकहने हैं-यथा (पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लानि गेषु च । अन्येष्वपरिपूनेषु दंडः स्यात्पंचकृष्णलः)

भांडतृणादीनांमृण्मयानांतथैवचावेणु वैणवभांडानांतथास्नाय्वस्थिचर्मणाम्॥शाकाना  
 मार्द्रमूलानांहरणेफलमूलयोः।गोरसेक्षुविकाराणांतथालवणतैलयोः॥ पक्वानानांकृताना  
 नांमत्स्यानामामिषस्यचामाषतो न्यूनमल्यानांमल्यात्पंचगुणोदमः)अर्थात्-काठकेवास-  
 नआदि,तृणादिक चीजें, मट्टीकांच आदिकीचीजें, वांस वांसुरीआदि, वांसकी पुटारी  
 आदिपात्र, स्नायु तांतिआदिचर्मनाल,हाडदांत सींगआदि,चमड़ेकीचीजें, आद्रमूल  
 शाकनाम आलू घुँइयांआदि गलीजइवाले शाक,फल,मूल,गोरस घी दूधआदि,इंद्रु  
 विकार जो कुछ ईखसे मिठाईआदि होताहो,लवण,तैल,पक्वान किसीभांतिके,कृतान  
 रोटी भातआदि,मत्स्य,सांस,इन सबचीजोंमेंसे कोईचीज उतनीहरनेसे कि जितनी  
 अल्प मूल्यवालीहो किन्तुएकमाष सुवर्णके मूल्यसेभी न्यूनमूल्यको आसक्तीहो यद्वा  
 उत्तम मध्यम द्रव्योंमेंभी कोईचीजइतनीथोड़ीहो जोएकमाष सुवर्णके मूल्यसेभीन्यून  
 मूल्यको मिलसक्तीहो तिसको चोरीकरने यद्वाजोरीसे हरलेनेमध्ये उसीवस्तुके मोलसे  
 पंचगुना दंड राजालेवें और वस्तुजिसकीहो तिसकोतद्रूप यद्वा मूल्यद्वारा दिलवादेवें  
 ऐसीही अतिस्वल्प वस्तुओंके हरनेमध्ये सिर्फदूना दंड मनुजीकहते हैं परंच उसका  
 भावभेदभी कुछ और है-तथाचमनुः(सूत्रकार्पासकिण्वानांगोमयस्यगुडस्यच । दध्नःक्षी  
 रस्यतक्रस्यपानीयस्यतृणस्यच॥ वैणुवदलभांडानांलवणानांतथैवच । मृण्मयानांचहर  
 णेमृदोभस्मनएवच॥मत्स्यानांपक्षिणांचितैलस्यचघृतस्यच । मांसस्यमधुनश्चैववद्वा  
 न्यत्पशुसंभवम्॥अन्येषांचैवमादीनांमद्यानामोदनस्यच।पक्वानानांचसर्वेषांतन्मल्यादि  
 गुणोदमः)अर्थात्-सूतजो ऊनसनी कपासआदि किसीसे उत्पन्नहुआहो,कार्पास रुई  
 तिनोराआदि कोईचीज कपासवालीहो,किण्वनाम सुरावीजकिन्तु महुआदि जिनचीजों  
 से सुरापेदाहोतीहो,गोमय गोबर कंडाआदि,गुड़मिठाई, दही,दूध,मट्टा,पानी,तृण,मांस-  
 कासिरकीआदि-वांसकी खपाचोंसे बूनेहुयेपात्र आदि,नमक सभीप्रकारके, मट्टीकेपात्र  
 आदि,मट्टीसेलखड़ीआदि कोईभांतिकी,राख,मत्स्यमडलीआदि,पक्षी तोता मेंनाआदि  
 कोईभांतिके,तैल,घृत,सांस,सहन, और जोकुछ पशुओंमेंउत्पन्नहुईवस्तुहो जैसेमृगछ-  
 लासावर वारहसिंगा दांतपूँइ खोपड़ी तांति वसाचरवीआदि-इसीभांतिकी और चीजें  
 जोजो तुच्छ समझीजाती हों जैसे ननमिल गेरूआदि शतधाचीजें जिनकेनामयज्ञ  
 नहींकहे, मद्य द्वादशभांति मेंसे कोईमा,भात कच्चीरोटी आदि,पक्वान सभीप्रकारके,  
 इनमें कोईचीज चोरीकरने यद्वाजोरीसे हरिलेनेमध्ये उसीवस्तुके मोलसे कि जितनेके  
 वहचीज हो दूनादंड राजालेकर स्वामीकी चीजवही तद्रूप यद्वा मूल्यद्वारा न्वानीके  
 दिलवादेवें-इनमेंमनुका उच्चांगणकियादूनादंड सिर्फैर्मा तुच्छचीजोंकी अपेक्षामें मनु-  
 भना जिनसे थोड़ाही प्रयोजन मिद्धहोमक्ता हो वलिक मूल्यकी अपेक्षामध्ये इनमें  
 थोड़ी हरीगईहो जिसका मूल्यसिर्फ एकरूप्यमापसेभी न्यून समझाजाय क्योंकिइसके



माषसुवर्णके मूल्यसे कमचीज हरीजानेमध्ये नारदने पचगुना दंडकहाथा-कदाचित् यही सतकपास आदि तुच्छचीजें जिनकाथोड़ादंड यह कहचुके तिनको ऐसे स्थलसे यदि कोई हरै कि जिसमें स्थावर कल्पपरचना सहित चिनिकर चीज लगाई गई हो यद्वा तात्कालिक उपभोग आदि महाप्रयोजन के अर्थ जंगमरचना रूपसजाकर कहींहाट बजारआदि में स्थापित करी गई हो तिस अपहर्त्ताका यह थोड़ा दंड नहीं समझना किंतु उसको पूर्वसाहस तक भी दंड होना योग्य है-यथाहमनुः (यस्त्वेतान्युपलकृत्तानिद्रव्याणि स्तेनयेन्नरः। तमाद्यं दंडयेद्राजायश्चाग्निं चोरयेद्गृहात्) अर्थात्-जो कोई चोर उठाईगीरा आदि इतने उक्तद्रव्योंमें से कोई चीज भी उपलकृत्तनाम रचनायुक्त चुरावै तिसको पूर्व साहस दंड राजा करै-उपलकृत्तके दो भांतिसे दृष्टांत हैं कि जैसे किसी मकानमें लगाई हुई सोंट तखता पत्थर आदि उखाड़ि कर ले जावे इत्यादि प्रायः स्थावरलकृत्त चोरीके दृष्टांत जानो (तथा) द्वितीय भांतिसे भी जंगमलकृत्तके दृष्टांत हैं कि जैसे रथ गाड़ी आदि यंत्रोंमें खिंचावटवाले सूती चामी आदि रस्से खोलिकर ले जावै या बजाज आदि किसी सौदागरकी दूकानसे सजाई हुई चीजोंको ले भागै इत्यादि यथापराधों के अनुरूप पूर्वसाहस पूरा तक धनदंड कभी हो सक्ता है और-यही पूर्वसाहसदंड उसपर भी कर्त्तव्य है कि जिसने घरके भीतर जाकर सिर्फ अग्नितक चुराया हो क्योंकि सूने अथवा परोक्षवर्ती मानुष युक्त मकानके भीतर जाकर बिना पुकारे वा चिताये बिना अग्निका ले आना एक चोरी करनेवाला दाव न लगनेका वहाना है कि मैं सिर्फ अग्नि लेने भीतर गया था यह वात निपट छोटी नहीं समझी जा सकती है और यद्यपि एक मनुष्य चाहै निज संबन्ध जानि सच्चे भावसे अग्नि ही लेने गया हो पर यह मार्ग अति शय खोंटा है कि उसकी देखा देखी चोरको भी अग्निका वहाना एक आड़ है इस हेतु राजा पूर्वसाहस दंड यथापराधके अनुरूप जितना योग्य समुझा जाय सोई दोसौपचास पण तक अवसरके अनुसार कल्पित करै जिस्से खोंटे मार्गकी निवृत्ति होय यह सिद्धांत लौकिक अग्निसे संबन्ध रखता है त्रेताग्नि वा गृह्याग्निसे अपेक्षा इसमें कुछ भी नहीं समुझनी-चुराया हुआ धनचोरोंके पास विराना जानिकर व्यवहारोंके भी मार्गसे कोई पुरुष न लेवै किन्तु लेता हुआ चोरोंके समान दोषी होगा-तदाहमनुः (योऽदत्ताऽऽदायिनो हस्तास्त्रिप्सेत ब्राह्मणो धनम्। या जनाध्यापनेनापियथास्तेनस्तथैव सः) अर्थात्-यदि कोई ब्राह्मण होकर भी चोरोंके हाथसे पराया द्रव्य जानिकर या जन अध्यापन आदि कर्मके भी द्वारा लेना चाहै तो फिर जैसा दोषी चोर तैसा वह भी जानो-इसमें ब्राह्मणकी मुख्यताद्वारा सभी वर्णोंको प्रतिषेध जानो तद्वत् या जन अध्यापन वलिक प्रतिग्रहके प्रतिषेध करके सभी लौकिक व्यवहारों द्वारा लेनेका प्रतिषेध दर्शित किया है-पुष्पहरेराधान्य आदि हरनेमध्ये दंड मनुकहते हैं-यथा (पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लनिगेषु च। अन्येष्वपरिपूनेषु दंडः स्यात्पंचकृष्णतः)

अर्थात्-फूल,हराधान्य जो खेतमें उपस्थितहो, और भी वहधान्य जो कटाहुआ खिल-का दूरकरने के निमित्तचाहै खेत वा खलिहानोंमें लांकवनाया रक्खाहो,तद्वत्गुल्मव-ल्लीवृक्ष जोकुछ कटेटूटे यद्वा वायुसे गिरपरेहों जिनको अबतक छांटे छूँटिकर एकत्र न-हीं करनेपाया,फूलोंके सिवाय इनको एकपुरुषके बोभमात्रतक लेजायतिसको देशकाल आदि सभी विचारोंके अनुसार जैसायोग्य समुभाजाय तैसे सौर्वाणिक पांचकृष्णल यद्वा रूपेकेही पांचकृष्णल दंड राजाकरै और वहवस्तु उसकेस्वामीको दिलवादेव-खलिहानों में संसिद्ध किये धान्यआदिके अपहार मध्ये दंडमनुकहतेहैं (परिपूतेषुधा न्येषुशाकमूलफलेषुचानिरन्वयेशतंदंडःसान्वयेऽर्धशतंदमः) अर्थात्-परिपूतकोईधान्य जोकुछ गाहिमीज उड़ाकर साफकिया हुआ खलिहानोंमें उपस्थित हो,इसीप्रकार शाकमूल फलकी चीजें खलस्थानमें जो संचितहों तिन्हें निरन्वय हरनेमें सौपणका दंड परंच सान्वय हरनेमध्ये सिर्फ पचासपण का दंडजानो (यहां निरन्वय सान्वयक-हनेसे अन्वयनाम धनके स्वामियोंका संबन्धजानो किन्तु चीजवालेसे जब हरनेवाले का कोईभी संबन्ध न हो जैसे एकग्राम या मुहल्लेकी सहवासता तकभीनहीं तबउस हरनेवाले का निरन्वय बेवास्ता कर्मजानो जहांकोईसा कुछवास्ताहो तहां सान्वयकर्म जानो) ॥ किंचिदपवादश्च॥ तदाहमनुः (वानस्पत्यंमूलफलंदावर्गन्यर्थतथैवच । तृणचगो भ्योग्रासार्थमस्तेयमनुरब्रवीत्) अर्थात्-वानस्पत्य नामवीरुध् लताविशेष यद्वादीर्घवृक्ष जोजोकहीं परिग्रह आदिघेरेमेंपराये होतेहुयेभीन घिरेहों तिनकेपुष्प मूलफलइत्यादि और होम योग्य अग्निके निमित्त करके लकड़ी भी और गौवों के ग्रास निमित्तग्राम फूस आदि तृण भी कोईलेवे तौ यह चोरी नहीं है अर्थात् ऐसा करनेसे अधर्म और अपराध भी कुछ नहीं है इसलिये इसमें दण्डका कुछ चर्चा नहीं-पथिकादीनांवि-शेषस्तु-यथाहमनुः( द्विजोध्वगःक्षीणवृत्तिर्द्वाविधूद्वेचमूलके । आददानःपरक्षेत्रान्नदण्डं न्दातुमर्हति) अर्थात्-मार्ग जातेहुये द्विजातीमात्र कोई क्षीण वृत्तीहो अर्थात् जिसपर कुछ पार्थेय राहखर्च आदि संवल बंधानहो ऐसा पुरुष पराये खेत से भी केवल दो गाँड़े या दो मूली तोड़ लेताहुआ दण्डदेने योग्य नहीं है यह छूटजानो-अन्यत्र ( च णकत्रीहिगोधूमयवानांमुद्गमाषयोः । अनिपिद्वैर्ग्रहीतव्योमुष्टिरेकःपथिस्थितैः ॥ तथै वसत्तमेभक्तेभक्तानिषडनङ्गता । अश्वस्तनविधानेनहर्त्तव्यंहीनकर्मणा) अर्थात्-पथि-स्थित पान्थ लोगोंको पराये खेत से विनरोकेहुये केवल एकमुट्टी, चने, धान, गेहूँ, यव, मूंग, उरद, आदि धान्यों की ले लेनेका प्रतिषेध नहीं है-तैसेही जिस किसीने क दिन तक भोजन नहीं पायाहो सातवें दिनमें उसको हीनकर्म होनेपर अश्वस्तन विधि से एक दिनभरका आहार हरना योग्यहै अर्थात् पराया अन्न छे दिनका निपट भूँदा पुरुष जहाँ कहींदेखे और वह सिर्फ एकदिनके भोजन मात्रका लेभागो तौभी चारों-

वाला दण्ड उसको नहीं है पर अधिक लेनेमें फिर दण्डभी यथोचित जानकर होसक्ता बल्कि इसीलिये अश्वस्तन विधिका लक्षण भी दर्शाया है कि दूसरे दिनके अर्थ में कुछ नहीं लेवे इत्यपवादविशेषः ॥ अथपथिकलुण्ठकादीनांदण्डभेदः ॥ तत्रबृहस्पतिः (सन्धिच्छेदकृतोज्ञात्वाशूलमाग्राहयेत्प्रभुः । तथापान्थमुषंवृक्षङ्गलेबध्वाऽवलम्बयेत् ) अर्थात् राजा संधि काटनेवालेको यथार्थ से पहिंचानकर पश्चात् फाँसीदेय तद्वत् पथिकोंका धनमोष करनेवालेको गलेमें फाँसीबांधिके वृक्षादिकपर लटकादेवै-आशय यह कि प्राणोंका बधहोने पीछेभी अनेक दिनतक लटकारहै जिस्से चोर बटमारोंका गण देखकर भयभीत होय (मोष नाम चुराना तथा लूटना ठगना आदि) पूर्वोक्त प्रकाशतस्कराणांदण्डमाहव्यासः ( स्त्रीपुंसौवञ्चयंतीहमङ्गलादेशवृत्तयः । गृह्णन्तिछद्मनाचार्थमनार्यास्त्वार्यालिङ्गिनः ॥ नैगमाद्याभूरिधनादण्ड्यादोषानुरूपतः । यथातेना निवर्तन्तेतिष्ठंतिसन्नयेतथा) अर्थात्-मङ्गलादेश वृत्तिवाले जो धन पुत्र आदिलाभ शीघ्र होनेवाला कहकर यद्वा सामुद्रिक हाथपञ्जा आदि देहलक्षण कहकर चापलोसी बातोंसे स्त्री पुरुषोंको सदैव ठगतेहैं या और भी अनेक जो जो नीचहोकर उत्तम जातियों के चिह्नों से छलकरके द्रव्य लेतेहैं या बहुतेरे धनवान् भी व्यापारी आदि बनकर बड़ी सचावट से धन हरतेहों यह सब अपने अपने दोषों के अनुसार दण्ड पावें किंतु धनादिक बहुताइत वा बड़प्पनके अनुरूप नहीं और आशय इसका यह कि उनका जितना जितना थोड़ा बहुत दोष प्रकट होताजावै उतनाही तत्कालदण्ड पायाकरें किन्तु चोरोंकेही तुल्य इनको एकसाथ तीव्रदण्ड न देवै-इसीलिये फिर कहते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा दण्ड पाकर भी वे अपने दोषों से निवर्तित नहींहोवें तैसे क्रम से दण्ड बढ़ताजाय-बृहस्पतिभी-बहुतेरे इसीभाँति के प्रत्यक्ष तस्कर लोगोंका दण्ड आगे कहतेहैं-यथा(प्रच्छाद्यदोषंव्यामिश्र्यपुनःसंस्कृत्यविक्रयी । पण्यंतद्विगुणंदाप्यो वाणिग्दंडञ्चतत्समम् ॥ अज्ञातौषधिमन्त्रस्तुयश्चव्याधेरतत्त्ववित् । रोगिऽभ्योर्थसमादत्तेसदण्ड्यश्चोरवद्भिषक् ॥ कूटाक्षदेविनःक्षुद्राराजभाव्यहराश्चये । गणकावञ्चकाश्चैव दण्ड्यास्तेकित्वाःस्मृताः ॥ अन्यायवादिनःसभ्यास्तथैवोत्कोचर्जाविनः । विश्वस्तवश्चकाश्चैवनिर्वास्याःसर्वएवते ॥ ज्योतिर्ज्ञानन्तथोत्पातमविदित्वातुयेनृणाम् । श्रावयन्त्यर्थलोभेनविनेयास्तेप्रयत्नतः ॥ दण्डाजिनादिभिर्युक्तमात्मानन्दर्शयन्तित्रे । हिंसन्ति छद्मनानृणांवध्यास्तेराजपुरुषैः ॥ अल्पमूल्यन्तुमंस्कृत्यनयन्तिबहुमूल्यताम् । स्त्रीवालकान्वंचयन्तिदण्ड्यास्तेऽर्थानुसारतः ॥ हेमरत्नप्रवालाद्यान्कृत्रिमान्कृर्वेनेनुये । केतुर्मूल्यम्प्रदाप्यास्तेराज्ञातद्विगुणंदमम् ॥ मध्यस्थंवंचयत्येकंस्नेहलोभादिनायदा । माक्षिणश्चान्यथात्रयुर्दाप्यास्तेद्विगुणंदमम् ) अर्थात्-बृहस्पति कहतेहैं कि जोकोई वाणियां बेपारी किसी दोषिल सौदाका दोष ढँकिकर या अच्छे में कुछ चुरा मिलाकर यद्वा

भीगीहुई चीजको फिर संस्कार करके श्रेष्ठपण्यों का धोखादेकरबेंचै तौ उसपण्य सेदूना पण्य उसपरक्रेता को दिलवाया जाकर उसी समान राजदंडभी दिलवायाजाय(पुनःसंस्कारकेदृष्टांतजैसेकुसुंभकारंगपहिला एक निकासिकर फिर उसके बर्णांतरकी भावनासे तद्रूपकरके बेंचदेना या जैसेचाहपीहुई टहलुआ लोगोंसे लेकर उसकोबर्णांतरकी भावना में तद्रूप करके फेरिवेंचै इत्यादि बहुधाजानो) बिनाजानीहुई औषध यद्वा मंत्रयंत्र जोकोई वैद्यरोगोंके निदानको न जानतेहुये देकर अज्ञानी रोगियोंसे धनहरताहोतौ वहछोटभैया तुच्छचोरोंके समानदंडपाने योग्यहै-छलके पाशोंसे जो नीचखिलाड़ी द्यूतकर्मद्वारा धनको हरतेहों-और जेकोई राजभाग संबधी किसीभांतिका करदेने से छिपातेहों एवंगणकानाम जोसी पड़िये भड्डी आदि बहुधा जोजो तिथिबारादि संबत्सरकापत्र सुनाते फिरतेहों-एवंबंचक नामठगिये जोरसायन आदि युक्तियोंसे सोना चांदीआदि लेकर अन्य द्रव्योंके प्रक्षेप आदि ठगईके प्रकारोंद्वारा व्यसनियोंकाधन हरतेहों,ये अवसरके अनुसार निजनिज दोषोंकेही तुल्यदंडपाने योग्यजानो क्योंकि छलियालोक प्रसिद्धहैं- अदालती अहल्कार जोजो अन्यायवादी समुभेजातेहों या घसपच्चड़ खातेहों याजेकोई लोगधर्मसे विश्वासदेकर सच्चेसूधेविश्वस्तों कोसदैवठगते हैं ये सब दुष्ट निकासिदेने योग्यहैं अर्थात् निज अधिकारों वा स्थानोंसे परिच्युत-मात्र कियेजावैं यहीदंड है परतवहीं तक कि जबतक उनके अपराधोंकी विख्याति-मात्र होकर निपट सबूत नहींपाया जाय किंतु निपटप्रमाण पायाजाने में फिर(उल्कोच जीविनोद्रव्यहीनान्कृत्वाविवासयेत्) इस व्यासोक्त वाक्यसे जो दंड दोसौअरतालीस की अधिकोक्ति द्वारा निश्चित होय सो कर्तव्य होगा,इसका रूप पूरे तीनसौ की अधिकोक्तिमेंभी देखो-जे कोई अज्ञानी मूर्ख लोग ज्योतिर्ज्ञान और उत्पात रूप भावी लक्षणको असत्य विना जाने धनके लोभसे सर्वत्र सुनाते फिरते हों येभी उत्तमयंत्रों सहित शासनाशिक्षा पानेयोग्यहैं क्योंकि ऐसे ढंगोंसेभी प्रायः लोकव्यतिक्रम होना संभवहै-जे कोई मायावी लोग मृगछाला दंड आदि से संयुक्त होकर दंडाजिन रूप दंभधारण किये शरीरको दिखलाते फिरते छल से सभी मनुष्यों के धन हरते हों वे तत्काल राजपुरुषों करके बाँधिलेने योग्य हैं अर्थात् थानेपाल आदि खुद अग्वानि-यारी से इत्यादि धूर्त लोगोंको पकड़ने के अधिकारी हैं कि उनको दंड दिलानेआदि प्रयोजन से लेजाकर प्राड्विवाकों के समर्पण करें-जे कोई ठगियालोग थोड़े मोल वालीचस्तुका लिफाफा संस्कार करिके ढेर मोलवाली धागे की टट्टीसीवनाकर उन्हें चीजोंसे स्त्रियों तथा बालकोंको क्रय विक्रय आदि प्रकारों से ठगिलेते हों वे उस अर्थके अनुरूप दंड पानेयोग्य जानों जितने धनकी हानि उसक्रय विक्रयद्वाराहोना समुभजाय वद्यपि हानि होनपाईहो या नहो किंतु हानिके होजाने में उम हानि क

दिलवानाभी विशेष जानौ-हेम सोने चाँदीकाभूषण आदि कृत्रिम कल्पितकरैँ यद्वा रत्नमँगा आदि कृत्रिम कल्पित करते हों ऐसे लोग क्रेताका मूल्यवापिस करनेयोग्य हैं पुनि राजाको भी दूनादंड दिलाया जाय सो उस दशामें कि जो इन कल्पितचीजों को न कहकर सच्ची चीजोंका धोखादेकर विक्रयकरते हों-जे कोई दुर्जन एक मध्यस्थ किंतु दलालआदि किसीबिचवईको स्नेह यद्वा लोभआदिसे मभार देकर ठगतेहों या जे कोई साक्षी बनकर कुछ विपरीत बोलैँ ते उस धनसे दूनादंड पावैँ जितनेकेलोभ से अपराध कियाहो यद्वा जितने धनकी हानि उनके उस अपराधसेही समुभीजाय तिससे दूना ॥ २७८ । २७९ । २८० ॥

(अथचौरौपकारिणांदंडः)

भक्तावकाशाग्न्युदकमंत्रोपकरणव्ययान् । इत्त्वाचौरस्यवाहंतुर्जनतोदमउत्तमः २८१ ॥

ऐ०—(भक्त) भोजन (अवकाश) टिकने को स्थान. (अग्नि) चोरों का जाड़ा शांत करने आदि कामोंको.(जल) प्यासे चोरोंको पिलाना आदि. (मंत्र) चोरी होसकने का उपाय वा प्रकार आदि बतलाना. (उपकरण) चोरी करने वाली सामग्री खंता क-मंद गदाला निःश्रेणी अस्त्र शस्त्रआदि चीजें देनी. (व्यय) खर्च संवल पाथेयनगदी आदि से सहायता करनी.इनमेंसे जो कोई चीजचोर बटमारोंको या हंता अपघाती साहस कारीकोही उनकाभेद जानते हुये देवैँ तिसको उत्तम साहस दंड उनअपराधों के अनुसार दियाजावैँ-किंतु चोर वा अपघाती को न जानकर जो अच्छे जनके धोखे से कुछ और संसारीकाम समुभतेहुये सहाय करैँ तिसको यद्यपि दंडदेनायोग्यनहीं है पर तौ भी देशकाल वस्तुओंके अनुसार विचारकरना योग्यहै कि जहांसिर्फकमंद खंता निःश्रेणी आदि चीजें एकांत देश रात्रि समय समर्पण करीजायँ तहांपर यह संभव नहीं समुभाजासक्ताहै कि दाताने इसदशामें भी दुष्टोंकोनसमुभाहो २८१ ॥

अधि०—कात्यायनजी ने चोरोंके सहायक लोगोंको भी चोरबटमारों के तुल्यकह कर उनके साथमें दर्शायाहै-यथा(चौराणांभक्तदायेस्युस्तथाग्न्युदकदायिनः । छेत्तार इच्चैवभांडानांप्रतिग्राहिणएवच ॥ समदंडाःस्मृताह्येतेयेचप्रच्छादयंतितान् )अर्थात्—जे कोई चोरोंको भोजन देनेवालेहों तद्वत् अग्नि जल पहुँचानेवालेहों याजे कोईचोर बटमार आदि (भांड) नाम भर्तीके माल मार्ग जातेहुये छिपकर कांटे किन्तु चुगोंव यद्वा लूटें (और) उनके फिर जे कोई प्रतिग्राही बनकर हराहुआधन उनमेलेलेअपने घरमें धरें इतने सभी दुर्जन एकसावरावर दंड पाने योग्यकहेहें और इसीप्रकार वे भी जाउन चोरों वा बटमारोंको छिपावैँ-मनुनेभी-चोरीकाधन घरमें धरनेवाले आदिचो-रोंके सहायक चोरतुल्य निश्चित कियेहें-यथा(अग्निदान्भक्तदांडेचैवनथाशस्त्रावका शदान् । सन्निधातृश्चमोषस्यहन्याच्चौरमिवेष्टवरः)अर्थात्-गाँठिकटे बटमारआदिचो-

राको जानतेहुये उनको अग्नि या भोजन या शस्त्र या टिकने वा विश्रामको स्थानजे कोईदेते हों यद्वाचोरोंकी सौंपीचोरी अपनेघर धरिलेतेहों इनसबको राजाचोरोंकेही भांति दंडदेवै-राजधानी आदिवड़ेनगरोंके सिवायजहां ग्रामोंमेंभी ऐसेलोगहों तिनके हेतुमें वचनांतर मनुकहते हैं-यथा(ग्रामेष्वपिचयेकेचिच्चौराणांभक्तदायकाः । भांडाव काशदाश्चैवसर्वास्तानपिघातयेत् ) इसकाअर्थ देखौ जहांप्रकीर्ण प्रकरणमें प्रभिन्न मुतफरिंक व्यवहारोंकी पंक्तिमध्ये २७१ अंकपर यहवाक्य हो-चोरोंकी उपेक्षा करने वालोंको भी दंडहोना नारदकहते हैं-तथाच(शक्ताश्चयेउपेक्षंतेतेऽपितदोषभागिनः । उ त्क्रोशतांजनानांतुंहियमाणेधनेतथा ॥ श्रुत्वायेनाभिधावंतितेऽपितदोषभागिनः) अर्थात् समर्थभी जेकोई चौरादिक दुर्जनलोगोंको दुर्जनतामें प्रवृत्तहोते जानकर इसभांति उपेक्षाकरते हों किहमको किसी साह यद्वाचोरकी भलाई या बुराईजाहिर करनेसे कुछ काम नहीं तो इसभांतिके उपेक्षा करनेवालेभी उसदोषके समान भागीहोंगे जोकुछ चोरोंसे उत्पन्नहो.तथैवधनके हरेजातेहुये पुकारकरते धनीलोगोंके शब्द सुनकर जे अत्यंत दौड़ेंनहीं वेभी उसीदोषके भागीजानों जोकुछ तस्कर लोगोंसे उत्पन्नहोय-मनुने इनलोगोंको कदाचित् देशनिकाला दंड कहाहै-यथा(ग्रामघातेहिताभंगेपथिमो षाभिदर्शने । शक्तितोनाभिधावन्तोनिर्वास्याःसपरिच्छदाः ) अर्थात्-किसीग्रामकेलूट मारजाने समयतद्वत्(हिता)नाम मर्यादाभंगहोतेसमय एवं मार्गमें चौरादि उपद्रव लूटि फूटिदेखि परने समयजे कोई निकट वर्तिलोग अपनी शक्ति के अनुसार नहीं दौड़ै वे सब निजनिज धनधान्यआदि सामग्री सहितदेशवाहर कादिदेने योग्यहैं ( हिता नाम मर्यादाभंगहोनेका यह अर्थहै किजव कोईदुर्जन किसी प्रतिष्ठितस्त्री पुरुष की प्रतिष्ठा भंग करता हो यद्वा कोई औरभांतिशिष्टाचारिक मर्यादा का व्यतिक्रम हुआ जाता हो तब साधारणधर्मोंकी मर्यादा से तत्कालसबके रक्षाकरनेका अधिकारहै पर जितनी जिसमें शक्तिहो) योगीश्वरने यह बात दोसौ उनतालिसवाले मूलश्लोकद्वितीय पाद में (विक्रुष्टेनाभिधावकः) इसरूपसे कहदीथी तत्रैव देखौ २८१ ॥

(क्वचिच्चौर्येणच साहसकर्मप्रवृत्तानांदंडः)

शस्त्रावपातेगर्भस्यपातनेचोत्तमोदमः । उत्तमोवाधमोवापिपुरुषस्त्रप्रिमापणे २८० ॥

ऐ०—अब उसचोरीका स्वरूप वर्णन होगा जिसमें चोरोंने कुछ लोगोंके सोते व दौड़ते में हथियार भी चलायाहो यद्वा घिरकरकिमी स्त्री पुरुषों पर कुछ धक्कामुक्की करिभागेहों तो यहचौर्य कर्म साहसयुक्त जानों तिसकादंड याज्ञवल्क्यजी अबकहतेहैं कि-धनीआदि किसी मनुष्य या पशुजाति पर यदिकोई चोरशस्त्रका अवपात करे यद्वा धक्कामुक्की आदिप्रकारों द्वारा किमी गर्भिणीका यदि गर्भही गिरजाय तोफिरनेमें चोरोंको अवश्य उत्तममाहम दंडदिलायाजाय जिसमें बंधबंध अंगछेदन आदिदेह



दंडभी संयुक्तहोसकताहै-एवंकिसी पुरुषयद्वा स्त्रीके प्रमापणहोने किंतु निपट मारेजाने में भी उत्तमसाहसदंड जानो परउस मरेहुये पुरुषयद्वा स्त्रीकी उत्तमता मध्यमता आदि भेदोंसे कदाचित् अधमदंड यद्वा मध्यमदंड भी होसकता जानो जोकुछशास्त्र के अनुसार व्यवस्थित पायाजाय-इसमें यहभी शंकाहोतीहै कि शस्त्रचलाकर घायल करने मध्ये केवल उत्तमसाहसदंड बताया और इसनिपटमारेजानेके प्रत्यक्ष गुरुतर अपराधमें कदाचित्कालनीच दंडभी होसकना कहा यहविपरीतहै इसहेतुसे यहनीच अथवा मध्यमदंडका विकल्प पूर्वार्द्धमेंभी समझलेनायोग्यहै अर्थात् केवल उत्तरार्द्ध मेंहीनहीं क्योंकि पाठक्रमका स्वल्पविरोध होनेपरभी अर्थक्रम बलवान्होताहै २८२॥

अधि०-इसी २८२ वालेमूलश्लोक पूर्वार्द्धका जो अर्थ मिताक्षराकारने निरूपण किया सोभी देखो-यथा (परगात्रेषुशस्त्रस्यावपातने-दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेणगर्भस्य पातनेचोत्तमोदंडः । दासीगर्भनिपातनेतुदासीगर्भविनाशकृदित्यादिनाशतंदंडोऽभिहितः । ब्राह्मणगर्भेतुहत्वागर्भमविज्ञातमित्यत्रब्रह्महत्यातिदेशंवक्ष्यति) भावार्थइसका यहकि दासी और ब्राह्मणके दो गर्भोंके सिवाय किसी और का यदिगर्भ निपातहोय तो यह उत्तमदंडजानो क्योंकि २४१ वालेमूलश्लोकमें दासीके गर्भमध्ये सिर्फसौपण कादंड वर्णनहोचुकाहै और ब्राह्मणके गर्भमध्ये(अविज्ञातगर्भका पातकरकेब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त इसलियेकरना आगे कहेंगे किउसविनाजाने गर्भमें नजानै ब्राह्मण काहीगर्भहोय)सो यहव्याख्या निपटअसंगतहै इसहेतुसे कि वहां २४१ वालेमूलश्लोक में सौपणकादंड सिर्फ साहसकर्मोंके प्रसंगसे उसदशा परदर्शायाहै कि जोकोई दासी गमन करनेवालाअपने बीजकी संतानहोना एकबुराई जानकर गुपतौअर भ्रूणहिंसा करेकिंतुरेचक औषधदेने आदि प्रकारोंद्वारा गर्भगिरावै तिसका दंडसाहसप्रकरणके अनुसारहोना सूचित करनेके आशयसे उसकर्म कोभीसाहस कर्मोंके साथगिनती कियाहै और दासी एकनिर्दर्शनमात्र जानो किंतुदासीके उपलक्षणकरके वृषलीवेश्या आदि औरोंके भी गर्भ निपात होनेमें सौपणका दंडजानो क्योंकि प्रायःवृषलीगामी आदि अपने बीजकी संतानों का नहोना चाहकर यहकाम कियाकरतेहैं परंतु चोरी कासंसर्ग उसमें कुछभी नहीं यहप्रत्यक्ष है-और इस २८२ वाले वाक्य में चोरियोंका प्रकरण वर्णन करते करते चोरोंके गुपतौअर और प्रत्यक्ष साहस कर्मों का संसर्गदर्शितकियाहै कि जबकोई चोरचोरी करतेहुये घिरकर तथा भागतेहुये राहपाने आदि निमित्तों करके किसी गर्भिणीको कुछधक्कामुकी आदि देनाजावै तिसके प्रहारमे या गिरकर गर्भपातहोवै तोयहकर्म उनका चोरीके संसर्गसे बलवान् होकर उत्तमसाहस तुल्य ठहरा इसी आशय करके उत्तमदंड भी दर्शायागया परंच इममें दासी अथवा ब्राह्मण की अनपेक्षित झूटजोड़िलेनी कोई भांतिभी न्यायात्मकनहींपाईजातीहै क्यों-

कि चोरोंके समीप चाहेदासीतथा ब्राह्मणी आदि कोईभी सगर्भावा अगर्भाहो उनको अपने मुख्यप्रयोजनसे सिद्धांतहै इसलिये उनसौपणका चर्चायहांकुछ आवश्यकनहीं किंतुयहांचाहेदासी काभी गर्भनिपात होयतौभीयहीदंडहै जो यहांपर दर्शायागया इसी हेतुयोगीश्वरने निजमूलवाक्य में सामान्य गर्भपातकरना कहा है कि (गर्भस्यपातने) इसमें केवल नारीमात्र केहीगर्भनहीं किंतुगऊघोड़ीआदि पशुओंकेभी गर्भसूचितहो तेहें दृष्टांत जैसे गाभिन घोड़ीको चोर सवारहोकर पकड़ेजाने के भयसे ऊंचीखाली राह उसको तीव्रवेगभगावै जिस्सेघोड़ीका ओछागर्भ निपातहोय इसी प्रकार औरों को भी समझलेना-और जो ब्राह्मणके गर्भमध्ये ब्रह्महत्याका अतिदेश विनाजानेगर्भका प्रसंग लेकर लिखा सोभी एकवृथा का तुषकण्डनहै क्योंकि यहांप्रायश्चित्तोंकी गुरुता लघुतादर्शितकरने से कुछदंडकाभावार्थ सिद्धनहींहोता बल्कि दंडपरिमाणकी यदि गुरुता लघुताका प्रमाण दियाजाता तौ कुछशायद कामआता यद्वा नहीं-कदाचित् यहतर्कणाउठाईजायकि यहांपहिले अद्धामेंदंड केवल उत्तमसाहस कहागर्भसब सामान्य मानेगये इसमेंक्योंकर दंडविवेकहोगा किन्तु दासीब्राह्मण क्षत्रिय आदिवल्कि गायभैंस घोड़ीआदि पशुओंकोभी लेकरसबका एकदंडकहा तिसकायह संतोष है कि यहां केवलगर्भका गिरानाएक अपराध विशेषहै कुछ ऊँचनीचजाति अथवा योनिभेदसे अपेक्षा अधिकनहीं समझनी और जो देशकालवस्तुके अनुसार कभी भेद करनेकी आवश्यकता संभवहो तोफिर ऐक्यार्थमें द्वितीयअद्धाका जोअर्थ ऊपर लिखागया तिसहीके अनुसार जैसाचाहो तैसादंड भेदभी होसक्ताहै क्योंकि इसी अपेक्षाकरके उत्तमदंड पहिले कहकर पीछेअधम मध्यमयहभी दोनों विकल्पसे कह दियेहैं और उसमें जैसेमरेहुये पुरुषकी उत्तमताआदि भेदमानेगये तैसेइसमें उत्तम मध्यमआदि गर्भवती योनिजातिकी उत्तमता मध्यमता आदि मानीजायँ २८२॥

(अथस्त्रीणांसाहसविशेषकर्तृत्वेदंडः)

विप्रदुष्टांस्त्रियंचैवपुरुषघ्नीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरींचाप्सुशिलांवध्वाप्रवेशयेत् २८३ ॥

विपाग्निदांपतिगरुनिजापत्यप्रमापिणीम् । विकर्णकरनासौष्टीकृत्वागोभिःप्रमापयेत् २८४ ॥

ऐ०-विशेषकर प्रदुष्टानारी जो सामान्य भ्रूणघ्नी या निजगर्भ निपातकरने वाली या विश्वासघातिक मार्गसे परस्त्रीको परपुरुषोंमें फँसानेवाली आदि खांटकमोमिंगन हो यद्वा पुरुषघ्नी जो धन युक्त व्यभिचारी आदि स्त्रीपुरुषोंका वधकरे यद्वा सेतुभेद करनेवाली जो जलाशय कीमर्यादा बंधन आदि सेतुओंको निज इच्छा सहितजाकर तोड़े जिस्सेप्राणियों का वध होय या होनासंभवहो या कोई सी असाध्य पीड़ापैदा होय तौ इसभांतिकी स्त्रियोंको यहदंडहै कि भारीपत्थरकी शिला उनके कंठवांथिअगाध जलमें डोड़िदेय जो फिर डूबीहुई न तिरनेपावै परयहडूटभी आवउयक है ॥

जो अगर्भाहों तिनहींको यहदंड होय किंतु सगर्भाको यह मृत्युदंड नहीं २८३ ऐसे-  
ही जे कोई स्त्रियाँ किसी स्त्री पुरुषमात्र को विषदेवैं या अन्य किसीकेद्वारा आपदेकर  
उसे दिलावैं यद्वा अन्नपानादिकमें मिलाकर आप खिलावैं तद्वत् ग्रामघर खलिहान  
आदि में कदाचित् आगिलगावैं या लगवावैं अथवा निज अपनेही भर्त्तारको या  
सासससुरा आदि गुरुओंको या संतानोंको वधकरैं तिनके कान हाथ नाक ओठ काट  
करवैनाथे दुष्टवैलोंसे मैदान या चौराहेमें लेजाकर मर्दनकरवातेहुये प्राणांतिक वध  
करवादेवैं जिस्से प्रायः फिर स्त्रियोंको इसभांति दुष्कर्मों में उत्साह न होनेपावै-इसमें  
भी ऊपरली झूटसमझनी योग्य है कि जो जो स्त्रियाँ ऐसेपापकरते समय सगर्भा हों  
वे उस अवधितक अवरोध बंधन आदि में सुरक्षित रहकर पीछे दंड पावेंगी कि  
जितनेकालमें वहगर्भ पैदाहोकर जीतेरहने योग्यपालाजाय २८४ ॥

अधि०-दोसौ वयासीको आदि लेकर यहांतक यह तीनोंवाक्य यद्यपि धनहरना  
आदि चोरी नहीं प्रतीत होतेहैं अर्थात् साहस कर्महैं तथापि ऐसेकर्म प्रायः छिपकर  
चोरी चोराकिये जातेहैं तिसहेतुसे इस चौर्य प्रकरणमें मिलायेगये दूसरा कारणएक  
यहभीहै कि प्रायः ऐसे कर्मोंके करनेवाले उसकाधन भी जो कुछपावैं सो हरलेतेहैं कि  
जिसके प्राणोंका वधकरैं इस्से चोरीका प्रसंगभी अवश्य इनमें होता है-और यद्यपि  
ठेठ साहस कर्मोंमेंभी प्रायः ऐसे द्विविधकर्म होतेहैं कि प्राणोंका वधकरके पीछेधनभी  
हराजाताहै परउसमें यहीअंतरहै कि वे बटमार लुटेरेआदि प्रवलतासे धनहरतेऔर  
वधकरतेहैं तब साहसकहाजाता और अत्रोक्त दोनोंवाक्योंका यहडौलहै किछिपकर  
चुपके कोई कुत्सित कर्म कियाजावै जैसे चुपके जाकर गुप्तोंअर जलकासेतु आदि  
भंग करना या विषदेना यद्वा आगिलगाना या सोतेको वधकरना और धन हरना  
यह सब चोरी तुल्यकर्महैं इसहेतुसे उनसाहस कर्मोंके प्रकरण में मिलाये नहींजा  
सक्तेथे-सिवाय इसके चोरी और उनसाहस कर्मोंका सदैवही संबंधहै कि जब जब  
कभी चोरी अथवा साहस कर्मोंके व्यवहार विचारकरने हों तब तब दोनों प्रकरण  
एकसाथ विचार करने होंगे २८४ दोसौ वयासी को आदि लेकर तीनों वाक्य में  
दर्शाये हुये उपद्रव जब अज्ञात कर्त्तक हों तिनकाकर्त्ता अपराधी पकड़ेजानेकाउपाय  
नीचे कहते हैं २८४ ॥

(अविज्ञातकर्त्तकहननेहंतज्ञानोपायः)

अविज्ञातहतस्याशुकलहंसुतवांधवाः । प्रष्टव्यायोपिनउचास्यपरपुंसिरताःपृथक् २८५ ॥

स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामावाकेनवायंगतःसह । मृत्युदेशसमासन्नष्टच्छेदापिजनर्त्तनैः २८६ ॥

ऐ०-जब कोई पुरुष ऐसेचुपके माराजाय जिसका हंता अपराधी अबतक नमालूम  
हो तिसकी तहकीकात का यह ढंगहै कि मरेहुये मनुष्य का मरना मुनकर तत्काल

राजपुरुषों करके उसके पुत्रादिक तथा समीपवासीभाई स्नेही चाचा ताऊ पिता माता आदि बंधु लोग जे कोई ऐसे अवसरमें उपस्थित हों पहिले कलह विवाद बूभेजायँ कि इसकी किसीसेतकरार कोशाकर्रींआदि कलह लड़ाई क्योंकरहुईथी या नहीं व्यौरे वार बूभें किंतु जहां कदाचित् उनसे उत्तरपानेमें संदेह शेषरहे तो उसमरे मनुष्य के घर ठेठ कुटुंबकी स्त्रियाँ जो कुछ नाते रिश्ते के संबंध वालीहों वेभी भिन्न भिन्नबूभी जायँ तत्पश्चात् जेकोईस्त्रियाँ उसी कुटुंब या सहवासवाली परपुरुषोंमेंरत लोकप्रसिद्ध हों या व्यभिचार गूढा हों वे प्रत्येक प्रियवचनों से फुसिलाकर बुभीजायँ. अबइन सबसे व्यौरेवार बूभेजानेका प्रकार आगेकहतेहैं कि २८५ क्यायहपुरुष कुछस्त्रियोंकी संभोग बांझा रखताथा या कुछद्रव्यहरने तथा उपार्जन करनेकी तृष्णा अधिकरखता था या कोईसी वृत्तिमें लयलीन रहाकरताथा और इनउक्तलाभोंकी लालसासे यहकिसके साथहोकर कहां पहुंचताथा या पहुंचाथा कबगया यद्वा आयाथा या किसस्त्रीके साथइसकी प्रीतिवा रतिहुईथी वहस्त्री किसी औरसे कुछप्रीति वास्तारखतीहै या नहीं किसवस्तुमें यह अधिक प्रीति रखताथा जीविकावृत्ति किसके द्वाराकरता तथा चाहता था इत्यादि नानाभांतिसे एकांतमें व्यभिचारवती स्त्रियोंको विश्वासदेकर बूभें क्योंकि ऐसे भेद प्रायः उनको साधारणमें भी विदितहुआकरतेहैं कदाचित् इनसे व्यौरा नहीं पायाजाय तो फिर जिसस्थल पर वहमारागयाहो तिसके निकटवर्ती लोगगोपकिसान बटोही आदि जोजो पायेजायँ वेविश्वास देकरप्रीतिपूर्व बूभेजायँ जिससे कहनेमें न हिचकें इत्यादि नाना यत्नोंसे हंताको सुनिश्चित करके उसके योग्यदंडदेवे-यद्यपि यहांपुरुषका उद्देशलेकर तहक्कीक़ात का प्रकार वर्णन किया तौभी मूलश्लोकमें(अ-विज्ञातहतस्यमनुष्यस्य ) इसभावसिद्ध मनुष्यपदसे सवसामान्य मानुष जातिमात्र नर नारी बालक पर्यंत समझलेने किंतु स्त्री बालक आदि कोईभी यदि माराजाय तिसकी तहक्कीक़ात इन्हीं ढंगोंसे उसकार्यके अनुरूपही कर्तव्यहै कि जैसे अवसरमें जिसभांतिका वहप्राणी माराजाय और बालक आदिके भावार्थसेभी गर्भपातवाली दशातक आवश्यक है-और-माराजाना एक निदर्शन मात्र समझो किंतु मारेजानेके उपलक्षणसेही आत्मघात करके मरिजाना डूबिजाना आदि या भगिजाना वा भगालेजाना या भगायाजाना छिपिजाना लुकिजाना वा लुकाइ रखना आदि उपद्रव की भी तहक्कीक़ात इन्हीं ढंगोंसे कर्तव्यहै २८६ एतस्मादेवोक्तंच(अज्ञातकर्तकेमात्र सेषुमित्रारिवांधवाः । प्रष्टव्याराजपुरुषैःसामादिभिरुपक्रमैः ॥ विज्ञेयोऽसाधुमंसर्गाच्चि न्नेहोऽनेनवापुनः । एषोदिताघातकानांतन्कराणांचभावना ॥ गृहीतःशंकयायस्तननत्त यैप्रपयते ॥ शपथेनावबोद्धव्यःसर्वकार्येष्वयंविधिः)अर्थ इनश्लोकोंका पहिले ढंगमें तिसकी अधिकोक्ति के प्रारंभमें लिखचुके हैं तत्रैव देखो-पर जब किसीभांति

वेश्याओंके स्थानपर इसभांतिके उपद्रव होयँ तिनकीतहकीक़ात दोसौ सत्तानवे की अधिकोक्ति में जो अंत्यव्यवस्था पावै तिसकेद्वारा करनी होगी २८५ । २८६ ॥

(ग्रामादिदाहकानांदंडः)

क्षेत्रवेशमवनग्रामविवीतखलदाहकाः । राजपत्न्यभिगामीचदग्धव्यास्तुकटाग्निना २८७ ॥

ऐ०-क्षेत्रखेत जिसमें पके सूखे अन्नादिक सस्यखड़े हों या (वेशम) गृहमकान या वन बाग आदि यद्वा ग्राम या (विवीत) बाड़ागोंड़ा नौहरा आदिअहाते या खलिहान इनमें आगिलगानेवाले साहसिक एवं राजदाराओंके अभिगामी दुर्जन खरीसरपता सेंठा आदि जलतेहुये तृण कटपुंज से जलाने योग्यहैं-दाहक लोगोका दंड यहां इस हेतुसे निरूपण हुआहै कि चोरीके प्रसंग मध्ये छिपकर प्राणवध करनेवालोंकाचर्चा छौडागया था यह लोगभी छिपकर आगिलगाने द्वारा नानाजीवों के प्राणवध कर देते हैं २८७ चोर बटमार आदि प्रायः दुर्जन पंक्तियोंको निज राज्यसेनिर्मूलकर-देनेवाले राजाको उभयत्र जो अमेय फल उत्पन्न होता है सो सबसे पिछले एक प्रकीर्ण संज्ञक प्रकरण में यथार्थ व्यौरेवार सब दर्शावेंगे तत्रैव देखोक्वोंकि यहचोरों वाला प्रकरणभी प्रथमोक्त साहस प्रकरणके अधीन होकर उसीप्रकीर्ण संज्ञकपिछले प्रकरणके अधीनहै २८७ ॥

इतिचौर्यप्रकरणंसमाप्तम्

यहसव चौर्य कर्मोंकाप्रकरण एकइसी ८२ वयासीसंख्याके परिच्छेदसेसमाप्तहुआ ॥

अथपरस्त्रीसंग्रहणं नामविवादपदव्यवहारस्वरूपवर्णनविषयिकः

त्र्यशीतितमःपरिच्छेदः(८३)

इस पर स्त्री संग्रहण संज्ञक विवाद का स्वरूप इसी तिरासीसंख्याके परिच्छेदमें इस व्यौरासे दर्शावेंगे कि तीनो भांतिकेपरस्त्री संग्रहका विज्ञान और प्रत्येक नाना लक्षण भेदकीस्त्रियां जो अगम्याआदि लेकर दासीवेश्यापर्यंत तिनके संग्रह मध्ये दंड भेद और अपवादभी यथोचित वर्णन होंगे ॥

पर स्त्री संग्रह कर्म तीनिभांतिका वृहस्पति ने समभायाहै-यथाच(पापमूलंसंग्रह णं त्रिप्रकारं निवोचत । वलोपधिकृतेद्वेतुतृतीयमनुरागजम् ॥ अनिच्छंत्यायत्क्रियतं मत्तोन्मत्तप्रमत्तया । प्रलपन्त्यावारहसिवलात्कारकृतंतुतत् ॥ अघ्ननागृहमानीयदत्त्वास्वं मदकारणम् । संयोगःक्रियतेयत्रतत्तूपधिकृतविदुः ॥ अन्योऽन्यंचक्षुरागेणदूतीसं प्रेषणेनवा ॥ कृतंरूपार्थलोभेनज्ञेयंतदनुरागजम् । तत्पुनस्त्रिविधंप्रोक्तंप्रथमंमध्यमोत्तमम् )अर्थात्-पापोंका मूल परस्त्री संग्रह कर्म तीन प्रकारका ऋषिवैयाने होतादेखा कहा तिनमें दोतो एकवलसे एक (उपधि) नाम छलमे किये जातेहैं तीमंका अनुरागज होनाजानो किंतु परस्त्रीको अनुराग दिलाने यद्वा न्वनः पदाहोने में हांसक्ता हैं

अब इनके लक्षण समझो किंच एकतो वलात्कार किया उसको जानो जो पर पुरुष की अनिच्छा रखनेवाली स्त्रीमादक वस्तुओं के खिलाने से नशेमें मत्तहो या उन्माद मिरगीरोग आदि रोगोंसे उन्मत्तहो यद्वा निद्रा आदि प्रमादों से जो गाफिलहो तिस के साथ कुकर्म जो कुछ कियाजाय यद्वा एकान्त निर्जन गेह आदि सूने देशों में घेर कर सुसावधान को भी बहुतसा प्रलापटेर पुकार आदि रोदन करतेहुये कुकर्म जो कुछ कियाजाय यहसब जबरदस्तीकेही रूपहैं-जहाँ छलसे किसी बहाने द्वारा अपने घर बुलवाकर मदको करनेवाला धनदेकर जो संयोग कियाजाय तो यह छलसेकिया कुकर्म जानो-यहाँ मदको करनेवाला धन अर्थात् परस्त्रीको सन्तुष्ट किंतु हर्षमय कर देनेवाला यद्वा दैन्ययुक्त जड़तामय कर देनेवाला पुष्कल द्रव्य यह सब अर्थजानो-जहाँ दोनो के परस्पर नेत्रप्रीति होनेद्वारा यद्वा दूतियोंकेभेजनेद्वारा रूप लोभसे या उसका धन हरने के लोभसे जो कियाजाय सो अनुरागज स्त्री संग्रह कर्मजानो फिर यह अनुरागज स्त्री संग्रहकर्म तीनभेदका अर्थात् प्रथम मध्यम उत्तम विधिसे कहाहै कि जिसके रूप लक्षण अगले वचनों से दर्शाते हैं-तथाचवृहस्पतिरेव (कटाक्षावेक्षणं हास्यंदूतीसंप्रेषणंतथा । स्पर्शोभूषणवस्त्राणांप्रथमःसंग्रहःस्मृतः ॥ प्रेषणंगन्धमाल्यानांफलधपान्नवाससाम् । सम्भाषणञ्चरहसिमध्यमंसंग्रहंविदुः ॥ एकशय्यासनंक्लीडा चुम्बनालिङ्गनेतथा । एतत्संग्रहणंप्रोक्तमुत्तमंशास्त्रवेदिभिः) अर्थात्-वृहस्पति जी विशेषता दर्शित करते हैं परस्त्री साथ कटाक्ष दृष्टिसे निहारना यद्वा हास्य करना तथा दूतियों का भेजवाना तद्वत् पहिरेहुये भूषण वस्त्रोंका स्पर्श करना मात्र प्रथम संग्रह कर्म कहाताहै पर स्त्रीपास गन्धमाल्य फल पुष्पधूप अन्नवस्त्रोंका पहुँचाना वा एकान्त में प्रियवचनों से बोलनामात्र मध्यम संग्रह कर्मजानो एकशय्या यद्वा एक आसनपर बैठना एवं खेल क्रीडा आदि करना एवं चुम्बनकर्म और आलिङ्गन अङ्ग अङ्गों से मिलाना इतने कर्मोंको शास्त्रज्ञों ने उत्तम संग्रह कर्मकहा-इसीप्रकार व्यासनेभी-इम अनुरागज संग्रह के तीनभेद कहे हैं-तथाचव्यासः (संग्रहस्त्रिविधोज्ञेयःप्रथमोमध्यमस्तथा । उत्तमश्चेतिशास्त्रेषुतस्योक्तंलक्षणंपृथक् ॥ अदेशकालसम्भाषणनिर्जनेचपरस्त्रियाः । कटाक्षावेक्षणंहास्यंप्रथमःसंग्रहःस्मृतः ॥ प्रेषणंगन्धमाल्यानांधूपभूषणवाससाम् । प्रलोभनञ्चान्नपानैर्मध्यमःसंग्रहःस्मृतः ॥ सहासनंविचिक्तेषुपरस्परमुपाश्रयः । केशाकेशिग्रहश्चैवसम्यक्संग्रहणंस्मृतम् ) (स्त्रीपुंसयोर्भिधुनीभावःसंग्रहणं ) अर्थात्-व्यास कहतेहैं कि अनुरागज स्त्रीसंग्रह तीनभेदका समझना एक प्रथम १ द्वितीय मध्यम २ तृतीय उत्तम ३ तिसके भिन्न लक्षण बहुधा शास्त्रों में सब कहेहैं कि-यादि कोई पुरुष पराई स्त्रीकेसाथ कहीं कुजगह एकान्त में या कुसमय रानिविराति दुपहरों आदि में या निर्जन गेह आदि में सम्भाषणकरे कटाक्ष दृष्टिसे निहारे हास्यकरे तो



यह प्रथम संग्रहकर्म कहाता है-एवं गन्धमाल्य आदि चीजोंका भेजवाना तथा धूप सुगन्ध भूषण वस्त्रोंका पहुँचाना यद्वा अन्नपानादि खानीपीनीचीजोंसे लोभदिखानायह सबमध्यम संग्रह कर्मजानो-ऐसेही एकान्त निर्जनगेहआदि देशोंमें कुछ खाट खटोला आदि आसनपर एकत्र दोनों मिलकरबैठें यद्वा दोनोंका परस्पर प्रेमयुक्त होकर अङ्ग मिलाना अथवा दोनोंके परस्पर बालमिड़ोर खेंचखैंच करनेवाली केशा केशि क्रीड़ा का होना यह सबकर्म सम्यक्संग्रहण कहेजाते किंतु पूरे संग्रह कर्मकी पदवी पहुँचे समुझे जाकर उत्तम संग्रह रूप कहातेहैं-मनुस्तु (परस्त्रिययोऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्येवनेऽपिवा । नदीनांवापिसंभेदेससंग्रहणमाप्नुयात् ॥ उपचारक्रियाकेलिःस्पर्शोभूषणवास साम् । सहखट्वासनंचैवसर्वसंग्रहणंस्मृतम्-अपिच-स्त्रियंस्पृशेददेशेयःस्पृष्टौवाऽमर्षयेत्तया । परस्परस्यानुमतेसर्वसंग्रहणंस्मृतम्) अर्थात्-जो कोई पुरुष परस्त्रीसे अभिभाषाकरै किंतु निज नेत्र आदि चेष्टाको अभिलाष युक्त बनायेहुये एकतार अभिमुख होकर गुप्त वा अगुप्त किसी ध्वनिकेसाथ लय सम्पन्न होकर बहुधा वार्त्तालाप किसी तीर्थके स्थान मेला आदि में या निर्जन किसी स्थलमें या वनमें या नदियोंकी छाँड़ खोले आदि में सामान्य और लोगों के चक्षु कान वचातेहुये मुखसे या सङ्केतोंसेही करै तो संग्रहण कर्मके अपराधको वह पहुँचे-अथवा गन्ध सुगन्ध अनुलेपन आदि पहुँचानेका उपचारकरै एवं परिहास और आलिंगन आदि केलि किलोलकरै एवं भूषण वस्त्रोंको निजहाथ लगावे यद्वा मिलकर खाट आदि आसनपर एकत्रबैठे यह सब संग्रहकेही रूपहैं-औरभी-जो कोई पुरुष परस्त्रीके अदेश में अर्थात् स्तन जङ्घा आदि कुअङ्ग में निजहाथ डारै यद्वा उसी परस्त्री करके आप छेड़ाहुआ या वृषणादि कुअंग में स्पर्श कियाहुआ जो सहिलेवे उसको कोईभाँति डपटै नहीं यह संकेत भी परस्पर इच्छासहित अंगीकार भूतसंग्रह कर्मजानो-इन्हीं उक्त सबकर्मोंके विज्ञान लक्षण मात्रसे इनकर्मों के वर्त्तावा करनेवाले पापकर्त्ता लोगभी पहिंचाने जासक्तेहैं कि जिसके बिनाजाने दण्ड विधान भी अन्यायपर आरूढ़होना सम्भव है तिस हेतुसे योगीश्वर इन्हीं कर्मों के कर्त्ताओं की परीक्षा वर्णन करते हैं ॥

(परस्त्रीसंग्रहणकर्त्तृज्ञानोपायः)

पुमान्संग्रहणेग्राह्यकेशाकेशिपरस्त्रिया । सद्योवाकामजैचिह्नैःप्रतिपत्तौद्वयोन्तथा २८८ ॥

नीवीस्तनप्रावरणसक्धिकेशावमर्शनम् । अदेशकालसंभाषणहैकासनमवच २८९ ॥

ऐ०-परस्त्रीके संग्रहण कर्ममें प्रवृत्त हुआ पुरुषइतने चिह्नोंमें पहिंचानकर पकडने योग्यहै कि एक तो परस्परवाल खेंचने आदि केशाकेशि क्रीड़ाहोती हो या सद्यस्क नवीन कामज चिह्नोंसे कि जो नखदांत आदि से कुछ व्रणउत्पन्न हुयेहों अथवा दोनोंकी राजी साधराग प्रीति के आकार संभव हुयेहों २८८ या जो कोईपुरुष

कामकी अभिलाषा प्रकट करते हुये घाँघरा नाड़ेकी फूँद तक निजहाथको लेजाय यद्वा स्तनका परिधान कंचुक चोलीको स्पर्श करै या जंघामसलै एवंबाल उँगुली आदि कोई और अंगथांभै अथवा अदेशनाम कुठौर किंतु निर्जन स्थलमें तथैवजन संकीर्ण स्थलमें भी अंधकार युक्त कुसमय राति बिराति आदि कालों में परस्त्री से संभाषण करै यद्वा खट्टा आदि किसीएकही आसनपर रिरंसाके अनुरूप बैठे तौ भी संग्रह कर्ममें प्रवृत्तहुआ जानो किंतु ऐसे पुरुषभी पकड़ने योग्यहैं-इसमें रिरंसा के अनुरूप किंतु रमण करने के अनुरूप यह कहनेसे तथैव कामकी अभिलाषा प्रकट करतेहुये यह कहनेसेभी आशय सिर्फ इतनाहै कि यदि कोई पुरुषफोड़ा फुंसी आदि आवश्यक कर्म निमित्तों से अत्रोक्त अंगदेशोंका स्पर्श करता हो यद्वा लोक प्रसिद्ध प्रायःनिर्मलकर्म निमित्तों से एकासन बैठ जाने का अवसर किसी सज्जन संबंधी आदि जनको वनिआया हो तो यह आवश्यक बातें स्त्री संग्रह कर्मकी पदवीतक न पहुँचेंगी २८६ ॥

अधि०-ऊर्ध्वोक्त निर्मलता का डौल इस अग्रोक्त वचन विशेषद्वारा समभाजासक्ताहै-यथोक्तं वशिष्ठेन (मनःकृतं कृतरामनशरीरकृतं कृतम् । येनैवालिंगिताकांतातेनै वालिंगितासुता ॥ इतियोगवशिष्ठे) अर्थात्-श्रीरामचन्द्रको संबोधित करतेहुये वशिष्ठ जी यह कहतेहैं कि हे राम जो कुछ कर्म मनकी वृत्ति द्वारा कियाहो सो उस वृत्तिके अनुरूप किया कहलाता किंतु निपट शरीर मात्रसेही कियाहुआ करनेकी पदवीतक वहनहीं पहुँचता इसका यह दृष्टांतहै कि जिसकायासे मनुष्य अपनी भार्याको आलिंगित करता किन्तु शरीर में चिपटाता है पुनि उसीशरीर करके पुत्रीको आलिंगित करताहै परंच मनकी वृत्ति जो है सोई किसीपाप अथवा पुण्यको उत्पन्न कियाकरती है कि जैसे कांताको आलिंगनकरते समय मनकी वृत्ति विषयवासना पर आरूढ़ होतीहै इसलिये वह आलिंगन भोग विषय मध्ये किया समभाजाताहै और सुताके आलिंगन समय मनकी वृत्ति शिष्टाचारिक निर्मलता पर आरूढ़ होतीहै इसलिये वह आलिंगन कुछ आलिंगन किया नहीं समभाजासक्ता है-इत्यादि लोकाचारों के अनुसार संग्रह कर्ताओंके मनकी वृत्तियांभी विचार करने योग्यहैं-क्योंकि संग्रह कर्म के सब चिह्न प्रायः उन्ही पुरुषोंकी परीक्षापर आरूढ़हैं कि जिनमें दोष पायाजानेकी आशंका होय-किंतु विरले संभाषण आदि केवल बातचीत वाले लक्षण कर्माकार्य कारणके अनुकूल संग्रह कर्मवाले दोषमंगणीय नहींहोतेहैं-इसकेसिवाय-जिमजिम देश और कुलजातिमें परिपाटी जैसी मवल्लोगों को प्रियहो वहभी नृपमें गणनीयहैं दृष्टांत जैसे बहुधा देशों में जो देवर और ननदेऊ या वहनोई जीजा होतेहैं तिनके साथ किंचित हाम विनोद के भी डँगमें वतलाना अनुचित नहीं समभाजाना है क

बिरले देशमें निज भर्ताके भानजेसेभी हास्यरीति की परिपाटी वर्तमान है (बल्किबंगाले संबंधी किसी देशविभागमें सौबरसकाबूढ़ाससुराबालक पुत्रवधुओंसे भी शुद्ध वृत्तिसहित होलीखेलता निज बंगालियोंकेही मुखसे सुनागया है ) तौ इत्यादि लोग निज निज देशकी परिपाटी तुल्य हास्यरूपी बातकरते भी कुछ संग्रह कर्म के अपराधी निश्चित नहीं किये जासक्ते जब तक संग्रह कर्मका यथार्थरूपउन से न उत्पन्न हो-उक्त संबंधीजनके उपरांत प्रायःपांचाल आदि बहुधा देशों में सामान्य यह परिपाटीहै कि निःसंबंधी जो अज्ञात परजनहो तिससेभी स्त्रियोंसे परस्परवार्तालापमात्र करनेमें कुछ संग्रह कर्मका अपराध रोपित नहीं कियाजासक्ता-परंच इन सब देशोंमेंभी ठेठ जिस कुलमें या जिसजातिमात्रमें प्रशंसित संबंधीजन से हास्य या परजन से सामान्य वार्तालाप आदि करने का प्रतिषेध या परित्यागहो तिसकुल में ऐसी छूटें भी प्रमाणता योग्यनहीं समुभी जासक्ती हैं-उक्तसब दृष्टान्तों के सिवाय सब सामान्य देशोंमें सर्वत्र एक नियम विशेष यहभीहै कि जो कोईपुरुष कदाचित् पहिले किसीहेतुसे ललकारा धुधकारागया हो तिसको फिर उस स्थलकी या गेहकी स्त्रियोंसे कुछबातचीतकरना संग्रहकर्मके अपराधमें अवश्य गिनतीहोगा सोअग्रोक्त दो वचनोंसे संसिद्धहै-यथाहमनुः(यस्त्वंनाक्षारितःपूर्वमाभिभाषेतकारणात् । नदोषंप्राप्नुयात्किंचिन्नहितस्यव्यतिक्रमः-किंच-परस्यपत्न्यापुरुषःसम्भाषांयोजयन्नरहः । पूर्वमाक्षारितोदोषैःप्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ) अर्थात्-जो कोई पुरुष निज सौशील्य आदिशुभ लक्षण के हेतुसे पहिले कभीललकारा धुधकारा नहींहो और वह किसीकार्यरूपकारण से मनुष्योंके सन्मुख यदि संभाषण करै तौ वह किंचित्भी अपराध यद्वा दंडको न पावै क्योंकि उसका कभी व्यतिक्रम अबतक नहीं देखा गया-परंच-यदि कोईपुरुष अपने पूर्व दोषोंसे धुधकारा फटकारा हुआ फिर भी कभी पराई पत्नी से निष्कारण भी एकांत में गुप्ततौर पर बात चीतकरै तौ यह पूर्वसाहस दंड दोसौ पचासपणपर्यंत उस अपराधके अनुसार पावै जितना दोषहो-संभाषण आदिनहोनेमेंभी केवलनिज मुखसे कुत्सित चर्चाकरनेवाला संग्रहकर्म का अपराधीहोताहै-तदाहनारदः(दर्पाद्वाय दिवामोहात्श्लाघयावास्वयंवदेत् । पूर्वमयेयंभुक्तेतितच्चसंग्रहणंस्मृतम् ) अर्थात्-जोकोई पुरुष अपने दर्पसे या मोहसे श्लाघासेही कुटिलोंके सन्मुख ऐसा कहने लगे कि यह अमुकी बहुतप्रवीणहै और पहिले एकवार मैंने भोगीथी अबहाथ नहींआतीहै तौ यह भी संग्रह कर्मजानो किंतुऐसा वक्ता शीघ्रपकड़ा जाकरदंडपावै २८८ । २८९ ॥

( निवारितस्त्रीपुंसयोःसंग्रहणेदंडः )

स्त्रीनिषेधेशतंदयाद्द्विशतन्तुदमंपुमान् । प्रतिषेधेनयोर्दण्डोयथासंग्रहणेनथा २९० ॥

स्वजातावुत्तमोदंडमानुलोम्येतुमध्यमः । प्रातिलोम्येवधःपुंसानार्याःऋणाधिकर्तनम् २९१ ॥

ए०-निषेधहोनेमें स्त्री एकसौ और पुरुष दोसौ दंडदेय अर्थात् जिसस्त्रीको पात पिता आदि किसी ने पहिलादंग देखकर प्रतिषेध कियाहो कि अमुकामुक पुरुषों के साथकभी संभाषण आदि मतरक्खो और वह स्त्री फिरभी उसीभांतिका बर्तावाउस्से करै तबसौ पणकादंडभरै एवं पुरुषको जिस स्त्रीसे संभाषण आदि रखने का प्रतिषेध पहिलेहुआहो और वहपुरुष उसी प्रकारका बर्तावा जारीरक्खे तो यहदोसौ पणका राजदंडभरै-जहांकहीं स्त्रीपुरुष दोनोंको प्रतिषेध कियागयाहो और वे दोनों उसीप्रकारका बर्तावा नहींछोड़ें तो फिर जो कुछदंड जैसा साक्षात्कारसंग्रह कर्ममें होसकता हो तैसाही-इनदोनोंको कर्तव्यहै उसदंडका स्वरूप भी अबकहतेहैंकि २६० अपनी अपनी जातिमें सजाती की परभार्या पर्देवालीसे बलात्कार संगमकरने मध्ये उत्तम साहसदंड एकहजार अस्सीपणतकपुरुष परकर्तव्यहै जिसपुरुषने अनुलोमक्रमसे हीनवर्णवाली पर्दारहित स्त्रीसे बलात्कारसंगम कियाहोय तिसपर पांचसौचालीसपण तक मध्यम साहसदंडयोग्यहै जो कोई पुरुष हीनजातिहोकर प्रतिलोम क्रमसे उत्तम जाति की परस्त्रीसे बलात्कार संगमकरै तो वधदंडहोनायोग्य है और इसमें पर्दे या विनपर्देका कुछनियम नहीं-कदाचित् कोईनारीही निजइच्छा सहित हीनवर्णसे रत हुईहो तो उसनारी को भी वधसे आधादण्ड किंतुकाननाक आदि कोई उत्तम अंग काटना योग्यहै-इन्हीं नियमोंके ध्वन्यर्थसे यहआशय भी संसिद्धहै कि जो कोई पुरुष सजाती विनापर्देवाली स्त्री कोविगाड़े तिसपर उत्तमसाहस छोड़ि मध्यमसाहसदंड दिलायाजाय एवं जो अनुलोमक्रमसे हीनवर्ण पर्देवाली कोविगाड़े तिसपर मध्यम साहसछोड़ि उत्तमसाहस दंडदिलायाजाय- एवंजहां बलात्कार करना लिखाहै उस स्त्रीकी यदिइच्छासेही संगमहोय तो उसपुरुषपर तत्रोक्त दंड आधाछोड़ि आधाभाग दिलायाजाय-इनध्वन्यर्थोंका स्पष्टरूप मनुकेवचनोंसे अधिकोक्तिमें सबआवेगा तत्र वदेखो २९१ ॥

अधि०--याज्ञवल्क्यीय-२६० मूलश्लोक मध्ये मनुके यह अग्रोक्त वचनहैं-यथा-  
(भिक्षुकावंदिनश्चैवदीक्षिताःकारवस्तथा । संभाषणंसहस्त्रीभिःकुर्युरप्रतिवारिताः ॥  
नसंभाषांपरस्त्रीभिःप्रतिषिद्धःसमाचरेत् । निषिद्धोभाषमाणस्तुसुवर्णदंडमर्हति ॥ न  
चारणदारेषुविधिर्नात्मोपजीविषु । सञ्जयन्तिहितेनारीर्निगूढाश्चारयन्तिच ॥ किंचिदं  
वतुदाप्यःस्यात्संभाषांताभिराचरन् । प्रैप्यासुचैकभक्तासुरहःप्रव्रजितामुच ) अर्थात्-  
भिखारीलोग और भाटआदि प्रशंसकलोग और यज्ञादि पूजनपाठवाले दीक्षायुक्त  
सोई आदि कर्मकरनेवाले भी और विरलेशिल्पी लोग यहसब अपने अपने कामोंके  
निमित्त जो गृहस्थी लोगों की स्त्रियोंसे संभाषण करंतो कुछइनको संग्रहदोष नहीं  
लगतापर यहनियमहै कि इनमेंभी अनिवारितहोंजिनको कभीनिषेध नहींकियाहोवेई

बोलिसकतेहैं-अर्थात् जिसको रोकहुईहोसो प्रतिषिद्ध कभी परस्त्रीसे संभाषण आदि न आचरे किंतुऐसाप्रतिषिद्ध पुरुष बोलचाल करताहुआ सोरहमाष परिमित एक सुवर्णदंड देनेयोग्यहै-परंचस्त्रियोंसे संभाषण आदि करनेका प्रतिषेध विधिजो कुछ कहीं वर्णनहुई सो यह विधि नटनर्तक आदि चारणदाराओं में और तद्वत् आत्मोपजीवियोंमें भी नहींसमुझनी क्योंकि नटगायन आदि लोगोंका यहकामहै कि अपने आप निजदाराओंको सजाकर धनके लोभसे परपुरुषोंसे प्रत्यक्ष मिलातेहैं तथैवएक और प्रकारके आत्मोपजीवी जो निजदाराओंसे ही जीवन ऐसीरीतिसे उत्पन्न करते हैं कि स्वतः अपने घरमें आये परपुरुषोंसे आप छिपतेहुये अजान बनकर उन कासंगमहोने देतेहैं इसभांति की स्त्रियोंकी सर्वत्र (खानगी) संज्ञालोकप्रसिद्धहै इस लियेइनमें उक्तविधि प्रतिषेधोंका संबंधनहीं समुझना-तौभी राजप्रबन्धोंके लावण्य हेतुसे भूपालोंको सदैव यहआवश्यकहै कि ऊर्ध्वोक्त चारण आदि की स्त्रियोंसे या किसी की अवरुद्धा आदि जानेआनेवाली दासियोंसे तथैव एकाहारी ब्रतरखनेवाली-आदि बहुधा स्त्रियोंसे कि जोजो तपोलक्षणसे संयुक्त प्रायःफिरनेवालीहों या प्रव्रजिता आदि बहुधा भिक्षुकियोंसे यदि कोई दुर्जन पुरुषकहीं एकांत निर्जन देशमें संभाषण आदि करतेहुये देखाजाय तिसपरभी कुछथोड़ासाधन दंडमात्रजो उसदेखीहुई दशाके अनुसारभी अतिस्वल्पसमुझाजाय सो कर्तव्यहै परदेहदंडोंका कुछचर्चा इसमें नहीं समुझना क्योंकि इसभांति की स्त्रियोंमें परस्त्री संग्रहवाले दंडोंकाकुछ नियम विशेष यद्यपि नहींहै परथोड़ासाधनदंडकेवल शिक्षामात्र इसआवश्यकतासे दर्शायाहै कि ऐसे एकांतसंगमआदिमें कदाचित् प्राणहिसारूप उपद्रव या प्रबलतासे धनहरने तथाप्रबलतासेही संगमकर्म करनेके उपद्रवनहींहोनेपावें जोकि उत्तमसाहसमेंगणनीय हैं इसलिये ऐसे लोगोंको सदैव डाटरही आवे यहसिद्धांतहै २६० परस्त्री संग्रह तीन भांतिका कहचुके हैं कि एकबलसे दूसराबलसे तीसरा स्त्रीके अनुरागसेभी होता है इस हेतुसेही बलसे या बलसे कर्म होनेमें उस स्त्रीका कुछ दोष न होने करके दंडका भी चर्चा उसपर नहीं है-परंच तीनोंभेदमें जिसपुरुषको प्रबलता तथा बलसे जो परस्त्री संग्रह करनेका दंडकहीं लिखा हो उसी दंडसे आधा दंड उसपर होना योग्यहै कि जिसको स्त्रीने निज इच्छासे प्रमोहित कियाहो इसका व्यौरा सब निम्नोक्त मनुकेवचनोंसे अत्रैव निश्चित होगा (पर) अनुरागज स्त्री संग्रहमें उस स्त्रीपरभी उससे आधा दंड होताहै कि जितना पुरुषपर ठहराया गयाहो-अतएवकात्यायनः (मर्वंपुचापराधे पुपुंसोह्यर्थदमस्तथा । तदर्धयोषितोदद्युर्वधेपुंसोऽगकर्तनम् ) अर्थात्-दंड विधानकी सामान्य मर्यादा मध्ये कात्यायनजी यह कहते हैं-सभीभांतिक अपराधोंमें कि जिनमें पुरुषको धन दंड जितनानिश्चितहोय उससे आधाधन दंड वे स्त्रियांदेवें जिनसे उर्मी

भांतिके अपराध हुयेहों परंच जिस अपराधके करने मध्ये पुरुषको बधदंड निश्चित होय तिस अपराधके करने मध्ये स्त्रीके अंग नाक कान आदि काटेजायँ क्योंकि अंग कर्तन दंडबधसे आधा समुभा जाताहै-मनुने जो दंडका प्रकार वर्णभेदसे दर्शाया सो अब देखो-यथाह मनुः (सहस्रब्राह्मणोदंड्योगुप्तांविप्रांबलाद्भ्रजन् । शतानिपंचदंड्यः स्यादिच्छंत्यासहसंगतः ॥ सहस्रब्राह्मणोदंडं दाप्योगुप्तेतुतेत्रजन् । शूद्रायांक्षत्रियविशोःसहस्रंतुभवेदमः ॥ अगुप्तेक्षत्रियावैश्येशूद्रांब्राह्मणोत्रजन् । शतानिपंचदंड्यः स्यात्सहस्रंत्वन्त्यजस्त्रियम् ॥ क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्येपंचशतंदमः । मूत्रेणमौंड्यमिच्छेत्तुक्षत्रियोदंडमेववा ॥ वैश्यश्चेत्क्षत्रियांगुप्तां वैश्यांवाक्षत्रियोत्रजेत् । योब्राह्मण्यामगुप्तायांतावुभौदंडमर्हतः ॥ ब्राह्मणीयद्यगुप्तांतुगच्छेतांवैश्यपार्थिवौ । वैश्यंपंचशतंकुर्यात्क्षत्रियंतुसहस्रिणम् ॥ वैश्यःसर्वस्वदंड्यःस्यात्संवत्सरनिरोधतः । सहस्रक्षत्रियोदंड्योमौंड्यंमूत्रेणचार्हति ॥ उभावपितुतावेवब्राह्मण्यागुप्तयासह । विष्णुतौशूद्रवदंड्यौदग्धव्यौवाकटाग्निना ॥ शूद्रोगुप्तमगुप्तंवाद्वैजातंवर्णमावसन् । अगुप्तमंगसर्वस्वेगुप्तसर्वेण हीयते ॥ भर्तारंलंघयेद्यातुस्त्रीज्ञातिगुणदर्पिता । तांश्वभिःखादयेद्राजासंस्थानेबहुसंस्थिते ॥ पुमान्संदाहयेत्पापंशयनेतप्तत्रायसे । अभ्यादध्युश्चकाष्ठानितत्रदह्येतपापकृत् ॥ मौंड्यंप्राणांतिकोदंडोब्राह्मणस्यविधीयते । इतरेषांतुवर्णानांदंडःप्राणांतिकोभवेत् ॥ नजातुब्राह्मणंहन्यात्सर्वपापेष्वपिस्थितम् । राष्ट्रादेनंवाहिःकुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥ नब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मोविद्यतेभुवि । तस्मादस्यवधंराजामनसापिनचिंतयेत् ॥ अब्राह्मणःसंग्रहणेप्राणांतंदंडमर्हति । चतुर्णामपिवर्णानांदारारक्ष्यतमाःसदा ॥ संवत्सराभि शस्तस्यदुष्टस्यद्विगुणोदमः । ब्रात्ययासहसंवासेचांडाल्यातावदेवतु ) अर्थात् ब्राह्मण होकर जो पर्देवाली संरक्षित किसी ब्राह्मणीपास उसकी इच्छा विना बलसे पहुँचें तौ वह एक सहस्र पणसे दंडनीयहै और जो उसी ब्राह्मणीकी इच्छा पाकर पहुँचें तौभी एक बारकेही संगमसे पांचसौ पण राजदंड दिलायाजाय-एवं पर्देवाली संरक्षित क्षत्राणी वा वैश्यानी पास कोई ब्राह्मण जो प्रबलता साथ पहुँचें तौभी एकसहस्र पण का दंड दिलायाजाय तद्वत् क्षत्रिय वैश्यइनमेंसे जो कोई किसीपर्देवाली रक्षित शूद्राणी पास प्रबलता साथपहुँचें सोभी एकसहस्र पणका दंड दिलायाजाय औरजो जोकोई उसी स्त्रीकी इच्छा पाकर पहुँचें तिसपर पांचसौ पण ऊपर कहेके अनुसार जानो-कदाचित् किसी अगुप्ता विना पर्देकी रखाई क्षत्राणी या वैश्यानी या शूद्रीमें जब कोई ब्राह्मण गमनकरै तबयह पांचसौपण दंडलेने योग्यहै और जो ब्राह्मण किसी अंत्यज नाम चांडाल अतिशय नीच भंगी आदि प्रसिद्ध अधर्मांकी स्त्री साथ संगम करै तौ यह एक सहस्रपणसे दंडनीयहै (इस चंडाली संगमकादंड आदि विशेष वर्णन आगे २६६ मूलश्लोकमें सब देखो (मौग) थोड़ामा प्रामांगिक व्योरा इसका २६४ की अधि-



कोक्ति मेंभी हीनास्त्री के प्रसंग मध्ये सोचो जो उस स्थलमें अंत्यावसायिनिका निरर्थकनाम रक्खागया ) अरक्षित विना पर्देकी क्षत्राणी गमन करनेवाले वैश्य परभी पांचसौ पणदंड एवं उसी विना पर्देकी क्षत्राणीमें जो क्षत्री गमन करै तौ उस क्षत्रीपर भापांचसौपणदंड यद्वागर्दभ मूत्रसे मूड़न करवाना दंडकियाजाय-कदाचित् पर्देवाली क्षत्राणीमें जो कोई वैश्यगमन करै या पर्देवाली वैश्यानीमें जो कोई क्षत्रीगमन करै तौ इन दोनोंपर वह दंड कियाजाय जो जो इनके लिये विना पर्देकी ब्राह्मणी गमन करने मध्ये निचले वाक्यसे अब कहेंगे-अर्थात् अरक्षित विना पर्देकी ब्राह्मणीमें यदि कोई वैश्य अथवा क्षत्री संगम करै तौ इस वैश्यपर पांचसौ पण और इस क्षत्रीपर सहस्र पणका दंड कियाजाय यही दंड ऊपरले वाक्यमें आवश्यक जानो (और यह पांचसौ का दंड वैश्यपर उस दशामें जो निर्गुण किसी फिरनेवाली ब्राह्मणीमें शूद्रके धोखेसे संयोग हुआहो अन्यथा और भांतिकी ब्राह्मणी जो उत्तम कुलकी समुभी जातीहो विना पर्देकी होनेमेंभी वैश्यपर हजार पणका दंड जानो इसका आशय और वचनों से अन्यत्र पायाजायगा )-कदाचित् कोई वैश्य किसी पर्देवाली गुप्त ब्राह्मणी साथ संगम करै तिसको एक सालभरका बंधनदंड होकरभी सर्वस्वहारदंड होवे एवंक्षत्री ने यदि पर्देकी रहनेवाली किसी ब्राह्मणी साथ संगम किया होतौ उसक्षत्रीको हजार पणका दंड होकर गर्दभ मूत्रसे मुड़वायाजाय-कदाचित् किसी पातिव्रत आदि उत्तम गुणवाली वा उत्तम कुलवाली किसी ब्राह्मणी साथ क्षत्री वैश्य दोनों मेंसे कोई एक विगड़ै तौ यह दोनों निम्नोक्त शूद्रकेही तुल्य दंडनीय हैं या शरपत्र घास फूस आदिसे लपेटिकर कटाग्निमें जलाइदेने योग्यहै ( तत्रवैश्यंलोहितदर्भैःक्षत्रियंशरपत्रैर्वैवेष्ट्यं-इतिवसिष्ठोक्तविशेषस्तु )कदाचित् कोई शूद्रजातीपुरुष द्विजातीमात्रमें से किसीकी भी रक्षित वा अरक्षित नारीमात्रसेयदि संगमकरै तौयह दंडभेदहै किविना पर्देवाली नारीसाथ कुकर्मकरनेसे भी प्राणवचाकर किंचितलिंगच्छेदन और सर्वस्व हारदंड पावैकिंच सुरक्षित पर्देवाली साथसंगमकरनेमें सर्वथाउसको देह और सर्वस्व धनसेहीन करै अर्थात् सबधन छीनाजाकरभी प्राणांतिक दंडपावै-तथाचगौतमोपि ) (आर्यस्त्रयभिगमनेलिंगोद्धारःसर्वस्वहरणंगुप्तांचेद्वधोऽधिकः )कदाचित् कोई स्त्री किसीजारके साथ अपनी इच्छासहित फँसकर निजगुणज्ञाति आदिदपोंसे दर्पितहुई भर्ता को उलांघै किन्तु अपने वापआदि बन्धुजन के धनबल प्रभुताआदि गुणवहुताइत गर्वसे या अपनी सुन्दरताआदि विशिष्टगुणसे दर्पितहुई अदालत आदि जनताके सन्मुख साफजवाब देकर भर्तासे इसभांति हाथ खींचलेवे किमें अब इग्मेराजीनहीं बल्कि में अमुकामुक अपने जारसेही राजाहूँ तव राजाएमी स्त्रीकोचौराहे आदिउस स्थानमें पहुँचाकर जिसमेंबहुत मनुष्योंका संघातहो शिकारी वारहकृकुर बुड़वाकर

भक्षण करवादेवै-और उसपापीजार पुरुषकोकि जिसकेसाथ राजीहोकर पतिकेत्याग पर आरूढ़हुईथी तपाईलोह शय्यापर पौड़ाइकर जलवादेवै और वहजबतक जल तबतक वध्यघाती जल्लादोंसे लकड़ी बारंबार छुड़वातेहुये राजादेखै-परंचजो इसभां- तिका पापीकोई ब्राह्मणहो तौ बधदंडके स्थानउसका शिर मुड़वाना यह प्राणांतिक दंडशास्त्र संमत है और अन्यवर्णोंको प्राणांतिक उक्तप्रकारसेही दंडहोवै ( आज्ञाभं- गोनरेन्द्राणांविप्राणांमानखंडनम् । पृथक्शय्यावरस्त्रीणामशस्त्रवधउच्यते ) ब्राह्मणसर्व पापोंसेभी अपराधीहुआ हो तौभीकभी नमारै किन्तुइसको सबधनसहित और विन चोट शरीरसेभी मुंडनकरवाकर अपनेराज्यसे निकासिदेय-यहांसबधन सहितकहने का यहआशय नहींहैकि पूर्वोक्त एकसहस्र यद्वापांचसौ पणदंडभी न लेवै किन्तुकेवल देहदंड और सर्वस्वहार इन दोदंडोंका प्रतिषेधजानो शेष माथेदागदेना आदिजैसा जहां निरूपणहुआ हो सोसबहोना योग्यहै-ब्राह्मणके वधरूप अधर्मसेभी बड़ाअधर्म कोई और धरतीभर परनहींहै इसलिये राजाइसको वधदंड कभीमनसे भी न सोवै- कदाचित्-कोई परदारगामी पुरुषकेवल बातचीतआदि करते हुये देखाजाकर या संगमकरते पकड़ाजाकर दंडपानेविना शिक्षापाकर छूटाहो या कुछथोड़ा बहुतदंडही पाकरछूटाहो और वहफिरभी उसीस्त्रीसे अभ्यासिकपीछाकरैतिसकोदूना दंडमनुकहते है-यथा(संवत्सराभिशस्तस्यदुष्टस्यद्विगुणोदमः । ब्रात्ययासहसंवासेचांडाल्यातावदेव तु) अर्थात्-जोएक वर्षपहिले वर्षभीतर किसीस्त्रीसाथ दूषितहुआ बदनामहोकर छूटा हो फिरभी वर्षभीतर उसकेसाथ पकड़ाजाय तिसको उसदंडसे अबदूना दंडदेना योग्य है कि जितना उसपर पहिलीवार कियागया और फिरभी उसीकामका अपरा- धीहुआ अथवा यदि पहिलीवार दंडपानेविना छूटाहो और अबकीवार में अपराध अधिक समुभाजाय तौफिर जितनादंड अबकीवारके अपराधमध्ये शास्त्रविहित नि- श्चितहोय तिससेदूना कियाजाय क्योंकि पहिलीवार छोटेसे अपराधमध्ये दंडविहीन छूटिजानेपर भी अबकीवार बहुतबड़ा अपराधकिया-ऐसेहीयदि ब्रात्यजातिया चांडा- लीसेही दूषितहोकर पहिलेछूटाहो तौभीजो कुछ उसकेमध्ये दंड विनिश्चितहोय ति- ससे दूना (अथगुरुतल्पगदंडविशेषः) तदाहनारदः (मातामातृप्वसाइवश्रुर्मातुलानीपितृप्व सापितृव्यसखिशिष्यस्त्रीभगिनीतत्सखीस्तुपा॥ दुहिताऽऽचार्यभार्याचसगोत्राशरणग ता । राज्ञीप्रव्रजिताधात्रीसाध्वीवर्णोत्तमाचया । आसामन्यतमांगच्छन्नगुरुतल्पगउच्य ते । शिश्नस्योत्कर्तनात्तत्रनान्योदंडोविधीयते) अर्थात्-एकमाता विमाता. मातृप्वसाम- उमी. श्वश्रूसामु. मातुलानीमामी. पितृप्वसाफूआवुआ. पितृव्यस्त्रीचाचीताई. मखिर्मा सु. स्तनीमित्रकीभार्या. शिष्यस्त्रीअनेवासीआदिशिष्योंकीपत्नी. भगिनीवहिन. तत्सखी वहिनकी सहचरी वयम्याजो उरसे बहिनेला मैत्रीभाव रखनेवाली सर्वाकहानीहै

स्नुषाबेटेकीबधूटी.दुहिताबेटा. आचार्यभार्या गुरुपत्नीगुरानी.सगोत्रा अपनेतुल्यगोत्र भरकी कोईस्त्रीमात्र.शरणागता जो कुछभय खटकाआदि हेतुओंसे किसीको विश्वास पात्र जानिकर तथैवउसके घरकोभी निजरक्षा होसकनेमें शरण्य जानिकर जाटिकीहो या घरवालोंने सौंपीहो.राज्ञी राजपत्नीरानीआदि.प्रव्रजिता संन्यासिनि आदि जो अपने धर्मकर्मसे संयुक्त सच्चेव्रतवालीहो.धात्री उपमाता दूध पिलानेवाली धाइ-साध्वी पतिव्रता जिसके लक्षणभी इसबचनके अनुसारहों( आर्ताऽऽर्तेमुदिताहृष्टेप्रोषितेमलिनाकृषा । मृतेऽप्यितेयापत्यौसाध्वीज्ञेयापतिव्रता ) वर्णोत्तमाजोकामी पुरुषकी अपेक्षा ऊँचेवर्णवाली हो.इतनी स्त्रियों में से किसीको भी गमन करतेहुये गुरुतल्पग पुरुष कहाताहै अर्थात् गुरुपत्नी गमन करनेके समान दोषीहोताहै इसलिये इन अपराधों में अपराधीकी शिश्नेन्द्रिय काटिलेनेके सिवाय कोई और छोटादंड नहीं होताहै परंच ऊपर मनुके और योगीश्वर के निरूपण किये प्राणांत बधदंड आदि तीव्रदंडभीसब अपने अपने अवसरमें अवश्य होतेहैं अर्थात् अत्रोक्त और दंडोंके अभावसे उन दंडोंका प्रतिषेध नहीं समुक्तना क्योंकि प्रायः विरली स्त्रियां जो उनदंडोंमें दर्शाई गई वेहीइन अत्रोक्त में भी विद्यमानहैं २६० । २६१ ॥ यहांतक यह दंडविधान जो दर्शाया गया सो सब केवल संग्रह कर्म पर आरूढ़ है अर्थात् जब कोई किसीस्त्रीको लेभागिजाय तो वह चोरीमेंभी गिनती है तिसहेतु उसके दंड प्रकार दोसौ अस्सी मूलश्लोक की अधिकोक्ति में कहिचुके हैं तत्रैवदेखो-पर जो कन्यामात्र को लेभागै तिसके दण्ड प्रकार २६२ तथा २६३ मूलश्लोक और अधिकोक्तिमें भी देखो आगे वर्णन होंगे २६० । २९१ ॥

### (कन्याहरणेदण्डविशेषः)

अलंकृताहरन्कन्यामुत्तमंहन्यथाऽधमम् । दण्डन्दद्यात्सवर्णासुप्रातिलोम्येवधःस्मृतः २९२ ॥

सकामास्वनुलोमासुनदोषस्त्वन्यथार्धमः । दूषणेतुकरच्छेदउत्तमायांवधस्तथा २९३ ॥

ऐ०- अलंकृत सजी सजाई जो कन्या कभी विवाह आदि मंगलके निमित्त से अलंकृत हुईहो तिसको हरतेहुये उत्तम साहस दण्डदेवे किंतु अन्यथा सब सामान्य अवसर में अलंकृत होनेबिना जो अपहारकरै तिसको पूर्वसाहस दण्डदेवे सो यह दोनोंदण्ड सिर्फ उस अपराधी को कि जो सवर्णा कन्याहरै किंतु प्रतिलोम क्रमसे उत्तम जाती या कन्या नीचीजाति जो अपहारकरै तो उस पुरुषको बधदण्ड होना कहाहै २६२ परन्तु जो अनुलोमा तथा सकामा कन्याहो किंतु नीचे वर्णवाली कन्या जो कामपीड़ित होकर अपनी इच्छामेही ऊँचे वर्णसाथभागै तो फिर हरने वाला दोषी नहीं अन्यथा जो अनुलोमा कन्या होनेपरभी कन्याकी इच्छा तद्वत्काम

पाड़ाका अभाव होतेहुये अकामाको लेभागै तिसको पूर्व साहस नामक अधमदण्ड कियाजाय परंच विरले ग्रन्थ में (अन्यथादमः) ऐसापाठ पायागया कदाचित् यही पाठ ठीकहो तौ फिर दम शब्दकी सामान्य शक्तिसे गुञ्जायश इतनी है कि चाहे थोड़ा दण्ड समुभौ या बहुतका भावार्थ अंगीकार कियाजावे पर यहपाठ लेखक प्रसादने पाठान्तर किया प्रतीत होताहै ऊपरलाही योगीश्वरका मुखोक्तहै जो विज्ञानेश्वरने स्वीकार किया-कदाचित् किसी अनुलोमजाती कन्याको सकामा सानुरागा नहीं होनेपरभी केवल नख दाँत हाथ आदि से बलात्कार दूषितकरै तिसका एकहाथ काटिलेना यहीदण्ड है-पर यदि यही दूषण उत्तम जातीया कन्याकेसाथ कोई हीनेवर्ण वालाकरै और वह कन्याभी सकामा वा अकामाहो इसकानियम नहीं है उस पुरुषको बधदण्ड कियाजाय-इसवार्त्ताका विशेषव्यौरा मनुके वचनोंसे अधिकोक्तिमें २६३ ॥

अधि०-योगीश्वर के इनवचनों में स्थूल बुद्धिद्वारा पहिले कई वितर्क पायेजाते हैं परंच सूक्ष्म बुद्धिके विवेकसे पश्चात् वे सब समताको पहुँचतेहैं सो उनमें एकयह आशंकाहै कि सिर्फ अलंकृत कन्या हरने मध्ये उत्तमदण्ड कहकर और सबसामान्य दशामें हरलेनेवालेको छोटादण्ड २७० पणका बतलाया इसमें शंकाको अवकाश यों मिलसक्ताहै कि चोरीमें भी सब द्रव्यों के तीनभेद क्षुद्र १ मध्यम २ उत्तम ३ जो निरूपितहुये तिनमें कन्याउत्तम द्रव्योंमें गणनीयहै-यथाहनारदः ( हिरण्यरत्नकौशेयस्त्री पुंगोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराजांचविज्ञेयंद्रव्यमुत्तमम् ) इसमें स्त्रीपुरुष दोनोंवस्तु उत्तमधनमें गिनतीहुये उत्तमधनका हरनाउत्तम चोरी गिनीजाकर उत्तमसाहस दंड योग्यहोती है-स्त्रीअथवा पुरुषके हरनेमध्ये दंडभी उत्कृष्टहै-यथाहव्यासः ( स्त्रीहर्त्तालो हशयनेदग्धव्योवैकटाग्निना । नरहर्त्तुर्हस्तपादौल्लिच्वास्थाप्यश्चतुष्यथे ) इसीप्रकार साहसकर्मों के भी तीनभेद होकर कन्याकाहरना उत्तमसाहस पापकर्मोंमें गणनीय समुभाजाता है-तदप्याहनारदः ( व्यापादोविषशस्त्राद्यैःपरदाराभिमर्शनम् । प्राणोपगो धियच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् ) बल्किमनुनेराजाओंपर यहअतिशयभावसे ताकीदकीहै कि परदारगामित्वमें पगधरनेवालोंकोअत्यंत तीव्र दंडदेकर अंगच्छेदरूपचिह्नोसहित देश निकालादेवै-यथा ( परदाराभिमर्शेषुप्रवृत्तान्महीपतिः । उद्वेजनकरैर्दंडैश्चिह्नयित्वा प्रवासयेत् ) ध्यानकरना योग्यहै कि इतने तीव्रदंडोंके विधानपरभी याज्ञवल्क्य नंदन अवसरमें जोसबसे छोटादंडकहा तिसका कौनहेतुहै इसप्रश्नके प्रत्युत्तरमें यहमसाधान है कि यहछोटा दंडकेवल इतनेही अपराधपर आरूढ़हैकि जबकोई कन्यालेखक भगनेपर उतारुहो किन्तु भगनेका इकदामकियाहो अवनक भगने नहींपाया गधर लोगोंने घेरलिया यहीआशय ( हरनमन ) इनाक्रियामे स्पष्टहै सोयहभी केवलमसा पुरुषको सवर्णकन्या हरनेमध्ये कहाहै अनिलोमक्रममे हर्त्ताका वधदंड इसीदण्डान

कें अपराधमें भी चौथेपादसे कहदिया है ( इकदाम अर्थात् किसी अपराधके प्रारंभ में पगधरना मात्र ) इस इकदामके उपरांतमें यदि कोईलेकर भगिजानेपावै या भगिजाने विनाभी कुछअंग दूषित करनेपावै तिसके दंडस्त्रीहर्ता तथा परस्त्रीसंग्रहकर्ताओं केहीतुल्य यथापराध के अनुसार निर्णयकरने होंगे इसमें कुछसंदेहनहीं २६२ बल्कि कन्याके अंगदूषण आदिकुछ अपराध विशेष जोजोउक्त परस्त्रीसंग्रहके लक्षणसे विलक्षणसमुझेजाते हैं या जोजो उसकेतुल्य हैं उनसबहीको मनुजीने ब्यौरेवार तीब्र दंडोंसे दर्शायाहै सो समुभो-यथाहमनुः(योऽकामांदूषयेत्कन्यांससद्योवधमर्हति। सकामांदूषयंस्तुल्यो नवधंप्राप्नुयान्नरः॥शुल्कंदद्यात्सेवमानःसमामिच्छेत्पितायदि।उत्तमांसेवमानस्तुजघन्योवधमर्हति॥कन्यांभजंतीमुत्कृष्टंनकिंचिदपिदापयेत्जघन्यंसेवमानांतु संयतांवासयेद्गृहे॥अभिसह्यतुयःकन्यांकुर्याद्दर्पेणमानवः।तस्याशुकर्त्येअंगुल्यौदंडं चार्हतिषट्शतम्॥सकामांदूषयंस्तुल्योनांगुलिच्छेदमाप्नुयात्।द्विशतंतुदमंदाप्यःप्रसंगविनितृत्तये॥कन्यैवकन्यांयाकुर्यात्तस्याःस्याद्विशतोदमःशुल्कंचद्विगुणंदद्याच्छिफाश्चैवाप्नुयाद्दश।यातुकन्यांप्रकुर्यात्स्त्रीसासद्योमौड्यमर्हति।अंगुल्योरेवचच्छेदंखरेणोद्वहनंतथा) अर्थात्-कोईतुल्य जातिवाला किसीसजातीकी अकामाकन्याको कुछ मैथुनआदि प्रकारोंसे यदि अंग दूषितकरै तौवह पुरुष ब्राह्मणके सिवाय अन्यजातिका तत्काल लिंगच्छेदनआदि वधपर्यंत दंड योग्य है परंतु जो सकामाकन्या को समजाती पुरुष दूषितकरै तौ वधदंड नहीं पावै-पर समजाती कन्या जो कामपीडित होकर इच्छा करतीहो तिसको कामसेवा से अभिसेवन करने वाला समजाती पुरुष कन्या का शुल्क एकबैलों का जोड़ा या जो कुछ उसका पिता विचारै यद्वा जोकुछ मूल्य कन्या का उसपिताको अन्यत्रकहीं डोलादेने आदि प्रकारोंसे मिलसकना संभवथा सोदेकर कन्याब्याहिलेवै पर यदि पिताको स्वीकारहो क्योंकि डोलादेने आदिशुल्कलेनेकी परिपाटीजिसकेकुलमें होगी वही यह स्वीकारभी करसकताहै अन्यथा जो उसपिताको यह वातअंगीकार न हो तो फिर इतनाहीधनदंडरूप से वह राजमें दिलायाजाय यद्वा पिता विवेकी हो तो फिर शुल्क न लेकरभी वह कन्या उसको व्याहृदेवै राजदंड से कुछ काम नहीं यह मर्यादा उस परिपाटी से अत्युत्तमजानो किंतु विवेकी लोगों का यह शिष्टाचारहै पर उस पुरुष का सुपात्र होनाभी आवश्यक समुभो बल्किगोत्र दूषण का विचार जैसा आपद्धर्मके अनुसार योग्य हो-और जो ऊँची जाति की कन्या कोई नीची जाति वाला सेवन करे चाहे कन्या की ओर से कुछ इच्छा कामा-तुरता खड़ी हुईहो या नहो दोनों दशमें वधदंड पानेयोग्यहै-और उसकन्याको कि जिसने अपनी जाति से उत्कृष्ट जातिवाला पुरुष सेवनकिया हो कुछभी दंड न देवै किंतु जिमने नीची जातिवाला पुरुष सेवनकियाहो तिमको बाँधि डाटिकर निजवशमें

तबतकरखै जबतक उस्से कामवृत्तिउसकी हटिजाय-यहाँयद्यपि कन्याशब्द विशेषकर कुमारी से आवश्यक है तथापि किसी अवसर के अनुकूल उस कन्याकोभीसमुझि लेना जो विवाही हो और कामातुर होजानेकी अवस्था तक निज पिता माता की मूढ़ता से उसघरमें रही आकर ऐसा काम करै- अब उन दोषों के दंड मनु कहते हैं कि मैथुन विनाभी जबकोई अन्यप्रकारों सेही कन्या दूषितकरै-अर्थात् जोकोई पुरुष समानजाती या विजाती किसीकन्याकेगुप्तांगमें निजदर्पसे बलात्कार सिर्फ अंगुलीही प्रविष्ट करै तिसकी दो अंगुलीतत्काल काटिलीजाकर दसौ पण का दंडभी दिलाया जाय-परंतु जो समानजाती पुरुष सकामा किंतु कामक्रीड़ा इच्छा करतीहुई कन्या के योनिस्थल में सिर्फ अंगुली का प्रवेश करै तिसकी अंगुली नहीं काटीजायँ सिर्फ कुचाल बंदकरने के निमित्त दोसौ पण का दंड दिलाया जाय- या यदि किसी कन्याने द्वितीय कन्याके अंगुली करीहो तौ उस कन्या परभी दोसौ पण का दंड हो- वै और जो कन्याने उस कन्या के योनिस्थल को अतिशय लकड़ी आदिसे विगा-ड़ाहो तौ इस दंड के उपरांत कन्याशुल्क दूना उसके पिता को दिलवाया जाकर अपराध करनेवाली कन्या के दश वेंतभी लगाये जायँ (कन्या शुल्क का परिमाण यहाँ जितना जिसकी जातिमें जिसरीतिसे प्रसिद्ध हो वही समुझना)कदाचित् किसी विदग्धा स्त्री ने ही कन्याके अंगुलीआदि प्रवेशितकरीहो तौ वह स्त्री उसअपराधकी छोटाई तथाबड़ाई के अनुरूप शीघ्र मूड़मुड़ानेवाला दंड पावै यद्वा दो अंगुलीभी कटवाईजायँ या गदहापर चढ़वाकर ग्राम यात्राही करवाई जाय अथवा तीनों दण्ड इकट्ठेकिये जायँ जैसा रूपकहो इसमेंदोनों केकुलजातों की उत्तमता मध्यमता परभी दृष्टि करिकेदंड कल्पित होय (अत्रदुराग्रहप्रसंगनिवृत्तिः )दोसौ तिरानवे मूल श्लोक यो गीश्वरके पहिलेपाद में यह एक वितर्क है कि अनुलोम क्रमसे छोटे वर्णों की कन्या जो सकामा हुई हो तौ लेभागने में कुछ ऊँचे वर्णों को दोष नहीं लगता इस्से राज-दंडभी नहोवै-ऐसेही-अत्रोक्त मनुके वचनों में सबर्णोंकी अपेक्षासे यहधर्म निरूपित हुआ कि जब कोई तुल्यजाति वाला परकन्याकी इच्छा कामातुरतासेही संगम करे तौ यह दंड न पावै बल्कि कन्याका मूल्यदेकर कन्या व्याहिलेवै (और) योगीश्वर ने इस तुल्यजातीको भी उत्तम साहस पूर्व साहस दो भांतिकेधनदंड दर्शित किये तिम मेंभी यह (अंतर) है कि योगीश्वर के ये दोनोंदंड सिर्फ कन्याको लेभागि चलने में और यह मनुकी उक्तव्यवस्था निपट कन्यासे भोग सेवन करनेमें व्यवस्थित है तौ मनुने इस तुल्यजातीभोक्तापर कुछ बहुत रिश्रायत करी समुझो और योगीश्वर ने अनुलोम क्रमसे ऊँची जातिवर्णोंपर कुछ बहुत रिश्रायत रक्खा बल्किसकामाकन्या कोभी निपट अदंड्य रक्खा इस्से दोनोंमें यहदृष्टण खड़ाहोताहै कि अत्रोक्त लेभाग



और भोगियोंको तथैव कामातुर हुई कन्याओंकोभी निपट स्वतंत्र होजाने को अवकाश मिलसक्ताहै कि प्रायः विज्ञाकन्यायें इसीआशयसे व्यभिचारपर आरूढ़होंगी इसकासमाधान-ये सब तर्क वितर्क यद्यपि ठीक प्रतीत होते हैं परंच आपद्धर्मों की रिआयत मूलमंत्र है कि जिसकी छायामात्र से अपराधीकी रिआयत समुभीजाती है यह बुद्धि विचारकी चंचलतामात्र जानो और इसकागूढ़ आशय एक यहभीहैकि कन्याकी रक्षापिता माताके आधीन उस कौमार अवस्थामें कि जब तक कन्याकारी अथवा ब्याहीपतिको सौंपे बिना पिताके घरमें बासकरै-इसीहेतु से उस पिताको यह योग्यहै कि सूचित दानकालमें अदोषाकन्याका दानकरने पीछे पुनिऋतुकालसे पहिले उसे प्रदानभी करिदेवै जिस्से कामातुर होजाने का अवसर उसके घरमें नहीं आवै यहां प्रदानशब्द कन्याके द्विरागमका प्रबोधक है ( प्रदानंप्रागृतोरितिगौतमः ) एवं (कन्यादान) शब्द विवाहकाही वाचक लोकप्रसिद्धहै और इसी प्रयोजनसे अग्रोक्त मनुकावाक्यभी प्रेरणा रोपित करताहै-यथाहमनुः-(कालेऽदातापितावाच्योवाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृतेभर्तरिपुत्रस्तुवाच्योमातुररक्षिता)अर्थात्-कन्याके दान तथाप्रदानरूपी दोनों कर्मकरनेका कालहै ऋतुमती होजाने से पहिलेही तिसकाल में पतिको नहीं सौंपनेवाला किन्तु भिखाइकर अतिकाल में विवाह या प्रदानकर्म करनेवाला पिता वाच्य होताहै अर्थात् पिताके घरमें रहती कन्याके ऋतुधर्म, आदि यौवनचिह्न यद्वा कामातुरता आदि कुमार्गदेखि सुनिकर उसके पिताकोही दोषदेना और ताकीद करनायोग्य होताहै किजिसने अबतक उसे पतिके पल्लेनहीं बाँधीइसीसे कुछकन्या का भी दोष इसमें नहींहै जो चर्चाऊपर वर्णनहुआ इसीभांति पतिकेपल्ले बाँधिजाने पीछे पितादोषी नहींरहता किन्तु भर्ताही ऋतुकालोंमें संयोग नकरतेहुये निंदायोग्य होता है यदि कोई निंघवात पैदाहोय एवं भर्ता के मरजाने पीछे पुत्रभी यदिमाताकी सर्वथारक्षानहीं रक्खै तौ वह निंघहोवै-इत्यादि शास्त्रसिद्धांतके अनुकूल प्रशंसितकन्या जारों की रिआयत नहीं समुभनी किन्तु आपद्धर्मका निर्वाहजानो २६२।२६३॥

(स्त्रीणांसत्यासत्यदोषाभिकथनेदंडः)

शतंस्त्रीदूषणेदद्यात्द्वेतुमिथ्याभिज्ञाने २९४ पूर्वाह्नः ॥

ए०-स्त्री दूषणमें सौ देवै और दोसौ मिथ्याकहने में-अर्थात्-किसी कुलवतीस्त्रीमें कदाचित् कोई दोषदेवी इच्छासे आशंकित हुआहो या कोई कुत्सितरोगही उत्पन्न हुआहो तिसको कोई पुरुष जनताके प्रत्यक्ष वारंवार वर्णन करनेहुये प्रकाशकरे या उसरोग भगंदरआदि के संबन्धसे व्यभिचार दोष कल्पनकरे तौइसदूषणके लगाने मध्ये सौपण दंडभरै और जो निपट ऐसेदोषोंका नंसर्गभी न हो किन्तु भूँठदोषकल्पना करतेहुये दूषणदेवे तिसपर दोसौपणका दंड दिलायाजाय-इसप्रकार यहां स्त्री

शब्दके सामान्य जातित्वकरके कन्यापक्षमें भी अर्थघटता है किजब किसीकुमारी कन्यामें कुछ खोंटारोग मृगी मेमनी आदियद्वा राजयक्ष्माआदि या मैथुनदोष उपस्थित हो तिनकोकोई उद्घाटन करिके दूषणदेय तिसपरसौपणदंड और जो दोषोंकेअभाव म निज उक्तिसेही भूँठी दोषकल्पनाकरै जिस्सेकन्याके वैवाहिक संबन्धमें कुछविघ्नहोना संभवहो तौफिर दोसौपणका दंड उसपर लियाजाय २६४ ॥

(पशूनांहीनानारीणांचाभिगमेदंडः )

पशून्गच्छच्छतंदाप्योहीनांस्त्रीणांचमध्यमम् २९४ ॥

ए०—गऊ विना अन्य पशुओंके प्रतिगमन करते हुये सौपण दंड दिलानेयोग्य है और हीनास्त्री तद्वत् गऊ गमन करते हुये मध्यम साहस दंड उसपर ५४० पण तक लियाजावै २६४ ॥

अधि०—अत्र ( हीना ) शब्दविशेषविवेकः—हीना यह सामान्य पद कहनेसेस्त्री चाहे निज इच्छा वा अनिच्छासे सकाम या अकाम होकर संगम करीगईहो पुरुषको यह मध्यम साहस दंड दोनों दशामें यह अर्थ मिताक्षराकारने दर्शाया-यद्यपि हीनास्त्री को मिताक्षराकारने अंत्यावसायीजाति लिखाहै उस अर्थको इसलिये अंगीकार नहीं करसक्तेहैं कि (निषादस्त्रीतुचंडालात्पुत्रमंत्यावसायिनम्।श्मशानगोचरंसूतेवाह्यानामपिगर्हितम् ) मनुने इस वचनमें अंत्यावसायी जाति चंडालसेभी गई गुदरी दर्शाई है कि जो श्मशानमें रहकर मुर्देका अंश लेवै सभी नीचजातोंसे वह नीचहै क्योंकि निषादीके पेटमें चंडालबीजसे यह पैदा हुआ-यथार्थ वर्तमानमें सिवाय भंगीके यह कोई और जाति नहीं है और यद्यपि इसी वचनमें चंडालसेभी नीच अंत्यावसायी जाति कही गई पर इस कथनसे चंडालको कुछ उत्तम निश्चित नहीं करसक्ते क्योंकि चंडालमें और भंगीमें कुछ अंतर नहीं बलिक भंगीही चंडाल संप्रति माना जाताहै या श्वपचभी जो कुत्ते आदि पकाकरखातेहैं चंडाल कहेजाते हैं, चंडालकी पैदायश यद्यपि शास्त्रमें इसभांतिसेभी कही है कि शूद्रके बीजसे ब्राह्मणके पेटमें उत्पन्नहुई चंडाल जाति कहावै पर इसवातका कुछ नियम संप्रति नहीं रहा सिर्फ इतनालक्षण भेदमानि सक्तेहैं कि कंजर आदि जाति जो जो इवान आदिको पकाकर खातेहों वे चंडाल मनु भो उनसेभी अत्यंत नीच भंगियोंको अंत्यावसायी संज्ञामें जानिलो क्योंकि वे कंजर लोग सिर्फ श्वान आदि जीवोंकी हिंसा तथा भोजन मात्र करते हैं येभंगी अतिगद मलिन कर्म मुद्दे जीवोंका दोनाविष्टा आदिका उठाना और जल्लादीकापेशा सूनीआदि का बधकरने यह प्रत्यक्षहै-इन्हींमें अंत्यावसायी भंगी आदिकी भार्या गमन करनेकी तीव्र दंड प्रायश्चित्तोंके निरूपण सहित आगे २६६ मूलउक्तोकमें दर्शावंगे उस दंड की अपेक्षा यहां मध्यमसाहस दंडहीना स्त्रीकेप्रसंगमें जो कहा सो यह अतिशय शब्द



शब्दके सामान्य जातित्वकरके कन्यापक्षमें भी अर्थघटता है किजब किसीकुमारी कन्यामें कुछ खोंटारोग मृगी मेमनी आदियद्वा राजयक्ष्माआदि या मैथुनदोष उपस्थित हो तिनकोकोई उद्घाटन करिके दूषणदेय तिसपरसौपणदंड और जो दोषोंकेअभाव म निज उक्तिसेही भूँठी दोषकल्पनाकरै जिस्सेकन्याके वैवाहिक संबन्धमें कुछविघ्नहोना संभवहो तौफिर दोसौपणका दंड उसपर लियाजाय २६४ ॥

(पशूनांहीनानारीणांचाभिगमेदंडः)

पशून्गच्छच्छतंदाप्योहीनास्त्रीणांचमध्यमम् २९४ ॥

ऐ०—गऊ विना अन्य पशुओंके प्रतिगमन करते हुये सौपण दंड दिलानेयोग्य है और हीनास्त्री तद्वत् गऊ गमन करते हुये मध्यम साहस दंड उसपर ५४० पण तक लियाजावै २६४ ॥

अधि०—अत्र ( हीना ) शब्दविशेषविवेकः—हीना यह सामान्य पद कहनेसेस्त्री चाहे निज इच्छा वा अनिच्छासे सकाम या अकाम होकर संगम करीगईहो पुरुषको यह मध्यम साहस दंड दोनों दशामें यह अर्थ मिताक्षराकारने दर्शाया-यद्यपि हीनास्त्री को मिताक्षराकारने अंत्यावसायीजाति लिखाहै उस अर्थको इसलिये अंगीकार नहीं करसक्तेहैं कि (निषादस्त्रीतुचंडालात्पुत्रमंत्यावसायिनम् । इमशानगोचरंसूतेवाह्यानाम पिगर्हितम् ) मनुने इस वचनमें अंत्यावसायी जाति चंडालसेभी गई गुदरी दर्शाई है कि जो इमशानमें रहकर मुर्देका अंश लेवै सभी नीचजातोंसे वह नीचहै क्योंकि निषादीके पेटमें चंडालबीजसे यह पैदा हुआ-यथार्थ वर्तमानमें सिवाय भंगीके यह कोई और जाति नहीं है और यद्यपि इसी वचनमें चंडालसेभी नीच अंत्यावसायी जाति कही गई पर इस कथनसे चंडालको कुछ उत्तम निश्चित नहीं करसक्ते क्योंकि चंडालमें और भंगीमें कुछ अंतर नहीं बल्कि भंगीही चंडाल संप्रति माना जाताहै यश्वपचभी जो कुत्ते आदि पकाकरखातेहैं चंडाल कहेजाते हैं, चंडालकी पैदायश यद्यपि शास्त्रमें इसभांतिसेभी कही है कि शूद्रके बीजसे ब्राह्मणके पेटमें उत्पन्नहुई चंडाल जाति कहावै पर इसवातका कुछ नियम संप्रति नहीं रहा सिर्फ इतनालक्षण भेदमाने सक्तेहैं कि कंजर आदि जाति जो जो श्वान आदिको पकाकर खातेहों वे चंडाल मनु भो उनसेभी अत्यंत नीच भंगियोंको अंत्यावसायी संज्ञामें जानिलो क्योंकि वे कंजर लोग सिर्फ श्वान आदि जीवोंकी हिंसा तथा भोजन मात्र करते हैं येभंगी अतिशय मलिन कर्म मुर्दे जीवोंका डोनाविष्टा आदिका उठाना और जल्लादीकापेशा स्वर्गीयता का बधकरने यह प्रत्यक्षहै-इसीमें अंत्यावसायी भंगी आदिकी भार्या गमन करनेकी तीव्र दंड प्रायश्चित्तोंके निरूपण सहित आगे २६६ मूलश्लोकमें दर्शावेंगे उम शूद्र की अपेक्षा यहां मध्यमसाहस दंडहीना स्त्रीकेप्रसंगमें जो कहा मो यह अतिशय अर्थ

है फिर क्योंकर हीनास्त्रीको अंत्यावसायी जातिमानिसकै इसीसे इस हीनास्त्री शब्दको उन जातोंके भावार्थमें समुझना जो चंडालीसे कुछ न्यून कुत्सितहों जैसे रजकी चर्मकारी आदि-क्योंकि वह अंत्यावसायी शब्दभी सामान्यभावसे चंडाल आदि सातनीच जातोंका वाचकहै-यथाहांगिराः- (चंडालःश्वपचःक्षत्तासूतोवैदेहकस्तथा । मागधायो गवौचैःसप्ततेऽन्त्यावसायिनः ) भला जबकि ये चंडाल आदि सातौही अंत्यावसायी ठहरे ताफिर हीनास्त्रीको अंत्यावसायिनि कहनेसे इन सातौकाही संग्रह ठहरातिनमें क्योंकर मध्यम दंडको न्यायात्मक समुझै-अब कुछ इसी प्रसंगमें प्रासंगिक भी दर्शाते हैं (अथप्रासंगिकविषयः) इन्हीं सातनीच जातोंके संसर्ग आदिसे द्विजाती लोगोंको तथैव शूद्रजातोंकोभी दोष लगताहै और प्रायश्चित्त करना होता है-यथाहापस्तम्बः (अंत्यजातिरविज्ञातोनिवसेद्यस्यवेश्मनि । सर्वैज्ञात्वातुकालेनकुर्यात्तत्रविशोधनम् ॥ चांद्रायणंपराकोवाद्विजातीनांविशोधनम् । प्राजापत्यंचशूद्राणांतथासंसर्गदूषणे ॥ यैस्तत्रभुक्तंपक्वान्नकृच्छ्रंतेषांविनिर्दिशेत् । तेषामपिचयैर्भुक्तंतेषामर्द्धंविधीयते ॥ तेषामपिचयैर्भुक्तंकृच्छ्रपादोविधीयते।इतिप्रायश्चित्ततत्त्वनामग्रंथेऽभिहितं ) यह प्रासंगिक चर्चा और ऊपरला अर्थ विधानभी सब उसी अर्थकी छायापर अर्थांतरसे संबंधित कियाहै कि जैसा (हीना) शब्दका भावार्थ पहले टीकाकारने अंत्यावसायी निश्चित किया परंच अबतक यह मालूम नहीं होताहै कि योगेश्वरने इस (हीना)शब्दको किस आशयके विशेषणमें दर्शायाथा क्योंकि अंत्यानाम चंडाली गमन करनेका दण्ड आगे २९६ मूलश्लोक में दर्शावैगे पुनरुक्ति कोईभाँति से होसकनी सङ्गत नहीं है और चाण्डाली से कुछ श्रेष्ठ नीच जातेंभी सब उसहीके साथ गिनीजासक्ती थीं और जिस (हीना) शब्दपर सब भगड़ा है सो हीना शब्द यद्यपि स्त्री शब्दका विशेषण है पर उससे किसी ऊँची नीची जातिका भावार्थ नहीं निकलता वल्कि हीना स्त्री रक्षक हीनाभी कहलासक्ती है कि जिसके पति पित्रादि कोई रक्षकलोग नहीं या दूरस्थहों एवं हीना स्त्री यौवन हीनाभी कहलासक्ती है कि जिसको रजोधर्म सहित कामयौवन अबतक न उत्पन्नहुआहो एवं हीनास्त्री कायहीना भी कहलासक्ती है कि जिसकी कायानाम देह किसी रोगादि हेतु करके लटीहो इन स्त्रियोंके अभिगमन में यह मध्यम साहस ५४० पणका दण्ड विशेष जानों किंतु जो कुछ दण्ड २६१ मूलश्लोकद्वारा जाति वर्णोंके अनुसार स्त्री संग्रहमध्ये निश्चितहोय तिसके भी उपरान्त इतना अधिक लियाजासक्ता है कि जो अत्रोक्त भाँतिकी वह स्त्री हीना समुझीजाय क्योंकि यह अपराध विशेष है २६४ ॥

(पररक्षितदासीविध्यादिगमनदण्डः)

भवरुद्धातुगानीपुभुजिप्यासुतधैवच । गन्यास्त्वपिपुमान्दाप्यपंचाजत्यणिकंदमम् २०५ ॥

ऐ०-अवरुद्धा दासी जो किसी के घरभीतर अन्तःपुर में रक्षाकरीहुई रहतीहो इसीहेतु से कि पर पुरुषोंका सङ्ग इनको न होसकै क्योंकि दासीभी किसी वर्णकी स्त्रियाँ हुआकरती हैं तिनमें कोई गैरपुरुष प्रबलता आदि से जो सङ्गकरै तद्वत् किसी भाँतिकी भुजिष्या गम्या नारियों में भी कोई सङ्गकरै तो वहपुरुष पचास पणकादमदिलवायाजाय क्योंकि ये स्त्रियाँ भी परभार्या तुल्य होती हैं २६५ ॥

अधि०-गम्यानारी वे कहातीहैं जो सबके गमनकरिवे योग्यहों जैसे एक स्वैरिणी, वेश्या, विनाघिरीदासी, निष्कासिनी निकासीहुई-इतनी स्त्रियाँ साधारण होनेपर भी, इनमें जोकोई स्त्री किसी एक पुरुष के परिग्रह में होजाय इसका (दृष्टांत) जैसे किसी वेश्याको जब कोई पुरुष ठेठ अपने भोग निमित्त से पर पुरुषों के संगम से बचाकर जुदीरकखै तभी भुजिष्या वेश्या वह कहलाती है, इसीप्रकार, भुजिष्यादासी, भुजिष्या स्वैरिणी आदि औरोंको भी जानो यही व्यौरा नारदके अग्रोक्त कथनसे संसिद्ध है-यथा-(स्वैरिण्यब्राह्मणीवेश्यादासीनिष्कासिनीचया । गम्याःस्युरानुलोम्येनस्त्रियोन प्रतिलोमतः ॥ आस्वेवतुभुजिष्यासुदोषःस्यात्परदारवत् । गम्यास्वपिहिनोपेयाद्यत्ताःपरपरिग्रहाः)-अर्थात्-ब्राह्मणीमात्र छोड़िकर स्वैरिणी जो निज इच्छासे स्वतन्त्र हो व्यभिचार से संयुक्तहो, वेश्या जो किसी ने घेर न रक्खी हो, दासी जो किसी की अवरुद्धा नहो किन्तु सर्व साधारणों की सेवा टहल करतीहों-निष्कासिनी जो निज कुटुम्ब से निकासि दीगईहो, ये स्त्रियाँ सब साधारणों के गमनकरिवे योग्य हैं पर अनुलोम क्रमसेहैं प्रतिलोम क्रमसे नहीं परञ्च इनहींमें जेकोई किसी पुरुष विशेषकी भुजिष्याहों तिनसे संगम करने में परदार संगम तुल्य दोष होताहै इसलिये उक्तगम्याओं में भी जे कोई किसीकी घेरीहुई भुजिष्याहों तिनमें संगम न करै-इसलिये योगेश्वरने पचास पणकादण्ड अवरुद्धा तथा भुजिष्या के सम्भोगमध्ये कहा-माँड व्यासजी स्पष्ट कहते हैं-यथा-(परोपरुद्धागमनेपंचाशत्पणिकोदमः)-अर्थात्-पराई वर्ग हुईकिसी भाँतिकी नारी गमन करनेमें पचास पणका दण्डहै-यहांपर-साधारण स्त्रियों का गम्यत्व कुछ पापके अभाव का प्रतिपादक नहीं समुझना किन्तु राजदण्ड का अभाव मात्र जानो २६५ ॥

(दासीस्वैरिण्यादिषुभाटीविनागमनेवलाद्वहभिर्गमनेचप्रत्येकंदण्डाः )

प्रसह्यदास्यभिगमेदण्डोदशपणःस्मृतः । वहूनायद्यकामाऽसौचतुर्विंशतिकःपृथक् २१.६ ॥

गृहीतवेतनावेश्यानेच्छन्तीद्विगुणंवहेत् । अगृहीतेतमंडाप्यःपुमानप्येवमेवच २१.७ ॥

ऐ०-दासी, वेश्या, स्वैरिणी आदि जो जो इसीकामसे आर्जावन अपना करनेमें तिनका शुल्क दियेविना बलकरके जबदम्तमि जोकोई अभिगमनकरै तिमको दाम आदि का मामूली शुल्क दिलानेपीछे दशपण दण्डजानो-या यदि एक शुल्क देकर



न देकरभी अनेक इसकी इच्छाविना प्रबलता साथ अभिगमकरें तब उन सबहीपर प्रत्येक पुरुषपीछे चौबीस-रपणका दण्ड लियाजावे और प्रत्येकोंसे भिन्नात्मक उसके मामूली शुल्क दिलायेजायँ-परन्तु जो कोई दासी वेश्या आदि अपनी इच्छासाथ अनेक पुरुषों से भाटक लेकर पीछे तत्पर होनेमें यदि आग्रहकरै और वे पुरुष प्रबलतासेही अभिगमकरें तौ इस दशामें कुछ दोष यद्वा दण्ड उनको नहीं है २९६ ॥ वेश्या भी कदाचित् वेतनलिये पीछे देनेवाले साथ सङ्गम की इच्छा नहींरोपै तौउस लियेहुये वेतन को दूनाभरै, पर जो वेतन पीछे लेनेके इकरारसे प्रतिज्ञा देकर सङ्गम करने नहींजावै तौ भी जितना वेतन मिलना ठहराहो उतना उलटा दण्डभरै ( इस में जहाँ जहाँ दूना वा इकहरा जितना शुल्क वापिस करना कहा तहाँ तहाँ सर्वत्र उतना राजदण्डभी समुभना इसका ब्यौरा कुछ अधिकोक्तिमें भी देखो ) इसीप्रकार पुरुष भी जो शुल्क देकर इच्छा नहींकरै तौ वह दियेहुये शुल्क से हाथ धोवैठे और जो विनादिये इकरार करके अवसर पर फिर इच्छा नहीं करै तौ भी उसकी ठहरी हुई भाटी की हानि देकर शुद्धहोवै २९७ ॥

अधि०—व्यासने भी योगीश्वरकेही तुल्य दशपणदण्ड इसमें कहाहै-यथा(प्रसह्यवेश्या गमनेदण्डोदशपणःस्मृतः) ग्रंथांतरेविशेषस्तु-यथा(नीत्वाभोगंनयोदद्यादाप्योद्विगुणवे तनम्। राज्ञश्चद्विगुणंदंडंतथाधर्मो नहीयते॥वहूनांत्रजतामेकांसर्वतद्विगुणंधनम्। तस्यै दद्युःप्रथम्राज्ञेदंडंचद्विगुणंपरम्) अर्थात्-ग्रंथांतरकायहसंमतहै कि जोपुरुषकिसीवेश्या दासीआदिको निजभोगमें लगाकर उसकाठहराया मामूलीवेतननहीं देय तौवहदूना फिर दिलवायाजाय एवं राजाकोभी दूनादंडदेवै तौ मर्यादाकी हानिनहीं होसकी है- कदाचित् बहुतपुरुष मिलकर संगम उसकी इच्छाविनाकरें तौयेसभी उसकोदूनादूना धन प्रत्येकपुरुष दिलवायेजायँ तिससे दूनादंड राजाकोभी देय २९६ ॥ अत्रनारद आह(शुल्कंगृहीत्वापण्यस्त्रीनेच्छंतीद्विगुणंवहेत् । अनिच्छन्दत्तशुल्कोपिशुल्कहानिम वाप्नुयात्॥व्याधितासश्रमाव्यग्राराजकर्मपरायणा । आमंत्रिताचेन्नागच्छेददंडंज्यावडवा स्मृता )एवंबहस्पतिरपि (व्याधितासश्रमाव्यग्राराजकार्यपरायणा । आमंत्रिताचनाग च्छेदवाच्यावडवास्मृता) अन्यदपिनारदः(अप्रयच्छंस्तथाशुल्कमनुभूयपुमान्स्त्रियम्। आक्रमेणचसंगच्छेत्घातदंतनखादिभिः॥अथोनोयःसमाक्रामेद्वहुभिर्वापिवासयेत् । शुल्कमष्टगुणंदाप्योविनयंतावदेवतु) ग्रंथांतरविशेषस्तुयथा (अन्यमुद्दिश्यवेश्यांयोनये दन्वस्यकारणात् । तस्यदंडोभवेद्राज्ञःसुवर्णस्यचमाषकम्॥(पुनरापिनारदः) वेश्याप्रथा नायास्तत्रकामुकास्तद्गृहोषिताः।तत्समुत्थेषुकार्येषुनिर्णयंसंशयेविदुः) अर्थान-नारद कहतेहैंकि बाजारू पण्य स्त्रीमात्रकोई हो अपनाशुल्क पेशगीनेकर दाताके पाम जाना नहींचाहे तौवह दूनाशुल्कभरै एवं शुल्कदेनेवाला भी जोदिये पीछेइच्छा नहींकरै नौ

निजदिये दामकी हानिपावै-परंच इतनीछूट इसमेंनारद और बृहस्पतिभी दर्शातेहैंकि ठहरीहुई दासी वेश्याको तत्कालकोई रोग पैदाहोजाय या थकहरिआदि श्रमउत्पन्न होय या कुछ चिंतायुक्त खबरसुनने आदिसे उदास चित्तहोय यद्वा किसीभांतिके कुछ राजकाज में वहउलभीहो और बुलवानेपरभी नहींआवै तौकुछ दंडयोग्यभी वहनहीं है और दोषलगाने योग्यभकिछ नहीं-नारदजी फिर और प्रकारसेभी अधिकउपद्रव करनेमध्ये दंडकहतेहैं कि कोईपुरुष पण्यस्त्रीके साथ संगमकरिकै उसकाशुल्कनहींदेवै और अचानक विनाविवेक आक्रमसहित संगमकरि बैठे जिस्से आंत पसुलीआदि किसी भीतरले अंगमें कुछपीड़ा खड़ीहोजाय यद्वा किसी अंगप्रहार भूतघातसे या दांतोंसे नखादिकों से अयोग्य चिह्न याकुछपीड़ा पैदाकरै-योनिस्थान छोड़ि अयोनिमें जो संगम करै अथवा अपनेनामसे एकाकी बुलवाकर उसको कईपुरुषोंसे प्रावल्यसंगमकरवावै तिसपर आठगुणावेतनउसको दिलवायाजाकर उसीसमान राजदंड लियाजावै (और जो) बहुतपुरुषोंने येउक्त उपद्रवकियेहों तौप्रत्येक उनसबहीसे अठगुना दंड या प्रत्येकसे चौबीसपणका दंड जैसा याज्ञवल्क्यने दर्शाया दोमें कोई एकभांतिसे उस अवसर वा अपराधके अनुसार दण्डहोवे ( यहाँपरग्रन्थान्तरसे ) यह इतना और विशेष है कि जो कोई उनका मध्यस्थ वा दलाल आदि वेश्या को यदि और पुरुष के नाम से अन्यत्र किसी और के निमित्त में लेजाफँसावे तिसपर एकमाष सौवर्णिक दण्ड राजालेय क्योंकि ऐसी दगावाजी से कुछ हिंसा आदि उपद्रव होजाने का भी खटकाथा अर्थात् यह एकमाष सौवर्णिक दण्ड विना उपद्रवकेही जाना किंतु उपद्रव के होजाने में जिस भांतिका उपद्रवहो तैसा दण्ड विधान साहस प्रकरणके अनुसार देखाजाय-कदाचित् कहीं उपद्रवही कुछहिंसा आदि हुआहो तिसके निर्णय का प्रकार नारद कहतेहैं कि-वेश्याओंके प्रसङ्गवा संसर्ग से उत्पन्नहुये उपद्रव आदि कार्यों में संदेह खड़ा होनेपर यथार्थ निर्णय राजपुरुषों के सन्मुख वेही वर्णनकरें जो जो वेश्याओं की प्रधाना वृद्धा नायिका आदि हों या जे कोई वहाँ कामुकपुरुष आदि उनके देह गेहों के समीप रहतेहों या किंचित्काल कुछ विश्राम लेले रमते दृयेहों इनसे तहकीकृत अच्छी होसक्ती है २६७ ॥

( योनित्यक्त्वाऽन्यत्रगमनेपुंगमनेप्रव्रजितायांचप्रत्येकन्दण्डः )

अयोनौगच्छतांगेषांपुट्यंवापिमेहतः । चतुर्विंशतिकोदण्डस्तथाप्रव्रजितागमं २६८ ॥

ऐ०-स्वकीया वा परकीया घोषायों के योनिद्वार में अन्यत्र मुखादि छिद्रों के प्रति संगम करनेहुये मनुष्य को या पुरुषके प्रतिबीजपान करनेहुये मनुष्य को चौबीस पणका दण्डहै तथैव प्रव्रजिता जो संन्यासिनि आदि तपसे युक्तहो तिसमें गमन करने पर भी दण्ड यही चौबीस पणका जानो २६८ ॥

( चाण्डालीगमनेदंडप्रायश्चित्तविवेकः )

अन्त्याभिगमनेत्वंक्यकुबन्धेनप्रवासयेत् । शूद्रस्तथान्त्यएवस्यादन्त्यस्यार्यागमेवधः २९९ ॥

ए०—(अन्त्या) नाम चाण्डाली तिसके साथ संगम करने में द्विजाती लोगोंको दण्ड प्रायश्चित्त भी ये दोनों धर्म समाश्रित होतेहैं-यदि कोई उनमें चाण्डाली गमन करने पीछे प्रायश्चित्त करनेपर आरूढ़नहो तो वह पुरुष कुबन्ध से अंकवाइकर प्रवासित कियाजावै किंतु कुत्सित पापरूप चिह्न भगाकृति उसके माथेपर दगवाकर अपनी राज्यसीमासे निकासि देय (यद्वा कोई अन्य प्रकारका कुछ महापातक निश्चित होय तौ फिर देशकाल अवसर के अनुसार योग्य समुभाजाकर निर्जनद्वीप विशेषतक पहुँचायाजाय क्योंकि ऐसा दण्ड प्रायशः मृत्यु दण्डका अनुकल्प समुभा जाता है) परंच केवल सीमाबाहर करनेमात्रकेही साथ उत्तम साहसनाम वहधन दंडभी कि जिसकी संख्या एक सहस्रपणसे अधिक नहो पहिले लेकर सीमाबाहर करै-पर जो प्रायश्चित्त करनेको समुद्यत होय तिसपर उक्त धनका दंड होना योग्यहै कुछ देश निकाला यद्वा माथेदाग देनाभी आवश्यक नहीं-और जो शूद्रजातीने चाण्डाली संगम कियाहो तौ वह तथा शब्दके कारण कुत्सित चिह्नसेही अंकित होकर और धन दंड देकर चाण्डालही होजावै किंतु इसको सीमासेभी बाहरकरना योग्यनहीं है और प्रायश्चित्तसे कुछ काम नहीं क्योंकि इसकी शुद्धि प्रायश्चित्तसेभी होनी सूचित नहीं-और जो किसी (अन्त्यज ) चाण्डाल आदिने उत्कृष्टजाती स्त्रीसेसंगम कियाहोतौ उसचाण्डाल को बधदंड होवै उसपर धनदंडसे कुछ कामनहीं २६६ ॥

अधि०—अंकनप्रायश्चित्तयोर्विषयेमनुः (प्रायश्चित्तंतु कुर्वाणाःपूर्ववर्णायथोदितम् । नांक्याराजाललाटेस्युर्दाप्याश्चोत्तमसाहसम् ) अर्थात्-ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके लोग महापापोंमेंसे कोई पापकरते हुये शास्त्रविहित प्रायश्चित्तभी करदेवें तौ फिर राजा करके माथेपर कुछ दागदेने योग्य नहीं हैं पर केवल उत्तम साहस दंड दिलाने योग्य होवें (और) इस बातका यह आशयभी आवश्यकहै कि जहां जहां प्रायश्चित्त किया जाय तिनको देशनिकासीकाभी दंडनहो-इसी हेतुसे योगीश्वरने इस २६६मूल-वाक्यमें यह कहाहै कि चाण्डाली गमन करने रूप महापापवाली दशामें अंकवाइ कर निज राज्यसे निकासै सिर्फ उनहींको जो प्रायश्चित्त न चाहें यद्वा न करसकें-और-चौथे पादमें योगीश्वरने चाण्डालोंको धनदंड विनाही बधदंड होनाकहा तिसकाहेतु इसअश्रुक्त मनुके वाक्यसे प्रत्यक्षहै-यथा (नाददीतनृपःसाधुर्महांपातकिनोधनम् । आददा नस्तुतर नोभात्तेनदोषेणलिप्यते ) बल्कि धनदंड लेना जैसा दोस्रो इक्यानवेकी अधिकक्तिमें प्रारंभमेही मनुके कई वचनोंसे जोलिखा तहां (महसंत्वन्त्यजस्त्रियं ) वाक्यभी लिखचुके सोउस स्थलका प्रयोजन यद्यपि यहीप्रतीतहोनाहै कि इतनाइत

नाधन दंडलेकर छोड़िदेना योग्यहोगा परयह आशयउसका नहींहै क्योंकि इसअधि-  
कोक्तिमें दोवाक्य मनुके अभी अनंतर जो दर्शाये तिनकेहेतुसे उसस्थलमें भी अत्रो-  
क्त दोवचनों के अनुकूल अर्थसूचित है कि जोजो महापापी लोग प्रायश्चित्त करके  
अपनी आत्मशुद्धि करें तिनहींसे तत्रोक्तधन दंडमात्रलियाजाय अन्यथा प्रायश्चित्त  
के अभावमें अत्रोक्त मर्यादावर्तीजाय २६६ ॥

इतिपरस्त्रीसंग्रहणाख्यंविवादप्रकरणम् ॥

यहपरस्त्रीसंग्रहनामकाप्रकरणएकइसीतिरासीसंख्यावालेपरिच्छेदसेसमाप्तहुआ ॥  
अथप्रकीर्णकइत्युपनाम्नाख्यातो नृपाश्रय विशिष्टव्यवहाराणां सर्वशेषविधिप्रदर्श-  
कोनाम चतुरशीतितमःपरिच्छेदः ८४ ॥

इस चौरासी संख्याके परिच्छेदमें प्रकीर्ण प्रकरण संबन्धी नानाभांतिके राजाश्रय  
व्यवहार वर्णनहोंगे जिनमें पूर्वोक्तसभी विवादोंका संक्षेप चर्चालेकर उनमेंयथावकाश  
के अनुरूप नृपाश्रयत्वकी संप्राप्तिभी दर्शाईजायगी कि जिस्से राजमुद्दई होनेको अव-  
काश कभी मिलसक्ता हो ॥

यह प्रकरण एक विशेष वर्णनकरते हैं- इसप्रकरणका (प्रकीर्णक) नामहोनेका यह अर्थ  
है कि इसमें भिन्नभांति के व्यवहार अनेकमिल भुल वर्णनहोंगे किन्तु जितनेकुछ  
व्यवहार पहिले भिन्नभिन्न वर्णनहुये वेहीसब एकत्रमिश्री भूतहोकर भिन्नात्मकअन्य  
प्रयोजनों से दर्शायेजायँगे और उनसेभी कुछ अधिक विलक्षणवाद जोजो पहिले वर्-  
णनमें न आयेहों-अत्रत्य व्यवहारोंका यहमुख्य प्रयोजनहै कि जो व्यवहार ठठराजा  
से या राजासे भी कुछसंबन्ध रखतेहों तिनकीरीतिभांति जानीजायगी अर्थात् जिन  
व्यवहारों में सरकार मुद्दईहोनेका संबन्धसर्वथा या कुछ कारणमात्र पायाजाय तिनके  
लक्षणसंग्रह इसीनिमित्त से कर्तव्यहै कि राजमुद्दई किन व्यवहारों वा विवादोंमें होस-  
क्ताहै-चारभांतिसे सरकार मुद्दईहोती है अर्थात् एकउन व्यवहारों में कि जिनमेंकोई  
और मुद्दईहोनेका अधिकारी निपटन हो या तदुपस्थित नहींठहरै (और) दूसरे उन  
व्यवहारों में कि यद्यपिकोई मुख्यमुद्दईहोनेका अधिकारीहै पर शक्तिहीन होनेसेपुकार  
करनेमें प्रवृत्तहोना उसका संभवनहीं (और) तीसरेविरले उन व्यवहारोंमें कियद्यपि  
कोईमुख्य मुद्दई बनकर किसी प्रतिपक्षीको अभियुक्तकरै और व्यवहार निर्णयहोने  
समयवादी या प्रतिवादीदोमें किसीपर यदिकोई कारणऐसा सावितहोय जिस्सेउसका  
राजाभी मुद्दईहोना संभवहो एवं किसी गवाहआदि उनकेअन्य सहायक मेंभी सम्-  
भिलेना (और) चौथे उन व्यवहारोंमें किजिनमें राजकाजोंके अधिकर्ता आदिलोंगा  
से कुछ राजकार्यमें अपराध पैदाहोय-अवइनचारोंके स्वरूपज्ञानकी अपेक्षाकरके  
देसे दृष्टांत लिखेदेतेहैं किजैसेकोई पूरा वा अधूरागवर्भनिपातकराकर उसकोत्रिपक्ष

## मिताक्षरा स० व्यवहाराध्याय १

कहींफेंके और वह देखाजाय यद्यपि निपट दावीदार कोईहोना संभवनहींहै परतौभी इसमें राजमुद्दईहोनेका अधिकारी है और एकयह दृष्टांतहै किजबकोई बालकमाता पिता विहीनहोकर निपटअनाथ फिरताहो जिसकाकोई दावीदार और पालयिताभी न हो तिसके पालनआदि मध्ये राजमुद्दई होनेका अधिकारीहै और एकयह दृष्टांतहै किजबकोई किसीअस्वामिक धरतीको घेरिकर उसधरतीपर परिग्रह अपनारखै किन्तु कोईभांतिकी आबादी या खेतीआदि चयनचियारसे संपन्नकरिके भोगे और अस्वामिक होने के हेतुसेही कोई उसकारोकटोक करनेवालाभी न पैदाहोय बल्किइसी अबाधहेतुसे वहभोग मानुषीस्मृतिके विहीन कालतकभी चाहे पहुँचै या थोड़ेसेही कालमें त्रैपूरुप भोगरूपी उसकाकब्जा दृढ़होजाय या न हो और इनउक्तहेतुओंके हीबलसे शास्त्रन्यायद्वारायद्यपि कब्जा उसका उसहीकोतद्रूप यथावस्थित बनारहना योग्य निश्चितहो या न हो तौभी देशकाल कारणकार्यके अनुसार विरलेअवसर उसमें राजमुद्दईहोना न्यायविशेषहै इसकारणसे किराजा धरणीपाल है इसका अनुचर एक और भी दृष्टांतहै किजबकोई किसी शूनीधरती पर कुछ पकैढँगसे ईट पत्थरआदि चयनचिनाव रूपी पूर्त्तकर्मका प्रारंभकरना चाहे और वहधरती यद्यपिशुद्ध प्रतिग्रह वा क्रयकर्मसे संप्राप्तहुई हो यद्वा पिता पितामह प्रपितामह आदिपूर्व स्वत्वोंसे क्रमागत पहुँचीहो याकुछ अन्यमार्गसेही पाईहोतौभीउस प्रारंभके निमित्त राजघरमें तत्त्वनिवेदन करिके राजनिदेशलेनेकी मर्यादाहै-यदि कोई पुरुषनिदेश लेनेविनाही उन कर्मोंका प्रारंभकरै यद्यपि कोई और मुद्दईबाधक आदिहोना संभवनहीं है पर हो या न हो तौभी राजमुद्दईहोनेका अधिकारीहै इसहेतुसे कि धरतीसहित प्रजाओंकेभी राजाही भर्त्तारहैं ( नानिवेद्यप्रकुर्वीतभर्तुः किंचिदपिस्वयम् ) और एकयह दृष्टांतहै कि जैसे किसी जांगलभूमि या प्राचीनटीले आदिमेंकुछ भांडद्रव्य ऐसानिकसै जिसका मुख्यस्वामी कोईनहींहै या पीछेकोई कल्पितस्वामी होसकना संभवहो या न होतौभी राजमुद्दई होनेकी मर्यादाहै, ऐसेही जबकोई और भांतिका अस्वामिक धनकुछ देखाजायजैसे कोई एकाकी गोत्रहीन पुरुषविदेशी या स्वदेशी अपनेधनको फैलाछोड़िकर मरजाय यद्यपिशस्त्रकी मर्यादासे पश्चात्कोई कल्पितस्वामीभी होसकना संभवहो या न हो तौभी राजमुद्दई होनेकी मर्यादा है, ऐसेही जबकोई कहीं बटोहीआदि लूटा माराजाय जिसकेसाथ कोईऐसा और न हो जो तत्काल मुद्दईवनिके राजद्वारमें पुकार करता तौभी राजमुद्दई होने की मर्यादा है, ऐसेही जब कोई पुरुष अपने फैलेहुये द्रव्य औरअप्राप्त व्यवहारकाल वालक पुत्र निजविश्वास्य जनको सौंपेविन मरजाय यद्यपि वालक पुत्रके सिवाय उसके गोती वा स्त्रियाँ तथा धनादि कामोंके अधिकर्ता नौकर कारिन्दे आदि भी कुछहों या न हों तौ भी राजमुद्दई होने की मर्यादा है

कि राजा अपने हस्तपात पूर्व जिसको सज्जन और विश्वासपात्र होनेसे अधिकर्ता करना योग्य समुझै तिसके द्वारा गोत्र सम्मति सहित प्रबन्ध करावे जिस्से बाल्य भावतक उसधनका नाश न होनेपावै (एवं) जहाँ पुत्रनहो केवल स्त्रीमात्र विधवा या प्रोषितपतिकाहों तौभी धनकी रक्षाहेतु राजमुद्दईहोनेकी मर्यादाहै. ऐसेही जब किसी कुलवती स्त्री या सज्जन साधु पुरुषको एकाकीजानि कोई दुर्जन कहीं प्रतिष्ठा भंग करताहो तब तत्काल ऐसे दुर्जन और उनलोगोंकाभी राज मुद्दई होनेका अधिकारी है जो शक्त समीप होतेहुये बचावैँनहीं. एवं किसी बालक आदिका बधहोते जहाँ समस्यामात्रसेभी समुभाजाय जैसे कोई ठगिनी नटिनी आदि कहीं एकान्तमें कुछ व्यंगाकार बनायेवैठीहो किन्तु घांघरेको फैलाये डौलकुडौलसे यदि बैठी देखीजाय और बहराज पुरुषोंकी झायामात्र देखिकर चौंकनी कोईभाँतिसे यदि होनेलगे तब तत्काल राजपुरुषोंको इसप्रकरणके सिद्धान्तसे अवश्य उसकीतहक्रीकातमात्र करनेका अधिकारहै कि यद्यपि उक्तठगिनीआदि ऐसे ऐसे कारण भी उत्पन्नकरनेलगे कि अधुना पुत्र जनतीहूं समीप मेरे कोई भी मतआना तौ भी भूषणयुक्त पराये बालकआदिको छिपाये यह बधकरतीहोगी ऐसी शंकाके आवेशमें लयलीनहोकर उक्त राजपुरुषों को समीप उसकेजाने और वस्त्रादिक आवरणोंका अन्वेषण करवानेमें अधिकारहै इसहेतु से कि यद्यपि कोई और मुद्दई इसमेंहोनासंभवहो या नहो तौभी राजमुद्दईहोनेका अधिकारी है-येसब दोहीभाँतिके दृष्टान्तजानो किन्तु तीसरीभाँतिमें दोभेद मिश्रित होते हैं किएक यद्यपि कोई आपमुद्दई बनकर किसीविवादमध्ये नालिशदायरभी करदेवे और वह ठेठ विवाद उन्हीं विवादोंमेंसे समुभाजाय जिनमें राजाभी निजआपवादी होनेका अधिकारी हो जिनके मध्ये येदो भाँतिके दृष्टान्तभी कहिचुके.तब उसनालिश की यथार्थ तहक्रीकात होतेसमय परभी राजाआप मुद्दई होताहै इसहेतु ऐसे व्यवहारों में दो वादी समुझे जातेहैं (और) ऐसेही यदि पहिले केवल राजावादी होकर पीछे तहक्रीकात होते समय पर जो कोई और मुद्दई सावित होय तौ भी ऐसेव्यवहारोंमें राजावादी समुझे जाते हैं परन्तु जिस दावेकी तहक्रीकात होने पर वह दावीदार मुद्दई भूँठाठहरै किन्तु दावाकरने का अधिकारी निपटनहो तौ फिर केवलराजमुद्दई रहता है कि जबतक ठीकदावीदार मुद्दई कोई और न सावितहो यह व्योरा एकभेद कहिचुका. दूसरे भेदका यह डौलहै कि यद्यपि कोई आप मुद्दई बनिकर किसी विवादमध्ये नालिश दायरभी करदे और वहठेठ विवाद उक्त विवादों में न हो किन्तु उपरालू अन्य विवादों में गणनीय हो जिनमें राजाअपने आप मुद्दई होने का अधिकारी नहीं तौ भी तहक्रीकात होनेसमय कदाचित्त वादी या प्रतिवादी दो में किसी पर या उन दोनोंके सहायक साक्षी आदि किमी औरही पर कुछ फंदफरेव



या भूँठीशपथ या भूँठासाक्ष्य आदि कोई अपराध भूत कारण पायाजायतौभी राज-  
मुद्दई होताहै यह दोनोंभेद के दृष्टांत केवल उक्त तीसरी भांतिमें समुझने जो सरकार  
मुद्दई होनेवाली चारभांति पहिले कहीगई-चौथीभांतिके दृष्टांत बहुत सूधेहैं कि जब  
सरकारी किसी मुलाजिमसे सरकारी ठेठ कामोंमें कर्तृत्वका अपराध या धन काटकपट  
करना आदि कुछ उत्पन्नहो यद्वा न्यायस्थानके अधिकारी किसी वादी या प्रतिवादी  
आदिसे उत्कोचक आदि लेकर कामसुधारें या बिगाड़ें तब सरकार मुद्दईहोतीहै दृष्टांत  
लिखना कुछ आवश्यक नहीं-जिन चारों भाँतिकेकुछथोड़े से दृष्टांत यहाँ उपोद्घातके  
अनुरूप दर्शित किये तिनको प्रकरणमात्रकेही बीज समस्यारूपजानो क्योंकि आगे  
प्रकरणमें जो नानाभाँतिके व्यवहार लक्षण वर्णन होंगे सो इनचारबीजोंसे व्यतिरिक्त  
कोई एकभी न होंगे इनके भीतरही सबजानो-बहस्पतिजीने-इन व्यवहारों की अपेक्षा  
में सामान्य एक प्रतिज्ञा भी दर्शाईहै-यथा ( एषवादिकृतःप्रोक्तोव्यवहारःसमासतः ।  
नृपाश्रयम्प्रवक्ष्यामिव्यवहारम्प्रकीर्णकम् ) अर्थात्-यह व्यवहार विधान मैंने जो कुछ  
ग्रन्थका प्रारम्भ लेकर वादीका उत्पन्नकिया प्रकर्षसे बखाना-तिसको यहाँ नृपाश्रय  
लक्षण रूपसे (समास) कर दर्शाताहूँ अर्थात् कुछ कुछ सबहीका संक्षेप समाहृत लेकर  
उसे समर्थन भी अब करताहूँ इसहेतुसे प्रकीर्ण उसका नाम जानो क्योंकि उसमें  
नानाभाँतिके व्यवहार भरेहोंगे (समर्थनम्-इदंइत्थंएवइतिनिश्चयहेतुपन्यासेननिश्चा  
यकव्यापारभेदः) नारदने कुछ लक्षण भेद भी दर्शाये हैं-यथा(प्रकीर्णकेपुनर्ज्ञेयाव्यव-  
हारानृपाश्रयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणन्तथा ॥ पुरप्रदानंसंभेदःप्रकृतीनां  
तथैवच । पाखंडनैगमश्रेणिगणधर्मविपर्ययाः ॥ पितापुत्रविवादश्चप्रायश्चित्तव्यति-  
क्रमः । प्रतिग्रहविलोपश्चकोपआश्रमिणामपि ॥ वर्णसंकरदोषश्चतद्दृष्टिनियमस्त-  
था । नदृष्टंयच्चपूर्वेषुसर्वतत्स्यात्प्रकीर्णकम् ) अर्थात्-नारदकहते हैं कि-फिर प्रकीर्णक  
नाम प्रकरण में उसभाँतिके व्यवहार जानो जो नृपाश्रयहों किंतु जिनमें राजवादी  
होताहो या होसक्ताहो उनके थोड़ेसे दृष्टांत भी अबदेते हैं कि एक तो जिनराजका-  
जोंमें राजाओंकी कुछ आज्ञाभंग होय किन्तु हुक्मअदूली कोई करे तिनमें केवल  
राजवादी होताहै- तथैव उसके तुल्यकाम करने में अर्थात् राजमिंहासन ऊपर बैठ  
जाना आदि बहुधाकर्म जो राजाओंकेही करने योग्य हों तिनको कोई राजनिदेश  
पाने विनकरिवैठे ईदृग्व्यवहारोंमेंभी राजवादी होताहै इमवातका यथार्थ व्योरा आगे  
तीनसौ आठवाले मूल श्लोकमें विचारो-एवं पुरप्रदान कर्म ग्रामघात किन्तु गाँव  
मारजाना लूटाजाना फूँकाजाना आदि विनाश होने में सरकार मुद्दई अपने आपहो  
यद्यपि मारे गाँववाले पुरुष मुद्दई होने संभवहैं तथापि उनकी आरसे पुकार होने या  
न होनेमें भी राजा आप मुद्दई बनकर दंड कल्पितकरे-एवं प्रकृतियोंका संभेद कर-

ना उनमें फूट करानी जैसा संविद्वयतिक्रम नाम के विवाद प्रकरण में यथार्थ इसका वर्णन है सत्र उसीमें अवलोकनकरो उनमें केवल राजमुद्दई होता है-तथैव गण पाखंड नैगम श्रेणियों के जो धर्म हैं वे अपने अपने धर्मोंका विपर्यय जोजो करें किन्तु निज अस्वयारी अहद पैमानोंको उलाधें या विगाड़ें तिनके व्यवहार निर्णय करने मध्ये केवल राजाको स्वातंत्र्यहेतु कोई और वादीहोनेका अधिकारी नहीं-एवं पिता पुत्रों का विवाद पारस्पर्य भी प्रकीर्ण पदहीमें गणनीय है अर्थात् यद्यपि राजाको इस बात का प्रतिषेध है कि अपनी ओरसे मुद्दई वा मुद्दआअलेहको कुछनालिश करनेका उत्साह नहीं दिलावै और विनहुये किसी नालिशके व्यवहारमें निजहाथ नहीं लगावै यह सामान्यसी मर्यादा है और ठेठपिता पुत्रके भगड़े में यह शिष्टाचार विशेष है कि जहां तक बनि आवै राजादोनोंका व्यवहार परस्पर खड़ा न होनेदेवै ( तौभी ) यहां नृपाश्रय व्यवहारोंके प्राबल्यसे यह धर्म है कि विरलीदशा विशेषमें कदाचित् यही भगड़ा राजा नालिशके न होनेपर भी अपने आप संग्रह करके फैसलकरै और सिद्धांत इसका यही है कि साधारण छोटे मोटे भगड़े पितापुत्रोंके परस्पर जो उत्पन्न प्रायश होते हैं तिनसबमें हाथ न डारैपर उसदशा विलक्षणमें कि दोमें कोई एक अनीति करताहो जिस्से द्वितीयके धन प्राण प्रतिष्ठा और शारीरिक सौख्यमें कुछ अधिक अन्तर आताहो या इनवातोंमेंसे किसी वातकी हानि होनी संभवहो इतना राजा शिष्ट प्रजाके द्वारा क्रमसे सुनकर भी या आंखोंसे कुछ देखपानेपर भी स्वतःबुलाकर उनको शिक्षाकरै कि जिस्से आगेको उत्पात न उठनेपावै और उत्पातों के उठ खड़े होनेपर भी राजाको स्वातंत्र्य है कि उनको किसी ओरसे नालिश निपट न होनेपरही धिरवाकर निर्णय करनेपीछे सिर्फ मीठादंडदेवै किन्तु कडुवा नहीं क्योंकि यहां राजा के स्वातंत्र्य और इसदंडसे अपेक्षा केवल इतनी है कि पिता पुत्रके वैरमें घर शीघ्र ऊजड़ होते हैं न होनेपावें इनके वैरोंके दृष्टांत यद्यपि विरलेभी अनेकहैं पर एकदो के रूप यहां विवेचन करने योग्यहैं कि जैसे अपतित पिताको यदि पुत्र त्यागे देता हो यद्वा अपतित पुत्रकोही पिता त्यागे देताहो ( या ) असमर्थ पिताका परिपोषण पुत्र समर्थहोकर नहीं करताहो एवं पिता समर्थहोकर भी असमर्थ पुत्रके परिपोषण में कुछ गई करताहो यह शारीरिक सौख्य तथा प्रतिष्ठाके दृष्टांत दोनोंजानो इस प्रकार पिता कदाचित् पैतामह धनका व्यर्थ वियोग किसी कारण विना पुत्रके असमर्थ होते किये देताहो यद्वा अपनेही उपाजन किये धनको आधेमें अधिक या मर्क स्वदान किये देताहो और इस हेतुनेही पुत्रने परस्पर उमका तीव्रद्वंद्व होताहो जिस्में दोमें एक प्राणहत्त होजानेका संदेह संभवहो अथवा पुत्र निपट अजान वा असमर्थ हो तौभी राजा दंडके न होनेपर भी धनकी रक्षा करने के आशयसे निज आप मुद्द

होने का अधिकारी है या पिताके वृद्धापन रोगपीडित होने आदि असावधानी की दशाओं में यदि पुत्र उस अधिकारको पहुँचे विना पिताके धनको या पैतामह धन को किसी अयोग्य रीतिसे विनाश किये देताहो तो भी राजाधनकी रक्षा करने आदि हेतुओं से अधिकारी है कि नालिश हुये विना भी निज हाथ डाले ये दृष्टान्त प्रायः धन प्राणों से संबंधित हैं इत्यादि बहुधा और भी समुझने किंच और भी बहुतेरी दशा ऐसी हैं कि जिनमें पिता पुत्रकेही अनुरूप धनकी रक्षा मध्ये राजा को स्वातंत्र्य है-यथा ( बालदायादिकारिकथंतावद्राजाऽनुपालयेत् । यावत्सस्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः २७ वशाऽपुत्रासुचैवंस्याद्रक्षणंनिष्कुलासुच । पतिव्रतासुचस्त्री षुविधवास्वातुरासुच २८ इत्यष्टमाध्यायेभृगुः ) इनका अर्थ कहीं आगेबढ़कर तीन सौ मूलश्लोकसेही पहले बर्णनहोगा तहाँदेखो (और) ऊपरली प्रकृत चर्चामें जो नारद ने यह पिता पुत्रका वादबताया सोभी एक निदर्शनमात्र जानो किन्तु उसहीके उपलक्षणसे उसभाँतिके कुछ अन्यविवादोंमेंभी राजाको स्वातंत्र्यहै कि विरली उनकी दशा विशेषमें पुकारके नहोनेपरभी हाथडाले और उसरीतिसेहो निर्णयकरै कि मानो एक पीडितपक्षीने पुकारकरी (सो) उनवादोंके स्वरूप अगलेवचनोंमें प्रत्यक्षहैं-यथा ( नमातानपितानस्त्रीनपुत्रस्त्यागमर्हति । त्यजन्नपतितानेतानूराज्ञादंड्यःशतानिषट् ३८६ इत्यष्टमाध्यायेमनुः ) इसमें छःसौ ६००) का यह दंड विरले ऐसे अवसरकी अपेक्षापर आरूढ़है कि जबजब इन्हीं विवादों में कुछमीठादंड या सामान्य शिक्षामात्रकरीजानेपर भी बारबार अभ्यास यद्वा हठका चिह्न प्रवर्तितहोय अन्यथा केवल सौ १००) का दंड याज्ञवल्क्यने जोकहा सोभी विरले वादविवादवाले अवसर में कर्तव्यहै सर्वत्रनहीं-तद्यथा ( पितृपुत्रस्वसृभ्रातृदंपत्याचार्यशिष्यकाः । एषामपतिता न्योऽन्यत्यागीचशतदंडभाक् २४२ इतिसाहसप्रकरणेयोगीश्वरः ) यहाँमीठेदंडकाजो चर्चा बारंबारआया तिसका भाव सिर्फ इतनाहै कि अत्रोक्तदंडकारियों में परस्पर कोई एक जोकुछ दोषीसमुभाजाय तिसको नैषेधिकशिक्षाके अनुरूप कानताते करने के निमित्त में धर्माधिकारी अपनेमनसे नवतम कल्पितकरके ऐसा सूक्ष्म कोमलरूपदंड देवे जो सबदंडोंकी प्रशंसामें न आवै इसका दृष्टान्त जैसे दोचार या दशपांचमुहूर्तों के विलंबतक मलीनस्थानमें अंवरोध उसकारकसे यद्वा आँखें पट्टीमें बाँधिकर दो चारघंटे उसकी शिक्षाकरे अथवा वानरशालामें दो एक रात्रि उसको बासकगवे अथवा पशुचरानेको दो एकदिनतकभेजे इत्यादि बहुधाजानो जहाँ दोनोंका अपराध कुछ कुछ पायाजाय तहाँ दोनोंको दोभाँतिका कुछ भिन्न भिन्न मीठादंडकियाजावे जिस्से आगेको उसदंडसे वे दोनों हाथखींचें पर इस मीठेदंडमें धनदंड कुछआवश्यक नहीं (इतिपितृपुत्रविवादः) इसकेपीछे नारदकहते हैं कि प्रायश्चित्तोंका व्यतिक्रम भी

नपाश्रयहोताहै अर्थात् जबकोई प्रायश्चित्ती प्रायः महापापोंकी संशुद्धिकरनेसे कदाचित् हाथखींचे या मनमौजीरीतिसे करदेनाचाहै अथवा महापापोंकी तत्परता रखकर प्रायश्चित्तोंका कुछ नामनरखखै और बंधुओंकेभी कहनेपर कुछध्यान न लावे तिसका राजवादी बनकर उससे प्रायश्चित्तकरावै यद्वा निपट नकरनेमें वहदंड उसको देवै जोकुछ शास्त्रसे संसिद्धहोय-एतस्यैवप्रमाणंतुयथा ( ब्रह्महाचसुरापश्चरतेयीचगुरुतल्पगः । एतेसर्वेपृथक्ज्ञेयामहापातकिनोनराः २३५ चतुर्णामपिचैतेषांप्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरंधनसंयुक्तदंडंधर्म्यप्रकल्पयेत् २३६ गुरुतल्पेभगःकार्यःसुरापानेसुराध्वजः । स्तेयेचश्वपदंकार्यंब्रह्महण्यशिराःपुमान् २३७ प्रायश्चित्तंतुकुर्वाणाःसर्वेवर्णायथोदितम् । नांकाराज्ञाललाटेस्युर्दाप्यास्तत्तमसाहसम् २४० इतिनवमाध्याये मनुः ) कदाचित् कोई तर्क वितर्कसे यह कहनेलगे कि राजा दंडदेनेका व्यवहारमार्गसे अधिकारीहै कुछ प्रायश्चित्तोंकी अपेक्षामें आवश्यकनहीं होताहै कि इसमेंभी सरकार मुद्दईहोय क्योंकि प्रायश्चित्तकर्म उसकी आत्मशुद्धिका उपायहै वहकरै या न करै अथवा बंधूलोगकरावै यह आवश्यकहै सो यह ऐसा तर्कवितर्क अपक्वबुद्धिकेही चित्त भ्रान्तिमात्रसे उत्पन्नहोताहै निर्मूलजानो क्योंकि राजा दंडदेनेका अधिकारीहै और प्रायः दंडदेनेविना प्रायश्चित्तभी होसक्तेनहीं उनकेहोनेविना प्रायश्चित्तकी शरीर शुद्धिनहींहोतीहै और उसहीके संसर्गोंसे बंधुओंको संसर्गदोषलगताहै और बंधु जहाँ निर्वलहोयँ तौ बंधुओंकेभी कहनेसे बलवान् प्रायश्चित्ती अपनी आत्म शुद्धि नहींकरताहै कदाचित् बंधूलोग उसको त्यागरूपी जातिदंडदेवै तोभी उलटे नाना भौतिके उपद्रव खड़ेहोते हैं कि इसीप्रकार क्रम क्रमसे अनेकबंधु प्रायश्चित्ती होकर सभी सबको छोड़देनेपरँ बंधुओंका संघातफूटिजानेसेभी जातिसमूहभ्रंशहुआ जिनका होनेदेना राजाको प्रतिषिद्ध औरहोजाना राजवाधकहै इत्यादि और अनेकहेतुहैं सो सभी केवल राजदंडके नहोनेसे उत्पन्नहोते हैं इसलिये राजा दंडभयसे प्रायश्चित्तकरावै यह सिद्धान्तहै-अवसे अड़तालीसवर्ष पहिला एक देखाहुआ झोटासादृष्टान्त है कि शाकेतदेशीय एकठाकुर कतिपय ग्रामाधीशकी वस्तीमें निरक्षर एकब्राह्मण जो कृप्यादि ग्रामीणासम्पत्तिमें सम्पन्नथा गोरसकी बहुताइतसे विलाई उसकेघरमें बसत आतीजाती एक विआईविह्वीके चारोंबच्चे घरमेंफिगकरते प्रायःगोरसमें मन्डलदेने उन्हें मारनेको जबकोईजाता शीघ्र भागिजाते किन्तु हाथ किसी के आने नहीं इसीसे उसमूर्खने अतिकोधमानि एक बड़ेमटकेमें कुछमट्टारखकर ताकलगाई जब उसमटकाकेभीतर चारोंपाँचों घुसकर मट्टापानेलेगे तभी उसकेमुखपर शीघ्र टक्कर देकर उसे चूल्हापरचढ़ाया नीचे आँच जलादी कि ये इसतौरसे मरजायँगे-यपनि अपनेघरके भीतर उसने किचाथा पर किमी पगेमी ने यहकरने उसे अपनेघरमें ले

लिया उसके दर्पघमंडके भयहेतुसे प्रतिषेध उसे करनेमें संकुचित होकर चुपके चुपके ग्रामपतिकी चौपालपर यह खबर उसने पहुंचाई ग्रामठाकुर भोजन करनेको घरभीतर जाकर चौकेमें बैठने पायेथे कि इतनेमें यह खबर भीतर पहुंची सुनतेसाथ नंगीचांदि लाठीलेकर दौड़े उसके घरपर पहुँचे दरवाजा उसका बंद था मनुष्योंको चढ़ाकर द्वार खुले पीछे भीतर जाकर देखा चारोंबच्चे मैया सहित मथनाभीतर बंद हैं और जैसेजैसे मट्टा गरम होता आता वे सब च्याऊँ म्याऊँ रोतेथे तत्काल पहिले उन्हें निकासी बहुत आँच अब तक नहीं लगने पाई थी वे प्राणों से बचि गये पीछे ग्रामाधीशने उस ब्राह्मण को चौपाल पर ले जाकर उसीके हाथसे निज कानाबूची सहित उठा बैठीका आयास केवल इक्कीस बार दिलवाकर आज्ञा प्रचलित करी कि आजसे इसके मंगल कामों की ज्यौनार में घर भोजन करना ग्रामपतिने छोड़ि दिया जबतक प्रायश्चित्त न करे कोई ब्राह्मण इसका सह-भोजीबने उसके घरभी ग्रामठाकुर नहीं जायेंगे और जो एक मास भीतर प्रायश्चित्त करने पर आरूढ़ न हो तौ धनधान्य आदि सहित इसको ग्रामाधीश अपने ग्रामसे निकासि देंगे इतना सुनिकर सभी विप्रों ने सहभोज्य धर्म उसका त्यागि दिया क्योंकि वह की परिपाटी यही थी कि मंगल आदि उत्सव कामोंमें जिस किसी के घर ग्रामठाकुर भोजन करना नहीं कबूलें तिसके कोई ब्राह्मण भी न जावै इसकी पंचायत पहिले होजाती थी इसभय से अन्य विप्रोंने भी त्याग किया तब घबड़ाकर उसने शीघ्रनैमिष तीर्थ का विधान प्रायश्चित्त निमित्तक अंगीकार करके यात्रा करी और फिर आकर ग्राम ठाकुर सहित सभी विप्रों की ज्यौनार करी-इस दृष्टांतसे सिद्धांत सिर्फ इतना है कि प्रायश्चित्तभी कुछ राजदंडभय के विना मनुष्य करते नहीं (सर्वोदंडजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः । दंडस्य हि भयात् सर्वजगद्भोगाय कल्पते-इति मनुः) यद्यपि राजदंड के सिवाय एक ज्ञातिदंड भी अत्यंत प्रबल है पर उसको थोड़े लोग हैं जो डरतेहों इसलिये उसमेंभी कदाचित् राजसहाय की अपेक्षा हुआ करती है इत्यादि हेतुओंसे इस (प्रायश्चित्तव्यतिक्रम) को भी इसीप्रकीर्ण प्रकरण में संमिश्र किया इसमें तर्कवितर्कसे कुछ काम नहीं (इति प्रायश्चित्तविवादः) इस पीछे नारद कहते हैं प्रतिग्रहका विलोप जो है सो भी एक नृपाश्रय व्यवहार है और विरली दशा विशेषोंके अनुसार इसके अर्थ कई प्रकारसे उत्पन्न होतेहैं अर्थात् प्रतिग्रह जो कुछ किसी प्रामाणिकजन को नियमोंसाथ सौंपा जाय जिसका प्रतिग्रहीता उसी प्रतिग्रहको विलोपे किंतु पचावे या मिटावै यद्वा अन्यप्रकार से व्यतिक्रमकारी उस में होय तब उसदेश और उस कालकाही राजा आप स्वतंत्र है कि इन व्यवहारों को निज इच्छासेही संग्रह करिके निर्णय करे-यहां सबसे पहिले एक यह दृष्टांत है कि जैसे कोई मंदिर धर्मशाला आदि मकान जो कुछ भाटक आदि लाभगुण संपन्न हो एवं ग्राम और वनबाय आदि या

स्थापित करी किसी रोकड़िका कुछ ब्याजबट्टा आदि किसी प्रामाणिक सत्कर्मा और विश्वासपात्रको भविष्यत्काल सनातनकेहीपुण्य अर्थ किसी प्रतिज्ञा साथ दानमार्ग से देदियागयाहो कि इसके लाभ में से अमुकामुक भांतिका पुण्यइतना सदा सर्वदा करते रहना किंतु तुम्हारे बेटेपोते आदि जे कोई सत्पात्र इसकेऋक्थी होयँ तिनको भी यह लक्षित पुण्य सर्वदा करना होगा ऐसे नियमोंका स्वामित्व जिसको दानपत्रों द्वारा मिलाहो सो यह एक प्रतिग्रहजानो अथवा दानमार्गसे व्यतिरिक्त कोई और भांतिसेही सोंपागया हो जैसे अनंतरोक्त धन और धनके लाभ तुमको अमुकामुक पुण्य करनेके अर्थ सोंपे जातेहैं तुम धर्मानुसार इसके लाभोंमेंसे इतना द्रव्यस्वकीय परिजनके परिपालन में लगाकर शेष इतना यद्वा यथा संभव द्रव्य इन अमुकामुक पुण्य कर्मोंमें लगाते रहना किंतु तुम्हारे बेटे पोते आदि यद्वा शिष्यप्रति शिष्यभी जब ताई स्वीकृत नियमोंको धर्मानुसार साधन करै तबतक यहीप्रतिग्रह रौरवंश में सनातनकोही निश्चलहोय किंतु कदाचित् काल विशेष में जब कोई उक्तनियमोंका विलोप या व्यतिक्रम करै तबहीं देशकालके भूपालको स्वातंत्र्य होगा जिसकोचाहै योग्य समुझे पीछे यही प्रतिग्रह मेरे तत्कालीन कुलप्रधानोंकी भी अनुमति लेकर उसको सोंपदेवै पर यह जितनाद्रव्य तुम्हारे परिजन पालनके अर्थ में आदेशहुआ सो उस दशामेंभी बंदन होगा किंतु देशकाल का भूपालही दिलवाने का अधिकारी होगा इत्यादि दाता पुरुषके उच्चारण किये नियमोंकी लिखावट से जिसपुरुषकोधन सोंपाजाय यहभी एक प्रतिग्रहजानो-अत्रोक्त दो भांतिमेंसे किसी एकभांतिके प्रतिग्रहका स्वीकार जिसने कियाहो या जिसके पूर्व पुरुषों का स्वीकारकिया क्रमागत चलाआताहो सो कुछकालपीछे प्रतिग्रहीताही निज आप यद्वा बेटे पोते आदि उम के ऋक्थी कोई अतिकालांतर में भी निपट विलोपकरै अर्थात् उक्तपुण्य करनाबंद करै उसका सब सर्वस्व अपने अर्थमें लगाने लगै यामनमौजी न्यून पुण्यकरनेलगे या उस दानपत्रकोही निपट छिपाकर अपना केवल स्वत्व बताने लगै तो इस भांति के विलोप का व्यवहार खड़ाकरने में उस देशकालका भूपाल आप स्वतंत्रहैसकता मुद्दई बनिकर उसका निर्णय करै और उसपुण्य कर्मके प्राचीन लिखित नियमों में विशेषता आप कल्पित करिके उसी प्रतिग्रहयुक्त के स्वाधीन रखवै यद्वा उमको पूर्व नियमोंवाले संविद्का व्यतिक्रमकारी और अपराधी समुझे तो उसवंशके प्रधान को समाजी भूत करके संमति लेवै जिनके पूर्व पुरुषों ने यह नैरंतर्य पुण्य कर्मकरे पादप आप लगाकर निज विश्वासपात्र किसी एक या दो तीनको प्रतिग्रह इमक सोंपाथा उम वंशके प्रधानोंकी जो संमति पाईजाय तिसही के अनुसार किसी एक को विश्वासपात्र जानकर उम कर्मका प्रतिग्रह सोंपिदेवै-यद्यपि यहाँ विशेष कुछ है



बन्ध उसकाहो या नहो तौ भी गूढ़ आशयका भावार्थ समुंभे जानेके निमित्तसेही एकसौ इक्यासी मूलश्लोक पिछले अद्धाकी अधिकोक्तिको भी ध्यान लगाकर देखो उसकी छायामात्र इसपर भुँकतीहै-एक और भी दृष्टांत है कि जहाँ किसी मरतेहुये धनिकने निजधनकी रक्षामात्र सोचिकर कुछ अन्त्यकालिक शिक्षासाथ किसी प्रामाणिक और विश्वास पात्रको धन सौंपिकर यहकहाहो कि जबतक मेराबालक पुत्र यह व्यवहार साधन करने योग्यहोवे इतनी वर्षोंतक इसधनकी रक्षा या परिवर्द्धन आदि पालन कर्म करते रहकर मेरे पुत्रको संप्राप्त व्यवहार काल होनेपर सब सौंपिदेना यह भी एक प्रतिग्रह जानो जोकि मरनेवालेसे विश्वासपात्रने धनलेकर अपनी सौंप में उस अवधितक परिपालन करना अंगीकार किया (यद्वा) पुत्रादिक निपट अभाव आदिकिसी हेतुसे मरणांत कालमें यह शिक्षा करीहो कि इसधनको मेरे मरने पीछे देवालय निर्मित करना आदि अमुक पुण्यों में लगादेना तौ यह सौंपभी प्रतिग्रह जानो ऐसेधनको प्रतिग्रहीता जो निज आप विलोप करे पचावै किंतु धनीके बालक पुत्रको उस अवधिमें नसौंपै यद्वा देवालय आदि नहीं बनावै तौ सरकार मुद्दई होने का अधिकारीहै कि स्वतःमुकद्दमा संग्रह करिके उन सब कामोंको संसिद्ध करवावै जैसी शिक्षा अन्तकालिक हुईहो-इन ऊपरले निचले सब दृष्टांतों में यहबात कुछ विशेषकर आवश्यक नहीं है कि दाताने ग्रहीता से भी कुछ इकरार लिखायाहो या नहो किंतु दाताकी शिक्षा में जो नियम लिखेहों वेही प्रतिग्रहीता के इकरार में भी दाखिल समुंभे जासक्तेहैं और इसपर भी कुछ तर्क विशेष नहीं है कि दाताने निज शिक्षापत्र में यह लिखा या न लिखाहो कि इसमें नियम व्यतिक्रम होनेपर सरकार मुद्दईहोय क्योंकि इन दृष्टांतों के अनुरूप जो जो और भी प्रतिग्रह इनके तुल्य समुंभे जायँ जिनमें कोईभाँति विलोप होनेका कुछ खटकाहोय सबही में सरकार मुद्दई होना एकधर्म है-इन दृष्टांतों से भिन्नात्मक एक और भी दृष्टान्तहै कि जैसे किसीराजा ने निज देशी किसी ग्रामकी धरती में से थोड़ी धरती किसी चिकित्मक आदि विद्यावान् को या शूरवीर को प्रसन्न होकर दानपत्र मे लिखिदीहो और उमधरती के पलटे यद्यपि राजाने उसग्रामके अधिकारी को अन्यत्र कहीं धरती भी देदी या न दीहो यद्वा उतनी धरती की भेज कमतीकी या न कीहो इनवातां से अपेक्षा नहीं समुंभना क्योंकि राजा जैसे चाहे प्रजाकी सन्तुष्टिमात्र करने में स्वाधीन हैं न जानें उतनी धरती दानकरने से कुछ पहले पीछे कितनी बड़ीभलाई ग्रामपतिके साथ करीहो और वह ग्रामपति कुछ कालबीते यद्वा गद्दीदार पलटने पीछे या बहुदीर्घकाल पीछे उमके बेटे पोते आदि कोई ग्रामके अधिकारी उसीधरतीका प्रतिग्रह जो ग्रहीता वा ग्रहीताके सन्तान आदि कोई ऋकथी जो अद्यापि लाभखानाथा निम गेमे राजदानक

प्रतिग्रहका विलोपकरें किंतु किसी प्रपञ्चरूप युक्तिसे छिपावें या मिटावें या प्रत्यक्ष होकर छीनैं और उसग्राम की निज धरती में मिलाकर अपना स्वत्व कल्पितकरें तें इसभाँति से प्रतिग्रहका विलोप होनेमें भी यद्यपि दानका ग्रहीता जिसकी धरतीव विलोपहुआ अपनेआपनालिशकरनेआवेगा यहसम्भवहै तथापि नालिशदायरहों राजदानका विलोपहोना सुनतेसार देशकालका अधिकारी राजा आप मुद्दई वनका उसका निर्णयकरै यह सिद्धान्त है-केवल इसी एक दृष्टांत की अपेक्षा लेकर पैसठिसंख्यावाले परिच्छेद में एकसौ अट्ठवनकी अधिकोक्ति मध्ये नद्यादिदत्तभूमिकेपश्चात् राजदत्त भूमिकाव्यवहारजितनाउसअधिकोक्तिके समाप्तहोनेतकदर्शायागया तिसके देखो-किन्तु ऐसेदान प्रतिग्रहको जबकोई ग्रामपालआदिपचावै तवहीं राजमुद्दईहोना एक धर्महै क्योंकि राजदानका विलोपहुआ-इसहीका-अनुचर एक यह दृष्टान्त है कि जब किसी धनाढ्यपुरुषने कोई देवालय धर्मशालाआदि पूर्तकर्म अपनी वस्तीमांभ रचना तथा प्रतिष्ठाकरवाकर पार लौकिक पुण्यअर्थ किसी अति दूरस्थनामी विद्वान आदि सुपात्रको संकल्प लेख्यद्वारा अर्पणकिया उक्तसुपात्र प्रतिग्रहीता अपनेआप दूरनिवासीहोनेकेहेतु उसस्थानमें रहनहींसक्ता इस्से निज विश्वासपात्र किसी सेवक शिष्यादिको प्रतिनिधि अपनीओरसे निमित्तमात्र उसमेंरखकर उसके अखिलप्रबंध दाता पुरुषके आधीनरखे क्योंकि दाताके सामीप्य और सामर्थ्यप्रभावसे स्थान के उपलाभआदि फलभी संचितहोकर पहुंचाकरेंगे और यथायोग्य रक्षाभी होसकैगी इसरीतिसे उसदाताके जीतेजीतक तौ निर्वाहठीक होतारहा किन्तु दाताके मरनेपर पुत्रादिक जेकोई उसकेरिक्थीहुये तिनकेहाथमें उसधर्मशालाका प्रबंध पहुँचा कुत्र दिनबीते उनकी नीतिमें जब अन्तरआया तवहीं प्रतिग्रहीताका शिष्यादि जो कोई प्रतिनिधिरहताथा तिसप्रतिनिधिको वेदखलकरके उपलाभोंकाधन अपनेअर्थमें लगानेलगे तौ यह दानका विलोपकिया ऐसादानविलोप चाहे मुख्यदाताके मरनेपश्चि शीघ्र अथवा कईपीढ़ीबीतजानेपरभी हुआहो तौभी यहीसमुझाजाताहै कि मुख्यउसी दाताने निज दानका विलोप किया क्योंकि पुत्रादिक सब रिक्थी जेकोई उसके प्रतिस्थानीहों उसी दाताका रूप समुझे जातेहैं-ऐसादान विलोप कभी होनेमें उसदेश और उस कालका धरणीश मुद्दई होनेका अधिकारी है-क्योंकि (दयंप्रतिश्रुतंचेवद-त्वानापहरेत्पुनरितियाज्ञवल्क्यः) अर्थ इसका १८१ की अधिकोक्ति मध्येदेखो-आर आशय इसका यह कि ऐसाकरना एकडकैतीमें गणनीयहै (इतिप्रतिग्रहविलोपविचारः) इस पाँडे नारद कहतेहैं कि आश्रमियोंका परस्पर कोप जो है सो भी एक नृपाश्रम व्यवहार है अर्थात् (लड़ाईदीनकीयदिहो) और आशय इसका यह कि अग्रजन्तु के दो वचनों में जो राजाको प्रतिषेध है कि आश्रमियों के परस्पर धर्म विवाद में

कदाचित् राजा सहसा हाथ न डारै तिस प्रतिषेधका यह प्रतिप्रसव नारद कहते हैं कि विरलीदशा विशेष में निज राज मुद्दईहोनेका अधिकारी है-इसआशयकास्वरूप सिद्ध करने के प्रयोजनसे उस निषेधकाही रूप पहिलेदेखो यथाहमनुः (आश्रमेषु द्विजातीनां कार्यै विवदतां मिथः । न विब्रूयान्नृपो धर्मचिकीर्षन् हितमात्मनः ३९० ॥ यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ३९१ ॥ इत्यष्टमाध्याये भृगुः) अर्थात्-द्विजाती लोगोंका गार्हस्थ्यादि आश्रमों के विशेष विषयवाला कोई कार्य वा आचार उनके आपस में उत्पन्न होकर उन्हीं के परस्पर ऐसा वादविवाद खड़ाहोवे कि इसबात में यह शास्त्रार्थ है यह नहीं दूसरा पुरुष अन्यरीति से कुछ कहताहो अथवा अमुकआश्रम अमुकवर्णको न लेना यद्दालेना योग्यहै या शैव वैष्णव आदि पन्थवाले निजनिज धर्मों वा आचारोंका कुछवाद विवाद चर्चाकरते हों तो इत्यादि विवादोंमें सदैव राजा अपनी क्षेमचाहताहुआ सहसा कुछ इसभांति की विशेष वार्त्ता नहीं घुसेडै कियह शास्त्रार्थ इसमें रक्खो या न रक्खो किंतु अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहें तैसावेही प्रजालोग अपनेआपसमें निपटारा या वर्त्तावाकरें ३९० कदाचित् राजद्वारतक वे लोग भगडालेकर पहुँचें तौभी ऐसे भगडेको व्यवहार मार्गसे अदालत नहीं चढ़ावै किंतु पहुँचेहुये द्विजातीलोग जिसजिस पूजाके योग्य जो जो समझे जायँ तिनकीवही पूजाकरके राजा विद्वानब्राह्मण जो उसवादमें न हों तिनको साथलेकर पहिले उन भगडालूलोगोंको अतिप्रीति युक्त मधुरवचनोंसे कोपदूर कराकर उन्हें शांतकरै तिसपीछे उनका जो कुछ मुख्यधर्म होसो कोमलतासे समझाकर बोध करादेवै) इसका प्रतिप्रसव जैसा नारदजीने कहा तिसकारूप विशेषभी यह समझलेना योग्यहै कि जबजब कभी वे भगडालू लोग उन्हीं विवादोंमें कुछऐसा दंड उपस्थितकरें कि जिस्सेकिसी आश्रमके या पन्थके मनुष्योंको दुख पीड़ाखड़ी होवे यद्दाहोना संभवहोय या उनके निज आचारोंके कर्तृत्वमें कुछ बिघ्न दिखाईदेवे तो फिरइस प्रतिषेधसे अपेक्षा शेषनहींहै कि राजानिपट न बोले किंतु राजा ऐसेअवसरमें तत्काल मुद्दईवनकर मुख्य अदालतकेही मार्गसे व्यवहार निर्णयकरने और अपराधी वा अभिमानी जनका दंडदेनेका अधिकारी होताहै यह नारदने दर्शाया-यहां द्विजातीशब्द निदर्शनमात्र की अपेक्षालेकर कहाहै इसलिये भिन्नजाती लोगभी सबसमझे जासक्तेहैं किजैसादेश जैसाकालहो इमीप्रकार इसमें आश्रमशब्दभी निदर्शनमात्र की अपेक्षालेकर भिन्नजातियों यद्दा भिन्नदेशियोंके जो पन्थमार्ग हों तिनकाभाव अंगीकारकिया जासक्ताहै अर्थात् जबकोई भिन्नजाती भिन्नदेशी अपनेजाती वा स्वदेशी निजआचारोंके विरोधवाद हेतुने द्विजातीको प्रपीडित करे अथवा करनाचाहै तौभी देशकालका राजा उक्तगीतांसे अधिकारीहै

( इत्याश्रमिणांकोपविवादः ) इसपीछे नारदकहते हैं किवर्णसंकर दोषकी उत्पत्तिवाला कोई भगड़ा किसी प्रकारका भी हो(या) उन वर्णसंकर जातोंके करने योग्य वृत्तियोंका नियम कल्पित करना हो या कुछ पूर्वकल्पित नियमोंकी अपेक्षालेकर वादविवाद उन्हीं जातोंमें उत्पन्न हुआ हो-इनकेभी उपरांत किसीऐसे अद्भुत या अपूर्व वादविवादका व्यवहार खड़ा होवै जो कदाचित्भी ग्रंथोक्त किसीविवादके व्यवहारमें न देखासुना हो सो सब इसीप्रकीर्णकेही रूपमें समझना किंतुराजाहीप्रतिपक्षी इनकाहोताहै-अपूर्व वाद विवादका दृष्टांत जैसे कोई धूर्तपुरुष लड़कीदेनेके नामसे कुछ शुल्कलेकर अपना दास आदि कोई लड़का लड़कीतुल्य सजाकर व्याहिदेवै यद्वा डोलाकीरीतिसे व्याहे बिना समर्पणकरै और वह डोला लेजानेवाला धोखापाकर पीछे राजद्वारमें पुकारकरै तो यह एक अपूर्व व्यवहार जानो एवं कोई पुरुष अपना सिर्फ विवाहकिये पीछे कहींविदेश निकसिजाकर अपनी खबर न भेजै ऐसे कई वर्षों बीतजाने और ससुरारिवाले सासू ससुरा आदि मरजानेपर यदि कोई धूर्त उसीलड़के की अवस्था डीलडौल आदि वाला ऐसा उक्त अवसर पाय आपहीवनि के आवै और उसमुख्य विवाहे लड़केके नामसे यह धोखादेकर गौना करले जाय कि मैं इतनी वर्षों अमुक देश में रहतारहा विद्या संग्रह आदि हेतुसे कुछ खबर न भेजी थी ऐसा यह विश्वासघात होनेपर और भेदइसका खुलनेपर अविलंबित राजमुद्दई होकर तहकीकात आदिदंड दानपर्यंत बिना पुकारके भी हाथ लगानेका अधिकारी है क्योंकि यह भी एक अपूर्व व्यवहार है इत्यादि नानाभांतिसे समझना क्योंकि ( क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते ) यहाँतक यह नारदवाले चारोवचनों का अर्थभी दृष्टांतोंसहित पुराहुआ-अब्र-उन खोपेहुये पुरुषोंकी धनादिक रक्षामें भी राजमुद्दई होना शिवजीकहते हैं कि जिनका ढूँढेसे भीपना न लागै- तथा च ( नृणामुद्देशहीनानां परिवारान्धनानपि । पालयेद्रक्षयेद्राजायावद्वादशवत्सरम् ॥ द्वादशाब्दे गते ते पादं भेदे हान् विदाहयेत् । त्रिरात्राति तत्सुताद्यैः प्रेतत्वं परिमांयेत् ॥ ततस्तत्परिवारेभ्यः पुत्रादिक्रमतो धनम् । विभज्य नृपतिर्दद्यादन्यथापातकी भवेत् ॥ यथागच्छेदनुद्दिष्टो विभागांतेपिकालिके । तस्यैव दाराः पुत्राश्च धनं तस्यैव नान्यथा ) अर्थात्- शिवजीकहते हैं कि हेकालिके देशांतरमें रमिजानेवाले जिनपुरुषोंका कुछपताशिकाना चिट्ठीपत्री आदि किसीप्रकारसे भी न मालूम होय तिनके परिवारों और स्थावर जंगम धनोंका भी पालनरक्षण जैसेकुछ होसकना संभवहो तैसे राजा आप मुद्दई बनकर द्वादशवर्षीयुग पर्यंत करातारहै- वारह वर्षोंतक जो नहीं आवें तिनकी अज्ञानतामें समझकर पुत्रादिक अधिकारी वर्गद्वारा पुत्तलविधिसेकुशकल्पित देहदाहकरवै जिसको नारायण बलिभीकहते हैं फिर तीनिरात्रि वीतेपर प्रेतत्वभी जुड़वावै- निम्न पीछे उनके परिवारोंमें से पुत्रादिकजे कोई धनके अधिकारी ठहरें तिनको यथाविभाज

रीतिसे और कालविवेकसे धन सौंपिदेवै इतना करनेविना पातकी राजाहोय-हेकालि-  
के यदि उक्त विभागधनका होजानेपर भी वह बिनपते ठिकानेवाला आवै तौ भी उसीका  
वह धन है और दारापुत्रादिक भी सब उसका है अर्थात् राजा फिर भी उनको सौंपा  
हुआ धन परिवर्तन करके आयेहुये धनीको देदेवै इसमें क्रियाकर्म होजाने का कुछ  
तर्क वितर्क नहीं है-और-इसही के उपलक्षणवाला आशय अंगीकार करके ईदृक्  
अन्य विवाद जो अपूर्व पैदा होय वे भी राजमुद्दई रूपसे निर्णीत होने सूचित हैं  
दृष्टांत जैसे कोई एक सर्प काटा पुरुष विषसे प्राण घुटिकर मृतक समझाजाने के  
हेतुसे देहांत क्रिया कर्मोंको पहुँचायाजाय परकुछ देवी गति के हेतु ऐसे ढंगसे कि  
जिस्से उसका देह भस्मीभूत न होवै किंतु इसका भी दृष्टांत जैसे केवल जलही में  
प्रवाहि दियाजावै या साधु सन्त होने से समाधि में बैठाराजाय इत्यादि कोई भांति  
जिसका देहरूप जलने नहीं पाया और पश्चात् वही कदाचित् कहीं प्राणों से  
चैतन्यभी होजाय और कुछ कालबीते घरके लोगोंमें आजावै तौ भी दारा पुत्रादिक  
तथा धनादिकमें स्वामित्व उसका सच्चा है अर्थात् देहांत संबंधी क्रिया कर्मोंके होजाने  
वाले तर्क वितर्क इसमें भूठे हैं (और) आशय इसका यह कि यह रूपक निपट अपूर्व  
व्यवहारोंमें गणनीय है इसहेतुसे ही राजवादी होनेका अधिकार इसमें योग्य है इत्यादि  
प्रायः और भी समझने-यह आशय पहिले नारद भी कह चुके हैं कि (नदृष्टं च पूर्वेषु स  
र्वैतत्स्यात्प्रकीर्णके) ऊपरले शिवके वाक्यमें जो काल विवेकसे धन सौंपिदेना कहा ति-  
सका आशय यह कि बारहवर्ष बीते यद्यपि नारायणवलि का होनाकहा परउस बारह  
वर्ष पीछे तक पुत्रादिक जो अप्राप्त व्यवहारकाल वालक समझे जातेहों तो फिर उनके  
तरुण होनेतक पश्चात् भी भूपालधनका रक्षणकरै जिस्से अन्यायी चाचा ताऊआदि  
सपिंड वा अनधैरी कोई धनको लूटि न खायँ-सोई-मनुके वाक्यसे संसिद्ध आगे होता है  
यथा (वालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत् । यावत्सस्यात्समावृत्तोयावच्चातीतशै  
शवः ॥ अपिच-वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासुच । पतिव्रतामुचस्त्रीपुविधवा  
स्वातुरासुच ॥ जीवन्तीनांतुतासां येतद्धरेयुः स्ववांधवाः । ताञ्छिप्याञ्चौरदंडेन धार्मिकः पृ  
थिवीपतिः ) अर्थात्-अनाथ वालक जिनके माता पिता आदि सुहृद् हितू नहीं और  
वे आप अशक्तहों या विद्या संग्रह करनेको विदेश जायँ तिनका दायभाग द्वाग पाया  
हुआ बांट या पूरारिक्थ जो उनको पितृ पैतामह क्रमसे या मानामहआदि किर्मीमेसं-  
प्राप्त हुआहो और इसमें हानिहोनेमध्ये कोई भांति राजा खटकासमभे नोनिज आप-  
वादी बनकर उसकी रक्षा तवतक करवावै जबतक वह विद्या पढ़कर लोट बल्कि वा-  
त्पनसे रहित होकर तरुणभी होजाय (क्योंकि) बहुधा वालक विद्या पढ़ने विनाभी  
निज बालपनमें लोट आते हैं तौ इसका कोई ठीक नियम नहीं समझना किंतु बाल-

पनका दूरिहोना सोरह वर्षकी अवस्था पूरी होनेतक प्रामाण्य यद्यपि ठीकहै पर विर-  
ला बालक सोरहवर्ष तकभी बालपनसे नहीं छूटता तौ उस बालकके निमित्तमें दोषों  
और अधिकभी आवश्यक जानो-औरभी-धनरक्षा जैसी बालक आदिके निमित्तमें  
यह कही तैमे स्त्रियोंकेभी धनकी रक्षाराजावादी बनकरकरै सोई कहते हैं कि (वशा)  
नाम कन्या जिसके ऊपरली विधिके तुल्य कोई धनका रक्षक निपट नहो यद्वा (वशा)  
नाम वंध्या और अपुत्रा जिसके पुत्रन जीतेहों तिसका धन उसदशामें किपतिने अ-  
पना और विवाह करके उक्त दोनोंके निर्वाह योग्य धनदेकर निपट उपेक्षाभाव धारण  
किया हो तबही राजा रक्षाकरै (यद्वा) अपुत्रा जिसके पुत्र निपट नहों या शिशुबालक  
धनकी रक्षामें असमर्थहों और भर्त्तासदा विदेशवासी रहताहो तिसके धनकी रक्षा  
राजा करै एवं (निष्कुला) जिसके कुलमें कोई धनका रक्षक निपट नहो तौभी राजवादी  
बनकर आप रक्षाकरै एवं पतिव्रता जो पतिको अपना इष्टदेव जानि कहीं विदेशमेंभी  
पीछे उसके धनछोड़ दौड़ीजाय तौभी राजवादी बनकर आपरक्षाकरै इसीभांति वि-  
धवा तथा रोगिणीकेभी धनकी रक्षा मध्ये राजमुद्दई होनेका अधिकारी है इसीआशय  
से फिर कहते हैं कि इन स्त्रियोंके जीवतेही यदि कोई भांतिकाधन उनका गैर लोगोंके  
सिवाय दोनोकुलके बंधूलोगभी कदाचित् छलसे या प्रबलतासे कुछ हरें तिनको धा-  
र्मिक पृथिवीपाल चोर तुल्य दंडदेवै ॥ अब योगीश्वरकी विवक्षा आगे वर्णन होगी  
उसमेंभी बहुतेरे वादविवाद भिन्नरूपोंसे दर्शावेंगे कि जिनमेंराजवादी होताहो तिन-  
कोभी दर्शाये हुये चारबीजोंकेही अंतर्भूत समझना क्योंकि उक्त बीजोंका प्रभावमार  
प्रकरणमात्रमें विस्तरित होगा ॥

(ऊनाधिकशासनकल्पकादिजालकाराणांदंडः)

ऊनंवाभ्यधिकंवापिलिखेद्योराजशासनम् । पारदारिकचौरंवामुंचतोदंडउत्तमः ३००॥

अक्ष०—ऊन यद्वा अधिक राजशासन जो कोई लिखे या पारदारिक और चोरोंके  
छोड़ते हुये उत्तम दंड ३०० ॥

अभि०—इस बातका दृष्टांत है कि जैसे राजाका दियाहुआ वसैंडी आदि निबंध  
यद्वा ग्रामक्षेत्र आदि भूमि जोराजमेंसे कोई वा अनेक पुरुष पातेहों तिसको कोई  
अहंकार अपने अधिकारकी घमंडया कुछ लोभ लालच आदि कारणोंसे कदाचित्  
गद्दीदार पलट जाने आदि कोई अवसर पाकर उन्हीं निबंध और धरतियों के  
रिमाण राजशासन के ही तौरसे प्राचीन मुद्रांक आदि प्रमाणको पहुँचाकर किंवि  
कम लिख देय या उनलोगों की रिआयत चाहकर कुछ बढ़ती लिखे कि अग्नि  
गद्दीदार अजानभावमे अब इतना देनेलगे इम अपराधकी व्यवस्था खुलने पर  
अपराधी उत्तम साहस दंडपावे इममेंकेवल राजमुद्दई जानौ और इम एकहीदृष्ट



के अनुसार अनेक और भी इसभांतिके अपराध समझलेने जिनमें कोई भांतिराज-शासन लिखने में छलकियाजाय-ऐसेही वहराजपुरुषउत्तम दंड पावै जिसनेपरदारा गामीजारको या चोरको पकड़ने पीछे किसीलालच से या अपने राज काज की ग-फलत सेही छोड़दिया हो-इसमें केवल राजमुद्दई होताहै कुछ पूर्वपक्षी वादी के होने या न होने पर आवश्यक नहीं ३०० ॥ मिताक्षराकार सिर्फ इसही एक वचन को नृपाश्रय व्यवहार कहकर अगले वचनों को फुटकर भिन्नात्मक मुतफर्रिक व्यवहार नीचे बतलावेंगे ३०० ॥

अधि०-जालसाज अह्लकारोंको सर्वस्वहारतकभी दंडहोना कहाहै-यथाहमनुः(येनि युक्तास्तुकार्येषुहनुःकार्य्याणिकार्यिणाम् । धनोष्मणापच्यमानास्ताग्निस्वान्कारयेन्नृपः॥ कूटशासनकर्तृश्चप्रकृतिनांचदूषकान् । स्त्रीवालब्राह्मणघ्नाश्चहन्याद्विट्सेविनस्तथा ) अर्थात्-जे कोई राजकाजोंके अधिकारी धर्मनिरूपण आदिकिन्हीं कामों में नियुक्तहों और उत्कोचरूपी धनके लाभतेजसे घमंडीहोकर निजअधिकारों के प्रभावसेही दाँव पेचोंको लड़ातेवादीप्रतिवादी आदिकार्यों लोगोंके व्यवहारआदि सब्बेकामोंकोविगाड़ें या झूठेकाम सुधारें तिनकासर्वस्व राजाछीनिकर धनहीन वसनेदेय आशययह किउस अधिकारको भी छीनिले-कूटशासनकी कल्पना करनेवाले जिनकोऊपर योगीश्वरभी कहचुकेऔर प्रकृतियोंके परस्परभेद करानेवाले जिनका चर्चाप्रायः संविद्व्यतिक्रम नामक प्रकरणमें आचुकाहो और भूपालके शत्रुओं की मिलावट आदि सेवा रखने वालेअधिकारी लोग और स्त्रीवालक ब्राह्मणइनका घातकरनेवाले राजसेवी लोगचा-हैंतैसी ऊँचीनीची पदवीवाले हों इनसबको राजा तीव्रदंडोंसेवधकरै-अत्रोक्तऊपरली सहित व्यवस्थाका प्रयोजन कुछकुछ दोसो अरतालिस मूलश्लोक और उसहीकी अधिकोक्ति में भी देखो-बलिक-कर्मभेदके अपराधोंका व्यवहार विशेषआगे तीनसो दशके मूलश्लोकसे दर्शावेंगे सोउसकी भी अधिकोक्ति पर्यंतपाठदेखो ३०० ॥

( अभक्ष्यंखादयितुर्दंडविधानः )

अभक्ष्येणद्विजंदूप्यन्दंडमुत्तमसाहसम् । मध्यमक्षत्रियंवैश्वप्रथमंशूद्रमर्दिकम् ३०१

ऐ०-ब्राह्मणको अभक्ष्य किसीवस्तुसे जो दूषितकरै अर्थात् पूरीपमूत्र आदि व कुमांस आदि अभक्ष्यसे तथैव अन्नपान आदि जोउस विप्रके न खाने योग्यहोतिसे मिलाकर यद्वाकेवल एकवस्तुसेही दूषितकरै किन्तुछलसे या प्रवलतासे खवावै या सन्मुखलेकर दर्पसे दिखलावै कि यहवस्तु तुभेखवाऊँगाइमभांतिका अपराधीउत्तम साहसदंड पावै इसीप्रकार क्षत्रियको यदिकोई दूषितकरै किन्तु खवावै या दिग्बलावै तिसपर मध्यमसाहस दंडहोय इसीप्रकार वैश्यकोयदि कोई दूषितकरै तिसपर पूर्व साहस दंडहोय इसीप्रकार शूद्रकोयदि कोईदूषितकरै तिसपर पूर्वमाहमकाभी आधा

दम कर्तव्य है-यहदंडभेद यद्यपि वर्णभेदसे निरूपणहुआ परंचवस्तुके अनुसारभी व्यवस्था देखीजाय किन्तुलहसुन प्याजआदि जैसीचीज मध्यमउत्तम समुभीजाय तैसाउक्त दंडमें न्यूनाधिकभाव कियाजानाभी आवश्यकहै (और) इसीप्रकार वर्णों में जोपुरुष दूषितहुआ हो तिसकीभी मध्यमता उत्तमताके अनुरूपयथोक्तदंडमें न्यूनाधिक भाव करनायोग्य है (और) इसमेंभी इसभांतिदंड भेदकरना सूचितहै कि जिसने उक्तअभक्ष्य चीजें निपटखवाई हों तिसकोपूरा दंडजो जिसवर्णकी अपेक्षाऊपर कहा सोईलेकर उक्तदंडकी अधिकता हेतु जो खवाईहुई चीजें अतिशयमलिन समुभीजायें तौ कुछमारपीटरूपी बधदंडभी कर्तव्यजानो या बन्धन में अवरोधरखना आदि जैसा रूपक योग्य समुभाजाय और जिसने सिर्फखवाना कहकर आंखिसे दिखलाई हों तिसपर आधादंड कियाजावै-इन अपराधोंमेंभी राजमुद्दई होनेका यहकारण है कि धर्मोंका प्रवर्त्तक तथा रक्षक राजाहोता है और वर्णियोंकी धर्मरक्षा राजाके विश्वासपर आरूढ़है उसधर्मको जोकोईमैटै तिसकाप्रतिपक्षी मुद्दअदार दूषितपुरुष उपस्थित होनेपर भी राजमुद्दईहोवै यहसिद्धांतहै-परन्तु-जिसनेकेवल देहमें अभक्ष्य वा अमेध्यका स्पर्शमात्र कियाहोतिसका राजमुद्दईहोनेसे कुछकामनहीं उसकादंडभी अत्रोक्तविधिसे नहींहोगा किन्तु दोसौअठारह २१८ मूलश्लोक द्वारादंड पारुष्यके व्यवहारसे निपटाराकियाजावैगा सोदेखो उसीस्थलमें-परजिसने वस्तुखवाने या दिखानेके सिवाय मारपीटभी कुछ कियाहो तिसको दोनों प्रकरणके अनुसार दोहरादंड करनाहोगा किन्तु अत्रोक्तदंड विधानकल्पित करनेपीछे दंडावाजी वाले प्रकरणसेभी दंड विचार करनाहोगा ३०१ ॥

अधि०-इसी तीनसौएकवाले मूलश्लोकसे प्रारंभलेकर अगिलेदशग्यारह सभीवचनोंकीअपेक्षा श्रीमद्विज्ञानेश्वरने निजलेख मयअवतरण पंक्ति यहलिखदीहै कि(प्रसंगान्नृपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपिदंडमाह)अर्थात्-उन्होंने सिर्फ एक३००तीनसौकावचनराजमुद्दईकेव्यवहारमें प्रमाण मानिकर दशग्यारह वक्ष्यमाणमूलश्लोकोंकी उत्थानिका रूपइसी पंक्तिमें यहकहाहै कि नृपाश्रयके प्रसंगसे अब जुदे व्यवहारोंका भीदंड आगेकहते हैं (सो) यह उत्थानिका निपट निरर्थकजानो क्योंकि योगीश्वरके विवक्षा न्याय सिद्धासे ये अगिले सभी मूलश्लोक नृपाश्रय में प्रत्यक्ष और स्पष्टसंदेह का कुछ अवसरइनमें नहीं ३०१ ॥

(कूटस्वर्णविमांसविक्रेतृणांदंडाः)

कूटस्वर्णव्यवहारीविमांसस्यचविक्रयी । अंगहीनस्तुकर्तव्योदाप्यश्चोत्तमसाहसम् ३०२ ॥

ए०-(कूटस्वर्ण) कल्पित सोना चांदी आदि तिसका व्यवहार करने वाला को सुनार आदि जानो किन्तु जो रसवेध आदि लोगोंसे भड़कीला पानादिकर अन्यथा

में सुवर्ण का आभास यद्वा चांदीका आभास दर्शित करते हुये भूषण आदि बनाकर बेचें यद्वा राजसिक्के कूटबनाकर उन्हें चलाताहो एवं अन्यचीजों से रत्नादि कूटकर्म से व्यवहारअपना रखता हो-और जो सौनिकआदि कोई दूकानदार जो जो मांसकी दूकान करतेहों कुत्ता आदि अभक्ष्य जीवोंका कुमांस यद्वा मरी भेड़बकारी का भी मांस जो जो मांसखानेवालों के निमित्तमें विमांस निश्चित होयँ तिनका विक्रयकरने वाला कोई सौनिक आदि ये सब अपराधी लोग नाककान हाथ तीन अंगोंसेप्रत्येक अंगहीन भी कर्तव्यहैं और उत्तम साहस दंडभी दिलाने योग्यहैं-इसमें स्वर्ण व्यवहारीशब्द दोनों आशयपर आरूढ़ जानो किंतु बनावै या बनवाकर कोई और चलावै किंच इतनाभेद औरभी आवश्यकहै कि भूषण आदि कल्पितको अकल्पितकेही तुल्य विनाजताये बेचै सो अपराधीहै पर २४५ के बचनानुसार नाणकआदि बनानेवाला सिर्फ बनानेमात्रसे अपराधीहोताहै और बनीहुईको पासरखनेवाला भी ३०२ ॥

अधि०-अत्र-यत्पुनर्मनुनोक्तं-(सर्वकंटकपापिष्टंहेमकारंतुपार्थिवः । प्रवर्तमानमन्या येद्वेदयेल्लवशःक्षुरैरिति तद्देवब्राह्मणराजस्वर्णविषयमिति विज्ञानेश्वराचार्यः ) मिताक्षराकी यहपंक्तिहै पर इसमें न्यायमार्गसे यह ध्यानकरना योग्यहै कि देव ब्राह्मण राजाओंके भी स्वर्णका अपहार एकवार किञ्चिन्मात्रकरने में यह इतना तीव्रदंड निपट असंगत है और मनुके मूलवाक्यों में सामान्यउक्तिहोने से यह तात्पर्य भी निकलता नहीं और मनुमुक्तावली टीकाभी इसबातका प्रमाण नहींदेती है इसलिये यह सामान्यवाक्य उस अपराध विशेषपर आरूढ़है कि जोकोई स्वर्णकार सदैव वाने बंदीसे अभ्यासिक अपनापेशा इसीकुकर्मसे प्रवर्तितरखताहो और वह बारम्बार दंड देनेपरभी छोड़ैनहीं तब यह तीव्रदंड न्यायात्मक समभाजावैगा और यही आशय मनुने इसवाक्यमें निज आपभी ( प्रवर्तमानमन्याये ) और (सर्वकंटकपापिष्टं) इनदो-युक्त प्रयोगों से प्रदर्शितकिया है कुछ इसमें और व्याख्याकरनी संगतनहीं-और उस उक्तस्वर्णकारके कुकर्मभी प्रत्यक्ष फरेव हथचालाकी चीजवदलने यद्वा कूट कल्पित करदेने बालिक राजसिक्के कूट कल्पितकरनेपर्यंत पूरेअपराधोंमें गणनीयहैं-क्योंकि ( तुलाशासनमानानांकूटकृन्नाणकस्यच ) इत्यादि २४५ वाला मूलश्लोक याज्ञवल्क्यने जो साहस प्रकरणमें दर्शाया तिसकाभाव कुछ अत्रोक्त ३०२ के मूलवाक्यमें भिन्नात्मक नहींमानाजासक्ता सिर्फ स्वर्णकारकी पुनरुक्तिका यहकारणहै कि उग्र स्थलमें साहसिकोंकेसाथ कूटसिक्केकारकोभी गिनलेना आवश्यक था और यहाँपर सरकार मुद्देहोसकनेवाला-मुद्दा-लक्षितकरनेके प्रयोजनसे कुमांस विक्रेताकेसाथ उम्को गिनतीकिया और कुछदंडमें आधिक्यभी दर्शाया इसमें राजमुद्देहोनेका विशेष हेतु एक यहभीहै कि जबकोई स्वर्णकार कूटस्वर्ण कल्पितकरनेकी अन्यायिक वृत्तिरक्वै

गा वह क्रम क्रमसे कदाचित् राजसिक्रेकोभी कूटबनावैगा तब राजकोशोंकी समृद्धि में कुछ हानिहोनी संभवहै और ऐसे हानिकारक अपराधीको कुछदंड नहोनेसे उस भाँतिके अनेक औरभी सुनार ऐसाकरनेमें प्रवृत्तहोंगे जिनसे राजकोशोंको निरन्तर हानि पहुँचैगी इसहेतु इनका पहलेसेही शासनकरना सूचित कियाहै कि स्वल्पकूट कर्मोंमें प्रवृत्ति पाईजानेपरभी राज मुद्दईहोकर इनका शासनकरै-ऐसेही कुमांस विक्रेता के प्रतिपक्षमेंभी राजमुद्दई होनेके ये कारणहैं कि प्रथम तौ जो मांसखानेवाले हैं तिन सबहीको कुमांस भक्षणकरवाकर उनकाधर्म नाशकरताहै दूसरे मृतमांसआदि भक्षणके विकारसेभी खानेवालोंके प्राणनाशहोजानेकी आशंकाहै तीसरे प्राणोंके बचिजाने परभी कुष्ठादिक महाभयंकर रोग उनकेदेहोंमें होजानेकी आशंकाहै यह तीनों बातें मनुष्यमारणके अपराधतुल्यहोती हैं इसहेतुसे कुमांस विक्रयहोनेकी समस्यापाई जानेपरभी राजमुद्दईहोकर शीघ्र शासन करै ३०२ ॥

( पथिविचलितहस्त्यश्वरथादीनांदोषादोषौतद्वत्काष्ठपाषाणादीनांतु )

चतुष्पादकृतोदोषोनापैहीतिप्रजल्पतः । काष्ठलोष्टेषुपापाणवाहयुग्यकृतस्तथा ३०३ ॥

छिन्ननस्येनयानेनतथाभग्नयुगादिना । पश्चाच्चैवापसरताहिसनेस्वाम्यदोषभाक् ३०४ ॥

ऐ०-चौपाये हाथी घोड़ा बैल आदि इनका किया अपराध मनुष्यमरजाना आदि इनके उनस्वामियोंपर आरूढ़ नहींहोसक्ता है जो उच्चस्वरसे ऐसाजल्पन करतेजाते हों कि आगेसे हटजाओ मार्गझोड़ो बचिजाओ आदि देशभाषा जैसीहो तथैव(काष्ठ) नाम मुगदरका घुमाना या डंडा सोंटा पटेवाजीसे फिराना वा फेंकना आदि या बहुत लंबीलकड़ी बाँसवल्लीआदि मार्गमें लेजाना एवं (लोष्ठ) कहिये मट्टीका ढेला किन्तु बाँधेहुये गिलोलेआदि जो गुल्ला गुफनीकी रीतिसे चलायेजायँ यद्वा और किसीभाँतिसे चलाने वा गिरानेका कुछकामहो एवं (इषु) कहिये बाण भाला आदि चलाने का यदि अदसरहो एवं (पापाण) पत्थर जो स्थानोंके वनातेहुये चढ़ातेसमय गिराने समय कोई भाँतिसे गिराऊ समझाजावै जहाँ मनुष्यों के निकसनेवाला मार्ग होय इनको आदि लेकर ऐसी और बातोंकोभी समुक्ति लेना इनसे कोई प्राणीमरजाययद्वा घायल होजाय तद्वत् (वाहयुग्य) नाम चलती गाड़ीकी जूअरसे जो दोषहोय किन्तु गड़ डचोका आदि लगनेसे यदि कोई प्राणी गिरजाय वा मरजाय तौ इन चीजोंके चलाने वा फेंकनेवाले आदि वेही इनके दोषकृत अपराधोंसे संयुक्त न होंगे और कुछ दंड न पावेंगे किजो जो ऊँचेस्वरसे बचिजाना हटिजाना आदि जल्पन करतेहों अर्थात्जे कोई ऐसे जल्पनको न करतेहों तिनके चौपायों यद्वा काठ पत्थर ढीमा आदि कामोंसे कुछ हिंसा होयतौ वेदोषभागी होकर दंड पावेंगे(दृष्टान्त)जैसेखच्चर आदि चौपायेकी पीठपर बेंडी सोंट बल्ली आदि रखकर किसी गलीके बीच अधियागी गतिमें

जा चुपके लिये जाताहो उसके सन्मुख कोई बूढ़ा आदि दूधलिये आताहो सो उस लकड़ीकी टकर खाकर गिरजाय उसके चोट आजानेके सिवाय क्षीरपात्र गिरकर फटि जाय तौ इस दशामें वह चुपकेसे अंधियारेमें कुडंग लकड़ीले चलनेवाला हिंसा और नुकसानकाभी दोषी हुआ इत्यादि नानाभाँतिसे दृष्टांत समुभिलेने ३०३ जिसगाड़ी आदि सवारीके बाहन बैल आदिकी रस्सी नाथ नकेल आदि टूटिजावै यद्वा जुआं टूटि जावै या पहिया धुरा कमानी आदि कोई और अंगटूटै जिस्से गाड़ी गाड़ीमानसे बेकाबू होकर पथिकोंके पीछे दौड़े या सन्मुख आकर भिड़जावै यद्वा तिरछी विचलै जिस्से प्राणियोंकी हिंसाहोय तौ उस गाड़ीका स्वामी यद्वा प्राजक पुरुष जोतनेवाला दोषभागी नहीं होगा जो ऊँचे स्वरसे पथिकोंको प्रबोध सावधानी देता जाताहो पर उस दशामें कि जो उसभगी गाड़ीके साथ रहने पायाहो क्योंकि गाड़ी छुटकर तीव्र वेगसे भगिजानेमें प्रबोध करनेकाभी नियम कुछ रहसक्तानहीं तौ भी गाड़ीमानको यहयोग्य है कि भागीहुई गाड़ीके पीछे दौड़ा जाकर पथिक समाजको संबोधित करता जावै तौ धन प्राणआदि कोई हानि उसकी गाड़ीसे होजाने पर भी दंडसेवचिसक्ताहै ३०४ ॥

अधि०-निम्नोक्त दश भाँतिके उपद्रव से उत्पन्न हुई हिंसा और धन हानिमें मुआफ़ीभीहै होसक्ती-तथाचमनुः ( यानस्यचैवयातुश्चयानस्वामिनएवच । दशातिवर्तनान्याहुःशेषेदंडोविधीयते॥ छिन्ननास्येभग्नयुगेतिर्यक्प्रतिमुखागते । अक्षभंगेचयानस्य चक्रभंगेतथैवच॥ छेदनेचैवयंत्राणांयोक्तूरश्म्योस्तथैवच-आक्रंदेचाप्यपैहीतिनदंडमनुरव्रवीत्) अर्थात्-रथ गाड़ी आदि यानको और (यातुर्नाम ) पंथ चलनेवाले यद्वा रथमान आदि जोतनेवाले को और उसयानके स्वामीकोभी निम्नोक्त दशानिमित्त हैं सोदंडके अति वर्तनकहेजाते हैं किदंड और अपराधको उलाँधिकर वे अपना दर्परखतेहैं मन्वादि ऋषियोंने यहकहा पर उनदशोंके उपरांत जोकुछ और प्रकार गफलत आदिसे अपराध हुआ समुभाजाय तिसमें दंड कियाजाता है-दशोंनिमित्त अवदर्शाते हैं किनाथ नकेलआदि टूटिजानेमें जुआं टूटिजानेमें ऊँचीनीचीधरतीकी विपमतामे रथगाड़ी आदि तिरछे विचलिजानेमें या सन्मुख दौड़िपरनेमें धुराकाठकीलके फटिजाने टूटिजानेमें पहिया निकलजाने में यंत्र कमानी आदि किसी कलके ढीलेहोने या चमड़ेके वन्दकोई छिहजानेमें कंधोंके जोत निकलजाने मेंगाड़ीके जोतवाले दोनों रस्से छिहजानेमें और आगेसेहटजाओ वचिजाओ आदि ऊँचाशब्द बारंबार गाड़ी मान हार्थीमानआदि प्राजकलोगोंके पुकार करनेमेंभी जो चौपाये यद्वागाड़ी आदि यानसे कुछप्राणहिंसा या धनहानि भी होजाय तौ उन प्राजकलोगों या न्वामियोंको कुछदंड न होगा ऐसा मनुजीकहगये,क्योंकि ऐसे अवसरमेंउन पथिकोंको भी अपने देहधनकी सावधानी रखनायोग्यथा-परंच-प्राजकलोगोंके निमित्तमें अत्रोक्तदृष्टेनभी

तक होसक्तीहैं कि उनकीकोई गफलतनहीं पाईजाय किन्तु गफलत पाईजानेमध्ये अगिले वाक्यसे योगीश्वर दंडकहते हैं ३०४ ॥

(पूर्वोक्तेष्वपिस्वाम्याद्युपेक्षायांदंडःकार्यः )

शक्तोऽप्यमोक्षयन्स्वामीदंष्ट्रिणांशृंगिणांतथा । प्रथमंसाहसंदद्याद्विक्रुष्टेद्विगुणंततः३०५ ॥

ऐ०-दाढ़वालों तद्वत् सींगवालोंसे पीड़ितको समर्थहोकरभी स्वामीनहीं छुड़ातेहु-  
ये पूर्वसाहस दंडदेवै और विक्रोशहोने में उसदंडसेभी दूनादंड-अर्थात्-जहांकोई स्वा-  
मी कच्चेप्राजकलोगोंसेदांतवाले हाथीआदि या सींगवाले बैल आदिको जुतवाकर  
उनसे प्राणियोंको दुःख मिलतेसमय समर्थ होतेहुये बचावै नहीं उपेक्षा करिकै आप  
भागैतहां अनारी हाथीमान गाड़ीमानसे जुतवानेके अपराधमध्ये पूर्वसाहसदंड देवै  
और जोदुःख पानेवाला घबड़ाकर ऐसा चिल्लायाहोकि हायमारा मुझे बचानातौइस  
भांतिसे चिल्लातेकोभी नहीं बचानेमध्ये उससेदूना दंडदेवै ३०५ ॥

अधि०-मनुने इसपक्षको विशेषव्यौरैवार वर्णन किया है-तथाच(यत्रापवर्ततेयुग्यं  
वैगुण्यात्प्राजकस्यतु । तत्रस्वामीभवेदंड्योहिंसायांद्विशतंदमम्॥प्राजकश्चेद्भवेदाप्तःप्रा  
जकोदंडमर्हति । युग्यस्थाप्राजकेऽनाप्तेसर्वेदंड्याःशतंशतम्॥सचेत्तुपथिसंरुद्धःपशुभि  
र्वारथेनवा । प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्रदंड्योऽविचारितः(अत्रदंडानांपरिमाणम् )मनुष्यमा  
रणेक्षिप्रंचौरवत्किल्बिपंभवेत् । प्राणभृत्सुमहत्स्वर्द्धगोगजोष्ट्रहयादिषु॥क्षुद्रकाणांपशूनां  
तुहिंसायांद्विशतोदमः।पञ्चाशत्तुभवेदंडःशुभेषुमृगपक्षिषु ॥ गर्दभाजाविकानांतुदंडःस्या  
त्पंचमाषिकः।माषकस्तुभवेदंडश्श्वशूकरनिपातने)अर्थात्-जहांअनारीरथमानगाड़ीमा  
नकी निर्गुणतासे यानकहीं विचलै तहां प्राणियोंको पीड़ाखड़ी होनेमें अनारीप्राजकसे  
जुतवानेके अपराध मध्ये स्वामी दोसौपणका दंड दिलानेयोग्य है।कदाचित् वहीअ-  
नारी प्राजकआप मालिकहो तौयहदंड उसीपर आरूढ़होगा-परजोप्राजक रथमान  
आदि शिक्षित कुशलप्रवीण होकर अपनी गफलतसे रथादियानको विचलै जिस्से  
प्राणियोंको पीड़ा या धनहानि खड़ीहोवै तौयह प्राजकही अत्रोक्त दोसौवाला दंडया  
निम्नोक्त और दंडनिजनिज अवसरके अनुरूप दिलानेयोग्य होगा किन्तु स्वामीनहीं  
और भी यहएक विशेष है किजहां सगुणरूप जूअरिपर अनारी कच्चाप्राजक हांकने  
बैठाहोयद्वा निपटऐसा पुरुषहांकने बैठाहो जो प्राजकनहीं कहाताहो और इसदृशा  
में यदिगाड़ी विचलिजानेसे प्राणियोंको कुछ पीड़ाहोय तौउस गाड़ीपर जे कोई और  
मनुष्य बैठेहों तिनप्रत्येकमें भी सोसौपणका दंडलेनायोग्यहै क्योंकि जानिवृभिर्गंम  
यानांपर आरूढ़होना भी अपराधहै यहदंड प्राजकलोगों या स्वामियोंवाले दंडमें  
उपरालू होनाकहा है-कदाचित् गाड़ीमान मार्गमें अनेक पशुओंसे घिरकरयद्वा और  
किरीरथकेही अवरोधसे उसमार्गमें तत्काल गाड़ीलेजानेका अवकाश न मिलनेहुये



मदता और निज गफलतसे रथघोड़ा आदि आगेको बढावै और प्राणियोंको मारि-  
देवै तौ अविचारित किन्तु अवश्यभाव उसको दंड किया जावै ( इन्हीं दंडोंको अब कह-  
ते हैं ) कि एक मनुष्य मारि देने मध्ये शीघ्र ही वह प्राजकचोर तुल्य दंड पावै किन्तु सहस्र  
पणतक दंड उसपर किया जावै परवध दंड उसको नहीं बैल, गऊ, हाथी, ऊँट, घोड़ा आदि  
बड़े चौपाये जो जो अपनी जाति में भी बड़ी कीमतके या उत्तमगुणवाले समुभे जाते हैं  
तिनके मरिजाने में उस दंडसे आधा दंड किन्तु पाँचसौ पणतक दिलवाया जाय-उनहीं  
पशुओंमें जे कोई अपनी जाति में अत्यल्प मूल्यवाले छोटे डीलके और बच्चे आदि या  
इनके तुल्य कोई वनके जीव जिनके नाम इन श्लोकों में नहीं थोड़े मूल्यवाले समुभे  
जायँतिनके मारि देनेमें भी दोसौ पणतक दण्ड दिलाया जाय और पचास पणतक दण्ड  
उत्तमरूप के मृगजीव और पक्षियों के मरिजाने में दिलवाया जाय-शुभरूप के मृग  
जीव किन्तु रुरुपृषत् आदि वनके जीव इनमें बन्दर आदि भी समुभने और शुभ  
रूपवाले पक्षी तोता मैना सारस हंस आदि जानो-एवं गदहा बकरी भेड़ मारि देने  
में भी पाँचमाष दण्ड होवे एवं श्वान शूकर मारि देनेमें भी एकमाष दण्ड होवे ३०५ ॥  
योगीश्वर के अत्रोक्त ३०३।३०४ । ३०५ इन श्लोकों के आशयवाला एक प्रकरण  
यद्यपि सबसे भिन्न किया जाना भी सुयोग्यथा (पर) योगीश्वर ने इन वचनों को अत्रैव  
प्रकीर्णक नाम प्रकरणमें इस हेतु से मिलाया है कि इन अपराधों में मनुष्य मर जाना  
आदि प्राणघात भी हो जाता है कि जिसमें राजमुद्दई होनेकी मर्यादा लोक प्रसिद्ध है  
भिन्नात्मक इसका कल्पित होना योग्य नहीं-और मनु ने यही वार्ता जो अन्यत्र डण्डा-  
वाजीवाले प्रकरणमें मिलाकर वर्णन करी तिसका भी यह कारण है कि यद्यपि डण्डा-  
वाजी के अपराध वेही ठीक हैं कि जिनमें अपराधी ने निज इच्छा सहित डण्डावाजी  
करी हो परञ्च तौ भी जहाँ सवारी आदि से कुछ गफलत वा उपेक्षा करने से विनाश  
होय तिसको भी निज इच्छा सहित करनेमें गिनसक्ते हैं इत्यादि गूढ़ आशय के प्रयो-  
जनसे यह तर्क करनी निपट निरर्थक है कि मनु ने उस प्रकरणमें और याज्ञवल्क्य ने  
इस प्रकरणमें किस हेतु से संयुक्त किया किन्तु कर्ताकी इच्छा भी सर्वत्र सभी नियमों  
पर बलवान् होती है ३०५ ॥

(पारदारिकस्य मुञ्चने गोपनेऽपि च दण्डः)

जारं चौरैर्यभिददन्दाप्यः पंचशतन्दमम् । उपजीव्य धनमुंचन्त देवाष्टगुणकृत्नम् ३०६ ॥

ए०—कोई जार जो जानावूभा सिर्फ जार हेतु किसी के घरमें पैठा हो तिसको जानि  
बूझि घरका मालिक चोर कहने लगे कि अरे चोर निकल दुष्ट ऐसा कहकर उसे भ-  
गानेवाला पाँचसौपण दण्ड योग्य है क्योंकि उसको जारकेही नाम से पकड़ना या  
पकड़ाइ देना योग्यथा कि जिस्से दण्डपाता और निज हाथ को भी ऐसा करने से

फिर खींचसक्ता- और जो कोई किसी जारसे कुछ घूस आदि ढङ्गसे धन खायकर अर्थात् लेकर उसको छोड़िदे तौ उस धनसे उसपर आठगुणातक राजदण्ड दिला-याजाय जितना जारसे लेलियाहो-इसमेंभी प्रत्यक्ष केवल राजमुद्दई होताहै कुछ पूर्व-पक्षी वादी कोई होनेकी अपेक्षा नहीं ३०६ ॥

अधि०-यद्यपि घरवालेपर यह उलटा पाँचसौका दण्ड कोईभाँति से न्यायात्मक नहीं समुभा जासक्ताथा तौभी एक सुदीर्घसा यह कारणहै कि निपट भगानेवाला ढङ्गकिया यह अपराध विशेष जानो किंतु कदाचित् इसी भागने रूपी दशामें वह पकड़ा जाता तौभी चोरोंवाले होढ़ चिह्न उसपर निपट नहोनेसेही चोरीवाला दण्ड विना पाये छूटि जासक्ताथा सो न्यायसे विपरीत होता ३०६ ॥

(राज्ञःप्रतिकूलस्थादीनान्दण्डाः)

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारन्तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मन्त्रस्यचभेत्तारंछित्त्वाजिह्वांप्रवासयेत् ३०७ ॥

ऐ०-राजाका अनिष्ट कहनेवाला किंतु प्रकर्ष सहित बारम्बार राजा के अनिष्ट अप्रिय शत्रुओं की प्रशंसा आदि कहताहो या निज राजाकोही निन्दारूप आक्रोश वचन हमेशा कहाकरताहो या उस राजा के स्वराज वृद्धिवाले मन्त्रोंको तथैव पर-राष्ट्रक्षय कार्यरूपी मन्त्रोंको परिभेदन कियाकरताहो किंतु राजाकेशत्रुओंसे कहदेता हो तिसकी जीभ काटकर निज राज्य से निकासिदेय-इसमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो ३०७ ॥

अधि०-राजकोश हरने आदि महापराधों में वधदण्ड मनु कहतेहैं-यथा (राज्ञः कोशापहर्त्तृश्चप्रतिकूलेषुचस्थितान् । घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणाञ्चोपजापकान् ) अर्थात्-जे कोई दुर्जन ठठ राज कोशागार में से धनको हूरें यद्वा कोशमें रखवाने हेतु आतेजाते धनकोलूटें (और) जेकोई अभिमानी दर्पीले होकर राजा के प्रतिकूल होवें किंतु राजा की यथाचित आज्ञाका व्याघातकरें यद्वा राजके विपरीत हांक शस्त्र उठावें तथा उठाने के प्रारम्भ में पगरोपें यद्वा इसी प्रकार के दर्पीलों के महायदेवें (और) जेकोई मात्सर्यपूरित लोग राजवैरियों को कुमन्त्र देकर उनमें राज में अनपेक्षित वैर विरोधको बढ़वावें या बढ़वानेवाला यत्नकरतेहों इनसबहीको अपराधों के अनुरूप हाथपैर जीभ छेदन आदि नानाभाँति दण्डोंसे तथैव उनका म धनञ्जीन लेनेमें भी देशकाल वस्तुके अनुसार घातकरे-इनमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो-सर्वस्व के अपहार में अग्रेक्त एकछूट नारद कहतेहैं कि-जिसकी जीभ वृत्तिवाले जो उपकरण प्रमिद्धहों तिनको राजा छोड़िदेय इनहीका दण्डान्त जेमें राज धुनाती धनुही मृठिया एवं बद्धके वमूला आदि भवञ्जोजार एवंराजमेंमार्गकीवस्तुके कत्री आदि हरने योग्य नहीं हैं-नदाहनारदः( आयुधानायुधीयानांवाह्यादीनवः

जीविनाम् । वेद्यास्त्रीणामलङ्कारान्वाद्यतोद्यादितद्विदाम् ॥ यच्चयस्योपकरणंयेनजी  
 वन्तिकारुकाः । सर्वस्वहरणेप्येतन्नराजाहर्तुमर्हति ) अर्थात्-शस्त्रोंसे आजीवन करने  
 वाले के आवश्यक शस्त्रोंको और धरती वाहन आदि कर्मों से आजीवन करनेवालों  
 के बाह्य वृषभ आदि सब उपकरणों को और इसीप्रकार वेद्यादि स्त्रियोंके वस्त्रादिक  
 अलङ्कार जिनसे वे नृत्यादि कर्मों से आजीवन करसक्तीहों तिनको और उनलोगोंके  
 सारङ्गी वीणा आदि नानावाद्य वाजनरूप उपकरणों को कि जिनकी विद्या जानिकर  
 आजीवन उनसेकरतेहों एवंतोद्य चाबुक अंकुश आदि जिन उपकरणोंसे प्रत्येकपशु-  
 अंको सुदान्त करनेकी सुधारनी शिक्षा होतीहों तिनको उन्हीं लोगोंसे कि जोजोउन  
 विद्याओंकेजाननेवाले होकर उनसे जीवनअंपनाकरतेहों. इन्हीं उक्तदृष्टांतोंकेअनुरूप  
 जो जो और भी अनेक कारुक लोग निजनिजकारके उपकरणोंसे आजीवन करतेहों  
 तिनके भी उपकरणोंको सर्वस्वहार दंड उनको देनेमेंभी राजाहरनेका अधिकारी नहीं  
 (मथात्रवितर्कशांतिः) जब कि विशेषकर यह नियम निश्चित हुआहै कि आजीवनवृत्ति  
 के उपकरणों को न छीनें तौ फिर किसरीति से सर्वस्वहार दंड होसक्ता होगा क्योंकि  
 प्रायः सभी कारीगरोंके (और) और और पेशेवालों के भी जो कुछ कारहोता उसी  
 कारके औजारोंकी बहुताइत हुआकरतीहै और वही उनकाधन है बल्कि प्रायः ऐसे  
 भी बहुतेरे हुआकरतेहैं कि जिनके उसीसामग्री के सिवाय किसी और भांतिकाधन  
 संचय नहीं तौ उसस्थल में इस दंड का उद्धार क्योंकर कियाजाय-ऐसी आशंका में  
 यह समाधानिक निर्णयहै कि जिनके किसी और धनका संचय नहीं तिनके यद्यपि  
 वही कारीगरी आदि पेशेकी सामग्रीही धन होताहै और धनमें गिनाजाताहै पर तौ  
 भी दंड विधान आदि विरले नियत निमित्तों में वह उक्तसामग्रीधनकी पदवी तक  
 पहुँचाई नहीं जासक्ती किंतु ऐसे अवसरमें धनवही कहाताहै जो उसउक्त सामग्रीके  
 उपरांत जंगम स्थावर कोई भांतिका धन संचित हो और जिसधनमें उस अपराधी  
 का भिन्नात्मक स्वत्व उपस्थित हो किंतु ऐसे अवसरमें उस भांतिका संसृष्टधन भी  
 कुछ सर्वस्वहार में गणनीय नहीं होता जिसके विक्रय आदि वियोगों में स्वातंत्र्य  
 उस अपराधीको न हो जबतक और सब संसृष्टी लोग अनुमति नहीं देंयें जैसायह  
 संसृष्टधन अपराधीके भिन्नात्मक धनमें गिनती नहीं कियाजामक्ता तैसे आजीवन  
 पैदाकरनेकी सामग्रीभी भिन्नात्मक धनमें गिनती नहींहै फिरचाहे उमके औरकुछ धन  
 होय या न हो इसपर कोई तर्क वितर्क नहींहै क्योंकि जिनके कोई भांतिका धन संच-  
 य होगा तव तौ निस्संदेह जव्ती जायदाद करीजावेंगी और जिनके निपट धनका  
 संचयनहीं होगा तिसको जव्ती जायदादके पल्लटे कोई और दंड देश निकामी यद्वा  
 कारागार बंधन आदि कल्पित होगा इसमें कुछ संदेह नहीं और यहदंड प्रनिनिधि-

फिर खींचसक्ता- और जो कोई किसी जारसे कुछ घूस आदि ढङ्गसे धन खाकर अर्थात् लेकर उसको छोड़िदे तौ उस धनसे उसपर आठगुणातक राजदण्ड दिला-याजाय जितना जारसे लेलियाहो-इसमेंभी प्रत्यक्ष केवल राजमुद्दई होताहै कुछ पूर्व-पक्षी वादी कोई होनेकी अपेक्षा नहीं ३०६ ॥

अधि०-यद्यपि घरवालेपर यह उलटा पाँचसौका दण्ड कोईभाँति से न्यायात्मक नहीं समुभा जासक्ताथा तौभी एक सुदीर्घसा यह कारणहै कि निपट भगानेवाला ढङ्गकिया यह अपराध विशेष जानो किंतु कदाचित् इसी भागने रूपी दशामें वह पकड़ा जाता तौभी चोरोंवाले होद चिह्न उसपर निपट नहोनेसेही चोरीवाला दण्ड विना पाये छूटि जासक्ताथा सो न्यायसे विपरीत होता ३०६ ॥

(राज्ञःप्रतिकूलस्थादीनान्दण्डाः)

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारन्तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मन्त्रस्यचभेत्तारंछिन्वाजिह्वांप्रवासयेत् ३०७ ॥

ऐ०-राजाका अनिष्ट कहनेवाला किंतु प्रकर्ष सहित बारम्बार राजा के अनिष्ट अप्रिय शत्रुओं की प्रशंसा आदि कहताहो या निज राजाकोही निन्दारूपआक्रोश वचन हमेशा कहाकरताहो या उस राजा के स्वराज वृद्धिवाले मन्त्रोंको तथैव पर-राष्ट्रक्षय कार्यरूपी मन्त्रोंको परिभेदन कियाकरताहोकिंतु राजाकेशत्रुओंसे कहदेता हो तिसकी जीभ काटकर निज राज्य से निकासिदेय-इसमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो ३०७ ॥

अधि०-राजकोश हरने आदि महापराधों में वधदण्ड मनु कहतेहैं-यथा (राज्ञः कोशापहर्तृश्चप्रतिकूलेषुचस्थितान् । घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणाञ्चोपजापकान् ) अर्थात्-जे कोई दुर्जन ठठ राज कोशागार में से धनको हरें यद्वा कोशमें रखवाने हेतु आतेजाते धनकोलूटे (और) जेकोई अभिमानी दर्पाले होकर राजा के प्रतिकूल होवें किंतु राजा की यथाचित आज्ञाका व्याघातकरें यद्वा राजके विपरीत होकर शस्त्र उठावें तथा उठाने के प्रारम्भ में पगरोपें यद्वा इसी प्रकार के दर्पालों के महायदेवें (और) जेकोई मात्सर्यपूरित लोग राजवैरियों को कुमन्त्र देकर उनमें राज में अनपेक्षित वैर विरोधको बढ़ावें या बढ़वानेवाला यत्नकरतेहैं इनसबहीको अपराधों के अनुरूप हाथपैर जीभ छेदन आदि नानाभाँति दण्डोंसे तथैव उनका सब धनहीन लेनेसे भी देशकाल वस्तुके अनुमार घातकरै-इनमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो-सर्वस्व के अपहार में अग्रोक्त एकछूट नारद कहतेहैं कि-जिमकी जेदम रूँतिवाने जो उपकरण प्रमिद्धहो निनको राजा छोड़िदेय इनहींका दृष्टान्त जेमे राज धनाकी धनुही मुठिया एवं बद्धईके वस्तुना आदि सबओंजार पदंराजमेमार्गोंकी रूँतकी कक्षी आदि हस्त योग्य नहीं हैं-तदाहनारदः( आयुधानायुधीयानांवाद्यादीन्वद

जीविनाम् । वेश्यास्त्रीणामलङ्कारान्वाद्यतोद्यादितद्विदाम् ॥ यच्चयस्योपकरणेनर्जी  
 वन्तिकारुकाः । सर्वस्वहरणेप्येतन्नराजाहर्तुमर्हति ) अर्थात्-शस्त्रोंसे आजीवन करने  
 वाले के आवश्यक शस्त्रोंको और धरती वाहन आदि कर्मों से आजीवन करनेवालों  
 के बाह्य वृषभ आदि सब उपकरणों को और इसीप्रकार वेश्यादि स्त्रियोंके वस्त्रादिक  
 अलङ्कार जिनसे वे नृत्यादि कर्मों से आजीवन करसक्तीहों तिनको और उनलोगोंके  
 सारङ्गी बीणा आदि नानाबाद्य वाजनरूप उपकरणों को कि जिनकी विद्या जानिकर  
 आजीवन उनसेकरतेहों एवंतोद्य चाबुक अंकुश आदि जिन उपकरणोंसे प्रत्येकपशु-  
 श्रोंको सुदान्त करनेकी सुधारनी शिक्षा होतीहों तिनको उन्हीं लोगोंसे कि जोजोउन  
 विद्याओंकेजाननेवाले होकर उनसे जीवनअंपनाकरतेहों. इन्हीं उक्तदृष्टान्तोंकेअनुरूप  
 जो जो और भी अनेक कारुक लोग निजनिजकारके उपकरणोंसे आजीवन करतेहों  
 तिनके भी उपकरणोंको सर्वस्वहार दंड उनको देनेमेंभी राजाहरनेका अधिकारी नहीं  
 (अथात्रवितर्कशांतिः) जब कि विशेषकर यह नियम निश्चित हुआहै कि आजीवनवृत्ति  
 के उपकरणों को न छीने तौ फिर किसरीति से सर्वस्वहार दंड होसक्ता होगा क्योंकि  
 प्रायः सभी कारीगरोंके (और) और और पेशेवालों के भी जो कुछ कारहोता उसी  
 कारके औजारोंकी बहुताइत हुआकरतीहै और वही उनकाधन है बल्कि प्रायः ऐसे  
 भी बहुतेरे हुआकरतेहैं कि जिनके उसीसामग्री के सिवाय किसी और भांतिकाधन  
 संचय नहीं तौ उसस्थल में इस दंड का उद्धार क्योंकर कियाजाय-ऐसी आशंका में  
 यह समाधानिक निर्णयहै कि जिनके किसी और धनका संचय नहीं तिनके यद्यपि  
 वही कारीगरी आदि पेशेकी सामग्रीही धन होताहै और धनमें गिनाजाताहै पर तौ  
 भी दंड विधान आदि विरले नियत निमित्तों में वह उक्तसामग्रीधनकी पदवी तक  
 पहुँचाई नहीं जासक्ती किंतु ऐसे अवसरमें धनवही कहाताहै जो उसउक्त सामग्रीके  
 उपरांत जंगम स्थावर कोई भांतिका धन संचित हो और जिसधनमें उस अपराधी  
 का भिन्नात्मक स्वत्व उपस्थित हो किंतु ऐसे अवसरमें उस भांतिका संसृष्टधन भी  
 कुछ सर्वस्वहार में गणनीय नहीं होता जिसके विक्रय आदि वियोगों में स्वातंत्र्य  
 उस अपराधीको न हो जबतक और सब संसृष्टी लोग अनुमति नहीं दें जैमायह  
 संसृष्टधन अपराधीके भिन्नात्मक धनमें गिनती नहीं कियाजामक्ता तैसे आजीवन  
 पैदाकरनेकी सामग्रीभी भिन्नात्मक धनमें गिनती नहींहै फिरचाहें उमके औरकुछ धन  
 होय या न हो इसपर कोई तर्क वितर्क नहींहै क्योंकि जिमके कोई भांतिका धन सं-  
 चय होगा तव तौ निस्संदेह ज्वती जायदाद करीजावेगी और जिमके निपट धनका  
 मचयनही होगा तिसको ज्वती जायदादके पलटे कोई और दंड देश निकामी यद्वा  
 कारागार बंधन आदि कल्पित होगा इसमें कुछ संदेह नहीं और यहदंड प्रनिनिधि-

फिर खींचसक्ता- और जो कोई किसी जारसे कुछ घूस आदि ढङ्गसे धन खायकर अर्थात् लेकर उसको छोड़िदे तौ उस धनसे उसपर आठगुणातक राजदण्ड दिला- याजाय जितना जारसे लेलियाहो-इसमेंभी प्रत्यक्ष केवल राजमुद्दई होताहै कुछ पूर्व- पक्षी वादी कोई होनेकी अपेक्षा नहीं ३०६ ॥

अधि०-यद्यपि घरवालेपर यह उलटा पाँचसौका दण्ड कोईभाँति से न्यायात्मक नहीं समुभा-जासक्ताथा तौभी एक सुदीर्घसा यह कारणहै कि निपट भगानेवाला ढङ्गकिया यह अपराध विशेष जानो किंतु कदाचित् इसी भागने रूपी दशामें वह पकड़ा जाता तौभी चोरोंवाले होइ चिह्न उसपर निपट नहोनेसेही चोरीवाला दण्ड विना पाये छूटि जासक्ताथा सो न्यायसे विपरीत होता ३०६ ॥

(राज्ञःप्रतिकूलस्थादीनान्दण्डाः)

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारन्तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मन्त्रस्यचभेत्तारंछिन्वाजिह्वांप्रवासयेत् ३०७ ॥

ऐ०-राजाका अनिष्ट कहनेवाला किंतु प्रकर्ष सहित बारम्बार राजा के अनिष्ट अप्रिय शत्रुओं की प्रशंसा आदि कहताहो या निज राजाकोही निन्दारूप आक्रोश वचन हमेशा कहाकरताहो या उस राजा के स्वराज वृद्धिवाले मन्त्रोंको तथैव पर- राष्टक्षय कार्यरूपी मन्त्रोंको परिभेदन कियाकरताहो किंतु राजाकेशत्रुओंसे कहदेता हो तिसकी जीभ काटकर निज राज्य से निकासिदेय-इसमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो ३०७ ॥

अधि०-राजकोश हरने आदि महापराधों में वधदण्ड मनु कहतेहैं-यथा (राज्ञ- कोशापहर्त्तृश्चप्रतिकूलेषुचस्थितान् । घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणाञ्चोपजापकान् ) अर्थात्-जे कोई दुर्जन ठठ राज कोशागार में से धनको हूरें यद्वा कोशमें रखवाने हेतु आतेजाते धनकोलूटें (और) जेकोई अभिमानी दर्पीले होकर राजा के प्रतिकूल होवें किंतु राजा की यथाचित आज्ञाका व्याघातकरें यद्वा राजके विपरीत हाँक शस्त्र उठावें तथा उठाने के प्रारम्भ में पगरोपें यद्वा इसी प्रकार के दर्पीलों के महायदेवें (और) जेकोई मात्सर्यपूरित लोग राजवैरियों को कुमन्त्र देकर उनसे राज में अनपेक्षित वैर विरोधको बढ़वावें या बढ़वानेवाला यत्नकरतेहैं इनसबहीको अ- राधों के अनुरूप हाथपैर जीभ छेदन आदि नानाभाँति दण्डोंसे तथैव उनका सब धनञ्जीन लेनेमें भी देशकाल वस्तुके अनुसार घातकरें-इनमें भी प्रत्यक्ष केवल राज मुद्दई जानो-सर्वस्व के अपहार में अश्रोक्त एकछूट नारद कहतेहैं कि-जिसकी जीभ वृत्तिवाले जो उपकरण प्रमिद्धहैं तिनको राजा छोड़िदेय इनहींका दृष्टान्त जेमें नर कुनाकी धनुही मठिया एवं बड़ईके वमूला आदि सबआजार एवंगजमेंमार्गकीकुम्ब चन्नी आदि हरने योग्य नहीं हैं-नदाहनारदः( आयुधानावुधीयानांवाद्यादीनयद्य



जीविनाम् । वेद्यास्त्रीणामलङ्कारान्वाद्यतोद्यादितद्विदाम् ॥ यच्चयस्योपकरणंयेनजी  
 वन्तिकारुकाः । सर्वस्वहरणेप्येतन्नराजाहर्तुमर्हति ) अर्थात्-शस्त्रोंसे आजीवन करने  
 वाले के आवश्यक शस्त्रोंको और धरती वाहन आदि कर्मों से आजीवन करनेवालों  
 के बाह्य वृषभ आदि सब उपकरणों को और इसीप्रकार वेद्यादि स्त्रियोंके वस्त्रादिक  
 अलङ्कार जिनसे वे नृत्यादि कर्मों से आजीवन करसक्तीहों तिनको और उनलोगोंके  
 सारङ्गी बीणा आदि नानावाद्य वाजनरूप उपकरणों को कि जिनकी विद्या जानिकर  
 आजीवन उनसेकरतेहों एवंतोद्य चाबुक अंकुश आदि जिन उपकरणोंसे प्रत्येकपशु-  
 अंको सुदान्त करनेकी सुधारनी शिक्षा होतीहों तिनको उन्हीं लोगोंसे कि जोजोउन  
 विद्याओंकेजाननेवाले होकर उनसे जीवनअपनाकरतेहों. इन्हीं उक्तदृष्टांतोंकेअनुरूप  
 जो जो और भी अनेक कारुक लोग निजनिजकारके उपकरणोंसे आजीवन करतेहों  
 तिनके भी उपकरणोंको सर्वस्वहार दंड उनको देनेमेंभी राजाहरनेका अधिकारी नहीं  
 (मथात्रवितर्कशांतिः) जब कि विशेषकर यह नियम निश्चित हुआहै कि आजीवनवृत्ति  
 के उपकरणों को न छीने तौ फिर किसरीति से सर्वस्वहार दंड होसक्ता होगा क्योंकि  
 प्रायः सभी कारीगरोंके (और) और और पेशेवालों के भी जो कुछ कारहोता उसी  
 कारके औजारोंकी बहुताइत हुआकरतीहै और वही उनकाधन है बल्कि प्रायः ऐसे  
 भी बहुतेरे हुआकरतेहैं कि जिनके उसीसामग्री के सिवाय किसी और भांतिकाधन  
 संचय नहीं तौ उसस्थल में इस दंड का उद्धार क्योंकर कियाजाय-ऐसी आशंका में  
 यह समाधानिक निर्णयहै कि जिनके किसी और धनका संचय नहीं तिनके यद्यपि  
 वही कारीगरी आदि पेशेकी सामग्रीही धन होताहै और धनमें गिनाजाताहै पर तौ  
 भी दंड विधान आदि विरले नियत निमित्तों में वह उक्तसामग्रीधनकी पदवी तक  
 पहुँचाई नहीं जासक्ती किंतु ऐसे अवसरमें धनवही कहाताहै जो उसउक्त सामग्रीके  
 उपरांत जंगम स्थावर कोई भांतिका धन संचित हो और जिसधनमें उस अपराधी  
 का भिन्नात्मक स्वत्व उपस्थित हो किंतु ऐसे अवसरमें उस भांतिका संसृष्टधन भी  
 कुछ सर्वस्वहार में गणनीय नहीं होता जिसके विक्रय आदि वियोगों में स्वातंत्र्य  
 उस अपराधीको न हो जबतक और सब संसृष्टी लोग अनुमति नहीं दें जेमायह  
 संसृष्टधन अपराधीके भिन्नात्मक धनमें गिनती नहीं कियाजामक्ता तैसे आजीवन  
 पैदाकरनेकी सामग्रीभी भिन्नात्मक धनमें गिनती नहींहै फिरचाहे उमके औरकुछ धन  
 होय या न हो इसपर कोई तर्क वितर्क नहींहै क्योंकि जिनके कोई भांतिका धन सं-  
 चय होगा तब तौ निस्संदेह ज्वन्ती जायदाद करीजावेगी और जिनके निपट धनका  
 मंचयनही होगा तिसको ज्वन्ती जायदादके पल्ले कोई और दंड देश निकार्मा यज्ञ  
 कारागार बंधन आदि कल्पित होगा इसमें कुछ संदेह नहीं और यहदंड प्रनिनिधि-

रूपी पलटा उसीन्याय से संसूचित है कि जैसे जिसपर एकसहस्र पणका उत्तमसाहस दंड यद्वा पांचसौपण वाला मध्यम दंड शास्त्रके अनुसार निश्चित हुआ हो वह अपराधी निपट अकिंचन होनेके हेतुसे इसदंडको देसकने में असमर्थ हो तिसको निस्संदेह कारागार बंधन आदि कोई दंड जो निर्णीतदंड केही तुल्य समुभाजवै कियाजावैगा परंच जीवनवृत्ति पैदाकरनेकी सामग्री उसकी निर्धनतापरभी छोड़ि देने योग्य होगी अथवा विरले स्थल जिसके सामग्रीमें संख्यादि परिमाणों से बहुताइत ऐसी हो कि निर्धनता के होनेपरभी उन उपकरणों से सधनतासीप्रतीत होतीहो तो भी अपराधों की उत्कटता में आवश्यक जानिकर यह डौल कुछ अन्याय नहींहै कि उन उपकरणों में से सिर्फ उतनी सामग्री उसको छोड़िदीजाय जिस्से ठेठ कुटुंब के परिपालन करसकने योग्य जीवन वृत्ति पैदा होसकी हो चाहे उसके पुत्रादि कोई और करने वालेहों या वह आपही प्राणांतिक दंडकी अवस्था को न पहुँचाहो यद्वा थोड़ी अवधिवाला कारागार निरोध दंड भोगे पीछे घरको आना संभव हो सर्वथा उसके गृहजन मात्रका परिपालन भंग न होनेपावै अथवा जिस अपराधीके स्थावर जंगम कोई भांतिकी धन बहुताइत हो और सर्वस्वहार दंड उसको मृत्यु सहित या वनवास पूर्व निश्चित होकर दियाजावै तिसके ठेठ कुटुंब आदि पाल्य वर्गोंकी आजीवन वृत्ति जैसी उत्तमता या मध्यमता से निज उसके द्वारा पहले होतीहो तथैव धन का हर्ता राजाभी प्रकल्पित करै (योयस्यधनहर्तास्यात्सतद्धर्माणिपालयेत् । मरुक्षेत्रियमांस्तस्यतद्बंधनपरिपालयेत्) या यदि केवलही सर्वस्वहारहोकर उसकेप्राणों और स्वस्थान वासकी मुआफ़ी हुई हो तो इसदशा में आजीवन वृत्ति पैदाकरसकने वाले सब उपकरणों को सामग्री सहित राजा छोड़िदेवै किंतु उनमें से कुछ एक भी न छीनै क्योंकि उसके धनकी बहुताइत छीन लेनेपरभी उपकरणों की बहुताइत विना वह अपराधी अपने पाल्यवर्गोंका परिपालन फिरभी करसकनेमें असमर्थ न होनेपावै-सो यह नियमभी अग्रोक्त दो दशाओंके उपरान्तमें सर्वत्रसमुभना किन्तु एकतो यहदशाहै कि जिन उपकरणोंसे अपराधकरताहो दृष्टान्त जैसेचार जिन अजारोंसे सदैव चोरीकरताहो यद्यपि उसकेभी आजीवन वृत्तिकी सामग्रीमें यह निनतीहै परंच इनको छोड़िदेना योग्यनहीं दूसरी वहभी एकदशासमुभनी जिनमें अपराधोंके विलक्षणरूप उपस्थितहोनेमें कदाचिन् किसी अपराधी के कुटुंबको दंडदियेजानेवाला न्याय निश्चितहोय तोफिर उपकरणोंकेभी छीनलेने यद्वा छोड़िने का कुछ नियम नहींहै (पर) तात्कालिक अवसरके आधीन जैमायोग्यहो सो होसकत है-इसी व्यवस्थाका मुख्यात्मकल्प जो नामान्य मर्यादामें गणनीय और सर्वत्रवर्तीवाकरनेयोग्यहै सो देखो आगे प्रभिन्नव्यवहारोंकी समाप्ति होने पश्चात् (सर्वत्र)

द्विविधिशेषप्रकारनामक) पाठ विशेषवर्णनहोगा तिसमें मनुके दो श्लोकोंसे व्यवस्था सिद्ध होगी (इतिवितर्कगांतिः) अथात्रब्राह्मणपक्षे-नशारीरोब्राह्मणस्यदंडइतिनिषेधाद्ब्रह्मस्थानेशिरोमुंडनादिकंकर्तव्यम् (ब्राह्मणस्यवधोमौड्यंपुरान्निर्वासनांकने । ललाटेचा भिशस्तांकंप्रयाणंगर्दभेनतु इतिमनुस्मरणात्) ३०७ ॥

( राजयानासनारोहादिराजक्रीडायांदण्डःमृतांगलग्नवस्तु विक्रेतुर्गुरोस्ताडयितुश्चतत्तुल्यत्वात् )

मृतांगलग्नविक्रेतुर्गुरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोहेदण्डउत्तमसाहसः ३०८ ॥

ए०-मरेमुर्दा के शरीर से उतरेहुये वस्त्र पुष्पादि किसी चीजको जो कोई किसी उत्तमकेहाथ विनाजताये बेंचै या बाजारमें रखकर सब सामान्य सौदाओंकीसीभाँति बेंचै-और जोकोई पिता माता आचार्य आदि गुरुओं को मारै पीटै और जो कोई राजाकी अनुमतिविना उसके हाथी, घोड़ा आदि सवारी तद्वत् आसन किन्तु सिंहासन, कुरसी, चौकी आदि जो जो राजआसन समझे जातेहों तिनपर बैठेजावै तिनको उत्तम साहस दंडहोवै-इतने इन अपराधोंमें सरकार मुद्दईजानो किन्तुयद्यपि कोई पूर्वपक्षी वादी इनमेंहो या नहो तौभी राजमुद्दई होता है ३०८ ॥

अधि०-काल्यायनभी विशेषतासे इसपक्षको दर्शाते हैं-यथा ( राजक्रीडासुयेसक्ताराजवृत्त्युपजीविनः । अप्रियंचास्ययोवक्तावधत्तेषांप्रकल्पयेत् ) काल्यायनके इसवचनका अर्थांश कुलकुल याज्ञवल्क्यजीके ऊपरलेनिचले दोवचनोंसहित तीनोंवाक्यमें संसृष्ट है-अर्थात्-जेकोई धनवान् आदि राजक्रीडाओंमें संसक्त होनेलगेकिन्तु इनके दृष्टान्त जैसे नक्कारा धौंसा चोव निशान आदि चिह्नों सहित सवारीलेकर राजधानी आदि उनस्थानोंमें निकसैं जिनमें ऐसाकरनेका प्रतिषेधहोय यद्वा राजमुकुटके तद्रूप मौलिचिह्न शिरपरधारण किये निकसैं यद्वा राजयान वाहनकेहीतुल्ययान वाहन अपना कल्पितकरैं एवं जो जो चिह्न विशेष राजक्रीडा सम्बन्धी होतेहों तिनमें किसी चिह्न का प्रतिरूप उतारैं इतना अर्थ प्रयोजन तौ योगीश्वरके अत्रैव तृतीयपादसे सम्बन्धरखताहै (और) जेकोई राजवृत्तिसे उपजीवन अपना कल्पितकरैं इनकेभी दृष्टान्त जैसे छोटैमोटे ठाकुर आदि ग्रामाधीश जिनको राजसे उसकर्मकी अनुज्ञा नहींप्रामिद्ध होवै उसभाँतिसे जगाति वा उतराई आदि कोई राजकरभी लेनेलगे जेमाराराजका अधिकारहै इत्यादि कोई और वृत्ति विशेष जिसको निज निज देशकालका अधिकारी राजाकरताहो जैसे रेल डाक आदि तिसको कोई राज अनुज्ञाविना म्यन्त्रकरनेलगे इतना अर्थ यहभी उसी तृतीयपादकी विशेषतामें गणनीयहै-और जो कोई राजाका अप्रियवक्ताहोय इसकेभी दृष्टान्त जेमेजो जो अर्थ योगीश्वरने उपरले ३०७

वाले मूलश्लोक पहिलेपादमें दर्शाये सो सब समुभलेने एवं ३०६ वाले मूलश्लोक द्वितीयपादसे जो अर्थ आगे वर्णनहोंगे तिनकोभी अत्रैव समुभिलेना इन सबकर्मों में जेकोई एकदोभी कर्म करनेलगे तिनकोउस अपराधके अनुसार जैसा योग्यहो वधदंड कल्पितकरै-यद्यपिइसमें वधशब्द यहसामान्य देहदंडों या प्राणांतिक दंडका भी बोधकहै तथापि कुछ नियमात्मक नहीं समुभना किंतु उत्तम साहसके उपलक्षण में भी समुभिलेना क्योंकि प्रायःउक्त कामोंके अपराधमें सर्वत्रही प्राणांतदंडयद्वादेह दंडहोना निपट असंगतहै इसीलिये उत्तमसाहसके उपलक्षणमें समुभनेसे फल सिद्धियह उत्पन्नहोतीहैकि उत्तमसाहस दंडकहनेसेहीपांचसौपणकेउपरांत एकसहस्र-तकजोचाहौ सो विकल्पभी होसक्ताहै और पूरेएक सहस्रपणभी लियेजासक्तेहैं और उसकेसाथ अपराधोंकी विशेषता पाईजानेपर वधबंध आदिदेह दंडभी होसक्ते हैं इसलिये जैसा थोड़ाघना जोकुछ अपराध समुभाजाय तैसावध पर्यंतदंड करसकने की गुंजायशमात्र विद्यमानहै कुछनिपट वधकरदेनाही सिद्धांतनहींक्योंकि प्रायःदंडों की कल्पनामें यहएक विशेषरीतिहै कि पहले कानताते करनेके निमित्तसे दोएकवार छोटेमोटे अपराधमें कुछथोड़ा दंडदेकर उसको शिक्षाकरी जावै जिस्सेआगेको उन कामोंसे निजहाथ खींचै परयादि ऐसाहोनेपर भी हाथनखींचै तिसकोक्रमसे दंडवृद्धि होतीजावै किन्तु बिरलेही अपराध ऐसेढंगसे कियेजातेहैं कि जिनमेंसबसे पहिलेती-ब्रदंड या प्राणांतदंड देनापरै.इसीप्रयोजनसे कात्यायनके अत्रोक्तवाक्यमें वधशब्दका प्रयोगहै संदेह नहींकरना-(अथपाठांतरचर्चा) इसीतीनिसौ आठवाले मूलश्लोकमें जो चौथापाद द्विपाठसे पाठांतर वर्तमानहै.द्विपाठइसमें लिखनेका यहकारणहै कि बीर-मित्रोदय नाम ग्रंथजो मुद्राक्षरीय संस्कृत यंत्र कलकत्ता खिदिरपुर में कभी पहलें शुद्धिकर मुद्रितहुआ तिसमें ( दंडोमध्यमसाहसः )यहपाठ मुद्रित पायागया.मिताक्ष-राजो दोतीन पुस्तक भिन्नछापों और प्राचीनहस्तलेखकी इकट्ठीहोकर यहांशोधन-ई तिसमेंसभी पुस्तकोंके अनुसार (दंडउत्तमसाहसः )यहपाठ वर्तमानहै परयह निर्णयहोना दुर्घटहै कि योगीश्वरने निजमुखसे दोमें कौन पाठबोलाथा और कौनमा-विद्वानों के विनोदसे पाठांतर हुआहोगा क्योंकियहां पहले तीनपादोंमें अपराधोंके स्वरूप जोजोकहे तिनकी गुरुता लघुतामें कदाचित् उत्तमसाहसही न्यायात्मक स-मुभाजाता है कदाचित् मध्यमसाहस दम तुल्यात्मक पायाजाताहै.इसलिये देशक-लके अनुरूप जहां जैसान्याय करनायोग्य समुभाजाय बुद्धिविचार परयहचोट ई पाठान्तरके निर्णायक हेतुमिलसकने या न मिलनेसे कुछहानिका सिद्धांतनहीं ३०६

( परनेत्रयोर्भेदने.राज्ञोऽनिष्टकथनेदंडेऽशूद्रम्यत्रविप्रवृत्तिकरणे )

दिनेत्रभेदिनोगजडिहाडेगहनस्तया । विप्रवृत्तचशूद्रम्यजीवनाऽष्टातोदमः ३०१ ॥

ऐ०-दोनोंनेत्र भेदीको तथैव राजमें कुछ द्विष्टादेशकरनेवाले को और शूद्रको विप्रत्व से आजीवन करतेहुये आठसौका दण्ड है-अर्थात्-जो कोई क्रोध आदि से पराये दोनोंनेत्र फोड़िदेवे तौ यहकर्म सब अपराधों से विलक्षण साहस होनेके हेतु से सरकार मुद्दईहोना इसमें सूचितहै उसन्यायसे कि जैसे किसी मनुष्यका बधहोनेमें सरकार मुद्दई होतीहै और दण्ड इसका आठसौ पणकहे-एवं जो कोई पुरुषज्योतिषी होकर जो राजाकाहितकर्ता अधिकारी गुरु पुरोहित आदि में नहो और वह राजाके विनवृत्ते सत्यविचार से भी ऐसा द्विष्टादेश कहने लगै कि अबके वर्षमात्र या वर्षीत आदि अमुक अवधितक तुम्हारा राज्य भ्रष्ट होगा यद्वा देह पातहोगा यद्वा अमुक प्रियतम तथा प्रधान मंत्री आदिका वियोग होगा इत्यादि कोई और अनिष्ट बात सूचन करने लगै तिसपर आठसौ पणदंड हो इसमें भीप्रत्यक्ष केवल राजमुद्दईजानो किसी अन्यवादीका संसर्गनहीं-एवं यदि कोई शूद्र जाति होकर भोजन करने आदि निमित्तों से जनेऊ आदि चिह्न विशेष धरण करिकै ब्राह्मणके अनुरूप जीवन वृत्ति करनेलगै तिसपर आठसौ पणदंडहो इसमें भी सरकार मुद्दई होनेकायह कारणहै कि लोभी शूद्र जातें ब्राह्मणवनकर देश विदेशों में त्रैवर्णिकसे पादागर्घ्यआदि पूजाकरवाकर धर्म लोपकरनेपर उतारू होंगे और उसधर्मका अधिकारी तथा सर्वदा रक्षक एकराजा हैइसहेतुसे वह आप मुद्दई हो कर उनको धर्मविलोपसेनिवारणकरै ३० ६ ॥

अधि०-अत्रशूद्रपक्षविशेषयतिकत्यायनः-यथा(प्रब्रज्याधिगतंशूद्रंजपहोमपरंतथा। वधेनशासयेत्पापंदंभ्योवाद्दिगुणंदमम् )योगीश्वरनेइस तीनसौनोंवाले मूलश्लोकमें जोनेत्र फोड़िदेना कहा तिसकोदोसौ पञ्चीसवाले मूलश्लोकसे पुनरुक्ति नहींसमुभनी क्योंकि वहां डंडाबाजीके व्यवहारमध्ये केवलएक नेत्रकाअपराध कहकर उसका दंडमध्यम साहस पांचसौ चालीस पणतकउस अपराधके अनुरूप दर्शित किया था कि जितनी पीड़ा अथवाहानि एकनेत्र में उत्पन्नहुई हो और वह पीड़ित आँखिवत्ला पुरुषमुद्दई बनकर नालिशकरने आवै तवहीदंड दिलायाजाय राजमुद्दईहोने का कुछ कामनहीं(किंतु)यहांदोनों नेत्रनिपट विनाशकरनेका अपराधविशेष छंटिकर सरकार मुद्दईहोनेके अपराधों में दर्शायाहै कि चाहे फूटीआँखोंवाला अपनेआप मुद्दईहो या नहो तौभी राजमुद्दई होकर इसव्यवहार का निर्णीतकरावे क्योंकि निपट आँधेका अवशेष जन्म निरर्थकजाता है और इसीमे अत्रोक्तदंड पूरेआठसौका नियतकिया है कि इसमें कभी मध्यम उत्तमदंडोंके अनुरूप न्यूनमन्व्याकल्पितकरनेका अवकाश नहीं पायाजाय बल्कि आठसौकेसाथ(तदंगच्छेदइत्युक्तोदंडउत्तममाहमः) इसन्यायसे भी राजाको स्वातंत्र्यहै कि अंधाकिये पुन्यकी उत्तमता आदि किमीकारण के प्राबल्य से यदि योग्य समुभे तौ अपराधी को कुछ हस्तच्छेदन आदि देहदंड

भी बढ़ावे(इतिसर्वसामान्यवर्णज्ञातीनांनियमः)अथशूद्रस्यापराधविशेषेदण्डाधिक्यंत  
त्रविज्ञानेश्वरः-(श्राद्धभोजनार्थमेवविप्रवेशधारिणःशूद्रस्यतप्तशलाकयायज्ञोपवीतवद्  
पुण्यालिखेदितिस्मृत्यंतरोक्तन्द्रष्टव्यं पुनर्दृष्ट्यर्थयज्ञोपवीतादिब्राह्मणालिंगधारिणोवध  
एवद्विजातिलिंगिनःशूद्रान्घातयेदितिस्मरणादितिमिताक्षराकारःसर्वंगदति)३०६ ॥

(दुर्दृष्टव्यवहाराणांपुनर्दर्शनेनियमःअन्यथाव्यवहारदर्शिनांदण्डश्च)

दुर्दृष्टांस्तुपुनर्दृष्ट्वाव्यवहारान्नृपेणतु । सभ्यास्सजयिनोदंड्याविवादाद्विगुणन्दमम् ३१० ॥

ए०-दुर्दृष्ट व्यवहारोंको फिर देखकर जय पानेवाले सहित सभ्यलोग नृपसेदंड-  
नीय हैं विवाद से भी दूनादण्ड-अर्थात्-राग लोभ आदि से जे कोई अहेलकारलोग  
जिन व्यवहारों को विगाड़ें किन्तु स्मृति और आचार की मर्यादों से विपरीत विचारों  
जिससे भूँठीजितै सच्चाहारै यद्वा महापराधी दण्ड पानेसे बचिजायँ तौ इसभाँतिके  
सन्देहमय व्यवहारों को फिरनिर्णयसे तजवीजसानी करवावै यद्वा राजा अपनेआप  
देखभालकर निर्णीतकरै और उन सभ्यों को कि जिनकी लाग लपेटवाले दोष पाये  
जायँ भूँठीजय करिपानेवाले पक्षी सहित दूनादण्ड उस परिमाण से प्रत्येक दिलाये  
जायँ जितना दण्ड उसीविवाद में पराजित होनेवालेपर आवश्यकथा-इसमें भी इस  
भाँति से सरकार मुद्दई जानो किंतु जब जब कभी जालसाजी से व्यवहार विगाड़  
जायँ तब तजवीजसानी के अनुसार जिनकेदोष पायेजायँ तिनके दोषोंका मुकद्दमा  
जुदा विचार करने और दोषियों को फिर दण्ड देने में भी केवल राजमुद्दई होनेका  
नियमात्मक एक धर्म है ३१० ॥

अधि०-मनुने भी योगीश्वर के इसवचनवाला पक्ष वर्णन कियाहै-यथा(अमात्याः  
प्राड्विवाकोवायत्कुर्युःकार्यमन्यथा । तत्स्वयंनृपतिःकुर्यात्तान्सहस्रंचदण्डयेत्)अ  
र्थात्-राजाके अमात्यलोग यद्वा प्राड्विवाक लोग जो व्यवहारों के विचारमें नियुक्त  
होकर जिस व्यवहार को अन्यथा निर्णयकरें किंतु अच्छीभाँति नहीं विचारें तिमको  
राजा अपने आप निर्णयकरै और उन उक्तविचार कर्ता लोगों को प्रत्येक सत्रव  
पणतक दण्डदेवे-अत्रोक्त मनु योगीश्वरवाले इन्हीं दोनों वचनोंका यह तात्पर्य हैकि  
रिशवत घूसलेने पानेविना जो व्यवहार विगाड़ेहों यद्वाधर्मशास्त्रकी अनिगूढ़ मर्या  
दोंका विवेक अपनीबुद्धिकी दुर्बलता या प्रमादसेही समुभेविना विगाड़ेहों यद्वा रा  
प्रानि नय हेतुक आदि लक्षण मे विगाड़ेहों तिनकी यह मर्यादा जानो-क्योंकि इ  
त्कोच लेकर जो व्यवहार विगाड़ें तिनका चर्चा पूरे तीनमौकी अधिकांति में  
मनुके दो वाक्यलिखे तिनहीं में होचुका-कदाचित्-साक्षियोंकेही दोष प्रपञ्च  
मे मुकद्दमा विगडाहो तब उन सारी लोगोंको अपराध के अनुरूप दण्डदेवे कि  
सभ्यों या उन विजयी को फिर नहीं-बलिक जिममें कृष्ट प्रपञ्चवाला साक्ष्य मनु



जाय तिसव्यवहार को भी सिद्धहोनेविना निवर्तित करके फेरि निर्णयकरै-तदाहमनुः  
 ( यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतम् भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्त्तितं कृतञ्चाप्यकृतम् भवेत् )  
 अर्थात्-जिस जिस किसी विवाद में कुछ कूट साक्ष्यकिया प्रतीतहोवे तिस तिस  
 कार्यको बिनपूरेहुये निवर्तितकरै पर जो कोई कूट साक्ष्यवाला कार्य पूरे निर्णयकोभी  
 पहुँचाहो सो भी अकृत माना जाकर फिर के निर्णयहोय ( अथपुनरुक्तिप्रसंगनिराकरणम् )  
 तत्रविज्ञानेश्वरः ( अप्राप्तजेतु दंड विधि परत्वाद्बचनस्य रागाल्लोभादित्यादि नाश्लो  
 के नापौनरुक्त्यम् ) अर्थात्विज्ञानेश्वरने इसपांक्ति से यहकहाहै कि व्यवहाराध्याय के  
 प्रारंभ चौथे मूलश्लोक मेंभी सभ्यों को तद्रूप यही दंड इसी दोष मध्ये याज्ञवल्क्य  
 जी कहचुके हैं और यहाँ तीन सौ दशमें भी फिर कहा तौ इसबातसे पुनरुक्तिकीसी  
 भ्रांति यद्यपिहोतीहै परंच यहपुनरुक्तिनहींहै अर्थात् वहाँ भूँठी जय करि पाने वाले  
 पक्षी कीदंड विधि नकहिसके थे सो उसको यहाँ मिलाकर कहनेके हेतुसे फिर बचन  
 को दुहरायाहै पुनरुक्ति इसको नहीं समुझना-यह कथन उनका-इसध्यानसे उत्पन्न  
 हुआहै कि उन्होंने अत्रत्य दशग्यारह मूल वचनोंको प्रत्यक्ष नृपाश्रय होतेहुये नृपा-  
 श्रय नहीं माना है वृत्तांत इसका ३०१ ॥ तीन सौ एक की अधिकोक्ति में सब दे  
 खो और इस कथन की अपेक्षा में यहशोच भी कर्तव्य है कि भूँठे जेताकी दंडविधि  
 नकहसके अथवा उसके कहने की प्राप्ति वाला अवसर तबतक नहीं था यह दोनों  
 हेतु निपट असंगतहैं क्योंकि अवसरजैसा सभ्योंके निमित्त में होसका तैसा जेताके  
 भी अर्थमें होसक्ताथा या यदि काव्य के प्रयोग मिलने दुर्घट थे तौ उसको निपट  
 त्यागिके पुनि यही तीनसौ दशका वाक्य जिसमें पूरे अर्थसमुझे तिसको उसी चौथे  
 के स्थान पर प्रमाणीभूत रखते तौ फिर यहां कुछ दुहराने की जरूरत भी न होती  
 बल्कि अब यह दूषण देसक्ते हैं कि सिर्फ जेता की अपेक्षासे पुनरुक्ति करीगई-प-  
 रंच-इसमें कारण केवल इतनाहै कि यहपुनरुक्ति दूषणमें गणनीय नहींहै पुनरुक्ति  
 भषणमें गणनीय है क्योंकि इसके उसके कार्यमें परस्पर बड़ाबड़ाहै कुछआशय एक  
 होने के शिरटीका नहीं क्योंकि वहां तौ सामान्य उनव्यवहारोंके विगाड़नेमध्ये  
 काप्रारंभथा कि जिनमें राजमुद्दई होना कुछ आवश्यक नहीं और यहां इनव्य-  
 विशेषों के विगाड़ने मध्ये उसी दंड की पुनरुक्ति करीगईहै कि जिनमें राजमुद्दई ह  
 संबंध अवश्यहों ३१० ॥

( न्यायतो निर्णयतस्य प्रत्यावर्तयितुं दंडः )

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । तमायां पुनर्जित्वादापयेद्विगुणं दण्डम् ३११ ॥

ऐ० — न्याय में पराजित भी यदि कोई ऐनामाने में हारा नहीं निमन्त्राये  
 को फिर जीतकर द्विगुणा दंड दिलावे-अर्थात्-मुकदमे का जो कोई एक फरगक

भी बढ़ावे(इतिसर्वसामान्यवर्णज्ञातीनांनियमः)अथशूद्रस्यापराधविशेषेदण्डाधिक्यंत  
त्रविज्ञानेश्वरः-(श्राद्धभोजनार्थमेवविप्रवेशधारिणःशूद्रस्यतप्तशलाकयायज्ञोपवीतवह  
पुण्यालिखेदितिस्मृत्यंतरोक्तन्द्रष्टव्यं पुनर्वृत्त्यर्थयज्ञोपवीतादिब्राह्मणालिंगधारिणोवध  
एवद्विजातिलिंगिनःशूद्रान्घातयेदितिस्मरणादितिमिताक्षराकारःसर्वगदति)३०६ ॥

(दुर्दृष्टव्यवहाराणांपुनर्दर्शनेनियमःअन्यथाव्यवहारदर्शनांदण्डश्च)

दुर्दृष्टांस्तुपुनर्दृष्टाव्यवहारान्नृपेणतु । सभ्यास्तजयिनोदंज्याविवादाद्विगुणन्दमम् ३१० ॥

ऐ०-दुर्दृष्ट व्यवहारोंको फिर देखकर जय पानेवाले सहित सभ्यलोग नृपसेदंड-  
नीय हैं विवाद से भी दूनादण्ड-अर्थात्-राग लोभ आदि से जे कोई अहेल्कारलोग  
जिन व्यवहारों को विगाड़ें किन्तु स्मृति और आचार की मर्यादों से विपरीत विचारों  
जिससे भूँठीजति सच्चाहारै यद्वा महापराधी दण्ड पानेसे बचिजायँ तौ इसभाँतिके  
सन्देहमय व्यवहारों को फिरनिर्णयसे तजवीजसानी करवावै यद्वा राजा अपनेआप  
देखभालकर निर्णीतकरै और उन सभ्यों को कि जिनकी लाग लपेटवाले दोष पाये  
जायँ भूँठीजय करिपानेवाले पक्षी सहित दूनादण्ड उस परिमाण से प्रत्येक दिलाये  
जायँ जितना दण्ड उसीविवाद में पराजित होनेवालेपर आवश्यकथा-इसमें भी इस  
भाँति से सरकार मुद्दई जानो किन्तु जब जब कभी जालसाजी से व्यवहार विगाड़  
जायँ तब तजवीजसानी के अनुसार जिनकेदोष पायेजायँ तिनके दोषोंका मुकद्दमा  
जुदा विचार करने और दोषियों को फिर दण्ड देने में भी केवल राजमुद्दई होनेका  
नियमात्मक एक धर्म है ३१० ॥

अधि०-मनुने भी योगीश्वर के इसवचनवाला पक्ष वर्णन कियाहै-यथा(अमात्या  
प्राड्विवाकोवायत्कुर्युःकार्यमन्यथा । तत्स्वयंनृपतिःकुर्यात्तान्सहस्रंचदण्डयेत्)अ  
र्थात्-राजाके अमात्यलोग यद्वा प्राड्विवाक लोग जो व्यवहारों के विचारमें नियुक्त  
होकर जिस व्यवहार को अन्यथा निर्णयकरें किन्तु अच्छीभाँति नहीं विचारें तिनका  
राजा अपने आप निर्णयकरै और उन उक्तविचार कर्ता लोगों को प्रत्येक सहस्र  
पणतक दण्डदेवे-अत्रोक्त मनु योगीश्वरवाले इन्हीं दोनों वचनोंका यह तात्पर्य हैकि  
रिशवत घूसलेने पानेविना जो व्यवहार विगाड़ेहों यद्वाधर्मशास्त्रकी अतिगूढ़ मर्म-  
दोंका विवेक अपनीबुद्धिकी दुर्बलता या प्रमादसेही समुभेविना विगाड़ेहों यद्वा रा  
प्रानि भय हेतुक आदि लक्षण में विगाड़ेहों तिनकी यह मर्यादा जानो-क्योंकि इ  
त्कोच लेकर जो व्यवहार विगाड़ें तिनका चर्चा पर तीनसौकी अधिकोक्ति में उ  
मनुके दो वाक्यलिखे तिनहीं में होचुका-कदाचिन्-साक्षियोंकेही दोष प्रपञ्च अ  
में मुकद्दमा विगड़ाहो तब उन साक्षी लोगोंको अपराध के अनुरूप दण्डहोवे कि  
सभ्यों या उन विजयी को फिर नहीं-बल्कि जिनमें कूट प्रपञ्चवाला साक्ष्य मनुक

जाय तिसव्यवहार को भी सिद्धहोनेविना निवर्तित करके फेरि निर्णयकरै-तदाहमनुः  
( यस्मिन्नयस्मिन्निवादेतुकौटसाक्ष्यंकृतम्भवेत् । तत्तत्कार्यनिवर्त्तितकृतञ्चाप्यकृतम्भवेत् )  
अर्थात्-जिस जिस किसी विवाद में कुछ कूट साक्ष्यकिया प्रतीतहोवे तिस तिस  
कार्यको बिनपूरेहुये निवर्तितकरै पर जोकोई कूट साक्ष्यवाला कार्य पूरे निर्णयकोभी  
पहुँचाहो सो भी अकृत मानाजाकर फिर के निर्णयहोय ( अथपुनरुक्तिप्रसंगनिराकरणम् )  
तत्रविज्ञानेश्वरः( अप्राप्तजेतु दंड विधि परत्वाद्वचनस्यरागाल्लोभादित्यादि नाश्लो  
के नापौनरुक्त्यम् ) अर्थात्विज्ञानेश्वरने इसपांक्ति से यहकहाहै कि व्यवहाराध्याय के  
प्रारंभ चौथे मलश्लोक मेंभी सभ्यों को तद्रूप यही दंड इसी दोष मध्ये याज्ञवल्क्य  
जी कहचुके हैं और यहाँ तीन सौ दशमें भी फिर कहा तौ इसबातसे पुनरुक्तिकीसी  
भ्रांति यद्यपिहोतीहै परंच यहपुनरुक्तिनहींहै अर्थात् वहाँ झूठी जय करि पाने वाले  
पक्षी कीदंड विधि नकहिसके थे सो उसको यहाँ मिलाकर कहनेके हेतुसे फिर बचन  
को दुहरायाहै पुनरुक्ति इसको नहीं समुझना-यह कथन उनका-इसध्यानसे उत्पन्न  
हुआहै कि उन्होंने अत्रत्य दशग्यारह मूल वचनोंको प्रत्यक्ष नृपाश्रय होतेहुये नृपा-  
श्रय नहीं माना है वृत्तांत इसका ३०१ ॥ तीन सौ एक की अधिकोक्ति में सब दे  
खो और इस कथन की अपेक्षा में यहशोच भी कर्तव्य है कि झूठे जेताकी दंडविधि  
न कहसके अथवा उसके कहने की प्राप्ति वाला अवसर तबतक नहीं था यह दोनों  
हेतु निपट असंगतहैं क्योंकि अवसरजैसा सभ्योंके निमित्त में होसका तैसा जेताके  
भी अर्थमें होसक्ताथा या यदि काव्य के प्रयोग मिलने दुर्घट थे तौ उसको निपट  
त्यागिके पुनि यही तीनसौ दशका वाक्य जिसमें पूरे अर्थसमुझे तिसको उसी चौथे  
के स्थान पर प्रमाणीभूत रखते तौ फिर यहां कुछ दुहराने की जरूरत भी न होती  
बल्कि अब यह दूषण देसके हैं कि सिर्फ जेता की अपेक्षासे पुनरुक्ति करीगई-प-  
रंच-इसमें कारण केवल इतनाहै कि यहपुनरुक्ति दूषणमें गणनीय नहींहै पुनरुक्ति  
भूषणमें गणनीय है क्योंकि इसके उसके कार्यमें परस्पर बड़ाबड़ाहै कुछआशय एक  
हाने के शिरटीका नहीं क्योंकि वहां तौ सामान्य उनव्यवहारोंके विगाडनेमध्ये वचन  
काप्रारंभथा कि जिनमें राजमुद्दई होना कुछ आवश्यक नहीं और यहां इनव्यवहार  
विशेषों के विगाडने मध्ये उसी दंड की पुनरुक्ति कीगईहै कि जिनमें राजमुद्दई हानेके  
संबंध अवश्यहों ३१० ॥

( न्यायतोनिर्णीतस्यप्रत्यावर्तयितुर्दंडः )

योमन्येताजितोऽस्मीतिन्यायेनापिपराजितः । नमायांतंपुनर्जिवादापयेद्विगुणंदमम् ३११ ॥

ऐ० —न्याय से पराजित भी यदि कोई ऐनामाने में हाग नहीं तिसआये हुये  
को फिर जीतकर द्विगुणा दंड दिवावे-अर्थात्-मुद्दमे का जो कोई एक फर्राक सजे

न्यायमार्गसे पराजित होकर अपने उद्धत पनसे व्यर्थ अपील वा तजवीजसानी रोपिकर कुछकूटलेख्य रूपजाल की तहररि आदि बीचमें अवलंब देकर फिर धर्माधिकारी पासमुराफा करै कि मैं अद्यापि हारा नहीं किंतु मैं अमुकामुक अन्यायों से पछाड़ा गया-तिसको फिर भी निर्णय पूर्वक धर्मन्याय सेही जीति कर उसदंडसे अब दूनादंड दिलावै जितना पहिली हारिमें आवश्यक था-इसमें भी सरकार मुद्दई जानों चाहे पहली हारि किसी पक्षीके प्रतिपक्ष में भी हुईहो परंच भूँठा प्रत्यावर्तन करने वाले की दुसराकर हारिहोने में यहवात फिर आवश्यक नहीं है कि उसका प्रतिपक्षी दंड दिलाना चाहै तभी राजादंडदे पर जिसने सच्चीरीति से तजवीजसानी या मुराफेका प्रारंभकिया हो तिसका चर्चा इसमें नहीं समुभना क्योंकि वह नियमात्मक एक मर्यादा है ३११ ॥

अधि०—इसी तीनसौ ग्यारह के योगीश्वरवाले वाक्यमध्ये मनुजी कुछधर्म विशेष भी दर्शाते हैं कि विरले अवसरऐसा भी कर्तव्य होगा-तद्यथा(तीरितंचानुशिष्टंचयत्र कचनयद्भवेत् । कृतंतद्धर्मतोविद्यान्नतद्भूयोनिवर्तयेत् )अर्थात्--जहां कहीं ऋणादि किसी भाँति के व्यवहारमें जो भगडा धर्ममार्गसेही तीरित हुआ समुभाजाय (यहां तीरित होना शास्त्रकी मर्यादोंसे निर्णीत होना किंतु फैसल होना मात्रसमुभाजिसे किसी पक्षी की हारि जीति निश्चित होजाय परउस दावेकाद्रव्य अथवा दंड अबतक नहीं दिलायागया ऐसाजयपत्र सच्चेन्यायसेही सिद्धहुआ समुभाजाय) यद्वा अनुशिष्टं नाम उस जयपत्र के अनुसार द्रव्य दान या कुछदंड प्रकार उसपर जारी भी होगयाहो जिसकी हारिहुई सो यहदंड प्रातिपर्यंत कार्य उसपर सच्चे न्यायसेही कियागया यदि समुभाजाय और इनदोनोंमेंसे किसी एकदशामें यदि उक्तपक्षी अपने उद्धतपनसेही तजवीजसानी या मुराफा रोपितकरै तो धर्माधिकारी यद्वा राजाको यह योग्यहै कि ऐसे धर्मन्यायसे निपटायेहुये कार्यका निवर्तन फिरनकरै और इम दशामें कुछदूनादंडभी आवश्यकनहीं किन्तु जोकुछ पहलीवारमें निर्णीत वा अनुशिष्ट हुआ सोई ठीकरखै-आशय यह कि उस तजवीजसानी या मुराफाके प्रविष्ट होने और सामान्य अवलोकन उसका होनेपीछे जो पूर्व सिद्धकार्य सब न्यायानुकूल पाया जाय तो यह पुनर्निर्णयकी दरस्वास्त नामंजूरीद्वारा खारिजकरै-इसव्यवस्थामें यह तात्पर्य सिद्धहुआ कि जबकभी हारेपक्षीके धोखादेने आदि किसी हेतुसे सामान्य अवलोकन होते समय यह प्रतिभान होनेलगे कि निस्संदेह यह तजवीजसानी वा मुराफा इसका सच्चा और मंजूरकरने योग्यहै इसकारणसे मंजूरहुयेपीछे जो निर्णय निर्णयकरनेपरभी हारापक्षी फिर धर्मानुसार हारै तब योगीश्वरके वचनानुसार इम अपराधमें सरकार मुद्दईहोकर उसपर पूर्व निश्चितदंडके परिमाणसे फिर दूनादंड

करसक्तीहै-अर्थात् ऐसीदशा उपस्थित होनेविना यह योगीश्वरवाला न्याय कुछ प्रा-  
बल्यसे आरूढ़करनेयोग्य नहीं समुभना-परञ्च-यदि कोई व्यवहार लाग लपेटों से  
निर्णीत वा अनुशिष्टहुआ समुभाजाय तिसको निस्संदेह राजा सद्य निवर्तनकरै कि  
जैसा ऊपर तीनसौदशके मूलश्लोक आदि बर्णनहै सो देखो ३११ ॥

(अथपंचात्मकदुर्जनपांक्तेयानांशासनकर्मप्रबंधविशेषः)

नृपाश्रय व्यवहार केवल येहीनहीं समुभने जोजो ऊपरबर्णनहुये हैं अर्थात् इनसे  
उपरालभी बहुतेरे मुकद्दमात इसी प्रकीर्णप्रकरणमें निजअवसरके अनुकूल गिनती  
होते हैंइसहेतु कुछ कुछ व्यौरा यहाँ उनकाभी अबसमुभौ-किन्तु पहलेसाहसप्रकरण  
में व्यवहार जो जो वर्णनहुये सो सब इसीप्रकरणके आधीनहोते हैं अर्थात् उनमें भी  
सरकार मुद्दईहोतीहै (और) उस साहसप्रकरणके आधीन चार और प्रकरण होते हैं  
अर्थात्-वाक्पारुष्य, दंडपारुष्य, चौर्य, स्त्रीसंग्रहण यह चारोही सदैव साहसप्रक-  
रणके अनुगामीरहाकरते क्योंकि साहसकर्मोंकानिवास इन्हीं चारोंभाँतिके अपराधों  
में सुनिश्चितहै यहवात पाँचोप्रकरण के अवलोकनसे यथार्थ समुभीहोगी इसी वि-  
लक्षणहेतुसे यह पाँचोप्रकरण एक इसी(प्रकीर्णप्रकरण)केआधीनहैं और इसी आधी-  
नीके विशेषकारणसे उन पाँचोप्रकरणमें अपराध विशेष जो जो होतेहों तिनके कर्ता-  
ओंके प्रतिपक्षी किन्तु मुद्दई केवल वेहीलोग नहींसमुभने जिनको पीड़ापहुँची हो  
अर्थात् उनकाराजाभी प्रतिपक्षी होताहै और इतनी अधिक विशेषतासे कि पीड़ा  
पानेवाले सिर्फ उसीअवस्थामें प्रतिपक्षी होसक्तेहैं कि जब जब उनको पीड़ा मिलै  
और सरकार उन अपराधोंमध्ये सदा मुद्दईहोती है इस भाँतिसे कि मनुने इसपक्ष  
की संसिद्धिकरनेके अर्थ एक महक्मा जुदारखनाकहाहै कि जिसकेद्वारा सदाही इस  
भाँतिके साहासिकप्रमुख सब अपराधी नानाभाँति जो विख्यात प्रकाशरूपहों या  
निज आपेको छिपायेनामी रहतेहों खोजिखोजि पकड़ेआकर दंडपावें और निर्मूल  
कियेजायँ क्योंकि ऐसी दुर्जनपंक्ति बनौरहनेसेभी राजप्रबंध ढीलेरहते हैं इसकारण  
दुर्जनपंक्तिका प्रशासनकर्म जोहै सोई राजप्रबंधोंकी विशेषचौकसाई मानीगईहै-तथा  
चमनुः( यस्यस्तेनःपुरेनास्तिनान्यस्त्रीगोनदुष्टवाक् । नसाहमिकदंडत्रोसराजाशकलो-  
कभाक् ३८६ एतेषांनिग्रहोराज्ञःपंचानांविषयेस्वके । साम्राज्यकृत्मजात्येपुत्रोकेचैव  
यशस्करः ३८७ इत्यष्टमाध्यायेभृगुः ) अर्थात्-जिसराजाके पुरमें किन्तु राजभग्में  
एक चोरनहो १ तथा परस्त्रीगामीभी नहो २ एवं दुष्टवाक् वदजवान जिभार मुहफट्ट  
परुषवादी वाक्पारुष्यकरनेवाला निपटनहो ३ और माहमिक डाकू ठग बटमार  
ग्रामदाहक नरघाती आदि कोई आतनायी भी नहो ४ एवं दंडघ्न डंडावाजी करने-  
वाला किन्तु लाठी लकड़ी पत्थर ढमि लोहशस्त्र आदिसे कुछ चाटनगानेवाला दंड





निमित्तसे फैलावै तिनकेद्वारा प्रकाश १ अप्रकाश २ दोनोंभाँतिके चोर जो जो लोक में पराया द्रव्यहरनेवालेहों खूबसबकोसमुझै और पहिंचाने २५६ तिनमें एकप्रकाश बंचक उनकोजानै जो जो नानाभाँतिके सौदागर आदि निज निज व्यापारोंके अवलंबसेही कमती बढ़ती तौलिकर या खोंटी खरी वस्तुओं के मिलाप योग आदि कपटों से या सत्यासत्य बोलने आदि फंदफरेबों से या चलती सडकों परजाकर भूँठा कल्पित नीलाम खड़ाकरने आदि प्रकारों से पराया द्रव्य हरतेहों-और-प्रच्छन्न बंचक इतने हैं कि जे स्तेनक नाम संधि छेदने आदि द्वारा लुसिकर चोरी करते हों या अटवियों में छिपकर आदि परधन लूटि लेतेहों-इनहीं में उठाईगीरे आदि समुझने-इसका यह सिद्धान्त है कि जो जो कोई सिर्फ चोरी आदि वाले यत्नांसे धन हरतेहों वे सब लुकिया चोर जानो-पर जे कोई वणिज् व्यापार आदि कर्मोंके बहानेसे अपहार करतेहों वेही खुल्लम चोर हैं जो अभी ऊपर वर्णन हुये २५७ ॥ ( अत्रोक्त ) इन दो भेदों में से एकप्रकाश चोरोंके लक्षण अब दर्शातेहैं कि एक तौ उत्कोचक जो घूस पच्चड़ खातेहों, औपाधिक जो धोंसका धन खातेहों, वञ्चक जेर-सायन आदि युक्तियों से विराना सोना चाँदी लेकर बदलेमें ताँवा आदि झोड़िकर चलदेने आदि प्रकारों से ठगतेहों, कितव जे घूत आदि प्रकारों से धनहरें, मंगलादेश वृत्तिवाले जो मङ्गलका आदेश करके धन हरतेहों, भद्राजे कल्याणरूपी आचारोंसेही ढँके रहते पाप राशिहों, ईक्षणिक जे हाथरेखा आदि शरीर चिह्नों से शुभाशुभ फलके वक्ता बनकर दुर्जनता से धन हरतेहों २५८ ॥ महापात्र चिकित्सक जो परिमाण विना बहुत औषधदेयँ और उस कर्मको भी अच्छीतरह न करगत्तेहुये जीविका उरसे करतेहों, चित्रलेख्य तसवीर आदि शिल्प कर्मोंके उपचार मे आजीवन करतेहों, निपुण पण्य स्त्री वेश्या आदि जो जो पर पुरुषों को वश करने में प्रवीणहो २५९ ॥ इनको आदि लेकर इसीभाँति के जो जो और कोई होतेहों तिनको भी प्रकाशरूप लोक कण्ठक राजाजाने वल्कि और भी निगूढ़चारी अपने जन्म कर्मोंको छिपाये हुये जोजो शूद्र आदि नीचहोने ऊंचोंके वेशलेकर फिरतेहुये बहाने से धन हरतेहों तिनसबको राजा अपने गूढ़चारों द्वाराजाने (यहां तीनोंही उल्लेखक साथ समुझने ॥ २५८ । २५९ । २६० ॥ तिननबको राजामुचरित गूढ़ों औरनक्कर्म कारियों से यथार्थ जानकर अनेक स्थानपर टिकाये वा छिटकायेहुये चांगों में उभाग कर निजवशमें करे क्योंकि वशमें आने पीछे जो कुछ अधिक विन्दक्षण उनका गुण पहिंचाना जाय तौ इसवात का उल्माह उन्हें दिनायाजाय कि यह दुष्कर्म अपना होडकर तुमराज सेवा अंगीकार करों-इसमें सन्तुन ध्वनिहेतु प्रविष्ट कियाहै कि राजा को इनसब में से प्रत्येक विन्दक्षण कानजाननेवाले टनवटमार आदि चूनि चूनि

पारुष्यकर्ता निपटनहो ५तौ वहराजाइन्द्रलोकभोगनेवाला है अर्थात् जैसे इन्द्रलोक में ये कोईभौतिके उपद्रव नहीं होतेहैं तथैव इसकाराज्यभी निर्विघ्नहोकर निर्मलस्वर्ग समान सबसुखदायक हुआकरताहै ३८६ ॥ इस्से राजामात्रको सदैव अपने राज्यमें इन पाँचोका निर्मूलकरना अपने तुल्य राजाओंके सन्मुख साम्राज्य गुणका दर्शकहै और अन्यसबसामान्य लोगोंमेंयशविस्तृत करनेवाला ३८७ (अन्यच्चमनुरेवाह)यथा-  
 सम्यङ्द्विविष्टदेशस्तुकृतदुर्गश्चशास्त्रतः । कंटकोद्धरणेनित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् २५२  
 रक्षणादार्य्यवृत्तानांकंटकानांचशोधनात् । नरेद्रास्त्रिदिव्यांतिप्रजापालनतत्पराः २५३  
 इतिनवमाध्ययेभृगुः)अर्थात्-जो राजा अपने राष्ट्रदेशमें निर्विघ्न बैठाहो और आचार शास्त्रके अनुसार सर्वथा दुर्गबनायेबैठाहो तिसकेयोग्य यहीप्रबंधकर्महै कि नित्यंप्रति साहसिक आततायी तस्कर आदि कंटकरूप दुर्जन पंक्तियों के निर्मूल करनेवाले उत्तमयत्नपर आरूढ़होवै २५२ क्योंकि शुभआचारवाले आर्य्यवृत्तोंकी यथोचित रक्षाकरनेसे और उक्तकंटकरूप दुर्जनपंक्तियोंके निर्मूलकरदेने से सब राजालोग स्वर्ग जाते हैं २५३ इसकारण आगे वहीप्रबंध वर्णनहोगा (तदप्याहमनुरेव)यथा(द्विविधां स्तस्कारनूविद्यात्परद्रव्यापहारकान्।प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्चचारचक्षुर्महीपतिः २५६ प्रकाशवंचकास्तेषानानापण्योपजीविनः।प्रच्छन्नवंचकास्त्वेतेयेस्तेनाटविकादयः२५७ उत्कोचकाश्चोपधिकावंचकाःकितवास्तथा । मंगलादेशवृत्ताश्चभद्राश्चेक्षणकैःसह २५८ असम्यक्कारिणश्चैवमहामात्राश्चकित्सकाः । शिल्पोपचारयुक्ताश्चनिपुणाःपण्ययोषितः २५९ एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशाल्लोककंटकान् । निगढचारिणश्चान्याननार्यानार्य्यलिंगिनः २६० तान्विदित्वासुचरितैर्गढैस्तत्कर्मकारिभिः । चारैश्चानेकसंस्थानैःप्रोत्साद्यवशमानयेत् २६१ तेषांदोषानभिख्याप्यस्वेस्वेकर्मणितत्त्वतः । कुर्वीतशासनंराजासम्यक्सारपराधतः २६२ नहिदंडादृतेशक्यःकर्तुंपापविनिग्रहः ॥ स्तेनानांपापबुद्धीनांनिभृतंचरतांक्षितौ २६३ ( एतस्मादेव ) (सभाप्रपापुपशालावे शमद्यान्नविक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाःसमाजाःप्रेक्षणानिच २६४ जीर्णोद्यानान्यरथानिकारुकवेशनानिच । शून्यानिचाप्यगाराणिवनान्युपवनानिच २६५ एवंविधानृपोदेशानुगुल्मैःस्थावरजंगमैः । तस्करप्रतिषेधार्थंचारैश्चाप्यनुचारयेत् २६६ तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेच्चैवनिपुणैःपूर्वतस्करैः २६७ भक्ष्यभोज्यापदेशैश्चब्राह्मणानांचदर्शनैः । शौर्य्यकर्मापदेशैश्चकुर्य्युस्तेषांसमागमम् २६८ यत्त्रनोपसर्पेयुर्मलप्रणिहिताश्चये । तान्प्रसह्यनृपोहन्यात्सामित्रज्ञातिबंधवान् २६९ नहोढेनविनाचौरंघातयेद्दार्मिकोनृपः । सहोढंसोपकरणंघातयेदविचारयन् २७० इति नवमाध्यायेभृगुः)अर्थात्-मनु कहते हैं कि राजा चारुचक्षु वनिकर द्विविध चोरोंको सदैवजानै किन्तु अनेक मुखविर जासूस अपनी आँखिरूपी मानिकर इसकामके

निमित्तसे फैलावै तिनकेद्वारा प्रकाश १ अप्रकाश २ दोनोंभाँतिके चोर जो जो लोक में पराया द्रव्यहरनेवालेहों खूबसबकोसमुझै और पहिंचाने २५६ तिनमें एकप्रकाश वंचक उनकोजानै जो जो नानाभाँतिके सौदागर आदि निज निज व्यापारोंके अवलंबसेही कमती बढ़ती तौलिकर या खोंटी खरी बस्तुओं के मिलाप योग आदि कपटों से या सत्यासत्य बोलने आदि फंदफरेबों से या चलती सड़कों परजाकर भूँठा कल्पित नीलाम खड़ाकरने आदि प्रकारों से पराया द्रव्य हरतेहों-और-प्रच्छन्न वंचक इतने हैं कि जे स्तेनक नाम संधि छेदने आदि द्वारा लुसिकर चोरी करते हों या अटवियों में छिपकर आदि परधन लूटि लेतेहों-इनहीं में उठाईगीरे आदि समुझने-इसका यह सिद्धान्त है कि जो जो कोई सिर्फ चोरी आदि वाले यत्नासे धन हरतेहों वे सब लुकिया चोर जानो-पर जे कोई वणिज् व्यापार आदि कर्मोंके बहानेसे अपहार करतेहों वेही खुल्लम चोर हैं जो अभी ऊपर वर्णन हुये २५७ ॥ ( अत्रोक्त ) इन दो भेदों में से एकप्रकाश चोरोंके लक्षण अब दर्शातेहैं कि एक तौ उत्कोचक जो घूस पच्चड़ खातेहों, औपाधिक जो धौंसका धन खातेहों, वञ्चक जेर-सायन आदि युक्तियों से बिराना सोना चाँदी लेकर बदलेमें ताँवा आदि छोड़िकर चलदेने आदि प्रकारों से ठगतेहों, कितव जे शूत आदि प्रकारों से धनहरै, मंगलादेश वृत्तिवाले जो मङ्गलका आदेश करके धन हरतेहों, भद्राजे कल्याणरूपी आचारोंसेही ढँके रहते पाप राशिहों, ईक्षणिक जे हाथरेखा आदि शरीर चिह्नों से शुभाशुभ फलके वक्ता बनकर दुर्जनता से धन हरतेहों २५८ ॥ महापात्र चिकित्सक जो परिमाण बिना बहुत औषधदेयँ और उस कर्मको भी अच्छीतरह न करसक्तेहुये जीविका उरसे करतेहों, चित्रलेख्य तसवीर आदि शिल्प कर्मोंके उपचार में आजीवन करतेहों, निपुण पण्य स्त्री वेश्या आदि जो जो पर पुरुषों को वश करने में प्रवीणहो २५९ ॥ इनको आदि लेकर इसीभाँति के जो जो और कोई होतेहों तिनको भी प्रकाशरूप लोक कण्टक राजाजानै बल्कि और भी निगूढ़चारी अपने जन्म कर्मोंको छिपाये हुये जोजो शूद्र आदि नीचहोते ऊंचोंके वेशलेकर फिरतेहुये बहाने से धन हरतेहों तिनसबको राजा अपने गूढ़चारों द्वाराजानै (यहां तीनोंही उल्लेखक साथ समुझने ॥ २५८ । २५९ । २६० ॥ तिनसबको राजामुचरित गूढ़ों औरनत्कर्म कारियों से वधार्थ जानकर अनेक स्थानपर टिकोये वा छिटकोयेहुये चांगों में उभार कर निजवशमें करे क्योंकि वशमें आने पीछे जो कुछ अधिक विनक्षण उनका गुण पहिंचाना जाय तौ इसवात का उल्माह उन्हें दिनायाजाय कि यह दुष्कर्म अपना छोड़कर तुमराज सेवा अंगीकार करो-इनमें मनुन ध्वनिहेतु प्रविष्ट कियहैं कि गजा को इनसब में से प्रत्येक विनक्षण जानजाननेवाले ठगदटमार आदि चूनि चूनि

नौकर करने योग्य हैं कि उनको शुद्ध मुलाजिम लोगोंके आधीन रखकर एक समूहरूप महकमा इनका जुदा प्रकल्पित करें और जिस भांतिके जिस तस्कर में जिस कर्म की विलक्षण कोई दशा विशेष पाई जाय तिसहीके अनुसार उसको उत्तम मध्यम आदि कर्म नायक भी कर देना योग्य है कि जिस उत्साहसे वे अपने योग्य कर्मोंका संसाधन करते रहें- यह सब लोग अपने मुख्यस्वरूप कर्मों को छिपाये रहकर देशकालके अनुरूप राजदत्तलिवासवेशोंको बदलते हुये उनस्थानों में सदैव विचरें या टिकासर पावेंगे कि जिनका चर्चा आगे दोसौ चौसठि आदि वचनोंसे विचारो राजशासनसे बताये जाय यह (दुष्कर्मिशोधक) नामका समाज महकमा ठगई अपने उनहीं सब आचरणों में सदैव तत्पर होता है कि जिनसे ठग बटमार आदि लुकिया चोर और निर्मूलकल्पित व्यापारी आदि खुल्लमचोर भी न रहने पावें इसी आशयसे इस दोसौ इकसठिवाले वाक्य में ऊपरली और यह कह चुके हैं कि (सुचरितगूढ़ों और तत्कर्म कारियोंसे यथार्थ जानें) अर्थात् जिस किसी भांतिका चोर आदि कोई दुर्जन तहक्रीकात विना पकड़ा गया हो अर्थात् विना पकड़े ही कुछ शंका जिसपर आरोपित करी जाय कि अमुक पुरुष इतने दिनसे अमुकस्थान पर ऐसा ऐसा करता है वह दुर्जन पंक्तिमें गणनीय होकर पकड़ा जाना योग्य है तब ऐसे अवसरमें यथार्थ उसका भेद पाया जानेके अर्थ उसी भांति के वे दुर्जन अपनी काररवाई पर समुद्यत किये जायें जो कि पहले पकड़े हुये राजसेवार्थसे उस उक्त समाजके प्रयोजन पर आरूढ हैं और वेही (सुचरित) कहलाते हैं सो ऐसे सुचरितगूढ़ किंतु अपने पूर्व कर्मों को छिपाये हुये इस आधुनिक चोरके सम्मुख जायें और तत्कर्मकारि कहने का भी अर्थ यह कि ठेठ उसी भांति का नौकर चोर उसका भेद लेसक्ता है कि जैसा यह आधुनिक दुर्जन पकड़ा जाय इसका यह दृष्टांत है कि जहां व्यापारी चोर पकड़ा जानेका प्रयोजन हो तहां व्यापारी पहला चोर जो अबराज सेवक हो भेद निकासै एवं वैद सथिया आदि चोर हो तहां वैद सथिया आदि पहला दुर्जन जो अबराज सेवी है सो भेद निकासै क्योंकि अपने अपने कामों की मरकें सबकोई जानसक्ता है- इसमें एक विशेषता भी यह यादि रखनी योग्य है कि राजाका यह उक्त समाज कभी खुल्लम नहीं रहसक्ता किंतु कोई तकमा चिह्न विशेष उनपर ऐसा कुछ प्रत्यक्ष नहीं रहता जिस्से यह तत्काल बोध होवै राजपुरुष है और इस बातका भी नियम नहीं होता है कि जो चौरादिक राजसेवक हुये सब एकत्र छावनी डालें किंतु इसमें यही विशेषता है कि फूटेफटके रहकर निजनिज काम साथ इसका यह भी एकरूपक है कि जैसे कोई एक मद्यका व्यापारी वेशवाला चोर पकड़ा जाकर पीछे राजसेवक हुआ तब उस चोर से सर्वथा धर्मकर्म आदि शपथ लेकर उसको राजशासन यह गुप्ततौर हुआ कि अपनी मद्यकी दूकान अमुकस्थान पर

जमाकर इसदूकान केही द्वारा प्रायः दुर्जनलोगोंकी पहिंचानकरिकर भेदउनकाराजमें पहुंचातेरहो एवं संधिच्छेदआदि कोई चोर जबकिराजसेवक बनै उसकोभी गुप्ततौरपर एकआज्ञा मिलीकि अमुकामुकंधनिकनिवासस्थानआदि स्थलमें विचरते रहकरसंधि लगानेवाले आदि चोरों को निजअपनेमें मिलाकर उनकोभेद हरो किंतु ऐसेचोरोंको यह प्रकृति हुआ करतीहै कि चाहेसौदोसौ कोशके अंतरसे भी आयेहो चोरीकरने के निमित्त से परस्पर सबमिलजाते हैं और निज निज भेदों को कहदेतेहैं-परंच-राजाको इसबात में सदैव ध्यान रखना योग्य है कि यद्यपि राजसेवक भी बनाया इनको तो भी ऐसी दुर्जन पंक्ति को कदाचित् निपट स्वतंत्र न करदे और बहुधा इनके कथन पर विश्वास भी निरंतर नहीं लावै क्योंकि जैसे कौआ यद्यपि दिव्य भोज्यों से सुपालित कियाजाय तोभी विष्टामें मुंहडारे बिना नहींरहता तैसे दुर्जनभी स्वकीय स्वाभाविक दुर्जनतासे विरक्तिनहींलेताहै और प्रायः अपने पूर्ववैर आदि तुच्छतर हेतुओंसे निष्कारण अच्छेलोगोंको फँसाताहै इत्यादि गूढहेतुओंसे इसदुर्जन पंक्तिको सदैव शुद्धसेवकजन समूहोंके आधीन वशवर्तीकरकेरखै और इनके गूढचरित्रोंकी परीक्षाहेतु शुद्धगूढचरभी छूटेरखै और निज आपभी निरालंसहोके राजाभेदूबनै क्योंकि ( नपरस्यापवादेनपरेषांदंडमाचरेदित्यादि नियमस्तुसर्वत्रैवयोज्यः ) २६१ इसभाँति तहकीकांतहोनेपीछे उनकेदोष और अपराध जोजो निज निजकाममें उत्पन्न कियेहो तिनको तत्त्वसे सबलोगोंको सुनायकर अपराधके अनुसार और अपराधी की धन देह आदि कर्म शक्तिकेअनुसार विचारकरके दंडदेवे-इनके दंड आगे जुदे जुदे प्रत्येकवर्णनहोंगे और कुञ्जसाहस प्रकरणमेंभी पहले वर्णनहुयेथे तत्रैव देखो-सबलोगोंको सुनाना इसीप्रयोजनसे कि ऐसाकर्म जो जोकोईकरें तिनको यहीदंडहोगा जोकुञ्ज इसकोहुआ २६२ क्योंकि पापहीमें निजबुद्धिको फैलानेवाले चोर जो शुभ वेशोंसे निजकर्मको छिपायेफिरतेहो तिनको दंडपहुँचे विनाधरित्रीपर अति पापकर्मों की बढवारी नहींरुकतीहै यह वाक्यभी उनलोगोंको सुनादेवे २६३ उक्तदुर्जन क्यो-कर हाथ आसक्तेहैं इसबातका प्रबन्ध मनु कहते हैं कि सभानाम ग्राम नगर आदि में अर्धार्ध के स्थान जहाँ रोकटोक बिना हरकोई बैठि सक्ताहो, प्रपा प्याऊके स्थान-अपूपशाला हलवाई की दूकान, वेश नाम वेश्याओं के स्थान सराय आदि, मद्यान्न विक्रय अर्थात् मदिरा चरस भाँग आदि विकने की दूकानें तद्वन् अन्न विकनेकी दूकानें, चतुष्पथ चौराहे, चैत्य वृक्ष बहुतबड़ेऊँचे भूमदे विख्यात पेड़ जिनकी जड़के पास प्रायः पथिकजन विश्राम लेतेहो, बहुत धने मनुष्यों के समाज मेला जारन आदि, प्रेक्षणानि दर्शनीय तमाशे रासलीला कर्णाटक साँग आदि, और २६४ जीर्ण उद्यान किंतु टूटेफूटे पुराने बाग बगीचे जिनमें पक्के बँगने आदि निवाम स्थान

भी कुछ खालीहों. अरण्यकोई निर्जन भूमिभाग. कारुक आवेश किंतु शिल्पी आदि कारीगरों के दूकान आदि कारखाने जहाँ प्रायः वैतनिकों का समाज रहाकरताहो. खालीपड़े मकान भी. बन अर्थात् आम्र आदि वृक्षोंके समूह. उपवन किंतु फूलवाड़ी आदि किआरियों से सम्पन्न दर्शनीय क्रीडा बाग २६५ ॥ ऐसे ऐसे स्थानोंको सदैव राजा चोरोंके निर्मूल करने को स्थावर जङ्गम द्विविध पदाती सेनाके लघ्वादि यथोचित भागोंसे और गूढ़चारी चारोंसे भी अनुचारितकरै ढुँढावै क्योंकि प्रायः ऐसेठौरों पर चौरादिक दुर्जन अपना कृत्यविचार आदि कम्पलगाने और पण्यस्त्री अन्नपान आदि भोगों के अन्वेषण करनेको भी आतेजाते यद्वा टिकतेहैं (स्थावर जङ्गम द्विविध पदाती सेना. किंतु पदाती नाम प्यादेही स्थावर जोकि चौकी अट्टा आदि प्रकारों से एकत्र टिकायेजायँ और कुछ फुटकर भी प्यादे जो प्रचारी बनकर आठौयाम रौंद गइत लगावै घूमै) जिस्से चोर चिकारआदि दुर्जन पंक्तियों के अभ्यन्तर पायेजायँ (अत्रोक्त चोर चिकार आदि दुर्जन पंक्तियों के कुछ लक्षण पहले चौर्य प्रकरणमें भी नारद और बृहस्पति आदि वचनों से दर्शायेगये सो सब २७१ । २७२ । २७३ की अधिकोक्तों में अवलोकन करौ) २६४ । २६५ । २६६ ॥ उक्त दुर्जन लोगों को इसभाँति राजा पकड़ै और निर्मूलकरै कि चोरी आदि नानाकर्मोंके जाननेवाले जो पुराने चोर मुखबिर जासूस बनके राजसेवक हुयेहों और इस राजकाज के संसाधन में भी निपुणहों वेही उक्तदुर्जनों के अनुगामी तथा सहायकबनेँ यद्वा उनके और भी जेकोई निज अनुगामी तथा सहायकहों तिनको आप अपने में मिलालेवै तिनकेद्वारा राजा उक्त दुर्जनों के अभ्यन्तर तथा स्वरूप भी प्रत्यक्षजानै और निर्मूलकरै २६७ भला वे अनुगामी तथा सहायक यद्वा ठेठ राजा के जासूस जो छलसे उनके अनुगामी तथा सहायक बनेहों किसभाँति राजाको पकड़ावै या दिखावै सो अब कहतेहैं कि-भक्ष्य भोज्यकेअपदेशोंसे या विप्रोंके शुभदर्शनरूपी लालचसे या शौर्यरूपीकर्म के अपदेशों से ये लोग उनका राजाके प्रत्यक्ष अथवा राजपुरुषों के प्रत्यक्ष समागम करै-अर्थात् इनके ये दृष्टांत हैं कि येही छली सहायक उनसे ऐसाकहें कि चलोहमारे घरको चलै मीठी दूधिया पीकर खीर मोदक आदि उत्तम भोजन करैंगे इत्यादि किसी वहाने से लेजाना भक्ष्य भोज्य का अपदेश है अथवा एक हमारे गाँव में जो ब्राह्मण है अपूर्व प्रश्न कहताहै कि जो अभिलाषा जिसकीहो सोई फल मिलसक्ताहै इसलिये उसको चलकर आज देखेंगे इत्यादि व्याज वहाने जो हैं विप्रदर्शन के अपदेशहैं अथवा अमुकस्थान एक पट्टेवाज ऐसा आया है कि अकेलाही अनेकों साथ लड़ता है सो चलकर आज उसके हाथ देखेंगे इत्यादि बातें शौर्य कर्मोंके अपदेशहैं इन युक्तियों से लेजाना और पकड़ाइदेना उनका काम है २६८ ॥ पर जे कोईचोर



इन युक्तियों के भी भेदूहों ऐसा कहने से पकड़नेका भय मानकर न जावे यद्वा मूल प्रणिहितहों अर्थात् मूलसंज्ञक राजनियुक्त चौरवर्ग जो गिराई संप्रतिलोक प्रसिद्धहे तिस मुख्य समाजसेही प्रणिहितनाम सावधानचौकसहों छलकेभयसे ऐसीसङ्गतिमें कदाचित् भी न पड़तेहों और विख्यातचोरहों तिनको राजा उन्हींपुरानेचोरोंसेयथार्थ जानिबुझिकर जेकोई उनमेंमिलेभुले मित्रादि यद्वा पिता भाई आदि उसीकर्मकावाना रखतेहों तिनसबसहित उनको बलसे राजा घेरिकर विध्वंसकरै २६६ परञ्च इतनी और प्रतिज्ञाहै कि धार्मिक राजा ऐसे चोरोंकोभी चोरीकेचिह्नबिना नमारै किंतु जबहीं कभी चोरीके उपकरण और कुछ चोरीकाधन उनकेपास निकसै तबहीं चोरी उनपर निश्चितकियेपीछे शीघ्र घातकरै २७० ॥ (अथप्रभिन्नव्यवहारविशेषास्तेचनृपाश्रयाभवन्ती त्यत्रप्रकीर्णकेसंवक्ष्यते) प्रभिन्नव्यवहार जो भिन्नात्मक फुटकरमुतफरकात बहुतेरेमुकद्मात ऐसेहोतेहैं कि यद्यपि अष्टादश व्यवहारोंमध्ये कोईएकपद विख्यातउनका नहींपरंच प्रायःसाहस प्रकरण में सब गिनती हैं या बिरले चौर्य प्रकरण में भी माने जासक्ते हैं और मुख्य ठिकाना सबका इसी प्रकीर्ण प्रकरण पर इसहेतु से आरूढ है कि राजमुद्दई होने विना प्रबंध दुर्घट होता है इस आशय से सरकार उनमें सदा मुद्दई होती है उन सबके भिन्नरूप आगे मनु के वचनों द्वारा समुभो पहिले चोरों और वाशियों के सहाय वर्णन होते हैं-अग्रोक्त मनु के वचनोंवाला चोर शब्द दुर्जनमात्र का प्रबोधक है यह याद रखो-यथाहनवमाध्यायेमनुः- (ग्रामेष्वपिच येकेचिच्चौराणांभक्तदायकाः। भांडावकाशदाश्चेवसर्वास्तानपिघातयेत्) २७१ अर्थात्- राजधानी आदि नगरों में तथैव कर्वट खर्वट आदिग्रामोंमें भी जेकोई वाशिन्दे लोग चोरों और डाकुओं के दुष्कर्म जाने पीछे उनको मार्ग आदि हेतुओं में अन्नादिक रसद देवें या पहुँचावें या जेकोईचोरी आदि कर्मोंके औजारशस्त्रपात्र आदिउनकोदेवें या यदिटिकने वा छिपरहनेको स्थान यद्वा मार्ग आदिनिकसनेको अवकाशवा अवसरदेवें या कुछ और सहाय करतेहों तिन सबकोभी अपराधकेहीतुल्य राजाघातकरे (याज्ञवल्क्य भी यह वार्ता दोसौइक्यासी मूलश्लोकसे कहिचुकेहैं तत्रैव देवो ) पर यह एक विशेष भी समुभना इसमें योग्य है कि जब कोई धनिकशिरोमणि आदि किसी ऐसे अवसरमें कुछडाकू आदि समूहोंको भक्तावकाशरूपमहायभी प्रत्यक्ष दव कर देवें जब कर्तारिकातुल्य अवसर आनि उपस्थित हो जिममें आनताया गणको अन्नादिकरसदें देनेविना निस्संदेहसंभवथा कि भूखेडाकू कर्वट खर्वट आदि वम्नीलूटि खातेतो यह देना साहस कर्मों के अपराधमें गणनीय न समुभो यन्किवम्नी रक्षा करिलेने रूप यहभी एक यज्वन् कर्म जानो-पर इत्यादिभूचिन्त हृदों के मित्राय कोटि भौति दुर्जन लोगों का सहाय करनेवाने ग्राम वानी दंडकने योग्यहंगे २७१ ॥

बाशिन्दों के सिवाय राजसंबंधी भी यदि ऐसेहों तिनको मनु कहते हैं (रोष्ट्रपुरक्षाधि कृतान्सामन्ताश्चैवचोदितान् । अभ्याघातेषुमध्यस्थानाशिष्याच्चौरानिवद्रुतम् २७२ अर्थात्-राष्ट्रके भिन्नात्मक देशविभागोंमेंजे कोई दिक्पाल सूबाआदिरक्षाके अधिकारी किये हों या जेकोई राजसीमा के पासदेशपाल आदि राज प्रेरितबसते हों जाहर में शुभचिंतक वा अक्रूर समुभे जातेहों, वेही उक्त चौरों के दुष्कर्मोंका उपदेशआप करनेमें मध्यस्थहों तिनको यही व्यवस्था जानि परनेपर अतिशीघ्र राजा चौरोंकेही तुल्य शासनकरै २७२॥ दिक्पाल देशपालों के सिवाय जोनिजराज का मुलाजिम कोई अंगीकृतअहेदसंविद् आदि उल्लाँघैतिसकोसंविद् व्यतिक्रमधर्मके अनुसारमनुकहतेहैं (यश्चापिधर्मसमयात्प्रच्युतोधर्मजीवनः । दण्डेनैवतमप्योषेत्स्वकाद्धर्माच्चविच्युतम्) २७३ अर्थात्-राजधर्मोंकी मर्यादा में परिनिष्ठित होकर उसही की मुलाजिमत से आजीवन करताहो तिसकी धर्मजीवन संज्ञाजानो किंतु ऐसा धर्मजीवन पुरुष मुत-अहिद अधिकारी अपने अहेद संविद् रूपी धर्म समयोंसे परिच्युतहोवे किंतु समयों को उल्लाँघै तिसको राजा दण्डसे तपावै तद्वत् उसको भी कि जो निज अपने धर्मसे परिच्युतहोय सो यह दण्ड संविद् व्यतिक्रम नामाप्रकरण के अनुसार जो कुछ पाय जाय वही कर्तव्यहोगा-इसमें दोभाँति का परिच्युतहोना कहनेसे यह तत्त्व है कि राजा सेवक भी दोभाँति के समुभने किंतु मुतअहिद गैरमुतअहिद जोभाषान्तर से कहलाते उनका लक्षण केवल इतनाहै कि एकसेवक मुख्य संविद् का स्वीकार करके नियत होतेहैं दूसरे यद्यपि संविद् का कुछ अङ्गीकार नहींकरायेजाते तौभी धर्मशास्त्र में जो उनहींके अधिकार योग्य नियमों की मर्यादाहोय सोई उनको अपना धर्मजानो किंतु ऐसे भी निज अपने धर्मसे परिच्युत होयें-यद्यपि धर्मजीवन संज्ञा किसीएक विप्र विशेषकी भी होतीहै और उसहीके अनुसार इसका अर्थ भी कुछ और सिद्ध होताहै (पर) इस वर्तमान प्रकरणके प्राबल्य से वह अर्थ सूचित नहीं है २७३ उचित सहाय करनेसे मुखमोरें तिनका दण्डहै कि-(ग्रामघातेहिताभङ्गेपथिमोषाभिद र्शने । शक्तितोनाभिधावन्तोनिर्वास्याःसपरिच्छदाः) २७४ अर्थ इसकादेखो व्योरेवार दोसौ इक्यासीकी अधिकोक्ति में प्रसङ्गसे दर्शाया गयाथा और उसकेसाथ और भी ग्रन्थान्तर कई वचनहैं-और-योगीश्वर भी इसबातको निज मूलश्लोक दोसौउनता-लिस के द्वितीय पादमें (विक्रुष्टेनाभिधावकः) इसरूप से कहचुके तहाँ देखो २७४ राजखजाना हरनेवाले आदि चोर डाक वागियोंका यह दण्डहै कि-(राज्ञःकोशापहर्तु इचप्रतिकूलेषुचस्थितान् । घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणांचोपजापकान्) २७५ अर्थात्- राज कोशागारमें से धनको हरनेवाले यद्वा आतेजाते धनको लूटि लेनेवाले तद्वत् जे कोई दर्पीले लोग राजके प्रतिकूलहों किन्तु राजासे फिरगयेहों तद्वत् राजाके शत्रुओं

से मिलाप रखकर उनसे राजाका बहुवैर जे बढ़ातेहों तिनको उस अपराधकेही तुल्य राजा इच्छाके अनुसार विविध प्रकारके बधबन्ध आदि दण्डोंसे अपघात करावै २७५ संधि काटकर चोरी करनेवालों को शूली दण्ड कहतेहैं-(संधिछित्वा तु ये चौर्यैरात्रौ कुर्वन्तितस्कराः । तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णशूले निवेशयेत्) २७६ अर्थ इसका चौर्य प्रकरणमें योगीश्वरवाले दोसौ अठहत्तरि मूलश्लोक की अधिकोक्ति में लिखिचुके तहाँ देखो २७६ ॥ गँठिकटे उठाईगीरे आदि तीसरीबारमें बधदण्ड योग्य होते हैं-(अंगुलीग्रंथिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये बधमर्हति) २७७ अर्थ इसका व्यौरेवार देखो दोसौ उनासी की अधिकोक्तिमें २७७ गँठिकटा उठाईगीरा आदिकी सहाय करनेवालेको अब कहतेहैं (अग्निदान्भक्तदांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान् । सन्निधात्तृश्चमोषस्यहन्याच्चौरमिवेश्वरः) २७८ अर्थ इसका दोसौइक्यासी की अधिकोक्ति में से देखो २७८ तड़ाग तोड़िदेने या जलमात्र काटिदेनेका यह दण्डहै कि-(तड़ागभेदकंहन्यादप्सु शुद्धबधेन वा । तद्वापिप्रतिसंस्कुर्याद्वाप्यस्तूत्तमसाहसम्) २७९ अर्थात्-स्नानपानआदि नानाभाँतिसे सहस्रोंका उपकारजिससेहोताहै ऐसे उत्तम तड़ागको यदि कोई उसकासेतुकाटिदेने आदि प्रकारोंसे विनाशकरै तिसको जलहीमें डुबाकर प्राणघात करै यद्वा और किसी शस्त्रादिक से बध करै पर जो वह अपराधी उसको ज्योंका त्यों फिर संस्कृत करिदेना अंगीकारकरै और यहशक्ति उसकी संभव हो तौ तड़ागकी दुरुस्ती उसपर करवाने पीछे मृत्यु दंडकेस्थान उत्तम साहसका धनदंडमात्र लियाजाय-यहां तड़ाग शब्दके उपलक्षण में जलाशयमात्र और भी समुझने जो जो पक्केनिर्मित हों यद्वा बहूपकारक हों और वे निपटविनाश कियेजावैं तब सर्वत्र यहीदंडहै २७९ राजकोष्ठागार आदि भेदनकरने या रथ हाथी आदि हरनेकायहदंडहै (कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्चहन्यादेवाविचारयन्) २८० अर्थ इसका व्यौरेवारदोसौअठहत्तरिकी अधिकोक्तिमें से देखो किंतु उसीदोसौ अठहत्तरिवाले मूलश्लोक से योगीश्वरने भी वंदिग्राह आदि अपराधी दंड्यकहेथे २८० ॥ तालाबमें कुछ थोड़ीभी जलहानि करनेवालेका यहदंडहै(यस्तुपूर्वनिविष्टस्य तड़ागस्योदकं हरेत् । आगमं वाप्यपांभित्वात्सदाप्यः पूर्वसाहसम्) २८१ अर्थात्-कोई पहिला बना तालाब जो प्राचीन किसी महात्माने सब लोगों के स्नानपान आदि सौख्य हेतुसे बनाकरछोड़ाहो तिसकेजलको कोईपुरुष दूतनी सींचा सांचीआदि प्रकारोंसेहरिलेवै याकुछगदिलाकरै अथवाउसमें नादेयवावरसातीजलके आनेवालामार्गमेंटिदेवै जिस्सेपीनेऔरस्नान करकेवालोंकोतकलीफहो यद्वाहोनीसंभव हो तौ अपराधी पूर्वसाहस दंडदिलायाजाय क्योंकि(देवार्थदनकृपादानथाम्नातस्वर्नाजलोपानाधिकारिणः सर्वेसेचनेऽन्तिकवासिनः-तथापि-यनायमेचनाल्लोकाभवेयुजल

कातराः । नसिंचेयुर्जलंतस्मादपिसंनिधिवासिनः) इत्यादि सूचितनियमोंकाव्यतिक्रम उसने किया-यहां दोसौ इक्यासी में भी तड़ाग शब्द जलाशयमात्रपर आरूढ़ है २८१ राजमार्ग सड़कों में मलीनता करने का अपराधहै(समुत्सृजेद्राजमार्गेयस्त्व मेध्यमनापदि । सद्यैकार्षापणौदद्यादमेध्यंचाशुशोधयेत् २८२ आपद्गतोऽथवावृद्धो गर्भिणीबालएववा । परिभाषणमर्हन्तितच्चशोध्यमितिस्थितिः) २८३ अर्थइनकाडास- ठि संख्यावाले परिच्छेद में एकसौ उनसठि मूलश्लोक की अधिकोक्ति मध्ये (सीमा शुद्धिप्रसंग ) नामकपाठसे प्रारंभ लेकर उस अधिकोक्ति के समाप्ति होनेताई जाकर देखो उतने पाठमात्रकी व्यवस्था भरमें जो जो बातें वर्णन हुईहों सो सबराज मुद्दई होने के व्यवहार हैं और लिखना उनका इसी जगह आवश्यक था परंच सीमा कीसफाई रूपकारण मुख्यमाना जाकर उसही के प्रसंग में दर्शाई गई-उनमें सबसे प्रथम पराई भीतके समीप मैलाकरने का जो चर्चाहै सो यद्यपि राजमुद्दई होने से व्यतिरिक्त समुभाजाताहो क्योंकि जिसकी वह दीवार आदि होगिसोई पुरुष मुद्दई होना संभव है तथापि ऐसासंभव सिर्फ कूचे आदि भीतरले वास वसायतसे अपेक्षित है अर्थात् जहां पराई भीत राज मार्ग आदि सड़कों के समीप या चौराहाके समीप यद्वा देवस्थान आदि के समीप होगी तब सरकार मुद्दई होनाभी अविरोद्धहै (और)मैलाकरना एक निदर्शनहै कि जिसके उपलक्षणसे वे सभीबातें समुभीजाती हैं जो सड़क रूंधनेवाली हों जैसे टीला वा गड़हिला करना या गाडी और चौपाये आदि खड़ेकरने इत्यादि सभीबातोंका चर्चा वहांदेखो जबतक एकसौउनसठिकीअधिकोक्तिपूरीहोय-इसभांति की कुछ अधिकविशेषबातें आगे दोसौअट्टासिकेश्लोक द्वारामनुकी उक्तिदेखो २८२।२८३ बैदसथिया जराहआदि सभी चिकित्सकलोग जो जो विद्याबलसेहीन कच्चेहोकर यद्वा लोभसे विपरीत चिकित्सा करतेहों तिनकादंड- (चिकित्सकानांसर्वेषामिथ्याप्रचरतांदमः । अमानुषेषुप्रथमोमानुषेषुतुमध्यमः) २८४ अर्थ इसका देखो दोसौ सैंतालिसकी अधिकोक्तिमें २८४ चरख ध्वजा आदितोड़ फोड़ करनेवाले का दंड(संक्रमध्वजयष्टीनांप्रतिमानांचभेदकः। प्रतिकुर्याच्चतत्सर्वंपंच दद्याच्छतानिच) २८५ अर्थात्-संक्रम नाम चलनेवाली कलैं जैसेतोपचढ़ाने योग्य चरख आदि अनेक संक्रमसमुभिलेने और ध्वजा तथाध्वजाकीयष्टीवांसवल्ली आदि जो कि बहुत ऊँचाचिह्न विशेष खडाकरते जिस्से राजसेना आदिके स्थान अतिशय दूरसेभी देखपरते हैं इत्यादि कोई और वस्तु जो जो इनके तुल्य डेरा तंबू आदि समुभे जायँ और प्रतिमातसवीरें आदि जो आवश्यक राजकाजों वाले चिह्न विशेष समुभे जाकर कहीं लगाये यद्वा रखे जायँ किन्तु यहां प्रतिमा स्थापित देवमूर्ति नहीं समझनी उसका दंडवधपर्यंत है इनचीजोंका तोड़फोड़ करनेवाला ज्यों

का त्यों उस वस्तुको बनवादेवै और फिर पांचसौ तकदंडभी वहभरै २८५ माणिक्य  
 आदि मणिरत्नों के विगाड़ने तद्वत् अन्य चीजों को मिलाकर दूषित करनेकायहदंड  
 है(अदूषितानांद्रव्याणांदूषणेभेदनेतथा । मणीनामपवेधेचदंडःप्रथमसाहसः) २८६  
 अर्थात्-रसादि कोई द्रव्य जो अदूषित किंतुएक रूपीहो तिसमें खोंटाद्रव्यमिलाकर  
 दूषित करिदेने मध्ये पूर्वसाहस दंडहै दृष्टांत इसका यह कि जैसे दशमनघी में आठ  
 मनमहुआ का तेलमिलाकर यद्वा दशमनघीमें पांचमनकरड़ कुसुंभ का तेलयद्वा प-  
 शुओंकी चरबी आदि कोई और वस्तुमिलाकर उसको सस्ता बिकने के अर्थसे वि-  
 गाड़ै एवं सर्षप तैलमें कँटसीला सत्यानाशी आदि कुतैलों को मिलाकर बेचें एवंह-  
 लवाई यद्वा कोई और दूधवाला सायंकालिक सद्यस्कता जे दूधमें जोकच्चा या पका  
 हो कुछप्रातःकालिक दिनका रक्खादूध मिलावै यद्वा घोसीही बीमारपशुकादूधनीरोगी  
 पशुओं के दूधमें मिलाकरहलवाईको देदेवै तौ इत्यादि कुकर्म सुनते सारहीसरकार  
 मुद्दईहोनेकी अधिकारी है इसहेतुसे कि ऐसी सविकार चीजें खानेसेविस्फोटकहै, जा-  
 महामारी आदि प्रायःरोगोंकी उत्पत्ति शीघ्रहोतीहै कि जिनसे प्राणबाधामें संदेहनहीं  
 एवं माणिक्यादि अभेद्यमणी जो जो भेदन करने योग्यनहीं तिनकोकोई कच्चादूकान-  
 दारआदि किसीवहानेसेभी तोड़ैफोड़ै यद्वा वेधनकरने योग्यभी मुक्तादि प्रसिद्धमणियों  
 को कुठौर वेधै जिस्से निपट निकम्मी या लघुमूल्य की होजाय तौभी पूर्वसाहस दंड  
 उसपर योग्यहै इसहेतुसे कि ऐसीचीजें टूटे पीछेप्रायःजुड़तीनहीं और सिद्धांतमेंअ-  
 लभ्यहोने से तद्रूपशीघ्र मिलतीनहीं इस्से कारीगरको योग्यथा कि अपनेगुणसे प-  
 का होने विन इसकार में निजहाथ लगाने को उत्साह न करता-योगीश्वर ने इस  
 पिछले अद्धावाली बातको स्पष्टयद्यपि नहींकहा तौभीदोसो चालीस मूलश्लोक में  
 ( अयोग्योयोग्यकर्मकृत् ) इसचौथे पादके अनकार्थत्वसे संमूचित कियाहै और यहां  
 मनुके पहिले अद्धामें जोखोंटी वस्तुओंका मिलानाहै तिसवानको योगीश्वरनेभी दो  
 सोंपचासवाले मूलश्लोकसेकुछ व्यौरवार कहकर आगे दोसोंपचपन मूलश्लोकपर्यंत  
 इन्हींवातोंका विस्तार निरन्तर दर्शितकियाहै तत्रैवदेखो (आर) यहजो इतनाअंतरहै  
 कि उन्होंने केवल सोरहपणका दंडकहा सो उन्वान में ममुभना जबकि उर्मीजानि  
 की खोंटीचीज अपनीजाति में हमजिन्समिलाई जाय जेमें मीठे नमकमें फाकानमक  
 मिलना एवंश्रेष्ठ घीमें खोंटाघी मिश्रितकरना तथा नवीनउग्द मूँगमेंपुगने उग्दमूँग  
 का मिलाना आदिजानो और यहांपूर्व साहसदंड दोनों पचानपण कामनुने जोकहा  
 तिसकावही प्रयोजन है जो ऊपरअर्थोंमें दृष्टांत दिवागया किर्यामें महुआ तथाकर-  
 डकातेल यद्वा चरबीआदि मिलावै ऐसी नैरजिन्म की मिन्नावट यद्वांसमभनी २८६  
 ग्राहक लोगोंसाथ पण्य अधवामूल्यकी दिनांति या दहभांति करनेकादंड (ममेंद्विवि

षमंयस्तुचरेद्वैमूल्यतोपिवा । सप्राप्तुयाद्दमंपर्वनरोमध्यममेववा) २८७ अर्थात्-(समैः)स-  
ममूल्य देनेवालोंसे इसभांतिकी विषमताकरै कि एकोको अच्छी चीज दूसरोको खोटी  
वही चीजदेवै जिसकेदाम सबहीने बराबरदिये अथवा चीजसबको एकसीही देकर  
उनमें मूल्यकी विषमताकरै किविना उधारआदि हेतुओंकेभी एकोसेकुछ थोड़ामूल्य  
औरोंसेकुछ बहुतमूल्य ऐसा कहकर जोलेले कि उन अमुकामुक ग्राहक लोगोंसेजो  
लियाथा सोतुमसे लिया तौ इसभांतिकी विषमता करनेवाले किसी सौदागरको अ-  
नुबन्ध के अनुसार पूर्वसाहस दंडयद्वा मध्यमसाहस भी कदाचित् होय-परंचये अप-  
राध ऐसी दशापर आरूढ़होते हैं किजबकोई चीज राजकल्पित निरखोंके अनुसार  
देनी कहकर उसकेनिपट अजानको कुछधोखादेय क्योंकि बिरलेअवसरमें व्यापारी  
या दूकानदार अपने किसी प्रयोजनसे निजमालको कुछऔने पौनेसेभी टोटाखाकर  
बेचिदेताहै वहरूपक इसदृष्टांतमें निरर्थक है कि उसकोइतना क्यों देदियाथा २८७  
राजमार्ग सड़कोंमें कुछबन्धन खड़ाकरने और प्राकारनाम शहरपनाह तोड़देने यद्वा  
खाई आदिदेने मध्येदंड है(बन्धनानिचसर्वाणिराजमार्गेनिवेशयेत्। दुःखितायत्रदृश्ये  
रन्विकृताःपापकारिणः २८८ प्राकारस्यचभेत्तारंपरिखाणांचपूरकम्। द्वाराणांचैवभं  
क्तारंक्षिप्रमेवप्रवासयेत्) २८९ अर्थात्-सभी भांति के बन्धन जो जो होतेहों उनमें  
कोईसा यदि बन्धन राजमार्ग में आरोपै जैसे मोटा लकड़ लेकर तिरछा बीचसड़क  
में रखिआवै यद्वा मोटारस्सालेकर सड़कसमीपी वृक्षोंमें दुतरफा बाँधिआवै या गज  
दो गज ऊँचीलकड़ी गाड़िआवै या छोटीमेखें ठोंकिआवै जिस्से रातिमें निकसनेवाले  
बाहन आदि पीड़ा पाते देखिपरें एवं जो कोई राजमार्गमें दीवारआदि राजासे बिन  
बन्धे खड़ीकरावै याबेमौके एकछोटादरवाजा खिड़कीआदि जैसाकूँचेबंदीमें आवश्यक  
होताहै लगवावै जिसमें हाथी आदि निकसने का संकोच होय या दूरस्थ दिव्यस्था-  
नोंका अवलोकन रुकताहो तौ ये पापकारीभी प्रत्येक विकृतहोवैं किन्तु राजदंडपा-  
कर ये सब विकृत कियेजावैं-इनकादंड प्रकार निचले वाक्यमेंभी देखो (यत्रबन्धना  
दिहेतुभिर्मार्गेगजरथादिवाहनादयः प्राणिनोदुःखितादृश्येरन् तत्रतेष्वपराधेषुयेपाप  
कारिणस्तेपि विकृताभवेयुरितिदंडोक्तिर्ज्ञातव्यानह्यत्रमनुमुक्तावलिकल्पितभावसंग  
तिः) २८८ एवं जोकोईदुर्जन (प्राकार) नामशहरपनाह कोटकिलेकीरैनीपरकोटाआदि  
तोड़ै फोड़ै ( या ) परिखानाम खाई खंदक कूराकर्कटसे भरिदेवै या वृक्षादिकउसमेंभ-  
रिकें आदिदेवै यद्वाशहरपनाहऔरपरकोटाके दरवाजेतोड़िडालै इनकोशीघ्रदेशनिका-  
लादेवै और धनदंडभी कि जैसा साहसप्रकरणकेअनुसार उत्तमसाहस दंडपायाजाता  
हो २८९मंत्र यंत्र आदि प्रयोगोंसे यदि कोई मारणहेतुमें अभिचारकरै तिसका दंड  
(अभिचारेषुसर्वेषुकर्तव्योद्विशतोदमः । मूलकर्मणिचानाप्तैःकृत्यासुविविधासुच) २९०



अर्थात्-सबतरहके अभिचारों में और मूलकर्म में और विविधाभांति कृत्याओं में भी दोसौपणका दंडहै-आशयइसका यहकि( अभिचार )नामहिंसारूपी मंत्रयंत्रहोमादिक जो अथर्ववेदके विधानसे या तंत्रशास्त्रके प्रयोगोंसे वा इन्द्रजालसेयदिकोई मारणअर्थ किसीकेहेतु करताहो यद्दालौकिक टोनाजादू आदिकरनेलगे यद्वा ( मूलकर्म ) नाम कोई औषधबूटी खोदि गाड़िकर मंत्रादि विधान करनेलगे या पदकी धूलिउठाने लगे तौ इत्यादि प्रकारोंके प्रारंभहोतेसार दोसौपणका दंड तवहींतक होसक्ता है कि जबतक ऐसेकर्मोंसे किसीको मारणफलकी प्राप्ति न होसकीहो किंतु मरजाने में फिर मनुष्यमारणकाही पूरादंडहोगा-एवं विविधभांति की ( कृत्या ) साधारण बशीकरण व्यामोहन आदि जोकि माता पिता भार्या आदि आत्मीयोंके सिवाय कोई गैर उसकाधन हरने आदि निमित्तोंसे यदि करै तोभी दोसौपणकादंड उसपर करणीय है ( माता पिता भार्या आदिकी छूट इसमें इस हेतुसे कि प्रायः ये लोग अपने विमुख मनुष्यका हितचाहकर बशकरने हेतु ऐसाकरते हैं कुछ मारण हेतु नहीं करते इस्से इनको दंडनहीं देना ) २६० खोंटाबीज बेचनेवाले और ग्रामादि सीमा भंगकरनेवालोंका अपराधदंड (अबीजविक्रयीचैवाबीजोत्कृष्टंतथैवच । मर्यादाभेदकश्चैवविकृतंप्राप्तुयाद्वधम् ) २९१ अर्थात्-अबीज जो निपट जमिसकनेयोग्य नहीं तिसको अच्छा बीज कहकर बेचै यद्वा खोंटे बीजमें कुछ थोड़ा अच्छा बीजभी मिलाकर सबको उत्तमकहकर देदेवै ऐसा विक्रेता और वहपुरुष जो ग्राम क्षेत्रआदि की सीमाओंवाले चिह्न मिटावै सो बधबंध रूप तीव्र दंडपावै-योगीश्वरने यहबीज विक्रयवाला नियम परीक्षा सहित एकसौ इक्यासी मूलश्लोक से कहदिया था कि बीजपरीक्षा करके लेनायोग्य है इसलिये उसकादंड विपयिक चर्चा नहीं किया परजो खोंटा बीजकोई बेचि बैठै तिसका दंड निर्णय दोसौ पचासको आदि लेकर दोसौ वावन मूलश्लोक तकजो साहसकर्मोंकी व्यवस्था है उसमार्गसे होसक्ताहै इसलिये भिन्नवाक्य नहीं कहा. मनुने इसवात को कुछउग्रसाहस जानकर भिन्नात्मक दर्शितकियाहै कि बीजप्रायःविक्रेताके विश्वास पर भी लियाजानाहै औरउसके खोंटे निकसि जाने से उसखेत की फसल मारीजाती है कि जिस्से राजभागमें भी हानि संभव होतीहै इसलिये खोंटाबीज देनेकामार्ग मेटि देनेके निमित्त से यहकहाहै कि मारपीटरूप तीव्रदण्ड पावै-इसके पिछले अक्षरमें जो सीमा भङ्गकरना कहा तिसका याज्ञवल्क्यने भी एकसौसाठि मूलश्लोक में (मर्यादायाः प्रभेदश्च) इत्यादि पाठर्माणा निर्णयका स्थूल मुख्य जानकर तत्रैव दर्शित किया है और मनुने सगकार मुदृष्टहोना मुख्य प्रयोजन लेकर यहाँ प्रकीर्ण प्रकरणमें दर्शाया दोनों ऋषिवर्या का मिद्धान्त न्याय वरिष्ठहै २६१ ॥इतिप्रभिन्नव्यवहाराणांलनानि ॥(अथात्रमर्वदण्डविधिशेषप्रकारः)

यद्यपि प्रत्येक व्यवहारों के अपराध में सर्वत्र जैसा योग्यथा सो दण्ड उत्तम मध्यम आदि भेदों से दर्शाया गया तथापि यह आशङ्का भी सर्वत्र इतनी शेष है कि जितना दण्ड उत्तम या मध्यम आदि जिस अपराधीपर न्यायानुसार लेना निश्चित होय उतना द्रव्य उसके घरमें भी न होय तिसपर क्या प्रतिकार करना योग्य होगा तिसकी शेष-विधि अब कहते हैं सर्वत्र काम आवेगी-तदाहमनुः (क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तुदण्डन्दातुम शक्नुवन् । आनुष्यङ्गमणागच्छेद्विप्रोदद्याच्छनैःशनैः २२६ अपिच-स्त्रीबालोन्मत्तव दानांदरिद्राणांचरोगिणाम् । शिफाविदुलरज्ज्वाद्यैर्विदध्यान्नपतिर्दमम् ) २३० इति नव माध्यायेभृगुः-अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों जातिके मनुष्य जबकि बोला राजदण्ड जुरमाने रूप धनकी कमताईसे देसकने में असमर्थ हों तब ये निज निज करने योग्य राजकर्म करके उस धनदण्डसे उद्धार पावें किंतु जितनी अवधितक उद्धार होना न्याय-सूत्र से यथोचित समुभाजाय उतनी अवधितक ये लोग निजनिज कर्मोंके वश होकर कारागार आदि निरोध स्थान में निरोधित रखे जायँ यह सिद्धान्त है (और) अधिक विशेष इसका आगे बढ़कर निचली चौरादिक सर्व दुष्टोंकी दण्डादि व्यवस्था में जो मनुके अष्टम अध्यायवाला तीनसौ दशवांवाक्य हो तिसके अर्थ को अवलोकन करो-पर जब कोई अपराधी विप्र जाती हो और तत्काल ऐसे धनको देसकनेमें अस-मर्थ हो तौ वह धीरे धीरे क्रम क्रमसे आप कमाकर देता रहे और ध्वन्यर्थ इसका यह कि उससे दंडकमाकर देनेकी प्रतिज्ञा साथ प्रतिभूपकाले कर छोड़ि देवै किन्तु कारागार में कुछकर्म कराना योग्य नहीं २२६-और भी-जब कोई अपराधी स्त्री मात्र हो या बालक हो या उन्मत्त सिडीदिवाना आदि कोईसा विक्षिप्त हो या बूढ़ा हो या रोगी हो यद्वा निपटदरिद्री जो आगेको भी धनपैदा करसकनेकी शक्तियोंसे संयुक्त न हो तौ सर्वत्र ऐसे दुर्बलतुच्छोंका यह दंडप्रकार है कि शिफाविदुल किन्तु बाँसी कमची बेत और चामी सतीरस्सी आदि से कुछ मारपीट या बँधवाना आदि जैसा योग्य समुभाजाय तैसा देशकालअवसर और भूतात्मक वस्तुओंके अनुरूप राजा करै २३० इन्हींदो श्लोकों मेंसे पहिला दोसौ उनतीसवाला वाक्य मनुके नवयें अध्याय में जो द्यूतकर्मों का प्रति-षेध करने पीछे सेवककर्ताके दंडराजइच्छाके अनुकूल भृगुने दोसौ अट्टाईस में दर्शा कर नीचे रक्खा तिसका अर्थ जो कुल्लूकजी ने हारेहुये जुआरी लोगों के पक्षमें दर्शाया सो सब निपट असङ्गत जानो क्योंकि प्रथम तौ यह दूषण पाया जाता है कि हाराहुआ जुआरी निर्धन होनेपर भी जीतेहुये जुआरीका दास बनकर धनशोधन सिर्फ उसी दशामें करसक्ता है जो पहिले उसे प्रतिज्ञा देकर खेलाहो अन्यथा धनकी हारिजीति बढ़िकर खेलाहो तिसमें राजसे यह न्याय होना सूचित नहीं है कि राजा उसको दास बनाकर किसी जीतेहुये पक्षीके हवाले करै बल्कि हाराद्रव्य दिलाना भी यह सिर्फ नारद

आदि विरली स्मृतियों का सिद्धान्त है अर्थात् मनुजी ने द्यूतकर्मका प्रतिषेध सर्वथा यहाँ तक आरोपित किया है कि राजा अपने राजभर में द्यूतकर्म सँचरने भी न दे तौ फिर हाराधन दिलवाना या उसके पलटे उसका दास बनाना मनु क्योंकर आपकहते इससे मनुकी मुख्य विवक्षा से विपरीत अर्थ क्योंकर माना जाय जिसकी मूलवाक्यमें कुछ निपट समस्यातक भी नहीं है और द्यूत विवादवाले प्रकरणमें भी दोसौ उनतीसवाला वाक्य नहीं-किंतु सिर्फ उसकी सीमापर इसहेतु से उपस्थित है कि आगेआगे सर्व सामान्य दुष्कर्मोंके दण्ड वर्णन होनेलगे तिनमें यही व्यवस्था है जोऊपर दोसौ उनतीसवाला अर्थ यहाँ दर्शाया गया ( अथचौरादीनांसर्वदुष्टानांप्रत्यवश्यन्दणधारणफला विकंत्वाहमनुः)-परमंयत्नमातिष्ठेत्स्तेनानानिग्रहेनृपः । स्तेनानानिग्रहादस्ययशोराष्ट्रञ्चवर्द्धते ३०२ अभयस्यहियोदातासपूज्यःसततन्नृपः । सत्रंहिवर्द्धतेतस्यसदैवाभयदक्षिणम् ३०३ सर्वतोधर्मषड्भागोराज्ञोभवतिरक्षतः । अधर्मादपिषड्भागोभवत्यस्यहरक्षतः ३०४ यदर्धीतेयद्यजतेयद्दातियदर्चति । तस्यषड्भागभाग्राजासम्यग्भवतिरक्षणात् ३०५ रक्षन्धर्मेणभूतानिराजावध्यांश्चघातयन् । यजतेऽहरहर्यज्ञैःसहस्रशतदक्षिणैः ३०६ योऽरक्षन्बलिमादत्तेकरंशुल्कञ्चपार्थिवः । प्रतिभागञ्चदण्डञ्चसद्योनरकं व्रजेत् ३०७ अरक्षितारंराजानंबलिषड्भागहारिणम् । तमाहुःसर्वलोकस्यसमग्रमलहारकम् ३०८ अनपेक्षितमर्यादंनस्तिकंविप्रलुम्पकम् । अरक्षितारमत्तारंनृपंविद्यादधोगातिम् ३०९ ( एतस्मादेव ) अधार्मिकंत्रिभिर्न्यायैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नतः । निरोधनेनबन्धेनविविधेनवधेनच ३१० निग्रहेणहिपापानांसाधूनांसंग्रहेणच । द्विजातय इवेज्याभिःपूयन्तेसततंनृपाः ) ३११ इत्यष्टमाध्यायेभगुः-अर्थात्-मनु कहते हैं कि राजा अपने राज्यमें सदैव चोरचिकारों के पकड़नेमें बहुतउत्तम यत्नपर आरूढ़ होय क्योंकि चोर आदि दुर्जन पंक्तियों का अच्छा निग्रह कियेरहने से इस राजाका सदैव यश विख्यात होता है पुनि राज्यभी निरुपद्रव होकर बढ़ता है ३०२ चोरआदि को दंडदेनेद्वारा सज्जन प्रजा लोगोंको जो राजा सदा सर्वदा अभयदान करता रहताहै निरंतर सबका पूज्य और श्लाघ्य वही होताहै (और) यहसर्वकालिक अभयदानरूपी बहुत दक्षिणावाला सत्र नामक यज्ञ उसका सदा बढ़ता रहता है अर्थात् ( बहुभ्योदीयतेयत्रतृप्यंतिप्राणिनोवहु । कर्तारोवहवोयत्रतन्मत्रमभिधीयते ) इम वचन के अनुसार सत्र वही कहाता है कि जिसमें बहुतों को दक्षिणा दीजावे बहुत प्राणी जिसमें भोजन आदि से संतुष्ट होयें यज्ञ करने करवानेवाले कर्ता जनभी बहुत होयें बल्कि इमका आशय यह भी है कि बहुत दिन तक होनागै-परंच नों भी ऐसे मत्र में कुछ अबाधि नियतअवश्य होगी उनने काल पीछे करना बंदहोगा इममें संशय नहीं है और अत्रोक्त अभयदान की दक्षिणावालासत्र सदैव होना रहताहै और

सत्र के ही तुल्य फल को सदा असंख्यगुण परिमाण देता रहता है यह सत्र उससे बहुत बड़ा जानो ३०३ और एक बहुत बड़ा कारण प्रकट करते हैं कि-प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को प्रजा के धर्म कर्मोंका षष्ठांश फल पहुँचता है और प्रजाकी रक्षा नहीं करनेसे षष्ठांश उनके पापकर्मोंका भी राजाको पहुँचता है इसलिये निरंतर उनकी रक्षाकरे ३०४ क्योंकि प्रजामें जो कोई किसी पुनीत विद्याका आराधन करता है या पूजापाठ जप यज्ञादि कर्मकरता है या दान विशेषकरता है या देवपूजन आदि जो कुछ उत्तम कर्म करता हो तिसकी भलीभांति से रक्षापालन करने से उस कर्मका षष्ठांश भागी राजा होता है ३०५ स्थावर जंगम सभी प्राणियोंकी रक्षा राजा शास्त्रविहित शासन कर्मद्वारा करते हुये और चौरादिक वध्यप्राणियों को ताड़न आदि घातकर्म करते हुये नित्यं प्रति उस पुण्यफलको पाता है जो लक्षगौओंके दान से प्रत्येक यज्ञ होता हो ३०६ जो राजा उसकी रक्षानहीं करते हुये प्रजाओंसे कुछ राजबलिको लेता है या राजशुल्क लेता या प्रतिभाग नामक राजभाग लेता है या दंडधनको लेता है सो मरते ही तत्काल नरकमें जाता है-अर्थात् (बलि) संज्ञक एक राजकर उसभांति का समुभना जो धान्य आदि पैदावारीसे षष्ठांश आदि भाग लिया जाता है और (कर) संज्ञक एक राजकर उसभांति का समुभना जो खेतीके सिवाय कोई और पेशाग्राम नगरोंके निवासी वा सुखवासी आदि करते हों तिनसे प्रतिमास या भाद्र पौषमास आदि नियमसे कुछ लिया जाता हो और (शुल्क) संज्ञक एक राजकर उसभांति का समुभना जो स्थलमार्ग या जलमार्ग आदि नियतस्थानोंमें व्यापारी आदि वणिज करनेवालोंसे कुछ द्रव्य उनकी माल भर्तीके अनुसार लिया जाता हो और (प्रतिभाग) संज्ञक एक राजकर उसभांति का समुभना जो बाजारोंमें विक्रय हेतु पहुँचे हुये फलफूल वा शाकादिक तथा तृणादिक वस्तुओंसे कुछ चुंगीके अनुरूप उपायन मात्र लिया जाता हो और (दंड) संज्ञक एक राजकर उसभांति का समुभना जो व्यवहारोंके प्रयोगमें कुछ बादी प्रतिवादी आदि लोगोंसे या और किसी अपराधी आदिसे जुरमानेरूप लिया जाता हो ३०७ रक्षानहीं करनेवाला राजा प्रजा लोगोंसे जो राजबलि षष्ठांश पैदावारी आदि हरता है तिसराजाको सब लोगोंके अशेष पापरूपी मैल उतारा खानेवाला समुभो यह मन्वादिक सब ऋषिवर्य्य ऐसा कहते हैं ३०८ यदि कोई राजा शासक कर्मर्यादाको नमानिकर उलांघे और निजप्रकृतिसे ही नास्तिक हो अर्थात् परलोक भूय कहकर उसके पक्षपर आरूढ़ बनारहता हो और बहुधा अनुचित दंड करने आदि से धन हरता हो लान विहीन रक्षाकर्मोंसे उपेक्षारखता हो कुसमय आपत्काल में भी राजकर बलिद्रव्य लेने आदि में कठोर चित्त होय ऐसे राजाको अवश्य नीचगति में जानेवाला जानो ३०९ राजाको यह योग्य है कि चोर चिकार आदि अधर्मा जो जे

हाथ आवैं तिनको सत्यनिर्णयकियेपीछे जैसा छोटबड़ा तीव्र उसका अपराध निश्चित होय तिसके अनुरूप तीन उचित कल्पों से प्रयत्न करके शासन करै अर्थात् या तौ कारागार में निरोध नाम क़ैद रखै या निगड़ बेड़ीकाष्ठ आदि से भी बंधनअधिक दोषमें करवावै अथवा तीव्र महापराधों मध्ये ताड़न आदिलेकर अंगच्छेदनवधपर्यंत जैसा योग्यहो यद्वा प्राणवियोग विनादोनोंतीनों कल्पइकट्टे कियेजायँ सो यहकल्पभी उस दंडकेउपरालू जानो जो जो धनदंड उत्तम मध्यम पूर्वसाहसरूपकहींसर्वत्र जैसा नियतहो ३१० पापियोंका निग्रहकर्म और साधुओंकासंग्रह कर्मकरनेसे राजालोगनित्यं प्रति उसभांनि एवित्र होते हैं कि जैसे प्रतिदिन पंचमहायज्ञों के कर्तृत्वसे द्विजाती शुद्ध होतेहैं ३११ अब आवश्यक छूटेंभी कुछ नीचेवर्णन करतेहैं ( क्वचिद्राज्ञाक्षांतिरेव श्लाघ्यानप्रतिकारः )-एतदप्याहमनुः ( क्षन्तव्यंप्रभुणानित्यंक्षिपतांकार्यिणानृणाम् । बाल वृद्धातुराणांचकुर्वतांहितमात्मनः ३१२ ( कुर्वताइत्यपिपाठांतरं-तच्चप्रभुणाइत्यस्यविशेषणमितिकेचित् ) यःक्षिप्तोमर्षयत्यातैस्तेनस्वर्गोमहीयते । यस्त्वैश्वर्यान्नक्षमतेनरकंते नगच्छति ) ३१३ इत्यष्टमाध्यायेभृगुः-अर्थात्-राजकर्म साधन करते हुये राजाओंको यह एक और प्रतिज्ञा शिक्षारूप है कि सर्वशक्तिमान् समर्थ होकरभी अग्रोक्ततेरहवें श्लोकमें दर्शायाहुआ सदैव अपना हितचाहिकर आक्षेप करनेवाले कार्यियों की और बालक बूढ़े रोगियोंकी असंगत आक्षेपरूपी उक्तियों को सहलेना योग्य है अर्थात् अपने नेत्र कान दोनोंसे प्रत्यक्ष देखसुनकर भी कुछ दंड न देवै बल्कि जो बनि आवैं संभव हो उनकी उसी पीड़ाका प्रतिकारभी कुछ करै कि जिसके मुख्यहेतु से असंगत आक्षेपकी उत्पत्ति हुई समुभीजाय-क्योंकि-प्रायः विरले कार्यीलोग मुद्दई या मुद्दआअल्लेह जिनके व्यवहार देशपालों या धर्माध्यक्षों से कुछ अच्छे निर्णय नहीं होसके यद्वा राग लोभ भयादिक से विपरीत कियेजाते हैं और उनमें सत्ता इतनी नहीं है कि निज व्यवहार को अब राजा तक पहुँचावें तवहीं दुःखित होकर क्षोभ पूरितहुये असंगत कोई आक्षेपरूप उक्तियुक्ति कल्पितकरके कहीं विहारमार्ग आदि अवसर पाकर ठठराजाके सन्मुखजाकर व्यक्त करनेलगते हैं इसभांतिकी उक्तियों वा युक्तियोंका कुछ कोई एकस्वरूप निश्चितनहींहै अर्थात् वही प्रयोजनवाला अपनी उत्तममध्यम नीचवृद्धि के अनुरूपजो बनिआवैं मोई करताहै मिद्धान्तगवका एक लक्ष्यपर आरूढ़ है कि उनउक्तियों वा युक्तियोंमे निजराजाको शर्मिन्दा करने लगताहै( दृष्टांत ) जैसा दिवसमें मशालका उजीनालेकर मन्मुख दिग्गनाना यह नौ युक्तिकास्वरूपहै इत्यादि नानाभांतिजानो और ( उन्नि ) नाम केवलमृगमेही कुछवान बनाकर कहनी ( इसकादृष्टांत ) जैसा एकविदेशमृतपुत्रप एककाकीका मान जो अज्ञान निवानस्थान होनेके हेतुकोई वारिन्उत्तका तत्काल न नानृमहुआ इन्मे टिडिमघोप

करवाने पीछे सींगे लावारिस मध्येनाजिर अदालतके सुपुर्दहुआ कईवर्षोंतक लेने वाला कोई नहीं आया इतनेमें दोतीनहाकिमयहां बदलेगये नाजिर आदि अदालती कईलोगोंने इसबातको खफ्रीफ़ जानकर उसकीकोई अग्रिमउक्ति युक्ति गांठिगांठि उक्तमालको मिलि बांटकर पचालिया-पीछे उसके वारिस खबरपाकर आनिपहुँचे और उसमालके मिलनेहेतु उपाय करतेकरते वर्षमात्र ठहरे खर्च खाया परवहमाल उनकेहाथ न आया किन्तु अदालतीलोग नवीनहाकिमको समुभादेतेथे कि दावीदार बहुत मुद्दत पीछे आया और इसदफ़तरकोठीमें दीमक की बहुताइतहै बरसातेंखाकर मालमट्टी हुआ कसूर उसकाहै सो यही सुनकर हाकिम उसको उत्तर दे देते रहे कि तुमने बहुतकाल पीछे खबर ली हम लाचार हैं जो माल तुम्हारा दीमक ने खालिया-आखिर एक दिवस दावीदारने दुखियायकर भल्लाहटसे इजलास आगे ऊंचे स्वरसे यह उच्चारण किया कि ( अगरऐसी प्रबल दीमकहै इसदफ़तरमें कि जिसने मेरे बापका लोहापीतल आदि भी सब इतना इतनाधन भँछि लिया तो क्योंकर यहां हज़ूरी कुरसी सिंहासन और दफ़तर कागज़ात उसके खानेसे बचगये ) यह कथन उसकी एक आक्षेप रूप उक्तिहै इत्यादि नानाभांतिसे बहुतेरी और भी उक्तियां समुभलेनी-यद्यपि इसमें संभवथाकि हाकिम ऐसे कुरसी दफ़तरवाले कटुक शब्द सुनकर उसको जो चाहे सोई दंड भी देसक्ता था परंच हाकिम का यह धर्मनहीं है अर्थात् अगले तेरहवें श्लोकमें जो धर्महै तिसधर्मके अनुसार ऐसासुनते सारउमके कानोंमें सन्नहटाहुआ क्षणमात्र ध्यानकरते साथ कहा कि शायद दोपांववाली दीमक हो अहेल्कारोंको तत्काल आज्ञादी कि इसबातका सबूतकामिल जल्दतर पहुंचाओ और मुद्दई का राजीनामा दाखिल करवाओ नहीं तुम्हारी कुशल क्षेमनहींहै लाचार जैसे बना तैसे नगदी देकर उसका राजीनामा दिलवायागया-यह दृष्टांतकेवलकार्यों लोगोंके आवश्यक जानकरदर्शायेगये-इनके उपरांतकभी बालकअपने बाल स्वभाव से और बूढ़ेनिज विक्षिप्त प्रकृतिसे याकोई अद्भुतक्लेश पानेसेकि जिसमें किंचितराज का संसर्ग पायाजाताहो या विरलेवृद्ध प्रतिष्ठित अपनी सिर्फ़ अवस्थाकी अधिकता सेही-एवं महारोगी आदि अपनेचित्तकी आकुलता या कुछदुःखविशेष पानेसेभी मुँहफट्ट होकर आगापीछा सोचेविन जबचाहें तभीराजाको कुछ अनुचित आक्षेपरूप उक्तियां कहनेलगते हैं और विरले आत्मरूप का हित करनेवाले ज्ञानवान्भी बहुश्रुत अपने निर्मलज्ञान विचारसे निर्लेप और निल्लोभसत्ता युक्तहोकर प्रायः ऐसे अवसरमें कि जबजब कभीराजासे या राजाकी अधिकारी आदि राजसमाजी लोगों से सामान्यजन को कोई दुर्जरपीड़ा पहुँची समुभीजाती हो यद्वा सार्वलोकी कुछ उत्पात होजानेवाला लक्षणसंभवहोताहो तब सामान्यजनकी पीड़ाशांति यद्वा सार्व-



लोकी शंकित उत्पातोंका अभाव इच्छाकरतेहुये प्रतर्कित राज विकारोंका निर्मूल होना चाहकर निजराजाको या राजसमाजी आदि मुख्यप्रधान लोगोंको कुछशिक्षा-युक्त प्रबोधवाक्य प्रायःआक्षेपरूपी कटुका उक्तियोंसे संभावित करिकैचाहे जिह्वामा-त्रसे या कोईभांतिके लिपिकर्मकाव्य आदिसेभी एक या अनेक बारम्बारतक दर्शाते हैं कि जिस्से शीघ्रबोधहोवै ऐसेलोग प्रायःराजा प्रजामात्रके शुभचिंतक समुभेजाते हैं-इनसबके आक्षेप समर्थराजाको सर्वत्र सर्वकालोंमें क्षन्तव्यहै अर्थात् इनकोदंडदेने से सदैव मुआफ़रकखै २१२ क्योंकि जो कोई राजाउक्त दुखियाआदि इनसबलोगों का आक्षेप सुनिकर सहिलेताहै सोउसी सहिलेनेके फलमात्रसे कदाचित् स्वर्गलोक में भी जाकर महती महिमा पाया करताहै इस लोक में भी स्वर्गकेही तुल्य अपना राज्य शासन करते यशकोपाता ( पर ) जो कोई अपने ऐश्वर्यों के घमण्डसे दर्पीला बनकर सहता नहीं कुछ इन लोगों कोभी दंड देने लगता है सो उसी कर्मके फलसे शीघ्रदोनोलोक नरकनिवासीहोताहै और महतीनिंदाभरनेकाभी ओछापात्र २१३ (दंडकरणेहेत्वंतरायप्याहमनुः) राजनिर्धूतदंडाश्चकृत्वापापानिमानवाः । निर्मलाःस्वर्ग मायान्तिसन्तःसुकृतिनोयथा ३१८(तस्मात्)येनयेनयथांगेनस्तेनोनृषुविचेष्टते । तत्तदे वहरेत्तस्यप्रत्यादेशायपार्थिवः ३३४ पिताचार्यःसुहन्माताभार्यापुत्रःपुरोहितः । नादंड्यो नामराज्ञोस्तियःस्वधर्मेनतिष्ठति ३३५(क्वचिद्राज्ञोऽपराधेधनदंडस्यैवसहस्रगुणवृद्धिः) कार्षापणंभवेदंड्योयत्रान्यःप्राकृतोजनः । तत्रराजाभवेदंड्यःसहस्रमितिधारणा ३३६ (अस्यचफलविशेषः)अनेनविधिनाराजाकुर्वाणःस्तेननिग्रहम् । यशोऽस्मिन्प्राप्नुयात्सो केप्रेत्यचानुत्तमंसुखम् ३४३ (अतश्च) ऐन्द्रस्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् । नोपेक्षेतक्षणमपिराजासाहसिकंनरम् ३४४ (यतः) वाग्दुष्टात्तस्कराञ्चैवदंडेनैवचहिंस तः । साहसस्यनरःकर्ताविज्ञेयःपापकृत्तमः ३४५ नमित्रकारणाद्राजाविपुलाद्वाधनाग मात् । समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ३४६ साहसेवर्तमानन्तुयोमर्षयति पार्थिवः । सविनाशंरजत्याशुविद्वेषंचाधिगच्छति) ३४७ इत्यष्टमाध्यायेभृगुः-अर्थात्-मनु कहते हैं कि महापापोंको मनुष्य करिकै जो जो राजाओं करके दंड धारण किये जातेहैं वे अपने पूर्व संचित पुण्य रोकनेवाले महापापोंके धुलिजाने से सुनिर्मल हुये पूर्व संचित पुण्योंकेवशहोकर स्वर्ग जातेहैं कि जैसे पुण्यात्मांमंनन्नांग जायाकरनेहै- इसकथन से यह सूचन कियाहै कि महापापकरनेवाला केवल प्रायश्चित्तमेही न शब्द होसक्ता किंतु राजदंडभोगे पीछे प्रायश्चित्तकरना योग्य है और दंड देने-नेही आवश्यक जानो ३१८ इमीलिये राजाको यह योग्य है कि चोर ~~को~~ ~~को~~ ~~को~~ महापापी अपने जिस जिस अंगहाथ पावें आदि में त्रिमंनि ~~को~~ ~~को~~ ~~को~~ निज कोईसी विरुद्ध चेष्टाकोयाचरे वही वहीअंग उमका अंग ~~को~~ ~~को~~ ~~को~~

नेके अर्थ से हरलेवै-पर यह अंगच्छेदरूप दंड ऐसी दशा में कि जहां चोर आदि अपराधीकी अत्यंत नीचता और धनस्वामी आदि मुद्दईकी उत्तमता दोनों एकत्र होयें ३३४ अन्यथा दंडराजा सबहीको देसक्ताहै अर्थात् राजाका पिता आचार्यमित्र माता पत्नी पुत्र पुरोहित इनमेंभी जो कोई अपने नियत धर्मपर आरूढ़ न रहताहो कोई ऐसा नहींहै जो राजाका अदंड्यहो ३३५ किसी अपराधके होजाने मध्ये राजा अपने कोभी उत्तम सभासदों के द्वारा दंडदानका स्वीकार करै-सोई मनु कहते हैंकि जहांकिसी अपराध मध्येराजाके उपरांत प्राकृत पुरुष कोई एक पणसे दंडनीय ठहरै उस अपराध मध्ये राजाएकसहस्र पणसे दंडनीयहै अर्थात् राजा पर सर्वत्र सहस्र गुणादंड है यह निश्चय जानो( पर ) धनदंड मात्र की मर्यादाहै कुछ और नहीं-अत्र ( स्वार्थदंडंतुअप्सुप्रवेशयेत् ब्राह्मणेभ्यो वादद्यात् ईशोदंडस्यवरुण इति वक्ष्यमाणत्वादितिकुल्लूकभट्टस्तच्चिंतनीयम् ) ( अस्मन्मतेतुयस्यकस्यचिदपराधोजातःस्यात्तमेवधनदंडमपिदद्यादितिनिविरोधः ) इसमर्यादा का विधि रूपधारण करने की अपेक्षा लेकर प्रायः धर्मधुरीण राजाओं की यह प्रकृती सुनिवे में आई हैं कि मार्गजातीहुई सवारी घोड़ा आदि से कदाचित् बालक्रीडा निर्मित धूलिसेतु खंडित होजाने में भी बालसमूह क्रोश सुनकर शीघ्र घोड़े को लौटारि उनको शिक्षा दी कि हम से यहअपराध हुआ जरमाना करना योग्य है यह सुनकर बालसमूह बालप्रकृती से यह कहने लगा कि पांच रूप्य जुर्माना देउ राजाने तत्काल उनको देकर आगे राह ली-यथार्थ उनके ऐसे ऐसे नियमों से अद्यापि एक अविचल यश विख्यात है और यह भी निश्चितहोताहै कि जबऐसे तुच्छहेतु परभी( ५ ) दण्डदेकर आगेबढ़ेनिःसन्देह उन अपराधों में भी आत्मदण्ड करतेहोंगे जो अपराध किसी पापकी गिनतीमें आसके-अविचल यश विख्यात होनेकी प्रशंसा आगे करतेहैं कि ३३६ ऐसी उक्तविधि से राजा अन्य प्राणियों को आदि लेकर अपने आत्मपर्यंत चोर आदि पापी जनका निग्रह करतेहुये इसलोक में यशपावै और उसलोक में अनुत्तम सुखको पावै ३४३ इसीलिये राजा ऐन्द्र पदवी पानेकी अभिलाषा और इसलोक में भी अक्षय अविचल यश विख्यात पानेकी अभिलाषा सदा रखतेहुये आगिल गानेवाले और धन दारा आदि बलसे हरनेवाले आदि आततायी साहसिकों को निर्मूल करनेमेंक्षणमात्र भी उपेक्षा नहीं रखवै ३४४ क्योंकि साहस करनेवाला डाकू आदि पुरुष इनपापियों से भी अधिक पापकृत्तम हुआकरताहै अर्थात् वाक्पारुष्य करनेवाले से और चोर से और डण्डावाजी करनेवाले से भी अधिक पापी होता है इस हेतुसे कि उसमें ये भी अवगुण होतेहैं और इनसे अधिक विलक्षण और भी अनेक साहस कर्मरूप अपगुण होतेहैं कि जिनकी यहाँ संख्या करीजानी सुगम नहीं है ३४५ सभीप्राणि-

यों को भय पैदा करनेवाले साहसिकों को कदाचित् राजा निज मित्रोंके कहने आदि कारणसे न छोड़े और कुछ बहुत से धनागमके भी लोभसे न छोड़े यह मर्यादा है ३४६ क्योंकि जो राजा किसी साहसी को अति साहस में प्रवर्तित होनेपर भी सहिलेता है सो पापियोंकी उपेक्षारूप अधर्म बुद्धिसेही दबकर शीघ्र नाशको पहुँचता और निज राज्य के अपकार से महान्त सज्जन आदि समर्थ लोगोंके विद्वेष प्रवाह में भी गिरता है ३४७ ( अत्रमहापातकिनोधनद्वीत्वादेहदण्डाभावनिषेधः ) महापातकी जिसने गुरु अपमान आदि महापराधकियेहों तिनसे धनदण्ड लेकर देहदण्डसे बचानेका प्रतिषेध है— तदप्याहमनुः ( नाददीतनृपः साधुर्महापातकिनोधनम् । आददानस्तुतल्लोभात्तेन दोषे णलिप्यते २४३ अप्सुप्रवेश्यतन्दण्डंवरुणायोपपादयेत् । श्रुतवृत्तोपपन्नेवाब्राह्मणे प्रतिपादयेत् २४४ ईशोदण्डस्यवरुणो राज्ञान्दण्डधरो हि सः । ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः २४५ यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् । तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः २४६ निष्पद्यन्ते च शस्यानियथोप्तानि विशांपृथक् । बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतन्नच जायते २४७ ( एतस्मादेव ) ब्राह्मणान् बाधमानन्तु कामादवरवर्णजम् । हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः २४८ यावानवध्यस्यवधेतावान् वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः २४९ एवं धर्म्याणिकार्याणिसम्यक् कुर्वन्महीपतिः । देशानलब्ध्याँलितप्सेतलब्धाँश्च परिपालयेत् ) २५१ इति नवमाध्याये भृगुः— अर्थात्— कोई धार्मिकराजा महापातकीका धनदण्ड रूपसे न लेवे किंतु लोभसे उस धनको राजालेताहुआ महापातकसे संयुक्त होता है २४३ परंच जो अपराध विशेषकी अपेक्षा किसी विरले महापातकीका सर्वस्वहारकरना लिखाहो यद्वा उत्तम साहसदंड एकसहस्रपणकालेना कहाहो तो उस धनको लेकर उत्तम तीर्थरूपजलमें ऐसी भाँति छोड़ि वरुणदेवको प्रत्यर्पणकरै कि जिस्से तीर्थघाटके अधिकारी विप्रोंके हाथभी आसके अथवा शास्त्रसे संपन्न कोई विप्र जो अप्रोक्त वृत्तचरित्र सभी युक्तहो तिमकोही समर्पणकरै ( गुरुपूजाघृणाशौचं सत्यमिन्द्रियनिग्रहः । प्रवर्तनंहितानाँचनत्सर्ववृत्तमुच्यते ) २४४ महापातकियोंके दंडरूपधनका स्वामी वरुणदेवहै इमहेतुसे कि वहमवजलोंका अधिकारी वरुणदेव राजाओंकोभी दंडदेनेमें समर्थ है और वेदपारग ब्राह्मण माँग जगतकाही प्रभुहै इसलिये इन्ही दोनोंको उमदंडरूपधनका देना कहा २४५ जिन देशमें राजा महापातकियोंसे धनदंडलेना वर्जितरखकर देहदंड अधिकदेता है तिन देशमें उमकालके प्रभावसे मनुष्य दीर्घजीवी पैदाहोते हैं २४६ और भेत्ता आदि गन्धभी जो जैसा बोया गयाहो तैसाही प्रत्येक भिन्न भिन्न उन नददेशोंमें उग्यन्नहोते हैं और बालकनही मरते हैं और कोई परम उपद्रव नहीं उठता है २४७ इच्छामद्विन ब्राह्मणोंको कुछपीडा धनापहार आदि याथाकरनेहुये नीचजातिकों अनेकविधिके उद्वेग पैदा

करनेवाले चित्र विचित्र बधबंधरूप दंडों से ताड़ना राजाकरै २४८ जितना कुछ अधर्म राजाको अवध्यका बधकरनेमें शास्त्रद्वारा निश्चित है उतनाही बधयोग्य अपराधी छोड़ देनेमेंभी निश्चित है और शास्त्रके अनुसार दंड देना यही धर्म है २४९ इस भाँति जैसा आदिसे अबताई धर्म वर्णन हुआ तैसे धर्मसे व्यवहाररूपी कामों को सदैव राजा सम्यक् युक्तिबलके साथ करते हुये अलब्ध देशों के लेनेमेंभी लिप्साकरै और निजपूर्व लब्ध स्वकीय हस्तगत सब देशोंको परिपालन करै २५१ ॥

अथ कदाचिदनुक्तो व्यवहारेष्वपि वैलक्षण्यात्सर्वशास्त्रविधिविरोधोपत्तिर्जायेत तत्रापि निर्णयमार्गमाहमनुः-अर्थात्-कदाचित् उक्त सबसाधारण व्यवहारोंमें से कोई व्यवहार यद्वा उक्त व्यवहारोंके सिवाय कोई अद्भुतरूप अनुक्तही व्यवहार ऐसा पेश आवै जो अपने किसी विलक्षण हेतुसे सब शास्त्रोंके संसूचित विधि निर्वाहोंसे विरोध पैदा करता हो-तहाँ भी उस आये हुये विचित्र व्यवहारका निर्णय होसकनेवाला मार्ग मनु कहते हैं-तथाच (जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् । समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) ४१ अर्थात्-धर्मविवेकी राजा ऐसे व्यवहारमध्ये जातिधर्मों को और जानपदीयधर्मों को और श्रेणीधर्मोंको कुलधर्मोंको भी तहक्रीकातसे विचारकर निजधर्मको प्रतिपादन करै-अभिप्राय इसका यह कि पहले इतनी बातोंका अन्वेषण करके पीछे इनहींके अनुसार अपनेधर्मको आचरै किन्तु सार्वलोक मनोहरमार्गसे व्यवहार फ़ैसल करै क्योंकि यहाँ अपना धर्म कहनेसे यथार्थ शास्त्रविहित प्रतिज्ञाद्वारा राजाका यह धर्म है कि ऊँचेनीचे सभी विवादोंका निपटारा ऐसे मार्गसे ही साधै जिसमें ठठवादी प्रतिवादी और सबलोग देखनेवाले भी मनमोहित होयँ-अब इन बातोंके दृष्टान्त क्रमसे लिखते हैं कि जातिधर्म कहने से सौगम्य अर्थ यद्यपि यही है कि ब्राह्मण आदि जातियों के धर्म जो जो नियत हों तिनको ढूँढ़ै पर अभ्यन्तर इसका यह कि जैसे ब्राह्मण आदि चातुर्वर्ण्य प्रसिद्ध जातोंके धर्म या जन अध्यापन आदि शास्त्रमें आवश्यक स्थानोंपर सब सूचित हैं तथैव इनके उपरान्त प्रायशः अव्यक्त जातियोंके भी जातिधर्म जो जो शास्त्रों में निरूपित वा संसूचित नहीं पाये जायँ पर उन जातियोंमें परिचर्या जातिप्रियता के अनुकूल पाई जाय जिसका शुद्ध प्रमाण उन जातियोंके ही मुखसे और वर्तावा से भी निश्चित होय तो उन धर्मोंको भी उसी प्रकारसे प्रमाणमें लै लेवै जानो ये भी शास्त्रविहित हैं और उनहींके अनुसार मुकद्दमा फ़ैसल करै-इसका यह दृष्टान्त है कि जैसे जैनमतवाली एक जाति सरावगी नामसे विख्यात है और शास्त्रमें इस जातिकी समस्यापूर्व कोई नियम किसी व्यवहारकी अपेक्षालेकर नहीं वर्णन हुआ है और यद्यपि लोकमें यह जाति प्रायः वैश्यनाम संज्ञासे विख्यात है इस हेतुसे इस जातिके भी वेही धर्म समुभेजासकें हैं कि जो जो वैश्यवर्णके सब शास्त्रोंमें निरूपित वा संसूचित हों पर इस जातिवालोंके

धर्म बहुधा भिन्नप्रकार हैं इसदशातक कि उनके तीर्थरूपी जगन्नाथभी द्विती  
 खरनामसे विख्यातहैं-कदाचित् उन्हींलोगों का व्यवहार कोई दायभाग मध्ये दा  
 हो और वे लोगवाद विवादसे यहतर्क रोपितकरैं कि हमइसदायभागसे निपटाराहो  
 मैंनाराजहैं क्योंकि यहधर्मशास्त्र चातुर्वर्ण्योका प्रतिनियतहै हमारानहीं तबहींराजा  
 यहयोग्य है कि उनकी नाराजी शांतकरनेके निमित्तसे उसजातिमें प्रवर्तित मर्यादें  
 जो हों तिनकी तहकीक़ात करै जब यहवात निश्चित होकर पाईजायकि इनकीजाति  
 में जबधनी कोई मरता है तबधनीके पुत्रादिक संततिहोने परभी सबसे पहलेधनक  
 मालिक पत्नीहुआ करतीहै पुत्रादिक नहीं और उसपत्नीके मरजानेपीछे पुत्र मा  
 होताहै यहवात यद्यपि दायभागकी मर्यादोंसे प्रत्यक्ष विरोधकरती है कि दायभाग  
 अनुसार पत्नी निपट निपूताधनी मरनेसे धनपायसक्ती पर इस जातीधर्म कोही राज  
 अंगीकार करै-यहजैसा एकसरावगी जातिका दृष्टांतकेवल दायभागकी समस्यादेक  
 कहा तैसे नानाभांति औरभी व्यक्ताव्यक्तजातोंमें अनेकभांतिके साधारण सभीविवा  
 दोंकी अपेक्षापर निजबुद्धिसेसमुझना (जैसा) इसीनिमित्तएक और भी दृष्टांतमें दृष्टां  
 है कि जैसे नीचजातोंमें सँपेरा जो निजजातिका सँपेराहो अपनी जातिमध्ये लड़क  
 व्याहिदेने पीछे दानदहेज में दोचार या दशपांच अपनेवैभवके अनुमान सांपदेता  
 यहउसका जातीधर्म जानो किन्तु सँपेरोके विवाहमध्ये दान दहेजकी अपेक्षा भगड़  
 दायरहो तोइसधर्मको भी राजा अंगीकार करिकैइसकी और विशेषता उन्हींलोगों  
 अन्वेषण करै इत्यादि नानाभांति उहाकरनी जातीधर्म का विचारहै-एवं-जानपदी  
 धर्म किन्तु जनपदनाम कोईएकदेशविभाग जिलअ विशेष जिसमेंअन्य देशोंकी अपे  
 क्षाकुछ मर्यादें यद्वाकोई एकही मर्यादा भिन्नरूपसे प्रवर्तितहो जो सबदेशोंके और  
 शास्त्रोंकेभी सन्मुखव्यक्त विरोधीसी प्रतीतहोती हो परउस देशमात्र में सबलोगोंके  
 प्रिय निश्चितहोय तौवह (कानूनमुखतसुल्मुकाम) जनपद धर्मकहाताहै उस देशमात्र  
 की अपेक्षा सीमाभीतर या तत्रत्य निवासीलोगों के देशांतर होनेहेतुमे अन्यत्रर्मा  
 वाहरभी उसधर्मको प्रमाणमाने इसकाभी (दृष्टांत) है किजैसे पंजाबदेशी किर्सीविभा  
 गके निवासी दायस्वत्वका व्यवहार प्रवेशकरिके बाद विवादमे यहआग्रह रोपितकरैं  
 किशास्त्रोक्त दायमर्यादासे जोसगे औरसौतेलेसभीभाइयोंके न्यूनाधिक पंक्तिहोनपर  
 भी मरेवापके धनमेंसे समभागमिलनाकहाहै सोहमकोअंगीकारनहीं किन्तु हमारेदेश  
 विभागमें परिपाटीहै कि जिसधनीके दो तीन आदि अनेकभार्याहोयँ और उन मयके  
 पत्रसनात संख्यासेनहीं किन्तु विषमनस्थानेही एकपत्नीके एक दृग्मर्गके दो तीमर्ग  
 केतीन पुत्रहोयँ इन छेपुत्रोंमें छभाग नहींहोते किन्तु अपनी अपनी माताओंकाभाग  
 लेकर आपसमें सहोदर भाई बाँटिलेते हैं अर्थात् तीनोंपत्नीके तीनभागहोकर पत्नी

पत्नीकाभाग उसके एकपुत्रने सबलिया दूसरीके दोपुत्रोंने निजमाताकाभाग लेकर आधा आधा बाँटपाया तीसरीपत्नीकाभाग उसकेतीन पुत्रोंमें त्रिभाग तीनठौर होकर एक एक तिहाईमात्र तीनोंकोमिलै हमारेदेशमें यहरीति सनातन है-राजा भी यह आग्रह सुनकर तहक्रीकातकरै जो यहरीति यथार्थ निश्चितहोय तो फिर यद्यपि दायभागसे प्रत्यक्ष विरोधरखती है पर उनकेलिये इसहीधर्मका स्वीकारकरै-दूसरा एक और भी (दृष्टान्त) इसकेतुल्यहै कि जैसे किसी जिलेअके लोग ऐसा आग्रहरोपे किन्तु हमारेदेशमें निपूताधनी मरनेमें यदि पत्नीभी नहो तो उसधनीका धन बेटी नहींपातीहै अर्थात् बेटी तथा धेवतोंकेभी होतेहुये गोतीलोगपाते हैं वे चाहे निकट सपिंड अथवा दूरसपिंड आदि कोईहों गैरगोत्रमें धननहींजाता किन्तु बेटियाँ यद्यपि अपने गोत्रसे उत्पन्नहुईं तोभी निपट परायेघरका धन कहलाती हैं इससे जो यह अमुकमरेधनीका धन अमुक बेटी या धेवता दाबेबैठाहै सो मुझेदिलायाजाय क्योंकि मैं उसमरेधनीकाही गोती अमुक सपिंड अथवा सोदकहूँ-राजा ऐसी देशकी परिपाटी सुनकर तहक्रीकातकरै जो यह सञ्चीनिकसै तो उसदेशकी अपेक्षा राजा यही जानपद धर्म अंगीकारकरै-यद्यपि ( पत्नीदुहितरश्चैव ) इत्यादि दायभाग सम्बन्धी मूल-श्लोकसे प्रत्यक्ष विरोध इसमें शास्त्रसेउत्पन्न होताहै पर जानपदीयधर्मसे विरोध में गणनीयनहीं ( यहदृष्टान्त वैसाहै कि जैसा मिथिलामें दौहित्रोंका अधिकार नहीं और बंगालमें स्वकीय दौहित्रोंके सिवाय अपनेभाईकेभी दौहित्रोंका अधिकार बल्कि मानजेकाभी-यहाँ बाराणसी सम्बन्धी देशविभागोंमें निज अपनेही दौहित्रका ) सो ये नियम इनके निज निज शास्त्रविहितहैं और दायभागमात्रके सम्बन्धी हैं पर यहाँ केवल उपमाहेतुसे फिर याददिलाई किन्तु उपरलीप्रकृत व्याख्या सर्वशास्त्रोंसे उपराल माननीयहै और नानाभाँतिके व्यवहारोंसे सम्बन्धरखती है कुछ दायभागसेही नहीं इसकाभीदृष्टान्त में दृष्टान्तहै कि जैसे पूर्वदेशी कान्यकुब्ज विप्रों में विशेषकर परिपाटी है कि पकान्न वा शाकादि व्यंजनमेंभी लवणमिलाकर नहींपकातेहैं तब उम को चौकेसेवाहरभी देशान्तरमें लेजासके किन्तु भोजनकरतेसमय मिलालेते हैं क्योंकि जो लवणमिलाकर कोईवस्तु पकावें तो फिर कच्चीरोटी भातमें गिनकर उसको चौकेसेवाहर नहींनिकालसकेहैं-परन्तु यहपरिपाटी उनकेदेशमें निर्विकल्प कुछसर्वत्र नहींमानीजाती किन्तु किसी किसी देशविभागमें उन पूर्वदेशी कान्यकुब्जोंकेभी लवणमिलानेकी परिपाटी वर्तमानहै यहवात उनके जानपदीयधर्ममें गणनीय है ( और ) यद्यपि यह आचारशास्त्रका विचार है व्यवहारका सम्बन्ध इसमेंकुछभीनहीं तथापि किसीभगड़ेके हेतुसे यहवात कभी अदालतमें यदि पहुँचै तभी विवादाखुद होनेमें व्यवहारमें गिनलीजाकर यथा संभव इसका निर्णयभी कर्तव्यहोगा-अर्थात् जबकोई



कान्यकुब्ज ऐसेदंगसे अभियोग लगावै कि मैं अमुकदेशी अपने संबंधीके घरजाकर ए राति वहां ठहराथा और उसने जो अगारी जानेयोग्य मार्गके निमित्तसे पक्वान्नमु बँधादिया तिसमें लवण मिलादिया मैंने जाकर अमुकस्थलके विश्रामपर जो भोज किया तौ मालूम हुआ कि इसमें लवण मिश्रितहै इस हेतु उसपर कोई राजदंड ज्ञातीदंड कियाजाना मुझे अपेक्षितहुआ क्योंकि उसने मेरा आचारधर्म भ्रष्टकिया तवहीं राजा अथवा पंच आदि जिनको निर्णयका अधिकार सौंपागयाहो लवण ि लानेवाले के निवासस्थानकी परिपाटीका अन्वेषण करै जो परिपाटी उसकी य निश्चित पाईजाय तौ वह अपने जानपदीय धर्मके अभ्यासिक हेतुसे कुछ दोषी न है न उसको कोई दंडहोना योग्यहै परवादीको यदि ग्लानि अधिक पैदाहुईहो तौ व शास्त्र विहित प्रायश्चित्त जाकरकरै इत्यादि अन्य बातोंको भी समुझिलेना-ऐसे कदाचित् किसी देश विभाग वाले कहनेलगै कि ऋणके देनलेन मध्ये यद्यपि शा में अमुकामुक रीतें विहितहैं और हमकोभी मालूम है पर इसअमुकनामा पट्टन - थवा कर्वट खर्वटमें विशेष यह परिपाटी इतनी सदासेही चलीआती है कि जो को पुरुष ऋणीहो जबतक सिर्फ व्याज मात्र देकर नहीं चुकादे तबतक अपने घर किसी संतति आदिका विवाह नहीं कर सक्ता किंतु व्याह करने से पहले उत्तम का व्याजमात्र जितना चढ़ाहो सो सब देदेताहै तिसपीछे व्याह रोपता है और मूक का धन पीछे कभी अवसर के अनुकूल देगा तौ यह धर्म उसी जनपदकी परिपा टीरूप जानो. बल्कि जिसजनपद में कुछ मूल व्याज दोनों के उद्धार करदेने क परिपाटी हो इत्यादि नाना भांति से समुझना-एवं-श्रेणी धर्मोंको भी उनक अवसर पायकर अन्वेषण करै अर्थात् एकही किसी व्यापार आदि कामको अने जाती लोग जहाँ करते हों तिन सबकी मिलकर एक श्रेणी नाम कहाती हें ऐसेही दूसरे किसी एकहीकारके अनेककरनेवालोंकी दूसरीश्रेणी ऐसेही तीसरी आदि श्रेणी जानो तिन श्रेणियों के जो धर्म प्रचलितहों तिनहीं के अनुसार मुकदमा फ़ैसलके आशय इसकायह कि जहाँ अनेक वर्णजातियोंके मनुष्य किसी एकही कामको मिल कर या निजनिज भिन्नभिन्न करतेहों तहाँ उसीकामका मन्वन्धी जो कुछ विशेष धर्म तरीक होताहो सो उन भिन्नजातियों के सब धर्मोंसे भी प्रवृत्तहैं (दृष्टान्त) जैसे गज सेना एकप्रकारकी श्रेणीहै कि जिसमें यद्यपि ब्राह्मण पर्यन्त सानो जानि भर्त्ता हों न वह क्षात्रधर्महै इसहेतु उसमें शस्त्र बाँधने तथा कान्तीपीत्नी वर्दी धारण करनेका य धर्म एक सबहीका साधारण है और विशेष में इम हेतुमे गणनीय है कि ब्राह्मणके और वैश्यके जो शस्त्रोंका प्रतिषेधहै सो उसमें भर्त्ताहोकर नहीं मानाजासक्ताहै अ एकअन्य विशेष धर्म है कि राजाकी सत्तामी सबको एकरीतिमे करणीयहै अर्था

ऐसेस्थल में कुछ ब्राह्मणत्वकी अपेक्षालेकर सावधान करनेआदि शिष्टाचारोंको प्राब-  
 ल्यनहींहै ऐसेही व्यापारवर्गी किसीश्रेणीमें व्यापार करनेवाले को जोकोई उसीश्रेणी  
 का विशेष धर्महोताहो सो वर्त्तावा करनाहोगा ( दृष्टांत ) जैसेआती जाती राजसेनाके  
 निमित्तजो रसददेनेकी जरूरतहो तौउनसभी जातियोंकोवह चीजेंराज कल्पितनिरख  
 से पहुँचानी होंगी जिनसे जिसजिसका व्यापारहो जैसे घसियारोंकी श्रेणीवाला घास  
 और नाजकीश्रेणीवाला नाज कपड़ बेचाकीश्रेणीवाला कपड़ेआदि (और)वहबातएक  
 छूटरूपजुदीहै कि किसीपट्टन या कसबे कर्वट खर्वटमें ठेठ कोईजाति या कोई देहमात्र  
 किसीश्रेणीका संसर्गीहोने परभी उसकेकिसी विशेषधर्मके वर्त्तावासे मुआफ़हो तौवह  
 बातउसी स्थल संबन्धी जनपदधर्ममध्येजानो-ये दोनोंदृष्टांतसिर्फराजकासंबन्धलेकर  
 दियेगये ऐसेही वे श्रेणीवाले जोकुछ धर्म परस्पर उत्सव आदि विशेषधर्म रूपकिया  
 करतेहों उसमें भी सब श्रेणीमात्रके लोगचाहे भिन्नजाती अथवा भिन्न पंथ मत-  
 वाले बहुधाहों तौभीसबको मिलकर उसीधर्मका वर्त्तावा एकपेशेकी खसूसियतलेकर  
 करना होताहै दृष्टांत जैसे चंदा, नाच, तमाशा, कथा, पूजा आदि लोकसे अन्वेषण कर-  
 ना इत्यादि नानाभांति असंख्य श्रेणीधर्म जानो तिनकोराजा अवसरके अनुकूल धान  
 विज्ञानसे निर्णीत करै-एवं-कुलधर्मोंकोभी देखै किंतु (आचारोविनयोविद्याप्रतिष्ठातीर्थ  
 दर्शनम् । निष्ठावृत्तिस्तपोदानंनवधाकुललक्षणम् ) यह नौलक्षण यद्यपि कुलकी उ-  
 त्तमताके प्रसिद्धहैं पर यहां इन नौगुणोंसे कुछकाम नहीं है अर्थात् यहां ब्राह्मण आदि  
 किसी एकहीवर्ण जातिके अनेक गोतरूपी थोक टूटि फूटिकर भिन्नात्मकसे होजानेयद्वा  
 देश भेदसे बसिजानेमेंभी कुछकुछ उनके वर्त्तावेमेंभी अंतरसा होजाताहै फिर उनकी  
 अगली संतानें निज निज बापदादे आदि पूर्व पुरुषोंके वर्त्तावेको सनातन अपनी  
 परिपाटी मान मानकरनिज हाथों कीसी रेखा निश्चित करते हैं-इसमें एकछोटासा दृ-  
 ष्टांतहै कि यद्यपि धर्मशास्त्रोंमें इस बातका प्रतिषेध लोक प्रसिद्धहै कि कन्या देकर  
 शुल्क नले परंच विरले देशवासी किसी उत्तम कुलमेंभी परिपाटी यह परिगई हो कि  
 पुष्कल द्रव्य लेनेविना कन्या नहीं देतेहों तौ यह बातठेठ उनहींके कुलधर्ममें गणनीय  
 होगी-इसका यह सिद्धांतहै कि राजद्वारमें कदाचित् यही भगड़ा ऐसे ढंगसे पहुँचाहो  
 कि मैंने इसको एक सहस्र संख्याधनके पलटे कन्या देनी कही थी और इसने पहिले  
 एकशतमुद्रामुझे बयानातुल्यदेकर कन्या व्याहिली शेष नौसौदेता नहींदिलायेजायँ-  
 तौ इस भगड़ा मध्ये राजाको यह आग्रह करना सूचित नहीं कि शास्त्रमें तौ कन्याशु-  
 ल्क लेनेका प्रतिषेधहै जिस धनके लेनेदेने मध्ये शास्त्रसे संप्राप्ति सिद्ध होती नहीं दि-  
 लाया क्योंकर जाय या यह वादभी आदेय क्योंकर समुभाजाय-आशय यह कि राजा  
 ऐसे वादकोभी संग्रह करके उनहींके कुल धर्मकी परिपाटी निश्चित होनेमें निपटारा

करै-अन्यथा जिस कुलमें यह परिपाटी नहीं पाई जाय तिसको वेही धर्मशास्त्रोंके प्रति-  
 षेध सब आरूढ़ जानो-इत्यादि कुलधर्मभी अनेकरूप होते हैं तिन सबको राजा अव-  
 सरके अनुकूल निर्णय करके उनके आचारोंसे व्यवहारोंका निपटारा करै-इन सब दृ-  
 ष्टांतोंके दर्शानेका यह कारणहै कि शास्त्रविहित मर्यादोंसे उपरालूकभी विलक्षण कोई  
 भगडा खडा होनेमें कदाचित् राजा ऐसे आग्रहपर आरूढ़ न होने लगै कि जो कुछ  
 शास्त्रमें निरूपित वा संसूचितहै तिस मार्गके सिवाय कोई लौकिक मार्गसे व्यवहारका  
 निपटारा नहींहोगा चाहे वादी या प्रतिवादी इसमें कोई राजीहों या न हों ऐसा आग्रह  
 करना एक अनीतिहै इस हेतुसेही यह इकतालिसका श्लोक अष्टम अध्यायगत सा-  
 मान्य सभी व्यवहारोंकी परिभाषारूप मनु ऋषिने दर्शायाहै कि लौकिक परिपाटीको  
 भी एकशास्त्रजानो-परंच-इसमर्यादामेंभी किंचित्अपवादहै सो गौतमऋषिके वाक्यसे  
 विचारो-तदाह गौतमः ( देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायैरप्रतिषिद्धाःप्रमाणम् ) अर्थात्-  
 गौतम कहते हैं कि देशके और जातिके और कुलके धर्मभी सर्वत्र केवल वेहीधर्म प्र-  
 माणमें आसक्ते हैं कि जोजो धर्म आम्नायोंसे अविरुद्धहों किंतु आम्नाय संज्ञा वेदोंकी  
 और शास्त्रोंकी और तंत्रोंकी और संप्रदायोंकी सदुपदेशकीभी वंशकीभी कुलक्रमकी  
 भी होती है तो इन्हीं बातोंसे जो धर्म विरुद्ध समुभाजाय सो वह आम्नायोंसे विरुद्ध  
 होनेके हेतुसे प्रमाणमें न आवैगा अर्थात् राजा उसे उपरले मनुके वाक्यसेभी अंगी-  
 कार नहीं करसक्ता जैसे कोई पुरुष उपरला मनुकावचन प्रमाण देकर कहने लगै कि  
 हम अमुकामुकवंशी ठाकुरहैं हमारे कुलमें अथवा जातिमात्रमें पुत्रियां पैदाहोतेसार  
 गाड़ दना कुलका धर्महै या जातीधर्महै क्योंकि पूर्व पीढ़ियोंसे होता चलाआया अब  
 हम छोड़ि नहीं सक्ते तौ यह बात किसी धर्म पदवीकी प्रमाणतामें न लीजावे क्योंकि  
 आम्नायोसे प्रत्यक्ष विरुद्धहै और पूर्व पुरुषोंने कदाचित् किसीमहान्भयसे यह आच-  
 रण कुछ लाचारी अवसर किया होगा तौ वह आपद्धर्मथा कुलधर्ममें गणनीय नहीं-  
 एवं किसी पहाड़ी देशवाले कहने लगें कि हम अपने देशमात्रमें स्त्रियां विकना सदा-  
 सेही देखते और वर्तविमेंभी लाते रहे यहभी एक हमारा जनपदधर्महै या सिर्फहमारा  
 अमुकजाती धर्महै तौ यह आम्नायोंसे विरुद्ध होनेके हेतु किसी धर्मकी प्रमाणतामें न  
 लीजावे इत्यादि नानाभांतिसे अपवाद समुभना ४१ जब कि यह बात निश्चितहुई  
 कि मनुके उक्त वाक्यसे बहुतेरी लोक परिपाटी अंगीकार योग्य होती हैं और गौतम  
 जीके वाक्यसे कुछ विरली चाल अनंगीकारमें भी आती हैं तौ राजाको इत्य द्विविधा  
 में अत्यंत सूच विचार करना योग्य ठहरा इमीनिये मनुजी दो तीनवाक्य औरभी  
 दर्शाते हैं-तथाहि ( यथानवत्यनुकृपातेनृगन्यनृगपुःपदम् । नयेनथानुमानेनधर्मन्यनृ-  
 पतिर्गतिम् ४४ सत्यमर्थचसंपद्येदात्मानमथसाक्षिणः । देशरूपंचकालंचव्यवहारवि-

धौस्थितः ४५ सद्गिराचरितंयस्याद्दार्मिकैश्चद्विजातिभिः । तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ) ४६ अर्थात्-ऐसे द्विविधाके व्यवहारों मध्ये राजाधर्मकी गति ऐसी भांति अनुमानोंसे और लोक शास्त्र दोनों के प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे भी ढूँढ़लेवै जैसे भागे हुये घायल मृगके पीछे व्याध उसके रक्त बिंदुओंको देखि देखि खोजलगाते ठेठ मृगके स्थलको पहुँचताहै ४४ किंतु व्यवहारोंके विचारमें प्रवृत्तहुआ राजा छलको त्यागि सत्यलक्षणको विचारै और व्यवहारके उस अर्थ प्रयोजनको भी सोचै जिस पर वाद विवादहो और निजआत्माकोभी सोचै कि जो इसवादका यथार्थ निर्णयहो तौ शास्त्रोक्त स्वर्गादि फलकी प्राप्ति और इस लोकमें भी यश विख्यात मेरा होगा और उसवादके उपस्थित साक्षियोंको भी सोचै कि ये सबक्याक्या कहतेहैं और किस किस लक्षणवाले हैं फिर उस देशकोभी सोचै जिसमें वाद विवादहो या जिसदेशके निवासी वादीलोग हों कि उसमें क्याक्या रीति प्रवर्तितहै और वादका जो रूपक हो तिसकोभी विचारै किंतु एक ऐसा तुच्छवादहै कि इसने मुझको आँखि तिरछीकरके उपहास किया तौ इत्यादि तुच्छरूपकवाले व्यवहारों से राजा अपना हाथ खींचे पर जो रूपक प्रबल पायाजाय तौ फिर हेतुका अन्वेषण करै और उसकालको भी सोचै जिसमें वादकी उत्पत्ति हुईहो किंतु एकवाद ऐसाहै कि जिसकी उत्पत्ति अबसे बीस या पचास वर्ष पहिले होकर अधुना राजद्वारमें प्रवेशहुआ तौ उस पहिलेकाल के भी ढँगोंको आधुनिक परिपाटी से मिलावै क्योंकि कालके परिणामसे मर्यादों का भी कुछ कुछ परिणाम होता रहता है ४५ अत्रोक्त सभीबातों का विचार किये पीछे राजा इसबातका अन्वेषणकरै कि जो जो धर्मकर्म नवीनढँग या प्राचीनढँगवाले किसी छोटी मोटी जातिमें उसजाति के सत्पुरुषोंने आचरित कियेहों अथवा धर्मयुक्त द्विजाती लोगोंने निज कुलमें या निजवर्णमें या जातिमें या देशमात्रमें आचरित किये हों और उसदेश या कुलजाति में अविरुद्ध समुभेजायँ सो सो शास्त्रकेही तुल्यप्रमाण मानिकर व्यवहार का निपटाराकरै ४६ अबयोगीश्वर अपनेसबसे पिछलेवाक्य से वहवात प्रकाश करते हैं कि राजाने कदाचित् किसी धोखे में अन्यायसेही दण्ड लियाहो तिसको क्या कर्तव्य होगा ॥

(अन्यायेन गृहीतधनस्य गतिमाह)

राज्ञाऽन्यायेन यो दंडो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्गुणिकृतम् ३१२ ॥  
 ऐ०—राजाने जो दंड कभी धोखे में या जानिकर अन्यायसे ले लियाहो तिसको आप तीसगुणाधन वरुण देवके निमित्त में निवेदन करके विप्राँको दे देवै पर यह नियम केवल उसीदशामें धर्मात्मकहै कि जहां दंडधनका पहिला स्वामी फिर मिल सकना निपट असम्भव हो या उसको वापिस करदेना किसी मर्यादा से न सूचित

अन्यस्मृतियों में भिन्नात्मक नहीं है और नाम उसका ( स्त्रीपुंसयोगविवादपद ) यह रक्खा है इसहेतु से कि उसमें केवल दाम्पत्य विवाद वर्णन किये हैं और नारद ने उस नामकी उत्थानिकाभी अग्रोक्त यह दर्शाई है कि ( विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसांचकी-  
त्यते । स्त्रीपुंसयोगसंज्ञताद्विवादपदमुच्यते ) अर्थात्-जिसमें स्त्रीपुरुषों के विवाह आदि बहुधा भगड़ों की विधि निर्णय करी जाती है सो स्त्रीपुंसयोगनाम विवादपद कहलाता है इत्यादि उनके भगड़े भी दर्शाये हैं-और मनुने भी नवम अध्याय के प्रारम्भसे लेकर ५६ छप्पन श्लोकों तक जो वर्णन किया तिनमें इसी विवादपदका रूप सर्वथा रक्खा है कुछ और नहीं बल्कि छप्पनसे आगे भी कुछ आपद्धर्म निर्णय किये हैं-योगीश्वरने इन बातोंको एकत्र संग्रह नहीं किया जो इनका कोई मुख्य विवादपद भिन्नात्मक माना जाय क्योंकि योगीश्वरने आचार और व्यवहार दोनों काण्डमें सर्वत्र यथावकाश निज निज हेतु स्थलको पाइकर उनबातों को दर्शाया है एकत्र संग्रह करना कुछ आवश्यक नहीं माना क्योंकि पति पत्नीका व्यवहार अदालत चढ़नेको प्रतिषिद्ध है पर जब जब कभी अदालत चढ़ने योग्यही व्यवहार उनका समुभाजाय तौभी उन्हीं नियमों से निपटारा किया जाना सूचित किया है कि जो जो अवसर पाइकर आचार और व्यवहार में दर्शाते रहे या नारद और मनुजी ने जो कुछ वर्णन किया ॥ इति पति पत्नीवादप्रसंगः (अथशास्त्रीयमानानां संज्ञान्तरभ्रमापहम् । साम्यं स्वक्षये स्फुटं कृत्वा त्राणां बोधहेतवे १ शतमानन्तु निष्कन्तु तथैव पलमेव तु । चतुःषष्टिकमाषानां संज्ञान्तरमिति त्रयम् २ माषस्त्वत्रविशेषेण पञ्चकृष्णलकम्भवेत् । यवानां मध्यमानां च त्रितयं कृष्णलं त्विह ३ गौरसर्पपषट्केन यवमानं विधीयते । राजिका त्रितयं त्वत्र गौरसर्पमानकम् ४ (राज्ञां कोषसमृद्धिकरणोपायः)

(अथ भूपहिताकांक्षीराष्ट्रसम्पत्करं परम् । यत्नं स्वक्षये सुसंचिन्त्य नृपवर्य्यमनस्विनाम् १ यथा कथाञ्चित्सन्तिष्ठन् राजधानीमिहोदयः । भूपोराष्ट्रसमृद्धयर्थं यत्र तत्र विचक्षणः २ चिन्तयानो विचिन्वंश्च सुस्थलानि बहूनि वा । उपितानि क्वचिद्वापि क्वचिद्वाऽनुपितानि च ३ पुनर्निवासयेत्स्वैरं बहुभिर्वा जनैः शुभैः । तत्र तत्र पुरीं कृत्वा राजधानीमिवापरात् ४ तत्र पुष्पफलादीनि शाकानि विविधानि च । सर्वतु जायमानानि नानादेशोद्भवानि च ५ मनोहराणि पुष्पाणि मूलानि सुबहूनि च । दर्शनीयानि चान्यानि अपूर्वाण्यद्रुतानि च ६ वगृह्णन्निपक्षिणश्चापि वृक्षाश्च परदेशजान् । संपादयेत्स्वके राज्ये तत्कर्मज्ञविशेषतः ७ क्रीडागृहैः शिल्पगृहैर्विचित्रैः केदारपंकचन्वितवाटिकाभिः । विद्यागृहैर्वेदगृहैः स्रग्म्यैः सभागृहैर्वा बहुभिस्सुधर्म्यैः ८ प्रसर्पियानाश्रितवाह्यमार्गैः सुसंस्कृतैः पांथ जनोपकार्य्यैः । भांडावृहैर्वाहनवाहकाद्यैः सुगलितैर्लुण्ठकचौरवर्गात् ९ मनुद्गमं देशहरे जनेश्च गृहैश्च नन्कर्मपरैः सचिन्तैः । संस्थापितैः पूरुषमुख्ययुक्तराकुञ्जसंप्रेष्यविधौ प्रयोगैः १० कृपेन्मृगैः पथिकाश्रमैश्च

में सामान्य अन्य जनका दंड कार्षापण एक निश्चित होय तिस अपराधको यदि राजाकरै तौ वहराजा एक सहस्रपणसे दंडनीय है यह निश्चय जानो-यही व्यवस्था सब अपराधों मध्ये समुभि लेनी-यह धन दंड सहस्रगुणा जो दर्शाया सो उस भांति के अपराधोंकी व्यवस्था है कि जो जो साहस कर्मोंसे सम्बन्ध रखते हों(दृष्टत) जैसे किसी परस्त्रीको प्रबलतासे संग्रहण करना आदि या अपराध विना कोई ग्राम लूटिलेना फूँकिदेनाआदि या प्राणियोंको विषदेना आदि या निष्कारण कोई और भांतिकी बाधा खड़ी करना आदि जिनमें जुरमाना कल्पित होनेका संयोगहो तिस जुरमानेसे यह एकसहस्र गुणआधिक्य जानो-और योगीश्वरके ऊपरले ३१२ वाले मूलश्लोकमें जो तीसगुणे धनदंडकी व्यवस्थाहै सो केवल उन व्यवहारोंमेंकि जिनमें कुछ अन्यायसे धन हरनेका अपराधहो तौ उस धनसेही वह तीसगुणा आधिक्य जानो यही बड़ा अंतरहै-और-राजाधिराज वा सम्राट्का जो हस्तपात करने में अधिकार सूचितहै सो बहुत बड़े अपराधमें आवश्यकहै या कोई और जहां आतंक वाला निपट नहो और वह राजा अपने आप अपनी दंड कल्पनापर कुछ दृष्टि न रखवै-अन्यथा इससे विपरीतमें जब कोई और सामान्यभी यदि ऐसाहो जो जिस राजमें जिस राजापर आतंक थोड़ा बहुत कुछभी रखताहो तौ फिर छोटे मोटे सामान्य अपराधोंमध्ये उसहीका स्वातंत्र्यहै कि ऐसे राजाकोभी दंड कल्पनाकरै किंतु सम्राट् वा राजाधिराजकी अपेक्षा उनमें नहीं है ३१२ इस अधिकोक्तिकी व्यवस्था वाले भगड़ेमें कदाचित् अवसर पाइकर वह न्यायभी संयुक्त कियाजासक्ताहै कि जो सामान्यवादी प्रतिवादीके व्यवहारोंमें योगीश्वरके प्रथमोक्त ३११ मूलश्लोकसे संबंध रखताहो सो अत्रोक्त पंक्तियोंसे विवेचन करना योग्यहै-यथाहनारदः (तीरितंचानु शिष्टंवायोमन्येतविधर्मतः । द्विगुणंदंडमास्थायतत्कार्यंपुनरुद्धरेदिति तीरितंसाक्षि लेख्यादि निर्णीतमनुद्धृतदंडं अनुशिष्टमुद्धृतदंडं दंडपर्यन्तं नीतं-यत्पुनर्मनुनोक्तम् (तीरितंचानुशिष्टंचयत्रक्चनयद्भवेत् । कृतंतद्धर्मतोज्ञेयंनतत्प्राज्ञोनिवर्तयेदिति तदर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरस्यवचनाद्वयवहारस्याधर्मतोवृत्तत्वाशंकायां पुनर्द्विगुणंदंडप्रति ज्ञापूर्वकंव्यवहारंप्रवर्तयेत् नपुनर्धर्मतोवृत्तत्वनिश्चयेपिराज्ञालोभादिना प्रवर्तयितव्यइत्येवंपरम्-यत्पुनर्नृपांतरेणापिन्यायापेतंकार्यं निवर्तितं तदपिसम्यक्परीक्षणेन धर्म्येपथिस्थापनीयम्-न्यायापेतंयदन्येनराज्ञाऽज्ञानकृतंभवेत् तदप्यन्यायविहितंपुनर्यायेनिवेशयेदितिस्मरणात् ) इन पंक्तियोंको उस स्थलमेंभी युक्त करके समुभ्लेना जहां ३११की अधिकोक्ति पूरीहुईहो क्योंकि प्रायःवादी प्रतिवादीके व्यवहारों का यह निर्णय कहा ३१२(इतिप्रकीर्णसंज्ञंराजवादिप्रकरणम्)यादरखनेमात्रका यहचर्चाहै कि मनुने और नारद ने भी व्यवहारमध्ये एकविवादपद उपरालू कल्पित कियाहै जो



अन्यस्मृतियों में भिन्नात्मक नहीं है और नाम उसका ( स्त्रीपुंसयोगविवादपद ) यह रक्खा है इसहेतु से कि उसमें केवल दाम्पत्य विवाद वर्णन किये हैं और नारद ने उस नामकी उत्थानिकाभी अग्रोक्त यह दर्शाई है कि ( विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसांचकी-  
त्यते । स्त्रीपुंसयोगसंज्ञताद्विवादपदमुच्यते ) अर्थात्-जिसमें स्त्रीपुरुषों के विवाह आदि बहुधा भगड़ों की विधि निर्णय करी जाती है सो स्त्रीपुंसयोगनाम विवादपद कहलाता है इत्यादि उनके भगड़े भी दर्शाये हैं-और मनुने भी नवम अध्याय के प्रारम्भसे लेकर ५६ छप्पन श्लोकों तक जो वर्णन किया तिनमें इसी विवादपदकारूप सर्वथा रक्खा है कुछ और नहीं बल्कि छप्पनसे आगे भी कुछ आपद्धर्म निर्णय किये हैं-योगीश्वरने इन बातोंको एकत्र संग्रह नहीं किया जो इनका कोई मुख्य विवादपद भिन्नात्मक माना जाय क्योंकि योगीश्वरने आचार और व्यवहार दोनों काण्डमें सर्वत्र यथावकाश निज निज हेतु स्थलको पाइकर उनबातों को दर्शाया है एकत्र संग्रह करना कुछ आवश्यक नहीं माना क्योंकि पति पत्नीका व्यवहार अदालत चढ़नेको प्रतिषिद्ध है पर जब जब कभी अदालत चढ़ने योग्य ही व्यवहार उनका समुभाजाय तौ भी उन्हीं नियमों से निपटारा किया जाना सूचित किया है कि जो जो अवसर पाइकर आचार और व्यवहार में दर्शाते रहे या नारद और मनुजी ने जो कुछ वर्णन किया ॥ इति पति पत्नीवाद्प्रसंगः ( अथशास्त्रीयमानानां संज्ञान्तरभ्रमापहम् । साम्यं स्वक्षये स्फुटं कृत्वा छात्राणां बोधहेतवे १ शतमानन्तु निष्कन्तु तथैव पलमेव तु । चतुःषष्टिकमापानां संज्ञान्तरमिति त्रयम् २ माषस्त्वत्र विशेषेण पञ्चकृष्णालकम्भवेत् । यवानां मध्यमानां च त्रितयं कृष्णलं त्विह ३ गौरसर्पपषट्केन यवमानं विधीयते । राजिका त्रितयं त्वत्र गौरसर्पमानकम् ४ ( राज्ञां कोषसमृद्धिकरणोपायः )

( अथ भूपहिताकांक्षीराष्ट्रसम्पत्करं परम् । यत्तं वक्ष्ये सुसंचिन्त्य नृपवर्य्य मनस्विनाम् १ यथा कथञ्चित्सन्तिष्ठन्न राजधानीमिहोदयः । भूपोराष्ट्रसमृद्धयर्थं यत्र तत्र विचक्षणः २ चिन्तयानो विचिन्वंश्च सुस्थलानि वहूनि वा । उपितानि क्वचिद्वापि क्वचिद्वाऽनुपितानि च ३ पुनर्निवासयेत्स्वैरं बहुभिर्वा जनैः शुभैः । तत्र तत्र पुरीकृत्वा राजधानीमिवापगम् ४ तत्र पृष्पफलादीनि शाकानि विविधानि च । सर्वतु जायमानानि नानादेशोद्भवानि च ५ मनोहराणि पुष्पाणि मूलानि सुवहूनि च । दर्शनीयानि चान्यानि अपूर्वाण्यद्रुतानि च ६ वग्नुनिपक्षिणश्चापि वृक्षाश्च परदेशजान् । संपादयेत्स्वके राग्येन त्कर्मज्ञविशेषतः ७ क्रीडागृहैः शिल्पगृहैर्विचित्रैः केदारपंकज्यन्वितवाटिकाभिः । विद्यागृहैर्वेदगृहैः नुरम्यैः मन्त्रागृहैर्वावहृभिर्म्मधुम्यैः ८ प्रत्यापियानाश्रितवाह्यमार्गैः सुसंस्कृतैः पांथजनापकाद्यैः । मांडावहैर्वाहनवाहकाद्यैः सुगन्धितैर्लुण्ठकचौरवर्गान् ९ नसुदुर्गमदेशहरेर्जनैश्च गृहैश्च तत्कर्मणैः सचिद्भिः । संस्थापितैः पुरुषभुस्ययुत्तराकुञ्जप्रैः प्यविधौ प्रवीणैः १० कृपेन्नटाकैः पथिकाश्रमैश्च

चतुष्पथैश्चापणपंक्तिभिश्च । देवालयारामगृहैर्बहुञ्चैः कुर्यात्पुरीं स्वामिवत्त्रतत्र ११ पु  
 र्यीवणिग्यथविवर्द्धनंचव्यापारवृद्ध्यास्वधनेनवापि । दत्त्वासहायं वणिजांप्रकुर्याद्राजा  
 सदालाभफलाभिकांक्षी १२ दत्तेधनेलाभफलार्धभागीतेभ्योऽथलाभार्द्धफलहरेद्वा । शेषे  
 षुशास्त्रीयकरंगृहीत्वाकोशंसमुञ्चीयमहाधनेन १३ विदेशजैः कर्मकरैश्च प्रीत्यानिवासितै  
 श्चार्थपरैर्विधिज्ञैः । नानागुणज्ञैर्बहुमूल्यवर्यैर्विचक्षणैः स्वामियशोऽनुरक्तैः १४ धनेनमा  
 नेनप्रवर्द्धितैस्तुप्रोत्साहितैर्भाविफलानुवादैः । स्वैस्वैचकर्मण्यधिनिष्ठितैस्तुपुरींस्फुरन्ती  
 मिवदर्शयेच्च १५ एतेनकर्मणाराज्ञांकीर्तिश्चैवातिदूरगा । लोकजिह्वाश्रयानूनंभवतीहनसं  
 शयः १६ तेनदेशांतरीयाश्चश्रुत्वालोकामहोदयाः । स्वस्वकर्मरथारूढाः प्रसर्पन्तिपुरींप्रति  
 १७ विश्वकर्मरताधीराः शिल्पिनोगायनादिकाः । नटाभटाश्चमल्लाश्चशूराश्चैवाथशा  
 स्त्रिणः १८ आगच्छन्तिस्वयंसर्वेईदृग्राष्ट्रमितस्ततः । तस्मात्सघनतांयातासुविस्तारा  
 पुरीशुभा १९ अथनारसमूहैस्तुरत्नादिक्रयविक्रयैः । स्वैःस्वैश्चपरिवर्तद्भिर्लक्ष्मीवृद्धि  
 श्चजायते २० सालक्ष्मीराजकोशस्यराज्यस्यापिप्रवर्द्धिनी । भवतीहविशेषणसत्यंस  
 त्यंनराधिपाः २१ जलबिन्दुनिपातेनक्रमशःपूर्यतेघटः । तथैवराजकोशस्तुस्तोकस्तो  
 केनवर्द्धते २२ ( मुक्ताकनकरत्नाढ्यःपितृपैतामहोचितः । धर्माजितोव्ययसहःकोषःको  
 षज्ञसम्मतः ) ( धर्महेतोस्तथार्थायभृत्यानांमरणायच । आपदर्थंचसंरक्ष्यःकोषःकोष  
 वतासदा ) तस्मादेतत्प्रकारेणकोषवृद्धिकरांपुरीम् । राष्ट्रंचवर्धयेदेवनीतियुक्तयानिराल  
 सः २३ यस्यसर्वगुणानांतुरत्नंसौशील्यमुत्तमम् । शिष्टाचारमाणिश्चापितस्यसर्वगु  
 णाःशुभाः २४ शिष्टाचारविहीनायेयेचसौशील्यारिक्तकाः । अपिसर्वगुणोपेताःसमु  
 द्रइवदूषिताः २५ ततोरत्नद्वयंराजासमुञ्चीयाद्विशेषतः । क्रमशःशीलवृत्ताभ्यांमर्याद  
 प्रियतामियात् २६ ( ग्रंथफलादेशः ) यद्यपि प्रत्यक्ष का प्रमाण कुछ आवश्यक नहीं  
 तथापि यह मर्यादा परिपाटी जो अपूर्व सबसे पहिले बानिके प्रकट हुई इसके फलभी सू-  
 चन करने आवश्यक ठहरे क्योंकि इसके दूर देशोंमें पहुँचने से तत्रत्य विदेशी लोग  
 जिनकी भाषामें कुछ अंतर हो शीघ्र नहीं समुभते सो इसका फलादेश पाठिकर वेभी  
 शीघ्र समुभेंगे- सबसे प्रथम हमारे देशियों को यह लाभ है कि जो अपनी संतानों को  
 मर्यादा परिपाटी वाल अवस्थासे पढ़ाने लगे तौ वे इसी ग्रंथको पढ़ते २ चतुर प्रवीण होकर  
 अपने आप सर्व विद्याओं का संग्रह करने लगेंगे और संसारी आचार व्यवहार  
 वालपन से उनकी दृष्टि में जमजानेसे यथोक्त कालपर फलदायक हेंगे क्योंकि इसमें  
 सभी प्रकार की शिक्षायें जो निःशेष वर्णन हुई हैं सो उनके अंतःकरण चतुष्टय में सर्व-  
 था व्याप्त होंगी- इसको पढ़कर जिस विद्याका आराधन अभ्यास किया चाहेंगे सो इसका  
 बोध सहाय पाकर सूधी सुगमसी होजायगी जो कोई विद्वान् इसको पढ़कर सदा  
 विचारेंगे तौ एक विशेष लाभ है कि जिसने कुछ व्यवहारकाण्ड केवल संस्कृत ग्रंथों

सेही पढ़ाहो जिसका तत्त्व गूढ़होनेसे न समुभाहो तौ इसग्रन्थ के विचारसे वहमँजि-  
कर स्वच्छहोगा-ऐसे पुरुष जो आराधन इसका रखेंगे जो संस्कृत वाणीसे विहीन  
हों वेभी मुख्य प्रयोजन इसकी भाषासेही समुभकर कुछ थोड़ाबोध संस्कृत वाणीमें  
करसकेंगे क्योंकि मर्यादा परिपाटीकी बनावट कोरीभाषा नहीं किंतु संस्कृताक्त कृशर  
भाषाहै और बहुधा इसमें पदयोजन संस्कृत वाणीके अनुरूप समास क्रमसे रक्खा  
गया है कि जिस्से धर्मशास्त्र के पारिभाषिक आदि शब्दोंका विलोप न होजाय उन  
का बोध सबको होतारहै-दूरदेशों के निवासी जिनकी बोलचाल में कुछ बहुत अन्तर  
हो और वे एतदेशी बोलचाल आदि समुभनेके जिज्ञासुहों तिनको इसकेपढ़ने और  
अवधारण किये रहने से उसवाणी का अभ्यास प्राप्त होसक्ता है जो भारतवर्षीय  
विद्वानों की सामान्य बातचीत करनेकी भाषा है परन्तु जो इनदेशोंकी ग्रामीणा बोली  
कोई सीखाचाहै तौवह इसकेद्वारा नहीं सीखपावेगा-और-एतदेशी बहुधा देशविभाग  
जिनमें प्राकृतवाणी बहुत अटपटीहै वहबोली इसके पढ़ने का प्रचार अधिक होनेसे  
इस ग्रन्थरूपी सानपर खरादी जाकर सूधी सुगमसी होजायगी पर जहाँ ताई अ-  
धिक प्रचार इसका होनेसकै यह सिद्धान्तहै-क्योंकि (सुसिद्धमप्यौषधमातुराणान्ननाम  
मात्रेणकरोत्यरोगताम्) इसके सिवाय जो केवल संस्कृतके आराधक पण्डित कोईसी  
कल्पना वा अनुवाद क्रिया जानते नहीं न उसके लक्षण को अद्यापि कुछ कहसक्ते  
या करसक्ते हैं तिन सबको इस मर्यादापरिपाटी के यथोचित विधिसे पढ़ने तथा  
समुभने और आराधन कियेरहनेसे यहबहुतबड़ालाभहै कि वेभी अपनी विद्याशक्तिके  
और बोधके अनुसार कल्पना करने और अनुवाद उल्था आदि के करसकने में प्र-  
शीण होनेलगेंगे-परन्तु जे कोई अज्ञानी साधर होकर भी यह भाषा है क्या देखेंगे  
गें कहतेहुये उपेक्षा के आवेश में पड़िजायँगे वे जैसे थोथे अबहें तैसे तवहूरहे आ-  
गेंगे यह दैवका प्रकोप उनपर जानो-इस मर्यादा परिपाटी में मर्याद प्रियका यह आ-  
शासन है कि केवल संस्कृत का आराधक पण्डित जिसने धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थ  
पद्यपि देखेहों दूसरे किसी मर्यादा परिपाटी के आराधक विद्वान् से वह धर्म चर्चामें  
तुल्यात्मक नहीं उतरैगा (और) जहाँ कहीं दोनोंही मर्यादापरिपाटी के आराधकहों  
तिनमें अधिक संस्कृत स्मृतियों का विज्ञाताहो मो श्रेष्ठहोगा क्योंकि उममें दोगुणहुये  
और मर्यादा परिपाटी भी यह उन्ही संस्कृतस्मृतियों का अनुकल्प है ॥

धर्मशास्त्रप्रयोजकऋषीणांनानावली-मनुः १ अत्रिः २ विष्णुः ३ दार्शनः ४ याज्ञवल्क्यः ५

उशाना ६ अङ्गिराः ७ यमः ८ आपस्तम्बः ९ संवतः १० कात्यायनः

१२ पराशरः १३ व्यासः १४ शङ्खः १५ निखितः १६ दृजः १७

तातपः १८ वसिष्ठः २० नाग्यः २१

स्त्यः २५ भृगुः २६ नारदः २७ विश्वामित्रः २८ देवलः २९ ऋष्यशृङ्गः ३० बौधायनः ३१ पैठीनसिः ३२ जावालिः ३३ सुमन्तुः ३४ पारस्करः ३५ लौगाक्षिः ३६ कुथुमिः ३७ अग्निः ३८ च्यवनः ३९ ब्राह्मणेयः ४० जातुकर्ण्यः ४१ पितामहः ४२ प्रजापतिः ४३ शाठ्यायनः ४४ बुधः ४५ सोमः ४६ धौम्यः ४७ आश्वलायनः ४८ आत्रेयः ४९ औपजन्धनिः ५० भरद्वाजः ५१ छिदम्बरः ५२ दत्तः ५३ हिरण्यकेशी ५४ जमदग्निः ५५ कण्वः ५६ काण्वः ५७ कपिलः ५८ कृष्णाजिनः ५९ काष्णाजिनिः ६० कुत्सः ६१ कौत्सः ६२ लोहितः ६३ मार्कण्डेयः ६४ मौद्गल्यः ६५ नाचिकेतः ६६ पुलहः ६७ पौष्करसादिः ६८ शाकल्यः ६९ शाकटायनः ७० शांडिल्यः ७१ सत्यव्रतः ७२ शौनकः ७३ सुमतिः ७४ वत्सः ७५ वार्षायणिः ७६ व्याघ्रः ७७ व्याघ्रपादः ७८ यास्कः ७९ गोभिलः ८० भागुरिः ८१ उत्तरीमुनिः ८२ पैग्यः ८३ इत्यादि और भी अनेक ऋषी धर्मकारकहैं और इन सबही ने निज निज धर्म शास्त्रकी संहिता वर्णन करीहैं बल्कि कितनेही ऋषिवर्यों ने बड़ीछोटी के भेदसे दुहरे तिहरे ग्रन्थ निरूपण कियेहैं और विरलोंने केवल व्यवहारकाण्ड विरलोंने आचार प्रायश्चित्तही निबंधन कियाहै इन सबमें से मनु याज्ञवल्क्य कात्यायनआदि दो चारक स्मृतियाँ पूरे विस्तारसे अर्थात् आचार व्यवहार प्रायश्चित्त तीनों काण्डसे विनिर्मितहैं और बहुधा उक्त ऋषीन की विनिर्मितकरी संहिता हाथआतीहै अनेकों की श्रवण करने मात्रमें आतीहैं-और-कितनीही स्मृतियों के बड़े बड़े अनेक टीका विद्यमानहैं और मिलतेहैं जैसे एक मनुस्मृति के अनेक टीकाहैं और उनमें कईएक ऋषियों के किये टीका विख्यात हैं परन्तु एक भागुरि मुनिका किया टीका मनुस्मृति का अबहूँ हाथआताहै यह कहतेहैं- ऋषियों के सिवाय अन्य विद्वानों के बनाये जो जो टीका हैं उनमें एक मेधातिथिका किया टीका इनदेशोंकी अपेक्षा बहुत प्रमाणिक है एवं गोविन्दराजकृता टीका तथा धरणीधर कृताटीका भी मनुस्मृति के प्रमाणिक हैं और चौथा मनुमुक्तावली टीका जो उनतीनों के पश्चात् गौड़देशके निवासी विप्र कुल्लुक भट्टजीने किया वह सबसे अधिक उत्तम ठहिरा यह चारोंटीका वाराणसी सम्बन्धी देशविभागों की अपेक्षा में प्रधान हैं (और) महाराष्ट्र देशमें शायणाचार्य कृता माधवी टीका और नन्दराजकृता टीका दोनों अधिक मानीजाती हैं और यही एक नन्दराजकृता टीका कर्णाटक में भी प्रचलित है और भी मन्वर्थचन्द्रिका नाम एक टीका प्रसिद्ध है और श्रीधराचार्यकृत स्मृतिसार नाम ग्रन्थ में किसी एकमनु टीका कामधेनु नामका बहुत चर्चा है पर देखने में यहटीका प्रायः नहीं है-दृमरी विष्णु संहिता की वैजयन्ती नाम टीका जो दत्तक मीमांसाके बनानेवाले नन्दपण्डित ने बनाई विद्यमान है और इन्हींने पराशर संहिता की भी टीका एक लिखी है-तीमरी

याज्ञवल्क्य संहिता के भी अनेक टीका हैं तिनमें अपरार्कजी का किया टीका प्राची प्रतीत होता है परञ्च मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने पश्चात् बनाई बहुत प्रमाणिकहु बहुधा अन्य देशों में भी प्रचलित है एक टीका देवबोध की बनाई देखी जाती है ए विश्वरूप की बनाई यद्यपि देखने में नहीं आती है पर अन्य ग्रन्थों के निबन्धमें प्रमाण उसका लिखा देखा गया है एक टीका शूलपाणिकृता दीपकालिका नाम गौड़दे में प्रमाणिक है-चौथी यमसंहिता की एक टीका ऊर्ध्वोक्त कुल्लूक भट्टकी बनाई विख्यात है-पांचवीं गौतम संहिताकी टीका एकहरदत्ताचार्यकी बनाई वर्तमान है-छठ नारद संहिता जो व्यवहार काण्डमात्र है तिसकी टीका आर्कटदेशनिवासी वरदारा की बनाई बहुविस्तरित है और द्राविड़ देशमें प्रमाणिक मानी जाती है और वरदा राज्य उसका नाम है-सातवीं पराशर संहिता जो केवल आचार और प्रायश्चित्त का ण्डमात्र है तिसकी टीका माधवाचार्य की बनाई माधव्या उसका नाम है दक्षिणाव में प्रमाणिक मानी जाती है- इत्यादि अन्य स्मृतियों के भी टीका अन्वेषण से मिल सकने सम्भव होंगे परञ्च जो जो स्मृतियाँ निपट दिखाई नहीं देती हैं उनके टीका भी मिल सकनेको कहना एक असङ्गत है ॥

(अथास्यभारतवर्षस्यैव)

(पंचदेशभेदेननिबन्धमतभेदधर्मशास्त्रग्रन्थाः)

काश्यादिप्रदेशेषु-मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर आचार्य विज्ञानयोगी नाम किसी परम हंसने बनाई जो विक्रमादित्य राज्यसमय उन्हींका अमात्यथा पश्चात् परमहंस हों की दशमें यह ग्रन्थ निरूपण किया ऐसा कहने हैं काशी आदि बहुधा देशों में प्रधानता इसकी अधिक है और मिथिला तथा द्राविड़ महाराष्ट्र इनतीनोंमें भी सामान्य-भाव कुछ कुछ मानी जाती है और उत्कल राज्य में भी इमी मिताक्षरा की प्रधानता अधिक मानी जाती है अर्थात् मिताक्षराही यहग्रन्थ एकोणसाहे कि सबदेशोंमें प्रमाण इसका होता है-दूसरा वीरमित्रोदय ग्रन्थ यह भी मिताक्षराकेही तुल्य है और वीरसिंह राजा की अनुज्ञासे पण्डित मित्रमिश्रने बनाया इमीहेतुमें वीरमित्रोदय उम का नामहुआ और बुद्धिमानोंने यह अनुमान किया है कि यह ग्रन्थ अनुमान तीन सौ वर्षके भीतरका बना है परञ्च वीरमित्रोदय की निम्नावृत्त ने यह निश्चित अचनक नहीं है कि वीरसिंह राजाकी राजधानी किम स्थलमें थी और क्या उमका नामथा- तीसरा परशुराम माधव-चौथा व्यवहार माधव्य-पांचवां विवाद नाण्डव यह ग्रन्थ कमलाकरभट्टका बनाया है जिन्होंने निर्णयनिधु आदि और भी अनेक ग्रन्थ निर्मित किये हैं-पांचवां निर्णयनिधु यह भी कमलाकर भट्टने बनाया और यहग्रन्थ विक्रमादित्य के ६६८ संवत् में बनकर मनात हुआ-छटा नृदेविकी नाम ग्रन्थ जो विष्णुव्यस

भट्टने मिताक्षराकी टीका निर्मित करी-सातवाँ ग्रंथ मिताक्षराका बालमभट्टीय नाम टीका जो पापगुंडोपाख्य लक्ष्मीदेवी विरचित व्यवहार प्रकरण जिसका लक्ष्मी यही नाम है इत्यादि बहुधा अन्यग्रंथ भी प्रमाण कियेजाते हैं-यहाँका धर्म शास्त्रोठ वाराणसी सम्बन्धी देशों में और भी पश्चिमोत्तर सब देशोंमें और और जो जो देश भेद राजपूताना आदिभारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं तिन सब में प्रचलित है और उड़ीसामें भी प्रचलित है और नदियाशांतपुर आदिमें भी ॥

मिथिलासंबन्धीदेशमें-- मिताक्षरा-विवाद चिंतामणि जो वाचस्पति मिश्रने निबंधित किया-विवादरत्नाकर जो मिथिला राजके अमात्य चंडेश्वरने प्रणीत किया-व्यवहार चिंतामणि यह भी वाचस्पति मिश्र का निबंध है-विवादचंद्र जो लक्ष्मीदेवी का कर्तृत्व है-स्मृतिसार जो हरिनाथोपाध्याय का कर्तृत्व है-स्मृतिसमुच्चय-मदनपारिजात जो विश्वेश्वरभट्टने बनाया और जाटजातीय मदनपालनाम भूपति के नामसे विख्यात किया-कल्पतरु-द्वैत-परिशिष्ट जो केशवमिश्रका कर्तृत्व है-और एक श्रीकराचार्यका बनायाग्रंथ-आचार्यचंद्रिका जो श्रीनाथाचार्यका कर्तृत्व है-इत्यादि कुछ और ग्रंथ भी मिथिलामें प्रमाण कियेजाते हैं-यहाँके ग्रंथ विहारके उत्तर मुजफ्फरपुरतक प्रचलित हैं-और मिथिला का प्रदेश मंडल ठेठमिथिला और समग्र तिरहुत औरकुछ कुछ भाग पूर्णिया तथा भागलपुर तथा मुंगेर तथा सारण इनका भी लेकर समुभा चाहिये ॥

बगदेशमें-व्यवहार मातृका-दायभाग जो जीमूतवाहनका कर्तृत्व है-उसी दायभाग की टीका जो श्रीकृष्णतर्कालंकारने बनाई दायक्रम संग्रह नाम ग्रंथ जो ऊर्ध्वोक्त तर्कालंकारने बनाया-दायतत्त्व आदि अट्टाइस तत्त्वनाम के ग्रंथ जो रघुनन्दन भट्टाचार्यने बनाये-विवाद भंगार्णव जो जगन्नाथ तर्क पंचानन का कर्तृत्व है-जीमूतवाहन ग्रंथ जिसके कर्ता जीमूतवाहन हैं-व्यवस्था दर्पण-इत्यादि प्रायशः अन्य ग्रंथ भी प्रमाणीभूत प्रचलित हैं ॥

द्राविड़ देशमें-माधवीयानाम ग्रंथ जो माधवाचार्य का कर्तृत्व है-स्मृतिचंद्रिका जो देवानंदभट्टका कर्तृत्व है और द्राविड़ तैलंग. कर्णाट इन देशों में अत्यन्त प्रमाणीभूत है-सरस्वतीविलास नाम ग्रंथ जो कृष्णा नदीके उत्तरतीरनिवासी काकत्य वंशराजा प्रताप रुद्रदेवकी अनुज्ञासे विनिर्मित हुआ कहते हैं और यह ग्रंथ हैदरावादसे उत्तर तैलंगों में भी व्यवहृत है-वरदाराज्य नाम ग्रंथ जो व्यवहारकांड नारद संहिताका है पर बहुत बड़ा विस्तरित है कि जिसको आर्कटनिवासी वरदा-राजने निर्माण किया-मिताक्षरा-इत्यादि और ग्रंथ भी प्रमाणीभूत प्रचलित हैं-और यहाँके धर्मशास्त्र कुल दक्षिणभाग हिन्दुस्तान में माने जाते हैं ॥

(महाराष्ट्रदेशमें) व्यवहार मयूख जो पण्डित नीलकंठने बारह मयूख एक ही ग्रंथमें नि-



माणं किये तिनमेंसे यह छठामयूख है-संस्कार कौस्तुभ जो अनंतदेवका कर्तृत्व व्यवहारकौस्तुभ-धर्मसिन्धुजो काशीनाथ उपाध्यायने निर्माण किया-निर्णयसिन्धु कमलाकारभट्ट वा निर्णयकमलाकार उपनामने निर्माण किया-हेमाद्रिनामग्रंथजो द्विभट्ट काशीकरका निर्माण किया बहुत प्राचीनहै-मिताक्षरा-इत्यादि बहुधा ग्रंथभी प्रमाण कियेजाते हैं-और यहां के धर्मशास्त्र मरहटोंके सब देशमात्रमें भूतहैं और प्रचलितहैं-यह पांचदेश भेदोंसे जो ग्रंथोंकी प्रधानता दर्शितहुईइस्से तर्कणा न करनीचाहिये कि जो ग्रंथ एक देशमें प्रचलित हैं वे अन्यदेशमें नि समूझेजातेहोंगे किन्तु धर्मशास्त्रएकहै और सभीग्रंथ सर्वत्र माने जासक्तेहैं पर केवल भेदहै कि जिनकीनिपट प्रधानता मानीगई उनका आद्योपांतही प्रमाण करते हैं और अन्यदेशी ग्रंथोंमें जो अधिक विशेष कोई बात पाईजातीहै तो भी स्वीकार करते हैं ॥

(दत्तकविषय) दत्तकमीमांसा जो नंद पंडितकी बनाई है और दत्तकचंद्रिका देवानंद भट्ट स्मृतिचंद्रिकाकारकी बनाई है ये दोहीग्रंथ सबदेशोंमें प्रमाणीभूतहैं बांगदेशमें और द्राविड़देशमें विशेष दत्तकचंद्रिकाही प्रधान मानीजाती है कि दो ग्रंथोंके परस्पर कुछ मत भेदहै-यद्यपि प्रमाणीभूत और प्रसिद्ध संप्रति ग्रंथहैं पर इस विषयके कुछ और भी प्राचीन ग्रंथ सुनेजाते हैं यथा- की बनाई एक द्वितीय दत्तकमीमांसाहै-गंगादेव वाजपेयीकी बनाई एक द्वितीय चंद्रिकाहै-व्यासाचार्यका बनाया दत्तकदीपकहै-नागजीभट्टका बनाया दत्तककौस्तुभ कृष्णमिश्रका बनाया दत्तकभाषण है-भवदेवभट्ट का बनाया दत्तकतिलक है-रा कृष्णकी बनाई दत्तकसिद्धान्तमंजरी है-श्रीनाथभट्टका बनाया दत्तकनिर्णय है-अ भी दत्तककौमुदी-दत्तकदीधिति-दत्तकदर्पण आदि बहुधाग्रंथहैं जो मृत्युंजय-लंकार आदि कर्त्ताओंके बनाये सुनेजाते हैं-इसीप्रकार-धर्मशास्त्रके अनेक और ग्रंथ जो संप्रतिवर्तवमें कुछ कहीं कहीं आते हैं और कुछ कुछ निपट वर्तवमेंही नहीं अ केवल नाम उनके सुनेजाते हैं यथा बृहदभिधानक, कृत्यकल्पतरु, स्मृतिमंग्रह, व्यवहारपारिजात, धर्मप्रदीप धनंजयकृत, गोत्रनिर्णय, प्रयोगपारिजात, द्वैतनिर्णय, मृत, विवादचंद्रिका, प्रवरमंजरी श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथाचार्यकी बनाई आचार्य चंद्रिका, भवदेवभट्टकी बनाई व्यवहारकला, हलायुधकृतग्रंथ जो गौड़देशवि लक्ष्मणसेन राजाके गुरु हलायुधका बनायाहै, लक्ष्मीधरका बनाया कल्पतरु, परशु रामप्रतापग्रंथ जो प्राच्यतेल्लुदेशी भूयति सर्वज्ञप्रतापकी अनुज्ञा में विर दुआ, नागजीभट्ट का बनाया व्यवहारन्वीकार, मदनरत्न नामग्रंथ जो मदनमि का बनाया और आचार व्यवहार प्रायश्चित्तरूप विम्वान है, शंकरभट्टकाश्याक

का बनाया आचारार्क नाम ग्रंथ जिसमें व्यवहार भी समाश्रित है—योगभट्ट काशीकर का उद्योत नामग्रंथ-दिनकरद्योत नामग्रंथ जो विश्वरूप रामकयोग भट्ट काशीकर का बनाया व्यवहाराचारविषयिक है-गोविंदार्णव नाम ग्रंथ जो गोविंद चंद्रनाम काशिराज की अनुज्ञासे रामचन्द्र पंडितकेपुत्र नरसिंहजी ने निर्मित किया शंभुकर बाजपेयीके बनाये ग्रंथ-उदयकर बाजपेयी के बनायेग्रंथ-ब्राह्मणसर्वस्व,न्याय-सर्वस्व,पंडितसर्वस्व-इत्यादि बहुधा और भी अनेक धर्मशास्त्रकेही ग्रंथहैं कि जो अब श्रवण मात्रकेही काम आते हैं ॥

संग्रहकारटीकाकारोंकी नामावली संक्षेप—मेधातिथि १ गोविंदराज २ धरणीधर ३ कुल्लूकभट्ट ४ शायनाचार्य ५ नन्दराज ६ श्रीधराचार्य ७ नंदपंडित ८ अपरार्क ९ विज्ञानेश्वराचार्य १० देवबोध ११ विश्वरूप १२ शूलपाणि १३ हरदत्ताचार्य १४ वरदाराज १५ माधवाचार्य १६ विद्यारण्यस्वामी १७ पंडितमित्रमिश्र १८ कमलाकरभट्ट १९ विश्वेश्वरभट्ट २० शंभुकरबाजपेयी २१ उदयकरबाजपेयी २२ श्रीकराचार्यमिथिलाजात २३ तत्पुत्रश्रीनाथाचार्य २४ भवदेवभट्ट २५ हलायुध २६ लक्ष्मीधर २७ नागजीभट्ट २८ मदनसिंहभूपति २९ शंकरभट्टकाशीकर ३० योगभट्टकाशीकर ३१ विश्वरूपरामकयोगभट्ट काशीकर ३२ जितेन्द्रिय ३३ धारेश्वर ३४ बालरूप ३५ हरिहर ३६ मुरारिमिश्र ३७ गंगादेवबाजपेयी ३८ व्यासाचार्य ३९ कृष्णमिश्र ४० रामकृष्ण ४१ श्रीनाथभट्ट ४२ मृत्युंजय ४३ विद्यालंकार ४४ वाचस्पतिमिश्र ४५ मिथिलाराजका अमात्यचंडेश्वर ४६ हरनाथोपाध्याय ४७ केशवमिश्र ४८ देवानंद वा देवणभट्ट ४९ आर्कटनिवासीवरदारज ५० नीलकंठ ५१ अनंतदेव ५२ काशीनथोपाध्याय ५३ हेमाद्रिभट्ट काशीकर ५४ वोपदेव ५५ सर्वोरु त्रिवेदी ५६ देवस्वामी ५७ देवशतक ५८ संग्रहकार ५९ रायमुकुट ६० व्यवहृ मानोपाध्याय ६१ विज्ञानयोगी ६२ प्रकाशकार ६३ व्यवहार पारिजातकार ६४ आचार्यचूडामणि ६५ हरिनाथ ६६ धनंजय ६७ शवरस्वामी ६८ सत्याषाठ ६९ त्रिकंड ७० सर्वज्ञपंडित ७१ गोपाल ७२ सोमेश्वरभट्ट ७३ भवभूति ७४ वादभयंकरकृत ७५ उदय नाचार्य ७६ बांग देशीजीमूत वाहन ७७ रघुनन्दन भट्टाचार्य ७८ श्रीकृष्णलर्कालंकार ७९ जगन्नाथतर्कपंचानन आदि ८० इत्यादि बहुधा और भी अनेक संग्रह कार टीकाकार पंडित हुये हैं कि सबके नाम लिखा जाना बड़ा दुर्घट है संक्षेप चर्चा किया गया ॥

काश्यादि प्रदेशेषु विभक्त असंसृष्टस्यमृतस्यधनेकाशीप्रचलितग्रंथेभ्यादायक्रमः

मिताक्षराधीरभिन्नोदयानुसारेण

मर्यादापरिपाटयानुसारेण

१	पुत्र.
२	पौत्र
३	प्रपौत्र
४	पत्नी
५	अनूढा दुहिता
६	ऊढा अप्रतिष्ठिता दुहिता
७	ऊढा प्रतिष्ठिता दुहिता
८	दौहित्र.
९	जननी
१०	पिता
११	सौदर भ्राता
१२	असौदर भ्राता
१३	सौदर भ्रातृ पुत्रः
१४	असौदर भ्रातृ पुत्रः
१५	पिता मही
१६	पिता महः
१७	पितामह पुत्रः ( पितृष्यः )
१८	पितामह पौत्र ( पितृष्य पुत्र )
१९	प्रपिता मही
२०	प्रपितामहः
२१	प्रपितामह पुत्र ( पितामह भ्राता )
२२	प्रपितामह पौत्र ( पितामह भ्रातृपुत्र )
२३	वृद्ध प्रपिता मही
२४	वृद्ध प्रपितामहः
२५	वृद्धप्रपितामह पुत्रः ( प्रपितामहभ्राता )
२६	वृद्ध प्रपितामह पौत्र. ( प्रपितामह भ्रातृ पुत्र )
२७	अतिवृद्ध प्रपितामही
२८	अतिवृद्ध प्रपितामहः
२९	अतिवृद्ध प्रपितामहपुत्र ( वृद्धप्रपितामहभ्राता )
३०	अतिवृद्ध प्रपितामहपौत्र ( वृद्धप्रपितामहभ्रातृपुत्र )
३१	अत्यतिवृद्ध प्रपितामही
३२	अत्यतिवृद्ध प्रपितामहः
३३	अत्यतिवृद्ध प्रपितामहपुत्र ( अतिवृद्धप्रपितामहभ्राता )
३४	अत्यतिवृद्ध प्रपितामहपौत्र ( अतिवृद्धप्रपितामहभ्रातृपुत्र )

१	पुत्राणा विभाग कालेहि मातृणा समाश्रिता ननु विभजनात् प्रागेवतासा स्वत्वस्या शृङ्गीत्वा मृताना तासा स्वी धनवत् दुहित्रा दीना अधिकारः
२	ऊर्ध्वोक्तपौत्राणा विभागे माता मद्याअपि
३	प्रपौत्राभावेसतितु तत्पुत्रे धनाधिकारित्वमवश्य तस्यज्ञेय नतत्र पत्न्यादि क्रमो बलवान्
४	
५	
६	अप्रतिष्ठिता धनहीना
७	
८	
९	पिता } द्वयोः सहाधिकारो वेति प्राधान्यम्
१०	माता }
११	
१२	
१३	भ्रातृजाः सर्वेहि स्वस्वपितृ संतान विषमत्वेपि समभागिनः
१४	भ्रातृ पुत्राणामभावे भ्रातृ पौत्राप्येव धन भाजः
१५	पितामहः } द्वयोः सहाधिकारोवा
१६	पितामही }
१७	
१८	पितामह पौत्राभावेतत्पुत्रा दयोपि धनभाजः तेच पितामह मारभ्यतत् सप्रम संतान पर्यंतज्ञेयाः
१९	प्रपितामह.
२०	प्रपितामही
२१	
२२	प्रपिता मह पौत्रा भावे तत्पुत्रादयोपि धनभाजःतेच प्रपिता मह मारभ्यतत्सप्रमसंतान पर्यन्त ज्ञेयाः
२३	वृद्ध प्रपितामह
२४	वृद्ध प्रपितामही
२५	
२६	वृद्ध प्रपितामह पौत्रा भावेतत्पुत्रा दयोपिधन भाजःतेचवृद्ध प्रपितामह मारभ्य सप्रम संतान पर्यन्त ज्ञेया ॥
२७	अतिवृद्ध प्रपितामह
२८	अतिवृद्ध प्रपितामही
२९	
३०	अतिवृद्धप्रपितामह पौत्राभावेतत्पुत्रादयोपि धनभाजःतेचवृद्ध प्रपितामह मारभ्यसप्रम संतान पर्यन्त ज्ञेया
३१	अत्यतिवृद्ध प्रपितामहः
३२	अत्यतिवृद्ध प्रपितामही
३३	
३४	अत्यतिवृद्धप्रपितामह पौत्राभावेतत्पुत्रादयोपि धनभाजः तेच

काश्यादिप्रदेशेषु विभक्तसंस्पृष्टस्य मृतस्य धने काशीप्रचलितग्रंथेभ्योदायक्रमः

मिताक्षरावीरमित्रोदयानुसारेण		मर्यादापरिपाठ्यनुसारेण	
( इत्येते सप्तसर्पिहावेद्याः ) एतेषामनंतरसप्रयुद्धासमानोदका भवन्ति तेषामप्येवमेव क्रमो वेदितव्यः यथा		अत्यतिवृद्धुप्रपितामहस्य सप्रमसतान पर्यन्तवोध्यः (एवमेवाधोधश्चक्रमो वेदितव्यः) यावत्सप्रसमानोदकाः स्युरिति	
३५	आद्यसमानोदकः प्रथमगृह्णाति	इतिकाश्यादिप्रदेशव्यवस्था	
३६	आद्यसमानोदकस्य पुत्रः		
३७	आद्यसमानोदकस्य पोत्रः		
इत्येवमासन्नतरक्रमेण उपरितन षट्समानोदकाः सप्रसमानोदकावातेषा सततिपर्यन्तदायाधिकारः तेषामप्यभावे बन्धवादयो यथा			
३८	आत्मपितृष्वसुः पुत्राः		
३९	आत्ममातृष्वसुः पुत्राः		
४०	आत्ममातुल पुत्राः		
४१	पितुः पितृष्वसुः पुत्राः		
४२	पितुर्मातृष्वसुः पुत्राः		
४३	पितुर्मातुल पुत्राः		
४४	मातुः पितृष्वसुः पुत्राः		
४५	मातुर्मातृष्वसुः पुत्राः		
४६	मातुर्मातुल पुत्राः		
४७	आचार्य्यः		
४८	शिष्यः		
४९	सप्तस्य चारी		
५०	ब्राह्मणः		
५१	राजा ब्राह्मणगधने राज्ञो नाधिकार		

### मिथिलायां विभक्तसंस्पृष्टस्य मृतस्य धने दायाधिकारः

दाचस्पतिमिश्रकृतविवादाचिन्तामण्याद्यनुसारेण		दाचस्पतिमिश्रकृतविवादाचिन्तामण्याद्यनुसारेण	
१	पुत्रः	१२	असौदरतृभ्रापुत्र
२	पोत्रः	१३	पितामही
३	प्रपोत्रः	१४	पिता महः
४	पत्नी	१५	सौदर पितृष्वः
५	अनुठा दुहिता	१६	असौदर पितृष्वः
६	ऊठा दुहिता	१७	सौदर पितृष्वपुत्रः
७	जननी	१८	असौदर पितृष्वपुत्र
८	पिता	१९	प्रपितामही
९	दौहित्रोपिपितुरनंतरमक्रैनेववाचस्पतिग्रन्थेन विज्ञायते नान्येषु तद्वैश्वप्रचलितग्रन्थेषु परिपट्या वा विज्ञायते	२०	प्रपितामहः
१०	सौदरभ्राता	२१	प्रपितामहपुत्रः (पितामहभ्राता)
११	असौदरभ्राता	२२	प्रपितामहपोत्रः (पितामहभ्रातृपुत्रः)
१२	सौदरभ्रातृपुत्रः	२३	वृद्धप्रपितामही
		२४	वृद्धप्रपितामहः

वाचस्पतिमिश्रकृतविवादचिन्तामण्याद्यनुसारेण

श्रीकृष्णतर्कालंकारकृतदायक्रमसंग्रहाद्यनुसारेण

२५ वृद्धप्रपितामहपुत्रः (प्रपितामहभ्राता) ।  
 २६ वृद्धप्रपितामहपौत्रः (प्रपितामहभ्रातृपुत्रः) ।  
 (अनेनैवक्रमेणसप्रमपुरुषपर्यन्तसपिण्डानामधिकारोबोधः) ।  
 सपिण्डानामभावे चतुर्दश पुरुषपर्यन्तसप्रसमानोदकानामधिकारो  
 बोध्य समानोदकानामभावेत्रिविध बन्धबोधनभाजः तेचका  
 श्यादिदेशलिखिताएव ज्ञेयाः—सब्रह्मचारिराजा पर्यन्तंचतथैवा  
 चापिक्रमोविज्ञेयः ॥

**वांगदेशे मृतस्य धने दायाधिकारः**

श्रीकृष्णतर्कालंकारकृतदायक्रमसंग्रहाद्यनुसारेण

- १ पुत्रः
- २ पौत्रः—मृतपितृरूपौत्रस्यपित्रव्यै सहतुल्याधिकारः
- ३ प्रपौत्रः—एवमृतपितृपितामहकप्रपौत्रस्यापिबोधः
- ४ पत्नी—विभक्ताविभक्तससृष्टस्यापिभर्तृदायगृह्णाति
- ५ कुमारीदुहिता
- ६ ऊढादुहिता—पुत्रवतीसभावितपुत्राचसहाधिकारिण्यौअनयो  
 रसत्वेपिबन्ध्या पुत्रहीनविधवयोर्नाधिकारः
- ७ दौहित्रः
- ८ पिता
- ९ माता
- १० सोदर भ्राता } अत्रससृष्टासंसृष्टभ्रातृविषयिकोव्यवस्थाद्रष्टव्या
- ११ असोदरभ्राता }
- १२ सोदरभ्रातृपुत्रः—नह्य सोदरपुत्र—किंचससर्ग्यससर्गिसोदर  
 भ्रातृपुत्रेषुअसोदरभ्रातृपुत्रेषुचव्यवस्थाद्रष्टव्या
- १३ भ्रातृपौत्रः
- १४ पितृदौहित्रः (भागिनेयः)
- १५ भ्रातृदौहित्रः
- १६ पितामहः
- १७ पितामहो
- १८ पितृव्यः
- १९ पितृव्यपुत्रः
- २० पितृव्यपौत्रः
- २१ पितामहदौहित्र (पितृभागिनेयः)
- २२ पितृव्यदौहित्रः
- २३ प्रपितामहः
- २४ प्रपितामहो
- २५ प्रपितामहपुत्र (पितामहभ्राता)
- २६ प्रपितामहपौत्रः (पितामहभ्रातृपुत्रः)
- २७ प्रपितामहप्रपौत्रः (पितामहभ्रातृपौत्रः)
- २८ प्रपितामहदौहित्र (पितामहभागिनेयः)
- २९ पितामहभ्रातृ दौहित्रः

**(अथ मातृसर्पिडाः)**

- ३० मातामहः
  - ३१ मातुलः
  - ३२ मातुल पुत्रः
  - ३३ मातुलपौत्रः
  - ३४ मातामह दौहित्रः (मातुलभागिनेयः)
  - ३५ प्रमातामहः
  - ३६ प्रमातामह पुत्रः (मातामहभ्राता)
  - ३७ प्रमातामहपौत्रः (मातामहभ्रातृपुत्रः)
  - ३८ प्रमातामह प्रपौत्रः (मातामहभ्रातृपौत्रः)
  - ३९ प्रमातामहदौहित्रः (मातामहभागिनेयः)
  - ४० वृद्ध प्रमातामहः
  - ४१ वृद्धप्रमातामह पुत्रः (प्रमातामहभ्राता)
  - ४२ वृद्धप्रमातामह पौत्रः ( प्रमातामहभ्रातृपुत्रः )
  - ४३ वृद्धप्रमातामह प्रपौत्रः ( प्रमातामहभ्रातृपौत्रः )
  - ४४ वृद्ध प्रमातामह दौहित्रः ( प्रमातामहभागिनेयः )
- (एतेषामभावे सकुल्यानामाधिकारः)**  
 ( तेचद्विधाअधस्तनाऊर्ध्वतनाश्च )  
 ( तत्रादावधस्तनाअधिकारिणोयथा )
- ४५ धनिनः प्रपौत्रस्यपुत्रः
  - ४६ प्रपौत्रस्य पौत्रः
  - ४७ प्रपौत्रस्य प्रपौत्रः
- ( अयोर्ध्वतनासकुल्याः )**
- ४८ वृद्धप्रपितामहः तत्सततयोऽपिक्रमात्
  - ४९ अतिवृद्धप्रपितामहः तत्सततयोपि
  - ५० अत्यतिवृद्ध प्रपितामहाः तत्सततयोपि
- (अत्र सकुल्याएव समानोदकाः पदान्तरेण गन्तव्याः)**
- ५१ आचार्यः
  - ५२ शिष्यः
  - ५३ सब्रह्मचारी (सहविद्याध्यायी)
  - ५४ स्वयामस्याः सगोत्रजाः
  - ५५ स्वयामस्याःसमानप्रवराः
  - ५६ स्वयामस्याः वितृद्ब्राह्मणाः
  - ५७ राजाहिब्राह्मणधनवर्जगृह्णीयात्
- इतिवांगदेशव्यवस्था**

**द्राविडदेशविभक्तासंसृष्टस्य मृतस्य धने दायाधिकारः**

स्मृतिचद्रिका अनुसारेण

- १ पुत्रः
- २ पौत्रः
- ३ प्रपौत्रः

## स्मृतिचन्द्रिकानुसारेण

४	पत्नी
५	अनूढा दुहिता
६	ऊढा अप्रतिष्ठिता दुहिता
७	ऊढा प्रतिष्ठिता दुहिता
८	दौहित्रः
९	पिता
१०	जननी
११	सोदर भ्राता
१२	असोदर भ्राता
१३	सोदर भ्रातृपुत्रः
१४	असोदर भ्रातृपुत्रः
१५	पितामहस्य पुत्रः (पितृव्यः)
१६	पितामहस्य पौत्रः (पितृव्यभ्राता)
१७	प्रपितामहपुत्रः (पितामहभ्राता)
१८	प्रपितामहपौत्रः (पितामहभ्रातृपुत्रः)
१९	वृद्धप्रपितामहपुत्रः (प्रपितामहभ्राता)
२०	वृद्धप्रपितामहपौत्रः (प्रपितामहभ्रातृपुत्रः)
२१	अतिवृद्धप्रपितामहपुत्रः (वृद्धप्रपितामहभ्राता)
२२	अतिवृद्ध प्रपितामहपौत्रः (वृद्धप्रपितामहभ्रातृपुत्रः)
२३	सपिण्डातीत पुरुषसुतः
२४	तत्सुतश्च
२५	आद्यसमानोदकसुतः
२६	तत्सुतश्च
२७	द्वितीय समानोदकसुतः
२८	तत्सुतश्च
२९	तृतीय समानोदक सुतः
३०	तत्सुतश्च
३१	चतुर्थसमानोदकसुतः
३२	तत्सुतश्च
३३	पञ्चम समानोदक सुतः
३४	तत्सुतश्च
३५	षष्ठ समानोदक सुतः
३६	तत्सुतश्च
३७	सप्तम समानोदकसुतः
३८	तत्सुतश्च
३९	आत्म बन्धवः क्रमेण धनभाजः
४०	अथवन्धूनामाधिकारः
४०	पितृ बन्धवः क्रमेण धनभाजः } बन्धवांहि वारणसी
४१	मातृ बन्धवः क्रमेण धनभाजः } देशलिखिताएवज्ञेयाः
४२	आचार्यः

## स्मृतिचन्द्रिकाऽनुसारेण

४३	शिष्यः
४४	सब्रह्मचारी
४५	ब्राह्मणः
४६	राजा

इतिद्राविद्देशव्यवस्था

महाराष्ट्रेविभक्तासंसृष्टस्यमृतस्यधनेदायाधिकारः

## व्यवहारमयूखानुसारेण

१	पुत्रः
२	पौत्रः
३	प्रपौत्रः
४	पत्नी
५	अनूढा दुहिता
६	ऊढा अप्रतिष्ठिता दुहिता
७	ऊढा प्रतिष्ठिता दुहिता
८	दौहित्रः
९	पिता
१०	जननी
११	सोदरभ्राता
१२	सोदर भ्रातृ पुत्रः
१३	पितामही
१४	भगिनी
१५	पितामहः
१६	असोदरभ्राता
१७	प्रपितामहः
१८	पितृव्यः
१९	असोदरभ्रातृ पुत्रः
२०	सपिण्डा आसन्नमात् आसन्नतर क्रमेण धनभाजः
२१	समानोदकाजन्मनामज्ञानावाधिकात् आसन्नतरक्रमेण धनभाजः
२२	आत्म वधवः क्रमेण धनभाजः } वधवः कार्युक्ताएव
२३	पितृ वधवः क्रमेण धन भाजः } पित्रेयाः
२४	मातृ वधवः क्रमेण धन भाजः }
२५	आचार्यः
२६	शिष्यः
२७	सब्रह्मचारी
२८	ब्राह्मणः
२९	राजा ब्राह्मण धन विनान्येया धनं गृह्णीयात् ॥
३०	इतिमहाराष्ट्रदेशव्यवस्था ॥

इतिपंचदेशभेदायाधिकारक्रमः ॥

इति श्रीमच्छुक्लरूपातिवंशोपेनमर्यादाप्रियपांडितदुर्गाप्रसादेनकृतायांमिताक्षराधनुवादरूपायांमर्यादापरिपाट्यां व्यवहाराध्यायः समाप्तः



तीसरे भागमें (८) कर्णपर्व (९) शल्यपर्व (१०) सौप्तिकपर्व (११) योषिक व विशोकपर्व (१२) स्त्रीपर्व (१३) शान्तिपर्व—राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म सफे ४५६ जुज़ २० वर्क ४ कीमत ३)

चौथे भागमें (१४) शान्तिपर्व दानधर्म व अश्वमेध (१५) आश्रमवासिकपर्व (१६) मुसलपर्व (१७) महाप्रस्थानपर्व (१८) स्वर्गारोहण व हरिवंशपर्व सफे ५२८ जुज़ ३३ कीमत ३)

महाभारत के पर्व अलग २ भी मिलते हैं ॥

१ आदिपर्व	१	कीमत	१)	२ सभापर्व	२	कीमत	१-)
३ वनपर्व	३	तथा	१।=)	४ विराटपर्व	४	तथा	१)
५ उद्योगपर्व	५	तथा	१।)	६ भीष्मपर्व	६	तथा	१।=)
७ द्रोणपर्व	७	तथा	१।=)	८ कर्णपर्व	८	तथा	१।)
९ शल्यवगदा	९	सौप्तिक	१०	योषिकवविशोक	११	स्त्रीपर्व	१२
१० शान्तिपर्व	१३	राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म, दानधर्म,	सफे ५२८			तथा	३)
११ अश्वमेध	१४	आश्रमवासिक	१५	मुसलपर्व	१६	महाप्रस्थान	१७
१२ हरिवंशपर्व	१९			१८ स्वर्गारोहण	१८	तथा	१।)
						१९	तथा १=)

महाभारत सबलसिंह चौहान कृत ॥

यह पुस्तक ऐसी उत्तम है कि सम्पूर्ण महाभारत की कथा दोहे चौपाई आदि छन्दोंमें है ऐसी सरल है कि कमपढ़ेहुये मनुष्यों को भी भली भांति समझमें आती है इसका आनन्द देखनेही से मालूमहोगा नीचे लिखेहुये पर्व छपेहुये तय्यार हैं यह पुस्तक बहुतही कम मिलती है वड़ी मुश्किलों से जो पर्व मिले हैं वह छापेगये ॥

(१) आदिपर्व सफे ७४ जुज़ ४ वर्क ५ कीमत १) पैमाना ११+७ छपीहुई सन् १८८४ ई०

(२) सभापर्व सफे ७८ जुज़ ४ वर्क ७ कीमत १)

ऊपर लिखेहुये अलंकारों सहित पैमाना ११ + ७ छपीहुई सन् १८८३ ई०

(३) वनपर्व तथा तथा सफे ४२ जुज़ २ वर्क ५ कीमत १)

(४) विराटपर्व तथा तथा सफे ७६ जुज़ ४ वर्क ६ कीमत १)

(५) उद्योगपर्व तथा तथा सफे १४४ जुज़ ९ कीमत १।।

(६) भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व व गदापर्व सफे १७६ जुज़ ११ कीमत १।)

(७) स्त्रीपर्व तथा सफे २४ जुज़ १ वर्क ४ कीमत १।।।

(८) स्वर्गारोहण तथा सफे २८ जुज़ १ वर्क ६ कीमत १-)

बाकी जब इसके पर्व मिलेंगे छापेजावेंगे जिनमहाशयों को मिलसक्ती हैं कृपाकरकं भजद तो पजावें ॥

प्रकटहो कि यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता सकल निगम पुराण ध्यति सांख्यादि सारभूत रहस्यगीताशास्त्रका सर्वविद्यानिधान सौशील्य-विनयौदार्य सत्यसं- शौर्यादि गुणसंपन्न तार महानुभाव अर्जुनको परमअधिकारी जानके हृदयजनित मोहनाशार्थ सबप्रकार निस्तारक भगवद्भक्तिमार्ग दृष्टिगोचरकराया है वही उक्त भगवद्गीतावजूवत्वेदान्त व यो न्तर्गत जिसको अच्छे २ शास्त्रवेत्तार अपनीबुद्धिसे पारनहींपासक्ते तबमंदबुद्धी जिनको कि देशभाषाही पठनपाठन करने की सामर्थ्य है वह कत्र इसके अन्तराभिप्रायको जानसक्तेहैं प्रत्यक्षही है कि जबतक किसी पुस्तक अथवा किसी बस्तुका अन्तराभिप्राय अच्छेप्रकार बुद्धिमें भासितहो तबतक आनन्द क्योंकरमिलै इसप्रकार सम्पूर्ण भारतनिवासी भगवद्भक्तपादाब्जरासिकजनों के चित्तानन्दार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्तत धर्मधुरीण सकलकलाचातुरीण सर्वविद्याविज्ञा सीभगवद्भक्तधनुरागी श्रीमन्मुंशीनवलकिशोरजी (सी, आई, ई)ने बहुतसाधनव्ययकर निवासि स्वर्गवासिपाण्डितउमादत्तजसे इसमनोरंजन वेदवेदान्तशास्त्रोपरिपुस्तकको श्रीशंकराचार्य निर्मितभाष्यानुसार संस्कृतसे सरलदेशभाषामें तिलकरचाय नवलभाष्यआख्यसे प्रभातकालिककमलसरिस प्रफुल्लित करादियाहै कि जिसको भाषामात्रके जाननेवालेपुरुषभी जानसक्ते हैं

जबछपनेका समयआया तो बहुतसे विद्वज्जन महात्माओंकी सम्मतिसे यहविचारहुआ किइस अमूल्य व अपूर्व ग्रन्थकी भाष्यमें अधिकतरउत्तमता उससमयपरहोगी कि इसशंकराचार्य र्त भाष्य भाषाके साथ और इस ग्रन्थके टीकाकारोंकी टीका भी जितनीमिलें शामिलकीजावें उन टीकाकारोंके अभिप्राय का भी बोधहोवे इसकारणसे श्रीस्वामी शंकराचार्यजी की शंकरभ कातिलक व श्री आनन्दगिरिकृत तिलक अरु श्रीधरस्वामिकृत तिलकभी मूल श्लोकों सहितइस पुस्तकमें उपस्थित है ॥

## इशतिहार ॥

माहमार्च सन् १८८६ ई० से मुमालिक मगरवी व शिमालीका बुकडिपो इलाहाबाद बुकडिपो से मतवा मुंशीनवलकिशोर मुकाम लखनऊमें आगया है इस बुकडिपो में मगरवी व शिमाली एजुकेशनलबुक किताबोंके सिवाय औरभी हरएक विद्याकी किताबें मौजूदहैं इन हरएक किताबोंकी खरीदारीकी कुलशतैकीमतके सहित इस छापेखानेकी छपीहुई फ़ेहरिस्तमें दर्ज हैं जो दरख्दास्त करनेपर हरएक चाहनेवालोंको विलाकामित मिलसक्तीहैं जिनसाहवोंको इनकिताबोंकी खरीदकरनाहोवे इसेखरीदकरें और फ़ेहरिस्त तलवकरें ॥

द०मैनेजर अथवा  
लखनऊमुहल्लाह जगत



## मिताक्षरा सटीक ॥

आचाराध्याय का मूलसहित भाषाऽनुवाद

जिसमें

गर्भाधानादि संस्कारों की विधि; आठप्रकारके विवाहोंके लक्षण; वर्णों और विविधजातोंकी उत्पत्ति; वर्णाश्रमधर्म; पंच यज्ञादि; स्नातक पुरुषोंके नियम; साधारण शिक्षा और वेदाध्ययनकी मर्यादा; भक्ष्याभक्ष्य वस्तुओं का विवेक; वस्तुओंके शुद्धकरनेके उपाय; दानलेने देनेकी रीति; सब प्रकारके श्राद्धोंका निर्णय; नवग्रहादिकी शांति; राजाओं के धर्म, आचारआदि अनेकानेक विषययुक्ति- उक्ति पूर्वक सब स्मृतियों के मतसे अति विस्तार पूर्वक वर्णित हैं—

जिसको

आगरानिवासि श्रीविद्वज्जनशिरोमणि मर्यादाप्रिय पंडित दुर्गाप्रसादजी ने सम्पूर्ण मर्यादाहितैषी पुरुषोंके अवलोकनार्थ साधारण भाषा में निर्मित कियाथा उसीको श्रीमान् मुंशिनवलकिशोरजी ( सी, आई, ई ) ने उक्त परिदतजी को बहुतसा धन पारितोषिककी रीतिपर देकर मुद्रित करनेका हकलिया और वही सर्वसाधारण के उपकारार्थ

प्रथम बार

### लखनऊ

मुंशो नयलमिचोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने में द्र्या  
एप्रिल मत् १८९० ई० ॥

## मिताक्षरा भाषा टीका सहित ॥

यह पुस्तकसम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंका शिरोमणि है जिसमें आचारकांड, व्यवहारकांड और प्रायश्चित्तकांड नामक तीनकांड हैं, जिनसे गृहस्थादिचारों आश्रम और ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके सम्पूर्ण धर्म धर्मादि और राजसम्बन्धी कार्योंमें दायभागादि व्यवहारोंमें वादी प्रतिवादियोंके धर्मशास्त्र सम्बन्धी मामिले और मुकद्दमोंकी व्यवस्था वर्णित है,

इस यन्त्रालयमें जितने प्रकारकी महाभारतें छपी हैं उनकी सूची नीचे लिखी है ॥

### महाभारत बार्त्तिक ॥

जो कि सम्पूर्ण पुराणोंमें श्रेष्ठ है जिसको पंचमवेद भी कहते हैं जिसमें आदि १ सभा २ वन ३ विराट ४ उद्योग ५ भीष्म ६ द्रोण ७ कर्ण ८ शल्य ९ सौप्तिक १० विशोक ११ स्त्री १२ शांति १३ अनुशासन १४ अश्वमेध १५ आश्रमवासिक १६ मुशल १७ स्वर्गारोहण १८ और हरिवंशपर्व १९ हैं जिसको आगरापुर पीपलमंडी निवासि चौरासियागौड़ बंशावतंस प्रधान पंडित कालीचरणजी संस्कृताध्यापक केनिंगकालेज लखनऊने संस्कृत महाभारतसे प्रत्यक्षरका भाषामें उल्था किया है इसके पृथक् २ पर्व भीखरीदारोंको मिलसकते हैं—यह पुस्तक भी अवश्य ही अवलोकन करनी चाहिये ॥

### महाभारतदर्पण काशीनरेश कृत ॥

जो काशीनरेश की आज्ञानुसार गोकुलनाथादिक कबीश्वरों ने अनेक प्रकारके ललितछन्दों अठारहपर्व और उन्नीसवें हरिवंशको निर्माण किया—यह पुस्तक सर्वपुराण और वेदकासार हैं बर बहुधा लोग इसविचित्र मनोहर पुस्तकको पंचमवेद बताते हैं क्योंकि पुराणान्तर्गत कोई कथा इतिहास और वेदकथित धर्माचारकी कोई बात इससे छूट नहीं गई मानों यह पुस्तक वेद शास्त्र का पूर्णरूप है—अनुमान ६० वर्षके बीते कि कलकत्तेमें यह पुस्तक छपी थी उस समय यह पो ऐसी अलभ्य होगई थी कि अन्तमें मनुष्य ५० रु० देनेपर राजीथे पर नहीं मिलती थी पहले सन् १८७३ ई० में इस छापेखाने में छपी थी और कीमत बहुत सस्ती याने वाजिबी १२) थे जैसा कारखानेका दस्तूर है ॥

अब दूसरीवार डबलपैका बड़ेहरफोंमें छापी गई जिसको अवलोकन करनेवालोंने बहुत ही पसन्द किया है—और सौदागरी के वास्ते इससे भी कीमत में किफायत होसकती है पैमाना १२) छपी हुई सन् १८८४ ई० २५६८ सफे कीमत १०) पुस्तक । इस महाभारतके भागनीचे लिखे अनुसार अलग २ भी मिलते हैं ॥

पहिले भागमें (१) आदिपर्व (२) सभापर्व (३) वनपर्व सफे ५२० जुज ३२ वर्क ६ कीमत २५  
दूसरे भागमें (४) विराटपर्व (५) उद्योगपर्व (६) भीष्मपर्व (७) द्रोणपर्व सफे ४०२ जुज २५ वर्क १ कीमत ३)

# भूमिका ॥

भगवान् याज्ञवल्क्यजीने संसारमें मर्यादास्थित रखने और सर्वसाधारण के उपकारदृष्टिसे अनेकानेक प्राचीन आचार्यों और महर्षिगणोंके मतलेकर मिताक्षरा नामक धर्मशास्त्र आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्तकारण्ड नामक तीनभागोंमें निर्माण कियाथा—

यह याज्ञवल्क्यस्मृति, भारतवासी मात्र चतुर्वर्णों का मुख्य धर्मशास्त्र है और इसीके अनुसार यह केलोगोंके धर्मसम्बन्धी समस्तकार्य होते चलेआते हैं—

इस आचाराध्याय नामक प्रथमखंडमें गर्भाधान से लेकर मरण पर्यन्त के समस्त संस्कार चतुर्वर्णों और विविध जातियोंकी उत्पत्ति ब्राह्मण आदि चतुर्वर्णों और ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रमों के धर्माचरण, साधारण शिक्षा, आठप्रकार के विवाहों के लक्षण, भक्ष्याभक्ष्य पदार्थोंका विवेक, दान लेने देने की विधि, सर्वप्रकारके श्राद्धोंका निर्णय, नवग्रहोंकी शांति, राजाओंके धर्म आचारादि अनेक विस्तारपूर्वक वर्णन कियेगये हैं—

परन्तु यह विस्तृत ग्रंथ संस्कृतमें होनेके कारण सर्व साधारण के देखनेमें नआताथा इस भारत देशनिवासी पुरुषों के उपकारार्थ इस यंत्रालयके अध्यक्ष ने बहुत सा धन पारितोषिक रीतिपर देकर आगरा निवासी मर्यादाप्रियपरिणित श्रीदुर्गाप्रसादजी से श्लोकका उल्थाकराय यंत्रालयमें मुद्रितकराया—

आशाहै कि धर्मसम्बन्धी कामोंमें सर्वसाधारणको यथादर्शक होनेके सिवाय भाषाग्रंथोंकेभंडा यहभी एक अपूर्वग्रंथ होगा और मर्यादाप्रियबंधुगण इसे आदर पूर्वक स्वीकार करेंगे--

द०मालिक मतवा अवधअखबार  
लखनऊ हज़रतगंज

# अथ मिताक्षरा स० आचाराध्याय का सूचीपत्र ॥

आशय प्रयोजनोक्त	श्लोक सुल	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद	आशय प्रयोजनोक्त	श्लोक सुल	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद
<b>(अ)</b>					<b>(उ)</b>				
अपनेआत्मा का विचार दुभाति की रीति में ॥	०	अभि०	०	०	उपेनयनकर्म-यज्ञोपवीत ॥	१४	अर्थ २	०	०
अपने मनका विचार एक रीति में भी ॥	०	०	०	०	उपनयन की परमगौण अविधि, प्रात्यदोष, सावित्रीसे पतित होना ॥	१५	अर्थ ५	०	०
अनेक भार्यावाले पुरुषका धर्म ॥	८८	अचं०	०	०	उत्कीचनीवोधसखाजअधिकारी	१६	१०	+	०
अतिथि और अम्यागती का भोजन आदि सत्कार ॥	१०९	अर्थ २	१०८	०	<b>(ए)</b>	२५	अर्थ २	२५०	०
अतिथिआदिगृहस्थकेमान्यहैं ॥	११०	१०	०	०	एकोद्विष्टके प्रसंगसे नवप्रादु का चर्चा ॥	२६		२५१	०
अर्पनी २ योग्यता के अनुरूप काम करना विपरीत नहीं ॥	१२२	अर्थ २	०	०	<b>(क)</b>				
अनध्याय न पढ़ने के दिवस ॥	१४३से १४६तक	+	+	०	कन्या ऐसे कुल से लेना ऐसे की नहीं ॥	५४	अर्थ ६	५४	०
अदत्त भोग नहीं किन्तु धिरानी वस्तु बिना कहे न भोगे ॥	१५६	अर्थ २	१५६	०	कन्यादान करने के अधिकारी कहे वे नहीं तब कन्या आप स्वयवर करै ॥	६३	अर्थ २	६३	०
अति काल के धरे हुये विकृत पात्रोंकीशुद्धि और घृतसहस्रादि ॥	१८६	१०	०	०	कन्याके दोष न कहकर देनेका दण्ड बृथा दोष लगाकर त्यागने का दण्ड ॥	६६	अर्थ २	६६	
अरि मित्रादि द्वादश राजमंडल का विचार दो भाति से ॥	३४४	अर्थ २	३४३	०	कुण्ड-गोलक चेत्रज सन्तानो का चर्चा ॥			६९	
<b>(आ)</b>					किसअग्निमें कौनसे कर्मकरै ॥	८०	अर्थ २	०	
आशमनकी आज्ञा हाथके तीर्थ आशमनकी सारी विधि ॥	१८ से २१तक	+	+	०	किसी का अपमान या जो दु खाना न करै और मैला दूरफेंके ॥	१५३	१०	+	+
आशमन शुद्धिके समय ॥	१८५	१०	१८५	०	कदर्य आदि इतने का अन्न नहीं खाना ॥	१६०से १६४तक	+	+	
आद्य प्रादुसजक एकोद्विष्ट का निर्णय सन्देह से ॥				३	कदर्यो के सर्वलक्षण दृष्टान्त सहित ॥			१६०	
<b>(इ)</b>					किसी २ शुद्रका भी अन्नलेना और १५ दासके लक्षण ॥	१६५	अर्थ २	१६५	
इतनी चीजोंको दाबे या उलाचे नहीं ॥	१५१	१०	१५१	०	काम्यप्रादु जो कामना से नियम लेकर कियेजायें ॥	२६१से २६८तक	+	+	
इतने सम्बन्धियों से विवाद नहींकरै तो लोकविजयो होजाय ॥	३३३	अर्थ २	३३३	०	काम्य विधिके प्रसंग से श्लव हनके प्रादुका निर्णय ॥	२६३		२६३	
इतने वीरोंके मांस अभक्ष्यहै ॥	१०१ से १०४ तक	+	+	०	कुल जाति आदिको अपने धर्म से विचलित न होने दे ॥	३६०	अर्थ	३६०	
इन अभक्ष्य चीजों को खाकर पाण्डुराण मत करे ॥	१०५	१०	१०५	०	<b>(ग)</b>				
इस प्रकार से मांस खाने में दोष नहीं ॥	१०८	अर्थ २	१०८	०	यंग की उद्यानिका ॥				
इतनी वस्तु इतनीतिसे मिलती हुई नहीं करै ॥	२१३से २१५तक	१०	+	०					



आशय प्रयोजनोक्त	श्लोक मूल	अर्थप्रमाण	अधिकोक्ति	भेद	आशय प्रयोजनोक्त	श्लोक मूल	अर्थप्रमाण	अधिकोक्ति	भेद
गर्भाधानआदिदशकर्मोंकाप्रारम्भ ॥ गुरुशालागमन, विद्यासंग्रह, आचारे का सीखना ॥	१३	अर्थ२	११	०	तात्कालिक अनध्याय जो देव योग से तत्काल होजातेहै ॥ (३०)	१४०से १५०तक	+	+	०
गुरु सेवामें जाना और पढना ॥ गुरु, आचार्य, उपाध्याय, इनके लक्षण, माताका बहूप्यन ॥	१५	अर्थ२	०	०	(६)				
गोत्राह्वयग्निसिद्धि सबन्धो धर्म ॥	२०	अर्थ२	०	०	द्विजाती मात्र तीनों वर्णों के क्रिया कर्म मन्त्रों से ॥	१०	अर्थ०	०	०
गोदानविधि और फलप्रशसा ॥	३५	अर्थ०	०	०	द्विजाती के मुख्य लक्षण और वेद की मुख्यता ॥	३६	अर्थ२	०	०
गोदानवत्फलदायकअनुकूल्य ॥	१५४	र्थ०	१५४	०	द्विरागमनकी उपेक्षामें दशगुणा दण्ड ॥	=	=	=	०
गृह, धान्य, घृत्त, शय्या, आदि अनेक और प्रिय वस्तु का दान ॥	२०३से २०७तक	+	+	+	दीर्घ कन्या हरलेने का दण्ड और हरलेनेकी योग्यता भी ॥	६५	अर्थ२	०	०
गो ब्राह्मणादि हत पुरुष की सपिण्डी का निषेध ॥	२१०	र्थ०	२१०	+	द्वितीयविवाहके कारण पहिली भार्या का पालन ॥	७३	अर्थ२	७३	०
ग्रहपूजा फल कथन ॥	=	=	=	६	दम्पत्य प्रीतिका फल ॥	=	=	७४	०
ग्रह यज्ञफल, नवग्रहशान्ति का विधान ॥	२६२	अर्थ२	०	०	दन्तधावन आदि प्रातः क्रिया ॥	६६	अर्थ२	०	०
ग्रहशान्ति में राजा को विशेष अधिकार ॥	२६४ से ३०५तक	+	+	०	द्विजाती आदि वर्णों के कर्म अधिकार भिन्नाभिन्न ॥	११७से १२०तक	+	+	+
(घ)					दुग्धजो वर्जितहै सधिनीआदिको ॥	१६६	अर्थ२	१६६	०
घृतादि द्रवद्रव्योंकी शुद्धि और विशेष कर सब द्रव्यों का शुद्धि निर्णय ॥	३००	र्थ०	३००	०	दानपात्रों के लक्षण और दानों के स्वरूप भेद अनेक ॥	१६७से २००तक	+	+	+
घोडा बकरी आदि और मार्गों की शुद्धि ॥	=	=	=	१८६	दान मिलतेहुये न लेनेमें उसी दानका फल होता है ॥	२१२	र्थ०	२१२	०
(छ)					दाह दिवस और मरणदिवस ॥	=	=	=	०
छः प्रकार के स्मार्त धर्म ॥	१६३	र्थ०	१६३	०	देशाचार की प्रवृत्ति देशान्तर और कालान्तर होने से ॥	=	=	=	०
(ज)					दुष्टस्थानस्य ग्रहकी शान्ति में विशेषता ॥	३०६	र्थ०	०	०
जात्यन्तर संकीर्ण सकर से ॥	=	०	१	०	देशाचार की रक्षा करनी ॥	३४२	र्थ०	०	०
जातों की उत्कर्षा जाति शुद्धि और हीनता भी पाचवें सातवें जन्म से ॥	१६४	अर्थ२	०	०	दुर्वृत्तोंको दण्ड देना धर्महै ॥	३५३से ३५६तक	र्थ०	०	०
जलाशयोंकी तट शुद्धि नित्यके खाज जो पराये जलसे परे ॥	१६५	अर्थ२	०	०	दृष्ट और अदृष्ट और दण्ड के प्रकार ॥	३५६तक ३५८से	र्थ०	+	०
जलशुद्धि, मासशुद्धि, जलाशयों का विचार ॥	१६६	अर्थ०	०	०	दण्डोंके भेद धिग्दण्ड आदि ॥	३६६	र्थ०	३६६	०
(त)					दण्ड की अपेक्षा में देश काल अपराध अवस्था आदि विचार ॥	३६७	अर्थ०	३६७	०
तीहरे प्रार का समाचार स र्वग आदि ॥	१६७	र्थ०	१६७	०	(ध)				
					धर्मदेशों की सोम के चिह्न ॥	=	०	२	०
					धर्मशान्तिकारों के मुख्यनाम ॥	५	अर्थ०	०	०
					धर्म के लक्षण अनेक ॥	६	अर्थ०	६	०
					धर्मके मूल जिनमें धर्म उप न्न होता है ॥	७	अर्थ०	०	०



आशय प्रयोजनीक	श्लोक मूल	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद	आशय प्रयोजनीक	श्लोक मूल	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद
मासादि द्रव्योंके श्राद्धों की अपेक्षा में पुलस्त्य की व्यवस्था ॥	=		३६६	१	विद्यार्थीकी भित्तावृत्ति ॥	=		२६	०
महागणपत्यादिकल्पः ॥	२६३	अर्थ २	०	०	वेद पढने की अवधि तीनों वर्णों की ॥	३६	अर्थ २	०	०
मन्त्रियोंके लक्षण शब्दका विचार उपधाशोधन ॥	३११	श्लो०	३११	+	वेद - शास्त्र आदि सब साधारण भी विद्यार्थी का नित्य पाठ करने के फल ॥	४१ से ४८ तक	+	+	०
मन्त्र की रक्षा मन्त्रों का भेद नहीं होनेदे ॥	३४३	अर्थ २	३४३	०	विवाह करना पर ऐसी स्त्रीसे करना ॥	५३	अर्थ २	०	०
(य)					वरके ऐसे लक्षण हो तिसको कन्या देना ॥	५५	अर्थ २	०	०
योगेश्वर याज्ञवल्क्यसे ऋषियों ने धर्म ब्रूभा ॥	१	अर्थ २	०	०	विवाह में दिये और आये हुये धनका चर्चा - वर परीक्षा ॥	=		५५	०
योगेश्वरने काले मृगवाले देश में बतलादिये ॥	२	अर्थ २	०	०	विवाह करनेके हेतु तीन ॥	=		५६	०
योगीयती आदि धूर्तों का सग नहीं करना ॥	=		६८	०	विवाहके अनुकूल पहिली रं तो के अनुसार ॥	५७	अर्थ २	५७	०
यानकाल और यानके सम्बन्ध से पूर्वोक्त छे गुणोंके भी काल ॥	३४७	श्लो०	३४७		विवाहके आठ भेद ब्राह्मणआदि उनसबोंके लक्षण और विधि ॥	५८ से ६२ तक	+	+	०
याज्ञवल्क्योयशास्त्रकी परिभाषा उत्तम मध्यम अधम दण्ड ३ ॥	३६५	श्लो०	३६५	०	व्यभिचारिणीका अधिकारहरना ॥	७०	अर्थ २	७०	०
(र)					व्यभिचारसे श्राद्ध और गर्भसे त्याग ॥	७२	अर्थ २	०	०
राजा के स्वाभाविक लक्षण शरीरक ॥	३०८ से ३१० तक	अर्थ २		०	विवाह करनेके फल स्त्रियों की रक्षा = सेवन ॥	७८	अर्थ २	७८	०
राजाको आन्वीक्षिकी आदि विद्यार्थी का सग्रह करना ॥	=		३०८ से ३१० तक	+	वर्ण सकर प्रतिलोभ जातों की उत्पत्तिसुत वैदेहिक आदि ॥	६३	अर्थ २	०	०
राजा को दुःखदायक व्यसन अठारह १८ ॥	=		=	+	वर्जित कर्म परपाक रुचि आदि इनका विचार ॥	१११	श्लो०	०	०
राजा को सप्ताग राज्य की रक्षा करनी ॥	=		=	+	वेद पढनेकी मर्यादै और समय ॥	११३	+	+	+
राजा का निवासस्थान - दुर्ग निर्माण - अध्यात्मके लक्षण ॥	३३१	श्लो०	३३१	०	विष्णु हुये इतने अन्नो को छोड़दे मासवासी आदि ॥	११६	श्लो०	११६	०
रणसामयिक धर्मा, ॥	३३५	श्लो०	+	०	विद्यादिहीनको प्रतिग्रह नही लेना ॥	२०१	श्लो०	२०१	०
राजा को आठौं प्रहर के धन्धे दूत और चारों का भेजना - दूत या चारों के लक्षण ॥	३३६ से ३३८ तक	श्लो०	३३६ से ३३८ तक	०	विद्यादान सब दानो का फल देता है ॥	२११	अर्थ २	२११	०
राजाका स्वभाव और प्रजा की रक्षा आदि पालन विधि ॥	३३३ से ३३६ तक	श्लो०	३३३ से ३३६ तक	०	घृष्टि श्राद्धकी समस्त विधि ॥	२४६	अर्थ २	२४६	०
राजाका अन्याय - प्रजा पीडा राज्यपालन का फल ॥	३३६ से ३४१ तक	श्लो०	०	०	विघ्नकारक हेतु विघ्नोके कारण ॥	२८०	अर्थ २	२८०	०
राजनीतिके षट्गुणसन्धिविग्रह आदि ॥	३४६	श्लो०	०	०	विघ्नज्ञापक हेतु - विघ्नो के जतलानेवाले स्वप्न ॥	२८१ से २८३ तक	श्लो०	०	०
(व)					विघ्नज्ञापक प्रयत्नहेतु - ज्ञान प्रवृत्तिया में ॥	२८३ से २८५ तक	श्लो०	०	०
इष्टोंको अभिषेक प्रदान आदि ॥	२६	अर्थ २	२६	०	विघ्नशान्तिने लिये विनायक लयन आदि मन्त्र ॥	२८६ से २८९ तक	+	+	०
					विघ्नशान्तिप्रयोग ॥	२९१		२९१	०
					विघ्नशान्ति धनदान वा फल रत्न मरण ॥	३३३	श्लो०	०	०

आशय प्रयोजनिक	श्लोक सूत्र	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद	आशय प्रयोजनिक	श्लोक सूत्र	अर्थप्रमाण	अधिकारिता	भेद
(श)									
शौचकर्मकेआचारप्रातःकालसे ॥	११६	अर्थ २	१७	०	सायंकाल की सन्ध्यासे शयन	११३	सू०	११३	०
शुद्धकन्यासे विवाह नहीं ॥	११६	अर्थ २	०	०	करने ताँदें का समाचार ॥	१२१	सू०	०	०
श्रौतिकर्म - वेदोक्त यज्ञादि प्र	१२३ से	+	+	०	सबजातोंकेसाधारणधर्म एकसे ॥	१२८ से	+	+	+
कार और अग्नादिकी संचयरीति ॥	१२७ तक				सर्वसाधारणशिक्षा प्रत्येकसमय				
शिशुआदिदत्तनीचीजें औरभोजितहै	१७०	सू०	१७०	०	के वर्त्तावा मध्ये स्नातक के	१४० तक			
शरीर शुद्धि और शीररजमलों				६	उपदेशतोबिरुद्ध और अविशुद्धकर्म ॥				
का निर्णय ॥	१६०	अर्थ २	१६०	०	स्थानशुद्धि जिसमेंआपरहताहो ॥	=		१५३	०
श्राद्ध करनेके काल और श्राद्धों					स्तोकेबशवर्त्तीका दृष्टातप्रत्यक्ष ॥	=		१६२	०
के स्वरूप अथवाप्रमुख्य ॥	३१६	अर्थ २	३१६	०	सलेप चिकनाई आदिसे लिटे	१८४	सू०	१८४	०
श्राद्ध की सम्पदारूप इतने	२१८ से	सू०	०	०	द्रव्यों की शुद्धि खुर्चानेआदिसे ॥				
ब्राह्मण योग्य हैं निमन्त्रण में ॥	२२० तक				सलेप वस्त्रोंको शुद्धि ऊनी या	१८५	सू०	१८५	०
श्राद्ध कर्म में इतने ब्राह्मण	२२१ से	सू०	+	+	रेशमी आदि ॥				
निन्द्य है ॥	२२३ तक				सलेप मृत्पात्र फिर अग्नि में	१८६	सू०	१८६	०
शुद्धों का सपिण्डी कर्म ॥	=		=	६	देनेसे कारुजाती के लोग ॥	१८८	सू०	१८८	०
श्राद्ध के प्रसंग से मांसाहारी	=		=	२	सिद्धांतशुद्धिभक्ष्यभोज्यादिवस्तु ॥	१८९	सू०	१८९	०
देश और जातों का आचार ॥	=		=		सूर्य राशिम आदिकी शुद्धि ॥	१९२	सू०	१९२	०
(स)					सपिण्डीकरण श्राद्ध की विधि	३५३	अर्थ २	३५३	०
सर्वशास्त्र और १४ विद्या सी					और सपिण्डी का सर्वनिर्णय ॥				
खने का धर्म ॥	३	अर्थ २	३	०	सपिण्डीके प्रसंग से मातृगोत्र				
स्नान कर्म प्राणायाम सन्ध्या	२२ से	+	+	०	का निर्णय ॥	=			
पासन आदि कर्म ॥	२५ तक				सपिण्डीके प्रसंग से प्रेत शब्द				
सपिण्डता का स्वरूप कन्या					का निर्णय ॥	=			
के गोत्र प्रवर आदि का विचार ॥	=		५३	०	सपिण्डी के प्रसंग से व्युत्क्रम				
स्त्रियां इसहेतु से शुद्ध होती हैं	७१	अर्थ २	०	०	मृत्युमें सपिण्डताका निर्णय ॥				
स्त्रियों का वडपन सुकीर्ति ॥	७५	अर्थ ०	०	०	सपिण्डीमें व्युत्क्रम मृत्युवालो				
स्त्रीके त्यागमें धन दण्ड ॥	७६	अर्थ ०	०	०	के नामोका उच्चारण प्रयोग ॥				
स्त्रियों की धर्मशिक्षा ॥	७७	अर्थ ०	०	०	सपिण्डी करनेकी अर्वाध और	२५४	अर्थ २	२५४	+
स्त्री गमनकी विधिचतुर्काल ॥	७६	अर्थ ०	७६	०	सालभरके मासिकश्राद्धोंका निर्णय ॥				
स्त्री सेवाचतुर्गु के विनाभी इ					सपिण्डीके प्रसंगसे १६ षोडश				
सनियम से ॥	८१	अर्थ ०		०	श्राद्धोंका निर्णय ॥	=			
स्त्रियोंकी रक्षा और भ्रूणहरया					संन्यासियों का सपिण्डी आदि				
हेतुसे साध लेजाना ॥	=		८१	०	श्राद्ध वर्म ॥	=			
स्त्रियोंकासहकार सदकोउचितहै ॥	८२	अर्थ ०	०	०	सब ऋषीश्वरोंका सिद्धांत यह				
स्त्रीपरकेधन्ये इसप्रकारसेकरै ॥	८३	अर्थ ०	०	०	सिद्धातकी छटा भेदहै (६) ॥	२५६	सू०	२५६	०
स्त्रियोंकीरखवारीकाअधिकार ॥	८५	अर्थ ०	०	०	सब श्राद्धोंका अंत्यव्यवहार ॥	२५५	सू०	३५३	०
सज्जती पुत्रों की उत्पत्ति ॥	८०	अर्थ ०	०	०	सामदाम दण्डभेद ४ उपाय ॥	३५२	सू०	०	०
समर्थों के पास जाना और					सप्रांग राज्य के सातों अंग ॥				
मध्यार्त्न धान धन्धा ॥	१०१	सू०	०	०	(त्र)				
सम्बन्धीवर्तों को हरहाल गन्					त्रसरेणुआदि परिमाणोंकी नाम	३६१ से	सू०	+	
धार अन्वय भोजन करवारा ॥	१०८	अर्थ ०	१०८	०	सज्ञा ॥	३६४ तक			
					इति ॥				



## मिताक्षरा सटीक ॥

### आचाराऽध्याय ॥

#### प्रथमकाण्ड ॥

श्रीमच्छास्त्रानुसारेण क्रियतेयाजगद्रतिः । साविश्वरूपिणोभक्तेर्भाविंगत्वाऽभिवर्द्धते १ ॥

अक्षरार्थः—श्रीमान् शास्त्रके अनुसार जो जगत् में रति करिये है सो विश्वरूपी के भक्तिभावको जाइकर सर्वथा बढ़ै है १ ॥

अभिप्रायार्थः—श्रीमान् कहिये चमत्कारवाले वा तपस्यावान् सामर्थ्यवान् योगधारी ऐसे सुनीश्वरों के कहेहुये शास्त्रों के अनुसार—अथवा—श्रीमान् कहिये लक्ष्मी प्राप्तकरनेकी शक्तिवाले किन्तु जिनकी मर्यादपरचलनेसे धनसम्पत्ति और सन्तान देनेवाले ऐसे जो कोई शास्त्र स्मृति आदि तिनके अनुसार-अर्थात् उनकी रीति से जगत् में जो रति कहिये प्रीति किन्तु संसारीमागोंमें जो आसक्ति करीजाती है वह आसक्तिही विश्वरूपी भगवान्की भक्तिरूपहोजातीहै पुनि भक्तिरूपहोकर सबओर से बढ़ती चलीआती है १ ॥

अधिकोक्तिः—अर्थात् जिसईश्वरने मनुष्यको बनायाहै उसकी भक्ति भजन करना सबको उचितहै और यहवात भी बहुधा लोग कहते हैं कि (सर्व्वेत्यक्त्वाहरिम्भजेत्) अर्थात् सब भगड़े छोड़कर हरिकी भक्ति करें सो इसवाक्यमें यह दोपलगतता है कि जो सबीलोग ऐसेहोजायँ-कि संसारकेभगड़ेछोड़कर हरिकोभजें तो उसकी ईश्वरता भी नष्टहोजाय क्योंकि यह संसार उसने आप रचाहै और अपनारूप इसको कहाहै कि मैं संसाररूप आपही प्रकट होरहाहूँ और ब्रह्मा आदिको भी इसीलिये बनायाहै कि दिनोंदिन इसकी बढ़वारीकरो इसीप्रकार सबजीवोंकोआज्ञाहै कि अपनी २ आयु भर अपने प्रारब्धोंके फलभोगतेहुये इस मेरे संसारकी रक्षा और बढ़वारीकरो और वह संसारकी रक्षा तथा वृद्धिही मेरीभक्तिहै क्योंकि भक्तिमें भी किसी के देहकी सेवा

टहलें करीजाती हैं तब उनसेवाटहलोंको भक्ति और सेवाकरनेवालेको भक्तजनकहते हैं सो यह संसारही मेरा देहहै इसकी सेवा टहलें सबकोई करो-अर्थात् इसकी रक्षा और बढ़वारी में मर्यादापूर्वक तत्पर बनेरहकर अपने २ घर और देहों के भी धन्ये मर्यादापूर्वक साधनकरो परन्तु जोकोई भिन्नमर्यादा होकर अपनेघर वा देहोंके धन्ये साधनकरतेहैं वे मेरीभक्तिसे रहितकहलाते हैं-इसीलिये उसजगत्कर्ता ने मुनीश्वरोंके हृदयमें निर्मलबुद्धिरूप आपही विराजमानहोकर नानाभांतिके मर्यादप्रचारक शास्त्र भी निर्माणकरवाये हैं कि इनशास्त्रोंकीमर्यादा अनुसार जो कोई संसारका आचरण राखेगा वही मेरा भक्तकहलावेगा-और वह आचरण उसका मेरी भक्तिरूप होकर दिनोंदिनबढ़वारी पावेगा जिसके बढ़वारी पानेसे उसमेरे भक्तको संसारकी सारीही सम्पत्तें मिलनी सुगमहोजायँगी १ ॥

नज्ञायतेजगद्गीतिर्विनाशास्त्रैःपुरातनैः । तस्माद्वियाज्ञवल्कीयमतीतिःप्रकाश्यते २ ॥

अक्ष०-—नहीं जानिये है जगत्की रीति विनापुरातनशास्त्रों के तिससेही याज्ञवल्क्य के मतकीरीतिको प्रकाशकरियेहै २ ॥

अभि०-—अर्थात् यद्यपि संसारका बर्तावा सब कोई कराकरताहै पर उस बर्तावे की रीति तौ प्राचीनशास्त्रों के देखेविना नहीं जानीजाती है तिसकारणसे याज्ञवल्क्य मुनिकेमतसे जो रीति निर्मितकरीगईथी उसे प्रकाशितकरतेहैं २ ॥

अधि०-—यद्यपिसंसारकी बहुधारीतें और पृथ्वीआदि दृश्यपदार्थोंका स्वरूप,आकार,डौल और मनुष्योंकी प्रकृतिबोलचाल आदि यहसबवातें परिणाम पाकरवारह वारह वर्षोंपीछे पलटकरकुछ औरही और भांतिकी होजायाकरती हैं-क्योंकि- सारा संसारही परिणामवान् कहाता है फिरयह वस्तुसंसार से वाहरतौ हैहीनहीं- सो यह परिणामभी कुछवारहवर्षपीछे इकट्टाएकही दिनमें नहीं होजाताहै अर्थात् निरन्तर दिनोंदिन किंचित् किंचित् परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है परवह प्रतिक्षण होताहुआ किसीको मालूम नहींहोता किंतु वारहवर्ष वीतजानेपर जबकोई बुद्धिमान् उससमयसे वारहवर्ष पहली दशाओंको ध्यानलगाकर यादकरता है और अपनी ज्ञानदृष्टि से शोचता है तब उसे दिखाईदेता है किजो वस्तु अथवावातें या मर्यादें पहिलेकुछ अन्यथार्थी वह अबकुछ अन्यथाही प्रतीतपड़ती हैं-इसीप्रकार ६ वर्षमें पौना और ६ वर्षमें आधा और तीनवर्ष में चौथाईभाव उसका प्रकट होजाता है- इसपरिणामके लिखने का यह अभ्यन्तर है कि बहुधा शास्त्रोक्तरीतें मर्यादेंभी परिणामपाती हैं उनमें बहुतेरी तौनष्टाग्निवत्प्रलोप होजाती हैं १ और बहुतेरी भस्माग्निवत् निगूढ़ होजाती हैं २ बहुतेरी धूमाग्निवत् निरुद्धहोजाती हैं ३ बहुतेरी निर्धूमाग्निवत् चमत्कृत रहती हैं ४ बहुतेरी प्रदीप्ताग्निवत् सदाही प्रकाशकरा करती हैं ५-इनमें



पूर्वोक्तोंके स्थान बहुतेरी नवमर्यादेंभी प्रतिपक्षी होजाती हैं किभाव जिनका चिह्नभी पुरातनोंमें न मिलताहो बहुतेरी रीतें नवसंचरितभी ऐसीहोती हैं किजो प्राचीनोंसे सम्बन्धित और उन्हींके आधीनहोती हैं-इनकारणों से बहुधा लोगोंको भ्रमउत्पन्न होजाताहै सो वह उनकीबुद्धि भ्रमताभी शास्त्रों के देखनेसे मिटसक्ती है और शास्त्र भी दोप्रकारके होते हैं एकतोप्राचीन दूसरे नवीन तहां थोड़े मनुष्यतौ प्राचीनोंपर अभिरुचि रखते हैं और बहुधा नवीनोंपर परन्तुऐसे मनुष्य तौ बहुतही थोड़े देखने में आते हैं कि प्राचीन और नवीन दोनोंपर अभ्यास रखते हों-और संसारकी निर्विकाररीति तथा निर्मल मर्यादेंतभी जानीजातीहैं कि जब नवीन और प्राचीन इनदोनों प्रकारके शास्त्रों का आलोकन और विचार करै और उन दोनों के मध्य अन्तरको समुझै क्योंकि नवीनभी प्राचीनों केही अनुसार और आधीनहुआ करते हैं केवल किसी वार्त्तामें परिशोधनकी रीति से अन्तर होजाताहै-इसहेतुसे याज्ञवल्क्य मुनिके मतसे जो प्राचीनरीतें उनके धर्मशास्त्रमें लिखी हैं उन्हें प्रकाशित करते हैं कि सब लोग उनको देखें और नवीनोंमें जो उनका आशयहै उसको समुझें २ ॥

योजानातिजगद्गीतिकुशलःकुलवानपि । परेपांधनमनोइर्तुवेश्याःकिंनमहाशयाः ३ ॥

अक्ष०-जो जानताहै जगत्की रीतिको कुशल और कुलवान्भी है औरों के धन मन क्या हरनेको वेश्यानहीं महाशय होती है ३ ॥

अभि०-इसजगत्में आकर जो कोई जगत्कीरीति मर्यादको विधिपूर्वक जानताहै वहीप्राणी कुशल कहिये चतुरोंमें चतुर और कुलवानोंमें कुलवान्भी वहीहै-अर्थात् धन जनसे हीन भी जगत्की रीतिको जाने तौ वहचतुर और कुलीनहै और जो धन जनसे संयुक्तहोकर जगत्कीरीतिको न जाने वह अज्ञानी और अकुलीनकहाताहै-क्योंकि यद्यपि उसमें धनोपार्जनकी अनेक चतुराइयां भी हों परन्तु परायाधन और पराया मन हरलेने को क्या वेश्या बड़े मनवाली नहीं हैं अर्थात् इनदोनों बातोंकी चातुर्यतामें तौ वेश्याभी बड़े उत्साह और मनवालीहोती हैं-सोई किसीभाषा कविका वचन भी दोहाहै कि-जानत जो जगरीतिको सोइनर चतुरकुलीन । परधन परमन हरनको वेश्या परम प्रवीन ३ ॥

योगीश्वरंयातवल्क्यंसंपूज्यमुनयोऽब्रुवन् । वर्णाश्रमेतराणांनोब्रूहिधर्मनिशेयतः ? ॥

अक्ष०-योगीश्वर याज्ञवल्क्यको अच्छे पूजिकर मुनिलोग बोलेतथये-वर्ण आश्रम इतरोंके अशेषधर्म हनसे कहो १ ॥

अभि०-योगवालों में ईश्वर कहिये मान्य और सत्कर्ष ऐसेयाज्ञवल्क्यमुनीश्वरका पूजन कहिये सत्कार मनसे वाणीमें कर्त्तव्यमेभीकरिके सामश्रवा आदि मुनिलोगबोले कि हमसेवर्णोंके और आश्रमोंके और इतरकहिये अनुत्तम प्रतिशोभजातं जो मूर्धा-

वसिक्त आदि वर्णसंकर कहलाती हैं इन सबके धर्माचरणोंको निःशेष वर्णन करो १ ॥

अधि०—अनुलोम प्रतिलोम जातोंकी उत्पत्ति आगे इसीशास्त्रमें आवेगी और जो धर्मोंका आचरण मुनिलोगोंने ऊपरपूँछा है सो वह धर्म भी छः प्रकारका होता है और धर्मशास्त्रकी स्मृतियोंद्वारा जाना जाता है जैसे १ वर्णधर्म २ आश्रमधर्म ३ वर्णाश्रमधर्म ४ गुणधर्म ५ निमित्तधर्म ६ साधारणधर्म—इन छः प्रकारोंमें से ही एक २ के सहस्रों भेद होनेसे धर्मके लाखों किरोड़ों लक्षण होते हैं (दृष्टान्त) जैसे ब्राह्मण आदि तीन वर्णोंको संध्या आदि कर्म नित्य ही करना उचित है—या जैसे ब्राह्मणको मद्यकदाचित् भी न पीना चाहिये—या जैसे शूद्रको तीनोंकी सेवा इत्यादि नाना भेद एक वर्ण धर्मके होते हैं १ दूसरा आश्रमधर्म सो वह आश्रम चार प्रकारका प्रसिद्ध है १ ब्रह्मचारी २ गृहस्थी ३ वानप्रस्थ जो स्त्रीसहित वनमें तपकरे ४ संन्यस्त ये चारों केवल गृहस्थोंमें से ही हो जाते हैं जो कोई इन चारोंको क्रमसे विधिपूर्वक सेवन करता है वह परमगतिको पहुँचता है सो इन चारोंके भिन्न २ धर्म जैसे—ब्रह्मचारीका धर्म स्वाध्याय कहिये वेदका पढ़ना नियम शुश्रूषा आदि अनेक लक्षण होते हैं जो आगे इसीशास्त्रमें आवेंगे १ ऐसे ही गृहस्थीका धर्म दमदान यज्ञ आदि अनेक लक्षणवाला होता है वह भी आगे इसीशास्त्रमें आवेगा २ ऐसे ही वानप्रस्थका धर्म नियमसे वनमें रहकर स्त्रीसहित तपकरना आदि ३ ऐसे ही यतीका कहिये संन्यासीका धर्म शम अभयसत्त्वकी संशुद्धि ज्ञानयोगमें आरूढ़ होना आदि ४ जो कोई जिस आश्रमका सहारा लेकर उसके अधिकारोंका विधिपूर्वक बर्तावा करता है वही आश्रमधर्म कहलाता है कलियुगमें वानप्रस्थका चिह्न भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है—ब्रह्मचर्यका चिह्न कहीं २ कल्पित देखपड़ता है पर कलियुगमें उसकी भी नास्ति है संन्यस्ताश्रम जिसका होना कलियुगमें निषेध है पर वह बहुधा वर्तमान है तथापि उसमें स्वाभाविक धर्मोंका होना नहीं दिखाई देता है—गृहस्थ आश्रम यह सबसे उत्तम है क्योंकि यह भिक्षा देकर सबके फलमें सांझी हो जाता और वह तीनों आश्रम इसकी आशा किया करते हैं पर इसकी उत्तमता उसी अवस्थामें होसکتی है जो धर्मशास्त्रोंकी रीति अनुसार आचरण हो २ तीसरा वर्णाश्रमधर्म जिसमें वर्ण और आश्रम इन दोनोंके लक्षण होते हैं—जैसे वर्णसे ब्राह्मण है और आश्रम उसने ब्रह्मचर्यकालिया या गृहस्थका—या वर्णसे क्षत्रिय अथवा वैश्य है और आश्रम उसने ब्रह्मचर्य या संन्यस्तकालिया इत्यादि दोनों बातें जिसमें हों और उसके लिये ढाकेकादंड आदि जो मर्यादें नाना भांतिकी उचित होती हैं तिनको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं ३ चौथा गुणधर्म उसको कहते हैं कि जैसे वर्णसे तो कोई जातिका मनुष्य हो वह किसी दूसरे वर्णका गुणधारण करे या देवयोगसे पावे तो उस गुणमंत्रधर्म जो मर्यादें होती हैं वह भी उसको करनी चाहिये उन्हीं मर्यादोंको गुणधर्म कहते हैं (दृष्टान्त) जैसे कोई जातिका मनुष्य हो अभिषेक आदि गुणोंसे संयुक्त राजा होने पर उसको अपने

जातीधर्मोंके सिवाय प्रजाकी रक्षाआदि भी करना चाहिये(दूसरादृष्टांत)जैसेजातिअथवा कर्मसे या आश्रमसे वह भिक्षुकहै इसकारण राजकर देनेसे मुआफहै पीछेवहीमनुष्य व्यापार आदि वैश्यजाति काजो गुणहै उसको अङ्गीकारकरै तो उसगुणकाधर्मयहभीहै कि उस व्यापारके लाभमेंसे राजकर देवै ४ पांचवानिमित्तधर्म जोनिमित्तकहिये हेतुसे करनापड़े(दृष्टान्तजैसे)जो करनाउचितथा वहनहीं किया अथवाजो न करनाउचितथासो कियाउसकाप्रायश्चित्त अथवादण्डआदि जोकुछप्रतिकारहोताहैतिसकोनिमित्तधर्मकहतेहैं५-छात्ताधारणधर्म वहकहलाताहै कि जोएकसूतसे सबको करनाउचितहो अर्थात् चाहेकिसीजातिया किसीवर्ण या किसीआश्रमका मनुष्यहो( दृष्टांत )जैसे किसीजीवकी हिंसानहींकरना किसीको पीड़ानहींदेना चोरीनहीं करना असत्यनहीं बोलना औरोंके धनप्राणोंकी रक्षासे अपनी सामर्थ्यहोते हुये गई नहींकरना इत्यादि नानालक्षण एक साधारण धर्मकेहोतेहैं ६ यद्यपि इसशास्त्रके आचरणसे धर्मअर्थ काममोक्ष इनचारों की प्राप्तिहोतीहै और इनचारोंकेही लक्षण इसमें आवेंगे तथापि धर्मकी प्रधानतासे धर्मशास्त्र इसकानामहै-अर्थात्-धर्मनामहै मर्यादोंका सो इनचारोंकी मर्यादें इसमें मिलतीहैं क्योंकि मर्यादाविना कोईकाम नहींहोता इसहेतुसे सर्वथा धर्मही सबमें मुख्यहै सो उसधर्मको उन सामश्रवाआदि मुनियोंने याज्ञवल्क्यजीसे पूँछा-और एकउस कोभी धर्मकहतेहैं कि जिस्से परमगति मिलसकै सो वहभी यहीधर्महै जो ऊपरलिखचुकेहैं कुछइसमेंयाउसमें अंतरनहींहै केवल अज्ञानियोंकी समुभका अंतरहै अर्थात्जो परमगति मिलनेकी मर्यादेंहैं वहभी उन्हीं मर्यादोंमें मिलरहीहैं जो संक्षेपतासे ऊपर कहीगईहैं-हाँ-केवलइतना अंतरहै कि जो और सब संसारीधंधों के परिसाधन करने कीरीतें मर्यादेंहोतीहैं उनकानामतौ धर्महै और जो परमगति मिलनेके उपकारीधंधों के परिसाधन करनेकी मर्यादेंहोतीहैं तिनको परमधर्म कहते हैं अर्थात् वहसबधर्मोंसे बड़ाधर्महै इस्से उसेपरमधर्मकहतेहैं-परन्तु-जो ध्यानलगाकर शोचौतौ धर्मकाकोईभी दूसरारूप नहींदेखपड़ता अर्थात् वहधर्मएकहीहै फिरवही अनन्त और असंख्यलक्षणवालाहै इसकारणसे कि कहींउसकीशाखा देशभेदोंसे बढ़जातीहैं-कहींमनुष्योंकी जातिभेदसे-कहीं कर्मभेदसे-कहींप्रकृतिभेदसे-कहीं गुणभेदसे-कहींस्वरूप आकार आचार आदिभेदसे शाखाबढ़जाती हैं-कहींकालभेदसे विस्तृत होजातीहैं-और वहधर्म पशुपक्षी आदि सबजीवोंमें होताहै क्योंकि वहधर्म परमात्मा विश्वरूपीका चित्प्रति विंवरूप होताहै इसहेतुसे वायुकेतुल्य अतिसूक्ष्मरूपी और अदृश्यमान होकर सारे विश्वमें फैलारहाकरताहै-देखोजोहाथी आदि प्रबलजीवोंके हृदयमें धर्मकीझाया का निवासनहींहोवे तो क्षणमात्रमें वह अनेक मनुष्योंको फाड़डालें क्यों अपनेऊपर मनुष्यको चढ़ाकर उसकीइच्छाके अनुसार अंकुशके वशहोकरचलें-देखोपक्षीजाति में

कौआ बड़ामलीन और हिंसक और चंडालपक्षी कहलाता है इससे कि वह बहुधा पक्षियोंको मारकर भक्षणकरता है परंतु जो ध्यान लगाकर शौचो तौ उसमेंभी धर्मका वास है क्योंकि जीवोंका भक्षणकरना यह तौ उसका जातीधर्म स्वाभाविक है सो क्योंकर छूटे-परंतु जिसस्थलपर किसी द्वितीयधर्मका औचित्य देखता है तहाँ वह कौआ भी धर्मनीतिकी रीतिसेही कामकरता है अर्थात् जिससमय गायभैंस आदिपशुओंकी आँखों या कानों या गुदामेंसे मैल अथवा कीड़े काढ़कर खाता है उससमयकी चतुराई उसकी देखो कि ऐसीसुहाती चोंच लगाकर मैलको निकासलेता है कि उसपशुकी आँख में चोंचका धक्का या चोट किंचित् भी नहीं लगने देता है-अब कहो कि जो उसकौआमें धर्म छाया नहीं होती तौ अचानक चोंचके भटकासे आँखें फोड़ देता या कान और गुदामेंसे मैलके बदले मांसभी नोचकर खाने लगता क्योंकि मांस उसका आहार है परंतु वह स्वार्थीकाक इसधर्मको जानता है कि (नहिधर्माऽभिरक्तानां लोके किञ्चन दुर्लभम्) किंतु जो प्राणी धर्ममर्यादमें तत्परवने रहते हैं उनको संसारमें कुछभी दुर्लभ नहीं है-अर्थात् जो आजमें इसकी आँखें फोड़ डालोंगा तौ मुझे इसमैलका निकालना दुर्लभ हो जावेगा क्योंकि ये पशुमुझे अधर्मी जानिके फिर अपने पास कदाचित् नहीं आने देंगे इससे उलटी मेरे ही स्वार्थकी हानि हो जायगी अर्थात् यह भी एक धर्मकालक्षण है कि जो कोई जीव किसीसे अपना स्वार्थ साधा चाहै तौ ऐसी रीतिसे कामनिकालै जिसे उसको पीड़ा नहीं पहुँचे (दृष्टान्त) जैसे कौआ मैलको निकालता है ऐसेही सब जीवोंकी धर्ममर्यादाको अपने अनुमानसे जानलो और यह जानो कि यह सारा संसार केवल एक धर्मरूपी बंधनमें फँसा हुआ खड़ा है-जिससमय कोई जीव या कोई देश या कोईकाल या कोईवस्तु अपनी नियत मर्यादाको छोड़ देती है उससमय जो जो उत्पात उठाकरते हैं वे सब अधर्मके लक्षण हैं इसहेतुसे उन मुनियोंने धर्माचरणकी मर्यादें पूँछीं जिनसे सृष्टिका कल्याण और बढ़वारी हो १ ॥

मिथिलास्थः सयोगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवीन्मुनीन् । यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत २ ॥

अक्ष०—मिथिला में बैठा हुआ वह योगीन्द्र क्षणभर ध्यानकरिके मुनियोंके प्रति बोलता भया—जिसदेशमें कृष्णमृग हो तिसमें धर्मोंको समुझो २ ॥

अभि०—मिथिलानाम नगरी में विराजमान वह योगीन्द्र याज्ञवल्क्य एकक्षणमात्र मनमें ध्यानसे शोचकर मुनियोंसे बोला कि जिसदेशमें कृष्णसार मृग अर्थात् काला हिरण होता है किंतु स्वाभाविक अपनी प्रकृतिसे फिरता है तिस देशमें उन धर्मोंको जानो जो हम आगे कहेंगे २ ॥

अधि०—उसदेशमें उनधर्मोंको समुझो अर्थात् जिनधर्मोंको हम अब कहते हैं उनको श्रवणकरिये पीछे जो समुझनेमें संदेह शेष रह जावे तौ वहाँ जिसदेशमें काला मृग

होताहै तहां आंखोंसे देखकर समुभलेना क्योंकि सुनीहुई वार्ता प्रत्यक्ष देखेविना निश्चित नहीं होती है अर्थात् उसदेशमें इनधर्मोंका सदैवही आचरणहोतारहताहै-कालाहिरण कहनेका यह अभिप्रायहै कि जहां कालामृग होताहै वहदेश यज्ञादि धर्म कर्मोंकेलिये उत्तम और पवित्र गिनाजाताहै और कालेहिरणका होनाभी यहनहीं है कि किसी ऐसे देशमें पालकर बाँधाजाय जहां वह न होताहो अर्थात् उसकी स्वाभाविकउत्पत्ति यज्ञेश भगवान्कीइच्छासे होतीहो सो वह देश यह भरतखण्डसंबंधीही निश्चितहै किन्तु कोई और नहीं-सोई मनुसंहितामें बहुधा देशों के सीमा चिह्न भी लिखे हैं-तथाच-सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्व्यदन्तरम् । तन्देवनिर्मितदेश ब्रह्मावर्त्तप्रचक्षते १ कुरुक्षेत्रञ्चमत्स्याश्च पाञ्चालाःशूरसेनकाः । एषब्रह्मर्षिदेशोवैब्रह्मावर्त्तदनन्तरः २ हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ययत्प्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेवप्रयागाञ्च मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः ३ आसमुद्रात्तुवैपूर्वादासमुद्रात्तुपश्चिमात् । तयोरेवान्तरंगिर्योरार्यावर्त्तविदुर्बुधाः ४ कृष्णसारस्तुचरतिमृगोयत्रस्वभावतः । सज्ञेयोयज्ञियोदेशो म्लेच्छदेशस्त्वतःपरम्पूइतिमनुः-इनपांचों श्लोकोंका यहभावहै कि सरस्वती और दृषद्वतीइन दोनों देवनदियोंके बीचमें जो देशबसता है उसको देवनिर्मितदेश और ब्रह्मावर्त्तभी कहतेहैं अर्थात् ब्राह्मणआदि वर्णोंके रहनेका आवर्त्त कहिये घेरायहनामहै-कुरुक्षेत्र और मत्स्य पांचाल शूरसेनक इनदेशोंको ब्रह्मर्षिदेशकहतेहैंयेसबदेश ब्रह्मावर्त्तसे अनन्तर कहियेमिलेहुये आरपासमें हैं-उत्तरमें हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल इनदोनोंके बीचमें पश्चिम सीमा कुरुक्षेत्रसे लेकर पूर्वसीमा प्रयागताई जो बीचका देशहै वहमध्यदेश कहलाताहै-ऐसेही पूर्वसमुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक उत्तर दक्षिण उन्हींदोनों हिमालय और विन्ध्याचल पहाड़ोंके बीचबीचका देश आर्यावर्त्त कहलाताहैइस आर्यावर्त्तकेही बीचमें वह ब्रह्मावर्त्त आदि भी सबआणये-कृष्णसार मृगभी जहां इनदेशों में स्वाभाविक अपनी इच्छासे विचरता है वहदेश यज्ञकरने योग्यहै यहजानलो २ ॥

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः । वेदाःस्थानानिविद्यानां धर्मस्यचतुर्दश ३ ॥

अक्ष०-पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, अंगोंसे मिलेहुये वेद, विद्याओं के धर्म केभीचतुर्दशस्थान ३ ॥

अभि०-अर्थात् प्राचीन रीतिके अनुसार ब्राह्मण आदि तीनिवर्णोंकालघु अवस्था सेही पहले पहल एकधर्म तो यहीहै कि-पुराणोंको न्यायशास्त्रको मीमांसाशास्त्रको धर्मशास्त्रको और वेदके ६ अंगोंकरके सहित वेदको और लोकमें प्रसिद्ध विद्याओं के १४ स्थान और धर्मके भी १४ स्थानोंको पढ़ें और सीखें ३ ॥

अधि०-वेदके ६ अंगोंकेनाम-यथा-१ शिक्षा २ कल्प ३ व्याकरण ४ निरुक्त ५ छंद

६ ज्योतिष ॥ विद्याओंके १४ स्थान यद्यपि लोकहीमें सब प्रसिद्ध हैं परंतु उनके नाम योगविद्या, जलविद्या, अस्त्रशस्त्रविद्या गानविद्या, वैद्यविद्या, वाजिविद्या, चित्रविद्या यंत्रविद्या, विश्वकर्मविद्या, नटविद्या, दास्यविद्या, आदि सब शंखस्मृतिमें कहे हैं—और यद्यपि वह १४ विद्यायें क्षत्रिय वैश्य आदिजातोंके कामकी हैं परंतु ब्राह्मणको उन सबोंका पढ़ना सीखना इसहेतुसे उचित है कि ब्राह्मण सबको शिक्षा देनेवाला गुरु है इसलिये यद्यपि उसको उन विद्याओंसे कोई पेशा करनेकी अपेक्षा नहीं भी हो परंतु पहले आप सीखेगा तब पीछे औरोंको सिखलासकैगा और गुरु कहलावेगा नहीं तौ कोरे बाबाजी—अर्थात् प्राचीन शास्त्रोंकी रीति अनुसार यह क्रम है कि शूद्रजातें केवल अपने २ कामकी विद्या सीखें—और वैश्य अपनी और शूद्रकी विद्याओंको भी जाने क्यों—कि जो शूद्रकी विद्याओंको न जानेगा तौ उनसे क्योंकर अपने कामोंको बनवासकैगा—क्षत्रियको ब्राह्मणके समान अपनी और वैश्यकी और शूद्रकी और ब्राह्मणकी भी विद्याओंका सीखना आवश्यक है ३ ॥

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोगिराः । यमापस्तम्बसम्बर्त्ताःकात्यायनबृहस्पती ४ ॥

पराशरव्यासशंखलिखितादक्षगौतमौ । शातातपोवसिष्ठश्चधर्मशास्त्रप्रयोजकाः ५ ॥

अक्ष०—मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, सम्बर्त्त, कात्यायन, बृहस्पति ४ पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, वसिष्ठ, यह सब धर्मशास्त्रोंके संग्रह करनेवाले हुये हैं ५ ॥

अभि०—याज्ञवल्क्यजीने अपना नाम सबके संगमें मिलाकर इसहेतुसे कहा है कि धर्मशास्त्रका निर्माण करनेवाला केवल मैं ही नहीं हूँ अर्थात् मनुको आदि लेकर इतने यह सब और इनके सिवाय और भी अनेकों मुनिलोग धर्मशास्त्रोंके बनानेवाले पहले से भी होते चले आये हैं—और धर्मशास्त्रके ग्रंथों या बनानेवालोंकी बाहुल्यताका वही कारण है जो पहले श्लोककी अधिकोक्तिमें लिखा है कि देश, जाति, काल आदि भेदोंसे धर्मकी अनंत शाखा और परिणाम होजाते हैं किंतु वह सदा और सर्वत्र एकसा नहीं होता है ४।५ ॥

अब यहाँ पहले थोड़ेसे परमधर्मके लक्षण जतलाते हैं सो देखो नीचे ॥

देशकालउपायेनद्रव्यश्रद्धासमन्वितम् । पात्रेप्रदीयतेयत्सकलंधर्मलक्षणम् ६ ॥

अक्ष०—देशमें कालमें उपायसे जो द्रव्य श्रद्धापूर्वक पात्रमें दीजिये है सो यह सब धर्मके लक्षण है ६ ॥

अभि०—देशके कहनेका यह अभिप्राय है कि जैसे जहाँ कालामृग होता है उस देशमें बैठकर दानकरना यह अन्यदेशोंकी अपेक्षा अधिक फलदायक है फिर कालेमृगवाले देशमें भी जहाँ २ उत्तम तीर्थ प्रयाग कुरुक्षेत्र आदि प्रसिद्ध हैं या राजद्वार और



गोशाला आदि उनमें करना यह भी एकधर्मकाही लक्षणहै-ऐसेही कालके कहनेका यह अभिप्रायहै कि जोर समय दानकेलिये लोकमें प्रसिद्धहैं जैसे संक्रांति आदि पर्व या पाणिग्रहणका समय या पुत्र जन्मका समय या प्राणांत समय आदि इनमें दान करना यह भी एक लक्षण धर्मकाहीहै-उपायसे कहनेका यह अभिप्रायहै कि दान करनेके लिये जोर विधि शास्त्रमें या लोकमें प्रसिद्धहों उन संपूर्ण विधियोंसे दानकरना यह उपायपूर्वक दान कहलाताहै सो यहभी एकलक्षण धर्मकाहीजानो-ऐसेहीद्रव्य कहनेका यह अभिप्रायहै कि उसद्रव्यका दानकरना जो अपनेसत्य परिश्रमसेकमाया हो या ब्राह्मणत्व के कारणसे कहीं प्रतिग्रह आदि में पायाहो सो यह भी एकलक्षण धर्मकाहीहै अर्थात् परसंबंधी धनकादानकरदेना धर्मका लक्षणनहींहै-श्रद्धा समन्वित कहनेका यह अभिप्रायहै कि श्रद्धा जो आस्तिक्य बुद्धिहै तिसकरके सहित दानका करना किंतु नास्तिकताका प्रवेश बुद्धिमें न होने देना यहभी एकलक्षण धर्मकाहीहै-पात्रमें कहनेका यह अभिप्रायहै कि दान देनेयोग्य जो सुपात्र कोईहोवै जिसकीसुपात्रताकेलक्षण आगे इसीशास्त्रमेंआवेंगे ऐसेकोदेना किंतु अयोग्यकोनदेना सो यहभी एकलक्षण धर्मकाही जानो-प्रदीयते यह कहनेका अभिप्राययहहै कि-दीयते का अर्थ तो दीजिये है इतनाही होताहै अर्थात् देना सोवह देना एकऐसाभी होताहै कि कोई वस्तु किसीकोदेकर फिर उसके लौटारलेनेका अधिकारबनारहै और श्लोकमेंप्रदीयते लिखाहै तहां (प्र) उपसर्ग इस प्रकर्षताके लियेहै कि अतिशय करके विल्कुलही दे दियाजावे जिसके लौटारलेनेका अधिकारनवाकीरहै अर्थात् वहधनदूसरेका कहलाने लगे किंतु चाहेंदानपत्रके द्वारा या संकल्पवाक्यके संबंधसेही दियाजावे सोयहभीएक लक्षण धर्मकाहीहै इत्यादि और भी नानाप्रकारके लक्षण जो शास्त्रोंमें जातिगुणयाग होम आदि लिखेहोते हैं सोसब परमधर्मके लक्षणहैं ६ ॥

अधि०-परमधर्मका लक्षण मनुस्मृतिमेंभी लिखाहै कि(धृतिःक्षमादमोऽस्तेयं शौच मिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकन्धर्मलक्षणमितिमनुः) अर्थात् परमधर्मके दशलक्षण होतेहैं एकतौ १ धृति जिसको धीरज या संतोष कहते हैं ॥ दूसरा २ क्षमा जो अपनी सामर्थ्य होतेहुये भी दूसरेकीवात सहलेना ३ दम किंतु वाहरली इंद्रियों को चंचलतासे रोकलेना ४ अस्तेय अर्थात् किसीकाधन विनादिये नहीं हरलेना ५ चुराना ५ शौच अर्थात् नित्यक्रिया ६ इंद्रिय निग्रह अर्थात् इंद्रियोंको कुशांशु रोकना ७ धीः अर्थात् शास्त्रोक्त ज्ञानकीधारणा बुद्धिवनीराखना ८ विद्या ९ वीर्य १० अक्रोध अर्थात् क्रोधकी वार्त्तापरभी क्रोध न करना-ये दशधर्म परमधर्म के हैं (अन्यत्रापिषड्विधम्) यथा (पात्रेदानंमतिःकृणोमन्मदं दानं नम । श्रद्धाबलिर्गर्वायासः षड्विधंधर्मलक्षणम्) अस्यार्थः-

त्रोंकोही १ परमेश्वर में बुद्धि बनीराखना २ मातापिताकी सेवाभक्ति राखना ३ पुण्यमें-श्रद्धाराखनी ४ बलिवैश्वदेव नित्यकरना ५ गो ग्रास निकालना ६ ये भी छः प्रकारके लक्षण परमधर्म केही होते हैं ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृतिस्सदाचारस्स्वस्यचप्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजःकामोधर्ममूलमिदंस्मृतम् ७ ॥

अक्ष०—श्रुति-स्मृति-सदाचार-अपनी आत्माका प्रिय भी-सम्यक्संकल्प जातकामना- ये धर्म के मूल कहे हैं ७ ॥

अभि०—श्रुति कहिये वेद-स्मृति कहिये धर्मशास्त्र-सदाचार कहिये सज्जनों का आचार अर्थात् जिस आचरणको अच्छे प्रमाणिकलोग करतेहों सो-और अपना आत्माकहिये मनबुद्धि तिसमेंजो बात समावै अर्थात् जहांएकही कामकी दो मर्यादें लिखीहों यालोकमें प्रसिद्धहों जैसे जनेऊकरना ब्राह्मणके पुत्रको गर्भकालसे और जन्मकालसे भी आठवेंवर्ष में लिखाहै और दोनोंरीतें धर्ममर्यादसे उचितहैं तहांनइ दोनोंमें से जोकोईसी एकरीति अपने मनबुद्धिमें अच्छीमालूम हो तिसकेअनुसार कामकरना सो यह अपनेआत्माका प्रियकहलाताहै और जनेऊ यहएक दृष्टातमात्र यहांपरलिखाहै किन्तु ऐसेसहस्रोंकाम संसारमेंहोतेहैंकि जिनमें दुभाँतितिभाँतिकीरीतें होतीहैंतिसमेंअपने मनबुद्धिका विचारहोताहै और जिसमेंएकहीरीतिहो उसमेंभीफिर अच्छेलोगोंका आचार अर्थात् वर्तावा प्रमाण होताहै-चौथी-सम्यक्संकल्पकामना उसे कहतेहैं कि सम्यक्नामहै अच्छेका और संकल्पनामहै मनकेविचारका कि ऐसा काम करनाचाहिये सो मनकाविचार दो प्रकारका होताहै एक तौबुरा दूसराअच्छा तिसमें अच्छेसंकल्पसे जो कामनामनमें पैदाहुईहो कि अपने या औरोंके कल्याण वाला अमुककाम इसउपायसे करनाचाहिये तिसको-सम्यक्संकल्पजातकाम-कहतेहैं सोयेचारोंवातें धर्मकीमूलहैं अर्थात्वेद १ धर्मशास्त्र २ सदाचार ३ सम्यक्संकल्पज कामना ४ इनचारोंसेही धर्मकी मूल वस्तु पहिंचानी जातीहै ७ ॥

अधि०—ऊपर लिखाहै कि एकरीति में भी अच्छेलोगोंका वर्तावा प्रमाणहोताहै तिसकायह अभ्यन्तरहै कि किसी २ केवलमर्यादामें भी अपनीबुद्धिके भ्रमसे गड़बड़ भालासाप्रतीत होताहै इससे कि उसएकही परिनियमित मर्यादाको कोईतौ सुरीति से आचरणकरतेहैं और कुछलोग कुरीतिसे-तहांपर अच्छेसत्पुरुषोंकी सुरीतिको प्रमाणमानिकर आपभी अंगीकारकरै इसका एकसंभूत और संदृष्टदृष्टांतहै-जैसे-प्रातः क्रियामध्येशौचविधिमें दिशाजानेकी केवल एकही मर्यादा शास्त्रमें लिखीहैकि पहले जंगलजाकर उत्सर्गकर्मसेनिपटै फिरपीछे मुखमंजनदंतधावनकरै और इसीएकमर्यादा के वर्त्तावामध्ये कुरीतिऔरसुरीतिवालेदोनोंभाँतिकेलोगयद्यपि थोड़ेबहुत सर्वत्रहोतेहैं परन्तु-विशेषतरएक अच्छावातुर्वर्ण्योषित शहरजो यहांसे पश्चिमोत्तरकोणमें समीप-

हीबसताहै वहांके निवासीबड़े धनाढ्य और गुणवान् और कुलवानोंकी भी यहरीति है कि सारेनगरके पुरुष और स्त्रियां भी बालकसे बूढ़े पर्यंत शहरके बाहरशौचको जातेहैं घरोंमेंशौचस्थान नहीं बनाते यहकहते हैं कि हिन्दूको घरमें मलीनता करना अनुचितहै बहुधारातिबिरातिकी आवश्यकताकेलिये जो किसीने बनारखाहै सो भी घरकेअन्दरनहीं किंतुबाहरड्योढीके आगे चबूतरापर पत्थरआदिखड़ेकरवालिये हैं परंतुजातेवेभी बाहरहैं-और सफ़ाईके धर्मकानूनसे सरकारी रक्षकछूटे रहतेहैं इस हेतुसे बहुधादूरजाने पड़ताहै-इससेशीतकालमें चिल्लाजाड़ेकेमारे दिनके दशग्यारह बजेतक शौचकोजातेहैं तबखेतों और कूपोंपरपर्वसीपड़तीहैं- एकदिनकासंयोगहै कि एक विदेशी विद्वान् विज्ञानी दो घटिकादिन चढ़ेपरकूपके समीपबैठिकर मुखमंजन करनेलगा उसको वहांकेलोगोंने देखकर टोका कि आपऐसे ज्ञानीहोकर ऐसाअनुचितकरतेहौ कि अभी आपशौचकोगये नहीं और कुल्लाकरनेलगे- उसमहात्माने उत्तरदिया कि हम एकाहारीरहतेहैं इससेशौचतौ दोचारघटिकादिनचढ़े आवेगा तब तकवासी मुखकैसेबैठेरहें मुखमंजन तौदोघड़ीके तड़के हमकरचुकतेहैं तबयहांशौचको आतेहैं आजनिद्राने दिनचढ़ेआँखखोली सो हमसीधे यहांचलेआये और कुल्लाकिया तब तुमनेजाना किन्तु हम पूंछतेहैं कि जबशौचको जायेंगे तब क्या फिरकुल्लानहीं करेंगे और मुखमंजन तौ चित्तकी शुद्धि और प्रसन्नताका हेतुहै जो मुखमंजन विना हमशौचकोचलेजाते तो चित्तकीमलीनता और अप्रसन्नतासे प्रथम तौ उत्सर्गभी भलीभांति नहींहोता और बारम्बार मलीन मुखसे थूकनापड़तातौ वहवात क्याअच्छीथी-इतना निर्णयसाथ समुभानेपर भी वहसबलोग एक मुखहोकर उस विदेशी विज्ञानीकोही उलटेकायल करनेलगे और तालीपीटकरबोले कि वाह २ पण्डितजी आपभलेज्ञानी मिले हमारेयहां यहरीति नहीं है कि उत्सर्गसे पहले कुल्लादांतौनिकरे परंतु आपभलेपढ़ेहौ कहौकौनसे शास्त्रमेंलिखाहैकि जंगलपीछेजाना और मुखपहलेधोना-तब उनमहात्माने फेर उनकुविचारियोंको समुभाया कि हांठीकहै शास्त्रमें वहीवातहै कि जो तुमकहतेहौ परंतु किसकेलिये कि जिसेउठतेके साथही शौचवाधाका तीव्रवेग वेदनासहितहोआवे और वहतत्कालचलाजाय- और जिसको उठेपीछे आधी घड़ीकाभी विलंब होजानेकी संभावनाहो तिसको यह उचितहै कि तत्कालखट्टा सेउठतेही चाहैतैसा शीतहोपर आधेकपालताई सब छिद्रोंसहित मुखमंजनकरे और मूत्रेन्द्रियकोभी प्रक्षालनकरे तब पीछे किसीसे वार्त्तालापकरे क्योंकि जो पहले किमी से बोलेगा तो वासीमुखमेंसे मलीनलार जो छूटगी सो घूटनीपरेगी-इस्से यह जानो कि शास्त्रजोहै सो बुद्धिवोध्यहोते हैं क्योंकि शास्त्रों में प्रत्येकशिक्षाकी समस्या मात्र लिखीहोतीहै इसीसे शास्त्रोंमें बुद्धिकाविचारतौ सारहै और विचारविना शास्त्रका अ-

धरभी अपारहै-इतनानिर्णय साथसमुझाने परभी उन कुविचारियोंने तानादिया कि जो सब लोग तुमसेही ज्ञानीहोजावें तौ शीघ्रही सबशास्त्र उलटे होजावें हम तुम्हारी इस कपोलकल्पनाका प्रमाण नहीं मानते और तुम्हारे कहनेपरभी शास्त्रसे विरुद्धभी नहीं करसक्ते हैं यह तुम्हाराज्ञान तुम्हींको फलदायकहो-तब उनमहात्मानेकहा कि तुमलोगनकी यहशास्त्रबुद्धिहीब्यर्थहै क्योंकि जब दशग्यारहवजेताई तुमलोग यहां शौचको आतेहौ तभी मुखमंजनकरतेहौ तौ निश्चितहूआ कि क्या यहशास्त्रबुद्धि जिसे एक तौ उदरमें मलकाबोभ्रदाबेहुये घर या दूकानपर बैठेरहते हौ दूसरे वासीमुख भी नहीं धोतेहौ तीसरे जो ऐसेही तुमशास्त्रपर आरूढ़हौ तौ शास्त्रमें शौचजाना भी प्रातःकालकहा है सो क्यों नहीं करते हौ चौथे तुमलोगों ने जो निजदरवाजे आगे शौचस्थान बनाये हैं यह भी शास्त्रसे अनुचित है क्योंकि पितर तौ रोजरोज और देवता पर्वोंके दिन आनिकर गृहस्थीके दरवाजेपर विश्राम इसहेतुसे करतेहैं कि न जाने आजकुछ हमारे नामका इसघरमें होताहो सो वह उसदुर्गंधिको देखकर उलटे फिरजातेहैं इसके सिवाय संसारीमनुष्य जो अपनेइष्टमित्र किसीआवश्यकतासेआते या जोकोई उसमार्गमें जातेआते हैं वैसब नाक सकेड़कर थूकते और दुर्नामता देते जातेहैं ईस्से मार्गनिर्मलता धर्मजो प्राचीन और सनातनहै उसकीमर्यादाअनुसार शौचस्थान का बनानाभी घरके किसीऐसे कोणमें उचितहोता है कि जहां किसीकी दृष्टिनहीं पहुंचे-इतनावाद विवादहूआ परउन कुविचारियों से अपनीकुटेव अवतक नहीं छोड़ीगई- हेजिज्ञासो अब उसवातके सिद्धांतपर दृष्टिधरनी चाहिये कि यद्यपि वह एकहीरीति शास्त्रमेंलिखीहै परन्तु आत्माजो मन बुद्धि चित्त अहंकाररूप चतुष्टय तिसकाप्रिय ( प्रसन्नता ) सोउस लिखीहुई रीतिसे न होसकी तबउन महात्माने अपने विचारके अनुसार उत्सर्गसे पहलेही मुखमंजन नियतकिया और यथार्थमें यही धर्मका लक्षणहै-और उन उक्तलोगोंकी शास्त्रबुद्धि यद्यपि शास्त्रोक्त है परन्तुधर्मके लक्षणमें गिनती न रही अर्थात् अधर्म औरमलीनता निश्चितहोगईक्योंकि उन्होंने शास्त्रोक्त आचारका विचार करना नहींजाना-अबउस ऊपरलीवात को शौचों कि वे महात्मातौ अच्छेलोगोंकी गिनतीमें हैं १ औरवेलोग कुविचारी हैं २ इनदोनोंमें से जिस किसीका आचरण-तीसरे ज्ञानवान् जिज्ञासुओं को अपने आत्माके बीच प्रियमालूम हो तिसके आचरणको आपभी सीखें\*धर्मकीमूल पहिंचाननेके और भी उपलक्षण ग्रंथांतरमेंलिखेहैं-यथा(अद्रोहश्चाप्यलोभश्चदमोभूतदयातपः । ब्रह्मचर्यं ततःसत्यमनुक्रोशःक्षमाधृतिः) अर्थात्-एकतौ १ अद्रोह किंतु किसीका द्रोहनहींकरना २ अलोभ किंतु अपने परिश्रमके यथोचित फलके सिवाय दृथालोभका न करना ३ दम किंतु बाहरली इंद्रियोंकी चंचलताका रोकना ४ भूतदया ५ तप ६ ब्रह्मचर्य ७

सत्य ऽ अनुक्रोश अर्थात् किसीकी मूर्खताया पीड़ा या अप्रतिष्ठा आदिको देखसुनि कर अपने चित्तमें क्लेश मानकर दयापूर्वक जोकुछ मुखसेकहे या मनमें विचारकरै सो अनुक्रोश कहाताहै ९ क्षमाकिंतु दूसरेकी प्रबलता या कुवाक्यों को अपनी सामर्थ्यके होनेपरभी सहलेना १० धृति अर्थात् धीरज संतोष ये भी दशलक्षण सनातन धर्मकी मूल कहलाते हैं-सो ये दशोंलक्षण मनुष्यको मिलने बड़े दुर्लभहोते हैं किंतु इनका साधनकरना बड़ा कठिनहै और जिस मनुष्यमें ये सब लक्षण पायेजायँ उसे यहजानो कि यहसाक्षात् आपही धर्मकीमूर्ति है ७ ॥

इज्याचारदमहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयन्तुपरमोधर्मोद्योगेनात्मदर्शनम् ८ ॥

अक्ष०—पूजा आचार दम अहिंसा दान स्वाध्याय कर्मोंका परमधर्म यही है कि जिसके योगसे आत्मदर्शनहो ८ ॥

अभि०—ऊपरलिखेहुये पूजाआदि अनेककर्मोंका परमधर्मसिद्धांतरूप केवल इतनाही है कि जिसके करनेसे आत्माका दर्शनहोसकै अर्थात् आत्माशब्दके यद्यपि अनेक अर्थहैं परन्तु यहां उनमेंसे एकमुख्यहै किंतु आत्माशुद्ध निर्मल ज्ञानको कहते हैं सो ऐसाशुद्ध और निर्मलज्ञान जिसकामके साधन करनेसे मिलसकै वस वही काम परमधर्म रूपहोता है फिर उसमें कुछ देशादिक लक्षण जो बहुधा ऊपर कहेगये हैं उनका नियम नहीं होता क्योंकि वे सबवातें उपकरणमात्रहैं जैसे कूप खोदने और उसमेंसे जलकीप्रवृत्ति करनेके भ्राम, टोकरा, खंता, पंप, फाउड़ा, रस्सी आदि अनेक उपकरणहोते हैं सो उनकानियम और आवश्यकता भी तभीतक रहतीहै कि जबतक उसमें जलकाभरना सोत अच्छीतरह जारीनहीं होता ८ ॥

अधि०—अर्थात् धर्मके नानाप्रकारके चिह्न लक्षण देश जाति आदिभेदोंसे जो वारम्बार वर्णन कियेजाते हैं सो इसलिये हैं कि धर्मजिज्ञासु की बुद्धि उनमें सबओरको फैले और फैलनेपीछे सबओरसे डकट्टीहोकर निर्मलज्ञानका विम्बरूपी होकर हृदय में प्रकाश करनेलगे ८ ॥

चत्वारोवेदधर्मज्ञाःपर्षत्त्रैविद्यमेववा । सावृतेयंसधर्मःस्यादेकोवाध्यात्मवित्तमः ९ ॥

अक्ष०—वेद-धर्म-के जाननेवाले चारयह पर्षत् अथवा त्रैविद्यसमूह यहपर्षत् होती है यहपर्षत् जिसवातको कहेहै या अध्यात्मवित्तमपुरुष एकही जोकुछ कहेहै वहीधर्म होताहै ९ ॥

अभि०—यहवात कि चार ब्राह्मण वेद और धर्मशास्त्र के जाननेवाले एकत्रवेदों उसको पर्षत् किंतु सभाकहतेहैं- अथवा त्रैविद्य जोतीन विद्याओंको जाने और धर्म-शास्त्रभी जानतेहैं ऐसे मनुष्योंका समूह यहभी सभाहोती है तीनविद्या अर्थात् शि-

क्षाशास्त्र १ राजनीति शास्त्र २ आन्वीक्षिकी जिसे तर्कशास्त्र कहते हैं ३ अथवा ये तीनविद्या कि प्रथम अपनेकुल जातिकी समस्तविद्या १ दूसरी वर्तमान समयके राजाकी सारी विद्यायें २ तीसरी उसदेशकी विद्याकि जहांकी किसी वार्त्ताका निर्णय या जिसदेशके मनुष्यका कोई निर्णयकरना हो ३ यह ऊपर कहीहुई दोनोंप्रकार की पर्वत्त जो कुछ निर्णयकरके कहैं वहीधर्म कहलाता है-और वहभीधर्महै किजोएकही पुरुष अध्यात्मविद्या जाननेवालोंमें बड़ा चतुरहो और धर्मशास्त्रको जानताहो वह अपने मुखसे विचारकर कहै ६ ॥

अधि०- निर्णयकरके औरविचारकर मुखसे कहनेका यह सिद्धांतहैकि धर्म केवल वहीनहीं है किजो धर्मशास्त्रोंके कानूनमें लिखाहोताहै अर्थात् कोईवार्त्ता या किसी पद या मुकद्दमेका ऐसा विचारकरनेको आनिपड़ै कि जिसकाचिह्नभी शास्त्रोंमें न पाया जाय तब उसवार्त्ता या पदका वही धर्महै जो ऊपरली पर्वत्तकहैं किंतु इस आग्रह से उसका त्याग वा उपेक्षा उचितनहींहै कि धर्मशास्त्र में तौकुछ लिखा नहीं अब हमक्या करें-और वेद वा धर्मके जाननेवाले ब्राह्मण यह एक उपलक्षण है अर्थात् वैसे विद्यावान् ब्राह्मणोंके अभावमें और प्रकारके ब्राह्मणभी ग्राह्यहैं-ब्राह्मणोंके अभावमें अन्यवर्णभी ग्राह्यहैं-देश जाति कालके अनुसार सर्वत्र सबको अपनी योग्यताके अनुसार धर्म निरूपण करने का अधिकार होताहै सोई अनंतरोक्त आठवें श्लोक में कहचुके हैं ६ ( इत्युपोद्घातप्रकरणम् ) इन ६ श्लोकोंमेंसारेशास्त्रकासिद्धांतरूप आशयकथन करके अब आगेवर्ण आदिकोंके धर्मकहनेके लियेवर्ण विनिश्चय ॥

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रावर्णास्त्वाद्यास्त्रयोद्विजाः । निपेकाद्याःश्मशानांतास्तेपावैमंत्रतःक्रियाः १० ॥

अक्ष०-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र येवर्णहैं इनमें पहले तीनों द्विजकहातेहैं उनतीनों के गर्भाधानसे लेकर श्मशान ताईकी सारीक्रियायें वेदमंत्रों से होती हैं किंतु शूद्रकी वेदमंत्रोंके बिना १० ॥

अवनीचेइनकी सक्रियाओंकी संख्या और अनुक्रम कहतेहैं ॥

गर्भाधानमृतौपुंसःसवनंस्पंदनात्पुरा । पष्ठेऽष्टमेवासीमंतोमास्येतेजातकर्मच ११ ॥

अक्ष०-ऋतुकालमेंगर्भाधान-गर्भचलनेसेपहलेपुंसवन-छठे वा आठवेंमासमेंसीमंत-गर्भमेंसेनिकल जानेपर जातकर्मकरै ११ ॥

अभि०-द्विजातीलोंकासबसेपहला कर्म गर्भाधान होताहै सो स्त्रियोंका ऋतुकाल जोप्रसिद्धहै और उसकीनियमविधि आगे इसीशास्त्रमें कहेंगे उसनियमके भीतर २वेद मंत्रोंकी विधिक्रियासे गर्भधारणकरें १-इसपीछे दूसराकर्म पुंसवन नामहोताहै उसको उससमयसे पहले करलेनाचाहिये कि जबउदरमें गर्भफरकने लगताहै २-तीसराकर्म सीमंत और उन्नयनभी उसीकेसाथ होताहै सो ये दोनों गर्भधारण समयसे छठे और



आठवें मासमेंकरै ३-चौथाजातकर्मजो नालछेदनआदिक्रियाकहाती हैं सोबालकपैदा होनेपर करै ४ । ११ ॥

अधि० (सकृत्सुसंस्कृतानारीसर्वगर्भेषुसंस्कृता) इसदेवलऋषिकेवाक्यका यह अर्थी- शहै कि सीमंत और उन्नयन येदोकर्म यद्यपि प्रत्येकगर्भ में करनेउचितहैं परंतु एक वार सबसेपहलेगर्भमेंतौ अवश्यहीकरनाचाहिये-इसलिये उन्होंने इसअध्यामं यहक- हाहै कि-जो स्त्रीएकवारअच्छीरीतिसे संस्कारकरीजावै वहसभीगर्भोंमेंसंस्कारवतीवनी रहतीहै-स्त्रीक्षेत्ररूपहै यहदोनोंकर्म खेतकाकमाना और नलावना सींचना आदि सं- स्कारहैं जैसे जिसखेतकीधरतीको किसान एकवारअच्छीतरह कमालेताहै वहधरती फिर सदाको फलदायकवनीरहती है और जो हरसाल उसीतरहकमातारहै तौ और भी अधिकफलती फूलती है ऐसेही स्त्रीका हिसाब है ११ ॥

अहन्येकादशेनामचतुर्थेमासिनिष्क्रमः । पष्ठेऽन्नप्राशनंमासिचूडाकार्यायथाकुलम् १२ ॥

अक्ष०—ग्यारहवें दिवस नामकर्म-चौथे महीना निष्क्रमकर्म-छठेमास अन्नप्राशन- चूडाकर्म अपनेकुलके अनुसारकरै १२ ॥

अभि०—जन्मकेदिनसे ग्यारहवें या वारहवें दिवस नामकरण किंतु दसूठानि दृष्टौन आदि भाषामें प्रासिद्धहै जिसदिन बालककानाम धराजाताहै सो वह नाम दादा या नाना या कुलदेवता या गुरुकुलकी संप्रदायसे संबद्धकरकेधरै यह पाँचवां कर्म है ५- चौथेमहीनामें निष्क्रम अर्थात् बालकको बाहरनिकासना और सूर्यकेदर्शन कराना यह छठाकर्महै ६-छठेमहीनामें अन्नप्राशन किंतु बालकको अन्नचटाना यह सातवां कर्महै ७- आठवांकर्म चूडाकहिये मुंडनहै सो जैसी जिसके कुलमें रीतिहो तैसाकरै किंतु किसीके वर्षभीतर होजाताहै किसीके तीसरी में किसीके पाँचवीं या सातवीं में किसीके स्थानभेदसे अमुक तीर्थआदिमें होताहै १२ ॥

एवमेनःशमंयातिबीजगर्भसमुद्भवम् । तूष्णीमेताःक्रियाःस्त्रीणांविवाहस्तुसमंत्रकः १३ ॥

अक्ष०—इसप्रकार बीज और गर्भसे उत्पन्नभया एनस् जोपापहै सो नाशको पहुँ- चताहै-इतनी क्रियायें स्त्रियोंकी चुपके होतीहैं और विवाह उनकाभी मंत्रोंसे १३ ॥

अभि०—इसप्रकारकहिये पूर्वोक्तरीतिसे गर्भाधानआदि संस्कारकर्मोंके करनेसे यह फलहोताहै कि माताके गर्भरक्तमें जो ववासीरआदि रोगरूपीपाप या पिताके बीजमें कोई कुष्ठआदि रोगरूपीपापहो सोनाशहोजाताहै अर्थात् वर्षसंकरत्वआदि पापनहीं नाशहोतेहैं किंतु केवल रोगमात्र जो पीछे पुत्रकेभीशरीरमें होजातेहैं-यह इतनीपूर्वा- क्तक्रियायें स्त्रियोंकीभी अर्थात् कन्याकीभी होतीहैं परंतु मंत्रोंके विनाही चुपचाप हु- आकरती हैं ऐसेही शूद्रोंकीभी चुपचाप परंतु द्विजातीकी स्त्रियोंकाविवाह मंत्रोंसेही होताहै और शूद्रकाविवाहभी मंत्रों विना १३ ॥

अब नीचे ब्रह्मचारीके नियम कहनेकेलिये जनेऊका प्रारंभकरते हैं ॥

गर्भाष्टमेऽष्टमेवाब्देब्राह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादशसैकेविशामेकेयथाकुलम् १४ ॥

अक्ष०—गर्भसे आठवें अथवा जन्मसे आठवेंवर्षमें ब्राह्मणका उपनयनहो क्षत्रियों का ग्यारहवें में बैश्योंका बारहवें मेंहो और एक यहकहतेहैं कि अपने २ कुल आम्नायके अनुसार हो १४ ॥

अभि०—एक यहकहते हैं अर्थात् थोड़ेसेआचार्य ऐसाकहते हैं कि कुलरीतिके अनुसारहो परंतु यह वाक्यनिर्मूलहै क्योंकि थोड़ेआँका कहना प्रमाणमेंनहीं आता है और गर्भ अथवा जन्मसे जो अवधिहै वह तीनोंवर्षमें लगतीहै और दोनों अवधिमेंसे जिसएकके अनुसार बनसक्ताहो या जो कोईसी एक अपनेमनभावे उस्से करे १४-सो यह उपनयन कहिये यज्ञोपवीत कर्म नववां है १४ ॥

उपनीयगुरुःशिष्यमहाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनंशौचाचारांश्चशिक्षयेत् १५ ॥

अक्ष०—यज्ञोपवीतकरिके उस शिष्यको अपनेपासरखकर गुरुसातमहाव्याहृतियों सहित वेदपढ़ावै और शौचके आचारभी सिखावै १५ ॥

अबनीचे शौचके आचारोंको कहते हैं ॥

दिवासंध्यासुकर्णस्थब्रह्मसूत्रउदङ्मुखः । कुर्च्यान्मूत्रपुरीषेचरात्रौचेदक्षिणामुखः १६ ॥

अक्ष०—दिनमें दोनोंसंध्याओंमें कानपरधरेहुये ब्रह्मसूत्रको उत्तरमुख बैठेहो और पुरीष इनदोनोंको करै-जो रात्रिमेंकरै तो दक्षिणमुख बैठके करै १६ ॥

अभि०—किंतु शंका या लघुशंका करनाचाहै तो दाहिनेकानपर जनेऊरखकर जो दिनहो या साँभ सवेरेका संध्याकालहो तो उत्तरमुख और रात्रिसमय होय तो दक्षिणमुखबैठे और मार्गआदि तथा राख आदि स्थानोंको छोड़कर बैठे १६ ॥

गृहीतशिश्नश्चोत्थायमृद्भिरभ्युद्धृतैर्जलैः गंधलेपक्षयकरंशौचंकुर्च्यादतन्द्रितः १७ ॥

अक्ष०—फिरइन्द्रियथांभकर उठिके भरेधरेहुये जलोंसे निरालसीहोकर गन्धि और लेपकाक्षयकरनेवालाशौचकरै १७ ॥

अभि०—इंद्रियथांभकर उठना इसलिये है कि बिनाथांभे मूत्रकीछिटकारोंसे जंघा आदिअशुद्ध होजायँगी-और उठना इसलियेकहाहै कि उसीजगह विष्टाकेऊपर जल को नहींलेवै यहभी बड़ामैलापनहै मक्खियोंके उड़ने भिनभिनाने और जलके छीटे मलकेऊपरसे उछलआने आदि कारणोंसे-भरेहुये जलसे इसलिये कहाहै कि नदी आदि बहते जलमें शौच न करै क्योंकि उसमेंसब लोगस्नान और पानभी करतेहैं और यहभी कि जल वरुणात्माहै और पंचमहातत्त्वोंमेंगिनतीहै इससेबड़ादोषहै कदाचित्कोई यहकुतर्कणाकरे कि लोटामेंभी वहीवरुणात्मा जलहै तहांयह बातहै कि इसी कारण से शौचकेजलको पहले जुठारलेते हैं तबलेजातेहैं-गंधलेप काक्षय करनवाना

यह बात कि यहां तक निरालसी होकर शौचकरै कि दुर्गंधि अथवा लेप शेषनहीं रहै १७

अभि०— शौचलिये पीछे उस बामे हाथसे लोटाको भी नहीं छूवै और अधोवतीको भी नहीं छूवै किंतु ऐसी बुद्धिमानी और चतुराईसे कामसाधै कि दाहने हाथ से पहले कांछ लगा कर पीछे उसीसे लोटा को उठाले और बामे हाथको सबसे दूर किये हुये उठ आवै इसीलिये शौचके स्थान में कोई भिलमिला बस्त्र ओढ़ने या पहरनेका नहीं ले जावै जो एक हाथके बशमें नहीं आसकै १७ ॥

अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मणतीर्थे न द्विजो नित्यमुपस्पृशेत् १८ ॥

अक्ष०—अंतर्जानु होकर शुचिदेश में उत्तर वा पूर्वमुख बैठकर ब्राह्मणनाम तीर्थ से द्विजाती पुरुष नित्य आचमन करै १८ ॥

अभि०—अंतर्जानु अर्थात् दोनों घुंटे के बीचमें हाथोंको करले-शुचिदेशमें अर्थात् पवित्रभूमिपर किंतु जहां थूक खंखार आदि कुञ्चनहो और इसी उपलक्षण से जूता या खाट पीढ़ी आदिसे भी अलग बैठकर द्विजाती कहिये ब्राह्मण आदि तीनों वर्णका मनुष्य प्रतिदिन पूर्व या उत्तरमुख बैठके आचमन करै सो कैसे करै कि ब्राह्मणतीर्थ जो अँगूठाके पास हथेलीका स्थानहै तिसपर जलधरके तीन बार आचमन ले १८ ॥

अब नीचे तीर्थोंके नाम और स्थानचिह्न भी लिखते हैं ॥

कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीर्था न्यनुक्रमात् १९ ॥

अक्ष०—कनिष्ठा १ आदेशिनी २ अँगूठाका मूल ३ हथेलीका आगा ४ ये क्रमसे चारों तीर्थ प्रजापति १ पितृ २ ब्रह्म ३ देवतीर्थ ४ कहाते हैं १९ ॥

अभि०—ये चारों तीर्थ हाथकी हथेलीमें ही इसभेदसे होते हैं कि कनिष्ठा सबसे छोटी उँगली तिसकी जड़के निकट हथेलीपर प्रजापति नाम तीर्थ १ इसी प्रजापति तीर्थको ऋषि तीर्थ भी ग्रंथांतरमें इसीको मनुष्य तीर्थ या नृतीर्थ भी कहते हैं इसीसे ऋषियोंका तर्पण किया जाता है १-आदेशिनी तर्जनी किन्तु अँगूठाके समीपकी उँगली तिसकी मूलके निकट हथेलीपर पितृ तीर्थ कहाता है इसीसे पितरोंको जल दिया जाता है २-अँगूठाकी जड़के निकट हथेलीपर ब्रह्म तीर्थ होता है यह आचमनका स्थान है इसी जगह जलधरके आचमन करना अनंतरोक्त १८ के श्लोक में कह चुके हैं ३-हाथका अग्रभाग अर्थात् उँगलियोंकी जड़के निकट हथेलीपर देव तीर्थ कहाता है इसीसे देव तर्पण किया जाता है १९ ॥

त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत् । अद्रिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हानाभिः फेनबुलबुलैः २० ॥

अक्ष०—तीन बार जल प्राशन करिके दो बार पोंछकर फेन बुलबुलाओंसे रहित ऐसे प्रकृतिस्थ जलों से छिद्रोंको जलका स्पर्श करे २० ॥

अभि०—अठारहके श्लोकमें जो आचमन करना लिखा था उसकी विधिकहते हैं कि

ब्रह्मतीर्थ में धराहुआ जलतीनवार पीकर फिर अँगूठाके मूलभागकी गुद्दीसे दोवार मुखको पोंछकर-ऊपरलीकायाके नाक कान आदि छिद्रोंको जलस्पर्शकरै-ये जलभी कैसेहों कि प्रकृतिस्थहों किन्तु जैसे तालाब नदी आदिमें स्वयंभूतहोतेहैं और फेना या बुलबुला आदि विकारोंसे विगड़ेहुये नहीं निर्मलहों-अर्थात् कोई अमीर अपनी अमीरीसे यह चाहै कि गुलाब आदिके खींचेहुये जलोंसे आचमन या संध्यावन्दनकरलें क्योंकि वेभी जलहैं और बड़ेकीमती हैं सो नहीं प्रकृतिस्थ जलसे करै २० ॥

हृत्कंठतालुगामिस्तुयथासंख्यं द्विजातयः । शुद्धयेरन्स्त्रीचशूद्रश्चसकृत्स्पृष्टाभिरंततः २१ ॥

अक्ष०—हृदयकंठ तालुमें पहुँचेहुये जलोंसे यथोक्त संख्याके क्रमसे द्विजातीलोग शुद्ध होवें-स्त्री-शूद्र ये भी एकवार तालुमें पहुँचेहुये जलसे शुद्धहोवें २१ ॥

अभि०—यथासंख्य कहिये ब्राह्मण तौ हृदयतक पहुँचेहुये जलसे और क्षत्रियकंठ तक पहुँचेहुये से और वैश्य तालुताई पहुँचेहुये जलसे शुद्धहोताहै-ऐसेही स्त्री और शूद्र यह तालुतक पहुँचेहुये जलसे शुद्धहोतेहैं परंतु एकहीवार पीनेसे और इनके लिये कुछ तीर्थकाभी नियम नहींहै कि कौनसे तीर्थमें धरके पीवें-ऊपरकहेहुये द्विजातियोंको तीनवार आचमन और ब्रह्मतीर्थका नियमहै- और जो नियम इसमें स्त्री और शूद्रका लिखाहै वही द्विजातीके विना जनेऊवालेलड़के का है २१ ॥

स्नानमब्दैवतैर्मंत्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः २२ ॥

अक्ष०—स्नान वरुणके मंत्रोंसे मार्जन प्राणायाम सूर्यके सन्मुख उपस्थान गायत्रीका जप- ये सब बातें जैसी संध्याकी पुस्तकमें लिखी हैं उसीरीतिसे द्विजातीलोग प्रतिदिन कियाकरै २२ ॥

गायत्रीशिरसासाद्धं जपेद्दद्यात्कृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः २३ ॥

अक्ष०—ऊपरकहीहुई गायत्रीको ( आपोज्योतिः ) इत्यादि शिरसेकरके सहित मान व्याहृतियों पूर्वक प्रत्येक व्याहृतिमें प्रणव लगीहुईको-तीनवार मनमें जपे इसरीति से कि मुखनाकमें निकलनेवाली वायुको रोककर सो यह प्राणायाम कहाताहै- इसकी विधि संध्यामें विस्तारसे कहीहै २३ ॥

प्राणानायम्यसंप्रोक्ष्य त्र्युचेनाब्दैवतेन तु । जपन्नासीत्सवित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् २४ ॥

संध्यां प्राक् प्रातरेवं हितिष्ठेदासूर्यदर्शनात् । अग्नि कार्यततः कुर्यात्संध्ययोरुभयोरपि २५ ॥

अक्ष०—पूर्वोक्त ऋचाके तीथा से पूर्वोक्तरीतिपर प्राणायाम करके और वरुण देवकी ऋचा किंतु मार्जनके मंत्रसे शरीरको छीटादेकर प्रातःकाल ताराओंकी उदयस्थितिसे पहले २ अर्थात् जबतक ताराअम्ल न होनेपावें गायत्रीको जपताहुआ सूर्यके उदयताई पूर्वमुखखड़ाहो अथवा बैठे तिसपीछे अग्नि कार्य अर्थात् अग्निहोत्रादि करै-येनारी बातें जैसी एक संध्याकी कही ऐसेही दोनों संध्याकालमें करै २४ । २५ ॥

अधि-संध्याविधिकी पुस्तकमें यद्यपि संध्याकरनेका प्रचार मध्याह्नकाभी लिखाहै परन्तु यह धर्मशास्त्रकावाक्य सबकेऊपर प्रमाणहोताहै क्योंकि धर्मशास्त्र जिसवातकी आज्ञादेताहै वहवातचाहै दूसरेविषयमेंनहींभीहो तौ भी कर्त्तव्यहोतीहै और जोवात धर्मशास्त्रमें पाईनहींजावै और किसीद्वितीय विषयमें कहीहो तौभी निर्मूलसीहोती है अर्थात् धर्मशास्त्रमें संध्याबंदन दोहीकालका आवश्यकहै-परन्तु यहवात सत्य है कि (अधिकस्यअधिकंफलम्) किंतु पुण्यकर्मका अधिककरनाभी कुछ दोष नहींहै-तथापि गृहस्थीको उतनाही नियमलेनाचाहिये जितनाआवश्यकहो और सुखसाध्यहो जिस्से उसकी कोईसी जीविका आदिकामोंकी हानि नहींहोनेपावै क्योंकि जीविकाआदिका-मोंकी हानिसे पीछेसबधर्मकीहानि होसक्तीहै क्योंकि धनके बिना कोईसाभी धर्मनहीं सधिसक्ताहै-ऐसाधर्म भी अधर्मकी गिनती में होजाता कि जिसएकहीकाम के व्यसन से अनेककामोंकीहानि होजाय-इसीलिये धर्मशास्त्रउतनीही आज्ञादेताहै कि जिस्सेम-नुष्यकाकल्याणहो-धर्मशास्त्र संसारकेकल्याणकेही लियेहोताहै-और (अधिकस्यअधि-कंफलम्) इसवातका यह सिद्धांतहै कि जोसत्कर्मजिसमनुष्यसेसधिसकनेयोग्यहो वह जो कुछ अधिककरैतौ अधिकफलकाभागीहो अर्थात्तपसंबंधी सत्कर्मकोवानप्रस्थ और नैष्ठिकब्रह्मचारीनियमसेभी अधिकसाधै तौ अच्छीवातहै नैष्ठिकब्रह्मचारीकीचर्चा आगे ४६ केश्लोकमें आवैगी-और ४६ केपहिले अनेकश्लोकोंमें साधारणब्रह्मचारी के नियम लिखे हैं उसकोभी नियमसे सिवायकरना नहीं चाहिये क्योंकि वहसाधारण ब्रह्मचर्य्य केवल विद्यासंग्रहका हेतुहै फिर विद्यासंग्रहकरनेवाला नियमोंसेभी अधिक तपकरनाचाहैगा तौ विद्यासंग्रहमें हानि होजायगी और विद्याकीहानिसे उसके सारे जन्मकी हानिहै-और गृहस्थीको उनकामों में अधिकताका अधिक फल होताहै कि जिस्से उसके सौख्य और सुकीर्तिकी वृद्धिहो-और तपसंबंधी नियमों में अधिकता जो गृहस्थीको करनी भी उचितहै जो उसकी यह रीति है कि जिस घरके दशपांच पुरुषोंमें मुखिया एक बड़ाबूढ़ाहै कि उसको धनोपार्जनकी चिंतानहीं है वह घरबैठे हुये चाहै तितनो अधिक नियम साधो जैसे त्रैकालिक संध्या एक दृष्टांतहै और जो युवानहैं वे धन उपार्जनकरैं और बालक विद्योपार्जनकरैं और सबके सबछोटे बड़े उ-स मुखिया बड़ेबूढ़ेकी आज्ञामें तत्पर रहिकर घरके पालन योग्यधन उसके आगे लाकर धरैं और वह बड़ाबूढ़ा भी उनसबोंकी यथोचितरक्षा और पालनमें तत्पर बनारहकर अपने नियम और धर्मको साधै तौ उस एकहीके पुण्य प्रभावसे सारे कु-टुम्बको पुण्यफल पहुँचताहै और किसी भाँतिके कल्याणमें हानि नहींपड़तीहै जैसे वृक्षकी केवल एकमूलमें पानीभरदेने से सारे वृक्षकी चोटीताई ठंडकपहुँचकर फल, फूल, शाखा, पत्रोंआदिसे अमित संपन्नताहोतीहै-जो कदाचित् वृक्षकी जड़को छोड़

पल्लव सींचे जायँ तौ उस वृक्षकी संपत्तिमें हानि पड़जाय-ऐसीही कुल वृक्षकी व्यवस्था है २५ ॥

ततोभिवादयेद्बृहानसावहमितिब्रुवन् २६ ॥

अक्ष०—तिसपीछे बड़ोंको यह कहताहुआ अभिवादनकरै कि यह अमुकनामा मैं हूँ २६

अभि०—तिसपीछे अर्थात् सवेरे साँभ दोनों संध्याओंके पूर्वोक्त नित्यकर्मोंसे निपटे पीछे जुदी जुदी दोनों बेलामें पिता, माता, गुरु आदि बड़ेबूढ़ोंके सन्मुख जाकर अभिवादनकरै अर्थात् यह कहताहुआ कि यह मैं फलानाहूँ प्रणामकरताहूँ २६ ॥

अधि०—मैं फलानाहूँ इस प्रकार नामसुनादेनेका यह हेतुहै कि अँधेराहो या ओट हो या उन बड़ेबूढ़ोंकी मंददृष्टिहो जिस्से वे अपनेको न चीन्हें और न चीन्हनेसे किसी और के धोखेमें या उनकी क्रोध प्रकृतिके कारणसे न जानिये उनके मुखसे क्या कृपाक्य निकलजावे तौ अशीशके बदलेमें शापहोजावै-दूसरा यह हेतुहै कि वे बड़े बूढ़ जिसस्थानमें विद्यमानहैं एकांतमें जाने किसदशामें बैठेहैं या किस्से बातचीत कररहें तौ जहाँ अपनेको पुकारे बिना चलाजाना उचितनहीं है इस्से नाम कहदेनेमें वे उचितसमुझेंगे तौ पास बुलावेंगे या वहींसे अशीशकहेंगे या कुछ और उत्तरदेवेंगे २६ ॥

गुरुंचैवाप्युपासीतस्वाध्यायार्थसमाहितः । आहूतश्चाप्यधीयीतलब्धंतस्मैनिवेदयेत् ॥ हितं तस्या-

चरेन्नित्यं मनोवाक्कायकर्मभिः २७ ॥

अक्ष०—फिर पढ़नेके लिये भी समाहितचित्त होकर गुरुके समीप जावै-और गुरुके मुखसे पुकाराहुआ संधालेवै पहला पढ़ाहुआ गुरुको सुनादेवै और मन वाणी कर्म से उस गुरुकी नित्यही भलाई आचरणकरै २७ ॥

अभि०—समाहितचित्त अर्थात् चंचलता छोड़दे-पुकाराहुआ अर्थात् गुरुपर यही प्रेरणा न करै कि शीघ्र संधादेदो अलगवैठा अपना पाठकरतारहे संधाके लिये बुलानेपर पासजावै-और शुद्धवाणीबोलें किंतु गुरुके सन्मुख जाकर गलेसे हिवकी नहीं लेनेलगे इत्यादि और भी शिष्टाचार अपनी बुद्धिमें जानो २७ ॥

कृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकल्पाननृयकाः । अव्याप्याधर्मतःसाधुगक्तासज्ज्ञानवित्तदाः २८ ॥

अक्ष०—कृतज्ञः अद्रोही मेधावी शुचिः कल्पः अननृयकः साधुः शक्तः आतः शक्तः नदः वित्तदः-इतने लक्षणवाले जो शिष्यहैं वह धर्मके अनुसार पढ़ाने योग्यहैं २८ ॥

अभि०—इन ग्यारह लक्षणोंका यह भावहै कि-कृतज्ञ जो कियेहुये उपकारोंके भूलें १ अद्रोही-दयावान् २ मेधावी बुद्धिमान जो ग्रंथके समझने और वादार्थके समर्थहो ३ शुचि जो भीतरले चित्त और बाहरली क्रिया और आचरणोंमें गुरुके ४ कल्प उसे कहनेहैं जिसका शरीर आधि और व्याधिसे रहितहो ५ अननृयक इ दोषके टाँकले और गुणके प्रकटकरनेका स्वभाव गवताहो किंतु निंदक न हो ६ साधु



जो चाल चलनका अच्छाहो ७ शक्त जो शुश्रूषाकी शक्तिवालाहो ८ आप्त उसे कहतेहैं जो ठीक विश्वासका पात्रहो और विक्षिप्त न हो ९ ज्ञानद जो विद्यापाकर और को पढ़ावै किंतु विद्याको छिपावै नहीं १० वित्तद जो धनदेनेवालाहो ११ ये लक्षण जिनमें सब या आधे पद्वे भी हों ऐसे शिष्य तौ अवश्यही धर्मके अनुसार पढ़ावने योग्यहैं किंतु विद्या सबहीको देनी उचितहै पर इनको तौ अवश्यहीदेना यह भावहै २८ ॥

दंडाजिनोपवीतानिमेखलांचैवधारयेत् । ब्राह्मणेषुचरेद्भैक्ष्यमनिद्येष्वात्मवृत्तये २९ ॥

अक्ष०—दंडअजिन उपवीत मेखला इनको धारणकरै और अनिद्य ब्राह्मणोंमें अपनी वृत्तिकेलिये भिक्षाको आचरणकरै २९ ॥

अभि०—दंडजो मनुस्मृति में तीनोंवर्णके ब्रह्मचारियों के लियेढाकेआदिकाष्ठ के जुदे२ कहेहैं—अजिनकहिये कृष्णमृगझाला आदि-उपवीत कहिये जनेऊ जो तीनोंवर्णका जुदा कपास आदिका कहाहै-मेखला जो मूँज आदिके बनायेहुये कहेहैं ये चीजें जातिलक्षण पहिंचाननेके चिह्नहैं तिनको धारणकरै और शुद्धब्राह्मणोंके घर जाकर भिक्षा अपने आजीवनके लिये माँगै-ब्राह्मणके घरयह उपलक्षणमात्र है किंतु असंभवता में द्विजातीमात्र तीनोंवर्णकी भिक्षालेनी २९ ॥

अधि०—यह ऊपरले कईश्लोकोंसे ब्रह्मचारीका प्रकरण वर्णनकर रहेहैं सो यह ब्रह्मचर्य जनेऊहोने पीछे वालापन सेही धारण कियाजाता है और इसका अभिप्राय केवलविद्या संग्रहकरनाहै अर्थात् ब्रह्मचर्यके नियमोंसे शरीरकी रक्षा करताहुआ और संसारकी मर्यादें शिष्टाचारी आदि सीखताहुआ विद्या संग्रहकरै तब पीछे दशवां संस्कार जो विवाहहै तिसकेहोनेका अधिकार उसकोहोता है इसलिये यह ब्रह्मचर्य का प्रकरण वर्णनकिये पीछे विवाहका प्रकरण कहेंगे-और ब्रह्मचर्य की धारणामें जो भिक्षावृत्तिलिखीहै सोकेवल निर्वाहकी रीतिहै अर्थात् भिक्षाका मांगना यहवात कुछ धर्म संबंधी नहींहै कि भिक्षामांगे विनाधर्म पूरानहींहोता किंतु भिक्षाका मांगना परम निंदितहै-और जो कि यहवात कहतेहैं कि ब्राह्मणका कर्महै सोयहभी कहनावृथाहै यहवात ऐसे मूर्ख कहतेहैं जिन्होंने शास्त्रनहींदेखा है क्योंकि शास्त्रमें ध्यान लगाकर देखोकि भिक्षा ब्रह्मचारीके लियेलिखीहै और ब्रह्मचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनतीनों काही बालकहोताहै और तीनोंका भिक्षा मांगनेकी मर्यादें जुदी२ इस श्लोकमें और इससे नीचेके श्लोकमें विशेष प्रत्यक्षकरके कहाहै सोदेखो-जो यहकर्म ब्राह्मणकी जातिकाहोता तौ तीनोंकेलिये क्योंलिखते-अर्थात् ब्रह्मचारी होनायह उपलक्षण विद्यार्थीकाहै चाहेयह किसीवर्णका विद्यार्थीहो-सोउस विद्यार्थीकाभी भिक्षा कुलधर्मकी गिनतीमें नहींहै कि भिक्षामांगे विना विद्यानहीं पढ़सक्ता अ ऋषियोंने केवल इसनिर्वाहके लिये लिखीथी कि पहलेसमय में विद्याके

थोड़ेथे और दूरदेशों में जानेपर मिलसक्तेथे और विद्यार्थीलोग अनेक वर्षोंतक उनकेपास विदेशमें रहकर विद्या संग्रहकरतेथे और ऐसेमाता पिता धनवान् कुछ सवही नहीं होतेहैं कि उनकेलिये वर्षोंतक घरसे खर्च भेजाकरें और घरके खर्च नमिलनेसे सहस्रोंलड़के विद्यापढ़नेसे रुकजाते केवलवेही लड़केथोड़े बहुतपढ़ते कि जिनकोघरसे खर्चमिलसक्ता इसलिये धर्ममर्यादों के वक्ता मुनीश्वरोंने प्रजाका कल्याण विचारकर धर्मशास्त्रोंमें विद्यार्थीको भिक्षामांगनेकी मर्याद लिखदई क्योंकि लिखीहुई बातपरकोई निंदा नहीं करसक्ता वरन उत्साह देसक्ताहै इसकारणसे विद्यार्थीलोग मांगनेकीलज्जाको छोड़कर द्रव्यके नहोनेपर भिक्षावृत्तिकी सहायतासे पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे इसलिये भिक्षावृत्तिको उनकाधर्म निश्चितकिया कि विद्याकी बढ़वारी बनरीहै-सोई विद्यार्थीके लिये अबतकभी वह परिपाटी बनरहीहै और विद्यार्थीको देने से पुण्यभी बड़ाभारीहै किंतुऐसेविद्यार्थीकोदेना अधिकपुण्यहै किजिसविद्याकेपढ़नेसे पीछेवह विद्यार्थी उसविद्याकेद्वारा सौपचासमनुष्योंका पालनकरसकै चाहैकोईविद्याहो और विद्यार्थीकादेना कुछइसकानामनहींहै किवहलोटा लेकर जबदरवाजे आगेआवे तबचुटुकीभर आटादेदेना अर्थात् जैसीयोग्यताकाविद्यार्थीहो या जैसीयोग्यताअपनी होतैसादेना औरवर्तमान समयकीरीतिके अनुसारदेनेमेंधर्म और पुण्यभी अपरिमित होताहै अर्थात् चुटुकीआदिका देनायेपहले समयकीरीतैथीं अबइसकालमें विद्यार्थी भीऐसे २ प्रतिष्ठितहैं किवे मांगनहींसक्ते परंतुजोदेनेवाले हैं वे विनामांगेही संकष्टों और हजारोंरुपया विद्याकेउपकारमेंदेतेहैं किंतुदेनाकुछयहीनहीं है किउसकेहाथमेंही देवैतव देनाकहावै अर्थात् देनेकेअनेकप्रकारहैं किंतुचाहैं विद्यार्थियोंको प्रसादकीरीति सेदेवै यामासिककीरीतिसेदेवै यापुस्तक और विद्याकेस्थान आदिकीरचनामें लगावे या पढ़ानेवालोंकी पालनाकरै अर्थात् कोईतरहका उपकारजोविद्यासे संबंधरखताहो वह विद्यार्थीकी भिक्षाकहलाती है-इससमय में विद्यार्थियोंके भिक्षासंबंधी उपकारों में जैसाकुछ उद्योग और द्रव्यका उठाना धर्मज्ञ सरकार अंगरेजी गवर्नमेंट और उमके शुभचिंतकलोग करतेहैं सोयह मनातनधर्मकी परमअवधिहै-परंतु शास्त्रोंके सिद्धान्तमें यहकहींनहींपायाजाता कि विद्यापढ़ने पीछेभीगृहस्थीधर्म धारणकरके भिक्षामांगे २६

आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविशांभैक्ष्यचर्यायथाक्रमम् ३० ॥

अक्ष०— आदिमें मध्यमें अंतमें (भवन्) शब्द से उपलक्षित करीहुई भैक्ष्यचर्या यथाक्रमसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यकीहोती है ३० ॥

अनि०—यथाक्रमका यहअभिप्राय है कि जो ब्राह्मणकापुत्र ब्रह्मचारीहो और वह किसीकेघर भिक्षामांगने जायतो (भवन्) शब्दकोआदिमेंहीलगावे अर्थात् इसप्रकारसे कहैकि (भवनिभिक्षादिहि) इम (भवन्) शब्दको आदिमें जोड़नेसे सुननेवालोंनि भटमम

लिया कि यहकोई ब्राह्मणका बालक है-ऐसेही जो क्षत्रियका पुत्र ब्रह्मचारी होतौ मध्यमें लगावै-जैसे (भिक्षांभवति देहि) इस आवाजके सुननेसे जाना गया यहकोई क्षत्रियका बालक है-ऐसेही वैश्यका पुत्र ब्रह्मचारी होतौ अंतमें लगावै-जैसे (भिक्षां देहि भवति) इससे सुनने वाली स्त्रीने भट्ट पहिंचाना कि यहकोई वैश्यका बालक है ३० ॥

अधि०-२६ के श्लोकमें जो दंड अजिन उपवीत मेखला जुदे जुदे सबके जत लाये थे वे तौ आँखोंसे देखकर जाति पहिचाननेके चिह्न थे और इस श्लोकमें जो भवत् शब्द का भेद है सो आँखोंसे बिना देखे भी आवाज ही सुनिकर वर्ण जाति का पहिंचानना है ३० ॥

कृताग्निकार्यो भुंजति वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । अपोशनक्रियापूर्वसत्कृत्यान्नमकुत्सयन् ३१ ॥

अक्ष०-अग्नि कार्य किया हुआ ब्रह्मचारी वाणीको रोके हुये गुरुकी अनुज्ञासे अपोशन क्रियापूर्वक अन्नका सत्कार करके उसकी निन्दा नहीं करता हुआ भोजन करै ३१ ॥

अभि०-पूर्वोक्तविधिसे भिक्षालाकर उसे गुरुको दिखलाकर और आज्ञापानेपर अग्नि कार्य कर चुका हो ऐसा ब्रह्मचारी अन्नकी अपोशनक्रिया अर्थात् (अमृतोपस्तरण मसि) इत्यादि वेद ऋचासे अन्नको सत्कार पूजा देकर उसकी निन्दाको न करता हुआ भोजन करै ३१ ॥

अधि०-गुरुका दिखलाना-कदाचित् गुरुकहीं गया होतौ गुरुकी स्त्री या पुत्र आदि जो घरमें मुख्य हो उसे दिखलाकर और आज्ञालेकर भोजन करै ३१ ॥

ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् ३२ ॥

अक्ष०-ब्रह्मचर्यमें स्थित ब्रह्मचारी बिना आपत्कालके एक अन्नको न भोजन करै-ब्राह्मणचा है श्राद्धमें व्रतको पीड़ा नहीं देता हुआ भोजन करै ३२ ॥

अभि०-अर्थात् किसी एक अन्न इकल्लेका भोजन न करै जैसे केवल चाँवल राँधखाये उनके साथको दाल और घी मीठा कुड़नहीं है-या चर्वण चावलिया इसका यह अभिप्राय है कि इस प्रकारसे ब्रह्मचर्यकी साधनामें भंग होजाता है क्योंकि वैद्यकशास्त्रके मतसे यह विरुद्ध भोजन कहलाता है अर्थात् इसदशामें रोग उत्पन्न होजाता है फिर उसमें ब्रह्मचर्य नहीं बनसकता परन्तु जो कोई विपत्तिकाल आनिपड़ैतौ उसमें लाचारी है एक अन्नसे भी निर्वाह करले-और जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो इसकारणसे उसे कोई श्राद्धमें जिमावै इसप्रतिज्ञासे कि मैं केवल मिठाई ही या दूध ही या सहत ही अपने पितरोंकी तृप्ति हेतु जिमाना चाहता हूँ और वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपनी प्रसन्नतासे एक ही अन्नजीमि आवैतौ कुड़ चिंतानहीं परन्तु अपने व्रतको पीड़ानहीं देवै अर्थात् कोई ऐसा अन्न न हो जो ब्रह्मचारीको खाना उचित नहीं है-यहां अन्नशब्दका अर्थ घृत, गुड़, मांस आदि जो कुड़ खानेकी वस्तु होती हैं उन सबका वाचक है ३२ ॥

मधुमांसांजनोच्छिष्टशुक्लस्त्रीप्राणिर्हिसनम् । भास्करालोकनाटलीलपरिवादादिवर्जयेत् ३

अक्ष०—मधुमांस, अंजन, उच्छिष्ट, शुक्त, स्त्री, प्राणिहिंसा, भास्करालोकन, अश्लीलप-  
रिवाद आदि और भी यह सब वर्जित करें ३३ ॥

अभि०—मधुकहिये मदिरा और सहत भी-मांस-अंजन अर्थात् कज्जल आदिसे आँसों  
और तैल सुगन्ध आदिसे गात्रकालेप-उच्छिष्ट कहिये जूठागुरुके सिवाय-शुक्तकहिये  
निठुरवचन और माड़ आदि अन्नके मैलकार सभी-स्त्रीका भोग-प्राणिहिंसा किंतु किसी जीव  
कामारना-भास्करालोकन अर्थात् सूर्यको उदय होते और अस्त होते हुये देखना-अश्ली-  
लकहिये असत्यबोलना परिवादकहिये पराये गुण अवगुणका व्याख्यान और आदि  
शब्दसे वह बातें भी लेनी कि जो इसमें नहीं कही अन्य स्मृतियों में हास्यगंधमाल्य आदि  
वर्जित हैं इन सबका परित्याग रखै यह ब्रह्मचर्यके नियम हैं ३३ ॥

सगुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । उपनीयददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः ३४ ॥

अक्ष०—जोगर्भाधानसे आदि लेकर जनेऊताईकी सब क्रियायें करके इस ब्रह्मचारीको  
वेदपढ़ाता है सो गुरु है और जो केवल जनेऊमात्र कराकर वेदपढ़ाता है सो आचार्य  
कहलाता है ३४ ॥

एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते । एतेमान्यायथा पूर्वमेभ्यो मातागरीयसी ३५ ॥

अक्ष०—वेदका एकदेश कहिये एकविभाग जो पढ़ाता है सो उपाध्याय कहाता है- जो  
यज्ञादिकर्म कराता है वह ऋत्विक्कहलाता है यह चारों जो ३४ । ३५ के श्लोकमें कहेग-  
ये सोयथा पूर्व मान्य होते हैं अर्थात् चौथे से तीसरा अधिक-तीसरे से दूसरा अधिक-  
दूसरे से पहला सबसे बड़ा है- और माता इन चारोंसे ही अधिक पूज्य होती है ३५ ॥

अवनीचे ब्रह्मचर्यवना राखनेकी अवाधिकहते हैं ॥

प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पंचवा । ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशो ३६ ॥

अक्ष०—वेद प्रतिवारह या पांच वर्षों ब्रह्मचर्य राखे-एक यह कहते हैं कि ग्रहणकर्मके  
के अन्तताई राखे-और केशान्त सोलहवें वर्षमें करे ३६ ॥

अभि०—वेद प्रति अर्थात् एक २ वेदके पढ़नेमें वारह २ वर्षों अथवा जो इतनी सामर्थ्य  
नहो तो पांच २ वर्षों ब्रह्मचर्यसाधे- अर्थात् जो एकही वेदपढ़े तो वारह अथवा पांच-  
और जो दो वेदपढ़े तो २४ अथवा १० जो तीन वेदपढ़े तो ३६ अथवा १५ वर्ष ब्रह्मचर्य  
साधे-और कोई मुनीश्वर यह कहते हैं कि वारह और पांचका नियम नहीं है ग्रहण-  
निक अर्थात् जब तक वेदका ग्रहण कर सकें तभी तक ब्रह्मचर्य राखें-और केशान्तमें  
जिमका नाम गोदानकर्म भी कहते हैं-गोदान कहनेका यह अर्थ है कि गो संजावना ही  
भी है निनकादान किन्तु कटवाना सोई केशान्तका अर्थ है कि केश जो बाल हैं निनक-  
अंत होना-सो इसकर्मको गर्भसे लेकर सोलहवें वर्षमें करवह अवाधि ब्राह्मण ब्रह्मच-  
रीकी है क्योंकि आठवें वर्ष में जनेऊमया उमसेदृती वर्षोंमें केशान्तहूआ यह केशान्त

कर्म ब्रह्मचर्यके बीचहीमें संभवितहै क्योंकि उसकी अवधिबहुत कहचुके इसकी थो-  
ड़ीहै-ऐसेही क्षत्री और वैश्य ब्रह्मचारीकी अवधि अपने २ उपनयन से दूनीजानो-  
सोई मनुजीने स्पष्टकरके कहदियाहै कि(केशांतःषोडशेवर्षेब्राह्मणस्यविधीयते । राज-  
न्यबंधोर्द्वाविंशेवैश्यस्यद्वयधिकेततः) अर्थात् ब्राह्मणका केशांत सोलहवेंवर्षमें करिये  
है राजन्यबंधु का बाईसवेंमें वैश्यका चौबीसवेंमें ३६ ॥

आपोडशादाद्वाविंशच्चतुर्विंशच्चवत्सरात् । ब्रह्मक्षत्रविशांकालत्रौपनायनिकःपरः ३७ ॥

अक्ष०—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन्होंके उपनयन सम्बन्धीकालकी परमअवधिसोलह  
बाईस चौबीस वर्षोंसे पहलेरहै ३७ ॥

अभि०—अर्थात् आठ और ग्यारह और बारहकी अवधिजो उपनयनकी कहचुके  
हैं वह परमउत्तम है परन्तु जब किसीकारणसे उस अवधि पर न होसका तौ केशांत  
कीकहीहुई अवधिके भीतरभीतर मध्यमकाल और भीहै तिसमेंहोना चाहिये अर्था-  
त् इससे आगे नहीं ३७ ॥

अतऊर्द्ध्वपतंतेतेसर्वधर्मबहिष्कृताः । सावित्रीपतिताब्रात्याव्रात्यस्तोमादृतेक्रतोः ३८ ॥

अक्ष०—इस्से उपरांत येतीनों ब्रात्यस्तोमक्रतुके बिना पतित होजाते हैं सब धर्मों  
से बाहर गिनेजातेहैं सावित्रीसेभी पतित और ब्रात्यकहलातेहैं ३८ ॥

अभि०—किंतु ऊपरकहाहुआ उपनयनका मध्यमकालभी जबउल्लंघजाताहै तब ये  
तीनों द्विजाती पतितहोतेहैं और सर्वधर्मोंसे बाहर अर्थात्किसीधर्म संबंधीकर्मके अ-  
धिकारी नहीं रहते और सावित्रीसेपतित अर्थात् गायत्रीकी मंत्रदीक्षा देनेयोग्य नहीं  
रहते और ब्रात्यकहिये संस्कारहीन गिनेजाते हैं किन्तु केशांतकी अवधि पीछे उप-  
नयनकरने परभी असंस्कृतदोष लगताहै-परन्तु ब्रात्यस्तोमक्रतुके बिना-अर्थात् ला-  
चारीअवस्थामें जो केशांत अवधिकेपीछेही उपनयनकरनापड़े तौब्रात्यस्तोमनामयज्ञ  
करके फिरउपनयन करैतो धर्मकर्मोंके अधिकारी वनेरहतेहैं ३८ ॥

अवनीचेद्विजाती शब्दका अर्थ कहतेहैं ॥

मातुर्यद्वयेजायंतेद्वितीयंमौजिवंधनात् । ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादंतेद्विजास्मृताः ३९ ॥

अक्ष०—जिसकारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य येतीनों पहले तौ मातासेजन्मलेतेहैं फिर  
दूसरा जन्म उनका मौजीबंधनकर्म से कहाता है इसलिये ये तीनों द्विज अर्थात् द्वि-  
जन्मा कहलातेहैं क्योंकि इनका जन्म दोवार भया ३९ ॥

यज्ञानांतपसांचैवशुभानांचैवकर्मणाम् । वेदएवद्विजातीनानिदृश्रेयसकरःपरः ४० ॥

अक्ष०—द्विजातियोंको यज्ञोंका औरतपोंका और शुभकर्मों काभी परम कल्याणकर-  
नेवालावेदही है ४० ॥

अभि०—श्रोतकहिये वेदोक्त और रमार्त्त कहिये धर्मशास्त्रोक्त ये दो प्रकारके यज्ञ

होते हैं तिनका और तपजो चांद्रायण आदि शरीरसे किये जाते हैं और शुभकर्मजो उप-  
नयन आदि संस्कार होते हैं इन सबका परम कल्याणकारी द्विजातियोंके लिये निस्संदे-  
ह वेद है- वेदके उपलक्षणसे धर्मशास्त्र भी समुभूतना क्योंकि धर्मशास्त्रकी मूलवेद है और  
श्रुतिस्मृतिका स्वाभाविक जोड़ा मनुसंहितामें कहा है इसी हेतुसे इस ४० के श्लोकमें  
श्रौत और स्मार्त दोनों भांतिके यज्ञोंका बहुवचन है इसलिये द्विजातियोंको श्रुति और  
स्मृतिकहिये धर्मशास्त्र ये दोनों अवश्य पढ़ने चाहिये क्योंकि पूर्वोक्त सब यज्ञादिक  
इन्हीं दोनोंसे जाने जाते हैं ४० ॥

सोई नीचे उसका पाठ करनेका माहात्म्य और फल आठ श्लोकोंसे कहते हैं ॥

मधुनापयसाचैव स देवांस्तर्पयेद्द्विजः । पितृन्मधुघृताभ्यांच ऋचोऽधीते च योऽन्वहम् ४१ ॥

अक्ष०—जो द्विजाती ब्रह्मचारी या गृहस्थी होकर प्रतिदिन ऋग्वेदोंका पाठ करे तो  
वह देवताओंको सहत और दूधसे तृप्त करे-और पितरोंको भी सहत और घृतसे तृप्त  
करे-अर्थात् केवल पाठ मात्रके करनेसे ही यह फल मिले जो सहत दूध-या सहत घृत  
से संतृप्त करनेवालेको मिलता है ४१ ॥

यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृन्स्तथा ४२ ॥

अक्ष०—जो कोई यजुर्वेदोंका पाठ शक्तिके अनुरूप प्रतिदिन करता है वह घृत और  
अमृतोंसे किंतु अति स्वादुवाली वस्तुओंसे देवताओंको-और तैसे ही पितरोंको भी  
सहत और अति स्वादु वस्तुओंसे प्रसन्न करे ४२ ॥

सतुसोमघृतैर्देवांस्तर्पयेद्योऽन्वहं पठेत् । सामानि तृप्तिं कुर्याच्च पितृणां मधुसर्पिषा ४३ ॥

अक्ष०—जो कोई सामवेदोंका दिन प्रति पाठ करे सो भी अमृत और घृतोंसे देवता-  
ओंको संतर्पित करे-और पितरोंकी भी तृप्ति सहत और घृतसे करे ४३ ॥

अभि०—ऊपरले तीन श्लोकोंमें जो वेदका बहुवचन अर्थात् ऋग्वेदों यजुर्वेदों मा-  
मवेदों ऐसा लिखा है उसका यह अभिप्राय है कि वेद एक है परंतु रोजरोज समस्त  
पाठ होसकना असंभव है इसलिये उसके अंगभेदोंका बहुवचन कहा है ४३ ॥

मेदसा तर्पयेद्देवानथर्वागिरसः पठन् । पितृन्मधुसर्पिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ४४ ॥

अक्ष०—द्विजाती दिन प्रति अपनी शक्तिके समान अथर्वागिरसका पाठ करता हुआ  
देवताओंको मेदासे और पितरोंको सहत घीसे संतर्पित करता है ४४ ॥

अभि०—अपनी शक्तिके अनुसार यह ऊपरले चारों श्लोकोंमें समुभूतना अर्थात्  
जितना पाठ मनुष्य से होसके अपने झुटकारके अवकाश में और मेदा जो मनु-  
ष्य या अन्य बड़े जीवोंके मांस और हड्डी इन दोनोंके विचारे में घृतके तुल्य नष्ट  
प्रकारकी धातुहोती है और शरीरकी मातृधातुओंमेंसे चौथी धातु कहानी है जिसे  
रसा भी कहते हैं-और अभक्ष्यकी शक्ती नहीं करनी क्योंकि प्रथम तो समर्थके



नहीं यहवाक्य मनुष्यपरभी संभवितहै फिर देवतातो अग्निमुखहैं-अन्यथा( जीवो जीवस्यभोजनमिति ) श्रीमद्भागवतेपि ( अहस्ताश्चसहस्तानामित्याद्यपितत्रैव ) अर्थात् जो मांसग्राह्यहै तो बसाभीग्राह्यहै और जहां मांसत्याज्य है तहाँ बसाकाभी त्यागहै ( किञ्च वारुण्यादिभिरिन्द्रादिदेवाभोगिनःप्रसिद्धाः ) ४४ ॥

वाकोवाक्यंपुराणंचनाराशंसीश्चगाथिकाः । इतिहासांस्तथाविद्याःशक्त्याधीतेहियोऽन्वहम् ४५ ॥  
मांसक्षीरौदनमधुतर्पणंसदिवोकसाम् । करोतिवृत्तिकुर्याच्चपितृणांमधुसर्पिणा ४६ ॥

अक्ष०-वाकोवाक्य १ पुराण २ नाराशंसी ३ गाथिक ४ इतिहास ५ तैसेही विद्याओं को जो कोई प्रतिदिन शक्तिअनुसारपढ़ताहै ४५ वहमनुष्यमानो-मांस, दूध, भात, सह-त इनसे देवताओंकी वृत्तिकरताहै-और पितरोंकी भी वृत्ति सहतघीसेकरै है ४६ ॥

अभि०-वाकोवाक्यनामकहिये स्मृतिआदि धर्मशास्त्र १ और पुराण जिनमेंपुराने वृत्तांत होतेहैं २ नाराशंसीसे रुद्रदेवतमंत्र-और गाथिक शब्दसे इंद्रगाथा यज्ञगाथा आदि टिकाकारोंने कल्पितकियेहैं परन्तु रुद्रदेवत्य और इंद्रगाथाआदि ये सबवेदके ही अंशांशहैं और वेदोंकोपहलेही कहचुके तो दूसरीबारकहना असंभवितहै क्योंकि वहपाठकरनेका प्रकारक्रमसे नीचेकोउतरताचलाआताहै इसलिये याज्ञवल्क्यमुनिका कथनसंसारपक्षमें घटता निश्चितहोताहै-इसकारण से नाराशंसी शब्दका अर्थनर सम्बन्धी आशंसाकहिये स्तुति अर्थात् जिनग्रंथोंमें राजाआदिसत्पुरुषोंके आचरण वृत्तांतलिखे होतेहैं उनकापाठ किंतुविचारना क्योंकि वेभी ईश्वरकीविभूति गीतामें कहेहैं उनके आचरणवृत्तांतोंके विचारनेसेमनुष्यकी बुद्धिशुद्धहोजाती है और वैसेही आचरणकरनेका उत्साहवढ़ानेमें निपुण होजाताहै ३ चौथेगाथिकशब्दसे गानविद्या का अभ्यास क्योंकि यहगांधर्वीविद्याभी ईश्वरकी विभूतिभागवतमें निश्चितहै ४ इति-हासमहाभारत आदि प्रसिद्धहैं ५ तैसेही विद्याशब्द से चौदह विद्यायेंजो जलविद्या आदि प्रसिद्धहैं ६-इनसारीचीजोंमेंसे जिसकिसी वस्तुको अपनीशक्तिके समान जो कोई प्रतिदिनपढ़ता और विचारताहै ४५ वहछिआलीस ४६के श्लोकमें कहेहुयेफल का भागीवनताहै ४६ ॥

तेवृत्तास्तर्पयंत्येनंसर्वकामफलैःशुभैः । वयंक्रतुमधीतेऽसौतस्यतस्यामुयात्फलम् ४७ ॥

अक्ष०-वेपूर्वाक्त देवता और पितरभी संतर्पितहुयेभये इसपाठकर्त्ताको सारे शुभ कामोंसे वृत्तकरतेहैं-जिस २ यज्ञका पाठयहकरताहै उसी उसकाफलपाताहै-अर्थात् वेद मेंसे जिसयज्ञकी विधिकापाठ करै तो उसीयज्ञके करनेभरेका पूराफल पावे ४७ ॥

अभि०-सर्व शुभकामोंसे वृत्तकरनेका यह अभिप्रायहै कि जिन २ शुभकामों की विधिका विचारवेदमेंसे अथवा पूर्वोक्त किसीशास्त्रमेंसे नित्यकरतारहेगा तो अवश्य-ही नित्यकेआराधन प्रभावसेकोईशुभकाम उससे वनिआवेगा-शुभकाम अर्थात्अपने

यासंसारकेकल्याणकाकरनेवाला अच्छाकामजिस्सेमनुष्यकी सुकीर्तिवढ़तीहै-सोईपि-  
छले अद्धामें प्रत्यक्षकहदियाहै कि जिस २ क्रतुकापाठ किंतु आराधना करैगा उसी  
का फलपावैगा-यहां क्रतुशब्दका अर्थकेवलयज्ञहीनहींहैकिंतु क्रतुकामनाको मनकेसं-  
कल्पको और काम या कार्यकोभीकहतेहैं तौयहांक्रतुकेअर्थसे वहसभीकामअपेक्षितहै  
जोवेदके सिवाय और सबशास्त्रया विद्याओंके ग्रंथोंमें उनकामोंके प्रकारलिखे होते हैं  
इसीलिये याज्ञवल्क्यजीने वेदकोआदिलेकर संसारके सभीशास्त्र और सभीविद्याओं  
का विचार करनेमें उत्साह देकर पीछेसे यह कहाहै कि जिस २ क्रतुका आराधनकरै-  
गा उसीउसका फलपावैगा-सोई इसवातको जो कोई समुभाचाहोवह ४१ से लेकर  
४८ केइलोकोंताई आठइलोकोंको देखलो ४७ ॥

त्रिविक्तपूर्णपृथिवीदानस्यफलमश्नुते । तपसोयत्परस्येहनित्यंस्वाध्यायवान्द्विजः ४८ ॥

अक्ष०—नित्यस्वाध्यायवान् द्विजातीधनसे भरीहुई पृथिवीको तीनवार दानकरनेका  
फल और परमतपस्याकरनेकाभी फल इसीसंसारमें भोगताहै ४८ ॥

अभि०—किंतुदान वा तपकरनेविनाही उतनाफल पाताहै यहनित्यस्वाध्यायकरने  
का उत्साहवढ़ानेकी प्रोत्साहताहै-यहांस्वाध्यायका अर्थकेवल वेदहीका नहींहै अर्थात्  
स्वकहिये अपनाअध्याय किंतु अपनापाठजो द्विजातीकी तीनोंजातोंका पढ़नाअपने  
अपनीजाति वा कर्म या पेशाकेअनुरूप उचितहो-अर्थात् जोपूर्वोक्तवेद आदिपाठोंमें  
करनेमें समर्थनहोता केवलअपनीजाति या कर्मजीविका संबंधीपाठको अवश्यकरने  
नित्यकरतारहैतो वहभी दानतपके तुल्यफल भागीहोताहै ४८ ॥

अधि०—विदितहोवेकि १४ केइलोकसे लेकरयहांताई यहसबप्रकरण ब्रह्मचारी  
धर्मोंमध्येकहाहै और ब्रह्मचारीका उपलक्षण केवलविद्यार्थीमें घटताहै क्योंकियहब्रह्म-  
चर्यकेवल विद्याग्रहणकरनेताई होताहै फिरपीछे विवाहकरके गृहस्थीहोना कहाहैइ-  
कारणसे यहपूर्वोक्त लक्षणतौसामान्य ब्रह्मचारीके जानो-और दूसराब्रह्मचर्य वहकह-  
लाताहै कि जोकोई विवाहकरके गृहस्थीनहींबने अर्थात् इसीब्रह्मचर्यको निरंतर अ-  
पनीजीवन अवधि ताई बनारखै सोवह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाताहै उसकी मर्यादा  
नीचेके इलोकमें कहतेहैं ४८ ॥

नैष्ठिकोब्रह्मचारीतुक्नेवाचार्यनन्त्रियौ । तदभावेऽत्यतनयपत्न्यां वैश्वानरं पिवा ४९ ॥

अक्ष०—नैष्ठिक ब्रह्मचारीनों आचार्यकेसमीप वासकरे उसके न होनेमें उसकेसमीप  
समीप वा पत्नीके समीप अथवा अग्निके समीप ४९ ॥

अभि०—किंतु पूर्वोक्तरीतोंब्रह्मचर्यको माधताहुआ विद्यापढ़पीछे जो विवाह  
ना नहींचाहै नैष्ठिकहोनाचाहै तौवहअपने आचार्यहैकिनिकट वासकरतारहै अथवा

के अभावमें उसकेपुत्रके निकट औरपुत्रकेभी अभावमें गुरुपत्नीकेनिकट औरगुरुपत्नी केभी न होनेमें अग्निका सेवनकरै ४६ ॥

अनेनविधिनादेहंसाधयन्विजितेन्द्रियः । ब्रह्मलोकमवाप्नोतिनचेहजायतेपुनः ५० ॥

अक्ष०—इसकहीहुई विधिसे वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी इंद्रियोंकोजीतेहुये और देहको साधताहुआ जोआचार्यआदिके समीप बसकर जीवनअवधिके कालकोबिताताहै सो वह ब्रह्मलोकको पावताहै और फेर कदाचित्भी यहांजन्म नहींपाताहै ५० ॥

व्यक्तिः०—अब इसकलियुगसंबंधीसमयमें ब्रह्मचर्यकीमर्यादा भस्माग्निवत् होगई है किन्तुजैसेराखमें अग्निदबीरहतीहै इसप्रकार केवलग्रंथोंमें दबीपड़ीहै अर्थात्दोनों प्रकारोंमेंसे एकप्रकारकाभी ब्रह्मचर्य अब कोईनहीं करसक्ता केवलनाममात्र शेषहै परंतु पर्नोक्त ब्रह्मचर्यका अनुकल्पमात्र केवल एकदोघटिकामेंही जनेऊ के दिवस करलेतेहैं कि जिसकी अवधि १२ और २४ और ३६ अथवा ५ और १० और १५ वर्षोंकीकहीहै-किंतु जो यथार्थदृष्टिसे विचारकरके देखौतौ हमारीबुद्धिसे यही निश्चितहातोहै कि ३६ के इलोक में जिनएकप्रकारके ऋषियोंने ब्रह्मचर्यकी अवधि को विद्याकेग्रहणांतिसमयतक निश्चितकिया है वे लोगबड़े दूरदर्शीथे ( इति ब्रह्मचारिप्रकरणम् ) अब आगेविवाहका प्रकरण बर्णनकरते हैं ॥ वहविवाह दशवां संस्कार कहलाता है ॥

गुरवेतुवरं दत्त्वास्नानीततदनुज्ञया । वेदव्रतानिवापारं नीत्वा ह्युभयमेव वा ५१ ॥

अक्ष०—वेदको या व्रतोंको वा दोनोंको पारपाकर पुनि गुरुको वरदेकर उसकी आज्ञासेस्नानभी करै ५१ ॥

अभि०—जोकोई ४९ । ५० इनदोइलोकोंकी मर्यादाअनुसार(नैकिष्ठ)होनानहींचाहै किंतुब्रह्मचर्यका विसर्जन करिके विवाहकरनेकी इच्छाकरैतौ पूर्वोक्त रीतोंसे वेदको पढ़ कर या ब्रह्मचारीके नियमोंकोही पारउतरकर या दोनोंमें सिद्धार्थहोकर अपने गुरुको वरकहिये निजइच्छाके अनुसार कुछधनदेकर और उसकी आज्ञालेकर स्नान अर्थात् ब्रह्मचर्यके विसर्जनका जो स्नान कहलाताहै उसकोविधि सहितकरै ५१ ॥

अधि०—वेदको या नियमोंको या दोनोंको यह कहनेसे प्रकट होताहै कि जिस्से नियम नहीं साधेजायँ वह केवल वेदहीको पढ़ै या जिसकी बुद्धि और समुक्त मंदहोने से वेदपढ़नेमें सिद्धार्थ न होसक्तीहो वह केवल नियमोंकाही साधनकरै अथवा उच्च-प्रारब्धीहो वह दोनों बातमें सिद्धार्थता पैदाकिये पीछे गुरुके परिश्रम और साफल्य सम्बन्धी दक्षिणादे और स्नानकीआज्ञामांगे-और जिसे दक्षिणा देनेकी सामर्थ्यनहीं हो वह बिना दियेभी उसकी आज्ञालेकर स्नानकरै और पीछे जबकभी अपने को शक्तिहो तब उद्धार करदे-और वेद शब्दसे केवल वेदहीका पढ़ना सम्भवित नहीं है

अर्थात् वेदके संज्ञोपलक्षणमात्र से सारी विद्याओंका पढ़ना संभवित है किंतु संसार की कोईसी विद्यापढ़े वह वेदही कहलाताहै क्योंकि वेदसंज्ञा ज्ञानमात्रकी होती है किंतु जिसकिसी विद्यासे कुछ जानाजाय वही वेदहै ५१ ॥

अविष्टुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यांस्त्रियमुद्वहेत् । अनन्यपूर्विकांकांतामसपिंडायवीयसीम् ५२ ॥

अक्ष०—अविष्टुत ब्रह्मचारी लक्षणी स्त्रीको विवाहै अनन्य पूर्विकाको कांताको अस-पिंडाको यवीयसीको ५२ ॥

अभि०—ब्रह्मचर्यका मुख्यअर्थीश केवल वीर्यकी रक्षामात्रमेंघटताहै इसलिये अवि-प्लुत कहिये अस्खलित ब्रह्मचर्य अर्थात् जिसने अपनेवीर्यका विध्वंसनहोने दियाहो ऐसाब्रह्मचारी स्नानकेपीछेऐसीस्त्रीकोविवाहै जो लक्षणवालीहो तहाँलक्षणभी दोप्रकार केहोतेहैं किंतु एकतौ बाहरले दूसरेभीतरले तिनमेंबाहरले जो मनुसंहितामें कहेहैं कि स्त्रीकेरोमाकेश दाँतआदिसूक्ष्महों किंतुमोटेवालमोटेलोम बड़ेदाँतनहों-और भीतरले लक्षणोंकी परीक्षा यद्यपि आश्वलायनजीनेकही है परंतु उसका लिखना अब समयके अनुरूपकुछ आवश्यक नहींहै क्योंकि वे मर्यादे अवनष्टाग्निवत् होगईहैं-पुनि अनन्य-पूर्विकाहो अर्थात् सगाई आदि दानकरनेसे या उपभोगसे किसीदूसरे पुरुषके परिग्रह वाली नहोचुकीहो ॥ और कांताकहिये कमनीयाहो जो विवाहनेवालेके मन औरनेत्रोंको कामनाके अनुसार आनंद देनेवाली ऐसीसुंदरहो क्योंकि आपस्तम्ब ऋषिनेभी निज शास्त्र में कहाहै कि जिस विवाहिता स्त्रीमें पतिकामन और नेत्र विधेरहतेहैंउसमें ऋद्धि सिद्धिभी भरीरहती हैं-असपिंडा कहिये अपनी सपिंडा न हो सपिंडा और असपिंडाका विस्तारार्थनीचे अधिकोक्तिमें देखो-यवीयसी कहिये-छोटीसी अर्थात्अपनेसे अवस्था और डील डौलमें भी थोड़ीहो-और स्त्री हो अर्थात् नपुंसकी नहीं क्योंकि नपुंसक पुरुष जैसेहोताहै तैसेही विरली स्त्री भी नपुंसकी होतीहै सो नहो इसलिये पहलमेंही किसीयुक्तिसे भेद लेलेवै ५२ ॥

अधि०—यहाँपर सपिंडताका स्वरूप वर्णनकरतेहैं कि क्या वस्तुहै और कैसे जानी जाती इसलिये कि इसका आगे भी बहुधा काम आवेगा-तहाँ पिंडकहतेहैं मात्र अ-र्थात् देहको और पिंड शब्दसे पहले जो (स) लगिरहाहै सो वह सकार एकतामें प्रतीतकरताहै अर्थात् सपिंडकहिये एकहीमा शरीर जिनकाहो उन्हें सपिंड या स-पिंड्यकहतेहैं ( दृष्टांत ) जैसे पुत्रकी सपिंडता पिताके साथ क्योंकि पुत्र भी पिताके देहमेंमे निकलाहै इसमें इनदोनोंका देह एकहीसा जानो कुछ अन्तर नहीं-ऐसेहीपि-ताके शरीरकी सपिंडता कहिये एकता उमके पितामें मिलरही है तो इस हेतुमें पुत्र की सपिंडता दादेमेंभी निश्चित हुई एनेही परदादामें भी इमीप्रकार महत्कां यही ताई ऊपर और नीचेकोभी सपिंडता हुआ करती है- परन्तु विवाहादि व्यवहारमें

वर्त्तवामें केवल सातही पीढ़ी ताई मानीजाती है और सातपीढ़ीके उपरान्त उसी कुलके मनुष्य केवल गोत्री कहलाते हैं क्योंकि सपिंडता तौ निवृत्त होगई परन्तु गोत्रवही बनारहैगा- ऐसेही उस पुत्रकी सपिंडता मातासेभी होती है क्योंकि माताकेभी उदरमेंसे जन्माहै और माताकी सपिंडता उसके नानासे होतीहै क्योंकि वहभी अपने पिताके शरीरमेंसे निकलीहै तौ इस हेतुसे धेवताकी सपिंडता नानासेभी निश्चितहुई इसीप्रकार परनाना आदिसेभी ऊपर और नीचेकोभी माता पक्षकी सपिंडता कहलाती है परन्तु विवाहादि व्यवहारोंके वर्त्तवामें केवल पांचही शाखतक मानीजातीहैपाँचके पीछेवेभी नानाके गोत्री या माता कुलके गोत्रीकहलाते हैं सोयह पाँचपीढ़ी माताको आदि लेकर गिनीजातीहै जैसे माता १ नाना २ परनाना ३ इत्यादि औरभी जानो-ऐसेही संतानभेदकी सपिंडताभी होतीहै अर्थात् अपनेपिताके भाइयोंसे और पिताकी बहनोंसेभी सपिंडता कहीजातीहै क्योंकि जिसदादाके शरीरमेंसे अपना पिता निकलाउसी के देहमेंसे चचा और फूआभी पैदाहुईहै इसहेतुसे जैसे अपने आत्माकी सपिंडता पिता के साथमानीगईथी तैसेही चचा और फूआसेभी अपनेआत्माकी सपिंडता निश्चित हुई-इसीप्रकार माताके कुलमेंभी संतानभेदसेमामा और मौसीसे भी अपने आत्माकी सपिंडता माताकेही तुल्यनिश्चितहुई ॥ अभीतक सपिंडताका प्रयोजन सिद्धनहीं भया क्योंकि ऊपरजो वर्णनकियाउसमें केवल शरीरोंके संबंधमात्र जानेगयेउन्हीं संबंधोंमेंसे मुख्यसपिंडता उसेसमुझौ कि जिनमनुष्योंके जन्मका आरंभ एकसाथहुआहो और एक साथकहनेका यह अभिप्राय नहींहै कि एकघड़ी या एकदिन या एकमास या एकवर्ष में जन्महुआहो-अर्थात् यह सिद्धांतहै कि तुल्य पीढ़ीके मनुष्योंसे जन्म जिनकाहुआ हो वे सापिंड्य ठीकहैं फिर चाहै उनकी अवस्थामें दश बीसवर्षोंकी छुटाई बड़ाई भी हो परंतु वे तुल्य सापिंड्यकहातेहैं (दृष्टांत) जैसे एकपुरुषकी दश संतानेंहुई वे दशों भाई बहनें परस्पर तुल्यसापिंड्यहैं फिर उनदशोंके जुड़ीजुड़ी संतानें पैदाहुई तौ जैसे एकपिताकी संतानोंमें सपिंडता हुईथी तैसेही उनचचेरे और ममेरे या फुफेरे भाईबहनों में परस्पर सपिंडता सगेकेही तुल्यमानीजायगी-फिर उनसंतानोंकी संतानें जो होंगी उनमें यद्यपि दो पीढ़ीका अंतर पड़गया परंतु सपिंडता सगोंकेही तुल्य परस्परकही जायगी-इसी हिसाबसे नाना और दादाकी संतानोंमें परस्पर तुल्यताहै-मामा और फूआकी संतानोंमें परस्पर भाई बहनके नातेसे तुल्यताहै-मौसी और चचाकी संतानों में भाई बहनके नाते से तुल्यताहै-फिर उन संतानों की संतानें जो होंगी उनकी भी परस्पर तुल्यताहै इसीको तुल्य सपिंडताकहतेहैं इससपिंडतामें विवाहका संबंधहोना अनुचितहै-इसीलिये ऊपर श्लोक और उसके अर्थ में कहाथा कि अमपिंडाहो- और इसीहेतुसे पतिके साथ पत्नीकी भी सपिंडताहोतीहै क्योंकि उन दोनोंका भी

जन्म एकसाथ आरम्भ होता है अर्थात् कन्याका पिता और बरका पिता यह दोनों संबंधी तुल्य पुरुषकहाते हैं यद्यपि वे भिन्न भिन्न कुलों के दोनों पुरुष हैं और चाहें उनदोनोंकी अवस्थामें छुटाई बड़ाई भी दश बीसवर्षकीहो परंतु वे तुल्यअवस्था के गिनेजाते हैं-इसीहेतुसे भाइयोंकी भार्याओंसे भी देवर और जेठकी सपिंडता गिनी जाती है क्योंकि वेभी तुल्यपीढीके मनुष्योंसे पैदाहुईहैं-इसीहेतुसे भावज और ननंदकी भी सपिंडता गिनीजाती है क्योंकि उनके भी जन्मकीतुल्यता एकसी पाईजातीहै-ऐसेही जहां २ जिसके जन्मकी तुल्यतापाई जावे उसके साथ उसकी सपिंडता गिनी-जायगी सो यहसपिंडता सातपीढीकेअंतरताई पिताकेवंशमें और पाँचपीढीके अंतरताई माताके वंशमें जहांतक पाईजाय तहाँ विवाहके संबंध का निषेधहै-क्योंकि यह मनुष्यका शरीर ( गर्भोपनिपत् ) के प्रमाणसे ( पाट्कौशिक ) कहाताहै अर्थात् छःप्रकारकी माँग इसके भीतर होती है किन्तु तीन तौ पितासे और तीनमातासे अर्थात् हाड १ और नसोंकेबंधान २ और मज्जा ३ ये तीनवस्तु पिताकेवीर्यसे-त्वचा १ मांस २ रुधिर ३ यह तीन माता के रक्तसे बनती हैं तब शरीर उत्पन्न होताहै-इसी कारणसे पिता और माता दोनोंके वंशभरमें सारेमनुष्योंके शरीर संबंध मिले रहते हैं (सन्देह) वड़े आश्चर्यकी बात है कि इसरीतिसे तौ सारे संसारमें एक जाति मात्रके मनुष्योंका शरीर संबंध मिलाहुआ होसक्ताहै फिर विवाह किसघरमेंकरै (उत्तर) इसीलिये उसकी अवधि सात और पाँच पीढीकी नियतकरदीगईहै ५२ ॥

अरोगिणीभ्रातृमतीमसमानार्पणोत्रजाम् । पंचमात्सप्तमादूर्ध्वमातृतःपितृतस्तथा ५३ ॥

अध०—अरोगिणीको भ्रातावालीको और पांचसातसे पीछेभी असमानार्पणोत्रजाकोमातासे तथा पितासेआदि लेकर ५३ ॥

अभि०—अरोगिणी अर्थात् उसकेशरीरमें कोई ऐसरोग नहो जिसकी असाध्यतासे वैद्यसेभी उपाय न होसकै किन्तु साध्यरोगकाहोना कुछ अवगुणमें गिनतीनहीं है भाईवालीभीहो क्योंकि न जानिये पीछे उसका अपनी पुत्रीका पहलाफल गोदलेनके लिये माँगनेलगे तौ धर्मके अनुसार उसको नहींनहींकरनीपड़ेगी और दूसरामुस्य सिद्धांतवहीहै कि जोउसके भाईहोगातौवंशकी स्थितिवनीरहेगी और वंशकेवंशभरमें से अपने को बनेविगड़े समयपर प्रत्येक भाँतिकी सहायता बनीरहेगी-तैसेही बरका मानाको आदिलेकर नानाकी पाँचपीढियोंके उपरांत और पितामेलेकर सातके उपरांतभी अर्थात् सपिंडताके निवृत्त होजानेपर भी असमानार्पणोत्रजाहो किन्तु इनकी के पिता कुलका(आर्य) और गोत्र ये दोनोंवरके समतुल्यनहीं ऐसेघरमें पैदाहुईहो निसे विवाह ५३ ॥

अधि०—संदेहभला जब (आर्य)कहिये अपिप्रवर और गोत्र जिसमें वंशकी प्रसिद्धि



जानीजातीहै इनदोनोंकाभीनिषेधकरदिया तबसपिंडता जो पूर्वश्लोकमें कहीथी उसके कहनेका क्या प्रयोजनथा(समाधान)शास्त्रकेसंमतसे सपिंडतातौ शूद्रजातिको भी बचानी चाहियेइसलिये उसको साधारण भावसे पहले ५२के श्लोक में कहकर पीछे इस ५३ केश्लोकमें त्रैवर्णिक जातोंका विशेष दिखलाया कि उन द्विजातियोंको प्रवर और गोत्रभी बचानाचाहिये-यद्यपि क्षत्रिय औरवैश्यके गोत्र और प्रवरोंकाअभावकहीं हो तहां उनके पुरोहितके गोत्र और प्रवरमानेजातेहैं यह आश्वलायन ऋषिकासम्मत है- और जहां कहीं अज्ञातभाव के धोखे से ऐसा होजाय तहां उसका प्रायश्चित्त भी यह कहाहै कि(मातुलस्य सुताभूद्वा मातृगोत्रांतथैवच ॥ समानप्रवरांचैव कृत्वाचांद्रायणंचरेत्)अर्थात् धोखेसे माताकी बेटीको विवाहिलेवै या माताके गोत्रभरकी कन्या विवाहिलेवै तौ चांद्रायणका प्रायश्चित्त करै तबअदोषहोवै और अरोगिणीके उपलक्षणसे कन्याके शरीर भरमें कोई साभी अंग भंगनहो किंतु लूली लुंजी अंधी कानी आदि न हो और कोई अंग अधिकभी नहो जैसे षडंगुली आदिऔरभी जानो-हाँ-जो वरके देहमें कुछ अंग भंगहो या कुछ अधिकांग हो तौ कन्याकी भी अंगभंगता या अंगाधिक्य अंगीकारकरनाचाहिये अर्थात् परस्परदोनोंका एकसाजोड़ा युग्ममिलाना धर्मसूर्यादाके अनुसार संसूचितहै सो इसकाविशेषभाव आगे ५५के श्लोकमेंभीकहेंगे कि जिस्से पीछे कोईसा उत्पात न उठनेपावे क्योंकि उत्पातों के उठनेसे धर्मकी हानि होतीहै और धर्मकीहानिसे मनुष्योंके कल्याणोंकाविनाशहोजाताहै कल्याणोंकेविनाश में कुलका नाश होजाताहै इससे इसपर विचार दृष्टि वनीराखनी श्रेयस्करी है ५३ ॥

दशपुरुषविरव्याताच्छ्रोत्रियाणांमहाकुलात् । स्फीतादपिनसंचारिरोगदोषसमन्वितात् ५४ ॥

अक्ष० -दशपुरुषोंसे विख्यात श्रोत्रियोंके महाकुलसे कन्यालेनी चाहिये- परन्तु संचारीरोग और दोषोंसे समन्वित ऐसे स्फीत कुलसेभी न लेवै ५४ ॥

अभि० - दशपुरुषोंसे विख्यात अर्थात् जिस कन्याके पिताकी पांचपीढ़ी पिछलीं प्रसिद्धहों और कन्याकी माताकीभी पांचपीढ़ी नाना के वंशमें नामीहों-और कन्याके पिताका वंश श्रोत्रिय अर्थात् वेद आदि विद्याओं से पांडित्य वालाहो-और महाकुल का यह अर्थ है कि पुत्र पौत्र आदि कुटुंब तथा पशु दास दासी धन ग्राम आदि समृद्धिसे सम्पन्नहो तिसकुलकी कन्या ग्रहणकरै-परन्तु ऐसे सम्पन्न कुल में भी जो कदाचित् कुष्ठ आदि या मृगी आदि रोग जो एक दोके होनेसे घरभरके मनुष्योंके होजाते हैं तिनकी बहुताइत हो-या दोष जो पिता के वीर्य और माताके रक्त द्वारा संतानोंके भी होजाते हैं तिनकी बहुताइतहो अथवा वे दोष जो क्रियाहीनत्व और निःपुरुषत्व आदि मनुर्जाने कहे हैं उस कुलमें बहुधाकरके हों तौ उस कुलकी कन्या

नहीं लेवे क्योंकि कन्याके द्वारा होकर इस कुलमें भी फैल जावेंगे और मनुके कहेहुये दोषोंके होनेसे लोकापवाद और असौख्यकी भीति है ५४ ॥

अधि०—कन्याके कुलका विशेषण जो श्रोत्रिय शब्दहै तिसकाभाव केवल यही नहीं है कि वेदादि विद्यासे सम्पन्नहो उसी कुलकी कन्या ग्रहण करीजाय क्योंकि जो यही भावहोवे तौ अश्रोत्रिय कुलकी कन्या विना विवाही बैठीरहैं उनको कोई अंगीकार नहीं करै- अर्थात् वह श्रोत्रिय शब्द एक साधारण विशेषण है सो इसलिये कहा है कि जो वर श्रोत्रिय कुलका पुत्रहो और आपभी श्रोत्रियहो तौ उसको कन्याभी श्रोत्रिय कुलकी ढूँढनी चाहिये सोई आगे ५५ के श्लोकमें कहेंगे और इसी हेतुसे कन्याकाभी पढी लिखी होना संभवितहै क्योंकि धर्मशास्त्रने कन्या और वर दोनोंकी एकसी तुल्यता सर्वथा निश्चित करी है और ऊर्द्धोक्त श्रोत्रिय शब्द जो कन्या कुलका विशेषणहै तिसके साधारण भावसे यह तात्पर्य्य है कि कन्याकाकुल मूर्ख न हो किंतु विद्यावानहो और विद्याकाकुछ नियमनहीं है कि कौनसीविद्या अर्थात् किसीप्रकारकी विद्याकरके वहकुल श्रुताध्ययनसंपन्नहो और (किसीप्रकारका) यहसिद्धांतहै कि उसके कुलमें जिसविद्याका अधिकार या परिपाटी या प्रचार उसकेपेशाके अनुरूप या कुलके अनुसार उचितहो तिसविद्यासे संपन्नहोतौ उसको श्रोत्रिय कुलकहना और समुभना चाहिये-हाँ-इतनीबात अवश्य पाईजाती है कि जबकन्या और वरकी सर्वथा समता और तुल्यता निश्चित होचुकीतौ कन्याकेभी कुलमें वहीविद्या होनी चाहिये कि जिस विद्याका अधिकार वरकेघरमेंहो यहवात अतिउत्तमहै इनसब बातोंको अगलेश्लोक में नीचेदेखकर निश्चय करलो ५४ ॥

एतैरेवगुणैर्युक्तःसवर्णःश्रोत्रियोवरः । यत्नात्परीक्षितःपुंस्त्वेषुवार्थामान्जनप्रियः ५५ ॥

अक्ष०—इतनेही गुणोंसेयुक्त सवर्ण और श्रोत्रियवरहो-यत्नसे पुंसत्वमें परीक्षाकिया हुआ युवा धीमान् जनप्रियहो ५५ ॥

अभि०—इतनेही गुण जो ऊपर कन्याकेलिये कहेगये उनसे युक्तहो और जो दोष कन्याके निमित्तमें गिनायेगये तिनसे रहितहो और सवर्ण कहिये तुल्य वर्णका वर्ण अर्थात् जिसवर्णकी कन्याहो उसीवर्णका वरहो और श्रोत्रिय कहिये पढागुनाहो में वह ऐसावरभी-पुंसत्वनपुंसत्वके मध्ये युक्तिपूर्वक परीक्षाकरलियाजावे पुनि युवा अस्वावालाहो किंतु अतिवाल्मक या अतिवृद्धनहो और बुद्धिमान्कहिये लोकव्यवहार और शान्त्र व्यवहारमें निपुणहो-फिर जनप्रियहो अर्थात् चातुर्य्य वा मन्दममकर्म रहित मधुरवाणीकी बोलचाल नम्रता आदिसे मनुष्योंकी दृष्टिमें प्रियहो ऐसे वरको कन्यादान करे ५५ ॥

अधि०—ऊपरकहाहुआसवर्णशब्द जो वरकाविशेषणहै उसमें केवल ब्राह्मण शब्द

आदि जातिमात्रकीहीतुल्यतानहींसमुझनी किंतु सभीवातोंकी तुल्यताग्रहणकरनी अर्थात् जो कन्यागोरीहो तौवरभीगोरा या कन्याश्यामवर्णहो तौवरभी श्यामवर्णहो-या कन्याकी जन्मकुंडलीमें राजयोगआदि कोईउत्तमयोगहो तौवरभी उत्तमयोगवालाढूँढा चाहिये अथवा कन्याकेजन्ममेंकोईग्रहदूषितहो तौवरमेंभीकोईदोषढूँढा चाहिये-या-कन्याकेकुलमेंकोईदोषहो तौवरभी कुलदूषितकाढूँढा चाहिये-या-कन्याकेशरीरमें कोईदोष हो तौवरकेदेहमेंभी कोईदोषढूँढा चाहिये-जोकन्याधनवान्कीबेटीहो तौवरकाभीधनवान्घरदेखा चाहिये इत्यादि नानाप्रकारकीवातें जो २कन्यामेंपाईजातीहों सोसभीवातेंवरमेंभी केवल एक(सवर्ण)शब्दकेविशेषणसे ग्रहणकरनी चाहिये तबसर्वथासौख्य और सौभाग्यकी वृद्धिहोतीहै अन्यथा समतासेविपरीत ऊँचनीच लक्षणहोनेमेंदुःख और दुर्भागताका निवासहोजाताहै इसी सवर्णशब्दके आशयसे जोकन्याबडेनगरमें जन्मी और पालीगईहो तौवरभी बडेनगरमेंढूँढा चाहिये अर्थात् शहरकीकन्याको छोटेग्रामोंमें नहींविवाहै-परंतु जोकन्याग्रामकीरहनेवालीहो तौवरकानियमनहींहै किंतु चाहै वरग्रामीणहो या नागरहो इसमेंदोनोंशुभहैं परंतु शहरकीकन्या ग्रामीणवरकोनहींदेवै-देखो धर्मशास्त्रने कोईवातसंसारकीऐसीनहींछोड़ी जिसकानियम और मर्याद न बाँधीहो परंतु विवाहसंबंधकेमध्ये किसीभीलक्षणसे यहनहींपायाजाताहै कि कन्यादानअपनेसे अधिकोच्चकुलमेंकरना सर्वथा समताकहतेचलेआतेहैं क्योंकि सुख और सुकीर्ति समतामेंहीमिलतीहै सोईनीतिशास्त्रमेंभीकहाहै कि बैर और प्रीति और विवाद और व्यवहार और विवाहसंबंध इतनीवातें अपनेवरावरवालेकेसाथकरै तौ उसमेंकोईतरहकीहानि या उत्पातनउठै-इसकालमें किसी२जातिवालेलोग अपनाइसीमें वड़प्पन गिनाकरतेहैं कि कन्यादानअधिकोच्चकुलमेंकरै सो यहरीति अपने कान्यकुब्ज समूह में बहुधा पाईजाती है और इसीहेतुसे इससमूहको अधिक धन देनापड़ताहै-यद्यपि कन्याके निमित्त अधिक धनकादेना शास्त्रकासम्मत है और अतिउत्तमहै परंतु उस अवस्था में कि जो अपनी श्रद्धा और उत्साहसेदेवै पुनि दिये पीछे भी वह धन वहां जायकर कन्या और वरकेहीभोगमें लगै तब सुकृतहोता है-परंतु जहां दियेहुये धनको वरका पिताअपनाहक्क निश्चय करके सबअपनी बगलमें दावताहै और निज लोभ या उच्चताके अभिमानसे बधूके शरीरमेंसेभी आभूषण उतारलेताहै तहांदेनेवाला तौ इसहेतुसे नरकभागी होताहै कि क्योंउसने जानिवृष्कर ऐसेअधम कुलमें कन्या दानकरीजो वर और बधूको लक्ष्मीनारायणकी मूर्तिनहीं समझते अर्थात् जिमबधू और वरकापूजा रूपसे सत्कार करना लिखाहै धर्मशास्त्रमें निमक्का आभूषण उतारने आदिसे अपकार करते हैं और वे अपकार करनेवाले भी नरकको जाते हैं- तथाच-(स्त्री धनानि तु ये माहादुपजीवंति बान्धवाः । नारीयानानिवस्त्रंवातेपापायांत्य

धोगतिम्) अर्थात् जे कोई बांधव मोहसे स्त्रियोंके धनोंको छीनकर भोगते हैं या स्त्रियोंके बस्त्र और सवारी आदि अपने खर्चमें लाते हैं वे पापीलोग नीचगतिको जाते हैं-इसी एक श्लोकके प्रमाण और दृढताके मध्ये औरभी पचास श्लोक स्मृतियोंके विद्यमानहैं परन्तु यहांपर लिखनेसे विस्तार होजाता इससे वे यथाक्रमसे जहांतहां लिखे जावेंगे- और विवाहमें जो कुछ वस्तु या शोकधन या सवारी आदि दियाजाता है वह यथार्थमें कन्याके निमित्तका होताहै क्योंकि कन्याके सौख्य और भोगोंके लिये दिया जाताहै परन्तु वरभी उसधनका मालिक इसहेतुसे कहाताहै कि वह उसकन्या का मालिकहै तौ उस धनकाभी मालिकहै-और वरका पिता केवल उतनेही धनका अधिकारी है कि जो उसे उसकी पूज्यताकी रीतिसे दियाजावै-परन्तु वह पिता वैवाहिक सारे धनका मालिक अपनेको इसतर्कणासे निश्चित करताहै कि मैंने पुत्रका पालन और विवाह किया इसमें मेराधन लगा-सो यह उसका वृथा अनुमानहै क्योंकि पुत्रके साथ जोकुछ पिता करताहै सो केवल विवाहका धनहरने सेही नहीं उद्धार होसक्ताहै अर्थात् विवाहका धनतौ एक तुच्छवस्तुमें गिनती है-और पुत्रतौ अपनी जीवन अवधि भरमेंभी पिताका बदला नहीं देसकैगा बल्कि पिताके मरेपीछेभी जो कुछकरे सो सब थोड़ाहै- और पिता जो पुत्रकी पालना आदि करताहै सो कुछ उसके ऊपर अहसानमें गिनती नहीं करसक्ता क्योंकि जो संसारमें रहकर अपना वंश वृक्ष और सुकीर्ति चाहैगा तौ सब कुछ करना पड़ेगा इससे वैवाहिक धनके अधिकारी कन्या और वरही होतेहैं-बल्कि पिताको तौ उस धनके सिवाय और कुछ अपने पाससे उन दोनोंको सत्कारकी रीतिसे देना चाहिये सोई मनुऋषिका वाक्यहै मांदेशां पांच श्लोकोंमें-यथा (शोचंति जामयो यत्र विनश्यत्याशुतत्कुलम् । नशोचंतितुयंत्रं वर्द्धते तद्धि सर्वदा १ जामयो यानि गेहानि शंपत्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीपि विनश्यंति समंततः २ तस्मादेताःसदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । भूतिकामेनैर्गमित्यंतत्कारेपूत्सवेपुच ३ पितृभिर्भ्रातृभिश्चैतानाः पतिभिर्देवैरेस्तथा । पूज्याभूषयित्वा श्रवहुकल्याणसीप्सुभिः ४ यत्रनार्य्यस्तुपूज्यंते रमंतेतत्रेदेवताः । यत्रेतास्तुपूज्यंते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ५) इनपांच श्लोकोंका यह अर्थहै कि जिसघरमें वे स्त्रियां (जामी) अर्थात् नयादा बहू बेटी भगिनी पत्नी आदि किसी कारणसे परितापीं कर शोकिन रहा करती हैं वह कुलशीघ्र नाश होजाताहै- और जहां वे (जामी) शिर शोक या शोच नहीं पानी हैं वह घर नदेव फला फुला होकर बढ़ताहै १ जित्त घरोंमें वे (जामी) स्त्रियां अपना सत्कार न होत और अपकारके पानेमें शाय दिया करती हैं वे घर नव औरमें ऐसे नाश होजाते हैं कि जानो महाभयंकरी पिशाचवर्गके रूपमें घिनने हैं-इत्या उमे कहने हैं कि जो तीक्ष्णमंत्र विधानों सहित योगों

हारेसेघात फेंकीजाती है २ तिसी कारणसे यह (जामी) संज्ञा वाली स्त्रियां ऐश्वर्यके चाहने वाले मनुष्योंको नित्यके सत्कारोंमें और विवाह आदि उत्सवोंमें अच्छे भोजन वस्त्र आभूषणोंसे सदाही सत्कार पूजा करिबे योग्यहैं- सदाही इस हेतुसे कहाहै कि भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालमें स्त्रियोंकी पूज्यता प्रसिद्ध है ३ अपना बहु कल्याण चाहनेवाले पिता चचा भाई पति देवर इनसबों करकेही स्त्रियां पूज्यहैं आभूषणोंसे भूषित कराइबे योग्यहैं ४ क्योंकि जहां स्त्रियोंका पूजा सत्कार होताहै तहां देवतावासकरतेहैं और जहां ये नहीं पूजीजातीहैं तहां सारेहीकाम निष्फलहोजातेहैं- यहाँ पूजा शब्द सत्कार और प्रतिष्ठाका वाचक है किंतु कुछ षोडशोपचारसे अपेक्षा नहींहै ५ इस वार्ताके भावको आगे ८२के श्लोकमें योगीन्द्र याज्ञवल्क्य भी कहेंगे- और व्यवहाराध्यायमें (स्त्रीधन) का निर्णय विशेषकरके कहेंगे तहां सर्वथा निश्चित है कि जो वैवाहिक धनहै सो बर और बधूकाही होताहै-परंतु इस योग्यताके आग्रह से किसी बरको यह अधिकार नहींहै कि वह अपने पिताके हस्तगत वैवाहिक धनको मांगे और भगडाकरै क्योंकि वह शिक्षा केवल उस पिताकेही लिये दृढतारहै कि वह अपने पुत्रको समर्थ और सुमार्गी समुभै तो उसधनको और कुछ अपने धनमेंसेभी सत्कारकी रीतिपूर्वक अपने हाथसे लेकर पुत्र और बधू दोनोंको सोंपदे-अथवा उन्हें बालक या उड़ाऊ समुभै तो उस धनको अपने द्वारा बर और बधूके सौख्यमें लगावै और जो आप धन पात्रहो तो कुछ अपने धनमेंसे भी किसीप्रकारसे उनके सौख्यम लगावै यह बर बधूके सत्कारकी मर्यादहै-अथवा जो आप असमर्थहो तो उस वैवाहिक धनको निस्संदेह शिवनिर्माल्य समुभकर अपने स्वार्थ में न लावै-और जो दैवयोगसे उसके आगे भी कोई कन्या विवाहने योग्यवैठीहो और वह इसहेतुसे उसधनको व्ययकरनाचाहै तो भी उसमेंसे आधा अपने पुत्रके संबंधसे लेकर उस कन्याके विवाह में लगावै क्योंकि उस पुत्रको भी अपनी भगिनी के कार्य में जैसा पैदाकरके लगानायोग्यथा तैसा इसमेंसे भी देनायोग्यहै-परंतु आधा जो विशेषतर बधूकेनिमित्त में गिनाजाता है उसपर दुर्नाति नहीं करै-और जो कदाचित् वह उस आधेपर भी दुर्दृष्टि करे तो उसबधू अथवा बधूकी बाल्यतासे उसके पिता, माता आदिको अधिकारहै कि वे उसमें हाथ नहीं लगानेदें-ऐसे ऐसे सिद्धांतोंसे सर्वथा यही निश्चितहै कि कोई कन्याका पिता अपनी बेटी और जामातको निज इच्छापूर्वक चाहो ताम्ब रुपयेका धनदेदेवै कुछ इस बातका निषेध नहींहै परंतु ऐसे ढंगसे न देवे जो दिये पीछे वहधन उसकी कन्या और जामातके सौख्यमें न लगसके-अर्थात् जो कुलके क्रय विक्रयके प्रकारसे दिया लियाजाताहै वह सर्वथा अनुचित है क्योंकि (प्रथम) नौ धर्मशास्त्र से विरुद्ध इसहेतुसे निश्चितहोताहै कि शास्त्रमें इमवातकी आज्ञाकहीं

भी नहीं पाई जाती है कि कुलका क्रय विक्रय किया जावे ( दूसरे ) इस क्रय विक्रयके अनुसार देनेसे वह धनदाताकी कन्याके अधिकारसे दूर होजाता है इसीहेतुसे बहुतेरे लोभी और निर्मर्याद लोग अपनीपुत्रवधू के आभूषणको भी उसकेशरीर से ब्रह्मा ब्रह्मा तकउतार लेते हैं पश्चात् कन्यापिताअपनी पुत्रीकीदया अथवा लोकलाजके लिये फिरपहनाकर भेजता है उसकोभी विवाहसे आधागौनेकाहक बताकरलेलेते हैं तब कन्यापिता फिर तीसरी बार भी देता है परंतु ऐसे सामर्थ्यवान् और धनाढ्य पिताथोड़ेहोते हैं जो बारम्बार फटेकोसीते हैं-इस्सेकन्याके पिताको पहलेसेही इसबातका विचार और प्रबंध और प्रतिज्ञादृढ़ करलेनी उचित है कि जो कुछ मैं देता हूं सो सबमेरी कन्याके निमित्तका समुझाजाय (तीसरे) इसी क्रय विक्रयके बंधनसे यह बड़ा लाञ्छन है कि धनके अभावमें बहुधा कन्यायें अधिक अवस्थाकी होजाती हैं उनके संबंधका ठिकाना नहीं लगता और इसबातसे जो कुछ दोष उत्पन्न होते हैं सो संसारमें सबको विदित है और शास्त्रमें भी आगेवढ़कर ६३ के श्लोकमें देखो क्या लिखा है-यद्यपि ऊपर लिखे हुये गुणदोष कुछसभी मनुष्यों में नहीं होते परंतु जिसबातकी बाहुल्यता होती है वही गिनतीमें आयाकरती है-और यहबात कुछ किसीकी निंदास्तुतिके लिये नहीं लिखी गई है अर्थात् केवल सार्वलोकी कल्याण वा हितकी दृष्टिसे संदर्शित करी है-और जो निंदा समुझाजाय तो लिखनेवाला सबसेपहले उनलोगोंमें गिनती है और वेही गुण दोष इसमें भी आघोषांत भरे परे हैं फिर ऐसा कौन है जो अपनी निंदा अपने हाथसे लिखेगा- परंतु कारण इसमें इतना है कि भले मनुष्योंकी यह परिपाटी सनातनसे चली आई है कि उनको जबकभी किसीस्थलपर किसीहेतुसे सद्धर्म अर्थात् द्वितयलोक सुखदायक वार्ताका निर्णय करना पड़े या उसनिर्णयमें साक्षीभूत होना पड़े तहां अपने और पुरायेका पक्षपात छोड़कर अपने शत्रुके भी गुण प्रकाशित करे किंतु शत्रुता तो वक्के स्थानपर होगी और यह अवसर उसके गुण कहनेका है इसमें अपनी धर्मनीतिमें उसके गुणोंका लोप न करना चाहिये-ऐसेही अपने अथवा अपने गुरुओंके भी दोषकर्म का अवसर हो तहां निरुन्मदेह दोषकहने उचित है इसमें स्पष्टवक्ता दोषभागी नहीं रह सक्ता है-तथाच (शत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुणैरपि । सद्भिः सद्धर्मकथनं विनाय परपक्षयोः) इसीपक्षपातके श्लोकमें यह जो कहा है कि यत्पूर्वकं पुंसत्व नपुंसत्वके सर्वे परीक्षाकरे तिनका यहभाव है कि प्रत्यक्षप्रकारोंसे परीक्षाकरना तो सर्वथा अनुचित है परंतु जहांकहीं इसबातकी आवश्यकता आनिपड़े तहांकेलिये नागद्वी के वा गुआ यह उपाय है कि-जिनमनुष्यकार्याजजलके ऊपर तैरनेलगे उबनेहीं तिसको पुंस जानो और जिनका मूत्र (इति) हो अर्थात् मूत्रकी धारमें धरतीमें विशेष गड़बड़ न जाय तिसको पुंस जानो और जिनके मूत्रमें फनाबहुत उठे उसको पुंस जानो-और जिन



पुरुषमें यहकहेहुये लक्षणउलटेहों तिसको नपुंसकजानो-तथाच(यस्याप्सुप्लवते बीजं  
ह्रादि मूत्रंचफेनिलम् । पुमान्स्याल्लक्षणेरेतैर्विपरीतैस्तुषण्डकः ५५ ॥

यदुच्यतेद्विजातीनांशुद्रादारोपसंग्रहः । नैतन्मममंतयस्मात्त्रात्माजायतेस्वयम् ५६ ॥

अक्ष०— जो कहिये है द्विजातियोंको शूद्रसे दाराका उपसंग्रह नहींहै यह मतमेरा  
जिसे उसमें आत्मा आपही उत्पन्नहोवैहै ५६ ॥

अभि०—द्विजातियोंके लिये जो मनुस्मृति शास्त्रमें शूद्रकुलसेभी स्त्रीका संग्रहणक-  
रना कहतेहैं सो यह मेरा संमतनहींहै क्योंकि उस शूद्रास्त्रीके उदरमें यह द्विजातियों  
का आत्मावीर्यरूपहोकर आपही जन्मलेताहै सो यहमेरी समुभ्रसे अनुचितहै ५६ ॥

अधि०—इस्से पहलेजो ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । इनचार श्लोकोंमेंविवाहकीमुख्य  
रीति कहचुके हैं सोवह मुख्यविवाहभी तीनप्रयोजनों से कियाजाता है अर्थात् एक  
तौ केवल स्त्रीके भोगमात्रकी बांछासे अर्थात् जिसकेपुत्र तौ विद्यमानहै और भार्या  
नष्ट होगई ऐसामनुष्य जो विवाहकरना चाहै तौ भोगमात्रकी बांछा १ दूसरा कोई  
प्रकारका धर्मसाधन करनेकी आकांक्षासे कि जो धर्मस्त्रीबिना नहीं होसक्ताहो २ ती-  
सरापुत्र पैदाकरने की अपेक्षासे ३ तहां जो पुत्रके प्रयोजनसे कियाजाताहै सोभी दो  
प्रकारका होताहै एक तौ (नित्य) जो गृहस्थीमात्रको संतानकी अपेक्षा सबहीको अ-  
वश्यहुआ करतीहै दूसरा(काम्य)वहकिजो ठेठकर पुत्रहीकेअर्थसे विवाह करनाचाहै—  
तिसमें (नैमित्तिक)संतानकी अपेक्षामें तौ विशेषकर सवर्णासेही विवाहकरना मुख्यहै  
और यद्यपिसभी प्रयोजनोंमें सवर्णामुख्य है परन्तु जब सवर्णाकालाभ नहीं होसक्ता  
हो तौ (काम्य) संतानवाला और भोगमात्रकी बांछावाला असवर्णा से भी विवाहकरै  
सोयहमुख्य विवाहका (अनुकल्प)कहलाताहै उसअनुकल्पके मध्ये मनुस्मृतिने ब्राह्मण  
के लिये चारोंवर्णकी कन्या लेनीकहीं । और क्षत्रियकेलिये ब्राह्मणी छोड़कर तीनवर्ण  
कीकहीं वैश्यकेलिये ब्राह्मण क्षत्रियको छोड़कर दोवर्णकीकहीं और शूद्रकेलिये केवल  
शूद्रकीही कन्यालिखी अर्थात् अपनेसे उत्तमवर्ण की नहीं इसलिये याज्ञवल्क्यजीने  
ऊपर निषेधकिया है ब्राह्मणआदि तीनवर्णोंको अपनेसेहीन वर्णोंमेंभी (अनुकल्प) वि-  
वाहमें शूद्रकीकन्यासे विवाह न करनाचाहिये परन्तु शेषवर्णोंकी कन्याकेलिये याज्ञव-  
ल्क्य भी नीचेके श्लोकमें आज्ञादेते हैं सो इसहेतुसे आज्ञादेते हैं कि किसीप्रकार से  
सृष्टिकी बढ़वारीमें न्यूनतानहींहोनेपावै परन्तु वहआज्ञा ऐसीनहीं है कि जेमे वर्तमान  
समयके बहुधा उत्तम वर्ण चांडाली पर्यंत भीबिना विवाहेही घेरलेते हैं और उनको  
कोईप्रकार का दंडनहीं दियाजाता है ५६ ॥

तिस्रोवर्णानुपूर्व्येणद्वैतयैकाययाक्रमम् । ब्राह्मणक्षत्रियविशानार्यात्वाशूद्रजन्मनः ५७ ॥

अध०—यथाक्रम से पहले पहले से लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातों को तीन

दो एक वर्णों की भार्या और शूद्रजन्मा को अपने वर्णकी भार्या उचित है ५७ ॥

अभि०—ब्राह्मणको तीनवर्णकी भार्या इसक्रमसे कहीहैं कि ब्राह्मणकी अभावमें क्षत्रियकन्या और क्षत्रियाके न मिलनेमें वैश्यकन्या-ऐसेही क्षत्रियको सवर्णके अभावमें वैश्यकन्या-और वैश्यको केवल सवर्णा ५७ ॥

अधि०—अनुमानसे प्रतीतहोता है कि मनुजीने जो द्विजातियों के लिये शूद्रकन्या से भी विवाह करना लिखाथा तौ उस समयमें शूद्र भी कुछ उज्वल गिनेजाते होंगे किन्तु अबकीसी मलीनता उनमें न होगी पर पीछे पीछे याज्ञवल्क्यजी के समय में मलीनता का प्रवेश उनमें अधिक होगया इससे उन्होंने निषेध करदिया और जो कुछ हो सो हो-परन्तु अब उन दोनों ऋषियों की कही हुई यह मर्यादें जो ऊपर ५६ । ५७ के श्लोकों में कही हैं सो सब ( नष्टाग्निसंज्ञक ) होगई इससे इनका प्रचार उठगया ५७ ॥

अब नीचे आठप्रकारके विवाहों के लक्षण और उनके फलभी भिन्न२ कहते हैं ॥

ब्राह्मोविवाहः आहूयदीयतेशक्त्यलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम् ५८ ॥

अक्ष०— वह ( ब्राह्मविवाह ) कहलाताहै जिसमें वरकोबुलाय कर अपनीशक्तिकेअनुसारकन्या को अलंकृत करके दानकरते हैं-उसविवाहसे पैदाहुईपुत्र संतान दोनोंआर से इक्कीसपुरुषों को पुनीत करताहै-अर्थात् पिताआदि दशपहले और पुत्रआदि दश पिछले इक्कीसवां आप ५८ ॥

अधि०— यह ( ब्राह्मविवाह ) सबसेउत्तमहै किन्तु आठ विवाहोंमें यही मुख्यहै और वर्तमान समयमें सर्वत्रतीनों वर्णके मनुष्योंमें यहीरीति प्रधानहै और आचरण की जाती है-परन्तु याज्ञवल्क्यजी यही कहकर चुपकेहोगये कि शक्तिके अनुसार कन्याको अलंकृत करके दानकरै-अर्थात् कन्यापिता कीशक्तिकेही प्रधानरक्खा किजैसी उमकी शक्ति और सामर्थ्यहो तैसावस्त्र आभूषण आदिदेवै-परन्तुयह इतना शब्द अपनेमनसे नहीं काढसके कि चाहै उसकेपामहो या न हो परसमर्थीके बड़प्पनके अनुसार परले करारकरके पीछेबहुत कुछदेवै तब उसविवाहको ( ब्राह्मविवाह ) कहें ५८ ॥

यज्ञस्थः ऋत्विजं देव आदायार्स्तुगोद्वयम् । चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पर ५९ ॥

अक्ष०—यज्ञमेंस्थित ऋत्विज को कन्यादेना देव-और दौबैललेकर ( ब्राह्म ) पहलमें जन्मा चौदह पिछलेसे जन्माःको पवित्रकरता है ५९ ॥

अभि०—यज्ञकरातेहुये आचार्यको यथाशक्तिमें अलंकृतकरी कन्याका दानकरदेन यह ( देवविवाह ) कहानाहै-और वरमें दौबैललेकर कन्यादानकरना यह ( आर्षविवाह ) कहानाहै-इनमेंदेव विवाहकी पत्नीमें पैदाहुआ पुत्र पहली पिछली १४ पीढ़ीको और ( आर्षविवाह ) की भार्यामें जन्माहुआ पुत्र ६ पीढ़ियोंको पवित्रकरता है ५९ ॥

अधि०—( दैवविवाह )का यह अर्थ है कि देवताओं की रीति अनुसार ( आर्षविवाह ) का यह अर्थ है कि ऋषियों की रीति अनुसार—तहां ऋषियों की रीति में जो दौबैल बरसे लेने कहे सो उस अवस्थामें कि जब कन्या पिताके पास कुञ्चन हो सो वह बैलों का लेना कुछ यह नहीं है कि सदेह बैल ही उससे लिये जावैं अर्थात् शास्त्रवक्ता का यह सिद्धांत है कि कुछ थोड़ा सा द्रव्य उससे लेकर कन्याके बस्त्र आभूषण आदिका प्रबंध उसी द्रव्यसे करके कन्यादान कर देवै सो उस द्रव्यके लेनेका नियम निश्चय करनेके लिये बैल कहे हैं कि जितने मूल्यसे दौबैल आसक्तें हों उतना उससे लेवै—इसमें भी यह तर्कणा है कि दौबैल २०) रुपयेसे भी आजाते हैं और विरले बैल दोसौ २००) रुपयेके भी होते हैं फिर इसका क्या नियम होसक्ता है—तहां परमसिद्धांत यही है कि जैसे मूल्यके बैल खरीद सकने की सामर्थ्य बरमें हो उसीके अनुसार उससे ले और उसमेंसे एक कपर्दिका भी अपने स्वार्थमें नहीं लगावै क्योंकि जो अपने स्वार्थमें लगावेगा तो कन्याके विक्रय करनेका दोष भागी हो जावैगा—और यह मर्याद केवल इसी निर्वाहके लिये कही है कि कोई प्रकारसे किसी निर्धनकी कन्या कुमारी नहीं रहने पावै—और यही रीति कोई निर्धन करै तो इसमें उसकी निदान ही है कि तु प्रशंसामें गिनती है उन लोगोंकी अपेक्षासे कि जो निर्धनतासे कन्या घरमें बैठी राखते हैं—अन्यथा साक्षात्कार बैलोंका जोड़ालेना यह सर्वथा अनुचित और असंभव है ५६ ॥

इत्युक्त्वा चरतां धर्मसहयादियतेऽर्थिने । सकायपावयेत्तज्जः पट्टपड्वंश्यान्सहात्मना ६० ॥

षष्ठ०—साथ मिलकर दोनों धर्मका आचरण करौ यह कहकर जो अर्थीको कन्या दीजिये है सो ( कायविवाह ) है उससे जन्मा पुत्र आप सहित छेछेवंशियों को पवित्र करता है ६० ॥

अभि०—जब कोई अर्थी किसी कन्यापितासे अपने आप कन्या मांगता है उससे यह प्रतिज्ञा ठहराली जाती है कि यह कन्या और तुम दोनों मिलकर परस्पर प्रीतिपूर्वक धर्मके अनुसार आचरण करना अर्थात् कोईसी लोकविरुद्ध या शास्त्रसे विपरीत अनीति नहीं प्रकट हो—सो इसको ( काय ) विवाह अर्थात् ( प्राजापत्य ) विवाह कहते हैं इम विवाहकी भार्याका पुत्र अपनी आत्माको आदिलेकर छे पीढ़ी पहली और छे पिछलीके पुरुषोंके पापघोदेता है ६० ॥

भासुरो द्रविणादानाद्गांधर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाच्छलात् ६१ ॥

षष्ठ०—द्रविणलेनेसे ( भासुर ) परस्पर संमतिसे ( गांधर्व ) युद्धमें हरनेसे ( राक्षस ) कन्याच्छल से पैशाच ६१ ॥

अभि०—कन्याका पिता द्रव्यलेकर विवाह कर देवै सो ( भासुर ) विवाह कहता है क्योंकि द्रव्यलेकर कन्या देना या द्रव्य देकर भार्या लेनी यह दोनों लक्षण अमुरोंके प्रसिद्ध हैं—

कन्या और वर परस्पर अपने अनुरागसे विवाह ठहरालेवै सो (गांधर्व) विवाह कहाताहै क्योंकि यहीतिगंधर्वोंकी प्रसिद्धहै-युद्धकरके कन्याछीनलावै और उरसे विवाहकरले सोयह (राक्षसी) विवाह कहाताहै-सोवतीहुई या किसीभाँति भूलीभटकी कन्याको छल करलेजावै और विवाहकरै सो (पैशाच) विवाहहोताहै क्योंकि यहदुर्नीति पिशाचोंकी प्रसिद्धहै ६१ ॥

अवसवर्णा और परवर्णा कन्याओंके विवाहमें विशेषलक्षण कहतेहैं ॥

पाणिग्रहणःसवर्णासुगृहणीयात्क्षत्रियाशरम् । वैश्याप्रतोदमादद्याद्वेदनेत्यग्रजन्मनः ६२ ॥

अक्ष०—सवर्णाओंमें पाणिग्रहणउचितहै-क्षत्रियाशरथाँभै-वैश्याप्रतोदलेवे-यहीति अग्रजन्माके विवाहमें ६२ ॥

अभि०—सवर्णा अर्थात् जिसजातिकावरहो उसीजातिकी कन्याहो तोसवर्णाछी कहलातीहै सो अपनीअपनी जातिकी सवर्णा कन्याओंकेविवाहोंमें पाणिग्रहण करना किंतु कन्याका हाथवरको थाँभना उचितहै जैसीकुछरीति संसारमें प्रवर्तितहै-परंतु जहाँपराय वर्णकी कन्यासे विवाहस्वीकार हुआहो जैसा ५७ के श्लोकमें कहचुकेहैं तहाँउस विवाहमें कन्याका हाथपकड़ने का अधिकार वरकोनहीं है-अर्थात् हाथपकड़ने के पलटे कुछविशेषताहै सोकहतेहैं कि क्षत्रिय कन्याजब अपनेसेअग्रजन्मा जो ब्राह्मणहै तिसमें विवाहकरै तो हाथथाँभानेके स्थानमें उस ब्राह्मणकेहाथसे थाँभीहुई छड़ी, लाठी,वेत आदिको दूसरीओरसेपकड़लेवै-ऐसेही वैश्यकीकन्या अपनेसेबड़ाक्षत्रिय या ब्राह्मणा से विवाहकरै तो उस वरके हाथका थाँभाहुआ प्रतोद पैना चाबुक सो थाँभलेवे ६२ ॥

अधि०—याज्ञवल्क्यजीने ५७ के श्लोकमें द्विजातियोंको शूद्रासे विवाहका निषेध कियाथा इसलिये उसके विवाहका विशेष लक्षण भी इस श्लोकमें नहींकहा-परंतु मनुजीने उसका भी विशेष लक्षण कहाहै कि शूद्र कन्या अपनेसे उत्कृष्ट जो वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण इनतीनों द्विजातियोंमें किसीकेसाथ विवाहकरै तो पाणिग्रहणके स्थानपर वरके काँधेका पटका दुपट्टा आदि जो कुछ वस्त्र तिसका एक अंग अर्थात् खूँट किनारा थाँभले-नथाच (वसनस्यदशाग्राह्याशूद्रयोत्कृष्टवेदने) यद्यपि इसयातमें कुछ प्रयोजन अब नहीं है परंतु ज्ञानमात्रके लिये लिखीगईहै ६२ ॥

अब यहयात कहतेहैं कि कन्याको दानकरनेका अधिकार किस किमकाहै ॥

पितापितानतोव्रानासकुल्योजननीतथा । कन्याप्रदःपूर्वनाशोप्रवृत्तिन्धःपरःपरः ६३ ॥

अक्ष०—पिता, दादा, भ्राता, मकुल्यकहिये कुलका कोई प्रधान तैमेही माना-कन्या देनेका अधिकारी पहले पहले के नाशमें पिछला पिछलाहै जो प्रवृत्तिन्धहो ६३ ॥

अभि०—प्रवृत्तिन्ध अर्थात् अपनी शुद्धि बुद्धिमें नावधानहो किंतु सिद्धी या विद्वान और अशक्त न हो ऐसा पिता कन्याके देनेका अधिकारी है-जो पिता नाशहोना

जीवताहो पर विक्षिप्त आदि दोषोंसे विवाहकरसकनेमें असमर्थहो तो कन्याके दादा को अधिकारहै-जो दादा भी नहो या वैसाहो तो कन्याका भाई अधिकारीहै-जो भाई भी नहो या वैसाहोतो उसकुलमें जोकोईप्रधान गिनाजाताहो या अप्रधानभीसामर्थ्य वालाहो तो यहभार उसकेउपर निश्चितहै-जब ऐसाकोईभीनहोतो मातापरइसबात का भारहै ६३ ॥

अधि०—अशक्त या असमर्थ कहनेका केवल यहीसिद्धांत नहींहै कि वे अपनेशरीर सेहीअसमर्थहों अर्थात् जो धनसेहीनहै वहभी प्रकृतिस्थोंमें गिनतीनहींहै किंतु जो उसका उत्तरोत्तर अधिकारीकोईभी धनवानहो वहीप्रकृतिस्थ कहलावेगा-और उपर केकहेहुये जो पांचअधिकारी हैं उनका कुछ यह भी नियमनहींहै कि वे कन्यापिता के साभेमेंरहतेहों या न रहतेहों-अर्थात् चाहेवेपांचकेपांचोअपनाखानेकमानेकाव्यवहार जुदारखतेहों या चाहे उनकेघरकी धनसम्पत्तेंभी विभागता में आचुकीहों जो पहले सबकी एकथी-परन्तु इसकन्यादान के अधिकारभार में ऐसे समुझे जायेंगे कि जानो सबके सब एकहैं ६३ ॥

अप्रयच्छन्समाप्नोतिभ्रूणहत्यामृतावृतौ । गम्यंत्वभावेदातृणांकन्याकुर्यात्स्वयंवरम् ६४ ॥

अक्ष०—वह न देताहुआ ऋतुऋतुमें भ्रूणहत्याको प्राप्तहोताहै-दातृओंके अभाव में कन्याआपही गम्यवरको करै ६४ ॥

अभि०—कन्यादानमें जिससमय जिसका अधिकारहैसो कन्याका विवाह न करै तो एक २ ऋतुकाल मासिकधर्म होनेसेएक २ गर्भहत्याकाभागी सदाहोतारहताहै-जिस कन्याका विवाहकरनेवाला कोईभीअधिकारी नहींरहाहो वहकन्या आपही किसी गम्यवरको वरै-गम्यकहनेका यह आशयहै कि जो वरउसके गमनयोग्यहो अर्थात्जैसे वरकोउसके अधिकारी उसेदेसक्तेथे वैसाही वरकन्या अपनेआपदुंदै सो उसवर के लक्षण पहले ५५ के श्लोकमें कहचुकेहैं ६४ ॥

अधि०—अपने आप दुंदनेका यह सिद्धांत नहींहै कि वहकन्याअपने मनसे किसी वरकोविचार लेवे या कहींग्रामांतर में दुंदती फिरै-किंतु अपने नष्टभूत अधिकारियों के शुभचिंतक इष्टमित्रोंसे कहकर उसवस्तीके पंचों और नरेशोंमें यहवात प्रवेशित करवाकर अपनेयोग्यवर दुंदवावे-औरइसीआशयसे उनपंचोंवानरेशोंकेभी यहसंमूचितहै कि इसप्रकारकी कोईकन्या उनकी वस्तीमें विनाविवाही नहीं रहनपावे अर्थात् केवल यहीनियम नहींहै कि जबकन्याउनके पास निजप्रार्थनाका प्रवेश करवावे तभी उसके लिये वरदुंदाजाय-किंतु-उनको प्रजारक्षाके नियमोंअनुसार सदाही यह योग्यहै कि वे इसप्रकारकी अनाथकन्याओं के विवाहोंमें प्रबंधकरनेरहें-और प्रबंधका करनाकेवल यहीनहींहै कि उसके लिये वरदुंदवाकर चुपके होरहें अर्थात् प्रार्थना या विनाप्रार्थना

वाली ऐसी अनाथकन्याओंके पास जो धन नहीं होवे तो उसविवाहके योग्य कुछ धनभी उसस्थान और समय और शक्ति और योग्यताके अनुसार संचित कर देवें (अथवा) जहां किसी हेतुसे धनका उपस्थित होना दुर्लभ समुभा जाय तब निरसंदेह आर्पविवाह की रीतिसे उपकार करवा देवें और इस उपकारमें उनको वैसार्हा उद्योग करना सूचित है कि जैसे गृहस्थी अपनी संतानोंके मंगलमें उत्साह रखता है (भेद २) इसकहेहुये आशय से यह योग्यता पाई जाती है कि इस प्रकारका धनसंचय भी थोड़ा बहुत प्रत्येक बस्तीके अधिष्ठाताके उपायसे संग्रह पाकर किसी धनपात्रके आश्रयभूत रहकर सदैव वृद्धि पाया करे जिसे तत्काल किसी नवीन उपकारमें बहुधोपाय न करना परै-इसी आशयसे उन पंचों वा नरेशोंकी योग्यता भी सब ओरसे आकर्षित होकर देशके राजापर आरूढ़ होती है क्योंकि जिस किसी आपत्ति में फँसेहुये दीनदुखियाका रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं होता है उसका रक्षक राजा हुआ करता है जिसे राजा प्रजाका स्वामी है- तथाच (नकोपिरक्षितायस्य दीनस्यापद्गतस्य च । तस्यैव नृपतिः पाताय तो भूपः प्रजाप्रभुः) (भेद ३) ऊपरके भेदमें कहेहुये धनसंचयका होना कुछ बड़ी सी काठिन्यता नहीं है क्योंकि प्रथम तो अनेक रीतें उसकी लोकमें प्रसिद्ध हैं कि जिनसे बहुतेरे संसारी कामोंके लिये उपकारी धनका संचय किया जाता है फिर एक पुण्यार्थी धनका संचय होना क्या बड़ी बात है कदाचित् उन रीतोंसे असंभवता समुभी जाती हो सबसे सुगम यह रीति है कि जो चातुर्वर्ण्य मनुष्योंके विवाहोंमें बरके हाथसे कुछ धनसंकल्प यथाशक्ति किया जाता है वह धनकन्याके आम्बासीविप्रोंको बर्त्ताया जाता है उस धनके दान करनेका परमसिद्धांत तो यही है कि बर और कन्या इन दोनोंके जन्मभरकी कुशलक्षेमके हेतुसे पुण्य किया जाता है कि इस पुण्यके प्रभावसे यह दोनों फूलते फलते रहें परन्तु बहुधालोग उससे अपना नाम भी समुभते हैं सो भी सत्य है किंतु यथार्थता उसकी पुण्य और प्रतिष्ठा दोनोंपर पहुंचती है- और जब अवस्थाभाव करके दिया जाता है तो एक ऐसी रीतिसे देना कि जिसे वह पुण्य और प्रतिष्ठारूपी वृक्ष उनका सदा सर्वदा हराफरा दृष्टि में आया करे तो क्या अच्छी बात है किंतु वही धन एकत्र उस बस्ती में संचित होता रहे और साहूकारे की रीतिसे उसका ब्याज भी बढ़ता रहे और हर साल उक्त मार्गसे संग्रह भी होता रहे तो इस प्रकारसे अनेकों लक्षरूपया प्रत्येक बस्ती में संचित हो जाय और आवश्यकता पर काम आया करे (भेद ४) और कदाचित् विप्रकुल मनमें इस बात का दुःख मानता हो कि वह धन हमारा हक सो क्योंकर एकत्र संचित । तहां प्रथमतो उनको इस अभिमानसे प्रसन्नता धारण करनी चाहिये कि रक्षाका हेतु निश्चित किया गया है अर्थात् वह धन एकत्र संचित होनेपर कहलावेगा और उसमेंसे किसी उपकारमें लगाना भी उनकी आज्ञा नहीं हो सकेगा



अर्थात् जबवही विप्रकुल अपनेहस्ताक्षरकरदेवैगा कि इतनाद्रव्यब्राह्मधनमेंसे अमुक उपकारमें दियाजावे तबकोई हाथ लगासकैगा-और यहकैसी बड़ीबातहै कि उसी विप्रकुल मेंसे जबकिसी एकपर कन्यादान आदिकोई सी विपत्तिआनि पड़ेगी तब उसमेंसे सबकी संमति और आज्ञासे उसकाबेड़ा पारकियाजायगा किन्तु कुछयही नियमनहीं है कि केवल अनाथ कन्याओंकेही उपकारमें लगै-और जब विप्रकुलमें ऐसा सुखदायी प्रबंध और लोगदेखेंगे तौ वेभी उनकीदेखा देखी लोकलाज के लिये ऐसे नानाभांति के प्रबंधबांधेंगे जिससे कोईमनुष्य किसीभांति दुःखीनहीं रहनेपावै तौ सर्वथा इसबातके मुखिया विप्रही गिनेजायेंगे-और विप्रकुलको जो बड़प्पन या आचार्यकी पदवीमिली थी तौ इन्हींबातोंसे कि वेपहले आप शुभकामों का आचरण करते और औरोंसे करवातेथे- शोचनेकी बातहै किजब किसीने पांचरूपये के पैसेवर केहाथसे सङ्कल्प कराये और एक२ या दो२आने कुछमनुष्योंके हाथआये तौदोदिन के पान तमाखूखानेसे क्याफल सिद्धिहुई अथवा कहीं कालांतरमें किसी अमीरने कदाचित् विप्रोंके हज़ारघरकीबस्तीमें हज़ारका संकल्पकिया और घरपीछे १)आगया तौभी क्या बड़ी बातहुई(भेद ५)कदाचित् देनेवाला यहसंकोचमानै कि मैं विप्रोंकोदेता तौ पुण्य और प्रतिष्ठायी एकत्र संचितकरनेमेंक्याहै सो यहसंकोच उसकावृथा है क्योंकि पुण्यकी ओरसे तौ उसकी यह विशेषताहै कि वहांतौ दो २ पैसे कुछआदमी चाटिके फिर ज्योंकेत्यों और इसमें जोधनकी वृद्धिहोयगी सोभी लौटकर उन्हींकेपरस कल्याणोंमें लगैगी और सदैवकाम आवेगी और यहबात सबकोई जानताहै कि दाताकापुण्य उसदानमें अधिक होताहै कि जिस्से किसीको अधिक आराम निकलै फिर इस्सेअधिक आराम और क्याहोगी कि एकवारकादेना सदा सर्वदा कामआया करै और प्रतिष्ठाकी ओरसे यह बड़प्पनहै कि वहां तौ अपनीशक्तिकेअनुसार जितने विप्रोंके हाथपरधरा उतनोंने कुछवाह वाहकरी और जिनकेहाथ कुछनआया उन्होंने आगे औरपीछेभी निंदाकरी और यहाँ जिसकिसी धनाढ्य साहूकारके खजानेमें वह रुपयाजमाहुआ और विप्रकुलके जो प्रधान और प्रतिष्ठितसब मिलकरके जमाकराने गये उनके सन्मुख उसकानाम लिखकर जमाकिये गये और प्रमाणके लिये उमकी दूकान या कोठीआगे दो पांक्तिका प्रसिद्धपत्र चिपटायागया कि अमुकमासमें अमुक मनुष्यके पाँच या पचास रूपये (ब्राह्मधन) में चढ़े तौ इस्सेअधिक प्रतिष्ठा क्याहोगी (भेद ६)इसप्रकारके धर्मसंबन्धी प्रयोजनोंका प्रबन्ध बहलोग करमक्तेहैं कि जोसंप्रति सभाओंका प्रकाश नानानामसे करतेहैं-और जो वह इनबातोंमें उद्योग न करमक्तेहैं तौ इस्सेआगे और क्या शतश्रीका बाँधना उनके जिस्सेकियाजायगा किन्तुधर्मशब्द के विशेषणवाली वस्तुतौ धर्मसंबन्धी कामोंमें सहायताकरनेसेही यथानाम तथागुण

होसक्तीहै अन्यथा धर्मकोई ऐसीवस्तुनहींहै कि जिसकी मूर्तिके ध्यान या नामके आ-  
 राधनमात्रसे कुछकाम चलसक्ताहो किन्तुधर्मशब्दसे द्वितयलोकी मर्यादोंका भाव  
 पाया जाताहै उसमेंभी पहले यहलोक और पीछे परलोकहै जो इसलोकका प्रबन्ध  
 अच्छा करसकेंगा तौ परलोकभी सुगम होजायगा परन्तु किसी प्रबलकी दीहुई तीन  
 बातोंके विना न करसकनेमेंभी उनका क्यादोषहै सो उनतीन बातोंमें एक तौ जो कुछ  
 शुभचिंतकताके प्रकारसे सभावाले कहें उसको और लोग प्रमाणकरें दूसरी जो उस  
 वार्ताका उत्पादनकरै वह किसी प्रकारका दण्डपासके तीसरी निर्लोभता जिसमें कुछ  
 अपनास्वार्थ नहींदेखें-इनबातोंका अधिकार जैसे सभासदोंके लिये उचितहै तैसेही  
 प्रत्येक जातिकी विरादरीमें जो मुखियाहों उनकोभी उचितहै कि जो मनुष्य उनकी  
 विरादरीका विवाह योग्यकन्याके विवाहमें अधिक उपेक्षाकरै वह उनकेद्वारा ज्ञातिदंड  
 का भागीहो और जो वेही उसको दंडदेनेसे उपेक्षाकरें तौवेभी उसग्रामकी सभाद्वारा  
 शिक्षापानेके योग्य निश्चित कियेजायँ ( भेद ७ ) इसी ६४ केइलोकमें विवाहकी उपेक्षासे  
 भ्रूणहत्याका पाप निश्चितहुआ और उसीआशयसे उपेक्षावाला दंड्य निश्चितहोचु-  
 का-फिर जब विवाहकी उपेक्षा इतनीबड़ी समुभीगई तौ द्विरागमनकी उपेक्षाको इसमें  
 भी सहस्रगुण समुभनी चाहिये क्योंकि विवाहके नहोनेमें अविवाहित या अविवाहि-  
 ताको एकप्रकारके संतोषकी धारणा बुद्धिवनी रहतीहै और विवाहके होजानेपर दोनों  
 को एकप्रकारका उत्साह उत्पन्न होजाताहै फिर जबऐसी दशापर द्विरागमनके बंधनसे  
 उचित अवस्थाके उपरांतभी पाँच२ सात२ वर्षोंका वियोग करदेना तौ यहअपराध  
 सर्वथा उनके अधिकारियोंकाही प्रत्यक्षहै कि जो इसआग्रहसे उपेक्षा करतेहैं कि जब  
 विवाहसे आधाखर्च हाथआवै तब यहवातहो या इसआग्रहसे कि अब समवर्षका प्रार-  
 म्भहोगया जब फेर विषमआवे तब दोवर्षके अंतरसेहो-तहां आधेखर्चका आग्रह  
 तौ सर्वथा निरर्थकहै क्योंकि जब निर्धनतासे विवाहकीही उपेक्षा अनुचितहै तौ द्विरा-  
 गमनमें धनकी क्या अपेक्षाहै प्रथम तौ वर्षोंतक विवाहके उद्योगमें चिंतारही जबदेव-  
 योगसे उसबातका ठिकानालगा तब करेकरायेपर फेरकुआँमें डालदिया कि अबफेर  
 आधाखर्च मिलै तौ यहविवाह विवाहोंकी गिनतीमेंआवै नहीं तौ ढोलोंसे खालगई  
 फिर क्या इससे फलसिद्धिहुई कि आपतौ दोनोंपक्षी भ्रूणहत्या के भागीहोना और  
 जिन दोनोंके सौख्यकेलिये धनलगायाथा वे दोनों आपको संतापित होतेरहे और  
 गुरुओंके सन्मुख यद्यपि कुछ कहतेनहीं परन्तुवेभी उनको अपराधी निश्चित करतेहैं  
 यहवात उस भ्रूणहत्यासे भी अधिकहुई-और कालकी अवधिका जो आग्रह यद्यपि  
 ज्योतिषविद्यामें नियतहै सो वह कुछ अधिकप्रमाणके योग्यनहींहै क्योंकि धर्मशास्त्रने  
 विवाह संबन्धी कोईसी छोटीमोटीभी बातकीआज्ञा और नियमको कहनेसे नहींबोड़ा

फिर इतनी बड़ी बात जो विवाहसे आधीगिनी जाती और घंटाघोषसी प्रसिद्ध है उस की किंचित् समस्याभी नकरता जो प्रमाण योग्य होती-और जो यह बात कहो कि ज्योतिष भी एक प्रकारका शास्त्र है क्या उसकी बात प्रमाण योग्य नहीं होसकी है तिसका यह सिद्धांत है कि ज्योतिषमें चोरोंकेलिये चोरी करनेके भी मुहूर्त्त लिखे हैं अपघातियोंके लिये किसीके घात करनेके भी मुहूर्त्त लिखे हैं तौ क्या उसमुहूर्त्तके लिखे होनेसे चोरी करनेकी प्रमाणता या बध करनेकी प्रमाणता धर्मशास्त्रमें भी मानली जायगी अर्थात् ज्योतिषमें यह बात है कि चाहे कोई अच्छा अथवा खोंटेसे खोंटा काम भी करने चलै और मुहूर्त्त बूझै या कोई ऐसानवीन काम करने चलै जिसका मुहूर्त्त लिखा हुआ नही है उसका भी मुहूर्त्त ज्योतिषीको शुभाशुभनक्षत्रोंके अनुसार कहे देना परैगा तौ क्या वह बात धर्मसंबंधी समझी जायगी-और भला जो लोकाचारसे प्रमाण भी करौ तौ किसके लिये वह द्विरागमनका कालपरिमाण है कि जिनके अतिबाल्य अवस्थामें विवाह होजाते हैं उनको वर्षों तक पिताके घर निवास करना होता है जब गमना किया जाता है तब विषमवर्ष लीजाती हैं-परंतु जिनके पूर्ण अवस्थामें विवाह होते हैं उनके लिये यह परिमाण अनुचित और असंभव है और भला जो उनके लिये भी कोई लीकपीटना चाहे तौ उन विषमवर्षोंका अनुकल्प विषममाससं सूचित है उसन्यायसे कि जैसे यज्ञोपवीतमें (ब्रह्मचर्य)का अनुकल्प एकघटिका दोघटिका मात्रमें होजाता है-कदाचित् यह कहो कि हमारी बुद्धितौ ज्योतिषके ऊपर आरूढ़ है जब कोई ज्योतिषका विधिनिषेध पाया जाय तभी अनुकल्पमें बुद्धि जमै और मनको संतोष आवै-तहाँ-पित्र्ये गृहे चेतुचपुष्पसंभवस्तदानदोषः प्रतिशुक्रसंभवः-यह ज्योतिषका वाक्य जो सारे लोकमें घंटाघोषवत् प्रसिद्ध है तिसका यह भावार्थ है कि जो कन्या पिताके घरमें कुच और पुष्पवती होने लगे तौ गौनेमें जो सन्मुख शुक्रका बड़ा दोष गिना जाता है सो उसकन्याके लिये वह दोष नही है अर्थात् ऐसी कन्या का गौना शुक्रके सन्मुख भी निःसंदेह करौ-अव कहो कि जो शुक्र केवल कोई महीनोंका महिमान होता है किंतु कुछ महीनों पीछे वह सन्मुखसे हटजाता है तिस पीछे गौना होस-क्ताथा परंतु उतने महीनोंके लिये भी ऐसी कन्याका निवास पिताके घरमें उचित न समझा गया इसलिये ज्योतिषने भी यह कह दिया कि निःसंदेह शुक्रके सन्मुख भेजदो कुछ दोष नही है-फिर भला धनके आग्रहसे अथवा विषमवर्षोंके आग्रहसे तीन वर्ष या पाँच या सात या नौ वर्ष ताई ऐसी कन्याका राखना ऐसा है या नहीं कि जैसे कोई किसी पशुको परवशपीजरामें बंद करे-अब ध्यान धरना चाहिये कि गौनेके विचारमध्ये सम और विषमका भेद यह एक साधारण भावसे लोकाचारकी रीति है कुछ धर्मशास्त्र विहित नहीं है और यद्यपि लोकाचारके हेतुसे पीछे ज्योतिषमें ग्रथित हुई और प्रमाण पाई गई तथापि जिन युग्मवर्षोंका दोष मानते हैं तिनके आगे सन्मुख शुक्रका दोष बड़ा प्रबल है तिसका

होसक्तीहै अन्यथा धर्मकोई ऐसीवस्तुनहींहै कि जिसकी मूर्तिके ध्यान या नामके आराधनमात्रसे कुछकाम चलसक्ताहो किन्तुधर्मशब्दसे द्वितयलोकी मर्यादोंका भाव पाया जाताहै उसमेंभी पहले यहलोक और पीछे परलोकहै जो इसलोकका प्रबन्ध अच्छा करसकेंगा तौ परलोकभी सुगम होजायगा परन्तु किसी प्रबलकी दीहुई तीन बातोंके विना न करसकनेमेंभी उनका क्यादोषहै सो उनतीन बातोंमें एक तौ जो कुछ शुभचिंतकताके प्रकारसे सभावाले कहें उसको और लोग प्रमाणकरें दूसरी जो उस वार्ताका उत्पादनकरै वह किसी प्रकारका दण्डपासके तीसरी निर्लोभता जिसमें कुछ अपनास्वार्थ नहींदेखें-इनबातोंका अधिकार जैसे सभासदोंके लिये उचितहै तैसेही प्रत्येक जातिकी विरादरीमें जो मुखियाहों उनकोभी उचितहै कि जो मनुष्य उनकी विरादरीका विवाह योग्यकन्याके विवाहमें अधिक उपेक्षाकरै वह उनकेद्वारा ज्ञातिदंड का भागीहो और जो वेही उसको दंडदेनेसे उपेक्षाकरें तौवेभी उसग्रामकी सभाद्वारा शिक्षापानेके योग्य निश्चित कियेजायँ ( भेद ७ ) इसी ६४ केश्लोकमें विवाहकी उपेक्षासे भ्रूणहत्याका पाप निश्चितहुआ और उसीआशयसे उपेक्षावाला दंड्य निश्चितहोचुका-फिर जब विवाहकी उपेक्षा इतनीबड़ी समुझीगई तौ द्विरागमनकी उपेक्षाको इसमें भी सहस्रगुण समुझनी चाहिये क्योंकि विवाहके नहोनेमें अविवाहित या अविवाहिताको एकप्रकारके संतोषकी धारणा बुद्धिवनी रहतीहै और विवाहके होजानेपर दोनों को एकप्रकारका उत्साह उत्पन्न होजाताहै फिर जबऐसी दशापर द्विरागमनके बंधनसे उचित अवस्थाके उपरांतभी पाँच२ सात२ वर्षोंका वियोग करदेना तौ यहअपराध सर्वथा उनके अधिकारियोंकाही प्रत्यक्षहै कि जो इसआग्रहसे उपेक्षा करतेहैं कि जब विवाहसे आधाखर्च हाथआवै तब यहबातहोया इसआग्रहसे कि अब समवर्षका प्रारम्भहोगया जब फेर विषमआवे तब दोवर्षके अंतरसेहो-तहां आधेखर्चका आग्रह तौ सर्वथा निरर्थकहै क्योंकि जब निर्धनतासे विवाहकीही उपेक्षा अनुचितहै तौ द्विरागमनमें धनकी क्या उपेक्षाहै प्रथम तौ वर्षोंतक विवाहके उद्योगमें चिंतारही जबद्वययोगसे उसबातका ठिकानालगा तब करेकरायेपर फेरकुआँमें डालदिया कि अबफेर आधाखर्च मिलै तौ यहविवाह विवाहोंकी गिनतीमेंआवै नहीं तौ ढोलोंसे खालगई फिर क्या इससे फलसिद्धिहुई कि आपतौ दोनोंपक्षी भ्रूणहत्या के भागीहोना और जिन दोनोंके सौख्यकेलिये धनलगायाथा वे दोनों आपको संतापित होतेरहे और गुरुओंके सन्मुख यद्यपि कुछ कहतेनहीं परन्तुवेभी उनको अपराधी निश्चित करतेहैं यहज्ञात उस भ्रूणहत्यासे भी अधिकहुई-और कालकी अवधिका जो आग्रह यद्यपि ज्योतिषविद्यामें नियतहै सो वह कुछ अधिकप्रमाणके योग्यनहींहै क्योंकि धर्मशास्त्रने विवाह संबन्धी कोईसी छोटीमोटीभी बातकीआज्ञा और नियमको कहनेसे नहींबोझा

फिर इतनी बड़ी बात जो विवाहसे आधीगिनी जाती और घंटाघोषसी प्रसिद्ध है उसकी किंचित् समस्याभी नकरता जो प्रमाण योग्य होती-और जो यह बात कहो कि ज्योतिष भी एक प्रकारका शास्त्र है क्या उसकी बात प्रमाण योग्य नहीं हो सकती है तिसका यह सिद्धांत है कि ज्योतिषमें चोरोंके लिये चोरी करनेके भी मुहूर्त्त लिखे हैं अपघातियोंके लिये किसीके घात करनेके भी मुहूर्त्त लिखे हैं तौ क्या उस मुहूर्त्तके लिखे होनेसे चोरी करनेकी प्रमाणता या बध करनेकी प्रमाणता धर्मशास्त्रमें भी मानली जायगी अर्थात् ज्योतिषमें यह बात है कि चाहे कोई अच्छा अथवा खोटेसे खोटा काम भी करने चलै और मुहूर्त्त बूझै या कोई ऐसानवीन काम करने चलै जिसका मुहूर्त्त लिखा हुआ नही है उसका भी मुहूर्त्त ज्योतिषीको शुभाशुभनक्षत्रोंके अनुसार कह देना परैगा तौ क्या वह बात धर्मसंबंधी समझी जायगी-और भला जो लोकाचारसे प्रमाण भी करौ तौ किसके लिये वह द्विरागमनका कालपरिमाण है कि जिनके अतिवालय अवस्थामें विवाह होजाते हैं उनको वर्षों तक पिताके घर निवास करना होता है जब गमना किया जाता है तब विषम वर्ष ली जाती है-परंतु जिनके पूर्ण अवस्थामें विवाह होते हैं उनके लिये यह परिमाण अनुचित और असंभव है और भला जो उनके लिये भी कोई लीक पीटना चाहे तौ उन विषम वर्षोंका अनुकल्प विषममाससं सूचित है उसन्यायसे कि जैसे यज्ञोपवीतमें (ब्रह्मचर्य)का अनुकल्प एक घटिका दो घटिका मात्रमें होजाता है-कदाचित् यह कहो कि हमारी बुद्धितौ ज्योतिषके ऊपर आरूढ़ है जब कोई ज्योतिषका विधिनिषेध पाया जाय तभी अनुकल्पमें बुद्धि जमै और मनको संतोष आवै-तहाँ-पित्र्ये गृहे चेतकुचपुष्पसंभवस्तदानदोषः प्रतिशुक्रसंभवः-यह ज्योतिषका वाक्य जो सारे लोकमें घंटाघोषवत् प्रसिद्ध है तिसका यह भावार्थ है कि जो कन्या पिताके घरमें कुच और पुष्पवती होने लगे तौ गौनेमें जो सन्मुख शुक्रका बड़ा दोष गिना जाता है सो उस कन्याके लिये वह दोष नही है अर्थात् ऐसी कन्याका गौना शुक्रके सन्मुख भी निःसंदेह करौ-अब कहो कि जो शुक्र केवल कोई महीनोंका महिमान होता है किंतु कुछ महीनों पीछे वह सन्मुखसे हटजाता है तिस पीछे गौना होसक्ताथा परंतु उतने महीनोंके लिये भी ऐसी कन्याका निवास पिताके घरमें उचित न समझा गया इसलिये ज्योतिषने भी यह कह दिया कि निःसंदेह शुक्रके सन्मुख भेजदो कुछ दोष नही है-फिर भला धनके आग्रहसे अथवा विषम वर्षोंके आग्रहसे तीन वर्ष या पाँच या सात या नौ वर्ष ताई ऐसी कन्याका राखना ऐसा है या नहीं कि जैसे कोई किसी पशुको परवशपींजरामें बंद करे-अब ध्यान धरना चाहिये कि गौनेके विचारमध्ये मम और विषमका भेद यह एक साधारण भावसे लोकाचारकी रीति है कुछ धर्मशास्त्र विहित नहीं है और यद्यपि लोकाचारके हेतुसे पीछे ज्योतिषमें ग्रथिनहुई और प्रमाण पाई गई तथापि जिन युग्म वर्षोंका दोष मानते हैं तिनके आगे सन्मुख शुक्रका दोष बड़ा प्रबल है तिसका

कुछ अनुकल्पभी नहीं रखवा किंतु समूल उसका परिहार कर दिया गया उस परिहारकी अपेक्षासे यद्यपि समवर्षोंका भी परिहार ही उचित है कुछ अनुकल्पकी आवश्यकता नहीं रही परंतु लोकाचारकी दृष्टिसे युग्मवर्षोंके बीच विषममासोंका अनुकल्प होना यह सर्वोपरि उत्तम है-इन सब कारणोंके सिद्धांतसे द्विरागमनकी उपेक्षावाला उससे दशगुण दंडनीय है कि जो कुछ दंड विवाहकी उपेक्षामें उचित होता हो ६४ ॥

सकृत्प्रदीयते कन्या हरस्तां चोरदंडभाक् । दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चैव ब्रह्मभ्रातृजेत् ६५ ॥

अक्ष०—एकवार कन्या दीजिये है उसको हरनेवाला चोर दंडका भागी है-दीहुईको भी हरलेवे जो पहलेसे श्रेय वर आवै ६५ ॥

अभि०—शास्त्रका यह नियम है कि कन्या एकही वार दान करी जाती है उसे जो कोई पिता देकर फिर हरै वह चोरके समान दंड देने योग्य है-परंतु जो पहले वरकी अपेक्षा विद्या कुटुंब आदि विशेषताओंसे युक्त ऐसा कोई वर हाथ आजावै तो उस दीहुईको भी न देवै किंतु उस दूसरेको विवाह देवै तो वह दंडके योग्य नहीं है-परंतु यह बात उसी अवस्थामें हो सकती है कि जब पहले वरमें कोईसा पातकयोग या प्रबलरोग या कुछ दुराचरण उसका प्रकट हो अन्यथा श्रेष्ठ वरके मिलनेसे ही नहीं हो सकती है क्योंकि जब यही बात निश्चित हुई तो एकसे एक अधिक श्रेष्ठ वर प्रतिदिन हाथ आसक्ते हैं-सो यह देना भी सप्तपदीके सातवें पदसे पहले नियत है अर्थात् जब सातवां पद पूरा हो जाय तब उस वरके दोष प्रकट होने पर भी दूसरेको नहीं देसक्ता है ६५ ॥

अनाख्याय ददद्दोषं दंड उत्तमसाहसम् । अदुष्टांतु त्यजन्दं द्योदूपयंस्तु मृषाशतम् ६६ ॥

अक्ष०—दोषको न कहकर दे तहां उत्तम साहस दंड-अदुष्टाको छोड़ता हुआ भी दंड्य है-मृषा दूषण देता हुआ एकसौसे ६६ ॥

अभि०—जो कोई नेत्रोंसे दिखाई देने योग्य कन्याके किसी दोषको कहे बिना कन्या दान करता है वह पिता उत्तम साहसनामका दंड देने योग्य है-और जो कोई अदोषा कन्याको लेकर पीछे त्यागने लगे वह वर भी उत्तम साहसकी संख्यावाला दंड देने योग्य होता है या जो कोई विवाहसे पहले ही अदोषा कन्याको महारोगादि कुदोषोंका भूँठा दूषण लगाता है वह वर एकसौ १०० पणका दंड देने योग्य है ६६ ॥

अधि०—उत्तम साहसदण्डका परिमाण एकहजार १००० पणका मनुजीने कहा है और याज्ञवल्क्य योगीश्वरने १०८० पणका कहा है और पणका परिमाण जो समुझा चाहो तो इस आचाराध्यायके अंतमें ३६४ केशलोकमें देखना परन्तु यह बात भी स्मरण वनी राखौ कि यह पणको और उत्तमसाहसको आदिलेकर परिमाणोंका जाननाकेवल ज्ञानमात्रके लिये उचित है अन्यथा इनसे संप्रति कुछ काम नहीं चलसक्ता क्योंकि ये प्राचीन व्यवहारोंके प्रकार कहेहुये हैं और तुलापरिमाण या मुद्रापरिमाण अपनी आव-



इयकता पर वर्तमान राज्यसे अपेक्षा रखता है और यद्यपि उसके हिसाबकी परिगणना करिके वर्तमान समयके मुद्रा तथा तुलामानसे तुल्यताभी करली जासक्ती है परन्तु इस्से कोईसीफल सिद्धिनहीं है जो इतना बड़ा तुषकंडन करौ क्योंकि जो दंड इस इलोकमें कहे हैं वेभी राजद्वारके आधीन हैं और यद्यपि कदाचित् कोई स्थल ऐसाभी आनिपड़ै कि राजद्वारसेभिन्न किसी प्रकारके मनुष्योंके आधीन यहवार्त्ता हो तहांभी वे मनुष्य उसी मुद्रा अथवा तुलामानसे दंडकरेंगे कि जो उनके वर्त्तावामें आरहा हो-हाँ केवल इतनी बात है कि जबशास्त्रके अनुसार दृष्टिकरेंगे तब इतना ध्यान करलेवेंगे कि शास्त्रमें इस विषयपर इतने पण लिखे हैं हमेंभी उसके अनुसार चलना चाहिये जिस्से इसदंडके विचारमें हमसे कुछ अन्याय न होजावे-परन्तु उस अनुसारतामेंभी कुछ यही नियम नहीं है कि जो कुछ लिखा हो वही दंड सर्वत्र होसक्ता हो अर्थात् दण्डके विचारमें पहलेतौ विचार करने वालेका बलाबल फिर अपराधका बलाबल फिर अपराधीका बलाबल फिर देशकाल शक्तिव्यवहार व्यवहारका हेतु इन सबके बलाबलका निर्णय करलिये पीछे जो कुछ सबकी संमति या एकही प्रधानकी बुद्धिमें समावे सो किया जाता है ६६ ॥

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । स्वैरिणीयापतिं हित्वा सवर्णकामतः श्रयेत् ६७ ॥

अक्ष०—अक्षता और क्षताभी पुनः संस्कार करी हुई पुनर्भू-और स्वैरिणी जो पतिको छोड़कर कामसे सवर्ण के आश्रय हो ६७ ॥

अभि—दो प्रकारकी (पुनर्भू) होती हैं एकतौ क्षता दूसरी अक्षता तिनमें क्षतातौ वह कि जो विवाह पहले किसी पुरुषके संसर्गसे दूषित हो और अक्षता वह कि जो पुरुष दूषित न हो परंतु संस्कार दूषित हो किंतु पहलेभी किसीके साथ सगाई आदिकुछ संस्कार हो चुका हो जैसा ६५के इलोकमें पिछले अद्धाका भाव है कि सातवें पदसे पहले २ और को दे देवे यह दोनों प्रकारकी कन्या जब किसीके साथ विवाही जाती हैं तब (पुनर्भू) कहलाती हैं यह (पुनर्भू) भी जो पतिको छोड़कर कुमार अवस्था में कामके हेतुसे सवर्ण अर्थात् जाति-मात्रके मनुष्यका आश्रय ले रहे वह स्वैरिणी कहलाती है ६७ ॥

अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिंडो वासगोत्रो वा वृताभ्यक्तः ऋतावियात् ६८ ॥

अक्ष०—अपुत्राको पुत्रकी कामनासे गुरुओंसे अनुज्ञा पाया हुआ देवर या सपिंडया सगोत्रघृतकालेप किये हुये ऋतुकालमें गमन करे ६८ ॥

अभि०—अपुत्राका यह नियम नहीं है कि विधवा या मधवा किंतु साधारण वाक्यमें विधवा और छीवादि भार्या इसका भाव है ऐसी अपुत्राके पुत्र उत्पादन करनेकी कामनासे गुरुकहिंये पितामाता पुरोहित आदिकी सुसंमतिपूर्वक आज्ञामिलनपर देवर अपने सारे शरीरमें घृतकालेप करिके केवल ऋतुकालमें गमन करे-स्वकीय देवरके अभावमें

सपिण्डदेवरहो सपिण्डदेवरके अभावमें सगोत्रदेवरहो-सपिण्ड और सगोत्रका लक्षण  
५२ केइलोककी अधिकोक्तिमें निश्चितहै ६८ ॥

अधि०—इसइलोकमें कहीहुईवार्त्ता(संदिग्धधर्म) मेंगिनतीहै क्योंकि याज्ञवल्क्यजीके  
वचनका स्पष्टअर्थतौ यहीहै जो ऊपरलिखागया-और यद्यपिसमयका प्रतिपालकरने  
केलिये इसइलोकका-अनुकर्षभी कियागयाहै कि (यस्याश्रियेतकन्याया वाचासत्येकृ-  
तेपतिः । तामनेनविधानेननिजोविदेतदेवरः) अर्थात् जिसकन्याकेविवाहकी वाचासत्य  
होचुकीहो कि यहअमुकवरको विवाही जायगी सो वाचासत्यहोना सगाईको कहतेहैं  
किसीदेशमें उसीको वररक्षाकहतेहैं कहीं रुकावानिकहतेहैं इसदशाकेउपरांत वहपति  
मरजाय जिसको सगाई दीगईथी तौउसीका छोटाभ्राता उसकन्याको उसीविधिसे वि-  
वाहलेवे जो विधि उसकेलिये विवाहमें होनी उचितथी-इसआशयके अनुकर्षसे उस  
ऊपरली वार्त्ताको भी वाग्दत्ता कन्याका विषय निश्चय किया है परन्तु यह अनु-  
कर्ष ऐसा है कि जैसा जल तैल विंदुन्याय क्योंकि वह विषय और है यह और है  
उसमें क्षेत्रजसन्तान का विषयकहा है इसमें विवाहका विषयकहा है दूसरे यह बात  
कि वाग्दत्ता कन्याके संतान उत्पादन करना यह असंभव है और वाग्दत्ता का  
विवाह जोछोटेभाई से कहा तौ इसकाकुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वाग्दत्ता उस  
मरेहुये की पत्नी नहीं कहसक्ती है भला वाचासत्य होना यहतौबहुत छोटीबात इससे  
कुछ विवाह नहीं कहलासक्ताहै परन्तु ६५ केइलोकमें उत्तरार्द्धमें सप्तपदीके छठे पद  
ताईभी वहकन्या किसी अन्यवरको देदेनीकही है जो पहलेकी अपेक्षा दूसरा श्रेष्ठ  
आजावै-इससे यह अनुकर्ष तौ उसमें कोईप्रकारसे घटतानहीं है क्योंकि जो वाग्दत्ता  
कन्या देवरको विवाहीजातीहै वहउस देवरकीही भार्या औरउससे जो संतानहोतीहै  
सोभी उसी देवर की संतानकहातीहै मरेहुयेकी क्षेत्रजनहीं कहाती और वह देवर उ-  
सका देवर नहीं कहासक्ता क्योंकि उसमरेहुयेका भार्यात्व उसकन्यामें केवलनाममा-  
त्र उत्पन्नहुआ था कुछउसकी भार्यानहीं होगईथी ( भेद२ ) यद्यपि ऊपरका लेख  
सबसत्य है और शास्त्रकीविधि वहीहै जो याज्ञवल्क्यजीने कही परन्तु सिद्धांतउसका  
इतनाहै कि वह विधिलोक विरुद्धप्रत्यक्षहै इससे उसकाप्रचारनहींहै तथापि वहलोक  
विरुद्धता सार्वलोकी और सार्वदेशी नहींहै किंतुअद्यापि किसीकिसी देश विभागमें  
उत्कृष्टजातों और बहुधा शूद्रजातों में प्रचारभी पायाजाता है परजहांनिघ है तहां  
अनुचित है ६८ ॥

आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथाभवेत् । अनेनविधिनाजातःक्षेत्रजोस्यभवेत्सुतः ६९ ॥

अक्ष०—गर्भके संभवताई से पीछे या अन्यथा गमनकरै तौ पतितहोवे-इसविधिसे  
भयासुत इसका क्षेत्रज होवै ६९ ॥

अभि०—ऊपरसे अर्सेठके श्लोकमें कहीहुई बिधिसे जोपुत्रउत्पन्न होवे सो उसपति काक्षेत्रजपुत्र कहवै जिसकीवह भार्या है-परन्तु वहगमन करनेवाला देवरजो गर्भ होजाने पीछेभी गर्भनकरै या अन्यथा कहिये गुरुओंकी आज्ञाबिना याशरीरमें घृत कालेप कियेबिना या ऋतुकाल बिनातौ वह पतित कहिये पातकीहोवे ६६ ॥

अधि०—घृतकालेप इसलिये है कि परस्पर देहका सौख्यनहीं ब्यापै किंतुकेवल गर्भके प्रयोजन की आवश्यकता है ६६ ॥

हताधिकारांमलिनांपिंडमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधःशय्यांवासयेद्व्यभिचारिणीम् ७० ॥

अक्ष०—व्यभिचारिणीको अधिकारसे हीनमलीन पिंडमात्र भोजनवती परिभूता नीचे शयनवाली करिके वासकरावे ७० ॥

अभि०—जोस्त्री व्यभिचार करनेलगी उसको इसप्रकार से घरमें वासदेवे अधिकार से हीन अर्थात् जो घरकी मालकियत का अधिकार पालनपोषण देनालेना आदि स्त्रियोंके आधीन होताहै सोउसके आधीन न रखवै-और मलीनाकहिये वस्त्रआभूषण आदिशृंगार सेभीहीन करदेवे-और पिंडमात्र कहियेशरीर और प्राणोंके बनेरहने योग्य साधारणभोजनदेवै-परिभूता कहिये धिक्कारआदिसे असत्कारकरीहुईधरतीमेंशयन करावै-इसप्रकारकीदशा सहितघर में राखै किंतुघरसे बाहरनहीं निकालदेवै ७० ॥

अधि०—यहदशा इसलिये है किजिससे व्यभिचारसे वैराग्यहोजाय परन्तु इससे अधिककोईसी पीड़ाअथवा शरीर दुंडनहीं देवै क्योंकि स्त्रियोंकेलिये बड़ेसेबड़े अपराधपरभी चाहै किसी अवसरमें घरसेबाहर विसर्जनभी करदेनापड़ै परंतु देहदण्ड या प्राणदण्ड यह किसी अवस्थामें नहीं उचितहै-तथाहि (महताचापराधेनदंडःस्त्रीणां विसर्जनम् ) सोइसकाविशेष आशयआगे ७२ के श्लोकमें कहेंगे ७० ॥

सोमःशौचंद्वावासां गंधर्वश्चशुभांगिरम् । पावकःसर्वमेध्यत्वमेध्यावैयोपितोह्यतः ७१ ॥

अक्ष०—इन्हेंको सोमतौ शौचदेताभया और गंधर्वशुभवाणी-अग्निसर्वमेध्यत्वदेता है इस्से स्त्रियाँ मेध्य हैं ७१ ॥

अभि०—स्त्रियोंको विवाहसे पहलेकुमार अवस्थामें चंद्रमा गंधर्व अग्नि येतीनोंभोगतेहैं तहाँचंद्रमातौ शौचदेताहै इसीहेतुसे स्त्रियोंकेलिये अधिक शौचविधि पुरुषोंके समान नहीं कहीहै-और गंधर्व इनकोभोगकरके मधुरवचनों का बोलनादेते हैं-अग्नि इनको सर्वमेध्यत्व कहिये पवित्रतादेताहै अर्थात् जिसवस्तुको ये छूवें वह इनके छूनेसे पवित्रहो इसकारणसे स्त्रियाँ सदाही पवित्र हैं ७१ ॥

व्यभिचारादतौशुद्धिर्गर्भेत्यागोविधीयते । गर्भभर्तृवयाद्यैचत्तथामहतिपातकं ७२ ॥

अक्ष०—व्यभिचारसेऋतुमेंशुद्धि-गर्भमेंत्यागकहियेहै-गर्भ और भर्ताके वध आदि में भी-तैसेही महापातकमें ७२ ॥

अभि०—ब्यभिचारकी संभावनाहोनेसे मासिक रजोदर्शनमें स्त्रियों शुद्धहोजाती हैं परंतु ब्यभिचारसे गर्भहोजानेमें उनका त्यागकरदेना उचितहै और गर्भका बध कहिये गर्भपातन और अपने भर्ताका मारडालना आदि अपराधों में भी त्याग-तैसेही महापातक ब्रह्महत्या आदि करनेवालीका भी त्याग कहते हैं ७२ ॥

अधि०—भर्ताकामारडालना आदि-इस(आदि)शब्दसे शिष्य आदि का गमनभी लेना सोई व्यासजीने कहाहै कि(चतस्रस्तुपरित्याज्याः शिष्यगागुरुनाचया। पतिघ्नीचविशेषेण जुंगितोपगता चया) अर्थात् चारस्त्रियाँ भी त्यागकरने योग्य हैं एकतौ शिष्य कहिये नौकर चाकर आदि से गमनकरनेवाली दूसरी गुरुकहेये अपने बड़ोंसे गमनकरनेवाली तीसरी विशेषकर पतिकाबधकरनेवाली जिसकान्चर्चाऊपर आयाथा चौथी जुंगितोपगता अर्थात् जुंगितकहिये प्रतिलोम जातें जो चमार आदि प्रसिद्ध हैं तिनसे गमन करनेवाली ७२ ॥

अवयववातकहते हैं कि पुरुषको दूसराबिवाह किस २ दशापरकरना चाहिये ॥

सुरापीव्याधिताधूर्त्तावन्ध्यार्थघ्न्यप्रियंवदा। स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुषद्वेषिणी तथा ७३ ॥

अक्ष०—सुरापीनेवाली १ व्याधिमती २ धूर्ता ३ वन्ध्या ४ अर्थनाशिनी ५ अप्रियवचा ६ तथा स्त्री पैदाकरनेवालीभी ७ पुरुषविरोधिनी ८ अधिवेत्तव्य हैं ७३ ॥

अभि०—ये आठस्त्रियाँ अधिवेदनयोग्य हैं अर्थात् ऐसी स्त्रियाँ जिसके घरमें हों वह पुरुष दूसराबिवाह निःसंदेहकरै इसदूसरे बिवाहकोही(अधिवेदन)कहतेहैं-आठोंके स्पष्टलक्षण एकतौ जो मदिरापान करतीहो १ व्याधिता जो बड़ेप्रबलरोगोंसे प्रसीहो २ धूर्ताजो छलकरतीहो ३ बांभ ४ अर्थघ्नी जोधन या बड़ेप्रयोजनों का नाशकरदेतीहो ५ अप्रियंवदा जो कटुकवचन शस्त्रकेसमान कहतीहो ६ बारंबारकन्या पैदा करतीहो ७ पतिसे बैरकरतीहो ८ । ७३ ॥

अधि०—इनलक्षणोंके कहनेसे यह सिद्धांतहै कि इनकहेहुये अवगुणों के अभावमें पुरुषको दूसरा बिवाहकरने का अधिकारनहीं है-और यद्यपि अवगुणोंके होनेपर उसको अधिकारतौ यहाँतकहै कि जो इनमेंसे एकभी अवगुणहोतो द्वितीय भार्याका संग्रहकरसक्ताहै परंतु इसमें इतनी विचार दृष्टि अधिकहै कि जो वह एक अवगुणउस पुरुषकी सत्पात्रताके अनुसार असह्यहो तौ उसस्त्रीकी संमति बिनाभी अधिकारीहै अन्यथा जो वही अवगुण उसपुरुषमेंभीहो या उसकीप्रकृति और कुपात्रताके अनुसार सह्यहो तौ उसस्त्रीकी संमतिबिनाकरनेका अधिकारी नहीं है-इसके सिवाय कोईकोई अवगुण उनआठमेंसे ऐसाभीहै कि जिसकेहोनेपर सदाही उसअवगुणवतीकी प्रसन्नता या संमति लेलेनी उचितहै क्योंकि वह अवगुण सदैवही ईश्वरके आधीनहै उसमें कुछस्त्रीका अपराधनहींहै जैसा बहुत कन्याओंकाहोना इसमें जोस्त्री अपनी प्रसन्नतामें

अभिलाषा पूर्वकसंमति देदेवै कि तुम दूसरा (अधिवेदन) करौ तब करना सुफल है-अन्यथा जहाँकई अवगुण एकत्र होजायँ तहाँकुछ प्रसन्नता या संमतिकी नियम नहीं है-परंतु किसी अवगुणरूप कारणके बिनाही जब कोई पुरुष (अधिवेदन) करना चाहै तिसका निषेध और करनेवालेका दंडभी आगे ७६ केश्लोकमें कहेंगे ७३ ॥

अधिविन्नातु भर्त्तव्यामहदेनोऽन्यथा भवेत् । यत्रानुकूल्यंदंपत्योस्त्रिवर्गस्तत्रवर्द्धते ७४ ॥

अक्ष०—अधिविन्नाभी भरणे योग्य है अन्यथा महान् एनसहोवे-जहाँ दोनोंदंपत्यमें अनुकूलता है तहाँ तीनोंवर्ग बढें हैं ७४ ॥

अभि०—(अधिविन्ना) पहलीभार्या कहाती है कि जिसकेऊपर दूसरीसौत आईहोसो वह (अधिविन्ना) उसदूसरीके आवनेसे कुछ निरादर योग्य नहीं है किंच जैसे पहले उसका पालनपोषण होताथा तैसेही अबभी दानमान सत्कारोंसहित करना उचित है अन्यथा जो पहलेके समान नहीं करैतौ बड़ापापहोवे और उसीपापसे उसकुटुंबीकी सर्वथाहानि होती है-क्योंकि त्रिवर्ग जो धर्म १ अर्थ २ काम सौख्य और कामना ३ इनतीनोंका जो (वर्ग) कहिये समूह सोवह ऐसा त्रिवर्ग नामका ऐश्वर्य उसीघरमें होता है और बढ़ता है कि जिसघरमें स्त्रीपुरुष दोनोंमें परस्पर अनुकूलता अर्थात् प्रीतिभाव और आज्ञाकारित्व दोनोंका दोनोंओरसे होता है ७४ ॥

अधि०—इस वार्त्तिकेमध्ये मनुजीनेभी अपने शास्त्रमें बड़ेउत्साहसे कहा है सो उनके कहे तीनश्लोक हमलिखतेहैं-यथा (संतुष्टोभार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ यदि हि स्त्री न रोचे त पुमांसं न प्रमोदयेत् । अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ स्त्रियां तुरोच मानायां सर्वतद्रोचते कुलम् । तस्यान्त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते) इनतीनोंका साधारण भावसे यह अर्थ है कि जिसकुलमें निरंतर भर्त्ता तौ निजभार्यासे संतुष्ट और भार्या अपनेभर्त्तासे संतुष्ट रहा करतीहो तहाँ निश्चयकर कल्याणका निवास बनारहता है-जो स्त्री वस्त्रआभूषण आदिसे अच्छीभाँति शोभित नहीं होती है वहस्वामीको प्रहर्षनहीं देसक्ती है पुनि उसीअप्रमोदके हेतुसे पुरुषकी संतति नहींहोती और न बढ़ती है-स्त्रीके आभूषण आदिसे शोभावती कातिका प्रकाश घरमें होनेमे वह साराहीकुलप्रकाशित होता है-पुनि उसीके चमत्कृत नहींहोने और निज भर्त्ताकी उपेक्षामें वह साराही कुलमलीन होजाता है-यह मुनीश्वरोंका सिद्धान्त ऐसा ठीक और यथार्थ मिलता है जो सारे संसारपर भिन्न २ दृष्टिकरनेमे नद्रूपप्रतीति होजाता है कि जहाँ वहवात है तहाँ वहीफल है और जहाँ वहदशा है तहाँ वही तद्रूप है ७४ ॥

मृते जीवति वापत्यैवानान्यसुपगच्छति । नेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चामयान्द ७५ ॥

अक्ष०—जो नारी पतिके नरेपीछे और जीवनेहुयेभी अन्यपुरुषके नर्मामें नहींजाती है सो इसलोकमें तुकीर्तिको पावनी और परलोकमें उमानाम भगवतीके साथक्रीड़ा

करती है-अथवा इसीलोकमें सुकीर्तिको पायकर उमानाम जो कीर्तिकहिये प्रशंसा और कांतिकहिये शोभा और शांतिकहिये क्षेमइन सबकेसाथ आनन्द करती है ७५ ॥

आज्ञासंपादिनीदक्षावीरसूप्रियवादिनीम् । त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्योभरणंस्त्रियाः ७६ ॥

अक्ष०—आज्ञासाधिनी १ दक्षा २ वीरसू ३ प्रियवादिनी ४ ऐसीस्त्रीको त्यागताहुआ तिहाईदेने योग्यहै निर्धनभीस्त्रीका भरणमात्र ७६ ॥

अभि०—आज्ञाको तत्काल साधन करनेवाली १ दक्षाकहिये अतिचतुरा जो बुद्धिके विचार सहित कामकरै २ वीरसूपुत्रवाली ३ मधुरबोलनेवाली ४ इनचारों लक्षणवालीको छोड़कर जोकोई द्वितीयभार्याका संग्रह करलेवे तौ उसके सारेधनमेंसे तिहाई दण्डराजा उसकीभार्याको दिलावे और जो वह निर्धनहोवे तौभी उसभार्याके पालन मात्रका अन्नबस्त्र दिलवायाजाय ७६ ॥ अबस्त्रियोंके धर्मकहते हैं ॥

स्त्रीभिर्भर्तृवचःकार्यमेषधर्मःपरःस्त्रियाः । आशुद्धेःसंप्रतीक्ष्योहिमहापातकदूषितः ७७ ॥

अक्ष०—स्त्रियोंकोभर्ताका कहाकरना यह परमधर्म स्त्रीका है जो भर्ता महापातक से दूषितहो तौ शुद्धिहुये पीछेसेप्रतीक्षा करिवेयोग्यहै-अर्थात् जैसीआधीनी उसकीपहले राखतीथी तैसीही प्रायश्चित्त आदिहोजाने अथवा अवधि बीतजाने पीछेभीकरे ७७ ॥

अवशास्त्र विधिसे विवाहकरनेका फलकहते हैं ॥

लोकानत्यांदिवःप्राप्तिःपुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यस्मात्तस्मात्स्त्रियःसेव्याःकर्तव्याश्चसुरक्षिताः ७८ ॥

अक्ष०—जिस्से लोकानन्त्य और दिवःप्राप्ति पुत्रपौत्र प्रपौत्रों करके है तिसहेतुसे स्त्रियांसेव्यहैं और सुरक्षित कर्तव्यहैं ७८ ॥

अभि०—जबस्त्रियोंमें यहबड़ाहेतु निश्चित हुआ कि उनकेहोनेसे दोबस्तुओं का लाभहोताहै एकतौ लोकमें (आनन्त्य) अर्थात् पुत्र पोता परपोता आदिसे वंशकी स्थितिदूसरा (दिवःप्राप्ति) अर्थात् अग्निहोत्र आदि गार्हस्थ्य कर्मधर्मोंके प्रभावसे स्वर्गका मिलना तौ इसी कारणसेस्त्रियोंका विवाहद्वारा संग्रह और भोगभी संतानकी अपेक्षा से करनाउचितहै और धर्मकीअपेक्षासे उनकीरखवालीभी अच्छीरीतिसेकर्तव्यहै ७८ ॥

अधि०—रखवाली का अधिकार यद्यपि यथायोग्य सबकोहोताहै परन्तु उसकी मुख्यता जो विशेषकर तीनमनुष्योंके ऊपर आरूढ़है तिनकाकाल नियम कहते हैं कि- (पितारक्षतिकौमारैर्भर्तारक्षतियौवने । पुत्रस्तुस्थविरेभावेनस्त्रीस्वातंत्र्यमर्हति) अर्थात् कुमारअवस्थामें पितारक्षाकरताहै यौवन अवस्थामें पतिरक्षाकरताहै और वृद्धापनमें पुत्रोंको रक्षाका अधिकारहै क्योंकि स्त्री किसीभी अवस्थामें स्वतंत्रहोनेयोग्य नहीं है सोई इसमर्यादको आगे ८५ के श्लोकमें कहेंगे(प्रश्न)इसीश्लोकमें यहबातभी कहीगई कि स्त्रियोंका संग्रह और भोगभी अमुकामुक हेतुसे करना उचितहै फिर इसवातसे क्या सिद्धांत निकला क्योंकि यहबातसबकोईजानताहै कि स्त्रियोंकेसंग्रह और भोगसे



यहफलहोताहै फिर वृथातुषकंडन से क्याहाथआया (उत्तर) ठीकहै इसवार्त्तामें अपने अपनेफल और लाभको मूर्खसे मूर्खभी पहिंचानताहै-परन्तु इसअपार संसारमें एक यहबातबड़ी अद्भुतहै कि संगतिकाप्रभावहुये बिना नहींरहता और यद्यपिमजेहुये पके मनुष्यपरवह अपना असर बहुधानहीं करसक्तीहै तथापिउसकी यहतीव्रताहै कि एक प्रकारकेगेरूविगाड़ा निहंगलोगोंकी संगतिसेसहस्रांघर ऊजड़होजातेहैं क्योंकिअपने अपनेपरिकर और समूहकी बढ़वारीसबकोई चाहताहै इसलिये वहलोग अतिशयभाव से गृहस्थीलोगोंके थोड़ीअवस्था के मनुष्योंको प्रपंच वार्त्ताकी प्रेरणापूर्वक बहकाकर अपनेमें मिलालेतेहैं किंतु अपना चेलाबनाकर ऐसे दूरदेशोंमेंलेजातेहैं कि जहांउन के पिताआदि पक्षीलोग पताभी नहींलगासक्ते हैं कि वह कहांगया दश २ पंद्रह २ वर्षोंतक रोतेहुये ढूंढते फिरतेहैं जहां कहीं भूँठाभी पतासुनते हैं मोहके हेतुसे दशमं-जिलपरभी दौड़ेजातेहैं जबवहांसे किसीअन्यदेशकी खबरपातेहैं वहांभगेजातेहैं और माथापीट २ कर बूभक्ते फिरतेहैं तौभी पतानहींलगता अथवा किसीका दोचार या दशपांच वर्षमें सच्चापताभी मिलगया और वह दुःखीपिता उसकेपासतक पहुंचभी गया तौ उसने उसे देखतेही सूखाउत्तरदिया कि जाओ यहांतुम्हाराकुञ्चकामनहीं जि-तनावह समुन्नाताहै सारीबातें उसकीकाटदेताहै कि किसका पिता किसकीमाता किस कीस्त्री हमें तो इनसेकामहै औरयद्यपि वहकालेजाने वालाऊपरकी दिखावट के लिये उस्से प्रपंचरूपसे कहता है कि जाओ परन्तु उसने वर्षोंसे पहले सिखाकर पक्काकर दिया और उसकेचित्तकी वृत्ति अपनेमें फांसरक्कीहै इससे यह बनावटकी आज्ञाभी उसदुखियाकी कामनाको पूरीनहींकरसक्ती-बहुतेरे ऐसेभीहैं कि मरेमें गिनतीहोचुके परन्तु बहुत वर्षोंपीछे किसीमंडलीके साथ या एकल्लेही देहकीचेष्टाको कुरूप किये और तौवालेकर भीखमांगतेहुये उसीजन्मभूमिपर आटिके उनमें बहुतेरे तौ ऐसे हैं कि वहचाहतेहैं कि अवघरकेलोगहमको अपनेमेंमिलालें परन्तु वहघरवाले उसको भ्रष्टजानिकर पासनहीं खड़ाहोनेदेते-और बहुतेरोंको घरवालेभी यहबात चाहते और कहतेहैं कि यह अपनी दुखियास्त्रीके समीप वसै तौ अच्छीवातहै परन्तु वहउलटा और भूलेहुये दुःखको यादिकरा और मुँहफेरि चलेजाते हैं इसप्रकार से सहस्रां प्र-तिष्ठितलोगोंकी बहूवेटीअपना साराजन्म रोरोकर दुःखमें वितातीहैं कि जिनको वे विवाहिकर या गौनाहोनेसे पीछे तत्कालही छोड़कर चलेगये-बहुतेरे ऐसे भी होते हैं कि उसी अपने नगरके किसी भगमा वस्त्रवालेके फंदेमें फँसगये और घरको छोड़कर उनके पास रहने लगे और दिनरातगांजे या चरसकी चिलमें उनकी भरनेलगे और घरकेलोग जिन्होंने बड़ेदुःखोंसे पैदाकिया पाला व्याहृशादीमें धनलगाया वे अपने घरका कुतार और उसकी बाल बनिताका दुःख देखकर मन्नापिन होतेहैं और वे

धर्त उनके पुत्रसे उन्हीं के देखते हुये चेलापने से सेवाटहलैं करवाते हैं-बहुतेरेऐसे हैं कि अपने घरके घरही में रहते और घरमें करीकराई रोटी बिनकमाईकी खाते हैं और घरके लोगोंके कहने से घरकाकाम एकपत्ताभी उठाकर इधरसे उधर नहींधरते परन्तु बाबाजीकीचाकरीमें आठोंपहर तत्परबने रहते और बहुधाउनकी भाँग वूटी और चिल्लोंमेंभी शामिल होजाते वलिक जोहाथ लगजाताहै तौकुछ घरसे भी उठाकर बाबाजीकी भेटकरि आतेहैं और यद्यपि चाहैं किसीसमय आनिकर घर हीमें पड़रहतेहैं परन्तु बाबाजीकी दीहुई शिक्षाके अनुसार अपनी विवाहितासे कभी दुखसुखकीबातभी नहींबूझते-और यद्यपि बाबाजी आपचाहैं सो कुकर्मकरि आतेहैं परन्तु नौसीखतरको यहीशिक्षा देतेहैं कि स्त्रीका प्रसंग मतकरना नहींतौ सिद्धिहाथ नहींआवेगी-बहुतेरे इसप्रकारसे शिक्षादेतेहैं कि तेरेएकसंतान होचुकी अबयहस्त्रीतेरी माता तुल्यहोचुकी-ऐसीर कुशिक्षाओंसे गृहस्थीका कच्चाबालक घरकेलोगोंके हाथसे जातारहताहै तभीउसकाघर ऊजड़सा होजाताहै-और बाबाजी बहुधाथोड़ी अवस्था के मनुष्यको इसलिये वहकातेहैं कि प्रथमतौ थोड़ीअवस्थाका मनुष्य सेवाटहलैंअच्छीतरह करसक्ताहै दूसरे जैसे कच्चीभट्टीको कुम्हारचाहै तैसा तोड़मोड़सक्ताहै तैसेही कच्चे बालकको जो कुछ समुभाया सिखलायाजाय सोसब उसकी समुभमें शीघ्रबैठ जाताहै इससे वहउनके ढबमेंशीघ्र आजाताहै-फिर क्योंरेप्रश्नकर्त्ता क्यातूनहींजानता है कि जबगृहस्थीके कच्चेबालकोंको छोटीसी अवस्थामें हितपूर्वक समुभाकर यहबात सिखलाई जायगीतौ पीछेवे क्योंकर किसीधूर्त्तके फंदेमें फँसजायँगे-या-क्योंकर अपनी पत्नीआदि घरकेलोगोंसे निर्मोही होजायँगे-क्योंकि जबधूर्त्तकी सिखाईहुई बातउनके कच्चेपनमें ऐसीपक्की जमजातीहै तौक्या उसकच्चेहृदयमें अपने पितामाताकी सिखाई हुई धर्मकीशिक्षा उनके हृदयमेंनहीं जमजायगी-फिर क्योंकर तूकहताहै कि इस ७८ केश्लोकमें कहीहुई(मर्याद) केवलवृथातुषकंडनहै-परन्तु कारणइसमें इतनाहै कि कच्चा बालक पहले जिसके फंदेमें फँसजाताहै उसीकी शिक्षाउसके हृदयमेंजमजातीहै इस लिये गृहस्थीको यह उचितहै कि अपनेलड़कोंको किसी गेरू बिगाड़ाकी संगति में न जानेदे क्योंकि वे केवलगेरूही विगाड़ानहीं होते किन्तुगृहस्थी के घर विगाड़ाभी होतेहैं-हां-इतनीबात आवश्यकहै कि जो कुछ अपनी शक्ति अथवाश्रद्धामें बनिआवं सो अपना हाथ उठाकर ईश्वरहेतुसे उनकोदेघालें पर इससेऊपर उनकीकोईसी शिक्षाको अपनेभी कानमेंनलावे-क्योंकि उनकीकोईसी भी शिक्षाऐसे नहींहै कि जिसमें किसीको अपने आधीनकरलेनेका सिद्धांतनहींपायाजाय अर्थात् यद्यपि वे अपनेमुत से बहुधाकिसीको यह नहीं कहते कि तू हमारा चेलाहोजाय परन्तु नानाप्रकारकी बातोंकाजाल ऐसाफैलाते और दिखलाते और सुनातेहैं कि जिसको देखसुनकर एकबा

कैसाहीचतुर और विद्वान्हो उसकाभी मन फिरजाताहै कि ये बाबाजीपूरेसिद्ध दिखा-  
ईदेतेहैं कदाचित् ऐसाबानक बनिआवे कि इनसिद्धजीकी संगतिमें सदैव आयाजाया  
करें या इनकोहीअपने स्थान परठहरालूं तौ नजानिये इनसेकोईसी सिद्धि मुभेमिल  
जाय जिससे मैं त्रिलोक विजयी होजाऊं या मेरी अमुक कामना पूरी होजाय-इसप्र-  
कार जब उनकी संगतिकरनेलगताहै तब क्रमसे महीनों अथवा वर्षोंताई उसको  
वहीपट्टीदियेजातेहैं जिससे सबको छोड़कर यह मेरेही आधीनहोजाय और मुखसे  
कहनेकी यहबातहै कि बहुतेरे मुखसेभी कहतेहैं कि तू चेलाहोजाय तौ तेरेकोपरमसि-  
द्धि मिलैगी या जो मुखसे नहीं कहते वे अपनेचेलाओंसे या खुशामदीसाधकलोगोंसे  
कहलवातेहैं अर्थात् उसजालमेंसेकोईही बडभागी ऐसाहोताहै कि जो संगतिकरनेपर  
भी फँसनेसे बचजाय नहीं तौ जो दरिद्रीहैं वैधनकेलिये सिद्धिचाहकर फँसतेहैं कोई  
शत्रुकी विजयमांगतेहैं जो धनवान्हैं वे धनकी वृद्धियाकोई केवल संतानकोई मंत्रकी  
सिद्धि या सोनेचांदीकी रसायनकाबनाना आदि नानाप्रकारके लालच जो अपनेमें वे  
बताते या दिखलाते तिनकेहेतुसे उनके जालमें फँसे बिना नहींबचसक्ते-इससे गृहस्थी  
को यह योग्यहै कि अपनीसंतानोंको उनकीसंगतिसे बचावें और छोटीसीअवस्थामें  
धर्म शास्त्रकी शिक्षाको सिखलाकरपहलेही पक्काकरदेवें जिससे पीछे उनको कोई सा  
दुःखदायीरंगन लगनेपावे ७८ ॥

षोडशर्तुनिशाःस्त्रीणांतस्मिन् युग्मारुसंविशेत् । ब्रह्मचार्येवपर्वाण्याद्याश्चतस्रश्चवर्जयेत् ७९ ॥

अक्ष०—स्त्रियों का ऋतुकाल सोलहरात्रोंकातिसमें युग्माओंमें सम्यक् प्रवेश करें  
तौ ब्रह्मचारीहो किंच पर्व और चार पहली भी बचावे ७९ ॥

जो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते) ३ इन तीनों का यह अर्थ है कि-मनुष्य चाहे तैसा कामकी पीड़ासे व्याकुल होकर प्रमत्त भी हो तथापि रजोदर्शनके दिनसे जो चार रातें निषिद्ध कहा जाती हैं तिनमें स्त्रीसंगमको न जावे और उसके समीपमें निजशय्याभी नहीं बिछावे अर्थात् झूने और संभाषण आदिसे भी बचै १-क्योंकि उस रजस्वलानारी के समीप जानेसे ही उसकी अग्निसे पुरुषकी इतनी हानि होती है एकतौ बुद्धि भ्रष्ट होती है-शरीरका तेज और उत्साह मारा जाय है-बल पराक्रम नष्ट हो जाता है-नेत्रोंकी दृष्टि मंद हो जाती है-क्रम २ से आयु भी क्षीण होती जाती है २-उसरजस्वलाको बचावते हुये पुरुषकी प्रज्ञातेज बल दृष्टि आयुये सब दिनोंदिन बढ़ते हैं ३-इसलिये यह नियम उचित है कि-ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्जं ब्रजे चैनांतद्रतोरतिका म्यया ४-अर्थात् संतानपैदा करनेके मनोरथवाला पुरुष ऋतुकालके भीतर २ संगम करै और सदा अपनी दारामें ही रति रखे किन्तु परदारगामी न हो-अथवा जिसको संतानकी अपेक्षा नहीं है परन्तु वह अपनी दाराकी प्रीतिको उल्लंघन नहीं कर सकता हो तौ ऐसा पुरुषकेवल भोगमात्रकी अपेक्षा से १६ दिनके पीछे भी सुखसंगम करै परन्तु यह नियम इसमें भी है कि पर्वोंको बचावै ४-ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः । चतुर्भिर्भरतरैर्साद्धिमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ५ तासामाद्याश्च तस्त्रस्तुनिन्दितैकादशी चया । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ६ अर्थात् स्त्रियोंको स्वाभाविक ऋतुकालकी जो सोलह रात्रिं कही हैं सो उन चारदिवसोंकरके सहित हैं कि जो सत्पुरुषोंकरके विशेषनिन्दित हैं ५-तिन सोलहमेंसे पहली चार रात्रिं और ग्यारहवीं तथा तेरहवीं राति भी निन्दित है शेष दशरातें शुद्ध हैं ६-युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासुरात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थं विशोदार्त्तवे स्त्रियम् ७-पुमान्पुंसोऽधिकेशु क्रेस्त्री भवन्त्यधिके स्त्रियाः । समेऽपुमान्पुंस्त्रियो बाक्षीणोऽल्पे च विपर्ययः-८-अर्थात् उन अच्छी दशरातोंमें भी यह भेद है कि समरातोंके संगममें पुत्र होते हैं विषमरातोंमें कन्या होती हैं तिसहेतुसे पुत्रकी कामनावाला ऋतुकालके भीतर युग्मरातोंमें स्त्रीसंगम करै और कन्याकी कामनावाला अयुग्मरातोंमें परन्तु यह व्यवस्था स्त्रीपुरुष दोनोंका वीर्यतुल्य होनेमें हो सकती है ७-अन्यथा जो वीर्यतुल्य नहीं हो तौ विषमरातोंके संगमसे भी पुत्र हो सकता है उस अवस्थामें कि जब संगमके समय पतिका बीज अधिक हो और जो पुत्र न हो तौ पुरुषके आकारवाली कन्या-ऐसे ही समरातोंके संगमसे भी कन्याकी उत्पत्ति हो सकती है कि जब संगमके समय स्त्रीका शोणित अधिक हो पतिका वीर्य थोड़ा हो और जो कन्या नहीं हो तौ स्त्रीके आकारवाला पुत्र हो-परन्तु जहां दोनोंका ही वीर्य थोड़ा होकर तुल्य होता है तहां न पुंसक पैदा होता है-अथवा जहां दोनोंके बीजमें अधिकता हो और समविषम रातोंका कुछ फेर हो जाय तहां कन्यापुत्र दोनों पैदा होते हैं-और जहां दोनोंका ही वीर्य क्षीण या अतिशय अल्प रह जाता है तहां गर्भकी संभावना नहीं रहती है ८-आगे जो परमेश्वर करता

है सोहोताहै क्योंकि उसकीइच्छाका अभ्यंतरपाया जाना यह असंभवहै इसलिये कि परमेश्वरमें तीन शक्तिबड़ीविलक्षण होतीहैं अर्थात् वह प्रभुनहोनेवाली बातको कर-सक्ताहै १ और होनेवालीको तत्काल भेटसक्ताहै २ और अन्यथाहोनेवालीको किसी औरही प्रकारसे करसक्ताहै ३-तथाहि(कर्तुंअकर्तुंअन्यथाकर्तुंयःशक्यःसईश्वरः)अर्थात् करनेको न करनेको अन्यथाकरदेनेकोसमर्थहो सोईश्वरहै-परन्तु तौभी मनुष्यकोउसकी इच्छाके भरोसे बैठारहना और उपायका न करना यहदुःखदायक हुआकरताहै— इसलिये जो कोई पुत्रकी कामनारखनेवालेहों और उन विषम रातोंमेंभी संगमकरना चाहें तौ धातोंके बढ़ानेवाले उत्तम औषधों वा आहारोंसे अपने बीजको बढ़ावें और धातोंकेसुखानेवालीवस्तु रूक्ष अथवा थोड़ेभोजनआदिउपायोंसे स्त्रीकेवीर्यकोघटाकर संगमकरें तौ भी पुत्रहोसक्ताहै सोइसकाभाव अबदेखोनीचे अस्सीकेश्लोकमें ७६ ॥

एवंगच्छन्स्त्रियंक्षामांमघांमूलं चवर्जयेत् । सुस्थइन्दौसकृत्पुत्रंलक्षणयंजनयेत्पुमान् ८० ॥

अक्ष०—इसप्रकार सुस्थचंद्रमामें क्षामास्त्रीको गमनकरतेहुये मघामूलको भी वर्जितकरें तौ एकही बारमें लक्षण्यपुत्रको पुमान् जन्मावे ८० ॥

अभि०—ऊपर ७६के श्लोकमें कहेहुये प्रकारसे रजकेसूखजानेपै क्षामास्त्रीका संगम करै क्षामाकाहिये हीनवीर्यवाली सो वह क्षामता उसकी रजस्वलाके चारोंदिनतक यथोचित नियमोंसे होतीहै जो कदाचित् नियमोंसे भा न हो तौ जैसा अभी ऊपर अधिकोक्तिकेअंतमें कहचुकेहैं उनप्रकारोंसे क्षामताकरनीचाहिये पुत्रकीकामनासे और मघामूल दोनक्षत्रजो निषिद्धहैं इन्हें बचावे और वह संगम ऐसीलग्नमेंकरै कि जिसमें चंद्रमाग्यारहवें या त्रिकोण आदि शुभस्थानों में पड़ाहो आगे शुभयोग और पुनक्षत्रहों ऐसी विधि सहित एकही रात्रिके संगमसे अच्छेलक्षणवाला बलवान्पुत्र पैदा होवे-परंतु ऐसापुत्र उसी पुरुषके होसक्ताहै कि जिसने बालापनसे तरुणाई पर्यंत अपने वीर्यका विध्वंस किसीहेतुसेन होने दियाहो ८० ॥

अधि०—पुत्रसेआगे संसारमें कोईवस्तुउत्तम नहींहै जिसकारणसे बड़ेप्रतापी और बलवान् शूरवीर भी कि जो संसारमें सबसे अपनी जयजीति चाहाकरतेहैं वेभी देवलपुत्रसे पराजय चाहाकरतेहैं अर्थात् सभीलोग यह अभिलाष कियाकरते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी सहस्रगुण ऊंचाहो-तथाच ( नचपुत्रात्परंतोकोकिंचिदास्तियतः पुमान् । सर्वेभ्योजयमान्विच्छेत्पुत्रादेकात्पराजयः ) ८० ॥

यथाकामीभवेद्वापिस्त्रीणांवरमनुस्मरन् । स्वदारनिरतश्चैवस्त्रियोरध्यायत स्मृताः ८१ ॥

अक्ष०—या स्त्रियोंके वरको यादिकरताहुआ यथाकामीभीहो किंच स्वदार निरतहो जिस्से स्त्रियां रक्षा योग्यकही हैं ८१ ॥

अभि०—स्त्रियोंके वरका यादिकरना यहकिजो किसीसमय इन्द्रने वरदान कियाथा

किजो पुरुष तुम्हारी काम अभिलाषाको उल्लाँघेगा सोपातकी होवेगा-इसलियेजो पुरुष इसबरके प्रतिपालके हेतुसे यथाकामी होनाचाहै अर्थात् निजभार्याकी अभिलाषा का विध्वंसनकरनाचाहै-या-आपही ऋतुकालके पीछेभी संगमकी कामना रखनेवाला होतौ वह ऋतुके १६ दिवसके पीछेभी अपनी इच्छाके अनुरूप सुख संगमकरै परंतु यह प्रतिज्ञाहै कि अपनी दारामेंही प्रीतिरखकर परदारासे बचतारहे क्योंकि जिसलिये ७८ के श्लोकमें स्त्रियोंकी रक्षाकरनी कहचुके हैं-सो वह रक्षारखवाली इसीरीति से होसक्तीहै कि पुरुष आप यथाकामी होकर परदारा गमनको बचावे ८१ ॥

अधि०-स्त्रियोंकी विशेष रक्षाकी अपेक्षासेमनु ऋषिभी कहतेहैं कि-निंद्यास्वष्टासु-चान्यासुस्त्रियोरान्निषुवर्जयन् । ब्रह्मचार्येवभवतियत्रतत्राश्रमेवसन् - अर्थात्-ऋतुकालकीपहलीचार और पैं चार इनआठ निंदित रातोंमें और इनके सिवाय ग्यारहवीं तेरहवींमें भी याजो कोई औरभी निंदितहोतीहों तिनमेंस्त्रीसंगमको बचातेहुये पुरुषचाहै तहाँ बसताहुआ भी स्त्रीसंगम करनेसे ब्रह्मचारीही बनारहताहै-और चाहे तहाँ बसताहुआ इसकहनेसे यह निश्चितहुआ किजो मनुष्य अपने ब्रह्मचर्यकीरक्षा बनीरखनाचाहै वह चाहेतहाँ विदेशमें जानेपरभी भार्या अपनेसाथ लेजावेतौ उसका ब्रह्मचर्य रहसक्ताहै और स्त्री रक्षाभी यथोचित गिनतीमें आसक्तीहै-और यद्यपि यह(सहगामित्व)कुछदश पाँचदिनकी साधारण यात्राके लिये परिनियमित नहींहै परंतु इसनियमका होनादोनोंकेहीलिये फलदायकहै इसीहेतुसे श्रीमहाराणी सीताजी और द्रौपदीआदि सत्कुलकी स्त्रियोंने महानिर्जनवनमें भी जानेपर अपने २ पतियोंका पीछानहींछोड़ा था-और पहले ऋषीश्वरलोग तौ सदैवही अपनी भार्याको क्रोशमात्र कीयात्रामें भी साथलेजाते थे क्योंकि वह तपोवरिष्ठ ऋषिलोग बालहत्यासे बहुत डराकरतेथे सोई यहश्लोककहाहै कि-सुस्नातायाश्चभार्यायाःसन्निधियोधिगच्छति । पुरुषोबालहत्यायाः पापंप्राप्तोत्यसंशयम्-अर्थात्-जोकोई पुरुष मासिकऋतुसे स्नानकराहुई भार्याके समीप नहींजाता है वह निस्संदेह बालहत्याके पापको पहुंचताहै ८१ ॥

भर्तृभ्रातृपितृजातिश्वश्रुवशुरदेवरैः । बंधुभिश्चस्त्रियःपूज्याभूषणाच्छादनाशनैः ८२ ॥

अक्ष ०-भर्ता भ्राता पिताजाति के लोग सासु ससुर देवर बंधुजन इनसवोंकरके स्त्रियां आभूषण बस्त्र भोजन पुष्प सुगंधिआदि से सत्कारके योग्य हैं ८२ ॥ इसका विशेषभाव ५५ के श्लोककी अधिकोक्तिमेंकह चुकेहैं ॥

संघतोपस्करादक्षाहृष्टाव्ययपराङ्मुखी । कुर्यात्श्वशुरयोःपादबंधनंभर्तृतत्परा ८३ ॥

अक्ष ०-अभि ०-संघतोपस्करा अर्थात् घरकीसूय चालनीआदि सामग्रीसब जहाँतहां ठौरठीकराखनेवाली-दक्षाकहिये अतिचतुराघरके कामोंमें-हृष्टाकहिये प्रसन्नमुखी-व्ययपराङ्मुखी अर्थात् खर्चसेमुँह फेरेहुये रहनेवाली किंतुसबकामकरै परन्तुखर्चकी



वार्त्तामें घरकेबड़ोंके आधीनरहे इसप्रकार अपनी मर्यादोंको बाँधेहुये भर्त्तामें तत्पर बनी रहकर सासु और ससुरकी पादबंदना करतीरहै ८३ ॥

क्रीडांशरीरसंस्कारंसमाजोत्सवदर्शनम् । हास्यंपरगृहेयानंत्यजेत्प्रोषितभर्त्तका ८४ ॥

अक्ष०—क्रीडाको शरीरके संस्कारोंको समाज और उत्सवके देखनेको हासबिलासको पराये घरजाने को प्रोषितभर्त्तका छोड़दे ८४ ॥

अभि०—दैवयोगसे जिसकिसी स्त्रीकापति विदेशमें निवासकरै वह इतनीबातों को न करै एकतौक्रीडा चौपड़ शतरंजगेंद आदि-शरीरके संस्कार उबटनाशिरगूँधनाआदि-समाजमेला आदिका देखना-उत्सव किसीके विवाहआदि में तमाशा का देखना-हाँसी पराये घरकाजाना ८४ ॥

रक्षेत्कन्यांपिताविन्नांपतिःपुत्रास्तुवार्धके । अभावेज्ञातयस्तेपांनस्वातंत्र्यंकचित्स्त्रियाः ८५ ॥

अक्ष०—कन्याके विवाहसे पहलेपिता रखवालीकरै-पीछेविन्ना जो विवाहिताहै तिसकी रक्षाभर्त्ताकरै-भर्त्ताके अभाव और वृद्धापनमें पुत्ररखवालीकरै-इनतीनोंके नहोनेमें इन्हींतीनोंके जातीलोग रक्षाकरै-स्त्रीको स्वतंत्रता कभीनहीहै ८५ ॥

पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुलैः । हिनानस्याद्विनाभर्त्तागर्हणीयाऽन्यथाभवेत् ८६ ॥

अक्ष०—पिता माता पुत्र भ्राता सासुससुर मामा इन्हांकरके रहितनहोवे विनाभर्त्ताके अन्यथा निंदाहोतीहै-अर्थात् जिसका भर्त्तानहींहोवह भर्त्तासेहिनस्त्री पिता आदिसे रहित अर्थात् जुदीनहोवे किंतु उनकेवशमें बनीरहै क्योंकि इससे विपरीततामेंनिंदित हुआ करतीहै ८६ ॥

पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविजितेंद्रिया । सेहकीर्त्तिमवाप्नोतिप्रेत्यचानुत्तमांगतिम् ८७ ॥

अक्ष०—पतिके प्रियकार्यमें और हितकार्यमें लगीहुई श्रेष्ठ आचरणवाली विशेष कर इन्द्रियोंको जीतकर वशमें रखनेवाली सोवहस्त्रीइससंसारमें सुकीर्त्तिको और परलोकमें अतिउत्तम गतिको पावतीहै ८७ ॥ अबनीचेके श्लोकमें ऐसेपुरुषका धर्म कहतेहैं कि जिसके कईभार्याहों ॥

सत्यामन्यांसवर्णायांधर्मकार्येनकारयेत् । सवर्णासुवियौधर्म्येज्येष्ठयानविनेतरा ८८ ॥

अक्ष०—सवर्णास्त्रीकेहोतेहुये असवर्णासे धर्मसंबंधी कामनहीकरावे जिसके सवर्णा ही कईस्त्रियांहोंतौ ज्येष्ठाकोछोड़कर औरोंको धर्मकार्यमें नहींलगावे ॥ ८८ ॥ अब उसका धर्मकहतेहैं कि जिसकीभार्या शांतहोगईहो ॥

दाहयित्वाग्निहोत्रेणस्त्रियंवृत्तवर्तीपतिः । आहरेद्विधिवद्भागनग्न्यांश्चैवाविलंबयन ८९ ॥

अक्ष०—वृत्तवती स्त्रीको अग्निहोत्रसे दाहकरके पतिविलंब न करनाहुआ विधिवत्दाराओं और अग्नीन्कोभी आहरणकरै ८९ ॥

अभि०—पहले कईश्लोकोंमें वर्णन करीहुई शुभआचरणवाली स्त्री मरीहुईको उम-

का पति अग्निहोत्र नामश्रौत अग्निसं जो श्रुतिवेदमंत्रोंसे सदाघरमें स्थापित रहा करतीहै उसीको गार्हपत्य अग्निभी कहतेहैं तिससे दाहकरै-अथवा जिसकेघरमें इस वेदोक्त अग्निहोत्रकी स्थापना नहींहो तो वहस्मार्त्त अग्निसे दाहकरै स्मार्त्तअग्निके लक्षण समुभावाहोतौ आगेबढ़कर ६७ केश्लोकमें देखौउस अग्निसे या इससेदाह कियेपीछे शीघ्रही वर्षमात्रके अंतरसे वहपति फिर विवाहकी विधिसे स्त्रीका आहरण किंतु आकर्षणकरै-आहरण या आकर्षण कहनेका यह अभिप्रायहै कि इसद्वितीय स्त्री संग्रहको परिश्रम और उपाय पूर्वकभी करै क्योंकि द्विजातीमात्रकोइस्से उपेक्षाकरनी अनुचितहै परन्तु उसके लिये कि जिसके उस मृताभार्याके सिवाय द्वितीया नहींहो और संतान भी नहींहो या संतानके होनेपर भी जिसकी मनोवृत्ति विषयवासना से विकृतहोसक्तीहो या जिसको यज्ञादि कर्मकरनेकी कामना शेषहो सोतत्काल आहरण करै और अग्नीन्का भी आहरणकरै अर्थात् अग्निकी स्थापना गृहस्थीमें भार्या के बिना असंभवहै क्योंकि जिसअग्निको साक्षीभूत करके विवाहकियाजाता है वहीअग्निगृहस्थीके घरमें स्थापित करीजातीहै और निरंतर उसकी रक्षाकरीजातीहै उसीसे प्रतिदिन के अग्निहोत्र हवनपाकयज्ञ वैश्वदेव आदिसब होतेहैं फिर वही अग्निउस विवाहिताके मरनेपर उसकेदाहके साथ विसर्जन होजातीहै-अब ऐसाघरपृथ्वीपर कदाचित् कहींढूँढ़नेसे मिलसक्ताहो ८६ ॥ इतिविवाहप्रकरणम् ॥

द्विजातीलोगों के गर्भाधानसेलेकर विवाहताई दशोंकर्मोंका विधान पूराहोचुका परंतु दशवांकर्म जो विवाहथा तिसमें कईप्रकारकी भार्याकहीथीं उनसे जोसंतानें उत्पन्नहोवेंगी तिनका जातिभेद अबनीचेकहते हैं कि किसभार्याकीसंतान कौनजातिमें गिनीजाती है ॥

सवर्णेभ्यःसवर्णासुजायंतेहिसजातयः । अनिद्येषुबिवाहेषुपुत्राःसंतानवर्द्धनाः ९० ॥

अक्ष०—सवर्णपुरुषोंसे सबणोभार्याओंमें सजातीपैदाहोते हैं किंच अनिद्यविवाहों में बंशकेबढ़ानेवाले पुत्रहोते हैं ६० ॥

आभि०—चारोंबणोंके भिन्न२ पुरुष और अपने२वर्णकी विवाहिताभार्याओं में जो संतानेंपैदाकरतेहैं वेसंतानें उनकीसजातीहोती हैं अर्थात् जो जाति मातापितादेनो कीहो उसीजातिके वे पुत्रकहाते हैं-परंतु इतनाविशेष इसमें और है कि सबर्णा विवाहिताभी आठप्रकारके विवाहोंकेअनुकूल आठप्रकारकीहोती हैं इसीलिये कहतेहैं कि उनमें पहले चारविवाहजो अनिद्यहैं जिनका चर्चा ५८।५९ के श्लोकोंमें आचुकाहै उन विवाहोंकी सबर्णाभार्याओंमें संतानकेबढ़ानेवालेपुत्र अर्थात् बंशकोउज्ज्वलतासे प्रसिद्धकरनेवाले होतेहैं-और पिछले चारप्रकारकेविवाह जो निंदाकेयोग्यहैं जिनका चर्चा ६०।६१ के श्लोकोंमेंआयाहै उनविवाहोंकी सबर्णाभार्याओंकीभीसंतानें बंशको

मलीनकरनेवाली होती हैं ६० ॥ यह तौ ठीकर बर्णोंकी उत्पत्ति कहीगई-अबनीचे-  
अनुलोमजातोंकी उत्पत्तिकहते हैं ॥

विप्रान्मूर्धावसिक्तोहिक्षत्रियायांविशःस्त्रियां । अंबष्टशूद्रयांनिषादोजातःपारसवोपिवा ९१ ॥

अक्ष०-ब्राह्मणसे क्षत्राणीमें (मूर्धावसिक्त) होताहै-वैश्यानी में (अंबष्ट) शूद्रिनी में  
उत्पन्न भयो (निषाद) या (पारसव) कहाताहै ६१ ॥

अभि०-ब्राह्मणसेविवाहिता क्षत्रियकन्याकेउदरमें जोपुत्रहोताहै वह मूर्धावसिक्त  
क्षत्रीजाति कहाताहै-ब्राह्मणसे विवाहिता वैश्यकन्याके उदरमें जो संतानहोती है वह  
(अंबष्टवैश्य)जातिकहलातीहै-ब्राह्मणसेविवाहिता शूद्रकन्याकेउदरमें जो संतानहोतीहै  
वह (निषादनामशूद्र) जातिहोती है-देशकेविकल्पसे अथवा कालके विकल्पसे उसीको  
(पारसवनाम) शूद्र भी कहते हैं ६१ ॥

अधि०-यद्यपि क्षेत्रजसंतानकीउत्पत्ति जिसकीविधि ६८।६६ के दोश्लोकोंमें कही  
थी उसकाजातिभावभी माताकीजातिकेसमान निश्चितहै इसमें यहतर्कवादहै किजब  
यहाँपर कहीहुई विवाहितास्त्रियोंकीसंतानें माताकेसमानजातिवाली निश्चितहोनेपर  
भी मूर्धावसिक्तआदि कलंकरूप विशेषणवाली कहलाई तौ उसक्षेत्रजसंतानमें भी  
कोईसाकलंक विशेषणहोनाचाहियेथा-तहाँयहहेतुहै कि वहवात निंद्यविवाहोंमेंगिनती  
नहींहोसक्तीहै क्योंकि वह विवाहकाप्रसंगहीनहीं है अर्थात् वह केवल शास्त्रसंमतसे  
नियोग विधिपूर्वकशिष्टसमाचारकहाहै फिरउसमेंकलंक या किंतुलगानेका क्याअव-  
सरहै-और उसकीमाताकेसमान जातिकहना यहभी एकबुद्धिभ्रमहै क्योंकि माताके  
समान जातिकहना उसअवस्थामें होसक्ताहै कि जहाँ माताअन्यजाति पिताअन्य  
जातिकाहो-उसकागर्भाधान स्वर्यात्पुरुषके अथवा जीवत्पुरुषके कनिष्ठभ्राता या  
सपिंडभ्राता या सगोत्रभ्रातासे कहाहै सो ये तीनों उसीस्वर्यात् या जीवत्पुरुषकी  
जातिसे दूसरीजातिनहींहैं क्योंकि जो भाईकीजाति सो उसकीजातिहै उसकीवह भा-  
र्याथी इनकीभाभीहै फिर उसकीसंतानमें माताकीजातिकहना परमअसंभवहै क्योंकि  
इसंतानक्षेत्रज उसीपुरुषकाकहाताहै और उसीका दायभाग भी पाताहै कि जिस  
रेहुये या जीवत्पुरुषकी भार्यामेंगर्भाधानहुआ इसहेतुसे जिसका वहक्षेत्रजकहलाया  
और जिसकादायभागभीपाया उसीकेसमतुल्य उसकीजातिभी प्रत्यक्षभावसेनिश्चित  
है फिर उसकीजातिमेंकलंक अथवा किंतुलगानेका क्याअवसरहै-कदाचित्त उसको  
(गोलक)या(कुण्ड)कहनाचाहौ सो यहवातवडीदूरहै क्योंकि (गोलक)संतानवहीकहलाती  
है कि मुख्यपिताकेमरेपीछे जारपुरुषकेवीर्यसेपैदाहो-ऐसेही(कुण्ड)वहीकहलातीहै जो  
मुख्यपिताकेजीवनेहुये जारपुरुषके वीर्यसेपैदाहो और फिर जारपुरुषकी जातिकाभी  
नियम सर्वत्रनहींहोसक्ताहै कि वहकौनजातिथा चाहें इनहेतुने (गोलक) और (कुण्ड)

इनदोनोंकाजन्म जारपुरुष और ब्यभिचारिणीस्त्रीसे होताहै यह निषेधका प्रसंगहै और वह विधिकाप्रसंगहै इसका उसबातसे किंचित्भी संसर्गनहीं है-यद्यपि वहक्षेत्र-जसंतानकीमर्यादा सर्वदेशब्यापिनी या सर्वलोकब्यापिनी या सर्वजातिब्यापिनी या सर्वकालब्यापिनी नहींदेखपड़तीहै और यद्यपि इसशास्त्रमें केवल देवोंकेनियोगसे क्षेत्रज संतानका जन्मकहाहै परंतु अन्यशास्त्रोंकेसंमतसे देवोंकेअभावमें पुरोहित आचार्य ऋषि ब्रह्मचारी आदिसेभी बीजलेनाकहाहै जैसे धृतराष्ट्रपांडुबिदुर येतीनों भाई वेदब्यासजीके नियोगसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य राजाकेक्षेत्रजसंतान और क्षत्रीजाति बड़ेप्रतापीप्रसिद्धहैं-अद्यापिबर्तमानमें किसी २ देशविभागके त्रैवर्णिकमें यहाँतक प्रवृत्तिदेखीसुनीजातीहै कि भानजेकाभी बीजलियाजाता है और उनकी वे संतानें मुख्यपितामाताकी जातिमें उसीसमान गिनतीमें रहतीहैं कि जानो अपने मुख्यपिताकेवीर्यसे जन्मपायाहो और कोईप्रकारकाकलंक या किंतु लोकदृष्टिसेभी उनमें नहींलगता क्योंकि वेलोग इसवार्तामें केवलशास्त्रविधिपर आरूढ़हैं ६१ ॥

वैश्याशूद्रयोस्तुराजन्यान्माहिष्योग्रौसुतौस्मृतौ । वैश्यानुकरणःशूद्र्यांविन्नास्वेपविधिःस्मृतः ९२ ॥

अक्ष०-वैश्यानी शूद्रिनी दोनोंमें राजन्यजातिसे माहिष्य उग्रदोनोंसुतकहेहैं-वैश्य पुरुषसे शूद्रिनीमें करण होताहै यह विधिविवाहिताओंमें कहीहै ६२ ॥

आभि०-बिवाहिता वैश्यकन्याके उदरमें क्षत्रीपतिसे माहिष्यनाम जातिका वैश्य पुत्रहोताहै-बिवाहिता शूद्रकन्याके उदरमें क्षत्रीपतिसे उग्रनामजातिका शूद्रपुत्रहोता है-बिवाहिता शूद्रकन्याके उदरमें वैश्यपतिसे करणनामजातिका शूद्रपुत्रहोताहै-यह विधि जो ६०।६१।६२ इन तीनश्लोकोंमें कहीगई सो सब विवाहितास्त्रियोंकी कहीहैं अविवाहिताका कुछनियम नहींहै ६२ यहाँतक तीनश्लोकोंमें वर्ण और अनुलोम जातोंकीव्यवस्था कहचुके-अबनीचे प्रतिलोमजातोंका वृत्तांतकहतेहैं-अनुलोम तो उसेकहतेहैं कि जो उत्तमजातिकावीर्य हीनजातिकेक्षेत्रमेंपड़े सो ऊपरकहचुके-और प्रतिलोम उसकोकहतेहैं कि जो हीनवर्णकाबीज उत्तमजातिकेक्षेत्रमें बोयाजाय सो यह प्रतिलोमकहिये उलटाजन्म जैसा नीचेकहते हैं ॥

ब्राह्मण्यांक्षत्रियात्सूतौवैश्याद्वैदेहिकस्तथा । शूद्राज्जातस्तुचांडालःसर्वधर्मवहिष्कृतः ९३ ॥

अक्ष०-ब्राह्मणीमें क्षत्रीसेसुत और वैश्यसे वैदेहिक तथा शूद्रसेउत्पन्नभया चांडाल जो सर्वधर्मोंसे बाहरकियाहै ६३ ॥

आभि०-यह प्रतिलोमजातिकाजन्म बिवाहितामेंनहींहै क्योंकि जहाँ ५७के श्लोक में विवाहोंकाअनुक्रम कहाथा तहाँ प्रतिलोमविवाह नहीं कहेहैं-इस्से यह निश्चन हुआ कि विनाबिवाहिता घेरीहुई ब्यभिचारिणीब्राह्मणीमें क्षत्रीजातिकेपुरुषसे जो पुत्रहो वह (सूतजाति) कहलावै-याऐसीब्राह्मणीमें वैश्यजातिसे पुत्रहो वह (वैदेहिक)ज-

ति कहलावै-या ऐसीब्राह्मणीमें शूद्रसेजोपुत्रहो वह(चांडाल) मेंगिनाजाताहै और सब धर्मकर्मोंसे पतितहोताहै अर्थात् वह शूद्रकीभीजातिमें गिनतीनहीं है ६३ ॥

क्षत्रियामागधवैश्याच्छूद्राक्षत्तारमेवच । शूद्रादायोगववैश्याजनयामासवैसुतम् ९४

एकार्थः—क्षत्राणीस्त्री वैश्यपुरुषसे (मागधनाम) जातिकापुत्र-औरशूद्रसे (क्षत्तारनाम) जातिकापुत्र-और शूद्रसे वैश्यानीस्त्री (आयोगव) नामजातिकापुत्र पैदाकरतीभई-यहदो श्लोकोंमेंकहेहुये सूतवैदेहिक चांडाल मागधक्षत्ता (आयोगव) छःजातें प्रतिलोमजहोती हैं इनकी जीविकावृत्ती पूर्वसमयके अनुसार विशेषकर औशनसनाम शास्त्र और मनुशास्त्रमेंभी शिल्पकर्मों के द्वारा कहीहैं सोई उनजातोंके मनुष्य अबतकभी उन्हीं कामोंको अपनी२ जातिके अनुसार करते चलेआते हैं ६४ ॥ अब संकर्षि संकरसे जात्यंतर कहतेहैं अर्थात् फिर उनजातोंसे जो जातें बढीतिनका व्योरायद्यपि विस्तार होनेसे अपार सागरहै परन्तु संक्षेप करके थोड़ासा निदर्शन मात्र नीचे कहते हैं ॥

माहिष्येणकरण्यांतुरथकारःप्रजायते । असत्संतस्तुविज्ञेयाःप्रतिलोमानुलोमजाः ९५ ॥

अक्ष०—माहिष्य जातिके पुरुषसे करणी जातिकी स्त्रीमें (रथकार) पैदा होताहै-असत् और सत्भी समुझने चाहिये जो प्रतिलोम और अनुलोमसे पैदाहुये ६५ ॥

अभि०—(दृष्टांत) जैसे क्षत्रीने वैश्यानीमें माहिष्य जातिका पुत्र पैदा कियाथा और वैश्यने शूद्रिनीमें करणीजातिकी कन्या पैदा करी तिस करणी स्त्रीमें उस माहिष्य पुरुषने जो संतान पैदाकरी उसकी (रथकार) नाम जातिहुई इसकाभी यज्ञोपवीत आदि सब संस्कार करना चाहिये क्योंकि (शंख) जी कहते हैं कि क्षत्री और वैश्यके अनुलोम वंशसे जो रथकार पैदा होताहै तिसको पूजा दान उपनयन आदि संस्कार क्रिया और शालोत्तरी आदि घोड़ा की विद्यारथका हांकना और स्थानोंकी रचना आदि राज मिस्त्रियोंकी विद्यापढ़ना और इन्हीं कामोंसे जीविका करनेका अधिकारहै-इसी दृष्टांतके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रीसे उत्पन्न भया जो (मूर्धावसिक्त) और क्षत्री वैश्यसे उत्पन्नभया जो(माहिष्य)इनके अनुलोम संकरसे जो जात्यन्तरपैदाहोवे उसकोभी द्विजातित्व लक्षणसे सब संस्कारोंका अधिकार समुझना चाहिये इसीप्रकार जो नानानाम की जातें होती हैं तिनके विशेषभेद और नाम अन्य स्मृतियों में पायेजाते हैं इनसबों में जो२ अनुलोम जातों और अनुलोम मार्गोंसे पैदाहुई हों उनको अच्छी समुझनी चाहिये और जो२प्रतिलोम कहिये उलटीजातों और उलटेमार्गोंसे पैदाहुई हों उन्हें उनसे हीनसमुझनी चाहिये ६५ ॥ यह तौ जातोंकी हीनता कहीगई अब इन्हीं जातों की उत्कर्षा कहते हैं कि कौन२सी जाति किस२ प्रकारसे और कितन२ कालके अंतर से फिर अपने मुख्य वर्णमें शुद्धहोकर मिलजाती है ॥

जात्युत्कर्षोयुगज्ञेयःपंचमेसप्तमेपिवा । व्यत्ययेकर्मणांसान्यपूर्ववच्चायगेनरम् ९६ ॥

अक्ष०—जातिका उत्कर्ष युगपांचवें वा सातवें जानिये-कर्मोंके व्यत्ययमें भी समता और पूर्ववत् (अधरों) वा (उत्तरों) का न्यनाधिक भाव जानिये ६६ ॥

अभि०—जातें जो मूर्द्धावसिक्त आदि चारोंबणोंसे उत्पन्न भईथीं तिनका उत्कर्ष कहिये उत्तमता अर्थात् ब्राह्मणआदि वर्णोंकेसमान होजाना सो पांचवें या सातवें युगमें कहिये जन्ममें और ( आप ) शब्दके विकल्पसे छठेजन्मभी गिनतीमें लेना सो इसकी व्यवस्था इसप्रकारसे लगाई जाती है कि जैसे पूर्वोक्त श्लोकोंके अनुसार ब्राह्मणके बीजसे शूद्राके गर्भमें निषादी जातिकी कन्या पैदाहुई थी सो वह कन्या ब्राह्मण कोही विवाही गई और उस्से फिर कन्याभई तो यह दूसरा जन्म हुआ या इसीको दूसरा युगकहो सो यह दूसरी कन्याभी किसी ब्राह्मणको विवाही गई फिर उस्से जो तीसरे जन्मकी कन्याहुई सोभी किसी ब्राह्मणको विवाही अर्थात् इसीप्रकार निरन्तर जो कन्या होतीगई सो ब्राह्मण कोही विवाहीगई तो छठेजन्मकी कन्या जो संतान पैदाकरेगी सो वह सातवें जन्मकी संतान ठीकर ब्राह्मणवर्णकी पदवीको पहुँचैगी अर्थात् ब्राह्मणवर्णकी गिनतीमें आकर ब्राह्मणोंमें मिलजावेगी परन्तु जो बीचमें कुछ अन्तर पड़कर किसी और जातिको विवाही जाय या और जातिसे पैदाहो तो यह उत्कर्ष नहीं हो सक्ताहै-ऐसेही ब्राह्मणके बीजसे वैश्यानीके गर्भमें अंबुजाजाति कन्या हुईथी वह भी इसीक्रमसे पांचवेंजन्मकी कन्या छठेजन्म की संतानको ब्राह्मण वर्ण पैदाकरैगी-ऐसेही ब्राह्मणके बीजसे क्षत्राणीके गर्भमें मूर्द्धावसिक्ताजाति कन्याहुई थी वहभीइसीक्रमसे चौथेजन्मकी कन्या पांचवेंजन्मकीसंतानको ब्राह्मणवर्ण पैदाकरैगी-ऐसेही क्षत्रियके बीजसेशूद्रा के गर्भमें उग्राजाति कन्याहुईथी वहभी इसीक्रम से क्षत्रियको विवाहीजाकर छठेजन्मकी संतानको ठीकर क्षत्रियवर्ण पैदाकरैगी-ऐसेही क्षत्रियके बीजसे वैश्यानी के गर्भमें माहिष्या जातिकन्या हुईथी वहभी इसीक्रम से क्षत्रियको विवाही जाकर पांचवेंजन्मकी संतानकोठीकरक्षत्रियवर्ण पैदाकरैगी-ऐसेही वैश्यके बीजसे शूद्राकेगर्भ में करणीजाति कन्याहुईथी वहभी इसीक्रमसे वैश्यको विवाहीजाकर पांचवेंजन्मकी संतानको ठीकर वैश्यवर्ण पैदाकरैगी-ऐसेही और भी सर्वत्र अपनी बुद्धिसे विचारकर समझलेना-यहांतक आधेश्लोकका अर्थ पूराहुआ अब पिछले अद्धाका अर्थ कहतेहैं कि-कर्मोंके व्यत्ययमें अर्थात् जीविका वृत्तिकेकर्मों में उलटा पुलटी होजानेपर भी पांचवें या छठे या सातवें जन्ममें जातिकी समताहोजातीहै किंतु जिसहीनवर्ण के कर्मसे जीविकावृत्ति करताहै उसीजातिका होजाताहै जैसेब्राह्मण अपने कामोंसे निर्वाह न करसकने में क्षत्रियका कर्म करनेलगे उससेभी निर्वाह न होनेमेंवैश्यकी वृत्तिकरै उससेभी निर्वाह न होनेमें शूद्रकीवृत्तिकरै-ऐसेही क्षत्रिय अपने कर्मसे निर्वाहनहो सकनेमें वैश्यकीवृत्ति करै उससेभी निर्वाहनहोने में शूद्रकीवृत्ति



करै-ऐसेही वैश्यभी अपनेकामसे निर्वाह न होनेमें शूद्रकीवृत्तिकरै-यहअनुकल्प जी-  
विका वृत्तिका यद्यपिशास्त्रोक्तहै और इसीकोकर्मों का व्यत्यय कहतेहैं परन्तु यह भी  
उचितहै कि जब अपनाआपत्काल कटिजावै तबउस नीचवृत्तिको छोड़कर अपनी  
मुख्यवृत्ति फिर करनेलगे-और जोआपत्काल कटिजानेपर भीउसनीचवृत्तिको नहीं  
छोड़ै और उसवृत्तिके करतेहुये जिसपुत्रको पैदाकरै वहपुत्रभी उसीवृत्तिको करनेलगे  
फिर उसपुत्रका पुत्रभी उसीवृत्तिकोकरै तौ इसीकर्मसेइसव्यवस्थामें जो ब्राह्मणने शूद्र  
वृत्तिकरी होतौ सातवेंजन्मका संतान ठीकर शूद्रपैदा होताहै-जोब्राह्मणने वैश्यवृत्ति  
करीहो तौ छठीसंतान वैश्य पैदाहोताहै-जो ब्राह्मणनेक्षत्रियकी वृत्तिकरीहो तौपांचवीं  
संतान क्षत्रिय पैदाहोताहै-जो क्षत्रियने शूद्रकीवृत्तिकरीहो तौछठीसंतान शूद्रपैदाहो-  
ताहै-जो क्षत्रियने वैश्यकी वृत्तिकरी होतौ पांचवीं संतान वैश्य पैदाहोताहै-जो वैश्य  
ने शूद्रवृत्तिकरी हो तौ पांचवींसंतान शूद्रपैदाहोता है-यहांतक तीनपाद अर्थात् पौन  
श्लोककाअर्थहोचुका अब चौथेचरणका अर्थकहतेहैंकि(पूर्ववच्चाधरोत्तरम्)अधरवाले  
और उत्तरवालेइन्हेंका नीचहोना या ऊंचहोना पूर्वोक्त श्लोकके उत्तरार्द्धके अनुसार  
जानो( जैसे ) मूर्धावसिक्ताजातिकी कन्या में क्षत्रिय वैश्यशूद्रोंकी पैदाकरीहुई संता-  
नै औरअंवष्टा जातिकी कन्यामें वैश्यशूद्रों की पैदाकरी हुई संतानै और निषादीक-  
न्यामें शूद्रसे पैदाहुई संतानै येसब (अधर ) कहातेहैं इनको प्रतिलोमज भी कहतेहैं-  
( तैसेही ) मूर्धावसिक्ताकन्या अंवष्टाकन्या निषादीकन्या इन तीनोंमें ब्राह्मणकी पैदा  
करीहुई संतानै और माहिष्या कन्याउग्रा कन्याइनमें ब्राह्मणकी पैदाकरीयाक्षत्रियकी  
पैदाकरी संतानै और करणीकन्या में ब्राह्मणकी पैदाकरी या क्षत्रियकी यावैश्यकी  
पैदाकरी संतानैये सब( उत्तर )कहातेहैं इनकोअनुलोमजभी कहते हैं ऐसेही और  
अपनीबुद्धिसे समुझलेना इनमेंजो अधरजातिके गिनायेवहनीचे हैंजो( उत्तर )  
केगिनाये वहऊंचेहैं जैसेपहले ६५ के श्लोकके पिछलेअध्यायमें प्रतिलोमज  
मोंमे षष्ठीय पैदाहुये नीचेऊंचे कहेथे ६६ ॥

लौकिक जो अन्नपाक आदिकर्म प्रतिदिन कियेजातेहैं तिनकोभी गृहस्थी जो घरका धनीहो सो विवाहकी अग्निमेंकरै अर्थात् जिसअग्निके हवनकर्मको प्रत्यक्ष करके विवाह कियाजाताहै वही अग्नि उसकेघरमें सदैव रक्षापूर्वक रक्खीजातीहै तिसमेंकरै किन्तु और कहींसे अग्निलाकर न करै अथवा किसीहेतु से वह अग्निनहीं हो तौ उसअग्निमें करै जोघरका हिस्साबांट होनेकेसमय अपनेबांटमें पाईहो अथवाजिसके घरमें ऐसीअग्निभीनहो तौ वैश्यकेघरसे या किसीसत्कुल धनपात्रकेघरसेया भाड़मेंसे ल्याकर अग्निसंस्कारकी विधिसे संस्कारकरके उसमें उन कर्मोंकोकरैजो ऊपरकहे- और श्रौतकर्म जो वेदोक्तरीतों से अग्निहोत्र आदि कर्म होते हैं तिनको(वैतानिक) नाम आहवनीय आदि अग्नि जो वेदकी विधिसे स्थापन होती हैतिनमें करै ६७ ॥

शरीरचिंतानिर्वर्त्यकृतशौचविधिर्विजः । प्रातःसंध्यामुपासीतदं तथावनपूर्वकम् ९८ ॥

एकार्थः—द्विजाती गृहस्थी शंकालघु शंकाआदि शरीरकी चिंतासे निपटकर यथोक्त शौचविधि कियाहुआ दन्तधावन पूर्वक स्नान आदि करिकै प्रातःकालकी संध्या उपासनाकरै ६८ ॥

अधि०—दंतधावनमंत्रश्च(आयुर्बलयशोवर्चःप्रजाःपशुवसूनिच । ब्रह्मप्रज्ञांचमेधां चत्वंनोदेहिवनस्पते) इति यद्यपि शास्त्रांतरमें कहींकहीं ब्रह्मचारीकेलिये दंतधावनका निषेधपाया जाताहै और उसीके अनुसार श्रीमत्परमहंस परिव्राजक विज्ञानेश्वरभट्टारक मिताक्षराकार भी यहांपर प्रमाणदेते हैं कि गृहस्थीको दंतधावन सहित संध्या आदिकर्म करनेकी आज्ञादेने के लिये यहांपर दूसराकर संध्याकाचर्चा कियागया है क्योंकि संध्याकी चर्चा यद्यपि ब्रह्मचारीके प्रकरणमें आचुकीथी परन्तु यहांपरदंतधावनका चर्चानहीं आयाथा इसहेतुसे कि ब्रह्मचारीको दंतधावन करनानिषेध है तथा पि इसप्रमाणके देनेपरभी कोईसाहेतु नहींलिखतेहैं कि क्यों उसको दंतधावनकानिषेधहै फिर बिनाहेतुकी वार्ताकाप्रमाण क्योंकर मानाजाय-और जो योंकहोकि यहभी एकधर्मकालक्षणहै तौजिसमें शौचिताकी विशेषता पाईजाय ऐसेधर्म लक्षणका बिना हेतुकेभी प्रमाण होसक्ताहै और जहांप्रत्यक्ष भावसे मलीनता पाईजाती है तिसको बिनाहेतुके प्रमाणकैसे करसकें-इससे प्रत्यक्षभाव में दंतधावन का करनाही ब्रह्मचारीकेलियेभी धर्मका लक्षण प्रतीत होताहै और नकरना अधर्मका लक्षणहै और जो यहकहो कि जो करना धर्मकेलक्षणमें गिनतीहोता तौ क्या याज्ञवल्क्यजी आज्ञानहीं लिखसक्तेथे-हम कहतेहैं किजो उन्होंने आज्ञा नहींलिखी तौ निषेधभीतौ नहींलिखा है कि वहदंत धावनको नकरै और दूसरे यहवात कि जैसे इसवातका चर्चा उन्होंने वहांपर नहीं लिखा तैसेही औरभी अनेकवातें तुच्छ समुभकर नहीं लिखीहैं क्योंकि जत्र ब्रह्मचारीकेलिये प्रातःकालकी शौचविधिकरनालिखा तौ उसकेसाथमें दंतधावन

आपही समभलियागया फिर उसको भिन्नलिखनेकी क्या आवश्यकता थी शौचकहने मेंउसकेउपयोगी सभीकाम आगये-और जिनऋषियोंने दंतधावनका निषेधलिखा है उनके लिखनेकाहेतु और अभिप्राय केवलइतना तौ साधारणभावसे पायाजाताहै कि विद्या संग्रहकरनेवाला ब्रह्मचारी नृत्य गीत सुगंधि उबटना अंजन आदिकामोंमें यहाँ तक उपेक्षाकरदेवे कि वहअच्छीतरह दंतधावनभी नकरै अर्थात् जोदातौनि अनायास हाथलगजावे तौ करलेवे नहींतौ आवश्यकतापूर्वक ढूँढतानहींफिरै क्योंकि उसकेढूँढने और करनेमें विलंब लगैगा उसविलंबसे गुरुकी सेवा और विद्योपार्जनमें हानिपड़ैगी इसहेतुसे विद्यासंग्रहमें उत्साह और उत्कर्षादिखलानेकेलिये और नृत्यगीत उबटना अंजन तैल आदि संस्कारोंसे मन हटानेकेलिये निषेध लिखाहै कि इनकामोंको यहां तकछोड़देवे कि दातौनिका करना जो बड़ा आवश्यक और शौचधर्मकी गिनतीमेंहै तिसकोभी नकरै तौ दोषभागी नहीं होसक्ता परन्तु तौभीदातौनिका करना यह ऐसा कामनहींहै कि जिसकेकरनेसे ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य जातारहे या वहपापभागीहोजाय इसीलिये याज्ञवल्क्यजी ने इसकी विधि या निषेध दोमेंसे एकभी नहींलिखा क्योंकि विधितौ शौचकर्मकी आज्ञाकेसाथ आपही पाईगई(दृष्टांत) जैसे किसीने कहाकि रोटी करौ तहांयहभाव नहींहै कि केवल रूखीरोटी करलो किंतुरोटी कहनेसे दालभाततरकारी आदि उसके उपयोगी सभी पदार्थ समुझे गये-और निषेधको इसलिये नहीं लिखा कि वहनिषेध निर्विकल्प आज्ञापूर्वक नहींहै किंतु उसमें केवल साधारण हेतुहै जो ऊपर नृत्यगीत आदिके निदर्शनमें लिखागया फिर ऐसे बृथा तुषकंडनकी क्या आवश्यकताहै जो निष्प्रयोजन बातकोलिखें और ग्रंथकाविस्तार बढ़ावें इससेउसकी इच्छारही कि जैसा अवसरदेखै उसके अनुसारकरै या न करै ९८ ॥

हुत्वाग्नीन्सूर्यदैवत्यान्जपेन्मंत्रान्समाहितः । वेदार्थानधिगच्छेच्चशास्त्राणिविविधानिच ९९ ॥

अक्ष०—अग्नीन्को होमिकर सूर्यदैवत्य मंत्रोंकोजपै पुनि समाहितहुआ वेदकेअर्थों को अधिगतहोवे और विविध भाँतिके शास्त्रोंकोभी ६६ ॥

अभि०—अग्नीन्को पहले होमिकर यह असंभवहै इसलिये सूर्यदैवत्य मंत्रोंको यह ८६केश्लोकमेंजो प्रातःकालकी सन्ध्या दन्तधावन पूर्वककहीथी तिसकेसाथ जुड़ा अर्थात्प्रातःसन्ध्याको उपासनकरै और सूर्यदैवत्य मंत्रोंको जो सन्ध्याकीविधिमें होते हैं तिन्हें जपै-तिसपीछे आहवनीय आदि अग्नि जो जिसके घरमें कोईमी स्थापितहो तिसकोया औपासन अग्निको होमिकर स्वस्थाचित्तहुये पीछे वेदके अर्थकहिये पदार्थ जो निरुक्तकल्प व्याकरणादि प्रासिद्ध हैं तिन्हें श्रवण मनन निदिध्यासन प्रकारों मे समुझे और अनेकभाँतिके संसारीशास्त्रोंकोभी सुने और विचारें अथवापढ़े यहप्रातः काल का धंधाकहा ६६ ॥ अब कुछेक दिनचढ़ेका धंधाकहने हैं ॥

उपेयादीश्वरंचैवयोगक्षेमार्थसिद्धये । स्नात्वादेवान्पितृन्चैवतर्पयेदर्चयेत्तथा १०० ॥

एका०—(योग) कहिये मुकहमा आदिकोईसा अपनाउपाय(क्षेम)कहिये रक्षासंबन्धी काम जो अपने धनजन आदिसे अपेक्षितहो-(अर्थ) कहिये धनका लाभकरना ऐसे कामोंकी सिद्धिकेलिये ईश्वर जो कोई नगरकाराजा या प्रधान साहूकार आदि समर्थ तिसकेपासभी जावै-वहांसे आकर फिर स्नानकरिकेदेवताओं और पितरोंकोभी तर्पण और पूजनकरै १०० ॥

वेदाथर्वपुराणानिसेतिहासानिशक्तिः । जपयज्ञप्रसिद्धयर्थविद्यांचाध्यात्मिकीजपेत् १०१ ॥

एका०—वेदत्रयी अथर्व पुराण इतिहास और अध्यात्मिकी नाम वेदांतविद्या इन सबोंको या किसी किसीको बहुत अथवा थोड़ा अपनी सामर्थ्यके अनुमानसे जप यज्ञ आदिकामोंकी सिद्धिकेलिये जपै १०१ ॥

बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः । भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणामहामखाः १०२ ॥

अक्ष०—बलिकर्म १ स्वधाकर्म २ होमकर्म ३ स्वाध्यायकर्म ४ अतिथिसत्कार ५ यहपाँचोक्रमसे-भूतयज्ञ १ पितृयज्ञ २ देवयज्ञ ३ ब्रह्मयज्ञ ४ मनुष्ययज्ञ ५ महायज्ञ कहाते हैं १०२ ॥

अभि०—यहपाँचो महायज्ञ गृहस्थीको रोजरोज करने उचितहोतेहैं और श्लोकमें जो क्रमलिखाहै सोतौ केवल संख्यामात्र जानलेनेके लियेहै और इनके करनेका क्रम जैसाविधिके ग्रंथोंमें होताहै वहठीकहै इनमेंसबसे पहले ब्रह्मयज्ञ उसेकहतेहैं कि(ब्रह्म) जो परमात्मा तिसके नामसे वेदपाठ गीतापाठ उसके नामोंका जप वेदांतपाठ या उसकेनामसे कुछदेना सो सब ब्रह्मयज्ञमें गिनाजाताहै १-देवतर्पण या देवपूजन वैश्व देव होमआदि जो कुछ देवताओंके नामसे कियाजाय वह देवयज्ञ कहाताहै २-तर्पण या श्राद्ध भोजन दानआदि जो कुछ पितरोंकेनामसे कियाजाय या पितृ संहिता का पाठही कियाजाय वह पितृयज्ञ कहाताहै ३-भूतयज्ञ जो भूतप्रेत प्राणियोंके नामसे सिद्धान्तका बलिदान कियाजाता है ४-नृयज्ञ जो पूर्वोक्तयज्ञोंके पीछे आयेहुये अतिथि अभ्यागतोंको जिमायाजाय या शक्तिके अनुसार कुछ देदियाजाय अष्टितर्पणभी इसी नृयज्ञमें गिनती है ५ ॥

अधि०—इनको पंचमहायज्ञ कहते हैं यह यज्ञ यद्यपि नित्य कियेजातेहैं परंतुकिसी कामनासे नहींहोसके हैं किंतुगृहस्थीको पाँचपाप जो अवश्यभावसे बिनाकियेभी रोज रोजलगतेहैं तिनकीशांति और शरीरअथवा कुटुम्बकी निर्मलताके निमित्तमेंकियेजाते हैं-पाँचपाप एकतौ ओखली मोगरी कुल्हाड़ी खल्लडआदि कूटनेके कामोंसे जो जीव जंतुमरतेहैं १-दूसरेचक्की सिलबट्टा आदि पीसनेकेकामोंसे जो जीवनाश होतेहैं २- तीसरेचूल्हा अंगीठीआदि अग्निकेकामोंसे ३-चौथेजलकेकामोंसे ४-पाँचवें बुहारी

और लीपापोती आदिसे पू-इसीलिये संन्यासीलोग सबधंधे छोड़देतेहैं कि किसीधंधेमें जीवनहींमारेजायँ-ऊर्ध्वोक्त पंचयज्ञोंके करनेवालेलोग वर्तमानमेंभी बहुधा सहस्र में पाँच पायेजाते हैं और ऐसेतौ बहुताइतसेहोंगे कि जो एकही या दोतीन यज्ञोंको थोड़ा या बहुत अपनी शक्तिके अनुसार करते हैं-हिंदूलोगों में अत्यंत दयाभाव होनेका यहीहेतु है-जिसदिन कलियुग अपना कालका प्रभाव फैलावेगा और यह नैतिक पंचकर्म इनसे किसीहेतुसे जातेरहेंगे तब इनमेंभी कठोरता अन्यजीवोंकी हिंसातौ कुछ गिनतीमें भी नहीं आसक्ती किन्तु नर हिंसामें भी प्रवृत्तिहोजाना कुछ आश्चर्य नहीं है और अद्यापिसबलोग एकसे नहींहैं किन्तु जिनमें इनकामोंका संसर्ग नहींहै उनकी प्रकृति और कठोरता को देखाचाहिये परंतु जो सृष्टिकर्ता को यह अनर्थ करना अंगीकार नहींहै तौ इनसे इनकर्मोंका छूटना भी बड़ादुर्लभहै आगे उसकी ईश्वरता बही जानै कि वह किसवातमें राजीहै या किसवातमें नाराज १०२ ॥

देवेभ्यश्चहुतादन्नाच्छेषाद्भूतबलिहरत् । अन्नभूमौश्वचांडालवायसेभ्यश्चनिक्षिपेत् १०३ ॥

अक्ष०—देवताओं के अर्थहोमे हुये अन्नसे शेषमेंसे भूतबलि हरै-अन्नको भूमिमें श्वानचांडालकाकों के लियेभी छोड़ै १०३ ॥

अभि०—ऊपरके श्लोकमें कहेहुये यज्ञोंका थोड़ासा प्रकार भी सूक्ष्मभावसे कहते हैं कि गृहस्थी अपनी रसोईमें सिद्धहुये अन्नको ब्रह्मयज्ञ किये पीछे इन्द्रादि देवताओं के नामसे अपनी गृह्योक्त विधि सहित अग्निमेंहोमै फिर उरसे बचेहुये अन्नमें से भूतबलि भी करै इसपीछे अपनी शक्तिके अनुसार कुछ अन्नलेकर कुत्ता चांडाल कौआ आदिजीवों के लिये भी धरतीमें धीरेसे रखदेवै १०३ ॥

अधि०—आदिशब्दसे कीड़े और पापरोगी कुष्ठी आदि पतित इनके लियेभी रख देवे-सोई मनुजीने कहाहै कि- ( शुनांचपतितानांचश्वपचांपापरोगिणाम् । वायसानांकृमीणांचशनकैर्निक्षिपेद्भुवि ) अर्थात्-कुत्ताओं पतितों चांडालों पापरोगियोंकाकों कीड़ा-ओंके लिये भी धीरेसे धरतीमें छोड़देवे-यह सबेरैसाँझ दोनों समय कर्त्तव्यहै १०३ ॥

अन्नंपितृमनुष्येभ्योदेयमप्यन्वहंजलम् । स्वाध्यायंचान्वहंकुर्यान्नपचेदन्नमात्मने १०४ ॥

ऐ०—पितरों वामनुष्यों को भी अन्न और जलभी अनुदिन दातव्य है स्वाध्याय भी अनुदिनकरै केवल अपनेलिये अन्नको नहीं पकावे-अर्थात् देवता आदिके नामसे पकावे-अन्नके अभावमें कंदमूल फलादि कुछदेवे यहभी नहींहो तौ जलही देवे-और स्वाध्याय कहिये अपना पाठनिरंतर करना इसलिये कहाहै कि भूनेनहीं १०४ ॥

बालस्ववासिनीवृद्धगर्भियातुरकन्यकाः । सन्भोज्यातिथिभृत्यांश्चद्वयव्योःश्वभांजनम् १०५ ॥

ऐ०—बालक और स्ववासिनी कहिये विवाहिताकन्या जो पिता के घरमेंहों वृद्धा गर्भिणी-आतुर जिस्से भूख न धँभतीहो ( कन्याअविवाहिना ) अतिथि जो पहिने

किसी तिथिमें अपने यहां न आयाहो ऐसा कोई जातिहो-भृत्य नौकर चाकर आदि इनसबोंको तृप्तिपूर्वक जिमायकर पीछे घरका धनी स्त्री पुरुष दोनों जने बचेहुये अन्नको भोजन करें १०५ ॥

अधि०-अतिथिका निराश फिरजाना यह गृहस्थीको बड़ाअपराधहै-तथाच (अतिथिर्यस्यभग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । सतस्मैदुष्कृतंदत्त्वा पुण्यमादायगच्छति ) अर्थात् अतिथि जिसकेघरसे आशातोड़कर लौटजाताहै तिसको वह अपनासंचित पाएदेकर और उसके संचितपुण्यकोलेकर जाताहै-इसमें कुछसन्देहनहीं इसीसिद्धांत के आशयसे यह भी निश्चितहै कि जो अतिथिका सत्कारकरताहै वह गृहस्थी उस अतिथिको अपने संचित पाप देकर उसके संचित पुण्यको हरलेताहै-इसीसे अच्छे सज्जन गृहस्थीलोगोंके घरमें बिछावना चटाई आदि १ धरती बैठनेको २ जल सत्कारकेलिये ३ सूनृता कहिये सत्य मधुरभाषिणी यथार्थ बाणी मनहरनेकेलिये ४ जो कुछभी और न हो तौ यहचारबस्तु तौ सदैवही बनीरहती हैं जिनसे आयेगयेकासत्कारहो जिस्से उनका पुण्य लेकर पाप बांटदियाजावै-तथाहमनुः (तृणानिभूमिरुदकं वाक्चतुर्थीचसूनृता । एतान्यपिसतांगेहे नोच्छिद्यन्तेकदाचन १०५ ॥

आपोशनैर्नोपरिष्ठादधस्तादश्रतातथा । अनग्नममृतंचैवकार्यमन्नं द्विजन्मना १०६ ॥

एका०-भोजनकरतेहुये द्विजातीको पहले (आपोशन) नाम कर्मकी भोजनविधि से अन्नकोऊपर और नीचेसेभी अनग्न और अमृतकल्प भी करलेनाचाहिये १०६ ॥

सत्कृत्यभिक्षवेभिक्षादातव्यासुब्रतायच । भोजयेच्चागतान्कालेसखिसंबंधिवांधवान् १०७ ॥

अक्ष०-भिक्षुको भिक्षा दातव्यहै और सुब्रतकेलिये सत्कारसे-समयपर आये हुये सखा सम्बन्धी बान्धवोंको भी भोजनकरावै १०७ ॥

अभि०-साधारण भिक्षुको साधारण भिक्षादेवै और सुब्रत कहिये ब्रह्मचारी या यती तिसको सत्कार सहित देवै अर्थात् स्वस्ति शब्द उच्चारण करवाकर जल दान सहित उत्तम भोजनदेवै-ऊर्ध्वोक्त साधारणभिक्षाका परिमाण एक ग्रासमात्रका कहा है और ग्रासका परिमाण मयूरके अण्डामात्रका कहाहै सो यह मन्दभिक्षाहै-और ४ ग्रासमात्रके परिमाणको एक (पुष्कल) कहतेहैं इतना जो कुछ अन्न दियाजावै सो मध्यमभिक्षाहै-चारपुष्कल अर्थात् सोलहग्रासका एक (हन्त) कहलाताहै इतना जो कुछ दियाजावै यहपूराआहार और उत्तमभिक्षा कहलातीहै-जोइससेत्रिगुणादियाजावैतिसकी (अग्र) संज्ञा कहते हैं यहभी किसी अतिआहारीका आहारहै-यह शातातप स्मृतिका प्रमाणहै यहांतक आधेइलोकका अर्थ होचुका-भोजनके समयपर आयेहुये सखा कहिये अपने प्रेमीमित्रसम्बन्धी जिनसे अपने लड़का या लड़कीका सम्बन्ध हो- बान्धव शब्दसे अपने सम्बन्धियों के सम्बन्धी जहांतक नाते रिश्ते में कोई हों



उनको भी जिमावे-भोजनके समयपर आयेहुये कहनेका यह अभिप्रायहै कि इनकहे हुये मनुष्योंमेंसे कोई मनुष्य जो अपने उसी नगर या उसीमुहल्ले या उसी मकानके घेरामें रहनेवाला है कि जहां अपना निवासहै और वह साधारणभावसे मिलनेको या किसी कामकेहेतुसे अपने भोजनके समय सन्मुख आजावै तौ उसकोभी भोजनकरावै यहभी एकसत्कार और प्यारकीमर्यादा है इससेअपना और बिराना जानाजाता है-अन्यथा विदेशी नातेदारका आनातौ बिनाभोजनके समयपरहोगा तौभी उसकेलिये रसोई फिर बनवाईजायगी उसकेलिये भोजनका समयकहना यह असंभवहै १०७ ॥

महोक्षं वामहाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् । सत्क्रियान्वासनं स्वादुभोजनं सूनुतं वचः १०८ ॥

अक्ष०—महोक्ष यामहाजको श्रोत्रियकेलिये उपकल्पितकरै-सत्क्रियाकरै स्वादुभोजनदेवै सूनुत वचनकहै १०८ ॥

अभि०—बड़ेबैलको (महोक्ष) कहतेहैं बड़ेबकराको (महाज) कहतेहैं सो यहदोवस्तु एक उपलक्षणमात्र कहाहै किंतुवा २शब्दोंके विकल्पसे और पशुभी समुभलेने अर्थात् जोकोईसा उत्तमपशु अपनेघर पालरक्खाहो उसकोअपने घरआयेहुये श्रोत्रियकहिये वेदपारग ब्राह्मणकेनामसे उपकल्पितकरै इसकाभाव नीचे अधिकोक्तिमें देखौ, सो यह बातकबकरै कि पहले उसआयेहुये श्रोत्रिय अथवा श्रोत्रियके उपलक्षणसे और कोई अपनामान्यभी समुभना ऐसाजोकोई बहुतदिनोंपीछे अपनेघरआवे तिसकापहलेतौ सत्कार किंतु कुशलक्षेमका बूझना बातचीतसे खातिदारी करना बैठनेकोऊँचा आसनदेना हाथ पैर धुलाना कुल्ला और स्नानकरवाना आदि यहसब सत्कार करै-फिर अन्वासनका यहअर्थहै कि जबतक वहनवैठै तबतक आपभी खडारहै जब उसको आसनपर बैठारलेवे तबपीछे आपभी उस्सेनीचावैठै-फिर स्वादुकहिये मीठे और अपेक्षित प्रियभोजन करवावै-तिसपीछे सूनुतवचन अर्थात् हमआपके आगमनसेधन्य और बड़भागीहुये जो आपने इसघरको अपनेचरणोंसे पवित्रकिया और भी देश काल कार्यकारणके अनुरूप जैसाउचितहो सोकहे-यहसब कियेपीछे बीचमेंही अथवा चलतेसमय पूर्वोक्तपशु उपकल्पितकरै १०८ ॥

अधि०—उपकल्पितकरना केवल दे देनेकाही अर्थनहीहै किंतु यातौ पहिलेसेही उसकेनामसे कोई पशु संकल्पिरक्खाहो कि वहआवंगे तौ उनकीभेंट कियाजायगा तौभेंटहीकरदेवे अथवापहलेसेनही परउसीसमय यहविचारमेंआया कि इनकीभेंटकुछकरना उचितहै तौ कोईसापशु जो अच्छासमुभत्ताया जैसा देनाचाहा उनकेमाथकिया-इसके सिवाय जिसको देनेकीसामर्थ्य तौ नहींहै क्योंकि उनकेएकही या दोपशुहैं उन्हींसेघर कापालन होताहै तौ लोकाचारकी सुघड़भलाईके लिये उनपशुओंके पासउनकोलेजा करखड़ाकरै और यहकहै कि यहसब संपत्तिआपहीकीहै इनमेंसे जो कुछआपकीइच्छा

में आवैसे ली जाइये इतना कहने पर वह उसकी शुश्रूषा अंगीकार कर आशीर्वाद देकर और उसमें से कुछ लेकर चले जायेंगे-परन्तु इसमें इतनी दृढ़ता और भी है कि वह श्रोत्रिय जो लालची होगा और संसारके शिष्टाचारको न समझकर उस कहनेसे किसी वस्तु पर लोभदृष्टि करने लगे तौ फिर देदेना भी उचित-यह पशुदानकी मर्याद यद्यपि अद्यापि कहीं देश और कालकी अपेक्षासे पाई जाती है परन्तु प्रवर्तित समयसे विपरीत है-पहले समयमें इसकी प्राधान्यता इसहेतुसे लिखी गई थी कि उस समयमें बहुधा तृणकी बहुताइतसे पशुधन को उत्तम गिना करते थे और उसधनसे प्रजाका अच्छा पालन होता था इसीसे उसधनका अधिकार हुआ करता था उस समयमें एक गऊ या भैंस का देना लेना ऐसा था कि मानो लेनेवाले ने एक ग्राम पाया हो सिद्धांत इसका केवल इतना है कि जो अपने पास कुछ और वस्तु रत्न वस्त्रादिक या रोक देनेको न हो तौ कोईसा पशु ही अर्पण कर देवे जो इसको भी न दे सक्ता हो तौ यह कहकर हाथ जोड़ देवे कि यह सब संपत्ति तुम्हारी है-यद्यपि उपकल्पित करनेका अर्थ कुछ और भी है और वह बड़ी दूर पहुँचता है परन्तु बृथा तुषकंडनसे क्या हाथ आता है १०८ ॥

प्रतिसंवत्सरन्त्वर्घ्याः स्नातकाचार्यपार्थिवः । प्रियो विवाहश्च तथा यज्ञप्रत्यूत्विजः पुनः १०९ ॥

अक्ष०—संवत्सरपीछे अर्घदेवे योग्य हैं स्नातक आचार्य पार्थिव प्रिय विवाह ऋत्विक् तैसेही ऋत्विजलोग यज्ञोंमें भी १०९ ॥

अभि०—हरसाल यह सबलोग मधुपर्क भोजन आदिसे सत्कार करिवे योग्य हैं-एक तौ स्नातक जो तीन प्रकारके होते हैं विद्यास्नातक १ व्रतस्नातक २ विद्याव्रतस्नातक ३ जैसा ब्रह्मचारी प्रकरणमें कह चुके हैं-आचार्य जैसा ३४ श्लोकमें कह चुके हैं-पार्थिव राजा जिसके लक्षण आगे आचाराध्यायके अंतमें कहेंगे-प्रिय जो कोई अपना प्रेमी हो-विवाह्य जामाता आदि जो कोई अपने घर या कुलमात्रमें विवाहे हों-ऋत्विक् जिसके लक्षण मनुसंहितामें कहे हैं और वह वेद विधिकी रीतिसे १६ प्रकारके ऋत्विज हैं-और इनके सिवाय आश्वलायन ऋषिके प्रमाणसे चचा मामा श्वशुरादि जो कोई अपने संबंधी हों तिनको भी-परन्तु ऋत्विज वर्षके भीतर भी कि जबकभी यज्ञके हेतुसे आवे सत्कार करिवे योग्य हैं १०९ ॥

अधि०—ऊपरके लोगोंको हरसाल जो कहा तिसका यह अभिप्राय है कि जो वेलोग आपही किसी हेतुसे आते जाते बने रहें और बीच-उनका सत्कार होतारहे तौ इस बातकी कुछ आवश्यकता नहीं है परन्तु जिनका आना जाना न हो सक्ता हो उनको तौ अवश्यही साल भर पीछे एकबार किसी वहानासे बुलाकर सत्कार कर दिया करौ क्योंकि जो ऐसा नहीं करौगे तौ कई वर्षों के व्यतीत हो जाने पर स्नेहमें रूक्षता पड़ जायगी उस रूक्षताके प्रभावसे वह लोग भी ऐसे हो जायेंगे कि जानो कोई गौरहों फिर जबकभी तुमको

उनकी सहायता अथवा मेलमिलाप किसीहेतुसे चाहना पड़ेगा तब कदाचित् भी वह तुम्हारे साथी नहीं होसकेंगे याजोहोभी सकेंगे तौ तुमको बड़ासापरिश्रम और दामों काभी व्यय करनापड़ेगा तौ भी वह मेलमिलाप ऐसा समुभाजायगा कि जैसे किसी विपत्तिसेगैरों की खुशामद करीजातीहै इसलिये इस शिष्टाचारसे कदाचित् भी मुहँ मतफेरौ-और ऐसेही वे लोग जबतुमको किसीहेतु अथवा संवत्सरके अंतरसे यादि करें तब उनके पासजानेसेभी मुहँमतफेरौ इसमेंचाहै कुछ तुम्हारीहानि भी होती हो परस्नेहको मत सूखने दो १०६ ॥

अध्वनीनोऽतिथिर्ज्ञेयःश्रोत्रियोवेदपारगः । मान्यावेतौगृहस्थस्यब्रह्मलोकमभीप्सतः ११० ॥

ऐ०—अध्वनीन जो बटोहीहै वह अतिथि जाननाचाहिये चाहै कोईहो-जोवेदपारग है वह श्रोत्रिय कहनाचाहिये-यहदोनों उस गृहस्थीमात्रके मान्य होतेहैं जो ब्रह्मलोक की इच्छा करनेवाला है-अर्थात् जो गृहस्थीनरककी इच्छाकरता हो वह चाहौ इनको मानो या मतमानो-और श्रोत्रिय अथवा वेदपारग पर्याययह केवलकिसीयोग्यविद्या-मात्रकानिदर्शनहै-औरब्रह्मलोक अथवा नरकयहदोनोंभीइसीदेहसेसंभवितहैं ११० ॥

परपाकरुचिर्नस्यादनिद्यामंत्रणादृते । वाक्पाणिपादचापल्यंवर्जयेच्चातिभोजनम् १११ ॥

ऐ०—अनिद्य के आमंत्रण विना पराये पाकमें रुचिनकरै-किन्तु निन्दित मनुष्यके नौतामें भी जीभ नहीं ललचावै और अनिद्यके निमंत्रणसे मुखभीनहींफेरै-और वाणीकी चपलता जो अनृत भाषण या सभामेंकहने योग्यवात नहीं-हाथोंकी चपलता मटकाना या तालीपटकाना आदि-पावोंकी चपलता उछलना या निरर्थक दौड़कर चलना आदि इनवातोंको छोड़ देवै और अतिभोजन भी नहींकरै क्योंकि अतिभोजनसे प्रथम तौ शरीरमें शिथलता अधिक होजातीहै उससे वह कोईकाम उत्साहसे नहीं करसक्ता और कामोंके न करनेमें सर्वथा हानिहै और देहकोदाव पीड़ादेकर काम करनेसे वात पित्त कफ सम्बन्धी अनेकरोग होजाते हैं इससे सूक्ष्म भोजनकरै-इसके वाय गौतमस्मृतिके प्रमाणसे नेत्रमुख लिंगेन्द्रिय आदिके विकारोंकोभी न करै १११ ॥

अतिथिंश्रोत्रियंतृप्तमासीमांतमनुव्रजेत् । अहःशोषंस्तमासीतशिष्टैरिष्टैश्चबन्धुभिः ११२ ॥

ऐ०—पूर्वोक्त अतिथि और श्रोत्रियके भोजन से तृप्तहुये पीछे चलतेसमय अपने ग्रामकी सीमा ताई पीछे २ साथ जाकर पहुँचाइआवै तिस पीछे कुछ दिन शेषगृहेपर शिष्टों और इष्टों और बंधुजनों सहित बैठकर शास्त्र चर्चा या लोक चर्चा करै-शिष्ट उनको कहतेहैं जो अच्छे आचारवाले इतिहास पुराणादिके जाननेवालेहों-इष्ट अपने प्रियमित्रादिके जो धर्मज्ञहों-बंधु अपनेनाते गोतेके सम्बन्धी आदि जो कोई अनुकूल वार्ताके वक्ताहों ११२ ॥

उपास्यपश्चिमांतव्यांहृत्वागर्नीस्तानुपास्यव । भृत्यैःपण्डितोभुक्तानानितृन्यायसंविशन् ११३ ॥

में आवैसे लो जाइये इतना कहने पर वह उसकी शुश्रूषा अंगीकार कर आशीर्वाद देकर और उसमें से कुछ न लेकर चले जायेंगे-परंतु इसमें इतनी दृढ़ता और भी है कि वह श्रोत्रिय जो लालची होगा और संसारके शिष्टाचारको न समझकर उस कहनेसे किसी वस्तु पर लोभ दृष्टि करने लगे तौ फिर देदेना भी उचित-यह पशुदानकी मर्याद यद्यपि अद्यापि कहीं देश और कालकी अपेक्षासे पाई जाती है परंतु प्रवर्तित समयसे विपरीत है-पहले समयमें इसकी प्राधान्यता इस हेतुसे लिखी गई थी कि उस समयमें बहुधा तृण की बहुताइतसे पशुधन को उत्तम गिना करते थे और उस धनसे प्रजाका अच्छा पालन होता था इसीसे उस धनका अधिकार हुआ करता था उस समयमें एक गऊ या भैंस का देना लेना ऐसा था कि मानो लेनेवाले ने एक ग्राम पाया हो सिद्धांत इसका केवल इतना है कि जो अपने पास कुछ और वस्तु रत्न वस्त्रादिक या रोक देनेको न हो तौ कोईसा पशु ही अर्पण कर देवे जो इसको भी न दे सक्ता हो तौ यह कहकर हाथ जोड़ देवे कि यह सब संपत्ति तुम्हारी है-यद्यपि उपकल्पित करनेका अर्थ कुछ और भी है और वह बड़ी दूर पहुँचता है परंतु बृथा तुषकंडनसे क्या हाथ आता है १०८ ॥

प्रतिसंवत्सरन्त्वर्घ्याः स्नातकाचार्यपार्थिवः । प्रियो विवाहश्च तथा यज्ञप्रत्यृत्विजः पुनः १०९ ॥

अक्ष०—संवत्सरपीछे अर्घदेवे योग्य हैं स्नातक आचार्य पार्थिव प्रिय विवाह ऋत्विक् तैसे ही ऋत्विजलोग यज्ञोंमें भी १०९ ॥

अभि०—हरसाल यह सबलोग मधुपर्क भोजन आदिसे सत्कार करि वे योग्य हैं-एक तौ स्नातक जो तीन प्रकारके होते हैं विद्यास्नातक १ व्रतस्नातक २ विद्याव्रतस्नातक ३ जैसा ब्रह्मचारी प्रकरणमें कह चुके हैं-आचार्य जैसा ३४ श्लोकमें कह चुके हैं-पार्थिव राजा जिसके लक्षण आगे आचाराध्यायके अंतमें कहेंगे-प्रिय जो कोई अपना प्रेमी हो-विवाह्य जामाता आदि जो कोई अपने घर या कुलमात्रमें विवाहे हों-ऋत्विक् जिसके लक्षण मनुसंहितामें कहे हैं और वह वेद विधिकी रीतिसे १६ प्रकारके ऋत्विज हैं-और इनके सिवाय आश्वलायन ऋषिके प्रमाणसे चचा मामा श्वशुरादि जो कोई अपने संबंधी हों तिनको भी-परन्तु ऋत्विज वर्षके भीतर भी कि जब कभी यज्ञके हेतुसे आवें सत्कार करि वे योग्य हैं १०९ ॥

अधि०—ऊपरके लोगोंको हरसाल जो कहा तिसका यह अभिप्राय है कि जो वेलोग आपही किसी हेतुसे आते जाते बने रहें और बीच-उनका सत्कार होतारहे तौ इस बात की कुछ आवश्यकता नहीं है परन्तु जिनका आना जाना न हो सक्ता हो उनको तौ अब-इसी साल भर पीछे एकबार किसी बहानासे बुलाकर सत्कार कर दिया करौ क्योंकि जो ऐसा नहीं करौगे तौ कई वर्षों के व्यतीत हो जाने पर स्नेहमें रूक्षता पड़ जायगी उस रूक्षताके प्रभावसे वह लोग भी ऐसे हो जायेंगे कि जानो कोई गौरहों फिर जब कभी तुम्हारे

उनकी सहायता अथवा मेलमिलाप किसीहेतुसे चाहना पड़ेगा तब कदाचित् भी वह तुम्हारे साथी नहीं होसकेंगे याजोहोभी सकेंगे तौ तुमको बड़ासापरिश्रम और दामों काभी व्यय करनापड़ेगा तौ भी वह मेलमिलाप ऐसा समुभाजायगा कि जैसे किसी विपत्तिसेगैरों की खुशामद करीजातीहै इसलिये इस शिष्टाचारसे कदाचित् भी मुहँ मतफेरौ-और ऐसेही वे लोग जबतुमको किसीहेतु अथवा संवत्सरके अंतरसे यादि करै तब उनके पासजानेसेभी मुहँमतफेरौ इसमेंचाहै कुछ तुम्हारीहानि भी होती हो परस्नेहको मत सुखने दो १०६ ॥

अध्वनीनोऽतिथिर्ज्ञेयःश्रोत्रियोवेदपारगः । मान्यावेतौगृहस्थस्यब्रह्मलोकमभीप्सतः ११० ॥

ऐ०—अध्वनीन जो बटोहीहै वह अतिथि जाननाचाहिये चाहै कोईहो-जोवेदपारग है वह श्रोत्रिय कहनाचाहिये-यहदोनों उस गृहस्थीमात्रके मान्य होतेहैं जो ब्रह्मलोक की इच्छा करनेवाला है-अर्थात् जो गृहस्थीनरककी इच्छाकरता हो वह चाहौ इनको मानो या मतमानो-और श्रोत्रिय अथवा वेदपारग पर्याययह केवलकिसीयोग्यविद्या-मात्रकानिदर्शनहै-औरब्रह्मलोक अथवा नरकयहदोनोंभीइसीदेहसेसंभवितहैं ११० ॥

परपाकरुचिर्नस्यादनिद्यामंत्रणादृते । वाक्पाणिपादचापल्यंवर्जयेच्चातिभोजनम् १११ ॥

ऐ०—अनिद्य के आमंत्रण विना पराये पाकमें रुचिनकरै-किन्तु निन्दित मनुष्यके गौतामें भी जीभ नहीं ललचावै और अनिद्यके निमंत्रणसे मुखभीनहींफेरै-और वाणीकी चपलता जो अनृत भाषण या सभामेंकहने योग्यवात नहीं-हाथोंकी चपलता गटकाना या तालीपटकाना आदि-पावोंकी चपलता उझलना या निरर्थक दौड़कर चलना आदि इनवातोंको छोड़ देवै और अतिभोजन भी नहींकरै क्योंकि अतिभोजनसे प्रथम तौ शरीरमें शिथलता अधिक होजातीहै उससे वह कोईकाम उत्साहसे नहीं करसक्ता और कामोंके न करनेमें सर्वथा हानिहै और देहकोदाव पीड़ादेकर काम करनेसे वात पित्त कफ सम्बन्धी अनेकरोग होजाते हैं इससे सूक्ष्म भोजनकरै-इसके श्राय गौतमस्मृतिके प्रमाणसे नेत्रमुख लिंगेन्द्रिय आदिके विकारोंकोभी न करै १११ ॥

अतिथिंश्रोत्रियंतृप्तमासीमांतमनुव्रजेत् । अहःशोपंसमासीतशिष्टैरिष्टैश्चवन्धुभिः ११२ ॥

ऐ०—पूर्वोक्त अतिथि और श्रोत्रियके भोजन से तृप्तहुये पीछे चलतेसमय अपने ग्रामकी सीमा ताई पीछे २ साथ जाकर पहुँचाइआवै तिस पीछे कुछ दिन शेषगृहेपर शिष्टों और इष्टों और बंधुजनों सहित बैठकर शाल्म चर्चा या लोक चर्चा करै-शिष्ट उनको कहतेहैं जो अच्छे आचारवाले इतिहास पुराणादिके जाननेवालेहों-इष्ट अपने प्रियमित्रादिके जो धर्मज्ञहों-बंधु अपनेनाते गौतेके सम्बन्धी आदि जो कोई अनुकृन् वार्त्ताके बत्ताहों ११२ ॥

वृषास्यपश्चिमांतव्यांहृत्वाग्नीस्तानुपास्य च । भृत्यैःपरिवृतोभुक्तानानिवृत्त्यापमंविंशत् ११३ ॥

ऐ०—पिछली सांभकी संध्याको उपासना करिके और सांभकी अग्नीन्को भी होमिकर और उपासना करिके पुनि १०५ इलोकमें कहेहुये सब भृत्यवर्ग सहित साधारण तृप्तिसे भोजनकरिके और चकारके ध्वन्यर्थसे घरके लाभखर्चकी चिन्तासे निपटारा करिके तबसोवै ११३ ॥

अधि०—६८ के इलोकमें प्रातःसंध्याकी विधि कहकर यहांताई १५ इलोकोंसेसारे दिनभरका धंधाबतलाया और इसइलोकमें सायंकालके संध्याआदि कामोंकीविधि कहकर सोनेकी आज्ञादेचुके अबआगे-दूसरेदिनके प्रभात ताईका क्रमबतलाकर पीछे गृहस्थी की और साधारण मर्यादोंको कहेंगे ११३ ॥

ब्राह्मेमुहूर्त्तेचोत्थायचित्तयेदात्मनोहितम् । धर्मार्थिकामान्स्वेकालेयथाशक्तिनहापयेत् ११४ ॥

अक्ष०—ब्राह्ममुहूर्त्त में उठकर अपने हितका चिंतन करै धर्म अर्थकाम इन्होंको अपने २ नियतकालपर यथाशक्तिके अनुसार त्यागै नहीं ११४ ॥

अभि०—चारघड़ीकेतड़के ब्राह्ममुहूर्त्त कहलाताहै उसमें पहलीराति कासोयाहुआ उठकर अपनाहित जो कुछकाम पहलेप्रारम्भ कररखाहो या आगेकोकरनाहो तिनको उसीसमय खाटपर बैठाहुआ पहले शोचविचारलेवे कि उसमें योंकरनाउचितहै और उससमय वेदशास्त्र सम्बन्धी संशयरूप गाँठोंकोखोललेवे क्योंकि उससमय चित्तसावधान होताहै फिरधर्मअर्थ कामसम्बन्धी नित्यकेधंधोंको जैसा जिससमय करनाकह चुकेहैं अपनीशक्तिके अनुरूप करनेसे चूकै नहीं ११४ ॥

विद्याकर्मवयोबंधुवित्तैर्मान्यायथाक्रमम् । एतैःप्रभूतैःशूद्रोपिवार्धकेमानमर्हति ११५ ॥

अक्ष०—विद्या १ कर्म २ अवस्था ३ बांधव ४ वित्त ५ इनसे संपन्नलोग यथाक्रमसे मान्यहैं इनवढीहुई चीजोंसेयुक्त शूद्रभी वृद्धावस्थामें मानके योग्यहै ११५ ॥

अभि०—विद्या यहसामान्य वचनहै कोईविद्याहो जिससे कुछअपना या परायाभला होसक्ताहै ऐसापुरुष सबकामान्यहै १ कर्मयहभी सामान्य वचनहै इसलिये श्रौतस्मार्त कर्मोंको आदिलेकर नानाकर्म और इसीउपलक्षणसे पुरुषार्थपूर्वकपेशा सम्बन्धीकाम भी कि जिनसेमनुष्यकी उत्तम प्रसिद्धिहोतीहो इनमें यन्त्रादि निर्माताभी आसक्तेहैं (दृष्टान्त) जैसे एकघड़ीसाजहै २ अवस्थामें जो जिससेअधिकहो वहभी उसकामान्यहै ३ बांधवजनों की सम्पन्नता जिसकेघनीहो वह साधारणोंका मान्यहै ४ वित्तकहियेघान यानस्थानरत्नादि धनसंपत्तें जिसकेघनीहों वह औरोंका मान्यहै ५-यहपाँचों यथाक्रमसे मान्यहोतेहैं इनपाँचों या इनमेंसे किसी२ अतिबढ़ेहुये पदार्थसे सम्पन्नशूद्रमें वृद्धापनमें मानके योग्यहै ११५ ॥

अधि०—वृद्धापन केवल उसीका कहना यहवात इसहेतुसे असंभव देखपड़तीहै कि वृद्धापनसे पहले २ इन पदार्थोंका बढ़पन उसका निष्फल गया इसलिये इस



को इस रीतिसे लगाना चाहिये कि उक्तपदार्थोंसे संपन्न शूद्रभी औरोंके वृद्धापनमें माननीयहै किंतु जो और लोग बड़ोंकी गिनतीमेंहों वे भी उसका सत्कारकरें-और गौतमजीकी स्मृतिमें जो यह कहाहै कि अस्सी ८० वर्षकी अवस्थावाला शूद्र भी श्रेष्ठहै सो यह बचन केवल उन शूद्रोंके लिये कहाहै कि जो पूर्वोक्त पदार्थोंसे संपन्न नहींहों-और ऊपर अभिप्रायार्थमें जो पाँचौका यथाक्रम लिखाहै उसका भावार्थ यद्यपि यहीहै कि पहला २ श्रेष्ठहै परंतु यह निर्विशेष नहींहोसक्ता किंतु किसी अवसरकी अपेक्षा पिछला २ भी पहले २ से श्रेष्ठहोसक्ताहै यह बार्ता जो व्यवस्थापूर्वक लिखी जावै तो विस्तारहै इसलिये सिद्धांतसे इन पाँचोंकी मान्यतामें परस्परका व्यवहार ठीक निश्चितहोताहै ११५ ॥

वृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचक्रिणाम् । पंथादेयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ११६ ॥

ऐ०—बूढ़ा-भारी जो बोभलिये आताहो-राजा-स्नातक जो विद्या और वेदोक्त व्रत इन दोनों में संसिद्धहो-स्त्री-रोगी-वर जो विवाहकरने जाताहो-चक्री जो गाड़ी लिये आताहो इनको पंथादेना उचितहै किंतु इनको आतेदेख आप मार्गछोड़दे-और राजा उनका भी मान्यहै किंतु राजाका पंथबोभ और गाड़ीवाले सभीको छोड़ना चाहिये-परंतु स्नातक राजाका भी मान्यहै-जिसराहमें यह बूढ़े आदि परस्पर इकट्ठेहोजावें तहाँ ऊपरले ११५ के श्लोकमें कहीहुई बातोंका भी विवेककरलेना चाहिये यह शिष्टाचारकी मर्यादाहै-इनके सिवाय बालक मत्त उन्मत्त पतित आदिका भी ध्यानराखना उचितहै ११६ ॥ अदनीचे वर्णोंके प्रधान कर्मोंका वर्णनकरतेहैं ॥

इज्याध्ययनदानानिवैश्यस्यक्षत्रियस्यच । प्रतिग्रहोधिकोविप्रेयाजनाध्यापनेतथा ११७ ॥

अक्ष०—इज्या १ अध्ययन २ दान ३ वैश्यके क्षत्रियके भी ब्राह्मणमें प्रतिग्रह ४ अधिक तथा याजन अध्यापन भी ११७ ॥

अभि०—इज्या कहिये पंचयज्ञ आदि यज्ञोंका करना १ अध्ययन पढ़ना २ दान करना ३ यह तीनों काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबके साधारण हैं परंतु ब्राह्मण में यह तीन कर्म अधिकहैं-प्रतिग्रह दानका लेना १ याजन यज्ञोंका कराना २ अध्यापन पढ़ाना ३ इसीसे ब्राह्मण षट्कर्मा कहातेहैं ११७ ॥

अधि०—इन छः कामोंमेंसे पहले तीन काम तो धर्मकी साधना संबंधीहैं और पिछले तीन जीविकाके हेतुमेंहैं-सोई मनुनेकहाहै कि(पण्णांतु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापनेचेवविशुद्धाच्चप्रतिग्रहान् ) परंतु इसमें प्रतिग्रहभी शुद्धजाति से लेना कहाहै पतितसे नहीं-और आपत्काल या ब्राह्मणके अभावमें विद्या पढ़ना और जातिसे भी ब्राह्मणको कहाहै-ब्राह्मणकी प्रेरणामे क्षत्रिय और वैश्यको पढ़ाना भी उचितहै ११७ ॥

प्रधानंक्षत्रियेकर्मप्रजानांपरिपालनम् । कुसीदकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यंविशःस्मृतम् ११८ ॥

ऐ०—प्रजाका पालनकरना यह कर्म क्षत्रियका प्रधान है यही उसका धर्म संबंधी कामहै यही जीविकाका भी हेतुहै-और वैश्यके जीविका संबंधी प्रधान काम कुसीद कहिये ब्याज बढ़ा करना खेती वाणिज्य पशुपालना ११८ ॥

शूद्रस्यद्विजशुश्रूषातयाऽजीवनवणिग्भवेत् । शिल्पैर्वाविविधैर्जीवेद्विजातिहितमाचरन् ११९ ॥

ऐ०—शूद्रका प्रधान काम द्विजातियोंकी सेवा नौकरी आदि उससे निर्वाह नहीं होतेहुये बणिक कर्म करे अथवा नाना भाँतिके शिल्प कर्मोंसे द्विजातियोंका हित करताहुआ जीवै जैसे राजगीरी आदि ११९ ॥

अधि०—याज्ञ बल्क्यजीने एकनिदर्शन मात्र कहदियाहै परंतु देवल ऋषिने अपने शास्त्रमें शूद्रके कामोंकी कुछ गणना भी करीहै-तथाच(शूद्रधर्मोद्विजाति शुश्रूषा पाप वर्जनं कलत्रादि पोषणं कर्षणं पशुपालनं भारोद्धहना पणव्यवहार चित्रकर्म नृत्यगीत वेणुवीणा मुरज मृदंग वादनादीनि ) अर्थात् द्विजातीकी सेवाकेसिवाय पापसे बचना भार्या आदि कुटुंब का पोषण-कर्षण कहिये हल चर्ष और गाड़ी आदिका जोतना-पशुओंका पालना-भारका उठाना ढोना आदि-आपण दूकानदारी-व्यवहार लेन देन-चित्रकर्म शिल्पकाम किन्तु लोहा लकड़ी ईंट बस्त्र आदिका बनाना-नृत्य नाचना-गीत गाना-और बाँसुली बीणा मुरज मृदंग आदि सब वाजाओंका बजाना आदि औरभी ऐसे २ काम यहशूद्रजातिके कर्महैं ११९ ॥

भार्यारतिःशुचिर्भृत्यभर्ताश्राद्धक्रियापरः । नमस्कारेणमंत्रेणपंचयज्ञान्नहापयेत् १२० ॥

ऐ०—ऊपरलीबातों के होनेपरभी शूद्रकोऐसाहोना उचितहै कि केवल अपनी भार्यामें रति करे-मनसे शुद्धहो-अपने भृत्यवर्गका पालनकरे-श्राद्धकरे-क्रियासे भी शुद्धरहे-केवल नमःइसमंत्रसे पंचयज्ञोंके करनेसेभी न चकै-नमःजिसके नामके अंत में लगालियाजाताहै तिसका यही मंत्रहोजाताहै जैसे गणेशायनमः सूर्यायनमः-परन्तु वैश्वदेवकर्मको शूद्रकरे तो इसीलौकिक अग्निमें करे किंतु वैवाहिकर्म नहीं यह विवेक है १२० ॥ यहचारों वर्णकेजुदे २ धर्मकहे अबनीचे साधारणधर्म कहतेहैं कि जिनका करना या न करना सबजातोंको एकसाहीहोताहै ॥

अहिंसासत्यमस्तेयंशौचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दमोदयाक्षांतिःसर्वेबांधर्मसाधनम् १२१ ॥

ऐ०—अहिंसा किंतु किसीको पीड़ा नहींदेना-सत्य अर्थात् ठीकबोलना और जिस्से किसीको पीड़ा नहींपहुंचै-अस्तेय किंतु विनादीहुई वस्तु चोरीआदि के ढँगोंसे नहींलेना-शौच शरीरकी और चित्तकीभी शुद्धता-इन्द्रियनिग्रहः ५ ज्ञानइन्द्रिय ५ कर्म इन्द्रियइनका जो २ विषय या कामनियतहै वहीकरना उससे अधिक या विपरीत नहींदान किंतुदीनको कुछ देना जिस्से उसका दुःख दूरहो-दम अर्थात् मनबुद्धि

चित्तअहंकार इनचारोंको अपनेबश में बनाराखना-दया किंतु दुखीकीरक्षामें तत्पर-  
ता-कोई अपना अपकारकरै उसकोभीसहलेना और चित्तमेंविकार नहींलाना सोयह  
(क्षांति)है इन धर्मोंकी साधना सबकेलिये तुल्यहै १२१ ॥

वयोबुद्धयर्थवाग्वेषःश्रुताभिजनकर्मणाम् । आचरेत्सदृशींवृत्तिमजिह्नामशठांतथा १२२ ॥

अक्ष०—वयस् १ बुद्धि २ अर्थ ३ वाक् ४ वेष ५ श्रुत ६ अभिजन ७ कर्म ८-इन्हों  
के सदृशअजिह्नातथा अशठा वृत्तिको आचरण करै १२२ ॥

ग्रामि०—इनकेसदृश वृत्तिका आचरणकरना यहवात कि अपनेगुणोंकी सत्ता और  
हैसियतके अनुरूप कोई कामकरै याचाहै या कोईवातकहै किंतु अपनी सत्ता और है-  
सियतसे बढ़कर या गिरकरभी कुछकाम न करै और मुखसेभी न कहै-अर्थात् वयस्  
जो अवस्थाहै सोतीनप्रकारकी होतीहै तिसमें दृष्टांत जैसे बूढ़ाअपनेयोग्य पहरेया  
खावै और गुरुतावालीवात कहे किंतुबालक या तरुणोंकीसी भांति छछोरपनसेनहीं  
ऐसेहीबालक अपने मुँहके अनुरूपबोलै या करै किंतु बूढ़ों या युवानोंकीसी भांतिनहीं  
१ बुद्धि जिसमें जैसीहो उसीके अनुसार बोलैयाकरै २ अर्थशब्दके दो अर्थहैंएक तौ  
धनसंपत्तें जिसकेपास जैसीहो उसके अनुरूपकाम अथवावातकरै दूसरे अर्थ प्रयो-  
जनको कहते हैं किंतु जहां जैसा प्रयोजनदेखै उसके अनुसारकरै अथवा कहै ३ वाक्  
वाणी और वार्त्ताकथनको कहते हैं किंतु जहांजैसीवार्त्ता का कथन या चर्चा होरहाहो  
उसीकेअनुसार बोलै या न बोलै ४ वेषकहिये लिवासवाना किंतु जिसकिसीने किसी  
हेतुसे जहाँजैसावाना धारणकियाहो या जिसकाजैसा स्वाभाविकचलाआताहो उसकी  
भी लाजपालन करनीचाहिये मसलप्रसिद्धहै कि जैसाकाछ काछियै तेसानाचनाचिये  
(दृष्टांत) जैसे एकनापितहै किसीहेतुसे कोतवालहुआ उसको वहक्षत्रिय वेपलेनेसेडा-  
कुआँका पीछाकरनापड़ा ऐसेस्थलपरचाहो मृत्युभीहोजावे परउसवानेकीलाजनिवाह-  
ना यहीएक धर्महै उत्तरोक्त स्वाभाविक का (दृष्टांत) जैसे किसी (निर्द्वन्द्व) केसाथकोई  
नापित ऐसीचमकीली पोशाक पहनकरजावे जो उसवरकी पोशाकको लजातीहोतौ यह  
कहाजायगा कि उसनेअपने स्वाभाविकवाना और पेशासेभी तथाउसअवसरके प्रयो-  
जनसेभीविपरीतकिया और इसीहेतुसे वहदंडनीय निश्चितकियाजायगा-ऐसेहीकिर्मी  
राजकुमार या राजा आदि किसीप्रतापीका खवासी जो उसकासहगामी होकरमलीन  
कपड़े पहनेतौ वहभीदंडनीयहै या घसियारा जो मुंशियाना वेषवनायेहुये घासवेचें तौ  
वहभीदंडनीयहै इत्यादि ५ श्रुतअर्थात् पुरुषार्थकेदेनेवाले शान्वाँकापढ़ना या मुनना  
पाइकर जहांतक होसक्ताहो उसकीलाजपालनकरै ६ अभिजन कहियेवंश किंतु जिम  
कुलमें जैसेआचारसे सुकीर्त्तिहोसक्तीहो उससेऊँच नीचनहीं ७ कर्मकहिये आर्जावन  
पेशा संबंधी काम जिसने जैसा धारण कियाहो उनकी मर्यादोंके अनुमाग आचारकरै

(दृष्टांत) जैसे कोई ब्राह्मण अथवा साधु है वह बनियांकी दूकानकिये बैठा है जब सरकारी आवश्यकतासे सब दूकानोंसे (रसद) मांगी जाय उसको भी उस पेशाके अनुसार देनेसे इनकार करना अनुचित है ऐसे ऐसे नाना प्रकारके (दृष्टांत) एक एक पेशेमें संभवित हैं तिनको अपनी बुद्धिसे जानां ८-इन कहे हुये आचारोंमें यह उत्कर्षा है कि उक्तरीतिसे करने पर भी अजिह्वा १ और अशठा २ वृत्तिवनीराखै अर्थात् उन आचारोंमें कुटिलता कहिये अकड़पन और १ मत्सरतानाम चुगलीचाई २ का प्रवेशन होने देवै-यह धर्म भी सब लोगों के साधारण हैं १२२ ॥

यहां तक जो २ कर्म धर्म वर्णन किये गये सो सब स्मार्त्त कहलाते हैं अर्थात् स्मृतियों की रीतिसे हैं-अब नीचे कुछेक श्रौत कर्मोंको कहते हैं कि जिनके करनेके प्रकार श्रुति जो वेद हैं तिनसे जाने जाते हैं पहले समय के ऋषिलोग बहुधा उन्हीं कर्मों का आचार किया करते थे ॥

त्रैवार्षिकाधिकान्नोयः सहिसोमं पिबेद्विजः । प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्नं वार्षिकं भवेत् १२३ ॥

अक्ष०—जो त्रैवार्षिक या अधिक अन्नवाला द्विजाती हो सोई सोमपीवे-जिसके वार्षिक अन्न हो वे वह प्राक्सौमिकी क्रियाओंको करै १२३ ॥

अभि०—जिसके घरमें तीन वर्षके उठावे योग्य अन्न होवे या इससे भी अधिक वही द्विजाती सोमपीवे अर्थात् सोमयज्ञको वही करै किंतु इससे थोड़े अन्नवाला नहीं क्योंकि उस यज्ञमें अन्नरसके अधिकारसे अधिक अन्नकी अपेक्षा है इसी हेतुसे जो कोई थोड़े अन्नवाला सोमपान करता है वह करने पर भी उसके फलको नहीं पाता है यह दोष भी ग्रंथान्तरोंमें कहा है परन्तु यह दोष भी काम्य सोमयज्ञके लिये निश्चित है कि जो किसी कामनासे किया जावे और नैतिक अवश्यभावसे कर्त्तव्य हो उसके लिये कुछ नियम नहीं हैं किंतु जहाँ जैसा संभव हो-जिसके घरमें एक वर्षके जीवनयोग्य अन्न होवे वह द्विजाती प्राक्सौमिकी क्रियाओंको करै अर्थात् सोमसे पहले जिन क्रियाओंका करना उचित है तिनहीं को करै सोवे क्रियायें यह हैं-अग्निहोत्रकर्म वेदोक्त दर्शकर्म वेदोक्त जो अमावसके दिन होता है-पूर्णमासकर्म वेदोक्त जो पूनोपर होता है पशुकर्म वेदोक्त जो षाण्मासिक अयन कालपर होता है-चातुर्मास्य कर्म वेदोक्त जो देवशयनमें होता है-इस बातसे यह भी निश्चित हुआ कि सोम करनेका अधिकार उसीको है कि जो पहले इन कर्मोंको कर लेवे १२३ ॥

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । कर्त्तव्याग्रयणो ष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि १२४ ॥

ऐ०—सोमयज्ञ वर्षवर्षपीछे संवत्सरके पलटने पर-पशुयाग छे महीनापीछे अयनके बदलने पर उत्तरायण दक्षिणायनमें सदैव-तथैव आग्रयणो ष्टि जिसे आग्रयण कर्म भी कहते हैं सो भी अयनके बदलने पर-चातुर्मासिक कर्म भी हरसाल देवशयनमें होते हैं-इन चातुर्मास्य कर्मोंमें प्रतिमास एक एक चारपवै बड़ी प्रतिष्ठित हैं उनमें जो यज्ञ

होतेथे तिकेनाम-वैश्वदेवः १ वरुणप्रद्यासः २ शाकमेधः ३ शुनासीरीवः ४। १२४ ॥

एषसंभवेकुर्यादिष्टिवैश्वानरीं द्विजः । हीनकल्पं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदम् १२५ ॥

ऐ०—ज्ञपूर्वोक्त सोमयाग आदि (नित्य) यज्ञोंकी असंभवतामें द्विजाती (वैश्वानरी इष्टि) को कर देवे-यह उनके न हो सकनेका हीन अनुकल्प कहा है-परन्तु धनके होनेमें इस (हीनकल्प) को न करै क्योंकि धनके होतेहुये हीनकल्प फलका देनेवाला नहीं है-और फाप्रदनाम काम्ययाग जो कामना सहित किया जावे उसकोतौ कदाचित् भी धन केहोतेहुये हीनकल्पसे नहीं करै १२५ ॥

अभि०—ऊपरकी पंक्तिमें (नित्ययज्ञों) का चर्चा आया है अथवा जहाँ कहीं और भी (नित्य) नैतिकशब्द आया हो उसका यह भाव नहीं है कि वह कामरोजरोज किया जावे अर्थात् नित्यया नैतिक उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ कामनाकी अपेक्षातौ नहीं है परन्तु करना उसका अवश्य भावसे कहा है और चाहै वह रोजके करनेवाला काम हो जैसे संध्यांदन अथवा पाक्षिक या प्रतिमास करना कहा हो जैसे दर्शपौर्णमासकर्म अथवा षण्मासिक जैसे अयनपीछे-अथवा वार्षिक जो संवत्सरपीछे परन्तु यह नियम जहाँ होवियह काम हमेशा उसीनियत अवधिपर किया जाय सो (नित्य) है-और (काम्य) केवल वही कि जो किसी कामनासे जब चाहै तब किया जाय १२५ ॥

वांडालोजयिते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात् । यज्ञार्थं लब्धमददन्नासः काकोपि वा भवेत् १२६ ॥

ऐ०—शूद्रसे भिक्षा किये हुये धनसे यज्ञकरने से चांडाल जातिमें जन्मपाता है-यज्ञके नामसे पायेहुये धनको नहीं लगानेसे भासनामपक्षी जिसे शकुंतभी कहते हैं सो जमांतरमें होता है अथवा काकभी १२६ ॥

अधि०—भास अथवा काकयोनिमें रहनेका प्रमाण मनुजीने सोवर्षोंका कहा है-यथा (ज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वायः सर्वत्र प्रयच्छति । स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः) अर्थात् जो ब्राह्मण यज्ञके नामसे धनकी भिक्षालायकर सवरा नहीं लगाता वह सोवर्ष-तार्ई भास यद्वा काकयोनिको जाता है १२६ ॥

अत्र तपोविशिष्ट भिक्षुक आदिगृहस्थी विप्रोंके गुणकर्म कहते हैं ॥

कुशूलकुंभीधान्यो वात्र्याहिकोऽवस्तनोपि वा । ज्वेद्वापि गिलोच्छेन श्रेयानेषां परः परः १२७ ॥

कुशूलधान्य १ कुंभीधान्य २ वा-त्र्याहिकधान्य ३ वा अश्वस्तनधान्य ४ चाहैशिलो-च्छेदीसे जीवे इनमें पिछला २ श्रेष्ठ है १२७ ॥

अभि०—(कुशूल) बुखारी जिसमें अन्न धरा जाता है इतने अन्नवाला गृहस्थी (कुशूलधान्य) कहाता है १ (कुंभी) यद्यपि ऊँटनी और हाथी का भी नाम है परन्तु यहाँपर (कुंभी) डिहारेया डिहरामटेला जो मिट्टीके बनाकर नाज धरा जाता है इतने अन्नवाला गृहस्थी (कुंभीधान्य) कहलाता है २ या (त्र्याहिकधान्य) जिम्के घग्मे तीनदिनका

नाजहो ३ या ( अश्वस्तनधान्य ) जिसके घरमें केवल एकदिनका हो ४ यत्वारौचाहै शिलोच्छृत्ति जिसे लौकिकमें शिल्ला चुगनाकहतेहैं उससेही जीवें परन्तु हमें पहले २ से पिछला २ अधिकश्रेष्ठहै-इसहेतुसे कि जो संतोषसे तपस्यामें तत्पवनारहे और संचयकी तृष्णासे किसीसे द्रोहनहीं बांधे १२७ ॥

अधि०— यद्यपि एक और तीनदिनके लक्षणसे टीकाकारोंने ( कुंभी ) के दिन और ( कुशूल ) को बारहदिनके अन्नवाला निश्चितकियाहै परयह योजनाअभवहै क्योंकि बुखारीमें कईमासके उठावेका नाज आसक्ताहै फिर १२ दिनका नियमकैसे कहें-डिहरामें भी एकमहीनेसे अधिकउठावे कानाज आसक्ताहै फिर ६ दिनकनियम कैसेकहें- इसकेसिवाय उसके कुटुंबकी गुरुता लघुतापर दृष्टिकरने सेभी १२ या ६ दिनका नियम असंभव है इसकेसिवाय मूलश्लोक में १२ या ६ दिनका द्विभी नहीं पायाजाता-इसके सिवाय वह नियम अंगीकार करलेने परभी यह असंभवता है कि जबआज १२या ६ दिनका मौजूद हैतौकल्हको ११ या ५ दिनकारहज्यगा पसोंको १० या ४ दिनका रहजायगा फिर इसनियम कोकैसे मानसकें-इसकेसिवाय १२ या ६ या ३ या १ दिनों के अन्नसंचय का उपाय शिलोच्छृत्ति निर्णय स्तैत बतलाते हैं सोभी यह असंगत इसहेतुसे होता है कि वह शिलोच्छृत्तिका संचयभी केवल षण्मासिक श्रावणी अषाढी अर्थात् रवी और खरीफकी फसलोंपर देवार होसक्ता है फिर उनपरिनियमित दिवसों के उपरांत वे बारहमास कैसे काटेंगे इसे प्रत्यक्ष प्रतीत होताहै कि यह टीकाकार की खींखा खींची तुषकंडनहै-निर्लेपवक्ता ॥ ज्ञबल्क्यजी ने साधारण भावसे एक निदर्शनमात्रजो इसीश्लोक में कहा है तिसका यह सिद्धांतहै कि जिस चौथे पदवाले को एक दिन का अन्नकहाहै तिसके घरमें चहें दोचार दिन काभी अन्नहो तौ भी वही बातहै-तीन दिनवाले के घरमें चाहै दश पाँच दिनकाहो तौ भी वही बातहै-कुंभी धान्यवाले के डिहरामें चाहै चार पाँचमनभीहो तौ भी वही बातहै परछःदिनका कहना निपट असंगतहै-कुशूल धान्यवाले की बुखारी चाहै बीस पच्चीसमन भी होतौ भी वही बातहै पर बारहदिनका कहना निपट असंगत है-और शिलोच्छसे कहने का यह सिद्धांतहै कि यह चारों प्रकारके संचयवाले किस ऐसीवृत्तिसे जीविकाकरें जिस्से किसीसे द्रोहनहीं करनापड़े सो उस किसीप्रकार क निदर्शनमात्र एक शिलोच्छृत्तिकहदीहै कि चाहै शिलोच्छसेही जीवें पर किसीसे द्रोह नहींकरै परंतुयह नियमनहींहै कि केवल शिलोच्छके सिवाय और कुञ्चनकरै-सोईमनु-संहितामें कहाहै कि (अद्रोहेणैवभूतानामल्पद्रोहेणवापुनः । यावृत्तिस्तांसमास्थायविश्रा जीवेदनापदि॥कुशूलधान्यकोवास्यात्कुंभीधान्यकएववा ) अर्थात्-आपत्काल के बिना प्राणियोंके अद्रोहसे अथवा अद्रोहकी असंभवता में थोड़े द्रोहसे जो कोईसी वृत्ति



होसक्तीहो उसमें आश्रित होकर ब्राह्मण अपना कालक्षेपकरै-यद्यपि ऐसी सौम्यवृत्तिसे विशेष धनका संचयहोना कठिनहै-इसीलिये तीसरे अङ्गमें कहते हैं कि चाहै केवल बुखारी मात्र नाजवाला होकरहेया इतनाभी उसवृत्तिसेन होसक्ताहो तौ चाहै केवल डिहरामात्र नाजवाला होकरहै-परंतु कुछ इसबात का निषेधनहींहै कि अद्रोहके द्वारा भी इस्से अधिक धनका संचय नहींकरै क्योंकि पहले १२३ के श्लोकमें त्रैवार्षिकसे भी अधिक अन्नवालेको उत्तमता कहचुकेहैं (भेद२) और जो कि इसी १२७ के श्लोक में थोड़े२ अन्नवाला बहुत २ वालेसे श्रेष्ठ कहागयाहै तिसका यह हेतु है कि गृहस्थी ब्राह्मणोंमें भी दो भेदहोते हैं सोई देवलऋषिने यह कहाहै कि (द्विविधो गृहस्थोयाया-वरः १ शालीनश्च २ तयोर्यायावरः प्रवरः याजनाध्यापन प्रतिग्रह रिक्थसंचय वर्जनात् १ षट्कर्माधिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पदगृहग्राम धनधान्ययुक्तोलोकानुवर्तीशालीनः २) अर्थात् दोप्रकार का गृहस्थी ब्राह्मण जिसमें एकतौ(यायावर) नामसो वह दूसरे से उत्तमहै क्योंकि वह यज्ञकराने आदिकी जीविका भी नहीं करता पढ़ानेकी जीविका भी नहीं करता प्रतिग्रह जो दानहै सोभी नहींलेता धनका संचय भी नहीं करताहै क्योंकि इनकामोंमें औरोंसे द्रोहकरनापड़ताहै इसलिये इन्होंने अपने निर्वाहके वेही चारप्रकार साधारणभाव से रक्खे हैं कि जिनका चर्चा इसी १२७ के श्लोक मूल या उसके अर्थमें कहाहै और थोड़े२ अन्नवाला इसलिये उत्तम समुभागागयाहै कि जहाँतक थोड़ा संचय और थोड़ी तृष्णा करैगा तहाँतक द्रोहभी थोड़ा करना पड़ेगा-दूसरेप्रकार का गृहस्थी ब्राह्मण जो (शालीन) नाम कहलाताहै वह यद्यपि उनसे मंद कोई प्रकारसेभी नहीं होसक्ता परंतु उसे केवल इसलिये सामान्य कहा गयाहै कि उसको जीविका की तृष्णा से बहुधा द्रोहकरने पड़तेहैं क्योंकि वे षट्कर्म प्रधान जैसे अस्मदादि हमतुम सभी जो लोकानुवर्ती किन्तु गृह ग्राम धनधान्य यान पशु सेवक आदिसे संपन्न होते हैं सोई इन शालीन संज्ञक गृहस्थोंके कर्म धर्मोंको ११७ के श्लोकसे कहचुकेहैं-परंतु इनमें भी चारभेद होते हैं तहाँ एकतौ इनछःकामों से जीविका करते हैं-याजन यज्ञादिकों का कराना १ अध्यापन पढ़ाना २ प्रतिग्रह दानलेना ३ कृपी खेतीकरना ४ वाणिज्य व्यापार करना ५ पशुओंसे जीविका ६ इनकामोंमें से चाहैकोई सा एक दो कामकरै चाहै सबके सब कामोंको करै परवह एक प्रकारकी गिनतीमें है १-दूमरे इन्हीं कामोंमें से तीन काम किन्तु याजन १ अध्यापन २ प्रतिग्रह ३ से-तीसरे याजन १ अध्यापन २ इनदोसे ३-चौथे इनमें से पाँचकामों को निंद्य नमुभकर केवलपढ़ानेकीही जीविका करते हैं ४-सोई मनुजीने स्पष्टकहाहै कि (षट्कर्मकाभवत्येपांत्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्चतुर्थश्च ब्रह्मसत्रेण जीवति ) १२७॥ इति गृहस्थधर्मप्रकरणम् ॥

इसप्रकार गृहस्थीके स्मार्त और श्रौतकर्मोंको कहकर अब स्नानमे लेकर जो २

विधि और निषेध और मानस संकल्परूप व्रत स्नातकके लिये आवश्यक होते हैं सो कहते हैं ॥

नस्वाध्यायविरोध्यर्थमीहेतनयतस्ततः । नविरुद्धप्रसंगेनसंतोषिचभवत्सदा १२८ ॥

ऐ०—स्वाध्याय के विरोधी धनकी बांझानहीं करै और जहाँ तहाँसे भी नहीं अर्थात् किसी एक प्रतिष्ठित मार्गसे और निज श्रमो पार्जित विद्याके आश्रयसे धनकी बांझा करै-विरुद्ध प्रसंगसे भी धनकी बांझा नहींकरै किन्तु जैसे ब्राह्मण को अयाज्य का यजन कराना आदि या सबोंको किसीसे घूसलेना आदि या नृत्यगीतादि जो विरुद्ध प्रत्यक्ष हैं और सदा संतोषी भी हो किन्तु लाभके न होनेमें भी धीरज बनाराखै १२८ ॥

राजांतेवासियाज्येभ्यःसीदन्निच्छेद्वनक्षुधा । दंभिहेतुकपाखण्डिबकवृत्तीश्चवर्जयेत् १२९ ॥

ऐ०—क्षुधासे पीड़ितहुआ स्नातक राजासे या शिष्योंसे या याज्यजो यजनकराने योग्यहों तिनसेही धनलेनेकी इच्छाकरै-औरदंभीहै तुक पाखंडी बकवृत्ती इनसेयहां तकबचै कि जो बनिपरै तौमुखसे भी न बोलै १२९ ॥

अधि०—इसबातकोमनुजीने विशेषतासे कहाहै कि (पाखंडिनोविकर्मस्थानवैडालव्रतिकान्शठान् । हेतुकान्बकवृत्तीश्चवाङ्मात्रेणापिनार्चयेत् ) अर्थात् पाखंडियों १ विकर्मस्थों २ वैडालव्रतिकों ३ शठों ४ हेतुकों ५ बकवृत्तियों ६ को बाणीमात्रसे भी सत्कारनहीं करै-शास्त्रोक्तसे सिवायनया आश्रम कल्पना करनेवाला पाखंडी १-जिस कामका निषेधहै तिसका सेवनकरनेवाला विकर्मस्थहै २-वैडालव्रतीमें इतने अवगुण होतेहैं धर्मध्वजी सदालोभी छद्मिकछलिया लोकदांभिक हिंसावान् सबसेमिलाप और सभीसे अभिमान यहवैडालव्रती है किन्तु बिलावके से लक्षणवाला ३ सर्वत्र अकड़पन राखनेवाला शठहै ४ कुतर्कसे सर्वत्र संशय आरोपित करनेवाला हेतुक है ५ बगुलाभगत सोबकवृत्ती है ६-दंभी अथवालोकदांभिक उसे कहते हैं जो लोक रिभावे के लिये कर्मोंका अनुष्ठान करै-धर्मध्वजी जोजीविका के लालचसे नखजटा आदि धारणकरै-इनसबोंसे मुखसेभी न बोलै यह कहनेका यह सिद्धांत है कि आप ऐसा न होजाय १२९ ॥

शुक्लांबरधरोनीचकेशश्मश्रुनखःशुचिः । नभार्यादर्शनेऽश्नीयान्नैकवासानसंस्थितः १३० ॥

ऐ०—स्नातक पुरुष शुक्लांबरधारी हो अर्थात्सुपेद उज्ज्वलबस्त्र पहिरै-और नीच केशश्मश्रुनखहोवै अर्थात्शिरऔर डाढ़ीकेबालोंको मुड़ाये हुयेनखोंकोकाटेहुये निर्मल बनारहै-और शुचि कहिये मनसे तथा शरीरसेभी शुद्धबनारहै-भार्या के दर्शन किन्तु संगम समय या उसकेपास बैठाहुआ कुछभोजन नहींकरै-और एकवस्त्रसेभी भोजन नकरै-और संस्थितहुआभी भोजन नहींकरै-अर्थात् लिखनेपढ़नेआदि किसी धंधके लिये नियत बैठकमें बैठाहुआ नहींखाने लगे किन्तु भोजनकोलिये चौकाआदि नियत-

स्थानों में जाकरखावै-और एकबख्त्रसे कहनेका यह सिद्धांत नहींहै कि बहुतसे कपड़े पहनेहुयेखावै अर्थात् केवल एकधोतीसेही नहीं बैठजावे किंतु दूसराबख्त्रकांधेपर अंगोछाभी रखलेवे जिस्से वामेहाथसे मक्खीआदिभी उड़ासकै या कदाचित् दूसराहाथ भी जूठाहोजावे तौ उसमें पोंछकर शुद्धकरसकै १३० ॥

अधि०-यहां १२८ के श्लोकसे जो प्रसंग चलाहै यद्यपि विवाह और गृहस्थीके धर्मांपीछे कहागयाहै परन्तु यहप्रसंग स्नातकपुरुषकाहै और स्नातक उसे कहते हैं कि जो विद्या और ब्रह्मचारीके नियमोंका पारपाकर शास्त्रोक्त विधिसे स्नानकियेपीछे गृहस्थमें आयाहो फिर चाहे उसका विवाहभी हुआहो या न हुआहो कुछ इसबातका नियमनहींहै परन्तु संज्ञा उसकीस्नातकहोचुकी इसलिये उसकोवह बातेंभीअव करनी उचितहैं कि जिनका निषेध ब्रह्मचारीके लिये कियागयाथा-सोई गौतमजीने कहाहै कि(स्नातको नित्यंशुचिः सुगंधिःस्नानशीलः) अर्थात्स्नातक पुरुष नित्यंप्रति नख-वाल आदिसे शुद्धबनारहै किंतु नख या वालोंको रखावैनहीं और चंदनानुलेपनधूप स्रक्अतर फुलेल तैलपुष्पमालाआदि सुगंधवस्तुओंसे सुगंधारहै और स्नानशील होवे अर्थात् उबटनाआदि प्रकारोंसेभी स्नानकरनेमें प्रवृत्तिराखै-सो यहबातें सबघर में कुछऐश्वर्यहोनेपर संभावितहैं अर्थात् यहबातें कुछ ऐसी नहीं हैं कि जिनकेनकरने से वहमनुष्य अधर्मीगिनाजाय किंतु जिसकोप्रभुने अपनेअनुग्रहसे कुछऐश्वर्य दिया हो वहइसरीतिसेरहै और जो कोईअसमर्थहोवहअपनी शक्तिकेअनुसारचले क्योंकि जो शक्तिसे अधिकया शक्तिसेगिरकर कोईसाकामकरैगा या कोईसी चाल चलैगा तौ वहमनुष्य १२२ श्लोकमें कहीहुई मर्यादासे प्रतिकूल गिनाजायगा-इसी लिये यह स्मृतिभी कहीहै कि (नजीर्णमलवद्वासाभवेच्चविभवेसति) अर्थात्-धनसंपत्तिहोने परभी फटे और झेलेवस्त्रोंको न धारण करै-किंच-धनसंपत्तिके न होने में जीर्णयामलीनवस्त्रों का पहिरना कुछ अधर्मनही है-ऊपरऐक्यार्थमें भार्याकेसमीप भोजनकरनेका जो निषेधकिया तिसका यहकारणहै कि उसकेसमीप भोजनकरनेसे जो संतानें पैदाहोती हैं सो तेजोबलवीर्य पराक्रमआदिसे हीनहुआ करतीहैं-सोईश्रुतिभी प्रमाणहै कि (जाया या अंतेनाश्री यादवीर्यवद् पत्यंभवति) इसकोसिवाय लोकट्टिसेभी एक ऐमागूढ़ हेतु है कि वह इस्से भी विलक्षण है-अर्थात् जो कोई पुरुष ऐसाढँगडालेगा उसकें लिये यह बड़ीहानि है कि जो भार्या उसके नेत्रों के संकेतमात्रमें आज्ञामानिकर सबकामों का यथावत् साधनकरती है वहभी उसकी यह प्रकृतिदेखकर ऐसी शिरपर चढ़जायगी किआगेको उसे तुच्छसमुझकर कोईसी आज्ञाभी यथावत्नहीं साधन करसकैगी १३० ॥

नसंगयंप्रपयन्नाकस्नादप्रियंवदंत । नादिनंनानृतंचैवनस्तेनःस्यान्नवाट्टेया १३१ ॥

अक्ष०—अकस्मात् संशयको न पहुँचे अप्रियनहींबोलै अहितभीनहीं अनृतभीनहीं स्तेननहींहोवै वार्द्धुषीनहीं १३१ ॥

अभि०—अकस्मात् कहिये विनाकारण किसी संशयरूपकाममें जो प्राणोंकोविपत्ति देनेवालाहो नहींकूदै (दृष्टांत) जैसे व्याघ्रकेसन्मुख या चोरबटमारोंके सन्मुख या प्रदीप्त अग्निकेसन्मुख या अगाधजलमें इत्यादि और भीजानो-अकस्मात् विनाहेतु कोई अप्रियबचन जो किसीको बुरालगे अपनेमुखसे नहींकाढ़ै-अहितवार्त्ता जो किसीके या अपनेही कल्याणमें हानिकरसक्तीहो अकस्मात् मुखसेनहींकाढ़ै और न ऐसाकोई कामकरै-अनृत जो असत्यहो या जिस्से कुछउत्पात पैदाहोनेकी शंकाहो अकस्मात् मुखसेनहींकाढ़ै और न ऐसाकोई कामकरै-स्तेनकहिये चोरनहींहोवे किंतु विनादिये किसीकी कुछवस्तुनहींलेवै-वार्द्धुषीउसेकहतेहैं जो निषिद्धवृद्धिसे जीविकाकरै सो वार्द्धुषी की वृत्तिनहींकरै (दृष्टांत) जैसे कसाईआदि किसी जीवघातीको धनदेकर व्याजखाना मुर्देकाकफन खरीदकरबेंचना आदि और भी अपनीबुद्धिसे जानलो १३१ ॥

दाक्षायणीब्रह्मसूत्रीवेणुमांसकमंडलुः । कुर्यात्प्रदक्षिणंदेवमृद्गोविप्रवनस्पतीन् १३२ ॥

ऐ०—दाक्षायणी अर्थात् दाक्षायण जो सुवर्णहै तिसका धारणकरनेवाला-ब्रह्मसूत्री अर्थात् यज्ञोपवीत धारणकरनेवाला-वेणुमान् बाँसको लियेहुये-कमण्डलु जो लोटाहै तिसको लियेहुये कहींजाताहुआ इतनी चीजोंको प्रदक्षिणा करकेजावे एकतौ देवता मृत्तिका गौ विप्र बनस्पतीनको १३२ ॥

अधि०—सुवर्णका धारणकरना सुवर्णआदि पंचरत्नी या नवरत्नी माला आदि आभूषणों का उपलक्षण है परन्तु अनुकर्ष केवल इतनाहै कि जो और कुछ न होसकै तौ सुवर्ण अवश्यभावसे शरीर में राखै क्योंकि यहवस्तु बड़ेपवित्र रत्नों में गिनती है जिसके शरीर में किसीप्रकारसे मालाकुंडल मुद्रिकाआदि कोई चिह्न सुवर्णकाहोता है वह किसीप्रकारसे अपवित्र नहींहोसक्ता अर्थात् जोभीड़ भटका में किसी मलीन कोभी छूजावे तौ अशुद्धनहीं होसक्ता दूसरेबुद्धि का प्रकाश बनारहता है तीसरेदरिद्रकीबाधाउसको नहींसतासक्तीहै चौथेकिसी संकटदशामेंभी वहकाम देसक्ताहै पांचवे शरीरकी शोभा और प्रतिष्ठा भी है-और ब्रह्मसूत्रका यह सिद्धांत नहींहै कि पहिरेहुये कहींजावे क्योंकि पहिरना तौ सदैवही उचितहै फिर उसको क्या कहेंगे किंतु तात्पर्य इसका इतनाहैकि जो कहींजावै तौ पहिरेहुये के सिवाय कोई यज्ञोपवीत अपने पास बंधारक्खै न जानिये किसदशामें टूटजाने या अशुद्धहोजानेसे उसके बदलनेकी जरूरत आनिपड़ै या अपने किसी हितूको देनेकी आवश्यकता आनिपड़ै तौ फिर तत्काल कहाँ मिलसक्ताहै-बाँस कहनेका यह भावहै कि कहींजावै तौ लाठी लकड़ीलिये किन्न खाली हाथ नहींचलाजावै न जानियेकोई दुर्जन या कूकुर व्याघ्रादिमिलजावैं तौ इस्ते

बड़ाभरोसाहै-लोटा कहनेका यह प्रयोजनहै कि जो कहींजावै तौ लोटाको अवश्यही लेजावै न जानियेकहीं दिशा शौचकी जरूरतहो या जलपानकी आवश्यकताहो अर्थात् लोटा बिनाधर्म और प्राणोंकी भी हानिमें संशयहोताहै-इस प्रकार जातेहुये मार्ग में जहाँ कहीं देवता या देवताका स्थान दृष्टिआवै उसको दाहिने देकर निकलै-मृत्तिका कहनेका यह सिद्धांतहै कि जो कोई पृथ्वी खेड़ा आदि प्रकारोंसे ऊंचीहो उसको या किसी उत्तम मृत्तिकार वस्तुको अर्थात् स्वर्णादि नाना धातु भेद और गैरिकमनः-शिला आदि नानाभाँतिके उपधातु भेद जो पृथ्वी धातुमें गिनतीहैं तिनकी राशि देखकर श्रद्धासहित हाथजोड़ै और दाहिने देकर निकलै क्योंकि ये वस्तु भी परमऋद्धि सिद्धिरूपहोतीहैं-तथैव गऊ और ब्राह्मण कहीं दृष्टिआवै उसको भी दाहिने देकर निकलै-वनस्पतीका यह सिद्धांतहै कि जो जो वृक्ष वृक्षोंमें बड़े उत्तम या पवित्रगिने जातेहैं जैसे आम्र, केला, पीपल आदि इनको भी दाहिने देकर निकलै (भेद २) अबके समयके विरले अश्रद्धक लोग अपनी चतुराईसे यह भी कहनेलगतेहैं कि इन बातोंसे क्या होताहै किंतु यहवातें सिर्फ फ़जूलगोई या निरर्थक आचारमें गिनती हैं परंतु जो विचारदृष्टिसे सूक्ष्म ध्यानलगाकर देखौ तौ यही निश्चितहोताहै कि उनको परमेश्वरने केवल उदरभरने मात्रकी चतुराईदी होगी क्योंकि उस जगत्कर्त्ताको सबतरहकी सृष्टिरचना करनी अंगीकारथी फिर जो ऐसे लोग नहींबनाता तौ उसकी ईश्वरतामें न्यूनतापड़जाती-उनसे यह भी वृम्हा चाहिये कि जो सबकी बुद्धि ऐसीही होजावे तौ सृष्टिकी बड़ाई और छुटाई कैसेजानीजाय और किसलिये कोई किसीके बड़प्पन या प्रतापकी गुरुताकोमानै और जो यही ढंग चलजावे तौ क्रम २ से सारा संसार ऐसी चतुराईकी गरमीसे पिघलकर पानीहोजावे फिर कोई किसीकी बड़ाई या छुटाई को न मानै-विद्या देनेवालेको किसलिये गुरु या उस्तादकी पदवीमें समुभते हैं जैसे और तैसा वह भी एक मनुष्यहै बल्कि दामलेकर विद्यादेनेवाला और नौकरोंकी गिनती में आजावे-पिता किसलिये ईश्वरके समान समुभाजाता है जैमे और तैसा वह भी एक मनुष्यहै-राजा किसलिये ईश्वरका अंश मानाजाताहै जो पंचतत्व औरोंमें सो उसमें हैं-कदाचित्कहो कि राजाका भय बड़ा प्रबलहोताहै इससे उगका बड़प्पन लाचार मानाजाताहै तहाँ यह भी ध्यानकरनाचाहिये कि भय वस्तु केवल समक्षभावमें होतीहै कि जो उसके सन्मुख कहेंगे कि तू ईश्वरका अंश नहीं है तौ वह दंडदेवेगा परंतु परोक्षभावमें या हृदय कोष्ठमें कि जहाँ इसभयकी संभावना नहीं है तहाँ किसलिये उसको साक्षात् ईश्वरका अंश समुभतेहैं-कदाचित्कहो कि हृदयका अभ्यंतर किसको मालूमहोसक्ताहै कि तुम उसको ईश्वर तुल्यमानतेहो या नहीं नहीं सीधासा एक प्रत्यक्ष प्रमाणहै कि जब कोई राजा या राजाधिराज बादशाह किसी

राजापर चढ़ाई और विजयकरिके उसको पकड़लेताहै उस समय उसका मारडालना भी उसको सुगमहै क्योंकि उससे किसीतरहकाभय उसको नहींहै बल्कि उसे जीवता बनाराखनेमें खटकाभीहै परंतु वह विजयकर्त्ता बांदशाह उसको इसीहेतुसे बध नहीं करताहै कि राजा ईश्वरका अंशहोताहै और इसीसे वहअवध्य भी होताहै-अब कहो कि उससे क्या उसको भयकी संभावनाथी जो बधनहीं किया केवल नजरबंदरखकर सर्वथा सत्कारपूर्वक उसके सब खर्चों और सेवक वा सवारी आदि आरामोंका प्रबंध करदिया इससे ठीकर निश्चितहुआ कि उस विजयकर्त्ता के हृदयमें भी विश्वासहै कि यह राजा साक्षात् ईश्वरका अंशहै इसका अपकारकरना मेरेलिये अधर्महै और जो यह विश्वास उसके हृदयकेभीतर नहींहोता तौ तत्काल उसे अपना शत्रु और बाधक समुझकर मरवाडालता-और यह प्रत्यक्षहै कि जो कोई अन्यायी राजा ऐसा अन्याय कर बैठताहै वह प्रथम तौ सारे संसारमें अन्यायी प्रसिद्धहोकर दुर्नामता पाताहै दूसरे इसी अधर्मके प्रभावसे वह शीघ्र नष्टहोजाताहै-इस सारे कथनको सिद्धांत केवल इतनाहै कि ईश्वरने जिसकी जितनी गुरुता या लघुता अपनी ईश्वरतासे निर्माणकरी है सो यथावत् सबको कहनी और माननी भी चाहिये जिस्से उसकी ईश्वरताकी विलक्षणता प्रकटहोतीरहै-अब जो तुम यह कुतर्ककरनाचाहो कि मनुष्यादि सृष्टिकी वात भिन्नहै पर माटीर सब एकसी और वृक्षर सब एकसे इनमें उत्तमता या मध्यमता वृथाहैतौ इसकुतर्ककाउत्तरसिवाय इसकुतर्कके और कुछध्यानमेंनहीं आसक्ता कि इस बुद्धिकेआगे स्त्रीर भी सबएकसी होंगी फिर भार्या और भगिन्यादिकाभीभेद वृथाहै क्योंकिवेहीपंचतत्त्व और वेही दश इंद्रियाँ और वेही सातधातु सबकेशरीरमें होती हैं सुनौ भगवद्गीताका विभूति अध्याय या उस प्रकारके अन्य शास्त्रोंकेस्थलभी तुमने देखेहोंगे या सुनेहोंगे-जड़ और चैतन्यपर भी कुछ आरूढ़ता नहींहै यद्यपि जगत्कर्त्ता अपनी चिच्छक्तिरूपसे सर्वव्यापी प्रत्यक्षहै इसमें कुछ संदेह नहीं तथापि जिसजीवमें या जिसवस्तुमें या जिसदेशमें या जिसकालमें उसकी चिच्छक्तिरूप सत्ताका आधिक्य विशेषहै वहविशेष माननीयहै अर्थात् जिसजाति याजिसभेदमें जोवस्तुकुछ उत्तमहै सोर सब ईश्वरकी विभूतिहै तौ इस व्यवस्थासे उसकी विभूतिका सत्कारकरना यह भी एक उसीका सत्कारहै और यही सत्कार उसकी भक्तिभावमें गिनतीहै सोई देखौ इसका प्रमाण मर्यादापरिपाटी के प्रारंभमें सबसे पहले श्लोक और उसकी अधिकोक्तिमें क्या कहचुकेहैं (भेद३) कदाचित् अबतक भी तुम्हारी बुद्धि नहीं जमतीहो तौ अब तुम अपनीही बुद्धिके अनुसार समुभौ और ईश्वरकी ईश्वरता को दूरकरौ केवल संसारपर दृष्टिडालकर ऐसे स्थानों में जाकर तमाशा देखौ कि जहांकहीं जंगीफौजोंकी कवाअद होरही हो उसमें नानाप्रकारके संकेत ऐसेभी होते



हैं कि जो बोलीके साथही तत्काल बंदूकको बामे हाथके सहारासे छातीमें चिपटीहुई बामे कांधेके ऊपरतक खड़ी करलेना या दोनोंहाथोंका मिलाना या पैरोंकापैतराबदलना आदि अनेक बातें ऐसीहोती हैं जिनकाकाम युद्धके समय कुछभी नहीं पड़ता क्योंकि युद्धके समयकी क्रवाञ्चद जुदी सिखाई जाती है औरपीछे सिखलाई जाती है और यह एकप्रकारकी साधारण क्रवाञ्चद जो सबसे पहले अभ्यास कराई जाती है सोऐसीहै कि जैसेगानविद्यामें पहले सर ग म आदि स्वरोंका अभ्यासकराना या वाद्य विद्यामें पहले जुदे२ बाजेकी अपनी तालका मिलाना जैसे सितारमें डिडडा आदि शब्दोंसे अभ्यास कराना या लिखने पढ़नेमेंपहले वर्णमात्रके हिज्जे करवाना आदि-शौचौ पूर्वोक्त चतुराईके आगे ये सारी बातें बृथाहैं परन्तु सिद्धांतमें एकभी बृथा नहीं है इन सबके प्रयोजन कहना तौ बड़ा विस्तारहै परसीधी सीधी राहसे समुभक्तो कि उन साधारण संकेतों से सीखनेवालेको उस ढंगमार्गमें जमाना ऐसाहै कि जैसे नवीन बछेड़ेको जब सवारीमें जोड़ना चाहेंगे तब सबसे पहले उसे काठके घसीटामें जोड़कर सड़कमें निकालेंगे फिरपीछे रेतके मार्गमेंभी जब उसमें अभ्यास होजायगा तब खड़खड़ामें जोड़कर दश पांचरोज फेरेंगे जब उसमें पक्काहोजायगा तब इक्का या बग्घी आदिमें लगावेंगे तौ क्रम२से अभ्यास होजानेसे ठीक२ काम देसकैगा जोएक सूत पहले बग्घीमें जोड़देते तौ चौंककर बग्घीकोभी तोड़देता और घोड़ाकी आदति भी बिगड़ जाती-ऐसेही साधारण क्रवाञ्चदके संकेतोंको सुनतेही तत्काल उसने उस आकृतिको बनाकर दिखला दिया तौ यह निश्चय होगया कि अब आगेको जोकुछ विशेष वार्त्ता सिखलावेंगे तौ उसआज्ञाको भी मानेगा और उस आकृतिको बनासकैगा और जो इसमें सीधा न होसका तौ जानागया कि आगेको बड़े संकेतोंमें क्या करसकैगा-ऐसेही ये धर्म शास्त्रकी साधारण क्रवाञ्चद के संकेतहैं जो क्रम२से इन माटी और वृक्षादिकों की गुरुता लघुतामें श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य दृष्टिजमिजायगी तौ आगेको माता पिता गुरु तथा राजा आदि गुरुओंके वड़प्पन और पदवीको उन से भी लक्षगुणी कोटिगुणी समुभैगा और जो उनमें श्रद्धानहीं बांधैगा तौ यह जानौ कि पहला प्रारम्भ बिगड़ा हुआ सर्वत्र शिष्टाचारको चंचलकर देवेगा-इस्से धर्मशास्त्रका लिखाहुआ एक अक्षरभी बृथा नहीं केवल समुभक्नेवालेकी समुभक्ता अन्तरहै (भेद ४) कुछ यही नियम नही है कि जो पांच वस्तुइस १३२के श्लोकमें कही हैं को दाहिने देकर निकले किंतु जो२ वस्तु उत्तम गिनीजाती हों उन सबकाही करे क्योंकि यह पांचका कहदेना एक निदर्शनमात्रहै बल्कि मनुजीने आठवस्तु यथा (मृदंगादिवतांविप्रंघृतंमयुचतुःपथमाप्रदक्षिणानिकुर्वीतप्रज्ञातांश्च अर्थात्-मृत्तिका १ गज२ देवता३ विप्र४ घृत५ मयु-सहत आदि उत्त

राहा ७ प्रसिद्धबनस्पतीः इन सबोंको दाहिनेदेकर निकलै-सो यह आठका कहनाभी निदर्शन मात्रहै किंतु ऐसी २ औरभी जो कोई वस्तु उत्तमहों वे सभी इनमें गिनती हैं- और इसके सिवाय कुछ यही नियम नहीं है कि इनकोचाहै तिसदशामेंभी दाहिने दियेविना अधर्मी कहला सक्ताहै किंतु सिद्धांत केवल इतनाहै कि इस मर्यादमें अभ्यास और तत्परता बनीराखै अश्रद्धा नहींकरै जब किसी ऐसी सावधानीकी दशामें कहीं जाताहो कि इनको दाहिने करनेमें अवकाश मिलसक्ताहो तब अवश्य भावसे लोकरीतिको पूरीकरनी चाहिये-या-जब किसी ऐसी दशामें कहीं जाताहो कि इनको दाहिने करनेका अवकाश नहीं मिलसक्ता और किसी अपेक्षित कार्यमें विलम्ब या उत्पात होनेकी शंकाहै तौ उस अवस्थामें दाहिने और बामेका कुछ विवेक नहीं-किंतु निःसंदेह बामे देकर चलाजावै और मनकी भावना मात्रसे हाथजोड़कर ऐसाध्यान करता चलाजावे कि जानौ हम इनको दाहिनेदिये जाते हैं तौ दोष नहीं- परन्तु शिष्टाचारमें उपेक्षा या निरादर आरोपित करना यह अधर्मका हेतुहै १३२ ॥

नतुमेहेन्नदीछायावर्त्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । नप्रत्यग्न्यर्कगोसोमसंध्यांबुस्त्राद्विजन्मनः १३३ ॥

ऐ० -नदी छाया मार्ग गोशाला जल भस्म इन्होंमें मूतै नहीं और हगै नहीं-अग्नि सूर्य गऊ चन्द्रमा संध्या जल स्त्री द्विजाती इनके सन्मुख अर्थात् इनको देखताहुआ हगै मूतै नहीं १३३ ॥

अधि० -शंखजीने कुछ और वस्तुभी गिनाई हैं-यथा- गोबर-जुता और बोयाहुआ खेत-चिता या किसी वस्तुकी ढेरी-श्मशान-खलिहान स्थान-जलका किनारा इनमेंभी नहींहगै मूतै-यह सिद्धांत नहींहै कि इन कहीहुई चीजोंके सिवाय और किसी वस्तुमें हगने या मूतनेका निषेध नहीं है-अर्थात् इसकहेहुये निदर्शन मात्रसे वे सभीवस्तु और सभी स्थान इनमें गिनतीहैं कि जो शास्त्रसेयालोक दृष्टिसे विरुद्ध पाये जातेहों या जिसमें मलकरनेसे किसीको प्रत्यक्ष या अज्ञात भावसे भी कोई तरहकी हानि अथवा पीड़ा पहुँच सकती हो-और यद्यपि विस्तारके भयसे इन सबका हेतु लिखनेकी उपेक्षाहै परंतु एक २ निषेधमें अनेक २ हेतुभी ऐसे प्रत्यक्ष हैं जिनसे अपनेको दोष और परायेको पीड़ाकी संभावनाहै(जैसे)नदीमें जलका बिगड़जाना उरसे रोगोंकी उत्पत्तिहोनी-छायामें जो कोई आनकर विश्राम लेवेंगे उनको छेशहोना-मार्गमें सबको ग्लानिहोनी इत्यादि सबके हेतु प्रत्यक्ष हैं-और अपने को उसदोषके सिवाय तत्काल या कुछ विलंबसे भी दंड मिलनेकी शंकाहै-और जो दंडसे बचजावे तौ ऐसे गूढ़पापों से कुष्ठादि और श्वासादि असाध्य राजरोगों के होजानेकी भीतिहै किन्तु-पाप अपना बदला लिये बिना पीछा नहीं छोड़ता १३३ ॥

नेक्षेतार्कननगनांस्त्रीनचसंसृष्टमैथुनाम् । नचमूत्रंपुरीपंवानाशुचीराहुतारकाः १३४ ॥

ऐ०—सूर्यको-नग्नास्त्रीको-संसृष्ट मैथुनास्त्रीको भी नहीं निहारै-मूत्र और पुरीषको भी नहीं देखै-आप अशुचि हुआ राहु और ताराओंको भी नहीं निहारै १३४ ॥

अधि०—सूर्यको न देखै यह असंगत है क्योंकि सूर्यके दर्शन पुनीत हैं परंतु इसका प्रयोजन मनुजी के वाक्यसे सिद्ध हो सकता है-यथा- ( नेक्षेतोद्यंतमादित्यं नास्तं यातं कदाचन नोपसृष्टं नवारिस्थं नमध्यं नभसोगतम् ) अर्थात्-उदय होते हुये आदित्यको न देखै किन्तु जब पूरा बिंब उदय हो चुके तब दर्शन करै-अस्त होते हुये कोभी कभी नहीं देखै किन्तु जब तक पूरा बिंब नार है तब तक देखनेका दोष नहीं-राहुसे ग्रसे हुये सूर्यको न देखै-जल में सूर्यके प्रतिबिम्बको न देखै-मध्याह्न कालमें आकाशके मध्य पहुँचे हुये सूर्यको न देखै-यद्यपि सन्ध्यावन्दनकी उपासनासमय अवश्यभावसे ऐसे अर्द्धोदय या अर्द्धास्त बिम्बका देखना होता है पर उसका निषेध नहीं है क्योंकि वह विधिका प्रसंग है-यह बात जुदी है इसमें साधारणभावसे दृष्टिजमा-कर देखने का निषेध है इससे प्रथम तौ सूर्यदेवका अपकार है दूसरे नेत्रोंकी दृष्टि मारी जाती है-नग्नास्त्रीका निषेध मैथुनकालके सिवाय निजभार्याका भी निश्चित है-संसृष्ट मैथुनास्त्रीका यह अर्थ है कि किसीसे मैथुनमें तत्पर हुई को न देखै दूसरा अर्थ यह भी है कि मैथुनसे निपटे पीछे तत्काल अनग्नाको भी नहीं निहारै क्योंकि इससे उसको अधिकलज्जा प्राप्त होती है और इसीसे वह शापभी देती है और (च) शब्दके अभिप्रायसे वे बातें भी-लेनी चाहिये कि जो इसमें नहीं कहीं-पर मनुजीने कही हैं-यथा-(नाशनीयाद्भार्यायासाद्धं नैनामीक्षेत् चाश्नतीम्। क्षुवतीं जंभमाणां च न चासीनां यथा सुखम्। नां जयंतीं स्वकेनेत्रेण चाभ्यक्तामनाहताम्। न पश्येत्प्रसवंतीं च श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः) अर्थात्-जो कोई द्विजाती मात्रमें उत्तमगिना जाता हो और वह सर्वथा अपने कल्याणोंकी कामना रखता हो वह इतनी बातें नहीं करै-किन्तु-भार्याके साथ भोजन नहीं-भोजन करती हुई भार्याको न देखै-छींकती हुईको न देखै-जंभाई लेती हुईको भी नहीं-स्वतंत्र अपनी इच्छाके अनुसार बैठी हुईको भी नहीं-अपने नेत्रोंमें अंजन करती हुईको भी नहीं-उबटना करी हुई या दग्गवाती हुईको भी नहीं-बखोंबिना नहाती धोतीको भी नहीं-गर्भका प्रसव करती हुईको भी नहीं-यद्यपि इन कही हुई सारी बातोंके हेतु अनेक हैं और सबके भिन्न २ भी हैं परन्तु साधारण भावसे यह हेतु है कि यहाँपर जिन बातों का निषेध किया है तिनके करनेवाले पुरुषका तेजो बल बुद्धि पराक्रम यश पुण्य सुकीर्ति आयु प्रताप ये सब शीघ्र नष्ट हो जाते हैं १३४ ॥

वर्षमेव जडत्येवं सर्वमंत्रमुदीरयेत् । वर्षत्यपाहृतो गच्छेत्स्वयं प्रत्यक्षिगन्तव १३५ ॥

षष्ठ०—यह मेरा वज्र इस प्रकार जो मंत्र है नाहि मारा उच्चारण करे वर्षनेमें उधाड़ा जावे-पश्चिमको शिरकिये हुये सोवे भी नहीं १३५ ॥

आभि०-वर्षाहोतेसमय कहींजानापड़ै तौ बेखटके नंगाचलाजाय किंच-अयमेवजः पाप्मानमपहंतु-यह जो वेदकामंत्रहै इसे संपूर्ण उच्चारण करलेवै तौ कुछचिन्तानहीं उत्पन्नहोगी-और पछाँहको सिरहानाकरके सौवैभी नहीं १३५ ॥

आधि०-मंत्र जोबस्तुहै सो उसीकीरक्षाकरसक्ताहै जिसने मंत्रोंको किसीप्रकारसे सिद्धकरपायाहो सो ऐसेमनुष्य थोड़ेहोतेहैं-और यहप्रकरण यद्यपि स्नातकपुरुषके नामसे कहरहे हैं सो स्नातक अवश्य विद्यावान्होताहै-परन्तु स्नातक यह एकनिदर्शनमात्रकहाहै अर्थात् यह सिद्धांतनहींहै कि इसप्रकरणकी कहीहुई मर्यादे स्नातक के सिवाय और कोईनहींमानै किन्तु द्विजातीमात्रके सबकेलिये कहीहैं-इसीहेतु से ऊपर जो वज्रमंत्रका उच्चारणकरनाकहाहै तिसका यह सिद्धांतहै कि बहुतेरे मनुष्य ऐसे कायरहोतेहैं कि वे वर्षाकेसमय निकलनेसे भयमानतेहैं कि जानै ऊपरसे विजली गिरै या कोई और उत्पातहोजावै सो ऐसेमनुष्योंको हिम्मतिबंधानेकेलिये यह उपाय लिखाहै कि जिस्से उनकेकल्याणरूपीकामोंकी हानि नहींहोनेपावै क्योंकि हिम्मतहार जानेसे मनुष्यकाउत्साह माराजाताहै और उत्साहकेबिना फिरकोईकामनहीं चलसक्ता-अन्यथा जो दैवकरताहै सोईहोताहै बिनाउसकीइच्छा उत्पातनहीं होसक्ता और वचभीनहींसक्ताहै पर नेत्रोंकेआगे सींकओटकरनेसे पहाड़कादखिना बंदहोजाता है (भेद २) मन्वादि अन्यशास्त्रोंके अभिप्रायसे वर्षासमय दौड़केभी नहींचलै नग्नहो कर नहींसोवै किसीशून्यस्थानमें एकल्ला नहींसोवै १३५ ॥

ष्टीवनासृक्शकृन्मूत्ररेतांस्यप्सुननिक्षिपेत् । पादौप्रतापयेन्नाग्नौनचैनमभिलंघयेत् १३६ ॥

ऐ०-ष्टीवन, थूक, खखार, आदि-असृकरक्त-शकृत् विष्ठा-मूत्र-रेतसवीर्य-इनको जलोमें नहींफेंकै-अग्निमें पैरोंको तपावैनहीं-इस अग्निको उल्लाँघैभी नहीं १३६ ॥

आधि०-इसमें शंखजीने कुछ और वस्तुभी निषेधकरीहैं-यथा-तुषकेशपुरीषभस्मा स्थिश्लेष्मनखलोमान्यप्सुन निक्षिपेत् पादेनपाणिनावा जलंनभिहन्यात्-अर्थात्-तुषभूसी आदि, केशवाल, पुरीष विष्ठा, भस्म राखकूड़ा, अस्थिहाड़, श्लेष्म खखार, नखमुह, लोमरोमा इनको जलोंमें नफेंकै क्योंकि प्रथमतौ जल देवरूपहै दूसरेलोक दृष्टिसे जलोंका बिगड़जाना उस्सेपीने या नहानेवालों को रोगोंकी उत्पत्ति होना यह अधर्महै तीसरे जोकोई ऐसाकरते देखैगा वहबुरा कहैगा और मारपीटभी होजावेगी और पैरसे या हाथसे जलकोपीटैनहीं इस्से अपनी या औरोंकी आँखोंमें जलका पड़ जाना और हाथपैरोंकी नसोंमें कफ वातका विकृत होजाना यहबड़ी शंकाहै-अग्निमें ध्यंप्रक्षिपेदग्नौ नचपादौ प्रतापयेत् अधस्तान्नापदध्याच्चनचैनम भिलंघयेत् नचनंपदतः कुर्यान्नप्राणाव धिमा चरेत्) अर्थात् अग्निको मुँहसे नहीं फूकै क्योंकि चिटकारी

आँखमें पड़ेगी या नेत्रोंकी ज्योति मंद होजायगी-नंगीस्त्रीको नदेखै-अग्निमें अशुद्ध वस्तुनहींछोड़े क्योंकि प्रथमतः वह देवतारूपहै दूसरे उरसेचिड़ाईध छूटैगी तबकिसी को पीड़ापहुँचेगी वह भलाबुरा कहेगा-पैरोंको भी नहींतपावे क्योंकि नेत्रोंकी ज्योति मारीजायगी और त्रिदोष कुपित होनेकी शंका है-नीचे अग्निको कपड़ोंसे ढाँककर न बैठे क्योंकि इसभाँतिसे तापतेहुये बहुधा मनुष्य कपड़ों सहित जलजातेहैं और आगभी लगजातीहै-इसको कूढ़कर उल्लंघ्य नहीं क्योंकि जो ऐसाअभ्यास पड़जायगा तो एकदिन पूरा धोखा खायगा-इसको पैरकेनीचे भीनहींदबावै क्योंकि प्रत्यक्ष पीड़ा काहेतुहै तीव्रता उसकीआँखोंतक पहुँचतीहै औरखाल जलजावेगी तो लँगड़ेहुये फिरोगे तबसारेकाम बन्दहोजायँगे-इसको प्राणोंकीअवधिताई न आचरणकरै अर्थात् जोलोग पंचाग्नि आदि प्रकारोंसे अग्निसेवनकरनेवालेहैं वेभी ऐसाअतिशय सेवन नहींकरें जिस्से प्राणजातेरहें क्योंकि जो प्राणोंकीरक्षावनीराखौंगे तो अनेक धर्मकर्म और तपस्याओंका संचय करसकौंगे और प्राणोंकी हानिकरदेना यह तपस्यानहींहै किंतु आत्महत्यामें गिनतीहै १३६ ॥

जलंपिवेन्नांजलिनानशयानंप्रबोधयेत् । नाक्षैःऋषिर्धर्मध्वैर्व्याधितैर्वानसंविशेत् १३७ ॥

अक्ष०—अंजलीसे जलनहींपीवै-और सोवतेहुयेको जगावैनहीं-अक्षोंसे क्रीड़ानहींकरै-धर्मघ्नोंसेभीनहीं-व्याधितोंकेभी साथबैठेनहीं १३७ ॥

अभि०—जलको दोनोंहाथ बाँधकेनपीवै इसकहनेसे पीनेमात्रकी कोईवस्तुहो उसको हाथसेनहीं क्योंकि यह एकप्रकारका गमारूप लक्षणहोताहै इस्सेकपड़े छींटछाँटजातेहैं और पीतेहुये जो श्वासलेलेवै तो आँतोंमें पानीघुसजानेकी शंकावनीरहती है और प्रमाणसे अधिकभी पीजाताहै इससे उदरशूलभी होजानेकी शंकारहती है इसलिये किसीपात्रमेही पीवै-और सोवतेहुयेको अपनेसे अवस्था या विद्याआदि गुणोंसे श्रेष्ठ को तो अवश्यही नहीं जगावै परवहवात जुदीहै कि जो तत्काल कोई उपद्रव आनि खडाहो क्योंकि(आपत्कालेमर्यादानास्ति)अथ कहिये पाशे जो घृतक्रीड़ामें प्रसिद्ध होतेहैं तिनसे कभीसाधारण भावसेभी नहींखेले क्योंकि उसमेंसाधारणमेंभी तत्काल सच्चाखेल खडाहोजाताहै पीछे जो कुछ दशाहोतीहैं सो मव युधिष्ठिर और राजानल के इतिहासोंसे प्रसिद्धहैं-धर्मघ्नोंसे न खेलै अर्थात्जो धर्मघ्नपुरुष होतेहैं तिनके साथ न खेलै और न बैठे और एकप्रकारके धर्मघ्नखेलभीहोते हैं जिनमें किसी जीवकी हिंसाहोतीहो जैसे कुत्तासे खरगोश आदिका तोडवाना ऐसे अनेकग्वेन होतेहैं तिन खेलोंसे आपनहीखेले और नेत्रोंसे देखैभीनहीं-और व्याधितपुरुष जो किर्माप्रकारके ज्वर या विस्फोटक या कुष्ठआदिरोगोंमें संयुक्तहो उनकेसाथभी न ग्वेन और न बैठे क्योंकि संसर्गसे वहीरोग दूसरेकोभी होजानाहै १३७ ॥

विरुद्धवर्जयेत्कर्मप्रेतधूमनदीतरम् । केशभस्मतुपांगारकपालेपुचसंस्थितिम् १३८ ॥

अक्ष०—विरुद्धकर्मको बर्जितराखै-प्रेतधूमको-नदी तरणको भी-बाल-राख-भूसी-अंगार-कपाल-इनमें स्थिति बर्जित करै १३८ ॥

अभि०—विरुद्धकर्मभी दो प्रकारके होतेहैं एक तौ आहार विहारआदि-दूसरे कुल ग्राम जनपद देशकाल आदिसे विरुद्ध तिनसवोंको बचावै-प्रेत धूमकहिये चिताका धुआंभीबचावै-नदीका तैरना भुजाओंके बलसे पारउतरनाभी न करै-जहांबाल पड़ेहैं तहां ऊलजलूलीसे नहीं बैठजावै बालों के उपलक्षणसे नखदांत आदि जो शरीर से गिरेहुये द्वादश १२ मलप्रसिद्धहैं वे सभी समुभ्लेने-राख और भूसीपरभी नहीं बैठ जावे इसके उपलक्षणसे सभीकूड़ामात्र समुभ्लेना-अंगारकहनेका यह अभिप्राय है कि जहांअग्निकाफैलावाहो तहां जोबैठाचाहै तौपहिलेपृथ्वीपर दृष्टिकरदेखलेवै किंतु धोखाखाकर कहींअंगारी चिनगारीके ऊपरनहींबैठजावै या खड़ाहोजावे-कपालकहने का यह अभिप्राय है कि हाड़ आदि किसी मलीन वस्तुपर न बैठजावै या वहां होकर निकसै १३८ ॥

अधि०—दोप्रकारके विरुद्धकर्म जो कहेगयेतिनमें पहलेआहार विहारसेविरुद्ध कर्मों का (दृष्टांत) जैसे आहारभोजनकी वस्तु जो कोईसी जिसको सात्म्य नहींहैअर्थात्मु-वाफिक नहींहै वहउसीको खावै तौ विरुद्धहै या जिसरोगवालेको जो वस्तुसात्म्यनहीं है वहउसीको खावै तौ विरुद्धहै या जो वस्तुसात्म्यभीहो उसकोअपनी खुराकसे अ-धिकखाजावे तौ भी विरुद्धहै या जिसवस्तुकेसाथ मिलाकर जिसवस्तुकाखाना उचित नहींहै वह उसीमेंमिलाकरखावै तौ विरुद्धहै जैसेदूध और मछली या घी और सहत या नमक और मीठा या खटाई और दूध अथवा जिसवस्तुके ऊपर जो वस्तुखानी उचित नहींहै उसीके ऊपर खाय तौ यह भी विरुद्धहै जैसे दूधकेऊपर दहीकाखाना या अफीमके ऊपर तेलकापकान्न और गुड़ आदिकाखाना इत्यादि असंख्य लक्षण जो वैद्यशास्त्रसे और निजपरीक्षासेभीजानेजातेहैं सो तौ आहारविरुद्धहैं औरविहार विरुद्धका (दृष्टांत) जैसे हलनाचलना फिरना आदि शरीरकी चेष्टाओंको विहारकहते हैं सो जब कोई ऐसा विहार करै जिस्सेकिसीप्रकारका रोग या पीडाया भय पैदाहोने की शंकाहो तब उसको विरुद्ध विहारकहते हैं जैसे भरीदुपहरी में दमखींचकर एक सन्नाटामें दशपांच कोशकाधावा करिके तत्काल किसीजलाशयमें स्नानकरलेना यह विरुद्धहै या उलटी कलावाजीखाना या उलटाहोकर पेड़मेंलटकना यह विरुद्धविहार है या किसीऐसे बोभका खींचना और उठाना जो अपनी शरीर सत्तासे अधिकहो सो यह विरुद्ध विहार है अथवा दोचारपहर लगातार ऐसे ऊंचे और तीव्रस्वरे गाना या रोना या पढ़नाआदिकाकरना कि जिस्सेसारे शरीरका पराक्रमनिकालदेनापड़े



तौ यह विरुद्ध विहार है या किसी ऐसे मार्गमें चलना जहां चलनेका निषेध है या किसी ऐसे स्थानमें जाघुसना जहां जानेका निषेध है तौ भी यह विरुद्ध विहार कर्म है इत्यादि और भी असंख्य लक्षण अपनी बुद्धिसे जानो १-दूसरे प्रकारके विरुद्ध कर्मोंके (दृष्टांत) प्रथमतः कुलसे विरुद्ध किंतु जिस कुलमें जो बात निर्दिष्ट गिनी जाती हो तिसका करना उस कुलके आचारसे विरुद्ध कहलाता है (जैसे) कान्यकुब्ज या गुर्जर या दाक्षिणात्य कुलोंमें बाजारसे पकान्न लेकर खाना-तथा-गौड़ या अग्रवाल आदिकुलोंमें आमिषादि का सेवन करना इत्यादि असंख्य लक्षण और भी जानो और इस कुलके निदर्शन मात्र से कुलान्तर्वर्तीभिन्न २ वंशोंको भी जानो-ऐसे ही जिस ग्राम की बस्ती में जो काम निर्दिष्ट गिना जाता हो चाहे केवल स्वार्थ या सर्वोपकारी दृष्टिसे भी किया जावे वह उस बस्तीसे विरुद्ध है तहां केवल स्वार्थ का दृष्टांत जैसे मृगयार्थी कोई पुरुष उस बस्ती में जाकर वहांकी बागात या बसायतके पशुपक्षी आदिका आखेट करै-सर्वोपकारी का दृष्टांत जैसे वर्षाकालमें सूखापड़नेसे जलवृष्टिकी अपेक्षामें ग्रामकी सीमा पै मदिरा आदिसे धारा देना या भैंसा आदि पशुओंका बलिदान करना-ऐसे ही जनपद एक छोटे मोटे धरणीपालके बशवर्ती जिलाको और कसबाको भी कहते हैं जिस जनपदमें किसी कामका निषेध हो तिसका करना उससे विरुद्ध है जैसे किसी जनपदमें यह आनि चली आती है कि उस सीमाके भीतर या उस गढ़के आगे कोई छत्री नहीं लगावे यानि-शानोंसहित हाथीपर चढ़के नहीं निकलै या बंदूक नहीं दागे या मुर्दाको लेकर कोला-हल करतानहीं जावे किंतु चुपचाप चला जावे इन कामोंमें से कोई काम करे तो वह विरुद्ध है-अथवा जिस जनपदमें चोर बटमारोंकी भीतिसे कोई मालदार या व्यापारी रातविरात चलनेका अधिकारी नहीं है और इसी हेतुसे वहांकी यह परिपाटी है कि वह धरणीपाल किमी एक नियत समयपर सारे देशोंके आयेहुये बटोहियोंको अपनी सिपाहकी रक्षापूर्वक सीमासे बाहर निकाल देता है इस दशापर भी कोई पांथ अपनी जल जलूलीसे कुसमयपर चलनिकसे तौ भी यह काम उस जनपदसे विरुद्ध है इत्यादि नाना भांतिसे जानो-ऐसे ही देश शब्द यद्यपि साधारण भावसे स्थान मात्र का बोधक है परन्तु विशेष लक्षण में द्वीपांतर अथवा दिशाभेदसे कहनेमें आता है जैसे पूर्वदेश पश्चिमदेश इत्यादि जिस देशमें शीत और उष्णादि हेतुओंमें या वहांके आचारोंके अनुसार जो काम अथवा जो आहार विहार करना निषेध हो तिसका करना उमदीप या देशसे विरुद्ध है और जब यही देश शब्द साधारण भावसे स्थान मात्रका बोधक समुभा जाय तब द्वीपांतर आदिके सिवाय सारे देशोंकी व्यवस्था इमीमें दृग्गते हैं जैसे श्री जगन्नाथपुरी में जाकर जुदा चूल्हाफूँके इन् आग्रहसे कि मैं किमीदा दृष्टानहीं ग्वानाहूं तौ उमदेशमें विरुद्ध है या जिन देशकी यह परिपाटी है कि दृष्टके किनारेमें जवाएकके

जलपात्र उठलेतेहैं तबदूसरा अपनेधरता है इसदशापर जो कोई पहले के उठलेने बिना अपने मृत्पात्रोंको निजदेशी अथवाजाती चालिकेअनुसार धरदेवैतौ उसदेशसे विरुद्धहै या जिसदेश में इसबातका बिबेकनहीं है और कूपोंपरसबका एकसाथजम-घटहोताहै इस व्यवस्थापर कोई ऐसाबिबेकी यह कहनेलगे कि तुमसब हटजाओ मुझेभरलेनेदो तौयहभी उसदेशसे विरुद्धहै इत्यादि असंख्यभेद और भी अपनी बुद्धिसे नानाभांतिकेजानो-देशसंबन्धी आहार विहारकी अपेक्षासे देशोंके तीनलक्षण वैद्यशास्त्रके मतसे गिनेजातेहैं यथा जांगल १ अनूप २ साधारण३-जांगल अर्थात् जंगलकादेशसोईयह कहाहै कि(अल्पोदकतृणोयस्तुप्रवातःप्रचुरातपः।सज्ञेयोजांगलो देशोबहुधान्यादिसंयुतः) अर्थात् जोदेश थोड़ेजल वाला थोड़ेतृणवाला अत्यंत वायु वाला घनी घामवाला बहुतायतसे अन्नादिकोंसे संयुक्तहो सो जांगलजानो इसमें बात पित्तरोगोंकी प्रधानताहै १ अनूपदेशका लक्षणजलकी बहुतायत सेहै यथा(वृद्धं बुर्बहुवृक्षश्चनानाशस्यफलान्वितः।अनूपदेशोज्ञातव्योवातश्लेष्ममयार्त्तिमान् ) अर्थात्घनेजलवाला घनेवृक्षोंवाला नानाभांतिकी खेती और फलादिकोंसे संपन्न और कफवातरोगोंकी पीड़ावाला यह अनूपदेशजानो २ साधारणदेश उसेकहते हैं जिसमें थोड़े २ दोनोंलक्षण मिलतेहों पूर्वोक्त किसीवस्तुकी बहुतायतभीनहीं औरविशेष हीनताभीनहो और बात पित्त कफ यहतीनोभी बराबरहों किंतु इनमेंसे किसीकी पीड़ा की अधिकतानहींहो ३-इन तीनोंभांतिके देशोंमें जो २ आहार या विहार वैद्यशास्त्रके संमतसे सेवनकरने उचितहोतेहों तिनसेविपरीत सेवनकरना यहभी उनदेशोंसेविरुद्ध है ऐसेहीकालसे विरुद्धकहनेका यहभावहै कि जिसकालमें जो कामकरना निषेध है उसकोकरै तौ कालसेविरुद्धहै (दृष्टान्त) जैसे वर्त्तमानमें सतीहोनेका निषेध है जोकोई ऐसाकरै या देखतेहुये करनेदेवै तौ इसकालसे विरुद्धहै-ऐसे २ विरुद्धकामोंको सर्वथा अपनी शक्तिकेअनुसार बचावै यहयाज्ञवल्क्यजीका सिद्धांतहै इसीसेयाज्ञवल्क्यजीने यद्यपि संसार या परलोककी कोईबातकहनेसे न छोड़ी परसतीकेहोने या नहोनेकाभी कुछ चर्चानहींकिया क्योंकि यद्यपि प्राचीनशास्त्रोंमें पहलैयुगोंकी अपेक्षासे सतीहोने की आज्ञाथी क्योंकि उनयुगोंमें सत्यधर्मकी विशेषताथी परपीछे २ कलियुगकेआनेमें अनेकऋषियोंने इसका अपवादकिया और स्मृतियोंमें अनेकभाँतिसे निषेधलिखा तबसे यह परिपाटीजातीरही तिसपीछे याज्ञवल्क्यजीने अपनेसमयमें इसपरिपाटीको न देखकर और कालसे विरुद्ध निश्चितकरके इसकाकुछभी चर्चानहींकिया इसीमें अब कदाचित् जोकोई ऐसाभूलकर करताहै या करनेदेताहै वह पूरादंडपाताहै इसीमें वहसतीभी स्वर्गभागिनी नहींहोतीहै क्योंकि प्रथम तौ समयसे विपरीत कामकरना एकयहीबड़ापापहै दूसरे जिसकेहेतुसे अनेकबांधवोंने पीछेदंडपाया और कारागारादि

नरकोंकोभोगा वह अनेकोंको दुःखदेनेवाली एक क्योंकर स्वर्गफल पावेगी-सोई याज्ञ-  
वल्क्यजीसे पहले ऋषियोंनेकहाहैकि(पुरुषाणामिवस्त्रीणामप्यात्महननंस्मृतम् । मृता-  
नुगमनंनस्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्॥जीवन्ती तद्धितंकुर्यान्मरणादात्मघातिनी । या  
स्त्रीब्राह्मणजातीया मृतंपति मनुव्रजेत् ॥ सास्वर्गमात्मघातेन नात्मानंनपतिंनयेत् )  
अर्थात्-आत्महत्या करनेकाअपराध जैसा पुरुषोंको होताहै तैसाही स्त्रियोंकोभी-ब्रह्मा-  
जीकी आज्ञाकेअनुसार ब्राह्मणीको मरेहुये पतिकेपीछे मरजानानहीं है-इसलिये जीव-  
ती बनीरहकर उसमरेहुयेका हितकरतीरहै क्योंकि मरजानेसे आत्मघातिनी होती है-  
जोकोई ब्राह्मणजातिकी स्त्रीमरेहुये पतिकेपीछे मरजातीहै-सो वह आत्मघातके पापसे  
नतौ अपनेआपेको और न उसपतिकोभी स्वर्गलेजातीहै-अबकहो कि जब इनअप-  
राधोंकेसिवाय अपने बांधवोंकोभी दण्डादि नरकभुगवाये तब आपकेसे स्वर्गजासक्ती  
है-ब्राह्मणीके कहनेसे चारोंवर्णकीअपेक्षाहै क्योंकि जो काममुख्य एकब्राह्मणके लिये  
करना या न करनालिखाजाताहै वहतीनों अथवा चारोंवर्णोंपर संभवितहोजाताहैदृष्टां-  
त जैसे १२८ केइलोकसे जो मर्यादेंकहते चले आते हैं वह यद्यपि ( स्नातक ) पुरुषके  
निमित्तसे कहरहेहैं परंतु इनमें थोड़ी बातें ऐसी हैं जो केवलस्नातकसेही अपेक्षा रखती  
हैंऔर सारी बातें सब गृहस्थीमात्रके लियेसंसूचितहैं किन्तु स्नातक एकनिदर्शनमात्र  
है-एक सतीके दृष्टांत मात्रसे और भी सहस्रों काम अपनीबुद्धिसे विचारलो जो काल  
से विरुद्ध हुआ करते हैं-आहार विहार की अपेक्षासे कालके भी तीनभेद शीत १  
उष्ण २ वर्षा ३ काल प्रसिद्धहैं इनमें भी वैद्यशास्त्रके संमतसे जोजो आहार याविहार  
करना अनुचितहों तिनका करना यहभीकाल विरुद्धहै १३८ ॥

नाचक्षीतधयंतीगांनाहारेणाविशेत्कचित् । नराज्ञःप्रतिगृहणीयाद्बुधस्योच्छास्त्रवर्त्तिनः १३९ ॥

ऐ०-धयंती गऊ अर्थात् बच्चेको दूध पियाती हुई या प्यारसे चाटतीहुई अथवा  
परस्पर दोतीन आदि गौयें प्यारसे किलोल क्रीड़ा करतीहुई मूँघतीहुई परस्पर थनों  
को चाटतीहुई यह सब धयंती कहलाती हैं और वहभी धयंती कहलाती हैं जो गाय  
और बैल परस्पर मेषुनके उद्योगमें तत्परहों इनको किमी दृमरेको दिग्बलावे नहीं अ-  
र्थात् अपनी दृष्टिपरजाय तौ दृष्टिको निवर्तन करलेवै और किमी आंगको भी नहीं दि-  
खावे इसहेतुसे कि जानै कोई चंचल मनुष्य उन्हें देखकर डेड़े या हटादेवै-और कहीं भी  
अद्वारसे प्रवेश नहीं करे किन्तु चाहे किमीका घरहो या वागहो हानाहो ग्रामहो जो  
मार्गउसके प्रवेशके निमित्तसे नियत किया गयाहो उसीमें प्रवेश करे-कृपणलोभी और  
शास्त्रसे विरुद्ध वर्तावा करनेवाले राजाका प्रतिग्रह नहींलेवे १३९ ॥

अधि०-धयंती गौआंका न देखना यद्यपि पृज्यना पक्षने नद संभवित और यथा-  
चितहै पर जो कोई उनमें पशुबुद्धि रखताहो उनके नदिये भी यहदान फलदायकहै मि-

द्वांत इसका यह है कि जब पशुओंमें भी यह बुद्धि आरोपित करी जायगी कि उनके आनंदमें उपद्रव नहीं करना तौ मनुष्यके लिये तौ आपसे आप यह दया भाव प्रकट होजायगा कि किसीके आनंदमें विघ्नकरना अनुचित है और जब साधारण आनंदमें विघ्नकरना अनुचित ठहरा तब आगेको हिंसा आदि कोईसा कठिनदुःख भी किसीको क्योंदेसकेंगे इससे यह मर्याद भी मनुष्योंकी रक्षा विषयके प्रबंध पर आरूढ़ है-और द्वारविना प्रवेश करना यह प्रत्यक्ष अकल्याण है कि जब ऐसा करेगा तब अवश्यकहीं न कहीं प्रतिष्ठा भंगकरवावेगा और प्रतिग्रहके लेने या न लेने में जो दोषादोष है सो नीचेके श्लोकमें प्रत्यक्ष है १३६ ॥

प्रतिग्रहेसूनिचक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । दुष्टादशगुणंपूर्वात्पूर्वादेतेयथाक्रमम् १४० ॥

ऐ०—प्रतिग्रहों के लेनेमें सामान्य दशापर भी सूनी आदि पाँचौ पहले २ सेपिबला २ यथा क्रमसे दशगुणा दुष्टहोता है इससे इन पाँचोंका प्रतिग्रह नहींलेवै-पाँचों के नाम-सूनी अर्थात् जिसके घरमें सूना कहिये जीवहिंसा का स्थान या पेशाहो किंतु कसाई इतिलोके प्रसिद्धिः १ चक्रीतली २ ध्वजी मदिराबेचनेवाला ३ वेश्या ४ राजा जिसके अवगुणऊपर १३६ के श्लोकमें कहचुके हैं अर्थात् सबहीनहीं ५-१४० ॥

अध्यायानामुपाकर्मश्रावण्यांश्रवणेनवा । हस्तेनौपधिभावेवापंचम्यांश्रावणस्यतु १४१ ॥

अबअध्ययनधर्मकहते हैं ॥

ऐ०—अध्यायोंका उपाकर्म अर्थात् अध्याय जो वेदहैं तिनका उपाकर्म कहिये उपक्रम किंतु विधिसहित प्रारम्भकरना सो यहकर्म ओषधियोंके उत्पन्नहोनेपर श्रावणमासकी पौर्णमासिकोकरै अथवा उसीपौर्णमासिके समीप जिसदिन श्रवणनक्षत्रहो तिसदिन करै अथवा श्रावणशुक्लापंचमी जो हस्तनक्षत्रसे संयुक्तहो तौ उसदिनकरै और अपनी गृह्योक्तविधि अर्थात् गृह्यसूत्रादि शास्त्रनियमों अनुसारकरै १४१ ॥

अधि०—और जो श्रावणमासमें ओषधियां नहींउत्पन्नहोवें तौ भाद्रपदमहीनाके श्रवणनक्षत्रमेंकरै तिसकेपीछे साढ़ेचारमहीना पर्यंत वेदोंकोपढ़ै-सोई मनुजीका यहकथन है कि (श्रावण्यांप्रौष्ठपद्यांवाप्युपाकृत्ययथाविधि । युक्तश्छंदांस्यधीयीतमासान्विप्रोऽर्द्धपंचमान्) १४१ ॥

पौषमासस्यरोहिण्यामष्टकायामथापिवा । जलांतच्छंदांसांकुर्व्यादुत्सर्गविधिवद्वहिः १४२ ॥

अक्ष०—पौषमासकी रोहिणीमें अथवा अष्टकामें जलके निकट बाहर विधिके अनुसार छंदोंका उत्सर्गकरै १४२ ॥

अभि०—पौषमासमें रोहिणीनक्षत्रके दिवस या उसीमहीनामें (अष्टका)नामपर्व जो कृष्णाअष्टमीतिथि प्रसिद्ध है तिसदिन बाहर जलाशयनदी आदिके निकट जाकरवेदोंका उत्सर्गकर्म जो उसविषयके ग्रन्थोंमेंलिखाहो तिसकेअनुसार विधिपूर्वकरै १४२ ॥

अधि०—अष्टका यद्यपि पौराणमतसे भी सप्तमी १ अष्टमी २ नवमी ३ ये तीन दिन प्रत्येकमहीनाके दोनोंपक्षमेंकहेहैं और इनतीनोंदिवसमें शास्त्रकापढ़ना औरव्रत-बन्धकाहोनाभी निषेधकियाहै । और पितरोंकेउद्देशमें श्राद्धभेदसे पौष १ माघ २ फाल्गुन ३ इनतीनोंमहीनाकी केवल कृष्णाअष्टमीही अष्टका कहलातीहैं इनतीनोंमेंभिन्न२ श्राद्धोंकेप्रकारभी प्रसिद्धहैं-यथा(पूपाष्टका पौषमासे १ मांसाष्टका माघमासे २ शाकाष्टका फाल्गुनमासे ३) इनतीनोंमें इन्हीं तीनवस्तुसे पितरोंकी तृप्तिकरीजाती है-दो प्रकारकी अष्टकादशापर श्रीमत्परमहंस परिव्राजक विज्ञानेश्वर भट्टारकनेभी इसका निर्णय स्पष्टभावसे नहींकिया और इनआचारोंकी न्यूनतासेभी हेतु निश्चित नहीं होता परजिनस्थानोंमें इनआचारोंकी प्रवृत्ति संप्रतिहोगी वे इसबातके मेदूहोंगे क्योंकि शास्त्रकाप्रमाण लोकव्यवहारसे और लोकव्यवहारकी प्रमाणाता शास्त्रकेवाक्यों से परस्परदोनोंका सम्बन्ध निर्वचनीयहै-इस्सेप्रत्यक्षविदितहोताहै कि श्रीमत्परमहंस परिव्राजक विज्ञानेश्वर भट्टारककेभी समय और स्थानमें इनआचारोंकी न्यूनताहोगी और मनुसंहिताकेकथनसे अष्टका या रोहिणीकाभी कुछनियमनहींनिश्चितरहा किंतु केवल पौषमासहीकहाहै और उसकेसाथमें माघमहीनाभी अधिक लेलियाहै पर उस माघमेंभी कुछअष्टका या रोहिणी अथवा कृष्णपक्षकाभी कुछनियम नहींपायाजाता- तथाच(पौषेतुच्छंदसांकुर्याद्बहिरुत्सर्जनंबुधः।माघशुक्लस्यवाप्राप्तेपूर्वाह्णेप्रथमेहनि) अर्थात्ज्ञानीपुरुष पौषमासमेंबाहर जाकरछंदोंका उत्सर्गकर्मकरै या माघमहीनाका शुक्लपक्ष प्राप्तहोनेपर पहलेदिवस दोपहरसे पूर्वकालमेंकरै यहमाघशुक्ला प्रतिपदा उसअवस्था में संभवितहै कि जोश्रावणीका उपाकर्म भाद्रपदमें कियाहो ॥ देखौजिसइलोकमूलकी यह अधिकोक्तिहै उस्से और इसमनुसंहिताके प्रमाण भूतइलोक अनंतरोक्तसे पृथ्वी और आकाशका अंतरहै क्योंकि पूसके सिवाय और कोई अंग इसका और उसका एकतानहीं पासक्ता फिर दोनोंकी समता किसवाजारसे खरीदीजाय इर्मीहेतुमे शास्त्रों की कठिनाई लोकमें प्रसिद्धहै और इसीहेतुसे यहवातभी प्रसिद्धहै कि ऐसे अगमभव स्थलोंमें जोकोई ग्रंथिभेदनकरै वहशास्त्रज्ञ विज्ञकहलावे परन्तु यहग्रंथि यद्यपिअति-शय तुच्छहै तथापि खुलसकना इसका परम दुस्तरहै कदाचित् कोईदुग्तर नहींगमु-भै तो जिसकी इच्छामेंआवे प्रमाण पूर्वक सुलभावे कुछ निषेधनहींहै-इसके सिवाय जिज्ञासुको यह उचित होताहै कि जहांतक बनिआवे संशय और संदेहोंकी निवृत्ति पर दृष्टिजमीरखे दृष्टिके सन्मुख सीकखड़ी करनेसे पहाड़भी ओट होजाताहै उगी सीकको दूर करदेनेसे तद्रूप पहाड़ दिखाई देने लगता है इन्हींनिये पढ़नेभी मानवें इलोककी अधिकोक्तिमें यथावत् निर्णय दृष्टान्तों सहित होचुकाहै कि जिन एककामकी कर्तव्यता ग्रंथांतर्गमे वा देशांतरोंमें प्रतीत होतीहैं जिनमें अपने अपने कर्तव्य मन

बुद्धि चित्त अहंकाररूप चतुष्टय तिसमें जोबात समावे या अच्छी प्रतीतहोवे सोकरै या अपने आत्माको इतनी सामर्थ्य न हो तो अच्छे लोगोंका आचार जो प्रमाणीक सज्जन वर्तावा जहां जैसा करतेहों उसीको आपभी अंगीकारकरै-क्योंकि ग्रंथोंमें जो एकही कामके कईभेदहोजातेहैं तिनकाभी मुख्ययहीहेतुहै कि जो २ ऋषि या आचार्य अपने २ समयमें निज २ स्थानोंकी अपेक्षा या अन्यस्थानोंकी अपेक्षा जैसा जहांका शुद्धआचार देखतेहैं तैसाशास्त्रोंमें लिखकर प्रमाण करदेतेहैं इस्से उनसबकी एकता होनी दुस्तर होजातीहै-अष्टकानामकी पर्वदोप्रकारकी लिखीगई उनमेंजोतीनमहीना के तीनअष्टका कहेगये वहतौ श्राद्ध विषयमें श्रेष्ठहैं और दूसरे जो प्रत्येक महीनाके दोनोंपक्षमें होतेहैं वे पठनपाठनसे संबंध रखतेहैं क्योंकि उनमें शास्त्रका पढ़नानिषेध कियाहै इससे इस वेदोत्सर्गमें वेही मुख्यहैं और अभिप्रायार्थमें जो कृष्णा अष्टमी कही है सो इसलिये कि कृष्णाअष्टमी सदाही पर्वोंमें प्रसिद्धहै इससे शुक्लपक्षको छोड़कर मुख्यता उसपरली गई और यद्यपि पठन पाठन सम्बन्धी अष्टका प्रत्येक पक्ष में ७।८।९ यह तीनदिनमें होते हैं परन्तु केवल पौषका महीना शास्त्रोक्त होनेसे अष्टमीभी पौषहीकी अंगीकार करनी हुई इस अष्टमीके ग्रहण करनेसे दोनोंप्रकारके अष्टकामें मुख्यता बनीरही-इसके सिवाय रोहिणी नक्षत्र इस्सेभी अधिकश्रेष्ठहै क्योंकि वह मुख्यवचन पूर्वोक्तहै और अष्टका उसका विकल्पार्थ भावसे गौणपक्षहै और मनुजीका प्रमाण जो इसके साथमें लिखागया वह इसकेआगे मध्यमहै क्योंकि याज्ञवल्क्य जीकी स्मृति उस्से पीछेहुई है और जो बात पीछेहोती है वह पहलीकी अपेक्षा श्रेष्ठ होती है क्योंकि पहले नियमोंके गुण दोष छांटकर पिछली संसिद्धि होती है परन्तु पिछलेकी उत्तमता परभी पहलेकी गौरवता नहीं मिटसक्ती किंतु उसकी गौरवता इसलिये अधिक बनी रहती है कि उसीकी प्रमाणतासे पिछलाभी प्रमाणमें आसक्ताहै जैसे पिता या पितामह प्रपितामह आदि पुत्रादिकोंके आगे बल पराक्रमसे हीन यद्यपि होजाते अर्थात् पुत्रादिकोंके समान उनसे कोईकाम नहीं चलसक्ता पर पुत्रादिक उन्हींके नाम या कुलग्रामसे प्रमाण पाते हैं (भेद २) (यथाशास्त्रंतुकृत्वैवमुत्सर्गं छंदसांवहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रियद्वाप्येकमहर्निशम् ॥ अत ऊर्ध्वंतुंदांसिशुक्लेपुनियतः पठेत्। वेदांगानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्) अर्थात् यह मनुजीका कथनहै कि जैसा इसविषयका कर्मट शास्त्र होताहो उसकेअनुसार ऊपर कहीहुई रीतिसे इसभांति वेदों का उत्सर्गकिये पीछे पक्षिणी रात्रि मात्र या एकदिन रात्रिमात्र पठन पाठनको थांब कर बाहर उसी तीर्थमें विश्राम करै जहां उत्सर्ग कियाहो इसके उपरान्त श्रावणमान ताई जितने शुक्लपक्ष आते जावें उन सबोंमें वेदोंको नियत होकर पढ़ै और जिनके कृष्णपक्ष आते जावें उन सबोंमें वेदके समस्त अंगोंको अच्छी रीतिसे पढ़ै-यह मर्यादा



जो १४१ और १४२ इन दो श्लोकोंमें अधिकोक्ति सहित कहींगई सो केवल वेद केही पढ़नेके लिये कही हैं किंतु और किसी विद्या अथवा शास्त्रके लिये यह बन्धन नहीं है तहां श्रावणीके उपाकर्मसे लेकर ४ ॥ साढ़ेचार महीने जो १४१में कहे हैं तिनमें शुक्ल या कृष्णपक्षका कुछ भेद नहीं है और न यह भेद है कि वेदको जुदापढ़ें और उसके अंगोंको भिन्न दिवसोंमें पढ़ें किंतु साधारण भावसे साढ़ेचार महीने ताई वेदका पढ़ना कहा है तिसपीछे इधरके शेष महीनाओंमें पक्ष भेद और पाठभेदभी किया है इसप्रकारसे पूरे १२ महीनोंका हिसाब समझा दिया-और पक्षिणीरात्रि उसे कहते हैं कि बीचमें एकरात्रि और पहला पिछला दोनों दिवस उसके साथमें गिनलिये जायँ-तथोक्तम्(आगामिवर्तमानाहर्षुक्तायांनिशिपक्षिणी)और पहला दिवस वही कहलाता है जिसमें पूर्वोक्त उत्सर्ग कर्मकियाहो ऐसेही और कामोंमेंभी जहांकहीं पक्षिणीरात्रिका चर्चा हो यही लक्षण जानो यद्यपि वेदोंके अध्ययन करनेवाले वर्तमानमें भी बहुतेरे हैं पर इस रीतिसे पढ़नेवाले भाव कहीं मिलसक्तेहों और यहभी है कि जो इसी रीति से संप्रति कोई वेदोंका संग्रह करना चाहै तौ अचंभा नहीं कि इस बन्धनमें ढोलसे भी खालजाती रहै परन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं कि इसबन्धनके नियमों सहित पढ़ने से उस वेदका यह प्रभाव होताथा कि जो २ मंत्र जिसविषयका प्रसिद्ध है अपने कार्य को तत्काल प्रकट करताथा जैसे तत्काल अग्नि या जलका आवाहनसे उत्पन्न हो जाना आदि १४२ ॥ अब वेदके अनध्याय कहते हैं ॥

अथहंप्रेतेष्वनध्यायःशिष्यात्विग्गुरुबंधुषु । उपाकर्मणिचोत्सर्गस्वशाखाश्रोत्रियेतथा १४३ ॥

ऐ०-ऊपरके श्लोकोंमें कहीहुई रीतिसे वेदका अध्ययन करते या करातेहुये पुरुषों का शिष्य ऋत्विक् गुरु बन्धु इनमेंसे कोई मृतक होजावै तौ तीनदिनका अनध्याय करै- और पूर्वोक्त उपाकर्म जो १४१ श्लोक अनुसार किया हो तौभी तीनदिवसका अनध्याय करै या पूर्वोक्त उत्सर्गकर्म जो १४२ श्लोक अनुसार किया हो तौभी तीन दिनतक पढ़ना बंद राखै-तैसेही वेदकी जो शाखा आप पढ़ता हो वही शाखा कोई दूसराभी पढ़ता हो और वह मरजावै तौभी तीनदिन पढ़ना बंदराखै १४३ ॥

अधि०-इस ऐक्यार्थमें उत्सर्ग कर्म परभी तीन दिनका अनध्याय कहा है और १४२ श्लोककी अधिकोक्तिमें उत्सर्ग कर्मपर जो मनुजीके दोश्लोक दूसरे भेदमें लिखे हैं उनमें उत्सर्गके पीछे जो पक्षिणीरात्रि या एकही दिनरात्रि मात्रका विश्राम वा अनध्याय कहा है यद्यपि इसमें उससे अन्तरभी है क्योंकि यहां तीनदिवस निषेध किये हैं परन्तु इन दोनों रीतियोंमें विकल्पहै अर्थात् चाहै इसरीतिसे तीनदिवस मानो चाहै उस रीतिके अनुसार जैसा अपने मन बुद्धिमें समावे नोकरों कुछ विरोध नहीं है किंतु अपना अपना सम्मतहै १४३ ॥

सन्ध्यागर्जितनिर्घातभूकंपोल्कानिपातने । समाप्यवेदंद्युनिशमारण्यकमर्थीत्यच १४४ ॥

ऐ०—द्युनिश अर्थात् एक दिनरात भरका अनध्याय इतनी बातोंमें होताहै एक तौ सन्ध्यासमय मेघके गर्जनेमें १ निर्घात अर्थात् आकाशमें बजपात आदि उत्पात का शब्द होनेमें २ भूकम्पके होनेमें ३ उल्काताराके गिरनेमें ४ वेदकी समाप्ति अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण जो वेदमें प्रसिद्धहैं तिनके पूरे होनेमें ५ आरण्यक अर्थात् काण्व शाखा और माध्यन्दिनीय शाखा संबन्धी ब्राह्मण विशेष जो वेदका अंगहै तिसको षडकरभी एकदिन रात्रिका अनध्याय ६ और आरण्यक (अध्याय) कोभी कहते हैं- ऊपर जो सन्ध्यामें गर्जना लिखा है वह संध्या प्रातःकाल और सायंकाल दोनों की संभवितहै १४४ ॥

पंचदश्यांचतुर्दश्यामष्टम्याराहुसूतके । ऋतुसंधिषुभुक्तावाश्राद्धिकंप्रतिगृह्यच १४५ ॥

ऐ०—पंचदशी १५ अमावास्या और पूर्णिमाभी चतुर्दशी १४ अष्टमी ८ राहु सूतक अर्थात् सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणका दिवस-और ऋतुकी संधि अर्थात् दो दो मास में जो ऋतुकाल पलटताहै तिसकी संधिके दोदिन होते हैं किंतु एक तौ व्यतीत ऋतु के मासांतकी अमावास्या ३० और आगंतुक ऋतुके प्रारम्भकी प्रतिपदा १ तिनमें अमावास्या ऊपरभी कहचुके हैं शेष एक प्रतिपदाका निषेध यहां पायागया-और श्राद्धका निमंत्रण भोजन करके या श्राद्धके नामका कुछ प्रतिग्रह लेकर इन सभी बातों में एक एक दिन रात्रिका अनध्याय करना उचितहै-एक एक दिनरात्रि यह पूर्वश्लोक मेंसे द्युनिश शब्दका अनुकर्ष हुआहै १४५ ॥

अधि०— राहुसूतकमध्ये स्मृत्यंतरमें तीन दिवस निषेधहैं-तथाच (त्र्यहंनकीर्तयेद्ब्रह्मराज्ञोराहोश्चसूतके) अर्थात् राजाके सूतक होनेमें और राहुकेभी सूतकमें तीन दिन ताई ब्रह्म जो वेदहै ताको कीर्त्तन नहीं करै और ऊपर एकही दिन रातका निषेध लिखाहै तहां यह कारणहै कि एक दिवस साधारण राहु सूतकमें लियाहै और तीन दिवसका निषेध ग्रस्तास्त और ग्रस्तौदय और सर्वग्रासमें लिया है-और प्रतिपदा का अनध्याय केवल दोदो मास पीछेकी प्रतिपदामें शास्त्रके अनुसार पायागया और लोकमें बहुधा जो पाक्षिक प्रतिपदाका अनध्याय किया जाताहै इसका कोई निषेध चिह्न शास्त्रमें नहीं पायागया इस्से संभवितहै कि भेड़ा चालि पड़ गई होगी-और श्राद्ध विषयके भोजन वा प्रतिग्रह मध्ये जो एक दिवसका निषेधहै सो एकोद्दिष्टश्राद्ध के सिवाय अन्य श्राद्धमें जानौ क्योंकि एकोद्दिष्टके लिये यह स्मृत्यंतर वाक्यहै कि (प्रतिगृह्यद्विजोविद्वानेकोद्दिष्टस्यकेतनम् त्र्यहंनकीर्तयेद्ब्रह्मेति) अर्थात् विद्यावान् द्वि-जोत्तम एकोद्दिष्ट श्राद्धका केतन अर्थात् निमन्त्रण अथवा कुछ प्रतिग्रह लेकर तीन दिवस ब्रह्मका कीर्त्तन नहीं करै १४५ ॥

पशुमंडूकनकुलश्वाहिमार्जारमूषकैः । कर्तंतरेत्वहोरात्रंशक्रपातेतथोच्छ्रये १४६ ॥

ऐ०—पशु चतुष्पद-मंडूकमेढुक-नकुल नेवला-श्वाकूकुर-अहि सर्प-मार्जार विलाव-मूषक-मसा-इन जीवोंमेंसे कोई जीव पढ़ने पढ़ाने वालोंके बीचमें निकलजावे तो एक दिन रात्रि ताई अनध्याय होवे-तैसेही शक्रपात और उच्छ्रय मेंभी एक दिन रात्रिका अनध्याय-यहां शक्रपातके शब्दसे शक्रध्वजनाम उत्सव जो अनावृष्टिमें वर्षाके हेतु से राजालोग इन्द्रध्वजा खड़ी करके किया करते हैं तिसके विसर्जनका दिवस और उच्छ्रयसे उसके खड़ी करनेका दिवस संभवितहै १४६ ॥

अधि०—अनध्यायोंकेनिमित्त जो बहुधा यहाँपर कईश्लोकोंमें कहे हैं तिनमें जहाँ एक दिनरात्रिकानिषेधहै तहाँ जिससमयसे कोईनिमित्त उत्पन्नहुआहो उस समयसे लेकर दूसरेदिवस उसीसमयताई उसनिमित्तका दोषसम्भवितहै उससे आगेनहीं-और गौतमजीने जो इसविषयमें तीनदिवस और कुछविशेषता कहीहैकि (श्वानकुलसर्पमंडूकमार्जाराणांत्र्यहमुपवासोविप्रवासश्च) अर्थात् कूकुर नेवला साँप मेढुक विलाई इन्हींके बीचमें आजानेसे तीनदिनताई अनध्याय और उपवासकहिये निराहार और विप्रवासकहिये वस्तीकेबाहर किसीतीर्थ देवस्थानमें निवासकरै सो यहविशेषता केवल उसकेलिये है कि जिसनेउसीदिन प्रथमारंभकियाहो उसमें निमित्तहोजावे १४६ ॥

अथ आगे सैंतीस ३७ अनध्याय तात्कालिकहैं सो ४ चारश्लोकोंमें कहतेहैं ॥

ज्वक्रोष्टुर्दभोलूकसामवाणार्त्तनिःश्वने । अमेध्यशवशूद्रांत्यग्मशानपातितांतिके १४७ ॥

ऐ०—श्वा कूकुर-क्रोष्टा शृगाल-गर्दभ गदहा-उलूक घुघुआ इनकाशब्द सुनाईदेने में और साम अर्थात् सामवेदकागान सुनिपड़नेमें-वाणशब्दसे यहाँ वाँसकातड़तड़ाहट होनेमें-आर्त्तकहिये किसी दुःखीजीवका चिह्लाहट सुनिपड़नेमें उतनीदेरताई पढ़ना बंदकरै-और अमेध्य अर्थात् कोई अशुचिवस्तु या शव कहिये सृतक या शूद्र जो अतिनीषहो या इन्मशान चिताभूमि या पतित कहिये चांडाल इनके समीप होने में उतनीदेरताई अनध्यायकरैजवतक इनकी समीपतारहे १४७ ॥

अधि०—गौतमजीने कुछ और भी कहे हैं यथा ( वेणुवीणासृदंगनंत्र्यार्त्तशब्देष्वनध्यायः ) अर्थात् वेणुवाँस-वीणानाद का वाजा-सृदंग-नंत्रीगाड़ी-आर्त्तपीडावान इनके शब्दोंमें तावत्काल अनध्यायहो १४७ ॥

देशेऽशुचादात्मनिचाविद्युत्तनितसंभवे । भुनक्षद्विषणिंनानेन्द्वगत्रनिमान्ते १४८ ॥

ऐ०—अशुद्धस्थानमें-अपनेशरीरकी अशुद्धतामें-विद्युत्संभवमें अर्थात् वारम्बार बिजलीके चमकनेमें-स्तनितपंडवमें अर्थात् वारम्बार संधोंके गर्जनमें-नादकान्तिक अनध्यायकरै और भोजनकरके जवतक जूठे हाथ रहें तवतक-और जवतक जलके

सन्ध्यागर्जितनिर्घातभूकंपोल्कानिपातने । समाप्यवेदंद्युनिशमारण्यकमधीत्यच १४४ ॥

ऐ०—द्युनिश अर्थात् एक दिनरात भरका अनध्याय इतनी बातोंमें होताहै एक तौ सन्ध्यासमय मेघके गर्जनेमें १ निर्घात अर्थात् आकाशमें बज्रपात आदि उत्पात का शब्द होनेमें २ भूकम्पके होनेमें ३ उल्काताराके गिरनेमें ४ वेदकी समाप्ति अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण जो वेदमें प्रसिद्धहैं तिनके पूरे होनेमें ५ आरण्यक अर्थात् काण्व शाखा और माध्यन्दिनीय शाखा संबन्धी ब्राह्मण विशेष जो वेदका अंगहै तिसको पढ़करभी एकदिन रात्रिका अनध्याय ६ और आरण्यक (अध्याय) कोभी कहते हैं- ऊपर जो सन्ध्यामें गर्जना लिखा है वह संध्या प्रातःकाल और सायंकाल दोनों की संभवितहै १४४ ॥

पंचदश्यांचतुर्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके । ऋतुसंधिपुभुक्तावाश्राद्धिकंप्रतिगृह्यच १४५ ॥

ऐ०—पंचदशी १५ अमावास्या और पूर्णिमाभी चतुर्दशी १४ अष्टमी ८ राहु सूतक अर्थात् सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणका दिवस-और ऋतुकी संधि अर्थात् दो दो मास में जो ऋतुकाल पलटताहै तिसकी संधिके दोदिन होते हैं किंतु एक तौ व्यतीत ऋतु के मासांतकी अमावास्या ३० और आगंतुक ऋतुके प्रारम्भकी प्रतिपदा १ तिनमें अमावास्या ऊपरभी कहचुके हैं शेष एक प्रतिपदाका निषेध यहां पायागया-और श्राद्धका निमंत्रण भोजन करके या श्राद्धके नामका कुछ प्रतिग्रह लेकर इन सभी बातों में एक एक दिन रात्रिका अनध्याय करना उचितहै-एक एक दिनरात्रि यह पूर्वश्लोक मेंसे द्युनिश शब्दका अनुकर्ष हुआहै १४५ ॥

अधि०— राहुसूतकमध्ये स्मृत्यंतरमें तीन दिवस निषेधहैं-तथाच (त्र्यहंनकीर्त्तयेद्ब्रह्मराज्ञोराहोश्चसूतके) अर्थात् राजाके सूतक होनेमें और राहुकेभी सूतकमें तीन दिन ताई ब्रह्म जो वेदहै ताको कीर्त्तन नहीं करै और ऊपर एकही दिन रातका निषेध लिखाहै तहां यह कारणहै कि एक दिवस साधारण राहु सूतकमें लियाहै और तीन दिवसका निषेध अस्तास्त और अस्तौदय और सर्वथासमें लिया है-और प्रतिपदा का अनध्याय केवल दोदो मास पीछेकी प्रतिपदामें शास्त्रके अनुसार पायागया और लोकमें बहुधा जो पाक्षिक प्रतिपदाका अनध्याय किया जाताहै इसका कोई निषेध चिह्न शास्त्रमें नहीं पायागया इस्से संभवितहै कि भेड़ा चालि पड़ गई होगी-और श्राद्ध विषयके भोजन वा प्रतिग्रह मध्ये जो एक दिवसका निषेधहै सो एकोद्दिष्टश्राद्ध के सिवाय अन्य श्राद्धमें जानौ क्योंकि एकोद्दिष्टके लिये यह स्मृत्यंतर वाक्यहै कि (प्रतिगृह्याद्विजोविद्वानेकोद्दिष्टस्यकेतनम् त्र्यहंनकीर्त्तयेद्ब्रह्मेति) अर्थात् विद्यावान् द्वि-जोत्तम एकोद्दिष्ट श्राद्धका केतन अर्थात् निमन्त्रण अथवा कुछ प्रतिग्रह लेकर तीन दिवस ब्रह्मका कीर्त्तन नहीं करै १४५ ॥

पशुमंडूकनकुलश्वाहिमार्जारमूषकैः । कृतंतरेत्वहोरात्रंशक्रपातेतथोच्छ्रये १४६ ॥

ऐ०—पशु चतुष्पद-मंडूकमेढुक-नकुल नेवला-श्वाकूकुर-अहि सर्प-मार्जार विलाव-मूषक-मसा-इन जीवोंमेंसे कोई जीव पढ़ने पढ़ाने वालोंके बीचमें निकलजावे तौ एक दिन रात्रि ताई अनध्याय होवे-तैसेही शक्रपात और उच्छ्रय मेंभी एक दिन रात्रिका अनध्याय-यहां शक्रपातके शब्दसे शक्रध्वजनाम उत्सव जो अनावृष्टिमें वर्षाके हेतु से राजालोग इन्द्रध्वजा खड़ी करके किया करते हैं तिसके विसर्जनका दिवस और उच्छ्रयसे उसके खड़ी करनेका दिवस संभवितहै १४६ ॥

अधि०—अनध्यायोंकेनिमित्त जो बहुधा यहाँपर कईश्लोकोंमें कहे हैं तिनमें जहाँ२ एक दिनरात्रिकानिषेधहै तहाँ जिससमयसे कोईनिमित्त उत्पन्नहुआहो उस समयसे लेकर दूसरेदिवस उसीसमयताई उसनिमित्तका दोषसंभवितहै उससे आगेनहीं-और गौतमजीने जो इसविषयमें तीनदिवस और कुछविशेषता कहीहैकि (श्वानकुलसर्पमंडूकमार्जाराणांत्रयमुपवासोविप्रवासश्च) अर्थात् कूकुर नेवला साँप मेढुक विलाई इन्हींके बीचमें आजानेसे तीनदिनताई अनध्याय और उपवासकहिये निराहार और विप्रवासकहिये वस्तीकेबाहर किसीतीर्थ देवस्थानमें निवासकरै सो यहविशेषता केवल उसकेलिये है कि जिसनेउसीदिन प्रथमारंभकियाहो उसमें निमित्तहोजावे १४६ ॥

अब आगे सैंतीस ३७ अनध्याय तात्कालिकहैं सो ४ चारश्लोकोंमें कहतेहैं ॥

श्वक्रोष्टुर्दभोलूकसामवाणार्त्तनिःश्वने । अमेध्यशवशूद्रांत्यग्मशानपातितांतिके १४७ ॥

ऐ०—श्वा कूकुर-क्रोष्टा शृगाल-गर्दभ गदहा-उलूक घुघुआ इनकाशब्द सुनाईदेने में और साम अर्थात् सामवेदकागान सुनिपडनेमें-वाणशब्दसे यहाँ वाँसकातडतडाहट होनेमें-आर्त्तकहिये किसी दुःखीजीवका चिल्लाहटसुनिपडनेमें उतनीदेरताई पढ़ना बंदकरै-और अमेध्य अर्थात् कोई अशुचिवस्तु या शव कहिये सृतक या शूद्र जो अतिनीचहो या श्मशान चिताभूमि या पतित कहिये चांडाल इनके समीप होन में उतनीदेरताई अनध्यायकरैजवतक इनकी समीपतारहै १४७ ॥

अधि०—गौतमजीने कुछ और भी कहे हैं यथा ( वेणुवीणासृदंगं चार्त्तशब्देष्वनध्यायः ) अर्थात् वेणुवाँस-वीणानान का बाजा-सृदंग-गंत्रीगाड़ी-आर्त्तपीडावान इनके शब्दोंमें तावत्काल अनध्यायहो १४७ ॥

देशेऽगुचादात्मनिचविद्युत्तनितलं हवे । मुक्त्वाद्रिपगिगंनानंर्द्धगत्रनिमान्ते १४८ ॥

ऐ०—अशुद्धस्थानमें-अपनेशरीरकी अशुद्धतामें-विद्युत्संभवमें अर्थात् वारम्बार विजलीके चमकनेमें-स्तनितपंहुवमें अर्थात् वारम्बार मंत्रोंके गर्जनेमें-तावत्कालिक अनध्यायकरै और भोजनकरके जवतक जूठे हाथ रहें तवतक-और जवतक जलके

भीतर रहै तबतक-और अर्द्धरात्रिके समय जो महानिशीथ काल होता है तिसमें-  
और अतिभयानक भंभावायुके चलनेमें भी १४८ ॥

पांशुप्रवर्षेदिग्दाहेसंध्यानीहारभीतिषु । धावतःपूतिगंधेचशिष्टेचगृहमागते १४९ ॥

ऐ०-उत्पातरूप अंधकारकी धूलिवर्षाके समय-और दिग्दाहजो ज्वलती हुईसी दिशाये देख पड़तीहैं जितनीदेर ऐसा लक्षण रहे तबतक और दोनों संध्याओंके समय तक-और नीहारकहिये कुहुर जो बादलीछँटकर धुआँसा छाय जाताहै जितनीदेर वह रहे तबतक-और भीति जो चोर उचक्का वा राजदूत आदिसेअचानक आनिपड़तीहैं जितनीदेर वहरहें तबतक अनध्यायकरै और शीघ्रतासे दौड़ते हुये भी उतनी देरतक अनध्यायराखै जबतक दौड़ै या अतिशीघ्रचलै-पूतिगंधमें भी अर्थात्जबतक कोई अशुचि दुर्गंधि कहींसे मद्यादिवस्तुओंकी वायुके संयोगसे आनेलगै तबतक भी-और शिष्ट अर्थात् श्रोत्रिय आदिकोईसत्पुरुष अपनेघर आवे या जहाँ अध्ययन का स्थानहो तहाँ आजावे तौ जितनीदेर उसकी आज्ञा या सत्कारका पालनकरना हो उतनीदेरतक अध्ययनको बिलम्बितराखै १४९ ॥

खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनौचक्षेरिणरोहणे । सप्तत्रिंशदनध्यायानेतास्तात्कालिकान्विदुः १५० ॥

ऐ०-खरगर्दभ औरखच्चर, उष्ट्रजँट, यानरथगाड़ी आदि, हाथी, घोड़ा, नौका, वृक्ष, ऊरिणं अर्थात् ऊषर भूमि या मरु भूमि यद्वा शून्य स्थानकोभी कहतेहैं-इनमेंसे किसी पर आरोहण होते समय उतनीदेरतक अनध्यायकरै इतने सैंतीस ३७ अनध्याय तात्कालिककहेजातेहैं इसीहेतुसे कि यह केवल उतनेही कालतक होतेहैं-और इनके सिवाय और भी बहुतेरे मनुजीने सोतेहुये या पैर पसारेहुये इत्यादिलक्षण कहेहैं पर कुछ लिखनेकी आवश्यकतानहीं पाई जातीहै १५० ॥

इसप्रकार अनध्यायोंको कहा अब फेर उन्हीं स्नातकव्रतोंको कहते हैं जिनका चर्चा बड़ी दूरसे चला आताहै ॥

देवर्त्विक्स्नातकाचार्यराज्ञांछायांपरस्त्रियाः । नाक्रामेद्रक्तविण्मूत्रष्ठीवनोद्वर्त्तनादिच १५१ ॥

ऐ०-देवता ऋत्विक् स्नातक आचार्य राजा परस्त्री इन्हीं की छायाको जानबूझ कर दबावे नहीं और उलाँघैभी नहीं और रक्त विष्ठा मूत्र ष्ठीवनकहिये खँखारधूक आदि यहां आदिशब्द से बमन कुल्ला इत्यादि जोड़लेना उद्वर्त्तन कहिये उवटनेका मैल तिसको आदिलेकर और भी अनेक भांतिके मैल स्नान धोवन आदि जोलोक में प्रसिद्धहैं इनकोभी पैरसे दाबै या उलाँघै नहीं १५१ ॥

अधि०-इस ऐक्यार्थके बीचमें जो जान बूझकर यह विशेषलिखा है सो मनुजीके कथन में से लियाहै इसको इस सारेही श्लोक में रक्तादिकोंसेभी सम्बन्धित करलेना अर्थात् इस श्लोकमें निषेधकरीहुई छाया या रक्तादिकोंके उलाँघने वा दबानेका



दोष उस अवस्था में नहीं है कि जो धोखेमें बिना जाने ऐसा होजाय १५१ ॥

विप्राहि क्षत्रियात्मानोनावज्ञेयाः कदाचन । आमृत्योः श्रियमाकांक्षेत्रकंचिन्मर्मणिस्पृशेत् १५२ ॥

ऐ०—हि-अवश्य भावसे क्षत्रियात्मानोविप्राः अर्थात् जो ब्राह्मण क्षत्रियात्मा किंतु क्षत्रियोंके अधिकारी कामदार उनके आत्मा कहिये शरीरके समान प्रियहों यद्वा आत्मा कहिये मन या बुद्धि तिसमें एकतावानहों किन्तुमंत्रादि संमतिदेनेमें प्रमाणीक हों वे कभीभी अवज्ञाकिन्तु अपमान करिवेयोग्य नहीं हैं-अथवा दूसरायह अर्थ है कि विप्रबहुश्रुत और अहिसर्प और क्षत्रिय-राजा और क्षत्रियात्मा कहिये उनकेमंत्रीआदि ये सब कदाचनभी अपमान करिवेयोग्य नहीं हैं-आमृत्योः अपनी मृत्युकाल पर्यंत श्रियं आकांक्षेत् लक्ष्मीसंचय करनेकी आकांक्षाकरै परन्तु किसीको भी मर्ममें स्पर्श नहीं करै अर्थात् किसीका हृदयऐसा नहीं दुखावे जिससे वह लौटकर अपनेही बिनाश करनेके उपायमें उद्यत होजावे १५२ ॥

दूरादुच्छिष्टविमूत्रपादांभांसिसमुत्सृजेत् । श्रुतिस्मृत्युदितंसम्यक्नित्यमाचारमाचरेत् १५३ ॥

ऐ०—दूरात् निवासस्थानसे दूर भोजनकी जूठ और विष्ठा और मूत्र और पैरधोवनाजलइन्हें फेंकवादे-श्रुतिवेद-स्मृति धर्मशास्त्र इनदोनों में कहाहुआ आचारसम्यक् रीतिसे नित्यंप्रति आचरणकरै १५३ ॥

अधि०—ऊपर कहेहुये उच्छिष्ट विष्ठादिकेवल चारमलोंके निदर्शनमात्रसे और भी सारेही मलोंकादूर फेंकवादेना उचित है क्योंकि मलोंकी समीपतासे विकृतहुई वायु जो सड़ाईध आदि दुर्गंधिको कपालमें प्रवेशकरदेती है उससे वैद्यविद्याके सिद्धांतसे नानारोगों की उत्पत्ति होजाती और बुद्धिकी तीव्रता कुंठितहोजाती और वारम्बार उसपर दृष्टिपड़नेसे चक्षुभीस्थूल होजातेहैं और देवादिसत्सृष्टिके आराधन सिद्धांत सेकोई देव या सज्जन उसस्थानमें आतानहीं या दैवयोगसे आजाता है तौ उस मलीनताके ध्यानसे शीघ्र चलाजाता और फिर भांकनेकी इच्छानहीं करताहै इसी लिये यहमर्यादा स्थान शुद्धिपर आरूढ़ है-तथाचाहं कश्चिद्विषये ( सर्वकर्मपरित्यज्यकेवलं घटिकाद्वयम् स्वकीयंपरकीयं वानिजस्थानंसुशुद्धयेत्-नित्यमेतत्प्रकुर्वीतशरीरेण धनेन वा शुद्धस्थाने वसंतीह देवर्षिपितृमानवाः ) अर्थात् गृहस्थीके आवश्यकसबकासों को छोडकर केवल दो घटिकासात्रके समयतक चाहै अपनाहो या विरानाहो परजिस स्थानमें जिसका निज निवासहोवे उसस्थानको अच्छीभाँतिसे शुद्धकरवावै-इतनायह दो घटिकासात्रका आयास नित्यंप्रति चाहै शरीरसे या धनसेकरै परकरनेमें प्रकर्षता की आवश्यकतासे आलस्य वा उपेक्षा नहीं राखै क्योंकि इससंसारमें जो स्थान शुद्ध और निर्मल देखपड़ता है उसमें देवता वा ऋषि वा पितर और सज्जन मनुष्यभी किसीहेतुसे आनिकर कुञ्चदेरतक वास किंतु विश्रामलेतेहैं-ऊपर दोघटिका जो लिखी

हैं सो निरन्तर नित्यप्रति करने में कही हैं सो यह थोड़ेसे थोड़ाकाल निर्मलता में इसीलिये नियत किया है कि जो कदाचित् किसीहेतुसे कोईदिनका अंतरभी पड़जावे तौ फिर जिसदिन उसकामका अवसरमिले तिसदिन उनव्यतीत दिवसोंका लेखा जोड़कर उतना आयास कियाजावे अर्थात् जो एकहीदिनकाअंतर हुआहो तौ तीसरे दिनके अवकाश अवसरमें चारघड़ीका आयासकियाजावे ऐसेही जो दोदिनका अंतर हुआहो तौ चौथेदिनमें छःघटिका आयास कियाजावे इसीप्रकारचाहै दैवयोगसे एक पखवाड़े वा महीनेकाभी अंतर हुआहो तौ उनसबका लेखा जोड़कर जितने प्रहर होतेहों उतने प्रहरों के आयासमें यहनियम नहीं है कि वहसब एकही दिनमें किया जावे किन्तु कर्ताकी इच्छा और अवकाशपर आरूढ़ है कि वह चाहै तितने दिनों पर फैलादेवैपर निरन्तर उसलेखे में न्यूनता नहीं होनेदे-शरीर से या धनसे जो लिखा है तहाँ जो निर्द्धनहो वह शरीरसे और धनवानहो उसकेदास या वैतनिक जो कुछकरें सो धनसेहै-आलस्य वा उपेक्षा जो लिखीहै सो आलस्यतौ शरीरसेकरने वालेकी अपेक्षामें कहाहै और उपेक्षा धनवान्के पक्षमेंकहीहै इसलियेकि बहुधाधन-पात्रभी ऐसेमलीन प्रकृति होतेहैं जिनके दासादिकोंकी बहुताइतपर भी स्थान शुद्धि नहीं होसक्ती सो यह एकस्वामीकी उपेक्षा प्रबल हेतुहै किन्तु जिसघरका स्वामी इस बातमें अपेक्षा पूर्वक ध्यानरखकर दासोंपर प्रेरणाबनाये रखताहै उसघरमें मलीनता का निवास नहींहोसक्ता-अन्यथा ऐसेदास बड़ेउत्तम प्रारब्धी धनपात्रों वा अमीरोंके समीप हुआकरते वा उनके प्रारब्धोंके अनुकूल स्वतःआमिलतेहैं जो स्वामीकी उदासीन प्रकृतिसे विपरीतभी शुभचिन्तकताके अनुकूल यद्वास्वकीय स्वच्छस्वभावके हेतुसे मलीनता नहींदेख सक्ते १५३ ॥

गोब्राह्मणानलान्नानिनोच्छिष्टोनपदास्पृशेत् । ननिंदाताडनेकुर्यात्पुत्रंशिष्यंचताडयेत् १५४ ॥

ऐ०-गऊ ब्राह्मण अग्नि अन्नजो संसिद्ध भोजनयोग्य कोई वस्तुहो इनको आप जूठेहो तौ नहींछूवे या बिनाजूठेभी लातसे न छूवे-पुत्र और शिष्यकी शिक्षा हेतुसे ताड़नाकरै और इनकेयोग्य ताड़न करनेवालेकी निन्दाभी न करै १५४ ॥

अधि०-ऊपर निषेधकियेहुआंको कदाचित् भूलचूकमें जूठे या लातसेछूलेवे तौ मनुजीकाकहा प्रायश्चित्तकरना उचितहै तथाच (स्पृष्टैतानशुचिर्नित्यमद्भिःप्राणानुप स्पृशेत् । गात्राणिचैवसर्वाणिनाभिंपाणितलेनतु ) अर्थात्-इतनोंको जूठे या लातमें छूकर आप नित्यअशुचिहोजाताहै इसलिये अपनेशरीरकी शुद्धिकरनेकेलिये गूद जलोंसे प्राणोंको और सबगात्रोंकोभी स्पर्शकरै और नाभिको हाथमें जलरक्खेहुयें हँथेलेसेकुछदेरतक स्पर्शराखै-ताड़नविषय यद्यपि यहवात सामान्यलिखीहै पर इसमें अधिकविवेककी आवश्यकताहै क्योंकि पुत्र और शिष्य ये अधिकताड़नासे भी विगड़

जाते और अधिक लाड़प्यारसेभी शिरपरचढ़जाते हैं इसलिये इनकीशिक्षा और सौशील्यकी परिसिद्धिकेहेतुसे ताड़न और प्यारभी यहदोनों एकतुल्यबराबर काँटेकी तौलसे करनेउचितहैं सो वहताड़नभी जबतक केवलनेत्रोंकीताड़नासे कामदेसक्ताहो तबतक और कोईरीतिनहीं और वह प्यारभी अतिबाल्यअवस्थासे जोकुछ किया जाय केवल शिक्षा वा सौशील्यके आश्रयभूत होकरहो-योग्य ताड़नकरनेवाले की निन्दाकानिषेध जोकियाहै सो केवल उसीअवस्थामें कि जो ताड़ना उचितरीतिकीहो या पुत्र वा शिष्यादिक अपने पिता और गुरुओंका सामनाभी करतेहों अन्यथा जहाँ जैसा सम्भवहो १५४ ॥

कर्मणामनसावाचायत्नाद्धर्मसमाचरेत् । अस्वर्ग्यलोकविद्विष्टधर्ममप्याचरेन्नतु १५५ ॥

अक्ष०-कर्मसे मनसे वचनसे यत्नसे धर्मकोसम्यक् आचरै-अस्वर्ग्यलोक विद्विष्ट धर्मकोभी नहीं आचरै १५५ ॥

अभि०-कर्मकहिये शरीरद्वाराकरनेसे अपनीशक्तिकेअनुसार जोकुछ होसकै धर्म का आचारकरै-मनसेभी धर्मकाध्यानकहिये शोचविचार लगारक्खै-वचनसेभी उसकी प्रशंसा वा कर्तव्यता वा न्यूनाधिक्य वा शुभाशुभका कथन उच्चारणकरतारहै इन तीनोंप्रकारोंसे यत्नपूर्वक जहांतकबनिआवै धर्मका समाचारकरै-परन्तु अस्वर्ग्यकहिये जिसधर्मकेआचरणकरनेसे प्रत्यक्षभावमें स्वर्गकामिलना नहींप्रतीतहोताहो अथवा लोकविद्विष्टकहिये लोकनिन्दितहो किन्तु जिसधर्मका आचारकरनेसे लोकनिन्दाहो-नेकीशंकाहो ऐसाधर्मभी यद्यपि शास्त्रविहितहो पर उसकाआचार कदाचित्भी नहीं करै (दृष्टांत) जैसा सतीकाहोना यद्यपि शास्त्रविहितहै और किसी कालांतरमें उसकी प्रवृत्तिभी अधिकथी परन्तु प्रत्यक्षभावसे उसमें कोईलक्षण स्वर्गप्राप्तिकाभी नहीं पायाजाता क्योंकि बहुधा ऋषीश्वरोंने पीछे २ अनेकस्मृतियोंमें निषेधभी किया है जो स्वर्ग प्राप्तिका हेतु होता तो ऐसे त्रिकालज्ञ दूरदर्शी उसका निषेध क्यों करते और यथार्थसे लोकमें भी वहवात निन्दितहै जैसा १३८ के श्लोकमें पीछे वर्णन हो चुकाहै ऐसेही और भी अनेकवातें अपनी बुद्धिसे समझी जायँ १५५ ॥

मातृपित्रतिथिभ्रातृजामिसम्बन्धिमातुलैः । वृद्धवालातुराचार्यवैद्यसंश्रितवांधवैः १५६ ॥

ऋत्विक्पुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिभिः । विवादवर्जयित्वातुसर्वान्लोकान्जयेद्गृही १५७ ॥

अक्ष०-सहद्वयोः माता, पिता, अतिथि, भ्राता, जामयः, सम्बन्धी, मामाओंसे-वृद्ध, बालक, आतुर-आचार्य-वैद्य-संश्रित-वांधवोंसे १५६ ऋत्विक्-पुरोहित-अपत्य-भार्या-सनाभियोंसे-विवादको वर्जितकरिकैभी सबलोकोंको गृहस्थी जीतै १५७ ॥

अभि०-सहद्वयोः-यहाँ (माता) के नामसे चाची, ताई, फूआ, मामी, मावसी आदि

भी अपेक्षित हैं-(पिता) केनामसे चाचा, ताऊ, फूफा, मावसा आदिभी सम्बन्धित हैं-  
 (आतिथि) अभ्यागत बटोही जो कोई जातिकाहो जिससे अपनी चिन्हारभी नहीं है-(भ्राता)  
 शब्दसे चचेरे ममेरे आदि जो कोई हों-(जामी) शब्दसे नवोढ़ा बहू बेटी आदि जिनके  
 पतिविद्यमान हैं कोई हों-(सम्बन्धी) जिनसे विवाहसम्बन्ध हालमें हुये हों-(मामा) केनामसे  
 सगे और चचेरे आदि सब अपेक्षित हैं-(बूढ़ा) जो अपनी इन्द्रियों और अंगोंसे शिथिल  
 हो चाहै अपना या बिराना कोई हो-(बालक) जो षोडश १६ वर्ष अवस्थासे नीचा चाहै  
 अपना या बिराना कोई हो-(आतुर) शब्दसे रोगी और कातर जिसको डरपोंका कहते हैं-  
 (आचार्य) जो विद्या वा ज्ञान देवै या कोईसी जीविकावृत्ति करनी सिखलावै-(वैद्य) जो  
 विद्वान् किसी विद्यामें निपुण हो या केवल चिकित्सा में तत्पर हो-(संश्रित) जो अपने आ-  
 श्रय भूतरहकर जीविका आदिसे निर्वाह करता हो-(बांधव) शब्दसे पितापक्ष और माता  
 पक्षके भी गोत्रीलोग चाहै कोई हों १५६ (ऋत्विक्) यज्ञादि कर्म करवानेवाला (पुरोहित)  
 प्रसिद्ध है पर अपना या अपने नातेदारका भी हो (अपत्य) पुत्रादि संतानें चाहै अ-  
 पनी या अपने किसी गोत्री आदिकी भी हों (भार्या) वामांगी (दास) कर्मकार सेवक  
 चाहै अपने या अपने संबंधीके भी हों (सनाभि) कहिये सहोदर चाहै भाई हो या ब-  
 हन-इन ऊर्ध्वोक्त सबोंसे विवादको छोड़कर गृहस्थी सबलोकोंको जीतलेता है १५७ ॥

अधि०-लोकशब्द प्रजापति आदि लोकोंका वाचक और संसारके मनुष्योंका भी  
 वाचक है किन्तु लोके भवालोकाः इसी लोक शब्दका अपभ्रंश होनेसे मनुष्योंको लो-  
 गकहा करते हैं-संसारमें आकर जो कोई गृहस्थी प्रजापति आदि लोकपालोंके लोकों  
 को जीता चाहै अर्थात् अप्रतिहताज्ञ होकर उन लोकोंकी रचना में ईश्वरकी ईश्वरता  
 मध्ये सैर बिहारकरना चाहै या इसी संसारके सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने वशकरना चाहै  
 तौ इन कहेहुये मनुष्योंसे वाणी कलह कदाचित् भी नहोनेदे और नहोनेदेने का यह  
 सिद्धांत है कि जब उनके कुछेक अनुचित वचनको भी सुनिकर आप मौनकर जावेगा  
 तौ आगेको उत्तर प्रत्युत्तर तक दशा नहीं पहुँचेगी और पीछे वेहीलोग आप अपने  
 मनमें संकुचित होजावेगे वरन वेही संकुचित हुये वशीभूत वनेरहकर किसीभीर पर  
 सहायता करनेकी अभिलाष अपने आप पैदा करेंगे इसहेतुसे सारा लोक अपनाहित  
 सादिखाई देवेगा १५६ । १५७ ॥

पंचपिंडाननुद्धृत्यनस्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेवखातहृदप्रस्त्रवणेपुत्र १५८ ॥

अक्ष०-(पांचपिंडों) को उच्चारनकरके पराये जलोंमें स्नान नहीं करें-स्नान करेना  
 में देवखातमें हृदमें प्रस्त्रवणमें १५८ ॥

अभि०-परायेजल उन्हें कहते हैं कि जो जलाशय बनाकर किसी देवता के नाम  
 से या सारे संसारके नामसे नहीं छोड़े गये हों अर्थात् किसीने कोई जलाशय ठेठ अपने

घरके या अपने सारे गोत्री लोगोंकी आरामके लिये अपने स्थानके आगे या अपनी बगीची फुलवाड़ी आदि किसीजगह बनारखाहो जिनमें सबलोगोंको नहानेका अधिकार नहीं है उनमें जो कोई दैवयोगसे स्नानकरना चाहै तौ पहले पांच पिंड उद्धार कर लेवे तब स्नान करै-और (पिंड) शब्दका अर्थ एक ग्रास मात्र अन्न जो मुखमें एकबार धरा जाय और मुरगाके अंडामात्रको भी ग्रास कहते हैं-और उसीके उपलक्षणसे मुट्ठी मात्र अन्न जो एक हाथ के बकोटे में आजावै-और एक आदमी के पूरे आहार को भी पिंड कहते हैं-और दोनों हाथमें जितनी गीली मट्टी आजावै उतने गोले को भी एक पिंड कहते हैं-यहांपर इन सभी प्रकार के पिंडोंसे अपेक्षा है अर्थात् अवसर के अनुसार जहां जैसे (पिंड) का संभव हो उसी प्रकार के पांच पिंड उद्धार करै अर्थात् दे देवै (या) निकालै तब स्नान करै सो यह प्रकार रोज रोज के स्नान मध्ये किसीकाल में बड़ी सी आवश्यकता ऊपर कहा है-(अन्यथा) जो नैतिक स्नानका प्रकार मुख्य भाव से होता है सो यही है कि नदी जो अबाध अर्थात् किसीकी रोक टोक से रहित प्रवाह वाली हो या (देवखात) कहिये देव निर्मित पुष्कर आदि तीर्थ या (चंद्र) अर्थात् जलप्रवाह के तीव्र अभिघात से स्वयंभूत अतिनिम्न प्रदेश जो जल से पारित हो जिसको लौकिक भाषामें भील और तालाब भी कहते हैं या (प्रस्रवण) जो पर्वत आदि उच्चस्थान से बहता हुआ जल भरना प्रसिद्ध है इन्हीं में स्नान किया करै तौ पांच पिंडों के उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है-और उनमें भी पिंडों के उद्धार करनेकी आवश्यकता विशेष नहीं है जो जलाशय किसीठेठ अपने आत्मीय भ्रातृ मित्रादिक ने बनाया और स्वकीय भावसे स्नानादि करने की आज्ञा देरखी हो १५८ ॥

अधि०-कई प्रकार के पिंड कहने का यह हेतु है कि स्नान करनेवाला मनुष्य जैसा हो तैसे प्रकार का पिंड उद्धार करै सो (उद्धार) का अर्थ देना और निकालना इन दोनों पर आरूढ़ है अर्थात् जो स्नानवाला राजा वा अमीर हो तो पांच पिंड आहार मात्र किंतु पांच खुराकें उस जलाशयवाले वा उसके समीपियों वा चाहै जिस किसीको उचित समुझकर भिन्न २ वर्त्ता देवै (अथवा) स्नानकर्त्ता जो सामान्य होवै तौ निज शक्तिके अनुसार कुकुटांड प्रमाणके पिंडसे पांच पिंड मात्र कुछ उत्तम या मध्यम वस्तु देवै या पांच मुट्ठी मात्र कुछ अन्न अथवा पांच मुख ग्रास मात्र ही कुछ वस्तु दे देवै तब स्नान करै (जो) स्नान कर्त्ता इतना देनेकी भी शक्ति नहीं रखता हो वह उस जलाशय में से पांच पिंड मट्टीकेही काढ़कर बाहर रख देवै जिसे वह जलाशय मट्टी से भरने नहीं पावै जहां कोई ऐसा जलाशय होवे जिसे मट्टी के पिंड भी निकलनेकी संभवता नहीं हो (दृष्टांत) जैसे कूप या बावड़ी आदि हों तहां केवल उनके ऊपरकी कीचड़ जो अन्य लोगों की धोवामांजी से जम रही हो उसकोही धो डाले या उस जलाशय पर

दूसरा कुण्ड जो गदीले पानी या कीचड़से भराहो उसकोही निर्मल करदेवै या उस कुण्ड में मनो कीचड़ भरीहोवै तो केवल पांच पिंडमात्र किन्तु पांचलोंदे उसमें से निकालकरपीछे स्नान करै तब उस जलाशय के स्नान भाससे उद्धार होवे-क्या सुन्दरसुगमरीति है कि जो पांच २ पिंड दश आदमी निकालेंगे तो पचास लोंदा माटी उसमें से बिना मजूरी दिये निकलजावेगी और इधर स्नानवालाभी बिना दाम खर्च अपने ऋण से उद्धार होगया-स्नानके उपलक्षण भावसे जहांकेवल हाथ पैरोंआदि शौचकाही कामहो तहां भी पहले या पीछेही दो लोटा जलकाढकर जलाशय का तट धोडालै तब उस जलकाव्यय करने के ऋणसे उद्धार होवै-क्योंकि (तटशुद्धि) आदि के विषयमें वे जलाशयभी परसंबंधी हैं कि जो ठठकर अपनेनहीं किन्तु देवताके नाम से या सब लोगों के बर्त्तावा के नामसे किसी ने बनाकर छोड़दिये हों यद्वा छूटेहुयेप्राचीन चलेआतेहों कुछ यह नियम नहीं है कि उनके कर्त्ता का नाम प्रसिद्ध है या नहीं अर्थात् इसप्रकार के जलाशयों में जैसे जलपीनेका सबको अधिकार है तैसेही उनकी रक्षा और तटशुद्धि आदिमें भी सबके ऊपर ऋणभार है-पांच पिंडों में जहां अन्न देना कहा वह केवल एक निदर्शन है किन्तु चाहै अन्न दे या उसके पलटे कोई और वस्तु यथायोग्य या दाम भी देदेवै तो वही बात है १५८ ॥

परश्यासनोद्यानगृहयानानिवर्जयेत् । अदत्तान्यग्निहीनस्यनान्नमद्यादनापदि १५९ ॥

अक्ष०-पराईसेज, आसन, उद्यान, गृह, यान ये बिना दियेहुये वर्जित करै-अग्नि हीनका अन्न आपत्काल बिना न खावै १५९ ॥

अभि०-शय्या सेज अर्थात् पलंग आदि और भी जो कुछ वस्तु सोवने लेटनेकी पराईहो-आसन जो कोईसी बैठनेकी पराई वस्तुहो चाहै बखकाहो चाहै पीढा मोढा चौकी आदि कुछहो-उद्यान बगीची फुलवाड़ी आदि जो पराईहो-गृह स्थान घर बैठक आदि-यान रथ गाड़ी घोड़ा आदि जो कुछ सवारीकी वस्तुहो इन वस्तुओंको पराई जानकर बचावै किन्तु बिना बताये भोगै नहीं-और अग्निहीन मनुष्य अर्थात् शूद्र जाति या प्रतिलोम जातें जिनको अग्निहोत्रका अधिकार नहीं अथवा जिनको अधिकारहै वेभी जो अग्निकर्म करते नहीं इनका अन्न अच्छे भलेमें लोभ लालचसे न खावै पर जो आपत्काल हो तो लाचारी है १५९ ॥

अधि०-ऊपर कहीहुई विरानी कोई वस्तु बिना दियेहुये नहीं भोगै इसका यह सिद्धान्त नहीं है कि वह वस्तु अपनेको निपट मिलजावै अर्थात् इसमें यह तात्पर्य है कि जिसकी वह वस्तुहै वह अपनेको आज्ञा देवै कि इसपर लेटौ या बैठौ या सवारी करौ या बिहारकरौ या निवास वा विश्राम करौ तब जितनी देर या जितने प्रहर वा जितने दिवसोंके लिये उसने आज्ञादीहो उतनेही प्रमाणताई बर्त्तावा करै तो दिव्य



हुआ भोग कहलावेगा और जब उसकी परिनियमित आज्ञासे अधिक दिनोंका वर्त्तवा करेगा तो वही वर्त्तवा अदत्त भोगमें गिनती है-इसके सिवाय बिना आज्ञाका जो भोग है उसके लिये यहां तक निषेध है कि जब किसी दूसरेके समीप या घरजावे तो उसकी खाट या मोटा आदि पर उसकी समस्या वा संकेत बिना न बैठजावे चाहे वह अपना सगा भाई भी हो किन्तु पराया या विराना शब्द यह अपने शरीरके सिवाय सगेभाई आदि पर भी आरूढ़ है फिर भाईके सिवाय औरोंका क्या लेखा है-(उद्यान) यहां पर सम्बन्धका दृष्टांत जैसे किसी एक प्रतापी अमीरका अति रमणीक बहु विस्तारवान् बाग जो विचित्रतामें जानौ नन्दनवन कल्पहो जिसका कोई एक विभाग जिसमें अलभ्य पुष्प बाटिका या फलबाटिका लगी है जिसकी रक्षा उस सम्पूर्ण बाग से भी अधिक निर्विकल्प रहाकरती है-उस अमीरका पुरोहित या पुरोहितका पुत्र आदि कोई प्रिय आत्मीय उसी परिरक्षित फूलवाड़ी में से उत्तम फूल जो केवल नेत्रविषय मात्रके लिये लगायेगये हैं नित्यं प्रति तोड़ तोड़ लावे और जब कोई सिपाही आदि रक्षक उसे निषेध करें तो यही उत्तर देवे कि यह रक्षा मेरे लिये नहीं है यद्यपि वे रक्षक लोग कुछदिन इस शोच विचारसे निषेधसे चुपके रहें और मालिकको संबोधन भी नहीं करें कि हां इनके लिये आज्ञा देरखी होगी पर जिस दिन वह संबोधन होगा या किसी हेतुसे भेद खुलैगा उसदिन मालिक यही कहेगा कि उसमें पुष्प तोड़ने को निर्विकल्प मेरे पुत्रको भी आज्ञा नहीं है फिर पुरोहितका पुत्र किस हेतुसे तोड़सक्ता है और यथार्थ में यह बात है कि जो कोई इस बातका दावा रखकर बिना आज्ञाकी कोई वस्तु भोगे या भोगना चाहे कि मैं इस वस्तुके मालिकका खास या सगा हूं तो यह दावा उसका अनुचित है क्योंकि जो वह सगा है तो बनाने के लिये सगा है पर विगाड़नेके लिये कोई सगा नहीं होसक्ता-कदाचित् पुरोहित इस बातका दावा अपने मनसे आरोपित करे कि मैं उसकी रक्षाका हेतु प्रसिद्ध और पूज्य हूं मुझको ऐसी बातोंकी आज्ञा मिलने या न मिलनेसे क्या अपेक्षा है सो यह मनकी भ्रान्ति उसकी वृथा है क्योंकि पूज्यता और वडप्पनके अनुसार मालिकको यहां तक अधिकार है कि वह चाहे अदेय वस्तु और सर्वस्वभी उसे देदेवे पर आज्ञा बिना वह भोगने का अधिकारी इस हेतुसे नहीं है कि जब उसकी रक्षाका हेतु वह प्रसिद्ध है तो जैसे और बातोंकी रक्षा पुरोहितको करनी उचित होती है तैसेही उस मालिककी निर्विकल्प आज्ञाकी भी रक्षा करनी उचित है अर्थात् जिस बातमें वह निषेधकी निर्विकल्प आज्ञा देवे उसमें पुरोहितको चाहिये कि आप भी उस निषेधको मानें और अन्य भी प्रतिष्ठित सेवक वा सम्बन्धी जनोंको उसी रीतिपर चलावे तब उसकी रक्षाका हेतु आप निश्चित होसक्ता है-अन्यथा जब पुरोहितने उसकी निर्विकल्प आज्ञा वा निषेधमें वि-

दूसरा कुण्ड जो गदीले पानी या कीचड़से भराहो उसकोही निर्मल करदेवै या उस कुण्ड में मनो कीचड़ भरीहोवै तो केवल पांच पिंडमात्र किन्तु पांचलोदे उसमें से निकालकरपीछे स्नान करै तब उस जलाशय के स्नान भारमें उद्धार होवे-क्या सुन्दरसुगमरीति है कि जो पांच २ पिंड दश आदमी निकालेंगे तो पचास लोढ़ा माटी उसमें से बिना मजूरी दिये निकलजावेगी और इधर स्नानवालाभी बिना दाम खर्च अपने ऋण से उद्धार होगया-स्नानके उपलक्षण भावसे जहांकेवल हाथ पैरोंआदि शौचकाही कामहो तहां भी पहले या पीछेही दो लोटा जलकाढकर जलाशय का तट धोडालै तब उस जलकाव्यय करने के ऋणसे उद्धार होवै-क्योंकि (तटशुद्धि) आदि के विषयमें वे जलाशयभी परसंबंधी हैं कि जो ठेठकर अपनेनहीं किन्तु देवताके नाम से या सब लोगों के बर्त्तावा के नामसे किसी ने बनाकर छोड़दिये हों यद्वा छूटेहुयेप्राचीन चलेआतेहों कुछ यह नियम नहीं है कि उनके कर्त्ता का नाम प्रसिद्ध है या नहीं अर्थात् इसप्रकार के जलाशयों में जैसे जलपीनेका सबको अधिकार है तैसेही उनकी रक्षा और तटशुद्धि आदिमें भी सबके ऊपर ऋणभार है-पांच पिंडों में जहां अन्न देना कहा वह केवल एक निदर्शन है किन्तु चाहै अन्न दे या उसके पलटे कोई और वस्तु यथायोग्य या दाम भी देदेवै तो वही बात है १५८ ॥

परश्यासनोद्यानगृहयानानिर्वर्जयेत् । अदत्तान्यग्निहीनस्यनान्नमद्यादनापादि १५९ ॥

अक्ष०-पराईसेज, आसन, उद्यान, गृह, यान ये बिना दियेहुये वर्जित करै-अग्नि हीनका अन्न आपत्काल बिना न खावै १५९ ॥

अभि०-शय्या सेज अर्थात् पलंग आदि और भी जो कुछ वस्तु सोवने लेटनेकी पराईहो-आसन जो कोईसी बैठनेकी पराई वस्तुहो चाहै बखकाहो चाहै पीढ़ा मोढ़ा चौकी आदि कुछहो-उद्यान बगीची फुलवाड़ी आदि जो पराईहो-गृह स्थान घर बैठक आदि-यान रथ गाड़ी घोड़ा आदि जो कुछ सवारीकी वस्तुहो इन वस्तुओंको पराई जानकर बचावै किन्तु बिना बताये भोगै नहीं-और अग्निहीन मनुष्य अर्थात् शूद्र जाति या प्रतिलोम जातें जिनको अग्निहोत्रका अधिकार नहीं अथवा जिनको अधिकारहै वेभी जो अग्निकर्म करते नहीं इनका अन्न अच्छे भलेमें लोभ लालचसे न खावै पर जो आपत्काल हो तो लाचारी है १५९ ॥

अधि०-ऊपर कहीहुई विरानी कोई वस्तु बिना दियेहुये नहीं भोगै इसका यह सिद्धान्त नहीं है कि वह वस्तु अपनेको निपट मिलजावै अर्थात् इसमें यह तात्पर्य है कि जिसकी वह वस्तुहै वह अपनेको आज्ञा देवै कि इसपर लेटौ या बैठौ या सवारी करौ या बिहारकरौ या निवास वा विश्राम करौ तब जितनी देर या जितने प्रहर वा जितने दिवसोंके लिये उसने आज्ञादीहो उतनेही प्रमाणताई बर्त्तावा करै तो दिया

हुआ भोग कहलावेगा और जब उसकी परिनियमित आज्ञासे अधिक दिनोंका वर्त्तवा करेगा तो वही वर्त्तवा अदत्त भोगमें गिनती है-इसके सिवाय बिना आज्ञाका जो भोग है उसके लिये यहां तक निषेध है कि जब किसी दूसरेके समीप या घरजावै तो उसकी खाट या मोटा आदि पर उसकी समस्या वा संकेत बिना न बैठजावे चाहै वह अपना सगा भाईभी हो किन्तु पराया या विराना शब्द यह अपने शरीरके सिवाय सगेभाई आदि पर भी आरूढ़ है फिर भाईके सिवाय औरोंका क्या लेखा है-(उद्यान) यहां पर सम्बन्धका दृष्टांत जैसे किसी एक प्रतापी अमीरका अति रमणीक बहु विस्तारवान् बाग जो विचित्रतामें जानौ नन्दनवन कल्पहो जिसका कोई एक विभाग जिसमें अलभ्य पुष्प बाटिका या फलबाटिका लगी है जिसकी रक्षा उस सम्पूर्ण बाग से भी अधिक निर्विकल्प रहाकरती है-उस अमीरका पुरोहित या पुरोहितका पुत्र आदि कोई प्रिय आत्मीय उसी परिरक्षित फूलवाड़ी में से उत्तम फूल जो केवल नेत्रविषय मात्रके लिये लगायेगयेहैं नित्यप्रति तोड़ तोड़ लावै और जब कोई सिपाही आदि रक्षक उसे निषेध करें तो यही उत्तर देवे कि यह रक्षा मेरे लिये नहीं है यद्यपि वे रक्षक लोग कुछदिन इस शोच विचारसे निषेधसे चुपके रहें और मालिकको संबोधन भी नहीं करें कि हां इनके लिये आज्ञा देखखी होगी पर जिस दिन वह संबोधन होगा या किसी हेतुसे भेद खुलैगा उसदिन मालिक यही कहेगा कि उसमें पुष्प तोड़ने को निर्विकल्प मेरे पुत्रको भी आज्ञा नहीं है फिर पुरोहितका पुत्र किस हेतुसे तोड़सक्ताहै और यथार्थ में यह बात है कि जो कोई इस बातका दावा रखकर बिना आज्ञाकी कोई वस्तु भोगै या भोगना चाहै कि मैं इस वस्तुके मालिकका खास या सगाहूं तो यह दावा उसका अनुचितहै क्योंकि जो वह सगाहै तो बनाने के लिये सगा है पर विगाड़नेके लिये कोई सगा नहीं होसक्ता-कदाचित् पुरोहित इस बातका दावा अपने मनसे आरोपित करै कि मैं उसकी रक्षाका हेतु प्रसिद्ध और पूज्यहूं मुझको ऐसी बातोंकी आज्ञा मिलने या न मिलनेसे क्या अपेक्षा है सो यह मनकी भ्रांति उसकी रथाहै क्योंकि पूज्यता और वडप्पनके अनुसार मालिकको यहां तक अधिकार है कि वह चाहै अदेय वस्तु और सर्वस्वभी उसे देदेवै पर आज्ञा बिना वह भोगने का अधिकारी इस हेतुसे नहीं है कि जब उसकी रक्षाका हेतु वह प्रसिद्धहै तो जैसे और बातोंकी रक्षा पुरोहितको करनी उचित होती है तैसेही उस मालिककी निर्विकल्प आज्ञाकी भी रक्षा करनी उचितहै अर्थात् जिस बातमें वह निषेधकी निर्विकल्प आज्ञा देवे उसमें पुरोहितको चाहिये कि आप भी उस निषेधको मानै और अन्य भी प्रतिष्ठित सेवक वा सम्बन्धी जनोंको उसी रीतिपर चलावै तब उसकी रक्षाका हेतु आप निश्चित होसक्ताहै-अन्यथा जब पुरोहितने उसकी निर्विकल्प आज्ञा वा निषेधमें वि-

कल्प करदिया तो उसकी देखादेखी अन्यभी प्रतिष्ठित सेवक वा उस मालिकके ठेठ सम्बन्धी लोग भी ऐसा करने लगेंगे तभी वह पुरोहित रक्षाका हेतु नहीं बल्कि उस के विनाशका हेतु होगया जिसने उसके निर्विकल्प निषेधमें विकल्प डालकर आज्ञा की दृढ़तामें भंग किया इसी एक दृष्टांतके निदर्शन मात्रसे सारी वस्तुओंका सिद्धांत समझलेना चाहिये कि विना आज्ञाके कोई भी किसी वस्तुको नहीं भोग सका है और यद्यपि इस १५९ के श्लोकमें केवल पांच वस्तु लिखी हैं पर उनके निदर्शनसे और भी संसारकी सारी वस्तुओं का सिद्धांत यही है १५९ ॥

अब यहांसे आगे अन्नोको कहते हैं पर इसका चर्चा थोड़ासा ऊपरके श्लोकमें भी आया है अग्नि हीन इति ॥

कदर्यवद्धचोराणां क्लीवसंगावतारिणाम् । वैणाभिशास्तवार्द्धुष्यगणिकागणदीक्षिणाम् १६० ॥

ऐ०—(कदर्य) कहिये लुब्ध अतिलोभी—वद्ध वैधुआ निगडादि बंधनसे यद्वा बाध-धन सेहीहो-चोर प्रसिद्ध है जो साधारण चोरीभी करता हो-क्लीव नपुंसक जो सर्वथा पुरुषार्थ हीनहो-रंगावतारी अर्थात् नट चारण मल्ल आदि-इनसबोंका-औरवैण कहिये वंश फोड़ जो वांस को चीर फाड़कर उपजीवन के काम करे-अभिशास्त जो पतनीय कर्मों से अभियुक्त हो पतनीय कर्म जिनके करने से पतित कहावै ऐसे कर्म जिसमें बहुधा हों सो अभिशास्त-वार्द्धुष्य जो निषिद्धवृद्धिसे उपजीवनकरै जैसेकसाई आदि जीवघातियों को धनवृद्धिपर किस्तें देनी या मुर्दे का धन सस्ताखरीदकर बेचना या चोरीका धन किसी से सस्तालेकर लाभउठाना आदि-गणिका पण्यस्त्री वेश्या प्रसिद्ध हैं-गण दीक्षी जो बहुतेरे गणसमूहों को दीक्षा करवावें अर्थात् शिष्यों के गुणदोष विचारे विना सहस्रों सब जातों के मनुष्यों को दीक्षा देकर कंठी बांधें औरउनके अ-सत्कर्मोंके भागी बनें यद्वा बहुतों को यजनकरावै वह भी गणदीक्षी है इनसबों का भी अन्न अच्छेभलेमें न खावै पर आपत्कालमें लाचारीहै यहअनुकर्ष इस्से पहलेश्लोक मेंसे लियागया १६० ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्तसबों में से एक कदर्यका माहात्म्य समक्ष कहते हैं-यथा ( आत्मानं धर्मकृत्यंचपुत्रदारांश्चपीडयेत् लोभाद्यःपितरौभृत्यान्सकदर्यइतिस्मृतः ) अर्थात् जो पुरुष अतिलोभकी तृष्णासे अपने आत्माको और धर्म कृत्यको और पुत्रदाराओंको भी और माता पिता को भी भृत्यबर्गों को भी पीडादेवै सो कदर्य कहलाताहै(दृष्टान्त) इसका प्रत्यक्ष संभूतहै कि औरों को कहांतक शोचें पर जो मनुष्य दशबीस हजारकी धन संपत्ति संचित होने और दश पांच मुद्रा नैतिक आमदि होने और सहस्रों में प्रतिष्ठापद मिलनेपरभी ऐसा लोभी हो जो संध्यासमय छदाम का तैल नहीं बाले और आये गये को पान या तमाकू तो कठिनहै पर बैठने को चटाईभी न देवै अपने

आत्माके भोजन वस्त्रादिक और दवा दारू में भी सुन्न खींच जावै-यह सब एक ओर पर एक दो मुद्राके व्ययहोने से सारे कुटुंबका आनन्द बल्किदोही एक आनेके उठाने से प्राण रक्षामात्र प्रत्यक्ष होसक्तीथी मित्रादिकों के उपदेश परभी ध्यान नहीं लावै केवल लोभ तृष्णामें उन्मत्त है और ठेठ उस २) या ३) के हेतुसे ऐसा प्राणांतिक दुःख पावै कि शायद एक जन्म तौ थोडाहै पर सात जन्म भी न भूलै बल्कि उसके सर्वसम्बन्धी और मित्रादिक भी न भूलै उस दुर्दशाको देखकर क्योंकि उस दुःखमें आयेहुये सम्बन्धी लोग रातौदिन दुःखसाथी होने परभी खानेको न पावै पुनि उसी हेतुसे सौ दोसौका आवश्यक व्यय तत्काल करनापड़ै और आगेको उसी हेतुसे नैतिक आमदिमें भी कमताई होजावै सो यह अपने आत्माको पीड़ा देनाहुआ-और (धर्मकृत्य) को पीड़ा देना यथा उसी घरमें तरुणकन्या जो गौनेके होजाने पर भी आरात् किसी हेतुसे अपने घर आईहो वर्षों ताई इसी शोचसे चालेमें उपेक्षाकरै कि जो अभी इसको भेजेंगे तौ सवारी आदि खर्चमें दशबीस मुद्रा वृथा उठिजावेंगे इस्से घर आये हुये जामातको केवल एक मुद्रा देकर दो तीनबार पैरों लौटार देना यह कुछ ओछी बात नहीं है और अगिले साल काका देवदत्त गयाजीको जानेवाले हैं उनके साथ भेज देंगे तौ सवारी नहीं करनी होगी वे अपने साथ लेजाकर पहुँचाते चलेजावेंगे और भरोसाहै कि वे हमसे इसका भाड़ा नहीं माँगेंगे पर जो जाना उनका होसकै और जो यह नहीं तौ तीसरे साल तक हमकोभी सकुटुम्ब गोकर्णनाथजी को लड़केका मूढ़न करवानेको अवश्य जाना होगा तब साथ लियेजावेंगे तब तक जो आधसेर आटा यह खावैगी सो काम धन्धाकी आराम रहीआवेगी-सो यह लोभसे धर्मकार्यको पीड़ा देनाहुआ क्योंकि ऐसे दुर्ज्ञानियोंको शास्त्रकी सम्पन्नता पर भी यह नहीं सुभपड़ता कि ऐसी कन्याका पिताके घरमें रहनाही निषेधहै फिर जिस धर्मकी रक्षा और अधर्म की निवृत्तिके लिये पहले सौ दोसौ चारसौ मुद्रा व्याह और गौनेमें भी खर्च करचुके अब केवल दश बीसके लोभ लालचसे वही अधर्म तीन वर्षोंतक अपने शिरपर कैसे रखे रहेंगे-पुत्र दाराओंको पीड़ा देना यह कि प्रथम तौ जैसा खाना पहिरना उस घरके अनुरूप उनके योग्यहो तैसा लोभसे न करना दूसरे आधिक्यता यह कि सौ कुत्सित काम छोटे २ उन्हीं पुत्र दारादिकों से करवाना जिनको देख सुनकर विराने सब निंदाकरै क्योंकि जिनमें पैसा दोपैसा की प्राप्ति और वह काय दत्त कर के योग्य न उस प्रतिष्ठाके योग्य परंतु उनका यह सिद्धांतहै कि निंदाहोने से स्वधंतल्लव्धं किन्तु ये पुत्र दारादि जो खाते हैं उस्से आधा भी पेंद होतारहै तौ घरकी आमदि या धनमें दाग न लगनेपावे-(माताका को ५ लोभसे यह बात कि पुत्रकी योग्यता में उनको वृद्धावस्था पर देंगे

योग्यथा परंतु उनकी परमशिथिलता पर भी उनसे अनुचित परिश्रम करवाना और ऐसी निंद्य नौकरी आदि करवाना जिसको देख सुनकर गैरोंके रोवां खड़ेहों और जो कदाचित् कोई रोज वे नौकरी आदिसे रहितहों तो घरसे भी एक आना रोजके हि-साव नौकरीकी रीतिपर जुदा देदेना और चतुर्गुण मिहनत लेना बल्कि यहांतक बैठा नहीं देखसकना कि तुच्छ तगादेके निमित्तसे ग्रीष्मऋतुमें पचास कोसके अन्तर पर बिना जूता भेजदेना और केवल चारआने खर्चको बँधादेना इस प्रकार दो महीने की ग्रीष्मऋतुमें चारवारका दौड़ाना भी एकही लक्ष्यपर सुगम है चाहै वहांसे कुछ लाभहो या नहो पर लौटिआनेके साथही तत्काल निवर्तनकी आज्ञा करदेना यह कुछ हिंसामें गिनती नहीं है पर उस एक आनासे अधिक जो कुछ उनसे पैदा करवाना किसी निंद्यकामसे वह उनसे लेलेना यह धर्म इन्साफमें गिनती है-(भृत्यवर्ग) में नौकर चाकर दासादिकोंका होना तो ऐसे घरमें एक जन्म क्या सात शाखमें भी असम्भवहै पर कुछ खुशामदी लोग जो अपने २ किसी भूठे स्वार्थकी आशा किये अपने कठिन कालको काटतेहुये पड़े रहते हैं वेही भृत्यवर्ग हैं जिनको सिर्फ इसीलिये कुछ भूठी दमदिलासा देदीजाती है कि इनके पड़े रहनेसे कुछ काम निकलैगा उनको यहां तक लोभसे पीड़ादेनी कि प्रथम तो कोई स्थल ऐसा नहीं दरवाजे आगे अधिक राखना जहां कोई दशदिन भी आरामसे काटिसकै पर भाग्योंके मारे हुये जो ऐसी दशापर भी भड़भूजाके भाड़में आनि घुसे कि निराश्रय से दुःखाश्रय भी बेहतर है और उन्होंने अपने उदर पूर्णमात्रका कोईसा परिश्रम जहां तहां से लाकर आरम्भ किया कि बरस छःमहीने इस रीतिसे काटें फिर न जानें कुछ यहांके भूठे दमदिलासा में भी कोई फल उत्पन्न होजावे तथापि उन विचारों को यहां तक पीड़ा देना कि वह काम पूरा करना दुर्लभ करदेना बल्कि रोटी भी बनाकर खाना कठिन करदेना क्योंकि घरके घर धनीसे लेकर दो बरसका बालक पर्यंत एक एक घड़ीमें तीन तीन बार ऐसा तीव्र हुक्म करताहै कि उस मन्दभागीकी प्रतिष्ठा पर भी दृष्टि नहीं डालकर करने और न करनेके भी सबकाम करवाना चाहें उसने अपने घरभी कभी न भराहो पर कोस आधकोसके अन्तरसे पानीके घड़े और मट्टी आदि मँगवाना बाजार की यह दशाहै कि एक छदामके सौदापर तीनबार चक्कर लगवाना जो आने दोआनेका सौदा होतौ मातिबरीके लिये दो तीन और भी साथजावें तब सौदा आवै पर दो तीन बार बानगीका आना और सौदेका फेरमारना यह तो साधारण परिनियमितहै इस प्रकार उनको संकटमें राखना पर होली और अन्नकूटमें भी यह न बूझना कि दोपैसे भर प्रसाद तुम भी लेलो क्योंकि यह अन्नकूट एक दूसरे प्रकारका होता है किन्तु अपने घरू घराके लड़के बालोंकाही और भाई विरादरी या मित्रादिक इसमें इसलिये साभी



नहीं होसके कि उनके घर चाहै सालमें दशबार वे बुलावें तौ सारा घर मिलकर खाइ आना पर उनको किसी बहानेसे बुलाकर कभी अपने घर खवाना यह अशुभ होता है-और यह बात भी अच्छी है कि उन मन्दभागी भृत्यवर्गोंको किसी काम पर दौड़ा देना तत्काल बोलीके साथही और पीछे उनका कपड़ा लत्ता जो मकानके न होनेसे छुट्टा पड़ारहताहै उसको कोई घरका छोटा बड़ा खोल खखोलकर पैसा टका हाथलगा तौ निकासलेना वे विचारे जानते हैं कि देवदत्तने लिया पर यह कहना तौ अनुचित है इसके सिवाय उनकी कोई साधारण वस्तु मांगेसे बातोंमें फुसलानेसे घरका कोई लड़का लड़की भ्रष्ट लेवे तौ यह बात घरके धनीको भी देख सुनकर बहुत अच्छी लगे क्योंकि कदर्योंकी यह नीति तौ प्रसिद्धही है कि यार तुम हमारे आवोगे तौ क्या लाओगे और हम तुम्हारे आवेंगे तौ क्या खिलाओगे-यह सारे लक्षण जिस मनुष्य में या जिस घरमें हौ वही मुख्य कदर्य्य कहलाताहै किन्तु एक दो बातके होनेसे नहीं यद्यपि (कदर्यों) के लक्षण जो प्रत्यक्ष देखनेमें आये हैं उनको अशेष लिखना चाहै तौ हमारा एक मासका परिश्रम और लागति उन (कदर्यों) केही निमित्तमें लगजावे क्योंकि जिनके घरमें इस प्रतिष्ठा पर भी घरकी मालिकनीसे लगा बहू बेटी पर्यंत इकहरी चदर ओढ़कर दिनभरमें चारबेर तगादेको शूद्रादिकों के घर पहुँचती हैं इस हेतुसे कि वे मुफ्तके नौकर जो बारम्बार हैरान किये जाते हैं और दुःखी होकर भँठी सच्चीबात बनाकर उत्तर देतेहैं तभी भुल्लाहटकी तेजीमें आप उठ दौड़ती हैं ऐसीही बाजारके सौदा मध्ये किसीका विश्वास न मानिकर आप खरीदती फिरती हैं इसहेतु से कि निरख हरवक्त हमको मालूम रहै जिसका सौदा घर बुलाकर खरीदती हैं उस विचारेको प्राण छुटाने मुश्किल होजाते हैं यह सब लोभका हेतु है वल्कि घर धनी आप इन आचरणोंमें सन्मुख देखतेहुयेभी नहीं देखलदेता वल्कि बाजारके कामोंको वह आप नहीं जासक्ता क्योंकि प्रतिष्ठाका माहात्म्यकुछ तौ चाहिये फिर इन इतिहासों को किसकी सामर्थ्य है कि जो अशेष लिखसक्ता है-इसलिये हजार बातोंमें एक बात सो उसको भी ऐसा तत्त्वभूत स्वल्प करिके लिखाहै जैसे मनभरमें एक रत्ती क्योंकि इतनेसे भी समझने वाले बहुत समझ लेंगे-कदाचित् कोई ऐसा मनुष्य जिसने संसारको थोड़ा देखाहो वह इस बात पर अविश्वासता लाकर हास्यपूर्वक यह कहने लगे कि ऐसा होही नहीं सक्ता किये सारे लक्षण एकत्र इकट्ठेहों-तहाँ-उस जगत्कर्ता ने यदि अद्यावधि पर्यंत असत्यके बोलने और लिखने पर प्रकृति नहीं दौड़ने दी हे यह बात सत्यहै तौ हम भी प्रतिज्ञापूर्वक वचन देतेहैं कि मुजरिम् को मये माल बांध कर हाजिर करदेना स्वाधीनहै पर दूर पहुँचाना बड़ा कठिनहै यद्यपि वर्षोंका विलंब और कोसोंका अन्तर हमसे परचुका है पर ऐसे लुब्धोंका निकट आकर्षण क्या मु-

शिकलहै-परंतु इन बातोंमें कुछ वाद विवादकी अपेक्षा नहीं है सिद्धांत केवल इतनाहै कि जो कोई इस अपार संसारमें सुकीर्ति अपनी चाहौ तो बाल्य अवस्थासे इन बातों के जिज्ञासु होकर ऐसी वृत्ति धारणकरौ जिस्से तुमको इनकी गिनतीमें न आना पड़े अर्थात् तुम ऐसा कभी न करना और अपने संसर्गियोंका भी निषेध युक्ति साथ करते रहना इसलिये इसके लिखने की आवश्यकता थी क्योंकि गुण और दोष सुने और सुनाये बिना कोई नहीं जानिसकता और जब जानै नहीं तब संग्रह या त्याग किसका करै इस्से जो बात बाल्य अवस्थामें जानीजायगी वही सारे जन्मभर फलदायक होगी-अन्यथा यह (दृष्टांत) उस बात पर लिखा गयाथा कि जो कोई इस भांतिका कदर्य होवे उसका अन्न न खाना चाहिये क्योंकि प्रथम तौ ऐसे लोभीका अन्न मिलसकनाही असम्भवहै पर जो कदाचित् दैवयोगसे पश्चिम सूर्य उदय होजावे तौ (स्नातक) पुरुष को उस अन्नसे वचना चाहिये क्योंकि उन विपरीत आचरणोंसे जो कुछ अधर्म उस कदर्यको होताहै उसका अन्न खानेसे उसी अधर्मका भागी होना पड़ेगा दूसरे यह बात कि वह देतेहुये अपने हृदयमें अनेक दुःख मानिकर देवैगा तभी वह अन्न खानेवाले को न पचिकर सात धारहो निकलैगा और नानारोगोंके अंकुर पैदा करैगा-और कदाचित् किसी हेतुसे निरन्तर ४० दिन ताई ऐसे कदर्यका अन्न जो खाना परै तौ निःसं-देह वेही लक्षण उसमें भी होजावें १६० ॥

चिकित्सकातुरक्रुद्धपुंश्चलीमत्तविद्विषाम् । क्रूरोयपतितत्रात्यदांभिकोच्छिष्टभोजिनाम् १६१ ॥

ऐ०—(चिकित्सक) जो वैद्यकर्मसे जीविका करै-(आतुर) जो महा कुष्ठादि राजरोगोंसे ग्रसित हो-(क्रुद्ध) जो सदैव कोपरूप बनारहताहो या थोड़े हेतुपरभी अमित कोपसागर में डूब जाया करता हो-(पुंश्चली) व्यभिचारिणी जो प्रत्यक्ष भावमें प्रसिद्धहो-(मत्त) जो विद्या आदिकी अधिकता से गर्वित हो-(विद्विष) अर्थात् विद्विट् जो अनेकों से शत्रुता रखता हो यद्वा ठेठकर अपना शत्रु-(क्रूर) कुटिल अर्थात् अकड़पनवाला मनुष्य जो किसी को अपनी कुटिलता के आगे गिनती में न लाता हो-(उग्र) अर्थात् जो बाणी के और शरीर के व्यापारों से सज्जनों को उद्वेग पहुँचानेवाला हो-पतित अर्थात् ब्रह्मघाती आदि-ब्रात्य जिसकी चर्चा ३८ अर्त्तिस के श्लोक में आचुकी है दांभिक पाखंडी वा छलिया-उच्छिष्ट भोजी जो और का भोजन शेष खानेवाला-इन सबोंकाभी अन्न अच्छे भलेमें न खावै पर आपत्काल में लाचारी है यह अनुकर्षभी १५९ श्लोक से लियागया १६१ ॥

आधि०—महारोगोंके लक्षण-यथा (वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभगंदराः । अशीसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाःप्रकीर्तिताः ) अर्थात् १ बात व्याधि जो केवल एक बातकेही कोपसे अरसी ८० बात रोग उत्पन्न होतेहैं जिनमें अर्द्धांग धनुर्वात पक्षाघात आदि

भी गिनती हैं-२ अश्मरी पथरी शर्करा आदि रोग प्रसिद्ध हैं-३ कुष्ठ जो अठारहप्रकारके कोढ़ प्रसिद्ध हैं-४ मेहकहिये प्रमेह जो २० प्रकार के होते हैं-५ उदरव्याधि-जो जलोदर काष्ठोदर आदि प्रसिद्ध हैं और मुख्य उनकी जाति आठ ८ प्रकारकी होती है-६ भगंदर रोग जो गुदा अथवा योनि द्वारा होता है-७ अर्शस् बवासीर के रोग जो छः प्रकार के होते हैं-८ ग्रहणी जो संग्रहणी नामका रोग प्रसिद्ध है ये आठ महारोग कहलाते हैं १६१ ॥

अवीरास्त्रीस्वर्णकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम् । शस्त्रविक्रयकर्मारतंतुवायश्ववृत्तिनाम् १६२ ॥

ऐ०-अवीरास्त्री अर्थात्स्वतंत्रा निरंकुशा-स्वर्णकारसुनार-स्त्रीजितः अर्थात् सर्वत्रस्त्री के वशवर्तीरहे-ग्रामयाजी अर्थात् सब जातों सहित सारेग्रामभरको छठी दसूठनिआदिशांति विषयकरवाने वाला-इनसबोंका और-शस्त्रविक्रयी जोशस्त्रोंकोबनावै या खरीदकरबेंचै-कर्मार अर्थात् लुहार और बढ़ई आदिभी-तंतुवाय अर्थात् कोली जोकपड़ा बुनताहै और दर्जी आदिभी-श्ववृत्ती अर्थात् श्ववृत्तिमान् किंतु जो कुत्ताओंके द्वारा जीविका करै चाहै कुत्ताओं को मारखावै चाहै कुत्ताओं से अन्यजीवों की आखेट करै-इनसबोंका भी अन्न अच्छे भलेमें न लेना चाहिये पर आपत्काल में लाचारी है यह अनुकर्ष भी उसी १५९ श्लोकसे लियागया १६२ ॥

अधि०-सर्वत्रस्त्रीकेवशवर्ती रहने का दृष्टांत जैसे ठेठ अपने गुरु अथवा अन्यकिसी पूज्यके लिये श्रावणी रक्षाबंधन की दक्षिणा एकमुद्रा लिखचुके एवं अन्य सेवकों के लियेभी कुछइनाम अपनेहाथसेलिखचुके और निजकारपर्दाजको आज्ञाभी देचुके यह समाचार सबको विदित होचुके पीछेजब घरवालीने सुना और घुड़की दिखलाई और अपने सामने कलमसे कटवादिया तबउसकी आज्ञासे सबकापरिमाण चौथाई २ करदिया जोकुछ पहले लिखचुके थे-उसीघरका दूसरा दृष्टांत कुछ दिन पीछे पौत्रका जन्महुआ जिसकीअपेक्षा अनेकवर्षोंसे लगरहीथी कि कोई रीतिसे इसघरमें वंशवृक्ष का अंकुर जसै बल्कि इसवातकेलिये कुछदिनोंसे जपभी होरहेथे कि अबकीबार कन्या नहीं होवे परमेश्वर ने वहीकिया इस प्रसन्नतासे एक सहस्रताई व्ययकरनेका उत्साह किया और आज्ञाहुई कि जिस ज्योतिषी ने पहलेसे जपकिया है वही इसकी राशि गणनाको भी आवै क्योंकि जो दशबीस रुपये दियेजावें सो उसीको मिलें तौ अच्छी बातहै इसलिये जन्म कालसे तीन घंटा पहले अर्द्धरात्रिके पीछेसे ज्योतिषीजी बुलाये हुये अति फूलेफाले आनि पहुँचे और अपने शास्त्रोंको सँभालकर निद्राको रोकेहुये संवुद्ध हरिका स्मरण करनेलगे जैसे तैसे वह रात्रिकटी ब्राह्ममुहूर्त्तमें प्रसव हुआ परंतु जब घरवालीने यह खबरपाई तब अत्यन्त घर धनीको घुड़काघुड़की करी और तत्काल उस ज्योतिषीको बुलवालिया कि जो विद्यामें तौ निपुण थोड़ाथा पर सदैव बहू

जी बहूजी कहकर जनानी ब्यादीकी खुशामदिमें होशियार अधिकथा उसने राशिग-  
 एना करी और देने लेने की प्रसन्नता में बहूजी की प्रशंसाकर घरकी राहली और  
 जापक ज्योतिषी ने यामिक सेवा कियेपीछे कुछ साधारण दक्षिणा पाकर मुखमलीन-  
 ता अंगीकारकी-यद्यपि घरधनी जो उनदोनों की विद्या और प्रभाव या धूर्तता को  
 भलीभांति जानताथा इस व्यतिक्रम से अप्रसन्नभी हुआ परइसवात से लाचारथा  
 कि स्त्री के बशवर्तित्व को छोड़ नहींसक्ताथा इस्से सब अंगीकारकिया दूसरेदिनसे  
 नौवतरखवायेपीछे सातसौ रुपयेके वस्त्रआभूषण आदिकी तैयारीमें निरंतरतत्परहुये  
 और यावन्मात्र मान्य और पूज्य और प्रतिष्ठित अधिकारी वा साधारणसेवक और पंडित  
 वा नापित भांड भंडेले आदि उनसे संसर्गरखते और शुभ चिंतक थे सबकेलियेजुदे  
 २ यथायोग्य पांचौ कपड़े वा आभूषण या रोक रुपये जो कुछदेनाचाहा सो एकफर्द  
 चिट्ठामें लिख २ कर तैयारकरवातेरहे और छठीकेदिन परम उत्सव और नाचरंग  
 सहित विरादरी की ज्योनारका सामान बड़ी धूमधामसे संसिद्धकिया और छठीसेएक  
 दिन पहलेसंध्यासे आधीरात्रिताई घरवाली को वह चिट्ठा सुना २ कर समभातेरहे  
 कि यह चीज उसकेलिये यह अमुकामुकों के निमित्त बनवाई है उससमय जो उस  
 घरिणी की इच्छामें आयासो २ उचित और अनुचित भी घटावढाकर काटकपटकर-  
 वाया और पीछे से यह शिक्षादई कि अभी यह सबचीज देने वा लुटानेका कुछकाम  
 नहीं है कल छठीके रोज सिर्फ विरादरीकी महफिल और विरादरी वा मान्योंकेलिये  
 जो कुछ बनवाया और मैंने लिखवायाहै सो दीजिये जिस्सेनामहो नौकरआदि अन्य  
 गजरभत लोगों को देनेसे क्या नामहै इस्से यह चीजें अभीरक्खौ आगेपीछे समुझ  
 २ कर जिसको जैसा उचित जानौंगी तैसा दूंगी सिद्धांत इसका यह कि उस आ-  
 लिम और फाजिल और इकबालमंद संभावित घरधनी को स्त्रीके बशवर्तित्व से यह  
 भी करना अंगीकारहुआ औरपांचदिन से जो समस्त सेवक रातौदिन उसकामकी  
 धूमधाम और बहुताइत से काठकी पुतलीसी नाचते फिरते थे बल्कि ठेठ छठीकेदिन  
 शमियाने और चंदोवे आदिकी खींचाखांची और दोसौ मनुष्यकी भोजन वस्तु तै-  
 यार करने वा कराने में लगेरहने से उनसेवकों ने नहाने और जलपीनेकाभी अव-  
 सर नहीं पाया पर इसउत्साहसे काम करनेसे हटे नहीं कि आजरात्रि को नानावस्तु  
 का भोजन मिलैगा और पोशाकें वा आभूषण जो हमारेलिये बने हैं वा और कुछ  
 इनआम यह सबसारे समाजके सन्मुख हमको मिलैगा इस अभिमानमें डूबरहे और  
 घरके अधिकारियों ने यह भी नहीं बूझा कि तुम दो घड़ी की छुट्टी लेकर एक पैसे  
 का चर्बण करलो अर्थात् रात्रिके दो तीनबजेतक सबको जिमाजुठाकर और समाज  
 की सेवा शुश्रूषा से निपटकर मुहँ देखते से रहगये वह पोशाकें तौ भला संदूकों में

बंद हैं पर उस भोजन वस्तुमें सेभी सिवाय विरादरी के किसी नौकर ने कुछ न पाया जिन विचारों ने बेशरमाई लादकर भोजन मांगा उनको बीचके अधिकारियों ने टकासा उत्तरदिया कि मालिकों से कहो-उन सेवकों में से शायद कोई ऐसा निर्लज्ज होगा कि जिसको दूसरेदिनभी वहरुकीहुई नींदलौटकर आई हो-उसघरधनीने फिर भी दो दिन पीछे वह चीज वस्तु खोली और यह कहा कि लोगोंको देदेनी चाहिये पर उस चातुर्यलहरी घरिणी ने घुड़कीदी कि अब क्या देकर होगा अगर उसदिन सबके सामनेदियाजाता तौ कोई जानताभी अब इस फजूली की क्या जरूरत है-वह बंशांकुर जिसके हेतु से एक सहस्रका व्यय कियागया उसकी पीठमें उसी छठीकी रात्रिमें इधरतौ महफिल होतीरही उधर उसके पीडारूपी कोई चिह्न उत्पन्नहुआ वह निरंतर वृद्धिको पहुंचेगया यहांतक पीड़ा उसके होनेलगी कि अंदर घरमें आहि २ ऐसी करताथा कि बाहरवालोंको यह मालूम होताथा कि यह कोई बड़ा मनुष्यआह भरता है यद्यपिकईदिनतक रातौदिनअनेक सयाने और खिलाड़ियों ने भाड़ फूँक दौड़ धूप उतारे पुतारे बहुतेरेकिये दश २ कोस के बाबाजीबग्घी भेजकर बुलायेगये सबने अपनी बिद्या दौड़ाई पर किसीसे भी कुछ न हुआ वह जन्म से तेरहवेंदिवस अपनी राहलेगया-घरधनीनेपीछेभी यह चाहा कि यह वस्तु जिसके नामसेबनी है देदीजावै पर स्त्रीके बशवर्त्तित्व को न छोड़सके और स्त्रीने बड़ी चतुराई से यह कहा कि मेरी हजार वर्षकी नीउँउठकर जातीरही तुमको अबतकभी इनाम का अनुमान चलाजाता है इस्से क्रमक्रम से वह वस्तु कुछबेचीगई कुछ घरमें खर्चकरलीगई इस बात में अभी बहुतकुछ शेष है सो यह बात केवल एक बारका नमूना है किंतु उन घरोंमें निरंतरयहरीति है १६२ ॥

नृशंसराजरजककृतघ्नवधजीविनाम् । चैलधावसुराजीवसहोपपतिवेश्मनाम् १६३ ॥

पिशुनानृतिनोश्चैवतथाचाक्रिकवंदिनाम् । एषामन्ननभोक्तव्यंसोमविक्रयिणस्तथा १६४ ॥

ऐ० सहद्वयोः-नृशंसराज अर्थात् निर्दय राजा निर्दयी इतिलोकेपि अथवा दोनोंपद भिन्न २ करनेसे नृशंस लक्षण वाला कोईहो और राज शब्दसे राजा जिसके अवगुण १३९ श्लोकके अन्त्यपदमें कहचुके हैं अर्थात् लुब्ध और उच्छास्त्रवर्ती भूपति किंतु सभी राजामात्र नहीं-रजक रंगरेज जो नील कुसुंभ आदिसे वस्त्रोंको रंजना करताहै-कृतघ्न कृतघ्नी जो कियेहुये उपकारको न मानकर मेदिदेवै-वधजीवी जो प्राणियोंका वध करिकै जीवन करै-चैल धाव घोवी-सुराजीव जो मद्यादि वस्तु विक्रयसे जीवै-सहोपपतिवेश्म अर्थात् उपपति जो जार है तिस करके सहित एकही घरमें वसै इन सबोंका अन्न और १६३ पिशुन जो पराये दोषोंको चुगुलीचाई की रीतिसे कहे-अनृती जो प्रयोजनके मामिले परभी वारम्वार प्रत्यक्ष भावसे ऐसा झूठ वकाकरै जैसे

कोई सबके सम्मुख गुड़का डला लियेहुये खारहाहै और कहताहै कि मेरे हाथमें गुड़ कहाहै अर्थात् वह भूँठ उसके मुखमेंसे निकलतेके साथही प्रतीत होजावे कि यह भूँठ कहाहै पर उसको इस बातकी लज्जा कभीभी न आवै जिसकी यह प्रकृति निर्विकल्प हो वह अनृती कहलाताहै-इन दोनोंका भी अन्न और तथा-चाक्रिक अर्थात् तेली और गाड़ीमान् भी-वंदिनःस्तावकाः अर्थात् बंदी उन्हें कहते हैं जो स्तवोंका पेशा करते हैं जैसे भाटभंडेले आदि इन्होंका अन्ननहीं खानाचाहिये तेसेही सोम विक्रयीकाभीनहीं- पर जो आपत्कालहो तो लाचारीहै यह अनुकर्म उसी १५९के श्लोकसे लियागया १६४॥

अधि०-सोमविक्रयी सोमलता वा सोमालताका बंचनेवाला यद्वा सोम नाम अमृत काहै अर्थात् अमृतके तुल्य स्वादु और गुणवाली जो वस्तुहैं तिनका विक्रय कर्ता- और १५९श्लोकके अन्त्यपदसे यहां ताई जो निरन्तर अन्नका निषेधकिया सो आ- मान्न या सिद्धान्नका निषेध कहाहै किन्तु पक्वान्न आदिके निषेधका अवसर यहां पर नहीं है क्योंकि जिन जातोंसे पक्वान्न आदि ग्रहण करनेकी प्राप्तिही प्रत्यक्षमें नहीं या जिसका निषेध अपने उचितस्थल पर प्रत्यक्षहै फिर उसकी चर्चाका क्या अवकाश है सोई नीचेके श्लोकसे स्पष्ट हुआ जाता है १६४ ॥

शूद्रेपुदासगोपालकुलमित्रार्द्धसीरिणः । भोज्यान्नानापितश्चैवयश्चात्मानंनिवेदयेत् १६५ ॥  
इतिस्नातकव्रतप्रकरणम् ॥

अक्ष०-शूद्रोंमें दास गोपाल कुल मित्र अर्द्धसीरी नापित भी ये इतने भोज्यान्नहैं पर जो आत्मा को निवेदन करे १६५ ॥

अभि०-ऊपर जो शूद्र आदि अनेकों का अन्नखाना निषेधकरचुके हैं उसमें कुछ विशेष कहते हैं कि शूद्र जातों में एक तौ दासकहिये धीवर अथवा पंद्रह १५ प्रका- र के दास जो नारद जीने अपनी संहिता में स्पष्ट लक्षणों सहित गिनायेहैं-दूसरेगो- पालजो गौओंका पालनकरें किंतु अहीर आदि-तीसरे कुलमित्र जो कोईसा उत्तम शूद्रअपने कुलमें दादा परदादा आदि से संतान पूर्वकमेल मिलापमें मित्रता की रीति से रहता चलाआया हो-चौथे अर्द्धसीरी अर्थात् अपनी सीर कहिये खेती में आधा साभा जिस किसी उत्तम शूद्रकाचलाआताहो इतने शूद्रभोज्यान्नहोतेहैं किंतु इनका आमन्न सिद्धान्नआदि जोकुछ वे प्रीति पूर्वकदेने लगें सोलेलेना चाहिये और नाई भी भोज्यान्नहै परन्तु उसअवस्थामें कि जोयैलोग अपने आत्माका निवेदनकरें अर्थात् सदैवही सत्यभावसे यहकहें कि हम आपहीके हैं १६५ ॥

अधि०-हम आपहीके हैं इसकहनेका यह सिद्धांतहै कि जो इसप्रकारसे एकतावा- नहोकर समीप रहेगा वह अपने सत्संगके प्रभावसे कुछ उज्ज्वलता क्रियाकर्म आदि भी करने लगैगा और यथार्थ में ग्राह्य या अग्राह्यके विषयमें क्रियाकर्मही प्रधानहै-



नापित यहां पर वहग्राह्यहै कि जो केवलदीवा बत्तीआदि गृहव्यापारोंका सेवकहोकिं तुक्षोरकर्म और मृतकादि यजमानी धर्मोंसे रहितहो-पंद्रह १५ दास जो नारदजीने कहेहैं तिनकी परिगणना और लक्षणयथा-(गृहजातस्तथाक्रीतोलब्धोदायादुपागतः। अन्नाकालभृतस्तद्वदाहितःस्वामिनाचयः ॥ मोक्षितोमहतश्चार्णाद्युद्धेप्राप्तःपणेजितः। तवाहमित्युपगतःप्रव्रज्यावसितःकृतः ॥ भक्तदासश्चविज्ञेयस्तथैववडवाकृतः । विक्रेताचात्मनःशास्त्रेदासाःपंचदशस्मृताः) अर्थात्-एक तौ (गृहजातदास) उसको कहते हैं जो अपने घरहीमें दासीसे उत्पन्न भयाहो १ (क्रीतदास) जो मोलको खरीदाहो २ (लब्धदास) जो स्वतः दैवइच्छासे पागयाहो ३ (दायादुपागत) दास जो क्रमागतहो जैसे अपने दादाके दासका पुत्र अपने बापका दास हुआथा पुनि उसका पुत्र अपना दास हुआ पुनि उसका पुत्र अपने पुत्रका दास होवेगा ४ (अन्नाकालभृतदास) उसे कहते हैं जिसको दुर्भिक्षमें पालाहो ५ (स्वामिनाआहितः) अर्थात् आहितदास उसे कहते हैं जिस दास के स्वामीने किसी आवश्यकतासे गहने रक्खाहो या धरोहरकी रीतिसे सौंपा हो ६ (ऋणमोक्षितः) अर्थात् मोक्षितदास जिसने अपने ऊपरका महत् ऋण उद्धार कराकर छुड़ानेवालेका दास्य अंगीकार कियाहो ७ (युद्धेप्राप्तः) अर्थात् ध्वजाहतदास जिसके स्वामीको युद्धमें पराजय करके अन्य धनके साथमें दासभी लेलियाहो ८ (पणेजितः) जो किसीसे उसका दास द्यूत आदि कर्मोंकी बाजीमें जीताहो ९ (तवाहमित्युपगतः) अर्थात् उपगतदास वह कि जो किसीका दास नहींथा पर आपही आनकर दासरूप होकर यह कहताहुआ रहनेलगा कि अब मैं तुम्हाराहीहूँ मेरा और कोई रक्षक नहीं सो यह दास शरणागतके रूपमें है १० (प्रव्रज्याऽवसितः) संन्यासअष्टः अर्थात् संन्यास धर्मसे अष्टहोकर किसीके दासत्वमें रहनेलगा सो प्रव्रज्याऽवसितहै ११ (कृतः) अर्थात् कृतदास जो नौकरी ठहराकर दास रक्खाजाताहै और वह भी कि जो किसी पेशेका काम सिखलाने के लिये दासरूपसे कुछदिनों को रक्खाजाय १२ (भक्तदास) जो सुकाल के होनेपरभी अपनी श्रद्धा भक्तिसे सत्सेवा समुझकरदास्य अंगीकारकरै जिसे उदरपूरण से अधिकवाञ्छानहीं १३ (वडवाकृत) अर्थात् वडवाकृतदास जो वडवाकेनिमित्त से दासहोवै या कियाजावै किंतुवडवा जो दासी है किसी अमीर की उसदासी के लोभसे जो कोई दासवने इस्से कि वह अमीर भी यह चाहता है कि इसदासीका घरवसादेवै परउसी को यहदासी दीजावे जो आपभी दास होकर यहीं रहे १४ (आत्मविक्रेतादास) जिसने अपने पुत्रदारादिकों के किसी परमकल्याणके लिये धनचुकर अपने आत्माको दासत्वरूप से बेचदियाहो १५-शास्त्रमें यह पंद्रहप्रकारके दास कहेहैं-यद्यपि वर्तमान काल परिपाटी में मुख्यक्रीत संबंधी कई दासों का होना उचित करना भी निषेध वा अनुचित है तथापि जिस भूतकालकी यह व्यवस्था है उचित

इसी की प्रधानता थी शेषको दोनों कालमें समता है पर लिखना इनका इस हेतुसे उचित है कि सार्वकालिकमर्यादों के जिज्ञासुओं को संसारी तत्त्व की विवेचनामध्ये पूर्वापरका अंतरसमुझाजाना हितकारी हुआ करता है १६५ ॥

इति स्नातकव्रतप्रकरणम् ॥

यह (स्नातक) पुरुषका प्रकरण १२८ के श्लोकसे प्रारम्भहुआ था और यहां ताई पूराहोचुका स्नातक पुरुष के लक्षण पीछे १३० की अधिकोक्ति में कहचुकेहैं और यद्यपि स्नातक पुरुषके लक्षणभी विशेषतर विद्याव्रत स्नात ब्राह्मणपर आरूढहैं परंतु यह निर्विकल्प नियम नहीं है कि केवल स्नातकही इनवातोंको मानें और कोई नहीं मानें अर्थात् यहसारी मर्यादें उसीस्नातक के निदर्शनसे त्रैवर्णिक जाति मात्रकेलिये संसूचितहैं-हां-उनमें कहीं २ विरली बातें ऐसीभीहैं कि जिनसे केवल (स्नातकही) को अपेक्षा होसक्ती है-और इससे नीचे जो अब द्विजातियों के नाम से धर्मों को कहतेहैं उनमेंभी यहनिर्विकल्पता नहींहै कि केवल द्विजातीही उनवातोंको मानें और स्नातक नहीं मानें परं द्विजातियों के नामसे कहने का यह सिद्धांत है कि स्नातकको उन वातों से कोई भांति अपेक्षा नहीं होसक्ती है अर्थात् उसकेलिये स्वतः उनवातों का निषेधही हो रहा है फिर उसमें विधि या निषेध के कहने की क्या आवश्यकताहै परन्तु साधारण द्विजातियों को उनवातों से कुछ संबंधभीहै इससे उनकेलिये विधि या निषेध कहने की आवश्यकता है (दृष्टांत) जैसे स्नातकको मांसभक्षण से कुछ भी संसर्ग नहीं और साधारण द्विजाती बहुधा मांसभी खातेहैं इसलिये उनको मांसके भक्षण में विधि या निषेध कहने की आवश्यकता हुई ऐसेही और भी सारीवातों को जानलो-

अथसाधारणद्विजातिधर्मकथनम् ॥

यहांपर साधारण यह विशेषण देने का यह भाव है कि द्विजाती शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनोंका बोधहोताहै परन्तु साधारण कहनेसे वे इस गिनतीमें नहीं आये कि जो स्नातक पदवी को पहुँचे हों क्योंकि उनका प्रकरण ऊपर हो चुका है इसव्यवस्था से वे ब्राह्मण भी साधारण द्विजाति में गिनतीहुये कि जो विद्याव्रतस्नात नहीं हों और मांसादि भक्षण में तत्पर हों इसीलिये उनके धर्मों को अबनीचे भिन्न कहेते हैं १६५ ॥

अनर्चितंवृथामांसकेशकीटसमन्वितम् । शुक्तंपर्युषितोच्छिष्टंश्चस्पृष्टंपातितोक्षितम् १६६ ॥

उदक्यास्पृष्टसंघुष्टंपर्यायान्नंचवर्जयेत् । गोघ्रातंशकुनोच्छिष्टंपदास्पृष्टंचकामतः १६७ ॥

अत्रद्वितीयपाठे(पर्याचान्तंचवर्जयेत्) तथातृतीयपाठे (पार्श्वाचान्तंचवर्जयेत्) ऐ०सहद्वयोः-मांस यहऊपरके श्लोकसे अन्न यह नीचेके श्लोकसे लेना क्योंकि १६

दो श्लोकोंमें इन्हीं दोनों वस्तुका मुख्यविधि निषेध कहाहै कि-अनर्चित अर्थात् अर्चा कहिये सत्कार तिससे रहित जो मांस अथवा अन्नहो तिसको वर्जितकरै किन्तु जो कोई सत्कारपूर्वक देने योग्यहै उसको असत्कारसे यह दोनों वस्तु दीजावें तौ न लेवे यद्वा किसी हेतुसे लेलेनापरै तौ न खावै किसी और को देदेवै-ऐसेही वृथा मांस अथवा वृथा अन्नको भी वर्जितकरै-ऐसेही केश कहिये बाल या रोमा और कीट कहिये कृमि जीव जंतु जिस मांसमें या जिस अन्नमें पड़जावें उसेभी छोड़देवै-ऐसेही शुक्ल मांस या शुक्लान्नकोभी छोड़देवै शुक्ल उसको कहते हैं कि कोई अन्नादि वस्तु कच्ची या पकाईहुईको जलके या सीरा आदिके योगसे या राई नमक आदि किसी द्रव्यांतर योगसे धूप या गरमी देकर कुछ दिनों तक स्थापन करनेसे खटाईंधको पहुँचाई जाय जैसे कांजी या कांजीके बड़े आदि अनेक भांतिके शुक्ल होते हैं शुक्ल मंदिराके प्रकार में भी बनताहै शुक्ल मांसका भी होताहै शुक्तोंकी अनेक जातें लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको नहीं खावै-ऐसेही पर्युषित कहिये बासी तिवासी मांस अथवा अन्नको न खावै-ऐसेही उच्छिष्ट जो खातेहुये आगेसे बचजावै चाहै मांसहो अथवा अन्न उसकोभी उस काल के सिवाय फिर न खावै-ऐसेही श्वस्पृष्ट कहिये कुत्तेकासूँघा या छुआहुआ मांस यद्वा अन्न भी न खावै-ऐसेही पतितेक्षित कहिये चांडालादि या ब्रह्मघाती आदिका देखा हुआ मांस और अन्न भी न खावै १६६ ॥ ऐसेही उदक्या स्पृष्ट अर्थात् उदक्या जो रजस्वला पुनि उसके उपलक्षणसे चांडालीभी पुनि उसके उपलक्षणसे चांडालभी पुनि उसके उपलक्षणसे अमेध्य कुनखी कुष्ठी आदिभी जो शंखजीने कहे हैं इनका छुआहुआ मांस और अन्नभी न खावै-ऐसेही संघुष्ट कहिये जो मांस या अन्न किसी ने घुड़कर कुरबुराकर कुछ बकतेहुये दियाहो उसको भी बचावै-ऐसेही पर्याय मांस और पर्याय अन्नभी न खावै-पर्यायवस्तु उसको कहते हैं कि जो कोई वस्तु किसी अन्यके नाम संकल्प कीगईहो उसे कोई और किसी औरको देदेवै या वही जानि बूझकर आप लेलेवै जो किसी द्वितीयके नामसे रक्खीथी और उसकोभी पर्याय वस्तु कहते हैं जो अन्यकी वस्तु अन्य दान करदेवै-ऐसेही गोघ्रात कहिये गऊ वृषभ आदि से सूँघाहुआ या चाटाहुआ जो मांस अथवा अन्न होवै उसको भी न खावै-ऐसेही शकुनोच्छिष्ट अर्थात् शकुन कहिये काकआदि पक्षीमात्रका जुठाराहुआ मांस या अन्न भी न खावै-ऐसेही कामतःपदास्पृष्टं अर्थात् जिस मांस अथवा अन्नको जानि बूझ कर बुद्धि पूर्व लातसे छूदियाहो उसको भी न खावै-किन्तु अज्ञातभावमें छूगया हो उसका दोष नहीं है १६७ ॥

अधि०—यहां पर दोष दूषित मांस या अन्नोंका निषेध जो वारम्बार किया है सो मांस तौ आम अर्थात् पाकरहितभी पूर्वोक्त दोषोंसे दूषित होजाताहै पर अन्न केवल

वही जो परिपक्वहुये पीछे अदनीय होजावै सो दूषित होसक्ता है-वृथा मांस और वृथा अन्न जो कहाहै सो वृथा मांस तो उसको कहते हैं कि जो गुल्ला गुल्लेला या ईट पत्थर आदिसे माराहो या किसी जीवने तोड़ाहो या आपही किसी रोगसे मरगयाहो पुनि वहभी वृथा कहलाताहै कि जो देवादिपूजा या यज्ञादि हेतुसे न व्यापादन हुआहो जिसकी निर्दोष मर्यादा आगे १७८ के श्लोकमें आवैगी किन्तु केवल जिङ्गा स्वाद के हेतुसे होवै सो वृथाहै-और अन्नभी वह वृथाहै जो अभक्ष्यहो या भक्ष्यभी जो प्रत्युकारा शक्तिसे हीनहो किन्तु जिसका बदला देनेकी शक्ति वा श्रद्धा अपनेको नहो-पर्याय अन्नका खाना जो निषेध कियाथा तिसका प्रायश्चित्तोपदेश-यथा ( ब्राह्मणान्नं ददच्छूद्रःशूद्रान्नंब्राह्मणोददत् । उभावेतावभोज्यान्नोभुक्त्वाचांद्रायणंचरेत् ) अर्थात् ब्राह्मणका अन्न शूद्र दानकरै या शूद्रका अन्न ब्राह्मण दानकरै यह दोनों अन्न अभोज्य हैं जो कोई भोजन करिलेवै चान्द्रायण नामका प्रायश्चित्तकरै तब शुद्धात्माहो-और इसी पर्यायान्न शब्दके प्रतिस्थान जहां द्वितीय पाठसे (पर्याचांत) शब्द होवै तहां यह अर्थहै कि जिस अन्नको भोजन करते हुये भोक्ता पुरुष कुल्ला करलेवै तिस पीछे उसी शेष अन्नकी संज्ञा (पर्याचांत) होजाती है तिसको छोड़देवै फिर चाहै पूर्ण तृप्ति होने पाईहो या नहीं-सोई अन्यत्रभी स्पष्टभावसे यह कहाहै कि(गंडूषग्रहणादूर्ध्वमाचमनात्प्राङ्मनोक्त्वव्यम्)अर्थात्-भोजनके अन्त्य आचमनसे पहले किन्तु भोजनके बीचही में कुल्ला लेलेनेके उपरांत शेष अन्नको न खाना चाहिये-पुनि उसी पर्यायान्न शब्दके प्रतिस्थान तृतीय पाठसे (पार्श्वाचांत) शब्द होवे तहां यह भावहै कि किसी पार्श्वस्थ के आचमन करलेने पर पश्चात् उसी शेष भोजनकी संज्ञा (पार्श्वाचान्त) होजाती है यथा एक निर्भेद पंक्तिमें अनेकलोग बैठेहुये भोजन करतेहों वे परस्पर एक दूसरे का पार्श्वस्थ कहलातेहैं उनमेंसे कोई एक असुशील जब आचमन या गंडूष करडालै तब औरोंको भी भोजन छोड़देना उचितहै चाहै तृप्ति होनेपाई हो या नहीं-निर्भेद पंक्ति कहनेका यह आशयहै कि जिनके लिये जलकाष्ठ भस्म आदि रेखासे पंक्तिमें आसन भेद कियागयाहो उनको वह गंडूष बाधक नहीं है किन्तु निरंतर एक पंक्तिवालोंसे अपेक्षाहै-और गंडूष संज्ञा उसीको कहसक्ते हैं कि जब आचमन का जल मुखमें से उद्गीर्ण कियाजावै किन्तु घूंटिजानेको नहीं आचमन संज्ञायद्यपि जलप्राशकीभी होतीहै पर इसविषय में केवल ओष्ठादि प्रक्षालनकोही आचमन मानाहै-और जलोद्गीर्णके तद्रूपलक्षण से वहगंडूष निषेधरूप नहीं है जो जलपान समयश्वासा ग्रंथिसे स्वतःउद्गीर्ण होजाताहै पर जो किसी पार्श्वस्थके अन्नादिपर इसधांसके उद्गीर्णका छीटा पहुँचजावै तोजहांताई पहुँचाहो उतनीपंक्ति और वहआपभी तावत्कालपर्यंत भोजनको विश्राम देकरमौन बैठारहै जबतकवहशेष पंक्तिभोजन करिलेवै १६६।१६७॥

पर्युषित अर्थात् बासी तिवासी आदि चिरकालस्थ अन्नमें विशेषता कहते हैं ॥

अन्नपर्युषितंभोज्यस्नेहाक्तंचिरसंस्थितं । अस्नेहाअपिगोधूमयवगोरसविक्रियाः १६८ ॥

ऐ०—अन्न अर्थात् अदनीय वस्तु जो परिसिद्धहुई भोजन योग्यहो ऐसा अन्नयदि स्नेहाक्तहो अर्थात् घृतादि स्नेहोंसे संयुक्तहो जिसे पकवान कहतेहैं वहचिरकाल संस्थितभी पर्युषितहोवै तथापि भोजनकरने योग्यबना रहताहै-इसके सिवाय अस्नेहा अपिकित्तु विना चिकनाई के भी अन्नजोगोधूम यव गोरसके विकारसे बनतेहैं वे भी पर्युषित कहिये धरेहुये भोजनकरिवे योग्यबनेरहते हैं-पर जो विकारांतरको न पहुँचे हों-गोधूम विकारके अन्नजैसे गेहूँकाचूर्ण जो कड़ाहीमें भनिलिया जाताहै या भूनेहुये गेहूँपीसलिये जातेहैं या गुड़ धानी आदि-और यवके विकारसे सत्तू या धानाआदि धानाबहुरी को कहते हैं-गोरस विकारके अन्न दधि तक किलाट अर्थात् भावा खोवा और किलाटी अर्थात् खड़ी और पायस अर्थात् खीर इत्यादि औरभीजानो १६८ ॥

अधि०—यह पर्युषित अन्न की विशेष विधि यहांपर इसलिये कहीगई कि इससे पहले १६६ श्लोकमें पर्युषितका निषेध सामान्य वचनसे करचुकेथे पर उसकी अतिव्याप्ति नहींथी-और गोधूम यव गोरस के विकार स्नेहरहितभी जो अंगीकार कियेहैं तिसमें केवलता नहीं है अर्थात् गोधूम यव गोरस इनके निदर्शन मात्रसे और अन्न भी उसी रीतिसे समुभ्रलेने परन्तु उस अवस्था ताई कि जबतक उनपदार्थोंमें किसी भाँति की विकृति नहीं होजावै और विकृति के न होनेपरभी जो पदार्थ भुक्तशेष होजावे वहभी त्यागयोग्यहै सो यह त्याग केवल इन्हींमें नहीं किन्तु पूर्वोक्त पक्वान्नमेंभी संभवित है क्योंकि इससे पहले १६६ के श्लोकमें उच्छिष्टका निषेध जो सामान्य वचन से कियाथा उसका कोई विशेषवाक्य इसमें नहीं पायागया जिससे भुक्तशेष पकवान खाना उचित जानाजाय १६८ ॥

संधिन्यनिर्दशावत्सागोपयःपरिवर्जयेत् । औष्ट्रैकशफंस्त्रैणमारण्यकमथाविकम् १६९ ॥

अक्ष०—संधिनीगोःपयः अनिर्दशागोःपयः अवत्सागोःपयः ( अथ ) औष्ट्रंपयः ऐकशफंपयः स्त्रैणंपयः आरण्यकंपयः आविकंपयः परिवर्जयेत् यह प्रत्येकमें जोडलेना १६९ ॥

अभि०—जिसगऊपर वृषभछोड़ाजावै गर्भके हेतुसे वह संधिनी कहातीहै उसकादुग्ध छोड़देवै पुनि उसकोभी संधिनी कहतेहैं जो एकबेला छोड़ दूसरेसमय दुहीजावै और जो अपनावच्चा छोड़ किसी औरके बच्चेसे लगाईजावै उसका दूधभी छोड़देवै-जिस व्याईहुई गऊको पूरे दशदिन नहीं बीतेहों वह ( अनिर्दशा ) कहातीहै अर्थात् दशदिन भीतर दूध नहीं खावै ( अवत्सा ) वह कि जिसकावच्चा मरजावै और भूसी आदि बाट से लगतीहो उसका दूध छोड़देवै (अथ) औष्ट्रकहिये ऊँटका दूध और मूत्र आदिभी सदैववर्जितराखै-ऐकशफ अर्थात् एक खुरवाले जो घोड़ीखच्चरी खरीआदिपशु जिन

के खुर फटे नहीं होते उनका दूध न खावे अस्त्रैणकहियेस्त्रीका दूधनहींखावे-आरण्यक अर्थात् अरण्यमें रहनेवालेमृग पशुओंका दूधनहींखावे-आविक अर्थात् अविसेज्ञा भेड़कीहोती है उससे उत्पन्नहुआ दूध आविक सो न खावे १६९ ॥

अधि०-यद्यपि संधिनी दो प्रकार की अधिक पीछेसे लिखीगई परंतु विचारदृष्टि से भी उनके दुग्ध पानमें कुछ दोष नहीं देखपड़ता क्योंकि प्रथम तौ इसवात की साधना भी असंगत है दूसरे वह दोनों संधिनी भी (गौण) संज्ञक हैं अर्थात् संधिनी मुख्यभाव से वह एकही है जो पहले कहीगई और उसीका प्रमाणभी त्रिकांडी स्मरणसे पायाजाता है-यथा(वंशांघ्र्यांविजानीयादृपाक्रांतांचसंधिनीम्)परन्तु संधिनीके निदर्शन मात्रसे स्यंदिनी और यमलप्रसूके भी दुग्धका निषेध संभवित्त है क्योंकि गौतम ऋषिने तीनों का निषेध एकसाथ एकपदमें किया है (स्यंदिनीयमप्रसूसंधिनी नांचेति)स्यंदिनी उसेकहतेहैं जिसकेस्तनोंसे दुग्धकेबूंद या धारेंटपकाकरें-यमप्रसू या यमलप्रसू या यमलप्रसूताया यमलप्रसविनी उसेकहते हैं जो दोबच्चे एकसाथदेवें-जो जोवातें गऊके विधि निषेधमेंऊपर लिखीगई सोई सबनिदर्शन बकरी और भैंसकाभी जानलो क्योंकि वसिष्ठमुनि ने इन तीनों का चर्चा एकसाथ एकपदमें किया है-यथा (गोमहिष्यजानामनिर्दशानामिति)ऊँटऔर एक शफवालोंके दूधका सदाही निषेध है इसलिये उनका कोई विशेष भेद कहने की आवश्यकता नहीं है-स्त्रीदुग्धका निषेध करने से मानुषी मात्र कोई हो और इसीके उपलक्षण से दो थनोंवाला और भी जो कोई जीव होताहो उसकाभी निषेध है पर बकरी का नहीं क्योंकि बकरी भी दोथनों की होती है परन्तु उसका दूधगऊ के समान ऊपर अंगीकार हो चुका है-अर्थात्वन सृगोंका दूधजो निषेध कियाहै तहां भैंसभीवन पशुओंमें गिनतीहै पर उसके दूधका निषेध नहीं है क्योंकि ऊपर उसको गऊ और बकरी के साथमें समान अंगीकार कर चुके हैं सोई इसका वाक्य भी स्पष्ट प्रमाण हो रहाहै-यथा-(आरण्यानांचसर्वेषामृगा णामहिषींविनेति) (आविक) जो भेड़ों का दूध निषेध किया है यद्यपि उसकी ग्राह्यता भी बहुधा लोकमें जहां तहां दिखाई देती है अर्थात् जो लोगबकरी का दूधग्रहण करते हैं वे भेड़ से भी बचाव नहीं करते किंतुभेड़ और बकरी को तुल्य समुझलेते सो यह मूर्खता उनकी वृथा है क्योंकि आविक दूधका निषेध नित्य और निर्विकल्प है सोई गौतमऋषिने स्पष्ट कहा है-यथा(नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफंचेति)बल्किबिरले अज्ञानी अजा को भी अति अशुद्ध और अशुभ कहदेते हैं सो यह उनकादोष नहीं किन्तु केवल अज्ञानताकाही दोष है क्योंकि यह शास्त्र तौ केवल विधि औरनिषेधकाही प्रत्यक्ष है तिसमें भी बकरी के दुग्ध की ग्राह्यता ठेठ इसी श्लोकमें लिखीहै इसके सिवायअन्य शास्त्र जो महानुभाव ऋषीश्वरों के निर्माण कियेहैं जिनमें बड़े १



प्रकरण केवल छाग माहात्म्यकेही लिखे हैं और वह माहात्म्य कुछ मांसपक्षमें नहीं किन्तु केवल छागके पालने या पवित्रता मध्ये और उनके नानाभेदसे शुभाशुभ फल कर्तृत्व के विषय में आरूढ़हैं- इसके सिवाय वैद्य शास्त्र में जैसा छागीदुग्धका गुण प्रसिद्ध है तैसा और किसी का नहीं फिर इस दशापर भी छागीको अशुद्ध या अशुभ क्योंकर कहसकें १६९ ॥

देवतार्थहविःशिग्रुलोहितान्ब्रश्चनान्स्तथा । अनुपाकृतमांसानिविड्जानिकवकानिच १७० ॥

ऐ०—देवताके अर्थ कहियेनिमित्तसे जो कोई वस्तु बलिउपहार आदि कल्पितकरीहो कि जो देवताको अर्पण नहीं करिपाईहो क्योंकि उसकार्यमें अभीबिलम्ब शेषहै-हवि जो हवनकेनामसे बनाई हो पर अबतक हवन नहीं होचुका है-शिग्रु सहिजना-लोहितान् अर्थात् लोहित वर्णके वृक्षनिर्यास कहिये गोंदोंको तथा-ब्रश्चनान् अर्थात् ब्रश्चनकर्म जो हरेवृक्षोंका छेदनकरना तिससे उत्पन्नहुये गोंदोंको-अनुपाकृतमांसानि अर्थात् यज्ञ विधिसे नकल्पितकिये पशुओंकेमांस-विड्जानि अर्थात् मनुष्यादिकोंके खायेहुयेफल बीजोंसे विष्ठाद्वारा निकलकर उत्पन्नहुये शाकादिकों को यद्वाविष्ठाके स्थान में उत्पन्न हुयोंकोभी-कवकानि अर्थात् छत्राक जो वर्षाऋतुमें होतेहैं-इनवस्तुओं को भी वर्जित करे वर्जितकरना यह पहलेश्लोकमेंसे लियागया है १७० ॥

अधि०—लोहित और ब्रश्चनशब्दका अर्थ यद्यपि इसके श्लोकमूलसे अच्छास्पष्ट नहींहोता पर मनुजीका कहा प्रमाण इसमें प्रत्यक्ष है कि-(लोहितान् वृक्षनिर्यासान् ब्रश्चनप्रभवांस्तथेति)-लोहितनिर्यासों के निषेध से शल कर्पूर हिंगुआदि निर्यासों का निषेध नहींपायागया १७० ॥

ऋव्यादपक्षिदात्यूहशुकप्रतुदटिट्टिभान् । सारसैकशफानहंसान्सर्वाश्चग्रामवासिनः १७१ ॥

ऐ०—ऋव्यादतौ वेजीव जो अन्यजीवोंका कच्चा और मरामांसभी भक्षणकरतेहैं यथा श्वान शृगालआदि-और पक्षीभी उसीप्रकारके यथा काक ढेंक गृध्रादि अनेकप्रसिद्ध हैं-और दात्यूह चातक जिसे पपैया वा पपीहा कहतेहैं-शुक तोता-और प्रतुदपक्षी वे कहलातेहैं जो किसी कीड़ेको या किसी शोटीआदिवस्तुकोभी जब खातेहैं तब अपनी चोंचसे बारम्बार तोड़ कहिये पीड़ादेकर अर्थात् कूट पीटकर उखालतेहुये और अपनी ग्रीवाको भी पीड़ासीपातेहुये किन्तुग्रीवाको हिलाते झुलातेहुये खाते हैं-और टिट्टिभ टटीहरी जो श्येनपक्षीका शब्दानु कारी प्रसिद्धहै-सारस यहलोकमें भी अतिविदितहै-एकशफा यह घोड़ा आदि एक सुमवाले प्रसिद्धहैं-हंस जो अपने नामसे विख्यातहैं-औरभी ग्रामवासी पक्षी जोपारावत पंडुकी आदि अनेकवस्तीमें रहतेहैं वे सबके सब और वे पशुभी कि जो ग्रामचरप्रसिद्ध हैं-इनकहेहुये जीवोंका मांसभी न खावै किन्तु वर्जितकरै यह १६९ श्लोकसे सम्बन्ध जोड़ा गया १७१ ॥

अधि०—प्रतुद पक्षियोंका उदाहरण-यथा(हारीतोधवलःपांडुःचित्रपक्षोवहच्छुकः।  
पारावतःखंजरीटःपिकाद्याःप्रतुदाःस्मृताः १ प्रतुद्यभक्षयंत्येतेतुंडेनप्रतुदास्ततः । पि  
काद्याइतिआदिशब्देनश्येनादयोप्यन्येवहवः यथाश्येनःकंकःकाकःद्रोणकाकःउलूकःम-  
यूरः एवमन्येपिवहवोभवन्ति एषांकेचित्प्रसहापि प्रतुदलक्षणाद्ग्रहीताः कार्यापेक्षयान  
तुलक्षणमात्रपरिज्ञानार्थमित्याशयः) १७१ ॥

कोयटिप्रवचक्राहवलाकावविष्किरान् । वृथाकृशरसंयावपायसापूपशष्कुलीः १७२ ॥

ऐ०—कोयटि नामजल कुकुटपक्षी कोंच इति मिताक्षराकारः-ह्वनामजल कुकुट  
चक्राङ्गनाम चक्रवाक-बलाकास्वनाम प्रसिद्ध है-वक वगुला-विष्किरा वे पक्षी कह-  
लाते हैं जो नखों या चोंचसे फैलाकर चुगते हैं जैसे मुर्गा और चकोर आदि अनेक  
इन का मांस नहीं खावें और वृथा कृशर वृथा संयाव वृथापायस वृथाअपूप वृथा  
शष्कुली इनको भी वर्जित करे यह योजना १६९ के श्लोक से हुई-कृशर खिचरीको  
कहते हैं वह खिचरी दाल चावर आदि से जैसी सनातन से होती आई और  
सबलोक में प्रसिद्ध है सो तौ वृथा नहीं है पर जो विपरीत और असंगत या अ-  
भक्ष्य वस्तुओं से बनाई जाय सो वृथा है-संयाव गुभिआ पिराकों को कहते हैं  
जैसी उनकी क्रिया प्रसिद्ध है सो तौ वृथा नहीं है पर जब असंगत या अभक्ष्य व-  
स्तुओं से बनाई जाय सो वृथा है-ऐसेही पायस खीर जो असंगत या अभक्ष्य व-  
स्तुओंसे बनाई जाय वहवृथाहै-ऐसेही अपूप कहिये पुआ वा कसार-और शष्कुली  
नामपूरी ये परिनियमित रीतोंसे असंगत या अभक्ष्य वस्तुसे बनाये जावें सो वृथाहैं  
इनकोभी वर्जितकरे १७२ ॥

अधि०—विष्किर पक्षियोंका उदाहरण-यथा-वर्तिकोलावचिकुरकपिञ्जलकतित्तिराः।  
कुलिंग कुकुटाद्याश्चविष्किराःसमुदाहृताः १ कपिञ्जलइतिप्राज्ञैःकथितोगौरतित्तिराः।  
विकीर्यभक्षयंत्येतेयस्मात्तस्माद्विविष्किराः २ आदिशब्दादन्येपिवहुशःसंबोध्याः यद्य  
प्येषांकेचिह्लावादयोभक्ष्याअपिलोकप्रसिद्धाः तथापि शास्त्रवाक्यपरिसिद्धिनिमित्तमे-  
तल्लक्षणम् १७२ ॥

कलविकंसकाकोलंकुररंरज्जुदालकम् । जालपादान्खञ्जरीटानज्ञातांश्चमृगद्विजान् १७३ ॥

ऐ०—कलविक नाम कुलिंग चटक या ग्राम चटक अर्थात् गरगैया गौरैया चिड़ा  
इतिच लोके प्रसिद्ध जो घरों में घुसिलारखता है-काकोल नाम द्रोणकाक अर्थात्  
कगार जो अशेषकाला और इसकाक से कुछ ऊँचा भी होताहै-कुररनाम उत्क्रोश  
पक्षी जो निरंतर रुदन सम शब्द करताहै जिसेलोक में भी कुररी कहतेहैं-रज्जुदालक  
नाम वृक्षकुट्टकपक्षी जिसे खुटक बढैया कहते हैं-जालपाद पक्षी उन्हें कहतेहैं जिनके  
पंजाओंके बीच २ खालकी जालीहोतीहै-खंजरीट नाम खंजन मेमला किरखिंदा इति

लोके प्रसिद्ध जिसका कार्तिकमें आगमन और चैत्रमें प्रस्थान होता है-अज्ञात कहिये बिनाजानेहुये जिन्हें कभी देखा और सुनाभी न हो ऐसे मृग अर्थात् बनकेजीव चतुष्पद और द्विजकहिये पक्षी-इन सबका मांस वर्जितराखै यह योजना १६९श्लोक से हुई १७३ ॥

अधि०-कलविक यद्यपि १७१ श्लोक में भी ग्राम वासियों के निषेधमें आचुका क्योंकि इस कलविक का दूसरा नाम ग्राम चटक होता है और १७२ की अधिकोक्तिमें भी विष्किरणना में कुलिगनामसे आचुका परंतु यह संदेहका स्थल नहीं है क्योंकि इसी प्रकार और भी अनेक पक्षी जो अपने २ नामसे इन्हीं श्लोकों में निषेध हुये फिर वेही बहुधा प्रत्तुद और विष्किरमें भी पाये जाते हैं इसका यहहेतु है कि वे प्रत्तुद या विष्किर या ग्रामनिवासी केवल उनके निषेध में दर्शाये हैं कि जिनके नाम इन श्लोकों में प्रत्यक्ष नहीं आयेथे और निषेध उनका योग्य था इससे किसी किसी की पुनरुक्ति हो जानाभी कुछ दूषण नहीं बल्कि पुनरुक्ति से निषेध में विशेषता पाई जाती है १७३ ॥

चापांश्चरुपादांश्चसौनवल्लूरमेवच । मत्स्यांश्चकामतो जग्ध्वासोपवासस्त्र्यहंवेसेत् १७४ ॥

ऐ०-चाषनाम किकीदिव पक्षीजिसे पुण्य दर्शन कहा करते हैं अर्थात् नीलकंठ जिस की श्रीवा नीलमणिके समान और चोंच स्वर्ण वर्ण होती है इसकी उपजाति में और भी कई पक्षी छोटे उसी समान होते हैं (रुक्मपादाः कादंवादयः) अर्थात् कलहंस आदि अनेक पक्षी जिनके पंजालाल होते हैं-सौन कहिये सूनाका स्थान किंतु कसाइयों का घातस्थान तिससे उत्पन्न भया जो मांस तिस को भी सौन कहते हैं वहमांस चाहे भक्ष्यजीवों का भी हो-वल्लूर कहिये सूखा मांस-मत्स्य भी जो नाना प्रकारके जलजीव प्रसिद्ध हैं-इनको वर्जितकरै यह योजना १६६ श्लोक से हुई-इन सबों को कि जो १६९ श्लोकसे यहांताई गिनाये गये अर्थात् इनमें से एक वस्तुको भी कामना पूर्वक भक्षण करिलेवै तौ तीनदिनताई उपवासकहिये निराहार होकरवसै तव शरीर शुद्धि होवै या जो अकामभक्षणकिया होतौ एकहीदिनरात्रिके उपवासमें शुद्धिहोवै यह एक दिनरात्रि मनुजी के कथनसे प्रमाण है १७४ ॥

अधि०-जो कि शंखजीने इस विषयमें १२ दिवस इस प्रकार से कहे हैं कि-वक वलाका हंस ह्रव चक्रवाक कारण्डव गृहचटक कपोत पारावत पांडुशुक सारिका सारस टिट्ठिभ उलूक कंक रुक्मपाद चाष भास वायस कोकिल शाडुलि कुक्कुट हारीत भक्षणे (द्वादश रात्र मनाहाराः पिवेद् गोमूत्रयावकमिति) सो यह शंखजीकावचन बहुतकाल पर्यंतजानि वृत्तिकर भक्षण करनेपर संभवित है १७४ ॥

पलांडुंविड्वराहंचछत्राकं ग्रामकुक्कुटम् । लशुनं गृजनं चैव जग्ध्वाचांद्रायणं चरेत् १७५ ॥

ऐ०—पलांडु पिआज-विडूराह ग्रामसूकर-छत्राक सर्प छत्र जो छत्राकार वर्षाऋतु में होता है जिसका चर्चा १७० श्लोकमें कवक शब्द पर आयाथा-ग्रामकुक्कुट पालतुमुर्गा-लशुनंलहमुन इतिलोकेपि-गृजन गाजर-इन चीजों को धोखेसे भक्षण करिके चांद्रायणकरै तव शरीर शुद्धिहोवै अन्यथा जानिकर खानेका प्रायश्चित्त नहीं है १७५॥

अधि०—ग्रामकुक्कुट और छत्राक इन दोनों का निषेध पहले हो चुकाथा पर यहांपर पुनरुक्ति इसहेतु से हुई कि पिआज आदि अति निषिद्ध वस्तुओं के समान इनका भी प्रायश्चित्त दर्शाना अंगीकार था-और इन्हीं को जानिब्रह्मि कर बहुत दिनोंखाने से द्विजाती पतित होजाता है सोई मनुजीका वाक्य प्रमाण है कि(छत्राकं विडूराहंच लशुनं ग्राम कुक्कुटम् । पलांडुंगृजनंचैव मत्याजगध्वापतेद्विजः) और जो बिनाजानेधोखे में खालेवै तिसके मध्ये भी मनुजी ने यह कहा है कि(अमत्यै तानिपट्जगध्वाकृच्छ्रंसां तपनंचरेत्) अर्थात्-बिनाजाने इन छःमेंसे कोई वस्तु खालेवै तो कृच्छ्र सांतपन नामका व्रत आचरै तव शरीर शुद्धि होवै-इस्से प्रत्यक्ष विदितहुआ कि इन वस्तुओंकोजानि करखानेपर प्रायश्चित्तसे भी शुद्धि नहीं होती क्योंकि केवल पतित होजानाहीलिखा उसका प्रायश्चित्त मनुजीने भी नहीं कहा १७५ ॥

अव नीचे भक्ष्य मांसोंको कहते हैं ॥

भक्ष्याःपंचनखाःसेधागोधाकच्छपशल्लाकाः । शशश्चमत्स्येष्वपिहिसिंहतुंडकरोहिताः १७६ ॥

तथापाठानराजीवसशल्काश्चद्विजातिभिः । अतःशृणुध्वंमांसस्यविधिंभक्षणवर्जने १७७ ॥

ऐ० सहद्वयोः—(सेधाश्वावित्) अर्थात् पंचनखोंमें एक मृग विशेष-गोधा गोही गोह इति च कच्छप कछुआ-शल्लाकसेह सेही-शश खरहा खरगोश-इतने पंचनखवाले भक्ष्य हैं अर्थात् वानर मार्जार आदि जो अनेक जीव पाँचनखोंवाले होतेहैं तिनमें यह इतने मांसखाने योग्य हैं-और मत्स्यों में भी(सिंहतुंडक) अर्थात् सिंहमुख नाम मच्छी (रोहित) कहिये लोहित वर्ण जिसको रोहू मच्छी कहते हैं १७६ तैसेही (पाठीन) जिसे पाठा या चंदानाम मछली कहते हैं-(राजीव) जो पद्मवर्ण की मच्छी होतीहै (सशल्का) अर्थात् जिस मच्छी के ऊपर सीपके आकार चिह्न हों-सब जाति की मछली में से इतनी मछली भी द्विजातियों को भक्ष्य हैं-इसके आगे तुम सब सुनौ मांसभक्षणके निषेध में जो विधि है १७७ ॥

अधि०—पंचनखों के प्रमाणमें गौतमजीका बचन-यथा (पंचनखाःशशशल्लाकश्वावि द्गोधाखड्गकच्छपाइति) इसीपर मनुजी का बचन-यथा (श्वाविधंशल्लाकं गोधां खड्ग कूर्मशशांस्तथा । भक्ष्यान् पंचनखेष्वहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतइति) और जो कि वसिष्ठजीने खड्ग नाम मृगके मांस भक्षण मध्ये कुछ विवाद पूर्वक अभक्ष्यत्व भी कहाहै सो वह श्राद्धके सिवाय अन्य दशापर कहा है क्योंकि इसके फल विशेष पर भी वाक्य प्र-

माण है कि (खड्गमांसैर्भवेद्दत्तमक्षय्यंपितृकर्मणिइति) उक्तमत्स्यों के भी प्रमाणमें मनुजी का वाक्य है कि (पाठीनरोहितावाद्यौनियुक्तौहव्यकव्ययोः। राजीवाः सिंहतुंडाश्च सशल्काश्चैवसर्वशइति) यह साधारण द्विजातियों के धर्म कहे अर्थात् इनमें स्नातक ब्राह्मण गिनती में नहीं है और शूद्र भी इस गिनतीमें नहीं है-क्योंकि शूद्र उस गिनती में आवेंगे जो नीचे अब चारों वर्ण के धर्म कहे जायेंगे परन्तु इसमें यह विचार दृष्टि अधिक है कि मांसादि भक्षणमें जो विधि शास्त्रोक्त भी प्रमाण पूर्वक लिखी है उसके आशय से कोई ऐसा द्विजाती नहीं भक्षणकरसक्ता है कि जिसके कुल या देश या जाति में उस बातका प्रचार नहीं है क्योंकि वह विधिभी केवल उन्हींके लिये कही है कि जो द्विजाती पूर्वकाल से ग्रहण करते चले आये हों और उस प्रकृति को अब छोड़ नहीं सके हैं-अन्यथा जो शास्त्रमें द्विजाती यह सामान्य संज्ञा अविशेष लिखी है उसके लिये वह वाक्य भी बाधक है जो १५५ के श्लोकमें कह चुके हैं-कि (अस्वर्ग्यं लोकवि द्विष्टं धर्मपर्य्याचरेन्नतु) १७६ । १७७ ॥

अथ चातुर्वर्ण्य धर्मों को कहते हैं ॥

प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । देवान्पितृन्समभ्यर्च्य स्वादन्मांसं न दोषभाक् १७८ ॥

अक्ष०-प्राणोंके अत्ययमें तथा श्राद्धमें प्रोक्षित मांस द्विजकामनासे साधाहुआ मांस देवताओंको पितरोंको सम्यक् अभ्यर्चना करके मांस खाते हुये दोषभागी नहीं १७८ ॥

अभि०-प्राणों का अत्यय कहिये नाश हुआ जाता हो जैसे अन्नकी प्राप्ति नहीं है या कोई रोग ऐसा है कि वह मांस के खाने बिना प्राण ले जायगा तो निःसंदेह प्राणों की रक्षाके लिये उसका भक्षण नियमों के साथ करै-तैसेही श्राद्धमें निमंत्रित हुआ भी नियम से खावै-प्रोक्षित मांस अर्थात् प्रोक्षण नामसे वेद विधिमें पशुका संस्कार जो कहा है उसके अनुसार जो पशु संस्कृत किया गया हो अर्थात् अग्नीषोमीय आदि यज्ञों में विधि सहित होमा गया हो उसका शेष मांस-द्विजकाम्यया अर्थात् ब्रह्मभोज के निमित्तसे और देवअर्चाके निमित्तसे-और पितृकर्मके निमित्त से जो मांस साधन हुआ हो उसके खाने से दोषभागी नहीं होसक्ता १७८ ॥

अधि०-नियमसे भक्षणकरना यह कि जैसी उसकी विधि या निषेध ऊपरसे कहते चले आते हैं उसके अनुसार-प्राणोंकी रक्षाके लिये जो कहा है सो प्राणोंकी रक्षा सब धर्मोंके ऊपर प्रधान है-यथा (सर्वतश्चात्मानं गोपयेदित्यात्मरक्षणविधानस्य-तस्मादिह न पुरायुषः स्वः कामी प्रेयादिति मरणनिषेधस्तु) अर्थात्-आत्मा जो प्राण अथवा शरीर है तिसको सबसेही अधिक समुक्तकर रक्षाकरै यह आत्मरक्षण विधान है-तिस हेतुसे इह संसारमें स्वर्गकी कामनावाला आयुसे पहले न परलोक जावै यह निरर्थ मरणका निषेध भी है-और श्राद्धमें निमंत्रित हुआ भी नियमोंसे मांस भक्षणकरै यह कहा है तहां निमंत्रण चाहै ब्राह्म-

एत्वकाहो अथवा गोत्रित्वका क्योंकि यह रथल चारों वर्णके मध्ये कहरहेहैं और श्राद्ध में न भक्षण करने का दोष भी मनुजीने कहा है कि ( यथाविधि नियुक्तस्तुयोमांसना त्तिमानवः । सप्रेत्यपशुतांयातिसंभवानेकविंशतिस् ) अर्थात्-जो मानव यथाविधिसे नियुक्त हुआ भी मांस नहीं खावे है सो मरे पीछे इक्कीस जन्मताई पशु योनिमें जाताहै-परंतु इस दोष में भी यह बड़ा निर्वाह पायाजाता है कि जो यथा विधिसे नौतागया हो वह न खावे तो दोष भागी हो पर जो उस भेद को न जानेविना नौति दियागया हो और न खावे तो दोष भागी नहीं है इसलिये जिसको उसवातका त्याग है वह उस प्रकार के निमंत्रण कोही यथा विधिसे क्यों मानैगा-यथाविधिसे नियुक्तहोनायह कि जब श्राद्धसे पहले दिन सायंकालमें उसको शास्त्रोक्त विधिसे पादप्रक्षालन आदि प्रकारों से नौतादियागया और यह सुना दियागया कि तुम आज ब्रह्मचर्य आदि संयमसे रहना और भोजनमें असुकामुक वस्तु भोजन करनी पड़ेंगी तब उसने अधिक दक्षिणा या वस्त्रादिक मिलना सुनिकर लोभ लालच से अंगीकार करलिया पर भोजन समय विवेकी बना तो निःसंदेह दोषभागी है ऐसेही जहां केवल गोत्रित्व भाव का निमंत्रण है या साधारण है तहां भी प्रथम उसवात का संबोधनहो-और प्रोक्षित मांस जो यज्ञोंमें संस्कार विधिसे संसाधनहुआ उसको यज्ञका यजमानही नहीं खावे तो यज्ञमें असिद्धि कही है-अन्यथा मांस वहभी यज्ञार्थ है जो केवल भृत्यभरणापेक्षा से संपादन हुआहो क्योंकि-भृत्यभरणभी एक प्रकारका यज्ञ है-ऐसेही अतिथि आदि का सत्कार करना यह भी एक यज्ञ है इसमें से भी जो सत्कार से बचाहुआ मांस वह यज्ञार्थसंज्ञावानहै-और दोषभागी न होना इसका यहसिद्धांतहै कि दैवयोगसे स्वतः इन प्रकारों के आनि पड़ने में खाने से दोष भागी नहीं पर केवल मांस की अभिरुचि सेही इन यज्ञों का प्रारम्भ करिके मांस खाने से निःसंदेह दोषभागीहोगा इस्से जिन जीवों का मांसखाना भी १७६ और १७७ श्लोकमें उचित लिखचुके हैं उनका मांस भी इस १७८ में कहीहुई मर्यादों से रहित खानेवाला निःसंदेह दोषभागीहोगा सोई नीचे कहते हैं १७८ ॥

वसेत्सनरकेघोरेदिनानिपशुरोमभिः । संमितानिदुराचारोयोहंत्यविधिनापशून् १७९ ॥

ऐ०-वह दुराचारी जो पशुओंको विधिविनामारैहै सो घोर नरक में उतनी संख्या के दिनों ताई बसता है जितने उस पशु के रोमा हों १७९ ॥

अब मांसके परित्याग का फल कहते हैं ॥

सर्वान्कामानवाप्नोतिहयमेधफलंतथा । गृहेपिनिवसन्विप्रोमुनिर्मांसविर्वर्जनात् १८० ॥

ऐ०-सब कामनाओं को पूराकरि पावे है और अश्वमेधयज्ञका फलभी तथा गृह में निवास करताहुआ भी विप्र मांस के छोड़ने से मुनि होता है १८० ॥



अधि०-विप्रके उपलक्षणसे चारोंवर्ण संभवित हैं-और मुनि होताहै अर्थात् मुनि के तुल्यमाननीय बिना तपस्याके भी होता है-अश्वमेध फलके विषयमें मनुजी ने भी कहा है कि-(वर्षेवर्षेऽश्वमेधेनयोयजेतशतंसमाः । मांसानिचनखादेद्यस्तयोःपुण्यफलंस मम्)अर्थात् एक तौ वह पुरुष जो हरसाल अश्वमेध यज्ञसे सौ वर्षताई प्रभुकायजन करै और एक वह जिस्से कुछ और तौ न होसकै पर मांसों को न खावै इन दोनोंका पुण्यफल बराबर होता है १८० ॥

इतिभक्ष्याऽभक्ष्यप्रकरणम् ॥

अथ द्रव्यशुद्धिकथनम् ॥

सौवर्णराजताब्जानामूर्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम् । शाकरज्जुमूलफलवासोविदलचर्मणाम् १८१ ॥

पात्राणांचमसानांचवारिणाशुद्धिरिष्यते । चरुस्त्रुक्स्त्रुवसस्नेहपात्राण्युष्णेनवारिणा १८२ ॥

ऐ० सहद्वयोः-(सौवर्ण) कहिये सुवर्णकेपात्र-( राजत) रजतके पात्र अर्थात् चांदीकेबने हुये-(अब्ज) अर्थात् मुक्ताफल शंखसीपी आदि चीजें-(ऊर्ध्वपात्र) अर्थात् यज्ञसंबंधी उ लूखलआदि इति मिताक्षराकारःयद्वा ऊर्ध्वपात्र सुवर्ण और रजत इन दो धातुओंसे ऊर्ध्व उपरांत जो अन्य धातु ताम्र आदि तिनके पात्र-(ग्रह) अर्थात् यज्ञ संबंधी सोम धारणपात्रआदि यथा(सौत्रामण्यांसुराग्रहान्गृह्णाति इतिवाक्यप्रमाणात्) (अश्वम) जो पत्थरके सिलवट्टाआदि अनेकप्रसिद्धहैं इनसबोंकीशुद्धि और-(शाक) सागतरकारी या- वन्मात्र होतेहैं-(रज्जु)रस्सी डोरीआदि-(मूल)आर्द्रक आदि यावन्मात्र नानामूल वस्तु होतीहैं-(फल)आम्र आदि यावन्मात्र खानेयोग्य होते हैं-(वासो)वस्त्रमात्र-(विदल)वैणव आदि किंतु वांसआदिसे जो वस्तुपिटारी बिलहरा आदि बुनीजातीहैं-(चर्म)चामवक- रीआदिका-इनसबोंकी शुद्धि १८१ और (पात्र) अर्थात् प्रोक्षणी पात्रआदि-(चमस)अ- र्थात् होतृचमसआदि और काष्ठका वनाया हुआ यज्ञपात्रोंमेंसे एकपात्र विशेष और सोमपान पात्रकोभी चमसकहतेहैं-इनसबोंकी शुद्धिकेवलजल से होतीहै परउस अव- स्थामें कि जो किसीवस्तुकालेप इनमेंनहींहो अर्थात् केवल उच्छिष्टवस्तुके स्पर्शमात्र की भ्रांतिमें जलसे धोलेना उचितहै और जोउच्छिष्टादिका लेपभीहोवै तौभस्ममृत्ति- का गोमयआदिसे शुद्धकिये पीछे जलसेधोवै-और(चरु)कहिये चरुस्थाली-(स्त्रुक्)और (स्त्रुवा)यह दोनों होमके उपकरण प्रसिद्धहैं यह और अन्यभी जो चिकनाई लगे पात्र हों सो सबउष्ण जलसे प्रक्षालनकरै तवशुद्धहोवें १८२ ॥

अधि०-यद्यपि वकरी आदिके चर्मकी शुद्धिभी जलसे कही और लोकमें यहभीप्र- सिद्धहै कि चर्मकी शुद्धितैलादि स्नेहोंसे होतीहै सोभी असंगत नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणमें कुतर्क नहीं होसक्ती परन्तु इसमें यह आशय है कि जैसे चामकामड़ाहुआ संदूक वा पिटाला अथवा खड्गका पड़तला आदि कोई वस्तु जो अवश्यवर्त्तावामें

रहती है उसके ऊपर काक या विलाई आदि कोई बीटकर देवे तो प्रथम जलसे प्रक्षालन करे फिर सूखे पीछे तैलका स्पर्श करे तब शुद्ध होती है ऐसे ही बुद्धिका विचार सर्वत्र मुख्य है कुछ लिखे पर भी केवल आरूढ़ता नहीं होसकी क्योंकि अभी ऊपर ऐक्यार्थ में कह चुके हैं कि विना लेपकी वस्तुकेवल जलसे शुद्ध होती है और उन्हीं वस्तुओंमें चामको भी गिनती कर चुके हैं और यथार्थमें चामजलसे भी गजाने पर प्रत्यक्ष अशुद्ध हो जाता है परन्तु वह संघातवाक्यथा इसलिये उसमें भिन्न २ वस्तुपर दृष्टि डालकर यथायोग्य व्यापार करना उचित है क्योंकि उच्छिष्टादिके स्पर्शमात्र की भ्रांतिमें केवल जलसे प्रक्षालन कहा तो चर्मके साथमें स्पर्श भ्रांति यह असंगत है क्योंकि जब चर्म की वस्तुमें केवल स्पर्शमात्रकी भ्रांति है तब जल से धोना अनुचित है किंतु केवल तैलके घर्षण मात्र से उसकी शुद्धि हो जायगी अन्यथा जलसे धोना उसी अवस्थामें उचित है कि जब पूर्वोक्त अनुसार विष्टा आदिकालेप होजाय ऐसे ही प्रत्येक वस्तुका भिन्न २ निर्णय कर लेना उचित है-मनुजी का वाक्य-(निर्लेपं कांचनं भांडमद्रि रेव विशुद्ध्यति । अब्जमश्ममयंचैव राजतंचानुपस्कृतम्)-अर्थात् कांचनका पात्र जिसमें किसी उच्छिष्ट का लेप नहीं होवे वह जलोंसे ही शुद्ध होजाता है और अब्जकहिये शंख सीपी मुक्ताफल आदि चीजें तथा अश्ममय कहिये पत्थरकी पियाली आदि जो कुछ होता हो और राजत कहिये चांदी के पात्र आदि यह सब जल से शुद्ध होजाते हैं परन्तु जो अनुपस्कृत हों अर्थात् जिनमें रेखा खुदी होवे कूची आदिसे रगड़नेपर शुद्ध होवेंगे-और जिनमें किसी वस्तु का लेप लगा हो उच्छिष्ट आदि तिनके मध्ये मनुजी ने कहा है कि-(तैजसानां मणीनांच सर्वस्याश्ममयस्य च । भस्मनाद्भिर्मृदाचैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः)-अर्थात्-चांदी आदि सवधातुओंके और मणियोंके और सर्वजाति के पत्थर के भी जो पात्र आदिलेप सहित होवें उनकी शुद्धि भस्म और जलसे अथवा मृत्तिका और जलसे बुद्धिमानों ने कही है-अन्यथा जिन पात्रों में काक अथवा श्वान आदि मलीन जीव मुख डालें उनकी शुद्धि जो धातुके होवें तो अग्निमें देनेसे अथवा जो पत्थर या सीपी आदिके होवें तो शाण अर्थात् खराद आदि से खुचाने पर शुद्ध होते हैं १८१ । १८२ ॥

स्वयं शूर्पाजिनधान्यानां मुसलोलूखलानसां । प्रोक्षणं संहतानांच बहूनांधान्यवाससां १८३ ॥  
 ऐ०-(स्वयं) अर्थात् वज्रजो एक प्रकार का यज्ञांग होता है-(शूर्प) सूपया ब्राजके नाम से प्रसिद्ध है (अजिन) यद्यपि चर्म मात्रका नाम है पर चर्मको पहले १८१में भी कह चुके हैं इसलिये यहां पर वह मृगछाला आदि चर्म समुझने जो यज्ञादि कर्म या पूजनपाठ में काम आते हैं-(धान्य) नाजमात्र-इन सबों की शुद्धि और-(मुसल) मुसल जो अन्नादि कूटने का होता है-(उलूखल) ओखली या गाली प्रसिद्ध है-(मनः) शकट अर्थात् गाड़ी

आदि यानयंत्र (एतेषांप्रोक्षणशुद्धिः) अर्थात् इनकी शुद्धिजलका छींटा देनेसेही हो-  
जाती है ( तथैवसंहतानांबहूनांधान्यवाससांचशुद्धिःप्रोक्षणं ) अर्थात् बहुत से अन्न  
और वस्त्रों का संघात कहिये ढेर लगाहो उनकी शुद्धि भी केवल जल के छींटा मात्र  
से होजाती है ॥

अधि०—यहां पर धान्य या वस्त्रादि वस्तुओंका ढेर किंतु राशि जो कही सो अशु-  
चिके स्पर्श की अपेक्षा में कही है तिसका शास्त्रांतर वाक्यों से यह विवेक है कि उस  
राशिमें से एक और थोड़ी या बहुत वस्तु को कोई चांडाल आदि छूजावै या कुछ म-  
लीनता लगजावे तौ उसमें से जितनी वस्तु अशुद्धहुई हो उतनी की शुद्धि तौ उसी  
रीति से करी जायगी जैसे पूर्व से कहतेचले आतेहैं शेषकी शुद्धि केवल जलके छींटा  
दनेसे (दृष्टान्त)जैसे एक गठरीभर कपड़े सुखानेको रक्खेगये उनमें काकनेविष्ठाकरदिया  
तौ जहां२ विष्ठाका स्पर्शहुआहो तहां२ तौ पूर्वोक्तरीतोंसे धोनाचाहिये शेष और सब  
कपड़े जलके छींटा सेही शुद्धहो जायेंगे-तथाचस्मृत्यंतरम् (वस्त्रधान्यादिराशीनामेकदे  
शस्यदूषणात्तावन्मात्रंसमुद्धृत्यशेषंप्रोक्षणमर्हति) इसका अर्थ ऊपरके कथनसे प्रकट  
होचुका-अथवा जिसराशिमें बहुतसाविभाग तौ छुयागयाहो और थोडासा बिनाछुया  
शेषहो तहां समस्तराशिमात्रका धोडालना उचितहै क्योंकि थोड़ीसी जो नहीं छुईगई  
उसकाधोना तौ उस बहुतकेस्पर्श दोषसे १८१-१८२ में कहचुके हैं और बहुतसी जो  
चांडालादिने छुई या किसी मलीनवस्तुसे लिपगई उसकाधोना प्रत्यक्षही संभवितहै  
किंतु अशुचिलेपकी शुद्धि विना धोने के नहीं होती चाहैं थोड़ी हो या बहुत-सोई  
मनुजी ने भी कहा है-कि ( अद्भिस्तुप्रोक्षणंशौचंबहूनांधान्यवाससाम् । प्रक्षालनेनत्व  
ल्पानामद्भिःशौचंविधीयते ) अर्थात्-बहुतसेधान्यवस्त्रादिकोंकाशुद्धहोनां जलोंके छींटा  
से और थोडोंका शुद्धहोना भ्रांतिमेंभी जलोंसे धोनेपर होताहै-इसी कहेहुये न्यायसे  
जिस राशिमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों भाग बराबरहों उसको समस्त धोडालना उ-  
चितहै-जहां यह विवेक निश्चय नहीं होसक्ताहो कि इस राशिमें कितना भाग शुद्धहै  
कितना अशुद्ध परस्पर्श दोषकी भ्रांति प्रत्यक्षहै तहांभी समस्तका धोडालना संभवित  
है-इसी न्यायसे जो वस्तु पंद्रहदिवस ताई विना वर्त्तवा अज्ञातभावसे रक्खी रहीहो  
उसकोभी वर्त्तविके समय जलका छींटा देकर शुद्ध करलेना उचितहै-इसी न्यायसे उन  
धान्य वस्त्रादिकोंकाभी जलके छींटासे शुद्ध करलेना उचितहै कि जिनको अनेक पुरुष  
ढोढोकर भारवाही से लातेहों चाहैं उनमें स्पर्श अथवा अस्पर्शकाविवेकहो या नहो-  
(दृष्टान्त) यथा रेलारख्य धूम्राकर्षक यानसे उत्तीर्णहोनेपर अनेक भारवाहों से वस्त्रादि  
उठवाना पड़ता है एवं अन्यदशाओंमेंभी समझलेना १८३-यहां ताई मूलके तीन  
श्लोकोंमें यद्यपि कहीं २ अर्थकी पंक्तिमें काक विष्ठा आदिके लेपका दृष्टान्तभी दिया

हैं पर शास्त्रवक्ताका अभिप्राय यहां तक निर्लेप शुद्धिमें है किन्तु जो वस्तु चांडाल आदिने झूलीहोवे उसका शुद्धिविधान कहाहै सलेप शुद्धिके विषयमें अब आगे कहते हैं और अबतक जो कहींकहीं लेपका दृष्टान्त दियाथा वह केवल इसलियेहै कि थोड़ी बुद्धिवालोंकीभी समझमें सुगमतासे आजावै ॥

तक्षणंदारुशृंगास्थनांगोवालेःफलसंभुवां । मार्जनयज्ञपात्राणांपाणिनायज्ञकर्मणि १८४ ॥

ऐ०—(दारु) कहिये काष्ठके पात्र-(शृंग) मेप महिपादि पशुओंके सींगोंसे बनेहुयेपात्र-(अस्थि) हाड़ अथवा दांत जो हाथी और बनबाराह यद्वा वारहसिंगा आदि जीवोंके वर्त्तवमें आतेहैं तथैव हाड़के उपलक्षणसे शंख वा सीपी आदिभी इन सबोंकी शुद्धि (तक्षण) कर्मसे होती है और (फल) अर्थात् विल्वादि फलोंकी खोपड़ी यद्वा नारिअर का ठीकरा यद्वा तोमड़ीका तूँवा इनसे बनीहुई वस्तुओंकी शुद्धि गऊके बालोंकी कूँची से यथा संभव जल मृत्तिका सहित रगड़नेसे होती है-यज्ञकर्मके बीच जो यज्ञसम्बन्धी अनेक सामान्यपात्र होते हैं तिनकी शुद्धि केवल हाथसे कुशाओंकी कूँची अथवा दशा पवित्र थांभकर जलमात्रसे होती है किन्तु भस्म या मृत्तिकाका कुछ काम नहीं और (दशापवित्र) साफा वा अँगोछाको कहते हैं पर अंग पोंछनेका नहो किन्तु केवल नवीन बस्त्रका टुकड़ाहो-यज्ञोंका यहभी एक संस्कार भूतकर्मका अंगहै कि जिस रीतिसे कहा हो उसी रीतिसे करना किन्तु मनसौजी नहीं १८४ ॥

अधि०—(तक्षण) कर्म उसको कहते हैं कि जो कोई वस्तु घिसीजावै या झीलीजावै जिस्से कुछ पतली होजाय सोई कहाहै कि काष्ठ सींग हाड़ दांतोंके पात्र जो जूठ या चिकनाई आदिसे लिपटेहों और भस्म जल मृत्तिकादिसे धोने परभी लेप दोष नहीं दूर होसक्ताहो तौ उतने स्थलको ऐसा किसी कंकण या लोहे आदिसे घसिडालै जिस्से वह लेप या चिकनाई या दुर्गंधि उसकी उड़जावै-परंतु जो जल मृत्तिकासेही रगड़ने से शुद्ध होसक्ताहो तौ इस बातकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि लेपवाली सामान्यभावसे सभीवस्तुका शोधना प्रथम जल मट्टीसे कहा है-यथा (यावन्नापैत्यमेध्याक्तोगंधोलेपश्चतत्कृतः । तावन्मृद्धारिवादेयंसर्वासुद्रव्यशुद्धिषु) अर्थात्-सभी प्रकारकी द्रव्यशुद्धि के विषयमें जबताई अशुचि वस्तु का लगाहुआ लेप या उसकी करीहुई दुर्गंधि दूर नहीं होवै तबताई बारम्बार मृत्तिका और जलसे शोधन करता रहै-गऊ के बालोंकी कूँची यह एक निदर्शनमात्रहै किन्तु घोड़े के बाल और मूँज आदि औरभी उचित वस्तुओंकी कूँची संभवित है १८४ ॥

सोपैरुदकगोमूत्रैःशुध्यत्याविककौशिकं । सश्रीफलैरंशुपटंसारिष्टैःकुतपंतथा १८५ ॥

ऐ०—सोषैः अर्थात् सहित ऊषर मृत्तिकाके उदक और गोमूत्रों से शुद्धहोता है (आविक) जो ऊनी बस्त्र प्रसिद्ध है और (कौशिक) जो रेशमी आदि कहाता है-बहमी-

(भ्रंशुपट्ट) अर्थात् किसी देशके वृक्ष विशेषते उत्पन्न हुये बल्कल सूत्रों से बुनाहुआ वस्त्र सो यह श्रीफल सहित शुद्ध होता है अर्थात् श्रीफल जो बेल तिसका औटाया जल अथवा गूदाही यथा संभव और पूर्वोक्त गोमूत्र और ऊषर मृत्तिकाभी इनसबों से शोधाजाय तब शुद्ध होवे-तथा (कुतप) कहिये पहाड़ी बकरी के रोमा से बुनाहुआ ऊनवस्त्र सो रीठासहित पूर्वोक्तचीजोंसे धोयाजाय तब शुद्धहोवै पूर्वोक्त अर्थात् ऊषर मृत्तिका और गोमूत्र इनमें रीठाका फेन भी मिलावे अथवा पहले पूर्वोक्तों से धोकर पीछे रीठाके फेन से शोधै यह भावहै-ऊषर मृत्तिकारेहको कहते हैं जिसको धोवीखर्च में लातेहैं-जहांरेह गोमूत्र बेल जलकई वस्तु कहीहैं तहां कुछ यही सिद्धांत नहीं है कि सब चीजें मिलालीजावें अर्थात् किसीसे पहले किसीसे पीछे किंतु जैसी उसकीक्रिया उसकामके ज्ञाता को संबिदित हो सो उचित है ॥

अधि०-इस श्लोकमें कही हुई क्रिया उस अवस्थामें करनी योग्य है कि जबकोई चिकनाई आदिकी जूठ या अशुद्ध वस्तु का लेप दृढ़तर उन वस्त्रों में प्रवेश होगया हो-अर्थात् जहां किंचित्मात्र लेशहुआ हो तहां छिटा आदि साधारण क्रियाओं से काम चलावै क्योंकि उसप्रकारके वस्त्रोंसे गाढ़ीधोव नहीं सहीजाती किंतु गाढ़ीधोव से फट जाते या भूड़जाते हैं और शुद्धि का करना उस भांतिसे अपेक्षित है जिस्से वस्त्रादि द्रव्यों का विनाश नहीं होनेपावै-सोई इसका प्रमाण देवल ऋषिने प्रथम तौ यह कहाहै कि-(ऊर्णाकौशेयकुतपपट्टक्षौमदुकूलजाः । अल्पाशौचाभवत्येतेशोषण प्रोक्षणादिभिः)-अर्थात् उनके रेशमके पहाड़ी उनके वृक्षकी छालिके क्षौम कहिये अतसी तन्तुके दुकूल कहिये और भी बारीक बहुमूल्य वाले वस्त्र यह सब अल्पाशौच होतेहैं अर्थात् ये स्पर्श दोषमात्रसे किंचित् अशुद्ध समझेजाते हैं इसलिये केवल धूपमें सुखाने अथवा जलसे छिड़क देनेसेही शुद्ध होजाते और आदि शब्द से कभी वायुके संयोगसेही किन्तु पवन चलतीमें फैलानेसे विना धूपकेभी शुद्ध होजाते हैं कभी भाड़ने फटकारनेसेही शुद्ध होजातेहैं जहां जैसा सम्भवहो-यह कहकर फिर उन्हीं देवल ऋषिने यहकहाहै कि (तान्येवामेध्ययुक्तानिक्षालयेच्छोधनैःस्वकैः । धान्यकलकैस्तुफलजैरसैःक्षारानुगैरपि) अर्थात्-वेही पूर्वोक्त वस्त्र जो किसी अमेध्य वस्तुसे लिटपजावें तौ उनको भी अपने २ शोधन प्रकारोंसे धोवै तबशुद्धिहो परन्तु धोवी आदिसे नहीं धुवावै किंतु अपने हाथसे बनायेहुये धान्य कल्क अर्थात् वेशन या चूनपिट्टी आदि जहां जिसकी योग्यताहो तिनसे और नींबू अथवा रीठाआदि फलकेरसोंसे जो क्षार कहिये रेह अथवा चूना कलई आदिसे मिलेहों तिनसे अपने हाथसेही धोवै-यद्यपि ऊर्णा वस्त्रको सबके साथमें पहलेही कहचुकेहैं पर वेही देवल ऋषि अब ऐसे उन आदि वस्त्रोंको कहतेहैं कि जिनमें कभी सूतकाभी संयोग हुआकरता है अथवा चाहे

केवलभीहों-तथाच(तूतकामपधानंचपुष्परक्तांवरंतथा। शोपयित्वातपेकिंचित्करैःसंमार्जयेन्मुहुः। पश्चात्रवारिणाप्रोक्ष्यविनियुंजीतकर्मणि। तान्यप्यतिमलिष्ठानियथावत्परिशोधयेत्)-अर्थात्-तूलिकाकहिये तोसकवा गलीचा और उपधान कहिये तकिआ तथा कुसुम कुंकुम आदि पुष्पोंके रँगोहुये रक्तांवर जो धोव नहीं सहसकेहों यद्वा रक्तांवरके उपलक्षणसे पीतांवरभी जोहरिद्रा आदिसे कच्चे रँगवालेहों किंतु मंजिष्ठआदिपके रँगवालोंको छोड़कर इनकहे हुये वस्त्रोंको थोड़ेलेपकी भ्रांतिमें मध्यमधामसे सुखाकर उतने खंटको दोनों हाथसे बारम्बार मीजै मसलै जिस्से वह अमेध्यलेपभड़ जावै तिसपीछे जलके छीटादेकर वर्त्तावामें लगावे-और जो वेही कपड़े अतिशय मलीनहोवें तौ उनकोभी पूर्वोक्तीतोसे यथावत् प्रक्षालन करवावे-सोई शंखजीनेभी एकपदमें यहकह दियाहै कि-रागद्रव्याणिप्रोक्षितानिशुचीनीति-अर्थात् रँगवालीची जै छिड़कडालनेसे शुद्ध होजातीहैं १८५ ॥

सगौरसर्वपैःक्षौमंपुनःपाकान्महीमयम् । कारुहस्तश्शुचिःपरयंभैक्ष्ययोपिन्मुखंतथा १८६ ॥

ऐ०-पीली सरसोंके चर्ण सहित जल गोमूत्रोंसे पूर्वोक्त (क्षौम)अर्थात् अतसीतंतुनिर्मित वस्त्रकी शुद्धीहोतीहै-और (महीमय)कहिये मट्टीके पात्र जो अन्नादि उच्छिष्टसेलिटेहों उनकी शुद्धि फिर अग्निमें पकानेसे होजातीहै-(कारु) जाती लोगोंका हाथ सदा शुद्धहोताहै-एवं(परय)वस्तु अर्थात् जो अन्नअथवा नोनमिठाई आदि विक्रयकरनेके निमित्तसे खोलकरदूकान आगे धरीजाती है जिसमें अनेकोंका हाथपाँव लगजाताहै वह भी सदाशुद्धहै-तथैव(भैक्ष्य)कहिये भिक्षाका अन्न जो अनेक घरसे ब्रह्मचारी आदिकोंई आश्रमीलायाहो वहभी सदाशुद्धहै-तथैव(योपित)कहिये भार्याका मुखभी भोग समय सदाशुद्ध है वरन स्मृत्यंतर मतसे रति कालमें स्त्रीका सर्वांग शुद्धहोताहै और स्त्रियां पादत्राण विनामलीन मार्गके आक्रमणसे भी नहीं अशुद्ध होतीहैं १८६ ॥

अधि०-गोरीसरसोंके साथमें जल गोमूत्र यह दोनों १८५ के श्लोकमेंसे जोड़े गये क्योंकि उनका संबंध चला आताहै-(कारु)जातीके यह लोग कहलातेहैं रँगरेज क्षीपी धोबी सूपकार अर्थात् खटीक आदि जो ब्राज बनाताहो इत्यादि औरभी इनकाहाथ सदाशुद्ध केवल अपनेकारमें और कारकी अपेक्षासे सूतकादि दशाका सिद्धांतहै किंतु अन्यथा प्रत्यक्ष चांडालादि में गणनीयहैं-सोई सूतक दशाकी अपेक्षासे स्मृत्यंतरवाक्यभी दृढ़ताकारहै कि(कारवःशिल्पिनोवैद्यादासीदासास्तथैवच । राजानोराजभृत्याश्चसद्यःशौचाःप्रकीर्त्तिताः)अर्थात्-(कारव)कहिये कारुजाति के लोग जिनको अभीऊपरकहाथा-और(शिल्पी)कहिये राज बड़ईआदि कारीगरलोग-और वैद्य पेशावाले-औरदासी दास-तथैव राजालोग और उनके भृत्यवर्ग सेवक आदि यहसबलोग अपने २ घर सूतक होनेपरभी (सद्यःशौच) कहातेहैं अर्थात् इनकेलिये दशाहद्वादशाहआदि



अवधिकाबंधन नहीं है क्योंकि इनके संबंधीकामोंकी हानिसे अनेक संसारी फलसा-  
धकतामें अप्रमेय हानिहोजावे इसलिये धर्मशास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देता जिस्सेपर-  
महानिहोजानेकी संभावनाहो क्योंकि धर्मशास्त्रकेवल कल्याणके आशयपर आरूढ  
होताहै १८६ ॥

अब आगे भूशुद्धिकहते हैं ॥

भूशुद्धिर्माज्जनाद्वाहात्कालाद्गोक्रमणात्तथा । सेकादुल्लेखनाल्लेपाद्गृहंमार्जनलेपनात् १८७ ॥

अक्ष०—भूशुद्धि—मार्जनसे १ दाहसे २ कालसे ३ गोक्रमणसे ४ तथासेकते ५ उल्ले-  
खनते ६ लेपते ७ गृह मार्जनसे १ लेपसे २ । १८७ ॥

अभि०—बिगड़ी हुई धरती इनसात प्रकारोंसे शुद्धहोती है एक तौ भारने वहारने  
से १ लकड़ी घासफूस उसपर फूँकदेनेसे २ (काल)से कहनेका यहअभिप्रायहै कि जि-  
तने दिनों या महीनाओंतक सूनीपड़ीरहने या उसपर बहुत मनुष्योंकी चलाफिरीहो-  
नेसे उसधरतीका पहलादोष लेपादि अथवा जो कुछहो वहनाशहोसक्ताहो उतने  
कालमें आपही शुद्धहोजातीहै ३ ऐसेही जितने दिनोंतक गौओंके फिरने या बँधीर-  
हनेसे दोषदूर होसकै वह गोक्रमण कहाताहै ४(सेक)छिड़कावको भी कहतेहैं कहीं तौ  
दोषकी लघुता या गुरुताके अनुसार छिड़कावसेही शुद्धहोसक्ती है कहीं दोषकी अ-  
धिकता पर दूध गोमूत्र गोबरजल या गंगाजल इनसबका प्रसेक किया जावै या इन  
में से एकही दौवस्तु जो हाथलगै या दोषके अनुसार छिड़की जावे तब शुद्धहो तिस  
को (सेक) कहतेहैं-अथवा दैवयोगसे उसपर वर्षाहोजाय सो यह सबसेउत्तम(सेक)है ५  
(उल्लेखन) कर्म अर्थात् दोषके अनुसार उसधरतीको छीलडालै या खोदडालै ६ (लेप)  
शब्दसे चूनाकी गचकरनी मट्टीकालेस गोबरआदिसे लीपनापोतनासबसंबंधितहैं ७  
यहसात प्रकार जो धरती शोधनके कहेगये इनमेंसे जहां जैसी संभावना या योग्य-  
ताहो उसके अनुरूप सबके सब संस्कार कियेजावें अथवा जहां एकही दोप्रकारोंसे  
शुद्धि समझी जाय तहां एकही दोका करना उचितहै सोई नीचे अधिकोक्तिमें देखौ  
और नित्यके वर्त्तविका गृहस्थानभारने और लीपने पोतनेसेही शुद्धहोताहै क्योंकि  
यह इतना संस्कार नित्यकरना उचित है इस नित्यगृहसंस्कार कर्मको साधारण धर्म  
की शिक्षाओं मध्ये १५३ के श्लोकमें विस्तारसहित लिखचुकेहैं सोदेखलो १८७ ॥

अधि०—भूशुद्धिका प्रकार देवलऋषिनेभिन्न २ समभाकर कहाहै (तथाच) (यत्रप्र  
सूयतेनारीध्रियतेदह्यतेपिवा । चांडालाध्युषितंयत्रयत्रविष्ठादिसंगतिः । एवंकश्मलभू  
यिष्ठाभूरऽमेध्याप्रकीर्त्तिता । श्वशूकरखरोष्ठादिसंस्पृष्टादुष्टतांत्रजेत् । अंगारतुपकेशा  
स्थिभस्माद्यैर्मलिनाभवेत् । पंचधावाचतुर्धावाभूरमेध्यापिशुद्धयति । दुष्टान्वितात्रिधा  
द्वेधाशुद्धयतेमलिनैकधा ) अर्थात् जहां स्त्रीने प्रसव कियाहो १ जहां कोई मराहो २

जहां कोई फूँकागयाहो ३ जहां चांडाल आदि कोई बसाहो ४ जहां विष्ठा आदि कोई से महामलका संसर्ग रहाहो ५ इस भांति (कश्मल) कहिये मलोंसे यद्वा उक्त दोषोंसे दूषित हुई धरती (अमेध्या) कहलाती है १ इत्येकभेदः अर्थात् इन पांचों दोषवाली पृथ्वी एक अमेध्यानामसे विख्यात होती है-और कुत्ता शूकरगर्दभ उंट आदि अशुचि जीवोंसे विगाड़ीहुई (दुष्टा) कहलाती है २ इति द्वितीयोभेदः-अंगार-तुष कहिये भूसी कूड़ा आदि-केश बाल-अरिथ हाड़-भरमराख आदि और भी इन्होंसे विगाड़ीहुई धरती (मलिना) कहाती है किंतु केवल मेली गिनीजाती है कुछ बड़े दोषवाली नहीं ३ इति तृतीयोभेदः-इन तीनों भेदमें जैसे यह तीसरा सबसे छोटा गिनागया ऐसेही पहला सबसे बड़ाथा और बीचका मध्यमदोषहै इनकीबड़ाई छुटाईके अनुसारशुद्धिसंस्कारभी कियेजातेहैं सोई ऊपर (पंचधा)इत्यादि श्लोकसेदेवल ऋषिने यहकहाहै कि-तीन भेदोंके प्रथम भेदमें जिसधरतीको कई भांतिसे अमेध्याकहचुकेहैं वह(अमेध्या)धरती पंचधा अथवा चतुर्धा संस्कारोंसे शुद्धहोतीहै-और (दुष्टा)धरती जो विचले भेदमें कहीथी वहत्रिधा अथवा द्वेधा संस्कारोंसे शुद्धहोतीहै-और (मलिना)जो तीसरे भेदमें गिनती है वह एकधा संस्कारसेही शुद्धहो जातीहै ॥ इसअर्थका स्पष्टभाव यहहै कि याज्ञवल्क्य ऋषिने १८७ के इसी श्लोकमें जो सातप्रकारके भूसंस्कार कहेहैं उनमें से पंचधा वा चतुर्धा वा त्रेधा वा द्वेधा और एकधा देखलेने-अर्थात् जहां मनुष्यफूँकेगयेहों या चांडालवसेहों इनदो लक्षणोंवाली(अमेध्या)पंचधासंस्कारोंसे किंतुदहन१ काल२गोक्रमण३सेक४उल्लेखन५इनपांचोंके करनेसे शुद्धहोतीहै-औरजहांमनुष्योंका प्रसूतहुआहो या जहांपरमनुष्योंके प्राणछूटेहों या जहांअत्यन्त विष्ठाआदिकी संगतिहुईहो इनतीन लक्षणोंवाली (अमेध्या) चतुर्धासंस्कारोंसे किंतु अभी जो पंचधाकहे थे इनमें से एकदहनकहिये दाहको छोड़कर शेषचारों संस्कारकरै तब शुद्धहोवै अमेध्याके चतुर्धा पंचधाका स्पष्टकथनहो चुका अब (दुष्टा) के त्रिधाद्वेधाको स्पष्टकहे हैं कि जहां कुत्ता या सूअर या गर्दभ बहुत दिनोंवसेहों ऐसी(दुष्टा)तौ त्रेधा संस्कारोंसे किंतु गोक्रमण १ सेक २ उल्लेखन ३ इनतीनोंके करनेसे शुद्धहोतीहै-और जहां परउंट अथवा आदि शब्दसे मुर्गाआदि और कोई साधारणजीव कुछदिनों बसाहो तौ ऐसी(दुष्टा)द्वेधा संस्कारोंसे किंतु सेक १ और उल्लेखन२ इनदोहीसे शुद्धहोजाती है ॥ आगे(मलिना)शेषरही वह एकधा संस्कारसेही किंतु उल्लेखनकर्मसे शुद्धहोजातीहै ॥ इसप्रकार पांचसंस्कार याज्ञवल्क्यजीके कहेहुये यथास्थान कामआये पर उन्होंने सातकहेथे तिनमेंसे मार्जन कहिये (झारना)और(लेप)यह दोशेषरहे सोसर्वत्रकामआवेंगे किंतु उनकहे हुये संस्कारोंके भी साथमें पीछेसे यहदोनों अधिक लगेरहते हैं अर्थात् इनके बिनाकहीं काम नहीं चलता १८७ ॥

अब सिद्धान्त शुद्धिकहते हैं ॥

गोघ्रातेऽन्नेतथाकेशमक्षिकाकीटदूषिते । सलिलंभस्ममृद्वापिप्रक्षेप्तव्यंविशुद्धये १८८ ॥

ऐ०—गऊके सँघेहुये किंतु श्वासमारे हुये अन्नमें-तथा बाल मक्खी कीट पिपीलीकाआदि इनसे दूषितहुये अन्नमें उसकीशुद्धिके लिये यथासंभव अवसर या उसअन्नकी अपेक्षा अनुसारजल या भस्म जो अतिशुद्धपूजन आदि कर्मकी शेषहो या मृत्तिका जो निर्विकारहो सो किंचित् प्रक्षेपकरनीचाहिये-यहां पर अन्न जो संसिद्धहुआ भोजन योग्यहो तिसका चर्चाहै और अन्नशब्दसे कोई वस्तु जो खाने योग्यहो तिसकाभावहै-और बालोंके निदर्शनसे ऊनवस्त्रादिकेभी रोमसंभवितहैं-और सलिलआदिका यथासंभव यह अपेक्षितहै कि जिसवस्तुमें जलके पड़नेसे वस्तु बिगड़े नहीं उसमें तौ मुख्य जल काही प्रक्षेप उचितहै जैसे दही आदिमें-और जो वस्तु जलके पड़ने से बिगड़ सकतीहो जैसे बूराआदि इनमें भस्म या मृत्तिका उपकल्पहै १८८॥

अधि०—गौतम ऋषिने यहकहाहै कि (नित्यमभोज्यंकेशकीटावपन्नम्) अर्थात् जिसमें केशआदि या मक्खी मकरी आदि कोई कीट पड़गयाहो वह अन्न नित्यं प्रति अभोज्यहै किन्तु कभी नहीं खानाचाहिये-सो उनके इसकथनके दोसिद्धांत हैं किएक तौ जिसके साथ मिलकर केशकीटादिभी रँधगयेहों या पकगयेहों उसअन्नका परित्यागही उचितहै किंतु उसकी शुद्धि नहीं होसकती-दूसरे यह कि पकेहुये संसिद्ध अन्नमें जब केशकीटादि कुछपड़जावे या जुठार जावे तब उसमेंसे उतना अन्नअभोज्यहै जितनेके निकासडालनेसे दृष्टिकी भ्रांति या ग्लानि दूरहोजावे अर्थात् उतनेको निकासडालने पीछे संस्कारकरै जो जल मृत्तिका भस्मसे कहाहै १८८ ॥

अब सोना चांदीके सिवाय अन्य धातुओं और घृतादि रसोंकी शुद्धि कहते हैं ॥

त्रपुसीसकताम्राणांक्षाराम्लोदकवारिभिः । भस्माद्भिःकांस्यलोहानांशुद्धिःश्लावोद्रवस्यतु १८९ ॥

ऐ०—(त्रपु)कहिये रांग और जस्ता अर्थात् यसद-(सीसक,सीसा-तांबा और तांबे के उपलक्षण से पीतल भी इन सबोंकी शुद्धि क्षारोदक और अम्लोदक और केवल उदक से भी यथा संभव दोष विकारकी अपेक्षा अनुसार सबसे या एकहीदो उदकों से होतीहै-कांसा और लोहाइन्हीं की शुद्धि भस्मोदक अर्थात् भस्म और उदकमिले हुये अथवा भिन्न २ से भी होती है-औरद्रवस्य नाम द्रव द्रव्यस्य अर्थात् पिघलेहुये बहते द्रव्य जो घृत सहत आदि अनेक प्रसिद्ध हैं उनकी शुद्धि (श्लाव) कर्मसे होतीहै श्लावकहतेहैं वह चलनेको अर्थात् जिसपात्रमें रक्खेहुये घृतादि किसी द्रव्यको किसी प्रकार का अशुद्धि दोषलगतौ उसीपात्रमें वहीवस्तु अधिकमँगाकर ऊपरतक भरता चला आवे यहांतक कि वह उमड़कर पात्र के मुखमें से बहनेलगे तब उसमें मिल

कर वहभी शुद्धहोजायगा अन्यथा जहां यह वात असभवहो तहां नीचे अधिकोक्ति में लिखाहूआ मनुजी का प्रकार करै १८९ ॥

अधि०—मनुजी का वाक्य-यथा(द्रवाणांचैवसर्वेषांशुद्धिउत्पन्नंस्मृतम्)अर्थात्-स-वही द्रवरूप वस्तुओं की शुद्धि (उत्पन्न) कर्म कहा है-वस्त्रसे छानडालने को उत्पन्न कहने हैं-इसके सिवाय जो वस्तु किसी प्रकार से दूषित नहीं है पर शूद्रजातिकेपात्र में रक्खीआईहै जैसे गाड़िका रस सहत घी दूध आदि कोई द्रवरूप द्रव्य हो तौ वह बांधायन ऋषि के वाक्य अनुसार अपने घरके शुद्धपात्रमें भरलेने से पवित्र होजा-ताहै-इसके सिवाय शंखजी के वाक्य अनुसार उनवस्तुओं की शुद्धि (पुनःपचन) कर्म करने से होती है जो घृत के अनुरूप वस्तु हों और अधमजातिके हाथसे आईहों-घृत के अनुरूप कहने का यही सिद्धांत है कि जो वस्तु आगपर औटाने योग्य हो जैसा घी तेल दूध सहत रस आदि किंतु दही मट्टा आदि नहीं क्योंकि ये अग्निपर नहीं धरेजासके-भेद २-इसी १८९ श्लोकके अनंतरोक्त ऐक्यार्थमें क्षारोदक अम्लो-दक से जो ताम्रादिकों की शुद्धिकहीहै सो कुछ नित्य शुद्धिका विषय नहीं है और (यहभी) नियम नहींहै कि क्षारोदक अम्लोदकसे सिवाय और किसी वस्तुसे नशुद्धि करीजाय क्योंकि (नित्यशुद्धि)का विषय तौ १८९ के श्लोक में ऊर्ध्व पात्र शब्द से सब धातुओं का दर्शाय चुके हैं अर्थात् यहां पर क्षारोदक आदि से अति कालांतर शुद्धि कहीहै कि जिन पात्रोंमें अतिकाल वितीत होनेसे काई आदि जटिजावै तिनकीशुद्धि क्षारोदक अम्लोदकसे करै-सोई मनुजीने भी यहकहाहै कि(ताम्रायःकांस्यरैत्यानांत्रु-णः सीसकस्यच। शौचंयथाहैकर्तव्यंक्षाराम्लोदकवारिभिः) अर्थात्-ताँबा लोहा काँसा पीतल इनकेपात्रों वा रांगके पात्रों वा सीसेके पात्रोंका शौचकर्म किंतु परिशोधन करना सो क्षारोदक से अम्लोदकसे और केवलवारिनाम जलसे भी यथाहैकर्तव्यहै अर्थात् जैसीयोग्यतादेखै तैसाही उसमलकेअनुसार शोधनकरै-किंतु जो औरही किसीवस्तुसे होसकताहो तौ इनचीजोंकीभी कुछ आवश्यकता नहीं है-या-जबकभी विशेषदोषकी संभावनाहो तबकईचीजोंसे बारम्बारशोधनकरै-सोई यहवाक्यभी प्रमाणहै कि (गवा-घ्रातानिकांस्यानिशूद्रोच्छिष्टानियानिच । शुद्धयन्तिदशभिःक्षारैःश्वकाकोपहतानिच) अर्थात्-गऊकेसूँघे चाटेया शूद्रकेजूठेकिये या कौवा कुत्ता आदिके बिगाड़ेहुये ऐसेकांस्य पात्र क्षारोंसे दशबारशोधेजाकर शुद्धहोतेहैं-किंतु यह भावनहीं है कि दशप्रकारके क्षार इकट्ठेकरके शोधै-हां-जोकुछ दोचारअम्लोदक क्षारोदक आदि वस्तुमिलजावें तिनसे दशबार शोधनकरै यह भावार्थहै-और जोकि यहां पर केवल कांस्यकाचर्चा कियाहै सो भीयथार्थमेंनिदर्शनमार्गहै अर्थात् उसकासिद्धांत सभीपर आरूढ़है क्योंकिकाँसा तौबे औरराँग इनदोनोंसे बनताहै फिर उसीतांबेमें जसदकायोग होनेसे पीतल बनतीहै इस

हेतु काँसा कहनेसे सब आगये क्योंकि इनके परस्पर संबन्ध मिल रहे हैं—और जोकि यह वाक्य स्मृतियों में प्रसिद्ध है कि (भस्मना शुद्धयते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्धयति) अर्थात्-भस्मसे काँसा शुद्ध होता है—और खटाईसे ताँबा शुद्ध होता है—इस वाक्यसे यद्यपि भिन्न २ विशेषता पाई गई परन्तु यह विशेषता कुछ इसलिये नहीं है कि इनके सिवाय और किसी वस्तुसे न शोधै किंतु यह परमदशा दर्शाई है कि जब काँसा या ताँबा किसी और वस्तुसे न साफ हो सक्ता हो उस अवस्थामें यह दोनों वस्तु भिन्न २ इनकी निर्मलतामें उस्ताद हैं और यह भी नियम नहीं है यह पंक्ति जो ऊपर लिख चुके हैं तिसका साधारण शुद्धि वाक्यसे यह आशय है कि (मलसंयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकृत्) अर्थात्-जिस किसी वस्तुमें ऊपर से लगे हुये किसी मलसे जो कुछ दोष लांछन दाग उत्पन्न भया हो जैसे वस्त्रादिकों में तैल आदिका चिह्न जमजाता है यद्वा उसी वस्तुमें से कुछ विकार उत्पन्न भया हो जैसे मोर्चा काई आदि पात्र या शस्त्रादिकोंमें जमती है इस भाँतिके दोष जहां २ जिस २ वस्तुके लगाने या जिस किसी उपायके करनेसे दूर हो सकते हों तहां उन वस्तुओंका शोधन उन्हीं प्रकारोंसे करै अर्थात् निर्विघ्नता से कार्य की सिद्धि कर लेना यही मुख्य सिद्धांत है सो यह सभी प्रकारके द्रव्योंका शोधन प्रकार सामान्य भावसे कहा है—इसमर्यादकी अपेक्षा उस नियमकी भी दृढ़ता नहीं रही कि केवल क्षारोदक या अम्लोदक से ही धोवै तब शुद्धि हो—हां यह सिद्धांत है कि जब और किसी उपायसे शुद्ध नहीं हो सक्ता हो तब क्षारोदक या अम्लोदक में आलित करके रख छोड़ें कुछ काल पीछे जलसे शुद्ध कर लेवे तौ शीघ्र मल छुट जायगा यह परमदशावतलाई है—इसीलिये बौधायन ऋषि का यह वाक्य सर्वोपरि प्रमाण है कि (देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थांच ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्) अर्थात्-जब किसी वस्तुका परिशोधन करने की आवश्यकता आनिपरै तहां प्रथमतः देश १ काल २ आत्मा ३ द्रव्य ४ द्रव्यका प्रयोजन ५ उपपत्ति कहिये सिद्धान्त ६ अवस्था कहिये दशा ७ इन सातोंको जानिकर किंतु विधिपूर्वक इनका निर्णय करके तब उस द्रव्यका शौचकर्म आरम्भ करै—किंतु द्रव्यशुद्धिके विषयमें सर्वत्र या सर्वदा कुछ लिखे हुये नियम पर भी आरूढ़ता नहीं हो सकती क्योंकि किसी देशमें या किसी कालमें या किसी अवसरपर कोई वस्तु ऐसी है कि वह मिल ही नहीं सकती या मिल सकती है पर उस देश अथवा कालसे विरुद्ध है या उस द्रव्यकी अवस्थासे विरुद्ध है इत्यादि अनेक संकेत ऐसे हैं जिनके अनुसार कोई आग्रह करने लगे कि अमुक हेतुसे अमुक द्रव्यकी शुद्धि नहीं हो सकती अब इसका त्याग करना उचित है सो नहीं इसीसे बौधायन जीने संदेह दूर किया है कि जैसा देश अर्थात् जैसी जगह पर वह काम है तैसा ही विचार करै १ या जैसा काल अर्थात् ऋतु अथवा वर्तमान समयका अवसर संयोग २

से बारम्बार यहां तक मंजन करने से होती है कि जबतक उसमें से गंधादि अर्थात् दुर्गंधि और दाग चिह्न मिटजावें-वाक्शस्तसे भी शुद्धिहोती है अर्थात् यथोक्त रीतों से शौचकरने परभी मनकीभ्रांति नहीं जावे तब ब्राह्मणादि शस्तवाक्योंसे शुद्धिहोती है यथा ( एतत्शुद्धमस्तु )-इत्यादि ब्राह्मण वाक्यसहित जलका छींटालगनेसे यद्वा (अपवित्रःपवित्रोवा )-इत्यादि वेद मंत्रोंसहित जलका छींटालगनेसे मनकीभ्रांतिभीदूरहोजाती है तिसको (वाक्शस्त)-कहते हैं-अन्यथा अंबुनिर्णिकं अर्थात् जिनदशाओं की शुद्धिशास्त्रोक्त नहीं पाई जावे तहाँभी जलसे धोडालना कहा है या जहां परधोडालनाभी असंभवहो तहां केवल जलकेछींटाओंसे शुद्धिहोवैगी-और अज्ञातदोष सदाही शुचिहोता है अर्थात् जो कोईसी मलीनता देखने यद्वा सुननेमेंभी नहीं आईहो उसमें दोष नहीं है १९० ॥

अधि०-प्राणियोंके शरीरसे उत्पन्नहुये १२ मलप्रसिद्धहैं वेही अमेध्य कहिये अपवित्रकहलातेहैं तथाच(वसाशुक्रमसृङ्मज्जामूत्रविट्कर्णविड्मखाः । श्लेष्माश्रुदूषिकास्वेदोद्वादशैतेनणामलाः ) अर्थात्-वसाकहिये मेदा जो वसके नामसे प्रसिद्ध है १ शुक्र वीर्यको कहतेहैं २ असृक् रक्त ३ मज्जा जोहाडकी पोंगमेंसे मींगनिकलतीहै कुछ गीली कुछसूखी यह उसका स्वरूपहै ४ मूत्र ५ विट् विष्ठा ६ कर्णविट् कानकामैल ७ नख ८ श्लेष्म कफ खँखारआदि ९ अश्रु आँशु १० दूषिकाकीचर गीडनेत्रमल ११ स्वेद पसीना १२ यह बारहमल मनुष्योंके कहेहैं परसभी जीवोंका उपलक्षणहै-इनके साथ मद्यभीअमेध्यमेंगिनतीहै सोईकहाहै कि(मानुषास्थिशवंविष्टारेतोमूत्रार्तवंवसा । स्वेदोश्रुदूषिकाश्लेष्ममद्यंचामेध्यसुच्यते) अर्थात्-मनुष्यकाहाड-शवंमृतक-विष्ठा-रेतः शुक्र वीर्य-मूत्र-आर्तवं रजोदर्शनकारक्त-वसा-वस-स्वेदपसीना-अश्रु आँशु-दूषिका नेत्रमलश्लेष्मखँखार-मद्यंच मदिशभी यहइतने अमेध्यकहेजातेहैं-ऐसेमनु और देवल आदि सबनेकहाहै और मनुष्ययह एकनिदर्शनहै किंतु सभीजीवोंकेसमझने पर जब तक शरीरमें लगेरहें तबतक (अमेध्य)नहीं किंतु शरीरसे छूटजाने पर अमेध्य होतेहैं जैसे अंगुलीमेंसे नखकाट डालागया तब अशुद्धहुआ-इनकहेहुये अमेध्यमलोंसे जो वस्तु या अपना शरीरहीलितहो जावे तिसको (अमेध्याक्त)कहतेहैं-अमेध्याक्तकी शुद्धि जैसे याज्ञवल्क्यजीने मट्टी और जलसे कही तैसेही गौतमजीनेभी यहकहाहै कि(लेपगंधापकर्षणैःशौचममेध्यलित्तस्य)अर्थात् अमेध्यलित्तकाशौचलेप और गंधकेअपकर्षणकरनेके उपायोंसे करै तहां वे उपायभी मट्टी और जलसेही संभवितहैं(यथा-सर्व शुद्धिपुचप्रथमंमृत्तोयैरेवलेपगंधापकर्षणकार्यं ) अर्थात्-सभीविषयकी शुद्धियोंमें पहलेमट्टी और जलोंसेही लेप और दुर्गंधिकोदूरकरै जब इनसे न होसकै तब औरकिसी उपायसे जल मट्टी सहित-परन्तुकेवल नखके स्पर्शसे स्नान या मृत्तिकासे मंजन



या आत्मा कहिये शरीर यद्दामनबुद्धिसो किसकी किजिसको उसद्रव्यसेसंबंधहोतिसके अनुरूपविचारकरै ३ या द्रव्यजिसका शोधनकरना अपेक्षितहै उसके अनुरूपक्रियाकरै ४ या द्रव्यका प्रयोजन कि इस द्रव्यसे यहप्रयोजन आगेकोपरैगा या वर्तमानहै उसके अनुरूपकामकरै ५ या उपपत्तिकितुसिद्धान्तइनसेभी लक्षणोंकाजैसाकुछसंभवितहो उसको भी शोचै ६ या अवस्था कहिये दशा किंतु जैसीदशामें परिशोधनकी आवश्यकताहुईहां उसके अनुरूप शोधनकरै (दृष्टांत) जैसे एकदशा तौ ऐसे अवकाशकी है कि चाहें दशदिनों तकशोधनकरतेरहो कुछहानि नहीं है और एकदशा ऐसीहै कि तत्काल उसवस्तुसे आवश्यकताहै फिर अवस्था शब्द वयसकाभी वाचकहै अर्थात् जैसी उमिर उसवस्तुकीहो उसके अनुसार शोधनकरै (दृष्टांत) जैसे एक दुशालामें तैलादिस्नेहकागहिरा दागपड़गया जो विशेष परिशोधनसे छूटसकताहै परन्तु वहदुशाला ऐसाजीर्ण अवस्थाहै कि विशेष मर्दनसे झड़जायगा तौ ऐसी अवस्थामें थोड़ाही शोधनकरना थोड़ादाग शेषरहजायगा तौ चिंतानहीं परजो कदाचित् वहदाग दीप शेष तैलसे पड़ाहो जिसमें अनेक पतंग भस्महुयेथे और वहदुशाला ठेठकरपूजनके समय परिनियमित कामआताहै तौ उसजीर्ण अवस्थामें भी अधिक शोधनकरना उचितहै इत्यादि लक्षधाभेद अपनी बुद्धिसे विचारलेने तब उसकाम का आरंभकरना-इसप्रकरणमें जहां तहां कहीं क्षार और कहीं भस्मका चर्चा बहुधा आयाहै यद्यपि क्षारभस्मकोभी कहतेहैं परन्तु यहां उसमें भेदहै किंतु भस्मसे तौराखसमझनी और क्षार शब्दसे उचित खारोंका भावार्थहै जैसे रेहखार चूनाखार सज्जीखार आदि जहांपर जिसवस्तुके लिये जिसखारकी योग्यता लोकमें प्रसिद्धहो सोसमझलेना १८९ ॥ यहां ताई १८९ से लेकर १८९ तक नौश्लोकोंसे जो शुद्धि विषय वर्णन किया सो सबसोना चांदी रत्नताम्रादि धातु पत्थर काष्ठ वस्त्र शस्त्रादि अन्नादि वस्तुओंके परिशोधन मध्ये चांडालादि स्पर्श और मलके संयोग और स्नेह उच्छिष्टादिके लेप और अमेध्यादिकी उपघात दशाओंपर आरूढ़था अबआगे जो १९० में प्रारंभकरते हैं वहशुद्धि विषय मनुष्यके शरीरों पर आरूढ़है किंतु शरीरोंसे अमेध्यका स्पर्श यद्वा लेपहोने पर शुद्धिका प्रकारकहतेहैं पर इसकोभी शरीरोंके उपलक्षण से पूर्वोक्तवस्त्र शस्त्रादि पात्रादि द्रव्योंपर यथा संभव संबंधित करलेना यहसिद्धान्तहै ॥

अमेध्याक्तस्यमृत्तौथैःशुद्धिर्गंधादिकर्षणात् । वाक्शस्तमंबुनिर्णिक्तमज्ञातंचसदाशुचि १६० ॥

अक्ष०-अमेध्याक्तकी शुद्धि मट्टी जलोंकरके गंधादि अपकर्षणसे-वाक्शस्तभीशुचिहोताहै-अंबुनिर्णिक्तभी शुचिहोवे-और अज्ञातसदाही शुचिहोताहै १९० ॥

अभि०-अमेध्याक्त कहिये अमेध्यलिप्त शरीर या जिनका चर्चापहले ९ श्लोकोंमें होचुका है उन्हींमेंसे कोई द्रव्य अमेध्यमलसे लिपजावै तिसकी शुद्धि मट्टी और

या आत्मा कहिये शरीर यद्दामनबुद्धिसो किसकी किजिसको उसद्रव्यसेसंबंधहोतिस-  
के अनुरूपविचारकरै ३ या द्रव्यजिसका शोधनकरना अपेक्षितहै उसकेअनुरूपक्रि-  
याकरै ४ याद्रव्यका प्रयोजन कि इस द्रव्यसे यहप्रयोजन आगेकोपरैगा या वर्तमान  
हैउसकेअनुरूपकामकरै ५ याउपपत्तिकितुसिद्धान्तइनसेभीलक्षणोंकाजैसाकुछसंभवित  
हो उसको भी शोचै ६ या अवस्था कहिये दशा किंतु जैसीदशामें परिशोधनकी आ-  
वश्यकताहुईहो उसके अनुरूप शोधनकरै(दृष्टांत)जैसे एकदशा तौ ऐसे अवकाशकी  
है कि चाहें दशदिनों तकशोधनकरतेरहो कुछहानि नहीं है और एकदशा ऐसीहै कि  
तत्काल उसवस्तुसे आवश्यकताहै फिर अवस्था शब्द वयसकाभी वाचकहै अर्थात्  
जैसी उमिर उसवस्तुकीहो उसके अनुसार शोधनकरै (दृष्टांत)जैसे एक दुशालामें तै-  
लादिस्नेहकागहिरा दागपड़गया जो विशेष परिशोधनसे छूटसकताहै परन्तु वहदु-  
शाला ऐसाजीर्ण अवस्थाहै कि विशेष मर्दनसे झड़जायगा तौ ऐसी अवस्थामें थो-  
ड़ाही शोधनकरना थोड़ादाग शेषरहजायगा तौ चिंतानहीं परजो कदाचित् वहदाग  
दीप शेष तैलसे पड़ाहो जिसमें अनेक पतंग भस्महुयेथे और वहदुशाला ठठकरपू-  
जनके समय परिनियमित कामआताहै तौ उसजीर्ण अवस्थामें भी अधिक शोधन  
करना उचितहै इत्यादि लक्षधाभेद अपनी बुद्धिसे विचारलेने तव उसकाम का आ-  
रंभकरना-इसप्रकरणमें जहां तहां कहीं क्षार और कहीं भस्मका चर्चा बहुधा आयाहै  
यद्यपि क्षारभस्मकोभी कहतेहैं परन्तु यहां उसमें भेदहै किंतु भस्मसे तौराखसमभ-  
नी और क्षार शब्दसे उचित खारोंका भावार्थहै जैसे रेहखार चूनाखार सज्जीखार  
आदि जहांपर जिसवस्तुके लिये जिस२ खारकी योग्यता लोकमें प्रसिद्धहो सोसम-  
भलेना १८९ ॥ यहां ताई १८९ से लेकर १८९ तक नौश्लोकोंसे जो शुद्धि विषय  
वर्णन किया सो सबसोना चांदी रत्नताम्रादि धातु पत्थर काष्ठ वस्त्र शस्त्रादि अन्नादि  
वस्तुओंके परिशोधन मध्ये चांडालादि स्पर्श और मलके संयोग और स्नेह उच्छि-  
ष्टादिके लेप और अमेध्यादिकी उपघात दशाओंपर आरूढ़था अबआगे जो १९०  
से प्रारंभकरते हैं वहशुद्धि विषय मनुष्यके शरीरों पर आरूढ़है किंतु शरीरोंसे अमे-  
ध्यका स्पर्श यद्वा लेपहोने पर शुद्धिका प्रकारकहतेहैं पर इसकोभी शरीरोंके उपलक्षण  
से पूर्वोक्तवस्त्र शस्त्रादि पात्रादि द्रव्योंपर यथा संभव संबंधित करलेना यहसिद्धान्तहै ॥

अमेध्याकस्थमृत्तौयैःशुद्धिर्गंधादिकर्षणात् । वाक्शस्तमंबुनिर्णिक्तमज्ञातंचसदाशुचि १६० ॥

अक्ष०—अमेध्याककी शुद्धि मट्टी जलोंकरके गंधादि अपकर्षणसे—वाक्शस्तभीशु-  
चिहोताहै—अंबुनिर्णिक्तभी शुचिहोवे—और अज्ञातसदाही शुचिहोताहै १९० ॥

अभि०—अमेध्याक कहिये अमेध्यलिप्त शरीर या जिनका चर्चापहले ९ श्लोकोंमें  
होचुका है उन्हींमेंसे कोई द्रव्य अमेध्यमलसे लिपजावै तिसकी शुद्धि मट्टी और

से बारम्बार यहां तक मंजन करने से होती है कि जबतक उसमें से गंधादि अर्थात् दुर्गंधि और दाग चिह्न मिटजावें-वाक्शस्तसे भी शुद्धिहोती है अर्थात् यथोक्त रीतों से शौचकरने परभी मनकीभ्रांति नहीं जावै तब ब्राह्मणादि शस्तवाक्योंसे शुद्धिहोती है यथा ( एतत्शुद्धमस्तु )-इत्यादि ब्राह्मण वाक्यसहित जलका छींटा लगनेसे यद्वा (अपवित्रःपवित्रोवा )-इत्यादि वेद मंत्रोंसहित जलका छींटा लगनेसे मनकीभ्रांतिभी दूरहोजाती है तिसको (वाक्शस्त)-कहते हैं-अन्यथा अंबुनिर्णिकं अर्थात् जिनदशाओं की शुद्धिशास्त्रोक्त नहीं पाई जावै तहाँभी जलसे धोडालना कहा है या जहां परधोडालनाभी असंभवहो तहां केवल जलकेछींटाओंसे शुद्धिहोवैगी-और अज्ञातदोष सदाही शुचिहोता है अर्थात् जो कोईसी मलीनता देखने यद्वा सुननेमेंभी नहीं आईहो उसमें दोष नहीं है १९० ॥

अधि०-प्राणियोंके शरीरसे उत्पन्नहुये १२ मलप्रसिद्धहैं वेही अमेध्य कहिये अपवित्रकहलातेहैं तथाच(वसाशुक्रमसृङ्मज्जामूत्रविट्कर्णविड्मखाः । श्लेष्माश्रुदूषिकास्वेदोद्वाद्दशैतेनृणांमलाः ) अर्थात्-वसाकहिये मेदा जो बसके नामसे प्रसिद्ध है १ शुक्र वीर्यको कहतेहैं २ असृक् रक्त ३ मज्जा जोहाडकी पोंगमेंसे मींगनिकलतीहै कुछ गीली कुछसूखी यह उसका स्वरूपहै ४ मूत्र ५ विट् विष्ठा ६ कर्णविट् कानकामैल ७ नख ८ श्लेष्म कफ खँखारआदि ९ अश्रु आँशू १० दूषिकाकीचर गीडनेत्रमल ११ स्वेद पसीना १२ यह बारहमल मनुष्योंके कहेहैं परसभी जीवोंका उपलक्षणहै-इनके साथ मद्यभीअमेध्यमेंगिनतीहै सोईकहाहै कि(मानुषास्थिशवंविष्ठारेतोमूत्रार्तवंवसा । स्वेदोश्रुदूषिकाश्लेष्ममद्यंचामेध्यसुच्यते) अर्थात्-मनुष्यकाहाड-शवंमृतक-विष्ठा-रेतः शुक्र वीर्य-मूत्र-आर्तवं रजोदर्शनकारक-वसा-बस-स्वेदपसीना-अश्रु आँशू-दूषिका नेत्रमलश्लेष्मखँखार-मद्यंच मदिशभी यहइतने अमेध्यकहेजातेहैं-ऐसेमनु और देवल आदि सबनेकहाहै और मनुष्ययह एकनिदर्शनहै किंतु सभीजीवोंकेसमझने पर जब तक शरीरमें लगेरहें तबतक (अमेध्य)नहीं किंतु शरीरसे छूटजाने पर अमेध्य होतेहैं जैसे अंगुलीमेंसे नखकाट डालागया तब अशुद्धहुआ-इनकहेहुये अमेध्यमलोंसे जो वस्तु या अपना शरीरहीलितहो जावै तिसको (अमेध्याक्त)कहतेहैं-अमेध्याक्तकी शुद्धि जैसे याज्ञवल्क्यजीने मट्टी और जलसे कही तैसेही गौतमजीनेभी यहकहाहै कि(लेपगंधापकर्षणैःशौचममेध्यलितस्य)अर्थात् अमेध्यलितकाशौचलेप और गंधकेअपकर्षणकरनेके उपायोंसे करे तहां वे उपायभी मट्टी और जलसेही संभवितहैं(यथा-सर्वशुद्धिषुचप्रथमंमृत्तोरैवलेपगंधापकर्षणकार्यं ) अर्थात्-सभीविषयकी शुद्धियोंमें पहलेमट्टी और जलोंसेही लेप और दुर्गंधिकोदूरकरे जब इनसे न होसकै तब औरकिसी उपायसे जल मट्टी सहित-परन्तुकेवल नखके स्पर्शसे स्नान या मृत्तिकासे मंजन

की आवश्यकता नहीं शेषमलोंके स्पर्शमें स्नान और लेपहोजानेपर सृत्तिकासे मंज-  
नकरै-सोई कहाहै कि-पुरुषस्यनाभेरुध्वैकरव्यतिरिक्तांगानामन्यामेध्यस्पर्शस्नानम्-  
अर्थात्-हाथका मलकहिने नखतिसको छोड़कर अन्यअंगोंके अमेध्यमल पुरुषकेना-  
भिसे ऊपर किमी शरीर स्थलमें लगजावें तबस्नान करै-यह स्नानपूर्वोक्त मंटी जल  
से माँजेपीछे समुभक्तना-और नखको छोड़करकहनेका यहभावहै कि नखके स्पर्शमें केव-  
लउतने अंगके प्रक्षालनकरनेसेही शुद्धिहोजातीहै-औरनाभिसे ऊपरकहनेका यहआ-  
शयहै कि नाभिसे नीचे किसी अंगस्थलमें जो स्पर्शहोवे तो केवल उतने अंगका प्र-  
क्षालनकरनेसेही शुद्धि होजातीहै इसी श्लोकार्धका दूसरा अर्थ यहभीहै कि-पुरुषके  
नाभिसे ऊपरके सब अंग (करव्यतिरिक्त) अर्थात् हाथको छोड़कर ऊपरके और किसी  
अंगमें जब(अमेध्य) मलकालेप या स्पर्श होजावै तबस्नानकरै किंतु जो हाथहीमें मल  
कास्पर्श होजावै तो हाथके माँजने धोनेसेही शुद्धिहोजायगी-सोई इसअर्थकी दृढ़ता  
में यह वाक्यभी प्रमाणहै कि(उर्ध्वनाभेः करौमुक्तायदंगमुपहन्यते। तत्रस्नानमधस्तात्  
प्रक्षाल्याचम्यशुद्ध्यति) अर्थात्-नाभिके ऊपरले अंगोंमें हाथोंको छोड़कर और कोई  
अंग जो दूषितहो जावै तब उसके धोने माँजने पीछे स्नानभीकरै और नाभिसे नि-  
चले अंगोंमें कहीं मलका (स्पर्श)होजावै तब उतनेअंगकोधोकर और आचमनआ-  
दिकरके शुद्धहोजाताहै-आचमन आदि पवित्रीकरण क्रियाओंकी योजना सर्वत्र  
समुभक्तेना जहां नहीं भी कहीहो-परन्तु इस अर्थसे और अर्थकी अनंतरोक्त दृढ़ता  
के प्रमाणसे भी वह पहला अर्थ असंगतहुआ जाताहै जिसमें नखोंका चर्चाऊपर  
आयाथा-तथापि वह असंगत नहीं किंतु दोनों अर्थ यथार्थ हैं क्योंकि वहांपर नखों  
के स्पर्शमें स्नानकी आवश्यकता नहीं पाई गईथी सो प्रथम तो प्रत्यक्षभावमेंभी न-  
खऐसा महामलीन नहींहोता जिसकालेप शरीरमें होसकै जिससेस्नानकी आवश्य-  
कतापाईजाय दूसरे यह प्रमाण है कि-देवल ऋषिने स्नानकी आवश्यकताके साथमें  
नखोंकानाम तक नहीं लिखा (तथाचदेवलः-मानुषास्थिवसांविष्टामार्तवमूत्ररेतसी। म-  
ज्जानंशोषितंस्पृष्टापरस्परस्नानमाचरेत्॥तान्येवस्वानिसंस्पृश्यप्रक्षाल्याचम्यशुद्ध्य-  
ति) अर्थात्-मनुष्यकाहाड़-वसा-विष्टा-आर्तवरजोरक्त-मूत्र-वीर्य-मज्जा-शोषितरक्त-  
यह पराये शरीरसे उत्पन्नहुयेहों तो इन्हें छूकर स्नानकरै-और येही जो अपने शरीरसे  
उत्पन्नहुयेहों तो इन्हें छूकरधोने और आचमनकरनेसेही शुद्धहोजाताहै किंतु स्नानकी  
आवश्यकता नहीं-अब ध्यानकरना चाहिये कि मल वस्तु औरभी कईशेषहैं परयहां  
उन्हींका चर्चा कियाहै जिनसे स्नानोंकी आवश्यकता थी इसलिये नखोंकाभी चर्चा  
इनमें नहीं आया सोई उसपहले अर्थका भावथा-यहांभी यद्यपि मनुष्यकेनामसे हा-  
ड़आदि कहेहैं परन्तु वसाके उपलक्षणसे सभी जीवोंका भावार्थ समुभक्तेना क्योंकि

वसामनुष्यके शरीरमें यद्यपिहोतीहै पर उसका स्पर्शके लिये मिलना या होना असंगतहै-और यह बात जो अक्षरार्थ यद्वा अभिप्रायार्थमें कहीथी कि (अज्ञात)का दोष नहीं है-पुनि-प्रायश्चित्त विषयमें यहभीकहाहै कि (संवत्सरस्यैकमपिचरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः। अज्ञातभुक्तशुद्धयर्थज्ञातस्यतुविशेषतः) अर्थात्-द्विजातीमात्रमें जो कोई अपने को जातित्वसे यद्वा आचारसे उत्तम समुभाकरताहो या औरोंके निकट उत्तम समुभा जाताहो वह द्विजोत्तम होताहै ऐसे द्विजोत्तमको यह उचितहै कि वह अज्ञातभुक्तशुद्धिके लिये संवत्सरमें एकवार तो अवश्यही कृच्छ्रचांद्रायणनामका व्रतकर डालाकरै और जानेहुये दोषका प्रायश्चित्त विशेष लक्षणसे किंतु जैसी उसकीविधि जहांकहीं लिखीहो तिसके अनुसारकरै-अज्ञातभुक्तशुद्धि यह कि विनाजाने किसीके हाथसेदूषित अन्नखायाहो तिसकी शुद्धिसंवत्सरके अंतमें एकवार चांद्रायण करनेसे होजाती है फिरचाहे कुछखायाहो या न खायाहो पर केवल अपने शरीरके तेजोबलबुद्धिआदिकी उन्नतिके हेतुसे मनकी आंति दूरकरदेवै-इसवाक्यसे उसमें यह विरोधदृष्टि आताहै कि यहां तो अज्ञातकाभी प्रायश्चित्त कहा और वे कहतेहैं कि अज्ञातका दोष नहीं वह सदाही शुचिहोताहै-परन्तु यहविरोधदृष्टि वृथाहै अर्थात् विरोधकिंचित्भी नहीं है क्योंकि यह प्रायश्चित्तकेवल अज्ञातभुक्त विषय पर कहाहै किंतु इसमें खाने पीनेका चर्चाहै और वहबात केवल अमेध्यलिप्तके ऊपर कहीहै किंतु उसमें शरीर शुद्धिका चर्चाहै तिसके लिये यह कहाहै कि विनाजाने कोई अमेध्य मल शरीरमें छूजावै या शरीरके उपलक्षणसे औरही किसी वस्त्र या पात्रादिक द्रव्यमें छूजावै तो उसका दोष नहीं है १९० ॥

शुचिगोतृप्तिरुक्तोयंप्रकृतिस्थंमहंगितम् । तथामांसंश्चचांडालक्रव्यादादिनिपातितम् १९१ ॥

ए०-गोतृप्तिकृत्-अर्थात् एक गऊ जिसकेपीने से छकजावै इतनाजल जंगलकी पृथ्वी में पड़ाहुआ अर्थात् किसी निर्मल निम्न स्थानमें भराहुआ शुचि होताहै किंतु उसमेंसे आवश्यकदशापर आचमन आदि करलेना दोषनहींहै पर उसदशामें किवह जल प्रकृतिस्थहो अर्थात् ज्योंकात्यों बनरहाहो किंतु नतो उसका रूप बिगड़ा हो न रसमें अंतरहुआ हो न दुर्गंधिआनेलगीहो न उसमें कोई गुंदाआदि प्रक्षालनकरताहो और न उसके निकट चांडालोंका संसर्गहो-तैसेही श्वान चांडाल क्रव्याद आदि इन्होंसे निपातित मांस भी शुचि होताहै अर्थात् मांसके आहारी लोगों के लिये जो २ मांस खाने योग्य पहले कहचुके हैं उन्हीं में से कोई जीव ऐसाहो जिसको कुत्ताने मारगिरायाजैसे बिरले मांसभक्षीकुत्तासे आखेटकरवाते हैं सो वह उनके निकट शुद्धमें गिनती है पर जो कुत्ताने उसमें से कुछखाया भी हो तो अशुद्ध है-एवं चांडालने मारा हो पर उसमें से खायानहीं तो शुद्ध में गिनती है-एवंक्रव्याद कहिये मांसभक्षीपक्षी

तिम्बका माराहुआ जैसे श्येन किंतु वाजका गिराया हुआ जो वाज ने खाया नहीं हो तो पवित्र में गिनती है ऐसेही आदि शब्द से और भी पुल्कस आदि जातोंके हाथ वा माराहुआ नमुभलेना १९१ ॥

अधि०—गोत्वतिमात्रजल जोकहा सोयह परमन्यूनतर मानवतलायाहै किंतु इससे अधिक जितनाहो उतना अधिक पवित्रहै पर इससे कमतीनहीं और यहमर्याद उस में नहीं जो नदी या कूपादिमेंसे भराहुआ आताहै किंतु उसके लिये (देवल)जीने यह मर्याद कहीहै कि(उद्धताश्चापिशुद्धयंतिशुद्धैःपात्रैःसमुद्धृताः।एकरात्रोपिताआपस्त्याज्याःशुद्धाअपिस्वयम्)अर्थात्-भरेहुये जलभी शुद्धहोतेहैं जो शुद्ध पात्रोंसे भरलिये जायें किंतु जबकहीं दूरसे भराहुआ जल मँगायागया और मार्गमें अधमादि जातों का स्पर्श होजानेकी संभावनाप्रचलहै तबउसजलको मँजेधुये अन्यपात्रोंमें बदलकर भरलेवे तौवहभी शुद्धहोजाता है-और एकरातिका बसाहुआ जलचाहै आपसेआप वह शुद्धभीहो पर दूसरे दिवस उसका त्याग करदेना उचितहै-और चांडालआदिके बनायेहुये जलाशयों मध्ये शातातपऋषिने यहकहाहै कि(अंत्यैरपिकृतेकूपेसेतौवाप्यादिकेतथा। तत्रस्नात्वाचपत्वाचप्रायश्चित्तंनविद्यते)अर्थात्-चांडालों करकेभी बनाये हुयेकूपमेंयासेतुमें तथा बावड़ी आदिमें भी स्नानकरके और पीकरभी प्रायश्चित्त नहीं पहुँचताहै अर्थात् प्रायश्चित्तकरने की आवश्यकता नहीं-परयह दोषका अभावकेवल उनकेवनायेहुये पर कहाहै किंतु जिसजलाशय परचांडालोंका संघातरहताहो चाहे वह उत्तमजातिका बनायाहो पर उसमें स्नान अथवा पानसे प्रायश्चित्तकी आवश्यकता प्रत्यक्षहै-मांसपक्षमें जो कुछकहा वह संदेहका स्थल नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्र संसार और समयकी रीति अनुसार चलताहै यद्यपि मांसके प्रकरणमें अत्यंत निंदाभी लिखचुकेथे परन्तु मांसभक्षीलोग मुँहदेखतेसे रहजाते इसलिये यहां पर आनि कर उनकाभी मान रखदियागया यहांतक कि कुत्ता और कौवा और चांडाल आदिभी उनके सहायक उनकी आरामके लिये बतलादिये क्योंकि धर्मशास्त्रके हृदयमें यहदयाभाव और कोमलता प्रविष्टहै कि वह किसीका अपमान नहीं करसकता और न किसीको दुःख देसकता है किंतु उसकी प्रतिज्ञा यहीहै कि मैं संसारका दुःख दूरकरूँ और जो कोई मेरा आदरकरे उसकानिरादर मैं कभी नहीं होनेदूँ १९१ ॥

रश्मिरग्नीरजश्छायागौरश्वावसुधानिलः । विप्रुषोमक्षिकास्पर्शवत्सःप्रस्रवनेशुचिः १९२ ॥

ऐ०—(रश्मिः)अर्थात्सूर्यआदि प्रकाशमान अन्यवस्तुओंकीभीकिरण-(अग्नि)आदिकीनहो-(रज)धूलिजो उड़कर आयाकरताहै-(छाया)जो वृक्षआदिकी तल-वश्यकहो-गऊ-घोड़ा-(वसुधा)धरती जो पड़ीहुई निर्लेप जंगलकी-(अनिल)वायु-(विप्रुष. अर्थात् ओसकेबूँद जो अतिमलीनवस्तुपर नहीं-यहसब कहीहुईचीजें ५० च ७।



आदिनेभी छुईहों तौभीशुद्धहैं किंतु उनकी छुईहुई फिरअपनेको छूनीपड़ें तौदोषनहीं-  
ऐसेही मक्खी यद्यपि मलीनवस्तुपरभी बैठआतीहै परउसकेछूजानेया अपनेऊपर बैठ  
जानेका दोषनहीं-ऐसेही बछरा(प्रश्वन)कर्म किंतु दूधउतारनेमें पवित्र है अर्थात् वाख  
मेंभरेहुये दूधके उतारनेमें बछराकीलार जोदूधमें मिलजातीहैतिसकादोषनहीं १६२ ॥

अधि०—(रज)धूलिभी यद्यपि पवित्रकहीहै तथापि जो २ धूलें निषेधकरीहैं तिनकाविवेक  
उचितहै—तथाच(श्वकाको घूरखरोलूकशूकरग्राम्यपक्षिणाम्)अजाविरेणुसंस्पर्शादायुर्ल  
क्ष्मीश्चहीयते)अर्थात्-कुत्ताके देहमें की धूलि कौवाके परोमें की-ऊंटकेदेहकी-गर्दभके  
शरीरकी-उलूक उल्लूनाम पक्षीके परोमेंकी-सुअरके शरीरकी-ग्राम्यपक्षी मुर्गा आदि  
तिनके देहकी-बकरी और भेड़के शरीरकी-इतनी धूलोंके स्पर्शमात्रसे आयु और  
लक्ष्मीभी कमहोतीहै किंतु घटती जातीहै इसलिये उनका बचावकरना उचितहै पर  
ऐसाबचाव नहीं करना जिस्से किसीसमय किसी कार्यमें हानि प्रकटहो १९२ ॥

अजाश्वयोर्मुखंमेध्यंनगोर्नरजामलाः । पंधानश्वविशुद्ध्यंतिसोमसूर्याशुमारुतैः १९३ ॥

ऐ०—अजावकरी-अश्वघोड़ा इन दोनोंका मुखपवित्रहै-परन्तु नगोःकिंतु गऊका  
मुखपवित्र नहीं है-ननरजामलाःअर्थात् नरदेहसे उत्पन्नहुये मल पवित्र नहीं हैं-और  
पंधाशुद्धहोतेहैं सोमांशु १ सूर्यांशु २ मारुत ३ इनतीनोंसे अर्थात् चांडाल आदिम-  
लीनोंसे छुयेहुये किंतु चलेहुये मार्ग रास्ते यहरात्रिमें चन्द्रमाकी किरणों और वायुके  
स्पर्श मात्रसे आपही शुद्धहोजातेहैं और दिनमें सूर्यकी किरणों तथा वायुके लगनेसे  
विशुद्धहोते रहतेहैं इसलिये उनका दोष नहीं अर्थात् उनपर कोईचलौ १९३ ॥

अधि०—मार्गोंके शुद्धहोजानेका रूपक दृष्टांत सहित जैसे किसीबस्ती या बाजारके  
मार्गमें किसी मरेहुये पशु अथवा कुत्ताआदिको चांडाल घसीटकरलेगये तौ प्रत्यक्ष  
लोक दृष्टिसे वह मार्ग अशुद्ध समभागया तहां जोतात्कालिक अवश्यचलने फिरने  
वाले साधारण बाजारू लोगहैं उनकेलिये तौतत्काल उसकीशुद्धिकार्यकी आवश्यक-  
ता अनुसार संभवितहै क्योंकि सूर्यका प्रकाश और वायुका संचार तौसर्वत्रहोहीरहा  
है या जो रातिहै तौ चन्द्रमाका प्रकाश अथवा वायु और चन्द्रमाके उपलक्षणसे उस  
के अभावमें तारागणभी अंगीकारहैं-अथवा जो कोई ( स्नातक ) वा (विवेकी) है उसके  
लिये इतने कालमें शुद्धिहोवेगी कि जब कोई और साधारण मनुष्य यद्वा गऊआदि  
पुनीत जीव पहले उसदूषित मार्ग परचला जावै तव उसके मनकीभ्रांति दूरहोवैगी  
यथा जहां किसी नरसमूहको (ठाकुर) का विमान किसी उत्सवसे याविवाहको उद्यत  
(वर) का विमान लेजानेकी आवश्यकता है और सिवाय उसदूषित मार्गके कोई  
र मार्गभी ऐसा नहीं कि उसेछोड़ वहांको लेजावें और मनकीभ्रांति लोकदृष्टिसे  
हीं होतीहै तहां एक याम काल यद्वा चार घटिकाके अनुमान या दोही घटिका

के परिमाण नाई न्यूनकी किरणों और वायुके संघातसे वह दूषितमार्ग शुद्ध होजावे-  
गा-यहां पर विलंबकालकी अधिकता वा न्यूनताको वायुकी मंदता और प्रबलताके  
अनुसार यथाक्रमसे जानलेना क्योंकि उरसे वहदूषित धूल उड़जाती है-जहां जिस  
कालमें वायु नहींहोवे और सूर्यमें किरणें भी बादलके प्रभावसे न होवें तहां उसदू-  
षित पंथा पर एक सहस्रआदमियों के निकलनेसे परम शुद्धिहोजाती है इसमेंभी का-  
र्यकी गुरुता लघुताके अनुरूप थोड़ेभी मनुष्योंके निकलनेसे शुद्धिहोजाती है-जिस  
कालमें वर्षाभीहोरहीहो तहां कोईसाविवेक आवश्यक नहीं है क्योंकि वहदेवीगतिसे  
आपसे आप शुद्धिहोरही है १९३ ॥

मुखजाविप्रुषामेध्यास्तथाऽचमनविंदवः । श्मश्रुचास्यगतदंतसक्तंत्यक्ताततःशुचिः १९४ ॥

ए०—मुखजा मुखसे उत्पन्नहुये विप्रुषकहिये लारकेवँदमेध्यहें अर्थात् अशुद्ध नहीं  
पर उसी अवस्थातक जो मुखमें बनेरहें किंतु देहपर गिरनेसे अशुद्धहैं तथा आचम-  
नविंदु किंतुकुछाकरते हुये जो छींटे उड़कर पैरोंपर गिरतेहैं वे भी अशुद्ध नहीं-तथा  
श्मश्रुकहिये डाढ़ी मूँछके वाल वेभी आस्यगत मेध्यहें अर्थात् मुखमें प्रवेशहुयेअशु-  
द्ध नहीं कहलाते-तथा दंतसक्तं जो दांतमें लगीहुई अन्नादि वस्तु वह जबतक दांत  
में लगीरहे तबतक मेध्यहै पर जब छुड़ाई जावे या आपही छूटपरेतब अमेध्यहोजा-  
तीहै अर्थात् छूटपरे पीछे उसका त्यागकरै तब आचमनकरिकै शुद्धहोवै १९४ ॥

अधि०—मुखविप्रुषों के मध्ये गौतमजीका वाक्य-यथा-नमुखेविप्रुषउच्छिष्टंकुर्वतिन  
चेदंगेनिपतंति-अर्थात्-मुखमेंविप्रुष रहतेहुये अशुद्ध नहीं करतेपर जो अंगपर गिरने  
नहीं पावें-दांतमें लगाहुआ अन्न जब तक दांत में लगारहे तबतक दांत के समान  
गिनाजाकर अशुद्ध नहीं समुभाजाता-इसके मध्ये गौतमजीने यह कहा है कि-दंत  
श्लिष्टंतुदंतवदन्यत्रजिह्वाभिमर्शनात्प्राक्च्युतेरित्येके-अर्थात्-दांत में लगाहुआ दांत  
के तुल्य है पर जिह्वाभिमर्शनसे अलहदे किंतु जब तक उसमें जीभकी नोक नहींल-  
गाई जाय और कोई यह कहतेहैं कि गिरनेसे पहले किंतु जब तक दांत में से न छूटे  
तबतक दांतके समान गिना जायगा कुछ जीभलगनेपरभी नियमनहीं-परंतु समय २  
के अनुसारयह दोनों मत ठीक हैं-शातातपऋषिकावाक्य-( तांबूलेचफलेचैवभुक्तेस्ते  
हावशिष्टके । दंतलग्नस्यसंस्पर्शेनोच्छिष्टोभवतिद्विजः)-अर्थात्तांबूलके खानेमें फलके  
खानेमें भोजनके स्नेहावशिष्टमें किंतु भोजन करनेसे घृत आदि चिकनाई जो मुख  
मंजनकरने परभी लगीरहजातीहै तिसकी दशामें द्विजाती जुठा नहीं होताहै १९४ ॥

स्नात्वापीत्वाश्रुतेसुप्तेभुक्त्वारथ्योपसर्पणे । आचांतःपुनराचामेदासौविपरिधायच १९५ ॥

ए०—स्नानकिये पीछे कुछ शर्वत आदि पानकिये पीछे छींक आनेपीछे  
पीछे कुछ भोजन किये पीछे मार्ग चलकर विश्राम लेने में वस्त्रों को उतारने और १

हिरने पीछे भी आचमनकिया हुआ फिर आचमन करै अर्थात् चाहै पहले से आचमनकरिकै शुद्धभीथा परइतनीबातोंकोकिये पीछे आवश्यकफिर आचमनकरै १९५॥

अधि०—शास्त्रांतरम्-यथा(चर्वणेत्वाचमेन्नित्यंभुक्त्वातांबूलचर्वणम् । ओष्ठौविलोम कौरुपृष्ठावासोविपरिधायच)-अर्थात्-कोई वस्तुयद्वा तांबूलभीचवानेसेपहले और तांबूलको चबाकर थूकदेने पीछे सदाही आचमनकरै-दोनों ओठों को परस्पर उलटे सीधे ओठसे ओठलगाकर और वस्त्रों को उतारकर और पहिरके भी आचमन करै-वशिष्टऋषि का वाक्य-यथा-सुप्त्वाभुक्त्वाक्षुत्वास्नात्वापीत्वारुदित्वाचाचांतःपुनराचामेत्-अर्थात्-सोवने पीछे कुछखाने पीछे छींकाने पीछे स्नानपीछे कुछपानकिये पीछे रोनेपीछे आचमनकियाहुआभी फिर आचमनकरै-मनुजीका वाक्ययथा-(सुप्त्वाक्षुत्वाचभुक्त्वाचष्टीवित्त्वोक्त्वानृतंवचः।पीत्वापोध्येष्यमाणश्चआचामेत्प्रयतोपिसन् ) अर्थात्-सोयकर छींककर खायकर खँखारिकर बृथाबचनबोलकर जलोंको पीकर और पढ़नेको उद्यत हुआ मनुष्य सावधानीके होतेहुये भी आचमनकरै-शातातप ऋषिका वाक्य-यथा-भोक्ष्यमाणस्तुप्रयतोद्विराचामेत्-अर्थात्-भोजन को उद्यतहुआ मनुष्य चाहै पहलेसे शुचिभीहो पर भोजनसे पहले दोबारआचमनकरलेवै-स्नान और जलादिकोंकेपानसे पहले एकबारआचमनकरै पढ़नेकेआरम्भसेपहले दो बारआचमनकरै-यद्यपि आचमन शब्दका अर्थ शास्त्रोंमें सर्वत्र जहां तहां यही कहाहै कि हथेली पर जल रखकर आचमन किंतु जलका पीजाना-सोई मर्यादा परिपाटीमें भी १८।१९।२०।२१ इन चारों श्लोकों से याज्ञवल्क्यजी के आशय अनुसार लिखचुकेहैं और वहीविधि ठीक हैं पर यथार्थ में जो भाव यहां पर १६५ श्लोक में कहा गया अथवा जहांकहीं आचमन का चर्चा आया हो तहां सर्वत्र गंडूष और मुख प्रक्षालनसे अपेक्षाहै(कुतर्क) भला ऋषियों के वाक्य पर खाक डालना यह कहां की विज्ञता है क्योंकि जब चारों वर्णों को भिन्न २ आचमन की मर्यादें और उनके हृदय कंठ तालू आदि स्थान भी कहे और ब्राह्मतीर्थ आचमन को बतलाया और यहां पर भी अभीलिखचुके हों कि भोजनसे पहले दोवार संथासे पहले दोवारस्नान और पानसे पहले एकवार आचमन लेवै फिर इसवात में कुल्ला और मुख मंजनसे क्या अपेक्षा है—मुखभंजन चपेटि कासुनो-खाकनहीं किंतु ऋषियों के वाक्य पर अज्ञानियों की कुबुद्धि रूप जाले का आवरण दूर करने को मयूर पक्षों का व्यजन परिवर्तन है क्योंकि-( यदेवरोचतेयस्मिंस्तस्मिन्नेवप्रयुज्यते । लवणंनचतांबूलेखदिरश्चनव्यंजने)-अर्थात्- जो वस्तु जिसमें रुचती है उसीमें प्रयुक्तकरी जाती है कोई कहे कि पानों में नोन लगायाजाय सो नहीं होसक्ता या यहकहे कि शाकादि व्यंजन वस्तुमें लवणके स्थानकथाडालाजाय तौ क्या यह वाक्य भी प्रमाण होसक्ता है चाहै वह कहनेवाला ऋषियोंकाभी परम

ऋषीश्वर हो कुछ उसके वाक्य का प्रभाव अंगीकार नहीं है किंतु लोक प्रचार का सौगम्य और शास्त्रोक्त वाक्यों की सात्म्यता पाई जावे तभी दृढ़ विश्वास और अस्तित्वता भी प्रमाण में आती है-परंतु यह अज्ञानियों की बुद्धि अमता है कि अमुक ऋषीश्वर ने यह कहा-कोई ऋषिअसंभव नहीं कहसके किंतु उस आशय का पूर्ण पर आलोचन करना जिज्ञासुके आधीन है-जो शास्त्रोंमें ऐसीही कठिनतानहीं होती तो क्या केवल अक्षरार्थ से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होसकी थी-जिसपर यह कुतर्क आरोपित करते हों वह आचमन भी आचमन कहलाता है पर उसका अवसर पूजनादिक स्थानों पर आरूढ़ है दूसरा गंडूष और मुख प्रक्षालन को भी आचमन कहा करते हैं उसीसे यहां पर अपेक्षा है क्योंकि जो गंडूष को न मानोगे तो इसबात का उत्तर देना होगा कि इसी १९५ श्लोक में कहेहुये शर्वत आदिके पीनेवालेजब हथेलीपरधरेहुये तीन बूँद जलको कंठ या तालू तक पहुँचाकर चीखलेवेंगे तबक्या मँछ या ओठों का चिपचिपाहट दूर होसका है या सोनेवाले जिनकी आँखों और ओठों पर लिबलिवाहट उतर आया है वे तीन बूँद जल पीकरउलटा उसमल को हृदयमें प्रवेश करदेवेंगे तो इस्से क्या शरीर की मलीनता नहीं समुभोगे ऐसेहीबर्कने वाले या कुछ खानेवाले या राहके चलनेवाले जिनके मुखप्रत्यक्ष अशुद्ध होजाते हैं वे उस तीन बूँद जल को चीखकर क्योंकर ग्लानि रहित होसके हैं या तांबूलके चवानेवाले या ओठों को उलटे ओठ पर फिरानेवाले जिनके ओठलारसे सनजाते हैं या रोनेवाले जिनका सारामुख आंशूसे भीगजाता है या बहुतभांति अनृत कहिये वृथावाद बकने से जब ओठों के जोड़ वा किनारोंपर दुर्गंधि सहित लारजमजातीहै क्या तीनबूँद जल पीकर उसमलको भीतर प्रवेश करलेने से पवित्र होजावेंगे-कदाचित् फिर भी यह कुतर्क करसके हो कि जो वह बात नहींथी तो इसभांति से व्योरे वार क्यों लिखाहै कि भोजनसे पहले दोबार संध्यासे पहले दोबार स्नान वा पानसे पहले एक बार आचमन करै-तहां यह सिद्धांतहै कि प्रथम तो आवश्यकता जानै तो चरण भी धोवै नहीं तो कुल्ला और मुख प्रक्षालन विधिपूर्वक जलसे आँखों पर्यंत कानों पर्यंत करिलेवै फिर उसरीतिसे एकया दोबारजलपीवै तब आचमन कहलाता है सोई श्लोकोंमें यह कहा है कि-आचांतःपुनराचामेत्-अर्थात्-आचमन कियाहुआ भीफिर आचमनकरै-इसी प्रकार सर्वत्र हेतु गर्भित आशयहुआ करताहै जो ऋषीश्वर लोग हेतु गर्भित नहीं कहते तो छोटे २ श्लोकों में इतनी बड़ी २ बातों को क्योंकर कहसके जिनका सिद्धांत दो २ पत्रों में परा होता है-यद्यपि यह सिद्धांतथोड़े से कथन में भी लिखाजासकाथा परंतु पाखंडियों की बहुताइत से लाचारीहै कि वे साधारण बात को भी पाखंड की निश्रेणी से आकाश पर चढ़ाते और निज बुद्धि की जड़ता

से निरक्षर लोगों को अमजालमें फँसातेचलेआते हैं ऐसेही आचारका अष्टाचार होकर नास्तिकताने बड़ाई पाई इससे इतना विस्तार करना पड़ता है कि अब ऐसी उपकारी दशापरभी किसीको संदेह नहीं रहनेपावे-कोई यह उच्चारणकरै कि हम थोड़े कथनको समझते हैं-वह इसबातका ठेकाकरै कि मुझसेही सब होंगे १९५ ॥

रथ्याकर्दमतोयानिस्पृष्टान्यंत्यश्ववायसैः । मारुतेनैवशुद्धयंतिपक्केष्टकचितानिच १९६ ॥

ऐ०-रथ्यामार्ग बड़ी छोटी सबतरहकी तिनमें कर्दम कहिये कीचड़ और तोय कहिये जल इत्यादि औरभी जो कुछ पड़ाहो यह सब चांडालों वा कुत्ताओं वा काकोंसे छुयेभीहों पर केवल वायुसेही शुद्ध होतेरहते हैं किन्तु और कोभी इनके छूजानेमें कुछ बडाभारी दोष नहीं ऐसेही पकीहुई ईंटकेचिनेहुये स्थान आदिभी चाहें चांडालोंसे छुयेहों पर वायुके लगने से शुद्ध होजाते हैं १९६ ॥

अधि०-यद्यपि सब द्रव्योंकी शुद्धि कहचुके तिनमें ईंटभी आचुकीथी और गृहकी शुद्धिभी लीपा पोतीसे कहचुके हैं पर यहां पर पकीहुई ईंटके कहनेसे यह भाव है कि १९३श्लोक उत्तरार्द्धमें यहकहाथा कि-प्रोक्षणसंहतानांच-अर्थात् संहतकहिये मिली हुई बहुतसी चीजोंकी शुद्धिप्रोक्षण किन्तु छिड़कदेना होती है सो यहांपर वह छिड़कना भी निषेध कियाकिन्तु कोई यह समझै कि बहुतसी ईंट और पत्थर आदि इकट्ठे लगे हैं प्रासादमें इसप्रासादकोभी किसीके छूजानेपर छिड़कना चाहिये सो नहीं-और पकीईंट कहनेसे दूसरा यहसिद्धांतभी है कि जो स्थान घास फूस लकड़ी पत्ता आदिसे बनायाहो उसको किसी अधमका स्पर्श होने पर छिड़कडालना उचित है १९६ ॥

इतिद्रव्यशुद्धिप्रकरणम् ॥

अब आगे दानधर्म कहनेके प्रयोजनसे उसके अंगभूत पात्रकी प्रशंसा लिखते हैं कि दानयोग्य ऐसा पात्र चाहिये ॥

तपस्तप्त्वासृजद्ब्रह्माब्राह्मणान्वेदगुप्तये । तृप्त्यर्थंपितृदेवानाधर्मसंरक्षणायच १९७ ॥

अक्ष०-वेद गुप्तिके लिये ब्रह्मा तप तपिकर ब्राह्मणोंको सृजताभया-देवता वा पितरोंकी तृप्तिके अर्थ और धर्मसंरक्षण के भी लिये १९७ ॥

अभि०-ब्रह्मा कहिये हिरण्यगर्भ तिसने कल्प रचनाकी आदिमें तपको तपिकर अर्थात् यह ध्यान धरिकर कि मैं किनको मुख्य बनाऊं जिनसे संसारकी मर्यादा बँधे ऐसा विचार किये पीछे प्रथम ब्राह्मणोंको बनाया इसलिये कि ये वेदोंकी रक्षा और प्रचार बना रखकर उनकी विधिद्वारा देवताओंकी यज्ञादि कर्मों से और पितरों की श्राद्धादि करिके तृप्तिकरें और यथोचित अनुष्ठान तथा उपदेश द्वारा धर्मकी मर्यादा बँधी राखें-वेदके निदर्शनमात्रसे सभीशास्त्र और विद्याओंका उपलक्षणहै किन्तु यह नहीं कि वेदकी रक्षाकरें और औरोंका निरादरकरें अर्थात् यावन्मात्र शुभ शास्त्र या

शुभ विद्या हैं वह सभी वेदका रूपहैं-वेद शब्द ज्ञानमात्रका वाचकहै जिस्से कुछ कल्याण विषय जाना जाय १९७ ॥

सर्वस्यप्रभवोविप्राःश्रुताध्ययनशालिनः । तेभ्यःक्रियापराःश्रेष्ठास्तेभ्योप्यध्यात्मवित्तमाः १६८ ॥

ऐ०-सर्वस्य अर्थात् सब क्षत्री आदि वर्णोंके मध्ये ब्राह्मण प्रभवहैं किन्तु श्रेष्ठ हैं जाति और कर्मसेभी फिर उन ब्राह्मणोंमेंभी जो श्रुताध्ययनशाली अर्थात् श्रुताध्ययन सम्पन्नहों वे अधिक श्रेष्ठहैं किन्तु श्रुत कहिये ज्ञान और अध्ययन कहिये शास्त्रादि विद्याओंका पढ़ना तिन संयुक्तहों वे साधारणोंसे उत्तम-फिर उनमें सेभी जो क्रिया परहों किन्तु शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठानभी करतेहों वे अधिक श्रेष्ठ हैं-फिर उनसेभी अधिक वे उत्तमहैं जो अध्यात्म वित्तमहों अर्थात् इसी शास्त्रमें जो मार्ग आगे कहा जायगा उसके द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान किन्तु आत्मा जो परब्रह्म है तिसका तत्त्वज्ञान कहिये, स्वरूप ज्ञान तिसमें अथार्थ निपुण और तत्परहों १९८ इसप्रकार जाति १ विद्या २ कर्मानुष्ठान ३ आत्मतत्त्व ज्ञान ४ इनके द्वारा एकएक लक्षणसेभी उत्तरोत्तर पात्रता कहकर अब उन्हींके समुच्चयसे परिपूर्ण पात्रता कहते हैं ॥

नविद्ययाकेवलयत्तपसावापिपात्रता । यत्रवृत्तमिमेचोभेतद्विपात्रं प्रकीर्तितम् १९९ ॥

ऐ०-केवल विद्यासे नहीं अर्थात् श्रुताध्ययन सम्पन्न होनेसेही पात्रता नहीं-तपसा वापि अर्थात् सूखेशमदम आदिकी तपस्यासेभी पात्रता नहीं-अपि शब्दकी लक्षणासे केवल अनुष्ठानमात्र यद्वा केवल जातिमात्रसेभी पूर्ण पात्रता नहीं-किन्तु-जिस पुरुष में वृत्त कहिये अनुष्ठान अर्थात् शास्त्रोक्त धर्मों का आचारभी हो और इमेचोभेकिन्तु यह दोनों भी हों कौन एक तौ विद्या १ दूसरी तपस्या २ इन तीनों की एकता में पूर्ण पात्रता समुभी चाहिये परन्तु (च) शब्द के तात्पर्य से ब्राह्मण जाति भी अपेक्षित है अर्थात् ब्राह्मण जातिके पुरुष में यह तीनों लक्षण हों तब पूर्ण पात्रता हो अन्यथा जहां यह तीनों असंभव हों किन्तु एकही दो लक्षण की प्राप्तिहो-तहां उसके अनुरूप पात्रता समुभी जायगी पर जातित्व लक्षण इस बार्ता में अवश्य भावसे अपेक्षित है १९९ ॥

अधि०-जहां एकही एक लक्षण की प्राप्तिहै तहांभी उत्तरोत्तर उत्तमता ज्ञातव्यहै अर्थात् प्रथम तौ केवल एकलक्षण जातिमात्रका फिर उससे अधिक विद्या विशिष्टका फिर उससे अधिक आचार विशिष्ट का फिर उससे अधिक तपो विशिष्ट का और इसीक्रमके अनुसार इनपात्रों में दान करने से फलमें भी उत्तरोत्तर विशेषताहै १९९ ॥

गोभूतिलहिरण्यादिपात्रेदातव्यमर्चितम् । नापात्रेविदुषाकिंचिदात्मनःश्रेयइच्छता २०० ॥

अक्ष०-गऊ धरती तिल हिरण्य आदि अर्चित किया हुआ पात्रमें देना उचित है-अपना श्रेय इच्छा करनेवाले विदुष करके अपात्रमें किंचित् भी नहीं देना २०० ॥



अभि०—यह आदि शब्द सबमें लगता है अर्थात् गऊआदि कहनेसे हाथीघोड़ा आदि भी समुझने जो चतुष्पद दान योग्य प्रसिद्ध हैं-धरती आदि कहने से पृथ्वी ग्राम स्थान यह सभी समुझलेने और धरित्री में बीज ग्रहण वा जनन शक्ति के उपलक्षणसे कन्यादान आदिभी संबंधित हैं-तिल आदिके कहनेसे सर्व धान्यमात्रका निदर्शन है-हिरण्य आदि कहने से सर्व धातुमात्र वा रत्नादि द्रव्योंका निदर्शन है-यथार्थ में आदि शब्द कहने से सभी प्रकार के दान समुझेगये तिनमें कोई दान करनाहो सो वह दानकी वस्तु अर्चित कहिये संकल्पित करीहुई विधिसहित उनपात्रों को देनी चाहिये जिनका चर्चा इस्से पहले श्लोक में आयाथा-न अपात्रे किंतु क्षत्रियादि यद्वा पतितादि ब्राह्मण को भी नहीं देवै वह कि जो विदुष होवे किंतु पात्र विशेषके द्वाराफल विशेष को जानता हो और दान देकर अपनाश्रेयभी चाहताहो सो किंचित्अपि अर्थात् थोड़ाभी नहीं देवै २०० ॥

अधि०—थोड़ा भी नहीं देवे इस कथन का यह सिद्धांत नहीं है कि क्षत्रियादियद्वा पतितादि ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं या किसी दशा में भी नहीं देवे-किंतु-यहांपर केवल शास्त्रोक्तदान का चर्चा है कि जो वस्तु किसी विशेषफल की कामना से संकल्प द्वारा देनी हो चाहै वह थोड़ी भी हो पर पात्रकोही देवै अपात्रको न देवै-अन्यथा अपना श्रेय भी चाहता हो यह कहने से प्रकट होताहै कि कोई आवश्यक दशापर अपात्र में भी देनेसे निःसंदेह कुछ फल होताहै-हां-पात्रमें देनेसे उत्तमश्रेय की प्राप्ति थी अपात्रमें देनेसे तामसफल होगा यह सिद्धांत है-सोईभगवद्गीतामेंकृष्णद्वैपायन का यहवाक्यहै-कि(अदेशकालेयदानमपात्रेभ्यश्चदीयते। असत्कृतमयज्ञातंतत्तामसमुदाहृतम्) अर्थात्-जो दान-कुदेशमें-कुकालमें-कुपात्रोंमें-दीजिये है यद्वा सुपात्र को भी असत्कारसे अर्थात् विधि बिना दियाजाता है यद्वा अज्ञातदान अर्थात् अपमान करके दियाजाताहै सो तामसदान कहाताहै-तामसदान कहनेसे यह सिद्धि पाईगई कि अपात्र को देना भी एक प्रकार का मंददान है किंतु उसकी मंदताके अनुसार फल भी मंदहोगा-और यह बात जो कहीगई कि अपात्रको न देनाचाहिये तिसका यह सिद्धांत है कि उत्तम देश उत्तमकाल उत्तमद्रव्य की निकटतामें कदाचित् पूर्वोक्त पात्रदूरहोवै तौभी उसके निमित्तसे संकल्प छोड़ै और पीछे भेजदेवै या दान वस्तु स्थावर हो तौ पात्रको संबोधन पहले भेजकर पीछेदान उसके नामसेही करै-यद्वादेश काल और पात्रभी उपस्थितहै पर दान वस्तु जंगम या स्थावर हो कहीं दूरहै तौभी उसको संबोधन देकर दानछोड़ै-फिरभी अपात्र को न देना चाहिये इसका दूसरायह सिद्धांतहै कि जिसको पात्रजानकर संबोधन किया हो कि अमुकानुक देशकालपरअमुकामुक दान वस्तु आपके नामसे संकल्पितकरी जायगी इसप्रकार से सुपात्रको

शुभ विद्या हैं वह सभी वेदका रूपहैं-वेद शब्द ज्ञानमात्रका वाचकहै जिस्से कुछ कल्याण विषय जाना जाय १९७ ॥

सर्वस्यप्रभवोविप्राःश्रुताध्ययनशालिनः । तेभ्यःक्रियापराःश्रेष्ठास्तेभ्योप्यध्यात्मवित्तमाः १९८ ॥

ऐ०-सर्वस्य अर्थात् सब क्षत्री आदि वर्णोंके मध्ये ब्राह्मण प्रभवहैं किन्तु श्रेष्ठहैं जाति और कर्मसेभी फिर उन ब्राह्मणोंमेंभी जो श्रुताध्ययनशाली अर्थात् श्रुताध्ययन सम्पन्नहों वे अधिक श्रेष्ठहैं किन्तु श्रुत कहिये ज्ञान और अध्ययन कहिये शास्त्रादि विद्याओंका पढ़ना तिन संयुक्तहों वे साधारणोंसे उत्तम-फिर उनमें सेभी जो क्रिया परहों किन्तु शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठानभी करतेहों वे अधिक श्रेष्ठ हैं-फिर उनसेभी अधिक वे उत्तमहैं जो अध्यात्म वित्तमहों अर्थात् इसी शास्त्रमें जो मार्ग आगे कहा जायगा उसके द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान किन्तु आत्मा जो परब्रह्म है तिसका तत्त्वज्ञान कहिये, स्वरूप ज्ञान तिसमें अथार्थ निपुण और तत्परहों १९८ इसप्रकार जाति १ विद्या २ कर्मानुष्ठान ३ आत्मतत्त्व ज्ञान ४ इनके द्वारा एकएक लक्षणसेभी उत्तरोत्तर पात्रता कहकर अब उन्हींके समुच्चयसे परिपूर्ण पात्रता कहते हैं ॥

नविद्ययाकेवलयातपसावापिपात्रता । यत्रवृत्तमिमेचोभेत्तद्विपात्रं प्रकीर्तितम् १९९ ॥

ऐ०-केवल विद्यासे नहीं अर्थात् श्रुताध्ययन सम्पन्न होनेसेही पात्रता नहीं-तपसा वापि अर्थात् सूखेशमदम आदिकी तपस्यासेभी पात्रता नहीं-अपि शब्दकी लक्षणासे केवल अनुष्ठानमात्र यद्वा केवल जातिमात्रसेभी पूर्ण पात्रता नहीं-किन्तु-जिस पुरुष में वृत्त कहिये अनुष्ठान अर्थात् शास्त्रोक्त धर्मों का आचारभी हो और इमेचोभेकिन्तु यह दोनों भी हों कौन एक तौ विद्या १ दूसरी तपस्या २ इन तीनों की एकता में पूर्ण पात्रता समुभी चाहिये परन्तु (च) शब्द के तात्पर्य से ब्राह्मण जाति भी अपेक्षित है अर्थात् ब्राह्मण जातिके पुरुष में यह तीनों लक्षण हों तब पूर्ण पात्रता हो अन्यथा जहां यह तीनों असंभव हों किन्तु एकही दो लक्षण की प्राप्तिहो तहां उसके अनुरूप पात्रता समुभी जायगी पर जातित्व लक्षण इस बार्त्ता में अवश्य भावसे अपेक्षित है १९९ ॥

अधि०-जहां एकही एक लक्षण की प्राप्तिहै तहांभी उत्तरोत्तर उत्तमता ज्ञातव्यहै अर्थात् प्रथम तौ केवल एकलक्षण जातिमात्रका फिर उस्से अधिक विद्या विशिष्टका फिर उस्से अधिक आचार विशिष्ट का फिर उस्से अधिक तपो विशिष्ट का और इसीक्रमके अनुसार इनपात्रों में दान करने से फलमें भी उत्तरोत्तर विशेषताहै १९९ ॥

गोभूतिलहिरण्यादिपात्रेदातव्यमर्चितम् । नापात्रेविदुषाकिंचिदात्मनःश्रेयइच्छता २०० ॥

अक्ष०-गऊ धरती तिल हिरण्य आदि अर्चित किया हुआ पात्रमें देना उचित है-अपना श्रेय इच्छा करनेवाले विदुष करके अपात्रमें किंचित् भी नहीं देना २०० ॥

अभि०—यह आदि शब्द सबमें लगता है अर्थात् गऊआदि कहनेसे हाथीघोड़ा आदि भी समुझने जो चतुष्पद दान योग्य प्रसिद्ध हैं-धरती आदि कहने से पृथ्वी ग्राम स्थान यह सभी समुझलेने और धरित्री में बीज ग्रहण वा जनन शक्ति के उपलक्षणसे कन्यादान आदिभी संबंधित हैं-तिल आदिके कहनेसे सर्व धान्यमात्रका निदर्शन है-हिरण्य आदि कहने से सर्व धातुमात्र वा रत्नादि द्रव्योंका निदर्शन है-यथार्थ में आदि शब्द कहने से सभी प्रकार के दान समुभेगये तिनमें कोई दान करनाहो सो वह दानकी वस्तु अर्चित कहिये संकल्पित करीहुई विधिसहित उनपात्रों को देनी चाहिये जिनका चर्चा इस्से पहले श्लोक में आयाथा-न अपात्रे किंतु क्षत्रियादि यद्वा पतितादि ब्राह्मण को भी नहीं देवै वह कि जो विदुष होवे किंतु पात्र विशेषके द्वाराफल विशेष को जानता हो और दान देकर अपनाश्रेयभी चाहताहो सो किंचित्त्रपि अर्थात् थोड़ाभी नहीं देवै २०० ॥

अधि०—थोड़ा भी नहीं देवे इस कथन का यह सिद्धांत नहीं है कि क्षत्रियादियद्वा पतितादि ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं या किसी दशा में भी नहीं देवे-किंतु-यहांपर केवल शास्त्रोक्तदान का चर्चा है कि जो वस्तु किसी विशेषफल की कामना से संकल्प द्वारा देनी हो चाहै वह थोड़ी भी हो पर पात्रकोही देवै अपात्रको न देवै-अन्यथा अपना श्रेय भी चाहता हो यह कहने से प्रकट होताहै कि कोई आवश्यक दशापर अपात्र में भी देनेसे निःसंदेह कुछ फल होताहै-हां-पात्रमें देनेसे उत्तमश्रेय की प्राप्ति थी अपात्रमें देनेसे तामसफल होगा यह सिद्धांत है-सोईभगवद्गीतामेंकृष्णद्वैपायन का यहवाक्यहै-कि(अदेशकालेयदानमपात्रेभ्यश्चदीयते। असत्कृतमवज्ञातंतत्तामसमुदाहृतम्) अर्थात्-जो दान-कुदेशमें-कुकालमें-कुपात्रोंमें-दीजिये है यद्वा सुपात्र को भी असत्कारसे अर्थात् विधि विना दियाजाता है यद्वा अवज्ञातदान अर्थात् अपमान करके दियाजाताहै सो तामसदान कहाताहै-तामसदान कहनेसे यह सिद्धि पाईगई कि अपात्र को देना भी एक प्रकार का मंददान है किंतु उसकी मंदताके अनुसार फल भी मंदहोगा-और यह बात जो कहीगई कि अपात्रको न देनाचाहिये तिसका यह सिद्धांत है कि उत्तम देश उत्तमकाल उत्तमद्रव्य की निकटतामें कदाचित् पूर्वोक्त पात्रदूरहोवै तौभी उसके निमित्तसे संकल्प छोड़ै और पीछे भेजदेवै या दान वस्तु स्थावर हो तौ पात्रको संबोधन पहले भेजकर पीछेदान उसके नामसेही करै-यद्वादेश काल और पात्रभी उपस्थितहै पर दान वस्तु जंगम या स्थावर हो कहीं दूरहै तौभी उसको संबोधन देकर दानछोड़ै-फिरभी अपात्र को न देना चाहिये इसका दूसरायह सिद्धांतहै कि जिसको पात्रजानकर संबोधन किया हो कि अमुकामुक देशकालपरअमुकामुक दान वस्तु आपके नामसे संकल्पितकरी जायगी इसप्रकार से सुपात्रको

प्रतिश्रुत किया हो तिस पीढ़े उसमें कोईसा पातक आदि संयोग भी प्रत्यक्ष पाया जाय तो उस कहेहुये दान में से किंचित भी न देवै यह शास्त्रोक्तदानों की प्रतिज्ञाहै- भेद-२ अन्यथा दान शब्द केवल देने के भावार्थ पर आरूढ़ है सो वह देना यथा संभव यथाकाल यथाकार्य के संबंधसे सर्वत्र और सबही मानुषजाति मात्रसे अपेक्षित है उसमें भी पात्रता देखीजाती है किंतु प्रथम तो एक यथा संभव उसमें यहीहै कि किसी को दीनदयालुताकी रीतिसे कुछ देना यद्वा आतिथ्य सत्कार की रीतिसे कुछ देना तहां फिर जाति विद्या आचारतप इनका विवेक नहीं है किंतु कोई जाति हो और विद्या वा आचार आदि उसमेंहों या न हों-सोईदीनकी अपेक्षासे श्रीकृष्णजी ने भगवद्गीतामें यहकहा है कि-(दरिद्रान्भरकौंतेयमाप्रयच्छेश्वरेधनम् । व्याधिनश्चौषधंपश्येन्निरुजस्यकिमौषधम्)-अर्थात्- हे कौंतेय कुंतीपुत्र अर्जुन दरिद्रान्भर किंतु दरिद्रसेपीड़ितोंका भरणपोषणकुरु -ईश्वरेधनंमाप्रयच्छ-किंतु समर्थमें धनमत अर्पण करौ-क्योंकि-औषधंचव्याधिनःपश्येत्-किंच औषधी भी रोगियों कीही करनी उचित है-निरुजस्यकिंऔषधम्-निरोगी पुरुष को औषधी क्या करना-इस लक्षण से यद्यपि कोईसा पूर्वोक्त नियम शेष नहीं है तथापि यह सिद्धांत है कि देना तो सबही दीन-मात्र को चाहै कोई जाति हो परंतु उनमें भी जो कोई दीन जाति या विद्या या आचारया तपस्या से उत्तम हो तो उसे उसकी उत्तमता के अनुसार अपनी शक्तिकेअनुरूप अधिक देना जो न्यून हो उसे न्यून-ऐसेही आतिथ्य सत्कार की रीति में भी जाति आदि का नियम नहींहै (तथाच)(वालोवायदिवाटृद्धोयुवावागृहमागतः । तस्यपूजाविधातव्यासर्वस्याभ्यागतोगुरुः) अर्थात् चाहै बालकहो या बूढ़ा हो या युवान हो जो कोई अपने घरआवै वह अभ्यागत सबका गुरु किंतु सत्कार योग्यहोताहै इसलिये उसकी पूजाकहिये खान पान दान स्थान आसन आदिसे सत्कारकरना उचितहै-इसकी दृढ़ता मध्ये याज्ञवल्क्यजीने भी जो कुछकहा है सो ११० के श्लोकमें देखलो-भेद-३ इसके सिवाय प्रत्युपकार भी एक प्रकारका दानहै उसमें भी जाति आदिका नियम नहीं होता अर्थात् जिसमनुष्यसे किसीप्रकारका अपना उपकार होताहो किन्तु कोई भौतिके छोटेमोटे कामसे भी सहारा मिलता होया केवल वचनसम्बंधीही सहायता मिलतीहो उसको कुछदेना अथवा किसीप्रकारसे उसका बदला पूराकरदेना यह प्रत्युपकार दानहै कदाचित्कोई अपनी कुबुद्धिसे यहकहे कि इसदानसे क्या कुछपुण्यहोगा यह तो लोक व्यवहारहै उसे इसप्रकारसे ध्यान कर सोचना चाहिये कि सभी लोक व्यवहारहैं और सभी लोक व्यवहारों में पुण्य होताहै जो धर्म मर्यादके अनुसार कियेजायँ और इस के समुझनेके लिये एक सीधा मार्गहै कि जिसकाम के न करनेसे पापहोगा उसके करनेसे अवश्य पुण्यहोगा भला जब किसीने अपने साथ कुछ भलाई करी और उस

का बदला अपनेसे न दिया गया तब कृतघ्नी आपहुयेया नहीं किन्तु जब किसीकेकरे को मेट दिया तब निःसंदेह कृतघ्नीहुये फिर कृतघ्नी के लिये क्या २ प्रायश्चित्त लिखे हैं तौ इस्से निश्चित हुआ कि कृतघ्नी भी पापीहोताहै फिर जब किसी का प्रत्युपकार हमने करदिया तौ कृतघ्नी दोष जातारहा और दोषका मिटजाना यही पुण्यका स्वरूप है-हाँ-इतना अंतरहै कि वे शास्त्रोक्तदान संकल्पआदि विधियोंसेहोते हैं यहदानदेदने मात्रसेही होजातेहैं-परन्तु-इसमें पुण्यकेस्वरूपका लक्षण बड़ेसे बड़ा एकयही है कि उनपूर्व उपकारियोंकी योग्यताके अनुरूप प्रत्युपकारकरै अथवा जहांतक बनिआवै अपने पूर्व उपकर्त्ताके साथकमसेकम दूना प्रत्युपकारकरै अथवा निजअशक्तिमेंभी ज्योदसेभी न्यूनकदाचित्भी न होनेदे क्योंकि उसकेतुल्य उपकारकरनेमेंभी दोषलगा रहताहै और इसप्रत्युपकारके करनेमें बड़ेबड़े योग्यताओंके विचार आवश्यकहैं और यद्यपि उनसबका लिखना तौ अब यहां पर अपेक्षित नहींहै तथापि एकछोटासा दृष्टांत लिखेदेतेहैं कि तुल्य प्रत्युपकारमें इसभांतिसे दोषलगतहै जैसे एकमनुष्य इतना प्रतिष्ठितहै कि जो अपने जीविका संबंधी कामको करता तौदोघंटेमें ॥) आठआनेपैदाकरलेता उसीने तुम्हारी किसी आवश्यकता परदोघंटेतक लकड़ीचीरीं कि जिसके बिना तुम्हाराबड़ा अकाजहुआ जाताथा किंतुचीरनेवाला उसबेरा नहींथा अबइस दशामें यद्यपि उसने मैत्रीभावसे या लोकरीतिसेभी तुम्हारा यह उपकारकिया और यद्यपि लकड़फाड़ मिलजाता तौ उसे इतनेकामका एकही -) आनादेनापड़ता परन्तु अब उसका प्रत्युपकार न करनेसे तौतुम्हें कृतघ्न और कदर्यदोष लगताहै और तुल्य प्रत्युपकार किंतु एकआना देनेसे अधर्मज्ञता और कार्पण्य दोषलगतहै इस्से उचितहै कि उसकीयोग्यताके अनुसारकरना तथापि जो वहमनुष्य ऐसासाधारणहो कि प्रत्यक्ष परिश्रमका वेतन लेसक्ताहै तौ दामोंपर उसकी योग्यता अनुमानकरनी उसभलाईके अनुसार कि इसने हमारेलिये वहकाम किया कि जिसको यहनहीं करता या अपनेलिये औरोंसे करवाताथा (अथवा) वह मनुष्य ऐसाहै कि प्रत्यक्ष परिश्रमका वेतन नहीं लेसक्ता वरनइस बातके चर्चासेभी चिड़परैगा तौ तुमभी उसकेसाथ कोई ऐसा प्रत्युपकारकरौ जिस्से उसकी कोई बड़ीभीर पारहोजाय कुछ इसबातपर ध्यान मतरक्खो कि वहकाम एकआनेकाथा (अथवा) वह मनुष्य ऐसामध्यमहै कि प्रत्यक्षले नहीं सक्ता परहृदयसे कामना रखता है तौ केवल दशपांच रोजटालकर किसी और वहानेसे देदो परउसकी योग्यताका विचारवना रखो सो यहवातें उसकेलिये नहींहैं कि जो प्रत्यक्ष वेतनको चुकाकर कामकरै किंतु उसकेलिये वहीरीति जो उसकामकेपेशावालेसे अपेक्षितहो-वस इसीप्रकारसे सर्वत्र सबउपकारोंमें नानाभांतिकीयोग्यताओंका अनुमानकरके प्रत्युपकार करौ जिस्से पुण्यकी उन्नतिहो और पापनहीं लगने

पावै यहां पर पापकाभी बड़ा लक्षण यही है कि कोई अपने मनमें प्रत्युपकारके न मिलने से दुःखमाने और आगेको उपकारमें हानिहो क्योंकि यह सारा संसारही उपकार और प्रत्युपकार रूपदोचक्रोंके सहारेसे चलता फिरता है येही इसके पैर हैं-यह दोनों पहिये नहीं होते तो यह संसार शकट एक ठिकाने से हिलभी नहीं सक्ता और कोई प्राणी मात्र किसी की बात भी न बूझता कि तुम दुखिया हो या सुखिया इसलिये उस प्रभु ने ऐसा जाल बंधन रचा है कि परस्पर एक एक के आधीन है चाहे राजा हो चाहे प्रजा पर दूसरे की आधीनी सबकेलिये आवश्यक है इसीलिये उपकार और प्रत्युपकार का परस्पर संबंध है ( भेद ४ ) वह भी एक दान है जो किसी को वेतन ठहरा कर कामलिये पीछे दिया जाता है उसमें भी अपरिमित पुण्य होता है जो धर्म मर्यादा के अनुसार दिया जावे अन्यथा जो कुरीति से तो वह भी पापका मूल है छोटे अति स्वल्पकामों का चर्चा है कि जिनके वेतन का नियम परिनियमित नहीं हो उनमें पुण्य का यह लक्षण है कि जहां तक बनिआवे वैतनिकों को संतुष्ट राखें संतुष्टिकाभी यही बड़ा लक्षण है कि जो उनसे प्रथम ठहरा हो उससे कुछ अधिक अपनी ओरसे प्रसाद की रीति अनुसार देदेवै तो संतुष्ट हो जावेंगे इस देदेने में कुछ बड़ीसी हानि नहीं किंतु मनकी हारिजीति है कि जब एक दीनसे किसी कामके चारपैसे ठहरे और उसने उसकाम को अपेक्षा अनुसार साधनकरदिया तो एक छद्म अधिक देदेने में उसकी परमतुष्टि होजायगी और फिर आगे को वही वैतनिक तुम्हारे कामको दौड़कर अतिश्रद्धासे करेगा-मनकी हारिजीति का यह सिद्धांत है कि अपने मनको यह समझालेना कि अगर पहलेसेही सवाचार पैसे ठहरे होते तो भी देने होते इससे हम यही समझेंगे इसकामके सवाचार ठहरे थे-इससे यह सिद्धांत भी है कि ठहराते समय जितना चाहे उतना खींचकर कम ठहरालेवै पर देती समय ठहरे हुये से कुछ अधिक देवै और इसवार्ता में वैसे कदर्यों के आचरण पर ध्यान नहीं लावै कि अमुक मनुष्यने जो पैसे ३७॥ साढ़े सैंतीस टके बिकते हैं वेही अमुक वैतनिक को छत्तीस के भावमें लगाकरदिये इसमें धेलापैसा रगड़कर कम देनेसे उसे कुछ बड़प्पन मिलाहोगा लाओ ऐसा हम भी किया करें यह बात अतिमंदों वा कदर्यों की प्रसिद्ध है ( बिरले ) मंदयही किया करते हैं कि प्रत्येक मिहनतीकी मिहनत में काटकपट करते और उसमें से कुछ पुण्य भी करते हैं वरन वे अपना सिद्धांत यही प्रकट करते हैं कि नीचसे काटकर ऊंच को देवै जिससे पुण्य हो सो यह उनका या तो पाखंड है या अज्ञानपनकी छाया है अर्थात् उनको पुण्य कदाचित् नहीं होसक्ता सिवाय पापके क्योंकि पुण्य अपनी निर्मल कमाईसेही होता अथवा कमाई किसी भांति की हो पर प्रथम परिश्रम करनेवाले की तृप्ति रूप पुण्य करलेवै तब उस प्रकार का किया हुआ पुण्य लगता है अन्यथा जो पुण्य



की शक्ति अपने को न हो तौ न करना उत्तम है पर यह अन्याय नहीं कि परिश्रम करनेवाले रोते जायँ और बिना परिश्रम के लोगों को मुफ्त में देकर पुण्य हो यह सर्वथा धर्म से विरुद्ध है-सो इस प्रकारके लोग तौ ( मंद ) कहलाते और वे लोग ( कर्कर ) होते हैं जो इस प्रकार से काटकपट भी करते और पुण्यका नाम नहीं जानते परन्तु पापी दोनों होते हैं-तथापि उसदशामें पापी नहीं होसके जो कोई मिहनती अपने कर्तव्य कामको जान बूझकर या निर्गुणता से बिगाड़ै वरन उस दशा में निपट न देने से भी पुण्य है क्योंकि जो बिगाड़ दंड पावेंगे तौ आगेकोभी किसी और को दुःख न देंगे किंतु कामके बिगाड़ने पर भी वेतनका पाना यह पाप की वृद्धि है ( भेद ५ ) वह भी दान है जो किसी काम का परिनियमित मूल्य प्रसिद्ध होता है जैसे नापित की मिहनत क्षौर कामके मध्ये किसी नगर में अर्धला किसी में पैसा किसीमें दो पैसे जहां जैसी रीति हो ऐसेही धोबी आदि औरों कोभी समझ लेना इसमें यह पुण्य और पाप है कि जिस नगर में जिसकाम का जो कुछ परिनियमित हो उसके ऊपर सब किसी को आरूढ़ बुद्धि होजाना अनुचित है क्योंकिवह नियम न्यूनतरसाधारण मनुष्यों के लिये इस हेतु से प्रसिद्ध किया जाताहै कि इस्से न्यून कोई कंगाल भी न देवै या इस्से अधिक किसी कंगाल से न मांगाजाय जिस्से कहा सुनी का उपद्रव उठै परंतु यह सिद्धांत नहींहै कि इस्से अधिक कोई भी न देवै और पूर्वोक्त नियमके आग्रह से अनीति करै (जैसे) बिरले अन्यायी कहीं स्थानांतर में जाकर सिपाही को आज्ञा देदेते हैं कि जाओ किसीनाई को बुलालाओ भला उनके महत्व से नाई भी उपस्थित हुआ दो घड़ी तक उस्से बोलने का भी अवकाश नहीं अपने काममें लगरहे हैं वह उनके प्रताप से कुछकहनहींसक्ता चुपका बैठा है और यह भी अनुमान है कि यह कोई प्रतापी मनुष्य है न जानै प्रसन्न होकर अपने नामरूपी पुण्यके हेतु से क्या कुछ देडालै भला जब अवकाश हुआ तब हुक्महुआ कि औजार धोओ आप शौच को उठभागे अंत्य दशा उनका क्षौर कर्मभी औरोंकी अपेक्षा दूने तिगुने कालमें होसका जब छुट्टीपाई तब आप तौ स्नान ध्यान को चल दिये किसी नौकरने उसनगर के नियमानुसार पैसा या दो पैसा हाथरक्खे जब उसने कुछ कहा और सेठतक व्यवस्था पहुँची तब पूँछागया कि यहां क्या दस्तूर है किसी ने कहा दो पैसे तब घुड़की मिली वस और क्या चाहता है जो दस्तूर था सो मिलगया निकाल दो गुलकरता है-भला ऐसे अन्यायियों से वृभै कि वह दस्तूर तुम्हारे लिये है जो दो घंटेतक उसके प्राण और जीविका की हानि करी किंतु ऐसे स्थलपर जो काम उस्से दो आनेका लिया हो तौ ढाई आनेके अनुमान देना चाहिये जिस्से पुण्य और प्रतिष्ठा दोनों वनीरहें नहीं तौ पाप और अपकीर्ति तौ सन्नद्ध खड़ीहोही

रही हैं-पर यह बात उनके लिये नहीं है कि जिनसे सदैव लेना पाता रहै किंतु वे  
 अक्सर पर इकट्ठा समझा करते हैं अर्थात् वह तात्कालिक लोगों का चर्चा है-  
 और उन्हीं तात्कालिकों में जो प्रतापी नहीं किन्तु मध्यम आजीवी हों और ना-  
 पित-आदिकी प्रीति द्वारापुण्य और प्रतिष्ठाके अभिलाषीहों तौ केवल इतनी बात  
 आवश्यकहै कि जहां अधेलेका नियमहो तहां एकपैसेका जहां एकपैसेका नियमहो  
 तहां दोपैसे जहां दोपैसेका नियमहो तहां चार अथवा तीन तौ अवश्यहीदेवें चाहै  
 इसके बदलेमें दो चारपैसे मासिक अपने अन्य खर्चोंमें संकोचकरले पर इसप्रकारके  
 दान द्वारा अपना पुण्य और प्रतिष्ठा संचयकरें तबपीछे शास्त्रोक्त दानोंपर दृष्टिडालें  
 निःसंदेह इतना अधिक देनेसे वे नापित-आदि उसपरिमाणसे कुछपरिश्रमभी अधि-  
 कदेवेंगे जो परिनियमित वेतनसे देतेहैं-जो वारम्बारसदा इसरीति से अधिक देनेमें  
 कुबंधन समझै उसकोभी यहउचितहै कि कभी २ मध्यदशाओंमें जब अपनी इच्छा  
 में आजावै तब दोपैसे उठाकर प्रसादकी रीतिसे अधिकदेदेवै या उत्तीर्ण वस्त्रादिक  
 जैसा लोकव्यवहारहो तौ वहमनुष्यनिःसंदेह धर्मज्ञ और पुण्यात्मानिशिचतहै अन्यथा  
 जो इनमर्यादोंमेंकृपणताकरके उसप्रकारकेदानकियाचाहै तौ पुण्यात्मानहीं वरन पापा-  
 त्माप्रत्यक्षहै जो किसीकेपरिश्रमको नहींपहिंचानै और दानोंकेफलाढूढताफिरै तो क्या  
 ढूढेसेमिलसकेहैं(भेद ६)वहभी एक (दान) है जो सेवाधर्मसे मासिक-आदिरीतों अनु-  
 सार दिया जाताहै परउसी अवस्थाताई दान है जो मर्यादिक और श्लाघ्यरीतोंसेही  
 दियाजावे अन्यथा वहीपीड़ादानहोजाताहै-अर्थात् जिसप्रतिष्ठाका सेवकहो या जिस  
 प्रतिष्ठा वाला काम उसके आधीनहो या जैसीकामकी अधिकताहो या जैसी श्रद्धासे  
 वह कामका परिसाधन करताहो या जैसीउसके परिवारके निर्वाहमें योग्यतापाईजा-  
 तीहो या जैसीअपने लाभ और ऐश्वर्यों परसंभावना समझी जातीहो इनसभी बातों  
 को न्यूनाधिक भावाभावकी दृष्टिसे विचारकरके सबकी ऐक्य समताके अनुसार उस  
 के सत्कारसे जोदेवै सोसबदान है फिरचाहै उसके परिनियमित मासिक मध्येहो या  
 उस्से उपरांत किसी और ढंगसे प्रसाद-आदि रीतोंसेही दियाजावै अथवाकिसीअ-  
 न्यसंबंध द्वारा दिलवाया जावे पर सिद्धांत इस्से इतनाहै कि उसकीसंतुष्टि और यो-  
 ग्यता और परिश्रमका यथावत् इक्कीस बलिक पच्चीस प्रतिकार और आवश्यक नि-  
 र्वाह इनमें किंतु नहीं लगने पावै तौ सेवादानहै नहीं तौ इनकी बिपरीततामें पीड़ाप्रा-  
 ण और अपमानमान है और वहीपापका स्थानहै (भेद ७) वहभी (सेवादान) है जो  
 मासिक रीतोंसे नियमित नहीं परसेवाके प्रतिकारमें पालन कियाजाय सो यहसेवा  
 भक्तदासकी संभवितहै और भक्तदासवही है जो मासिक-आदि रीतोंसे परिश्रमका  
 मुल्य तौ नहीं ठहरावै और न मांगै पर निरंतरसंतोष वृत्तिसे किसीकी सेवामें तत्पर

बनारहताहो ऐसेदासका माहात्म्य पूर्वोक्तसेभी अधिकहै पर जोइच्छाके अनुसारसेवा करसक्ताहो इसका दानमान सत्कारऊर्द्धोक्तसे विशेषकरना उचितहै क्योंकि वहमुखसे कुछकहता या मांगता नहीं यह पात्रता उसमें अधिकहै परन्तु जबइसकी पात्रताके अनुरूप नहींदियागया तभी केवलदुःखदानहै-क्योंकि दानशब्दका अर्थहीदेनेकेसि-वायरक्षण और पालनआदिपर समाश्रितहै सोजबयथार्थ नहींहोसके तबकेवल दुःख दानउसकी सेवाद्वारानिश्चितहुआ-फिरवहीदान शब्द शुद्धिकेभी अर्थपर समाश्रितहै और शुद्धिशोधनमात्रसे अपेक्षितहै अर्थात् अपनेऊपरसे किसीके ऋणभारका शोधन करना या किसीके परिश्रमका प्रतिकार शोधनकरना या पापसंचयका शोधनकरना फिर वहीदानशब्द छेदन अर्थकाभी वाचकहै और इसमेंभी जो भावशोधनार्थसे पायेगये वह सबसंभवितहैं इसकी कहावतभी लोकमें प्रसिद्ध है कि अमुक बातका पापकाटदो छुड़ीहो इत्यादिनानालक्षण रूपअर्थ एकदानशब्दके प्रसिद्धहैं(भेद८)यद्यपिदानशब्द की अर्थलक्षणा इतनीहैं कियहांपर उनसबका लिखाजानाभी कठिनहै इसलियेयथा संभव अपनेरस्थलपर जहांतहां सबलिखेजायेंगे तथापि केवलदानमात्रका साधारण स्वरूप एकलिखेदेतेहैं कि—(अर्थानामुदितेपात्रेश्रद्धयाप्रतिपादनम् । दानमित्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानंतस्यवक्ष्यते॥दाताप्रतिग्रहीताचश्रद्धादेयंचधर्मयुक् । देशकालौचदाना नामंगान्येतानिषड्विदुः)अर्थात्-पात्रके उदितहोतसंते अर्थोंकाश्रद्धासे प्रतिपादनकरना यहीदानकालक्षण अभिनिर्दिष्ट है किंतु अभि कहिये सर्वथा कहागया अर्थात् कोई तरहका दानहो परलक्षण सबका यही है उसदानका व्याख्यानभी अगलेश्लोक में कहतेहैं-और पात्रोंका उदितहोना यहकि ऊपरजोछःसात भेदोंसे पात्रोंकेलक्षण कह-चुकेहैं उन्हींमेंसे किसीप्रकारके पात्रको कुछ देनेका समय वर्तमान हो कि इससमय इसप्रकारके पात्रको अमुकवस्तु अमुकहेतुसे देनीउचितहै वसयहीउसका उदयहोना कहलाताहै अर्थात् वह अपने लेनेके उचितसमयपर उद्यतहोरहा है उसअवस्थामें अर्थकहिये पदार्थवस्तु जोजो उससमय के देनेयोग्य होतेहों उनका श्रद्धासे प्रतिपा-दनकरना किंतु उससमयपर यहश्रद्धाभी उत्पन्नहो कि अवश्य इसदशा में यहवस्तु इसको देदेनीउचितहै इसप्रकारकी अभिलाषा से प्रतिपादन करै अर्थात् देदेवै सो यह सबतरहके दानोंका अभिलक्षणहै-इसकहनेका यहसिद्धांतहै कि जो इसीरीतिसे दियाजाय सो सबदानमें गिनतीहै चाहै किसीहेतुसे दियागयाहो-अन्यथा वही देना जोसमयटालकर आपहीदिया अथवा अश्रद्धासेदिया किंतु देतेहुयेदुःखमाना अथवा लेनेवालेने मांगनेसे तगादाकरनेसे थुक्काफजीहतीसे लिया इत्यादि कोईसीविपरीत-ता जहांउत्पन्न होगई तौफिर वहदाननहीं किंतुदाता प्रतिग्रहीताआदि दानोंकाप्रत्यक्ष अपमानहै इस्से उसदानका व्याख्यान अगलेश्लोकमें यहकहतेहैंकि—दाता १ प्रति-

ग्रहीता २ श्रद्धा ३ देयवस्तु ४ देश ५ काल ६ यह इतनेछः अंग सर्वप्रकारके दानोंमें कहेहैं परन्तु उस अवस्थामें कियह सबकेसब धर्मयुक्तहों किन्तु किसी एकमेंभी कोई सी अधर्मता नहो—सो अधर्मताका स्वरूपयही है कि शास्त्रकी संमति और लोक व्यवहार से कोई विपरीत मर्याद इनमेंनहो—यथा-दाताकी अधर्मता जिसे नदेना चाहिये उसेदेना या कुकर्मके प्रतिकारमेंदेना या सुकर्मके प्रतिकारमें औचित्यसेन्यून देना या समयटालकरदेना या ग्रहीताका जी दुखाकरदेना या अपमानसेदेना अश्रद्धा सेदेना इत्यादि १-प्रतिग्रहीताकी अधर्मता अनौचित्यसेमांगना दाताका जी दुखाकर लेनेकी अपेक्षा करनी या किसीकार्य निजसंबंधीकी अपूर्णता यद्वा समयकी अप्राप्ति में अथवा किसीकार्यका विध्वंसकिये पछिभी प्रतिकारकी अपेक्षाकरनी या धूर्तता से या किसीदूसरेके नामसे व्यर्थनिजभागता दृढ़करनी याखई निन्दकता करनीइत्यादि २-श्रद्धाकी अधर्मता भविष्यकालमें किसीकुकर्मकेहेतुसे श्रद्धाका उत्पन्नहोना याविश्वास घातकीबांछासे श्रद्धाका उत्पन्नहोना इत्यादि ३-देयधनकी अधर्मता अर्थात् वहधन अपनानहीं किंतु परसंबंधीहो यद्वा देकरकुछप्रतिकार लियेपीछे लौटारलेनेके अभिप्राय वालाहोया उतने का लालच दिखलाकर कुछ अधिक आकर्षण करनेके हेतुवालाहो इत्यादि ४-देशकी अधर्मता अर्थात् जो देश जिस वस्तुके देने अथवालेने के लियेप्रति-नियतहै उससे अन्य देशमें देनेकहे या मांगै या उस मुख्य देशके नामसे लेजाकरकिसी अन्य देश अनुचित में उपस्थित करै इत्यादि ५-काल की अधर्मता जो काल जिस वस्तुके देनेअथवालेनेका प्रति नियत अथवा मर्यादके अनुरूप पायाजाताहो उससे न्यूनाधिक अवस्था में मांगना यद्वा देना इत्यादि ६॥ये सब लक्षण केवल सूत्रमात्र यहां पर दर्शाये गये किंतु इनके दृष्टांत बड़े लंबे चौड़ेहैं इसलिये लिखने से छोड़े गये सो सब यथा संभव यथा स्थान अपनी बुद्धिसे अनुमानकरौ २०० ॥

पात्र में देने की विधि और अपात्रमें देनेका निषेध दाता के प्रति कहचुके अब आगे प्रतिग्रहीता से कहते हैं ॥

विद्यातपोभ्यांहीनिननतुग्राह्यः प्रतिग्रहः । गृह्णन्प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेवच २०१ ॥

ऐ०—विद्या और तप इन दोनों से हीन ऐसे पुरुष को प्रतिग्रह नहीं लेना उचित है क्योंकि ऐसा पुरुष प्रतिग्रह को लेताहुआ प्रदान करनेवाले को और अपने आत्माको भी नरक में पहुँचाता है २०१ ॥

अधि०—जहां शास्त्रोक्त अकाम्य दानका चर्चाहो तहां शास्त्रादि संबंधी विद्या और ईश्वर संबंधी तपस्याकी योजना है-जहां केवल प्रतिकार दान या सेवादान आदि का चर्चा हो तहां विद्याके निदर्शन से अपनी २ जाति पेशा यद्वा शरीर संबंधी गुणोंका उपलक्षण है और तपस्या के निदर्शन से निज २ गुण संबंधी उपकार परिश्रमसेवा

कार्य साधकता स्वामिभक्ति आदि समुभूना और नरक को पहुँचाना उसमें तद्रूप और इसमेंभीहै परन्तु इसमें लोक दृष्टिसे प्रथमनिन्दा दुर्नामता अविश्वासताआदि ये अधिक हैं २०१ ॥

अब यहांपर पात्रदानमध्ये कुछ विशेषता दाताके प्रति कहते हैं ॥

दातव्यंप्रत्यहंपात्रेनिमित्तेतुविशेषतः । याचितेनापिदातव्यंश्रद्धापूतंतुशक्तिः २०२ ॥

अक्ष०—पात्रमें प्रतिदिन देना और निमित्तमें विशेषतासे याचितहुये करकेभीश्रद्धा पूत और शक्ति से दातव्य है २०२ ॥

अभि०—पात्रों में नित्यही जो कुछ बनि आवै सो अपनी शक्तिके अनुसार और निज कुटुंब के अविरोधसे देना-और निमित्त कहिये ग्रहण आदि पर्व या पुत्रजन्मविवाह यज्ञया किसीअवसर संबंधी सत्कर्मोंके समाज उत्सवपरोपकार सार्विक कल्याणी प्रक्रिया आदि आपड़ने में विशेषता से अधिक और मांगने पर भी देना-परन्तु जो देना सो श्रद्धापूत करके अर्थात् अनिन्दासे पवित्रकरके देना किंतु ऐसी श्रद्धा सहित देना जो किसी प्रकार से देने पर भी निन्दा न हो और शक्ति से अधिक भी न देना जिस्से पीछे किसी तरहका दुःख उत्पन्न हो-और निज कुटुंबके अविरोधका यह सिद्धांत है कि जिस वस्तुके देदेने से अपने कुटुंब का कोई भृत्यवर्ग स्त्री पुत्रादि में सेयद्वा गुरुवर्ग में से विरुद्धखड़ा करसक्ता हो तौ ऐसी वस्तु नहीं देवै या जिस्से अपने कुटुंब के पालन में न्यूनता पड़नेकी संभावना हो उसको भीन देवै-दूसरा ध्वन्यर्थ इसके पहले चरण में मुख्यता से यही है कि पात्रे प्रत्यहंदातव्यं अर्थात् पात्र जो २०० की अधिकोक्ति में छः सात भेदों से भिन्न २ दर्शायेगये उनको तौ नित्यही देना उचितहै किंतु उनसे नित्यही देने का संबंध लगा रहता है इस्से उनकी पात्रता के अनुसार यथा संभव नित्य देना उचितहै और निमित्ते विशेष तो दातव्यं अर्थात् निमित्त जो अभी ऊपर कहचुके हैं उनमें निमित्त के अनुरूप पात्रों को विशेषतासे अधिक देना अपनी शक्ति आदिके विचार सहित-और मांगनेपर देनेका केवल यही अभिप्राय नहीं है कि कोई भिक्षुकता की रीति से निज स्वार्थ के हेतुसेही आपमांगै किंतु कोई सज्जन किसी परोपकार सार्व कल्याणी प्रक्रिया की सिद्धिके निमित्त से मांगै कि तुम अमुक प्रयोजन में हमारे कहने से कुछ देदो तौ ऐसी दशामें देनेसे अधिक पुण्य और प्रतिष्ठा मिलती है २०२ ॥

अधि०—युगव्यवस्था के अनुरूपभी दानों के भिन्नरूप पराशरजीने कहेहैंकि-(अभिगम्यकृतेदानत्रेतास्वाहूयदीयते।द्वापरेयाच्यमानंतुकल्लोदानञ्चसेवया) अर्थात्-कृत युगमें दाता आपजाकर दत्तेथे-त्रेतायुगमें ग्रहीताको बुलाकर देनेलगे-द्वापरमेंमांगने पर तत्काल दियाजानेलगा-कलियुगमें सेवा किंतु बड़परिश्रम की मांगा तांगी से देना

दिया जाता है ॥ इस का यह सिद्धांत नहीं है कि कलियुगमें इसी प्रकार से देना चाहिये-किंतु इस वाक्य में यह अभिप्राय हेतु गर्भित है कि अद्यापि जो कोई दाता जिसे किसी को किसीरीतिसे कुछ देना अंगीकार है चाहे कोई भांतिका देना हो वह ग्रहीताके घर आप जाकर दे आवे अथवा किसीरीति से घर बैठे बिना मांगे ही पहुँचा देवै तो यह कहा जायगा कि उसने सतयुगरूपी दानकिया अर्थात् सतयुगी रीतोंसे देना उच्चारकिया-ऐसे ही जो ग्रहीताको बिना मांगे ही बुलाकर दिया तो यह कहना चाहिये कि उसने त्रेतायुग की रीति अनुसार देना दिया-अथवा जो ग्रहीताने तगादाकिया और करनेसे तत्काल देना दिया गया तो यह कहा जायगा कि उसने द्वापर की रीति अनुसार दान किया-जब ग्रहीता उससे वारम्बार जाने आने या कहने सुने आदि के परिश्रमसे निकाल पावे तब यह जानौ कि वह दान कलियुगरूपी हुआ इस परिश्रमके हेतुसे ही, इसको सेवा दान कहते हैं (और) एक वह भी सेवा दान है कि कलियुगमें जब कोई किसीको कुछ पुण्य दृष्टि से भी देना कहता है तब उससे अनेक भांति के निज स्वार्थरूपी काम धंधे आदि के प्रयोजन पहले सिद्ध कर लेता है तब देता है बल्कि बहुधा तो यही कुरीति प्रवर्तित है कि उपकारीको ही दान देते हैं अर्थात् शास्त्रोक्त अकाम्यदान भी उसीको देते हैं जिससे अपना कुछ उपकार निकलतारहता है इसीलिये श्रीकृष्णजीने गीतामें कहा है कि (दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशकाले च पात्रे च तदानं सात्त्विकं स्मृतम्) सो यह सात्त्विक दान अकाम्यदशापर कहा है-अन्यथा जो राजसदान है वह उपकारीको ही देना उचित है-तथा च श्रीकृष्णः (यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं दानं राजसंस्मृतम्) इस राजसदानके तीन भेद जो इसी श्लोकमें कहे हैं तिनमें पहला भेद जो प्रत्युपकारार्थं कहा सो वही है जिसके लक्षण २०० की अधिकोक्तिव्यवस्थामें छः भात भेदोंसे कह चुके हैं इसलिये यहांपर विशेष लिखनेकी अपेक्षा नहीं रही-और ऊपर इसी अधिकोक्तिमें चारों युगरूपी दान जो लिख चुके हैं तिनके फल भी स्मृत्यन्तरमें कहे हैं कि (गत्वा यद्दीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम्। सहस्रगुणमाह यथाचिते तु तदर्द्धकम्)-अर्थात् जो दान घर बैठे पहुँचाया जाता उसका फल अनन्त है-और जो बुलाकर दिया जाता उसका फल एक सहस्रगुण रह जाता-और जो मांगेपर तत्काल दिया जावे तिसका फल उससे भी आधा किंतु पांचसौगुण रह जाता है-इसके पीछे जो कलियुगरूपी दान ऊपर कह चुके उसमें कुछ भी फलशेष नहीं रहता किंतु निष्फल हो जाता है-सोई पराशरजीने भी कहा है कि-सेवा दानं तु निष्फलम्-अर्थात् सेवारूपी कलियुगदान निष्फल है-परन्तु यहांपर सेवादानका यह अर्थ नहीं है कि नौकरी आदि काम टहलके बदले दिया हुआ निष्फल होता है क्योंकि उससेवाके दानका माहात्म्य २०० की अधिकोक्तिमें देखो कैसे उत्तम कहा है अर्थात् यहां सेवाका सिद्धान्त यही है कि मांगातांगी आदिका छेश देकर उच्चार करै सो सेवादान है २०॥



अवयहांपर सब दानोंकेमध्ये प्रथम गोदानकी विशेषता कहतेहैं ॥

हैमशृंगीखुरैरौप्यैःसुशिलावस्त्रसंयुता । सकांस्यपात्रादातव्याक्षीरिणीगौःसदाक्षिणा २०३ ॥

दातास्याःस्वर्गमाप्नोतिवत्सरान्रोमसंमितान् । कपिलाचेत्तारयतिभूयश्चासप्तमंकुलम् २०४ ॥

ऐ०सह०—(हैमशृंगी)हेमजोसुवर्णतासेमढ़ेहुयेसींगजिसके(खुरैरौप्यैः)अर्थात् रूपा चाँदी केबनेहुये खुरोंसे संयुक्त(सुशिला)कहियेसूधीस्वभावसे किन्तु भरकनीनहीं और बस्त्रभी ओढ़ेहुये (सकांस्यपात्रा)अर्थात् काँसेकापात्र उसकेसाथमें दूधदुहने केलिये उसपात्रका परिमाण यहीहै कि जितनादूध वहदेतीहो उसके भरजानेयोग्य-और(क्षीरिणी)अर्थात् घनादुग्ध देनेवालीहो और (सदाक्षिणा) अर्थात् दाताकीशक्ति अनुसारकुछ दक्षिणाभी उसकेसाथहो सोयहदक्षिणा गऊके आहारनिमित्तमें संसूचितहै इसलियेचाहै एकवर्ष मात्रके आहारयोग्य दक्षिणाहो चाहै एकमासकेया जितनेदिनोंतक दूध देसकैगी तब ताईके अनुमानपरहो परन्तु मुख्यासिद्धांत इसकायही है किजितनीबर्षोंताई वहगऊ प्रतिग्रहाताकेपास रहकरजीसकै उतनेबर्षों के प्रबन्धयोग्य दक्षिणाहो तब ऐसीगऊ दानकरनेकेयोग्यहै २०३ ॥ इसगऊका दानकरनेवाला दाता स्वर्गकोपाताहै किंतुस्वर्ग में जाकर वहांके भोगोंको भोगताहै उतनी बर्षोंताई कि जितनेरोमा उसगऊके शरीरमें होतेहैं—और जो कदाचित् यहीगऊ कपिलाभी हो तौ सातकुल पिछलेभी उसदाता सहित निःसंदेह तारदेतीहै २०४ ॥

अधि०—निःसंदेह तारदेती है यह निःसंदेहता भूयःशब्दके अर्थसे लीगईहै परन्तु निःसंदेहतारदेना सातकुलका उसीअवस्थामें समझना चाहिये कि जो २ लक्षणगऊके ऊपर ऐक्यार्थमें कहेगये वहसभी बातें यथावत्हों तौ वहकपिला ऐसाफल करसक्ती है किंतुकेवल कपिलावर्णमात्रके होनेसे यहफल नहींकरसक्ती है क्योंकि कपिलवर्ण नील पीतमिश्रित दोनोंआभाको कहतेहैं किजो ऐसेवर्णकी गऊहो वहकपिला है औरकोई आचार्य रोचनाछवि वर्णको कपिलवर्णकहतेहैं प्रथमतों वर्णकाविनिश्चयहोना दुर्लभ है दूसरे निश्चयहुयेपरभी कपिलाकामिलना दुर्लभहै तीसरेकपिलाचाहै एकयासहस्र भी मिलजायँ परउसबातकाहोना क्यासुगमहै कि उसगऊकेजीवन अवधिपर्यंतका प्रबन्ध आहारमध्ये करदियाजाय-संप्रति बहुधा इसप्रकारसे गोदान करतेहैं किजबदेखा यहगऊबूढ़ीहोगई दूधभी थोड़ादेतीहै इसकागर्भिणीहोनाभी अबअसंभवहै अबइसकाखर्चनहीं उठायजाता लाओ दान करदेवें तौ पुण्यहोगा क्योंकि इसकोवेंचें तौकोई लेतानहीं दूसरे-दुर्नामनाभी होगी इससेयही अच्छा है कि एकहलकीसी घंटी और आधआनेका अँगोछा और ढाईपावअन्न आगेरखकर किसीब्राह्मणके पल्लेवाँधें तौ दोआनारोजकी दस्तकसेछूटें-हाधिग् यहनहींसमझते कि जो ऐसीगऊ दानकरने से सातकुलतरतेहोते तौनरकौकी छान्नीउजाड़ होजाती-हां यहकहो कि ऐसीगऊदेने से

निःसंदेह नरकदेशोंकी वसापतमें संपन्नताहोगी क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीताआदि अनेकोंको जाकर वहांवसनाहोगा-भला जो गऊकेहाड़ या नाममात्र दानकरने से कुछपुण्यमें विशेषताहोती तौआचार्योंको यहकहनेसे क्याआवश्यकताथीकि घनेदुग्ध वालीहो और जीवन अवधिके आहारयोग्य दक्षिणासेभीसंयुक्तहो कांस्यपात्रभीसाथ हो ओढ़नेकावस्त्र उसकेसाथहो-इनबातोंसे सर्वथा निश्चितयहीहै कि पुण्यका स्वरूप किसीसज्जनके सुखआरामका लक्षण है किंतु जिसमें कोई सज्जन बहुतसी आराम और सुखभोग आदिपावेगा उसमें बहुतसापुण्यहोगा इससे यहबातपाईगई कि ऐसी रीतिसे गऊदीजावे जो उसगऊके पालने या खवाने आदिकाभगड़ा प्रतिग्रहीता को न करनापड़े केवलअनायासका दुग्धपानकरनेको मिले जिससे उसके शरीरकेरोमा २ प्रसन्नहोकर आशीर्वादकरें तौ इससे यहभी निश्चितहुआ कि प्रतिग्रहीताकेपास उस गऊकीसेवायोग्य कोईअधिक मनुष्य जो नहो तो एक सेवकभी साथ दियाजावे जैसे कन्याकेसाथमें टहलिनी दीजातीहै जिससे औरभी अधिकपुण्यकी वृद्धिहो सर्वथापुण्य का स्वरूप दूसरेकी आरामनिश्चितहै-फिरजवकिसीनेबढ़ी औरव्यर्थगऊकेहाड़ किसी के पल्लेबांधकर उलटी दोआना रोजकी दस्तक उसकेशिर खड़ीकरी तहां प्रथमतौ उसपर जो विपत्तिबढ़ी यही एकबड़ापापहै दूसरेजो वहग्रहीता कुछसमर्थ और विवेकीहुआ तौ उसगऊका पालन अपने स्वार्थबिना भी करेगा कदाचित् उसमें समर्थ और विवेकताभी नहुई तौनिःसंदेह यातौबेंचैगा या खड़ी २दुःखपावेगी उदरकीअपूर्तिमें अथवा किसी संबंधीके ग्राममें करदेगा तौ वहांभी आधुनिक समयमें निर्बाह बड़ादुर्लभहै ग्रामकी हांकीहुई गौओंकी जो दशाहोजातीहै सो आँखोंदेखनेमेंआई है परअकथनीय है अथवा उसने अपनी ओरसे किसीको पुण्यकर के देदी तौ भी क्या निश्चितहै कि वहग्रहीता उसको कैसेरखेगा या किसकेहाथ बेंचैगा-बड़ीसे बड़ी यह बातहै कि उसबेंचनेवालेने अपनी ओरसे किसीको हिंदू या सत्पात्र समझकरबेंची पर नहीं निश्चित कि उससे उसकाभार उठायाजाय या नहीं या वह कहांसेकहां पहुँचावे तौ सर्वथा यहपापकी शृंखला उसपूर्वदाताकेशिरआरूढ़है कि जिसने पहले दानकरनेके अपनाभार उताराथा-इससे सर्वथादृढ़बिश्वासहै कि यहविकराल समय अबगोदान करनेका निर्विकल्प नहींहै क्योंकि जिसकालमें यहआज्ञा उन्नतहुईथी उसकालका प्रभावकुछ औरथा यथार्थ में गोदानसे वहीफलहोताथा कि जो शास्त्रोक्त है-क्योंकि प्राचीन समयोंमें गऊऐसारत्न गिनाजाताथा जैसा संप्रति धरतीका बिसा समभाजाताहै इससे कि जैसा अबछोटेमोटे ग्रामका बिसा कुटुम्बका पालन करसक्ता है उससे भी इक्कीस पहलेगोधनसे प्रतिपालहुआकरताथा इसहेतुसे किबनजंगलोंकीबहुतायतके सिवाय प्रत्येक ग्रामों में कुछधरती केवल गौओंके निमित्त छुटी रहती जिसमें

लाखें गोधनका प्रतिपाल बिनादामोंकेहीहोताथा तबएकगऊका मिलजाना एकग्राम केसमान समभाजाताथा वरनउसदशामेंबूढ़ीगऊकाभीलेनादेना इसलिये फलदायक समभाजाताथा कि अगर इससे दूधकासुख नहीं परएकदोबच्चादेदेवेगी तौभी दोबर्षों पीछे गोधन वा गोरसकी वृद्धिघरमें होजायगी जिसने दोबर्षोंकी रखवाली करनीकठिनसमुभी उसनेचाहै तिसग्रामके गोधनमें छोड़दी प्रसूतपीछे घरलाकरबांधी अबइनमेंसे एकौबात नहींबनसक्ती कहौ किसके गोधन में छोड़आवै घर २ मटियाले चूल्हे एकसेहोगये ग्रामोंकी व्यवस्था शहरोंसे पच्चीसहै इनकारणोंसे गोदानकाकाल तौ परधामको सिधारगया परन्तुकहीं २ गोदानकादेश अबताईभी बनरहाहै किजैसीव्यवस्था अभी ऊपर लिखचुकेहैं तैसीउनमें वर्तमानहै जिसकीइच्छाहो उनदेशोंमें बैठकर गोदानकरै तौ यथोचितफल होसक्ता है परन्तु वहदेश जहांहोंगे तहां तिसकेलिये होंगे हमको कौथिवेदेश यहां नहींआसक्ते हम वहां नहींजासक्ते—अन्यथा जिसको इसदेशमें गोदानकरनेकी श्रद्धाहो उसकेलिये यहीबात बड़ीउत्तमहै कि जैसी गऊदेनेकी सामर्थ्य अपनीहो तैसेमूल्यका अनुकल्पकरके दानकरिदेवै यद्रायहवात किजिसकिसीउत्तमपात्रकेपास उसकीपालीहुईगऊहो उसेउसका मूल्यदेकर उसीको पूजिकर देदेवै तौ कोई भांतिसे दोषभागीनहींहोसक्ता-या-जोप्रत्यक्षगऊ दानकरनेको इतनीबड़ी सामर्थ्य उसमेंहो कि वहसदैव उसकेदानाधासका प्रबन्धकियेजावे तौ कुछचिंतानहीं-अथवा-सदैव का प्रबन्ध नकरसकनेपरभी एकप्रकारहै परन्तुजब वैसापात्र मिलसकै अर्थात्गोदानका प्रहीतापात्र ऐसाहो कि प्रथमतौ ग्रामआदि कुछधरतीसे संबन्धवानहो ऐश्वर्य वानहो उदारहो विवेकीहो जिसके गोविक्रयकी निषेधप्रतिज्ञा निर्बिकल्पहो उदार यहांतकहोकि चाहैगऊ बहिलाहोजाय परसबकेतुल्य बांधकरखवावै जिसमें यहलक्षणहों उसको चाहै तैसीगऊदेदेवै तौभीदोषनहीं परजो ऐसाहोगा वह गोदान लेनेसेभी निषेधरखताहोगा किंतुऐसासंयोग बनिपड़ना बड़ादुर्लभ है इससे यहीसबसेश्रेष्ठहै कि जो गोदान करनेकी श्रद्धा उत्पन्नहो तौ समयको हाथजोड़कर गोदानका ध्यानकरलेवै और जो कुछबनि आवै सो उसका कल्पकरिकै देदेवै—यतः-(अस्वर्ग्यलोकविद्विष्टंधर्ममप्याचरेन्नतु) अर्थात् जो बात यथार्थसे शास्त्रोक्तहै औरधर्मरूपभीहै परजिसकेकरनेसे अस्वर्ग्यलक्षण प्रतीतहो किंतु नरककीनिशानी देखपड़तीहो अथवा लोकनिन्दाकाहेतुहो तौ उसका आचारकरना उचितनहीं-सोइसव्यवस्थामेंलोकनिन्दासे कुछअपेक्षानहींहै परअस्वर्ग्य लक्षणप्रत्यक्षहै जैसाऊपरसेवर्णनहोता चलाआया सो सबसमभक्तो २०३।२०४ ॥

अब सबत्साकाफल कहते हैं ॥

सबत्सारोमतुल्यानियुगान्युभयतोमुखीम् । दातास्याःस्वर्गमाप्नोतिपूर्वेणविधिनाददत् २०५ ॥  
 ऐ०—सबत्सा वच्चासहित जोगऊ दानकरीजावे पहले कहीहुईविधिसे वहअपने और

यज्ञाकेभीरोमतुल्य युगोंपर्यंत स्वर्गमेंवास करवाती है-युगयहांपर कृतयुग त्रेता आदि से अपेक्षाहै-और यदिपूर्वकहीहुई विधिसे उभयतो मुखी दानकरीजावे तो इसकादाता भी स्वर्गके ऐश्वर्यभोगताहै दोनोंके रोमतुल्य युगोंपर्यंत-उभयतोमुखी अर्थात् जिसका दोनोंओरको मुखहो किन्तु एकओर अपना और एकओर बच्चेका सोईनीचेकेश्लोक में इसके लक्षण कहते हैं २०५ ॥

यावद्भस्त्रस्यपादौद्वौमुखयोन्यांचदृश्यते । तावद्गौःपृथिवीज्ञेयायावद्गर्भनमुंचति २०६ ॥

ऐ०-जवताई बच्चाके दोनोंपैर और मुखयी योनिमें निकलताहुआ याउलभादेख पड़ताहै उतनेकालताई वहउभयतोमुखीकहलातीहैक्योंकि दोनोंओरको मुखहोगये-और तवताईगऊ पृथिवीरूपज्ञातव्यहै किजवतकगर्भको नहींछोड़तीहै-अर्थात्इसका दानकरनेसे पृथ्वीदान करनेकाफल होताहै २०६ ॥

यथाकथंचिद्वत्वागांधेनुंवाऽधेनुमेववा । अरोगामपरिक्लिष्टांदातास्वर्गंमहीयते २०७ ॥

ऐ०-कथंचित् कहिये अतिप्रयत्नसे जैसे बनिआवे तैसेही अर्थात् हेमशृंग आदि विधिनहोसकै तौनहींभीसही परपूर्वोक्तविधिसे धेनुकहिये दूधदेतीहुईगऊ यद्वा अधेनु कहिये विनादूधकीभीसही जो बंध्यानहो परन्तु अरोगिणीहो अपरिक्लिष्टा कहिये अतिदुर्बलानहो इसीउपलक्षणसे अतिवृद्धाभीनहो तौ ऐसीगऊको भी दानकरके दाता स्वर्गमें पूज्यहोताहै किन्तु वहांसत्कारसहित रहता है-परन्तु ये सबउत्कर्षा उसीसमयकेलिये कहीथीं किन्तुअबकेलिये २०३ और २०४ कीव्यवस्था अनुसार गोदान करना शुभदायक है २०७ ॥

अब आगेगोदानके अनुकल्प लिखतेहैं ॥

श्रांतसंबाहनंरोगिपरिचर्यासुरार्चनम् । पादशौचंद्विजोच्छिष्टमार्जनंगोप्रदानवत् २०८ ॥

ऐ०-यद्यपि श्रांत संबाहनका अक्षरार्थ तौ केवल यही है कि थकेहुये को अपनी पीठपर या अपनी सवारी वा भाड़ेकी सवारीपर चढ़ाकर अपेक्षितस्थानपर पहुंचा देवै परंतु अभिप्राय यहहै कि श्रांत जो कहींसे थकाहुआ आवे उसको आसन शय्या स्थान सेवा आदि आराम देना श्रांतसंबाहन कहलाता है इसमें वह बातें भी सब समझलेना जो अक्षरार्थसे दर्शाई गईं-यह श्रांतसंबाहनरूप पुण्यभी गोदानके समान होताहै-ऐसेही रोगीकी सेवा करनी गोदानके समान फल देतीहै-ऐसेही सुरार्चन कहिये देवताकी पूजाभी गोदानके समान फलदेतीहै-ऐसेही महात्माओंके चरण प्रक्षालन करना यहभी गोदानके समान है-ऐसेही द्विजोंकी उच्छिष्ट बुहारनी धोनी मांजनी यह सब गोदानके समान हैं २०८ ॥

अधि०-देवताका पूजन किन्तु हरि हर हिरण्यगर्भादिकोंका गंधमाल्यादिसे आराधन द्विजोंका पादशौच अपने समानोंका और अधिकोंकाभी-रोगीकी सेवा यथा सम्भव

औषधीआदिके देनेसे—यहसब अनुकल्प इसीलिये कहेहैं कि जिसे गोदान करनेकी शक्तिनहो अथवा शक्तिकेहोनेपरभी देशकाल आदिकी विरुद्धता से गोदानकाहोना असंगतहो तहांये अनुकल्पही उसफलको देनेसक्तेहैं २०८ ॥

भूदीपांश्चान्नबस्त्रांभस्तिलसर्पिःप्रतिश्रयान् । नैवेशिकंस्वर्णधुर्यदत्त्वास्वर्गमहीयते २०९ ॥

ऐ०—भूःपृथ्वी जिस्से किसीप्रकारके लाभकाफल मिलसक्ताहो तिसकादान-दीप दीपक जो नित्यंप्रति यद्वा अवसरपाय देवस्थानों वा सत्पुरुषों के स्थानमें पुण्यहेतुसे प्रदीप्त कियेजायँ-अन्नजो असमर्थों वा दैवपर अनुयोगियों को दियाजाय-एवं बस्त्रजो समय २ वा ऋतु २ के अनुरूपदियेजायँ-अंभःजल जो प्रपा आदिसे यद्वा साधारण प्रकारसेभी आवश्यक दशाओंपर पानकरायाजाय-तिलजो अपनीऋतुमें दियाजाय-सर्पिः घृत जो सदैव साधारण अवस्थामेंभी दियाजाय(प्रतिश्रय) जो प्रवासियोंको आश्रयदियाजावै(नैवेशिक)जो गार्हस्थ्य धर्मकेलिये कन्यादान दियाजावै-स्वर्ण सुवर्ण जो आभूषणआदि प्रकारोंसे समर्पितकियाजावै(धुर्य)जोयानआदि भारखींचनेके निमित्त से वृषभआदि चतुष्पद दियेजावें—इनपदार्थोंको दानकरनेवाला दातास्वर्गमेंजाकर पूज्य होताहै २०९ ॥

अधि०—स्वर्गफलहोना यहवाक्य एकसाधारणभाव से मुख्यतात्पर्य पर आरूढ़ है इस्से स्वर्गफल कहनेसे सभीफल समभोगये अर्थात् इसकथनसे उनफलोंका अभाव नहीं समझनाचाहिये जो कहीं शास्त्रांतरमें भिन्नव्यवस्थासे कहेहों—यथा(यत्किंचित्कुरुतेपापंज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा।अपिगोचर्ममात्रेणभूमिदानेनशुद्ध्यति-एवं-(वारिदस्तृप्तिमाप्नोतिसुखमक्षय्यमन्नदः।तिलदश्चप्रजामिष्टांदीपदश्चक्षुरुत्तमं॥वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः)-इत्यादि-अर्थात् भूमिदानका यहभीफल कहाहै कि जो कुछपाप कराजाता है चाहै ज्ञानसे अथवा अज्ञातभावसे सोसब गोचर्ममात्र धरती दानकरनेसे शोधन होजाताहै-किंतु स्वर्गफल कहनेसे उसमें यहभी गिनतीमेंआगया क्योंकि पापके शोधनहुये बिनास्वर्गका मिलनाभी असंगत है-एवं-वारिदः जल दान करनेवाला सर्वतृप्तिरूप फलपाताहै सोभीठीकहै स्वर्गमेंनिःसंदेह तृप्तिहुआकरतीहै-अन्नदानकरनेवाला अक्षयसुखपाताहै-तिलकादानी अपेक्षितप्रजापाताहै किन्तुजैसी प्रजापुत्रादि वहचाहै तैसीमिलती है-दीपदानकरनेवाला नेत्रोंकी उत्तमदृष्टि पाता है-बस्त्रदान करनेवाला चंद्रलोकमें निवासपाता है-घोड़ादेनेवाला अश्विलोकमें निवास पाताहै-इत्यादिफल यहसब स्वर्गफलकहनेसेभी वनेरहे—और गोचर्ममात्रधरतीदान से जोपापोंका परिशोधनकहा सो केवल चर्साभर का अर्थ नहीं है किन्तु गोचर्म का परिमाण वृहस्पतिजीने कहाहै कि-(सप्तहस्तेनदंडेनत्रिंशदंडानिवर्त्तनम् । दशतान्येवगो चर्मदत्त्वास्वर्गमहीयते ) अर्थात्-सातहाथलंबा वांस एक दंडकहलाता है इसदंडसे

तीस ३० बांस धरतीको एक (निवर्तन) कहतेहैं ऐसे दश १० निवर्तन परिमाण धरती गोचर्म मात्र कहलातीहै तिसके दान करने से पापों का क्षय होता और पीछे स्वर्गमें पज्यतामिलतीहै-अतःपरम्(अधिकस्यअधिकंफलम्) यहशंकाकरनीबुद्धिकीभ्रमताहै कि २००की अधिकोक्ति व्यवस्थासे इस स्थलमें अंतर देखपड़ता है-किन्तु दोनोंका सिद्धांत एकहै और अंतरकिंचिन्मात्र भी नहींहै पर जबतक बुद्धिमें समाये नहीं२०६॥

गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम् । यानंवृक्षंप्रियंशय्यादत्वात्यंतंसुखीभवेत् २१० ॥

ऐ०-(गृह) स्थानघर जो बनाहुआ संसिद्धहो-(धान्य)नाज अन्नमात्रकोईसा-(भय) अर्थात् भयभीत का भय दूरि करिके उसको निर्भय करदेना-(उपानव) जूता मोजा खड़ाऊं आदि पादत्राण मात्र (छत्र) छाता छत्री आदि कोईवस्तु जो वर्षा वा आतप से रक्षा करसक्ती हो-(माल्य) शब्दसे चमेली आदि सुगंधिमान् पुष्प माला अंतर फुल्ल आदि इनसबका उपलक्षण है-और (अनुलेपन) शब्दसे चंदन कुंकुम आदि अनेक वस्तु जिनका लेपकरने से शरीर और मनोवृत्ति को शीतलता वा प्रसन्नता प्राप्त होती हो-(यान) सवारीमात्र कोई भांतिकी हो-(वृक्ष) जिनसे किसी प्रकारकाफल या छाया आदि का लाभ सुख मिलसक्ताहो-(प्रिय) अर्थात् जिसवस्तु या जिसप्राणी के मिलने पर लालसा किसी को धर्मानुसार अतिशय अभिलाषासहित रहतीहो और वह वस्तु उसको अलभ्यहो उसका प्राप्तकरदेना सो यह प्रिय दान कहलाता है-(शय्या) शयन करने की कोई वस्तुमात्र हो पलंग आदि चाहै वस्त्रों आदि सब उपकरणोंसे संपन्न हों चाहै अपनी अशक्ति अनुसारकेवल एक दो वस्तु शयनसंबंधी हों तौ भी उसका नाम शय्यादान है-इन कहेहुये पदार्थोंको देकर दाता अत्यंतसुखी होता है २१० ॥

अधि०-सिद्धांत निरंतर वही चलाआताहै जो २००की अधिकोक्तिव्यवस्थामें कथन होचुकाहै अर्थात् इन पदार्थोंकोचाहै तिसरीतिसेचाहै तिसको योग्य समझकर देदेने से दानकहलाताहै किन्तु केवल वहीदान नहींहै जो जलकुशके साथदियाजावे अर्थात् अपने संसर्गी और सेवक दासादि को भी पृथ्वी में शयन करते देख दयाभावसेखार देदेना यह शय्यादान है फिर चाहै पीछे किसी अवधिपर उनसे निवर्तनभी करलेनी परै तौ भी उतनी अवधिका शय्यादानहोचुका जितनाआराम उनकोदियागया परंतु (उस)दानी का शय्यादान दानकी पूर्णपदवी को नहींपहुँचसक्ता जिसके आधीन संसर्गी या दासादिक कुऋतुमेंभी विकृत धरतीपरलोटतेफिरैं और वह धनी किसीकालांतरमेंसौदोसौ मुद्राव्ययकरकेसांगोपांग शय्यादान जलकुशकेसाथकरनेवैठै-सत्यं ब (धिकृतस्यचोपदेष्टाराधिदानंतञ्चदानिनमाधिगीदृग्दानश्रद्धाञ्चयत्रापन्नाहिदुःखमा क्)अर्थात्-आपन्नकहिये संप्राप्तजन आधीन संसर्गी-जहांप्रथम जिसके आपन्नजन



ही दुःखभागीबनेरहे उसकी ईदृशदान श्रद्धाकोभी धिक्कारहै कि वह शय्यादान आदि दानोंपर बहु व्ययकरनेकी श्रद्धाकरै-और ऐसे कुश्रद्धावानुदानीकोभी धिक्कारहै-और उस कुदानकोभी धिक्कारहै जो उचित पात्रों का भागहरिकेदानहुआ-उसदानी के उपदेष्टाको सबसे अधिक धिक्कारहै जो ऐसा कुत्सित उपदेशकरै-सबसे अधिक यहभाव मूलपाठमें नहीं परंतु उसकी अधिकताकेहीलिये प्रथम नम्बरपर उच्चारणहुआ किंतु पहलापदसबसे उत्तमप्रसिद्ध है इसलिये पहलेपदपर उच्चारणहोनेसे दर्जेअव्वलकी धिक्कार उसकोमिली ( भेद २ ) ऊपर अभिप्रायार्थ में प्रियदान का चर्चाआया और उसका स्वरूप भी वहांपर लिखागया पर उसके स्वरूपका केवल वही लक्षण नहीं है कि कोई ठेठकर अपने शरीरकेही प्रियपदार्थोंको चाहताहो किन्तु धर्म प्रियताभी उसका स्वरूप है दृष्टांत जैसे प्रपा अर्थात् पिआऊका लगाना किसी असमर्थको प्रियहो या विद्यादानादि का प्रबंध करना प्रियहो या दीनोंकी कन्यादान करवानायद्वा कोईसा उपकार करवाना प्रियहो जिसमें सर्व प्रियताके भी लक्षणपायेजातेहों जिसके करवाने में वह आप निष्किंचन है इत्यादि बहुधा लक्षण और भी जानो इसमें यहां तक विशेषता है कि अपना संचित पुण्यभी देदेवै जिस्से प्रियदानकी पदवीसमुर्भी-जातीहो-सोई स्मृत्यंतरका यह वाक्यहैकि-(देवतानंगुरूणांचमातापित्रोस्तथैवचापुण्यं देयंप्रयत्नेननापुण्यंचोदितंकचित्) अर्थात्-देवताओंको और गुरुओंको तथा माता पिताकोभी अपना पूर्वोपार्जित पुण्य किसी आवश्यकता में उनका प्रियसाधनके हेतु से प्रयत्नकरके देदेवै-किंतु ऐसे संकल्पादिक यत्नों से समर्पित करदेवै कि अपनाफलाधिकार उस्से दूरकरलेवै-सो यहबात केवल मनकी आड़ है अर्थात् फलाधिकार दूरकरनेपरभी दूरहोना बड़ीदूरहै क्योंकि यद्यपिउसपुण्यके दाताने फलका अधिकार अपना दूरइसहेतु से किया कि इसकाफल ग्रहीतापावै जिसके पासकुछ भी पुण्यसंचय नहीं था परंतु अबइस तात्कालिक पुण्यका अनंत्यफलकैसेदूरहोगा जो उसने अपना बहुपरिश्रम या बहुकाल से कमायाहुआ पुण्यएकसाथदानकरिके परोपकार में लगाया-अर्थात् तत्काल उसके फलकी वृद्धि अनंत गुणहोजाती है-परंतु-चौथे चरणमें कहते हैं कि-(अपुण्यंचोदितंकचित्देयं) अर्थात्-अपुण्य जो अपना पापहे सो कहनेपरभी किंतु मांगेसेभी न कहीं देना यद्वा (अपुण्यं चोदितंकचित्नदेयंइत्यन्वयः तत्रापिसएवार्थः) अर्थात् इस अन्वयसेभी वही अर्थहै कि प्रेरितहुआभी पाप कभी न देवै-पापकेभी न देने अथवा देनेका वही हेतुहै कि जैसे पुण्य देदेनेसे बढ़ताहै तैसेही पापभी अनन्तगुण बढ़ताहै किन्तु जो वस्तु दानकरीजायगी वही वृद्धिको पहुँचेगी जैसे धरती में बीज तौ थोड़ा परताहै पर उस बीजकी वृद्धि पीछे बहुतसीहोतीहै-सोई इसका प्रमाण शास्त्रमें यह कहा है कि ( यःपापमवलंज्ञात्वा प्रतिगृह्णाति

दुर्मतिः । गर्हिताचरणान्तस्य पापंतावत्समाश्रयेत् । समंद्दिगुणसाहस्रमाऽऽनन्त्यंचप्रदा  
 तृषु) अर्थात्-जो कोई दुर्बुद्धिजन पापको अबलकहिये थोड़ा यद्वा निर्वलजानिके दूसरे  
 से लेलेताहै तभीवहपाप उसकेइसगर्हितआचरणसे अर्थात् इसीपापिष्टकर्मके प्रभाव  
 से उसकी कर्मरेखामें दोहजार गुणकेसमान वृद्धिपाकर समाश्रित होजाता है चपुनः  
 उसपापके प्रदानकरनेवालोंमें अनन्तगुणा होजाता इस्से पापकादेना और लेनाभी  
 निःसंदेह अशुभहोताहै—अनन्तगुणा या दोहजारगुणा उसपरिमाणसे कि जितनावह  
 पाप पहलेथा २१० ॥

सर्वधर्ममयं ब्रह्मप्रदानेभ्योधिकं यतः तद्दत्तमवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम् २११ ॥

प्रक्ष०—जिस्से ब्रह्म सर्वधर्ममयहोता इसहेतुसे सर्वप्रदानोंसे अधिकहै उसका देने-  
 वाला अविच्युत ब्रह्मलोक पावता है २११ ॥

प्रभि०—ब्रह्मकहिये वेद उसके निदर्शनसे सभी शुभशास्त्र वा शुभविद्याओंका उप-  
 लक्षणहै वहवेद जब सर्वधर्ममय प्रसिद्ध और प्रत्यक्षठहरा क्योंकि वेद वा शास्त्रोंसेही  
 सारेधर्म जानेजातेहैं किन्तु उसकी प्राप्तिसे मनुष्यमें मनुष्यताके लक्षण सर्वथा प्रकट  
 होजाते और सभीपदार्थ धर्म अर्थआदि उसकोसुलभ होजाते हैं तो इसवेदका दान  
 करना सबदानोंसे अधिक फलदायक निश्चितहुआ इसहेतुसे वेदकादान ऐसाप्रबल  
 है कि इसको दानकरनेवाला चाहै और कोईसादान नकरसक्ताहो परसभीदान धर्मों  
 काफल उसकोमिलताहै कि उसफलके प्रभावसे अविच्युत ब्रह्मलोकका निवास वह  
 पाता है—अविच्युत अर्थात् फिरबीचमेंच्युति जिसकी न होसकै—और वेदशास्त्रविद्या  
 आदिका दानकरना कुछयहीनहीं कि पोथीको उठाकर जलकुशकेसाथ देदेवै अर्थात्  
 विद्यार्थियोंको पढ़ाना या पोथीदेना वा किसी से दिलवादेना या उनकेअन्न बस्त्रादि  
 का प्रबन्ध करवादेना या उसप्रकारके प्रबन्धमें सबकेसाथ कुछआपभीदेना या विद्या  
 दान शालाओंका निर्माणकराना किन्तु कोई भांतिसे विद्यासंबंधी कामोंकी सहायता  
 करनी सो सब ब्रह्मदान है २११ ॥

प्रधि०—इसप्रत्यक्ष सर्वधर्ममय ब्रह्मरूप शास्त्रके ग्राहक आधुनिक जो अपने को  
 यह समुझते होंगे कि हम केवलग्राहक हैं क्योंकि मूल्यभेजां और पत्रमँगवाया सो  
 नहीं किन्तु वेभी ब्रह्मदानके फलभागीहैं इसहेतुसे कि विचारदृष्टिमें जब सौ ग्राहकों  
 के निमित्त से यहकाम आरोपितहुआ या आरंभइसका विच्युत नहीं होनेपाया तो  
 सर्वथा वेही सौमनुष्य इसके मूलकारण समभोगये क्योंकि वेमूल्यदेतेहैं उनकेनिमित्त  
 से इसकी संसिद्धि होतीहै तिसमेंसे दशबासपचास ऐसे मनुष्यभी इसकी प्राप्तिकरते  
 हैं कि उनसेमूल्य या तो किसीहेतुसे नहींलियाजाता या वे देनहींसक्के या संपादक से  
 मैत्रीभावरखते या उसके संबंधीहैं या सेवकहैं या भिक्षुकहैं या अभ्यागत महात्मा हैं

या सज्जन वा सहायकहैं-याधूर्त्तहैं कि जोलेतेजाते और पीछे से धोखादेदेते या तस्कर हैं जो आंखबचाकर अधिकारीके पीछे लेभागते या कपटीहैं जो कार्यकी साधकतामें कुछकाटकपट करलेतेहैं अर्थात् नानाभांति से अनेक अभिलाषी जो विनामूल्यदिये अपनी अभिलाष पूरीकरपातेहैं या दशमनुष्य ऐसेहैं जो इसकार्यकी साधकतामेंसे वा धर्मसे अपनापरिवार पालनकरसक्तेहैं यह सारापुण्य उन्हींकेहेतुसे होसक्ता है क्योंकि जो वेभी मूल्य नहीं देते या ग्राहकता नहीं करते तौ किसके शिरपर यहबरात जोड़ी जाती-यथार्थसे वे सत्पात्रग्राहक इसब्रह्मदानके हेतु और फलभागीभी निश्चितहैं-उनसेभी अधिक वे लोग सर्वशिरोमणि समझे चाहिये जो ग्राहकों की वृद्धिद्वारा या सहायताकी दृष्टिसे अपनाधन अधिक लगाने द्वारा इसकार्यकी सिद्धिमें तत्परहोरहे हैं-इनसबके पीछे सम्पादकभी निजशारीरक आयास वा उद्योग द्वारा भाव इसब्रह्मदानमें कुछ पुण्यभागी होसक्ताहोगा क्योंकि जो उसने इतना उद्योग बाँधा तौ वेभी सहायतापर उद्यतहुये किन्तु जो उद्योगमें आयास नहीं करता तौ सहायताभीकिसकी करीजाती २११ ॥

दानोंके करनेसे फल कहागया अब एकदशा ऐसीहै कि उसमें दानके न करने परभी दानका फल होताहै सो कहते हैं ॥

प्रतिग्रहसमर्थोपिनादत्तेयःप्रतिग्रहम् । येलोकादानशीलानांसतानापनोतिपुष्कलान् २१२ ॥

ऐ०-जो मनुष्य प्रतिग्रह कहिये दानलेने में समर्थ अर्थात् दानलेनेकी योग्यता वाला पात्रभी है और जब कोई दान उसको मिलनेलगे उससमय वह न लेवै किन्तु नकार करदेवै तौ जिस २ दानको मिलतेहुये उसने नहींलिया उसी उस दानके दाताओं को जो लोकफलभागितासे मिलतेहैं उन सारेलोकोंको वहभी पाताहै-यथार्थ से यह बात सत्य है और इसी हेतुसे विरले देश या विरली जातिके ब्राह्मण आदि प्रतिग्रह नहीं अंगीकार करते हैं २१२ ॥

अधि०-ब्राह्मणआदि कहनेसे इस आदि शब्दका यही सिद्धान्त है कि अन्यजातीय लोगभी क्षत्रिय आदि२०० की अधिकोक्ति व्यवस्था अनुसार उस प्रकारके प्रतिग्रह जो उनको किसी प्रत्युपकार के हेतु से लेलेने योग्य हों जिनके लिये वे पात्रभूत कहलासक्तेहैं अपनी इच्छासे न लेवें किन्तु लेनेसे नकारकरदेवें तौ वेभी उसदानके फलभागी होतेहैं जैसा ऊपर ऐक्यार्थमें लिखागया क्योंकि यथार्थसे जोवस्तुउनको लेलेनी योग्यहै तौउनकीहै किन्तु उसकेलेनेसे कोईभांतिकादोष उनको नहींलगसक्ता था जब ऐसीवस्तुको उन्होंने मिलतेहुयेभी न लिया तौ प्रत्यक्ष पुण्यहुआ कि उनकी वहवस्तु जिसकिसीने भोगी तौ वहीपुण्यहुआ जो अपनेहाथमें आजाने पीछे किसीको देदेनेसे पुण्यहोता-यहांपरप्रतिग्रह केवल उसदानकाहीनामनहींहै जो जलकुशकेसाथ

किया जाता किंतु किसी भांति का दान २०० की व्यवस्था अनुरूप अपने को मिलता हो चाहे अपना ऋण किसी पर आता हो चाहे किसी परिश्रम का प्रतिकार कोई देता हो या अपना धरती आदिका हक किसी पर शेष हो सो सभी प्रतिग्रहरूप है इसी लिये ऊपर मूलश्लोकमें ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कुछ नाम नहीं खोला किन्तु केवल (प्रतिग्रहसमर्थोऽपि) यह लिखा है सो इसी लिये हेतुगर्भित पद रक्खा गया कि चाहे कोई हो और वह किसी हेतु से कुछ प्रतिग्रह लेने का अधिकारी किसी से हुआ हो और उस प्रतिग्रह को मिलते हुये भी अपनी इच्छा से चाहे सब छोड़ दे या उसमें से कुछ भाग छोड़ दे वै तो उस फल का भागी हो जो उतना धन अपने हाथ में आजाने पीछे दान करने से होना संभाव्यथा-यतः (प्रतिग्रहणातीति प्रतिग्रहः) सिद्धांत से इस वार्ता में इतना भेद है कि जो वस्तु ठेठकर अपने हक में गिनती थी जिसका ले लेना अपने को योग्य था उसके ले लेने में कुछ दोष नहीं बरन छोड़ देने में पुण्य प्रत्यक्ष है (परंतु) जो प्रतिग्रह ऐसा हो कि यथार्थ में वस्तु किसी भांति से अपनी नहीं थी किन्तु जल कुश के साथ दान करिके कोई देने लगा तिस प्रतिग्रह के नकार करने में तो वही पुण्य होगा जो उसके दानी को होता क्योंकि उसको ले लेने पर भी दान अपनी ओर से कर देते तो भी पुण्य होता इस हेतु से वह वस्तु अब अपनी में गिनती हो चुकी चाहे ली या न ली कुछ इसका नियम नहीं है पर ले लेने में यह दोष भागिता निःसंदेह अपने को लगैगी कि उस दाता के पाप का भागी होना होगा इसी सिद्धांत से उस प्रतिग्रह को हाथ में ले लेने पीछे दान करने से पुण्य नहीं होगा क्योंकि जितना पुण्य होगा उससे अधिक पूर्व दाता का पाप अपने ऊपर आरूढ़ हुआ तो ऊंट मटीला भी बराबर हुआ और प्रतिग्रह लेने का लांछन अपने को निःसंदेह लगा इससे पहले से ही नकार कर देना यह अपनी ओर से निर्मल पुण्य ठहरा और उस दाता को भी पाप नहीं लग सका जिसका दान इसने फेर दिया क्योंकि वह इसके पलटे किसी और को देवैगा-परन्तु इस आशय से पूर्वोक्त दाताओं को निःसंदेह उस ग्रहीता के पापों का भागी होना होगा जिसका चर्चा यहां पर अभी पहले आया था कि वह अपनी योग्य वस्तु को भी मिलते हुये सारी या कुछ भाग उसमें से छोड़ दे वै तो दान का फल भागी हो-पुनि वै भी उसके पाप भागी नहीं हो सकें हैं उस दशामें कि जितना भाग उन पर किसी ग्रहीताने लेते हुये छोड़ दिया हो उतना किसी पुण्य कार्य में लगा दे वै किन्तु अपने भोगों में न लावें २१२ ॥

अब उन प्रतिग्रहों का चर्चा करते हैं जिन कालेना किसी दशामें भी निषिद्ध नहीं

और न उनके ले लेने से कुछ दोष बल्कि न लेने से दोष पैदा होता है ॥

कुशाः शाकं पयोमत्स्यागंधाः पुष्पं दधि क्षितिः । मांसं शय्यासनंधानाः प्रत्याख्येयं न वारिच २१३ ॥

ऐ०—(कुशा) प्रसिद्ध हैं—(शाक) तरकारी फल मूल कंद आदि कोई भी हो (पयः) दूध जो केवल एक दिन के उठावे योग्य हो—(मत्स्याः) प्रसिद्धाः परन्तु जिसको इनसे अपेक्षा हो-

(गंधाः)सुगंधिवस्तु जोकुछदिवसोंके उठावेयोग्यहों-पुष्पं फूलमात्र पूजाआदिकेनिमित्त से-(दधि)दहीथोड़ासा प्रसादयोग्य यद्वा ब्रह्मभोज आदिके हेतुसे अधिकभी कदाचित् (क्षितिः)अर्थात् मृत्तिकामात्र और कुछदिनोंके निवासयोग्य धरती और धरती सदा कोभी(मांस)परजिसको इस्से संबंधहो(शय्या)खाटआदि शयनकी वस्तुचाहै कुछ दिवसोंको आरामयोग्य यद्वासदाकोभी-(आसन)विस्तर जो बैठने बिछानेयोग्य सदाकोभी (धानाः)बहुरीददरी होलेआदि हरितअन्नके बनायेहुये चाहेथोड़े या बहुतभी(बारि)जल यहचीजें जो कोई आपही बिनामांगे लाकर उपस्थितकरै और प्रसादकी रीतिसे देने लगै किंतु संकल्पकीरीतिसेनहीं तौ इनका लेलेनाउचितहै और फेरना या दुलखनकी रीतिसेकुछकहनाअनुचितहैअर्थात्प्रसन्नहोकरअनुग्रहकीदृष्टिसेलेलेनाचाहिये २१३॥

अधि०-मनुजीके कथनसे इनकेसाथमें औरभी कोई२ वस्तु पाईजातीहै-यथा-(गंधो दकंमूलफलमन्नमभ्युद्यतंचयत् । सर्वतःप्रतिग्रहणीयान्मध्वाज्याभयदक्षिणाम् )अर्थात्-गन्धसुगन्ध अपूर्वताकीरीतिसे-उदक जल किसीतीर्थका यद्वा मिष्टादिहेतुसे कूपकाभी या अलभ्यतामें किसीप्रकारकाभी-मूलफलजातिकी कोईवस्तु अलभ्य यद्वा सुलभ्य हो-अन्न जो आतिथ्यादिरीति या अपूर्व और नवीन जानिकर प्रसादकी रीतिसे कोई बिनामांगे देनेलगै-मधुसहत आदि जो सदाही अलभ्यमें गिनतीहै-आज्य घृत गऊ आदि का जो सद्योत्थितादि हेतुसे प्रसादवत् समर्पणकरै किंतु बाजारसे खरीदकर दानादि कल्पनासे नहीं-अभयकर्म जो अपनीभयभीत दशामें कोई दयादृष्टिसे करने लगै-दक्षिणा जो महत्व वा पूज्यतासे सत्कारादिरीतोंद्वारादेवै किंतु दानादि कल्पनासे नहीं- इसप्रकारसे उद्यतकरीहुई यहसारीचीजें प्रतिग्रहण करलेवै तौ प्रतिग्रहका दोष नहीं लगसक्का किंतु यह संसारकी शिष्टाचारी मर्यादहै बरन इनके लेनेसे निषेधकर जानेमें उलटादोष लगताहै-क्योंकि जब कोईसज्जन बड़ेउत्साहसे कोई वस्तु तोफह या अपूर्व या प्रसादसमुभ्कर देनेआया कि अमुकमहात्मा मेराउपहार वा उपायन अंगीकारकरै तौ मुभ्कोभी कुछबड़प्पन शिष्टाचारी मध्येमिलै और जब ऐसीदशामें उसने लेनेसे नकारकरके प्रसाद फेरमारा तौ देनेवालेकामन कैसा कुम्हिलाकर छोटा सा होगया जानौ एकप्रकारकी हत्यासीचढ़गईहो और अपनेमनमें उसने दुःखमानकर यहभीकहा कियहमहात्मानहीं कोईअविवेकी है जोलौकिक शिष्टाचार नहींजानता सो यह इसके चित्तकी दुखमनी और हृदयगत कुवाक्य वा संकोचआदि उसकेपूर्व संचित पुण्यको हरिलेतेहैं जिसनेलेनेसे नकारकियाथा और संचितपुण्यका हरिजानाय हीपापकालक्षणहै-शाखांतरेपि(शय्यांगृहान्कुशान्गन्धानाऽऽपःपुष्पमणीन्दाधिमत्स्यान्धानाःपयोमांसंशाकंचैवनिर्णुदेत् ) अर्थात्- शय्या खाट जो साधारणरीतिसे किन्तु शय्यादानकी कल्पनासेनहीं-गृहचाहैतिसरीतिसे-कुशा गंधवस्तु-आपःजल-पुष्पपूज-

नादिनिमित्त और मालाआदि रीतोंसेभी-मणि जो दूरदेशी अलभ्य अपूर्व आदि लक्षणवाला सौगातके प्रकारसे देवै-दधि दहीप्रसादवत्-मत्स्य जिसके योग्यहों-पयः दुग्ध-मांसजिसके योग्यहो-शाकतरकारीफल मूलआदि इनको नहींत्यागै २१३ ॥

अन्नआगेइसी २१३ श्लोकमेंकहीहुईमर्यादांमध्येकुछत्याज्यविशेषभी कहतेहैं कि सबसे नहींलेलेना ॥

अयाचिताहृतंत्राह्यमपिदुष्कृतकर्भणः । अन्यत्रकुलटापठपातितेभ्यस्तथाद्विपः २१४ ॥

ऐ०—अयाचित अर्थात् बिनामांगे आहतकहिये लायाहुआ किसीकरके कोईपदार्थ जिनकीचर्चा ऊपर २१३ में आचुकीहै वह दुराचारीसेभी लेलेनाचाहिये पूर्वोक्तीति के अनुसार परन्तु कुलटास्त्री १ पंठकहिये नपुंसकआदि पुरुष २ पतित चांडालआदिया जातिसेभ्रष्ट हुआ चाहै स्त्रीहो यापुरुष ३ तथा अपनाशत्रु पुरुष स्त्री कोईहो ४ इनचारों से अन्यत्र अर्थात् इनकादिया पदार्थ उसरीतिसेभी नहीं लेनाचाहिये जोरीति २१३ में कहीथी-नपुंसकआदिइसआदिशब्दसेगुदयोनि पुरुषभीसंग्रहीतहै-तस्य लक्षणंचयथा- (स्वेगुदेऽब्रह्मचर्याद्यःस्त्रीषुपुंवत्प्रवर्तते।सकुम्भीकइतिज्ञेयोगुदयोनिस्तु सस्मृतः २१४) ॥

अभी इसवार्तामें औरभी कुछ विशेषता नीचे कहते हैं ॥

देवातिथ्यर्चनकृतेगुरुभृत्यार्थमेवच । सर्वतःप्रतिगृह्णीयादात्मवृत्त्यर्थमेवच २१५ ॥

ऐ०—ऊपर २१४ की कहीहुई मर्यादा अनुसार आईहुई वस्तुको फेरदेनेसे जिस गृहस्थीके नित्यकर्मधर्मोंमें हानि देखपड़तीहो उसको उनचारोंकाभी दियापदार्थ फेर देना अनुचितहै-अर्थात् देवता अतिथि इनकीपूजा सत्कार के लिये और माता पिता आदि गुरुओं तथा स्त्री पुत्रादि भृत्यवर्गों और निजआत्माकी भी वृत्तिकहिये आजीवनकेलिये सभीतरहका जो कुछ मिलजावै सो प्रतिग्रहणकर लेवै किन्तु केवलपतित चांडाल आदि अतिकुत्सितोंका तौ भी छोड़देवै पर सिद्धांत इस्से यही है कि जो इतने कहेहुये मुख्यकारणोंमेंसे कोईकारण प्रबलहो तौ ऐसाकरना उचित है अन्यथा केवल अपने आत्माकेही निमित्तसे अनुचित है २१५ ॥

इतिदानधर्म प्रकरणम् ॥

अथ श्राद्ध प्रकरणम् ॥

अमावास्याष्टकावृद्धिःकृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यंब्राह्मणसंपत्तिर्विषुवत्सूर्यसंक्रमः २१६ ॥  
व्यतीपातोगजच्छायाग्रहणंचन्द्रसूर्ययोः । श्राद्धंप्रतिरुचिश्चैवश्राद्धकालाःप्रकीर्तिताः २१७ ॥

अक्ष०सह०—अमावास्या अष्टका वृद्धिकाल कृष्णपक्ष दोनों अयन द्रव्यकी प्राप्ति ब्राह्मण यथोक्त का मिलना विषुवती दोसंक्रातैं सूर्यकीसंक्रातैं बारह २१६ व्यतीपात योग गजछाया ग्रहणकाल चन्द्रसूर्य दोनोंका श्राद्धकेप्रति रुचिका उत्पन्नहोना यह सब श्राद्धकरनेके काल कहे हैं २१७ ॥



अभि० सह०—इन दो श्लोकोंसे पार्वणश्राद्ध और वृद्धिश्राद्ध इनके करनेकेकाल निश्चय करते हैं कि कब २ इनको करना चाहिये पुनि इसी प्रसंगसे अन्यश्राद्धोंका भी चर्चा करेंगे—तहां अमावस किन्तु जिसदिन चन्द्रमा नहीं देखपड़ताहै तिसदिनमें भी यह श्राद्ध कियेजाते हैं परन्तु वह अमावास्या जब साठघड़ीसे अधिक वृद्धिपाकर दोनों दिनमें व्याप्तहो तब दो दिनमेंसे जिस किसीदिन अपराह्णव्यापिनी मिलसक्ती हो तिसदिन करै क्योंकि अपराह्ण पितरोंका प्रसिद्धहै सो उस अपराह्णका यहलक्षणहै कि दिनमानके पांचभाग करिकै चौथाभाग मुख्य समझना जैसे तीसघड़ीके दिनमान में दो २ घड़ीके १५ मुहूर्त्तहुये तिनमें तीन २ मुहूर्त्तके पांचभागहुये ऐसे तीनभागोंके उपरांत चौथाभाग जो तीन मुहूर्त्त यद्वा छःघटिकाकाठहरा तिसको अपराह्णकाल कहते हैं इस अपराह्णकालके समयतक जिसदिन अमावसकी प्राप्तिहोसकै तिसमें श्राद्ध करै सो यह अमावस बारहौमासकी कही हैं जिस्से बनिआवै बारहमास निरन्तरकरौ अथवा एकदो अमावसमें अवसरके आधीन १ ॥ (अष्टका) चारप्रसिद्धहैं हेमन्त और शिशिर इन दो ऋतुके चारमासमें कृष्णपक्षकी अष्टमीतिथि अष्टका कहलाती हैं तिनमें आश्वलायनऋषिके मतसे श्राद्धकरने का माहात्म्य अधिकहै २ ॥ (वृद्धिकाल) अर्थात् पुत्रजन्म आदिसमयमें जो श्राद्ध कियाजाय वह वृद्धिश्राद्ध कहलाताहै आदि शब्दसे पुत्रका विवाह या द्विरागमन आदिभी अपेक्षितहै क्योंकि उनमेंभी एकमनुष्य की वृद्धि घरमें होजाती है अन्यथा यज्ञोपवीत आदि जिनमें मनुष्यकी वृद्धि नहींहोती पर उनमेंभी संस्कार विशिष्ट जातित्वकर्म धर्मोंकी वृद्धि मंगलकीवृद्धि पुण्यकी वृद्धि हुआ करतीहै इसलिये यह सबकालवृद्धि श्राद्धकेप्रसिद्ध हैं ३ ॥ (कृष्णपक्ष) भी पितरों का पक्षकहलाताहै इसलिये सदैव कृष्णपक्षोंमें चाहै तिसदिन पार्वणश्राद्ध करौ यद्वा उसपक्षमें अपने किसी पितर विशेषकी तिथिमें पार्वणकरौ चाहै समर्थहो तौ रोज २ करौ पर संयोग और बानकके आधीन है ४ ॥ (अयनद्वयम्) अर्थात् उत्तरायण दक्षिणायनकेसूर्य जिसदिनपलटतेहैं वहदिन पार्वण यद्वा वृद्धिश्राद्धकेलिये परमपुनीतहै ५ ॥ (द्रव्यम्) अर्थात् जो २ द्रव्य श्राद्धके लिये उत्तम कहलातेहैं उनमेंसे कोई द्रव्य जिस दिन मिलजावै वही दिन श्राद्धकरनेका मुख्यकाल होजाताहै फिर उसमें किसीपर्व या पुनीतकालकी अपेक्षा शेष नहीं रहती (दृष्टांत) जैसे कृष्णसारनाम मृगमांसके पिंड देनेका अनन्तफल शास्त्रोंमें कहाहै और जिसको इसवातकी अपेक्षा किसी मर्यादा से दृढ़हो कि मेरे पितर मांस पिंडोंसे अतिशय तृप्तहोंगे ऐसे पुरुषको जिस किसीदिन वह अलभ्यमांस मिलजावै उसीदिन श्राद्धकरनेका मुख्यकाल है ऐसे अन्यद्रव्योंके भी मिलजाने पर समझलेना ६ ॥ (ब्राह्मणसम्पत्तिः) अर्थात् जिसप्रकारके ब्राह्मण श्राद्धमें अपेक्षितहोतेहैं जिनकाचर्चा आगे २१८ । २१९ । २२० । इनतीन श्लोकों

में आवेगा ऐसे अलभ्य ब्राह्मण जबकभी मिलजावें या यथोक्त विधिसे करानेवाला  
 आचार्य जबकभी मिलजावे चाहे श्राद्धके कहेहुये काल उसदिन नहींभीहों परउस  
 अवस्थामें वहीकाल मुख्यहोजाताहै ७ ॥ (विषुवत्) अर्थात् विषुवती नामकी दो सं-  
 क्रांतिं प्रसिद्ध हैं उत्तरायण में मेष संक्रांति दक्षिणायन में तुलाकी संक्रांति इनमेंभी  
 श्राद्धका माहात्म्य अधिक उत्तम है ८ ॥ सूर्यकी संक्रांतिं जो प्रत्येकमास पीछेआया  
 करती हैं वह भी श्राद्धका उत्तमकाल है-यद्यपि संक्रांति कहनेसे दोनों अयन और  
 दोनों विषुवतीभी आगई परंतु साधारण संक्रांतिंकी अपेक्षा उनकाफल अधिक प्र-  
 कट करनेकेलिये भिन्न कथन है २१६ (व्यतीपात) जो २७ योगोंमें एक योग विशेष  
 प्रसिद्धहै वहभी श्राद्धकालहै ९ ॥ (गजच्छाया) यद्यपि कोई२ पुरुष हाथीकी छायामेंही  
 श्राद्ध करने को गजच्छाया मानते हैं परंतु यहांपरकालके प्रसंग से वहवात अप्रसंग  
 है किंतु यह योग इसमें यथार्थ घटता है कि-(यदेन्दुःपितृदैवत्येहंसश्चैवकरेस्थितः।  
 याम्यातिथिर्भवेत्साहिगजच्छायाप्रकीर्तिता)-अर्थात्-जब चंद्रमा पितृ दैवत्य कहिये  
 मघा नक्षत्रपरहो किंतु मघाजिसदिनहो और हंस जो सूर्यहै सो करनाम हस्तनक्षत्र पर  
 स्थित हो और ऐसी मघाके दिवस याम्यातिथि अर्थात् त्रयोदशीभीहो तौ उसदिन  
 गजच्छाया योगजानौ परंतु इसमें कृष्णपक्षकीभी अपेक्षा है क्योंकि पितरों का पक्ष  
 वह विख्यात है और यही गजच्छाया योग (कृत्याचिन्तामणि) में भी कहा है तहां प्र-  
 त्यक्ष भावसे कृष्णपक्ष कहदियाहै-तथाच-(कृष्णपक्षेत्रयोदश्यांमघास्विन्दुःकरेःविः।  
 यदातदागजच्छायाश्राद्धेपुण्यैरवाप्यते)-अर्थात्- यह गजच्छाया योगश्राद्ध करने के  
 लिये पूर्व पुण्यों के उदयसे मिलसक्ताहै किसी बड़भागी को-इसके सिवाय गजच्छा-  
 या योग और भी अनेक प्रकारके शास्त्रों में जहां तहां कहे और वे भी श्राद्धसे सं-  
 बंधरखते हैं उनकाचर्चा देखौ नीचे अधिकोक्तिमें १० ॥ (ग्रहणं) अर्थात् चंद्रसूर्यदोनों  
 का उपराग जो राहु करके होताहै वहभी श्राद्धकरने का पर्वरूप एककाल है ११ ॥  
 इनके सिवाय बिनाकालके भी जबकभी श्राद्धकरनेकी श्रद्धाउत्पन्न होनेसेरुचि आजावै  
 तभीकरौ किंतु वहभी एक पर्वकालहै १२ ॥ यह सब श्राद्धकाल विशेषता करके कहे  
 हैं इनसे यह सिद्धांत भी अपेक्षित है कि जिसकिसी कर्त्ताको जिसदिन अपने किसी  
 पितर विशेष का श्राद्ध करना आवश्यकथा वह किसी प्रतिबंधके हेतुसे न होसका तौ  
 पीछे उक्तकालोंमेंसे जो कोई काल समीप आजावै उसमें करदेना उचित है २१७ ॥

अधि०-अष्टका यद्यपि इसके अभिप्रायार्थमें दोऋतुओंसे चार अष्टकाकहे हैं और  
 पहले किसी स्थलपर शास्त्रांतरसे पौषादि तीन मासोंकी कृष्णाष्टमी द्वारातीन अष्ट-  
 का सिद्धहुयेथे परन्तु वे तीन तौ पूषाष्टका १ मांसाष्टका २ शाकाष्टका ३ इनभेदोंकी  
 विशेषविधि परकहेहैं और यहां पर साधारण भावसे श्राद्धकापर्वकाल निश्चितकिया

है—इस्से दोनों ठीक हैं विरुद्ध नहीं—अथ अन्यान्यपि गजच्छाया लक्षणानितत्रैकं लक्षणं दर्शापराह्णकाल एव गजच्छाया अर्थात् एकलक्षणं तौ अमावास्याके दिवस अपराह्णकाल गजच्छाया कहलाता है—तद्यथा (द्विगुणाह्यात्मनश्चायादर्शस्यादापराह्णिकी । गजच्छायेतिसाप्रोक्तापितृणांतृप्तिकारिणी) अर्थात्—अमावसके दिवस ठीक २ जिस समय अपने शरीरकी छाया आतपमें खड़े होनेसे दूनो अपने शरीरके परिमाणसे लंबी आजावे वह छाया आपराह्णिकी कहलाती है पुनिवही गजच्छाया भी कही है और पितरोंकी तृप्तिकरनेवाली होती है ॥ अथ द्वितीयलक्षणं—यथा (अमावास्यांगते सोमेच्छायाया प्राङ्मुखी भवेत् । गजच्छाया तु साप्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्) अर्थात्—अमावसमें सोमवार आजानेपर जिस समय अपने शरीरकी छाया आतपमें खड़े होनेसे प्राङ्मुखी हो जावे किंतु पूर्वकी ओरको सीधी चली जावे वही गजच्छाया भी कहलाती है उसी समय श्राद्धकी कल्पना करै तौ पितरोंकी तृप्ति हो ॥ अथ वराहोक्त तृतीयलक्षणं—यथा (सैहिके यो यदा भानुं ग्रसते पर्वसंधिषु । गजच्छाया तु साप्रोक्ता श्राद्धं तत्र प्रकल्पयेत्) अर्थात्—सैहिकेय नाम राहु जब पर्वकी संधियोंमें सूर्यको ग्रसता है वह समय भी गजच्छाया कहलाता है उस समय श्राद्धकी कल्पना करै तौ पितरोंकी अधिक तृप्ति हो—यद्यपि चंद्रसूर्यग्रहणे भोजनस्य निषेधस्तथापि भोक्तुर्दोषो दातुरऽभ्युदय इति मिताक्षराकारः किन्त्वस्मन्मते भोजनस्य निर्विकल्पनिषेधान्न तत्र भोजनावसरः भोक्तुरपि दोषापत्तिप्रसंगलक्षणया लोकातिगर्हितत्वाच्च कथं दातुरभ्युदयः यत्र स्वाचारेपि परस्य पूर्वपुण्यविनाशकत्वावयविदोषापत्तिस्तत्र न कस्यापि द्वयोः श्रेय इति निर्विकल्पान्मैवं—किंतु ग्रहणकालमें श्राद्धमात्र करना संसूचित है और भोजन उसके पश्चात् निर्दोषता प्रकट होने पर संभवित है क्योंकि मूलवाक्योंमें भी कहीं भोजनकी आज्ञा नहीं पाई जाती है—यद्यपि भोजनभी सिद्धांतसे श्राद्धरूप निश्चित है उस अवस्थामें कि जब यथोक्तविधि अनुसार श्राद्ध किया जाय परन्तु वह वात असंसाध्य होनेसे वर्तावेमें नहीं आती किंतु कुशाओंके पितर और ब्राह्मणभी बनाकर श्राद्ध करनेका प्रचार अब निर्विकल्प है इस हेतुसे ब्राह्मण भोजनका कर्म पिंडदान क्रियाओंसे भिन्नवत् समझा जाता है या मत समझाओ तथापि देशकाल दोषादोष ग्राह्याग्राह्य प्रयोजन आदिकी व्यवस्था अनुसार सर्वथा अनुचित है किन्तु ऐसा पुण्य भी वृथा है जिस्से किसीके पुण्य और प्रतिष्ठामें हानि हो ध्यानधरौ कि जब अग्रेक २१८।२१९।२२० श्लोकोंके अनुसार तौ श्राद्धमें ब्राह्मण चाहिये जिन्होंने कैसी २ विद्या वा तपस्या वा त्याग आदिके साधनसे उतनी बड़ी योग्यता पाई फिर वेही जब ग्रहणमें परान्न खाने लगेंगे तब क्या पतित न हो जायेंगे जो कहो कि हो जाओ हमें अपने कामसे काम है तौ निश्चित है कि एकवेर खवाकर फिर उनसे कुछ काम नहीं रखवेंगे किंतु अन्यदशाओंमें और ब्राह्मण ढूढ़लिये जावेंगे और उनको भड़ि-

योंमें मिलादिया जावेगा इससे अगर मिताक्षराकार यहभी लिखदेते कि ग्रहणमें श्राद्धकरै तौ भड़रियोंको जिमावै क्योंकि उनकायहकामहै और जैसीदशाका वहकाम है तैसेही वे भोक्तापात्रहैं तौहमभी उनकेइसलेखको मनोज्ञकरसके----श्राद्धनामइस्से है कि श्रद्धारूपीप्रेमसे खानेपीनेकी कोईवस्तु या उसके स्थानकुछरोक द्रव्यकिसीप्रेतके नामसे श्रद्धापूर्वक दियाजाय यह तौ श्राद्धका स्वरूपहै सोयही-श्राद्धदोप्रकारका होताहै एक तौ (पार्वण) जो तीनपुरुषोंके नामसे किंतु बाप दादा परदादा या नाना पर-नाना सरनाना इनकेनिमित्तसे एकसाथ किसीपर्वमेंकियाजावै इसलिये उसको पार्वण कहतेहैं दूसरा (एकोद्दिष्ट) उसे कहतेहैं जो एकहीकिसी प्रेतकेनामसे उसकी तिथिमें या तिथिकेवदले और किसी शास्त्रोक्तकालमें कियाजावै-फिर येहीदोनोंश्राद्ध तीनप्रकारके होतेहैं अर्थात् नित्यं १ नैमित्तिकं २ काम्यं ३ क्योंकि जो नियतनिमित्तकी उपाधिसे बारम्बारं उसीनियतसमयपर कियेगये तौ (नित्य) कहलाये जैसेहर अमावसको या सदाकी अष्टकाओंमें या प्रतिसंक्रांति या प्रतिवर्ष उसकी तिथिमें इत्यादि नाना लक्षण (नित्य) के जानौ-और जो अनियत निमित्तकीउपाधिसे वहसमय आपरनेपर हीकियेजायँ तौ (नैमित्तिक) जानौ जैसेपुत्रजन्मआदि दैवयोगमें-और जोफलकामनाकी उपाधिसेकरना कहाहो वहकियाजावै सो (काम्य) जानौ जैसेस्वर्गफल आदिकीकामनासे कृत्तिकादि नक्षत्रोंमें करना कहाहै या कियाजावै अथवा घरकी प्रेतबाधाआदि शांतकरनेकी कामनासे या संतानआदि होनेकी कामनासे इत्यादि-फिर येहीश्राद्धपाँचविधिके कहलातेहैं अर्थात् एक तौअहरहःश्राद्ध १ पार्वणश्राद्ध २ वृद्धिश्राद्ध ३ एकोद्दिष्टश्राद्ध ४ सपिंडी करणश्राद्ध ५ तहां अहरहः श्राद्ध कहिये रोज २ दिन दिनप्रतिमामूलीं जो कुछ पितरोंके निमित्तसे कियाजाय जैसा १०४ के श्लोकमें पहलेअद्वा से कहचुकेहैं कि-( अन्नंपितृमनुष्येभ्योदेयमप्यन्वहंजलम् ) सोई मनुजीनेभी यहकहा है कि-(दद्यादहरहःश्राद्धमन्नाद्येनोदकेनवा । पयोमूलफलैर्वापिपितृभ्यःप्रीतिमक्षयाम्) अर्थात्-दिनदिन प्रति अन्नादि से वा जलसेही या दूध और मूलफल आदि चीजों सेही श्राद्धदेवै तौ पितरों की अक्षय प्रीतिपावै-शेषनाम सब श्राद्धोंके स्पष्टहैं जिनका चर्चा पहले भी आचुका और इन पांचकी गणनामें फिरआया है २१६ । २१७॥ अबआगे तीनश्लोकोंसे श्राद्धकी संपत्ति रूपभोक्ताजनोंका लक्षणकहते हैं कि ऐसे २ ब्राह्मणादि भोक्ताहों सो यहसंपत्ति विशेषकर चारप्रकारके श्राद्धोंमें समझनीअर्थात् श्राद्धोंके पांचप्रकार जो ऊपर कहचुकेहैं तिनमेंसे पहलाजो (अहरहः) श्राद्धकहलाताहै उसमें कुछइसबातकीअपेक्षानहींहै और जो उसमेंभीकिसीदिवस ऐसावानकबनिआवै तौ अधिक अच्छाबातहैकिंतु-अधिकस्यअधिकंफलम्॥ अग्याःसर्वेषुवेदेषुश्रोत्रियोब्रह्मविद्युवा । वेदार्थविज्येषसामात्रिमधुस्त्रिसुपर्णिकः २१८ ॥

ऐ०—सर्वेषुवेदेषु (अग्न्याः) अर्थात् सभीवेदों में अग्रणी हों इसप्रकार से कि एकाग्र मनोवृत्ति सहित निरंतर निर्भंग पाठकरसकेहों-दूसरे (श्रोत्रिय) अर्थात् श्रुताध्ययन संपन्न किन्तु अध्ययन तौ पढ़ना और पढ़े पीछे विद्वानों के वार्त्तालाप द्वारा अति-कालताई श्रवण करते करते पढ़ेहुये का सिद्धांत और उस्सेभी उपरांत अनेकशास्त्रों वा संसारसागर का तत्त्वसार निज हृदयमें हस्तामलकवत् समाश्रित करलेना यह दोनों बात जिनमेंहों वे श्रोत्रिय यद्वा श्रुताध्ययन संपन्न कहलाते हैं या ऐसे समुभ लेना कि श्रुत कहिये परमज्ञान और अध्ययन पढ़ना इनसे संयुक्त हों सो इन दोनों प्रकारोंसे तात्पर्य एकही है-तीसरे (ब्रह्मवित्) कहिये ब्रह्मके जाननेवाले सो उसब्रह्मका स्वरूप आगे इसी शास्त्रमें यथावत् कहा जायगा-चौथा लक्षण (युवा) अवस्थाहै सो सभी लक्षणवाले के साथमें चाहिये किन्तु पूर्वोक्त यद्वा अग्रोक्त सभीब्राह्मण युवाहों अर्थात् अति बालक या अतिबूढ़े शिथिलेन्द्रिय नहीं-पांचवें किन्तु चौथे (वेदार्थवित्) उन्हें कहते हैं जो वेद के अंगभूत मंत्र और ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं तिनके अर्थ जानते या लगासके हों-पांचवें (ज्येष्ठसामा) उन्हें कहते हैं कि ज्येष्ठसामा नाम सामविशेष किन्तु सामवेदका एक अंगहै तिसके पढ़ने में जो २ व्रत उसकी सांगता में गिनती हैं उनव्रतों के आचरण सहित उसको जो पढ़ता है वहभी ज्येष्ठसामा कहलाता है-ऐसेही छठें (त्रिमधु) नाम ऋग्वेद का एक स्थल है उसके भी पढ़ने में जो २ व्रत नियम कहे हैं उनव्रतों की साधना सहित जो कोई उसको पढ़ै वह त्रिमधु कहलाता है-ऐसेही सातवें (त्रिसुपर्णिक) वे हैं कि जिन्होंने त्रिसुपर्ण नाम एक देश यजुर्वेद का उसके व्रताचरणों सहित पढ़ाहो-यह इतनेलक्षणवाले ब्राह्मण श्राद्धकीसंपदामें गिनती हैं यह योजना २२० के श्लोकमें से हुई २१८ ॥

स्वस्त्रीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंबंधिवांधवाः २१९ ॥

ऐ०—(स्वस्त्रीयः) भानूजा-(ऋत्विक्) जिसकेलक्षण पहलेभी किसी स्थलपर कईवार कहचुकेहैं-(जामातृ) जमाई-(याज्य) जो कोई अपना पूज्यहो-(श्वशुर) ससुरा-(मातुल) मामा-(त्रिणाचिकेत) उसे कहतेहैं जो त्रिणाचिकेत नाम एकस्थल यजुर्वेदका उसके व्रताचरणों सहित अध्ययनकरै-(दौहित्र) धेवता-अपने शिष्य संबन्धी वांधव येभीसवश्राद्ध की संपदामें गिनतीहैं २१९ ॥

कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाःपंचाग्निर्ब्रह्मचारिणः । पितृमातृपराश्वैवब्राह्मणाःश्राद्धसंपदः २२० ॥

ऐ०—(कर्मनिष्ठाः) अर्थात् शास्त्रोंमें कहेहुये कर्मधर्मोंके अनुष्ठानमें तत्परहों-(तपोनिष्ठाः) तपमें शीलरखनेवालेहों-(पंचाग्निः) पांच प्रकारकी अग्निसेवन करनेवाले अर्थात् षट्प्रकारकी अग्निमेंसे एक गार्हपत्य अग्निको छोड़कर शेषपांचोंका सेवनकरे सो पंचाग्नि यद्वा पंचाग्नि विद्याकोही पढ़ाहो-(ब्रह्मचारी) दो प्रकारकेहोतेहैं एकतौ उप-

कुर्वाण जो अवधि सहित ब्रह्मचर्य धारणाकरके विद्यासंग्रहकरै दूसरा नैष्ठिकब्रह्मचारी इनदोनोंके लक्षण मर्यादापरिपाटीके आदि खंडमें कहचुके हैं-(पितृमातृपराः) अर्थात् जो माता पिताकी सेवाटहल आराम रक्षा पालन आदिमें व्यसन पूर्वक तत्परहों ये भी सब श्राद्धकी संपदाकही हैं और भी ब्राह्मण शब्द यहां पर फिर कहनेसे पूर्वकोंके अभावमें यद्वा उपरिथितिमें भी उनके उपरांत कोरे ब्राह्मणभी दर्शाये गये किंतु यह शब्द किसीका विशेषण नहीं है २२० ॥

अब यहां पर जो वर्जितहैं तिनके लक्षण ३ श्लोकोंसे कहतेहैं ॥

गंगीहीनातिरिक्तांगःकाणःपौनर्भवस्तथा । अबकीर्णीकुंडगोलौकनखीश्यावदंतकः २२१ ॥

ऐ०—(गंगी) जो प्रसिद्ध महारोगोंसे ग्रसितहो-(हीनातिरिक्तांगः) कोई अंग जिसकेदेह में हीनहो यद्वा अधिकहो जैसे छःउंगली या गूमड़ा बतौड़ा आदि-(काणः)काना एकाक्ष (पौनर्भवः) अर्थात् पुनर्भूस्त्री जिसके लक्षण विवाहके प्रकरणमें ६७ के श्लोकसे कहचुकेहैं तिसका पुत्र सो पौनर्भव-(अवकीर्णी) उसे कहतेहैं जिसने ब्रह्मचर्यकी धारणामें स्वतन किंतु वीर्यका विध्वंस किया-कुंड १ गोलक २ इन दोनोंके लक्षण परदारामें उत्पन्नहोना प्रसिद्धहै किंतु पतिके जीवतेहुये अन्य पुरुषतेहो सोतौकुंड और पतिकेमरेपीछे गर्भमें आवै सो गोलक-(कुनखी)जिसके नखसंकुचित होकर विगड़जावें-(श्यावदंतक)जिसके दांत जन्मके साथही कालेहों और वहभी कि जोपीड़ा बिना मिस्सीआदि से रँगै यह इतने निर्दिताहैं यहयोजना २२३ में से हुई २२१ ॥

भृतकाध्यापकःऋविःकन्यादूष्यभिशास्तकः । मित्रधुक्पिशुनःसोमविक्रयीपरिविन्दकः २२२ ॥

ऐ०—(भृतकाध्यापक)जो वेतन लेकर पढ़ावै-(ऋवि)नपुंसक-(कन्यादूषी)जोभले बुरे दोषोंसे किसी कन्याको कलंकलगावै-(अभिशास्त) उसेकहतेहैं जो ब्रह्महत्याआदिसेयुक्तहो (मित्रधुक्) जो मित्रद्रोहीहो-(पिशुन)जो परायेदोष प्रकटकरनेका स्वभावरखताहो-(सोमविक्रयी) जोयज्ञमेंसे सोमवेंचै यद्वाअमृत बेंचनेवाला अर्थात् जोअन्नादि अमृत वस्तुको ब्राह्मण बेंचै तौ अमृतविक्रयी या सोमविक्रयी कहलावै-(परिविन्दकः) परिवेत्ता जो जेठे भाईसे पहले विवाहकरलेवै या अग्नि परिग्रह जेठेसे पहले छोटा करलेवै ये भी इतने निषिद्ध हैं २२२ ॥

अधि०—परिवेत्ता और परिवित्तिदार संग्रहके सिवाय अग्नि परिग्रहसेभी होतेहैं सोई मनुजीने यहकहाहै कि (दाराग्निहोत्रसंयोगं यःकरोत्यग्रजेस्थिते । परिवेत्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तुपूर्वजः) अर्थात् दारा या अग्निहोत्रका संयोग जो कोई छोटाहोकर जेठेसे पहले करताहै वहपरिवेत्ता जानना चाहिये और परिवित्ति दोषवाला वहजेठे कि जिसने अपने होतेहुये ऐसाहोने दिया-ऐसेहीकन्याका दाता जिसने दानकरी वह (परिदायी) दोषवान् कहाताहै और याजक जिसने फेरेकरवाये वह (परिग्रहा) दोषवान्



कहाताहै-और वह कन्या जिसका दान या परिग्रह हुआ सो (परिवेदनी) दोषवती कहलाती है ये सभी नरकभागी होतेहैं (तथाच) (परिवित्तिः परीवेत्ताययाचपरिविद्यते। सर्वेतेनरकं यांति दातृयाजकपंचमाः) इस्से इनको श्राद्धमें भोजन करवानेवालेको भी अतिदोषहै २२२

मातापितृगुरुत्यागीकुरडाशीवृषलात्मजः । परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः २२३ ॥

ऐ०-जो कोई किसी परम बलवान् कारण बिना माता पिता गुरुओंको त्याग देवै वह और (कुंडाशी) जो कुंड या गोलक इनका अन्नखावै और (वृषलात्मज) अर्थात् वृषलकहिये अधर्मी जो अपने जातीधर्मको न मानै या जातीधर्मकी निंदा किसीरीतिसे भी करताहो किन्तु किसीरीतिसे धर्मको पीड़ादेताहो उसकी संतान सो वृषलात्मज और (परपूर्वापतिः) अर्थात् पिछला और पहला ऐसेदोपति जिसस्त्रीकेहों तिसकापति परपूर्वापति कहलाताहै किन्तु उन्हींदोमेंसे कोई एक और (स्तेनः) जोबिनादिये किसीकी कोईवस्तु किसीरीतिसे हरिलेताहो और (कर्मदुष्टाः) अर्थात् दुष्टकर्मोंके करनेवाले जोशास्त्र विरुद्ध आचरणवान्हों और (च) शब्दके अभिप्रायसे कितव देवलकआदिभी मनुके कथनसे अपेक्षितहैं येभी इतने श्राद्धविषयमें निन्दितहैं २२३ ॥

अधि०-(कितव) छलियाको खलको द्यूत आदिखेलनेवालेकोभी कहतेहैं और (देवलक) जो जीविकादि निमित्तसे प्रतिमाओंका परिचार वा स्थापन वा पूजनआदिकरें और औरोंकोभी प्रोत्साहितकरें अर्थात् पुजारीजी इतिभाषा प्रसिद्ध पेशेवाले-सोई मनुजीने यहकहाहै कि(चिकित्सकान् देवलकान् मांसविक्रयिणस्तथा । विपणेन च जीवंतो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः) अर्थात्-चिकित्सक जो चिकित्सासे जीविकाकरें-देवलक मठोंके पति किन्तु पुजारी-मांसविक्रयी और जो दूकानदारीकी जीविकाकरतेहों ये सर्वप्रकारके ब्राह्मण-हव्यकहिये देवकर्म और कव्यकहिये पितृकर्म इनदोनोंमें वर्जितहैं-और मांसविक्रयी वह कहलाताहै कि जो ब्राह्मणहोकर कोई ऐसी जीविकाकरै जिसमें मांसवेंचनेका अभिप्राय किसी आशयसेभी पाया जाताहो क्योंकि सद्भावसे प्रत्यक्षमांसकाविक्रय कोई तुच्छ ब्राह्मणभी नहीं करताहै जिसकेलिये यहनिषेध लिखाजाता इस्से वहीहेतु मुख्यहै कि किसी लक्षणाकी ध्वनिसे मांस विक्रयका अर्थ जिसपर घटताहो वहमांस विक्रयीहै दृष्टान्त जैसे कबूतरोंको पालना और उनके अंडे वा बच्चे ऐसे मनुष्योंके हाथ बेंचना जो मांसभक्षीहों तौ यही मांसका विक्रयकरना उनपर निश्चित हुआ इसी प्रकार और भी अनेक लक्षण जानो-देवलकोंका निषेध यहमनुजीका कियाहुआहै और वर्तमान समयके लोगबहुधा देवलकोंकोही अन्य ब्राह्मणोंकी अपेक्षा उत्तमसमुझकर श्राद्धमें ढूढ़कर बुलातेहैं इसीलिये याज्ञवल्क्यजीने इनका निषेध नहींलिखा कि जिसवातकी परिपाटी परगई उसकानिषेधभी क्योंकरना किन्तु वहवात उसीसमयमें निषिद्ध समुझीजातीथी और यहभी है कि जब आधुनिक समयमें उस

प्रकारके योग्य ब्राह्मण मिलते नहीं फिर देवलकों कोभी नहीं बुलावें तौ और कहाँसे आसक्तें हैं इसलियेवेही अब ग्राहोंमें गिनती होगये-शास्त्रवक्ताने २१८ से लेकर तीन श्लोकोंमें ग्राह्य ब्राह्मणोंका चर्चालिखा उसीसे प्रयोजन सिद्धहोचुकाथा फिर २२१ से लेकर तीनश्लोकोंमें निषिद्ध ब्राह्मणोंकाचर्चा जोकिया तिसकी कुछ आवश्यकता नहीं रहीथी परन्तु यह निषेध इसी अपेक्षासे लिखागयाहै कि जब पूर्वोक्त योग्य ब्राह्मणों का मिलना न होसकै तब अन्यसाधारण ब्राह्मणभी निमंत्रितकियेजायतिनमें ऐसाकोई न हो जिनका निषेध यहां पर होचुकाहै तीनश्लोकोंसे-(भेद२) इसव्यवस्थासे आधुनिक समयमें देवलकभी लाचारी अवस्थामें ग्राह्यहुये क्योंकि याज्ञवल्क्यजीने समय का रूपक देखकर उनके लिये ग्राह्यताभी नहीं लिखी और त्याज्यताभी नहीं लिखी केवल बीचके साधारणोंमें रखदिये इससे श्रेष्ठोंके अभावमें वेही न्योतदियेजातेहैं और मनुजीने जब इनकेलिये निषेध लिखाथा तब उससमयमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुतसे मिल सकेथे और देवलक आदि पाखंडी लोगविरले होतेथे क्योंकि प्राचीनसमयमें माठापत्यकर्मोंकी जीविका निन्द्य और वेदशास्त्रसे विरुद्धभी समुभकर कोई नहींकरताथा अद्यापि अवधिसम्बन्धी देशोंके ब्राह्मण माठापत्य नहींकरते परएतदेशीय गौडादि विप्र उसके बिना अपने जन्मकी सुफलता नहीं समुभते वरन जिसकुलमें या जिस घरमें मठपरिचर्या नहीं होती उसको अन्यलोग और वह आपभी अपनेको मंदसमुभता इसलिये जिसघरमें पहलेसे शून्यताभीहो उसमें कोई ऐसाउद्योगी पैदाहोजाताहै कि ज्यों त्यों कर छोटामोटा मठमन्दिर अपने आजीवनका हेतुखड़ाकरलेता वही कुलदीपक गिनाजाताहै फिरचाहै वह साक्षरहो वा निरक्षर तथैव आचार सुकर्मों वा कुकर्मोंकाभी रखताहो कुछ इसपरदृष्टि नहीं करीजाती किंतु वह प्रतिष्ठितोंकी श्रेणीमें आजाताहै-जिस्से कुछभी नहींबनिआता वह इतना तौ अवश्यकरताहै कि अपनेरहने के मकानमेंसे एककोठेमें लीप पोत कुछ सिंहासनआदि उपकरण स्थापितकरके ठाकुरद्वारानाम रखलेताहै अगर मकान नहीं भाड़ेकी दूकानहो तौभी ऐसाकरलेना यह उसकुलमें अहोभाग्यता समुभी जातीहै-इसके सिवाय जिसके पौरोहित्यवृत्तिके दश बीसघरभीहों तौ वह परमभाग्यवंतोंमें गिनाजाता और बिसेवाला कहलाताहै जिस पौरोहित्यके लिये शास्त्रमें कहाहै कि (पौरोहित्यकर्मगर्ह्यचलोके) अर्थात्-(च) शब्दसे शास्त्रके सियायलोकमेंभी पौरोहित्यकर्मनिन्द्यहै-तात्पर्य इसकाकेवल यहीहै कि यह मठ मंदिरादि वृत्ति तीर्थवासियों और योगी वैरागियोंका आचरणहोताहै गृहस्थीके लिये शास्त्रोक्त विधिसे देवाराधन और निर्मलवृत्ति उचितहै क्योंकि जोदेवलक लक्षण संबन्धिनी वृत्ति या आचरण उसका द्विजातीको उचितहोता तौ आचाराध्यायमें कहीं तौ उसका चर्चाआता बल्कि एकबड़ा लंबाचौड़ा प्रकरण उसका सबसे भिन्नहोनाचाहिये

था जैसे अन्य आचारोंके प्रकरण भिन्नभिन्न क्रमसे कहतेचले आतेहैं और निषेधके लिये यही प्रमाण उसमें यथावत् संभवितहै जो उसकर्मके कर्त्ताओंकोभी श्राद्धविधिके भोक्तृत्वसे बर्जितकरदिया और उसकर्म संबंधी नामका विशेषणभी यथार्थसमुभकर दियागया-किन्तु-पूजायाअरिःपूजारिः तद्वाषायामपभ्रंशेपुजारीयदरिवत्पूजनार्थमाग तान्द्रव्यानत्तीति(भैद३)इसीश्लोकमें सबसेपहलेमातापितृगुरुत्यागी जोनिषिद्धलिखा था उसके साथमें भार्या वा पुत्रादिकोंका त्यागीभी संग्रहीतहै किन्तु वहभी गुरुत्यागी में गिनतीहै जो भार्या अथवा पुत्रादि भृत्यवर्गोंको बिना किसी प्रबलहेतुके त्यागिदे-वै-तथाचधर्मः(वृद्धौचमातापितरौसाध्वीभार्यासुतःशिशुः।अप्यकार्यशतंकृत्वा भर्त्तव्या मनुरब्रवीत्)अर्थात्-बूढ़ी अवस्थाकेमाता पिता और भार्या साध्वी कहिये सुशीला व्य-भिचारहीना और शिशु अवस्थाकापुत्र जो अपने आप अपना पालन करने में अ-समर्थहो यह इतनेसभी भरनेयोग्यहैं चाहै शतधा अकरणीय कर्मोंसेभी धनलावै पर इनका पालन अवश्यकरै इनको त्यागी नहीं और जो त्यागदेवै वही अधर्मीहै उसको श्राद्धमें जिमानेसे पितरोंकी तृप्तिमें न्यूनता होतीहै २२३ ॥

यहांतक श्राद्ध करने के काल और ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाभी कहीगई अबनीचे पार्वणनाम श्राद्धकरनेका प्रकार बतलातेहैं ॥

निमंत्रयेत्पूर्वेद्युर्ब्राह्मणानात्मवान्शुचिः । तैश्चापिसंयतैर्भाव्यमनोवाक्कायकर्मभिः २२४ ॥

ऐ०—श्राद्धकर्त्ता एकदिन पहले शुचिहोकर और आत्मवान् अर्थात् शोक उन्माद आदिसे रहित हो और नियतेंद्रीहोकर पहलेदिवस जाकर पूर्वोक्त लक्षणवाले ब्राह्मणों को निमंत्रितकरै यह कहकर कि कल्हआप श्राद्धका उत्सव अवलोकनकरै इसप्रार्थना सहित कुछकाल वहां विलंबितभी होजावै किन्तु कहकर भागैनहीं-और उनब्राह्मणों कोभी निमंत्रित होनेपर मनवाणी कर्म आदिसे संयत होनाचाहिये २२४ ॥

अपराह्णेसमभ्यर्च्यस्वागतेनागतांस्तुतान् । पवित्रपाणिराचांतानासनेपपवेशयेत् २२५ ॥

ऐ०—अपराह्ण अर्थात् मध्याह्नकालमें उन्हीं निमंत्रित ब्राह्मणोंको बुलाकर आवते हुये देखप्रथम समभ्यर्चन करिकै अर्थात् स्वागत वचन रूपी पूजासे पूजिकर दृष्टांत यथा आइये विराजिये बड़ा अनुग्रहकिया अहोभाग्य हमारे आपने इसघरको पवित्र किया इत्यादि सत्कार और अभ्युत्थान देकर श्राद्धकर्त्ता पाणि कहिये हाथमें पवित्रा धारण कियेहुये उन्हें पादप्रक्षालन और आचमन कराकर श्राद्धस्थान में विरचेहुये आसनोपर उपवेशकरावै २२५ ॥

अधि०—यद्यपि मूल श्लोक में अपराह्ण काल सामान्य भावसे कहा है और अप-राह्ण शब्दके भी अर्थ अनेक होते हैं परंतु यहांपर अपराह्ण (कुतप) काल से अपेक्षा रखता है किन्तु कुतप कालके प्रारम्भसेही आसनपर बैठारनेका प्रारम्भ करके पांच

मुहूर्त्त अर्थात् १० घटिकामें सारीक्रिया संपूर्णकरै तो सर्वथा श्रेयस्करहोता है-तथाच-  
 (अहोमुहूर्त्ताविरुधात्तदशपंचचसर्वदा । तत्राप्टमोमुहूर्त्तायःसकालःकुतपःस्मृतः)-अ-  
 र्थात् दिनभरके मुहूर्त्त विख्यात हैं सर्वदा दश और पांच १५ दो दो घड़ीके-तिनमें जो  
 आठवां मुहूर्त्त किन्तु ठीक मध्याह्नसे एक घड़ी पहले और मध्याह्न से एकघड़ीपीछे  
 ताई यह दोनों घटिका कुतप काल कहलाताहै-अपिच-(अर्ध्वमुहूर्त्तात्कुतपात्तन्मुहूर्त्त  
 चतुष्टयं । मुहूर्त्तपंचकंक्षेत्रस्वधाभवनमिष्यते)-अर्थात्-कुतपनाम मुहूर्त्त से उपरांतके  
 भी चार मुहूर्त्त उसमें जोड़कर यहमुहूर्त्तपंचक स्वधाभवन होताहै इसमें पितरोंकेनि-  
 मित्त से जो कुछ श्राद्ध आदि स्वधाकर्म कियाजावै सो अपने यथोक्त फल को देताहै  
 मुहूर्त्तका परिमाण निर्विकल्प दो घटिकाका परिणियमितहै परंतु दिनके १५ मुहूर्त्त क-  
 हनेसे केवल ३० घड़ी के दिनमानपर आतेहैं और यद्यपि दिनमान की न्यूनाधिक  
 दशामें दो घटीसे कुछ न्यूनाधिक परिमाण एक मुहूर्त्त का दिनमान के अनुसार क-  
 रिलेनेसेभी १५ मुहूर्त्त ठीक होसके हैं तथापि श्राद्धकर्मकी व्यवस्थामें कुछ इसवात  
 से अपेक्षा नहीं है अर्थात् केवल वही प्रमाण इसमें लेना संसूचित है कि ठीक २ म-  
 ध्याह्नके वारह बजे से एकघटी पहले (कुतप) काल का प्रारम्भ होजाता है उसीसे  
 लेकर दश घटिकाताई स्वधाकर्माका विशेष अधिकारहै फिर दिनमान चाहे तितना  
 हो-श्राद्धकी सुफलता मध्ये जैसा एक यह अद्योक्त काल संबंधी कुतप होता तैसेही  
 सात कुतप औरभी होतेहैं-यथा-( मध्याह्नःखड्गपात्रंचतथानेपालकम्बलः।रौप्यदर्भा  
 स्तिलागावोदौहित्रश्चाष्टमःस्मृतः॥ पापंकुत्सितमित्याहुस्तस्यसंतापकारिणः। अष्टावे  
 तेयतस्तस्मात्कुतपाइतिविश्रुताः )-अर्थात्-एक तौ वही मध्याह्नकाल जिसका चर्चा  
 ऊपर आचुकाहै १ दूसरा खड्गपात्र कहिये गैडेका अर्घा २ तीसरा नेपालदेशकावहु  
 मूल्यवाला कंबल जो पर्वतीबोली में खार्चा विख्यातहै ३ चौथा रौप्य रुपया चांदी ४  
 पांचवांदर्भकुशा ५ छठा कुतप तिल और तिलके फूल विशेष कर ६ सातवां कुतप  
 गावः गौर्वे ७ आठवां कुतप दौहित्र कहिये दुहिता का पुत्र धेवता ८ यह आठौ इस  
 हेतुसे कुतप कहलातेहैं कि ( कु ) शब्दका अर्थहै कुत्सित बुरा सो कौनहै अपनेपाप  
 कुत्सित होतेहैं तिनको यह आठौ वस्तु ( तप ) शब्दके अर्थसे संताप करनेवाले हैं  
 किन्तु पापों को पीड़ा देकर नाशकरदेतेहैं इसलिये (कु) और (तप) मिलकर कुतप-  
 नकी संज्ञाहुई इससे श्राद्धमें इनआठों को अवश्य भावसे संग्रहकरै-परंतु इन आठोंमें  
 सातवां कुतप जो गोदानकहाहै सो २२३ और २२४ इनदो श्लोकोंकी उचित मर्यादा  
 अनुसार तौ होसकनाअसंभव और दुर्लभहै इससे उन्हींदोश्लोकोंकीनिषेध व्यवस्था  
 से प्रत्यक्ष गऊ तौनदेना पर उनकीअनुकल्प व्यवस्थासे उसका अनुकल्प स्वर्णमर्या  
 कादानकर्त्तव्यहै सोभी गऊकीसांग मूर्त्तिवनवाकर न करना किन्तु केवलस्वर्णपत्र यद्वा

अधिकशक्तिहो तौ स्वर्णमुद्रा अशर्फी आदि कल्पितकरलेना यहश्रेयस्कर समाचारहै क्योंकि यद्यपि कहीं किसी स्वार्थी शास्त्रमें प्रतिमा बनवाकर दान करना लिखाभीहो तथापि परमार्थी शास्त्र मर्यादापरिपाटी समाचार का यह सिद्धांत नहींहै कि यह ऐसे अनर्थ रूपी अष्टाचार की आज्ञादेसकै जिस्से दाता और ग्रहीता आदि अनेकनरक वासी हों किन्तु ऐसी दशामें उपदेष्टाको सबसे आगे बढ़कर वहांकीभी राह दिखलानेको अवश्यजाना होता है पर जिसको यह स्वीकार हो-अन्यथा ध्यानकरना योग्य है कि जो किसीकी प्रतिमाका पूजन करनेसे ठेठ उसको पहुँचसक्ताहोगा जिसके नाम की वह प्रतिमा किन्तु उपमूर्त्ति कल्पितहुई हो तो क्या उसमूर्त्ति का अपकार या चरण प्रहार आदि नहीं पहुँचताहोगा भला मूर्त्तितौ साक्षात् उसकारूप समुभाजाता पर किसी के हाथसे पत्थर भी फूटजाने का प्रायश्चित्त कियाजाताहै क्या उसमूर्त्ति को तोड़ फोड़कर बेंचने या साँचें में गलवाने वाले अपराधी नहीं होते या केवल स्वार्थ की साधकताही धर्म की निशानी है संप्रति कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं जो मूर्त्तिको ले जाकर घरमें दोदिनभी सत्कारसे रखसक्ता हो किन्तु सुनारका हथौड़ा उसकी पूजाहै-स्वार्थलिप्सूकहते हैंकि देवता भाव उसमें तभी तकथा कि जब दानसमय मंत्रसे आवाहन किया पीछे विसर्जन कालसे देवता भाव जातारहा अच्छा ज्वमंत्रों को यहशक्तिहै तौ आवाहनसे क्या अशर्फी अथवा स्वर्णपत्रमें देवतात्व नहीं आसक्ता-हां-सांगमूर्त्तिमें देवतात्वके न होने परभी उसका खंडनकरना अपराधहै सो भी तत्काल देवताको उसी प्रकार पहुँचैगा जैसामूर्त्तिका पूजन उसको पहुँच सक्ताथा-भलादेवता तौ दूरहैं किसीकी मूर्त्तिमें आवाहनसे नहीं आसक्ते पर प्रेमसे दिया अथवा कियाहुआ दूरसेभी अंगीकार करलेतेहैं किसीसे यहनहींकहते कि तुम हमारे नामकी मूर्त्तिकल्पितकरौ या न करौ केवलश्रद्धा और प्रेमके भूखेहोतेहैं (दृष्टांत) मात्रसेमनुष्य परभी ध्यान करनाचाहिये कि तुम किसी प्रतिष्ठित या समर्थ राजाआदि या किसीत-पस्वी मनुष्यके नामका एकपुतलाबनाकर अपने द्वार आगेरखकर उसकी पूजा और बहुतसी स्तुति नित्यंप्रति किया करौ या पुतलाके विनाभी नित्यंप्रतिवही आचरण किया करौ अथवा नित्यंप्रति उठकर दो चार घड़ी उसको कूटा पीटा करौ या पुतला के विनाही उसका नामलेकर धरतीमें हाथपैर पीटाकरौ और स्तुतिके बढ़ले दुर्वाक्य मुखसे काड़ाकरौ-यह वृत्तांत उसको आँखोंसे देखने या कानोंसे सुने परहीदेखो पीछे क्या २ आनन्द उठतेहैं अर्थात् इस उत्तर दशाका करनेवाला अपराधी ठहरकर दंडपावेगा अब कहौ कि उसमनुष्यका आवाहन किसने मंत्रों सहित कियाथा जो उसने बुरामाना और दंडदिया वा दिलवाया इसनेतौ विना आवाहनके पुतला या धरती को उसके नामसेही कूटापीटाथा फिर यह अपकार उसको क्योंकर पहुँचगया पुतला

में भी मट्टीथी-धरतीमें भी मट्टी थी-ऐसेही उस सोने या चांदीकीमूर्तिमें यद्यपि केवल धातु है क्योंकि देवताका आवाहन जो कियाथा सो विसर्जनकरदिया वतलातेहों पर नामतौ उसका वही बनरहाहै जिसके नामसे तुमने बनवाई या दानमें पाई फिर उसको जबहथौड़ा से तुड़वाई और सांचेमें गलवाई तौ वह ढंड क्या न देगा जिसके नामसे बनवाकर यह अपकार किया या करवाया इस्से यह निश्चय जानौ कि संसारमें सारे काम केवल नामसेही सिद्धहोते हैं नामकेही लिये किये जातेहैं नामके लिये नामीनर अपने धनप्राण देदेतेहैं नामसे मारेजाते हैं नामसे कुच्छकमाखाते हैं नामसे लज्जित होजाते हैं नामसे प्रशंसापाते हैं नामसे दुर्नाम होजाते हैं नामविना किसी चीज का पतानहीं लगसक्ता नामसे दुर्लभ वस्तु भी सुलभ होजातीहै जिनको मंत्रकहतेहैं उनमें भी देवताओंके नाम या उनके बीजोंके नाम मात्रहोतेहैं नामके बंधनमें सारा संसार फँसाहुआ खड़ा है-सोई गोसाईंतुलसीदासजीने कहा है कि-( देखियरूपनाम आधीना । रूपज्ञाननहिं नामविहीना ) २२५ ॥

युग्मान्दैवेयथाशक्तिपित्र्येऽयुग्मांस्तथैवच । परिस्तृतेगुचौदेशेदक्षिणाप्रवणेतथा २२६ ॥

अक्ष०-दैवश्राद्धमें यथाशक्ति युग्म ब्राह्मणोंको तथैव पित्र्यश्राद्धमें अयुग्मोंकोशुचिदेश तथापरिस्तृत और दक्षिणाप्रवण में-बैठारै यहऊपरसे जुड़ा २२६ ॥

अभि०-शुचिदेश कहिये गोमय आदिसे लिपेपुतेमें वहीदेश अर्थात् रथानदक्षिणाप्रवणभीहो किंतु दक्षिणओरको अवनत झुँकाहुआहो फिर वही स्थल परिस्तृतकहिये सब ओरसे प्रच्छादित कियाहो तिसमें पूर्व श्लोकमें कहेहुये सूचित आसनोंपर पूर्वोक्त ब्राह्मणोंको बैठावै तिनकी यहसंख्याहै कि जोश्राद्धकर्म देवसंबंधी अर्थात् आभ्युदयिक वृद्धिश्राद्ध कियाहो तौ युग्मकहिये समसंख्या ब्राह्मणोंकी अपनी शक्तिअनुसारकरै जैसे पितापक्षमें विश्वेदेवाओंके दोदो और माता दादी परदादी इनके दो दो भिन्न २ एकएकके यद्वा शक्तिअनुसार तीनोंके नामसे दो ब्राह्मण ऐसेही पिता पितामह प्रपितामह इनतीनोंके दो दो भिन्न २ या तीनोंके नामसे दोही और जो इस्से अधिक शक्ति अपनेको हो तौ चार २ छः २ आठ २ इत्यादि समसंख्या करिलेवै-(इसी प्रकार)-नाना पक्षमेंभी तीनों वर्ग भिन्न २ समुभलेने समसंख्या द्वारा (औरजो) पितृसंबंधी अर्थात् पार्वण श्राद्ध किया हो तौ अयुग्म कहिये बिषम संख्या ब्राह्मणोंकी करै दृष्टांत जहां दो दो कहेथे तहां एक २ या तीन २ या पांच २ इत्यादि दोनों पक्षमेंसमुभलेना २२६ ॥

यहदोनों श्राद्धोंका सामान्यभेद कहा-अबकेवल पार्वणमध्ये दैव औपित्र्यकर्मका विशेष प्रकार कहतेहैं ॥

द्वौदैवेप्राक्त्रयःपित्र्येऽदगेकैकमेववा । मातामहानामप्येवंतंत्रंवावैश्वदेविकम् २२७ ॥



अक्ष०—द्वौदैवेप्राक्-त्रयःपित्र्येउदक्-वाएकैकंएव—एवंमातामहानामपि-वैश्व देवि-  
कंतंत्रवा २२७ ॥

अभि०—(द्वैवे) नामवैश्वदेवे अर्थात् देवसंबन्धी स्थान जो विश्वेदेवाओंका तिसमें दो  
ब्राह्मण-प्राक् अर्थात् पूर्वमुख बैठारने चाहिये-और-पित्र्येनाम पित्रादिस्थाने अर्थात्  
पिता पितामह प्रपितामह इनतीनोंके स्थानपर त्रयोब्राह्मणा उदक् किंतुतीन ब्राह्मण  
उत्तर मुखबैठारै सोई तीनोंकाएकएकहोगया (अथवा) यहभी न होसकै तौ इसकावि-  
कल्पहै कि सर्वत्र एकैकं अर्थात् सभीजगहएकएकहो किन्तु विश्वेदेवाओंकेस्थानपर  
भी एक और पिता आदितीनोंके स्थानपरएकही यह निर्वाहकी रीतिहै-ऐसेही नाना  
आदिकाभी व्यौरासमुभलेना किन्तु जोकुछ ऊपर अर्द्धश्लोकके अभिप्रायार्थमें पिता  
पक्षकाबर्णन किया सोईविधि नानापक्षमें भी जानौ-और-वैश्वदेविकंतंत्रवा अर्थात् वै-  
श्वदेवकर्मकिन्तु विश्वेदेवाओंके ब्राह्मणसोविकल्पसे तंत्ररूपभीकरलेना अर्थात् जहां  
ऊर्ध्वोक्त विकल्पभी न होसक्ताहो तहां विश्वेदेवा पितापक्ष और नानापक्ष दोनों के  
एकत्रकरलेना यहभी एकनिर्वाहकी रीतिहै ( तंत्रशब्दसमुदायकावाचकहै ) २२७ ॥

अधि०—जब किसीको दोही ब्राह्मण मिलसकै या दोसे अधिक करनेकी सामर्थ्य न  
हो तब वैश्वदेवके स्थानपर पत्तल कल्पित करके उन दोनों ब्राह्मणों को पिता और  
नाना दोनों पक्षोंके स्थान पर बैठारै-सोई वशिष्ठजीने कहाहै कि-(यद्येकंभोजयेच्छ्राद्धे  
दैवंतत्रकथंभवेत् । अन्नपात्रेसमुद्धृत्यसर्वस्यप्रकृतस्यच ॥ देवतायतनेकृत्वाततःश्राद्धंप्रव-  
र्त्तयेत् । प्रास्येदन्नंतदग्नीतुदद्याद्ब्राह्मचारिणे )-अर्थात्-जो श्राद्धमें एकहीको जिवावै  
तहां दैवश्राद्ध किन्तु विश्वेदेवा सम्बन्धी कर्म कैसे होवै इसलिये उनसबोंके नाम का  
अन्नपात्रोंमें निकालकर उनके और देवताके भी स्थानपर रखकरपीछे श्राद्धका प्रवर्त्तन  
करै फिर वह अन्न भी या तौ अग्निमें जिमादेवै या किसी ब्रह्मचारीको देदेवै-यथार्थ  
से आभ्युदयिक और पार्वण श्राद्ध में कुछ विशेष अंतर नहींहै क्योंकि आभ्युदयिक  
उसी को कहते हैं जो वृद्धि श्राद्धके नाम से विख्यात है इसलिये कि वह आभ्युदयके  
समय पर कियाजाताहै और उसके करनेसे आगेको धनजन आदि अभीष्टकामोंकी  
वृद्धि आभ्युदय पूर्वक होती है-परंतु उसमें भी श्राद्ध वही पार्वण किया जाता और उ-  
सकी विधिमें किंचित् अंतर होताहै-उस विधानांतरके सिवाय (सुरग्यपार्वण) विधिसे  
भी जो श्राद्ध किसी देवकल्प पर्वमें कियाजाय जैसे सूर्य संक्रांति आदि पहले कहचुकेहैं  
या किसीतीर्थपर्वमें या किसी देवताके नामसे मानकरपीछे कियाजाय या व्यतीपातमें  
या ग्रहणमें तौ वही पार्वण देव संज्ञक होजाताहै या जो पितर संबन्धी पर्वमें कियाजाय  
जैसे अमावास्या गजच्छाया पितृपक्ष अष्टका इत्यादि में यद्वा किसीके क्षयाहमेंकि-  
याजावै तौ वही पार्वण श्राद्ध पितृ सम्बन्धी गिनाजाता है सो कर्म उसदेव सम्बन्धी

में भी पित्रोंके नामसे होता है परन्तु वह पितरों की तृप्ति देवताकी प्रीतिके अर्थ आरोपितकरीजाती है २२७ ॥

पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा विप्रार्थं कुशानपि । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यृचा २२८ ॥

ऐ०—उनवैठेहुये ब्राह्मणों के हाथमें विश्वेदेवा के निमित्तसे जल हरतप्रक्षालनके लिये देकर पुनि विस्तरकेलिये कुशाभी अर्थात् युग्म कहिये दो कुशा द्विगुणितकिये हुये उनके आसनके दक्षिणओर रखै फिर उन्हीं ब्राह्मणोंकी आज्ञापाकर विश्वेदेवाओं का आवाहनकरै उस ऋचासे कि जिसकी आदिमें (विश्वेदेवास आगत) इत्यादिपाठ आताहै—और आज्ञापाकर कहने का यह भावहै कि उनब्राह्मणोंसे आज्ञामांगै कि अब आवाहन करै फिर वे आज्ञादेवें कि अच्छाकरौ तब आवाहन करै २२८ ॥

यवैरन्ववर्क्यार्थिभाजने सपवित्रके । शन्नो देव्यापयः क्षिप्त्वा यवोसीतियवांस्तथा २२९ ॥

यादिव्या इति मंत्रेण हस्तेष्वर्घ्यं विनिक्षिपेत् । दत्त्वोदकं गंधमाल्यं धूपदानं सदीपकम् २३० ॥

तथाच्छादनदानञ्च करशौचार्थं मंबुच । अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदाक्षिणम् २३१ ॥

ऐ० त्रयाणांसह—इसपीछे विश्वेदेवाके निमित्त से ब्राह्मणके समीप दाहिनीओर पृथ्वी पर (यव) फैलाकर तिसपीछे चांदीआदि यथा लब्धपात्रसपवित्रमें किन्तु दोकुशाछोड़े हुये में ( शन्नो देवीरभिष्टय ) इत्यादिपाठवाली ऋचासे जलछोड़कर और ( यवोसि धान्यराजोसि ) इत्यादिपाठवाली ऋचासे (यव) छोड़कर गंधपुष्पभी छोड़ै तिसते अनंतर उसी अर्घ्यपात्रके कुशा निकाल ब्राह्मण के हाथोंमें रखकर ( यादिव्या आपःपय सा ) इत्यादिमंत्रसे ( विश्वेदेवा इदं वोर्घ्यं ) यह कहकर अर्घ्योदकछोड़ै फिर हाथधोने के निमित्त से विनामंत्र के जलदेकर यथाक्रम से गंध पुष्प धूप दीप दानं कुर्यात् तथा आच्छादन वस्त्रदानभी करै और फिर भी हाथ धोनेके निमित्त से जलदेवै यह अढ़ाई श्लोकों से विश्वेदेवा का पूजन कहा—अब शेष आधे श्लोकसे कहतेहैं कि ततः अपसव्यं कृत्वा अर्थात् ऊपर का कर्म तौ सब्य में हुआथा तिसपीछे यज्ञोपवीत वा अँगौछासे अपसव्य होकर पितरोंके अप्रदाक्षिण कहिये बाईओर—अब आसनआदि जो कुछ कहेंगे सो अगले श्लोकोंमें देखना २२९ । २३० । २३१ ॥

अधि० त्रयाणांसह—गंधादि वस्तु जिनका चर्चा ऊपर आयाथा तिनमें स्मृत्यंतर से विशेषताज्ञातव्यहै—तथाचविष्णुः—(चंदनकुंकुमकपूरागुरुपद्मकान्युपलेपनार्थम्)—अर्थात्—चंदन सुपेद कुंकुमकहिये केसर कपूर अगुरुपदुमाख यह सब गंधकेस्थान उपलेपनके योग्य हैं—ऐसेही पुष्पों कोभी कहा है कि—(श्राद्धेऽत्याज्याः प्रशस्ताः स्युर्मल्लिकाश्चे तयूथिका )—अर्थात्—श्राद्धमें जो अत्याज्य पुष्प किंतु जिनका नाम लेकर निषेध नहीं लिखा वे सभी प्रशस्त होतेहैं और मल्लिका तथा श्वेत जूहीकाफूलभी और जो रफूल जलमें होतेहैं वे सभी और चंपाभी श्रेष्ठहैं—तथावर्ज्यपुष्पाणि—( उग्रगंधीन्यगंधीनिषेद्य

वृक्षोद्भवानिच । पुष्पाणिवर्जनीयानिरक्त्वर्णानियानिच )-अर्थात्-उग्रगंधवाले-निर्गंध भी चैत्यवृक्ष से उत्पन्न हुये भी चैत्यवृक्ष वे कहलाते हैं जो बड़े ऊँचे वृक्ष सीमा या देवस्थानों आदिपर होतेहैं येसारे पुष्पवर्जित हैं और रक्त्वर्ण के होतेहों वे अन्यवृक्षों के भी वर्जितहैं और कांटेवालेवृक्ष काभी वर्जितहै पर विरला पुष्प जो आपकंटीला न हो तौ नहींभी वर्जित है-रक्त्त पुष्प वर्जित हैं परंतु कुंकुम लालहोता है वह वर्जित नहीं और जलसे उत्पन्नहुये पुष्पजो लालहों तौ वे भी वर्जित नहीं इत्यादि-धूप विषय में भी कुछ विशेषता विष्णुजीनेकहीहै कि- ( प्राण्यंगंसर्वधूपार्थेनदद्यात् )-अर्थात्-प्राणीके अंगसे उत्पन्न हुई सारी वस्तु धूपमें नहीं लगावै-किन्तु-(घृतमधुसंयुक्तंगुग्गु लुंश्रीखंडागुरुदेवदारुसरलादिदद्यात् )अर्थात्-घृत सहत मिलाहुआ गुग्गुल सुपेद चंदन अगुरु देवदारु राल आदि यह सब देवैदीपके विषयमें कुछ विशेषता शंखजी ने कही है कि-( घृतेनदीपोदातव्यस्तिलतैलेनवापुनः । वसामेदोद्भवंदीपंप्रयत्नेनवि- वर्जयेत् )-अर्थात्-दीपकधीसेदेना चाहिये अथवा घी नहीं तौ तिलके तैलसे भी परंतु बसा मेदा इत्यादि चीजोंसे बनायाहुआ दीपकनहीं बारै किंतु यत्न सहित इन्हेंबचावै-येसेही आच्छादन वस्त्रको भी कहाहै कि शुभ्रकहिये उज्ज्वलहो नवीन हो-फटा कटा नहीं हो-सदश अर्थात् दशासहित किंतु किनारे वालाहो यहसब वैश्वदेवका अनुष्ठान काण्ड (कर्त्ता) उत्तरमुख बैठकर करै-और पित्र्यकांड जहांतक हो वह सब दक्षिणमुख बैठकरकरै-सोई वृद्धशातातपने यह कहाहै कि-( उदङ्मुखस्तुदेवानांपितृणांदक्षिणामु- खः । प्रदद्यात्पार्वणेसर्वदैवपूर्वविधानतः ) अर्थात्-पार्वण श्राद्धमें सब जो कुछ करै सो दैव पूर्व किंतु भाग पूर्व यथा विभाग सहित विधानसे देवताओंको उत्तरमुखहोकरदेवै और पितरोंकोदक्षिण मुखहोकर २२६ । २३० । २३१ ॥

द्विगुणांस्तुकुशान्दत्वाद्दुशंतस्त्वेत्यृचापितृन् । आवाह्यतदनुज्ञातो जपेदायंतुनस्ततः २३२ ॥

ऐ०-इसपित्र्य कांडका आधाश्लोक जो २३१ में पीछे गया तहां से ध्यानकरना चाहिये कि अपसव्य होकर पितृसंबंधी तीनों ब्राह्मणोंके आसनों पर बाईंओर विष- मश्कुशा जो द्विगुणभुग्नकिये किंतु मिरोड़ीदियेहुये विष्टरके निमित्त उदक पूर्वकदेकर फिरभी उदकदेवै तिसपीछे ब्राह्मणोंसे आज्ञामांगै कि हमपित्रादि तीनोंका आवाहन करै फिर उनकी आज्ञामिले पीछे ( उशंतस्त्वानिधीमही ) इत्यादि ऋचासे आवाहन करिकै (आयंतुनःपितर) इत्यादि मंत्रसे बैठारै अपने बुलायेहुये पितरोंको २३२ ॥

अधि०--उदकपूर्वक देकर फिरभी उदकदेवै यहभाव यद्यपि मूलश्लोकमें नहींहै पर आश्वलायन ऋषिने यहकहाहै कि(अपःप्रदायद्विगुणभुग्नकुशान्दत्वायःप्रदाय)इत्या दि-अर्थात्-जलदेकर फिर द्विगुणभुग्नकुशाओंको आसनकल्प देकर फिरभी जलदे- कर इसके आगे और विधिकही है-आदि और अंतमें भी जो उदकदान कहा सोयह

प्रकार पित्र्यकर्म और वैश्वदेवकर्म दोनोंमें समभलेना यथास्थलके अनुसार २३२॥

अपहताइतितिलान्विकीर्यचसमंततः । यवार्थास्तुतिलैःकार्याःकुर्यादर्घ्यादिपूर्ववत् २३३ ॥

दत्वार्घ्यसंस्त्रवांस्तेपांपात्रेरुत्वाविधानतः । पितृभ्यःस्थानमसीतिन्युब्जंपात्रंकरौत्यधः २३४ ॥

ऐ०—सहद्वयोः—(यवार्थाः) अर्थात् यवोंसे करनेवाले कर्म जो २ पहले विश्वेदेवाओं के कांडमेंकहचुके हैं पृथ्वी पर फैलानाआदि सो सबकाम तिलोंसे इसमेंकरै और अर्घ्यादिकर्म अर्थात् पात्रासादन से आच्छादन पर्यंत जो २ कुछपहले कियाथा उसी समान इसमेंभी करै परन्तु-इसमें इतना कर्म और भी विशेषहै कि (अपहतासुरारक्षांसि) इत्यादि ऋचासे तिलोंको ब्राह्मणोंके सबओर प्रदक्षिण मार्गसे रक्षाकल्पवत् विथोरिफैलाकर तिसपीछे चांदीआदि यथालब्ध तीनों पात्रोंमें तीन तीन कुशारखकर उनमें (शन्नोदेवी) इत्यादि ऋचा पढ़कर जलछोड़ै फिर (तिलोसिसोमदैवत्य) इत्यादि मंत्रसे तिलपुष्पगंध ये सबछोड़कर (स्वधार्घ्या) यह उच्चारण करिकै ब्राह्मणोंके आगे अर्घ्यपात्र भिन्न २ स्थापितकरै पुनि (यादिव्या) इत्यादि मंत्रको उच्चारण किये पीछे अंतमें (पितरिदंतेर्घ्यं) १ (पितामहेदंतेर्घ्यं) २ (प्रपितामहेदंतेर्घ्यं) ३ यह जोड़कर तीनों ब्राह्मणोंके हाथोंमें अर्घ्य समर्पणकरै फिर उनकोदियेहुये अर्घ्योंके (संस्त्रव) अर्थात् ब्राह्मणोंके हाथोंसे गिरेहुये जलोंको पितृपात्रमें लेकर एकलंबा कुशा का स्तंभ सीधा दक्षिणको अग्रभाग करिकै भूमिमेंधरै तिसके ऊपर वहपात्र जलसमेत (पितृभ्यःस्थानमसी) इत्यादि मंत्रसे (न्युब्ज) कहिये औंधाकरिदेवै तिसके ऊपर अर्घ्य पात्रमेंसे पवित्रा निकालकर रखदेवै तिसते अनंतर गंध पुष्पधूपदीप आच्छादन यह सब (पितरयंतेगंधः) (पितरिदंतेपुष्पं) इत्यादि कल्पित मंत्रोंसे चढ़ावे-इस्से आगे और जोकुछ विधिविशेषहो सोसबश्राद्धकर्मकी पद्धतिसे समभलो २३३।२३४॥

अधि०—ऊपर ऐक्यार्थके बर्णनमें पिताआदि तीनोंके निमित्तसे तीन ब्राह्मणोंके आगे भिन्न २ तीनों अर्घ्यपात्र कहेगये परन्तु जहां तीनोंके निमित्तसे एकही ब्राह्मण कियाहो तहांभी अर्घ्यपात्र जुदे तीनकल्पित करिलेना और उसी एकब्राह्मणके द्वारा सारी क्रिया भिन्नवत् आचरणकरनी यहसिद्धांतहै २३३।२३४ ॥

अग्नौकरिष्यन्नादायष्टच्छत्यन्नघृतप्लुतं । कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातोहुत्वाग्नौपितृयज्ञवत् २३५ ॥

हुतशेषप्रदद्यात्तुभाजनेपुसमाहितः । यथालाभोपपन्नेषुरौष्येषुचविशेषतः २३६ ॥

अक्ष० सहद्वयोः—(अग्नौ) करनेकीइच्छाकरतेहुये घृतप्लुत अन्नकोलेकर पूंछताहै करो यह आज्ञापायाहुआ अग्निमें पितृयज्ञवत् होमिकर-फिर हुतशेषको प्रदानकरै समाहितहुआ यथा लाभसेउपपन्नहुयेभाजनोंमेंविशेषतासेरौष्यपात्रोंमेंदेवै २३५।२३६ ॥

धामि० सहद्वयोः—पहले कहेहुये कर्मके अनंतर अग्नौ कर्मका प्रारम्भ करने की इच्छाकरता हुआ श्राद्ध कर्त्ता घृतप्लुत कहिये घृताक्क अर्थात् घृतिसे मिलाहुआ अन्न

पात्रस्थहाथमें लेकर ब्राह्मणोंसे पूँछें कि अग्नौकर्म करें फिर उनसे (कुरुष्व) इसप्रकार आज्ञापायाहुआ प्राचीनावीती किंतु अपसव्य होकर ( सोमायापितृमतेस्वधानमः । अग्नयेकव्यवाहनायस्वधानमः) इनमंत्रों से अग्निमें यथाभागपूर्वक पिंड पितृयज्ञके विधानसेहोमिकर २३५ फिरहुतशेष कहिये होमसे बचाहुआ अन्न थोड़ा २ उनपात्रों में समाहित कहिये सावधान होकर परोंसे जो ब्राह्मणोंके आगे प्रथम तौ विशेषतासे चांदी के चाहिये अथवा जिसकिसी के हों किंतु ढाक आदिपत्तों केभी जैसे लाभहो-सकें और उपस्थित कियेगये हों परंतु मट्टी के पात्र इसमें वर्जित हैं २३६ ॥

दत्वान्नंपृथिवीपात्रमितिपात्राभिमंत्रणम् । कृत्वेदंविष्णुरित्यन्नेद्विजांगुष्ठानिवेशयेत् २३७ ॥  
सव्याहृतिकांगायत्रौमधुवाताइतितृचम् । जप्त्वायथासुखंवाच्यंभुंजीरंस्तेपिवाग्यताः २३८ ॥

ऐ०सहद्वयोः—अन्न जो कुछ भोजनके निमित्त सिद्धकियाहो वह उक्त पात्रों में देकर ( पृथिवीतेपात्रं ) इत्यादि मंत्रसे पात्रों का अभिमंत्रण करिके ( इदंविष्णुर्विचक्रमे ) इत्यादि ऋचा से अन्नपर ब्राह्मणों से हाथ का अँगूठा रखवावे तहां वैश्वदेव कर्म में यज्ञोपवीती अर्थात् सव्यहोकर ( विष्णोहव्यंरक्ष ) यह मंत्रकहै और पित्र्यकर्ममेंप्राचीनावीती अर्थात् अपसव्यहोकर ( विष्णोकव्यंरक्ष ) यह मंत्रकहै-तिसके अनंतर सव्यहोकर ( विश्वेदेवेभ्यइदमन्नंपरिविष्टंपरिवेश्यमाणंचातृप्तेः ) इसमंत्र करके यव और उदक से वह अन्न विश्वेदेवाओं को निवेदन करिके-तथा-अपसव्यहोकर पिता के निमित्त में ( पित्रेअमुकगोत्राय अमुकशर्मणेइदमन्नंपरिविष्टंपरिवेश्यमाणंचातृप्तेः ) इसमंत्र करके तिल और उदक दानसे वह अन्न पिता को निवेदन करिके (इसी) प्रकार इसमंत्र की योजना में (पितामहाय) (प्रपितामहाय) यहसंयुक्त करिके उनदोनों कोभी उक्तविधिसे निवेदनकरै तिसके अनंतर आपोशान देकर पूर्वोक्त व्याहृतियोंसहित गायत्रीको और (मधुवाताइतितृचं) अर्थात् मधुवाताआदि ऋचाओंका तीया किंतु वे तीनों ऋचा और मधुमधुमधुयहभी तीनवारजपिके (यथासुखंजुषध्वं) अर्थात् इच्छा पूर्वक भोजनकरौ यहउच्चारणकरै फिर वे ब्राह्मणभी मौनीभूत होकर भोजनकरै २३७ । २३८ ॥

अधि०—ऊपर (हव्य) (कव्य) यह मूलसे विशेष कथन जो ऐक्यार्थमें आया तिसका प्रमाण मनुजीका वाक्य-यथा-( विष्णोहव्यंचकव्यंचब्रूयाद्रक्षेतिवैक्रमात् ) २३७ आपोशानादि शब्द जो मूलसे अधिकआये तिनका प्रमाण पारस्करादि वचनों से-यथा-( संकल्प्यपितृदेवेभ्यःसावित्रीमधुमज्जपः । श्राद्धंनिवेद्यापोशानंजुषप्रैषोथभोज तथा-( गायत्रीत्रिःसकृद्वापिजपेद्व्याहृतिपूर्विकाम् । मधुवाताइतितृचंमध्वित्ये तथा ) २३८ ॥

अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यात् क्रोधनोऽत्वरः । आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपंतथा २३६ ॥

अन्नमादाय तृप्ताः स्थण्डिलं चैवानुमान्य च । तदन्नं विकिरेद्भूमौ दद्यात्त्रापः सकृत्सकृत् २४० ॥

ऐ०सहद्वयोः—अन्नं अर्थात् भक्ष्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ पेयात्मक ५ यह पांच प्रकारकी वस्तु और-इष्टं अर्थात् प्रियवस्तु जो ब्राह्मणको या प्रेतको या कर्त्ताको भी जो कुल्लरुचताहो सोभी-हविष्यं अर्थात् श्राद्ध हविके योग्य जोकुल्लहोताहो सोभी दद्यात्नाम परोसै किन्तु जिनचीजोंका निषेधहो वे हविष्यमें गिनती नहीं हैं परन्तु अक्रोधनहोकर परोसै अर्थात् क्रोधकरनेका कोईसा हेतुभी उत्पन्नहोजावै तौ भी क्रोधको बचाकर और अत्वर होकर परोसै अर्थात् घबराहटसे अव्यग्रहोकर शीघ्र २ नहींफेंके किन्तु सावधानी साथ जैसीरुचिसे वे भोजनकरें उसीकेअनुसार (आतृप्तेः) अर्थात् तृप्तिपर्यंत और (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार बूझ २ करपरोसै-तथा उनकी तृप्तिपर्यंत (पवित्राणि) अर्थात् पुरुषसूक्त पावमानी आदि जपिकर जब उनको तृप्तहुये जानै तब पहला जपभी जपै जिसकाचर्चा २३८ के श्लोकमें आयाथा कि व्याहृतियों सहित गायत्री और (मधुवाताइतितृचं) और मधुमधुमधु तीनवार यहभीजपै २३९तिसकेअनंतरवचाहुआ सारा अन्नहाथमें लेकर या उसपर उद्देशकरिके ब्राह्मणोंसेपूछे कि आपतृप्तहुये खूबछके वहकहें कि (तृप्ताःस्म) हमतृप्तहोगये तबयह बूझै कि अभीअन्न औरभी शेषहै क्याकरें इसपर वे कहें कि (इष्टैःसहोपभुज्यतां) अर्थात् अपने प्रियपरिवारआदि सहित भोजनकरना चाहिये यहआज्ञालेकर उसअन्नको पिताके स्थानीय ब्राह्मणके आगे उच्छिष्टके समीप दक्षिणाश्रदभांतरितभूमि पर तिलोदक छोड़कर (ये अग्निदग्धाश्च) इसऋचासे उसअन्नको छोड़कर फिरभी तिलोदक ऊपरसे छोड़ैतिस पीछे ब्राह्मणोंके हाथमें गंडूषके निमित्तसे एकएकवार जलदेवै २४० ॥

अधि०—यद्यपि परोसनेका प्रकार तौ ऊपरके-ऐक्यार्थोंमें सबकहचुके और यहभी कहा कि (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसै परन्तु उसी (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसनेका यह सिद्धांतभीहै कि यहां तक बारम्बार परोसै जो थोड़ाबहुतकुछ आगे उनके बचिभीरहै क्योंकि वह आगेकी जूठउनकी दासवर्गोंका भागहोताहै-(दासवर्ग) अर्थात् बारी या भंगीआदि जो कोई उसकेलेने खानेके अधिकारीहैं और पितरोंके अपने योग्यकाम धंधामें सौम्यतासे तत्परहों-सोई मनुजीनेकहाहै कि (उच्छेषणं भूमिगतमजिह्नस्याशठस्य च । दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते) अर्थात् पित्र्ययज्ञकेबीचमें उच्छेषणकहिये उच्छिष्टजो भूमिगतहो किन्तु जठलेकर पृथ्वीपरडालीजाय सो वह दासवर्गका भागधेय कहतेहैं परंतु वे दासभी कैसेहों कि (अजिह्न) अर्थात्-अकुटिल किन्तु अपने योग्यकामोंमें कुटिलता नहीं करतेहों-ऐसेही (अशठ) कहिये शठताभी न करतेहों तौ वह उनका भागहै अन्यथा जो कुटिल या शठहों तौ वह उन



का भाग नहीं किंतु और जो कोई उनके योग्यकामोंको सौम्यतासे साधनकरें वे उस जूठके भागीहों २३९।२४० ॥

सर्वमन्नमुपादायसतिलंदक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौपिंडान्दद्याद्वैपितृयज्ञवत् २४१ ॥

अक्ष०—सब अन्नलेकर तिलसहित-दक्षिण मुखहोकर उच्छिष्टके समीप पितृयज्ञ की विधिवत् पिंडोंकोदेवै (वै) अर्थात् सावधानीसे २४१ ॥

अभि०—पूर्वोक्तीतिसे केवल एकएकवार जलगंडूषको दियेपीछे-सर्व अन्नंसतिलं उपादाय अर्थात् सारे अन्न जो २ संपादन कियेहों उनको किंचित् २ अग्नौकरण से बचेहुये चरुसमेतलेकर उसमें तिल मिलाकर उसी पूर्वोक्त अग्नौकरणकी अग्निके सन्निधि दक्षिण मुखबैठाहुआ पितृयज्ञके ( वत् ) कहिये कल्पनाअनुसार किन्तु जैसी उसकीविधि श्राद्धपद्धतिमें कहीहो उसीरीतिसे पिंडोंका दानकरै-अथवा जिसनेअग्नौकरण न कियाहो पुनि इसीहेतुसे उसका शेषचरुभी न हो तब अग्नि और चरुइनदो-नोंके अभाव कहिये न होनेमें (वह) अन्न जो ब्राह्मणोंके निमित्तसे बनायाहो जिसमेंसे जिमाचुके उसीके सर्वशेषमेंसे किंचित् किंचित्लेकर उसमें तिल मिश्रितकरिके आप दक्षिण मुखबैठकर ब्राह्मणोंकी उच्छिष्टके समीप पिंडदेवै क्योंकि अग्नि तौहै नहीं इस लिये-परन्तु (वै) शब्दके अभिप्रायसे सावधानी और (वत्) शब्दकी अंत्ययोजनासे यथोक्त विधि जो (पिंडपितृयज्ञ) के विधानोंमें होतीहै सबकरनी चाहिये २४१ ॥

अधि०—ऊपरके अभिप्रायार्थमें मूलश्लोकसे अधिक वार्त्ता अर्थात् अग्निके समीप पिण्डदेना कहा और अग्नौकरणका शेषचरुभी अन्नके साथमेंलेना कहा तिसका यह हेतुहै कि याज्ञवल्क्यजीने मूलमें मुख्यविस्तरको उलांघकर निर्वाहविधि कहदीहै इस लिये कि जोवात घंटाघोषवत् प्रसिद्धहै वह नकहनेसेभी लष्टनहींहोती और यथार्थसे जबउन्होंने(पितृयज्ञवत्)यहकहातौ सभीकुछ कहदिया क्योंकि पितृयज्ञकी कल्पविधि जोश्राद्धपद्धतिहै उसमें अग्नौकरणकाहोना मुख्यहै फिर जहां अग्नौकरणहोगा तहां (चरु)भी अवश्यभावसेहोगा सोईयाज्ञवल्क्यजी अग्नौकरणको यथाक्रमसे उचितस्थ-लपर २३५ के श्लोकमें प्रतीतकरचुकेहैं इसहेतुसे यद्यपि यहांपरभी कथनकी प्राप्ति थी परन्तु पिष्टपेषणदृष्टिसे प्रत्यक्षभावमें नकहा किंतु(पितृयज्ञवत्) यहकहकर उसवात को गोल २ दर्शादिया-सो-यह इसप्रकारके हेतु गर्भितस्थल(अतिदेशधर्म)कहलातेहैं कि जोवात धर्मसम्बन्धी किसीस्थलपर देखी अथवा सुनीहो वहीवात किसी अन्यस्थल पर उचित जानिकर योजना करीजाय-तद्यथा-( अन्यत्रैवप्रतीतायाःकृत्स्नायाधर्मसंत तेः । अन्यत्रकार्यतःप्राप्तिरतिदेशोऽभिधीयते।प्रकृतात्कर्मणोरुत्समानत्समानपुर्कर्मणु।धर्म प्रवेशोयेनस्यात्सोऽतिदेशइतिस्मृतः ) (भेद २) वर्त्तमानमसयमें अत्रत्यदेशीलोग तौ निर्विकल्पही अग्नौकर्मको(निरग्नि) किन्तु उपकल्पकीरीतिसे दिनाअग्निकेही करलेते

अन्नमिष्टंहविष्यंचदद्यादक्रोधनोऽत्वरः । आतृप्तेस्तुपवित्राणिजपत्वापूर्वजपंतथा २३६ ॥

अन्नमादायतृप्ताःरथशोषंचैवानुमान्यच । तदन्नं विकिरेद्रूमौदद्याच्चापःसकृत्सकृत् २४० ॥

ऐ०सहद्वयोः—अन्नं अर्थात् भक्ष्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ पेयात्मक ५ यह पांच प्रकारकी वस्तु और-इष्टं अर्थात् प्रियवस्तु जो ब्राह्मणको या प्रेतको या कर्त्ताको भी जो कुछरुचताहो सोभी-हविष्यं अर्थात् श्राद्ध हविके योग्य जोकुछहोताहो सोभी दद्यात्नाम परोसै किन्तु जिनचीजोंका निषेधहो वे हविष्यमें गिनती नहीं हैं परन्तु अक्रोधनहोकर परोसै अर्थात् क्रोधकरनेका कोईसा हेतुभी उत्पन्नहोजावै तौ भी क्रोधको वचाकर और अत्वर होकर परोसै अर्थात् घबराहटसे अव्यग्रहोकर शीघ्र २ नहींफेंकें किन्तु सावधानी साथ जैसेरुचिसे वे भोजनकरें उसीकेअनुसार (आतृप्तेः) अर्थात् तृप्तिपर्यंत और (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार ब्रूम २ करपरोसै-तथा उनकी तृप्तिपर्यंत (पवित्राणि) अर्थात् पुरुषसूक्त पावमानी आदि जपिकर जब उनको तृप्तहुये जातै तब पहला जपभी जपै जिसकाचर्चा २३८ के श्लोकमें आयाथा कि व्याहृतियों सहित गायत्री और (मधुवाताइतितृचं) और मधुमधुमधु तीनबार यहभीजपै २३९तिसकेअनंतरवचाहुआ सारा अन्नहाथमें लेकर या उसपर उद्देशकरिकै ब्राह्मणोंसेपूछै कि आपतृप्तहुये खूबछके वहकहें कि (तृप्ताःस्म) हमतृप्तहोगये तबयह ब्रूमै कि अभीअन्न औरभी शेषहै क्याकरें इसपर वे कहें कि (इष्टैःसहोपभुज्यतां) अर्थात् अपने प्रियपारिवारआदि सहित भोजनकरना चाहिये यहआज्ञालेकर उसअन्नको पिताके स्थानीय ब्राह्मणके आगे उच्छिष्टके समीप दक्षिणाग्रदर्भांतरितभूमि पर तिलोदक छोड़कर (ये अग्निदग्धाश्च) इसअन्नचासे उसअन्नको छोड़कर फिरभी तिलोदक ऊपरसे छोड़ैतिस पीछे ब्राह्मणोंके हाथमें गंडूषके निमित्तसे एकएकबार जलदेवै २४० ॥

अधि०—यद्यपि परोसनेका प्रकार तौ ऊपरके-ऐक्यार्थोंमें सबकहचुके और यहाँ कहा कि (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसै परन्तु उसी (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसनेका यह सिद्धांतभीहै कि यहां तक बारम्बार परोसै जो थोड़ाबहुतकुछ आगे उनके बचिभीरहै क्योंकि वह आगेकी जूठउनकी दासवर्गोंका भागहोताहै-(दासवर्ग) अर्थात् बारी या भंगीआदि जो कोई उसकेलेने खानेके अधिकारीहैं और पितरोंके अपने योग्यकाम धंधामें सौम्यतासे तत्परहों-सोई मनुजीनेकहाहै कि (उच्छेषणंभूमिगतमजिह्नस्याशठस्यच।दासवर्गस्यतत्पित्र्येभागधेयंप्रचक्षते) अर्थात् पित्र्ययज्ञकेबीचमें उच्छेषणकहिये उच्छिष्टजो भूमिगतहो किन्तु जूठलेकर पृथ्वीपरडालीजाय सो वह दासवर्गका भागधेय कहतेहैं परंतु वे दासभी कैसेहों कि (अजिह्न) अर्थात्-अकुटिल किन्तु अपने योग्यकामोंमें कुटिलता नहीं करतेहों-ऐसेही (अशठ) शठताभी न करतेहों तौ वह उनका भागहै अन्यथा जो कुटिल या शठहों तौ वह

का भाग नहीं किंतु और जो कोई उनके योग्यकामोंको सौम्यतासे साधनकरें वे उस जूठके भागीहों २३९।२४० ॥

सर्वमन्नमुपादायसतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिंडान् दद्याद्द्वैपितृयज्ञवत् २४१ ॥

अक्ष०—सब अन्नलेकर तिलसहित-दक्षिण मुखहोकर उच्छिष्टके समीप पितृयज्ञ की विधिवत् पिंडोंको देवै (वै) अर्थात् सावधानीसे २४१ ॥

अभि०—पूर्वोक्तीतिसे केवल एकएकवार जलगंडूषको दिये पीछे-सर्व अन्नसतिलं उपादाय अर्थात् सारे अन्न जो २ संपादन कियेहों उनको किंचित् अग्नौकरण से बचेहुये चरुसमेतलेकर उसमें तिल मिलाकर उसी पूर्वोक्त अग्नौकरणकी अग्निके सन्निधि दक्षिण मुखवैठाहुआ पितृयज्ञके ( वत् ) कहिये कल्पनाअनुसार किन्तु जैसी उसकीविधि श्राद्धपद्धतिमें कहीहो उसीरीतिसे पिंडोंका दानकरै-अथवा जिसनेअग्नौकरण न कियाहो पुनि इसीहेतुसे उसका शेषचरुभी न हो तब अग्नि और चरुइनदोनोंके अभाव कहिये न होनेमें (वह) अन्न जो ब्राह्मणोंके निमित्तसे बनायाहो जिसमेंसे जिमाचुके उसीके सर्वशेषमेंसे किंचित् किंचित्लेकर उसमें तिल मिश्रितकरिकै आप दक्षिण मुखवैठकर ब्राह्मणोंकी उच्छिष्टके समीप पिंडदेवै क्योंकि अग्नि तौहै नहीं इस लिये-परन्तु (वै) शब्दके अभिप्रायसे सावधानी और (वत्) शब्दकी अंत्ययोजनासे यथोक्त विधि जो (पिंडपितृयज्ञ) के विधानोंमें होतीहै सबकरनी चाहिये २४१ ॥

अधि०—ऊपरके अभिप्रायार्थमें मूलश्लोकसे अधिक वार्त्ता अर्थात् अग्निके समीप पिण्डदेना कहा और अग्नौकरणका शेषचरुभी अन्नके साथमेंलेना कहा तिसका यह हेतुहै कि याज्ञवल्क्यजीने मूलमें मुख्यविस्तरको उल्लांघकर निर्वाहविधि कहदीहै इस लिये कि जोवात घंटाघोषवत् प्रसिद्धहै वह नकहनेसेभी नष्टनहींहोती और यथार्थसे जबउन्होंने(पितृयज्ञवत्)यहकहातौ सभीकुछ कहदिया क्योंकि पितृयज्ञकी कल्पविधि जोश्राद्धपद्धतिहै उसमें अग्नौकरणकाहोना मुख्यहै फिर जहां अग्नौकरणहोगा तहां (चरु)भी अवश्यभावसेहोगा सोईयाज्ञवल्क्यजी अग्नौकरणको यथाक्रमसे उचितस्थलपर २३५ के श्लोकमें प्रतीतकरचुकेहैं इसहेतुसे यद्यपि यहांपरभी कथनकी प्राप्ति थी परन्तु पिष्टपेषणदृष्टिसे प्रत्यक्षभावमें नकहा किंतु(पितृयज्ञवत्) यहकहकर उसवात को गोल २ दर्शादिया-सो-यह इसप्रकारके हेतु गर्भितस्थल(अतिदेशधर्म)कहलातेहैं कि जोवात धर्मसम्बन्धी किसीस्थलपर देखी अथवा सुनीहो वहीवात किसी अन्यस्थल पर उचित जानिकर योजना करीजाय-तद्यथा-( अन्यत्रैवप्रतीतायाः कृत्स्नायाधर्मसंत तेः । अन्यत्रकार्यतः प्राप्तिरतिदेशोऽभिधीयते । प्रकृतात्कर्मणो यस्मात्तत्समानेषु कर्मणाम् । धर्मप्रवेशेन स्यात्सोऽतिदेशइति स्मृतः ) (भेद २) वर्त्तमानसमयमें अत्रत्यदेशीलोग तौ निर्विकल्पही अग्नौकर्मको(निरग्नि) किन्तु उपकल्पकीरीतिसे दिनाअग्निकेही करलेते

अन्नमिष्टं विष्यं च दद्यादन्नोद्यतोऽत्वरः । आतृमेस्तुरवित्राणि जग्वापर्वजयंतया २३६ ॥

अन्नमावायतृनाः रथशोभं वयानुमान्य च । तदन्नं विकिरं दूमौ दद्याच्चाप सट्टस्मरुत् २४० ॥

ऐ० नट्टयोः—अन्नं अर्थात् भक्ष्यं १ भोज्यं २ लेह्यं ३ चोष्यं ४ पेयात्मकं ५ यह पांच प्रकारकी वस्तु और-इष्टं अर्थात् प्रियवस्तु जो ब्राह्मणको या श्रेतको या कर्त्ताको भी जो कुछ रुचनाहो सोभी-हविष्यं अर्थात् श्राद्ध हविके योग्य जो कुछ होनाहो सोभी दद्यात् नाम परोसे किन्तु जिन चीजोंका निषेधहो वे हविष्यमं गिनती नहीं हैं परन्तु अक्षेधन होकर परोसे अर्थात् क्रोध करनेका कोईसा हेतुभी उत्पन्न हो जावे तो भी क्रोधकं वचाकर और अत्वर होकर परोसे अर्थात् धवराहटसे अव्यग्र होकर शीघ्र नहीं किन्तु सावधानी साथ जैसी लचिमे वे भोजन करें उन्हींके अनुसार (आतृमः) अर्थात् तृति पर्यंत और (तु) शब्दके अभिप्रायसे वारम्बार वृक्षं कर परोसे-तथा उनकी तृति-यंत (पवित्राणि) अर्थात् पुरुषसूक्त पावमानी आदि जपिकर जब उनको तृप्तहुये जाते तब पहला जपभी जपे जिसका चर्चा २३८ के श्लोकमें आयाथा कि व्याहृतियों सहित गायत्री और (मधुवाताइतितृचं) और मधुमधुमधु तीनवार यह भी जपे २३९ तिसके अन्तरवचाहुआ साथ अन्नहाथमें लेकर या उसपर उद्देशकरिके ब्राह्मणोंसे पूछे कि आप तृप्तहुये खूबछके वह कहें कि (तृप्ताःस्म) हम तृप्तहोगये तब यह वृक्षं कि अभी अन्न और भी शेषहै क्याकरें इसपर वे कहें कि (इष्टैः सहोपभुज्यतां) अर्थात् अपने प्रिय परिवार आदि सहित भोजन करना चाहिये यह आज्ञालेकर उस अन्नको पिताके स्थानीय ब्राह्मणके आगे उच्छिष्टके समीप दक्षिणाग्रदर्भांतरितभूमि पर तिलोदक छोड़कर (ये अग्निदग्धाश्च) इस ऋचासे उस अन्नको छोड़कर फिर भी तिलोदक ऊपरसे छोड़ते पीछे ब्राह्मणोंके हाथमें गंडूषके निमित्तसे एकएकवार जल देवे २४० ॥

अधि०—यद्यपि परोसनेका प्रकार तो ऊपरके ऐक्यार्थोंमें सब कह चुके और यहाँ कहा कि (तु) शब्दके अभिप्रायसे वारम्बार परोसे परन्तु उसी (तु) शब्दके अभिप्रायसे वारम्बार परोसनेका यह सिद्धांत भी है कि यहां तक वारम्बार परोसे जो थोड़ा-हुनकुछ आगे उनके बचिभी रहें क्योंकि वह आगेकी जूठ उनकी दासवर्गोंका भागहोता है—(दासवर्ग) अर्थात् बारी या भंगी आदि जो कोई उसके लेने खानेके अधिकारि हैं और पितरोंके अपने योग्यकाम धंधामें सौम्यतासे तत्परहों-सोई मनुजीन कहते हैं कि (उच्छेषां भूमिगतमजिह्वस्याशठस्य च। दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते) अर्थात् पित्र्ययज्ञके बीचमें उच्छेषण कहिये उच्छिष्ट जो भूमिगतहो किन्तु जूठलेकर पृथ्वीपर डाली जाय सो वह दासवर्गका भागधेय कहते हैं परंतु वे दासभी कैसे हों कि (अजिह्व) अर्थात्-अकुटिल किन्तु अपने योग्यकामोंमें कुटिलता नहीं करतेहों-ऐसेही (अशठ) कहिये शठताभी न करनेहों तो वह उनका भागहै अन्यथा जो कुटिल या शठहों तो वह उन

का भाग नहीं किंतु और जो कोई उनके योग्यकामोंको सौम्यतासे साधनकरें वे उस जूठके भागीहों २३९।२४० ॥

सर्वमन्नमुपादायसतिलंदक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौपिंडान्दद्याद्वैपितृयज्ञवत् २४१ ॥

अक्ष०—सब अन्नलेकर तिलसहित-दक्षिण मुखहोकर उच्छिष्टके समीप पितृयज्ञ की विधिवत् पिंडोंकोदेवै (वै) अर्थात् सावधानीसे २४१ ॥

अभि०—पूर्वोक्तीतिसे केवल एकएकवार जलगंडूषको दियेपीछे-सर्व अन्नसतिल उपदाय अर्थात् सारे अन्न जो २ संपादन कियेहों उनको किंचित् २ अग्नौकरण से बचेहुये चरुसमेतलेकर उसमें तिल मिलाकर उसी पूर्वोक्त अग्नौकरणकी अग्निके सन्निधि दक्षिण मुखवैठाहुआ पितृयज्ञके ( वत् ) कहिये कल्पनाअनुसार किन्तु जैसी उसकीविधि श्राद्धपद्धतिमें कहीहो उसीरीतिसे पिंडोंका दानकरै-अथवा जिसनेअग्नौकरण न कियाहो पुनि इसीहेतुसे उसका शेषचरुभी न हो तब अग्नि और चरुइनदोनोंके अभाव कहिये न होनेमें (वह) अन्न जो ब्राह्मणोंके निमित्तसे बनायाहो जिसमेंसे जिमाचुके उसीके सर्वशेषमेंसे किंचित् किंचित्लेकर उसमें तिल मिश्रितकरिकै आप दक्षिण मुखवैठकर ब्राह्मणोंकी उच्छिष्टके समीप पिंडदेवै क्योंकि अग्नि तौहै नहीं इस लिये-परन्तु (वै) शब्दके अभिप्रायसे सावधानी और (वत्) शब्दकी अंत्ययोजनासे यथोक्त विधि जो (पिंडपितृयज्ञ) के विधानोंमें होतीहै सबकरनी चाहिये २४१ ॥

अधि०—ऊपरके अभिप्रायार्थमें मूलश्लोकसे अधिक वार्त्ता अर्थात् अग्निके समीप पिण्डदेना कहा और अग्नौकरणका शेषचरुभी अन्नके साथमेंलेना कहा तिसका यह हेतुहै कि याज्ञवल्क्यजीने मूलमें मुख्यविस्तरको उल्लांघकर निर्वाहविधि कहदीहै इस लिये कि जोवात घंटाघोषवत् प्रसिद्धहै वह नकहनेसेभी नष्टनहींहोती और यथार्थसे जबउन्होंने(पितृयज्ञवत्)यहकहातौ सभीकुछ कहदिया क्योंकि पितृयज्ञकी कल्पविधि जोश्राद्धपद्धतिहै उसमें अग्नौकरणकाहोना मुख्यहै फिर जहां अग्नौकरणहोगा तहां (चरु)भी अवश्यभावसेहोगा सोईयाज्ञवल्क्यजी अग्नौकरणको यथाक्रमसे उचितस्थलपर २३५ के श्लोकमें प्रतीतकरचुकेहैं इसहेतुसे यद्यपि यहांपरभी कथनकी प्राप्ति थी परन्तु पिष्टपेषणदृष्टिसे प्रत्यक्षभावमें नकहा किंतु(पितृयज्ञवत्) यहकहकर उसवात को गोल २ दर्शादिया-सो-यह इसप्रकारके हेतु गर्भितस्थल(अतिदेशधर्म)कहलातेहैं कि जोवात धर्मसम्बन्धी किसीस्थलपर देखी अथवा सुनीहो वहीवात किसी अन्यस्थल पर उचित जानिकर योजना करीजाय-तद्यथा-( अन्यत्रैवप्रतीतायाःकृत्स्नायाधर्मसंत तेः । अन्यत्रकार्यतःप्राप्तिरतिदेशोऽभिधीयते।प्रकृतात्कर्मणोर्यस्मात्तत्प्रमानेपुं कर्मसु।धर्म प्रवेशोद्येनस्यात्सोऽतिदेशइतिस्मृतः ) (भेद २) वर्त्तमानममयमें अत्रत्यदेशीलोग तौ निर्विकल्पही अग्नौकर्मको(निरग्नि) किन्तु उपकल्पकीरीतिमें दिनाअग्निकेही करलेने

अन्नमिष्टंहविष्यंचदद्यादक्रोधनोऽत्वरः । आतृप्तेस्तुपवित्राणिजत्वापूर्वजपंतथा २३६ ॥

अन्नमादायतृप्ताःस्थशोषंचैवानुमान्यच । तदन्नं विकिरेद्रूमौदद्याच्चापःसकृत्सकृत् २४० ॥

ऐ०सहद्वयोः—अन्नं अर्थात् भक्ष्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ पेयात्मक ५ यह पांच

प्रकारकी वस्तु और-इष्टं अर्थात् प्रियवस्तु जो ब्राह्मणको या प्रेतको या कर्त्ताको भी जो कुछरुचताहो सोभी-हविष्यं अर्थात् श्राद्ध हविके योग्य जोकुछहोताहो सोभी दद्यात्नाम परोसै किन्तु जिनचीजोंका निषेधहो वे हविष्यमें गिनती नहीं हैं परन्तु अक्रोधनहोकर परोसै अर्थात् क्रोधकरनेका कोईसा हेतुभी उत्पन्नहोजावै तौ भी क्रोधको बचाकर और अत्वर होकर परोसै अर्थात् घबराहटसे अव्यग्रहोकर शीघ्र २ नहींफेंकें किन्तु सावधानी साथ जैसीरुचिसे वे भोजनकरें उसीकेअनुसार (आतृप्तेः) अर्थात् तृप्तिपर्यंत और (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार ब्रूम २ करपरोसै-तथा उनकी तृप्तिपर्यंत (पवित्राणि) अर्थात् पुरुषसूक्त पावमानी आदि जपिकर जब उनको तृप्तहुये जानै तब पहला जपभी जपै जिसकाचर्चा २३८ के श्लोकमें आयाथा कि व्याहृतियों सहित गायत्री और (मधुवाताइतितृचं) और मधुमधुमधु तीनवार यहभीजपै २३९ तिसकेअनंतरबचाहुआ सारा अन्नहाथमें लेकर या उसपर उद्देशकरिके ब्राह्मणोंसेपूछे कि आपतृप्तहुये खूबछके वहकहें कि (तृप्ताःस्म) हमतृप्तहोगये तबयह ब्रूमै कि अभीअन्न औरभी शेषहै क्याकरें इसपर वे कहें कि (इष्टैःसहोपभुज्यतां) अर्थात् अपनेप्रियपरिवारआदि सहित भोजनकरना चाहिये यहआज्ञालेकर उसअन्नको पिताके स्थानीय ब्राह्मणके आगे उच्छिष्टके समीप दक्षिणाग्रदर्भांतरितभूमि पर तिलोदक छोड़कर (ये अग्निदग्धाश्च) इसअन्नचासे उसअन्नको छोड़कर फिरभी तिलोदक ऊपरसे छोड़ैतिस पीछे ब्राह्मणोंके हाथमें गंडूषके निमित्तसे एकएकवार जलदेवै २४० ॥

अधि०—यद्यपि परोसनेका प्रकार तौ ऊपरके-ऐक्यार्थोंमें सबकहचुके और यहाँ कहा कि (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसै परन्तु उसी (तु) शब्दके अभिप्रायसे बारम्बार परोसनेका यह सिद्धांतभीहै कि यहां तक बारम्बार परोसै जो थोड़ावहुतकुछ आगे उनके बचिभीरहै क्योंकि वह आगेकी जूठउनकी दासवर्गोंका भागहोताहै-(दासवर्ग) अर्थात् बारी या भंगीआदि जो कोई उसकेलेने खानेके अधिकारीहैं और पितरोंके अपने योग्यकाम धंधामें सौम्यतासे तत्परहों-सोई मनुजीनेकहाहै कि (उच्छेषांभूमिगतमजिह्नस्याशठस्यच।दासवर्गस्यतत्पित्र्येभागधेयंप्रचक्षते) अर्थात् पित्र्ययज्ञकेबीचमें उच्छेषकहिये उच्छिष्टजो भूमिगतहो किन्तु जूठलेकर पृथ्वीपरडालीजाय सो वह दासवर्गका भागधेय कहतेहैं परंतु वे दासभी कैसेहों कि (अजिह्न) अर्थात्-अकुटिल किन्तु अपने योग्यकामोंमें कुटिलता नहीं करतेहों-ऐसेही (अशठ) कहिये शठताभी न करतेहों तौ वह उनका भागहै अन्यथा जो कुटिल या शठहों तौ वह उन



का भाग नहीं किंतु और जो कोई उनके योग्यकामोंको सौम्यतासे साधनकरें वे उस जूठके भागीहों २३९।२४० ॥

सर्वमन्नमुपादायसतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिंडान् दद्याद्वै पितृयज्ञवत् २४१ ॥

अक्ष०—सब अन्नलेकर तिलसहित-दक्षिण मुखहोकर उच्छिष्टके समीप पितृयज्ञ की विधिवत् पिंडोंको देवै (वै) अर्थात् सावधानीसे २४१ ॥

अभि०—पूर्वोक्तीतिसे केवल एकएकवार जलगंडूषको दिये पीछे-सर्व अन्नसतिलं उपादाय अर्थात् सारे अन्न जो २ संपादन कियेहों उनको किंचित् २ अग्नौकरण से बचेहुये चरुसमेतलेकर उसमें तिल मिलाकर उसी पूर्वोक्त अग्नौकरणकी अग्निके सन्निधि दक्षिण मुखबैठाहुआ पितृयज्ञके ( वत् ) कहिये कल्पनाअनुसार किन्तु जैसी उसकीविधि श्राद्धपद्धतिमें कहीहो उसीरीतिसे पिंडोंका दानकरै-अथवा जिसनेअग्नौकरण न कियाहो पुनि इसीहेतुसे उसका शेषचरुभी न हो तब अग्नि और चरुइनदोनोंके अभाव कहिये न होनेमें (वह) अन्न जो ब्राह्मणोंके निमित्तसे बनायाहो जिसमेंसे जिमाचुके उसीके सर्वशेषमेंसे किंचित् किंचित्लेकर उसमें तिल मिश्रितकरिकै आप दक्षिण मुखबैठकर ब्राह्मणोंकी उच्छिष्टके समीप पिंडदेवै क्योंकि अग्नि तौहै नहीं इसलिये-परन्तु (वै) शब्दके अभिप्रायसे सावधानी और (वत्) शब्दकी अंत्ययोजनासे यथोक्त विधि जो (पिंडपितृयज्ञ) के विधानोंमें होतीहै सबकरनी चाहिये २४१ ॥

अधि०—ऊपरके अभिप्रायार्थमें मूलश्लोकसे अधिक वार्त्ता अर्थात् अग्निके समीप पिण्डदेना कहा और अग्नौकरणका शेषचरुभी अन्नके साथमेंलेना कहा तिसका यह हेतुहै कि याज्ञवल्क्यजीने मूलमें मुख्यविस्तरको उल्लांघकर निर्वाहविधि कहदीहै इसलिये कि जोवात घंटाघोषवत् प्रसिद्धहै वह नकहनेसेभी नष्टनहींहोती और यथार्थसे जबउन्होंने(पितृयज्ञवत्)यहकहातौ सभीकुछ कहदिया क्योंकि पितृयज्ञकी कल्पविधि जोश्राद्धपद्धतिहै उसमें अग्नौकरणकाहोना मुख्यहै फिर जहां अग्नौकरणहोगा तहां (चरु)भी अवश्यभावसेहोगा सोईयाज्ञवल्क्यजी अग्नौकरणको यथाक्रमसे उचितस्थलपर २३५ के श्लोकमें प्रतीतकरचुकेहैं इसहेतुसे यद्यपि यहांपरभी कथनकी प्राप्ति थी परन्तु पिष्टपेषणदृष्टिसे प्रत्यक्षभावमें नकहा किंतु(पितृयज्ञवत्) यहकहकर उसवातको गोल २ दर्शादिया-सो-यह इसप्रकारके हेतु गर्भितस्थल(अतिदेशधर्म)कहलातेहैं कि जोवात धर्मसम्बन्धी किसीस्थलपर देखी अथवा सुनीहो वहीवात किसी अन्यस्थलपर उचित जानिकर योजना करीजाय-तद्यथा-( अन्यत्रैवप्रतीतायाः कृत्स्नायाधर्मसंततेः । अन्यत्रकार्यतः प्राप्तिरतिदेशोऽभिधीयते। प्रकृतात्कर्मणोयस्मात्तत्समानेषुकर्मसु। धर्मप्रवेशेयिनस्यात्सोऽतिदेशइतिस्मृतः ) (भेद २) वर्त्तमानसमयमें अत्रत्यदेशीलोग तौ निर्विकल्पही अग्नौकर्मको(निरग्नि) किन्तु उपकल्पकीरीतिसे दिनाअग्निकेही करलेते

हैं और वे उपकल्पभी सबशास्त्रोक्तहैं-परन्तु दक्षिणात्यादि ब्राह्मण अद्यापि(साग्निक) अग्नौकर्म करतेहैं बल्कि ब्राह्मणोंका निमंत्रण और भोजनआदिभी सर्वविधि जैसी कुछपूर्वश्लोकोंसे कहते चलेआतेहैं उसीप्रकार साक्षात्ब्राह्मणोंको बैठारकर अर्घ्यादि उनकेहाथमें देतेहैं और अत्रत्यदेशी ब्राह्मणोंके स्थानपर कुशाओंके ब्राह्मण कल्पित करके साराकर्म निपटाय पीछे ब्राह्मणोंको भोजनसमय बैठारते हैं सो यथार्थ से जो ऐसा नहींकरें तो इसदेशमें श्राद्धकाहोनाभी दुर्लभहोजाय इससे आचार्योंने सौगम्य निर्वाहके निमित्तसे प्रत्येक वार्त्ताके अनुकल्प नियतकरदिये हैं और पहलीवार्त्तें तो पहले समयके साथगईं २४१ ॥

मातामहानामप्येवंदद्यादाचमनंततः । स्वस्तिवाच्यंततःकुर्यादक्षय्योदकमेवच २४२ ॥

दत्त्वातुदक्षिणांशक्तघास्वधाकारमुदाहरेत् । वाच्यतामित्यनुज्ञातःप्रकृतेभ्य स्वधोच्यतां २४३ ॥

ब्रूयुरस्तुस्वधेत्युक्तेभूमौसिंचेत्तोजलम् । विश्वेदेवाश्चप्रीयंतांविप्रैश्चोक्तमिदंजपेत् २४४ ॥

ऐ०सहत्र०-(एवंमातामहानां) अपि अर्थात् जैसे पिता पितामह प्रपितामह इनतीनों का कर्म बर्णनकिया ऐसेही नानाओंकाभी तीनपुरुषके उद्देशते विश्वेदेवा आवाहन अर्घ्यआदि पिण्डदान पर्यंत सब यथोक्तविधिसे कर्त्तव्यहै तिसपीछे किन्तु पिण्डदानके अनन्तरब्राह्मणोंकोआचमनदेवै-( ततःस्वस्तिवाच्यंकुर्यात् )अर्थात्ब्राह्मणोंसेस्वस्तिउच्चारणकरनेकोकहे पुनिवेभी स्वस्तिवाचन उच्चारणकरें फिर ब्राह्मणोंकेहाथमें(अक्षय्योदक) अर्थात् कमंडलु आदि पात्रसे जलदेकर अक्षय्य उच्चारण करनेको कहे फिर ब्राह्मण उच्चारणकरें कि(अक्षय्यमस्तु) २४२तिसपीछे अपनीशक्ति अनुसार सोनेचांदी आदि की दक्षिणा देकर यहकहे कि(स्वधाकार)उच्चारण करवावेंगे पुनि ब्राह्मणकहें कि(वाच्यताम् ) अर्थात् करवाइये यह अनुज्ञापायाहुआ फिर कहे कि ( प्रकृतेभ्यःस्वधोच्यताम् ) अर्थात् पित्रादिकोंकेलिये और मातामहादिकोंके लियेभी स्वधाकार कहना चाहिये २४३ फिर (अस्तुस्वधा ) यहशब्द ब्राह्मण उच्चारण करें यह किये पीछे लोटालेकर पृथ्वी में जल की धारदेवै और यहकहे कि ( विश्वेदेवाःप्रीयंतां ) फिर ब्राह्मणोंने भी कहा कि ( विश्वेदेवाःप्रीयंतां ) तिसपीछे ( इदंजपेत् ) अर्थात् यह जो अगलेश्लोकमें अब कहेंगे सो जपै २४४ ॥

दातारोनोभिवर्द्धतांवेदाःसंततिरेवच । श्रद्धाचनोमाव्यगमद्बहुदेयंचनोस्त्विति २४५ ॥

इत्युक्तोत्तवाप्रियावाचःप्रणिपत्यविसर्जयेत् । वाजेवाजइतिप्रातःपितृपूर्वविसर्जनम् २४६ ॥

यस्मिंस्तेसंश्रवाःपूर्वमर्घ्यपात्रेनिवेशिताः । पितृपात्रंतदुत्तानंकृत्वाविप्रान् विसर्जयेत् २४७ ॥

ऐ०सहत्र०-यह पढ़ै कि (नोदातारःअभिवर्द्धतां)अर्थात् हमारेकुल में दातालोग बहुत से होवें-(वेदाश्चवर्द्धतां)अर्थात् वेदभी वृद्धिपावें किन्तु हमारेकुलमें अध्ययन या अध्यापन और उसके अर्थोंके अनुमनन और कर्मोंके अनुष्ठान द्वारा वेदादि सर्वशास्त्रोंके

सत्कार होवे-(संततिश्चवर्द्धतां)अर्थात् पुत्रपौत्रादि परंपरासे बंशकीवृद्धि बनीरहे-(नःश्रद्धाचमाव्यगमत्)अर्थात् हमारी या हमारेकुलकी श्रद्धाभी मतजावो-(नोवहुदेयंचास्तु)अर्थात् हमारेघर और कुलमेंभी देयवस्तुकहिये सोनाचांदीआदि बहुतसा अत्यन्तहोउ (एवच)अर्थात् औरभी जोकुछ पशु यान दास दासी आदि संसारयोग्य होताहो सी भीबढ़ौ(इति)अर्थात् यहजपै जिसकाचर्चा २४४के अन्तमें आयाथा २४५ ॥ इसप्रकार प्रार्थना मंत्रपढ़ाहुआ प्रियवचनोंको कहकर और(प्रणिपत्य)अर्थात् प्रदक्षिणपूर्व नमस्कार देकर विसर्जनकरै-भलाकैसे विसर्जनकरै सो कहतेहैं कि (वाजेबाजेवतबाजिनो न)इत्यादि ऋचासे(प्रतिः)कहिये प्रसन्नमन होताहुआ कर्ता (पितृपूर्वविसर्जयेत्) अर्थात् पहले पिताकेस्थानी ब्राह्मणरूप जो कुश कल्परखागयाथा उसकोउठावै फिर पितामहका फिर प्रपितामहका फिर विश्वेदेवाओं का इसक्रमसे ऊर्ध्वोक्त ऋचाकोपढ़कर (उत्तिष्ठपितर) इत्यादि यथोक्त विधिसे विसर्जनकरै २४६ ॥ परन्तु इसमें इतनी बात औरभी शेषरहीहै कि जिस अर्घ्यपात्रमें वे (संश्रव)कहिये ब्राह्मणोंके हाथसे गिरेहुये अर्घ्यजल पहले स्थापित कियेगयेथे जिनकाचर्चा २३४ के श्लोकमें आयाथा वही पितृपात्र जो (न्युब्ज)कहिये औंधाकियागया था उसको उत्तानकहिये चितकरिकै तब उनब्राह्मणोंके कुशकल्प विसर्जनकरै जिनकाचर्चा अभीऊपर(बाजेबाजे)इसऋचा के साथमें आयाथा अर्थात् इसऋचासे पहले और २४५ वाले प्रार्थनामंत्रसे पीछेवह पात्र चितकर लियाजावै तब विसर्जन कर्महो तिसपीछे ब्राह्मण अपने स्थान को सिधारै २४७ ॥

अधि०-ऊपर २४६ के श्लोकमें प्रियवचनोंकाचर्चा आयाथा तिनकास्वरूप(धन्या वयंभवच्चरणयुगलरजःपवित्रीकृतमस्मन्मंदिरंशाकाद्यशनक्लेशमविगणय्यभवद्भिरनुगृहीतावयमित्येवंरूपावाचः)अर्थात्-हमधन्यहुये जो आपके चरणोंकी रजने हमारा मंदिर पवित्रकिया और सागपात आदि कुभोजनके क्लेशको गिनतीमें न लाकर आप लोगोंकरके हम अनुगृहीतहुये इत्यादि वाणीकोप्रियवचनकहतेहैं २४५।२४६।२४७॥

प्रदक्षिणमनुब्रज्यभुंजतिपितृसेवितम् । ब्रह्मचारीभवेत्तानुरजनींब्राह्मणैःसह २४८ ॥

ऐ०-फिर उनब्राह्मणोंके साथ (सीमांत) अर्थात् अपने ग्राम या मुहल्ला या स्थान आदिकी यथा संभवसीमा पर्यंत पीछे या उन्हें दाहनेदियेजावै-वे उच्चारणकरै कि जाओ बैठो भोजनकरौ इत्यादि आज्ञापायाहुआ उन्हें प्रदक्षिण देकरलौटै फिर (पितृसेवित) कहिये श्राद्धसे वचाहुआ अन्न अपने प्रियपरिवार आदि सहित भोजनकरै और (तारजनींब्रह्मचारीभवेत्) अर्थात् उसरात्रिमें ब्रह्मचर्यसे रहै ब्राह्मणों सहित किंतु वे ब्राह्मणभी ब्रह्मचर्यसेरहें जिन्होंने श्राद्धका अन्नखायाहो और (तु) शब्दके अभिप्रायसे पुनर्भोजनादि से वचै उसदिन २४८ ॥

अधि०—श्राद्धकरनेवाले और भोजनकरनेवाले ब्राह्मणोंको भी जो कुछ वर्जित है सो यथा (दंतधावन तांबूलं स्निग्धस्नानमभोजनमारत्यौपधपरान्नानिश्राद्धकृत्सप्तवर्जयेत्) अर्थात्-काष्ठसे दंतधावन १ तांबूलभक्षण २ तैलादि मर्दन सहितस्नान ३ अभोजन किंतुलंघन ४ रतिकहिये स्त्रीप्रसंग ५ औपधी भक्षण ६ पराया अन्न ७ श्राद्धकरनेवाला यह सातकाम वर्जितकरै ॥ अपिच (पुनर्भोजनमध्वानंभाराध्ययनमैथुनं। दानं प्रति ग्रहं होमं श्राद्धभोक्ताष्टवर्जयेत् ) अर्थात्-दुसराकर भोजन करना १ मार्गचलना २ भारका उठाना ३ विशेषतर अध्ययन ४ मैथुन ५ दानकर्म ६ प्रतिग्रहकालेना ७ होमकर्म अपनेलिये या विरानेलिये ८ यह आठवातें श्राद्धभोक्ताभी वर्जितकरै २४८ ॥

यहां तक पार्वणश्राद्धकी विधिवर्णन हो चुकी-अब आगे वृद्धिश्राद्धका प्रकार कहते हैं ॥ एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नां दीमुखान्पितृन् । यजेत दधिकर्कंधुमिश्रान्पिंडान्यवैः क्रियाः २४९ ॥  
अक्ष०—इसी प्रकार वृद्धिमें (प्रदक्षिणावृत्कयजमान) नां दीमुख पितरोंके प्रतिदधि और कर्कंधु मिश्रित पिंडोंको यजनकरै यवोंसे क्रियायें साधै २४९ ॥

अभि०—एवं कहिये जैसे पार्वणश्राद्धकी विधिकही तैसेही किंतु त्रिपुरुषके उद्देशते पुत्रजन्म आदि वृद्धिमें जो श्राद्धकरै तौ भी उसीरीतिसे पितरोंका यजनकरै परन्तु इसमें इतना विशेष है कि वह यजमान प्रदक्षिणावृत्क होकर यजनकरै अर्थात् प्रदक्षिणा मार्गके प्रचारवाली अनुष्ठान पद्धतिसे श्राद्धकरै क्योंकि पार्वण विधिकी अपेक्षा उसमें कुछ २ अंतर है इसीसे उसकी संज्ञा भी (प्रदक्षिणावृत्) हुई तहां पितरोंका विशेषण (नां दीमुखान्) कहनेसे और भी यह विशेषता प्रकट हुई कि आवाहन आदि प्रकारोंमें ऐसे उच्चारणकरै कि (नां दीमुखान्पितृन् आवाहयिष्ये) (नां दीमुखान्पितामहान्) इत्यादि प्रयोग उसपद्धतिमें आते हैं और भी यह विशेषता है कि दही और कर्कंधु नाम बनबेरोंका चूर्ण मिलाकर तिसके पिंडदेवै और भी यह विशेषता है कि (यवैः क्रियाः) अर्थात् जो २ क्रियायें तिलोंसे करनी कही थीं वे भी सब यवोंसे साधै २४९ ॥

अधि०—इस वृद्धिश्राद्धके ब्राह्मणोंकी संख्या भी पार्वण प्रारंभसाथ उसी २२६ के श्लोकमें पहले चरणसे कह चुके हैं कि (युग्मान्दैवे यथाशक्ति) अर्थात् दैवनाम आभ्युदयिक जिसे वृद्धिश्राद्ध कहते हैं तिसमें यथाशक्तिके अनुसार (युग्म) कहिये समसंख्यावाले ब्राह्मण बैठारै वा निमंत्रितकरै किंतु इसके वैश्वदेवके सिवाय पितरोंके स्थानमें भी युग्मसंख्याकरै-इसमें प्रदक्षिणावृत्कत्वजो कहाथा उसके प्रमाणमध्ये अन्य स्मृतियोंका भी संमतपाया जासा है (जैसा) आश्वलायन ऋषिने कहा है कि (अथाभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणः अमूलादर्भाः प्राङ्मुखो यज्ञोपवीती स्यात्प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्ति लार्थो गंधादिदानं द्विर्द्विः ऋजुदर्भानासने दद्यात्) अर्थात्-आभ्युदयिकनाम वृद्धिश्राद्धके अधिकारमें (युग्मा) कहिये दौ चार छः आदि समसंख्यावाले ब्राह्मण-बिनाजड़के कुम्भ

पर्वाभिमुखयजमानका बैठना-यज्ञोपवीती अर्थात् सव्यहोकर कर्मकाकरना किंतु पार्वणवत् अपसव्य नहीं-प्रदक्षिणमार्गसे कर्मका उपचार अर्थात् आसनका देना या यवोंका फेंकनाआदि दाहनीओरसे यवैस्तिलार्थो किंतु तिलोंकेप्रयोजन यवोंसेसाधै-गंधआदि चीजोंका चढ़ानादोदोबार-आसनकेलिये सूधेकुशादेवै किंतु पार्वणके समान द्विगुणभुग्न नहीं-(अन्यच्च)-यवोंका फैलानाइसमंत्रसे कि (यवोसिसोमदैवत्योगोस वोदेवनिर्मितःप्रत्नवद्भिःप्रत्तःपुष्टयानांदीमुखान्पितृन्इमांल्लोकान्प्रीणयाहिनःस्वाहा ) अर्घ्यदेनेके मंत्रयथा ( विश्वेदेवाइदंवोर्ध्यं ) (नांदीमुखाःपितरइदंवोर्ध्यं) इत्यादि यथा लिंगभेदके अनुसार अर्घ्यदानके मंत्रहोतेहैं उसपद्धतिमें-और भी वहां तौ अग्निमें होमकहाथा यहां ब्राह्मणके (हाथ) में ही होमहोताहै-वहां होमकेमंत्रांतमें स्वधानमःउच्चारण कियागयाथा इसमें(अग्नयेकव्यवाहनायस्वाहा)(सोमायपितृमतेस्वाहा)उच्चारणहुआ-वहां तौ (मधुवाताऋतायते) इत्यादि तीनऋचाका उच्चारणहुआथा यहां इनके बदले (उपास्मैगायते) इत्यादि पंचमधुमती सुनावै (अक्षन्नमीमदंत) छठी यह भी-औरभी ब्राह्मणोंको आचमन करवाये पीछे भोजनके स्थानोंको गोमयसेलीपकर पूर्वओरको अग्रभाग कियेहुये कुशाओं को बिछाकर उनपर उसअन्नसे जो पितृब्राह्मणोंको जिमानेसे बचाहो किंचित् घी मिलाकर एकएकके नामसे दोदो पिंडदेवै इत्यादि बहुधा बातोंकाभेद उसपद्धतिमें होताहै-औरभी इसकेमूलश्लोक इसी २४९ में यद्यपि (पितृन्यजेत्) यह वाक्यसामान्यतासे कहाहै किंतु इससे कोईसाक्रम अथवा नियम नहीं पाया जाता परन्तु इसवृद्धि श्राद्धमें तीनिश्राद्धहोतेहैं सोई (शातातप)ऋषिने यथायोग उनकाक्रमभी कहदियाहै कि(मातृश्राद्धंतुपूर्वस्यात्पितृणांतदनंतरम् । ततोमातामहानांचवृद्धौश्राद्धत्रयंस्मृतम् )अर्थात्-पहले मातुःश्राद्ध किंतु माताआदि का होवै तदनन्तर पिताआदि तीनोंका फिरसपत्नीक नानाआदि का इसप्रकारवृद्धि कालमें श्राद्धत्रय कहेहैं २४९ ॥

यह वृद्धिश्राद्धका वर्णन होचुका-अब आगे एकोद्दिष्ट नाम श्राद्धका प्रकारकहतेहैं ॥

एकोद्दिष्टं देवहीनमेकाध्यैकपवित्रकम् । आवाहनाग्नौकरणरहितं ह्यपसव्यवत् २५० ॥

अक्ष०-एकोद्दिष्टश्राद्धदेवहीन-एकअर्घ्य और एकपवित्रवाला-आवाहन और अग्नौकरणसे रहित-अपसव्यवत् होताहै २५० ॥

अभि०-एकोद्दिष्ट यह नामकर्म नामधेय इसहेतुसे कहलाया कि इसमेंएकहीपुरुष का उद्देश कियाजाताहै किंतु त्रिपुरुषनहीं-क्योंकि त्रिपुरुषकर्म पार्वण और वृद्धिश्राद्धों में होताहै-यद्यपि कर्म इसमेंभी पार्वणकीहीरीति अनुसारहोताहै परन्तु बहुधावातोंमें कुछ २ अन्तर होताहै सो उसअन्तरको प्रकटकरते हैं कि एकोद्दिष्टं(देवहीनं) अर्थात् एकोद्दिष्टश्राद्धमें देवकर्म कहिये विश्वेदेवाओंका आवाहन पूजन आदि सो न करना

चाहिये-और एकही अर्घ्यपात्रभी करना चाहिये तथा एकही दर्भपवित्रक उसमें छोड़े औरभी इसएकोद्दिष्टनामश्राद्धमें आवाहनकाविधानभी नहीं होता और अग्नौकरणभी नहीं होता परन्तु (अपसव्यवत्) अर्थात् यज्ञोपवीत और अँगौछासे प्राचीनावीती किन्तु अपसव्यहोकर कर्मकरै (हि) अर्थात् इसमें संदेह नहीं—अब ध्यान करौ कि इसकथनसे अनन्तरोक्त वृद्धिश्राद्धमें (सव्य) होकर कर्म करनेकी सूचना होगई अर्थात् २४९ के श्लोक में जहां वृद्धिश्राद्धका प्रकार दर्शाया तहां उसके मूलपाठमें (सव्य) या (अपसव्य) का चर्चा नहीं आया और यद्यपि उसकी अधिकोक्तिमें आश्वलायनऋषिके वाक्यसे सिद्धि भी कर दी गई तथापि कोई यह कहे कि वह द्वितीय ग्रंथकी बात है किन्तु याज्ञवल्क्यजी ने अपने मुखसे कुछ नहीं कहा सो यह संदेह व्यर्थ है क्योंकि उन्होंने पार्वणको अपसव्य से करना कहा था बीचमें वृद्धिश्राद्धके स्थान (सव्य) या (अपसव्य) कुछ भी नहीं कहा फिर इस एकोद्दिष्टमें आकार अपसव्य कह दिया इससे प्रत्यक्ष उनका कहना भी संसूचित होगया कि मध्योक्त वृद्धिश्राद्धको सव्य होकर करना चाहिये २५० ॥

उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद्ब्रूयुस्तेऽभिरताः स्मह २५१ ॥

अक्ष०—अक्षय्यस्थानमें उपतिष्ठतां यह कहे विप्रविसर्जनमें अभिरम्यतां यह कहे वे विप्र यह कहें कि अभिरताः स्म (ह) प्रसिद्ध अर्थमें २५१ ॥

अभि०—इसमें और भी विशेषता कहते हैं कि २४२ के चौथे चरणसे पार्वण श्राद्धमें (अक्षय्योदक) अर्थात् यह कहा था कि ब्राह्मणोंके हाथमें जल देवै और ब्राह्मण उसको लेकर (अक्षय्यमस्तु) यह वाक्य उच्चारण करै—इसविधिके स्थानपर यहां यह उच्चारण किया जावे कि (उपतिष्ठतां) और भी ब्राह्मणोंके विसर्जनमध्ये जहां २४६ के श्लोकमें (बाजे बाजे) इत्यादि जप किये पीछे (उत्तिष्ठपितर) इत्यादि कहकर कुशकल्पका उठाना कहा था इसके बदले यहां कुशकल्पके उठाने समय (अभिरम्यतां) यह उच्चारण करै फिर वे ब्राह्मण अपने मुखसे यह उच्चारण करै कि (अभिरताः स्म)—श्लोकान्तमें एक (ह) यह अक्षर जो अधिक है सो प्रसिद्ध अर्थको देता है अर्थात् यह विशेषता जो एकोद्दिष्टमध्ये दो श्लोकों से बर्णन करी गई सो सर्वत्र प्रसिद्ध है श्राद्धकी पद्धतोंमें किन्तु कुछ नवीन बात नहीं है—यह अर्थ (ह) शब्दसे प्रकट होता है २५१ ॥

अधि०—आगे २५३ के श्लोकमें सपिंडी करणकी विशेषता कहकर यह कहेंगे कि (शेषपूर्ववदाचरेत्) अर्थात् कही हुई विशेषताके सिवाय जो कुछ विधिकहनी रह गई हो सो सब पूर्ववत् आचरण करै किन्तु जैसा २ पहले पार्वणमें कह चुके हैं उसीके अनुसार करै सो यही अनुकर्ष इस एकोद्दिष्टमें भी लगता है अर्थात् इसमें भी यह समुभलेना कि (शेषपूर्ववदाचरेत्) इस एकोद्दिष्टनाम श्राद्धका प्रारंभ मध्याह्नकालमें कर्तव्य है—सोई (देवल) ऋषिने यह कहा है कि (पूर्वाह्ने देविकं कर्म अपराह्ने तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने



प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम्) अर्थात्-देवसंबन्धीकर्म तौ दुपहरसे पहले और पितरों संबन्धीकर्म दुपहरसे पीछे परन्तु एकोद्दिष्टश्राद्ध मध्याह्न किन्तु ठीकदुपहरके बीचमें और वृद्धिश्राद्ध प्रातःकाल करना चाहिये—यह ठीकदुपहर या मध्याह्न जो कहा सो कुतपकालका उपलक्षण है जिसकी चर्चा २२५ में आचुकी है देखलो—इसी एकोद्दिष्टकी और भी विशेषता कहते हैं कि २४८के श्लोकमें पार्वणविधिमध्ये यह कहा था कि ( भुंजीतपितृसेवितम् ) अर्थात् श्राद्धसे बचाहु आन्न भोजनकरै सो यही वाक्य सब श्राद्धों पर संबन्धित है—इसी हेतुसे यद्यपि एकोद्दिष्टनामश्राद्धका बचाहु आन्न भोजनकरना उचित है परन्तु उस अवस्थामें कि जब एकोद्दिष्ट वार्षिकहो—किन्तु एकोद्दिष्ट (नवसंज्ञक) हो तौ उसका बचाहु आन्न भोजनकरना नहीं चाहिये—तथाच (नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं गृहे पर्युषितं च यत् । दंपत्योर्भुक्कशिष्टं च न भुंजीत कदाचन ) अर्थात्—नवश्राद्धोंमें जो बचाहो (या) जो अन्नगृहस्थी के घरमें बचाहु आ रक्खे २ पर्युषित होगयाहो (और) वह भी कि जो दंपत्यदोनोंके भोजन पीछे बचाहो ऐसे अन्नको कदाचित् नहीं भोजनकरै—(दंपत्य) अर्थात् स्त्री पुरुष दोनों जो घरके स्वामीहों वे जबतक नहीं भोजनकरै तबतक चाहै कितनेही मनुष्य भोजन कर जावैं वहरसोई शुद्धवनीरहती है परन्तु जब घरधनी दोनोंने भोजनकरलिया तब रसोई उच्छिष्टमें गिनती होजाती है ऐसा अन्न विवेकीके भोजनयोग्य नहीं रहता—इसीलिये घरके धनीका यह धर्म गार्हस्थ्यप्रकरणमें कहचुके हैं कि वह सबको भोजनकरवाकर पीछे भोजनकरै—यद्यपि उस घरके बहूबेटा आदिकेलिये उनके भोजनकरलेनेसे रसोई उच्छिष्ट नहीं कहलासक्ती परन्तु बड़ोंका यह सनातनधर्म है और इसलिये है कि नजानै कोई अभ्यागत या संबन्धी आदि विवेकी बीचमें आजावै तौ उसके योग्य वह रसोई नहीं रहेगी—नवश्राद्धोंका चर्चा ऊपर आया है तिनके लक्षण कहते हैं कि ( प्रथमे द्वितृतीये द्विपंचमे सप्तमे तथा । नवमैकादशे चैव तन्नवश्राद्धमुच्यते ) अर्थात्—मनुष्यके मरनेमें पहले दिवस जो एकोद्दिष्ट किया जाता अर्थात् घरसे ले चलनेके समयसे चिताके अन्तताई जो पांच या ऋः पिंडदिये जाते हैं तिस पीछे या तौ दशग्यारह दिनताई रोजरोज अथवा तीसरे पांचवें—सातवें—नववें—ग्यारहवें दिवसोंमें जो एकोद्दिष्ट किये जाते हैं उनको नवश्राद्ध कहते हैं क्योंकि वह मरनेके प्रारंभमें सबसे पहले किये गये इस्से नवीन हैं इसीसे नवश्राद्ध उनका नाम हुआ तिनका वचा हुआ अन्नखानेका निषेध है इस्से पीछे जो वर्ष वर्ष प्रति एकोद्दिष्ट होता है उसमें निषेध नहीं २५१ ॥ यह विधि एकोद्दिष्टकी कही सो यह एकोद्दिष्ट स्त्रियोंका भी उनके भयाहके दिनमें जुदा केवल उनके नामसे ही होता है ॥

अव आगे सपिंडी करण श्राद्ध कहते हैं ॥

गंधोदकतिलैर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घ्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसिचयेत् २५२ ॥

ये समाना इति दान्यांशोपपूर्ववदाचरेत् । एतत्सपिंडीकरणमेकोद्दिष्टं स्त्रिया अपि २५३ ॥

अक्ष०सहद्वयोः—गंध उदक तिलोंकरके युक्त अर्घ्यार्थ पात्र चतुष्टयकरै-पितृपात्रोंमें प्रेतपात्रको प्रसिंचनकरै २५२ (येसमाना) इन दोमंत्रों से—शेष पूर्ववत् आचरै—यह सपिण्डीकरण-एकोद्दिष्ट-स्त्रीकाभीहै २५३ ॥

अभि०सहद्वयोः—सपिंडी करण श्राद्धमें जो कुछ विशेषताहै सो कहतेहैं कि (अर्घ्यार्थ) कहिये अर्घ्य विधिउद्धार करनेकेलिये चार पात्र ऐसेकल्पितकरै जोपूर्वोक्त विधिके अनुसार गंधउदक तिलोंसे संयुक्तहों सो इन चार पात्रोंके कथनसे याज्ञवल्क्यजीने यहां पितृपक्षके चार ब्राह्मण दर्शायेहैं क्योंकि पात्र ब्राह्मणोंकेही निमित्तहोतेहैं और विश्वेदेवाके पक्षमें पार्वणके अनुसार दोहीवनेरहे क्योंकि नीचेके श्लोकमें कहाहै कि जो कुछ न कहाहो सो पूर्ववत् आचरै पर यहां पर इतना विशेष औरभीहै कि प्रेतपात्रमें से उसप्रेतको अर्घ्यदिये पीछे बचेहुये जलको उनतीनों पात्रोंमें थोड़ा २ भाग पूर्वक सींचदेवै सो इन मंत्रोंसे सींचै कि (ये समानाःसमनसः) इत्यादि-इसके सिवाय जो कुछ कहना शेषरहाहो सोसब विश्वेदेवा आवाहनआदि विसर्जन पर्यंत पूर्ववत् कहिये पार्वणके अनुसार विधि आचरणकरै परन्तु इतनी विशेषता औरभीहै कि प्रेत पात्रके जलसे प्रेतस्थानी ब्राह्मणके हाथमें अर्घ्यदेकर और बचेहुयेको उनतीनों पात्रोंमें सींचकर पीछे उसप्रेतका साराकर्म भिन्नएकोद्दिष्टवत् समाप्तिकरै (और)पितृपात्रों यद्वा पितृय ब्राह्मण तीनोंके स्थानशेषविधि पार्वणवत् आचरै-यह वर्णन किया हुआ सपिंडीकरण और इस्से पहले कहाहुआ एकोद्दिष्ट ये दोनों श्राद्धस्त्रीके भी अर्थात् माताकेभी करने चाहिये सो इसकथनसे यहसिद्धांतभी पायागया कि पार्वण विधिमें मातृश्राद्धजुदा नहीं करना चाहिये किन्तु पिताआदि तीनोंका सपत्नीक आवाहन करनेसे मातृश्राद्धभी उनकेसाथमेंहोगये (परन्तु) वृद्धिश्राद्धमें सपत्नीक आवाहनसे नहीं होता किन्तु मातृश्राद्ध पहले जुदाकरलिया जाता है जिसमें मातादादी परदादी इनतीनोंका आवाहनहोताहै तिसपीछे पितृश्राद्धकिया जाताहै जिसमें पिता आदि तीनोंका आवाहन भिन्नहुआ करताहै सोई नीचे अधिकोक्तिमें सबसे पहलेदेखी और यहभी यादरखौ कि २२६ के अभिप्रायार्थमें नीचे जाकर यहवात जोलिखीहै कि इसीप्रकार नानापक्षमें भी तीनोंवर्ग भिन्न २ समुभलेने-तिसका यहसिद्धांत नहीं है कि नानापक्षमेंभी तीसरामातृश्राद्ध भिन्नकरै किन्तु वहां परनानापक्षमें दोही वर्गहोंगे एक विश्वेदेवाओंका दूसरा सपत्नीक नाना परनाना सरनानाका और पिता पक्षमें वहांभी तीनवर्ग जैसे भिन्नलिखे हैं उसी प्रकारहोंगे अर्थात् सबजोड़कर पांच वर्गहुये परन्तु वहां परतीनोंवर्ग नानाकेभी इसलियेलिखेहैं कि ब्राह्मणोंकी संख्याके विभाग शीघ्रसमुभमें आजवै २५२ । २५३ ॥

अभि०सहद्वयोः—(अन्वष्टकासुवृद्धौचगयायांचक्षयेहनि। मातुःश्राद्धं पृथक्कुर्यादन्यत्र)

तिनासह) अर्थात्-माताकी सपिंडताहोचुके पीछेभी जो अन्वष्टका पर्वमें श्राद्धकरै या वृद्धिकालमें नांदामुख श्राद्धकरै अथवा गयाजीमें करै या क्षयाहके दिन एकोद्विष्टकरै तब तौ माताका श्राद्धपृथक् कहिये जुदाकरै सो जुदाकरनेकीभी यहपरिपाटी है कि जो क्षयाहके दिनका एकोद्विष्टहोवै तब तौ केवलमाताकेही नामसे एकपिण्डदेवै शेष और जो तीनिभेद इसमें कहेगये उनमें जुदा इसरीतिसे करै कि जैसे पिता पितामह प्रपितामह तीनोंका पार्वण एक साथहोताहै तैसेही मातादादी परदादी तीनोंका एक साथ पार्वण विधिसे करै-(अन्यत्रपतिनासह) अर्थात् इनप्रकारोंके सिवाय और २ दशा-ओंमें जो पार्वण श्राद्धकरै पतिके साथ सपत्नीक आवाहन करलेवै किंतु जुदाश्राद्ध नहीं करै-सपत्नीक श्राद्धके करनेमें कुछ औरभी निर्णयकरना शेषहै अर्थात् जिसस्त्री की पतिके साथ सपिंडता करीगईहो उसका तौ पतिके साथ आवाहन करिकै सपत्नी-कश्राद्धकरै क्योंकि वह उसीकी अंशभागिनीहुई परन्तु जिसस्त्रीकी सपिंडता उसके पिताके साथकरी गईहो उसका श्राद्धभी पिताकेही साथकियाजावै किंतु उसका पुत्र जब अपने नानाका श्राद्धकरै तभी अपने नानाके साथमें अपनी माताकाभी एकसाथ आवाहनकरै क्योंकि उसकी सपिंडता उसके साथहुईथी इस्से वह उसीकी अंशभा-गिनीहोचुकी इसहेतुसे उसके श्राद्धका अधिकार सदैवकेलिये अपनेपिताके साथहो चुका किंतु पतिके साथका अधिकार नहींरहा-सोई शातातपञ्चषिने यहकहाहैकि-(ए कमूर्त्तित्वमायाति सपिंडीकरणेकृते । पत्नीपतिपितृणांचतस्मादंशेनभागिनी )-अर्थात्-सपिंडीकरण श्राद्धके करचुकने पीछेपत्नी अपने पतिके साथ यद्वा अपने पितृयोंकेसा थएक मूर्त्तित्वमें आजातीहै किन्तु जिसके साथसपिण्डताहुई तिसमें और उसमें कुछ अंतरनहीं रहता तिसहेतुसे उसीकी अंशभागिनीहुआ करती है-इसनिर्णयसे अब एक और वार्त्ता यह उत्पन्नभई कि जिस पुत्रने अपनी माताकी सपिण्डता अपने नानाके साथकरीहो उसको सदैव अपने नानाका श्राद्ध उसमुख्यतासे करना चाहिये कि जैसे पिताके श्राद्धमें पुत्रको नित्यअधिकारहै परन्तु इसमुख्यतामेंभी कुछपिताके श्राद्धका अधिकार नहीं नष्टहोताहै (और) जो उसने अपनी माताकी सपिण्डतापति के साथ या सासूके साथ अर्थात् अपने पिता या अपनी दादीके साथकरीहो तौ फिर नानाके श्राद्धमें कुछसदैवकी मुख्यता नहीं आवश्यकहै-हां-केवल इतनीवात कि जो अपनेसे वनिआवै तौ अपना अभ्युदय उस्से निःसंदेह होगा पर न वनिपरनेसे दोष भागी नहीं होसक्ता-यहवार्त्ता तौसर्वथा निश्चितहोगई पर इस्से एक नवीनसंदेह और भी उत्पन्नभया कि सपिण्डताभी कई प्रकारकी होतीहै और किस २ के साथमें होतीहै और न जानै वह किस २ दशामें किस २ के साथ करनी चाहिये या चाहै तिस के साथ जबचाहै तबअनावसनाव करदेवै-इसलिये अब शास्त्रांतरवाक्यभी प्रमाण

देकर लिखनेपरे जिनमें कई२ भांतिकी रीतें देखनेमें आतीहैं-तहां प्रथम तौ यही एक रीति पैठीनसिद्धिषिने निर्विशेष कहीहै कि-(पितामह्यादिभिःसार्द्धसपिंडीकरणंस्मृतं । तथाभर्त्रापिभार्यायाःस्वमात्रादिभिरेवच) अर्थात्-माताका सपिंडीकरण पुत्रकी दादी आदि तीनोंके साथ करना कहाहै तथैव जहां कर्मकर्त्ता पति होवै तहां वह भर्त्ताअपनी भार्याका सपिंडीकरण अपनी माता आदि तीनोंके साथकरै यहवात दोनों भांतिसे एकही रही-अब इसवातके देखनेसे कर्त्तामेंभी यह संदेहउठा कि भर्त्ताको किस दशा में कर्त्ता होना चाहिये और पुत्रको किस दशामें इसलिये कहते हैं कि-(अपुत्रायांमृतायांतुपतिःकुर्यात्सपिंडताम् । श्वश्वादिभिःसहैवास्याःसपिण्डीकरणंभवेत्) अर्थात्-पुत्रकी विद्यमानतामें भर्त्ताके होतेहुयेभी पुत्रही कर्त्ताहोवै परंतु अपुत्राके मरनेमें भर्त्ताही सपिण्डताकरै और इसका सपिंडीकरणभी सासू आदिके साथहोवै-जैसा ऊपरले वाक्यमेंभी कहचुके हैं-अपुत्राके निदर्शनसे सपुत्राकेभी मरनेमें भर्त्ता कर्त्ता होगा कि जब पुत्र उस स्थानपर उपस्थित नहीं है १-अब दूसरी रीतिसे पतिके साथ सपिंडता कहते हैं जैसा (यमआचार्य) ने कहा है कि-(पत्याचैकेनकर्त्तव्यंसपिंडीकरणं स्त्रियाः । सामृतापिहितेनैक्यंगतामंत्राहुतिव्रतैः) अर्थात्-पतिसे एकल्लेकेही साथ स्त्रीका सपिंडीकरण कर्त्तव्यहै क्योंकि वह मरीहुईभी मंत्राहुति नियमोंसे उसकेही साथ ऐक्यभावको पहुँची २-अब तीसरी रीतिसे नानाके साथ किन्तु उसीके पिताके साथ सपिंडता कहते हैं जैसा (उशनाआचार्य) ने कहाहै कि-(पितुःपितामहेयद्वत्पूर्णसंवत्सरेसुतैः । मातुर्मातामहेतद्वदेषाकार्यासपिंडता)-अपिच-(पितापितामहेयोज्यःपूर्णसंवत्सरेसुतैः । मातामातामहेतद्वदित्याहभगवान्शिवः)-अर्थात्-उशनाने यह कहा कि-जैसे मरनेके दिनसे लेकर संवत्सरके पूर्णहोनेमें पुत्रों करके पिताकी सपिंडता पितामहके साथ किन्तु दादा आदि तीनोंके साथ करनी उचितहै उसीके समान माताकी यह सपिंडता मातामहके साथ किन्तु नाना आदि तीनोंके साथ करनी चाहिये-सोई भगवान् शिवजीनेभी कहाहै कि-संवत्सरके पूर्ण होनेपर पुत्रोंकरके पिता तौ पितामहके बीचमें जोड़ना उचित है तैसेही माता मातामहके बीच ३-इत्यादि अनेक भांति की रीतोंके प्रमाणवाक्य मिलनेपरभी परस्पर एकसेएक विरुद्ध देखपडतीहै कि किस रीतिको ठीकमानें या किस दशामें किस रीतिका बर्त्तावाकरें इस दृष्टिसे अब इनका विरोध शांत कियाजाताहै कि-जिस पुरुषकी भार्या निपूतीमरै वहपति आपही कर्त्ता होकर निजभार्याकी सपिंडता अपनी माताकेही साथकरै १-और जहां दैवगतिसे यह संयोग होजावै कि पति और पत्नी दोनोंका एकसाथ मरण होजाय तहां उसके पुत्र अपनी माताकी सपिंडता उस पिताकेही साथकरें सो इस भेदमें पुत्रोंका कुछ नियम नहीं है कि किस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुयेहों २-परंतु जहां पुत्र तौ (प्राप्त)

आदि निन्द्य विवाहों से उत्पन्न हों और वह निन्द्य विवाह करनेवाला पिता उनका चाहे विद्यमानहो चाहे पूर्वकाल में मर चुकाहो अर्थात् वह निन्द्य विवाहिता माता उनकी मरै तौ उन पुत्रों को उसमाताकी सपिण्डता अपने नानाकेही साथ करनी चाहिये और उस पुत्र को भी नानाके साथ सपिण्डता करनी चाहिये जो पुत्रिका सुत अर्थात् पुत्रकेस्थान गोदलियाहुआ बेटाका पुत्र धेवता प्रसिद्धहै ३-और जो (ब्राह्म) आदि शुभ विवाहोंसे उत्पन्नहुये पुत्रहों उनको तीनोंभांतिकी रीतोंमें (विकल्प) से स्वाधीनताहै अर्थात् अपनीमाताकी सपिण्डता चाहे अपने पिताके साथ या अपनेनानाकेसाथ या अपनी दादीकेसाथकरै तौ कोईरीतिसेभी यद्यपि दोषनहींहै तथापि जैसा उनकेवंशमें नियतसमाचार चलाआताहो उसीके अनुसारकरै अर्थात् यातौ उनके देशकी परिपाटीसे या ग्रामकी मर्यादासे या ठेठ अपने कुलकी परंपरासे यह नियम चलाआताहो कि सासूकेसिवाय और किसीकेसाथ नहींहोती या नानाआदि जैसी जहांकी व्यवस्थाहो उसके अनुसारकरै—अथवा-जिसके बंशमें इसवार्त्तामध्ये कोईसा नियम परिनियमित नहीं या जिसको अपनेबंशका समाचार जो पहलैकभी था वह अब किसीहेतुसे मालूम नहींरहा तौ ऐसे कर्मकर्त्ता को सर्वथा अपनी रुचिके ऊपर स्वाधीनताहै कि वह तीनोंरीतिमेंसे कोईएक मनोज्ञसमुझै जैसा सबसेपहले उपोद्घात प्रकरणमें सातवें श्लोकमें यह कहाहै कि (स्वस्यचप्रियमात्मनः) इसकाअर्थ विस्तारभी उसीजगह लिखचुकेहैं देखलो (भेद२) अब माताके सपिण्डीआदि कर्मोंमें गोत्रके उच्चारणमध्ये निर्णय करतेहैं कि—भर्त्ताकेगोत्र या पिताकेही गोत्रसे उच्चारण करिकै पिण्डदानआदि कर्मकरै क्योंकि दोनोंकाप्रमाण शास्त्रवाक्यों से पायाजाताहै—यथा (स्वगोत्राद्द्रश्यतेनारीविवाहात्सप्तमेपदे । स्वामिगोत्रेणकर्त्तव्यात्स्याःपिण्डोदक क्रिया ) अर्थात्-नारीकहिये स्त्रीमात्र विवाहके सातवेंपदसे उपरांत अपने पितागोत्र से च्युत होजावैहै इसहेतुसे उसके पतिके गोत्रसे करनी चाहिये उसकी पिण्डोदक दानक्रिया इत्यादि अनेकवाक्य तौ पतिगोत्रका प्रमाण करतेहैं—और पितापक्षमेंभी यहकहाहै कि(पितृगोत्रंसमुत्सृज्यनकुर्याद्भर्तृगोत्रतः । जन्मन्यवविपत्तौचनारीणांपैतृकं कुलम् ) अर्थात्-पितृगोत्र को छोड़कर भर्तृगोत्रसे न करै क्योंकि जन्मके मध्ये और विपत्ति कहिये मरणमेंभी स्त्रियोंका पैतृककुल अंगीकार है किन्तु पिताकेही गोत्र से जन्म और मरणमें भी उनकी सारीक्रिया करवावै इत्यादि अनेकवाक्य पिताके भी गोत्रका प्रमाण देतेहैं तौ इसमेंभी वहीसंदेह फिर उत्पन्नभया जैसा सपिण्डीके स्थल में हुआथा कि किसका प्रमाण मुख्यसमभाजाय इसलिये अब इनका भी विरोध शांत कियाजाताहै कि—आसुरादि निन्द्य विवाहों वाली स्त्री तथा पुत्रिका करणवाली स्त्री किन्तु जिसकापुत्र अपने नानाकी गोद बैठाहो इनस्त्रियोंकी क्रियातौ पितृगोत्र

सेही करनी चाहिये-और (ब्राह्म) विवाहादि शुभ विवाहों वाली स्त्रीकी क्रियामध्ये (विकल्प) अंगीकार है अर्थात् चाहै पितृगोत्र से करौ चाहै भर्तृगोत्र से परन्तु इस विकल्प में भी यह बात मुख्य है कि जिसके वंशमें जैसी परंपरा चली आतीहो उसको उसीके अनुसार चलना चाहिये सोई इसमें यह वाक्य भी प्रमाण है कि (ये नास्यपितरोयातायेनयाताःपितामहाः।तेनयायात्सतांमार्गंतेनगच्छन्नदुष्यति) अर्थात् जिसमार्गसे इसमनुष्यके पितर कहिये पिता काका चाचा ताऊआदि गयेहों किन्तु जिसरीतिमें चलतेरहेहों-या-जिसमार्गसे पितामह कहिये दादा परदादा सरदादाआदि बर्त्तावाकरिगयेहों उसीमार्गसे यह आप भी जावै क्योंकि उसमार्गमें चलनेसे इसको दोष नहीं लगताहै पर इसमें इतना लक्ष्य और भी विशेषहै कि (सतांमार्गंयायात्) अर्थात् वह उनके बड़ोंका चलायाहुआ मार्ग जो सत्पुरुषोंके बर्त्तावे या प्रमाण योग्यहोवै तौ निःसंदेह उसपर चलै अन्यथा जो सत्पुरुषोंके बर्त्तावे या प्रमाण योग्य नहीं होवै जिसमें कोई प्रकारका (किन्तु) लगसक्ताहो या कोई प्रकारके दुःखों वा निरादरोंकी संभावना देखपडतीहो तौ उसमार्गका प्रतिरोधकरिकै निजप्रभावसे प्रशंस्य वा सुखदायी मार्ग आरोपणकरै या इनबातोंके न होनेपर भी शंसितमार्गमें कठिनता से चलसक्ताहो तौ निःसंदेह उसकी कंटकितता वा नतोन्नतभावका परिशोधनकरै जिस्से सौगम्य और सरलताकी प्रवृत्तिसे कठिनताका प्रतिबंध जातारहै (अथच) (यत्र शास्त्रे तोनव्यवस्थानाप्याचारतस्तत्राप्यात्मनस्तुष्टिरेवेतिवचनादात्मनस्तुष्टिरेवव्यवस्थापिका) अर्थात्-जहां शास्त्रसे भी कुछव्यवस्थानियत न होवै और न आचार कहिये वंशपरंपरासे तहां भी निजआत्मा कहिये मन बुद्धि आदि इनकी प्रीतिके अनुसारकरै किन्तु दोरीतोंमेंसे जैसा अपने मन बुद्धिमें समावै तैसाकरै सो यह आत्मतुष्टिही व्यवस्थाहो जातीहै जैसापहले संस्कार प्रकरणमें १४ के श्लोकसे यह कहाथा कि (गर्भे ष्टमेऽष्टमेवावदे) अर्थात् जनेऊचाहै गर्भसे आठवें यद्वाजन्मसे आठवें सालकरै तौ भी दोष नहीं (भेद३) इसव्यवस्थामें (प्रेत) शब्दका चर्चा सूत्रमें भी २५२ के श्लोकमें आया तथा अर्थोंमें भी बहुधा आचुका और अभीनीचेके वर्णनमें विशेषतर प्रेत का चर्चा आवेगा इसलिये प्रकाशकरना योग्यहै कि प्रेत शब्दके अर्थ तौ यद्यपिकां प्रकारसे होतेहैं इसीहेतुसे प्रेतशब्दके ऊपर एकबड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थहै जिसमें नानाप्रकारके वाक्य अन्यशास्त्रोंके भी संग्रहित और प्रमाणीभूतहैं कि जिनके अर्थ-शभी शास्त्रयुक्तिके अनुसार दोदोपक्षमें यथार्थ घटजातेहैं (तहां) एक पक्षमें तौ (वृषप्रपितामहका) बोध होताहै किन्तु पूर्वकी चौथी पीढ़ीपर सरदादा प्रेतनिश्चितहोताहै ताहै क्योंकि प्रथम तौ उसके अक्षरोंसेही यह अर्थ प्रकटहोताहै कि (प्र-इतः) प्रेत (किन्तुयः(प्रकर्षण)(इतः)गतः)सःप्रेतः(अर्थात् जो निपटतीनोंपीढ़ीको छोड़कर ऊपर



बलागया सो प्रेतकहलाया) इसप्रकार अर्थकी सिद्धिहुये पीछे औरभी अनेकवाक्य इसकी दृढ़तामें प्रमाणदेतेहैं यहांतक कि ( उदक ) ( पिंड ) दान आदिमें जो २ उलटा पुलटीहुई जातीहै उसकोभी सिद्धकरदेतेहैं पुनि वही सिद्धिमूलश्लोकपरभी यथार्थ घटजातीहै दृष्टांत जैसे २५२ के श्लोकमूलमें कहाहै कि ( पितृपात्रेषुप्रेतपात्रंप्रसिंचयेत् ) इसका भाव यह निश्चयहुआ कि चार अर्घपात्र जो कल्पित कियेहैं तिनमें पिताकी मुख्यता अनुसार तीन तौ पितृपात्रहुये अर्थात् पिता दादा परदादा इनके सो इन्हीं तीनोंपितृपात्रोंमें वहचौथे सरदादेका जोप्रेतपात्रहै तिसका जलसींचदेवै-इत्यादिअनेक वाक्य इसीपक्षको दृढ़करते चलेजातेहैं-सो उनसमस्त वाक्योंका लिखना तौ यहांपर अतिविस्तारकी भीति और वृथातुषकंडनकी दृष्टिसे अनुचितसमुभा-परंतु अब अपने मुख्य प्रयोजनपर दृष्टिकरनेकेलिये यहसमुभौ कि इसतीसरे भेदका सारालेख यहां ताई व्यर्थ है क्योंकि प्रथम तौ वेही बहुधा वाक्य जो उसपहले पक्षकी दृढ़ताकरतेथे यथार्थसे इसपक्षमेंभी सबके सबघटते और साक्षीदेकर प्रमाणकरतेहैं किन्तु उनमें दोदो अर्थोंकी ध्वनिभरीहै दूसरेयहकारणहै कि सर्वत्र अक्षरोंकेध्वन्यर्थसे प्रयोजनमें अनर्थ नहीं कियाजासक्का-भला जो अक्षरार्थकी सिद्धिसे वैद्यको गदहा कहनेलगै तौ क्योंकर उचितहोसक्काहै क्योंकि यद्यपि ( गदंरोगंहंतीतिगदहा ) अर्थात् गदनामहै रोगका तिसे जो कोई दूरकरै वहगदहा ठीकरहै परन्तु यहवातलोकाचारमें प्रत्यक्ष विरुद्धहोनेसे अनर्थरूपहुई जातीहै किन्तु जब अपने कल्याणकेहेतु से वैद्यको बुलानेगये और चलौ गदहाजी यों पुकारकर संबोधन किया तबतत्काल दंडरूप अनर्थहोने लगैगा क्योंकि यहवात उरसे सही न जायगी फिरकल्याण कहां-इस्से-यह निश्चय जानौ कि (प्रेत) नाम उसीका होताहै जोसबसे पीछे हालमें मराहो सो यह प्रेत संज्ञा उसकी (रूढ़ि) भावसे होतीहै और केवल एकवर्ष पर्यंत मानीजातीहै जबतक सपिंडता नहीं होवै-सोई मार्कंडेयमुनि ने यह कहाहै कि(प्रेतलोकेतुवसतिर्नृणां वर्षप्रकीर्त्तिता । क्षुत्तृष्णेप्रत्यहंतत्र भवेतां भृगुनंदन) अर्थात्-हे भृगुनंदनमनुष्यों कीवसति कहिये निवासमरजानेपीछे एकवर्षताई प्रेतलोकमें विख्यात है जहां क्षुधा और तृष्णायह दोनों नित्यंप्रति बनीरहतीहैं-उसप्रेतलोकमें जबतक प्रेतरहताहै तब तकभंख और प्यास इनदोनोंसे अत्यंतदुःखी होताहै और तबतक उसकी नामसंज्ञा भी पितर या पितृ शब्दके विशेषणसे नहीं बोलीजाती किन्तु सपिंडी ताई जो २ श्राद्ध उसकेहोतेहैं उनमें (प्रेत) के उद्देशसेही पिंडदानआदि होताहै-परन्तु सपिंडीके उपरांतसे उसका (प्रेतत्व) दूरहोकर (पितृत्व) प्राप्तहोताहै-यह प्रेतत्व उसका कुछएकदिन में नहीं दूरहोजाता किन्तु ३६० दिनमें सोलहश्राद्धोंके द्वाराक्रम २ से दूरहोतारहता है शेषरहा सहा बरसवेंदिन एकोदिष्ट सहित सपिंडी करणहोनेसे सबदूरहोजाता और

पितृभाव उसको मिलताहै इसलिये उनषोडश श्राद्धोंका करना आवश्यकहै-तथाच (यस्यैतानि नदत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश। प्रेतत्वं च स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि) अर्थात् जिसके यह सोलह प्रेत श्राद्ध नहीं दिये गये तिसका प्रेतत्व पीछे सैकरों श्राद्ध देनेसे भी बनारहताहै ॥ सोलह श्राद्धोंकी गणना यथा (द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासि चाब्दिके। श्राद्धानि षोडशैतानि संस्मृतानि मनीषिभिः) अर्थात्-एक तौ द्वादशाहका श्राद्ध जो एक दशाके भोरहोताहै-दूसरा त्रिपक्षी श्राद्ध जिसे त्रिपक्षी कहतेहैं-तीसरा षड्मासिक जो छमाहीसे पहले साढ़े पांचमासपर होताहै-चौथा वार्षिक जो उनाब्दिक साढ़े ग्यारह मासपर होताहै चारयह और बारह प्रतिमासके यह इतने षोडश श्राद्धनामसे मनीषियों करके कहेहैं (भेद ४) यह सपिंडीकरण भी जिसका चर्चा ऊपर दूरसे चला आताहै सो जिसको अपने पिताका करना हो तौ उसी अवस्थामें करसकताहै कि जब दादा परदादा सरदादा तीनों मर चुकेहों क्योंकि पिता तौ प्रेतरूप निश्चितहै इसहेतुसे इसके अर्घ्यपात्रका जल उन्हीं तीनों पितरोंके पात्रोंमें सींचा जावेगा तथैव इसका पिंड भी उन तीनोंके पिण्डोंमें मिलाया जावेगा-इससे यह भी निश्चितहै कि जिसका पिता प्रेत होजावै और दादा या परदादा दोमें कोई एक भी जीताबैठा हो तौ सपिंडीकरण श्राद्धका अधिकार नहींहै-सोई यह वाक्य भी प्रमाण पाया गया कि (व्युत्क्रममात्र प्रमीतानां नैव कार्य्या सपिण्डता) अर्थात् व्युत्क्रम कहिये उलटा पुलटीसे मरेहुयोंकी सपिण्डता नहीं करनी चाहिये-और मनुजी ने जो यह कहाहै कि (पितायस्य तु वृत्तस्याज्जीवेच्चापि पितामहः। पितुःसनामसंकीर्त्यकी र्त्तयेत्प्रपितामहम्) अर्थात्-जिसका पिता मराहोवै और निश्चय जो पितामह कहिये दादा जीताहो वह कर्त्ता पहले पिताका ही नाम उच्चारण करिके फिर प्रपितामह कहिये परदादे को उच्चारण करै-किंतु बीचमें पितामह जो जीताहै तिसके नामको छोड़देवै परन्तु इसबातमें यह सिद्धांत नहींहै कि पिता और परदादा इन दोहीका उद्देश करै या दोहीपिण्डदेवै या परदादा आदि पूर्वके तीन अंगीकार करिके उनके साथ पितामह भी सापिंड्य करदेवै सो नहीं क्योंकि यह बात केवल नामोंके मंत्रप्रयोग जतलानेके निमित्तसे कहीहै-इसलिये अब सपिण्डीके स्थान यद्वा उस्से पीछे भी जब कभी पार्वणकी आवश्यकता हो उसके नियमों को कहते हैं कि इसरीतिसे उच्चार करै-तथाहि (ध्रियम् एतु पितरि पूर्वेषामेव निर्वयेत्। पितायस्य तु वृत्तस्याज्जीवेच्चापि पितामहः) अर्थात्-यह सिद्धांतहै कि-पिताके जीतेहुये उस्से पहले तीनोंके नामसे पिण्डदेवै और जिसका पिता मराहोवै और पितामह जीताहोवै सो भी उस जीतेहुये पितामहसे पहले तीनोंके नामसे पिण्डदेवै अर्थात् इसदशामें पिताका भिन्न श्राद्ध एकोद्विष्टकीरीतिसे पहले ही करावै जावेगा तिसपीछे उन तीनोंके पिण्ड एकसाथ दिये जावेंगे क्योंकि सपिण्डता तौ दोहीनाम सक्ती और श्राद्धका करना आवश्यकहै-सोई इसमें विष्णुजीका वाक्य भी प्रमाणहै-

(यस्यपिताप्रेतःस्यात्सपितृपिण्डनिधायपितामहात्पराभ्यांद्वाभ्यांदद्यात्) अर्थात्-जिस का पिता तौ प्रेतहोजावै और पितामह जीताहो वह कर्त्ता पहले पिताके नामसे एकही पिण्ड एकोद्दिष्टके विधानसे जुदासमर्पणकरिकै तिसपीछे (पितामहात्पराभ्यांद्वाभ्यां) अर्थात् अपने पिताके पितामहको और उरुसे परे दो औरोंको भी इसहिसाबसे अपनेपरदादा आदि पूर्वके तीनों पितरों को पिण्डदेवै पार्वणके प्रकारसे यह सर्वोपरि सिद्धान्त है परन्तु इससिद्धान्तसे यह बात पाईजातीहै कि जिसकिसीकी सपिंडी इसनिर्णयके अनु-कूलकरनेसे छोड़ीगईहो उसकी फिर उसके मरनेपर होगी जिसके हेतुसे छोड़ीगईथी इस्से आगे जिसके कुलका आचार जैसाहोताहो वह अपना २ जानलो ॥ (भेद ५) अब इनके नामोंके मंत्रप्रयोगभी जिस २ अवस्थामें जिसरीतिसे उच्चारणकरने उचितहों सो कह-ने चाहिये क्योंकि सीधेक्रमके मरणमें तौ सर्वत्र (पितृभ्यःपितामहेभ्यःप्रपितामहेभ्यः) यह मंत्र प्रयोग बोलाजाताहै और सर्वत्रपद्धतियोंमेंभी इसीक्रमसे लिखाहोताहै परन्तु व्युत्क्रमके मरणवाला किसप्रकारसे उच्चारणकरै इसलिये यह नियम कहतेहैं कि जिसका पिता जीताहो वह (पितुःपितृभ्यःपितामहेभ्यःप्रपितामहेभ्यः) इसयुक्तिसे उच्चारणकरै-और जिसका दादा जीताहो वह (पितामहस्य पितृभ्यःपितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः) इसप्रकारसे कहै-ऐसेही मातृश्राद्धोंमें माता दादी परदादी आदिके व्युत्क्रम मरण मध्ये यहनामोंका प्रयोग और इस्से पहले चौथे भेदमें वर्णनकरी सपिंडताका भी निर्णय अपनीबुद्धिसे अनुमानकरलेना ॥ (भेद ६) उसचौथेभेदमें वर्णनकरी सपिंडताके निर्णयमें इतनीबात औरभी विशेषहै कि गोब्राह्मणआदिसे मृत्युपाये पिताकी भी सपिंडता नहीं होतीहै-सोई कात्यायन ऋषिका यहवाक्यभी प्रमाणहै कि (ब्राह्मणा दिहतेतातेपतितेसंगवर्जिते । व्युत्क्रमाच्चमृतेदेयंयेभ्यएवददात्यसौ) अर्थात्-ब्राह्मणगऊ आदिसे पिताके मारेजाने या पतित कहिये वैधर्म्य किंतु जातिच्युतहो जाने या संग वर्जित कहिये संन्यासीहोजाने अथवा व्युत्क्रमकीमृत्युपाजाने परभी उनको पिंडदेने चाहिये कि जिनको यह आपदियाकरताथा-अर्थात् इसप्रकारकी मृत्युवालोंकी सपिंडता तौ नहीं करनी परइनसे पहलेतीनोंपितरोंके नामसे पार्वण विधिकरदेनी चाहिये-और भी यहविशेषताहै कि जो व्युत्क्रममृत्युके हेतुकरके सपिंडीकर्मसे वर्जितरहे हों तिनका यह सपिंडीकर्म उसदशामें फिर कियाजावेगा कि जबकभी व्युत्क्रमसेजी तारहनेवाला मरै इसका चर्चा ऊपरभी चौथे भेदके अन्तमें आचुकाहै परन्तु यहां पर और जो गोब्राह्मणादि हतगिनायेगये उनकी पीछेभी न होगी किंतु उनकीगया श्राद्धहोनासंभविताहै और संग वर्जित जो संन्यासी इनकेसाथमें गिनतीहुआ तिसका चर्चा फिरभी आगे २५४की अ-धिकोक्तिके चौथेभेदमें आवेगा वहां इसका विधिपूर्वकनिर्णय देखलेना-इस्से आगे जिसके कुलमें जैसाजैसा शिष्टसमाचार चलाआताहो वह अपना २ जानलेना २५२।२५३ ॥

अब इस्से आगेसालभरके मासिकश्राद्धसंयुक्तसोलह श्राद्धोंका निर्णय करतेहैं ॥

अर्वाक्सपिंडीकरणयस्यसंवत्सराद्भवेत् । तस्याप्यन्नंसोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५४ ॥

अक्ष०—जिसका सपिंडीकरण संवत्सरसे पहले होवै तिसके अर्थभी संवत्सरताई अन्न और जल सहित कुंभ द्विजको देवै २५४ ॥

अभि०—सपिंडीकरण श्राद्ध जिसप्रेतका वर्षभीतर करलियाहो तिसकेलियेभी निजशक्ति अनुसार अन्न और जलकाभरा घट यह रोजरोज या मास २ प्रतिउसके नाम के उद्देशते सालभरतक ब्राह्मणको दिये जावै २५४ ॥

अधि०—इसऊपरके कथनसे दोबातें प्रकटहुई—एक तौ यह कि सपिंडीकरणकी अवधि जो याज्ञवल्क्यजीने अनन्तरोक्त मूलश्लोकोंमें नहीं कहीथी सो यहां परदर्शाईहै कि होना तौ सालपूरेमेंही उचितहै परकहीं किसीहेतुसे सालके भीतरभी करलेना उचितहै और दूसरी यहबात कि पूरेसालकी सपिंडी ताई प्रेतको अन्न और जलकुंभदेना होताहै कदाचित् कोई सालभीतर करलेनेसे आग्रहकरै कि सपिंडी तौ होही गई अब उसबातसे क्याकामहै जो अन्न और जलकुंभका भगड़ा शेषरक्खें सो नहीं किंतु सालभीतर करलेने परभी वहकाम सालपूरे ताई कियेजावै—वर्षभीतर सपिंडी होजानेके मध्ये (आश्वलायन) ऋषिनेभी यहकहा है कि (अर्थसपिंडीकरणसंवत्सरताई दशाहेवा) अर्थात्—अब सपिंडीकरणका होना संवत्सरके अन्तमें अथवा द्वादशाहके दिनमें—(कात्यायनजी) ने यह कहाहै कि (ततः संवत्सरे पूर्णे सपिंडीकरणं भवेत् । त्रिपक्षे वा यदा वा विगृह्यद्विरापद्यते तदा) अर्थात्—तिसपिंडी संवत्सरपूराहोनेपर सपिंडी करणहोवै या जबसंवत्सरके भीतरहो तब या तौ त्रिपक्षकहिये तीन पखवाड़े पूरेहोने पर या जब कभी वृद्धिप्राप्तहोवै किंतु पिताके मरे पीछे सपिंडीका समयआनेसे पहलेही किर्मी के उसघरमें पुत्रजन्महोजावै तौ फिर उसीसमय सपिंडी करदेवै किंतु वर्ष या त्रिपक्षपूराहोनेकी आवश्यकता नहींहै—इनसभी आचार्योंके कथनसे द्वादशाह १ त्रिपक्ष २ वृद्धिकाल ३ संवत्सरका अन्त ४ यहचार पक्षसपिंडीके निश्चितहुये तिनमेंसे द्वादशाहमें तौ पिताका सपिंडीकरण साग्निक द्विजको करना चाहिये क्योंकि उसको नित्यं प्रति पितृयज्ञकीभी आवश्यकता बनीरहतीहै और सपिंडी विना पिंड या पितृयज्ञ आदि कर्मोंकी सिद्धिनहीं होतीहै इस्सेवहशीघ्र निपटजावै—सोई यहवाक्यभी प्रमाण है कि (साग्निकस्तु यदा कर्त्ता प्रेतो वाप्यग्निमान् भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सपिंडीकरणं पितुः) अर्थात्—जहां कर्मका कर्त्ता साग्निकहोवे या प्रेतही अग्निवान् हो तब द्वादशाहमेंही पिताका सपिंडी करणकर देना चाहिये—और जो मनुष्य निरग्निहो वहचरित्र त्रिपक्षमें करै या वृद्धिकालमें करै या संवत्सरके पूरेहोनेमें करै ॥ (भेद २) यहबाना तौ इसप्रकारसे निश्चय होगई (परन्तु) अब यह एकबड़ा भारी संदेहदेख पड़ताहै कि

संवत्सरके भीतर कोई सपिंडी करना चाहै तब सोलहश्राद्ध कैसेहोंगे किंतु षोडशश्राद्धोंको पहलेदेकर पीछे सपिंडीकरै या सपिंडी पहलेकरलेवै और षोडशश्राद्धोंको अपने२ आगंतासमयों परपीछे करतारहै क्योंकि वे सोलहश्राद्ध तौ सालभरमें पूरेहोतेहैं (और) इसवार्त्तामें पूर्वापरके मध्ये दोनों भांतिके वाक्य पायेजातेहैं-यथा-एकपक्षवाला तौ यहवाक्यहै कि (श्राद्धानिषोडशादत्वानतुकुर्यात्सपिंडनम् । श्राद्धानिषोडशापाद्य विदधीतसपिण्डताम् ) अर्थात्-सोलह श्राद्धों के दिये बिना सपिण्डन श्राद्धको नहीं करै किन्तु सोलह श्राद्धों को करलिये पीछेही सपिण्डी करै-और दूसरा पक्ष यह कहता है कि ( यस्यापिवत्सरादर्वाक्सपिण्डीकरणंभवेत् । मासिकंचौदकुंभंचदेयंतस्या पिवत्सरम् ) अर्थात्-जिसकी किसीहेतुसे वर्ष भीतर भी सपिण्डी होवै तिसकाभी मासिक श्राद्ध और जलकुंभआदि जो कुछहोताहै सो वर्षताई दिये जावै-अब इनदो पक्षोंकी विरोधतामें शांति वर्णन करतेहैं कि-जबसपिण्डी वर्षभीतर करनीपड़े तहां (उत्तमकल्प) तौ यहीहै कि सपिण्डीकोही पहलेकरै और सोलहश्राद्धोंको पीछे अपने२ सूचितकालोंमें करतारहै क्योंकि सूचितकालकी अप्राप्तिमें करनेका अधिकार नहीं होताहै और सपिण्डीका तौ वर्ष भीतरभी कालसंसूचितहै इससे उसको करनेमें दोष नहीं (और) वहवात जो कहीथी कि सोलहश्राद्धों के किये बिना सपिण्डी नहीं करनी तिसका यहभावार्थहै कि उनश्राद्धोंकाकरनाअतिशय आवश्यकहै किन्तु करनेमेंउपेक्षा नहीं करनी चाहिये और आगापीछा तौ यथाक्रमसे संभवितहोगा सोई होसक्ताहै-और दूसरे पक्षमें यहवाक्य जो प्रमाणहै कि सोलहश्राद्धोंको पहले एकसाथ इकट्ठे करिके पीछे संवत्सरके भीतरभी सपिण्डीकरै सो यह (आपत्कल्प) गौणकहलाताहै अर्थात् जिसको कोई ऐसीही आपत्ति देख पड़तीहो कि जानें पीछे मुझ से इसवातका निर्वाहहोगा या नहीं तौ ऐसापुरुष एकसाथसोलह श्राद्धोंकोउद्धारकरिकेफिरसपिंडी करै-(परन्तु) इसदशामें औरभी कुछ विशेषता चिंतनीयहै कि जबसपिंडीसे पहलेही (आपत्कल्प) की रीतिसे सोलहश्राद्ध एकसाथ निपटावै तब उनश्राद्धोंको केवल एको-द्विष्टकेही विधानसेकरै अन्यथा नहीं-और जो (उत्तमकल्प) की रीतिसे सपिंडीको पहलेकरलेवै तौ उससे उपरांतके वचेहुये षोडशश्राद्धोंमें कर्त्ताको साधारण भावसे भी अपनी शक्ति और श्रद्धाके अनुकूल स्वाधीनताहै तथा अपनेकुलाचार या देशाचार सेभी यहस्वाधीनताहै कि चाहै एकोद्विष्ट विधिसेकरै चाहै पार्वण विधिकरै परन्तु इस (विकल्प) का सिद्धांत केवल इतनाहै कि वर्षकेउपरांत हरसालके वार्षिक श्राद्धोंमें जिसको जैसा अधिकार अपने अपने कुलाचारके अनुसारहो वैसीही स्वाधीनतावर्ष भी-तर सपिंडीके उपरांत सोलहश्राद्धोंके शेषमेंभी उचितहै कि चाहै पार्वणकरै चाहै एको-द्विष्टकरै-सोई इसविशेषता मध्ये यहस्मृतिभी प्रमाणहै कि ( सपिंडीकरणादर्वाक्कुर्वन्

श्राद्धानिषोडश। एकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात्सर्वाणितानितु ॥ सपिंडीकरणदूर्ध्वयदा कुर्यात्  
दापुनः। प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्सतान्यपि) अर्थात्-सपिंडीकरणसे अर्वाककहिये  
इधर किन्तु भीतर २ षोडश श्राद्धकरताहुआ एकोद्दिष्ट विधानसे उनसबोंको करे (तु)  
शब्दके अभिप्रायसे निर्विकल्प यहवातसमझनी-और जबसपिंडीकरणसे उपरांतकरे  
तब उनकोभी वहकर्ता उसभांतिकरै जो जिसभांति प्रत्यब्दकरै या करनेका अधिकारी  
हो ॥ (भेद ३) यहपूर्वोक्त प्रेतश्राद्ध सहित सपिंडीकरणभी अनेक भाइयोंकेहोने और  
धनबांटकर जुदे २होजाने परभी एकहीको कर्तव्यहै किन्तु सबके सबजुदा २ श्राद्धभी  
उसप्रकारसे न करनेलगेँ जैसे देवकर्म या दानकर्म और तीज त्योहार अपने २ घर  
सबजुदा करतेहैं-तथाच(नवश्राद्धंसपिंडत्वंश्राद्धान्यपिचषोडश। एकेनैवतुकार्याणिसंवि  
भक्कधनेष्वपि) अर्थात्-नवश्राद्ध जो द्वादशाहसे पहले २ किये जातेहैं और सपिंडीश्रा-  
द्धऔर षोडशश्राद्धभी यहसब एकही करके कर्तव्यहैं धनोंके बाँटजानेमेंभी-परन्तु यह  
वात निर्विकल्प आवश्यकहै कि जोकोई एकभ्राता कर्म करनेका अधिकारीहो उसको  
थोड़ा २ धनसभी मिलकर कामकी अपेक्षा और अपनी शक्ति वा प्रभुता अनुसार देवे  
जिस्से कर्मफलके भागीहों और बिभागमें पायेहुये पैतृकधनके ऋणभारसे उद्धारहों ॥  
(भेद ४) यह प्रेतश्राद्ध सहित सपिंडीकरण पुत्रादिकों करके उनमनुष्योंका अवश्य  
भाव नियमसे करना चाहिये जो संन्यासी न होगयेहों किन्तु जो संन्यासीहुयेहों उनका  
नहीं-तथाचउशनाः (एकोद्दिष्टं न कुर्वीत यतीनां चैव सर्वदा। अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु वि-  
धीयते ॥ सपिंडीकरणं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः। त्रिदंडग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते) अर्थात्-  
यतियोंका सदैव प्रतिवर्ष एकोद्दिष्टभीनकरै और पुत्रादिकों करके सपिंडीकरणभी  
न करना चाहिये क्योंकि (त्रिदंडग्रहण) करनेसेही उनकोप्रेतत्व नहीं होताहै परन्तु ग्या-  
रहवाँ दिवसप्राप्त होनेमें उनकाभी पार्वण कियाजाताहै-इसमें भी चित्तकी स्थिरता  
या विचारकी लघुतासे संदेहहोसक्ताहै कि जबसपिंडीके होने बिना पार्वणका निषेधही  
करते चलेआतेहों फिर संन्यासियोंका क्योंकर पार्वणहोगा जिनकी सपिंडीका निषे-  
धभी इन्हीं श्लोकोंमें कहाहै-समुभौ यहकेवल चित्तकी भ्रमताहै किन्तु जोसपिंडीका  
निषेध उनको किया पर इन्हीं श्लोकोंमें यहभी तौ कहाहै कि उनको त्रिदंडके लेनेसे  
प्रेतत्व नहीं लगताहै फिर सपिंडीकी या प्रेतश्राद्धकी क्या आवश्यकतारही क्योंकि  
सपिंडी यद्वा प्रेतश्राद्धभी केवल इसनिमित्तसेहोताहै कि उनका प्रेतत्व छूटजावे और  
अपने पूर्व पितरों में मिलजावे भला यहभी सवठीक है परसंदेहकी प्रबलता अभी  
जाती नहीं क्योंकि प्रेतत्व तौ लगता नहीं इसहेतुसे सपिंडी और प्रेतश्राद्ध इनका  
नहीं किया परन्तु सपिंडी बिना किसके साथ इसका उच्चारणकरै जो क्रमसे ताने  
पिण्डदिये जावे सोकहो-समुभौ इसीलिये २५३ की अधिकोक्ति व्यवस्थाके इठंभेद



में कात्यायन ऋषिका वाक्यलिखचुकेहैं सो देखौ उसमें यहकहाहै कि (संगवर्जित) अर्थात् जो संन्यासी होगयाहो उसके मरेपर पार्वण श्राद्ध उनके नामसेदेना चाहिये कि जिनतीनोंको यहसंन्यासी आपदेताथा किन्तु संन्यासीके बापदादे परदादे इनतीनों का पार्वणकरै क्योंकि पार्वणमें तीनही पिण्डहोतेहैं इसलिये तीनसे न्यून या अधिक पितरोंका उद्देश नहीं होता अगर तीसरा पिण्ड इसका होता तौ चौथा परदादाका छूटजाता परन्तु इसका तौ सपिण्डी बिनाहोता नहीं इसलिये उन्हीं तीनोंकी तृप्तिद्वारा इसकी परमतृप्तिहोवेगी अन्यथा वहसिद्धांतसे किसीके पिण्डोंका भूखानहीं किन्तु करनेवालेके वंशका साक्षात् अभ्युदयरूपहै जिसके हेतुसे पूर्वपितरोंका उत्सव आरोपितहुआ-इसवार्ता में त्रिदंडकाचर्चा आयाथा सो संन्यासियोंका त्रिदंडनाम एकप्रकारकादंड विशेष यद्यपि वस्तुरूपसे होता किन्तु चतुरंगुल गो वालोंकी त्रिवलीगूथ कर कृत्रिम कियाजाता और उसके धारणकरनेवाला त्रिदंडी कहलातावरन उसकापंथभी उसके नामसे भिन्न विख्यातहो जाताहै (परन्तु) यहांपर ठेठकरउसकाचर्चा नहींहै क्योंकि प्रथम तौ उसकृत्रिम दंडके धारणकरनेसेही प्रेतत्वकाअभाव संभवितनहीं यद्वा संभवित होने परभी दूसरा यहदोष लगताहै कि उसकेवल त्रिदंडीकोही प्रेतत्व नहीं लगसका किन्तु अन्यसंन्यासियों को प्रेतत्व लगताहोगा . क्योंकि इसभेदके लिखेहुये दो श्लोकोंमें त्रिदंडग्रहणका विशेषण आयाहै (इसलिये) यहां पर संन्यासीमात्रकाचर्चा है क्योंकि (त्रिदंड) संन्यासके आश्रममात्रकी संज्ञाहै इसहेतुसे कि उसआश्रमके सामान्यलक्षण यहप्रसिद्धहैं कि मन १ बाणी २ शरीर ३ इनतीनोंको अपने आप दंडदेवै सो (त्रिदंडी) अर्थात् यती और इनतीनोंको दंडदेना यहीहै कि असत्संकल्प १ और असद्वाक्य २ और असद्व्यापार ३ इनसेहोने नहींदेवै-सोई मनुजीने यहकहाहै कि (वाग्दंडोऽथमनोदंडः कायदंडस्तथैवच । यस्यैतेनिहिताबुद्धौ त्रिदंडी तिस उच्यते) अर्थात् वाग्दंड १ मनोदंड २ कायदंड ३ जिसकी बुद्धिमें यहतीनोंदंड उपस्थितहों वह (त्रिदंडी) कहाजाताहै-और उसीको प्रेतत्व नहीं लगताहै (अन्यथा) केवल गैरिक वस्त्रोंकोही पीड़ा देनेसे प्रेतत्व दूरहोना तौ दूरहै वरन वहकहावतभी सद्भावहोजाती है कि ढोलहूसेखालगई क्योंकि यहत्रिदंड कुल्लयेसा मदानहीं विकताहै जो हरकिसी संन्यासीके भागमें लुटताहो ॥ (भेद ५) यहां ताई सारीक्रिया केवलपुत्रोंद्वारा वतलाई इस्से कहते हैं कि पुत्रोंकी अनुपस्थितिमें सगोत्रीआदि जिसकिसीने आवश्यकतासे स्वर्यातकी दाह क्रियाकरीहो उसीको दशदिन ताईका साराकर्मकरना योग्यहै-तथाच(असगोत्रःसगोत्रोवास्त्रीदद्याद्यदिवापुमान् । प्रथमेहनियोदद्यात्सदशाहंसमापयेत्) अर्थात्-असगोत्री चाहै अपनासगोत्रीही और स्त्री यद्वा पुरुषदाहदेवै परइनमें जो कोई पहले दिवस देवै सोई दशदिनभर सारा कर्म समापनकरै-तिसपीड़े जो कुल्लहोताहो सो उसकेअनु-

श्राद्धानिषोडश। एकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात्सर्वाणितानितु ॥ सपिंडीकरणदूर्ध्वयदा कुर्यात्  
 दापुनः। प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्सतान्यपि) अर्थात्-सपिंडीकरणसे अर्वाकृष्टि  
 इधर किन्तु भीतर २ षोडश श्राद्धकरताहुआ एकोद्दिष्ट विधानसे उनसबोंको करै (तु)  
 शब्दके अभिप्रायसे निर्विकल्प यह बात समझनी-और जब सपिंडीकरणसे उपरांत करै  
 तब उनकोभी वहकर्ता उसभांतिकरै जो जिसभांति प्रत्यब्दकरै या करनेका अधिका-  
 रीहो ॥ (भेद ३) यह पूर्वोक्त प्रेतश्राद्ध सहित सपिंडीकरणभी अनेक भाइयोंकेहोने और  
 धनबांटकर जुदे २ होजाने परभी एकहीको कर्त्तव्यहै किन्तु सबके सबजुदा २ श्राद्धभी  
 उसप्रकारसे न करनेलगें जैसे देवकर्म या दानकर्म और तीज त्योहार अपने २ घर  
 सबजुदा करतेहैं-तथाच (नवश्राद्धं सपिंडत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश। एकेनैव तु कार्याणि संवि-  
 भक्तधनेष्वपि) अर्थात्-नवश्राद्ध जो द्वादशाहसे पहले २ किये जातेहैं और सपिंडीश्रा-  
 द्धऔर षोडशश्राद्धभी यहसब एकही करके कर्त्तव्यहैं धनोंके बाँटजानेमेंभी-परन्तु यह  
 बात निर्विकल्प आवश्यकहै कि जोकोई एकभ्राता कर्म करनेका अधिकारीहो उसको  
 थोड़ा २ धनसभी मिलकर कामकी अपेक्षा और अपनी शक्ति वा प्रभुता अनुसार देवें  
 जिस्से कर्मफलके भागीहों और विभागमें पायेहुये पैतृकधनके ऋणभारसे उद्धारहों ॥  
 (भेद ४) यह प्रेतश्राद्ध सहित सपिंडीकरण पुत्रादिकों करके उनमनुष्योंका अवश्य  
 भाव नियमसे करना चाहिये जो संन्यासी न होगयेहों किन्तु जो संन्यासीहुयेहों उनका  
 नहीं-तथाच उशनाः (एकोद्दिष्टं न कुर्वीत यतीनां चैव सर्वदा। अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु वि-  
 धीयते ॥ सपिंडीकरणं तेषां न कर्त्तव्यं सुतादिभिः। त्रिदंडग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते) अर्थात्-  
 यतियोंका सदैव प्रतिवर्ष एकोद्दिष्टभीनकरै और पुत्रादिकों करके सपिंडीकरणभी  
 न करना चाहिये क्योंकि (त्रिदंडग्रहण) करनेसेही उनको प्रेतत्व नहीं होताहै परन्तु ग्या-  
 रहवाँ दिवस प्राप्त होनेमें उनकाभी पार्वण कियाजाताहै-इसमें भी चित्तकी स्थिरता  
 या विचारकी लघुतासे संदेहहोसकताहै कि जब सपिंडीके होने बिना पार्वणका निषेधही  
 करते चलेआतेहों फिर संन्यासियोंका क्योंकर पार्वणहोगा जिनकी सपिंडीका निषे-  
 धभी इन्हीं श्लोकोंमें कहाहै-समुभौ यहकेवल चित्तकी भ्रमताहै किन्तु जो सपिंडीका  
 निषेध उनको किया पर इन्हीं श्लोकोंमें यहभी तौ कहाहै कि उनको त्रिदंडके लेनेमें  
 प्रेतत्व नहीं लगताहै फिर सपिंडीकी या प्रेतश्राद्धकी क्या आवश्यकतारही क्योंकि  
 सपिंडी यद्वा प्रेतश्राद्धभी केवल इसनिमित्तसे होताहै कि उनका प्रेतत्व दूरजावे और  
 अपने पूर्व पितरों में मिलजावे भला यहभी सवठीकहै परसंदेहकी प्रबलता अभी  
 जाती नहीं क्योंकि प्रेतत्व तौ लगता नहीं इसहेतुसे सपिंडी और प्रेतश्राद्ध इनका  
 नहीं किया परन्तु सपिंडी बिना किसके साथ इसका उच्चारणकरै जो क्रमसे तौ  
 पिण्डदिये जावे सोकहो-समुभौ इसीलिये २५३ की अधिकोक्ति व्यवस्थाके ठठेभेद

में कात्यायन ऋषिका वाक्यलिखचुकेहैं सो देखौ उसमें यहकहाहै कि (संगवर्जित) अर्थात् जो संन्यासी होगयाहो उसके मरेपर पार्वण श्राद्ध उनके नामसेदेना चाहिये कि जिनतीनोंको यहसंन्यासी आपदेताथा किन्तु संन्यासीके बापदादे परदादे इनतीनों का पार्वणकरै क्योंकि पार्वणमें तीनही पिण्डहोतेहैं इसलिये तीनसे न्यून या अधिक पितरोंका उद्देश नहीं होता अगर तीसरा पिण्ड इसका होता तौ चौथा परदादाका छूटजाता परन्तु इसका तौ सपिण्डी बिनाहोता नहीं इसलिये उन्हीं तीनोंकी तृप्तिद्वारा इसकी परमतृप्तिहोवेगी अन्यथा वहसिद्धांतसे किसीके पिण्डोंका भूखानहीं किन्तु करनेवालेके वंशका साक्षात् अभ्युदयरूपहै जिसके हेतुसे पूर्वपितरोंका उत्सव आरोपितहुआ-इसवार्तामें त्रिदंडकाचर्चा आयाथा सो संन्यासियोंका त्रिदंडनाम एकप्रकारकादंड विशेष यद्यपि वस्तुरूपसे होता किन्तु चतुरंगुल गो वालोंकी त्रिवलीगूथ करकृत्रिम कियाजाता और उसके धारणकरनेवाला त्रिदंडी कहलातावरन उसकापंथभी उसके नामसे भिन्न विख्यातहो जाताहै (परन्तु) यहांपर ठेठकरउसकाचर्चा नहींहै क्योंकि प्रथम तौ उसकृत्रिम दंडके धारणकरनेसेही प्रेतत्वका अभाव संभवितनहीं यद्वा संभवित होने परभी दूसरा यहदोष लगताहै कि उसकेवल त्रिदंडीकोही प्रेतत्व नहीं लगसका किन्तु अन्यसंन्यासियों को प्रेतत्व लगताहोगा, क्योंकि इसभेदके लिखेहुये दो श्लोकोंमें त्रिदंडग्रहणका विशेषण आयाहै (इसलिये) यहां पर संन्यासीमात्रकाचर्चा है क्योंकि (त्रिदंड) संन्यासके आश्रममात्रकी संज्ञाहै इसहेतुसे कि उसआश्रमके सामान्यलक्षण यहप्रसिद्धहैं कि मन १ बाणी २ शरीर ३ इनतीनोंको अपने आप दंडदेवै सो (त्रिदंडी) अर्थात् यती और इनतीनोंको दंडदेना यहीहै कि असत्संकल्प १ और असद्वाक्य २ और असद्व्यापार ३ इनसेहोने नहींदेवै-सोई मनुजीने यहकहाहै कि (वाग्दंडोऽथमनोदंडः कायदंडस्तथैव च । यस्यैतेनिहिता बुद्धौ त्रिदंडी तिस उच्यते) अर्थात् वाग्दंड १ मनोदंड २ कायदंड ३ जिसकी बुद्धिमें यहतीनोंदंड उपस्थितहों वह (त्रिदंडी) कहाजाताहै-और उसीको प्रेतत्व नहीं लगताहै (अन्यथा) केवल गौरिक वस्त्रोंकोही पीड़ा देनेसे प्रेतत्व दूरहोना तौ दूरहै वरन वहकहावतभी सद्भावहोजाती है कि ढोलहूसेखालगई क्योंकि यहत्रिदंड कुछऐसा मद्दानहीं विकताहै जो हरकिसी संन्यासीके भागमें लुटताहो ॥ (भेद ५) यहां ताई सारीक्रिया केवलपुत्रोंद्वारा वतलाई इस्से कहते हैं कि पुत्रोंकी अनुपस्थितिमें सगोत्रीआदि जिसकिसीने आवश्यकतासे स्वर्यातकी दाह क्रियाकरीहो उसीको दशदिन ताईका साराकर्मकरना योग्यहै-तथाच(असगोत्रः संगोत्रोवास्त्रीदद्याद्यदिवापुमान् । प्रथमेहनियोदद्यात्सदशाहंसमापयेत्) अर्थात्-असगोत्री चाहै अपनासगोत्रीही और स्त्री यद्वा पुरुषदाहदेवै परइनमें जो कोई पहले दिवस देवै सोई दशदिनभर सारा कर्म समापनकरै-तिसपीत्रे जो कुछहोताहो सो उसकेअनु-

पस्थित पुत्रादिक आकरकरें यद्वा किसीहेतुसे पीछेभी उसीको करनाहो तबसपिंडी ताई तौ आवश्यकहै किन्तु सपिण्डीसे उपरांत जो वार्षिकपार्वणादि कियेजाते हैं उन में पुत्रोंका अधिकार तौ निर्विकल्प नियमसेही निश्चितहै परसगोत्री आदि जिसने दाह कियाहो उसकेलिये विकल्पहै अर्थात् वहअपनी इच्छा और श्रद्धाके अनुसार चाहै करौ या मतकरौ ॥ (भेद६) इसीप्रकार पूर्वोक्तरीतोंके अनुसार यहसपिण्डी कर्म शूद्रोंकाभी बारहवें दिवसकरना योग्यहै पर मंत्रोंविना-तथाच विष्णुस्मरणम्-एवंस-पिण्डीकरणंमंत्रवर्ज्यशूद्राणांद्वादशेहि २५४ ॥

अबनीचेकेश्लोकमें एकोद्दिष्ट श्राद्धकरनेके कालबतलाते हैं ॥

मृतेऽह्नितुकर्तव्यंप्रतिमासंतुवत्सरम् । प्रतिसंवत्सरञ्चैवमाद्यमेकादशेऽहनि २५५ ॥

अक्ष०—एकवत्सर-प्रतिमास मरे दिनमें फिर २कर्तव्यहै-और प्रतिसंवत्सरभी फिर फिरकर्तव्यहै-आद्यश्राद्ध ग्यारहवें दिनमें २५५ ॥

अभि०—एकसाल भर ताई प्रतिमास उसके क्षयाह दिनमें एकोद्दिष्ट करना चाहिये पुनिसपिण्डीहुयेपीछे हरसालभी एकोद्दिष्ट उसके मरेदिनमें करनाचाहिये-(आद्य) कहिये सबसे पहला श्राद्ध जिसको लोकमें एकादशाहभी कहते हैं सो ग्यारहवें दिनमें करै २५५ ॥

अधि०—यहां पर सावधानहोकर ध्यान धरना चाहिये कि योगीश्वर याज्ञवल्क्य जीको जो कुछ कहना था सो कहचुके जैसा कि अभिप्रायार्थ में लिखागया है और मुख्य प्रयोजन भी यही अंत में भी सिद्धकिया जावेगा ( परंतु ) संसारकी प्रकृति अनुसार इसके निर्णय मध्ये जो अगाध सागर सम शास्त्रार्थ है जिसको इसी अधिकोक्ति के दूसरे भेदसे लिखनाप्रारम्भ करेंगे और चौथे भेदमें समाप्ति पावेगा- यद्यपि उसके लिखने की बड़ीसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि (कार्य) कीसाधकता तौ मुख्य सिद्धांत केही ध्रुवा से अपेक्षा रखती है-तथापि जिज्ञासु लोगों को यथावत् उसके पूर्वापर का बोध और उस्से न्यूनाधिक या विपरीत दृष्टिका सिद्धांत यद्वा सर्व देशिक आचार की परिपाटी समझलनेके हेतुसे लिखनाभी आवश्यक है इसलिये उक्तभेदोंमें जाकरदेखौ-परअभी इसमें एक व्यवस्था औरभी कहनी शेषहै जिसका लिखना इसीजगह आवश्यकहै तिसके मध्ये यह अग्रोक्त स्मृति कुछ विशेष कहतीहै कि-(अपरिज्ञातेमृतेऽहन्यमावास्यायांश्रवणादिवसेवा) अर्थात्-मरणका दिवसजिममें नहीं जानाजाय तब उसका श्राद्ध अमावास्यामें करै या उसदिन करै जिसदिन उस के मरनेकी बात सुनीगईहो-सो-इन दोनों में यह सिद्धांत है कि जिसका दिन तौ निश्चय नहीं पर मरण का महीनामात्र मालूम हो तिसकातौ उसीमासकी अमावसमें करै और जिसका मासभी निश्चित नहीं होवै उसकेलिये अमावस नहीं किन्तु

दिन मरनेकी बातसुनीगई तिसदिनकरै-इसके सिवाय जिस किसीका महीना या दिन भी नहीं मालूम और मरने की बातभी सुनिवेमें न आईहो अर्थात् जबसे कभी विदेशगया तबसे कोई भांति की खबर उसकी नहीं पाई और इसी हेतुसे शास्त्रोक्त अवधिबीति जानेपर उसका मरना निश्चय करिके देहांत क्रिया तौ करनीचाही पर किसदिन करै इस अपेक्षा में यह व्यवस्था है कि जिसदिन घरसे निकसा हो तिसदिन करै अथवा वह दिन भी याद नहीं है कि वह किसदिन घरसे गयाथा क्योंकि बारह वर्षोंकी बात हर कोई नहीं यादरखसक्ता है तब ऐसी दशामें उस महीना की अमावस के दिन करै कि जिस महीना में वह घरसेगयाथा सोई इसवार्त्ता में यह स्मृति भी प्रमाणहै कि-(प्रवासदिवसेदेयंतन्मासेन्दुक्षयेपिवा)अर्थात्-प्रवासकहिये परस्थानके दिन श्राद्ध विधिदेयहै यद्वा उसी महीनाकी इन्दुक्षयनाम अमावसके रोज देवै-यह तौ मूलवाक्यहै और इसकी व्यवस्था ऊपर स्पष्ट होहीचुकी-परंतु यहांपरशास्त्रोक्त अवधिका चर्चा आयाथा उसका ज्ञानहोनाभी आवश्यकहैकि वह कितनी अवधिहोती है सो वह अवधियद्यपि कई भांति से होतीहै और जहां तहां अनेक शास्त्रोंमें उसका चर्चाआयाकरताहै और विधि उसकी पुत्तलविधानद्वारा प्रसिद्धहै परंतु मुख्य अवधि उसकी बारहवर्षकी होतीहै और वही प्रमाण के योग्य है सोई महादेवजीने पार्वती से महा निर्वाणतंत्रमें यह कहाहै कि-(नृणामुद्देशहीनानांपरिवारान्धनानपि।पालयेद्रक्षयेद्राजायावद्वादशवत्सरम् ॥ द्वादशाब्देगतेतेषांदर्भदेहान्बिदाहयेत् । त्रिरात्रांते तत्सुताद्यैःप्रेतत्वंपरिमोचयेत् ॥ ततस्तत्परिवारेभ्यःपुत्रादिक्रमतोधनम् । विभज्यनृपतिर्दद्यादन्यथापातकीभवेत् ॥ यद्यागच्छेदनुद्दिष्टेविभागांतेपिकालिके । तस्यैवदाराः पुत्राश्चधनंतस्यैवनान्यथा )अर्थात्- जो कोई प्रवासी लोग ऐसे कहीं विदेशमें रमिजावें जो मनुष्योंके(उद्देश)कहिये ढूँढने या पतालगानेसे हीनहों किन्तु कोई उनको ढूँढ न सक्ताहो उनके परिवारोंको औरधनोंको बारह वर्षोंपर्यंत राजापालै तथा रक्षाकरै इसप्रकार बारहवां वर्षभी पूराहोजानेपर न आवें तौ उनका मरजाना निश्चय करिके उनके(दर्भदेह) कहिये पुत्तलविधानसे दाहकरवावे और उन्हींकेपुत्रादिकोंद्वारा तीनरात्रि पीछे उनका प्रेतत्वभी छुड़वादेवै तिसपीछे उनके परिवारोंमेंसे पुत्रादि जोकोई धनके अधिकारीहों या जोकोई वृथाके अधिकारी बनकर दावसक्तेहों इत्यादि अधिकारियों को दायभागकी रीति से वांटकर राजा आप देवै इस्से विपरीत करनेमें वह राजाभी पातकीहोवै-हे कालिके यदिकदाचित् धनका विभागहोजाने पीछेभी वह (अनुद्दिष्ट) कहिये वेपतेवाला आजवै तौ उसीकी स्त्रियाहैं उसीके पुत्रभी और वह वँटाहुआ धनभी फेर उसीका है किन्तु इसमें कुछ अन्यथा नहीं-अर्थात् जो स्त्रियां यह कहनेलगें कि इसका तौ दाह कर्मभीहोचुका अबहमारे कामकायह नहीं सो यह कहना उनका वृथा

है ऐसेही पुत्र या जिस किसीने विभाग में धन पाया हो वह कहनेलगें कि हमने तो बांट में पाया यह धन अबहमाराहीहोचुका सो सब भूँठ है किन्तु ऐसी दशमैराजा फिर उसधनको लौटारकर धनीको दिलवावै और सारा घरबार उसीको खियोंसहित सौंपदेवै और जो राजाके बिनाही यह सारीबात शुभरीतिसेहोजावें तो राजाकी आवश्यकता नहींहै ॥ ( भेद २ ) वह शास्त्रार्थ जिसकी चर्चा अधिकोक्ति के प्रारम्भमें हुई थी सो अब यहांसे लेकर चौथे भेद पर्यन्त भिन्न २ देखौ मरण दिवस और दाह दिवस इनदोनों की अपेक्षामें (जातूकर्ण) के मतसे कुछ विशेष उक्ति है यथा (ऊर्ध्वत्रिपक्षाद्यच्छ्राद्धंमृतेऽहन्येवतद्भवेत् । अधस्तुकारयेदाहादाहिताग्नेर्द्विजन्मनः) अर्थात्-जो द्विजाती (आहिताग्नि) कहिये अग्निमान् हो उसका जो २ कर्म मासिकश्राद्ध आदि त्रिपक्षके उपरांतहो सो तो मरने की तिथिमें होवै और तीन पक्षके भीतर जो कुछ प्रेतकर्म आदि होताहै सो दाहके दिनसे गिनतीकरै-इस्से यह सिद्धांत निकला कि जो द्विजाती अनाहिताग्नि किन्तु निरग्निकहो उसका त्रिपक्षसे उपरांत और भीतरभी साराकर्म मरणकेही दिवसमें करै दाहसे कुछ अपेक्षा नहींहै ॥ ( भेद ३ ) इसके सिवाय(आद्यमेकादशेहनीत्याशौचोपलक्षणमितिकेचित्) अर्थात्-मूलश्लोकमेंयहवात जो कही है कि सबसे पहला श्राद्ध ग्यारहवें दिवसकरै इसबात को कोई २ आचार्य अपने मतसे या किसी और सिद्धांत से यह कहतेहैं कि यह ग्यारहवेंदिन का श्राद्ध शौच श्राद्धमें गिनती है क्योंकि ग्यारहवेंदिन का श्राद्धभी नव श्राद्धों में गिनती आचुकाहै-तथाच-(प्रथमेद्वितृतीयेद्विपंचमेसप्तमेतथा । नवमैकादशेचैवतन्नवश्राद्धमुच्यते) किन्तु ये नव श्राद्धभी मलिन षोडशीमें गिनतीहैं और पहले जिन सोलहश्राद्धोंका चर्चा २५३ अधिकोक्तिके तीसरेभेदके अंतमें आयाथा वह उत्तम षोडशी कहलतीहै इस्से यह ग्यारहवेंदिन का श्राद्ध निःसंदेह शौच श्राद्धका उपलक्षण देखपड़ता है-इसरे यहवात जो शास्त्रोंमें प्रसिद्धहै कि (शुचिनाकर्मकर्तव्यं) अर्थात् शुद्धहुये मनुष्य करके कर्म कर्तव्यहै-किन्तु अशुद्धशरीरसे कर्मकोन करना चाहिये-इसलिये योगीश्वर याज्ञवल्क्यने यह कहाहोगा कि (आद्यं) नाम शौचश्राद्ध ग्यारहवें दिनमेंकरै तिसपंचवारहवें दिनमें उत्तम षोडशी संबधी पहला श्राद्धहोगा-तथाच(द्वादशाहेत्रिपक्षेषु षमासेमासिचाव्दिके। श्राद्धानिषोडशैतानिसंस्मृतानिमनीषिभिः)इस्सेवह ग्यारहवेंदिनका श्राद्ध शौचश्राद्धका उपलक्षणदेख पड़ताहै-पुनि इसहेतुसे भी निश्चित होना कि (विष्णुऋषिने) भी ग्यारहवें दिनमें सामान्य रीतिसे चारोंवर्णोंकी सूतकशुद्धि अणकोद्विष्ट करना कहाहै-परन्तु-इसवातको मिताक्षराकार अपने निर्मलविचारमें अणुक्वतलानेहैं किन्तु वे कहतेहैं कि इसवातमें अयोक्त (पैठीनसि) ऋषिके वाक्यमें विशेष आताहै-तथाच(एकादशेद्वियच्छ्राद्धंत्सामान्यमुदाहृतम् । चतुर्णामपि वर्णानाम्)



कंचपृथक्पृथक्) अर्थात्-पैठीनसिने यह कहा है कि ग्यारहवें दिनमें जो श्राद्ध किया जा-  
ता वह सामान्य भावसे चारों वर्णको उसी दिन कर्त्तव्य है और सूतक चारों वर्णोंका  
जुदा २ होता है-उसमें शूद्रको महीना ताई सूतकरहता है ऐसेही अपनी २ जाति अनु-  
सार सूतक दूर होता है तभी उस जातिवालेका शौच श्राद्ध भी होना उचित है फिर ग्या-  
रहवें दिनके श्राद्धको कैसे शौच श्राद्ध कह सकें-अब इसमें जो यह बात कहना चाहौं  
कि फिर शौच कर्मके होने बिना वह (आद्य) श्राद्ध क्योंकर होसकता है क्योंकि कर्म तो  
शुचि होकर करना कहा और शुचिका होना किसी २ को मासपर्यंतमें संभवित है तो  
यह विरोध कैसे शांत हो सो कहो-तहां-(शंखऋषि) का यह वाक्य प्रमाणमें अच्छी रीति  
से घटता है कि (आद्य श्राद्धमशुद्धोपिकुर्यादेकादशेऽहनि। कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः  
पुनरेवसः) अर्थात्-शंखजीने यह कहा है कि-आद्य श्राद्धको अशुद्ध मनुष्यभी ग्यारहवें  
दिनमें करै क्योंकि इस (आद्य) श्राद्धके करनेमें कर्ता पुरुषको तात्कालिक शुद्धि हो जा-  
ती है किंतु जितनी देर उस (आद्य) श्राद्धको करता है उतनी देर तक शुद्ध समझा जाता  
है उससे पीछे फिर ज्योंका त्यों अशुद्ध हो जाता है उतने दिनके लिये कि जितनी अवधि  
उसके सूतक मध्ये उचित हो-अशुद्ध मनुष्यभी करै इस बातका यह आशय है कि जो  
कोई अपने वर्णजाति अनुसार उस दिन ताई शुद्ध हो चुका हो सो तो शुद्ध हुये पीछे  
करै और जिसका सूतक अभी कुछ दिनको शेष रहा हो वह अशुद्ध भी करै अर्थात् यह  
आद्य श्राद्ध कोई भी ग्यारहवें दिन करनेसे न छोड़ै क्योंकि यह श्राद्ध किसी भी षोडशी  
में गिनती नहीं है किंतु उत्तम मध्यम मलिन इन तीनों षोडशियोंसे भिन्न है-इसका  
(आद्य श्राद्ध) जुदानाम है इसीको लौकिकमें एकादशाह भी कहते हैं यद्यपि एकादशाह  
के दिन और भी अनेक श्राद्ध मध्यम षोडशी आदि खीरिपाकसे होते हैं परन्तु यह  
सबसे भिन्न किया जाता इसलिये योगीश्वरने ग्यारहवाँ दिवस इसका बतलाया है  
तथैव संवत्सर मात्रके प्रतिमास या रोज २ और प्रति संवत्सरके जुदेकहे हैं मूलश्लो-  
कमें कुछ असंभव नहीं है (परंतु) विष्णु आचार्यका वाक्य अभी विरुद्ध देख परता है  
क्योंकि उन्होंने चारों वर्णका अशौच दूर होना और एकोदिष्टका करना कहा है ग्यार-  
हवें दिनमें तहां यद्यपि सभी वाक्योंका प्रमाण यहां पर लिखनेसे विस्तार हुआ जाता है  
इसलिये यथाक्रमसे अपने २ स्थल पर लिखे जावेंगे पर उसका भी यह सिद्धांत है कि  
चारों वर्णोंका सूतक यद्यपि विशेषतासे अपनी २ अवधि अनुसार होता है परन्तु सा-  
मान्य निर्वाहकी मर्यादासे चारों वर्णोंकी दशाहिक शुद्धि भी होती है इसलिये (विष्णुजी) के  
दोनों कथन दशाहिक शुद्धि पर यथार्थ भावसे घटते हैं क्योंकि जब दशवें दिवसमें शुद्ध  
क्रिया करी गई तो वह दिन शरीरकी शुद्धतामें गिनती नहीं आसकता किन्तु उस दिन तो  
शुद्ध क्रियाके करनेमें रहे उसके भोर ग्यारहवें दिनसे शरीरकी शुचिता समझी गई सोई

ग्यारहवेंदिनमें एकोद्दिष्ट किया गया जो उन्होंने चारोंवर्षोंको करना कहा है सो यथार्थ से वही (आद्य) श्राद्ध है जिसको (योगीश्वर) ने भी सामान्य भावसे चारोंवर्षों को करना कहा पुनि उसीकी दृढ़ता (पैठीनसि) के भी वाक्यसे ऊपर हो चुकी है उसीका (शंखजी) के वाक्यसे प्रमाण ऊपर हो चुका है अर्थात् याज्ञवल्क्यजीका सिद्धांत किसीके भी वाक्यसे विरुद्ध नहीं हो सक्ता यह सर्वथा और सभी स्थलपर निश्चित है ॥ (भेद ४) यहांपर मूलमें योगीश्वरने प्रति संवत्सरके लिये भी एकोद्दिष्टका उपदेश किया और २५० के श्लोकमें एकोद्दिष्टका विधान जो बतलाया था उसमें दैवकर्मका निषेध कहा है सोई स्मृत्यन्तरसे भी प्रमाण पाता है तद्यथा- (वर्षे वर्षे तु कर्त्तव्या मातापित्रोस्तु सत्क्रिया । अद्वैतं भोजयेच्छ्राद्धं पिंडमेकं च निर्वपेत् )- अर्थात्- वर्षे वर्षे में सदैव माता और पिताकी भी भिन्न २ ( सत्क्रिया ) कहिये श्राद्ध संबंधी क्रिया करनी योग्य है तिसमें (अद्वैत) कहिये देवकर्मसे ही न श्राद्ध भोजन करवावै और पिंड भी एक ही देवै- ऐसे ही- (यम आचार्य) के भी वाक्यसे प्रमाण मिलता है- तद्यथा- (सपिंडी करणादूर्ध्वं प्रतिसंवत्सरं सुतः । मातापित्रोः पृथक् कुर्यादेकोद्दिष्टं मृते हनि ) अर्थात् सपिंडी के उपरांत पुत्र प्रतिसंवत्सर मातापिता दोनोंका एकोद्दिष्ट उनके मरे दिनमें भिन्न करै- (व्यासजी) के कथनसे भी एकोद्दिष्टका करना निश्चित होता है किन्तु वे वार्षिक तिथिमें पार्वणके करनेसे उलटा दोष बतलाते हैं- तद्यथा- ( एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते नरः । अकृतं तद्विजानीयाद्भवेच्च पितृघातकः )- अर्थात्- व्यासजी यह कहते हैं कि जो मनुष्य मातापिताके दिनमें एकोद्दिष्टको छोड़कर पार्वण करे है वह उसका किया हुआ भी न करनेमें गिनती समझै और जो ऐसा करे सो पितृघातक भी होवै- और (यमदाग्नि) ऋषि साक्षात् पार्वण काही करना बतलाते हैं- तद्यथा- (आपाद्य च सपिंडत्वतौ स्तोविधिवत्सुतः । कुर्वीत दर्शं वच्छ्राद्धं मातापित्रोः क्षये हनि ) अर्थात्- और सपुत्र मातापिताओंका सपिंडत्व विधिवत् कर चुकने पीछे उनके क्षयाहके दिनमें भी दर्शवच्छ्राद्ध करै अर्थात् जैसे अमावसमें पार्वण किया करते हैं तैसे ही प्रतिवर्ष उनके मरे दिनमें भी पार्वण करै- (शातातप) ऋषि भी यही बात कहते हैं तद्यथा- (सपिंडीकरणं कृत्वा कुर्यात्पार्वणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वांश्च्छ्रागलेयोदितो विधिः ) अर्थात्- ज्ञानी पुरुष सपिंडीकरण करके सदा प्रतिसंवत्सर पार्वण विधिसे ही किया करै क्योंकि यह विधि उन (छागलेय, मुनि) कही है जो आत्रेयगोत्रमें छगलकी संतान प्रसिद्ध है- इत्यादि बहुधा वाक्य दोनों पर में प्रमाण मिलनेपर दाक्षिणात्यलोग यह व्यवस्था निश्चय करते हैं कि और सपुत्र तथा क्षेत्रजपुत्र यह दोनों तौ मातापिताके क्षयाहमें पार्वण ही करै (और) दत्तक आदि पुरुष दशपुत्रों करके एकोद्दिष्ट करना चाहिये- सो यह बात दाक्षिणात्यलोग (जातूकर्ण) नाम एक ऋषि विशेषके मतसे कहते हैं- तथाच जातूकर्णः (प्रत्येच्छ्राद्धं पार्वणेनैव विधिनान्नेवै रसो । कुर्यात्तामिदं कुर्युरेकोद्दिष्टं सुतादश) अर्थात्- जातूकर्ण मुनिने यह कहा है कि और

और क्षेत्रजदोनोंप्रतिवर्ष पार्वणकीहीविधिसेकरौ पर इतरदशपुत्र एकोद्दिष्टकरै-(परन्तु) मिताक्षराकार अपने निर्मल विचारसे इसव्यवस्थाको असत् बतलाते हैं किन्तु वे कहतेहैं कि इस जातूकर्णके वाक्यमें कुछ विशेषकर क्षयाहकाचर्चा नहींहै और (प्रत्यब्द) यह शब्द जो इसवाक्यमें आयाहै तौ प्रत्यब्द श्राद्ध क्षयाहसे भिन्न औरभी अनेक होतेहैं कुछ मेरेदिनकेही शिरटीका नहीं है क्योंकि अक्षयतृतीया माघी वैशाखी आदि अनेक श्राद्ध प्रतिवर्ष करनेयोग्य शास्त्रोंमें कहेहैं तिनकेलिये औरस औरक्षेत्रजको करना कहाहोगा-इसहेतुसे क्षयाह संबंधी एकोद्दिष्ट और पार्वणकी यहव्यवस्था नहीं है-और जो (पराशर) स्मृतिका यहवाक्यहै कि(पितुर्गतस्यदेवत्वमौरसस्यत्रिपौरुषं सर्वत्रानेकगोत्राणामेकस्यैवमृतेऽहनि)इस्सेभी यहव्यवस्थानहीं सच्चीहोसक्तीहै क्योंकि इसकाभी यहअर्थहै कि-देवत्वको पहुँचेहुये पिताका अर्थात् जिसकी सपिंडीहोचुकी हो तिसपिताका औरस पुत्रकरके (सर्वत्रत्रिपौरुष) कहिये पार्वण श्राद्ध कर्त्तव्यहै-यहां (सर्वत्र) कहनेसे यह विशेषता पाईगई कि क्षयाहमेंभी सपिण्डीके पीछे पार्वण करसक्ताहै पर इसविशेषतासे कुछ एकोद्दिष्टका निषेध नहीं पायागया और (अनेक गोत्राणां) अर्थात् अपने पितासे भिन्नगोत्रवाले मातुलादिकोंका (मृतेहनि) कहिये उनकेमरे दिनमें जो करनाचाहै तौ (एकस्यैवकुर्यात्) किन्तु उसएकहीके नामसे एकोद्दिष्ट मात्र करै-परन्तु (मृतेहनि) इसकथन से केवल मरे दिनमें भिन्नगोत्रियों के पार्वणका निषेध पायागया अन्यत्रइनकेभी पार्वणका निषेध नहींपायागया इसीसंवर्णित पराशरवाक्य में औरसको सपिण्डीपीछे क्षयाहमेंभी पार्वण करनेका अधिकार निश्चितहुआ जैसा अभी ऊपर लिखचुकेहैं उसके साथमें यहभी लिखाहै कि इसविशेषतासे एकोद्दिष्टका निषेध नहीं पायागया तिसकी दृढ़ताके लिये (पैठीनसि) ऋषिके वाक्य प्रमाणसे औरसको सपिण्डीके उपरांत प्रतिवर्ष अपने पिताके क्षयाहमें एकोद्दिष्टकाभी अधिकारपाया जाताहै-तद्यथा(एकोद्दिष्टं हि कर्त्तव्यमौरसेनमृतेऽहनि। सपिण्डीकरणादूर्ध्वमा तापित्रोर्नपार्वणम् ) अर्थात्-पैठीनसिने यहकहाहै कि औरसको माता पिताके मरेदिन में एकोद्दिष्टही कर्त्तव्यहै क्योंकि सपिण्डी करलेनेके उपरांत माता पिताके क्षयाहमें पार्वण नहीं होता किन्तु अमावसआदि अन्यपर्वोंमें पार्वणकरै-फिर इसीव्यवस्थाको उदीच्यलोग पहाड़ी आदि इसप्रकार निश्चयकरतेहैं कि(अमावास्यांक्षयोयस्यप्रेतपक्षेऽथवापुनः। पार्वणंतत्रकर्त्तव्यंनैकोद्दिष्टंकदाचन) अर्थात्-अमावास्याके दिवसजिसके प्राणछूटेहों अथवा प्रेतपक्षमें छूटेहों तिसके मरेदिनमें पार्वणकर्त्तव्य है कदाचनभी उसके मरेदिनमें एकोद्दिष्टनकरै-इसवाक्यसे सिद्धांत यह पायागया कि अमावास्या और प्रेतपक्षके सिवाय और किसी दिनमराहो उसके मरेदिनमें प्रतिवर्ष एकोद्दिष्टही करै किन्तु उसदिन पार्वणका अधिकार नहीं और पार्वण अन्य पर्वोंमें निःसंदेहकरै-

वरनवे उदीच्य लोग वर्तावाभी इसीप्रकारकरते हैं (परन्तु) मिताक्षराकार यहकहतेहैं कि वृद्धलोग जो अनेकशास्त्रोंके अधिकारीहैं वे इसवचनका भावार्थ मात्र अंगीकार करतेहैं किंतु इसके सिद्धांतका आदर नहीं करते इसहेतुसे कि प्रथम तौ इसवचन का उत्पत्तिमूल किसीको निश्चित नहीं कि यहकौनसी स्मृतिमेंसे लियागयादूसरे यह बात कि जो अनेकवाक्यप्रसिद्ध मुनीश्वरोंके कहेहुये मरेदिनमें पार्वण करनेकाप्रमाण देते हैं उनका प्रतिपक्षी इसका सिद्धांतहुआ जाता है क्योंकि यहवाक्यकेवल अमावस और प्रेतपक्षके मरेदिनमें पार्वणकरनेको कहताहै सो तौ प्रमाणके योग्यहै पर इसका सिद्धांत जो औरोंको निषेधबतलाताहै तिससे उनप्रसिद्ध मुनीश्वरोंके वाक्य भूँठेहुये जातेहैं इसलिये इसवचनका केवल अक्षरार्थमात्रस्वीकार होसक्ताहै-क्योंकि क्षयाहके निर्णयमध्ये माता पिता पुत्र इनतीनोंकी लक्षणासहित पार्वण और एकोद्विष्ट दोनोंका अधिकार सिद्धहोताहै सोई दोनोंकीसिद्धि विषयिक अनेकवाक्यपहले भी इसी चौथेभेदके प्रारम्भमें लिखचुके हैं और यहांभी फिर लिखतेहैं-तथाच (सपिण्डीकरणादूर्ध्वप्रतिसंवत्सरंसुतैः । मातापित्रोःपृथक्कार्यमेकोद्विष्टंमृतेऽहनि ) इससे तौ एकोद्विष्टका अधिकार निश्चित है और पार्वणका अधिकार इसअग्रोक्तसे निश्चितहै-यथा(आपाद्यसहपिण्डत्वमौरसोविधिवत्सुतः । कुर्वीतदर्शवच्छ्राद्धंमातापित्रोः क्षयेऽहनि)और कोई कोई जो (सुमंतु) के कथनानुसार यहकहते हैं कि माता पिताके क्षयाहमें(साग्निक) द्विजाती पार्वणकरै और (निराग्निक) द्विजाती एकोद्विष्टकरै-तद्यथासुमंतुः(वर्षेवर्षेसुतःकुर्यात्पार्वणंयोग्निमान्द्विजः । पित्रोरनग्निमान्धीरएकोद्विष्टंमृतेऽहनि) अर्थ इसका ऊपर होहीचुका-(परन्तु)मिताक्षराकार यहकहतेहैंकियह वाक्यभी उपेक्षा करने योग्यहै क्योंकि एक तौ अच्छे सत्समाचारमें प्रतिपक्षी होताहै दूसरे यहस्मृति भी प्रमाणहै कि (वङ्गनयस्तुयेविप्रायेचैकाग्नयएवच । तेषांसपिंडनादूर्ध्वमेकोद्विष्टं पार्वणम्)अर्थात्-जो बहुत अग्नियोंवाले विप्रहैं और जो एकअग्निवाले विप्रहैं उनके भी सपिंडनके उपरांत एकोद्विष्ट होताहै पार्वण नहीं (एवच)इसके अभिप्रायसे विप्रों के सिवायअन्य साधारण द्विजातीभी संग्रहीतहैं किन्तु केवल विप्रही नहीं इसप्रकार के-फिर उस (सुमंतु) वचनकी विशेषता क्योंकर प्रमाण मानजाय-इसलिये अबइम चौथेभेद मात्रके समस्त वाक्योंका पूर्वापर आलोचन किये पीछे विरोध शांतिपूर्वक निर्णयरूप (सिद्धांत) लिखतेहैं कि इसप्रकारसे वर्तावा करना चाहिये-तहां-अमावस के मरेदिनमें और प्रेतपक्ष जो करणागत प्रसिद्धहैं उसमें जो कोई मराहो तिसके मरे दिनमें पार्वण कर्तव्यहै-क्योंकि ऊपर उदीच्यलोगोंके प्रमाणदियेहुये वचनके सिद्धांत का निरादर करके उसका अक्षरार्थमात्र स्वीकारकरचुके हैं १ ॥ और संन्यासियोंके भी उनके मरेदिनमें पुत्रोंकरके पार्वण कर्तव्यहै एकोद्विष्ट नहीं चाहै वे किसी पक्ष

किसी दिनमें मरेहों इसमें कुछभेद नहीं-क्योंकि (प्रचेतस) स्मृतिका यहवचन इसमें प्रमाणहै कि(एकोद्दिष्टंयतेर्नास्तित्रिदंडग्रहणादिहासपिण्डीकरणाभावात्पार्वणंतस्यसर्वदा)अर्थात्-(इह) संसारमें-(त्रिदंड) लेनेके हेतुसे (यती) का एकोद्दिष्ट नहीं होता किन्तु उसका सपिण्डी करणके अभावसे सर्वदा कहिये प्रतिवर्षभी पार्वण कर्तव्यहै-उसरीति से कि जैसा चर्चा २५३ की अधिकोक्तिके छठे भेदमें कात्यायन ऋषिके वाक्य अनुसार आचुकाहै पुनि वहीचर्चा २५४की अधिकोक्तिके पांचवेंभेदमें आयाहै जहां चाहौ तहां देखलो २ इसके सिवाय और सर्वत्रसाधारणभावसे चाहै साग्निकहो चाहै निरग्निकहो किन्तु सभी द्विजातीमात्र को पिता माताके क्षयाह दिनमें प्रतिसंवत्सर के लियेभी (विकल्प) अंगीकारहै अर्थात् चाहै पार्वण करौ चाहै एकोद्दिष्टकरौ दोष किसी मेंभी नहीं है और फलकी सिद्धिदोनोंमें संभवितहै-तथापि इसविकल्पमें अपने २बंश के आचारपर दृष्टिकरनी उचितहै किन्तु जिसके बंशमें जैसाहोताहो सो समझलो ३ ये तीन प्रकारके सिद्धांत इसमें अनिर्वचनीय निश्चितहुये-(शंका) क्योंजी अनिर्वचनीय कैसेहुये इसीजगह ऊपर यहकहतेहौ कि दोष किसीमेंभी नहींहै और इसीचौथे भेदके प्रारंभस्थलमें (व्यासजी) का यहवाक्य जो लिखचुकेहौ कि( एकोद्दिष्टंपरित्यज्य पार्वणंकुरुतेनरः। अकृतंतद्विजानीयाद्भवेच्चपितृघातकः)इसके साथमें यहभी लिखचुके हौ कि व्यासजी पार्वणके करनेमें उलटादोष बतलातेहैं सो प्रत्यक्ष इसवाक्यसे पार्वणकरनेमें (पितृघातकत्व) और (अकृत) शब्दसे फलाभाव दोदोषहैं फिर कैसे दोष नहीं और क्योंकर अनिर्वचनीय तीनों सिद्धांतहुये सो कहौ (समाधान) सुनौ व्यासजीके वाक्यसे जो भावार्थ तुमने समझा या पूर्वस्थलमें लिखागया तिसका आशयबड़ी दूरहै किन्तु व्यासजीने यहकहाहै किजो कोई एकोद्दिष्टको इसप्रकारसे परित्यागकिये पीछे पार्वण करताहै कि आजहमारे पिताका वार्षिक क्षयाहका दिनआयाहै जिसमें मैं पार्वण कियाकरताहूं पर अबकीवार पार्वण करनेकी या उसकी लागति लगानेकी मेरी सामर्थ्य नहीं यद्यपि एकोद्दिष्ट करसक्ताहूंक्योंकि उसमें थोड़ीलागति और थोड़ा कामहै परन्तु मैंने कभी एकोद्दिष्ट नहीं किया किन्तुमेरा नियमहै कि करों तौ पार्वण करों नहीं तौ न करों इससे अबकीवार जानेदो अगलेसाल अच्छी लागतिसे पार्वण करोंगा-वसएसे पुरुषने जबएकसाल इसआग्रहसे एकोद्दिष्टका परित्याग किया और अगले सालवडे धडिल्लेसेभी पार्वण किया तब उसका वहपार्वण न करनेकी गिनती में आया और पहले सालमें उसको निपट न करनेसे (पितृघातकत्व) दोष निःसंदेह लगा-इसीलिये योगीश्वरने समयकी सामर्थ्यका अनुमान करिके क्षयाहमेंकेवल एकोद्दिष्टका आदेश किया है जिस्से किसीको (पितृघातक) न होनापरै किन्तु योगीश्वरने सभीवातोंमें सीधी २ निर्वाह विधिकहीहै सोई व्यासजीका आशय उसवाक्यसे पाया

गया कि उसप्रकारके पार्वणसे एकोद्दिष्ट काही करनाश्रेष्ठहै और जिस्से बनिआवै सो पार्वणकरौ यहअधिक अच्छीबातहै-अन्यथा कुछ व्यासजी अज्ञानी नहींथे जो एक अतिउत्तम कर्मके करनेको उलटा दोष बतलाते जोअनेक ऋषियोंके द्वारा घंटा घोष-वत् प्रसिद्धहोचुकी या कुछपहले ऋषीश्वरोंसे व्यासजीका बैरभावनहींथा जो उनके सिद्धवाक्यों पर वज्रसा दे मारते-परन्तु ऋषीश्वरोंके स्वल्पोक्तिरूप और अनंतार्थहेतु-गर्भित वाक्योंका आशय समुभिपाना बज्रहै किंतु देखनेमें बड़ेसीधे २ अन्वयवान् प्रतीत होतेहैं पर विचारनेमें भूलभुलैयाका अजायबघर होजातेहैं इस्से शंकाकरने का अवसर नहींहै॥ (भेद ५) दृष्टिकरौ उध्वोक्त चौथे भेदका सारा शास्त्रार्थ जो बड़े २ चारपृष्ठोंपर आया सोमूलमें केवल (प्रतिसंवत्सरञ्चैव) इतने पदके ऊपर लिखागया ऐसेही इस्से पहले तीसरेभेदका शास्त्रार्थ जो दोपौनेदो पृष्ठोंपर आया सोमूलमें केवल (आद्यमेकादशेऽहनि) इसपदके ऊपरलिखाहै-पुनि उस्से पहले दूसरे भेदका शास्त्रार्थ मूलमें (मृतेऽहनितुकर्तव्यं) इसपदके मध्यलिखाहै-पुनि उस्सेभी सबसे पहलेभेदमें अधिकोक्तिके प्रारंभसे लेकर दोडेदृष्टोंमें जो आया सोमूलमें (मृतेहनितुकर्तव्यं) (प्र-तिमासंतुवत्सरं) इनदोनों पदोंपर मरेहुयेका दिन और महीनाआदिके निर्णयमध्ये लिखागया-इसलिये उनपूर्व संवर्णित चारोंभेदका सिद्धांत यहांसे लेकरसातवें भेदतक स्पष्टकरतेहैं ॥ (भेद ६) (सिद्धांत) पहलेभी इसबातका चर्चाहोचुकाहै कि इतनाविस्तार करनेकी कुछ बड़ीसी आवश्यकता नहींथी क्योंकि योगीश्वरने जो मुख्य सिद्धांतका ध्रुवाथा सोमूलमें कहदिया और इसनिर्णयसेभी उसीकी सिद्धिकरीगई-हां-इतनीबात अधिक निकसी कि माता पिताके क्षयाहमें पार्वणकाभी अधिकारहै किंतु केवल एको-द्दिष्टकाही नहीं पर योगीश्वरने एकही इसलिये बतलाया कि इसमें थोडा आयाम और थोडा व्यय अपेक्षितहै(तथैव) समयकी शक्ति और श्रद्धाके अनुरूप योगीश्वरने सारीबातों में निर्वाहविधि आदेशकरी है कि जिसका भार उठाने में साधारणों को अरुचि नहींहोवै-तथापि-इस निर्णयरूप शास्त्रार्थका विस्तार लिखनेसे बड़े २ अज्ञान लाभसमुभे गयेहैं कि एक तौ शक्ति और श्रद्धा सर्वत्र सबजनोंकी एकसी नहीं होंगी किंतु न जानैं कोई किसबातके करने या समुभने मात्रकी अपेक्षारखताहो और मर्यादापरिपाटी के आलोकनकरने परभी उसको संदेहशेषरहजावै तौइतने बड़ेग्रंथके विचारनाभी तृथाहुआ-दूसरे यहवात कि बहुधाशुभ आचारके वर्तवा करनेवाले मनुष्य तौ थोड़े मिलते पर बाद विवाद की कचरियां बेंचनेवाले संप्रतिभी बहुते धूर्त्तखड़ेहोजाते उनका मुख भंजन करने को वाणगुल्ला बहुतेरे इसमें मौजद है अर्थात् बहुधा अपक्व मनुष्यों की यह प्रकृतिहुआ करतीहै कि जब कोई सज्जनके बार्त्ता के निर्णय मध्ये वह सिद्धांत उच्चारण करताहै कि जो उचित है और मित्र



निर्णय कियाहुआ उपस्थितहै ऐसे समयपर वे धूर्तलोग जो शास्त्रमें तौ निपुणनहीं पर वृथा कुतर्कवादमें अभ्यासरखतेहैं उन्होंने एक ऐसा संक्षिप्त ग्रंथोंका वाक्य उसमें पत्थरसा उझालकरमारा जिस्से प्रत्यक्षमें उसमुख्य सिद्धांतपर न्यूनताका लांछनसा प्रतीतहोनेलगा यथार्थ से वह लांछन उसमें लगने योग्य नहींहै क्योंकि उसपत्थर-कार वाक्यमेंभी अर्थीश कुछ और है और सिद्धांत कुछ और है परंतु अब तत्काल उस लांछन की शांतिकरनेको दशपांच अन्यशास्त्रोंके वाक्यभी उपस्थित होनेचाहिये फिर ऐसाहरकोई नहींहोता जो दशपांचग्रंथोंके अनेकवाक्योंको प्रत्येक छोटीमोटीबातपर उपस्थितकिये फिरताहोजिस्से तत्कालउसदुर्जनका मुख भंजनकियाजावै-हां-जिसको कोईपरिहार उसकायादआया उसनेतौ यथोचित प्रतिपादनकिया और धूर्तकोपरास्त किया नहीं तौ वृथाही तत्कालसच्चे को भूँठाहोनापड़ा ( और ) यद्यपि बहुधा सज्जन प्राचीन ग्रंथोंका संग्रह रखते हैं परंतु वहसंग्रह भी तत्काल काम नहीं आता क्योंकि उनमें बड़े २ छिष्टस्थल संस्कृतमें जिनके एकएकमूल वाक्यपर दो चार पत्रोंकाटिका और ग्रंथांतर अनेक वाक्योंकी प्रमाण योजना जिसमें जितने वाक्य हैं उतनेही मत भिन्न २ प्रतीत होतेहैं यथार्थ से सिद्धांत सबका एक है परं ऐसेग्रंथ अतिकाल पीछे देखने में पढ़ेहुये भी विस्मृतहोजाते हैं फिर बिनापढ़ा केवल विचारसे उत्तर क्योंकर तत्काल देसक्ताहै-इसहेतुसे निर्णय बिस्तारका लिखानाही सर्वथा उचित समझागया जिसमें इसएकही ग्रंथके पढ़ने से अनेक ऋषीश्वरों का संमत वा अनेक शास्त्रोंका अभ्यन्तरविरोध शांतिके सिद्धांत सहित जानाजाय और तत्काल सारीवातों के मनोरथ पूरेहों-तीसरे यह कैसा उत्तमलाभ है कि जो कोई सोत्साह विद्याके अनुरागी होकर अन्यस्मृतियोंको उल्था द्वारा प्रकाश करनाचाहें या प्रथमारंभ से भाषानुवाद की रीति सीखाचाहें उनकेलिये यह एक परम निदर्शन विद्यमान है कि दीपकसे दी-पक जोड़ें-चौथालाभ उनसेभी अपेक्षा रखताहै कि जिनको इसके आचारसे तौ कुछ सम्बन्ध नहीं पर शास्त्रोंके विचारमें निपुणता और बुद्धिकी सुगमता इच्छा करते हों उनको इसप्रकारके स्थल इसके पारसकी पथरी होजायँगे किन्तु यथार्थ रीतिसे जो इसकोपढ़ि समुझिलेवेंगे उनको विनागुरुकेभी अन्यविषयोंकेनिर्णयमध्ये बुद्धिप्रवेश करना सुगम होजावेगा-इस्से निज प्रयोजनकी संपूर्तिपरभी इन स्थलोंका छोड़ना उचित नहीं समुझा-तिसपरभी कदाचित् कोई यह संदेह कुतर्क वा सुतर्कसेहीकरना चाहै किऐसीभगडालू बातोंसे क्या अपेक्षाथी जो ऋषीश्वरलोग सीधी २ एकवात या एकहीमार्ग नहीं बोले किन्तु अपनी २ ओरको खींचाखांची होतीरही तिसका क्या हेतुहै तहां-सद्भाव यहसिद्धांतहै किवे ऋषीश्वरभी कुछ एकहीकाल याएकही भूमिभागमें नहीं हुये अर्थात् अपने२देशविभागोंमें अवतरे पुनिउसीमंडलके विशेषधर्मान्वारोंको अपने

ज्ञान और उसकालके अनुरूप तथा उसमंडलके मनुष्योंकी प्रकृति और प्रसन्नता और कल्याण कुशलक्षेमके अनुसार उसीसमयके कालात्माजगदीशकी इच्छा और प्रेरणासे परिकल्पनकिया इसप्रकारसे अनेक देशोंमें अनेकलक्षणके आचारहुये-तिस पीछे उनसबोंका संघात इसहेतुसे होतागया कि संसारी मनुष्यभी जहां उत्पन्नहोतेहैं सबके सब उसीमंडलमें नहीं बनेरहते किंतु अन्यदेशीने जाकर अन्यदेशी ऋषियोंमें विद्यापढी उन्हींके आचारसीखे पुनि वहांसे आकरयातौ अपने या किसी दूसरेदेश के निवासीहुये वहां अपने शास्त्रके सीखेधर्मोंका आचार प्रचारितकिया और आचार्य कहलाये तथा जो वहांकेभी कुछ आचार जिनमें कुछ भिन्नरीतैथीं अंगीकारकिये इससे आगे जो लोग इनके आश्रयभूतहुये या अन्यदेशी आचार्योंके अनुगतहुये उन्होंने परस्पर जहां तहांके निवासोंसे कुछ आचार अपने वहां सँचारे और वहांके जो उत्तम समझे कुछ२ अंगीकारकिये इसीप्रकार कालांतरोंमें क्रम२ से अनेकवाक्य वा अनेकरीतें प्रतीत होनेलगीं और यथार्थमें सभीश्रेष्ठ और सभीजगदीशकी इच्छा के आश्रयभूत परंतु मनुष्योंके निवासभेद वा स्थानांतर और उन्हींकी प्रकृति और समझ और आत्मप्रियता परोपेक्षा आदि परस्पर विरोध दृष्टिसे बाद विवाद को देखकर किसीमहात्मा परोपकारीने कोई ऐसाशास्त्रनिर्माणकिया जिसमें सबकेआचार और सबकीरीतें और सबके वाक्योंका प्रमाण देकर सबकी विरोध शांति और सब की एकता सबके निर्वाह अपनी इच्छा और निज२ देशाचारोंके अनुसार संग्रहकिये जिस्से कोईभी किसीसे( विरुद्ध ) नहींमानै किंतु अपने २ योग्य अपना विचार करिके समझले जब यह ढंगचला और इसमें कुछ कल्याणदृष्टिआया तब उसीप्रकार के अनेक शास्त्र उसकी देखादेखी निर्माण होनेलगे परंतु जो२ हुये सो केवल संस्कृतमें जिनको पहले समयके लोग तौ संस्कृत बहुधा पढ़तेथे और खूब समझतेथे पीछे संस्कृत की न्यूनतामें उनका लोपसा होनेलगा इसलिये समयके राजा आदि प्रतापियोंने भाषाके प्रचारपर दृष्टिकरी जिस्से कल्याणमें हानि नहीं होनेपावै ॥ (भेद७) ऊपरकी व्यवस्था जो देशभेदोंसे बतलाई इसमें कोई यह कहे कि उनदेशों का क्या परिमाण या अवधिहै-सो कुछ परिनियमितनहीं क्योंकि देशोंकेअनुसार जो व्यवहार या मर्यादें और बोली आदि बदलतेहैं उनकी अत्यन्त भिन्नता तौ द्वीपांतरसेही होतीहै और यह व्यवस्था केवल एक जंबूद्वीपके भीतरभी विशेषकर भरतखण्ड मंत्रों आर्यावर्त से अपेक्षा रखती है तिसमेंभी चातुर्वर्ण्यादि लोगोंपर मुख्यता है-तथाकि एकआर्यावर्तकेभी अनेकदेशविभाग और उनमें निज२ मंडलके कुछभिन्न२ आचार और बोली आदि भूम्यन्तर और जात्यन्तरसे प्रत्यक्षहैं यद्यपि जात्यन्तर तौ सर्वत्र अकथनीयहै परंतु भूम्यन्तरकी साधारणभावसे यहव्यवस्थाहै कि भूम्यन्तर एकप्रकार

धरतीकोभी कहसक्तेहैं अपनेअपेक्षित स्थानसेचाहै तिसओरको मापलो पर इस्सेकुछ प्रयोजनकी सिद्धिनहीं यहकेवल बीजांकुरहै किंतु अपनेचाहै तिस अपेक्षित स्थानसे बारहपग परभी भूम्यंतर होताहै ऐसेही बारहदंडका भूम्यंतर फिर बारहक्षेत्रका भूम्यंतर होताहै परन्तु बारहखेतके भूम्यंतर पर जो मनुष्य बसतेहोंगे उनमें और अपनेमें कुछ अंतरबोली आदिका निःसंदेहहोगा किन्तु वहअंतर ऐसा नहींहै कि जिसको हर कोई पहिंचानसके क्योंकि एकग्राम मात्रका साराचालचलन बोली वाणी एकसीहोती है तथापि जोग्राम बड़ा नगरहोगा तौ निःसंदेह उसके मुहल्लोंके अनुसार कुछअंतरहो जायगा ऐसेही बारह छोटेग्राम या बारह क्रोशके भूम्यंतरके जो निवासीहोंगे उनकी बोली आदिमें इतना अंतर होजायगा कि जिसको अनारी मनुष्यभी समझलेगा तथापि वहअंतर ऐसा नहींहै कि जिस्से वहांके मनुष्योंमें कुछभिन्नता समझीजाय परंतु जबबारह योजनका अंतर होजायगा तब अनेक बातों में इतना बड़ाभेदहोजायगा कि उनमनुष्योंमें अपनेसे कुछभिन्नता प्रतीत होजायगी इसके उपरान्त मनुष्यकी बारहकोसी मंजिलसे बारहदिनकी राहका भूम्यंतर जबहोजायगा तब औरही कुछ बोली औरही खानपान चाल व्यवहार आदिसारी बातें ऐसीनिकलेंगी जो एकदूसरे की कठिनतासे पहिंचानसकैगा और एकदूसरेकी प्रवृत्तिको मनोज्ञनहीं जानकर शीघ्र अंगीकारभी न करैगा और एक दूसरेसे चौकन्ना होजायगा-परन्तु-मिलनेके समयसे पल घड़ी मुहूर्त्त प्रहरआदि बारह २ काल व्यतीत होतेहोते क्रम २से बारहदिनमें परस्पर जानपहिंचानसी होनेलगैगी फिर बारहसप्ताह १२ पखवाड़े आदि क्रम २से बढ़ती २ वह पहिंचान १२ मासमें परस्पर प्रीतिभाव होजायगा और एक दूसरेकी प्रवृत्तिको थोड़ा बहुत अंगीकार करने लगताहै पुनि बारहवर्ष परस्पर सहवास पूर्वकरहते २ उनमें केवल जाति आदिका अंतरशेष रहजाताहै बहुधा प्रवृत्ति उनकी २ एकसी होजातीहै ऐसेही बारहयुग उपरांत जो उनकी संतानें होजातीहैं वे परस्पर ऐक्यभाव जानाकरतेहैं-और जाति आदिका अंतर जो शेषरह जाता कहा तिसमें एकबड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था जोनिपट लिखनेसे छोड़ीहै किंतु उसमेंभी बड़े २ भेदहैं कि जो उनजातोंमें कुछ थोड़ाभेद देशमात्रकाही हुआ अन्यथा वर्णमात्र दोनोंका एकही तौ फिर एकताभी यहांतकहोजातीहै कि परस्पर खानपान संबंधआदिभी होजानेलगते इत्यादि नाना भेदहैं कुछ एकहीनियम नहींहै सो सब लिखनेसे छोड़ेगये-बस इसीप्रकारके वर्त्तावको मनुष्योंका प्रकृति व्यवहार कहतेहैं और इन्हींकारणोंसे व्यवहारोंमें नाना लक्षणसे भिन्न २ और मिलेभी प्रतीतहोनेलगते हैं इस्से कोई भांति संदेह करनेका स्थल नहींहै कि ऋषीश्वरोंने यह क्याकिया क्योंकि इस (प्रकृतिव्यवहार) में कुछ ऋषीश्वरोंकोभी स्वाधीनता नहींहै किंतु यह प्रकृति व्यवहार यद्वा आचार यद्यपि मनुष्यों

की प्रकृतिमेंसे उत्पन्नहोताहै परन्तु वह प्रकृतिभी विशेषकर मनुष्योंकेही वशकी नहीं अर्थात् उसप्रकृतिकी प्रेरणाकरनेवाला वहीएक जगदीशहै जिसकीमाया वा शक्ति प्रकृतिरूपहोकर सारेसंसारमें विस्तरितहोरहीहै वहीजगदीश नानाप्रकारकेदेशवनाता और वही उनदेशोंमें नानाजातिके मनुष्य पैदा करता और उनकी भिन्न प्रकृतीभी कल्पित करता और परिणामको पहुँचाता रहताहै इन्हींतरंगोंकी अगाधतासे संसार सागर इसका नामहै २५५ ॥

अब यहां से आगे केवल नित्य श्राद्धको छोड़कर अन्य सब श्राद्धोंका शेषव्यवहारवर्णन करते हैं ॥

पिंडांस्तुगोऽजविप्रेभ्योदद्यादग्नौजलेपिवा । प्रक्षिपेत्सत्सुविप्रेषुद्विजोच्छिष्टंनमार्जयेत् २५६ ॥

ऐ०—पूर्वोक्त श्राद्धोंमें दियेहुये पिंडोंको (गऊ) यद्वा गऊके न होनेमें (अज) कहिये वकीरीहीकोदेदेवै अथवा कोई ब्राह्मण जोलेसकै या मांगनेलगे तिसको देदेवै या यहाँ नहीं तो अग्निमें छोड़देवै पर अग्नि ऐसीहो जिसमें भस्महोजाय अथवा गहिरैजल मेंछोड़देवै-और (सत्सुविप्रेषु) अर्थात् होतेहुये किंतु बैठेहुये ब्राह्मणोंके भोजनके स्थान पर द्विजोंकी उच्छिष्ट न मार्जनकरै किंतु बुहारैनहीं २५६ ॥

अधि०—इसका सिद्धांत केवल यहीहै कि ब्राह्मण चलेजावें या भोजनपंक्तिसे उठे पीछे किसी द्वितीय स्थानमें जाबैठें तबजूठ बुहारै किंतु उनके सन्मुख नहीं परन्तु यह सिद्धांत नहींहै कि उनके चलेजाने परभी जूठकोनिपट बुहारै नहीं २५६ ॥

हविष्यान्नेनवैमासंपायसेनतुवत्सरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्षतैः २५७ ॥

एणरौरववाराहशाशैर्मासैर्यथाक्रमम् । मासवृद्ध्याभितृष्यन्तिदत्तैरिहपितामहाः २५८ ॥

अक्ष०सहद्वयोः—निःसंदेहहविष्यान्नसेमासमात्र-औरखीरिसेएकवत्सर-मात्स्य-हारिणक-औरभ्र-शाकुन-छाग-पार्षत-इन्होंसे २५७ ॥ एण-रौरव-वाराह-शाश-दियेहुयेइत नमांसोंसे मासवृद्धि पूर्वक यथाक्रमसे इससंसारमें पितामह अभितृप्त होते हैं २५८ ॥

अभि०सहद्वयोः—यहां पर भोज्य विशेष वस्तुसेफल विशेषवर्णन करतेहैं कि-निःसंदेह इससंसारमें (पितामह) कहिये बाप दादा परदादा यहतीनों हविष्यान्नसे श्राद्धके एक दिन करनेसेभी एकमास पर्यंत तृप्तवने रहते हैं (और) पायस कहिये दूधकी खीरिमें श्राद्ध भोजनकरवानेसे एकवर्षमात्र अभिकहिये भलीभांति तृप्तरहते हैं इसके सिवाय जिनमांसोंकी चर्चा अबकरतेहैं तिनसे उत्तरोत्तर यथाक्रमसे एकएकमास अधिकवृद्धि होतीजातीहै अर्थात् जैसे हविष्यान्नके श्राद्धसे एकमास तृप्तिऊपर वतलाईथी परन्तु जो पाठानिआदि भक्ष्यमत्स्योंसे श्राद्ध भोजनकरवावे तो(मात्स्यश्राद्ध)कहलाताहै उसमें दोमासतक अच्छी तृप्तिरहती है-जब ताम्रमृगकहिये लालहरिणके मांसका श्राद्ध तब (हारिणकश्राद्ध) कहलाताहै उससे तीनिमास तृप्तिरहती है-जब(उरध्र) नाममेयक

मेढाके मांसकाकरै तब (औरभ्रश्राद्ध) कहलाताहै उससे चार मासतृप्तिरहती है-जब (शकुन) कहिये पक्षीमात्र जो भक्षोंमें गिनतीहों उनके मांसकाकरै तब (शाकुनश्राद्ध) कहलाताहै उससे पांचमास तृप्तिरहतीहै-जब (छाग) नाम वर्करमांसकाकरै तब (छागश्राद्ध) कहलाताहै उससे षड्मासिकतृप्तिरहती है-जब (ष्टवत्) नाम चित्रमृग जिसे चीताकहतेहैं उसकाकरै तब (पार्षतश्राद्ध) कहलाताहै इससे सात मास तृप्तिरहती है जब (एण) कहिये काले हिरनकाकरै तब (एणश्राद्ध) कहलाताहै उससे आठमास तृप्तिरहती है-जब रुरुनाम बनमृग जिसको शंवर यद्वा भाषामें शावरभी कहतेहैं तिसकाकरै तब (रौरवश्राद्ध) कहलाताहै उससे नवमास तक तृप्तिरहती है-जब बराहनाम बनसूकरसेकरै तब (बाराहश्राद्ध) कहलाताहै उससे दशमास तृप्तिरहती है-जब शशनामखरहा वा खरगोशकाकरै तब (शाशश्राद्ध) कहलाताहै उससे ग्यारहमास तृप्तिरहतीहै २५७ । २५८ ॥

अधि०-ऊपर हविष्यान्नका चर्चा आयाथा-हविष्यान्न तिलत्रीहि आदिको कहतेहैं सोई मनुजीने सबके नामभीस्पष्ट कहदियेहैं-यथा(तिलैत्रीहियवैर्माषैरद्भिर्मूलफलेनवा। दत्तेनमासंप्रीयंतेविधिवत्पितरोनृणाम्) अर्थात्-तिलोंसे-त्रीहिनामधानचावलोंसे-यवोंसे-माषनाम उड़दोंसे-जलोंसे-यद्वा मूलसे फलसेही विधिवत् दियेहुये श्राद्धकरके मनुष्योंके पितर एकमास तृप्तिरहतेहैं-यहसारी वस्तु हविष्यान्नमें गिनतीहैं सोई याज्ञवल्क्यजीने एक शब्दसे कहदियाथा-पायसके उपलक्षणसे दुग्धभी संबन्धितहै सोई यह स्मृतिभी स्पष्ट भावसे कहतीहै कि (संवत्सरंतुगव्येनपयसापायसेनच) अर्थात्-गव्येन पयसा किंतु गऊके दूधसे तथा पायसेन कहिये खीरिसेभी संवत्सर मात्रकी तृप्तिहोती है-इस्से निश्चित हुआ खीरिसबसे उत्तमहै क्योंकि पूरे संवत्सरकी तृप्ति और किसी वस्तुसे नहीं बतलाई २५७ । २५८ ॥

खड्गामिपंमहाशल्कंमधुमुन्यन्नमेवच । लोहामिपंमहाशाकंमांसंवार्षीणसस्यच २५९ ॥

यद्दातिगयास्थञ्चसर्वमानंत्यमश्नुते । तथावर्षात्रयोदश्यांमघासुचविशेषतः २६० ॥

ऐ०सहद्वयोः-औरभी कुछविशेषता कहतेहैं कि (खड्गामिपं) अर्थात् खड्गनाम गेंडा तिसका आमिष कहिये मांस१ (महाशल्क) एक प्रकारका उत्तमजातीमत्स्य विशेषहोताहै२ मधु सहत३ (मुन्यन्नं) मुनिलोगोंका अन्न नीवार आदि सभी प्रकारका जोवनमें होताहो४ (लोहामिपं) अर्थात् लोहकहिये लालबकरा तिसकामांस५ (महाशाकं) अर्थात् कालशाकभी इसको कहतेहैं श्राद्धशाकभी कहतेहैं वास्तवमें नाडीशाक प्रसिद्धहै जो वर्षा ऋतुमें तालावोंके किनारे होताहै६ और (वार्षीणस) काभी मांस७ । २५९ ॥ (यद्दातिगयास्थञ्च) अर्थात् इनमेंसे किसी वरतुकरके गयामें बैठाहुआ जो कोई श्राद्धदेताहै यद्वा (च) शब्दकी लक्षणासे गंगाद्वारादि तीर्थोंमें बैठकरदेताहै वह मनुष्यआनंत्यफल भोगताहै अर्थात् जो२ फलभोगनेको उसेमिलतेहैं तिनकाअंत नहींहै तथा

जो कोई उन्हींपूर्वोक्त चीजोंसे वर्षा त्रयोदशी कहिये वर्षाऋतुमें भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशीमें विशेषकर मघानक्षत्रसेभी संयुक्त उसीत्रयोदशीमें श्राद्ध करताहै वह अधिकतर आनंत्यफल भोगताहै २६० ॥ भाद्र० कृष्ण पितृपक्षका नामहै ॥

अधि० सहद्वयोः—(वार्धीणस) उसेकहतेहैं जोबहुत बडावकरा श्वेतवर्णका खस्सीकिसी देश विशेषका होताहै उसका नाम (त्रिपिवन्) या (त्रिपिव)भी कहतेहैं-तद्यथा(त्रिपिवन् त्विन्द्रियक्षीणंश्वेतंवृद्धमजापतिम् । वार्धीणसंतुतंप्राहुर्याज्ञिकाः श्राद्धकर्माणि-इतियाज्ञिकप्रसिद्धः त्रिपिवः पिवतः कर्णौजिह्वाचयस्यजलंस्पृशतिसत्रिभिः पिवतीतित्रिपिवः) अर्थात् इसलिये उसको त्रिपिवकहतेहैं कि जलपीतेहुये उसके दोनों कानभी जलमें डूजाते हैं अतिलंबे होनेसे और तीसरी जीभ जिस्से पीताहै-(च)शब्दकी लक्षणासे गंगाद्वारादिका प्रमाण-यथा(गंगाद्वारेप्रयागेचनैमिषेषुषुकरेऽर्बुदेःसंनिहत्यांगयायांचश्राद्धमक्षय्यतांत्रजेत्) २५७ के श्लोकसे लेकर यहां ताई जोमुन्यन्न और मांसआदि सारीवस्तुसाधारण भावसे कहीहैं कुछ वर्णभेद इसमें नहींकहा तथापि पुलस्त्य मुनिकी कहीहुई व्यवस्थासे कुछ विशेषतापाई जातीहै-सायथा(मुन्यन्नंब्राह्मणस्योक्तंमांसंक्षत्रियवैश्वयोः।मधुप्रदानंशूद्रस्यसर्वेषांचाविरोधियत्) अर्थात्-पुलस्त्यजीने यहकहाथाकिनीवार आदि मुन्यन्न जोश्राद्ध योग्यवतलाया सोतौ ब्राह्मण मात्रकेलिये प्रधानहै और यथोक्तफलका देनेवालाहै जैसाकुछ गयाआदिमें जहां २का फल कहाहो-और मांसकाजो अधिक फलकहा सोक्षत्री औरवैश्य इनदोनोंको यथोक्त फलका देनेवालाहै-और सहत जोकहाहै सो विशेषकर शूद्रजातीको यथोक्तफलका देनेवालाहै-इसके सिवाय(सर्वेषांचाविरोधियत्) अर्थात् जो वस्तु अविरोधीहो किंतु चाहै शास्त्रमें कहीहो जैसे कालशाक आदि चाहै बिना कहीहुईभी जैसे वास्तूक आदि या कोई वस्तुहो परजिसकेकुल आचार आदिसे विरुद्धतानहीं रखतीहो वहवस्तु सबकेलिये उचितहै-परन्तु अवयवार्थ दृष्टिसे समयके अनुकूल यह पुलस्त्यजीका वाक्यभी कुछ विरुद्धहै जिससमय में उन्होंने यह व्यवस्था कहीथी तब तौ किसी समयमें विरुद्धनहींथा परअब निःसंदेह विरुद्धहै किंतु मांसादिके व्यवहारसे अब कोई भांति श्राद्ध नहीं होसक्ता क्योंकि यद्यपि और सबको छोड़कर केवल क्षत्रीमात्र पर अंगीकार करौ उनके जातीधर्मके हेतुसे तथापि श्राद्धभोक्ता तौ ब्राह्मणके सिवाय और कोईनहीं होसक्ता फिर वहक्षत्री क्योंकर करसक्ताहै-हां-उसदशामें करसक्ताहै कि जब श्राद्धभोक्ता ब्राह्मणभी पहले समयकेसे समर्थ ऋषिलोगहों सो यहवातभी असंगत है-कदाचित् कोईकहे कि क्यापि कान्यकुब्जों या मैथिलोंमें बहुत ऐसेविद्यमानहैं सोभी असंगतहै क्योंकि कान्यकुब्ज या मैथिल मात्र निमंत्रणके भोजनसेही संबंध पक्कान्नसेभी नहींरखते फिरमांसको नो कच्चीरोटीमें गिनतेहैं दूसरे वैश्योंकाभी चर्चा इसमेंआया सो वैश्यजातिमें अधिक



तर इसबातकी उपेक्षा और निरादरहै इस्सेवर्ण या जातिमात्रके अनुसार यहव्यवस्थाकोई रीतिसेभी सच्चीनहीं होसक्तीहै फिरव्यवस्थाके भूँठीहोजानेसे पुलस्त्य और योगीश्वर याज्ञवल्क्य दोनों भूँठेहुये जातेहैं क्याऐसे अज्ञानीथे जिनको आगापीछा कुछनहीं सूझपरा जो चाहै सोमुँह आया सोईबकडारा-भला इनदोनोंका समयप्राचीनथा इस्से इनको कुछनहीं कहसक्ते पर सबसे अधिक लांछन श्रीमद्विज्ञानेश्वरमिताक्षराकार पर आरोपित होताहै जिन्होंने पुलस्त्यजीका वाक्यवर्ण जातिकी व्यवस्था परप्रमाण किया क्योंकि मिताक्षरा अभीहाल कालिहपरसोंकी संग्रहकरीहै क्याउन्होंने लोकाचारपर दृष्टिनहीं करीजोपुलस्त्यजीकाविरुद्ध वाक्यभी प्रमाणमेंलेलिया-परन्तु अब अपने मुख्य प्रयोजनपर दृष्टि करनी चाहिये जिस्से यह विरोध भी शान्तहो और वे महानुभावऋषिभी सच्चे बनेरहें-यद्यपिमिताक्षराकारकी इतनी मूल निर्विकल्प है कि उन्होंने इसबातपर कुछ निर्णय नहीं किया तिसकाभी यह हेतु अनुमान से प्रतीत होता है कि भाव उन्होंने बंगालमें बैठकर मिताक्षरा संग्रह करीहो-तथापियह व्यवस्था वर्ण और देश दोनोंके संयोग से सिद्ध होतीहै क्योंकि ऋषिलोग कदाचित् भी असम्भव नहीं कहते-इसलिये मुन्यन्न और दूध पायस कालशाक आदिसे श्राद्ध जो फलदायक या परम तृप्तिकारक बतलाये सो तौ उन जातों और देशोंके लिये बतलाये जिनमें मांसका त्याग और निरादरहै चाहै कोई वर्णहो इस्से कुछ तर्कणा नहीं है-दूसरे जो मांसके अधिकारवाले श्राद्ध फलदायक या परम तृप्तिकारक वर्णन किये सो उन्हीं जातों और उन्हीं देशोंके लिये बतलाये हैं जिनमें सर्वथा मांस का आदर और सत्कारहै जैसे बंगाला काश्मीर पहाड़ आदि देशों में जहां श्राद्ध के कर्त्ता और भोक्ता दोनों मांस खाते हैं चाहै कोई वर्णहो कुछ इस बातपर तर्कणा नहीं है-तीसरे जो सहतके अधिकारवाले श्राद्ध फलदायक या परमतृप्तिकारक बतलाये और पुलस्त्यजीने शूद्रोंके शिरथापे सो यह एक ओझी बातहै और शूद्र एक उपलक्षण मात्र इसलिये कहदियाहै कि पहाड़ोंमें बहुधा डोम आदि जातोंके शूद्र विख्यात होते हैं उनको इन देशोंके समान और कोई उत्तम पदार्थ नहीं हाथ आते हैं किन्तु वनमेंसे मनों सहतले आतेहैं और वहींके पहाड़ी ब्राह्मण उनके श्राद्धभोक्ता होते हैं जिनको दो २ सेर सहत पीजाना एक सहजसी बातहै क्योंकि और कोई देशी मिठाई तौ वहां होती नहीं और देशोंसे जाती है तौ वंशलोचनके भाव विकती है इस्से वे उसीको अमृत समझा करते हैं-यद्यपि-सहतके गुण और स्वादुभी अमृतकेही तुल्य यथार्थ होतेहैं परन्तु इसलिये नहीं होते कि केवल वही पीकर पेटभरलेवे तथापि उन ब्राह्मणों को इसबातका अभ्यास होताहै दूसरे उन डोम आदि शूद्रोंके हाथका अन्न तौ खाते नहीं फिर कोई रीतिसे उनका उद्धार करैं या न करैं इसलिये पुलस्त्यजीने शूद्रोंके उ-

पलक्षणसे कह दिया है-भला इसपर भी कोई यह (शंका) करे कि यह व्यवस्था तो सही है पर पुलस्त्यजीने पूर्वोक्त वाक्यमें क्षत्री और वैश्य दोनोंको मांसका अधिकार श्राद्ध में बतलाया सो तो अबतकभी असंगत बनारहा सो यह शंका केवल बुद्धिकी भ्रमता है किन्तु सावधानीसे ध्यान लगाकर सोचौ कि जब देश व्यवस्था कल्पित हो चुकी इस बातमें फिर संदेहका क्या अवसर है देखौ सरस्वती सम्बन्धी पश्चिम देशोंमें सारस्वत ब्राह्मण और सारस्वत क्षत्री जिनको बहुधा खत्री कहते हैं और सारस्वत वैश्य जो बहुधा उन्हीं खत्रियोंके भेदमें कोई २ खत्री वहांके वैश्यों में गिनती होते हैं यह सभीलोग निर्विकल्प मांसाहारी होते हैं उन क्षत्री वैश्योंके लिये पुलस्त्यजीने कहा है कुछ सभी वैश्योंके लिये नहीं क्योंकि उन्होंने उसी वाक्यके चौथेचरणमें सबभगदा निपटा दिया यह कहकर कि (सर्वेषांचाविरोधियत्) अर्थात् जो २ वस्तु जिसके निकट अविरुद्धहो किन्तु जिस्से जिसको ग्लानि नहींहो वह सभीके लिये अपने २ कुलदेश जातिके अनुसार श्रेष्ठहै फिर किसलिये (शंका) करतेहो ॥ (भेद २) काश्मीरी लोगों वा सारस्वत वैश्य और सारस्वत क्षत्री और सारस्वत ब्राह्मणोंका चर्चा जो मांसके अधिकार मध्ये कहा गया सो इसलिये कि काश्मीरियोंकी परिपाटी तो इस देशमें आवसनेपरभी बनिरही है कि बहुधा काश्मीरी लोग पिंडभी मांसकेही प्रत्यक्षभावसे देते हैं वरन वे अपने पितरोंकी तृप्तिही बिना मांसके अधिकार नहीं समझते क्योंकि उनके पितर जीवतेहुये भी मांस बिना तृप्त नहीं होतेथे किन्तु एक दिनभी मांस बिना भोजन नहीं करसक्तेथे फिर मरेहुये क्योंकर सूखे अन्नसे तृप्ति उनकी होसकै सिद्धांतसे भी यह बात ठीकहै क्योंकि इस देशमेंभी यह परिपाटी अपने लोगोंकी प्रत्यक्ष है कि जो वस्तु प्रेतको जीवतेहुये बहुत प्रिय लगतीहो वह वस्तु अवश्यभावसे उसके श्राद्धमें दीजाती है-इसीलिये काश्मीरी लोग जब कभी ऐसी दशामें श्राद्ध करते हैं कि जिस स्थानपर मांस नहीं मिलसक्ताहै या और कोई प्रबल हेतु आरूढ़ हुआ जिस्से मांस की असम्भवता हुई तब खोया मावा पेड़ा आदिमें किंचित् साँभरिनोन मिलाकर श्राद्ध बनाते हैं कि मांसके अभावमें वहभी मांसका अनुकल्प होजाता है यहां तक उनका अपने पितरोंकी तृप्ति करनेमें श्रद्धा और विश्वासहै-दूसरे सारस्वतोंकी यह व्यवस्था है कि यद्यपि अपने सरस्वती तट सम्बन्धी देशोंमें तो सर्वथा मांसके अधिकारी होते हैं यह बात निर्विकल्प निश्चितहै परन्तु जो २ सारस्वत अपना देश छोड़कर इन देशोंमें आघसे हैं उनमें अनेक भांति होगई हैं किन्तु बहुतेरे प्रत्यक्ष खाते हैं बहुतेरे त्रिभुज बहुतेरे इस देशकी लज्जासे निपट त्यागी होगये हैं तथापि अपने देश या कुल मन्त्र पर इतनी श्रद्धा रखतेहैं कि श्राद्धकर्मको बिना मांसके संसर्ग नहीं होनेदेते बहुतको ऐसे होंगे कि जो इस देशकी मर्यादा अनुसार श्राद्ध करतेहों अन्यथा बहुधा तो

पृथा चलीआतीहै कि जोलोग उनमें यहांकी देखादेखी त्यागी बनिरहेहैं वेभी गुप्त भावसे श्राद्धमें मांसमिश्रित पक्वान्नकी गोलियां घीमें परियोंकेसाथ पकवालेतेहैं वेही गोलियां पित्रोंको अर्पितकियेपीछे पितृब्राह्मणोंको जिमादेतेहैं तब अपने पितरोंकी वृत्तिमें विश्वास लातेहैं इसीलिये बहुधा तौ अपनेदेशी और सजातियोंकोहीन्योता देतेहैं परन्तु जबयह संयोग आवनताहै कि स्वदेशी और सजाती नहींमिलसकेतब औरोंकोहीन्योतदेतेहैं और वहगुप्तभेद प्रकटनहींकरते हैं क्योंकि प्रकटकरें तौ अन्य जातीब्राह्मण उनगोलियोंका खाना अंगीकार नहींकरें और जोलोगअन्यजाती ब्राह्मण इसवातकेभेदू होतेहैं वे सारस्वतोंका निमंत्रण श्राद्धविषयका अंगीकारनहींकरते-इसी प्रकार पहाड़ी और बंगाली आदि ब्राह्मण वा क्षत्री और वैश्योंकी भिन्न २ अनेक भांतिकीव्यवस्था है तिनकेलिये ऋषीश्वरोंने मांसका श्राद्धकरना फलदायक लिखा है किंतु सबकेलिये नहीं और उन्हींकेलिये जहां २ मांसकी चर्चा या प्रशंसा धर्मशास्त्रोंमें भक्ष्याभक्ष्य विवेकसे या और किसीरीतिसे आईहो सब संभवितहै(दृष्टान्त)जैसे इसीशास्त्रमें १७६-१७७ इन दोश्लोकोंसे पंचनखादि जीवोंकामांस भक्ष्यवर्णनकर चुकेहैं सोभी उक्कलोगोंका व्यवहारबतलायाथा फिर १७८ के श्लोकमें जो मांसखान कीविधि वर्णनकरीथी सोभी उक्कलोगोंका व्यवहारथा फिर १७९ में जो चर्चाकिया था सोभी उक्कलोगोंका व्यवहारहै फिर द्रव्यशुद्धिके प्रकरणमें आकर १९१ के उत्तरार्द्धश्लोकमें जोकुछ कहा सोभी उक्कदेशोंका व्यवहारहै अन्यथा और सबसाधारण अत्रत्य संबंधीदेशों वा मनुष्योंकेलिये १८०के श्लोकमें प्रत्यक्षभावसे मांसकानिषेध कियाहै इसकेसिवाय जहांकहीं एकशब्दसेभी मांसका प्रसंग आयाहो सो सबइसी व्यवस्थाके अनुकूल है-इनदेशोंमें विशेषतर कायस्थजाती लोग मांसके व्यवहारमें प्रसिद्ध हैं उनमेंभी सहस्रों ऐसेत्यागीहैं कि ब्राह्मणोंकोभी मातकरते हैं किन्तु बड़े २ विवेकी शास्त्रविद्याके अनुरागी सत्संगी और मांसखानेवालेके संसर्गसेभी बचते हैं और जो कि उनकेकुलमें मांसका व्यवहार अधिक प्रसिद्धहै सो केवल क्षात्रधर्म के हेतुसे विदितहै किन्तु क्षत्रीवर्णमें मांसकीप्रवृत्तिहै और येभी एकप्रकारके उपक्षत्री वर्णमें गिनतीहैं अर्थात् कायस्थनाम गौणक्षत्री कहलातेहैं इस्से वहमांसकाव्यवहार उनमें विदितहै- इनकेसिवाय कान्यकुब्ज ब्राह्मणभी इसदेशमें मांसके व्यवहारमध्ये विख्यातहैं तिनकी यहअद्भुत व्यवस्थाहै कि प्रथम तौ समस्तांमेंसे चतुर्थांश मांस के अधिकारी हैं शेषतीनभाग मांसकेत्यागी हैं-हां-इतनीवात अधिकहै कि उनदोनों भांतिके परस्पर विवाहसंबंध होतेहैं इसवातमें कुछत्याग और संग्रहका विचार नहीं है परन्तु इसवातकी प्रतिज्ञा उनदोनोंभांतिमें निर्विकल्पहै कि विवाहादि मंगलकार्यों के समाज बरातआदि या श्राद्धकर्म या अन्यप्रतिष्ठा यज्ञादि कामोंमें किसीके भी

मांसका संचार नहीं होता किंतु केवल एक दुर्गोत्सव यज्ञमें निःसंदेह उसका संचार उन लोगोंके घर होता है जो दुर्गके उपासक उसरीतिसे प्रसिद्ध हैं यद्वा कुछ लोग ऐसे हैं कि वे कभी २ साधारण भी बिना दुर्गोत्सवके अपने घर संचारवान् होते हैं पर जब अपने घरके सिवाय कभी निजगोत्रके दो चार घरका भी भोजन एकत्र किसीही होगा उसमें उसका संचार कदाचित् नहीं होने देंगे जैसे अन्यदेशी या अन्यजात लोगोंमें प्रत्यक्ष विवाहादि यज्ञोंमें भी धूमधाम से उसवातका संचार किया जाता सो इसहेतुसे ऐसा नहीं करते कि उन चार घरमें कोई घर निपट त्यागी है या किसी घर एकदो मनुष्य त्यागी होते हैं तिनकी अप्रीति हो जावे इसके सिवाय जो लोग इसके त्याग नहीं हैं तिनकी भी कुछ विरादरीमें प्रशंसा नहीं किन्तु परस्पर भी इसवातसे निन्दा भासना समझा करते हैं परन्तु अन्यदेशी और अन्यजाती लोगोंमें कि जिनके इसवातका अधिकार है उनमें कुछ परस्पर उपेक्षा वा निरादर नहीं बरन इसवात का बड़ा उत्साह और बड़प्पन समझा करते हैं क्योंकि उनके कुलमें सभी एकसे होते हैं फिर निन्दा वा निरादर किसका कौन करे-और कान्यकुब्जोंमें जो कुछ थोड़ा बहुत इसका प्रचार चल गया सो इसहेतुसे कि उनमें पहले समय दुर्गके उपासक बड़े २ शक्तिमान् तेजस्वी होते रहे जिनकी अद्यापि बहुधा ऐसी बातें प्रसिद्ध हैं कि अमुक महात्माकी धोती आकाशमें सूखती थी किन्तु स्नान किये पीछे निचोड़कर ऊपरको उछाल दी वह उनके शक्तिप्रभावसे ऊँची चली गई और सूखकर हाथों में आपड़ी अमुक महात्मा पूजन समय गंगाजीको गँगियानामसे पुकारकर आवाहन करते तभी तत्काल उनके सन्मुख थोड़ा सा कार्यमात्र जलप्रवाह आजाता जिसमें बलिवैश्वदेव किया और फिर उसी नामसे विसर्जन किया इत्यादि अनेकोंकी प्रसिद्ध ऐतिह्यपूर्वक चली आती है उनमें से किसी २ महात्माने भगवती को पशुबलिदान देना अंगीकार किया उनसे उसवातकी परिपाटी चली परन्तु उन्होंने अपनी किसी चैतन्यशक्तिके अनुकूल अंगीकार किया था फिर पीछे २ समयके प्रभावसे वह शक्ति न रही परकेवल पशुदानकी लीकसी पीटने लगे-संपादक ठेठ निजकुलाचारकी व्यवस्था दृष्टान्तमात्रसे कहता है कि उसने यद्यपि अपने प्रपितामहके दर्शन नहीं पाये पर उनका यह आचार निःसंदेह सुनते चले गये- तै हैं कि वे सिंहवाहिनीके परम उपासक अनन्यगतिसे हुये और बलिदान पड़मा मिन नवरात्रोंमें तथा अपने वंशमें किसीके पुत्रजन्म और पुत्र विवाहके होनेमें भी केवल अपनी जिज्ञाकी नोकलेकर चढ़ाते थे और तत्काल वह जिज्ञा का क्षत पूरा होजाता था परन्तु जब उन्होंने अपने देहांतसमय अपने पुत्रसे यह कहा कि यह कुलदेवकी पूजा ~~अ~~ तुमलो हम चलते हैं तब अस्मात्पितामहने यह कहा कि मुझसे जीभ नहीं चढ़ाई ~~अ~~ यगी-उन्होंने प्रसन्न होकर यह कहा कि अच्छा जो तुम्हारी इच्छा और समर्थ हो

कहो इन्होंने कहा कि मैं मेष पशुका बलिदान दिया करौंगा उन्होंने कहा एवमस्तु इस प्रकारसे पितामहने बीचमें अपनी जीवन अवधि ताई मेष बलिदान किया और उसका प्रसाद भी अंगीकार किया और कुलदेवकी प्रीति इसप्रकारसे भी अधिक पाई गई क्योंकि यह बात उन्होंने ने समर्थकी आज्ञालेकर करीथी परन्तु उनके सर्वसम्पन्न तीनों पुत्रोंने निज विज्ञान वशहोकर हिंसा विषयकी दृष्टिसे उसबातकी उपेक्षा करके अहिंस्य अनुकल्प नियतकिये और उस बातके त्यागीहुये पर इन अनुकल्पोंसे कुछ देवताकी अप्रीतिभी प्रकटहुई तथापि उस अप्रीतिको गिनतीमें न लाकर अनुकल्पों को ऐसा समझा कि हाथीके दांत निकसे सो निकसचुके-ऐसे २ असंख्य घरोंके नाना विध लक्षण देखनेसे सर्वथा निश्चित होताहै कि इनमें और मैथिलोंमेंभी यह संचार कुछ देश अथवा कुल रीतिसेभी सनातनका नहीं है किन्तु जो सनातनका होता या देश वा कुलके आचारमें गिनती होता तो सारे देशमात्र या जातिमात्रके लोगोंकी एकसी परिपाटी होती और श्राद्धादि यज्ञा प्रतिष्ठा रामादि यज्ञोंमेंभी इसबातका कुछ संचार होता जैसा अन्य देशों वा जातोंमें प्रत्यक्ष है-परन्तु यह व्यवस्था उन कान्य-कुब्जों वा मैथिलोंकी नहीं है जो पहाड़ देशोंमें जावसे किन्तु केवल उनके निजदेश मात्रका चर्चा कियाहै क्योंकि पहाड़ देशोंमें दशोंप्रकारके ब्राह्मण मिलकर सब एक रंग होरहे हैं इस्से वहांपर सबकी रीति भांति एक तुल्यहै वरन उनके सम्बन्धभी परस्पर ब्राह्मणत्वमात्रकी अपेक्षासे होते हैं फिर अन्य व्यवहारोंमें भिन्नता क्योंकर कहीजाय २६० ॥

इति द्रव्यविशेष श्राद्धफलम् ॥

अब आगे तिथि विशेषमें श्राद्ध करनेका फल विशेष वर्णन करते हैं ॥ सो यहां से लेकर आगे २६६ श्लोक तक (काम्यविधि) का चर्चाहोगा ॥

कन्यांकन्यावेदिनश्चपशून्वैसत्सुतानपि । द्यूतंरूपिचवाणिज्यंद्विशफैकशफंतथा २६१ ॥

ब्रह्मवर्चस्विनःपुत्रान्स्वर्णरूप्येसकुप्यके । जातिश्रैष्ठ्यंसर्वकामानाप्नोतिश्राद्धदःसदा २६२ ॥

प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकावर्जयित्वाचतुर्दशीम् । शस्त्रेणतुहतायेवैतैभ्यस्तत्रप्रदीयते २६३ ॥

ऐ० त्रयाणांसह—एक चतुर्दशी को वर्जित करिके अन्यसारी तिथों पडवा आदि में हमसे सदा कहिये नियम सहित निरंतर श्राद्ध देनेवाला यहां पर कहेहुये सर्वकामों में प्राप्त होताहै-अर्थात् जो कोई रूप लक्षणवती (कन्या) मिलनेकी कामना रखता हो वह सदैव प्रतिपदामें निरन्तर पार्वण कियाकरै तो निःसंदेह वैसी कन्या पावै किन्तु पुंभार्या नहीं पावै १ (कन्यावेदिनश्च) अर्थात् जो कोई कन्या वेदी कहिये जमाई अच्छे रूप लक्षण सम्पन्न बुद्धिमंत अपनी कन्याओंके निमित्तमें चाहताहो वह द्वितीयामें श्राद्ध कियाकरै तो कुत्सित जामात उसके नहींहों २ (पशून्) किन्तु जो कोई बकरी

आदि पशुओंकी सम्पत्ति चाहै वह तृतीयामें श्राद्ध कियाकरै ३ (सत्सुतान्) किन्तु जो कोई सन्मार्गवर्ती पुत्रोंकी कामना रखताहो वह चतुर्थीमें कियाकरै ४ (द्यूतं) जो कोई द्यूतकर्मकी विजय चाहताहो वह पंचमीमें ५ (कृषिं) जो कोई खेती मात्रकी फल सिद्धि चाहै वह षष्ठी तिथिमें ६ (वाणिज्यं) जो वाणिज व्यापारसे बहुलाभ चाहै वह सप्तमीमें ७ (द्विशफं) अर्थात् दो खुरोंवाले गाय भैंस आदि पशु चाहै वह अष्टमीमें ८ तथा (एकशफं) अर्थात् घोड़ा आदि एक सुमवाले पशुचाहै वह नवमी में ९ (ब्रह्मवर्चस्विनःपुत्रान्) किन्तु वेदादिविद्याका अध्ययनपुनि उसके आचारसे उत्पन्नहुआ तेज सोई ब्रह्मवर्चस तिस करके संयुक्त ऐसे ब्रह्मवर्चस्वी पुत्रोंकी कामनावाला दशमी तिथिमें १० (स्वर्णं) किन्तु सोनेकी बहुताइत चाहै वह एकादशीमें ११ (रूप्यं) किन्तु चांदीकी बहुताइत चाहै वह द्वादशीमें १२ (कुप्यं) किन्तु सीसा तांबा आदि धातोंसे जो लाभ चाहै वह त्रयोदशीमें १३ (जातिश्रेष्ठयं) किन्तु अपनी जाति विरादरीमें उ-त्कर्षा आदि श्रेष्ठता चाहै वह अमावसमें निरन्तर श्राद्ध कियाकरै ३० और चतुर्दशी जो छोड़ीगई सो इस हेतुसे कि जो कोई जिसके कुल में शस्त्रसे मारेगये हों तिनके लिये उस दिन श्राद्ध कियाजाता है २६१ । २६२ । २६३ ॥

अ०त्रयाणांसह—यद्यपि इसमें तिथि कहने से पक्षकी विशेषता नहीं पाईगई परन्तु पितरोंके अधिकारमें कृष्णपक्ष परिनियमितहै इससे कृष्णपक्षकी तिथिें समर्पितजाती हैं तथापि केवल कृष्णपक्षका सिद्धांत नहीं निश्चित होता किन्तु यह तिथिें सम्बन्ध श्राद्ध कुछ (नैतिक) या (नैमित्तिक) में गिनती नहीं अर्थात् यह प्रयोग (काम्य) विषय पर आरूढ़है इससे आगे नक्षत्रोंपर कहेंगे वहभी (काम्य) विषयपर आरूढ़है इस हेतु से दोनों पक्ष पायेजाते हैं क्योंकि जो निपट कृष्णपक्षसे अपेक्षा पितरोंके अधिकार से स्वीकार करीजावै तौ अग्रोक्त सत्ताईस नक्षत्रोंमेंभी कृष्णपक्षकी अपेक्षा होनी चाहिये सो असंगतहै किन्तु सत्ताईस नक्षत्र दोनों पक्षमें आवेंगे इसलिये कर्ता पक्षमें अधिकारहै कि वह जिस किसी तिथिका नियम साथै उसको चाहे कृष्णपक्षमेंही निरन्तर नियम अंगीकार करै चाहे केवल शुक्लपक्षसे अथवा दोनों पक्षसे निरन्तर नियम साथै तौ अधिकश्रेयस्करहो-अर्थात् कृष्णपक्षमें पितरोंका अधिकार प्रामाण्य से इस (काम्य) विधिमें शुक्लपक्षका निषेध नहीं पाया जाता किन्तु कृष्णपक्षका अधिकार जो प्रसिद्धहै वह केवल (नैतिक) विधिसे अपेक्षा रखता है उससे सिवाय (नैमित्तिक) में भी कृष्णपक्षसे अपेक्षा नहीं है अर्थात् पुत्र जन्मादिक समयपर नैमित्तिक अवश्य भावसे तत्काल कियाजाताहै फिर उसदिन चाहे कृष्णपक्षहो चाहे शुक्लपक्ष पर कुछ तर्कणा नहीं होती ऐसेही इस (काम्य) विधिमें भी केवल तिथि यथा मात्रसे अपेक्षा अंगीकारहै कुछ कृष्ण यद्वा शुक्लपक्षपर तर्कणा नहीं है ॥ (भंडर)



तुर्दशीभी केवल इसी हेतुसे वर्जित करी है कि यह विधि काम्य विषयसे अपेक्षा रखती है इसको शुभकार्यमें गिनते हैं और चतुर्दशी शस्त्रहतोंकी तिथिहै इससे उसमें काम्य विधि वाला न करै यद्यपि काम्य विधिवालेको निरंतर सब तिथोंसे अपेक्षा बारहमास में होती है और शस्त्रहतोंकी चतुर्दशी केवल पितृपक्षमें होती है तथापि नाम दूषित भाव अंगीकार कियाहै-और शस्त्रहतका श्राद्ध उस चतुर्दशीमें भी पार्वणके स्थान ए-कोद्दिष्ट कियाजाताहै-तथाच (समत्वमागतस्यापिपितुःशस्त्रहतस्यवै । एकोद्दिष्टसुतैः कार्यचतुर्दश्यामहालये)-अर्थात्-(समत्वंआगस्य) कहिये सपिंडीकरणको पहुँचेहुये शस्त्रहत पिताका एकोद्दिष्ट पुत्रों करके महालयमें अर्थात् पितृपक्षमें कर्त्तव्यहै-यद्यपि एकोद्दिष्टमें दैवकर्मका निषेधहै तथापि यह पार्वण स्थानी एकोद्दिष्ट जो शस्त्रहतोंका चतुर्दशीमें करना कहा तिसमें दैवकर्म भी होताहै-तद्यथा-(विश्वेदेवांश्च ततोऽमलान् । येषैशस्त्रहतास्तेषांश्राद्धंकुर्यादतंद्रितः)-अर्थात्-उसमें निरालस्य हुअ विश्वेदेवाओंको भी पहले पूजिकर तब शस्त्रहतोंका श्राद्धकरै-अन्यच्च-(तच्छ्रद्धदैवहीनंचेत्पुत्रदारधनक्षयः । प्रेतपक्षेचतुर्दश्यामेकोद्दिष्टविधानतः॥ च्छ्राद्धंपितृणामक्षयंभवेत्)-अर्थात्-प्रेतपक्षकी चतुर्दशीमें जो श्राद्ध शस्त्रहतोंका हो है सो एकोद्दिष्टके विधानमें निषेध कियेहुये हेतुसे जो कोई दैवहीन करै तो पुत्र धन इनके क्षय करनेवाला वह श्राद्ध होताहै इसलिये वह श्राद्ध दैवकर्म संयुक्त जावै तो पितृयोंको अक्षय तृप्तिकरै और उरसे फलभी अक्षय हो-जिसके कुलमें मनुष्य शस्त्रहत हुयेहों वह दोनोंका भिन्न २ एकोद्दिष्ट चतुर्दशी में करै-परन्तु जिस कुलमें निरन्तर बाप दादा परदादा तीनों शस्त्रहत हुयेहों वह तीनोंका एक साथ पार्वण करै उस चतुर्दशी में-तथाच-वृहत्पराशरः-(पित्रादयस्त्रयोयस्यमात्रासभूतेपार्वणंकुर्यादाब्दिकानिष्ठक्पृथक्)-अर्थात् वृहत्पराशर स्मृतिमें यह कि जिसके पिताआदि तीनोंपितर शस्त्रमृत्युसेगयेहों वहकर्त्तापुरुष(भूत)नाम चतुर्दशी तिथिमें तीनोंका पार्वणकरै (और) आब्दिक जो वसोड़ी श्राद्ध प्रति संवत्सर कियेजातेहैं सो जुदे २उनकेक्षयाहकेदिनजिस २महीनामें होतेहों तिनमेंकरै-इस्से यह निश्चितहुआ कि शस्त्रहतका वार्षिकश्राद्ध उसके क्षयाहकेही दिन होगा किन्तु चतुर्दशीसे कुछ अपेक्षा नहीं है-इसके सिवाय जिसके कुलमें एक पुरुष शस्त्रहत हु-हो जिसके एकोद्दिष्टका चर्चा ऊपरसे चला आता है उसका भी चतुर्दशी में अवश-करना है और दूसरा कोई ऐसाहै कि शस्त्रहतनहीं पर चतुर्दशी उसका क्षयाहका है इस्से उसका भी उसी दिन होना चाहिये तब उन दोनोंका भिन्न २ उसी में होगा ऊपर कहेहुये प्रकारोंसे अर्थात् यह सिद्धान्त नहीं है कि शस्त्रहतके क्षयाहवालेको चतुर्दशीमें नहो-और केवल एक शस्त्रहतके निदर्शनसे अन्यभी

आदि पशुओंकी सम्पत्ति चाहै वह तृतीयामें श्राद्ध कियाकरै ३ (सत्सुतान्) किन्तु जो कोई सन्मार्गवर्ती पुत्रोंकी कामना रखताहो वह चतुर्थीमें कियाकरै ४ (द्यूतं) जो कोई द्यूतकर्मकी विजय चाहताहो वह पंचमीमें ५ (कृषिं) जो कोई खेती मात्रकी फल सिद्धि चाहै वह षष्ठी तिथिमें ६ (वाणिज्यं) जो वणिज व्यापारसे बहुलाभ चाहै वह सप्तमीमें ७ (द्विशफं) अर्थात् दो खुरोंवाले गाय भैंस आदि पशु चाहै वह अष्टमीमें ८ तथा (एकशफं) अर्थात् घोड़ा आदि एक सुमवाले पशुचाहै वह नवमी में ९ (ब्रह्मवर्चस्विनःपुत्रान्) किन्तु वेदादि विद्याका अध्ययन पुनि उसके आचारसे उत्पन्नहुआ तेज सोई ब्रह्मवर्चस तिस करके संयुक्त ऐसे ब्रह्मवर्चस्वी पुत्रोंकी कामनावाला दशमी तिथिमें १० (स्वर्णं) किन्तु सोनेकी बहुताइत चाहै वह एकादशीमें ११ (रूप्यं) किन्तु चांदीकी बहुताइत चाहै वह द्वादशीमें १२ (कुप्यं) किन्तु सीसा तांबा आदि धातोंसे जो लाभ चाहै वह त्रयोदशीमें १३ (जातिश्रेष्ठयं) किन्तु अपनी जाति विरादरीमें उत्कर्षा आदि श्रेष्ठता चाहै वह अमावसमें निरन्तर श्राद्ध कियाकरै ३० और चतुर्दशी जो छोड़ीगई सो इस हेतुसे कि जो कोई जिसके कुल में शस्त्रसे मारेगये हों तिनके लिये उस दिन श्राद्ध कियाजाता है २६१ । २६२ । २६३ ॥

अ०त्रयाणांसह—यद्यपि इसमें तिथि कहने से पक्षकी विशेषता नहीं पाईगई परन्तु पितरोंके अधिकारमें कृष्णपक्ष परिनियमितहै इससे कृष्णपक्षकी तिथें समझीजाती हैं तथापि केवल कृष्णपक्षका सिद्धांत नहीं निश्चित होता किन्तु यह तिथीं सम्बन्धी श्राद्ध कुछ (नैतिक) या (नैमित्तिक) में गिनती नहीं अर्थात् यह प्रयोग (काम्य) विषय पर आरूढहै इससे आगे नक्षत्रोंपर कहेंगे वहभी (काम्य) विषयपर आरूढहै इस हेतु से दोनों पक्ष पायेजाते हैं क्योंकि जो निपट कृष्णपक्षसे अपेक्षा पितरोंके अधिकार से स्वीकार करीजावै तौ अग्रोक्त सत्ताईस नक्षत्रोंमेंभी कृष्णपक्षकी अपेक्षा होनी चाहिये सो असंगतहै किन्तु सत्ताईस नक्षत्र दोनों पक्षमें आवेंगे इसलिये कर्ता पुनःपक्षों अधिकारहै कि वह जिस किसी तिथिका नियम साधै उसको चाहे कृष्णपक्षसेही निरन्तर नियम अंगीकार करै चाहे केवल शुक्लपक्षसे अथवा दोनों पक्षसे निरन्तर नियम साधै तौ अधिकश्रेयस्करहो-अर्थात् कृष्णपक्षमें पितरोंका अधिकार प्रसिद्धहै सो इस (काम्य) विधिमें शुक्लपक्षका निषेध नहीं पाया जाता किन्तु कृष्णपक्षका अधिकार जो प्रसिद्धहै वह केवल (नैतिक) विधिसे अपेक्षा रखता है उससे सिवाय (नैमित्तिक) में भी कृष्णपक्षसे अपेक्षा नहीं है अर्थात् पुत्र जन्मादिक समयपर नैमित्तिक श्राद्ध अवश्य भावसे तत्काल कियाजाताहै फिर उसदिन चाहे कृष्णपक्षहो चाहे शुक्लपक्ष पर कुछ तर्कणा नहीं होती ऐसेही इस (काम्य) विधिमें भी केवल तिथि यदा मात्रसे अपेक्षा अंगीकारहै कुछ कृष्ण यदा शुक्लपक्षपर तर्कणा नहीं है ॥ (मंदर)

तुर्दशीभी केवल इसी हेतुसे वर्जित करी है कि यह विधि काम्य विषयसे अपेक्षा रखती है इसको शुभकार्यमें गिनते हैं और चतुर्दशी शस्त्रहतोंकी तिथिहै इससे उसमें काम्य विधि वाला न करै यद्यपि काम्य विधिवालेको निरंतर सब तिथोंसे अपेक्षा बारहमास में होती है और शस्त्रहतोंकी चतुर्दशी केवल पितृपक्षमें होती है तथापि नाम दूषित भाव अंगीकार कियाहै-और शस्त्रहतका श्राद्ध उस चतुर्दशीमें भी पार्वणके स्थान ए-कोद्दिष्ट कियाजाताहै-तथाच (समत्वमागतस्यापिपितुःशस्त्रहतस्यवै । एकोद्दिष्टसुतैः कार्यचतुर्दश्यामहालये)-अर्थात्-(समत्वंआगस्य) कहिये सपिंडीकरणको पहुँचेहुये शस्त्रहत पिताका एकोद्दिष्ट पुत्रों करके महालयमें अर्थात् पितृपक्षमें कर्त्तव्यहै-यद्यपि एकोद्दिष्टमें दैवकर्मका निषेधहै तथापि यह पार्वण स्थानी एकोद्दिष्ट जो शस्त्रहतोंका चतुर्दशीमें करना कहा तिसमें दैवकर्म भी होताहै-तद्यथा-(विश्वेदेवाश्चतत्रापिपूजयित्वा ततोऽमलान् । यैवैशस्त्रहतास्तेषांश्राद्धंकुर्यादतंद्रितः)-अर्थात्-उसमें निरालस्य हुआ विश्वेदेवाओंको भी पहले पूजिकर तब शस्त्रहतोंका श्राद्धकरै-अन्यत्र-प्रयोगपारिजाते (तच्छ्रद्धदैवहीनचेत्पुत्रदारधनक्षयः । प्रेतपक्षेचतुर्दश्यामेकोद्दिष्टविधानतः॥दैवयुक्तंतु तच्छ्राद्धंपितृणामक्षयंभवेत्)-अर्थात्-प्रेतपक्षकी चतुर्दशीमें जो श्राद्ध शस्त्रहतोंका होता है सो एकोद्दिष्टके विधानमें निषेध कियेहुये हेतुसे जो कोई दैवहीन करै तो पुत्र दार धन इनके क्षय करनेवाला वह श्राद्ध होताहै इसलिये वह श्राद्ध दैवकर्म संयुक्त किया जावै तो पितृयोंको अक्षय तृप्तिकरै और उरसे फलभी अक्षय हो-जिसके कुलमें दो मनुष्य शस्त्रहत हुयेहों वह दोनोंका भिन्न २ एकोद्दिष्ट चतुर्दशीमें करै-परन्तु जिसके कुलमें निरन्तर बाप दादा परदादा तीनों शस्त्रहत हुयेहों वह तीनोंका एक साथ पार्वण करै उस चतुर्दशीमें-तथाच-वृहत्पराशरः-(पित्रादयस्त्रयोयस्यशस्त्रैर्यातास्त्वनुक्रमात्सभूतेपार्वणंकुर्यादाब्दिकानिपृथक्पृथक्)-अर्थात्-वृहत्पराशर स्मृतिमें यहकहाहै कि जिसके पिताआदि तीनोंपितर शस्त्रमृत्युसेगयेहों वहकर्त्तापुरुष(भूत)नाम चतुर्दशी तिथिमें तीनोंका पार्वणकरै (और) आब्दिक जो वसोड़ी श्राद्ध प्रति संवत्सर एकोद्दिष्ट कियेजातेहैं सो जुदे २उनकेक्षयाहकेदिनजिस २महीनामें होतेहों तिनमेंकरै-इससे यहभी निश्चितहुआ कि शस्त्रहतका वार्षिकश्राद्ध उसके क्षयाहकेही दिन होगा किन्तु वहांपर चतुर्दशीसे कुछ अपेक्षा नहीं है-इसके सिवाय जिसके कुलमें एक पुरुष शस्त्रहत हुआ हो जिसके एकोद्दिष्टका चर्चा ऊपरसे चला आता है उसका भी चतुर्दशीमें अवश्य करना है और दूसरा कोई ऐसाहै कि शस्त्रहतनहीं पर चतुर्दशी उसका क्षयाहका दिन है इससे उसका भी उसी दिन होना चाहिये तब उन दोनोंका भिन्न २ उसी चतुर्दशी में होगा ऊपर कहेहुये प्रकारोंसे अर्थात् यह सिद्धान्त नहीं है कि शस्त्रहतके कारणसे क्षयाहवालेको चतुर्दशीमें नहो-और केवल एक शस्त्रहतके निदर्शनसे अन्यभी अप

आदि पशुओंकी सम्पत्ति चाहै वह तृतीयामें श्राद्ध कियाकरै ३ (सत्सुतान्) किन्तु जो कोई सन्मार्गवर्ती पुत्रोंकी कामना रखताहो वह चतुर्थीमें कियाकरै ४ (द्यूतं) जो कोई द्यूतकर्मकी विजय चाहताहो वह पंचमीमें ५ (कृषिं) जो कोई खेती मात्रकी फल सिद्धि चाहै वह षष्ठी तिथिमें ६ (वाणिज्यं) जो वाणिज व्यापारसे बहुलाभ चाहै वह सप्तमीमें ७ (द्विशफं) अर्थात् दो खुरोंवाले गाय भैंस आदि पशु चाहै वह अष्टमीमें ८ तथा (एकशफं) अर्थात् घोड़ा आदि एक सुमवाले पशुचाहै वह नवमीमें ९ (ब्रह्मवर्चस्विनःपुत्रान्) किन्तु वेदादि विद्याका अध्ययन पुनि उसके आचारसे उत्पन्नहुआ तेज सोई ब्रह्मवर्चस तिस करके संयुक्त ऐसे ब्रह्मवर्चस्वी पुत्रोंकी कामनावाला दशमी तिथिमें १० (स्वर्णं) किन्तु सोनेकी बहुताइत चाहै वह एकादशीमें ११ (रूप्यं) किन्तु चांदीकी बहुताइत चाहै वह द्वादशीमें १२ (कुप्यं) किन्तु सीसा तांबा आदि धातोंसे जो लाभ चाहै वह त्रयोदशीमें १३ (जातिश्रेष्ठ्यं) किन्तु अपनी जाति विरादरीमें उत्कर्षा आदि श्रेष्ठता चाहै वह अमावसमें निरन्तर श्राद्ध कियाकरै ३० और चतुर्दशी जो झोड़ीगई सो इस हेतुसे कि जो कोई जिसके कुल में शस्त्रसे मारेगये हों तिनके लिये उस दिन श्राद्ध कियाजाता है २६१ । २६२ । २६३ ॥

अ० त्रयाणांसह—यद्यपि इसमें तिथि कहने से पक्षकी विशेषता नहीं पाईगई परन्तु पितरोंके अधिकारमें कृष्णपक्ष परिनियमितहै इस्से कृष्णपक्षकी तिथिें समभीजाती हैं तथापि केवल कृष्णपक्षका सिद्धांत नहीं निश्चित होता किन्तु यह तिथिों सम्बन्धी श्राद्ध कुछ (नैतिक) या (नैमित्तिक) में गिनती नहीं अर्थात् यह प्रयोग (काम्य) विषय पर आरूढ़है इस्से आगे नक्षत्रोंपर कहेंगे वहभी (काम्य) विषयपर आरूढ़है इस हेतु से दोनों पक्ष पायेजाते हैं क्योंकि जो निपट कृष्णपक्षसे अपेक्षा पितरोंके अधिकार से स्वीकार करीजावै तौ अग्रोक्त सत्ताईस नक्षत्रोंमेंभी कृष्णपक्षकी अपेक्षा होनी चाहिये सो असंगतहै किन्तु सत्ताईस नक्षत्र दोनों पक्षमें आवेंगे इसलिये कर्ता पुन्यर्थ अधिकारहै कि वह जिस किसी तिथिका नियम साथै उसको चाहे कृष्णपक्षसेही निरन्तर नियम अंगीकार करै चाहे केवल शुक्लपक्षसे अथवा दोनों पक्षसे निरन्तर नियम साथै तौ अधिकश्रेयस्करहो-अर्थात् कृष्णपक्षमें पितरोंका अधिकार प्रामिद्वहै से इस (काम्य) विधिमें शुक्लपक्षका निषेध नहीं पाया जाता किन्तु कृष्णपक्षका अधिकार जो प्रसिद्धहै वह केवल (नैतिक) विधिसे अपेक्षा रखता है उस्से सिवाय (नैमित्तिक) में भी कृष्णपक्षसे अपेक्षा नहीं है अर्थात् पुत्र जन्मादिक समयपर नैमित्तिक अवश्य भावसे तत्काल कियाजाताहै फिर उसदिन चाहे कृष्णपक्षहो चाहे शुक्लपक्ष पर कुछ तर्कणा नहीं होती ऐसेही इस (काम्य) विधिमें भी केवल तिथि यद्वा मात्रसे अपेक्षा अंगीकारहै कुछ कृष्ण यद्वा शुक्लपक्षपर तर्कणा नहीं है ॥ (भंडर)

तुर्दशीभी केवल इसी हेतुसे वर्जित करी है कि यह विधि काम्य विषयसे अपेक्षा रखती है इसको शुभकार्यमें गिनते हैं और चतुर्दशी शस्त्रहतोंकी तिथिहै इससे उसमें काम्य विधि वाला न करै यद्यपि काम्य विधिवालेको निरंतर सब तिथोंसे अपेक्षा बारहमास में होती है और शस्त्रहतोंकी चतुर्दशी केवल पितृपक्षमें होती है तथापि नाम दूषित भाव अंगीकार कियाहै-और शस्त्रहतका श्राद्ध उस चतुर्दशीमें भी पार्वणके स्थान ए-कोद्दिष्ट कियाजाताहै-तथाच (समत्वमागतस्यापिपितुःशस्त्रहतस्यवै । एकोद्दिष्टसुतैः कार्यचतुर्दश्यामहालये)-अर्थात्-(समत्वंआगस्य) कहिये सपिंडीकरणको पहुँचेहुये शस्त्रहत पिताका एकोद्दिष्ट पुत्रों करके महालयमें अर्थात् पितृपक्षमें कर्त्तव्यहै-यद्यपि एकोद्दिष्टमें दैवकर्मका निषेधहै तथापि यह पार्वण स्थानी एकोद्दिष्ट जो शस्त्रहतोंका चतुर्दशीमें करना कहा तिसमें दैवकर्म भी होताहै-तद्यथा-(विश्वेदेवाश्चतत्रापिपूजयित्वा ततोऽमलान् । यैवैशस्त्रहतास्तेषांश्राद्धंकुर्यादतंद्रितः)-अर्थात्-उसमें निरालस्य हुआ विश्वेदेवाओंको भी पहले पूजिकर तब शस्त्रहतोंका श्राद्धकरै-अन्यत्र-प्रयोगपारिजाते (तच्छ्राद्धंदैवहीनंचेतपुत्रदारधनक्षयः । प्रेतपक्षेचतुर्दश्यामेकोद्दिष्टविधानतः॥दैवयुक्तंतुतच्छ्राद्धंपितृणामक्षयंभवेत्)-अर्थात्-प्रेतपक्षकी चतुर्दशीमें जो श्राद्ध शस्त्रहतोंका होता है सो एकोद्दिष्टके विधानमें निषेध कियेहुये हेतुसे जो कोई दैवहीन करै तो पुत्र दार धन इनके क्षय करनेवाला वह श्राद्ध होताहै इसलिये वह श्राद्ध दैवकर्म संयुक्त किया जावै तो पितृयोंको अक्षय तृप्तिकरै और उरसे फलभी अक्षय हो-जिसके कुलमें दो मनुष्य शस्त्रहत हुयेहों वह दोनोंका भिन्न २ एकोद्दिष्ट चतुर्दशी में करै-परन्तु जिसके कुलमें निरन्तर बाप दादा परदादा तीनों शस्त्रहत हुयेहों वह तीनोंका एक साथ पार्वण करै उस चतुर्दशी में-तथाच-वृहत्पराशरः-(पित्रादयस्त्रयोयस्यशस्त्रैर्यातास्त्वनुक्रमात्सभूतेपार्वणंकुर्यादाब्दिकानिपृथक्पृथक्)-अर्थात्-वृहत्पराशर स्मृतिमें यहकहाहै कि जिसके पिताआदि तीनोंपितर शस्त्रमृत्युसेगयेहों वहकर्त्तापुरुष(भूत)नाम चतुर्दशी तिथिमें तीनोंका पार्वणकरै (और) आब्दिक जो वर्सोड़ी श्राद्ध प्रति संवत्सर एकोद्दिष्ट कियेजातेहैं सो जुदे २उनकेक्षयाहकेदिनजिस २महीनामें होतेहों तिनमेंकरै-इससे यहभी निश्चितहुआ कि शस्त्रहतका वार्षिकश्राद्ध उसके क्षयाहकेही दिन होगा किन्तु वहांपर चतुर्दशीसे कुछ अपेक्षा नहीं है-इसके सिवाय जिसके कुलमें एक पुरुष शस्त्रहत हुआ हो जिसके एकोद्दिष्टका चर्चा ऊपरसे चला आता है उसका भी चतुर्दशी में अवश्य करना है और दूसरा कोई ऐसाहै कि शस्त्रहतनहीं पर चतुर्दशी उसका क्षयाहका दिन है इससे उसका भी उसी दिन होना चाहिये तब उन दोनोंका भिन्न २ उसी चतुर्दशी में होगा ऊपर कहेहुये प्रकारोंसे अर्थात् यह सिद्धान्त नहीं है कि शस्त्रहतके कारणसे क्षयाहवालेको चतुर्दशीमें नहो-और केवल एक शस्त्रहतके निदर्शनसे अन्यभी अप

मृत्युवाले संगृहीत हैं-यथा पृथ्वीचंद्रोदयेप्रचेताः-( वृक्षरोपणलोहाद्यैर्विद्युज्जलविषाग्निभिः । नखिदंष्ट्रिविपन्नायेतेषांशस्ताचतुर्दशी)-अर्थात्-वृक्षादिकोंके लगाने आदि समयोंपर किसी वृक्षके गिरने आदि हेतुसे मराहो या शस्त्र आदि किसी लोहेसे या विजली गिरने आदि उत्पातोंसे या जलसे डूबाहो या विषसे मराहो या अग्निसे जलि गयाहो या नखवाले मृगोंसे मारागयाहो या दाढ़वालोंसे ऐसे २ सभी शस्त्रहत कहलाते हैं तिनके लिये चतुर्दशी श्रेष्ठहै-ध्यानकरना चाहिये कि इस दूसरे भेदका चर्चा केवल चतुर्दशी के प्रसंगसे करनापड़ा अन्यथा यह चर्चा (नैतिक) विधिमें गिनती है इससे यहां पर इसके लिखने की अपेक्षा नहीं थी-क्योंकि-याज्ञवल्क्यीय मूल श्लोक तीनों जिनमें सब तिथोंका चर्चा है वह (काम्य) विधिका प्रसंगहै और पितृपक्षका विशेष वर्णन इसमें नहीं किया क्योंकि वह प्रेतपक्षभी सामान्यभावसे (नैतिक) विधिमें गिनती है ॥ (भेद ३) और तिथि क्रमके मध्ये (कन्या) शब्दसे यद्यपि शुभ लक्षणा सुताका भी भाव निश्चितहै पर विशेष भाव कन्या शब्दसे शुभ लक्षणा भार्याकी अभिलाषा पर आरूढ़है तिसका यह सिद्धांतहै कि जिसकी भार्या मरजातीहो या बारम्बार दुःशीला कर्कशा आदि कुभार्या मिलतीहो या जिसको निपट न मिलती हो वह इस बातका नियम साधै कुछ सबके लिये नहीं-और पशु या सोना चांदी आदि धातोंकी अपेक्षा से जो तिथें बतलाईं तिनका यह सिद्धांतहै कि उन चीजोंकी वृद्धि चाहै अथवा जो कोई उन चीजोंमेंसे जिस किसी वस्तुका व्यापार करताहै उसके द्वारा अधिक लाभ चाहै जैसे सीसा तांबा रांगा आदिकी भरती करताहै उसमें बारम्बार टोटा देखपड़ता है यह उसके पूर्वकाल या पूर्वजन्मके पापोंका उदय प्रत्यक्ष है तब ऐसी दशामें यह नियम कर्त्तव्यहै किन्तु साधारण दशामें नहीं २६१ । २६२ । २६३ ॥

अब इससे आगे इसी प्रकार नक्षत्र विशेषमेंभी श्राद्धकरनेका फल विशेषकहतेहैं ॥

स्वर्गह्यपत्यमोजश्चशौर्यक्षेत्रंबलंतथा । पुत्रंश्रेष्ठयंससौभाग्यंसमृद्धिंमुख्यतांशुभम् २६४ ॥

प्रवृत्तचक्रतांचैववाणिज्यप्रभृतीनपि । अरोगित्वंयशोर्वीतशोकतांपरमांगतिम् २६५ ॥

धनंवेदान्भिषक्सिद्धिंकुप्यंगाअप्यजाविकाम् । अश्वानायुश्चविधिवद्यःश्राद्धंसंप्रयच्छति २६६ ॥

कृत्तिकादिभरणयंतंसकामानापनुयादिमान् । आस्तिकःश्रद्धधानश्चव्यपेतमदमत्सरः २६७ ॥

ऐ०-चतुर्णांसह-पहले २६६ के उपरांतसे दृष्टिकरौ-कृत्तिकाको आदिलेकर भरणी के अन्तताई २७ नक्षत्रोंमें जोकोई सम्यक्विधिसे श्राद्धदेताहै सो वहपुरुष इनश्लोकोंमें कहेहुये कामोंको पावैहैपरन्तु जो (आस्तिक) होकरकरै अर्थात् निजहृदयसे उत्पन्न हुये विश्वासपूर्वक-और (श्रद्धधान) भी हो किन्तु जोकुछकरै सोअतिशय आदरसहित-और (व्यपेतमदमत्सर) भीहो किन्तु मदकहियेगर्व और मत्सरकहिये ईर्ष्या इनसे व्यपेत कहिये रहित होकरकरै तो यथोक्त भिन्न २ नक्षत्रोंमें करनेसे जैसा २ फलकहा है सो



तद्रूप मिलै तिसका वर्णन २६४ के प्रारम्भ से देखौ-(रुतिका) नक्षत्रमें करनेसे (स्वर्ग) फल अर्थात् स्वर्गके समान इसी देहसे इसी संसारमें निरतिशय सुखपावै १-(रोहिणी) नक्षत्रमें करनेसे (अपत्य) फल अर्थात् पुत्र पौत्र प्रपौत्र कन्या आदि सब तरहकी संतान वृद्धिहो २-(भृगशिर) में करनेसे (ओजस) फल अर्थात् आत्मशक्तिकी अतिशयता किन्तु निज शरीरमें अत्यन्त पराक्रमका होना ३-(आर्द्रा) में करनेसे (शौर्य) फल अर्थात् निर्भयत्व सब ओरसे ४-(पुनर्वसु) में करनेसे (क्षेत्र) फल अर्थात् खेती आदिमें संपन्नता की वृद्धि ५-(पुष्य) में करनेसे (बल) का फल अर्थात् शरीर सम्बन्धी पराक्रम और अनुगामी मनुष्योंकी सहायता ६-(श्लेषा) में करनेसे (पुत्र) फल अर्थात् गुणवान् और आज्ञाकारीपुत्रहों ७-(मघा) में करनेसे (श्रेष्ठ) फल अर्थात् अपनी जातिमें बड़प्पनका मिलना ८-(पूर्वाफाल्गुनी) में करने से (सौभाग्य) फल अर्थात् सर्वत्र सर्वजनोंमें अविरोध पूर्वक प्रियता और दर्शनीयताहो ९-(उत्तराफाल्गुनी) में करने से (समृद्धि) फल अर्थात् धन जन आदिकी संपन्नता उन्नति पूर्वकहो १०-(हस्त) में करने से (सुख्यता) फल अर्थात् अग्रणी होना किन्तु प्रत्येक व्यवहारोंमें मुखिया कहलाना ११-(चित्रा) में करने से (शुभं) फल अर्थात् सभी प्रकारके मंगलोंकी वृद्धि किन्तु कोई भांतिसे अमंगल नहीं १२।२६४-(स्वाति) में करने से (प्रवृत्तचक्रता) फल अर्थात् सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञाका होना किन्तु जिसकी उचित आज्ञामें विघ्न प्रतिबन्ध नहीं होने पावै १३-(विशाखा) में करनेसे (वाणिज्य) आदि फल अर्थात् वाणिज्य तौ सर्व वस्तुका क्रयविक्रय और आदि शब्दसे कृषी और कुसीद कहिये व्याज बट्टेका देनलेन और गोरक्षकर्म कहिये पशुओं को व्यापारकी रीतिसे पालना यह बातेंभी समझलेनी किन्तु इन सारी बातोंकी सिद्धि का होना १४-(अनुराधा) में करनेसे (अरोगित्व) फल अर्थात् शरीर और कुटुम्बमें निरोगताका होना १५-(ज्येष्ठा) में करनेसे (यशः) फल अर्थात् संसारमें प्रख्यातिका होना १६-(मूल) नक्षत्रमें करनेसे (वीतशोकता) फल अर्थात् सर्व शोकोंका नाश किन्तु प्रिय वियोग आदि शोकोंका न होना १७-(पूर्वाषाढ) में करनेसे (परमागति) फल अर्थात् ब्रह्म लोकोंकी प्राप्ति १८।२६५-(उत्तराषाढ) में करनेसे (धन) अर्थात् सुवर्णादि द्रव्योंकी प्राप्ति १९-(श्रवण) में करनेसे (वेद) फल अर्थात् वेदादि धर्मशास्त्रादि सर्वशास्त्रोंकी संपन्नता होना २०-(धनिष्ठा) में करनेसे (भिषक्सिद्धि) फल अर्थात् जो वैद्यक शास्त्रकी विद्या सीखै या जो रसादिक औषध बनावै या सीखीहुईके द्वारा किसीपर हाथ डारै तौ तत्काल उसके हाथसे आरामकी सिद्धिहो और यश मिलै २१-(शतभिषा) में करने से(कुप्यं)फल अर्थात् सोना चांदीसे भिन्नताआदि सबधातोंके व्यापार आदि फलकी सिद्धि २२-(पूर्वाभाद्रपद)में करनेसे(गावः)फल किन्तु गाःगौवें और अपिशब्दकीलक्षणा से औरभी बैल भैंसआदि सबकामोंकी सिद्धि २३-(उत्तराभाद्रपद) में करनेसे(भजा)फल

किन्तु बकरी संबन्धी कामोंकीसिद्धि २४-(रेवती) में करनेसे (आविक)फल अर्थात् भेड़ों संबन्धी कामोंकी सिद्धि २५-(अश्विनी)में करनेसे (अश्व)फल अर्थात् घोड़ासंबन्धी कामोंकीसिद्धि २६-(भरणी) में करनेसे(आयुः)फल अर्थात् पूर्णायुभर जीवै २७-इसमें भी सिद्धांत वही समुझना जैसा तिथोंके फलकथनमें लिखाथा किन्तु जिसवस्तुकी पीड़ा वा अपेक्षा जिसकोहो वहउसीवस्तुके संबन्धी नक्षत्रमें निरंतर पार्वणविधिसे श्राद्धकियाकरै तौ निःसंदेह उसकीवहपीड़ा दूरहोवै और कामनापूरीहो २६६। २६७ ॥

अधि०--(समुत्थितसंदेहानामत्रनिर्णयश्च)-यहांपर यहसंदेह निर्णय करतेहैं कि २५७ और २५८ इनके पिछले अक्षामें जो कहाथा कि हविष्यान्न आदि उक्तवस्तुओं के श्राद्धदेनेसे इससंसारमें पितामहसंबन्धी तीनोंपितर मासमासकी वृद्धिपूर्वक अभितृप्त होतेहैं सो यहकथन(अनुपपन्न)अर्थात् ठीक नहींहै क्योंकि अपने २ शुभ अशुभ कर्मोंके बशहोकर स्वर्ग अथवा नरकमें पहुँचेहुये मनुष्योंकी पुत्रादिकों करके दियेहुये अन्नपानादिसे तृप्तिहोनी असंभव है किन्तु न जानिये उन्होंने कहां २ उत्तमलोकों में जन्मपायेहों या किस २ योनिमें अपनेपापोंके फल भोगतेहों फिर उनकीतृप्ति अबके दियेहुये अन्नपानादिसे क्योंकर होसक्ती है-भलायहभीमाना कि भावतृप्ति होतीहोगी क्योंकि अबका दियाहुआ उनको उस पापिष्टयोनिमें पहुँचकर सहायता करताहोगा जिसमें उन्होंने जन्मपाया और क्लेशितहोरहेहों किन्तु उसयोनिमेंभी अबकेदियेसे कुछ क्लेशकीशांति होतीहोगी अथवा पुण्ययोनिमें जन्मपायाहोगा तौ यद्यपि उसमें सुखी होंगे पर अबकेदियेकी सहायतासे कुछअधिकसुख मिलताहोगा(तथापि)शंकाहोती है कि जब आपही पराधीन और असमर्थहैं कि पुत्रादिकोंके दियेहुयेकी सहायता और तृप्तिमें आकांक्षा वा लालसा रखतेहैं फिर पुत्रादिकोंको क्योंकर स्वर्गादिफल देसकें हैं जो नानाप्रकारके फल बर्णनकरते चलेआतेहों क्योंकि दूसरेको कुछदेना यह अपनी शक्तिविना कदाचित् नहींहोसक्ता( फिर )उन पराधीनोंमें ऐसीकौनसी बहशक्तिहै जिस्से वे पुत्रादिकोंको सबसंसारी वा असंसारी सुखदेसकेंहैं-इसी शंकाकी शान्तिमें नीचे दोश्लोक बर्णनकियेजातेहैं सो देखौ २६४।२६५।२६६।२६७ ॥

वसुरुद्रादितिसुताःपितरःश्राद्धदेवताः । प्रीणयन्तिमनुष्याणांपितृन्श्राद्धेनतर्पिताः २६८ ॥  
आयुःप्रजाधनविद्यास्वर्गमोक्षसुखानिच । प्रयच्छन्तिथाराज्यंप्रीतानृणांपितामहाः २६९ ॥

अक्ष०सहस्रयोः-वसु १ रुद्र २ अदितिकेपुत्र ३ यहतीनों पितर और येही श्राद्ध देवताहैं श्राद्धद्वारा तर्पितहुये मनुष्योंके पितृन्को प्रीणन करतेहैं २६८ तथा येही पितामह प्रीतहोतेहुये मनुष्यों को-आयु-प्रजा-धन-विद्या-स्वर्ग-मोक्ष-सर्वसुख-राज्य यह सबदेतेहैं २६९ ॥ यहांपर पहले श्लोकमें (पितर)और दूसरेमें(पितामह) यह दो शब्द देवताओंके वाचकहैं सो इसकाभाव अभिप्रायार्थमें समुझलो ॥

अभि०सहद्वयोः—इनदोनों से पहले चार श्लोकोंकी अधिकोक्तिवाली शंकामें समाधान करतेहैं कि यद्यपि देवदत्त १ कृष्णदत्त २ विष्णुदत्त ३ इत्यादिपिता १ पितामह २ प्रपितामह ३ तीनोंके नामगोत्र उच्चारणकरिके श्राद्ध कियाजाता है तथापि श्राद्ध कर्मकीव्यवस्थामध्ये देवदत्तआदि तीनों बाप दादा परदादाही श्राद्धके(संप्रदानभक्त) नहीं अर्थात् जिनकानामलेकर श्राद्धकियाजाताहै यथार्थमें केवलउनकोही नहींदिया जाता किन्तु कुछ वेही श्राद्धके भोक्ता या फलदाता नहींहैं क्योंकि उनके नतो पहलेसे देहमात्रहैं न आत्मात्रहैं केवलदेवदत्तआदि नाममात्र उच्चारणकियेजातेहैं सो इस नाममात्रके उच्चारणसे उनके एकभिन्न प्रकारके शरीरविशेषोंका उद्देश कियाजाता है (तथापि)केवल देवदत्त आदि इन्हींनामोंसे उद्देश नहींकियाजाता किन्तु उनके साथ वसु १ रुद्र २ आदित्य ३ इनकाभी उच्चारण कियाजाता है ( उदाहरण )जैसे अमुक गोत्र अस्मत्पिता देवदत्तशर्मा वसुस्वरूपः(एवं)अस्मत्पितामहः कृष्णदत्तशर्मा रुद्र स्वरूपः(एवं)अस्मत्प्रपितामहो विष्णुदत्तशर्मा आदित्यस्वरूपः-अथवा-तीनोंका एक साथ उच्चारण करनाहुआ तो इसरीतिसे कि-पितृपितामहप्रपितामहाः वसुरुद्रादित्य स्वरूपाः-सो यथार्थमें वसु रुद्र आदित्य येही तीनों पितामह शब्दवाच्यहैं किन्तु पितामह येहीकहलातेहैं और येहीतीनों श्राद्धके अधिष्ठातृ देवताहैं इसलिये इनतीनों का और देवदत्त आदि तीनोंका एकसाथ आवाहन कियाजाताहै-इसीहेतुसे देवदत्त आदि तीनों बाप दादा परदादाभी तीनों अधिष्ठातृ देवताओंकरके सहित पित्रादि शब्दोंसे विख्यातहैं-इसीकारणसे पुत्रादिकों करके दियेहुये अन्नादि वस्तुसे प्रथम वसु आदि तीनों देवता भोक्ताहोकर तृप्तहोतेहैं फिर वे आप तृप्तहुये देवदत्त आदि मनुष्योंके पितृन्कोभी तृप्तकरतेहैं और वेहीदेवता अपने ज्ञान १ शक्ति २ अतिशय योग ३ इनतीनों उपकरणोंसे श्राद्ध कर्त्ता लोगोंकोभी कहेहुये फलोंसे संयुक्त करतेहैं- इसभांति पितरोंके श्राद्धसे मनुष्योंको फलमिलताहै किन्तु उनके अधिष्ठाता देवता संपूर्ण फलदेते हैं सो वह उन्हींकादेना कहलाता है इसलिये शंकाकरने का अवसर नहींहै २६८ । २६९ ॥

अभि०सहद्वयोः—यह उपशंकाभी निर्मूलहै कि वेही पितरोंकोभी तृप्तकरते और वेही श्राद्धकर्त्ताको फलदेतेहैं क्या एकसे दौकामहोना संभवहै-इसमें(दृष्टान्त)दियाजाता है कि जैसे सगर्भास्त्रीको बहुभांति अन्नोंकी लालसा परीकरने तथा शरीर पोषणके भी लिये पति आदि करके अन्नदियेजातेहैं वह सगर्भा उन्हींअन्नोंसे प्रथम आपभोजन करके तृप्तहोती है पुनि आप संतर्पितहुई गर्भगत संतानकोभी संतर्पित करती किंतु गर्भगत बालक अपनी माताकेही आहारसे पलताहै-पुनि वही सगर्भा संतर्पित हुई संतानको तर्पित कियेपीछे पुत्रादिफल उत्पत्तिद्वारा अन्नदाता पतिआदिको भी फल

संयुक्त करती है फिर देवताओंको ऐसा करना क्या असंभव है क्योंकि वसु रुद्र आदित्य जो तीनों कहे सो केवल एक नहीं किन्तु वसु भी आठ हैं सो पितापक्षके अधिष्ठाता तथा ग्यारह ११ रुद्र हैं सो दादापक्षके अधिष्ठाता और बारह १२ आदित्य हैं सो परदादा पक्षके अधिष्ठाता पुनि येही नानापक्षमें तीनों पुरुषके अधिष्ठाता इसी क्रमसे होते हैं फिर इतनोंको मिलकर श्राद्धकर्त्ताको फल देना क्या असंभव है इससे कोई भांति शंका करने का अवकाश नहीं है २६८ । २६९ ॥

इति सर्वश्राद्धप्रकरणम् ॥

ज्ञातव्य है कि २१६ और २१७ श्लोकसे श्राद्धप्रकरण का प्रारम्भ हुआ था और २५३ के श्लोक तक इसप्रकरणका पूर्वार्द्ध पूरा हो गया था वहांपर पूर्वार्द्धकी समस्या लिखनी रह गई सो अबकी बार छपने में लिखी जायगी इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिसे समझ लेना और २५४ से उत्तरार्द्धका प्रारंभ होकर यहां तक पूरा हुआ ॥

अथ सर्वविघ्नादिशांति प्रकरणम् ॥

विनायकः कर्मविघ्नसिद्धयर्थं विनयोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा २७० ॥

अक्ष०—कर्मोंकी विघ्नसिद्धिके लिये ब्रह्माकरके तथा रुद्रकरके गणोंके आधिपत्यमें विनायक विनयोजित किया है २७० ॥

अभि०—(विनायक) कहिये विघ्नेश्वर किन्तु महागणपति गणोंके (आधिपत्य)में अर्थात् पुष्पदन्त आदि भयंकरगण समूहोंके सेनापतित्वमें नायकरूप (विनयोजित) किया अर्थात् उस धंधेमें लगाया है—किसने ब्रह्माने तथा रुद्रने और चकारके आशयसे विष्णु ने भी—सो किसलिये कि संसारी फल साधकरूप कर्मोंमें (विघ्नसिद्धि)के लिये अर्थात् भयंकर गणोंके द्वारा यथोचित विघ्नपूर्वक उन कर्मोंकी फलसिद्धिका विघात करने के लिये—यद्वा—(गौणपक्ष)से यह अर्थ भी होसकता है कि कर्मोंमें विघ्न और सिद्धिके लिये किन्तु विघ्न किये पीछे अपनी मान्यता वा पूज्यता होनेपर कर्मकी सिद्धिके अर्थ परन्तु यह अर्थ श्रेष्ठ नहीं है किन्तु मुख्य अर्थ वही है जो पहले कहा २७० ॥

अधि०—इस कथनसे यह तात्पर्य है कि जो मनुष्य किसी प्रकारकी फल साधकताके लिये पूर्वोक्त उत्तम कर्मोंको बारम्बार करता है और उसमें विघ्नोंकी उत्पत्ति बारम्बार होती यद्वा उन कर्मोंसे यथोक्त फलकी प्राप्ति नहीं देखपरती तिसका यही कारण है कि विघ्नोंके कारक हेतु असंख्यगण जगत्के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु रुद्रों करके नियुक्त किये हुये फिरते हैं—यद्यपि वेभी प्रारब्धोंके अनुकूल ही विघ्नकरते किन्तु उत्तम प्रारब्धोंके नहीं छेड़सके परकदाचित् यह भांति हो कि जगत्के अधिष्ठाताओंका रक्षा और पालन आदि काम है कि वनतेको विगाड़ते फिरना यह क्या उनकी शोभा है सो यह बात नहीं किन्तु ये विघ्नकारक हेतु भी केवल जगत्की रक्षाके ही लिये नियुक्त किये हैं अर्थात् प्रजाके

यह एक प्रकारका भय दिखलाना केवल सुमार्गताके निमित्त से ब्रह्मा रुद्रने निरूपित किया है क्योंकि भयके बिना प्रीतिभी नहीं होती और जब उसके बनायेहुये संसारी मनुष्य राजा आदि अपने आतंक या प्रजाकी सुमार्गताके लिये नाना भांतिकी भय कल्पना करते हैं कि जिस्से प्रबन्धमें दृढ़ता बनी रहै और प्रजा हमसे विमुख नहीं होनेपावै फिर सारे जगत्के अधिष्ठाता ऐसा नहीं करै तौ जगत् उनके बशमें कैसे रहै २७० ॥

तेनोपसृष्टोयस्तस्यलक्षणानिनिबोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थजलंमुंडांश्चपश्यति २७१ ॥

काषायवाससश्चैवक्रव्यादांश्चाधिरोहति । अंत्यजैर्गर्दभैरुष्टैःसहैकत्रावतिष्ठते २७२ ॥

ब्रजन्नपितथात्मानंमन्यतेऽनुगतंपरैः २७३ ॥

ऐ० सार्द्धद्वयोःसह—( हेमुनयःतस्यलक्षणानिनिबोधत ) इस प्रकार योगीश्वर याज्ञवल्क्य फेर उन मुनियोंको संबोधित करते हैं जिनसे सबसे पहले प्रश्न करनेपर द्वितीय श्लोकमें यह कहाथा कि—(यस्मिन्देशेऽमृगःकृष्णःतस्मिन्धर्मान्निबोधत) हे मुनयः जो कोई पुरुष (तेन-उपसृष्टः) कहिये तिस पूर्वोक्त विनायकसे पकड़ाहुआ होवै तिसके लक्षणसमझौ कि वह विनायकसे पकड़ाहुआ स्वप्नमें (अत्यर्थजलावगाह) करै है अर्थात् अत्यंतही अगाध जलमें गोतेसे खावै है और (मुंडान्पश्यति) किन्तु मुड़ेहुये शिरों के मनुष्योंको देखताहै २७१ (काषायवाससश्च) किन्तु गेरुआ और नीले खाकी आदि वस्त्रवालोंको भी देखताहै (एव) निश्चय जानौ (क्रव्यादांश्चाधिरोहति) किन्तु क्रव्याद नाम मांस भक्षी व्याघ्र आदि या गृध्र आदि पक्षीभी तिनपर आप आरोहण करता है या उनके साथ घिरा फिरताहै ऐसेही (अंत्यज) चांडाल और गर्दभ और ऊँट इन करके सहित एकत्र बैठताहै या इनपर भी चढ़ता है २७२ तैसेही (ब्रजन्) अर्थात् जाताहुआ मार्गमें (आत्मानं) कहिये अपनेको (परैः) अर्थात् शत्रुओं यद्वा राजदूतों अथवा बटमारों आदि करके (अनुगतं-मन्यते) किन्तु घेराहुआ मानै है अर्थात् जैसे यह लोग पीछेसे दौड़ेहुये पकड़ने या मारनेको भुँके चलेआते हैं तैसी अति खिन्न दशा स्वप्नमें भोगताहै ॥ यहां तक अढ़ाई श्लोकों से अतिभयानक स्वप्नरूप विघ्न ज्ञापक हेतु कहे अर्थात् इन लक्षणों से जानाजाता है कि यह पुरुष विघ्नविनायकसे गृहीत है २७३ ॥

अब नीचेके अढ़ाई श्लोकोंसे साक्षात् जाग्रत् अवस्थामें विघ्न ज्ञापक हेतुओं के स्वरूप लक्षण कहते हैं ॥

विमनाविफलारंभःसंसीदित्यनिमित्ततः २७३ ॥

तेनोपसृष्टोलभतेनराज्यंराजनन्दनः । कुमारीचनभर्तारमपत्यंगर्भमंगना २७४ ॥

प्राचार्यत्वंश्रोत्रियश्चनशिष्योऽध्ययनंतथा । वणिग्लाभंनचाप्रोतिकृपिंचापिकृपीवलः २७५ ॥

ऐ० सार्द्धद्वयोःसह—( विमना ) कहिये विगड़ा हुआ मन किन्तु विकृत चित्त विक्षिप्तसा

मनुष्य होजाता है और (विफलारम्भः) किन्तु जो कुछ आरम्भ उद्योग आदि करता है सो विफल होजाता अर्थात् कियाहुआ कर्म संसिद्ध नहीं होता जिस्से फल पावे औरभी (अनिमित्ततः-संसादिति) अर्थात् बिना कारणकेही अकस्मात् खिन्नमन खिन्न शरीर होकर दीनसा होजाता और मुखकी कांति जाती रहती है २७३ उस विघ्नि-नायकसे पकड़ाहुआ राजनन्दनभी राज्य नहीं पाता अर्थात् राजकुलमें जन्म पाकर और श्रुत शौर्य धैर्य आदि गुण संयुक्त होकर भी राज्यका अधिकार नहीं पाता- (कुमारीच-नभर्त्तारं) अर्थात् कन्याभी रूप लक्षण अभिजन आदि सम्पन्न होने पर भी यथेप्सित बरहूँडे नहीं पाती-और (अंगना-अपत्यं) अर्थात् स्त्री गर्भवती होकर भी संतान नहीं पाती-और (गर्भं) ऋतुमती अर्थात् मासिक धर्म होनेपर भी गर्भ नहीं पाती है २७४ (आचार्यत्व-श्रोत्रियश्च) अर्थात् श्रुत अध्ययन तदर्थ ज्ञान इनके होने परभी आचार्यत्व की पदवी वा अधिकार श्रोत्रिय नहीं पाता है-तथैव (शिष्य) भी विनय आचारादि युक्त होने परभी (अध्ययन) अर्थात् पढ़ना या तौ प्राप्त नहीं करसक्ता यद्वा पढ़ाहुआ याद वा स्पष्ट नहीं करसक्ता-(वणिग्लानंनचाप्रोति) अर्थात् बाणिज्यवाला अपने व्यापारसे लाभ नहीं करसक्ता और (कृषिवापि-कृषीबलः) अर्थात् कृषिवल कहिये कृषाण सो खेती से फल नहीं पाता-तब इनकहेहुये लक्षणों से जानाजाता है कि यह मनुष्य विघ्नविना-यकसे गृहीत है २७५ ॥

इसप्रकार विघ्नोंकेकारकहेतु और ज्ञापकहेतु भी कहे-अब आगे इनकी शांतिका विधान कहते हैं ॥

स्नपनंतस्यकर्त्तव्यं पुण्येद्विविधिपूर्वकम् । गौरसर्पपकल्केनसाज्येनोत्सादितस्यच २७६ ॥  
सर्वौषधैःसर्वगंधैर्विलिप्तशिरसस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्यस्वस्तिवाच्याद्विजाःशुभाः २७७ ॥  
ऐ० सहद्वयोः-पुण्यदिवसमेंउसकाविधिपूर्वक(स्नपन)कर्त्तव्यहै अर्थात्पुण्यदिनकहिये अपनी राशिआदिके अनुकूल चन्द्रनक्षत्रादिसे दिनदेखकर यथोक्त पद्धति आदिके विधिसे(स्नपन)कहिये अभिषेक करै उसका कि जो पुरुष विनायक से उपसृष्टहो-अथवा-उपसृष्ट तौ नहीं है पर किसी उत्तमकार्यके प्रारम्भसे पहले विनायक से उपसृष्ट नहोनेकी बांछासे अर्थात् निर्विघ्न परिसमाप्तिके हेतुसे विनायकसे न पकड़ाहुआ अभिषेचन कर्मकरै सो यह अभिषेक दिनमेंकरै किन्तु रात्रिमेंनहीं सो इसविधिसं कर्त्तव्य है कि पहले पाली सरसों झिलका उतारीहुईका कल्क अर्थात् लुगुदी या नुगुदीका हुई घृतसहित गाढ़े लेपकेअनुमान बनाकर उस्से(उत्सादित)कहिये उद्धर्तित किन्तु उ-टना कियेहुयेका अभिषेककरै जैसा २८० । २८१ । २८२ इन तीनों मंत्रसे उ-तिसकीविधि आगे कहतेहैं २७६ सर्वौषधी जिनके नामनीचे अधिकोक्ति में द्ये और सर्वगन्धभी जिनकेनाम अधिकोक्तिमें कहेहैं सब मिलाकर शिरमें लेपकिये



और भद्रासन पर बैठेहुयेके प्रति पहले शुभ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचनहो-ब्राह्मण शुभशब्दके विशेषणसे श्रुताध्ययन आचारादि संपन्नहों और अग्रोक्त चार कलशोंके उपलक्षणसे संख्यामेंभी ब्राह्मण चारहों पर गुरु यद्वा आचार्य इनसे पांचवांहो और (स्वस्तिवाच्याः)इसविशेषणसे(स्वस्तिभवंतोब्रुवंतु-इतिवाच्याः) अर्थात् उससमयब्राह्मणोंसे कर्त्तापुरुष कहै कि आप स्वस्तिवाचनबोलैं तब अभिषेचनकेसाथही गृह्यशास्त्र के मार्ग से पुण्याहवाचन कियाजावै-भद्रासनका स्वरूप अगले श्लोकों से जाना जायगा २७७ ॥

अधि०सहद्वयोः—(कुष्टंमांसीहरिद्रेद्वेमुराशैलेयचन्दनम् । वचाकचोरकंमुस्तासर्वौषध्यः प्रकीर्त्तिताः) -अर्थात्-कूट-जटामांसी-दोनोंहरिद्रा किंतु हरिद्रा १ दारुहरिद्रा २ मुरामांसी शैलेय-अर्थात् बालछड़ा या छारछवीला जिसे कहतेहैं-चन्दनसुपेद-बच-कर्चर-मुस्ता दोनोंप्रकारके यहां मुस्ता नागरमोथा को कहते हैं-इनकानाम सर्वौषधी कहाहै परन्तु इनके सिवाय औरभी प्रियंगु नागकेसर आदिजो प्रसिद्ध हैं वेभी इनमें संयोज्यहैं—ऐसेही सर्वगंधोंमें भी चन्दन अगुरु कस्तुरी आदिबस्तु प्रसिद्धहैं सो सबलेनीचाहिये इनसबको मिलाकर लेपकरै उसकेशिरमें तब पीछे स्नानको बैठारै २७६ । २७७ ॥  
अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्दल्मिकात्संगमाद्भृदात् । मृत्तिकारोचनांगंधानगुग्गुलुंचाप्सुनिक्षिपेत् २७८ ॥  
याआहृताह्येकवर्णैश्चतुर्भिःकलशैर्हृदात् । चर्मणयानद्दुहेरक्तेस्थाप्यंभद्रासनंततः २७९ ॥

ऐ०सहद्वयोः—अब स्नानकेजलकीविधिकहते हैं कि-घोड़ाके स्थानकी मृत्तिका-हाथीके स्थानको-सर्पकी बांबीमेंकी मृत्तिका-(संगमात्) अर्थात् दोआदि नदियोंके मिलापस्थानसे-(हृदात्)अर्थात् जिसतालाबकाजलकभी सूखतानहींहो तिसकी-यह पांचप्रकारकी मँगार्इहुई मृत्तिका और रोचनाकहिये गोरोचन और गन्धकहिये सुपेद चन्दन अच्छी सुगन्धिवाला और कुंकुम अगुरु आदि जो प्रसिद्धहैं तिनको और गुग्गुलुकोभी यह सबचीजें कूटकर उन जलों में छोड़ै २७८ किनमें-कि-जौनसे जल इसी कार्यके नामसे मँगारैहुये एकवर्णवाले चारकलशों करके अशोष्यहृदमेंसे उपस्थित कियेहों-अशोष्य (हृद) अर्थात् जिसतड़ागका जलकभी सूखतानहो अथवा ऐसातड़ागनहींमिलै तोनदी संगमसेभी मँगवाना उचितहै और चारोंकलश अर्थात् कुम्भ एकवर्णके इसलियेकहे कि चाहैपीतवर्णहों चाहै रक्तवर्ण यद्वा श्वेतभी पर सभी एकरंगकेहों और कालेवर्णके नहोंऔरफूटेनहों छिद्रवाले न हों टेढ़ेमेढ़े कूबरे नहों स्वरूपमें अतिसुन्दरहों तिनमें ऊर्ध्वोक्कमृत्तिका और गंधादि वस्तुछोड़कर फिर तिसके अनन्तरलाल अनडुहके चर्म पर भद्रासन स्थाप्य है अर्थात् आंडू वृषभका लाल चमड़ा संपूर्ण अखंड जिसकी उत्तरको पूँछ और पूर्वको ग्रीवाकरके बिछाया तिसपर भद्रासन अर्थात् भद्रकहिये अतिसुन्दर मनोरम आसन जो श्रीपर्णीसे निर्मित किया हुआ और श्वेतवस्त्र से

प्रच्छादित कियाहो सो स्थापित करै तथापि भद्रासन संज्ञा इसकी यथार्थ उस दशामें होगी कि जब लिपेहुये शुद्धस्थानमें पंचरंगा आदि से रचेहुये स्थंडिलवेदी पर स्वस्तिवाचन पूर्वक उक्तचर्मसमेत स्थापितकरै और वेदीके चारों दिशामें पूर्वोक्त जलके चारोंकलश आम्नादि पंच पल्लवोंसे शोभित किये हुये अनेक भांतिके पुष्प माला गन्धादिसे चर्चित कियेहुये अतिउत्तम नवीनबस्त्रोंसे विभूषित कियेहुये स्थापितकरै इसभांति सारीरचना होचुकनेपर उसकीसंज्ञा भद्रासन होतीहै तिसभद्रासन पर वेदीके बीचमें उसमनुष्यको बैठारकर तब उससमय (स्वस्तिवाच्याः-द्विजाः) यह संबंध पूर्वोक्त २७७ के पिछले पदसे लियागया-अर्थात् इस विधिसे बैठारे हुयेका स्वस्तिवाचनहोवै जैसा अगले तीनश्लोकों में कहते हैं २७९ ॥

सहस्राक्षंशतधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन त्वामभिषिंचामि पावमान्यः पुनन्तुते २८० ॥

भगंते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगं मिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः २८१ ॥

यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमंते यच्च मूर्द्धनि । ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तदध्नंतु सर्वदा २८२ ॥

ऐ० त्रयाणांसह—(सहस्राक्षं) यह जलका विशेषण है अर्थात् अनेक शक्तिसम्पन्न जल-

शतधारं अर्थात् बहु प्रवाहवाला (ऋषिभिः) अर्थात् मन्वादि ऋषियोंकरके यद्वा वेदों करके (पावनं कृतं) अर्थात् पवित्र किया गया पूर्वकालमें अथवा इसीसमय घटोंमें रक्सा हुआ वेदमंत्रोंसे ब्राह्मणोंने पवित्र किया यह दूसरा अर्थ है परन्तु पहला अर्थ मुख्य है (तेन) कहिये तिसी जल से (त्वां) अर्थात् तुम्हें विनायकसे पकड़े हुयेको उपसर्ग शान्तिके लिये (अभिषिंचामि) अभिषेचन करूँ हूँ (पावमान्यः-पुनन्तुते) ये पावमान्यजल तुम्हें पवित्र करैं-यह पहला मंत्र हुआ २८० अब दूसरा कहते हैं कि- (भगं) अर्थात् कल्याण यद्वा ऐश्वर्य (ते) तुम्हें वरुण राजा देवै- (फेर) भग नाम कल्याण तुम्हें सूर्य देवै- फेर (भग) नाम ऐश्वर्य तुम्हें बृहस्पति देवै- फेर (भग) नाम सौख्य तुम्हें इन्द्र भी देवै- वायु भी देवै- और (भग) तुम्हें सप्त ऋषि भी देवै २८१ अब तीसरा मंत्र कहते हैं कि जो तुम्हारे बालोंमें या सीमंत में या मूढ़में या ललाटमें या कानोंमें या आंखोंमें (दौर्भाग्य) कहिये अकल्याण वर्तमान हो तिसको ये पवित्र किये हुये जल सर्वदा नाश करैं २८२ ॥

अधि० त्रयाणांसह—इन मंत्रोंसे पहले जो स्वस्तिवाचन बतलाया था तिसके किये जाने अभिषेक करनेका यह प्रकार है कि सौभाग्यवती स्त्रियां जिनके पति और पुत्र दोनों विद्यमान हों पुनि वे स्त्रियां भी रूपवती गुणवती शीलवती पतिव्रता इन लक्षणोंवाली हों जो इस मंगलकार्यके बुलावेमें घरकी या बाहरकी उपस्थित हों दिव्य बस्त्राभरण से सुवेषवाली हों ऐसी स्त्रियोंके हाथसे वे पूर्वोक्त घट संस्कार मंगल किये हों उनमें पूर्वदिशामें स्थापित किया हुआ कुंभ गुरु अथवा आचार्य अपने हाथसे उठावे तब उठाते हुये वेही स्त्रियां गान वाद्य आदि मंगल उच्चारण करैं इस प्रकार उस घटके उच्चारण

से स्नान गुरु करवावै इन तीनमेंसे पहले मंत्रको पढ़तेहुये-पुनि इसी विधिसे दक्षिण दिशाका कलश लेकर दूसरे मंत्रसे अभिषेक करै-पुनि इसी विधिसे पश्चिमदिशाका कलश लेकर तीसरे मंत्रसे अभिषेक करै-पुनि इसी विधिसे उत्तर दिशाका चौथा कुंभ लेकर इन तीनों मंत्रसे स्नान करावै २८० । २८१ । २८२ ॥

स्नातस्यसार्पपंतैलस्रुवेणौदुंबरेणतु । जुहुयान्मूर्द्धनिकुशान्सव्येनपरिगृह्यतु २८३ ॥

अक्ष०—स्नान किये हुयेके मूढ़पर कुशाओंको सव्य हाथसे थांभकर गूलरके सुवा करके सरसों पीलीके तैलको (जुहुयात्)-अर्थात् अथोक्त मंत्रोंको पढ़कर आचार्य अपने दाहने हाथसे तेल छोड़े क्योंकि बायें हाथसे कुशा थांभे है २८३ ॥

मितश्चसंमितश्चैवतथाशालकटंकटौ । कूष्मांडोराजपुत्रश्चेत्यंतेस्वाहासमन्वितैः २८४ ॥

नामभिर्वलिमंत्रैश्चनमस्कारसमन्वितैः । दद्याच्चतुष्पथेशूर्पेकुशानास्तीर्थ्यसर्वतः २८५ ॥

ऐ०सहद्वयोः—मित १ सम्मित २ शाल ३ कटंकट ४ कूष्मांड ५ राजपुत्र ६ यह छः नाम विनायकके कहे इनके अंकार आदि में और स्वाहा अन्तमें जोड़ेहुये इन्हीं छः मंत्रोंसे उर्ध्वोक्त सार्पपंतैल होमै-सो इसप्रकारसे जानौ-अंमितायस्वाहा १ अंसंमितायस्वाहा २ अंशालायस्वाहा ३ अंकटंकटायस्वाहा ४ अंकूष्मांडायस्वाहा ५ अंराजपुत्रायस्वाहा ६ इस पीछे लौकिक अग्निमें स्थालीपाक विधिसे पकायेहुये (चरु) को अथोक्त इन्हीं छः मंत्रोंसे उसी अग्निमें होमिकर (उसमेंसे) बचीहुई खीरिका बलिदान बलिके मंत्रों से अर्थात् चतुर्थ्यंत दशदिग्पाल नामोंके नमस्कार अन्तमें जोड़ेहुये बलिदान के मंत्रों से-इन्द्र १ अग्नि २ यम ३ निऋति ४ वरुण ५ वायु ६ कुबेर ७ ईशान ८ ब्रह्मा ९ अनन्त १० इनको उसी कर्मशालाके भीतर दशौदिशामें यथाक्रमसे दद्यात् यह दो सौ पचासीके उत्तरार्द्ध प्रारम्भ तक सम्बन्ध रहा-पुनि इस्से आगे निचले श्लोकोंमें कहीहुई सामग्रीका उपहार लेकर (शूर्पे-सर्वतः कुशान्-आस्तीर्थ-चतुष्पथे) (निदध्यात्) इत्यधिकायोजना-अर्थात् सूपमें सब ओर कुशा बिछाकर उसमें नीचे कहीहुई सामग्री का उपहार रखकर चौराहे में रख देवै-किन्तु वहां जाकर उसके रखने का प्रकारभी नीचेके श्लोकोंसे प्रकट होगा (और) यह भी प्रकट होगा कि वह उपहार वस्तु पहले विनायक और अम्बिका उसकी जननीको भी अर्पण किये पीछे उसका शेष सूपमें रक्खाजावै सो अब कहते हैं २८४ । २८५ ॥

कृताकृतास्तन्दुलाश्चपललौदनमेवच । मत्स्यान्पक्वांस्तथैवामान्मांसमेतावदेवतु २८६ ॥

पुष्पंचित्रंसुगंधंचसुरांचत्रिविधामपि । मूलकंपूरिकापूपंतथैवोदरेकस्रजः २८७ ॥

दध्यन्नंपायसंचैवगुदपिष्टंसमोदकं । एतान्सर्वान्समाहृत्यभूमौकृत्वाततःशिरः २८८ ॥

विनायकस्यजननीमुपतिष्ठेत्तताम्बिकाम् । दूर्वासर्पपुष्पाणांदत्त्वाध्व्यपूर्णमञ्जिलम् २८९ ॥

ऐ०चतुर्णांसह—यहां पर सबसे पहले २८८ और २८९ के श्लोक पर दृष्टि करो कि

इन्हीं श्लोकोंमें अढ़ाई श्लोकसे सब सामग्रीका उपहार विनायक और उसकी जननी अम्बिकाके आगे रखकर और भूमिमें शिर भुँकाकर दोनोंके समीप स्थित होवै इस कर्मको (उपस्थान) कहते हैं उपस्थानकी विधिका मंत्र भी २९० श्लोकमें कहेंगे परंतु उपस्थान पीछे करै किन्तु पहले उपहार देकर तिसके अनन्तर दूर्वा सरसों पीली और पुष्प सुगंधिमान् और चन्दन इनसे भरीहुई जल सहित अंजलीका अर्घ्य दोनोंके देकर तब पीछे उपस्थान करै पुनि उपहारसे बचीहुई सामग्रीको पूर्वोक्त विधिसे सूप में लेजाकर चौराहे में धरै यह सम्बन्ध २८५ से चलाआता है-अब ऊपरके अढ़ाई श्लोकोंकी सामग्री समझौ-(कृताकृतास्तंदुलान्) अर्थात् कुछेक उसिजेहुये अधकच्चे चावर १ (पल्लौदन) अर्थात् पल्लु कहिये तिलकुटा तिसमें मिलाया हुआ ओदन कहिये भात २ (मत्स्य) मछरी पकी कच्ची दोनों भांतिकी ३ (मांसमेतावदेवतु) अर्थात् मांसभी कच्चापका दोनों तरहका ४ (पुष्पंचित्रं) अर्थात् पीले काले लाल सुपेद आदि सब तरहके फूल ५ (सुगंधंच) चन्दनआदि नानाभांतिकी सुगन्धवस्तु ६ (सुरांचत्रिविधामपी) तीनों भांतिकी मदिरा किन्तु एक तौ (गौडी) जो गुड़से बनती है दूसरी माधी जो सहत आदिसे बनती है तीसरी (पैथी) जो पिष्टादि वस्तुसे बनती है ७ (मूलकं) मूली मूरी इतिच भाषा विख्याता ८ (पूरिका) पूरी इति प्रसिद्धा ९ (अपूपः) अर्थात् गोधूम चूर्णका कसार और पुआ भी १० (उंडेरकस्रजः) अर्थात् चूनकी कच्ची और घृतपक गोलियोंकी प्रोहीहुई मालावत् सूधी लड़ी ११ (दध्यन्नं) अर्थात् दही मिलाहुआ उड़द का चूर्ण भूनाहुआ यद्वा कच्चा भी १२ (पायसं) दूधकी खीरि १३ (गुडपिष्टं) गुड़ मिला हुआ धान आदिका चूर्ण १४ (मोदक) लड्डुआ लड्डू कई प्रकारके १५ यह सारी वस्तु उपहार मध्ये कहीगई २८६। २८७। २८८। २८९ ॥

अधि० चतुर्णांसह—यहकहीहुई सामग्रीका उपहार भिन्नभिन्नविनायकके आगे और उनकी जननीके भी आगे रखकर और पृथ्वीमें शिर भुकाकर भिन्न २ उपहारसंबंधी मंत्र उच्चारण करै-यथा-(तत्पुरुषायविग्रहेवक्रतुण्डायधीमहितन्नोदन्तीप्रचोदयात्)-यह गणपति के आगे-और-(सुमगायैविग्रहेकाममालिन्यैधीमहितन्नोगौरीप्रचोदयात्)-यह जननी के उपहारमध्ये मंत्र है-इन मंत्रों को शिरभुकाते समय उच्चारण करिके नमस्कार करै तिसपीछे पूर्वोक्तरीतिसे अंजली देवै तिसपीछे अग्रोक्त २९० के मूलश्लोकी मंत्र में उपस्थान करै तिसपीछे उपहार शेषवस्तु सूपमें पूर्वोक्तविधिसे लेजाकर चौराहे में धरै तहांपर इनमंत्रोंको शिरभुकातेहुये बोलै-यथा-(वलिंगृह्णांत्विमे देवा आदित्यव सवस्तथा १ मरुतश्चाश्विनौरुद्राः सुपर्णः पन्नगाग्रहाः २ असुरायातुधानाश्चपिशाचं रगमातरः ३ शाकिन्योयक्षवेतालायोगिन्यः पतनाः शिवाः ४ जृम्भकाः सिद्धगंधर्वाभावा विद्याधरानराः ५ दिक्पालालोकपालाश्चयेचविघ्नविनायकाः ६ जगतांशांतिकर्तव्ये

ब्रह्माद्याश्चमहर्षयः ७ माविधुंमाचमेपापंमासंतुपरिपंधिनः ८ सौम्याभवंतुत्प्राश्चभू  
तप्रेताःसुखावहाः ९-अवनीचे उपस्थान का मंत्रदेखौ जिसकी चर्चा ऊपर कईवार  
आचुकीहै २८६ । २८७ । २८८ । २८९ ॥

रूपंदेहियशोदेहिभगंभवतिदेहिमे । पुत्रान्देहिधनंदेहिसर्वकामांश्चदेहिमे २९० ॥

अक्ष०—हेभवति अंविके मुभेरूपदेहि यशदेहि(भग)ऐश्वर्य और कल्याणदे अनेक  
पुत्रदे धनदेहि और मुभे सर्व अपेक्षित कामोंके फल देहि २९० ॥

अभि०—यद्यपि मूलश्लोकी मंत्र और उसका अक्षरार्थ जो ऊपर लिखागया सो  
केवल एकपक्षमें कहा अर्थात् भगवती अंविका के उपस्थान पर घटता है परन्तु  
अभिप्राय इसका दोनोंके उपस्थान पर निश्चितहै क्योंकि मुख्यभावसे गणपतिका  
यहविधानहै इसलिये गणपति के सन्मुख उपस्थानकी प्रार्थनामें इसप्रकारसे उच्चार-  
ण करना चाहिये-यथा-( रूपंदेहियशोदेहिभगंभगवन्देहिमे । पुत्रान्देहिधनंदेहिसर्व  
कामांश्चदेहिमे २९० अर्थइसका जो अक्षरार्थमें ऊपर लिखागया वहीठीकहै पर  
इसमें संबोधन (हे भगवन् गणपते) इसप्रकारसे हुआ २९० ॥

ततःशुक्लाम्बरधरःशुक्लमाल्यानुलेपनः । ब्राह्मणान्भोजयेद्बद्याद्वस्त्रयुग्मंगुरोरपि २९१ ॥

ऐ०— तिसपीछे वह अभिषेकवान् यजमान शुक्लाम्बर धारण कियेहुये और शुक्ल  
माल्य अनुलेपन आभूषण आदिसे संयुक्तहुआ ब्राह्मणोंको भोजनकरवावै और यथा  
शक्ति संभवके अनुसार विनायक के निमित्तकी दक्षिणा देवै और गुरुको यथाशक्ति  
दक्षिणाके सिवाय उत्तम दो बस्त्रभी देवै-यहांपर गुरुशब्दसे कुछमंत्र वा विद्यादाता  
वा कुलगुरु आदि गुरुओंसे अपेक्षानहींहै किंतु जो श्रुताध्ययन वृत्तआदिसे संपन्न  
हो और विनायक स्नपन विधिका जाननेवाला निश्चित करिकै इस कार्यमात्रमें गुरु  
हुआहो-और (अपि) शब्दकी लक्षणासे अपनेपूर्वोक्त गुरुओंकोभी पूज्यताकी रीतिसे  
जो बनिआवै सो देवै और इसी (अपि) शब्दकी लक्षणासे कर्मकर्तृत्वका परिश्रम उन  
ब्राह्मणोंको जुदादेवै उसमें कुछ गणपति का उद्देश अपेक्षित नहीं है २९१ ॥

आधि०—इस अधिकोक्तिमें प्रकृत वर्णन मात्रका संक्षेप अनुक्रम कथन करतेहैं इस-  
लिये कि कोईवात प्रकृत वर्णनमें व्यतिक्रम से आगेपीछेभी कहीगईहो तो अग्रोक्त  
अनुक्रमकेअनुसार यथोचित समुभल्लीजावै-(अथ प्रयोगक्रमः)-प्रथम चारोंब्राह्मणों  
सहित उक्तलक्षण वाला गुरुमंत्रों पूर्वक भद्रासन की रचनाकरै-फिर उसभद्रासन के  
समीप विनायक और अंविका उसकी जननीको कहेहुये दोनोंके मंत्रोंसे गंध पुष्पादि  
से पजिकर-फिर चरुपकावै-फिर भद्रासन पर बैठेहुये यजमान प्रति पुण्याह वाचन  
करै-फिर चारोंकलशोंसे उक्त विधिपूर्वक अभिषेक करै-फिर सरसोंका तैल शिरपर  
होमै-फिर चरुसे अग्निमें होमकरै-फिर अभिषेकशालामें दशदिक्पालोंको इससंकही

हुई विधिसे वा पंचलोकपालोंकोभी अन्यग्रंथोक्त विधिसे वलिदान करै-और यजमानभी स्नानके अनन्तर शुक्लवस्त्र शुक्लमाल्यादि धारण कियेहुये गुरुके साथहोकर विनायक और अंबिका को उपहारदेकर भूमिमें शिरसे भुके पुनि पुष्पोदकसे अर्घ्य देवै फिर दूर्वा सरसों और फूलोंसे अंजलिभरिकै चढ़ावै-फिर विनायक और अंबिका के सन्मुख उपस्थानकरै-तिसपीछे उपहार शेषवस्तुओंको सूपमें गुरुलेजाकर चौराहेमें रखवै और शिरभुकाकर पृथ्वी में प्रणाम पूर्वक अर्पणकरै पूर्वोक्त विधि से-फिर वहांसे गुरुके लौटिआनेपर ब्राह्मण भोजन-फिर पहले गुरुको दक्षिणा और देवस्य फिर अन्यब्राह्मणों को दक्षिणादान-इस्सेआगे अपने कुलका आचार जोकुछ उचित हो किंतु अपने निजगुरु कुलगुरु आदिका सत्कार वा मान्यता-इसक्रम के अनुकूल एकप्रयोग पद्धति विद्वानोंको उचित है कि जो प्राचीन पद्धति नहीं हाथ आवै तो अपनी बुद्धि और विद्याबलसे सम्पादन करलेवै जिस्से औरोंका और उनका भी कल्याणहो परन्तु यह स्मृतरहे कि इसविधिमें कोई प्रकारका अनुकल्प श्रेयस्कर नहींहै किंतु इसकी यथोक्त विधि तद्रूप फलसाधक निश्चित है जो किसीसे वनिपरै इसमें केवल एक दिनका प्रयोग है और जिस्से हरसाल होसकै तौ अधिक अहोभाग्य हैं २९१ ॥

इति विनायक स्नपनविधिः ॥

अथ ग्रहशांतिकरणापेक्षा कथनम् ॥

एवंविनायकं पूज्यग्रहांश्चैव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं चाप्नोत्यनुत्तमाम् २९२ ॥

अक्ष०—इस विधान से विनायक को पूजि कर ग्रहोंकोभी पूजिकर कर्मोंका फल पावताहै और अनुत्तमा लक्ष्मी कोभी पाताहै २९२ ॥

अभि०—विनायक के कहेहुये विधानके उपसंहारसे संयोगांतर दिखलानेके लिये यह श्लोक कहाहै-अर्थात्-पूर्वकहेहुये विधानसे विनायकको सम्यक् पूजिकर प्रारंभित कर्मोंका फल निर्विघ्न पावताहै यह तौ पूर्ववर्णन कियेहुयेका उपसंहारहै (अवडमा से संयोगांतर कहते हैं कि) केवल कर्मोंकाही फल नहीं किन्तु उत्तम लक्ष्मी भी पावता है जो हरसाल इसी प्रकार एक दिन कियाकरै-अर्थात् केवल कर्म विघ्नोंकी शांति चाहै उसको तौ एकही दिवसके प्रयोगसे कर्म सिद्धि मिलती है परन्तु जो लक्ष्मी मिलने की कामना रखवै वह प्रतिवर्ष नियमसे किया करै (इसी प्रकार) मूर्यादि पीड़ा की शांति अथवा लक्ष्मी की कामना करने वालेके लिये ग्रहपूजादि प्रारम्भ करतेहुये ग्रहपूजाकाभी उपक्षेप इसीश्लोकसेकरतेहैं किन्तु (अ) सूर्य आदि ग्रहोंकोभी अग्रोक्त विधिसे सम्यक् पूजिकर कर्मोंकी निर्विघ्न शांति है तथैव प्रतिवर्ष एकवार नियमसे करनेवाला अनुत्तमा लक्ष्मीभी पावताहै २९२ ॥



यहांपर वक्ष्यमाण नवग्रहशांति से पहले नित्य काम्य संयोगों को कहते हैं दोसौतिरानवे के श्लोक द्वारा ॥  
अथ महागणपत्यादिकल्पफल कथनम् ॥

आदित्यस्यसदापूजांतिलकंस्वामिनस्तथा । महागणपतेश्चैवकुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात् २९३ ॥

अक्ष०—सदा आदित्य की पूजा वा तिलकभी तथा स्वामिकार्त्तिक और महागणपतिकीभी करताहुआ सिद्धिकी पावै २९३ ॥

अभि०—सूर्यरूपी आदित्य भगवान् की पूजा सदा कहिये प्रतिदिवस रक्त चन्दन कुंकुम कुसुमादि वस्तुसे तथैव(स्वामिनः)स्वामिकार्त्तिक और महागणपतिकीभी पूजा यथा योग्यवस्तुओं से नित्यं प्रति करताहुआ सिद्धि आत्मज्ञानादि और नित्यसंबंधी कामोंकीभी सिद्धिपावै है-यद्वा-पूजाकी असंभवता में आदित्य १ स्वामिकार्त्तिक २ महागणपति ३ इनतीनोंके (या) इनमेंसे किसी एक दोके (तिलक) अर्थात् सोना चांदी आदिसे बनाईहुई तदाकार तिलक मुद्रासे तिलक छापामात्र भी करताहुआ पूर्वाक्त अभिलषित सिद्धिपावै है-यह नित्यकाम्य संयोग है २९३ ॥

इतिमहागणपत्यादिकल्पः ॥

अब यहांसे आगे २९२में दर्शाईहुई ग्रहपूजाका प्रकार बर्णन करतेहैं ॥  
अथनवग्रहशांति विधानफलकथन प्रकरणम् ॥

श्रीकामःशांतिकामोवाग्रहयज्ञसमाचरेत् । वृष्ट्यायुःपुष्टिकामोवातथैवाभिचरन्नपि २९४ ॥

सूर्यःसोमोमहीपुत्रःसोमपुत्रोवृहस्पतिः । शुक्रःशनैश्चरोराहुःकेतुश्चेतिग्रहाःस्मृताः २९५ ॥

ताम्रकात्स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्स्वर्णकादुमौ । राजतादयसःसीसात्कांस्यात्कार्याग्रहाःक्रमात् २९६ ॥

स्ववर्णैर्वापटलेख्यागंधैर्मडलकेपुवा । यथावर्णप्रदेयानिवासांसिकुसुमानिच २९७ ॥

गंधाश्चवल्लयश्चैवधूपोदेयश्चगुग्गुलुः । कर्त्तव्यामंत्रवंतश्चचरवःप्रतिदैवतम् २९८ ॥

ऐ० सर्वेपांपंचानांसह—(श्रीकामः) लक्ष्मी आदि धन संपत्ति की कामनावाला-यद्वा-(शांतिकामः)अर्थात् ग्रहपीड़ा आदिकी शांति चाहैसोभी (ग्रहयज्ञ)कहिये नवग्रह शांति होमादि विधिसे सम्यक् आचरै-यद्वा-(वृष्टि) वर्षा अनावृष्टिसमय पर-(आयु)किंतु अपमृत्यु को जीतिकर दीर्घ कालजीवन-(पुष्टि) कहिये शरीर सौख्य निरोगता से-इन बातोंका चाहनेवाला भी ग्रहयज्ञकरै-तथैव-(अभिचरन्नपि)अर्थात् अदृष्टोपायपूर्वकनिज निष्कारण शत्रुको पीड़ादान की वांछा करता हुआ भी ग्रहयज्ञ करै-२९४-इस ग्रहयज्ञमें ये नवग्रह देवता प्रधान हैं-सूर्य-सोम-महीपुत्र-सोमपुत्र-वृहस्पति-शुक्र-शनैश्चर-राहु-केतु-२९५-इनकहेहुये नवग्रहोंकी प्रतिमा यथाक्रमसे इनवस्तुओंसे करै-अर्थात्सूर्यकी तांबेसे-चन्द्रकी स्फटिकसे-भौमकी रक्तचन्दनसेबुधकीसुवर्णसे-वृहस्पतिकीभी सुवर्णसे-शुक्रकी चांदीसे-शनैश्चरकी लोहेसे-राहुकी सीसेकरके-केतुओंकीकांस्य

करके-२९६-अथवा यह नहोसकै तौ इसका अनुकल्प कहतेहैं कि पट्टेपर अपने २ बर्णोंसे जैसा जिसका वर्णहै उसीवर्णकी वस्तु रक्तचन्दन आदि गंधोंसे लिखलेवै-य पट्टेपरभी नहीं तौ(मंडलकेषु)वा अर्थात् पृथ्वीपर बनायेहुये मंडलों किंतु कोष्ठोंमें तंदुल आदिसे तदाकार बनाकर उनमें अपने २ बर्णभर देवै यह तौ स्थापन विधिकही तथैव पूजाविधिमेंभी-बस्त्र और पुष्पभी(यथावर्ण)अर्थात् जैसा जिसकावर्णहो तिसको उसीप्रकारके देनेचाहिये-२९७ गन्धभी उसीप्रकारके वलिदानभी उसीप्रकारके और धूप सभीको गुगुलकी देनी चाहिये-प्रतिदेवत कहिये भिन्न २ अपने २ मंत्रोंसे चक्र भी अर्पण कर्त्तव्य हैं २९८ ॥

अधि०सर्वेषांसह -यद्यपि इस विधानमें नवग्रहों की प्रतिमा सामान्यभावसे कहीहै किन्तु कोई प्रकारका आकार विशेष नहीं कहा औरभी यद्यपि आकार विशेष के लक्षण कईप्रकारसे जहांतहां अन्य शास्त्रोंमें या ज्योतिषमें या हवनकी पद्धतिमें जोर पायेजातेहैं तिनमें परस्परकुछ अन्तर देखपरताहै तथापि(यादृशीभावनायत्रसिद्धिर्भवतितादृशी)इत्यादि प्रमाणोंसे और विशेषकर इस विधानमें कामना विषय होनेसे भी-मत्स्य पुराणका कहाहुआ प्रकार इसमेंसंभवहै-तद्यथा-(पद्मासनःपद्मकरःपद्मगर्भ समद्युतिः । सप्ताश्वरथसंस्थश्चद्विभुजःस्यात्सदारविः १)अर्थात्-सूर्यकी प्रतिमासदाही द्विभुजी करनी चाहिये( और )ऐसा ध्यान यद्वा संभवहो तौ प्रतिमाभी ऐसी करनी चाहिये कि सातघोड़ोंके रथपर पद्माकार बनेहुये आसन किंतु सिंहासन पर बैठेहुये और पद्म जिनके हाथमें और पद्मकीसी आभावाली किरणोंसे संयुक्त और पद्मराग मणिके गर्भस्थ भलभलाहट चमचमाहटके समानहै द्युतिकांति शोभा जिनकी यद्वा पद्मगर्भ कहिये कमलके किंजल्कवत् आभा जिनकी १-अथ चन्द्रस्य-(श्वेतःश्वेतान्न धरोदशाश्वःश्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्विबाहुश्चकर्त्तव्योवरदःशशी १)अर्थात्-शशीनाम चंद्रमा जब कदाचित् वरका देनेवाला कर्त्तव्य हो किंतु काम्यविधिमें उसकी प्रतिमा करनी हो तब दोभुजी कर्त्तव्य है गदा जिसके हाथमें श्वेत जिसका वर्णहो श्वेतवर्ण धारीहो दशघोड़ोंकेरथपर और श्वेतही आभूषण जिसका ऐसाध्यान या ऐसीप्रतिमा करै २-अथ भौमस्य-( रक्तमाल्यांवरधरःशक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुजोमेपगमांवरदः स्याद्धरासुतः ३ )-अर्थात्-धरासुत मंगल जब ऐसाहो तब वरका देनेवाला हो किं रक्तमाल्य रक्तअम्बर धारणकिये और इसीसंकेतसे रक्तवर्ण देहभी शक्ति बरवी शूल माला यह धारणकिये चारभुजावाला-मेषमेढापर चलनेवाला ३-अथ बुधस्य-( रक्त माल्यांवरधरःकर्णिकारसमद्युतिः । खड्गचर्मगदापाणिःसिंहस्थोवरदोबुधः ४ )-अर्थात्- पीतमाल्य पीतअम्बरधारणकिये और (कर्णिकार ) के पुष्पोंकीसी कांतिवालावाणं किं काखड्ग और ढालकोबांधेहुये गदाहाथमेंलियेहुये सिंहपरसवार ऐसेआकरवाला

वरदायकहोताहै-बुधकीभुजाओंका चर्चा नहींकिया इससेद्विभुजामूर्ति समुभीजाती है (तथापि)अग्रोक्त श्लोकमें वृहस्पति और शुक्रकेसाथ इसकासादृश्यपदकरनेसे चतुर्भुज निश्चितहुआ-कर्णिकार नाम एकवृक्ष जिसे छोटाधनबहेड़ा या कणिआर या कनियारी-किरियारीभी कहतेहैं जिसकीफलीमेंसे अमिलतास औषध निकलती है उसके पुष्प अतिपीतसुनहरे और बिना गूँथेहुयेभी दूरसेमालाकीसीलड़ीप्रतीत होतीहैं इसीलिये संस्कृतमें कृतमालभी कहते हैं यद्यपि अमिलतास इस्से बड़ा और फलीभी उसकी बड़ी होती है पर यहभी उसकी जातमें छोटा कहलाताहै ४-अथवृहस्पतेः-शुक्रस्य च-द्वयोःसह ( देवदैत्यगुरुतद्वत्पीतश्वेतौचतुर्भुजौ । दंडिनौवरदौकार्यौमाक्षसूत्रकमंडलू ५।६)अर्थात्-देवगुरु-वृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्र यहदोनों चतुर्भुजकहिये चारभुजा वाले तद्वत् कहिये बुधके समान पीतवर्ण पीतमाल्य पीताम्बरधारी वृहस्पति (और) श्वेतवर्ण श्वेतमाल्य श्वेतअम्बरधारी शुक्र और दंडधारी दोनों और (अक्षसूत्र) नाम जप मालाको लियेहुये दोनों और कमंडलुको लियेहुये दोनों बरके देनेवाले कर्तव्य हैं-(तद्वत्) यह बुधका सादृश्य पद करने से इन दोनोंका भी सिंहवाहन और खड्ग चर्म गदा यह शस्त्रप्रतीत हुये ५ । ६-अथ शनैश्चरस्य-(इन्द्रनीलद्युतिःशूलीवरदोग्धवाहनः । बाणबाणाशनधरःकर्तव्योऽर्कसुतःसदा ७)अर्थात्-अर्कसुतशनैश्चर सदा-ही इन्द्रनील नाममणिके समान कांतिवाला शूल धारण किये गृध्रपर सवार हुआ बाण और बाणाशन कहिये धनुष बांधेहुये बरका देनेवाला कर्तव्यहै-इसकी भुजाओं का चर्चा नहीं किया इससे दोही समझलेनी ७-अथराहोः-(करालवदनःखड्गचर्म शूलीवरप्रदः । नीलःसिंहासनस्थश्चराहुरत्रप्रशस्यते ८)-अर्थात्-(अत्रच) कहिये इस काम्य विधिमें भी राहु करालवदन नीलवर्ण और खड्ग ढाल शूल बांधेहुये सिंहासन किन्तु सिंहवाहन पर बैठा हुआ ऐसे आकारवाला बरप्रद श्रेष्ठ कहलाता है-इसकी भी दो भुजा समझनी ८-अथकेतूनां-(धूम्राद्विबाहवःसर्वेगदिनोविकृताननाः । गृध्रासनगतानित्यंकेतवःस्युर्वरप्रदाः ९)-अर्थात्-केतुके जितने आकार बनावै वह सभी गदाधारीहों दो २ भुजा वालेहों विकृतानन किन्तु भयानक मुखवालेहों गृध्रकी सवारी पर बैठेहों नित्यं कहिये सदाही ऐसे आकारवाले केतु बरप्रद होवें-केतुका बहुवचन केवल इस हेतुसे कहाहै कि यह नानारूप धारी होताहै इसलिये इसका ध्यान और आवाहन मात्र तौ बहुतों के उद्देश और उच्चारणसे करलेना परंतु प्रतिमा केवल एक हो ९-अथ सर्वेषांप्रकृतनवग्रहाणांपरिमाणविशेषमाह-तद्यथा-( सर्वेकिरीटिनःकार्यो ग्रहालोकहितावहाः । स्वांगुलेनोच्छ्रिताःसर्वेशतमष्टोत्तरंसदा)-अर्थात्-सभी नवग्रह लोक हितके देनेवाले किरीटी किन्तु मुकुटवाले करनेचाहिये (और) कर्त्ता अपनेअंगुलसे एकसौ आठ अंगुल ऊँची मूर्त्तें सबकी करै तब लोक हितके देनेवालेहों-अथ

स्थापनदेशः-(मध्येतुभास्करंविद्याल्लोहितंदक्षिणेनतु। उत्तरेणगुरुंविद्याद्बुधंपूर्वोत्तरेण  
तु॥पूर्वेणभार्गवंविद्यात्सोमंदक्षिणपूर्वकोपश्चिमेनशनिंविद्याद्राहुंपश्चिमदक्षिणे॥पश्चि  
मोत्तरतःकेतुंस्थाप्यावैशुकृतंडुलैः)-अर्थात्-सबके मध्यमें सूर्यकोस्थापै-मंगलको दक्षि-  
णदिशामें-बृहस्पतिको उत्तरमें-बुधको ईशानकोणमें-शुक्रको पूर्वओर-चन्द्रमाको अग्नि  
कोणमें-शनिको पश्चिमओर-राहुको निर्ऋतिकोणमें-केतुको वायव्यकोण में-यह सब  
सुपेद तंडुलोंसे स्थापनकरिकै पूर्वोक्त निज २ बर्ण भर देवै उस अवस्थामें कि जो पूर्वोक्त  
विधिसे प्रतिमा न होसकै २९४ । २९५ । २९६ । २९७ । २९८ ॥

अब नवग्रहोंके वेदोक्त मंत्रोंकी समस्या लिखते हैं ॥

आकृष्णेन इमं देवा अग्निर्मूर्धादिवः ककुत् । उद्बुध्यस्वेति च ऋचो यथा संख्यं प्रकीर्त्तिताः २९९ ॥

बृहस्पतेरति अदर्यस्तथैवान्नात्परिश्रुतः । शन्नो देवीः कयानश्चि केतुं कृण्वन्निमांस्तथा ३०० ॥

ऐ० सहद्वयोः-सूर्यादि नवग्रहोंके क्रमसे यथासंख्य यह नवमंत्र वेद ऋचाओंसे कहे-  
अर्थात्-(आकृष्णेन रजसावर्त्तमानो) इत्यादि पाठ वाली ऋचा सूर्यकी १ (इमं देवा)  
इत्यादि पाठ वाली ऋचा चन्द्रमाकी २ (अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पत्ति) इत्यादि पाठ वाली  
मंगलकी ३ (उद्बुध्यस्व) इत्यादि बुधकी ४ । २९९ (बृहस्पतेः अति अदर्यो) इत्यादि  
बृहस्पतिकी ५ (अन्नात्परिश्रुतो) इत्यादि शुक्रकी ६ (शन्नो देवीः) इत्यादि शनैश्चर  
की ७ (कयानश्चित्रा) इत्यादि राहुकी ८ (केतुं कृण्वन्) इत्यादि केतुकी ९ । ३०० ॥

अब आगे नवसमिधें बतलाते हैं ॥

अर्कः पलाशः खदिर अपामार्गो थपिप्पलः । औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात् ३०१ ॥

एकैकस्य त्वष्टशतमष्टाविंशतिरेव च । होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्नाक्षीरेण वायुताः ३०२ ॥

ऐ० सहद्वयोः-(अर्क) अँको आ १ (पलाश) ढाखा २ (खदिर) खैर ३ (अपामार्ग) चिटचिटा ?  
(पिप्पल) पीपर ५ (औदुम्बर) गूलरकी ६ (शमी) छोंकर ७ (दूर्वा) दूब ८ (कुशा) ९-यह नव  
वृक्षोंकी हरी लकड़ी साफ अखंडित छिलका समेत हाथके प्रादेशमात्रसे नपी हुई  
क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके हेतुसे एक एक वृक्षकी यथाक्रमसे करनी चाहिये ३०१ एक  
एक ग्रहके निमित्त उसकी यथोक्त समिध भिन्न २ पूरी आठसौ संख्यामें होनी चाहिये  
आठ २ सौ न होसकै तौ अट्टाईस २ करलेवै तिनको पूर्वोक्त मंत्रोंसे सहत और घृत  
लगाकर होमै अथवा सहत घी नहीं मिलै तौ दहीसेही यद्वा गाढ़े दुग्धमें लगाकर  
होमै पर इनमें भी शर्करा मिश्रित करलेवै ३०२ ॥

गुडौदनं पायसं च हविष्यं क्षीरपाण्डिकम् । दध्योदनं हविश्चूर्णमांसं चित्रान्नमेव च ३०३ ॥

दद्याद्यह क्रमादेव द्विजेभ्यो भोजनाद्विजः । शक्तितो वायथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ३०४ ॥

ऐ० सहद्वयोः-नवग्रहोंकी प्रीतिकेलिये उनके निमित्तके भिन्न २ नवब्राह्मणोंकी भोजन  
वस्तु बतलाते हैं कि सूर्यसम्बन्धी ब्राह्मणको (गुडौदन) अर्थात् गुड़में रांधाहुआ मंत्र

भात १ चन्द्रमाको खीर २ भौमको (हविष्य) कहिये सामाकँगुनी आदि मुन्यन्न जिमावै ३ बुधके ब्राह्मणको (क्षीरषाष्टिक) अर्थात् दूधमें सट्टी चावलोंका भात मिलाकर ४ बृहस्पतिको (दध्योदन) दहीभात ५ शुक्रको हविः अर्थात् घृत और भात इति मिताक्षराकारः ६ शनैश्चरको (चूर्ण) अर्थात् तिल चूर्ण मिश्रभात इति मिताक्षराकारः ७ राहुके लिये मांस किन्तु मांस मिला भातपर जो भक्ष्य मांसोंमें गिनतीहों और जिस प्रकार का ब्राह्मण इस निमंत्रणको अंगीकार करै किन्तु राहुकी प्रीतिसे विधिक्रम अंगीकार है (यद्वा) इसका अनुकल्पहो ८ केतुके निमित्तसे (चित्रान्न) अर्थात् अनेकवर्णका भात यद्वा सतनजा-यहवस्तु मुख्यविधिमें कहीगई परन्तु अपनी शाक्ति और संभवता के अनुकूल यह नहीं तौ और ही जो वस्तु होसक्की या मिलसक्की हो सोई विधिपूर्वक सत्कारसे उन ब्राह्मणोंको द्विजाती लोग देवें ३०३ । ३०४ ॥

अधि०—योगीश्वरने मुख्यविधिके पश्चात् यथालाभ या यथासंभवता जो आदेश करी सो इसीहेतुसे कि इन पदार्थोंमें मांसआदि विरलीवस्तु ऐसीहैं कि जिनको दाता और भोक्ताकेभी विवेकहै तौ नहीं करनी चाहिये ३०३ । ३०४ ॥

अब दक्षिणा बतलाते हैं ॥

धेनुःशंखस्तथानङ्गान्हेमवासाहयःक्रमात् । कृष्णागौरायसंछागएतावैदक्षिणाःक्रमात् ३०५ ॥

ऐ०—सूर्यादि नवग्रहोंके निमित्तसे भिन्न २ यह दक्षिणा क्रमसे उन ब्राह्मणों को देवै-धेनु दूधवाली १ शंखवजना २ आंडूवृषभ ३ सुवर्ण कुछ भूषण वस्तु ४ वस्त्रपीत वर्णका ५ घोड़ासुपेद ६ कृष्णागऊ ७ लोहाशस्त्रादि ८ बकरा ९ । ३०५ ॥

अब प्रकृत विधानमें कुछ विशेषता दुष्टग्रहकी अपेक्षासे कहते हैं ॥

यश्चयस्ययदादुष्टःसतंयत्नेनपूजयेत् । ब्रह्मणैषां वरोदत्तःपूजिताःपूजयिष्यथ ३०६ ॥

ऐ०—प्रकृत विधानमें यहवात कहीथी कि शांतिकी कामना से सभीग्रह एकसाथ पूजनीय हैं-परन्तु-यहां यह विशेषता कहते हैं कि जो कोईसाग्रह जिसकिसीको जब कदाचित् दुष्टहो अर्थात् जन्मराशिसे छठे आठवें आदि यथोक्त दुष्टस्थानोंमें स्थित हो वह पुरुष उसीग्रहको विशेषकर यत्पूर्वकपूजे क्योंकि ब्रह्माने इनग्रहोंको वरदिया है कि तुम मनुष्यों करके पूजेहुये उनमनुष्योंकोपूजो अर्थात् उनके इष्टकीप्राप्ति और अनिष्टका विनाशकरो-यहवार्ता यद्यपि सामान्य सबकेलिये कहीगई तथापि अभिषेकयुक्त राजाको विशेषकर इसवातका अधिकारहै सो नीचेकेश्लोकसे कहतेहैं ३०६ ॥

ग्रहाधीनानरेंद्राणामुच्छ्रायाःपतनानिच । भावाभावौचजगतस्तस्मात्पूज्यतमाग्रहाः ३०७ ॥

ऐ०—नरेंद्राणां अर्थात् अभिषेकादि गुणयुक्त राजाआदि क्षत्रियोंको नवग्रह पूज्यतम होतेहैं किन्तु उनको विशेषकर ग्रहोंकीपूजा कर्तव्यहै पुनि जोवात राजाको कर्तव्य है तौ औरभी सब साधारणोंको कर्तव्यहै तिसकाहेतु कहते हैं कि जगत्का भावाभाव

अर्थात् जंगम और स्थावरमात्रकीभी उत्पत्ति और प्रलय यह जगत्कर्त्ता ने ग्रहोंके आधीन रखे हैं तथैव जीवोंका उच्छ्राय कहिये उन्नति उँचाई वृद्धिआदि और पतनानि कहिये हीनता क्षीणता निपात आदि यहभी सबग्रहोंके आधीन रखे गये-तिसहेतुसे जो कोई उच्छ्राय और पतनके अधिकारीहों तिनकरके पूज्यहैं-क्योंकि जो इनकीपूजा सत्कार होतारहा तौ उत्पत्तिभी अन्नादि यद्वा किसीवस्तुकी अपने नियत समय पर होवैगी और प्रलय निरोधभी अपने उचितकालमें होगा अन्यथा उनकी पूजाविना यह सारीबातें विपरीत जानो-राजा जगत्का ईश्वर होताहै उसको प्रजाकी उन्नति आदिसे अपेक्षा होतीहै इससे जो राजा विशेषकर ग्रहोंको पूजैगा तौ उसके पुण्य प्रभावसे सारीप्रजाके योगक्षेम आदिमें यथोचित कल्याण बनारहेगा-राजाके निदर्शन से कुटुंबी अपनेघरका राजाहै उसका कुटुम्ब उसकी प्रजाहै कुटुम्बी ग्रहोंको पूजैगा तौ उसके सारे कुटुम्बके योगक्षेम आदिमें कल्याण रहेगा ३०७ ॥

अधि०—यह संदेह मतकरना कि जगत्की उत्पत्ति और प्रलय यद्वा उच्छ्राय और पतनादि यह सबकाम केवल एक जगत्कर्त्ता का कर्त्तव्यहै इसमें ग्रहोंके आधीन होना यह असंगत है-क्योंकि जो ग्रहों का करना कहा सोई उस जगत्कर्त्ता का कर्त्तव्य है जगत्कर्त्ता अपने हाथसे कोईकाम नहींकरता क्योंकि वह निर्लेप और निस्संग सर्वथा विदितहै किन्तु उसकी इच्छामात्रसे उसीकी मायाकरके नियुक्त कियेहुये नवग्रह सब कुछ करसक्तेहैं(दृष्टान्त)जैसे संसारमें राजा अपने हाथसे कोईकाम नहीं करता उसके प्रधान करके नियुक्त कियेहुये कोतवाल थानेदार आदि सबकुछ करसक्तेहैं और जोकुछ वे करतेहैं सो सब उसीएक राजाका करना कहलाताहै और यथार्थ मेंभी उसीकाकरना निश्चितहै क्योंकि उसके प्रतापके भयसे सब अपने २ कामोंपर उद्यत बनेरहतेहैं जब कदाचित् एकदिनकोभी राजाका प्रताप उठिजाताहै तबदेखो उस एकही दिनमें प्रजा में क्या २विध्वंस होनेलगतैहैं कि उन रक्षाकरनेवालोंकोभी तुच्छप्राणी विध्वंसकरदेतैहै इससे उनसबोंकाकरनाधरना केवलउसकेप्रतापकेआधीनहै-परन्तु-इतनाइसमेंविलक्षणहै कि उन अधिकारियों का सत्कार जो प्रजालोग करते रहते हैं तिनके तौ सबकाम अपने २ उचित समय और उचितन्याय तक पहुँचते हैं और जो कोई उनका निरादर वा अपमान वा उपेक्षा रखते हैं तिनके सच्चे कामभी विपरीत होजाते और उचित समयपर इन्साफ़ तक पहुँचने नहींपाते क्योंकि जैसे वे जगत्कर्त्ता के नियुक्त किये ग्रह उलटा सुधा करदेनेको समर्थहैं तैसे यह राजाके नियुक्तकिये ग्रह उलटासुलटा करनेके समर्थहैं इससे इन राजग्रहोंकीभी पूजासत्कार प्रजाको नवग्रहोंके समान करनी उचित होतीहै किन्तु यहभी एक अपने योगक्षेमादिके हेतुसे धर्म मर्यादा में गिनती है (दृष्टान्त बुद्धिका संदेह) भला ये बातें तौ जुदीहैं पर हमग्रहोंका विश्वास नहीं करसक्ते क्योंकि



यहनवग्रह एक भूँठीकल्पना देखपड़ती है (आक्षेप) ठीक है इससे अधिक और क्या भूँठी होगी कि जो सूर्यका बिम्ब भूँठाकल्पित करके नियत किया जिसके सायंकाल छिपजाते के साथ ही अन्धकार और प्रातःकाल उदय होते के साथ ही प्रकाश होजाता ऐसे ही चन्द्रमा आदिके बिम्ब जो रात्रिमें अपने २ नियत समय पर उदित होते और छिपजाते हैं और जिसने इनको निर्मित किये हैं उसके निकट सब यथार्थ में भूठे हैं किन्तु वह सब से निरसंग है केवल इन्द्रजाल मात्र उसने रचा है परन्तु जो ऐसा इन्द्रजाल नहीं बनाता तो एक सूर्यके ही नहोने में संसारका कोई काम नहीं चलसक्ता किन्तु जलोंका शोषण मात्र भी न होने से यावन्मात्र संसारी आर्द्रपदार्थ होते हैं सब सड़जाया करते अंधकार बनारहता वर्षा होनी दुर्लभ होजाती बीजोंमें अंकुर आदिकी उत्पत्ति कठिन होजाती फिर इन बातोंके होने विना जीवोंका पालन भी असंभव था-ऐसे ही चन्द्रमाके नहोनेमें अमृत वर्षण अन्नपोषण आदि रसोत्पत्ति आदि भी असंभव थी इत्यादि सभी ग्रह अपने २ कामोंको प्रत्यक्ष करते हैं और ज्योतिरसिद्धांतवेत्ता लोग भूगोल खगोल विद्याके प्रभावसे उनके समय २ के रूप लक्षण गुण कर्म आदिको प्रत्यक्ष देखसक्ते और देखते हैं इससे रचना करनेवाले ने चाहे यह भूँठा इन्द्रजाल रचा हो पर अस्मदादि इस प्रत्यक्ष विषयको क्योंकर भूँठाकहें-यद्यपि अन्यग्रहोंकी अपेक्षा केवल राहुकेतु यह दो ग्रह अदृश्य हैं क्योंकि इनका उदय प्रायः देखने में नहीं आता पर ये भी कभी निजस्वापेक्षित समय पर अवश्य उदय होते हैं तब इनको भी सब संसार देखलेता है अभी केवल थोड़े दिनोंकी बात है किन्तु वैक्रम १९१० के और नौके संवत् में भी बरन ग्यारह पर्यंत दो अढ़ाई वर्षके अंतरमें कईवार और कई प्रकारके राहुकेतु पूँछरिआ ताराके आकारसे उदय होते रहे अतिकाल तक सायंकालके समयसे ही सब लोग दर्शन करने लगते थे परन्तु अच्छी तरह याद है कि उसकी शांति किसीने भी नहीं करी और उसने भी जैसा कुछ फल ज्योतिरशास्त्रोंमें लिखा है सो प्रत्यक्ष कर दिखाया सो सबको याद है कि सारी पृथ्वीपर विध्वंस फैल गया-उस्से पहले १८९४ और ९६ के भी अंतरमें बहुधा इनके दर्शन हमने भी किये जो दक्षिण दिशा और पश्चिमके कोणमें बड़े लंबे लट्टाके आकार उदय होता था जिसमें बुहारीकी पूँछके समान कँटीले जीरेसे प्रतीत होते थे इसी हनुमे बहुधा लोग उसको बुहारी भी कहते थे कोई उसके लंबावको देखकर खेतकी पट्टे निकहने लगते थे उसने भी प्रत्यक्ष अपना फल अनाद्युष्टि और अनाकाल जीवन और युद्ध आदि सब यथार्थ कर दिखाया था-अन्यथा ग्रहण और भूकंप आदि अनेक अनेक ग्रहोत्पात जब २ कभी होते हैं तब निस्संदेह अपना प्रभाव किये बिना नहोने पर यह ठीक है ये सारी बातें उस जगत्कर्ताके निकट निस्संदेह भूँठा इन्द्रजाल न्यापि अस्मदादि जो एक लौकिक वाजीगरके या नटके इन्द्रजालको मनुष्यके द्वारा देखकर

प्रतीत करने लगते हैं सो जगत्कर्त्ता के इंद्रजालको कैसे भूँठा कहसकें ३०७ ॥  
इति सर्वविघ्नशांत्यादिग्रहशांतिप्रकरणम् ॥

यहांतक आचाराध्यायके प्रारंभसेलेकर योगीश्वरके कहेहुये ३०७ मूलश्लो-  
कोंके अवलंबसे अनेक धर्मशास्त्रों के प्रमाण और सिद्धांतद्वारा विस्तारसहित-जो २  
धर्म कर्म आचारआदि विधि और निषेधरूप वर्णन किये सो सबसाधारण गृहस्थों  
के आचारहैं अर्थात् उनमें राजा तथा प्रजाकोभी अधिकार एकसा बराबरहै-परन्तु-  
जो २ धर्म अब आगे वर्णनकिये जावेंगे उनमें राज्याभिषेक आदिगुणसंयुक्त गृहस्थों  
का अधिकारहै अर्थात् केवल राजाकाही किंतु प्रजाका नहीं उनमें-क्योंकि यहअप्रो-  
क्तमर्यादें राजाके विशेष धर्महैं किंतु अन्यसब साधारण गृहस्थियोंकी अपेक्षा इतने  
कामराजाको अधिक आचरणीयहैं सो अबनीचेसे कहतेहैं-तथापि इसकथनका यह  
सिद्धांत नहीं है कि राजाके आचरणकरिवेयोग्य कामोंको कोईसीखै नहीं किंतु सब  
कोहीसीखना उचितहै बरन विशेषकर उनलोगोंको कि जो राजाओंके संगतीवा  
निकटवर्त्ती होते या किसी प्रकारका संबंध राजाओं से रखतेहों ॥

अथ राजधर्मप्रकरणम् ॥

महोत्साहःस्थूललक्षःकृतज्ञोवृद्धसेवकः । विनीतःसत्त्वसंपन्नःकुलीनःसत्यवाक्शुचिः३०८ ॥

अदीर्घसूत्रःस्मृतिमानक्षुद्रोपरुषस्तथा । धार्मिकोऽव्यसनश्चैवप्राज्ञःशूरोरहस्यवित् ३०९ ॥

स्वरंभ्रगोप्तान्वीक्षिक्यादंडनीत्यांतथैवच । विनीतस्त्वथवार्तायांत्रघ्यांचैवनराधिपः ३१० ॥

अक्ष०—त्रयाणांसह—महोत्साहः—स्थूललक्षः—कृतज्ञः—वृद्धसेवकः—विनीतः—सत्त्वसंपन्नः—

कुलीनः—सत्यवाक्—शुचिः ॥ अदीर्घसूत्रः—स्मृतिमान्—अक्षुद्रः—अपरुषः—धार्मिकः—अव्य-  
सनः—प्राज्ञः—शूरः—रहस्यवित् ॥ और स्वरंभ्रगोप्ताभीहो—(तथैव)—आन्वीक्षिकीमें दंडनी-  
तिमें और वार्तामें और त्रयीविद्यामें विनीतहो ऐसा नराधिपहो ३०८।३०९।३१० ॥

अभि०—त्रयाणांसह—(नराधिप) राजा उसको कहिये कि जिसको राज्यगद्दीका अभि-  
षेक हुआहो परन्तु वह अभिषेकभी उसकोहोना चाहिये जिसमें इतनेगुणहों अर्थात्  
प्रथम तौ बड़े उत्साह वालाहो किंतु पुरुषार्थ साधन कर्मोंके आरंभमें अध्यवसाय  
नामपूरे निश्चयका होना सो उत्साह कहलाताहै जिसमें यह अधिकतरहो वही (मग्न  
उत्साहवान्) या बड़ा उत्साही कहलाता सो यहनराधिपमें अवश्यहोना चाहिये। इन्द्र-  
रागुण (स्थूललक्ष) उसको कहतेहैं जो अनेक शास्त्रोंके देखने और मथन करनेमें अ-  
भ्यासराखै और प्रयोजनकेध्रुवापर विशेषदृष्टिपातकरै २तीसरे (कृतज्ञ) उसे कहतेहैं जो  
पराये कियेहुये उपकार वा अपकारकोभी अधिक समुझे और भूलै नहीं किंतु अ-  
सरके अनुकूल दोनोंका प्रतिकारभीकरै ३ चौथागुण (वृद्धसेवक) अर्थात् तपज्ञान-  
तुर्ष्य विद्याआदि सर्वगुण वृद्धोंकी सेवा करनेवाला और अपनी सेवामें रसनेवाला

किंतु सर्वाभांति अच्छीकी संगति वा आराधन करताहो ४ (विनीत) कहिये सौशील्य  
 आदि विनयसे संयुक्तहो अर्थात् किसी अपने संसर्गसे विरुद्ध नहीं बांधै और स्ना-  
 तक प्रकरणमें कहीहुई शिक्षाओंको बहुधा यादबनीराखै ५ (सत्त्वसंपन्न) कहिये संपत्ति  
 और विपत्तिमें भी एकसारहै किंतु न उसमें अतिहर्ष न इसमें अति विषादमानै ६  
 (कुलीन) कहिये कुलवान् अर्थात् पिताके कुलसे और माताकेभी कुलसे नाना मामा  
 आदि बहुतसे जनसमूह वालाहो ७ (सत्यवाक्) अर्थात् भूँठका अभ्यास नहीं डालै  
 और मुखसे कहेहुये वचनपर आरूढ़ता धर्मके अनुकूल बनीराखै ८ (शुचि) अर्थात्  
 भीतरले मनसेभी शुद्धहो किंतु कपट आदिसे शून्यहो और बाहर इंद्रियोंसेभी शुद्ध  
 रहै ९ (अदीर्घसूत्री) उसे कहते हैं जो ज़रूरी कर्तव्य कामोंके प्रारंभकरनेमें और नंधे  
 हुये कामोंके पूरे करदेनेमें व्यर्थ विलम्ब को न करताहो सो यहगुण राजामें अवश्य  
 होना चाहिये १० (स्मृतिमान्) अर्थात् जिसबात को एकबार अच्छीभांति समुझले  
 फिर उसको नहींभूलै ऐसी प्रकृति होनीचाहिये ११ (अक्षुद्र) अर्थात् क्षुद्रकहिये अस-  
 द्गुण असद्विद्या असद्वार्ता असत्पुरुष बंध्या पुत्रादि इन सबकेसंग और संसर्गसेभी  
 अलगहो और छछोरपन छोड़दे १२ (अपरुष) अर्थात् परुष वचन कहिये प्रत्यक्ष पर  
 दोषोंका कथन करना तिससे अलग हो १३ (धार्मिक) अर्थात् वर्ण और आश्रम केभी  
 नियम धर्मों से समन्वित हो किंतु वर्ण तौ क्षत्रिय अथवा जो कुछहो और आश्रम  
 गृहस्थ राजाकाभी होताहै सो इनदोनोंके यथोक्त आचारोंसे सम्पन्नहो १४ (अव्यसन)  
 अर्थात् कोईतरहका विशेष दुर्व्यसन जिसमें न हो व्यसन अठारह प्रसिद्ध हैं उनके  
 नाम नीचे अधिकोक्तिमें देखो १५ (प्राज्ञ) अर्थात् अतिगंभीर वार्ताके अर्थ प्रयोजन  
 समुझलेनेमें समर्थहो १६ (शूर) अर्थात् निर्भय जो किसीसे डरता न हो १७ (रहस्यवित्)  
 अर्थात् गुप्त करनेयोग्य अर्थ प्रयोजनोंके छिपानेमें चतुरहो किंतु जिसका भेद उसके  
 निकटवर्तीभी न पासकै १८ (स्वरंभ्रगोप्ता) कहिये अपने छिद्रोंको ढाँकनेवाला किंतु अपने  
 राज्यके प्रसिद्ध सात अंगोंमें शत्रुके प्रवेशहोनेयोग्य मार्गोंकी शिथिलता रूप छिद्रोंका  
 अवरोध करसकनेवाला हो १९ (तथैव) (आन्वीक्षिकी) में विनीतहो अर्थात् आन्वी-  
 क्षिकी नाम यद्यपि तर्कविद्याका विख्यातहै तिसमें चतुरहो पर विशेषतर आन्वीक्षि-  
 की नाम आत्मविद्या मेंभी चतुरहो यहांपर आत्मविद्या कहनेसे यह सिद्धान्तहै कि जो  
 विद्या पढ़े सुने पीछे निज आत्मद्वारा सुपरीक्षितभी करलीहो इसी परीक्षाको आन्वीक्षा  
 और उस विद्याको आन्वीक्षिकी कहतेहैं इसभांति अनेक विद्याओंकी परीक्षा जिसने  
 निज बुद्धिद्वारा करीहो यहभावहै २० तथैव (दण्डनीति) में विनीत हो किंतु दंडनीति  
 नाम अर्थशास्त्रोंको कहतेहैं जिनसे अनागत अर्थोंका साधन और समागत अर्थोंकी  
 रक्षा विधिदण्ड पूर्वक जानीजातीहै अर्थात् राजाको विशेषकर उशाना और बृहरपति

आदि आचार्यों के कहेहुये नीतिशास्त्र और कृष्णद्वैपायनकृत महाभारत संबन्धी राजधर्मके पढ़ने वा समुझने में विशेषता हो २१ तथैव वार्तामें विनीत हो अर्थात् कृषि वाणिज्य पशुपालन धनवृद्धि आदि कामोंकी मूलविद्या वा कुशलता को वार्ता कहतेहैं तिसमेंभी राजाको निपुणता हो २२ तथैव (त्रयीविद्या) में विनीत हो अर्थात् ऋक् यजुःसाममयी तीनों विद्यामें प्रवीणहो किन्तु भिन्न २ उनके ज्ञाताओंसे प्रावीण्य संग्रह कियाहो २३ इत्यादि सर्वगुणसंयुक्त होनेपर अभिषेक पानेका अधिकारी राज-कुमार होताहै २०८ । २०९ । २१० ॥

अधि० त्रयाणांसह—यहांपर बीस इक्कीस बाईस तेईस इनचारों अन्त्य संख्याओं में कहीहुई वार्तामध्ये मनुजीने अच्छीरीति कहीहै-सायथा (त्रैविद्येभ्यस्त्रयीविद्यांदण्डनी तिंचतद्विदः । आन्वीक्षिकींचात्मविद्भ्योवार्त्तारम्भांश्चलोकतः) अर्थात्-राजात्रैविद्य लोगोंसे जुदी २ एक २ विद्या जिसमें जोहो उस्से वही संग्रहकरै और दण्डनीति उ-सके जाननेवालेसे संग्रहकरै आन्वीक्षिकी नाम आत्मविद्या आत्मविद्याके जाननेवा-लोंसे किन्तु जिस २ विद्याकीपरीक्षाजिसने अपनेआत्मद्वारा करलीहो उस्से वही संग्रह करै सो ये विद्यायें चतुर्दश विद्याओंसे अपेक्षितहैं और (वार्त्तारंभांश्चलोकतः) अर्थात् कृषि वाणिज्य पशुपालन आदि नाना लक्षणवती वार्त्ता जो लोकमें प्रसिद्धहैं उनको भी उनकेजानने वाले लोगोंसे सीखै समुझै-ऐसेही ऊपर पंद्रहवीं संख्यामें कहेहुये अठारहव्यसनोंके नाम जैसे (मनुजी) ने कहे हैं-तथाच (मृगयाक्षादिवास्वप्नःपरिवादः स्त्रियोमदः । तौर्यत्रिकंवृथाघातःकामजोदशकोगणः-पैशुन्यंसाहसंद्रोहईर्ष्याऽसूयार्थदृ षणम् । वाग्दण्डजंचपारुष्यंक्रोधजोपिगणोष्टकः) अर्थात्-(मृगया) नाम आखेट या शि-कार १ (अक्षाः) अर्थात् कईप्रकारके द्यूतकर्म जो पाँशेआदिसे खेलेजाते २ (दिवास्वप्न) दिनका सोना ३ (परिवाद) वृथावाद थोथी कुतर्कणा आदि आपसके मनुष्यों से ४ (स्त्रीसेवा) अधिकतर या अनुचित मर्यादसे या दिवसमें स्त्रीप्रसंग ५ (मद) मदिरा आ-दिका सेवन ६ (तौर्यत्रिक) नृत्य १ गीत २ वादित्र ३ इन तीनोंमें अधिक तत्पर होना (वृथाघात) किसी प्राणीमात्रको विनाकारणके वधकरना या करवाना ८ आठहुये परं-सातवेंके साथमें तीनकहे इस्से उन दोनोंको जोड़कर दशहुये सो ये दशअवगुणोंके गणकहिये समूह कामसे अर्थात् मनकी अभिलाषसे उत्पन्नहुये व्यसन कहलाते हैं ये दशव्यसन राजाको अत्यन्त पीड़ा तथा राज्य हानिके हेतु प्रसिद्ध हैं इमन्वि-इनमें तत्पर न हो-ऐसेही क्रोधसे उत्पन्नहुआ आठ अवगुणोंका अष्टगण कहलाताहै उनमें पैशुन्य पराई चुगुली चाई आदि परोक्षनिन्दा १ (साहस) विना विचार कि-किसीपर प्रवलता आदि करवैठना २ (द्रोह) विना कारणका द्रोह वैर आदि स्वइच्छा-लेना ३ (ईर्ष्या) ईर्षा जो परोत्कर्ष आदिके नसहने से या क्रोधसे या दुर्जनतासे उत्प-

पूर्वक वधकारिणी हो ४ (असूया) निन्दा ५ (अर्थदूषण) प्रत्येक शुद्धकामों में भी दोष लगाना ६ (वाक्पारुष्य) क्रोधसे गाली आदिका उच्चारण करना ७ (दण्डपारुष्य) दंडे आदिसे निज अपने हाथसेही या बिना अपराध के ताड़नकरना आदि ८ ये आठौं व्यसन क्रोधसे उत्पन्न होतेहैं और राजाके प्राण तथा राज्यके विनाश करनेके हेतु प्रसिद्धहैं इसलिये राजाको प्रथम तौ क्रोध नहीं करना उचित और क्रोधके आजाने परभी इनका ध्यानरखकर इनका अवरोध करना उचितहोता-इन अठारहमेंभी सात व्यसन छंटकर अतिकष्टदायक बतलाते हैं-यथा (पानमक्षाःस्त्रियश्चैवमृगयाचयथा क्रमम् । एतत्कष्टतमंविद्याच्चतुष्कंकामजेगणे-दण्डस्यपातनंचैववाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेपिगणेविद्यात्कष्टमेतत्त्रिकंसदा ) अर्थात्-एकतौ(पान)मद्यादिवस्तुका १(अक्षाः) जूये का साधारणभावसेभी खेलना २ स्त्रियों का सेवन ३ मृगया शिकार अतिशय करके ४ ये चारों यथाक्रम से उत्तरोत्तर अधिकाधिकभाव से कष्टतम कामजगण में से छँटेहुये व्यसनजानै- और दण्डका पातन किन्तु निज अपने हाथसे जैसा ऊपर लिखागया १ (वाक्पारुष्य) धिक्कार या गाली आदि जैसा ऊपरकहा २ (अर्थदूषण)ऊपर कहेहुये के अनुसार ३ ये तीनों भी क्रोधजगणमें से छँटे हुये व्यसन सदाही कष्टतम जानो-ऐसेही उन्नीसवीं संख्यामें कहेहुये सप्तांग राज्यके सातोंअंग-यथा(स्वाम्यमा त्यसुहृत्कोषाराष्ट्रदुर्गवलानिच । परस्परोपकारित्वाद्राज्यंसप्तांगमुच्यते ) अर्थात्- एक तौ (स्वामी) १ (अमात्य)जिसे प्रधान मंत्री या दीवानआम या देशदीवान कहतेहैं २ (सुहृत्)मित्र जो अन्यराजा उस राज्यके शुभचिंतकहों ३ (कोष)धनागार, अन्नागार वस्त्रागार,शस्त्रागार आदि जो प्रसिद्धहोतेहैं तिनके उपलक्षणसे उनकोषोंके अध्यक्ष भी समुझने ४ (राष्ट्र)राज्य ५ (दुर्ग) किलागढ़ इसी उपलक्षण से गढ़का अध्यक्ष भी समुझना ६ (वलानि)फौजें ७ ये सातों परस्पर उपकारके हेतुसे राज्यके अंगकहलाते हैं अर्थात् इनमेंसे एकभी नहो तो राज्यनष्ट होसक्ता और परस्पर उपकार का यह भावहै कि फौजोंके नहोनेमें शेष छः अंगोंकी रक्षा नहोनेसे छह नष्ट होजायँ-ऐसेही कोषोंके नहोनेमें सेनासहित उन छःअंगोंकी पालनानहींहो तौभीमरे-ऐसेही मित्रोंके नहोनेमें शत्रु प्रबल होजायँ तब उस फौज और खजाने आदि छः अंगोंसे कुछभी नहीं होसक्ता-ऐसेही उन पूर्वोक्त मित्रोंको इस मित्रसे भरोसा है इसी प्रकार परस्पर सातोंकी रक्षा और कल्याण उन्हीं सातोंसे होताहै-तब सप्तांगराज्य कहलाता और अभेद्य गिनाजाताहै-सिद्धांत इसका यह कि उन्नीसवीं संख्यामें जो कहाथा कि राजा (स्वरंध्रगोप्ता) हो अर्थात् अपनेइन्हीं सातअंगोंके रंध्रकहिये(छिद्रों)को ढांकतारहै जिस्से इनमें किसी एकमेंभी कोईशत्रु प्रवेश करनेका मार्गनहींपावे और(छिद्र)कहने से मार्ग यहएक उपलक्षणमात्र है किन्तु इसमें दोनों बातकी लक्षणा दर्शाई हैं अर्थात् एकतौ





पूर्वक वधकारिणी हो ४ (असूया) निन्दा ५ (अर्थदूषण) प्रत्येक शुद्धकामों में भी दोष लगाना ६ (वाक्पारुष्य) क्रोधसे गाली आदिका उच्चारण करना ७ (दण्डपारुष्य) दंडे आदिसे निज अपने हाथसेही या बिना अपराध के ताड़नकरना आदि ८ ये आठौ व्यसन क्रोधसे उत्पन्न होतेहैं और राजाके प्राण तथा राज्यके विनाश करनेकेहेतु प्रसिद्धहैं इसलिये राजाको प्रथम तौ क्रोध नहीं करना उचित और क्रोधके आजाने परभी इनका ध्यानरखकर इनका अवरोध करना उचितहोता-इन अठारहमेंभी सात व्यसन छोटकर अतिकष्टदायक बतलाते हैं-यथा (पानमक्षाःस्त्रियश्चैवमृगयाचयथा क्रमम् । एतत्कष्टतमंविद्याच्चतुष्कंकामजेगणे-दण्डस्यपातनंचैववाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेपिगणेविद्यात्कष्टमेतत्त्रिकंसदा ) अर्थात्-एकतौ(पान)मद्यादिवस्तुका १(अक्षाः) जूये का साधारणभावसेभी खेलना २ स्त्रियों का सेवन ३ मृगया शिकार अतिशय करके ४ ये चारों यथाक्रम से उत्तरोत्तर अधिकाधिकभाव से कष्टतम कामजगण में से छूटेहुये व्यसनजानै- और दण्डका पातन किन्तु निज अपने हाथसे जैसा ऊपर लिखागया १ (वाक्पारुष्य) धिक्कार या गाली आदि जैसा ऊपरकहा २ (अर्थदूषण)ऊपर कहेहुये के अनुसार ३ ये तीनों भी क्रोधजगणमें से छूटे हुये व्यसन सदाही कष्टतम जानो-ऐसेही उन्नीसवीं संख्यामें कहेहुये सप्तांग राज्यके सातोंअंग-यथा(स्वाम्यमा त्यसुहृत्कोषाराष्ट्रदुर्गवलानिच । परस्परोपकारित्वाद्राज्यंसप्तांगमुच्यते ) अर्थात्- एक तौ (स्वामी) १ (अमात्य)जिसे प्रधान मंत्री या दीवानआम या देशदीवान कहतेहैं २ (सुहृत्)मित्र जो अन्यराजा उस राज्यके शुभचिंतकहों ३ (कोष)धनागार, अन्नागार वस्त्रागार, शस्त्रागार आदि जो प्रसिद्धहोतेहैं तिनके उपलक्षणसे उनकोषोंके अध्यक्ष भी समुझने ४ (राष्ट्र)राज्य ५ (दुर्ग) किलागढ़ इसी उपलक्षण से गढ़का अध्यक्ष भी समुझना ६ (वलानि)फौजें ७ ये सातों परस्पर उपकारके हेतुसे राज्यके अंगकहलाते हैं अर्थात् इनमेंसे एकभी नहो तो राज्यनष्ट होसक्ता और परस्पर उपकार का यह भावहै कि फौजोंके नहोनेमें शेष छः अंगोंकी रक्षा नहोनेसे छह नष्ट होजायँ-ऐसेही कोषोंके नहोनेमें सेनासहित उन छःअंगोंकी पालनानहींहो तौभीमरे-ऐसेही मित्रोंके नहोनेमें शत्रु प्रबल होजायँ तब उस फौज और खजाने आदि छः अंगोंसे कुछभी नहीं होसक्ता-ऐसेही उन पूर्वोक्त मित्रोंको इस मित्रसे भरोसा है इसी प्रकार परस्पर सातोंकी रक्षा और कल्याण उन्हीं सातोंसे होताहै-तब सप्तांगराज्य कहलाता और अभेद्य गिनाजाताहै-सिद्धांत इसका यह कि उन्नीसवीं संख्यामें जो कहाथा कि राजा (स्वरंध्रगोप्ता) हो अर्थात् अपनेइन्हीं सातअंगोंके रंध्रकहिये(छिद्रों)को ढांकतारहै जिस्से इनमें किसी एकमेंभी कोईशत्रु प्रवेश करनेका मार्गनहींपावै और(छिद्र)कहने से मार्ग यहएक उपलक्षणमात्र है किन्तु इसमें दोनों बातकी लक्षणा दर्शाई हैं अर्थात् एकतौ

मार्गरूपी छिद्र यहभी कि कोई घुसजाने नहींपावे दूसरा मुख्य यहभाव है कि इन कहेहुये अंगोंके अध्यक्षोंसे कोईशत्रु मिलाप नहीं करने पावे क्योंकि शत्रु जब किसी अंगमें प्रवेश करताहै तौ दोनों प्रकार से अर्थात् कभी तौ अध्यक्षों की शिथिलता प्रमाद गफलत आदिके हेतुसे और कभी उनसे मिलाप करिके प्रवेश करता है सो यह मिलाप आदि कारण उसी अवस्थामें होतेहैं कि जब राजा पूर्वोक्त अठारह महा-व्यसनोंमें आसक्तहोताहै किंतु अठारहमेंसे कोई एकव्यसनभी जवराजामें अधिकतर होगा तभी इनसातों अंगमें से किसी न किसी अंगमें प्रवेशकरने का अवकाश शत्रु को अवश्य मिलजावैगा इसलिये अठारह व्यसनों से राजा हाथखींचे और अपने छिद्रोंका ढाँकना इसका नामहै कि अपने राज्यके सातअंगों यद्वा उनके अध्यक्षों को साम आदि नीतिसे अपने वशमें यथासंभव, यथाकाल, यथाशक्ति, यथाअवसर के अनुकूल काम और क्रोधोंको रोकताहुआ बनारखै वसयही छिद्रोंका ढाँकनाहै-यथा (सद्भावेनहरेन्मित्रंसद्भावेनचबांधवान् । स्त्रीभृत्यौदानमानाभ्यांदाक्षिप्येनेतरंजनम्) अर्थात्-मित्रको सद्भाव कहिये निष्कपटतासे वशमेंरखै ऐसेही निज बांधवों को भी सद्भाव कहिये सत्कारसे वशमें रखै-स्त्रियों तथा समस्त भृत्यवर्गों कोभी दान और मानसे वशमें रखै इनके सिवाय अन्य मनुष्योंको शिष्टाचार आदि चतुरतासे हरै-तद्यथा(लुब्धमर्थेनगृह्णीयात्स्तब्धमंजलिकर्मणा । मूर्खेच्छन्दानुसारेणयथातथ्येनपंडितम्)ऊपर कहेहुये सात अंगोंमें पहलाअंग जो(स्वामी)कहाथा यद्यपि(स्वामी)शब्द से केवल राजासे अपेक्षा है किन्तु जैसे छः अंग और हैं तैसेही सातवाँ अंग राजा आपहै जैसे अन्य छः अंगोंकी रक्षा तैसे अपनी रक्षाके छिद्रमार्गों का अवरोधकरै-परन्तु-इसीस्वामी शब्दके अभिप्राय से यहांपर(युवराज)सेभी अपेक्षा है किन्तु जैसे अन्य अध्यक्षों वा मित्रोंसे निज शत्रुओंका मिलाप होजाने के छिद्रोंको ढाँके तैसेही युवराजसेभी किसी शत्रुका मिलाप होजानेवाले छिद्रोंको ढाँकतारहै यह सिद्धांत है-पुनि इसी स्वामीशब्द के विशेषणसे प्रदेशाधिप भूपालभी अपेक्षितहैं किन्तु जैसे अन्य छः अंगोंमें निज शत्रुके प्रवेश होनेवाले छिद्रोंका अवरोध कियाजाताहै तैसेही सातवाँअंग जो प्रदेशाधिप भूपाल कहिये सूनालोग तिनसेभी किसीशत्रुके मिलाप होजानेवाले मार्गोंको ढाँके या उन्हींकी पराङ्मुखताका ध्यान रखकर तत्संबंधी छिद्रों को ढाँके यह सिद्धांत है-इसीलिये उनकेभी लक्षण पहले देखलेने आवश्यकहैं-यथा (यःकुलाभिजनाचारैरतिशुद्धःप्रतापवान् । धार्मिकोनीतिकुशलःसस्वामीयुज्यतेभुवि) अर्थात्-वह पुरुष किसी भूमिभागमें स्वामी नियत कियाजाताहै जो अपनेकुलके आरंभिक अभिजन कहिये संबंधियोंके भी आचारसे अति शुद्धहो किन्तु अपनी कुलपरिपार्थ पर आरूढ़हो और किसी अपने संबंधीसे विरुद्ध नहीं रखताहो और प्रतापवान

कहिये प्रतापी रूअबसे संयुक्त हो जिसके प्रतापसे वहसौंपाहुआ भूमिभाग स्वाधीन बनारहे किन्तु हाथसे नजातारहे पुनि धार्मिकहो किंतु ऐसी अधर्मवृत्ति उसकी नहो जिस्से उस भूमिभागकी प्रजाको विगाड़दे और नीतिमें प्रवीणहो जिस्से वहांके प्रबंधमें न्यूनता नहींआनेपावै वह स्वामी नियत कीजिये-अन्यच्च-(क्षात्रधर्मरतोनित्यं वृथाहिंसांपरित्यजेत् । शुष्कवैरंमृषालापंपरनिन्दांचवर्जयेत्॥ क्रोधद्वेषभयंशाढ्यंपैशुन्यमसदाग्रहम् । कौटिल्यंदंभमुद्वेगंयत्नेनपरिवर्जयेत् )-अर्थात्-क्षात्र धर्म राज्य संबंधी आचरणमें तत्परहुआ राजा नित्यंप्रति वृथा हिंसाका परित्याग करै-सूखावैर किसी अपने नौकर चाकर या मित्रादिकोंसे न बांधे-मृषालाप व्यर्थ वार्त्ताका कथन करना-पराईनिंदा सन्मुख या पीछेभी करनेकात्यागरक्खै-क्रोध-परायाद्वेष-भयभीत रहना या होजाना-शठता धारण करनी-पिशुनता का स्वभावकरना-असद्वार्त्ताका आग्रहकरना कुटिलता-दंभ-उद्वेग मनको व्याकुलकरलेना-इन सारीबातों को राजा यत्नपूर्वक छोड़ देवै जो अकंटक राज्य करना चाहै ३०८ । ३०९ । ३१० ॥

यह तौ राजा के (अंतरंग)अर्थात् आत्मीयगुण कहे जो शरीरमें होने चाहिये ॥

अब नीचे (बहिरंग ) गुण कहतेहैं जो शरीरके बाहर होने चाहिये ॥

समंत्रिणःप्रकुर्वीतप्राज्ञान्मौलान्स्थिरान्शुचीन् । तैःसार्द्धंचिंतयेद्राज्यंविप्रेणाथततःस्वयम् ३११ ॥

ऐ०-(स) कहिये वही अभिषेकयुत राजा जिसकेगुण ऊपर कहेगये सो ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रित्वमें राखै जो(प्राज्ञ)हों अर्थात् हित अहित की बात समझने में चतुर हों पुनि(मौलान्)अर्थात् जो अपने वंशकी परंपरा में चले आतेहों वे मौल कहलातेहैं तिनको करै पुनि(स्थिरान्)अर्थात् जो अतिहर्ष के स्थान तौ विशेष हर्षित होकर फूलें नहीं और अति विषाद के स्थान कुम्हलाकर घबरावें नहीं वेस्थिर कहलातेहैं तिनको करै पुनि(शुचीन्)अर्थात् धर्म अर्थ कामके भयसे जिनको राजाने उपधाद्वारा शोधिलियेहों वे शुचि यद्वा उपधाशुचि कहलातेहैं तिनकोकरै-तिनकेसाथ राज्यकाचित्तमनकरै किंतुसंधिविग्रह आदि राजवृद्धिके लक्षणवाले कामोंका विचारकरै तहां सभी मंत्रियोंको इकट्ठे करके एकसाथभी और आगे पीछे एक २ से जुदी २ भी संमतिलेवै पुनि (विप्रेणाथ) अर्थात् उनके साथ संमतिकिये पीछे सकल शास्त्रार्थ के विचार में कुशल ऐसे ब्राह्मण वा पुरोहितसे संमति लेवै पुनि ततःस्वयं अर्थात् ब्राह्मणसे विचारांश किये पीछे केवल आप भी निज बुद्धि से विचार करै ३११ ॥

अधि० -मंत्री जनों के लक्षण जोअन्य शास्त्रोंमें कहेहैं तिनमें कोई २वार्त्ता अधिक पाई जातीहै इसलिये उनका लिखनाभी यथोचितहै-तद्यथा(स्वदेशजंकुलाचार विशुद्धमुपधाशुचिम्संमंत्रज्ञमव्यसनिनंव्यभिचारविवर्जितम्।अधीतव्यवहारांगंमौलंरूयात विपरिचितम्।अर्थस्योत्पादकंसम्यङ्द्विद्व्यान्मंत्रिणानृपः)अर्थात् राजा एसामंत्री नियत

करै जो अपने देशमें जन्माहो और निज कुलके आचारसेभी शुद्धहो और उपधासे भी शुचिहो किंतु उपधाद्वारा राजाने शोधन उसका कियाहो मंत्रज्ञभीहो किंतु मंत्र संमति सलाह में प्रवीणहो और अव्यसनीहो किंतु कोई तरहका व्यसन दुर्व्यसन जिसमें न हो व्यभिचारसेभी रहितहो यहां पर व्यभिचार उसकी प्रकृतिसे अपेक्षा रखताहै अर्थात् ऐसी व्यभिचारवती प्रकृति न हो कि अभी कुल कहा और थोड़ीदर में उसीवातसे पलटगया-और व्यवहारांग उसने पढ़ाहो जिससे प्रजाकेन्यायमें गड़बड़ भाला न करदे और मौलहो जिसके लक्षण ऐक्यार्थमें कहचुकेहैं और विख्यात हो और विपरिचितहो अर्थात् किसी वार्त्ताके समझनेमें बुद्धि जिसकी रुकती या उलझती न हो इनबातोंके होनेपरभी भलीभांति अर्थका उत्पादनकरसकने वालाहो तिसको मंत्रीकरै-अन्यच्च-युक्त्तिकल्पतरुनामक नीति शास्त्रे-यथा ( शांतोविनीतःकुशलःसत्कुलीनःशुभान्वितः।शास्त्रार्थतत्त्वगोऽमात्योभवेद्भूमिभुजामिह) अर्थात्-शांतप्रकृतिवालाहो किन्तु क्रोधीस्वभाव जिसका न हो विनीतहो किन्तु सौशील्य विद्यामें निपुणहो और कुशल अतिचतुरहो और सत्कुलीन कहिये श्रेष्ठ कुलमें जन्माहो और शुभान्वित कहिये शुभ आचरणवालाहो किन्तु कुमार्गी न हो पुनि शास्त्रार्थ तत्व कहिये व्यवहारांग आदि जानताहो ऐसा अमात्यनाम मंत्री इहसंसार यद्वाराज्य प्रबंधमें राजाओंका होवै-मनुजीके कथनसे मंत्रियोंकी संख्याभी सात यद्वा आठ निश्चितहोतीहै-यथा-(मौलान्शास्त्रविदःशूरानूलब्धलक्षान्कुलोद्भवान् । सचिवान्सप्तचाष्टौवाहुर्वीतसुपरीक्षितान् ) अर्थात्-सचिवनाम मंत्रीजन सात अथवा आठ ऐसेकरै जो भलीभांति परीक्षा कियेहों किन्तु उपधाद्वारा राजा ने शोधिलियेहों और मौलहों जिनके लक्षण ऐक्यार्थ में कहेथे और शास्त्रोंके जानने वालेहों शूरमाहों पुनि लब्धलक्षहों किन्तु जिनका चिह्नकोईसा विख्यातहो और कुलोद्भवकहिये यातौ राजाकेही कुलमें हुयेहों या किसी अन्य सत्कुलमें जन्मेहों-यहां पर बहुधा उपधाकाचर्चा आया यद्यपि इसमें कहींभी उसके लक्षण कहे नहीं परन्तु कालिका पुराणमें उपधाके लक्षणकहे हैं-यथा (धर्मार्थकाममोक्षैश्चप्रत्येकंपरिशोधनैः।उपेत्यधीयतेयस्मादुपधापरिकीर्तितान् अर्थकामोपधाभ्यांतुभार्याःपुत्रांस्तुशोधयेत् । धर्मोपधाभिर्विप्रांस्तुसर्वाभिःसचिवान्पुत्रः) अर्थात्-राजाकोयहउचितहै कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनचारोंसे प्रत्येक मनुष्यको यथायोग्य परिशोधनकरै-तहां इन चारों से यद्वा किसी एकहीसे परिशोधनो करै किन्तु परिशोधनके उपायोंसे (उपेत्य-धीयते) अर्थात् जिसलिये परिशोधनका उपाय उसके उप कहिये समीप पहुँचाकर धारण किया जाता और निज बुद्धिद्वारा उसको अभ्यंतर अपने मनमें धारण किया जाता इससे उसकर्मको (उपधा) कहते और उस पुरुषको (उपधाशुचि) कहते हैं जो उसमें पूराउतरे पर यथार्थ में यह भी एकप्रकारका

गुप्तपरीक्षा होती है जिसको राजा धर्मके भयसे अर्थके भयसे कामके भयसे मोक्षके भयसे इनके संबंधी मनुष्योंकी जुदीरना भांतिकी रीतोंसे करता है दृष्टांत जैसे अर्थकी परीक्षामें गुप्तभाव उसके समीप कुछ धन रखवा देना या किसी निजमनुष्यके द्वारा चोरी आदिका कुछ लालच दिखलाना इत्यादि नाना प्रकार-ऐसेही कामकी उपधा नाम परीक्षा मध्ये किसीस्त्रीसे छलवार्त्ता करवाना आदि नाना प्रकार-ऐसेही सबमें जानौ-तहां-दूसरे श्लोकसे उपधाका भिन्न व्यवहार बतलाते हैं कि-(अर्थ उपधा) और (काम उपधा) इन दोनोंसे भार्याओं और पुत्रोंका भी परिशोधन करलेवै-और (धर्मकी उपधाओं) से विप्रोंका परिशोधन करै पुनि सचिव जो मंत्री लोग हैं तिनके आशयका परिशोधन सभीसे किन्तु चारों प्रकारकी उपधाओं से परीक्षा करै ( उपधीयते शुद्धि ज्ञानमत्र) ३११ ॥

पुरोहितं प्रकुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम् । दंडनीत्यांच कुशलमथर्वांगिरसे तथा ३१२ ॥

ए०-वह राजा पुरोहितभी करै किन्तु सभी प्रकारके दृष्टा दृष्टार्थरूप कर्मोंमें पुरतः कहिये आगे बढ़कर हित करनेवालेको दान मान सत्कारोंसे अपनेमें युक्त करै अर्थात् सदैवकेलिये अपना करिकै मानै सो वह पुरोहितभी (दैवज्ञ) हो अर्थात् होनेवाले ग्रहोत्पातोंको प्रथमसे जाननेवाला और उनकी शांति आदि प्रक्रियाका जानने वाला हो पुनि (उदितोदितं) अर्थात् विद्या अभिजन अनुष्ठान आदि उदित कहिये शास्त्रोक्त तिनसे उदित कहिये समृद्ध संपन्न ऐसा हो और (दंडनीति) में कुशल हो किन्तु अर्थ शास्त्रका वेत्ता हो तथा (अथर्वांगिरस) में भी कुशल हो किन्तु प्रतिष्ठाशांत्यादि कर्मोंमें प्रवीण हो ३१२ ॥

श्रौतस्मार्त्तिक्रियाहेतोर्वृणुयादेव च त्विजः । यज्ञांश्चैव प्रकुर्वीत विधिवद्भूरिदक्षिणान् ३१३ ॥

भोगांश्च दत्त्वा विप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । अक्षयो यं निधिराज्ञाय द्विप्रपूपपादितम् ३१४ ॥

अस्कह्यस्य यथंचैव प्रायश्चित्तैरदूषितम् । अग्नेः सकाशाद्विप्राग्नौ हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ३१५ ॥

ए०-त्रगणांसह-(श्रौत) कर्म अग्निहोत्रादि और (स्मार्त्त) कर्म उपासना आदि क्रियाओंकी अनुष्ठान सिद्धिकेलिये ऋत्विजोंको भी करै अर्थात् उन कर्मोंके जाननेवालोंको अपना ऋत्विक् बनावै-और-बहुतसी दक्षिणावाले राजसूयादि यज्ञोंको भी विधिवत् करे ३१३ पुनि उन्हीं यज्ञोंकी क्रियासाधनाके दानद्वारा विप्रोंको नाना प्रकारके भोग कहिये सोख्य वस्तु अनेक देकर और (वसूनि) कहिये धन भी सुवर्ण रूप्य आदि देवै क्योंकि यह ब्राह्मणोंको अर्पण कियाहुआ धन राजाओंका अक्षयनिधि कहलाता किन्तु इसका नाश नहीं होता ३१४ वरन हवनादि द्वारा अग्निमें होमेहुये यद्वा यज्ञादिकोंमें लगाएहुयेकी अपेक्षा (विप्राग्नि)में होमाहुआ श्रेष्ठ इस संसारमें कहलाता-(विप्राग्नि) विप्र रूप अग्निमें होमाहुआ अर्थात् विप्रोंको दियाहुआ इसलिये श्रेष्ठ होता है कि जिस्से

२६४ मिताक्षरा स० आचाराध्याय ।

यह विप्रोंका दियाहुआ(अस्कन्न)होताहै किन्तु फैलता या खिंडता नहीं और (अव्यथ) होता किन्तु उसयज्ञमें पशुहिंसा आदिभी होती इसमें हिंसा नहीं और प्रायश्चित्तों सेभी अदूषित होता किन्तु यज्ञादि संबंधी पशुहिंसा के प्रायश्चित्तभी करने होते इसमें प्रायश्चित्तकी अपेक्षा नहीं ३१५ ॥

अलव्यमीहेद्धर्मेणलव्ययत्नेनपालयेत् । पालितंवर्द्धयेन्नीत्यावृद्धपात्रेपुनिक्षिपेत् ३१६ ॥

ऐ०—ऊपर कहाथा कि विप्रोंको धनादिक वस्तुदेवै तिसकी परिपाटी कहते हैं कि इसरीतिसे देवै-किन्तु जो वस्तु हाथमें नहींआई उसके लाभहोनेके लिये धर्मके अनुकूल बांझा और उपायभी अनेक भांतिसे करै और यत्नसे हाथ आएहुये की रक्षा करै किंतु निज आप उसकी अपेक्षा बनीरखै पुनि रक्षा कियेहुये कोभी नीति नाम युक्ति से बढ़ातारहै पुनि वृद्धिको पहुँचेहुये धनों को पात्रोंमें निक्षेप करै अर्थात् धर्म अर्थ कामरूप श्रेष्ठ पात्रोंको देतारहै पुनि दूसरा अर्थ यहभीहै कि बढ़ेहुये को निधि रूप पात्रोंमें निक्षेपनाम संचयभी करतारहै पर मुख्यार्थ वहीहै ३१६ ॥

अब कदाचित् भूमिआदि दानकियाहो उसकीरीति कहतेहैं ॥

दत्त्वाभूमिनिबंधंवारुत्वालेख्यंतुकारयेत् । आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानायपार्थिवः ३१७ ॥

ऐ०—यथोक्त विधिसे भूमि ग्राम क्षेत्र आदिदेकर अथवा(निबंध)नियतकरिकै(लेख्य) पत्र अर्थात् सनद उसकी करवावै-किसलिये कि-(आगामि) समय भविष्यत्कालमें जो होनेवाले( भद्रनृपति)युवराज आदि यद्वा जो कोई किसीहेतुसे किसी कालांतरमें वहां के राजा हों तिनके परिज्ञानके लिये लेख्यपत्र करवावै जिस्से उनको यह मालूम हो कि अमुक राजा ने अमुक मनुष्य को अमुकवस्तु अमुक समयपर दीथी सो यह (भूमिदान ) या (निबंधों)का नियत करना और (लेख्य) पत्रोंका करवाना भी सब उसी (पार्थिव)के आधीन किंतु भूपतिके सिवाय किसी भोगपतिको अधिकार इसमें नहीं- और निबंध वे कहलातेहैं जो राजा किसीको बसौंड़ी या मासिक या नैतिक आदि अनेक रीतोंसे कुछ बन्धान नियत करताहै ३१७ ॥

लेख्यपत्र किसरीतिसे करवावै सो कहते हैं ॥

पटेवाताम्रपट्टेवास्वमुद्रोपरिचिह्नितम् । अभिलेख्यात्मनोवंश्यानात्मानंचमहीपतिः ३१८ ॥

प्रतिग्रहपरीमाणंदानच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसंपन्नंशासनंकारयेत्स्थिरः ३१९ ॥

ऐ०सहद्वयोः—(पटे)अर्थात् कपास आदि सूत्रके बुनेहुये और माड़ी चढ़ेहुये बस्त्र पर या कसीदा आदिकी रीतिसे जैसी जहांकी परिपाटी हो या जैसी राजाकीइच्छा हो उसकेअनुसार अथवा(ताम्रपट्टे)तांबेकेपत्रपर लिखवाकर खोदवावे इत्यादि कागद पर्यंत औरवस्तु भी द्वितीय (वा) शब्दके अभिप्रायसे समुझनी तिसके ऊपर पहले राजानिज (आत्मनोवंश्यान्) अर्थात् अपने प्रपितामह पितामह पिता और (आत्मानं)



अपने नामको इन सबों के गुण वीर्य आदिकी विख्याति सहित (अभिलेख्य) कहिये लिखकर वा लिखवाकर तथैव (च) शब्दकी लक्षणा से प्रतिग्रह लेनेवाले का भी नाम उसकी विख्याति सहित लिखै और (प्रतिग्रहपरिमाणम्) अर्थात् प्रतिग्रह जो वह दान वस्तु किन्तु जितना निबन्ध या जितनी धरतीहो तिसका परिमाणभी इसप्रकार से लिखवावै कि इतने मुद्रा मासिक या वसौड़ी तथैव (दानच्छेदोपवर्णनम्) अर्थात् जो पृथ्वी आदि का (दान) हो तौ उसका (छेद) कहिये परिच्छेद किन्तु अन्य धरतीसे भिन्नता करदेनी लिखै (दृष्टान्त) जैसे अमुकनाम धरतीका एकनिवर्तन अर्थात् कितअ अमुकनाम नदीके अमुकनाम घाट वा किनारेसे लेकर अमुकठिकाने पर्यंत-जिसका इतनेवीधे या विस्वे आदि परिमाणहै और इतना उसका भूमिलाभ होताहै-फिर इसपीछे उस धरतीका(उपवर्णन)भी इसप्रकार से लिखवावै कि उसके दक्षिण ओर अमुक क्षेत्र वा अमुकग्राम है पूर्वओर अमुक नदी वा भीलहै पश्चिम ओर खेड़ाहै पहाड़है उत्तरओर वन या राजमार्ग आदि जो कुछहो इत्यादि लिखे पीछे(स्वहस्तकालसम्पन्नम्) अर्थात् स्वहस्त सम्पन्न तथा कालसम्पन्नकरिकै स्थिर शासन करै किन्तु दृढ़आज्ञाकर देवै(दृष्टान्त)यथा अपने हस्ताक्षरों से संयुक्त करना तौ स्वहस्तसंपन्नता कहलाई सो इसप्रकारसे कि हमने अपने संमत पूर्वक निजहाथसे हस्ताक्षर किये और अमुक नामा मनुष्य अमुकनामाके पुत्रको जो इसपर लिखदिया सो प्रमाणहो-ऐसेही (कालसंपन्न) का यह भावहै कि पंचांगविधि सहित शाके और संवत्सर आदि दोप्रकारके कालपरिमाण उसमेंलिखै कि जोएकसे भूलपरनेकी संभावनाहो तौ दूसरेसे निश्चय होजावै कि इतनीवर्षे इसपत्रके लिखे पीछे बीती हैं और उनपर्व आदिकालोंसेभीसंपन्नकरै कि उसदिन चंद्रग्रहण या संक्रांति आदि जोकुछहो-औरदृढ़ आज्ञाकाकरदेना यह कि जो कुछहमनेलिखा सो आगेकोभी कोई(भद्रनृपति) नहींमेटै किन्तु इसलिखेहुयेका शिष्टमार्ग सबकोई पालनकिये जावे इसप्रकार सर्वथा उसपत्रको संपन्नकिये पीछे (स्वमुद्रोपरिचिह्नितम्) अर्थात् अपनी राजकार्यसंबंधी मुहरसे लिखावटकेऊपर भिन्नकिसी योग्यस्थलपर चिह्नितकहिये अंकितकरदेवै ३१८।३१९॥

अधि०—(पार्थिवःस्वयंकुर्यात्) इस कथनसे संधिविग्रह आदि करनेवाले किसीअन्यमंत्री आदिको इसबातमें अधिकार नहीं सोई यहस्मृतिभी प्रमाणहै कि(संधिविग्रहकारीतु भवेद्यस्तस्यलेखकः।स्वयंराज्ञासमादिष्टःसलिखेद्राजशासनम्) अर्थात्-संधिविग्रह करनेवाला कोई मंत्री आदि जो उसका लेखकहो सो निज राजाकरके ठीक आज्ञा पायाहुआ राजशासन लिखै-किन्तु राजाकी अधकच्ची आज्ञापरभी स्वातंत्र्य सेही न लिखवैठै ३१८।३१९ ॥

अब राजाका निवास स्थान कहतेहैं ॥

रम्यंपशव्यमाजिव्यंजांगलदेशमावसेत् । तत्रदुर्गाणिकुर्वीतजनकोपात्मगुप्तये ३२० ॥

ऐ०—राजा ऐसेदेशमें बसै जो (रम्य) कहिये रमणीय किंतु अशोक चंपक आदिवन वृक्षोंसे संपन्नहो और (पशव्य) कहिये पशुओंको हितकारीहो किंतु चारा आदिकी बहुताइतसे पशुओंकी वृद्धिकरनेवालाहो और (आजीव्य) कहिये कंदमूल पुष्पफल अन्नादिनाना वस्तुवालाहो जिस्से सबका पालनहोसकै और (जांगल) हो अर्थात् यद्यपि जांगल देश उसीको कहतेहैं जिसमें थोड़ा जल थोड़ेवृक्ष थोड़ेपर्वतहों परन्तु यहां पर जांगल शब्द एक उपलक्षण मात्र केवल एकांत देशका बाचकहै अर्थात् राजाके निवासयोग्य ऐसाजांगल देशहो जो बस्तीसे कुछदूर और अधिकजलवान् अधिक वृक्षवान् अधिक पर्वतवान्हो-तहां-निजमनुष्योंकी और कोषोंकी औरनिज आत्माकीभी रक्षाकेलिये एक अथवा अनेक दुर्गबनावै ३२० ॥

अधि०—दुर्ग उसस्थानको कहतेहैं जिसमें कोई शत्रुआदि जानाचाहै तौप्रथमतौ जाही नहींसकै अथवा बड़ेदुःखोंसे गतिकरके पहुँचसकै इसलिये दुर्गके न होनेमें राजाका निर्वाह नहींहोसक्ता-क्योंकि(अदुर्गोविषयःकस्यनारेःपरिभवास्पदम् । अदुर्गोऽनाश्रयोराजापोतच्युतमनुष्यवत् ) अर्थात्-विना दुर्गका राज किस राजाका निजशत्रु के पहुँचायेहुये पराभवका आस्पद नहीं होजाता इसलिये विनादुर्गके अनाश्रयभूत राजा ऐसा गिनाजाता जैसा जहाजसे गिराहुआ मनुष्य विनाश्रय होजाताहै-मत्स्यपुराणके १९१ अध्यायमें दुर्गरचनाकी अपेक्षासे यह कहाहै कि(दुर्गंचपरिखोपेतं वप्राद्वालकसंयुतम् । शतधनीयंत्रमुख्यैश्चशतशश्वसमावृतम्-गोपुरंसकपाटंचतत्रस्यात्सुमनोहरम् । सपताकंगजारूढोयेनराजाविशेत्पुरम् ) अर्थात्-दुर्गभी सब ओरसे खाई करके युक्त और वप्रनाम मट्टीके ऊँचे२टीले दमदमे जो मोरचाओंके योग्यहों और अद्वालक नाम अटारी अंटे और ऊँचेऊँचे बुरज इनसेभी संयुक्तहो और शतधाप्रकारकी शतधनी नाम तोपों और यंत्रचरख आदि सबचीजोंसेभराहो-तिसदुर्गमें गोपुर कहिये द्वारफाटिक सहित सुन्दरमनका हरनेवाला और इतना ऊँचाहो जिसमें होकर हाथीपर सवारहुआ राजा निशानोंसहित दुर्गपुरमें प्रवेशकरै-दुर्गभी छःप्रकारके होतेहैं सोई मनुजीने उनके यहलक्षण कहेहैं कि(धन्वदुर्गमहीदुर्गमब्दुर्गवाक्ष्यमेव च । नदुर्गंगिरिदुर्गंचसमावृत्यावसेत्पुरम् ) अर्थात्-इनछःमें से कोईसा एकदुर्ग अपने वासपुरके प्रति सबओरसे घेरादेकर निवासकरै-तिनमें एकतौ (धन्वदुर्ग) उसे कहतेहैं जो अपने निवासपुरके सब ओर पाँच२योजन भूमिपर्यंत मरुदेश निर्जलहो वहांभी बड़े दुःखोंसे पहुँचना होताहै जैसा वीकानेर आदि मारवाड़ देश मरुभूमि प्रसिद्धहैं १ दूसरा (महीदुर्ग) उसे कहतेहैं जो पत्थरईंटसे बनायाहुआ द्वादशहाथ ऊँचाकोटसब

ओरसे घेराहुआ बहु विस्तारवाला युद्धके हेतुसे ऊपर सेनाके फिरने योग्य अति चौड़ाकोट जिसमें साधारण अनेक भांतिके गवाक्षभरोखेभी बनेहों सुन्दर कपाटों सहित द्वारहो जैसे दिल्ली आगरा आदिके किले २ तीसरा (अब्दुर्ग) उसे कहते हैं जो सब ओर अगाधगहिरे जलसे घिराहो जैसे काश्मीर और ब्रह्माके देशआदि में किले प्रसिद्धहैं ३ चौथा (वार्क्षदुर्ग) उसे कहतेहैं जो सब ओर वृक्षोंसे घिराहो जैसा रुहेलोंके रामपुरमें बांसांका घेरा और कटियारी मुल्क अवधमें ववूरोका ४ पांचवां (नूदुर्ग) उसे कहतेहैं जो चार प्रकारकी सेनासे चाहे तिसमैदानमें रचना करिके बांधितिया जाताहै जैसे महाभारत और भोजप्रबंध आदि ग्रंथोंमें विशेषकर चक्रव्यूह शकटव्यूह पद्मव्यूह आदिनाना भांतिसे कहेहैं और लोकमेंभी युद्धसमय बहुधारचेजातेहैं उसको चाहे सदैव कोई उसीप्रकारसे बनाकर उसमें निर्भय बासकरतारहै तौ स्थावरदुर्ग बनानेकी जरूरत नहो क्योंकि यहजंगमदुर्ग इसीसे कहलाताहै कि इसको चाहे तहां उठाकर लेजासके हैं वरन ऐसे राजा सदैव इसीदुर्गसे निर्वाहकरते कि जो किसी प्रबल के भयसे वनमें भागे फिरतेहैं ५ छठा (गिरिदुर्ग) उसको कहतेहैं जो सब ओर पहाड़ोंसे घिराहो जैसे नेपाल और जयपुर आदिकेदुर्ग प्रसिद्धहैं ६-यद्यपिदुर्ग सभीश्रेष्ठहैं पर इनमें छठा गिरिदुर्ग सबसे उत्तम होताहै-यथा(एषांहिवाहुगुण्येनगिरिदुर्गविशिष्यते) इनमें (धन्वदुर्ग) के रहनेवाले तौ मरुमृगोंके समान निर्भयगिने जातेहैं ७ (महीदुर्ग) के रहनेवाले ऐसे निर्भय कहलातेहैं जैसे बिलमें रहनेवाले जीवोंको शत्रुनहीं पीड़ादेसक्ता ८ (जलदुर्ग)के रहनेवाले ऐसे निर्भय कहलातेहैं जैसे जलचरजीव जलमें निजशत्रु के वशमें नहीं आते ९ (वृक्षदुर्ग)में रहनेवाले ऐसे निर्भय कहलातेहैं जैसे वृक्षोंपर बसने वालेजीव किसीके वशमें नहीं आते १० (सेनादुर्ग) के रहनेवाले इतना निर्भय कहलातेहैं जितना मनुष्य अपने मनुष्यत्वसे किसी अन्य जीवके वशमें नहीं आता ११ (गिरिदुर्ग) के रहनेवाले इतना निर्भय कहलाते जैसे देवता स्वर्गमें बैठेहुये मनुष्यके वशमें नहीं आसक्तेहैं इसीसे गिरिदुर्गसबसे उत्तम कहलाता ६-तथाच (त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वे षांमृगगर्ताश्रयाप्चराः । त्रीण्युत्तराणिक्रमशःप्लवङ्गमनरामराः-यथादुर्गाश्रयानेतान् नोपहिंसन्तिशत्रवः।तथारयोनहिंसन्तिनृपंदुर्गसमाश्रितम्) यह बड़ाई दुर्गमें रहनेवालों की रक्षामध्ये लिखीगई अब आगे दुर्गद्वारा कामोंकी सिद्धिवर्णन करतेहैं मनुर्जके कथनसे-यथा(एकःशतंयोधयतिप्राकारस्थोधनुर्धरः । शतंदशसहस्राणितस्मादुर्गविधीयते-तत्स्यादायुधसंपन्नधनधान्येनवाहनैः।ब्राह्मणैःशिल्पिभिर्यत्रैर्यवसेनोदकेनच-तस्यमध्येसुपर्याप्तकारयेद्गृहमात्मनः । गुप्तंसर्वतुकंशुभ्रंजलवृक्षसमन्वितम् ) अर्थात्-प्राकारमें बैठा हुआ धनुष्धारी एकही बाहरले सौ मनुष्योंकेप्रति लड़ताहै एवं प्राकार में बैठेहुये मनुष्योंका सैकरा एक बाहरले दशहजारोंके साथ लड़सक्ताहै तिसकारण

से दुर्गबनातेहैं-वह दुर्गशस्त्रों से संपन्नहोवै तथैव धन धान्य और चतुष्पदादि बाह-  
नों और ब्राह्मणोंसे और शिल्पिनाम कारीगरोंसे अनेक यंत्रोंसे और यवसनाम घा-  
सफूस भूसाआदिसे जलसेभी संपन्नहोना चाहिये-तिसके मध्यमें अपने रहने योग्य  
सुपर्याप्त कहिये बहुत ठीकरचनावाला विस्तारवान् घरबनवावै-पुनि-वह स्थानभी  
सब ओरसे (गुप्त) हो अर्थात् खाई अंतर कोट छारदीवारी आदिकी रक्षातथा सेना  
की तैनाथी आदिकी रक्षाओंसे सुरक्षित और अगम्यहो और (सर्वत्रुक्त) हो किन्तु  
वर्षा शीत आतप आदि सभी ऋतुकी आरामयोग्यहो और (शुभ्र) कहिये अतिनि-  
र्मलहो जलों और वृक्षोंसेभी संयुक्तहो यह मनुजीने कहाथा-इसभांति निर्मित किये  
हुये दुर्गोंके(अध्यक्ष) कहिये अधिष्ठाता और उन्हींके उपलक्षणवान् रक्षकभी जैसेहोने  
चाहिये तिनके लक्षणकहतेहैं-यथा(अनाहार्य्यश्चशूरश्चतथाप्राज्ञःकुलोद्गतः।दुर्गा-  
ध्यक्षःस्मृतोराज्ञस्तद्युक्तःसर्वकर्मसु)अर्थात्-राजाका दुर्गाध्यक्ष ऐसा होनाकहाहै जो  
प्रथम तौ (अन्-आहार्य्य) हो किन्तु जिसे कोई घेरकरपकड़ न सकाहो ऐसेपराक्रम और  
चालांकी वालाहो और युद्धकरनेमें विख्यात शूरमाभीहो तथैव (प्राज्ञ) कहिये अति-  
चतुरहो और कुलोद्गतहो किन्तु प्रथम तौ राजाकेही कुलकाहो अथवा किसी ऐसे  
उत्तम कुलकाहो जो अपने कुलमें सर्वोपरि अंकुशरूप नियमित कियागयाहो-जो २  
लक्षण इसमें कहे वेही इसके आधीनकी सेनामेंभीहों अर्थात् ठेठदुर्गकी रक्षासंबंधी  
सेनाके सभी लोग इसभांतिके चुगमाहों ३२० ॥

तत्रतत्रचनिष्णातानध्यक्षान्कुशलाञ्छुचीन् । प्रकुर्यादायकर्मातव्ययकर्मसुचोद्यतान् ३२१ ॥

ऐ०—(तत्रतत्र) जहांके तहां ठौरठौर अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी कार्योंमें  
श्रेष्ठ (अध्यक्षों) को नियतकरै जो उन्हीं कामोंके करनेयोग्यहों १-सो कैसे अध्यक्षोंको  
नियतकरै (निष्णातान् ) अर्थात् जो उसीएक अपने २ व्यापारमें तत्परहों किंतु बहुधं-  
धी न हों जिस्से उनका चित्तएकाग्र न होसकै २पुनि (कुशलान् ) अपनेसंबंधी कामोंकी  
प्रक्रियामेंभी प्रवीणहों ३-और (शुचीन् ) अर्थात् चार प्रकारकी उपधा जिनका चर्चा  
३११ की अधिकोक्तिमें आयाथा तिनसे शुधेहुयेहों ४-पुनि (आयकर्मात-उद्यतान् ) अ-  
र्थात् आय कहिये लाभसंबंधी कर्म जो सुवर्णादि उत्पत्तिके (आकर ) स्थानों पर आ-  
वश्यक होतेहैं तिनके (अंत) कहिये निकट जाकर निज २ कामकी अवेक्षामें उद्यतरहैं  
किंतु उपस्थित बनेरहाकरै ऐसा उनका स्वभावहो ५-पुनि (व्ययकर्मसु-उद्यतान् ) अ-  
र्थात् सुवर्णादि अन्नादि शस्त्रादिके खर्चकरने किंतु देनेवाले कामोंपर उपस्थित रहने  
वालेहों ६-और(च)शब्दकेअभिप्रायसे(प्राज्ञत्व)आदिगुणयोग्यतासेभी संपन्नहों ३२१ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्तवातोंका निर्णय-ऊपर कहाथा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधीका-  
र्योंमें जो लोग उन्हींकामोंके योग्यहों तिनको नियतकरै सो कहतेहैं-यथा (धर्मकृत्येषु

धर्मज्ञानार्थकृत्येषु पंडितान् । स्त्रीषु कृत्वा न्नियुं जीतनी चान्निघेषु कर्मषु ) अर्थात्-पंचयज्ञादि और दानादि धर्म संबंधी कार्योंके स्थान धर्मज्ञोंको अधिष्ठाता करै (और) अर्थकृत्य कहिये धनकी आमदि संबंधी कार्योंमें पंडितोंको अर्थात् शास्त्र और लोकसेभी अतिचतुरोंको कि जो हानि लाभकी विवेचनामें समर्थहों ( और ) काम संबंधी कार्योंपर अर्थात् स्त्रियोंकी रक्षा और पालन आदि स्थानोंमें स्त्रीवोंको किंतु जो नपुंसकहों तिनकोही अधिष्ठाता करै (और) निघ्न यद्वा मलीन कामोंके स्थान नीच जातोंको अध्यक्ष बनावै-तिसपर वे आपभी उनकार्योंमें कुशल कहिये प्रवीणहों यहकहाथा-तद्यथा-(यो यत्र कुशलः कार्ये तं तत्र विनियोजयेत् । कर्मस्वदृष्टकर्मायः शास्त्रज्ञोपि विमुह्यति) अर्थात्- जो मनुष्य जिसकार्यमें निपुण और प्रवीणहो उसीको उसकार्य में आरोपित करै- क्योंकि-कर्मोंमें जो अदृष्टकर्मा होता वहशास्त्रज्ञभी विमोहित होजाता अर्थात् जिसने किसी कामका ढंगकेवल उसकामके विधिनिषेधरूप शास्त्रद्वारापढ़ा और समझाभी यद्यपिहो पर उसकामको करतेहुये कभीनदेखाहो तौवह ऐसाशास्त्रज्ञभी अदृष्टकर्मा होनेके हेतुसे उसकामके करने या करवानेमें विमोहितहोता अर्थात् धबराता और उसका जीउलभताहै (च) शब्दकेअभिप्रायसे प्राज्ञत्व आदिगुण योग्यता जोऊपर कहीथी-सायथा-(प्राज्ञत्वमुपधाशुद्धिरप्रमादोभियुक्तता । कार्येषु व्यसनाभावः स्वामिभक्तिश्च योग्यता) अर्थात् (प्राज्ञत्व) कहिये चतुरता-और उपधाशुद्धि जैसी ३११ की अधिकोक्तिमें कहचुकेहैं तिसका होना-और (अप्रमाद) कहिये गफलत वा असावधानीका न होना-और (अभियुक्तता) कहिये जिसकाम पर लगायाजाय तिसमें तत्परबनारहना-और (कार्येषु-व्यसनाभावः) किंतु निजसंबंधी कार्योंमें व्यसनका अभावकहिये न होना सो इसवातके कई सिद्धांतहैं तिनमें एकतौ यह कि जिसकामको अपनेस्वामीके लिये करता या करवाताहो उसी कामका व्यसन अपनेलियेभी उत्पन्न करिकै उसकामको जुदानिज अपनेलिये प्रारंभकरलेना किसीलाभकी दृष्टिसे-दूसरा यहकि उसकामकेकरने या करवानेमें व्यसन कहिये विपत्तिभगड़ा टंटा बिघ्न उपद्रव आदि बारम्बार खड़े करदेने-तीसरा यह कि उसकार्यके सिवाय अन्य कामोंमें आत्मीयव्यसन उत्पन्न करलेने-इत्यादि अनेक सिद्धांतरूप व्यसन जिसमें न हों किंतु चित्तकी एकाग्रतासे उसीकामकी साधनामें तत्परबनारहै-इनकहेहुये शुभगुणोंका होना उस मनुष्यकी योग्यता अर्थात् लियाकत कहलातीहै ३२१ ॥

नातः परतरोधमौ नृपाणां यद्रणार्जितम् । विप्रैर्भ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं सदा ३२२ ॥

यत्राहवेपुवध्यंते भूम्यर्थमपराङ्मुखाः । अकूटैरायुधैर्यातिते स्वर्गयोगिनो यथा ३२३ ॥

ऐ०सहद्वयोः—पहले ३१४ श्लोकसे लेकर सामान्य धनों और भोगोंका दान फल कहाथा अब यहांपर विक्रमार्जित धनोंका दान फल विशेष कर कहतेहैं कि-राजाओं

को इस्से अधिक परतर धर्म और कोई नहीं जो विप्रोंको (रणार्जित) कहिये रणके द्वारा संग्रहकिया धन और प्रजाओंको अभयदान सदैव दियाजाताहै ३२२ रणमें विपत्तिभी आपरतीहै फिर कहांसेधन और दान या धर्महोसक्ताहै किंतु न जानें पीछे क्याहो इसलिये कुछ न करनेमेंही कल्याण है इस हेतुसे कहते हैं कि-ये भूपालभूमि आदिरत्नोंके अर्थ(आहवेपु)कहिये युद्धोंमें(वध्यंते) मारेजातेहैं ते उसप्रकार सुखसे स्वर्ग को जातेहैं जैसे योगाभ्यासमें रतहोतेहुये योगीपुरुष चलेजातेहैं परन्तु वेही कि जो (अपराङ्मुखा) अर्थात् सन्मुख होकर मारेजातेहैं किंतु मुहँफेरकर भागतेहुये जो पीछे शस्त्रखातेहैं वे नहीं और वेभी कि जो आप (अकूटशस्त्रों) से लड़तेहैं किन्तु ये विषद-ग्धआदि नानाकूट शस्त्रोंसे बंधकरतेहैं ते नहीं ३२३ ॥

अब साधारण सभी युद्धकारियोंका धर्म कहतेहैं ॥

पदानिक्रतुतुल्यानिभग्नेष्वविनिवर्तिनाम् । राजासुकृतमादत्तेहतानांविपलायिनाम् ३२४ ॥

ऐ०—भग्नेषु-अविनिवर्तिनाम्-पदानि-क्रतुतुल्यानि-इतिपूर्वाद्धसंबंधः-अर्थात् हाथी घोड़ा रथ पदातीरूप अपने बलोंके भग्न होजाने किंतु सेना भंग होजानेमें जो कोई धैर्यवान् होकर अविनिवर्तीहोते अर्थात् उलटेनहीं फिरते किन्तु शत्रुओंके सन्मुख लड़ते चले जातेहैं तिनके जातेहुये एकएक अश्वमेधादि यज्ञोंके तुल्य फल देनेवाले होतेहैं-इस्से विपरीत करनेमें दोषहै सो पिछले अर्द्धासे कहतेहैं कि-विपलायिनां-हतानां-सुकृतं-राजा आदत्ते-अर्थात् पराङ्मुखहोकर भागतेहुये मारेजानेवालों का पुण्यपहला संचित कियाहुआभी राजालेलेता है ३२४ ॥

परन्तु अग्रोक्तोंको मारनेमें निषेधहै सो कहतेहैं ॥

तवाहंवादिनंक्लीवंनिर्हेतिपरसंगतम् । नहन्याद्विनित्तंचयुद्धप्रेक्षणकादिकम् ३२५ ॥

ऐ०—किंतु इतनोंको कदाचित्भी न मारै एक तौ (तवाहंवादिनं) अर्थात् जो यहकह कर आधीन होनेलगे कि मैं तुम्हाराहूँ १ (क्लीव) नपुंसक जोयुद्धके भयसे भिन्नछिपता फिरताहो २ (निर्हेति) निःशस्त्र जिसके हाथमें शस्त्रनहों या हों और उसने फेंकदियेहों या युद्धकरतेहुये गिरगयेहों किंतु किसीतरहसे निहत्थाहो ३ (परसंगत) जो और किसी से लड़रहाहो ४ (विनित्त) जो लड़तेहुये भागपड़ाहो या लड़ाईसे हाथ खींचाहो ५ (युद्धप्रेक्षणक) जो युद्धका तमाशा देखरहाहो ६ (आदिकम्) इस आदिशब्दसे देखनेवाले को आदिलेकर औरभी अनेक संगृहीतहैं तिनका चर्चानांचे अधिकोक्तिमें ३२५ ॥

अधि०—ऊर्ध्वोक्त आदि शब्दकासिद्धांत(गौतमजी) के वाक्यसे अपेक्षितहै-यथा-(न दोषोहिंसायामाहवेऽन्यत्राश्वसारथ्यनायुधकृतांजलि। प्रकीर्णकेशपराङ्मुखोपविष्टस्थ लवृक्षारूढदूतगोब्राह्मणवादिभ्यः) अर्थात्-(गौतम) ऋषिने यहकहाथा कि रणमेंहिंसा का दोष नहीं है परन्तु इनके सिवाय किंतु घोड़ा १ सारथी २ अनायुध-निहत्था ३ कृतां-



जलि-हाथ जोड़ताहुआ ४ प्रकीर्णकेश-जो अपनी दाढ़ी हाथमें लेकर आगेकरै कि चाहै मारौ चाहै छोड़ौ और वहभी प्रकीर्णकेशहै जिसकी आंखों आगे शिरके बाल या बालोंके उपलक्षणसे कुछवस्त्रआदि आड़हो जिसके हेतुसे वह तत्काल अपने हंताको देखनहीं सका ५ पराङ्मुख-जिसने लड़ाईसे मुँहफेरलिया ६ उपविष्ट-बैठाहुआ ७ स्थलारूढ़-जो युद्धभूमिसे अलहदे किसी स्थलमें खड़ाहो तिसको यद्वा वाहनसे उतराहुआ भी स्थलारूढ़ कहलाता उसको वाहन पर सवारहुआ नहीं मारै यहधर्म युद्धकीमर्यादहै ८ वृक्षारूढ़-जो वृक्षपरचढ़ाहो ९ दूत-जो चिट्ठी या जवानीखबरलायाहो १० गो-गऊ या वृषभ और वृषभके उपलक्षणसे अन्यभारवाहभी ११ ब्राह्मण-साधारण मात्रभी परन्तु जो सन्मुख युद्धनकरताहो १२ वादी-जो लड़ाईको थाँभकर तर्कवादमें तत्परहो १३-अर्थात् इनको मारनेसे रणमेंभी हिंसादोष लगताहै-इसवार्तामध्ये कुछ विशेषतासे (शंखाचार्य)ने भी वर्जित किये हैं-यथा-( नपानीयंपिवंतं नभुंजानं नोपानहौमुं चंतं नावर्माणं नसवर्माणं नस्त्रियं नकरेणुं नवाजिनं नसारथिं नदूतं नब्राह्मणं नराजानमरा जाहन्यात्-अर्थात्-एक तौ पानीआदि कुछपीतेहुये को नमारै १ नभुंजानं-खातेहुयेको भी नहीं २ नोपानहौमुंचंतं-जूताउतारतेहुये और इसी उपलक्षणसे पहिरतेहुयेकोभी नहीं ३ नावर्माणं-जिसने कवच उतारदियाहो तिसको नहीं ४ नसवर्माणं-कवचपहिरतेहुयेको नहीं ५ नस्त्रियं-स्त्रीको नहीं ६ नकरेणुं-हाथीको नहीं ७ नवाजिनं-घोड़ेको नहीं ८ नसारथिं-सारथीको नहीं ९ नदूतं-दूतको नहीं १० नब्राह्मणं ११ (नराजानं-अराजा हन्यात्) अर्थात् राजाको सन्मुख युद्धकरतेहुयेको भी राजाही अपने हाथसेमारै परन्तु जो राजा नहीं किन्तु राजाका नौकर मात्र कोईहो सो प्रतिपक्षी राजाको मारै नहीं अर्थात् पकड़लेना यह जुदीबातहै पर उसपर शस्त्र नहीं डालै क्योंकि राजा साक्षात् ईश्वरकारूप होताहै ३२५ ॥

अव दरवार आदि धंधोंका नियम कहतेहैं ॥

कृतरक्षःसमुत्थाय पश्येदायव्ययोस्वयम् । व्यवहारांस्ततोदृष्ट्वा स्नात्वा भुंजीत कामतः ३२६ ॥

हिरण्यं व्याप्तानीति भांडागारे पुनिक्षिपेत् । पश्येच्चारांस्ततोदूतान्प्रेषयेन्मंत्रिसंगतः ३२७ ॥

ऐ०सहद्वयोः—(कृतरक्षःसमुत्थाय) रक्षा किया हुआ किन्तु यथा संभव सिपाहियों की रक्षासे संपन्न ऐसा दिनप्रति प्रातःकाल उठिकर (आयव्ययो-स्वयं-पश्येत्) लाभ और खर्च दोनोंका लेखा जोखा आपदेखै (ततः) तिसपीछे (व्यवहारान्-दृष्ट्वा) मुकदमातके इंसानोंको देखभालकर मध्याह्नसमय यद्वा (कामतः) जिस किसीसमय अपनी इच्छा हो तब (स्नात्वा-भुंजीत) स्नानकरिकै भोजनकरै ३२६ तिसपीछे (हिरण्यं) कहिये सोना चांदी आदि जो कुछधन (व्याप्तानीति) किन्तु (व्याप्तैः-आनीति) अर्थात् व्याप्तोंकरके लायाहुआ उक्तधन आप देखकर (भांडागारेषु) भंडारोंमें (निक्षिपेत्) डालदेवै किन्तुरख

देवें या रखवादेवें जैसा उचितहो-व्यापृतोंका लायाहुआ अर्थात् व्यापृत उन्हें कहते हैं जो धनके उत्पत्ति स्थानोंपर अधिकारी नियत किये जातेहैं-यह कामकिये पीछे (चारान्-पश्येत्) चार नाम गूढचर किन्तु मुखबिरखुफिया जो विश्वासकिये औरकहीं भेजेहुये गूढवृत्तांत लेकरआयेहों तिनकोदेखै अर्थात् उनकोदेखकर कहींटिकावै और पीछे किसी उचित समयपर उनकीबात बूझै सो इकल्ला आपनहीं किन्तु (मंत्रिसंगतः पश्येत्) मंत्रीके साथ होकर देखैबूझै ततः तिसके अनन्तर मंत्रीके साथहुआ राजा (दूतान्-प्रेषयेत्) दूतोंको भेजे अर्थात् अन्यत्रभी जरूरी कामोंको जहां भेजनाहो और पूर्वोक्त गूढचारोंकेभी कहेहुये वृत्तान्त का दृढ़ निश्चय करनेको दूतभेजे जो उचित समझै ३२७ ॥

अधि०सहद्वयोः-पूर्वश्लोकमें व्यवहारोंका देखनाकहाथा सोतौ व्यवहाराध्यायआदि व्यवहारांगरूप शास्त्रोंकेअनुसारदेखै-उक्तंच(व्यवहारान्नृपःपश्येद्विद्वद्भिर्ब्राह्मणैस्सहाधर्मशास्त्रानुसारेणक्रोधलोभविवर्जितः)-अर्थात्-राजाक्रोध और लोभोंको छोडकर धर्मशास्त्रकेअनुसार व्यवहारोंको देखै पर इकल्लानहीं किन्तु विद्वान्ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथलेकर देखै ३२६ (चार)और दूतोंका चर्चा कियाथा तिनमें चार का दूसरा नाम (प्रणिधि)कहतेहैं उसीको गूढचर भी कहते हैं इसहेतुसे कि वह छिपकर अन्य राज्योंका भेदभाव और अपने राज्यकाभी सारावृत्तांत गूढरूपसेचल फिर लेआता है-इसप्रणिधिमें इतनेगुणहोनेकहेहैं नीतिवाक्यामृतमें-(अमौढयममान्द्यममृषाभाषित्वमभ्यूहकत्वंच)-अर्थात्-जिसमें मूढता मन्दता असत्यभाषिता नहीं और(अभ्यूहकत्व) कहिये प्रत्येक वार्त्ताको ऊहासेही पहुँचानलेना यहप्रकृतिहो इसके विशेषलक्षणदेखौ आगे३३१ की अधिकोक्तिमें-दूत उनको कहतेहैं जो किसीराजाके समीप प्रत्यक्षभाव से प्रकटभेजे जायँ परन्तु यहतीन प्रकारके होते हैं तिनकेनाम-यथा-निसृष्टार्थ १ संदिष्टार्थ २ शासनहर ३-तहां-(निसृष्टार्थ) वे कहलातेहैं जो राजकार्योंको देशकालके औचित्य अनुकूल आपही कथनकरनेमें समर्थहों किन्तु किसीकामकी आज्ञानाम मात्र सेही मिलनेपर तत्काल उसकामके करनेवालोंको अपनी बुद्धिसेही यथायोग्य सम्भादिया अथवा जहांकहीं आपही भेजेगये तौ वहांजाकर सबउत्तर प्रत्युत्तर अपनी प्रज्ञासे आपही साधन करिआये वरन अन्त्य सिद्धांत इनका यहीहै कि बिनाआज्ञा भी देशकाल के अनुकूल योग्य कामोंका साधन स्वतःकरसकै १(संदिष्टार्थ)वे कहलाते हैं कि जितनीबात उनको आदेश पूर्वक सुनादीगई उतना संदेशा जाकर कहसुना देवें उसको कि जहांभेजेजायँ २ (शासनहर)वे कहातेहैं कि जिनको मुखसे तौ सुनीहुई भी कहआनेमें चतुरता नहीं परन्तु लिखेहुये आज्ञापत्रों को पहुँचासकै ३-इन दूतों के गुण और लक्षणभी पहले मनुजीके कहे दर्शातेहैं-यथा-(दूतंचैवप्रकुर्वीतसर्वशास्त्र

विशारदम् । इंगिताकारचेष्टज्ञं शुचिर्दक्षकुलोद्भूतम् ) अर्थात्-राजा ऐसेपुरुष को दूत नाम वकीलवनावै जो सर्वशास्त्रों किंतु देखेबिनदेखेभी नीत्यादि अर्थ शास्त्रोंकेसमझने में बुद्धि विशारद हो पुनि (इंगित-आकार-चेष्टज्ञं) इन तीनवातोंकाज्ञाता तहां(इंगितज्ञ) जो मनोगत अभिप्रायमात्र का सूचन करनेवाला वचन स्वरादि से और (आकारज्ञ) जो मुख प्रसन्नता सुखमलीनता आदि देह धर्मोंकी समस्या से बातको पहुँचाने और (चेष्टज्ञ) हाथ उँगुली नेत्र आदिके इशारे से तत्त्ववार्त्ता को सूचन करसकै और (शुचि) जो धन तथा स्त्रीव्यसनसे शुद्धहो(दक्ष)चतुर हो और कुलोद्भूतभीहो किंतु यातौ राजा केही कुलकाहो यद्वा किसी प्रतिष्ठित कुलका हो-क्योंकि (अनुरक्तःशुचिर्दक्षःस्मृतिमान्देशकालवित् । वपुष्मान्वातभीर्वाग्मीदूतोरज्ञःप्रशस्यते) अर्थात्-राजाका दूत ऐसा उत्तम होताहै जो(अनुरक्त)हो किन्तु अपने स्वामीके सिवाय सभीमनुष्योंमें स्नेह करनेवाला हो जिस्से किसी राजाकेपास भेजाजाय तौ वहां वातों २ द्वेष नहींकरलेवै और(शुचि)जो धन तथा स्त्री व्यसनसे शुद्ध होवै जिस्से कोई प्रतिपक्षी राजा उसको धन या स्त्री देकर लोभसे तोड़नहींलेवै और(दक्ष)चतुरहोना इसलिये योग्यहै कि काम को और कामके समयको उल्लाँघे नहीं और(स्मृतिमान्)होना इस्से उचितहै कि सीख पायेहुये संदेशको यादरखे इत्यादि किसीवातको भूलै नहीं और(देशकाल)का जानने-वालाइसलिये कि देश और कालको पहुँचानकर कुछ अपनीबुद्धिसेभी जैसा उचित समझै कहसकै इसीलिये प्रत्यक्ष देशों और कालोंकी व्यवस्थाभी सीमा आदि वा आचार आदि सार्वदेशी व्यवहारों को यथावत् रीतिसे जानताहो किन्तु शास्त्र और लोकसेभी जिस्से देशकालके अनुकूल किसीवार्त्तामें अनुत्तर न होजाय-और(वपुष्मान्) अर्थात् अच्छे डीलडौल स्थूलदेह सुरूपवान् वा निरोगीभीहो जिस्से उसका वचन शीघ्रहृदयमें स्वीकारहो और निरोगतासे किसीकामको अधकच्चाछोड़कर नहीं भागै-और(वाग्मीः) किंतु निर्भय स्वभावहो जिस्से किसी अप्रिय संदेशकेभी कहनेमें भय-भीत न होजाय और (वाग्मी)हो किन्तु उक्तिपूर्वक मधुरभाषणसे बातचीत करता हो जिस्से सुननेवालेका मन उपरामको न पहुँचै ऐसे दूतसे राजाके सबकामसिद्धहोतेहैं-मत्स्यपुराणमेंभी इसके लक्षण कहेहैं-यथा (यथोक्तवादीदूतःस्यादेशभाषाविशारदः । सक्तःक्लेशसहोवाग्मीदेशकालविभागवित्॥विज्ञातदेशकालश्चदूतःस्यात्समहीक्षितः । ( तेषामपि ) वक्त्रानयस्ययःकालेसदूतोनृपतेर्भवेत् ) अर्थात्-दूत ऐसाहो जो यथोक्त वादी किन्तु जो बात राजाने कहकर भेजाहो उसीवात का चर्चा वादकरै किन्तु उस बातको छोड़कर कोई नईवात न खड़ी करलेताहो ऐसा स्वभावही उसका सदैवहो-अनेक देशभाषाओंके बोलने और समझनेमें विशारदहो क्योंकि अनेक देशोंमेंजाना परैगा जहां की भिन्न २ भाषाहोती हैं (सक्त) हो किंतु कामोंमें लगारहताहो (क्लेशों)

कोभी सहलेनेमें पक्काहो क्योंकि देशविदेश जानेमें क्लेश अवश्यहोतेहैं (वाग्मी) हो इसके लक्षण ऊपर कहचुके हैं (देशविभागवित्) भूगोल आदिके द्वारा देशोंकी सीमा आदि अनेक विभागोंका जाननेवाला (कालविभागवित्) तीनों कालका विभाग किंतु भूत भविष्य वर्तमानमें पलघड़ी आदिसे लेकर युगों पर्यंतका गणित हिसाब और राजाओंके शकसंवत्सर और वितीत राजाओंके मितिग्रंथ अर्थात् तवारीखोंकाभी जानने वालाहो-इसके सिवाय (विज्ञातदेशकाल) हो अर्थात् समय२का वर्तावा सर्वदेशों और कालोंकी रीतिभांति मर्यादें यहभी सब जानी सीखीहों सो मनुष्य राजाका दूत हो(तिनमेंभी) जो कोई उपस्थित समयपर तत्काल नयनीतिका वक्ताहो सो ठेठ नृपति का समीपवर्ती दूतहोवै-जिसके द्वारा अन्य देशों के आये हुये विराने दूतों से वार्त्ता-लाप राजाकरै किंतु निजअपनेही मुखसे नहीं-चाणक्यमेंभी इसके लक्षणकहेहैं-यथा (मेधावीवाक्पटुःप्राज्ञःपरचित्तोपलक्षकः । धीरोयथोक्तवादीचएषदूतोभिधीयते)अ-र्थात् (मेधावी) बुद्धिमानहो (वाक्पटुः)किन्तु जिसकी वाणीमें लावण्य और चतुरताहो (प्राज्ञ) पंडित विवेकीहो-और पराये चित्तकी भावना लखसक्ताहो (धीर) धैर्यवानहो (यथोक्तवादी) भीहो इसकेलक्षण ऊपर कहचुकेहैं-यहदूत कियाजाताहै-दूतोंकी महिमा बारम्बार इसलिये कहनीपरी कि दूत राजद्वारोंमें बड़ी पदवीका मनुष्यहोता और संधितथा विग्रह यह दोनों बात इसकेहाथमें रहती हैं इसीलिये (मनुजीने) कहाहै कि (अमात्येदंडआयत्तोदंडेवैनयिकीक्रिया । नृपतौकोशराष्ट्रेचदूतेसंधिविपर्ययौ॥दूतएव हिंसंधत्तेभिनत्येवचसंहतान् । दूतस्तत्कुरुतेकर्मभिद्यंतेयेनवानवा॥सविद्यादस्यकृत्येषु निगूढेद्भितचेष्टितैः । आकारमिगितंचेष्टांभृत्येषुचचिकीर्षितम् ॥ तथाप्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानंनपीडयेत् ) ३२७॥अर्थात्-दंड जो वस्तुहै सोतौ (अमात्य)नाम सेनापतिकेआ-धीनहै किन्तु हाथी घोड़ा रथ पयादे यह चतुरंगिनीसेना और शस्त्र जोहैं सोईदंडरूप हैं सो उसके आधीनमें सौंपेहुये रहते हैं इसलिये दंडसंबंधी कामोंमें उसकी योग्य-तादेखी चाहिये क्योंकि(दंडे-वैनयिकीक्रिया) अर्थात् यावन्मात्र बिनयक्रिया किन्तु जो२ नीति संबंधी प्रबंध हैं सो सबदंडके आधीन हैं दंडविनावशमें नहीं आसक्ते इस-लिये उसका होनाभी सूचितहै-और कोशधनकास्थान तथा राज्य देश ग्राम यहदोनों वस्तु राजाके आधीनहोती किंतु औरके आधीन करदेना उचित नहीं इसलिये राजा आप इनका प्रबंधरक्खै-ऐसेही (दूते-संधिविपर्ययौ) अर्थात् संधिनाम फूटेहुयोंका मि-लापकरादेना और विपर्ययनाम विग्रह किंतु मिलेहुयोंमें विरोध युद्धकरवादेना यह दोनोंबात दूतके आधीन होतीहैं वह जो चाहै सो राजाकीइच्छासे विपरीतभी करस-क्ताहै उसको थोड़ा नहीं समझना इसीलिये अबदूसरे श्लोकमें फिर सावधान करते और दूतकी प्रशंसाभी करतेहैं किंतु दोनोंपक्षमें यहकथनहै कि ॥ दूतही फूटेहुयोंको

मिनादेताहें दूतही मिलेहुयोंको फोड़देताहें दूतवह कर्मकरताहै परदेशमें जाकर कि जिसकर्ममें बड़-ज्ञानमानभी आपसमें फूटजातेहैं-अवतीसरे श्लोकसे दूतको शिक्षा करतेहैं कि ॥ वह दूत इसप्रतिपक्षी राजाके (कृत्येषु) कर्त्तव्य कामोंकेमध्ये (विद्यात्) भेद भावलेवें किसप्रकारसे (निगूढ-इंगितचंचित्तः) अर्थात् निगूढ़नाम जो भितरियालोग राजाके समीप रहनेवाले परिजन आदि तिनकी समस्या और चेष्टाओंसे जानै क्या जानै वहांका (आकार) डौल (इंगित) सनोगत अभिप्राय(चेष्टा)कर्त्तव्यता जैसी देखपरै-और उसराजाका (चिकीर्षित) कहिये जो कुछ वहकरना चाहताहो सोउसके (भृत्येषुच) जानीयात् अर्थात् क्षोधकियेहुये अपमान पायेहुये लोभी आदि लघुसेवकोंके वार्त्ता कथनसेभी जानै अब चौथेश्लोकमें इसदूतकी अपेक्षासे भेजनेवाले राजाको शिक्षा करतेहैं कि ॥ उसदूतके द्वारा साराहाल वहांका तत्त्वपूर्वक जानिकै तैसा यत्नकरै जिस्से अपनेको पीड़ा नहीं पहुँचै-किसीका भेजाहुआ दूत जो अपने पासआवै उसका वधकरना निषेधहै-यथा (नदंडार्हःप्रतिनिधिस्तथादूतोपिसुव्रतैः । नियोक्तकृतदोषेण विधिरेषसनातनः) अर्थात्-यह सनातन विधिचली आतीहै कि सुव्रतों धर्मज्ञोंकरके प्रतिनिधि नाम मुखतार तथा दूतनाम वकील यद्वा संदेशहर ये दोनों भेजनेवालेके दोषते दंडयोग नहींहोते किन्तु जोआत्मीय कुछ अपराधकरवैठें तौ जुदीवातहै-यतः (स्वापकर्षपरोत्कर्षैर्दूतोक्त्वैर्मन्यतेतुकः । सदैवावध्यभावेनदूतःसर्वतुजल्पति) अर्थात्-दूतकी उक्तियोंसे पराई उत्कर्षा और अपनी न्यूनता कौनमानै है किन्तु कोई नहीं मानता क्योंकि दूत अपने अवध्यभावसे निडर होकर सदैव सब कुछ कहनी न कहनी भी कहताहै-अन्यच्च (उद्यतेष्वपिशस्त्रेषुदूतोवदतिनान्यथा । नचहन्यात्तथाप्येनंराजा दूतमुखोयतः) अर्थात्-दूत अपने ऊपर शस्त्र उद्यत होनेपरभी अन्यथा नहीं कहता किन्तु जो आज्ञा लेआयाहै सो उसदशामेंभी कहेबिना नहीं रहता तथापि इसकोमारेनहीं क्योंकि जिसहेतुसे राजा दूतमुखहोता किन्तु दूतही राजाका मुखप्रसिद्धहै फिर जब राजाका मुख तोड़दिया तौ बात चीत उसके हृदयकी क्योंकर जानीजायगी-तस्मात् (वैरूप्यमंगेषुकषानिपातोमौडयंतथालक्ष्मणसन्निवेशः । एतान्वधानर्हतिरूक्षवादीशास्त्रेषुदूतस्यवधोनदृष्टः) अर्थात्-किसीअंगमें विरूपता करनी-या कषानिपात चावुक आदिका मारना-या मुड़वादेना-याकिसीचिद्दुसे दागदेना-इतने वधोंके योग्य यद्यपि रूक्षवादीहोताहै तथापि शास्त्रोंमें दूतका वधकहीं नहीं देखागया रूक्षवाद पर भी इसलिये दूतको मारै नहीं ३२६ । ३२७ ॥

ततःस्वैरविहारीस्यान्मंत्रिभिर्वासमागतः । बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्यासहचिंतयेत् ३२८ ॥

ऐ०—(ततः)दुपहर पीछे (स्वैरविहारीस्यात्) इच्छाके अनुकूल विहार करनेवाला हो किंतु चाहै अन्तःपुरमें आप एकाकी वार्त्ता विनोद करने जावै यद्वा वाह्यभूमि का

(विहार) सैर करने जहां कहीं जानेकी इच्छा हो तहां विश्वास पात्र मन्त्रियों करके (समागत) किन्तु उनके मध्यमें हाथी आदि पर बैठाहुआ रक्षापूर्वक विहार करने जावै वहांसे घमघामकर फौजोंमें जावै तहांवालोंका दर्शन किन्तु सज्जीभूत अलंकृत चतुरंगिनी सेनाओंकी गति परिपाटीआदि देखभालकर (सेनान्यासहचिंतयेत्) किन्तु सेनानी नाम सेनाका अधिपति उस्से आवश्यक बातोंका चिंतमन विचार करै अर्थात् सेना की रक्षा और शिक्षाआदिकी संमतिदेवै जैसा उचित हो ३२८ ॥

अधि०--मनुनेभी कहा है कि ( विद्वृत्यचयथाकामंपुनःकार्याणिचिन्तयेत् ) अर्थात्-इच्छाके अनुकूल विहार कियेपीछे फिरभी कार्योंका विचारकरै ३२८ ॥

अब सायंकालसेपीछेका धन्धा कहते हैं ॥

सन्ध्यामुपास्यशृणुयाच्चाराणांगूढभाषितम् । गीतनृत्यैश्चभुंजीतपठेत्स्वाध्यायमेवच ३२९ ॥

ऐ०--वहां से लौटाहुआ राजा संध्याकी उपासना करिकै फिर (चाराणां-गूढभाषितं-शृणुयात्) अर्थात् पूर्वोक्त चार गूढचर जो आयेहुये कहीं टिकाये थे तिनका (गूढभाषित) किन्तु गुप्तवार्ता एकांत में सुनै फिर गीत नृत्य आदि संयुक्त यथारुचिके अनुकूल किंचित्कालं विनोद कियेपीछे डौढ़ीमें जाकर भोजन करै फिर (स्वाध्याय) को भी पढ़ै अर्थात् अपना वह पाठ जिस्से रातौदिन धन्धा करने परते हों किन्तु व्यवहारांग शास्त्र आदि तिनको रात्रिमें भोजन कियेपीछे फुर्सतमें विचारै जिस्से भूलें नहीं यद्वा स्वाध्याय अपने जाती नियम का पाठ ३२९ ॥

अधि०--चार लोगोंकी गुप्त वार्ता श्रवण करने का प्रकारभी कहा है-यथा ( संध्यां चोपास्यशृणुयादंतर्वेश्मनिशस्त्रभृत् । रहस्याख्यापिनांचैवप्रणिधिनांचचेष्टितम् ) अर्थात्-संध्योपासन कियेपीछे (अंतर्वेश्मनि) राजमहलोंके भीतर एकांतमें जाकर (शस्त्रभृत्) किन्तु नंगीखड्ग आदि हाथमें लियेहुये राजा उन लोगोंकी वार्तासुनै जो (रहस्याख्यापी) हों किन्तु एकांतमें संमति करनेवाले और (प्रणिधिनांचचेष्टितम्) किन्तु प्रणिधिनाम चारलोगोंका चेष्टा कियाहुआ वृत्तांतहो सोभी इसीरूपसे सुनै क्योंकि न जानै कोई कुछ विश्वासघात करनेका विचारकरिआयाहो-भला जिसबातसे ऐसाखटका सम्भवितहै तो श्रवण करनाही अनुचितहै किन्तु न सुनना चाहिये इस अपेक्षा में कहते हैं कि सो नहीं किन्तु अवश्य सुनना चाहिये-यथा ( गावःपश्यंतिगंधेनवेदैःपश्यंतिच द्विजाः । चारैःपश्यंतिराजानश्चक्षुर्भ्यामितरेजनाः ) अर्थात्-गायें किसी वस्तुको पहचाना चाहतीहैं तो उसकी गन्ध सूँघनेसे पहचानती हैं और ब्राह्मण वेदोंसे देखकर पहचानते हैं ऐसेही राजालोग चारों की बात सुनकर देशों का वृत्तांत घरबैठे देखा करतेहैं और अन्य सब साधारण लोग नेत्रोंसेही देखसक्तेहैं-अर्थात्-चारलोग राजा के नेत्र कहलातेहैं इसीलिये (चारचक्षु) राजाका नामहै क्योंकि ( चाराश्चक्षुषियस्य )



यही बात नीतिवाक्यामृतमें भी कही है कि (स्वपरमंडलकार्याकार्यविलोकने चाराश्चक्षुषि धितिपालानाम्) अर्थात्-अपने और पराये मंडलों का काज अकाज भलाई बुराई जो कुछ कही जाता हो तिनके देखनेमें धितिपालोंके चक्षुचार लोग होते हैं-इसलिये चारों से अवश्य बात करै-और पीछे जब भीतरली डोंड़ीमें भोजन करने जावै तब किसी अन्य प्रधानको याँप जावै-तथा चोक्रं-(गत्याकक्षांतरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्यतं जनम् । प्रविशे द्रो जनार्थं च स्त्रीभिरंतःपुरं सह) ३२९ ॥

संविशन्तूर्यघोषणप्रतिबुध्यन्थवच । शास्त्राणि चिंतयं हुध्वासर्वकर्तव्यतास्तथा ३३० ॥

ऐ०-भोजन कर चुकने और पूर्वांक्र म्याध्याय पढ़े पीछे (संविशेत्) शयन करै सो किस समय करै कि (तूर्यघोषण) अर्थात् तुरही आदि वाद्योंसे शब्द होनेके साथ किंतु एक प्रहर या सवा प्रहर रात्रि गये का गजर बजनेपर सुनतेके साथ सोवै क्योंकि वह गजर इसीलिये बजता है कि सोरहनेके लिये संबोधन होजाय किंतु अधिक जागने से भी रोगोंसे शरीर पीड़ित होजाता है तब सभी काम धंधे धन धर्मादिक बन्द होजाते हैं इसलिये अधिक जागै भी नहीं (तथैव-अतिबुध्येच्च) अर्थात् उसी प्रकार तूर्यघोषके साथ जागै किंतु चौघटिका रात्रिशेषका गजर सुनतेही उठखड़ा हो क्योंकि वह गजर इसीलिये बजता है कि सोनेवालोंको जागनेका संबोधन होजाय और गजरयद्वा तूर्यघोष यह एक निदर्शन मात्र कहा है किंतु जहां जैसी परिपाटी हो अर्थात् कहीं अनेक वाजन एकसाथ बजते हैं कहीं शंख आदि कहीं केवल तुरुही कहीं केवल घंटा कहीं तोप कहीं धोंसानकारा नौबत आदि किसी २वोलीमें इसीको उर्दी भी कहते हैं (बुध्वा-शास्त्राणि चिंतयेत्) जागने पीछे शास्त्रोंका चिंतन करै तथा (सर्वकर्तव्यताः) किंतु और भी जो कुछ करना हो अगले दिनमें वह भी सब करने योग्य काम धंधे उसी प्रकार फिर चिन्तन करै जैसे पहले दिनमें भिन्न २ समभायेथे-दूसरा अभिप्राय इसका अगले श्लोकसे अनुकर्षपूर्वक यह भी है कि रात्रिके पिछले पहरे गुप्तभाव चुपके उठिकर विश्वासपात्र शास्त्रज्ञोंके साथ यद्वा एकल्लाही निज आपशास्त्रोंका विचार किसी आवश्यक और सुगुप्तवार्ताके निमित्तसे करै तैसेही अन्य भी कर्तव्य कामोंका विचार अगले दिनके लिये उसी समय करलेवै सो इन दोनों बातका व्योरा आगे ३३१ श्लोकमें भिन्न २ खुल जायगा कि पहले अद्धामें गुप्तभाव चारोंका भेजना कहेंगे और पिछले अद्धामें दूसरे दिन में प्रातःकालके वे धंधे कि जो पूर्वदिनके धंधोंमें कहने शेष रह गयेथे सो स्पष्ट करेंगे (परन्तु) पढ़नेवालेको दोनोंदिनके कहेहुये धंधे सब एकदिनका व्यवहार समझना चाहिये किंतु किसीदिन दो काम अधिक आनिपरते हैं किसीदिन दो न्यून होते पर नित्यके मामूली काम सदैव एकसे होते इसलिये दोदिनकी लपेटमें कहे हैं ३३० ॥

अधि०-ऊपर कई श्लोकोंसे लेकर जो प्रतिदिनके आचार राजाको बतलाये गये

विदेशमें भी सब लोग आतेजाते और अपने मनकी पीड़ा भेद भाव सब उनसे कह देतेहैं अथवा ऐसे नहीं तौ वेभी (सांवत्सर) में गिनती हैं कि जैसे जयपुरिया ब्राह्मण कच्चेपके सभी पत्रा बांधकर नित्यंप्रति नियमसे घर घर आप जाकर फेरीदेते और स्त्रियों तकमें जाने आनेका अभ्यास रखकर भिक्षा वृत्ति कियाकरते उनसे चाहै तिस घरका ब्योरा अखबार कीसी भांति मिलसक्ताहै तिनकोकरै और (चिकित्सकान्) जो वैद्यक वृत्तिसे विदेशमें बहुधा जाते आतेहों तिनको अथवा(सांवत्सरचिकित्सकान्) इन दोनों पदोंको मिलाकर एक तीसरा अर्थ यहभी संगृहीत है कि संवत्सर पर्यंत चिकित्सा करनेवालोंको अर्थात् जैसे आंखोंके बनानेवाले सथिया आदि अनेकवैद्य ऐसे होते हैं जो निरन्तर सालभर ताई दवा करनेमें तत्पर होते और प्रतिज्ञा अपनी पूरी कर दिखलाते हैं तिनको (चार) बनावै क्योंकि अच्छा भेद एक साल बिना मिल सकना भी दुर्लभ होता-परन्तु (अक्रुद्धान्) अर्थात् यह लोगभी जो क्रोधी नहींहों तिनको करै क्योंकि क्रोधीसे कोई काम पूरा नहीं होता किन्तु वह बीचही में अपने कार्य सम्बन्धी मनुष्यसे तोड़फोड़कर बैठता है इसलिये क्रोधीको उन गुणोंके होने पर भी नहीं और (अलुब्धान्) जो लोभी नहींहों तिनको करै क्योंकि लोभी शीघ्र अपने स्वामी की शुभ चिन्तकता छोड़कर थोड़े लोभसे पराये वशमें होजाताहै इसलिये अतिलोभी को उन गुणोंके होनेपरभी नहीं और(दृष्टार्थान्) जिन्होंने संसारके अर्थकहिये प्रयोजन काम धंधे नानाभांतिके ऊंचनीच भलेबुरे अतिकाल और अति अवस्था और अति बर्तावा द्वारा खूब देखेसुनेहों किन्तु संसारका मथन अच्छी भांतिसे किया हो तिनको करै इसलिये थोड़ीसी अवस्था वालेकोभी नहीं और (तत्त्वभाषिणः) जो तत्त्वभाषी हों किन्तु जितनीबात देखी या सुनीहो उतनी कहसुनानेकास्वभाव जिनकाहो तिनकोकरै अर्थात् जो ऐसे बतफरौंश हों कि पैसाभर देखी सुनी सेरभर अपनी ओरसे जोड़कर बकडारैं तिनको नहीं क्योंकि इसबातसे परमहानि राजाकी होतीहै औरभी (पाखंडिन-स्तापसादीन्) अर्थात् जो लोग जीविकाके अर्थी पाखंडरूपसे बनेहुये तपसीआदिअनेक चेटकनाटकवाले देशोंमें विचरतेरहते हैं तिनकोभी उनके चेलीचाँटोंसहित पर उसभेद को चलेचाँटे न जानें कि यह हमारागुरुकिसराजाका साधकहै और कार्य अपने गुरुकी साधकतामें सबकरतेरहें इसभांतिसे उनको चारबनावै और परराज्यमें लगावै (फिरउन चाराकाभी गुप्तभेद लेनेकेलिये) कि यहलोग वहांजाकर क्याकरते हैं और यहांआकर क्याकहते हैं इसलिये उनकी वार्ताहरनेवाले और भी अनेकोंको लगावै ऐसे कि जो अपने और परायेदेशों का भेद जानने वालेहों और सुशीलहों सुविचक्षणहों-क्योंकि राजा एकही चारके कहनेपर विश्वास न लावै इसलिये कि न जाने उसने कुछछल प्रपंचकी बनावट आनिकर कहीहो इसहेतुसे दोकीबात एकसी मिलती जानकर जो

कुछ उचित हो सो काम करें—इसलिये राजा एकही दो चारों को नहीं भेजे किंतु बहुत से मुखवाने बहुत चारोंको भेजे—बहुतसे मुखवाले अर्थात् एकएक चारके साथ अनेक २ साधक उसके आधीन हों वही उसके अनेक मुख हैं जिनके द्वारा वह एकत्र बैठेभी सब देखता सुनता और कहता रहे—इसलिये राजा ऐसे लोगों को उन (चारों)के आधीन साधकसग्ये जो (नीति) नपुंसक हों (वामन) बौनाहों (कुब्ज) लूले लँगड़ेहों और भी (तद्विधाः—कार्यः) अर्थात् उर्जाप्रकार के नपुंसक बौना लूला आदि अंगभंग कारुजाती के लोग जिन्हें कारीगर कहते हैं किंतु राजवाढ़ई दर्जा सपकार आदि अनेक जो प्रसिद्ध हैं तिनको उन पूर्वोक्त चारोंके साधक नियतकरै क्योंकि ये लोग वहां जाकर अपने २ पेशे की नौकरीकरें और भेदूहोकर कार्यसाधें और सदैव अपने अधिष्ठाता चारको संबोधित करतेरहें और वह अन्य दूतोंसे खबर पहुँचाता रहै अपने राजा पास—इसीलिये अनेक भिक्षुकी वैरागिनें आदि जोवाईवनिके घरोंमें भिक्षाके वहाने से जाकर और नाच गान दिखाकर बहुधारीति प्रीति करलेती हैं तिनको और भी (चारण) जो एक प्रकारके कीर्ति गान करनेवाले नटप्रसिद्ध होतेहैं तिनको करै क्योंकि वे राजा केभी सन्मुख जापहुँचते हैं—और भी अनेक दास दासी जो वहां जाकर सेवा में नौकरी करें या वहां के सेवकों से मिलाप अपनी रीति भांति से रखकर कामसाधें और सदैव अपने अधिष्ठाता (चार) को संबोधित वहांके भेदों से करते रहें—और भी(मालाकारी) मालिनें जो फूलमाला के हेतुसे अंतःपुरमें भी नित्य जासक्कीं या सेवामें रहसक्कीं हैं और भी (कलाविदः) किंतु चौंसठि प्रकार की कलाओं मध्ये जो कोईसी एक दो चारकलाके जाननेवाले भानमतीआदि पेशेवाले तिन्हेंउन पूर्वोक्त (चारों)के साधक नियत करै इसलिये कि ये सब अपने २ कर्म या कौतुक हेतु से धुर अंतःपुरके भीतरकी अलख वार्त्ता को हरलावें—परन्तु इस भांतिका आचरण भी राजाको सदैव निरर्थक में करना अनुचित है किन्तु इन बातोंका करना तौ बड़ी—सी किसी आवश्यक दशामें समयके अनुकूल संभवहोताहै पर इनबातोंका याद रखना इस हेतु से उचित है कि इन प्रकारोंसे कोई अपना भेद न लेजानेपावै जिस्से पीछे कुछ उपद्रव उठै इस्से इसभांति के आयेहुये विदेशी नौकर चाकर और सेवक दासी आदिकी चेष्टासे चौकसरहे यहसिद्धांतहै—(चार) दो प्रकारके होतेहैं एकप्रकाशमान जो प्रत्यक्ष भेजेजायँ—दूसरे—अप्रकाश जो गुप्तभेजेजायँ तिनमें अप्रकाश तौ येही हैं जिनका चर्चा यहां पर कियागया और प्रकाशमानको दूतकहते हैं जिनका चर्चा ३२७ की अधिकोक्तिमें आयाथा ३३१ । ३३२ ॥

ब्राह्मणेपुक्ष्मीस्निग्धेष्वजिह्वःक्रोधनोरिपु । स्याद्राजाभृत्यवर्गेपुप्रजासुचयथापिता ३३३ ॥

ए०—पूर्वोक्तवातोंके सिवाय राजा अपना स्वभाव और चेष्टा इसप्रकारकी राखै किंतु

ब्राह्मणों पर क्षमावानहो निंदा आदिके करनेपरभी (स्निग्धेषुअजिह्वः) अर्थात् स्नेहकरने वाले मित्रादिकों पर सुधासरलभावहो-शत्रुओंपरक्रोधवान्-अन्यसाधारण भृत्यवर्गों पर और प्रजाओंपरभी ऐसाहोकेरहे जैसा पुत्रोंपर पिता अर्थात् उनके हितकाआचरण और अहितकी निवृत्तिमें तत्परबनारहै यह राजाओंका परमधर्महै ३३३ ॥

अब प्रजा परिपालनका फल कहतेहैं ॥

पुरयात्षड्भागमादत्तेन्यायेनपरिपालयन् । सर्वदानाधिकंयस्मात्प्रजानांपरिपालनम् ३३४ ॥

चाटतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः । पीडयमानाःप्रजारक्षेत्कायस्थैश्चविशेषतः ३३५ ॥

ऐ०सहद्वयोः—जिसहेतुसे कि धर्मशास्त्रोक्त न्यायसे प्रजाओं का परिपालन रक्षण आदि करताहुआ राजा उनके कियेहुये पुण्यमेंसे छठाभाग लेताहै किंतुरक्षा करीहुई प्रजाके पुण्यमें षष्ठांशका भागी धर्मके अनुसार होताहै इसीसे प्रजाओंका परिपालन कर्म राजाओंको पूर्वोक्त सबदानोंसे अधिकदान फलहोताहै इसलिये पुत्रोंकेही तुल्य पालनकरै-किसप्रकारसे-सो कहतेहैं ३३४ (चाट) वे कहलातेहैं जो किसीतरहका विश्वासदे दिलाकर पराया धनहरलेते इन्हींको प्रतारकभी कहतेहैं-(तस्कर) जो छिपकर धनचुरावै-(दुर्वृत्त) वे कहलाते जोइन्द्रजाल आदि माया कितव छलकरके किसीकाधन या मनुष्य हरलेते-(साहसिक) वे कहलाते जो सहसा प्रबलता करिके छीनलेते तिनमें भी महासाहसी वे होते जो इसीवातका पेशाकरते बटमारआदि-आदि शब्दसे और भी अनेक धूर्त सेवडेआदि (कुहक) विद्याके मायावीहोतेहैं-इनसे पीडित कियेहुये और पीडयमान प्रजालोगोंकी रक्षाकरै-इनके सिवाय विशेषकर कायस्थोंसेभी प्रजाकी रक्षा करै ( कायस्थागणकालेखकाश्च) अर्थात् सभीकायस्थोंसे अपेक्षा नहीं किंतु जो राजद्वारों यद्वा वाह्यदेशोंके हिसाबी और लेखकहों तिनसेरक्षाकरै क्योंकि ( तेषाराजवल्लभतयातिमायावित्वाच्चदुर्निवारत्वात्) अर्थात् वे राजाओंकेकार्य साधकता और उपक्षत्रियत्वसेभी बहुतप्यारे होते और मायावीभी उनमें बहुधाहोते इस्से उनके फंदेमेंफँसीहुई प्रजाका विगड़जाना संभवहै ३३५ ॥

अधि०—(स्मृत्यंतरपि)चाटचारणचौरैभ्योवधबंधभयादिभिः । पीडयमानाःप्रजारक्षेत्कायस्थेभ्योविशेषतः-अर्थ इसकाभी वहीहै जो ऊपर कहागया-और कायस्थ यह एक निदर्शन मात्र शास्त्रवक्ताने कहाहै किंतु कायस्थोंके उपलक्षणसे जो कोई उनकामोंपर नियतहो वहीकायस्थ समुम्ना चाहिये-परन्तु विशेषकर कायस्थका नामलेकर कहनेसे सर्वथा यहभी निश्चितहुआ कि कायस्थ जातीका यहकामसृष्टिकी आदिसेही चलाआताहै क्योंकि जो यह प्रधानता इनको नहीं होती किंतु सभीलोग उनकामोंके अधिकारी होते तौ शास्त्रवक्ता उनकामोंकी अधिकार संज्ञासे आदेशकरते ३३५ ॥

अरक्ष्यमाणाःकुर्वंतियत्किंचित्क्विवंप्रजाः । तस्मात्तुनृपतेरर्द्धयस्माद्गृह्णात्यसौकरान् ३३६ ॥

ऐ०-रक्षाके न करनेमें दोष कहतेहैं कि अरक्ष्यमाण प्रजालोग जोकुछ पापकरतेहैं उममें आधा पाप राजाको इत्यहेतुसे लगताहै कि जिस्मे यहराजा उनसे अनेक राज करनेता और रक्षा उनकी नहीं करता ३३६ ॥

अधि०-(वर्गविषाशनं राज्ञां वरमर्तो प्रवेशनम् । अनाथानां प्रपन्नानां कृपणानामरक्षणात् ॥ अनाथं कृपणं वृद्धं स्त्रियं वानं निरागमम् । परिरक्षेद्वनैः प्राणैर्बुद्ध्या शक्तिवलेन च ॥ देशं कालं च शक्तिं च कार्यं चाकार्यं मेव च । गम्यस्त्रिचार्ययत्नेन कुर्यात्कार्याणिसर्वदा ॥ न कुर्यात्कस्यचिद्वाधां परवाधां निवारयेत् । चोगन्दुष्टांश्च शत्रूँश्च वाधयेच्चापिसर्वदा) अर्थात्-राजाओंको विष भक्षणकरलेना श्रेष्ठहै अग्निमें गिरपरना श्रेष्ठहै किन्तु अनाथोंकी आधीनोंकी कृपणोंकी दरिद्रोंकी रक्षा न करना श्रेष्ठ नहीं-इसलिये-अनाथ कृपण बालक वृद्ध स्त्री निरपराधी कोइहो तिम्यको अपराधीसे बचावे और इन सबकी रक्षाकरै अपने धन प्राण बुद्धि शक्ति वल इनमें किन्तु इनमेंजिसकिसीसे होसकीहो तिसकालोभ नहींकरै-(परन्तु सहसा नहींकरै यह कहतेहैं) किन्तु देश १ काल २ शक्ति अपनी यद्वा अपराधीकी ३ (कार्य) अर्थात् करनेकी योग्यता ४ (अकार्य) न करनेकी योग्यता ५ इन सबोंको यत्नपूर्वक अच्छीभांति पहले विचारलेवै तब रक्षासम्बन्धी दण्ड आदिका-र्योंकोकरै किन्तु (सर्वदा) सबदिन इसीरीतिसे आचरणकरै-और किसीकोभी बाधानहीं करै बरन जहांतक शक्तिहो पराई बाधाका निवारणकरै यहराजाकाधर्महै परन्तु चोरों को दुष्टोंको शत्रुओंको इनसबोंको बाधाभी सदैव यथाकाल यथाशक्ति यथादेश यथा-संभवके अनुकूल करतारहै तौ अधर्म नहीं किन्तु यहभी एकधर्म है ३३६ ॥

अब निग्रह और अनुग्रह का न्याय कथन करतेहैं ॥

येराष्ट्राधिकृतास्ते पांचारैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् । साधून्संमानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत् ३३७ ॥

ऐ०-जेकोई राज्यके अधिकारी कियेहों तिनका विचेष्टित कहिये कियाहुआ आ-चरण अपने २ अधिकारोंकी साधनामें भलाई बुराई सो पूर्वोक्त चारोंके द्वारा जानबू-झकर (साधून्-संमानयेत्) किन्तु जो सत्-आचरणवालेहों तिनका राजा मानबढ़ावै कि-सीरीतिसे दान मान सत्कारोंकरके उन्हें प्रतिष्ठितकरै और जोविपरीतहों किन्तु दुष्टवृ-त्तिवालेहों तिनकाभेद जानिकर घातकरै अर्थात् किसी प्रकारका दंड उनकी दुर्वृत्ति के अनुसार देवै ३३७ ॥

अधि०-(चारों) के द्वारा उसदशामेंभी भेदलेना उचितहै कि जब कोई किसी अधि-कारीकी प्रत्यक्षमें निंदाकरताहो क्योंकि बहुतेरे किसी निजसंबन्धी वैरभावसे वृथानिन्दा भी करनेलगतेहैं इसलिये उनकेकहनेसेही दंडनदेवै तथाचोक्त(नपरस्यापवादेन परेषां दंडमाचरेत् । आत्मनावगतं कृत्वा बध्नीयात्पूजयेत्तुवा)-अर्थात्-औरके अपवाद करनेसे ही औरोंको दण्ड न आचरै यद्वा वैरीके अपवाद करनेसे उसके वैरियोंको दंडनहीं देवै

किन्तु अपने मनबुद्धिसे विचार पूर्वक निश्चयकरिके तब दंडदेवै या सत्कारकरै-परंतु मनबुद्धिका विचारभी पीछेकरै किन्तु पहले चारोंसेही भेदभावलेवै यहसिद्धांतहै और दंडदेवै या सत्कारकरै इसकथनका यह सिद्धांतहै कि जिसबातकी निन्दा उसकी हुई थी उसीकी दृढ़ता और सचेउठी चारोंसेभी मिलै तद्वत् अपनी आत्माका विचारभी उसीपर दृढ़ताकरै तब तौ दंड जैसायोग्यहो सोदेवै (अन्यथा) जब उसनिन्दाका कोई भांति उसपर चिह्न नहीं पाया जाय और सर्वथा वह निष्कलंक निश्चितहोजाय तब उसका सत्कार कुछ इसहेतुसे करना योग्यहै कि उसपर भूँठाकलंक जो आरोपित हुआ जिसके कारण उसकी व्यर्थ निन्दा उड़ीफैली तिसका प्रतिकार उसके सत्कार द्वारा कियाजावै-इसलिये राजाको एकचारकेभी कथनपर विश्वास न करना चाहिये किंतु कईचारोंके कथनमें सात्म्यतापावै तबकुछकरै या उनकई के कथनमें असात्म्यताहोनेपर अपने मनबुद्धिके अनुकूल जो संभवितहो-क्योंकि इसमें किंचित्भी व्यतिक्रमहोनेसे राजाकी परमहानि होतीहै-तथाचधर्मः-(अदंड्यादंडयनूराजादंड्यांश्चैवाप्यदंडयन् । अयशोमहदाप्रोतिपापंचैवतदच्युतम् ) अर्थात्-राजा अदंडयपुरुषों को विनाविचारे दंडदेताहुआ और दंडनीयोंको प्रमादसे दंड न देताहुआ महाअयश तौ पहले लोकमेंही प्राताहै पुनि उस्से पापभी ऐसाअच्युत होताहै कि जिसकीच्युति जन्मांतरमें भी नहीं होती-इसलिये राजाको दोषादोषके विचारमें प्रमाद और शिथिलता न चाहिये ३३७ ॥

अब घूस रिशवतका चर्चा करतेहैं ॥

उत्कोचजीविनोद्रव्यहीनान्कृत्वाविवासयेत् । सदानमानसत्कारान्श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ३३८ ॥

ऐ०-राजा उत्कोचजीवियों को द्रव्यहीन करिके विवासकरावै किंतु घूसखानेवालों से धनदंड लेकर उन्हें राज्यसे वाहरकरै और श्रोत्रियोंको दानमान सत्कारों सहित अपने राज्यमें सदैव जो आतेजायँ तिन्हें बसावै जिस्से उसके राज्यमें संपन्नता बनी रहै-(उत्कोच) कहतेहैं घूसरिशवतको कि जो किसीकार्यवालेसे कुछधन लेकर कार्य में अयुक्तता करीजातीहै उसधनके खानेवालेको उत्कोचजीवी अर्थात् रिशवतखोर या घूसखाऊ कहते हैं ३३८ ॥

अब ठेठ राजाकी अपेक्षामें अन्याय धनसे हानि कहतेहैं ॥

अन्यायेननृपोराष्ट्रात्स्वकोशंयोभिवर्द्धयेत् । सोऽचिराद्विगतश्रीकोनाशमेतिसवांधवः ३३९ ॥

प्रजापीडनसंतापात्समुद्रूतोहुताशनः । राज्ञःकुलंश्रियंप्राणांश्चादग्ध्वाननिवर्तते ३४० ॥

ऐ०सहृदयोः-जोकोई नृपति अपने राज्यमेंसेधन अन्यायसे संग्रहकरिके अपनाकोश बढ़ाताहै वह शीघ्र थोड़े कालमें लक्ष्मीहीन होकर निजवांधवों सहित नाशको पहुँचताहै ३३९ क्योंकि प्रजाकी पीड़ारूपी संतापसे समुत्थितहुआ अग्नि-राजाके कुलको



और लक्ष्मीको और प्राणोंकोभी बिनाजल्दाये नहीं जाता-इसलिये राजा जो धनलेवै मो न्यायसे विपरीत नहीं लेवै (तत्खादनेतुनारदः) (अन्यायेनापियद्भुक्तंपित्रापूरवतरे स्त्रिमिः । ततच्छक्यमपाकर्तुंक्रमात्त्रिपुरुषागतम्) ३४० ॥

अब आगे विजय फल कहतेहैं ॥

एवमनृपतेधर्मःस्वराष्ट्रप्रपालने । तमेवकृत्स्नमाप्नोतिपरराष्ट्रं वशंनयन् ३४१ ॥

ए०-नृपतिका जो २ धर्म या फल अपने राज्यके परिपालन करने में कहागयाउसी धर्मका साराफल अपने शत्रुका राज्य वशमें लेताहुआभी पावैहै ३४१ ॥

वशमें आये हुयेकी परिपालन विधिकहतेहैं ॥

यस्मिन्देशेयथाचारोव्यवहारःकुलस्थितिः । तथैवपरिपाल्यासौयदावशमुपागतः ३४२ ॥

ए०-जब कोईदेश अपने वशमें आयाहो तब अपने देशके आचारोंका प्रचार वा मिलाव उसमें नहीं करे किंतु जिसदेशमें जो आचार और जो कुलव्यवहार और कुलोंकी परिपाटी जैसी चली आतीहों तैसीही परिपालन कियेजावै जिसमें प्रजालोग सुखी रहकर आशीर्वादकरें किंतु विपरीततामें शापदेतेहैं-परन्तु जो कोईवात विरुद्ध वा दुःखदायकहो उसको प्रजाकी संमति और प्रसन्नतासे परिशोधन करना अनुचितनहीं-तथापि जो उचित और संभाव्यरीतोंसेही कियाजावै किंतु कोई वात हठ धर्मीसे नहीं ३४२ ॥

मंत्रमूलंयतोरज्यंतस्मान्मंत्रंसुरक्षितम् । कुर्याद्यथास्यनविदुःकर्मणामाफलोदयात् ३४३ ॥

अक्ष०-यतःराज्यंमंत्रमूलंतस्मान्मंत्रंसुरक्षितं तथाकुर्यात् यथास्यराज्ञःकर्मणामंत्रं आफलोदयान्नविदुरन्ये ३४३ ॥

अभि०-जिसहेतुसे ३११ में कहाथा कि उनमंत्रियोंके साथ राज्यका विचार करै तौ यथार्थसे राज्य मंत्रमूल ठहरा किंतु राज्यके सारेकाम धंधोंकी मूलकेवल मंत्रके आधीनहै तिसहेतुसे विचारेहुये मंत्रको उसप्रकारसे सुरक्षितकरै किंतु जैसीभांतिसे इसराजाके संधिविग्रह आदि कर्मोंका मंत्रभेद तब ताई कोई और न जानै जबतक उसमंत्र यद्वा उनकर्मों के फल यथावत् उदय न हो लेवें ३४३ ॥

अधि०-(मंत्रभेदेऽपियेदोषाभवन्तिपृथिवीपतेः । नशक्यास्तेसमाधातुंमंत्रिभिस्सुभटै रपि) अर्थात्-पृथिवी पतिके-मंत्रभेद होजानेमें जो २ दोष उत्पन्न होतेहैं वे दोष फिर मंत्रियों और सुभटों अतिवीरोंसेभी सम्यक् आधानकर सकने योग्यनहीं होते-इस लिये राजा अपने राज्य संबंधी मंत्रोंकी रक्षाभली भांतिकरै-तथाचोक्तम्-(मंत्रंवीजव द्राजनूरक्षणयिंयथातथा । मनागापिनभिद्येततद्भिन्नंनप्ररोहति) अर्थात् हे राजन् मंत्र जैसाहो तैसाही वीजवत् रक्षाकरणीयहै किंतु उसमेंसे (मनाक् अपि) किंचित्भी न भेद होनेपावै क्योंकि वहमंत्रवीज किसीभांति भिन्नहुआ जमता नहीं अर्थात् बोयाहुआ

वीज धरतीमें से उभरकर भिन्नहोजाता वह जमता नहीं तैसेही मंत्रभी फूटाहुआ कार्यकी सिद्धिमें जमता नहीं-यद्वा किसानलोग जोवीज अगले सालकेलिये संचय करते उसमेंसे आवश्यकता परभी किंचित् नहीं निकालते क्योंकि उसमेंसे कुछभिन्न करलेनेमें फिर वहवीज अपनी ऋतुपर धरतीमें बौनेसे उपजता नहीं यहएक आनि होतीहै क्योंकि जबबौनेकेलिये निकालताहै तब उसमेंसे देवपितर आदिके नामसेमुट्टी निकालकर पीछेबोताहै इसलिये किसान उसवीजकी परमरक्षारखताहै-और यथार्थ उसवीजकी रक्षा यद्वा आनि इसलिये होतीहै कि वीजमें बहुधा बारम्बार हाथलगने या अधिक वायुलगने या धूपलगने या सीलपहुँचने आदिसे उसका उपजना और फलावट न्यूनहो जातीहै इसलियेवीजकी वस्तु सबसे जुदी रखकर बारम्बार छेंड़ते नहीं ऐसेही राजा अपने मंत्रको बारंबार उघाड़ें नहीं तौ फल दायकहो ३४३ ॥

अब द्वादश राजमंडल यद्वा अपने सहित त्रयोदश राज मंडलका विचार कहते हैं इस वार्ता को अतिसूक्ष्मबुद्धिसे विचारना जिस्से तद्रूप इसका स्वरूप हृदय गतहो जाय ॥

अरिर्मित्रमुदासीनोऽनंतरस्तत्परःपरः । क्रमशोमण्डलंचित्यंसामादिभिरुपक्रमैः ३४४ ॥

अक्ष०—अरि१ मित्र२ उदासीनः३-अनंतरः १ तत्परः २ तस्मात्परः३-क्रमशः-अर्थात् यह तीनों यथाक्रमसे समझलेने-किंतु-ठेठ अपने राज्यसे (अनंतर) कहिये लगा हुआ भिड़ाहुआ दूसरा राज्य वहअपना अरि१ कहलाता-और (तत्पर) कहिये उससे अगला तीसरा राज्य वह अपना मित्र२ कहलाता-और (तस्मात्परः) उससेभी अगला चौथा राज्य वहअपना उदासीन३ कहलाताहै-(यह तीनों अरि१ मित्र२ उदासीन३ यहां पर प्राकृत कहलातेहैं प्राकृतका अभिप्राय नीचे अभिप्रायार्थमें समझलेना) इसभांति क्रमसे चारोंदिशामें द्वादश राज्योंका मंडल और बीचमें तेरहवाँ आप बैठाहुआ सारेमंडलका चिंतनविचारसाम आदिनीतिके उपक्रमोंसे करतारहे ३४४ ॥

अभि०—ऊपरके अक्षरार्थमें अरि १ मित्र २ उदासीन३ जो कहेगये सो यहतीनों प्राकृत कहलातेहैं इसहेतुसे कि अरिनाम शत्रुभी तीनप्रकारके होतेहैं-तिनमें प्रथम इन्हीं तीनोंके लक्षण समझने चाहिये सो अरि और मित्रके लक्षण तौ प्रसिद्धहैं पर तीसरा उदासीन वह कहलाताजो शत्रुताभी न करताहो और मित्रताभी न रखताहो किंतु जिसको वैरप्रीति दोनोंसे कुछ अपेक्षा नहीं वह उदासीन होताहै-अब तीनोंके तीन प्रकार जो अभी ऊपर कहेथे तिनके लक्षण दर्शातेहैं कि सहज कृत्रिम प्राकृत इनभेदोंसे तीन२ प्रकारके तीनों होतेहैं अर्थात् सहजशत्रु तौ सापत्नको कहतेहैं और सापत्न भागी साभीको कहतेहैं जैसे अपना चचा या चचेरे भाई आदि जो बटवारी के भागीहों इनको सहज इसलिये कहतेहैं कि ये साथही अपने घरसेही शत्रुरूपज-

नमतेतहें फिर चाहै घरकेघरहीमें मौजूदहों अथवा कुछदूरीअन्तरसे वेभी कहींकेदेशाधिपहां कुछइनपर नियमनहींहै परदायभाग उनका निश्चितहो यहसिद्धांतहै १-दूसरे कृत्रिमशत्रु वे कहलातेहैं कि जिनका कुछअपकार किसी हेतुसे कियागया और पीछे वे शत्रुभाव करनेलगे अथवा उन्हींन कुछअपकार अपनाकिया इसहेतुसे उनकेसाथ वैर करनापड़ा फिर चाहै अपनेसे दशराज्यका दूरी अन्तर उनसेहो कुछ इसका नियम नहीं है इनको इसलिये कृत्रिम कहते हैं कि ये वनावट के बनेहुये शत्रुहोते कुछ घरमें जन्म नहीं पाया-या-पाया हो तौभी जो अपकार हेतुसे शत्रुता बांधें तौ वेभी कृत्रिम कहलाते हैं अर्थात् सहज शत्रु उसी दशामें कहलामक्के हैं कि हिस्सा बांटके हेतुसे वैर बांधै २-तीसरा प्राकृतशत्रु वह कहलानाहै जो अपनेराज्यसे अनन्तर भिड़ाहुआ दूसरा देशाधिप हो चाहै वह प्रत्यक्षमें शत्रुता नहीं भी करता हो परन्तु उसकी प्रकृति में यह वैर भाव रक्खारहता है कि कोई भांति से अपने अनन्तरवाले को दवालेवें जैसे वह अपना प्राकृत शत्रु गिनाजाता है तैसेही आपभी उसका प्राकृत शत्रु कहलाता है क्योंकि जैसे अपनी सीमासे वह अनन्तरहै तैसेही उसकी सीमासे आप अनन्तर है इसलिये वह प्राकृत अरिभाव परस्पर दोनों में समभाजाता और इसी हिसाब से अपनी चारों दिशाके चारो राज्य प्राकृत अरिकहलाते हैं-इसी प्राकृत अरिका चर्चाऊपर अक्षरार्थ में आयाथा किंतु वहां पर शेष दो शत्रुओंसे कुछ अपेक्षा नहींहै ३-अब तीनों भांति के मित्र बतलातेहैं कि-प्रथम तौ सहज मित्र वे कहलातेहैं जो साथही किंतु निजघरसेही मित्ररूप जन्मपाकर सबतरहसे सहायकबनेजैसे अपने भानजे या फूआ के बेटे या मावसीकेबेटे मामाके बेटे इत्यादि और भी १-दूसरे कृत्रिम मित्र वे कहलाते हैं कि जिन्होंने कुछ अपने साथ भलाई उपकार सहायता आदि किया हो या उनके साथ आपहीने किया हो या परस्पर दोनों का दोनोंने किया हो ये इसीसे कृत्रिम कहलाते हैं कि कार्य और कारण के अनुकूल मित्रबनजातेहैं चाहै अपने से दश राज्य का दूरी अन्तर उनसे हो कुछ इसबातका नियम नहीं है २-तीसरे प्राकृतमित्र वह कहलाता है जो अपने राज्य से एकांतरित राज्य हो किंतु बीच में उस पूर्वोक्त प्राकृत अरिका राज्य अन्तर देकर उस्से अगला राज्य प्राकृत मित्र कहलाता है इसीकी चर्चा अक्षरार्थ में आईथी किंतु वहांपर शेष दो मित्रों से कुछ सम्बन्ध नहीं है-इसको प्राकृत मित्र इसहेतु से कहते हैं कि चाहै वह अपना से कुछ मित्रता नहीं भी करता हो पर उसकी प्रकृति में यह बात समाई रहती है कि बीचवाले पूर्वोक्त प्राकृत अरिको कि जो बरले परले दोनों का अरिकहलाचुका तिसको यद्यपि मैं कुछ नहीं दवासक्ता पर इस्से परले तीसरे से कदाचित् मेरा मेल मिलाप होजाय तौ दोनों मिलकर इसको बीचमें दवाले या वही एक ऐसा प्रवल हो जो इसे

दबासकै तौ मैं उसको अपना मित्र समझों और बनै तौ सहायता भी करूं-इन कारणों से एकांतरितवाले परस्पर दोनों प्राकृत मित्र गिने जाते हैं कुछ मित्रता करने पर ही नियम नहीं है-इसी हिसाबसे चारों दिशामें जैसे चारि प्राकृत शत्रु बतलायेथे तैसे ही उनसे परे चार प्राकृत मित्र भी समझने चाहिये इस प्रकार आठ राज्यका मण्डल हो चुका और बीचमें नवां आप है ३-अब तीनों भांति के उदासीन बतलाते हैं तिनमें प्रथम तौ सहज उदासीन वे कहलाते जिनमें सहज शत्रु और सहज मित्र इन दोनोंके पूर्वोक्त लक्षण कोई भी न पाये जायँ (दृष्टांत) यथा जन्म सम्बन्धसे चचा भाई भतीजोंमें अवश्य गिनती हों परन्तु किसी हेतुसे दायभाग के अधिकारी नहीं हैं जो भगड़ा टंटा कर सकें इसलिये वे ही सहज उदासीन कहलाने लगे (और) किसी दशामें वे भी सहज उदासीन होसके हैं कि जिनका दायभाग तौ निःसंदेह निश्चित है परन्तु वे उसके पानेका दावा कभी आगे पीछे भी न करेंगे-इनके सिवाय वे भी सहज उदासीन हैं कि जन्म सम्बन्धसे सहज मित्रोंमें गिनती हुयेथे अर्थात् पहले जैसा कह चुके हैं कि भानजे या फूआ और मावसी के बेटा आदि सहज मित्र कहलाते हैं परन्तु वे ही लोग उनमेंसे जो २ कोई मित्र भाव सहायता आदि अपने साथ न करते और न मानते हों तौ सहज उदासीन कहलाने लगे फिर चाहै दूर या नगीच रहते हों कुछ इसकानियम नहीं है यह तौ सहज उदासीन कहे गये १-अब दूसरे कृत्रिम उदासीन वे कहलाते हैं जिनमें पूर्वोक्त कृत्रिम शत्रु और कृत्रिम मित्र इनमें से एक के भी लक्षण नहीं पाये जायँ अर्थात् न तौ अपकार करते हों न उपकार करते हों न कुछ बैर न कुछ प्रीति ऐसे सामान्य भाव हों और जन्म सम्बन्धसे कुछ अपेक्षा जिनमें नहीं और चाहै दूर या नगीच हों कुछ इस बातका भी नियम नहीं है २-और तीसरे प्राकृत उदासीन वे कहलाते जो अपने से चारों दिशामें चौथा २ राज्य अर्थात् पूर्वोक्त प्राकृत शत्रु और प्राकृत मित्र इन दो २ राज्यों को बीचमें देकर उनसे परे परे प्राकृत उदासीन राज्य कहलाते हैं इन्हीं का चर्चा अक्षरार्थमें आयाथा किंतु शेष दो उदासीनों से वहांपर कुछ सम्बन्ध नहीं है-इस प्रकारसे वारहराज्यका मण्डल अर्थात् अपने से तीन आगे तीन पीछे तीन वामे तीन दाहने किंतु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर और बीचमें तेरहवां आप है-यह राजमण्डल पद्माकार समझकर अवश्य भावसे साम आदि नीतिके उपक्रमों से विचारता रहे अर्थात् उन वारहों का विचेष्टित जो कुछ हो तिसका विचार बलावल के अनुकूल अपने कल्याण की अपेक्षासे रातोंदिन चिंतन करता रहे कि कौन हमसे संधि आर कौन विग्रह किया चाहता है किंतु उनसे गाफिल असावधान मत हो जावे ३४४ ॥



अधि०—इस ३४४श्लोकमें अक्षरार्थ यद्वा अभिप्रायार्थसे विजिगीषू राजाके अरि १ मित्र २ उदासीन ३ यह तीन प्रकृती चारों दिशामें बतलाई और उन्हीं का तद्रूप ज्ञानहोजाने के हेतुसे त्रयोदश राजमण्डलका पद्माकार चक्रभी निरूपण किया गया तथापि वह त्रयोदश राजमण्डल एक सामान्य रूपसे निदर्शनमात्र कहा गया क्योंकि सर्वत्र और सदैव कुछ भूमि अथवा राजमण्डलों का एकहीसा डौल नहीं होसका अर्थात् जहां कहीं इसी प्रकारसे राजमण्डलोंका डौल हो तहां तौ तद्रूप इसीचक्रके अनुकूल समभाचाहिये और जहां कहीं अपनेसे चारों ओर बारह राज्य नहीं किंतु थोड़े बहुत जो कुछ हों उनमें भी प्रकार तौ सर्वत्र यही समभलेना पर इस बातका आग्रह नहीं है कि चारों ओर अरि और चारों ओर मित्र या उदासीन क्योंकर समभेजायँ अर्थात् दोहीतरफ समभलेने या तीनतरफ जहां जैसा राज्यकी सीमाका डौल हो तैसाही चक्रभी अंगीकार होसका है-इसके सिवाय जहां पूरेबारहतेरह मण्डलोंकी यथावत् प्राप्ति हो जैसी चक्रमें लिखी है तहां भी सदैव यह नियम नहीं रहसका कि चारशत्रु चारमित्र चार उदासीन ठीक २ हों क्योंकि यद्यपि शास्त्रोक्त संज्ञामात्रसे वेही प्राकृत शत्रु कहलाते हैं कि जिनकी सीमा अपने राजसे भिड़ी हो परन्तु जब कदाचित् उनसे अगले राज्यवाले जो प्राकृत मित्र निश्चित हो चुके हैं उनमेंसे कोई एक या दो अपना कृत्रिम शत्रु होगया किंतु उनसे अपना अपकार हेतुक घैर बँध गया उस समय शत्रु अधिक होगये और मित्र थोड़े रह गये या उन्हीं मित्रोंमेंसे कोई अपने शत्रुका सेवन करने लगा तौ वह भी शत्रु गिना गया तौ भी शत्रु अधिक हुये मित्र थोड़े रहे-या प्राकृत शत्रुओंमेंसे कोई अपना उपकार करने लगा तौ वह मित्र कहलाया इस हेतुसे मित्र अधिक होगये शत्रु थोड़े रहे अथवा इनबारहमेंसे तौ नहीं पर इनसे उपरांतके अधिक राज्योंमेंसे कोई राजा दूरस्थ भी अपने प्राकृत शत्रुओंसे मिलाप रखने लगा तौ वह भी अपना अरि ठहरा तौ भी शत्रु अधिक होगये और मित्र वेही चार बने रहे-सोई नीचे मनुवाक्यसे भी निश्चित है-यथा (अनन्तरमरिंविद्यादरिसेविनमेव च। अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनंतयोः परम्)-अर्थात्-अनन्तर कहिये भिड़े हुये राज्यको विजिगीषू अपना अरि जानै और अरिसेवीको भी अरि जानै किंतु अपने सीमाभिड़े राज्यवाले से जो कोई दूर या नगीचवाला मेल मिलाप अति प्रीतिभावसे रखता हो या उसके आधीन होता हो तिसको भी अपना अरि जानै और अरिसे अनन्तर कहिये परली ओर सीमा भिड़े राज्यवालेको विजिगीषू अपना मित्र जानै और उनदोनोंसे परे सीमा भिड़े राज्यको विजिगीषू अपना उदासीन जानै यह मनुजीने कहाथा (भेद २) मनुजीने इस राजमण्डलको पद्माकार चक्रकी रीतिसे नहीं कहा-यद्यपि मनुजीके और योगीश्वरके कथनमें कुछ अन्तर नहीं किंतु सिद्धांत दोनोंका एक है सोई अनन्तरोक्त मनुके



वाक्यमें योगीश्वरके मूलश्लोककी वाक्यमें एकता अर्थात् ऊपर हांचुकीहै तथापि उस पद्याकार मण्डलके स्थान मनुजीने कुछ और भांतिसे विलक्षणरूप मंडल दर्शायाहै अर्थात् मनुजीने कुछ चारोंदिशाका नियम नहीं अंगीकार किया किन्तु आगे पीछे दोही तरफके डौलसे राजमंडल कहदिया है-तिसकाभी यथार्थ कारण वहीहै जो इस अधिकोक्तिके प्रारम्भमें लेकर अनन्तरोक्त मनुवाक्य में पहले २ लिखागया क्योंकि सर्वत्र अपने से चारोंओर द्वादश राज यथाक्रमसे नहींहोते अर्थात् कहींवैसा डौल भी होताहै और कहीं मनुजीके सिद्धान्तसे केवल आगे पीछेकाही डौलहोताहै-दृष्टांत इसका ध्यानकरो कि जहां अपने राज्यमें दाहने और बायें दोनों तरफकेवल पहाड़ यद्वा समुद्रहो किन्तु दाहने बायें पार्श्वमें और कोई राज्यऐसा नहींहै कि जिस्से कुछखटका या प्रयोजन परै तहां केवल आगे और पीछेही निरंतर अनेक राजपंक्तिके आकार चलेजाते हैं इसलिये मनुजीने उसडौलसे राजमंडलका वर्णन कियाहै बल्किमनुजीने अरि१ मित्र२ उदासीन३ इनके संज्ञाव्यपदेशभी अधिक बांधेहैं-इसलियेअब हम अपने जिज्ञासु लोगोंका संदेह यद्वा चित्तकी भ्रांति दोनों ओरसे निवृत्तहोने के लिये मनुजीका बांधा डौलभी इसी अधिकोक्तिमें विन्यास करतेहैं सो देखो-यथा(मध्यमस्यप्रचारंचविजिगीषोश्चचेष्टितम् । उदासीनप्रचारंचशत्रोश्चैवप्रयत्नतः) अर्थात्-मनुजी कहतेहैं कि राजमंडलके विचारमें राजाको यहउचितहै कि एक तो (मध्यमराजाका) चिंतवनकरै कि वहमेरेलिये या मेरे शत्रुओंकेलिये या मेरे मित्रोंकेलिये क्या करना चाहताहै या किस उपायमें समुद्यतहै यह प्रचार उसका सोचै १ ऐसेही (विजिगीषोश्चचेष्टितं) अर्थात् विजिगीषूजो कोई राजा किसी एकको या अनेकोंको विजय करने पर समुद्यतहो तिसकाभी चेष्टित कहिये करना धरनाआदि अपने मनमें सोचै कि वहकिसकेलिये क्याकरना चाहैहै२ ऐसेही (उदासीन) काभी प्रचार कहिये करना धरनाआदि देखसुनिकै अपने घरमें बैठा सोचै कि उसका क्याढंगहै किन्तु वहकेवल उदासीनही बनारहेगा या आगेपीछे किसीका पक्षपातभी करैगा३ ऐसेही (शत्रोश्चैव) किन्तु अपने शत्रुकाभी करना धरना इच्छाआदि प्रयत्नपूर्वक निजमंत्रियों सहित सोचै कि उसमेरे शत्रुका कोई औरभी सहायकहै या नहीं और उसका या उसके सहायकोंका कितनाबल या कितना धन या कैसा उनका राज्यहै यह सबसोच विचार करतारहे-अब इन चारोंके लक्षण समझनेने चाहिये कि (मध्यमराजा) उसेकहतेहैं जो किसी विजिगीषू और उसके शत्रुकीभी दोनोंकी सीमासे भिड़ाहुआ तीसरा राजा इतना बड़ासमर्थहो कि जब कदाचित् वे अरि और विजिगीषू दोनों परस्पर अपने वैर भावसे लड़ेंभिड़ें तबदोनोंको दंडदेसक्ताहो या वे दोनों मिलापरखेंतब दोनोंपर कुछ अनुग्रहभी करसक्ताहो वह (मध्यम) कहलाताहै इसीलिये विजिगीषूको या सा-

धारणहर किसीको सबसे पहले मध्यमका अभिप्राय सोचना उचित कहा है क्योंकि वह प्रबल है न जानै पीछे किसकी ओर हो १ (और विजिगीषूराजा) वही कहलाता है कि जो अतिप्राज्ञादि गुणसंपन्न अतिउत्साहवाला अमात्यादि प्रकृती जिसकी उत्तम और अनुरक्तहों इतनी बातोंसे संयुक्तहुआ विजय करनेपर उत्साह रखता हो इसलिये उसका भी सोच विचार करना उचित है २ और (उदासीनराजा) उसे कहते हैं जो पूर्वोक्त अरि विजिगीषु मध्यम इनतीनोंको लड़तेभिड़ते देखतीनोंकोही दंड देनेमें समर्थ या तीनोंको परस्परमेल मिलापरखने परकुछ अनुग्रह करनेमें समर्थ हो पर निष्कारण में किसीको सताने परदृष्टि उसकी नहीं वह (उदासीन) है इसलिये उसके भी अभिप्रायका विचार करना उचित है ३ चौथे (शत्रुराजा) वे कहलाते हैं जिनका चर्चा पहले भी अभिप्रायार्थमें हो चुका है कि सहजशत्रु कृत्रिमशत्रु प्राकृतशत्रु यहतीन प्रकारके अरि होते हैं ४ ॥ इतना कहकर फिर मनुजी कहते हैं कि (एताः प्रकृतयो मूलमंडलस्य समासतः । अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः) - अर्थात्- इतनी जो चार प्रकृती ऊपर बतलाई सो राजमंडलकी मूलप्रकृती (समासतः) संक्षेपसे कही गई किंच आठ प्रकृती राजमंडलकी शाखारूप और भी कही हैं वे भी इन्हीं मूलप्रकृतीनमें गिनती हैं इसलिये चार और आठ मिलकर बारह प्रकृती राजमंडलमें विख्यात हैं- वे आठ प्रकृती इसप्रकार से होती हैं कि शत्रु तो ऊपरवाली चार प्रकृतियों में गिनती हो चुके अब उन्हीं पूर्वोक्त अपने शत्रुओंकी राजभूमिसे आगेआगे यथाक्रमसे पहिला राजा अपना मित्र कहलाता है सोई पूर्वनिर्मित चक्रमें देखलो १ पुनि उससे अगिलाराजा अपना (अरि-मित्र) कहलाता अर्थात् अपने शत्रुका मित्र यह भी उसी चक्रमें देखलो २ पुनि उससे अगला राजा अपना (मित्र-मित्र) कहलाता है अर्थात् अपने मित्र का मित्र सो यह भी उस चक्रमें यद्यपि तीनसे अधिक राजा पूर्वदिशामें लिखे नहीं क्यों-कि वह चक्र योगीश्वरके कहेहुये डौलपर बनाया है परंतु उसके अनुक्रमसे अधिक राजा अपनी बुद्धिसे जोड़कर समभलो ३ पुनि उससे अगलाराजा अपना (अरि-मित्र-मित्र) अर्थात् अपने अरिके मित्रका मित्र गिना जाता है यह भी उसी चक्रमें अपनी बुद्धिसे जोड़कर पूर्वदिशा में समभलो ४ यह चार तो अपने और अपने शत्रुसे भी आगे हुये-ऐसेही अपने से पीछे पश्चिम ओर भी यद्यपि इसी क्रमसे येही सब नाम संज्ञा होसकी थीं परन्तु मनुजीने आगे और पीछेमें कुछवैरभाव संबन्धी अधिकभेद समझकर संज्ञाभेद करदिया है-और यह भी कि आगे तो शत्रु भूमिसे आगे आगे गिनती करी थी और पीछे केवल अपनेसेही पीछेपीछे किन्तु अपने पृष्ठवर्ती शत्रुसे ही नामसंज्ञा बदली है-यथा-अपनेसे पीछेवाला जो चक्रके हिसाबसे शत्रु गिना जाता उसीको (पार्ष्णिग्राह) कहते हैं परन्तु पार्ष्णिग्राह कोईछोटा मोटा नहीं होसका अर्थात्-

विजिगीषुका पृष्ठवर्तीर्भाहो और देशादिकोंका आक्रमणभी आचरताहो तो अपना पार्ष्णिग्राह कहतावै-यहां पर विजिगीषुका या अपना कहना दोनों एकीवातहै १ पुनि उम्मे पिञ्जला जो चक्रके हिसाबसे मित्र कहलाता उसीको (आक्रंद) कहतेहैं परन्तु आक्रंदभी वही कहलासक्ता कि जो पार्ष्णिग्राहका नियामक बनसके अर्थात् पार्ष्णिग्राह जो कुछ देशादिकोंका आक्रमण आदि आचरताहो तिसके आचरणोंका नियंताहो किंतु चाहै करतेहुयेको रोकदेवै चाहै अपनी प्रेरणासेकरवावै या चाहै उसके आचरणोंमें नियमबांधै कि इन्प्रकारसे करो पर इन्से न्यूनाधिक या हमारी इच्छासे विपरीत नही सो यह राजा उस विजिगीषुका अर्थात् अपनाही आक्रंद कहलाताहै २ इस आक्रंदसेभी पृष्ठवर्ती राजा (पार्ष्णिग्राहासार) कहलाता ३ पुनि इस्सेभी पृष्ठवर्ती राजा (आक्रंदासार) कहलाताहै ४-आठ यह राखा प्रकृती और चार पहली मूल प्रकृतीमिलाकर बारह राजमंडलोंका राजमंडल हुआ परन्तु पूर्वोक्त पद्माकार चक्रकी अपेक्षा इसमें कुछ अन्तरहै क्योंकि यहांपर वामे दाहनेका चर्चा नही किन्तु केवल आगे पीछेका हिसाबहै तिसका हेतु इसी अधिकोक्तिके प्रारंभमें लिखचुकेहैं समझलो अर्थात् किसी भूमिमें वहीडौल मुख्यहोसक्ता और किसी भूमिभागमें यहडौल ठीक होसक्ताहै इसलिये दोनों महर्षियोंका सिद्धान्त एकहै कुछ सन्देह का अवसर नहीं-इस अद्योक्त राजमंडलमें यद्यपि केवल आगे पीछेकाही चर्चा कियाहै तथापि इसमें इनआठसे पहले जो चार प्रकृती मूलरूप कहीथीं उनमें वामे दाहनेकीभी संभवता पाई जातीहै क्योंकि उनमें किसी ओरका निर्विकल्प नियमनहींहै-परन्तु यह भी यादरखो कि बारह राजोंका मंडल कहना यह शास्त्रवक्ताने नीतिज्ञोंकेलिये एक निदर्शन मात्रलिखाहै किंतु यही मंडल कहीं दश या आठ नौ इत्यादि न्यूनसंख्यासे होसक्ताहै और कहीं अधिक संख्यामें चौदह पन्द्रह अठारहसेभी होसक्ताहै अर्थात् जहां जैसा भूमिभागोंका डौलहो या समयके अनुकूल जैसे राजाहों या जैसी उनमें परस्पर संमति या विरुद्धहो या जिसकालमें जैसा सार्वदेशी सम्राटहो इनसारीबातों के आधीन जहां जैसीसंभवताहो उसीके अनुकूल राजमंडलभी नीतिज्ञोंको चिंतनीय हैं पर सर्वत्र या सर्वथा या सब कालोंमें निर्विकल्प नियम कोई साभी नहीं रहसक्ता (भेद ३) अब इस द्वादश राजमण्डलकी (द्रव्यप्रकृती) कहतेहैं अर्थात् प्रत्येक राज्यमें एक तौ (अमात्य) नाम देशदीवान् और अनेकमंत्री १ (राष्ट्र) कहिये देश २ (दुर्ग) किला ३ (अर्थ) कोष ४ (दंड) अर्थात् शस्त्रोंसहित चतुरंगिणी सेनाकावल और सर्वसेनापति ५ यह पांचवस्तु सभी राज्योंमें होतीहैं येही पांचद्रव्य प्रकृती कहलातीहैं इसहिसाबसे बारह राज्योंकी साठिप्रकृती द्रव्यरूपहुई और वे बारह राजाभी मूलप्रकृतिरूपसे बारह प्रकृती समझेगये तिनमें साठिवेभी जोड़कर कुल ७२ प्रकृतीहुई-सो यह

मनुजीने कहाहै-यथा(अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदंडारूपाःपंचचापराः । प्रत्येकंकथिताहोताः संक्षेपेणद्विसप्ततिः)अर्थ इसका ऊपरहोचुका-इस बहत्तरि प्रकृतिरूप राजमंडलको अपने हानिलाभ या शुभाशुभके हेतुसे सामआदि उपायोंसे राजासदाही निजप्रधानों साथ एकांतमें बिचार करतारहे-जैसा ३११ के उत्तरार्द्धमें कहाथा कि (तैःसार्द्धंचित येद्राज्यंविप्रेणाथततःस्वयम् ) बहत्तरिप्रकृतीं कहनेका यहसिद्धांतहै कि अपनी और बिरानीभी ७२ प्रकृतियों का न्यूनाधिक भाव और अनुरक्तभाव या विरक्तभाव या अन्योन्योंका संहत वा मैत्रीभाव या अरिभाव आदि नानालक्षणसे बिचारै कि किस राजाकी प्रकृतीं मुझसे प्रबल या निर्बल या किससे किसको किसभांतिकी सहायता वा किसको किसकी उपेक्षा वा अनुराग आदि यह सारिबाँतें भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालकी अपेक्षासंयोगसे बिचारै-इसीलिये अबनीचे के श्लोकसे सामआदि उपायों को कहतेहैं ३४४ ॥

उपायाःसामदानंचभेदोदंडस्तथैवच । सम्यक्प्रयुक्ताःसिद्धयेयुर्दंडस्त्वगतिकागतिः ३४५ ॥

ऐ०—(उपायाः) यह चार उपाय कहेहैं एक तौ (साम) प्रियभाषण आदि उपायसे कामचलाना १ (दान) सुवर्णादिरत्नों वा भूमिभाग आदि देकर काम चलाना २ (भेद) अर्थात् शत्रुके सामंत आदि अधिकारियोंमें किसीयुक्तिसे फूटकरवाकर अपनाकाम निकालना ३ (दंड) अपकार जो धनहरणसे आदिलेकर बधपर्यंत ४ यह चार उपाय शत्रुआदिको बशकरनेके प्रकारहैं सो यह चारौ (सम्यक्प्रयुक्ताःसिद्धयेयुः) अर्थात् देश काल वस्तुआदिके अनुकूल सम्यक् विधिसे लगायेहुये सिद्धहोते अपना फलदेतेहैं पर इनमें (दंड) जोहै सो (अगतिकागतिः) प्रसिद्धहै इसलिये जबतक उनतीन उपायोंसे काम चलसक्ताहो तबतक दंड नहीं लगावै किंतु दंडसंबंधी आचरणका बर्तावा लाचारी अवस्थामें कियाजाताहै-तथापि-जहां २ दंडकी योग्यताहुआ करतीहै सो नीचे अधिकोक्तिमें कहतेहैं ३४५ ॥

अधि०—पहले त्रयोदश राजमंडलमें तीनप्रकारके शत्रुजो कहेथे वेही सबशत्रुचार २प्रकारके होतेहैं एक तौ यातव्य १ उच्छेत्तव्य २ पीडनीय ३ कर्शनीय ४(यातव्य)उस परगमन करने योग्य सोऐसा कौनहोताहै अनन्तर भूपति जो अपना प्राकृत शत्रु गिनाजाताथा और वही किसीहेतुसे कृत्रिम शत्रुभीहोजाय तब उसदशामें यातव्य है और तभी दंडकी अपेक्षाहोगी फिरचाहै वहीअनन्तर भूपअपने सहज शत्रुओंमें भी गिनतीहो या न हो तौ इसबातपर कुछतर्कणा नहींहै १ (उच्छेत्तव्य) अर्थात् नाश करने योग्य कौनसा कि जोअपना कोईप्रकारका शत्रुहोने परभी व्यसनीहो किंतुउक्त अठारह व्यसनोंमेंसे अनेक व्यसनोंसे संयुक्तहो और हीनबलभीहो और उसकी पूर्वोक्त प्रकृतींभी उस्से विरक्तहों किंतु उस्से नाराज या उसमें श्रद्धा नहीं करतीहों या

विदुर्गहो या मित्रहीनहो या दुर्बलहो तो इन्मेंभी दंडकी अपेक्षाहोगी २ (पीडनीय) अर्थात् केवल पीडादेन योग्य कौनसा कि जो अपना निःसंदेह शत्रु होनेपरभी मंत्र बलसे हीनहो या मित्रबल से हीनहो ३ (कर्शनीय) अर्थात् कृश दुर्बल कर देने योग्य कौनसा कि अपना शत्रुहोनेपरभी प्रबल मित्रकेवलमे संयुक्तहोनेसे बलवानहो किंतु इसमें कुछदंडकी अपेक्षा तो नहीं परभेद उनमें फूटकरवानेके उपायोंसे निर्वलकर देना यह तात्पर्यहै यद्वा थोड़ाबहुत उसकेकोश और दंडआदिका अपकर्षण किसीयुक्तिसे कर लेना तौभी निर्वलता संभवितहै-तद्यथा (निर्मूलनाशमुच्छेदं पीडनं बलनिग्रहम् । कर्शनंतु पुनः प्राहुः कोशदंडापकर्षणात् ) शत्रु तो चार प्रकारके कहे परमित्रभी दो प्रकार के होते हैं यथा एकतो बृहणीय १ कर्शनीय २ (बृहणीय) अर्थात् पुष्टबलवान् कर देने योग्य कौनसा कि जो अपने पूर्वोक्तनीतिप्रकारके मित्रोंमें होनेपरभी यथार्थ मैत्रीभाव रखताहो परन्तु कोश और बलसे हीनहो तो उसकोकोश और बलसे बृहणकर देना चाहिये क्योंकि उससे कभी सहायता मिलेगी १ (कर्शनीय) अर्थात् अपने पूर्वोक्तमित्रों में होनेपरभी कोश और बलकी आधिक्यता उसमें विशेषहो तो किसीप्रकारसे कम करवा देनी चाहिये क्योंकि न जानै कोईसमय वही अपना शत्रुहो जाय या अपनेशत्रुओंका सहायक होजाय २-साम दान दंड भेद यहचार उपाय जो शत्रु और मित्रोंकी अपेक्षासे कहेगये सो केवल इन्हींदोनोंके वशकरनेमें नहीं किंतु छोटेमोटे सभीकामों के प्रबंधमें राजा इनका (योगविचार) देशकाल वस्तुके अनुकूलकरै तथैव राजाके निदर्शनसे औरभी सारालोक अपने साधारण व्यवहारोंकी अपेक्षामें उनकामोंके अनुकूलयोग सोचै-(दृष्टान्त) यथा (अधीष्वपुत्रकाधीष्वदास्यामितवमोदकान् । यद्वान्यस्मै प्रदास्यामि कर्णमुत्पाटयामिते) अर्थात् जैसे पुत्रकी शिक्षामध्ये (पढ़ावेटापढ़ावे) इत्यादि प्रियभाषण (साम) उपाय जब इसमें नहीं पढ़े तब (बेटा तुम्हें लड्डू देंगे) यह कहकर कुछलड्डूआदि देनाभी जिसके लालचसे वहपढ़े सो यह (दान) उपाय जब इसमेंभी न पढ़े तब (यह लड्डू अब दूसरेको देंगे) यह कहकर उसके देखतेहुये उनको दे देना कि जो पढ़तेहों सो यह (भेद) उपाय कहलाया यद्यपि इसमें देना कहा गया परन्तु यह उपाय औरोंको देनेसे दानमें गिनती नहींरहा किंतु इसमें दानरूपसे भेदकर दिखलायाहै क्योंकि भेदशब्दका अर्थ केवल फूटकरवानाही नहीं किंतु भेदके अनन्त लक्षण होते हैं जब इसप्रकारसे भी नहीं पढ़े तब (तेरोकान उखेड़ डालूंगा) इत्यादि असंख्यलक्षण दंडके प्रसिद्धहैं-परन्तु इस दंडरूपी उपायमें राजाको बड़े २ विचार आवश्यक हैं अर्थात् दंडनीयोंके साथमें अदंड्योंको दंड देना निषेधहै-तथा चमनुः (यथोद्धरति निर्दाता कक्षंधान्यं चरक्षति । तथारक्षेत्रूपोराष्ट्रं हन्याच्च परिपंथिनः) अर्थात्-जैसे खेतमें (निर्दाता) कहिये कटेहुये अन्नोंकी लावनी आदि करनेवाला एक साथही पैदाहुये अन्न और

तृणादिक दोनोंमेंसे (कक्ष) नाम तृणोंको दूरकरता जाता और अन्नको रखलेताहै तै-  
सेही राजाभी राजकी रक्षाकरै और अपने परिपंथियोंको मारबहावै-अर्थात् दुष्टोंको  
दंडदेनेमें उनके सहजातभाई भतीजे आदिकुटुंब जोअदुष्टहों तिनको नहींमारै किंतु  
उनसुजनों सहित राजको बनारखै वरन उसराज्यको उन्हींके आधीनकरिकै उनकी  
और उसराज्यकीभी रक्षा आपकरै परनिपट उसराज्यका नाम चिह्ननहींमेटे तब तौ  
उसकी शोभा और प्रशंसा और धर्म और बड़प्पन येबनेरहें अन्यथा इनसे विपरीत  
करनेमें यहसारी बातें विपरीत होंगी क्योंकि जो उनको राज्य सहितबनारखकर अ-  
पने आधीन रखेगा तब तौ उनराजाओंका पूज्य और उनके मस्तकपर विराजमान  
उनसे बड़ा कहलावेगा और जब उनका नाम निशानभी मेटदिया तब क्या केवल  
हालीलोगोंसे बड़ाबनकर उसका बड़प्पन गिनतीमें आसक्ताहै-इसके सिवायबड़प्पन  
मिलना तौ एक ओर पर उसअधर्मरूपदशामें राजाका नाशभी होजाताहै सोभी  
मनुजीने कहाहै-यथा (मोहाद्राजास्वराष्ट्र्यःकर्षयत्यनवेक्षया । सोचिराद्भूयतेराज्या  
ज्जीविताच्चसबांधवः) अर्थात्-जो कोई राजा अपने पूर्व राज्यको या किसी राजको  
विजयकरिकै अपना करिपावै तिसको भलेबुरेके अविवेकरूप अनवेक्षासे सबको एक-  
सी पीड़ादेताहै अर्थात् शास्त्रीय धनग्रहण और मारणआदि कष्टोंसे एकसाँसभीको  
दुःखदेताहै वहशीघ्र थोड़े कालमें जनपदवैराख्य प्रकृतिकोप अधर्मोंकरके बाधवोंपु-  
त्रादिकों सहित राज्यसेभी भ्रष्टहोजाता और जीवनसेभी नष्टहोजाताहै-इसलियेदंड  
संबंधी उपायमें अत्यंत सावधानी उचित है ३४५ ॥

अब राजनीतिके षड्गुण कहतेहैं ॥

संधिचविग्रहंचैवयानमासनसंश्रयौ । द्वैधीभावंगुणानेतान्यथावत्परिकल्पयेत् ३४६ ॥

ऐ०--संधि१विग्रह२यान३ आसन४ संश्रय५ द्वैध-या-द्वैधीभाव६-(एतान्पड्गुणान्)  
इतनेछः गुणोंको (यथावत्) जैसे चाहिये तैसेही अन्य शास्त्रोक्त विधिके अनुकूल (परि-  
कल्पयेत्) बर्तावाकरै-अर्थात् जहां परजिस किसीगुणसे कामचल सकाहो तहांउसीको  
आचरै या जहां दोतीन आदिकईकी आवश्यकताहो तहां कईको आचरै (अथवा)कि-  
सीसे संधि और किसीसे विग्रह इत्यादि क्रमसे जहां जैसा संभवहो सो तौ नीचे अ-  
धिकोक्तिमें समझना ॥ परइनके लक्षणपहले इसीमें समझौ कि-(संधि) उसकर्मको क-  
हतेहैं जो परस्पर किसीप्रकारकी व्यवस्था निश्चयकरिकै अहदनामा लिखलेते चाहे  
सदैवकेलिये चाहे किसी अवधिकेलिये चाहेकिसी प्रतिज्ञाके अनुकूल या कुछदाना-  
दि व्यवस्थासे मिलाप करलेना सो इस१ संधिकेभी नीतिग्रंथोंमें सोलहलक्षण पर्यंत  
प्रसिद्धहैं१-(विग्रह) लड़ाई अपकार वैरयह प्रसिद्धहै२ (यान) यात्राको कहतेहैं कि जो  
किसीपर चढ़ाईकरी जातीहै३ (आसन) बैठरहना अर्थात् कोई अपनेसे विरुद्धभी कर



ताहो पर अपना अवसर न देखकर उपेक्षापूर्वक चुपके होरहना ४ (संश्रय) उस कर्म को कहते हैं कि जो किसी बलवानका आश्रय गहारा लेलेते हैं कि वह अपनी रक्षा करसके ५ (द्वैधीभाव) उस कर्मको कहते हैं कि जो अपने सेना बलको दोठौर स्थापन करना किसी रक्षा सम्बन्धी स्वार्थ सिद्धिके हेतुमे होता है ६-ये छहूगुण प्रत्येक दो २ प्रकारके होते हैं-तथाचमनुः-(समानयानकर्माच्चविपरीतमतथैवच । तदात्वायतिसंयुक्तःसंधिर्ज्ञयोहिलक्षणः)-अर्थात्-जहां तात्कालिक या उत्तरकालिकफल सिद्धिके लिये किसी अन्य राजाको साथ लेकर किसीपर चढ़ाई आदि कर्म किया जाता तहां तो (समानयानकर्मा) संधि कहलाताहै १ तैसेही जहां कहीं तात्कालिक या उत्तरकालिक फल सिद्धिके लिये इस प्रकार विपसरूपसे चढ़ाई आदि करीजाती है कि उस द्वितीय नृपतिसे कहाकि तुम यहां जावो हम यहां जावेंगे तहां (असमानयानकर्मा) संधि कहलाता २ यह दो लक्षणवाली संधि मनुजीने कही पुनि इन्ही दोमेंसे वह सोलह भेद भी उत्पन्न होजाते हैं कि जो विस्तार सहित नीति ग्रंथोंमें कहे अर्थात् युद्ध और जय पराजयके पश्चात् अथवा पहलेही दानादि कर्मोंसे जैसी संधि करीजाती है तैसाही उस कर्मभेद या प्रतिज्ञा भेदसे उसका नामभी प्रसिद्ध किया जाता है (दृष्टान्त) यथा दारिकादान आदिसे करीहुई संधिको सन्तान संधिनाम-या द्रव्यादि भेंट देकर जन्म हो तो उपहार संधिनाम इत्यादि षोडश नाम संज्ञा होजाती हैं १ (अथद्विविधोऽस्ति स्वयंकृतश्चकार्यार्थमकालेकालएववा । मित्रस्यचैवापकृतेद्विविधोविग्रहः) अर्थात्-एक तौ (स्वयंकृतविग्रह) वह कहाता जो ठेठ अपनेकार्यकी सिद्धि ।

अपनी कुछ हानि होतीहो अर्थात् किसी शत्रुने कुछ उपद्रव आदि किसी भूमिभाग में तत्काल खड़ा कियाहो तिसके हेतुसे या तौ आप शक्तिमानहो तौ एकाकीही अपनी सेना साथ यात्राकरै सो यह एकप्रकार १ अथवा आप निर्बलहो तौ मित्रकोभी उसकी सेना सहित लेकर यात्राकरै सो यह दूसरा प्रकार २ (अथद्विविधमासनं-क्षीणस्यचैव क्रमशोदैवात्पूर्वकृतेनवा । मित्रस्यचानुरोधेनद्विविधंस्मृतमासनम् ) अर्थात् (आसन) उपेक्षाचुपका हो रहना दो प्रकारका ऐसे होताहै कि एकतौ जो कोई अपने (दैवात्) किन्तु पूर्वजन्मार्जित प्रारब्धरूप दैवसे अथवा (पूर्वकृतेन) किन्तु इसी जन्मसे पूर्वकाल में संचित किये दुष्कर्मके प्रभावसे धन बाहन कोश आदि से क्षीण हीन होगया हो तिसका लाचारीसे चुपका होजाना १ और दूसरा (मित्रस्यच-अनुरोधेन) अर्थात् उसका कि जो मित्रके अनुरोध कहिये रोकनेसे चुपकाहो किन्तु शुभचिन्तकतासे आगा पीछा सोचकर मित्र जिसको निषेध करै तिसका २ (अथद्विविधद्वैधं-बलस्यस्वामिनश्चैव स्थितिःकार्यार्थसिद्धये । द्विविधंकीर्त्यतेद्वैधंषाड्गुण्यगुणवेदिभिः) अर्थात्-प्रथम तौ (द्वैध) कहते हैं सेनाको द्विधाकर देना सो यहभी दो प्रकारका द्विधा करना उन लोगों ने कहाहै कि जो (षाड्गुण्यगुणवेदी) किन्तु संधि आदि छःप्रकारके नीति गुण जानने वालेहुये-सो इसमें दोप्रकार क्याहैं कि एक तौ बलकी द्विधा स्थिति और दूसरे स्वामी कीभी द्विधा स्थिति अपने कार्यरूप अर्थ सिद्धिके लिये-अर्थात् एक तौ जहां कहीं सेनापति सहित बलकी तैनाथी संयुक्ति हुईहो तहां किसी प्रयोजनके निमित्तसे द्विधा करना १ दूसरे किसी आवश्यक रक्षासम्बन्धी हेतुसे कभी (स्वामी)के उपलक्षणसे ठेठ राजधानी वा दुर्गसम्बन्धी सेनाका द्विधा करदेना २ यह मनुजीने कहा-परन्तु द्विधा करदेना यह एक निदर्शनमात्र कहाहै किन्तु इसी द्विधाके उपलक्षणसे स्वामीको या सेनापतिको अखितयारहै कि वह जहां जैसी आवश्यकता देखै तैसाकरै किन्तु द्विधा नहीं त्रिधा चतुर्धा पंचधा करदेना भी द्वैधीभाव कहलावेगा यह सिद्धांतहै-इसके सिवाय केवल द्विधा करदेनेकोही द्वैधीभाव नहीं कहते किन्तु द्वैधीभावके और भी अनेक अर्थ सिद्धांतरूप नीतिशास्त्रों में कहे हैं तिनमें एक तौ यह सिद्धांतहै कि दो तरफ से दो शत्रुओंका खटकाहो और निज शक्ति उन दोके तुल्य नहीं देखै तौ उनमें एक से संधि करिकै मित्र बनावै दूसरेसे विग्रह करै तौ इस कर्मका भी नाम द्वैधीभाव गुण कहेंगे क्योंकि उसने द्विधा वत्तावा किया-एक सिद्धांत यहभी है कि बलवान् दोशत्रुओं से एकसाथ युद्ध विरुद्ध कुछ करनापरै तौ पूर्वापर विचारिके बाणीसे तौ अपने आत्मा को उनके अर्पण करै कि हम तुम्हारे हैं क्षमाकरौ इत्यादि पर हृदय करके द्वैधीभावसे बर्ते सो उस प्रकार अलक्षित भाव से कि जैसे कौआके नेत्र कोई नहीं लखपाता इत्यादि और भी नानाभेद इस द्वैधीभावकेहोतेहैं( यथा )-बलिनोर्द्विषतोर्मध्येवाचात्मानं

समर्पयेत् । द्वेषीभावेन वर्तते न काकाधिवदत्तधितः ) (अथद्विविधसंश्रयः-अर्थसंपादनार्थं च पीडयमानस्य शत्रुभिः साधुपुण्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ) अर्थात् (संश्रयः) किसी का आश्रय लेना सो यह भी दो प्रकारका होता है एक तो शत्रुओंकरके पीड़ित किये का अपन (अर्थसंपादन) के अर्थ कहिये उन्हीं शत्रुओंकी दीहुई पीड़ा निवृत्तिके लिये किसीकी शरणमें जाघुमना १ दूसरा संश्रय वह कि शत्रुकी पीड़ा वर्तमानमें नहींपर होनेवाली पीड़ा की शंका से किसी का अवलंबमात्र लेना क्योंकि (साधुपुण्यपदेशार्थं) अर्थात् अच्छे भलोंमें कि जब तक पीड़ा का प्रारम्भ न होने पाया तबतक सर्वत्रसर्व जनों पर यह व्यपदेश व्याजमात्र किन्तु चर्चा का वहानामात्र प्रकट होजानेके लिये कि वह नृपति असुक अतिवलयान् गजाके आश्रय होगया जिस्से कोई पीड़ा देनेका विचारही फिर न करसके ३४६ ॥

अब अगले श्लोकमें यात्राके उद्देश पूर्व इन दूहूगुणके भिन्न २ वर्तावामध्ये काल वर्णन करते हैं ॥

यदासस्यगुणोपेतंपरराष्ट्रंतदाव्रजेत् । परश्चहीनमात्माचदृष्टवाहनपूरुषः ३४७ ॥

ऐ०-जो निजशत्रुपर चढ़ाईकरने की आवश्यकता हो तो जब उसका देश(सस्य) नाम धान्यादि सर्ववस्तु से संपन्न फलाफूला और गुणोंसे भी उपेतहो किन्तु समान जल ईंधन तृण घासफूस आदिसे संपन्नहो तब यात्राकरै सो यह ऐसा बानकबहुधा शरदकाल में होताहै इसीलिये मनुजीने मार्गशीर्षआदि मास युद्धयात्राको गुणकारी कहे और लोकमें भी विदित हैं क्योंकि उनमासोंमें युद्धकारियों को बहुधा आतप आदिसे पीड़ा नहींहोती परन्तु केवल कालसेही कुछ सिद्धि नहीं किन्तु(परश्चहीन) अर्थात् वह अपना शत्रुभी बलादिकोंसे हीनहो और आप अपने वाहन और पुरुषोंसे भी हृष्टहो किन्तु अपने हाथी घोड़ा आदि और सेनाभी हृष्टपुष्टहो तब यात्राकरै ३४७ ॥

अधि०-पूर्वोक्त षट्गुणोंके वर्तावामध्ये जो २ काल उनके मनुजीने कहे हैं सो इस प्रसंगमें यथा क्रमसे दर्शाते हैं (तत्रादौ-यथासंधिः-यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यंध्रुवमात्मनः । तदात्वेचाल्लिपिकांपीडांतदासंधिसमाश्रयेत् ) अर्थात्-जहां कहीं युद्धकरना परा हो और कदाचित् उसकी(आयत्यां)आयतीमें किन्तु युद्धके पीछे उत्तरकालमें(आत्मनःआधिक्यंध्रुवं-अवगच्छेत्) किन्तु अपनी जयरूप अधिकता निश्चयजानै(तदात्कालही) थोड़ा भी अपना धनादिक जो हानि हुआहो सोलेना अंगीकार करिके संधिके आश्रय होजाय किन्तु अरिसेमिलापकरलेवै-क्योंकि(तदात्वेचाल्लिपिकांपीडां) अर्थात् उसकालमें तो थोड़ीही पीड़ा या हानिको पहुँचाहै और इसमें अपनी बात रहती है न जानिये अबके युद्धमें क्याहो १ (अथविग्रहकालः-यदाप्रकृष्टामन्येतसर्वास्तुप्रकृतीर्भृशम् । च्छ्रूतंतथात्मानंतदाकुर्वीतविग्रहम् ) अर्थात्-जब किसीसे अपना

उसदशामें निपट जब अपनी पूर्वोक्त द्रव्य प्रकृतीं अमात्य आदि सभी को (प्रकृष्ट) कहिये दान मानादि सत्कारोंसे संतुष्ट हुई अपनेमें श्रद्धावान् मानै तथा निजआत्मा कोभी (अत्युच्छ्रित) कहिये अतिसमृद्ध जानै तौ विग्रहकरै अन्यथानहीं २ (अथयानकालः- यदामन्येतभावेनहृष्टंपुष्टंबलंस्वकम् । परस्यविपरीतंचतदायायाद्रिपुंप्रति ) अर्थात्- जब तबसे अपने अमात्य और सेनारूप बल (हृष्ट) हर्षयुक्त और (पुष्ट) धनादि संपत्ति से बलवान् जानै और शत्रुकाबल विपरीतनाम दुर्बल समझै तब उसरिपुपर यान कहिये यात्रा करै अन्यथा नहीं ३ (अथआसनकालः-यदातुस्यात्परिक्षीणोवाहनेनबलेनच । तदाऽऽसीत्त्रयत्नेनशनकैःसांत्वयन्नरीन्)-अर्थात्-जब कदाचित् आप हाथी घोड़े आदि वाहन और बल सेना और अमात्यादिक प्रकृतींभी इनसेपरिक्षीणदुर्बल हो तदा(प्रयत्नेनआसीत्)अर्थात् उसदशामें बड़े यतनकेसाथ अपनी रक्षापूर्वक आसन मार चुपकाहो बैठा रहे तथापि(अरीन्शनकैःसांत्वयन्)शत्रुओं को धीरे २ ठंढाकरता हुआ बैठारहे किंतु किसीको सामरूपी प्रियभाषण आदि उपायसेही ठंढाकरै किसीको(उपदान)से किंतु घूस पच्चड़ आदि उपहारोंसे और किसीको(प्रदान)से अर्थात् पूर्वोक्तउपायोंसे भी न बनिआवे तौ किसी भूमिभाग आदि रत्नके देडालनेसे ठंढाकरता हुआ बैठारहै क्योंकि इसीमें सबकल्याण हैं ४ (अथद्वैधीभावकालः-मन्येतारियदाराजा सर्वथाबलवत्तरम् । तदाद्विधाबलंकृत्वासाधयेत्कार्यमात्मनः) अर्थात् जबराजा अपने अरिको सबतरहसे बलवान्तर समझै किंतु पूर्वोक्त साम उपदान प्रदान इनसे भी वशमें नहीं आसकता हो तबलाचार निजसेना बलके द्विधा विभाग करिकै अपना कार्य साधनकरै अर्थात् कुछेक बलसे तौ आप अपने दुर्गमें रक्षासहित बैठारहै किंतु युद्धभूमिमें न जावै आप और कुछेकबलसे सेनापति द्वारा उनशत्रुओंसे युद्धको आचरै जो इसपर उद्यत हुयेहों यद्वा युद्धकी संभवता वर्तमान तौ नहीं परतीव्र शंका उसकी संभवहो तौ सीमाकी रखवाली आदि आधेबलसे करताहुआ-और आधेबल से दुर्गमें बैठाहुआ आप मित्रादिकों का संग्रहरूप अपनाकार्य साधन करै ५ (अथसंश्रयकालः-यदापरबलानांतुगमनीयतमोभवेत् । तदातुसंश्रयेत्क्षिप्रंधार्मिकंबलिनंनृपम्) अर्थात्-जब कदाचित् पूर्वोक्त रीतिसे द्विधाबल करनेपरभी निजरक्षा न होसक्ती हो किंतु अमात्यादि प्रकृतियों वा सेनापतियोंके उत्पन्न किये दोषकी बहुताइत से अपने आपको शत्रुओंके वशमें जाताहुआ समझै कि अब कोईभांतिसे रक्षा नहीं होसक्ती तब शीघ्र किसी अन्य राजाके पासजाकर उसकी शरणका आश्रय लेवै परन्तु ऐसे राजाका संश्रयकरै जो धार्मिक और निजशत्रुसे बलवान्भी हो क्योंकि उसमें इन बातोंविना वहांभी रक्षाहोनी कठिन है-इसलिये जो दैवाधीन ऐसाही मिलजाय तौ यह आचरण करना चाहिये सो कहते हैं ६ (यथा-निग्रहंप्रकृतीनांचकुर्याद्योरिवलस्य

च । उपसेवननित्यं सर्वयत्नैर्गुण्यथा ) अर्थात्-वह बलवान् और धार्मिक राजा जो इसके उन प्रकृतियों का भी निग्रह करे किन्तु उन असात्यादिक और सेनापतियों को दंड देवे जिनके दोष करके यह गमनीयतम हुआ था और इसके रात्रुबलका भी निग्रह करे अथवा जिसके आश्रयभूत होनेसे यह आपही उनदोनोंका प्रतिकार करसकैतिस बलवान् राजा को यह नित्यं प्रति उन्मत्प्रकार से उपसेवन करे जैसे गुरुको निष्कपट होकर सेवन करते हैं-भलाजब ऐसा नही मिले और इसमें भी निर्वाह न होसकताहो तब क्याकरे सो कहते हैं कि-(यदि तत्रापि यं पश्येद्दोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत् )-अर्थात्-संश्रयभी अर्थात् कागति होता है किन्तु जिसका आश्रय लेनेवाये न जानिये वह कैसा मिले इसलिये जब वहां भी संश्रयसे उत्पन्न हुआ दोष कुछ विश्वास घात आदि भलीभांति देखे तब वहां भी निधड़क होकर फिर तीव्र युद्धको आचरे क्योंकि कहीं दुर्बल भी प्रबलको जीतलेता देखाहै अथवा यह नहीं तो मारे जाने में स्वर्गफल तो कहीं नही गया-इसलिये दवेहुये समयपर केवल युद्धके ही करनेमें भलाई होती है-तथा च नीतिः (यत्रायुद्धे ध्रुवं नाशो युद्धे जीवितसंशयः । तमेव कालं युद्धस्य प्रवदंति मनीषिणः ) अर्थात्-जहां दवेहुये समयपर युद्धके न करनेमें तो निश्चय नाश होताहो और युद्धके करनेमें दोनों संशय किन्तु चाहे दैव सीधा भी होजाय तब ऐसे कालको मनीषी लोग युद्धका ही समय बतलाते हैं ३४७ भला वह कामही ऐसा क्यों करना जिसे ये भ्रूगडे और विपत्तें आदि खडी हों किन्तु सारा संसार दैवके आधीन है उसीसे जीवोंके उदय और निपात भी होते हैं-अर्थात् जो कुछ दैवमें वदा होगा सो सब आपसे आप चाहे उदय यद्वा निपात निरसंदेह सिद्ध होगा-और जो दैवमें नहीं सो आयास करनेपर भी नहीं होसकता इससे उपायादिक आयास करनेही व्यर्थ हैं-किन्तु दैवपर होजाना उचित है सो नहीं इसीलिये अब नीचे कहते हैं ॥

दैवपुरुषकारे च कर्मसिद्धिर्व्यवस्थिता । तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरुषं पूर्वदेहिकम् ३४८ ॥

अक्ष०-कर्मकी सिद्धि दैवमें और पुरुषकारमें भी व्यवस्थापित हुई है तहां दैव प्रत्यक्ष पूर्वदेहिक पौरुष है ३४८ ॥

अभि०-यह बात जो कोई कहे कि साधनभूत कर्मोंकी फलसिद्धि केवल दैवके आधीन है सो नहीं किन्तु वह इष्टानिष्टफल सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनोंमें संस्थापित करी गई उस जगदीश करके क्योंकि (पुरुषकार) पुरुषार्थके विना वह दैवही नहीं होता फिर दैवमें फलसिद्धि क्योंकर होसकी है इसीलिये पिछले अद्धासे यह सिद्धांत प्रकट करते हैं कि यद्यपि दोनोंमें फलसिद्धि धरी गई पर तथापि उनमें जिसको दैव या प्रारब्ध कहते हों सो वह दैव भी पूर्वदेहिक पौरुष रूप (अभिव्यक्त) है अर्थात् पूर्वजन्मके देहसे भले बुरे जो २ कर्म पुरुषार्थरूप संचित किये थे वेही इसजन्मके प्रारब्धरूप होकर प्रकट हुये

इसीको दैव कहा करते हैं तो यथार्थसे पुरुषकारही उसदैवसेभी बड़ा ठहरा कि जिसके प्रभावसे इष्ट या अनिष्टरूप दैवकी उत्पत्तिहुई जिस्से सुख या दुःख पाया इसहेतुसे अवश्यभाव करके पुरुषकारमें यत्नादिक उपाय कर्त्तव्य हैं तिसपीछे दैवपर अवलम्ब लेना चाहिये कि इस पुरुषकारमें दैवके अनुकूल जो कुछ फल होना होगा सो होगा-इसलिये कि जो पूर्वदेहिक पुरुषार्थरूप दैवबलवान् होता है तबतौ इसदेहसे थोड़ाभी उपाय करनेपर तत्काल वही दैव महाफल सिद्धिरूप होकर उदय होजाता है तथापि सिद्धांत में उस थोड़ेसे उपायकी आवश्यकता बनीरही किन्तु निपट न करनेमें उदयकी संभवता नहींरही-अथवा-जहां दैव दुर्बल या पूर्वदेहिक दुष्कर्मोंके प्रभावसे दुर्दैव हुआ तौभी इसदेहके सुकर्मरूप यत्नोंसे यद्यपि थोड़े आयास पर महाफलका उदय नहीं होता परन्तु अति आयास और सुकर्मोंके प्रतापसे दुर्दैवत्वकी शांति होजाती है-अथवा-जहां यहभी नहीं किन्तु इस देहसे कियेहुये सुकर्म भी सर्वथा निष्फल देख परते तहां निस्संदेह वे सुकर्म संचित होकर अगले जन्मके प्रारब्धरूप दैव होजाते हैं-अर्थात् सर्वथा यही निश्चित है कि पुरुषार्थ सेही दैवबनता है फिर उसी पुरुषार्थ के प्रभावसे उन्नति और उदयको पहुँचता है इसलिये सुकर्मों के पुरुषार्थ मध्ये यत्न करनेकी उपेक्षा करनी अनुचित है ३४८ ॥

अब इसीमें कुछ औरभी मतान्तर दर्शाते हैं ॥

केचिद्दैवात्स्वभावाद्वाकालात्पुरुषकारतः । संयोगेकेचिदिच्छंतिफलंकुशलबुद्धयः ३४९ ॥

ए०-संसारमें कोई पुरुष तौ नीके नागा लक्षणवाले फलको दैवसेही इच्छा करते हैं कि जो कुछ दैव करे सोई ठीक है हमसे कुछ आयासमें उत्साह नहीं होता या कोई करौ तौ कुछ होभी नहींसक्ता-और कोई पुरुषभलेबुरे फलोंको स्वभावसे अपेक्षा करते हैं कि आपसे आप जो कुछ होनहारहोता है सो हो जाता है अर्थात् वे दैवको भी नहीं गिनते और न पुरुषार्थ आदि किसी को इसमें कारण कहते-कोई पुरुष कालके आधीन बतलाते हैं कि काल जो कुछ करता है सो होता है और किसीकेभी करने से कुछ नहीं होता-कोई केवल पुरुषकारसेही अर्थात् निज उपाय और पुरुषार्थके करने धरनेसे होजाय सोई ठीक है यह अभिमान करते हैं-और (केचित्कुशलबुद्धयः) किन्तु कोई अतिप्रवीण बुद्धिवाले मनु आदि महर्षिलोग (संयोगेफलंइच्छंति) अर्थात् दैव आदि जो २ पहले अक्षरमें कहेगये तिनसवों के संयोग से फल होता है यह कहते हैं किन्तु केवल किसी एक हेतुसे कुछ नहीं-इसीका दृष्टांत नीचे कहते हैं ३४९ ॥

यथाहयेकेनचक्रेणनरथरयगतिर्भवेत् । एवंपुरुषकारेणविनादैवंनासिद्धयति ३५० ॥

ए०-जैसे एक पहिया से रथकी गति नहीं होती ऐसेही पुरुष कारके विना दैव भी नहीं सिद्धहोता किन्तु जब दोनों ओर चक्रलगत हैं तब चलता है ३५० ॥



हिरण्यभूमिलाभेभ्यामित्रलब्धिर्वरायतः । अतोयतेतत्प्राप्त्यैरक्षेत्सत्यंसमाहितः ३५१ ॥

ऐ०—पराये राज्यमें लाभके हेतु से पहुँचेहुये को किसलाभपर अधिक दृष्टिकरनी चाहिये क्योंकि मुख्यलाभ तीनप्रकारके होतेहैं एकतौ धन१ पृथ्वी२ मित्र३ इसलिये कहते हैं कि-हिरण्य १ और भूमि २ इन दो लाभों की अपेक्षा मित्रलब्धि जिस हेतु से श्रेष्ठ कहलाती है इसीसे उस मित्रकी प्राप्तिमें यत्न करै पूर्वोक्त सामादिक उपायोंसे और समाहितहुआ सावधानी से अपने सत्यवचनकीभी रक्षाकरै किंतु जो कुछ वचन प्रतिज्ञारूपदिया हो संधिके हेतुसे तिसको पीछे मेटै नहीं क्योंकि मित्रलब्धिके विषय में सत्यता मूलमंत्र है अर्थात् अपनी सत्यसे विचलैगा तो मित्रभी फिर उसका शत्रु होजायगा और न जानै पीछे कितने शत्रुहोजायँ इस अधर्मसे ३५१ ॥

भला मित्रऐसी क्या वस्तुहै जिसके लिये इतना बड़ा आगा पीछा वर्णन किया सो कहतेहैं नीचेकेश्लोकसेकि मित्रविनाराज्यके सातअंगपूरेनहीं होसकेयहसिद्धांतहै ॥

स्वाम्यमात्याजनोदुर्गकोशोदण्डस्तयैवच । मित्राण्येताःप्रकृतयोराज्यंसप्तांगमुच्यते ३५२ ॥

ऐ०—एक तौ (स्वामी) १ अर्थात् राजा आप और (अमात्याः) २ अर्थात् मंत्री और पुरोहित आदि (जनः) ३ अर्थात् चातुर्वर्ण्यादिसारे प्रजालोग जो राज्यके निवासी हों (दुर्ग) ४ किला गढ़ कोट आदि अपने राज्यभरेमें जितनेहों (कोश) ५ खजाने सबतरह के (दण्ड) ६ अर्थात् हाथी घोड़ा पैदल आदि सेना सब तरहकी (मित्राणि) ७ अर्थात् अनेक मित्र जितने होसकें और मिलसकें यह सात वस्तुराज्य की प्रकृतीं अर्थात् मूल कारण होतीहैं इन्हीं से सप्तांग राज्य पूरा कहलाता है ३५२ ॥

तदवाप्पनृपोदंडं दुर्वृत्तेषु निपातयेत् । धर्मोहिदंडरूपेण ब्रह्मणानिर्मितः पुरा ३५३ ॥

ऐ०—उस ऐसे राज्यको पाकर नृपति दुर्वृत्तोंमें दण्ड निपातकरै अर्थात् धूर्त, बंचक, शठ, परदार परद्रव्यापहारी परहिंसक आदि दुर्जनों को दण्डदेवै क्योंकि पहलेब्रह्माने (हि)जिसहेतुसे धर्म जोहै सोई दण्डरूप निर्मित कियाथा-किन्तु-अधर्मकी हानि और धर्म की प्रवृत्ति विना दण्डके नहीं होसकी ३५३ ॥

सनेतुं न्यायतो शक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता ३५४ ॥

ऐ०—वह दण्डभी (लुब्ध) कृपण प्रकृतिवाले से या (अकृतबुद्धि) चंचल बुद्धिवाले से न्याय पूर्व नहीं लगसका किञ्च जो (सत्यसंध) हो अर्थात् सत्यभावसे धर्मानुकूलप्रजा की रक्षामें तत्परहो और (शुचि) भी हो अर्थात् काम क्रोध लोभ मोहादिसे निर्मलहो और (सुसहाय) कहिये पूर्वोक्त सहायक जिसके श्रेष्ठहों और (धीमान) हो किंतु नय अनयके विचार में प्रवीणहो तबऐसे नृपतिसे वहदण्ड न्यायके अनुसार प्रयुक्तहोसकाहै

यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन् सदेवासुरमानवम् । जगदानंदयेत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत् ३५५ ॥

ऐ०—क्योंकि वह दण्ड यथायोग्य शास्त्र विधिके अनुसार लगाया हुआ देव असुर

मानव इन सबों करके सहित सारे जगत् को आनंद करता है अन्यथा शास्त्र से विपरीत प्रयुक्त कियाहुआ उसी जगत् को प्रकोपित करदेता है-फिर सारे जगत् के प्रकोपित होनेमें राजाका भी कल्याणकहां ३५५ ॥

केवल जगत् का प्रकोपही नहीं किंतु और भी सर्वथा हानि होती है ॥

अधर्मदण्डनस्वर्गकीर्तिलोकांश्चनाशयेत् । सम्यक्तुदण्डनंराज्ञःस्वर्गकीर्तिजयावहम् ३५६ ॥

ऐ०-क्योंकि अधर्मदण्डनाम अन्यायरूप दण्डकरना यहराजाके(स्वर्ग)नामऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्तिकोभी और (कीर्ति) नाम सुयश कोभी और (लोकान्)अर्थात् मनुष्यों और देशों तथा परलोकोंकोभी विनाश करदेताहै-और जो सम्यक् न्याय की रीति से शास्त्रोक्त दण्ड लोभादिक बर्जित करिके कियाजाता वही धर्मका हेतु निश्चयहोने से स्वर्ग कीर्ति जय इनका देने और वृद्धिकरनेवाला होजाता है ३५६ ॥

अपिभ्रातासुतोऽर्घ्योवाश्वशुरोमातुलोपिवा । नादंड्योनामराज्ञोस्तिधर्माद्विचलितःस्वकात् ३५७ ॥

ऐ०-(अपि)चाहे राजा का भ्राताहो या पुत्रहो अथवा (अर्घ्य) पूज्य हो या ससुराहो मामा आदि कोई हो जो अपने आत्मा सम्बन्धी धर्म मर्यादा से विचलित हों तौ ये भी सब दंड्य हैं फिर इनसे इतरोंकी का कथा-क्योंकि- राजाकोनिकट कोई ऐसानाम नहीं जिसकोकहे कि वह अदंड्य है अर्थात् जो कोई अपनी उचित मर्यादा से पगडिगावें वह कोई भी अदंड्य नहीं पर जैसा वह दोषहो या जैसादोषी मनुष्यहो उसी की योग्यता अनुकूल दण्ड योग्यहै ३५७ ॥

अधि०-स्मृत्यन्तरेतु(अदंड्योमातापितरौ स्नातकपरिव्राजकपुरोहितवानप्रस्थाःश्रु तशीलशौचाचारवंतस्तेहिधर्माधिकारिणः ) अर्थात्-अन्यशास्त्रोंमें यह कहाहै किएक तौ मातापिता यह दोनों सदाही अदंड्यहोते और इनके सिवाय स्नातक आदिचार येभीजो ऊपर मूलवाक्यमें गिनायेगये सो अदंड्यहोते उस दशामेंकि जो ज्ञानशौच आचारसे संपन्न हों क्योंकि ये इनवातोंसे संपन्नहुये धर्मके अधिकारीहोतेहैं-इसकथन से और ऊर्ध्वोक्त योगीश्वर के मूल वाक्य से यद्यपि प्रत्यक्षभावमें विरुद्धदेख परताहै तथापि दोनों का परस्पर सिद्धांत एक है कुछ अन्तर नहीं-क्योंकि योगीश्वरने पूज्यों को भी दंड्य कहा उनके उपलक्षण से मातापिताभी गिनतीमें आगये परंतु योगीश्वरने यह नहीं कहा कि पूज्यों कोभी वेहीदंड देने जो अन्यसाधारणोंको दियेजातेहैं किन्तु पूज्यों के देनेयोग्य दंडभी कुछ और प्रकारके होतेहैं दृष्टांत जैसे मातापिता से कुछ अयोग्यता हो तौ उनके लियेपरस दंड यहीहै कि उनसेमुख संभाषण आदिका त्याग करना ऐसेही अन्य पूज्योंसे साधारण अपराधमें मुख संभाषण आदिकात्याग यद्वा अपराध की अधिकतामें आजीवनकी न्यूनता यद्वापरम अपराधमें निज उन्हीं का परित्याग आदि-इसीप्रकार अधिकोक्ति के प्रारंभमें जिस वाक्यने मातापिता को

अदंड्य कहा उसनेभी यह नहीं कहा कि उनकी उपेक्षासात्रभी न करनी किंतुयथार्थ में अदंड्य कहा सो इसलिये कहा कि जो २ दंड औरोंको दियेजाते उनदंडोंके योग्य मानापिता नहींहैं पर उनके कियेहुये किसी अधर्मके अनुकूल उपेक्षा आदिके योग्य तो भी हैं ऐसेही-उन चारों कोभी समुभक्तना इसप्रकारसे दोनोंका सिद्धांत मिलकर मध्यम है-इसीलिये ३५३ श्लोकसे लेकर ३५६ पर्यंत कहचुकेहैं कि दण्ड देनेमें अत्यंत न्यायदृष्टिकी आवश्यकता है-क्योंकि अज्ञानी राजा विरली बातोंमें इसआग्रह से अनर्थरूप दण्डकरता है कि जो शास्त्रमें लिखाथा सो किया परंतु यथार्थमें उसलियेका आशय सिद्धांत कहीं दूर होनाहै इसलिये सबसे पहले दंड्य और अदंड्य काही निश्चय करना योग्य है ३५७ ॥

योदंडयान्दंड्येद्राजासम्यग्ग्रह्यान्वचयातयेत् । इष्टस्यात्क्रतुभिस्तनसमाप्तवरदक्षिणैः ३५८ ॥

ए०-जो राजा दंडनीयों को सम्यक् रीतिसे शास्त्र और विचार के अनुसार धि-दंड आदिदंडों से दण्ड देवैहै और वधयोग्यों को सम्यक् रीतिसे घातकरै है उस राजाने जानो बहुतसी दक्षिणा वाले यज्ञोंसे यजन किया ३५८ ॥

अधि०-दंडनीयों को दंड न देने और अदंड्यों को दण्ड देने में प्रायश्चित्तभी व-सिष्टजीने कहा है-यथा ( दंडोत्सर्गेराजैकरात्रमुपवसेत्त्रिरात्रंपुरोहितः कृच्छ्रमदंड्यदण्डनेपुरोहितस्त्रिरात्रंराजा)अर्थात्-दंडनीयों से दण्ड त्यागकरने किंतु न देनेमें राजा एक रात्रि उपवासरूप प्रायश्चित्तकरै पुरोहित तीनरात्रिकरै और कदाचित् अदंड्य कोही दण्ड दियाहोतौ राजा तीन रात्रि उपवासरूप प्रायश्चित्त और पुरोहित कृच्छ्र सांतपनव्रतकरै तब शुद्धहो परंतु यह प्रकार केवल अज्ञातभावमें होजानेपर कहा है किंतु जान बूझकर ऐसा करने में प्रायश्चित्तसेभी शुद्धि नहीं होती है ३५८ ॥

अब दंड्य और अदंड्य की परिज्ञान विधिकहते हैं ॥

इतिसंचित्यनृपतिःक्रतुतुल्यफलंपृथक् । व्यवहारान्स्वयंपश्येत्सभ्यैःपरिवृतोऽन्वहम् ३५९ ॥

ए०-(इति) यही ऊपर कहाहुआ यज्ञ फल जो दुष्टोंके दण्ड देनेमें होताहै तिसको और अदंड्यों को दण्ड देनेमें जो सर्वस्व नाश होना कहा तिसकोभी राजा सम्यक् रीतिसे चिंतन करिकै कि मुझको केवलफलकी प्राप्तिहो पर दोष नहीं लगनेपावै इससे दुष्ट और अदुष्टोंकेपरिज्ञानकेलिये राजा निज आप नित्यंप्रति (पृथक्) भिन्न वर्णादि क्रमसे(सभ्यैः)सभाजनों करके(परिवृत)संयुक्तहुआ उनकेसाथ व्यवहारोंको देखै भालै ये व्यवहार आगे व्यवहाराध्यायनाम द्वितीय खंड में सब कहेंगे और उसीके प्रारंभ में सभाजनोंकेभी लक्षण कहेंगे कि ऐसे २ होने चाहिये ३५९ ॥

कुलानिजातीःश्रेणीश्चगणान्जानपदानपि । स्वधर्मस्त्रिलितान्राजाविनीयस्थापयेत्पथि ३६० ॥

अक्ष०-स्वधर्म से चलित हुये कुलों को जातोंको श्रेणियों को गणोंको जानपदों

को (अपि) निःसंदेह राजा (विनीय) दण्डसे बश करिकै (पथिस्थापयेत्) उनके धर्म मार्ग में स्थापित करै ३६० ॥

अभि०—(कुलानि) अर्थात् ब्राह्मण आदि वर्णों के कुल कहिये परिकर (दृष्टांत) जैसे एक ब्राह्मणमें दशभेद या अनेकभेद ऐसेही क्षत्रिय और वैश्यमें भी तिन सबोंको भिन्न २ और (जातीः) अर्थात् मर्द्दावसिक्क आदि छोटीमोटी और भी अनेक जातोंको भिन्न २ और (श्रेणीः) अर्थात् वे जातें कि जो अपने २ जाती नामसे किसी नियत पेशेको करती चलीआती हैं जैसे तमोली, भरभुजा, नाई, बारी आदि अनेकोंको भिन्न २ और (गणान्) अर्थात् समूह उन मनुष्यों के कि जो एकही किसी काम को अनेक जातोंके लोग करते हैं और उसी कामके नामसे सब एकही गणमें गिनेजाते हैं (दृष्टांत) जैसे बजाज सराफ आदि अनेकों को और (जानपदान्) अर्थात् जनपदनाम राज भूमिमें उत्पन्न हुये (कारुक) नाम कारीगरलोग जैसे लुहार, बाढ़ई, सूपकार आदि अनेकोंको-कि जो २ अपनी उचित मर्यादासे बिचलें पगडिगावें तिनको राजा निश्चय दंडदेकर उनकी धर्म मर्यादामें स्थापित करै जो उचित से अनुचित नहीं करने पावें इससे यह भी निश्चित हुआ कि बहुधा खिच्चर जातें और अज्ञातजातें जो निज कपोल कल्पनाद्वारा अपने को शर्म वर्मादि पद प्रसिद्धि देते हैं तिनको देशकालका राजा अपने देशकाल में निषेध करनेका अधिकारी है और यही सिद्धांत ३४२ के भी श्लोकसे निर्णीत है ३६० ॥

अधि०—स्वधर्म से विचलित हुये दुर्वृत्तों को सर्वथा दंड देना कहा वह दंड भी दो प्रकार का होता है—तथाचनारदः (शारीरस्त्वर्थदण्डश्च दण्डस्तु द्विविधः स्मृतः । शारीरस्ताडनादिस्तु मरणांतः प्रकीर्तितः ॥ काकिन्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वांतस्तथैव च) अर्थात्—एकतौ शारीरदण्ड १ दूसरा अर्थ दण्ड २ यह दो प्रकार का दण्ड कहा है तिसमें शारीर दण्ड वह कहलाता जो ताड़न पीटन आदिलेकर मरणपर्यंत होता है क्योंकि वह शरीरसे ही सम्बन्ध रखता है और अर्थ दंड धन दंडको कहते हैं वह एक कौड़ी से लेकर सर्वस्व हरलेने पर्यंत जो कुछ हो क्योंकि वह केवल धनसे ही अपेक्षा रखता है—इन दो प्रकारोंमेंसे फिर अपराधके अनुसार अनेक प्रकार होजाते हैं—यथा (शारीरो दशधा प्रोक्तो ह्यर्थदंडस्त्वनेकधा) अर्थात्—शारीर दण्ड दश प्रकारका कहा है और धन दण्ड अनेकधा असंख्य लक्षणवाला होता है देश काल वस्तुके अनुसार सो सब लक्षण इन दोनोंके व्यवहारांग शास्त्र पढ़नेसे निश्चित होजाते हैं ३६० धनदंडको संज्ञा भेदसे कृष्णल माष सुवर्ण पल इत्यादि शब्दोंसे बोलते हैं इसलिये कि धनवाचक शब्दोंके पर्याय देश भेदसे जुदे २ होते हैं पर दंडके प्रयोजनमें एक रूपके अपराधमें भेद मतहो इससे उन शब्दोंको नियतरूप से दर्शाते हैं कि निज २ देशकी अपेक्षासे तुल्यता करके दंडका व्यवहार किया जावै ॥

जालमृर्धमरीचिस्थं त्रसरं पूरजः स्मृतम् । तेषौ लिक्षा तु तस्तिस्त्राराजसर्पप उच्यते ३६१ ॥

ए०—जाल भरोखेमं प्रवेश हुइं सूर्य किरणोंमें उड़ती हुई रजके परम छोटे विभाग जो चमकते हैं वेही (त्रसरणु) नामसे विख्यात हैं वेही त्रसरणु आठ मिलकर एक (लिक्षा) कहलाती है वे तीन ३ लिक्षा मिलकर एक (राजसर्पप) कही जाती है—लिक्षा लीखोंका नाम है जो बालोंमें पसीनेसे छोटी २ अंडेसे उत्पन्न होजाती हैं—और राजसर्पप यद्यपि गोरी या पीली सरसोंका नाम है पर इस वार्त्तामें राजसर्पप राईको कहते हैं ३६१ ॥

गौरस्तुतेत्रयः पट्टेयवो मध्यस्तुतेत्रयः । कृष्णलः पंचतेमापस्ते सुवर्णस्तुपोडशः ॥ पलं सुवर्णाश्चत्वारः पंचवापि प्रकीर्तितम् ३६२ ॥

ए०—वे पूर्वोक्त राजसर्पप तीन मिलानेसे एक (गौरसर्पप) किन्तु गोरी सरसों होती है यह सरसों सबकी सिद्धार्थरूप है क्योंकि इसीसे सब बांट आदि बनते हैं—छः सरसों का एक मध्यम (यव) कहाता है मध्यम इस्से कहा कि बहुत मोटा भी न हो बहुत पतला भी न हो उस जो पर छः सरसों चढ़ती हैं—तीन मध्यम यवोंका एक (कृष्णल) कहलाता है कृष्णला गुंजा घुंघुची चौंटली यह नाम इसके लोकमें प्रसिद्ध है बहुधा इसीको रक्कि-का भी कहते हैं—पांच कृष्णलोंका एक (माप) होता है माष यद्यपि उड़दका नाम है पर इस वार्त्तामें उससे कुछ अपेक्षा नहीं किन्तु मासेकी तौलसे अपेक्षा है पर लौकिक में जो आठ रत्तीका मासा प्रसिद्ध है उससे इसकी तुल्यता नहीं होसक्ती अर्थात् यह दंड सम्बन्धी व्यवहारका मासा जुदा है—ऐसे सोलह माषोंका एक (सुवर्ण) कहलाता है और यथार्थ में यह सब नाम तौलसे भी अपेक्षा रखते हैं जैसे ऊर्ध्वोक्त सोलह मासों भर तोली हुई वस्तु एक सुवर्ण भर कहलावै—चार सुवर्णोंका एक (पल) कहलाता है अथवा नारदादिकों ने पांच सुवर्ण का भी एक (पल) कहा है ३६२ ॥

अधि०—यद्यपि योगीश्वरका कहा हुआ मुख्य सिद्धांत ऊपर सिद्ध हो चुका और इन बातोंसे बहुधा काम अब नहीं परता तथापि इस वार्त्तामें पहले लोगोंने अपने २ देश और काल और मतके अनुसार जो जो मान भेद संज्ञा रखी थीं उनमें परस्पर एकसे दूसरी तुल्य नहीं होसक्ती तिसका अन्तरमात्र जान लेनेके लिये एक दो भेद उनके इस अधिकोक्तिमें लिखते हैं—नारदादिकोंने पांच पलका भी सुवर्ण होता बतलाया इस अपेक्षामें तीन ३ स्थूल अति मोटे यवोंसे कृष्णल एक माना इस कृष्णला को व्यवहारिक निष्कोंका सोलहवां अंश माना अर्थात् ऐसी १६ कृष्णलोंका एक (निष्क) हुआ परन्तु ऐसी पांच कृष्णलका एक (माप) माना इन्हीं १६ माषोंका एक सुवर्ण माना इस हिसाबसे व्यवहारिक पांच निष्कोंका एक सुवर्ण ठहरा इस हिसाबसे चार सुवर्णोंका एक पल माना तो बीस २० निष्कोंका एक पल हुआ—जहां तीन सूक्ष्म यवों का (कृष्णल) एक माना है तहां उस पूर्वोक्त व्यवहारिक निष्कका बारहवां भाग कृष्णल

कहलाता अर्थात् १२ कृष्णलका एक (निष्क) होता है इस पक्षमें सुवर्ण एक अढ़ाई निष्कोंसे होता है और एक पल दश निष्कोंका होता है-जहां मध्यम तीनि यवोंसे कृष्णल एक माना गया तहां उस व्यवहारिक निष्कका बीसवां अंश कृष्णल एक अर्थात् २० कृष्णलका एक निष्क होता है और चार ४ निष्कोंका एक सुवर्ण होता है इसी हिसाबसे १६ निष्कोंका एक पल होता है-इसीसे-पांच सुवर्णों का (पल) जिसने माना उसका २० निष्कोंका एक पल हुआ-ऐसेही कहीं निष्कका चालीसवां भाग कृष्णल अर्थात् ४० कृष्णलका एक निष्क और दो निष्कोंका एक सुवर्ण आठ निष्कोंका एक पल इत्यादि मत भेदसे या देश भेदसे संज्ञा भेदभी नाना भांतिसे पाये जाते हैं इनमेंसे जिसको जहां जिस भांतिकी अपेक्षा हो वह अपने देशके व्यवहारिक बांट मान या मुद्राओंसे निज बुद्धिसे तुल्यता करलेवै ३६२ ॥

यह तौ सुवर्णका उन्मान कहा-अब रजतका उन्मान कहते हैं ॥

द्वेकृष्णलेरूप्यमाषोधरणंषोडशैवते । शतमानंतुदशभिर्धरणैःपलमेवतु ३६३ ॥

ऐ०-ऊपर सोनेके मानमें योगीश्वरके कहेहुये दो कृष्णलोंका रूपे सम्बन्धी मान में एक माष होता है वे रूप्यमाष १६ मिलकर एक (धरण) कहलाता है इसीको मनु जीने पुराण भी कहा है ऐसे दश १० धरणोंका एक (शतमान) कहलाता है इसीको चाँदी सम्बन्धी (पल) भी कहा करते हैं ३६३ पहले कहेहुये चार ४ सुवर्णोंभर एक (निष्क) चाँदी सम्बन्धी होता है-यह नीचेके श्लोकसे लिया गया ३६३ ॥

अब ताँवा सम्बन्धी उन्मान संज्ञा कहते हैं ॥

निष्कंसुवर्णाश्चत्वारःकार्षिकस्ताम्रिकःपणः ३६४ ॥

ऐ०-इसके एक पादका अर्थ ऊपर चाँदीमें गया-दूसरे चरणमें ताँवा कहते हैं कि एक (पल) का चतुर्थांश (कर्ष) कहलाता यह लोकमें प्रसिद्ध है तिस कर्ष के उन्मानसे तुला हुआ ताम्र का बिकार पैसा आदि जो कुछ होता हो इसलिये उसको (कार्षिक) भी कहते हैं (ताम्रिक) भी कहते हैं परन्तु उसका मुख्यनाम (पण) कहते हैं उसीको संज्ञा भेदसे (कार्षापण) भी कहते हैं ३६४ ॥

अधि०-इसताम्र संवन्धी नामोंको मनुजीने स्पष्ट भावसे एकसाथ कहा-यथा ( कार्षापणस्तुविज्ञेयस्ताम्रिकःकार्षिकःपणः ) अर्थ इसका वही है जो बात ऊपर कह चुके-जहां पांच सुवर्णों का एक (पल) बांट माना गया उस पक्षमें २० माषोंका एक (पण) ताम्रिक होता है इस हिसाबसे एक (माप) पणका बीसवां भाग होता है-जहां चार सुवर्णोंका एक पल माना गया उसपक्षमें १६ माषोंका एक (पण) होता है इसपक्षमें यद्यपि सुवर्ण कार्षापण पण इन शब्दों का समान अर्थ होता है तथा सुवर्ण संज्ञा तौ सुवर्णके दण्ड में होती और ताम्र विषयिक दण्डव्यवहार में पण अथवा कार्षापण कहते-इसप्रकार



सोना चाँदी ताँबेके उन्मानकहेगये ऐसेही लोकव्यवहारांगभूत कांसे या पीतलआदि में समुभूतने चाहिये परन्तु यहां परकेवल दंडसंबंधी व्यवहारकेउपयोगी उन्मानकहे हैं अर्थात् वैद्यक परिभाषामें जुदे और लौकिकव्यवहारमें जुदे २संज्ञाभेद होतेहैं ३६४ ॥

अब दंडपरिमाणोंकी परिभाषा कहते हैं ॥

साशीतिःपणसाहस्रादंडउत्तमसाहसः । तदर्द्धमध्यमःप्रोक्तस्तदर्द्धमधमःस्मृतः ३६५ ॥

ऐ०—(साशीतिः) अस्सीसहित (पणसाहस्रादंडः) सहस्रपणका दण्ड अर्थात् १०८०

पणका दंड (उत्तमसाहस) नामदंड कहलाता क्योंकि यह इतनादंड उसपर कियाजाता जो उच्चप्रकारसे साहस नामका अपराधकरै साहस अर्थात् किसीके साथ जोरावरी करना-उस्से आधा ५४० पणकादंड (मध्यमसाहस) दंडकहलाता क्योंकि जो मध्यम रीतिसे साहसरूप अपराधकरै उसके योग्य होताहै-इस्से आधा २७० पणकादंड (अधमसाहस) नामदंड कहलाता क्योंकि जो कोई अधमकहिये स्वल्परीतिसे साहसरूपअपराध किसी परकरै तिसके योग्यहोताहै यह मन्वादिकोंने कहाथा ३६५ ॥

अधि०—मनुजीने पूरे एक हजार पणकहेथे किंतु अस्सी अधिक नहीं-यथा (पणा नांदिशतेसार्धप्रथमःसाहसःस्मृतः । मध्यमःपंचविज्ञेयःसहस्रत्वेवचोत्तमः) अर्थात्-अर्द्धाई सौ २५० पणोंका (प्रथमसाहस) नाम दण्ड किंतु सबसे छोटा १ और पांचसौ ५०० पणोंका दण्ड (मध्यमसाहस) नाम २ और पूरेएक सहस्र १००० पणोंका (उत्तमसाहस) नाम ३ विज्ञेय है-मनुजीने जब एक सहस्रपण कहेथे तब सतयुगके प्रभावसे मनुष्यों की थोड़े अपराधमें तत्परताथी किंतु उनसे अज्ञातभावसे अपराधहोताथा जानबूझ कर इच्छा पूर्वक नहीं करते थे और योगीश्वर के समयतक मनुष्यों की प्रकृति अधिक अपराधों पर आरूढ़ होगई किंतु बहुधा जानि बूझकर अपेक्षा पूर्वकरनेलगे इस्से उन्होंने अस्सी और भी बढ़ादिये कि अधिक सुनिकर अपराधी भयमानें और अपराधों से हाथ खींचें-यह उत्तम मध्यम नीच जो तीनभेद धन दण्डके कहे तिनका यही नियम नहीं है कि उतनेका उतनाही सर्वत्रकरै किंतु तीन प्रकारकी परम अवधि कही हैं इसलिये कि जिस अपराध की लघुता गुरुता के समान एक कौड़ी से लेकर २७० पण पर्यंत जो कुछ दण्ड हो वह (अधम) या (नीचसाहस) दण्ड कहलावै १ जब इस्सेभी अधिक अपराध हो और उसकी समताके अनुसार २७० से कुछ अधिक एक कौड़ी से लेकरदूने पर्यंत अर्थात् ५४० पण ताई जो कुछदण्डहो वह (मध्यमसाहस) दण्डकहलावै २ जब इस्से भी कुछ अधिक अपराध निश्चितहो और उसकी समता के अनुसार ५४० के सिवाय एक कौड़ी से लेकर दूने पर्यंत अर्थात् १०८० पणतक जो कुछ दण्ड हो वह (उत्तमसाहस) दंड कहलावै यह सिद्धांत है-यह डौल केवल (जुर माने) का बताया ३६५ ॥

धिग्दंडस्त्वथवाग्दंडो धनदंडो वधस्तथा । योज्याव्यस्ताः समस्तावाह्यपराधवशादिमे ३६६ ॥

ऐ०-पहला (धिग्दंड) धिक्कार आदि देकर छोड़ देना दूसरा (वाग्दंड) बाणीमात्रसे दंड देना अर्थात् आगेको दंड देना कहकर छोड़ना तीसरा (धनदण्ड) अर्थात् एककौड़ी से आदि लेकर १०८० पण तक जुरमाना जो ऊपर के श्लोकमें कह चुके वह भी इसीके भीतर आगया और उसके उपरांत (सर्वस्वहरण) जिसे यावनभाषामें (जबूतीजाय-दाद) कहते हैं तहां तक सब दशायें धन दंड ही कहलाता है तथैव चौथा (वधदण्ड) अर्थात् शारीर दंड इसके भी अनेक प्रकार हैं सो (तथा) शब्दसे सब लिये गये किंतु यद्यपि वधशब्द प्राणघात पर्यंत का वाचक है पर यथा धन दंड कहने से जुरमाना आदि सब दशायें समुझी गई तथा इसमें भी (रोध) घेरना बंद करना या (बंधन) कैंद करना या (ताड़न) मारना पीटना या (देशनिकाला) आदि दशलक्षण सब एकही वध-दंड के भीतर २ समुझे गये (इमे) यह चारों दंड (अपराध-वशात्) अपराधके अनुकूल जैसा अपराध हो तैसेही (व्यस्ताः) एक २ जुदे या दोतीन या (समस्ताः) चारों दंड एकही पर अपराध की प्रबलता में जोड़ने चाहिये ३६६ ॥

अधि०-यही चारभेद मनुने भी कहेथे-यथा (धिग्दंडं प्रथमं कुर्याद्वाग्दंडं तदनंतरम् । तृतीयं धनदंडं तु वधदंडमतः परम् ) अर्थ इसका भी वही है जो ऊपर कहा था-परन्तु-यथार्थ भावसे मुख्य दोही दंड होते हैं किंतु एक धन दंड दूसरा वधदंड बस इन्हीं दोके अंतर्गत अनेक भेद होजाते हैं जैसा २ ऊपरसे कथन चला आता है वरन धिग्दंड १ वाग्दंड २ यह दोनों भी उन्हीं के उपभेदमें आजाते हैं क्योंकि धिग्दंड तो शरीरदंड में गिनती होकर वधदंडमें समुझागया सो यह ऐसी दशामें काम आता है कि जब कोई तुच्छनर अपराधी हो और तुच्छ ही उसका अपराध हो सो भी उसपर भली भांति निश्चित नहीं होता तो तब धिग्दंड होकर छूटजाता है अथवा कोई सेवक बर्गोंमेंसे अपराधी हुआ और उसके अधिकार संबंधी कुछ थोड़ा अथवा पहला ही अपराध हुआ तब धिग्दंड देकर मुआफ़रहा-इसके सिवाय जब दूसरा कर फिर उसने वही अपराध यद्वा उरसे भी कुछ अधिक कोई अन्य अपराध किया तब उसपर वाग्दंडकी आवश्यकता हुई और (वाग्दण्ड) का सिद्धांत भाव (मुच्लकह) होनेपर आरूढ़ होता है अर्थात् उसपर दंड किया तो नहीं गया पर बाणी से यह कहा गया कि फिर आगे को ऐसा करेगा तब या तो इतना धनदंड लिया जायगा अथवा इतने दिनोंका बन्धन किया जायगा इत्यादि लक्षणों से जो कुछ मुखसे कहा गया सोई उरसे लिखवा लिया इसहेतु से यह वाग्दंड प्रथम तो विशेषकर धनदंडकी ही गिनती में आजाता है यद्वा उस मुचलिकेमें शरीर-सम्बन्धी भी कुछ दंड होने को लिखा गया तो दोनोंकी गिनतीमें आगया परन्तु य-

धार्थ में दंड दोही प्रकारके होतेहैं और सब उपभेद गिनेजाते हैं-यद्यपि (वाग्दंड)को बिरले गालिदान या शापादि आक्रोशन अर्थ कहतेहैं परन्तु वह वात धर्मसे विरुद्ध है क्योंकि गालिदान आदि यह अवगुण राजाके व्यसनों में गिनती होचुका है और लोकसेभी विरुद्धहै इसके सिवाय जब धिग्दंडपहले कहचुकेतौ वह धिक्कारही वाग्दंड कहलाचुकी फिर वाग्दंडका दूसराभेदगालिदान आदिकेसे निर्णय होसक्ताहै ३६६ ॥

अब दंडकी व्यवस्था निर्णय करने के लिये उसके निमित्तों को जतलाते हैं ॥

ज्ञात्वापराधं देगंच कालं बलमयापि वा । वयः कर्मच विनंच दंडं दंडये पुपातयेत् ३६७ ॥

अक्ष०—अपराध को देशको भी कालको और बलकोभी अवस्था को कर्म को वित्तको जानिकर दंड योग्यों में दंडडाले ३६७ ॥

अभि०—किसी अपराधी को दंडदेना निश्चितहोजानेपरभी प्रथम इतनी बातोंका निर्णय करिलेवै तबदंड उसकोकरै क्योंकि इसमें न्यूनाधिकरूप अधर्म दण्डहोजाने का बड़ाभयहोताहै इसलिये प्रथम तौ (अपराध) का स्वरूपदेखै कि वह अपराधकिसविषयका हुआहै-फिर (देश) को इसलिये देखै कि वही अपराध एकदेशमें अधिक दंडके योग्यहोताहै पुनिवही अपराध किसीदेशमें वहांके आचारके अनुसार थोड़े दंडयोग्य होताहै पुनि वही अपराध किसीदेशके आचार अनुसार अपराधकी गिनतीमेंभी नहीं आसक्ता फिरदंड होना क्योंकर उचितहो-ऐसेही देशके दृष्टांतवत्(काल) काभी विचारकरै-फिर(बल)काभी विचारकरै कि इस अपराधीको कितना दंडसहलेने का बलहै या कितने दंडको यहगिनतीमेंभी कुछनहीं लासक्ता तबकुछ दंडहोना चाहिये यद्वा अपनेबलका विचारकरै कि हमको कहांतक दंडदेनेका अधिकारहै और किस दंडमें नहीं-इसके सिवाय अपराधीकी अवस्था औरजिसके साथ वह अपराधकिया गया उसकीभी अवस्थाका विचारकरै-दृष्टांत जैसे एक अति बूढ़ा और कुरोगी जो थोड़े दिनमें मरनेहारथा दैवयोगसे किसीलघु अवस्थाके बालकने ईटमारी वहमर गया इसमें वहबालक जो अतिअचेतहै तौ निपटअदंड्यहै यद्वा समर्थहै तौ थोड़े दंडयोग्यहै परप्राणांतिक दंडउसको नहीं इत्यादि कर्मभेदसे अवस्थाभेदका मिलानकरना अथवा-अवस्थाशब्दसे अपराधकी दशाकाभी विचारकरै कि किसदशाकी उपस्थितिसे अपराधहुआ (दृष्टांत) जैसे कईसहस्र आदिमियों के मेलेमें हाथीके सन्मुख आजानेसे बैल या घोड़ेने अकस्मात् गाड़ीको धर उड़ाया इसदशामें यद्यपि अनेक जीवोंका नाशहुआहो परगाड़ीवान्का अपराध थोड़ा है दूसरा (दृष्टांत) सावकाशके मार्गमें प्रमादसे गाड़ी दौड़ाई इसदशामें यद्यपि एकही जीवकानाश यद्वा अंगभंगहुआहो परगाड़ीवान्का अपराध अपरिमितहै इत्यादिनाना दशाओंकानिर्णयकरै-फिरउन्हीं सबदशाओंके साथमें कर्मका विचारहोना यह कि किसकर्म द्वारा

वह अपराध हुआ किंतु जो उसकर्मसे किसीकी प्रतिष्ठा अथवा धर्मकी हानि हुई हो तो बालकभी दंडनीय है या उसकर्मका अपराधीयुवा और समर्थ ज्ञानवान् है तो अतिशय दंडनीय है-इसके सिवाय वित्त अर्थात् अपराधीकी हैसियतभी देखनी चाहिये किंतु उसी अपराध में निर्धन पर एक पैसा और उसी अपराधमें सधन पर एक रुपया दंड उचित होता है-इसी हेतुसे ३६५ श्लोकमें कहे हुये तीन भांतिके धन दंड जो पणों द्वारा कहे थे वे नियम साथ उतनेही नहीं होसके किंतु जहां जैसा उचित हो सो उनसे न्युनाधिकभी होता है-तिसपर भी वह अपराध बुद्धिपूर्व जानिबूझकर हुआ हो या दैव योगसे धोखेमें हुआ हो यह देखा चाहिये-तिसपर भी वह अपराध पहलीबार किया है या कई बार पहले भी ऐसा कर चुका है यह देखा चाहिये ३६७ ॥

अधि०—यद्यपि राज धर्मका संपूर्ण कलाप राजाके अवलंबसे बर्णन किया गया क्योंकि राजा इसका मुख्य अधिकारी होता है तथापि केवल राजाके ही शिरटीका नहीं किंतु चाहे कोई बर्णों जो राजाके अधिकारसे किसी देश विभाग मंडल आदिके अधिकर्ता हों उनसभी का यह धर्म है-और राजकर कालेना प्रजारक्षाका हेतु है और दंड इन दोनों का साधक है अर्थात् दंडसे ही कर भी लिया जाता और दंडसे ही रक्षा करी जाती है-दंड नाम यद्यपि मुख्यकर सजाको कहते हैं पर दंड सेनाका भी नाम है राजकर लेने को भी दंड कहते हैं जुर्मानेको भी दंड कहते हैं धर्मको भी दंड कहते हैं-यथा (दंडः शास्तिप्रजाः सर्वादंड एवाभिरक्षति । दंडः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मविदुर्बुधाः) ३६७ ॥

इति श्रीशुक्लव्यातिवंशीयमर्यादप्रियपंडितदुर्गाप्रसादाभिधेयेन योगीश्वरयाज्ञवल्क्यमुनिप्रणीतधर्मशास्त्रमधिकृत्य ऋजुमिताक्षरार्थवादमवलंब्य संपादितमर्यादापरिपाटीतिनामधर्मशास्त्रग्रंथे सदा-

चारः प्रथमोऽध्यायः समाप्तः १ ॥

मुद्राम लखनऊ मुशनिवलफियोर ( सी, आई, ई ) के द्वापेखाने में रूपा  
एप्रिल सन् १८९० ई० ॥

इस किताब का फायोराइट मद्रफुज है वरून इस द्वापेखाने के ॥

तीसरे भागमें (८) कर्णपर्व (९) शल्यपर्व (१०) सौप्तिकपर्व (११) योषिक व विशोकपर्व (१२) स्त्रीपर्व (१३) शान्तिपर्व—राज्यधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म सफे ४५६ जुज़ २८ वर्क ४ कीमत ३)

चौथे भागमें (१४) शांतिपर्व दानधर्म व अश्वमेध (१५) आश्रमवासिकपर्व (१६) मुसल पर्व (१७) महाप्रस्थानपर्व (१८) स्वर्गारोहण व हरिवंशपर्व सफे ५२८ जुज़ ३३ कीमत ३)

महाभारत के पर्व अलग २ भी मिलते हैं ॥

१ आदिपर्व	१	कीमत १)	२ सभापर्व	२	कीमत १=)
३ वनपर्व	३	तथा १।=)	४ विराटपर्व	४	तथा १)
५ उद्योगपर्व	५	तथा ॥)	६ भीष्मपर्व	६	तथा ॥=)
७ द्रोणपर्व	७	तथा ॥=)	८ कर्णपर्व	८	तथा ॥)
९ शल्यवगदा	९	सौप्तिक	१० योषिक व विशोक	११	स्त्रीपर्व
१० शांतिपर्व	१३	राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म, दानधर्म, सफे ५२८			तथा ३)
११ अश्वमेध	१४	आश्रमवासिक	१५ मुसलपर्व	१६ महाप्रस्थान	१७ स्वर्गारोहण
१२ हरिवंशपर्व	१९				१८ तथा १)
					तथा १=)

महाभारत सबलसिंह चौहान कृत ॥

यह पुस्तक ऐसी उत्तम है कि सम्पूर्ण महाभारत की कथा दोहे चौपाई आदि छन्दोंमें है ऐसी सरल है कि कम्पठेहुये मनुष्यों को भी भली भांति समझमें आती है इसका आनन्द देखनेही ले मालूमहोगा नीचे लिखेहुये पर्व छपेहुये तय्यार हैं यह पुस्तक बहुतही कम मिलती है यड़ी मुद्रिकलों से जो पर्व मिलें हैं वह छापेगये ॥

(१) आदिपर्व सफे ७४ जुज़ ४ वर्क ५ कीमत १) पैमाना ११+७ छपीहुई सन् १८८४ ई०

(२) सभापर्व सफे ७८ जुज़ ४ वर्क ७ कीमत १)

ऊपर लिखेहुये अलंकारों सहित पैमाना ११ + ७ छपीहुई सन् १८८२ ई०

(३) वनपर्व तथा तथा सफे ४२ जुज़ २ वर्क ५ कीमत १)

(४) विराटपर्व तथा तथा सफे ७६ जुज़ ४ वर्क ६ कीमत १)

(५) उद्योगपर्व तथा तथा सफे १४४ जुज़ ९ कीमत १)

(६) भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, व गदापर्व सफे १७६ जुज़ ११ कीमत १)

(७) स्त्रीपर्व तथा सफे २४ जुज़ १ वर्क ४ कीमत १)

(८) स्वर्गारोहण तथा सफे २८ जुज़ १ वर्क ६ कीमत १)

बाकी जब इसके पर्व मिलेंगे छापेजावेंगे जिन महाशयों को मिलसकी हैं

छपजावें ॥

## भगवद्गीतानवलभाष्यकाविज्ञापनपत्र ॥

प्रकटहो कि यहपुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता सकल निगम पुराण स्मृति सांख्यादि सारभूत परम रहस्यगीताशास्त्रका सर्वविद्यानिधान सौशील्य विनयौदार्य सत्यसंगर शौर्ध्यादि गुणसंपन्न नरावतार महानुभाव अर्जुनको परमअधिकारी जानके हृदयजनित मोहनाशार्थ सबप्रकार अपारसंसार निस्तारक भगवद्भक्तिमार्ग दृष्टिगोचरकरायाहै वही उक्त भगवद्गीतावजूवत्वेदान्त व योगशास्त्रान्तर्गत जिसको अच्छे २ शास्त्रवेत्तार अपनीबुद्धिसे पारनहींपासके तबमंदबुद्धी जिनको कि केवल देशभाषाही पठनपाठन करने की सामर्थ्य है वह कब इसके अन्तराभिप्रायको जानसकेहैं—औरयह प्रत्यक्षही है कि जबतक किसी पुस्तक अथवा किसी बस्तुका अन्तराभिप्राय अच्छेप्रकार बुद्धिमें न भासितहो तबतक आनन्द क्योंकरमिलै इसप्रकार सम्पूर्ण भारतनिवासी भगवद्भक्तपादाब्जरसिकजनों के चिन्तानन्दार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्तत धर्मधुरीण सकलकलाचातुरीण सर्वविद्याविलासीभगवद्भक्तधनुरागी श्रीमन्मुंशीनवलकिशोरजी सी, आई, ई ने बहुतसाधनव्ययकर फरुखावाद निवासि स्वर्गवासि परिडतउमादत्तजसे इसमनोरंजन वेदवेदान्तशास्त्रोपरिपुस्तकको श्रीशंकराचार्य निर्मितभाष्यानुसार संस्कृतसे सरलदेशभाषामेंतिलकरचाय नवलभाष्यआख्यसे प्रभातकालिककमलसरिस प्रफुल्लित करादियाहै कि जिसको भाषामात्रके जाननेवालेपुरुषभी जानसके हैं ॥

जबछपनेका समयआया तो बहुतसे विद्वज्जन महात्माओंकी सम्मतिसे यहविचारहुआ किइस प्रमूल्य व अपूर्व ग्रन्थकी भाष्यमें अधिकतरउत्तमता उससमयपरहोगी कि इसशंकराचार्य उक्त भाष्य भाषाके साथ और इस ग्रन्थके टीकाकारोंकी टीका भी जितनीमिले शामिलकीजावे जिसमें उन टीकाकारोंके अभिप्राय का भी बोधहोवे इसकारणसे श्रीस्वामी शंकराचार्यजी की शंकरभाष्य कातिलक व श्री आनन्दगिरिकृत तिलक अरु श्रीधरस्वामिकृत तिलकभी मूल श्लोकों सहितइस पुस्तकमें उपस्थित है ॥

### इशतिहार ॥

माहमार्च सन् १८८६ ई० से मुमालिक मगरबी व शिमालीका बुकडिपो इलाहाबाद क्यूरेटर बुकडिपो से मतबा मुंशीनवलकिशोर मुकाम लखनऊमें आगया है इस बुकडिपो में मगरबी व शिमाली एजुकेशनलबुक किताबोंके सिवाय औरभी हरएक विद्याकी किताबें मौजूदहैं इन हरएक किताबोंकी खरीदारीकी कुलशर्तेंकीमतके सहित इस छापेखानेकी छपीहुई फेहरिस्तमें दर्ज हैं जो दरखास्त करनेपर हरएक चाहनेवालोंको विलाकृमि मिलसक्तीहैं जिनसाहबोंको इनकिताबोंकी खरीदकरनाहो वे इसेखरीदकरें और फेहरिस्त तलबकरें ॥

द०मैनेजर अवध अखवार  
लखनऊमुहल्लाहजरतगंज



